श्री विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला ११

हिन्दी-

रसगङ्गाधर

('चन्द्रिका' संस्कृत व्याख्यासहित)

(द्वितीयो तृतीयो भागः)



चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१

॥ श्रीः ॥

॥ श्रीः ॥

विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला

११



पण्डितराजश्रीजगन्नाथविरचितः

रसगङ्गाधरः

'चन्द्रिका' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः

व्याख्याकारः

व्याकरण-न्याय-साहित्याचार्य-

पण्डित श्रीमदनमोहनझा

मुजफ्फरपुरस्थराजकीयसंस्कृतमहाविद्यालयस्य साहित्यप्रधानाध्यापकः



चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१

१९६९

प्रकाशक : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी

मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी

संस्करण : द्वितीय, संवत् २०२५

मूल्य—

प्रथमाननपर्यन्त प्र० भाग रु०१५-००

द्वितीयानन का उत्प्रेक्षानिरूपणान्त द्वि० भाग रु० २०-००

अतिशयोक्त्यलङ्कारादि समाप्तिपर्यन्त तृ० भाग रु० २०-००

सम्पूर्ण १-३ भाग रु० ५५-००

प्रधान कार्यालय

चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस

गोपाल मन्दिर लेन

पो० आ० चौखम्बा, पोस्ट बाक्स ८, वाराणसी-१

THE

VIDYABHAWAN SANSKRIT GRANTHAMALA

11



RASAGAṄGĀDHARA

OF

PAṆḌITARĀJA ŚRĪ JAGANNĀTHA

With

The 'Candrikā' Sanskrit-Hindi Commentary

By

Pt. ŚRĪ MADANAMOHANA JHĀ,

Vyākaraṇa-Nyāya-Sāhityācārya, Head of the Dept. of Sāhitya, Govt. Sanskrit College. Muzaffarpur.

THE

CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

VARANASI-1

1969

Second Edition
1969

Also can be had of
THE CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE
Publishers & Oriental Book-Sellers
P. O. Chowkhamba, Post Box 8, Varanasi-1 (India)
Phone : 3145

निवेदनम्

'धातुश्चतुर्मुखीकण्ठशृङ्गाटकविहारिणीम् ।
नित्यं प्रगल्भवाचालामुपतस्थे सरस्वतीम् ॥'

जनजीवने क्षणा आयान्ति यान्ति च तत्र पुण्यास्ते क्षणा यत्र जनः किमपि महत्त्व-मयं कार्यमारभते, समारब्धकर्मपरिसमाप्तये सपरिकरबन्धं प्रयतते, प्रारब्धपरिसमाप्तौ परितुष्यति च ।

अहमपि निजजीवनस्य तान् क्षणानतिपुण्यमयान् जाने यत्र निखिलालङ्कारग्रन्थ-गर्वखर्वणनिपुणस्य श्रीजगन्नाथपण्डितराजनिबद्धस्य रसगङ्गाधराख्यस्य महानिबन्धस्य व्याख्या मयाऽऽरभ्यत, प्रत्यूहव्यूहैः साकं सङ्गरमुपक्राम्यता तत्परिसमापनाय प्रायत्यत, तत्परिसमाप्तौ च कृतकृत्यताजन्मा महान्मोदोऽन्वभूयत ।

रसगङ्गाधरव्याख्यानावसरलाभः

मैथिलब्राह्मणजातीयश्रोत्रियशाखायां लब्धजन्माऽभिनन्दनीयकविकर्मा पूजनीयः कवि-शेखरश्रीवदरीनाथझाशर्मा विहारप्रान्तीयमुजफ्फरपुरस्थ-राजकीय-धर्म-समाजसंस्कृतमहा-विद्यालयस्थप्रधानाचार्यपदञ्चालङ्कुर्वन् 'ध्वन्यालोक-दीधिति'-'रसमञ्जरी-सुरभी'त्याद्यनेकान् व्याख्याग्रन्थान् 'राधापरिणय-प्रभृतीन् कियतो मौलिक-संस्कृतकाव्यनिबन्धांश्च निर्माय प्रका-शितान् विधाप्य च ततो लब्धदीर्घावकाशो ग्रामे धर्माचरणचणं जीवनं यापयन् वार्धक्य-प्रभाव-परवशोऽप्यहीनस्फूर्तिः रसगङ्गाधरप्रथमाननस्य चन्द्रिकाख्यां संस्कृतभाषामयीं व्याख्यां विरचय्य प्रकाशनाय चौखम्बा-विद्याभवनाभिधाने वारणसीगते ग्रन्थालये प्रायच्छत् ।

उक्तग्रन्थालयाधिपतिः श्रेष्ठिप्रवरः श्रीजयकृष्णदासगुप्तमहोदयश्च तदीयां तां व्याख्यां हिन्दीव्याख्यया सहैव प्रकाशयितुं कामयमानो हिन्दीव्याख्यामपि विधातुं तमेव लब्धप्रतिष्ठ-माचार्यप्रवरं प्राक् प्रार्थयामास । परं ततो नकारात्मकमुत्तरमुपलभ्य तदनुमत्यैव मह्यं तावतो भागस्य हिन्दीव्याख्यां कर्तुं भारमार्पयत् । इतः पूर्वमेव मम 'रसगङ्गाधररहस्य'-नामकमेकं लघुपुस्तकं परीक्षार्थिच्छात्रजनानुरोध-बल-लब्ध-समुद्भवं तस्मिन् ग्रन्थालये प्रकाशितमासीत् ।

यदा तं भारं प्रदातुमुक्तप्रकाशकमहोदयो मम पुरः समुपस्थितोऽभूत् तदा प्रथमं रसगङ्गाधरस्य नव्यन्यायभाषासन्दब्धस्य हिन्दीव्याख्याया दुष्करतामिवानुध्यायन्नहं तं भारमनङ्गीकर्तुमेव मनसाऽनुमतोऽभवम्, परन्तु तदग्रिमक्षण एव वीणापाणिप्रेरितं किमपि विलक्षणं साहसं मम मानसे समचरत् । यत्फलं मन्मुखात्तद्भारस्वीकारोक्तिनिस्सृतिः समभूत् । भारो मयाङ्गीकृतः । किन्तु यदा तद्भारवहनाय स्कन्धौ योजितौ तदा विविधा विघ्नाः सम्मुखमापतिताः । कदाचिदनूढभारौ स्कन्धावेवान्दोलनमिवाकलयन्तौ प्रतीयेते स्म, कदाचित्समयाभावोऽनुभूयते स्म, कदाचिदस्वास्थ्यादीनि मार्गरोधकानि प्रतिभान्ति स्म ।

परमेतान् विघ्नान् विद्राव्य यथाकथञ्चिदहं तं महान्तं भारं वहन् व्याख्यानिर्माणसरणावग्रेऽसरम्। अस्याञ्चाग्रेसरतायां तत्साहसमेव सर्वाधिकं सहायकं समभवत्।

अन्ततस्तेऽपि दिवसाः समागता यदा रसगङ्गाधरप्रथमाननस्य हिन्दीव्याख्या सम्पूर्णा, विशाला प्रस्तावनाऽपि प्रस्तुता, प्रकाशनाय यन्त्रमारूढा च।

यदा तत्पुस्तकं यन्त्रस्थमतिष्ठत्तदा ममान्तःकरणे के के भावाः प्रादुर्भूय विनश्यन्ति स्म तान् कथं कथयामि, 'मम व्याख्यामवलोक्य विद्वांसः किं कथयिष्यन्ति? स्तोष्यन्ति? निन्दिष्यन्ति वा?' इत्यादयो भयमिश्रितास्ते भावा आसन्, एतावदेव साम्प्रतं वक्तुं पारयामि। परन्तु यदा प्रकाशितं तत्पुस्तकं विदुषां करेषु स्थानमापत्तदाऽसन्तोषस्य कोऽप्यवसरो नोपस्थितः, यतो विद्वांसो मम व्याख्यायाः प्रशंसां यदि नाकुर्वन् तर्हि निन्दामपि नैव प्राकटयन्, प्रत्युत कर्णाकर्णितया तस्या व्याख्यायाः प्रशंसैव श्रुतिपथातिथ्यमयासीत्।

अथ तेनैव प्रकाशकश्रेष्ठेन श्रेष्ठिवरेण श्रीजयकृष्णदासगुप्तमहोदयेन रसगङ्गाधराग्रिमग्रन्थस्यापि पूर्वभागस्येव संस्कृत-हिन्दी-टीका-द्वयोपेतं संस्करणं प्रकाशयितुकामेन पुनः स एव विख्यातकीर्तिः प्रथमाननभागस्य संस्कृतटीकाकारो शेषभागस्याऽपि टीकाकरणायामन्त्रितः। किन्तु मादृशश्रद्धावनतासंख्यजनसौभाग्येन जीवन्नपि च वार्धक्यवशाल्लौकिकप्रपञ्चवैमुख्यवशाच्च शेषभागस्य व्याख्यां कर्तुं नैच्छत्। ततः पुनस्तदादेशेनैव श्रेष्ठिप्रवरोऽसौ रसगङ्गाधरस्यावशिष्टभागस्य संस्कृत-हिन्दी-भाषा-युगलनिबद्धां व्याख्यां विधातुं मामन्वरुणत्।

मयापि प्रथमाननगतहिन्दीटीकासाफल्यसमुत्साहितेन सहर्षं तथा विधातुं स्वीया स्वीकृतिर्वितीर्णा समारब्धा च प्रथमाननगतसंस्कृतटीकाकारविघृतचन्द्रिकाख्ययैव संस्कृतव्याख्यया सह राष्ट्रभाषाहिन्दीव्याख्यया।

वस्तुस्थितिः

भावावेशदशायां विहित एव लेखो भावकेभ्यो रोचत इति प्रायः समेषां लेखकानां तुल्योऽनुभवः। भावावेशदशासम्पत्तिश्च तदैव सम्भवति, यदि नियमतः समयापहारकं किमपि कार्यान्तरं न भवेत्, जीवनयापनोपयोगिनोऽर्थस्य कार्कश्यं न तिष्ठेत्, कोऽपि व्याधिः कायं नाक्रामेत्, आधिर्हृदयं न चुम्बेत्, लेखकजनोपयुक्तरहःप्रकोष्ठाभावो वा न भवेत्।

मम पुरस्तु व्याख्याकरणकाले पुरोदीरितनञर्थप्रतियोगिन एव नियमतोऽतिष्ठन्। यतो महाविद्यालयेऽध्यापकपदासीनस्य मम समयापहारकं महाविद्यालयसम्बन्ध्यध्यापनादिकार्यं नियमतस्तिष्ठत्येव।

अथाधिरेव विधिविधानाधीनोऽवशिष्यते। सोऽपि यादृक् प्रकृतटीकाटीकनकाले समुपस्थितो, न तादृक् प्राक् कदाचिन्मम जीवने। यमवलोक्य नानाविधं मनोरथं कुर्वाण आसम्, यो न ममैव, अपि तु समस्तस्य परिवारस्य प्राणेभ्योऽपि प्रियोऽभवत्, यो लघुनि निजजीवने भविष्णुताया अनेकानि प्रमाणानि प्राकटयत्, यदीया रूपमाधुरी यदीयं स्वभावसौन्दर्यं, यदीय आचारक्रमो नात्मीयानेव, किन्तु तटस्थानपि प्राभावयन्, स सप्तवर्षीयो वीरेन्द्रमोहनाभिधस्तनयोऽकस्माच्चिकित्साया अवसरमदत्त्वैव विसूचिकारोगेण रुदतोऽ-

स्मानपहाय परमपितुः क्रोडे क्रीडितुमिव लोकान्तरमगमत्। हन्त! भगवन्! नैतादृशं दुरवसरं कस्मैचिद्देहि।

दैवदुर्विलासासादितयाऽनया दुर्घटनया तादृश आघातो हृदयेऽलगद् येन प्रक्रान्तव्याख्यापूर्तेः सम्भावना समाप्तप्राया समजनि। परन्तु समयः सर्वं शमयति। ममापि शोकः क्रमशः सह्यतामासादयत्। पुनरहं 'विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति' इत्याप्तजनोक्तिमनुस्मरन् व्याख्याकर्मणि संलग्नोऽभवम्।

अस्या विषमपरिस्थितेः सुनिश्चितः परिणामोऽयमभवद्यन्महाविलम्बेन व्याख्याकार्यं समपद्यत। समपद्यत, एतदेव बहु मन्तव्यम्।

'आत्यन्तिकासिद्धिविलम्बिसिद्ध्योः कार्यस्य-कार्यस्य शुभा विभाति?'

संस्कृतव्याख्या

मदीया संस्कृतव्याख्या कीदृशी सञ्जाताऽस्तीति यद्यपि न मम निर्णेयो विषयः, अपि तु सहृदयानामालोचनात्मकदृष्टिकोणं पुरो निधाय पाठकानामेव, तथापि वक्तव्यमेव मयाप्येतावद्यदस्यां व्याख्यायां ग्रन्थकारस्य हृदयं स्प्रष्टुं महान् श्रमो विहितः यत्नतः प्रतिपादनशैली सरलाकृता, सर्वत्रावतरण-ग्रन्थलापनयोरनन्तरं सारांशो लिखितः।

इयं व्याख्याशैली भवेदन्यैर्व्याख्याकारैरन्यत्र क्षुण्णा, परन्तु मया ज्ञानपुरस्सरं न कस्यापि शैली समनुहृता। सम्भवति—टीकाकरणे प्रथमप्रवृत्तस्य मम तद्विषयकाचातुर्येण बुद्धिदोषेण वा कियत्यस्त्रुटयो भवेयुरिति।

हिन्दीव्याख्या

व्याख्यानुवादयोर्महदन्तरं भवतीति सर्वानुभवसाक्षिकं वस्तु। मया यद्यपि हिन्दीभाषायामपि व्याख्यैव कृता, नानुवादस्तथापि क्वचित्क्वचिदनुवादशैली-छाया तत्र लभ्येत भावकैः। तत्र व्याख्या-शैली-समपेक्षित-द्विरुक्त्यादिदोष-ग्रस्त-पङ्क्ति-वृद्धि-परिजिहीर्षैव हेतुः। सम्भवति—दुरूहस्थलीय-भावस्फोरणं कामयमानेनापि मया सर्वथा हिन्दीभाषायां न कृतं भवेदिति। इदमपि सम्भवति भाषा सर्वथा परिमार्जिता न स्यादिति। यद्यप्येवमादिभिर्दोषैर्मुक्तं निजलेखं मुक्तं रक्षितुं मया नाल्पं समवधानं स्वीकृतम् तथापि स्वतः समासादिविधिवशात् स्वल्पैरेवाक्षरैर्विशालमर्थजातं क्रोडीकुर्वत्यां, परतो नव्य-न्याय शैली-समुपबृंहितायां संस्कृतभाषायामुपनिबद्धस्य प्रौढतरस्य निबन्धस्य भाव-स्फोरणं तादृशवैशिष्ट्यविरहिते भाषान्तरे दुष्करं भवतीति ते दोषा नासम्भविनः।

प्रस्तावना

अद्यत्वे ग्रन्थगतविषयाणां संक्षेपतो दिग्दर्शनेन सहैव तेषु विषयेषु विभिन्नाचार्याणां मतानि यथा विज्ञातानि भवन्ति तादृश्यै एवालोचनात्मिकायै अत एव दीर्घायै प्रस्तावनायै स्पृहयन्ति पाठका इत्यनुभवता प्रकाशकमहाभागेनानुरुद्धोऽहमपि तादृशीमेव प्रस्तावनां पुस्तकेऽस्मिन् निर्माय समयोजयम्।

प्रस्तावनायामस्यां केचन तथाविधा अपि सैद्धान्तिका विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति येऽधुनावधि मया दृढत्वेनाङ्गीकृता अपि परेषामनभिमता भवेयुः तत्र यदि केऽपि युक्तियुक्तं

विरोधं विधास्यन्ति तदा तत्कालादारभ्याहमपि स्वविचारं परिवर्तयिष्यामि, तदनुसारं समुचितं संशोधनमपि भाविनि संस्करणे करिष्यामीति ।

साहाय्यम्

व्याख्याकरणकाले विख्यातकीर्तिभिः विद्वच्चूडामणिभिर्नागेशभट्टैः कृतया गुरुमर्मप्रकाशाख्यया व्याख्यया, कविवरैः श्रीमथुरानाथभट्टमहोदयैः कृतया सरलाभिधया टिप्पण्या च संयुक्तं मूलरसगङ्गाधरपुस्तकम्, विद्वद्वरैः श्रीपुरुषोत्तमशर्मचतुर्वेदिमहोदयैः लिखितं हिन्दीरसगङ्गाधरपुस्तकञ्च ममाग्रेऽवर्तताम् । रसगङ्गाधरस्य तेभ्योऽन्यट्टीकाटिप्पण्यादिकमुपलब्धमपि नास्त्येव । अतो यदल्पं महद् वा साहाय्यं समभूत्तत एवेति स्वीकरणे न मम सङ्कोचः । भूमिकाभागे तु चतुर्वेदमहोदयानां पुस्तकेन सहैव लब्धप्रतिष्ठस्य समालोचकमूर्धन्यश्रीबलदेवोपाध्यायमहाशयानां भारतीयसाहित्यशास्त्रनामकेन पुस्तकेनापि विपुलं साहाय्यं मम कृतमिति सत्यतरं वचः ।

धन्यवादज्ञापनम्

येषां पुस्तकेभ्यो मया साहाय्यं लब्धं तेभ्यो प्रागुक्तनामधेयेभ्यो विद्वद्भ्यः शतधा-सहस्रधा वा धन्यवादानहं मनसा विदधामि । सहैव यैरत्रत्यैः सहवासिभिर्वयस्यकल्पैर्विद्वद्भिः साकं समये समये कृता व्याख्येयग्रन्थगूढस्थलविचारवार्ता मार्गदर्शिका समभूत् तानपि धन्यवादवचोभिः संवर्धयामि ।

आलोचकान् प्रति

नवप्रकाशितस्य मौलिकग्रन्थस्य व्याख्याग्रन्थस्य वा समालोचनं कर्तव्यमेव विज्ञैरालोचकैः यत आलोचनैव नव-नव-रहस्योन्मेषजननी । परन्तु समालोचकैर्दोषैकदृग्भिर्न भाव्यम् । गुणानपश्यन्तः पश्यन्तोऽपि वाऽप्रकटयन्तो दोषदृशः समालोचका व्रणमात्रगवेषिकाभिर्मक्षिकाभिरेवोपमीयन्ते । अतो गुणदोषोभयप्रकटनपरैः पक्षपातरहितैः स्वयं कृतकृतिभी राजशेखराभिनन्दितकोटिकैस्तत्त्वाभिनिवेशिभिरालोचकैर्भवितव्यम् ।

उपसंहारः

दोषमयेऽस्मिन् प्रपञ्चे न निर्दोषं किञ्चित् । लेखकाः सदोषाः, सम्पादकाः सदोषाः, प्रकाशकाः सदोषाः, प्रकाशनयन्त्रमपि सदोषमेव । एवं दोषकवलितानां समाजे स्वरूपं लभमानं पुस्तकं सर्वथा निर्दोषं स्यादिति दुराशामात्रम् । अतः प्रकाशमेष्यतोऽस्य पुस्तकस्य सम्भावितानां दोषाणां कृते क्षमासारान सतः पाठकान् क्षमामहं याचे, प्रयाचे च दोषान् सूचयितुम् । सूचिता दोषाः कालान्तरे दूरीकर्तुं शक्या भवेयुरित्याशासे ।

अन्ते चाहम्—

'व्याख्ये मे विदुषां प्रीतिं प्राप्नुतामिति साञ्जलिः ।
करुणाकारिणं याचे पार्वती-रमणं प्रभुम् ॥'

जानकी-विवाहपंचमी
वि० सं० २०१४

विदुषां विधेयस्य
—**मदनमोहनझा शर्मणः**

प्रस्तावना

उपक्रम

'विना न साहित्यविदा परत्र गुणः कथञ्चित् प्रथते कवीनाम् ।
आलम्बते तत्क्षणमम्भसीव विस्तारमन्यत्र न तैलविन्दुः ॥' (मङ्खक)

वस्तुतः कमनीय-कविता-कालिन्दी का एक कूल यदि कवि है तो दूसरा कूल आलोचक। कवि यदि आनन्दानुभूति की सामग्री प्रस्तुत करता है तो आलोचक आनन्दानुभावक दृष्टि प्रदान करता है। यदि साहित्यमर्मज्ञालोचकों की नानाविध आलोचनायें सामने न आतीं तो आज हम वाल्मीकि, व्यास तथा कालिदास, भवभूति आदि की कविताओं को पढ़कर एवं नाटकों को देखकर वह आनन्द प्राप्त न कर सकते, जो आज प्राप्त करते हैं।

उन्हीं आलोचकों में से एक मुकुटायमान आलोचक की आलोचनाओं का सिंहावलोकन इस प्रस्तावना द्वारा कराने का प्रयत्न यहाँ किया जा रहा है।

पूर्वाभास

प्राचीन आलङ्कारिक आचार्यों में से कतिपय आचार्यों ने काव्य के उत्तम (ध्वनि), मध्यम (गुणीभूतव्यङ्ग्य) और अधम (व्यङ्ग्यशून्य) ये तीन भेद माने हैं। अन्य (रससम्प्रदायवादी) आचार्यों ने प्रथम दो भेदों को ही स्वीकृत किया है—रसशून्य होने के कारण तृतीय (अधम) भेद में उन्हें काव्यत्व अभीष्ट नहीं है।

प्रकृत निवन्ध-प्रणेता पण्डितराज जगन्नाथ ने तो काव्य के उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम ये चार भेद किये हैं। उत्तमोत्तम नामक प्रथम काव्य-भेद के पुनः स्थूलरूप में पाँच भेद किये गये हैं। इन भेदों का विवरण प्रकृत निवन्ध में निम्न रूप से किया गया है—

'अभिधा और लक्षणामूलध्वनि दो प्रकार की होती है। उनमें प्रथम के पुनः तीन प्रकार होते हैं—रसध्वनि, वस्तुध्वनि और अलङ्कारध्वनि। द्वितीय के भी पुनः दो प्रकार हो जाते हैं—अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य।'

इसका तात्पर्य यह है कि व्यङ्ग्य अर्थ अथवा व्यञ्जक शब्द के भेद से 'ध्वनिकाव्य' का भेद होता है और व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति तव होती है जब शब्द अभिधा अथवा लक्षणाद्वारा अपना अर्थ उपस्थित कर लेते हैं। अभिधा अथवा लक्षणाद्वारा शब्द का कोई अर्थ ज्ञात हुए विना व्यङ्ग्य अर्थ प्रकाशित नहीं हो सकता। अतः व्यङ्ग्य अर्थ सर्वप्रथम दो भागों में विभक्त किये जाते हैं—एक वे जो अभिधाद्वारा शब्दार्थज्ञान होने के बाद प्रतीत होते हैं, दूसरे वे जो लक्षणाद्वारा शब्दार्थ-ज्ञानोत्तर ज्ञात होते हैं। इनमें पहले को अभिधामूलक व्यङ्ग्य और दूसरे को लक्षणामूलक व्यङ्ग्य कहते हैं। इन्हीं को काव्यप्रकाशकार आदि, क्रमशः 'विवक्षितान्यपरवाच्य' और 'अविवक्षितवाच्य' भी कहते हैं।

'रसध्वनि' नामक जो अभिधामूलक ध्वनिभेद कहा गया है उसको 'असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य' और शेष भेदों को 'संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य' कहते हैं।

'ध्वनि' शब्द के पाँच अर्थ होते हैं—व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जना वृत्ति, व्यङ्ग्य अर्थ, व्यङ्ग्यार्थ-प्रतीति और व्यङ्ग्यार्थ-प्रधान काव्य।[1] इन पांचों अर्थों में 'ध्वनिकार आनदवर्धन' ने 'ध्वनि' शब्द का प्रयोग स्थान-स्थान पर किया है। रसगङ्गाधरकार प्रायः व्यङ्ग्य और काव्य अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग करते हैं।

उपर्युक्त पांचों अर्थों में से अन्तिम अर्थ के अनुसार व्यङ्ग्यार्थप्रधान सर्वोत्कृष्ट (उत्तमोत्तम अथवा प्राचीन मत से उत्तम) काव्य की संज्ञा 'ध्वनि' मानी गई है जिसके पाँच भेद पहले लिखे गये हैं।

रसध्वनि के भेद व्यङ्ग्य-भेद के आधार पर न करके व्यञ्जक-भेद के आधार पर इसलिये किये गये हैं कि रसादिरूप व्यङ्ग्यों की संख्या अनन्त हो जाती है—उनकी गणना संभव नहीं। अतः असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वरूप से वहां व्यङ्ग्य का एक ही भेद माना जाता है।

प्रकाशकारादि के मत से व्यञ्जक-भेद छे प्रकार के होते हैं—प्रबन्ध (पूरा ग्रन्थ), वाक्य, पद, पदैकभाग (प्रकृति-प्रत्यय), वर्ण और रचना। इन भेदों के कारण ही उक्त ध्वनिकाव्य के भी छे भेद वे लोग मानते हैं। किन्तु रसगङ्गाधरकार वर्ण तथा रचना को रस-व्यञ्जक न मानकर गुण-व्यञ्जक ही मानते हैं, अतः उनके मत से चार ही भेद होते हैं। यह बात दूसरी है कि रसगङ्गाधरकार राग आदि को भी रसव्यञ्जक मानते हैं और तदनुसार और भी भेद हो सकते हैं।

[यहां तक का विवेचन प्रथम भाग (प्रथमानन) में आ चुका है। प्रसंगवश पूर्वाभास के रूप में, उचित समझकर, यहां भी उसका दिग्दर्शन कर दिया गया है।

संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य नामक ध्वनि-भेदों के निरूपण से द्वितीय आनन आरम्भ होता है। मध्य में प्रसङ्गवश अभिधा तथा लक्षणावृत्तियों का और लक्षणानिरूपण के मध्य में ही प्रसङ्ग आ जाने से, उपमा' तथा 'रूपक' अलङ्कारों के भेदों का विशद विचार किया गया है। शेष अंश में अलङ्कारों का निरूपण है।]

विषय-विवेचन

संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के भेद

वाच्यार्थ की प्रतीति होने के अनन्तर ही व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है, यह सूत्र उपक्रम में सूचित किया जा चुका है। व्यङ्ग्यार्थ दो प्रकार का हो सकता है—पहला वस्तुरूप और दूसरा अलङ्काररूप। यद्यपि अलङ्कार भी 'वस्तु' के अन्दर आ जाता है, पर यहां अलङ्कार का पृथक् ग्रहण करने से 'वस्तु' के अन्दर अलङ्कारातिरिक्त वस्तुओं का समावेश समझना चाहिये। फलतः 'वस्तु' पद से साधारण वस्तु का और 'अलङ्कार' पद से वैचित्र्य-विशिष्ट वस्तु का ग्रहण होता है। इसी रहस्य को स्पष्ट करने के लिये 'प्रकाशकार' आदि ने 'अविचित्र' और 'विचित्र' नाम से भेद किया है।

---

१. 'इह हि काव्य पुरुषावतारस्य ध्वनिकारस्य व्यवहारात्—ध्वनतीति ध्वनिः शब्दः, ध्वन्यतेऽनेनेति ध्वनिः शब्दादिशक्तिः, ध्वन्यते (यः) इति रसादिरर्थः, ध्वननं ध्वनिरिति रसादिप्रतीतिः, ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः काव्यम् इत्येवं ध्वनियोगा उपलभ्यन्ते। इति साहित्यदर्पणभूमिकायां म० म० श्रीदुर्गाप्रसादमहाभागाः।' (चतुर्वेदीजी के हिन्दी रसगङ्गाधर की भूमिका से उद्धृत)

उक्त दोनों प्रकार के व्यङ्गयार्थ कहीं शब्द-सामर्थ्य से और कहीं अर्थ-सामर्थ्य से प्रतीत होते हैं। शब्द-सामर्थ्य से प्रतीत होनेवाले व्यङ्गयार्थ शब्दशक्तिमूलक और अर्थ-सामर्थ्य से प्रतीत होनेवाले व्यङ्गयार्थ अर्थ-शक्तिमूलक कहलाते हैं। इस तरह संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के प्रथमतः ये ही दो भेद होते हैं। उनमें शब्दशक्तिमूलक व्यङ्ग्य के उक्त रीति से वस्तुध्वनि और अलङ्कारध्वनि ये दो ही भेद होते हैं। पर अर्थशक्तिमूलक के आठ भेद हो जाते हैं, क्योंकि जिस अर्थ के सामर्थ्य से व्यङ्ग्य-प्रतीति की बात कही गई है वह अर्थ भी साधारणतया वस्तुरूप और अलङ्काररूप भेद से दो प्रकार का होता है और काव्य-जगत् में आकर उन दोनों प्रकारों के भी पुनः दो-दो प्रकार—अर्थात् वस्तुरूप और अलङ्काररूप अर्थ भी स्वाभाविक तथा कविकल्पित दो-दो प्रकार—के हो जाते हैं। अलङ्कारशास्त्र में स्वाभाविक अर्थ को 'स्वतःसम्भवी' और कविकल्पित अर्थ को 'कविप्रौढोक्तिसिद्ध' कहते हैं।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि व्यञ्जक अर्थ चार प्रकार के होते हैं—स्वतःसम्भवी वस्तु, स्वतःसम्भवी अलङ्कार, कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु और कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कार। इन चार प्रकार के व्यञ्जक अर्थों से अभिव्यक्त होनेवाला (व्यङ्ग्य) अर्थ भी वस्तुरूप तथा अलङ्काररूप—दोनों प्रकार का हो सकता है। अतः संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के अर्थशक्तिमूलक भेद आठ होते हैं। फलतः पूर्वोक्त शब्दशक्तिमूलक दो भेदों को लेकर, 'पण्डितराज' के मत से संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य नामक 'ध्वनि'-काव्य के कुल दस भेद होते हैं।

यद्यपि काव्यप्रकाशकार आदि इन भेदों के अतिरिक्त चार भेद और मानते हैं, क्योंकि उन लोगों के विचार से कविकल्पित व्यञ्जक अर्थ के समान कविकल्पित वक्ता के द्वारा कल्पित अर्थ भी व्यञ्जक हो सकता है। इस प्रकार के अर्थों की संज्ञा उन लोगों ने 'कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्ति-सिद्ध' रखी है। यह कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध अर्थ भी वस्तु तथा अलङ्कार भेद से दो प्रकार का हो सकता है और इन दोनों अर्थों के सामर्थ्य से होनेवाले व्यङ्ग्य भी वस्तु तथा अलङ्कार दोनों रूप हो सकते हैं, अतः उनके मत से, अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के बारह भेद और शब्दशक्ति-मूलक के उक्त दो भेद (इस तरह कुल चौदह भेद) संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि के होते हैं।

पण्डितराज का तर्क यहाँ यह है कि—कविकल्पित वक्ता के द्वारा कल्पित अर्थ भी वस्तुतः कविकल्पित अर्थ ही है, अतः तत्प्रयुक्त पृथक् भेदों की गणना उचित नहीं। यदि इस तरह भेद-संख्या में वृद्धि की जायगी तो कविकल्पित वक्ता से कल्पित वक्ता आदि द्वारा कल्पित अर्थ को व्यञ्जक मानकर अनन्त भेदों की कल्पना हो जायगी।

यद्यपि व्यङ्गयार्थ के उल्लास में शब्द तथा अर्थ दोनों का अनुसन्धान अपेक्षित होता है, अतः सभी संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य शब्दशक्तिमूलक और अर्थशक्तिमूलक भी होते ही हैं, फिर कुछ को केवल शब्दशक्तिमूलक और कुछ को केवल अर्थशक्तिमूलक मानना आपाततः अयुक्त प्रतीत होता है, तथापि वस्तुतः वैसा मानना अयुक्त नहीं है, क्योकि वैसा मानने का तात्पर्य है—वैसा व्यवहार करना और व्यवहार होता है प्रधानानुरोधी। जैसे सामान्य लोगों के रहने पर भी अधिक-तर पहलवान से युक्त ग्राम में 'मल्लग्राम (पहलवानों का ग्राम)' ऐसा व्यवहार होता है। इस दृष्टिकोण से सोचने पर जहाँ परिवृत्तिसह (जिनका पर्यायान्तरद्वारा परिवर्तन कर देने पर भी व्यङ्ग्य होता ही रहे ऐसे) शब्दों की प्रचुरता हो वहाँ शब्दशक्ति रह कर भी प्रधानशक्ति की अनुगामिनी अर्थशक्ति प्रधान सिद्ध होती है, अतः वैसे स्थलों में अर्थशक्तिमूलक ध्वनि का व्यवहार सर्वथा उचित है। इसी तरह जहाँ परिवृत्त्यसह (परिवर्तन को न सह सकने वाले) शब्दों की

अधिकता रहेगी, वहाँ शब्दशक्ति की ही प्रधानता और अर्थशक्ति की अनुगामिता सिद्ध होगी, अतः वैसे स्थलों पर शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का व्यवहार सुसंगत ही है।

इसी विश्लेषण से एक और साहित्यिक तथ्य उद्भूत हो जाता है कि जहाँ परिवृत्तिसह तथा परिवृत्त्यसह दोनों प्रकार के शब्द समान मात्रा में हों—किन्हीं एक प्रकार के शब्दों की प्रचुरता न हो—वहाँ शब्दार्थोभयशक्तिमूलक व्यङ्ग्य की सत्ता ही माननी पड़ेगी, अतः वैसे स्थलों में 'द्व्युत्थ (शब्द तथा अर्थ दोनों की शक्तियों से उत्थित)' ध्वनि का ही व्यवहार होगा। फलतः संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य का एक और भेद सिद्ध हो जाता है।

उपर्युक्त भेदों के अतिरिक्त लक्षणामूलक ध्वनि-भेदों का प्रसङ्ग इस ग्रन्थ में प्राप्त होता है जिसका सारांश यह है कि रूढिमूला लक्षणा के स्थल में व्यङ्ग्यार्थ का कोई प्रसङ्ग ही नहीं आता। बची प्रयोजनमूला लक्षणा, उसके छै भेद होते हैं—सारोपा गौणी, साध्यवसाना गौणी, जहत्स्वार्था शुद्धा, अजहत्स्वार्था शुद्धा, सारोपा शुद्धा और साध्यवसाना शुद्धा। इन छै भेदों में से केवल जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्था ये दो भेद ही ऐसे हैं जहाँ 'ध्वनिकाव्यता' संभव है, क्योंकि अन्य चार भेद अलङ्काररूप में परिणत हो जाते हैं—अर्थात् गौणी सारोपा रूपक अलङ्काररूप में, गौणी साध्यवसाना अतिशयोक्ति अलङ्काररूप में और शुद्धा सारोपा तथा साध्यवसाना शुद्धा हेतु अलङ्काररूप में परिणत हो जाती हैं। यह सर्वमत-सिद्ध सिद्धान्त है कि जहाँ अलङ्कार की प्रधानता हो जाती है वहाँ ध्वनिकाव्य का लक्षण संघटित नहीं होता। फलतः लक्षणामूलक ध्वनि के जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्थामूलक दो भेद होते हैं। प्राचीन (प्रकाशकार आदि) आचार्य इन दोनों (जहत्स्वार्था-अजहत्स्वार्था) लक्षणाओं को उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा कहते हैं।

यहाँ पण्डितराज उक्त ध्वनिभेदों में से द्व्युत्थ ध्वनि को केवल वाक्यगत और अन्य सभी भेदों को पदगत तथा वाक्यगत मानते हैं।

इस तरह रसगङ्गाधरकार के मत में असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य नामक ध्वनि के चार, शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के दो, अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के आठ, शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वनि का एक और लक्षणामूलक ध्वनि के दो, इस प्रकार कुल सत्रह ध्वनिभेद प्रथमतः होते हैं। उनमें शब्दशक्तिमूलक दो, अर्थशक्तिमूलक आठ और लक्षणामूलक दो—इन बारह भेदों के पुनः पदगत तथा वाक्यगत भेद से दो-दो भेद हो जाते हैं। फलतः उक्त सत्रह में बारह और जोड़ देने पर कुल उनतीस ध्वनिभेद होते हैं। ध्वनिभेद के विषय में पण्डितराज ने शब्दतः इतनी ही बातें कही हैं।

ध्वनिभेद के सम्बन्ध में प्रकाशकारादि के मत

यह पहले लिखा जा चुका है कि प्रकाशकार असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के छै भेद और संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य भेदों में से अर्थशक्तिमूलक के बारह भेद मानते हैं। साथ-साथ वे उन बारह भेदों के पदगत, वाक्यगत तथा प्रबन्धगतरूप से पुनः तीन-तीन भेद करते हैं, अतः उनके मत से अर्थशक्तिमूलक के कुल छत्तीस भेद होने पर ध्वनि के शुद्ध भेद इक्यावन होते हैं। उनका विवरण इस प्रकार है—असंलक्ष्यक्रम के प्रबन्धगत, वाक्यगत, पदगत, पदांशगत, वर्णगत और रचनागत छै भेद एवं संलक्ष्यक्रम में अभिधामूलक के एकतालिस भेद (शब्दशक्तिमूलक के पदगत वस्तु, पदगत अलंकार, वाक्यगत वस्तु और वाक्यगत अलंकार—चार भेद, अर्थशक्तिमूलक के उक्त रीति से छत्तीस तथा उभयशक्तिमूलक का एक भेद) और लक्षणामूलक के चार (अर्थान्तरसंक्रमित पदगत, वाक्यगत और अत्यन्ततिरस्कृत पदगत, वाक्यगत)। इस तरह उक्त इक्यावन संख्या सिद्ध होती है।

काव्यप्रकाश में इन भेदों का एक से दूसरे का मिश्रण भी चार प्रकार का माना गया है जिसमें संदेहसंकर, अङ्गाङ्गिभावसंकर तथा एकव्यञ्जकानुप्रवेशरूपसंकर, ये तीन प्रकार के संकर और एक प्रकार की संसृष्टि है। तदनुसार एक-एक भेद के इक्यावन भेदों को चौगुने करने पर (५१×५१×४=) १०४०४ (दस हजार चार सौ चार) मिश्रित भेद भी होते हैं। इन मिश्रित भेदों में शुद्ध भेदों (इक्यावन) को जोड़ देने पर प्रकाशकार के मत से समग्र ध्वनिभेद १०४५५ (दस हजार चार सौ पचपन) होते हैं।

साहित्यदर्पणकार का मत

मूलभूत इक्यावन भेदों को प्रकाशकार के समान दर्पणकार भी मानते हैं, पर मिश्रित भेदों की संख्या में वे प्रकाशकार का विरोध करते हैं। उनका कथन है कि एक तो अपने साथ अपना कोई मिश्रण नहीं हो सकता, दूसरे जब एक भेद का संकर दूसरे के साथ लिख दिया गया तब दूसरे के साथ उस भेद का संकर भी वही वस्तु हुई—अर्थात् जब अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के साथ मिश्रण लिखा जा चुका है तब फिर अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य का अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य के साथ मिश्रण कोई अतिरिक्त भेद नहीं रह जाता, अतः ऐसे भेदों की गणना नहीं करनी चाहिए। फलतः उनके मत से कुल मिश्रित भेद ५३०४ (पाँच हजार तीन सौ चार) होते हैं। उनमें शुद्ध इक्यावन भेदों को जोड़ने पर समग्र ध्वनिभेद उनके मत में ५३५५ (पाँच हजार तीन सौ पचपन) होते हैं।

साहित्यदर्पणकार के मत का खण्डन

काव्यप्रकाश के सुप्रसिद्ध टीकाकार मैथिल पण्डित श्री गोविन्द ठक्कुर ने उक्त दर्पणकार के मत का खण्डन किया है। उनके कथन का सारांश यह है कि—एक ही ध्वनि यदि भिन्न-भिन्न रूपों में आवे—जैसे कि कहीं दो प्रकार की वस्तुध्वनि हो—तो उनके संकर तथा संसृष्टि मानने में कोई बाधा नहीं। अतः 'अपने साथ अपना मिश्रण नहीं हो सकता' यह दर्पणकार का कथन अयुक्त है एवं दर्पणकार का यह कथन भी ठीक नहीं है कि 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के साथ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य के मिश्रण को अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य के भेदों में गिन देने पर अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के भेदों में वैसे भेदों को गिनना अनुचित है।' क्योंकि जैसे सभी इक्षु (ईख) रस के साधारण दृष्टि से एकरूप होने पर भी रसकोविदों की दृष्टि में पौड़े आदि विशिष्ट ईख के रस तथा साधारण ईख के रस के स्वाद में भेद होता ही है, ऐसी अवस्था में जहाँ पौंड़े के रस की अधिकता और पौंड़े के रस की न्यूनता होगी उसे—इन दोनों मिश्रणों को—एक रूप नहीं कहा जा सकता, वैसे ही जहाँ जिस व्यङ्ग्य की प्रधानता होगी वहाँ उस व्यङ्ग्य के साथ अन्य व्यङ्ग्य का मिश्रण माना जायगा और अन्यत्र अन्य का। अतः दर्पणकार की दूसरी युक्ति भी शिथिल हो जाती है। अब यदि यहाँ शंका हो कि—जहाँ दोनों भेद समान मात्रा में मिश्रित होंगे, किसी एक की प्रधानता नहीं रहेगी, वहाँ एक भेद और मानना पड़ेगा—तो इसका समाधान यह है कि वैसी स्थिति में उस भेद का दोनों नामों में से किसी भी नाम से व्यवहार किया जा सकता है। फिर उसका तीसरा नाम रखने की कोई आवश्यकता नहीं।

पर्यवसितार्थ

इस तरह पर्यवसित यह हुआ कि प्रकाशकार आदि द्वारा माने गए मूलभूत इक्यावन भेदों में बाइस भेदों को पण्डितराज नहीं मानते। वे बाइस भेद निम्न हैं—असंलक्ष्यक्रम में

वर्णगत तथा रचनागत दो, अर्थशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम में कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्धत्वमूलक चार और इस प्रकार स्वमतसिद्ध अर्थशक्तिमूलक आठ भेदों को प्रबन्धगत नहीं मानने से गुणनप्रक्रिया में घट जाने वाले सोलह। अभिप्राय यह है कि प्रकाशकार आदि व्यञ्जक अर्थ के स्वतःसंभवी, कविप्रौढोक्तिसिद्ध और कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध—तीन प्रकार मानते हैं और वे तीनों ही प्रकार वस्तु और अलंकारभेद से दो-दो प्रकार के होते हैं, अतः उनके मत से व्यञ्जक अर्थ छे प्रकार के हो जाते हैं और उनसे अभिव्यक्त होनेवाले अर्थ भी वस्तु एवं अलंकारभेद से दो प्रकार के होते हैं। इस तरह उनके मत से अर्थशक्तिमूलक के जो पहले बारह भेद कहे गये हैं उन बारहों के पदगत, वाक्यगत और प्रबन्धगत होने से समग्र भेद छत्तीस हो जाते हैं। पर पण्डितराज के मत में व्यञ्जक अर्थ चार ही प्रकार के सिद्ध होते हैं और उनसे वस्तु तथा अलङ्कार द्विविध अर्थ की अभिव्यक्ति होने से आठ भेद बनते हैं और उन आठ के पदगत तथा वाक्यगत होने से सोलह भेद हो जाते हैं।

अब यहाँ विचार यह करना है कि पण्डितराज के मत में यह भेदों की कमी यादृच्छिक है अथवा युक्तिपूर्ण। इस प्रसङ्ग में ध्वन्यालोक की ओर अनायास ध्यान चला जाता है, क्योंकि ध्वनिविचार में परवर्ती सभी आचार्यों के उपजीव्य ध्वन्यालोककार ही हैं। ध्वन्यालोककार वर्ण और रचना को भी असंलक्ष्यक्रम व्यञ्जक मानते हैं।[1] पण्डितराज उन दोनों को गुण-व्यञ्जक कहते हैं। पर वस्तुतः जब वे खास-खास वर्णों तथा रचनाओं को खास-खास रस के प्रति प्रतिकूल अथवा अनुकूल मानते हैं, तब उन्हें रसव्यञ्जक भी मानना ही चाहिये।

ध्वन्यालोककार ने भी कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध की चर्चा नहीं की है और तदनुसार पण्डितराज ने भी उसको नहीं माना है और न मानने में युक्ति भी दी है। यद्यपि नागेश ने पण्डितराजोक्त युक्ति का खण्डन किया है, तथापि इस विषय में पण्डितराज का ही मत सुन्दर प्रतीत होता है।

अर्थशक्तिमूलक ध्वनि को प्रबन्धगत मानने या न मानने की बात ध्वन्यालोक में भी विवादास्पद ही है। मूलध्वन्यालोक की कुछ पङ्क्तियाँ ऐसी हैं जिनसे आपाततः उक्त ध्वनि का प्रबन्धगत होना सिद्ध होता है, पर प्रसिद्ध रसवादी आचार्य अभिनवगुप्त ने लोचन में उन पङ्क्तियों की जो व्याख्या की है उस व्याख्या के अनुसार वे पङ्क्तियाँ रसध्वनिपरक सिद्ध होती हैं। ध्वन्यालोक की 'दीधिति' टीका के रचयिता कविशेखर आचार्य बदरीनाथ झा जी ने काव्यप्रकाश आदि के स्वारस्यानुकूल उन पङ्क्तियों की व्याख्या में अर्थशक्तिमूलक ध्वनि को ही प्रबन्धगत सिद्ध किया है। पण्डितराज यहाँ अभिनवगुप्त का ही अनुसरण करते हैं। यद्यपि अर्थशक्तिमूलक ध्वनि को प्रबन्धगत न मानने में कहीं किसी ने कुछ भी युक्ति नहीं दी है, तथापि उनकी हृदयगत युक्तियों का तर्क किया जा सकता है, और वे युक्तियाँ प्रायः ये हैं—एक तो प्रबन्ध से किसी एक अर्थ अथवा अलंकार की अभिव्यक्ति नहीं होती यह अनुभवसिद्ध है, दूसरे जिस महाभारतगत गृध्र-गोमायु-संवाद को उक्त ध्वनि के उदाहरणरूप में चुना गया है उसको अनेक वाक्यों का एकवाक्यतापन्न महावाक्यरूप वाक्य भी माना जा सकता है—अर्थात् प्रबन्ध पद से किसी पूरे ग्रन्थ का ही बोध मानना उचित है और वह वैसा नहीं है।

संकर-संसृष्टि-प्रयुक्त होने वाले भेदों के विषय में भी रसगङ्गाधरकार का मत स्पष्ट नहीं है। ध्वन्यालोककार ने ध्वनि-संकर तथा ध्वनि-संसृष्टि का विस्तृत का विवेचन किया है। पण्डितराज

१. 'यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिर्वर्णपदादिषु।
वाक्ये सङ्घटनायाञ्च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते ॥' (ध्वन्यालोक)

ध्वनिसंकर को भी नहीं मानते अथवा नहीं मानना चाहते ऐसी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि उभय (शब्द-अर्थ) शक्तिमूलक ध्वनि का निरूपण करते समय 'जहाँ शब्द तथा अर्थ दोनों की शक्तियाँ समानभाव से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति में काम करती हैं वहाँ शब्दशक्ति-मूलक और अर्थशक्तिमूलक ध्वनियों का संकर ही मान लिया जाय—अतिरिक्त उभयशक्तिमूलक-ध्वनिभेद मानने की क्या आवश्यता ?' इस शंका के उत्तर में उन्होंने '**व्यङ्ग्यभेद एव सङ्करश्चेष्टेः**' लिखकर ध्वनिसंकर की बात स्वीकार की है। फिर भी जो उन्होंने उन भेदों का निरूपण या खण्डन नहीं किया इसके कारणों में एक तो यह हो सकता है कि वे आगे किसी प्रसङ्ग पर उन भेदों की चर्चा करते, पर ग्रन्थ की अपूर्णता से ऐसा नहीं हो सका। दूसरे, उनकी प्रायः ऐसी ही मान्यता है कि 'वे भेद शास्त्रार्थप्रक्रिया से सिद्ध तो किए जा सकते हैं, ध्वनि की महत्ता सिद्ध करने को एकमात्र लक्ष्य मानकर ध्वनिकार ने वैसा किया भी है, पर वस्तुतः उन भेदों में परस्पर विलक्षण चमत्कार अनुभूत नहीं होता और जितने भेद माने गए हैं उन सभी के उदाहरण भी प्राप्त नहीं होते। अतः उन भेदों की गणना करना एक प्रकार व्यर्थ ही है'।

मेरे विचार से तो उभयशक्तिमूलक ध्वनि के संबन्ध में भी पण्डितराज ने अपनी एकान्त सम्मति नहीं दी है, क्योंकि उसको न माननेवाले मत का भी उन्होंने युक्तिपूर्ण उल्लेख किया है। जो भी हो, ध्वनिसंकर के संबन्ध में अधिक संभव यही है कि—अग्रिम आनन (जो दुर्भाग्यवश नहीं लिखा गया) में पण्डितराज उसका विचार करते। इस आधार पर यदि पण्डितराज के मत में ध्वनिसंकर आदि का हिसाब लगाया जाय तो मिश्रित भेद तीन हजार तीन सौ चौंसठ होंगे और उनमें शुद्ध उनतीस भेदों को जोड़ देने पर समग्र भेद तीन सौ तिरानवे हो जायँगे।

इसके बाद काव्यभेदों में गुणीभूतव्यङ्ग्य आदि का प्रसङ्ग आता है, पर इस अपूर्ण निबन्ध में वे सब प्रसङ्ग नहीं आ सके। उन प्रसङ्गों पर पण्डितराज क्या विचार करते इसकी जानकारी तो अब असंभव ही है और प्रकाशकार आदि ने इस प्रसङ्ग पर जो कुछ कहा है उसमें अधिक मतभेद किंवा जटिलता नहीं है, अतः उनकी चर्चा यहाँ नहीं की जाती। जिज्ञासुओं को उनके विषय में अपेक्षित जानकारी तत्तद्ग्रन्थों से प्राप्त हो सकती है।

शब्दशक्तिमूलक व्यङ्ग्यार्थ के विषय में शास्त्रार्थ

द्वितीयानन के प्रारम्भ में ही शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के लक्ष्य स्थिर करने के लिये एक लम्बा विवरण उपस्थित किया गया है। प्राचीनों के मत से शब्दशक्तिमूलक ध्वनि वहीं होती है जहाँ अनेकार्थ शब्द हों क्योंकि श्लेष से भिन्न स्थानों पर अनेकार्थक शब्दों का एक ही अर्थ प्रस्तुत रहता है, दूसरे अर्थ का प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं होता। पर ऐसी स्थिति में भी जो कहीं-कहीं दूसरा अर्थ भी अभी हमें प्रतीत हो जाता है, वह अभिधा से नहीं, अपितु व्यञ्जना से प्रतीत होता है और उसी अप्राकरणिक अर्थ को वैसी स्थिति में शब्दशक्तिमूलक व्यङ्ग्य कहते हैं। तात्पर्य यह कि यदि बहनोई आदि परिहासी कुटुम्बी जनों के भोजन के समय साले लोग कहें कि '**सैन्धवमानय** (सैन्धव लाओ)' तो उसका अर्थ अभिधा से 'नमक लाओ' होगा, क्योंकि प्रकरण (भोजन) से उसी अर्थ का सम्बन्ध है, पर वहाँ उस वाक्य का 'घोड़ा लाओ' अर्थ भी सहृदयों को ज्ञात अवश्य होता है और वह व्यञ्जना से ही होता है।

यहाँ 'अप्राकरणिक अर्थ का बोध अभिधा से क्यों नहीं होता ?' इस प्रश्न का उत्तर देने में शास्त्रार्थ उठ खड़ा होता है। प्राचीनों ने उक्त प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से किया है, जिसका रूप नकारात्मक है अर्थात् उन दोनों ही प्रकारों में 'उक्त अर्थ का बोध अभिधा से नहीं होता'

यह सिद्ध किया गया है। पर पण्डितराज ने उन दोनों प्रकारों का प्रबल युक्तियों के आधार पर खण्डन करके सिद्ध कर दिया है कि—'अभिधा से अप्राकरणिक अर्थ का भी बोध होता है'। उक्त तीनों मतों का सारांश निम्न रूप का है—

१—अनेकार्थक शब्दों का श्रवण होने पर यद्यपि प्रथमतः उस शब्द के सभी अर्थ स्मृति-पथ में आते हैं, क्योंकि कोष आदि से उस पद का संकेत समानरूप से सभी अर्थों में ज्ञात हुआ रहता है, पर प्रकरण आदि (संयोगो विप्रयोगश्च……इत्यादि, जिसका विशद वर्णन इस ग्रन्थ में इसी प्रसङ्ग पर आगे किया गया है) से वक्ता का तात्पर्य किसी एक ही अर्थ में ज्ञात होता है और इस तात्पर्यनिर्णय के होते-होते प्रथम स्मृति विलीन-सी हो जाती है, अतः पुनः पदार्थ का स्मरण होता है और यह द्वितीय बार का स्मरण केवल प्रकरणिक अर्थ का होता है। अतएव अभिधा से उक्तरीत्या स्मृत एकमात्र अप्राकरणिक अर्थ का बोध हो पाता है, अप्राकरणिक अर्थ का नहीं। ऐसी स्थिति में अप्राकरणिक अर्थ की स्मृति जब व्यञ्जना की सहायता से होती है तब उसका बोध होता है, अतः वह अप्राकरणिक अर्थ व्यङ्ग्य कहलाता है, वाच्य नहीं। यहाँ यह शङ्का की जा सकती है कि प्रकरण आदि व्यञ्जनाद्वारा होने वाली अप्राकरणिकार्थस्मृति को क्यों नहीं रोकते ? तो इसका समाधान यह है कि प्रकरण आदि वैज्ञानिक स्मृति को नहीं रोकते, क्योंकि व्यञ्जना का प्रादुर्भाव ऐसे ही अर्थों का स्मरण कराने के लिये हुआ है। (यह है प्रथम मत का सारांश)।

२—अनेकार्थक शब्दों से होने वाले अर्थ-बोध में वक्ता के तात्पर्य का निर्णय भी एक हेतु है, अतः कोष आदि द्वारा समानरूप से सभी अर्थों में संकेत ज्ञात होने के कारण अनेकार्थक शब्द-श्रवणोत्तर सभी अर्थों की स्मृति होने पर भी अन्वयबोध प्राकरणिक अर्थ का ही होता है, क्योंकि प्रकरण आदि द्वारा वक्ता का तात्पर्य उसी अर्थ में निर्णीत होता है। इस तरह वक्तृ-तात्पर्यविषयीभूत अर्थ का जो बोध होता है वह व्यञ्जना के सिवा अन्य किसी उपाय से साध्य नहीं है। व्यञ्जना से होने वाले बोध में वक्ता के तात्पर्य का निर्णय सर्वत्र अपेक्षित नहीं है क्योंकि जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ भी अनेक हों वहाँ वैयञ्जिक बोध में भी तात्पर्यनिर्णय हेतु है किन्तु जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ एक ही हो वहाँ वैयञ्जिक बोध में तात्पर्यनिर्णय हेतु नहीं होता। (यह है द्वितीय मत का सारांश)।

प्रथम और द्वितीय मत में अन्तर यह हुआ कि प्रथम मत में दुबारा केवल एक अर्थ का स्मरण मानना पड़ता था और प्रकरण आदि के ज्ञान से अप्राकरणिक अर्थ के स्मरण का प्रतिबन्ध (रुकावट) स्वीकार करना पड़ता था, किन्तु द्वितीय मत में ये दोनों बातें नहीं माननी पड़तीं।

३ – 'अनेकार्थक शब्दों के अनेक अर्थों में, प्रकरणादि के द्वारा, केवल एक अर्थ का ही स्मरण होता है, अन्य का नहीं' यह जो प्रथम मत में कहा गया है वह मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कार तथा उद्बोधक दोनों के रहने पर स्मरण का न होना असम्भव है। यदि अनेकार्थक शब्द के एक ही अर्थ का स्मरण हो, अन्य का नहीं, तो 'पय सुन्दर है' इस वाक्य के 'पय' शब्द का अर्थ जब वक्ता के तात्पर्य (दूध) के विरुद्ध कोई 'जल' कहता है तब जो प्रकरणादि समझनेवाला यह कहता सुना जाता है कि 'महाशय ! यहाँ इस शब्द का अर्थ दूध है, जल नहीं' वह नहीं बन सकता, निषेध करने वाले को प्रकरण आदि ज्ञात रहने से अप्राकरणिक (जल-रूप) अर्थ उपस्थित ही नहीं होगा, फिर उसका निषेध वह कैसे कर सकता है। अतः प्रथम मत अयुक्त है।

द्वितीय मत में वक्तृतात्पर्य-निर्णय को आभिधिक अन्वय-बोध के प्रति कारण मानकर प्राकरणिक अर्थ का ही अभिधा से बोध समर्थित हुआ है, पर वह समर्थन असंगत है, क्योंकि

आभिधिक अथवा वैयञ्जनिक—किसी भी प्रकार के अर्थ-बोध में वक्तृतात्पर्य निर्णय को कारण मानना अनुचित है। यदि ऐसा कार्यकारणभाव माना जाय, तब शुक आदि पक्षियों के द्वारा उक्त वाक्यों का अर्थबोध ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वक्ता (पक्षियों) का किसी भी अर्थ में तात्पर्य नहीं रहता। वे (पक्षी) तो किसी अर्थ का बोध कराने की इच्छा से वाक्य नहीं बोलते वरन् सुने हुए वाक्यों को विना अर्थ समझे दुहरा भर देते हैं। इस पर यदि शंका हो कि तात्पर्य-निर्णय का क्या कहीं कुछ उपयोग है ही नहीं तो इसका समाधान यह है कि उसका उपयोग अर्थबोध में नहीं, अपितु बोद्धा की प्रवृत्ति में है अर्थात् अनेकार्थक शब्दों से अनेक अर्थों को समझ कर भी बोद्धा उसी अर्थ में प्रवृत्त होता है जिसमें उसे वक्ता का तात्पर्य निर्णीत होता है। अतः अनेकार्थक शब्द के सभी (प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक) अर्थों का अभिधा से बोध मानने में कोई बाधा नहीं। यह बात तो तब हुई जब सभी अनेकार्थक शब्दों के स्थल में अप्राकरणिक अर्थ की भी नियमतः प्रतीति मानी जाय।

पर यदि वक्तृतात्पर्य के ज्ञान अथवा श्रोता की विशिष्ट बुद्धि-शक्ति को कारण मानकर यह माना जाय कि अप्राकरणिक अर्थ को समझाने वाली व्यञ्जना कहीं प्रादुर्भूत होती है और कहीं नहीं, तो यह भी संगत नहीं, क्योंकि तात्पर्यज्ञान को वैयञ्जनिक बोध-स्थल में कारण नहीं माना जाता। रहा श्रोता की बुद्धि-शक्ति, सो उसे व्यञ्जना का प्रादुर्भावक मानने की अपेक्षा प्रकरणादि के ज्ञान से दबी हुई अभिधाशक्ति को उद्बुद्ध करने वाली ही क्यों न माना जाय? वह किसी पद की अप्राकरणिकार्थोपस्थापक अभिधा को उद्बुद्ध न करके व्यञ्जना को उद्बुद्ध करे, यह मान्यता युक्तिविहीन है। इस तरह दोनों मत खण्डित हो जाते हैं।

अब यदि कहा जाय कि जहाँ अप्राकरणिक अर्थ अबाधित रहेगा वहाँ उसका बोध भले ही अभिधा से हो पर जहाँ अप्राकरणिक अर्थ जुगुप्सित अतएव वह्निकरण सेक के समान बाधित रहेगा वहाँ तो उसका बोध अभिधा से नहीं हो सकता, क्योंकि बाध-निश्चय को विद्वत्ताबुद्धि के प्रति सभी प्रतिबन्धक मानते हैं, अतः वैसे अप्राकरणिक अर्थ के बोध के लिये व्यञ्जना की ही शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि वैयञ्जनिक बोध में बाधनिश्चय प्रतिबन्ध नहीं करता, तो इसका समाधान यह है कि जैसे अपह्नुति, अतिशयोक्ति आदि अलङ्कारों के स्थल में वाच्य अर्थ ही बाधित रहते हैं—अतः शाब्दज्ञान में बाध-निश्चय प्रतिबन्धक नहीं होता वैसे यहाँ भी बाधित अप्राकरणिक अर्थ का बोध अभिधा से ही हो जा सकता है।

इस तरह यह सिद्ध हो जाता है कि अनेकार्थक शब्दस्थल में द्वितीय (अप्राकरणिक) अर्थ का बोध व्यञ्जना द्वारा नहीं, किन्तु अभिधा द्वारा ही होता है। हाँ, प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्थों की उपमा अवश्य ही व्यञ्जना द्वारा प्रतीत होती है।

इस प्रकार प्राचीनों की शिथिल होती हुई युक्ति को बल देने के लिये पण्डितराज ने एक ऐसा स्थल भी ढूँढ़ निकाला है जहाँ व्यञ्जना के बिना द्वितीय अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती। वह स्थल है—योगरूढ शब्दों से बने पद्य।

'रूढिर्योगापहारिणी' इस नियम के अनुसार योगरूढ शब्दों के रूढ अर्थ ही अभिधाद्वारा ज्ञात हो सकते हैं। वहाँ यौगिक अर्थों का बोध व्यञ्जना से ही करना पड़ेगा। अतः वस्तुतः शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का लक्ष्य वैसा ही पद्य हो सकता है जो योगरूढ पदों से बना हो। इतना कह देने के बाद यह भी कहा जा सकता है कि जब योगरूढ-शब्द-स्थल के लिये व्यञ्जना माननी ही पड़ी तब अनेकार्थक शब्दस्थल में भी द्वितीय अर्थ का बोध व्यञ्जना से मानना ही

सरल पक्ष है। यह है तृतीय मत का सारांश। यहाँ इस सारांश-संकलन का प्रयोजन यह है कि ग्रन्थगत विशद शास्त्रार्थ को समझने में पाठकों को सुविधा हो।

शब्द-शक्ति

अब यहाँ शब्दों की उन शक्तियों के सम्बन्ध में विचार करना है जिनके आधार पर उक्त विशाल 'ध्वनि-प्रासाद' खड़ा किया गया है। उन शक्तियों के पृथक्-पृथक् विवेचन से पूर्व सामान्य ज्ञान के लिये यह समझ लेना आवश्यक है कि ये शक्तियाँ संख्या में तीन हैं—अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना। यद्यपि अन्य शास्त्रों में अभिधा और लक्षणा ये दो ही शब्द-शक्तियाँ मानी गई हैं तथापि यहाँ अलङ्कार-शास्त्र के माध्यम से ही शब्द-शक्ति के सम्बन्ध में विचार करना है और अलङ्कार-शास्त्र में उक्त तीनों ही शक्तियाँ स्वीकृत हुई हैं, अतः शक्तियों की संख्या तीन ही समझते हुए यह भी समझना चाहिए कि अलङ्कारशास्त्र के समान व्याकरणशास्त्र में भी उक्त तीन शक्तियाँ समर्थित हुई हैं। इन शक्तियों का वर्णन शास्त्रों में 'वृत्ति' शब्द से भी किया गया है, अतएव अलङ्कार-शास्त्र में 'शक्ति' शब्द का प्रयोग केवल 'अभिधा' के लिये ही हुआ है अर्थात् अलङ्कार-शास्त्र में 'शक्ति' पद का अर्थ 'अभिधा' समझना चाहिए।

अलङ्कारशास्त्र के जिन ग्रन्थों में, मुख्यरूप से इन वृत्तियों का विवेचन किया गया है, वे ग्रन्थ निम्न हैं—

अग्निपुराण, अभिधावृत्तिमातृका, शब्दव्यापारविचार, काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण, वृत्तिवार्तिक और रसगङ्गाधर। इनमें अग्निपुराणगत वृत्ति-निरूपण कुछ भिन्न ही प्रकार का है, अतः उसकी चर्चा यहाँ तीनों वृत्तियों का विवेचन कर लेने के बाद ही की जायगी।

अभिधावृत्तिमातृका में प्रायः मीमांसकों के मतानुसार अभिधा तथा लक्षणा को ही मान्यता दी गई है और व्यञ्जना नहीं मानी गई है। शब्दव्यापारविचार और काव्यप्रकाश के निर्माता एक ही व्यक्ति (मम्मट) हैं, अतः उनमें मतभेद की सम्भावना ही नहीं है। साहित्यदर्पण भी इस अंश में बहुत कुछ प्रकाश का ही अनुगमन करता है। और जो कुछ विशेष है उसका उल्लेख यथावसर आगे किया जायगा। वृत्तिवार्तिक के रचयिता अप्पयदीक्षित के मत का तो सर्वत्र पण्डितराज खण्डन ही करते हैं, अतः वृत्तिविचार में भी उनके मत का खण्डन ही इस ग्रन्थ में किया गया है।

अभिधा

शब्द तथा अर्थ के पारस्परिक संबन्ध-विशेष का नाम अभिधा है। यह संबन्धविशेष शब्द-शक्ति-स्वरूप एक स्वतन्त्र पदार्थ है यह कुछ लोगों (मीमांसकों) का मत है। नैयायिक लोग इस संबन्ध-विशेष अथवा अभिधा को 'इस पद से यह अर्थ समझना चाहिए' इस रूप में होने वाली अथवा 'यह पद इस अर्थ को समझावे' इस रूप में होने वाली ईश्वर की इच्छा अथवा किसी तरह आधुनिक मनुष्यों की इच्छा मानते हैं। पर यहाँ प्रथम मत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि, द्वितीय मत में एक तो यह प्रतिबन्दी खड़ी हो जाती है कि यदि उक्तप्रकारक ईश्वरेच्छा को अभिधा माना जाय तब उक्तप्रकारक ईश्वर-ज्ञान को ही अभिधा क्यों नहीं माना जाय ? दूसरे, यदि अभिधा को ईश्वरेच्छारूप माना जाय तो लक्षणा (और विशेषतः रूढिमूला लक्षणा) को भी ईश्वरेच्छारूप क्यों नहीं माना जाय ? फलतः सिद्ध हुआ कि अभिधा का अर्थ है पद और पदार्थ का पारस्परिक संबन्ध और वह एक स्वतन्त्र पदार्थ है—एक प्रकार की शब्द-शक्ति है, इच्छा आदि रूप नहीं।

इसी प्रसङ्ग पर यह भी समझ लेना चाहिए कि उक्त अभिधा को समझने का साधन क्या है? शास्त्र में, शक्तिग्रह (अभिधा-ज्ञान) के ये आठ साधन बतलाए गए हैं[1]। व्याकरण, उपमान, कोष, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवरण और सिद्ध पद का सान्निध्य। इन साधनों में व्यवहार को शक्तिग्राहक-शिरोमणि (सबसे मुख्य साधन) कहा गया है। अतः, उस मुख्य साधन के आधार पर ही यहाँ इस प्रसङ्ग की कुछ मीमांसा की जाती है।

देखा जाता है कि किसी व्यक्ति से 'गामानय (गौ को लाओ)' मात्र कहते ही वह गौ को ले आता है। अब यदि वहाँ कोई बालक (जिसको उक्त वाक्य का अर्थज्ञान नहीं रहता) उपस्थित रहता है, तो उसे उक्त व्यवहार में उक्त वाक्य का (अन्त में उस वाक्य के अन्दर आए हुए पदों का भी) शक्ति-ग्रह होता है और वह इस प्रकार होता है कि पहले बालक प्रत्यक्ष प्रमाण से उन वस्तुओं को देखता तथा सुनता है अर्थात् वाक्य को कान से सुनता है और वक्ता के बोद्धव्य (जिसके प्रति वक्ता उक्त वाक्य कहता है) को तथा लाई जाती हुई गौ को आँखों से देखता है। इसके बाद वह बालक बोद्धव्यगत ज्ञान का अनुमान करता है अर्थात् 'इस बोद्धव्य व्यक्ति ने, उक्त वाक्य अवश्य ही गौ का लाना समझा है, क्योंकि उसकी चेष्टा उसी तरह की हो रही है—वह गौ को ला रहा है' यह समझता है। इसके बाद उस बालक के मन में स्वभावतः यह जिज्ञासा उठती है कि क्यों इसने (बोद्धव्य ने) उक्त वाक्य का वही अर्थ (गौ का लाना) समझा, दूसरा कोई अर्थ क्यों नहीं समझा, अतः अवश्य ही उस वाक्य का उस ('गामानय' का 'गौ का लानारूप अर्थ') के साथ कोई सम्बन्ध है। इस तरह, उक्त वाक्य तथा उक्त वाक्यार्थ के बीच जिस पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान तीन प्रमाणों (प्रत्यक्ष, अनुमान तथा अर्थापत्ति) की सहायता से, बालक को होता है वही अभिधा है और उस अभिधा का उक्त प्रकार से होने वाला ज्ञान ही व्यवहार द्वारा होनेवाला 'शक्ति-ग्रह' है। पर यह शक्ति-ग्रह अखण्ड वाक्य का अखण्ड वाक्यार्थ में हुआ, अर्थात् उक्त व्यवहार से बालक इतना समझ सका कि 'गामानय' यह एक अखण्ड वाक्य है जिसका 'गौ का लानारूप' अर्थ के साथ संबन्ध है। यह नहीं समझ सका कि इस वाक्य के अन्दर 'गाम्' एक पद है और उसका संबन्ध 'गौ' से है, इसी तरह 'आनय' दूसरा पद है और उसका संबन्ध 'लाने' से है। इस तरह का पद-शक्ति-ज्ञान बालक को तब होता है, जब वक्ता कहता है—'गाम् बधान (गौ को बाँध दो)' 'अश्वम् आनय (घोड़े को ले आओ)'। तात्पर्य यह कि जब उक्त वाक्य को सुन कर तदनुसार आचरण करते हुए बोद्धव्य को बालक देखता है तब उक्त प्रक्रिया से बालक को उस पद की अभिधा ज्ञात होती है। उसी का नाम 'बोध्यबोधकभाव' अथवा 'बोधजनकता' किंवा 'तादात्म्य' है।

यहाँ यह भी समझ लेना उचित है कि अभिधा-ज्ञान से शब्दार्थ का ज्ञान कैसे होता है। संबन्धियों के विषय में यह नियम है कि—एक संबन्धी का ज्ञान होने पर दूसरे संबन्धी का अपने आप स्मरण हो आता है,[2] जैसे 'मोहन' का घर देखने पर 'मोहन' का स्मरण तुरन्त हो आता है। इसी नियम के अनुसार हमें किसी भी नाम (जो एक प्रकार का शब्द है) के सुनते ही उससे संबन्ध रखनेवाली वस्तु का और किसी भी वस्तु के देखते ही उसके नाम का स्मरण हो आता है तथा इस प्रकार से स्मृतिपथ में आए हुए अर्थों का पीछे अन्वयबोध होता है। उक्त नियम के अनुसार

---

१. शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याद्व्यवहारतश्च।
वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः॥

२. एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिनं स्मारयति।

शब्दश्रवण के अनन्तर उस शब्द से संबन्ध रखने वाले अर्थ का स्मरण उसी को होता है जो उस संबन्ध (अभिधा) को जानता रहता है। अतः किसी भी शब्द के अर्थ को समझने के लिये इस पूर्वोक्त संबन्धरूप अभिधा का ज्ञान आवश्यक है।

अभिधा के भेद

अभिधा के तीन भेद हैं—रूढ़ि, योग और योगरूढ़ि। कुछ लोग यौगिकरूढ़ि नामका एक चतुर्थ भेद भी मानते हैं। इन सबका सोदाहरण विवरण प्रकृत ग्रन्थ में ही यथास्थान विशद रूप में आया है।

वाच्य अर्थ

इस अभिधा किंवा शक्तिनामक वृत्ति से जिस अर्थ का बोध होता है उसको वाच्य अर्थ कहते हैं। शब्दान्तर में इस प्रकार कह सकते हैं कि उक्त अभिधाज्ञापक साधनों से जिस अर्थ का बोध होता है उसका नाम वाच्य अर्थ है। यह वाच्य अर्थ अभिधेय, शक्य अथवा मुख्य अर्थ के नाम से भी कहा जाता है।

वाचक शब्द

अभिधाशक्ति द्वारा अर्थ का बोध कराने वाला शब्द वाचक कहलाता है।

लक्षणा

प्रायः देखा जाता है कि शब्दों का प्रयोग पूर्वोक्त मुख्य अर्थ से अन्य अर्थ में भी कभी-कभी होता है। सहृदय पुरुष अपकार करने वाले से कहता है—'तुमने बड़ा उपकार किया, तुम सौ बरस जीओ'। इन वाक्यों में क्रमशः 'उपकार' का अर्थ 'अपकार' और 'जीओ' का अर्थ 'नहीं जीओ' है। पर उक्त दोनों पदों के उक्त दोनों अर्थ हो नहीं सकते, क्योंकि उन अर्थों में उन शब्दों की अभिधा; कोष किंवा व्याकरण अथवा व्यवहार आदि से ज्ञात नहीं होती और तब तक किसी शब्द का कोई अर्थ हो नहीं सकता जब तक उस शब्द में उस अर्थ की बोधिका कोई वृत्ति न हो। ऐसी ही स्थिति में, ऐसे ही अर्थों को सिद्ध करने—समझने—के लिये 'लक्षणा' की आवश्यकता होती है।

लक्षणा का स्वरूप

विश्लेषण करने पर विदित होता है कि शब्द पहले अपने साक्षात् सम्बन्ध—अभिधा के द्वारा वाच्य अर्थ को समझाता है, पर जब वह अर्थ वक्ता के तात्पर्य से विरुद्ध पड़ता है, तब उस पद के वाच्य अर्थ से सम्बन्ध रखने वाले किसी ऐसे अर्थ को उस पद का अर्थ मानना पड़ता है जो वक्ता के तात्पर्य के अनुकूल होता है। अभिप्राय यह कि ऐसा अर्थ पद और पदार्थ के पारस्परिक सम्बन्धद्वारा नहीं, अपि तु पद के वाच्य अर्थ से सम्बन्ध रखने के कारण ज्ञात होता है।

स्पष्ट रूप में इस बात को यों भी कह सकते हैं कि पद दो तरह से अर्थ का प्रतिपादन करता है—एक अपने साक्षात्सम्बन्धद्वारा और दूसरे परम्परा-सम्बन्ध (अपने सम्बन्धी-वाच्य-अर्थ के सम्बन्ध) द्वारा। इनमें प्रथम सम्बन्ध को अभिधा और द्वितीय सम्बन्ध को लक्षणा कहते हैं। जब केवल प्रथम सम्बन्ध कार्यकारी नहीं होता (वक्ता के तात्पर्य के विषयीभूत अर्थ का

बोधक नहीं हो पाता) तभी द्वितीय सम्बन्ध का उपयोग किया जाता है। अतएव अभिधा प्रथम वृत्ति और लक्षणा अभिधा की पुच्छभूत वृत्ति समझी जाती है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि शक्य वाच्य (मुख्य) अर्थ के सम्बन्ध का नाम लक्षणा है। लक्षणा का यही स्वरूप (लक्षण) प्रकृत निबन्ध में स्वीकृत हुआ है। न्यायदर्शनप्रणेता आचार्यों ने भी लक्षणा के इस स्वरूप का ही समर्थन किया है।

अभिधावृत्तिमातृकाकार मुकुल भट्ट की यह उक्ति भी लक्षणा के इसी स्वरूप की ओर इङ्गित करती है। वे कहते हैं—'शब्द के व्यापार से जिसकी प्रतीति होती है वह अर्थ मुख्य कहलाता है और शब्द के अर्थ द्वारा जो अर्थ ज्ञात होता है अर्थात् जिस अर्थ के समझने में मुख्य अर्थ मध्य में पड़ता है उस अर्थ को लक्ष्य (लक्षणाद्वारा ज्ञात) समझना चाहिए।'[1]

लक्षणास्वरूप के विषय में मतान्तर

कतिपय प्राचीन विद्वान् 'वाच्य अर्थ के सम्बन्धद्वारा वाच्य अर्थ से भिन्न अर्थ के ज्ञान (स्मरण)' को लक्षणा मानते हैं।[2] काव्यप्रकाशकार मम्मटभट्ट-कृत लक्षण से भी लक्षणा का यही प्राचीन-सम्मत-स्वरूप फलित होता है क्योंकि उन्होंने काव्यप्रकाश में कहा है—'मुख्य अर्थ का बाध रहने पर रूढि अथवा प्रयोजन से जो अन्य अर्थ ज्ञात होता है वह ज्ञप्ति लक्षणा है, शब्द में यह लक्षणा आरोपित की जाती है'।[3] इस लक्षण में 'अन्य अर्थ जो लक्षित होता है वह लक्षणा है' इतना अंश स्वरूपकथन-परक है और अन्य अंश लक्षणा-हेतु-कथनपरक है। इस लक्षण से लक्षणा का उक्त प्राचीनाभिमत स्वरूप ही पर्यवसित होता है।

यद्यपि कतिपय टीकाकारों ने मम्मटीय लक्षणास्वरूपबोधक कारिका की व्याख्या अपने ढङ्ग से करके 'शक्य-सम्बन्ध लक्षणा है' ऐसा अभिप्राय निकाला है, पर वह अभिप्राय वस्तुतः मम्मट का नहीं है, क्योंकि मम्मट ने 'मुख्यार्थबाधादित्रयं हेतुः' लिखकर स्पष्ट शब्दों में शक्य-सम्बन्ध को लक्षणा का कारण माना है और 'शक्य-सम्बन्ध'रूप लक्षणा का कारण शक्यसम्बन्ध हो नहीं सकता।

भट्टवार्तिककार कुमारिल भट्ट (मीमांसक) का लक्षण भी बहुत कुछ इसी ढङ्ग का है। उनका कथन है—'मुख्य अर्थ का स्वीकार करना यदि अन्य प्रमाण (प्रत्यक्ष आदि) से विरुद्ध पड़ता हो तब अभिधेय (वाच्य) अर्थ से सम्बद्ध अन्य अर्थ की जो प्रतीति होती है वह लक्षणा है[4]। इन सभी मतान्तरों का सारांश एक होने से इन सब को एक मतान्तर कह सकते हैं।

कुछ लोग 'शक्यतावच्छेदकारोप' को लक्षणा कहते हैं। उनके कथन का अभिप्राय यह है कि मुख्य अर्थ में रहने वाले असाधारणधर्म का मुख्यार्थ से सम्बद्ध अन्य अर्थ में आरोप करना ही लक्षणा का स्वरूप है। जैसे—'गङ्गा में घोष' इस वाक्य में गङ्गापदशक्यतावच्छेदक गङ्गात्व

---

१. शब्दव्यापारतो यस्य प्रतीतिस्तस्य मुख्यता।
अर्थावसेयस्य पुनर्लक्ष्यमाणत्वमुच्यते॥

२. 'शक्यसंबन्धेनाशक्यप्रतिपत्तिर्लक्षणा' इति प्राचां लक्षणम्।

३. मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽर्थप्रयोजनात्।
अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया॥

४. 'मानान्तरविरोधे तु मुख्यार्थस्यापरिग्रहे।
अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते॥'

का गङ्गापदार्थ-प्रवाह-विशेष से सम्बद्ध तट में आरोप करना। अन्य लोग वक्ता के तात्पर्य (इच्छा-विशेष) को ही लक्षणा कहते हैं।

समीक्षा

यहाँ प्रथम मतान्तर संगत नहीं, क्योंकि शब्द से अर्थ का स्मरण होने में जिसका ज्ञान कारणरूप हो वह पदार्थ शब्द की वृत्ति अथवा शक्ति कहलाता है। वैसा पदार्थ स्मरण नहीं अपि तु सम्बन्धविशेष ही हो सकता है, क्योंकि 'पूर्वोक्त स्मरण (ज्ञान) का ज्ञान' लक्ष्य अर्थ के बोध का कारण नहीं है। सारांश यह कि ज्ञान का कारण वृत्ति है, ज्ञान ही नहीं। अतः संबन्ध को ही लक्षणा मानना उचित है, न कि स्मृति को।

यदि किसी तरह मम्मट की कारिका से शक्य-संबन्ध का लक्षणा होना सिद्ध किया जा सके, और अग्रिम तदीय-ग्रन्थ का विरोध परिहृत कर दिया जाय, तब प्रकाशगत लक्षण को ही ठीक माना जा सकता है।

इसी तरह कुमारिलभट्ट के वार्तिक की व्याख्या यदि 'अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिः' पद का 'अभिधेयसम्बन्ध अर्थ की प्रतीति हो जिससे' यह पदार्थ अर्थ मानकर की जाय तब वह लक्षण भी ठीक ही है।

शक्यतावच्छेदकारोप को लक्षणा मानना भी उचित नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर—

'कचतस्त्रस्यति वदनं वदनात् कुचकुड्मलं बिभेति।
मध्याद् बिभेति नयनं नयनादधरः समुद्विजति॥

अर्थात् केश से मुख डरता है, मुख से उत्तुंग स्तन भीत होता है, मध्यभाग (कटि) से नयन भयभीत और नयन से अधर उद्विग्न हो उठता है।'

इस पद्य में लक्षणा करने का कोई फल नहीं हो सकेगा। तात्पर्य यह कि– यह कच, वदन, कुचकुड्मल, मध्य, नयन तथा अधर शब्द, क्रमशः राहु चन्द्र, कमल, सिंह, हरिण और पल्लवरूप अर्थ में लाक्षणिक हैं। अब यदि शक्यतावच्छेदकारोप को लक्षणा माना जाय तब कचत्व आदि का राहु आदि में आरोप किया जायगा, पर उससे प्रकृत में कोई लाभ नहीं, क्योंकि उस तरह आरोप से राहु आदि भी केश आदि ही समझे जायँगे, फिर उनसे चन्द्र आदि के डरने का कोई कारण ही नहीं रह जाता।

अन्तिम मत भी अच्छा नहीं है क्योंकि आगे दिखलाया जायगा कि लक्षणा का एक कारण तात्पर्य की अनुपपत्ति है। यदि तात्पर्य ही लक्षणा हो तब पूरा कार्यस्वरूप ही कारण के पेट में समा जायगा, फिर उक्त दोनों पदार्थों का कार्यकारणभाव कैसे बन सकता है।

लक्षणा के कारण

अब यहाँ शंका यह उठती है कि– लक्षणा किन्हीं कारणों के आधार पर होती है अथवा वैसे ही ? इसके उत्तर में कहना पड़ेगा कि– कारणों के आधार पर ही लक्षणा होती है क्योंकि यदि यों ही लक्षणा की जाय तब सर्वत्र सभी पदों की जिस किसी संबद्ध अर्थ में लक्षणा मान ली जा सकेगी। अब देखना यह है कि वे कारण कौन से हैं जिनके आधार पर लक्षणा होती है। प्रथम कारण वक्ता के तात्पर्य की अनुपपत्ति (असिद्धि) है, अर्थात् जब किसी पद के मुख्य अर्थ से वक्ता का तात्पर्य (जो कुछ वक्ता कहना चाहता है वह वाक्यार्थ) सिद्ध नहीं हो पाता तब उस पद की लक्षणा होती है।

कुछ लोग अन्वय की अनुपपत्ति को लक्षणा का प्रथम कारण मानते हैं। उनका अभिप्राय है कि—जब मुख्य अर्थ का अन्वय वाक्यान्तर्गत अन्य पद के अर्थ के साथ नहीं हो सके तब लक्षणा होती है। पर यह पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि यदि इसी कारण के आधार पर लक्षणा हो तब तो 'गङ्गा में घोष' ऐसा कहने पर जो नियमतः गङ्गा पद की तट में लक्षणा मानी जाती है वह आवश्यक नहीं रह जायगा—अर्थात् घोषपदार्थ में गङ्गापदार्थ का अन्वय नहीं हो सकने के कारण ही जब लक्षणा का आश्रयण करना ठहरा, तब इसकी क्या आवश्यकता कि गङ्गा पद की ही लक्षणा तट में मानी जाय। घोष पद की मीन-शैवाल आदि में लक्षणा मानकर भी 'गङ्गा में मीन अथवा शैवाल' यह अन्वित अर्थ किया जा सकता है।

इसी तरह 'कौओं से दही की रक्षा कीजिए' इस प्रसिद्ध लक्षणोदाहरण में लक्षणा का कोई प्रसङ्ग ही नहीं रह जायगा, क्योंकि यहाँ अन्वय की अनुपपत्ति नहीं है अर्थात् केवल कौओं से दही की रक्षा कर देने पर भी वाक्य अन्वितार्थक हो ही जाता है।

तात्पर्यानुपपत्ति को लक्षण का कारण मानने वालों के मत में तो यहाँ लक्षणा का प्रसङ्ग होता है, क्योंकि वक्ता का तात्पर्य उन सभी प्राणियों से दही की रक्षा करने में है जिनसे दही की बरबादी संभव हो, फिर यदि कौओं से बचाकर भी कुत्तों से दही नष्ट करा दिया जाय तब वक्ता का तात्पर्य अनुपपन्न होता है, अतः काक पद की लक्षणा दध्युपघातक में होती है। इसी तरह अन्यत्र भी दोष हो सकते हैं। अतः तात्पर्यानुपपत्ति को ही लक्षणा का प्रथम कारण मानना चाहिए—अन्वयानुपपत्ति को नहीं।

यदि तात्पर्यानुपपत्तिरूप एक ही कारण लक्षणा का माना जाय तो वक्ता कुछ भी बोले, कुछ भी अर्थ लगावे, उसे रोका नहीं जा सकता, और ऐसी स्थिति में वक्ता का तात्पर्य किस अर्थ में है यह समझना एकदम असंभव हो जाय, अतः लक्षणा के दो नियामक कारण और हैं रूढ़ि (प्रसिद्धि) और प्रयोजन। अतः तात्पर्यानुपपत्ति के अतिरिक्त इन दोनों में से किसी एक का होना ही लक्षणा के लिये अनिवार्य है।

इस सब का सारांश यह हुआ कि—मुख्यार्थ का वक्ता के तात्पर्य के अनुकूल न होना और उस अर्थ में इस शब्द की प्रसिद्धि अथवा कोई प्रयोजन—इन दोनों में से एक—ये लक्षणा के दो कारण हैं। ये जब तक न हों तब तक कोई लक्षणा नहीं हो सकती।

लक्षणा के भेद

पण्डितराज का मत

रूढ़ि (प्रसिद्धि) तथा प्रयोजनरूप कारणों के भेद से प्रथमतः लक्षणा के दो भेद होते हैं। उनमें रूढि के कारण होनेवाली लक्षणा को रूढ़ा किंवा निरूढ़ा और प्रयोजन के कारण होनेवाली लक्षणा को प्रयोजनवती लक्षणा कहते हैं। प्राचीन आचार्यों ने रूढ़ा लक्षणा के भेद नहीं माने। पण्डितराज ने भी अरुचिग्रस्त रूप में ही उनके भेद किए हैं, क्योंकि उन्होंने उक्त प्रकार से दो भेद करके कहा है कि उन दोनों (रूढ़ा तथा प्रयोजनवती) भेदों में द्वितीय (प्रयोजनवती) के पुनः दो भेद होते हैं—गौणी तथा शुद्धा। उनमें प्रथम (गौणी) के भी दो भेद होते हैं—सारोपा और साध्यवसाना। और द्वितीय (शुद्धा) के चार भेद होते हैं—जहत्स्वार्था, अजहत्स्वार्था, सारोपा और साध्यवसाना। इतना कहकर रूढा के दो उदाहरण दिखलाए जिनमें एक जगह शक्य का संबन्ध सादृश्यरूप और दूसरी जगह सादृश्य से भिन्नरूप देखा गया, अतः रूढा लक्षण के भी गौणी और शुद्धा—दो भेद मानते हैं ऐसा लिखा, फिर प्रयोजनवती के

उदाहरणों का विचार आरम्भ किया। इस कथन-क्रम से ऐसा प्रतीत होता है कि रूढा लक्षणा के उक्त दो भेदों के विषय में ग्रन्थकार की पूर्ण सम्मति नहीं है। जो कुछ भी हो, इस तरह पण्डितराज के मत से प्रयोजनवती लक्षणा के गौणी सारोपा, गौणी साध्यवसाना, शुद्धा जहत्स्वार्था, शुद्धा अजहत्स्वार्था, शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्यवसाना—ये छै भेद होते हैं। इन छै भेदों में यदि रूढ़ा के दो भेद मानकर उन्हें भी सम्मिलित कर लिया जाय तो कुल लक्षणाभेद आठ और यदि उसका एक ही भेद मान कर सम्मिलित कर लें तो पण्डितराज के मत से कुल लक्षणाभेद सात सिद्ध होते हैं।

जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्था का नामान्तर

अन्यत्र जहत्स्वार्था को जहल्लक्षणा अथवा लक्षणलक्षणा और अजहत्स्वार्था को अजहल्लक्षणा अथवा उपादान-लक्षणा भी कहा गया है।

जहदजहत्स्वार्था भेद का निराकरण

वृत्तिवार्तिक के रचयिता अप्पयदीक्षित ने वेदान्तियों के मतानुसार प्रयोजनवती शुद्धा लक्षणा का एक जहदजहत्स्थार्वा नामक भेद और माना है। पर प्रकृत ग्रन्थ में उस भेद की कहीं चर्चा ही नहीं हुई है, अतः यह मानना पड़ता है कि पण्डितराज इस भेद को नहीं मानते क्योंकि जहाँ वाचक शब्द अन्य अर्थ के लिये अपने अर्थ (वाच्य) को अर्पित कर दे वहाँ जहत्स्वार्था लक्षणा होती है। यह वात दूसरी है कि वह अर्थ को सर्वांश में अथवा किसी अंश-विशेष में छोड़े। इस प्रकार जिस तरह सर्वांश में वाचकद्वारा अपने अर्थ को छोड़ देने की स्थिति में जहत्स्वार्था मानी जाती है, उसी तरह किसी अंश-विशेष में वाचकद्वारा अपने अर्थ को छोड़ने की स्थिति में भी जहत्स्वार्था मानी ही जा सकती है, फिर द्वितीय स्थिति में जो एक जहदजहत्स्वार्था नामक नवीन भेद कहा जाता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात् जिसको आप नवीन भेद मानना चाहते हैं वह जहत्स्वार्था नामक भेद में ही अन्तर्भूत हो जाता है। यह विचार काव्यप्रकाश की प्रदीप तथा उद्योत नामक टीकाओं में व्यक्त किया गया है। वृत्तिदीपिकाकार ने भी कुछ और शास्त्रार्थीय ढङ्ग की युक्तियों के आधार पर इसी तथ्य को पुष्ट किया है।

लक्षणा के भेदों का उपयोग

लक्षणा के आठ भेदों में निरूढा लक्षणा व्यङ्ग्यरहित होती है, अतः साहित्यशास्त्र में उसका कोई सुन्दर उपयोग नहीं होता, अर्थात् उसके आधार पर न तो कोई ध्वनिकाव्य होता है, न अलंकार। प्रयोजनवती के भेदों में से गौणी सारोपा का रूपक अलंकार में, गौणी साध्यवसाना का अतिशयोक्ति अलंकार में और शुद्धा सारोपा तथा शुद्धा साध्यवसाना (दोनों) का हेतुअलंकार में उपयोग होता है। यह वात प्रसङ्गवश पहले भी लिखी जा चुकी है। रहे दो भेद, उनमें से शुद्धा जहत्स्वार्था को मूल मानकर 'अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य' और शुद्धा अजहत्स्वार्था को मूल मानकर 'अर्थान्तरसंक्रमितावच्य' नामक दो ध्वनिभेद होते हैं।

मम्मट का मत

मम्मटभट्ट ने अपने काव्यप्रकाश में लक्षणा के भेद इस प्रकार किए हैं—लक्षणा प्रथमतः दो प्रकार की होती है—रूढ़िमूला तथा प्रयोजनमूला। उनमें प्रयोजनमूला के प्रथमतः दो भेद होते हैं—शुद्धा और गौणी। उनमें प्रथम भेद (शुद्धा) के चार भेद हो जाते हैं—शुद्धा उपादान-लक्षणा सारोपा, शुद्धा उपादानलक्षणा साध्यवसाना, शुद्धा लक्षणलक्षणा सारोपा और शुद्धा

लक्षणलक्षणा साध्यवसाना। गौणी के दो भेद होते हैं—सारोपा और साध्यवसाना। इस तरह प्रयोजनमूला के छै भेद होते हैं। इन छै भेदों के पुनः दो-दो भेद हो जाते हैं, क्योंकि प्रयोजन-रूप व्यङ्ग्य गूढ़ (सहृदयमात्रवेद्य) तथा अगूढ़ (सर्वजनवेद्य) भेद से दो प्रकार का हो सकता है। फलतः मम्मटभट्ट के मत से, रूढिमूला का एक और प्रयोजनमूला के बारह—इस तरह समग्र लक्षणाभेद तेरह सिद्ध होते हैं।

यद्यपि अन्य कतिपय आलोचकों ने रूढ़िमूला के भी गौणी शुद्धा भेद मान कर मम्मट के मत से कुल चौदह लक्षणा-भेद माने हैं, पर काव्यप्रकाश में रूढ़िमूला लक्षणा के दो भेदों की कहीं कोई चर्चा नहीं मिलती, अतः मम्मट के मत से उक्त भेद-संख्या संगत नहीं हो सकती। काव्यप्रकाश के प्रसिद्ध टीकाकार वामनाचार्य ने भी अपनी टीका में तेरह भेद ही माने हैं।[1]

विश्वनाथ का मत

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ कविराज लक्षणा के प्रथमतः दो भेद करते हैं—रूढ़िमूला और प्रयोजनमूला। इन दोनों भेदों के भी उपादानलक्षणा तथा लक्षणलक्षणा-भेद से पुनः दो-दो भेद मानते हैं। इस तरह सिद्ध किए गए चार भेदों के पुनः सारोपा तथा साध्यवसाना-भेद से दो-दो भेद कर देते हैं। इस तरह लक्षणा के आठ भेद-सिद्ध किए जाते हैं। ये आठों भेद पुनः गौणी-शुद्धा-भेद से दो-दो प्रकार के माने जाते हैं। इस प्रकार लक्षणा के प्रधान भेद सोलह सिद्ध किये जाते हैं। इस तरह उनके मत से, १—रूढ़िमूला उपादानलक्षणा सारोपा शुद्धा, २—रूढ़िमूला उपादानलक्षणा साध्यवसाना शुद्धा, ३—रूढ़िमूला लक्षणलक्षणा सारोपा शुद्धा, ४—रूढ़िमूला लक्षणलक्षणा साध्यवसाना शुद्धा, ५—रूढ़िमूला उपादानलक्षणा सारोपा गौणी, ६—रूढ़िमूला उपादानलक्षणा साध्यवसाना गौणी, ७—रूढ़िमूला लक्षणलक्षणा सारोपा गौणी और ८—रूढ़िमूला लक्षणलक्षणा साध्यवसाना गौणी—ये आठ रूढ़िमूला लक्षणा के और इसी तरह इन्हीं नामों वाले आठ प्रयोजनमूला लक्षणा के भेद होते हैं। इनमें रूढ़िमूला के उक्त आठ ही भेद रह जाते हैं, पर प्रयोजनमूला लक्षणा के उक्त आठों भेदों के पुनः प्रयोजनरूप व्यङ्ग्य के गूढ़ागूढ़भेद से दो दो भेद कर दिए जाते हैं। इस तरह प्रयोजनमूला के सोलह भेद सिद्ध होते हैं और ये सोलहों भेद पुनः फल (प्रयोजन) के धर्मी तथा धर्मगत होने से दो-दो प्रकार के बन कर बत्तीस हो जाते हैं। इस तरह प्रयोजनमूला के बत्तीस और रूढ़िमूला के आठ—कुल चालीस भेद लक्षणा के कर दिए जाते हैं। किन्तु इतने पर भी दर्पणकार को सन्तोष नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह वैयाकरण लोग अर्धमात्रा-लाघव से पुत्रोत्सव मानते हैं[2], उसी तरह आलंकारिक लोग भेद वर्धन से अपनी कृतकृत्यता मानते हैं। फलतः उक्त चालीस भेदों को भी पदगत और वाक्यगत मान कर विश्वनाथ कविराज लक्षणा-भेदों को अस्सी तक खींच ले गए हैं।

विभिन्न मतों की समीक्षा

पाठक कृपया इस सूत्र का ध्यान रक्खें कि प्रकृतोपयोग तथा चरम बिन्दु तक पदार्थ का सूक्ष्मतम विश्लेषण, इन दो दृष्टिकोणों से लक्षणा के विषय में—किसी भी पदार्थ के विषय में—विचार किया

---

१. 'तथा च व्यङ्ग्यरहिता रूढ़िलक्षणा एकविधा, उक्तषड्विधा प्रयोजनलक्षणा गूढ़व्यङ्ग्या-गूढ़व्यङ्ग्यत्वेन द्विविधा, मिलित्वा लक्षणा त्रयोदशविधा बोध्या।

२. अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः।

जा सकता है। यह जो भिन्न-भिन्न ग्रन्थ में भिन्न-भिन्न प्रकार का लक्षणा-निरूपण दृष्टिगोचर होता है उसका रहस्य बहुत कुछ उक्त दृष्टिकोण-विभिन्नता में ही निहित है। अभिप्राय यह कि—रसगङ्गाधर का लक्षणा-विचार' सर्वथा अलंकारशास्त्र में उसके उपयोग को दृष्टि में रखकर किया गया है। काव्यप्रकाश का लक्षणा-विचार भी यद्यपि उसी दृष्टिकोण को मुख्य मान कर हुआ है तथापि उसमें कुछ-कुछ दूसरा दृष्टिकोण भी झलकता है। साहित्यदर्पण का लक्षणा-विचार विशुद्ध पदार्थविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से किया गया प्रतीत होता है।

अलंकारशास्त्र में होने वाले उपयोग को दृष्टि में रख कर यदि विचार किया जाय तो वस्तुतः निरूढालक्षणा का भेद दिखलाना ही नहीं, एक तरह से उसकी चर्चा ही निरर्थक है क्योंकि निरूढालक्षणा तो फलतः अभिधा ही है। चिरप्रसिद्धि के कारण जब कोई शब्द अपने योगार्थ को छोड़ कर सदा के लिये अन्य अर्थ में रूढ हो जाता है तब उसमें वाचक शब्द से कुछ अन्तर नहीं रह जाता। जैसे—आज 'लावण्य, शब्द के योगवललभ्य 'नमकीन' रूप अर्थ की ओर किसी का ध्यान भी नहीं जाता, बिना अवान्तर शक्य-संबन्धादि ज्ञान के उस पद से सौन्दर्यविशेष की प्रतीति आपामर को होती है। फिर ऐसे निरूढ़लाक्षणिक शब्दों में 'यहाँ शक्य का संबन्ध क्या है' इत्यादि बातों की छानबीन करना भाषाविज्ञान की दृष्टि से भी कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता। अलंकारशास्त्रोपयोगिता की दृष्टि से तो सर्वथा उक्त छानबीन निरर्थक है, क्योंकि अलंकारशास्त्र में शब्द के उपयोगानुपयोग का विचार व्यङ्ग्य अर्थ के आधार पर ही किया जाता है, स्पष्ट शब्दों में ध्वनिमार्गप्रस्थापक परमाचार्य आनन्दवर्धन ने महाकवियों को यत्नपूर्वक व्यङ्ग्य अर्थ और व्यञ्जक शब्दों को ही पहचानने की सलाह दी है[1]। और उक्त निरूढ़लाक्षणिक शब्दों के स्थल में व्यङ्ग्यार्थ रहता नहीं है।

ऐसी स्थिति में कम से कम साहित्यिकों के लिये इतना समझ लेना ही पर्याप्त है कि—लक्षणा का एक निरूढा भेद भी होता है—इससे अधिक की उन्हें आवश्यकता नहीं है। इसी दृष्टिकोण से प्राचीनों ने और मम्मटभट्ट ने भी निरूढालक्षणा के भेद करना उचित नहीं समझा और पण्डितराज ने भी परकीय मत के रूप में—सादृश्य तथा सादृश्यातिरिक्तसंबन्धमूलक गौणी-शुद्धा—दो भेद उसके लिख कर मौन साध लिया।

पर साहित्यदर्पणकार का दृष्टिकोण दूसरा था—वे लक्षणा का निरूपण शुद्ध पदार्थ-विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से करना चाहते थे, अलंकारशास्त्रोपयोगिता की दृष्टि से नहीं, अतः उन्होंने निरूढालक्षणा के भी आठ भेद खोज निकाले जो उचित हैं, क्योंकि उन्होंने उन आठों भेदों के जो उदाहरण उपस्थित किए हैं वे सर्वथा उपयुक्त हैं, तथा उन्हीं के आधार पर वे भेद माने जा सकते हैं। विस्तार-भय से यहाँ उन उदाहरणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

रसगङ्गाधरकार तथा काव्यप्रकाशकार ने प्रयोजनवती गौणीलक्षणा के जहत्स्वार्था-अजहत्स्वार्था-भेद नहीं किए क्योंकि उन भेदों का प्रकृत शास्त्र में उपयोग नहीं है और उन आचार्यों की दृष्टि पदार्थविश्लेषण की अपेक्षा प्रकृतोपयोग पर अधिक थी। यद्यपि काव्यप्रकाश के टीकाकारों ने उक्त भेदों को असंभव भी ठहराया है—कतिपय आलोचकों ने भी उक्त टीकाकारों की युक्तियों को उद्धृत कर दर्पणकार को गलत कहा है, पर वह एक शास्त्रार्थ की शैली है, उस शैली से दर्पणकार के मत को भी ठीक किया जा सकता है। जैसे—

---

१. सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगीशब्दश्च कश्चन।
यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः॥ (ध्वन्यालोक)

उक्त टीककारों ने उक्त भेदों की असंभविता में युक्ति दी है कि—'जहाँ प्रयोजनवती गौणीलक्षणा के जहत्स्वार्था-अजहत्स्वार्था भेद कहे जाते हैं वहाँ लक्षणा का बीजभूत (प्राचीन मत से) लक्षणारूप (नवीन मत से) संबन्ध सादृश्य है अथवा अन्य ? यदि सादृश्य है तब वहाँ अजहत्स्वार्थभेद नहीं हो सकता, क्योंकि वह भेद तभी होता है जब लक्ष्य अर्थ के अन्दर मुख्य अर्थ भी रहे--उसका त्याग न होता हो और सादृश्य को संबन्ध मानने पर लक्ष्य के अन्दर मुख्य का रहना संभव नहीं, क्योंकि अपने में अपना सादृश्य नहीं हो सकता—अर्थात् सादृश्य भेदघटित पदार्थ है, अतः वह दूसरे में दूसरे का ही हो सकता है। यदि सादृश्य से अन्य कोई संबन्ध वहाँ माना जाय तब उस भेद को गौणी नहीं कह सकते, क्योंकि सादृश्यसंबन्ध-मूलक लक्षणा को ही गौणी मानते हैं।' यही है उनकी युक्ति और काव्यप्रकाश का समर्थन करने के लिये वह ठीक भी है, पर साहित्यदर्पण के समर्थन में यह भी तो कहा जा सकता है कि यहाँ सादृश्य पदार्थ को भेदाघटित ही मानते हैं—रूपकालंकार में भेदाघटित सादृश्य का ही प्रवेश अधिकारियों ने माना है, अतः अपना सादृश्य अपने में ही हो सकता और तदनुसार प्रयोजनवती गौणी का अजहत्स्वार्थभेद मानने में कोई बाधा नहीं। काव्यप्रकाश में जहाँ उक्त विरोधि युक्ति है वहीं प्रसिद्ध विद्वान् नागेश ने अपने 'उद्योत' में इस (मेरे द्वारा उपस्थित की गई) युक्ति का उल्लेख किया है।

व्यङ्ग्य के गूढ़ागूढ़त्व भेद से होने वाले लक्षणा भेदों का रसगङ्गाधरकार उल्लेख नहीं करते। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि—पण्डितराज व्यङ्ग्य की भिन्नरूपता के आधार पर लक्षणा का प्रभेद करना उचित नहीं समझते, क्योंकि व्यङ्ग्य की भिन्नता शक्यसंबन्धात्मक लक्षणास्वरूप में किसी तरह की भिन्नता नहीं होती। काव्य के भेद करते समय अवश्य व्यङ्ग्य भेद का मूल्य होता है।

काव्यप्रकाशकार ने व्यङ्ग्य के गूढ़ागूढ़त्व के आधार पर लक्षणा के भेद माने हैं। इस अंश में 'लक्षणा में एक यह भी वैचित्र्य होता है' इस बात को प्रकट करना ही उनका सही अभिप्राय हो सकता है। वस्तुतः व्यङ्ग्यभेद लक्षणा के भेदक नहीं हो सकते।

दर्पणकार ने तो व्यङ्ग्य के गूढ़ागूढ़त्व के आधार पर जो भेद किए वह किए ही, फल को धर्मी तथा धर्मगत मानकर भी भेद माने; पदगतत्व और वाक्यगतत्व के आधार पर भी भेद किए। इस भेदपुञ्ज का रहस्य लक्षणास्थलीय विविध वैचित्र्य का विश्लेषण द्वारा प्रकटन ही है। प्रकृतोपयोग की दृष्टि से देखने पर इन भेदों की कोई आवश्यकता नहीं है, यह कथन अभ्रान्त सत्य है। किसी आलोचक का यह कथन कि 'लक्षणा वस्तुतः अर्थ का संबन्ध है, अतः उसका पद अथवा वाक्य में रहना नहीं बन सकता', कुछ अर्थ नहीं रखता, क्योंकि आखिर लक्षणा को पदनिष्ठ वृत्ति तो सभी मानते ही हैं और आरोप अथवा परम्परासंबन्ध के आधार पर ही ऐसा मानते हैं, फिर उस रीति से वाक्य में भी उसको क्यों नहीं रक्खा जा सकता ? वाक्यलक्षणावादी भी कुछ आचार्य हैं ही। जाति-गुण-क्रिया आदि के आधार पर लक्षणा के भेद नहीं किए गए, अतः जो भेद किए गए वे असंगत हैं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। लक्षणा का सूक्ष्म विश्लेषण करते समय यदि वैसे भेद भी किए जाँय तो उसको असंगत नहीं कहा जा सकता। किन्तु अलंकारशास्त्र में वैसे भेदों का कोई खास उपयोग नहीं है, यह आरम्भ में ही लिखा जा चुका है।

तात्पर्य यह है कि—शुद्ध पदार्थविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से विचार करने के कारण दर्पणकार के कहे हुए भेद भी अपनी जगह पर ठीक हैं और प्रकृतोपयोग के दृष्टिकोण से विचार करने के कारण रसगङ्गाधरकार तथा काव्यप्रकाशकार के भेद भी सुसङ्गत हैं।

लक्ष्य अर्थ तथा लाक्षणिक शब्द

लक्षणा द्वारा ज्ञात होने वाले अर्थ लक्ष्य, औपचारिक, लाक्षणिक, अमुख्य आदि नामों से अभिहित किये जाते हैं। इस तरह लक्षणा द्वारा किसी अर्थ के बोधक शब्द को लक्षण किंवा लाक्षणिक कहते हैं।

व्यञ्जना

वृत्ति-विवेचन-प्रसङ्ग में अब व्यन्जना का पर्याय प्राप्त है। यद्यपि इस असम्पूर्ण रसगंगाधर निबन्ध में व्यञ्जना-निरूपण-प्रकरण नहीं आ सका, तथापि साहित्यशास्त्र में सर्वाधिक महत्त्व रखने वाली इस व्यञ्जना वृत्ति के विवेचन से विरहित यह प्रसङ्ग अधूरा न रहे, इसलिये ग्रन्थान्तर के आधार पर यहाँ व्यञ्जना का विचार प्रस्तुत किया जाता है।

सामान्य परिचय

शब्द में अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त एक अन्य वृत्ति भी रहती है। उदाहरण रूप में 'चन्द्र-मण्डल उदित हुआ' इस वाक्य को यदि कोई विरहिणी सखी के समक्ष कहती है तो सखी को नायिका का यह अभिप्राय ज्ञात होता है कि 'यह अब अपने जीवन को असम्भव मान रही है,' यदि दूती अभिसारिका से कहती है तो वह (अभिसारिका) समझती है कि 'अभिसार की तैयारी करनी चाहिए', यदि अभिसारिका ही दूती से कहती है तो वह (दूती) समझती है कि 'चाँदनी में पहचाने जाने के भय से यह अभिसार का निषेध कर रही है' इत्यादि।

उक्त वाक्य के ये अर्थ किसी कोष में नहीं लिखे हैं इस वाक्य के द्वारा ये और ऐसे ही अन्य अर्थ कैसे ज्ञात होते हैं? इस वाक्य से ये अर्थ ज्ञात होते ही नहीं ऐसी बात तो कोई अनुभव-शक्ति-सम्पन्न जन कह नहीं सकता। अतः मानना पड़ेगा कि इन अर्थों को समझाने की शक्ति भी इस वाक्य में अवश्य है।

पर इस शक्ति को 'अभिधा' नहीं कह सकते, क्योंकि इस वाक्य में रहनेवाली 'अभिधा' को कोष आदि की सहायता से पूर्णरूपेण जानने वाला भी सहृदयता आदि के अभाव में उन अर्थों को नहीं समझ पाता। 'लक्षणा' भी इस शक्ति को नहीं मान सकते, क्योंकि मुख्यार्थबाध और रूढि-प्रयोजनान्यतररूप कारणों के अभाव में 'लक्षणा' का प्रसङ्ग ही नहीं आता – और यहाँ न मुख्य अर्थ का बाध है, न रूढि है, न प्रयोजन, अतः यहाँ 'लक्षणा' नहीं मानी जा सकती। फलतः उक्त वाक्य में उक्त अर्थों को समझाने वाली जो एक तीसरी वृत्ति माननी पड़ेगी उसी का नाम 'व्यञ्जना' है।

लक्षण

व्यञ्जना का जो सामान्य परिचय ऊपर दिया जा चुका है, उसी के आधार पर साहित्यदर्पण-कारादि प्रायः सभी आलंकारिक व्यन्जना का लक्षण इस प्रकार करते हैं—'अभिधा आदि वृत्तियों के विरत हो जाने पर (अपने-अपने अर्थों का बोध कराकर क्षीण हो जाने पर) जिससे अन्य (वाच्य तथा लक्ष्य से भिन्न) अर्थ का बोध होता है उस वृत्ति को व्यञ्जना कहते हैं[1]।'

---

१. 'विरतास्वभिधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः।
सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम...............॥' (साहित्यदर्पण)

नागेशभट्ट ने व्याकरणग्रन्थ में व्यञ्जना का लक्षण इस प्रकार किया है—'उस संस्कार-विशेष का नाम व्यञ्जना है जो बिना मुख्यार्थबाध की अपेक्षा किये अर्थ का बोध कराता हो, जो मुख्य अर्थ से संबद्ध तथा असंबद्ध—दोनों तरह के अर्थों का बोधक होता हो, जो प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध—दोनों ही प्रकार के अर्थों को अपना विषय बनाता हो और जो वक्ता आदि की विलक्षणता के ज्ञान तथा प्रतिभा आदि से उद्बुद्ध होता हो[१] ।'

सारांश यह कि—अभिधा केवल प्रसिद्ध (संकेतित) अर्थों को ही समझा सकती है, अप्रसिद्ध अर्थों को नहीं, और लक्षणा मुख्य अर्थ से संबद्ध अर्थ को ही समझा सकती है और वह भी तब, जब मुख्य अर्थ बाधित हो, किन्तु व्यञ्जना के लिये ऐसी किसी भी शर्त की आवश्यकता नहीं है, वह तो सर्वत्र अप्रतिहत रूप से अपना स्थान बनाती है। अतएव 'चन्द्रमण्डल उदित हुआ' इस वाक्य के पूर्वोक्त अर्थ करने में न तो व्याकरण तथा कोष में उन अर्थों के लिखे रहने की ही आवश्यकता पड़ती है और न मुख्य अर्थ के बाधित होने की।

अन्य वृत्तियों की अपेक्षा व्यञ्जना की एक खास विलक्षणता

अभिधा तथा लक्षणा ये दोनों वृत्तियाँ शब्द में ही रहती हैं, उनका क्षेत्र शब्द तक ही सीमित है, पर व्यञ्जना का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। यह वृत्ति शब्द (वाक्य, पद, पदैकदेश = प्रकृति तथा प्रत्यय, वर्ण, प्रकरण, प्रबन्ध), अर्थ (वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्ग्य) और चेष्टा आदि में समान रूप से रहती है। सारांश यह कि व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति जिस तरह किसी शब्द-विशेष से होती है उसी तरह उक्त सभी व्यञ्जकों (व्यञ्जना के आश्रयों) से होती है।

व्यञ्जक

व्यञ्जना द्वारा अर्थ-प्रतिपादक, शब्द अर्थ आदि सभी व्यञ्जक कहलाते हैं। 'ध्वनि' शब्द के जो अनेक अर्थ पहले लिखे जा चुके हैं उनमें एक के अनुसार व्यञ्जक को 'ध्वनि' भी कहते हैं।

व्यङ्ग्य अर्थ

व्यञ्जना द्वारा प्रतीत होने वाले अर्थ को व्यङ्ग्य कहते हैं। उक्त अनेक अर्थों में से एक के अनुसार उसे 'ध्वनि' भी कहते हैं।

व्यञ्जना के विरुद्ध मत

संस्कृत वाङ्मय के इतिहास में 'व्यञ्जनावाद' एक ऐसा विषय है जिसके विरोध में भिन्न-भिन्न संप्रदाय के आचार्यों द्वारा बहुतेरे आक्षेप किए गए हैं जिनमें से कतिपय प्रमुख आक्षेपों की चर्चा यहाँ की जाती है—

(१) अभिधावादी आचार्यों का कथन है कि 'व्यञ्जना' 'अभिधा' में ही गतार्थ है अर्थात् अभिधा से अतिरिक्त व्यञ्जना नाम की कोई वृत्ति नहीं है। तात्पर्य यह कि जिन अर्थों को लोग व्यङ्ग्य कहना चाहते हैं वे अभिधेय (वाच्य) अर्थ ही हैं, उनका बोध भी अभिधा से ही होता है।

---

१. 'मुख्यार्थबाधनिरपेक्षबोधजनको मुख्यार्थसंबन्धासंबन्धसाधारणः प्रसिद्धाप्रसिद्धार्थविषयको वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभाद्युद्बुद्धः संस्कारविशेषो व्यञ्जना।' (परमलघुमञ्जूषा)

(२) लक्षणावादी आचार्यों की मान्यता है कि – लक्ष्य से अन्य व्यङ्ग्य कोई वस्तु नहीं है, अतः व्यञ्जना भी लक्षणा से अतिरिक्त वृत्ति नहीं है।

(३) अनुमानवादी आचार्यों का कहना है कि—अभिधा और लक्षणा ये दो ही वृत्तियाँ हैं। अब यदि कुछ ऐसे अर्थ हैं जिनका बोध उक्त दोनों में से किसी भी वृत्ति से नहीं हो पाता तो उस स्थिति में भी उन अर्थों को बोध करने के लिये किसी नवीन वृत्ति (व्यञ्जना) की आवश्यकता नहीं है, अपितु उस तरह के अर्थों का बोध अनुमान से होता है यही मानना चाहिए।

(४) कुछ लोगों का कथन है कि—व्यञ्जनावृत्ति की बात असंगत है, क्योंकि व्यञ्जना मानने के बाद भी प्रश्न उठेगा कि यह व्यञ्जना स्वरूपसती (अज्ञात रूप से रहनेवाली) बोधक है अथवा ज्ञाता ? दोनों ही पक्ष दोषग्रस्त हैं क्योंकि स्वरूपसती व्यञ्जना को बोधक मानने पर व्यञ्जक पद से सदा सभी को व्यङ्ग्य अर्थ का बोध होना चाहिए जो होता नहीं, ज्ञाता व्यञ्जना को बोधक मानना बन ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह अभिधा-ज्ञापक कोष-व्याकरण आदि हैं उस तरह व्यञ्जनाज्ञापक ही कोई नहीं है, फिर व्यञ्जना ज्ञाता हो ही नहीं सकती। अतः व्यङ्ग्य अर्थों को मानस बोध ही मानना चाहिए।

(५) कुछ लोग कहते हैं कि—'अर्थापत्ति-प्रमाण' से व्यङ्ग्य कहे जाने वाले अर्थों का बोध होता है, अतः व्यञ्जना मानने की आवश्यकता नहीं।

(६) अन्य कतिपय विद्वान् कहते हैं कि वे अर्थ 'सूचनबुद्धिवेद्य' ही हैं जिनको आप व्यङ्ग्य कहते हैं।

उपर्युक्त सभी आक्षेपों के मूल में रहस्यभूत वस्तु एक यही है कि ध्वनिस्थापक आनन्दवर्धन से पूर्व स्वतन्त्र व्यङ्ग्य अर्थ की सत्ता से प्रायः विद्वन्मण्डली अपरिचित ही थी, अतः जब उक्त ध्वनिस्थापक आचार्य ने 'ध्वन्यालोक' नामक विलक्षण निबन्ध बना कर व्यङ्ग्य और व्यञ्जना की स्थापना ही नहीं, अपितु साहित्यशास्त्र में प्रमुखता भी सिद्ध कर दी तब विद्वन्मण्डली में एक तूफ़ान-सा उठ पड़ा। पुरानी लीक पर आँख मूँद कर चलने वाले विद्वानों ने व्यञ्जना का विरोध किया, व्यञ्जना के विरोध में युक्तियाँ खोजी जाने लगीं, निबन्ध बनने लगे। इस तरह ध्वनिकार के बाद में और पहले भी उक्त व्यञ्जनाविरोधी मतों की सृष्टि हुई। पर ध्वन्यालोक के निष्पक्ष अध्येता आलंकारिकों ने और महावैयाकरण नागेश भट्ट ने अपने निबन्धों में उक्त आक्षेपों का सुन्दर तथा प्रबल युक्तियों के आधार पर खण्डन कर ध्वनि (व्यञ्जना) का स्थापन किया और आचार्य आनन्दवर्धन को अलंकारशास्त्र का सर्वश्रेष्ठ मौलिक आलोचक सिद्ध कर दिया।

यद्यपि आनन्दवर्धन को 'ध्वनि' के विषय में व्याकरण के मूलभूत सिद्धान्त (ध्वनि व्यङ्ग्य स्फोटात्मक शब्द) से प्रेरणा अवश्य मिली थी, इससे उनकी मौलिकता पर आँच नहीं आती। क्योंकि 'ध्वनि' शब्द की चर्चा रहने पर भी नागेश से प्राचीन व्याकरणशास्त्रीय निबन्धप्रणेता किसी आचार्य ने पृथक् रूप से व्यञ्जनावृत्ति का निरूपण अपने निबन्धों में नहीं किया। अस्तु, उक्त आक्षेपों का समाधान संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया है।

प्रथम आक्षेप का खण्डन

व्यञ्जना अभिधा में गतार्थ तभी हो सकती है जब व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ में गतार्थ हो जाय—अर्थात् व्यङ्ग्य तथा वाच्य अर्थों की एकरूपता सिद्ध हो सके। किन्तु वस्तुस्थिति उन दोनों अर्थों की एकरूपता सिद्ध नहीं होने देती, क्योंकि वाच्य अर्थ का बोद्धा पद-पदार्थ-ज्ञान वाला कोरा

वैयाकरण भी होता है और व्यङ्ग्य अर्थ का ज्ञाता सहृदय ही होता है, वाच्य जहाँ विधिरूप रहता है वहीं व्यङ्ग्य निषेधरूप हो जाता है, वाच्य जिस पद का एक रहता है उससे होने वाले व्यङ्ग्य अनेक हो जाते हैं, वाच्य का ज्ञान पहले होता है, व्यङ्ग्य का पीछे, वाच्य का विषय दूसरा रहता है व्यङ्ग्य का दूसरा और वाच्य का आश्रय शब्द मात्र होता है व्यङ्ग्य का आश्रय शब्द, शब्द का एकदेश, अर्थसंघटना आदि सभी होते हैं, इतने भेदों के रहने पर व्यङ्ग्य वाच्य नहीं हो सकता और जब वाच्य से भिन्न व्यङ्ग्य अर्थ सिद्ध है तब वाच्यार्थबोधक वृत्ति से भिन्न व्यङ्ग्यार्थबोधक वृत्ति भी माननी ही पड़ेगी, नाम उस वृत्ति का व्यञ्जना रक्खें अथवा और कुछ।

अभिधा की गति अधिक से अधिक वाक्यार्थ तक होती है (वस्तुतः पदार्थ तक ही) और व्यङ्ग्य अर्थ वाक्यार्थज्ञान के बाद विदित होता है फिर वहाँ तक अभिधा की गति सम्भव भी नहीं है। और भी बहुत सी युक्तियाँ इस प्रसङ्ग पर ग्रन्थों में दी गई हैं, पर यहाँ उन सबका उल्लेख संभव नहीं।

द्वितीय आक्षेप का खण्डन

लक्षणा में व्यञ्जना गतार्थ तब हो सकती जब नियमतः व्यङ्ग्य अर्थ का बोध मुख्य अर्थ के बाधित रहने पर ही होता, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ भी व्यङ्ग्य अर्थ का बोध होते देखा जाता है जहाँ मुख्य अर्थ बाधित नहीं रहता। दूसरे, लक्षणा वृत्ति नियमतः अभिधा की अपेक्षा करती है—अभिधा जब तक अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर लेती तब तक लक्षणा का प्रसङ्ग ही नहीं आता, पर व्यञ्जना में ऐसा नियम नहीं है, वह तो चेष्टा (इशारे) आदि में भी रहती है, फिर उसे अभिधा की अपेक्षा क्या ? लक्षणा द्वारा नियमतः मुख्य अर्थ से सम्बद्ध अर्थ ही ज्ञात होता है, पर व्यञ्जना द्वारा कहीं मुख्यार्थ से संबद्ध, कहीं असंबद्ध और कहीं असंबद्ध-संबद्ध सभी तरह के अर्थ ज्ञात होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यञ्जना को लक्षणा से गतार्थ कहना दुराग्रह मात्र है।

तृतीय आक्षेप का खण्डन

अनुमान में हेतु का निर्दोष होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है, अतः अनुमान से व्यङ्ग्य अर्थ नहीं समझे जा सकते। न्यायग्रन्थों में जिन पाँच दोषों का निरूपण किया गया है उनमें से यदि एक भी दोष हेतु में रहेगा तो उस हेतु से अनुमिति नहीं हो सकती। पर व्यञ्जना में यह बात नहीं होती, वहाँ हेतु (व्यञ्जक) दुष्ट हो अथवा अशुद्ध, उससे व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति होती ही है और काव्य में कल्पनामूलक हेतुओं में दोष का रहना निश्चितप्राय है। दूसरी बात यह कि शब्दस्थल में किसी तरह अनुमिति के कारण जुटाए भी जाँय तो चेष्टा आदि से होने वाले व्यङ्ग्य-बोध-स्थल में उनका जुटना सर्वथा असम्भव है, अतः व्यञ्जना अनुमान में भी अन्तर्भूत नहीं हो सकती।

चतुर्थ आक्षेप का खण्डन

चतुर्थ आक्षेप में व्यङ्ग्यों का मानस बोध मानने की बात कही गई है जो संगत नहीं है क्योंकि मानस बोध से वैयञ्जनिक बोध में विलक्षणता उपलब्ध होती है। हम यदि भावना द्वारा दुष्यन्त-शकुन्तला आदि के वृत्तान्तों को अपने अन्दर लाकर उनका मानस बोध करते हैं तब वैसा आनन्द नहीं आता, जैसा उन्हीं वृत्तान्तों का काव्यशब्द द्वारा वैयञ्जनिक बोध करने पर

आता है, अतः मानना पड़ता है कि वैयञ्जनिक बोध मानस बोध से भिन्न वस्तु है। अब रहा इस आक्षेप का वह अंश जिसमें व्यञ्जना का स्वरूपसती अथवा ज्ञाता किसी भी रूप में बोधक न हो सकने की बात कही गई है, पर उस गुत्थी को भी बड़े सुन्दर ढङ्ग से आलङ्कारिकों ने सुलझाया है। उन्होंने कहा है कि—व्यञ्जना स्वरूपसती ही बोधक होती है—अर्थात् व्यञ्जना को रहना भर चाहिए, उसका ज्ञात होना आवश्यक नहीं है। यदि यह शका की जाय कि—तब सभी को सदा व्यञ्जना से अर्थबोध क्यों नहीं होता ? तो इसका समाधान यह है कि—व्यङ्ग्य बोध के प्रति वासना (प्राक्तन और इदानींतन संस्कारविशेष) कारण है, अतः जिसमें वह वासना नहीं रहती अथवा रह कर भी प्रसुप्त रहती है, उसको व्यङ्ग्य बोध नहीं होता।

पञ्चम आक्षेप का खण्डन

पञ्चम आक्षेप में 'अर्थापत्ति' से व्यङ्ग्य बोध की बात कही गई है जो समुचित नहीं है क्योंकि अर्थापत्ति अनुमान से भिन्न वस्तु नहीं है, क्योंकि जिस तरह अनुमान व्याप्ति रहने पर होता है उसी तरह अर्थापत्ति भी व्याप्ति के रहने पर ही बोधक होती है। 'जीवति चात्र गोष्ठ्याम् अविद्यमानश्चैत्रः अर्थात् इस गोष्ठी में अनुपस्थित चैत्र जीता है' ऐसा कहने पर जो चैत्र का बाहर कहीं रहना ज्ञात होता है उसी को अर्थापत्ति का उदाहरण माना जाता है, पर वस्तुतः यह अनुमान का ही उदाहरण है—अर्थात् 'जो जीता है वह कहीं न कहीं अवश्य रहता है' इस तरह की व्याप्ति निश्चित रहने पर ही उक्त वाक्य से चैत्र का बाहर रहना ज्ञात होता है, फलतः यहाँ अनुमान का ही यह प्रकार हुआ कि—'चैत्र बाहर कहीं अवश्य है, क्योंकि यहाँ नहीं है और जीवित है।'

इस तरह जब अर्थापत्ति अनुमानरूप सिद्ध हुई, तब उससे व्यङ्ग्यबोध की बात चल ही नहीं सकती क्योंकि अनुमान से व्यङ्ग्य-बोध न हो सकने की बात पहले कही जा चुकी है।

षष्ठ आक्षेप का खण्डन

'सूचन बुद्धि' भी अनुमान का ही एक प्रकार है, क्योंकि विक्रेता अँगुली के इशारे से जो अपने सहायकों को मूल्य आदि की बात समझा देता है, वहीं 'सूचन बुद्धि' का उपयोग माना जाता है और वहाँ विक्रेता के इशारे से उनके सहायकों को उस वस्तु का ज्ञान इसलिये हो जाता है कि पहले उसे यह व्याप्ति ज्ञात करा दी गई रहती है कि मैं यदि एक अँगुली दिखाऊँ तो तुम उसका अर्थ २० समझ लेना, फलतः वह अनुमान ही हुआ और अनुमान से व्यञ्जना की अगतार्थता की बात दुहराने की आवश्यकता नहीं है।

एक चतुर्थ वृत्ति भी है

शास्त्रों में उक्त तीन वृत्तियों से भिन्न एक चतुर्थ वृत्ति (तात्पर्य) का भी उल्लेख हुआ है। यह वाक्य की वृत्ति मानी जाती है अर्थात् यह वृत्ति पद में नहीं, अपितु पद-समूहात्मक वाक्य में ही रहती है। इस वृत्ति से पदार्थों के सम्बन्ध का बोध होता है। इस वृत्ति को मानने में युक्ति यह दी जाती है कि—वाक्यान्तर्गत पदों में रहने वाली अभिधा अपने अर्थों का बोध कराकर विरत (क्षीण) हो जाती है, अतः उस वृत्ति से एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता—अर्थात् दो पदार्थों का सम्बन्ध उस वृत्ति से ज्ञात नहीं हो सकता, अतः उस सम्बन्ध का बोध कराने के लिये तात्पर्यवृत्ति की आवश्यकता मानी जाती है। इस युक्ति के आवि-

ष्कारक आचार्य 'अभिहितान्वयवादी' कहलाते हैं, जिसका अर्थ होता है अभिहित = अभिधा द्वारा बोधित अर्थों का अन्वय = संबन्ध, अन्य पदार्थों के साथ होता है ऐसा कहने वाले। दूसरे आचार्य ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अन्वित अर्थ का ही अभिधा से बोध होता है—अर्थात् अन्वयांश का भी बोध अभिधा से ही हो जाता है, उसके लिये किसी अन्य वृत्ति का मानना आवश्यक नहीं। ऐसे आचार्य 'अन्विताभिधानवादी' कहलाते हैं।

नैयायिक लोग सम्बन्धांश की आकांक्षा-भास्य मानते हैं—अर्थात् 'राजा का पुरुष' ऐसा कहने पर राजा और पुरुष का बोध तो उन दोनों पदों की अभिधा से होता है, पर सम्बन्ध (स्वस्वामिभाव) का बोध अपने आप हो जाता है, क्योंकि राजा पुरुष अंश में और पुरुष राजा अंश में साकांक्ष हैं, अतः सम्बन्धांश-बोधक वृत्ति की आवश्यकता नहीं होती।

सारांश यह हुआ कि यह वृत्ति एकदेशीय है, गौण है। अतएव पहले उक्त तीन वृत्तियों के साथ इसकी चर्चा नहीं की गई।

अग्निपुराणगत वृत्ति-विचार

पहले लिखा जा चुका है कि—वृत्ति विचार के अन्त में अग्निपुराणगत वृत्ति-विचार प्रस्तुत किया जायगा, अतः अत्र अग्निपुराण का वह अंश हिन्दी रसगङ्गाधरकार श्रीमान् आचार्य पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी जी की भूमिका से उद्धृत किया जाता है—

'साहित्यशास्त्र में सर्वप्रथम वृत्तियों का विचार अग्निपुराण में ही किया गया है। अग्निपुराण में तीन प्रकार के अलङ्कारों का वर्णन है—शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार और शब्दार्थालङ्कार। इनमें शब्दार्थालङ्कारों के वर्णन में ही वृत्तियों का भी विचार है। वहाँ 'अभिव्यक्ति' नाम से एक शब्दार्थालङ्कार माना गया है, जिसका विवरण करते हुए अग्निपुराणकार ने लिखा है—'शब्द से अर्थ के प्रकट होने को अभिव्यक्ति कहते हैं। उसके दो भेद हैं—श्रुति (अभिधा-लक्षणा) तथा आक्षेप (व्यञ्जना)। उनमें शब्द का अपने अर्थ को अर्पित करना श्रुति कहलाता है। श्रुति दो प्रकार की है—नैमित्तिकी (किसी निमित्त = प्रयोजन को मानकर होने वाली) और पारिभाषिकी (किसी परिभाषा को मानकर होनेवाली—अर्थात् रूढ़ि)। बिना किसी निमित्त के किए गए संकेत को परिभाषा कहते हैं, उनके द्वारा होनेवाली श्रुति पारिभाषिकी कहलाती है। नैमित्तिकी और पारिभाषिकी दोनों ही श्रुतियाँ मुख्या (अभिधा) और औपचारिकी (लक्षणा) इस प्रकार दो तरह की होती हैं। जिस श्रुति के द्वारा, अपने वाच्य में जिसकी स्थिति स्खलित हो रही है ऐसा अर्थात् वाच्य अर्थ को ठीक-ठीक प्रतिपादन न करने वाला शब्द किसी निमित्त (प्रयोजन अथवा रूढि) के कारण मुख्य से भिन्न अर्थ का वाचक हो जाता है वह श्रुति औपचारिकी मानी जाती है और उसे ही लाक्षणिकी (रूढलक्षणारूप) कहते हैं। गौणी लक्षणा गुणों के योग (अर्थात् सादृश्य) के कारण होती है। वाच्य अर्थ से सम्बद्ध अर्थ की प्रतीति को लक्षणा कहते हैं।

वाच्य अर्थ के साथ (साधारण) सम्बन्ध द्वारा, समीपता द्वारा, समवाय द्वारा, विपरीतता द्वारा और क्रिया के योग द्वारा लक्षणा पाँच प्रकार की मानी गई है। गौणी लक्षणा गुणों के अनन्त होने के कारण अनन्त प्रकार की होती है। जहाँ लोक-मर्यादा का उल्लङ्घन न करते हुए (अर्थात्—पारम्परिक समय को न तोड़ते हुए) व्यक्ति के द्वारा 'गौणी' के कथन की इच्छा से अन्य वस्तु का धर्म अन्य वस्तु में आरोपित किया जाता है उसे इस शास्त्र में समाधि कहते हैं।

श्रुति (अभिधा-लक्षणा) द्वारा न प्राप्त होने वाला अर्थ जिस वृत्ति के द्वारा सहृदयों को प्रतीत होता है, वह वृत्ति 'आक्षेप' कहलाती है और वही ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि के द्वारा वहाँ

शब्द और अर्थ अपने को गौण बनाकर अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं एवं जहाँ किसी विशेष को बताने की इच्छा से निषेध सा होता है उसे भी आक्षेप कहते हैं ।'[1]

उपमा और रूपक में भेद

'मुखं चन्द्रः—अर्थात् मुख चन्द्र है' यह जो रूपक का प्रसिद्ध उदाहरण है वही गौणी सारोपा लक्षणा का भी उदाहरण होता है। तात्पर्य यह कि रूपकस्थल में सर्वत्र नियमतः सारोपा गौणी लक्षणा रहती ही है। लक्षणा यहाँ चन्द्रपद की चन्द्रसदृश अर्थ में होती है, चन्द्रसादृश्यरूप धर्म में नहीं, क्योंकि वैसा करने पर चन्द्रपदार्थ (चन्द्रसादृश्य) का मुखपदार्थ के साथ अन्वय नहीं हो सकेगा, क्योंकि दो नामार्थों में अभेद से अतिरिक्त सम्बन्ध नहीं होता यह नियम है और यहाँ चन्द्रसादृश्य का मुख के साथ अभेद बाधित है। फलतः ऐसे स्थलों में चन्द्र आदि पदों की स्वसदृश अर्थों में ही लक्षणा माननी पड़ती है और तदनुसार 'चन्द्रसदृश से अभिन्न मुख' इत्यादि रीति से ही बोध मानना पड़ता है।

अब प्रश्न उठता है कि—जब 'मुखं चन्द्रः' इस रूपकस्थल में 'चन्द्रसदृश से अभिन्न मुख' ऐसा बोध होता है तब 'चन्द्रसदृशम् मुखम् चन्द्र इव मुखम्' इस उपमा से उक्त रूपक में भेद क्या रहा—अर्थात् ये दो अलङ्कार कैसे हुए, क्योंकि इन उपमावाक्यों से भी 'चन्द्रसदृश से अभिन्न मुख' ऐसा ही बोध होता है। प्राचीन आचार्य तीन प्रकार से इसका समाधान करते हैं।

(१) प्रथम समाधान का सारांश यह है कि—श्लेषस्थल के समान उक्तरूपकस्थल में चन्द्र तथा तत्सदृश अर्थ की उपस्थिति एक चन्द्रपद से ही होती है, अतः यहाँ एकपदोपादानरूप युक्ति के बल से व्यञ्जना का उत्थान होता है जिससे उक्त सामान्यबोध के बाद मुख में चन्द्र का ताद्रूप्य प्रतीत होता है और उक्त उपमास्थल में चन्द्र तथा तत्सदृश अर्थ की उपस्थिति एक पद से नहीं, अपितु दो पदों (चन्द्र और सदृश अथवा इव) से होती है, अतः एकपदोपादानरूप युक्ति के अभाव में व्यञ्जना का उत्थान नहीं होता, फलतः वहाँ चन्द्रताद्रूप्य की प्रतीति मुख में नहीं होती। इस तरह से सिद्ध यह हुआ कि उपमा और रूपक के स्वरूप में यद्यपि कोई भेद नहीं होता, तथापि फलांश (लक्षणा के फल अंश) में भेद होने से दोनों अलङ्कारों में भेद हो जाता है।

(२) द्वितीय समाधान का सारांश यह है कि—रूपकस्थल में लाक्षणिक चन्द्रपद से यद्यपि चन्द्रसदृश रूप में ही अर्थ की उपस्थिति होती है, तथापि मुख के साथ अन्वयबोध होता है चन्द्ररूप में ही—अर्थात् रूपकस्थल में 'चन्द्राभिन्न मुख' ऐसा ही बोध होता है। क्योंकि उन-उन पदों

---

१. 'प्रकटत्वमभिव्यक्तिः, श्रुतिराक्षेप इत्यपि। तस्या भेदौ श्रुतिस्तत्र शाब्दं स्वार्थसमर्पणम् ॥ भवेन्नैमित्तिकी परिभाषिकी द्विविधैव सा। संकेतः परिभाषेति ततः स्यात्पारिभाषिकी ॥ मुख्यौपचारिकी चेति सा च सा च द्विधा द्विधा ॥ सा(स्वा)भिधेयस्खलद्वृत्तिरमुख्यार्थस्य वाचकः। यथा शब्दो निमित्तेन केनचित्सौपचारिकी ॥ सा च लाक्षणिकी गौणी लक्षणा गुणयोगतः। अभिधेया विनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते ॥ अभिधेयेन सम्बन्धात् सामीप्यात् समवायतः। वैपरीत्यात् क्रियायोगात् लक्षणा पञ्चधा मता ॥ गौणी गुणानामानन्त्यादनन्ता, तद्विवक्षया। अन्यधर्मस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना। सम्यगाधीयते यत्र स समाधिरिह स्मृतः ॥ श्रुतेरलभ्यमानोऽर्थो यस्माद्भाति सचेतसाम्। स आक्षेपो ध्वनिः स्याच्च ध्वनिना व्यज्यते यतः ॥ शब्देनार्थेन यत्रार्थः कृत्वा स्वयमुपार्जनम्। प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया ॥ तमाक्षेपं ब्रुवन्त्यत्र…………॥'

(अग्निपुराण, अध्याय ३४५, श्लो० ७ – १५)

की लक्षणा के ज्ञान को—उन उन पदों के शक्यतावच्छेदक (चन्द्रत्व आदि) जिसमें प्रकार हों और लक्ष्य (मुख आदि) जिसमें विशेष्य हों ऐसे—बोध के प्रति हेतु मानते हैं। यहाँ यदि कहें कि पदार्थ की उपस्थिति और पदार्थ के शाब्दबोध में जो समानाकारता का नियम है—अर्थात् यह जो नियम है कि जिस रूप से पदार्थ की उपस्थिति हो, शाब्दबोध भी उसी रूप से हो, उसका क्या होगा? अभिप्राय यह कि आप जिस तरह बोध करते हैं उसमें उक्त नियम का विरोध होता है—अर्थात् चन्द्रसदृश रूप में पदार्थोपस्थिति और चन्द्ररूप में पदार्थबोध मानने में उक्त नियम का अतिक्रमण होता है, तो इसका उत्तर यह है कि लाक्षणिक पदों से होनेवाले बोधों में इस तरह की विलक्षणता होती है यह अनुभव से ही सिद्ध है, अतः उक्त समानाकारतानियम को लाक्षणिक-बोध से अन्यस्थलपरक मानना चाहिए। इस तरह उपमा से रूपक का स्वरूपज्ञानकृत तथा फल-ज्ञानकृत दोनों ही प्रकार का भेद स्पष्ट है।

(३) तृतीय समाधान का अभिप्राय यह है कि—सादृश्य दो तरह का होता है, एक में भेद का प्रवेश माना जाता है और दूसरे में नहीं—अर्थात् एक मत से 'तद्भिन्न में तद्गत अधिकतर धर्मों का रहना' सादृश्य है और दूसरे मत से 'तद्गत अधिकतर धर्मों का रहना' मात्र सादृश्य है, उन दोनों में भेद का ज्ञान आवश्यक नहीं है। इन दो तरह के सादृश्यों में से प्रथम—अर्थात् भेदघटितसादृश्य उपमा का नियामक है और द्वितीय—अर्थात् भेदाघटितसादृश्य गौणी सारोपा लक्षणा का। अतः उपमास्थल में चन्द्र का भेद मुख में ज्ञात होता है और रूपकस्थल में उसका उसमें अभेद। इस तरह दोनों के स्वरूप-ज्ञान में ही भेद सिद्ध हो जाता है, फिर फलज्ञानकृत भेद तक जाना व्यर्थ ही है।

उपर्युक्त तीन प्रकार के समाधान प्राचीनों के हैं। नवीन विद्वान् (अप्पयदीक्षित आदि) तो उक्त तीनों प्रकारों से भिन्न एक चतुर्थ प्रकार से ही उक्त प्रश्न का उत्तर करते हैं। उनके कथन का सारांश यह है कि रूपकस्थल में लक्षणा होती ही नहीं, लक्षणा के विना ही 'मुखं चन्द्रः' इत्यादि स्थलों में मुख तथा चन्द्र का अभेदान्वय होता है। "–'मुख चन्द्र नहीं है' इस तरह के बाधनिश्चय की विद्यमानतादशा में 'चन्द्राभिन्न मुख' यह अभेदान्वयबोध कैसे हो सकता है" इस प्रश्न का उत्तर वे यह देते हैं कि—जैसे आहार्यबोध को बाधनिश्चय नहीं रोकते, वैसे शब्दजन्य बोध को भी नहीं रोकते ऐसा मानना चाहिए। अतएव 'अत्यन्तासत्यपि ह्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि—अर्थात् जो अर्थ (आकाशपुष्प आदि) वस्तुतः दुनिया में नहीं भी रहते, उनका भी ज्ञान शब्द करा ही देता है' यह प्राचीनों का कथन भी संगत होता है।

अथवा रूपकस्थल में आहार्य शाब्दबोध ही मानना चाहिए और आहार्यबोध को बाधनिश्चय नहीं रोकते यह सर्वमतसिद्ध सिद्धान्त है। 'प्रत्यक्षात्मक ज्ञान ही आहार्य होता है' यह एक नियम है, फिर परोक्षात्मक शाब्दज्ञान आहार्य कैसे हो सकता है? इसके उत्तर में उनका कहना है कि—उक्त नियम में कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात् प्रत्यक्ष-परोक्ष सभी ज्ञान आहार्य हो सकते हैं। इस मत के अनुसार रूपकस्थल में सादृश्य का बोध होता ही नहीं और उपमास्थल में वह होता है, अतः दोनों में भेद स्वतःसिद्ध है।

उपर्युक्त नवीन मत का खण्डन पण्डितराज ने किया है और खण्डन में युक्ति यह दी है कि—चमत्कारी साधारणधर्म जब-तक उपस्थित नहीं होता तब-तक उपमा के समान रूपक की भी सिद्धि नहीं होती यह बात सभी सहृदयों के अनुभव से सिद्ध है, अन्यथा 'यह नगर चन्द्रमण्डल है' इतने वाक्य को सुन लेने पर भी जो रूपक ज्ञात नहीं होता, वही रूपक, उक्त वाक्य में नगर का

'सकलकल' विशेषण कह देने पर जो ज्ञात होने लगता है वह नहीं संगत होगा। तात्पर्य यह कि 'कलकलशब्दसहित' और 'सकलकलायुक्त' इन दो अर्थों वाले उक्त श्लिष्ट विशेषण के श्रवण होने पर एक विशेषणविशिष्टत्वरूप साधारणधर्म की उपस्थिति होने से रूपक ज्ञात होता है, अन्यथा नहीं। यह बात 'मुखचन्द्र' आदि प्रसिद्ध रूपकस्थल में भी है, अर्थात वहाँ भी आह्लादकत्व आदि साधारणधर्म की उपस्थिति होने पर ही रूपक ज्ञात होता है। अन्तर इतना ही है कि अप्रसिद्ध साधारणधर्मबोधक पद के उच्चारण की अपेक्षा होती है, अन्यथा उसकी उपस्थिति नहीं हो पाती और प्रसिद्ध साधारणधर्मबोधक पद के उच्चारण की अपेक्षा नहीं होती, उसके बिना भी उसकी उपस्थिति हो जाती है।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि रूपकस्थल में भी साधारणधर्मोपस्थिति आवश्यक है। अब आप सोचें कि—यदि साधारणधर्मस्वरूप सादृश्य का प्रवेश रूपक में नहीं माना जाय तब जो साधारणधर्म की अनुपस्थितिदशा में रूपक सिद्ध नहीं होता, चमत्कार की प्रतीति नहीं होती, सो क्यों? आहार्य अभेदबुद्धि तो साधारणधर्म की अनुपस्थिति-दशा में भी हो सकती थी। फलतः रूपकस्थल में लक्षणा अवश्य होती है और फिर भी जो उपमा तथा रूपक दो अलंकार माने जाते हैं उसका कारण प्राचीन मतों में कथित रूपकस्थलीय ताद्रूप्यप्रतीति ही है।

अलङ्कारों का उद्गम

अलंकारों का उदय प्रायः वाङ्मय के साथ ही हुआ, क्योंकि संस्कृतवाङ्मय के प्रथम ग्रन्थ ऋग्वेद की ऋचाओं में अलंकार का प्रयोग प्राप्त होता है। यद्यपि वैदिक साहित्य में अलंकारशास्त्र का निर्देश नहीं मिलता, तथापि मूलभूत अलंकार—उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि के अत्यन्त सुन्दर उदाहरण हमें वैदिक संहिताओं और उपनिषदों में उपलब्ध होते हैं। अलंकारों में उपमा अत्यन्त प्राचीन है। इसका संबन्ध कविता के प्रथम आविर्भाव से ही है। इसीलिये कतिपय आचार्य उपमा को अन्य सभी अर्थालंकारों की जननी मानते हैं[1] और राजशेखर उपमा को कविमाता कहते हैं[2]। इस उपमा का तो उदाहरण ऋग्वेद में प्राप्त होता ही है साथ-साथ अन्य अलंकारों के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं। उषाविषयक एक ऋचा में एक साथ चार उपमाओं का प्रयोग किया गया है—

'अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची, गर्तारुगिव सनये धनानाम्।
जायेव पत्य उशती सुवासा, उषा हस्रेव निरिणीते अप्सः॥' (ऋ. वे. १।१२४।७)

अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है—

'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिषस्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति॥' (ऋ. वे. १।१६४।२०)

रूपकालंकार का सुन्दर प्रयोग कठोपनिषद् के एक मन्त्र में किया गया है—

'आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च॥' (कठोपनिषद् १।३।३)

---

१. उपमैषा शैलूषी संप्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान्।
रञ्जयति काव्यरङ्गे नृत्यन्ती तद्विदां चेतः॥

२. उपमा कविवंशस्य मातैवेति मतिर्मम।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वैदिक मन्त्रों में अलंकारों की सत्ता स्पष्टतः विद्यमान है। यही क्यों? उपमाशब्द भी ऋग्वेद (५।३४।९, १।३१।१५) में उपलब्ध होता है जिसका अर्थ सायण ने किया है—उपमान या दृष्टान्त। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इतने प्राचीन काल में उपमा का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया गया था। यह सामान्य निर्देश मात्र है।

इसके बाद निरुक्त तथा निघण्टु में उपमा अलंकार का विवेचन शास्त्रीय ढङ्ग पर उपलब्ध होता है। निघण्टु में वैदिक उपमा के द्योतक बारह निपातों (अव्ययों) का उल्लेख मिलता है। इसी प्रसङ्ग में यास्क ने उपमा के अनेक भेद तथा गार्ग्य नामक वैयाकरण द्वारा रचित उपमा लक्षण का वर्णन अपने ग्रन्थ में किया है। गार्ग्य निरुक्तकार यास्क से भी प्राचीन आचार्य हैं। उनका उपमा-लक्षण इस प्रकार है—'उपमा वहाँ होती है जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न होते हुए भी उसी के सदृश हो।' साथ-साथ गार्ग्य ने यह भी कहा है कि—'उपमान सामान्यतः उपमेय की अपेक्षा अधिकगुणयुक्त होता है, पर कहीं-कहीं न्यूनगुण-युक्त उपमान से भी अधिक-गुणयुक्त उपमेय की तुलना की जाती है[1]।' यह उपमालक्षण मम्मट के उपमा-लक्षण[2] से बहुत कुछ मिलता-जुलता है।

यास्क ने अपने ग्रन्थ में पाँच प्रकार की उपमा का वर्णन किया है। उपमाद्योतक निपात-इव, यथा, न, चित्, तु और आ हैं। इन वाचक पदों का प्रयोग रहने पर यास्क के अनुसार 'कर्मोपमा' होती है। 'भ्राजन्तो अग्नयो यथा' (ऋ. वे. १।५०।३)='अग्नि के समान चमकते हुए' यह कर्मोपमा का उदाहरण है। 'भूतोपमा' वहाँ होती है जहाँ उपमेय स्वयम् उपमान बन जाता है। 'रूपोपमा वहाँ होती है जहाँ उपमेय उपमान के साथ स्वरूप के विषय में समता रखता है। 'सिद्धोपमा' में उपमान स्वतःसिद्ध रहता है और एक विशिष्ट गुण या कर्म के द्वारा अन्य वस्तुओं से बढ़कर रहता है। 'वत्' प्रत्यय के जोड़ने पर यह उपमा निष्पन्न होती है, जैसे—'ब्राह्मणवत्', 'वृषलवत्'। अन्तिम भेद 'अर्थोपमा' है जिसका दूसरा नाम 'लुप्तोपमा' है। यह पश्चात्कालिक आलङ्कारिक का रूपकालङ्कार है।

इस विवेचन से यह प्रतीत होता है कि यास्क के समय में अलङ्कार का शास्त्रीय विवेचन आरब्ध हो चुका था।

इसके अनन्तर पाणिनि के समय में उपमा की यह शास्त्रीय कल्पना सर्वत्र स्वीकृत हो चुकी थी यह स्पष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि पाणिनि की अष्टाध्यायी में उपमा, उपमान, उपमित तथा सामान्य जैसे अलङ्कारशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है।[3]

इसके बाद भगवान् पतञ्जलि ने भी पणिनि के द्वारा प्रयुक्त 'उपमान'पद की व्याख्या महाभाष्य (२।१।५५) में की है। उनका कथन है कि—मान उस वस्तु की संज्ञा है जो किसी अज्ञात वस्तु के निर्धारण के लिये प्रयुक्त की जाती है। 'उपमान' मान के समान होता है और वह किसी वस्तु का अत्यन्त रूप से नहीं प्रत्युत सामान्य रूप से निर्देश करता है, जैसे—'गौरिव गवयः' = गाय के

---

१. उपमा यत् अतत् तत्सदृशमिति गार्ग्यः। तदासां कर्म ज्यायसा वा गुणेन प्रख्याततमेन वा कनीयांसं वा प्रख्यातं वोपमीयते, अथापि कनीयसा ज्यायांसम्। (निरुक्त ३।१३)

२. साधर्म्यमुपमाभेदे। (काव्यप्रकाश)

३. तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्। (२।३।७२)
उपमानानि सामान्यवचनैः। (२।१।५५)
उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे। (२।१।५६)

समान नीलगाय होती है[1]। यद्यपि काव्यपद्धति से चमत्कार-विहीन होने के कारण 'गौरिव गवयः' उपमालङ्कार का उदाहरण नहीं हो सकता, तथापि शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक दृष्टि से पतञ्जलि का यह उपमानिरूपण महत्त्व रखता है। अलङ्कारों के सम्बन्ध में अब तक जिन बातों का निर्देश किया गया है वे अलंकारशास्त्र के प्रारम्भिक युग की कही जा सकती हैं—अर्थात् अलंकारशास्त्र का इतिहास जब से आरम्भ होता है उससे पहले की वे बातें हैं, क्योंकि अलंकारशास्त्र का इतिहास भरत के नाट्यशास्त्र से ही आरम्भ होता है।

यद्यपि कुछ विद्वान् अग्निपुराण को नाट्यशास्त्र से भी प्राचीन मानते हैं और तदनुसार अलंकारशास्त्रीय इतिहास का आरम्भ नाट्यशास्त्र से न मानकर अग्निपुराण से मानते हैं, पर नवीनतम अन्वेषणों से निश्चित रूप में यह बात सिद्ध हो चुकी है कि अग्निपुराण का वह भाग—जिसमें अलंकार शास्त्रीय विषयों का वर्णन प्राप्त होता है—उतना प्राचीन नहीं है, अपितु उसका काल भोजराज तथा विश्वनाथ कविराज के मध्य का है, अतः अलङ्कारों के विकास का मूल खोजने के लिये, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतञ्जलि के महाभाष्य के बाद भरत के नाट्यशास्त्र की ओर ही अग्रसर होना पड़ता है।

भरत का नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र का आदिग्रन्थ ही नहीं, अपितु अलंकारशास्त्र का विश्वकोष है। इसमें नाट्योत्पत्ति, नाट्यगृह, अलंकार, छन्द, नृत्यकला, रस, अभिनय, सङ्गीत आदि का सुन्दर और साङ्गोपाङ्ग वर्णन उपलब्ध होता है। भरत के पहले यद्यपि राजशेखर के द्वारा काव्यमीमांसा में वर्णित इतिहास के अनुसार अलंकारशास्त्र की उत्पत्ति हो चुकी थी, तथापि आज उन ग्रन्थों की उपलब्धि न होने के कारण अलंकार तथा रस के सर्वप्रथम विवेचन का श्रेय भरत को ही प्राप्त है।

नाट्यशास्त्र के सत्रहवें अध्याय में वाचिक अभिनय-निरूपण-प्रसङ्ग पर अलंकारों का भी निरूपण किया गया है। पर अलंकारनिरूपण होने के बावजूद भी इस महानिबन्ध का नाम नाट्यशास्त्र ही हुआ और 'अलंकारशास्त्र' यह नाम प्रागभाव रूप में उसके अन्दर समाविष्ट रहा।

'अलंकारशास्त्र' यह नाम संसार में तब प्रकट हुआ जब आचार्य भामह का आविर्भाव इस धराधाम में हुआ। यद्यपि भरत और भामह के मध्य का लंबा काल अलंकारशास्त्रीय विवेचनों से सर्वथा शून्य ही रहा हो यह संभव नहीं है—भामह ने अपने ग्रन्थ में मेधावी रुद्र नामक किसी एक अलंकारशास्त्रीय ग्रन्थप्रणेता आचार्य और उनके कतिपय सिद्धान्तों का उल्लेख किया भी है, पर उनका ग्रन्थ आज प्राप्त नहीं होता। फलतः भामह ही स्वतन्त्र अलंकारशास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं।

भामह का 'काव्यालंकार' ही अलंकारशास्त्र का प्रथम ग्रन्थ है। भामह ने यद्यपि रसवादी आचार्य भरत से ही प्रेरणा प्राप्त की है, पर ये भरत के समान रसवादी न रह कर अलंकारवादी बन गए। इसका कारण यह हुआ कि भामह श्रव्यकाव्य के विविध उपादानों का विवेचन करने के लिये प्रवृत्त हुए थे और उन्हें श्रव्यकाव्यों में रस की प्रधानता अभीष्ट नहीं थी—दृश्यकाव्यों में ही रस की मुख्यता उन्हें मान्य थी। अतः भामह ने अपने काव्यालंकार में मुख्यतया अलंकारों का ही विवेचन किया। यह बात दूसरी है कि काव्यस्वरूप दोष, गुण आदि अन्य काव्यतत्त्वों का भी वर्णन उनके ग्रन्थ में उपलब्ध होता है, उद्देश्य उनका अलंकारों की व्यवस्था करना ही था। उनके लिये ऐसा करना उचित भी था क्योंकि वे अलंकार को ही काव्य में मुख्य मानते थे।

---

१. मानं हि नाम अनिर्ज्ञातार्थमुपादीयते अनिर्ज्ञातमर्थं ज्ञास्यामीति। तत्समीपे यत् नात्यन्ताय मिमीते तद् उपमानम् गौरिव गवय इति। (पाणिनि पर महाभाष्य २।१।५५)

भामह ने जब अलंकारशास्त्र का स्वतन्त्र अस्तित्व कायम कर दिया तब इस शास्त्र को विकसित करने वाले बहुतेरे आचार्य हुए जिन्होंने इस शास्त्र के भिन्न-भिन्न अङ्गों का विश्लेषण सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में करके इस शास्त्र को चरम विकास की अवस्था में पहुंचा दिया। इन अलंकारशास्त्र-विकासक आचार्यों में भामह के बाद दण्डी, वामन, उद्भट, रुद्रट, आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, कुन्तक, भोजराज, मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ, वाग्भट, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, अप्पयदीक्षित, पण्डितराज जगन्नाथ आदि प्रमुख हैं।

ये आचार्य 'काव्य में मुख्यता किस तत्त्व की है' इस प्रश्न के उत्तर में यद्यपि भिन्न-भिन्न मत रखते हैं, तथापि अलंकारतत्त्व का अपलाप किसी ने नहीं किया और प्रधान अथवा गौण रूप में अलंकारों का विवेचन सभी ने अपने ग्रन्थ में सुन्दर ढङ्ग से किया है।

इस तरह सुदीर्घ काल में भिन्न-भिन्न आचार्यों के द्वारा जो अलंकारतत्त्व का विश्लेषण हुआ उसमें दृष्टिकोण से मतभेद का होना स्वाभाविक ही था, वह मतभेद भी एक अंश में नहीं, प्रत्युत अनेक अंशों में हुआ है, जैसे—अलंकारों के मूलभूत तत्त्व के विषय में, अलंकारों के स्वरूप के विषय में, अलंकारों से अलंकृत होनेवाले काव्यतत्त्व के विषय में और अलंकारों की संख्या के विषय में मतभेद दृष्टिगोचर होता है।

अलंकारशास्त्र के आदि आचार्य भामह ने वक्रोक्ति को समस्त अर्थालंकारों मूल माना है[१]। अतिशयोक्ति ही भामह की वक्रोक्ति है क्योंकि वक्रोक्ति का लक्षण भामह ने नहीं किया और अतिशयोक्ति का लक्षण 'निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्—अर्थात वह उक्ति जिसमें लोक (साधारण जन) के कथन का अतिक्रमण (उल्लङ्घन) किया गया हो।' इस तरह से करके उसके साथ वक्रोक्ति की समता दिखलाई है। वक्रोक्ति से भिन्न उक्ति को भामह 'वार्ता' कहते हैं[२]।

आनन्दवर्धन भी इस विषय में भामह के अनुयायी प्रतीत होते है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 'सभी अलंकारों में मूलतत्त्व के रूप में अतिशयोक्ति रक्खी जा सकती है। अतिशयोक्ति जिस अलंकार में अन्दर विराजती रहती है उसी में कविप्रतिभाहेतुक चारुत्वातिशय का योग रहता है, फलतः वैसा अलंकार ही वस्तुतः अलंकार है, इससे भिन्न तरह के अलंकार तो केवल नाम भर के अलंकार हैं, अतः अलंकरणयोग्यतासंपादक होने के कारण अतिशयोक्ति ही सकल-अलंकाररूप है[३]।'

दण्डी 'स्वभावोक्ति' को आदिअलंकार कहते हैं। उपमादि अलंकार का मूल उनकी दृष्टि में भी वक्रोक्ति ही है[४]।

---

१. 'सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना॥'

२. 'गतोऽस्तमर्कः भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः।
इत्येवमादि किं काव्यम्? वार्तामेनां प्रचक्षते॥'

३. 'अतिशयोक्तिगर्भता सर्वालंकारेषु शक्यक्रिया। तत्रातिशयोक्तिर्यमलंकारमधितिष्ठति कवि-प्रतिभावशात्तस्य चारुत्वातिशययोगोऽन्यस्य त्वलंकारमात्रतैवेति सर्वालंकारशरीरस्वीकरणयोग्यत्वे-नाभेदोपचारात्सैव सर्वालंकाररूपा।'

४. 'श्लेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्।

रुद्रट औपम्य, वास्तव, अतिशय और श्लेष को अलंकारमूल मानते हैं। एकावलीकार विद्याधर औपम्य, विरोध, तर्क आदि को अलंकारमूल कहते हैं। अलंकारों के स्वरूप में भी भेद प्राप्त होता है। भामह के विचार से जो वक्रोक्ति 'लोकातिक्रान्त-गोचर वचन' रूप सिद्ध होकर सभी अलंकारों का मूलभूत सामान्य अलंकार था, वह वामन के विचार से 'सादृश्यात् लक्षणा वक्रोक्तिः' होकर अर्थालंकारविशेष हो गया, और रुद्रट के विचार से वही वक्रोक्ति अपह्नव-मूलक शब्दालंकाररूप हो गया।

वामन ने आक्षेपनामक एक अलंकार मानकर उसके दो भेद किए हैं, पर मम्मट ने उनमें से एक भेद को प्रतीप अलंकार का और दूसरे को समासोक्ति अलंकार का रूप दे दिया। यह तो एक दिग्दर्शनमात्र है, सूक्ष्मदृष्टि से अध्ययन करने पर भिन्न-भिन्न आलंकारिकों के मत से अनेक अलंकारों के स्वरूप भिन्न-भिन्न हो जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो परवर्ती आचार्यों ने जो पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा किए गये तत्तत् अलंकारों के लक्षणों का खण्डन करके नवीन-नवीन लक्षण प्रस्तुत किए हैं वह कैसे संभव हो पाता ? आखिर एक लक्षण का खण्डन कर अन्य लक्षण का निर्माण करना लक्षणीय वस्तु के स्वरूप को भिन्न सिद्ध करना ही तो है।

अलंकार्य कहे जाने वाले काव्यतत्त्व के विषय में भी प्रचुर मतभेद उपलब्ध होता है। अलंकार-सम्प्रदायवादी आचार्य शब्द और मुख्य वाच्यार्थ को ही अलंकारों से अलंकृत होनेवाले काव्यतत्त्व के रूप में स्वीकार करेंगे, दूसरा रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वे रस आदि प्रतीयमान काव्यतत्त्व को काव्य में मुख्य मानते ही नहीं हैं। वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक ने वस्तुस्वभाव को ही अलंकार्य कहा है[१]। ध्वनिवादी आचार्यों ने ध्वन्यमान अर्थ (वस्तु-अलंकार-रसादिरूप त्रिविध व्यङ्ग्य) को अलंकार्य माना है। रसवादी आचार्यों ने केवल असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यनाम से व्यवहृत होने वाले रस आदि व्यङ्ग्यों को अलंकार्य कोटि में रखा है। रसगङ्गाधरकार ने तो कवितात्पर्य-विषयीभूत मुख्य वाक्यार्थ (ऐसा अर्थ उनके विचार से कहीं रसादि, कहीं तद्भिन्न व्यङ्ग्य, कहीं रमणीय वाच्यार्थ भी हो सकता है) को अलंकारों से उपस्कृत होने वाला कहा है[२]।

अलंकारों की संख्या के विषय में तो सबसे अधिक मतभेद है। प्रायः किन्हीं दो आलंकारिकों के मत इस विषय में समान नहीं हैं।

नाट्यशास्त्र में अनुप्रास, उपमा, रूपक और दीपक इन चार ही अलंकारों का नाम-निर्देश मिलता है, अतः मानना पड़ेगा कि मूलभूत अलंकार ये ही चार हैं जिनमें एक (अनुप्रास) शब्दालंकार है और तीन अर्थालंकार। इन्हीं चार अलंकारों से विकसित तथा परिवर्धित होकर कुवलयानन्द में अलंकारों की संख्या १२५ तक पहुँच गई है, जो प्रायः अलंकारों के संबन्ध में

द्विधाभिन्नं स्वभावोक्तिर्वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम् ॥' (काव्यादर्श)
'स्वभावोक्तिराद्यालंकारः। वक्रोक्तिशब्देन उपमादयः संकीर्णपर्यन्ता अलंकारा उच्यन्ते।'
(हृदयंगमा टीका)

१. 'अलङ्कारकृतां येषां स्वभावोक्तिरलंकृतिः।
अलङ्कार्यतया तेषां किमन्यदवतिष्ठते ॥
शरीरं चेदलंकारः किमलंकुरुतेऽपरम्।
आत्मैव नात्मनः स्कन्धं क्वचिदप्यधिरोहति।'

२. 'इयं चैवंभेदोपमा वस्त्वलङ्काररसरूपाणां प्रधानव्यङ्ग्यानां वस्त्वलङ्कारयोर्वाच्ययोश्चोपस्कारकतया पञ्चधा।' (भट्ट मथुरानाथ कृत संस्करण, पृष्ठ २२५)

सबसे बड़ी संख्या है। अन्य आलंकारिक इन्हीं दो संख्याओं के मध्य की भिन्न-भिन्न संख्या अलंकारों की मानते हैं, जैसे—काव्यादर्शकार दण्डी अलंकारों की संख्या ३५ मानते हैं। अलंकारसारसंग्रह-प्रणेता उद्भट भट्ट अलंकारों की संख्या ४१ बतलाते हैं। सरस्वतीकण्ठाभरण रचयिता भोजराज शब्दालंकार २४, अर्थालंकार २४ और उभयालंकार भी २४—कुल अलंकार संख्या ७२ कहते हैं। काव्यानुशासनकार हेमचन्द्र शब्दालंकार ६ और अर्थालंकार २९—कुल अलंकार-संख्या ३५ मानते हैं। वाग्भटालंकार वाग्भट शब्दालंकार ४ और अर्थालंकार ३५—कुल ३९ अलंकार-संख्या लिखते हैं। काव्यानुशासनकार वाग्भट द्वितीय ६३ अर्थालंकार और ६ शब्दालंकार—कुल ६९ अलंकारों की गणना करते हैं।

काव्यप्रकाशकार मम्मट्ट कुल अलंकारसंख्या ६७ मानते हैं जिसमें शब्दालंकारों की संख्या ६ और अर्थालंकारों की संख्या ६१ है। मम्मट भट्ट ने काव्यप्रकाश में निम्नलिखित अलंकारों का खण्डन अथवा स्वसम्मत अलंकारों में अन्तर्भाव दिखलाया है—१-अत्युक्ति, २-अनुगुण, ३-अनुज्ञा, ४-अनुपलब्धि, ५-अनुमान, ६-अर्थापत्ति, ७-अल्प, ८-अवज्ञा, ९-असंभव, १०-असम, ११-उदाहरण, १२-उन्मीलित, १३-उपमान, १४-उल्लास, १५-उल्लेख, १६-ऊर्जस्वि, १७-ऐतिह्य, १८-गूढोक्ति, १९-छेकोक्ति, २०-जाति, २१-निरुक्ति, २२-परिकर, २३-परिणाम, २४-पिहित, २५-पूर्वरूप, २६-प्रत्यक्ष, २७-प्रस्तुताङ्कुर, २८-प्रहर्षण, २९-प्रेयः, ३०-प्रौढोक्ति, ३१-भाषा, ३२-मिथ्याध्यवसिति, ३३-मुद्रा, ३४-युक्ति, ३५-रत्नावली, ३६-रसवत्, ३७-ललित, ३८-लेश, ३९-लोकोक्ति, ४०-वर्धमान, ४१-वाक्यार्थरूपक, ४२-विकल्प, ४३-विकस्वर, ४४-विचित्र, ४५-वितर्क, ४६-विधि, ४७-विवृतोक्ति, ४८-विशेष, ४९-विषाद, ५०-शब्द, ५१-संभव, ५२-समाहित और ५३-हेतु।

इनमें कतिपय अलंकारों का पण्डितराज ने अपने रसगंगाधर में सयुक्तिक पुनःस्थापन किया है।

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ कविराज ६ शब्दालंकार और ७२ अर्थालङ्कार—कुल ७८ अलङ्कार मानते हैं। इसी तरह भामह, रुद्रट, वामन, आदि आलङ्कारिकों का भी अलंकार-संख्या-विषयक मत समान नहीं है।

अलङ्कारों की संख्या के विषय में दृष्टिगोचर होनेवाला यह मतभेद कोई आश्चर्य में डालनेवाली बात नहीं है क्योंकि उक्ति की विचित्रता ही अलङ्काररूप में परिणत होती है और उक्तिवैचित्र्य की कोई इयत्ता नहीं है—वह अनन्त है—'अनन्ता वाङ्मयस्यास्य गेयस्येव विचित्रता' यह सिद्धान्त बहुत ही प्राचीन है। अतः जिस आचार्य को जितने प्रकार के उक्ति-वैचित्र्य प्रतिभासित हुए उसने उतने प्रकार के अलङ्कारों की कल्पना कर ली।

अब तक जितने प्रकार के अलङ्कारों की कल्पना की जा चुकी है, भविष्य में उनसे और अधिक प्रकार के अलंकारों की कल्पना की जा सकती है।

अलङ्कार की सामान्य परिभाषा

'काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलङ्कारान् प्रचक्षते' (काव्यादर्श)

इस परिभाषा के द्वारा आचार्य दण्डी को सभी काव्यतत्त्वों का संग्रह अभीष्ट है जो काव्य में चमत्कारोत्पादक हैं। इस तरह उनके हिसाब से प्रसाद, माधुर्य आदि गुण ही नहीं, प्रत्युत नाट्य के शोभाविधायक अङ्ग—सन्धि, सन्ध्यङ्ग, वृत्ति आदि भी अलङ्कार शब्द के अर्थ हैं। उन्होंने

स्पष्ट रूप में लिखा है कि 'शास्त्रान्तर में जो तत्त्व सन्ध्यङ्ग, वृत्यङ्ग, लक्षण आदि पदों से अभिहित हुए हैं वे सभी मुझे अलङ्काररूप से ही इष्ट हैं'।

इस व्यापकता को हटाने के लिये कतिपय आचार्यों ने कहा—

'काव्यशोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः'।

अर्थात् काव्य में शोभा उत्पन्न करनेवाले तत्त्व गुण हैं और गुण के द्वारा उत्पन्न शोभा को अतिशयित करनेवाले तत्त्व अलङ्कार हैं।

पर इन उल्लेखों से वस्तुस्थिति सर्वथा स्पष्ट हुई नहीं, अतः भिन्न-भिन्न आलङ्कारिकों के फुटकर उल्लेखों के आधार पर प्रस्तुत अलंकारतत्त्व की कुछ और छान-बीन करना आवश्यक है।

आनन्दवर्धन ने अलङ्कार की मूल भावना का निर्देश इन शब्दों में किया है—**'अलङ्कारो हि चारुत्वहेतुः प्रसिद्धः**—अर्थात् अलङ्कार काव्य में चारुता के कारणरूप से प्रसिद्ध तत्त्व है।' अभिनव गुप्त ने अलंकार को सदा ही विच्छित्ति-प्रकार स्वीकार किया है। कुन्तक ने अलङ्कार-स्वरूप में दो बातों पर विशेष जोर दिया है—वैचित्र्य और कविप्रतिभानिर्वर्तितत्व। यद्यपि ये दोनों लक्षणा काव्य की ही मूल कल्पना के साथ सम्बद्ध हैं, तथापि अलंकार में भी इनका अस्तित्व अवश्य रहता है।

अलंकार को विचित्र और चारुत्वसम्पन्न होना ही चाहिए और इसके लिये आवश्यक है कि वह कवि की प्रतिमा के द्वारा प्रस्तुत किया जाय। इसीलिये भिन्न आलङ्कारिकों ने अपने ग्रन्थों में अलङ्कार के प्रसङ्ग में विच्छित्ति, चारु, सुन्दर आदि विशेषणों का प्रयोग किया है। अतः यह सिद्ध हुआ कि विच्छित्तिविशेष का सामान्य अभिधान अलङ्कार है—**'वैचित्र्यमलङ्कारः।'** कुन्तक की इस अलङ्कारत्वमीमांसा का प्रभाव अवान्तरकालीन आलंकारिकों पर विशेषरूप से पड़ा है। मम्मट भी अलङ्कार को वैचित्र्यरूप ही मानते हैं। वही अलङ्कार काव्य का शोभाधायक हो सकता है जो विचित्रता या रुचिरता उत्पन्न करे। वे अलङ्कार के साथ रसजन्य चमत्कार के भी पक्षपाती हैं, परन्तु रस के अभाव में अलङ्कार के ही कारण उक्ति की विचित्रता में किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता। मम्मट की स्पष्ट उक्ति है—**'यत्र तु नास्ति रसः तत्र उक्तिवैचित्र्यमात्र-पर्यवसायिनः।**

'हेतु' को अलंकार की श्रेणी में स्थान न देने का कारण मम्मट ने स्पष्टतः वैचित्र्य का अभाव कहा है—**'वैचित्र्याभावात्तु हेतुर्नालङ्कारः।'** रुय्यक भी इस विषय में कुन्तक से प्रभावित हैं। वे भी अलङ्कार को कविप्रतिभोत्थित मानते हैं। संदेहालङ्कार के विषय में उनका कहना है—**'कविप्रतिभोत्थितं संदेहे संदेहालङ्कारः।'** 'भ्रान्ति' अलङ्कार के विषय में भी कविप्रतिभोत्थित भ्रान्ति को ही उन्होंने अलङ्कार कहा है।

इन विवेचनों से कुन्तक की दृष्टि में अलंकार का सामान्य स्वरूप होगा—**'कविप्रतिभोत्थितः विच्छित्तिविशेषः अलंकारः'** अर्थात्—कवि की प्रतिमा से उत्थापित विच्छित्ति-विशेष चमत्कार का एक प्रकार ही अलंकार है। पर यह परिभाषा भी व्यापक हो जाती है और काव्यत्व-नियामक सभी तत्त्वों को अपने अन्दर समेट लेती है, अतः यदि उक्त परिभाषा में कथित 'प्रतिभोत्थित विच्छित्तिविशेष का संबन्ध शब्द अथवा अर्थ के साथ जोड़ दें, अर्थात् यह कहें कि 'शब्द अथवा अर्थ

---

१. 'यच्च सन्ध्यङ्ग-वृत्त्यङ्ग-लक्षणाद्यागमान्तरे।
व्यावर्णितमिदं चेष्टमलङ्कारतयैव नः॥' (काव्यादर्श)

में रहने वाले कविप्रतिभोत्थित विच्छित्ति-विशेष, का नाम अलंकार है' तो अलंकार की सही-सही सामान्य परिभाषा बन जाती है ।

> 'शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः ।
> रसादीनुपकुर्वन्तो तेऽलंकारा अङ्गदादिवत् ॥'

अर्थात् शब्द-अर्थ के अनियत शोभातिशायी और रस आदि के उपकारक धर्मों का नाम अलंकार है। यह नाम लौकिक अङ्गद आदि अलंकारों की समता के कारण प्रचलित है। इस परिभाषा में दो विशेषणों पर ध्यान देना है—एक 'अस्थिराः' और दूसरा 'रसादीनुप-कुर्वन्तः'। इनमें से प्रथम विशेषण गुणों को अलंकार-श्रेणी से पृथक् करने के लिये कहा गया है। गुणों में भी सभी अन्य अलंकारत्व-नियामक तत्त्व विद्यमान रहते हैं, पर वे काव्य के स्थिर (नियत) धर्म हैं और अलंकार हैं अस्थिर (अनियत)। दूसरा विशेषण अलंकार के कर्तव्य की ओर इङ्गित करता है, अर्थात् काव्यवाक्य के मुख्य अर्थ को उपकृत करना—पुष्ट बनाना ही अलंकारों का कर्तव्य है, उस कर्तव्य से विमुख तत्त्व अलंकार पद से अभिहित हो ही नहीं सकते।

यहाँ पण्डितराज अलंकार निरूपण के आरम्भ में अवतरणरूप से लिखते हैं कि—'अथास्य प्रागभिहितलक्षणस्य काव्यात्मनो व्यङ्ग्यस्य रमणीयताप्रयोजका अलंकारा निरूप्यन्ते।' इस अवतरणग्रन्थ में 'रसादेः' न लिख कर 'व्यङ्ग्यस्य' जो लिखा गया है उससे पण्डितराज का यह अभिमत निकाला जाता है कि—'पण्डितराज त्रिविधि (वस्तु, अलङ्कार तथा रसादि) व्यङ्ग्यों को काव्यात्मा मानते हैं।' किन्तु उपमानिरूपण प्रकरण में एक स्थल पर पण्डितराज लिखते हैं—'इयं चैवंभेदोपमा वस्त्वलंकाररसरूपाणां प्रधानव्यङ्ग्यानाम् वस्त्वलङ्कारयोश्चोपस्कारक-तया पञ्चधा।' प्रसङ्गवश पहले भी यह पङ्क्ति टिप्पणी में उद्धृत की जा चुकी है। इसका अर्थ है—'उपमा पाँच प्रकार की होती है क्योंकि वह (उपमा) कहीं वस्तुरूप प्रधानव्यङ्ग्य को, कहीं अलंकाररूप प्रधानव्यङ्ग्य को, कहीं रसादिरूप प्रधानव्यङ्ग्य को—इस तरह त्रिविध व्यङ्ग्य को—और कहीं प्रधान वाच्यवस्तु को तथा कहीं प्रधानवाच्य अलंकार को अलंकृत करती है।' इस उल्लेख से तो पण्डितराज की काव्यात्मत्वविषयक धारणा कुछ भिन्न ही प्रतीत होती है, क्योंकि यह निश्चित है कि जिस तत्त्व को जो काव्यात्मा माना है वह उसी तत्त्व को अलंकार्य बतलाता है। इस हिसाब से यदि पण्डितराज त्रिविध व्यङ्ग्य मात्र को काव्यात्मा मानते होते तब वाच्यवस्तु (अलंकार) को अलंकार्य (उपस्कार्य) नहीं कहते। ऐसा लगता है कि पण्डितराज सभी प्रकार के रमणीय अर्थों को काव्यात्मा मानने वाले हैं। इस धारणा की पुष्टि पण्डितराज की अन्य उक्ति से भी होती है। उपमालक्षण में सादृश्य का विशेषण 'वाक्यार्थोपस्कारकम्' कहा गया है, 'व्यङ्ग्यार्थोपस्कारकम्' नहीं। इससे स्पष्ट है कि पण्डितराज केवल रमणीय वाच्यार्थ के रहने पर भी अर्थात् रमणीय व्यङ्ग्य अर्थ के नहीं रहने पर भी, वाक्य को काव्य मानते हैं। विचार करने की बात है कि—काव्यात्मभूत तत्त्व के अभाव में भी क्या काव्यत्व माना जा सकता है? नहीं। अतः माना जाता है कि पण्डितराज आलंकारिक जगत् में ध्वनिवादी होते हुए भी रमणीयतावादी हैं।

उक्त अवतरण के बाद उपमानिरूपण से अलंकारनिरूपण प्रकरण आरब्ध होता है। अलंकार-सामान्य की परिभाषा—जो विशेषविषयक जिज्ञासा के प्रति सामान्य ज्ञान को कारण मानने वालों के मत से आवश्यक समझी जाती है—नहीं दी गई है।

यद्यपि नागेश ने उक्त अवतरणग्रन्थ में ही अलंकारसामान्यलक्षण, खोज निकाला है। अर्थात्

नागेश की दृष्टि में उक्त अवतरण का 'व्यङ्ग्यस्य रमणीयताप्रयोजकाः' यह अंश अलंकारसामान्य का लक्षण है। फलतः नागेश के कथनानुसार पण्डितराज का अलंकारसामान्यलक्षण हुआ व्यङ्ग्य-रमणीयताप्रयोजककाव्यधर्मत्व'। पर यह संगत नहीं जान पड़ता, क्योंकि ऊपर दिखलाया जा चुका है कि पण्डितराज अलंकार को केवल व्यङ्ग्य अर्थ की रमणीयता का प्रयोजक नहीं मानते हैं। वस्तुतः स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने पर भी पण्डितराज के मत से अलंकारसामान्य का लक्षण—'कविप्रतिभानिर्वर्तितमुख्यवाक्यार्थोपस्कारकसुन्दरशब्दार्थधर्मत्व' समझा जा सकता है, क्योंकि स्मरणालंकारनिरूपण में एक जगह पण्डितराज ने लिखा है—'प्रधानव्यङ्ग्यव्यावृत्त्यर्थं पुनरुपस्कारकत्वं सर्वेषु अलंकारलक्षणेषु देयम्', ससंदेहालंकारगत रमणीय विशेषण की व्याख्या—'चमत्कारिणीत्यर्थः' इन शब्दों में करके कहा 'एतच्च विशेषणं सामान्यालंकार-लक्षणप्राप्तमेव। एवमुपस्कारकत्वमपि बोध्यम्'। इसी तरह भ्रान्तिमान् अलंकार के लक्षण का विवरण करते हुए कहा है—'चमत्कारीति। कविप्रतिभानिर्वर्तित इत्यर्थः।' इन लक्षणों से उक्त अलंकारसामान्यलक्षण ही फलित होता है, जो बहुत कुछ पूर्वोक्त कुन्तक के विचार से प्रभावित है।

रसगंगाधर ग्रन्थ में निम्न ७० अलंकारों का निरूपण किया गया है—

१. उपमा, २. उपमेयोपमा, ३. अनन्वय, ४. असम, ५. उदाहरण, ६. स्मरण, ७. रूपक, ८. परिणाम, ९. ससन्देह, १०. भ्रान्तिमान् , ११. उल्लेख, १२. अपह्नुति, १३. उत्प्रेक्षा, १४. अतिशयोक्ति. १५. तुल्ययोगिता, १६. दीपक, १७. प्रतिवस्तूपमा, १८. दृष्टान्त, १९. निदर्शना, २०. व्यतिरेक, २१. सहोक्ति, २२. विनोक्ति, २३. समासोक्ति, २४. परिकर, २५. श्लेष, २६. अप्रस्तुतप्रशंसा, २७. पर्यायोक्ति. २८. व्याजस्तुति, २९. आक्षेप, ३०. विरोध, ३१. विभावना, ३२. विशेषोक्ति, ३३. असंगति, ३४ विषम, ३५. सम, ३६. विचित्र, ३७. अधिक, ३८. अन्योन्य, ३९. विशेष, ४०. व्याघात, ४१. कारणमाला, ४२. एकावली, ४३. सार, ४४. काव्यलिङ्ग, ४५. अर्थान्तरन्यास, ४६. अनुमान, ४७. यथासंख्य, ४८. पर्याय, ४९. परिवृत्ति, ५०. परिसंख्या, ५१. अर्थापत्ति, ५२. विकल्प, ५३. समुच्चय, ५४. समाधि, ५५. प्रत्यनीक, ५६. प्रतीप, ५७. प्रौढोक्ति, ५८. ललित, ५९. प्रहर्षण, ६०. विषादन, ६१. उल्लास, ६२. अवज्ञा, ६३. अनुज्ञा, ६४. तिरस्कार, ६५. लेश, ६६. तद्गुण, ६७. अतद्गुण, ६८. मीलित ६९. सामान्य और ७०. उत्तर। यहाँ अन्तिम उत्तरालंकारनिरूपण में ही अकस्मात् ग्रन्थ खण्डित होकर समाप्त हो गया है। इस प्रकार समाप्ति होने के दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो लिखते समय ही लेखक की अकस्मात् मृत्यु हो जाना और दूसरा किसी कारणवश अग्रिम अंश का पण्डितराज-लिखित मूल प्रति से नष्ट हो जाना। जो भी हो, इस स्थिति में आज यद्यपि पण्डितराजाभिमत अलंकारों की संख्या बतलाना असंभव है तथापि इतना निश्चित है कि पण्डितराज अलंकार-निरूपण में चन्द्रालोकीय अर्थालंकारानुक्रमणिका से ही आधार मानकर चले हैं, क्योंकि उक्त सत्तर अलंकारों में केवल उदाहरण, सार, अनुमान और तिरस्कार ये चार ही अलंकार ऐसे हैं जो चन्द्रालोकीय अर्थालंकारानुक्रमणिका से बहिर्भूत हैं। चन्द्रालोककार पीयूषवर्ष जयदेव ने अपनी अनुक्रमणिका में सौ अलंकारों का निर्देश किया है। जिसमें उत्तरालंकारपर्यन्त अलंकारों में से आवृत्ति, दीपक, परिकराङ्कुर, प्रस्तुताङ्कुर, व्याजनिन्दन, असंभव, अल्प, मालादीपक, साधक, कारकदीपक, विकस्वर, संभावन, मिथ्याध्यवसिति, रत्नावली, पूर्वरूप, उन्मीलित और निमीलित इन सोलह अलंकारों की चर्चा पण्डितराज ने स्वतन्त्र अलंकार के रूप में न करके अन्य अलंकारों में ही उनका अन्तर्भाव दिखलाया है। फलतः उत्तर के आगे चन्द्रलोकगत सूक्ष्मपिहित,

व्याजोक्ति, गूढ़ोक्ति, विवृतोक्ति, युक्ति, स्तोकोक्ति, छेकोक्ति, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक, उदात्त, अत्युक्ति, निरुक्ति, प्रतिषेध, विधि और हेतु ये सोलह अलंकार बच जाते हैं। इन सोलहों के संबन्ध में पण्डितराज क्या लिखते, इन्हें स्वतन्त्र अलंकार मानते अथवा नहीं, यह आज नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि पण्डितराजाभिमत अलंकारों की संख्या भी प्रायः सौ के लगभग ही होती।

(१) उपमा

आरम्भ में अति उपयुक्त उपमा-लक्षण कहा गया है। तदनन्तर लक्षण में निविष्ट पदों के फल स्पष्ट किए गए हैं। इसके बाद कल्पितोपमा—जिसमें उपमान कल्पित पदार्थ रहता है, अतः जिसे प्राचीन आलंकारिक अलंकारान्तर की संज्ञा प्रदान करते हैं—को उपमा के अन्दर सयुक्तिक संगृहीत किया गया है। इसके अनन्तर साधारणधर्म के विषय में विचार करते हुए 'बिम्बप्रतिबिम्बभाव' तथा 'वस्तुप्रतिवस्तुभाव' का इतना सुन्दर उदाहरण उपस्थित किया गया है जैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। इसके बाद एक सुन्दर उदाहरण उपस्थित किया गया है। इसके अनन्तर प्राचीन आचार्यों के द्वारा रचित उपमालक्षणों की अलोचना की गई है जिसमें अप्पयदीक्षित, विद्यानाथ, मम्मट, अलंकारसर्वस्वकार, अलंकाररत्नाकरकार आदि के लक्षणों का सयुक्तिक खण्डन किया गया है। इसके अनन्तर प्राचीनोक्त पच्चीस भेदों को गिनाकर उनके उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद 'इहान्यानपि भेदानन्ये निगदन्ति'–से आरम्भ करके कतिपय प्राचीनमतसिद्ध अन्य भेदों की चर्चा की गई है और उनमें से कुछ का खण्डन किया गया है। इस प्रसङ्ग में यत्र-तत्र अप्पयदीक्षित के मत का भी खण्डन किया गया है। इसके बाद उपस्कार्यभेद से उपमा के पाँच भेद करके उनके उदाहरण दिए गए हैं। इसी प्रसङ्ग में अलंकार से अलंकार भी उपस्कार्य कैसे हो सकता है इस बात की सुन्दर मीमांसा की गई है जो अन्यत्र अप्राप्य ही है। इस तरह पच्चीस भेद मानने वाले प्राचीनों के मत से प्रत्येक के पञ्चविध हो जाने से एक सौ पच्चीस और बत्तीस भेद मानने वाले प्राचीनों के मत में एक सौ साठ भेद हो सकते हैं यह बात कही है। इसके बाद पण्डितराजने अपनी प्रतिभा के बल से और बहुत भेदों की उद्भावना की है। साधारण-धर्म के अनुगामी, केवल, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न, उभय, वस्तुप्रतिवस्तुभावकरम्बित बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न, उपचरित और केवल शब्दात्मक भेद मानकर उपमा के भेद किए गए हैं और सभी भेदों के सटीक उदाहरण भी उपस्थित किए गए हैं। इसके बाद भी 'प्रकारान्तरं च सुधीभिः स्वयमुन्नेतुं शक्यम्' कह कर एक विलक्षण भेद और दिखलाया गया है जिसमें उपमा को ही उपमा का साधारणधर्म सिद्ध किया गया है। उदाहरण भी इस भेद का देखने योग्य दिया गया[1] है। अन्त में भेदों के सम्बन्ध में 'इयमेवंभेदा प्राचीनैर्भेदैर्गुणने वागगोचरं भूमानं भजमाना नेयत्तामर्हति' लिख कर ही ग्रन्थकार ने सन्तोष किया है। इसके बाद शाब्दबोध का विचार विशद रूप से किया गया है जो अलंकारशास्त्र को न्याय आदि शास्त्रों के समान प्रौढ़ि प्रदान करता है। अन्ततः यह निश्चित है कि उपमा का जैसा मर्मस्पर्शी तथा विशद विचार इस ग्रन्थ में हुआ है वैसा किसी अन्य ग्रन्थ में नहीं हुआ है।

---

१. 'यथा लतायाः स्तवकानतायाः स्तनावनम्रे नितरां समासि।
तथा लता पल्लविनी सगर्वे शोणाधरायाः सदृशी तवापि॥'

(२) उपमेयोपमा

उपमेयोपमा को यद्यपि पण्डितराज उपमा का ही प्रभेद मानते हैं,[१] तथापि इसका निरूपण उन्होंने स्वतन्त्र अलंकार के रूप में किया है और लक्षण, उदाहरण आदि सब कुछ अलग लिखे हैं। उनका उल्लेख है कि इसके भी उपमा की तरह अनन्त भेद हो सकते हैं[२]। उपमेयोपमा-निरूपण में भी अप्पयदीक्षित, अलंकारसर्वस्वकार तथा विमर्शिनीकार के मतों का खण्डन किया गया है।

(३) अनन्वय

अनन्वय-निरूपण में लक्षण, उदाहरण तथा प्रत्युदाहरण दिखलाने के बाद भेदकथन है। उपमा के समान अनन्वय का भी पहले पूर्णलुप्त भेद माना गया है, फिर पूर्णभेद के पूर्णोपमा की तरह छै भेद हो सकने की बात कही गई है। लुप्तभेद में धर्मलुप्त के पुनः पाँच भेद मान कर वाचकलुप्त भेद भी दिखलाया गया है। धर्मवाचकोभयलुप्तभेद भी स्वीकृत हुआ है। असुन्दर होने के कारण इसके उपमानलुप्तादि भेद नहीं हो सकते इस कथन से भेदविवरण समाप्त किया गया है। इसके बाद रत्नाकर के त्रिविध अनन्वयलक्षण तथा उदाहरणों का उल्लेख करके खण्डन किया गया है और अलंकारसर्वस्वकार तथा अप्पयदीक्षित की उक्तियों का भी खण्डन किया गया है।

(४) असम

अलंकार-संसार में अल्प-मत-समर्थित 'असम' अलंकार को मान कर अलंकार का निरूपण करते समय लक्षणोल्लेख के बाद सर्वप्रथम पण्डितराज कहते हैं कि 'यद्यपि असम-पदार्थ अनन्वय में नियमतः व्यङ्ग्य होता है, तथापि वहां वह अलंकार पदव्यवहार्य होने योग्य नहीं होता, क्योंकि वहाँ वह अनन्वय के चमत्कार का ही पोषक रहता है, इसीलिये रूपक-दीपक आदि में नियमतः अभिव्यक्त होने पर भी उपमा अलंकारपद से व्यवहृत नहीं होती। जहाँ 'असम' वाच्य रहता है वहाँ वह स्वतन्त्र चमत्कार का उत्पादक होता है, और तब उसको स्वतन्त्र अलंकार भी मानना ही चाहिए।' रत्नाकर के मत का खण्डन यहाँ भी हुआ है। यह शङ्का भी की गयी है कि— 'असमालंकार' ध्वनन से ही चमत्कार उत्पन्न होता है ऐसा मानकर 'अनन्वय' का अस्वीकार क्यों नहीं कर दिया जाय? उत्तर में कहा गया है कि उपमा ध्वनन से कृतार्थता मान कर दीपकादि का भी अपलाप क्यों नहीं कर देते? इत्यादि। अन्त में यह भी कह दिया गया है कि प्राचीन इस अलङ्कार को नहीं मानते।

(५) उदाहरण

यह अलंकार भी अलंकारजगत के आचार्यों का बहुमत नहीं प्राप्त कर सका है। पर पण्डितराज का समर्थन इसे प्राप्त है। 'सामान्य-विशेष का वाच्य अवयवावयविभाव' इसका संक्षिप्त

---

१. 'मुखमिव चन्द्र इति प्रतीपे, चन्द्र इव मुखं मुखमिव चन्द्र इत्युपमेयोपमायां च साद्दश्यस्य चमत्कारित्वान्नातिप्रसङ्गः शङ्कनीयः तयोः संग्राह्यत्वात्।' (उपमानिरूपणे)

'अथास्या एव भेद उपमेयोपमा निरूप्यते—' (उपमेयोपमानिरूपणस्यावतरणग्रन्थः)

२. 'एवं पूर्णालुप्तादयोऽप्यस्याः (उपमेयोपमायाः) उपमाया इव प्रायशः सर्वेऽपि भेदाः सम्भवन्ति।'

स्वरूप है। इव, यथा, निदर्शन, दृष्टान्त आदि शब्दों को इस अलंकार का बोधक माना गया है। इव और यथा शब्द सादृश्य-वाचक हैं, सामान्यविशेषभाव के बोधक ये कैसे हो सकते हैं इस शंका के समाधान में कहा गया है कि—अभिधावृत्तिद्वारा भले ही इव और यथा पद सामान्य-विशेषभाव के बोधक नहीं हों, पर लक्षणावृत्ति द्वारा तो हो ही सकते हैं। अन्यथा उत्प्रेक्षा-बोधक भी ये पद नहीं हो सकेंगे। 'अनन्तरत्नप्रभवस्य'—इस कालिदासीय प्रसिद्ध पद्य में पण्डितराज यही (उदाहरण) अलंकार मानते हैं। 'अर्थान्तरन्यास' से इसमें वैलक्षण्य यह माना गया है कि—इसमें अवयवावयविभावबोधक इवादि पद प्रयुक्त होते हैं और सामान्य विशेष दोनों अर्थों का अन्वय एक ही विधेय (क्रिया) के साथ होता है, अर्थान्तरन्यास में ये दोनों बातें नहीं होतीं। सामान्य-विशेषात्मक दो पदार्थों में सादृश्य उल्लसित ही नहीं हो सकता, अतः उपमा में भी इसकी गतार्थता संभव नहीं। अन्त में यह भी कह दिया गया है कि प्राचीन इस अलंकार को उपमा में ही गतार्थ मानते हैं और 'सामान्य' विशेष से अतिरिक्त नहीं होता—अतः सादृश्योल्लास की व्यवस्था दे देते हैं ?

(६) स्मरण

पण्डितराजकृत स्मरणालंकार के लक्षण में बहुत कुछ नवीनता है। अलंकारसर्वस्व, रत्नाकर आदि में 'सदृशपदार्थानुभवजन्य स्मृति' को स्मरणालंकार माना गया है। अन्यत्र भी स्मरण-पदार्थ का स्वरूप अनुभवजन्यत्वघटित ही प्रायः माना गया है। पर पण्डितराज का कथन है कि—यदि सदृशानुभवजन्य स्मरण को ही अलंकार माना जाय तब जहाँ सदृशपदार्थ के स्मरण से संस्कारोद्बोधक्रमेण स्मरण उत्पन्न होता है वहाँ स्मरणालंकार नहीं हो सकेगा। उदाहरण भी वैसा (स्मरणप्रयोज्य स्मरण का) सुन्दरतम उपस्थित किया गया है। अतः पण्डितराज ने 'सादृश्यज्ञान से उद्बुद्ध जो संस्कार उससे साक्षात् अथवा परम्परया सम्पन्न होनेवाले स्मरण' को स्मरणालङ्कार माना है। यह लक्षण उक्त सभी स्मरणों में संघटित होता है।

(७) रूपक

पण्डितराजकृत रूपक-विचार भी अतलस्पर्शी और विशद है। लक्षण ही पहले विलक्षण है। विलक्षणता नवीनपदार्थ-निर्वचनांश में नहीं है, अपितु परम्परागत रूपकपदार्थ के स्फुटीकरणांश में है। परमत की समीक्षा भी सुन्दर ढङ्ग से की गई है। रत्नाकर ने उपमान-उपमेय के अभेद की तरह कार्य-कारण के अभेद को भी रूपक माना है, पर पण्डितराज ने उसका सयुक्तिक खण्डन करके सादृश्यमूलक—फलतः उपमानोपमेय के—तादात्म्य को ही रूपक कहे जाने का प्रमाण-पत्र दिया है। अप्पयदीक्षित का खण्डन करना तो पण्डितराज के आवश्यक कर्तव्यों में था अतः उस कर्तव्य की पूर्ति रूपकनिरूपण में भी खूब की गई है। रूपक के प्रभेदों के विषय में भी पण्डितराज ने अपनी मौलिक प्रतिभा का चमत्कार परिपूर्ण मात्रा में दिखलाया है।

आरम्भ में प्रकाशकारादिसम्मत आठ भेदों की साङ्गोपाङ्ग चर्चा की गई है। इसी प्रसङ्ग में परम्परितरूपकत्वनियामक आरोपद्वय का उपायोपेयभाव कैसे संभव है ? 'शशिपुण्डरीक' आदि में पुण्डरीकरूपक का व्यवहार कैसे होता है क्योंकि पुण्डरीक-तादात्म्य की प्रतीति नहीं होती, प्रतीति होती है शशितादात्म्य की, तदनुसार शशिरूपक का व्यवहार होना चाहिए, इत्यादि शङ्काओं का विलक्षण समाधान उपस्थित किया गया है जो सर्वथा नवीन प्रतीत होता है। तदनन्तर पण्डितराज ने अपनी नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि से अनेक नवीन भेदों की कल्पना की है, जिसमें वाक्यार्थरूपक की कल्पना सर्वथा नवीन ज्ञात होती है। इसी अवसर पर 'रूपक में विम्ब-प्रति-

बिम्बभाव नहीं होता' इस प्राचीन मत का प्रबल युक्तियों के आधार पर खण्डन किया गया है। अन्त में नव्यन्याय की शैली से शाब्दबोध का विचार करके अलङ्कारशास्त्रीय आलोचना-पद्धति को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया गया है।

(८) परिणाम

'उपमान जहाँ उपमेयरूप से ही प्रकृत कार्य में उपयुक्त होता हो, स्वतन्त्रतया नहीं, वहाँ परिणाम होता है' यह लक्षण पहले किया गया है। फिर 'परिणाम में विषय का अभेद विषयी में उपयोगी सिद्ध होता है, रूपक में ऐसा नहीं होता' यह परिणाम तथा रूपक में परस्पर भेद बतलाया गया है। इसके बाद समानाधिकरण परिणाम के वाक्यगत समासगत दो भेद और व्यधिकरण परिणाम का एक भेद इस तरह कुल तीन भेद करके उन भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किये गए हैं और दीक्षितोक्त व्यधिकरण परिणामोदाहरण का खण्डन किया गया है, सर्वस्वकारकृत लक्षण उदाहरण दोनों का सयुक्तिक खण्डन किया गया है और 'केचित्तु' कह कर उन प्राचीनों का मत उपस्थित किया गया है जो परिणाम को रूपक से भिन्न अलंकार नहीं मानते और कहते हैं कि—कहीं केवल उपमेय अपने रूप में प्रकृतकार्य में उपयुक्त नहीं सिद्ध होता, अतः आरोप्यमाग (उपमान) से अभिन्न रूप में स्थित होकर उपयुक्त होता है ऐसी जगह आरोप्यमाण परिणाम होता है। कहीं आरोप्यमाण (उपमान) अपने रूप से उपयुक्त न हो सकने के कारण उपमेय से अभिन्न होकर उपयोग (लाभ) करता है वहाँ विषयपरिणाम होता है, पर वस्तुतः ये दोनों ही प्रकार रूपक के ही हैं, क्योंकि उपमेयतावच्छेदक तथा उपमानतावच्छेदक में से किसी एक को आगे रख कर निश्चित किया जाने वाला उपमान अथवा उपमेय ही रूपक का स्वरूप है। अन्त में परिणामवाक्य के शाब्दवोध का विचार किया गया है।

(९) ससन्देह

वैसे तो अलङ्कार आदि सभी काव्यतत्त्वों के निरूपण में पण्डितराज ने अपनी विलक्षण विद्वत्ता का परिचय दिया है, पर ससन्देहालङ्कार के निरूपण में तो आपकी प्रतिभा दर्शनीय है। विलक्षण लक्षण, पवित्र पदकृत्य-कथन-प्रणाली, उदाहरणों की अनुपम अनुरूपता। कहाँ तक कहा जाय। अस्तु, एक लक्षण लिख लेने के बाद 'यद्वा' कहकर दूसरा भी लक्षण किया गया है। लक्षण के बाद पहले प्राचीनों के हिसाब से शुद्ध, निश्चयगर्भ और निश्चयान्त इन तीन भेदों का उल्लेख करके उन भेदों के उदाहरण दिए गये हैं। उन उदाहरणों में वर्णित संशय में पिटारी में बन्द कटक-कुण्डलादि की तरह अलङ्कार-व्यवहार माना गया है, अर्थात् स्वयं-प्रधान वाक्यार्थरूप वे संशय उपस्कारकता के अभाव से केवल स्वरूपयोग्यता के कारण अलङ्कारपद से व्यवहृत होते हैं। सादृश्यमूलक संशय ही अलंकाररूप होता है, इस सिद्धान्त के समर्थन में प्रत्युदाहरणरूप से विचित्र हृदयग्राही तत्कालरचित वाक्य उपस्थित किया गया है। 'अद्भुत धैर्य, वीर्य और गाम्भीर्य से युक्त तथा एक क्षण के लिये भी प्राणप्रिया सीता को समीप से हटाने में अक्षम भगवान् रामचन्द्र को जो पहले देख चुका था, वह उनको दीन तथा प्रियाविरहकातर देखकर 'यह राम हैं अथवा नहीं' इस संशय में पड़ गया।' भाव माधुर्य तो इस व्याख्या से परख में आ गया, अब पदमाधुरी भी देखें—

'तं दृष्टवान् प्रथममद्भुतधैर्यवीर्य-गाम्भीर्यमक्षणविमुक्तसमीपजानिम् ।
वीक्ष्याथ दीनमबलाविरहव्यथार्तं रामो न वायमिति संशयमाप लोकः ॥' (पृ० ५६४)

कैसी सीधी-सादी पर कितना गहरा असर डालने वाली भाषा है। 'अबला' पद की ध्वनि कितनी मार्मिक है। अपने लिये भगवान् राम को उतना दुःख नहीं, जितना उस 'अबला' के लिए है। सन्देहालङ्कार आरोपमूलक होता है, पर विमर्शिनीकार उसको अध्यवसानमूलक भी मानते हैं, उदाहरण भी यथासाध्य उपयुक्त उपस्थित करते हैं। किन्तु पण्डितराज की कसौटी पर कसे जाने के बाद वह उदाहरण भी आरोपमूलक ही ठहरता है। संशयालङ्कार-निरूपण में अनेक बार भिन्न-भिन्न प्रसङ्ग पर दीक्षितमत की आलोचना की गई है और सभी आलोचनाओं का निष्कर्ष दीक्षित के विरुद्ध ही निकला है। अभिनव भेद भी बहुतेरे किए गए हैं। ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन का स्मरण विशद रूप में अत्यादर के साथ यहाँ किया गया है।

(१०) भ्रान्तिमान्

लक्षण-कथन के बाद सर्वप्रथम यह कहा गया है कि अलङ्कार का नाम वस्तुतः भ्रान्ति है भ्रान्तिमान् नहीं, भ्रान्तिमान् तो वह वाक्सन्दर्भ कहला सकता है, जिसमें यत्किंचिद्गत भ्रान्ति का अनुवाद किया जाता है। इस अलङ्कार के मूल में भी सादृश्य का रहना पण्डितराज आवश्यक मानते हैं। भ्रमात्मक एक ही निश्चय को अलङ्कार सिद्ध करने के लिये पण्डितराज ने लक्षण में 'निश्चयः' ऐसा एकवचनान्त प्रयोग किया है ताकि भ्रान्तिसमूहात्मक उल्लेखालङ्कार में भ्रान्ति-लक्षण-प्राप्ति का निरास हो। दीक्षितोक्त लक्षण का खण्डन करते समय उनके द्वारा उत्तरोत्तर भ्रान्ति के उदाहरणरूप में उद्धृत निम्न पद्य की आलोचना की गई है—

> 'शिञ्जानैर्मञ्जरीति स्तनकलशयुगं चुम्बितं चञ्चरीकैः,
> तत्रासोल्लासलीलाः किसलयमनसा पाणयः कीरदष्टाः।
> तल्लोपायालपन्त्यः पिकनिनदधिया ताडिताः काकलोकै-
> रित्थं चोलेन्द्रसिंह त्वदरिमृगदृशां नाप्यरण्यं शरण्यम् ॥' (पृ. ५९७)

चोल-नरेश की यह स्तुति है। कवि कहता है – 'राजन्! तुम्हारे शत्रुओं की कामिनियों के लिये अरण्य भी शरण-दायक नहीं हो सका, क्योंकि चञ्चरीकों ने उनके स्तनकलशयुगल को मञ्जरी-भ्रम से चूम लिया, उनके भय से उल्लसित ललित लीलाओं वाले करों को कीरों ने किसलय-भ्रान्ति से काट खाया, और उनके वारणार्थ अनाप-शनाप बकती हुई उन कामिनियों को कौओं ने कोकिल-कलरव-भ्रम से ताड़ना दी।'

कितना अच्छा पद्य है। पण्डितराज की आलोचना के पूर्व प्रायः इस पद्य में किसी को कोई दोष नहीं दिखलाई पड़ा था—दीक्षित जैसे मर्मज्ञ विद्वान् ने अपने ग्रन्थ में इस पद्य को आदर के साथ स्थान दिया। पर पण्डितराजीय आलोचना के बाद वही पद्य दोष का आकर बन गया। पण्डितराज इस पद्य को उद्धृत करके प्रकृत निबन्ध में लिखते हैं—

"तत्र विचार्यते स्तनकलशयुगे हि न तावन्मञ्जरीसादृश्यं कविसमयसिद्धम्, येन तन्मूला चञ्चरीकाणां भ्रान्तिरुपनिबध्येत। दोषान्तरमूला तु सा नालङ्कारः। अपि च धर्मिणि कलशरूपकानुवादेन मञ्जरीभ्रान्तिरूपलङ्कारान्तरमुपनिबध्यमानमुद्वेजकमेव सहृदयानाम्। न हि सादृश्यमूलैकालङ्कारावच्छिन्ने सादृश्यमूलमलङ्कारान्तरं शोभते······। प्रत्युत कलशरूपकेण मञ्जरीसादृश्यतिरस्काराच्च। 'तत्रासोल्लासलीलाः किसलयमनसा पाणयः कीरदष्टाः' इत्यत्र विधेयाविमर्शाद्विधेयान्तरमाकाङ्क्षितम्। कीरैर्दष्टा इति तु साध्यम्। जाता इत्यध्याहारेऽपि विवक्षितस्याविधेयत्वमविवक्षितस्य च विधेयत्वं प्रसज्येत। एवं 'तल्लोपायालपन्त्यः पिकनिनदधिया ताडिताः काकलोकैः' इत्यत्र न तावत्पिकनिनदा-

स्ताडनयोग्याः काकानाम् येन तद्धिया आलपन्त्यस्तैस्ताड्येरन्। नापि पिकनिनदभ्रम आलपन्तीषु सम्भवति। सम्भवन् वा न सादृश्यमूलः। पिकनिकरधियेति तु भाव्यम्।... इत्यादि।" (पृ. ५९७)

अन्त में सर्वस्वकारकृत भ्रान्ति लक्षण को भी पण्डितराज ने कुलक्षण सिद्ध कर दिया है।

(११) उल्लेख

लक्षण (तदीय पदकृत्य) कथन के बाद शुद्ध (अलङ्कारान्तर से अमिश्रित) उल्लेख का एक उदाहरण दिया गया है। ईदृशोदाहरण-दान-प्रयास उन आलङ्कारिकों के मुखमुद्रणार्थ किया गया है जो उल्लेखालङ्कार को नियमतः अलङ्कारान्तर से मिश्रित ही मानते हैं। इसके बाद संकीर्ण भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इसी प्रसङ्ग में दीक्षितमत का खण्डन किया गया है। दीक्षितजी ने अपह्नुतिसंकीर्ण उल्लेख में अतिव्याप्तिनिराकरणार्थ उल्लेखलक्षण में 'निषेधास्पृष्ट' विशेषण जोड़ने की जो बात कही है उसका खण्डन पण्डितराज ने यह कह कर किया है कि यदि संकीर्ण उल्लेख आपको मान्य नहीं हो तब तो उक्त विशेषण से निर्वाह नहीं होगा क्योंकि भ्रान्ति आदि अन्य अलङ्कारों से संकीर्णतास्थल में अतिव्याप्ति रह ही जायगी। यदि उल्लेख के संकीर्णभेद भी आपके अभिमत हों तब उक्त विशेषण की आवश्यकता ही क्या है? अपह्नुतिसंकीर्ण उल्लेख मानने में भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्वरूपोल्लेख, फलोल्लेख आदि भेदों को मानकर उन भेदों के उदाहरण दिए गए हैं और एक भिन्न प्रकार के उल्लेख का लक्षण आदि प्रस्तुत किया गया है। अनन्तर द्विविध उल्लेखों में भेदक तत्त्वों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है कि एक प्रकार में ज्ञानांश चमत्कारी रहता है और द्वितीय प्रकार में केवल प्रकारांश। इसके बाद एकरूपेण दोनों लक्षणों का अनुगम करने का प्रयास किया गया है। अन्त में उल्लेखध्वनियाँ उदाहृत हुई हैं।

(१२) अपह्नुति

सर्वप्रथम लक्षण किया गया है। तदुत्तर रूपक से इसमें भेद दिखलाते हुए कहा गया है कि अपह्नुति में उपमेयतावच्छेदक का निषेध किया जाता है जिससे उपमेयतावच्छेदक तथा उपमानतावच्छेदक (उपमेय उपमान में रहने वाले खास खास धर्मों) का विरोध अभिव्यक्त होता है और रूपक में वह विरोध निवृत्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ उपमेयतावच्छेदक तथा उपमानतावच्छेदक का सामानाधिकरण्य रहता है। इसके बाद अपह्नुति के सावयव निरवयव आदि भेद उदाहरण द्वारा दिखलाये गए हैं। हेत्वपह्नुति भी उन्हीं उदाहरणों में कही गयी है। इसके अनन्तर यह स्पष्टीकरण किया गया है कि अपह्नुति में कहीं वाक्यभेद होता है और कहीं वाक्यैक्य। जहाँ नञ् आदि द्वारा साक्षात् अथवा परमतसिद्धता की चर्चा करके—अर्थात् दूसरे ऐसा कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, इस तरह से—उपमेय का निषेध होता है वहाँ वाक्यभेद हो जाता है, पर जहाँ मिष, छल आदि पदों द्वारा उपमेय का निषेध किया जाता है वहाँ वाक्य भेद नहीं होता। इसके बाद इस बात की चर्चा की गई है कि अपह्नुति में कहीं पहले निषेध होता है बाद में आरोप, कहीं पहले आरोप ही कर लिया जाता है फिर निषेध, कहीं निषेध और आरोप दोनों शब्दतः कथित होते हैं, कहीं इन दोनों में से कोई एक ही शब्दतः उक्त होता है और कहीं दोनों के दोनों अनुक्त रहकर भी अर्थतः ज्ञात होते हैं। कहीं अपह्नुति विधेय होती है और कहीं अनुवाद्य। इस तरह अनेक प्रकार अपह्नुति के हो सकते हैं, पर इनमें सभी प्रकारों को अलङ्कारकोटि में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि सर्वत्र वैचित्र्य नहीं उपलब्ध होता और वैचित्र्य ही

अलङ्कार है। अन्ततः सिद्ध यह हुआ कि जहाँ-जहाँ वैचित्र्य प्रतीत हो वहाँ-वहाँ अलङ्कारता मान्य होगी, अन्यत्र नहीं।

अपह्नुति-निरूपण में कुवलयानन्दकार दीक्षित के मत को बहुत विशद रूप में उद्धृत किया गया है और खण्डन भी उतने ही विस्तृत रूप में किया गया है, जिसका सारांश यह है कि दीक्षित के मत से अपह्नुति का एक पर्यस्तापह्नुति नाम का भी भेद होता है, जिसका उदाहरण 'नायं सुधांशुः किं तर्हि सुधांशुः प्रेयसीमुखम्' यह वाक्य है, पर पण्डितराज के विचार से यह भेद अपह्नुति का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ अपह्नुतिसामान्यलक्षण ही संघटित नहीं होता अतः उक्त वाक्य को दृढ़ारोप रूपक का ही उदाहरण मानना चाहिये। अपह्नुतिध्वनि के दीक्षितोक्त उदाहरण का भी खण्डन किया गया है।

(१३) उत्प्रेक्षा

प्रस्तुत निबन्ध में उत्प्रेक्षा-निरूपण भी अति विस्तृतरूप से किया गया है। प्रायः सभी आलङ्कारिक उत्प्रेक्षालङ्कार के मूलतः दो भेद मानते हैं, एक धर्म्युत्प्रेक्षा और दूसरा धर्मोत्प्रेक्षा। पर इसके आगे आलङ्कारिकों में दो मत हो जाते हैं अथवा यह समझिए कि पण्डितराज ही मतभेद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनसे पूर्व के अतिप्राचीन तथा मध्यकालीन आचार्य इस अंश में प्रायः एकमत ही थे। मतभेद का विषय यह है कि—प्राचीन एकधर्मी में दूसरे धर्मी की संभावना को धर्म्युत्प्रेक्षा कहते हैं और एक धर्म में दूसरे धर्म की संभावना को धर्मोत्प्रेक्षा, फलतः उनके विचार से दोनों ही स्थलों पर संबन्ध तादात्म्य ही होता है और पण्डितराज धर्म्युत्प्रेक्षाके संबन्ध में उक्त प्राचीनों के कथन से सहमत होते हुए भी धर्मोत्प्रेक्षा के संबन्ध में भिन्न मत रखते हैं। उनका कथन है कि धर्मोत्प्रेक्षा वहाँ होती है जहाँ एक धर्मी में अन्य धर्मिगत धर्म की संभावना की गई होती है। फलतः पण्डितराज के मत से दोनों स्थलों पर संबन्ध दो हो जाते हैं—अर्थात् प्रथमस्थल में ठीक तादात्म्यसंबन्ध होता है पर द्वितीय स्थल में तादात्म्य नहीं, अपितु तदितर समवायादि-संबन्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि पण्डितराज के मत में उत्प्रेक्षा का लक्षण दो प्रकार का होगा—एक तादात्म्यसंबन्धघटित-अर्थात् भेदघटित और दूसरा संबन्धान्तरघटित अर्थात् अत्यन्ताभावघटित। इन दोनों प्रकार के लक्षणों का उल्लेख पण्डितराज ने एक ही वाक्य द्वारा आरम्भ में किया है। लक्षण में प्रविष्ट पदों के फल बड़े सुन्दर ढङ्ग से दिखलाए गए हैं। इसके बाद उत्प्रेक्षा के प्रधान दो भेदों (वाच्य, प्रतीयमान) की व्यवस्था की गई है। प्राचीनों ने भी यह व्यवस्था ठीक इसी रूप में दी है। पर इन दोनों भेदों की स्थिति कब कैसे होती है इसका स्पष्टीकरण पण्डितराज जैसा प्राचीनों ने नहीं किया। पण्डितराज का स्पष्टीकरण इस विषय में यह है कि, इव, नूनम् , मन्ये, जाने, अवैमि, ऊहे तर्कयामि, शङ्के, उत्प्रेक्षे इत्यादि वाचक पद हों और उत्प्रेक्षा की सामग्री (रमणीय संभाव्यधर्म संबन्धादिरूप) भी, तब वाच्या, और उक्त वाचक पदों के अभाव में उक्त सामग्री के रहने पर प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा होती है।

जहाँ सामग्री के अभाव में केवल वाचक पद हों वहां सम्भावना मात्र है उत्प्रेक्षा नहीं—अर्थात् अलङ्काररूप नहीं। फिर स्वरूपोत्प्रेक्षा, हेतूत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा नाम से उक्त दोनों भेदों के तीन-तीन भेद किए गए हैं। प्राचीनों ने भी ये भेद किए हैं। पर प्राचीनों ने इन तीनों ही भेदों के और बहुत से भेद किए हैं। जैसे—जाति की जाति में, गुण की गुण में, क्रिया की क्रिया में और द्रव्य की द्रव्य में उत्प्रेक्षा, और वह भी कहीं जाति को निमित्त बनाकर, कहीं गुण को

निमित्त बनाकर, कहीं क्रिया को निमित्त मानकर और कहीं द्रव्य को निमित्त ठहरा कर. उसमें भी कहीं एक को निमित्त मानकर, कहीं अनेक को, इत्यादि। इन भेदों का वर्णन यद्यपि पण्डितराज ने भी साङ्गोपाङ्ग (उदाहरणादिसहित) किया है, पर अन्त में लिख दिया है कि प्राचीनों के अनुरोध से ये सब भेद उदाहृत हुए हैं। वस्तुतः इन सभी भेदों में अनुभूत होने वाले चमत्कारों में कोई परस्पर विलक्षणता अनुभूत नहीं होती, अतः ये सब भेद उदाहरणीय नहीं हैं। हाँ, हेतु, फल और स्वरूप की उत्प्रेक्षाओं में विलक्षण-विलक्षण चमत्कार अवश्य अनुभूत होता है, अतः वे भेद उदाहरण के योग्य हैं।

इसके बाद पूर्वोक्त प्राचीन-नवीन के मतभेदों की बात विशद रूप में कही गई है। इसी के मध्य में प्रसङ्गवश व्याकरणशास्त्रीय विवाद (आख्यात क्या है ? उसका अर्थ क्या है ? शाब्दबोध में प्रधानता किसकी होती है ? **'भावप्रधानमाख्यातम् , सत्त्वप्रधानानि नामानि'** इत्यादि वाक्यों के क्या तात्पर्य हैं ? इत्यादि) उठाया गया है। इसी क्रम में दीक्षितोक्त का भी खण्डन किया गया है। अलङ्कारसर्वस्वकारकृत उत्प्रेक्षाविचार की समीक्षा भी की गई है। अन्त में अपना विशिष्ट मत दिखलाया गया है। अपना मत लिख लेने के बाद **'इत्यलं स्वगोष्ठकलहेन'** कहकर इस प्रसङ्ग को समाप्त किया गया है। इसके अनन्तर उत्प्रेक्षा-लक्षण-निविष्ट धर्म का विश्लेषण अपने ढङ्ग से अतिसुन्दर किया गया है जिसमें कहा गया है कि धर्म कोई स्वतःसाधारण (उपमानोपमेयोपमवृत्ती) होता है और कोई उपाय द्वारा साधारण बनाया जाता है। साधारण बनाने के उपाय स्थलभेद से रूपक, श्लेष, अपह्नुति, बिम्बप्रतिबिम्बभाव, उपचार, और अभेदाध्यवसाय हो सकते हैं। इन सभी उपायों का स्पष्टीकरण उदाहरण द्वारा किया गया है।

काव्यात्मा

अब यद्यपि इस द्वितीयानन के उत्प्रेक्षालङ्कारान्त द्वितीय भाग के प्रतिपाद्य विषयों का विवेचन समाप्त है और इसके साथ ही प्रस्तुत प्रस्तावना की भी समाप्ति होनी चाहिए। पर आरम्भ-भाग में कृत प्रतिज्ञा के अनुसार एक अति आवश्यक अथ च व्यापक विषय (जो इस ग्रन्थ में प्राति-स्वकरूपेण विवेचित नहीं हो सका है) का विवेचन अवशिष्ट रह गया है। वह विषय काव्यात्मा।

काव्याङ्गभूत अनेक तत्त्वों में यह कौन-सा तत्त्व है जो सबसे प्रधान है—जिसे आत्म पद प्रदान किया जाय—जिसके बिना काव्यत्व सत्तारूढ़ नहीं हो सके, इस प्रश्न का समाधान देना अलङ्कारशास्त्रियों के लिये परमावश्यक था। पर इस प्रश्न का समाधान देने में अलङ्कारशास्त्रप्रवर्तक आचार्य एकमत नहीं हो सके। यह ऐकमत्य का अभाव कुछ तो क्रमिक विकासवाद-सिद्धान्त की सत्यता के कारण हुआ है, कुछ दृष्टिकोणभेद के कारण भी। अस्तु उक्त प्रश्न का सबसे प्राचीन समाधान 'रस' शब्द से किया गया है—यह सर्वसम्मत कथा है, क्योंकि आज परिचित अलंकार-शास्त्रियों में भरत अथवा अग्निपुराणकार ही सर्वपुरातन आचार्य हैं। जो रसवादी हैं, वे काव्य में सबसे मुख्य तत्त्व 'रस' को मानते हैं, अतः उनके हिसाब से 'रस' ही काव्य की आत्मा ठहरता है। यद्यपि अग्निपुराण की इतनी प्राचीनता विवादग्रस्त है, तथापि भरतकृत नाट्यशास्त्र की परम प्राचीनता सकलालोचक-स्वीकृत-वस्तु है। दूसरा उत्तर उक्त प्रश्न का 'अलंकार' शब्द से किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि भरत के बाद सबसे पहले आचार्य भामह का ही नाम हम इतिहास में पाते हैं जो अलङ्कारवादी हैं। भामह अलङ्कार को ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रधान काव्य-तत्त्व अङ्गीकार करते हैं।

यद्यपि यह कुछ विचित्र सा लगता है कि 'रस' जैसे सूक्ष्मतत्त्व पर पहुँच कर फिर 'अलंकार' जैसे तत्त्व पर कैसे साहित्यसंसार लौट आया, पर मनन करने पर यह विचित्रता उतनी आश्चर्यजनक नहीं रह जाती क्योंकि प्राचीन रससिद्धान्त नाट्य तक सीमित सा था, भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में नाट्य का ही विचार किया है, करना अभीष्ट भी था, जो 'नाट्यशास्त्र' इस नाम से भी सूचित होता है। श्रव्यकाव्य की चर्चा भी भरत ने नहीं की है। ऐसा लगता है जैसे उस समय तक श्रव्यकाव्य की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। यद्यपि राजशेखर ने जो अपनी 'काव्य-मीमांसा' में साहित्यशास्त्र के विकास का इतिहास दिया है, उससे ऐसा प्रतीत अवश्य होता है कि भरत से पूर्व भी अथवा उनके समकाल में ही नाट्यातिरिक्त काव्यों के निर्माता भी हो गए थे, श्रव्यकाव्यादि भेदों से लोगों का परिचय हो चुका था, पर आज उनके बनाए ग्रन्थ उपलब्ध नहीं, नाम भी उन आचार्यों के डूब से गए, राजशेखर से अन्य ग्रन्थकार उनका स्मरण भी प्रायः नहीं करते।

भरत के बाद कई शताब्दियों तक का इतिहास अन्धकारपूर्ण है। उनके बाद के सर्वप्रथम आचार्य भामह उनसे अनेक शताब्दियों का अन्तराल रखते हैं। ऐसा लगता है कि बीच में किसी अज्ञात कारणवश भरत के द्वारा आरब्ध आलोचनापद्धति की परम्परा नष्ट हो गई हो। अतः भामह के युग में प्रायः रस का संबन्ध नाट्य के साथ ही मान लिया गया। नए सिरे से श्रव्यकाव्य को माध्यम बनाकर आलोचना शुरू हुई। श्रव्य-काव्य को नाट्य से सर्वथा पृथक् वस्तु समझा गया और श्रव्यकाव्य में शब्दार्थ की ओर—उसकी विलक्षणताओं की ओर—अधिक ध्यान दिया गया। यह कुछ अंश में उचित भी था, क्योंकि दृश्यकाव्यों के दर्शक अब श्रव्य-काव्य के पाठक बन गए थे। दृश्यकाव्य में जहाँ सहृदय नेत्रों के द्वारा आनन्दजनक सामग्री को प्राप्त करते थे वहाँ श्रव्यकाव्य में वे कानों के द्वारा उक्त सामग्री को प्राप्त करने लगे। फलतः शब्द-अर्थ की ओर आकृष्ट आलोचक भी शब्दार्थधर्म अलंकार को काव्य में मुख्य तत्त्व मानने लगे। अतः उस युग में 'अलंकार' काव्यात्मक पद पर आसीन हुआ।

इतनी बात कही जा सकती है कि इस युग में प्रायः काव्य पद से श्रव्यकाव्य ही अभीप्सित रहता था। अभिप्राय यह कि काव्य-पद प्रवृत्ति-निमित्त 'श्रव्य' तक ही सीमित हो गया था। उनका दृष्टिकोण प्रायः यह था कि कविकृतित्व की प्रधानता 'श्रव्य' में ही है, दृश्य में तो अभिनेतृ-कृतित्व की प्रधानता है। दृश्य को प्रायः काव्य समझा ही नहीं जाता था, उसको नाट्य समझा जाता था जो नट से संबन्ध जोड़े हुए है। श्रव्य अवश्य ही काव्य है और कवि से संबन्ध जोड़े हुए है। इस युग के व्यापक प्रभाव के कारण ही आज तक 'नाट्य-काव्य' ऐसा दो समानान्तर तत्त्वों के लिये प्रयोग किया जाता है। फलतः अलंकारशास्त्र का प्रथम अध्याय भामह से ही आरम्भ होता है, उससे पूर्व नाट्यशास्त्र था। अलंकारसर्वस्वकार ने भी अलंकारशास्त्रीय सिद्धान्त-विकास की समीक्षा भामह के अलंकारप्राधान्य-परक युग से ही शुरू की है।

अलंकारतत्त्व की प्रधानता इस युग में किस हद तक मानी गई इसका स्पष्ट आभास हमें परवर्ती अलंकारसम्प्रदायानुयायी आचार्य चन्द्रालोककार जयदेव की उस उक्ति से मिलता है जिसमें उन्होंने कहा है कि 'जो अलंकाररहित शब्द-अर्थ को काव्य मानने के पक्षपाती हैं वे विद्वज्जन अनुष्ण पदार्थ को अग्नि क्यों नहीं मानते[१] ?' भला अग्नि की उष्णता के समान अलंकारात्मक-काव्यतत्त्व के सामने अन्य किस काव्यतत्त्व को आत्म-पद दिया जा सकता था।

---

१. 'अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती।
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती ॥

अलंकारतत्त्व को काव्यात्मा माननेवाले प्रधान आचार्य भामह, उद्भट, रुद्रट, जयदेव आदि हैं। इन्हें रसतत्त्व भी अपरिचित नहीं था, होता भी कैसे, जब कि इनसे पूर्व भरत का रसवाद पूर्ण प्रचार प्राप्त कर चुका था, पर उस रसतत्त्व को भी ये लोग अलंकारतत्त्व के अन्दर ही काव्यक्षेत्र में समाविष्ट समझते थे। रसवदादि अलंकार इसी युग में कल्पित हुए हैं। प्रतीयमान अर्थ—जिसका विश्लेषण बहुत बाद में आनन्दवर्धन ने व्यापक रूप से किया—का भी पता अलंकारप्राधान्यवादी आचार्यों को अवश्य था, क्योंकि प्रतीयमान अर्थ के आधार पर ही समासोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा आदि अलंकारों की कल्पना की गई है। अलंकारयुग का महत्त्व इस शास्त्र के इतिहास में सर्वाधिक है, क्योंकि अलंकारों के गम्भीर मनन-चिन्तन से ही परवर्ती ध्वनि-युग, वक्रोक्तियुग आदि का आविर्भाव संभव हो सका है। काव्यक्षेत्र में स्वतन्त्र रसयुग का उदय भी अलंकारयुग के मथन का ही परिणाम है। इस युग का प्रभाव बाद के युग में अवतीर्ण होने वाले आचार्यों पर इतना गहरा पड़ा कि प्रधानता काव्य में अलंकारेतर तत्त्व की मानकर भी ये लोग अलंकारतत्त्व के निरूपण में अलंकारप्राधान्यवादियों से भी आगे बढ़ गए। यद्यपि 'अलंकार काव्य की आत्मा है' ऐसा कहीं स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ नहीं उपलब्ध होता, पर उसकी सर्वाधिक महत्ता मानने का ही अर्थ हो जाता है कि उस युग में अलंकार ही काव्यात्मभूत तत्त्व माना जाता था।

इसके बाद उक्त प्रश्न का समाधान 'रीति' शब्द से किया गया—अर्थात् वामन ने रीति को काव्य में सर्वातिशायी तत्त्व स्वीकार किया, अतः उन्होंने घोषणा की—'रीतिरात्मा काव्यस्य' और रीति है विशिष्ट रचना। रचना में यह विशिष्टता गुणों के कारण उत्पन्न होती है। रीति गुणों के ऊपर अवलंबित रहती है। इसलिए 'रीतिमत' 'गुणसंप्रदाय' के नाम से पुकारा जाता है। रीतियों के स्पष्ट विभाजन का श्रेय आचार्य दण्डी को है। गुण और अलंकार के भेद को वामन ने पहली बार स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। वामन का कथन है कि काव्य-शोभा के करनेवाले धर्म गुण हैं और उसके अतिशय करनेवाले धर्म अलंकार हैं। रीति-काव्यात्मतावादी आचार्य वामन भी रसतत्त्व किंवा ध्वनितत्त्व से अपरिचित नहीं थे, अपितु अलंकारकाव्यात्मतावादी आचार्यों की अपेक्षा, उनका परिचय उन तत्त्वों से गहरा ही था, क्योंकि अलंकारप्राधान्यवादियों ने रस को अलंकार मानकर उसे काव्य का बहिरङ्ग साधन ही स्वीकार किया है, परन्तु वामन ने कान्तिनामक गुण के अन्दर रस का अन्तर्भाव मान कर काव्य में रस की महत्ता पर अधिक ध्यान दिया है। ध्वनितत्त्व का अन्तर्भाव वामन ने सादृश्यमूलक लक्षणा से अभिन्न वक्रोक्ति में किया है। पर काव्य की आत्मा उन्होंने रीति को ही माना। उनका दृष्टिकोण प्रायः यह था कि विशिष्ट ढंग से पदों की योजना करने से ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है।

इसके अनन्तर उक्त प्रश्न का उत्तर अलङ्कारजगत में युगान्तरकार आनन्दवर्धन ने 'ध्वनि' शब्द से किया। अलङ्कारशास्त्र के इतिहास में आनन्दवर्धन का नाम सदा अजर-अमर रहेगा। व्याकरणशास्त्र में जो स्थान पाणिनि को प्राप्त है तथा अद्वैत वेदान्त में जो स्थान शंकराचार्य को मिला है, अलङ्कारशास्त्र में वही स्थान आनन्दवर्धन का है। आलोचनाशास्त्र को एक नवीन दिशा में ले जाने का श्रेय इन्हें ही प्राप्त है। पण्डितराज जगन्नाथ का यह कथन यथार्थ है कि—ध्वन्यालोककार (आनन्दवर्धन) ने आलङ्कारिकों का मार्ग सदा के लिए व्यवस्थित कर दिया। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' वस्तुतः युगान्तरकारी ग्रंथ है।

आनन्दवर्धन ने प्राक्तन आचार्यों के द्वारा उद्भावित अलङ्कारतत्त्व के गम्भीर चिन्तन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि काव्य में शरीरस्थानीय शब्द-अर्थ दोनों ही गौण हैं, उनके

धर्म अलङ्कार आदि भी गौण हैं। मुख्य तो है प्रतीयमान अर्थ, क्योंकि उन्हीं अर्थों के ज्ञान से सहृदयों को आनन्दविशेष प्राप्त होता है, अतः इन्होंने स्थिर किया कि **'काव्यस्यात्मा ध्वनिः'** अर्थात् ध्वनि (प्रतीयमान अर्थ) ही काव्य की आत्मा है। प्रतीयमान अर्थ के प्रधानतः उन्होंने तीन भेद किए—रस आदि, वस्तु और अलङ्कार। इन तीनों में यद्यपि रस आदि की मुख्यता ध्वनिकार को भी अभिमत है, पर ऐसी बात नहीं है कि वे रस आदि के रहने पर ही काव्यता स्वीकार करते हों, चमत्कारी वस्तुव्यङ्ग्य तथा अलङ्कारव्यङ्ग्य के रहने पर भी काव्यत्व उन्हें मान्य है, अतः सामान्यतः ध्वनि (त्रिविध व्यङ्ग्य) ही उनके मत से काव्य की आत्मा है, रसादि ध्वनिमात्र नहीं। इसी युग में दृश्य तथा श्रव्य दोनों को स्पष्टरूप से काव्यात्मक एक तरु की दो शाखायें माना गया और दोनों ही शाखाओं में काव्यत्वनियामक तत्व एक ही प्रतीयमान को माना गया और उसी आत्मभूत तत्त्व के पोषक अन्य अलङ्कार, गुण, रीति आदि काव्यतत्त्वों को स्थिर किया गया। इस मत के अनुयायी सबसे अधिक हैं। मम्मट आदि प्रसिद्ध आचार्य इसी मत के समर्थक हैं।

इसके बाद आचार्य कुन्तक ने उक्त प्रश्न का उत्तर 'वक्रोक्ति' शब्द से दिया—अर्थात् उन्होंने कहा—**'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्** (वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है)' और वक्रोक्ति का लक्षण उन्होंने किया **'वैदग्ध्यभङ्गीभणितिः वक्रोक्तिः'**—अर्थात् किसी वस्तु का साधारण लौकिक प्रकार से भिन्न, अलौकिक ढंग से कथन। यह मत आनन्दवर्धन के ध्वनिसिद्धान्त की प्रतिक्रियारूप में उत्पन्न हुआ। अभिप्राय यह कि—अलङ्कारसिद्धान्त पर मुग्ध कुन्तक के हृदय में ध्वनिसिद्धान्त की जानकारी होने पर बड़ी झुंझलाहट पैदा हुई। उन्होंने सोचा कि—क्या अलङ्कारसिद्धान्त में कोई ऐसा तत्त्व नहीं है जो ध्वनि के समकक्ष होकर खड़ा हो सके? आखिर उन्होंने ध्वनि के समकक्ष तत्त्व वक्रोक्ति को खोज निकाला। इस खोज में उन्हें प्राक्तन अलङ्कारवादी आचार्यों के विभिन्न विचारों से प्रभूत प्रेरणा प्राप्त हुई।

वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग अत्यन्त प्राचीनकाल से संस्कृत वाङ्मय में चला आ रहा है और यह शब्द अनेक अर्थों में व्यवहृत होता है। बाणभट्ट ने कादम्बरी में इस पद का प्रयोग अनेक बार किया है। उन्होंने चन्द्रापीड़ की राजधानी का वर्णन करते हुए वहाँ के विलासीजनों को वक्रोक्तिनिपुण बतलाया है—**'वक्रोक्तिनिपुणेन विलासिजनेन।'** अन्यत्र शुक के द्वारा शारिका के लिये कहा गया है—**'एषापि मुग्धत एव एतावतीः वक्रोक्तीः।'** यहां वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग क्रीडा-कलाप अथवा परिहास-कथा के अर्थ में किया गया है। अमरुशतक में भी इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में दीख पड़ता है। 'वक्रोक्ति' का अर्थ ही है वक्र उक्ति—अर्थात् टेढ़ा कथन। प्राचीनकाल से आलङ्कारिकों ने काव्य में किसी अतिशय कथन की सत्ता मानी है। साधारण बोल-चाल में शब्दों का जिन अर्थों में व्यवहार होता है क्या उन्हीं अर्थों को लेकर कमनीय काव्य की रचना हो सकती है? कदापि नहीं। इसके लिये किसी न किसी प्रकार की विचित्र उक्ति की आवश्यकता होती है। काव्य में व्यापार की ही तो प्रधानता रहती है। साधारण लोगों के कथन-प्रकार से भिन्न तथा अधिक चमत्कृत कथन-प्रकार वक्रोक्ति के नाम से अभिहित होता है। अलङ्कारजगत् में वक्रोक्ति की कल्पना भामह से आरम्भ होती है। भामह वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का ही नामान्तर मानते हैं और इसे काव्य का मूल तत्त्व स्वीकार करते हैं। इस सम्बन्ध में उनका यह श्लोक प्रसिद्ध ही है—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना॥

(भामह–काव्यालङ्कार)

अभिनवगुप्त ने भामह के **'वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचामलङ्कृतिः ।'** इस पद्य को उद्धृत करके वक्रोक्ति का लक्षण यह दिया है—**'शब्दस्य हि वक्रता, अभिधेयस्य च वक्रता, लोकोत्तीर्णेन रूपेणावस्थानम्'** (लोचन)। शब्द तथा अर्थ की वक्रता क्या है ? इनकी लोकोत्तर रूप से स्थिति। भावार्थ यह है कि लोक में जिस शब्द तथा अर्थ का व्यवहार जिस रूप से होता है उस रूप में न हो कर उससे विलक्षण रूप में होना वक्रोक्ति कहलाता है। जैसे 'वह मर गया' ऐसा न कह कर 'वह कीर्तिशेष हो गया' कहना वक्रोक्ति के भीतर आता है।

आचार्य दण्डी ने समग्र वाङ्मय को दो भागों में बाँटा है—(१) स्वभावोक्ति तथा (२) वक्रोक्ति। स्वभावोक्ति के भीतर उन स्थानों का अन्तर्भाव किया जाता है जिनमें वस्तुओं का यथार्थ कथन विद्यमान हो। स्वभावोक्ति ही 'काव्यादर्श' में जाति नामक आद्य अलङ्कार के रूप में गृहीत हुई है। स्वभावकथन से भिन्न होने के कारण वक्रोक्ति में 'अतिशय-कथन' का समावेश किया गया है। इस प्रकार उपमा आदि अर्थालङ्कार तथा रसवत्, प्रेय आदि रससम्बद्ध अलंकार वक्रोक्ति के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रकार दण्डी ने भामह की वक्रोक्ति-कल्पना को स्वीकार किया है। भामह में वक्रोक्ति सब अलङ्कारों का मूल थी। परन्तु दण्डी ने स्वभावोक्ति को वक्रोक्ति के क्षेत्र से पृथक् कर दिया है क्योंकि इस अलङ्कार के लिये वे अतिशय कथन को आवश्यक नहीं मानते।

वामन में भी वक्रोक्ति का वर्णन है परन्तु उसका रूप भामह प्रदर्शित वक्रोक्ति से सर्वथा भिन्न है। जहाँ भामह ने वक्रोक्ति को अलङ्कारों का सामान्य मूलभूत आधार माना था, वहां वामन उसे अर्थालङ्कारों में परिगणित करते हैं। वक्रोक्ति उनकी दृष्टि से सादृश्य के ऊपर आश्रित होने वाली लक्षणा ही है।

रुद्रट के समय में आकर वक्रोक्ति एक शब्दालङ्कार बन जाता है। परन्तु कुन्तक की वक्रोक्ति इन सबसे विलक्षण है। कुन्तक ने उक्त विचारों से प्रेरणा ग्रहण करके भी अपनी मौलिक प्रतिभा से वक्रोक्ति के स्वरूप को अतिव्यापक बना दिया। उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का मूल तत्त्व स्वीकार किया। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन-आत्मा-मानने के कारण ही कुन्तक का ग्रन्थ 'वक्रोक्तिजीवित' कहलाता है। कुन्तक बड़े ही प्रौढ़ तथा मार्मिक आलोचक थे। उनकी मौलिकता के कारण यदि उन्हें आनन्दवर्धन के समकक्ष माना जाय तो अनुचित नहीं होगा। वे रस ध्वनि आदि समस्त उपादेय तत्त्वों का समावेश वक्रोक्ति में ही करते हैं। प्रधानतया वक्रोक्ति के छै भेद—१. वर्ण-वक्रता, २. पदपूर्वार्धवक्रता, ३. पदोत्तरार्धवक्रता, ४. वाक्यवक्रता, ५. प्रकरणवक्रता और ६. प्रबन्धवक्रता नाम से उन्होंने किए हैं। इन भेदों के अवान्तर भेद भी बहुत हैं। उपचार-वक्रता नामक भेद में ध्वनि के प्रचुर भेदों को गतार्थ किया गया है। खेद है कि इस मत के अनुयायी बाद के आचार्य नहीं हुए और इस सिद्धान्त को किसी ने अग्रसर नहीं किया। साहित्य-दर्पण आदि में जो **'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्'** का खण्डन किया गया वह सर्वथा वक्रोक्तिजीवित-कार के अभिप्राय को नहीं समझ कर। ऐसा लगता है कि जैसे 'वक्रोक्तिजीवित' ग्रन्थ को खण्डनकर्ताओं ने नहीं देखा, केवल **'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्'** इस एक पङ्क्ति को कहीं से सुन लिया और वक्रोक्ति का स्वरूप वही समझ लिया जो रुद्रट ने लिखा था।

इसके अनन्तर आलङ्कारिक समय ने पलटा खाया और साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ आदि आचार्यों ने असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य कहे जाने वाले रस, भाव आदि को काव्य की आत्मा कहना आरम्भ किया। इस मत के प्रवर्तक आचार्यों में सबसे प्रधान लोचनकार अभिनवगुप्त हैं। अभिनव-

-गुप्त आलङ्कारिक होने के साथ बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। 'शैवागम' के प्रधान ग्रन्थकार आप ही हैं। आधुनिक रसवाद पर शैवागम का प्रभाव आपके सम्बन्ध से ही विद्वज्जन मानते हैं। आप भरतकृत नाट्यशास्त्र के ऊपर एक मात्र उपलब्ध टीका अभिनव भारती के रचयिता हैं। अतः भरत के रसवाद का ग्रहण आपने सर्वात्मना किया है। इतना कहा जा सकता है कि भरत के समय में प्रायः 'रस' शब्द का अर्थ शृङ्गार, वीर आदि नवविध रस ही था, पर अभिनवगुप्त के आलोचनाकाल में 'रस्यते = आस्वाद्यते' इस व्युत्पत्ति के बल पर उसका अर्थ समस्त असंलक्ष्य-क्रमव्यङ्ग्य हो गया जिसको मानकर विश्वनाथ आदि ने **'रसात्मकं वाक्यम् काव्यम्'** यह काव्य लक्षण प्रस्तुत किया।

यहाँ आकर अग्निपुराणकार से भी एकवाक्यता हो गई, क्योंकि उन्होंने भी **'वाग्वैदग्ध्य-प्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्'** कहा है। ध्वनिविरोधी आचार्य महिमभट्ट ने भी इसी मत में अपनी आस्था प्रकट की है, क्योंकि उनका भी **'काव्यस्यात्मनि रसादिरूपे न कस्यचिद् विमतिः'** ऐसा कथन है। यह बात दूसरी है कि उन्होंने रसबोध के लिए व्यञ्जना की आवश्यकता नहीं मानी और अनुमान से रस का बोध माना। इस सिद्धान्त के अनुयायियों का तर्क है कि वस्तु अलङ्कार आदि विविध व्यङ्ग्यों के रहने पर भी रसानुभव का भूखा सहृदयों का हृदय रसानु-भव से ही सन्तुष्ट हो पाता है। रस आनन्दरूप है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। जो वस्तु संसार में भय, शोक आदि को भी उत्पन्न करती है अथवा क्रोध का कारण बनती है वह भी काव्य में वर्णित होते ही अलौकिक रूप धारण कर लेती है और इसीलिये वह आनन्द का उद्बोधन करती है।

साहित्य में रस मत की महत्ता अवश्य है। लौकिक संस्कृत का प्रथम पद्य, जो क्रौञ्चवध से मर्माहत महर्षि वाल्मीकि के मुख से उद्गत हुआ था, रसमय ही था। इस सिद्धान्त का मूलभूत सूत्र है—**'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः'** अर्थात् विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। देखने में यह सूत्र छोटा-सा प्रतीत होने पर भी परमसारगर्भित है। भरत ने इस सूत्र पर जो भाष्य लिखा है वह बड़ा ही सरल तथा सुबोध है। परन्तु पीछे के टीकाकारों ने इस सीधे तथा सरल सूत्र की व्याख्या करने में अपना सारा बुद्धि-वैभव खर्च कर दिया है। किसी कमनीय काव्य के पढ़ने से तथा रमणीय नाट्य के देखने से चित्त में जो अलौकिक आनन्द हुआ करता है वही रस है। इसकी व्यवस्था करने में भरत के टीकाकारों ने अपनी विशिष्ट दृष्टि से इसका विभिन्न प्रकार से अर्थ किया है। वैसे तो पण्डितराज ने रस के विषय में ग्यारह मतों का उल्लेख करके उनमें से आठ मतों में उक्त सूत्र को संघटित किया है, पर इस विषय में चार मत अतीव सुप्रसिद्ध हैं। इन मतों के व्यवस्थापक आलङ्कारिकों के नाम ये हैं—(१) भट्ट लोल्लट, (२) भट्ट शङ्कुक, (३) भट्ट नायक तथा (४) अभिनवगुप्ताचार्य। इनके मतों का सारांश-सङ्कलन पूर्वभाग की भूमिका में किया जा चुका है। यहाँ इतना भर कहना है कि—भट्टनायक का मत विलक्षण है और विलक्षणता यह है कि इन्होंने रसबोध के लिये व्यञ्जना की आवश्यकता नहीं मानी, और काव्य में व्यापारों की प्रधानता स्वीकार की। इनके मत से अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व इन तीन व्यापारों की सहा-यता से रस ज्ञात होता है। भावकत्व का अर्थ है साधारणीकरण। इस व्यापार के बल पर नाट्य में अभिनीत व्यक्ति अपने ऐतिहासिक तथा व्यक्तिगत निर्देश को छोड़ कर सामान्य पुरुषरूप में ही गृहीत होता है। इस साधारणीकरण की चर्चा अभिनवगुप्त के मत में भी की गई है और यह तथ्य भी है कि रसानुभव से पूर्वक्षण में विभाव, अनुभाव आदि सभी पदार्थों का अनुभव सामान्य

रूप से ही होता है, व्यक्तिविशेष के सम्बन्धी रूप में नहीं। इस तरह सामान्यरूप से गृहीत विभावादिकों से ही रस की अभिव्यञ्जना होती है।

ललित वस्तुओं के गुणग्रहण के अवसर पर प्रत्येक पदार्थ साधारणरूप से ही तथा संबन्ध-रहित होकर ही स्वीकृत होता है। किसी वाटिका में लगे हुए गुलाब के फूल की शोभा देखते हुए जब आपका चित्त आह्लादित होता है तब उसके प्रति कैसी भावना होती है, उसे यदि आप अपना समझते तो उसे तोड़ने के लिये आगे बढ़ते, शत्रु का समझते तो उससे द्वेष उत्पन्न होता, यदि किसी तटस्थ व्यक्ति का समझते तो उससे विरक्ति उत्पन्न होती। फलतः यह गुलाब का सुन्दर फूल न तो आपका है, न तो आप के शत्रु का है, और न किसी उदासीन का है।[1]

इस विषय में संबन्ध के ग्रहण तथा परित्याग की कोई बात ही नहीं उठती। गुलाब एक सुन्दर फूल है। वह सुन्दर वस्तु का प्रतिनिधि है। ललितकला के विषय में साधारणीकरण का यही भाव सर्वत्र जागरूक रहता है। रसमीमांसा के अवसर पर भी इस सामान्य नियम का प्रयोग भट्टनायक और अभिनवगुप्त दोनों आचार्यों ने किया है। पर अभिनवगुप्त जहाँ रस पदार्थ की प्रधानता स्वीकार कर उसको काव्य की आत्मा कहते हैं, वहाँ भट्टनायक पदार्थ की नहीं, अपितु उसको समझाने वाले व्यापार की प्रधानता मानते हैं, और वही है उनका तीसरा व्यापार भोजकत्व अथवा भोग किंवा भुक्ति। इस तरह यद्यपि भट्टनायक के मत से यह भोग-व्यापार ही काव्य की आत्मा है तथापि इस मत को रसमत में ही अन्तर्भूत समझना चाहिए। इस तरह काव्यात्मा के विषय में निम्नलिखित छै मत पर्यवसित होते हैं—

(१) अलङ्कार काव्य की आत्मा है। (भामह, उद्भट, रुद्रट आदि)

(२) रीति काव्य की आत्मा है। (वामन)

(३) ध्वनि = त्रिविध (वस्तु अलङ्कार रसादि) व्यङ्ग्य काव्य की आत्मा है।

(आनन्दवर्धन-आदि)

(४) वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। (कुन्तक)

(५) रस (असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य) काव्य की आत्मा है। (अभिनवगुप्त विश्वनाथ आदि)

(६) भोग काव्य की आत्मा है। (भट्टनायक)

काव्यात्मतत्त्व के विषय में मतभेद होने के कारण ही अलङ्कारशास्त्र में सम्प्रदायों की सृष्टि हुई। वे सम्प्रदाय निम्नलिखित हैं—

(१) अलङ्कारसम्प्रदाय।

(२) गुण अथवा रीति-सम्प्रदाय।

(३) वक्रोक्तिसम्प्रदाय।

(४) ध्वनिसम्प्रदाय।

(५) रससम्प्रदाय (भट्टनायक के भोगवाद को इसी में अन्तर्भूत समझना चाहिए)

इस विषय का स्पष्टीकरण अलङ्कारसर्वस्व के टीकाकार समुद्रबन्ध ने बड़े अच्छे ढङ्ग से किया है। उनका कथन है कि विशिष्ट शब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य होते हैं। शब्द अर्थ की यह विशिष्टता तीन प्रकार से संभव हो सकती है—

१.—परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च।
तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते॥ (साहित्यदर्पण)

(१) धर्म से, (२) व्यापार से, (३) व्यङ्ग्य से।

धर्म दो प्रकार के होते हैं—नित्य और अनित्य। अनित्य धर्म की सत्ता काव्य में उतनी अपेक्षित नहीं रहती जितनी नित्य धर्म की। अनित्य धर्म है अलङ्कार और नित्य धर्म का नाम है गुण। इस प्रकार धर्ममूलक वैशिष्ट्य का प्रतिपादन करने वाले दो संप्रदाय हुए—(१) अलङ्कार-संप्रदाय (२) गुण या रीतिसंप्रदाय। व्यापारमूलक वैशिष्ट्य भी दो प्रकार का है—भणिति-वैचित्र्य (वक्रोक्ति) तथा भोगकृत्त्व। इस प्रकार व्यापारमूलक वैशिष्ट्यप्रतिपादक भी दो संप्रदाय होने चाहिएँ—(१) वक्रोक्ति-सम्प्रदाय और (२) भोगसंप्रदाय। पर भोगसंप्रदाय स्वतन्त्र नहीं हो सका, क्योंकि आखिर भट्टनायक ने रस की निष्पत्ति समझाने के लिये ही इस व्यापार की कल्पना की थी, अतः यह रस संप्रदाय के ही अन्दर समाविष्ट समझा जाता है। यद्यपि समुद्रबन्ध ने स्वतन्त्र रससंप्रदाय का भी उल्लेख नहीं किया है क्योंकि ध्वन्यालोकीय सिद्धान्त का विवरण करने वाले मूल सर्वस्वकार के आधार पर ही अपनी व्याख्या उन्हें प्रस्तुत करनी थी और ध्वन्यालोक में त्रिविध व्यङ्ग्य को एक कोटि में ही रक्खा गया है जिसका विवरण समुद्रबन्ध व्यङ्ग्यमूलक वैशिष्ट्य कह कर करते हैं[1] तथापि भरत, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ आदि के मतानुसार स्वतन्त्र रससंप्रदाय भी पूर्ण सम्मानित है।

समुद्रबन्ध के उक्त विवरण में औचित्यसंप्रदाय भी असंगृहीत है। इस संप्रदाय का संग्रह समुद्रबन्ध के विवरण में इसलिये नहीं हो सका है कि उनसे अर्वाचीन हैं औचित्यसंप्रदाय-प्रवर्तक आचार्य क्षेमेन्द्र। क्षेमेन्द्र ने अपनी औचित्यविचारचर्चा में औचित्य का बहुत अच्छा विश्लेषण किया है तथा औचित्य को ही काव्य में सबसे मुख्य तत्त्व अतएव आत्मपदप्राप्तियोग्य ठहराया है। इस प्रकार काव्यात्मा के विषय में पूर्वोक्त छै मतों के अतिरिक्त एक सातवाँ मत भी है। (**औचित्यमात्मा काव्यस्य**) ऐसा समझना चाहिए।

औचित्य साहित्यशास्त्र का व्यापकतम सिद्धान्त है। इसे काव्य की आत्मा मानने का श्रेय यद्यपि क्षेमेन्द्र को प्राप्त है, तथापि औचित्य की कल्पना साहित्यसंसार में बहुत ही प्राचीन काल से चली आती थी। भरत के नाटयशास्त्र में ही सिद्धान्तरूप में तो नहीं परन्तु व्यवहार-रूप में औचित्य का विधान पाया जाता है। भरत का कहना है कि—लोक ही नाटय का प्रमाण है। लोक में जो वस्तु जिस रूप में, जिस वेश में, जिस देश में व्यवहृत होती है उस देश के नायक-नायिकाओं का चित्रण उसी रूप में करना चाहिए। इस प्रसङ्ग में भरत का वह श्लोक अतिसारगर्भित है—

> **'अदेशजो हि वेशस्तु न शोभां जनयिष्यति।**
> **मेखलोरसिबन्धे च हास्यायैव प्रजायते॥'** (नाटयशास्त्र)

जिस देश का जो वेश है, जो आभूषण जिस अङ्ग में पहना जाता है उससे भिन्न देश में उसका विधान करने पर वह शोभा नहीं पाता। यदि कोई मेखला को छाती पर पहन ले तो वह हास्यास्पद ही होगा। इस पद्य से सिद्ध है कि आद्य आलोचक भरत को ललितकला में

---

१. 'इह विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम्। तयोश्च वैशिष्ट्यं धर्ममुखेन व्यापारमुखेन व्यङ्ग्यमुखेन वेति त्रयः पक्षाः। आद्येऽपि अलंकारतो गुणतो वेति द्वैविध्यम्। द्वितीयेऽपि भणितिवैचित्र्येण भोगकृत्त्वेन वेति द्वैधम्। इति पञ्चसु पक्षेषु आद्य उद्भटादिभिरङ्गीकृतः द्वितीयो वामनेन, तृतीयो वक्रोक्तिजीवितकारेण, चतुर्थो भट्टनायकेन पञ्चम आनन्दवर्धनेन।'

औचित्य का सिद्धान्त मान्य था। आनन्दवर्धन ने भी औचित्य को व्यापक काव्य तत्त्व स्वीकार किया है। रसभंग की व्याख्या के अवसर पर उन्होंने कहा है—

'अनौचित्याद् ऋते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्।
औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत् परा॥' (ध्वन्यालोक)

अनौचित्य ही रसभंग का प्रधान कारण है। अनुचित वस्तु के सन्निवेश से रस का परिपाक काव्य में उत्पन्न नहीं होता। रस के उन्मेष का मुख्य रहस्य है औचित्य के द्वारा किसी वस्तु का उपनिबन्धन, काव्य में कल्पना और विधान। इसके अलावे अन्य प्राचीन अलंकारग्रन्थप्रणेता आचार्यों ने भी औचित्यतत्त्व को स्वीकार किया है। पर औचित्य को व्यापक काव्यतत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित किया है आचार्य क्षेमेन्द्र ने ही। औचित्य किसे कहते हैं? उचित का भाव औचित्य कहलाता है और जो वस्तु जिसके सदृश हो, जिससे जिसका मेल मिले उसे कहते हैं 'उचित'।

'उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत्।
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते॥' (औचित्यविचारचर्चा)

यह औचित्य ही रस का जीवितभूत है, प्राण है तथा काव्य में चमत्कारकारी है।

औचित्यस्य चमत्कारिणश्चारु चर्वणे।
रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽधुना॥' (औचित्यविचारचर्चा)

क्षेमेन्द्र ने इस औचित्य के अनेक भेद किए हैं। पद, वाक्य, अर्थ, रस, कारक, लिङ्ग, वचन आदि अनेक स्थलों पर औचित्य का विधान दिखाकर तथा इसके अभाव को अन्यत्र बतलाकर क्षेमेन्द्र ने साहित्यरसिकों का बड़ा उपकार किया है। इस प्रकार क्षेमेन्द्र ने औचित्य को साहित्यशास्त्र में व्यवस्थित रूप दिया है। पर उन्हें ही इस तत्त्व का उद्भावक नहीं कहा जा सकता। ऊपर दिखलाया जा चुका है कि क्षेमेन्द्र ने औचित्य के विषय में भरत तथा आनन्दवर्धन से प्रेरणा प्राप्त की थी। इतना ही नहीं, क्षेमेन्द्र का औचित्यविषयक निम्ननिर्दिष्ट पद्य भी पूर्वोक्त भारतीय पक्ष का परिष्कृत रूपान्तर मात्र प्रतीत होता है।

'कण्ठे मेखलया, नितम्बफलके तारेण हारेण वा
पाणौ नूपुरबन्धनेन, चरणे केयूरपाशेन वा।
शौर्येण प्रणते, रिपौ करुणया नायान्तिके हास्यतां
औचित्येन विना रुचिं प्रतनुते नालंकृतिर्नो गुणा॥'

यह तो हुआ प्राक्तन आचार्यों के मतों का संकलन। अब यहाँ यह विचार कर लेना भी उचित होगा कि पण्डितराज का काव्यात्मा के सम्बन्ध में क्या मत है? पण्डितराज उक्त सम्प्रदायों में से किस सम्प्रदाय के अनुयायी हैं[1]? वैसे तो पण्डितराज अथवा उनके ग्रन्थों की अब तक बहुत थोड़ी आलोचना हो सकी है, पर जो भी आलोचना हुई है, उसमें पण्डितराज को ध्वनिसम्प्रदायानुयायी सिद्ध किया गया है, तदनुसार पण्डितराज के मत से ध्वनि (त्रिविध व्यङ्ग्य) को काव्यात्मा ठहराया गया है। वस्तुतः पण्डितराज जगन्नाथ विश्वनाथ आदि के समान रसवादी नहीं हैं—अर्थात् वे केवल रस (असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य) को काव्य की आत्मा नहीं मानते, क्योंकि ऐसी मान्यता का परिणाम यह होता कि चमत्कारी वस्तुव्यङ्ग्य

---

१. यद्यपि पहले भी प्रसङ्गवश यह विचार किया जा चुका है, तथापि यहाँ कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक था।

तथा चमत्कारी अलंकारव्यङ्ग्य की प्रतीति होते रहने पर भी रस-प्रतीति के अभाव में किसी गद्य अथवा पद्य को वे काव्य नहीं मानते, किन्तु उनके ग्रन्थ (रसगङ्गाधर) में एक नहीं, अनेक ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर सबल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वे रसाव्यञ्जक होने पर भी रमणीय वस्तुअलंकाराभिव्यञ्जक पद्य को काव्य अवश्य मानते हैं।

त्रिविध व्यङ्ग्यों को अलङ्कारोपस्कार्य मानना भी पण्डितराज को ध्वनिवादी ही सूचित करता है, रसमात्रवादी नहीं। ऐसी स्थिति में पण्डितराज को मम्मट, अप्पयदीक्षित आदि के समान ध्वनिसंप्रदायानुयायी मानना समुचित ही है। परन्तु रसगङ्गाधर के मनन से ऐसा भास होता है कि—पण्डितराज ध्वनिवादी होते हुए भी अन्य ध्वनिवादियों से कुछ अधिक प्रगतिशील थे। जिस तरह रसवादी रस को, ध्वनिवादी त्रिविध व्यङ्ग्यों में से किसी एक व्यङ्ग्य की सत्ता को काव्यत्व के लिये आवश्यकतम मानते हैं, उस तरह पण्डितराज नहीं मानते। वे तो रमणीय अर्थ (वह अर्थ चाहे रस हो अथवा वस्तु तथा अलंकारव्यङ्ग्य हो, किं वा वाच्य तथा लक्ष्य ही हो) की सत्ता को काव्यत्व के लिये अपेक्षित समझते हैं, इसीलिये वे **'रमणीयार्थ-प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्'** इस काव्य-लक्षण में 'व्यञ्जक' पद नहीं कह कर वाचक, लक्षक, व्यञ्जक तीनों प्रकार के शब्दों के संग्रहार्थ सामान्य 'प्रतिपादक' शब्द कहते हैं। इतना ही नहीं व्यङ्ग्य अर्थों के साथ-साथ वाच्य अर्थविशेष-को भी पण्डितराज अलङ्कारों से अलंकृत होने वाला कहते हैं[1]। ऐसी स्थिति में अकामेनापि यह मानना पड़ेगा कि—किसी तरह का चमत्कारी व्यङ्ग्य न हो और रमणीय वाच्यार्थ हो तब भी पण्डितराज को काव्यत्व इष्ट है। अब यदि पण्डितराज केवल व्यङ्ग्य अर्थ (ध्वनि) को काव्यात्मा मानते होते, तब उसके अभाव में उन्हें काव्यत्व कैसे इष्ट हो सकता था? आत्मभूत तत्त्व के अभाव में तो किसी भी संप्रदाय के आचार्यों को काव्यत्व इष्ट नहीं होता। अतः वाच्य अथवा लक्ष्य किंवा व्यङ्ग्य कोई भी अर्थ रहे पर यदि वह रमणीय हो - लोकोत्तर आह्लादजनक हो--तो उसे पण्डितराज काव्य की आत्मा मानने के पक्ष में थे, **'रमणीयोऽर्थः काव्यस्यात्मा'** यही पण्डितराज का मत है फलतः पण्डितराज का संप्रदाय साहित्यजगत् में अभिनव ही है। यदि उस संप्रदाय का नामकरण किया जाय तो मेरे विचार से उसका नाम **'रामणीयक-संप्रदाय'** होना चाहिये।

उपसंहार

जो स्वयं उच्चकोटि का कवि नहीं, उसे उच्च कोटि की कविता की परख कैसे हो सकती है? काव्य-शास्त्र का सच्चा आलोचक वही हो सकता है जो स्वयं उच्च कोटि का कवि हो। आचार्यों का यह कथन सत्य ही है—**'कविर्भावयति भावकश्च कविः'**—कवि ही भावना करता है और भावक ही काव्य सृष्टि करता है। भावक (आलोचक) कवि कभी अधम दशा प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी प्रतिष्ठा सार्वत्रिक तथा सार्वकालिक होती है—

'प्रतिभातारतम्येन, प्रतिष्ठा भुवि भूरिधा।
भावकस्तु कविः प्रायो, न भजत्यधमां दशाम् ॥' (काव्यमीमांसा)

बात यह है कि कारयित्री तथा भावयित्री दोनों तरह की प्रतिभाओं की स्थिति एकत्र असंभव नहीं, तो दुर्लभ अवश्य है।

---

१. देखिए—रसगङ्गाधर का उपमालक्षण तथा उपमानिरूपण का वह अग्रिम भाग जो पीछे अलंकारविवेचन के अवसर पर उद्धृत भी किया जा चुका है।

इसीलिये तो काव्यमीमांसाकार राजशेखर को भी कहना पड़ा—

'नह्येकस्मिन्नतिशयवतां सन्निपातो गुणानाम् ।
एकः सूते कनकमुपलस्तत्परीक्षाक्षमोऽन्यः ॥'

पर, इसके साथ ही, इसी पद्य के प्रथम दो चरणों के रूप में ही, यह भी कहना पड़ा—

'कश्चिद् वाचां रचयितुमलं श्रोतुमेवापरस्ताम् ।
कल्याणी ते मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति ॥'

पण्डितराज जगन्नाथ की सर्जक और आलोचक उभयविध प्रतिभा विज्ञ पाठकों को विस्मय में डाल देती है। भाग्यवान् हैं वे सुधीजन जिन्हें पण्डितराजीय प्रतिभा से विस्मित होने का सुअवसर प्राप्त होता है। अन्त में रसधाम घनश्याम से मेरी प्रार्थना है कि वे विद्वन्मण्डल के मन में रसगङ्गाधराध्ययन द्वारा उक्त विस्मय-सरोवरावगाहन की प्रेरणा प्रदान करें।

ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः ।

विनीत—
मदनमोहन झा

रसगङ्गाधरे प्रमापकाः

अप्पय्यदीक्षितः
अभिनवगुप्ताचार्यपादाः
अलङ्काररत्नाकरः
अलङ्कारभाष्यकाराः
आख्यातवादशिरोमणिव्याख्यातारः
आलङ्कारिकाः
आनन्दवर्धनाचार्यः
उत्तरमीमांसा
करुणालहरी
कालिदासः
काव्यप्रकाशः
काव्यप्रकाशटीकाकाराः
कुवलयानन्दः
कैयटः
गीतगोविन्दम्
गीता
चित्रमीमांसा
जयदेवः
ध्वनिकारादयः
नैयायिकाः
पञ्चलहर्यः
बादरायणचरणाः
ब्रह्मसूत्रम्
भट्टनायकः
भरतमुनिः
भागवतम्
मम्मटभट्टः
महाकवि (माघ आदि)
महाभारतम्
महाभाष्यम्
यमुनावर्णनम्
योगवासिष्ठम्
रत्नावली
रामायणम्
विद्याधरः
विद्यानाथः
विमर्शिनीकारः
वृत्तिवार्तिकम्
वैयाकरणाः
व्यक्तिविवेकः
शार्ङ्गदेवः
श्रीवत्सलाञ्छनः
सङ्गीतरत्नाकरः
साहित्यदर्पणः

विषय-सूची

(अतिशयोक्त्यलङ्कारादि–समाप्तिपर्यन्तो भागः)



॥ श्रीः ॥

रसगङ्गाधरः

'चन्द्रिका' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः

द्वितीयमाननम्

(अतिशयोक्त्यलङ्कारादि-समाप्तिपर्यन्तो भागः)

उत्प्रेक्षालंकारनिरूपणानन्तरमिदानीमतिशयोक्त्यलंकारनिरूपणमारभते—

अथातिशयोक्तिः ।

चिरन्तनकुमारिकाप्यखिललोकमाता मता
हता-सुर-शता तथाप्यति-दयामयी विश्रुता ।
शदाशिवरताऽशिव-प्रमुख-नाशिका कीर्तिता
कदाचि 'दपराजिता' ननु सदन्तरे राजताम् ॥ १ ॥
'त्रिवेणी' नामविख्यातां, जननीं तां नमाम्यहम् ।
याऽधुनाऽवधि मां बालं, मत्वेव परिरक्षति ॥ २ ॥
वन्दे 'युगल-किशोरं' तातं तं धार्मिकं धन्यम् ।
यस्याशीर्वचनं मे प्राणानद्यापि पुष्णाति ॥ ३ ॥
गुण-परिमल-लुब्धैर्दूर-देशाभ्युपेतै-
र्विविध बुध-मिलिन्दैः श्रद्धयाऽऽराध्यमानम् ।
गुरुचरण-सरोजं ध्यान-धाराऽधिरूढम्
मम मलिनमिदानीं मानसं संस्करोतु ॥ ४ ॥
शारदे ! वरदे ! देहि, प्रतिभामद्य तादृशीम् ।
रसगङ्गाधरव्याख्या शेषा पूर्णा यथा भवेत् ॥ ५ ॥

अथ अनन्तरम्, अतिशयोक्तिः तन्नामकोऽलंकारः, निरूप्यत इति शेषः। अथवा, अतिशयोक्तिः तन्निरूपणमिति यावत्, अथ आरब्धं वेदितव्यमिति भावः ।

उत्प्रेक्षा-निरूपण के बाद अब, अतिशयोक्ति-निरूपण का आरम्भ किया जाता है—अथ इत्यादि ।

अब यहाँ से अतिशयोक्ति अलंकार का निरूपण आरब्ध समझना चाहिए ।

अतिशयोक्तिं तावल्लक्षयति—

विषयिणा विषयस्य निगरणमतिशयः। तस्योक्तिः॥

विषयिणेति। आरोप्यमाणेनेत्यर्थः। उपमानेनेति यावत्। विषयस्येति। आरोपविषयस्येत्यर्थः। उपमेयस्येति यावत्।

तस्येति। अतिशयस्येत्यर्थः। उक्तिरिति। व्यापारविशेष इत्यर्थः। तादृशातिशयजनकव्यापारविशेष इति समुदायार्थः। अयं च प्राचीनमतेऽतिशयोक्तेरेकः प्रकार इति बोद्धयम्।

अतिशयोक्ति का लक्षण किया जाता है—विषयिणा इत्यादि।

विषयी अर्थात् उपमान के द्वारा, विषय अर्थात् उपमेय के निगरण को अतिशय कहते हैं और तादृश अतिशय की उक्ति को कहते हैं अतिशयोक्ति।

निगरणपदस्यार्थं स्फोरयति—

तच्च स्ववाचकपदेन शक्यतावच्छेदकरूपेणैवान्यस्य बोधनम्।

तच्चेति। निगरणं चेत्यर्थः। स्वेति। विषयीत्यर्थः। एवकारेण लक्ष्यतावच्छेदकव्यावृत्तिः। अन्यस्येति। लक्ष्यस्येत्यर्थः। उपमेयस्येति यावत्। अयं भावः–"पुरेऽस्मिन् सौधशिखरे चन्द्रराजी विराजते" इत्यादौ साध्यवसानलक्षणास्थले चन्द्रादिपदस्य मुखादौ लक्षणायां मुखत्वादेर्लक्ष्यतावच्छेदकत्वेऽपि बोधो मुखादेश्चन्द्रत्वादिरूपेणैव भवति न तु मुखत्वादिरूपेण। एवञ्चोपमानवाचकपदजन्यशक्यतावच्छेदकप्रकारकलक्ष्यविशेष्यकबोध एव निगरणपदार्थः पर्यवस्यति। तादृशनिगरणमयसाध्यवसानलक्षणास्थल एव च विच्छित्तिविशेषे सत्यतिशयोक्त्यलंकार इति। एवञ्चातिशयोक्तिपदं योगरूढमिति सारांशः।

निगरण पदार्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है—तच्च इत्यादि।

उपमानवाचक पद-द्वारा शक्यार्थवृत्ति असाधारण धर्मरूप से ही न कि लक्ष्यवृत्ति असाधारण धर्मरूप से लक्ष्य अर्थ का बोध करना ही निगरण कहलाता है। तात्पर्य यह है कि–'इस प्रासाद-शिखर पर चन्द्रमाला शोभित हो रही है' इत्यादि स्थलों पर, जहाँ चन्द्र आदि पदों की नायिका-मुख आदि में साध्यवसाना लक्षणा हुई रहती है अर्थात् मुख आदि के लिये चन्द्र आदि पद प्रयुक्त हुए रहते हैं, चन्द्र आदि पद मुख आदि का बोध चन्द्ररूप में ही कराते हैं—अर्थात् चन्द्र पद से चन्द्रत्वविशिष्ट मुख का ही बोध होता है, मुखत्वविशिष्ट मुख का नहीं। बस इस तरह के बोध का ही नाम निगरण है और यह निगरण ही अतिशय कहलाता है, अतः इस तरह के अतिशय की जहां उक्ति हो—अर्थात् ईदृश-अतिशय-बोधक व्यापार (विशिष्ट ढङ्ग के शब्दों का उच्चारण) जहाँ वक्ता ने किया हो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फलतः चमत्कार-विशेषोत्पादक साध्यवसाना लक्षणा के स्थल में ही यह अतिशयोक्ति होती है। तात्पर्य यह कि अतिशयोक्ति पद इस अर्थ में योगरूढ है।

ननु 'चन्द्रराजी विराजते' इति प्रागुक्तातिशयोक्तिस्थले चन्द्रपदस्य चन्द्रत्वविशिष्टे लक्षणा, मुखत्वविशिष्टे वा? नाद्यः, अभिधयैव तादृशार्थस्योपस्थिति-बोधयोः संभवे लक्षणाया अनावश्यकत्वात्, द्वितीयश्चेत्, चन्द्रपदगतलक्षणया मुखत्वविशिष्टस्यैवो-

पस्थितौ बोधोऽपि तद्विशिष्टस्यैव स्यात्, उपस्थितिबोधयोः समानाकारत्वनियमात्, अथानुभवसाक्षिकवैलक्षण्यकलाक्षणिकबोधातिरिक्तविषयत्वं प्रागुक्तसमानाकारत्वनियमस्य कारणत्वञ्च शक्यतावच्छेदकप्रकारकलक्ष्यविशेष्यकबोधत्वावच्छिन्नं प्रति तत्तत्पदलक्षणाज्ञानस्य, स्वीकृत्य तत्र चन्द्रत्वविशिष्टबोधः संभवतीति चेत्? अस्तु नाम तथा, तथापि मुखत्वस्यापि स्यादेव, प्रतिबन्धकस्याभावात्। एवञ्च कथं मूलोक्तं शक्यतावच्छेदकरूपेणैवान्यस्य बोधनं संगतमित्यत्राह—

अत्र च विषये विषयिवाचकपदस्य लक्षणायाः शक्यतावच्छेदकमात्रप्रकारकलक्ष्यविशेष्यकबोधत्वं कार्यतावच्छेदकम्। अतः शक्यासाधारणधर्मस्य लक्ष्यासाधारणधर्मस्य च भानाभानयोर्न विरोधः।

अत्र चेति। अतिशयोक्तिस्थले चेत्यर्थः। लक्षणाया इति। लक्षणाज्ञानस्येत्यर्थः। अत इति। मात्रपदनिवेशादिति भावः। शक्यासाधारणेति। चन्द्रत्वादेरिति भावः। लक्ष्यासाधारणेति। मुखत्वादेरिति भावः। भानाभानयोरिति। क्रमशोऽन्वयः। शक्यासाधारणधर्मस्य भाने लक्ष्यासाधारणधर्मस्याभाने इति स्पष्टोऽर्थः। 'चन्द्रराजी विराजते' इत्यत्र 'चन्द्रत्वमात्रप्रकारकमुखविशेष्यकबोधं प्रति मुखरूपार्थनिरूपितचन्द्रपदनिष्ठलक्षणाज्ञानं कारणम्' इत्याकारककार्यकारणभावाङ्गीकारेण शाब्दबोधीयप्रकारता चन्द्रत्व एव भवति, नतु मुखत्वे तद्भासकसामग्रीविरहात्, तादृशकार्यकारणभावतः तत्र मुखत्वप्रकारकबोधं प्रति तादृशलक्षणाज्ञानं प्रतिबन्धकमित्यर्थस्य फलितत्वादिति सारांशः। एतेन रूपकस्थले लक्ष्यतावच्छेदकस्यापि लक्ष्ये भानं भवति, अतिशयोक्तौ तु नेति तयोरपरमपि वैलक्षण्यं सूचितम्।

एक स्पष्टीकरण किया जाता है—अत्र चेति।

अभिप्राय है कि—'इस प्रासाद-शिखर पर चन्द्र-माला शोभित होती है' इत्यादि स्थल में लाक्षणिक चन्द्र पद से अवगत होने वाले मुख में चन्द्रत्व का ही भान होता है, मुखत्व का नहीं, यह जो पहले कहा गया है वह कैसे संभव है, क्योंकि वहां चन्द्र पद की लक्षणा मुखत्वयुक्त मुख में ही होती है, अतः चन्द्र पद से मुखत्वयुक्त मुख का ही बोध होना उचित है। यदि यह कहा जाय कि अतिशयोक्ति-स्थल में लक्षणा-ज्ञान का फल यही माना जाता है कि मुखत्वयुक्त में चन्द्र पद की लक्षणा होने पर भी बोध चन्द्रत्वयुक्त का ही होता है तो मैं कहूँगा कि चन्द्रत्वयुक्त का बोध हो पर मुख का निजी धर्म मुखत्व का भी उस बोध में भान अवश्य होगा अर्थात् मुख में चन्द्रत्व तथा मुखत्व दोनों ही धर्म भासित होंगे, फिर केवल चन्द्रत्व के भासित होने की बात तो अनुचित ही है। इस शङ्का का समाधान देते हुए ग्रन्थकार का कथन है कि अतिशयोक्तिस्थल में जो उपमानवाचक (चन्द्र आदि) पद की उपमेय (मुख आदि) में लक्षणा होती है उस लक्षणा के ज्ञान का कार्यतावच्छेदक-शक्यतावच्छेदकमात्रप्रकारक-बोधत्व है—अर्थात् अतिशयोक्तिस्थलीय लक्षणा का ज्ञान ऐसे ही बोध के प्रति कारण है जिसमें लक्षणा शब्द के अर्थ में रहने वाला असाधारण धर्म केवल विशेषण रूप से भासित हो, लक्ष्यार्थगत असाधारण धर्म नहीं और विशेष्यरूप से लक्ष्य अर्थ भासित हो, अतः उक्त उदाहरण में चन्द्रत्व का भान और मुखत्व का अभाव होने पर भी कोई विरोध नहीं होता। तात्पर्य यह कि कार्य, कारण के अनुसार ही होता है—अर्थात् जैसा कारण

रहता, है वैसा ही कार्य होता है, अतः जब कारण ऐसा ही हो जो केवल चन्द्रत्व जिस में प्रकार है और मुख है विशेष्य उस बोध को उत्पन्न करे तब 'इस प्रासाद-शिखर पर चन्द्रमाला शोभित होती है' इत्यादि स्थल में 'चन्द्रमाला' पद से चन्द्रत्वयुक्त मुख का ही यदि बोध होता है तो यह विरुद्ध कैसे-अनुचित कैसे ? अपितु उचित ही है।

मतान्तरमाह—

परे तु 'मात्रविशेषणं न देयम्। तेन लक्ष्यासाधारणोऽपि धर्मो भासते'—इत्याहुः।

अयं भावः—उपमेयार्थनिरूपितोपमानबोधकपदनिष्ठसाध्यवसानलक्षणाज्ञानकार्यतावच्छेदककुक्षौ मात्रपदं न प्रवेश्यम्—अर्थात् शक्यतावच्छेदकप्रकारकलक्ष्यविशेष्यकबोधं प्रति तादृशलक्षणाज्ञानं कारणमितीदृश एव कार्यकारणभावोऽङ्गीकार्यः। तथा च 'चन्द्रराजी विराजते' इत्यादौ चन्द्रपदाज्जायमाने बोधे विशेष्यतया मुखं प्रकारतया चन्द्रत्वम् मुखत्वञ्च भासन्ते, उक्तकारणबलेन मुखांशे चन्द्रत्वस्य भानेऽपि स्ववृत्तिमुखत्वभानस्यावारणात्। अस्मिन् पक्षे साक्षात् तदुभयधर्मस्य मुखांशे भानमेव रूपकतोऽतिशयोक्तेर्भेदकमिति।

मतान्तर का उल्लेख किया जाता है—परे तु इत्यादि।

अन्य विद्वानों का कथन है कि उक्त कार्य-कारणभाव में 'मात्र' पद का निवेश नहीं कराना चाहिए-अर्थात् यह नहीं मानना चाहिए कि अतिशयोक्तिस्थल में जो उपमान-बोधक पद की उपमेय में साध्यवासना लक्षणा होती है उस लक्षणा के ज्ञान का फल वह बोध है जिसमें विशेषणरूप से केवल उपमानवृत्ति असाधारण धर्म का भान हो, अपितु इतना भर मानना चाहिए कि उक्त लक्षणा-ज्ञान का फल वह बोध है जिसमें उपमान वृत्ति असाधारण धर्म का भान विशेषणरूप से हो। इस प्रकार की मान्यता का फल यह होगा कि पूर्वोक्त अतिशयोक्ति के उदाहरण में चन्द्रत्व तथा मुखत्व दोनों धर्मों से युक्त मुख का बोध होगा, केवल चन्द्रत्वयुक्त मुख का नहीं। इस मत के अनुसार रूपक से अतिशयोक्ति में भेद यह हुआ कि यहाँ चन्द्रत्व तथा मुखत्व दोनों धर्मों का मुख में साक्षात् ही भान होता है और रूपक में साक्षात् नहीं, अपितु पहले सदृश में उक्त दोनों धर्मों का भान होकर मुख में तद्द्वारा उनका भान होता है।

पुनर्मतान्तरमाह—

केचित्तु 'लक्षणया लक्ष्यासाधारणधर्मप्रकारेणैव बोधः। अनन्तरं च व्यापारान्तरेण शक्यतावच्छेदकप्रकारेण लक्ष्यबोधः।' इत्याहुः। बाधज्ञानस्य च यथा न प्रतिबन्धकत्वं तथोक्तं प्राक्।

केचिदिति। प्राञ्च इत्यर्थः। लक्ष्यासाधारणधर्मेति। मुखत्वाद्युपमेयवृत्तिधर्मेत्यर्थः। अनन्तरमिति। लक्षणाज्ञानजन्यबोधानन्तरमित्यर्थः। व्यापारान्तरेणेति। व्यञ्जनयेत्यर्थः। शक्यतावच्छेदकेति। उपमापदार्थगतासाधारणधर्मेत्यर्थः। लक्ष्यबोध इति। लक्ष्यार्थविशेष्यकबोध इति भावः।

ये उपस्थिति-शाब्दबोधयोः समानाकारत्वम् सार्वत्रिकमभिप्रयन्ति ते लक्ष्यतावच्छेदकप्रकारकबोधत्वमेव लक्षणाज्ञानकार्यतावच्छेदकमपि स्वीकुर्वन्ति। तथा च तेषां मते 'पुरेऽस्मिन् सौधशिखरे चन्द्रराजी विराजते' इत्याद्यतिशयोक्तिस्थले चन्द्रादिपदस्य मुखादौ-

लक्षणायां मुखादेरेव तत उपस्थितिः शाब्दबोधश्च प्रथमं जायते, अनन्तरञ्च मुखादि-तात्पर्यकचन्द्रादिपदप्रयोगरूपयुक्त्युत्थापितया व्यञ्जनावृत्त्या चन्द्रत्वादिप्रकारकमुखादि-विशेष्यकबोधश्चमत्कृतिमूलभूतो भवतीति भावः।

ननु 'मुखं न चन्द्रः' इत्याकारके प्रतिबन्धके बाधनिश्चये विद्यमाने कथं व्यञ्जनयापि तादृशबोध इत्यत आह—बाधज्ञानस्येति। प्रागिति। लक्षणानिरूपणे नव्यमतवर्णनावसर इति भावः। बाधनिश्चयप्रतिबध्यतावच्छेदककुक्षौ अनाहार्यत्वमिव शाब्दान्यत्वमपि निविष्टम्। तथा च वैयञ्जनिकः शाब्दबोधो बाधितार्थविषयकोऽपि संभवति। अथवा 'आहार्यं प्रात्यक्षिकमेव' इति नियममनङ्गीकृत्य तादृशस्थले आहार्य एव व्यञ्जनाज्ञानजन्यः शाब्दोऽभेदबोधोऽङ्गीकार्यः। शाब्दान्यत्वं तत्र न निवेश्यमिति भावः।

अत्र "प्राञ्चस्तु 'कमलमनम्भसि—' इत्यादावाह्लादकत्वादिकं लक्ष्यतावच्छेदकम्। तेन रूपेण प्रथमतो बोधे तद्धर्मावच्छिन्ने कमलाभेदप्रत्ययो व्यञ्जनया नाहार्यः। तद्धर्मावच्छिन्ने कमलाभेदबाधबुद्धेरभावात्। अतएव 'गौणसाध्यवसानायां सर्वथैवाभेदावगमः' इति प्रकाशकृतः। रूपके त्वाहार्य एव। अयमेव रूपकादस्या विशेष इत्याहुः" इति नागेशः। मूलोक्तं मतत्रयं प्रागपि निरूपितमिति बोध्यम्।

पुनः एक मतान्तर का ही उल्लेख किया जाता है—केचित्तु इत्यादि।

कुछ लोगों का मत है कि लक्षणा से लक्ष्यगत असाधारण-धर्मप्रकारक बोध ही होता है। बाद में व्यञ्जना से शक्यार्थगत असाधारणधर्मप्रकारक और लक्ष्यार्थ-विशेष्यक बोध होता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग उपस्थिति तथा शाब्दबोध की समानाकारता को सार्वत्रिक नियम मानते हैं—अर्थात् अभिधा, लक्षणा, किंवा व्यञ्जना किसी भी वृत्ति का प्रसङ्ग क्यों न हो, जिस वृत्ति से जिस धर्म से युक्त अर्थ की उपस्थिति (स्मरण) होगी, उस वृत्ति के ज्ञान से शाब्दबोध भी उसी धर्म से युक्त अर्थ का होगा ऐसा नियम जो विद्वान् मानते हैं उनके हिसाब से 'इस प्रासाद-शिखर पर चन्द्रमाला शोभित हो रही है' इत्यादि अतिशयोक्ति के स्थलों में चन्द्र आदि पद की मुख आदि में लक्षणा करने पर चन्द्र पद से लक्षणाप्रयुक्त उपस्थिति मुखत्वधर्मविशिष्ट मुख की यदि होती है तब लक्षणाप्रयुक्त बोध भी उस पद से मुखत्वविशिष्ट मुख का ही होगा, चन्द्रत्वविशिष्ट मुख का नहीं। फलतः वे लक्षणाज्ञान को लक्ष्यतावच्छेदक (मुखत्व आदि) प्रकारक बोध के प्रति ही कारण मानेंगे। ऐसी स्थिति में चन्द्रत्वविशिष्ट मुख का बोध (जो चमत्कारी होने के कारण साहित्यिकों को अभिमत रहता है) व्यञ्जना वृत्ति से तद्विशिष्ट मुख की उपस्थिति द्वारा होगा। व्यञ्जना का उत्थान यहाँ इसलिये होगा कि मुख-तात्पर्य से मुख पद का उच्चारण नहीं करके चन्द्र पद का किया गया है।

आप कहेंगे—'मुख चन्द्र नहीं है' इस प्रकार का बाध-निश्चय (जो 'मुख चन्द्र है' इस प्रकार के ज्ञान का प्रतिबन्धक है) जब वर्तमान है तब व्यञ्जना से भी 'चन्द्रत्वप्रकारक मुख' इत्यादि बोध (शक्यतावच्छेदकप्रकारक लक्ष्यबोध) कैसे हो सकता है तो इसके समाधान में उक्त विद्वानों का कथन है कि ऐसे स्थलों पर बाध-निश्चय जिस युक्ति के चलते प्रतिबन्धक नहीं होता वह युक्ति पहले (लक्षणा-निरूपण में) कही जा चुकी है—अर्थात् लक्षणानिरूपण-प्रसङ्ग में नव्य मत का विवरण करते समय कहा गया है कि वैयञ्जनिक बोध से अन्य बोध के प्रति ही बाध-निश्चय को प्रतिबन्धक मानना चाहिए, अथवा शब्दजन्य किसी भी (आभिधिक, लाक्षणिक तथा वैयञ्जनिक-सभी) बोध से भिन्न

बोध के प्रति ही बाध-निश्चय को प्रतिबन्धक कहना चाहिए, किंवा ऐसे स्थलों में आहार्य (बाधकालिक इच्छाजन्य) शाब्दबोध ही मान लेना चाहिए और बाधनिश्चय को अनाहार्य बोध के प्रति ही प्रतिबन्धक मानते हैं सभी विद्वान्। 'प्रत्यक्षात्मक ज्ञान ही आहार्य होता है, शाब्दात्मक नहीं' इस नियम को मानने में कोई युक्ति नहीं है।

यहाँ जो तीन मत मूल में क्रमशः कहे गए हैं उन सबों का उल्लेख पहले भी लक्षणानिरूपण में किया जा चुका है।

नागेश यहाँ कहते हैं कि 'कमलमनम्भसि—' इत्यादि स्थलों में कमल आदि पदों की आह्लादकत्वविशिष्ट अर्थ में लक्षणा होती है, मुखत्वविशिष्ट में नहीं, अतः पहले लक्षणा-प्रयुक्त बोध आह्लादकत्वविशिष्ट मुख का हो जाता है, पीछे व्यञ्जना के द्वारा आह्लादकत्व-विशिष्ट मुख में कमल का अभेद ज्ञात होता है, अतः यह अभेदबोध आहार्य नहीं, अपितु अनाहार्य ही होता है, क्योंकि आह्लादकत्व-विशिष्ट में कमल का अभेद बाधित नहीं है। रूपक में से आहार्य अभेद-बोध ही होता है। यही रूपक से अतिशयोक्ति में अन्तर है। नागेश का यह कथन अच्छा है अतिशयोक्ति के सभी उदाहरणों में इस रीति का अवलम्बन किया जा सकता है।

रूपकादस्याभेदमाचष्टे—

अत्र चैकपदोपात्तत्वान्नोद्देश्यविधेयभावः।

'चन्द्रराजी विराजते' इत्याद्यतिशयोक्तौ चन्द्रमुखादयोरुपमानोपमेययोरेकस्मादेव चन्द्रादिपदादुपस्थितया तयोरुद्देश्यविधेयभावापन्नतया बोधो न भवति, उद्देश्यविधेय-भावावगमे पृथक्पदोपस्थितेस्तन्त्रत्वात्। रूपके तु 'मुखं चन्द्रः' इत्यादौ तयोः पृथक् पदोपस्थिततया तथा बोधो जायत एवेति तयोर्वैलक्षण्यमिति भावः।

रूपक से अतिशयोक्ति में भेद दिखलाने के लिये कहा जाता है—अत्र इत्यादि।

अतिशयोक्ति में उपमान तथा उपमेय की उपस्थिति एक—उपमान-बोधक-पद से ही होती है, अतः यहाँ उपमान उपमेय का उद्देश्य-विधेयभाव ज्ञात नहीं होता, क्योंकि उन्हीं दो पदार्थों में उद्देश्य-विधेयभाव होता है जिनकी उपस्थिति दो भिन्न पदों के द्वारा हुई हो, ऐसा नियम है। रूपक में तो उपमेय का उद्देश्य रूप में और उपमान का विधेयरूप में ज्ञान होता है, क्योंकि वहाँ ('मुख चन्द्र है' इत्यादि में) उन दोनों के उपस्थापक दो भिन्न पद रहते हैं। इस तरह इन दोनों अलंकारों में अन्तर स्पष्ट हो जाता है।

उदाहरणम्—

प्रतिज्ञापूर्वकमुदाहरणमस्याः समुपस्थापयति—

'कलिन्दगिरिनन्दिनीतटवनान्तरं भासयन्
सदा पथि गतागतक्लमभरं हरन् प्राणिनाम्।
स्फुरत्कनककान्तिभिर्नवलताभिरावेल्लितो
ममाशु हरतु श्रमानतितमां तमालद्रुमः॥'

कविर्भगवन्तं श्रमापनोदनं याचते—कलिन्दगिरिनन्दिन्याः कालिन्द्याः तटे, यद् वनम्, तस्य, अन्तरम् मध्यम्, भासयन् स्वभासा प्रकाशयन्, पथि मार्गे, प्राणिनाम् सर्वजन्तूनाम् गतागतक्लमभरम् गमनागमनक्लेशसमूहं, सदा सर्वदा, हरन् शमयन्, स्फुरन्त्यः उज्ज्वलीभवन्त्यः, कनकवत् सुवर्णवत्, कान्तयः, यासां ताभिः, नवलताभिः

अभिनववल्लरीभिः, आवेल्लितः परिवेष्टितः, तमालद्रुमः तमालतरुः, तमालतरुतयाध्यवसितो हरिरिति भावः, आशु शीघ्रम् मम श्रमान् श्रान्तिखेदानिति भावः, अतितमाम्-सातिशयं यथा स्यात्तथा, हरतु दूरीकरोत्वित्यर्थः ।

अतिशयोक्ति का उदाहरण दिखलाया जा रहा है—कलिन्द इत्यादि ।

यमुना-तटस्थित वन के अन्तराल को भासित करनेवाला, पथ पर गमनागमन के कारण उत्पन्न प्राणियों के क्लेशों को सदा शान्त करनेवाला और सोने के समान चमकीली कान्तियों से युक्त नवीन लताओं से परिवेष्टित तमालतरु, शीघ्र मेरे श्रमों को सर्वथा दूर करे ।

उपपादयति—

अत्र तमालेन भगवतो निगरणे 'कलिन्दनन्दिनी'त्यादीनि त्रीणि चरणत्रयगतानि विशेषणानि तदनुग्रहार्थं विषयविषयिणोः साधारणधर्मतया साक्षादुपात्तानि । चतुर्थमपि चतुर्थचरणगतमवैयाकरणानां दर्शने । वैयाकरणानां तूपात्तया तमालाभिन्नकर्तृकया श्रमहरणक्रिययोन्नीतं तादृशकर्तृत्वं तथा तयोः स्थितम् । द्वितीये चरणे चोच्चावचयोनिसंचरणस्य पथ्यादिना, तृतीयेऽपि लताभिर्गोपीनां निगरणम् , तस्मिन्नेवानुग्राहकतया । एवं च सावयवेयमतिशयोक्तिः ।

अत्रेति । 'कलिन्द...' इति पद्य इत्यर्थः । तदनुग्रहार्थमिति । तमालेन भगवतो निगरणस्यानुग्रहार्थमित्यर्थः । दर्शन इति । तयोस्तत्त्वेन तदर्थम् साक्षादुपात्तमिति शेषः । वैयाकरणानां त्विति । दर्शन इत्यनुषज्यते । तथेति । साधारणधर्मतयेत्यर्थः । उच्चावचेति । हीनोत्तमयोनिजन्मेत्यर्थः । तस्मिन्नेवेति । भगवतो निगरण एवेत्यर्थः । अनुग्राहकतयेति । साधारणत्वसंपादनमेवानुग्राहकत्वमिह बोध्यम् । अतिशयोक्त्यवान्तरभेदमिह स्फुटयति—एवं चेति । अयं भावः—उपमादिवदतिशयोक्तिरपि सादृश्यमूलकोऽलंकारः । तथा चोपमादाविवेहापि साधारणधर्मस्थितिरावश्यकीति तमालरूपेण विषयिणा भगवद्रूपस्य विषयस्य निगरणम् (अतिशयोक्तिः) तावन्न भवितुमर्हति यावत्तमालभगवतोः साधारणः कश्चन धर्मो बुद्धिविषयो न स्यात् तयोश्चाचेतनाचेतनयोर्न कश्चिद् वास्तवो धर्मः साधारणः, अतोऽत्र कविना चतुर्भिश्चरणैश्चत्वारः समानविशेषणात्मकाः साधारणा धर्मा उपनिबद्धाः । भवति नाम शब्दसाम्यमादायोपमाद्यलंकारोऽपि, तद्वदतिशयोक्तेरपि शब्दसाम्ये सम्पत्तिर्नापसिद्धान्ता । तत्र 'कलिन्दगिरिनन्दिनीतटवनान्तरभासकत्व-पथावच्छिन्नप्राणिनिष्ठगमनागमनजन्यक्लमभरहरत्व-स्फुरत्कनककान्तिमयनवलतावेल्लितत्वानि साक्षादुपात्ताः साधारणधर्माः सर्वदर्शनसिद्धाः । चतुर्थचरणोक्तसमानविशेषणरूपः साधारणधर्मोऽपि प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकबोधवादिनामवैयाकरणानां दर्शने साक्षादुपात्त एव, प्रार्थनाविषयीभूतश्रमकर्मकहरणाश्रयत्वस्य तमालभगवदुभयवृत्तित्वात् । क्रियामुख्यविशेष्यकबोधवादिनां वैयाकरणानां दर्शने तु तमालाभिन्नकर्तृकप्रार्थनाविषयीभूतश्रमकर्मकहरणक्रियेतिबोधे तया क्रिययाऽनुमितं तादृशक्रियाकर्तृत्वम् साधारणधर्मः स्यादिति तस्यानुपात्तता तद्दर्शनरीत्या बोद्धव्या ।

ननु पथावच्छिन्नकलमहरत्व-लतावेल्लितत्वे तमालमात्रनिष्ठे इति कथं साधारणे इति चेन्न; तत्रापि पथ्यादिना हीनोत्तमयोनिजन्मग्रहणस्य लताभिर्गोपीनां च निगरणे निगीर्णार्थपरत्वेन भगवन्निष्ठत्वसम्पत्तेः। एवञ्चात्र तिस्रोऽतिशयोक्तयः सन्ति. तत्र तमालेन भगवतो निगरणात्मिका सा मुख्याऽनुग्राह्या अपरे तदनुग्राहके। अतोऽत्र सावयवातिशयोक्तिः। तमाल-पथ-लतापदानि क्रमशोऽत्र भगवद्-धीनोत्तमयोनिजन्म-गोपीषु लाक्षणिकानि। शाब्दबोधस्तु मूलोक्तमतत्रयरीत्या स्वयमनुसन्धेय इति।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

उपमा आदि की तरह अतिशयोक्ति भी सादृश्यमूलक अलंकार है, अतः साधारण धर्म की स्थिति यहाँ भी अपेक्षित है। उसके बिना विषयी (उपमान) से विषय (उपमेय) का निगरण नहीं हो सकता। ऐसी दशा में यहाँ तमाल से जो भगवान् का निगरण हुआ है उसके लिये उन दोनों में रहनेवाले एक अथवा अनेक धर्मों का होना आवश्यक था और अचेतन तमाल तथा चेतन भगवान् का वास्तविक कोई साधारण धर्म हो नहीं सकता, अतः शब्दात्मक चार साधारण धर्म यहाँ माने जाते हैं। शब्दात्मक भी साधारण धर्म हो सकते हैं यह बात उपमा आदि अलंकारों के निरूपण में स्पष्ट की जा चुकी है। उन चार धर्मों में तीन साधारण धर्म प्रथम तीन चरणों के द्वारा साक्षात् अर्थात् शब्दतः—यहाँ उक्त हैं। तात्पर्य यह कि १—'कलिन्द'''भासयन्', २—'सदा''' प्राणिनाम्', और ३—'स्फुरत्'''वेल्लितः' ये तीनों विशेषण भिन्न-भिन्न अर्थों के अनुसार तमाल तथा भगवान् दोनों में लग सकते हैं, अतः ये तीनों विशेषण ही उन दोनों के समान-धर्मरूप हो जाते हैं। आप कहेंगे—प्रथम विशेषण तो दोनों में ठीक लग सकता है क्योंकि तमालतरु जिस तरह अपनी स्थिति से यमुनातटवर्ती वन के मध्य भाग को भासित करता है, उसी तरह वृन्दावनविहारी भगवान् भी अपनी स्थिति से उसको भासित करते हैं, पर द्वितीय तथा तृतीय विशेषण भगवान् के पक्ष में कैसे लगेंगे क्योंकि भगवान् न तो प्राणियों के कष्ट को हरने के लिये तमाल की तरह मार्ग में बैठे रहते हैं और न भगवान् तमाल के समान लताओं से घिरे ही रहते हैं, तो इसके समाधान में यह कहा जाता है कि द्वितीय चरण के 'पथ' आदि से प्राणियों के उत्तम-अधम योनि में जन्म लेना भी निगीर्ण होकर बोधित होता है इसी तरह तृतीय चरण की लताओं से गोपिकायें भी निगीर्ण होकर ज्ञात करायी जाती हैं, अतः वे दोनों विशेषण पथ और लता पद के प्रसिद्ध अर्थ को लेकर जिस तरह तमाल में लगते हैं उसी तरह उन दोनों पदों के उक्त लक्ष्य अर्थों को लेकर भगवान् में भी जुटते हैं। ये दोनों अवान्तर निगरण मुख्य निगरण (तमाल से भगवान् के निगरण) को सिद्ध करने के लिये ही हुए हैं। इन निगरणों के अभाव में, उक्त मुख्य निगरण, साधारण धर्म की अनुपलब्धि के कारण हो ही नहीं सकता था। इन अवान्तर निगरणों में हेतुभूत साधारण धर्म अनुक्त होने पर भी परम प्रसिद्ध होने के कारण विदित हो जाते हैं। अर्थात् लौकिक-पथगमनागमन तथा अनेक योनि-जन्मग्रहण का समानधर्म-कष्टमयता आदि प्रसिद्ध है इसी तरह लता तथा गोपिकाओं का समान धर्म गौरवर्णत्व-कोमलत्व आदि विख्यात हैं।

चतुर्थ चरणगत विशेषण भी तमाल तथा भगवान् का साधारण है अवश्य, पर उसके विषय में एक मतभेद है और वह मतभेद यह है कि नैयायिक आदि—जो वाक्य के अर्थ-बोध में प्रथमान्तपद के अर्थ को मुख्य विशेष्य बनाते हैं—के अनुसार यहाँ

चतुर्थचरण-वाक्य से बोध होगा—'श्रमकर्मक प्रार्थनीय हरण क्रिया का आश्रय।' यह विशेषण इस रूप में तमाल तथा भगवान् दोनों में लग सकता है, अतः उनके हिसाब से यह साधारण धर्म भी साक्षात् ही उक्त हो जाता है और वैयाकरणों—जो शाब्दबोध में क्रिया को मुख्य विशेष्य बनाते हैं—के अनुसार उक्त वाक्य से बोध होगा—'तमाल जिसका कर्ता है ऐसी श्रमहरण क्रिया'। इस रूप में यह विशेषण यद्यपि तमाल में ही लग सकता है, भगवान् में नहीं, क्योंकि तमालकर्तृक क्रिया—तमाल में ही रहेगी, तथापि उस क्रिया से जो कर्तृत्व अनुमित होगा यह सामान्यतया दोनों में रहेगा। अतः वह साधारण धर्म होगा। परन्तु इस तरह सिद्ध किया गया यह साधारण धर्म शब्दतः उक्त नहीं समझा जायगा। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि यहाँ तीन निगरण (अतिशयोक्तियाँ) हैं जिनमें दो अवान्तर निगरण अवयवरूप हैं और मुख्य (तमाल से भगवान् का) निगरण है अवयवी, अतः यहाँ सावयवा अतिशयोक्ति है, ऐसा समझना चाहिए।

अतिशयोक्तेः सावयवत्वमेव स्फुटीकर्तुं तस्या निरवयवत्वं निर्वक्ति—

यत्र चानुग्राहकं न निगरणान्तरं किं तु शुद्धं साधारणधर्मादि, सा निरवयवा।

यत्र चेति। त्वर्थोऽत्र चः। यस्यामतिशयोक्तौ तत्त्वसंपादकं निगरणविशिष्टं साधारणधर्मादिकं न भवेत् अपि तु शुद्धं साधारणधर्मादिकं तथा स्यात् सातिशयोक्तिर्निरवयवा कथ्यत इति भावः।

ऊपर के उदाहरण में अतिशयोक्ति को सावयवा सिद्ध किया गया है अतः उसके बाद प्रसङ्गवश निरवयवा का निर्वचन किया जाता है—यत्रेत्यादि।

जिस अतिशयोक्ति में साधारण धर्म शुद्ध रहता है निगरणविशिष्ट नहीं—अर्थात् जहाँ एक अतिशयोक्ति की साधिका दूसरी अतिशयोक्ति नहीं रहती, अपितु एक ही अतिशयोक्ति रहती है, वहाँ उसे निरवयवा अतिशयोक्ति कहते हैं।

निरवयवां तामुदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्।

जैसे—

उदाहरणमाह—

'नयनानन्दसंदोहतुन्दिलीकरणक्षमा।
तिरयत्वाशु संतापं कापि कादम्बिनी मम॥'

नयनानन्दसंदोहस्य नेत्राह्लादसमूहस्य, तुन्दिलीकरणे परिपुष्टीकरणे, क्षमा समर्था, कापि अनिर्वचनीया, प्रसिद्धातिरिक्ता वा, कादम्बिनी मेघमाला, तत्त्वेनाध्यवसिता कृष्णमूर्तिरिति यावत्, मम संतापम् भवभयदाहम्, आशु शीघ्रं, तिरयतु शमयत्वित्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जा रहा है—नयनेत्यादि।

आँखों के आनन्द-समूह को तुन्दिल-पुष्ट बनाने में समर्थ कोई कादम्बिनी-मेघमाला मेरे संताप को शीघ्र तिरोहित-शान्त करे।

उपपादयति—

अत्र भगवतो मूर्तिर्निगीर्णा।

'नयनानन्द'......इति पद्ये उपमानभूतया कादम्बिन्या उपमेयभूता भगवन्मूर्तिर्निगीर्णा कादम्बिनीपदं कृष्णमूर्तिरूपेऽर्थे लाक्षणिकमिति यावत्। लक्षणा चात्र साध्यवसाना। तथा चात्रातिशयोक्तिः स्फुटैव। तत्र चातिशयोक्तौ नयनानन्दसंदोहतुन्दिलीकरणक्षमत्वात्मकः साधारणो धर्मः शुद्ध एव, न निगरणविशिष्ट इत्यस्या अतिशयोक्तेर्निरवयवत्वमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्रेत्यादि।

'नयनानन्द......' इस पद्य में भगवान् कृष्ण की मूर्ति–जो यहां उपमेयरूप में विवक्षित है—कादम्बिनी–जो उपमान है—से निगीर्ण है अर्थात् अपने अन्दर समेट ली गई है। तात्पर्य यह कि कादम्बिनी पद की यहाँ कृष्णमूर्तिरूप अर्थ में साध्यवसाना लक्षणा हुई है, अतः यहां उक्त लक्षण के अनुसार अतिशयोक्ति अलंकार होता है और इस अतिशयोक्ति में उपमान-उपमेय रूप से विवक्षित कादम्बिनी तथा कृष्णमूर्ति का समान धर्म है पूर्वार्ध में वर्णित 'नयनानन्दसंदोहतुन्दिलीकरणक्षमत्व' जिसमें किसी से किसी का निगरण नहीं हुआ है अर्थात् कृष्ण-कादम्बिनी की उक्त अतिशयोक्ति को सिद्ध करने के लिये कोई दूसरी अतिशयोक्ति धर्मांश में नहीं है, अतः यह अतिशयोक्ति निरवयवा कही जायगी।

रूपकतो भेदान्तरमतिशयोक्तेः प्रदर्शयति—

नामार्थयोरभेदसंसर्गेण विशेष्य-विशेषणभावस्य व्युत्पन्नतया रूपके तावदुचितो विषयविषयिणोस्तेन संसर्गेण विशेष्य-विशेषणभावः, न तु प्रकृते। विषयितावच्छेदकरूपेण विषयस्यैव भानादभेदसंसर्गस्याप्रसक्तेः।

विषयविषयिणोरिति। आरोपाधिकरणारोप्यमाणयोरित्यर्थः। उपमेयोपमानयोरिति यावत्। तेनेति। अभेदेनेत्यर्थः। प्रकृते इति। अतिशयोक्तावित्यर्थः। विषयस्यैवेति। अत्रैवेन विषयिव्यावृत्तिः।

'नामार्थयोरभेदातिरिक्तः संबन्धोऽव्युत्पन्नः' इति नियमानुसारेण 'मुखं चन्द्रः' इत्यादिरूपकेषु विभिन्नपदोपस्थापितयोर्मुखचन्द्रयोरभेदसंबन्धेनान्वयो युक्तः। 'पुरेऽस्मिन् सौधशिखरे चन्द्रराजी विराजते' इत्याद्यतिशयोक्तिषु तु न तेन संबन्धेन मुखचन्द्रयोरन्वयो भवितुमर्हति तत्र चन्द्रत्वेन रूपेण मुखस्यैव भानेन द्वयोर्धर्मिणोरुपस्थितेरेवाभावात्। एवञ्च रूपकातिशयोक्त्योर्मिथो वैलक्षण्यं स्पष्टमिति भावः।

रूपक से अतिशयोक्ति का एक अपर वैलक्षण्य दिखलाया जा रहा है—नामर्थयोरित्यादि।

दो नामार्थों (धातु से अन्य शब्दों के अर्थों) का अभेद संबन्ध से परस्पर विशेष्य-विशेषण होना नियमसिद्ध है, अतः 'मुख चन्द्र है' इत्यादि रूपकों में विषय—अर्थात् जिसमें चन्द्र का आरोप किया जाता है उस मुख का अभेद संबन्ध से विशेष्य होना और विषयी-अर्थात् जिसका आरोप किया जाता है उस चन्द्र का उक्त संबन्ध से विशेषण होना सर्वथा समुचित है। पर मुख-तात्पर्य से कहे गए 'चन्द्र है' इत्यादि अतिशयोक्ति में तो विषयितावच्छेदक–अर्थात् चन्द्रत्व रूप से विषय–अर्थात् मुख का ही भान होता है, अतः यहां अभेद संबन्ध की प्राप्ति ही नहीं होती। तात्पर्य यह कि संबन्ध दो पदार्थों में

होता है, एक में नहीं। ऐसी स्थिति में रूपक में शब्द के द्वारा उपस्थित होने वाले मुख-चन्द्र आदि दो पदार्थों में परस्पर अभेद संबन्ध की बात संगत है, पर अतिशयोक्ति में शब्दतः दो पदार्थों की उपस्थिति नहीं होती अपितु उपमानगत धर्म से युक्त उपमेय-रूप एक पदार्थ की ही उपस्थिति होती है। अतः वहाँ अभेद संबन्ध की बात उठ ही नहीं सकती। फलतः रूपक की अपेक्षा अतिशयोक्ति में यह भी एक विलक्षणता होती है, ऐसा समझना चाहिए।

अतिशयोक्तावभेदान्वयस्याभावे प्राप्तामनुपपत्तिं परिहरति—

अभेदप्रधानातिशयोक्तिरिति प्रवादस्तु प्रागुक्ते संसर्गारोपरूपक इव विषयितावच्छेदकस्यैव भेदाभावरूपतया निर्वाह्यः।

प्रागिति। रूपकप्रकरण इत्यर्थः। संसर्गारोपरूपक इति। 'आस्ये पूर्णशशाङ्कता...' इत्यादावित्यर्थः। विषयितावच्छेदकस्येति। तमालत्वादेरित्यर्थः। भेदाभावरूपतयेति। अन्योन्याभावाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकधर्मरूपतायाः सर्वतन्त्रसिद्धत्वादिति भावः। 'आस्ये पूर्णशशाङ्कता...' इत्यादौ रूपके यद्यपि आस्यशशाङ्कतापदार्थयोराधाराधेय-भाव एव, नाभेदस्तथापि शशाङ्कतापदार्थस्य शशाङ्कभेदाभावरूपतया अभेदस्य फलितत्वेन यथा 'अभेदप्रधानो रूपकालंकारः' इति सिद्धान्तस्य रक्षा क्रियते तथैवातिशयोक्तौ चन्द्र-त्वादेश्चन्द्रभेदाभावरूपतया चन्द्राभेदस्य फलिततया 'अभेदप्रधानातिशयोक्तिः' इति प्रवादोऽपि रक्षणीय इति भावः।

अतिशयोक्ति स्थल में अभेद का भान नहीं मानने से प्राप्त होने वाली आपत्ति का परिहार किया जाता है—अभेद इत्यादि।

उक्त रीति से अतिशयोक्ति में जब अभेदान्वय का खण्डन कर दिया गया तब 'अति-शयोक्ति में अभेद की प्रधानता रहती है' यह प्रवाद असंगत हो जायगा, इस शंका का समाधान यह है कि 'आस्ये पूर्णशशाङ्कता–अर्थात् 'मुख में पूर्ण चन्द्र का भाव है' इत्यादि संसर्गारोपरूपक स्थल में यद्यपि आस्य पदार्थ तथा पूर्णशशाङ्कता पदार्थ में अभेद संबन्ध नहीं, अपितु आधाराधेयभाव सम्बन्ध है तथापि भेदाभाव भेदीयप्रतियोगितावच्छेदक-स्वरूप होता है—अर्थात् चन्द्रत्व और चन्द्र-भेद का अभाव एक ही रूप है और भेद का अभाव ही है अभेद इस युक्ति से जैसे वहाँ 'अभेद-प्रधान रूपक होता है' इस सिद्धान्त की रक्षा होती है उसी तरह अतिशयोक्ति में चन्द्रभेदाभावस्वरूप चन्द्रत्व का भान होने से उक्त प्रवाद की रक्षा की जा सकती है।

अतिशयोक्तौ विषयितावच्छेदकस्य द्वैविध्यं स्फुटीकरोति—

तच्च विषयितावच्छेदकं क्वचित्प्रकृते निगरणदार्ढ्याय विषयमात्रवृत्तिधर्म-स्वसमानाधिकरणधर्मशून्यत्वाभ्यां प्रसिद्धम्। यथा 'कलिन्दगिरिनन्दिनी' इत्यादौ तमालत्वादि। क्वचिदप्रसिद्धमपि कल्पितोपमादावुपमानमिव कविना स्वप्रतिभया कल्पितम्, धर्मिण इव धर्मस्यापि कल्पनाया अविरुद्धत्वात्। यथा—'स्मृतापि तरुणातपम्'।

क्वचित् प्रकृत इति। कस्यांचिदतिशयोक्तावित्यर्थः। निगरणदार्ढ्येति। मुख्यातिश-योक्तिदृढीकरणार्थमित्यर्थः। स्वसमानाधिकरणेति। विषयिमात्रवृत्तीत्यर्थः। शून्यत्वाभ्या-मिति। शून्यत्वञ्च सामानाधिकरण्यसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकम्। विषयमात्रवृत्तिधर्म-

शून्यत्वस्य विषयिमात्रवृत्तिधर्मशून्यत्वस्य च पृथग् लाभार्थं द्विवचनम्। तेन शून्यत्वद्वयमपेक्षितम्, न तु धर्मद्वयशून्यत्वम्। तथात्वे तु 'एकसत्त्वेऽपि द्वयं नास्ति' इति रीत्या 'स्मृतापि...' इत्यादावपि प्रसिद्धविषयितावच्छेदकत्वमेव प्रसज्येत। इत्थञ्च 'धर्मद्वयशून्यत्वञ्च' इति—नागेशलेखो नानुकूलो मे प्रतिभातीति बोध्यम्। तथा प्रसिद्धिमुदाहर्तुमाह—यथा 'कलिन्दे'त्यादि। क्वचिदप्रसिद्धमपीति। सामानाधिकरण्यसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकतादृशशून्यत्वद्वयविशिष्टतया अप्रसिद्धमपीत्यर्थः। कल्पितोपमादाविति। 'स्तनाभोगे पतन्भाति...' इत्यादावित्यर्थः। उपमानमिवेति। मेरुशिखराधिकरणकशशाङ्कबिम्बावधिकलम्बनाश्रय उरग इवेति भावः। अप्रसिद्धत्वेऽपि कविकल्पितं तदुदाहर्तुमाह—यथा—'स्मृतापि....' इति।

अयमत्र विशदोऽर्थः—अतिशयोक्तौ विषयितावच्छेदकं द्विविधं संभवति। क्वचित् विषय-विषय्युभयसाधारणधर्मसामानाधिकरण्यविशिष्टम् क्वचिच्चैकतरवृत्तिधर्मसामानाधिकरण्यपूर्णम्। तत्र 'कलिन्दगिरिनन्दिनी' इत्यादौ तमालत्वात्मकं विषयितावच्छेदकं प्रथमकोटिकम्, यतस्तत्र कालिन्दीतटगतवनकर्मकभासनाश्रयत्व-क्लमहारकत्व-कनककान्तिमयलतावेष्टितत्वरूपैस्त्रिभिर्धर्मैः सामानाधिकरण्यं तमालत्वस्योक्तम् ते त्रयोऽपि धर्मास्तमाल-हरिरूपविषयि-विषयोभयसाधारणाः, न तु एकैकवृत्तयः। तथा चात्र ते धर्मा विषयमात्रवृत्तिधर्मपदेन विषयिमात्रवृत्तिधर्मपदेन वा धर्तुं न योग्याः, ये तु तादृशधर्मपदेन धर्तुं योग्या धर्माः स्युः सामानाधिकरण्यसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकं तद्धर्मशून्यत्वद्वयं तमालत्वे सुस्थमेव। 'स्मृतापि....' इत्यत्र कादम्बिनीत्वात्मकं विषयितावच्छेदकं द्वितीयकोटिकम्, यतस्तत्र स्मरणकालिकतीव्रातपहारकत्व-चिरस्थायिशरीरकान्तिविद्युच्छतवेष्टितत्व-कालिन्दीतटगतनीपद्रुमाश्रयकत्वरूपैस्त्रिभिर्धर्मैः सामानाधिकरण्यं कादम्बिनीत्वस्योपवर्णितम् ते धर्मा वस्तुतो भगवन्मूर्तावेव न कादम्बिन्याम् इति ते धर्मा विषयमात्रवृत्तयः। तथा च कादम्बिनीत्वे पूर्वोक्तधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकविषयिमात्रवृत्तिधर्मशून्यस्य सत्त्वेऽपि तादृशविषयमात्रवृत्तिधर्मशून्यत्वं नास्ति, विषयमात्रवृत्तेः पूर्वोक्तधर्मत्रयस्य सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन तत्र सत्त्वात् इति तादृशशून्यत्वद्वयविशिष्टतया कादम्बिनीत्वमप्रसिद्धम्। अतः कल्पनया कादम्बिन्यामपि ते धर्माः सम्पाद्याः। कादम्बिन्यास्तद्धर्मविशिष्टत्वे कल्पिते ते धर्मा उभयवृत्तय एवेति तदतिरिक्ता एव धर्माः प्रतियोगिकुक्षौ आगच्छेयुः। एवञ्च तादृशशून्यत्वद्वयं कादम्बिनीत्वे सेत्स्यतीति तादृशशून्यत्वद्वयविशिष्टकादम्बिनीत्वं कविकल्पितमिति फलितम्। तच्च धर्मस्य कविकल्पितत्वं न विरुद्धम् धर्मी एव कल्पयितव्यो, न धर्म इति नियमाभावात्। धर्मिकल्पनञ्च 'स्तनाभोगे पतन्....' इत्यादौ स्वीकृतमेव। एवञ्चात्र धर्मकल्पनमपि स्वीकर्तव्यमिति।

अतिशयोक्ति में विषयितावच्छेदक—अर्थात् उपमानगत असाधारण धर्म दो प्रकार का हो सकता है इस बात का स्पष्टीकरण अब किया जाता है—तत्त्व इत्यादि।

उपमान से होनेवाले उपमेय के निगरण को दृढ करने के लिये उन दोनों (उपमान-उपमेय) में रहने वाले एक वा अनेक साधारण धर्म की स्थिति आवश्यक होती है उन धर्मों की साधारणता कहीं स्वतःसिद्ध अतएव प्रसिद्ध रहती है और कहीं कल्पना द्वारा उन

धर्मों को साधारण बनाया गया रहता है। इस बात को यहाँ शास्त्रीयशैली में कुछ भिन्न ढङ्ग से कहा गया है। अच्छा तो अब जरा शास्त्रीय शैली में उक्त बात को समझिए। जिसका अभाव कहा जाता है वह वस्तु अभाव का प्रतियोगी कहलाती है—और जिस संबन्ध से अभाव कहा जाय–अर्थात् जिस संबन्ध से जो न रहे वह संबन्ध होता है प्रतियोगिता का अवच्छेदक और वह अभाव तत्संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक कहलाता है, जैसे संयोग संबन्ध से घट नहीं है' इस बात को शास्त्रीय शैली में 'संयोग-संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक घटाभाव है' इस तरह कहा जायगा। अस्तु, अब प्रकृत में आइए–'कलिन्दगिरिनन्दिनी···' यह जो पद्य पहले मिल चुका है वहां विषयितावच्छेदक–अर्थात् उपमानगत खास धर्म है–तमालत्व, और भिन्न-भिन्न विशेषणों के द्वारा, यमुनातट-गतवन-भासकत्व, क्लेशहारत्व तथा सुवर्णकान्तिमयलतावेष्टितत्व ये तीन धर्म उसके सहवासीरूप में कहे गए हैं। ये तीनों ही धर्म तमालरूप विषयी और हरिरूप विषय दोनों में समानरूप से स्वतः रहने वाले हैं, अतः ये तीनों धर्म न विषयमात्रवृत्ति कहला सकते हैं और न विषयिमात्रवृत्ति। ऐसी स्थिति में यदि ये तीनों ही धर्म सामानाधिकरण्य संबन्ध से उक्त तमालत्व में हैं भी तथापि विषयमात्रवृत्ति धर्म अथवा विषयिमात्रवृत्ति धर्म सामानाधिकरण्य संबन्ध से तमालत्व में नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। फलतः सामानाधिकरण्य-संबन्धावच्छिन्न-प्रतियोगिताक-विषयमात्रवृत्ति-धर्माभाव तथा सामानाधिकरण्य-संबन्धावच्छिन्न-प्रतियोगिताक-विषयिमात्रवृत्ति धर्माभाव उक्त तमालत्व में रह जाता है, अतः वह तमालत्वरूप-विषयितावच्छेदक, उक्त अभाव-(शून्यता) द्वय से युक्तरूप में प्रसिद्ध समझा जाएगा।

'स्मृतापि तरुणातपम्···' यह प्रकृत ग्रन्थ का प्रथम मङ्गलपद्य है। यहाँ भी कादम्बिनीरूप उपमान से कृष्णमूर्तिरूप उपमेय का निगरण हुआ है, फलतः यहाँ भी अतिशयोक्ति है। यहाँ विषयितावच्छेदक धर्म है–कादम्बिनीत्व और उसके सहवासी धर्म हैं तीन–स्मरणकालिक-तीव्रातपहारकत्व, चिरस्थायिशरीरकान्तिरूपविद्युद्वेष्टितत्व और यमुनातटगतकदम्बतरुवर्त्तित्व। परन्तु ये तीनों धर्म वस्तुतः विषय=कृष्णमूर्तिवर्ती ही हैं, विषयी—कादम्बिनीवर्ती नहीं, क्योंकि कादम्बिनी (मेघमाला) दर्शनकालिक-तापहारक है, अचिरस्थायी एक विद्युत् से आवेष्टित है और आकाशवर्ती है। ऐसी स्थिति में उक्त कादम्बिनीत्वरूप-विषयितावच्छेदक में सामानाधिकरण्य संबन्ध से उक्त विषयमात्रवृत्ति-धर्मशून्यत्व नहीं रहा। यद्यपि विषयिमात्रवृत्ति वे धर्म नहीं हैं, अतः विषयिमात्रवृत्ति धर्म जो होगें,–सामानाधिकरण्य-संबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक-तद्धर्मशून्यत्व उक्त कादम्बिनीत्व में अवश्य रहेगा तथापि इस शून्यत्व के रहने पर भी उक्त शून्यत्व के नहीं रहने से तादृश–अर्थात् विषयमात्रवृत्ति-धर्मशून्यत्व और विषयिमात्रवृत्ति धर्मशून्यत्व–शून्यत्वद्वय से युक्तरूप में कादम्बिनीत्व प्रसिद्ध नहीं हो सका, अतः कल्पना द्वारा कवि कादम्बिनीत्व को उक्त शून्यत्वद्वय से युक्त सिद्ध करता है—अर्थात् कवि अपनी प्रतिभा से कादम्बिनी में भी स्मरणकालिक-तापहारकत्व आदि तीनों धर्मों की कल्पना कर लेता है और जब ऐसी कल्पना कर ली जाती है तब वे तीनों धर्म उभय–कृष्णमूर्ति तथा कादम्बिनी—निष्ठ हो जाते हैं। फलतः वे धर्म विषयमात्रवृत्ति किंवा विषयिमात्रवृत्ति नहीं होते। जो धर्म वैसे होंगे तच्छून्यता कादम्बिनीत्व में रहेगी ही। वश, काम बन गया।

आप कहेंगे–धर्म की कहीं कल्पना होती है? तो मैं कहूँगा कि होने में आपत्ति ही क्या है। जब 'स्तनाभोगे पतन् भाति···' इत्यादि कल्पितोपमाओं में उपमान-

रूपधर्मों की–अर्थात् चन्द्रबिम्ब से मेरु पर लटकनेवाले साँप की कल्पना होती ही है तब धर्म की कल्पना क्यों विरुद्ध समझी जाय ?

विषयमात्रवृत्तिधर्म-स्वसमानाधिकरणधर्म-शून्यत्वविशिष्टतया कल्पितस्य विषयित्वावच्छेदकस्योदाहरणान्तरमाह—

यथा वा—

'जगज्जालं ज्योत्स्नामयनवसुधाभिर्जटिलय-
ञ्जनानां संतापं त्रिविधमपि सद्यः प्रशमयन् ।
श्रितो वृन्दारण्यं नत-निखिल-वृन्दारक-नुतो
मम स्वान्तध्वान्तं तिरयतु नवीनो जलधरः ॥'

भक्तः प्रार्थयते—ज्योत्स्नामयीभिः तेजोमयीभिः, नवाभिः नूतनाभिः, सुधाभिः पीयूषैः, जगज्जालम् भुवनमण्डलम् , जटिलयन् व्याप्नुवन् , निजकायकान्त्यात्मकामिनवामृतैः संसारं सिञ्चन्निति समुदितार्थः, एतद् विशेषणं जलधरत्वेनाध्यवसिते भगवति हरौ सुयोजम् , जलधरे कल्पनया योज्यम् , जनानां लोकानाम् , त्रिविधम् आधिभौतिकमाधिदैविकमाध्यात्मिकञ्चेत्यर्थः, न केवलमाधिभौतिकमित्यपेरर्थः, संतापम् दाहविशेषम् , सद्यः तत्काल एव, न तु कालान्तरे, प्रशमयन् सर्वथा दूरीकुर्वन् , वृन्दारण्यं वृन्दाभिधानं वनम् , श्रितः प्राप्तः, नतैः, नम्रीभूतैः, निखिलैः सर्वैः, वृन्दारकैः देवैः, नुतः नमस्कृतः, नवीनः अभिनवः, नतु प्राक्तनः चिरपरिचितः, जलधरः मेघः तत्त्वेनाध्यवसितो भगवान् कृष्ण इति यावत् , मम, स्वान्तध्वान्तम् हृदयान्धकारम् , अज्ञानमिति यावत् , तिरयतु तिरस्करोत्वित्यर्थः ।

उक्त शून्यताद्वय-विशिष्टरूप में कल्पित विषयितावच्छेदक वाला दूसरा भी उदाहरण दिखलाया जा रहा है—यथा वा इत्यादि ।

अथवा जैसे—जगज्जालम् इत्यादि । भक्त की कामना है कि–कान्ति-विशेषात्मक नवीन अमृतों से भुवन-मण्डल को व्यापता हुआ, लोगों के त्रिविध (आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक) ताप को तुरत शान्त करता हुआ, वृन्दावन में रहने वाला, विनम्र बने सभी देवों से नमस्कृत, नवीन मेघ (मेघरूप में अध्यवसित कृष्ण भगवान्) मेरे मानस अन्धकार (अविद्या) को तिरोहित (दूर) करें ।

उपपादयति—

अत्र विषयधर्मविशिष्टतया कल्पितेन लोकोत्तरजलधरत्वेन रूपेण भगवतः प्रतिपादने तत्समानाधिकरणत्वेन कल्पितानां विशेषणानामानुगुण्यम् ।

विषयधर्मेति । लोकोत्तरत्वेनेत्यर्थः । तद्वैशिष्ट्यञ्च समानाधिकरणत्वसंबन्धेन बोध्यम् । तत्समानाधिकरणत्वेनेति । लोकोत्तरजलधरत्वसमानाधिकरणत्वेनेत्यर्थः । आनुगुण्यम् आनुकूल्यम् । 'जगज्जालम्…' इत्यत्र भगवान् हरिर्विषयः जलधरश्च विषयी । यद्यपि लोकोत्तरत्वञ्च विषयधर्मः, विषयिणि तस्य वस्तुतोऽसत्त्वात्, तथापि जलधरेऽपि स धर्मः कविना कल्प्यते । तथा च लोकोत्तरत्वजलधरत्वयोः सामानाधिकरण्यं सम्पद्यते । एवञ्च 'ज्योत्स्नामयनवसुधाभिर्जगज्जलं जटिलयन्' इत्यादि विशेषणानां वस्तुतो विषयिणि-जल-

धरेऽवर्तमानानामपि तद्वर्तित्वेन कविकल्पितानामनुकूलतैव, तेषां पूर्वोपकल्पितलोकोत्तरत्वपोषकत्वात्। जलधरे नवीनत्वोक्तिरपि एतदर्थपोषिकैवेति भावः।

अत्रापि पूर्ववत् कल्पनया नवसुधाकरणकव्याप्तिकर्तृत्वादेर्धर्मस्य विषय-विषय्युभय-साधारण्ये तदितरैकतरवृत्तिधर्मशून्यत्वं सामानाधिकरण्यसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकं विषयितावच्छेदके जलधरत्वे बोद्धव्यम्।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'जगज्जालम्......' इस पद्य में विषय—अर्थात् भगवान् हरि के धर्म—लोकोत्तरता—से युक्त जलधरता की कवि ने कल्पना की है। तात्पर्य यह कि लोकोत्तरत्व वस्तुतः हरि भगवान् में ही है, जलधर-मेघ में नहीं। तथापि कवि ने मेघ में भी उसकी कल्पना कर ली है, अतः मेघरूप एक अधिकरण-आधार में दोनों के रह जाने के कारण सामानाधिकरण्य संबन्ध से विषयवृत्तिधर्म-लोकोत्तरत्व से विशिष्ट जलधरत्व हो गया। ऐसे–अर्थात् लोकोत्तर-जलधर के रूप में जब यहाँ भगवान् का प्रतिपादन हुआ है तब उस जलधर के विशेषणरूप में जिन पदार्थों की कल्पना की गई है वे भी विरुद्ध नहीं, अपितु अनुकूल हो गए। अभिप्राय यह कि 'ज्योत्स्नामय नवीन सुधाओं से संसार को व्याप्त करता हुआ' इत्यादि जो विशेषण जलधर के लिये दिए गये हैं वे वस्तुतः जलधर में संघटित होते नहीं—कारण? वे भगवान् के धर्म हैं, किन्तु पूर्वकल्पित जलधरगत लोकोत्तरता की पुष्टि के लिये मेघ में भी उन सब बातों की कल्पना समुचित ही है अर्थात् लोकोत्तर मेघ लोकोत्तर कार्यकारी हो तो आश्चर्य क्या? मेघ के लिये दिया गया 'नवीन' विशेषण भी तो प्रसिद्ध मेघ से व्यतिरेक झलकाता हुआ इसी लोकोत्तरता की ओर संकेत करता है।

सारांश यह कि यहाँ भी 'स्मृतापि तरुणातपम्......' की तरह जलधरत्वरूप–विषयितावच्छेदक–विषयमात्रवृत्ति धर्म और विषयिमात्र–धर्म से स्वतः शून्य नहीं है, अपितु उक्त धर्मद्वय की शून्यता उसमें (जलधरत्व में) कल्पित है। शेष प्रक्रिया 'स्मृतापि...' की व्याख्या के समान समझ लेनी चाहिए।

अथ पूर्वप्रघट्टकसारांशमुपवर्ण्य तद्विरुद्धतया दीक्षितमतस्य निरस्तत्वमावेदयति—

"एवं च निगरणे सर्वत्रापि विषयितावच्छेदकधर्मरूपेणैव विषयस्य भानम्, न विषय्यभिन्नत्वेनेति स्थिते 'रूपकातिशयोक्तिः स्यान्निगीर्याध्यवसानतः' इत्युक्त्वा 'अत्रातिशयोक्तौ रूपकविशेषणं रूपके दर्शितानां विधानामिहापि संभवोऽस्तीत्यतिदेशेन प्रदर्शनार्थम्। तेनात्राप्यभेदातिशयोक्तिस्ताद्रूप्यातिशयोक्तिरि'ति कुवलयानन्दे यदुक्तं तन्निरस्तम्" इति नव्याः।

एवञ्चेति। अस्य निरस्तमित्यत्रान्वयो बोध्यः। विधानामिति। प्रकाराणामित्यर्थः। अतिदेशेनेति। अन्यत्रान्यशब्द प्रयोग इति न्यायादिति भावः। अत्रापीति। अतिशयोक्तावपीत्यर्थः।

'रूपकातिशयोक्तिः स्यात्...' इति चन्द्रालोक-कारकारिकांशं विवृण्वता कुवलयानन्दकारेणाप्पयदीक्षितेन अतिशयोक्तिविशेषणतयोक्तस्य रूपकपदस्य रूपकालंकारगतप्रकारसूचकतापरत्वं व्याख्यायातिशयोक्तेरभेदातिशयोक्ति-ताद्रूप्यातिशयोक्तिनामकं यत्प्रकारद्वयं सिद्धान्तितम्, तन्न युक्तम्, प्रागुपदर्शितरीत्या निगरणस्थले सर्वत्र 'विषयितावच्छे-

दकधर्मरूपेण (उपमानगतासाधारणधर्मरूपेण) विषयस्य (उपमेयस्य) भानं भवति, न तु विषय्यभेदेन' इति सिद्धान्ते दृढीकृते अतिशयोक्तावभेदभानस्यैवाभावेनाभेदातिशयोक्तिनामकप्रकारस्यासंभवादिति नवीनानामाशयः ।

अत्र 'तन्निरस्तम्' इति प्रतीकमुपादाय "अत्रेदं चिन्त्यम्—काव्यप्रकाशादिरीत्या तदुक्तम् । निर्बाधकत्वात् । किं च त्वयाप्यभेदप्रधानातिशयोक्तिरिति प्राचीनव्यवहारसंगमनाय विषयितावच्छेदकमेवाभेद इत्यवश्यं वक्तव्यम् । एवं च तथैवाभेदातिशयोक्तिरिति व्यवहारो मयापि सूपपादः । 'कोऽयं गलितहरिणः–' इत्यादौ प्रसिद्धविषयितावच्छेदकप्रकारकबोधस्य बाधबुद्धिपराहतत्वात्कोऽयमित्यनेन निरस्तत्वाच्चावश्यं चन्द्रकार्यकारित्वप्रकारकबोधोऽङ्गीकार्यः । एषैव च ताद्रूप्यातिशयोक्तिः । अत्रापि विषयितावच्छेदकप्रकारकधीराहार्यैव । तद्धर्मविशिष्टे शक्यसंबन्धाग्रहोऽपि तथैव । तद्धर्मवैशिष्ट्यमपि लक्ष्यस्यारोपितमेवेति ।" इति नागेशो ब्रूते ।

एक स्पष्टीकरण किया जाता है—एवञ्च इत्यादि ।

निगरण-स्थल में सर्वत्र विषय (उपमेय) का भान, विषयितावच्छेदक धर्म—अर्थात् उपमानगत असाधारण धर्म-रूप से ही होता है, विषयी से अभिन्न रूप में नहीं, यह बात जब निश्चित हो गई, तब 'निगरणपूर्वक अध्यवसान—अर्थात् आरोप होने से रूपकातिशयोक्ति होगी' ऐसा कह कर 'यहाँ रूपकालंकार में दिखलाये गये प्रकारों की सम्भावना सूचित करने के लिए अतिशयोक्ति में रूपक विशेषण लगाया गया है, अतः अतिशयोक्ति के भी अभेदातिशयोक्ति और ताद्रूप्यातिशयोक्ति नामक दो प्रकार हो सकते हैं' ऐसा जो कुवलयानन्द में अप्पय दीक्षित ने कहा वह खण्डित हो गया। तात्पर्य यह कि जब अतिशयोक्ति में उपमान का अभेद उपमेय में भासित ही नहीं होता, अपितु उपमानगत धर्मयुक्तरूप में उपमेय का भान होता है—अर्थात् उपमान और उपमेय दोनों की पृथक्-पृथक् प्रतीति होने के बाद रूपक के समान प्रथम का अभेद दूसरे में ज्ञात हो ऐसी बात जब अतिशयोक्ति में नहीं होती, किन्तु उपमानवाचक शब्द से उपमानगत धर्म और उपमेयरूप धर्मी को मिलाकर एक पदार्थ का ही ज्ञान होता है, तब अभेदातिशयोक्ति नामक प्रकार का कथन असंगत है । यह नवीन आचार्यों का मत है ।

अतिशयोक्तावभेदो न भासत इति नव्यमतविरुद्धं प्राचीनमतमाह—

प्राञ्चस्तु 'रूपक इवात्रापि विषय्यभेदो भासते । परं तु निगीर्णे विषये इति रूपकादस्या विशेषः । अध्यवसायस्य सिद्धत्वेनाप्राधान्यान्निश्चयात्मकत्वाच्च साध्याध्यवसानायाः संभावनात्मकोत्प्रेक्षाया वैलक्षण्यमि'त्याहुः ।

अतिशयोक्तावपि विषय्यभेदो भासते चेद्रूपकादस्याः को भेद इत्यत आह—परं तु इति । विशेष इति । भेद इत्यर्थः । आहार्यत्वानाहार्यत्वकृतो विशेष इत्यर्थ इति नागेशः । रूपके आहार्याभेदबोधः, अतिशयोक्तौ तु अनाहार्यः स इति तदर्थः । उत्प्रेक्षातोऽत्र वैलक्षण्यमाह—अध्यवेति । अतिशयोक्तावपि विषये विषयिणोऽभेदो भासत इति प्राचामाचार्याणां मतम् । नन्वेवं सति रूपकादस्याभेदो न स्यादिति चेन्न, रूपकेऽनिगीर्णे विषये विषय्यभेदस्य, अतिशयोक्तौ निगीर्णे तत्र तस्य स्वीकारेण भेदस्य स्पष्टत्वात् ।

अथास्तु नामैवंरीत्या रूपकादस्याभेदः, उत्प्रेक्षातस्तु न भेदो भवेत्, तत्रापि विषयस्यानिगीर्णत्वादित्यपि न, अतिशयोक्तौ आरोपज्ञानस्य सिद्धत्वनिश्चयात्मकत्वञ्च, उत्प्रेक्षायां तस्य साध्यत्वं संभावनात्मकत्वञ्चेति वैलक्षण्यस्य स्फुटमुपलब्धेरिति भावः।

नवीन मत के अनुसार अतिशयोक्ति में अभेद भासित नहीं होता यह पहले कहा जा चुका है। अब प्राचीन मत के अनुसार अतिशयोक्ति में अभेद भासित होता है इस बात की सिद्धि की जा रही है—प्राञ्चस्तु इत्यादि।

प्राचीन आचार्यों का कथन है कि रूपक के समान अतिशयोक्ति में भी विषयी (उपमान) का अभेद विषय (उपमेय) में भासित होता ही है। आप कहेंगे—यदि ऐसी बात है तब रूपक से इसमें (अतिशयोक्ति में) अन्तर क्या रहा? तो इसका उत्तर यह है कि रूपक में विषयी का अभेद अनिगीर्ण (उपात्त) विषय में भासित होता है और अतिशयोक्ति में विषयी का निगीर्ण (अनुपात्त) विषय में अभेद भासित होता है। नागेश के अनुसार इसका अभिप्राय यह होता है कि रूपक में अभेद का बोध आहार्य रहता है—अर्थात् वहाँ भेदज्ञान के रहने पर भी ऐच्छिक अभेद ज्ञान होता है और अतिशयोक्ति में वह अनाहार्य रहता है—अर्थात् वहाँ भेद का ज्ञान सर्वथा नहीं रहता है। इस तरह दोनों अलंकारों में अभेद के भासित होने पर भी अन्तर स्पष्ट हो जाता है।

आप पूछेंगे - इस तरह रूपक से भले ही भेद सिद्ध हो जाय, पर उत्प्रेक्षा से कैसे भेद सिद्ध होगा? क्योंकि उत्प्रेक्षा में तो विषय का निगीर्ण रहना निश्चित नहीं है, तो इसके समाधान में भी यह कहा जा सकता है कि अतिशयोक्ति में विषयी का विषय में आरोप सिद्ध तथा निश्चयात्मक रहता है, पर उत्प्रेक्षा में उसका उसमें आरोप साध्यमान तथा संभावनात्मक होता है, अतः उन दोनों में भी परस्पर विलक्षणता स्पष्ट हो जाती है।

विषयस्यानुपादान एव निगरणव्यपदेश इति सिद्धान्तमाक्षिप्य समाधत्ते—

कथं तर्हि 'कमलमिदमनम्बुजातं जयतितमां कनकलतिकायाम्' इत्यादाविदंत्वादेर्विषयतावच्छेदकस्योल्लेखान्निगरणमिति चेत्, न। इदमित्यस्य कमलत्वविशिष्टे विशेषणत्व एवातिशयोक्तिः, उद्देश्यतावच्छेदकत्वे तु रूपकमेव। एवं 'गौरयम्', 'आयुरेवेदम्' इत्यादावपि बोध्यम्। अतएवातिशयोक्तावभेदोऽनुवाद्य एव, न विधेय इति प्राचामुक्तिः संगच्छते।

कमलमिति। नायिकामुखवर्णनमिदम्। सुवर्णलतात्वेनाध्यवसितायाम् गौराङ्गनायिकायाम्, अजलोत्पन्नम् इदम् कमलत्वेनाध्यवसितम् मुखं, निश्चितं सर्वोत्कर्षेण वर्तत इति तदर्थः।

नायिका-काययष्टि-सुवर्णलतयोः मुखकमलयोश्चौपम्यं व्यङ्ग्यम्। इदमिति। यत इत्यादि उद्देश्यतावच्छदकत्व इति। उद्देश्यविशेषणत्व इत्यर्थः। विषयस्यानुल्लेख एव निगरणमितिसिद्धान्ते स्वीकृते 'कमलमिदम्...' इत्यादौ इदमित्यस्य विषयबोधकस्योल्लेखे कथन्निगरणमिति शंकायामिदं समाधानं यत्—इदमित्यस्य कमलरूपविधेय (विषयि)-विशेषणत्वविवक्षायामेव निगरणम्, तन्मूलातिशयोक्तिश्च स्वीक्रियते तस्य मुखरूपोद्देश्य-(विषय) विशेषणत्वविवक्षायां तु न निगरणम्, तन्मूलातिशयोक्तिर्वा, अपि तु रूपकमेव। 'गौरयम्? 'आयुरेवेदम्' इत्यादावपि 'अयम्' 'इदम्' इत्यनयोर्विषयि-विशेषणत्वेऽ-

तिशयोक्तिः, विषयविशेषणत्वे रूपकम् इति बोध्यम् । प्राचीनमतसिद्धप्रकृतव्यवस्थाम् प्राचीनोक्त्यैव प्रमाणयति—अत एवेति । सर्वथा विषयानुपादानेऽस्या अङ्गीकारादेवेति तदर्थः । अतिशयोक्तिस्थले विषय विषयिणोरभेदो न वक्त्रा साध्यते, अपि तु तयोरभेदं पूर्वसिद्धं मत्वा विषयतात्पर्येण विषयी प्रयुज्यतेऽतस्तत्राभेदोऽनुवाद्यः, रूपके तु वक्त्रैव विषयमुद्दिश्य विषयिणोऽभेदः साध्यत इति तत्राभेदो विधेय इति यदुच्यते प्राचीनैस्तदपि 'विषयानुल्लेख एव निगरणम्' इति सिद्धान्ताङ्गीकार एव संगतम् भवति, नान्यथेति भावः ।

एक शंका और उसका समाधान अब किया जाता है—कथं तर्हि इत्यादि । विषय बोधक पद के अनुपात्त रहने पर ही निगरण का व्यवहार होता है यह सिद्धान्त जब स्थिर कर दिया गया तब 'कमलमिदम्'''' अर्थात् 'सुवर्ण की लता (वस्तुतः सुवर्ण वर्ण-वाली नायिका) में यह अजलोत्पन्न कमल (वस्तुतः मुख) सर्वोत्कृष्ट है ।' इत्यादि स्थलों में 'इदम्' (यह) आदि विषयबोधक पद के रहने पर निगरण किंवा तन्मूलक अतिशयोक्ति अलंकार कैसे व्यवहृत होता है ? ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थलों पर 'इदम्' को जब विषयी का विशेषण मानते हैं—अर्थात् 'यह कमल' इस रूप से जब इदम् पद के अर्थ का अन्वय उपमान के साथ करते हैं, तभी निगरण तथा तन्मूलक अतिशयोक्ति का व्यवहार होता है, उसको विषयबोधक मानने पर अर्थात् 'यह' (मुख), कमल है इस तरह अन्वय करने पर निगरण नहीं ही माना जाता है, फलतः उस स्थिति में अलंकार भी अतिशयोक्ति नहीं अपि तु रूपक ही कहा जायगा । 'गौरयम्' 'आयुरेवेदम्' इत्यादि स्थलों पर भी यही बात समझनी चाहिए । अर्थात् 'अयम्' और 'इदम्' को गो तथा आयुरूप विषयी के विशेषण मानने पर अतिशयोक्ति और उन दोनों को क्रमशः 'हलवाहे' तथा 'घृत' रूप विषय के बोधक मानने पर रूपक समझना चाहिए ।

उक्त सिद्धान्त (विषय के अनुल्लेख रहने पर ही अतिशयोक्ति होती है) के कारण ही 'अतिशयोक्ति में अभेद अनुवाद्य ही रहता है विधेय नहीं' यह प्राचीनों का कथन संगत होता है । तात्पर्य यह कि अतिशयोक्ति में मुख आदि विषय को उद्देश्य बनाकर चन्द्र आदि विषयी के अभेद को सिद्ध (विहित) नहीं किया जाता है, अपि तु मुख को चन्द्र से अभिन्न समझ कर मुख के लिये चन्द्र पद का प्रयोग किया जाता है, अतः चन्द्र का अभेद यहां विधेय नहीं अपि तु पूर्व सिद्ध–अत एव अनुवाद्य रहता है यह जो प्राचीनों का कथन है उसकी संगति तभी हो सकती है यदि विषय की अनुल्लेखा-वस्था में ही अतिशयोक्ति मानी जाय । विषय के उल्लेख रहने पर भी अतिशयोक्ति को स्वीकार करने से तो वह कथन असंगत ही हो जायगा, क्योंकि उस स्थिति में ठीक रूपक के समान यहाँ भी विषयी का अभेद विधेय हो जायगा ।

प्रसङ्गसमाप्तिं सूचयति—

एवमेकः प्रकारोऽतिशयस्य, यत्र भेदेऽप्यभेदः ।

एवमिति । उक्तप्रकारेणेत्यर्थः । निरूपित इति शेषः । यत्र भेदे वस्तुतो वर्तमानेऽपि अभेदो वर्ण्यते, तादृशोऽतिशयस्यैकः प्रकारः प्रागुपदर्शितरीत्या निरूपित इति भावः । एवञ्च 'जगज्जालम्' कलिन्द''' इत्यादौ भेदेऽप्यभेदरूपातिशयोक्तिरिति स्पष्टार्थः ।

प्रसङ्ग-समाप्ति की सूचना दी जाती है—एवम् इत्यादि ।

उक्त रीति से अतिशय के उस एक प्रकार का निरूपण किया जा चुका जहाँ वस्तुतः भेद रहने पर भी अभेद वर्णित होताहै । तात्पर्य यह कि 'कलिन्द''' और 'जगज्जा-

लम्'''' इन दोनों पद्यों में क्रमशः तमाल तथा भगवान् में और जलधर तथा भगवान् में वस्तुतः भेद रहने पर भी जो अभेद का वर्णन हुआ है वह एक प्रकार का अतिशय कथन है।

अतिशयस्य प्रकारान्तरन्निर्दिशति—

अथ प्रकारान्तरम्—यत्राभेदेऽपि भेदो लोकोत्तरत्वप्रतिपत्त्यर्थः, इदमेव प्रस्तुतस्यान्यत्वमित्यनेनोक्तम्।

अथेति। अनन्तरमित्यर्थः। प्रकारेति। अतिशयस्येति शेषः। किं तत्प्रकारान्तरमित्यत्राह—यत्राभेदेऽपीति। यत्र वस्तुतोऽभेदेऽपि भेदो वर्ण्यते तत्र तादृशं वर्णनं प्रकारान्तरमतिशयस्येति भावः। अभेदे भेदवर्णनस्य किं प्रयोजनमित्यत्राह—लोकोत्तरेति। वर्णनीयस्य लोकोत्तरत्वस्य ज्ञानं तादृशवर्णनस्य प्रयोजनमिति भावः। प्राचीनैरपि शब्दान्तरेण भेद एष स्वीकृत इत्याह—इदमेवेति। अभेदे भेदरूपं प्रकारान्तरमेव प्रकाशकारादिभिः 'प्रस्तुतस्य यदन्यत्वम्' इत्यादिना कथितमिति भावः।

अब अतिशय का अन्य प्रकार दिखलाया जा रहा है—अथ इत्यादि।

इसके बाद अतिशय का एक प्रकार वह होता है, जहां वर्णनीय की लोकोत्तरता की प्रतीति कराने के लिये वस्तुतः अभेद रहने पर भी भेद वर्णित होता है। इसी प्रकार की चर्चा प्राचीनों ने 'प्रस्तुत पदार्थ का जो अन्यत्व-कथन वह भी एक प्रकार की अतिशयोक्ति है' इस तरह की है।

अस्य द्वितीयस्य प्रकारस्योदाहरणन्निर्देष्टुमाह—

उदाहरणम्—

निर्दिश्यत इति शेषः।

अतिशय के द्वितीय प्रकार का उदाहरण दिखलाया जाता है—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रवृत्ति-
रन्यैव कापि रचना वचनावलीनाम्।
लोकोत्तरा च कृतिराकृतिरार्यहृद्या
विद्यावतां सकलमेव चरित्रमन्यत्॥'

कविर्विद्वांसं वर्णयति—विद्यावताम् विदुषाम्, जगद्धितमयी संसारकल्याणकारिणी, मनसः प्रवृत्तिः मानसचेष्टा, अन्या विलक्षणेति भावः, तथा तेषाम्, वचनावलीनाम् उक्तिपरम्पराणाम् कापि प्रसिद्धातिरिक्ता, रचना सृष्टिः, अन्या भिन्ना, एवम्, तेषां कृतिः बाह्याचरणम् लोकोत्तरा अन्या, इत्थमेव, आर्यहृद्या आर्यजनहृदयहारिणी, तेषाम्, आकृतिः अवयवसंस्था, च लोकोत्तरा सामान्येनोक्तार्थविशेषं समर्थयति—विद्यावताम्, सकलम् सर्वम्, चरित्रम् व्यवहारः, अन्यदेव, न सर्वजनसाधारणमित्यर्थः। अत्रान्यजनगततत्तदपेक्षयाऽऽभिन्नास्वपि विद्वत्प्रवृत्तिवचनरचनाकृतिषु भिन्नत्वकथनेनातिशयोक्तिः।

उदाहरण उपस्थित किया जाता है—अन्या इत्यादि।

संसारहितकारिणी मनःप्रवृत्ति दूसरी, अनिर्वचनीय वचन-परिपाटी भी भिन्न, बाह्यचेष्टा तथा आर्यजनप्रिय आकार भी लोकोत्तर, फलतः विद्वानों के सभी चरित साधारण

जनों से भिन्न ही होते हैं। यहां विद्वानों की मनःप्रवृत्ति आदि ठीक वैसी ही है जसी अन्यों की होती है, परन्तु फिर भी विद्वानों की मनःप्रवृत्ति आदि को भिन्न कहा गया है, अतः यह पद्य 'अभेद में भी भेद' नामक अतिशय प्रकार का उदाहरण होता है।

अतिशयस्य तृतीयं प्रकारं निरूपयति—

एवमन्यः प्रकारः—यत्रासंबन्धेऽपि संबन्धो वर्ण्योत्कर्षार्थः।

यत्र यस्य वस्तुनः संबन्धो नास्ति तत्र यदि तस्य संबन्धः वर्णनीयपदार्थोत्कर्ष-सिद्धये वर्ण्यते, तर्हि तादृशं तत्काल्पनिकसंबन्धवर्णनम् अतिशयस्य तृतीयः प्रकार इति भावः।

अतिशय के तृतीय प्रकार का निरूपण किया जाता है—एवमित्यादि।

इसी तरह अतिशय का एक अन्य प्रकार वह है जहाँ वर्णनीय के उत्कर्ष को सिद्ध करने के लिये असंबन्ध में सम्बन्ध वर्णित हो—अर्थात् जिस वस्तु में जिस वस्तु का सम्बन्ध वस्तुतः नहीं है उसमें भी यदि उस वस्तु का सम्बन्ध कहा जाय तो वह भी एक प्रकार का अतिशय है और इस प्रकार के अतिशय-कथन का फल होता है वर्णनीय की उत्कृष्टता का बोध।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्।

जैसे—

उदाहरणमाह—

'धीरध्वनिभिरलं ते नीरद मे मासिको गर्भः।
उन्मद-वारण-बुद्ध्या मध्येजठरं समुच्छलति॥'

सिंहया मेघं प्रत्युक्तिः—हे नीरद मेघ!, ते तव, धीरध्वनिभिः गम्भीरगर्जितैः, अलम् व्यर्थम्, तव गर्जितैर्न किमपि साध्यमिति यावत् ('गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तेः प्रयोजिका' इति सिद्धान्तेन 'अलं श्रमेण' इतिवत् तृतीया) यतः तव गम्भीरगर्जिता-न्याकर्ण्य, मे मम मासिकः त्रिंशद्दिनभवः, गर्भः कुक्षिस्थशिशुः, उन्मदस्य मदमत्तस्य वारणस्य गजस्य, बुद्ध्या भ्रमेण, मध्येजठरम् जठरस्य मध्ये, 'पारे मध्ये षष्ठ्या वा' इत्य-व्ययीभावसमासः, समुच्छलति उत्पतीत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—धीर इत्यादि।

सिंहिनी मेघ से कह रही है—हे मेघ! तेरे ये गम्भीर गर्जन व्यर्थ हैं। क्योंकि इन गर्जनों के कारण मेरा एक मास का गर्भस्थ बच्चा पेट में मद-मत्त हाथी के भ्रम से उछल-उछल पड़ता है।

उपपादयति—

अत्र सिंही-वचने समुच्छलनाऽसंबन्धेऽपि समुच्छलनसंबन्धोक्तिः शौर्या-तिशायिका।

'धीरध्वनिभिः—'इति पद्ये सिंहीजठरगतमासिकगर्भस्य समुच्छलनक्रियया वस्तुतः संबन्धविरहेऽपि तस्य तदीय-संबन्धवर्णनेन शौर्यातिशयः प्रतीयते। तथा च भवतीदं पद्यम् असंबन्धे संबन्धरूपस्यातिशयस्योदाहरणमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'धीरध्वनिभिः—' इस सिंही के वचन में उदरस्थ मासिक बच्चे का उच्छलन क्रिया के साथ वस्तुतः संबन्ध नहीं है, किन्तु यहाँ उसका उसके साथ संबन्ध वर्णित हुआ है, अतः यह पद्य असंबन्ध में सम्बन्धरूपा अतिशयोक्ति का उदाहरण होता है। इस अतिशयोक्ति के द्वारा सिंहजातीय शिशु की शूरता ज्ञात होती है।

अतिशय-तृतीयप्रकारस्यैवोदाहरणान्तरमुपस्थापयितुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्,

अथवा जैसे—

उदाहरणमुपस्थापयति—

गिरं समाकर्णयितुं यदीयां सदा रसज्ञैरनुभावनीयाम्।
समीहते नित्यमनन्यचेता नभस्वदात्मम्भरिवंशनेता॥'

कविः कमपि राजानं वर्णयति—नभस्वता वायुना, आत्मानं, बिभ्रति पोषयन्ति, ये सर्पा इत्यर्थः, तेषां वंशस्य; नेता नायकः (मुख्यः) शेष इति यावत्, अनन्यचेताः तन्मात्रगतमानसः सन् रसज्ञैः सहृदयैरिति भावः, अनुभावनीयाम् निवृत्तप्रेषणाद्धातोः स्वार्थे वा णिच्, अनुभवनीयामित्यर्थः, अथवा रसज्ञरूपप्रयोजककर्तृद्वाराऽनुभावयितुं योग्यामित्यर्थः, यदीयाम् प्रकृतवर्णनीयराजकीयाम्, गिरं वाचम्, समाकर्णयितुम् श्रोतुम्, सदा सर्वदा, समीहते इच्छतीत्यर्थः। अत्र तदाकर्णनसमीहाऽसंबन्धेऽपि तदुक्तिस्तद्वैदुष्यातिशायिका।

उदाहरण उपस्थित किया जाता है—गिरिम् इत्यादि।

कवि किसी राजा के विषय में कहता है—नभस्वत्=वायु के द्वारा आत्मभरण=अपना पोषण करने वाले अर्थात् सर्प के वंश का नेता=मुखिया (शेषनाग) अनन्यचेता=तन्मनस्क (सावधान) हो कर रसज्ञ-सहृदयों के द्वारा अनुभव करने योग्य अथवा उनके द्वारा ही दूसरों को भी अनुभव कराने योग्य जिस वर्णनीय राजा की वाणी को सदा सुनने की इच्छा करता है। यहाँ वस्तुतः शेषनाग में राजवचनश्रवणेच्छा का संबन्ध नहीं है तथापि जो उसका वर्णन किया गया है उससे वर्णनीय राजा की विद्वत्ता प्रतीत होती है।

तस्यैव भेदस्य तृतीयमुदाहरणं प्रदातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्।

अथवा जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'तिमिर-शारद-चन्दिर-तारकाः कमल-विद्रुम-चम्पककोरकाः।
यदि मिलन्ति कदापि तदाननं खलु तदा कलया तुलयामहे॥'

नायिकाननवर्णनमिदम्—तिमिरम् अन्धकारः, शारदचन्दिरः शरच्चन्द्रः, तारकाः-नक्षत्राणि, कमलम् जलजम्, विद्रुमः नवपल्लवः, चम्पककोरकाः चम्पकाख्यपुष्पविशेषकलिकाः—एते, यदि, मिलन्ति एकत्र तिष्ठन्ति, खलु निश्चयेन, तदा, तदाननम् तस्या

वर्णनीयनायिकाया मुखम्, कलया एकेनांशेन न तु सर्वांशेन, तुलयामहे उपमिनुमः, वयमिति शेषः। तिमिरादयः क्रमशः लम्बमानालक–ललाट–घर्मबिन्दु–कपोलाधर-नासिकानामुपमानभूता इति बोध्यम्।

उदाहरण का उपन्यास किया जाता है—तिमिर इत्यादि।

नायिका-मुख का वर्णन है—अन्धकार, शरत्-कालिक चन्द्रमा, तारे, कमल, नव-पल्लव, और चम्पे की कली यदि एक जगह स्थित हों तब उस (वर्णनीय) नायिका के मुख की अंशतः तुलना हम कर सकते हैं। यहाँ अन्धकार मुख पर लटकते केशों का, चन्द्र ललाट का, तारे घर्मबिन्दुओं के, कमल कपोल के, नव-पल्लव अधर के और चम्पककोरक नाक का उपमान हैं—ऐसा समझना चाहिए।

उपपादयति—

पूर्वत्र निर्णीयमानः इह तु संभाव्यमानः, इति विशेषः।

पूर्वत्रेति, पूर्वयोरित्यर्थः। संभाव्यमान इति यदीत्यस्य संभावनाबोधकत्वादिति भावः। अयमाशयः-तिमिरादीनां वस्तुतः केनाप्येकेन स्थानविशेषेण सह संबन्धो नास्ति, परमिह स वर्णित इति असंबन्धे संबन्धरूपस्यातिशयस्यैतदपि पद्यमुदाहरणम् भवति। प्रथममुदाहृतयोः पद्ययोरसंबन्धे संबन्धो निर्णीततया वर्णितः, अत्र तु स 'यदि' पदोल्लेखेन संभावनाविषयतयेति भेद इति।

उपपादन किया जाता है—पूर्वत्र इत्यादि।

असंबन्ध में संबन्ध रूप अतिशयोक्ति के जो दो उदाहरण पहले कहे गए हैं, उन दोनों में निश्चित रूप से असंबन्ध में संबन्ध वर्णित हुए हैं और इस तृतीय उदाहरण में संभावितरूप से वह कथित है। बश इतना ही अन्तर है। तात्पर्य यह कि असंबन्ध में संबन्ध यहाँ भी है ही–अर्थात् अन्धकार आदि पदार्थों का किसी एक स्थान से वस्तुतः संबन्ध है नहीं पर यहाँ उन सबों का एक स्थान के साथ संबन्ध वर्णित हुआ है, अतः यह भी अतिशय के उक्त प्रकार का उदाहरण है।

पुनरतिशयस्य प्रकारान्तरन्निरूपयति—

तथान्यः प्रकारः-यत्र संबन्धेऽप्यसंबन्धः।

वस्तुतो यस्य यत्र संबन्धो विद्यते परन्तु तत्र यदि तस्यासंबन्धो वर्ण्यते, तदा तादृशं वर्णनमतिशयोक्तेरपर एकः प्रकार इति भावः।

पुनः अतिशय का एक अन्य प्रकार बतलाया जा रहा है—तथा इत्यादि।

जिस तरह असंबन्ध में सम्बन्ध अतिशय का एक प्रकार है उसी तरह संबन्ध में असंबन्ध भी अतिशय का ही प्रकार है।

संबन्धेऽसंबन्धमुदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्,

जैसे—

उदाहरणन्निर्दिशति—

'पीयूष-यूषकल्पामल्पामपि ते गिरं निपीतवताम्।
तोषाय कल्पते नो योषाधरबिम्बमधुरिमोद्रेकः ॥'

पीयूषम् अमृतमेव, यूषः पेयविशेषः, तत्कल्पाम् तत ईषन्न्यूनाम्, अल्पामपि लघ्वीमपि, ते तव, गिरं वाणीम्, निपीतवताम् सादरं श्रुतवताम्, जनानामिति शेषः, तोषाय संतुष्टये, योषायाः कामिन्याः अधरबिम्बस्य, मधुरिम्णः मधुरतायाः, उद्रेकः आधिक्यम्, नो न, कल्पते प्रभवतीत्यर्थः। कान्ताधरापेक्षयापि तव वाणी प्रभूतमधुरेति भावः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—पीयूष इत्यादि।

जो लोग अमृततुल्य तेरी वाणी का पान थोड़ी मात्रा में भी कर चुके हैं–उनको संतोष देने में कान्ताधर-माधुरी भी समर्थ नहीं होती। अर्थात् कान्ताधर से भी अधिक माधुरी तेरी वाणी में है।

उपपादयति—

अत्र तोषसंबन्धेऽप्यसंबन्धः।

श्रुतवर्णनीयराजवचसामपि जनानाम् वस्तुतः कान्ताधरमाधुरी-प्रयोज्यतोषसंबन्धोऽस्त्येव, परन्तु 'पीयूष…' इत्यत्र तदसंबन्धो वर्णित इति भवत्ययं श्लोकः संबन्धेऽप्यसंबन्धात्मकस्यातिशयस्य लक्ष्यभूत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

किसी के मधुर से मधुर वचन सुन चुकने वाले को भी नायिकाधर-माधुरी से संतोष होता ही है पर प्रकृत पद्य में वर्णनीय राजा के वचन सुनलेने के बाद लोगों को कान्ताधर-माधुरी से सन्तोष नहीं होता ऐसा वर्णन किया गया है, फलतः सन्तोष का संबन्ध रहने पर भी असंबन्ध कहा गया, अतः यह पद्य संबन्ध में असंबन्ध रूप अतिशय का उदाहरण होता है।

पुनरतिशयस्य प्रकारान्तरमेव निरूपयति—

एवमन्योऽपि प्रकारः—यत्र प्रयोजकस्य प्रयोज्यस्य च पौर्वापर्यविपर्ययः। स च द्वयोः सहभावात्, प्रयोजकस्य प्रयोज्यानन्तरभावाद्वेति द्वेधा।

प्रयोजकं वस्तु पूर्वं भवति, प्रयोज्यं पश्चाद् भवतीति साधारणो नियमः। तन्नियमोल्लंघनेन वर्ण्यमानः तयो पौर्वापर्यविपर्ययोऽप्यपरः प्रकारोऽतिशयस्य। पौर्वापर्यविपर्ययश्च द्विधा संभवति, प्रयोज्य-प्रयोजकयोः सहोत्पत्तितः, प्रयोज्योत्पत्त्यनन्तरं प्रयोजकोत्पत्तितश्चेति भावः। अयमेव प्रकारोऽन्यैः 'कार्यकारणयोर्यश्च पौर्वापर्यविपर्ययः' इत्येभिरक्षरैरवबोधित इति बोध्यम्।

अतिशय के ही अन्य प्रकार का निरूपण अब किया जाता है–एवमित्यादि।

इसी तरह अतिशय का अन्य प्रकार वहाँ होता है जहाँ प्रयोजक (कारण) तथा प्रयोज्य (कार्य) के पूर्वापरीय भाव का विपर्यय (अदल-बदल) हो गया रहता है। यद्यपि 'प्रयोजक पहले और प्रयोज्य पीछे होता है' यही नियम है पर कविगण कहीं-कहीं इस नियम का उल्लंघन भी कर देते हैं। वश, इस नियम के उल्लंघन करने पर अतिशय का एक प्रकार और हो जाता है। और इस प्रकार के अवान्तर प्रकार भी दो होते हैं, क्योंकि उक्त विपर्यय दो तरह का होता है—एक वह जहाँ प्रयोजक और प्रयोज्य साथ-साथ हों और दूसरा वह जहाँ प्रयोज्य पहले तथा प्रयोजक पीछे हो।

तत्र प्रथमभेदमुदाहर्तुमाह—

आद्यो यथा—

प्रयोज्यप्रयोजकयोः सहोत्पत्तिलक्षणः पौर्वापर्यविपर्ययो यथेति भावः।

उनमें प्रथम भेद का उदाहरण दिखाने के लिये कहा जाता है—आद्य इत्यादि।

प्रथम-अर्थात् प्रयोज्य-प्रयोजक के साथ साथ होने रूप पूर्वापरीय भाव का विपर्यय जैसे।

गद्यांशात्मकमुदाहरणमुदीरयति—

'प्रतिखुर-शिलातल-संघट्ट-समुच्छलद्विद्युद्वल्लीकृतविस्फुलिङ्गच्छटा-पटलानां वाजिनाम्—'

खुर-निकरेण खुर-समूहेन, यः शिलातलस्य प्रस्तरखण्डस्य, संघट्टः संघर्षः, तम्-तम् प्रति समुच्छलताम् उत्पद्योत्पतताम्, विस्फुलिङ्गानां वह्निकणानाम् विद्युद्वल्लीकृतम् तडिल्लतीकृतम्, छायापटलम् प्रभा-पुञ्जम्, यैस्तेषाम् वाजिनाम् अश्वानामित्यर्थः। समासोऽत्र चिन्त्यः।

गद्य खण्ड रूप में उदाहरण उपस्थित किया जाता है—प्रतिखुर इत्यादि।

खुर-पुटों से होने वाले प्रत्येक शिला-संघर्ष में उछलते हुए—अग्निकणों के प्रभा-पुञ्ज को विद्युल्लता का रूप दे दिया है जिन्होंने ने ऐसे घोड़ों के—।

उपपादयति—

इति हयवर्णने समुच्छलन-विद्युद्वल्लीकरणयोः सहोत्पत्तिर्गम्यते।

इतिः 'प्रतिखुर-इत्यारभ्य वाजिनाम्' इत्यन्तवाक्यपरामर्शकः। सहोत्पत्तिरिति शतृ-प्रत्ययेनेति भावः। वस्तुतस्तु समुच्छलनं तत्र हेतुरिति बोध्यम्। तथा च प्रयोजकस्य समुच्छलनस्य प्रयोज्यस्य विद्युद्वल्लीकरणस्य च सहोत्पत्तिवर्णनेनातिशयोक्तिरिति सारांशः।

उपपादन किया जाता है—इति इत्यादि।

उक्त गद्य खण्ड में 'समुच्छलत्' पदगत शतृ प्रत्यय द्वारा अग्निकणों के उच्छलन और उनके प्रभापुञ्ज की विद्युल्लतारूपता-संपत्ति का साथ-साथ होना ज्ञात होता है, पर वस्तुतः अग्निकणों का उच्छलन प्रयोजक (हेतु) होने के कारण पहले होगा। और प्रभा-पुञ्ज की विद्युल्लतारूपता प्रयोज्य (कार्य) होने के कारण पीछे होगी। ऐसी स्थिति में उक्तप्रकारक सहभाव का वर्णन अतिशयोक्ति रूप होता है।

द्वितीयभेदमुदाहर्तुमाह—

द्वितीयो यथा—

प्रयोज्योत्पत्त्यनन्तरकालिकप्रयोजकोत्पत्तिरूपः पौर्वापर्यविपर्ययो यथेति भावः।

द्वितीय भेद का उदाहरण दिखलाने के लिए कहा जाता है—द्वितीय इत्यादि।

द्वितीय—अर्थात् प्रयोज्य की उत्पत्ति के बाद प्रयोजक की उत्पत्तिरूप पूर्वापरीय भाव का विपर्यय जैसे—

उदाहरणमुपस्थापयति—

'पुरः पुरस्तादरिभूपतीनां भवन्ति भूवल्लभभस्मशेषाः।
अनन्तरं ते भ्रुकुटी-विटङ्कात्स्फुरन्ति रोषानलविस्फुलिङ्गाः॥'

राजवर्णनमिदम्—हे भूवल्लभ पृथ्वीपते! अरिभूपतीनाम् शत्रुभूतानां राज्ञाम्, पुरः नगराणि, प्रथमम्, भस्मशेषाः भस्मैव शेषो येषाम् तादृशाः दग्धा इति यावत्, भवन्ति जायन्ते। ते तव भ्रुकुटीविटङ्कात् भ्रुकुट्येव विटङ्कं कपोतपालिका तस्मात्, रोषानलस्य क्रोधाग्नेः विस्फुलिङ्गाः कणाः, अनन्तरम् पश्चात् भवन्तीति पूर्वतनक्रियाध्याहारः। अत्र कारणत्वेन पूर्वभाविनाम् रोषानलविस्फुलिङ्गानां पश्चात् कार्यत्वेन पश्चाद्भाविनाम् शत्रुपुर-दाहानाम् प्राङ्निर्देशेनातिशयोक्तिः।

उदाहरण उपस्थित किया जाता है—पुरः इत्यादि।

किसी राजा का वर्णन कवि कर रहा है—हे राजन्! शत्रुभूत राजाओं के नगर पहले भस्मशेष-अर्थात् दग्ध हो जाते हैं और तेरी आँखों से क्रोधाग्नि की कणिकायें पीछे निकलती है। यहाँ कारण रूप होने से पहले होने वाले कोप का पीछे और कार्यरूप होने से पीछे होने वाले शत्रु-पुर-दाह का पहले निर्देश करने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार होता है।

उपपादयति—

अत्र भेद-द्वये प्रयोजकातिशयकृतः प्रयोज्यशैघ्र्यातिशयो गम्यः।

प्रयोज्य-प्रयोजकयोः सहभावमूलके प्रयोज्योत्पत्त्यनन्तरकालिकप्रयोजकोत्पत्तिमूलके चातिशये प्रयोजकशक्तिविशेषकृतः प्रयोज्यशीघ्रतातिशयो व्यङ्ग्यो भवति। तेन तादृश-वर्णनस्य निरर्थकत्वं बाधितत्वं वा निराकृतम् भवतीति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

अभी जो अतिशय के एक भेद के अवान्तर दो भेद कहे गए हैं उन में से प्रथम उप-भेद में जो प्रयोजक तथा प्रयोज्य का साथ-साथ होना वर्णित रहता है और द्वितीय उप-भेद में जो प्रयोज्य से पीछे प्रयोजक का होना वर्णित रहता है उन दोनों ही वर्णन-प्रकारों का प्रयोजन यह होता है कि 'प्रयोजक में कुछ ऐसी अतिशयित शक्ति है जिससे प्रयोज्य की सिद्धि अतिशीघ्रता से हो जाती है। इस अर्थ की प्रतीति हो। अतः उस तरह के वर्णन बाधित होने पर भी सार्थक होने के कारण कवियोंके द्वारा किये जाते हैं।

पर्यवसितमाह—

एवं च 'एतद् भेद-पञ्चकान्यतमत्वमतिशयोक्तिसामान्यलक्षणम्' इति प्राचीनाः।

भेदेऽप्यभेदः, अभेदेऽपि भेदः, असंबन्धेऽपि संबन्धः, संबन्धेऽप्यसंबन्धः, प्रयोजकस्य प्रयोज्यस्य च पौर्वापर्यविपर्ययः, इत्येतद्भेदपञ्चकान्यतमत्वमतिशयोक्तिसामान्यलक्षणमिति प्राचीनाचार्यमतमिति भावः।

सारांश का स्पष्टीकरण किया जाता है—एवं च इत्यादि।

ऊपर के विवेचन से सारांश यह निकलता है कि–१–भेद में भी अभेद, २–अभेद में भी भेद, ३–असंबन्ध में भी संबन्ध, ४–संबन्ध में भी असंबन्ध और ५–प्रयोजक तथा प्रयोज्य के पूर्वापरीय भाव का विपर्यय इन पांचों भेदों में से किसी एक का होना ही अतिशयोक्ति का सामान्य लक्षण है, यह है प्राचीनों का मत।

प्राचीनमतखण्डनपुरस्सरमन्येषां केषांचिन्मतमाह—

अन्ये तु—'संबन्धेऽप्यसंबन्धः, असंबन्धे संबन्ध इति भेद-द्वयं नातिश-

योक्तिः । एतादृशातिशयस्य रूपकदीपकोपमापह्नुत्यादिषु स्वभावोक्तिभिन्नेषु प्रायशः सर्वेष्वलंकारेषु सत्त्वात् । नहि यथास्थितवस्तूक्तावस्ति काचिद्विच्छित्तिः । कार्य-कारण-पौर्वापर्यविपर्ययस्यापि तेनैव व्याप्ततया भेदान्तरतानापत्तेश्च। तस्माद्विषयिणा निगीर्याध्यवसानम् विषयस्य, तस्यैवान्यत्वम् यद्-यादिशब्दैरसंभविनोऽर्थान्तरस्य कल्पनम्, कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्ययश्चेत्येतदन्यतमत्वमतिशयोक्तित्वम्' इत्याहुः ।

अन्ये तु इति । 'आहुः' इति क्रियायामन्वयः । तद्भेदद्वयस्यातिशयोक्तित्वाभावे हेतुमाह—एतादृशातिशयस्येत्यादिना । स्वभावोक्तौ सर्वथा तदसत्त्वादाह—स्वभावोक्तिभिन्नेष्विति । अन्यत्रापि क्वचित्तदसत्त्वादाह-प्रायशः इति ।

सर्वेष्वलंकारेषु यत्किञ्चिदतिशयसत्त्वसमर्थनायाह—नहीति ।

दोषान्तरमाह—कार्यकारणेति । तेनैवेति । प्राचीनोक्तभेदद्वयेनैवेत्यर्थः । पर्यवसितार्थमाह—तस्मादिति ।

यद् वस्तु यादृशं विद्यते तस्य सर्वथा तादृश एव वर्णने कृते कोऽपि चमत्कारो न भवति चमत्कार एव च अलंकारत्वप्रयोजकः, अतः सर्वेष्वलंकारेषु कश्चनातिशयोऽवश्यं स्वीकार्यः । एवं स्थितौ स्वभावोक्तिभिन्नेषु रूपकोपमादिषु संबन्धेऽसंबन्धोऽसंबन्धे संबन्ध इत्येतदन्यतरात्मकातिशयस्य नियमतो वर्तमानतया तेषामप्यतिशयोक्तित्वापत्तौ भेदेन तत्कथनासंगत्यापत्तिः । 'मुखं चन्द्रः' इति रूपके यथा मुखे चन्द्राभेदस्यासंबन्धेऽपि तत्संबन्धवर्णनम् तथाऽन्येष्वप्यलंकारेषु तदन्यतरातिशयसत्त्वं नापलापार्हमिति सारांशः । किञ्च कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्ययोऽपि असंबन्धे संबन्ध इत्यनेनैव गतार्थः, कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्ययस्य वस्तुतोऽसंबन्धेऽपि संबन्धवर्णनात् । तथा च तस्य भेदान्तरतानापत्तिः । अतः संबन्धेऽसंबन्धः, असंबन्धे संबन्ध इति भेदद्वयं नातिशयोक्तिः । फलतः तदतिरिक्तभेदान्यतमत्वमेवातिशयोक्तेः सामान्यलक्षणम् इत्यन्येषां मतस्याभिप्रायः । प्रकाशकारो मम्मटोऽस्यैव मतस्य समर्थक इति बोध्यम् ।

अन्य कतिपय विद्वानों का मत-जो पूर्वोक्त-प्राचीन-मत से कुछ भिन्न है-अब दिखलाया जा रहा है—अन्ये तु इत्यादि ।

अन्य विद्वानों का कथन है कि 'संबन्ध में असंबन्ध और असंबन्ध में संबन्ध ये दोनों भेद अतिशयोक्ति नहीं हैं। कारण, ऐसा अतिशय स्वभावोक्ति से अतिरिक्त रूपक-उपमा आदि सभी अलंकारों में प्रायः वर्तमान रहता है अर्थात 'मुखचन्द्र है'इत्यादि रूपक में चन्द्राभेद का संबन्ध वस्तुतः मुख में रहता नहीं तथापि वह वर्णित होता है इसी तरह अन्य अलंकारों में भी उक्त दोनों प्रकार के अतिशयों में से किसी एक का रहना निश्चित है ऐसी स्थिति में यदि उन दोनों भेदों को अतिशयोक्ति मानलें तब रूपक आदि स्वभावोक्ति-भिन्न सभी अलंकार अतिशयोक्ति ही हो जांय फिर पृथक् उन अलंकारों के नामकरण निरर्थक हो जायगें। इतना ही नहीं, यदि वे दोनों अतिशयोक्ति के भेद स्वीकृत कर लिये जाँय तब कार्यकारण के पौर्वापर्यविपर्यय को भी अतिशयोक्ति का अतिरिक्त प्रकार मानना असंगत हो जायगा—क्योंकि वहाँ भी कार्यकारण पौर्वापर्यविपर्यय का वस्तुतः संबन्ध नहीं रहने पर उसका संबन्ध वर्णित हुआ रहता है, फलतः

वह भी 'असंबन्धे संबन्धः' के अन्तर्गत ही हो जाता है। अतः—विषयी के द्वारा विषय का निगरण-अर्थात् अध्यवसान, प्रस्तुत की अन्यता, यदि आदि शब्दों के द्वारा असंभव अर्थ की कल्पना और कार्य-कारण के पौर्वापर्य का विपर्यय इन सबों में से किसी एक का होना ही अतिशयोक्ति की सामान्य परिभाषा है—ऐसा समझना चाहिए। काव्यप्रकाशकार इसी मत के समर्थक हैं।

उक्तविषये नव्यमतमाह—

नव्यास्तु—'निगीर्याध्यवसानमेवातिशयोक्तिः। प्रभेदान्तरं त्वनुगतरूपाभावादलंकारान्तरमेव। ननु प्रस्तुतान्यत्वभेदे—भेदेनाभेदस्य, असंबन्धे संबन्ध इति भेदे—संबन्धेनासंबन्धस्य, संबन्धेऽसंबन्ध इति भेदे-असंबन्धेन संबन्धस्य, कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्यये च तेनैवानुपूर्व्यस्य च निगरणं रत्नाकरविमर्शिनीकाराद्युक्तप्रकारेण संभवतीति चेत्, न। अन्यत्वादिभिरन्यवस्तुप्रतीतेरेव चमत्कारित्वम्, न त्वनन्यत्वादिभिः। तेषामनुभवासंगतेः। न चान्यतमत्वमनुगतमिति शक्यते वक्तुम्। विच्छित्तिवैलक्षण्ये सत्यन्यतमत्वस्याप्रयोजकत्वात्। अन्यथोपमारूपकादिकतिपयान्यतमत्वं सकलान्यतमत्वं वा तल्लक्षणम्, उपमादयश्च तद्भेदा इत्येव किं न ब्रूयाः। अलंकारान्तरत्वे गौरवमित्यपि न वाच्यम्। न ह्यत्राक्लृप्तपदार्थकल्पनं येन गौरवं स्यात्। प्रधानोत्कर्षकतारूपस्यालंकारत्वस्य त्वयापि स्वीकारात्। अलंकारविभाजकोपाधिपरिगणनस्य च पुरुषपरिकल्पितत्वात्' इत्यपि वदन्ति।

निगीर्याध्यवसानमिति। विषयिणा विषयस्येत्यादि। भेदेऽभेद इति यावत। एवपदेन भेदान्तराणां व्यावृत्तिः। अनुगतरूपेति। सकलभेदसाधारणैकधर्मेत्यर्थः। प्रथमभेदेनैव संग्राह्यतया प्रभेदान्तरत्वाभावमाशंकते—नन्विति। अभेदस्येति। अस्याग्रिमान्यषष्ठ्यन्तानाञ्च वक्ष्यमाणनिगरणेऽन्वयः। विपर्यये चेति। विपर्यय इति भेदद्वये चेत्यर्थः। तेनैवेति। कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्ययेणैवेत्यर्थः। रत्नाकरेति। अलंकाररत्नाकराख्यनिबन्धनिर्मातायमिति बोध्यम्। विमर्शिनीति। अलंकारसर्वस्व-व्याख्याया इदं नाम ज्ञातव्यम्।

खण्डयति—नेति। खण्डने हेतुमाह—अन्यत्वादिभिरिति। यत इत्यादि। अनन्यत्वादिना प्रतीतौ हेतुमाह—तेषामिति। अनन्यत्वादीनामिति तदर्थः। अनुभवासंगतेरिति। अनुभवविरुद्धत्वादिति भावः। पुनः शंकते—न चेति। समाधत्ते—विच्छित्तीति। विच्छित्तिः चमत्कारः। वैलक्षण्ये सतीति। तथा च भिन्न-भिन्न एवालंकार इति भावः। अभ्युपेत्याह—अन्यथेति। प्रागुक्तरीत्या आह—कतिपयेति। यस्य कस्यचिदतिशयस्य सर्वत्र सत्त्वादाह—सकलेति। तल्लक्षणम् अतिशयोक्तिलक्षणम्। तद्भेदा अतिशयोक्तिभेदाः। ननु गौरवादाधिक्यं नात आह—अलंकारान्तरेति। क्लृप्तत्वमेवाह—प्रधानोत्कर्षेति। ननु सामान्यतोऽलंकारत्वसत्त्वेऽपि तद्विभाजकोपाधिमध्येऽपाठादाधिक्येन गौरवं तदवस्थमेवात आह—अलंकारेति।

अयमभिप्रायः—रत्नाकर-विमर्शिनीकारादिभिः सर्वेषु प्राचीनोक्तातिशयोक्तिप्रभेदेषु निगरणं साध्यते। निगरणसाधनरीतिश्च तेषामियमस्ति-यत्-'अन्या जगद्धितमयी...'

इत्यभेदे भेदरूपातिशयोक्तेरुदाहरणेऽभिन्नापि मनसः प्रवृत्तिर्भिन्नत्वेनोपवर्णितेति भिन्नया मनसः प्रवृत्त्याऽऽभिन्नायास्तस्याः स्थगनेनाभेदस्य भेदेन निगरणं जातम्, एवं 'धीर-ध्वनिभिरलम्…' इत्यसंबन्धे संबन्धरूपातिशयोक्तेरुदाहरणे गर्भे वस्तुतः समुच्छलना-संबन्धस्यैव सत्त्वे तस्यैव वर्णनीयत्वेऽपि संबन्धस्य वर्णनेनासंबन्धस्य संबन्धेन निगरणम् फलितम्, इत्थमेव, संबन्धेऽसंबन्ध इति भेदेऽपि असंबन्धेन संबन्धस्य निगरणम् पर्यवसितम् भवति, कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्ययात्मकातिशयोक्त्युदाहरणे 'पुरः पुरस्तात्…' इत्यादौ प्रथमं रोषानलस्य कारणस्य, पश्चात् पुरभस्मीभवनस्य कार्यस्य वर्णनीयत्वे औचित्यप्राप्ते व्यतिक्रमेण तयोर्वर्णने कृते पौर्वापर्यविपर्ययेण कार्यकारणयोरानुपूर्व्यस्य निगरणं सिद्धम्, एवञ्च निगीर्याध्यवासनरूप एक एव भेदोऽतिशयोक्तेः, न पञ्च, पञ्चानामपि। तत्रैव संग्रहादिति तेषामाशयः। परमसौ न युक्तः। अनुभवसिद्धस्य कस्यचिद्विषयस्य केनापि विषयिणा निगरणं काव्ये भवतीति कविसंप्रदायः। यथा काव्ये बहुत्रानुभवसिद्धस्य भगवतः, 'नवीनो जलधरः' इत्यादौ जलधरेण निगरणम्। प्रकृते तु न क्वापि काव्यक्षेत्रे तद्रूपस्य वस्तुनः अनन्यत्वेन प्रतितिः चमत्कारानाधायकत्वात्, कुतो न चमत्काराधायकत्वं तथा प्रतीतेरिति न वक्तुं शक्यम्, अनुभवविरोधात्। यथा 'अन्या जगद्धितमयी…' इत्यत्र अभिन्नाया मनसः प्रवृत्तेः भिन्नत्वेन वर्णनमकृत्वा तद्रूपत्वेन वर्णने का नवीनता? को वा चमत्कारः? एवञ्च काव्ये क्वाप्यनुभवविषयो यो न जातस्तस्यानन्यत्वरूपस्याभेदस्य भेदेन निगरणमिति तदुक्तेरसंगतत्वात्। एवमेव भेदान्तरेष्वपि निगरणोक्तेरसंगतिर्बोध्या। इत्थञ्च 'अभेदे भेदः' इत्यादयो भेदा न केनाप्येकरूपेण संग्रहीतुं शक्या इति न तेषां भेदानामतिशयोक्तित्वम्, अपितु प्रधानोत्कर्षतारूपसामान्यालंकारलक्षणाक्रान्तत्वेऽलंकारान्तरत्वमेव। अतिशयोक्तिस्तु निगीर्याध्यवसानरूपैकैव।

तावदन्यतमत्वमतिशयोक्तेरनुगतलक्षणं स्यादिति तु दुराशामात्रम्, विलक्षणाया विच्छित्तेरनुभवेऽन्यतमत्वस्याप्रयोजकत्वात्। अन्यथोपमादिसकलान्यतमत्वं सामान्यलक्षणं विधायातिशयोक्तिनामक एक एवालंकारः स्वीकार्यः, उपमादयश्च तदवान्तरभेदा अङ्गीकार्या इत्युक्तिरपि संभवेत्। ननु 'अभेदे भेदः' इत्यादेरलंकारान्तरत्वस्वीकारे गौरवमिति चेन्न, तेषु भेदेषु प्रधानोत्कर्षकत्वरूपालंकारत्वस्य भवताऽप्यङ्गीकारेणाक्लृप्तपदार्थकल्पनाया विरहे गौरवाभावात्। अलंकारविभाजकोपाधीनामेवं सत्याधिक्येन गौरवमित्यपि न, अलंकारविभाजकोपाधीनां परिगणनस्य पुरुषाधीनतयाऽऽकिञ्चित्करत्वादिति।

अब उक्त विषय में नवीन विद्वानों का मत कहा जाता है—नव्यास्तु इत्यादि।

नवीन विद्वानों का कथन है कि—निगरणपूर्वक अध्यवसान—अर्थात् भेद में अभेद—ही अतिशयोक्ति है। अन्य—अर्थात् अभेद में भेद आदि प्रभेद अतिशयोक्ति नहीं, अपितु दूसरे ही अलंकार हैं, क्योंकि उन सबों को भी अतिशयोक्ति मानने के लिये उन सभी प्रभेदों में रहने वाला एक किसी अनुगत रूप (समान धर्म) की अपेक्षा है, पर वह है नहीं, तात्पर्य यह कि असाधारण धर्म ही किसी पदार्थ का सामान्य लक्षण होता है। ऐसी स्थिति में जिस पदार्थ अथवा पदार्थ-समूह को अतिशयोक्ति मानना चाहेंगे उसमें रहने वाला असाधारण धर्म ही अतिशयोक्ति का सामान्य लक्षण होगा और उसी धर्म से युक्त होने के कारण उसको अतिशयोक्ति कह सकेंगे। अब हमें यह देखना है कि

प्राचीनों ने 'भेद में अभेद, अभेद में भेद, असंबन्ध में संबन्ध, संबन्ध में असंबन्ध आदि जिन पदार्थों को अतिशयोक्ति कहा है उनमें कोई ऐसा धर्म है जो उन सबों में से प्रत्येक में तो अवश्य है और उन सबों से अन्य में नहीं है ? कहना पड़ेगा कि ऐसा कोई धर्म नहीं है। बश, बात खतम हुई। अर्थात् जब ऐसा कोई धर्म है ही नहीं तब उन सभी पदार्थों को अतिशयोक्ति कहना गलत है। निगरणपूर्वक अध्यवसान, केवल 'भेद में अभेद' इस एक ही पदार्थ में प्राप्त होता है अतः केवल वही अतिशयोक्ति है। हाँ, अन्य (अभेद में भेद आदि) में भी यदि अलंकार तत्त्व (अलंकृत करने की शक्ति) हो तो उन्हें भी भिन्न भिन्न नामों से अलंकार रूप में कहिए। इसमें मुझे आपत्ति नहीं होगी। इस पर यदि कोई कहे कि रत्नाकर आदि के मतानुसार प्राचीनोक्त सभी भेदों में निगरण है-अर्थात् 'अभेद में भेद' नामक जो भेद है उस में अभिन्न मनः-प्रवृत्ति का वर्णन भिन्न रूप में किया गया है, फलतः वहाँ भेद से अभेद का निगरण हुआ, 'असंबन्ध में संबन्ध' नामक जो भेद है उसमें गर्भ में उछलने का संबन्ध नहीं रहने पर भी उछलने का संबन्ध वर्णित हुआ है, फलतः वहाँ संबन्ध से असंबन्ध का निगरण हुआ, 'संबन्ध में असंबन्ध' नामक जो भेद है उसमें तोष का संबन्ध रहने पर भी उसका असंबन्ध' वर्णित हुआ है, फलतः वहाँ असंबन्ध से संबन्ध का निगरण हुआ, इसी तरह कारण-कार्य-पौर्वापर्यविपर्यय नामक भेद के जो कारण-कार्य के सहभाव तथा कारण से कार्य का प्रथम भाव नामक दो अवान्तर भेद हैं उनमें क्रमशः विस्फुलिङ्ग के समुच्छलनरूप कारण और उसी के विद्युल्लतीकरण रूप कार्य का साथ-साथ होना तथा अरिपुरभस्मीभवनरूप कार्य का क्रोधाग्निविस्फुरणरूप कारण से पहले हो जाना वर्णित हुए हैं, फलतः उन दोनों स्थलों में कारण-कार्य के पूर्वापरीय भाव के परिवर्त्तन से कारण-कार्य के निश्चित पूर्वापरीयभाव का निगरण हुआ। ऐसी स्थिति में निगरण-पूर्वक अध्यवसान सर्वत्र हो जाता है, अतः इसी एक भवदनुमोदित समान धर्म के कारण उक्त सभी भेदों को अतिशयोक्ति मानने में कोई बाधा नहीं, तो यह कथन भी उचित नहीं। कारण, काव्यक्षेत्र में निगरण का व्यवहार वहाँ होता है, जहाँ किसी अनुभव-सिद्ध वस्तु के बदले में किसी अन्य वस्तु का कथन होता है। 'जैसे 'भेद में अभेद' नामक भेद के उदाहरण में अनुभवसिद्ध कृष्ण के बदले तमाल अथवा जलधर का कथन हुआ है। अब हमें इसी आधार पर प्राचीनोक्त उन भेदों में निगरण है, अथवा नहीं इसका विचार करना चाहिए। मैं कहूँगा कि इस आधार पर विचार करने से उन भेदों में निगरण सिद्ध नहीं होता, क्योंकि काव्यक्षेत्र में कहीं भी उस वस्तु का उसी वस्तु के रूप में असंबद्ध वस्तु का असंबद्ध रूप में, संबद्ध का संबद्ध रूप में, और कारणानन्तर कार्य का सही रूप में वर्णन नहीं प्राप्त होता और इस लिये ऐसा प्राप्त नहीं होता कि उस-उस रूप में वर्णन करने पर किसी तरह का चमत्कार नहीं अनुभूत होता। जैसे 'अन्या जगद्धितमयी····' की जगह यदि 'जगद्धितमयी तस्य मनःप्रवृत्तिः' इतना ही कहा जाय 'अन्या' इस अंश को छोड़ दिया जाय तब उस कथन में क्या चमत्कार होगा ? और चमत्कार के बिना वह कथन काव्य की श्रेणी में आवेगा कैसे ? इसी तरह अन्यत्र भी समझ लेना चाहिए। अतः प्रकृत में कहना यह है कि जहाँ आप भेद से अभेद का निगरण कहते हैं वहाँ अभेद कहीं अनुभूत पदार्थ नहीं है फिर उसका निगरण कैसे माना जा सकता है ? इसी प्रकार अन्यत्र भी भवदुक्त निगरण इसी युक्ति से अमान्य है।

इतने पर भी यदि कोई कहे कि-'भेद में अभेद' 'अभेद में भेद' आदि पृथक्-पृथक् वस्तु हैं तो रहें तथापि इन सबों में कोई एक समान (अनुगत) रूप नहीं है, ऐसा नहीं

कहा जा सकता, क्योंकि अन्यतमत्व (उस समूह के अन्तर्गत एक एक का भाव) ही अनुगतरूप होगा। तात्पर्य यह कि उन सभी प्रभेदों का नाम लेकर 'तावदन्यतमत्व' अतिशयोक्ति का सामान्य लक्षण होगा तो यह भी संगत नहीं, क्योंकि जब सभी भेदों में विलक्षण-विलक्षण ढङ्ग का चमत्कार प्राप्त होता है तब अन्यतमत्वेन उन सभी भेदों का संग्रह एक किसी अलंकार में करना ठीक नहीं। यदि इस तरह संग्रह किया जाय तब उपमा, रूपक आदि कतिपयों का अथवा जितने अलंकार हैं सबों का नाम लेकर 'तावदन्यतमत्व' ही क्यों नहीं अतिशयोक्ति का लक्षण कर लिया जाय और उपमा आदि को उसका अवान्तर भेद मान लिया जाय। अभिप्राय यह कि एक अतिशयोक्ति ही अलंकार हम मानें और अन्य सभी अलंकारों को उसी एक अलंकार का अवान्तर प्रभेद कहें। ऐसा नहीं कहने का कारण तो यही था कि 'अतिशयोक्ति का सामान्य स्वरूप क्या होगा जो सभी अलंकारों में उपलब्ध हो' यह प्रश्न उठ खड़ा होता था, सोतो अब समाप्त ही हो गया क्यों कि 'अन्यतमत्व' आप के हिसाब से सामान्य लक्षण हो ही जायगा।

यदि आप सभी अलंकारों को इस तरह से अतिशयोक्ति के अन्तर्गत नहीं लाना चाहते, तब 'अभेद में भेद' आदि प्रभेदों को भी अतिशयोक्ति मानने का आग्रह छोड़ दीजिए, अर्थात् उन सबों को भिन्न भिन्न अलंकार ही मानिये।

इस पर यदि आप कहें कि उन सबों को भिन्न-भिन्न अलंकार मानने में गौरव होगा तो यह कुछ नहीं क्योंकि गौरव तब होता यदि हम आप के द्वारा अस्वीकृत वस्तु को स्वीकृत करते होते, पर ऐसी बात तो है नहीं, कारण, प्रधान वाक्यार्थ को उत्कृष्ट बनानारूप जो अलंकारत्व है उसको आप भी उन भेदों में मानते ही हैं। रही बात एक तथा अनेक नाम की सो यह अपने अधीन की चीज है इसमें लाघव-गौरव कैसा? तात्पर्य यह कि पदार्थ जब दोनों मतों में स्वीकृत हैं तब उनके नाम एक अथवा अनेक रख लेने से लाघव किंवा गौरव नहीं होता।

उदाहरण-प्रदर्शनमुखेनातिशयोक्तिविशेषन्निरूपयति—

'गगनचरं जलबिम्बं कथमिव पूर्णं वदन्ति विद्वांसः।
दशरथ-चत्वरचारी हृज्ज्वरहारी विधुस्तु परिपूर्णः॥'

इत्यादौ विषयिणः स्वाभाविकस्थाननिह्नवेन दृढाध्यवसानातिशयोक्तिः।

गगनचरमिति। विद्वांसः सुधियः, गगनचरम् आकाशगामि, जलबिम्बं जलतत्त्वप्रधानम मण्डलम् डलयोरैक्यात् जडमण्डलं वा, चन्द्रमिति यावत्, कथमिव केन प्रकारेण, पूर्णम्, वदन्ति कथयन्ति? न तैस्तथा वक्तव्यमिति भावः। कस्तर्हि पूर्णो विधुरित्याकांक्षायामाह—दशरथेति। तु पुनः हृज्ज्वरहारी हृदयतापशमनकारकः, दशरथचत्वरचारी दशरथाख्यायोध्याधिपतिगृहवेदिकाविहारी, विधुः चन्द्रः रामचन्द्र इति यावत्, परिपूर्णः, अस्तीत्यर्थः। उपपादयति— इत्यादाविति। विषयिण इति। चन्द्रस्येत्यर्थः। स्वाभाविकस्थानेति। आकाशेत्यर्थः, निह्नवेनेति कथमिवेत्यनेनेति भावः। दृढेति। दृढम् अध्यवसानम् यस्यां तादृशीत्यर्थः।

अयमभिप्रायः—'गगनचरम्...' इत्यत्र चन्द्ररूपेण विषयिणा रामचन्द्ररूपस्य विषयस्य निगरणेनातिशयोक्तिः स्पष्टैव, सा च चन्द्रस्य स्वाभाविकं गगनात्मकं स्थानं निह्नुत्य दशरथचत्वरचारित्वकथनेन दृढाध्यवसाना कथ्यत इति।

उदाहरण के द्वारा एक अतिशयोक्ति-विशेष का विश्लेषण किया जाता है—गगन-चरम् इत्यादि।

'विद्वज्जन, गगनचारी जलबिम्ब=जलतत्त्व-प्रधान मण्डल (अथवा डलयोरभेदात् जड़मण्डल) अर्थात् चन्द्र को पूर्ण कैसे कहते हैं? हृदय-ताप का हरण करने वाला पूर्ण चन्द्र तो वह है जो दशरथ के चबूतरे पर घूमता फिरता है।' इत्यादि स्थलों में विषयी के के स्वाभाविक स्थान का निषेध कर देने से दृढाध्यवसाना अतिशयोक्ति होती है।

अभिप्राय यह है कि—उक्त पद्य में चन्द्ररूप विषयी से रामचन्द्ररूप विषय का निगरणरूप अतिशय की उक्ति होने से अतिशयोक्ति है और उक्त निगरणरूप अध्यवसान में विषयी—चन्द्र के स्वाभाविक आकाशात्मक स्थान का निषेध करने से दृढता आती है।

दीक्षितोक्तमनूद्य निरस्यति—

यत्तु कुवलयानन्दे—

'यद्यपह्नवगर्भत्वं सैव सापह्नवा मता।
त्वत्सूक्तिषु सुधा राजन्! भ्रान्ताः पश्यन्ति तां विधौ॥'

इत्यत्र पर्यस्तापह्नुतिगर्भामतिशयोक्तिमाहुस्तच्चिन्त्यम्। पर्यस्तापह्नुतेरपह्नुतित्वं न प्रामाणिकसम्मतमिति प्रागेवावेदनात्।

यद्यपह्नव'''इति अपह्नवः अपलापः निषेध इति यावत्, उपमेयस्येति शेषः, गर्भे अन्तराले यस्य तद्भावः, यदि भवेत्, तर्हि, सैव, सापह्नवा, अतिशयोक्तिः, मता। उदाहरति—त्वत्सूक्तिषु इति। हे राजन्! सुधा पीयूषम्, वस्तुतः, त्वत्सूक्तिषु तव सुभाषितेषु विद्यते परन्तु, भ्रान्ताः तदभाववति तत्प्रकारकज्ञानवन्तः, तां सुधाम्, विधौ चन्द्रे, पश्यन्ति जानन्तीत्यर्थः। पर्यस्तापह्नुतीति। 'अन्यत्र तस्यारोपार्थः पर्यस्तापह्नुतिस्तु सः' इति लक्षणलक्षितेत्यर्थः। आहुरिति। अप्पयदीक्षिता इति भावः। मूल एव कुठार इत्याह—पर्यस्तेति। प्रागेवावेदनादिति। प्रकृत-निषेधपूर्वकान्यस्थापनरूपापह्नुतिसामान्यलक्षणानाक्रान्तत्वेन। पर्यस्तापह्नुतिनामको न कोऽप्यपह्नुतेर्भेद इत्यादेरपह्नुत्यलंकारनिरूपणप्रकरणे कथनादिति भावः।

पर्यस्तापह्नुतेरेव खण्डितत्वे तन्मूलकातिशयोक्तेः खण्डनं स्वतः सिद्धमिति सारांशः।

अब दीक्षितोक्ति का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि।

अपह्नव-अर्थात् उपमेय का निषेध-यदि गर्भ में रहे तब उसे सापह्नवा अतिशयोक्ति कहा गया है। जैसे—हे राजन्! वस्तुतः अमृत आप की सुन्दर उक्तियों में है, पर भ्रान्त जन चन्द्र में उस (अमृत) को देखते हैं। यहाँ पर्यस्तापह्नुतिगर्भा अतिशयोक्ति है ऐसा जो कुवलयानन्द नामक ग्रन्थ में अप्पय दीक्षित कहते हैं, वह चिन्तनीय अर्थात् अनुचित है, क्योंकि पर्यस्तापह्नुति-नामक अपह्नुति का कोई भेद प्रमाणतः सिद्ध नहीं होता यह पहले कहा जा चुका है। सारांश यह है कि-'उपमेय का निषेध करके उपमान का स्थापन' यह जो अपह्नुति की सामान्य परिभाषा है उसके संघटित नहीं होने

के कारण पर्यास्तापह्नति नामक कोई अपह्नति नहीं हो सकती यह बात पहले कही जा चुकी है, अतः पर्यस्तापह्नुतिगर्भ अतिशयोक्ति की कथा भी असंगत ही है।

पुनर्दीक्षितोक्तमेवानूद्यावद्यति—

यदपि तैरेवोक्तम्—

'सम्बन्धातिशयोक्तिः स्यादयोगे योगकल्पनम्।
सौधाग्राणि पुरस्यास्य स्पृशन्ति विधुमण्डलम्॥' इति।

तदपि न। अत्रैव 'स्पृशन्तीवेन्दुमण्डलम्' इति कृते कोऽलंकारः? उत्प्रेक्षेति चेत्, तर्हीवादेरभावाद् गम्योत्प्रेक्षेयमुचिता। इवादिसत्त्वे या वाच्योत्प्रेक्षा सैवेवाद्यभावे गम्योत्प्रेक्षेति नियमस्य सर्वसंमतत्वात्, 'त्वत्कीर्तिर्भ्रमणश्रान्ता विवेश स्वर्गनिम्नगाम्' इति त्वदुक्तगम्योत्प्रेक्षायाः 'सौधाग्राणि' इत्यस्य चोत्प्रेक्षांशे विशेषानुपलम्भात्, तथाहि 'त्वत्कीर्ति' रित्यादौ बहुदूरगमने स्वर्गगमने वा स्वर्गङ्गा-प्रवेशतादात्म्योत्प्रेक्षेति नये स्वर्गसंबन्धित्वरूपानुपात्तधर्मनिमित्तेयम्। कीर्तौ स्वर्गङ्गाकर्मकप्रवेशकर्तृत्वोत्प्रेक्षेति नये तादृशगमनरूपानुपात्तधर्मनिमित्ता। विशेषणीभूतभ्रमणश्रान्तत्वरूपहेतूत्प्रेक्षेति नये तु तादृशगमनतादात्म्याध्यवसितस्वर्गङ्गाप्रवेशरूपोपात्तधर्मनिमित्तेति सर्वथा गम्यैव, 'सौधाग्राणि' इत्यत्र परमोर्ध्वदेशसंयोगे चन्द्रमण्डलस्पर्शतादात्म्योत्प्रेक्षायां परमोर्ध्वदेशवृत्तित्वरूपानुपात्तधर्मनिमित्ता। तादृशस्पर्शकर्तृत्वोत्प्रेक्षायां तु परमोर्ध्वदेशसंयोगरूपानुपात्तधर्मनिमित्तेति इयमपि गम्योत्प्रेक्षैव।

तैरेवेति। अप्पयदीक्षितैरेवेत्यर्थः। तदपि नेति। सिद्धान्तविरोधादिति शेषः। तमेवाह—अत्रैवेत्यादिना। नन्वन्यसंमतत्वेऽपि तथा न मम संमतमत आह—त्वत्कीर्तिरिति। अविशेषमेव स्फुटयति—तथाहीत्यादिना। ननु तस्या भूमण्डले बहुदूरगमनेऽपि स्वर्गङ्गाप्रवेशतादात्म्योत्प्रेक्षा तत्र न संभवतीत्यत आह—स्वर्गेति। तादात्म्योत्प्रेक्षेति। अभेदसंबन्धेनैवोत्प्रेक्षेति प्राचीनमतानुसारमिदम्। कर्तृत्वोत्प्रेक्षेति। भेदसंबन्धेनाप्युत्प्रेक्षेति ग्रन्थकृन्मतानुसारमिदम्। तादृशगमनेति स्वर्गगमनेत्यर्थः। तादात्म्याध्यवसितेति। स्वर्गगमनस्वर्गङ्गाप्रवेशयोरभेदं मत्वा स्वर्गगमनस्थाने स्वर्गगङ्गाप्रवेश उक्त इति निगीर्णे विषये विषय्यभेदरूपमध्यवसानं जातम्। एवञ्च स्वर्गमनाभिन्नस्वर्गङ्गाप्रवेश उक्तो हेतूत्प्रेक्षायां निमित्तमिति भावः। परमोर्ध्वेति। गृहाग्राणामित्यादिः।

'सौधाग्राणि—' इति संबन्धातिशयोक्तेरुदाहरणं दीक्षितोक्तं न युक्तम् 'त्वत्कीर्तिर्भ्रमणश्रान्ता—' इत्यत्र यथा भवता गम्योत्प्रेक्षा स्वीक्रियते तथात्रापि तस्या एव स्वीकर्तुमुचितत्वात् 'सौधाग्राणि' 'त्वत्कीर्तिः—' इत्यनयोरुत्प्रेक्षांशे विशेषाभावात्। 'स्पृशन्तीवेन्दुमण्डलम्' इति पाठे 'सौधाग्राणि—' इत्यत्र वाच्योत्प्रेक्षायाः स्वीकारे इवादिरहिते प्रकृतपाठे गम्योत्प्रेक्षाया एव युक्तत्वाचेति सारांशः।

अत्र 'इदं गम्योत्प्रेक्षैव इति प्रतीकमुपादाय "अत्रेदं चिन्त्यम्–'नूनं मुखं चन्द्रः' इत्यादौ नूनं-पदाभावे प्रतीयमानस्य रूपकस्यानापत्तेरुत्प्रेक्षाया आपत्तेश्च। 'त्वत्कीर्तिर्भ्रमण-

श्रान्ता, इत्यत्र तु बहुदूरगमने स्वर्गगमने वा स्वर्गङ्गाप्रवेशतादात्म्योत्प्रेक्षा कीर्तौ स्वर्गङ्गाप्रवेशकर्तृत्वोत्प्रेक्षा वाऽवश्यं स्वीकार्या । अन्यथा भ्रमणश्रान्तत्वरूपविशेषण-वैयर्थ्यापत्तेः । तद्वत् प्रकृते उत्प्रेक्षासाधकं नास्ति येन तथा स्यात्" इति युक्तिपूर्ण-माह नागेशः ।

पुनः दीक्षित जी की ही एक दूसरी उक्ति का अनुवादपूर्वक खण्डन किया जाता है—यद्यपि इत्यादि ।

असंबन्ध में संबन्ध की कल्पना संबन्धातिशयोक्ति कहलाती है । जैसे—'सौधाग्राणि-अर्थात् इस नगर के प्रासादों के शिखर चन्द्रमण्डल का स्पर्श कर रहे हैं ।' यह कथन भी दीक्षित जी का संगत नहीं है । अर्थात् संबन्धातिशयोक्ति का उक्त उदाहरण उचित नहीं । कारण, यहीं यदि यों कहा जाय कि 'स्पृशन्तीव'''अर्थात् इस नगर के प्रासाद-शिखर मानो चन्द्रमण्डल का स्पर्श कर रहे हैं ।' तब कौन सा अलंकार होगा ? यदि कहेंगे कि उत्प्रेक्षा, तो मूल उदाहरण में भी वही (उत्प्रेक्षा ही) उचित है । हाँ, इतना अन्तर अवश्य माना जा सकता है कि मेरे द्वारा कल्पित पाठ में इव (मानों) के रहने से वह उत्प्रेक्षा वाच्य कहलायगी और आपके द्वारा रचित पाठ में इव आदि के नहीं रहने से वह उत्प्रेक्षा गम्य (व्यङ्ग्य) कही जायगी । 'इव आदि के रहने पर जो उत्प्रेक्षा वाच्य कहलाती है, वही इव आदि के नहीं रहने पर व्यङ्ग्य कहलाती है' यह नियम सर्वसम्मत है । और आप भी (दीक्षित भी) अपने को इस 'सर्व' से बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि 'त्वत्कीर्तिः'''अर्थात् आपकी कीर्ति भ्रमण से श्रान्त होकर स्वर्गगङ्गा में प्रविष्ट हुई' इस वाक्य में आपने भी व्यङ्ग्य उत्प्रेक्षा ही मानी है । और 'त्वत्कीर्तिः''' ' एवम् 'सौधाग्राणि''' ' इन दोनों स्थलों के उत्प्रेक्षा अंश में कोई विलक्षणता नहीं है । देखिए—

'त्वत्कीर्तिः'''इत्यादि में 'सर्वत्र अभेद संबन्ध से ही उत्प्रेक्षा होती है' इस प्राचीन मत के अनुसार अभेद संबन्ध से अति दूरगमन अथवा स्वर्गगमनरूप विषय में स्वर्ग-गङ्गाप्रवेश की उत्प्रेक्षा मानने पर उस उत्प्रेक्षा का निमित्त होगा स्वर्ग के साथ उस कीर्ति का संबन्ध जो यहाँ उक्त नहीं है, अतः यह उत्प्रेक्षा अनुपात्त निमित्ता कहलायगी, 'भेद सम्बन्ध से भी उत्प्रेक्षा हो सकती है' इस ग्रन्थकाराभिमत पक्ष के अनुसार कीर्ति-रूप विषय में स्वर्गगङ्गा जिसका कर्मकारक होती है ऐसी प्रवेशक्रिया की समवाय संबन्ध से उत्प्रेक्षा मानने पर भी स्वर्गगमनरूप निमित्त की अनुक्ति रहने के कारण अनुक्तनिमित्ता ही उत्प्रेक्षा कही जायगी, भ्रमणश्रान्तत्वरूप हेतु की उत्प्रेक्षा मानने पर उस उत्प्रेक्षा का निमित्त होगा वह स्वर्गगङ्गाप्रवेश जिसमें स्वर्गगमन के अभेद का अध्यवसान हुआ है और ऐसा यह निमित्त यहाँ शब्दतः उक्त है, अतः इस पक्ष में (हेतूत्प्रेक्षा पक्ष में) उक्तधर्मनिमित्ता उत्प्रेक्षा समझी जायगी । किन्तु इन तीनों ही पक्षों में यहाँ की उत्प्रेक्षा व्यङ्ग्य ही रही, वाच्य नहीं । इसी तरह 'सौधाग्राणि''' ' में भी प्राचीन मत के अनुसार अत्यधिक उच्च प्रदेश के साथ होने वाले संयोगरूप विषय में चन्द्र-मण्डल स्पर्श की अभेदेन उत्प्रेक्षा मानने पर निमित्तभूत अत्युच्चदेशवृत्तित्व की और पण्डितराज के अनुसार सौधाग्ररूप विषय में समवाय-सम्बन्धेन चन्द्रमण्डलकर्मक स्पर्शन क्रिया की उत्प्रेक्षा मानने पर निमित्तभूत अत्युच्चदेश संयोग की अनुक्ति के कारण अनुक्तनिमित्ता व्यङ्ग्य उत्प्रेक्षा ही है, अतिशयोक्ति नहीं । सारांश यह हुआ कि संबन्धाति-शयोक्ति का उदाहरण 'सौधाग्राणि''''''' नहीं हो सकता है ।

उपसंहरति—

तस्मादुत्प्रेक्षासामग्री यत्र नास्ति तादृशमुदाहरणमुचितम्। यथाऽस्मदीयं-'धीरध्वनिभिर्-' इत्यादि।

सामग्रीति। रमणीयतद्धर्मसंबन्धादिरूपेत्यर्थः। उदाहरणमिति। संबन्धातिशयोक्तेरिति भावः। अन्यत् स्पष्टम्।

उक्त परकीय मत खण्डन-प्रसंग का उपसंहार किया जाता है—तस्मादिति।

अतः—अर्थात् दीक्षितोक्त उदाहरण के असंगत होने के कारण-संबन्धातिशयोक्ति का वैसा उदाहरण उचित होगा जहाँ उत्प्रेक्षा की सामग्री-अर्थात् उपमानगत किसी रमणीय धर्म का उपमेय के साथ संबन्ध—न हो। जैसे—मेरे द्वारा उदाहृत 'धीरध्वनिभिः—' इत्यादि पद्य। तात्पर्य यह कि प्राचीन मत के अनुसार होने वाले अतिशयोक्ति-भेदों के उदाहरण दिखलाते समय संबन्धातिशयोक्ति का जो उदाहरण—धीरध्वनिभिः इत्यादि पद्य मैंने दिखलाया है वही अथवा वैसे ही उदाहरण उचित हैं।

'धीरध्वनिभिः' में उत्प्रेक्षासामग्री का अभाव ध्यान देने से स्वतः स्पष्ट हो जाता है।

अतिशयोक्तेः स्वोक्ते लक्षणे न्यूनत्वशङ्कामपाकरोति—

सुन्दरत्वे सत्युपस्कारकत्वमलंकारसामान्यलक्षणमिहापि न विस्मरणीयम्।

एवञ्च 'विषयिणा विषयस्य निगरणमतिशयः' तस्य सुन्दरी मुख्यार्थोपस्कारिका च या उक्तिः सातिशयोक्तिरिति फलितम्, अतो न क्वापि न्यूनतेति भावः।

स्वाभिमत अतिशयोक्ति लक्षण में न्यूनता की शङ्का का परिहार किया जाता है—सुन्दरत्वे इत्यादि।

'सुन्दर हो तथा मुख्य वाक्यार्थ का उत्कर्षक हो' यह अलकार सामान्य का लक्षण यहाँ भी नहीं भुलाने योग्य है। तात्पर्य यह कि सुन्दर होना अर्थात् चमत्कारकारी होना और मुख्य वाक्यार्थ का पोषक होना ये दो बातें अलंकार सामान्य के चिह्नभूत हैं, अतः पुनः नहीं कहने पर भी अतिशयोक्ति के लक्षण में इन दोनों बातों का समावेश समझ ही लेना चाहिए। फलतः ग्रन्थोक्त अतिशय की वही उक्ति अतिशयोक्ति अलंकाररूप समझी जायगी जो रमणीय तथा कवितात्पर्यविषयीभूत अर्थ को उत्कृष्ट बनाने वाली होगी।

अतिशयोक्त्यलंकारस्य चिरन्तनत्वमवगमयितुमाह—

इयं चातिशयोक्तिर्वेदेऽपि दृश्यते। यथा—

'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥'

स्मृतौ च—

'या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥'

द्वा सुपर्णा इति। ऋग्वेदस्य (१।१६४।२०) प्रसिद्धतमोऽयं मन्त्रः। द्वौ पक्षिणौ सहयोगिनौ मित्रभूतावेकमेव तरुं सेवेते परन्तु तयोरेकः पक्षी स्वादिष्टं फलविशेषम् खादति, अन्यश्च यद्यपि अखादन्नेव तिष्ठति तथापि स एव (अभोक्तैव) सर्वतोभावेन विद्योतत इति तदर्थः। अत्र पक्षिभ्याम् जीवपरमात्मनोर्निगरणेनातिशयोक्तिः। एकाश्रय-

स्थयोरपि । समानशीलयोरपि च जीवपरमात्मनोर्मध्ये जीवो विषयसुखं भुङ्क्ते । परमात्मा चाभुञ्जानोऽपि तदपेक्षयाधिकद्युतिरिति विवक्षितोऽर्थः ।

स्मृतौ चेति । इयमतिशयोक्तिर्दृश्यते इति भावः ।

या निशेति । कठोपनिषदः (१।३।३) वाक्यमिदम् । सर्वेषां प्राणिनां या निशा अगम्येति यावत्, परमार्थचिन्तेति भावः, संयमी जितेन्द्रियः पुरुषः तस्यां निशायां परमार्थचिन्तायामिति यावत्, जागर्ति जागरूकस्तिष्ठति । मोहमयालसा अविद्यापथपतिताः प्राणिनो यस्मात्परमार्थचिन्तनादुदासीनास्तिष्ठन्ति ज्ञानी जनस्तत्र सावधानो भवतीति तात्पर्यार्थः । साधारणाः प्राणिनः यत्र सांसारिकस्रक्चन्दनवनितादौ विषये सावधानाः, पश्यतः ज्ञानचक्षुषोऽवलोकयतो मुनेर्मननशीलस्य पुरुषस्य, कृते, सा निशा वैमुख्यभूमिरिति भावः ।

अत्र निशारूपेण विषयिणा परमार्थचिन्तारूपः, जागरणेन विषयिणा सावधानतारूपः, पूर्वार्धे, उत्तरार्धे तु जागरणेन विषयिणा वैषयिकप्रवृत्तिरूपः, निशारूपेण विषयिणा च निवृत्तिभूमिरूपविषयो निगीर्ण इत्यतिशयोक्तेरुदाहरणमिति सारांशः ।

अतिशयोक्ति कल्पना की प्राचीनता सिद्ध करने के लिये कहा जा रहा है—इयं च इत्यादि ।

यह अतिशयोक्ति वेद में भी दीख पड़ती है । जैसे—"द्वा सुपर्णा—अर्थात् साथ-साथ जीवन बिताने वाले मित्रभूत (समान आकार-प्रकार वाले) दो पक्षी एक ही तरु का आश्रयण कर रहते हैं । पर उन दोनों में एक सुस्वादु फल का भक्षण करता है और दूसरा भूखा ही रहता है, किन्तु मजा यह कि भूखा रहकर भी वही अधिक शोभाशाली है ।" दो पक्षियों से दो तत्त्व (जीव तथा ब्रह्म), वृक्ष से ब्रह्माण्ड अथवा देह, फल से सांसारिक विषय आदि निगीर्ण हैं, अतः यह अतिशयोक्ति का सुन्दरतम उदाहरण है । इस अतिशयोक्ति के द्वारा कहा यह जा रहा है कि जीवात्मा और परमात्मा में बहुत कम भेद है, भेद की अपेक्षा अधिक अंश में समानता ही है पर जीवात्मा ही सांसारिक विषयों का भोग करता है, परमात्मा नहीं, और जीवात्मा की अपेक्षा परमात्मा में अधिक प्रकाश है । स्मृति में भी अतिशयोक्ति पाई जाती है । जैसे—'या निशा—अर्थात् सभी प्राणियों के लिये जो रात्रि है—अर्थात् साधारण प्राणी जिसमें सुप्त रहते हैं—संयमी जन उसी में जागता है । प्राणी जिस में जागते हैं ज्ञानी मुनिजन के लिये वही रात्रि है ।'

यहाँ पूर्वार्ध में निशा से परमार्थचिन्तारूप, जागरण से सावधानतारूप, और उत्तरार्ध में जागरण से विषयप्रवृत्तिरूप, तथा निशा से निवृत्तिस्थानरूप विषय निगीर्ण हैं, अतः अतिशयोक्ति का ही यह भी उदाहरण है । इस अतिशयोक्ति के द्वारा वक्ता कहना यह चाहता है कि—अज्ञानी प्राणी परमार्थ-चिन्तन के विषय में सोए रहते हैं—असावधान (विमुख) रहते हैं और ज्ञानी पुरुष उसी परमार्थ-चिन्तन में जागरूक रहते हैं । साधारण जन सांसारिक सुख-भोग में सदा प्रवृत्त रहते हैं और ज्ञानी जन उससे सर्वदा विमुखता रखते हैं ।

अतिशयोक्तिध्वनिमुदाहर्तुमाह—

अथास्या ध्वनिः—

अथेति । अनन्तरमित्यर्थः । अतिशयोक्त्यपरांशनिरूपणादिति भावः । अस्या इति । अतिशयोक्तेरित्यर्थः । ध्वनिरिति । उदाह्रियत इति शेषः ।

अब अतिशयोक्ति की ध्वनि का उदाहरण दिखलाया जाता है ।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'देव त्वद्दर्शनादेव लीयन्ते पुण्यराशयः ।
किं चादर्शनतः पापमशेषमपि नश्यति ।।'

हे देव राजन् ! त्वद्दर्शनादेव भवदीयसाक्षात्कारादेव, पुण्यराशयः सुकृतसमूहाः, लीयन्ते विनश्यन्ति । किं च अपि च अदर्शनतः भवत्साक्षात्काराभावात्, अशेषम् सकलम्, पापमपि, नश्यति क्षीणं भवतीत्यर्थः । राजस्तुतिरियम् ।

उदाहरण उपस्थित किया जा रहा है—देव इत्यादि ।

हे राजन् ! आपके दर्शन से ही पुण्यों का समूह लीन हो जाता है और आपके अदर्शन से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह किसी चाटुकार की किसी राजा के प्रति उक्ति है।

उपपादयति—

पुण्य-पापयोः सुख-दुःख-भोगमात्रनाश्यतया दर्शनाऽदर्शनाभ्यां तज्जन्य-सुख-दुःखयो राश्यशेषशब्दाभ्यां च जन्मशतोपभोग्ययोस्तयोरेवाक्षेपादग्रिमाभ्यां पूर्वयोर्निगरणं व्यज्यते ।

तज्जन्यसुखदुःखयोरिति । अस्याक्षेपादित्यत्रान्वयः । तयोरेवेति । सुखदुःखयोरेवेत्यर्थः । अग्रिमाभ्यां पूर्वयोरिति । जन्मशतोपभोग्यसुखदुःखाभ्यां देवदर्शनाऽदर्शनजन्यसुखदुःखयोरित्यर्थः ।

अयं भावः —'कृतकर्मणाम् भोगादेव क्षयः' इति सिद्धान्तिततया पुण्यस्य स्वफलीभूतसुखभोगात् पापस्य च स्वफलीभूतदुःखभोगात् क्षयः संभवति, नान्यथा । एवञ्च पुण्यनाशहेतुत्वेनोक्ताद् देवदर्शनात् देवदर्शनजन्यसुखस्य पापनाशकारणत्वेनोक्ताद् देवादर्शनात् देवादर्शनजन्यदुःखस्य चाक्षेपः । राशिपदादशेषपदाच्च क्रमशः जन्मशतोपभोग्यसुखस्य जन्मशतोपभोग्यदुःखस्य चाक्षेप इति वस्तुस्थितिः । अस्यां स्थितौ जन्मशतोपभोग्यसुखेन देवदर्शनजन्यसुखस्य जन्मशतोपभोग्यदुःखेन च देवादर्शनजन्यदुःखस्य निगरणमभिव्यज्यते । अतोऽतिशयोक्तिद्वयध्वनिरत्रेति ।

उपपादन किया जाता है—पापपुण्ययोरित्यादि ।

'कृतकर्मणाम् भोगादेव क्षयः—अर्थात् किए हुए कर्मों का विनाश तत्कर्मजन्य फलभोग से ही होता है' इस सिद्धान्त के अनुसार यह निश्चित है कि पुण्य का नाश सुख-भोग से और पाप का नाश दुःख-भोग से ही हो सकता है अन्यथा नहीं, ऐसी स्थिति में 'देव-त्वद्दर्शन······' इस पद्य में जो दर्शन से पुण्यनाश की और अदर्शन से पापनाश की बात कही गई है, वह दर्शन का दर्शनजन्य सुख और अदर्शन का अदर्शनजन्य दुःख अर्थ करने पर ही संगत होती है, तात्पर्य यह कि यहां दर्शन पद से दर्शनजन्य सुख का और अदर्शन पद से अदर्शनजन्य दुःख का बोध होता है । इसी तरह राशि और अशेष पद से क्रमशः सौ जन्मों में भोगने योग्य सुख और सौ जन्मों में भोगने योग्य दुःख का बोध होता है । फलतः यहाँ जन्मशतोपभोग्य सुख से राजदर्शनजन्य सुख का और जन्मशतोपभोग्य दुःख से राज-अदर्शनजन्य दुःख का निगरण ध्वनित होता है और

इस तरह के निगरण का ही नाम है अतिशयोक्ति, अतः यह पद्य अतिशयोक्ति ध्वनि का उदाहरण सिद्ध हुआ।

आशङ्क्य समाधत्ते—

न च पूर्वाभ्यामग्रिमयोरेव निगरणं किं न स्यात् इति वाच्यम्। नाशोक्तिसामञ्जस्याय नाशकतावच्छेदकावच्छिन्नत्वेन प्रत्ययस्यावश्यकतया तन्निगरणासंभवात्। उपमानेन महता क्षुद्रस्योपमेयस्य महत्त्वाधानाय तन्निगरणस्यौचित्याच्च।

पूर्वाभ्यामिति। दर्शनादर्शनजन्यसुखदुःखाभ्यामित्यर्थः। अग्रिमयोरिति। जन्मशतोपभोग्यसुखदुःखयोरित्यर्थः, नाशकतावच्छेदकेत्यादिः। जन्मशतोपभोग्यसुखत्वेन तादृशदुःखत्वेन चेत्यर्थः। प्रत्ययस्येति। प्रतीतेरित्यर्थः, तन्निगरणेति। अग्रिमनिगरणेत्यर्थः।

जन्मशतोपभोग्यसुखेन दर्शनजन्यस्य सुखस्य जन्मशतोपभोग्यदुःखेन अदर्शनजन्यस्य दुःखस्य निगरणं प्रागुक्तमस्वीकृत्य दर्शनजन्यसुखेन जन्मशतोपभोग्यसुखस्य, अदर्शनजन्यदुःखेन च जन्मशतोपभोग्यदुःखस्य निगरणं किमिति न स्वीक्रियत इति शङ्कादलस्य, जन्मशतोपभोग्यसुखदुःखयोर्निगरणे स्वीकृते तयोर्जन्मशतोपभोग्यसुखदुःखत्वाभ्यां रूपाभ्यां प्रतीतिर्न स्यात्, निगरणस्थले विषयितावच्छेदकरूपेणैव विषयप्रतीतेः सिद्धान्तितत्वात्, ताभ्यां रूपाभ्यां तयोरप्रतीतौ च सकलपुण्यपापयोर्नाशस्योक्तिरसमञ्जसा स्यात्, कारणतावच्छेदकरूपेण प्रतीतस्यैव कारणस्य कार्यजननक्षमत्वात्, सकलपुण्यपापनाशं (तदात्मककार्यं) प्रति सकलजन्मभोग्यसुखदुःख एव च नाशके (कारणे), न तु दर्शनादर्शनजन्यसुखदुःखे, तत्तत्सुखदुःखादीनाम् स्वस्वफलोपहितपुण्यपापनाशकताया एव क्लृप्तत्वात्। एवञ्च तन्निगरणासंभवः। किञ्चोपमानेनोपमेयस्य निगरणं भवतीति वस्तुस्थितिः। महच्चोपमानम्, क्षुद्रञ्चोपमेयं भवति। अत एव क्षुद्रेऽप्युपमेये निगरणेन महत्त्वमाधीयत इति सहृदयोद्घोषः। एवञ्च प्रकृते महतोर्जन्मशतोपभोग्यसुखदुःखयोरुपमानत्वम्, क्षुद्रयोर्दर्शनादर्शनजन्यसुखदुःखयोश्चोपमेयत्वं स्वीकार्यम्, स्वीकृते च तथोपमानोपमेयभावे जन्मशतोपभोग्यसुखदुःखाभ्याम् दर्शनादर्शनजन्यसुखदुःखयोर्निगरणमपि स्वीकर्तुमुचितमिति च समाधानदलस्याशयो बोध्यः।

एक आशङ्का करके उसका समाधान अब किया जाता है—न च इत्यादि।

ऊपर जो यह कहा गया है कि अग्रिमों से–अर्थात् जन्मशतोपभोग्य सुख-दुःखों से पूर्वोंका–अर्थात् दर्शन-अदर्शनजन्य सुख-दुःखों का निगरण व्यक्त होता है, वह क्यों? यही क्यों नहीं माना जाय कि पूर्वों से–अर्थात् दर्शन-अदर्शनजन्य सुख-दुःखों से अग्रिमों का—अर्थात् जन्मशतोपभोग्य सुख-दुःखों का निगरण व्यक्त होता है, यह है यहाँ शंका। उत्तर इसका यह है कि यहाँ अशेष पुण्य और पाप के नाश की जो उक्ति है उसके सामञ्जस्य के लिये उन पुण्य-पापों के नाशकों की प्रतीति स्वगत असाधारण धर्म-विशिष्टरूप में हो यह आवश्यक है और उन पुण्य-पापों (अशेष पुण्य-पापों) के नाशक हो सकते हैं सकल जन्मभोग्य सुख-दुःख ही, दर्शन-अदर्शनजन्य सुख-दुःख नहीं, क्योंकि दर्शन-अदर्शनजन्य सुख-दुःखों से उन्हीं पुण्य-पापों का नाश हो सकता है जिन पुण्य-पापों से वे दर्शन-अदर्शन हुए हैं। ऐसी स्थिति में दर्शन-अदर्शनजन्य सुख-दुःखों से सकल जन्मभोग्य सुख-दुःखों का निगरण असंभव है। कारण, निगीर्ण पदार्थों (विषयों) की प्रतीति

निगरण करने वाले (विषयी) के रूप में ही होती है ऐसा सिद्धान्त पहले स्थिर किया जा चुका है—अर्थात् इस तरह से निगरण मानने पर सकल जन्म भोग्य सुख-दुःखों की प्रतीति दर्शन-अदर्शनजन्य सुख-दुःख के रूप में होगी और तब कारण के अभाव में सकल पुण्य-पापों के नाश की उक्ति असमञ्जस—असंगत हो जायगी। यह तो हुआ एक उत्तर। दूसरा उत्तर उक्त शंका का यह है कि उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण उसको (उपमेय को) महत्त्वमय सिद्ध करने के लिये किया जाता है और उपमान उसको माना जाता है जो महान् (अधिक गुणशाली) रहता है, उपमेय तदपेक्षया क्षुद्र (अल्प-गुणयुक्त) होता है, इस सिद्धान्त के अनुसार यहाँ यही उचित भी है कि महत्त्वमय जन्मशत-भोग्य सुख-दुःखों को उपमान मान कर उन से क्षुद्रतम दर्शन-अदर्शनजन्य सुख-दुःखरूप उपमेय का निगरण माना जाय।

परकीयमतिशयोक्तिध्वन्युदाहरणं स्मारयन्नाह—

एतेन 'तदप्राप्तिमहादुःख–' इत्यादिकाव्यप्रकाशो व्याख्यातः।

एतेनेति। पूर्वोक्तवाक्यकदम्बेनेत्यर्थः। 'तदप्राप्तीति।'.........'विलीनाशेषपातका। तच्चिन्ताविपुलाह्लादक्षीणपुण्यचया तथा॥ चिन्तयन्ती जगत्सूतिम् परब्रह्मस्वरूपिणम्। निरुच्छ्वासतया मुक्तिं गतान्या गोपकन्यका॥' इति तच्छेषांशः। स्वतःसंभविना वस्तुनाऽलंकारस्य ध्वनिमुदाहरता मम्मटेन काव्यप्रकाशे युग्मकात्मकं विष्णुपुराणगतं पद्यद्वयमिदं समुद्धृतम्। तस्य श्रीकृष्णस्य अप्राप्त्या वियोगेन, यत् महादुःखम्, तेन विलीनानि नष्टानि, अशेषाणि समस्तानि, पातकानि यस्यास्तथाभूता, तस्य श्रीकृष्णस्य चिन्तया ध्यानेन, यो विपुलो महान् आह्लादः आनन्दः तेन, क्षीणः नष्टः, पुण्यस्य चयः समूहो यस्यास्तथाभूता च पापपुण्ययोः फलभोगनाश्यत्वात् 'प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः' इतिन्यायात्, अन्या पूर्वश्लोकोक्ताभ्यो भिन्ना, काचित् गोपकन्यका, निरुच्छ्वासतया निरुद्धप्राणवायुतया ('नास्य प्राणाः समुत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते' इति श्रुतेर्मोक्षकाले निरुच्छ्वासता बोध्या।) परब्रह्मस्वरूपिणं सच्चिदानन्दरूपम्, जगत्सूतिम् जगतः सूतिरुत्पत्तिर्यस्मात्तादृशम्, श्रीकृष्णं, चिन्तयन्ती भावयन्ती सती, मुक्तिं मोक्षम्, गतेति तदर्थः। अत्रापि 'देव त्वद्दर्शनादेव—' इत्यत्रेव श्रीकृष्णवियोगदुःखचिन्ताह्लादयोरशेषपापपुण्यफलत्वेनाध्यवसितयोरवगतिरित्यतिशयोक्तिद्वयमशेष-चय-पदाभ्याम् प्राधान्येन व्यज्यत इति भावः।

अतिशयोक्तिध्वनि के अन्योक्त उदाहरण का स्मरण दिलाया जाता है—एतेन इत्यादि।

पूर्वोक्त संदर्भ से 'तदप्राप्ति...' इत्यादि काव्यप्रकाशग्रन्थ को भी व्याख्यात समझना चाहिए। 'तदप्राप्ति...'ये दोनों युग्मक (दो पद्यों में समाप्त होनेवाला वाक्य) पद्य विष्णु-पुराण के हैं। मम्मट ने स्वतःसंभवी वस्तु से अलंकार ध्वनि के उदाहरणरूप में इन्हें उद्धृत किए हैं।

इन दोनों पद्यों का अर्थ है कि—श्री कृष्ण-वियोग-जन्य-महादुःख से जिनके समग्र पाप नष्ट हो गए हैं और श्रीकृष्णचिन्तन-जन्य-महानन्द से जिनके अखिल पुण्य क्षीण हो गए हैं ऐसी पूर्ववर्णिताओं से भिन्न किसी गोपबाला ने निरुच्छ्वास-निरुद्ध प्राणवायु-होकर, सच्चिदानन्दरूप, जगदुत्पादक श्रीकृष्ण की भावना करती हुई मोक्ष को प्राप्त किया। (पद्य का मूल स्वरूप संस्कृत टीका में देखना चाहिए।)

यहाँ भी 'देव त्वद्दर्शनादेव—' की तरह अशेष पापफल और अशेष पुण्यफल के रूप में श्रीकृष्ण-वियोगजन्य दुःख तथा श्रीकृष्ण-चिन्तनजन्य आनन्द की प्रतीति होती है, अतः अशेष तथा चय पद से दो अतिशयोक्तियाँ यहाँ ध्वनित होती हैं।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरेऽतिशयोक्तिप्रकरणम्।

रसगङ्गाधरग्रन्थघटकातिशयोक्तिनिरूपणप्रकरणं समाप्तमिति भावः।

रसगङ्गाधर में अतिशयोक्ति का प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामतिशयोक्तिप्रकरणम्॥

तुल्ययोगितां निरूपयति—

अथ तुल्ययोगिता—

तुल्ययोगितालङ्कारनिरूपणमारब्धं वेदितव्यमिति भावः।

अब तुल्ययोगिता अलंकार का निरूपण आरब्ध समझना चाहिए।

लक्षणमाह—

प्रकृतानामेवाप्रकृतानामेव वा गुणक्रियादिरूपैकधर्मान्वयस्तुल्ययोगिता॥

प्रकृतानामिति। प्रस्तुतानामित्यर्थः। विनिगमनाविरहादाह—अप्रकृतानामिति। अप्रस्तुतानामिति तदर्थः। क्रियादिरिति, अत्रादिनाऽऽभावादीनां संग्रहो बोध्यः।

प्रस्तुतानामनेकपदार्थानाम् अथवा अप्रस्तुतानामनेकपदार्थानाम् गुणात्मकेन क्रियात्मकेन अन्येन वा संभविना धर्मेण सह वर्ण्यमानः संबन्धस्तुल्ययोगिता नामालंकार इत्यर्थः।

लक्षण किया जाता है—प्रकृतानामेव इत्यादि।

प्रस्तुत अनेक पदार्थों का अथवा अप्रस्तुत अनेक पदार्थों का गुणरूप, क्रियारूप किंवा अन्य यत्किंचित्रूप एक धर्म के साथ जो सम्बन्ध वर्णित होता है उसे तुल्ययोगिता अलंकार कहते हैं।

विशेषमाह—

औपम्यं चात्र गम्यम्, तत्प्रयोजकस्य समानधर्मस्योपादानात्। वाचकाभावाच्च। अत एवालंकारिकाणामपि सादृश्यं पदार्थान्तरम्, न तु साधारणधर्मरूपमिति विज्ञायते। अन्यथा औपम्यस्यात्र गम्यत्वोक्तेरनुपपत्तेः।

अत्रेति। तुल्ययोगितालंकार इत्यर्थः। तुल्ययोगितायामौपम्यस्य नियमतो व्यञ्जनया प्रतीतिर्भवतीति भावः। कुत इति चेत्तत्राह—तत्प्रयोजकेति। औपम्यप्रयोजकेत्यर्थः। ननु वाच्यत्वमेवौपम्यस्य कुतो नेति चेदत्राह—वाचकेति। औपम्यवाचकस्येवादेरभावेन न तस्य वाच्यत्वमिति भावः। अत एवेति। औपम्यस्य गम्यत्वकथनादेवेत्यर्थः। आलंकारिकाणामपीति। अपिना वैयाकरणादिसमुच्चयः। अन्यथेति। सादृश्यस्य साधारणधर्मरूपत्वे इत्यर्थः। अनुपपत्तेरिति। साधारणधर्मस्य वाच्यतया तदेकरूपत्वे सादृश्यस्यापि वाच्यत्वेन गम्यत्वकथनासंगतेरिति भावः।

तुल्ययोगिता के सम्बन्ध में जानने योग्य एक विशिष्ट बात कही जाती है—औपम्यं चात्र इत्यादि।

तुल्ययोगिता अलंकार में औपम्य (सादृश्य) नियमतः व्यङ्ग्य होता है। क्योंकि औपम्यनियामक साधारण धर्म यहाँ उपात्त रहता है और औपम्यवाचक इव आदि शब्द उपात्त नहीं रहता है।

इसीसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वैयाकरण आदि के समान आलंकारिकों के मत में भी सादृश्य एक पृथक् पदार्थ है, समानधर्मरूप नहीं अन्यथा सादृश्य को जो यहाँ व्यङ्ग्य कहा गया है वह संगत नहीं हो सकता। तात्पर्य यह कि तुल्ययोगिता में साधारण धर्म वाच्य ही रहता है, अतः यदि सादृश्य तद्रूप ही हो तब उसे सादृश्य को—भी वाच्य ही मानना पड़ेगा, फिर उसे व्यङ्ग्य कहना असंगत हो ही जायगा।

उक्तविषये मतान्तरमाह—

केचित्तु—'सादृश्यभाव एवातिरिक्तः। सादृश्यं तु तत्तत्साधारणधर्मात्मकमेव। स चेवादिपदानां शक्यतावच्छेदकः। तत्तत्साधारणधर्मवाचकैस्तु तत्तत्साधारणधर्मस्य स्वशक्यतावच्छेदकतत्तद्धर्मरूपेण बोधनेऽपि सादृश्यभावरूपेण बोधो व्यञ्जनसाध्य एव' इत्यपि वदन्ति।

सादृश्यभाव इति। सादृश्यत्वमित्यर्थः। स चेति। सादृश्यभावश्चेत्यर्थः। अयं भावः—'प्रिये विषादम्—' इत्यत्र 'विजगाल' इति पदेन विगलनक्रियारूपस्य साधारणधर्मस्य स्वशक्यतावच्छदकीभूतेन विगलनत्वेन रूपेण बोधनेऽपि सादृश्यत्वेन रूपेण बोधो न भवति। सादृश्यत्वेन रूपेण सादृश्यस्य बोधस्तत्रैवाभिधया भवति यत्रेवादीनामुपादानं तिष्ठति। सादृश्यत्वेन रूपेण सादृश्यबोध एव चौपम्यबोधः। ततश्च सादृश्यस्य समानधर्मरूपत्वाङ्गीकारेऽपि इवाद्यभावात् औपम्यस्य गम्यत्वोक्तिर्नासंगतेति। अस्मिन्पक्षे केचित्तु इत्यनेनारुचिः सूच्यते। तत्र बीजञ्च 'अन्ते रण्डाविवाहः स्यादादावेव कुतो नहि' इति न्यायविरोध एव।

उक्त विषय में भिन्न मत दिखलाया जा रहा है—केचित्तु इत्यादि।

कुछ लोगों का मत है कि सादृश्य का भाव—अर्थात् सादृश्यत्व ही अतिरिक्त पदार्थ है। सादृश्य तो साधारणधर्मरूप ही है। इव आदि पद का शक्यतावच्छेदक वही सादृश्यत्व है—अर्थात् इव आदि पद सादृश्यत्वरूप से सादृश्य के वाचक हैं। और सादृश्यत्व रूप से प्रतीयमान सादृश्य ही औपम्य है। फलतः तुल्ययोगिता के स्थल में सादृश्य को साधारणधर्मरूप मानने पर औपम्य व्यङ्ग्य ही हो सकता है, वाच्य नहीं। कारण, सादृश्यत्वरूप से सादृश्य का वाचक इव आदि पद वहाँ नहीं रहते हैं। साधारण धर्मवाचक पद यदि वहाँ रहते भी हैं तो वे पद सादृश्यत्व रूप से सादृश्य के बोधक नहीं होते, अपितु स्वकीयशक्यतावच्छेदक यत्किञ्चित् धर्मरूप से साधारण धर्म के बोधक होते हैं। जैसे—'प्रिये विषादम्···' इस अग्रिम तुल्योगितालंकारोदाहरण में 'विजगाल' पद विगलन-क्रियारूप साधारण धर्म का बोध विगलनत्वरूप से कराता है, सादृश्यत्वरूप से नहीं।

'केचित्तु' कह कर ग्रन्थकार ने इस मत में अपनी अरुचि प्रकट की है जिसका कारण यह है कि इस मत में भी जब कहीं एक अतिरिक्त पदार्थ मानना ही पड़ा—अर्थात् सादृश्य को अतिरिक्त न मान कर सादृश्यत्व को अतिरिक्त माना गया, तब सादृश्य को ही अतिरिक्त क्यों नहीं मान लिया जाय? लोकोक्ति भी है 'अन्ते रण्डाविवाहः

स्यादादावेव कुतो नहि'—अर्थात् अन्त में यदि विधवाओं का विवाह होना ही है तो आदि में ही क्यों नहीं ?

उदाहरणं दर्शयितुमाह—

उदाहरणम्—

प्रदर्श्यत इति शेषः ।

उदाहरण दिखलाया जा रहा है ।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'प्रिये विषादं जहिहीति वाचं प्रिये सरागं वदति प्रियायाः ।
वारामुदारा विजगाल धारा विलोचनाभ्यां मनसश्च मानः ॥

कविः कथयति—प्रिये वल्लभे 'प्रिये ! प्रेयसि !, विषादम् खेदम्, जहिहि त्यज' इति वाचम्, वाणीम्, सरागं सस्नेहं यथा स्यात्तथा, वदति कथयति, सति, प्रियायाः प्रेयस्याः, विलोचनाभ्याम् नेत्राभ्याम्, उदारा वह्वी, वाराम् जलानाम्, धारा पंक्तिः, मनसः हृदयात्, मानः विकारविशेषश्च, विजगाल व्यगलदित्यर्थः ।

स्नेहपूर्णं प्रियवचनमाकर्ण्य रुदत्या नायिकाया मानो निरस्त इति भावः ।

उदाहरण उपस्थित किया जाता है—'प्रिये विषादम्' इत्यादि ।

कवि का कथन है—'प्रिये ! विषाद छोड़ो' यह वचन जब पति ने स्नेहपूर्वक कहा, तब पत्नी की आँखों से आँसू की विपुल-धारा और मन से मान-दोनों चू गए ।

उपपादयति—

अत्र मानिन्या वर्ण्यत्वात्तदीयत्वेन प्रकृतयोः कर्त्रोरश्रुमानयोर्विगलनक्रिया समानधर्मत्वेनोपात्ता, विलोचनमनसोरपादानयोश्च । कारकाणां सर्वेषामपि क्रियान्वयस्य तुल्यत्वात् । एवं चतुर्णां क्रियारूपधर्मैक्येऽपि द्वयोर्द्वयोरेवौपम्यं प्रतीयते न परस्परं चतुर्णाम् । तदपादानत्वतत्कर्तृत्वरूपे विशेषे सामान्यस्य पर्यवसानात् । शेषमुपरिष्टाद्बोध्यम् ।

विलोचनमनसोरिति । उक्तरीत्या प्रकृतयोरित्यादिः । अपादानयोश्चेति । विगलनक्रिया समानधर्मत्वेनोपात्तेत्यस्यानुषङ्गः । ननु कर्त्रोः क्रियान्वयात्तथासंभवेऽपि कथमपादानयोस्तथा, तत्रान्वयस्यैवाभावादत आह—कारकेति । सामान्यस्येति । क्रियान्वयित्वरूपकारकत्व-स्येत्यर्थः । शेषमिति । उपमाप्रतीतावपि नात्र तत्कृतश्चमत्कारोऽनुभवसिद्धः । किं तु तत्सह-कृतैकधर्मान्वयकृत एवेति पृथगलंकारता । न च गम्योपमयैव निर्वाहः । विद्यमानस्यापि सादृश्यस्यासुन्दरसाधारणधर्मकत्वेनासुन्दरत्वादित्यादिकमित्यर्थः ।

'प्रिये विषादम्—' इत्यत्र मानिनीवर्णनपरे पद्ये मानिनी प्रस्तुता तत्संबन्धितया कर्तृत्वेनोपात्तौ अश्रुमानौ अपादानत्वेनोपात्ते विलोचनमनसी च प्रस्तुतानि । एवञ्च प्रस्तुतानां तेषाम् विगलनक्रियारूपे एकस्मिन् धर्मेऽन्वयात्तुल्ययोगितालंकारः स्फुटः । एवञ्चाश्रुमानयोः विलोचनमनसोश्चौपम्यमिह व्यङ्ग्यम् । ननु कथं द्वयोर्द्वयोरेवौपम्यस्य व्यङ्ग्यता, औपम्यव्यञ्जकस्य क्रियारूपैकधर्मस्य समानतया चतुर्णाम् परस्परमौपम्यस्य व्यक्त्यौचित्यादिति चेन्न, विगलनक्रियान्वयित्वरूपसामान्यधर्मस्य वस्तुतः विगलनक्रिया-

पादानत्व-विगलनक्रियाकर्तृत्वरूपयोर्विशेषयोः पर्यवसाने तच्चतुष्टयवृत्तिसाधारणधर्मस्याभावादिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्रेत्यादि ।

'प्रिये विषादम्—' इस पद्य में मानिनी नायिका वर्णनीय होने के कारण प्रस्तुत है और मानिनी से संबन्ध रखने के कारण कर्तृकारकभूत अश्रु तथा मान एवम् अपादान कारकभूत नेत्र तथा मन भी प्रस्तुत ही समझे जायँगे। इन मानिनी-संबन्ध से प्रस्तुत कहे जाने वालों में से अश्रु-मान के समान धर्मरूप में और नेत्र-मन के भी समान धर्मरूप में एक ही विगलन (चूना) क्रिया कही गई है। क्योंकि सभी कारकों का क्रिया के साथ अन्वय तुल्यरूप से होता है अर्थात् यहाँ अश्रु और मानरूप कर्तृकारकों का अन्वय जिस तरह विगलन क्रिया के साथ होगा उसी तरह नेत्र और मनरूप अपादान कारकों का भी, अतः वह क्रिया जिस तरह दोनों कर्ताओं का समान धर्म है उसी तरह दोनों अपादानों का भी। इस तरह से यहाँ दो प्रकार से तुल्ययोगिता अलंकार होता है। फलतः यहाँ अश्रु तथा मान का एवम् नेत्र तथा मन का-अर्थात् दो-दो का औपम्य अभिव्यक्त होता है। आप कहेंगे—दो-दो का औपम्य अभिव्यक्त होता है ऐसा क्यों कहते हैं ? चारों का परस्पर औपम्य अभिव्यक्त होता है ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि उक्त क्रिया के साथ अन्वित होना चारों का समान धर्म है, दो-दो का ही नहीं, तो इसका समाधान यह है कि—वस्तुतः यहाँ चारों (दो कर्ता और दो अपादान) का कोई एक समान धर्म नहीं है। कारण, विगलन-क्रियान्वयित्व रूप कारकत्व—जो आप को चारों का समान धर्म प्रतीत होता है—एक सामान्य रूप है जिसका पर्यवसान अन्ततः विगलन-क्रियाकर्तृत्व तथा विगलन-क्रियाऽऽपादानत्वरूप विशेष में होता है। अब आप सोचें कि चारो का कोई समान धर्म हुआ ? अगत्या आपको भी कहना पड़ेगा-नहीं। तात्पर्य यह कि उक्त विशेष रूप में पर्यवसित वस्तु दो-दो का ही समान धर्मरूप होती है—अर्थात् विगलन-क्रिया-कर्तृत्व अश्रु-मान का और विगलन क्रियाऽऽपादानत्व नेत्र-मन का समान धर्म होगा। अतः ठीक कहा गया है कि दो-दो का औपम्य यहाँ अभिव्यक्त होता है।

और बात ऊपर से समझ लेनी चाहिए-अर्थात् औपम्य की प्रतीति होने पर भी तत्प्रयुक्त चमत्कार यहाँ अनुभूत नहीं होता, अपितु उसके साथ-साथ अनेक प्रस्तुतों का एक धर्म के साथ होने वाले अन्वय का चमत्कार अनुभूत होता है, अतः इसे तुल्ययोगिता नामक एक पृथक् अलंकार माना गया। व्यङ्ग्य उपमा ही मानकर भी निर्वाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि असुन्दर साधारणधर्ममूलक सादृश्य के विद्यमान रहने पर भी असुन्दर ही माना जाता है और सुन्दर सादृश्य को ही उपमा कहते हैं।

गुणोदाहरणमुपन्यस्यति—

> 'न्यञ्चति वयसि प्रथमे समुदञ्चति किं च तरुणिमनि सुदृशः ।
> उल्लसति कापि शोभा वचसां च दृशां च विभ्रमाणाञ्च ॥'

कविः वयःसन्धिं वर्णयति—प्रथमे शैशवे वयसि अवस्थायाम्, न्यञ्चति न्यग्भवति तिरोभवतीति यावत्, सति, किं च पुनः, तरुणिमनि तारुण्ये, समुदञ्चति समुद्यति प्रादुर्भवतीति यावत् सति, सुदृशः सुनयनाया नायिकायाः, वचसाम् वाचाम्, दृशाम् नेत्राणाम्, विभ्रमाणाम् विलासानाम्, च, कापि विशिष्य वक्तुमशक्या, शोभा, उल्लसति उद्भव-

तीत्यर्थः। शैशवं समाप्य यौवनमुपाश्रिताया रमण्या वचन-नयन-विलासेषु विलक्षणा शोभा प्रादुर्भवतीति भावः।

गुण का उदाहरण उपस्थित किया जाता है—न्यञ्चति इत्यादि।

कवि नायिका की वयःसन्धि का वर्णन करता हुआ कहता है—प्रथम वयस (शैशवावस्था) के बीत जाने पर और युवावस्थाके उदय हो जाने पर सुनयना नायिका के वचन, नयन और विलासों की कोई विलक्षण शोभा समुल्लसित हो उठती है।

उपपादयति—

अत्र गुणः।

'न्यञ्चति······' इति पद्ये वर्णनीयनायिकासंबन्धितया प्रकृतानाम् वचन-दृग्-विभ्रमाणाम् समानधर्मत्वेन शोभारूपो गुणः, उपात्त इत्यर्थः। तथा च प्रकृतानाम् गुणरूपैकधर्मान्वयात्तुल्ययोगितेति भावः। वचनादीनामुपमा व्यङ्ग्येत्यपि बोध्यम्।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'न्यञ्चति······' इस पद्य में वर्णनीय नायिका से संबद्ध होने के कारण प्रस्तुत वचन, नयन और विलासों का समान धर्म शोभारूप गुण उक्त है। फलतः उस एक गुण के साथ उक्त वचन आदि प्रस्तुत पदार्थों का अन्वय होने से तुल्ययोगिता अलंकार यहाँ वाच्य है और उक्त रीति से वचन आदि का परस्पर औपम्य व्यङ्ग्य होता है।

पाठपरिवर्तनेनास्यैव पद्यस्य क्रियोदाहरणतामाह—

यदि च 'विलसन्त्यहमहमिकया वाचो गतयश्च विभ्रमाश्च भृशम्' इत्युत्तरार्धम्, तदा क्रिया।

प्रथमे वयसि न्यञ्चति, किं च तरुणिमनि समुदञ्चति सति सुदृशः वचनानि, गमनानि, विलासाश्च, अहमहमिकया 'अहं पूर्वम् अहं पूर्वम्' इति मिथः स्पर्धया, विलसन्तीति परिवर्तितपाठानुसार्य्यर्थो बोध्यः। अत्र पाठे विलसनरूपा क्रिया समानो धर्मः, यस्मिन्नेकस्मिन् वचनादीनां प्रस्तुतानामन्वयात्तुल्ययोगितेति भावः।

उत्तरार्ध को भिन्नरूप में परिवर्तित कर देने पर यही पद्य क्रियारूप समानधर्म का उदाहरण हो जा सकता है यही अब दिखलाया जा रहा है—यदि च इत्यादि।

'न्यञ्चति···' इस पद्य के उत्तरार्ध को 'विलसन्त्यहमहमिकया···अर्थात् 'मैं पहले तो मैं' पहले इस तरह की परस्पर स्पर्धा से वचन, गमन और विलास शोभित होते हैं' इस रूप में बदल देने पर विलसनरूप क्रिया ही समान धर्म होगा। तात्पर्य यह कि इस परिवर्तित पाठ के अनुसार 'विलसन्ति' इस क्रियारूप एक धर्म के साथ वचन आदि प्रस्तुतों का अन्वय होने से तुल्ययोगिता होगी।

पुनरत्रैव पाठान्तरकरणेन गुणविशिष्टक्रियायाः समानधर्मताया उदाहरणमाह—

यदि 'दधतिस्म मधुरिमाणं वाचो गतयश्च विभ्रमाश्च भृशम्' इति क्रियते तदा गुणविशिष्टा क्रिया। केवलगुणेन साक्षात्संबन्धाभावात् केवलक्रियायाश्चाहृद्यत्वात्।

मधुरिमाणम् माधुर्यम्, लक्षणया सौन्दर्यविशेषमिति भावः, दधतिस्म धारयन्ति स्मेत्यर्थः। अन्यत् प्राग्वत्। अस्मिन् पाठे माधुर्यगुणविशिष्टा धारणक्रिया वचनादीनां समानो धर्म इति भावः। ननु केवलस्य गुणस्य तत्त्वं कुतो न स्वीक्रियत इत्यत आह—

केवलेति । कारकाणां मिथः क्रियाद्वारकसंबन्धादाह—साक्षादिति । केवलक्रियाया-स्तत्त्वं कुतो नेत्यत आह—केवलक्रियाया इति । माधुर्यगुणेनाविशेषिताया धारणक्रियाया असुन्दरतया अलंकारताप्रयोजकसाधारणधर्मत्वेनास्वीकारादिति भावः ।

पुनः पाठ-भेद से गुणविशिष्ट क्रियारूप समान धर्म का उदाहरण उपस्थित किया जाता है—यदि इत्यादि ।

यदि उक्त पद्य का उत्तरार्ध 'दधतिस्म—अर्थात् वचन, गमन और विलास अत्यधिक माधुर्य (लक्षणा के द्वारा सौन्दर्य) को धारण किए' इस रूप में कर दिया जाय तब वचन आदि अनेक प्रस्तुतों का समान धर्म माधुर्य-गुणविशिष्ट धारणक्रिया हो जाएगा। यदि कोई कहे कि केवल माधुर्य गुण को ही समान धर्म क्यों नहीं माना जाय तो इसका उत्तर यह होगा कि कर्मकारकीभूत केवल माधुर्यगुण का वचन आदि के साथ साक्षात् संबन्ध हो ही नहीं सकता-अर्थात् कारकों में परस्पर संबन्ध क्रिया के द्वारा ही होता है, न कि स्वतः, अतः माधुर्य धारण क्रिया से युक्त होकर ही समान धर्म बन सकता है, अन्यथा नहीं। इस पर यदि कोई यह कहे कि छोड़िए माधुर्य गुण को केवल धारण क्रिया को ही समान धर्म मान लीजिए तो यह भी उचित नहीं होगा—क्योंकि केवल धारण क्रिया एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कोई सौन्दर्य प्रतीत नहीं होता, और सौन्दर्य-हीन समान धर्म मानकर किसी अलंकार की कल्पना की नहीं जा सकती।

तुल्ययोगितायाः प्रकारान्तरमुदाहर्तुमाह—

अप्रकृतानामेव यथा—

अप्रस्तुतानामनेकपदार्थानामेकधर्मान्वयेन संभवन्ती तुल्ययोगिता यथेति भावः ।

तुल्ययोगिता के अन्य प्रकार का उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जाता है—अप्रकृता इत्यादि।

अप्रस्तुत अनेक पदार्थों का एक धर्म के साथ अन्वय होने से सम्पन्न होने वाली तुल्ययोगिता जैसे— ।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'न्यञ्चति बाल्ये सुदृशः समुदञ्चति गण्डसीम्नि पाण्डिमनि ।
मालिन्यमाविरासीद्राकाधिपलवलिकनकानाम् ॥'

कविराह—सुदृशः सुनयनाया नायिकायाः, बाल्ये शैशवे, न्यञ्चति न्यग्भवति तिरोभवतीति यावत् , सति, किञ्च, तस्याः, गण्डसीम्नि कपोलदेशे तदवच्छेदेनेत्यर्थः, पाण्डिमनि स्फीतत्वे, समुदञ्चति समुदीयमाने, सति, राकाधिपः पूर्णिमाचन्द्रः, लवलिः 'हरफारेवडी'ति प्रसिद्धः फलविशेषः, कनकम् सुवर्णम् चेति द्वन्द्वः, तेषाम् , तेषु इति यावत् , मालिन्यम् विच्छायता, आविरासीत् प्रादुर्बभूवेत्यर्थः । बाल्यमपहाय मनोरमं यौवनमुद्वहन्त्या नायिकाया धवल-मसृण-कम्र-कपोलमपेक्ष्य चन्द्रादीनां विच्छायत्वं प्रतीयते स्मेति भावः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—न्यञ्चति इत्यादि ।

बचपन बीत जाने पर जब सुनयना नायिका के कोमल कपोलतल में स्वच्छतातिशय समुदित हुआ तब उसके सामने पूनो के चाँद, लवली (हरफारेवड़ी) और सोने में मलिनता प्रादुर्भूत हो गई-अर्थात् युवती के कपोलतल की अपेक्षा ये सब पदार्थ फीके जँचने लगे ।

उपपादयति—

अत्र गुणः, आविर्भावक्रियायाः साक्षाद्धर्मिभिरनन्वयात् ।

गुण इति । मालिन्यमित्यर्थः । समानो धर्म इति शेषः । धर्मिभिरिति । चन्द्रादिभिरित्यर्थः । तेषामकारकत्वात् । षष्ठयाः कारकत्वं नास्तीति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि—

'न्यञ्चति—' इस पद्य में पूर्णिमाचन्द्र आदि अप्रस्तुत अनेक पदार्थों का मालिन्यरूप समान धर्म के साथ अन्वय है, अतः तुल्ययोगिता हुई। आविर्भाव क्रिया को यहाँ समान धर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका पूर्णिमाचन्द्र आदि धर्मी के साथ साचात् अन्वय नहीं होता। तात्पर्य यह कि क्रिया के साथ साचात् अन्वय कारकों का होता है और संस्कृत व्याकरण के अनुसार षष्ठी विभक्ति को (संबन्ध को) कारक माना नहीं जाता।

पाठभेदेऽत्रैव समानधर्मभेदमाह—

'न्यञ्चति राकाधिपतिर्लवलीपुरटं च पुण्डरीकं च' इति कृते क्रिया ।

न्यञ्चतीति । नीचैर्भवतीत्यर्थः । पुरटम् सुवर्णम् । क्रियेति, न्यञ्चनमित्यर्थः । अन्यत् सुगमम् ।

पाठ भेद कर देने पर यहाँ भी क्रियारूप समान धर्म हो जा सकता है।

इसी बात का अब दिग्दर्शन कराया जाता है—न्यञ्चति इत्यादि। उक्त पद्य का उत्तरार्ध यदि 'न्यञ्चति—अर्थात् पूर्णिमाचन्द्र, लवली, सुवर्ण और कमल नीचे हो जाते हैं' यों बना दिया जाय, तब 'नीचे हो जाना' रूप क्रिया समान धर्मरूप हो जायगी।

पुनः पाठभेदेन धर्मभेदमेवाह—

'धवलीभवत्यनुदिनं लवलीकनकं कलानिधिश्चायम्' इति कृते गुणविशिष्टक्रिया ।

गुणविशिष्टक्रियेति । धावल्यगुणविशिष्टभवनक्रियेत्यर्थः । अन्यत् स्पष्टम् ।

पुनः पाठभेद द्वारा धर्मभेद होने की बात ही कही जाती है—धवली इत्यादि।

उक्त पद्य का ही उत्तरार्ध यदि 'धवलीभवति—अर्थात् हरफारेवड़ी, सोना और यह चन्द्र प्रतिदिन धवल होते से प्रतीत होते हैं' यों कर दिया जाय तब धावल्ययुक्त भवनक्रिया समानधर्मरूप होगी।

'गुणक्रियादिरूपैकधर्म-' इत्यत्रादिपदेन संग्राह्यस्य धर्मान्तरस्योदाहरणं प्रदर्शयति—

'त्वयि पाकशासनसमे शासति सकलं वसुन्धरावलयम् ।
विपिने वैरिवधूनां वर्षन्ति विलोचनानि च दिनानि ॥'

कविः कमपि राजानं स्तौति—पाकशासनसमे इन्द्रतुल्ये, त्वयि भवति, सकलं सम्पूर्णं, वसुन्धरावलयम् भूमण्डलम्, शासति सति, विपिने अरण्ये स्थितानामिति यावत्, वैरिवधूनाम् शत्रुरमणीनाम्, विलोचनानि नयनानि, दिनानि दिवसाश्च, वर्षन्ति वर्षणं कुर्वन्ति, संवत्सरवदाचरन्ति चेत्यर्थः ।

लक्षण-वाक्य में आदि पद से संग्रह करने योग्य गुण-क्रिया से भिन्न समान धर्म का उदाहरण दिखलाया जा रहा है—त्वयि इत्यादि।

राजा की स्तुति कवि करता है—हे राजन्! इन्द्र के समान आप जब समग्र भूमण्डल का शासन करने लगे तब भाग कर वन में शरण लेने वाली शत्रुस्त्रियों के नयन और दिन दोनों 'वर्षन्ति'—अर्थात् नयन बरसने लगते हैं और दिन वर्ष के समान प्रतीत होने लगते हैं।

उपपादयति—

अत्रोभयसाधारणयोर्गुणक्रिययोरभावाच्छब्दमात्रम्। श्लेषमूलेनाभेदाध्यवसानेन पिण्डीकृतोऽर्थो वा।

उभयेति। नेत्रादिनेत्यर्थः। शब्दमात्रमिति। वर्षन्तीतिशब्दमात्रमित्यर्थः। तस्य तदुभयवृत्तित्वाभावादाह—श्लेषेति। पिण्डीकृत इति। एकीकृत इत्यर्थः। वेति। समानो धर्म इति शेषः। एवं प्रागपि बोध्यम्।

अयं भावः—'त्वयि—' इत्यत्र लोचनदिनोभयगते गुणक्रिये न के अपि प्रतीयेते यतो गुणः कश्चनोक्त एव नास्ति, वर्षन्तीतिक्रियापदे उक्तेऽपि तदर्थस्य लोचनपक्षे वर्षणरूपत्वेन, दिनपक्षे च संवत्सरसमानाचरणरूपत्वेन समानत्वं नास्ति, अतः स (वर्षन्ति इति) शब्द एव तयोः समानो धर्मः सन् तुल्ययोगितां प्रयोजयति। अथवा वर्षन्तीति पदे यः श्लेषो वर्तते तेन उक्तयोस्तत्पदस्य द्वयोरर्थयोरभेदोऽध्यवसीयते। अध्यवसिते चाभेदे तयोरर्थयोरेकत्वं संपद्यते, सम्पन्नैकत्वश्चासावर्थः समानधर्मतां प्रतिपद्यत इति।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'त्वयि—' इस पद्य में ऐसा कोई गुण कहा ही नहीं है जो नेत्र और दिन दोनों में रहने वाला हो। 'वर्षन्ति' यह क्रियापद यदि कहा भी है तो उसका अर्थ दोनों पक्षों में दो तरह का हो जाता है, फलतः नेत्रगत क्रिया होती है 'बरसना' और दिनगत क्रिया होती है 'वर्ष के समान आचरण करना', अतः क्रिया भी कोई समान नहीं होती, इसलिए यहाँ 'वर्षन्ति' यह शब्द ही नेत्र और दिन का समान धर्म माना जायगा। अथवा श्लेषमूलक अभेदारोप के द्वारा एक बनाया गया 'वर्षन्ति' पद का अर्थ भी यहां साधारण धर्म हो सकता है। तात्पर्य यह कि 'वर्षन्ति' इस एक ही पद से 'बरसना' और 'वर्ष दिनों सा आचरण करना' ये दोनों अर्थ श्लेष की महिमा से ज्ञात होते हैं, ऐसी स्थिति में एक पद से बोधित होने के कारण भिन्न होने पर भी वे दोनों अर्थ एक हो जाते हैं—अर्थात् उन दोनों अर्थों में परस्पर अभेद का आरोप कर लिया जाता है और इस तरह से एक बना हुआ 'वर्षन्ति-पदार्थ' नयन तथा दिनों का साधारण धर्म हो सकता है।

अलंकारसर्वस्व-कुवलयानन्दकारयोरुक्ती समुद्धृत्य निरस्यति—

यत्त्वलंकारसर्वस्वकृता, तदनुगामिना कुवलयानन्दकृता च 'गुणक्रियाभिः संबद्धत्वे गुणक्रियारूपैकधर्मान्वयः' इति चोक्तम्, तदापाततः।

'शासति त्वयि हे राजन्नखण्डावनिमण्डलम्।
न मनागपि निश्चिन्ते मण्डले शत्रु-मित्रयोः॥'

इत्यत्राभावरूपस्यैव धर्मस्यान्वयात्।

शासतीति। कविः कमपि राजानं स्तौति—हे राजन्! त्वयि अखण्डावनिमण्डलम् समग्रधरावलयम्, शासति सति, शत्रु-मित्रयोः अरिसूर्ययोः शब्दच्छलेनारिसुहृदोश्च,

मण्डले समूहे, मनागपि ईषदपि, निश्चिन्ते न सचिन्ते इति यावत्, शत्रुमण्डलस्य शत्रुभूतभवदभ्युदयेन, सूर्यमण्डलस्य चाद्वितीयत्वहानिसंभावनया चिन्तेत्यर्थः।

अयं भावः—तुल्ययोगितां लक्षयताऽलंकारसर्वस्वकृता तल्लक्षणे 'गुणक्रियाभिः संबद्धत्वे' इत्युक्तम्, तदनुयायिना कुवलयानन्दकारेणापि तल्लक्षणे 'गुणक्रियारूपैक-धर्मान्वयः' इति कथितम्, परन्तु तन्न युक्तम्, 'शासति—' इत्यत्र प्रकृतयोः शत्रुमित्रयो-रन्वयिनो गुणक्रियारूपैकधर्मस्यानुक्त्या तुल्ययोगितानापत्तेः। मम लक्षणे तु आदि-पद-निवेशेन गुणक्रियातिरिक्तस्यापि धर्मस्य संग्रहेण 'शासति—' इत्यत्रोक्तं निश्चिन्तताऽ-भावात्मकं धर्ममादाय भवति तुल्ययोगितेति।

अत्र 'यद्वा जातिक्रियातिरिक्तं धर्ममात्रं गुण' इति मतेनेदम्। किंच 'न मनागपि निश्चिन्ते' इत्यत्र चिन्ताभाववद्भेदस्य चिन्तानतिरिक्ततया गुणस्यैव साधारणधर्मत्वमित्यपि वक्तुं शक्यम्।' इत्युक्त्वा सर्वस्वकाराद्युक्तं समर्थयन् नागेशो दृश्यते।

नागेशखण्डनदुराग्रही सरलाकारोऽत्र 'चिन्ताऽभावस्याभावः चिन्तारूपः स्यात्, न तु चिन्ताभाववतो धर्मिणोऽभावः। किंच चिन्तारूपधर्मस्य 'शत्रुमित्रयोः मण्डले' इति मण्डलाभ्यां धर्मिभ्यामभेदान्वयो दुर्घट इति तदीयं नागेशकृतं समाधानमाभासरूपमेव।' इति ब्रुवाणश्चिन्त्य एव, अभाववद्भेदस्याभावीयप्रतियोगितावच्छेदकरूपतायाः सिद्धान्त-सिद्धत्वात्, येन केनापि संबन्धेनानन्वयोऽत्र विवक्षित इति 'अभेदेनान्वयो न स्यात्' इत्युक्ते-रसंगतेश्च, अन्यथा 'अभावरूपस्य...' इति मूलोक्तेः का गतिः? अभेदान्वयस्य तथाप्य-संभवादिति बोध्यम्।

अलंकारसर्वस्वकार तथा कुवलयानन्दकार की उक्तियों को उद्धृत करके उनका खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि।

अलंकारसर्वस्वकार तथा उनके अनुयायी कुवलयानन्दकार ने जो तुल्ययोगिता लक्षण में क्रमशः यह कहा कि—'गुण अथवा क्रिया से संबन्ध रहने पर' और 'गुण अथवा क्रिया-रूप एक धर्म के साथ अन्वय' वह सरसरी तौर से। क्योंकि 'शासति—अर्थात् हे राजन्! जब आप समग्र धरामण्डल का शासन करने लगे तब शत्रु तथा मित्र के मण्डल थोड़ी भी निश्चिन्तता का अनुभव नहीं कर सके, तात्पर्य यह कि शत्रुमण्डल आपके अभ्युदय से चिन्तित रहने लगा और मित्रमण्डल (सूर्यमण्डल शब्दच्छल से सुहृद्मण्डल भी) सजातीय द्वितीय के हो जाने से अद्वितीयताऽभिमान पर धक्का पहुँचने के कारण चिन्तित हो उठा' इस पद्य में निश्चिन्तता का अभाव ही शत्रु-मित्र का अन्वयी साधारण धर्म है। अभिप्राय यह कि सर्वस्वकार आदि के कथनानुसार यहाँ तुल्ययोगिता नहीं हो सकेगी, क्योंकि उनके हिसाब से गुण अथवा क्रिया ही साधारण धर्म होना चाहिए और यहां गुण किंवा क्रिया साधारण धर्मरूप में उक्त हुआ नहीं है, अपितु अभाव उस रूप में उक्त है। पण्डितराज के मत में लक्षणगत आदि पद से गुण, क्रिया से अतिरिक्त 'अभाव' आदि का भी संग्रह होता है, तदनुसार उक्त पद्य में भी तुल्ययोगिता सिद्ध होती है।

सर्वस्वकाराद्युक्तिं कथञ्चित् समर्थयन्नाह—

गुणक्रियेत्युपलक्षणं वा धर्ममात्रस्य।

सर्वस्वकाराद्युक्तौ गुणक्रिययोर्धर्ममात्रोपलक्षणत्वस्वीकारे तु न किञ्चिदसमञ्जसमिति भावः।

स्वयं पहले खण्डन करके अब किसी तरह सर्वस्वकार आदि की उक्ति का समर्थन ग्रन्थकार करते हैं—गुण इत्यादि।

अथवा सर्वस्वकार आदि की उक्ति में आये हुए गुण-क्रिया पद को धर्ममात्र का उपलक्षण समझना चाहिए।

गुणक्रियातिरिक्तधर्ममूलकमुदाहरणान्तरं दर्शयति—

एवम् 'एकस्त्वं दानशीलोऽसि प्रत्यर्थिषु तथार्थिषु' इत्यादावपि दानशील-रूपैकान्वयाल्लक्षणप्रवृत्तिः। यथाकथंचिदनेकत्रैकान्वयस्य चमत्कारिणोऽपेक्षि-तत्वात्।

एकस्त्वमिति। प्रत्यर्थिषु शत्रुषु, तथा, अर्थिषु याचकेषु, एकः, त्वम्, दानशीलः अवखण्डनस्वभावः (दो अवखण्डने इत्यस्य रूपम्) अथ च वितरणशीलः (दा-धातोः रूपम्) असीत्यर्थः। नागेशस्तु 'द्रव्यस्य पराभवस्य वा' इति कथयन् दा-धातोरेव रूपम् पक्षद्वयेऽपि स्वीचक्रे। अन्यत् स्पष्टम्।

गुण और क्रिया से भिन्न धर्म वाला एक अन्य उदाहरण दिखलाया जाता है—एवम् इत्यादि।

इसी तरह 'एकस्त्वम्—अर्थात् प्रत्यर्थियों, (शत्रुओं) तथा अर्थियों (याचकों) के विषय में तू ही एक दानशील हो, तात्पर्य यह कि याचकों के विषय में दानशील तो बहुतेरे लोग होते हैं, पर याचकों के समान शत्रुओं के विषय में भी दानशील तू ही हो दूसरा नहीं। वस्तुतः 'दानशील' पद का अर्थ शत्रुपक्ष में 'खण्डन=हननशील' है, अतः उस पक्ष में 'दान' पद की सिद्धि 'दो अवखण्डने' धातु से हुई समझनी चाहिए। नागेश ने तो दा धातु से दान पद की सिद्धि मानकर उसके कर्मरूप में 'द्रव्य अथवा पराभव' का अध्याहार माना है। इस पद्य में 'दानशील' रूप एक धर्म—जो गुण अथवा क्रिया से भिन्न है—के साथ प्रस्तुत प्रत्यर्थी तथा अर्थी का अन्वय होने से तुल्ययोगिता होती है। फलतः सारांश यह सिद्ध हुआ कि तुल्ययोगिता के लिये जिस किसी तरह अनेक में एक का ऐसा अन्वय अपेक्षित होता है जो चमत्कारी हो वह एक गुण अथवा क्रिया ही हो यह आवश्यक नहीं है।

पुनः कुवलयानन्दकारोक्तिमेव निरस्यति—

एतेन—

> हिताहिते वृत्ति-तौल्यमपरा तुल्ययोगिता।
> प्रदीयते पराभूतिर्मित्र-शात्रवयोः समा॥'

इत्यादिना तुल्ययोगितायाः प्रकारान्तरं यत्कुवलयानन्दकृता लक्षितमु-दाहृतं च तत्परास्तम्। अस्या अपि 'वर्ण्यानामितरेषां वा धर्मैक्यं तुल्य-योगिता।' इति पूर्वलक्षणाक्रान्तत्वात्। एकानुपूर्वीबोधितवस्तुकर्मकदानपात्र-त्वस्य, परम्परया तादृशशब्दस्य, प्रागुक्तमार्गेणार्थस्य वा धर्मस्यैक्यात्।

हिताहिते इति। विषयसप्तमीयम्। हितकारकाहितकारकयोर्विषये इत्यर्थः। वृत्तिर्व्य-वहारः। प्रदीयते इति। उदाहरणमिदम्। शत्रुरेव शात्रवम्। स्वार्थेऽण् प्रत्ययः।

शात्रवयोरित्यत्र विषयसप्तमी। अथवा संबन्धसामान्ये षष्ठी। पराभूतिरित्यस्य मित्रपक्षे उत्कृष्टमैश्वर्यमर्थः, शत्रुपक्षे तु पराभवः। अत्र 'पराभूतिः, प्रदीयते' इत्याकारकः समानो व्यवहारो हिताहितविषये वर्णित इति, अत्र तुल्ययोगिताया अपरः प्रकार इति दीक्षिताशयः।

एतेनेत्यस्यार्थमाह—अस्या अपीति। वर्ण्यानाम् प्रस्तुतानाम्। इतरेषाम् अप्रस्तुतानाम्। धर्मैक्याभावेन कथं पूर्वलक्षणाक्रान्ततेत्याशंक्य धर्मैक्यमुपदर्शयति—एकानुपूर्वीति। वस्त्विति। पराभूतिरूपमित्यर्थः। परम्परयेति। स्वबोध्यकर्मकदानपात्रत्वसंबन्धेनेत्यर्थः। प्रागुक्तमार्गेणेति। श्लेषमूलकाभेदाध्यवसानद्वारकैकीकरणेनेत्यर्थः। अत्र नागेशः—"अत्रेदं चिन्त्यम्—हिताहितविषयकतुल्यव्यवहारकर्तृत्वप्रतीतिकृतचमत्कारे एषां यथोक्तधर्मिणामेकधर्मान्वयकृत एव यत्र चमत्कारस्तत्राद्येतिभेदात्। 'प्रदीयते पराभूतिः' 'यश्च निम्बम्–' इत्यनयोः पद्ययोर्न तादृशधर्मान्वयमात्रकृतश्चमत्कारः। किन्तु राजनिम्बयोर्हिताहितविषयकशुभाशुभान्यतरैकजातीयकर्तृकव्यवहारकृत एवेति सहृदयहृदयमेवात्र प्रमाणम्। अत एव 'जगाल मानो हृदयादमुष्या विलोचनाभ्यामिव वारिधारा' इत्यत्र न तुल्ययोगिता। 'चन्द्र इव सुन्दरं मुखम्' इत्यत्र न दीपकम्। तत्र सादृश्यप्रतीतिकृतचमत्कारस्यैव सत्त्वात्। नन्वेवमलंकारान्तरत्वमेव वक्तुं युक्तम्। इति चेत्, सत्यम्। अत एवास्वरसात् कुवलयानन्दकृता 'इयं सरस्वतीकण्ठाभरणोक्ता' इत्युक्तम्। न च तुल्ययोगितायां सादृश्यस्य गम्यतया गम्योपमयैव निर्वाहः। तावन्मात्रकृतचमत्काराभावात्। एकधर्मान्वयकृतस्यापि सत्त्वात्। प्रतीयमानस्यापि सादृश्यस्यासुन्दरसाधारणधर्मकत्वेनासुन्दरत्वादिति बोध्यम्" इति युक्तिपूर्णमाह।

पुनः कुवलयानन्दकार के मत का ही खण्डन किया जाता है—एतेन इत्यादि।

'हित तथा अहित दोनों के विषय में समान व्यवहार वर्णित होने पर दूसरी तुल्ययोगिता होती है' जैसे—'मित्र तथा शत्रु के लिए समान पराभूति (मित्र पक्ष में परा = उत्कृष्टा, भूति = ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष में पराभूति=पराभव) दी जाती है।' यहाँ इस तरह से जो कुवलयानन्दकार ने तुल्ययोगिता का एक अन्य प्रकार और उसका उदाहरण दिखलाया, वह भी उक्त विवरण से परास्त हो गया—खण्डित हो गया। तात्पर्य यह कि 'प्रस्तुत अनेक अथवा अप्रस्तुत अनेक का एक धर्म होना तुल्ययोगिता है' यह जो तुल्ययोगिता का लक्षण पहले कुवलयानन्दकार ने किया उसी से उक्त उदाहरण भी संगृहीत हो जाता है, क्योंकि 'पराभूति' इस एक तरह के शब्द से अवगत होने वाली जो वस्तु (वह वस्तुतः दो ही क्यों न हो) कर्म है जिसका ऐसी जो दान क्रिया उसका उद्देश्य होना रूप एक धर्म दोनों (मित्र और शत्रु) का हो जाता है, अथवा 'पराभूति' यह शब्द ही परम्परया—अर्थात् सम्बोध्यार्थकर्मक दानोद्देश्यत्वरूप परम्परा सम्बन्ध से दोनों का समान धर्म कहा जा सकता है, किंवा पूर्वोक्त रीति से—अर्थात् श्लेषमूलक अभेदारोप के द्वारा 'पराभूति' पद के दोनों अर्थों को एक मान कर अर्थ भी समान धर्म माना जा सकता है, अतः दूसरा लक्षण करना व्यर्थ है।

यहाँ नागेश का कथन है कि—"जहाँ हित और अहित दोनों के विषय में समान व्यवहार करने का ज्ञान होने से चमत्कार अनुभूत होता हो वहाँ यह तुल्ययोगिता का दीक्षितोक्त नया प्रकार होता है और जहाँ प्रस्तुत किंवा अप्रस्तुत अनेक पदार्थों का एक धर्म के साथ अन्वय होने के कारण चमत्कार अनुभूत होता हो वहाँ दीक्षितोक्त प्रथम तुल्ययोगिता होती है, इस तरह दोनों तुल्ययोगिताओं में अन्तर है। 'प्रदीयते परा-

भूतिः—' अथवा 'यश्च निम्बम्'—(यह पद्य आगे आया है) इन दोनों पद्यों में अनेक का एक में अन्वय होने के कारण चमत्कार अनुभूत नहीं होता अपितु राजा तथा निम्ब का हित-अहित दोनों के विषय में समान व्यवहार करने के कारण चमत्कार ज्ञात होता है। यह अन्तर है अथवा नहीं इसके लिए मुझे अधिक नहीं कहना है, सहृदयों का हृदय ही इस अन्तर का साक्षी है।"

कुवलयानन्दोक्तमपरतुल्ययोगितोदाहरणान्तरमपि प्राचीनतुल्ययोगितायां गतार्थयितुमुद्धरति—

'यश्च निम्बं परशुना यश्चैनं मधुसर्पिषा।
यश्चैनं गन्धमाल्याद्यैः सर्वस्य कटुरेव सः ॥'

इत्यत्रापि कटुत्व-विशिष्टस्य निम्बस्यैव परम्परया छेदक-सेचक-पूजकधर्मत्वसंभवात्। न चात्र वृत्तिनियामकसम्बन्धेन धर्मिवृत्तित्वं विवक्षितं धर्मस्य, वक्ष्यमाणकारकदीपकादावव्याप्त्यापत्तेः।

यश्चेति। यः जनः, निम्बम् तन्नामकं तरुविशेषं, परशुना अस्त्रविशेषेण, छिनत्तीति शेषः, यश्च, एनम् निम्बम्। मधुसर्पिषा मधुना घृतेन च सिञ्चतीति शेषः, यश्च एनम्, गन्धमाल्याद्यैः पूजयतीति शेषः, सर्वस्य छेदकस्य सेचकस्य, पूजकस्य च सः निम्बः, कटुः तिक्तास्वादः, एवेत्यर्थः। हिताहितज्ञानशून्यत्वसमानाधिकरणसमवर्तित्ववान् निम्ब इति भावः। एतेनोपमेयस्य निन्दा प्रतीयते। इतीदं पद्यमप्पयदीक्षितेन 'हिताहिते वृत्तितौल्यम्—' इति लक्षणलक्षिताया अपरतुल्ययोगिताया उदाहरणमुक्तम्, परमत्रापि प्रागुक्ततुल्ययोगितालक्षणाक्रान्तत्वम् अप्रकृतानां छेदक-सेचक-पूजकानां कटुत्वविशिष्टनिम्बरूपेणैकेन धर्मेण सहान्वयस्य वर्तमानत्वात्। ननु कथं निम्बच्छेदकादीनां धर्म इति चेत्? स्वकर्मकक्रियाश्रयत्वसंबन्धेन निम्बस्य च्छेदकादिवृत्तित्वेन तद्धर्मत्वसंभवात्तथा बोध्यम्। शंकते—न चेति। वृत्तितानियामकसंबन्धेन धर्मस्य धर्मिवृत्तित्वे विवक्षिते निम्बस्य न च्छेदकादिधर्मतासंभवः स्वकर्मकक्रियाश्रयत्वस्य वृत्त्यनियामकत्वादिति शङ्काया आशयः। तुल्ययोगितायां वृत्तिनियामकसंबन्धेन धर्मस्य धर्मिवृत्तित्वे विवक्षिते तुल्ययोगक्षेमतया दीपकेऽपि तथैव विवक्षितव्यम्, तथा च 'वसु दातुं यशो धातुम्—' इत्यत्र वक्ष्यमाणे कारकदीपकोदाहरणे दीपकलक्षणस्याव्याप्तिः, कर्तुः वृत्तिनियामकसंवन्धेन क्रियायामवर्तमानत्वात् कर्तृप्रतियोगिकस्य क्रियानुयोगिकस्य संभवतो जन्यत्वस्य संवन्धस्य वृत्त्यनियामकत्वात्, अतो न वृत्तिनियामकसंबन्धेन धर्मस्य धर्मिवृत्तिता विवक्षणीया अपि तु येन केनापि संबन्धेनेति समाधानस्याभिप्रायः।

कुवलयानन्द में कथित नवीन तुल्ययोगिता के अन्य उदाहरण को भी सर्वसम्मत प्राचीन तुल्ययोगिता में ही गतार्थ करने के लिये यहाँ उद्धृत किया जाता है—यश्च इत्यादि।

'यश्च—अर्थात् जो नीम को फरसा से काटता है, जो उसे मधुमिश्रित घृत से सींचता है और जो गन्ध तथा माला से उसे पूजता है, सब के लिये वह कटु ही होता है। तात्पर्य यह कि—दुर्जन को जो मानता है और जो दुत्कारता है सब के साथ वह बुरा ही व्यवहार करता है। इस तरह इस पद्य से उपमेयभूत दुर्जन की निन्दा व्यक्त होती है।' यहाँ भी कटुतायुक्त नीम का तरु ही परम्परया काटनेवाले, सीचने वाले तथा पूजने वाले का धर्म

हो सकता है। अभिप्राय यह कि आधार धर्मी और आधेय धर्म कहलाता है, ऐसी स्थिति में नीम भी छेदक आदि का धर्म कहा जा सकता है, क्योंकि साक्षात् न सही किन्तु परम्परया—अर्थात् 'स्व (नीम) कर्मक क्रियाश्रयत्वरूप संबन्ध से, नीम छेदक आदि में रहने वाला माना जा सकता है।

संबन्ध दो प्रकार का होता है एक वृत्तिनियामक अर्थात् उस तरह का संबन्ध जिसके बल से कोई कहीं रहने वाला कहा जाता है। जैसे—संयोग आदि (संयोग संबन्ध के बल से हम पृथ्वी में रहने वाले कहे जाते हैं) और दूसरा वृत्ति का अनियामक—अर्थात् उस कोटि का संबन्ध जिसके बल से कोई कहीं रहने वाला नहीं माना जाता, जैसे—कालिक संबन्ध, (यद्यपि अन्यत्र रहने पर भी मेरा 'कालिक' संबन्ध काशी में है तथापि उसके बल पर 'मैं काशी में हूँ' ऐसा व्यवहार नहीं होता)।

प्रकृत में जो धर्म का धर्मी में रहना कहा गया है। वह वृत्तिनियामक संबन्ध से विवक्षित है, अतः नीम 'स्वकर्मक-क्रियाश्रयत्व' संबन्ध से छेदक आदि में रहने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह संबन्ध वृत्तिनियामक नहीं है ऐसा यदि आप कहें तो इसका समाधान यह है कि यदि तुल्ययोगिता में वृत्तिनियामक संबन्ध से धर्म का रहना माना जायगा तब दीपक में भी वैसा ही मानना पड़ेगा और तब 'वसु दातुम्—' यह जो कारक दीपक का उदाहरण आगे कहा गया है उसमें दीपक-लक्षण संघटित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ अनेक क्रियाओं का एक कर्ता (कारक) समानधर्म माना जाता है जो अब नहीं माना जा सकेगा, कारण ? कर्ता क्रिया में 'जन्यता' संबन्ध से ही रह सकता है और 'जन्यता' वृत्तिनियामक संबन्ध नहीं है, फलतः जिस किसी संबन्ध से धर्म का धर्मी में रहना स्वीकृत होगा और उस स्थिति में 'यश्च—' यह पद्य भी प्राचीन तुल्ययोगिता के लक्षण से ही संगृहीत हो ही जायगा, फिर एक नवीन तुल्ययोगिता का लक्षण बनाना कुवलयानन्द-कार का सर्वथा निरर्थक ही है।

लक्षणस्यातिव्याप्तिमाशंक्य निरस्यति—

अथ चन्द्र इव सुन्दरं मुखमित्याद्युपमायां चन्द्रमुखयोरेकधर्मान्वयादतिव्याप्तिः। न चात्र प्रकृतानामेवाप्रकृतानामेवेत्युक्तत्वान्न तथेतिवाच्यम्। प्रागुक्ते 'प्रिये विषादम्—इति पद्ये 'जगाल मानो हृदयादमुष्या विलोचनाभ्यामिव वारिधारा।' इत्युत्तरार्धे कृते प्रकृतयोर्मानवारिधारयोरुपमायां तथाप्यतिव्याप्तेः। चन्द्र इव सुन्दरं मुखमित्यत्रापि वक्ष्यमाणदीपकलक्षणातिव्याप्तेश्च। न चौपम्यस्य गम्यत्वे सतीत्यपि विशेषणीयमिति वाच्यम्।

'चन्द्रांशुनिर्मलं वारि चन्द्रो हंससमद्युतिः।
हंसास्तु शरदि स्मेरपुण्डरीकमनोरमाः॥'

इत्यत्र वाचकाभावाद्गम्योपमायां तथाप्यतिप्रसङ्गात्। यदि चात्र न व्यङ्ग्या उपमा, किं तु समासस्य वाच्या, पूर्वपदस्य लक्ष्या चेति सूक्ष्ममीक्ष्यते, तथापि 'हंसास्तु मानसभुवश्चन्द्रा एव न संशयः' इत्यादिरूपकादिष्वतिप्रसङ्गः। न ह्यत्रापि चन्द्रसादृश्यविशिष्टे चन्द्रादिपदानां लाक्षणिकत्वादुपमा लक्ष्यैवेति शक्यते वक्तुम्। रूपके लक्षणा नास्तीति प्रागेव प्रतिपादनात् इति चेत् न। यत्र यथोक्तानां धर्मिणां यथोक्तधर्मान्वय एव चमत्कारी, तत्र तुल्ययोगिता, दीपकं वा।

यत्र तादृशधर्मान्वयप्रयुक्तं सादृश्यमभेदो वा, तत्रोपमारूपकादिकमेवालंकारताप्रयोजकम्। सुन्दरत्वे सत्युपस्कारकत्वमित्यसकृदावेदनात्। अन्यथा सादृश्यस्यात्र प्रत्ययात्तदादायोपमाव्यवहारस्याप्यापत्तेरिति दिक्।

एकधर्मेति । सुन्दरत्वेत्यर्थः । अतिव्याप्तिरिति । तुल्ययोगितालक्षणस्येति भावः । न तथेति । अतिव्याप्तिर्नेत्यर्थः । मुखस्य प्रकृतत्वाच्चन्द्रस्य चाप्रकृतत्वादिति भावः । प्रागिति । तुल्ययोगिताप्रकरण एवेत्यर्थः । 'जगाल मानो' इति नेत्राभ्यामश्रुधारेव अस्या नायिकाया हृदयात् मानो गलित इत्यर्थः । दीपकलक्षणातिव्याप्तेरिति । तत्र प्रकृताप्रकृतयोरेवापेक्षितत्वादिति भावः । न चौपम्यस्येत्यादि । तुल्ययोगितादीपकलक्षणयोः औपम्यम् सादृश्यम्' यदि व्यङ्ग्यम्, न वाच्यमिति यावत्, तदा' इत्यपि विशेषणं देयम्, तथा च पूर्वोक्तस्थलेषु न तयोरतिप्रसक्तिः तत्र सादृश्यस्य वाच्यत्वादिति भावः । चन्द्रांशुनिर्मलमिति । जलम् इन्दुकिरणवत् स्वच्छम् अस्ति, इन्दुः हंसकान्तितुल्यकान्तियुक्तो विद्यते । हंसाः पुनः विकसितकमलवद्रमणीया वर्तन्ते इत्यर्थः । शरद्वर्णनमिदम् । वाचकेति । इवादीत्यर्थः । तथापीति । औपम्यस्य गम्यत्वे सतीति विशेषणे दत्तेऽपीत्यर्थः । अत्र द्वितीयचरणे नातिप्रसङ्गः, समशब्देनौपम्यस्यवाच्यत्वात्. किन्तु अन्यांश इति बोध्यम् । द्वितीयचरणे प्रक्रमभङ्गोऽपि ज्ञेयः । अतिप्रसङ्गादिति । तुल्ययोगिताया इत्यादिः । शरद्वर्णने सर्वेषां प्रकृतत्वात् । एवमग्रेऽपि । वैयाकरणमतेनाह—समासस्येति । वाच्येति । औपम्यांशेऽपि समासोक्तेः सत्त्वादिति भावः । नैयायिकमतेनाह—पूर्वपदस्येति । अत्रापीति । रूपकेऽपीति भावः । नास्तिति प्रागेवेति । नव्यानां मते इति भावः । ततश्च 'हंसास्तु मानसभुवः—' इति रूपकोदाहरणे औपम्यस्य गम्यत्वेन तुल्ययोगितालक्षणातिप्रसङ्गो दुर्वार इति पूर्वपक्षः सम्पन्न इति बोध्यम् । निरस्यति—नेति । तत्र युक्तिमाह—यत्रेत्यादिना । यथोक्तानामिति । प्रकृतानामेवाप्रकृतानामेव वा प्रकृताप्रकृतानां वेत्यर्थः । यथोक्तेति । गुणादित्यर्थः । अभेदो वेति । चमत्कारीतिपूर्वोक्तस्यात्राप्यनुषङ्गो बोध्यः । इत्यसकृदिति । इत्यस्यासकृदित्यर्थः । अन्यथेति । उक्तव्यवस्थानङ्गीकारे इत्यर्थः । अत्रेति । तुल्ययोगितायामित्यर्थः । प्रत्ययादिति । व्यङ्ग्यत्वादिति भावः । व्यवहारस्यापीति । अपिना साङ्कर्यं सूचितम् । अन्यत् सुगमम् ।

लक्षण के अतिप्रसङ्ग की आशंका करके समाधान किया जाता है—अथ इत्यादि ।

इसके बाद शंका यह उपस्थित होती है कि 'चन्द्र जैसा सुन्दर मुख' इत्यादि उपमा में चन्द्र और मुख का सौन्दर्यरूप एक धर्म के साथ अन्वय होने के कारण मूलोक्त तुल्ययोगिता का लक्षण प्राप्त हो जाता है। यद्यपि तुल्ययोगिता के लक्षणमें 'प्रस्तुत अनेक पदार्थों का अथवा अप्रस्तुत अनेक पदार्थों का एक धर्म के साथ अन्वय' ऐसा कहा गया है और उक्त उपमा में प्रस्तुत मुख तथा अप्रस्तुत चन्द्र का एक धर्म के साथ अन्वय है, अतः यहाँ उक्त लक्षण की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा कहा जा सकता है, तथापि पूर्वोक्त 'प्रिये विषादम्—' इस पद्य के उत्तरार्ध को 'जगाल मानो···अर्थात् जिस तरह इस नायिका के नयनों से अश्रुधारा गिरी उसी तरह हृदय से मान गिरा' इस रूप में बदल देने पर उस परिवर्तित पद्य में तुल्ययोगिता लक्षण की अतिव्याप्ति हो ही जायगी क्यों कि यहाँ मान तथा अश्रुधारा रूप दो प्रस्तुत पदार्थों का विगलन क्रियारूप एक धर्म के साथ अन्वय है। वस्तुतः उक्त परिवर्तित पाठ के अनुसार उक्त पद्य में उपमा है।

और 'चन्द्र जैसा सुन्दर मुख' इस उपमा में भी अग्रिम दीपक-लक्षण का अतिप्रसङ्ग होगा ही, क्योंकि उसमें प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत का ही एक धर्म के साथ अन्वय अपेक्षित माना गया है।

यदि तुल्ययोगिता तथा दीपक के लक्षण में 'सादृश्य के व्यङ्ग्य होने पर' इतना सा विशेषण और लगा दिया जाय तब उक्त उपमाओं में तुल्ययोगिता किंवा दीपक का लक्षण अतिव्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों स्थलों में 'इव' के उपादान से सादृश्य वाच्य है व्यङ्ग्य नहीं, ठीक है। इस विशेषण से उन स्थलों की अतिव्याप्ति वारित हो जाती है, पर 'चन्द्रांशुनिर्मलम्—अर्थात् शरत् काल में, जल चन्द्रकिरण के समान निर्मल, चन्द्र हंस की कान्ति के समान कान्ति वाला और हंस विकसित कमल के समान सुन्दर होते हैं।' इस पद्य में 'इव' आदि के नहीं रहने से व्यङ्ग्य औपम्य की उपलब्धि हो जाने के कारण तुल्ययोगिता लक्षण की अतिप्रसक्ति हो ही जायगी।

यदि यहाँ भी उपमा व्यङ्ग्य नहीं है, अपितु वैयाकरणों के मतानुसार समास का वाच्य है अथवा वा नैयायिकों के मतानुसार पूर्वपद का लक्ष्य है ऐसा सूक्ष्म विचार किया जाय तब यद्यपि यहाँ भी अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है किन्तु 'हंसास्तु मानसभुवः—अर्थात् मानस सरोवरवासी हंस तो चन्द्र ही हैं इसमें सन्देह नहीं' इत्यादि रूपक में तब भी अतिव्याप्ति रह जाती है, क्योंकि यहाँ उपमा निश्चित रूप से व्यङ्ग्य है। यहाँ भी (रूपक में भी) चन्द्र आदि पदों की चन्द्र आदि के सदृश में लक्षणा रहती है अतः यहाँ भी उपमा व्यङ्ग्य नहीं, अपितु लक्ष्य हो जाती है, अतएव अतिव्याप्ति नहीं होगी ऐसी बात नहीं कहीं जा सकती। कारण ? उपमा प्रकरण में नव्य मत के प्रतिपादन करते समय यह बात कहीं जा चुकी है कि रूपक में लक्षणा नहीं होती। सरांश यह निकला कि तुल्ययोगिता का लक्षण अतिव्याप्ति दोषग्रस्त हो जाता है।

इतने काट-छाँट के बाद अब सिद्धान्तभूत समाधान यह समझना चाहिए कि जहाँ पर प्रस्तुत दो पदार्थों का अथवा अप्रस्तुत दो पदार्थों का गुण आदि एक धर्म के साथ वर्णित अन्वय चमत्कार कारक हो वहाँ तुल्ययोगिता होती है, इसी तरह जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दो पदार्थों का गुण आदि एक धर्म के साथ वर्णित अन्वय चमत्काराधायक हो वहाँ दीपक होता है। और जहाँ उक्त धर्मियों का उक्त धर्म के साथ वर्णित अन्वय चमत्कारकारी नहीं रहता, अपितु तादृश अन्वय-प्रयुक्त ज्ञात होने वाला सादृश्य किंवा अभेद चमत्कारी रहता है वहाँ उपमा, रूपक आदि अलंकार होते हैं, क्योंकि सभी अलंकारों के लक्षणों में 'चमत्कारक होना और मुख्य अर्थ का पोषक होना' ये दो विशेषण अवश्य ही जुड़े रहते हैं यह बात बार-बार कही जा चुकी है। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं मानी जाय तब तो तुल्ययोगिता, दीपक आदि में सर्वत्र नियमतः उपमा अभिव्यक्त होती ही रहती है, अतः उनमें उपमा का भी व्यवहार होने लगेगा। तात्पर्य यह निकला कि उक्त उपमा, रूपक आदि में तुल्ययोगिता इस लिये नहीं हो सकती है कि वहाँ अनेक धर्मी का एक धर्म के साथ वर्णित अन्वय सुन्दर=चमत्कारी नहीं है, अपितु उस अन्वय से सिद्ध होने वाला सादृश्य (उपमास्थल में) अथवा अभेद (रूपक स्थल में) सुन्दर रहता है, अत एव उपमा किंवा रूपक अलंकार माना जाता है।

स्थलभेदेन तुल्ययोगितायां वैचित्र्यं चित्रयति—

एवं च—

'दधीचि-बलि-कर्णेषु हिम-हेमाचलाब्धिषु।

अदातृत्वमधैर्यं च दृष्टे भवति भासते ॥

इत्यादौ रशनारूपैषा यथासंख्यावष्टब्धा ।

'दृष्टः सदसि चेदुग्राश्चन्द्र-चन्दन-चन्द्रिकाः ।
अथ त्वं संगरे सौम्याः शेषकालानलाब्धयः ॥'

इत्यत्र च स्वरूपद्वयेन राजविषयकरतिभावभूषणतया स्थिता ।

एवं चेति । तुल्ययोगितायाा अतिरिक्तालंकारत्वे सिद्धे चेत्यर्थः । 'दधीचि····' इति । कश्चित् कमपि राजानं वर्णयति—हे राजन्! भवति त्वयि, दृष्टे अवलोकिते, सति, दधीचिबलिकर्णेषु तत्तन्नामकनृपविशेषेषु, अदातृत्वम् दानशीलत्वविरहः, हिमहेमाचलाब्धिषु हिमाचलहेमाचलसमुद्रेषु, अधैर्यं धैर्याभावः भासते स्फुरतीत्यर्थः । दधीच्याद्यपेक्षयापि त्वमधिको दाता, हिमालयाद्यपेक्षयापि त्वमधिको धीर इति भावः । रशनारूपेति । दधीचिरिव बलिर्बलिरिव कर्ण इत्यादिप्रतीतेरिति भावः । एषा तुल्ययोगिता । यथासंख्येति । बल्यादिष्वदातृत्वम् । हिमालयादिष्वधैर्यमिति भावः । अत्र 'यथासंख्यावष्टब्धा' इत्यंशः काशीमुद्रितपुस्तके नोपलभ्यते । 'दृष्टः····' इति । इदमपि राजवर्णनम्—हे राजन्! त्वं, चेत् , सदसि सभायां, दृष्टः तदा चन्द्रचन्दनचन्द्रिकाः, उग्रा दृश्यन्ते अथ, त्वं, संगरे युद्धे दृष्टश्चेत्, तदा शेषकालानलाब्धयः शेषनाग-यमाग्निसमुद्राः, सौम्याः शान्ताः, दृश्यन्ते इत्यर्थः, सभागतस्त्वं चन्द्राद्यपेक्षयापि शीतलः, युद्धगतः पुनः शेषाद्यपेक्षयापि भयंकरः प्रतीयत इति भावः । स्वरूपद्वयेनेति । चन्द्रादीनाम् उग्रत्वधर्मेणान्वयात् संभवता, शेषादीनां सौम्यत्वधर्मेणान्वयात् संभवता च स्वस्वरूपेणेत्यर्थः । अयमंशः काशीपुस्तके नास्ति । स्वरूपद्वयेनेत्यस्य 'शान्तोग्ररूपेण' इति नागेशव्याख्या प्रामिकैवेति बोध्यम् । रतीति । कविनिष्ठेत्यादि । 'दृष्टः—' इत्यत्र तुल्ययोगितायाा द्वे स्वरूपे विद्येते ताभ्यां द्वाभ्यामपि कविगतो राजविषयको रतिभावः परिपोष्यत इति भावः ।

स्थल भेद से होने वाली तुल्ययोगिता की विविध विचित्रताओं का चित्रण अब किया जाता है—एवम् इत्यादि ।

उक्त विचार के अनुसार जब तुल्ययोगिता अलंकार की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध हो गई तब यह भी समझ लेना चाहिए कि—'दधीचि'·····अर्थात् हे राजन्! आप को देख लेने पर दधीचि, बलि और कर्ण इन प्राक्तन नृपों में दानशीलता का अभाव भासित होने लगता है और हिमालय, सुमेरु और समुद्र में धैर्य की कमी प्रतीत होने लगती है, तात्पर्य यह कि आप दधीचि आदि से भी महान् दाता और हिमालय आदि से भी अधिक धैर्यशाली हैं।' इस राजवर्णनपरक पद्य में यथासंख्य अलंकार से मिश्रित रशनारूप तुल्य योगिता है।

अभिप्राय यह कि 'दधीचि जैसा बलि, बलि जैसा कर्ण' इत्यादि रूप से उपमेय की उपमान रूप में प्रतीति होने के कारण तुल्ययोगिता (दधीचि आदि का दानशीलत्वाभाव रूप धर्म के साथ तथा हिमालय आदि का धैर्याभावरूप धर्म के साथ अन्वय) रशनारूप कही जायगी और वह भी 'दधीचि आदि में अदातृत्व और हिमालय आदि में अधैर्य इस क्रमिक अन्वय के कारण होने वाले यथासंख्य अलंकार से अवष्टब्ध= ग्रस्त है।

और 'दृष्टः—अर्थात् सभा में आप को देख लेने पर चन्द्रमा, चन्दन और चाँदनी ये सब उग्र=भयंकर प्रतीत होने लगते हैं और युद्ध में आप को देख लेने पर शेष नाग, यमराज, अग्नि तथा समुद्र ये सब सौम्य=शान्त ज्ञात होने लगते हैं, सारांश यह कि सभागत आप चन्द्र आदि से भी अधिक शान्त-शीतल दीख पड़ते हैं और युद्धगत आप शेषनाग आदि से भी अधिक उग्र जँचते हैं।' इस राजवर्णनपरक पद्य में तुल्ययोगिता अलंकार अपने दो स्वरूपों से कविनिष्ट राजविषयक रतिभाव का भूषण रूप से स्थित है। तात्पर्य यह कि–यहाँ दो तुल्ययोगितायें हैं जिनमें एक का स्वरूप है चन्द्रादिक अनेक अप्रस्तुतों का उग्रत्व रूप एक धर्म के साथ वर्णित अन्वय और दूसरी का स्वरूप है शेष आदि अनेक अप्रस्तुतों का सौम्यत्वरूप एक धर्म के साथ कथित अन्वय। तुल्ययोगिता के इन दोनों स्वरूपों से यहाँ पद्य का प्रधान व्यङ्ग्यार्थ कविगत राजविषयक प्रेम भाव पुष्ट होता है—शोभित होता है।

तुल्योगिताविशेषं स्पष्टयति—

यत्र च प्रकृतानामेवाप्रकृतानामेव वा क्रियाणामेककारकान्वयः सा कारकतुल्ययोगिता।

स्पष्टम्,

तुल्ययोगिता के एक विशिष्ट प्रकार का स्पष्टीकरण अब किया जाता है—यत्र च इत्यादि।

जहाँ केवल प्रस्तुत अनेक कियाओं का अथवा केवल अप्रस्तुत अनेक क्रियाओं का किसी एक कारक के साथ अन्वय वर्णित न हो वहाँ उस तरह के अन्वय को कारक तुल्ययोगिता कहते हैं।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्,

जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'वसु दातुं यशो धातुं विधातुमरिमर्दनम्।
त्रातुं च सकलां पृथ्वीमतीव निपुणो भवान्॥'

राज्ञो वर्णनम्—वसु धनम्, दातुम्, यशः, धातुम् सम्पादयितुम्, अरिमर्दनम् शत्रुपीडनम् विधातुम् कर्तुम्, च पुनः सकलां, पृथ्वीम्, त्रातुम् रक्षितुम्, भवान् अतीव अतिशयेन, निपुणः प्रवीणः, अस्तीत्यर्थः।

कारक तुल्ययोगिता का उदाहरण दिखलाया जाता है—वसु इत्यादि।

राजा का वर्णन है कि—हे राजन्! धन देने के लिये, यश का सम्पादन करने के लिये, शत्रुओं का मर्दन करने के लिये और समग्र पृथ्वी की रक्षा करने के लिये आप अत्यन्त निपुण हैं।

उपपादयति—

अत्र राज्ञः स्तावकवाक्ये प्रकृतानां क्रियाणामेकेन कर्त्रा साधारणेन धर्मेणौपम्यम्।

'वसु दातुम्—' इतीदं वाक्यं कमपि राजानम् प्रति केनापि स्तुतिकर्त्रा कथितम्, अतः दानादयः क्रियाः प्रस्तुताः, प्रस्तुतानाञ्च तासां क्रियाणाम् भवच्छब्दार्थभूतेन कर्तृकारकात्मकेनैकेन धर्मेण सहान्वयस्य वर्णनात्कारकतुल्ययोगिताऽत्र सम्पद्यते। तया च तासां क्रियाणां परस्परमौपम्यमभिव्यज्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

किसी राजा के प्रति स्तुतिकर्ता के द्वारा कथित 'वसु दातुम्—' इस वाक्य में दान आदि सभी वर्णित क्रियायें प्रस्तुत कही जायँगी और उन प्रस्तुत अनेक क्रियाओं का साधारण धर्मस्थानीय एक कर्तृकारक (आप) के साथ अन्वय है, अतः कारक तुल्य-योगिता यहाँ होती है, जिससे उन क्रियाओं का परस्पर सादृश्य व्यङ्ग्य होता है।

कर्तृकारकतुल्ययोगिताया एवोदाहरणान्तरं प्रदर्शयितुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्।

अथवा जैसे—

उदाहरणमुल्लिखति—

'दूरीकरोति कुमतिं विमलीकरोति
चेतश्चिरन्तनमघं चुलुकीकरोति।
भूतेषु किं च करुणां बहुलीकरोति
सङ्गः सतां किमु न मङ्गलमातनोति॥'

कुमतिम् कुत्सितां बुद्धिम्, दूरीकरोति अपसारयति, चेतः मनः विमलीकरोति स्वच्छोविधत्ते, चिरन्तनम् दीर्घकालिकम्, अघम् पापम्, चुलुकीकरोति नाशयति, किं च, भूतेषु प्राणिषु, करुणां दयां, बहुलीकरोति विस्तारयति, सर्वत्र 'सतां सङ्गः' इति कर्तृपदं योज्यम्। एवञ्च सतां सङ्गः सज्जनसंगतिः, किमु किम्, मङ्गलम् कल्याणम्, न, आतनोति? सर्वविधं मङ्गलमातनोतीत्यर्थः।

उदाहरण का उल्लेख किया जाता है—दूरीकरोति इत्यादि।

सज्जनों की संगति, किस कल्याण को नहीं विस्तृत करती है—सभी प्रकार के कल्याणों को अवश्य ही बढ़ाती है। देखिये—वह (सत्संगति) कुबुद्धि को दूर करती है, मन को विमल बनाती है, पुराने पाप को विनष्ट करती है, और प्राणियों पर दया को फैलाती है।

पूर्वोदाहरणतोऽत्र वैलक्षण्यं स्फोरयति—

अत्रार्थान्तरन्यासान्विता।

कारकतुल्ययोगितेति शेषः। दूरीकरणादिविविधक्रियाणां सत्सङ्गरूपकर्तृकारकात्मकेनैकेन साधारणधर्मेण सहान्वयात्कारकतुल्ययोगिताऽत्र स्पष्टैव। सा च विशेषस्य सामान्येन समर्थनादर्थान्तरन्यासालंकारमिश्रेति भावः।

प्रथम उदाहरण से इस द्वितीय उदाहरण में जो विलक्षणता है उसका स्पष्टीकरण किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'दूरीकरोति—' इस पद्य में अर्थान्तरन्यास अलंकार से मिश्रित कारक तुल्ययोगिता अलंकार है। तात्पर्य यह कि—'दूरीकरोति—' इस पद्य में दूरीकरण आदि अनेक

प्रस्तुत क्रियाओं का सत्संग रूप एक कर्ता के साथ अन्वय होने से कारक तुल्ययोगिता तो है ही, साथ-साथ सामान्य से विशेष का समर्थन करने के कारण अर्थान्तरन्यास भी है, अतः दो अलंकार का मिश्रण यहाँ है।

कारकतुल्ययोगिताया एवोदहरणान्तरमुपस्थापयति—

केऽपि स्मरन्त्यनुसरन्ति च केचिदन्ये
पश्यन्ति पुण्यपुरुषाः कति च स्पृशन्ति।
मातर्मुरारिचरणाम्बुजमाध्वि गङ्गे
भाग्याधिकाः कतिपये भवतीं पिबन्ति ॥'

भक्तो गङ्गां स्तौति—अयि, मुरारिचरणाम्बुजमाध्वि ! विष्णुचरणकमलमकरन्दरूपे !, मातः !!, गङ्गे !!! केऽपि केचित्, पुण्यपुरुषाः पुण्यवन्तो जनाः, भवतीं त्वाम्, स्मरन्ति ध्यायन्ति, अन्ये केचित् भवतीम् अनुसरन्ति, अपरे पश्यन्ति, कति, च, भवतीं, स्पृशन्ति, भाग्याधिकाः प्रभूतभाग्यभाजः, कतिपये भवतीं, पिबन्ति। गङ्गास्मरणानुसरणदर्शनस्पर्शकारिणोऽपि पुण्यवन्त एव, किन्तु गङ्गाजलपानकारिणः सर्वतो भाग्यवन्त इति भावः।

कारक तुल्ययोगिता का ही एक दूसरा उदाहरण दिखलाया जाता है—केऽपि इत्यादि।

कोई भक्त गङ्गा की स्तुति करता हुआ कहता है कि—हे विष्णुचरणकमलमकरन्दरूपे ! मातः !! गङ्गे !!! कतिपय पुण्यशाली पुरुष आप का स्मरण करते हैं, कितने आप का अनुसरण करते हैं, दूसरे आप के दर्शन करते हैं, और कितने आपका स्पर्श भी करते हैं, पर अत्यधिक भाग्यशाली कतिपय सज्जन आप को पीते भी हैं।

उपपादयति—

अत्रैकं कर्म क्रियाणां साधारणम्,

'केऽपि—' इत्यत्र स्मरणादीनां प्रकृतानां क्रियाणाम् भवत्पदबोध्यगङ्गात्मककर्मकारकेण साधारणधर्मेणान्वयात् कारकतुल्ययोगिता सम्पद्यते। क्रियाणाम् मिथः औपम्यं पूर्ववद् व्यङ्ग्यम्।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'केऽपि स्मरन्ति—' इस पद्य में एक कर्म कारक क्रियाओं का साधारण धर्म रूप है। तात्पर्य यह कि पूर्वोक्त उदाहरणों में कर्ता रूप एक कारक के साथ अनेक क्रियाओं का अन्वय हुआ था और यहाँ स्मरण आदि अनेक प्रस्तुत क्रियाओं का गङ्गा रूप एक कर्मकारक के साथ अन्वय होने से कारक तुल्ययोगिता है। क्रियाओं का औपम्य यहां भी अभिव्यक्त होगा।

व्यङ्ग्यां तुल्ययोगितामुदाहर्तुं कथयति—

व्यङ्ग्यैषा यथा—

एषा तुल्ययोगिता।

व्यङ्ग्य तुल्ययोगिता जैसे—।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'अये लीलाभग्नत्रिपुरहरकोदण्डमहिमन् !
कथा यत्रोदञ्चत्यतुलबलधैर्यस्य भवतः।

अयं को वा तत्र प्रसृमरफणाकोणनिहित-
क्षितिः शेषः श्रीमान् कमठकुलचूडामणिरपि ॥'

श्रीरामचन्द्रस्य वर्णनम्—अये ! लीलया अनायासेन, भग्नः त्रोटितः यः, त्रिपुरहरस्य महादेवस्य, कोदण्डः धनुः, तेन महिमा यस्य तादृश ! राम ! अतुले अद्वितीये बलञ्च धैर्यं च ते यस्य तादृशस्य भवतः कथा, यत्र स्थले, उदञ्चति निःसरति, तत्र स्थले प्रसृमरायाः प्रसरन्त्याः फणायाः, कोणे निहिता स्थापिता क्षितिः पृथिवी येन तादृशः शेषः नागविशेषः, वा अथवा श्रीमान् कमठकुलचूडामणिः कूर्मावतारः लक्ष्मीपतिः, अपि कः ? न कोऽपीत्यर्थः । तव भग्नहरधनुषो रामचन्द्रस्याग्रे भूधारकौ शेषकमठावपि तुच्छावेवेति भावः ।

उदाहरण दिखलाया जा रहा है—अये इत्यादि ।

श्री रामचन्द्र का वर्णन है—हे अनायास शिवजी के धनुष को तोड़ डालने के कारण महिमाशाली राम ! जिस जगह पर अनुपम बल तथा धैर्य वाले आप की चर्चा चल रही हो, वहाँ फैली हुई फणा के कोण भाग में पृथ्वी को रखलेने वाला यह शेष नाग तथा शोभाशाली कच्छपकुलश्रेष्ठ भी कौन होते हैं ? कोई नहीं । तात्पर्य यह कि—शिवधनुष को तोड़ने वाले राम के सामने पृथ्वी को ढोने वाले शेषनाग तथा कछुआ—दोनों ही तुच्छ हैं ।

उपपादयति—

अत्र को वा इत्यनेन वाच्यलक्ष्यव्यतिरिक्तस्यागणनीयत्वस्य शेषकमठाभ्यामप्रकृताभ्यामन्वयः प्रतीयते ।

इत्यनेनेति । व्यज्यमानस्येति शेषः । अत एव वाच्यलक्ष्यव्यतिरिक्तस्य । 'को वा' इति पदेन व्यज्यमानस्यागणनीयत्वस्य साधारणधर्मस्याप्रकृतयोः शेषकमठयोरन्वय इति तुल्ययोगिता, सा धर्मस्य व्यङ्ग्यत्वात् व्यङ्ग्या व्यवह्रियत इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'अये लीला—' इस पद्य में 'कौन होता है' इस अंश से व्यक्त होने वाले अतएव वाच्य किं वा लक्ष्य से भिन्न अगणनीयत्व धर्म का अप्रस्तुत शेषनाग तथा कच्छप के साथ अन्वय ज्ञात होता है । अभिप्राय यह कि जिस एक साधारण धर्म के साथ अप्रस्तुत किं वा प्रस्तुत अनेक पदार्थों का अन्वय होने से तुल्ययोगिता होती है उस धर्म के वाच्य रहने पर वाच्य और उसके व्यङ्ग्य रहने पर व्यङ्ग्य तुल्ययोगिता कहलाती है । ऐसी स्थिति में यहाँ अन्वयी धर्म 'अगणनीयता' के व्यङ्ग्य होने के कारण तुल्ययोगिता भी व्यङ्ग्य कहलायगी ।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे तुल्ययोगिताप्रकरणम् ।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे तुल्ययोगितालंकारनिरूपणप्रकरणं समाप्तं वेदितव्यमिति भावः ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां तुल्ययोगिताप्रकरणम् ॥

रसगङ्गाधर नामक निबन्ध का तुल्ययोगिता प्रकरण समाप्त हुआ ।

रसगङ्गाधरगत तुल्ययोगिता प्रकरण की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई ॥

दीपकं निरूपयितुमाह—

अथ दीपकम्—

दीपकम् लक्षणया तन्निरूपणम्, अथ आरब्धं बोध्यमिति भावः।

अब दीपकालंकार का निरूपण आरब्ध समझना चाहिए।

दीपकं लक्षयति—

प्रकृतानामप्रकृतानां चैकसाधारणधर्मान्वयो दीपकम्॥

प्रस्तुताप्रस्तुतपदार्थयोरेकेन गुणक्रियादिना साधारणधर्मेण सहान्वयो वर्ण्यमानो दीपकालंकार इति भावः।

सर्वप्रथम दीपक का लक्षण किया जाता है—प्रकृतानाम् इत्यादि।

प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थों का गुण आदि एक साधारण धर्म के साथ जो अन्वय वर्णित होता है उसको दीपक अलंकार कहा जाता है।

विशेषमाह—

प्राग्वदेवात्राप्यौपम्यस्य गम्यत्वम्।

तुल्ययोगितावद्दीपकेऽपि औपम्यं व्यङ्ग्यं भवति, परन्तु तुल्ययोगितायामुपमानोपमेयभाव ऐच्छिको भवति इह तु स निश्चितः अप्रस्तुतस्योपमानत्वात् प्रस्तुतस्योपमेयत्वाच्चेति विशेषः।

तुल्ययोगिता में जिस तरह उपमा व्यङ्ग्य होती ही है उसी तरह दीपक में भी उपमा की अभिव्यक्ति निश्चित समझनी चाहिए।

परन्तु तुल्ययोगिता में साधारणधर्म के साथ अन्वित होने वाले अनेक पदार्थ प्रस्तुत ही रहते हैं अथवा अप्रस्तुत ही, अतः वहाँ उन अनेक पदार्थों में से किसी एक को उपमान और दूसरे को उपमेय मान लिया जा सकता है और दीपक में साधारणधर्म के साथ अन्वित होने वाले अनेक पदार्थों में एक प्रस्तुत रहता है और दूसरा अप्रस्तुत, अतः यहाँ निश्चित है कि अप्रस्तुत उपमान होगा और प्रस्तुत उपमेय। फलतः तुल्ययोगिता में उपमानोपमेयभाव ऐच्छिक होता है और दीपक में वह होता है निश्चित।

दीपकपदस्य योगरूढतामुद्भावयितुमाह—

प्रकृतार्थमुपात्तो धर्मः प्रसङ्गादप्रकृतमपि दीपयति प्रकाशयति सुन्दरीकरोतीति दीपकम्। यद्वा दीप इव दीपकम्, संज्ञायां कन्। दीपसादृश्यं च प्रकृताप्रकृतप्रकाशकत्वेन बोध्यम्।

प्रकृतार्थमिति। प्रस्तुतवस्त्वर्थमित्यर्थः। प्रसङ्गादिति। प्रस्तुतेन सह वर्णितत्वाद्धेतोरित्यर्थः। अप्रकृतमिति। अप्रस्तुतमित्यर्थः। दीपयतीत्यस्य व्याख्या-प्रकाशयतीति। प्रकाशनासंभवादाह—सुन्दरीकरोतीति। नन्वेवमच्प्रत्ययेन भाव्यम् तथा च 'दीपक' इति रूपासिद्धिरत आह—यद्वेति। संज्ञायां कन्निति। 'संज्ञायां कन्' इति सूत्रेणेति भावः। दीपसादृश्यं चेत्यादि। यथा दीपो यदर्थं प्रज्वाल्यते तं प्रकाशयन् सन्निहितानि वस्त्वन्तराण्यपि प्रकाशयति तथैव प्रस्तुतमुपकर्तुमुपात्तो धर्मोऽप्रस्तुमप्युपकरोतीत्यस्यालंकारस्य 'दीपक' इति संज्ञेति भावः।

'दीपक' पद यहां योगरूढ है इस तथ्य का स्पष्टीकरण अब किया जाता है—प्रकृतार्थमित्यादि।

प्रस्तुत वस्तु के लिये कहा गया धर्म प्रसङ्गप्राप्त अप्रस्तुत वस्तु को भी दीपित करता है—प्रकाशित करता है—अर्थात् सुन्दर बनाता है, अत एव ईदृश धर्म वाले इस अलंकार का नाम 'दीपक' दिया गया है। अथवा 'दीप इव' (दीप जैसा) धर्म 'दीपक' कहलाता है। दीप शब्द से 'संज्ञायां कन्' इस पाणिनीय सूत्र से कन् प्रत्यय करने पर 'दीपक' पद की सिद्धि होती है। दीप की समानता यहाँ के धर्म में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत-दोनों को समानरूप से प्रकाशित करने के कारण मानी जाती है। तात्पर्य यह कि दीप जिस तरह प्रकाशनार्थ अभीष्ट वस्तु के साथ अनभीष्ट सन्निहित वस्तु को भी प्रकाशित करता है उसी तरह यहाँ का धर्म प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत को भी प्रकाशित करता है। ऐसे धर्म से युक्त होने के कारण अलंकार का भी नाम 'दीपक' पड़ा।

उदाहरणं निर्देष्टुमाह—

उदाहरणम्—

स्पष्टम्।

उदाहरण दिखलाया जा रहा है।

उदाहरणन्निर्दिशति—

'अमृतस्य चन्द्रिकाया ललितायाश्चापि कवितायाः।
सुजनस्य च निर्माणं जनयति नहि कस्य सन्तोषम्॥'

पीयूषचन्द्रज्योत्स्नाललितकवितावत् सुजनसृष्टिः सर्वतोषकरीति भावः। अत्रामृतादेरप्रस्तुतस्य सुजनस्य प्रस्तुतस्य च निर्मितिरूपक्रियात्मकैकसाधारणधर्मेण सहान्वयाद्दीपकमिति बोध्यम्।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अमृतस्य इत्यादि।

अमृत, चांदनी, ललित कविता, और सुजन का निर्माण किसे सन्तोष नहीं देता? अर्थात् सबको सन्तोष देता है।

यहाँ सुजन-वर्णन का प्रसङ्ग है, अतः सुजन रूप प्रस्तुत और अमृत आदि अप्रस्तुत का निर्माण क्रियारूप एक साधारण धर्म के साथ अन्वय होने से दीपक अलंकार होता है। अमृत आदि के समान सुजन का निर्माण सर्वजनतोषदायक होता है इस तरह की उपमा व्यक्त होती है।

उदाहरणान्तरं निर्देष्टुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्।

अथवा जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'सुधायाश्चन्द्रिकायाश्च संजीविन्या महौषधेः।
दयादृष्टेश्च ते राजन् विश्वसंजीवनं गुणः॥'

हे राजन्! सुधायाः, चन्द्रिकायाः संजीविन्यास्तन्नामिकायाः, महौषधेः, ते, दयादृष्टेश्च विश्वसंजीवनं संसारजीवनदायकत्वं, गुणः अस्तीत्यर्थः। राजवर्णनपरेऽस्मिन् पद्ये प्रकृताया दयादृष्टेरप्रकृतानाम् सुधादीनाञ्च विश्वजीवनदायकत्वेन गुणेन सहान्वयाद्दीपकमिति भावः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—सुधाया इत्यादि ।

हे राजन् ! अमृत, चांदनी, संजीविनी बूटी और आपकी दयादृष्टि-इन सबों का गुण है संसार को जिलाना । यह पद्य राजवर्णन में कहा गया है, अतः प्रस्तुत दयादृष्टि तथा अप्रस्तुत अमृत आदि का संसारोज्जीवनरूप एक साधारण धर्म के साथ अन्वय होने से दीपक अलंकार सिद्ध होता है ।

पुनरुदाहरणान्तरमुपस्थापयितुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम् ।

अथवा जैसे—

उदाहरणमुपस्थापयति—

मृतस्य लिप्सा कृपणस्य दित्सा विमार्गगायाश्च रुचिः स्वकान्ते ।
सर्पस्य शान्तिः कुटिलस्य मैत्री विधातृसृष्टौ नहि दृष्टपूर्वा ॥'

मृतस्य गतप्राणस्य लिप्सा प्राप्तीच्छा, कृपणस्य दित्सा दानेच्छा, विमार्गगायाः परपुरुषगामिन्या नायिकायाः स्वकान्ते स्वपतौ रुचिः स्नेहः, सर्पस्य शान्तिः, कुटिलस्य कपटिनः मैत्री, विधातृसृष्टौ संसारे दृष्टपूर्वा पूर्वं दृष्टा, नास्तीत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—मृतस्य इत्यादि ।

मरे हुए की ग्रहणेच्छा, कृपणजन की दानेच्छा, परपुरुषगामिनी नारी की अपने पति में प्रीति, सर्प की शान्ति और कपटी पुरुष की मित्रता विधाता की सृष्टि में कभी देखी नहीं गई ।

उपपादयति—

अत्राभावः साधारणो धर्मः ।

'मृतस्य-' इति पद्ये प्रकृतायाः स्वकान्ताधिकरणककुलटाप्रीतेः अप्रकृतानाम् मृतलिप्सादीनाञ्च दृष्टपूर्वत्वाभावात्मकेनैकेन साधारणधर्मेण सहान्वयाद्दीपकमिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'मृतस्य—' इस पद्य में अभाव साधारण धर्म है—अर्थात् कुलटा नायिका की स्वकान्तगत प्रीतिरूप प्रस्तुत वस्तु का तथा मृत व्यक्ति की लिप्सा आदि अप्रस्तुत वस्तु का पूर्वकालिक दर्शनाभाव रूप एक साधारण धर्म के साथ अन्वय होने से दीपक सिद्ध होता है ।

विशेषमाह—

कस्यचित् प्रकृतत्वे दीपकम् , अन्यथा तुल्ययोगितैव ।

उक्तेषूदाहरणेषु दीपकं तदैव भवेत् । यदि तत्र कस्यचिदेकस्य वस्तुनः प्रस्तुतत्वम् , अन्येषाञ्चाप्रस्तुतत्वमभिमतं स्यात् । सर्वेषां वस्तूनां प्रस्तुतत्वेऽप्रस्तुतत्वे वाऽऽभिमते तु तुल्ययोगितैव भवेदिति भावः ।

एक विशिष्ट बात का स्पष्टीकरण किया जाता है—कस्यचित् इत्यादि ।

पूर्वोक्त उदाहरणों में दीपक तभी माना जा सकता है यदि उस उस उदाहरणभूत पद्य में वर्णित वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को प्रस्तुत और अन्य वस्तु को अप्रस्तुत

माना जाय। यदि सभी वस्तुओं को प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत मान लिया जाय तब तुल्य-योगिता ही होगी, दीपक नहीं।

तुल्ययोगितादीपकोभयसाधारणमपरं विशेषमाह—

यत्र क्रिया साधारणो धर्मस्तत्र यावतां कर्त्रादिकारकाणां संविधानं तेषां स्वसजातीयेनान्येन सह तुल्ययोगिता दीपकं वा पृथक् पृथग्भवति, औपम्यस्यापि पृथगेव भासमानत्वात्।

कर्त्रादीति। आदिना कर्मकरणाधिकरणानि ग्राह्याणि। स्वसजातीयेनान्येनेति। कर्तुः कर्त्रा सह, कर्मणः कर्मणा सह एवं रीत्येति भावः। तुल्ययोगितेति। उभयोः प्रस्तुतत्वेऽप्रस्तुतत्वे वा सतीति भावः। दीपकमिति। एकस्य प्रस्तुतत्वेऽपरस्याप्रस्तुतत्त्वे च सतीति च भावः। पृथक् पृथक् भवतीति। तथा च तादृशस्थितौ अनेकास्तुल्ययोगिताः अनेकानि दीपकानि वा व्यवह्रियेरन इति बोध्यम्। एवंविधव्यवहारे निदानमाह—औपम्यस्यापीति। पृथगेवेति। कुतुः कर्त्रा सह कर्मणः कर्मणा सह इति रीत्येति भावः।

तुल्ययोगिता तथा दीपक दोनों के विषय में एक समान विशेष का स्पष्टीकरण किया जाता है—यत्र इत्यादि।

जहाँ साधारण धर्म क्रिया रूप रहेगा वहाँ यदि केवल प्रस्तुत अथवा केवल अप्रस्तुत के वर्णन रहने के कारण तुल्ययोगिता होगी तो वह उपस्थित कर्ता आदि कारकों में से प्रत्येक कारक की स्वसजातीय अन्य के साथ (अर्थात् कर्ता की कर्ता के साथ, कर्म की कर्म के साथ, इस तरह से) अलग अलग होगी, और यदि कुछ प्रस्तुत तथा कुछ अप्रस्तुत के वर्णन रहने के कारण दीपक होगा तो वह भी पूर्वोक्त रीति से अलग अलग ही होगा, क्योंकि वैसी स्थिति में सादृश्य भी पृथक् पृथक् ही अभिव्यक्त होता है—अर्थात् कर्ता का दूसरे कर्ता के साथ, कर्म का दूसरे कर्म के साथ (इसी तरह अन्यकारक के संबन्ध में भी समझना चाहिए) औपम्य प्रतीत होता है।

तादृशमुदाहरणमुपदर्शयितुमाह—

यथा—

स्पष्टम्।

जैसे—

उदाहरणन्निर्दिशति—

'सुजनाः परोपकारं शूराः शास्त्रं धनं कृपणाः।
कुलवत्यो मन्दाक्षं प्राणात्यय एव मुञ्चन्ति॥'

सुजनाः, प्राणात्यये प्राणापगमे, एव, परोपकारम्, मुञ्चन्ति त्यजन्ति, शूराः, प्राणात्यये, एव, शस्त्रं, मुञ्चन्ति, कृपणाः, प्राणात्यये एव, धनं मुञ्चन्ति, कुलवत्यः कुलीना नायिकाः, प्राणात्यये, एव मन्दाक्षम् लज्जाम्, मुञ्चन्ति इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—सुजना इत्यादि।

सज्जन परोपकार को, वीर शस्त्र को, कृपण धन को और कुलीन नायिकायें लज्जा को प्राण निकलने पर ही छोड़ती हैं।

उपपादयति—

अत्र कर्तृकर्मणोः।

कर्मणोरिति। पृथक् पृथक् तुल्ययोगिता दीपकं वा भवतीति शेषः, अयं भावः— 'सुजनाः—' इत्यत्र सुजनादीनां सर्वेषां प्रस्तुतत्वेऽप्रस्तुतत्वे वा मोचनक्रियात्मकैकसाधारण-धर्मेण सहान्वायत्तुल्ययोगिता तेषां मध्ये एकस्य प्रस्तुतत्वेऽन्येषामप्रस्तुतत्वे तु पूर्वोक्त-साधारणधर्मेण सहान्वयाद्दीपकम् भवति। तत्र तुल्ययोगिता दीपकं वा सुजन-शूर-कृपण-कुलीनानां कर्तृकारकाणाम्, परोपकार-शस्त्र-धन-लज्जानां कर्मकारकाणां च पृथक् पृथक् स्यात्। औपम्यमपि मिथः कर्तृकारकाणाम्, मिथः कर्मकारकाणाम् च पृथगेव व्यज्येत इति।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'सुजनाः–' इस पद्य में कर्ता तथा कर्म कारक का पृथक् पृथक् तुल्ययोगिता अथवा दीपक अलंकार होता है। तात्पर्य यह कि—'सुजनाः–' इस पद्य में तुल्ययोगिता तथा दीपक में से एक का निर्णय कर सकना कठिन है, क्योंकि सुजन आदि सभी पदार्थों को प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत मान लेने पर तुल्ययोगिता और कुछ को प्रस्तुत तथा कुछ को अप्रस्तुत स्वीकार करने पर दीपक होगा। खैर, जो भी अलंकार होगा वह सुजन आदि कर्ताओं का भिन्न और परोपकार आदि कर्मों का भिन्न। फलतः यहाँ दो तुल्ययोगितायें अथवा दो दीपक होगें। औपम्य भी कर्ताओं में परस्पर पृथक् और कर्मों में परस्पर पृथक् व्यक्त होगा।

कर्तृकर्मणोः पृथक् पृथक् तुल्ययोगितादिकमुपदर्श्य कारकान्तराणां पृथक् पृथक् तं दर्शयितुमाह—

एवं वक्ष्यमाणे 'लावण्येन प्रमदा—' इत्यत्र कर्तृकरणयोः। 'दिवि सूर्य—' इत्यत्र कर्त्रधिकरणयोः।

एवमिति। पूर्वोक्तरीत्येत्यर्थः। वक्ष्यमाण इति। दीपकप्रकरण एवाग्रे प्रतिपादयिष्य-माण इति भावः। 'लावण्येन···' इति। अस्यार्थोऽग्रे द्रष्टव्यः। कर्तृकरणयोरिति। पृथक् पृथक् दीपकमिति भावः। 'दिवि सूर्य—' इति। अस्याप्यर्थः पुरोऽवलोकनीयः। कर्त्रधि-करणयोरिति। पृथक् पृथक् दीपकमिति भावः।

अन्य कारकों में भी उक्त विशेष दिखलाया जा रहा है—एवम् इत्यादि।

इसी तरह इसी प्रकरण में आगे आए हुए 'लावण्येन—' इस पद्य में कर्ता और करण कारकों का और 'दिवि—' इस पद्य में कर्ता तथा अधिकरण कारकों का पृथक् पृथक् दीपक समझना चाहिए। इन दोनों पद्यों का अर्थ आगे देखना चाहिए।

कारकतुल्ययोगितावत्कारकदीपकमपि भवतीत्याह—

अमुनैव न्यायेनानेकासां क्रियाणामेककारकान्वये कारकदीपकम्।

अमुनैव न्यायेनेति। तुल्ययोगिताप्रकरणोक्तरीत्येत्यर्थः। क्रियाणामिति। प्रस्तुताप्रस्तुता-नामिति भावः। अन्यत् सुगमम्।

कारक दीपक का विश्लेषण किया जाता है—अमुनैव इत्यादि।

उसी न्याय से (तुल्ययोगिताप्रकरणोक्तरीति से) अनेक प्रस्तुत और अप्रस्तुत क्रियाओं का एक कारक के साथ अन्वय होने पर कारक दीपक होता है।

कारकदीपकमुदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्,

जैसे—

उदाहरणमाह—

'वसु दातुं यशो धातुं विधातुमरिमर्दनम् ।
त्रातुं च मादृशान् राजन्नतीव निपुणो भवान् ॥'

हे राजन् ! वसु धनम् , दातुम् , यशः कीर्त्ति धातुं सम्पादयितुम् , अरिमर्दनम् शत्रुदमनम् 'विधातुं कर्तुम् , मादृशान् दुर्गतान् , त्रातुं रक्षितुम् , च, भवान् अतीव निपुणो वर्तत इत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—वसु इत्यादि ।

हे राजन् ! धन देने के लिये, कीर्ति का संपादन करने के लिये, शत्रु-दमन को सिद्ध करने के लिये और मादृश दुर्गत जन का त्राण करने के लिये आप परम प्रवीण हैं ।

उपपादयति—

अत्र वृत्तिहीनस्य कस्य चिद्दीनस्य वचने वसुदान-स्वत्राणलक्षणयोः क्रिययोः प्रकृतयोः, अरिमर्दनस्य चाप्रकृतस्य, यशोधानस्य चोभयात्मनः साधारणं कर्तृकारकम् ।

वृत्तीति । जीविकेत्यर्थः । उभयात्मनः इति । प्रस्तुताप्रस्तुतोभयात्मन इत्यर्थः ? अन्यत् सुबोधम् ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'वसु दातुम्—' इस जीविकाविहीन किसी दरिद्र जन के द्वारा कथित वाक्य में धन-दान तथा स्वकीय-रक्षण इन दो प्रस्तुत क्रियाओं का शत्रुदमन रूप अप्रस्तुत क्रिया का और कीर्तिसम्पादन रूप प्रस्तुताप्रस्तुतोभयात्मक क्रिया का 'भवान्' इस एक कर्ता कारक के साथ अन्वय होने से कारक दीपक होता है ।

कारकदीपकस्यैवोदाहरणान्तरन्निर्देष्टुमाह—

यथा—

स्पष्टम् ,

जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'वासयति हीनसत्त्वानतिसत्त्वानुद्धतान् विवासयति ।
त्रासयति सकलशत्रून्नीतिविदामग्रणीर्नराधिपतिः ॥'

नीतिविदाम् नीतिज्ञानाम् , अग्रणीः अग्रेसरः मुख्य इति यावत् नराधिपतिः राजा हीनसत्त्वान् दुर्बलान् , वासयति वासयुक्तान् करोति, अतिसत्त्वान् अधिकबलान् उद्धतान् उन्मदान् , विवासयति निवासरहितान् विधत्ते, सकलशत्रून् सर्वानरीन् , त्रासयति त्रस्तान् करोतीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—वासयति इत्यादि ।

नीतिज्ञों में श्रेष्ठ राजा दुर्बलों को बसाता है, उद्धत बलवानों को उजाड़ता है और सभी शत्रुओं को डरवाता है ।

उपपादयति—

अत्र कस्यचिद्धीनसत्त्वस्य सत्त्वाधिकमसहमानस्य वा, शत्रुपरिपीडितस्य वा कस्यचिद्राजानं कंचित्प्रत्युक्तौ सामान्यविशेषरूपायामप्रस्तुतप्रशंसायामेकस्याः क्रियायाः प्रकृतायाः इतरयोश्चाप्रकृतयोः साधारणं तत्। यदि तु प्रागुक्तवक्तृभिन्नस्य कस्यचिद्राजस्तोतुर्नीतिमात्रबोधकस्य चेयमुक्तिस्तदा क्रियाणाम् प्रकृताप्रकतरूपत्वाभावात्तुल्ययोगितैव।

दुर्बलः, सबलमसहमानः, शत्रुपीडितो वा कश्चित् कमपि नृपविशेषमुद्दिश्य वदन् 'वासयति—' इतिरीत्या सामान्यतो राजप्रशंसामाहेति. अप्रस्तुतसामान्येन प्रस्तुतविशेष' प्रतीतिरूपाऽप्रस्तुतप्रशंसा वाक्यार्थः। तत्र यदा दुर्बलस्योक्तिस्तदा वासयति-पदवाच्या क्रिया प्रस्तुता इतरेऽप्रस्तुते, सबलमसहमानस्योक्तौ विवासनक्रियैव प्रस्तुता, अन्येऽप्रस्तुते, शत्रुपीडितस्यौक्तौ त्रासक्रिया प्रस्तुता अपरेऽप्रस्तुते। फलतो यदा यदीयोक्तिस्तदा तदीयायाः प्रस्तुतायाः क्रियायाः इतरयोश्चाप्रस्तुतयोः क्रिययोः एकेन कर्तृकारकेणान्वयात्कारकदीपकम् भवति। अस्य पद्यस्य प्रागुक्तवक्तृभिन्नराजस्तुतिकारकनीतिसूचकजनोक्तिरूपत्वे स्वीकृते तु क्रियाणां प्रस्तुताप्रस्तुतरूपत्वविरहात् तुल्ययोगितैव न दीपकमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

किसी नृपविशेष के प्रति कहे गये 'वासयति—' इस सामान्यतः राजप्रशंसापरक पद्य में 'अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष प्रतीति' रूप अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकारमुख्य वाक्यार्थ है। दूसरा अलंकार कारक दीपक भी होता है, क्योंकि 'वसाना' उजाड़ना और 'डरवाना' पद्योक्त इन तीन क्रियाओं में से कोई एक क्रिया स्थलभेद से प्रस्तुत होती है और अन्य दो क्रियायें होती हैं अप्रस्तुत—अर्थात् दुर्बल की उक्ति मानने पर 'वसाना' प्रस्तुत, बलशाली के प्रति-असहनशील की उक्ति मानने पर 'उजाड़ना' प्रस्तुत और शत्रुपीडित की उक्ति मानने पर 'डरवाना' प्रस्तुत होता है, और जहाँ जो प्रस्तुत उससे अन्य अप्रस्तुत होता है। और इन प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत क्रियाओं का अन्वय राजा रूप एक कर्ता (कारक) के साथ होता है।

यदि इस पद्य का वक्ता उक्तप्रकारक जन को न मान कर किसी नीतिसूचक स्तुतिकर्ता को माना जाय तब उक्त तीनों क्रियायें प्रस्तुत ही समझी जायगीं क्योंकि सभी क्रियायें वर्णनीय राजा के उत्कर्ष की बोधिकायें हैं. अतः—वैसी स्थिति में कारक दीपक नहीं अपितु कारक तुल्ययोगिता ही दूसरा अलंकार होगा।

मम्मटोक्तमालोचयितुमुपक्रममाण आह—

यत्तु—

'सकृद्वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम्।
सैव क्रियासु बह्वीषु कारकस्येति दीपकम्॥'

इति लक्षणमुक्त्वा।

'स्विद्यति कूणति वेल्लति विवलति निमिषति विलोकयति तिर्यक्।
अन्तर्नन्दति चुम्बितुमिच्छति नवपरिणया वधूः शयने॥'

इति द्वितीयं दीपकमुदाहृतं काव्यप्रकाशकृद्भिः। तत्र विचार्यते—प्रथमार्धगतलक्षणेनैव दीपकद्वयस्यापि संग्रहाद् द्वितीयं लक्षणं व्यर्थम्। गुणिनां कारकाणां च गुणक्रियारूपधर्मस्येव क्रियाणामपि कारकरूपधर्मस्य सकृद्वृत्तेः साम्राज्यात्। न च क्रियाणां प्रकृताप्रकृतात्मताविरहेऽपि शुद्धप्रकृतत्वे शुद्धाप्रकृतत्वेऽपि वा कारकस्य सकृद्वृत्तेर्दीपकत्वम्, क्रियाभिन्नानां तु प्रकृताप्रकृतात्मतायामेव क्रियादेर्धर्मस्येति वैलक्षण्याल्लक्षणद्वयमिति वाच्यम्। कारकतुल्ययोगितोच्छेदापत्तेः। सकलालंकारिकसिद्धान्तविरोधापत्तेश्च। लक्षणद्वयस्याननुगतत्वाच्च। तादृशलक्षणद्वयान्यतरवत्त्वस्य लक्षणत्वे गौरवादुपप्लवप्रसङ्गाच्च। एवं च 'स्विद्यति कूणति—' इत्याद्युदाहरणमपि न संगच्छते, क्रियाणां शुद्धप्रकृतत्वात्। किं च दीपक-तुल्ययोगितादौ गम्यमानमौपम्यं जीवातुरिति सर्वेषां संमतम्। न चात्र स्वेदनकूणनादीनामेककारकान्वितानामप्यौपम्यं कविसंरम्भगोचरः। तस्मात्समुच्चयालंकारच्छायाऽत्रोचिता। अस्मदुदीरितानां हीनसत्त्ववासनादीनां च राजकर्तृकाणां पद्यद्वयगतानामौपम्यप्रतीतौ सहृदयहृदयमेव प्रमाणमिति न प्रतिवन्दिदानावसरः। यदि तु स्वेदनादीनामौपम्यं प्रतीयत एवेत्याग्रहस्तथापि क्रियाणां शुद्धप्रकृतत्वात्तुल्ययोगिता स्यादपि, न तु दीपकमित्यास्तां तावत्।

काव्यप्रकाशकारोक्तमनूद्यते—सकृद्वृत्तिरित्यादिना। प्रकृताप्रकृतात्मनाम् प्राकरणिकाप्राकरणिकानाम्, उपमानोपमेयानामिति यावत्, कारकाणामिति भावः, धर्मस्य क्रियादेः, सकृत् एकवारमेव, वृत्तिः उपादानम्, दीपकमित्येकं लक्षणं पूर्वार्धेनोक्तम्। कारकस्य एकस्य कर्त्रादेः कारकस्य, बह्वीषु अनेकासु, क्रियासु तिङन्तपदबोध्यासु, सैव सकृद्वृत्तिरेव, दीपकम् इति द्वितीयं लक्षणमुत्तरार्धेनोक्तमिति भावः।

स्विद्यतीति। नवः परिणयो यस्यास्तादृशी नवोढेति यावत् वधूः नायिका, शयने भर्तृपर्यङ्के, स्विद्यति स्वेदं प्राप्नोति सात्त्विकभावोदयात्, कूणति दयिते परिरम्भोद्यते सति संकुचति, ततोऽप्यनिवर्तिनिल्लभे वेल्लतिव-वृत्तवर्तनं विधत्ते, विवलति विशेषतः चपलायते, निमिषति मिथ्यानेत्रे मुद्रयति, आहार्यनिद्रया नयने मुद्रयतीति यावत्, तिर्यग्वक्रतया नेत्रत्रिभागेनेति यावत्, विलोकयति नायकमुखं पश्यति, अन्तः हृदि, नन्दति हृष्यति, नवोढात्वेन बहिरानन्दाप्रकाशादिति भावः, अत एव चुम्बितुमिच्छति, न तु चुम्बतीति यावत्। परिणयस्यैवात्र नवत्वमुक्तम्, न तु परिणीताया इति बोध्यम्। अत्र स्वेदनादिषु बह्वीषु क्रियासु एकस्यैव वधूरूपस्य कर्तृकारकस्य शयनरूपस्याधिकरणकारकस्य वा वृत्त्या कारकदीपकमिति भावः। प्रथमार्धगतलक्षणेनैवेति। प्रस्तुताप्रस्तुतवस्तुसंबन्धिधर्मसकृद्वृत्तिरूपेणेत्यर्थः। दीपकद्वयस्यापि इति। प्रथमार्धोत्तरार्धगतलक्षणद्वयसंग्राह्यस्येति भावः। कथं द्वितीयार्धगतलक्षणलक्ष्यभूतदीपकस्य प्रथमार्धगतलक्षणेन संग्रह इत्याह—गुणिनामित्यादि। प्रथमार्धगतात् 'प्रकृताप्रकृतात्मनाम्' इत्यस्मात् पदात् गुणिनां कारकाणां च यथा बोधस्तथा क्रियाणामपि तथाभूतानां बोधः संभवत्येव। एवम् प्रथमार्धगतात् 'धर्मस्य' इत्यस्मात् पदात् यथा गुणस्य क्रियायां वा बोधस्तथैव कारकस्यापि बोधः संभवतीति भावः। द्वितीयलक्षणकरणसंगत्यर्थमाशंकते—न चेत्यादिना। 'प्रकृताप्रकृतात्मताविरहेऽपी'—

त्यस्यैव स्पष्टीकरणम् 'शुद्धप्रकृतत्वे शुद्धाप्रकृतत्वे वा' इति। क्रियाभिन्नानामिति। गुणिनां कारकाणां चेत्यर्थः। धर्मस्येति। सकृद्वृत्तेर्दीपकत्वमिति पूर्वतनस्यानुषङ्गो बोध्यः। उक्ताशंकाया निरासे हेतुमाह—कारकतुल्येति। उच्छेदापत्तेरिति। त्वद्रीत्या कारकदीपकेनैव तत्र भाव्यमिति भावः। इष्टापत्तावाह—सकलेति। कारकतुल्ययोगिता सकलालंकारिकसंमतेति तदुच्छेदे तद्विरोधः स्पष्ट एवेति भावः। तत्रापीष्टापत्तावाह—लक्षणद्वयेति। परस्परलक्ष्ये परस्परलक्षणव्यभिचार इति लक्षणद्वयार्थस्यैकरूपेणानुगमो वाच्यः स च न संभवतीति भावः। अनुगमसत्त्वान्नायं दोष इत्यत आह—तादृशेति। नन्वगत्या गौरवस्वीकारोऽत आह—उपप्लवेति। सकलालंकारलक्षणानि समाहृत्य तावल्लक्षणान्यतमवत्त्वं दीपकत्वमिति लक्षणस्यापि संभवेन सर्वेषामलंकाराणां दीपकभेदत्वे प्रसक्ते उपमाद्युच्छेदापत्तेरिति भावः। ए चेति। 'न च' इत्यादिना प्रदर्शितस्य दीपकद्वयभेदस्योक्तयुक्त्यानङ्गीकारे चेत्यर्थः। क्रियाणां शुद्धप्रकृतत्वादिति। तथा च तुल्ययोगिता स्यान्न दीपकम्, तस्य प्रकृताप्रकृतात्मतायां संभवादिति भावः। गम्यमानम् व्यज्यमानम्। जीवातुरिति। प्राणाधायक इत्यर्थः। तत्त्वस्वीकारहेतुरिति यावत्। न चेति। न हीत्यर्थः। अत्रेति। 'स्विद्यति-' इति पद्य इत्यर्थः। एककारकान्वितानामपीति। एतेन साधारणधर्मसत्त्वप्रयुक्तौपम्यसंभावना सूचिता। कविसंरम्भगोचर इति। केवलं नायिकास्वभाववर्णनस्यैव तत्त्वादिति भावः। पर्यवसितमाह—तस्मादिति। समुच्चयेति। क्रियासमुच्चयेत्यर्थः। चकाराभावेन वाच्यत्वासंभवेनाह—छायेति। वैयञ्जनिकप्रतीतिरिति यावत्। अत्रेति। स्विद्यतीत्यादावित्यर्थः। नन्वेवं त्वदुदाहरणेऽपि औपम्यस्य तदविषयत्वात्कथमेतदुदाहरणत्वमत आह—अस्मदिति। अन्यत् सुगमम्।

अब काव्यप्रकाशकार मम्मट के कथन की आलोचना की जा रही है—यत्तु इत्यादि।

काव्यप्रकाशकार ने 'सकृद्वृत्तिः—अर्थात् प्रस्तुत और अप्रस्तुत अनेक पदार्थों के गुण अथवा क्रियारूप धर्म का एक बार उपादान दीपक का एक प्रकार है तथा अनेक क्रियाओं में कारक का एक बार उपादान दीपक का दूसरा प्रकार है' इस तरह से दीपक के दो लक्षण कह कर, 'स्विद्यति—अर्थात् नवोढ़ा पर प्रौढा नायिका पति की शय्या पर सात्त्विकभाव रूप पसीने से तर हो रही है, पतिकृत आलिङ्गन-चेष्टा से संकुचित हो रही है, करवट बदल रही है, अतिशय चञ्चल हो रही है, मिथ्या निद्रा का नाट्य कर रही है, तिरछी नजर से पति की ओर देख रही है, अन्तःकरण में आनन्दित हो रही है और पति को चूमने की इच्छा कर रही है, पर चूम नहीं रही है।' यह जो द्वितीय दीपक का उदाहरण दिया। उसमें विचार करना है—प्रथम लक्षण से ही दोनों ही दीपकों का संग्रह जब हो जा सकता है तब दूसरा लक्षण व्यर्थ है। जैसे गुणियों के गुणरूपधर्म का कारकों के क्रियारूप धर्म का एक बार उपादान होगा उसी तरह क्रियाओं के कारकरूप धर्म का भी एक बार उपादान हो सकता है। फलतः 'प्रस्तुत-अप्रस्तुत के धर्म का एक बार उपादान' इस प्रथम लक्षण से द्वितीय लक्षण-लक्षित दीपक का भी संग्रह स्पष्ट है। क्रियायें प्रस्तुताप्रस्तुतोभयात्मक न भी रहें—अर्थात् शुद्ध प्रस्तुत किंवा शुद्ध अप्रस्तुत ही क्यों न रहें, तथापि उन क्रियाओं का अन्वयी कारक का एक बार उपादान रहने पर दूसरा-अर्थात् कारकदीपक हो सकता है, और क्रिया से भिन्न-अर्थात् गुणी-अथवा कारकों के गुण अथवा क्रियारूप धर्म का एक बार उपादान तभी दीपक होगा यदि वे गुणी किंवा कारक प्रस्तुताप्रस्तुतोभयात्मक रहेंगे इस तरह से दोनों दीपकों में महान्

अन्तर है, अतः दो लक्षण मम्मट के ठीक हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर—अर्थात् शुद्ध प्रस्तुत अथवा शुद्ध अप्रस्तुत क्रियाओं का एक कारक में अन्वय होने पर भी कारक दीपक मानने पर—कारकतुल्ययोगिता का उच्छेद हो जायगा। हो जाय उसका उच्छेद, इससे हानि ही क्या? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। कारण, सभी आलंकारिक जब कारकतुल्यतोगिता को मानते हैं तब उसको न मानने की बात सभी आलंकारिकों के कथन से विरुद्ध होगी। 'पड़े दूसरे आलंकारिकों से विरुद्ध मेरी बात, इससे क्या? मैं युक्ति का वशवर्ती हूँ, किसी व्यक्ति का नहीं' यह कथन भी संगत नहीं, क्योंकि युक्तिसंगत होने पर ही इस तरह का गर्व उचित हो सकता है और यहाँ युक्ति भी नहीं है। देखिए—दोनों लक्षणों का एक रूप से अनुगम नहीं हो सकता और उसका होना आवश्यक है, अन्यथा लक्षण करना ही व्यर्थ है। दोनों लक्षणों का स्वरूप पृथक्-पृथक् कह कर 'इन दोनों में से किसी एक से युक्त होना' इस तरह से अनुगम करने पर तो गौरव होगा। गौरव किसी तरह सह्य भी किया जा सकता था, पर इस तरह से अनुगम करने पर बहुत बड़ा उपद्रव—खड़ा हो जायगा—अर्थात् प्रतिपक्षी कहने लगेगा कि—'इसी तरह से सभी अलंकारों के लक्षणों को एक जगह करके 'उन सबों में से किसी एक से युक्त होना' दीपक है, ऐसा ही क्यों न कह दिया जाय और ऐसा कह देने पर उपमा रूपक आदि सभी अलंकार दीपक के ही अवान्तर भेद सिद्ध हो जायँगें फिर तो उपमा आदि का व्यवहार ही साहित्य जगत् से उठ जायगा।

ऐसी स्थिति में आपको उक्त रीति से दोनों दीपकों में अन्तर दिखलाने का मोह जब त्यागना ही पड़ेगा तब अनिच्छयापि आपको भी प्रस्तुताप्रस्तुतोभयात्मकता की दशा में ही कारक-दीपक स्वीकार करना पड़ेगा और तब 'स्विद्यति कूणति—' इत्यादि उदाहरण भी संगत नहीं होगा, क्योंकि वहां स्वेदन आदि क्रियायें शुद्ध प्रस्तुत हैं, प्रस्तुताप्रस्तुतो-भयात्मक नहीं। इस उदाहरण की असंगति का एक और भी जबर्दस्त हेतु यह है कि—दीपक अथवा तुल्ययोगिता में व्यङ्ग्य सादृश्य ही जीवन है—अर्थात् उसके विना वे हो ही नहीं सकते यह सर्वसम्मत कथा है और 'स्विद्यति—' इत्यादि पद्य में स्वेदन कूणन आदि क्रियाओं में एक कारकान्वयरूप साधारण धर्म के रहने पर भी परस्पर सादृश्य की प्रतीति कराना कवि का अभीष्ट नहीं है—अर्थात् यहां नवोढ़ा स्वभाव-वर्णन करना ही कवि का अभीष्ट है। अब आप ही सोचिए कि यहाँ तुल्ययोगिता किंवा दीपक हो सकता है? अगत्या कहना पड़ेगा कि नहीं। अतः उचित यह है कि 'स्विद्यति—' इत्यादि पद्य में समुच्चयालंकार व्यङ्ग्य (वाच्य नहीं, क्योंकि समुच्चयवाचक चकार नहीं है) माना जाय, दीपक आदि नहीं।

यह शंका नहीं की जा सकती है कि आपके उदाहरणों में भी सादृश्य को अभिव्यक्त करना कवि का अभीष्ट नहीं है फिर वे ही पद्य दीपक के उदाहरण कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमने जो 'वसु दातुम्—' और 'वासयति—' ये दो उदाहरण कारक-दीपक के दिये हैं उनमें राजा जिनका कर्ता है ऐसे क्रमशः दोनों पद्यों में उक्त धन-दान आदि और दुर्बलों को बसाना आदि क्रियाओं में परस्पर सादृश्य की प्रतीति अवश्य होती है जिसका साक्षी सहृदयों का हृदय ही है।

यदि आप यह आग्रह करें कि 'स्विद्यति–' इत्यादि पद्य में भी स्वेदन आदि क्रियाओं का सादृश्य प्रतीत होता है तो होवे, किंतु ऐसा होने पर भी वहाँ की क्रियाओं का शुद्ध प्रस्तुतात्मक होने से तुल्ययोगिता हो सकेगी, दीपक नहीं। खैर, छोड़िए इस विवाद को।

विमर्शिनीकारोक्तमनूद्यावद्यति—

यदपि विमर्शिनीकृतोदाहृतम्—

"आलिङ्गितुं शशिमुखीं च सुधां च पातुं
कीर्तिं च साधयितुमर्जयितुं च लक्ष्मीम्।
त्वद्भक्तिमद्भुतरसां हृदये च कर्तुं
मन्दादरं जनमहं पशुमेव मन्ये॥

अत्रालिङ्गनाद्यनेकक्रियाकर्तृत्वेनैक एव जनो निर्दिष्ट इति।" तदपि चिन्त्यम्, आलिङ्गनादीनां क्रियाणां मन्दादरत्वेनैकाश्रयकत्वस्यावश्यकत्वेऽपि परस्परमेकाश्रयकत्वस्यानावश्यकत्वात्। यः शशिमुखीमालिङ्गितुं, यश्च सुधां पातुं, योऽपि कीर्तिं साधयितुं, यश्च लक्ष्मीमर्जयितुं, यश्चापि त्वद्भक्तिं कर्तुं मन्दादरस्तं सर्वमपि जनं पशुं मन्ये इति तुमुन्नन्तानां भिन्नकर्तृकत्वेऽप्युपपत्तेरेककारकान्वयकृतं क्रियाणामौपम्यं चमत्कारीति न शक्यते वक्तुम्। किं तु शशिमुखीसुधाकीर्तिलक्ष्मीत्वद्भक्तीनां बिम्बप्रतिबिम्बभावकृतम्। नापि चात्रैककर्तृत्वे काचिदर्थस्यास्ति परिपुष्टिः। प्रत्युत प्रातिकूल्यम्। सर्वेषां पशुत्वोक्त्यपेक्षया सकलतादृशक्रियाकरणमन्दादरस्यैकस्य पशुत्वोक्तेररमणीयत्वात्।

'आलिङ्गितुम्—' इति। अहम् शशिमुखीम् चन्द्रवदनां नायिकाम्। आलिङ्गितुम्, सुधाम् अमृतम् पातुम्, कीर्तिं साधयितुम्, सम्पादयितुम्, लक्ष्मीम् धनम् अर्जयितुम् प्राप्तुम्, अद्भुतरसाम् अनिर्वचनीयस्वादाम्, त्वद्भक्तिम्, हृदये, कर्तुम्, च, मन्दादरम् अल्पप्रवृत्तिम् जनम्, पशुम्, एवमन्ये इत्यर्थः। ईश्वरं प्रति भक्तस्योक्तिरियम्। तत्कृतमुपपादनमनुवदति—अत्रालिङ्गनाद्यनेकेत्यादि। 'आलिङ्गितुम्—' इति श्लोके तुमुन्नन्तपदबोध्यालिङ्गनादिनानाविधक्रियाणाम् एकस्मिन् कर्तृकारकेऽन्वयात्कारकदीपकमिति—विमर्शिनीकारस्याभिप्रायः। निरस्यति—तदपीति। चिन्त्यत्वे हेतुमाह—आलिङ्गनादीनामित्यादि। मन्दादरत्वेनेति। मन्दादरविशिष्टत्वरूपेणेत्यर्थः। एकाश्रयकत्वस्येति। एककर्तृकत्वस्येत्यर्थः। आवश्यकत्वेऽपीति, मन्दादरत्वस्य सर्वत्र विशेषणत्वादिति भावः। परस्परमेकाश्रयकत्वस्यानावश्यकतामेव स्फुटयति—यः इत्यादिना। तुमुन्नन्तानामिति। तुमन्नन्तपदबोध्यक्रियाणामिति भावः। उपपत्तेः संगतेः। तदुपपत्त्या प्रकृते किमायातमिति चेत्तत्राह—एककारकान्वयकृतमित्यादि। वक्तुमिति। तथा च न दीपकसंभवः, तस्य चमत्कार्यौपम्यप्रतीतिमूलत्वादिति भावः। नन्वेवमिह किंकृतश्चमत्कार इत्यत्राह—किं त्विति। बिम्बप्रतिबिम्बभावेति। तन्मूलकसादृश्यप्रतीतीत्यर्थः। एककर्तृकत्वे इति। आलिङ्गनादिक्रियाणामित्यादिः। प्रातिकूल्यमिति। तासां क्रियाणामेककर्तृकत्वेऽर्थस्य प्रतिकूलतैवेति भावः। प्रातिकूल्यमेवोपपादयति—सर्वेषामिति। सकलतादृशेति। सकलानां तादृशानां क्रियाणां करणे (सम्पादने) मन्दादरो य एको जनस्तस्येति भावः।

विमर्शिनीकार के कथन का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है—यदपि इत्यादि।

विमर्शिनीकार ने भी जो कारक दीपक का 'आलिङ्गितुम्—अर्थात् मैं उस जन को पशु ही मानता हूँ जो चन्द्रमुखी नायिका का आलिङ्गन करने में, अमृत का पान करने

में, यश को सिद्ध करने में, धन का उपार्जन करने में और आश्चर्यजनक रसवाली तेरी भक्ति को हृदय से धारण करने में मन्दादर—शिथिल-प्रवृत्तिवाला होता है।' यह उदाहरण दिया और उस के उपपादन में लिखा कि 'यहाँ आलिङ्गन आदि क्रियाओं का कर्ता एक ही जन निर्दिष्ट है-अर्थात् 'आलिङ्गितुम्' आदि तुमन्प्रत्ययान्त पदों के द्वारा बोधित होने वाली अनेक क्रियाओं का—जिनमें ईश्वर के प्रति भक्त की उक्ति होने के कारण भक्तिधारण प्रस्तुत किया है और सब क्रियायें हैं अप्रस्तुत—एककर्तृकारक में अन्वय होने से कारक दीपक होता है।' वह भी चिन्तनीय है—असंगत है। कारण, आलिङ्गन आदि तुमन्प्रत्ययान्त-पदबोध्य क्रियाओं का कर्ता यहाँ एक ही व्यक्ति को माना जाय यह आवश्यक नहीं है। हाँ, यह बात दूसरी है कि उन अनेक क्रियाओं के विविध कर्ताओं को मन्दादरत्व रूप से = सभी को अपनी-अपनी क्रिया में मन्द आदर वाला होने के कारण एक मान लिया जाय। तात्पर्य यह कि—'जो चन्द्रमुखी के आलिङ्गन में मन्दादर है, जो सुधापान में मन्दादर है, जो यशःप्राप्ति में मन्दादर है, जो धनोपार्जन में मन्दादर है और जो तेरी भक्ति का धारण करने में मन्दादर है उन सभी जनों को मैं पशु मानता हूँ' इस तरह से तुमुन्नन्त-पदबोध्य क्रियाओं का कर्ता भिन्न-भिन्न जन को मानने पर भी जब अर्थ बैठ जाता है तब यहाँ उक्त क्रियाओं का एक कारक में अन्वय होने से उन क्रियाओं में परस्पर सादृश्य की प्रतीति ही चमत्कारजनक है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। स्पष्टरूप में यह कहा जा सकता है कि जब यहाँ उन क्रियाओंका कर्ता एक को मान कर और अनेक को मान कर—अर्थात् दोनों तरहों से पद्यार्थ को संगत किया जा सकता है तब क्रियाओं का एक कारक में अन्वय के कारण प्रतीयमान क्रियौपम्य यहाँ विच्छित्तिविशेष का हेतु है ऐसा नहीं माना जा सकता है और जब अनेक क्रियाओं का एक कारक में अन्वय ही नहीं, फलतः क्रियाओं में परस्पर औपम्य-प्रतीतिमूलक चमत्कार नहीं, तब कारकदीपक का प्रसङ्ग ही कैसे उठ सकता है? क्योंकि कारकदीपक होने के लिये उक्त दोनों बातों का होना अनिवार्य माना गया है, एक बात और—यहाँ आलिङ्गन आदि क्रियाओं का कर्ता एक व्यक्ति को मानने पर पद्यार्थ की पुष्टि नहीं होती अपितु वैसी मान्यता प्रतिकूल ही पड़ती है, क्योंकि तत्तत्क्रिया के प्रति मन्दादर भिन्न-भिन्न कर्ता को पशु कहने की अपेक्षा उन सभी क्रियाओं के प्रति मन्दादर किसी एक को पशु कहना असुन्दर है—अचमत्कारी है।

अर्थात् 'उन सभी क्रियाओं में मन्दप्रवृत्ति एक व्यक्ति को मैं पशु मानता हूँ' इस कथन की अपेक्षा 'उन क्रियाओं में से एक-एक क्रिया के प्रति जो-जो मन्दादर हैं उन सब को मैं पशु मानता हूँ' ऐसा कथन अधिक हृदयग्राही है। अब पूछा जा सकता है कि क्रियाओं के औपम्य की प्रतीति से होने वाला चमत्कार यदि यहाँ नहीं माना जायगा तब आखिर यहाँ चमत्कार है किंमूलक? तो इसके उत्तर में मेरा कथन है कि यहाँ शशिमुखी, सुधा, कीर्ति, लक्ष्मी और भगवद्भक्ति ये जो कर्मकारक हैं उन में बिम्बप्रतिबिम्बभाव लक्षित होता है, बस उसी का चमत्कार इस पद्य को काव्य की श्रेणी में ला देता है।

स्वरीत्या कथञ्चिद् विमर्शिनीकारोक्तं समर्थयति—

यदि तु विमर्शिनीकारोक्तिरवश्यं समर्थनीयेत्याग्रहस्तदेत्थं समर्थ्यताम्—क्रियाणां कर्तुरेकत्वाभावेऽपि कर्तृतावच्छेदकस्य मन्दादरत्वस्यैक्यात्तस्यैव च परम्परासंबन्धेनानेकक्रियासाधारणधर्मस्य सकृद्वृत्तिरस्तीति न दोषः।

कारकस्येव कारकविभाजकोपाध्यवच्छेदकस्यापि सकृद्वृत्तेः कारकदीपकत्वेन परिभाषितुं शक्यत्वात् ।

कर्तृतावच्छेदकस्य मन्दादरत्वस्येति । कर्तुर्विशेषणतया मन्दादरत्वस्य कर्तृतावच्छेदकत्वं बोध्यम् । तस्यैवेति । मन्दादरत्वस्यैवेत्यर्थः । परम्परासंबन्धेनेति । स्वाश्रयवृत्तित्वसंबन्धेनेत्यर्थः । नन्वेवमपि कारकस्य सकृद्वृत्तेरभावात्कथं तत्त्वमत आह—कारकस्येवेति । कारकविभाजकोपाध्यवच्छेदकस्येति । कर्तृत्वकर्मत्वादिरूपकारकविभागजनकधर्मविशेषणस्येति भावः । एवञ्च कारकशब्द उभयपर इति तत्त्वम् ।

अपने ढङ्ग से किसी तरह विमर्शिनीकार के कथन का समर्थन अब किया जाता है—

यदि तु इत्यादि ।

विमर्शिनीकार के कथन का समर्थन अवश्य ही करना चाहिए यदि—ऐसा आग्रह हो तब इस प्रकार से उसका समर्थन कीजिए कि—'आलिङ्गितुम्—' इस पद्य में यद्यपि आलिङ्गन आदि क्रियाओं का कर्ता एक नहीं है तथापि कर्तृता का अवच्छेदक (कर्ता का विशेषण) मन्दादरता एक है और वही (मन्दादरता ही) परम्परा संबन्ध से-अर्थात् स्वाश्रयवृत्तित्व संबन्ध से (स्व=मन्दादरत्व, उसका आश्रय=कर्ता, तद्वृत्तित्व = उसमें रहना) अनेक क्रियाओं (आलिङ्गन आदि) का धर्म कहलायगा। इस तरह से अनेक क्रियाओं के धर्म (मन्दादरता) का एक बार उपादान है, अतः कोई दोष नहीं होगा—अर्थात् कारकदीपक हो सकेगा—विमर्शिनीकार की बात रह जायगी। आप पूछेंगे कि विमर्शिनीकार की बात रखने का यह तरीका तो संगत नहीं जँचता, क्योंकि कारकदीपक के लक्षण में तो कारक के एक बार उपादान का ही निवेश है, न कि कारक विशेषण का, तो इसका समाधान यह दिया जा सकता है कि लक्षण बनाना तो अपने हाथ की बात है, कारक के समान कारकों को विभिन्न करनेवाली उपाधि-कर्तृत्व कर्मत्व-आदि के अवच्छेदक = विशेषण का एक बार उपादान कारकदीपक है ऐसी भी परिभाषा बनाई जा सकती है—अर्थात् लक्षणगत कारक पद को उभय (कारक तथा कारकविभाजकोपाध्यवच्छेदक) का बोधक माना जा सकता है ।

नन्वेवमपि 'आलिङ्गितुम्—' इति श्लोकस्य कारकविभाजकोपाध्यवच्छेदकसकृद्वृत्तिरूपकारकदीपकोदाहरणत्वेऽपि कारकसकृद्वृत्तिरूपकारकदीपकोदाहरणं किमिति चेत्तत्राह—

कारकसकृद्वृत्तेस्त्वस्माभिरुक्तमेवोदाहरणमनुसर्तव्यम् ।

कारकसकृद्वृत्तिरूपकारकदीपकोदाहरणं 'वसु दातुम्-' इत्यादिकमेव प्रागुक्तं संभवति, न 'आलिङ्गितुम्-' इतीति भावः ।

उक्त रीति से एक भिन्न परिभाषा की कल्पना करके 'आलिङ्गतुम्—' इस पद्य को भले ही कारकदीपक का उदाहरण माना जाय, पर कारक का एक बार उपादान यह जो सर्वसम्मत परिभाषा है उसका उदाहरण तो 'वसु दातुम्—' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य ही हो सकते हैं, विमर्शिनीकारोक्त पद्य नहीं ।

मतान्तरमाह—

अत्रेदं बोध्यम्-तुल्ययोगितातो दीपकं न पृथग्भावमर्हति, धर्मसकृद्वृत्तिमूलाया विच्छित्तेरविशेषात् । विच्छित्तिवैलक्षण्यस्यैवालंकारविभागहेतुत्वात् । न च धर्मस्य सकृद्वृत्तेरविशेषेऽपि धर्मिणो प्रकृतत्वाप्रकृतत्वाभ्यां प्रकृताप्रकृतत्वेन च

तुल्ययोगिताया दीपकस्य विशेष इति वाच्यम्। तत्रापि तुल्ययोगितायां धर्मिणां केवलप्रकृतत्वस्य केवलाप्रकृतत्वस्य च विशेषस्य सत्त्वादलंकारद्वैतापत्तेः। श्लेषेऽपि द्वैतापत्तेश्च। सर्वेषामप्यलंकाराणां प्रभेदवैलक्षण्याद्वैलक्षण्यापत्तेश्च। न च दीपके वास्तवमौपम्यं गम्यम्, उपमानोपमेययोः प्रकृताप्रकृतरूपयोस्तत्र सत्त्वात्। तुल्ययोगितायां च वैवक्षिकम्, उपमानोपमेयस्वरूपाभावात्। अतो वैलक्षण्यमिति वाच्यम्। उपमेयोपमानत्वयोः प्रकृताप्रकृतरूपत्वे मानाभावात्। 'खमिव जलं जलमिव खम्' इत्याद्युपमेयोपमायां प्रतीपे चौपम्यानापत्तेश्च। तस्मात्तुल्ययोगिताया एव त्रैविध्यमुचितम्। प्रकृतानामेव धर्मस्य सकृद्वृत्तिः, अप्रकृतानामेव, प्रकृताप्रकृतानां चेति। एवं च प्राचीनानां तुल्ययोगितातो दीपकस्य पृथगलंकारतामाचक्षाणानां दुराग्रहमात्रमिति नव्याः।

विशेषसाधनायाशंक्यते—न च धर्मस्येत्यादि। तुल्ययोगितायां गुणिक्रियान्यतर-रूपाणां धर्मिणां प्रकृतत्वमेवाप्रकृतत्वमेव वा, दीपके तु तेषां प्रकृताप्रकृतत्वमेवेति तुल्ययोगि-तातः दीपकस्य विशेषोऽस्तीति शंकादलस्याशयः।

समाधीयते—तत्रापीति। यं कञ्चन विशेषमादाय व्यवहारोपपादने–क्वचिद्धर्मिणां प्रकृ-तत्वमेव, क्वचित्तेषामप्रकृतत्वमेवेति तुल्ययोगिताप्रभेदद्वयेऽपि अलंकारद्वयव्यवहारापत्तिः, श्लेषस्य सभङ्गाभङ्गात्मकभेदद्वयेऽलंकारद्वैतापत्तिः, सर्वेषामलंकाराणामवान्तरप्रभेदेषु यत्कि-ञ्चिद्वैलक्षण्यसत्त्वाद् विभिन्नालंकारप्रसक्तिरिति समाधानदलस्याभिप्रायः।

पुनर्वैलक्षण्यमलंकारद्वयव्यवहारप्रयोजकमाशंक्यते—न च दीपके इति। उपमानोपमे-ययोः प्रकृताप्रकृतयोरिति नात्र क्रमो विवक्षितः। अप्रकृतरूपस्योपमानस्य, प्रकृतरूपस्योपमे-यस्येत्यर्थात्। वैवक्षिकमिति। विवक्षाधीनमित्यर्थः। काल्पनिकम्, वास्तवन्नेति यावत्। उपमानोपमेयस्वरूपेति। अप्रकृतत्वप्रकृतत्वेत्यर्थः। अयं भावः–प्रकृतमुपमेयं भवत्यप्रकृतञ्चो-पमानमिति प्रसिद्धिः। एवञ्च दीपके प्रकृताप्रकृतयोः सत्त्वेन उपमेयोपमानभावस्तात्त्विकः, तुल्ययोगितायाम् प्रकृतानामेव कुत्रचित्, अप्रकृतानामेव वा कुत्र चित्सत्त्वेन प्रकृताप्रकृत-योरसत्त्वेनोपमेयोपमानभावः काल्पनिक इति द्वयोर्वैलक्षण्यं सिद्धमिति। समाधीयते—उप-मेयोपमानत्वयोरिति। 'खम्–गगनम् इव जलम्, जलमिव खम्' इत्याद्युपमेयोपमायां 'मुख-मिव चन्द्रः' इत्यादिप्रतीपे च प्रकृतस्योपमानतायाः अप्रकृतस्योपमेयतायाश्च दर्शनेन 'प्रकृत-मुपमेयमप्रकृतमुपमानमि'ति नियमे प्रमाणाभावस्तथा च नोक्तं वैलक्षण्यं वक्तुं शक्यमिति भावः। उपसंहरति—तस्मादिति। नव्या इति। वस्तुतो ग्रन्थकृत एव मतमेतद् बोध्यम्।

दीपक के संबन्ध में एक नवीन मत का उल्लेख किया जाता है—अत्रेदं बोध्यम् इत्यादि।

यहाँ यह समझना चाहिए कि दीपक अलंकार तुल्ययोगिता से अतिरिक्त नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का एक वार उपादान दोनों जगहों पर रहता है, अतः तन्मूलक विच्छित्ति—चमत्कार एक सा ही होता है, फिर एकवस्तुमूलक एक ही तरह के चमत्कार में दो अलंकार मानना उचित नहीं हो सकता। कारण, चमत्कार की विलक्षणता ही अलंकार की विभिन्नता का कारण है।

'धर्म का एक बार उपादान' इस अंश की समानता रहने पर भी "तुल्ययोगिता में धर्मी शुद्ध प्रस्तुत अथवा शुद्ध अप्रस्तुत रहता है—अर्थात् वहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों तरह के धर्मी नहीं रहते और दीपक में धर्मी नियमतः प्रस्तुत एवम् अप्रस्तुत दोनों तरह के रहते हैं, अतः तुल्ययोगिता से दीपक की विलक्षणता सिद्ध होती है" यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस तरह के वैलक्षण्य से यदि अलंकार की भिन्नता होने लगे तब तो प्रस्तुतधर्मी वाला और अप्रस्तुतधर्मी वाला जो तुल्ययोगिता के दो अवान्तर प्रभेद माने जाते हैं वे अवान्तर भेद न माने जाकर स्वतन्त्र रूप से दो अलंकार ही माने जाने लगेंगे। श्लेष के जो सभङ्ग और अभङ्ग नाम से दो अवान्तर प्रभेद होते हैं वे भी दो पृथक् अलंकार हो जायँगे। इतना ही नहीं प्रायः सभी अलंकारों के अवान्तर भेद माने जाते हैं, अब वे सब अवान्तर प्रभेद न होकर अलग-अलग अलंकार ही कहे जाने लगेंगे, क्योंकि कुछ न कुछ विलक्षणता एक प्रभेद से दूसरे प्रभेद में रहती ही है।

अप्रस्तुत वस्तु उपमान और प्रस्तुत वस्तु उपमेय होती है यह एक प्रसिद्ध नियम है, तदनुसार दीपक में वास्तविक उपमानोपमेयभाव व्यक्त होता है ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि वहाँ अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत दोनों तरह के धर्मी रहते हैं तुल्ययोगिता में तो वास्तविक उपमानोपमेयभाव का व्यङ्ग्य होना नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों की स्थिति नहीं रहती—अर्थात् वहाँ केवल प्रस्तुत अथवा केवल अप्रस्तुत ही रहता है, अतः वहाँ का उपमानोपमेयभाव काल्पनिक कहा जायगा, इस तरह दोनों अलंकारों में अन्तर सिद्ध है—यह भी युक्तिसंगत तर्क नहीं है। कारण, अप्रस्तुत ही उपमान और प्रस्तुत ही उपमेय हो इस तरह के नियम में कोई प्रमाण नहीं है। यदि इस नियम को प्रामाणिक मान लिया जाय तब 'खमिव जलम्—अर्थात् आकाश जल के समान और जल आकाश के समान' इत्यादि उपमेयोपमा में तथा 'मुखमिव चन्द्रः—अर्थात् मुख जैसा चन्द्र' इत्यादि प्रतीप में उपमानोपमेयभाव नहीं हो सकेगा, क्योंकि इन दोनों अलंकारों में प्रस्तुत ही उपमान और अप्रस्तुत ही उपमेय होता है। अतः दीपक को तुल्ययोगिता से भिन्न अलंकार नहीं मानना चाहिए, अपितु 'प्रस्तुत अनेक धर्मी के एक धर्म का उपादान, अप्रस्तुत अनेक धर्मी के एक धर्म का उपादान और प्रस्तुत-अप्रस्तुत उभयविध अनेक धर्मी के एक धर्म का उपादान' इस तरह से तुल्ययोगिता के ही तीन प्रकार मान लेना उचित है।

ऐसी स्थिति में जो प्राचीनों ने तुल्ययोगिता से दीपक को पृथक् अलंकार कहा, वह उन लोगों का केवल दुराग्रह था। यह नवीनों का, वस्तुतः ग्रन्थकार का मत है।

प्राचीनमतसिद्धान् दीपकप्रभेदानुपपाद्य खण्डयति—

अमुं चालंकारं धर्मस्य गुणक्रियाद्यात्मकस्यादिमध्यावसानगतत्वेन त्रिविधमामनन्ति। यथा—

> 'न भाति रमणीयोऽपि वैराग्येण विना यतिः।
> वैदुष्येण विना विप्रो नरलोकस्त्वया विना॥'
> 'लावण्येन प्रमदा मदातिरेकेण वारणाधिपतिः।
> भाति विभवेन भवकान् राजन्भवता च वसुमतीवलयम्॥'
> 'आखण्डलेन नाकः कुण्डलिकुलकुण्डलेन पातालम्।
> नरमण्डन रिपुखण्डन भवता भूमण्डलं विभातितमाम्॥'

एवं तुल्ययोगितायामप्यूह्यम्।

वस्तुतस्तु धर्मस्यादिमध्यान्तगतत्वेऽपि चमत्कारवैलक्षण्याभावात् त्रैविध्योक्तिरापातमात्रात्। अन्यथा धर्मस्योपाद्युपमध्योपान्त्यगतत्वे ततोऽपि किंचिन्न्यूनाधिकदेशवृत्तित्वे चानन्तभेदप्रसङ्गात्।

अमुमिति। दीपकमित्यर्थः। 'न भाती'ति। कश्चित्कमपि नृपं वर्णयन्नाह—रमणीयोऽपि श्रुताचारसंपन्नतया सुन्दरोऽपि, यतिः संन्यासी, वैराग्येण विषयवैमुख्येन, विना, न, भाति शोभते। विप्रः ब्राह्मणः, वैदुष्येण पाण्डित्येन, विना, न, भाति, नरलोकः मानवजगत्, त्वया भवता, विना, न भाति इत्यर्थः। राजवर्णनप्रसङ्गोक्त अस्मिन् पद्ये नरलोकस्य प्रस्तुतस्य, यतिविप्रयोरप्रस्तुतयोः भानाभावेनैकेन धर्मेणान्वयाद्दीपकम्। भानाभावात्मकश्च धर्मोऽत्रादौ निर्दिष्टः।

'लावण्येन–' इति। इदमपि राजवर्णनमेव। हे राजन्!, प्रमदा नायिका, लावण्येन सौन्दर्येण, वारणाधिपतिः गजेन्द्रः, मदातिरेकेण दानवारिबाहुल्येन, भवकान् (स्वार्थेऽकच्) भवानित्यर्थः, विभवेन सम्पदा, वसुमतीवलयम् धरामण्डलम्, च, भवता, भाति शोभत इत्यर्थः।

अत्र प्रस्तुतस्य राज्ञोऽप्रस्तुतानाञ्चान्येषां भानक्रियारूपेणैकेन साधारणधर्मेण सहान्वयाद्दीपकम्। धर्मश्चात्र मध्य उपात्तः।

'आखण्डलेन–' इति। राज्ञः स्तुतिः—नाकः स्वर्गः, आखण्डलेन इन्द्रेण, पातालम्, कुण्डलिकुलकुण्डलेन सर्पसमूहभूषणेन, शेषेणेति यावत्, हे नरमण्डन लोकभूषण, रिपुखण्डन शत्रुदमन, भूमण्डलं, भवता, विभातितमाम् अत्यन्तं शोभत इत्यर्थः। अत्रापि पूर्ववद्दीपकम्। धर्मश्चान्ते कथितः। नैवं भेदत्रयं दीपक एव, अपि तु तुल्ययोगितायामपीत्याह—एवं तुल्येति। खण्डयति—वस्तुतस्तु इत्यादिना। उपादेति। आदिसमीपेत्याद्यर्थः। अन्यत् सुबोधम्। इयमेवारुचिः 'आमनन्ति' इतीदृशक्रियापदनिर्देशेनापि ध्वनितेति बोध्यम्।

प्राचीनों के अनुसार दीपक के कतिपय अवान्तर प्रभेदों की चर्चा करके उनका खण्डन किया जाता है—अमुञ्चेत्यादि।

गुण क्रिया आदि साधारण धर्मबोधक पदों की पद्य के आदि, मध्य और अन्त में उक्ति रहने से इस दीपक अलंकार के तीन भेद कुछ लोग मानते हैं। जैसे—'न भाति—अर्थात् विद्या आचार आदि गुणों से सम्पन्न होने के कारण सुन्दर होकर भी संन्यासी वैराग्य के बिना, ब्राह्मण विद्वत्ता के बिना और मनुष्य लोक आपके बिना नहीं शोभित होता है।'

'लावण्येन—अर्थात् हे राजन्! नायिका सौन्दर्य से, गजपति मदजल की अधिकता से, आप विभव से और पृथिवीमण्डल आप से भूषित होता है।'

'आखण्डलेन—अर्थात् हे लोकभूषण, शत्रुदमन राजन्! स्वर्ग इन्द्र से, पाताललोक नागराज से, और भूमण्डल आप से अधिक शोभित होता है।' इन तीनों पद्यों में प्रस्तुत हैं राजा और अन्य हैं अप्रस्तुत जिनका अन्वय क्रमशः शोभाभाव, शोभा और अतिशोभा रूप धर्म के साथ होता है, अतः सर्वत्र दीपक स्पष्ट है। धर्मबोधक पद इन तीनों पद्यों में क्रमशः आदि, मध्य और अन्त में कहे गए हैं।

इसी तरह तुल्ययोगिता में भी ये तीन भेद होंगे।

वस्तुतः धर्मबोधक पद के पद्य के आदि, मध्य अथवा अन्त में रहने पर भी चमत्कार में कोई विलक्षणता नहीं होती, अतः इस युक्ति से दीपक अथवा तुल्ययोगिता के जो तीन प्रभेद कहे गए हैं वह बिना सोचे समझे।

यदि इस तरह से भेद किए जाँय तब तो धर्म के आदिसमीप में, मध्यसमीप में और अन्तसमीप में रहने के कारण और इससे भी कुछ इधर-उधर धर्म के रहने के कारण भी भेद किए जाने लगेंगे और तब अनन्त भेद हो जायँगे।

पूर्वोक्तभेदत्रामग्राहमुपसंहरन्नवीनं स्वमतसिद्धं भेदं सूचयति—

एवं केवलानुगामिसाधारणधर्मतायां दर्शितं दीपकम्। बिम्बप्रतिबिम्बभावेनाप्येतत्संभवति।

एकरूपेणैवोपमानोपमेययोरन्वीयमानो धर्मोऽनुगामीति प्रागुक्तम्। तादृशधर्मविशिष्टं दीपकं प्रागुपदर्शितम्। परमेतावतान्यविधधर्मविशिष्टं दीपकन्न भवतीति न भ्रमितव्यम्, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नसाधारणधर्मयुक्तस्यापि दीपकस्य संभवादिति भावः।

साधारण धर्म की नानाविधता के दृष्टिकोण से पूर्वोदाहृत दीपक का स्पष्टीकरण के साथ नवीन भेद की भी संभावना दिखलाई जाती है—एवम् इत्यादि।

एक रूप से उपमान तथा उपमेय दोनों में अन्वित हो सकने वाला साधारण धर्म अनुगामी कहलाता है और ऐसे धर्म से युक्त दीपक दिखलाया जा चुका है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि दीपक में साधारण धर्म केवल अनुगामी ही होता है। बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न—अर्थात् भिन्न होने पर भी सादृश्य के कारण अभिन्न माना गया साधारण धर्म भी यहाँ हो सकता है।

तादृशं दीपकमुदाहर्तुमाह—

यथा—

विम्बप्रतिबिम्बभावापन्नसाधारणधर्मकं दीपकं यथेत्यर्थः।

जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'शीलभारवती कान्ता पुष्पभारवती लता।
अर्थभारवती वाणी भजते कामपि श्रियम्॥'
'लता कुसुमभारेण शीलभारेण सुन्दरी।
कविता चार्थभारेण श्रयते कामपि श्रियम्॥'

शीलभारवती। शीलसमूहशालिनी, कान्ता सुन्दरी, पुष्पभारवती कुसुमकदम्बकरम्बिता, लता, तथा अर्थभारवती बह्वर्था, वाणी, कामपि विशिष्य वक्तुमयोग्यां, श्रियं शोभां, भजते इत्यर्थः।

इममेवार्थं भङ्ग्यन्तरेणाह—'लता कुसुमभारेण—' इति। लता कुसुमसमूहेन, सुन्दरी शीलसमुदयेन, कविता च अर्थगौरवेण कामपि शोभां श्रयते इत्यर्थः। प्रथमपद्ये प्रथमान्तैः पदैः द्वितीयपद्ये च तृतीयान्तैः पदैः बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधर्मनिर्देश इत्येव द्वयोः पद्ययोर्वैलक्षण्यम्, तत्प्रयुक्तं वाक्यार्थबोधे वैलक्षण्यं स्यान्न तु प्रसङ्गप्राप्तेऽलंकारे इति बोध्यम्।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—शीलभारवती इत्यादि।

शीलसमूहवाली रमणी, पुष्पसमूहवाली लता और अर्थसमूहवाली वाणी अनिर्वचनीय शोभा को प्राप्त करती हैं।

शीलसमूह से सुन्दरी, कुसुमसमूह से लता और अर्थसमूह से कविता किसी विलक्षण शोभा को प्राप्त करती हैं।

दोनों पद्यों का अर्थ एक सा ही है केवल कहने की शैली कुछ भिन्न है। प्रथम पद्य में बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्मों का निर्देश प्रथमान्त पदों से और द्वितीय पद्य में उनका निर्देश तृतीयान्त पदों से किया गया है, तत्प्रयुक्त अलंकार में कोई अन्तर नहीं होगा, पर शाब्दबोध में अन्तर होगा ऐसा समझना चाहिए।

विशेषमाह—

इदमेव लतादिष्यन्यतमस्य प्राकरणिकत्वे दीपकस्योदाहरणम्, अन्यथा तुल्ययोगितायाः।

अयं भावः—अनुपदोक्तयोः पद्ययोः वर्णितानाम् नायिका–लता-वाणीनां मध्ये कस्याश्चिदेकस्याः प्रस्तुतत्वे इतरयोरप्रस्तुतत्वे विवक्षिते दीपकं स्यात्, सर्वासां तासां प्रस्तुतत्वेऽप्रस्तुतत्वे वा विवक्षिते तु तुल्ययोगितैव। भजनश्रयणान्यतररूपा क्रिया अनुगामी साधारणधर्मः। शीलभारादिकश्च बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नः साधारणधर्मः। एवञ्च दीपकतुल्ययोगितेत्यलंकारद्वयमपि बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नसाधारणधर्मकमपि भवतीति।

एक विशेष की सूचना दी जाती है—इदमेव इत्यादि।

ऊपर के दोनों पद्यों में वर्णित लता, सुन्दरी और वाणी अथवा कविता में यदि किसी एक को प्रस्तुत और अन्य दो को अप्रस्तुत माना जाय तब दीपक और यदि उन सबको केवल प्रस्तुत अथवा केवल अप्रस्तुत ही माना जाय तब तुल्ययोगिता अलंकार होगा। साधारण धर्म यहाँ दो तरह के हैं—एक 'भजते' अथवा 'श्रयते' पद से अवगत होने वाली क्रिया जो अनुगामी है और दूसरा शीलसमूह आदि—जो बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न हैं, अर्थात् शीलभार, पुष्पभार और अर्थभार ये तीनों यद्यपि भिन्न पदार्थ हैं, पर तीनों में सादृश्य है जिससे तीनों को एक समझ लिया जाता है।

बिम्बप्रतिबिम्बभावेन दीपकादिर्न भवतीति परेषां मतं हृदये कृत्वा तथात्वेनापि स भवतीति स्वमतं स्पष्टयन्नाह—

अत्र बिम्बप्रतिबिम्बतायां न केवलं क्रियारूपमनुगामिमात्रं चमत्कारकारणम्, अपि तु कुसुमादिबिम्बप्रतिबिम्बकरम्बितम्। इयांस्तु विशेषः—यत्केवलबिम्बप्रतिबिम्बभावेनाप्युपमादीनां भवति निष्पत्तिः। यथा 'कोमलातपबालाभ्र—इत्यादौ। प्रकृते तु न तथा, अनुगामिनं विना धर्मस्वरूपस्यैवानिष्पत्तेः। नहि बिम्बप्रतिबिम्बमात्रेण धर्मस्य सकृद्वृत्तिः संभवति। तथा 'मृतस्य लिप्सा–' इत्यादिप्रागुक्ते मृतादीनाम्, कारकदीपके कारकतुल्ययोगितायां च 'वसु दातुम्–' इत्यादौ क्रियाणां धर्मित्वात्तद्विशेषणानां वस्वादीनां च बिम्बप्रतिबिम्बता बोध्या।

करम्बितमिति। युक्तमित्यर्थः। अनिष्पत्तेरिति। गुणक्रियादिरूपस्यैकस्य धर्मस्यानेकेषु गुणिषु कारकेषु वा यावदनुगमनं न प्रकटीक्रियते तावदनेकत्रैकधर्मसंबन्धः—यो हि तुल्ययोगितादीपकयोः स्वरूपाधायकः—न प्रतीयेतेत्याशयः। मृतादीनामिति। अस्य 'बिम्बप्रतिबिम्बता' इत्यग्रेतनेन संबन्धः। अयं भावः—'मृतस्य लिप्सा—' इत्यत्र लिप्सादयो धर्मिणः-

येषु एकधर्मसंबन्धो विवक्षितः, मृत-कृपण-कुलटादयश्च तद्विशेषणानि अत एव तेषां बिम्बप्रतिबिम्बभावः। एवं 'वसु दातुम्—' इत्यत्र केवलप्रकृतानां तुल्ययोगितायां प्रकृताप्रकृतानां दीपके वा दानधानादिक्रियाधर्मिणः। तद्विशेषणानां वसु-यशो-ऽरिमर्दनादीनां च बिम्बप्रतिबिम्बभावो बोध्य इति। अन्यत् स्पष्टम्।

पूर्वोक्त बिम्बप्रतिबिम्बभावस्थलीय दीपक के विषय में कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है—अत्र इत्यादि।

जिस दीपक अथवा तुल्ययोगिता में बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्म की सत्ता होती है—जैसे 'शीलभारवती—' इत्यादि पूर्वोक्त पद्यों में है—वहाँ क्रियारूप अनुगामी धर्म केवल चमत्कार का हेतु नहीं होता, अपितु पुष्प आदि के बिम्बप्रतिबिम्ब से मिश्रित होकर ही वह (अनुगामी क्रियारूप धर्म) चमत्कारी होता है। हाँ, इतना अन्तर है कि उपमा आदि की सिद्धि केवल बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्म से भी हो जाती है—अर्थात् वहाँ अनुगामी धर्म के अभाव में भी काम बन जाता है। जैसे—'कोमलातपवालाभ्र—' इत्यादि पद्यों में। (इस पद्य का विवरण उपमा प्रकरण में देखना चाहिए) पर दीपक आदि में वैसा नहीं होता—अर्थात् केवल बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्म से इन अलंकारों की सिद्धि नहीं हो पाती। तात्पर्य यह कि बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्म के रहने पर भी अनुगामी धर्म की अपेक्षा होती ही है। कारण केवल बिम्बप्रतिबिम्बभाव से धर्म का एक बार उपादान—जो तुल्ययोगिता तथा दीपक का स्वरूपाधायक है—सिद्ध नहीं होता। यह बिम्बप्रतिबिम्बभाव 'शीलभारवती—' इत्यादि में ही नहीं, अपितु अन्यत्र भी उपलब्ध है। जैसे—'मृतस्य लिप्सा—' इत्यादि पद्य में लिप्सा, दित्सा आदि धर्मियों के विशेषणरूप में उक्त मृत, कृपण, कुलटा आदि में बिम्बप्रतिबिम्बभाव है। इसी तरह 'वसु दातुम्—' इस पद्य में वर्णित पदार्थों को प्रस्तुताप्रस्तुतोभयरूप मानकर कारकदीपक मानने पर अथवा उन पदार्थों को केवल प्रस्तुत मानकर कारक तुल्ययोगिता मानने पर दान, धान आदि क्रियायें ही धर्मीरूप हैं—और उनके विशेषण हैं वसु, यश, अरिमर्दन आदि, जिनमें परस्पर बिम्बप्रतिबिम्ब भाव है।

दीपकावान्तरप्रभेदभूतं मालादीपकं लक्षयति—

उत्तरोत्तरस्मिन्पूर्वपूर्वस्योपकारकतायां मालादीपकम्।

यत्रानेकानि दीपकानि भवन्ति तेषु प्रथमं प्रथमं दीपकम्। उत्तरमुत्तरं दीपकं प्रति उपकारकं भवति तत्र मालादीपकं व्यवह्रियत इति भावः।

दीपक के अवान्तर प्रभेद-मालादीपक का लक्षण किया जाता है—उत्तरोत्तर इत्यादि।

जहाँ पर अनेक दीपक हों और उनमें से पूर्व-पूर्व दीपक अग्रिम-अग्रिम दीपक का उपकारक हो वहाँ मालादीपक कहा जाता है।

मालादीपकमुदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्।

जैसे—

उदाहरणमुपदर्शयति—

'आस्वादेन रसो रसेन कविता काव्येन वाणी तया
लोकान्तःकरणानुरागरसिकः सभ्यः सभा चामुना।
दारिद्र्यानलदह्यमानजगतीपीयूषधाराधर!
क्षोणीनाथ! तया भवांश्च भवता भूमण्डलं भासते॥'

कविः कमपि राजानं स्तौति—दारिद्र्यानलेन दह्यमानाया जगत्याः कृते पीयूषधाराधर अमृतवर्षकमेघ!, हे क्षोणीनाथ राजन्! आस्वादेन भोगेन, रसः शृङ्गारादिः, रसेन शृङ्गारादिना, कविता काव्यम्, काव्येन कविकर्मणा, वाणी वाक्, तया वाण्या, लोकानाम्, अन्तःकरणस्य हृदयस्य, अनुरागे विषये, रसिकः, सभ्यः सभागतो जनः, अमुना सभ्येन, सभा परिषत्, तया सभया, भवान्, भवता, च भूमण्डलं पृथ्वीमण्डलं, भासते शोभत इत्यर्थः। अत्र प्रस्तुतस्य राज्ञः अप्रस्तुतानां रसादीनाञ्च भासनक्रियात्मकेनैकेन साधारणधर्मेणान्वयाद्दीपकम्। पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरं प्रत्युपकारित्वम्।

उदाहरण दिखलाया जाता है—आस्वादेन इत्यादि।

राजा की स्तुति की जारही है—दरिद्रतारूप आग से जलते हुए संसार के लिये अमृत वरसाने वाले मेघ राजन्! आस्वाद के द्वारा शृङ्गार आदि रस, शृङ्गार आदि रस के द्वारा कविता, कविता के द्वारा वाणी, वाणी के द्वारा जनहृदयानुरागी रसिक सभासद, सभासद के द्वारा सभा, सभा के द्वारा आप और आपके द्वारा पृथ्वीमण्डल चमकता है।

यहाँ प्रस्तुत राजा तथा अप्रस्तुत रस आदि का भासन क्रियारूप एक धर्म के साथ अन्वय होने से दीपक होता है और पूर्व-पूर्व दीपक उत्तर-उत्तर के प्रति उपकारक हो रहा है अतः वह दीपकमालारूप है।

परमतेन मालादीपकमुपपाद्य स्वमतेन प्रतिक्षिपति—

एतच्च प्राचामनुरोधादस्माभिरिहोदाहृतम्। वस्तुतस्त्वेतद्दीपकमेव न शक्यं वक्तुम्, सादृश्यसंपर्काभावात्। किं त्वेकावलीप्रभेद इति वक्ष्यते।

सादृश्यसंपर्काभावादिति गम्यं सादृश्यमेव दीपकजीवातुरिति प्रागुक्तम्। 'आस्वादेन रसः—' इत्यत्र च रसादीनां सादृश्यं न प्रतीयते अतो नात्र दीपकसंभावनेति मालात्वं तस्य दूरापास्तमिति भावः। नन्वेवमिह कोऽप्यलंकारो नास्त्येव किमिति चेत्तत्राह—किं त्विति। एकावलीति 'सैव शृङ्खला संसर्गस्य विशेष्य-विशेषणभावरूपत्वे एकावली' इति लक्षणलक्षितेत्यर्थः। शृङ्खलापदार्थनिरूपणं त्वग्रे द्रष्टव्यम्। प्रभेद इति। पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरं प्रति विशेषणत्वे संभवन् द्वितीयः प्रभेद इत्यर्थः।

परकीय मतानुसार मालादीपक का उपपादन करके अब स्वकीयमतानुसार उसका खण्डन करते हैं—एतच्च इत्यादि।

अभी जो 'आस्वादेन रसः—' यह पद्य मालादीपक के उदाहरणरूप में लिखा गया है, वह प्राचीनों के अनुरोध से। वस्तुतः तो ऐसे पद्य को दीपक ही नहीं कहा जा सकता, फिर मालादीपक की बात तो दूर रहे, क्योंकि ऐसे स्थलों में सादृश्य का संपर्क नहीं रहता है—अर्थात् पद्य में वर्णित रस, कविता आदि पदार्थों का पारस्परिकसादृश्य अभिव्यक्त नहीं

होता और दीपक का जीवनाधायक तत्त्व सादृश्य की अभिव्यक्ति ही है यह पहले कहा जा चुका है। फलतः मालादीपक नामका कोई प्रभेद दीपक का नहीं होता है। ऐसे पद्यों में एकावली अलंकार का एक प्रकार होता है यह बात आगे एकावली-निरूपण प्रकरण में—कही जायगी।

अथ दीपकदोषान् निरूपयितुं प्रक्रमते—

अस्मिंश्चालंकारद्वये क्रियादेर्धर्मस्यैकरूपेण धर्मिष्वनन्वयो दोषः। यथा प्रागुक्ते पद्ये 'रसिकाः सामाजिकास्तैः सभा' इति कृते एकवचनान्तैर्धर्मिभिरैकरूप्येणान्वयेऽपि सामाजिकैरनन्वयात्। वचनविपरिणामेनान्वये उपमायामिव स्यादेव दोषः। एवं जहल्लिङ्गनामार्थस्य धर्मस्य सकृद्वृत्तौ लिङ्गभेदोऽपि दोषः। यथा—

'जगति नरजन्म तस्मिन्वैदुष्यं तत्र सत्कविता।
कवितायां परिणामो दुष्प्रापः पुण्यहीनेन॥'

यदि तु 'तपसा नाल्पेन शक्यते लब्धुम्' इत्याख्यातान्तं क्रियते तदा लिङ्गभेदो न दूषणम्। एवमजहल्लिङ्गनामार्थस्य सकृद्वृत्तावपि न दोषः।

यथा 'फलमतिशयितं तपस्यायाः' इति चतुर्थचरणनिर्माणे।

एवं पुरुषस्यैकरूप्याभावे दोषः। यथा—

'दिवि सूर्यो भुवि त्वं च पाताले पन्नगाग्रणीः।
दिक्षु दिक्पालवर्गश्च राजपुङ्गव राजते॥'

यदि त्वमित्यत्र भवानिति क्रियते तदा न दोषः। एवं कालभेदेऽप्यूह्यम्।

अलंकारद्वय इति। तुल्ययोगितायां दीपके चेत्यर्थः। अनन्वय इति। गुणिकारकादयात्मकेषु धर्मिषु गुणक्रियाद्यात्मकस्य धर्मस्य वचनलिङ्गादिभेदेन यद्यन्वयो नोपपद्यते तर्हि दोष इति भावः। अन्वयेऽपीति। भासनक्रियारूपधर्मस्य 'भासते' इत्येकवचनान्तपदबोधस्येत्यर्थः। सामाजिकैरनन्वयादिति, तेषां बहुवचनान्तपदोपस्थितत्वादिति भावः। उपमायामिव स्यादेव दोष इति। तेन धर्मेणोपमा गम्या न स्यादिति भावः। जहल्लिङ्गेति। विशेष्यनिघ्नतया सर्वलिङ्गेत्यर्थः। लिङ्गभेदोऽपीति। धर्मिणामिति शेषः। एवमग्रेऽपि। जगतीति। पुण्यहीनेन अकृतधर्मेण जनेन, जगति, नरजन्म मनुष्ययोनौ जननम्, दुष्प्रापम्, तस्मिन् नरजन्मनि लब्धेऽपि, वैदुष्यम् दुष्प्रापम्, तत्र वैदुष्ये, सत्यपि, सत्कविता सहृदयहृदयग्राहकं कवित्वं, दुष्प्रापम्, कवितायां सत्यामपि, परिणामः परिणतिः परिपक्वतेति यावत्, दुष्प्रापः दुर्लभ इत्यर्थः। अत्र दुष्प्राप इति नामार्थो धर्मः स च जहल्लिङ्गः। अतः 'दुष्प्रापः' इति पुंल्लिङ्गस्य परिणाम इत्यत्रान्वयेऽपि नरजन्मादौ तदभावेन नरजन्मकवितेत्यादीनां लिङ्गभेदस्य दोषत्वमिति भावः। अदोषतोपायमिह सूचयति—यदि त्विति। 'अल्पेन तपसा जगति नरजन्मादिकं लब्धुं न शक्यते' इत्यर्थके 'तपसा नाल्पेन—' इति चतुर्थचरणे न्यस्ते धर्मस्य नामार्थतायामपाकृतायाम् धर्मिणां लिङ्गभेदो न दोषाय, दूषकताबीजस्यानन्वयस्याभावादित्याशयः। अजहल्लिङ्गेति। नियतलिङ्गेत्यर्थः। 'फलमतिशयितमिति। फलपदस्य नियतनपुंसकतया नरजन्मादिधर्मिगतलिङ्गभेदो न दोषः स्यादुक्तयुक्ते-

रिति भावः। 'दिवि सूर्य—' इति। हे राजपुङ्गव ! नृपश्रेष्ठ, दिवि आकाशे सूर्यः, भुवि मर्त्यलोके त्वम्, पाताले पन्नगाग्रणीः सर्पराजः, दिक्षु दिशासु, च, दिक्पालवर्गः दिगीशसमूहः, राजते शोभत इत्यर्थः। अत्र प्रथमपुरुषीया 'राजते-पदबोध्या क्रिया सूर्यादिनैवान्वेतुं शक्नोति न युष्मत्पदार्थेन तत्र 'राजसे' इति मध्यमपुरुषीयक्रियाया एवान्वयौचित्यात्। तथा च पुरुषभेदोऽत्र दीपकदोष इति भावः। 'त्वम्' इत्यस्य स्थाने 'भवान्' इति कृते दोषाभः संभवतीत्याह—यदि त्वमिति। कालभेदोऽपि दोष इत्याह—एवं कालेति।

तुल्ययोगिता तथा दीपक अलंकार में संभावित दोषों का विवेचन अब किया जाता है—अस्मिंश्च इत्यादि।

इन दोनों (तुल्ययोगिता और दीपक) अलंकारों में गुण, क्रिया आदि धर्म का एक रूप से सभी धर्मियों में अन्वय न हो सके तो वह एक दोष है। जैसे—'आस्वादेन रसः—' इस पूर्वोक्त पद्य में द्वितीय चरण का उत्तरार्ध भाग 'रसिकाः सामाजिकाः तैः सभा' ऐसा कर दिया जाय तब 'भासते' इस एकवचनान्त का 'रसः, कविता, वाणी' इत्यादि एकवचनान्त धर्मी के साथ तो अन्वय होगा, पर 'सामाजिकाः' इस बहुवचनान्त के साथ अन्वय नहीं हो सकेगा, अतः उसके साथ उसका अन्वय करने के लिये 'भासते' का 'भासन्ते' के रूप में वचन-विपरिणाम (एकवचन की जगह बहुवचन) करना पड़ेगा। फिर तो उपमा की तरह यहाँ भी वह दोष ही कहा जायगा, तात्पर्य यह कि इस तरह धर्म में थोड़ी भी भिन्नता हो जाने पर औपम्य अभिव्यक्त नहीं हो सकेगा।

इसी तरह जो शब्द जहल्लिङ्ग है—अर्थात् जिस शब्द का लिङ्ग नियत नहीं होता, अपितु विशेष्य के लिङ्ग में अनुसार जिसका लिङ्ग बदलता है ऐसे शब्द का अर्थ जहाँ साधारणधर्मरूप हो वहाँ उस धर्म के साथ अन्वित होने वाले भिन्न-भिन्न धर्मियों में लिङ्ग का भेद होना भी दूसरा दोष है।

जैसे—'जगति नरजन्म—अर्थात् पुण्यहीन जन के द्वारा इस संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त करना ही पहले असंभव है, किसी तरह मनुष्य-जन्म प्राप्त कर लेने पर भी विद्वत्ता प्राप्त करना असंभव है, किसी तरह विद्वत्ता की प्राप्ति हो जाने पर भी सत्कवि होना असंभव है, कवित्व की प्राप्ति होने पर भी कविता में परिपक्वता हासिल करना कठिन है।' इस पद्य में। अर्थात् यहाँ 'दुष्प्रापः' इस पद्य का अर्थ साधारण धर्म है और यह पद है जहल्लिङ्ग, अतः यहाँ 'नरजन्म' (नपुंसक) 'वैदुष्यम्' (नपुंसक) 'सत्कविता' (स्त्रीलिङ्ग) 'परिणामः' (पुल्लिङ्ग) इन धर्मियों का भिन्न-भिन्न लिङ्ग का होना दोष है।

यदि 'तपसा नाल्पेन—अर्थात् ये सब (नरजन्म, वैदुष्य आदि) अल्प तपस्या से लब्ध नहीं किये जा सकते' इस रूप में चतुर्थ चरण को बदल कर धर्मबोधक पद को तिङन्त बना दिया जाय तब उक्त धर्मियों का लिङ्गभेद दोष नहीं होगा। इसी तरह 'फलमतिशयितम्—अर्थात् ये सब तपस्या के अतिशयित फल हैं' इस रूप में चतुर्थ चरण रचकर धर्मबोधक पद (फलम्) को अजहल्लिङ्ग (नियतलिङ्ग) कर दिया जाय, तब भी उक्त धर्मियों की भिन्नलिङ्गता दोषकोटि में नहीं आयगी। अभिप्राय यह कि दोष होने का बीज है अन्वय का न हो सकना और तिङन्त क्रिया के साथ और नियतलिङ्गक (फलम् आदि) नामार्थ के साथ भिन्नलिङ्गक धर्मियों का भी एक रूप से ही अन्वय हो सकता है, अतः उस स्थिति में धर्मियों की भिन्नलिङ्गता दोष नहीं कही जाती है।

इसी तरह पुरुष (उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष) की एक रूपता का अभाव भी इन अलंकारों में दोष होता है।

जैसे—'दिवि सूर्यः—अर्थात् हे राजश्रेष्ठ ! आकाश में सूर्य, मर्त्यलोक में आप, पाताल में सर्पराज और दिशाओं में दिक्पालवृन्द शोभित होते हैं।' इस श्लोक में। अर्थात् यहाँ 'राजते' यह प्रथम पुरुष की क्रिया सूर्य आदि के साथ भले ही अन्वित हो जाय, पर 'त्वम्' के साथ अन्वित नहीं हो सकती, उसके साथ अन्वय करने के लिये 'राजते' को 'राजसे' इस मध्यम पुरुष के रूप में बदलना पड़ेगा, अतः दोष है। यदि 'त्वम्' की जगह 'भवान्' लिखा जाय तब यह दोष नहीं हो सकेगा।

क्रिया का कालभेद भी यहाँ (तुल्ययोगिता तथा दीपक में) दोष है ऐसा समझना चाहिए।

विशेषमाह—

एतेन—

'संग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समासादिते
देवाकर्णय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्।
कोदण्डेन शराः शरैररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं
तेन त्वं भवता च कीर्तिरतुला कीर्त्या च लोकत्रयम्॥'

इति प्राचीनानां पद्यं दीपकांशेऽपि सदोषमेव।

एतेनेति। लिङ्गभेदादीनां दोषत्वस्थापनेनेत्यर्थः। 'संग्रामाङ्गण—' इति। कविः नृपविशेषं स्तौति—हे देव राजन्!, संग्रामो युद्धमेवाङ्गणमजिरम्—(वीराणां निर्भयसंचरणीयतया संग्रामस्याङ्गणत्वेन रूपणम्) तत्, आगतेन प्राप्तेन, भवता त्वया, चापे धनुषि, समारोपिते सज्ये कृते सति, सहसा झटिति, येन येन, यत् यत्, समासादितम् प्राप्तम्, तत्, आकर्णय शृणु। केन केन किं किं समासादितमित्याकाङ्क्षायामुत्तरार्धमाह—कोदण्डेनेत्यादि। कोदण्डेन धनुषा, शराः बाणाः, समासादिताः, शरैः अरिशिरः शत्रुमस्तकम्, समासादितम् तेन अरिशिरसापि, भूमण्डलं समासादितम्, तेन भूमण्डलेन, त्वं समासादितः, भवता, च, अतुला अनुपमा, कीर्तिः समासादिता, कीर्त्या, च, लोकत्रयं समासादितमित्यर्थः। दीपकेति। एकस्याः आसादनक्रियायाः शरादावनेकत्र संबन्धाद्दीपकमिति भावः। तच्च मालारूपम्, कोदण्डेन अरिशिरः प्रापयता शरा उपक्रियन्ते, शरैरपि भूमण्डलं प्रापयद्भिररिशिरः उपक्रियते, शिरसा सन्नायकं त्वां लम्भयता भूमण्डलं, भूमण्डलेन च कीर्तिमासादयता नृपतिः, नृपेणापि त्रैलोक्यं व्यापयता कीर्तिरिति पूर्वपूर्वेभ्यः परपरस्योपकारादिति मम्मटादीनामभिप्रायः। अंशेऽपीति। एतेनान्यांशे सदोषत्वं सर्वाभिमतमिति सूच्यते। तच्चाभवन्मतसंबन्धस्य दोषस्यात्र सर्वस्वीकृतत्वाद् बोध्यम्। यत्तु सरलाकारेणात्र 'अपि' पदस्वारस्यं विवृण्वता 'सादृश्याभावान्नेदं दीपकं, किन्त्वेकावलीप्रभेदः, इति 'आस्वादेन रसः—' इति पद्यप्रसङ्गे प्रोक्तमेव' इत्युक्तम् तन्नोचितं प्रतिभाति, तद्रीत्या दीपकस्यैवासत्त्वेन तदंशे सदोषत्वकथनासंगतेः, ग्रन्थकर्तुस्तथाभिप्राये 'इत्यत्र प्राचीनाभिमतं दीपकमपि सदोषमेव' इत्येतादृशपंक्तिसमुल्लेखस्यैवौचित्याच्च, 'अत्र शरादीनामरिशिरःप्रभृतीनां च सादृश्यमपि

व्यङ्ग्यम्' इत्युद्द्योतकारोक्त्या तदभिप्रायस्यासंगतत्वाच्च। सदोषमेवेति। समासादितेति जहल्लिङ्गनाम्नोऽर्थस्य धर्मरूपतया तदन्वयित्वेन विवक्षितानां शरकीर्त्यादीनां लिङ्गभेदस्य दोषत्वादिति भावः। वस्तुतस्तु समासादितमित्यत्र "नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चान्यतरस्याम्" इति पाणिनिसूत्रेण नपुंसकानपुंसकयोर्नपुंसकैकशेषे एकत्वे च कृते नोक्तदोषावकाश इति मन्तव्यम्। सादृश्यप्रतीतिरिह नैव भवतीति मते तु दीपकमेवात्र न स्यादिति भिन्ना कथा।

उक्त दोषनिरूपण के आधार पर एक प्राचीन पद की समीक्षा की जाती है—

एतेन इत्यादि।

ऊपर जो स्थितिविशेष में धर्मियों की भिन्नलिङ्गता को दोष सिद्ध किया गया है उसके अनुसार 'संग्रामाङ्गणमागतेन—अर्थात् हे राजन्! समरभूमि में आए हुए आपने जब धनुष को सज्य किया तब जिस जिस ने जिस जिस वस्तु की प्राप्ति की उसको सुनें—'धनुष ने बाणों की, बाणों ने शत्रुमस्तक की, शत्रुमस्तक ने भूमण्डल की, भूमण्डल ने आप की, आपने निर्मल कीर्ति की और कीर्ति ने त्रिलोकी की प्राप्ति की।' यह प्राचीनों का पद्य दीपक अंश में भी दोषयुक्त ही है। अभिप्राय यह कि इस पद्य में जो लोग (मम्मट आदि) समासादन क्रिया का शर आदि अनेक कर्मकारक के साथ अन्वय होने से दीपक अलंकार मानते हैं वे भी यहाँ अभवन्मतसंबन्ध दोष की सत्ता को स्वीकार करते ही हैं, पर उनसे स्वीकृत यहाँ का दीपक भी निर्दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ समासादित इस विशेष्यनिघ्न—अर्थात् सर्वलिङ्ग पद का अर्थ (प्राप्ति क्रिया) साधारण धर्म है, अतः उसके साथ अन्वित होने वाले सभी धर्मी एकलिङ्ग हों, जिससे एकरूपेण सबों का अन्वय उक्त धर्म के साथ हो सके यही उचित है, अन्यथा लिङ्ग-विपरिणाम और वचनविपरिणाम करना पड़ेगा जिससे औपम्य की अभिव्यक्ति नहीं हो सकेगी, पर यहाँ धर्मियों में शर पुंल्लिङ्ग और कीर्ति स्त्रीलिङ्ग है इसी तरह वचन भी भिन्न भिन्न है, अतः यहाँ का दीपक दोषग्रस्त है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे दीपकप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये महानिबन्धे दीपकालंकारनिरूपणं समाप्तमवगन्तव्यमिति भावः।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां दीपकप्रकरणम्॥

रसगङ्गाधर नामक निबन्ध का दीपकप्रकरण यहाँ समाप्त हुआ।

रसगङ्गाधर गत दीपकालंकार की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई॥

दीपकनिरूपणानन्तरमिदानीं प्रतिवस्तूपमां निरूपयितुमुपक्रमते—

अथ प्रतिवस्तूपमा—

प्रतिवस्तूपमालंकारो निरूप्यतयाऽऽरब्धो वेदितव्य इति भावः।

दीपक अलंकार का निरूपण कर लेने के बाद अब प्रतिवस्तूपमा अलंकार का निरूपण किया जाता है।

तत्र तावत्सादृश्यस्य यत्र चमत्कारिता तत्रोपमेत्युक्तम्। तस्यां च साधारण-धर्मस्य सर्वेऽपि प्रकारा यथासंभवं निरूपिताः। सादृश्योपस्कृतस्य वस्त्वन्तरस्य चमत्कारितायां भेदाभेदान्यतरप्रधाना अन्येऽलंकाराश्च। तेष्वपि साधारण-धर्माणां यथावसरं यथासंभवं च स्थितिः प्रदर्शितैव।

तत्रेति। निरूपणीयायां तस्यामित्यर्थः। तस्यां चेति। उपमायां चेत्यर्थः। भेदा-भेदान्यतरप्रधाना इति। भेदोऽभेदो वा प्रधानं यत्र तादृशा इत्यर्थः। तत्र दीपकतुल्ययोगि-

तादिषु भेदस्य रूपकपरिणाम भ्रान्तिमदुल्लेखादिषु चात्रेदस्य प्राधान्यमिति विवेकः करणीयः ।

अलंकाराश्चेति । निरूपिता इत्यनुषज्यते । अन्यत् स्पष्टम् ।

प्रतिवस्तूमागत विशेषों का स्पष्ट ज्ञान के लिये पहले पूर्वोक्त सभी बातों का संक्षेपतः अनुवाद किया जाता है—तत्र इत्यादि । अलंकार-निरूपण के आरम्भ में यह बात कही जा चुकी है कि जहाँ सादृश्य चमत्कार का कारण होता है वहाँ उपमा होती है । उस उपमा में भी साधारण धर्म के जितने प्रकार हो सकते हैं उनका निरूपण यथासंभव किया जा चुका है ।

जहाँ केवल सादृश्य चमत्कार का हेतु नहीं होता, अपितु सादृश्ययुक्त कोई अन्य वस्तु ही चमत्कारजनक होती है वहाँ दो तरह के अलंकार होते हैं, कुछ भेद-प्रधान-जैसे-दीपक, तुल्ययोगिता आदि और कुछ अभेदप्रधान–जैसे-रूपक, परिणाम, भ्रान्तिमत्, उल्लेख आदि । ऐसे सभी अलंकारों का भी विचार किया जा चुका है । वैसे अलंकारों में भी साधारण धर्मों की स्थिति कैसे कहाँ हो सकती है इसका भी विचार समय-समय पर किया ही गया है ।

प्रकृतमुत्थापयति—

इदानीं वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नसाधारणधर्मोत्थापिता वाक्यार्थगता प्रतिवस्तूपमा निरूप्यते ।

वस्तुप्रतिवस्तुभावेति । आश्रयभेदाद्भिन्नयोरपि वस्तुत एकरूपयोर्धर्मयोः पृथक् पदाभ्यां निर्देशो वस्तुप्रतिवस्तुभावः, तदापन्नेन तन्मयेनेति यावत्, साधारणधर्मेणोत्थापितेत्यर्थः । वाक्यार्थगतेति । एतेनास्याः पदार्थगतत्वं निरस्यते । अन्यत् सुगमम् ।

प्रस्तुत प्रसङ्ग का उत्थान किया जाता है—इदानीम् इत्यादि ।

अब उस प्रतिवस्तूपमा अलंकार का निरूपण किया जा रहा है जो वाक्यार्थगत ही होता है, पदार्थगत नहीं और जिसका उत्थान ऐसे साधारण धर्म के रहने से होता है जो वस्तुप्रतिवस्तु भाव से युक्त रहता है । तात्पर्य यह कि भिन्न-भिन्न आश्रय में रहने के कारण भिन्न जैसे प्रतीत होने पर भी वस्तुतः एक ही धर्म का जो भिन्न-भिन्न शब्दों के द्वारा दो बार निर्देश किया जाता है उसको वस्तु-प्रतिवस्तु भाव कहते हैं और ऐसे धर्म के कारण ही प्रतिवस्तूपमा अलंकार का अवसर आता है ।

'वाक्यार्थगता' इत्युक्त्या संभाव्यमानां भ्रान्तिमपाकर्तुमाह—

न चास्या वाक्यार्थगतत्वेनैवोपमातो भेद इति भ्रमितव्यम् । 'दिवि भातियथा भानुस्तथा त्वं भ्राजसे भुवि' इत्यादौ वाक्यार्थेऽप्युपमायाः संभवात् । अत एव भिन्नशब्दोपात्तैकधर्मकत्वेनापि न वैलक्षण्यं वक्तुं शक्यम् । प्रकृते भातिभ्राजतिभ्यां धर्मस्यैकस्यैव प्रतिपत्तेः । तस्माल्लक्षणानुसारेणालंकारान्तरेभ्यो वैलक्षण्यमस्या बोध्यम् ।

अस्या इति । प्रतिवस्तूपमया इत्यर्थः । 'दिवि भाति' इति । राजानं प्रति कस्यचिदुक्तिः । सूर्यो यथा गगने प्रकाशते तथा त्वं धरातले दीप्यस इति भावः । प्रतिवस्तूपमा वाक्यार्थगता, उपमा पदार्थगतेत्यनयोर्भेद इति भ्रमो न कार्यः, यतः 'दिवि···' इत्यादौ उपमाया अपि वाक्यार्थगतत्वदर्शनात् इत्याशयः । अत एवेति । वक्ष्यमाणहेतोरित्यर्थः । भिन्नेति ।

अस्या इत्यादिः । भिन्नाभ्यां शब्दाभ्याम् उपात्तः एक एव धर्मो यत्र तादृशत्वेनेत्यर्थः । अत एवेत्यस्यार्थम् स्फोरयति—प्रकृत इति । प्रागुक्ते 'दिवि भाति···' इत्यादावित्यर्थः । अयं भावः—प्रतिवस्तूपमायाम् उपमानगत उपमेयगतश्च धर्मो वस्तुत एकोऽपि पृथक्पदाभ्यामुक्तस्तिष्ठति, उपमायां तु न तथेत्येव हेतुः प्रतिवस्तूपमाया उपमाभिन्नत्वे इत्यपि न समीचीनम् यत उपमायामपि क्वचित् तथाविधधर्मनिर्देशोपलम्भात् यथा 'दिवि भाति···'इति-पूर्वोक्तस्थले भा-भ्राज्धातुभ्यामेकस्यैव धर्मस्य बोधो भवति इति । पर्यवसितमाह—तस्मादिति ।

पूर्व में प्रतिवस्तूपमा के लिये जो 'वाक्यार्थगता' यह विशेषण दिया गया है उससे होने वाले 'वाक्यार्थगत होना ही प्रतिवस्तूपमा में उपमा से भेद है' इस भ्रम का निराकरण अब किया जाता है— न चास्या इत्यादि । वाक्यार्थगत होने से ही प्रतिवस्तूपमा उपमा से भिन्न है—अर्थात् प्रतिवस्तूपमा वाक्य के अर्थ में होती है और उपमा पद के अर्थ में यही दोनों में अन्तर है ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि 'दिवि···अर्थात् सूर्य जिसतरह आकाश में चमकता है उस तरह तूं पृथिवीतल पर चमकते हो' इत्यादि स्थलों पर वाक्य के अर्थ में भी उपमा की संभावना है । तात्पर्य यह कि जिस तरह प्रतिवस्तूपमा में एक पूरे वाक्य का अर्थ उपमान और दूसरे पूरे वाक्य का अर्थ उपमेय होता है उस तरह उपमा में भी वैसा होना संभावित है, अतः इसके आधार पर उपमा से प्रतिवस्तूपमा में भेद सिद्ध नहीं किया जा सकता ।

इसी तरह यह कह कर भी उक्त दोनों अलंकारों में विलक्षणता नहीं सिद्ध की जा सकती है कि प्रतिवस्तूपमा में उपमान तथा उपमेय दोनों में रहने वाला धर्म वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न रहता है—अर्थात् एक ही धर्म विभिन्नशब्दों के द्वारा दोनों वाक्यों (उपमान वाक्य तथा उपमेय वाक्य) में कहा रहता है और उपमा में ऐसा नहीं रहता है, क्यों कि उक्त (दिवि भाति···) उपमा-स्थल में भी चमकना क्रिया रूप एक ही धर्म 'भाति और भ्राजसे' इन दो शब्दों से प्रतिपादित है। तात्पर्य यह है कि उपमा में भी साधारणधर्म वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न होता है ।

ऐसी स्थिति में लक्षण के अनुसार ही अन्य अलंकारों से प्रतिवस्तूपमा में भेद करना चाहिए।

लक्षणानुसारेणालंकारान्तरेभ्योऽस्या वैलक्षण्ये बोद्धव्ये प्रथमं लक्षणस्य बोध आवश्यकोऽतस्तज्जिज्ञासामुत्थाप्य तावदापातसुभगानि लक्षणानि समुल्लिख्य निरस्यति—

अथ किमस्या लक्षणम्—'वाक्यार्थगतोपमात्वम् इति चेत्, प्रागुक्तवाक्यार्थोपमायामतिव्याप्तेः । न चार्थत्वेन तद्विशेषणीयमिति वाच्यम्। दृष्टान्तालंकारे तथाप्यतिप्रसङ्गात् । वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नसाधारणधर्मकत्वेनापि तद्विशेषणीयमिति चेत् । तथापि—

'तावत् कोकिल विरसान् यापय दिवसान् वनान्तरे निवसन् ।
यावन्मिलदलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति ॥'

इत्यप्रस्तुतप्रशंसायामतिप्रसङ्गादिति । मैवम् ।अप्रस्तुतप्रशंसायां वस्तुप्रतिवस्तुभावस्य भिन्नशब्दोपात्तैकप्रतिपाद्यरूपस्यासंभवात् ।

प्रागुक्तेति । 'दिवि भाति—' इत्यादावित्यर्थः । दिवि भातीत्यादिस्थलीयवाक्यार्थोपमायामतिव्याप्ततया 'वाक्यार्थगतोपमात्वम्' इति प्रतिवस्तूपमालक्षणं कर्तुं न शक्यमिति

भावः। तत्रातिव्याप्तिवारकविशेषणदानेन लक्षणं निरुच्य खण्डयति—न चेति। तदिति। वाक्यार्थगतोपमात्वमित्यर्थः। अवाच्यत्वे हेतुमाह—दृष्टान्तेति। तथापीति। आर्थत्व-विशेषणदानेऽपीत्यर्थः। 'दिवि भाति' इत्यादौ यथातथाशब्दयोरुपादानेनोपमायाः शाब्दतया उपमायामार्थत्वविशेषणे दत्ते नातिव्याप्तिरिति शंकादलस्य 'सत्पूरुषः खलु हिताचरणै-रमन्दम्...' इत्यादिदृष्टान्तालंकारोदाहरणेऽप्युपमाया आर्थतया वाक्यार्थगततया चातिव्याप्तेर्दुरुद्धरत्वात् 'वाक्यार्थगतमार्थमुपमात्वम्' इत्यपि न प्रतिवस्तूपमालक्षणं भवितु-मर्हतीति च समाधानदलस्याभिप्रायो बोध्यः। दृष्टान्तस्थलीयातिव्याप्तिं निरसितुं लक्षणं संशोधयति—वस्तुप्रतिवस्तुभावेति। 'वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नसाधारणधर्मकम्—आर्थम् वाक्यार्थगतोपमात्वम्' इति प्रतिवस्तूपमालक्षणं विधेयम्। तथा च दृष्टान्तेऽपि नातिव्याप्तिः, तत्र साधारणधर्मस्य बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नत्वादिति भावः। आपाततः दोषमुद्घाटयति—तथापीति। वस्तुतस्तु नैष दोषः यदनुपदमेव 'मैवम्' इत्यादिना ग्रन्थकृतैव स्फुटीकरिष्यते। एवञ्च 'तथापि' इत्यादिग्रन्थो लक्षणग्रन्थस्यावतरणरूप एवेति बोध्यम्। 'तावत् कोकिल—' इति। कोकिल! यावत् यावत्कालपर्यन्तम्, मिलन्ती पतन्तीति यावत्, अलिमाला भ्रमरपङ्क्तिः, यत्र, तादृशः, कोऽपि, रसालः आम्रः, समुल्लसति सविकासः सन् प्रादुर्भवति तावत्, वनान्तरे रसालेतरकानने, निवसन् स्थितिं कल्पयन्, सन्, विरसान् रसोपलब्धि-बन्ध्यान्, दिवसान् वासरान्, यापय गमयेत्यर्थः।

भिन्नशब्दोपात्तैकेति। भिन्नाभ्यां शब्दाभ्यामुपात्तः एकः प्रतिपाद्यः यत्र तद्रूपस्येत्यर्थः। अयमाशयः—'वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नसाधारणधर्मकम्' इति विशेषणविशिष्टस्य प्रतिवस्तू-पमालक्षणस्य 'तावत्कोकिल' इत्याद्यप्रस्तुतप्रशंसायां नातिव्याप्तिः तत्राप्रस्तुतस्यैव कीर्ति-तत्वेन प्रस्तुतस्य चाकीर्तितत्वेन उपमानोपमेयरूपयोस्तयोरेकस्य धर्मस्य भिन्नशब्दाभ्यामुपा-दानासंभवात्। उपमानोपमेययोर्वाच्यत्व एव तथा संभवादिति।

'लक्षण के अनुसार अन्य अलंकारों से इसकी विलक्षणता समझनी चाहिए' इस कथन के बाद स्वभावतः प्रतिवस्तूपमा का लक्षण क्या हो सकता है यह जिज्ञासा उठती है, अतः पहले कतिपय आपात-मनोहर लक्षणों का उल्लेख करके खण्डन किया जाता है—अथ इत्यादि।

अच्छा तो अब यह कहिए कि इसका (प्रतिवस्तूपमा का) क्या लक्षण है? क्या 'पूरे वाक्य के अर्थ में होने वाली उपमा' यह लक्षण है? नहीं, ऐसा लक्षण मानने पर पुनः पूर्वोक्त वाक्यार्थगत उपमा में अर्थात् 'दिवि भाति यथा भानुः—' इत्यादि मूलोक्त वाक्य में—अतिव्याप्ति हो जायगी।

यदि आप कहें कि उक्त लक्षण-वाक्य में 'आर्थ' यह एक विशेषण और जोड़ देना चाहिए-अर्थात् वाक्य के अर्थ में होने वाली आर्थी (शाब्दी नहीं) उपमा को प्रतिव-स्तूपमा कहनी चाहिए और ऐसा कहने पर पूर्वोक्त वाक्यार्थोपमा में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ 'यथा तथा' शब्द के रहने से उपमा शाब्दी है, आर्थी नहीं।

पर यह कथन ठीक नहीं, कारण ऐसा कहने पर भी दृष्टान्तालंकार के उदाहरण में अतिव्याप्ति हो ही जायगी। तात्पर्य यह कि 'सत्पूरुषः खलु हिताचरणैरमन्दम्—' इत्यादि पद्य जो आगे दृष्टान्त के उदाहरण में आया है, उसमें भी दो वाक्यार्थों का

अर्थतः (शब्दतः नहीं) औपम्य प्रतीत होता है, अतः वह भी उक्त लक्षण के अनुसार प्रतिवस्तूपमा ही ठहर जायगा।

यदि इस दोष को भी हटाने के लिये प्रतिवस्तूपमा का लक्षण यों कहा जाय कि 'वस्तुप्रतिवस्तुभाव से युक्त साधारण धर्म वाला वाक्यार्थगत आर्थ औपम्य प्रतिवस्तूपमा है' तब भी निस्तार नहीं, क्योंकि इस लक्षण के अनुसार यद्यपि उक्त दृष्टान्तोदाहरण वारित हो जायगा, कारण, वहाँ साधारण धर्म, वस्तुप्रतिवस्तुभावयुक्त नहीं, अपितु बिम्बप्रतिबिम्बभावयुक्त रहता है–अर्थात् वहाँ साधारण धर्म एक नहीं एक सा रहता है, तथापि 'तावत् कोकिल—अर्थात् हे कोकिल! तुम तब तक किसी जङ्गल में निवास करते हुए विरस दिनों को बिताओ जब तक भ्रमरमण्डलीमण्डित कोई आम्रतरु पुष्पित नहीं होता' इस अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के उदाहरण में अतिव्याप्ति बनी ही रहेगी।

वस्तुतः यह दोष (तावत् कोकिल—में अतिव्याप्ति) होता नहीं, जिसका स्पष्टीकरण स्वयं ग्रन्थकार ने 'मैवम्' इत्यादि के द्वारा तुरन्त आगे कर दिया है।

तात्पर्य यह कि 'वस्तुप्रतिवस्तुभाव से युक्त साधारण धर्म वाला' इस अंश का निवेश कर देने पर अप्रस्तुतप्रशंसा में भी अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि वस्तुप्रतिवस्तुभाव वहाँ होता है जहाँ एक ही धर्म दो भिन्न शब्दों के द्वारा दो बार निर्दिष्ट हुआ हो और ऐसा तभी संभव है यदि उपमानभूत वस्तु तथा उपमेयभूत दोनों शब्दतः कथित हों। अप्रस्तुतप्रशंसा में तो केवल अप्रस्तुत–अर्थात् उपमान शब्दतः कथित रहता है प्रस्तुत–अर्थात् उपमेय तो व्यञ्जना द्वारा ज्ञात होता है। अतः वहाँ यह संभव नहीं कि व्यञ्जना के द्वारा ज्ञात होने वाले पदार्थ के लिये कोई धर्म शब्दतः कहा जाय, फलतः ग्रन्थ-लेखन की शैली यहाँ ठीक नहीं है यह कहना पड़ता है।

सिद्धान्तभूतं लक्षणमाह—

एवं च—

वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नसाधारणधर्मकवाक्यार्थयोरार्थमौपम्यं प्रतिवस्तूपमा।

एवं चेति। अप्रस्तुतप्रशंसायां तेनैव वारणे चेत्यर्थः। वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नौ एकावपि भिन्नशब्दाभ्यां पृथक् पृथक् निर्दिष्टौ साधारणधर्मौ ययोस्तादृशयोर्द्वयोर्वाक्यार्थयोरर्थाल्लब्धं न तु शब्दोपात्तम् सादृश्यम्, प्रतिवस्तूपमानामालंकार इति भावः।

अब सिद्धान्त-सिद्ध लक्षण कहा जाता है—एवं च इत्यादि।

जब 'वस्तुप्रतिवस्तुभाव—इत्यादि विशेषण से अप्रस्तुतप्रशंसा का भी वारण हो जाता है तब—वस्तुप्रतिवस्तुभाव से युक्त साधारण धर्म वाले दो वाक्यार्थों में अर्थतः (न कि शब्दतः) प्रतीत होने वाले औपम्य–अर्थात् सादृश्य को प्रतिवस्तूपमा अलंकार कहा जाता है।

'वाक्यार्थयोः' इत्यस्यांशस्य फलमुच्यते—

'आननं मृगशावाक्ष्या वीक्ष्य लोलालकावृतम्।
भ्रमद्भ्रमरसंभारं स्मरामि सरसीरुहम्॥"

इत्यत्र स्मरणालंकारेऽतिप्रसङ्गवारणाय वाक्यार्थगतमिति। अत्रौपम्यस्यार्थत्वेऽपि पदार्थगतत्वमेव न तु वाक्यार्थगतत्वम्, स्मरणस्य तदसंपर्कात्।

आननमिति। लोलैः चञ्चलैः, अलकैः केशैः, आवृतम् आच्छन्नम्, मृगशावाक्ष्याः हरिणशिशुनयनायाः, आननम् मुखं, वीक्ष्य दृष्ट्वा, भ्रमताम् इतस्ततश्चलताम्, भ्रमराणाम्, संभारः समूहो यत्र, तादृशम्, सरसीरुहम् कमलम्, स्मरामि, अहमिति शेषः, सखायं प्रति कस्यचिदुक्तिः। वाक्यार्थगतमिति। तदर्थकवाक्यार्थयोरितीत्यर्थः। ननु कुतस्तेन तत्र तद्वारणमिति चेत्तत्राह—अत्रौपम्यस्येत्यादि। आर्थत्वेऽपीति। इवाद्यभावादित्यर्थः। स्मरणस्येति। 'स्मरामि' इति तिङन्तपदबोध्यस्येति भावः। तदसंपर्कात् इति। तेन औपम्येन सह संपर्काभावादित्यर्थः। स्मरणान्तर्भावेणोपमानोपमेयभावविरहादिति सारांशः। इदमत्राकूतम्—क्रियाबोधकपदघटितम् कर्तृकर्मादिकारकविभक्तियुक्तपदकदम्बं वाक्यमित्युच्यते। तादृशवाक्यद्वयार्थयोर्यदि आर्थमौपम्यं प्रतीयते तदा प्रतिवस्तूपमेत्यभिमतम्। एवञ्च 'आननम्—' इत्यत्र न प्रतिवस्तूपमा, आननसरसीरुहयोरौपम्यस्येवाद्यभावादर्थलब्धस्यापि वाक्यार्थगतत्वाभावात्। ननु कुतो न वाक्यार्थगतत्वमिति चेदित्थमवगन्तव्यम्—स्मरामीतिक्रियापदपर्यन्तमिह वाक्यम् एवञ्च तत्पर्यन्तार्थान्तर्भावेण यदि उपमानोपमेयभावो भवेत् तदैव वाक्यार्थगतत्वमौपम्यस्य स्यात्, परमिह न तदन्तर्भावेण सः, अपि तु 'भ्रमद्भ्रमरसंभारसरसीरुहसदृशं लोलालकावृतमाननमि'ति रीत्या तद्बहिर्भावेणैव। ननु 'दिवि भाति यथा भानुः—' इत्यत्र कथमौपम्यस्य वाक्यार्थगतत्वमिति चेन्न, तत्र क्रिया-विशेषणस्य प्रथमान्तार्थस्योपमानत्वेनान्वयायोगात् 'भानुसदृशस्त्वम्' इति बोधस्यासंभवेन 'गगनाधिकरणकभानुकर्तृकशोभासदृशी भूम्यधिकरणकत्वत्कर्तृकशोभा' इति बोधस्यैव जायमानतया क्रियान्तर्भावेणोपमानोपमेयभावसत्त्वादौपम्यस्य वाक्यार्थगतत्वनिश्चयादिति।

अत्र "यथा वाक्यार्थोपमायां गगनाधिकरणकभानुकर्तृकशोभाविशिष्टभूम्यधिकरणकत्वत्कर्तृकशोभेति बोधः। वैशिष्ट्यनियामकसंबन्धश्च स्वकर्तृसदृशकर्तृकत्वमेव। संबन्धविशेषतात्पर्यग्राहकौ च यथातथाशब्दौ। नैवं प्रकृते स्मरणान्तर्भावेणोपमानोपमेयभावः। किन्तु तादृशपद्मसदृशं तादृशमाननमित्येव। नच वाक्यार्थोपमायां तादृशशोभाश्रयभानुसदृश ईदृशशोभाश्रयस्त्वमिति बोधः, क्रियाविशेषणस्य प्रथमान्तार्थस्योपमानत्वेनान्वयायोगात्। प्रतिवस्तूपमायां तु तादृशसंबन्धद्योतकपदाभावाद्गम्यतैवोपम्यस्येति विशेषः। यद्वा वाक्यार्थोपमायां तादृशसंबन्धोऽपि तथातथापदद्योत्यत्वात्प्रकार एव। 'यत्र वाक्यद्वयगतानां पदार्थानाम् सर्वेषाम् परस्परसाम्यम् तत्र प्रतिवस्तूपमा' इति शरदागमकृतः।" इति नागेशः।

नागेशस्यैनामुक्तिं मुधैव कटाक्षयन् सरलाकारः शोच्य एव। 'स्मरणस्य तदसंपर्कात्, इति मूलं विवृण्वतः सरलाकारस्य "सरसीरुहं स्मरामी'त्युक्त्या सरसीरुहपदार्थेनैव स्मरणस्य संबन्धेन तु वाक्यार्थेन" इति स्वकीयोक्तिः कीदृशीति विवेचका एव निश्चेतुमलं भविष्णवः।

इदमत्र विचारणीयम्—'आननम्—' इति पद्ये 'वाक्यार्थगतत्व' विशेषणाभावेऽभिमतातिप्रसक्तिः कथं संगच्छते इति यतोऽत्र लोलालकावृतत्व-भ्रमद्भ्रमरसंभारत्वयोः साधारणधर्मत्वेनाभिमतयोः बिम्बप्रतिबिम्बभाव एव न वस्तुप्रतिवस्तुभावः।

'वाक्यार्थों (न कि पदार्थों) में होने वाले औपम्य' इस लक्षणगत अंश का फल दिखलाने के लिये कहा जाता है—आननम् इत्यादि।

'आननम्—अर्थात् चपल कुन्तल-राशि से ढके हुए मृगाक्षीनायिका के मुख को देख कर मैं मड़लाते भौरों वाले कमल का स्मरण करने लगता हूँ' इस स्मरणालंकार के उदाहरण में अतिव्याप्तिवारण के लिये लक्षण में 'वाक्यार्थगत' यह विशेषण जोड़ा गया है। तात्पर्य यह कि यहाँ भी यद्यपि मुख तथा कमल का औपम्य अर्थतः ही प्रतीयमान है, शब्दतः नहीं, तथापि वह औपम्य वाक्यार्थगत नहीं है, अपि तु पदार्थगत ही है। कारण, स्मरण क्रिया का उस औपम्य से कोई संपर्क नहीं है। तात्पर्य यह कि—क्रिया पर्यन्त वाक्य कहलाता है, अतः यहाँ स्मरण पर्यन्त वाक्य माना जायगा। अब यदि स्मरण क्रिया सहित पूरे वाक्यार्थ में औपम्य ज्ञात होता तो प्रतिवस्तूपमा का लक्षण यह भी संघटित होता, पर ऐसा नहीं होता, अपि तु यहाँ 'चञ्चल अलकों से आवृत मुख भ्रमणशील भ्रमरों से युक्त कमल के समान है' इस तरह से स्मरण क्रियांश रहित अर्थों का ही औपम्य प्रतीत होता है। फलतः इस औपम्य को वाक्यार्थगत न होने से पदार्थ गत ही कहेंगे।

लक्षणगतपदान्तरकृत्यानुक्तिप्रयुक्तन्यूनत्वशङ्कामपाकरोति—

पदान्तरकृत्यं तूक्तमेव।

पदान्तरयोः वाक्यार्थगतत्वातिरिक्तयोः, वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नसाधारणधर्मकत्वार्थत्वयोरिति यावत्, कृत्यम् फलम्, प्रागुपपादितमेवेत्यर्थः। तत्र वस्तुप्रतिवस्तुभावेत्यादिनिवेशफलम् दृष्टान्तवारणम् आर्थत्वनिवेशफलं च वाक्यार्थोपमावारणमिति विज्ञेयम्। ननु 'तापेन भ्राजते सूर्यः त्वं प्रतापेन राजसे' इत्यादौ वस्तुतः प्रतिवस्तूपमायामपि तापप्रतापयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावस्यैव सत्त्वेन कोऽत्र दृष्टान्ताद् विशेष इति चेन्न क्वचिदुपमानोपमेयविशेषणविशेषणानां प्रतिवस्तूपमास्थलीयानां बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नत्वेऽपि साक्षात्तद्विशेषणानां वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नत्वमेव। दृष्टान्ते तु साक्षात्तद्वृत्तिधर्माणामपि बिम्बप्रतिबिम्बभाव एवेति विशेषस्य सत्त्वात्।

अत्रार्थविशेषणव्यावर्त्यातिव्याप्तिलक्ष्यप्रदर्शनार्थम्। नागेशेनोक्ते 'दिवि भाति यथा भानुस्तथा त्वं भासि वै भुवि' इति वाक्योपमावाक्ये सरलाकारः 'भासि वै' इति तु नागेशस्य भ्रम एव। 'भासि' इत्युभयदलपाठे पृथक्शब्दाभ्यामुपादानाभावाद्वस्तुप्रतिवस्तुभाव एव न स्यात्। ततश्चात्र तद्वारणार्थम् 'आर्थ' विशेषणपर्यन्तमनुधावनं व्यर्थं स्यात्। 'तस्मात्तथा' पदसंबद्धे उपमेयदले 'भ्राजसे' इत्येव पठितव्यम्।" इत्याक्षेपं विधत्ते। परमयमाक्षेपोऽज्ञानविजृम्भित एव। यतः 'पृथक्शब्दाभ्यामेकस्य धर्मस्योपादाने वस्तुप्रतिवस्तुभावः' इति परिभाषायां पृथक्पदेन नानुपूर्वीभेदो विवक्षितः अपि तु उच्चारणभेदः, अतो नागेशोक्तवाक्येऽपि वस्तुप्रतिवस्तुभावस्य न क्षतिरिति बोध्यम्।

'वाक्यार्थ गत' इस अंश का ही फल कहा गया, लक्षणघटक अन्य अंशों का नहीं, इससे ग्रन्थ में न्यूनता की आशङ्का हो सकती थी, उसी को दूर करने के लिये कहा जाता है—पदान्तर इत्यादि।

तात्पर्य यह कि अन्य पदों के अर्थात् 'वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नसाधारणधर्म' और 'आर्थ' इन दो अंशों के फल पहले ही कहे जा चुके हैं, अतः यहाँ उनको नहीं कहने पर

भी–ग्रन्थ में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आ सकती है। 'वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न' इस अंश का फल दृष्टान्त में अतिव्याप्ति-वारण कहा गया है, क्योंकि दृष्टान्त में धर्म बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न रहता है। यद्यपि कहीं कहीं–अर्थात् 'ताप से सूर्य भासित होता है और प्रताप से तुम' इत्यादि प्रतिवस्तूपमा में भी 'ताप' और 'प्रताप' बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न ही रहता है फिर दृष्टान्त से इसमें कोई अन्तर नहीं ऐसी आशङ्का की जा सकती है, पर इसका समाधान यह है कि प्रतिवस्तूपमा में उपमान-उपमेय के साक्षात् धर्म जो भासन आदि रहते हैं उसके विशेषणों 'ताप' आदि के बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न रहने पर भी, साक्षात् धर्मभासन आदि वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न ही रहते हैं और दृष्टान्त में साक्षात् धर्म ही बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न रहते हैं यही अन्तर दोनों में है और इसी लिये प्रतिवस्तूपमालक्षणगत 'वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नधर्म' इस अंश से दृष्टान्त का वारण भी होता है।

'आर्थ' विशेषण का फल 'जैसे सूर्य आकाश में चमकता है वैसे तुम पृथ्वी में चमकते हो' इत्यादि वाक्योपमा में अतिव्याप्ति का वारण कहा गया है।

उदाहर्तुमाह—

उदाहरणम्—

स्पष्टम्।

उदाहरण देखिए—।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'आपद्गतः खलु महाशयचक्रवर्ती
विस्तारयत्यकृतपूर्वमुदारभावम्।
कालागुरुर्दहनमध्यगतः समन्ता-
ल्लोकोत्तरं परिमलं प्रकटीकरोति॥'

महाशयचक्रवर्त्ती महान्तः आशयाः अभिप्रायाः, येषां, तेषु, चक्रवर्ती श्रेष्ठः, महामनोमुख्य इति यावत्, आपद्गतः विपत्तिमध्यपतितः सन्, अकृतपूर्वम् पुराचरितविशिष्टमिति भावः, उदारभावम् औदार्यम् खलु निश्चयेन विस्तारयति संतनोति। महामना मानवः संपदवस्थायां यादृशीमुदारतां प्रकटयति, विपदवस्थायां ततोऽप्यधिकामुदारतामुन्मीलयतीति सारांशः। युक्तं चैतत्। कालागुरुः सुगन्धिकाष्ठविशेषः, दहनमध्यगतः वह्निनिक्षिप्तः, सन्, लोकोत्तरम् अलौकिकम् अपूर्वमिति यावत् परिमलं सुगन्धम् समन्तात् चतुर्दिक्षु, प्रकटीकरोति विस्तारयतीत्यर्थः। अदग्धोऽपि कालागुरुः सौरभविकिरणशीलः, दग्धस्तु ततोऽपि प्रभूतं सौरभं विकिरतीति भावः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—आपद्गतः इत्यादि।

महामना मनुष्य विपत्तिग्रस्त होने पर निश्चित रूप से पूर्वापेक्षया अधिक ही उदारता दिखलाता है।

अगुरु नामक सुगन्धि काष्ठ वैसे भी सौरभ को प्रकट करता ही है, पर आग में पड़ने पर तो और अधिक सौरभ को चारो तरफ फैलाता है।

उपपादयति—

अत्र विस्तारप्रकटने वस्तुत ऐकरूप्येणाभिमते।

विस्तारणं प्रकटनञ्च वस्तुत एकमेव वस्तु, केवलं पृथक्शब्दाभ्यां द्विधा निर्दिष्टम्। एतेन वस्तुप्रतिवस्तुभावः सूचितः। अयं भावः—'आपद्गतः' 'दहनमध्यगतः इति क्रमशः उपमेयोपमानविशेषणे। एतद् विशेषणयोः आपद्दहनयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावः। किंतु महाशयचक्रवर्त्तिरूपे उपमेये कालागुरुरूपे उपमाने च क्रमशः साक्षाद् वर्तमानौ विस्तारण-प्रकटनात्मकक्रियारूपौ धर्मौ वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नौ। ततश्च वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नः साधारणधर्मो यत्र ईदृशयोः 'आपन्नो महाशयवरः तथौदार्यं प्रकटयति यथा दग्धः कालागुरुः परिमलं प्रकटयति' इति वाक्यार्थयोरर्थगम्यं सादृश्यं वर्तत इति प्रतिवस्तूपमा-लक्षणसंगतिरिति।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'आपद्गतः—' इस पद्य में 'विस्तारयति' और 'प्रकटीकरोति' इन दोनों पदों से क्रमशः अवगत होने वाले विस्तार तथा प्रकटीकरण वस्तुतः एकरूप से ही वक्ता के अभिमत हैं। तात्पर्य यह कि—प्रकृत पद्य में उपमेय (महाशयचक्रवर्ती) के विशेषण 'आपद्गत' का विशेषण 'आपत्' और उपमान (कालागुरु) के विशेषण 'दहनमध्यगत' का विशेषण 'दहन' वस्तुतः दो पदार्थ हैं, अतः यद्यपि वे दोनों बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न हैं, तथापि उक्त उपमेय तथा उपमान में साक्षात् रहने वाले विस्तारण और प्रकटीकरण वस्तुतः एक ही पदार्थ हैं, केवल भिन्न शब्दों के द्वारा दो बार निर्दिष्ट हुए हैं, अतः वे दोनों वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न हैं। ऐसी स्थिति में वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न धर्म वाले 'विपन्न महापुरुष उसी तरह उदारता को प्रकट करता है जिस तरह दग्ध कालागुरु सौरभ को प्रकट करता है' इन दो वाक्यार्थों का औपम्य अर्थतः ज्ञात होता है, अतः यहाँ प्रतिवस्तूपमा का उक्त लक्षण संघटित होता है।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्—।

अथवा जैसे—।

उदाहरति—

'विश्वाभिरामगुणगौरवगुम्फितानाम्
　रोषोऽपि निर्मलधियां रमणीय एव।
लोकम्पृणैः परिमलैः परिपूरितस्य
　कालागुरोः कठिनतापि नितान्तरम्या॥'

विश्वाभिरामाणां जगद्रमणीयानां, गुणानाम् शौर्यादीनाम् गौरवेण महत्त्वेन, गुम्फितानां युक्तानाम्, निर्मलधियाम्—शुद्ध-बुद्धीनाम् रोषोऽपि कोपोऽपि, रमणीयः सुन्दरः, एव, भवतीति शेषः। युक्तश्चैतत्। लोकम्पृणैः लोकपूरकैः, परिमलैः सौरभैः, परिपूरितस्य युक्तस्य, कालागुरोः, सुगन्धिकाष्ठविशेषस्य, कठिनतापि कठोरतापि नितान्तरम्या अतिहृद्या भवतीत्यर्थः।

अत्र रमणीयत्वरम्यत्वात्मकगुणरूपधर्मौ वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नौ स्तः, अतः तादृशधर्म-युक्तयोः 'निर्मलधियां-रोषस्तथा रमणीयः यथा कालागुरोः कठोरत्वं रमणीयम्' इति

वाक्यार्थयोरौपम्यं गम्यमस्तीति प्रतिवस्तूपमा संगच्छते। पूर्वोदाहरणे क्रियात्मकः साधारणधर्मः, इह तु गुणात्मक इति विशेषः। बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नरोषकठोरत्वात्मकौ साधारणधर्मावादाय निर्मलधी-कालागुर्वोः, पूर्णोपमा व्यङ्ग्या।

उदाहरण दिया जाता है—विश्वाभिराम इत्यादि।

संसार भर में सुन्दर माने जाने वाले गुणों की गुरुता से युक्त निर्मल बुद्धि वाले पुरुषों का क्रोध भी सुन्दर ही होता है। समग्र संसार को व्याप्त कर लेने वाले सौरभों से भरे हुए कालागुरु की कठोरता भी अति सुन्दर ही होती है।

यहाँ रमणीयता और रम्यता वस्तुतः एक पदार्थ होकर भी शब्दान्तर के द्वारा दो वार निर्दिष्ट हुए हैं, अतः ये वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न साधारण धर्म हैं। ऐसी दशा में इस वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न साधारणधर्म से युक्त 'शुद्धबुद्धिवालों का क्रोध भी उसी तरह सुन्दर होता है जिस तरह कालागुरु की कठोरता सुन्दर होती है' इन दो वाक्यार्थों का सादृश्य अर्थतः ज्ञात होता है, अतः यहाँ भी प्रतिवस्तूपमा का लक्षण संघटित हुआ। पूर्व उदाहरण में साधारण धर्म क्रियारूप था और इस उदाहरण में वह गुण रूप है।

विशेषमाह—

वैधर्म्येणाप्येषा संभवति—

एषा प्रतिवस्तुपमा। एतेन पूर्वोक्तयोः पद्ययोः साधर्म्येण प्रतिवस्तूपमेति सूचितम्।

विशेष का उल्लेख किया जाता है—वैधर्म्येण इत्यादि।

यह प्रतिवस्तूपमा अलंकार वैधर्म्यमूलक भी होता है। इससे सूचित हुआ कि प्रथमोक्त दोनों उदाहरण साधर्म्यमूलक प्रतिवस्तूपमा के कहे गए हैं।

वैधर्म्येण प्रतिवस्तूपमामुदाहरति—

> **'वंशभवो गुणवानपि सङ्गविशेषेण पूज्यते पुरुषः।**
> **नहि तुम्बीफलविकलो वीणादण्डः प्रयाति महिमानम्॥'**

वंशभवः सत्कुलोत्पन्नः, अपि गुणवान् दयादाक्षिण्यादियुक्तः अपि, पुरुषः, सङ्गविशेषेण विशिष्टजनसंपर्केण, पूज्यते—पूजितो भवति, नान्यथेति भावः। युक्तमेतत्। वंशभवोऽपि सद्वेणुनिर्मितोऽपि गुणवानपि सतन्त्रीकोऽपि, वीणादण्डः तुम्बीफलविकलः आदिभागस्थायलावूफलरहितः, सन्, महिमानम् महत्त्वम्, न, प्रयाति प्राप्नोतीत्यर्थः। अत्र 'महिमाभावव्याप्यतुम्बीफलरहितवीणादण्डसदृशः सङ्गविशेषाभावव्याप्यपूज्यत्वाभाववान् पुरुषः' इत्युपमाकार इति नागेशः। एतदाशयस्तु मूल एवानुपदं स्फुटीभविष्यतीति न तदर्थं प्रयत्यते।

वैधर्म्यमूलक प्रतिवस्तूपमा का उदाहरण अब दिया जाता है—वंश इत्यादि।

पुरुष सत्कुलोत्पन्न तथा दया-दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त होने पर भी विशिष्ट महापुरुष के संपर्क से ही पूजित होता है।

वीणा का दण्ड अच्छी जाति के बाँस से बना और तार से युक्त होने पर भी 'तुम्बी' से हीन होकर महत्त्व को नहीं प्राप्त कर पाता है। यहाँ प्रथम वाक्यार्थ और द्वितीय वाक्यार्थ की उपमा अर्थतः ज्ञात होती है अवश्य, पर साधर्म्येण नहीं, वैधर्म्येण—अर्थात् उपमेय वाक्यार्थ—पुरुष सङ्गविशेष से पूजित होता है—विधिघटित कहा गया है और उपमान वाक्यार्थ—तुम्बीविहीन वीणादण्ड महत्त्व को नहीं पाता—निषेधघटित

कहा गया है। यदि 'तुम्बी से युक्त होकर ही वीणा-दण्ड महत्त्व को पाता है' ऐसा कहा गया रहता तब यह साधर्म्येण प्रतिवस्तूपमा होती। उपमा का आकार यहाँ यह होगा कि-जैसे तुम्बी-विहीन वीणा-दण्ड महत्त्व नहीं पाता वैसे सङ्गविशेष विहीन पुरुष पूज्य नहीं होता। फलतः यह उपमा भी पर्यवसित होती है कि जैसे तुम्बी युक्त वीणा-दण्ड महत्त्व को पाता है वैसे सङ्गविशेषयुक्त पुरुष पूज्यता का लाभ करता है। वस्तुप्रतिवस्तु-भावापन्न साधारण धर्म है यहाँ पूजा और महत्त्व-प्राप्ति।

वैधर्म्येण प्रतिवस्तूपमाया उदाहरणान्तरमुपस्थापयितुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्।

अथवा जैसे—

उदाहरणान्तरमाह—

'गीर्भिर्गुरूणां परुषाक्षराभिस्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वम्।
अलब्धशाणोत्कषणा नृपाणां न जातु मौलौ मणयो वसन्ति॥'

परुषाणि कठोराणि, अक्षराणि वर्णाः, यासु, तादृशीभिः, गुरूणाम् आचार्याणाम्, गीर्भिः वचनैः, तिरस्कृता अवमानिताः, नराः मानवाः, महत्त्वम् महिमानम्, यान्ति प्राप्नुवन्ति। समुचितमेतत्। यतः न लब्धं नासादितं, शाणे तीक्ष्णीकरणोपलविशेषे, उत्कषणं घर्षणं यैः तादृशाः, मणयः, नृपाणां राज्ञां, मौलौ मस्तके, जातु कदाचिदपि, न, वसन्तीत्यर्थः। अत्रापि पूर्ववत् 'राजमस्तकाधिकरणकवासाभावव्याप्यालब्धशाणोत्कषणमणिसदृशाः परुषाक्षरगुरुवचनकरणकतिरस्काराभावव्याप्यमहत्त्वलाभाभाववन्तो नराः' इत्युपमाकारो बोध्यः।

उदाहरण दिखलाया जा रहा है—गीर्भिः इत्यादि।

कठोरवर्णावली वाले गुरुवचनों से तिरस्कृत होकर मनुष्य महत्त्व को प्राप्त करते हैं। ठीक ही है। विना सान पर चढ़े मणि किसी भी तरह से राजाओं के मस्तक पर नहीं पहुँच पाते हैं।

यहाँ भी 'सान पर चढ़े मणि राज-मस्तक पर स्थान पाते हैं' ऐसा न कहकर ठीक इसके विपरीत रूप में 'विना सान पर चढे मणि राज-मस्तक पर स्थान नहीं पाते' ईदृश कथन के कारण वैधर्म्यमूलक प्रतिवस्तूपमा होती है। जैसे सान पर चढे मणि ही राज-मस्तक पर स्थान पाने के अधिकारी होते हैं वैसे कठोर गुरु-वचनों के द्वारा भर्त्सित मनुष्य ही महत्त्वलाभ के अधिकारी होते हैं यह उपमा अर्थतः यहाँ प्रतीत होती है। राजमस्तक निवास और महत्त्वलाभ यहाँ वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न होने से साधारण धर्म होते हैं।

विशेषमाह—

अत्र शाब्देन दृष्टान्तेन तद्गतः सामान्यावच्छिन्नव्यतिरेकसहचार आक्षिप्यते। तेन च सामान्नावच्छिन्नान्वयनियमसिद्धिद्वारा प्रकृतो विशेषावच्छिन्नान्वयनियमः सिध्यतीति प्रायशः सर्वत्र वैधर्म्ये स्थितिः। एवमन्वयेन प्रतिवस्तूपमायामपि नियमविशेषस्य प्रकृतवाक्यार्थत्वेऽन्वयदृष्टान्तेन सामान्यान्वयनियमसिद्धिद्वारा तत्सिद्धिः।

नियमविशेषरहितकेवलार्थमात्रस्य प्रकृतत्वे त्वप्रकृतवाक्यार्थनिरूपितमौ-

पम्यमात्रं गम्यम्, न तु नियमः, अप्रयोजकत्वात्। यथा 'भैरभ्रे भासते चन्द्रो भुवि भाति भवान् बुधैः' इत्यादौ।

अत्रेति। पूर्वोक्तोदाहरणद्वय इत्यर्थः। शाब्देन दृष्टान्तेनेति। 'नहि तुम्बीफलविकलः–' 'अलब्धशाणोत्कषणाः–' इत्यादिरूपेणेत्यर्थः। तद्गत इति। दार्ष्टान्तिकवाक्यार्थगत इत्यर्थः। सहचार इति। व्याप्तिरित्यर्थः। आक्षिप्यत इति। शब्दानुक्तोऽपि प्रतीयत इति भावः। तेनेति। उक्तव्यतिरेकसहचारेणेत्यर्थः। अन्वयनियम इति। अन्वयव्याप्तिरित्यर्थः। प्रायशः इति। एतेन क्वचित् तदसंभवः सूच्यते। अयं भावः—प्रागुक्तेषु प्रतिवस्तूपमोदाहरणेषु द्वयीगतिः संभवति। नियमविशेषाभिप्रायेण तादृशवाक्यप्रयोग इत्येका। नियमविशेषरहितकेवलार्थमात्राभिप्रायेण तादृशवाक्यप्रयोग इत्यपरा। तत्र प्रथमकल्पे 'वंशभवो गुणवानपि—' इति वैधर्म्यमूलकप्रतिवस्तूपमोदाहरणस्थले 'नहि तुम्बीफलविकलः—' इति व्यतिरेक(अभाव)घटितदृष्टान्तसंगतिसिद्ध्यर्थम् 'वंशभवो—' इति दार्ष्टान्तिकांशेऽपि व्यतिरेकयोराक्षेपः–'संगविशेषेण विना न पूज्यते' इत्याकारकार्थबोध इति यावत्। तौ च व्यतिरेकौ सामान्यावच्छिन्नयोरेवार्थयोः संगविशेषपुरुषपूज्यत्वावच्छिन्नयोरिति यावत्, न तु संगविशेषवंशभवगुणवत्पुरुषपूजात्मकविशेषयोः, एकविशेषेऽपरविशेषस्य दृष्टान्तत्वासंभवात्। तथा च 'पुरुषः पूज्यत्वाभाववान् संगविशेषाभावात्, यथा तुम्बीफलविकलवीणादण्डः इत्याकारः सदृष्टान्तनियमाकारः सिद्ध्यति, ततश्च 'तुम्बीफलसहितो वीणादण्डः महिमानम् प्रयाति' इत्याकारकतद्विपरीतदृष्टान्तेन फलीभूतेन दार्ष्टान्तिककोटौ सामान्यावच्छिन्नान्वयनियमः सिध्यति। 'पुरुषः पूज्यत्ववान् सङ्गविशेषात्, यथा तुम्बीफलसहितो वीणादण्डः' इत्यनुमित्याकारः सिध्यतीति यावत्। अनन्तरञ्च 'यत्सामान्ययोर्व्याप्तिस्तद्विशेषयोरपि' इति न्यायेन सङ्गविशेषवंशभवत्वगुणवत्त्वविशिष्टपूज्यत्वयोर्व्याप्तिसिद्धौ 'पुरुषविशेषः पूज्यत्वविशेषवान् सङ्गविशेषात्' इत्यन्वयनियमो विशेषावच्छिन्नगतः सिध्यति। एवमेव 'गीर्भिर्गुरूणाम्—' इत्यादिस्वपि वैधर्म्यमूलकप्रतिवस्तूपमोदाहरणेषु स्थितिर्बोध्येति।

इत्थम् वैयधिकरण्येन प्रतिवस्तूपमायां विशेषमुपपाद्य सामानाधिकरण्येन तस्यां तमुपपादयति—एवमन्वयेनेत्यादि। अयमभिप्रायः—'आपद्गत–' इत्यादौ 'आपद्गतः सत्पुरुषोऽपूर्वौदार्यवान् तादृशकीर्तिमत्त्वात्' इत्यर्थविशेषरूपे कालागुरोर्विशेषस्य न दृष्टान्तता घटेत। यथा पर्वत एतद्वह्निमान् एतद्धूमात् इत्यत्र महानसस्य। तस्मात् कालागुरुरूपविशेषात्मकदृष्टान्तेन औदार्यसामान्यकीर्तिसामान्ययोर्व्याप्तिः सिध्यति। ततश्च 'यत्सामान्ययोर्व्याप्तिस्तद्विशेषयोरपि' इति न्यायेन पूर्वोक्तविशेषनियमसिद्धिरिति।

नियमविशेषरहितकेवलार्थमात्राभिप्रायेण तादृशवाक्यप्रयोग इति द्वितीयकल्पेत्वाह—नियमविशेषरहितेति। अप्रकृतवाक्यार्थेति दृष्टान्तवाक्यार्थेत्यर्थः। अप्रयोजकत्वादिति। विवक्षितार्थसिध्यनुपायत्वादिति भावः। तादृशं वाक्यमुदाहरति—यथा 'भैरभ्रे—' इति। चन्द्रमाः नक्षत्रैः आकाशे शोभते, भवान् पण्डितैः भूतले राजते इति तदर्थः। अत्र 'नक्षत्रकरणकशोभाविशिष्टाकाशाधिकरणकचन्द्रसदृशः पण्डितकरणकशोभाश्रयो भूतलगतो भवान्' इत्याकारकं सादृश्यमात्रं प्रतीयते, न तु 'भूतलगतो भवान् शोभाश्रयः बुधयोगात्, यथा

नक्षत्रयोगप्रयुक्तशोभाश्रय आकाशगतश्चन्द्रः' इत्याकारको नियमः। एवमेव पूर्वोक्तोदाहरणे-ष्वपि नियमविशेषाविवक्षायां बोध्यमिति भावः।

प्रतिवस्तूपमास्थलीय कतिपय विलक्षणताओं का स्पष्टीकरण किया जाता है—अत्र शाब्देन इत्यादि।

अभिप्राय यह है कि प्रतिवस्तूपमा अलंकार के उदाहरणों में दो पक्ष हो सकते हैं। एक तो यह कि वक्ता ने प्रस्तुत पदार्थ का वर्णन एक प्रकार के नियम को सिद्ध करने की इच्छा से किया हो। उस स्थिति में अप्रस्तुत पदार्थ का वर्णन भी में नियम्य-नियामकभाव युक्त दृष्टान्तरूप में ही किया गया माना जायगा यह भी समझ रखना चाहिए। दूसरा पक्ष यह कि किसी नियम को सिद्ध करना वक्ता का उद्देश्य न हो, केवल प्रस्तुत अप्रस्तुत में औपम्य की प्रतीति करना अभिमत हो। इन दोनों पक्षों में से प्रथम पक्ष जटिलता से भरा हुआ है। उसी जटिलता को 'अत्र शाब्देन दृष्टान्तेन—' इत्यादि पङ्क्तियों के द्वारा दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

अच्छा तो पहले वैधर्म्यमूलक प्रतिवस्तूपमा के उदाहरण—अर्थात् 'वंशभवो-गुणवानपि—' में देखिए—

यहाँ 'तुम्बीफलविहीन वीणा-दण्ड महिमा को नहीं पाता' यह जो दृष्टान्त शब्दतः वर्णित है वह अभावघटित है अतः इससे दार्ष्टान्तिक दल में भी व्यतिरेक (अभाव) का आक्षेप हो जाता है—अर्थात् 'संग विशेष से पूजित होता है' यह जो विधिघटित वाक्य था वह 'संग विशेष के बिना पूजित नहीं होता है' इस तरह से निषेधघटित वाक्य के रूप में बदल दिया जाता है। फलतः 'जिस वीणा-दण्ड में तुम्बीफल का अभाव रहता है उसमें महत्त्व का भी अभाव रहता है' इस दृष्टान्त से दार्ष्टान्तिक (प्रस्तुत वाक्यार्थ कोटि) में भी 'जहां संग विशेष का अभाव है वहां पूज्यता का अभाव है' यह एक सामान्य दो पदार्थों के अभाव का सहचार (व्याप्ति)—अर्थात् नियम पहले सिद्ध होता है।

यहाँ एक बात समझ लेती लेनी चाहिए कि उक्त विशेष दृष्टान्त से किसी खास व्यक्ति से संबन्ध रखने वाली सङ्गति और किसी खास व्यक्ति से संबन्ध रखने वाली पूज्यता के अभाव का सहचार सिद्ध नहीं हो सकता अर्थात् उक्त दृष्टान्त से 'जहाँ अमुक व्यक्ति विशेष के सङ्ग का अभाव है वहाँ कुलीन तथा गुणशाली पुरुषगत पूज्यता का अभाव है इस तरह का विशेषभूत दो पदार्थों के अभाव की व्याप्ति नहीं सिद्ध हो सकती ह, क्योंकि किसी सामान्य बात में ही कोई विशेष बात दृष्टान्त हो सकती है, किसी विशेष बात में कोई विशेष बात दृष्टान्त नहीं हो सकती है।

जैसे 'पर्वत एक खास तरह के वह्नि से युक्त है, क्योंकि उसमें खास तरह का धूम है' इस विशेष अर्थ में 'महानस' (चौकाघर) दृष्टान्त नहीं होता। तात्पर्य यह कि दृष्टान्त वही हो सकता है जो दार्ष्टान्तिकगत वस्तु से संबंध रखता हो। ऐसी स्थिति में जब पर्वत के वह्नि और धूम दोनों ही निराले हों—अर्थात् अन्य वह्नि-धूम से विलक्षण हों तब चौकाघर दृष्टान्त कैसे होगा? क्योंकि चौकाघर के वह्नि और धूम दोनों ही पर्वतगत उन वस्तुओं से भिन्न हैं। अस्तु, प्रकृत में वीणादण्ड के दृष्टान्त से पूर्वोक्त सामान्य नियम पहले सिद्ध होगा। तदनन्तर पूर्वोक्त दृष्टान्त से विपरीत दृष्टान्त अर्थात् जिस वीणादण्ड में तुम्बीफल रहता है उसमें महत्त्व होता है इस दृष्टान्त से (यह दृष्टान्त अनुक्त रहने पर भी स्वतः ज्ञात होता है) प्रस्तुत अंश में भी जहाँ संगविशेष है वहाँ पूज्यता है' इस तरह का सामान्य दो पदार्थों का अन्वयनियम (अन्वय व्याप्ति)

सिद्ध होगा। इसके बाद जाकर ग्रन्थोक्त विशेषभूत दो पदार्थों का अन्वय-नियम सिद्ध होगा–अर्थात् 'कुलीन तथा गुणशाली भी यह पुरुष अमुक व्यक्ति के सङ्ग से ही पूज्य है' यह नियम सिद्ध होगा। वैधर्म्यमूलक प्रतिवस्तूपमा के स्थल में प्रायः सर्वत्र यही रीति होगी।

अब जरा साधर्म्यमूलक प्रतिवस्तूपमा के उदाहरण—अर्थात् 'आपद्गतः—' में क्या बात है इसका भी अन्वेषण कीजिए।

यहाँ भी 'विपत्तिग्रस्त सज्जन पुरुष अपूर्व उदारता वाला है, क्योंकि उसकी वैसी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई है' इस विशेषभूत अर्थ में कालागुरु दृष्टान्त नहीं हो सकता। कारण दोनों ही पदार्थ–(दृष्टान्त तथा दार्ष्टान्तिक) विशेषभूत हैं और विशेषभूत अर्थ में विशेषभूत दूसरा अर्थ दृष्टान्त होता नहीं है, जैसे पर्वत खास प्रकार के वह्नि से युक्त है, क्योंकि वह खास तरह के धूम से युक्त है इस अर्थ में पाकालय दृष्टान्त नहीं होता। यह बात पहले भी कही जा चुकी है। अतः कालागुरुरूप दृष्टान्त से पहले दार्ष्टान्तिक अंश में सामान्य धर्म विशिष्ट दो अर्थों की व्याप्ति सिद्ध होगी—अर्थात् 'आग में डाला गया कालागुरु लोकोत्तर सुगन्ध को चारों तरफ बिखेरता है' इस दृष्टान्त से 'विपत्तिग्रस्त, उदारता वाला है, क्योंकि ऐसी कीर्ति है' इस तरह का नियम सिद्ध होगा। तदनन्तर 'यज्जातीय सामान्यभूत दो पदार्थों में व्याप्ति रहती है तज्जातीय दो विशेषभूत पदार्थ में भी व्याप्ति रहती ही है' इस न्याय के अनुसार ग्रन्थोक्त विशेष नियम–अर्थात् विपत्तिग्रस्त सज्जन, अपूर्व उदारता से युक्त होता है, क्योंकि उसकी वैसी कीर्ति प्रसिद्ध है यह नियम-सिद्ध होता है।

किसी नियम को सिद्ध करना वक्ता का अभीष्ट नहीं होता इस द्वितीय पक्ष में तो दृष्टान्तभूत (अप्रस्तुत) वाक्यार्थ का केवल सादृश्य दार्ष्टान्तिक (प्रस्तुत) वाक्यार्थ में प्रतीत होगा, किसी प्रकार का नियम नहीं। कारण, नियम सिद्धि का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। जैसे 'भैरभ्रे—अर्थात् नक्षत्रों से चन्द्रमा आकाश में भासित होता है और आप विद्वज्जनों से पृथ्वी में शोभित होते हैं।' इत्यादि में। तात्पर्य यह कि यहाँ 'जैसे नक्षत्रों से चन्द्र की शोभा आकाश में निखरती है वैसे विद्वानों से आप की शोभा पृथ्वी पर प्रकट होती है' इस तरह का उपमानोपमेयभाव मात्र विदित होता है, किसी तरह की व्याप्ति नहीं। इस पक्ष के अनुसार पूर्वोक्त उदाहरणों में भी व्याप्ति-सिद्धि के लिये उक्त बखेड़ों की आवश्यकता नहीं होगी।

आशङ्क्य समाधत्ते—

ननु कथमस्मिन्नलंकारे सर्वत्रौपम्यं गम्यमित्युच्यते। यावता प्रागुपदर्शितायां वैधर्म्यप्रतिवस्तूपमायां वाक्यार्थयोरौपम्यस्य बाधात्। नहि पचति-न पचतीति-वाक्यार्थयोः पाकक्रियामात्रसाम्यादौपम्यं गम्यते। निषेधप्रतियोगित्वेनोत्तर-वाक्यार्थे तस्या अप्ररोहादिति चेत्, न। प्रकृतवाक्यार्थाक्षिप्तस्य स्ववैपरीत्यस्यै-वौपम्याश्रयत्वात्। न च वाक्यार्थयोरौपम्यमिति यदुक्तं तत्कथं संगच्छतामिति वाक्यवेद्यस्यैव प्रकृते वाक्यार्थत्वेनेष्टत्वात्। तथा हि—

> 'तत्त्वं किमपि काव्यानां जानाति विरलो भुवि।
> मार्मिकः को मरन्दानामन्तरेण मधुव्रतम् ॥'

अत्र विरलो जानातीति विधिमुखोऽपि प्रकृतवाक्यार्थः 'पुरुषविशेषं विना न सर्वे जानन्ति' इत्यर्थविशेषमादायैव पर्यवसितो भवतीति निषेधवाक्यार्थस्य

तादृशेनैव द्वितीयवाक्यार्थेन सह गम्यते सादृश्यं स्फुटमेव। यत्र तु 'वंशभवः' इत्यादौ प्रागुदाहृते प्रकृतवाक्यार्थो विधिरूपः सङ्गविशेषहेतुकत्वस्य पूजनादौ विधेयत्वादवसीयते, तत्रापि हेतुताघटकव्यतिरेकस्य गुणतया प्रतीयमानस्यौपम्यं निर्बाधमिति न दोषः।

नन्विति वाक्यालंकारे। शङ्कास्थले एतत्पदप्रयोगः परम्परागतशैलीसिद्धः। शङ्कनीयमर्थमुत्थापयति—कथमित्यादिना। अस्मिन्निति। प्रतिवस्तूपमायामित्यर्थः। सर्वत्रेति। एतेन क्वचिदौपम्यस्य गम्यत्वं संभवत्यपीति सूच्यते। औपम्यागम्यत्वस्थलं स्फुटयति—यावतेति। प्रागिति। 'वंशभवो गुणवानपि···' इत्यादावित्यर्थः। वैधर्म्येति। एतेन साधर्म्यप्रतिवस्तूपमास्थले तस्य गम्यत्वं समर्थितम्। वाक्यार्थयोरिति। विधिनिषेधयोरित्यर्थः। बाधादिति। साधारणधर्माप्रतिपत्तेरिति भावः। बाधमेव स्फुटयितुं दृष्टान्तविधया तादृशं स्थलान्तरमुपदर्शयति—नहीति। निषेधप्रतियोगित्वेनेति। निषिध्यमानतयेति यावत्। उत्तरवाक्यार्थ इति। न पचतीत्यत्रेत्यर्थः। तस्या इति। पाकक्रियाया इत्यर्थः। अप्ररोहादिति। अनुपपत्तेरिति भावः। खण्डयति–नेति। खण्डने हेतुमाह—प्रकृत इत्यादि। दार्ष्टान्तिकवाक्यार्थफलितस्येत्यर्थः। स्ववैपरीत्यस्येति। स्वस्य प्रकृतवाक्यार्थस्य, वैपरीत्यं यस्मिन् तादृशस्येत्यर्थः। स्वविपरीतार्थस्येति यावत्। वस्तुतस्तु तथा पाठ एवोचितः। साधर्म्यप्रतिवस्तूपमास्थले औपम्यस्य गम्यत्वे संभवत्यपि वैधर्म्यप्रतिवस्तूपमोदाहरणे 'वंशभवः–' इत्यादौ औपम्यस्य गम्यत्वं न संभवदुक्तिकम्। यतस्तत्र 'गुणवान् सङ्गविशेषेण पूज्यते' इतिप्रकृतवाक्यार्थो विधिघटितः। 'वीणादण्डो महिमानं न प्रयाति' इत्यप्रकृतवाक्यार्थश्च निषेधघटितः। एवञ्च यथा 'पचति'-,नपचती' त्यनयोर्वाक्यार्थयोरौपम्यं न प्रतीयते, साधारणधर्मत्वेन स्वीकर्तुं योग्यायाः पाकक्रियाया उत्तरवाक्यार्थे निषेधप्रतियोगितयाऽप्ररोहात्, तथैव प्रकृतेऽपि अप्रकृतोत्तरवाक्यार्थे पूजनात्मकक्रियाया निषिध्यमानतया अप्ररोहेण साधारणधर्मासंपत्तेरौपम्यप्रतीतिकथनमसङ्गतमेवेति शङ्कादलस्य, उत्तरवाक्यार्थेन सह संगतिसिद्ध्यर्थम् 'गुणवानपि सङ्गविशेषेण पूज्यते' इति पूर्ववाक्यार्थेन 'सङ्गविशेषं विना गुणवानपि न पूज्यते' इत्यर्थस्याक्षेपः कार्यः। तथा च तस्यापि निषेधघटिततया तादृशेनोत्तरवाक्यार्थेन सहौपम्यप्रतीतौ न कापि बाधेति च समाधानदलस्याभिप्रायो वेद्यः।

अत्र यद्यपि 'चेत्, न' इत्यस्याग्रे 'अप्रकृतवाक्यार्थाक्षिप्तस्य' इतीदृश एव पाठः प्राप्तपुस्तके दृश्यते। भट्टमहोदयेन व्याख्यापि तदनुसारमेव कृता। तथापि मयाऽग्रिमग्रन्थस्वारस्येन 'प्रकृतवाक्यार्थाक्षिप्तस्य' इत्येतादृश एव पाठः स्वीकृतो व्याख्यातश्च। अग्रिमग्रन्थस्वारस्यं सुधियः स्वयमाकलयन्तु। अथाप्याशङ्कते–न चेति। अस्याग्रे 'एवम्' इति शेषो बोध्यः। कथं संगच्छतामिति। उपमेयत्वेनोक्तस्य 'गुणवानपि सङ्गविशेषं विना न पूज्यते' इत्यस्य वाक्यजन्योपस्थित्यविषयत्वादिति भावः।

समाधत्ते—वाक्यवेद्यस्यैवेति। यथा कथञ्चिद् वाक्यजन्यप्रतीतिविषयस्येत्यर्थः। तथा चोक्तार्थस्यापि वाक्यार्थत्वं सुस्थमिति भावः। तादृशार्थस्य यथाकथंचित् वाक्यजन्यप्रतीतिविषयत्वं समर्थयितुमाह—तथाहि इत्यादि। तत्त्वमिति। विरलः बहुषु कश्चनैकः

काव्यानाम् रामायण-महाभारतादीनाम् , किमपि विशिष्य वक्तुमयोग्यं, तत्त्वम् रहस्यम् , जानाति बुध्यते । समुचितं चैतत् । यतः मधुव्रतम् । भ्रमरम् , अन्तरेण विना, (अन्तरान्तरेण युक्ते-इति द्वितीया) कः, मरन्दानाम् परागाणाम् , मार्मिकः मर्मज्ञः ? न कोपीत्यर्थः । अत्रापि मधुव्रतातिरिक्तज्ञानाविषयतत्त्वककाव्यमित्युपमाकारो बोध्यः । वक्तव्यांशमुपपादयति—अत्रेत्यादिना । विधिमुखोऽपीति । विधिः मुखे आदौ, यस्य तादृशोऽपीत्यर्थः । पश्चात्तु निषेधरूप इति यावत् । तादृशेनैवेति । निषेधात्मकेनेत्यर्थः । अयं भावः—'तत्त्वं किमपि—' इत्यत्रापि प्रथमं विधिरूपतया प्रतीयमानस्य प्रकृतवाक्यार्थस्य निषेधरूपतया प्रतीयमानेनाप्रकृतवाक्यार्थेन सह कथमौपम्यं गम्येतेति शङ्का यद्यपि आपाततः समुदेति । तथापि पश्चात् प्रकृतवाक्यार्थोपि निषेधरूपतयैव पर्यवस्यति, तथा चोभयोः (प्रकृताप्रकृतवाक्यार्थयोः) निषेधरूपतयौपम्यस्य गम्यत्वे न किञ्चिद् बाधकम् । एवञ्च सिद्धं यथाकथञ्चिद् वाक्यजन्यप्रतीतिविषयस्यात्र प्रकरणे वाक्यार्थत्वमिति ।

ननु यत्र विधिमुखे वाक्यार्थस्तत्रैव पश्चात्तस्य निषेधरूपता संभवति, यत्र खलु विधिरूप एव वाक्यार्थस्तत्र तु न तस्य पश्चादपि निषेधात्मना संभवेदिति तथाविधस्थले का गतिरिति चेत्तत्रापि गतिमाह—यत्र तु इत्यादिना । प्रकृतवाक्यार्थ इति । 'गुणवान् सङ्गविशेषेण पूज्यते' इत्याकारक इत्यर्थः । विधिरूप इति । न तु विधिमुख इति भावः । ननु कथमस्य विधिरूपत्वं, न विधिमुखत्वमिति चेत्तत्राह—सङ्गविशेषहेतुकत्वस्येति । विधेयत्वादिति । निषेधरूपेण पर्यवसानाङ्गीकारे तु सङ्गविशेषहेतुकत्वस्य न विधेयत्वसंभव इति भावः । अवसीयते ज्ञायते । गतिस्वरूपमुद्घाटयति—तत्रापीति । हेतुताघटकव्यतिरेकस्येति । पूज्यत्वसाध्यकानुमितौ सङ्गविशेषः केवलव्यतिरेकी हेतुः, यत्र पूज्यत्वाभावस्तत्र सङ्गविशेषाभावः, यथा नीचः, इति व्यतिरेकव्याप्तेरेव संभवात् , दृष्टान्तानुपलब्ध्याऽन्वयव्याप्तेरसंभवादिति यावत् ।

तथा च हेतुतायां व्यतिरेकः (अभावः) घटकीभूत इति भावः । गुणतयेति । गौणतयेत्यर्थः । इदमत्राकूतम् 'सङ्गविशेषेण' इति हेत्वर्थक-तृतीयायाः सत्त्वे तद्धेतुकत्वस्य विधेयीभूतस्यानुरोधेन पूजायाः पूजाभावे पर्यवसानं न स्वीकर्तुमर्हमित्यत्र कथं विधिरूपस्य प्रकृतवाक्यार्थस्य निषेधरूपेणाप्रकृतवाक्यार्थेन सहौपम्यं गम्यमिति यद्यपि सत्यम् , तथापि सङ्गविशेषगतहेतुताशरीर एव पूर्वोक्तरीत्या गौणः अभावः प्रविष्ट इति तस्यैवाप्रकृतनिषेधात्मकवाक्यार्थेन सहौपम्यं गम्यं स्यादिति न काचित्त्रुटिरिति ।

एक शङ्का और उसका समाधान अब यहां किये जाते हैं—ननु इत्यादि । अब यहाँ आशङ्का यह उपस्थित होती है कि-प्रतिवस्तूपमा अलंकार में सर्वत्र सादृश्य की अभिव्यक्ति का सिद्धान्त जो स्थिर किया गया है वह कैसे संगत हो सकता है क्योंकि साधर्म्यमूलक प्रतिवस्तूपमा में सादृश्य की अभिव्यक्ति में किसी प्रकार की बाधा न रहने पर भी वैधर्म्यमूलक प्रतिवस्तूपमा में दो वाक्यार्थों के सादृश्य की अभिव्यक्ति अत्यन्त बाधित है । 'पचति (पकाता है)' और 'न पचति (नहीं पकाता है)' इन दोनों वाक्यार्थों में केवल पाकक्रिया की समता से परस्पर का सादृश्य अभिव्यक्त नहीं होता । कारण उत्तरवाक्यार्थ (न पचति) में निषिध्यमान होने से पाकक्रिया का अङ्कुर भी नहीं होने

पाता–अर्थात् पाकक्रिया जब वहाँ अङ्कुरित ही नहीं होने पाती है तब उसके आधार पर सादृश्य की बात उठ ही नहीं सकती। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 'वंशभवो गुणवानपि—' इत्यादि स्थल में 'गुणवान् सङ्गति विशेष के कारण पूजित होता है' इस विधि-घटित वाक्यार्थ का 'वीणादण्ड तुम्बीफलविहीन होकर महिमा को नहीं प्राप्त करता' इस निषेध-घटित वाक्यार्थ के साथ सादृश्य नहीं अभिव्यक्त हो सकता है क्योंकि सादृश्य की अभिव्यक्ति में अपेक्षित साधारण धर्म नहीं बन पाता। 'पूजित होना' और 'महत्त्व को प्राप्त करना' ये क्रियायें ही तो वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न होने से साधारण धर्मरूप होतीं। पर 'महत्त्व प्राप्त करना' क्रिया यहाँ निषिध्यमान है; फलतः नहीं है।

इस शङ्का का समाधान यह दिया जाता है कि—'गुणवान् सङ्गविशेष के कारण पूजित होता है' यह जो विधिघटित प्रस्तुत वाक्यार्थ है उससे ठीक विपरीत–अर्थात् 'गुणवान् सङ्गविशेष के विना पूजित नहीं होता है' यह—वाक्यार्थ आक्षिप्त होता है, और वही सादृश्य का आधार होता है।

तात्पर्य यह कि पूर्वोक्त विधि-घटित प्रस्तुत वाक्यार्थ का सादृश्य भले ही निषेध-घटित अप्रस्तुत वाक्यार्थ के साथ बाधित हो, पर विधि-घटित प्रस्तुत वाक्यार्थ-द्वारा आक्षिप्त पूर्वोक्त निषेध-घटित वाक्यार्थ का सादृश्य बाधित नहीं है; अर्थात् 'गुणवान् संगविशेष के विना पूजित नहीं होता' इस वाक्यार्थ का 'तुम्बीफल-विहीन वीणा-दण्ड महत्त्व को नहीं पाता' इस वाक्यार्थ के साथ पूजाभाव (पूजित न होना महत्त्व को न पाना) रूप वस्तु-प्रतिवस्तुभावमय साधारणधर्म के आधार पर औपम्य अभिव्यक्त हो सकता है और यहाँ औपम्य की अभिव्यक्ति से ईदृश औपम्याभिव्यक्ति ही वाञ्छित है।

यदि कहें कि इस प्रकार से–अर्थात् वाक्यार्थ द्वारा आक्षिप्त अर्थ को लेकर औपम्याभिव्यक्ति की उपपत्ति करने पर 'वाक्यार्थयोरौपम्यम्–अर्थात् दो वाक्यार्थों का औपम्य व्यक्त होता है—' यह कथन कसे संगत होगा? तो इसका उत्तर यह है कि यहाँ 'वाक्यार्थ' का तात्पर्य 'किसी तरह वाक्य द्वारा प्रतीत होने वाला अर्थ' है न कि वाक्य से प्रथमतः ज्ञात होने वाला ही अर्थ। फलतः वाक्यद्वारा आक्षिप्त अर्थ भी वाक्यार्थ समझा जायगा।

ऐसा अन्यत्र भी होता है। देखिये—'तत्त्वं किमपि—अर्थात् संसार में विरल व्यक्ति ही काव्यों के अनिर्वचनीय तत्त्व को समझता है। भ्रमर को छोड़ कर दूसरा कौन पुष्प-रसों का मर्मज्ञ होता है।'

यहाँ 'विरल व्यक्ति ही समझता है' यह प्रस्तुत वाक्यार्थ यद्यपि विधिमुख है—अर्थात् आरम्भ में विधि-घटित सा लगता है, तथापि अन्ततः उसका पर्यवसान 'कुछ खास व्यक्तियों को छोड़ कर सभी नहीं समझते' इस निषेधघटित वाक्यार्थ के रूप में ही होता है और जब प्रस्तुत वाक्यार्थ इस तरह से निषेध-घटित हो जाता है, तब उसका, उसी तरह के–अर्थात् निषेधघटित–द्वितीय (अप्रस्तुत) वाक्यार्थ (भ्रमर को छोड़कर पुष्प-रस का मर्मज्ञ दूसरा नहीं होता) के साथ सादृश्य स्पष्टतया ज्ञात होता है। यहाँ उपमा का आकार यह होगा कि—'जिसके तत्त्व को भ्रमर से अन्य नहीं समझ पाता उस पुष्प-रस के समान वह काव्य है जिसके तत्त्व को सकल साधारण जन नहीं समझ पाते हैं।'

'वंशभवः—' इत्यादि पूर्वोदाहृत पद्यों में तो—जहाँ प्रस्तुत—अर्थात् 'गुणवान् संग-विशेष से पूजित होता है' यह—वाक्यार्थ विधिरूप ही, विधिमुख नहीं, ज्ञात होता है क्योंकि 'सङ्गविशेषेण' इस तृतीयान्त पद से पूजा में सङ्गविशेषहेतुकता विधेयरूप में अवगत होती है, तात्पर्य यह कि 'सङ्गविशेष से पूजित होता है' इस वाक्यार्थ में आए हुए 'पूजित होता है' को 'पूजित नहीं होता है' इस रूप में नहीं बदला जा सकता क्योंकि

उस परिवर्तित वाक्यार्थ में सङ्गविशेष-हेतुकता की विधेयता असंभव हो जायगी। वहाँ भी हेतुता के अन्दर गौणरूप से प्रतीत होने वाले व्यतिरेक (निषेध = अभाव) का सादृश्य अबाधित ही है, अतः कोई दोष नहीं आता। अभिप्राय यह है कि—'वंशभवः—' इस पद्य में सङ्गविशेषरूप हेतु से पूजित होने की अनुमिति की जाती है इस अनुमिति में 'पूजित होना' है साध्य और 'सङ्गविशेष' है हेतु, और हेतु के अनेक प्रभेदों में से यह है केवल व्यतिरेकी हेतु–अर्थात् 'जहाँ-जहाँ सङ्गविशेष है वहाँ वहाँ पूजा है' इस तरह की अन्वय-व्याप्ति यहाँ नहीं बन सकती क्योंकि इस व्याप्ति में दृष्टान्त का मिलना असंभव है, अतः 'जहाँ-जहाँ पूजा का अभाव है वहाँ-वहाँ सङ्गविशेष का अभाव है, जैसे नीचजन' इस तरह से व्यतिरेकव्याप्ति ही बन सकेगी और केवल व्यतिरेकव्याप्ति से युक्त हेतु को ही केवल व्यतिरेकी हेतु कहा जाता है। ऐसी स्थिति में इस हेतुता के भीतर 'पूजा का अभाव = पूजित न होना' आ जाता है बस, उसी को लेकर निषेधघटित अप्रस्तुत वाक्यार्थ (वीणादण्ड महत्त्व नहीं प्राप्त करता) के साथ औपम्य की प्रतीति मानने में किसी प्रकार की बाधा नहीं रह जाती है।

विशेषान्तरमाह—

इयं च वाक्यार्थयोः सामान्यविशेषभावाऽनापन्नयोर्भवति तत्रैवौपम्यस्य गम्यत्वात्। सामान्यविशेषयोस्त्वौपम्याप्रतीतेः समर्थ्यसमर्थकयोरर्थान्तरन्यासो वक्ष्यते।

इयं चेति। प्रतिवस्तूपमा चेत्यर्थः। तत्रैवेति। सामान्यविशेषभावानापन्नवाक्यार्थयोरित्यर्थः। ययोर्वाक्यार्थयोः सामान्यविशेषभावो न भवति—अर्थात् विशेषरूपावेव यौ वाक्यार्थौ भवतः, तयोरेव प्रतिवस्तूपमालंकारो जायते, यतः औपम्यप्रतीतिरेवास्यालंकारस्य जीवातुः, सा च विशेषभूतयोरेवार्थयोः सम्भवतीति भावः। ननु तर्हि सामान्यविशेषभावापन्नयोर्वाक्यार्थयोः प्रतिवस्तूपमोपयुक्तस्थितिविशेषे कोऽलंकार इति चेत्तत्राह—सामान्यविशेषयोस्त्विति। औपम्याप्रतीतेरिति। 'सामान्यं विशेषान्नातिरिच्यते' इति न्यायानुसारं सामान्यस्य विशेषाद् भेदाभावे भेदघटितसादृश्यात्मिकाया उपमाया असंभवादिति भावः।

सामान्यविशेषभावापन्नयोर्वाक्यार्थयोरुक्तयुक्त्यौपम्याप्रतीतौ समर्थ्यसमर्थकभावाङ्गीकारेण वक्ष्यमाणोऽर्थान्तरन्यासाभिधोऽलंकार इति सारांशः।

एक अन्य विशेष का स्पष्टीकरण किया जाता है—इयं च इत्यादि। यह प्रतिवस्तूपमा उन्हीं दो वाक्यार्थों में होती है जिनमें सामान्य-विशेषभाव नहीं रहता-अर्थात् दो विशेषभूत वाक्यार्थों में ही प्रतिवस्तूपमा होती है, क्योंकि इस अलंकार का मूल तत्त्व औपम्याभिव्यक्ति है और औपम्य की अभिव्यक्ति दो विशेषभूत अर्थों में ही होती है, सामान्य और विशेष में नहीं। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर यह होगा कि सामान्य-विशेष में वस्तुतः कोई भेद नहीं होता–अर्थात् सामान्य वस्तु अन्ततः अपने विशेषरूप में ही पर्यवसित होती है, अतः भेदघटित सादृश्य वहाँ नहीं हो सकता। तात्पर्य यह कि उपमा दो में होती है और वहाँ वस्तुतः दो पदार्थ रहते नहीं हैं।

आप पूछिये कि प्रतिवस्तूपमा की शैली में यदि दो-सामान्य विशेषभूत वाक्यार्थ वर्णित हों, तब वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो मैं कहूँगा कि उस स्थिति में उन दोनों

(सामान्यविशेषभूत) वाक्यार्थों में समर्थ्य-समर्थकभाव होता है और समर्थ्य-समर्थक भावस्थल में अर्थान्तरन्यास नाम का अलंकार आगे कहा जायगा।

अथाप्पयदीक्षितोक्तमालोचयितुमुपक्रमते—

यत्तु कुवलयानन्दकृता वैधर्म्यमुदाहृतम्—

'विद्वानेव हि जानाति विद्वज्जन-परिश्रमम्।
नहि बन्ध्या विजानाति गुर्वीं प्रसव-वेदनाम्॥'
'यदि सन्ति गुणाः पुंसां विकसन्त्येव ते स्वयम्।
नहि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते॥'

तत्र 'विद्वानेव हि जानाति' इति पद्यं भवतु नाम यथाकथंचिद्वैधर्म्यस्योदाहरणम् 'यदि सन्ति' इति तु न युक्तम्। वैधर्म्योदाहरणं हि प्रस्तुत-धर्मिविशेषोपारूढार्थदार्ढ्याय स्वाक्षिप्त-स्वव्यतिरेकसमानजातीयस्य धर्म्यन्तरारूढस्याप्रकृतार्थस्य कथनम्। प्रकृते च यदि सन्ति तदा स्वयमेव प्रकाशन्त इत्यर्थस्य प्रस्तुतस्य व्यतिरेकस्तु असन्त उपायान्तरेणापि न प्रकाशन्त इति। नह्यत्र द्वितीयार्धेन तत्सजातीयोऽर्थो निबध्यते। निबध्यते च स्वयं प्रकाशन्ते, न परेणेत्यस्य प्रस्तुतस्यैव सजातीयः। शपथेन न विभाव्यते, किं तु स्वयमेवेति प्रकृतार्थानुरूपतयैव पर्यवसानात्।

न हि वैधर्म्ये प्रकृतानुरूप्यं जातुचिद्घटते, व्याघातात्। तस्मात्साधर्म्येणैवेदमुदाहरणं संगतम्, न वैधर्म्येण। न चोपायान्तरनिवृत्त्यघटितप्रस्तुतवाक्यार्थेन कथं नाम तद्घटित उत्तरवाक्यार्थः साधर्म्यमर्हतीति वाच्यम्। स्वयमित्यत्राकृष्टेन एवकारेणैवोपायान्तरनिवृत्तेः प्रस्तुतवाक्यार्थे निवेशितत्वात्। अत्यन्तायोगव्यवच्छेदस्योत्तरवाक्यार्थानतुगृहीतत्वेन क्रियासमभिव्याहारायोगात्।

'सन्तः स्वतः प्रकाशन्ते गुणा न परतो नृणाम्।
आमोदो नहि कस्तूर्याः शपथेनानुभाव्यते॥'

अत्र स्वतोऽनुभूयत इत्यत्र पर्यवसितेनोत्तरवाक्यार्थेन पूर्ववाक्यार्थस्य यथा साधर्म्यमेव, न वैधर्म्यम्, तथा 'यदि सन्ति—'इति पद्येऽपीति नञ्मात्राश्रयणादेव वैधर्म्यं जगदे, न तु निपुणतरं निरीक्षितमायुष्मता। यदि तु 'यदि सन्ति' इति पद्यस्य 'नहि कस्तूरिका–'इत्याद्युत्तरार्धं दूरीकृत्य 'वाचा वाचस्पतेर्व्योम्नि विलसन्ति न वल्लयः' इति क्रियते, तदा वैधर्म्यं प्रकृतविपरीतार्थघटनाप्युक्तम्।

कुवलयानन्दकृतेति। अप्पयदीक्षितेनेत्यर्थः। वैधर्म्यमिति। प्रतिवस्तूपमायामिति यावत्। उदाहृतमिति। कुवलयानन्दाख्ये स्वनिबन्ध इति भावः। 'विद्वानेव…' इति। विद्वानेव बुधजन एव, विद्वज्जनानाम् बुधजनानाम्, परिश्रमम् ग्रन्थनिर्माणायासम्, जानाति वेत्ति। बन्ध्या अजातसन्ततिर्नायिका' गुर्वीं महतीं, प्रसववेदनां सन्ततिजन्मपीडां, न, विजानाति नावगच्छतीत्यक्षरार्थः। 'यदि सन्ति…' इति। पुंसां पुरुषाणां गुणाः धैर्य-

वीर्यार्जवादयः, यदि, सन्ति वर्तन्ते तर्हि, ते गुणाः, स्वयमेव, न परत इति यावत्, विकसन्ति विकासमाप्नुवन्ति, प्रसरन्तीति यावत्, हि यतः, कस्तूरिकाया मृगमदस्य, आमोदः सौरभम्, शपथेन, न, विभाव्यते प्रत्याय्यते इत्यक्षरार्थः। पद्यद्वयमिदम् कुवलयानन्दे दीक्षितेन वैधर्म्यमूलकप्रतिवस्तूपमोदाहरणप्रस्तावे समुद्धृतम्। पण्डितराजस्तत्र निजापत्तिं प्रकटयति—तत्रेत्यादिना। तत्रेति। तयोर्मध्य इत्यर्थः। यद्यपि 'विद्वानेव—' इत्यत्रापि एवकारबलेन 'अविद्वान्न जानाति' इत्यर्थः प्रतीयते। तस्य चोत्तरवाक्यार्थः सधर्मा एवेति वैधर्म्योदाहरणत्वमस्याप्ययुक्तम्। तथापि 'भूतल एव वन्ध्यापुत्रः' इत्यादि प्रयोगवारणाय भावान्वयस्यापि विवक्षितत्वमस्त्येवेति संभवत्यस्य वैधर्म्योदाहरणत्वमिति ध्वनयन्नाह—यथा कथंचिदिति। न युक्तमिति। वैधर्म्यस्योदाहरणमिति पूर्वोक्तस्यानुषङ्गः। कुतो न युक्तमिति चेत्तत्राह—वैधर्म्योदाहरणमिति। वैधर्म्योदाहरणत्वं परिभाषते—प्रस्तुतधर्मिविशेषोपारूढेत्यादि। प्रस्तुतो यो धर्मिविशेषः (यथा 'तत्त्वं किमपि—' इत्युदाहरणे विरलः) तदुपारूढस्य तत्संबद्धस्येति यावत्, अर्थस्य, (विरल एव काव्यानां तत्त्वज्ञः इत्यस्य) दार्ढ्याय स्पष्टतया बुद्धावुपारोहाय, स्वेन पूर्वोक्तप्रस्तुतार्थेन, आक्षिप्तो यः, स्वव्यतिरेकः स्वाभावः पुरुषविशेषं विना सर्वे न जानन्ति काव्यतत्त्वमित्यर्थ इति यावत्, (अत्र स्वेन 'मार्मिकः कः' इत्यादि प्रकृतवाक्यार्थेन, आक्षिप्तो यः स्वव्यतिरेकसमानजातीयः = प्रकृतार्थप्रतिद्वन्द्वी" इति सरलाकारकृता व्याख्या तु अशुद्धैवेति न तिरोहितं तिष्ठेन्मर्मज्ञानाम्) तत्समानजातीयस्य, धर्म्यन्तरारूढस्य मधुव्रतसंबद्धस्येति यावत्, अप्रकृतार्थस्य मधुव्रतातिरिक्तो न मरन्दमर्मज्ञ इत्यर्थस्येति यावत्, कथनमिति भावः। 'यदि सन्ति—' इत्यत्र तु न तत्परिभाषितं वैधर्म्योदाहरणत्वं संभवतीत्याह—प्रकृते चेत्यादिना। असन्त इति। अवर्तमाना इत्यर्थः। उपायान्तरेणापीति, स्वतस्तु कथैव केति भावः। अत्रेति। 'यदि सन्ति—' इति पद्य इत्यर्थः, द्वितीयार्धेनेति। 'नहि कस्तूरिकामोदः' इत्यादिनेत्यर्थः। तत्सजातीय इति, 'असन्त उपायान्तरेणापि न प्रकाशन्ते' इत्यर्थसमानजातीय इति भावः। कस्यार्थस्य सजातीयस्तर्हि तेन निबध्यत इति चेत्तत्राह—निबध्यते चेति। कथं तस्य तत्सजातीयत्वमिति चेत्तत्राह—'शपथेन···' इति प्रकृतार्थानुरूपतयेति। जातुचित् कदाचित्। व्याघातादिति, सहृदयहृदयसाक्षिकवैकल्यापादकत्वादिति भावः। पर्यवसितार्थमाह—तस्मादिति। दीक्षितोक्तिसमर्थकं युक्त्याभासमाशङ्कते—न चेति, उपायान्तरनिवृत्तीति। अन्योपायनिषेधेत्यर्थः। तद्घटित इति। उपायान्तरनिवृत्तिघटित इत्यर्थः। 'यदि सन्ति—' इत्यत्र 'गुणाः स्वयमेव प्रकाशन्ते' इत्यर्थेन गुणानां प्रकाशने यदन्यत्साधनं तस्य निषेधो न कृतः इति सोऽर्थ उपायान्तरनिवृत्त्यघटितः। 'शपथेन न विभाव्यते' इत्युत्तरवाक्यार्थस्तु शपथरूपोपायान्तरनिषेधघटित इति कथमनयोः सधर्मत्वमिति शङ्कादलाशयः। उत्तरयति—स्वयमित्यत्राकृष्टेनेति। अयं भावः—'विकसन्त्येव' इत्यत्रोक्त एवकारः 'स्वयम्' इत्यत्राकृष्यते। तथा च 'स्वयमेव न परतः' इत्यर्थप्रतीतौ प्रस्तुतवाक्यार्थोऽप्युपायान्तरनिवृत्तिघटितो जायत एवेति। नन्वेवकारस्यात्यन्तायोगव्यवच्छेदार्थकत्वेन कथं तत्राकर्षणम्, तदर्थकस्यैवकारस्य क्रियासमभिव्याहारनियमादित्यत आह—अत्यन्तायोग इति। अननुगृहीतत्वेनेति। प्रतिकूलत्वेनेत्यर्थः। क्रियासमभिव्याहृत एवकारोऽत्यन्तायोगव्यवच्छेदार्थको भवति।

प्रकृते च तदर्थकैवकाराश्रयणे गुणेषु प्रकाशायोगव्यावृत्तेः प्रतीयमानायाः 'आमोदः शपथेन न अनुभाव्यते' इत्युत्तरवाक्यार्थेन दृष्टान्तभूतेन न संगतिरिति नात्रैवकारस्य क्रियासमभिव्याहार आश्रयितुमुचितो न वाऽत्यन्तायोगोऽर्थ इति भावः। 'यदि सन्ति—' इति पद्यस्य स्वाभिमतं साधर्म्योदाहरणत्वं दृष्टान्तमुखेन द्रढयति—'सन्तः स्वतः—' इति। सन्तः विद्यमानाः, नृणाम् मनुष्याणां, गुणाः शौर्यादयः, स्वतः, प्रकाशन्ते प्रकटतामायान्ति, परतः अन्यतः, न, प्रकाशन्ते इति शेषः। कस्तूर्याः, आमोदः, शपथेन, न, अनुभाव्यते इत्यर्थः। प्रकृतवक्तव्यमाह—अत्रेत्यादिना। इत्यत्रेति। इत्यस्मिन् रूपे इत्यर्थः। कथं तर्हि वैधर्म्यमुक्तं दीक्षितेनेत्यत्राह—नञिति। जगदे उक्तवान्। आयुष्मतेति। अप्पयदीक्षितेनेति भावः। दीक्षितोद्धृतपद्ये वैधर्म्योचितं पाठं दर्शयति—यदि तु इत्यादिना। 'वाचा वाचस्पतेः···' इति। वाचस्पतेः बृहस्पतेः, वाचा वचनेन, वल्लयः लताः व्योम्नि आकाशे, न विलसन्ति न प्रसरन्तीत्यर्थः। प्रकृतविपरीतार्थेति। प्रकृतात् = 'वर्तमाना गुणाः स्वयमेव विकसन्ति' इति पूर्वार्धोक्तादर्थात्, विपरीतः सर्वथा प्रतिद्वन्द्वी, यः, अर्थः 'वाचा वाचस्पते' रित्यादिरूपः तस्य घटनादियोजनात् इत्यर्थः। प्रस्तुतार्थाक्षिप्तस्य प्रस्तुतव्यतिरेकरूपस्य 'असन्तउपायान्तरेणापि न प्रकाशन्ते' इत्यर्थस्य सजातीयोऽयमप्रकृतार्थः सम्पद्यत इति वैधर्म्योदाहरणत्वं संभवतीति भावः।

अब कुवलयानन्दकार की आलोचना की जा रही है—यत्तु इत्यादि।

'विद्वानेव—अर्थात् कोई विद्वान् ही विद्वज्जन के परिश्रम को जानता है। बाँझ स्त्री महती प्रसव-पीड़ा को नहीं समझ पाती है।'

'यदि सन्ति—अर्थात् यदि पुरुषों में वस्तुतः गुण हैं तो वे स्वयं विकसित होते हैं—अनायास ही फैलते हैं। कस्तूरी की गन्ध शपथ के द्वारा नहीं अनुभूत कराई जाती है।' ये दोनों ही पद्य कुवलयानन्दकार अप्पय दीक्षित ने अपने ग्रन्थ में प्रतिवस्तूपमा-अलंकार के वैधर्म्यमूलक भेद के उदाहरण रूप से उद्धृत किये हैं।

यहाँ पण्डितराज का कथन है कि प्रथम पद्य तो किसी तरह वैधर्म्यमूलक प्रतिवस्तूपमा का उदाहरण हो सकता है। 'किसी तरह' कहने का अभिप्राय यह है कि यद्यपि 'विद्वान् ही विद्वान् के श्रम को समझता है' इस उक्ति से (एव = ही से) 'अविद्वान् नहीं समझता' यह अर्थ भी प्रतीत होता है और इस प्रतीत अर्थ का विधर्मा (विपरीत) 'बाँझ प्रसव-पीड़ा को नहीं समझती' यह उत्तर-वाक्यार्थ नहीं होता, अपि तु सधर्मा ही हो जाता है, अतः इस पद्यके विषय में भी 'वैधर्म्य का उदाहरण कैसे हुआ' यह शंका उठ सकती है, तथापि एवकार के बल से प्रतीत होने वाले 'अविद्वान् नहीं जानता' इस अभावात्मक अर्थ के साथ-साथ 'विद्वान् जानता है' इस भावात्मक अर्थ का भी बोध अवश्य मानना पड़ता है, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति में भावात्मक अर्थ सर्वथा नहीं माना जाय तब 'भूतल एव बन्ध्यापुत्रः—(पृथ्वी पर ही बाँझ का पुत्र है) ऐसा प्रयोग भी होने लगेगा तात्पर्य यह कि इस प्रयोग के न होने का कारण है भूतल या कहीं बाँझ के पुत्र का वस्तुतः न होना। अब यदि इस वाक्य से 'भूतल से अन्यत्र वन्ध्या का पुत्र नहीं है' इस अभावात्मक अर्थ का ही केवल बोध हो तब उक्त प्रयोग के होने में कोई बाधा नहीं रह जाती। और उक्त भावात्मक प्रकृत अर्थ का विधर्मा उक्त अप्रकृत अर्थ है ही, अतः, वह पद्य वैधर्म्य का उदाहरण हो सकता है।

पर दूसरा—अर्थात् 'यदि सन्ति' यह पद्य तो वैधर्म्य का उदाहरण नहीं हो सकता है, क्योंकि वैधर्म्योदाहरण का अभिप्राय है ऐसा उदाहरण जिसमें प्रस्तुत किसी खास धर्मी से सम्बद्ध अर्थ को दृढ़ करने के लिये ऐसा अप्रकृत अर्थ कहा गया हो जो प्रस्तुत अर्थ से आक्षिप्त स्वविरुद्ध अर्थ की जाति का हो और किसी दूसरे खास धर्मी से संबद्ध हो। जैसे—तत्त्वं किमपि—' इस पद्य में प्रस्तुत 'विरल' रूप खास धर्मी (आश्रय) से सम्बद्ध जो 'काव्य के तत्त्व को जान पाता है, यह अर्थ है उस को दृढ़ करने के लिये जो 'भ्रमर से अन्य पुष्परस का मर्मज्ञ नहीं होता' यह अर्थ कहा गया है वह उक्त प्रस्तुत अर्थ से आक्षिप्त तथा प्रस्तुतार्थ-विपरीत 'सब काव्य-तत्त्व को नहीं जान पाते' इस अर्थ का सजातीय है और भ्रमररूप अन्य खास धर्मी से सम्बद्ध भी। (सरलाकार ने इसी पद्य में इस बात को संघटित करते हुए जो कुछ कहा है वह असंगत सा प्रतीत होता है। जिज्ञासु जन परीक्षा कर देखें।)

और प्रकृत में—अर्थात् 'यदि सन्ति—' इस पद्य में 'गुण यदि हैं तो वे स्वयमेव प्रकाशित होते हैं' इस प्रस्तुत अर्थ का व्यतिरेक—अर्थात् विपरीत अर्थ—जो उक्त प्रस्तुत अर्थ से आक्षिप्त हो सकता है—होगा कि 'जो गुण नहीं हैं वे किसी भी उपाय से प्रकाशित नहीं हो सकते' और यहाँ उत्तरार्ध—अर्थात् 'नहि कस्तूरिका—' से तत्सजातीय अर्थ वर्णित हुआ नहीं है। यहाँ उक्त उत्तरार्ध से वर्णित हुआ है 'स्वयं प्रकाशित होते हैं' दूसरों के द्वारा नहीं' इस प्रस्तुतार्थ का ही सजातीय। कारण, उत्तरार्ध का जो 'शपथ के द्वारा नहीं प्रतीत कराया जाता, किंतु स्वयमेव' यह पर्यवसित अर्थ होता है वह प्रस्तुतार्थ का अनुरूप ही है। वैधर्म्य-स्थल पर कभी भी—प्रस्तुतार्थानुरूपता संघटित नहीं होती, क्योंकि प्रस्तुत का वैधर्म्य और प्रस्तुत की अनुरूपता ये दोनों परस्पर विरुद्ध बातें हैं। अतः 'यदि सन्ति—' इस पद्य को साधर्म्यमूलक प्रतिवस्तूपमा का ही—उदाहरण मानना संगत है, वैधर्म्यमूलक प्रतिवस्तूपमा का नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि वैधर्म्यमूलक उदाहरण की जो परिभाषा ऊपर की गई है उसके अनुसार उक्त पद्य वैधर्म्यमूलक का उदाहरण नहीं हो सकता है।

आप कहेंगे कि आप ने जो उक्त पद्य को साधर्म्यमूलक प्रतिवस्तूपमा का उदाहरण मानने को कहा है वह भी तो संगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उपायान्तर-निवृत्ति की चर्चा से रहित प्रस्तुत वाक्यार्थ के साथ उपायान्तर-निवृत्ति की चर्चा से युक्त उत्तर वाक्यार्थ का साधर्म्य (सजातीयता) नहीं हो सकता है।

अभिप्राय है कि 'यदि सन्ति गुणाः—' इस प्रस्तुत वाक्यार्थ में स्वतो विकसनशील-गुणों के अन्योपाय द्वारा संभावित विकास का निषेध उक्त नहीं है—अर्थात् 'अन्य के द्वारा विकसित नहीं होते' ऐसा नहीं कहा गया है और 'नहि कस्तूरिकामोदः—' इस अप्रस्तुत वाक्यार्थ में वह—अर्थात् 'शपथ के द्वारा नहीं' ऐसा स्पष्ट कहा गया है। ऐसी स्थिति में ये दोनों वाक्यार्थ सधर्मा—सजातीय नहीं कहे जा सकते।

पर यह कथन भी आपका उचित नहीं होगा, क्योंकि 'विकसन्त्येव' यहाँ जो 'एव' शब्द है उसका 'स्वयम्' के निकट आकर्षण हो जाने के कारण उपायान्तर-निवृत्ति का निवेश प्रस्तुत वाक्यार्थ में भी हो जाता है—अर्थात् 'स्वयमेव' ऐसा कहने से अपने आप ज्ञान हो जाता है कि 'अन्य से नहीं'। तात्पर्य यह कि अन्ययोग-व्यवच्छेदार्थक 'एव' का स्वभाव ही वैसा है जिससे उक्त अर्थ भासित हो जाता है।

आप कहेंगे कि यहाँ अन्ययोगव्यवच्छेदार्थक 'एव' है कहाँ, यहाँ तो अत्यन्तायोगव्यवच्छेदार्थक 'एव' है, क्योंकि उसका संबन्ध यहाँ क्रिया के साथ है ('विकसन्त्येव'

पर ध्यान दीजिए) और क्रियान्वयी एव अत्यन्तायोगव्यवच्छेदार्थक ही हुआ करता है, अन्ययोगव्यवच्छेदार्थक नहीं। तात्पर्य यह सिद्ध हुआ कि यहाँ 'एव' की महिमा से 'विकसित होते ही हैं' ऐसा ही अर्थ समझा जा सकता है, 'स्वयमेव' यह अर्थ नहीं और जब यह अर्थ नहीं समझा जायगा तब 'दूसरे उपाय से नहीं' यह फलित होगा कैसे? और जब ऐसा फलित नहीं होगा तब प्रस्तुतार्थ में उपायान्तर-निवृत्ति वाली बात कही नहीं जा सकती। पर इसका भी उत्तर है और यह है कि—पूर्वार्ध में छन्द के अनुरोध से 'एव' पद का प्रयोग भले ही क्रियाबोधक पद के साथ कर दिया गया हो, किन्तु उसका अन्वय 'स्वयम्' के साथ ही मानना पड़ेगा, अन्यथा (उसे क्रियान्वित मानकर 'विकसित होते ही हैं' ऐसा अर्थ करने पर) उस अर्थ की उत्तर वाक्यार्थ के साथ संगति नहीं हो सकेगी—अर्थात् 'गुण विकसित होते ही हैं' इस स्थापना में 'कस्तूरी का सौरभ शपथ से ज्ञापित नहीं होता' यह दृष्टान्त नहीं हो सकता, अपितु 'कस्तूरी का सौरभ छिपाया नहीं जा सकता' यह दृष्टान्त हो सकता था। फलतः मानना पड़ेगा कि यहाँ 'एव' का क्रिया के साथ संबन्ध नहीं है, अतः अत्यन्तायोग-व्यवच्छेद अर्थ भी उसका नहीं है।

'यदि सन्ति–' यह पद्य साधर्म्यमूलक प्रतिवस्तूपमा का ही उदाहरण हो सकता है इस बात को तत्समान दृष्टान्तभूत उदाहरण के आधार पर दृढ़ कीजिए। 'सन्तः स्वतः—अर्थात् मनुष्यों में वर्तमान रहने वाले गुण स्वतः प्रकाशित होते हैं, दूसरों के द्वारा नहीं। कस्तूरी का सौरभ शपथ के द्वारा नहीं अनुभूत कराया जाता।' इस पद्य में 'कस्तूरी का सौरभ स्वतः अनुभूत होता है' इस रूप में पर्यवसित होने वाले उत्तर-वाक्यार्थ के साथ जैसे पूर्व वाक्यार्थ का साधर्म्य ही है, वैधर्म्य नहीं, उसी तरह 'यदि सन्ति—' इस दीक्षितोद्धृत पद्य में भी। तात्पर्य यह कि अनुपदोक्त पद्य से दीक्षितोक्त पद्य में कोई खास अन्तर नहीं है। अन्तर केवल इतना भर है कि दीक्षितोक्त पद्य में प्रस्तुत पूर्वार्ध का 'परतो न' यह अंश 'एव' पद की शक्ति से ज्ञात होता है और ग्रन्थकारोक्त पद्य में वह अंश 'परतो न' इन्हीं पदों से ज्ञात होता है। पर यह अन्तर कोई महत्त्व नहीं रखता। अतः अन्त में यही कहना पड़ता है कि दीक्षितजी ने केवल उत्तर वाक्य में प्रयुक्त नञ् (नहि कस्तूरिका···) को आधार मानकर वहाँ वैधर्म्य की बात कह दी। गम्भीर विचार उनने नहीं किया।

यदि 'यदि सन्ति—' इस पद्य के 'नहि कस्तूरिका—' इस उत्तरार्ध को हटाकर, उसके स्थान पर 'वाचा वाचस्पतेः'—अर्थात् बृहस्पति की उक्ति से भी आकाश में लतायें फैलने नहीं लगतीं।' यह उत्तरार्ध कर दिया जाय तब अवश्य ही वह परिवर्तित पाठ-युक्त पद्य वैधर्म्य का उदाहरण हो सकता है, क्योंकि तब ठीक उत्तरार्ध के द्वारा प्रस्तुत-पूर्वार्ध-विपरीत अर्थ कहा गया समझा जा सकेगा।

स्वसिद्धान्तेऽप्याक्षेपं तत्समाधानञ्च विधत्ते—

अथ—

'खलास्तु कुशलाः स्वीयहितप्रत्यूहकर्मणि।
निपुणाः फणिनः प्राणानपहर्तुं निरागसाम्॥'

इत्यत्रासंष्ठुलवाक्यार्थेऽतिप्रसङ्गः, कुशलनिपुणपदाभ्यामेकस्यैव धर्मस्योपादानात्। न चात्रौपम्यं न गम्यमिति वक्तुं शक्यम्। निपुणकुशलपदाभ्यां प्रतिपादितेन शब्दसामान्यात्मना धर्मेण खलफणिनोरौपम्यस्य प्रत्ययात्।

नापि धर्मिणोरौपम्येऽपि विशिष्टवाक्यार्थयोस्तन्न तथेति वाच्यम्, अवयवद्वारा तयोरपि तस्य तथात्वात्। स्वभावसिद्धत्वेनानुपात्तधर्मेणौपम्यस्य गम्यत्वाच्चेति चेत्, मैवम्, साधारणधर्मस्य वस्तुप्रतिवस्तुभावोक्त्या तदितरपदार्थानां बिम्बप्रतिबिम्बभावो घटनाया आनुरूप्यं च विवक्षितम्। प्रकृते च खलफणिनोः प्राणहितयोश्च सत्यपि बिम्बप्रतिबिम्बभावे हरण-प्रत्यूहकरणयोर्नाश-प्रागभावपर्यवसितयोरनानुरूप्यान्न बिम्बप्रतिबिम्बभाव इति न दोषः। यद्वा अस्त्वत्र प्रतिवस्तूपमा। परं त्वसंष्ठुलतारूपस्य वाक्यार्थसामान्यदोषस्य सत्त्वादचमत्कारिणी, दुष्टोपमादिवत्। वाक्यार्थो हि गाढतरव्युत्पत्तिनिपुणीकृतान्तःकरणैर्नानाविधपदार्थरचनापरिवृत्तिसमर्थैरेव कविभी रचितः कामपि कमनीयतामाधत्ते, नेतरः।

'खलास्तु—' इति। खलाः दुर्जनाः, स्वीयानाम् आत्मीयजनानाम्, यानि हितानि, तेषां, प्रत्यूहकर्मणि तत्प्रतिबन्धकर्मणि, कुशलाः प्रवीणा भवन्तीति शेषः। फणिनः सर्पाः निरागसाम् निरपराधानाम्, प्राणान् असून् अपहर्तुम् नाशयितुम्, निपुणाः प्रवीणा भवन्तीत्यर्थः। असंष्ठुलेति। मिथोवैषम्यादरुचिरेत्यर्थः। 'उटपटाँग' इति भाषेति सरलाकारः। अतिप्रसङ्ग इति। प्रतिवस्तूपमालक्षणस्येति भावः। अतिप्रसङ्गहेतुमुद्घाटयति—कुशलनिपुण-इत्यादिना। उपादानादिति। तथा च वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नसाधारणधर्मसम्पत्तेरिति भावः। लक्षणगतापरांशविरहमाशङ्कते—न चेति। समाधत्ते—निपुणकुशलपदाभ्यामिति। शब्दसामान्यात्मना धर्मेणेति। शब्दात्मकसमानधर्मेणेत्यर्थः। प्रत्ययात् प्रतीतेः पुनरतिप्रसङ्गाभावोपपादकयुक्तिमाशङ्कते—नापि धर्मिणोरिति। न खलफणिनोरित्यर्थः। तन्न तथेति। औपम्यं गम्यन्नेत्यर्थः। समाधत्ते—अवयवद्वारेति। तयोरपीति। विशिष्टवाक्यार्थयोरित्यर्थः। तस्येति। औपम्यस्येत्यर्थः। तथात्वादिति। गम्यत्वादित्यर्थः। स्वभावसिद्धत्वेनानुपात्तधर्मेणेति। स्वभावसिद्धत्वात्मकानुक्तधर्मेणेत्यर्थः। अत्र "तादृशौपम्यस्यैकधर्मस्य संबन्धिभेदेन द्विरुपादानरूपवस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नसाधारणधर्मकत्वाभावान्न प्रतिवस्तूपमोपयोगितेति चिन्त्यमिदम्।" इति नागेशः। निरस्यति—मैवमिति। एवम्–पूर्वोक्तम् न युक्तमित्यर्थः। तस्यायुक्तत्वे हेतुमाह—साधारणधर्मस्येति। घटनायाः योजनायाः। आनुरूप्यम् एकरूपता। विवक्षितमिति। अत्रेति शेषः। किं तावतेत्यत्राह—प्रकृते चेति। नाशप्रागभावपर्यवसितयोरिति। नाशो ध्वंसः, प्रागभावः अनुत्पत्तिः तद्रूपयोरित्यर्थः। हरणं ध्वंसः, प्रत्यूहकरञ्चानुत्पत्तिपर्यवसायीति विवेकः। अनानुरूप्यादिति। विसदृशत्वादित्यर्थः। दोष इति। अतिप्रसङ्गरूप इत्यर्थः। ननु तयोरभावत्वेनानुरूप्यादस्त्येव बिम्बप्रतिबिम्बभाव इत्यतः पक्षान्तरमाह—यद्वेति। अत्रेति। 'खलास्तु–' इति पद्य इत्यर्थः। असंष्ठुलतारूपस्येति। पूर्ववाक्यार्थघटकहितप्रत्यूहकर्मणीत्यत्रत्यनामार्थविभक्त्यर्थादीनामुत्तरवाक्यार्थघटके प्राणानपहर्तुमित्यत्राभावादसंष्ठुलतेति भावः। असंष्ठुलतादोषयुक्तवाक्यार्थपरिचयायाह—वाक्यार्थो हीत्यादि। गाढतरेति। गाढतरया तलप्रवेशिन्या, व्युत्पत्त्या बुद्धिशक्त्या, निपुणीकृतानि सत्काव्यरचनोपयुक्तीकृतानि, अन्तःकरणानि हृदयानि येषां तैः, तथा नानाविधानां, पदार्थानां,

रचनायां, परिवृत्तौ च समर्थैः इति भावः। नेतर इति। तादृशकविभिन्नजनरचित इत्यर्थः। कुशलनिपुणात्मकवस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नशब्दसामान्यमूलकस्य प्रथमं खलनिपुणयोर्धर्मिणोस्ततस्तद्द्वारा समग्रवाक्यार्थयोश्चौपम्यस्य गमकत्वेन मूलोक्तप्रतिवस्तूपमालक्षणं 'खलाः–' इत्यसंष्ठुलवाक्यार्थेऽतिव्याप्तमिति शङ्कादलस्य, लक्षणे धर्मस्य वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नत्वकथनेन धर्मेतरौपम्यसामग्रीघटकपदार्थानां बिम्बप्रतिबिम्बभावः अपेक्षित इति ध्वननेन 'खलाः–' इत्यत्र च खलसर्पयोः प्राणहितयोश्च बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नत्वेऽपि ध्वंसपर्यवसायिनो हरणस्य प्रागभावपर्यवसायिनः प्रत्यूहकरणस्य च मिथः सादृश्यविरहेण बिम्बप्रतिबिम्बभावानापन्नतया नातिव्याप्तं तल्लक्षणमिति, प्रतिवस्तूपमायाः कथंचित्तत्र स्वीकृतावपि जातिप्रमाणगतन्यूनत्वाधिकत्वाभ्याम् लिङ्गसंख्याभेदात्मकाभ्यां वा दोषाभ्यां दुष्टा उपमादयो यथा त्याज्यास्तथाऽसंष्ठुलतात्मकवाक्यार्थदोषदुष्टेयं प्रतिवस्तूपमाऽग्राह्यैवेति वा समाधानदलस्याभिप्रायो बोध्यः।

अपने सिद्धान्त में भी एक आक्षेप करके उसका समाधान अब ग्रन्थकार के द्वारा किया जाता है—अथ इत्यादि।

इसके बाद यदि यह कहा जाय कि आप का प्रतिवस्तूपमालक्षण 'खलाः'—अर्थात् खल जन, स्वजनों के हितों में विघ्न उपस्थित करने में निपुण होते हैं। सर्प निरपराध जनों के प्राणों को हरने के लिये प्रवीण होते हैं।' इस असंष्ठुल-उटपटाँग वाक्यार्थ में अतिव्याप्त हो जाता है। तात्पर्य यह कि जहाँ प्रतिवस्तूपमा अभीष्ट नहीं, ऐसे इस वाक्यार्थ में भी आप के लक्षण के अनुसार वह प्राप्त हो जाती है। क्योंकि यहाँ भी कुशल तथा निपुण पद से एक ही धर्म उपात्त हुआ है। फलतः वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न साधारण धर्म की स्थिति यहाँ है।

सादृश्य यहाँ अभिव्यक्त नहीं होता ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। कारण कुशल तथा निपुण पदों के द्वारा प्रतिपादित शब्दसाम्य के आधार पर खल तथा सर्प का सादृश्य यहाँ प्रतीत होता ही है। अर्थात् 'खलजन वैसे ही स्वजन के हितों में विघ्नडालने में कुशल होते हैं जैसे सर्प निरपराधों के प्राण-हरण में निपुण होते हैं' इस तरह का सादृश्य यहाँ भी व्यक्त होता है। खल-सर्परूप धर्मियों—जो पूरे वाक्यार्थ का एक एक अंश है—के सादृश्य की अभिव्यक्ति होने पर भी पूरे वाक्यार्थ का सादृश्य अभिव्यक्त नहीं होता ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब एक अवयव (अंश) का औपम्य अभिव्यक्त होगा, तब तद्द्वारा अवयवी (पूरे वाक्यार्थ) का औपम्य भी अभिव्यक्त होगा ही। साथ ही स्वभावसिद्धत्वरूप अनुक्तधर्ममूलक औपम्य भी यहाँ उक्त दोनों वाक्यार्थों का झलकता है। अर्थात् 'निरपराधों का प्राणहरण करना जैसे सर्पों का स्वभावसिद्ध है उसी तरह खलों का स्वजन-हित-विघ्नोत्पादन भी स्वभावसिद्ध है' इस रूप में भी पूरे वाक्यार्थों का औपम्य गम्यमान है।

अन्ततः सारांश निकला कि यहाँ प्रतिवस्तूपमा लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी।

तो इसका समाधान यह है कि—लक्षणगत 'साधारणधर्म वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न हो' इस कथन से यहाँ यहाँ तक कहना है कि साधारणधर्म से अतिरिक्त वाक्यार्थगत पदार्थ बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न हों और योजना दोनों वाक्यों की अनुरूप हो—एक ढङ्ग की हो। इस अभिप्राय-वर्णन के बाद उक्त पद्य में अतिव्याप्ति की आशङ्का समाप्त हो जाती है, क्योंकि उक्त पद्य में खल तथा सर्प इसी तरह प्राण तथा हित

भले ही बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न हों पर हरण और प्रत्यूहकरण बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न नहीं हैं—क्योंकि इन दोनों में अननुरूपता है—समता एकदम नहीं है। कारण, हरण का तात्पर्यार्थ होता है नाश और प्रत्यूहकरण (विघ्नोत्पादन) का होता है उत्पन्न ही न होने देना। फलतः एक ध्वंसरूप दूसरा प्रागभावरूप सिद्ध होता है। सारांश यह निकला कि साधारण धर्म के वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न रहने पर भी तद्‌तिरिक्त सभी पदार्थों के बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न नहीं रहने के कारण अतिव्याप्ति नहीं होगी।

अथवा मान ली जाय यहाँ भी प्रतिवस्तूपमा। (इस 'अथवा' का रहस्य यह है कि उक्त अभिप्राय-वर्णन के बाद भी यहाँ प्रतिवस्तूपमा का लक्षण प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि ध्वंस तथा प्रागभाव दोनों ही अभाव हैं, फिर तो अभावत्वेन रूपेण सादृश्य है ही उन दोनों में, अतः बिम्बप्रतिबिम्बभाव हो सकता है)

पर जैसे लिङ्गभेदादि दोषों से युक्त उपमा आदि अलंकार दुष्ट होने के कारण अचमत्कारी (आनन्द का अजनक) समझे जाते हैं वैसे यह प्रतिवस्तूपमा भी असंष्ठुलतानामक वाक्यार्थ-दोष से ग्रस्त होने के कारण अचमत्कारिणी समझी जायगी। (इस से यह सिद्ध होता है कि पण्डितराज असंष्ठुलतानामक एक वाक्यार्थदोष मानते हैं। पर अपूर्ण ग्रन्थ में दोषप्रकरण के नहीं आसकने से हम आज इस दोष या अन्य काव्यदोष के संबन्ध में पण्डितराज के विचार से अपरिचित हैं।)

असंष्ठुलता दोष का मूल रहस्य यह है कि वही वाक्यार्थ किसी विलक्षण शोभा का धारण करने वाला होता है—चमत्कारजनक होता है, जो व्यापक अथ च गंभीर ज्ञान के कारण काव्यकलाकुशल मनःस्थितिवाले तथा औचित्य के आधार पर पदार्थों की योजना एवम् पदार्थों के परिवर्तन करने में क्षम कवियों के द्वारा रचित होता है। अल्पज्ञ जनों द्वारा रचित वाक्यार्थ कभी भी शोभाधायक नहीं होता। फलतः वैसा ही वाक्यार्थ असंष्ठुलता-दोषग्रस्त समझा जाता है।

उक्त वाक्य में यह दोष इसलिए आता है कि पूर्ववाक्य के 'प्रत्यूहकर्मणि' में जो विभक्ति आदि हैं, उनसे भिन्न उत्तर वाक्यगत 'प्राणान् अपहर्तुम्' में हैं। यह दोष उक्त पद्य को अव्युत्पन्न-रचित सिद्ध करता है।

प्रसङ्गात् प्राचीनकाव्येऽसंष्ठुलतानामकं वाक्यार्थसामान्यदोषं दर्शयति—

तथाहि—

'उपासनामेत्य पितुः स रज्यते दिने दिने सावसरेषु बन्दिनाम्।
पठत्सु तेषु प्रतिभूपतीनलं विनिद्ररोमाजनि शृण्वती नलम्॥'

अस्मिन्नैषधीयपद्ये (१।३४) द्वयोः क्रिययोरुद्देश्यविधेयभावेन गुणप्रधानभावमकुर्वता, बन्दिनः षष्ठ्यन्ततया सप्तम्यन्ततया च द्विः परामृशता कविना वाक्यार्थः क्रमेलकवदसंष्ठुलतां प्रापितः।

'उपासना—' इति। कवेरुक्तिः—सा दमयन्ती, दिने-दिने प्रतिदिनम्, बन्दिनाम् स्तुतिपाठकानाम् अवसरेषु कालेषु, पितुः भीमस्य, उपासनाम् पूजाम् सेवामिति यावत्, एत्य प्राप्य, सेवार्थं पितुरन्तिकं गत्वेति भावः, रज्यतेस्म प्रसादमासादयतिस्म। तेषु बन्दिषु प्रतिभूपतीन् प्रतिनृपान् अलम् अत्यर्थम्, पठत्सु प्रशंसत्सु, नलं नलनामानं राजानम्, शृण्वती आकर्णयन्ती, (सा) विनिद्ररोमा कण्टकितरोमा, अजनि अभू-

दित्यर्थः । द्वयोः क्रिययोरिति । 'रज्यतेस्म अजनि' इति पदबोध्ययोरित्यर्थः । क्रमेलकवत् उष्ट्रवत् । 'उपासनामेत्य—' इति पद्ये ये द्वे क्रिये तिङन्तपदाभ्यामुक्ते तयोरेकां क्रियां कृदन्तपदबोध्यां विधायोद्देश्यीभूतदमयन्तीविशेषणतया यदि कविर्निवेशयेत् बन्दिपदार्थस्य च षष्ठ्यन्ततया सप्तम्यन्ततया वा सकृदेव परामर्शं विदधीत तदा वाक्यं रुचिरं स्यात् ।

वर्तमानः प्रकारस्तु वाक्यमरुचिरं विदधानः कवेरव्युत्पत्तिं सूचयतीति भावः ।

प्रसङ्गवश प्राचीन काव्य में असंष्ठुलता दोष का प्रदर्शन कराया जाता है—तथाहि इत्यादि ।

'उपासनामेत्य—अर्थात् वह–दमयन्ती, प्रतिदिन, बन्दिजनों के लिए निश्चित समयों पर पिता की सेवा के लिए उनके निकट जाकर रागमयी हो उठती थी। वे बन्दिजन (स्तुतिपाठक) जब भीम (दमयन्ती के पिता) के सामने अलग-अलग राजाओं का वर्णन करने लगते थे, तब दमयन्ती प्रसङ्गप्राप्त नल-नाम को सुनती हुई रोमाञ्चित हो जाती थी।' इस नैषधीय पद्य में जो—'रज्यते, अजनि' ये दो क्रियायें हैं उन दोनों में से एक को उद्देश कोटि में रखकर गौण और दूसरी को विधेय कोटि में रखकर प्रधान जो कविने नहीं बनाया और 'बन्दिनाम्' तथा 'तेषु' इन दो पदों के द्वारा षष्ठी विभक्ति एवम् सप्तमी विभक्ति के रूप में बन्दियों का दो वार निर्देश कर दिया उस से वाक्य का अर्थ ठीक ऊँट के समान असंष्ठुल·असुन्दर बना दिया गया।

तात्पर्य यह कि उक्त दोनों क्रियाओं में से एक को कृदन्तवाच्य बना कर दमयन्ती के विशेषण रूप में रक्खा जाता और दूसरी को तिङन्तपदवाच्य बनाकर प्रधान विधेयरूप में रक्खा जाता। इसी तरह बन्दियों का निर्देश किसी एक विभक्ति के रूप में एक ही वार किया जाता यदि, तब वाक्य सुन्दर जँचता। उसका अर्थ भी रमणीय प्रतीत होता। पर वैसा नहीं होने से वाक्य में एक प्रकार का भद्दापन आ गया है जिससे वाक्यार्थ दुष्ट हो गया है। इस दोष के चलते कवि की अशक्ति सूचित होती है।

पूर्वोक्तमेवार्थम् उक्तदोषरहितं विधाय ग्रन्थकारः कथयति—

यदि च स एव वाक्यार्थः प्रकारान्तरेण निर्मीयते—

'उपासनार्थं पितुरागतापि सा निविष्टचित्ता वचनेषु बन्दिनाम् ।
प्रशंसतां द्वारि महीपतीनलं विनिद्ररोमाजनि शृण्वती नलम् ॥'

इति; तदा ललनाङ्गसन्निवेश इव कीदृशीं कमनीयतामावहेदिति सहृदयैराकलनीयम् ।

उपासनार्थमिति । पितुः, उपासनार्थम्, आगतापि, द्वारि द्वारदेशे, महीपतीन् राज्ञः, अलं प्रभूतम्, प्रशंसताम् स्तुवताम्, बन्दिनाम्, वचनेषु, निविष्टचित्ता संलग्नमानसा, सा दमयन्ती, नलं स्वप्रियं नृपम्, शृण्वती तन्नामाकर्णयन्तीति यावत्, विनिद्ररोमा, अजनीति स एवार्थः ।

अस्मिन् पण्डितराज-रचित-पद्ये वचनेषु निविष्टचित्ताम् दमयन्तीमुद्दिश्य विनिद्ररोमात्वविशिष्टसत्ता विधेयतयोपवर्णितेति निवेशनक्रियाया उद्देश्यदलगतत्वम् जन्धात्वर्थ-

क्रियायाश्च विधेयत्वं सम्पन्नम्, बन्दिनां निर्देशोऽपि नासकृत् कृतः। तेन वाक्यार्थः कान्तावयवसन्निवेश इव कमनीयः संपन्न इति नात्रासंष्ठुलतावकाश इति भावः।

नैषधकार के द्वारा कथित उक्त वाक्यार्थ को ही दूसरे वाक्य में ढाल कर निर्दोष सिद्ध किया जा रहा है—यदि च इत्यादि।

वही वाक्यार्थ यदि 'उपासनार्थं पितुरागता—अर्थात् पिता की उपासना के लिये आकर भी द्वार पर राजाओं की प्रशंसा करते हुए बन्दिओं के वचनों में संलग्न चित्त वाली वह-दमयन्ती प्रसङ्गपतित नल-नाम का श्रवण करती हुई अत्यधिक रोमाञ्चित हो उठी। इस तरह के वाक्य-द्वारा अवगत कराया जाय, तब वह वाक्यार्थ सुन्दरी के अङ्गविन्यास सा होकर कैसी सुन्दरता का धारण कर लेगा यह सहृदयों को समझना चाहिए।

तात्पर्य यह कि इस वाक्य में 'निविष्टचित्ता' कह कर निवेशन क्रिया को उद्देश्यी-भूत दमयन्ती का विशेषण–अत एव गौण बना दिया गया और 'अजनि' पद-बोध्य क्रिया को प्रधान-विधेयरूप में रक्खा गया, एवम् बन्दियों का निर्देश भी एक ही वार षष्ठ्यन्त रूप में किया गया, अतः 'असंष्ठुलता' वाक्यार्थ में नहीं रही।

कुवलयानन्दोद्धृते पद्येऽसंष्ठुलतामुपदर्शयति—

एवम्—

'तवामृतस्यन्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति।
स्थितेऽरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकं हि वीक्षते॥'

इति कुवलयानन्दोदाहृते आवलुन्दारुस्तोत्रपद्ये वीक्षणमात्रस्यावर्जनीयस्य प्रतिषेधानर्हत्वादिच्छापूर्वकवीक्षणप्रतिषेधस्य च 'सविशेषणे हि—' इति न्यायेनेच्छाप्रतिषेधधर्मपर्यवसायितया यद्यपि धर्मैक्यं सुसंपादम्। अस्तु वा दृष्टान्तालंकारः। तथापि पादपङ्कजे निवेशितात्मेत्याधारसप्तम्याः स्थितेऽरविन्दे इति सति सप्तमी वस्तुप्रतिवस्तु-बिम्बप्रतिबिम्बभावयोरन्यतरेणापि प्रकारेण नानुरूपा, इत्यसंष्ठुलता स्थितैव।

शिवं प्रति भक्तजनोक्तिः—'तवामृत—' इति। अमृतस्यन्दिनि पीयूषवर्षिणि, तव भवतः, (शिवस्य), पादपङ्कजे चरणकमले, निवेशितात्मा संलग्नचेताः, अन्यत् सांसारिकं मधुरं वस्तु, कथम् कस्मात् कारणात्, इच्छति कामयते, न तथाविधेन तादृशमेषितव्यमिति भावः। हि यतः, मकरन्दनिर्भरे रसमये, अरविन्दे कमले, स्थिते सति, मधुव्रतः भ्रमरः, इक्षुरकं 'तालमखाना' इति प्रसिद्धौषधीपुष्पम्, (काशपुष्पमिति कश्चित्, गोक्षुरमित्यन्यः। इत्यपि नागेशः) न, वीक्षते पश्यतीति तद्व्याख्या। आलुवन्दारुस्तोत्रेति। स्तोत्रविशेषस्य नामविशेषोऽयम्।

अवर्जनीयस्येति। अनिष्टेऽपि स्वसामग्रीवशाज्जायमानस्येत्यर्थः। धातोरिच्छापूर्वकवीक्षणे लक्षणया आह—इच्छापूर्वकेति। 'सविशेषणे हि—' इति। सविशेषणे हि कृतो निषेधो विशेषणनिषेधे पर्यवस्यतीति भावः। प्रतिषेधधर्मेति। प्रतिषेधरूपधर्मेत्यर्थः। सुसंपादमिति। तथा च प्रतिवस्तूपमोदाहरणत्वोक्तिस्तेषां संगतेति भावः। उक्तप्रकारेण धर्मैक्यानादरे त्वाह—अस्तु वेति। इति सति सप्तमीति। इति सत्सप्तमीत्यर्थः।

अयं भावः—'तवामृत—' इति पद्यम् कुवलयानन्दे दीक्षितेन प्रतिवस्तूपमोदाहरणत्वेनोक्तम् तन्नोचितम्, इच्छावीक्षणयोर्विभिन्नवस्त्वात्मकतायां तन्निषेधयोरपि प्रतियोगिभेदेन भिन्नतया एकत्वविरहेण धर्मैक्याभावादौपम्याभिव्यक्तेः प्रतिवस्तूपमात्वप्रयोजिकाया असंपत्तेः। एवञ्च दृष्टान्तालंकारस्तत्र वक्तुमुचितः। यदि तु 'न वीक्षते' इत्यनेनापाततः प्रतीयमानो वीक्षणनिषेधोऽसंगतः, स्वसामग्रीवशादनिष्टेऽपि जायमानस्य वीक्षणस्य निषेद्धुमशक्यत्वात्, अतः 'वीक्षते' इत्यस्य लक्षणया इच्छापूर्वकवीक्षणमर्थं कृत्वा तन्निषेधः (इच्छापूर्वकवीक्षणनिषेधः) वक्तुरभिमतो मन्तव्यः। तथा च स निषेधः इच्छानिषेधे पर्यवस्येदिति धर्मैक्यसम्पत्तौ सादृश्याभिव्यक्तेः संभवेन प्रतिवस्तूपमाङ्गीकारे न कापि बाधेति विभाव्यते, तदाऽस्तु प्रतिवस्तूपमैव। किन्तु उभयथाऽपि वाक्यार्थेऽस्मिन् असंष्ठुलतादोष आपन्न एव, 'पादपङ्कजे' इत्याधारसप्तम्याः 'स्थितेऽरविन्दे' इति सत्सप्तम्याश्च मिथोऽननुरूपत्वात्। दृष्टान्ते बिम्बप्रतिबिम्बभावमूलिकायाः प्रतिवस्तूपमायां वस्तुप्रतिवस्तुभावमूलिकाया अनुरूपताया आनुषङ्गिकत्वादिति।

कुवलयानन्द में उदाहृत पद्य का भी दोष युक्त होना बतलाया जा रहा है—एवम् इत्यादि।

जिस तरह नैषधीय पद्य में असंष्ठुलता दोष है उसी तरह 'तवामृत—अर्थात् (हे शिव!) जिसने अमृतवर्षी तेरे चरणकमलों में अपने आत्मा को निवेशित किया है वह अन्य किसी वस्तु की इच्छा क्यों करने लगा? भला, रसपूर्ण कमल के वर्तमान रहने पर भ्रमर इक्षुरक—तालमखाना की ओर ताकता भी है?।' कुवलयानन्दनामक ग्रन्थ में दीक्षितजी द्वारा उदाहृत आलुवन्दारुस्तोत्रगत इस पद्य में भी है। कैसे यहाँ असंष्ठुलता दोष लगता है इसका विचार आगे किया जायगा, जब तब यहाँ अलंकार कौन सा है इसका विचार जरा कर लिया जाय। यहाँ दीक्षित जी प्रतिवस्तूपमा मानते हैं। यद्यपि यहाँ प्रतिवस्तूपमा मानना सर्वथा संगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रतिवस्तूपमा में औपम्य की अभिव्यक्ति अवश्य होनी चाहिए और औपम्य के लिये चाहिए वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न साधारणधर्म की स्थिति, जो यहाँ नहीं है। कारण प्रस्तुत अंश में 'कथमिच्छति' से इच्छा-प्रतिषेधरूप धर्म कहा गया है और अप्रस्तुत अंश में 'न वीक्षते' के द्वारा कहा गया है वीक्षण-प्रतिषेधरूप धर्म। इन दोनों धर्मों में यद्यपि प्रतिषेध समान है पर प्रतिषेध का स्वरूप तो प्रतियोगी को लेकर तैयार होता है और प्रतियोगी—इच्छा तथा वीक्षण भिन्न है, अतः वे दोनों प्रतिषेध भी भिन्न समझे जायेंगे।

तथापि दीक्षितजी के अभिप्राय को कुछ आगे तक खींच-खाँच कर किसी तरह धर्मैक्य सिद्ध किया जा सकता है और उस स्थिति में प्रतिवस्तूपमा भी मानी जा सकती है—अर्थात् यह कहा जा सकता है कि दीक्षितजी का अभिप्राय अप्रस्तुतांश में केवल वीक्षण का प्रतिषेध करना नहीं है, क्योंकि चक्षुःसंयोग आदि कारणों से अनिष्ट वस्तु के भी अवश्यमेव होने वाले वीक्षण का प्रतिषेध किया नहीं जा सकता, अतः उनका अभिप्राय इच्छापूर्वक-वीक्षण के प्रतिषेध से माना जायगा और इच्छापूर्वक वीक्षण का प्रतिषेध फलतः इच्छा-प्रतिषेध रूप सिद्ध होता है क्योंकि विशेषणविशिष्ट (विशेष्य) का प्रतिषेध विशेषण-प्रतिषेध रूप में ही पर्यवसित होता है। जैसे 'मेरे पास सुन्दर वस्त्र नहीं हैं' ऐसा कहने पर फलतः सौन्दर्य का ही निषेध होता है। कहने का तात्पर्य यह सिद्ध होता है कि इस तरह से दोनों ही अंशों में इच्छाप्रतिषेध रूप एक धर्म बन जाता है।

ग्रन्थकार इस प्रकार से धर्मैक्य-संपादन को ठीक नहीं समझते, अतः उनके विचार से यहाँ दृष्टान्त अलंकार ही मान्य होना चाहिये। अस्तु, अलंकार यहाँ प्रतिवस्तूपमा हो अथवा दृष्टान्त उससे मेरे कथन में कोई अन्तर नहीं आता–अर्थात् दोनों ही पक्षों में असंष्ठुलता दोष यहाँ बना ही रहता है, क्योंकि 'पादपङ्कजे निवेशितात्मा' इस अंश में आधार सप्तमी है—अर्थात् साधारण अधिकरणकारक बोधक (में, पर अर्थ में होने वाली) सप्तमी है और 'स्थितेऽरविन्दे' इस अंश में है सत्सप्तमी–अर्थात् एक असाधारण स्थिति में होने वाली सप्तमी। ये दोनों सप्तमीविभक्तियाँ किसी भी तरह से अनुरूप नहीं हैं—सर्वथा विभिन्न प्रकार की हैं। इन दोनों में न वस्तुप्रतिवस्तु-भाव संभव है न बिम्बप्रतिबिम्बभाव। फलतः ठीक ऊँट की तरह यह वाक्यार्थ अशोभन हो गया है। और वाक्यार्थगत इस तरह की अशोभनता का ही नाम 'असंष्ठुलता' है।

'तवामृतस्यन्दिनीतिपद्यस्य निर्दोषतायाः प्रकारमाह—

'स्थितोऽरविन्दे मकरन्दनिर्भरे' इति चेत्क्रियते तदा तु रमणीयम्।

रमणीयमिति। परिवर्तितपाठेऽप्रस्तुतांशेऽप्याधारसप्तमीसम्पत्तेर्नासंष्ठुलतेति भावः।

पाठ-परिवर्तन-द्वारा 'तवामृत—' इस पद्य का निर्दोषरूप दिखलाया जाता है—स्थितोऽर इत्यादि।

'तवामृत—' इस पद्य के तृतीय चरण को परिवर्तित कर यदि 'स्थितोऽरविन्दे—अर्थात् रस पूर्ण कमल में स्थित भ्रमर–' इस रूप में कर दिया जाय तब तो वाक्य तथा वाक्यार्थ-दोनों सुन्दर हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि इस परिवर्तित पाठ के अनुसार अप्रकृत अंश में भी आधारबोधक सप्तमी हो जाती है अतः उस स्थिति में वाक्यार्थ में असंष्ठुलता नहीं आने पाती है।

घटनाया आनुरूप्यं सर्वथा समपेक्षितमित्युपसंहरति—

तस्मादेवंजातीयकेष्वलंकारेषु पूर्ववाक्यार्थघटकनामार्थानुरूपैर्नामार्थैस्तद्-घटकविभक्त्यनुरूपाभिर्विभक्तिभिस्तदन्वयानुरूपेण चान्वयेन भाव्यमिति सहृदयहृदयं प्रष्टव्यम्।

पूर्ववाक्यार्थांशभूता ये नामार्थविभक्त्यन्वयास्तदनुरूपा एव ते उत्तरवाक्यार्थेऽपि विधातव्याः। एतस्मिन् विषये प्रमाणजिज्ञासायां सहृदयहृदयमेव प्रष्टव्यमिति भावः।

योजना की अनुरूपता–एकरूपता सर्वथा अपेक्षित है यही बात अब उपसंहाररूप में कही जा रही है—तस्मात् इत्यादि।

उक्त विचार से निष्कर्ष यह निकलता है कि इस तरह के अलंकारों में (जहाँ दो वाक्यार्थों का सादृश्य झलकाना अभीष्ट रहता हो उन अलंकारों में) पूर्ववाक्यार्थ (प्रस्तुतवाक्यार्थ) गत शब्दार्थ विभक्तियाँ और अन्वयः (एक पदार्थ के अन्य पदार्थ के साथ होने वाले संबन्ध) जैसे हों उत्तरवाक्यार्थ (अप्रस्तुत वाक्यार्थ) में भी वे सब वैसे ही होने चाहिए। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिये सहृदयों को अपने हृदय से पूछना ही अलं होगा।

मालारूपाऽप्येषा भवतीत्युदाहरणप्रदर्शनेन स्फुटयति—

'वहति विषधरान्पटीरजन्मा शिरसि मषीपटलं दधाति दीपः ।
विधुरपि भजतेतरां कलङ्कं पिशुनजनं खलु बिभ्रति क्षितीन्द्राः ॥'

पटीरजन्मा चन्दनतरुः, विषधरान् सर्पान् , वहति धारयति, दीपः शिरसि उपरिभागे मषीपटलम् कालिमानम्, दधाति धत्ते, विधुः चन्द्रः, अपि, कलङ्कं, भजतेतराम् अतिशयेन श्रयते, क्षितीन्द्राः राजानः, खलु निश्चयेन, पिशुनजनम् द्विजिह्वलोकं, बिभ्रति आश्रयदानेन धारयन्तीत्यर्थः ।

प्रतिवस्तूपमा अलंकार मालारूप भी होता है इस बात का स्पष्टीकरण उदाहरण प्रदर्शन-द्वारा किया जाता है—'वहति—' इत्यादि ।

चन्दनतरु सर्पों का धारण करता है, दीप अपने मस्तक पर कालिमा को स्थान देता है, चन्द्रमा भी कलङ्क को अतिशय आदर के साथ स्वीकार करता है और राजा लोग नियमतः चुगलखोरों को आश्रित बना कर रखते हैं ।

उपपादयति—

अत्र वहनाधानभजनभरणानां वस्तुत ऐकरूप्यात्प्रतिवस्तूपमेयं मालारूपा ।

'वहतीतिपद्ये 'वहति, दधाति, भजते बिभ्रती'ति चतुर्भिः पदैः बोधिताः क्रिया वस्तुत एका एव । शब्दमात्रं भिन्नम् । अतो वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नास्ताः क्रियाः साधारणधर्मतां प्रतिपद्यन्ते । चन्दनतरु-दीप-चन्द्र-क्षितीन्द्राणां विषधर-मषीपटल-कलङ्क-पिशुनजनानाञ्च बिम्बप्रतिबिम्बभावो बोध्यः । मालारूपता च पटीरजन्मेव दीपः दीप इव विधुः इत्यादिरीत्यौपम्याभिव्यक्त्या ज्ञातव्येति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'वहति—' इस पद्य में 'वहति, दधाति, भजते और बिभ्रति' इन चारों पदों से क्रमशः अभिहित होने वाले वहन, आधान, भजन और भरण (क्रिया) वस्तुतः एक ही हैं, केवल भिन्न-भिन्न शब्द-द्वारा अनेकधा निर्दिष्ट हुए हैं, अतः ये वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न साधारणधर्म हैं । जिससे चन्दन तरु के समान दीप, दीप के समान चन्द्र इत्यादिरीति से अनेक सादृश्य अभिव्यक्त होते हैं, अतः यहाँ की प्रतिवस्तूपमा मालारूप समझी जाती है । एक बात यहाँ और समझ लेनी चाहिए कि चन्दन तरु, दीप, चन्द्र और राजे, एवं सर्प, मषीपटल कलङ्क और पिशुनजन बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न हैं । फलतः योजना की सर्वथा अनुरूपता वाला शर्त यहाँ पूरा किया गया है ।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे प्रतिवस्तूपमाप्रकरणम् ।

रसगङ्गाधरगतप्रतिवस्तूपमालंकारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः ।

प्रकरण समाप्ति की सूचना दी जाती है—इति इत्यादि ।

रसगङ्गाधरनामक निबन्ध में प्रतिवस्तूपमा का विचार यहाँ समाप्त हुआ ।

रसगङ्गाधरगत प्रतिवस्तूपमा प्रकरण की हिन्दी व्याख्या समाप्त ॥

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां प्रतिवस्तूपमाप्रकरणम् ॥

दृष्टान्तालङ्कारन्निरूपयितुमाह—

अथ दृष्टान्तालंकारः—

दृष्टान्तालंकारो निरूपणीयतयारब्धो वेदितव्य इति भावः ।

अब दृष्टान्त अलङ्कार का निरूपण आरब्ध समझना चाहिए।

लक्षणं तावद् वक्ति—

प्रकृतवाक्यार्थघटकानामुपमानादीनां साधारणधर्मस्य च बिम्बप्रतिबिम्बभावे दृष्टान्तः ।

प्रकृतेति । उपात्तेत्यर्थः । प्रस्तुतेत्यर्थस्तु न कार्यः, तथा सति 'उपमानादीनाम्' इत्यस्यासंगतेः, उपमानस्य प्रस्तुतवाक्यार्थघटकत्वविरहात् । एवञ्च प्रकृते–उपात्ते ये द्वे वाक्ये तयोर्यावर्थौ तद्घटका ये उपमेयोपमानसाधारणधर्मास्ते यदि बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नाः स्युस्तदा दृष्टान्तोऽलंकारो बोध्य इति भावः । "बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नसाधारणधर्मादिकं वाक्यार्थयोरार्थमौपम्यं दृष्टान्त इति निष्कर्षो बोध्यः' इति नागेशः ।

सर्वप्रथम लक्षण का निर्वचन किया जाता है—प्रकृत इत्यादि ।

'प्रकृत' शब्द का अर्थ यहाँ 'उक्त' है, 'प्रस्तुत' नहीं, क्योंकि वैसा अर्थ मानने पर 'तदर्थगत–उपमान आदि' यह कथन असंगत हो जायगा। कारण, उपमान प्रस्तुत वाक्यार्थगत नहीं होता, अपि तु वह अप्रस्तुत वाक्यार्थगत होता है । अतः सारांश यह हुआ कि उपात्त दो वाक्यों के अर्थों के अवयवभूत सभी पदार्थ–अर्थात् उपमेय उपमान साधारण धर्म आदि यदि बिम्बप्रतिबिम्बभाव युक्त हों तब वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है । निष्कर्ष यह समझना चाहिए कि दो वाक्यार्थों का अर्थतः ज्ञात होने वाला वह सादृश्य दृष्टान्त कहलाता है जिस में उपमान, उपमेय और साधारण धर्म सभी वस्तु बिम्बप्रतिबिम्बभाव युक्त हों ।

प्राचीनोक्तलक्षणेन स्वकीयं लक्षणं संवादयति—

तदुक्तम्—'दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम्' इति ।

सर्वेषां न तु कियताम् , एतेषाम् उपमानादीनाम् , प्रतिबिम्बनं प्रतिबिम्बरूपत्वम् (एतेन प्रकृतवाक्यार्थगतानामुपमेयादीनां बिम्बरूपता सूचिता) दृष्टान्तो बोध्य इति भावः।

प्राचीन के लक्षण से अपने लक्षण की संवादिता सिद्ध की जाती है—तदुक्तम् इत्यादि ।

मम्मट भट्ट ने भी कहा है—दृष्टान्त अलंकार वहाँ कहा जाता है जहाँ उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य-दोनों वाक्यों में इन सब का—अर्थात् उपमेय, उपमान और साधारणधर्म का बिम्बप्रतिबिम्ब भाव झलका करता है ।

उदाहर्तुमाह—

उदाहरणम्—

यथेति शेषः ।

उदाहरण जैसे—

उदाहरणन्निर्दिशति—

'सत्पूरुषः खलु हिताचरणैरमन्दमानन्दयत्यखिललोकमनुक्त एव ।
आराधितः कथय केन करैरुदारैरिन्दुर्विकासयति कैरविणीकुलानि ॥'

सत्पूरुषः सज्जनो मानवः, अनुक्त एव परैरप्रेरित एव, स्वत इति यावत्, अखिललोकम् सम्पूर्णं जगत्, हिताचरणैः अनुकूलविधानैः, खलु निश्चयेन, अमन्दम् अत्यधिकं यथा स्यात्तथा, आनन्दयति सुखयति। इन्दुः चन्द्रः, केन प्राणिविशेषेण, आराधितः प्रार्थितः सन्, कैरविणीकुलानि कुमुदिनीसमूहान्, उदारैः परिपूर्णैः, करैः किरणैः, विकासयति, इति कथय, न केनाप्याराधितोऽपि तु स्वत एव चन्द्रः कुमुदिनीर्विकाशयतीति भावः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—सत्पूरुष इत्यादि।

सज्जन पुरुष बिना दूसरे से प्रेरित हुए-अर्थात् स्वतः, समग्र संसार को अनुकूल आचरणों के द्वारा निश्चित रूप से अत्यधिक आनन्दित करता है। कहो, चन्द्रमा किससे प्रार्थित होकर अपने उदार किरणों से कुमुदिनियों को विकसित करता है।

उपपादयति—

अत्रानन्दनविकासयोरपि बिम्बप्रतिबिम्बभावः।

अपिना इन्दुपुरुषादिसंग्रहः। 'सत्पूरुषः—' इतिपद्ये सत्पुरुषचन्द्रयोः हिताचरणकरयोः लोककुमुदिनीकुलयोश्च बिम्बप्रतिबिम्बभावस्तु विद्यत एव, आनन्दनविकासयोरपि स विद्यत इति दृष्टान्तलक्षणसंगतिरिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्रानन्दन इत्यादि।

यहाँ आनन्दित करना और विकसित करना—इन दोनों में भी बिम्बप्रतिबिम्बभाव है। तात्पर्य यह कि 'सत्पूरुषः—' इस पद्य में अन्य सभी पदार्थ—अर्थात् सत्पुरुष चन्द्र, हिताचरण किरण, समग्र लोक कुमुदिनीसमूह तो बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न हैं ही, आनन्दन तथा विकास भी बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न हैं, अतः दृष्टान्त का उक्त लक्षण संघटित होता है।

प्रतिवस्तूपमातो दृष्टान्ते वैलक्षण्यं सूचयति—

अस्य चालंकारस्य प्रतिवस्तूपमया भेदकमेतदेव यत्तस्यां धर्मो न प्रतिबिम्बितः, किं तु शुद्धसामान्यात्मनैव स्थितः। इह तु प्रतिबिम्बितः।

शुद्धसामान्यात्मनेति। शुद्धसमानधर्मत्वेनेत्यर्थः। वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नत्वेनेति यावत्। इह दृष्टान्तालंकारे। प्रतिबिम्बित इति। अस्याग्रे इतीति शेषो बोध्यः।

अयं भावः—प्रतिवस्तूपमायामितरेषामङ्गानां बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नत्वेऽपि साधारणधर्मो न बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नोऽपि तु वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नः। दृष्टान्ते तु अन्याङ्गैः सहैव साधारणधर्मोऽपि बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न एव, न वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न इत्यनयोर्वैलक्षण्यमिति। बिम्बप्रतिबिम्बभाव-वस्तुप्रतिवस्तुभावौ च क्रमशः 'वस्तुतो भिन्नयोरपि पदार्थयोः परस्परसादृश्यादभिन्नयोः पृथगुपादानम्' 'एकस्य पदार्थस्य शब्दद्वयेनोपादानम्' इत्यसकृदुक्तमेव।

प्रतिवस्तूपमा तथा दृष्टान्त में अन्तर दिखलाया जाता है—अस्य चा-इत्यादि।

इसका—अर्थात् दृष्टान्त का प्रतिवस्तूपमा से भेद कराने वाली बात यही है कि—उस में प्रतिवस्तूपमा में अन्य औपम्यापेक्षित अङ्गों के बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न रहने पर भी साधारण धर्म बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न नहीं रहता, किन्तु शुद्ध सामान्य-अर्थात् वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न रहता है और यहाँ—अर्थात् दृष्टान्त में वह-साधारण धर्म-भी बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न ही रहता है, वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न नहीं। बिम्बप्रतिबिम्बभाव का

का आशय है दो भिन्न पदार्थों का सादृश्ययुक्त होने के कारण अभिन्न रूप से दो बार कथन और वस्तुप्रतिवस्तुभाव का आशय है वस्तुतः जो एक है ऐसे पदार्थों का दो शब्दों के द्वारा पृथक् पृथक् कथन यह बात पहले भी अनेक बार कही जा चुकी है।

निरसितुं विमर्शिनीकारोक्तमनुवदति—

विमर्शिनीकारस्तु—'प्रतिवस्तूपमायामप्रकृतार्थोपादनं तेन सह प्रकृतार्थस्य सादृश्यप्रतिपत्त्यर्थम्। दृष्टान्ते तु तदुपादानमेतादृशोऽर्थोऽन्यत्रापि स्थित इति प्रकृतार्थप्रतीतेर्विशदीकरणमात्रार्थम्, न तु सादृश्यप्रतिपत्त्यर्थम्, अतः सादृश्यप्रतीत्यप्रतीतिभ्यामनयोरलंकारयोर्भेदः' इत्याह।

विमर्शिनीकार इति। अलंकारसर्वस्वाख्यनिबन्धस्य तन्नामिकायाष्टीकायाः प्रणेतेत्यर्थः। तेनेति। अप्रकृतार्थेनेत्यर्थः। तदुपादानमिति। अप्रकृतार्थोपादानमित्यर्थः। स्थित इतीति। अस्य विशदीकरणेऽन्वयः। अनयोरिति। प्रतिवस्तूपमादृष्टान्तयोरित्यर्थः। प्रतिवस्तूपमायां दृष्टान्ते च समानतयाऽऽप्रकृतार्थ उपात्तस्तिष्ठतीति यद्यपि सत्यम्, तथापि नानयोरलंकार-योरभेदः प्रतिवस्तूपमायामप्रकृतार्थोपादानस्य स्वप्रतियोगिकप्रकृतार्थानुयोगिकसादृश्यबो-धार्थकत्वम्, दृष्टान्ते च तदुपादानस्य प्रकृतार्थसदृशोऽर्थोऽन्यत्रापि वर्तमान इत्याकारकप्रकृ-तार्थबोधस्फुटीकरणमात्रार्थकत्वमिति वैलक्षण्यस्य भेदकत्वादिविमर्शिनीकाराशयोऽवगन्तव्यः।

खण्डन करने के लिये पहले अलंकारसर्वस्वनामक निबन्ध पर विमर्शिनीनामक टीका लिखने वाले विद्वान् का मत उद्धृत किया जाता है—विमर्शिनी इत्यादि।

विमर्शिनीकार का कथन है कि प्रतिवस्तूपमा में अप्रस्तुत अर्थ का ग्रहण उसके (अप्रस्तुतार्थ के) साथ प्रस्तुत अर्थ के सादृश्य की प्रतीति कराने के लिये किया जाता है और दृष्टान्त में उसका (अप्रस्तुतार्थ का) ग्रहण, सादृश्य-प्रतीति के लिये नहीं, अपितु 'ऐसा अर्थ अन्यत्र भी उपलब्ध होता है' इस कथन के द्वारा प्रस्तुतार्थ प्रतीति में एक प्रकार की स्पष्टता केवल लाने के लिये किया जाता है। फलतः इन दोनों अलंकारों में सादृश्य-प्रतीति के होने और न होने से भेद सिद्ध होता है।

निरस्यति—

तन्न। प्रकृताप्रकृतवाक्यार्थयोरुपादानस्यालंकारद्वयेऽप्यविशिष्टत्वादेकत्र सा-दृश्यप्रत्ययः, अन्यत्र नेत्यस्याऽऽज्ञामात्रत्वात्। वैपरीत्यस्यापि सुवचत्वाच्च। एतादृशोऽर्थोऽन्यत्रापि स्थित इति प्रकृतार्थप्रतीतिविशदीकरणस्य त्वदभिहि-तस्य सादृश्यापरपर्यायत्वाच्च। अत एव प्रायशः सत्कविनिर्मितेषु लक्ष्येषु प्रकृतवाक्यार्थघटकप्रकृतिप्रत्ययार्थानुरूपप्रकृतिप्रत्ययार्थघटित एवाप्रकृतवा-क्यार्थो दृश्यते।

न च भवदुक्तमपि वैलक्षण्यं नानयोः पृथगलंकारतायां प्रयोजकम्। औपम्या-ख्यसामान्यलक्षणाक्रान्ततया उपमाभेदवदेकालंकारभेदत्वापत्तेरिति वाच्यम्, तथापि दीपकतुल्ययोगितयोरेकभेदत्वापत्तेः। इष्टापत्तिरिति चेत्सैवात्रापि दृश्य-ताम्। प्राचीनविभागस्य भवतैव शिथिलीकृतत्वात्। औपम्यरूपसामान्यलक्षण-सत्त्वाद्बहूनामलंकाराणामुपमाऽवान्तरभेदत्वापत्त्या सकलालंकारिकसिद्धान्तभङ्ग-प्रसङ्गाच्च। "–'अब्धिर्लङ्घित एव वानरभटैः' इत्यादिमुरारिपद्ये यद्यपि ज्ञानार्थ

एको धर्मो निर्दिष्टस्तथापि नैतन्निबन्धनमौपम्यं विवक्षितम्। यन्निबन्धनं च विवक्षितं तत्राब्धिलङ्घनादावस्त्येव दिव्यवागुपासनादिना प्रतिबिम्बनम्" इति त्वन्मूलग्रन्थविरोधाच्च। न च यन्निबन्धनं च विवक्षितमित्यत्रार्थालंकारत्वं विशेष्यं शेषपूरणेन योज्यम्, न पुनरौपम्यमिति वाच्यम्। औपम्यं न विवक्षितमित्यत्रैकवारं निष्ठया परामृष्टस्यैव पुनस्तया परामर्शस्य व्युत्पत्तेः 'न चैत्रार्थमोदनः पक्वः,यदर्थं च पक्वः स मैत्रः' इत्यादौ द्वितीयपक्वादिशब्दानामध्याहृतशाकादिपरत्वे असंगतेः स्फुटत्वात्। तस्मादस्मदुक्तेनैव पथा प्राचीनैर्विहितोऽलंकारयोरनयोर्विभागः संगमनीयः।

तन्नेति। प्रागुद्धृतं विमर्शिनीकारोक्तं न युक्तमित्यर्थः। अयुक्तत्वे हेतुमाह—प्रकृताप्रकृतेत्यादिना। अलंकारद्वये इति। प्रतिवस्तूपमायां दृष्टान्ते चेत्यर्थः। अविशिष्टत्वादिति। तुल्यत्वादित्यर्थः। एकत्रेति। प्रतिवस्तूपमायामित्यर्थः। अन्यत्रेति। दृष्टान्त इत्यर्थः। आज्ञामात्रत्वादिति। युक्तिशून्यराजादेशसरूपत्वादिति भावः। अभ्युपेत्याह—वैपरीत्यस्येति। प्रतिवस्तूपमायामेवाप्रकृतार्थोपादानं प्रकृतार्थप्रतीतिविशदीकरणमात्रार्थम्, दृष्टान्ते तु तदुपादानम् तेन सह प्रकृतार्थस्य सादृश्यप्रतिपत्त्यर्थम् इत्याकारकस्य वैपरीत्यस्येत्यर्थः। इष्टापत्तावाह—एतादृश इति। ईदृशोऽर्थोऽन्यत्रापि स्थित इत्याकारकस्य प्रकृतार्थविशदीकरणस्य सादृश्य एव विश्रान्तेरिति भावः। अत एवेति। उक्तरीत्या दृष्टान्ते सादृश्यप्रतीतेरेवेत्यर्थः। प्रायशः इति। एतेन क्वचित्तदभावेऽपि न क्षतिरिति सूचितम्। सत्कवीत्यत्र सत्पदप्रयोगेणासत्कविः व्यावर्त्यते। तथा च तत्काव्ये तदभावेऽपि न हानिरिति भावः! लक्ष्येषु इति। दृष्टान्तेत्यादिः। तथा च दृष्टान्तोदाहरणेष्विति स्पष्टोऽर्थः। दृश्यत इति। तथा च दृष्टान्तेऽपि सादृश्यप्रतीतिरभ्युपेयैवेति सारांशः। स्वोक्तेऽपि विमर्शिनीकारदृष्ट्या शंकते—न चेति। भवदुक्तमपीति। साधारणधर्मस्य प्रतिबिम्बितत्वाप्रतिबिम्बितत्वकृतमिति भावः। अनयोः प्रतिवस्तूपमादृष्टान्तयोः। अप्रयोजकत्वे युक्तिमुपन्यस्यति—औपम्याख्येति। एकालंकारेति। प्रतिवस्तूपमादृष्टान्तान्यतरेत्यर्थः। एकालंकारेत्यस्य विवरणे 'उपमालंकारेत्यर्थः'—इति नागेश आह। सरलाकारोऽपि नागेशमेवानुव्रजति। परन्तु नाहं तद्विवरणं युक्तं मन्ये तथा विवरणे 'उपमाभेदवत्' इत्यंशस्याग्रिमसंदर्भस्य चासंगतेः। सादृश्यस्य वाच्यत्व एवोपमायास्तद्भेदानां च सर्वालंकारिकस्वीकृतत्वेनात्र तस्य व्यङ्ग्यत्वे तदप्राप्तेश्च। प्रतिबन्द्योत्तरयति—तवापीति। औपम्यगम्यत्वात्मकसामान्यलक्षणाक्रान्त्या प्रतिवस्तूपमादृष्टान्तयोरेकालंकारप्रभेदत्वमाशङ्कमानस्य विमर्शिनीकारस्यापीत्यर्थः। तुल्ययोगितयोरिति। तत्रालंकारद्वये त्वयापि औपम्याभिव्यक्तेः स्वीकारादिति भावः। सैवेति। इष्टापत्तिरेवेत्यर्थः। नन्वेवं प्राचीनविभागोच्छेदापत्तिरत आह—प्राचीनेति। शिथिलीकृतत्वादिति। दीपकतुल्ययोगितयोरिति भावः। एवं प्रतिबन्दीमुक्त्वा दोषमाह—औपम्येति। बहूनामिति। अनन्वयादीनामित्यर्थः। तत्रापीष्टापत्तिश्चेदस्तु नाम तवोक्तेरसंगतिस्तु तथापि स्थितैवेति प्रतिपादयति—अब्धिरिति। 'देवीं वाचमुपासते हि बहवः सारं तु सारस्वतम्, जानीते नितरामसौ गुरुकुलक्लिष्टो मुरारिः कविः। अब्धिर्लङ्घित एव वानरभटैः किं त्वस्य गम्भीरता-मापातालनिमग्नपीवरतनुर्जानाति

मन्थाचलः ॥' इति पूर्णमुरारिपद्याकारः । ज्ञानार्थ इति । ज्ञानात्मकोऽर्थ इत्यर्थः । नैतन्निबन्धनमिति । ज्ञानरूपसाधारणधर्ममूलकमौपम्यं वक्तुरत्र नाभिप्रेतम् । तथाभिप्रेतत्वे ज्ञानात्मकसाधारणधर्मस्य वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नतया प्रतिवस्तूपमात्वापत्तिः संभाव्येतेति भावः । वस्तुतस्तु अचेतने मन्थाचले ज्ञानस्य बाधितत्वेन तत्र जानातेः संस्पर्शविशेषे लाक्षणिकतया तत्रापि बिम्बप्रतिबिम्बभाव एव, न वस्तुप्रतिवस्तुभावः । यन्निबन्धनमिति । अब्धिलङ्घनादिप्रयुक्तमित्यर्थः । औपम्यमित्यस्यानुषङ्गः । तन्मूलेति । अलंकारसर्वस्वेत्यर्थः । विरोधादिति । अनेन ग्रन्थेन दृष्टान्ते औपम्यस्य गम्यत्वं समर्थितं भवति । भवांश्च तत्र तत्राङ्गीकरोतीति मूलकारटीकाकारयोर्मिथोविरोधः स्पष्ट इति भावः । मूलविरोधपरिहारक्षमां संभावितां युक्तिं पूर्वपक्षतयोपन्यस्य निरस्यति—न चेत्यादिना । तयेति । निष्ठयेत्यर्थः । तथा व्युत्पत्तौ युक्तिमाह—न चैत्रार्थमिति । असंगतेरिति । वक्तुरभिप्रायस्याप्रतिपादनादिति भावः । 'न चैत्रार्थमोदनः पक्वः; यदर्थं च पक्वः स मैत्रः' इत्येतादृशवाक्यप्रयोगस्थले यथा द्वितीयेन पक्वशब्देन प्रथमप्रयुक्तपक्वशब्दपरामृष्टौदनस्यैव परामर्शो, न शाकादेस्तथैवालंकारसर्वस्वग्रन्थगते 'नैतन्निबन्धनमौपम्यं विवक्षितम् । यन्निबन्धनं च विवक्षितम्' इति वाक्ये प्रथमप्रयुक्तविवक्षितपदेन परामृष्टस्यौपम्यस्यैव द्वितीयेनापि विवक्षितपदेन परामर्शो भवितुमुचितो नार्थालंकारत्वादेरिति नोक्तशेषपूरणप्रकारो मूलग्रन्थविरोधपरिहारकर इत्याशयः । उपसंहरति—तस्मादिति । अस्मदुक्तेनेति । प्रतिवस्तूपमायामुपमानादीनां बिम्बप्रतिबिम्बभावेऽपि साधारणधर्मस्य वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नत्वम् । दृष्टान्ते पुनः सर्वेषां बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नत्वमेव' इत्याकारेणेत्यर्थः । पथा मार्गेण ।

विमर्शिनीकार की उक्ति का अनुवादपूर्वक खण्डन अब किया जाता है—विमर्शिनीकारस्तु—इत्यादि ।

'प्रतिवस्तूपमा में अप्रस्तुत अर्थ का ग्रहण उसके साथ प्रस्तुत अर्थ की समानता समझाने के लिये किया गया रहता है । दृष्टान्त में तो उसका ग्रहण केवल इसलिये किया जाता है कि 'ऐसी बात अन्यत्र भी होती है' यह समझ कर लोग प्रस्तुत अर्थ का ज्ञान विशद रूप में कर सकें न कि समानता समझाने के लिये । तात्पर्य यह कि प्रतिवस्तूपमा तथा दृष्टान्त-दोनों ही अलंकारों में यद्यपि समानरूप से दो दो वाक्यार्थ (एक प्रस्तुत तथा दूसरा अप्रस्तुत) रहते हैं, तथापि प्रतिवस्तूपमा में वक्ता का अभिप्राय प्रस्तुत अर्थ में अप्रस्तुत अर्थ का सादृश्य दिखलाना रहता है और दृष्टान्त में सादृश्य दिखलाना वक्ता का अभिप्रेत नहीं रहता है। फलतः एक जगह सादृश्य की प्रतीति होती है, दूसरी जगह नहीं । बश, इसी सादृश्य की प्रतीति और उसकी अप्रतीति के चलते इन दोनों अलंकारों में भेद (अन्तर) सिद्ध होता है ।' यह जो विमर्शिनीकार (अलंकारसर्वस्व पर विमर्शिनी नामक टीका लिखने वाले विद्वान्) का कथन है वह संगत नहीं होता, क्योंकि प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत-दोनों तरह के वाक्यार्थों का ग्रहण जब समान रूप से दोनों ही अलंकारों में किया जाता है तब एक (प्रतिवस्तूपमा) में सादृश्य की प्रतीति मानी जाय और दूसरे (दृष्टान्त) में उस की प्रतीति नहीं मानी जाय यह कथन लाठी के बल पर मनाई जाने वाली राजाज्ञा के समान है । और ऐसी स्थिति में ठीक विपरीत बात भी सुखेन कही जा सकती है—अर्थात् यह भी कहा जा सकता है कि प्रतिवस्तूपमा में ही सादृश्य की प्रतीति मानी जाय और दृष्टान्त में नहीं मानी जाय । साथ ही आप ने जो

यह कहा है कि दृष्टान्त में अप्रस्तुत अर्थ का ग्रहण 'ऐसा अर्थ अन्यत्र भी स्थित है' इत्याकारक प्रस्तुतार्थ-ज्ञान-वैशद्य के लिये किया गया रहता है वह भी तो सादृश्य का ही नामान्तर है। अभिप्राय यह कि किसी वस्तु के संबन्ध में यह कहना कि–ऐसी वस्तु और जगहों पर भी है' प्रकारान्तर से सादृश्य का ही कथन समझा जायगा।

दृष्टान्त में सादृश्य की प्रतीति होती है—अथवा होनी चाहिए इस तथ्य की व्यापक अनुभूति के कारण ही प्रायः सत्कवियों के द्वारा रचित सभी दृष्टान्तालंकारोदाहरणों में अप्रस्तुत वाक्यार्थ ऐसा ही देखा जाता है जो प्रस्तुत वाक्यार्थ में सन्निविष्ट प्रकृत्यर्थ-प्रत्ययार्थ आदिकों के अनुरूप प्रकृत्यर्थ-प्रत्ययार्थ आदिकों से युक्त रहता है।

तात्पर्य यह कि यदि दृष्टान्त में सादृश्य की प्रतीति अभिमत नहीं होती तब जो दृष्टान्त के लक्ष्यों में सत्कवि लोग नियमतः प्रस्तुत वाक्य में वर्णित वस्तु के सर्वथा अनुरूप वस्तु का ही वर्णन अनुरूप शैली में अप्रस्तुत वाक्यार्थ द्वारा करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती।

यदि आप कहें कि—अच्छा रहे मेरा कथन असंगत, पर आपने भी जो इन दोनों अलंकारों में अन्तर सिद्ध करने के लिये यह कहा है कि प्रतिवस्तूपमा में साधारण धर्म वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न होता है और दृष्टान्त में वह होता है बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न—बस यही दोनों में भेद है—अर्थात् इस भेद के आधार पर ये दोनों दो पृथक् अलंकार हैं, वह भी तो असंगत ही है, क्योंकि जब सादृश्य की प्रतीति दोनों स्थलों पर मान्य होगी तब तो उसी 'सादृश्य' रूप सामान्य लक्षण से आक्रान्त होने के कारण दोनों को एक अलंकार मान लेना ही उचित हो जायगा, हाँ साधारण धर्म की उक्त विभिन्नरूपता के कारण उक्त दोनों अलंकारों को किसी एक अलंकार का अवान्तर भेद भले ही माना जाय, जैसे साधारण अन्तर के कारण उपमा के अनेक उपभेद माने जाते हैं।

सारांश यह निकलता है कि आप के सिद्धान्त में (सादृश्य की प्रतीति दोनों स्थलों पर होती है इस पक्ष में) प्रतिवस्तूपमा और दृष्टान्त दो भिन्न अलंकार नहीं सिद्ध हो सकते, अपितु एक ही अलंकार सिद्ध होगा नाम उसका प्रतिवस्तूपमा रखिये अथवा दृष्टान्त, क्योंकि सादृश्याभिव्यक्तिरूप एक लक्षण (चिह्नविशेष) दोनों में है। बात रही आप के कथनानुसार साधारण धर्म का दोनों जगहों पर दो प्रकार का होना, सो वह अवान्तर भेद का साधक होगा, स्वतन्त्र दो. अलंकारों का नहीं। फलतः जैसे उपमा के अनेक उपभेद माने जाते हैं–वैसे ही प्रतिवस्तूपमा अथवा दृष्टान्त के (जो नाम रक्खेगें उसके) दो उपभेद होंगे जिनमें से एक होगा वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न साधारण धर्म वाला और दूसरा होगा बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न साधारण धर्म वाला।

तो इस आक्षेप का उत्तर यह है कि इस तरह से आपके मत में भी दीपक तथा तुल्ययोगिता दो न होकर, एक अलंकार हो जायगा, क्योंकि उन दोनों में औपम्य की अभिव्यक्ति आप भी मानते हैं। यदि इस आपत्ति को इष्ट करलें–अर्थात् यह मान लें कि दीपक और तुल्ययोगिता दो पृथक् अलंकार नहीं हैं, अपितु अलंकार एक है और उसके उपभेद दो हैं, तो यहाँ भी वैसा ही समझ लीजिए। अर्थात् प्रतिवस्तूपमा और दृष्टान्त को दो उपभेद के रूप में ही मान लीजिए। प्राचीनों के द्वारा किए गए विभाग को तो आपने ही दीपकादि में शिथिल कर दिया।

पर प्राचीनों के सेतु को तोड़ने में बाधा यह है कि इस तरह से अनन्वय आदि बहुत से अलंकार औपम्यरूप सामान्य लक्षण से आक्रान्त होकर उपमा के ही अवान्तर भेद बन जायेगें और उस स्थिति में सभी आलंकारिकों का सिद्धान्त भग्न हो जायगा।

खर, छोड़िए इस दलील को। मूल बात पर आइए। आपने जो यह कहा कि दृष्टान्त में सादृश्य की प्रतीति नहीं होती वह आपके ही मूल ग्रन्थ-अर्थात् 'अलंकारसर्वस्व' से विरुद्ध पड़ता है। देखिए-आपके सर्वस्वकार क्या कहते हैं। उनने दृष्टान्त के उदाहरण रूप में 'अब्धिर्लङ्घित एव वानरभटैः—' (पूरा पद्य संस्कृत टीका में द्रष्टव्य) यह मुरारि का पद्य उद्धृत किया, जिसका अर्थ यह है कि-देववाणी की उपासना बहुत लोग करते हैं, करें, पर देववाणी के सारतत्त्व को गुरुकुल में क्लेश उठाकर मनन करने वाला मुरारि कवि ही जानता है। वीर वानरों ने भी समुद्र को जरूर लाँघा, पर समुद्र की गम्भीरता का ज्ञान पातालपर्यन्त अपने स्थूल शरीर को प्रविष्ट करने वाले मन्थाचल को ही प्राप्त हुआ।

और इस उदाहरण पर जब यह आक्षेप आया कि इस पद्य में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत-दोनों वाक्यार्थों के द्वारा एक ही ज्ञान-क्रियारूप धर्म निर्दिष्ट हुआ है-फलतः वह वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न धर्म कहलायगा, अतः इस पद्य को प्रतिवस्तूपमा का उदाहरण माना जा सकता है, दृष्टान्त का नहीं, क्योंकि उसमें धर्म का बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न होना अपेक्षित है, तब उनने कहा कि हाँ यहाँ ज्ञानरूप एक धर्म निर्दिष्ट अवश्य है, पर तन्मूलक सादृश्य-यहाँ वक्ता का अभिप्रेत नहीं है। औपम्य यहाँ अभिप्रेत है समुद्र-लङ्घनादिमूलक और उसमें दिव्य वाणी की उपासना आदि से प्रतिबिम्बन है ही। उनके कथन का अभिप्राय यह रहा कि यहाँ मुरारि कवि के पद्य में मन्थाचल का औपम्य वक्ता का अभिप्रेत है और उस औपम्य का साधक है बिम्बप्रतिबिम्बभाव के द्वारा एकीभूत समुद्रलङ्घन-देववाणी-उपासन आदि। फिर साधारण धर्म के बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न न होने का प्रसङ्ग ही नहीं आता है।

वस्तुतः सर्वस्वकार को उक्त आक्षेप का उत्तर यह भी देना चाहिए था कि अचेतन मन्थाचल में ज्ञान बाधित है, अतः लक्षणा से उसका अर्थ होगा स्पर्शविशेष। ऐसी स्थिति में प्रस्तुतवाक्यार्थगत ज्ञान के साथ उसका (स्पर्शविशेष का) बिम्बप्रतिबिम्ब भाव ही है।

अस्तु, इस संदर्भ से यह स्पष्ट विदित होता है कि-सर्वस्वकार दृष्टान्त में सादृश्य की प्रतीति मानते हैं, फिर जो आपने उन्हीं के व्याख्याकार होकर दृष्टान्त में सादृश्य-प्रतीति के न होने की बात कही वह कहाँ तक संगत समझी जा सकती है यह एक विचारणीय वस्तु है।

यदि आप 'यन्निबन्धनं च विवक्षितम्' इस मूल ग्रन्थ के आगे 'अर्थालंकारत्वम्' इस विशेष्य पद का अध्याहार करके यह कहना चाहें कि ग्रन्थकार का आशय दृष्टान्त में औपम्य का स्वीकार करना नहीं है, अतः उस ग्रन्थ से मेरे कथन में विरोध नहीं पड़ता तो वह भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि 'औपम्यं न विवक्षितम्' इस पूर्वग्रन्थ में जब एक बार 'विवक्षित' इस निष्ठाप्रत्ययान्त (क्तप्रत्ययान्त) पद से औपम्य का परामर्श कर लिया गया है तब पूर्वोक्त अग्रिमग्रन्थगत विवक्षित पद से भी उसी का (औपम्य का ही) परामर्श करना संभव तथा उचित भी है। 'चैत्र के लिये ओदन नहीं पकाया गया है, जिसके लिये पकाया गया है वह मैत्र है' इस वाक्य में प्रथम कथित 'पकाया गया' से जिस ओदन का बोध किया गया है द्वितीय बार कथित (जिसके लिये पकाया गया है में) 'पकाया गया' से भी उसी ओदन का बोध मानने पर संगतार्थक वाक्य होता है, यदि द्वितीय बार कथित 'पकाया गया' से शाक आदि (ओदन से भिन्न किसी वस्तु) का बोध हो तब वाक्य असंगत ही हो जायगा।

अतः यदि प्राचीनों के द्वारा किये गये इन दोनों अलंकारों (प्रतिवस्तूपमा और दृष्टान्त) के विभाग का संगमन करना हो तो मेरे रास्ते से ही वह किया जा सकता है–अर्थात् प्रतिवस्तूपमा में वस्तुप्रतिवस्तुभावयुक्त साधारण धर्म की स्थिति रहती है और दृष्टान्त में बिम्बप्रतिबिम्बभावयुक्त साधारण धर्म की स्थिति रहती है ऐसा मान कर ही उक्त दोनों अलंकारों का पृथक्करण किया जा सकता है।

उक्तविषये मतान्तरमाह—

यदि तु न तेषां दाक्षिण्यं तदैकस्यैवालंकारस्य द्वौ भेदौ-प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्तश्च। यच्चानयोः किंचिद्वैलक्षण्यं तत्प्रभेदताया एव साधकम्, नालंकारताया इति सुवचम्।

तेषाम् प्राचाम्। दाक्षिण्यमनुरोधः। एकस्यैवेति। प्रतिवस्तूपमादृष्टान्तान्यतरनामकस्येत्यर्थः। 'उपमारूपस्यैव' इतिनागेशसरलाकारविवरणं तु प्रागेव निरस्तमिति न विस्मरणीयम्। अन्यत् सुगमम्।

पूर्वोक्त विषय में ही एक दूसरा मत (जो प्रायः ग्रन्थकार का भी अभिमत है) दिखलाया जाता है—यदि तु इत्यादि।

यदि प्राचीनों का अनुरोध करना आवश्यक नहीं समझा जाय, तब ऐसा भी सुखपूर्वक कहा जा सकता है कि-एक अलंकार के ही प्रतिवस्तूपमा और दृष्टान्त ये दो भेद हैं। इन दोनों भेदों में जो थोड़ी विलक्षणता दीख पड़ती है वह उन दोनों को एक अलंकार के अवान्तर भेद की सिद्धि के कारण है, पृथक् अलंकार की सिद्धि के नहीं।

अभिप्राय यह है कि प्रतिवस्तूपमा अथवा दृष्टान्त नाम का कोई एक अलंकार माना जाय और उसका लक्षण यह किया जाय कि अर्थतः ज्ञात होने वाला दो वाक्यार्थों का वह औपम्य प्रतिवस्तूपमा अथवा दृष्टान्त कहलाता है, साधारण धर्म से भिन्न जिसके सभी अङ्ग (उपमान आदि) बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न हों। हाँ, साधारण धर्म कहीं वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न और कहीं बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न दोनों तरह के हो सकते हैं, अतः उसके एक अलंकार के दो उपभेद होंगे एक वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न धर्मवाला और दूसरा बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न धर्मवाला।

यहाँ नागेश तथा मथुरानाथ भट्ट 'उपमा अलंकार के अवान्तर भेद इन दोनों अलंकारों को माना जाय' ऐसा आशय ग्रन्थ का करते हैं। पर मुझे यह आशय-वर्णन संगत नहीं प्रतीत होता। कारण, मूल पङ्क्तियों का स्वारस्य इस आशय में नहीं लक्षित होता। दूसरी बात यह भी है कि उपमा में सादृश्य का वाच्य होना अपेक्षित है और यहाँ सादृश्य वाच्य रहता नहीं, अपितु अभिव्यक्त होता है। (आशा है विज्ञ पाठक स्वयं गम्भीर चिन्तन के द्वारा इन दोनों पक्षों में से एक की यथार्थता को समझेगें)।

वैधर्म्यद्वारकं दृष्टान्तमुदाहर्तुमाह—

वैधर्म्येणायं यथा—

अयं दृष्टान्तः।

वैधर्म्य-द्वारा होने वाला दृष्टान्तालंकार जैसे—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'जनयन्ति परप्रीतिं नराः सत्कुलसंभवाः।
नहि कारस्करः क्वापि तापनिर्वापणक्षमः॥'

सति शोभने कुले वंशे, संभवः उत्पत्तिः, येषां तादृशाः, नराः मनुष्याः, परप्रीतिं उत्कृष्टं प्रेमाणं, जनयन्ति उत्पादयन्ति, जनमानसे इति शेषः। कारस्करः 'कुचला' इति लोकभाषाप्रसिद्धो वृक्षविशेषः, क्वापि कुत्रापि, तापस्य निर्वापणे शमने क्षमः समर्थः, न भवतीत्यर्थः।

उदाहरण का उल्लेख किया जाता है—जनयन्ति इत्यादि।

अच्छे कुलों में उत्पन्न मनुष्य सब के हृदय में उत्कृष्ट प्रेम को उत्पन्न करते हैं। कारस्कर (कुचिला का पेड़) कहीं भी ताप को शान्त करने में समर्थ नहीं होता।

उदाहरणान्तरमुपस्थापयितुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्।

अथवा जैसे—।

उदाहरणं समुल्लिखति—

'तापत्रयं खलु नृणां हृदि तावदेव
यावन्न ते वलति देव कृपाकटाक्षः।
प्राची-ललाट-परिचुम्बिनि भानुबिम्बे
पङ्केरुहोदरगतानि कुतस्तमांसि॥'

हे देव राजन्! ते तव, कृपा-कटाक्षः कृपाभावसूचको दृष्टिकोणः, यावत् यावत्काल-पर्यन्तम्, न वलति नावतरति, तावदेव तावत्कालपर्यन्तमेव, खलु निश्चयेन, नृणां मानवानां, हृदि जातावेकवचनम् हृदयेषु, तापत्रयम् आध्यात्मिकादिदुःखत्रयम्, तिष्ठति। भानुबिम्बे सूर्यमण्डले, प्राचीललाटपरिचुम्बिनि पूर्वदिशाभालस्पर्शिनि, सति, सूर्ये समुदिते इति भावः, पङ्केरुहोदरगतानि कमलमध्यस्थितानि, तमांसि तिमिराणि, कुतः? न तिष्ठन्तीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—तापत्रयम् इत्यादि।

हे देव! (राजन्) जब तक आप की दयादृष्टि नहीं होती तभी तक मनुष्यों के हृदयों में आध्यात्मिक, आधिदैविक अथवा आधिभौतिक (फलतः किसी तरह का) ताप रहता है। जब सूर्यमण्डल प्राचीदिशा के ललाट को चूमने लगता है–अर्थात् सूर्य जब पूर्व दिशा में उदित हो जाता है, तब कमलों के भीतर अन्धकार कैसे रह सकते हैं।

पूर्वोक्तपद्यद्वये प्रकृतमुपपादयति—

प्रीतिजनन-तापनिर्वापणाभावयोः, तापत्रयावस्थान—तमोदूरीकरणयोश्च वैधर्म्येणात्र बिम्बप्रतिबिम्बभावः।

अयं भावः—'जनयन्ति—' इति पद्ये प्रकृतवाक्यार्थोपात्तस्य प्रीतिजननस्याप्रकृत-वाक्यार्थोपात्तस्य तापनिर्वापणाभावस्य च साधर्म्येण बिम्बप्रतिबिम्बभावो न संभवति किंतु वैधर्म्येण संभवत्येव सः, प्रकृतवाक्यार्थोपात्तप्रीतिजननाक्षिप्तस्वभिन्न-प्रीतिजननाभाव-सजातीयस्य तापनिर्वापणाभावस्याप्रकृतवाक्यार्थे समुपादानात्, एवम् 'तापत्रयम्—' इति पद्ये प्रकृतवाक्यार्थोपात्ततापत्रयावस्थानाक्षिप्तस्वव्यतिरिक्तकृपाकटाक्षवलनानन्तरभावितापत्र-यावस्थानाभावसजातीयस्य तमोऽभावरूपस्यार्थस्याप्रकृतवाक्यार्थे समुपादानात् वैधर्म्येण बिम्बप्रतिबिम्बभाव इति।

पूर्वोक्त दोनों उदाहरणों में क्रमशः वैधर्म्य का उपपादन किया जाता है—प्रीति इत्यादि। 'जनयन्ति—' इस प्रथम पद्य में प्रेमोत्पादन तथा तापशमनाभाव का, और 'तापत्रयम्—' इस द्वितीय पद्य में तापत्रय की स्थिति तथा अन्धकाराभाव का बिम्बप्रतिबिम्बभाव वैधर्म्य के द्वारा होता है। तात्पर्य यह कि प्रेमोत्पादनाभाव और तापशमनाभाव में बिम्बप्रतिबिम्बभाव होने से प्रेमोत्पादन और तापशमन में भी वह समझा जायगा, इसी तरह तापत्रयस्थिति के अभाव तथा अन्धकाराभाव में उसके होने से तापत्रयस्थिति में वह फलित होगा।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे दृष्टान्तप्रकरणम्।

रसगङ्गाधरगतदृष्टान्तालंकारनिरूपणप्रकरणं समाप्तमवगन्तव्यमिति भावः।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां दृष्टान्तप्रकरणम्॥

प्रकरणसमाप्ति की सूचना दी जाती है—इति इत्यादि।

रसगङ्गाधरनामक निबन्ध में दृष्टान्त का प्रकरण समाप्त हुआ।

रसगङ्गाधरगत दृष्टान्तालंकार प्रकरण की हिन्दी व्याख्या समाप्त॥

निदर्शनां लक्षयितुमाह—

अथ निदर्शना—

निदर्शना निरूप्यतयाऽऽरब्धा वेदितव्येति भावः।

निदर्शना अलंकार का निरूपण अब आरब्ध समझना चाहिए।

निदर्शनां लक्षयति—

उपात्तयोरर्थयोरार्थाभेद औपम्यपर्यवसायी निदर्शना॥

अर्थयोरिति। पदार्थयोर्वाक्यार्थयोश्चेति भावः। औपम्यपर्यवसायीति। पर्यवसाने औपम्यबोधक इति भावः। औपम्यमूलक इति-इति तु नागेशः। अन्यत् सुगमम्।

निदर्शना का लक्षण किया जाता है—उपात्तयोरित्यादि।

वर्णित दो अर्थों (वाक्यार्थों अथवा पदार्थों) की अर्थतः ज्ञात होने वाली वह अभिन्नता-जिसका पर्यवसान (समाप्ति) सादृश्य में होता हो निदर्शना कहलाती है। तात्पर्य यह कि निदर्शना अलंकार तब होता है जब ऐसे दो पदार्थ अथवा पूरे वाक्यार्थ पृथक्-पृथक् कहे गए हों जिनका अभेद अर्थतः, न कि शब्दतः, ज्ञात होता हो और उस अभेद की भी समाप्ति सादृश्य में जाकर हो जाती है।

पदकृत्यानि दर्शयति—

अतिशयोक्त्यादीनां ध्वन्यमानरूपकस्य च वारणाय उपात्तयोरिति। वाच्यरूपकवारणाय आर्थ इति। आर्थत्वं च प्राथमिकान्वयबोधाविषयत्वम्।

नन्वतिशयोक्त्यादौ नार्थद्वयमत आह—ध्वन्यमानेति। 'चन्द्रे इन्दीवरद्वयम्' इत्यतिशयोक्तौ, नेत्रेन्दीवरयोरभेदोऽवश्यमर्थतोऽनुसंधीयते, तथापि तत्रोपमानमिन्दीवरमात्रं शब्दोपात्तम्, उपमेयं तु नेत्रं लक्षणयाऽवसेयमिति नोपात्तत्वं तस्य, एवं 'कस्तूरिकातिलकम्—' इत्यादिरूपकध्वनौ मुखचन्द्रयोरभेदो यद्यप्यर्थतो विज्ञायते तथापि तत्रोपमेयमाननमात्रं शब्दोपात्तम्, उपमानश्चन्द्रस्तु व्यञ्जनया विज्ञेय इति तयोरतिव्याप्तिनिरास-

'उपात्त' पदनिवेशफलत्वेन बोध्य इति भावः । 'मुखं चन्द्रः' इत्यादि वाच्यरूपके समानविभक्तिनिर्देश्यस्याभेदस्य शाब्दत्वमेवेति आर्थपदनिवेशेन तत्रातिप्रसक्तिनिरासः ।

नन्वार्थत्वमर्थसंबन्धित्वम्, तथा च वाच्यरूपके दोषस्तदवस्थ एवेत्यत आह—आर्थत्वं चेति । प्रथमतो जायमानेऽन्वयबोधे यद् वस्तु विषयतया नावभासते तद् वस्तु आर्थमिति व्यपदिश्यते । तथा च वाच्यरूपकेऽभेदस्य प्राथमिकबोधविषयतया नार्थत्वमिति भावः ।

लक्षण में सन्निविष्ट पदों के फल बतलाये जाते हैं—अतिशयोक्त्यादीनाम् इत्यादि ।

'चन्द्रे इन्दीवरद्वयम्—अर्थात् चन्द्रमा में ये दो नील कमल हैं' इस अतिशयोक्ति में, तथा 'कस्तूरिकातिलकम्—अर्थात् कस्तूरी की बिन्दी लगाकर सहास मुखवाली तू साम में कोठे पर चढ़ जाओ । जिससे कुमुद खिल उठे और दिशायें उल्लसित हो जाँय' इस रूपकध्वनि में भी क्रमशः नेत्र और नील कमल का एवम् मुख और चन्द्र का अभेद अर्थतः ज्ञात होता है, अतः उन दोनों स्थलों में निदर्शना का लक्षण संघटित नहीं हो सके इसलिए लक्षण में 'उपात्तयोः—कथित' यह अर्थों का विशेषण जोड़ा गया है । इस विशेषण के जोड़ने पर उक्त आपत्ति नहीं होती क्योंकि उन स्थलों पर वे दोनों अर्थ उपात्त नहीं हैं—अर्थात् अतिशयोक्ति स्थल में केवल उपमान-नील कमल कथित है, उपमेय नेत्र नहीं उसकी प्रतीति लक्षणा से होती है और रूपक ध्वनि में केवल उपमेय-मुख कथित है, उपमान-चन्द्र नहीं, उसका बोध व्यञ्जना से होता है ।

'मुखं चन्द्रः अर्थात् मुख चन्द्र है' इत्यादि वाच्य रूपक में दो अर्थ (मुख तथा चन्द्र') उपात्त है अभेद भी उन दोनों का है अतः उस में निदर्शना-लक्षण की अतिप्रसक्ति न हो इसलिये अभेद का विशेषण 'आर्थ' (अर्थतः ज्ञात होने वाला) कहा गया । इस विशेषण के कथन से आपत्ति इस लिये नहीं होती कि वहाँ समान-विभक्ति के द्वारा प्रतीत होने के कारण अभेद शाब्द है ।

'आर्थ' का अभिप्राय यहाँ केवल अर्थ-सम्बन्धी नहीं है, अपितु शब्द से होने वाले प्रथम बोध में जो भासित नहीं हो और अर्थानुसन्धान के बल से जो पीछे भासित हो । उक्त वाच्यरूपक स्थल में तो प्रथम शाब्दबोध में ही अभेद भासित हो जाता है, अतः वह आर्थ नहीं कहला सकता है ।

तावताऽप्यनिर्वाहे लक्षणे विशेषणान्तरं निवेशयितुमाह—

यदि च विशिष्टोपमायां विशेषणयोरभेदः प्रतीयते तदा बिम्बप्रतिबिम्बभावानापन्नत्वमपि प्रधानविशेषणम् । तद्विशेषणानां तु बिम्बप्रतिबिम्बभावो न निवार्यते ।

प्रतीयत इति । तथा च तत्रातिव्याप्तिरिति भावः । प्रधानविशेषणमिति । वक्तृमुख्यतात्पर्यविषयीभूतार्थविशेषणमिति भावः । अस्याग्रे देयमिति शेषो बोध्यः ।

अयं भावः—'उपात्तयोरर्थयोरार्थाभेद···' इति निदर्शनालक्षणम् 'कोमलातपशोणाभ्रसन्ध्याकालसहोदरः । काषायवसनो याति कुङ्कुमालेपनो यतिः ॥' इत्यादि विशिष्टोपमायामतिव्याप्तम्, कोमलातप-कुङ्कुमालेपनयोः, शोणाभ्र-काषायवसनयोश्चोपात्तयोरर्थयोरार्थाभेदस्य प्रत्ययादिति चेद् विभाव्यते तदा बिम्बप्रतिबिम्बभावानापन्नत्वमपि प्रधान-

विशेषणतया लक्षणे निवेशनीयम्। तन्निवेशे च न तत्रातिप्रसङ्गः प्रधानयोः सन्ध्याकाल-यत्योस्तत्र बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नत्वादिति। 'प्रधानविशेषणम्' इत्यत्र प्रधानपदस्वार-स्यं स्फोरयति—तद्विशेषणानां त्विति। प्रधानविशेषणानां त्वित्यर्थः। तथा च 'त्वामन्तरा-त्मनि—' इत्यादिनिदर्शनोदाहरणे प्रधानयोः शोधनगवेषणयोः बिम्बप्रतिबिम्बभावा-नापन्नत्वेन तद्विशेषणयोः अन्तरात्म-कण्ठतटयोः, तीर्थरजसोः, शिवचिन्तामण्योश्च बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नत्वेऽपि न क्षतिरिति भावः।

'उपात्त' 'आर्थ' आदि विशेषणों का निवेश कर देने पर भी संभावित अतिव्याप्ति-स्थल का उल्लेख कर के उसके वारण का उपाय दिखलाया जाता है— यदि च इत्यादि।

यदि कहें कि मूलोक्त निदर्शना का लक्षण 'उपात्त' 'आर्थ' आदि विशेषणों के बल से अतिशयोक्ति, रूपकध्वनि, वाच्यरूपक आदि में भले ही अतिव्याप्त न हो पर, 'कोमलातप—' इत्यादि (संस्कृत टीका में उद्धृत) विशिष्टोपमोदाहरण में अतिव्याप्त हो ही जाता है, क्यों कि वहाँ 'कोमल आतप' और कुङ्कुम-लेप रूपविशेषणीभूत उपात्त अर्थों का एवम् लाल आकाश और काषायवस्त्ररूप विशेषणीभूत उपात्त अर्थों का अभेद अर्थतः प्रतीत होता है, तो उसके वारण के लिये लक्षण में यह भी कहना चाहिए कि 'प्रधान (उपात्त दोनों का ही अर्थों का मुख्य–जिन दोनों का उपमानोपमेयभाव व मुख्यतया कविविवक्षा-विषय हो) बिम्बप्रतिबिम्बभाव युक्त न रहे।' ऐसा कहने पर उक्त आपत्ति नहीं हो सकेगी। कारण, वहाँ प्रधान—सन्ध्या काल तथा यति बिम्ब-प्रतिबिम्बभावायुक्त ही है।

यहाँ केवल प्रधान का बिम्बप्रतिबिम्बभावानापन्न होना अपेक्षित है, उसके (प्रधान के) विशेषणों का नहीं—अर्थात् वे (प्रधान के विशेषण) बिम्बप्रतिबिम्ब-भावापन्न भी हो सकते हैं, अतः 'त्वामन्तरात्मनि—' इत्यादि निदर्शना के उदाहरण—जो अभी आगे कहा जायगा—में अन्तरात्मा और कण्ठतट, तीर्थ और धूलि, एवम् शिव और चिन्तामणि-इन विशेषणों के बिम्बप्रतिबिम्बभावयुक्त होने से भी कोई हानि नहीं होती, क्यों कि प्रधान (शोधन और गवेषण) बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न नहीं हैं, अपितु वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न हैं।

विशेषमाह—

इदं च श्रौत्या निदर्शनाया लक्षणम्। आर्थीसाधारणं लक्षणं तु ललिता-लंकारप्रकरणे वक्ष्यते।

'उपात्तयोरर्थयोः'—इति मूलोक्तं लक्षणं श्रौतनिदर्शनाया बोध्यम्। अथार्थ्या निद-र्शनाया लक्षणं कथं नोक्तमिति चेत्तत्राह—आर्थीसाधारणमिति।' लक्षणमिति। 'व्यव-हारद्वयवद्धर्म्यभेदप्रतिपादनाक्षिप्तो व्यवहारद्वयाभेदः' इत्याकारकमित्यर्थः। अधिकं ललिता-लंकारप्रकरणे द्रष्टव्यम्।

एक विशेष का स्पष्टीकरण यहाँ किया जाता है—इदं च इत्यादि।

'उपात्तयोरर्थयोः'—यह मूलोक्त लक्षण श्रौती निदर्शना का है। श्रौती और आर्थी-दोनों ही निदर्शनाओं का संग्रह जिससे हो सके ऐसा लक्षण तो ललित नामक अलंकार के प्रकरण में कहा जायगा। दो व्यवहारों से युक्त दो धर्मियों के अभेद के प्रतिपादन से आक्षिप्त होने वाला दो व्यवहारों का अभेद निदर्शना है यह लक्षण वहाँ उक्त दोनों

निदर्शनाओं का संग्रहार्थ किया गया है। एतत्संबन्धी अधिक विचार ललितालंकार-निरूपण में देखा जा सकता है।

उदाहर्तुमाह—

उदाहरणम्—

यथेति शेषः।

उदाहरण जैसे—

उदाहरणन्निर्दिशति—

'त्वामन्तरात्मनि लसन्तमनन्तमज्ञा-
स्तीर्थेषु हन्त मदनान्तक शोधयन्तः।
विस्मृत्य कण्ठतटमध्यपरिस्फुरन्तं-
चिन्तामणिं क्षितिरजःसु गवेषयन्ति ॥

शिवं प्रति भक्तस्योक्तिः—हे मदनान्तक कामविनाशक शिव!, अन्तरात्मनि अध्यात्मम्, लसन्तम् भासमानम्, अथ च अनन्तम् अविनाशिनम् त्वाम्, तीर्थेषु काशीप्रभृतिस्थलविशेषेषु, शोधयन्तः विचिन्वन्तः, अज्ञाः अज्ञानिनः अविद्यापदपतिता इति यावत्, कण्ठरूपस्य तटस्य, मध्ये, परिस्फुरन्तम् दीप्यमानम्, चिन्तामणिम्, विस्मृत्य विस्मरणपूर्वकम्, हन्त खेदेन, क्षितिरजःसु धराधूलिषु, गवेषयन्ति अन्विष्यन्ति। अन्तरात्मनि वर्तमानस्य परमेश्वरस्य तीर्थस्थानेषु अज्ञैः क्रियमाणमन्वेषणम्, कण्ठे वर्तमानस्य चिन्तामणेः धूलिषु गवेषणमिवेति भावः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—त्वामित्यादि।

भगवान् शंकर के प्रति किसी भक्तजन की उक्ति है कि हे मदनान्तक (मदन = कामदेव का अन्त करने वाले) शिव ! तूँ तो वस्तुतः अनन्त (अन्तहीन) होकर सदा प्राणियों के अन्तरात्मा में (आत्मा के बीच) ही लसते रहते हो-शोभित होते रहते हो फिर जो अज्ञ जन तुम्हें तीर्थस्थानों में खोजते-फिरते हैं वे सचमुच कण्ठ में चमकते हुए चिन्तामणि को भूलकर उसे पृथ्वी की धूलियों में ढूढ़ते हैं। हन्त-यह खेद का विषय है।

उपपादयति—

अत्र तवान्यत्र परिशोधनं कण्ठस्थस्य चिन्तामणेर्भूपांसुषु गवेषणं चाभिन्नमिति तत्सादृश्यमूला धीः।

अत्रेति। 'त्वामन्तरा'—इति पद्य इत्यर्थः। तवेति। शिवस्येत्यर्थः। अन्यत्रेति। आत्मातिरिक्ते तीर्थादावित्यर्थः। परिशोधनम् अन्वेषणम्। पांसुषु धूलिषु। तत्सादृश्येति। तयोः सादृश्यं मूले यस्याः सेत्यर्थः। धीः बोधः।

'त्वामन्तरात्मनि'—इत्यत्र 'अज्ञजनकर्तृकस्वगतशिवकर्मकतीर्थाधिकरणकशोधनतादृशजनकर्तृककण्ठस्थचिन्तामणिकर्मकभूधूल्यधिकरणकगवेषणात्मकौ द्वौ वाक्यार्थावुपात्तौ तयोश्च सादृश्यातिशयमूलकोऽभेदोऽर्थादवसीयते, स चाभेदः पर्यवसाने औपम्यमेव गमयतीति लक्षणसंगतिरिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'त्वामन्तरात्मनि—' इस पद्य में दो वाक्यार्थ उपात्त हैं—एक हृदयस्थ शिव का हृदय से भिन्न तीर्थ-स्थलों में अज्ञ जन द्वारा शोधन 'अन्वेषण' और दूसरा

'कण्ठस्थित चिन्तामणि का धूलियों में तादृशजन द्वारा गवेषण'। इन दोनों वाक्यार्थों में अत्यधिक समता है, अतः अर्थतः-अर्थात् प्राथमिक अन्वयबोध के पश्चात् इनदोनों वाक्यार्थों का अभेद ज्ञात होता है—अर्थात् 'शिव का अन्यत्र अन्वेषण और कण्ठस्थित चिन्तामणि का धूलि में अन्वेषण अभिन्न है—एक है' इस तरह का बोध होता है। इस अभेद बोध की समाप्ति फिर भी-वास्तविकता के अनुरोध से औपम्य-बोध में ही माननी पड़ेगी-अर्थात् शिव का अत्यन्त अन्वेषण करना कण्ठस्थित चिन्तामणि का धूलि में अन्वेषण करने के समान है यही निष्कर्ष होता है।

उदाहरणान्तरमुपस्थापयितुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्।

अथवा जैसे।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'अन्यैः समानममरैर्जगदन्तरात्मन्,
ये चन्द्रशेखर वदन्ति भवन्तमज्ञाः।
ते किं न हन्त तुलयन्ति नभो निरन्तं,
वातायनोदरगतैर्विवरान्तरालैः॥'

इयमपि शिवं प्रति भक्तोक्तिरेव—हे जगदन्तरात्मन् संसारगतसमस्तप्राणिजीवस्वरूप, चन्द्रशेखर शिव! ये, अज्ञाः, भवन्तम्, अन्यैः, अमरैः देवैः, समानम् तुल्यं, वदन्ति ते अज्ञाः, हन्त खेदेन निरन्तम् निरवसानम्, नभः आकाशम् वातायनोदरगतैः गवाक्षमध्यस्थितैः, विवरान्तरालैः छिद्रात्मकैरवकाशैः, किं न तुलयन्ति कथन्नोपमिन्वन्ति? अपरिच्छिन्नं शिवं परिच्छिन्नैरन्यैर्देवैस्तुलयद्भिरज्ञानिर्भिर्जनैर्निरवच्छिन्न आकाशोऽपि गवाक्षविवराद्यवच्छिन्नेनाकाशेन तुलयितुमुचित इति भावः। अत्रापि पूर्ववत् देवान्तरैः सह तव तुलना निरन्तस्य नभसः गवाक्षविवरेण सह तुलना चाभिन्नेति सादृश्यमूलो बोधः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अन्यैः इत्यादि।

यह भी भगवान् शंकर के प्रति भक्त जन की ही उक्ति है—हे संसारभर के अन्तरात्मरूप शंकर! जो अज्ञजन अन्य देवों के समान आप को कहते हैं अर्थात् आप की तुलना अन्य देवों के साथ करते हैं वे अपरिमित-विशाल आकाश की तुलना झरोखों के छिद्रों से-अर्थात् परिमित आकाश से क्यों नहीं करते हैं?। तात्पर्य यह कि व्यापक ब्रह्म की तुलना स्वर्गवासी देवों के साथ करने वालों को व्यापक आकाश की तुलना भी व्याप्य आकाश के साथ करनी चाहिए। सारांश यह कि जैसे निरवच्छिन्न आकाश को घटाद्यवच्छिन्न आकाश के समान समझना अज्ञान का फल है उसी तरह घट-घट में व्यापक शिव को नश्वर ऐश्वर्यशाली अन्य देवों के समान मानना भी अविद्या का ही परिणाम है।

यहाँ भी पूर्ववत् सादृश्यमूलक 'शिव की अन्य देवों के साथ तुलना और निरन्त आकाश की सान्त आकाश के साथ तुलना अभिन्न है-एक है' इस तरह का अभेद बोध अर्थतः होता है।

प्रागुक्तयोर्द्वयोरुदाहरणयोर्वैलक्षण्यं सूचयति—

पूर्वत्रैकवाक्यगतः, इह तु भिन्नवाक्यगतः। पूर्वत्र वस्तुमात्रयोरौपम्यमूलोऽभेदः, इह त्वौपम्ययोरौपम्यमूलः स इति विशेषः।

पूर्वत्रेति । 'त्वामन्तरात्मनि—' इत्यत्रेत्यर्थः । एकवाक्येति । 'शोधयन्तः' इति कृदन्तपदवाच्यक्रियायाः कर्तृविशेषणतया 'गवेषयन्ति' इति तिङन्तपदवाच्यायामेकस्यामेव क्रियायाम् सर्वेषामन्वीयमानतयैकवाक्यत्वमिति भावः । इहेति । 'अन्यैः समानम्—' इत्यत्रेत्यर्थः । भिन्नवाक्येति । 'वदन्ति' 'तुलयन्ति' इति तिङन्तपदबोध्ययोः प्रधानयोः द्वयोः क्रिययोः सत्त्वाद् भिन्नवाक्यतेति भावः । 'गतः' इत्यनन्तरम् 'अभेदः' इति शेषो बोध्यः । एवमेकविधं वैलक्षण्यमुक्त्वाऽन्यविधं तदाह—पूर्वत्रेति । प्रथमोदाहरणे तादृशशोधनतादृशगवेषणात्मकयोर्वस्तुनोरेव सादृश्यम् तन्मूलकोऽभेदश्च प्रतीयते, 'अन्यैः समानम्' इत्यत्र तु न केवलं द्वयोर्वस्तुनोः सादृश्यं तन्मूलकोऽभेदश्च प्रतीतिविषयः, अपि तु द्वयोः सादृश्ययोः सादृश्यम् तन्मूलकस्तद्ज्ञानयोरभेदश्च प्रतीतिगोचरः । सादृश्यद्वयञ्च क्रमशः 'अमरैः समानम् भवन्तम्' 'विवरान्तरालैः नभः तुलयन्ति' इत्यंशाभ्याम् प्रतीयते । तस्य सादृश्यद्वयस्य च सादृश्यम् 'अमरैर्भवतस्तुलना निरन्तरस्य नभसः गवाक्षमध्यगतविवरैस्तुलनया तुल्या' इत्याकारकमिति भावः ।

पूर्वोक्त दोनों उदाहरणों में अन्तर दिखलाया जाता है—पूर्वत्रेति ।

प्रथम अर्थात् 'त्वामन्तरात्मनि—' इस—उदाहरण में अभेद एक वाक्यगत है-अर्थात् वहाँ 'शोधयन्तः' इस कृदन्तपदबोध्य क्रिया के कथन से दो वाक्य मिलकर एक वाक्य हो गए हैं और 'अन्यैः समानम्—' इस द्वितीय उदाहरण में वह (अभेद) वाक्यद्वयगत है—अर्थात् यहाँ 'वदन्ति' तथा तुलयन्ति' इन तिङन्त दो क्रियापदों द्वारा दो भिन्न क्रियाओं का पृथक्-पृथक् निर्देश होने के कारण दोनों ही वाक्य दो वाक्य ही रह गए हैं—एक वाक्य नहीं बन सके हैं । यह हुआ उन दोनों उदाहरणों में एक प्रकार का अन्तर । दूसरे प्रकार का अन्तर भी है । जैसे—प्रथम उदाहरण में केवल दो वस्तुओं—अर्थात् शिवकर्मक शोधन और चिन्तामणिकर्मक गवेषण का सादृश्यमूलक अभेद है और द्वितीय उदाहरण में तो अन्ततः दो वस्तुओं का अभेद भी ज्ञात होता ही है, साथ साथ प्रथमतः दो सादृश्यों का सादृश्यमूलक अभेद विदित होता है । तात्पर्य यह कि द्वितीय उदाहरण में शिव की अन्य देवों के साथ समानता और अन्तहीन आकाश की सान्त—गवाक्षविवरात्मक, आकाश के साथ समानता—ये दोनों समानतायें समान हैं इस तरह की दो समानताओं की समता ज्ञात होने से उन दोनों समानताओं का अभेद अवगत होता है ।

विशेषं स्फोरयति—

एषा वाक्यार्थनिदर्शनेत्युच्यते । विशिष्टार्थयोः प्रकृतैकधर्मिगतयोरार्थाभेदे वाक्यार्थनिदर्शनाया इष्टेः । अस्यां च घटकपदार्थानां बिम्बप्रतिबिम्बभाव आवश्यकः ।

एषेति । पूर्वोक्तपद्ययोरुदाहृतेत्यर्थः । अस्या वाक्यार्थनिदर्शनात्वे युक्तिमाह—विशिष्टार्थयोरिति । अन्वयवशसंपन्नयोरर्थयोरिति भावः । प्रकृतैकधर्मिगतयोरिति । प्रकृतो य एको धर्मी, न तु अप्रकृत इति यावत्, तद्वर्णनतात्पर्यविषयीभूतयोरिति भावः । इष्टेः इष्टत्वात् । अस्यामिति । वाक्यार्थनिदर्शनायामित्यर्थः । घटकपदार्थानामिति । वाक्यार्थद्वयावयवीभूतानां पदार्थानामित्यर्थः । पूर्वोक्तयोः पद्ययोरेतत्सर्वमस्तीति वाक्यार्थनिदर्शनोदाहरणत्वं तयोरिति सारांशः ।

एक विशेष का स्पष्टीकरण किया जाता है—एषा च इत्यादि, अभी जो दो पद्य उदाहरण रूप में कहे गए हैं—वहाँ वाक्यार्थ-निदर्शना है, पदार्थ निदर्शना नहीं, क्योंकि केवल प्रस्तुत पदार्थ के वर्णनार्थ कथित दो विशिष्ट अर्थों (अन्वित अर्थों = वाक्यार्थों) का अर्थतः अभेद ज्ञात होने पर वाक्यार्थ निदर्शना इष्ट होती आई है। हाँ, वाक्यार्थ-निदर्शना के लिये एक और आवश्यक उपबन्ध यह है कि इसके मध्य में आगत दो तो वाक्यार्थों के प्रत्येक दो अवयवों (पदार्थों) को बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न होना चाहिए।

पूर्वोक्त दोनो पद्यों में ये सभी उपबन्ध संघटित हैं—अर्थात् एक प्रस्तुत धर्मी के वर्णन करने के उद्देश्य से दो विशिष्ट अर्थों का अभेद अर्थतः ज्ञात होता ही है, और अन्तरात्मा-कण्ठतट, शिव-आकाश आदि वाक्यार्थघटक पदार्थ बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न भी हैं, अतः इन्हें वाक्यार्थ-निदर्शना का उदाहरण मानना समुचित है।

पदार्थनिदर्शनामुदाहर्तुमाह—

पदार्थनिदर्शना यथा—

स्पष्टम्,

पदार्थनिदर्शना जैसे—'

उदाहरणमुपन्यसति—

'अगण्यैरिन्द्राद्यैरिह परमपुण्यैः परिचितो
जगज्जन्मस्थानप्रलयरचनाशिल्पनिपुणः।
प्रसर्पत्पीयूषाम्बुधिलहरिलीलाविलसितो
दृगन्तस्ते मन्दं मम कलुषवृन्दं दलयतु॥'

भक्तो भगवन्तं प्रार्थयते—हे भगवन्! परमपुण्यैः अतिपुण्यशालिभिः, परमपवित्रैरिति वार्थः, अगण्यैः असंख्यैः, इन्द्राद्यैः इन्द्रप्रभृतिभिः, परिचितः अनुभूतः, जगतः संसारस्य जन्म उत्पत्तिः, स्थानम् स्थितिः, प्रलयः संहारश्च तेषां रचनात्मके शिल्पे निपुणः प्रवीणः, जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारक इति यावत्, तथा प्रसर्पतः प्रसरतः, पीयूषाम्बुधेः सुधासमुद्रस्य, या लहर्यस्तरङ्गाः, तासां या लीला क्रीडा, तया विलसितः शोभितः, ते तव, दृगन्तः नयनकोणः, मम, कलुषवृन्दम् पापपुञ्जम्, मन्दम् मन्थरं यथा स्यात्तथा, क्रमश इति यावत्, अमन्दमिति वा पाठः, तथात्वे विपुलं कलुषवृन्दमित्यभिप्रायः, दलयतु शमयत्वित्यर्थः,

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अगण्यैः इत्यादि।

भक्त भगवान् से याचना करता है—तेरा वह दृगन्त—नेत्र-कोणभाग मेरे पापपुञ्जों का (मन्दम्) धीरे-धीरे दलन-शमन करे, (यदि 'मन्दम्' के स्थान पर 'ऽमन्दम्-अमन्दम्' पाठ माना जाय तब 'विशाल-पाप पुञ्ज का दलन करे' ऐसा अर्थ होगा) जो इन्द्र आदि असंख्य पुण्यशाली देवों के द्वारा अनुभूत है, संसार के जन्म, स्थिति और पुण्य की रचना का निपुण शिल्पी है तथा फैलते हुए सुधा-समुद्र की लहरों की लीला से शोभित है।

उपपादयति—

अत्र दृगन्ताम्बुधिलहरिलीलयोराश्रयभेदाद् भिन्नयोरपि सादृश्यमूलस्ताद्रूप्याभिमानः। आरोपो वा दृगन्ते लहरिलीलायाः।

दृगन्ताम्बुधीति । दृगन्तसमुद्रलहर्योर्ये लीले तयोरित्यर्थः । दृगन्तलीलाप्रतिपादक-शब्दाभावेन तथा दुर्वचमत आह—आरोपो वेति । लीलात्वेनाभेदेऽपि दृगन्त-समुद्रलहरि-रूपाश्रयभेदेन भिन्नयोरत एवार्थद्वयरूपयोर्दृगन्तलीला-समुद्रलहरि-लीलयोरुज्जृम्भण-कृतम् सादृश्यमादायाभेदः, स चार्थः, द्वयोर्लीलयोरुपस्थापकशब्दाभावात् , 'लीलेव लीले' इत्याकारकसादृश्यपर्यवसायी चेति निदर्शना, सा च पदार्थगता, सम्पूर्णवाक्यार्थ-संपृक्तत्वात् । उभयोर्लीलयोः पृथक् बोधकस्य पदस्याभावे सादृश्यमेव न संभवदुक्तिकम् , कुतस्तन्मूलकोऽभेद इति चेत् ? तर्हि दृगन्ते लहरिलीलाया आरोप एवास्थेयः; तथात्वेऽपि आरोपेण स्वतो वा एकवृत्तित्वेन द्वयोर्लीलयोरभेदयोरौपम्यपर्यवसायी सिद्ध एवेति पदार्थ-निदर्शनात्वेऽस्य न काचन बाधेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'अगण्यैः—' इस पद्य में 'प्रसर्पत्पीयूष—' इस अंश के द्वारा जो भगवद्दृगन्त को समुद्रलहरीलीला से शोभित कहा गया है उसका आशय यह है कि–दृगन्त और सुधा-समुद्रलहरीरूप आश्रय (आधार) के भिन्न होने से उन दोनों में आश्रित रहने वाली लीला भी यद्यपि विभिन्न है तथापि उन दोनों लीलाओं को समानता के कारण अभिन्न समझना चाहिए । यदि लीला पद के एक ही वार प्रयोग होने से समानता की समझ संगत नहीं जचे तो दृगन्त में समुद्रलहरी-लीला का आरोप ही समझिए । तात्पर्य यह कि किसी न किसी तरह दो लीलाओं को एक समझ कर ही समुद्रलहरीलीला से शोभित दृगन्त को कहा गया है, अन्यथा दूसरे की लीला से दूसरे का शोभित होना बनता नहीं । और ऐसी स्थिति में दो पदार्थों (दो लीलाओं) का औपम्यपर्यवसायी आर्थ अभेद यहाँ स्पष्ट है, अतः पदार्थ-निदर्शना का यह पद्य उदाहरण होता है ।

उदाहरणान्तरं दर्शयितुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्

अथवा जैसे— ।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'पाणौ कृतः पाणिरिलासुतायाः सस्वेदकम्पो रघुनन्दनेन ।
हिमाम्बुमन्दानिल-विह्वलस्य प्रभातपद्मस्य बभार शोभाम् ॥'

सीताविवाहवर्णनम्—रघुनन्दनेन रामचन्द्रेण, पाणौ हस्ते, कृतः स्थापितः, सस्वेद-कम्पः स्वेदकम्पाभ्यां सहितः, इलासुताया धरातनयायाः सीताया इति यावत् , पाणिः करः (रामकरगतः सस्वेद सकम्पश्च सीताकर इति समुदितार्थः) हिमाम्बुना हिमजलेन मन्दा-निलेन मन्दवायुना च विह्वलस्य व्याकुलस्य, प्रभातपद्मस्य प्रातःकालिककमलस्य शोभाम् बभार दधावित्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—पाणौ कृतः इत्यादि ।

सीता-विवाह का वर्णन है—रामचन्द्र जी के द्वारा अपने हाथ में लिया गया पसीने तथा कम्पन से युक्त पृथिवी-पुत्री (सीता) का हाथ पाले के जल तथा मन्द पवन से विह्वल प्रभातिक कमल की शोभा का धारण किया ।

पूर्वस्मादुदाहरणाद् वैलक्षण्यं स्पष्टयन् पद्यार्थविश्लेषणपूर्वकं पदार्थनिदर्शनात्वमुपपादयति—

अत्र हिमाम्बुजनितविह्वलता हिमकणाकीर्णतारूपा वातजनितविह्वलता च विधुतिरूपा। एताभ्यां च सस्वेदता-सोत्कम्पितत्वयोः प्रतिबिम्बनमिति पूर्वस्मादुदाहरणाद्भेदः। प्रभातपदसांनिध्याच्च पद्मस्येषद्विकासमुद्रणयोः प्रत्ययात्पाणावपि तत्सिद्धिः। अस्यां चोपमानोपमेयगतधर्मयोरार्थाभेदप्रतिपत्तिः। अतः पदार्थनिदर्शनोच्यते। बिम्बप्रतिबिम्बभावस्तूपमानोपमेययोः सविशेषणत्वे भवति, अन्यथा तु न इति विवेकः।

विधुतिरूपेति। कम्परूपेत्यर्थः। चस्त्वर्थे। तत्सिद्धिरिति। ईषद्विकासमुद्रणयोः सिद्धिरित्यर्थः। अस्यां चेति। 'पाणौ कृतः—' इत्यत्रोदाहृतायां निदर्शनायां चेत्यर्थः। पदार्थनिदर्शनायां बिम्बप्रतिबिम्बभाव आवश्यको न वेत्यत्र निर्णयमाह—बिम्बप्रतिबिम्बभावस्त्विति।

अयमभिप्रायः—'पाणौ कृतः—' इति पद्ये उपमानकोटौ वर्णिता प्रालेयजलजविह्वलता वायुजविह्वलता च क्रमशो हिमबिन्दुव्याप्ततारूपा कम्पमयतारूपा च पर्यवस्यति, अतस्तयोरुपमेयदले वर्णितयोः सस्वेदत्वसकम्पत्वयोश्च बिम्बप्रतिबिम्बभावः स्पष्टः। 'अगण्यैरिन्द्राद्यैः—' इति प्रथमोदाहरणे तु नैवं कयोश्चित् बिम्बप्रतिबिम्बभाव इति तयोरुदाहरणयोर्वैलक्षण्यं स्फुटम्।

ननु उपमाने पद्मे प्रभातविशेषणमहिम्ना ईषद्विकासमुद्रणयोः प्रतीतिर्भवति, उपमेये सीताकरे तु न तत्प्रतीतिरित्यसंष्ठुलताऽत्र पद्ये इति चेन्न, उपमानगतप्रभातविशेषणमहिम्नैवार्थादुपमेयेऽपि तत्प्रतीतेः। अस्मिन्द्वितीयोदाहरणे उपमानपद्मगतशोभाभिन्ना, उपमेयसीताकरगता च सा भिन्नेति द्वयोस्तयोः शोभयोः पदार्थयोः साधारणधर्मात्मकयोरार्थाभेदप्रतीतेः पदार्थनिदर्शनात्वं संगतम्। बिम्बप्रतिबिम्बभावश्चास्यां पदार्थनिदर्शनायां न नियतः, अपि तु कादाचित्क एव। तत्रोपमानोपमेययोः सविशेषणत्वे (यथा द्वितीयोदाहरणे) स भवति। तयोर्विशेषणविरहे (यथा प्रथमोदाहरणे) स न भवतीति।

द्वितीय उदाहरण के संबन्ध में स्पष्टीकरण किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'पाणौ कृतः—' इस पद्य में वर्णित कमल की हिमजलजन्य-विह्वलता हिमजलपूर्णतारूप और वायुजन्य विह्वलता कम्पमयतारूप सिद्ध होती है इन दोनों अर्थों से अर्थात् हिमजलपूर्णता तथा कम्पमयता से, सीताकर के विशेषणरूप में कही गई स्वेदयुक्तता और कम्पयुक्तता का प्रतिबिम्बन होता है, तात्पर्य यह कि उपमान-पद्म-विशेषणीभूत 'हिमाम्बुमन्दानिलविह्वलता' तथा उपमेय-सीताकर-विशेषणीभूत 'सस्वेद-कम्पता' बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न हैं, और प्रथम पद्य—'अगण्यैः—' में इस तरह का बिम्बप्रतिबिम्बभाव किसी भी अंश में नहीं है यही इन दोनों उदाहरणों में अन्तर है। यहाँ एक शंका यह उठाई जा सकती है कि उपमान-कमल का विशेषण जो 'प्राभातिक' दिया गया है उससे उसमें (कमल में) एक दशा-विशेष-कुछ कुछ विकसित और कुछ कुछ मुद्रित रहना-अभिव्यक्त होता है पर उपमेय-सीताकर अंश में इस तरह का अवस्था-विशेष अभिव्यक्त नहीं होता—हो भी कैसे जब कि उस अंश में इस तरह के

भाव का अभिव्यञ्जक ही कुछ नहीं है अतः उपमेयांशगत यह कमी पद्य को असंष्ठुल सा बना देती है। पर इस का समाधान यह है कि उपमान अंश में उस दशाविशेष की अभिव्यक्ति होने से उपमेयांश में भी अपने आप अर्थतः उसकी सिद्धि हो जाती है, इस द्वितीय उदाहरण में उपमान तथा उपमेय गत धर्मों का अर्थतः अभेद ज्ञात होता है, तात्पर्य यह कि—यद्यपि सीताकरगत शोभा और कमलगत शोभा वस्तुतः दो पृथक् वस्तु हैं, तथापि 'कमल की शोभा सीताकर ने प्राप्त की' यह जो कहा गया है उससे उन दोनों शोभाओं (जो यहाँ उपमानोपमेयगत साधारण धर्म है) का अर्थतः एकता प्रतीत होती है, अतः यह पदार्थनिदर्शना कही जाती है। अभिप्राय यह कि पूरे दो वाक्यार्थों का नहीं, अपि तु केवल दो पदार्थों का यहाँ अभेद हुआ है, अतः इसे पदार्थनिदर्शना कहते हैं।

अब रही जानने की एक बात यह कि इस पदार्थनिदर्शना में बिम्बप्रतिबिम्बभाव सर्वत्र रहता है अथवा कहीं-कहीं, यदि कहीं-कहीं तो कहाँ रहता है और कहाँ नहीं। इसका उत्तर यह है कि जहाँ उपमान-उपमेय विशेषणयुक्त होंगे वहाँ बिम्बप्रतिबिम्ब भाव होगा। जैसे—इस द्वितीय उदाहरण में। और जहाँ उपमान-उपमेय विशेषणयुक्त नहीं होंगे वहाँ वह नहीं होगा। जैसे—प्रथम उदाहरण में।

आशङ्क्य समाधत्ते—

ननु वाक्यार्थनिदर्शनायां विशिष्टवाचकशब्दाभ्यां विशेषणयोरप्युपादानात् अस्तु नाम उपात्तयोरार्थोऽभेदः। पदार्थनिदर्शनायां तूपमानशोभादेरन्यतरस्यैवोपात्तत्वम्, न द्वयोरिति चेत्। शोभाशब्देन शोभात्वेन द्वयोरप्युपात्तत्वात्। नह्युपमानोपमेयतावच्छेदकरूपेणोपात्तत्वं विवक्षितं येनाव्याप्तिः स्यात्। यद्वा प्रागुक्तलक्षणं वाक्यार्थनिदर्शनाया एव, न पदार्थनिदर्शनायाः। अस्यास्तु उपमानोपमेययोरन्यतरधर्मस्यान्यतरत्रारोपो लक्षणमस्तु।

शङ्कते—नन्विति। शोभादेरिति। आदिना लीलादिपरिग्रहः। न द्वयोरिति। तथा च तत्राव्याप्तिर्लक्षणस्येति भावः। समाधत्ते—शोभाशब्देनेति। उपमानोपमेयतावच्छेदकरूपेणेति। तद्विशेषणतयेत्यर्थः। तथा विवक्षायामाह—यद्वेति। प्रागुक्तलक्षणमिति। 'उपात्तयोरर्थयोरार्थोऽभेदः—' इत्यादिकम् मूलोक्तमित्यर्थः। अस्यास्त्विति। पदार्थनिदर्शनाया इत्यर्थः।

'त्वामन्तरात्मनि—' इत्यादिवाक्यार्थनिदर्शनास्थले शोधन-गवेषणरूपक्रियाविशिष्टकर्तृवाचकाभ्याम् 'शोधयन्तः' 'गवेषयन्ति' इति पदाभ्याम् शोधनगवेषणक्रियात्मकयोर्विशेषणयोरुपादानं जायते, विशिष्टोपादाने विशेषणोपादानस्यानुषङ्गिकत्वात् तथा च तत्र विशेषणत्वेनोपात्तयोः शोधनगवेषणयोरार्थोऽभेदः सिद्ध इति लक्षणं संघटते। 'अगण्यैः—' 'पाणौ कृतः—' इत्यादिपदार्थनिदर्शनास्थले तु उपमानीभूतलीला-शोभादेरेवोपात्ततया (उपमेयीभूतलीलाशोभादेरनुपात्ततया) 'उपात्तयोरार्थोऽभेदः' इति लक्षणं तत्र न संघटेतेतिलक्षणस्याव्याप्तिरिति शङ्कादलस्य, उपमानविशेषणतयोपमेयविशेषणतया चोपात्तत्वस्याविवक्षिततया तथात्वेनोपादानाभावेऽपि लीलात्वेन शोभात्वेन द्वयोर्लीलयोर्द्वयोः शोभयोश्चोपात्तत्वस्याक्षततया सामञ्जस्यम् इति, समुद्रलहरि-कमलाद्यात्मकमुख्योपमानगतधर्मरूपलीलाशोभयोर्दिगन्तसीताकरात्मकमुख्योपमेययोरारोप्यमाणतया संघटमानम् 'उपमा-

नोपमेययोरन्यतरधर्मस्यान्यतरत्रारोपः' इत्याकारकमपरमेव पदार्थनिदर्शनालक्षणम्, पूर्वोक्तलक्षणं तु वाक्यार्थनिदर्शनामात्रस्येति वा समाधानदलस्याभिप्रायोऽवगन्तव्यः।

एक आशङ्का और उसका समाधान किया जाता है—ननु इत्यादि।

'त्वामन्तरात्मनि—' इत्यादि वाक्यार्थ-निदर्शनास्थल में 'शोधयन्तः' 'गवेषयन्ति' इत्यादि पदविशिष्ट अर्थ के वाचक रहते हैं—अर्थात् वे पद शोधन तथा गवेषण रूप क्रियाओं से युक्त कर्ता रूप अर्थ के वाचक हैं, अतः उन पदों से-विशेषणीभूत अर्थ-शोधन और गवेषण का भी उपादान समझा जा सकता है, फलतः वहाँ दो उपात्त अर्थों (शोधन-गवेषण) का अर्थतः अभेद ठीक हो जाता है, जिससे लक्षण की संगति हो जाती है, पर 'पाणौ कृतः—' इत्यादि पदार्थ-निदर्शनास्थल में तो केवल उपमान (कमल) गत शोभा उपात्त है, उपमेय-(सीताकर) गत शोभा नहीं, अतः वहाँ दो अर्थ उपात्त ही नहीं रहते ऐसी स्थिति में वहाँ लक्षण नहीं संघटित हो सकता, फलतः उक्त लक्षण की अव्याप्ति ही उन स्थलों में हो जाती है-ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि 'उपात्त दो अर्थ' इस कथन से वक्ता का अभिप्राय 'एक का उपमान-विशेषण-रूप में और दूसरे का उपमेय-विशेषणरूप में उपात्त होना' रहता, तब उक्त अव्याप्ति-दोष भले ही लग सकता था, पर यहाँ उक्त कथन से वैसा अभिप्रेत है नहीं, अपि तु इतना भर अभिप्रेत है कि किसी तरह दो अर्थ उपात्त हों, ऐसी स्थिति में उक्त पदार्थ-निदर्शनास्थल में भी 'शोभात्व' इस सामान्य रूप से दोनों ही (उपमानगत तथा उपमेयगत) शोभा में एक ही पद के द्वारा उपात्त हो जाती हैं, अतः कोई दोष नहीं आता। यदि कोई ऐसा दुराग्रह करे कि अवश्य ही दो अर्थों के उपादान की बात कहने वाले वक्ता का अभिप्राय उपमान तथा उपमेय के विशेषणरूप से पृथक्-पृथक् दो अर्थों के उपादान में है, तो मैं कहूँगा कि वैसी स्थिति में उक्त लक्षण—अर्थात् 'उपात्त दो अर्थों का आर्थ अभेद' यह लक्षण, केवल वाक्यार्थ-निदर्शना का है, पदार्थ-निदर्शना का नहीं, अतः यदि वह लक्षण पदार्थ-निदर्शना के उदाहरणों में संघटित नहीं होता तो वह उचित ही है। पदार्थनिदर्शना का लक्षण यह है कि 'उपमान तथा उपमेय—इन दोनों में से किसी एक के धर्म का दूसरे में आरोपित होना।'

यह लक्षण उक्त पदार्थ-निदर्शनोदाहरणों में संघटित होता ही है, क्योंकि उपमान-कमल के धर्म-शोभा का आरोप उपमेय—सीताकर में किया गया है।

उभयविधनिदर्शनाया अन्यालंकारमध्ये गतार्थत्वमाशंक्य निरस्यति—

नन्वेवमपि वाक्यार्थनिदर्शनायां रूपकध्वनिना, पदार्थनिदर्शनायां च निगीर्याध्यवसानरूपयातिशयोक्त्या गतार्थतेति चेत्, न। वाक्यार्थनिदर्शनायां रूपकस्य गुणीभूतत्वेन तद्ध्वनित्वायोगात्। अन्यथा गुणीभूतयोपमया रूपकस्यापि गतार्थतापत्तेः। किं च अस्याश्च शरीरं तादृशपदार्थयोः परस्पराभेदमात्रमुभयत्र विश्रान्तम्। रूपकस्य तूपमेयगत उपमानाभेदः, अतिशयोक्तेश्च। निगरणानिगरणाभ्यां च तयोर्विशेष इत्यन्यत्।

एवं च स्फुटमेवास्या रूपकातिशयोक्तिभ्यां वैलक्षण्यम्। अत एव, 'त्वामन्तरात्मनि—' इति पद्ये गवेषयन्तीत्यत्र गवेषयन्त इत्यनूद्य शोधयन्त इत्यत्र शोधयन्तीति विधाने, अर्थयोः पौर्वापर्ये च न सौन्दर्यहानिः। रूपकादौ तूक्त-

माने व्यङ्ग्यकक्षोद्देश्यविधेयभावस्यापि वाच्यकक्षोद्देश्यविधेयभावानुसारितया उपमाने उपमेयाभेदसिद्धावसामञ्जस्यापत्तेरिति सुधीभिराकलनीयम् ।

आशङ्कते—नन्विति । एवमपीति । प्रागुक्तरीत्या निदर्शनाद्वयस्य पृथग्लक्षणकरणेऽपीत्यर्थः । निरस्यति—नेति । निरासे हेतुमाह—वाक्यार्थेति । रूपकस्य गुणीभूतत्वेनेति । कर्त्रभेदरूपवाच्यसिध्यङ्गतयेत्यर्थः । तद्ध्वनित्वेति । रूपकध्वनित्वेत्यर्थः । द्वितीयशङ्कासाधारणसमाधानमाह—किं चेति । अस्याश्चेति । निदर्शनाया इत्यर्थः । तादृशपदार्थयोरिति । तादृशयोरर्थयोरिति भावः । उपमानोपमेययोरिति यावत् । अतिशयोक्तेश्चेति । उपमेयगत उपमानाभेदः शरीरमित्यर्थः । नन्वेवं रूपकातिशयोक्त्योरैक्यापत्तिरत आह—निगरणेति । तयोरिति । रूपकातिशयोक्त्योरित्यर्थः । उपसंहरति—एवं चेति । अस्या इति । निदर्शनात्वावच्छिन्नाया इत्यर्थः । अत एवेति । उक्तरीत्या ताभ्यां वैलक्षण्यसत्त्वादेवेत्यर्थः । अर्धयोरिति । पूर्वोत्तरार्धयोरित्यर्थः । 'रूपकादौ तूच्यमाने' इत्यस्यासामञ्जस्यापत्तेरित्यनेनान्वयः । आदिनाऽऽतिशयोक्तिपरिग्रहः । 'उच्यमाने' इत्यस्य तयेत्यादिः । असामञ्जस्यापत्तौ हेतुर्व्यङ्ग्येत्यादि तृतीयान्तम् । उपमेयाभेदसिद्धाविति । अत्र 'निदर्शनायां तथाभावे तु बीजं चिन्त्यम् ।' इति नागेशः ।

अयं भावः—'विज्ञत्वं विदुषां गणे—' इत्यादिरूपकध्वन्युदाहरणेषु बुधशुक्र-भौमादीनाम् विद्वत्कविमङ्गलादिषु यथाऽऽभेदो व्यज्यते, तथा 'त्वामन्तरा—' इत्यादिवाक्यार्थनिदर्शनोदाहरणेष्वपि गवेपणादेः शोधनादावभेदः प्रतीयमानोऽस्तीतिरूपकध्वनिनैव गतार्थत्वे किमर्थमियं वाक्यार्थनिदर्शना पृथगङ्गीकार्या । एवम् 'पाणौ कृतः—' इत्यादिपदार्थनिदर्शनोदाहरणेषु प्रभातपद्मशोभारूपोपमानेन सीता-पाणिगतशोभारूपोपमेयस्य निगीर्णतया उपमाने उपमेयस्याध्यवसानसिद्धौ सेयमतिशयोक्तिरेव किं पृथक् पदार्थनिदर्शनयेतिशङ्कायामिदं समाधानम् यत्-वाक्यार्थनिदर्शनायां व्यज्यमानमपि रूपकं वाच्यसिद्ध्यङ्गतया गुणीभूतमिति न ध्वनिव्यपदेशहेतुः । गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यापि ध्वनित्वप्रयोजकत्वे रूपकस्थले नियमतो व्यज्यमानां गुणीभूतामुपमामादाय तद्ध्वनित्वव्यपदेशस्य कर्तुं शक्यतया रूपकस्योपमाध्वनिना गतार्थतापत्तिः । अपि च निदर्शनायामुपमानोपमेयरूपयोर्द्वयोरर्थयोः प्रतीयमानोऽभेदः परस्परविश्रान्तः, न तु उपमेये उपमानस्य नियमतोऽभेदः । रूपके च नियमत उपमेय उपमानस्याभेदो भासते । इत्थञ्चोभयोर्भिन्नस्वरूपतया कथं रूपकध्वनौ निदर्शनाया अन्तःपातः ? एवमतिशयोक्तावपि नियमत उपमानस्योपमेयेऽभेदो विद्योतते इति उपमानस्योपमेये उपमेयस्योपमाने वाऽभेद इत्युभयविधाभेदरूपायाः पदार्थनिदर्शनाया अपि नातिशयोक्तौ गतार्थत्वम् । रूपकातिशयोक्त्योर्मिथो वैलक्षण्यं तु अनिगरणनिगरणकृतम् । निदर्शनायामभेदस्य परस्परविश्रान्तत्वादेव तदुदाहरणे—'त्वामन्तरात्मनि—' इति श्लोके पाठपरिवर्तनेन व्यत्यासेन च 'विस्मृत्य कण्ठतरमध्यपरिस्फुरन्तं चिन्तामणिं क्षितिरजःसु गवेषयन्तः । त्वामन्तरात्मनि वसन्तमनन्तमज्ञास्तीर्थेषु हन्त मदनान्तक शोधयन्ति ॥' इत्येवंरूपतां नीतेऽभेदे विधेयप्रतियोगिकत्वोद्देश्यानुयोगिकत्वयोर्नियमेन गवेषणे उपमाने शोधनरूपोपमेयाभेदप्रतीतावपि न सौन्दर्यहानिः । तत्र रूपकध्वनिताङ्गीकारे तु स्पष्टमेवासामञ्जस्यम् , यतो यथा वाच्य-

रूपके उपमेये उपमानाभेदश्चमत्कारितया सर्वैरङ्गीकृतस्तथा रूपकध्वनावपि तत्र तदभेद एव व्यज्यमानश्चमत्कारी स्वीकर्तव्यः। इत्थञ्च प्रागुक्तपरिवर्तितपद्ये व्यङ्ग्यकक्षाया वाच्यकक्षानुसारितया व्यङ्ग्यकक्षायामपि वाच्यकक्षावत् उपमेयस्यैवोपमानेऽभेदस्य सिद्धेश्चमत्कारहानिरिति।

निदर्शना अन्य अलंकारों से गतार्थ है इस तरह की आशङ्का करके उसका समाधान किया जाता है—नन्वेवमपि इत्यादि।

इतना सब कुछ होने पर भी अर्थात् वाक्यार्थनिदर्शना और पदार्थनिदर्शना का पृथक्-पृथक् लक्षण करके अव्याप्ति आदि दोष का वारण कर देने पर भी यदि यह आशंका की जाय कि वाक्यार्थ-निदर्शना रूपकध्वनि से और पदार्थनिदर्शना निगरणपूर्वक अध्यवसानरूप अतिशयोक्ति से गतार्थ है—अर्थात् 'विज्ञत्वं विदुषां गणे—' इत्यादि रूपकालंकारध्वनि के उदाहरणों में जिस तरह बुध, शुक्र आदि का विद्वान्, कवि आदि में अभेद व्यञ्जना द्वारा ज्ञात होता है उसी तरह 'त्वामन्तरा—' इत्यादि वाक्यार्थनिदर्शना के उदाहरणों में भी गवेषण आदि का शोधन आदि में अभेद व्यञ्जना से विदित होता है, ऐसी दशा में जिस तरह वहाँ रूपक की ध्वनि मानी जाती है उसी तरह यहाँ भी वही (रूपक ध्वनि ही) मान ली जाय, पृथक् वाक्यार्थ-निदर्शना नामक एक अलंकार मानने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह अतिशयोक्ति के उक्त प्रभेद में जैसे उपमान से उपमेय का निगरण करके उन दोनों का अभेद कहा गया रहता है (उपमान ही उपमेय के स्थान में कहा जाता है) वैसे ही 'पाणौ कृतः—' इत्यादि पदार्थ निदर्शना के उदाहरणों में उपमानभूत पद्म-शोभा से उपमेयभूत सीताकर-शोभा का निगरणपूर्वक अध्यवसान है ही (उपमेयभूतशोभा के तात्पर्य से केवल उपमान-शोभा उसके अभिन्न रूप में कही गई है), अतः वहाँ निगीर्याध्यवसान रूप अतिशयोक्ति ही स्वीकृत हो, पृथक् पदार्थ-निदर्शना मानना भी व्यर्थ है, तो इसका समाधान यह है कि एक तो वाक्यार्थ-निदर्शना के उदाहरण में रूपकध्वनि नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ध्वनि वहाँ मानी जानती है जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ प्रधान हो और उक्त उदाहरण में रूपक (शोधन और गवेषण का अभेद) व्यङ्ग्य होने पर भी गौण है, अतः वह ध्वनि कहलाने योग्य नहीं है, उसके गौण होने का रहस्य यह है कि वह रूपक ही (शोधन-गवेषण का अभेद ही) कर्ता (शोधन और गवेषण का आश्रय) के वाच्य अभेद की सिद्धि करता है इसी तरह के व्यङ्ग्य को वाच्यसिद्ध्यङ्ग व्यङ्ग्य नाम से गुणीभूतव्यङ्ग्य प्रकरण में गिनाया गया है। दूसरी बात यह कि रूपक का स्वरूप माना गया है उपमेय में उपमान का अभेद और निदर्शना दो पदार्थों का पारस्परिक अभेद स्वरूप है—अर्थात् यहाँ जिस तरह उपमान का उपमेय में उसी तरह उपमेय का भी उपमान में अभेद प्रतीत होता है फलतः एक जगह एकमात्र विश्रान्त और दूसरी जगह उभयविश्रान्त अभेद होता है, ऐसी स्थिति में उभयविश्रान्त–अभेदरूपा निदर्शना एकमात्र विश्रान्त अभेदरूप रूपक में अन्तर्भूत नहीं मानी जा सकती। यह तो हुई वाक्यार्थनिदर्शना की रूपकध्वनि में अगतार्थता की युक्ति। अब पदार्थ-निदर्शना की अतिशयोक्तिप्रभेद में गतार्थ न होने की युक्ति सुनिए—यहाँ भी वही युक्ति है–अर्थात् अतिशयोक्ति का भी स्वरूप उपमेयगत उपमान का अभेद है, तात्पर्य यह कि अतिशयोक्ति में भी एकमात्र विश्रान्त अभेद रहता है, उभयविश्रान्त–पारस्परिक अभेद नहीं, अतः उभयविश्रान्त अभेदरूप पदार्थ-निदर्शना भी उसमें गतार्थ नहीं हो सकती।

आप कहेंगे कि जब रूपक तथा अतिशयोक्ति दोनों का स्वरूप एक ही एकमात्र विश्रान्त अभेद (उपमान का उपमेय में अभेद) है, तब उन दोनों में अन्तर क्या रहा तो इसका उत्तर यह है कि निगरण तथा अनिगरण के चलते उन दोनों में अन्तर होता है—अर्थात् रूपक में उपमान और उपमेय–दोनों ही उक्त होते हैं, जैसे–वहाँ 'मुखं चन्द्रः' ऐसा कहा रहता है और अतिशयोक्ति में केवल उपमान उपमेय तात्पर्य से कथित होता है, जैसे–'चन्द्रः प्रासादे' ऐसा वहाँ कहा जाता है, फलतः रूपक में उपमान से उपमेय का निगरण नहीं होता और अतिशयोक्ति में वह होता है, बस यही दोनों में भेद है, अभेद तो दोनों अलंकारों में एक सा उपमान का उपमेय में प्रतीत होता है। इस अंश में कोई अन्तर नहीं है।

इस तरह अब यह स्पष्ट हो गया कि रूपक अथवा अतिशयोक्ति से दोनों तरह की निदर्शनाओं में विलक्षणता है।

इस विलक्षणता को मानने के लिये एक और बड़ी युक्ति यह है कि 'त्वामन्तरात्मनि—' इस पद्य में 'गवेषयन्ति (खोजते हैं)' यह जो विधेयबोधक पद है उसको 'गवेषयन्तः (खोजते हुए)' इस रूप में बदल कर यदि उद्देश्य कोटि में कर लिया जाय और 'शोधयन्तः (ढूंढते हुए)' इस उद्देश्यबोधक को 'शोधयन्ति (ढूंढते हैं)' के रूप में विधेयबोधक बना दिया जाय, और पद्य के पूर्वार्ध को उत्तरार्ध तथा उत्तरार्ध को पूर्वार्ध रख लिया जाय, (इन परिवर्तनों के बाद पद्य का जो रूप होता है उसका अवलोकन संस्कृत टीका में करना चाहिए) तब भी निदर्शना का सौन्दर्य नष्ट नहीं होता–अर्थात् उस स्थिति में भी वह चमत्कार अक्षुण्ण रहता है जिसके आधार पर निदर्शना मानी जाती है। पर इस परिवर्तित स्थिति में रूपक का आधारभूत सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ? उत्तर यही देना पड़ेगा कि निदर्शना और रूपक दो भिन्न वस्तु हैं–इन दोनों के आधार भिन्न हैं।

अभिप्राय यह कि उद्देश्य होता है अभेद का अनुयोगी–आश्रय, और विधेय होता है उसका प्रतियोगी इतना पहले समझ लेना चाहिए। उक्त पद्य में शोधन उपमेय है और गवेषण है उपमान। अतः मूलोक्त (अपरिवर्तित) पाठ के अनुसार गवेषण का जो विधेय है, अभेद शोधन में जो उद्देश्य होता है, और परिवर्तित पाठ में गवेषणरूप उपमान ही हो गया उद्देश्य और शोधनरूप उपमेय ही हो गया विधेय। फलतः अब उपमेय शोधन का ही अभेद उपमानगवेषण में सिद्ध हो जाता है। पर निदर्शना के लिये यह हेर-फेर अकिञ्चित्कर ही रहता है, क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है कि निदर्शना का स्वरूप उभयविश्रान्त पारस्परिक अभेद है, जो अब भी—अर्थात् उपमेय का उपमान में अभेद सिद्ध होने पर भी वर्तमान है। पर रूपक में इस हेर-फेर से बहुत बड़े असामञ्जस्य की सृष्टि हो जायगी—अर्थात् प्रथम पाठ के अनुसार उपमान गवेषण का अभेद उपमेय शोधन में ज्ञात होने से भले ही रूपक की संभावना की जाय, पर द्वितीय पाठ के अनुसार उक्त उपमेय का ही उक्त उपमान में अभेद प्रतीत होने पर रूपक का स्वरूप ही नहीं बन पाता।

आप कहेंगे इस उद्देश्य-विधेय भाव के हेर-फेर से जो उपमेय का अभेद उपमान में प्रतीत होने लगा है—वह वस्तुतः वाच्यकर्तारूप उपमानोपमेय की बात है। मुझे तो इस पद्य को रूपकध्वनि सिद्ध करना है व्यङ्ग्य अभेदात्मक रूपक को लेकर जो गवेषणात्मक उपमान का ही शोधनात्मक उपमेय में होगा। तात्पर्य यह कि वाच्यवृत्ति से तो वस्तुतः 'गवेषयन्तः शोधयन्ति' इस पाठ में भी गवेषणकर्ता में ही शोधनकर्ता का अभेद

सिद्ध होता है वह हो, पर व्यङ्ग्यकोटि में मैं शोधन में ही गवेषण का अभेद मानूँगा और रूपकध्वनि वाली अपनी बात बना लूँगा, तो इसके उत्तर में मेरा कथन है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यङ्ग्यकोटि में जो उद्देश्य-विधेय भाव होता है वह वाच्यकोटि में होनेवाले उद्देश्य-विधेयभाव के अनुसार ही ऐसी स्थिति में जब वाच्यकोटि में गवेषण उद्देश्य और शोधन विधेय हो जायगा तब व्यङ्ग्यकोटि में भी वह वैसा ही रहेगा और जब उद्देश्यविधेयभाव में परिवर्तन नहीं हो सकेगा तब वाच्यकोटि के समान व्यङ्ग्यकोटि में भी उपमेय का ही अभेद उपमान में भासित होगा, अतः रूपक मानने में असमञ्जसता साफ़ है। सुधीजन स्वयं भी इन बातों को सोच देखें।

परोक्तमनूद्य निरस्यति—

अलंकारसर्वस्वकारस्तु—

'त्वत्पादनखरत्नानां यदलक्तकमार्जनम्।
इदं श्रीखण्डलेपेन पाण्डुरीकरणं विधोः॥'

इति पद्यं वाक्यार्थनिदर्शनायामुदाजहार। आह च—'यत्र तु प्रकृतवाक्यार्थे वाक्यार्थान्तरमारोप्यते सामानाधिकरण्येन तत्र संबन्धानुपपत्तिमूला निदर्शनैव युक्ता' इति। तन्न। वाक्यार्थरूपकस्य दत्तजलाञ्जलित्वापत्तेः। न चेष्टापत्तिः। वाक्यार्थनिदर्शनैव निर्वास्यताम्, स्वीक्रियतां च वाच्यार्थरूपकमिति पर्यनुयोगस्यापि तुल्यत्वात्। युक्तं चैतत्। पदार्थरूपके 'मुखं चन्द्र' इत्यादौ क्लृप्तस्य श्रौतस्याभेदारोपस्य रूपकजीवातुत्वकल्पनाया औचित्यात्। 'इन्दुशोभां वहत्यास्यम्' इत्यादिपदार्थनिदर्शनायामभेदारोपस्याभावात् तज्जीवातुत्वायोगाच्च। रूपके बिम्बनं नास्तीति तु शपथमात्रम्, युक्त्यभावात्। अस्मदुक्तोदाहरणे वाक्यार्थनिदर्शनायाः सावकाशत्वाच्च।

'त्वत्पाद–' इति। नायिकाप्ररोचनपरा नायकोक्तिरियम्–तव पादयोर्वर्तमानानां नखरूपाणां रत्नानाम्, अलक्तकेन यावकरसेन यत् मार्जनम् परिशोधनम्, इदम् तत्, विधोः चन्द्रस्य, श्रीखण्डलेपेन मलयजरसलेपेन, पाण्डुरीकरणम् धवलीविधानम् इत्यर्थः। स्वतोऽतिधवलस्येन्दोर्द्रव्यान्तरद्वारक-धावल्यसंपादनप्रयासो यथा विफलस्तथैव स्वतो रक्तद्युतिशालिनां चरणनखानामलक्तकादिद्वारकपरिष्करणायासोऽपि मुधेति भावार्थः।

सामानाधिकरण्येनेति। अभेदेनेति यावत्। संबन्धानुपपत्तिमूलेति। असंभवद्वस्तुसंबन्धनिबन्धनेति भावः। दत्तजलाञ्जलित्वापत्तेरिति। उच्छेदापत्तेरिति भावः। निर्वास्यतामिति। न स्वीक्रियतामिति भावः। पर्यनुयोगस्य आक्षेपस्य। युक्तं चैतदिति। 'त्वत्पाद—' इति त्वदुदाहृतपद्ये वाक्यार्थरूपकाङ्गीकरणमुचितमित्यर्थः। तस्य युक्तत्वे हेतुमाह—पदार्थरूपके इत्यादिना। कल्पनाया इति। वाक्यार्थरूपकस्थलेऽपीति भावः। ननु तस्य निदर्शनाबीजत्वमेव कुतो नेत्यत आह—इन्दुशोभामिति। तज्जीवातुत्वेति। निदर्शनाजीवातुत्वेत्यर्थः। ननु निदर्शनायां बिम्बप्रतिबिम्बभावः, न रूपके इति कथं तेनास्या निरास इत्यत आह—रूपके इति। शपथमात्रमिति। वस्तुस्थित्यपलाप इति भावः। अस्मदुक्तोदाहरणे इति। त्वामन्तरात्मनीत्यत्रेत्यर्थः। वाक्यार्थद्वयाभावेन

रूपकस्य तत्र विषयाभावादिति भावः । एवं च रूपकविषयीभूतं वाक्यार्थनिदर्शनायां यदुदाहृतम्, यच्चोपपादितम् तत्सर्वमसंगतम् तद्विविक्तोदाहरणसंभवादिति सारांशः ।

अन्य मत को उद्धृत करके खण्डित किया जाता है—अलंकारसर्वस्वकारस्तु इत्यादि।

अलंकारसर्वस्वकार रुय्यक ने 'त्वत्पादनखरत्नानाम्—अर्थात् रत्नरूप तेरे चरण-नखों का लाक्षारस (आलता) से मार्जन करना-रञ्जना श्रीखण्ड चन्दन के लेप से चन्द्र का धवल करना है।' इस नायक द्वारा नायिका-प्ररोचनपरक पद्य को वाक्यार्थ-निदर्शना में उदाहृत किया और उसके उपपादन में कहा कि 'जहाँ प्रस्तुत वाक्यार्थ में दूसरे (अप्रस्तुत) वाक्यार्थ का आरोप समानाधिकरणतया अभिन्नरूप से, (अभेद संबन्ध से) किया गया हो, वहाँ संबन्धानुपपत्तिमूला-असंभवद्वस्तुसंबन्धनिबन्धना, निदर्शना ही उचित है।'

पर उनका यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि यदि उक्त पद्य में (उस तरह की स्थिति वाले अन्य पद्यों में भी) वाक्यार्थनिदर्शना मान ली जाय, तब वाक्यार्थरूपक को जलाञ्जलि देनी पड़ेगी—वाक्यार्थरूपक का उच्छेद ही हो जायगा। वाक्यार्थरूपक का उच्छेद हो जाय इस तरह की इष्टापत्ति तो की नहीं जा सकती, क्योंकि इस मार्ग का अवलंबन करने पर समानरूप से यह भी आक्षेप किया जा सकता है कि वाक्यार्थ-निदर्शना को ही अलंकार-जगत् से निर्वासित कर दीजिए और वाक्यार्थ-रूपक का ही स्वीकार कर लीजिए।

उक्त पद्य में वाक्यार्थ-रूपक मानना ही युक्तियुक्त भी है। कारण, 'मुखचन्द्र है' इत्यादि पदार्थ रूपक में जो श्रौत (शब्दश्रवणमात्र से सिद्ध) अभेदारोप क्लृप्त है—निश्चित है, उसको (श्रौत अभेदारोप को) सामान्यतः—अर्थात् वाक्यार्थरूपक स्थल में भी, रूपक का जीवन (आधारभूत तत्त्व) मानना उचित है। निदर्शना का ही जीवन श्रौत अभेदारोप को क्यों नहीं माना जाय ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 'इन्दुशोभां वहत्यास्यम्—अर्थात् मुख, चन्द्र-शोभा का धारण कर रहा है' इत्यादि पदार्थ-निदर्शना में जब श्रौत अभेदारोप का सर्वथा अभाव रहता है तब श्रौत अभेदारोप को निदर्शना का जीवन नहीं माना जा सकता।

रूपक में बिम्बप्रतिबिम्बभाव नहीं होता और निदर्शना में वह होता है ऐसी स्थिति में वाक्यार्थ-रूपक मान कर वाक्यार्थ-निदर्शना को निर्वासित कर देने वाली आपकी बात संगत नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि रूपक में बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव नहीं होता यह आपका कथन वास्तविकता की ओर से आँख मूँद कर शपथ लेने के समान है। कारण, वहाँ उसके न होने में कोई युक्ति नहीं है। वस्तुतः तो वाक्यार्थ-निदर्शना का उच्छिन्न होने का भय भी व्यर्थ ही है, क्योंकि मेरे द्वारा कथित 'त्वामन्तरात्मनि—' इस पद्य में वाक्यार्थ-निदर्शना चरितार्थ है—अर्थात् वहाँ स्वतन्त्र दो वाक्यों के नहीं रहने से वाक्यार्थ-रूपक का प्रसङ्ग आता ही नहीं। सारांश यह निकला कि जहाँ रूपक का प्रसङ्ग स्पष्ट है ऐसा उदाहरण वाक्यार्थ-निदर्शना में देना और उसका गलत ढङ्ग से उपपादन करना सर्वस्वकार का उचित नहीं है।

पुनस्तदुक्तमेवानूद्य निरस्यति—

यत्तु तेनैव लक्षणं निर्मितम्—'संभवता असंभवता वा वस्तु-संबन्धेन गम्यमानमौपम्यं निदर्शना' इति। तदपि न। रूपकातिशयोक्त्यादिष्वति-व्यापनात्।

तेनैवेति । अलंकारसर्वस्वकारेणैवेत्यर्थः । संभवता स्वतः संभविना । असंभवता-कविकल्पितेन । अतिव्यापनादिति । रूपकादिष्वपि कविकल्पितेनोपमेये उपमानस्याभेदाख्येन संबन्धेनौपम्यप्रतीतेरिति भावः ।

पुनः सर्वस्वकार के द्वारा हीं किए गए निदर्शना-लक्षण का खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि ।

अलंकारसर्वस्वकार ने ही जो निदर्शना का यह लक्षण बनाया कि 'स्वतःसंभवी अथवा स्वतःसंभवी न होने पर भी कवि-द्वारा कल्पित वस्तु-संबन्ध से प्रतीत होने वाले औपम्य का नाम निदर्शना है', वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह लक्षण रूपक तथा अतिशयोक्ति आदि में अतिव्याप्त हो जाता है। तात्पर्य यह कि रूपक आदि में भी वास्तविक न होने पर भी कविकल्पित उपमेयगत उपमान के अभेदनामक संबन्ध से औपम्य की प्रतीति होती है, अतः उक्त लक्षण की उनमें अतिव्याप्ति हो जायगी।

दीक्षितोक्तमनूद्य निरस्यति—

यत्त्वलंकारसर्वस्वकारानुसारिणा कुवलयानन्दकृतोक्तम्—

'वाक्यार्थयोः सदृशयोरैक्यारोपो निदर्शना ।
यद्दातुः सौम्यता सेयं पूर्णेन्दोरकलङ्कता ॥' इति ।

तत्तु तन्मतदूषणेनैव निवेदितरहस्यमिति न पुनराकुलीक्रियते ।

वाक्यार्थयोरिति । चन्द्रालोककारकृतेयं कारिकाऽऽप्पयदीक्षितेनाप्यविकलमङ्गीकृतेति तदीयत्वेन तस्या उपन्यासः । उपमेयवाक्यार्थे उपमानवाक्यार्थाभेदारोप इत्यभिप्रायकम् पूर्वार्धम् लक्षणवाक्यम् । 'यद्दातुः—' इत्युत्तरार्धं तूदाहरणपरम् । अत्र दातृपुरुषसौम्य-त्वस्योपमेयवाक्यार्थस्य पूर्णेन्दोरकलङ्कत्वस्योपमानवाक्यार्थस्य यत्तद्भ्यामैक्यारोप इत्युक्त-निदर्शनालक्षणसंगतिः । निरस्यति—तत्तु तन्मतेत्यादिना । तन्मतेति । सर्वस्वकार-मतेत्यर्थः । निवेदितरहस्यमिति । सदृशवाक्यार्थद्वयाभेदारोपो वाक्यार्थरूपकादावति-व्याप्त इति नैतन्निदर्शनाया लक्षणं संभवतीति भावः । अत्र 'तत्तु तन्मतदूषणेनैव' इति प्रतीकमुपादाय "अत्रेदं चिन्त्यम्—'त्वामन्तरात्मनि लसन्तमि'ति भवदुदाहृतेऽपि गम्य-रूपकेणैव निर्वाहे निदर्शनाया उच्छेदापत्तिः । अन्यथा वाक्यार्थरूपकोच्छेदवद्गम्यवाक्यार्थ-रूपकोच्छेदापत्तिश्च । न चैवम् 'चन्द्र इव सुखम्' इति वाच्योपमा, 'मुखं चन्द्र' इति गम्योपमैव स्यादिति रूपकोच्छेद इति वाच्यम् । तत्राभेदप्रतीतिकृतचमत्कारस्यैव सत्त्वात् । सादृश्यकृतस्य तस्याभावाच्च । किं च त्वदुदाहृते कर्त्रो रूपकमेवास्तु । प्रतीयमानोऽपि क्रिययोरभेदो विशिष्टरूपके विशेषणाभेदवन्नालंकारान्तरम् । अन्यथा 'अलकावृतकामिनी-मुखम्, भ्रमद्भ्रमरसंभारं पद्ममि'त्यादौ अलकभ्रमरयोरभेदस्याप्यलंकारान्तरत्वं स्यात् । तस्माद् गम्यतामात्रेणालंकारान्तरतेति रिक्तं वचः । ननु प्राचीनैरलंकारान्तरत्वेन परिगणनात् गम्यत्वेऽयम्, वाच्यत्वे रूपकमित्युच्यते तर्हि प्राचीनसेतुविघटनं व्यर्थमेवेति बोध्यमिति ।" इति नागेशः ।

अब दीक्षित जी के मत का खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि ।

अलंकारसर्वस्वकार का अनुसरण करने वाले कुवलयानन्दकार (अप्पय दीक्षित) ने कहा कि 'दो सदृश वाक्यार्थों में एकता का आरोप-अर्थात् उपमेयवाक्यार्थ में

उपमान-वाक्यार्थ का अभेदारोप, निदर्शना है। जैसे—यद्दातुः—अर्थात् दाता का सौम्य होना पूर्ण चन्द्र का कलङ्करहित होना है। (यहाँ दाता पुरुष की सौम्यता यह जो उपमेय वाक्यार्थ है और पूर्ण चन्द्र की कलङ्कहीनता यह जो उपमान वाक्यार्थ है, उन दोनों का अभेद (ऐक्य) मूल पङ्क्तिगत 'यत्' 'तत्' पद से आरोपित हुआ है।) पर उनका यह कथन सर्वस्वकार के मत के खण्डन में कही गई युक्ति से ही खण्डित हो जाता है, अतः पुनः यहाँ उसका उल्लेख कर पाठक के मन को आकुल करना उचित नहीं। तात्पर्य यह कि जैसे सर्वस्वकार का पूर्वोक्त 'संभवता—' इत्यादि लक्षण वाक्यार्थ रूपक आदि में अतिव्याप्त हो जाने के कारण ठीक नहीं, वैसे यह कुवलयानन्दकार का भी लक्षण वाक्यार्थरूपक में ही अतिव्याप्त हो जाने से अमान्य है। यहाँ नागेश ने बहुत कुछ मूलकार के विरुद्ध कहा है जो संस्कृत टीका में अविकल उद्धृत कर दिया गया है। जिज्ञासु जनों को नागेश के विचार से अवगत होने के लिये संस्कृत टीका देखनी चाहिए।

'त्वत्पादनखरत्नानाम्—' इति सर्वस्वकारकथितपद्यस्यैव कियदंशं परिवर्त्य निदर्शनोदाहरणत्वं संभावयति—

यदि तु—

'त्वत्पादनखरत्नानि यो रञ्जयति यावकैः।
इन्दुं चन्दनलेपेन पाण्डुरीकुरुते हि सः॥

इति पद्यं निर्मीयते तदा निदर्शना युक्ता। न चास्मदुक्ता वाच्या निदर्शना, इयं तु प्रतीयमानेति वाच्यम्। 'मुखं चन्द्र इव' इति वाच्योपमा 'मुखं चन्द्रः' इति प्रतीयमाना, नत्वलंकारान्तरम्। इत्यस्यापि सुवचत्वात्।

'त्वत्पाद—' इति। यः, यावकैः अलक्तकैः, त्वत्पादनखरत्नानि त्वदीयचरणनखरूपाणि रत्नानि, रञ्जयति रक्तानि विधत्ते सः यावकैः नखरञ्जनकर्ता, इन्दुम् चन्द्रमसम्, चन्दनलेपेन मलयजरससंश्लेषणेन, पाण्डुरीकुरुते धवलिमानमापादयतीत्यर्थः। निदर्शना युक्तेति। आरोपाध्यवसानमार्गबहिर्भूतार्थाभेदप्रत्ययात्। भवन्निर्मितपद्ये तु यत्तत्पदाभ्याम् आरोपमार्गान्तःपात इति भावः। शङ्कते—न चेति। अस्मदुक्तेति। त्वत्पादनखरत्नानाम्—इत्याद्याकारकपद्यगतेत्यर्थः। वाच्येति। यत्तद्भ्यामभेदस्य वाच्यत्वादिति भावः। इयमिति। त्वत्पादनखरत्नानि इत्याद्याकारकभवदीयपद्यगतेत्यर्थः। प्रतीयमानेति। अभेदबोधकपदविरहादिति भावः, प्रतिवन्द्या समाधत्ते—मुखं चन्द्र इवेत्यादिना। वाच्योपमेति। उपमावाचकस्येवशब्दस्य सत्त्वादिति भावः। प्रतीयमानेति। उपमेत्यस्यानुषङ्गः। इवादेरभावात् तस्याः प्रतीयमानत्वमित्यभिमानः। अलंकारान्तरमिति। रूपकमित्यर्थः।

'त्वत्पादनखरत्नानाम्—' इस सर्वस्वकारोद्धृत पद्य को भी कतिपय अंश का परिवर्तन कर देने पर निदर्शना का उदाहरण बनाया जा सकता है। यही बात अब कही जा रही है—यदि तु इत्यादि।

उक्त पद्य के स्थान पर यदि 'त्वत्पादनखरत्नानि—अर्थात् जो रत्नरूप तेरे चरणनखों को आलते से रङ्गता है वह निश्चितरूप से चन्द्रमा को चन्दन-लेप से धवल बनाता है।' ऐसा पद्य बना दिया जाय तब वहाँ निदर्शना उचित हो सकती है। अभिप्राय यह कि आपके पद्य में 'यत् रञ्जनम् इदं पाण्डरीकरणम्' इस 'जो' 'वह' पदों के सामर्थ्य से

एक (यत्पदयुक्त) वाक्यार्थ में दूसरे (इदंपदयुक्त) वाक्यार्थ का अभेदारोप सूचित होता है जो वाक्यार्थरूपक का विषय है। मेरे पद्य में तो 'यत्' 'इदम्, (जो, वह,) आदि कुछ है नहीं, अतः एक वाक्यार्थ में दूसरे का आरोप नहीं प्रतीत होता, अपि तु अर्थज्ञानोत्तर अभेद की झलक होती है जो वस्तुतः निदर्शना का विषय है।

आप यह तो कह नहीं सकते कि हमने जो 'यत-इदम्'-पदयुक्त पद्य लिखा था वहां निदर्शना वाच्य है और आपने जो अभी-अभी कुछ अंशों का परिवर्तन कर उसी पद्य का अभिनव संस्करण किया है उसमें वह (निदर्शना) व्यङ्ग्य है इतना भर अन्तर है। तात्पर्य यह कि निदर्शना दोनों ही जगहों पर अवश्य है। क्योंकि इस रीति से यह भी कहा जा सकता है कि 'मुख चन्द्र जैसा है' यह वाच्य उपमा है और 'मुख चन्द्र है' यह है व्यङ्ग्य उपमा, दूसरा अलंकार (रूपक) नहीं। यदि आप ऐसा नहीं कहना चाहते तब उक्त स्थलों पर भी, वाच्य और व्यङ्ग्य रूप से एक निदर्शना ही मानी जाय यह दुराग्रह छोड़ दीजिए।

प्रकृतमुपसंहरन्निजमतं भिन्नाचार्यमतेन संवादयति—

एवं चारोपाध्यवसानमार्गबहिर्भूत आर्थ एवाभेदो निदर्शनाजीवितम्। स च कर्त्राद्यभेदप्रतिपादनद्वारा प्रतिपाद्यते वाक्यार्थनिदर्शनायाम्। अत एव मम्मटभट्टैरुदाहृतम्—

'क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः।
तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम् ॥' इति।

नन्वत्र निदर्शना नैव संगच्छते। विषयिण उपादानेऽपि विषयस्यानुपात्तत्वात्। उभयोपादानं हि तत्रावश्यकम्। अतो ललितालंकार उचित इति चेत्, ललितालंकारनिराकरणावसर एवैतद् व्यक्तमुपपादयिष्यामः।

स चेति। आर्थः अभेदश्चेत्यर्थः। अयं भावः—'मुखं चन्द्रः' 'पादनखानां यदलक्तकमार्जनम् तत् श्रीखण्डलेपेन विधोः पाण्डुरीकरणम्' 'या दातुः सौम्यता सा पूर्णेन्दोरकलङ्कता' इत्यादौ शाब्देऽभेदारोपे रूपकमेव। एतावांस्तु विशेषो यत्प्रथमस्थले पदार्थरूपकम्, अन्यत्र वाक्यार्थरूपकमिति। 'चन्द्रे इन्दीवरद्वयम्' इत्यादावभेदाध्यवसानेऽतिशयोक्तिरेव। 'त्वामन्तरात्मनि—' 'पादनखरत्नानि यो यावकैः रञ्जयति स चन्दनलेपेन चन्द्रं पाण्डुरीकुरुते' इत्यादौ कर्त्रोरभेदे शाब्दे क्रिययोरभेदस्यार्थावसेयतया निदर्शना इति।

अत एवेति। अस्यास्तदुभयबहिर्भूतनिमित्तकत्वेन प्रागुक्तभवदीयोदाहरणासंभवादेवेत्यर्थः। 'क्व सूर्य—' इति। सूर्यप्रभवः सूर्यादुत्पन्नः, वंशः रघुवंश इति भावः, क्व, अल्पविषया स्वल्पग्राहिणी, मतिः मम बुद्धिः, च, क्व। अनयोर्महदन्तरमिति भावः। अहम्, मोहात्, दुस्तरं, सागरम् उडुपेन लघु नौकया तितीर्षुः तर्तुमिच्छुः, अस्मीत्यर्थः। अत्र 'मन्मत्या रघुवंशवर्णनेच्छा उडुपेन सागरतरणेच्छा' इत्यर्थप्रतीत्या निदर्शना। शङ्कते—नन्विति। 'क्व सूर्य—' इत्यत्र 'उडुपकरणकसागरतरणेच्छारूप आरोपस्य विषयी केवलमुक्तः, अल्पमतिकरणकरघुवंशवर्णनेच्छारूपो विषयो नोक्त इति निदर्शना न भवितुमर्हति, निदर्शनायां विषयविषयिणोरुभयोरुपादानस्यावश्यकत्वात् अतोऽत्र 'प्रकृतधर्मिणि प्रकृतव्यवहारानुल्लेखेन निरूप्यमाणोऽप्रकृतव्यवहारसंबन्धो ललितालंकारः।' इति लक्षणलक्षितम्

ललितमुचितमिति शङ्कादलस्याशयः। समाधत्ते—ललितालंकार इति। ललितं निदर्शनया गतार्थयता ग्रन्थकृतोक्तम्—"अलंकाराः श्रौता आर्थाश्च प्रायशो भवन्ति। तत्र श्रौतेभ्य आर्था न पृथगलंकारत्वेन गण्यन्ते। किं तु पृथग्भेदत्वेन, तदलंकारसामान्यलक्षणेन क्रोडीकरणात्। इदं पुनर्वाक्यार्थनिदर्शनास्वरूपम्—व्यवहारद्वयवद्धर्म्यभेदप्रतिपादनाक्षिप्तो व्यवहारद्वयाभेदः। तत्र व्यवहारद्वयवद्धर्म्यभेदस्य प्रतिपादनं श्रौतमेवापेक्षितमिति न नियमः। किं तु प्रतिपादनमात्रम्।...। एवञ्च 'तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्' इत्यत्र निदर्शना साधु संगच्छते। क्व सूर्येत्यादिना स्वमति-सूर्यप्रभववंशयोरत्यन्ताननुरूपत्वकथनोत्तरमुडुपकरणकसागरतरणेच्छायाया अप्रकृतायाः कथनेन तादृशमतिकरणकवर्णनेच्छायाः प्रकृतायाः प्रतिपत्तेः।" इति।

प्रस्तुत विवादात्मक प्रसङ्ग का उपसंहार करते हुए अपने मत में अन्य आचार्य की साचिता शङ्का-समाधानपूर्वक ग्रन्थकार दे रहे हैं—एवं च इत्यादि।

ऊपर के खण्डन-मण्डन से यह सिद्ध हुआ कि आरोप (अभेदारोप) और अध्यवसान (अभेदाध्यवसान) के मार्ग से पृथग्भूत केवल अर्थप्राप्त अभेद निदर्शना का जीवन है। वह (अर्थप्राप्त अभेद) वाक्यार्थ-निदर्शना में दो कर्ताओं के अभेद के प्रतिपादन से प्रतिपादित होता है।

अभिप्राय यह निकला कि—'मुख चन्द्र है' 'चरणनखों का अलक्तक द्वारा मार्जन श्रीखण्डचन्दन-लेप से चन्द्र का पाण्डुरीकरण है' 'दाता की जो सौम्यता है, वह पूर्ण चन्द्र की कलङ्कहीनता है' इत्यादि शाब्द-अभेदारोप-स्थलों पर क्रमशः पदार्थरूपक और वाक्यार्थरूपक ही होता है। 'चन्द्रमा में दो नील कमल हैं' इत्यादि अभेदाध्यवसान स्थलों पर अतिशयोक्ति ही है। हाँ 'जो चरण-नखों को आलते से रङ्गता है वह चन्द्र को चन्दन-लेप से धवल बनाता है' 'शोधते हुए खोजते हैं' इत्यादि स्थलों पर जहाँ कर्तृकारकों का ही अभेद शब्दतः अवगत होता है और तद्द्वारा क्रियाओं का अभेद अर्थतः प्राप्त हो जाता है, वाक्यार्थ-निदर्शना होती है।

अतएव मम्मट भट्ट ने 'क्व सूर्यप्रभवो—अर्थात् सूर्यवंश कहाँ और स्वल्पग्राहिका मेरी बुद्धि कहाँ। मैं मोहवश छोटी डोङ्गी से दुस्तर समुद्र को तैरना चाहता हूँ।' यह पद्य वाक्यार्थ-निदर्शना में उदाहृत किया। तात्पर्य यह कि मम्मट भट्ट के इस उदाहरण से भी यही सिद्ध होता है कि कर्ता के अभेद से जहाँ कर्तृ विशेषण का अभेद अर्थतः ज्ञात होता है वहीं वाक्यार्थ निदर्शना का लक्ष्य है। क्योंकि उनके उदाहरण में भी यही बात है—अर्थात् तितीर्षु और विवर्णयिषु के अभेद से तितीर्षा तथा विवर्णयिषा का अभेद अर्थतः प्रतीत होता है।

यदि कहा जाय कि यहाँ (क्व सूर्यप्रभवः-इस पद्य में) निदर्शना की संगति नहीं बैठती है, क्योंकि यहाँ विषयी-अर्थात् डोङ्गी से समुद्र-तरण की इच्छा का ग्रहण रहने पर भी विषय-अर्थात् छोटी बुद्धि से सूर्यवंश-वर्णन की इच्छा का ग्रहण नहीं किया गया है। और निदर्शना में दोनों (विषय-विषयी) का ग्रहण रहना आवश्यक है। अतः यहाँ ललितालंकार मानना उचित है, निदर्शनालंकार नहीं।

तो इसका यह उत्तर यह है कि ललितालंकार को मैं मानता ही नहीं, उसको मानना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि वह निदर्शना का ही एक अवान्तर प्रभेद है। इस बात का अधिक विवेचन ललितालंकार प्रकरण में किया जायगा।

ललितालंकार का खण्डन करते हुए ग्रन्थकार ने कहा है कि वाक्यार्थ-निदर्शना का स्वरूप है—'दो व्यवहारों से युक्त दो धर्मियों के अभेद-प्रतिपादन से आक्षिप्त होने वाला दो व्यवहारों का अभेद। इसमें यह आवश्यक नहीं कि दो धर्मियों का अभेद-प्रतिपादन शब्दतः ही होता हो, अर्थतः भी वह होता हो तो निदर्शना मानने में कोई आपत्ति नहीं। ऐसी स्थिति में ललितालंकार के जो भी उदाहरण उपस्थित किए जायगें सर्वत्र निदर्शना हो सकती है। जैसे उक्त मम्मटभट्ट के पद्य में जब सूर्यवंश तथा अल्पबुद्धि में अत्यन्त अननुरूपता बतला कर डोङ्गी से समुद्र-तरणेच्छा का अप्रस्तुत कोटि में वर्णन किया जाता है, तत्र प्रस्तुत कोटि में मन्दबुद्धि से सूर्यवंशवर्णनेच्छा अकथित होकर भी अर्थतः ज्ञात होती है, अतः विषय विषयी दोनों की स्थिति उपलब्ध हो जाती है—निदर्शना हो सकती है। इतनी बात अवश्य है कि ऐसे उदाहरण आर्थ निदर्शना की कोटि में आयगें और जहाँ विषय-विषयी दोनों शब्दतः ही कथित रहेगें वे उदाहरण शाब्द निदर्शना की कोटि में संगृहीत होंगे। प्रायः सभी अलंकार शाब्द और आर्थ दोनों प्रकार के होते ही हैं।

'त्वपादनखरत्नानाम्—' इति पद्येऽलंकारविषयकं मतान्तरमुत्थाप्य खण्डयति—

परे तु 'त्वपादनखरत्नानाम्—' इत्यत्र दृष्टान्तालंकारमाहुः। तदप्यसत्। बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नपदार्थघटितस्य। निरपेक्षवाक्यार्थद्वयस्यैव दृष्टान्तत्वात। तस्मात् 'त्वत्पादनखरत्नानाम्—' इत्यत्र वाक्यार्थरूपकमेव, न निदर्शनेति स्थितम्।

शाब्दान्वये ययोः परस्परं नापेक्षा किं तु बिम्बप्रतिबिम्बभावेनैव ययोर्योग ईदृशौ वाक्यार्थौ निदर्शना ततश्च यदिदंपदाभ्यां सापेक्षयोर्वाक्यार्थयोर्वर्तमानत्वेन न 'त्वत्पादनखरत्नानाम्—' इत्यत्र दृष्टान्तालंकारः संभवतीति तत्र तत्स्वीकारोक्तिः केषाञ्चिदनुचितैव। निदर्शनाऽपि तत्र न युक्तेति प्रागुपदर्शितमेव। फलतस्तत्र वाक्यार्थरूपकमेवालंकार इति भावः।

'त्वत्पादनखरत्नानाम्—' इस पद्य में दृष्टान्त अलंकार मानने वाले का खण्डन किया जाता है—परे तु इत्यादि।

'त्वत्पादनखरत्नानाम्—इस पद्य में अन्य कतिपय विद्वान् दृष्टान्त अलंकार कहते हैं, पर वह भी असंगत ही है, क्योंकि बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न पदार्थों से बने हुए दो निरपेक्ष वाक्यार्थ का नाम दृष्टान्त है और यहाँ के दोनों वाक्यार्थ (चरणनखों का अलक्त द्वारा मार्जन और चन्द्र का श्रीखण्ड-लेप द्वारा पाण्डुरीकरण) निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष हैं और उस सापेक्षता का द्योतक है 'यत्' और 'इदम्' पद।

अतः अब यह निश्चित हो गया कि उक्त पद्य में वाक्यार्थरूपक ही है, निदर्शना नहीं।

अवान्तरप्रसङ्गसमाप्तिं सूचयति—

एवमसंभवद्वस्तुसंबन्धनिबन्धना पदार्थ-वाक्यार्थनिदर्शना दर्शिता।

एवमिति। उक्तप्रकारेणेत्यर्थः। असंभवद्वस्तुसंबन्ध इति। असंभवन् स्वतोऽवर्तमानः, वस्तुनोर्वाक्यार्थरूपयोः, संबन्धः कविकल्पितवाक्यार्थसंबन्ध इति समुदितार्थः,

निबन्धनं निमित्तं यस्याः सेत्यर्थः। दर्शितेति। 'त्वामन्तरात्मनि—' इत्यादौ तादृशी वाक्यार्थनिदर्शना 'अगण्यैः—' इत्यादौ च तादृशो पदार्थनिदर्शना प्रदर्शितेत्यर्थः।

अवान्तर प्रसंग की समाप्ति सूचित की जाती है—एवम् इत्यादि।

इस प्रकार से असंभवद्वस्तुसंबन्धनिबन्धना—अर्थात् जिसका निमित्त वाक्यार्थों का ऐसा संबन्ध हो जो स्वतः संभवी नहीं, अपितु कविकल्पित रहता है, वह, पदार्थनिदर्शना तथा वाक्यार्थनिदर्शना दिखला दी जा चुकी।

संभवद्वस्तुसंबन्धनिबन्धनां तामुदाहरति—

चूडामणिपदे धत्ते योऽम्बरे रविमागतम्।
सतां कार्यातिथेयीति बोधयन्गृहमेधिनः ॥'

यः उदयाचलः, सतां सज्जनानाम्, आतिथेयी आतिथ्यम्, कार्या विधेया, इति, गृहमेधिनः गृहस्थान्, बोधयन् अवगमयन्, सन्, अम्बरे आकाशे, आगतम् रविम् सूर्यम्, चूडामणिपदे शिरसीति यावत्, धत्ते स्थापयतीत्यर्थः। संभवद्वस्तुसंबन्धमूला निदर्शना का उदाहरण दिया जा रहा है—चूडामणि इति। आगत सज्जनों का आतिथ्य करना चाहिए ऐसा बोध गृहस्थों को देता हुआ जो उदयाचल आकाश में आगत सूर्य को शिर पर रखता है।

वस्तुसंबन्धस्य संभवत्वम् उपपाद्य निदर्शनात्वमुपपादयति—

अत्र 'कारीषोऽग्निरध्यापयति' 'भिक्षा वासयन्ति' इतिवदानुकूल्ये णिचः प्रयोगात् गिरेश्च सूर्योदयदेशावच्छिन्नशिरस्कतारूपस्य गृहमेधिगतसदातिथ्यकरणविषयकबोधानुकूलाचरणस्य संभवात् मया इवान्येनाप्यतिथिसेवा कार्या इत्यौपम्यसद्भावाच्च संभवद्वस्तुसंबन्धमूलापि निदर्शना संभवति।

अत्रेति। 'चूडामणि—' इति पद्य इत्यर्थः। बोधयन्नित्यत्रेति शेषः। ननु गिरावानुकूल्याचरणं कथमत आह—गिरेश्चेति। सूर्योदयेति। सूर्योदयप्रदेशावच्छिन्नशिखरतेत्यर्थ। नन्वेवमप्यौपम्याभावोऽत आह—मया इवेति।

अयं भावः—आनुकूल्ये णिचि, यथा 'कारीषोऽग्निरध्यापयति' इति वाक्यस्य शैत्यनिवारणेनाग्निरध्ययनेऽनुकूलमाचरतीत्यर्थः, 'भिक्षा वासयन्ति' इत्यस्य वा भिक्षाः क्षुन्निवृत्त्युपायभूततया वासे अनुकूलतां सम्पादयन्तीत्यर्थः, भवति, तथैव 'बोधयन्' इत्यत्रापि आनुकूल्ये णिचः प्रयोगेण बोधानुकूलाचरणं कुर्वन्निति तदर्थः, बोधश्च गृहस्थसमवेतसज्जनातिथ्यकरणविषयकः तदनुकूलाचरणञ्च सूर्योदयप्रदेशे स्वशिरः (शिखर)-स्थापनरूपं पर्वते संभवत्येव मयेवान्येनापि कर्तव्यातिथिसेवेत्याकारकमौपम्यमपि प्रतीयत एवेति। संभवद्वस्तुसंबन्धनिबन्धनाया वाक्यार्थनिदर्शनाया उदाहरणमिति।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'कण्डों की आग पढ़ाती है' 'भिक्षाएँ निवास करवा रही हैं' इन स्थलों पर जैसे णिच् प्रत्यय का प्रयोग आनुकूल्य अर्थ में हुआ है, वैसे-यहाँ भी 'बोधयन्' पद में णिच् प्रत्यय का प्रयोग आनुकूल्य अर्थ में ही हुआ है, अतः जैसे 'कण्डों की आग पढ़ाती है' इस वाक्य का अर्थ—'जाड़े के मास में शैत्य-निवारण द्वारा कण्डों की आग पठन में अनुकूलता करती है' यह होता है, अथवा 'भिक्षाएँ निवास करवा रही हैं' इस वाक्य का

अर्थ 'बुभुक्षाशान्ति-द्वारा वसने में भिक्षाएँ अनुकूलता का संपादन करती हैं' यह होता है उसी तरह 'चूडामणिपदे—' इस वाक्य का अर्थ होगा—आगत सज्जनों का आतिथ्य करना चाहिए। एतादृश गृहस्थजनगत बोध के अनुकूल आचरण करता हुआ पर्वत इत्यादि। आप कहेंगे–णिच् प्रत्यय का जो प्रसिद्ध अर्थ प्रेरणा है वह अचेतन पर्वत में संभव नहीं, इसी भय से तो आनुकूल्य में णिच् का प्रयोग माना गया, पर अनुकूल आचरण भी तो पर्वत में उसी प्रकार असंभव है। इसके उत्तर में मेरा कथन है कि—प्रेरणा के समान अनुकूल आचरण पर्वत में असंभव नहीं है, क्योंकि सूर्योदय देश में अपने शिर-शिखर को उठाकर रखना ही गृहस्थों के लिये उक्त उपदेश के अनुकूल आचरण माना जा सकता है। फलतः यहाँ इस तरह से पर्वत में भी बोधन-संबन्ध के उपपन्न हो जाने पर उपमान-वाक्यार्थ तथा उपमेय वाक्यार्थ का संबन्ध संभवत् कहलायगा। 'मेरे जैसे दूसरे को भी अतिथि-सेवा करनी चाहिए' इस तरह का औपम्य भी यहाँ ज्ञात होता है, अतः इस तरह के उदाहरणों में संभवद्वस्तुसंबन्धमूला भी निदर्शना (वाक्यार्थगता) हो सकती है।

आशङ्क्य समाधत्ते—

न च बोधयन्निव बोधयन्निति प्रतीयमानेयमुत्प्रेक्षा 'व्यालिम्पति तमोऽङ्गानि नभो वर्षति कज्जलम्' इत्यादाविवेति वाच्यम्। वस्तुनः संभवेनैव तस्या अप्रसक्तेरित्याहुः।

व्यालिम्पतीति। तमोऽङ्गानि व्यालिम्पतीव नभः कज्जलं वर्षतीवेत्यर्थप्रतीत्या सर्वसम्मतात्र प्रतीयमानोत्प्रेक्षेति भावः। वस्तुन इति। गिरिकर्तृकगृहमेधिगतसदातिथ्यकरणविषयकबोधानुकूलाचरणस्येत्यर्थः। संभवेनैवेति। उक्तरीत्या स्वतःसंभवितयेत्यर्थः। तस्या उत्प्रेक्षायाः। अप्रसक्तेरिति। स्वतोऽसंभविनोऽर्थस्य कविप्रतिभया संभाव्यमानत्व एव तत्प्रसक्तिरिति भावः।

एक आशङ्का और उसका समाधान अब किया जाता है—न च इत्यादि।

'व्यालिम्पति—अर्थात् अन्धकार अङ्ग को लीपता है, आकाश कज्जल बरसता है।' यहाँ जैसे 'व्यालिम्पतीव' (जैसे लीपता हो) 'वर्षतीव'—(जैसे बरसता हो) इस तरह की प्रतीति होने के कारण प्रतीयमान उत्प्रेक्षा मानी जाती है, वैसे 'चूडामणि—' इस पद्य में भी 'बोधयन्निव' (जैसे समझा रहा हो) इस अर्थ की प्रतीति होने से प्रतीयमानोत्प्रेक्षा ही मान्य होनी चाहिए, निदर्शना नहीं। ऐसा यदि कोई कहे तो इसका उत्तर यह है कि 'व्यालिम्पति—' इस पद्य में अचेतन तम के द्वारा वस्तुतः लेपन संभव नहीं है, अतः कविकल्पना द्वारा तमःकर्तृक व्याप्तिरूप अनुक्त विषय में लेपन की संभावना ही माननी पड़ती है, फलतः वहाँ संभावनारूपा उत्प्रेक्षा मानी जाती है, पर यहाँ तो पहले ही कहा जा चुका है कि पर्वत में बोधानुकूल आचरण स्वतः संभावित है, अतः कविकल्पनाप्रसूत संभावनारूपा उत्प्रेक्षा नहीं मानी जा सकती है।

उत्प्रेक्षात्र न संभवतीत्युक्तसमाधानस्यैकतन्त्रानुकूलत्वेऽप्यपरतन्त्रप्रतिकूलत्वमित्युपपादयति—

इदं च 'धातुनोक्तक्रिये नित्यं कारके कर्तृतेष्यते' इत्युक्तपथेन धातूपात्तव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वमिति मते संगच्छते। यदि तु कृताकृतविभागानुप-

पत्तेर्यत्नार्थकात्कृञस्तृचि सविषयार्थकधातूत्तरकर्तृप्रत्ययस्याश्रयत्वे निरूढलक्षणया यत्नाश्रयः कर्तृपदार्थः, स एव च कर्तृप्रत्ययानां मुख्यार्थः, अचेतनस्तु भाक्त इति नयपथेन निरीक्ष्यते तदा बोधयन्नित्यत्र प्रतीयमानोत्प्रेक्षा संभवत्येव ।

इदमिति । 'वस्तुनः संभवेनैव तस्या अप्रसक्तेः' इति कथनमित्यर्थः । नित्यमित्यस्य कर्तृतेत्यत्रान्वयः । कर्तृतैवेति तदर्थः । यस्य कारकस्य क्रिया धातुनोच्यते तत्कर्तृकारकमेवेति कारिकाशयः । मते इति । वैयाकरणानामिति भावः । प्रकृतधातूपात्तव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वमितिवैयाकरणमते सूर्योदयदेशावच्छिन्नशिरस्कतारूपसदातिथ्यकरणविषयकबोधानुकूलाचरणाश्रयत्वस्य पर्वते स्वतःसिद्धतया संभावनात्मिकोत्प्रेक्षा न संभवतीति कथनं संगतं भवतीति सारांशः । नैयायिकमतमाह—यदि त्विति । कृताकृतविभागानुपपत्तेरिति । 'घटः कृतः' इत्यादिव्यवहारो यथा भवति तथा 'अङ्कुरः कृतः' इत्यादिव्यवहारो न भवतीति फलतः कृताकृतयोः पदार्थयोर्विभागः पर्यवस्यति । स च विभागः कृधातोर्यत्नार्थकत्व एवोपपन्नो भवति, मनुष्ययत्नविषयीभूतेषु पदार्थेषु कृतत्वव्यपदेशस्य, मनुष्ययत्नविषयत्वाभाववत्सु पदार्थेषु अकृतत्वव्यपदेशस्यौचित्यात्, कृधातोरुत्पत्त्यनुकूलव्यापारार्थकत्वे तु स विभागो नैवोपपन्नो भवेत्, अङ्कुराद्युत्पत्त्यनुकूलयत्किञ्चित्सेचनादिव्यापारस्य मनुष्येऽपि सत्त्वेन मनुष्यनिष्ठव्यापारप्रयोज्योत्पत्त्याश्रयत्वस्याङ्कुरादिष्वक्षततया तत्रापि कृतत्वव्यवहारस्यैव प्रसक्तेरतः कृताकृतविभागानुपपत्तिः कृञो यत्नार्थकत्वे हेतुरिति नैयायिकाः । अधिकं तु न्यायकुसुमाञ्जलौ द्रष्टव्यम् । सविषयार्थकेति । ज्ञानयत्नेच्छादयो ये सविषयकाः पदार्थाः तदर्थकेत्यर्थः । निरूढेति । अनादितात्पर्यमूलकेत्यर्थः । स एव चेति । यत्नाश्रय एवेत्यर्थः । कर्तृप्रत्ययानामिति । तिबादीनामित्यर्थः । नन्वेवं रथो गच्छतीत्यादौ दोषोऽत आह—अचेतनस्त्विति । भाक्त इति । गौण इत्यर्थः ।

अयमिह निर्गलितार्थः–नैयायिकरीत्यनुसरणे 'बोधयन्' इत्यस्य बोधानुकूलयत्नाश्रय इत्यर्थस्तथा चाचेतने पर्वते तस्यार्थस्य स्वतोऽसंभवतया कविकल्पनाप्रसूतायास्तदर्थसंभावनाया एव तत्र वक्तव्यतयोत्प्रेक्षासंभवत्येवेति तद्रीत्यनुसरणे न संभवद्वस्तुसंबन्धनिबन्धनाया निदर्शनाया उदाहरणमिदं पद्यमिति, 'बोधयन्निव बोधयन्' ।

इस प्रतीयमान उत्प्रेक्षा के खण्डन में दी गई युक्ति वैयाकरणमतानुसारिणी है, नैयायिकमतानुसारिणी नहीं यह स्पष्टीकरण अब किया जाता है—इदं च इत्यादि ।

'धातु के द्वारा जिसका व्यापार उक्त हो उस कारक में कर्तृत्व ही इष्ट है' इस आप्तजन प्रतिपादित पद्धति के अनुसार धातु से कथित व्यापार का आश्रय कर्ता है यह जो वैयाकरणों का मत है उसमें 'वस्तु के संभव होने से ही उत्प्रेक्षा की प्रसक्ति नहीं होती' यह कथन संगत है, क्योंकि इस मत के अनुसार पर्वत में भी बोधनकर्तृता संभव है ।

कुछ पदार्थ कृतश्रेणी में और कुछ पदार्थ अकृतश्रेणी में आते हैं—अर्थात् कुछ घट-पट आदि वस्तुओं के विषय में 'मया अयं कृतः' (मैंने इसे बनाया) ऐसा व्यवहार होता है और अङ्कुर आदि कतिपय वस्तुओं के विषय में 'मया अङ्कुरः कृतः (मैंने अङ्कुर को उगाया) ऐसा व्यवहार नहीं होता है । यह विभाग कृ धातु का अर्थ यत्न मानने पर

उपपन्न होता है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार 'कृत' का अर्थ होगा यत्न का विषय–अर्थात् जिसके विषय में यत्न हो वह वस्तु। अब उक्त विभाग का रहस्य खुल जाता है, अर्थात् घट-पट आदि मनुष्य के यत्न का विषय होता है, अतः उसके संबन्ध में 'कृतः' ऐसा व्यवहार किया जाता है और अङ्कुर आदि मनुष्य के यत्न का विषय नहीं होता, अतः उसके संबन्ध में उक्त व्यवहार नहीं किया जा सकता है, फलतः वैसी वस्तु अकृत श्रेणी में परिगणित होती है।

कृ धातु का अर्थ यत्न से भिन्न व्यापार मानने पर उक्त विभाग उपपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि तदनुसार 'कृत' का अर्थ होगा व्यापारजन्य फलाश्रय और मनुष्यगत सेचन आदि व्यापार-प्रयुक्त होने वाले उत्पत्तिरूप फल का आश्रय अङ्कुर भी होता ही है, अतः उस स्थिति में अङ्कुर के सम्बन्ध में भी 'कृतः' ऐसा व्यवहार उचित प्राप्त हो जाता है।

बस इसी कृताकृतविभागानुपपत्तिरूप युक्ति से कृ धातु का अर्थ यत्न मानना पड़ता है और इस यत्नार्थक कृ धातु से तृच् प्रत्यय करके बनाये गए कर्तृ शब्द का अर्थ होता है यत्नाश्रय, क्योंकि ज्ञान, द्वेष, इच्छा, यत्न आदि सब विषय अर्थ-वाचक धातु के आगे आए हुए कर्तृप्रत्यय की आश्रय अर्थ में अनादि परम्परा-प्राप्त लक्षणा हुई रहती है। फलतः सभी कर्तृवाच्य प्रत्ययों का मुख्य अर्थ यत्नाश्रय ही होता है। 'रथ जाता है' इत्यादि अचेतन-घटित वाक्य में तो 'जाता है' इसका प्रयोग गौण है। यह जो नैयायिकों का मत है उसके अनुसार विचार करने पर तो उक्त 'बोधयन्' में प्रतीयमान उत्प्रेक्षा हो ही सकती है–अर्थात् इस मत के अनुसार पर्वत अचेतन होने के कारण बोधन का कर्ता (बोधनविषयक यत्न का आश्रय) नहीं हो सकता, अतः उसमें उसकी संभावना ही की जा सकती है और संभावना ही उत्प्रेक्षा है।

पूर्वोक्तं नैयायिकमतसमर्थनायाह—

अमुमेव चाशयं मनसिकृत्य मम्मटभट्टैः 'स्वस्वहेत्वन्वयस्योक्तिः—' इत्यादिलक्षणं निदर्शनान्तरस्य कृत्वा उदाहृते—

'उन्नतं पदमवाप्य यो लघुर्लीलयैव स पतेदिति ध्रुवम्।
शैलशेखरगतो दृषत्कणश्चारुमारुतधुतः पतत्यधः॥'

इतिपद्ये इतिपदोत्तरं बोधयन्बोधयितुं वा इत्यस्याभावादुत्प्रेक्षाया असंभवे बोधननिदर्शना युक्ता।

अमुमेवेति। नैयायिकरीत्या प्रतीयमानोत्प्रेक्षायास्तत्र तत्सत्त्वेन संभवरूपमित्यर्थः। अन्यथा वैयाकरणरीत्या तत्सत्त्वेऽपि तदप्रसक्त्या तथोक्त्यसंगतिः स्यादिति भावः। 'मनसिकृत्य' 'कृत्वा' इत्यनयोः क्त्वान्तयोरुदाहृते इत्यत्रान्वयः। 'स्वस्वहेत्वन्वयस्योक्तिः क्रिययैव च साऽपरा।' इति सम्पूर्णा कारिका। क्रिययैव स्वस्वरूप-स्वकारणयोः संबन्धो यदवगम्यते साऽपरा निदर्शनेति तदर्थः। 'उन्नतं पद—' इति। यः, लघुः अल्पमतिः, अपकृष्टगुरुत्ववांश्च सः, उन्नतं पदम् उत्कृष्टस्थानम् ऊर्ध्वस्थानं च, अवाप्य लब्ध्वा, लीलयैव अनायासेनैव, पतेत् पदभ्रंशम् अधःसंयोगहेतुक्रियां च प्राप्नुयात्, इति एतत् ध्रुवम् निश्चितम्। निदर्शनमाह—शैल इति। शैलशेखरगतः पर्वतशिखरस्थितः, दृषत्कणः पाषाणकणः, चारुमारुतधुतः मन्दानिलचालितः, सन्, अधः शिखरादधःप्रदेशे, पतति आगच्छतीत्यर्थः। अत्र पततीतिपदप्रतिपाद्यया पतनक्रियया पतेत् इति पदप्रतिपाद्यस्य

स्वस्य = पतनात्मककार्यस्य स्वकारणस्य च=लघीयसः उन्नतपदप्राप्तिरूपस्य कार्यकारणभाव-रूपः संबन्धः ख्याप्यते तथा च लाघवे सति उन्नतपदप्राप्तिः पाते हेतुः यथा दृषत्कणस्येति निदर्शनपर्यवसानादियमपि निदर्शनेति तदाशयः। ग्रन्थकारः प्रकृतोपयुक्तं प्रतिपादयति—इति पद्ये इत्यादिना।

अयं भावः—अस्मिन् पद्ये 'पतेदिति' इत्यस्याग्रे यदि 'बोधयितुं' 'बोधयन्' इति वा पदं प्रयुक्तं तिष्ठेत् तदा नैयायिकरीत्या पूर्वोक्तप्रकारेण प्रतीयमानोत्प्रेक्षैव भवेत्, अत एव मम्मटस्तादृशं पदं न प्रयुक्तवान्। तदप्रयोगे चोत्प्रेक्षाया अप्रसङ्गात् निदर्शनोक्तिः संगता। निदर्शना चेयं बोधनविषयिकैव। ननु बोधनात्मको विषयी नात्रोपात्त इति कथमिह विषय-विषयिद्वयोपादानसापेक्षा निदर्शनेति चेन्न। 'क्व सूर्यप्रभवः—इत्यादाविव विषयिणः आर्थत्वादुपपादितमिदं प्रागपि।

इदमिह विशेषतो निवेदनीयम्-यन्मयोपलब्धेषु काव्यप्रकाशपुस्तकेषु सर्वत्र 'पतेदिति ध्रुवम्' इत्यस्य स्थाने 'पतेदिति ब्रुवन्' इत्येतादृश एव पाठो दृश्यते, यदनुसारं मम्मटभट्टस्य वैयाकरणमतानुयायित्वमेव सिध्यति न पण्डितराजाभिमतं नैयायिकानुयायित्वम्।

पूर्वोक्त नैयायिक मत के समर्थन में अन्य आचार्य को उपस्थित किया जाता है—अमुमेव इत्यादि।

"–'चूडामणि—' इस पद्य में 'बोधयन्' पद के उपादान से नैयायिक मतानुसार प्रतीयमान उत्प्रेक्षा हो ही सकती है" इसी अभिप्राय को हृदय में रखकर मम्मट ने 'स्वस्व-हेतु—अर्थात् क्रिया द्वारा ही कार्य-कारण के संबन्ध (कार्यकारण भाव) का कथन दूसरी निदर्शना है।' इस अपर-निदर्शना-लक्षण निर्माणानन्तर जो 'उन्नतं पदमवाप्य—अर्थात् जो लघु (मन्दबुद्धि + हलका) होता है वह उन्नत पद (ऊँचे ओहदे + ऊँची जगह) को प्राप्त करके भी अनायास फिर गिरेगा (ओहदा टूट जायगा + नीची सतह पर आ जायगा) यह ध्रुव सत्य है। देखिए—पर्वत की चोटी पर चढ़ा हुआ पाषाण-कण मन्द-मारुत से चालित होकर नीचे आ जाता है।' यह उदाहरण दिया, उसमें 'पतेदिति' के आगे 'बोधयन्' अथवा 'बोधयितुम्' ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वैसा कह देने पर पूर्व-कथित नैयायिक-मतानुसार प्रतीयमान उत्प्रेक्षा हो जाती और तब निदर्शना का उदाहरण नहीं हो सकता यह पद्य। उस तरह के पद नहीं कहे जाने पर तो उत्प्रेक्षा का प्रसङ्ग आता नहीं, अतः निदर्शना का उदाहरण उचित हुआ। एक बात और यह कि इस निदर्शना में भी बोधन का संबन्ध है–अर्थात् यह बोधन-निदर्शना ही है। तात्पर्य यह कि बोधन और पतन क्रिया के आर्थ अभेद का ही यहाँ भी निदर्शनात्व अभीष्ट है। आप कहेगें–विषयी-बोधन तो यहाँ उपात्त है नहीं फिर विषयी तथा विषय दोनों के उपादान की अपेक्षा रखनेवाली निदर्शना होगी कैसे? तो इसका उत्तर पहले ही–'क्व सूर्य प्रभवः—' के प्रसङ्ग में दिया जा चुका है अर्थात् यह आर्थ निदर्शना है इसमें विषयी का शब्दतः उपादान आवश्यक नहीं होता।

यहाँ एक बात मुझे यह कहनी है कि अब तक मैंने काव्यप्रकाश की जितनी पुस्तकें देखी हैं उन सब में 'पतेदिति ब्रुवन्' ऐसा ही पाठ देखा है। फिर जो पण्डितराज 'पतेदिति ध्रुवम्' इस पाठ को मानकर मम्मटभट्ट को नैयायिकानुयायी सिद्ध करते हैं वह समुचित नहीं है। 'ब्रुवन्' वाले पाठ के अनुसार तो मम्मट वैयाकरणानुसारी ही प्रतीत होते हैं।

विशेषमाह—

'हालाहलं खलु पिपासति कौतुकेन
कालानलं परिचुचुम्बिषति प्रकामम् ।
व्यालाधिपं च यतते परिरब्धुमद्धा
यो दुर्जनं वशयितुं कुरुते मनीषाम् ॥'

यथा वा—

'व्योमनि बीजाकुरुते चित्रं निर्माति सुन्दरं पवने ।
रचयति रेखाः सलिले यस्तु खले चरति सत्कारम् ॥'

बीजाकरणं बीजप्रक्षेपपूर्वकं कर्षणम् ।

इदं चापरं बोध्यम्—

'यान्ती गुरुजनैः साकं स्मयमानाननाम्बुजा ।
तिर्यग्ग्रीवं यदद्राक्षीत्तन्निष्पत्राकरोज्जगत् ॥'

हालाहलमिति । यः मनुष्यः, दुर्जनं वशयितुम् वशमानेतुम्, मनीषाम् इच्छाम् कुरुते, सः, कौतुकेन कीदृशमिदमित्युत्कण्ठया, खलु निश्चयेन, हालाहलम् उग्रं विषम्, पिपासति पातुमिच्छति, कालानलम् प्रलयाग्निम्, प्रकामम् अत्यन्तम्, परिचुचुम्बिषति परिचुम्बितुमिच्छति च पुनः अद्धा निश्चयेन व्यालाधिपम् सर्पराजम्, परिरब्धुम् आलिङ्गितुम् यतते चेष्टते इत्यर्थः ।

'व्योमनि—' इति । यः, खले दुर्जने तद्विषये इति यावत्, सत्कारम् सत्कृतिम्, चरति कुरुते, सः व्योमनि आकाशे, बीजाकुरुते बीजप्रक्षेपफलकं कर्षणं करोति, पवने वायौ, सुन्दरं रम्यम् चित्रम् निर्माति रचयति, सलिले जले रेखाः चिह्नविशेषान्, रचयति करोतीत्यर्थः ।

'बीजाकुरुते' इत्यस्य पदस्यार्थं स्फोरयति—बीजाकरणमिति, प्रक्षेपेति । प्रक्षेपस्य पूर्वकम्, पूर्वमिति यावत् । तत्फलकमिति भावः । तेन सहेति शब्दार्थः । 'कृञो द्वितीय–' इति डाच् । भेदान्तरमाह–इदं चेति । यान्तीति । गुरुजनैः श्वश्र्वादिभिः साकम् सह, यान्ती गच्छन्ती, स्मयमानाननाम्बुजा विकसन्मुखकमला नायिका, तिर्यग्ग्रीवम् कुटिलकन्धरं यथा स्यात्तथा (क्रियाविशेषणमिदम्) यत्, अद्राक्षीत् अपश्यत्, तत्, जगत् संसारम्, निष्पत्राकरोत् बाणेन व्यदारयदिति भावः ।

वैयाकरण तथा नैयायिकों के मत-भेद से अलंकार-भेद होने की बात का स्पष्टीकरणार्थ कुछ उदाहरण दिखलाए जा रहे हैं—हालाहलम् इत्यादि ।

जो मनुष्य दुर्जन को वश में लाने की इच्छा करता है, समझिए—वह कौतुकवश गरल पीना चाहता है, प्रलयकालिक अग्नि को सर्वतोभावेन चूमना चाहता है और निश्चयपूर्वक सर्पराज का आलिङ्गन करना चाहता है ।

अथवा जैसे—

'व्योमनि—अर्थात् जो खलजन का सत्कार करता है, समझिए—वह आकाश में बीज बोने की तैयारी करता है, हवा में सुन्दर चित्र खींचता है और जल में रेखायें बनाता है ।' यहाँ मूल संस्कृत पद्य में जो 'बीजाकुरुते' पद आया है वहाँ बीजाकरण का

अभिप्राय है बीज के साथ-साथ खेत का जोतना। इसी अर्थ में 'कृञो द्वितीय—' इत्यादि पाणिनि-सूत्र से डाच् प्रत्यय होता है।

एक अन्य उदाहरण भी समझना चाहिए—

'यान्ती—अर्थात् गुरुजनों (सास आदि) के साथ जाती हुई मुसकराते मुख-कमल वाली रमणी ने जो गरदन टेढी करके देखा वह बाण से दुनिये को आरपार छेद डाला।'

उक्तोदाहरणत्रयसाधारणमुपपादनमाह—

अत्र 'भावप्रधानमाख्यातम्' इति यास्कोक्तरीत्या क्रियाविशेष्यकबोधवादिनां शाब्द एवाभेदारोपः क्रिययोरिति मुखं चन्द्र इत्यादाविव रूपकमुचितम्। प्रथमान्तविशेष्यकबोधवादिनां त्वार्थः स इति निदर्शनेति भेदः।

अत्रेति। पूर्वोक्तश्लोकत्रय इत्यर्थः। आर्थः स इति। क्रिययोरभेद आर्थ इत्यर्थः। अयमाशयः—'हालाहलम्—' इत्यादिषु त्रिषु पद्येषु 'तिङन्तं क्रियाप्रधानं भवति' इत्यर्थकं 'भावप्रधानम्—' इति यास्कवचनमनुसृत्य ये वैयाकरणाः 'यन्निष्ठदुर्जनवशीकरणविषयकेच्छा तन्निष्ठहालाहल-पानविषयकेच्छा' इत्यादिरीत्या क्रियामुख्यविषयकं शाब्दबोधं कुर्युस्तेषां मते क्रिययोरभेदः शाब्द एव संपद्येतेति न निदर्शना, आर्थेऽभेदे तस्याः स्वीकारात्, अपि तु रूपकमलंकारः, शाब्देऽभेदे तस्याङ्गीकारात्। नैयायिकास्तु तेषु पद्येषु 'दुर्जनकर्मक-वशीकरणविषयकेच्छाश्रयो यः स हालाहलकर्मकपानविषयकेच्छाश्रयः इत्यादिरीत्या प्रथमान्तार्थविशेष्यकं शाब्दबोधं स्वीकुर्युरिति तेषां मते कर्त्रोरेवाभेदः शाब्दः, क्रिययोर-भेदस्तु आर्थ एवेति निदर्शना भवेदिति।

उक्त तीनों उदाहरणों के विषय में प्रकृत वक्तव्य का उपपादन किया जाता है— अत्र इत्यादि।

'भावप्रधानम्—अर्थात् तिङन्त में क्रिया प्रधान होती है' इस यास्क-वचन के अनुसार क्रियाविशेष्यक शाब्दबोध मानने वाले वैयाकरणों के मत से उक्त तीनों पद्यों में दो-दो क्रियाओं का अभेदारोप शाब्द ही हो जाता है, अतः उनके मत से उन तीनों पद्यों में 'मुख चन्द्र है' के समान रूपक अलंकार ही उचित है।

प्रथमान्तार्थविशेष्यक बोध मानने वाले नैयायिकों के मत से तो उक्त तीनों पद्यों में दो-दो क्रियाओं का अभेद आर्थ ही होता है, (शाब्द अभेद उनके मत से कर्ताओं का होता है), अतः—उन के मत से उक्त तीनों पद्यों में निदर्शना हो सकती है। यह मत-भेद यहाँ समझ लेना चाहिए।

तृतीयपद्यघटकस्य 'निष्पत्राकरोत्' इति पदस्यार्थं स्फोरयति—

निष्पत्राकरणं च सपुङ्खशरस्यापरपार्श्वे निर्गमनात्पत्राराहित्यकरणम्।

पत्राराहित्येति। स्वार्थे ष्यञ्। अथवा पत्रस्य राहित्यं यस्मिन्निति बहुव्रीहिः। पत्ररहितकरणमित्यर्थः। 'सपत्र—' इति डाच्प्रत्ययः।

तृतीय पद्य में जो 'निष्पत्राकरोत्' पद आया है उसका अर्थ स्पष्ट किया जाता है— निष्पत्राकरणं च इत्यादि।

निष्पत्राकरण का अभिप्राय है पाँखवाले बाण को लक्ष्य को भेद कर उस पार निकाल देने के कारण पाँख-रहित कर देना। 'सपत्र—' इत्यादि पाणिनिसूत्र से इसी अर्थ में यहाँ डाच् प्रत्यय हुआ है।

प्रकरणसमाप्ति सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे निदर्शनाप्रकरणम् ।

रसगङ्गाधरग्रन्थघटकनिदर्शनाप्रकरणं समाप्तमित्यर्थः ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां निदर्शना-प्रकरणम् ॥

प्रकरण-समाप्ति की सूचना दी जा रही है—इति इत्यादि ।

रसगङ्गाधर ग्रन्थ में निदर्शना अलंकारका प्रसङ्ग यहाँ समाप्त हुआ ।

रसगङ्गाधरगत निदर्शना प्रकरण की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई ॥

व्यतिरेकं निरूपयितुमाह—

अथ व्यतिरेकः—

व्यतिरेकालंकारो निरूप्यतयाऽऽरब्धो बोध्य इति भावः ।

व्यतिरेक अलंकार का निरूपण अब आरब्ध समझना चाहिये ।

लक्षणं तावदाह—

उपमानादुपमेयस्य गुणविशेषवत्त्वेनोत्कर्षो व्यतिरेकः ॥

उपमानापेक्षया गुणविशेषशालित्वेनोपमेयस्य वर्ण्यमान उत्कर्षो व्यतिरेकालंकार इति भावः ।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—उपमानात् इत्यादि ।

किसी गुण-विशेष से युक्त रहने के कारण वर्णित उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष (महत्ता) व्यतिरेक अलंकार कहलाता है ।

पदकृत्यमाह—

प्रतीपादिवारणाय तृतीयान्तं वैधर्म्यपरम् । तत्र चोपमानतामात्रकृत एवोत्कर्षः, न वैधर्म्यकृतः, साधर्म्यस्यैव प्रत्ययात् ।

ननु गुणविशेषवत्त्वेनेत्युक्तावपि प्रतीपादावतिप्रसङ्ग एव, उपमेयस्योपमानत्वरूपगुणविशेषवत्त्वेनोत्कर्षस्य सत्त्वादत आह—वैधर्म्येति । तथा च ततस्तस्य वैधर्म्येणोत्कर्षः स इति फलितम् । नैवमतिप्रसङ्ग इत्याह—तत्र चेति । प्रतीपादौ चेत्यर्थः । उपमेयस्येति शेषः ।

गुणविशेषवत्त्वेनेत्यस्य वैधर्म्येणेत्यभिप्रायः । तथा चोपमानापेक्षया वैधर्म्येणोपमेयस्योत्कर्षो व्यतिरेक इति फलितम् । तेन 'मुखमिव चन्द्रः' इति प्रतीपे नास्यातिप्रसक्तिः, तत्र मुखे उपमानतामात्रकृतस्योत्कर्षस्य प्रतीतावपि साधर्म्यस्य भासमानतया वैधर्म्यस्य तत्कृतोत्कर्षस्य चासत्त्वादिति भावः ।

लक्षणगत पद-निवेश का फल दिखलाया जाता है—प्रतीपादि इत्यादि ।

उक्त लक्षण में 'गुणविशेषवत्त्वेन' यह तृतीयान्त भाग-अर्थात् 'गुणविशेष से युक्त होने के कारण' यह अंश यदि स्वाभाविक अर्थ में लिया जाय तब उस अंश का उद्देश्य जो प्रतीप आदि में अतिप्रसङ्ग का वारण है वह सिद्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि 'मुख जैसा चन्द्र' इस प्रतीप में उपमेय मुख का उपमान हो जाना ही एक ऐसा विशेष गुण है जिससे उसका (मुखका) उत्कर्ष सिद्ध होता है, अतः उक्त अंश का अभिप्राय उपमान से उपमेय में वैधर्म्य का होना समझना चाहिए । अब उक्त प्रतीप में अतिप्रसङ्ग की आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ उपमेय-मुखका केवल उपमान बन जाने से

उत्कर्ष है, चन्द्र से वैधर्म्य रहने के कारण नहीं। कारण वहाँ चन्द्र से मुख में वैधर्म्य की प्रतीति होती ही नहीं है, अपितु साधर्म्य की ही प्रतीति होती है।

प्रागुक्तं लक्षणं स्फोटयति—

अधिकगुणवत्त्वमात्रम्, उपमानगतापकर्षमात्रं वा न व्यतिरेकस्वरूपम्, तयोरुपमेयोत्कर्षाक्षेपमन्तरेणासुन्दरत्वात्। अतएव न सादृश्याभावमात्रम्। उपमानादुपमेयस्यापकर्षेऽपि तत्संभवात् तस्य च वास्तवत्वेनासुन्दरत्वात्। उपमेयोत्कर्षविशिष्टत्वेन सादृश्याभावविशेषणे तस्यैवालंकारत्वौचित्यात्।

अधिकगुणवत्त्वमात्रमिति। उपमेयस्य केवलमधिकगुणवत्त्वमित्यर्थः। मात्रपदेनोत्कर्षव्यावृत्तिः। तयोरिति। अधिकगुणवत्त्वोपमानगतापकर्षयोरित्यर्थः। असुन्दरत्वादिति। अचमत्कारित्वादित्यर्थः। अतएवेति। वक्ष्यमाणहेतोरित्यर्थः। सादृश्याभावमात्रमिति! न व्यतिरेक इत्यनुषज्यते। अतएवेत्यस्यार्थमाह—उपमानादिति। तत्संभवादिति। सादृश्याभावसंभवादित्यर्थः। इष्टापत्तावाह—तस्य चेति। उपमानादुपमेयेऽपकर्षस्येति भावः। वास्तवत्वेनेति। हीनगुणस्योपमेयत्वप्रसिद्धेरिति भावः। तस्यैवेति। उपमेयोत्कर्षस्यैवेत्यर्थः। अधिकनिवेशे प्रयोजनाभावादिति भावः।

उक्त लक्षण का स्पष्टीकरण किया जाता है—अधिक इत्यादि।

अब यहाँ विचार यह करना है कि वस्तुतः व्यतिरेक का स्वरूप क्या है? उपमेय का केवल अधिकगुणयुक्त होना (तत्प्रयुक्त उत्कृष्ट होना तक नहीं) अथवा उपमान का केवल अपकृष्ट होना (साथ-साथ उपमेय का उत्कृष्ट होना तक नहीं) व्यतिरेक का स्वरूप नहीं माना जा सकता, क्योंकि उपमेय का अधिक गुणयुक्त होना अथवा उपमान का अपकृष्ट होना तब तक सुन्दर (चमत्कारी) नहीं होता, जब तक उपमेय का उत्कृष्ट होना सिद्ध नहीं हो जाय। केवल सादृश्याभाव (सादृश्य का न रहना) भी व्यतिरेक का स्वरूप नहीं स्वीकृत हो सकता, क्योंकि उपमान की अपेक्षा उपमेय की अपकृष्टता रहने पर भी सादृश्य का अभाव हो सकता है। आप यदि यह कहें कि उपमान से उपमेय के अपकृष्ट रहने पर भी सादृश्य का अभाव हो सकता है तो ठीक ही है; क्योंकि उस स्थिति में भी व्यतिरेक इष्ट है तो इसके उत्तर में यह कहना है कि उपमान से उपमेय के अपकृष्ट होने पर व्यतिरेक इष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उपमान से उपमेय का अपकृष्ट होना वास्तविक वस्तु है—अर्थात् उपमेय उपमान की अपेक्षा हीनगुण होता है अतः उसकी अपकृष्टता स्वाभाविक है फिर वह अलंकार रूप कैसे कहा जा सकता है? अलंकार के लिए कविप्रतिभाप्रसूत होना अपेक्षित है। फलतः सादृश्याभाव व्यतिरेक का स्वरूप नहीं माना जा सकता है। यदि सादृश्याभाव के साथ विशेषण जोड़ कर उपमेयगत उत्कर्ष से युक्त सादृश्याभाव को व्यतिरेक का स्वरूप कहना चाहें तब तो उपमेय के उत्कर्ष को ही व्यतिरेक का स्वरूप मान लेना उचित होगा क्योंकि उस से अधिक (सादृश्य के अभाव) का निवेश करना निष्प्रयोजन है।

अब जरा यहाँ हिन्दी रसगङ्गाधर के अनुवाद का नमूना देखिए—"अतएव केवल सादृश्य के अभाव को भी व्यतिरेक नहीं कह सकते, क्यों कि व्यतिरेक में उपमान से उपमेय का अपकर्ष भी सम्भव है और सादृश्य के अभाव के वास्तविक होने से उसमें कोई सुन्दरता नहीं होती—दो वस्तुओं में सादृश्य का अभाव कोई नवीनता नहीं

रखता। अब यदि सादृश्याभाव के साथ 'उपमेय के उत्कर्ष से विशिष्ट' यह विशेषण लगाया जाय तो फिर सादृश्याभाव को ही अलंकार कहना उचित होगा।''

ग्रन्थकार ने स्पष्ट रूप से उपमान से उपमेय की अपकृष्टता दशा में व्यतिरेक का खण्डन आगे किया है। फिर भी ग्रन्थकारकृत समाधानपरक पङ्क्ति का आशय वर्णन करते हुए उपमान से उपमेय की अपकृष्टता में व्यतिरेक की सम्भावना व्यक्त करना कहाँ तक उचित है और 'उपमेयोत्कर्ष को ही व्यतिरेक मानना उचित है' इसकी जगह 'सादृश्याभाव को ही अलंकार कहना उचित है' यह अनुवाद कितना विपरीत है विज्ञ जन स्वयं समझ सकते हैं।

उदाहरणं दर्शयितुमाह—

उदाहरणम्—

यथेति शेषः,

उदाहरण जैसे—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

> अनिशं नयनाभिरामया रमया संमदिनो मुखस्य ते।
> निशि निःसरदिन्दिरं कथं तुलयामः कलयापि पङ्कजम्॥'

अनिशम् अहर्निशम्, सर्वदेति यावत्, नयनयोः नयनदेशावच्छेदेनेति भावः। अभिरामया रमणीयया, दर्शकजननयनरञ्जिकयेति तु नार्थः। तथात्वेऽनिशं वर्तमानयेत्युक्तिलभ्यार्थाधिकार्थालाभेन तदुक्तिवैयर्थ्यात्, रमया शोभया, (हेतौ तृतीया) संमदिनः—हर्षयुक्तस्य संमदशब्दादत इनिठनाविवितीन् प्रत्ययः, संमदयतीति संमदी हर्षकस्तस्येत्यर्थस्तु न संभवति, 'प्रमदसंमदौ हर्षे' इति पाणिनिकृतनिपातनेन 'मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदामोदसंमदाः' इति कोषेण च संमदशब्दस्य हर्षे रूढत्वात्, ते तव, मुखस्य, कलयापि अंशेनापि, निशि रात्रौ निःसरदिन्दिरम् निःसरन्ती निर्गच्छन्ती, इन्दिरा शोभा यस्मात् तादृशम्, पङ्कजम् कमलम् कथं केन प्रकारेण तुलयामः उपमिनुमः इत्यर्थः। नायकं प्रति तद्वयस्योक्तिरिति नागेशः। नायिकां प्रति नायकस्योक्तिरित्यन्ये। अत्र सर्वदा सशोभत्वेन हृष्टत्वं वैधर्म्यम्। पङ्कजे रात्रौ तदभाव इति भावः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अनिशम् इत्यादि।

इसका अनुवाद हिन्दी रसगङ्गाधर में किया गया है कि—"नयनाभिराम शोभा के कारण निरन्तर आनन्ददायी तुम्हारे मुख की कला से भी ऐसे कमल की कैसे तुलना करें जिसकी शोभा रात्रि में (प्रतिरात्रि) निकलती रहती है।"

पर यह अनुवाद नागेश के स्वारस्य से और युक्ति से भी विरुद्ध है। कारण, एक तो यह कि जब उपमान-पङ्कज का अपकर्ष सिद्ध करने के लिए निशि निःसरदिन्दिरम्' कह कर उसकी शोभा में निरन्तरता का अभाव दिखलाया गया है तब उपमेय का उत्कर्ष सिद्ध करने के लिये भी उसकी शोभा में ही निरन्तरता की सत्ता दिखलाना उचित है जो उक्त अनुवाद में नहीं दिखलाया गया है, दूसरा कारण यह है कि 'नयनाभिरामया रमया' का अभिप्राय यदि यह माना जाय कि 'नयनसुखद शोभा के कारण'—जैसा अनुवादकार ने माना है—तब 'नयनाभिरामया' इस विशेषण का कोई खास महत्त्व नहीं रह जाता, क्योंकि 'शोभा के कारण निरन्तर आनन्ददायी' एतावन्मात्र

कथन से भी कवि का अभिप्रेत सिद्ध हो जाता, तीसरा कारण यह है कि 'संमदिनः' का अर्थ जो अनुवाद में 'आनन्ददायी' किया गया है वह कोष तथा-व्याकरण दोनों से अशुद्ध है क्योंकि 'मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदामोदसंमदाः' इस कोष तथा 'प्रमदसंमदौ हर्षे' इस पाणिनिसूत्र के अनुसार 'संमद' पद हर्ष अर्थ में रूढ है, अतः उस शब्द से 'अत इनिठनौ' इस पाणिनिसूत्र से इन् प्रत्यय द्वारा उक्त पद का अर्थ 'हर्षयुक्त' होता है।

अतः उक्त पद्य का अर्थ यह समझना चाहिए कि-अनिश-रात्रिंदिव, नेत्रगत अभिराम शोभाहेतुक हर्षयुक्त तेरे मुख के एक अंश से भी उस कमल की तुलना हम कैसे करें जिसकी शोभा प्रत्येक रात्रि में उसे छोड़कर अलग होती रहती है। सारांश यह कि पूरे मुख से कमल की तुलना तो नहीं ही की जा सकती, उसके (मुख के) एक अंश नेत्र से भी उसकी तुलना असंगत है, क्योंकि नेत्र की शोभा दिन-रात बनी रहती है—नेत्र सर्वदा विकसित (प्रसन्न) रहते हैं और कमल की शोभा दिन भर रह कर रात में समाप्त हो जाती है—अर्थात् पूरा का पूरा कमल रात में मुद्रित हो जाता है, ऐसी स्थिति में, जब कि मुख के एक भाग के साथ भी कमल की तुलना नहीं बन पाती तब पूरे मुख के साथ उसकी तुलना का प्रसङ्ग ही कैसे आ सकता है।

यही अर्थ नागेश के स्वारस्य से सिद्ध होता है और युक्तिपूर्ण अथ च हृदयग्राही भी यही अर्थ प्रतीत होता है। इस पद्य को नागेश ने नायक के प्रति उसके मित्र की उक्ति माना है और अनुवादकार ने नायिका के प्रति नायक की उक्ति। मेरे विचार से दोनों ही हो सकते हैं। जैसा प्रसङ्ग माना जाय।

प्राचीनोक्तान् व्यतिरेकप्रभेदानुपदर्शयति—

अयं चोपमेयोत्कर्षकोपमानापकर्षकयोर्वैधर्म्ययोर्द्वयोरप्युपादानानुपादानाभ्यामेकतरानुपादानेन च तावच्चतुर्धा। सोऽप्युपमायाः श्रौतीत्वार्थीत्वाक्षिप्तात्वैर्द्वादशविधो भवन्सश्लेषनिःश्लेषत्वाभ्यां चतुर्विंशतिप्रकार इति प्राञ्चः।

प्राञ्च इति। मम्मट-विश्वनाथादय इत्यर्थः। व्यतिरेकालंकारः प्राचां मते चतुर्विंशतिप्रकारो जायते। तथाहि—उपमेयोत्कर्षकत्वेनोपमानापकर्षकत्वेन द्विविधयोरपि वैधर्म्ययोः शब्दोपात्तत्वे एकः प्रकारः। उपमेयोत्कर्षकवैधर्म्यमात्रस्य शब्दोपात्तत्वे द्वितीयः प्रकारः। उपमानापकर्षकवैधर्म्यमात्रस्य शब्दोपात्तत्वे तृतीयः प्रकारः। उभयोरपि तयोः शब्दानुपात्तत्वे चतुर्थः प्रकारः। एवं चतुर्विधत्वमाप्तोऽयं व्यतिरेकः पुनरुपमायाः श्रौतीत्वार्थीत्वाक्षिप्तत्वात्मिकाभिः तिसृभिर्विधाभिर्द्वादशविधतामापद्यते। श्लेषसाहित्य-श्लेषराहित्यात्मकाभ्याञ्च प्रकाराभ्यां पुनरसौ द्वादशविधः द्विगुणत्वमासाद्य चतुर्विंशतिप्रकारतामाप्नोतीति भावः।

अब व्यतिरेक के भेद गिनाए जाते हैं—अयं च इत्यादि।

यह व्यतिरेकालंकार प्रथमतः चार प्रकार का होता है—१-जिसमें उपमेय को उत्कृष्ट सिद्ध करने वाले तथा उपमान को अपकृष्ट सिद्ध करनेवाले-दोनों वैधर्म्यों का शब्दतः कथन हो। २-जिसमें उक्त द्विविध वैधर्म्यों में से किसी का भी शब्दतः कथन न हो। ३-जिसमें केवल उपमेयोत्कर्षक वैधर्म्य का शब्दतः कथन हो। ४-जिसमें केवल उपमानापकर्षक वैधर्म्य का शब्दतः कथन हो। इन चारों प्रकारों के पुनः उपमा के श्रौती, आर्थी और आक्षिप्ता इन तीन प्रकारों के द्वारा बारह प्रकार हो जाते हैं। इन बारह

प्रकारों में से प्रत्येक प्रकार के श्लेषयुक्त और श्लेषरहित दो-दो प्रकार हो जाने से मम्मट आदि प्राचीन आचार्यों के मत में व्यतिरेक के कुल २४ प्रकार सम्पन्न होते हैं।

उदाहरणमुपदर्शयितुमाह—

उदाहरणम्—

स्पष्टम्।

उदाहरण जैसे—

उदाहरणमुपस्थापयति—

कटु जल्पति कश्चिदल्पवेदी यदि चेदीदृशमत्र किं विदध्मः।
कथमिन्दुरिवाननं त्वदीयं सकलङ्कः स कलङ्कहीनमेतत् ॥'

नायको नायिकां प्रत्याह—अल्पवेदी अल्पज्ञः, कश्चित् कोऽपि, यदि चेत्, ईदृशं कटु 'त्वदीयमाननं चन्द्र इव' इति कटुवचनमित्यर्थः, जल्पति वदति, तदा, अत्र एतद्विषये, किं विदध्मः कुर्मः। यथार्थमयथार्थं वा वदन् न कथंचिन्निवारयितुं शक्य इति भावः। वस्तुतस्तु त्वदीयम् तावकम् आननम् मुखम्, इन्दुरिव चन्द्रवत्, कथम्? नेत्यर्थः, यतः सः चन्द्रः सकलङ्कः कलङ्कयुतः, एतत् तव सुखम्, पुनः कलङ्कहीनम्। इत्यर्थः। निष्कलङ्के तवानने सकलङ्केन्दुसाम्यकथनम् बालिशतैवेति भावः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कटु इत्यादि।

नायिका के प्रति नायक का कथन है—यदि कोई अल्पज्ञ जन ऐसी कटु कथा (तेरा मुख चन्द्र-तुल्य है) कहता है तो हम उसमें क्या करें? तेरा मुख चन्द्र जैसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वह (चन्द्र) कलङ्कयुक्त है और यह (तेरा मुख) है कलङ्करहित।

उपपादयति—

अत्रोभयोरुपादानम्। उपमा च श्रौती।

अत्रेति। 'कटु—' इति पद्य इत्यर्थः। चन्द्ररूपोपमानापेक्षया मुखरूपोपमेयस्य निष्कलङ्कत्वरूपगुणविशेषवत्तयोत्कर्षवर्णनाद् व्यतिरेकोऽत्र स्पष्ट इति तदुपपादनमुपेत्य कथयति—उभयोरिति। सकलङ्कत्वतद्धीनत्वरूपयोस्तादृशयोर्वैधर्म्ययोरित्यर्थः। श्रौतीति। इवशब्दसत्त्वादिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'कटु जल्पति—' इस पद्य में उपमान चन्द्र की अपेक्षा उपमेयमुख का निष्कलङ्कत्व रूपगुणविशेष युक्त होने के कारण उत्कर्ष वर्णित रहने से जो व्यतिरेक अलंकार हुआ है उसमें उपमेयोत्कर्षक कलङ्कराहित्य और उपमानापकर्षक सकलङ्कत्व—दोनों प्रकार के वैधर्म्यों का शब्दतः कथन है। उपमा यहाँ 'इव' शब्द के रहने से श्रौती है।

प्रकारान्तरोदाहरणं दर्शयितुमाह—

अत्रैव 'कथमिन्दुरिवाननं तवेदं द्युतिभेदं न दधाति यत्कदापि' इति कृते 'द्युतिभेदं खलु यो दधाति नित्यम्' इति वा कृते एकतरानुपादानम्। सा च।

अत्रैवेति। उक्तपद्य एवेत्यर्थः। 'कथमिन्दुरिव···' इति। यत् आननम्, कदापि कृष्णपक्षे दिवसेऽपि च, द्युतिभेदम् कान्तिस्वल्पताम्, न, दधाति धत्ते, इदम्, तव,

आननम्, इन्दुरिव, कथमित्यर्थः। अस्मिन्पाठे द्युतिभेदधारणरूपमुपमानापकर्षकारणीभूतं वैधर्म्यम् न शब्दोपात्तमिति भावः। 'द्युतिभेदं खलु यो—' इति। यः इन्दुः, खलु निश्चयेन, द्युतिभेदम्, नित्यम् प्रतिदिवसम्, दधाति, तादृशेन्दुरिव तवाननं कथमित्यर्थः। अस्मिन् पाठे उपमेयोत्कर्षकवैधर्म्यस्य शब्दतोऽनुपादानमिति भावः। सा चेति। श्रौती उपमा च पूर्ववदिति भावः।

प्राचीनोक्त अन्य व्यतिरेक प्रकार के उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जा रहा है—अत्रैव इत्यादि।

उक्त पद्य में ही यदि उत्तरार्ध 'कथमिन्दुरिव-अर्थात् जो तेरा मुख कभी कान्तिभेद का धारण नहीं करता वह चन्द्र जैसा कैसे हो सकता है।' ऐसा कर दिया जाय, तब उपमान चन्द्र के अपकर्षक वैधर्म्य का अनुपादान हो जाता है। और उक्त पद्य के ही चतुर्थ चरण की जगह यदि 'द्युतिभेदं खलु यो—अर्थात् जो चन्द्र प्रतिदिन सूर्यास्त से पूर्व द्युतिभेद का धारण करता है उस चन्द्र के समान तेरा मुख कैसे हो सकता है।' ऐसा पाठ कर दिया जाय, तब उपमेय मुख के उत्कर्षक वैधर्म्य का अनुपादान समझा जायगा। दोनों ही स्थितियों में 'इव' शब्द के रहने से उपमा पूर्ववत् श्रौती ही रहेगी।

पुनः प्रकारान्तरमेवोपदर्शयितुमाह—

'कथमिन्दुरिवाननं मृगाक्ष्या भवितुं युक्तमिदं विदन्तु सन्तः' इति कृते हेतुसामान्यानुपादानम्। सा च।

'कटु जल्पति—' इति प्रागुक्तस्य पद्यस्योत्तरार्धम् 'मृगनयनाया मुखं चन्द्रवत् कथं भवितुमुचितमिति सज्जना जानन्तु' इत्यर्थकं 'कथमिन्दुरिव—' इति मूलोक्तं कृतं स्यात् तदा उपमेयोत्कर्षोपमानापकर्षबोधकयोरुभयोर्वैधर्म्ययोरनुक्तिः। उपमा तु श्रौत्येव पूर्ववदिति भावः।

पुनः व्यतिरेक के ही प्रकारान्तर का उदाहरण दिखलाया जाता है—कथमिन्दुरित्यादि।

'कटु जल्पति—' इस पूर्वोक्त पद्य का उत्तरार्ध यदि 'कथमिन्दुरिव—अर्थात् मृगाक्षी नायिका को मुख का चन्द्र समान होना कैसे उचित है यह सज्जन जानने का यत्न करें' इस प्रकार बनाया जाय, तब वहाँ उपमेयोत्कर्षक तथा उपमानापकर्षक-दोनों वैधर्म्यों का शब्दतः अनुपादान समझा जायगा। उपमा पूर्ववत् श्रौती ही रहेगी।

ननूभयानुपादाने उत्कर्षाप्रतीत्या कथमयं व्यतिरेकभेद इत्यत आह—

हेतुद्वये हि यस्यैवानुपादानं तस्याक्षेपेणावगतिः। उभयोरप्यनुपादाने तथैव, नत्वनवगतिः, व्यतिरेकस्योत्कर्षापकर्षरूपत्वात्। तयोश्च प्रयोजकज्ञानमन्तरेणानवबोधात्।

हेतुद्वये इति। तयोर्मध्य इत्यर्थः। हि यतः। उपमेयोत्कर्षकोपमानापकर्षकयोर्वैधर्म्ययोर्मध्ये एकतरस्यानुक्तौ यथाऽऽक्षेपेण तद्बोधस्तथैवोभयोरपि तयोरनुक्तौ आक्षेपेण तयोर्द्वयोरपि बोध इति भावः। सर्वथा अबोधो नेत्याह—न त्विति। अबोधाभावे हेतुमाह—व्यतिरेकस्येति। उत्कर्षापकर्षेति। अपकर्षनिरूपितोत्कर्षरूपत्वादित्यर्थः। तयोश्चेति। उत्कर्षापकर्षयोरित्यर्थः। प्रयोजकेति। वैधर्म्येत्यर्थः।

दोनों ही वैधर्म्यों की अनुक्ति रहने पर उत्कर्ष-प्रतीति के अभाव में व्यतिरेक होगा ही कैसे इस आशङ्का का समाधान अब किया जाता है—हेतुद्वये इत्यादि।

उपमेयोत्कर्षक तथा उपमानापकर्षक वैधर्म्यों में से यदि एक का उपादान नहीं रहता है तब जैसे उसका आक्षेप से बोध माना जाता है उसी तरह उक्त दोनों वैधर्म्यों के उपादान नहीं रहने पर दोनों का आक्षेप से बोध होता है। वैधर्म्य के अनुपादान रहने पर बोध होता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उपमानापकर्षविशिष्ट उपमेयोत्कर्ष ही व्यतिरेक का स्वरूप है और उत्कर्ष तथा अपकर्ष का बोध तब तक हो नहीं सकता जबतक उसके निमित्त-अर्थात् वैधर्म्यों का ज्ञान न हो जाय।

श्रौतीमुदाहृत्यार्थीमुदाहरति—

एवम्—

'नयनानि वहन्तु खञ्जनानामिह नानाविधमङ्गभङ्गभाग्यम्।
सदृशं कथमाननं सुशोभं सुदृशो भङ्गुरसम्पदाम्बुजेन॥'

इह संसारे; (अन्यासां नायिकानाम्) नयनानि नेत्राणि, खञ्जनानाम् पक्षिविशेषाणाम्, नानाविधम् अनेकप्रकारम्, अङ्ग-भङ्ग-भाग्यम् अङ्गसञ्चालनसौभाग्यम्, वहन्तु धारयन्तु किन्तु अस्याः, सुदृशः सुनयनायाः, सुशोभम् चिरस्थायि शोभायुक्तम्, आननम् मुखम्, भङ्गुरसम्पदा विनाशशीलश्रिया, अम्बुजेन कमलेन, सदृशम् समानम्, कथम् इत्यर्थः।

अब श्रौती उपमा वाले व्यतिरेक का उदाहरण उपस्थित कर चुकने पर आर्थी उपमा वाले व्यतिरेक का उदाहरण दिखलाया जाता है—नयनानि इत्यादि।

इस संसार में अन्य नायिकाओं के नयन खञ्जरीटों के विविधप्रकारक अङ्ग-सञ्चालन सौभाग्य का धारण करें, पर इस सुनयना नायिका का सुन्दरशोभा वाला मुख विनाशशील शोभा वाले कमल के समान कैसे हो सकता है।

उपपादयति—

अत्रोभयोपादानम्। आर्थी च।

'नयनानि—' इति पद्ये सुशोभत्वात्मकमुपमेयोत्कर्षकम्, भङ्गुरसम्पत्तिकत्वात्मकमुपमानापकर्षकञ्च वैधर्म्यमुपात्तम्। उपमा च सदृशपदबोध्यतया आर्थीति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'नयनानि—' इस पद्य में उपमेयोत्कर्षक वैधर्म्य (सुशोभत्व) तथा उपमानापकर्षक वैधर्म्य (भङ्गुरशोभत्व) दोनों के ग्रहण शब्दतः हुए हैं, उपमा यहाँ 'सदृश' शब्द से ज्ञात होने के कारण आर्थी है।

आर्थोपमाकं प्रकारान्तरं व्यतिरेकस्योदाहरति—

'वदनं तु कथं समानशोभं सुदृशो भङ्गुरसम्पदाम्बुजेन' [इति] 'शाश्वतसम्पदम्बुजेन' इति च कृते एकतरानुपादानम्। सा च।

'नयनानि—' इति श्लोकस्योत्तरार्धम् यदि 'सुनयनाया मुखम् विनाशिशोभेन कमलेन तुल्यलक्ष्मीकं कथं भवेत्' इत्यर्थकं मूलोक्तं विरच्येत तदा—उपमेयोत्कर्षकवैधर्म्यस्यानुपादानं विज्ञेयम्। 'भङ्गुरसम्पदाम्बुजेन' इत्यस्य स्थाने यदि 'शाश्वतसम्पत (चिरस्थायि-

लक्ष्मीकम्) मुखम् कमलेन समानशोभं कथम्' इत्यर्थकः 'शाश्वतसम्पदम्बुजेन' इति पाठोऽङ्गीकृतः स्यात् तदोपमानापकर्षकवैधर्म्यस्यानुपादानं भवेत् । उपमा तु प्रागवदार्थ्येवेति भावः ।

आर्थी उपमावाले व्यतिरेक के अन्य प्रकार दिखलाये जाते हैं—वदनम् इत्यादि ।

'नयनानि—' इस पूर्वोक्त पद्य का उत्तरार्ध यदि 'वदनं तु—अर्थात् सुनयना नायिका का मुख विनाशशील शोभावाले कमल से तुल्य शोभावाला कैसे हो सकता है' ऐसा कर दिया जाय तब एक अर्थात् उपमेयोत्कर्षक वैधर्म्य का अनुपादान समझना चाहिए। और इस परिवर्तित उत्तरार्ध में भी 'भङ्गुरसम्पदाम्बुजेन' की जगह पर 'यदि 'शाश्वतसम्पदम्बुजेन—अर्थात् 'नित्य शोभावाला सुनयना का मुख कमल के समान शोभा वाला कैसे हो सकता है' ऐसा पाठ मान लिया जाय, तब भी एक—अर्थात् उपमानापकर्षक वैधर्म्य का अनुपादान विदित होगा । सभी स्थितियों में उपमा पूर्ववत् आर्थी रहेगी ।

पुनः प्रकारान्तरमुदाहरति—

'सदृशं कथमाननं मृगाक्ष्या भविता हन्त निशाधिनायकेन' इति कृते उभयानुपादानम् । सा च ।

'चन्द्रेण तुल्यं मृगनेत्राया मुखं कथं भविष्यति' इत्यर्थके मूलोक्ते उत्तरार्धे कृते उपमेयोत्कर्षकोपमानापकर्षकोभयवैधर्म्यानुपादानमवगन्तव्यमिति भावः । उपमाया आर्थीत्वं तु तथैव ।

पुनः अन्य भेद का उदाहरण उपस्थित किया जाता है—सदृशम् इत्यादि ।

'सदृशम्—अर्थात् मृगाक्षी का मुख निशानाथ के तुल्य कैसे होगा' ऐसा उत्तरार्ध यदि उक्त पद्य का बनाया जाय, तब दोनों ही वैधर्म्यों का अनुपादान समझना चाहिए। आर्थी उपमा तो रहेगी ही ।

विशेषं स्फुटीकरोति—

पूर्वार्धे तु निदर्शनैव ।

'नयनानि—' इत्यस्य श्लोकस्योत्तरार्धे एव व्यतिरेकः, पूर्वार्धे तु पदार्थनिदर्शनैवेत्यपि बोध्यमिति भावः ।

एक विशेष का स्पष्टीकरण किया जाता है—पूर्वार्धे इत्यादि ।

'नयनानि—' इस पद्य का उत्तरार्ध ही व्यतिरेक का उदाहरण है । पूर्वार्ध तो हर हालत में निदर्शना का ही लक्ष्य है यह भी समझ रखना चाहिए ।

आर्थीमुक्त्वा आक्षिप्तामाह—

'कतिपयदिवसविलासं नित्यसुखासङ्गमङ्गलसवित्री ।
खर्वयति स्वर्वासं गीर्वाणधुनीतटस्थितिर्नितराम् ॥'

कविर्गङ्गां स्तौति—नित्यसुखं मोक्षः तस्य यः आसङ्गः संबन्धः, तद्रूपं यन्मङ्गलम् तस्य सवित्री उत्पादिका, अथवा नित्यसुखासङ्गश्च मङ्गलञ्चेति द्वन्द्वः तयोर्मोक्षलौकिककल्याणयोरिति यावत् सवित्रीत्यर्थो बोध्यः, गीर्वाणधुनीतटस्थितिः गङ्गातीरनिवासः, कति-

पयदिवसविलासम् अचिरस्थायिनमिति भावः, स्ववासम् स्वर्गलोकस्थितिम् , नितराम् सर्वतोभावेन, खर्वयति अधः करोतीत्यर्थः ।

अब आक्षिप्त उपमा वाले व्यतिरेक के चारो भेदों के उदाहरण दिखलाने के क्रम में पहले उभयविध वैधर्म्य के शब्दतः उपादान वाला भेद उदाहृत किया जाता है—कतिपय इत्यादि ।

कवि गङ्गा की स्तुति करता हुआ कहता है कि-नित्य सुख (मोक्ष) के साथ संबन्ध रूप मङ्गल अथवा मोक्ष-संबन्ध और लौकिक मङ्गल को उत्पन्न करने वाला गङ्गातट पर का निवास, कुछ दिन के लिये विलसित होने वाले स्वर्ग-वास को (अपनी अपेक्षा) अत्यन्त हीन कर देता है ।

उपपादयति—

अत्रेवादेः सादृश्यमात्रशक्तस्य सदृशादेश्च तद्विशिष्टशक्तस्य शब्दस्याभावाच्छ्रुत्यर्थमार्गोल्लङ्घिनी खर्वीकरणेनाक्षिप्तैवोपमा ।

सादृश्यमात्रशक्तस्येति । शब्दशक्तिस्वभावादिति भावः । केचित्तु सादृश्यविशिष्टवाचकत्वमेवेवादेरप्यङ्गीकुर्वन्तीत्यपि बोध्यम् । तद्विशिष्टेति । सादृश्यविशिष्टेत्यर्थः । अत्रापि शब्दशक्तिस्वभाव एव हेतुः । श्रुत्यर्थेति । श्रुत्यर्थयोर्यौ मार्गौ तदुल्लङ्घिनीत्यर्थः । अयं भावः—'कतिपय'—इति पद्ये स्ववासगीर्वाणधुनीतटस्थित्योरुपमानोपमेयभावः इवसदृशादिपदविरहेण न श्रौतो न वाऽऽर्थोऽपि तु खर्वीकरणेनाक्षिप्तः सन् प्रतीयते । तथा च तत्र स्ववासरूपोपमानापेक्षया गीर्वाणधुनीतटस्थितिरूपोपमेये आधिक्यस्य वर्ण्यमानतया व्यतिरेकः स्फुट एव । तत्र चोपमानापकर्षकस्य कतिपयदिवसविलासत्वस्य, उपमेयोत्कर्षकस्य नित्यसुखासङ्गमङ्गलसवित्रीत्वस्य च वैधर्म्यस्य शब्दत एवोक्तिरिति ।

उपपादन किया जाता है—अत्रेवादेरिति ।

यह पहले भी कहा जा चुका है कि 'इव' आदि पद-जो सादृश्य रूप अर्थ के वाचक हैं—के रहने पर उपमा श्रौती कहलाती है और 'सदृश' आदि पद-जो सादृश्यविशिष्ट-अर्थात् सदृश अर्थ के वाचक हैं—के रहने पर उपमा आर्थी कहलाती है । 'कतिपय'—इस पद्य में तो न 'इव' आदि पद हैं और न 'सदृश' आदि पद, अतः यहाँ श्रौती अथवा आर्थी उपमा की संभावना नहीं है । अथापि यहाँ स्वर्गवास तथा गङ्गातटनिवास की उपमा प्रतीत अवश्य होती है, अतः इस उपमा को श्रौती आर्थी से भिन्न-अर्थात् आक्षिप्त समझना चाहिए और यहाँ इस उपमा का आक्षेप करनेवाला है खर्वीकरण—हीन कर देना ।

इस तरह से जब यहां उपमा की स्थिति सिद्ध हो गई तब व्यतिरेक स्वतः स्पष्ट हो गया क्योंकि उपमान-स्वर्गवास से उपमेय-गङ्गातटनिवास में अधिकता वर्णित है । और इस अधिकता (उत्कर्ष) का सूचक वैधर्म्य मोक्षमङ्गलोत्पादकत्व जिस तरह उपात्त है उसी तरह उपमेयापकर्षसूचक वैधर्म्य अचिरस्थायित्व भी उपात्त है अतः यह पद्य आक्षिप्त उपमावाले उभयविधवैधर्म्योपादानयुक्त व्यतिरेक का उदाहरण सिद्ध हुआ ।

आक्षिप्तोपमाकव्यतिरेकभेदान्तराण्युदाहर्तुमाह—

अत्रैव 'निःसङ्गैरभिलषिता' इत्याद्यचरणनिर्माणे 'संतापदुरन्तचिन्तयाकुलितम्' इति द्वितीयचरणनिर्माणे वा एकतरानुपादानम् । सा च । 'सर्वानर्वाचीनान्निर्वास्य मनोरथाननन्यजुषाम्' इति पूर्वार्धे तदनुपादानमिति ।

अयं भावः—'योगिभिरभिलषिता' इत्यर्थके 'निःसङ्गैरभिलषिता' इति प्रथमचरणेऽङ्गीकृते उपमानापकर्षकवैधर्म्यस्याभावः, 'दुःखान्तपतनचिन्तामयम्' इत्यर्थके 'संपातदुरन्तचिन्तयाकुलितम्' इति द्वितीयचरणे स्वीकृते उपमेयोत्कर्षकवैधर्म्यस्य विरहः। 'अनन्यभक्तानाम् निखिलानैहिकान् मनोरथान् दूरीकृत्य' इत्यर्थके 'सर्वानर्वाचीनान्निर्वास्य मनोरथाननन्यजुषाम्' इति पूर्वार्धे निर्मिते उभयोरपि वैधर्म्ययोरभावः। उपमा तु सर्वत्राक्षिप्तैवेति।

आक्षिप्तोपमावाले व्यतिरेक के अन्यभेदों के उदाहरण दिखलाये जाते हैं—अत्रैव इत्यादि।

'कतिपय'—इसीपद्य में 'कतिपयदिवसविलासम्' की जगह यदि 'निःशेषैरभिलषिता–अर्थात् निःसङ्ग पुरुषों (योगिजनों) से अभिलषित' ऐसा प्रथम चरण बना दिया जाय, तब उपमानापकर्षबोधकवैधर्म्य का अनुपादान हो जायगा और 'नित्यसुखासङ्गमङ्गलसवित्री' के स्थान पर यदि 'संपातदुरन्तचिन्तयाकुलितम्–अर्थात् पतन की दुःखान्त चिन्ता से युक्त' ऐसा द्वितीय चरण रच दिया जाय, तब उपमेयोत्कर्षबोधक वैधर्म्य का अनुपादान सिद्ध होगा और यदि 'कतिपय' इत्यादि सम्पूर्ण पूर्वार्ध को हटा कर उसके स्थान में 'सर्वानर्वाचीनान्—अर्थात् अनन्यभक्तों की सभी ऐहिक कामनाओं को दूर हटा कर' ऐसा पाठ माना जाय तब दोनों (उपमानापकर्षक उपमेयोत्कर्षक) वैधर्म्यों का अभाव हो जायगा। उपमा तो सर्वत्र आक्षिप्त ही रहेगी।

सश्लेषं व्यतिरेकमुदाहरति—

> 'क्रूरसत्त्वाकुलो दोषाकरभूस्तोयधिर्यथा।
> न तथा त्वं यतो भूप स्थिरधीरसि निर्मलः॥'

कविः कमपि नृपं वर्णयति—हे भूप राजन् तोयधिः समुद्रः, यथा, क्रूरसत्त्वाकुलः क्रूरैर्निर्दयैः, सत्त्वैः जलजन्तुभिः आकुलः व्याप्तः, अथ च क्रूरान्तःकरणव्याकुलश्च दोषाकरभूः दोषाकरस्य चन्द्रस्य, भूः उत्पत्तिभूमिः अथ च दूषणखनिभूमिश्च, अस्तीति शेषः। त्वं तथा तादृशः, न असीति शेषः। यतः, त्वम् स्थिरधीः गम्भीरबुद्धिः, निर्मलः विशुद्धश्च असि, इत्यर्थः।

अब श्लेषयुक्त व्यतिरेक का उदाहरण दिखलाया जाता है—क्रूर इत्यादि।

हे राजन् ! समुद्र जैसे 'क्रूर सत्त्वाकुल (निर्दय जलजन्तुओं से परिपूर्ण अथ च क्रूर अन्तःकरण से युक्त) और दोषाकरभू (चन्द्र का उत्पत्तिस्थान अथ च दोषों का खजाना) है तुम वैसे नहीं हो, क्योंकि तुम स्थिरचित्त तथा निर्मल हो।

उपपादयति—

अत्रोपमा श्रौती। श्लेषस्तु स्फुट एव।

'क्रूर'—इति श्लोके समुद्ररूपोपमानापेक्षया नृपरूपोपमेये उत्कर्षस्य वर्णनाद् व्यतिरेकः। तत्र च व्यतिरेके 'यथा-तथा' पदसत्त्वादुपमा श्रौती विद्यते। क्रूरसत्त्वाकुलदोषाकरपदयोः श्लेषस्य स्फुटतया सश्लेषत्वञ्चेति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'क्रूर'—इस पद्य में 'यथा तथा' पद के रहने से श्रौती उपमा है। 'क्रूरसत्त्वाकुल' और 'दोषाकरभू' पद में श्लेष स्पष्ट ही है। फलतः यह पद्य उपमान (समुद्र) की अपेक्षा उपमेय (राजा) में उत्कर्ष वर्णित होने के कारण—सश्लेष श्रौतोपमायुक्त उभयविध वैधर्म्योपादान वाले व्यतिरेक का उदाहरण होता है।

सश्लेषश्रौतोपमाकव्यतिरेकस्यैव भेदान्तराण्युदाहरति—

'राजन्प्रचण्डमार्तण्डमण्डलोद्दण्डशासन ।
कथमक्रूरसत्त्वस्त्वं पयोधिरिव गीयसे ॥' इति,

'कथं वार्धिरिवासि त्वं यतः स विषभागयम्' इति वा कृते एकतरानुपादानम् ।

राजन् इति । प्रचण्डमार्तण्डमण्डलवत् प्रखरसूर्यगोलकवत् उद्दण्डं पीडाकरं शासनं यस्य तादृशः, राजन् ! अक्रूरसत्त्वः क्रूरजलजन्तुरहितः, अथ च क्रूरस्वभावरहितः, त्वम् , पयोधिः समुद्रः, इव, कथं केन प्रकारेण, गीयसे वर्ण्यसे इत्यर्थः । इत्येतादृशे पाठे कृते उपमायाः श्रौतीत्वम् पूर्ववदेव, किन्तु उपमानापकर्षकवैधर्म्यस्यानुपादानम् । 'कथं वार्धिरि'ति । यतः, सोऽयं वार्धिः, विषभाक् गरलयुक्तः अथवा क्रूरत्वविशिष्टः, अस्तीति शेषः, अतः, त्वम् , कथम् , वार्धिः समुद्रः, इव, भवेरित्यर्थः । सविषस्य समुद्रस्य निर्विषे त्वयि सादृश्यं न युज्यत इति भावः । अस्मिन् पाठे उपमेयोत्कर्षकवैधर्म्यानुपादानं बोध्यम् ।

श्लेषयुक्त श्रौत उपमावाले व्यतिरेक के ही अन्य प्रभेदों के उदाहरण दिखलाये जाते हैं—राजन्प्रचण्ड इत्यादि ।

प्रखर सूर्यमण्डल के समान पीड़ाकर शासन करने वाले हे राजन्, 'अक्रूरसत्त्व' (क्रूरजलजन्तुओं से रहित अथच क्रूर स्वभाव से रहित) आप, समुद्र के समान कैसे वर्णित होते हैं।

इस तरह के पाठ कर देने पर उपमान के अपकर्षक वैधर्म्य का अनुपादान हो जाता है। उपमा तो 'इव' शब्द के रहने से श्रौती ही रहेगी।

इसी पद्य का उत्तरार्ध यदि 'कथं वार्धिरिव-अर्थात् जिस लिये यह वार्धि (समुद्र) विषयुक्त अथवा क्रूरता से युक्त है इस लिये आप उसके (समुद्र के) समान कैसे हो सकते हैं।' ऐसा कर दिया जाय तब उपमेय के उत्कर्षक वैधर्म्य का अनुपादान हो जाता है। उपमा तो यहाँ भी श्रौती ही रहती है।

आर्थ्युपमाकं सश्लेषं व्यतिरेकमुदाहरति—

'महेन्द्रतुल्यं कवयो भवन्तं वदन्तु किं तानिह वारयामः'
भवान्सहस्रैः समुपास्यमानः कथं समानस्त्रिदशाधिपेन ॥'

कविः कमपि राजानं स्तौति—हे राजन् , कवयः, भवन्तम् , महेन्द्रतुल्यम् इन्द्रसमानं, वदन्तु वर्णयन्तु, इह तथा वर्णने विषये, किम् , तान् कवीन् , वारयामः रुन्ध्मः ?, न वारयामः 'स्वेच्छाचारिणां वारणस्याशक्यत्वादिति भावः' वयमिति शेषो बोध्यः । परन्तु सहस्रैः सहस्रसंख्यकैर्जनैः, समुपास्यमानः सेव्यमानः, भवान् , त्रिदशाधिपेन—

त्रिदशा देवाः तेषामधिपेन (इन्द्रेण) अथ च त्रिंशज्जनाधिपेन अथवा जनत्रयस्य जनदशकस्य वाऽधिपेन, कथं केन प्रकारेण, समानः तुल्यः भवेत् इति शेषः ।

श्लेषयुक्त आर्थी उपमा वाले व्यतिरेक का उदाहरण दिखलाया जाता है—महेन्द्र इत्यादि ।

हे राजन् ! कविजन आप को इन्द्रतुल्य कहें, ऐसा कहने में हम क्या उन्हें वारित करते हैं ? नहीं, स्वेच्छाचारियों का वारण किया भी तो नहीं जा सकता। परन्तु सहस्रों से सेवित होने वाले आप त्रिदशाधिप (देवराज इन्द्र अथ च तीस अथवा तीन या दश व्यक्तियों के स्वामी) के समान कैसे हो सकते हैं ।

उपपादयति—

अत्रार्थी। त्रिर्दश त्रिदशास्त्रिंशत् , तेषामधिपः। 'संख्ययाव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये, इति बहुव्रीहौ, 'बहुव्रीहौ संख्येये—'इति डचि च तत्पुरुषः। वृत्तौ गतार्थत्वात्सुचो न प्रयोगः। त्रयो वा दश वा इति बहुव्रीहिर्वा।

अत्रेति । 'महेन्द्रतुल्यम्—' इति श्लोक इत्यर्थः । आर्थीति । उपमेति शेषः, तुल्यशब्दसद्भावादिति भावः । श्लेषेण द्वितीयार्थमाह—त्रिरिति । त्रिर्दशेति विग्रहवाक्यम् । त्रिदशा इति समस्तपदस्वरूपनिर्देशः । त्रिंशत् इति तदर्थस्फोरणम् । समासविधायकं सूत्रम् निर्दिशति—संख्येति । समासान्तविधिविधायकसूत्रमुपन्यस्यति—बहुव्रीहौ इति' ! तत्पुरुष इति । तेषामधिप इत्युक्तरूप इति भावः । सुजर्थान्तर्भावेण बहुव्रीह्यङ्गीकारादाह—वृत्ताविति । त्रिःदश इति विग्रहे त्रिशब्दादुत्तरं श्रूयमाणो यः सुच् सिद्धे बहुव्रीहौ तस्य श्रवणं नेति तदर्थः । सुजर्थानन्तर्भावजलाघवादाह—त्रयो वा दश वेति । प्रक्रिया प्रागवत् । अग्रे तत्पुरुषोऽपि पूर्ववदेव । उपमानान्महेन्द्रादुपमेये राज्ञि उत्कर्षस्य वर्णितत्वाद् व्यतिरेकः । तत्र चोपमानापकर्षकोपमेयोत्कर्षकयोरुभयोर्वैधर्म्ययोरुपादानम् । उपमा चार्थी, त्रिदशपदे श्लेषश्चेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्रार्थीत्यादि ।

'महेन्द्रतुल्यम्—' इस पद्य में उपमान-इन्द्र से उपमेय-राजा में उत्कर्ष वर्णित है, अतः व्यतिरेक अलंकार का यह उदाहरण ठीक है । इस व्यतिरेक में 'तुल्य' पद के प्रयोग से उपमा आर्थी है । 'त्रिदशाधिप' पद में श्लेष है, क्योंकि उस पद का एक अर्थ त्रिदशों–देवों का अधिप (इन्द्र) होता है और दूसरा अर्थ तीस अथवा तीन या दश होता है । इस द्वितीय अर्थ को निकालने की प्रक्रिया यह है कि 'त्रिर्दश' इस विग्रह में 'संख्याव्यया–' इस मूलोद्धृत पाणिनिसूत्र से बहुव्रीहि समास कर लेने पर 'बहुव्रीहौ संख्येये–' इस पाणिनिसूत्र से समासान्त डच् प्रत्यय करके 'त्रिदश' पद बनाया जाय, जिसका अर्थ होगा तीस और तब 'त्रिदशों का अधिप' इस विग्रह में षष्ठी तत्पुरुष समास कर लिया जाय । इस प्रक्रिया में 'त्रिः दश' इस विग्रह में त्रिशब्द के आगे जो सुच् (तद्धित प्रत्यय) श्रुत होता था उसका प्रयोग बहुव्रीहि समास हो जाने पर 'त्रिदश' शब्द में इसलिये नहीं होता कि–बहुव्रीहि समास में ही उसके अर्थ का अन्तर्भाव हो चुका है । यदि सुजर्थ के अन्तर्भाव में गौरव की उद्भावना करें तो दूसरी प्रक्रिया यह भी हो सकती है कि 'त्रिर्दश' ऐसा विग्रह न करके 'त्रयो वा दश वा' ऐसा ही विग्रह किया जाय और सब विधियाँ इस पक्ष में भी पूर्ववत् ही होंगी । अर्थ इस पक्ष में 'तीन अथवा दश के अधिप' होगा । यहाँ उपमान के अपर्षक वैधर्म्य (तीस अथवा तीन या दश का

अधिप होना) और उपमेय के उत्कर्षक वैधर्म्य (सहस्त्रों से सेवित होना)—दोनों ही उपात्त हैं।

आर्थ्युपमाकसश्लेषव्यतिरेकप्रभेदान्तराण्युदाहरति—

'भवान्सदा रक्षितगोत्रपक्षः समानकक्षः कथमस्य युक्तः' इति, 'कथं निरस्ताखिलगोत्रपक्षः समानकक्षस्तव युज्यते सः' इति वा कृते एकतरानुपादानम्।

'भवान् सदा–' इति। सदा सर्वदा, रक्षितः गोत्रपक्षः स्ववंशपक्षः अथ च पर्वतपतत्को येन तादृशः. भवान्, अस्य इन्द्रस्य, समानकक्षः तुल्यः, कथं, युक्त इत्यर्थः। रक्षितगोत्रपक्षे भवति छिन्नगोत्रपक्षस्येन्द्रस्य समकक्षता कथमपि न संभवतीति भावः। एतादृशे महेन्द्रेति पद्यद्वितीयार्धे स्वीकृते उपमानापकर्षकवैधर्म्यानुपादानं सिध्यतीति भावः।

'कथं निरस्ता—' इति। निरस्ताः छिन्नाः, अखिलानाम् सर्वेषां, गोत्राणाम् पर्वतानाम् अथ च स्ववंशीयानाम्, पक्षाः पतन्ति अथ च मतानि येन सः, सः इन्द्रः, तव वर्णनीयस्य राज्ञः समानकक्षस्तुल्यः कथं युज्यते इत्यर्थः। एतादृशे तदुत्तरार्धेऽङ्गीकृते उपमेयोत्कर्षकवैधर्म्यस्यानुपादानं भवतीति भावः। अन्यत् सर्वम् यथापूर्वमवगन्तव्यम्।

आर्थी उपमा वाले श्लेषयुक्त व्यतिरेक के ही अन्य प्रभेद उदाहृत किये जाते हैं— भवान् इत्यादि।

'महेन्द्रतुल्यम्—' इसी पद्य का उत्तरार्ध यदि 'भवान् सदा-अर्थात् सर्वदा गोत्रपक्ष (स्ववंशजमत अथच पर्वत के पंखों की रक्षा करने वाले आप इसकी (इन्द्र की) समान कक्षा में कैसे—आ सकते हैं? (क्योंकि इन्द्र ने तो पर्वतों के पंखों को काटा है)' ऐसा बना दिया जाय तब उपमान के अपकर्षक वैधर्म्य का अनुपादान हो जायगा, और यदि उसी पद्य का उत्तरार्ध 'कथं निरस्ता—अर्थात् समस्तगोत्रपक्षों (सभी पर्वतों के पंखों अथच सभी स्ववंशजों के मतों) के खण्डन करने वाला वह (इन्द्र) तेरी समान कक्षा में होने योग्य कैसे है।' ऐसा कर दिया जाय तब उपमेय के उत्कर्षक वधर्म्य का अनुपादान होगा।

अन्य बातें—अर्थात् आर्थी उपमा श्लेष आदि पूर्ववत् हैं।

'प्राञ्चः' इत्युक्त्या पूर्वसूचितामरुचिं स्फोरयति—

इदं तु बोध्यम्—इहोभयानुपादानभेदत्रयं दुरुपपादम्। वैधर्म्यानुपादाने हि किमाश्रयः श्लेषः स्यात्? न च यत्र द्विज-सुरालयमातरिश्वादिशब्दवेद्येषूपमानोपमेयेषु स्वशब्दोपात्त एव श्लेषो व्यतिरेकोत्थापकस्तत्रैतदुदाहरणं सूपपादमिति वाच्यम्। तत्र स्वशब्दवेद्यस्यैव वैधर्म्यस्य संभवात्। इत्थं च चतुर्विंशतिर्भेदा इति प्राचामुक्तिर्विपुलोदाहरणाभिज्ञैर्यथा कथंचिदुपपादनीया। किं चोपमाप्रभेदाः सर्व एवात्र संभवन्तीत्यलं चतुर्विंशतिभेदगणनया।

इहेति। सश्लेषव्यतिरेकप्रभेदमध्य इत्यर्थः। भेदत्रयमिति। श्रौतार्थाक्षिप्तोपमाकत्वेन जायमाने व्यतिरेकभेदत्रये एकमेकमिति भावः। दुरुपपादत्वे हेतुमाह— वैधर्म्यानुपादाने हीति। स्यादिति। वैधर्म्यबोधकशब्दानामेव श्लेषाश्रयत्वसंभवादिति भावः। शङ्कते—न चेति। शङ्कां निरस्यति—तत्र स्वशब्देति। अत्रोपमानोपमेयबोधकशब्दः 'स्वशब्द' पदेन बोध्यत इति बोध्यम्। एवं प्रागपि।

द्विजः (पक्षी, ब्राह्मणादिश्च), सुरालयः (स्वर्गः, मद्यगृहं च) इत्यनेकार्था इमे शब्दाः। एषामर्थद्वयमध्ये यथेच्छमेकस्योपमानत्वमन्यस्योपमेयत्वम् । अत्र च पक्षी-ब्राह्मणश्चेत्यादिविजातीयार्थोपस्थापकत्वात् श्लेषस्य व्यतिरेकोपस्थापकत्वेन वैधर्म्यानुपादानेऽपि श्लिष्टभेदत्रयं सूपपादमिति पूर्वपक्षिणः, एवं सति वैधर्म्यमपि द्विजादि-पदोपात्तमेवेति वैधर्म्यानुपादानस्येदं भेदत्रयमिति न व्यपदेष्टुं शक्यमिति च समाधातुराशयोऽवगन्तव्यः ।

विपुलोदाहरणाभिज्ञैर्यथाकथंचिदुपपादनीयेति । ये मत्तोऽपि अधिकान्युदाहरणानि गवेषयितुं क्षमास्तैस्तदुक्तिरुपपादयितुं शक्या । मया तु न तादृशमुदाहरणं गवेष्याप्युपलभ्यत इति मया कथं तदुक्तिरुपपाद्येतेति भावः । किं चेति । उपमालंकारे यावन्तः प्रभेदा उपदर्शितास्ते सर्वे व्यतिरेकेऽपि संभवन्त्येवेति 'चतुर्विंशतिभेदाः' इत्यवधिबोधनमनुचितमेवेति सारांशः ।

'प्राञ्चः' कह कर जिस अरुचि की सूचना पहले दी गई थी उसी का स्पष्टीकरण अब किया जाता है—इदं तु बोध्यम् इत्यादि ।

समझने की बात यह है कि इस श्लेषमूलक व्यतिरेक के जो उपमानापकर्षक तथा उपमेयोत्कर्षक दोनों वैधर्म्यों के अनुपादान में श्रौती आर्थी और आक्षिप्ता उपमावाले तीन भेद प्राचीनों के द्वारा कहे गये हैं उन की सिद्धि असंभव है क्योंकि जब वैधर्म्य-बोधक शब्द रहेंगे ही नहीं तब श्लेष होगा किस आधार पर ? तात्पर्य यह कि वैधर्म्य-बोधक शब्दों में ही तो श्लेष होता है और जब वे शब्द नहीं रहेंगे तब श्लेषमूलक ये भेद भी नहीं हो सकते । यदि आप कहें कि जहाँ द्विज, सुरालय मातरिश्वा आदि शब्दों के द्वारा उपमान-उपमेय अवगत होते रहेंगे वहाँ उपमानोपमेयबोधक शब्दगत श्लेष ही व्यतिरेक को उपस्थित करेगा, अतः वैसे स्थलों पर उक्त तीनों भेदों के उदाहरण प्राप्त हो सकते हैं । तात्पर्य यह कि–वैधर्म्य-बोधक शब्द ही श्लेष के आधार हों यह कोई आवश्यक बात नहीं है उपमानोपमेयबोधक शब्द भी उसके आधार हो सकते हैं, जैसे द्विजादि शब्द । द्विज शब्द के पक्षी और ब्राह्मणादि रूप दो अर्थों में से, सुरालय शब्द के सुरों=देवों के आलय (स्वर्ग) और सुरा=मद्य के आलय इन दो अर्थों में से एवम् मातरिश्वा शब्द के वायु तथा माता के विषय में श्वा–कुत्ता इन दो अर्थों में से किसी एक एक अर्थ को उपमान और अन्य को उपमेय रूप में विवक्षित करने पर श्लेषमूलक व्यतिरेक उभयविध वैधर्म्यानुपादान वाला भी हो ही सकता है ।

तो यह उत्तर संगत नहीं, क्योंकि वैसे स्थलों पर वैधर्म्य का भी बोध उन्हीं श्लिष्ट उपमानोपमेयबोधक पदों से होगा, अतः वे भेद वैधर्म्यानुपादान के नहीं कहला सकेंगे ।

ऐसी स्थिति में 'व्यतिरेक के चौवीस भेद हैं' यह प्राचीनों की उक्ति उन्हीं विद्वानों के द्वारा उपपादन करने योग्य हैं जो अपने को अत्यधिक उदाहरणों का वेत्ता समझते हों । तात्पर्य यह कि मुझे उस तरह का एक भी उदाहरण नहीं मिला ।

दूसरी बात यह कि उपमा अलंकार के जितने भेद दिखलाये गये हैं उन सभी भेदों की संभावना व्यतिरेक में भी है, फिर केवल चौवीस भेदों का गिनना व्यर्थ ही है ।

आशङ्क्य समाधत्ते—

नन्वस्यालंकारस्य वैधर्म्यमूलस्योपमाप्रतिकूलत्वमेवोचितम् , न तूपमागर्भत्वम् । तस्याः साधर्म्यमूलकत्वात् । अस्य च तन्निषेधरूपेणैव प्रवृत्तेः । न चेष्टापत्तिः । सिद्धान्तभङ्गप्रसङ्गात् । सत्यम् । यद्गुणपुरस्कारेण यस्य यत्साद-

श्यनिषेध उत्कर्षपर्यवसायी तस्य तद्गुणपुरस्कारेण तत्सादृश्यस्याप्रतिष्ठानेऽपि गुणान्तरेण सादृश्यप्रत्ययस्य दुर्वारत्वात्। यदि च तत्सादृश्यसामान्यनिषेधो विवक्षितः स्यात् गुणविशेषपुरस्कारोऽनर्थकः स्यात्। धनेनायमस्मादधिक इत्युक्ते विद्यया रूपेण कुलेन च सम इति सर्वजनीनप्रत्ययात्। एवं च प्रतीयमानमपि सादृश्यं गुणान्तरकृतनिषेधोत्थापितेनोत्कर्षेण हतप्रभमिव बन्दीकृतमिव न चमत्कारविशेषमाधातुं प्रभवतीति प्राचामाशयः।

अस्यालंकारस्येति। व्यतिरेकालंकारस्येत्यर्थः। तस्या इति। उपमाया इत्यर्थः, अस्य चेति। व्यतिरेकालंकारस्य चेत्यर्थः। तन्निषेधेति। साधर्म्ये निषेधेत्यर्थः। सिद्धान्तभङ्गेति। प्राचीनेत्यादिः। यद्गुणपुरस्कारेण यस्येत्यादि। यद्गुणपुरस्कारेण यत्सादृश्यनिषेधो यस्योत्कर्षपर्यवसायीत्येवमन्वयो बोध्यः। गुणान्तरेणेति। अनुक्तेनान्येन गुणेनेत्यर्थः। गुणान्तरकृतनिषेधोत्थापीति। गुणान्तरकृतसादृश्यनिषेधोत्थापीत्यर्थः।

वैधर्म्यं नाम साधर्म्यात्प्रतिकूलम्। व्यतिरेकश्च वैधर्म्यमूलः। ततश्च व्यतिरेकः साधर्म्यमूलाया उपमायाः प्रतिकूल इति कथमस्यालंकारस्योपमागर्भत्वम्? 'मास्तूपमागर्भत्वम्' इति तु वक्तुं न शक्यम्, 'उपमागर्भो व्यतिरेकः' इति प्राचां सिद्धान्तस्य भङ्गप्रसक्तेरिति-शङ्कादलस्य, उपमाने उपमेये वा कमपि गुणं वर्णयित्वैवोपमानस्य सादृश्यमुपमेये निषिध्यते, तादृशसादृश्यनिषेध एव चोपमेयस्योत्कर्षे पर्यवस्यति, पर्यवसितस्तादृश उत्कर्ष एव च व्यतिरेकालंकारः, यथा 'कथमिन्दुरिवाननं त्वदीयं सकलङ्कः स कलङ्कहीनमेतत्' इत्यत्रोपमाने चन्द्रे सकलङ्कत्वमुपमेये मुखे कलङ्कहीनत्वञ्च गुणं वर्णयित्वा कृतश्चन्द्रसादृश्यनिषेधो मुखस्योत्कर्षे पर्यवस्यन् व्यतिरेकं प्रयोजयति। एवञ्च वर्णितगुणकृतसादृश्यस्य प्रतीतावपि गुणान्तरकृतसादृश्यप्रतीतिर्भवेदेव यथोक्तोदाहरणे सकलङ्कत्वाकलङ्कत्वान्यतरप्रयोज्यचन्द्रसादृश्यस्य मुखेऽप्रतीतावपि शोभाविशेषादिगुणान्तरप्रयोज्यतदीयसादृश्यस्य तत्र प्रतीतिरस्त्येव। सकलधर्मप्रयोज्योपमानसादृश्यनिषेधो न विवक्षितो व्यतिरेकस्थले। तथाविवक्षणे गुणविशेषवर्णनं व्यर्थमापतेत्। धनेनायमस्मादधिक इति कथिते विद्यादिना समत्वं सर्वैरनुभूयत एव। इत्थञ्चोपमागर्भत्वं व्यतिरेकस्याक्षतम्। नन्वेवम् उपमैव कुतो न तत्र तत्राङ्गीक्रियते, चमत्कारान्तरप्रतीतावपि उपमाव्यतिरेकयोः संकर एव स्वीकर्तुमुचितो न तु उपमागर्भो व्यतिरेक इति चेन्न, प्रतीयमानस्यापि सादृश्यस्य गुणान्तरकृतसादृश्यनिषेधोत्थापितेनोत्कर्षेण प्रतीयमानेन हतप्रभतया बन्दीकृततया च चमत्कारविशेषानाधायकत्वादिति समाधानदलस्याशयो वेदितव्यः।

अत्र 'गुणान्तरेण सादृश्यप्रत्ययस्य दुर्वारत्वात्' इति प्रतीकमुपादाय नागेशः—"अत्रेदं चिन्त्यम्—'कथमिन्दुरिवाननं त्वदीयम्' इति पद्ये कलङ्कवत्त्वेन तद्राहित्येन वा सादृश्यं न प्रसिद्धमुपपत्तिविषयो वा यस्य निषेधे कथं शब्देन प्रतिपादिते गुणान्तरसादृश्यं प्रतीतिपथमवतरेत्। किं त्वन्यधर्मेण प्रसिद्धसादृश्यस्यैवेदृशाधिक्यन्यूनत्वप्रतिपादनद्वाराभावः प्रतिपाद्यते। अपकर्षो वा। स चाविशेषात्सर्वधर्मप्रयुक्तस्यैवेति गुणान्तरेण सादृश्यप्रत्यय इति रिक्तं वचः। 'कथं–तुलयामः कलयापि पङ्कजम्–इत्यादौ सर्वथैव सादृश्यनिषेधप्रतीतेश्च। तस्माद्ययोरेतादृशन्यूनत्वाधिक्यवर्णनाभावे सादृश्यं पर्यवस्यतीत्ये-

तावतैवोपमागर्भत्वव्यवहारः, सोऽपि 'कुमुदादतिरिच्यते मुखम्' इत्यादौ व्यतिरेकस्यालंकारत्वाभावाय। किं च व्यतिरेके गुणान्तरे कथिते गुणान्तरसादृश्यमपि चमत्कारि। यथा 'देवदत्तेन सदृशो यज्ञदत्तः, धनमस्याधिकमि'त्यादौ। तत्र विद्यादिकृतसादृश्यस्यापि चमत्कारित्वात्। उत्कटविद्यत्वेन देवदत्तस्य प्रसिद्धत्वात् इति बोध्यम्।" इति।

एक शङ्का और उसका समाधान अब किया जाता है—नन्वस्या इत्यादि।

अब यहाँ एक शङ्का यह उपस्थित होती है कि जब यह व्यतिरेक अलंकार वैधर्म्य-मूलक है तब इसमें उपमा अलंकार की प्रतिकूलता ही उचित है, न कि उपमागर्भता, क्योंकि उपमा साधर्म्यमूलक अलंकार है और व्यतिरेक की प्रवृत्ति साधर्म्य के निषेधरूप से ही होती है।

'व्यतिरेकालंकार उपमागर्भ नहीं है' इस तरह की इष्टापत्ति तो नहीं की जा सकती, क्योंकि तब 'व्यतिरेक उपमागर्भ है' इस प्राचीनालंकारिक-सिद्धान्त का भङ्ग हो जायगा।

इस का समाधान यह है कि जिस गुण को सामने रखकर जिस वस्तु के सादृश्य का निषेध जिस वस्तु के उत्कर्ष में पर्यवसित होता है उस वस्तु में उस गुण के द्वारा उस वस्तु का सादृश्य भले ही प्रतिष्ठित नहीं हो, पर अन्यगुणद्वारक सादृश्य की प्रतीति रोकी नहीं जा सकती। इस प्रसङ्ग को उदाहरण द्वारा समझिए—'कथमिन्दुरिवाननम्—अर्थात् तेरा मुख चन्द्रतुल्य कैसे हो सकता है क्योंकि वह (चन्द्र) सकलङ्क है और यह (तेरा मुख) है निष्कलङ्क।' यहाँ सकलङ्कता और अकलङ्कता की चर्चा करके चन्द्र-सादृश्य का मुख में निषेध किया गया है, अतः सकलङ्कत्व अथवा अकलङ्कत्व रूप गुणमूलक चन्द्र-सादृश्य भले ही मुख में प्रतीत न हो सके, परन्तु शोभाविशेष आदि गुणमूलक चन्द्र-सादृश्य तो मुख में प्रतीत होता ही रहेगा। यह समुचित भी है क्योंकि 'धन से यह इससे अधिक है' ऐसा कहने पर सब को ऐसी प्रतीति होती है कि विद्या, रूप और कुल से यह इसके समान है।

व्यतिरेकालंकारस्थल में उपमान के सभी तरह के सादृश्यों का निषेध उपमेय में कहना अभीष्ट रहता है यह बात तो मानने योग्य होती नहीं क्योंकि तब गुणविशेष की चर्चा व्यर्थ हो जायगी। तात्पर्य यह कि 'कथमिन्दुरिव—' यहाँ यदि चन्द्रसंबन्धी सभी तरह के सादृश्यों का मुख में निषेध करना अभीष्ट रहता, तब अकलङ्कता आदि गुणविशेषों की चर्चा अनावश्यक होती। 'चन्द्र जैसा मुख नहीं है' इतने से ही काम चल जाता, इस पर यदि कोई यह आक्षेप करे कि जब साधर्म्य की प्रतीति होती है तब तन्मूलक सादृश्य की भी प्रतीति मान्य होगी और उस स्थिति में उपमा अलंकार ही क्यों नहीं माना जाय? तो इस आक्षेप के खण्डन में यह कहा जा सकता है कि सादृश्य की प्रतीति अवश्य होती है पर अन्यगुणकृत-सादृश्यनिषेध द्वारा उत्थापित उत्कर्ष से वह प्रतीयमान सादृश्य हतप्रभ सा-जकड़ा सा हो जाता है, अतः वह सादृश्य चमत्कार विशेष को उत्पन्न करने में क्षम नहीं होता, फलतः तन्मूलक अलंकार का व्यवहार भी नहीं होता। व्यतिरेक को उपमागर्भ मानने वाले प्राचीन आचार्यों का यही अभिप्राय है।

यहाँ नागेश ने पण्डितराज का खण्डन कर अपने ढङ्ग से प्राचीनों के अभिप्राय-वर्णन में कुछ पङ्क्तियाँ लिखी हैं जो संस्कृत-टीका में अविकल उद्धृत कर दी गई हैं। उन पङ्क्तियों का सारांश यह है कि—व्यतिरेक-स्थल में जो सादृश्य का निषेध किया गया रहता है, वह किसी खास धर्ममूलक सादृश्य का नहीं, अपितु सर्वधर्ममूलक सादृश्य का ही। ऐसी स्थिति में भी जो व्यतिरेक को उपमागर्भ कहा जाता है, वह

इस लिये कि ऐसे ही दो पदार्थों को लेकर व्यतिरेक होता है जिन दोनों में, यदि ऐसी न्यूनता तथा अधिकता का वर्णन नहीं किया जाय, तब सादृश्य अवश्यमेव पर्यवसित होता। और इस रीति से भी उसको उपमागर्भ इस लिये माना जाता है कि जिन दो पदार्थों का सादृश्य प्रसिद्ध नहीं है, जैसे कुमुद तथा मुख का, उन दो पदार्थों का व्यतिरेक वर्णित होने पर भी अलंकारकोटि में संगृहीत न हो। फलतः 'कुमुदादतिरिच्यते मुखम्-अर्थात् कुमुद से मुख अधिक है' यहाँ व्यतिरेकालंकार नहीं माना जायगा। अधिक संस्कृत-टीका से समझिए।

प्रकारान्तरेण व्यतिरेकालंकारस्य भेदान् विधत्ते—

अत्र चालंकारे क्वचिच्छाब्दसादृश्यनिषेधाक्षिप्तावुपमेयोत्कर्षोपमानापकर्षौ, क्वचिच्च शाब्देनोपमेयोत्कर्षेणाक्षिप्तावुपमानापकर्ष-सादृश्याभावौ, क्वचित्तादृशेनोपमानापकर्षेणाक्षिप्तावुपमेयोत्कर्ष-तदभावौ तथा। तत्राद्यः प्राचीनरीत्या सभेद उदाहृतः। द्वितीयतृतीयावपि प्रायशस्तावद्भेदावेव।

अत्र चालंकार इति। व्यतिरेकालंकार इत्यर्थः। तादृशेनेति। शाब्देनेत्यर्थः। तदभावाविति। सादृश्याभावावित्यर्थः। तथेति। चमत्कृतिजनकावित्यर्थः। तत्रेति। तेषां मध्य इत्यर्थः। तावद्भेदावेवेति। चतुर्विंशतिभेदावेवेत्यर्थः। केषांचिदसंभवादुक्तं प्रायश इति। अभिप्रायस्त्वस्य खण्डस्य स्फुट एव।

व्यतिरेकालंकार के अन्य भेद किये जाते हैं—अत्र चेत्यादि।

इस अलंकार में तीन विकल्पों की संभावना है—

१—किसी व्यतिरेक में सादृश्य का निषेध शब्दतः वर्णित रहता है और उससे आक्षिप्त होते हैं उपमेय का उत्कर्ष तथा उपमान का अपकर्ष।

२—किसी व्यतिरेक में उपमेय का उत्कर्ष ही शब्दतः वर्णित रहता है—और उसके द्वारा उपमान का अपकर्ष एवम् सादृश्य का अभाव आक्षिप्त होते हैं। और—

३—किसी व्यतिरेक में उपमान का अपकर्ष ही शब्दतः वर्णित होता है और उपमेय का उत्कर्ष तथा सादृश्य का अभाव उस से आक्षिप्त होते हैं।

उन में से प्रथम प्रकार के सभी भेदों के उदाहरण प्राचीन मतानुसार दिये जा चुके हैं। द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के भी प्रायः उतने ही (२४) भेद हो सकते हैं।

द्वितीयतृतीयप्रकारयोः कतिपयभेदानुदाहर्तुमाह—

तत्र दिङ्मात्रमुदाह्रियते—

तत्रेति। तयोर्मध्य इत्यर्थः। द्वितीयतृतीयप्रकारयोरिति यावत्।

दिग्दर्शन कराने के लिये द्वितीय-तृतीय प्रकारों में से कतिपय भेदों के उदाहरण दिये जाते हैं।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'निशाकरादालि कलङ्कपङ्किलाद् गुणाधिकं निर्मलमाननं ते।
अनल्पमाधुर्यकिरोऽधरादिमा गिरोऽधरा गुप्तरसाः कवीनाम्॥'

नायिकां प्रति तद्वयस्याया उक्तिः—हे आलि सखि!, निर्मलम् मलहीनम्, ते तव, आननम् मुखम्, कलङ्क-पङ्किलात् कलङ्कमलिनात्, निशाकरात् चन्द्रात्, गुणाधिकम्

गुणेषु गुणैर्वा अधिकम्, अस्तीति शेषः। अनल्पमाधुर्यकिरः प्रभूतमधुरतावर्षिणः, ते, अधरात्, (अपेक्षया) गुप्तरसाः अप्रकटशृङ्गारादिरसाः, इमाः, कवीनाम्, गिरः वाचः, अधरा अपकृष्टाः सन्तीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—निशाकरादित्यादि।

नायिका के प्रति सखी का कथन है—हे सखि! निर्मल तेरा मुख, कलङ्कमलिन चन्द्रमा से, गुणों में अधिक है और गुप्तरसवाली कवियों की ये वाणियाँ अत्यधिक मधुरतावर्षक तेरे अधर की अपेक्षा अधर (नीची) हैं।

उपपादयति—

अत्र पूर्वार्धे उपमेयोत्कर्षः शाब्दः। उपमानापकर्ष-सादृश्याभावावाक्षिप्तौ। द्वितीयार्धे उपमानापकर्षः शाब्दः। उपमेयोत्कर्ष-सादृश्याभावावाक्षिप्तौ।

उपमेयोत्कर्षः शाब्द इति। गुणाधिकमित्युक्तेरिति भावः। उपमानापकर्षः शाब्द इति। अधरा इति कथनादिति भावः। अन्यत् स्पष्टम्।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'निशाकरादलि—' इस पद्य के पूर्वार्ध में उपमेय (मुख) का उत्कर्ष 'गुणाधिकम्' के द्वारा शब्दतः वर्णित है और उपमान (चन्द्र) का अपकर्ष तथा सादृश्य का अभाव आक्षिप्त होते हैं। उक्त पद्य के उत्तरार्ध में उपमान (कविवाणी) का अपकर्ष 'अधराः' के द्वारा शब्दतः वर्णित है और उपमेय (अधर) का उत्कर्ष तथा सादृश्य का अभाव आक्षिप्त होते हैं।

ननु संभवतो द्वयोस्त्रयाणां वा शाब्दत्वस्योदाहरणं कुतो न दत्तमित्याक्षेपं निराकर्तुमाह—

एवं क्वचिद् द्वयोस्त्रयाणां वा शाब्दत्वं संभवदपि नातीव हृद्यमिति नोदाहृतम्।

एवमिति। उक्तप्रकारेणेत्यर्थः। अन्यत् सुगमम्।

उपमेयोत्कर्ष, उपमानापकर्ष और सादृश्याभाव इन तीनों में से एक का शब्दतः वर्णन और अन्य दो के आक्षेप वाला उदाहरण दिखलाया गया है उसी तरह उक्त तीनों अङ्गों में से कहीं दो के और कहीं तीनों के भी वर्णन शब्दतः जब संभव हैं तब वैसे उदाहरण भी क्यों नहीं दिखलाते? इस का उत्तर यह है कि संभव होने पर भी उस तरह के वर्णन अत्यन्त चमत्कारी नहीं होते, अतः उस तरह के उदाहरण नहीं दिखलाये जाते।

विशेषमाह—

क्वचिच्च त्रयमप्याक्षिप्तमेव।

त्रयमपीति। उपमेयोत्कर्षोपमानापकर्षसादृश्याभावरूपमित्यर्थः।

कहीं पर तीनों ही (उपमेय का उत्कर्ष उपमान का अपकर्ष और सादृश्य का अभाव) आक्षिप्त होते हैं।

तादृशमुदाहरणमुपदर्शयितुमाह—

यथा—

स्पष्टम्।

जैसे—

उदाहरणमुपस्थापयति—

'अपारे किल संसारे विधिनैकोऽर्जुनः कृतः।
कीर्त्या निर्मलया भूप त्वया सर्वेऽर्जुनाः कृताः॥'

कविः कमपि राजानं वर्णयति—हे भूप राजन्! अपारे, संसारे, बिधिना ब्रह्मणा, किल निश्चयेन, एकः, अर्जुनः तन्नामको व्यक्ति-विशेषः अथ च धवलः, कृतः, त्वया पुनः, निर्मलया, कीर्त्या, सर्वे, अर्जुनाः धवलाः, कृता इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अपारे इत्यादि।

कवि किसी राजा का वर्णन करता है—हे राजन्! अपार संसार में विधाता ने एक अर्जुन (तन्नामक व्यक्तिविशेष अथच धवल) बनाया यह निश्चित है, पर आप ने अपनी निर्मल कीर्ति के द्वारा सबको अर्जुन (धवल) कर दिया।

उदाहरणान्तरंनिर्दिशति—

'अशीतलोग्रश्चण्डांशुरनुग्रशिशिरः शशी।
उग्रशीतस्त्वमेकोऽसि राजन्कोपप्रसादयोः॥'

इदमपि राजवर्णनमेव—हे राजन् चण्डांशुः सूर्यः अशीतलोग्रः उग्र एव, न कदापि शीतलः, शशी चन्द्रः, अनुग्रशिशिरः शीतल एव, न जातूग्रः, अस्तीति शेषः। त्वम्, एकः, कोपप्रसादयोः उग्रशीतः क्रोधे उग्रः प्रसन्नतायां शीतलः, असीत्यर्थः। सूर्यः प्रखर एव, चन्द्रः शिशिर एव, त्वं तु प्रखरः शिशिरश्चासीति भावः।

उसी तरह के दूसरे उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अशीत इत्यादि।

हे राजन् सूर्य उग्र ही है, शीतल नहीं, चन्द्रमा शीतल ही है, उग्र नहीं, किन्तु तुम अकेले ऐसे हो जो क्रोध-काल में उग्र और प्रसन्नता-काल में शीतल इस तरह उग्रशीतल दोनों ही हो।

तादृशमेव तृतीयमुदाहरणं निर्देष्टुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्,

अथवा जैसे—

तृतीयमुदाहरणं निर्दिशति—

'स तु वर्षति वारि वारिदस्त्वमुदाराशय रत्नवर्षणः।
स कुहू-रजनी-मलीमसस्त्वमिहान्तर्बहिरेव निर्मलः॥'

कविः कमपि पुरुषविशेषं वर्णयति—हे उदाराशय! प्रशस्ताभिप्राय! स प्रसिद्धः वारिदः मेघः, वारि जलम्, वर्षति, त्वं, तु, रत्नवर्षणः रत्नवृष्टिकारकः, असीति शेषः। स मेघः, (अन्तःशुभ्रोऽपि) बहिः, कुहूरजनीमलीमसः अमारात्रिवत् मलिनः, अस्ति। त्वं पुनः अन्तः बहिश्च निर्मलः, एवेत्यर्थः। केचित्तु 'स प्रसिद्धश्चन्द्रः कुहूरजन्यां मलीमसः ......' इत्येवं रीत्योत्तरार्धं व्याचक्षते। अहं तु न तां व्याख्यां रोचयामहे, उत्तरार्धगतेन 'स' इति पदेन अप्रक्रान्तस्य चन्द्रमसो धर्तुमनौचित्यात्, अन्तर्बहिःपदार्थयोरसङ्गतत्वाच्चेति बोध्यम्।

उसी तरह के तृतीय उदाहरण का भी निर्देश किया जाता है— स तु इत्यादि।

कवि किसी पुरुषपुङ्गव का वर्णन करता हुआ कहता है कि—हे उदार अभिप्राय वाले! वह (प्रसिद्ध) मेघ तो जल बरसता है पर तुम रत्न बरसते हो और वह (मेघ) तो भीतर से शुद्ध होकर भी बाहर से अमावस की रात की तरह मलिन है पर तुम तो भीतर बाहर दोनों से निर्मल हो।

हिन्दी रसगङ्गाधरकार ने इस पद्य के उत्तरार्ध का अर्थ यह किया है कि 'वह (प्रसिद्ध चन्द्र) अमावस्या की रात्रि में मलिन हो जाता है और आप इस संसार में अन्दर और बाहर दोनों ही जगह निर्मल हैं।'

यह अर्थ भी हो सकता है। पर मुझे उत्तरार्धगत 'स' से प्रक्रान्त मेघ का ग्रहण न करके चन्द्र का ग्रहण करने में औचित्य प्रतीत नहीं होता और इस चन्द्र-संबद्ध अर्थ में 'अन्दर, बाहर' वाली उक्ति की संगति भी ठीक से बैठती नहीं दीख पड़ती, अतः मैंने उक्त अर्थ लिखा है। औचित्यानौचित्य की परीक्षा विज्ञ पाठक ही करेंगे।

शङ्का-समाधानपुरस्सरसुपपादनमाह—

अत्रोपमान-तद्विशेषणोपादानसामर्थ्यादाक्षिप्त एव व्यतिरेकः, न तु व्यङ्ग्य इति कदापि भ्रमितव्यम्। सत्यनुपपत्तिलेशे व्यञ्जनाया अप्ररोहात्। इह च राजविशेषणस्य यथाकथंचित्स्तुत्यर्थत्वेऽप्युपमानतद्विशेषणोपादानस्य नृपोत्कर्षमन्तरेणानुपपत्तेर्जागरूकत्वात्।

'अपारे—' इत्यारभ्योक्तेषु त्रिष्वपि पद्येषु उपमेयोत्कर्षोपमानापकर्ष-सादृश्याभावेति त्रितयमप्याक्षिप्तमेव, न शाब्दमिति व्यतिरेकालंकारोऽत्राक्षिप्तः, आक्षेपकं च तस्योपमानतद्विशेषणोपादानमिति बोध्यम्। नन्वत्र व्यङ्ग्यो व्यतिरेक इति चेन्न, यत्र यमर्थं विना वाच्योऽर्थोऽनुपपन्नस्तत्र तदर्थनिरूपितव्यञ्जनाया अनुत्थानमिति सिद्धान्ते जाग्रति प्रकृतपद्येषु क्रमशः कीर्तिकरणकसकलार्जुनीकरण–शिशिरत्वसमानधिकरणोग्रत्व–रत्नवर्षणत्वादीनां राजविशेषणानाम् स्तुतिपरतयोपपन्नत्वेऽपि विधि-सूर्य-चन्द्र-वारिदानामुपमानानाम् तद्विशेषणानाञ्चोपमेय–नृपोत्कर्षाक्षेपकत्वं विनाऽऽनुपपन्नतया तदुत्कर्षस्याक्षेपेणैवावगतेरज्ञातज्ञापिकाया व्यञ्जनाया अप्रसरादिति भावः।

शङ्का-समाधानपूर्वक प्रकृत अर्थ का उपपादन किया जाता है—अत्रेत्यादि।

'अपारे—' इत्यादि उक्त तीनों पद्यों में उपमेयोत्कर्ष, उपमानापकर्ष, सादृश्याभाव इन तीनों व्यतिरेकाङ्गों में से एक भी शब्दतः वर्णित नहीं है, अपि तु उपमान विधि आदि और उनके विशेषण अर्जुनीकरण आदि के वर्णन की महिमा से व्यतिरेक आक्षिप्त होते हैं।

इन पद्यों में व्यतिरेक व्यङ्ग्य है ऐसा भ्रम तो कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंशिकरूप से भी अनुपपत्ति के रहने पर व्यञ्जना का अङ्कुर नहीं उगता है। और इन पद्यों में वर्णनीय राजा के विशेषण राजस्तुतिपरक होने से कथंचित् उपपन्न भी हो जाँय पर उपमान तथा उनके विशेषणों का वर्णन तब तक उपपन्न नहीं होते जब तक वर्णनीय राजाओं के उत्कर्ष का आक्षेप नहीं हो। तात्पर्य यह कि उक्त पद्यों में यदि कवि को राजा की स्तुति करना ही अभीष्ट होता तब 'आप ने अपनी कीर्ति से सबको धवल कर दिया, आप उग्र-शीतल दोनों हैं, आप रत्न बरसते हैं' इतना कह कर भी वह कृतार्थ होसकता था, फिर जो उसने (कवि ने) प्रथम पद्य में विधि और उसके द्वारा एक अर्जुन की सृष्टि की, द्वितीय पद्य में सूर्य और उसकी एकान्त उग्रता की एवम्

चन्द्र और उसकी एकान्त शीतलता की, तृतीय पद्य में मेघ और उसकी जल-वर्षण की चर्चा की है वह तद्द्वारा वर्णनीय राजा के उत्कर्ष को सिद्ध करने के लिये ही अर्थात् राजा के उत्कर्ष की सिद्धि के विना उनकी चर्चायें व्यर्थ ही नहीं, असंगत भी हो जायगीं ऐसी स्थिति में यह मानना पड़ेगा कि यहां विधि आदि उपमान और उनके विशेषणों के ग्रहण उपमेय-राजा के उत्कर्ष के आक्षेपक हैं और आक्षेप से ही जब उपमेयोत्कर्ष (व्यतिरेक) का बोध हो जाता है तब व्यञ्जना द्वारा उसका बोध नहीं माना जा सकता क्योंकि व्यञ्जना द्वारा उसी अर्थ का बोध माना जाता है जिसका बोध अन्य किसी भी उपाय से संभव नहीं हो।

इस तरह यह सिद्ध हो गया कि यहां व्यतिरेक आक्षिप्त है व्यङ्ग्य नहीं।

नन्वेवं व्यतिरेकस्य व्यङ्ग्यतायाः क्वावकाश इति चेत्तत्राह—

यत्र तूपमानतद्विशेषणोपादानमन्तरेणैवोपमेयविशेषणैः 'सुन्दरो देवदत्तः' इत्यादाविव वस्तुस्थितिप्रकाशनेन कृतार्थैरप्याकूतविशेषेण स्वविलक्षणविशेषणविशिष्टधर्म्यन्तरापेक्षया वर्ण्यस्योत्कर्षः प्रतीयते स व्यञ्जनाविषयः।

आकूतेति। अभिप्रायेत्यर्थः। स्वेति। उपमेयविशेषणेत्यर्थः।

यत्रोपमानं नोपात्तं तद्विशेषणान्यपि नोपान्तानि अपि तु केवलमुपमेयम् तद्विशेषणान्येवोपात्तानि विशेणान्यपि च तानि 'सुन्दरो देवदत्तः' इत्यादिस्थलीयसुन्दरत्वादिवत् वस्तुस्थितिप्रकाशकानि अत एवार्थान्तराक्षेपमन्तरापि कृतार्थानि भवन्ति तत्र यदि वक्त्रभिप्रायविशेषवलेन उपात्तोपमेयविशेषणविपरीतविशेषणयुक्तोपमानापेक्षया उपमेयस्योत्कर्षः ज्ञातो भवति तदा तत्र व्यङ्ग्यो व्यतिरेकालंकारो व्यवह्रियत इति भावः।

व्यङ्ग्य व्यतिरेक जिस स्थिति में व्यवहृत हो सकता है उस स्थिति का स्पष्टीकरण अब किया जाता है—यत्र तु इत्यादि।

जहाँ न उपमान कहा गया हो और न उसके (उपमान के) विशेषण ही कहे गये हों अपि तु केवल उपमेय और उसके विशेषण कहे गये हों और वे उपमेय-विशेषण भी ऐसे हों जो वस्तुस्थिति का प्रकाशन कर के ही कृतार्थतालाभ करलें अर्थात् उन्हें सुसङ्गत होने के लिए किसी अन्य (अनुपात्त) अर्थ के आक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़े वहां यदि वक्ता के अभिप्राय-विशेष के बल से, उपात्त उपमेय-विशेषणों से विलक्षण विशेषणों से युक्त उपमानीभूत अन्य पदार्थ की अपेक्षा वर्णनीय-अर्थात् उपमेय का उत्कर्ष ज्ञात हो तब वहां व्यङ्ग्य व्यतिरेक का व्यवहार हो सकता है।

व्यङ्ग्यं व्यतिरेकमुदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्।

जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'न मनागपि राहुरोषशङ्का न कलङ्कानुगमो न पाण्डुभावः।
उपचीयत एव कापि शोभा परितो भामिनि ते मुखस्य नित्यम्॥'

नायकः सखी वा नायिकाननमुपवर्णयति—हे भामिनि! सुन्दरि! ते तव, मुखस्य परितः चतुर्दिक्षु कापि अनिर्वचनीया, शोभा, नित्यम् सर्वदा उपचीयत एव वर्धत एव,

यतस्तत्र मनागपि ईषदपि, राहुरोषशङ्का राहुकृतक्रोधस्य लक्षणया तत्कवलनस्य, शङ्का नास्ति, कलङ्कानुगमः कलङ्कसंबन्धोऽपि नास्ति, पाण्डुभावः धवलिमाऽपि नास्तीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—न मनागपि इत्यादि ।

हे सुन्दरि ! तेरे मुख की कोई (अनिर्वचनीय) शोभा चारो तरफों से नित्य बढ़ती ही रहती है क्योंकि इसमें (मुख में), न राहु के कोप की थोड़ी भी आशङ्का है न थोड़ा भी कलङ्क-संबन्ध है और न थोड़ी भी सफेदी है ।

उपपादयति—

अयं व्यतिरेकध्वनिरर्थशक्तिमूलः ।

अयं भावः—'न मनागपि—' इत्यत्र उपमानभूतश्चन्द्रस्तद्विशेषणानि वा नोपात्तानि । केवलमुपमेयभूतं मुखं तद्विशेषणानि चोपात्तानि, तान्यपि वस्तुस्थितिप्रकाशकतयाऽऽनपेक्षितेतरार्थकानि वक्त्रभिप्रायविशेषबलेन राहुरोषशङ्काकलङ्कानुगमपाण्डुभावविशिष्टचन्द्रापेक्षया मुखस्योत्कर्षं प्रत्याययन्तीति अर्थशक्तिमूलकव्यतिरेकध्वन्युदाहरणमेतत्पद्यं सम्पद्यत इति ।

उपपादन किया जाता है—अयं व्यतिरेक इत्यादि ।

यह अर्थशक्तिमूलक व्यतिरेकालंकारध्वनि है। तात्पर्य यह कि 'न मनागपि—' इस पद्य में चन्द्र अथवा उसके विशेषण नहीं कहे गये हैं केवल मुख और उसके विशेषण 'राहुरोषशङ्काभाव—' आदि कहे गये हैं; कहे गये वे विशेषण भी यद्यपि मुख की यथार्थस्थिति के प्रकाशक होने के नाते अपने आप कृतार्थ हैं—किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा नहीं रखते, तथापि वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उन्हीं विशेषणों से राहुरोषशङ्का आदि स्वविलक्षण विशेषणयुक्त चन्द्र की अपेक्षा वर्णनीय मुख का उत्कर्ष प्रतीत होता है, अतः यह पद्य अर्थशक्तिमूलक व्यतिरेकध्वनि का उदाहरण कहा जा सकता है ।

खण्डनाय सर्वस्वकारोक्तमनुवदति—

यत्त्वलंकारसर्वस्वकार उपमानादुपमेयस्य न्यूनत्वेऽपि व्यतिरेकमाह । वैलक्षण्यमात्रस्य व्यतिरेकत्वात् । उदाजहार च—

'क्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽपि वर्धते सत्यम् ।
विरम प्रसीद सुन्दरि यौवनमनिवर्ति यातं तु ॥'

यच्च तद्व्याख्याता विमर्शिनीकारः स पूर्वपक्षसिद्धान्तं व्याचख्यौ, तथाहि—'नन्वत्रोपमानादुपमेयस्य न्यूनत्वं व्यतिरेक इति न युक्तम् । तस्य हि वास्तवत्वेनाहृद्यत्वात् । यौवनस्य चास्थिरत्वे प्रतिपाद्ये चन्द्रापेक्षयाधिकगुणत्वमेव विवक्षितम्—यदेतच्चन्द्रवद् यातं सन्न पुनरायातीति । यतोऽत्र चन्द्रवद्गतं सद् यौवनं यदि पुनरागच्छेत्तत्प्रियं प्रति चिरमीर्ष्याद्यनुबन्धो युज्येत । इदं पुनर्हतयौवनं यातं सत्पुनर्नागच्छतीतीर्ष्याद्यन्तरायपरिहारेण निरन्तरतयैव प्रियेण सह जनुः सफलयितव्यम् । धिगीर्ष्याम् । त्यज प्रियं प्रति मन्युम् । कुरु प्रसादम् । इति प्रियवयस्योपदेशे प्रियं प्रति कोपोपशमाय चन्द्रापेक्षयां यौवनस्यापुनरागमनं न्यूनगुणत्वेन विवक्षितमिति न्यूनत्वमपि व्यतिरेकः । रसपोषकतया चास्यापि हृद्यत्वम्' इति ।

वैलक्षण्यमात्रस्येति । मात्रपदेनात्र विशिष्यप्रतियोग्यनुयोगिनिवेशव्यवच्छेदः । क्षीणः क्षीणोऽपीति । नायिकां प्रति सख्या उक्तिः—हे सुन्दरि ! क्षीणः क्षीणोऽपि पुनः-पुनः क्षयं प्राप्नुवन्नपि, शशी चन्द्रः, भूयोभूयः पुनःपुनः, अभिवर्धते समेधते, इति सत्यम् । यातम् गतम्, यौवनम्, तु, अनिवर्ति न परावर्तते अतः, विरम मानादिति भावः, मानं त्यजेत्यर्थः । प्रसीद प्रसन्ना भवेत्यर्थः ।

वास्तवत्वेनेति । स्वतः संभवित्वेनेत्यर्थः । अहृद्यत्वादिति । अचमत्कारित्वादित्यर्थः । कविकल्पनाप्रसूतस्यैव चमत्कारित्वमिति भावः । यौवनस्य चास्थिरत्वे प्रतिपाद्ये इत्यादि । अयं भावः—यौवनस्यास्थिरत्वमिह वर्णनीयम् । तथा च तदेवोपमेयम् । तत्र चोपमानचन्द्रास्थैर्यापेक्षयोत्कर्षः स्फुट एव, अधिककालव्यापकत्वात् । तथा च नोपमानादुपमेयस्य न्यूनत्वं व्यतिरेकः न वोपमानादुपमेयस्य न्यूनत्वे इदमुदाहरणम् इति । इत्यन्तो विमर्शिनीकारकृतः पूर्वः पक्षः । विमर्शिनीकारकृतसिद्धान्तमुद्धरति—यतोऽत्रेत्यादि । हतेति । दुर्भाग्येत्यर्थः । अन्तरायेति । विघ्नेत्यर्थः । निरन्तरतया धारावाहिकरूपेण । जनुः जन्म । प्रियवयस्योपदेशे इति । प्रियसख्या उपदेशे इत्यर्थः । ननु उपमानादुपमेयस्य न्यूनत्वं स्वाभाविकम्, अतस्तद्वर्णने न कश्चन चमत्कार इति यत्पूर्वपक्षीयैरुक्तम् तस्य का गतिरिति चेत्तत्राह—रसपोषकतयेत्यादि । अस्यापीति । उपमानापेक्षयोपमेयगतन्यूनत्वस्य वर्ण्यमानस्येत्यर्थः । अन्यत्स्पष्टम् ।

खण्डन करने के लिए पहले अलंकारसर्वस्वकार तथा उनके टीकाकार की उक्ति का अनुवाद किया जाता है—यत्तु इत्यादि ।

अलंकारसर्वस्वकार रुय्यक ने जो उपमान की अपेक्षा उपमेय की न्यूनता (अपकर्ष) वर्णित रहने पर भी व्यतिरेक अलंकार कहा है, क्योंकि उनके विचार से विलक्षणता मात्र व्यतिरेक है—अर्थात् उपमान से उपमेय में विलक्षणता—वह अधिकता हो अथवा न्यूनता-व्यतिरेक है और उदाहरण भी दिया है—

'क्षीणः क्षीणः—' इत्यादि—अर्थात् हे सुन्दरि ! चन्द्रमा पुनः पुनः क्षीण होकर भी पुनः पुनः बढ़ता है, यह कथा सत्य है, किन्तु गया यौवन फिर नहीं लौटता, अतः मान करना छोड़ो और प्रसन्न हो जाओ ।'

और इस पर अलंकारसर्वस्व की 'विमर्शिनी' नामक व्याख्या के कर्ता ने पूर्वपक्ष तथा सिद्धान्त सहित यों व्याख्या की है—'यदि यहाँ यह शङ्का की जाय कि उपमान से उपमेय की न्यूनता को व्यतिरेक कहना समुचित नहीं, क्योंकि उपमान से उपमेय की न्यूनता को व्यतिरेक कहना समुचित नहीं, क्योंकि उपमान से उपमेय की न्यूनता यथार्थ वस्तु है—अर्थात् उपमान का उत्कृष्ट होना और तदपेक्षया उपमेय का निकृष्ट होना स्वाभाविक है, अतः उपमान से उपमेय की न्यूनता के वर्णन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता । तात्पर्य यह कि व्यतिरेक पद का अर्थ भले ही उपमान से उपमेय की न्यूनता में भी संघटित हो पर इस तरह के व्यतिरेक को अलंकारकोटि में नहीं गिना जा सकता है, क्योंकि अलंकार रूप होने के लिये पदार्थ का चमत्कारी होना आवश्यक उपबन्ध है और चमत्कारी होता वही पदार्थ जो कविप्रतिभोत्थित रहता है । ऐसी स्थिति में उपमान से उपमेय की न्यूनता-जो स्वाभाविक है, कविप्रतिभोत्थित नहीं-व्यतिरेकालंकार नहीं है । प्रकृत उदाहरण में भी उपमान से उपमेय की अधिकता के कारण ही व्यतिरेकालंकार मानना

उचित है, क्योंकि इस पद्य में यौवन की अस्थिरता ही वर्णनीय है, अतः वही उपमेय है और उपमान है चन्द्र–अर्थात् चन्द्र की अस्थिरता। ऐसी स्थिति में उपमानभूत चन्द्रगत अस्थिरता से उपमेयभूत यौवनगत अस्थिरता में अधिकता स्पष्ट है, क्योंकि यौवन जाकर पुनः आता नहीं, अर्थात् यौवन की अस्थिरता व्यापक है और चन्द्र की अस्थिरता है अल्पकालव्यापी।

तो इसके उत्तर में विमर्शिनीकार का कथन यह है कि—यहाँ उपमान से उपमेय की अधिकता नहीं है, अपितु न्यूनता ही है, क्योंकि यह पद्य प्रिय सखी के द्वारा नायिका को उपदेश के रूप में कहा गया है और उपदेश का स्वरूप यह है कि—'गया हुआ यौवन यदि चन्द्र के समान पुनः लौट कर आता तब प्रिय के प्रति चिरकाल तक ईर्ष्या (क्रोध) आदि का संबन्ध बनाये रखना युक्त होता। यह अभागा यौवन तो जाकर फिर लौटता नहीं, अतः ईर्ष्या आदि विघ्न-बाधाओं का परित्याग कर लगातार प्रियतम के साथ जीवन को सफल बनाना चाहिए। ईर्ष्या को धिक्कार। प्रियतम के प्रति कोप करना छोड़ दो। प्रसन्नता दिखलाओ।'

ऐसी स्थिति में—जब कि प्रिय के प्रति पूर्वागत क्रोध की शान्ति वक्ता का उद्देश्य है—चन्द्र की अपेक्षा यौवन का पुनः न लौटना न्यून गुण रूप में ही विवक्षित है यह मानना पड़ेगा। तात्पर्य यह कि यहाँ चन्द्र ही उपमान है और यौवन ही उपमेय है—वर्णनीय है, अस्थैर्य नहीं और उक्त अभिप्राय-वर्णन के अनुसार पुनः पुनः लौट कर आने वाले चन्द्र की अपेक्षा पुनः नहीं लौटने वाले यौवन की हीनता स्पष्ट है और उस हीनता को स्पष्ट करना ही यहाँ वक्ता का अभिप्रेत भी है, अतः उपमान से उपमेय की न्यूनता भी व्यतिरेकालंकार है। रही बात यह कि उपमान से उपमेय की न्यूनता स्वाभाविक होने के कारण चमत्काररहित मानी जाती है, तो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि स्वाभाविक वस्तु चमत्कारी नहीं हो इस कथन में कोई युक्ति नहीं है क्योंकि जिससे रस की पुष्टि होती हो उसको अचमत्कारी कथमपि नहीं कह सकते और यहां उपमान चन्द्र से उपमेय यौवन की न्यूनता प्रस्तुत शृङ्गार रस की पुष्टि करती है अतः चमत्कारिणी है।

पूर्वोक्तं खण्डयति—

तदुभयमप्यसत्। अस्मिन् हि प्रियहितकारिण्या वचने चन्द्रादप्यधिकगुणत्वमेव विवक्षितम्, न न्यूनगुणत्वम्। चन्द्रो हि पुनः पुनरागमनेन लोके सुलभः। अत एव न तादृशमाहात्म्यशाली। इदं च पुनर्यौवनमपुनरागमनेनातिदुर्लभतरत्वादत्युत्कृष्टमिति मानादिभिरन्तरायैः शठजनश्लाघनीयैर्विदग्धया भवत्या मुधा गमयितुमसांप्रतमिति तावदुपात्तगुणकृतमुत्कृष्टत्वं स्फुटमेव। सकलसुखनिदानत्वाद्यनुपात्तगुणकृतोऽप्युत्कर्षोऽत्र वाक्यार्थपरिपोषाय सहृदयहृदयसरणिमवतरति। अन्यथा किमित्यस्य कदर्ययौवनस्य कृते मया मानादिरंस्यते, यातु नाम यौवनमिति प्रतिकूलेनार्थेन प्रकृतार्थस्यापुष्टतापत्तेः।

तदुभयमपीति। सर्वस्वकारोक्तम् विमर्शिनीकारोक्तञ्चेत्यर्थः। असदिति। अयुक्तमित्यर्थः। अयुक्तत्वे युक्तिमाह—अस्मिन् हीति। अधिकगुणत्वमिति। यौवनस्येति भावः। एवमग्रेऽपि। यौवनस्याधिकगुणत्वमेव स्फुटयति—चन्द्रो हीति। विदग्धया चतुरया। मुधा व्यर्थम्। गमयितुमिति। यौवनमित्यस्यानुषङ्गः। असांप्रतम् अयुक्तम्। उपात्तेति। पद्ये

गृहीतेत्यर्थः। निदानत्वाद्यनुपात्तेति। निदानत्वादिरूपो योऽनुपात्तो गुणस्तत्कृत इत्यर्थः। अन्यथेति। उपात्तानुपात्तोभयविधगुणकृतोत्कर्षानङ्गीकारे इत्यर्थः। अस्यापुष्टतापत्तेरित्यत्रान्वयः।

अयं भावः—सर्वस्वकारकृते उपमानावधिकोपमेयन्यूनत्वरूपव्यतिरेकस्वीकारतदुदाहारणदाने तत्र विमर्शिनीकारकृतव्याख्या चेत्येतत्सर्वमसंगतम्, उक्तरीत्या प्रकृतोदाहरणे उपमानादुपमेये आधिक्यस्यैव सत्त्वेन तथोक्तेरमूलकत्वादिति। अन्यन्निगदव्याख्यातमेव।

अब पूर्वोक्त मत का खण्डन किया जाता है—तदुभयमप्यसत् इत्यादि।

उक्त दोनों ही बातें—अर्थात् मूल-सर्वस्वकार का कथन और टीका-विमर्शिनीकार का कथन—असंगत हैं, क्योंकि प्रियतम का हित करनेवाली सखी के इस (‘क्षीणः—’ इस पद्यरूप) वचन में चन्द्र से यौवन की अधिक गुणवत्ता दिखलाना ही अभीष्ट है, न्यून गुणवत्ता दिखलाना नहीं। कारण, चन्द्रमा पुनः पुनः आने के कारण संसार में सुलभ है अत एव उतना महत्त्वशाली नहीं। किन्तु यह यौवन पुनः लौटता नहीं अतः अतिदुर्लभ होने के कारण अत्यन्त उत्कृष्ट है इस लिये मान आदि विघ्नों के द्वारा, जो शठजनों का स्पृहणीय है–आप जैसी चतुर नायिका का यौवन को व्यर्थ बिता देना अनुचित है। इस तरह पद्य में जो गुण उक्त है तन्मूलक चन्द्राधिक उत्कर्ष यौवन में स्पष्ट ही है। इसके अतिरिक्त पद्य में जो उक्त नहीं हैं उन ‘सकल सुखों का मूल कारण होना’ आदि गुणों के कारण होने वाला यौवन का उत्कर्ष भी वाक्यार्थ को परिपुष्ट करने के लिये सहृदयों के हृदय-पथ में आता ही है, अन्यथा (उक्त अनुक्त गुणकृत उत्कर्ष की प्रतीति नहीं मानने पर) ‘क्यों इस हीन यौवन के लिये मुझे मान-विरत होना चाहिए, जाय यह यौवन’ इस प्रतिकूल अर्थ की उपस्थिति से प्रकृत अर्थ (मानत्याग, प्रसन्नता आदि) की पुष्टि नहीं हो सकेगी।

तात्पर्य यह निकला कि उपमान से उपमेय की अधिकता ही व्यतिरेकालंकार है, ‘क्षीणः—’ इस पद्य में भी उपमान चन्द्र से उपमेय यौवन की अधिकता ही व्यतिरेकसाधक है।

ननु यत्र शब्दत एवोपमेयस्यापकर्षः प्रतिपादितः स्यात्तत्र का गतिरिति चेत्तत्रापि गतिमाह—

किं च यत्र क्वापि शाब्द उपमेयस्यापकर्षस्तत्रापि स तस्य वाक्यार्थपर्यवसायितयोत्कर्षात्मना परिणमति। यथा—

> ‘द्रोहो निरागसां लोके हीनो हालाहलादपि।
> अयं हन्ति कुलं साग्रं भोक्तारं केवलं तु सः॥’

अत्र हीन इत्यपकर्षो दारुणताधिक्यरूपोत्कर्षात्मना परिणमति। एवम्—

> ‘इन्दुस्तु परमोत्कृष्टो यः क्षीणो वर्धते मुहुः।
> धिगिदं यौवनं तन्वि क्षीणं न पुनरेति यत्॥’

इत्यादावुपात्तस्यापुनरावर्तित्वस्य तद्धर्मस्य मानप्रतिकूलतया द्वेषेणैव धिक्कारादिकथनम्, न तु वास्तवापकर्षेण, दुर्लभत्वस्य प्रियसमागमोल्लासकत्वस्य चोत्कर्षस्य स्फुटत्वात्।

स इति । उपमेयस्यापकर्ष इत्यर्थः । तस्येति । उपमेयस्येत्यर्थः । वाक्यार्थपर्यवसायितयेति । 'वाक्यार्थपरिपोषकतया' इति पाठः साधीयान्, प्रकृतपाठस्यापि स एवार्थः कथंचिद् विधेयः । तादृशमुदाहरणमुपदर्शयितुमाह—यथेति । तादृशमुदाहरणमाह—'द्रोहो—' इति । निरागसाम् निरपराधानाम्, द्रोहः विद्वेषः, लोके, हालाहलादपि विषादपि, हीनः अपकृष्टः, अस्तीति शेषः । तत्र हेतुमाह—अयम् द्रोहः, साग्रम् आगामिसन्ततिसहितम्, कुलम् वर्तमानम् वंशम्, हन्ति, सः हालाहलः, तु, केवलं भोक्तारं यो भुङ्क्ते तमेकं जनं, हन्तीत्यपकर्षः । इति तद्व्याख्या । उपपादयति—अत्रेति । 'द्रोहो—' इति श्लोके 'हीनः' इति विशेषणेन वर्णनीयतयोपमेयस्य द्रोहस्यापकर्षः प्रतिपाद्यते, तथापि वस्तुगत्या सोऽपकर्षो दारुणताधिक्यरूपः सन् द्रोहस्योत्कर्षे एव परिणतो भवतीति भावः । तादृशमुदाहरणान्तरं दातुमाह—एवमिति । उदाहरणान्तरमुपस्थापयति—'इन्दुस्तु—' इति । यः इन्दुः, क्षीणः क्षयं प्राप्तोऽपि, मुहुः वारंवारम्, वर्धते, सः, इन्दुः चन्द्रः, परमोत्कृष्टः, हे तन्वि कृशाङ्गि, यत् यौवनम्, क्षीणं, सत्, पुनः, न, एति आगच्छति, इदं तत्, इदमस्तदर्थकत्वमित्यभिमानः, यौवनम्, धिक् निन्द्यम्, अपकृष्टमिति यावत् । इति तद्व्याख्या । उपपादयति—इत्यादाविति । 'इन्दुस्तु—' इति पद्ये यद्यपि वर्णनीयतयोपमेयस्य यौवनस्यापकर्षः, उपमानस्य चन्द्रस्य चोत्कर्षः अपुनरावर्तित्वपुनरावर्तित्वाभ्याम् शब्दतः कथितः, 'धिक्' 'परमोत्कृष्टः' इत्येताभ्यां विशेषणाभ्यामपि आपाततस्तथैव प्रतीयते, तथापि यौवनेऽपुनरावर्तित्वं मानप्रतिकूलम्, अतस्तदुद्दिश्य धिक्कारादिकथनम् द्वेषमूलकमेव विज्ञातुं योग्यम्, न वास्तविकापकर्षमूलम् । एवञ्च यौवनस्य शाब्दोऽपकर्षः समाप्तः । अथोत्कर्ष एव तस्य किंकृत इति चेत्? दुर्लभत्व-प्रियसमागमहेतुत्वाभ्यामनुक्ताभ्यामपि सुबोधाभ्यामिति मन्तव्यमिति भावः ।

'उपमेय की न्यूनता व्यतिरेक नहीं है' इस पूर्वनिश्चित स्वकीय सिद्धान्त पर उठने वाले, 'जहाँ शब्दतः उपमेय की न्यूनता वर्णित रहेगी वहाँ क्या गति होगी?' इस आक्षेप का समाधान अब ग्रन्थकार के द्वारा किया जाता है—किंच इत्यादि।

इतना ही नहीं, किन्तु अन्यत्र भी जहाँ कहीं उपमेय का अपकर्षशब्दतः बोधित रहेगा, वहाँ भी वाक्यार्थ में पर्यवसित होने पर (यह व्याख्या 'वाक्यार्थ पर्यवसायितया' इस मूल पाठ के अनुसार की गई है। 'वाक्यार्थपरिपोषकतया' इस नागेशोहित पाठ के अनुसार तो 'वाक्यार्थ के पोषक होने के कारण' ऐसी व्याख्या होगी) उपमेय के उत्कर्ष रूप में हो वह (शब्दतः बोधित अपकर्ष) परिणत हो जाता है। जैसे—

'द्रोहो निरागसाम् अर्थात् संसार में निरपराधों का द्रोह करना हलाहलविष से भी हीन (अपकृष्ट) है, क्योंकि-यह (द्रोह) आगे की सन्ततियों के साथ वर्तमान वंश का विनाश करता है और वह (हलाहल) केवल खाने वाले का विनाश करता है।' यहाँ 'हीन' पद से यद्यपि द्रोहरूप 'उपमेय का अपकर्ष आरम्भ में प्रतीत होता है, पर अन्त में वह हीन पदबोधित अपकर्ष अधिक दारुणतारूप उत्कर्ष-रूप में ही परिणत हो जाता है।

इसी तरह 'इन्दुस्तु—अर्थात् वह चन्द्रमा परम उत्कृष्ट है जो क्षीण होकर भी पुनः बढ़ता है। हे कृशाङ्गि! उस यौवन को धिक्कार है जो नष्ट होने पर पुनः आता नहीं।' इत्यादि स्थलों में भी यद्यपि पहले आपाततः यौवनरूप उपमेय का अपकर्ष ज्ञात

होता है, क्योंकि उसे अपुनरावर्त्ती (पुनः 'लौटकर नहीं आने वाला) कहा गया है और उसे धिक्कारा भी गया है, परन्तु अन्त में सूक्ष्म विचार करने पर विदित होता है कि यौवन को जो धिक्कार दिया गया है वह द्वेष से ही, वस्तुतः अपकृष्ट समझ कर नहीं, पुनः नहीं लौटने की बात जो कही गई है वह तो धिक्कार का हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि मान-शमन के लिये कथित पद्य में दुर्लभतासूचक होने के कारण मान के लिये प्रतिकूल अपुनरावर्तित्व धिक्कार का नहीं, अपि तु पुरस्कार का ही पात्र है, फलतः दुर्लभ और प्रियतम के समागम का कारण यौवन उत्कृष्ट ही सिद्ध होता है, अपकृष्ट नहीं।

सारांश यह कि उपमेय का अपकर्ष व्यतिरेकालंकार नहीं हो सकता है।

एतत्प्रसङ्गे कुवलयानन्दकारोक्तमप्यनूद्य निरस्यति—

यदपि कुवलयानन्दकृतालंकारसर्वस्वोक्तार्थानुवादकेन न्यूनतायामुदाहृतम्—

"रक्तस्त्वं नवपल्लवैरहमपि श्लाघ्यैः प्रियाया गुणै-
स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुर्मुक्ताः सखे मामपि।
कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तद्वन्ममाप्यावयोः
सर्वं तुल्यमशोक केवलमहं धात्रा सशोकः कृतः॥'

अत्र सशोकत्वेनाशोकापेक्षयापकर्षः पर्यवस्यति" इति, तदपि चिन्त्यम्, रत्याद्यनुकूलतया कुतश्चिदङ्गाद् भूषणापसारणं यथा शोभाविशेषाय भवति, एवं प्रकृते उपमालंकारदूरीकरणमात्रमेव रसानुगुणतया रमणीयम्, न व्यतिरेकः। अत एवासमालंकारं प्राञ्चो न मन्यन्ते। अन्यथा तवालंकारान्तरतया तत्स्वीकारापत्तेः।

यथा—

'भुवनत्रितयेऽपि मानवैः परिपूर्णे विबुधैश्च दानवैः।
न भविष्यति नास्ति नाभवन्नृप यस्ते भजते तुलापदम्॥'

अत एव ध्वनिकृता सहृदयधुरन्धरेण 'सुकविस्तु रसानुसारेण क्वचिदलंकारसंयोगं क्वचिदलंकारवियोगं च कुर्यात्' इत्युक्त्वा 'रक्तस्त्वम्—' इति पद्यं सादृश्यदूरीकरणे उदाजह्रे। अत एव च मम्मटभट्टैः 'आधिक्यमात्रं व्यतिरेकः' इत्युक्तम्। निरस्तं च न्यूनत्वं व्यतिरेके इति। तस्मादुपमानादुपमेयस्योत्कर्ष एव व्यतिरेकालंकारः, नापकर्ष इति स्थितम्।

कुवलयानन्दकृता अप्पयदीक्षितेन 'रक्तस्त्वम्...' इति। सीतापहारोत्तरं श्रीरामस्याशोकतरुं प्रतीयमुक्तिरिति नागेशः। हे अशोक वृक्षविशेष!, त्वं, नवपल्लवैः, नूतनपत्रैः, रक्तः रक्तवर्णः, अहमपि, श्लाघ्यैः प्रशंसनीयैः, प्रियायाः, गुणैः, शीलसौन्दर्यादिभिः, रक्तः अनुरक्तः, हे सखे मित्र, त्वाम्, उद्दिश्य, शिलीमुखाः भ्रमराः, आयान्ति आगच्छन्ति, स्मरधनुर्मुक्ताः कामधनुःप्रेरिताः, शिलीमुखाः बाणाः, मामपि, उद्दिश्य, आयान्ति, कान्तापादतलाहतिः पद्मिनीचरणाघातः, यथा, तव, मुदे हर्षाय, भवति, 'पादाघातादशोको विकसति इति प्रसिद्धेरिति भावः, सति' तद्वत्, ममापि, मुदे, कान्तापादतला-

हतिः, 'धृतैकपादा जघने कुर्वन्त्यन्यपदाहतिम् । शनैः शनैर्निधुवने पद्मबन्धस्तदा मतः ॥' इति कामशास्त्रोक्तपद्मबन्धाभिप्रायेणैतदिति नागेशः। एवं रीत्या, आवयोः तव मम च, सर्वम्, तुल्यम् समानम्, केवलम्, अहम्, धात्रा विधिना, सशोकः शोकयुक्तः, कृत इति तद्वद् व्याख्या। दीक्षितोक्तमुपपादनमनुवदति—अत्रेत्यादि। निरस्यति तदपि चिन्त्यमिति। चिन्त्यत्वे हेतुमाह—रत्याद्यनुकूलतयेति। न व्यतिरेक इति। तथा च व्यतिरेकालंकारो नास्त्येवात्रेति ग्रन्थकर्तुरभिप्रायः। अत एवेति। उक्तयुक्तेरिति भावः। अन्यथेति। उपमादूरीकरणस्याहृद्यत्वे इत्यर्थः।

तत्स्वीकारापत्तेरिति। असमाङ्गीकारापत्तिरित्यर्थः। उपमादूरीकरणमात्रस्य हृद्यत्वस्वीकारेण सामञ्जस्ये संभवत्यपि यथा भवता 'रक्तस्त्वम्' इत्यत्र व्यतिरेकोऽङ्गीक्रियते तथैव। 'भुवनत्रितये' इत्यादावसमालंकारोऽपि स्वीकरणीयः स्यादिति भावः। असमाख्यालंकारस्वरूपयोग्यम् स्थलमुपदर्शयितुमाह—यथेति। 'भुवन—' इति। हे नृप, मानवैः मनुष्यैः, दानवैः राक्षसादिभिः विबुधैः देवैः, च, परिपूर्णेऽपि सर्वतोभावेन व्याप्तेऽपि भुवनत्रितये त्रिलोक्याम्, तादृशः न कोऽपि अभवत् न वा अस्ति न च भविष्यति, यः, ते तव, तुलापदम् साम्यम्, भजते प्राप्नोतीत्यर्थः। अत्र तेषामसमालंकारस्वीकार आवश्यकः, ये 'रक्तस्त्वम्' इत्यत्र व्यतिरेकं स्वीकुर्युः, मम मते तु उभयत्रोपमादूरीकरणमात्रस्य हृद्यत्वम्। नैकत्र व्यतिरेकोऽपरत्रासमो वा प्रसजतीति भावः। अत एवेति। उपमादूरीकरणमात्रस्य हृद्यत्वस्वीकारादेवेत्यर्थः। स्वाभिमते मम्मटभट्टमपि साक्षिणं करोति—अत एवेति, उपसंहरति—तस्मादिति। सारांशस्तु स्पष्ट एव।

अत्र 'रत्याद्यनुकूलतया' इति प्रतीकमुपादाय नागेश आह—'अत्रेदं चिन्त्यम्—उपमानाद्युपमेये वर्ण्यमानं वैलक्षण्यमेव गुणाधिक्यकृतम् व्यतिरेकः। तच्च क्वचिदुपमेयोत्कर्षपर्यवसायि क्वचित्तदपकर्षपर्यवसायि क्वचिदनुभयपर्यवसायि। आधिक्यन्यूनत्वशब्दावप्युत्कर्षापकर्षपरावेव। तत्रापकर्षपर्यवसायि रक्तस्त्वमित्यत्र। अत्रोपमेये सशोकत्वादिगम्यचेतनत्वसहृदयत्वादिभिः शोकरहितत्वशोकसहितत्वाभ्यां च तत्तद्गुणाधिक्यप्रतीतावपि शोकस्य स्वरूपेणापकृष्टत्वाद्विरहिवाक्यत्वाच्च वरमचेतनत्वमेव सम्यक्। न पुनः प्रियावियोगादिजन्यशोकास्पदचैतन्यादीति प्रतीतिपर्यवसानात् विरहानुगुणकविनिबद्धतात्पर्यविषयकोऽपकर्षः पर्यवस्यति। अत एव प्रियावियोगाद्यपि तुल्यमित्यर्थकमावयोः सर्वं तुल्यमिति। वाक्यंचरितार्थम्। ऐतेन रत्याद्यनुकूलेत्यादि उदाजह्रे इत्यन्तमपास्तम्। सशोकत्ववर्णनेऽपि रक्तत्वादिधर्मैः सादृश्यस्य विप्रलम्भपरिपोषकतया चमत्कारिणः सत्त्वेन तदपह्नवस्य कर्तुमशक्यत्वात्। अन्यथा औन्नत्यादिकृतसादृश्यस्यापि प्रतीत्यनापत्तेः। अलंकारवियोगोदाहरणं तु भुवनत्रितयेऽपीत्यादिबोध्यमिति बोध्यम्।' इति।

अब 'कुवलयानन्द' का खण्डन किया जाता है—यदपीत्यादि।

अलंकारसर्वस्व में कथित अर्थ का अनुवाद करने वाले कुवलयानन्दकार अप्पय दीक्षित ने जो विरही द्वारा अशोक के प्रति कथित—'हे अशोक! तेरे और मेरे सब कुछ समान हैं जैसे तूँ नवीन पल्लवों से रक्त (लाल) हो और मैं भी प्रिया के श्लाघ्य गुणों

(शील-सौन्दर्यादिकों) से रक्त (अनुरक्त) हूँ। तुझ पर शिलीमुख (भ्रमर) आते हैं और हे सखे ! मुझ पर भी कामधनुष से छुटे हुए शिलीमुख (वाण) आते हैं। सुन्दरी नारी के चरणों का आघात तेरे हर्ष का कारण होता है—('पादाघातादशोकः विकसति…', इस कवि-प्रसिद्धि के अनुसार) और मेरे भी ('धृतैकपादा जघने कुर्वन्त्यन्यपदाहतिम्। शनैः शनैर्निधुवने पद्मबन्धस्तदा मतः॥' यह कामशास्त्रोक्त पद्मबन्ध इस कथन का मूल है), पर मुझे विधाता ने सशोक बनाया है। तात्पर्य यह कि और सब कुछ समान होने पर भी मैं सशोक और तू अशोक हो।' एतदर्थक 'रक्तस्त्वम्—' इस पद्य को उपमान से उपमेय की न्यूनतामूलक व्यतिरेक का उदाहरण कहकर कहा कि यहाँ सशोक होने के कारण उपमान अशोक से उपमेय विरही का अपकर्ष पर्यवसित होता है।

पर यह भी (दीक्षित का कथन) चिन्तनीय है, क्योंकि यहाँ व्यतिरेक है ही नहीं, अपि तु जिस तरह रति आदि के अनुकूल होने के कारण किसी अङ्ग से भूषण का हटा देना ही शोभा विशेष का वर्धक होता है उसी तरह प्रकृत में उपमा अलंकार (जो प्रथम तीन चरणों में रक्खा गया था) का (चतुर्थ चरणमें) हटा देना ही रस के अनुकूल होने के कारण रमणीय हो गया है। इसीलिये प्राचीन आचार्य असम अलंकार नहीं मानते, क्योंकि वह उपमालंकार का हटाना मात्र है, अन्यथा (यदि उपमादूरीकरणमात्र स्थल में भी अलंकार माने जाँय तब) तुम्हें एक अन्य अलंकार के रूप में 'असम' का स्वीकार करना पड़ेगा।

जैसे—'भुवनत्रितयेऽपि—अर्थात् त्रिलोकी के देव, मानव और दानवों से परिपूर्ण होने पर भी, हे राजन् ! ऐसा पुरुष न हुआ, न है और न होगा जो तेरी तुलना में आ सके।' इत्यादि में। पर आपने असमालंकार माना नहीं है।

इसी कारण सहृदयाग्रगण्य ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने 'सुकवि तो रस के अनुसार कहीं अलंकार का संयोग और कहीं अलंकार का वियोग करे' ऐसा कह कर 'रक्तस्तत्वम्–' यह पूर्वोक्त पद्य सादृश्य के दूरीकरण में उदाहृत किया। इसी लिये मम्मट भट्ट ने 'केवल उपमान से उपमेय का आधिक्य व्यतिरेक है' ऐसा कहा है और व्यतिरेक में न्यूनता को हटा दिया है। अतः यह स्थिर हो गया कि उपमान से उपमेय का उत्कर्ष ही व्यतिरेक अलंकार है, अपकर्ष नहीं।

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि मम्मट आदि ने न्यूनता में व्यतिरेक नहीं माना उनकी साक्षिता को आधार बनाकर पण्डितराज भी उपमान से उपमेय की न्यूनता में व्यतिरेक अलंकार नहीं मानना चाहते तो यह ठीक है, पर ध्वन्यालोककार को जो इस प्रसङ्ग पर पण्डितराज ने साक्षी बनाया है वह ठीक नहीं है, कारण, 'सुकविस्तु—' इस प्रकार की पङ्क्ति, जो मूल में उद्धृत की गई, ध्वन्यालोक में कहीं उपलब्ध नहीं होती।

उस ग्रन्थ में 'विवक्षा तत्परत्वेन–' इत्यादिरूप से अलंकारसन्निवेशोपयोगिनी समीक्षा का उल्लेख करके उदाहरण–प्रदर्शनक्रम में कहा कि—'गृहीतमपि च यमवसरे त्यजति, तद्रसानुगुणतयाऽलंकारान्तरापेक्षया। यथा—'रक्तस्त्वम्…'इत्यादि। अत्र हि प्रबन्धप्रवृत्तोऽपि श्लेषो व्यतिरेकविवक्षया त्यज्यमानो रसविशेषं पुष्णाति। अर्थात् दूसरे अलंकार का ही रसानुकूल होने के कारण पूर्ववर्णित भी जिस अलंकार का ही रसानुकूल होने के कारण पूर्ववर्णित भी जिस अलंकार का त्याग किया जाता है। जैसे—'रक्तस्त्वम्—'। यहां तीन चरणों में स्वीकृत होने पर भी चतुर्थ चरण में आकर व्यतिरेक अलंकार की वर्णनेच्छा से श्लेष अलंकार परित्यक्त हो जाता है और उस का परित्याग रसविशेष

(विप्रलम्भ शृङ्गार) का पोषक होता है।" ऐसा प्रसङ्ग उपलब्ध है, जिसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि उक्त पद्य में ध्वन्यालोककार को केवल श्लेष किं वा तन्मूलक साम्य का परित्याग ही अभीष्ट नहीं है, अपि तु व्यतिरेक भी अभीष्ट है और यदि व्यतिरेक यहां उन्हें अभीष्ट है तो यह भी मानना ही पड़ेगा कि न्यूनत्व भी व्यतिरेक में उन्हें इष्ट है।

एक बात और नागेश ने 'रत्याद्यनुकूलतया' इस प्रतीक पर लिखा है कि 'यहां यह चिन्तनीय है—उपमान से उपमेय में वर्णित होने वाला गुणाधिक्यप्रयुक्त वैलक्षण्य ही व्यतिरेक है। वह वैलक्षण्य कहीं उपमेय के उत्कर्ष में पर्यवसित होता है, कहीं उसके अपकर्ष में पर्यवसित होता है और कहीं उसके उत्कर्ष अथवा अपकर्ष दोनों में से किसी में भी नहीं पर्यवसित होता है। आधिक्य और न्यूनत्व शब्द भी उत्कर्ष-अपकर्ष रूप अर्थ के ही बोधक हैं। उनमें से अपकर्षपर्यवसायी व्यतिरेक का उदाहरण है 'रक्तस्त्वम्' यह पद्य। यहां यद्यपि उपमेय (विरही) में 'सशोकता' आदि से अभिव्यक्त होने वाली चेतनता सहृदयता आदि के कारण और शोकरहित तथा शोक-सहित इन विशेषणों से भी गुणों की अधिकता ज्ञात होती है तथापि 'शोक' स्वरूपतः अपकृष्ट है और यह विरही का वाक्य है, अतः इस वाक्य का 'अचेतनता ही अच्छी न कि प्रिया-वियोगादि से जन्य शोक का स्थान चेतनता' इस प्रतीति में पर्यवसान होने के कारण कवि ने जो विरह के अनुकूल तात्पर्य बांधा है तद्विषयक उपमेय का अपकर्ष ही पर्यवसित होता है। अत एव 'प्रिया-वियोगादि' भी हम में तुल्य है इस अर्थवाला 'सब तुल्य है' यह कथन भी सार्थक होता है। इससे यहां "सादृश्य का अपाकरण ही रमणीय है" यहां से लेकर "इसी तात्पर्य से ध्वनिकार ने यह उदाहरण दिया है' यहां तक का मूलग्रंथ खण्डित समझा जा सकता है। 'सशोकता' का वर्णन होने पर भी 'रक्त-त्व' आदि धर्मों से सिद्ध होने वाला सादृश्य, विरहपोषक होने के कारण चमत्कारी है, अतः उसे छिपाया नहीं जा सकता, अन्यथा उन्नतता आदि धर्म-प्रयुक्त सादृश्य की भी प्रतीति नहीं होगी। अलंकारवियोग का उदाहरण तो 'भुवनत्रितयेऽपि—' यह पद्य समझना चाहिए।"

यहाँ हिन्दी रसगङ्गाधरकारने अपनी टिप्पणी में 'किन्तु अलंकारवियोग की चर्चा का खण्डन करने वाले नागेश तो लटकते ही रह जाते हैं।'

नागेश ने यहाँ एक और भी विचित्र लीला की है। प्रदीपोद्योत में उनने स्वयं लिखा है—"एतेन 'रक्तस्त्वम्–' इत्यत्रोपमेयन्यूनतापर्यवसायी व्यतिरेक इत्यपास्तम्"। और यहाँ कहते हैं—"तच्च (वैलक्षण्यं च अर्थात् व्यतिरेकः) क्वचिदुपमेयोत्कर्ष-पर्यवसायि, क्वचित्तदपकर्षपर्यवसायि, क्वचित्तदनुभयपर्यवसायि। आधिक्यन्यूनत्वशब्दा-वुत्कर्षापकर्षपरावेव। तत्रापकर्षपर्यवसायि 'रक्तस्त्व'मित्यत्र"।

इतने बड़े पण्डित ने अपनी ही लेखनी से अपने ही विरुद्ध कैसे लिख डाला सो ईश्वर ही जाने।' इन शब्दों में नागेश पर आक्षेप किया है। पर मेरे विचार से ये आक्षेप सर्वथा निराधार हैं, क्यों कि नागेश ने जो यह कहा है कि अलंकार-वियोग का उदाहरण 'रक्तस्त्वम्—' यह पद्य नहीं, किन्तु 'भुवनत्रितये' यह पद्य है। इसका अभिप्राय केवल इतना भर है कि 'रक्तस्त्वम्—' इस पद्य को ध्वनिकार ने केवल अलंकारवियोग का उदाहरण नहीं कहा है, अपि तु अलंकारवियोगपूर्वक अलंकारा-न्तरग्रहण का। शुद्ध अलंकारवियोग का उदाहरण उन (ध्वनिकार) के भी हिसाब से 'भुवनत्रितयेऽपि—' यही हो सकता है।

इस अभिप्राय के अनुसार अब पाठक स्वयं सोचें कि नागेश लटकते रहते हैं अथवा उन्हें लटकाने वाले हम लोग ?

दूसरी बात जो परस्परविरोध वाली कही गई है उस में भी कोई बल नहीं है, क्योंकि उसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि प्रदीपोद्योत में नागेश ने अपना मत नहीं लिखा है वरन् मम्मट का आशय व्यक्त किया है, यहाँ उनने (नागेश ने) अपना मत लिखा है, इस तरह विरोध की बात समाप्त हो जाती है ।

अभ्युपेत्याह—

यदि तु न्यूनत्वमपि व्यतिरेक इत्याग्रहस्तदेदमुदाहार्यम्—

'जगत्त्रयत्राणधृतव्रतस्य क्षमातलं केवलमेव रक्षन् ।
कथं समारोहसि हन्त राजन्सहस्रनेत्रस्य तुलां द्विनेत्रः ॥'

अत्र धर्मद्वयेनैव न्यूनोऽसि धर्मान्तरेण तु सम इति प्रतीतिकृतविच्छित्ति-विशेषादलंकारता । एवं च लक्षणेऽपकर्षोऽप्येवंजातीयो देयः ।

'जगत्त्रय—इति । हे राजन् ! केवलं, क्षमातलम् धरामण्डलम् , एव, न तु लोकान्तरमपीति भावः, रक्षन् पालयन् , तथा द्विनेत्रः द्वे नेत्रे यस्य तादृशः, त्वम् , जगत्त्रयस्य त्रिलोक्याः, त्राणे पालने धृतं व्रतम् येन तादृशस्य सहस्रनेत्रस्य सहस्रं नेत्राणि यस्य तादृशस्य इन्द्रस्येति यावत् तुलाम् सादृश्यम् , कथं केन प्रकारेण, समारोहसि प्राप्नोषीति-भावः, उपपादयति—अत्रेति । धर्मद्वयेनेति । क्षमातलमात्ररक्षकत्वद्विनेत्रत्वाभ्यामित्यर्थः । न्यून इति । जगत्त्रयत्राणधृतव्रतत्व-सहस्रनेत्रत्वविशिष्टेन्द्रापेक्षयेति भावः । धर्मान्तरेणेति । पराक्रमौदार्यादिनेति भावः । अलंकारतेति । इन्द्ररूपोपमानापेक्षया वर्णनीयराजरूपोपमेये वर्तमानस्य न्यूनत्वस्येति भावः । एवञ्चेति । उपमानावधिकोपमेयगतन्यूनत्वस्यापि व्यतिरेकालंकारत्वेन स्वीकृताविति अर्थः । लक्षणे इति । व्यतिरेकालंकारलक्षणे इति भावः । एवं जातीय इति । धर्मान्तरकृतचमत्कारिसाम्यसमानाधिकरण इति भावः । न तु प्रागुक्तः साधारणोऽपकर्षो व्यतिरेकालंकारत्वप्रयोजक इति सारांशः ।

प्रतिपक्षी के मत का कथंचित् स्वीकार करके भी कहा जाता है—यदि तु इत्यादि ।

यदि उपमान से उपमेय का अपकर्ष (न्यूनता) भी व्यतिरेकालंकार है ऐसा दुराग्रह ही हो तो उसका उदाहरण 'जगत्त्रय—अर्थात् हे राजन् ! केवल पृथ्वी लोक की रक्षा करता हुआ दो आँखों वाला तूँ त्रिलोकी-रक्षणव्रती और हजार आँखों वाले इन्द्र की तुलना कैसे पा सकते हो ।' यह पद्य देना चाहिए ।

यहाँ केवल दो धर्मों (वह त्रिलोकी का रक्षक है और तूँ केवल एक-पृथ्वीलोक का, एवं वह सहस्रनयन है और तूँ द्विनयन) से इन्द्र की अपेक्षा न्यून हो अन्य धर्मों (पराक्रम-उदारता आदि) से तो तूँ उस (इन्द्र) के समान ही हो इस अर्थ की प्रतीति होने से अनुभूत होने वाले चमत्कारातिशय के कारण उपमान इन्द्र से उपमेय वर्णनीय नृप में रहने वाली न्यूनता भी व्यतिरेकालंकाररूपा हो जाती है ।

इस हिसाब से व्यतिरेकालंकार के लक्षण में इस तरह की (धर्मान्तरप्रयुक्त चमत्कारी साम्य से युक्त) न्यूनता का भी समावेश करना चाहिए । तात्पर्य यह कि साधारणतया सभी अपकर्षों को व्यतिरेक नहीं कहा जा सकता ।

पुनर्दीक्षितोक्तमेवानूद्यावद्यति—

यदपि कुवलयानन्दकृतानुभयपर्यवसायिनो व्यतिरेकस्योदाहरणमुक्तम्—

'दृढतरनिबद्धमुष्टेः कोषनिषण्णस्य सहजमलिनस्य ।
कृपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः ॥'

तन्न निपुणं निरीक्षितमायुष्मता । तथाहि—किमत्रोपमानादुत्कर्षरूपो व्यतिरेकोऽनुभयपर्यवसायी, आहोस्वित्सर्वस्वकाराद्युक्तदिशापकर्षरूपः । नाद्यः । उत्कर्षप्रयोजकधर्मस्यात्रानुपस्थितेः । न च श्लेषेण दीर्घाक्षरस्योपस्थितिरस्त्येवेति वाच्यम् । तस्योपमानवृत्तित्वेनोपमेयानुत्कर्षकत्वात् । अर्थान्तरेणाकृतिरूपेण सह श्लेषमूलकाभेदाध्यवसायेन साधारणीकरणाच्च । अन्यथा श्लेषमूलकोपमोच्छेदापत्तेः । 'चन्द्रबिम्बमिव नगरं सकलकलम्' इत्यादावपि कलकलसहितत्व-कलासाकल्ययोर्वस्तुतो वैधर्म्यरूपत्वात् । न च सकलकलमित्यत्रोपमायामेव कवेर्निर्भरः, प्रकृते तु भेदशब्दोक्त्या वैलक्षण्ये स इति भ्रमितव्यम् । यद्यत्रोपमाविघटनरूपो व्यतिरेको निर्भरसहः स्यात् आकारशब्दश्लेषोऽर्थकः स्यात् , कृपणस्य कृपाणस्य भेदो दीर्घाक्षरादेवेत्येव ब्रूयात् । न ह्यत्र व्यतिरेके श्लेषोऽनुकूलः । प्रत्युत प्रतिकूल एव । उपमायां पुनरनुकूलः । प्रतिकूलस्य दीर्घाक्षररूपवैधर्म्यस्य साधारणीकरणात् आकृतिभेदस्य चोपमानोपमेययोरपि सत्त्वात् । एवं हि कवेराशयः—यत्कृपणकृपाणयोस्तुल्यतैव । दृढतरेत्यादिविशेषणसाम्यात् । अक्षरभेदस्त्वाकारभेदत्वादविरुद्ध एवेति सहृदयैराकलनीयम् ।

न द्वितीयः । तस्योक्तिमात्रेणाप्यसंगतेः, अहृद्यत्वाच्च । तस्मादत्र गम्योपमैव सुप्रतिष्ठितेत्यास्तां कूटकार्षापणोद्घाटनम् । प्रकृतमनुसरामः ।

दृढतरेति । कृपणस्य दानकथाशून्यस्य कृपाणस्य खड्गस्य, च आकारतः तद्रूपदीर्घवर्णात् आकृतेश्च, केवलम् भेदः वैलक्षण्यम् । प्रकारान्तरेण तु साम्यमेव । तदेवाह—दृढतरेत्यादिविशेषणत्रयेण । धनव्ययवैमुख्येन दृढतरं निबद्धा मुष्टिर्येन तस्य, कोषे भाण्डागारे, निषण्णस्य उपविष्टस्य, सहजेन स्वभावेन, मलिनस्य मलिनवेषस्य, अनुज्ज्वलस्येति यावत् इति कृपणपक्षीयोऽर्थः कृपाणपक्षीयस्तु—दृढतरं, निबद्धा, मुष्टिः मुष्टिग्राह्यभागो, यस्य, तस्य, कोषे पिधाने निषण्णस्य स्थितस्य, सहजमलिनस्य कृष्णवर्णस्य इत्यर्थो बोध्यः । इदं पद्यमनुभयपर्यवसायिव्यतिरेकोदाहरणतयाऽऽप्पयदीक्षितैः कुवलयानन्दे समुद्धृतम् । अत्राकारकृतवैलक्षण्यं न न्यूनत्वपर्यवसायि, नाप्याधिक्यपर्यवसायि किं तु स्ववैचित्र्यमात्रविश्रान्तमिति तदाशयः । खण्डयति—तन्नेति । खण्डने युक्तिमाह—तथा हीति । नाद्य इति । उपमानादुत्कर्षरूपो व्यतिरेकोऽनुभयपर्यवसायीति पक्षो न युज्यत इत्यर्थः । तस्यायुक्तत्वे हेतुमाह—उत्कर्षप्रयोजकेति । उत्कर्षप्रयोजकधर्ममाशङ्कते—न चेति । श्लेषेणेति । आकारशब्दगतेनेत्यर्थः । 'आकारतः' इति पदात् श्लेषद्वारोपस्थापितं दीर्घाक्षररूपं वैधर्म्यमेवोत्कर्षप्रयोजकं स्यादिति शङ्कादलाशयः । समाधत्ते—तस्येति । दीर्घाक्षररूपवैधर्म्यस्य खड्गरूपे उपमाने सत्त्वेन कृपणरूपोपमेयोत्कर्षप्रयोजकत्वाभावात् , श्लिष्टाकारपदबोध्ययोर्दीर्घाक्षराकृति-

रूपयोरर्थयोर्मिथः श्लेषमूलकाभेदाध्यवसाये दीर्घाक्षररूपधर्मस्यापि साधारणतया वैधर्म्य-रूपत्वविरहाच्च न तथोक्तिः संभवतीति समाधानदलाभिप्रायः। अर्थान्तरेणेतिमूलग्रन्थे तस्येत्यस्यानुषङ्गो बोध्यः। अन्यथेति। श्लेषमूलकाभेदाध्यवसाये न धर्मस्य साधारण्या-स्वीकारे इति भावः। श्लेषमूलकोपमास्थलमुपदर्शयति—'चन्द्रबिम्बमिवे'ति। श्लिष्टसकल-कलपदबोध्ययोः कलकलसहितत्व-कलासाकल्यरूपयोरर्थयोश्चन्द्रबिम्बनगरान्यतरवृत्तितया वैधर्म्यरूपत्वेऽपि श्लेषमूलकाभेदाध्यवसायेनैव साधारण्यमुपमाप्रयोजकं सम्पादनीयमिति भावः। इतोऽग्रिमो ग्रन्थो निगदव्याख्यात एवेति न तद्व्याख्यापेक्षा।

'आयुष्मता' इति प्रतीकमुपादाय नागेशो दीक्षितोक्तिसमर्थनाय चेष्टते। तथाहि—"अत्रेदं चिन्त्यम्—श्लेषेऽपि नात्राभेदाध्यवसायः सर्वदो माधव इतिवत्। किं तु परस्परा-न्वितये दीर्घाक्षरादवयवसंस्थानाच्च भेद इत्यर्थद्वयमितरान्वयि। किं चाभेदाध्यवसायेऽपि नास्य साधारण्यम्। भेदशब्देन तस्य तिरस्कारेणोपमानिष्पादकत्वाभावेन सकलकल-मित्यादिवैलक्षण्यात्। यदपि तस्योपमानवृत्तित्वेनेत्यादि, तदपि न। उपमानत्वं हि सादृ-श्यप्रतियोगित्वम्। तच्च प्रतीपालंकारविधया कृपणस्यास्त्येव। दीर्घाक्षरत्वरूपगुणाधिक्य-स्य तदन्यस्मिन् कृपाणे सत्त्वाच्च। अकलङ्कमुखसदृशो न सकलङ्कश्चन्द्र इत्यादौ व्यतिरेक-स्यैवमेव निर्वाह्यत्वात्। यदप्यनुभयपर्यवसायिनो व्यतिरेकस्योदाहरणमित्यादि, तदपि न। उत्कर्षापकर्षोभयापर्यवसायीत्यर्थकानुभयपर्यवसायीति तद्ग्रन्थपाठात्। अनुभयपर्यवसायित्वेन चैतदेवोच्यते यत्प्रकृतानुगुणोत्कर्षापकर्षपर्यवसायित्वाभावेन विद्यमानस्यापि व्यतिरेकस्य नालंकारत्वम्, किं तु वस्तुतामात्रमिति। अलंकारश्चात्र गम्योपमैव, कृपणकृपाणयोः श्ले-षलब्धाकृतेः दीर्घाक्षराच्च भेदेऽपि इतरत् सर्वं तुल्यमेवेति पर्यवसानात्। तत्कृतचम-त्कारस्यैव सत्त्वाच्चेति बोध्यम्।" अत्र नागेशो दुराग्रहग्रस्त इव न सर्वथोचितवादी। अत एव हिन्दीरसगङ्गाधरकारो निजपुस्तके निपुणं नागेशोक्तिमखण्डयत्। तत्कृतं खण्डन-ञ्चाहं हिन्दीव्याख्यायामविकलमुद्धरामीति तत एव तदवगन्तव्यम्।

पुनः दीक्षितोक्ति का ही खण्डन किया जाता है—यदपि इत्यादि।

कुवलयानन्दकार अप्पय दीक्षित ने ही अनुभयपर्यवसायी व्यतिरेक का जो 'दृढ-तर—' यह उदाहरण, जिसका अर्थ यह है कि–कृपण पुरुष और कृपाण में केवल 'आकार' से (आकार की मात्रा से–आकृति से) ही भेद है, अन्य सब कुछ समान ही हैं। जैसे-कृपण दृढतर निबद्धमुष्टि (खूब मुट्ठी मींचने वाला–अर्थात् पैसे को न छोड़ने वाला) है और कृपाण भी दृढतरनिबद्धमुष्टि (जिसकी मूँठ बड़ी मजबूत बंधी हुई है ऐसा) है, कृपण कोषनिषण्ण (खजाने पर बैठा हुआ) है और कृपाण भी कोष निषण्ण (मियान में स्थित) है, कृपण सहज मलिन (स्वभावतः मलिनवेष) है और कृपाण भी सहज मलिन (काले रङ्ग का) है। दिया है, वह निपुण निरीक्षण नहीं करने के कारण। देखिए, पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यहाँ उपमान से उत्कर्षरूप व्यतिरेक को अनुभयपर्यवसायी बताया है अथवा अलंकारसर्वस्वकार आदि के द्वारा कथित रीति के अनुसार उपमान से अपकर्षरूप व्यतिरेक को? उनमें से प्रथम–अर्थात् 'उपमान से उत्कर्ष' यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि उत्कर्षसाधक धर्म की उपस्थिति यहाँ नहीं है।

यदि आप कहें कि श्लेष के द्वारा दीर्घ अक्षर की उपस्थिति है ही—अर्थात् कृपण में 'अ' की मात्रा है और कृपाण में 'आ' की मात्रा, तात्पर्य यह कि यह दीर्घ अक्षर

('आ' की मात्रा) ही उत्कर्षसाधक धर्म (वैधर्म्य) है, तो यह उचित नहीं, क्योंकि उस दीर्घ अक्षर की उपस्थिति उपमान (कृपाण) में है, अतः वह उपमेय (कृपण) के उत्कर्ष को सिद्ध नहीं कर सकती है। दूसरे, 'आकार' शब्द का दूसरा अर्थ आकृति है उसके साथ श्लेषमूलक अभेद हो जाने से अक्षररूप अर्थ भी साधारण (उपमान उपमेय-उभयवृत्ति) हो जाता है, फिर वह एक (उपमेय) का उत्कर्षक कैसे हो सकता है? यदि श्लेषमूलक अभेदाध्यवसाय के द्वारा धर्म की साधारणता (उभय-वृत्तिता) नहीं मानी जाय, तब तो श्लेषमूलक उपमा का उच्छेद ही हो जायगा, क्योंकि श्लेषमूलक उपमा का उदाहरण जो 'चन्द्रमण्डल जैसा सकलकल नगर' इत्यादिक है, वहाँ भी 'सकलकल' पद से श्लेष द्वारा निकलने वाले दो अर्थ (कलकल शब्दयुक्त होना और सकल कलाओं से युक्त होना) वस्तुतः वैधर्म्य रूप ही हैं-अर्थात् कलकल शब्दयुक्तता केवल नगर में और सकलकलायुक्तता केवल चन्द्रमण्डल में है, ऐसी स्थिति में श्लेषमूलक अभेदाध्यवसाय से ही उन दोनों धर्मों को एक (उभय-साधारण) धर्म माना जाता है और तन्मूलक उपमा मानी जाती है। यदि आप कहें कि 'सकलकलम्—' इस वाक्य में कवि उपमा पर ही निर्भर है, किन्तु प्रकृत-अर्थात् 'दृढतर—' में कवि 'भेद' के कथन से विलक्षणता (वैधर्म्य) पर जोर देता है, तो यह आपका भ्रम है, क्योंकि यदि यहाँ उपमा का विघटनरूप व्यतिरेक पर कवि को निर्भर समझा जाय, तब 'आकार' शब्दगत श्लेष निरर्थक हो जाय। कारण, व्यतिरेक के लिये वह यही कहे कि कृपण तथा कृपाण में 'केवल दीर्घ अक्षर के कारण' ही भेद है। तात्पर्य यह कि यहाँ श्लेष व्यतिरेक के लिये अनुकूल नहीं है, प्रत्युत प्रतिकूल है और उपमा के लिये वह (श्लेष) अनुकूल है, क्योंकि 'आकारतो भेदात्' से निकलने वाले दो अर्थों में से 'आकृति-भेद' रूप अर्थ उभयसाधारण (कृपण-कृपाणोभयवृत्ति) है ही, रहा दीर्घाक्षरभेद रूप अर्थ, जो प्रतिकूल सा दीख पड़ता है, उसे भी श्लेषमूलक अभेदाध्यवसाय के बल पर साधारण बना लिया जाता है। श्लेष की सार्थकता भी यही है।

यहाँ कवि का अभिप्राय यह है कि कृपण तथा कृपाण में समता ही है, क्योंकि 'दृढतरनिबद्धमुष्टि' आदि विशेषण दोनों में समान है। रहा, अक्षर का भेद, सो वह भी अभेदाध्यवसाय से आकृति भेदरूप हो जाने के कारण विरुद्ध नहीं होता। यह प्रसङ्ग, सहृदयों को स्वयं समझने योग्य है। सारांश यह सिद्ध हुआ कि यहाँ उपमान से उपमेय में उत्कर्ष को सिद्ध करने वाला कोई वैधर्म्य नहीं है।

दूसरा भेद-अर्थात् 'उपमान से अपकर्षरूप व्यतिरेक' भी यहाँ नहीं है, क्योंकि उसकी सङ्गति तो शाब्दिक अर्थ के अनुसार भी नहीं होती (ह्रस्वमात्रा वाले का उत्कर्ष और दीर्घमात्रा वाले का अपकर्ष भला कौन कहेगा?), दूसरे यह अपकर्ष वाला भेद सुन्दर भी नहीं है। अतः व्यङ्ग्य उपमा ही यहाँ सुस्थिर है। बस, इतना ही रहे, झूठे सिक्कों की अधिक पोल खोलने से कोई फल नहीं।

यहाँ भी नागेश ने अपनी टीका में दीक्षित जी के समर्थन का असफल प्रयास किया है। नागेश का कथन यह है कि-यद्यपि 'दृढतर—' इस पद्य में श्लेष है तथापि 'सर्वदोमाधवः' के समान यहाँ भी अभेदाध्यवसाय नहीं है, किन्तु 'आकार' शब्द के दो अर्थ 'दीर्घ अकार' और 'अवयवसंस्थान' ये परस्पर अन्वित होने के लिये 'भेद' के साथ अन्वित हो जाते हैं, उनमें अभेद का अध्यवसाय आवश्यक नहीं और यदि अभेदाध्यवसाय हो भी तथापि वह उपमान-उपमेय का साधारण धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि 'भेद' शब्द के रहने से उसकी साधारणता तिरस्कृत हो जाती है,

अतएव वह उपमा का प्रयोजक नहीं हो सकता, फलतः 'सकलकलम्' की अपेक्षा यहाँ की स्थिति भिन्न है। यह नागेश के कथन का एक खण्ड है। इस पर हिन्दी रसगङ्गाधरकार की टिप्पणी है कि "पर इसका जो निराकरण पण्डितराज ने किया है कि "तब 'दीर्घाक्षरादेव' कहते" इसका क्या उत्तर है ?" तात्पर्य यह कि यहाँ उपमासिद्धि के लिये अभेदाध्यवसाय करना कवि को अभीष्ट नहीं होता, अपि तु केवल व्यतिरेकसाधक वैधर्म्य दिखलाना ही अभीष्ट होता तब तो 'दीर्घ अक्षर के कारण ही कृपण और कृपाण में भेद है' इतना ही कहते, श्लिष्ट पद-प्रयोग नहीं करते। इस युक्ति का खण्डन नागेश ने नहीं किया, अतः उनका कथन शिथिल है।

नागेश के कथन का दूसरा खण्ड यह है कि—"दीर्घ अक्षर उपमान (कृपाण) में है, अतः उससे उपमेय (कृपण) का उत्कर्ष सिद्ध नहीं हो सकता' यह जो पण्डितराज ने लिखा है वह भी ठीक नहीं, क्यों कि उपमान का लक्षण है सादृश्य का प्रतियोगी होना और इस लक्षण के अनुसार प्रतीपालंकार की रीति से (उस अलंकार में प्रसिद्ध उपमेय-मुख आदि को ही उपमान और प्रसिद्ध उपमान-चन्द्र आदि को ही उपमेय बना लिया जाता है—अर्थात् 'मुखमिव चन्द्रः' ऐसा ही वर्णन किया जाता है) कृपण को भी उपमान माना ही जा सकता है और तब उपमेय माना जायगा कृपाण को, जिसमें दीर्घाक्षर रूप गुण की अधिकता के कारण उत्कर्ष सिद्ध होगा ही। 'सकलङ्क चन्द्र, अकलङ्क मुख के समान नहीं है'। इत्यादि वाक्यों में इसी प्रकार के उपमानोपमेय भाव का निर्वाह भी करना पड़ता है।"

इस खण्ड पर भी हिन्दी रसगङ्गाधरकार की अच्छी टिप्पणी है—'नागेश की यह बात भी यहाँ ठीक बैठती नहीं, क्योंकि प्रतीप में वैसा (प्रकृत को उपमान और अप्रकृत को उपमेय) माने बिना अलङ्कार ही नहीं बनता, पर यहाँ वैसी अनुपपत्ति है नहीं। रहा यह कि 'अकलङ्कमुखसदृशो न सकलङ्कश्चन्द्रः' इस व्यतिरेक की तरह यहाँ भी प्रकृत को उपमान माना जाय, सो भी ठीक नहीं क्यों कि आगे ग्रन्थकार ने ऐसे प्रतीप को भी उपमा के अन्तर्गत ही माना है। उनकी उपपत्ति है कि 'वाक्यभेद से कोई अलंकारान्तर नहीं होता' अतः यह सिद्ध हुआ कि उक्त वाक्य में व्यतिरेक प्रतीपोपमामूलक है, पर 'कृपण' और 'कृपाण' में जब वैसा वाक्य नहीं है तब भी प्रकृत को उपमान माना जाय इसमें कोई युक्ति नहीं है।

नागेश के कथन का तीसरा खण्ड यह है कि 'कुवलयानन्दकार ने अनुभयपर्यवसायी व्यतिरेक का यह उदाहरण दिया है' ऐसा जो पण्डितराज ने लिखा है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि उनके 'अनुभयपर्यवसायी' का अर्थ है 'उत्कर्ष और अपकर्ष दोनों में जिसका पर्यवसान न हो' और इस 'अनुभयपर्यवसायित्व' से उनको यह कहना है कि प्रकृत के अनुकूल उत्कर्ष और अपकर्ष में पर्यवसान न होने के कारण यहाँ व्यतिरेक के विद्यमान होने पर भी वह अलंकाररूप नहीं है, केवल वस्तुमात्र है। अलंकार तो यहाँ गम्योपमा ही है, क्योंकि 'कृपण' और 'कृपाण' में 'आकार' (दीर्घाक्षर तथा आकृति) का भेद होने पर भी अन्य सब तुल्य ही है—इस अर्थ में ही वाक्यार्थ का पर्यवसान होता है और चमत्कार भी उसी के कारण है।

इस अंशपर भी हिन्दी रसगङ्गाधरकार की टिप्पणी उद्धृत की जाती है—"यहाँ भी नागेश ने दीक्षित जी के पक्ष के बलाद् समर्थन का आग्रहमात्र किया है। जब आपके कथनानुसार यहाँ व्यतिरेकालंकार ही नहीं है तो फिर इसे दीक्षित जी ने उसके उदाहरण में दिया क्यों ? कहा जायगा कि वस्तुमात्ररूप व्यतिरेक का उदाहरण

देने के लिये ? सो अलंकारों में वस्तुमात्र का उदाहरण अन्यत्र भी दिया गया है या केवल यहीं ? यदि अनुभयपर्यवसायी व्यतिरेक अलंकाररूप होता ही नहीं, तब तो पण्डितराज के मत का ही समर्थन हुआ फिर यह व्यर्थ आडम्बर क्यों ? और ऐसा उदाहरण यहाँ देना भी भ्रम में डालने के अतिरिक्त कुछ नहीं।"

व्यतिरेकालंकारविषयकं विशेषं वक्तुमुपक्रमते—

अलंकारान्तरोत्थापितोऽप्ययं संभवति।

अलंकारान्तरेति। श्लेषातिरिक्तालंकारेत्यर्थः। अयम् व्यतिरेकः।

यह व्यतिरेक अलंकार श्लेष से अन्य अलंकारों के द्वारा भी उठाया जा सकता है।

तादृशमुदाहरणमुपस्थापयितुमाह—

यथा—

स्पष्टम्।

जैसे!

तादृशोदाहरणान्युपन्यस्यति—

'ईश्वरेण समो ब्रह्मा पिता साक्षान्महेश्वरः।
पार्वत्या सदृशी लक्ष्मीर्माता मातुः समा भुवि॥
पितास्य काष्ठसदृशः स्वयं पावकसंनिभः॥'

ब्रह्मा, ईश्वरेण शिवेन, समः तुल्यः, न तु ईश्वररूप इति भावः, पिता जन्मदः, पुनः, साक्षात्, महेश्वरः शिवः, अस्तीति शेषः। लक्ष्मीः, पार्वत्या भवान्या, सदृशी तुल्या, नाद्वितीयेति भावः, भुवि संसारे, माता जननी, मातुः, एव, समा अनुपमेति यावत् अस्तीति शेषः। अस्य कस्यचिद् वर्णनीयस्य पुरुषस्य, पिता, काष्ठसदृशः काष्ठतुल्यः निस्तेजा अकिञ्चित्कर इति भावः, स्वयम्, तु अयम्, पावकसंनिभः अग्नितुल्यः, वर्तते इति शेषः।

अलंकारान्तरोत्थापित व्यतिरेक के उदाहरण दिखलाये जाते हैं—ईश्वरेण इत्यादि।

ब्रह्मा जी शिव जी के समान हैं, शिवरूप नहीं, पिता तो साक्षात् शिवरूप ही हैं। लक्ष्मी जी आखिर पार्वती के सदृश हैं, संसार में माता तो अपनी जैसी आप ही होती है।

इसका पिता काष्ठ के तुल्य है और यह स्वयम् अग्नि के समान है।

उपपादयति—

अत्र रूपकानन्वयोपमा उपमेयोत्कर्षस्योपमा एवोपमानापकर्षस्य च हेतवः।

अयं भावः—'ईश्वरेण समः—' इति अर्धश्लोकात्मके प्रथम उदाहरणे वर्णनीयतयोपमेयभूते पितरि शिवरूपत्वकथनादुत्कर्षः, उपमानभूते ब्रह्मणि शिवसादृश्यकथनादपकर्षः, 'पार्वत्या—' इति द्वितीय उदाहरणे उपमेयभूतायां मातरि स्वासादृश्यात्मकातुलनीयत्वकथनादुत्कर्षः, उपमानभूतायां लक्ष्म्यां पार्वतीसादृश्यकथनादपकर्षः, 'पितास्य—' इति तृतीय उदाहरणे उपमेयभूते पुत्रे अग्निसादृश्यकथनादुत्कर्षः, उपमानभूते पितरि काष्ठसादृश्यकथनादपकर्षः प्रतीयते इति। फलतः त्रिषु व्यतिरेकेषु क्रमशः रूपकालंकारः,

अनन्वयालंकारः उपमालंकारश्चोपमेयोत्कर्षहेतुत्वं भजन्ते, उपमेयापकर्षहेतुत्वं पुनस्त्रिषु उपमालंकार एव भजत इति सारांशः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'ईश्वरेण—' इत्यादि पूर्वोक्त डेढ़ श्लोकों में तीन व्यतिरेक हैं—१-ब्रह्मरूप उपमान की अपेक्षा पितृरूप उपमेय का उत्कर्ष, २-लक्ष्मीरूप उपमान की अपेक्षा मातृरूप उपमेय का उत्कर्ष, ३-पितृरूप उपमान की अपेक्षा पुत्ररूप उपमेय का उत्कर्ष। इन तीनों व्यतिरेकों में से प्रथम व्यतिरेक में उपमेय के उत्कर्ष का कारण है रूपकालंकार-अर्थात् पिता की शिवरूपता और उपमान के अपकर्ष का कारण है उपमालंकार-अर्थात् ब्रह्मा जी का शिव-सादृश्य, द्वितीय व्यतिरेक में उपमेय के उत्कर्ष का कारण है अनन्वयालंकार-अर्थात् 'माता माता जैसी ही होती है' यह कथन और उपमान के अपकर्ष का हेतु यहाँ भी उपमालंकार ही है—अर्थात् लक्ष्मी में पार्वती-सादृश्यवर्णन, तृतीय व्यतिरेक में उपमेय के उत्कर्ष का भी कारण है उपमालंकार-अर्थात् पुत्र में अग्नि-सादृश्य, और उपमान के अपकर्ष का भी कारण उपमालंकार ही है—अर्थात् पिता का काष्ठ-सादृश्य ।

तात्पर्य यह कि इन उदाहरणों में कहीं भी श्लेष उत्कर्ष अथवा अपकर्ष का कारण नहीं है ।

अपरं विशेषमाह—

अस्य चालंकारस्य सादृश्यगर्भत्वात् सादृश्यस्य च त्रिविधधर्मोत्थापितत्वात् अत्रापि तत्प्रकारानुगमो बोध्यः ।

अस्येति । व्यतिरेकस्येत्यर्थः । त्रिविधेति । अनुगामि बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न—वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नेत्यर्थः । एतच्चोपमानिरूपणे स्पष्टीकृतम् । अत्रापि व्यतिरेकेऽपि । तत्प्रकारानुगमः त्रिविधधर्मोत्थापितत्वम् ।

व्यतिरेक के विषय में एक अन्य स्पष्टीकरण किया जाता है—अस्य च इत्यादि ।

यह व्यतिरेक सादृश्यमूलक अलंकार है और सादृश्य का उत्थान तीन प्रकार के धर्मों के कारण होता है, अतः इस व्यतिरेक में भी उन तीनों प्रकारों का संबन्ध समझना चाहिए। सादृश्योत्थापक धर्मों के तीन प्रकार हैं—अनुगामी, बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न और वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न । इन प्रकारों का विश्लेषण उपमा-प्रकरण में किया जा चुका है ।

तत्र प्रथमं प्रकारमुदाहर्तुमाह—

तत्रानुगामिनि धर्मे यथा—

स्पष्टम् ।

उन तीनों प्रकारों में से प्रथमप्रकारक उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जाता है—तत्र इत्यादि ।

उनमें से अनुगामी धर्म में व्यतिरेक जैसे— ।

उदाहरणं प्रस्तौति—

'अरुणमपि विद्रुमद्रुं मृदुलतरं चापि किसलयं बाले ।
अधरीकरोति नितरां तवाधरो मधुरिमातिशयात् ॥'

हे बाले !, तव, अधरः, मधुरिमातिशयात् माधुर्याधिक्यात्, अरुणमपि रक्तवर्णमपि, विद्रुमद्रुमम् प्रबालतरुम्, मृदुलतरमपि कोमलतरमपि, किसलयञ्च नवपल्लवञ्च, नितराम् अत्यन्तम्, अधरीकरोति अधो विधत्ते इत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—अरुणमपि इत्यादि ।

हे बाले ! तेरा अधर, माधुर्याधिक्य के कारण, लाल होने पर भी मूंगे को और कोमलतर होने पर भी नवपल्लव को नीचे कर देता है ।

उपपादयति—

अत्रारुण्यम्रदिमानावनुगामिनौ ।

'अरुणमपि—' इति पद्ये रक्तत्वकोमलतरत्वरूपावुक्तौ धर्मौ विद्रुम-किसलययोरुपमानयोरधरे उपमेये चैकरूपेणान्वीयमानत्वेनानुगामिनौ स्त इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'अरुणमपि—' इस पद्य में अरुणता और मृदुता ये दोनों ही अनुगामी साधारण धर्म हैं—अर्थात् उपमान तथा उपमेय दोनों में एक रूप से अन्वित होते हैं । व्यतिरेक का उत्थापक है यहाँ मधुरिमातिशय ।

द्वितीयं प्रकारमुदाहर्तुमाह—

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्ने यथा—

स्पष्टम् ।

बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न साधारण धर्म वाला व्यतिरेक जैसे— ।

उदाहरणमाह—

'जलजं ललितविकासं सुन्दरहासं तवाननं हसति ।'

सुन्दरो हासो यस्य यस्मिन्वा तादृशम्, तव भवत्याः, आननम् मुखम् कर्तृपदमेतत्, ललितः रमणीयः विकासो यस्य तादृशम्, जलजम् कमलम् कर्म, हसति तुच्छमवगच्छतीत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—जलजम् इत्यादि ।

सुन्दर हास वाला तेरा मुख रमणीय विकासवाले जलज (कमल) को हसता है—तुच्छ समझता है ।

उपपादयति—

अत्र हासविकासयोर्बिम्बप्रतिबिम्बभावः, लालित्यसौन्दर्ययोः शुद्धसामान्यता । श्लेषोपात्तं जडजत्वं स्वाश्रयापकर्षहेतुः ।

अत्रेति । 'जलजम्—' इति पद्यखण्ड इत्यर्थः । बिम्बप्रतिबिम्बभाव इति । समानयोर्द्वयोर्वस्तुनोः शब्दद्वयेन कथनादिति भावः । तृतीयस्यापीदमेवोदाहरणमित्याह— लालित्येति । शुद्धसामान्यतेति । वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नतेति भावः । व्यतिरेकाङ्गभूतोपमानापकर्षमुद्घाटयति—श्लेषोपात्तमिति । स्वाश्रयेति । कमलेत्यर्थः । डलयोः साम्यात् जलजपदे श्लेषः, तेन जडजमित्यर्थोऽपि ततो निस्सरति, जडजत्वञ्च स्वाधारं कमलमपकर्षतीति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

यहाँ हास और विकास बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्न साधारण धर्म हैं अर्थात् एक तरह की दो वस्तु हास-विकास इन दो भिन्न पदों द्वारा कही गई है । लालित्य और सौन्दर्य

शुद्ध सामान्यरूप—अर्थात् वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न हैं। तात्पर्य यह कि लालित्य तथा सौन्दर्य एक ही वस्तु है केवल शब्द भिन्न है। इस तरह तृतीय भेद का भी उदाहरण यहाँ ही प्राप्त हो गया। अलंकार शास्त्र के अनुसार 'ड' तथा 'ल' को एक माना जाता है, अतः 'जलज' पद में 'जडज' इस तरह का श्लेष हो जाता है जिसका अर्थ होता है जड़ पदार्थ से उत्पन्न, यह अर्थ कमलरूप उपमान को अपकृष्ट सिद्ध करता है।

उपसंहरन्नाह—

एवं सादृश्यनिषेधालीढो व्यतिरेको निरूपितः। अभेदनिषेधालीढोऽप्येष संभवति यथा—

'निष्कलङ्क निरातङ्क चतुःषष्टिकलाधर।
सदापूर्ण महीप त्वं चन्द्रोऽसीति मृषावचः॥'

इतः प्राक् यो व्यतिरेको वर्णितस्तत्र सादृश्यस्य निषेधः कृतोऽभवत्, परंतु अभेद-निषेधयुक्तोऽपि व्यतिरेको भवितुमर्हति। यथा—'निष्कलङ्क—' इत्यत्र। निष्कलङ्के निरातङ्के, चतुःषष्टिकलाधारिणि सर्वदा धनधान्यादिपरिपूर्णे त्वयि सकलङ्कस्य राहुग्रासातङ्कयुक्तस्य, षोडशकलस्य क्षयशीलस्य चन्द्रस्याभेद इति कथनं मिथ्येति भावः। अत्र व्यतिरेकचन्द्र-रूपोपमानापेक्षया राजरूपोपमेयस्योत्कर्षात्मकेऽभेदस्य निषेधः स्पष्ट एव।

उपसंहार के साथ एक अतिरिक्त तथ्य का उद्घाटन किया जाता है—एवम् इत्यादि।

पूर्वोक्त रीति से व्यतिरेकालंकार के उस प्रकार का निरूपण किया जा चुका जिसमें सादृश्य का निषेध किया गया रहता है। पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यह अलङ्कार सादृश्य-निषेध युक्त ही होता है। अभेद-निषेध युक्त भी यह हो सकता है, जैसे—'निष्कलङ्क—अर्थात् हे कलङ्करहित आतङ्कमुक्त, चौंसठ कलाओं का धारण करने वाले और सर्वदा परिपूर्ण रहने वाले राजन्, 'तुम चन्द्र हो' यह वचन मिथ्या है।' इत्यादि में। यहाँ सकलङ्क राहु के आतङ्क से युक्त षोडश कलावाले और सर्वदा पूर्ण नहीं रहने वाले चन्द्र की अपेक्षा पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त वर्णनीय राजा में उत्कर्ष ज्ञात होता है—अतः व्यतिरेक स्पष्ट है और इस व्यतिरेक में चन्द्र-सादृश्य का नहीं, अपितु, चन्द्राभेद का निषेध 'चन्द्रोऽसीति मृषावचः' से किया गया है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे व्यतिरेकप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्यनिबन्धगतव्यतिरेकालंकारनिरूपणप्रकरणं समाप्तमवगन्तव्यमिति भावः।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां व्यतिरेकप्रकरणम्॥

रसगङ्गाधरगत व्यतिरेकालंकार प्रकरण की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई॥

व्यतिरेकनिरूपणानन्तरं सहोक्तिनिरूपणमारभते—

अथ सहोक्तिः—

सहोक्तिरिति। सहोक्तिनिरूपणमित्यर्थो लक्षणया। अथेत्यारम्भार्थकम् पदम्। तथा च सहोक्तिनिरूपणमारब्धं वेदितव्यमिति भावः।

व्यतिरेक-निरूपण के बाद अब 'सहोक्ति' का निरूपण करने के लिये कहा जाता है—अथ इत्यादि।

सहोक्ति अलंकार का निरूपण अब आरब्ध समझना चाहिए।

आदौ तल्लक्षणमाह—

गुणप्रधानभावावच्छिन्नसहार्थसंबन्धः सहोक्तिः ।।

गौणमुख्यभावावच्छिन्नयोरर्थयोः यः सहार्थात्मकः संबन्धः स एव सहोक्तिरलंकार इति भावः ।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—गुणप्रधान इत्यादि ।

जिनमें से एक गौण हो और दूसरा प्रधान ऐसे दो अर्थों का 'सह' (साथ) शब्दार्थ-मूलक संबन्ध सहोक्ति हैं ।

लक्षणं विवेचयति—

हृद्यत्वं चालंकारसामान्यलक्षणगतं सकलालंकारसाधारणमेवेत्यसकृदुक्तम् । तच्चात्र कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्ययात्मिकया श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसानात्मिकया केवलाभेदाध्यवसानात्मिकया चातिशयोक्त्याऽनुप्राणनेभ वतीति वदन्ति ।

हृद्यत्वं चेत्यादि । रमणीय एव तादृशः सहार्थसंबन्धः सहोक्तिरलंकारो न तु अरमणीयः । रमणीयता च कविप्रतिभानिर्वर्तितत्वे भवति । तेन 'पुत्रेण सहागतः पिता' इत्यादौ नायमलंकार इति भावः । सहोक्तौ हृद्यत्वं कदा भवतीति स्फुटयति—तच्चेति । हृद्यत्वं चेत्यर्थः । श्लेषभित्तिकेति । श्लेषमूलकेत्यर्थः । केवलेति । श्लेषरहितेत्यर्थः । अतिशयोक्त्या तत्सहकारेण । अनुप्राणने पोषणे । वदन्तीति । प्राचीना इति शेषः । एतेन नेदं मम मतमिति सूचितम् ।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—हृद्यत्वं च इत्यादि ।

अलङ्कार के सामान्य लक्षण से प्राप्त सौन्दर्य सभी अलंकारों के लिये साधारण है—(अपेक्षित तत्त्व है) सौन्दर्य के अभाव में अलंकारत्व हो ही नहीं सकता यह बात बार-बार कही जा चुकी है । वह सौन्दर्य इस सहोक्ति अलंकार में 'कारण-कार्य की पूर्वापरता की विपरीतता' रूप, अथवा 'श्लेषमूलक अभेदाध्यवसान रूप, किंवा 'केवल अध्यवसान' रूप अतिशयोक्ति से अनुप्राणित होने पर होता है—ऐसा प्राचीन आचार्य कहते हैं । इससे यह सूचित हुआ कि ग्रन्थकार का यह अपना मत नहीं है ।

पदकृत्यमाह—

अनुकूलभावमथवा पराङ्मुखत्वं सहैव नरलोके ।
अन्योन्यविहितमन्त्रौ विधि-दिल्लीवल्लभौ वहतः ।।'

इत्यादावतिप्रसङ्गवारणायावच्छिन्नान्तम् ।

'अनुकूल·······' इति । अन्योन्यं परस्परं विहितः कृतः मन्त्रः विचारः, याभ्याम्, तौ, विधिदिल्लीवल्लभौ अदृष्टदिल्लीशौ, नरलोके संसारे, सहैव युगपदेव, अनुकूलभावम् अनुकूलताम् , अथवा, पराङ्मुखत्वम् प्रतिकूलताम् , वहतः धारयतः इत्यर्थः । दिल्लीशो यस्मिन् अनुकूलस्तस्मिन् विधिरप्यनुकूलः, स यत्र प्रतिकूलस्तत्र विधिरपि प्रतिकूल इति भावः । अत्र द्वयोः पदार्थयोः सहार्थसंबन्धसत्त्वेऽपि तयोः पदार्थयोः समप्राधान्येन गुण-प्रधानभावाभावेन न लक्षणप्रसक्तिरिति भावः ।

लक्षणगत विशेषण की सार्थकता दिखलाई जाती है—अनुकूलभाव इत्यादि ।

'अनुकूलभावम्—अर्थात् इस संसार में जिस मनुष्य के प्रति दिल्लीपति अपनी अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं उसके प्रति विधाता भी अनुकूलता दिखलाते हैं और जिस मनुष्य के प्रति दिल्लीपति प्रतिकूलता प्रकट करते हैं उसके प्रति विधाता भी प्रतिकूलता ही प्रकट करते हैं इससे ऐसा ज्ञात होता कि ये दोनों (दिल्लीपति और विधाता) परस्पर विचार के द्वारा एकवाक्यता कर चुके हों।' इत्यादि स्थानों में अतिप्रसङ्ग के वारणार्थ लक्षण में अवच्छिन्नान्त भाग कहा गया है। तात्पर्य यह कि 'जिनमें से एक गौण और दूसरा प्रधान हो ऐसे दो अर्थों का' लक्षणगत इस उक्ति के कारण उक्त श्लोक में सहोक्ति नहीं होती, क्योंकि यहाँ सहार्थ सम्बन्ध के रहने पर भी उस संबन्ध के संबन्धी दो अर्थों (दिल्लीपति-विधाता) में से एक की गौणता और दूसरे की प्रधानता नहीं है, अपितु दोनों की समान रूप से प्रधानता ही है।

लक्ष्यं निर्देष्टुमाह—

उदाहरणम्—

यथेति शेषः।

उदाहरण जैसे—।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'केशैर्वधूनामथ सर्वकोषैः प्राणैश्च साकं प्रतिभूपतीनाम्।
त्वया रणे निष्करुणेन राजंश्चापस्य जीवा चकृषे जवेन॥'

कविः कमपि राजानं स्तौति—हे राजन्', रणे निष्करुणेन युद्धे निर्दयेन, एतेन युद्धादन्यत्र सदयत्वं सूचितम्, त्वया भवता, प्रतिभूपतीनाम् शत्रुभूतानां राज्ञाम् वधूनाम् पत्नीनाम्, केशैः, कचैः, सर्वकोषैः समग्रसंचितधनैः, प्राणैश्च, साकम् सह, जवेन वेगेन, चापस्य धनुषः, जीवा प्रत्यञ्चा, चकृषे आकृष्टेत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—केशैः इत्यादि।

कवि के द्वारा की गई राजा की स्तुति है—हे राजन्! युद्ध में निर्दय तुमने विपक्षी राजाओं के केश, सब खजाने और प्राणों के साथ धनुष की प्रत्यञ्चा वेग से खींच ली।

उपपादयति—

अत्र चापाकर्षणकार्याणां केशाकर्षणादीनां पौर्वापर्यविपर्ययेणानुप्राणितः सहभावः, निष्करुणत्वेन च पौर्वापर्यविपर्ययः।

'केशैः—' इति पद्ये गुणीभूतानां केशादीनाम् प्रधानीभूताया जीवायाश्च सहार्थसंबन्धस्य वर्णनेन सहोक्तिरलंकारः, स च प्रकृते कारणतया पूर्वभावित्वेन वर्णयितुमुचितस्य चापाकर्षणस्य, कार्यतया पश्चाद्भावित्वेन वर्णयितुमुचितानां केशाकर्षणादीनां सहभावात्मकेन पौर्वापर्यविपर्ययेण (अतिशयोक्त्या) पोषित इति विच्छित्तिभूमिरिति भावः। ननु विपर्यय एव कथमत आह—निष्करुणेति। तादृशविपर्यये। निष्करुणत्वमेव कारणमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'केशैः—' इस पद्य में जिन चापाकर्षण और केशाद्याकर्षणों का साथ होना वर्णित हुआ है वे वस्तुतः कारण-कार्यरूप होने के कारण पूर्व-पश्चाद्भावी हैं—अर्थात् धनुष का आकर्षण कारण होने से पूर्वभावी और केशादि का आकर्षण कार्यरूप होने से पश्चाद्-

भावी है, पर यहाँ कारण-कार्य के पूर्वपश्चाद्भाव में विपर्यय कर दिया गया—अर्थात् दोनों का साथ होना वर्णित हुआ है यह अतिशयोक्ति का एक प्रकार है और इस अतिशयोक्ति से अनुप्राणित है यहाँ की सहोक्ति—गौण—केश आदि का और प्रधान प्रत्यञ्चा का सहार्थ संबन्ध । उक्त कारण-कार्य-विपर्य का हेतुरूप में कही गई है राजा की निष्करुणता ।

उदाहरणान्तरं प्रदर्शयितुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम् ,

अथवा जैसे—।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'भाग्येन सह रिपूणामुत्तिष्ठसि विष्टरात्क्रुधाविष्टः ।
सहसैव पतसि तेषु क्षितिशासन मृत्युना साकम् ॥'

हे क्षितिशासन पृथवीपालक नृप, त्वम् , क्रुधाविष्टः क्रोधावेगयुक्तः सन् रिपूणां शत्रूणां भाग्येन, सह, विष्टरात् आसनात् , उत्तिष्ठसि, किञ्च, मृत्युना, साकम् , तेषु शत्रुषु, सहसैव अकस्मादेव, पतसि इत्यर्थः । क्रुद्धस्त्वं यदैव शत्रुदमनार्थमासनमपहायोत्तिष्ठसि तदैव भाग्यं तव शत्रूनपहाय दूरं गच्छति । अपि च यदैव शत्रुषु पतसि तदैव तेषु मृत्युरपि पततीति भावः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—भाग्येन इत्यादि ।

हे पृथ्वीपाल ! तुम क्रोधाविष्ट होने पर शत्रुओं के भाग्य के साथ आसन से उठते हो और मृत्यु के साथ सहसा ही उन पर गिरते हो ।

तात्पर्य यह कि तुझे आसन से उठते ही शत्रुओं का भाग्य भी उठ जाता है—समाप्त हो जाता है और तेरे द्वारा आक्रमण होने के साथ ही शत्रुओं पर मृत्यु का भी आक्रमण हो जाता है ।

अत्र राजोत्थान-पतनकार्ययोः भाग्योत्थान-मृत्युपतनयोः पौर्वापर्यविपर्ययेणानुप्राणिता सहोक्तिः पूर्ववदेवेति तदुपपादनमुपेक्ष्य पूर्वोदाहरणतो वैलक्षण्यमुपदर्शयति—

पूर्वं तु कर्मणः सहोक्तिः, इह कर्तुरिति भेदः ।

'केशैः—' इति प्रथमोदाहरणे कर्षणक्रियाकर्मणां केश-कोष-प्राण-जीवानां सहभावः, 'भाग्येन—' इति द्वितीयोदाहरणे तु उत्थानक्रियाकर्त्रोर्भाग्यवर्णनीयनृपयोः पतनक्रियाकर्त्रोर्मृत्युवर्णनीयनृपयोश्च सहभाव इति विशेष इति भावः ।

प्रथम उदाहरण से इस उदाहरण में वर्तमान अन्तर स्फुट किया जाता है—पूर्वं तु इत्यादि ।

पहले—अर्थात् 'केशैः—' इस उदाहरण में कर्मकारक की सहोक्ति है—अर्थात् कर्षणक्रिया के कर्म प्रत्यञ्चा का केश आदि के साथ सहभाव है और यहाँ अर्थात् 'भाग्येन—' इस उदाहरण में कर्तृकारक की सहोक्ति है—अर्थात् उत्थान तथा पतन क्रिया के कर्ता वर्णनीय राजा का भाग्य तथा मृत्यु के साथ सहभाव है यही दोनों में अन्तर है ।

द्वितीयभेदोदाहरणमाह—

'त्वयि कुपिते रिपुमण्डलखण्डनपाण्डित्यसंपदुद्दण्डे ।
गिरिगहनेऽरिवधूनां दिवसैः सह लोचनानि वर्षन्ति ॥'

राजवर्णनमिदम्—हे राजन् , रिपुमण्डलस्य शत्रुसमूहस्य, खण्डने नाशने, यत् पाण्डित्यम् चातुर्यम् , तदेव संपत् ऐश्वर्यम् , तथा उद्दण्डे उद्धते, त्वयि भवति, कुपिते क्रुद्धे सति, गिरिगहने पर्वतीयकानने, अरिवधूनाम् शत्रुस्त्रीणाम् लोचनानि, नयनानि, दिवसैः सह अहोभिः साकम् , वर्षन्ति वर्षवदाचरन्ति जलपातं च कुर्वन्तीत्यर्थः । दिवसा वर्षवदाचरन्ति, नयनानि जलं मुञ्चन्तीति विवेको बोध्यः ।

द्वितीय भेद (श्लेषमूलक अभेदाध्यवसानात्मक अतिशयोक्ति से अनुप्राणित सहोक्ति) का उदाहरण दिया जाता है—त्वयि इत्यादि ।

किसी राजा से कवि कह रहा है—हे राजन् ! शत्रुसमूह के विनाश की चतुरतारूप सम्पत्ति के कारण उद्धत आपके क्रुद्ध होने पर पर्वतीय वन में शत्रु की स्त्रियों के दिनों के साथ ही नेत्र 'वर्षन्ति' (बरसने लगते हैं—वर्ष से हो जाते हैं) ।

उपपादयति—

अत्र वर्षण-वर्षवदाचरणयोः श्लेषेणाभेदाध्यवसितिः ।

'त्वयि कुपिते—' इत्येतत्पद्यगतस्य 'वर्षन्ति' इति पदस्य द्विधा प्रक्रिया संभवति—भ्वादिगणपठितात् 'वृषु सेचने' इत्यस्माद्धातोर्लट् झिरित्येका वर्षवदाचरन्ति इति विग्रहे वर्षशब्दादब्दार्थकात् 'सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विप् वा वक्तव्यः' इति वार्तिकेन क्विप् इत्यपरा । एवञ्च 'वर्षन्ति' इत्यस्मात् पदात् वर्षण-वर्षवदाचरणेत्युभयोरर्थयोर्बोधो जायते । अवगम्यमानयोस्तयोरर्थयोः श्लेषमूलकाभेदाध्यवसानमिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'त्वयि कुपिते—' इस पद्य में 'वर्षन्ति' पद से अवगत होने वाले 'बरसना' और 'वर्ष की तरह आचरण करना' इन दोनों अर्थों का श्लेष द्वारा अभेद मान लिया गया है अतः यह पद्य श्लेषमूलक अभेदाध्यवसानरूप अतिशयोक्ति से अनुप्राणित 'सहोक्ति' का उदाहरण होता है ।

अस्यैव भेदस्योदाहरणान्तरमुपस्थापयितुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्

अथवा जैसे—'

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'बहु मन्यामहे राजन्न वयं भवतः कृतिम् ।
विपद्भिः सह दीयन्ते संपदो भवता यतः ॥'

हे राजन्, वयम् , भवतः तव, कृतिम् क्रियाम् बहु न मन्यामहे अधिकं नाद्रियामहे, यतः यस्मात् कारणात्, भवता त्वया, विपद्भिः विपत्तिभिः, सह साकम् , संपदः संपत्तयः, दीयन्ते अवखण्ड्यन्ते ('दो अवखण्डने' इत्यस्य रूपम्) अथ च वितीर्यन्ते (दाधातोः रूपम्) । विपत्तयः खण्ड्यन्ते सम्पत्तयश्च वितीर्यन्ते इति भावः । नागेशस्तु 'अत्र शत्रूणां

विपन्मित्राणां संपदिति बोध्यम् ।' इति व्याचख्यौ । परन्तु नेदं व्याख्यानं मनोहरं प्रतिभाति ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—बहु इत्यादि ।

हे राजन् ! हम आपके कर्तव्य को अधिक आदर नहीं देते, क्योंकि आपके द्वारा संपत्तियों का 'दान' (वितरण-खण्डन) विपत्तियों के साथ किया जाता है । 'दो अवख-ण्डने' धातु से 'दीयन्ते' की सिद्धि मानकर खण्डन अर्थ निकलता है जिसका अन्वय विपत्ति के साथ और 'डुदाञ् दाने' धातु से उक्त पद की सिद्धि मानकर वितरण अर्थ किया जाता है जिसका अन्वय सम्पत्ति के साथ किया जाता है ।

उपपादनपुरस्सरं पूर्वोदाहरणतो वैलक्षण्यं बोधयति—

पूर्वा कर्तृसहोक्तिः, इयं तु कर्मसहोक्तिर्व्याजस्तुतिसंवलिता ।

'त्वयि कुपिते—' 'बहु मन्यामहे-' इत्यनयोरुदाहरणयोः श्लेषमूलकाभेदाध्यव-सानरूपातिशयोक्त्यनुप्राणने समानेऽपि प्रथमोदाहरणे कर्तृकारकयोः, द्वितीयोदाहरणे कर्मकारकयोः सहोक्तिरित्येको भेदः, प्रथमोदाहरणे नालंकारान्तरसंवलनम् द्वितीयोदाहरणे आपाततो वर्णनीयस्य नृपस्य निन्दाप्रतीतावपि परमार्थतः स्तुतिप्रतीतेः सत्त्वेन व्याज-स्तुतिनामकालंकारान्तरसंवलनमस्तीति द्वितीयो भेद इति भावः ।

उपपादन के साथ-साथ प्रथम उदाहरण से विलक्षणता द्वितीय उदाहरण में दिखलाई जाती है—पूर्वा तु इत्यादि ।

अभिप्राय यह है कि 'त्वयि कुपिते—' और 'बहु मन्यामहे—' इन दोनों उदाहरणों में श्लेषमूलक अभेदाध्यवसानरूप अतिशयोक्ति से अनुप्राणन यद्यपि समान है तथापि दोनों उदाहरणों में विलक्षणता है और वह भी एक तरह की नहीं, अपितु दो तरह की । जैसे—प्रथम उदाहरण में दो कर्ताओं का सहभाव कहा गया है और द्वितीय उदाहरण में दो कर्मों (कर्मकारकों) का यह एक प्रकार की विलक्षणता हुई और दूसरी विलक्षणता यह हुई कि प्रथम उदाहरण में किसी अन्य अलंकार का संवलन (मिश्रण) नहीं है और द्वितीय उदाहरण में व्याजस्तुति अलंकार का संवलन है । व्याजस्तुतिअलंकार, यहाँ इस लिये होता है कि आपाततः वर्णनीय राजा की निन्दा प्रतीत होती है पर वस्तुतः सिद्ध होती है उसकी स्तुति । स्तुति-निन्दा का ज्ञान पद्यार्थ पर ध्यान देने से स्वयं हो जा सकता है ।

तृतीयभेदोदाहरणमुपन्यस्यति—

'पद्मपत्रैर्नृणां नेत्रैः सह लोकत्रयश्रिया ।
उन्मीलन्तो निमीलन्तो जयन्ति सवितुः कराः ॥'

पद्मानां कमलानां, पत्रैर्दलैः, नृणां मनुष्याणां, नेत्रैः नयनैः, लोकत्रयस्य जगत्त्रयस्य, श्रिया कान्त्या च, सह, उन्मीलन्तः उदीयमानाः, निमीलन्तः मुद्रिता भवन्तः, सवितुः सूर्यस्य, कराः किरणाः, जयन्ति सर्वोत्कर्षेण वर्तन्त इत्यर्थः ।

तृतीय भेद-अर्थात् केवलाभेदाध्यवसानरूपातिशयोक्ति से अनुप्राणित सहोक्ति का उदाहरण दिया जाता है—पद्मपत्रैः इत्यादि ।

सूर्य-किरण का वर्णन है—सूर्य की उन किरणों का विजय है, जो कमल-दलों, मानव-नयनों और त्रिलोकी-शोभा के साथ ही उन्मीलित और निमीलित होती हैं ।

उपपादयति—

अत्रोन्मीलन-निमीलनयोः पद्मपत्त्राद्याश्रयभेदेन भिन्नयोरपि प्रकटत्वाप्रकटत्वाद्येकोपाध्यवच्छिन्नतयाऽभिन्नीकृतयोरुपादानमित्यस्त्येकक्रियासंबन्धः। अत एव न श्लेषः। तस्य प्रतिपाद्यतावच्छेदकभेद एव स्वीकारात्।

अयं भावः—'पद्मपत्रैः—' इत्यस्मिन् श्लोके पद्मपत्र-नृनेत्र-लोकत्रयश्रियां सूर्यकरस्य च उन्मीलन-निमीलनात्मकैकक्रियासंबन्धेन सहोक्तिर्भवति। ननु सूर्यकिरणानामुन्मीलन-निमीलने वियति प्रसरणसंकुचनरूपे, पद्मपत्र-नेत्रादीनां तु विकास-संपुटीभावरूपे अत एव मिथो भिन्ने, न चैवंविधभेदे को हेतुरिति वाच्यम्, आश्रयभेदस्य हेतुत्वात्, तथा च नैकक्रियासंबन्ध इति कथमिह सहोक्तिरिति चेन्न, प्रकटत्वरूपैकोपाधिविशिष्टत्वेनाभिन्नीकृतस्योन्मीलनपदार्थस्य, अप्रकटत्वरूपैकोपाधिविशिष्टत्वेनाभिन्नीकृतस्य निमीलनपदार्थस्यात्रोपादानेनैकक्रियासंबन्धसत्त्वात्। इति। प्रकटत्वविशिष्टे 'उन्मीलन्ति' पदस्य अप्रकटत्वविशिष्टे 'निमीलन्ति' पदस्य च शक्तिरिह स्वीकृतेति सारांशः। नन्वेवं श्लेष एवात्रापि पर्यवसितः, नेत्याह—अत एवेति! अत एवेत्यस्यार्थमाह—तस्येति। श्लेषस्येत्यर्थः। प्रतिपाद्यतावच्छेदेति। शक्यतावच्छेदकेत्यर्थः। द्वयोरर्थयोर्बोधे समानेऽपि श्लेषव्यवहारो भवति तत्रैव, यत्र प्रतिपाद्यतावच्छेदकभिन्नं तिष्ठति। प्रकृते तु उन्मीलनपदप्रतिपाद्यतावच्छेदकस्य, प्रकटत्वस्य, निमीलनपदप्रतिपाद्यतावच्छेदकस्याप्रकटत्वस्य चैक्यात् क्रमशः वियदधिकरणकप्रसरण-विकासयोः वियदधिकरणकसंकुचन-संपुटीभावयोर्द्वयोर्द्वयोरर्थयोस्ततो बोधेऽपि न श्लेषव्यवहारः। तथा च केवलाध्यवसानरूपातिशयोक्त्यनुप्राणितसहोक्तेरुदाहरणमिदं पद्यं सम्पद्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्रोन्मीलन इत्यादि।

'पद्मपत्रैः—' इस पद्य में वर्णित उन्मीलन और निमीलन यद्यपि पद्मपत्र आदि आश्रय-भेद के कारण भिन्न-भिन्न वस्तु हैं-अर्थात् सूर्यकिरणाश्रित उन्मीलन आकाशगत प्रसरणरूप तथा पद्मपत्र, मानवनयन, एवं त्रिलोकी शोभा में आश्रित उन्मीलन विकास-रूप माना जायगा, इसी तरह सूर्यकिरणाश्रित निमीलन आकाशगत संकुचनरूप तथा पद्मपत्रादि में आश्रित निमीलन मुद्रणरूप समझा जायगा, ऐसी स्थिति में किसी एक क्रिया के साथ पद्मपत्रादि और सूर्य-किरण का अन्वय नहीं हुआ, अतः सहोक्ति कैसे? यह आशङ्का उठ सकती है, तथापि इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि उन्मीलन शब्द के जो दो अर्थ (प्रसरण और विकास) कहे गए हैं उन दोनों में प्रकटता समानरूप से है, अतः प्रकटत्व रूप एक उपाधि से युक्त होने के कारण अभिन्न बनाए गए उन दोनों अर्थों का उन्मीलन से यहाँ ग्रहण होता है इसी तरह निमीलन के जो दो अर्थ (संकुचन तथा मुद्रण) कहे गए हैं उन दोनों में अप्रकटता समानरूप से है, अतः अप्रकटत्व रूप एक उपाधि से युक्त होने के कारण अभिन्न बनाए गए उन दोनों अर्थों का निमीलन से ग्रहण यहाँ अभीष्ट है, तात्पर्य यह कि उन्मीलन तथा निमीलन से सामान्यतः प्रकटता और अप्रकटता ली जाती है अत एव सूर्यकिरण और पद्मपत्रादिक का एक क्रिया के साथ संबन्ध बन जाता है फलतः सहोक्ति भी बन जाती है।

आप कहेंगे-तब तो श्लेष ही पर्यवसित हो गया तो यह कहना उचित नहीं, क्योंकि श्लेष वहाँ होता है जहाँ प्रतिपादनीय अर्थगत धर्म दो हों, यहाँ तो उन्मीलन शब्द

द्वारा प्रतिपादनीय अर्थगत धर्म एक प्रकटता ही है इसी तरह निमीलन शब्द द्वारा प्रतिपादनीय अर्थगत धर्म भी एक अप्रकटता ही है, अतः यहाँ श्लेष का प्रसङ्ग नहीं उठ सकता है। फलतः यह पद्य केवल अभेदाध्यवसान रूप (श्लेषमूलक अभेदाध्यवसान रूप नहीं) अतिशयोक्ति से अनुप्राणित सहोक्ति का उदाहरण होता है।

विशेषमाह—

एषूदाहरणेषु सहयोगतृतीयाप्रयुक्तो गुणप्रधानभावः। प्राधान्येन क्रियान्वये तु यथायथं तुल्ययोगिता दीपकं वा भवति।

प्रागुपदर्शितेषु उदाहरणेषु सर्वत्र 'सहयुक्तेऽप्रधाने' इति पाणिनिसूत्रेण तृतीयाविभक्तिरप्राधान्यार्थिका विहिता, अतस्तत्र तत्र तृतीयाविभक्तिप्रकृत्यर्थस्य गौणत्वम् प्रथमाविभक्तिप्रकृत्यर्थस्य प्रधानत्वञ्च नियमतो भासते। अत एवैषु श्लोकेषु सहोक्तिर्भवति। गुणप्रधानभावाप्रतीतौ सहोक्तिः कुतो नाङ्गीक्रियत इत्याह—प्राधान्येनेति। प्राधान्येनानेकस्य क्रियान्वयस्थले यथायथम् (द्वयोः प्रकृतत्वे द्वयोरप्रकृतत्वे वा तुल्ययोगिता द्वयोरेकस्य प्रकृतत्वेऽपरस्याप्रकृतत्वे दीपकम्) तुल्ययोगितादीपकयोरेव स्वीकारेण सहोक्तेस्तथा सति न प्रसक्तिरिति भावः।

एक विशेष स्पष्ट किया जाता है—एषु इत्यादि।

पीछे जो इस अलंकार के उदाहरण दिखलाये गये हैं, उनमें 'सहयुक्तेऽप्रधाने' इस पाणिनि सूत्र से सहयोग में अप्रधानबोधक तृतीया विभक्ति के विधान के कारण गौण-मुख्यभाव प्रतीत होता है, अत एव इन उदाहरणों में सहोक्ति अलंकार मान्य हुआ है। तात्पर्य यह कि सहोक्ति के लिये गौण-मुख्यभाव का भासित होना आवश्यक है, क्योंकि जहाँ गौण-मुख्यभाव नहीं रहता है, अपि तु प्रधान रूप से ही अनेक पदार्थों का क्रिया के साथ अन्वय हुआ रहता है वहां उन अनेक पदार्थों के केवल प्रस्तुत अथवा केवल अप्रस्तुत रहने पर तुल्ययोगिता और उन अनेक पदार्थों में से एक के प्रस्तुत तथा दूसरे के अप्रस्तुत रहने पर दीपक हो जाता है।

व्यङ्ग्यसहोक्तिं निरूपति—

सहादिशब्दप्रयोगाभावेऽप्येषा संभवति। 'वृद्धो यूना—' इति निर्देशेन तृतीयायाः साम्राज्यात्। परं त्विवादिशब्दरहितोत्प्रेक्षादिवद्गम्या।

एषेति। सहोक्तिरित्यर्थः। निर्देशेनेति। अर्थयोगे तृतीया न शब्दयोगे—इत्यनेन ज्ञापनादिति भावः। गम्येति। व्यङ्ग्येत्यर्थः। सहोक्तिरिति शेषः।

व्यङ्ग्य सहोक्ति का निरूपण किया जाता है—सहादि इत्यादि।

'सह' आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होने पर भी यह 'सहोक्ति' अलंकार हो सकता है, क्योंकि 'वृद्धो यूना—' इस पाणिनिसूत्र के निर्देश से उस स्थिति में भी तृतीया विभक्ति का साम्राज्य है। तात्पर्य यह कि 'वृद्धो यूना—' इस सूत्र में पाणिनि ने सह आदि शब्द का प्रयोग नहीं रहने पर भी 'यूना' इस तृतीया विभक्तियुक्त पद का प्रयोग किया है जिससे यह विदित होता है कि 'सहयुक्तेऽप्रधाने' इस सूत्र से होने वाली तृतीया विभक्ति के लिये सह आदि शब्दों का योग अपेक्षित नहीं है, अपि तु सह आदि शब्द प्रतिपाद्य अर्थों का योग अपेक्षित है।

पर सह आदि शब्दों के अभाव में जब यह सहोक्ति होगी, तब वह वाच्य नहीं,

किन्तु व्यङ्ग्य कहलायगी। जैसे 'इव' आदि शब्दों के अभाव में होने वाले उत्प्रेक्षा आदि अलंकार व्यङ्ग्य कहलाते हैं।

विशेषमाह—

अप्रधानभावस्तु शाब्द एव।

सहादिप्रयोगे वाच्या तदप्रयोगे व्यङ्ग्या वा सहोक्तिर्भवतु सर्वत्र तृतीयाविभक्तिप्रकृत्यर्थस्याप्राधान्यं शाब्दमेव, नार्थमिति ग्रन्थकारसिद्धान्तः।

एक विशेष बात की सूचना दी जाती है—अप्रधान इत्यादि।

यह सहोक्ति सह आदि शब्द के प्रयोग के कारण वाच्य हो अथवा उसके अप्रयोग के कारण व्यङ्ग्य हो, हर हालत में यहाँ तृतीया विभक्ति जिस शब्द से हुई रहेगी उस शब्द के अर्थ की अप्रधानता शब्दबोध्य ही मानी जायगी, यह ग्रन्थकार का सिद्धान्त है।

अप्रधानभावस्याशाब्दत्वमाशंक्य समाधत्ते—

ननु कथमप्रधानभावः शाब्द इत्युच्यते ? यावता आर्थः क्रियाद्यन्वयितारूपः स स्यात् पदार्थान्तररूपो वा। उभयथाऽप्यस्य वाचकशब्दाभावादशाब्दत्वमेवेति चेत् न। अस्ति तावत् सखण्डमखण्डं वा प्रधानत्वम्। यद्वशात् अयमस्मिन्नगरे प्रधानं मुख्य इत्यादयो व्यवहारा आ पामरमुल्लसन्ति। तदभावरूपे चाप्रधानत्वे 'सहयुक्तेऽप्रधाने' इति शास्त्रेण तृतीयायाः शक्तेर्बोधनात्तस्य कथमशाब्दत्वम्। न च सहार्थेन युक्ते वस्तुतोऽप्रधाने तृतीयेति तस्यार्थः, न त्वप्रधानेऽर्थे वाच्ये इति। तथा च नोक्तार्थसिद्धिरिति वाच्यम्। एवं चाप्रधानग्रहणवैयर्थ्यापत्तेः। 'पुत्रेण सहागतः पिता' इत्यादौ पित्रादिभ्योन्तरङ्गात्वात्प्रथमोत्पत्तेरेवौचित्यात्। 'पुत्रेण सह पितुरागमनम्' इत्यादौ कारकविभक्तेः प्राबल्याच्च। अन्यथा 'षष्ठी शेषे' इत्यत्रापि विशेषणग्रहणापत्तेः। तस्माद्यथा 'हेतौ तृतीया' इत्यादि शास्त्रं हेतुशक्तिग्राहकमेवं 'सहयुक्तेऽप्रधाने' इत्यप्रधानशक्तिग्राहकम्। यथैव तत्र प्रकृत्यर्थस्याभेदेन विभक्त्यर्थेऽन्वयस्तथेहापि शक्यो वक्तुम्। धर्मिशक्तावपि कर्मत्वादीनामिवाप्राधान्यस्यापि शाब्दत्वमव्याहतमेव। षष्ठीस्थले तु विशेषणशब्दाभावान्नैवमिति स्फुटमेव वैलक्षण्यम्। एतेन 'अप्रधानग्रहणं शक्यमकर्तुम्' इति वदन्तो मनोरमाकाराः परास्ताः। उक्तप्रकारेण सार्थक्यसिद्धौ मुनिवचनस्य वैयर्थ्यकल्पनाया अन्याय्यत्वात्।

न च 'पुत्रेण सहागतः पिता' इत्यादौ पुत्राभिन्नाप्रधानसहित इति बोधस्याप्रामाणिकत्वान्नोक्तार्थसिद्धिरिति वाच्यम्। 'दण्डेन घटः' इत्यादौ दण्डजन्यतावान् घट इति हि सर्वजनीने बोधे 'हेतौ तृतीया' इति मुनिवचनावलम्बेन दण्डाभिन्नहेतुको घटः इति बोधं वदता भवतैवास्याः सरणेर्दर्शितत्वात्। 'भावप्रधानमाख्यातम्' इत्याद्यनेकैर्मुनिवचनैस्तत्र तत्र त्वत्कृतबोधवैपरीत्यस्यानुपपत्तेश्चेति कृतमप्रसक्तविचारेण।

यावतेति । यस्मादित्यर्थः । सः अप्रधानभावः । पदार्थान्तररूप इति । अखण्ड इत्यर्थः । चेन्नेति । तथानङ्गीकारादिति शेषः । अनङ्गीकारमेव स्फुटयति—अस्तीत्यादिना । सखण्डमिति । विशेष्यताख्यविषयतया प्रतीयमानत्वरूपम्, शाब्दक्रियान्वयित्वरूपं वेत्यर्थः । तदभावेऽपि तत्प्रतीतेराह—अखण्डं वेति । अनुभवबलादेव वैपरीत्यं नेति भावः । तदेवाह—यद्वशादिति । तस्येति । अप्रधानत्वस्येत्यर्थः ।

अप्रधानत्वं नाम आर्थक्रियान्वयित्वरूपम् अखण्डं वा भवितुमर्हति, पक्षद्वयेऽपि तस्य शाब्दत्वम् तदैव भवितुं योग्यं यदि तद्वाचकः कश्चन शब्द उपात्तः स्यात् । 'पुत्रेण सहागतः पिता' इत्यादौ तु अप्राधान्यवाचको न कश्चन शब्द उपात्त इति अप्रधानभावस्य शाब्दत्वोक्तिर्न संगतेति शङ्कितुराशयः, अप्रधानत्वं न सत्तया निर्वचनीयम्, अपि तु प्रधानत्वस्याभावरूपमेव तत्, प्रधानत्वञ्च पूर्वोक्तरीत्या सखण्डमखण्डं वा भवतु न तावता प्रकृते हानि-लाभौ, अप्रधानभावः 'पुत्रेण सहागतः—' इत्यादौ शाब्द एव, यतः 'सहयुक्ते—' इति सूत्रेण अप्रधानार्थे विहिततया अप्रधानभाववाचिकायास्तृतीयाविभक्तेः सत्त्वादिति च समाधातुर्ग्रन्थकर्तुराशय इति बोध्यम् । पुनः पूर्वपक्षी शङ्कते—न चेति । सिद्धान्ती समाधत्ते—एवं चाप्रधानेति । कथं तद्वैयर्थ्यापत्तिरिति चेत्तत्राह—पुत्रेणेति । नन्वेवमपि प्रथमाया अविषये दोषस्तदवस्थ एवेत्यत आह—पुत्रेण सह पितुरिति ।' कारकविभक्तेरिति । षष्ठ्या इत्यर्थः । नन्वेवमप्युक्तार्थतात्पर्यग्राहकतया तदावश्यकमत आह—अन्यथेति । एवमपि तदङ्गीकारे इत्यन्यथापदार्थः । विशेषणग्रहणापत्तेरिति । विशेष्ये षष्ठीवारणतात्पर्यग्राहकत्वेनेति भावः ।

अयं भावः—'सहार्थयुक्तात् अप्रधानात् पुत्रादिशब्दादुत्तरं तृतीया विभक्तिः स्यात्' इत्येवार्थः 'सहयुक्तेऽप्रधाने' इति शास्त्रस्य, न तु अप्रधानार्थबोधिका तृतीया स्यादिति तथा च तृतीयात्मवाचकसत्त्वादप्रधानभावः शाब्द इति कथनं न संभवतीति शङ्कायामिदं समाधानं यत् यदि तस्य सूत्रस्य अप्रधानबोधिका तृतीया इत्यर्थो न स्वीक्रियेत, तदा 'अप्रधान'-ग्रहणं व्यर्थं भवेत्, यतः तत् 'पुत्रेण सहागतः पिता' इत्यादौ प्रधानपित्रर्थबोधकपितृशब्दात्तृतीयावारणार्थमेव तदा स्यात्, तन्न युक्तम्, अन्तरङ्गत्वात्पितृशब्दात् प्रथमाया एवोत्पत्तौ ततस्तृतीयायाः स्वतोऽप्रसक्तेः, 'पुत्रेण सह पितुरागमनम्' इत्यादौ प्रथमाया अविषयेऽपि 'उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बलीयसी' इति न्यायेन पितृपदात् षष्ठ्या एव जायमानत्वाच्च । स्वतः सिद्धार्थतात्पर्यग्राहकतया तत्पदसाफल्यसमर्थनमपि न हृदयङ्गमम्, तद्रीत्या 'षष्ठी शेषे' इत्यत्रापि अर्थविशेषतात्पर्यग्रहणार्थम् विशेषणग्रहणस्य कर्तव्यतापातात् । एवञ्च 'सहयुक्ते—' इत्यस्य 'अप्रधानबोधिका तृतीया' इत्येवार्थस्तथा चाप्रधानभावस्य शाब्दत्वकथनं युक्तिपूर्णमेवेति । उपसंहरति—तस्मादिति । 'सहयुक्ते—' इति शास्त्रस्याप्रधानशक्तिग्राहकत्वन्न दृष्टान्तरहितम्, 'हेतौ तृतीया' इति शास्त्रीयहेतुशक्तिग्राहकत्वस्य भवदभिमतस्य दृष्टान्तत्वादिति भावः । नन्वप्रधानभावस्य शाब्दत्वेऽन्वयबोधः कया रीत्या भवेदिति चेत्तत्राह—यथैवेति, 'अध्ययनेन वसति' इत्यादौ यथा 'अध्ययनाभिन्नहेतुको वासः' इत्यादिर्बोधस्तथैव 'पुत्रेण सहागतः पिता' इत्यादौ 'पुत्राभिन्नाप्रधानसहितो भूतकालिकागमनानुकूलकृतिमान् पिता' इत्यादि

बोधः स्यादिति भावः। ननु 'अप्रधाने तृतीया' इत्युक्त्या धर्मिणि अप्रधानपदार्थे तृतीयायाः शक्तिर्गृह्यते, न तु अप्रधानत्वे धर्मे, तथा च पुनर्भवदुक्तेरसङ्गतिः स्पष्टेति चेत् तत्राह—धर्मिशक्तावपीति। यथा 'कर्मणि द्वितीया' इत्यादिशास्त्रेण कर्मादौ धर्मिणि द्वितीयायाः शक्तेर्ग्रहेऽपि कर्मत्वादेर्धर्मस्यापि शाब्दत्वं तथैवेहापि भवेदिति भावः। ननु अत्र 'अप्रधाने अर्थे वाच्ये तृतीया' इति यथा अर्थस्तथा 'षष्ठी शेषे' इत्यत्रापि 'विशेषणे षष्ठी भवति' इत्यस्य विशेषणे वाच्ये षष्ठीत्यर्थेन विशेषणत्वस्य शाब्दत्वं व्यपदिश्यतामिति चेत्त्राह—षष्ठीस्थले त्विति। अत्र यथा 'अप्रधाने' इत्युपात्तम् तथा तत्र 'विशेषण' इति नोपात्तम्, अतस्तत्र न तथार्थः न वा विशेषणत्वशाब्दत्वव्यपदेशप्रसङ्ग इति भावः। एतेनेत्यस्यार्थमाह—उक्तप्रकारेणेत्यादिना। पुनः पूर्वपक्षिणः कुतर्कमुद्भाव्य निरस्यति—न च इत्यादिना। 'पुत्राभिन्नाप्रधानसहितः' इत्याकारको बोधो नानुभवसिद्धः, भवदुक्तरीत्यनुसरणे तु तथैव बोधः अङ्गीकरणीयः स्यात्, अतस्त्वदुक्तरीतिस्त्याज्येति पूर्वपक्षिण आक्षेपस्येदमुत्तरं यत् 'दण्डेन घटः' 'रामो ग्रामं गच्छति' इत्यादौ 'दण्डजन्यतावान् घटः' 'ग्रामनिष्ठसंयोगानुकूलव्यापारानुकूलकृतिमान् रामः' इत्यादिप्रकारकमनुभवसिद्धं बोधमपहाय मुनिवचनानुरोधेन 'दण्डाभिन्नहेतुको घटः' 'रामाभिन्नाश्रयवृत्तिः ग्रामनिष्ठसंयोगानुकूलः व्यापारः' इत्यादिप्रकारको बोधो यथा भवद्भिः स्वीक्रियते तथा मयाप्यनुभवविरुद्धोऽपि मुनिवचनानुरोधेनात्र बोधः स्वीक्रियते इति।

अत्र 'कृतमप्रसक्तविचारेण' इति प्रतीकमवलंव्य नागेशः सुन्दरमभिधत्ते—"अत्रेदं सर्वं चिन्त्यम्। अप्रधानग्रहणप्रत्याख्यानपरभाष्यविरोधापत्तेः अप्रधानभृत्यैः सह गतो राजेत्यत्र तृतीयानापत्तेश्च। राज्ञा सह सेना गच्छतीत्यादौ (सेनापदात्) तृतीयापत्तेश्च अन्तरङ्गत्वस्य दुर्वचत्वेन तथोक्तेरसांगत्याच्च। बोधस्यान्यथा इष्यमाणत्वाच्च। सहोक्तिलक्षणं च यत्रैकस्य शाब्दः क्रियान्वयोऽपरस्य सहार्थबलादार्थः सा सहोक्तिरिति काव्यप्रकाशकृतामेवमेवोक्तिः। स्पष्टं चेदं सर्वं मञ्जूषायाम्।" इति।

अप्रधानता के शाब्दत्व पर शङ्का-समाधान किये जाते हैं—ननु इत्यादि।

"—'सह' शब्द के प्रयोग रहने पर तथा नहीं रहने पर भी आपने अप्रधानता को शाब्द जो कहा है वह कैसे? क्योंकि अप्रधानता को सखण्ड मानकर अर्थ द्वारा क्रिया आदि के साथ अन्वित होना उसका स्वरूप माना जाय अथवा उसको अखण्ड मानकर एक भिन्न स्वतन्त्र पदार्थ ही माना जाय दोनों ही स्थितियों में पुत्रेण सह पिता आगतः' इत्यादि स्थलों पर जब अप्रधानतावाचक कोई शब्द नहीं है तब वह (अप्रधानता) अशाब्द ही ठहरता है" ऐसी आशङ्का यदि की जाय तो उसका उत्तर यह होगा कि प्रथमतः आपने जो अप्रधानत्व का निर्वचन सखण्ड अथवा अखण्ड मानकर किया है वह अनुचित है, क्योंकि अप्रधानत्व तो प्रधानत्व का अभाव है, हाँ, प्रधानता अवश्य ही सखण्डत्व पक्ष में विशेष्यरूप से प्रतीत होना किंवा शब्दतः क्रिया में अन्वित होना रूप होता है और अखण्डत्व पक्ष में अन्य पदार्थरूप।

आप कहेंगे—इसमें क्या युक्ति कि प्रधानत्व का अभावरूप अप्रधानत्व को माना जाय-अर्थात् अप्रधानत्व के वैपरीत्य को ही प्रधानत्व क्यों नहीं कहा जाय, तो इसके समाधान में यह कहा जायगा कि प्रधानत्व अवश्य ही एक भावरूप पदार्थ है जिसके चलते 'इस नगर में यह प्रधान-मुख्य है' ऐसा व्यवहार आपामर जन करते आ रहे हैं।

द्वितीयतः आपने जो यह कहा है कि अप्रधानता का वाचक कोई नहीं है, अतः वह अशाब्द है यह भी असंगत कथन है क्योंकि 'पुत्रेण सह पिता आगतः' इत्यादि स्थल में, जहाँ 'सहयुक्तेऽप्रधाने' इस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई रहती है, प्रधानत्वाभाव-रूप अप्रधानत्व की वाचिका तृतीया विभक्ति वर्तमान रहती है। कारण, 'सह युक्तेऽप्रधाने' इस शास्त्र के द्वारा तृतीया विभक्ति की शक्ति अप्रधानस्वरूप अर्थ में ज्ञात कराई जाती है।

इस पर यदि आप यह कहें कि 'सह के अर्थ से युक्त वस्तुतः अप्रधान वस्तु में तृतीया विभक्ति होती है' यह है 'सहयुक्तेऽप्रधाने'इस सूत्र का अर्थ न कि 'अप्रधान अर्थ के वाच्य होने पर' यह–अर्थात् उक्त सूत्र से तृतीया विभक्ति की शक्ति अप्रधान अर्थ में ज्ञापित नहीं होती। ऐसी दशा में आपके द्वारा कथित अर्थ–अर्थात् अप्रधानता का शाब्द होना—सिद्ध नहीं होता, तो यह समुचित नहीं, क्योंकि ऐसा अर्थ मानने पर–अर्थात् उक्त सूत्र को अप्रधानता-शक्ति-ग्राहक नहीं मानने पर–सूत्र में 'अप्रधाने' शब्द का ग्रहण व्यर्थ हो जायगा। कारण, 'पुत्रेण सह पिता आगतः (पुत्र के साथ पिता आया है)' इत्यादि स्थलों में अन्तरङ्ग होने के कारण 'पितृ' आदि शब्दों से प्रथमा विभक्ति की उत्पत्ति ही उचित है, अतः उन शब्दों से बहिरङ्ग तृतीया प्राप्त ही नहीं हो सकती। फिर 'अप्रधाने' के ग्रहण का क्या फल ? कहा जायगा कि अन्तरङ्ग होने से उक्त स्थलों में प्रथमा यदि हो भी जायगी तथापि 'पुत्रेण सह पितुरागमनम् (पुत्र के साथ पिता का आगमन)' इत्यादि स्थानों पर षष्ठी तो 'पितृ' आदि शब्दों से नहीं हो सकेगी, क्योंकि वह तो तृतीया की अपेक्षा बहिरङ्ग है तो इसका समाधान यह है कि 'उपपदविभक्तेः कारक-विभक्तिर्बलीयसी–अर्थात् किसी पद के योग में होने वाली विभक्ति से क्रिया के योग में होने वाली विभक्ति बलवती होती है' इस न्याय के अनुसार 'कर्तृकर्मणोः कृति' से प्राप्त षष्ठी प्रबल है, अतः यहाँ भी तृतीया नहीं हो सकती।

अब यदि आप यह कहें कि 'वस्तुतः अप्रधान से तृतीया विभक्ति होती है' इसी अर्थ में सूत्र का तात्पर्य है इसका ज्ञान कराने के लिये ही 'अप्रधाने' ग्रहण की सार्थकता है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि स्वतः सिद्ध अर्थ में तात्पर्य-ग्रहण कराने के लिये सूत्र में पद की आवश्यकता (सार्थकता) मानने पर 'षष्ठी शेषे' इस सूत्र में भी 'विशेषणे' के ग्रहण की आवश्यकता हो जायगी, तात्पर्य यह कि 'षष्ठी शेषे' इस सूत्र के द्वारा विशेष्य-वाचक पद से षष्ठी की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अपि तु विशेषणवाचक पद से ही यह बात यद्यपि स्वतः सिद्ध है, तथापि आपकी मान्यता के अनुसार इस स्वतः सिद्ध बात में ही सूत्र का तात्पर्य-ग्रहण कराने के लिये 'विशेषणे–अर्थात् विशेषण में षष्ठी हो' यह कथन सूत्र में आवश्यक हो जायगा।

इसलिये–अर्थात् 'अप्रधाने' के ग्रहण की सार्थकता के लिये यह मानना चाहिए कि जैसे 'हेतौ तृतीया' इत्यादि शास्त्र तृतीया की हेतु अर्थ में शक्ति का बोध करवाता है वैसे ही, सहयुक्तेऽप्रधाने' यह सूत्र भी तृतीया की अप्रधान अर्थ में शक्ति को समझाता है।

आप कहेंगे–अन्वय कैसे होगा, तो इसके उत्तर में यह कहा जायगा कि जैसे हेतु–तृतीया–स्थल में प्रकृति के अर्थ का अभेद संबन्ध से तृतीया–विभक्ति के अर्थ (हेतु) में अन्वय होता है उसी तरह सहयोग तृतीया–स्थल में भी प्रकृत्यर्थ का अभेद संबन्ध से विभक्त्यर्थ में अन्वय कहा जा सकता है। अभिप्राय है कि 'अध्ययनेन वसति' का अन्वयबोध जैसे 'अध्ययनाभिन्नहेतुक वास' इस प्रकार से होता है वैसे ही 'पुत्रेण-सहागतः पिता' का अन्वयबोध 'पुत्राभिन्न अप्रधान से युक्त पिता का आगमन' इस प्रकार से हो ही सकता है।

यद्यपि 'अप्रधाने' इस सूत्रनिर्दिष्ट शब्द के द्वारा तृतीया की शक्ति अप्रधानत्वधर्म-विशिष्ट धर्मी में सिद्ध हगी, अप्रधानत्व धर्म में नहीं, तथापि जैसे 'कर्मणि द्वितीया' इत्यादि में 'कर्मणि' शब्द के द्वारा धर्मी में शक्ति गृहीत होने पर भी कर्मत्व धर्म भी द्वितीया विभक्ति का वाच्य कहलाता है उसी तरह यहाँ अप्रधानत्व को भी शब्दबोध्य मानने में किसी तरह की बाधा नहीं है।

रही 'षष्ठी शेषे' की बात, तो इस जगह 'विशेषणे' ऐसा शब्द दिया हुआ है नहीं, अतः विशेषणत्व शब्दबोध्य नहीं कहलाता। तात्पर्य यह कि 'सहयुक्तेऽप्रधाने' और 'षष्ठी शेषे' इन दोनों सूत्रों में उक्त रीति से विलक्षणता स्पष्ट है।

इस तरह से "सहयुक्तेऽप्रधाने' इस सूत्र में 'अप्रधाने' का ग्रहण न करें ऐसा हो सकता है" ऐसा कहने वाले मनोरमाकार (भट्टोजि दीक्षित) परास्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि उक्त रीति से जब 'अप्रधाने' ग्रहण की सार्थकता सिद्ध की जा सकती है तब मुनि (पाणिनि) के वचन की निरर्थकता की कल्पना अनुचित है।

अब यदि यह कहा जाय कि 'अप्रधान' को विभक्ति का वाच्य मानने पर 'पुत्रेण सहागतः पिता' इत्यादि वाक्य का बोध आप के हिसाब से 'पुत्र से अभिन्न जो अप्रधान उससे सहित पिता' यह होगा, जो अप्रामाणिक है, क्योंकि ऐसा बोध अनुभव से सिद्ध नहीं है, अतः–आपके द्वारा कथित अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता, तो इस का उत्तर–यह है कि 'दण्डेन घटः' इत्यादि स्थलों पर अनुभव के द्वारा–'दण्ड से उत्पन्न घट' इस तरह के बोध की ही प्रामाणिकता सिद्ध रहने पर भी 'हेतौ तृतीया' इस मुनिवचन का अवलम्बन कर आपने 'दण्डाभिन्नहेतुको घटः–जिसका हेतु दण्ड से अभिन्न है वह घट' ऐसा बोध बनाया है, अतः यह मार्ग आप ही का दिखाया हुआ है–अर्थात् सर्वजनीन बोध का परित्याग कर मुनिवचन के आधार पर बोध बनाना आपने ही सिखाया है। इतना ही नहीं 'भावप्रधानमाख्यातम्–अर्थात् तिङन्तपदयुक्त वाक्यों में भाव (क्रिया) की प्रधानता होती है' (यास्क) इत्यादि अनेक मुनिवचनों के आधार पर स्थान–स्थान पर आप के द्वारा बताए हुए बोध की विपरीतता की अनुपपत्ति भी होगी–अर्थात् आप (वैयाकरण) ने जो 'रामो ग्रामं गच्छति' इत्यादि वाक्यों का बोध उक्त मुनिवचन के आधार पर 'रामकर्तृक ग्रामकर्मक गमन' इत्यादि प्रकार का माना है वह भी तो अनुभव से विरुद्ध ही है, अनुभव से तो वहाँ 'ग्रामकर्मक गमनानुकूल कृतिवाला राम' ऐसा ही बोध सिद्ध है। फिर यहाँ मुनिवचन के आधार पर अनुभवविरुद्ध बोध मानने में आपत्ति क्यों?

अतः इस प्रसङ्ग पर मेरा मार्ग ही श्रेष्ठ है। अप्रासङ्गिक वस्तु पर अधिक विचार करना व्यर्थ है।

यहाँ महावैयाकरण नागेश भट्ट ने पण्डितराज के कथन का खण्डन करते हुए वैयाकरणों के पक्ष को युक्तियों से पुष्ट किया है। उनका कथन है कि "अप्रधानता की शब्द-वाच्यता वाली बात पण्डितराज की ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो महाभाष्यकार ने 'अप्रधाने' इस अंश का जो प्रत्याख्यान किया है वह आप के मत में असंगत हो जायगा, दूसरे 'अप्रधानभृत्यैः सह गतो राजा–अर्थात् राजा अप्रधान सेवकों के साथ गया है' इस स्थान पर भृत्यपद से तृतीया विभक्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि भृत्य के विशेषणरूप में कथित अप्रधान शब्द से ही भृत्य की अप्रधानता जब विदित हो जाती है तब फिर उसी के बोधनार्थ तृतीया की उत्पत्ति 'उक्तार्थानामप्रयोगः' इस न्याय के विरुद्ध है, तीसरे, 'राज्ञा सह सेना गच्छति–अर्थात् राजा के साथ सेना जा रही है' यहाँ राजन् पद से

प्रथमा और सेना पद से तृतीया होने लगेगी, क्योंकि लोकदृष्टि से राजा प्रधान और सेना अप्रधान है, चौथे, तृतीया की अपेक्षा प्रथमा विभक्ति में क्या अन्तरङ्गता है इस का निर्वचन कठिन है, अतः 'पुत्रेण सहागतः पिता' में जो आपने अन्तरङ्गत्वात् पितृ पद से प्रथमा की उत्पत्ति कही है वह भी नहीं बन सकता है, पाँचवें, जसा बोध (पुत्राभिन्नाप्रधानसहितः) आपने माना है उससे भिन्न प्रकार का बोध (पुत्रकर्तृकागमनसमानकालिकागमनवान्) ही यहाँ इष्ट है।

कहा जा सकता है कि तब सहोक्ति का लक्षण क्या होगा तो इसका उत्तर यह है कि जहाँ एक का अन्वय क्रिया के साथ शब्दतः होता हो और दूसरे का 'सह' शब्द के अर्थ के बल से अर्थप्राप्त हो वह सहोक्ति है।' तात्पर्य यह निकला कि प्रधान-अप्रधान का बखेड़ा लक्षण में क्यों उठाया जाय ?। काव्यप्रकाशकार का ऐसा ही कथन है। यह सब बात मञ्जूषा (लघुमञ्जूषा, जो नागेशरचित विशालकाय व्याकरण ग्रन्थ है) में स्पष्ट है।"

सहोक्तिविषयकं विशेषं स्फुटयति—

प्रकृतत्वाप्रकृतत्वे प्रायेणोपमेयतोपमानतयोर्निर्णायके इत्युक्तत्वादिह न ताभ्यां तयोर्निर्णयः, प्रकृतयोरपि साहित्यसंभवात्। किं तु प्राधान्याप्राधान्याभ्यामिति। हृद्यत्वं चास्या अतिशयोक्तिकृतमित्युक्तम्। यत्र तु सा नास्ति तत्र 'पुत्रेण सहागतः पिता' इत्यादौ न सहोक्ति रलंकारः।

प्रकृतत्वाप्रकृतत्वे इति। प्रस्तुतत्वाप्रस्तुतत्व इत्यर्थः। इह सहोक्तौ ताभ्यां प्रकृतत्वाप्रकृतत्वाभ्याम्। तयोः उपमेयत्वोपमानत्वयोः। संभवादिति। अत एव 'प्रायेण' इत्युक्तम्। किंतु प्राधान्येति। प्रधानमुपमेयमप्रधानमुपमानमिति भावः। 'इति' इत्यस्य बोध्यम्' इति शेषो बोध्यः। हृद्यत्वम् अलंकारत्वप्रयोजकविच्छित्तिविशेषः। अस्या इति। सहोक्तेरित्यर्थः। सा अतिशयोक्तिः। न सहोक्तिरलंकार इति। सहोक्तेः सत्त्वेऽपि तस्या अलंकारत्वं नेत्यर्थः।

सहोक्ति में उपमानोपमेयता तथा सुन्दरता के निर्णायक तत्त्व को स्पष्ट किया जाता है—प्रकृतत्वाप्रकृतत्वे इत्यादि।

'प्रस्तुत होना उपमेयता का और अप्रस्तुत होना उपमानता का निर्णायक है' यह जो कहा गया है वह प्रायोवाद है—अर्थात् प्रायशः ऐसा होता है, सर्वथा नहीं, जैसे इस सहोक्ति में ही ऐसा नहीं होता। फलतः इस सहोक्ति अलंकार में प्रकृत तथा अप्रकृत होने से उपमेयता और उपमानता का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि दो प्रकृतों (प्रस्तुत पदार्थों) का भी सहभाव हो सकता है।

अतः यहाँ प्रधानता अप्रधानता से उपमेयता तथा उपमानता का निर्णय करना चाहिए—अर्थात् प्रधान पदार्थ को उपमेय और अप्रधान पदार्थ को उपमान समझना चाहिए।

इस सहोक्ति में सुन्दरता अतिशयोक्ति के कारण होती है यह कहा जा चुका है। अतः जहाँ सहभाव के रहने पर भी अतिशयोक्ति का संबन्ध नहीं रहता है वहाँ की सहोक्ति अलंकाररूप नहीं होती। जैसे 'पुत्रेण सहागतः—अर्थात् पुत्र के साथ पिता आया।' इत्यादि स्थल में।

प्राक् 'वदन्ति' इत्युक्त्या सूचितामरुचिं स्फुटयितुं प्राचीनमतमालोचयति—

अत्र विचार्यते—'केशैर्वधूनाम्' इत्यादौ पौर्वापर्यविपर्ययानुप्राणिता सहोक्तिरलंकार इति न युक्तम्। अतिशयोक्तेरेवात्र चमत्कृत्याधायकत्वेन सहोक्तेर्नाममात्रत्वात्। 'तव कोपोऽरिनाशश्च जायते युगपन्नृप' इत्यस्मादतिशयोक्त्यलंकारात् 'तव कोपोऽरिनाशेन सहैव नृप जायते' इत्यत्र गुणभावमात्रकृतवैलक्षण्येऽपि विच्छित्तेरविशेषात्, तस्यैव चालंकारविभाजकत्वात्। न च सादृश्यानुप्राणितस्य रूपकादेरप्यपृथग्भावापत्तिः। 'निशाकरसमानोऽयमयं साक्षान्निशाकरः' इत्यादौ विच्छित्तिवैलक्षण्यस्य जागरूकत्वात्। अन्यथा तत्प्रयुक्तस्य व्यतिरेकस्यानुत्थानापत्तेः। अपि च सादृश्यप्रयुक्तरूपकादिषु सादृश्यस्य गुणत्वाच्चमत्कृतिविश्रान्तिधामभ्यो रूपकादिभ्यो यथा न पृथग्व्यपदेश्यत्वं तथा सहभावोक्त्याविर्भूतायाः कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्ययात्मिकाया अतिशयोक्तेः सकाशादस्याः सहोक्तेरपृथग्भाव एवोचितः।

नन्वेवं सति सहोक्तेर्निर्विषयत्वं स्यात्। सहोक्त्यन्तरस्याप्यभेदाध्यवसानरूपातिशयेन कवलीकारादिति चेन्न। अभेदाध्यवसानमूलायां हि सहोक्तावभेदाध्यवसानेन सहोक्तिरुपस्क्रियत इति न गुणेन प्रधानस्य तिरस्कारः। अपि तु प्रधानेन गुणस्येत्युक्तदिशा सावकाशैव सहोक्तिः। गुणप्रधानभावश्च निराग्रहैः सूक्ष्मदृशावधानीयः। किं च परस्पराध्यवसानमात्रमतिशय एव, नातिशयोक्तिः। तस्य श्लेषादावपि सत्त्वात्। सा तूपमानेनोपमेयस्य निगरणम्। एवं च 'वर्षन्ति, उन्मीलन्तो निमीलन्तः' इत्यादिष्वेकेनापरनिगरणाभावान्नातिशयोक्तिगन्धोऽपि। अतिशयमात्रं तु प्रायशः साधारणधर्मांशे बहूनामलंकाराणामुपस्कारकम्। नहि 'शोभते चन्द्रवन्मुखम्' इत्यादौ चन्द्रमुखशोभयोर्वस्तुतो भिन्नयोरभेदाध्यवसानमन्तरेणोपमा समुल्लसति। तस्मात् 'कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्ययमूलः सहोक्तेरेकः प्रकारः' इति सर्वस्वकारादीनामुक्तिराग्रहमूलैव। अभेदाध्यवसानमूलस्तु प्रकारो भवतु नाम सहोक्तेर्विषयः। यदि तु दीपके तुल्ययोगितायां चोपमानोपमेययोः प्राधान्येन क्रियादिरूपधर्मान्वयः, इह तु गुणप्रधानभावेनैवेति विशेषः सन्नपि विच्छित्तिविशेषानाधायकतया नालंकारान्तरताप्रयोजकः, अपि तु तदवान्तरभेदतायाः इति विभाव्यते, निरस्यते च प्राचीनमुखदाक्षिण्यं तदा निविशतामियमप्युक्तालंकारेष्वेव। किंचिद्वैलक्षण्यमात्रेणैवालंकारभेदे वचनभङ्गीनामानन्त्यादलंकारानन्त्यप्रसङ्गादिति। सत्यम्, गुणप्रधानभावालिङ्गितस्य सहभावस्यालंकारान्तराद्विच्छित्तिविशेषमनुभवन्तः प्राचीना एव सहोक्तेः पृथगलंकारतायां प्रमाणम्। अन्यथा एवंजातीयोपप्लवेन बहु व्याकुलीस्यात्। नैव प्रमाणीकुर्महे वयं मृषा मुकुलितविलोचनान्प्राचः, निवेश्यतां चेयमलंकारान्तरभवनोदरं वराकी इति तु प्रभुतैव केवला। न सहृदयत्वम्।

अतिशयोक्तेरिति। पौर्वापर्यविपर्ययात्मिकाया इति भावः। एवमग्रेऽपि बोध्यम्। 'तव कोपोऽरि—' इति। हे राजन्! त्वदीयः क्रोधः शत्रुविनाशश्चैककालावच्छेदेनैव भवतीत्यर्थः। गुणभावमात्रकृतेति। अरिनाशपदार्थगताप्रधानत्वमात्रप्रयुक्तेत्यर्थः। विच्छित्तेरिति। चमत्कृतेरित्यर्थः। तस्यैवेति। विच्छित्तिविशेषस्यैवेत्यर्थः। अपृथग्भावापत्तिरिति। उपमात इति भावः। इत्यादाविति। मिथ इति शेषः। अन्यथेति। तद्वैलक्षण्येऽप्यपृथग्भावे इत्यर्थः। तत्प्रयुक्तस्य व्यतिरेकस्येति। निशाकरसमानत्वेन वर्णितापेक्षया साक्षान्निशाकरत्वेन वर्णिते भासमानस्य साक्षान्निशाकरत्ववर्णनप्रयुक्तस्य व्यतिरेकस्येत्यर्थः। सहभावोक्त्याविर्भूताया इति। अनेन सहोक्तेर्गुणत्वं दर्शितम्।

'कैशैर्वधूनाम्— ' इत्यादिस्थले सहभावस्य वर्णितत्वेऽपि न सहोक्त्यलंकारव्यपदेशो युक्तः, कारणकार्यपौर्वापर्यविपर्ययरूपाया अतिशयोक्तेरेव चमत्कारितया व्यपदेष्टुमौचित्यात् तच्चमत्कारातिरिक्तस्य सहोक्तिकृतस्य चमत्कारस्यानुपलंभात्। इति भावः। अन्यत् सुगमम्।

आशंकते—नन्वेवमिति। पौर्वापर्यविपर्ययानुप्राणिताया: सहोक्तेः तद्रूपातिशयोक्त्यपेक्षया अपृथग्भावेऽङ्गीक्रियमाणे इत्यर्थः। अभेदाध्यवसानेति। इदमुपलक्षणं श्लेषमूलकाभेदाध्यवसानस्यापि। समाधत्ते—नेति। तत्र युक्तिमाह—अभेदाध्यवसानमूलायामिति। हि यतः। उपस्क्रियत इति। संस्क्रियत इत्यर्थः। ननु स्यादेवं यदि सहोक्तेः प्राधान्यमतिशयोक्तेश्च गुणत्वं निश्चितं स्यात्। तदेव तु न, वैपरीत्यस्यापि संभवात् इत्यत आह—गुणप्रधानभावश्चेति। श्लेषमूलाभेदाध्यवसानमूलायामपि सावकाशत्वमाह—किं चेति। तस्येति। मिथोऽभेदाध्यवसानस्येत्यर्थः। सा त्विति। अतिशयोक्तिस्त्वित्यर्थः। श्लेषोदाहरणमाह—वर्धन्तीति। केवलाभेदाध्यवसानोदाहरणमाह—उन्मीलन्त इति। एकेनापरेति। उपमानेनोपमेयेत्यर्थः। गन्धोऽपीति। लेशोऽपीत्यर्थः। नैवमत्रैव किं त्वन्यत्रापीत्याह—अतिशयमात्रं त्विति। क्वचिदनुगामिन्यभावादाह—प्रायश इति। उपसंहरति—तस्मादिति। निर्विषयत्वं परिहरति—अभेदाध्यवसानमूलस्त्विति। इदमुपलक्षणं प्राग्वत्। तुल्ययुक्त्या सहोक्तेरन्यभेदयोरपि दीपकादौ गतार्थत्वमाशङ्कयते—यदि त्विति। इह त्विति। सहोक्तौ त्वित्यर्थः। अलंकारान्तरतेति। सहोक्तिनामकभिन्नालंकारतेत्यर्थः। तदवान्तरेति। दीपकाद्यवान्तरेत्यर्थः। निरस्यते त्यज्यते। दाक्षिण्यम् संकोचः। इयमपीति। श्लेषमूलाभेदाध्यवसान-केवलाभेदाध्यवसानरूपातिशयानुप्राणितद्विविधसहोक्तिरित्यर्थः। उक्तेति। दीपकतुल्ययोगितेत्यर्थः। किंचिदिति। गुणप्रधानभावेनान्वयितेत्यर्थः। वचनभङ्गीनाम् वचनरचनाप्रकाराणाम्। समाधत्ते—सत्यमित्यादिना। प्राचीना एवेति। अत्र "एवं च एतदनुभवबलेनैव गुणप्रधानभावकृतविच्छित्तिविशेषमाश्रित्य सर्वस्वकाराद्युक्तः कार्यकारणपौर्वापर्यविपर्ययमूलोऽपि सहोक्तेः प्रकारः आश्रयणीय इति तत्खण्डनं प्रागुक्तं चिन्त्यम्" इति नागेशः। अन्यथेति। तदनुभवप्रामाण्यानङ्गीकारे इत्यर्थः। उपप्लवेन उपद्रवेण। सारांशो नोल्लिखितः स्पष्टत्वात्।

इस अलंकार के आरम्भ भाग में ही 'वदन्ति-प्राचीन आचार्य ऐसा कहते हैं' के द्वारा जिस अरुचि की सूचना दी गई थी उसी के स्पष्टीकरण के लिये प्राचीन-मत पर

विचार किया जाता है—अत्र विचार्यते इत्यादि। 'केशैर्वधूनाम्—' इत्यादि पद्यों में कारण और कार्य के पूर्व-पश्चाद्भाव की विपरीततारूप अतिशयोक्ति से अनुप्राणित सहोक्ति अलंकार है यह जो कहा गया है वह समुचित नहीं है, क्योंकि उन पद्यों में उक्तप्रकारक अतिशयोक्ति ही चमत्कारिणी है, सहोक्ति नहीं, उसका (सहोक्ति का) तो केवल नाम है। 'तव कोपो—अर्थात् हे नृप! तेरा क्रोध और शत्रु का नाश युगपत् (एक साथ) होता है।' इस अतिशयोक्ति अलंकार की अपेक्षा 'तव कोपो—अर्थात् हे राजन्! तेरा क्रोध शत्रु-नाश के साथ ही होता है।' इसमें केवल शत्रुनाश की गौणता के कारण होने वाली विलक्षणता के रहने पर भी चमत्कार में कोई विलक्षणता नहीं है। और अलंकार का विभाग चमत्कार की विलक्षणता के आधार पर ही होता है। तात्पर्य यह निकला कि कार्य-कारण की पूर्वापरता के विपर्यय में जो चमत्कार होता है, उससे भिन्न प्रकार का चमत्कार उस स्थिति में 'सह' आदि शब्दों को जोड़ देने पर भी उपलब्ध नहीं होता, अतः उस एकविध चमत्कार के कारण सह आदि शब्द प्रयोगस्थल में भी वह अतिशयोक्ति अलंकार ही मान्य होना चाहिये जो उस स्थिति में सह आदि का प्रयोग नहीं रहने पर मान्य है।

इस पर यदि आप यह आशङ्का करें कि इस प्रकार से तो उपमा से अनुप्राणित रूपक आदि अलंकारों की भी उपमा अलंकार से पृथक् सत्ता नहीं सिद्ध होगी, तो इसका समाधान है कि 'निशाकरसमानोऽयम्—अर्थात् यह चन्द्रमा के समान है और यह (पूर्ववर्णित जन से भिन्न कोई जन) साक्षात् चन्द्रमा है' इत्यादि स्थल में चमत्कार की विलक्षणता स्पष्ट है। तात्पर्य यह कि 'चन्द्र समान है' इस उपमा कथन से 'साक्षात् चन्द्रमा है' इस रूपक-कथन में चमत्कार का अन्तर पाया नहीं जा सकता। यदि उक्त दोनों कथनों में चमत्कार का अन्तर नहीं माना जाय तब उसी अन्तर को आधार मान कर जो व्यतिरेक अलंकार का उत्थान होता है वह नहीं हो सकेगा।

दूसरी बात यह कि सादृश्य-(उपमा) मूलक रूपक आदि में सादृश्य अप्रधान रहता है, अत एव चमत्कार के मुख्य विश्राम-स्थान रूपक आदि से पृथक् जैसे उसका (सादृश्य का) व्यवहार नहीं होता, उसी तरह सहभावकथन से उत्पन्न होने वाली कार्य-कारण पौर्वापर्यविपर्ययरूपा अतिशयोक्ति से पृथक् इस सहोक्ति की सत्ता नहीं व्यवहृत हो यही उचित है।

तात्पर्य यह कि जैसे सादृश्य से ही रूपक का उत्थान होता है, पर वहाँ उपमा का व्यवहार नहीं होता, क्योंकि सादृश्य वहाँ गौण हो जाता है चमत्कार का मुख्य स्थान रहता है रूपक, उसी तरह सहोक्ति से कार्य-कारण-पौर्वापर्य-विपर्यय (अतिशयोक्ति) का उत्थान भले ही हो, पर वह सहोक्ति अप्रधान, अतिशयोक्ति का साधनमात्र होकर रहेगी, चमत्कार का मुख्य आधार तो वह अतिशयोक्ति ही होगी, अतः उसी का (अतिशयोक्ति का) व्यवहार होना युक्त है, सहोक्ति नामक पृथक् अलंकार का नहीं है। इस पर यदि यह आशङ्का की जाय कि इस स्थिति में सहोक्ति निर्विषय हो जायगी—अर्थात् सहोक्ति का एक भी लक्ष्य नहीं रह जायगा, क्योंकि अन्य सहोक्ति भी अभेदाध्यवसान रूप अतिशयोक्ति के द्वारा कवलित कर ली जायगी। तात्पर्य यह कि जिस तरह पौर्वापर्यविपर्ययरूप अतिशयोक्ति को ही चमत्कार का मूल मान कर पौर्वापर्यविपर्ययानुप्राणित सहोक्ति का खण्डन किया गया है उसी तरह श्लेषमूलक अभेदाध्यवसानरूप तथा केवल अभेदाध्यवसानरूप अतिशयोक्ति को ही चमत्कारविशेष-

कारक मान कर सहोक्ति के अन्य दो भेदों (श्लेपमूलक अभेदाध्यवसानरूप अतिशयोक्ति से अनुप्राणित संहोक्ति और केवल अभेदाध्यवसानरूप अतिशयोक्ति से अनुप्राणित सहोक्ति) का भी खण्डन किया जा सकता है।

तो इसका उत्तर यह है कि—अभेदाध्यवसानमूलक सहोक्ति में अभेदाध्यवसान से सहोक्ति उपस्कृत (पोषित) होती है–अर्थात् वहाँ सहोक्ति पोष्य अत एव अङ्गी रहती है और अभेदाध्यवसान (तन्मूलक अतिशय) रहता है पोषक अत एव अङ्ग। ऐसी स्थिति में 'गौण (अमुख्य अर्थात् अङ्ग) से प्रधान (अङ्गी) का तिरस्कार नहीं होता, अपि तु प्रधान (अङ्गी) से गौण (अङ्ग) का तिरस्कार होता है' इस आप्तजन-कथित न्याय के अनुसार वहाँ अतिशय ही तिरस्कृत होगा, सहोक्ति तिरस्कृत नहीं होगी, अतः सहोक्ति निर्विषय नहीं होगी–उस का अवकाश अक्षुण्ण रहेगा।

अभेदाध्यवसानमूलक सहोक्ति स्थल में सहोक्ति प्रधान नहीं होती अतिशयोक्ति ही प्रधान होती है ऐसा दुराग्रह करने पर 'गौणता और प्रधानता का निर्धारण वहाँ आग्रह रहित होकर सूक्ष्म दृष्टि से करना चाहिए' इसके अतिरिक्त और कहा ही क्या जा सकता है–अर्थात् आग्रहरहित विज्ञ जन यदि सूक्ष्म दृष्टि से वहाँ विचार करेंगे तो अवश्य ही उन्हें सहोक्ति की प्रधानता और अभेदाध्यवसानरूप अतिशयोक्ति की गौणता परिलक्षित होगी।

दूसरे, 'केवल परस्पर का अभेदाध्यवसान' अतिशय मात्र है, अतिशयोक्ति अलंकार नहीं, क्योंकि इस तरह का अभेदाध्यवसान श्लेष आदि में भी रहता है।

अतिशयोक्ति (अलंकार) का स्वरूप तो उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण है। इस स्थिति में 'वर्पन्ति' 'उन्मीलन्तो निमीलन्तः' इत्यादि में एक (उपमान) के द्वारा दूसरे (उपमेय) का निगरण न होने के कारण अतिशयोक्ति का लेश भी नहीं है। रहा केवल अतिशय, सो वह तो साधारण धर्म के अंश में प्रायः बहुतेरे अलंकारों का उपस्कारक होता ही है। जैसे—'शोभते चन्द्रवन्मुखम्—अर्थात् मुख चन्द्रमा के समान शोभित होता है' इत्यादि में चन्द्रमा और मुख की शोभा वस्तुतः भिन्न है उनका परस्पर अभेदाध्यवसान किए विना उपमा का उल्लास ही असंभव है।

इस लिये उपसंहार में यही कहना पड़ता है कि सर्वस्वकार आदि ने जो 'कारण कार्य की पूर्वापरता की विपरीतता के कारण सहोक्ति का एक प्रकार होता है' ऐसा कहा है वह केवल आग्रहमूलक कथन है।

हाँ, अभेदाध्यवसानमूलक प्रकार सहोक्ति का विषय हो सकता है। अब यदि प्रतिपक्षी ग्रन्थकार के द्वारा सहोक्ति के एक प्रकार का खण्डन कर दिये जाने की प्रति-द्वन्द्विता में यह कहें कि सहोक्ति कोई स्वतन्त्र अलंकार नहीं है, क्योंकि उस के जो तीन प्रकार माने जाते हैं उनमें से प्रथम प्रकार का अन्तर्भाव तो उक्त रीति से अति-शयोक्ति के एक प्रकार में ग्रन्थकार ने कर दिया है, बचे दो प्रकार उनका भी अन्तर्भाव दीपक (यदि एक प्रस्तुत और दूसरा अप्रस्तुत रहे तब) अथवा तुल्ययोगिता (यदि दोनों प्रस्तुत किंवा दोनों अप्रस्तुत रहें तब) में हो जायगा। दीपक अथवा तुल्ययोगिता में उपमान तथा उपमेय-दोनों का अन्वय क्रिया आदि धर्म के साथ प्रधानरूप से ही होता है और यहाँ (सहोक्ति में) तो उपमान-अप्रधान का गौण रूप से तथा उपमेय—प्रधान का प्रधानरूप से क्रिया आदि के साथ अन्वय होता है यह अन्तर यद्यपि है तथापि यह अन्तर चमत्कार-विशेष-प्रयोजक नहीं होने के कारण भिन्न (स्वतन्त्र) अलंकार की सत्ता को सिद्ध नहीं कर सकता, किंतु दीपक अथवा तुल्ययोगिता के ही

एक अवान्तर प्रभेद की सत्ता को ही सिद्ध कर सकता है। बात भी सही है। यदि इस तरह की (गौण तथा मुख्य रूप से अन्वित होना) ईषत् विलक्षणता से अलंकार का भेद स्वीकृत होने लग जाय तब तो अलंकारों की अनन्तता ही हो जाय, क्योंकि वचन-रचना के अनन्त प्रकार हो सकते हैं। बात रही प्राचीन आचार्यों के अनुरोध करने की, सो मैं नहीं करता। तो इसके समाधान में ग्रन्थकार का कथन है कि बात आप ने पते की कही है, वस्तुतः इस तरह से सहोक्ति का अड्डा उड़ा दिया जा सकता है, परन्तु गौण-मुख्यभाव से युक्त सहभाव के स्थल में अन्य अलंकारों की अपेक्षा चमत्कार-विशेष का अनुभव करने वाले प्राचीन आचार्य ही सहोक्ति नामक एक पृथक् अलंकार की सत्ता में प्रमाणभूत हैं। यदि प्राचीनों के अनुभव को प्रमाणभूत नहीं माना जाय, तब तो यहीं नहीं, अन्यत्र भी इस तरह के उपद्रव खड़े हो जायगें और अलंकार-संप्रदाय में एक बहुत बड़ी व्याकुलता उत्पन्न हो जायगी। अभिप्राय यह कि उपमान-उपमेय दोनों का प्राधान्येन क्रिया आदि के साथ अन्वय जहाँ होता है उन दीपक-तुल्ययोगिता आदि में अनुभूत होने वाले चमत्कार की अपेक्षा उपमान का गौणरूप से और उपमेय का प्रधानरूप से जहाँ क्रिया आदि के साथ अन्वय होता है उस सहोक्ति में विलक्षण चमत्कार का अनुभव करने के कारण प्राचीनों ने जब सहोक्तिनामक एक पृथक् अलंकार माना है तब हम आप को भी उसका स्वीकार करना ही चाहिए।

आँख मूँद कर मिथ्या सहृदयता का अभिनय करने वाले प्राचीनों को हम नहीं प्रमाण मानते यह कथन तो केवल प्रभुशक्ति है, सहृदयता नहीं।

इस प्रसङ्ग पर नागेश का कथन है कि जब प्राचीनों के अनुभव को प्रमाण मान कर पण्डितराज सहोक्ति के अभेदाध्यवसान वाले भेदों को मान लेते हैं, तब उन्हीं प्राचीनों के अनुभव को प्रमाण मानकर सहोक्ति के पौर्वापर्यविपर्यय वाले भेद को भी क्यों नहीं मान लेते?

प्रसङ्गसमाप्तिं सूचयन्नाह—

एवं क्रियायाः साधारणधर्मत्वे इयमुदाहृता।

एवमिति। पूर्वोक्तरीत्येत्यर्थः। इयम् सहोक्तिः। अन्यत्स्पष्टम्।

पूर्वोक्तरीति से क्रियारूपसाधारणधर्मवाली सहोक्ति का उदाहरण दिखलाया गया।

प्रकारान्तरमस्या उदाहर्तुमाह—

गुणस्य तथात्वे यथा—

तथात्व इति। साधारणधर्मत्व इत्यर्थः।

गुणरूप साधारण धर्मवाली सहोक्ति जैसे—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'मान्थर्यमाप गमनं सह शैशवेन
रक्तं सहैव मनसाधरबिम्बमासीत्।
किं चाभवन्मृगकिशोरदृशो नितम्बः
सर्वाधिको गुरुरयं सह मन्मथेन॥"

रमणी-यौवनाविर्भावं वर्णयति कविः—मृगकिशोरदृशः हरिणशावकनयनायाः नायिकायाः (एतत्पदमग्रेऽपि मनोनितम्बाभ्यामन्वेति) गमनं गतिः, शैशवेन बाल्येन, सह, मान्थर्यम् मन्दताम्, आप लेभे, अधरबिम्बम् बिम्बफलतुल्यमधरम्, मनसा हृदयेन,

सहैव, रक्तम् रक्तवर्णम् अथ च अनुरक्तम्, आसीत् अभूत्, किं च, अयं प्रत्यक्षभूतः, नितम्बः मन्मथेन कामदेवेन, सह, सर्वाधिकः निखिलातिशायी, गुरुः गुरुपरिमाणः अथ च उपदेशकः, अभवत् समपद्यतेत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—मान्थर्यमाप इत्यादि ।

कवि किसी सुन्दरी के यौवनागम का वर्णन करता है—हरिणशावाक्षी की गति बाल्यभाव के साथ मन्द पड़ गई, मन के साथ ही अधरबिम्ब भी रक्त (अनुरक्त—लाल) हो गया और मन्मथ के साथ ही यह नितम्ब भी सबसे अधिक गुरु (उपदेशक—भारी) हो गया ।

उपपादयति—

अत्र यद्यपि क्रियापि गुणेन सह समानधर्मतामनुभवति तथापि तस्या नान्तरीयकत्वेनासुन्दरत्वाद् गुणस्यैव पर्यवसाने समग्रभरसहिष्णुत्वम् । शोणत्वाऽऽसक्तत्वाभ्यामधिकभारत्वोपदेशकर्तृत्वाभ्यां च भिन्नयोरप्युपमेयोपमानगतयोर्निरुक्तगुणयोः श्लेषेण पिण्डीकरणात्सहभावोपपत्तिः ।

अत्रेति । 'मान्थर्यम्—' इति पद्य इत्यर्थः । क्रियापीति । प्राप्त्यादिरित्यर्थः । अनुभवतीति । एवं च गुणस्य तथात्वोदाहरणत्वोक्तिरयुक्तेति भावः । तथापीति । क्रियायाः समानधर्मतानुभवेऽपीत्यर्थः । तस्या इति । क्रियाया इत्यर्थः । नान्तरीयकत्वेनेति । स्वाभाविकत्वेनेत्यर्थः । तां विना वाक्यार्थासमाप्तेरिति भावः । समग्रेति । विच्छित्त्याधायकत्वेत्यादिः । नन्वेवमपि मान्थर्यांशे तथात्वेऽपि रक्ताद्यंशे धर्मयोर्भेदात्कथं तत्त्वमत आह—शोणत्वेति । अधरे शोणत्वं मनस्यासक्तत्वम् नितम्बेऽधिकभारत्वम् कामे उपदेशकर्तृत्वमिति बोध्यम् । पिण्डीकरणादिति । अभेदाध्यवसानादिति भावः ।

'मान्थर्यमाप—' इति श्लोके मान्थर्यादिगुण इव प्राप्त्यादिक्रियापि यद्यपि साधारणधर्मतयाऽनुभवविषयतामापद्यते, तथापि वाक्यार्थसमाप्त्यर्थमावश्यक्यास्तस्याः कविकौशलाभूमितयाऽसुन्दरत्वाद् गुणस्यैव साधारणधर्मत्वमित्यभिप्रायेण गुणोदाहरणत्वमेवास्य श्लोकस्योक्तं ग्रन्थकृता । रक्तताया उपमेयेऽधरबिम्बे शोणत्वरूपता, उपमाने मनसि च आसक्तत्वरूपता, एवम् गुरुताया उपमेये नितम्बेऽधिकभारतात्मकता उपमाने मन्मथे च उपदेशकर्तृत्वरूपता, एवञ्च रक्तत्वगुरुत्वे कथं समानधर्मतां वहेतामिति चेत् ? रक्तगुरुशब्दगतश्लेषमहिम्ना भिन्नयोरपि तयोस्तयोर्धर्मयोरभेदाध्यवसाने साधारणधर्मतासंपत्तिरव्याहतेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र यद्यपीति ।

'मान्थर्यमाप—' इस पद्य में जिस तरह मन्दता आदि गुण साधारण धर्म माना जाता है उसी तरह प्राप्ति आदि क्रिया भी साधारणधर्मरूप मानी जा सकती थी, फिर इस पद्य को गुणरूप साधारणधर्म का उदाहरण क्यों माना जाय ? इस आशङ्का के उत्तर में ग्रन्थकार का कथन यह है कि क्रिया तो वाक्यार्थ-समाप्ति के लिए अनिवार्य तत्त्व है ऐसी स्थिति में उसके लाने में कवि-प्रतिभा का कोई खास उपयोग नहीं होता, अतः वह (क्रिया) सुन्दर साधारण धर्म नहीं हो सकता फलतः चमत्कारोत्पादन का समग्र भार अन्त में गुण पर ही आ जाता है, अत एव इस पद्य को गुणरूपसाधारण धर्म का उदाहरण मानना ही समुचित है ।

गुण भी यहाँ तीन हैं-एक मान्थर्य, दूसरा रक्तत्व और तीसरा गुरुत्व। इन तीनों में से प्रथम-अर्थात् मान्थर्य अनायास साधारण धर्म हो जाता है, क्योंकि वह उपमान बाल्यभाव और उपमेय गति दोनों में रहने वाला पदार्थ है, पर रक्तत्व और गुरुत्व को साधारण धर्म बनाने के लिये कुछ आयास करना पड़ता है, क्योंकि मनरूप उपमान में रक्तत्व आसक्ततारूप होगा और अधरबिम्बरूप उपमेय में वह होगा लालीरूप इसी तरह मन्मथरूप उपमान में गुरुत्व का रूप उपदेशकत्व होगा और नितम्बरूप उपमेय में उसका स्वरूप होगा अधिक भारी होना, ऐसी स्थिति में ये दोनों गुण स्वतः साधारण धर्म नहीं हो सकते, अतः 'रक्त' और 'गुरु' शब्द में जो श्लेष है उससे पूर्वोक्त द्विविध रक्तत्वों का तथा पूर्वोक्त द्विविध गुरुत्वों का एकीकरण करके साधारणधर्मता सिद्ध की जाती है।

श्लेषमूलकाभेदाध्यवसानानुप्राणितगुणधर्मकसहोक्तिमुदाहृत्य केवलाभेदाध्यवसानानुप्राणितगुणधर्मकसहोक्तेरनुदाहरणं न्यूनत्वं स्यादत आह—

एवं श्लेषाभावेऽपि केवलाध्यवसानेन बोध्यम्।

उक्तरीत्यैव केवलाभेदाध्यवसानानुप्राणितगुणधर्मकसहोक्तेरुदाहरणं स्वयमूहनीयमिति भावः।

जिस तरह 'मान्थर्यम्——' इस पद्य में श्लेषमूलक अभेदाध्यवसान के द्वारा गुण को साधारण धर्म बनाया गया है, उसी तरह कहीं श्लेष के अभाव में भी केवल अभेदाध्यवसान के द्वारा भी गुण को साधारण धर्म बनाया जा सकता है यह बात स्वयं समझने योग्य है।

मालासहोक्तिं निरूपयितुमुपक्रमते—

यत्रैकमेवोपमेयं विलक्षणसहोक्त्यालंबनम् सा मालासादृश्यान्मालासहोक्तिः। वैलक्षण्यं च सहोक्तेः स्वसमानाधिकरणसहोक्त्यन्तरापेक्षया बोध्यम्। 'केशैर्वधूनाम्' इत्यत्र केशैः सह कोषैः सह प्राणैः सहेत्युपमानभेदेन साहित्यस्यानेकत्वेऽपि कर्षणैक्यात्सहोक्तेर्भेदः। सति वा कथञ्चिद्भेदेन वैलक्षण्यम्, धर्मैक्यात्। धर्मोपमानोभयकृतवैलक्षण्यस्य चात्र विवक्षणात्। 'उन्मीलन्तो निमीलन्तः, इत्यत्र च धर्मवैलक्षण्येऽप्युन्मीलनधर्मोत्थापितसहोक्तिघटकोपमानानां पद्मपत्रादीनामेव निमीलनधर्मोत्थापितायामपि सहोक्तौ घटकत्वान्न मालारूपत्वम्। 'भाग्येन सह रिपूणाम्—' इति तूदाहरणमेव।

मालासहोक्तेः स्वरूपं तावदाह—यत्रैकमेवेत्यादि। यत्रैकस्मिन्नेवोपमेये बहूनामुपमानानां सहभावो वर्णितः स्यात् सा मालासहोक्तिरिति भावः। मालासहोक्तीतिनामकरणबीजमुद्घाटयति—मालासादृश्यादिति। सादृश्यञ्च समानजातीयवस्तुघटितत्वेन बोध्यम्। ननु वैलक्षण्यमिह विभिन्नकारकचमत्कारकरत्वं विवक्षितं चेत्? तदिह नास्ति, पूर्वोक्तसहोक्तिगतचमत्कारसमानचमत्कारकरत्वस्यैवात्रापि सहोक्तौ सत्त्वादित्यत आह—वैलक्षण्यं चेति। स्वसमानाधिकरणेति। प्रथमसहोक्त्याधारगतेत्यर्थः। बोध्यमिति। तथा च विलक्षणेत्यस्यात्र मिथो भिन्नेत्यर्थः, न तु चमत्कारविशेषकरेति। नन्वेवं 'केशैः—' इत्यत्रापि मालासहोक्तिरित्यत आह—केशैरिति। कर्षणैक्यादिति। कर्षणरूपधर्मस्यैकत्वादित्यर्थः।

सहोक्तेरभेद इति । सहोक्तेरेकत्वम्, न मालात्वमिति भावः । ननु धर्मैक्येऽपि उपमानभेदेनेयं स्यादेवात आह—सतीति । सत्यपीत्यर्थः । यथाकथंचिद् भेदे इति । उपमानभेदप्रयुक्तसहोक्तिभेदे इत्यर्थः । धर्मोपमानान्यतररूपेणेति यावत् । न वैलक्षण्यमिति । मालात्वोपयोगिविशेषो नेति भावः । कुत इति चेत् तत्राह—धर्मैक्यादिति । तावता किमित्यत आह—धर्मोपमानेति । अत्रेति । मालासहोक्तिलक्षण इत्यर्थः । क्वचिद्धर्मवैलक्षण्येऽप्युपमानाभेदान्नैवमित्यभिप्रायेणाह—उन्मीलन्त इति । न मालारूपत्वमिति । उन्मीलन-निमीलनरूपधर्मभेदे सत्यपि पद्मपत्र-नेत्र-त्रिलोकीश्रीरूपाणामेकोपमानानामेवोक्तयोरुभयोरपि धर्मयोरन्वयान्न मालात्वं सहोक्तेः, धर्मोपमानयोर्भेद एव तत्स्वीकारादिति भावः । नन्वेवं किमस्या उदाहरणमत आह—भाग्येनेति । 'भाग्येन सह रिपूणाम्—' इति प्रागुक्तं पद्यं मालासहोक्तेरुदाहरणं भवितुमर्हति, तत्र वर्णनीयनृपात्मकस्योपमेयस्यैकत्वेऽपि रिपुभाग्य-मृत्युरूपयोरुपमानयोरुत्थान-पतनरूपयोर्धर्मयोश्च भिन्नत्वादिति भावः ।

अब मालासहोक्ति का निरूपण किया जाता है—यत्र इत्यादि ।

जहां एक ही उपमेय विलक्षण सहोक्तियों का आलम्बन हो वहां माला से समानता के कारण 'माला-सहोक्ति' कहलाती है । 'विलक्षण सहोक्तियों' इस कथन का अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिए कि पूर्ववर्णित सहोक्तियों में जिस तरह का चमत्कार अनुभूत होता था उस से भिन्न तरह के चमत्कार को उत्पन्न करनेवाली सहोक्तियां, अपि तु यह अभिप्राय समझना चाहिए कि अपने साथ वाली सहोक्ति की अपेक्षा भिन्न सहोक्तियां । एतावता यह आशय निकला कि जहां एक उपमेय में अनेक उपमानों का सहभाव वर्णित हो वहां मालासहोक्ति कही जाती है ।

अब मालासहोक्ति का उदाहरण कौन सा पद्य होगा इस जिज्ञासा में यह समझना चाहिए कि 'केशैर्वधूनाम्—यह' पूर्वोदाहृत पद्य मालासहोक्ति का विषय नहीं होता, क्योंकि वहां 'केशों के साथ, कोषों के साथ और प्राणों के साथ' इस तरह के वर्णन से उपमान की अनेकता सिद्ध होने के कारण सहभाव की अनेकता सिद्ध होने पर भी कर्षणक्रियारूप धर्म की एकता के कारण सहोक्ति की अनेकता सिद्ध नहीं होती और सहोक्ति की अनेकता के विना सहोक्ति की माला बन नहीं सकती है ।

यदि किसी तरह-अर्थात् उपमान मात्र की अनेकता के आधार पर, सहोक्ति की अनेकता मान भी ली जाय, तथापि उसमें किसी प्रकार की विचक्षणता नहीं दीख पड़ती है, क्योंकि धर्म (कर्षण) यहां एक ही है और सहोक्ति की मालारूपता के लिये धर्म तथा उपमान उभयमूलक विलक्षणता विवक्षित है ।

इसी तरह 'उन्मीलन्तो निमीलन्तः' इत्यादि पदघटित पद्य-अर्थात् 'पद्मपत्रैर्नृणां नेत्रैः—' यह पद्य भी मालासहोक्ति के उदाहरण होने योग्य नहीं है, क्योंकि वहां धर्म की विलक्षणता रहने पर भी-अर्थात् उन्मीलन तथा निमीलन इन क्रियात्मक धर्मों की अनेकता रहने पर भी, उन्मीलन रूप धर्म से उत्थापित सहोक्ति के अन्दर आने वाले उपमान-पद्मपत्रादिक ही निमीलन रूप धर्म से उत्थापित सहोक्ति में भी उपमानभूत हैं, अतः वहां भी मालारूपता नहीं कही जा सकती ।

तात्पर्य यह कि यहां धर्म तो अनेक हैं पर उपमान एक ही है और मालासहोक्ति होती है तब जब धर्म तथा उपमान दोनों ही भिन्न भिन्न हों ।

हां, 'भाग्येन सह रिपूणाम्—' यह पूर्वोल्लिखित पद्य अवश्य ही मालासहोक्ति का

उदाहरण है, क्योंकि वहां उपमेय (वर्णनीय राजा) एक है और उपमान (रिपुभाग्य तथा मृत्यु) एवम् धर्म (उत्थान तथा पतन) दोनों अनेक हैं।

मालासहोक्तेरुदाहरणान्तरमुपस्थापयितुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्

अथवा जैसे—

उदाहरणं निर्दिशति—

'उन्मूलितः सह मदेन बलाद्वलारे—
रुत्थापितो बलभृतां सह विस्मयेन।
नीलातपत्रमणिदण्डरुचा सहैव
पाणौ धृतो गिरिधरेण गिरिः पुनातु॥'

कविः गोवर्धनं गिरिं स्तौति—गिरिधरेण हरिणा, वलारेः इन्द्रस्य, मदेन गर्वेण, सह, वलात् वलात्कारेण, उन्मूलितः समूलमुत्खातः अथ च खण्डितः, वलभृताम् वलधारिणाम्, विस्मयेन आश्चर्येण, सह, उत्थापितः ऊर्ध्वं नीतः, अथ च उत्पादितः, तथा नीलातपत्रमणिदण्डरुचा नीलमणिरचितच्छत्रदण्डकान्त्या, सहैव, पाणौ बाहौ, धृतः, गिरिः गोवर्धनाख्यः पर्वतः, पुनातु पूतं करोत्वित्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—उन्मूलितः इत्यादि।

कवि गोवर्धन पर्वत की स्तुति करता है—वह गोवर्धन पर्वत आप को, हमको, सबको, पवित्र करे, जो गिरिधर (श्रीकृष्ण) जी के द्वारा इन्द्र के मद के साथ बरजोरी उखाड़ा गया, बलशालियों के आश्चर्य के साथ उठाया गया और छत्र के नीलमणिरचित दण्ड की कान्ति के साथ ही पाणौ (बाहु पर—) धारण किया गया।

उपपादयति—

अत्र नीलातपत्रमणिदण्डरुचो गिरिधारणोत्तरकालिकत्वादुत्तरार्धगता पौर्वापर्यविपर्ययानुप्राणितैव सहोक्तिर्निदर्शनानुप्राणिता च। पूर्वार्धगते तु प्रकारद्वयेनापि संभवतः।

'उन्मूलितः—' इति श्लोके गिरिरूपे एकस्मिन्नुपमेये मद-विस्मयाद्यनेकोपमानानाम् उन्मूलनाद्यनेकक्रियाधर्मकसहभावस्य वर्णनान्मालासहोक्तिः। एवञ्चात्र श्लोके तिस्रः सहोक्तयः समुल्लसन्ति। तत्र तृतीय-चतुर्थचरणगता सहोक्तिः केवलम् पौर्वापर्यविपर्ययरूपातिशयानुप्राणिता, वस्तुतो गिरिधारणस्य कारणस्य पूर्वकालिकत्वेऽपि नीलातपत्रमणिदण्डरुचिधारणस्य कार्यस्योत्तरकालिकत्वेऽपि च सहभाववर्णनात्। सहैवास्यां सहोक्तौ निदर्शनालंकारानुप्राणनमपि वर्तते, इति बोध्यम्। पूर्वार्धगते ये द्वे सहोक्ती वर्तेते, ते पौर्वापर्यविपर्ययानुप्राणिते केवलाभेदाध्यवसानानुप्राणिते च भवितुमर्हतः इत्येव 'प्रकारद्वयेनापि संभवतः' इति रूपेण मूलकार आह। उभयानुप्राणनञ्चेत्थमवगन्तव्यम्—पूर्वं गिरिरुत्खातः ततः पुरन्दरदर्पपरिहार इति क्रमो लङ्घितः, एवं पूर्वं गिरिरुत्थापितः ततो वलभृद्विस्मय इति च क्रमो लङ्घित इति उभयत्र पौर्वापर्यविपर्ययः। मदस्यो-

न्मूलनम् मूलतः प्रध्वंसः, गिरेरुन्मूलनं मूलदेशादुत्खननम्। भिन्नयोरप्यनयोः स्वस्थान-त्यागादिना अभिन्नीकृतयोरुपादानम्। एवम् विस्मयस्योत्थापनम् उत्पादनम्, गिरेरुत्था-पनम् ऊर्ध्वदेशप्रापणम्। भिन्नयोरप्यनयोर्विभिन्नाकारेण प्रकाशविषयतापत्त्यादिना अभिन्नी-कृतयोरुपादानम्। एवञ्चोभयत्र केवलाभेदाध्यवसानमपीति भावः। अत्रत्यः कश्चन विचार-विशेषो हिन्दीटीकायामवलोकनीयः।

उपपादन किया जाता है—अत्र नीलातपत्र इत्यादि।

'उन्मूलितः—' इस पद्य में तीन सहोक्तियाँ हैं, एक उत्तरार्ध में और दो पूर्वार्ध में। उनमें से उत्तरार्धगत सहोक्ति पूर्वापरता की विपरीतता से केवल अनुप्राणित है, क्योंकि पाणि में छत्रसंबन्धी नीलमणि-दण्ड की कान्ति पर्वत के पाणि पर धारण कर लेने के बाद में ही हो सकती है। अभिप्राय यह कि इस अंश में अभेदाध्यवसानरूप अतिशय से अनुप्राणन नहीं है। किंतु इस अंश में निदर्शना का अनुप्राणन भी सहोक्ति को ग्राह्य हुआ है।

पूर्वार्ध में जो दो सहोक्तियाँ हैं वे दोनों ही प्रकारों से हो सकती हैं—अर्थात् वे सहोक्तियाँ पौर्वापर्यविपर्ययरूप और केवल अभेदाध्यवसानरूप दोनों तरह के अतिशयों से अनुप्राणित समझी जा सकती हैं, क्योंकि पर्वत के उत्पादन के बाद ही इन्द्र का मद खण्डित हो सकता है और पर्वत के उत्थापन के बाद ही बलवानों को आश्चर्य हो सकता है, जिन को साथ कह देने से 'पौर्वापर्यविपर्ययरूप अतिशय' है और मद के उन्मूलन एवम् पर्वत के उन्मूलन में इसी तरह विस्मय के उत्थापन एवम् पर्वत के उत्थापन में वस्तुतः भेद रहने पर भी उन दोनों उन्मूलनों तथा उन दोनों उत्थापनों को एक कहने के कारण 'केवल अभेदाध्यवसानरूप अतिशय' भी है।

यहाँ उत्तरार्धभागगत निदर्शना के उपपादन में नागेश ने कहा कि "सदृशवाक्यार्थ-योरैक्यारोपादिति भावः—अर्थात् यहाँ दो समान वाक्यार्थों में एकता के आरोप कर देने के कारण निदर्शना होती है।" फलतः नागेश यहाँ वाक्यार्थनिदर्शना मानते हैं।

उक्त नागेश-कथन का खण्डन करते हुए भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने अपनी 'सरला' में लिखा कि "गिरिधर ने 'मणिदण्ड की कान्ति के साथ गिरि का भी पाणि पर धारण किया—अर्थात् गिरि को भी पाणि पर रक्खा और मणिदण्ड की कान्ति को भी। अङ्गुलियों के ऊपर जब गिरि का धारण किया गया तब ऊपर उठा हुआ कान्तिमय श्यामबाहु ठीक उसी तरह शोभित हुआ जैसे ऊपर में फैले हुए छत्ते का नीलमणिरचित दण्ड हो, यही है यहाँ कवि का आशय। इस तरह पर्यवसित यह होता है कि बाहु में अथवा बाहु पर मणिदण्ड की कान्ति भी स्थित है और गिरि भी। किंतु मणिदण्ड की कान्ति मणिदण्ड में रहेगी, वह बाहु को कैसे प्राप्त कर सकेगी, अतः अन्य-उपमान-अर्थात्-मणिदण्ड के धर्म (कान्ति) का अन्य में अर्थात् उपमेय (बाहु) में आरोप ही करना पड़ेगा, अतः यहाँ पदार्थ निदर्शना पण्डितराज का अभिप्रेत है।" इस तरह पण्डितराज के अभिप्राय का वर्णन कर चुकने के बाद सरलाकार ने कहा है कि "यहाँ वाक्यार्थ-निदर्शना है ऐसी व्याख्या करने वाली नागेश की टीका तो आलंकारिक जनों से उपहसनीय होने के कारण निष्फल फुफकार तुल्य है।"

इसके आगे पुनः भट्ट जी ने लिखा है कि—"इसी तरह इस पद्य में 'उन्मूलितः' इस पद की 'समूलम् उत्खातः—अर्थात् जड़ से उखाड़ फेका' यह व्याख्या उचित है, क्योंकि 'उत् (उत्खात) मूलं करोति' इस विग्रह में उन्मूल शब्द से णिच् करने पर

'उन्मूलयति' बनता है और उसी णिजन्त धातु से क्त प्रत्यय करने पर 'उन्मूलित' शब्द निष्पन्न होता है। 'समूलं खण्डितः' यह व्याख्या तो लोकोत्तर आविष्कार है। गोविन्द ने गोवर्धन को खण्डित किया था ऐसा तो आज तक किसी पुराण में नहीं सुना। नागेश की महाशयता धन्य है।"

अब इस प्रसङ्ग पर हिन्दी रसगङ्गाधरकार-अब दिवंगत-पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी जी ने जो कुछ अपनी टिप्पणी में लिखा है जरा उसको भी देखें—वे लिखते हैं कि—"यहाँ निदर्शना के विषय में 'सदृशवाक्यार्थयोः—' इत्यादि पूर्वोद्धृत नागेश के लेख की खिल्ली उड़ाते हुए भट्ट मथुरानाथ जी ने अपनी सरला में पदार्थनिदर्शना बताई है, पर ऐसा लिखना उचित नहीं, क्योंकि यहाँ 'गिरिधरकर्तृक-पाण्याधारक-गिरिधरण' में 'गिरिधरकर्तृक-नीलातपत्रसंबंधि-मणिदण्डकान्तिधरण' का औपम्यपर्यवसायी अभेद है, अतः सदृश वाक्यार्थों का ऐक्यारोप तो है ही। किसी धर्म का गिरि अथवा गिरिधर में आरोप थोड़ा ही है जो पदार्थ निदर्शना हो। प्रतीत होता है कि वाक्यार्थ-विचार न कर सकने के कारण भ्रम हो गया है। शाब्दबोध के मर्मज्ञ इसे समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में 'नागेशटीका तु आलंकारिकैरुपहसनीयत्वात् फल्गु-फुंकारकल्पा' कहना अत्यन्त अशोभनीय है।

इसी प्रकार द्वितीय टिप्पणी में 'उन्मूलितः' का इन्द्रमद के नियम में 'उन्मूलनं मूलतः प्रध्वंसः' अर्थ करने वाले भट्ट जी द्वारा उसी अभिप्राय से लिखे हुए नागेश के 'समूलं खण्डितः' अर्थ की खिल्ली उड़ाना और फिर 'अहो महाशयत्वमेतस्य' कहना कहाँ तक उचित है। यह बात दूसरी है कि नागेश ने गिरिपक्ष में अर्थ को सरल समझ कर न लिखा, एतावता उक्त अर्थ उपहसनीय कैसे हो गया।"

अब इस प्रसङ्ग पर जरा मेरे विचार को भी परखिए—'उन्मूलितः' पद की व्याख्या के संबन्ध में हिन्दी रसगङ्गाधरकार ने जो कुछ कहा है उससे मैं भी सर्वथा सहमत हूँ और साथ ही मैं उनके इस विचार से भी सहमत हूँ कि किसी की उक्ति का खण्डन करते समय विरोधी के प्रति अभद्र शब्द का व्यवहार नहीं करना चाहिए। खास कर नागेश जैसे सर्वमान्य आचार्य के प्रति तो कथमपि वैसा करना उचित नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि नागेश के विरुद्ध कोई कुछ लिखे ही नहीं। किन्तु उनकी उक्ति के खण्डन करते समय अधिक से अधिक यही लिखना उचित प्रतीत होता है कि 'मुझे उनकी उक्ति में अमुक त्रुटि या दोष ज्ञात होते हैं, मेरे विचार से यहाँ ऐसा होना चाहिए।' अस्तु,

उक्त निदर्शना के संबन्ध में मुझे भी भट्ट मथुरानाथ जी का मत ही अच्छा प्रतीत होता है, क्योंकि 'सहोक्ति में अप्रधान उपमान और प्रधान उपमेय होता है' इस दृष्टि से भले ही मणिदण्डकान्ति उपमान और गिरि उपमेय हो, पर निदर्शना के अन्तर्गत जो उपमानोपमेयभाव होता है उसके अनुसार तो अवश्य ही यहाँ छत्र और ऊपर उठाए गये गिरि में उपमानोपमेयभाव है और तन्मूलक द्वितीय उपमानोपमेयभाव, नीलमणि रचित छत्र-दण्ड और गिरि को उठाने के लिये ऊपर उठे हुए घनश्याम के श्यामल बाहु में है ऐसी कल्पना ही यहाँ चमत्कारिणी है—कम से कम मेरा ऐसा ही विश्वास है। अतः भट्ट जी ने ठीक ही कहा है कि उपमान (नीलमणिदण्ड) के धर्म (कान्ति) का उपमेय (श्यामबाहु) में आरोप होने के कारण यहाँ पदार्थ-निदर्शना है।

चतुर्वेदी जी ने जो 'गिरिधरकर्तृक—' इत्यादि शाब्दबोधाकार लिखकर अपनी शाब्दबोधमर्मज्ञता का परिचय दिया है, वह मेरी दृष्टि में जँचता नहीं है, क्योंकि एक तो उस तरह से वाक्यार्थ में वाक्यार्थ के अभेद की कल्पना करना चमत्कारी नहीं प्रतीत

होता, दूसरे जिस वाक्यार्थ को आप अभेद का प्रतियोगी माना है वह 'गिरिधरकर्तृक-नीलातपत्रसंबन्धि-मणिदण्डकान्तिधरण' इत्याकारक वाक्यार्थ पहले बनेगा ही कैसे? क्योंकि मणिदण्डकान्तिधरण-गिरिधरकर्तृक नहीं हो सकता, वह तो मणिदण्डकर्तृक ही हो सकता है, फलतः इस तरह के वाक्यार्थ को तैयार करने के लिये ही पहले मणिदण्डकान्ति का आरोप हरिबाहु में करना होगा, फिर तदारोपमूलक ही निदर्शना क्यों नहीं मान ली जाय?

तीसरे 'गिरिधरकर्तृक-नीलातपत्रसंवन्धि' ऐसा लिखते हुए चतुर्वेदी जी 'नील' पदार्थ का संबन्ध छत्र के साथ करते जैसे प्रतीत होते हैं, जो उचित नहीं प्रतीत होता। कारण, नीलमणि से रचित दण्ड के साथ श्याम-बाहु की तुलना ठीक बैठती है।

'गिरि अथवा गिरिधर में किसी धर्म का आरोप थोड़ा ही है जो पदार्थ-निदर्शना हो' यह जो चतुर्वेदी जी ने कहा है उसका तो कुछ मतलब ही नहीं लगता। गिरि अथवा गिरिधर में किसी धर्म का आरोप होने पर पदार्थनिदर्शना हो सकती है, अन्यथा नहीं, इसमें तो कोई युक्ति नहीं दीख पड़ती।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे सहोक्तिप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निवन्धे सहोक्तिप्रकरणं समाप्तं वेदितव्यमिति भावः।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां सहोक्तिप्रकरणम्॥

रसगङ्गाधरगत सहोक्ति-प्रकरण की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई॥

विनोक्तिनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथ विनोक्तिः—

निरूप्यतया विनोक्तिरारब्धा बोध्येति भावः।

विनोक्ति-निरूपण की प्रतिज्ञा की जाती है—अथ इत्यादि।

अब विनोक्ति अलङ्कार का विचार आरब्ध होता है।

आदौ तल्लक्षणमाह—

विनार्थसंबन्ध एव विनोक्तिः॥

'विनार्थसंवन्ध्येव' इति क्वाचित्कोऽपपाठः। विनाशब्दस्य योऽर्थस्तस्य संबन्धो वर्ण्यमानो विनोक्तिनामालंकारः। विनाशब्दोच्चारणं नावश्यकम्, पदान्तरेणापि तदर्थ-प्रतिपादने एतस्येष्टत्वात्। अत एव मूले 'एव' पदनिवेश इति भावः।

सर्वप्रथम विनोक्ति का लक्षण किया जाता है—विनार्थ इत्यादि।

विना शब्द के अर्थ का संबन्ध ही विनोक्ति अलंकार कहलाता है। अभिप्राय यह कि इस अलंकार में 'विना' शब्द का रहना अपेक्षित नहीं है, अपितु उस शब्द के अर्थ का रहना अपेक्षित है, अत एव तदर्थबोधक अन्य पदों के रहने पर भी यह अलंकार होता है। इसका स्पष्टीकरण स्वयं ग्रन्थकार ने आगे किया है।

लक्षणं विवेचयति—

हृद्यत्वं चानुवर्तते। तच्च विनाकृतस्य वस्तुनो रमणीयत्वारमणीयत्वा-भ्यां भवति।

अलंकारसामान्यलक्षणगतं हृद्यत्वम् (चमत्कारित्वम्) अत्रापि अनुवर्तत एव। तच्च

हृद्यत्वमिह प्रकारद्वयेन संभवति केनचिद् वस्तुना विनाकृतस्य कस्यचित् वस्तुनो रमणीयत्वेन तादृशवस्तुनोऽरमणीयत्वेन चेति भावः ।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—हृद्यत्व इत्यादि ।

अलंकार-सामान्य-लक्षणगत सुन्दरता की अनुवृत्ति यहाँ भी होती ही है—अर्थात् वही विनार्थ-संबन्ध विनोक्ति अलंकाररूप माना जायगा जो सुन्दर होगा—विच्छित्ति-विशेषोत्पादक होगा। फलतः 'भोजन के बिना गरीब दुर्बल हो जाते हैं' इत्यादि लौकिक विनार्थ-संबन्ध-स्थल में यह अलंकार नहीं होगा।

वह सुन्दरता यहाँ जिस वस्तु के साथ विना शब्द का अर्थ अन्वित हो उसकी रमणीयता तथा अरमणीयता से होती है। अभिप्राय यह कि यदि किसी वस्तु के विना कोई वस्तु रमणीय हो अथवा यदि किसी वस्तु के विना कोई वस्तु अरमणीय हो तब वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है।

उद्देशक्रमवैपरीत्येनारमणीयत्वे तावदुदाहर्तुमाह—

अरमणीयत्वे यथा—

विनाकृतस्य वस्तुनोऽरमणीयत्वे विनोक्तिर्यथेति भावः ।

यद्यपि पहले रमणीयता के अनन्तर अरमणीयता की चर्चा की गई थी, पर सम्प्रति उस क्रम को छोड़ कर अरमणीयता होने पर होने वाली विनोक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये कहा जाता है—अरमणीयत्वे इत्यादि ।

अरमणीयता होने पर विनोक्ति जैसे— ।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

> 'संपदा संपरिष्वक्तो विद्यया चानवद्यया ।
> नरो न शोभते लोके हरिभक्तिरसं विना ॥'

संपदा विभवेन, अनवद्यया विद्यया च निर्दोषशास्त्रज्ञानेन च, संपरिष्वक्तो युक्तः, नरः मनुष्यः, हरिभक्तिरसं विना भगवद्भक्तिसुधामन्तरा, लोके, न शोभते शोभां नाधिगच्छतीत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—संपदा इत्यादि ।

संपत्ति से और निर्दोष विद्या से युक्त भी मनुष्य संसार में भगवद्भक्ति रस के विना शोभित नहीं होता।

उदाहरणान्तरं निर्देष्टुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम् ।

अथवा जैसे— ।

उदाहरणं निर्दिशति—

> 'वदनं विना सुकवितां सदनं साध्वीं विना वनिताम् ।
> राज्यं च विना धनितां न नितान्तं भवति कमनीयम् ॥'

वदनम् मुखम् , सुकविताम् सुकाव्यम् , विना ऋते, सदनम् गृहम् , साध्वीम् पतिव्रताम् , वनिताम् रमणीम् , विना, राज्यम् , धनिताम् धनम् , विना, नितान्तम् अत्यन्तम् , कमनीयम् सुन्दरं, न भवति न संपद्यत इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—वदनम् इत्यादि ।

मुख उत्तम कविता के विना, गृह पतिव्रता पत्नी के विना, राज्य धन के विना नितान्त सुन्दर नहीं होता ।

प्रभेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

रमणीयत्वे यथा—

विनाकृतस्य वस्तुनो रमणीयतायां विनोक्तिर्यथेत्यर्थः ।

रमणीयता होने पर विनोक्ति जैसे—

उदाहरणमुल्लिखति—

> 'पङ्कैर्विना सरो भाति सदः खलजनैर्विना ।
> कटुवर्णैर्विना काव्यं मानसं विषयैर्विना ॥'

सरः सरोवरम् पङ्कैः कर्दमैः, विना, सदः सभा, खलजनैः अधमपुरुषैः, विना, काव्यम् कविकर्मविशेषः, कटुवर्णैः, विना, मानसम् चेतः, विषयैः, सांसारिकस्रक्चन्दन-वनितादिविषयाभिलाषैः, लक्षणया एवमर्थो विधेयोऽन्यथाऽसंगतेः, विना, भाति शोभत इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—पङ्कैर्विना इत्यादि ।

विना कीचड़ के सरोवर, विना खलजनों के सभा, विना कर्णकटु अक्षरों के काव्य और विना सांसारिक विषय-वासनाओं के मन शोभित होता है ।

उपपादयति—

पूर्वा तु केवला, इयं तु दीपकानुकूला ।

पूर्वेति । अरमणीयत्वोदाहृतत्वावच्छिन्नेत्यर्थः । तयोर्नरराजयोर्वर्णनेन तदीयतया सर्वेषां प्रकृतत्वादिति भावः । इयं त्विति । रमणीयत्वोदाहृतेत्यर्थः । दीपकानुकूलेति । एकस्य प्रकृतस्यान्येषामप्रकृतानां भानक्रियारूपैकधर्मसंबन्धादिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—पूर्वा तु इत्यादि ।

प्रथम—अर्थात् अरमणीयत्वपर्यवसायिनी विनोक्ति केवल (दीपकानुकूल नहीं) थी, और यह-अर्थात् रमणीयत्व-पर्यवसायिनी विनोक्ति-दीपक के अनुकूल है । तात्पर्य यह कि पूर्व के उदाहरणों में नर तथा राजा वर्णनीय रूप से प्रस्तुत हैं अतः उन से संवन्ध रखने वाले उन दोनों पद्यों में वर्णित सभी पदार्थ प्रस्तुत ही हैं फलतः दीपकोपयुक्त स्थिति वहाँ-नहीं है, पर इस उदाहरण में सरोवर आदि में से किसी एक के प्रस्तुत और अन्यों के अप्रस्तुत रहने के कारण दीपकोपयुक्त स्थिति है ।

पूर्वभेदयोर्मिश्रणेन संपन्नं तृतीयं भेदमुदाहर्तुमाह—

मिश्रिता यथा—

रमणीयत्वारमणीयत्वाभ्यां मिश्रिता विनोक्तिर्यथेत्यर्थः ।

रमणीयता और अरमणीयता से मिश्रित विनोक्ति जैसे— ।

उदाहरणमुपस्थापयति—

> 'रागं विना विराजन्ते मुनयो मणयस्तु न ।
> कौटिल्येन विना भाति नरो न कबरीभरः ॥'

मुनयः ऋषयः, रागम् आसक्तिम् , विना, विराजन्ते शोभन्ते, मणयस्तु, रागम् रक्तिमानम् , विना, न विराजन्ते । नरः मनुष्यः, कौटिल्येन कुटिलतया, विना भाति, कबरीभरः केशकलापः, कौटिल्येन वक्रतया, विना, न भातीत्यर्थः ।

उदाहरण का उल्लेख किया जाता है—रागम् इत्यादि ।

मुनिगण राग (आसक्ति) के विना शोभित होते हैं और मणियाँ विना राग (रङ्ग) के शोभित नहीं होतीं। मनुष्य कुटिलता (दुष्टता) के विना शोभित होता है और केशकलाप कुटिलता (टेढ़ापन) के विना शोभित नहीं होता।

उपपादयति—

अत्र प्रतिवस्तूपमानुकूला ।

अत्रेति । रागं विनेति पद्य इत्यर्थः । प्रतिवस्तूपमेति । पूर्वोत्तरार्धोपात्तवाक्यार्थयोर्वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्नविराजन-भानरूपधर्मैक्यादिति भावः । अनुकूलेति । विनोक्तिरिति शेषः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'रागं विना—' इस पद्य में विनोक्ति प्रतिवस्तूपमा के अनुकूल है अर्थात् यहाँ विनोक्ति के साथ ही पूर्वार्ध तथा उत्तरार्धगत दो वाक्यार्थों का संबन्ध वस्तुप्रतिवस्तुभावापन्न (विराजन और भान) धर्म के साथ होने के कारण प्रतिवस्तूपमा की भी स्थिति है।

मिश्रिताया एव विनोक्तेरुदाहरणान्तरमुपन्यस्यति—

'त्रासैर्विना विराजन्ते शूराः सन्मणयो यथा ।
न दानेन विना भान्ति नृपा लोके द्विपा इव ।।'

सन्मणयः उत्तमजातीया अपि मणयः, यथा, त्रासैः दोषैः, विना, विराजन्ते शोभन्ते, तथैव, शूरा वीराः, त्रासैः भयैः, विना, विराजन्ते । लोके, द्विपा गजाः, यथा, दानेन मदवारिणा, विना, न, भान्ति, तथैव, नृपाः राजानः, दानेन वितरणेन, विना, न, भान्ति शोभन्त इत्यर्थः ।

मिश्रित विनोक्ति का ही एक और उदाहरण दिखलाया जाता है—त्रासै-इत्यादि ।

अच्छी मणियाँ जिस तरह त्रासों (दोषों) के विना शोभित होती हैं उसी तरह वीरजन त्रासों (भयों) के विना शोभित होते हैं। हाथी जिस तरह दान (मद) के विना शोभित नहीं होते, उसी तरह राजे दान (धन-वितरण) के विना शोभित नहीं होते।

उपपादयति—

अत्र श्लेषमूलोपमानुकूला ।

'त्रासैर्विना—' इति पद्ये तादृशीविनोक्तिर्वर्णिता यया उपमालंकारसंपत्तिसामग्री संघटिता । त्रास-दान-पदयोः श्लिष्टतया उपमायाः श्लेषमूलत्वमिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'त्रासैर्विना—' इस पद्य में जो मिश्रित विनोक्ति है वह श्लेषमूलक उपमा के अनुकूल है-अर्थात् इस विनोक्ति के कारण ही यहाँ उपमा का प्रसङ्ग बन जाता है। 'त्रास तथा दान' पदों के श्लिष्ट रहने के कारण उपमा श्लेषमूलक होती है।

दीपकासंसृष्टं विषयं प्रदर्शयन्नरमणीयत्वे उदाहरति—

'यथा तालं विना रागो यथा मानं विना नृपः ।

यथा दानं विना हस्ती तथा ज्ञानं विना यतिः ॥'

न शोभते इति सर्वत्र बोध्यम्। तालः संगीतशास्त्रप्रसिद्धो ध्वनिविशेषः। यतिः संन्यासी। अन्यत् सुगमम्।

अरमणीयतापर्यवसायिनी विनोक्ति का ही एक और उदाहरण दिखलाया जाता है—यथा इत्यादि।

जैसे राग ताल के विना, राजा मान के विना और हाथी मद के विना शोभित नहीं होता उसी तरह संन्यासी ज्ञान के विना शोभित नहीं होता।

उपपादयति—

पूर्वं क्रियागुणादिसंबन्ध आवश्यकः इह तूपमामाहात्म्यादवगम्यते स इति न तथा।

स इति। क्रियादिसंबन्ध इत्यर्थः। न तथेति। नावश्यक इत्यर्थः। अन्यत् स्पष्टम्।

पूर्व के उदाहरणों से इस उदाहरण में अन्तर दिखलाया जाता है—पूर्वं इत्यादि।

पहले जो उदाहरण लिखे गए उनमें क्रिया अथवा गुण का संबन्ध आवश्यक समझ कर शब्दतः दिखलाया गया है, पर इस (यथा तालम्) उदाहरण में उपमा की महिमा से ही 'नहीं शोभित होता' इस क्रियांश की प्रतीति हो जाती है, अतः शब्दतः उसका संबन्ध दिखलाना आवश्यक नहीं हुआ।

पूर्वं लक्षणवाक्येऽर्थपदनिवेशसूचितमभिप्रायं स्फुटयति—

इयं च न केवलं विनाशब्दस्य सत्त्व एव भवति, अपितु विनाशब्दार्थवाचकमात्रस्य। तेन नञ्-निर्-वि-अन्तरेण-ऋते-रहित-विकलइत्यादिप्रयोगे इयमेव।

इयं चेति। विनोक्तिश्चेत्यर्थः। इत्यादीति। आदिना ऊनादिपरिग्रहः। इयमेवेति। विनोक्तिरेवेत्यर्थः। भवतीति शेषः। अन्यत्सुगमम्।

लक्षण वाक्य द्वारा जिस बात का संकेत पहले दिया जा चुका था उसी को अब स्पष्ट किया जाता है—इयं च इत्यादि।

यह विनोक्ति अलंकार केवल विना शब्द के रहने पर ही नहीं होता अपि तु विना शब्द से अवगत होने वाले अर्थ के बोधक जितने शब्द हैं उन में से किसी भी शब्द के रहने पर होता है, अतः नञ् आदि—जो मूल में गिनाये गये हैं—शब्दों में से किसी का भी प्रयोग रहने पर यही अलंकार होगा ऐसा समझना चाहिए।

नञ्शब्दघटितां विनोक्तिमुदाहरति—

'निर्गुणः शोभते नैव विपुलाडम्बरोऽपि ना।
आपातरम्य-पुष्पश्री-शोभितः शाल्मलिर्यथा ॥'

आपातरम्याणां गन्धहीनानामिति यावत्, पुष्पाणाम् श्रिया लक्ष्म्या, शोभितः शाल्मलिः, यथा, न शोभते तथैव, विपुलाडम्बरः बाह्यवेषभूषासुसज्जितोऽपि ना नरः, निर्गुणः गुणविहीनश्चेत् तदा नैव शोभत इत्यर्थः।

नञ् शब्द से युक्त विनोक्ति का उदाहरण दिखलाया जाता है—निर्गुण इत्यादि।

आपाततः रमणीय गन्धहीन होने के कारण वस्तुतः रमणीय नहीं, पुष्पों की श्री

(कान्ति) से शोभित सेमल के तरु के समान बहुत अधिक बाह्य आडम्बरों से युक्त भी मनुष्य निर्गुण होने पर शोभित नहीं होता।

लक्षणविषये मतान्तरमाह—

अलङ्कारभाष्यकारस्तु 'नित्यसंबन्धानामसंबन्धवचनं विनोक्तिः' इत्याह।

ययोः पदार्थयोर्यादृशः संबन्धो नित्यः, तयोस्तादृशसंबन्धाभाववर्णनं विनोक्त्यलंकार इति भाष्यकारमतमिति भावः।

लक्षण के विषय में मतान्तर का उल्लेख किया जाता है—अलंकार इत्यादि।

अलंकार-भाष्यकार का कथन है कि उस वर्णन को विनोक्ति अलंकार कहा जाता है जिसमें ऐसे दो वस्तुओं के संबन्धाभाव कहा गया हो जिन का संबन्ध नित्य रहता है।

अस्मिन्मते पूर्वोदाहरणासंभवं प्रतिपादयति—

तस्य मते तु नैतान्युदाहरणानि।

अलंकारभाष्यकारमते पूर्वोक्तान्युदाहरणानि न भवितुमर्हन्तीति भावः।

अलंकारभाष्यकार के मत में पीछे लिखे गये पद्य उदाहरण नहीं हो सकते।

भाष्यकारमतसिद्धमुदाहरणं दातुमाह—

इदं तूदाहरणम्—

भाष्यकाररीत्या निम्नलिखितं पद्यं विनोक्तेरुदाहरणं बोध्यमिति भावः।

उनके मत से यह उदाहरण हो सकता है—

उदाहरणं निर्दिशति—

'मृणालमन्दानिलचन्दनानामुशीरशैवालकुशेशयानाम्।
वियोगदूरीकृतचेतनाया विनैव शैत्यं भवति प्रतीतिः॥'

दूती विरहिणीदशां नायकं बोधयन्ती कथयति—वियोगेन प्रियविरहेण दूरीकृता नाशिता चेतना बुद्धिः, यस्यास्तस्याः, तत्समवेतेति यावत्, मृणालमन्दानिलचन्दनानाम् कमल-नाल-मन्दपवन-श्रीखण्डानाम्, तथा उशीरशैवालकुशेशयानाम् नलतृण-शैवालाख्यजल-तृण-कमलानाम्, प्रतीतिः अनुभवः, तत्तद्विषयकज्ञानमिति यावत्, शैत्यं शीतलताम्, विना भवति, शैत्यराहित्येन तेषामनुभवो जायत इति भावः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—मृणाल इत्यादि।

दूती नायक से कह रही है—विरह के कारण नायिका की बुद्धि-शक्ति नष्ट हो गई है अतः उसे मृणाल, मन्द पवन, चन्दन, खस, सिवाल और कमलों का अनुभव शीतलता के विना ही होता है—अर्थात् उसे ये सब पदार्थ शैत्यरहित ज्ञात होते हैं।

उपपादयति—

अत्र शैत्यस्याविनाभावेऽपि विनाभावो निबद्धः।

शैत्यस्येति। मृणालादिभिः सहेति शेषः।

मृणालादिषु शैत्यस्य सबन्धे नियतेऽपि तदभाववर्णनाद् विनोक्तिरिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'मृणाल—' इस पद्य में, यद्यपि मृणाल आदि के साथ शीतलता का अविनाभाव—अर्थात् नित्य संबन्ध है, तथापि विनाभाव-अर्थात् उन वस्तुओं में शीतलता का अभाव,

वर्णित हुआ है, अतः भाष्यकार के लक्षण से भी यह विनोक्ति का उदाहरण सिद्ध होता है।

एवं रमणीयत्वे उदाहरणं दत्त्वा अरमणीयत्वे उदाहर्तुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्,

अथवा जैसे—

उदाहरणमुपस्थापयति—

'शैत्यं विना न चन्द्रश्रीर्न दीपः प्रभया विना।
न सौगन्ध्यं विना भाति मालतीकुसुमोत्करः॥'

चन्द्रश्रीः चन्द्रकान्तिः, चन्द्रिकेति यावत्, शैत्यं, विना, न, भाति, दीपः, प्रभया आलोकेन, विना, न, भाति, मालतीकुसुमोत्करः मालतीपुष्पसमूहः, सौगन्ध्यं सौरभं विना, न, भाति शोभत इत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—शैत्यम् इत्यादि।

शीतलता के विना चाँदनी की, प्रकाश के विना दीप की, और सौरभ के विना मालतीपुष्प-समूह की शोभा नहीं होती।

केषांचिन्मते विनोक्त्यलंकारो नास्त्येवेत्याह—

अलंकारान्तरसमालिङ्गनाविर्भूतमेवास्या हृद्यत्वम्, न स्वतः। तेनालंकारान्तरत्वमपि शिथिलमेवेत्यपि वदन्ति।

विनोक्त्यलंकारे यश्चमत्कारोऽनुभूयते सः अन्यालंकारयोगकृतः सर्वत्र। एवञ्च यत्र यदलंकारयोगकृतश्चमत्कारस्तत्र तदलंकारव्यवहारकरणेनैव सामञ्जस्ये नालंकारान्तरत्वं विनोक्तेरित्यपि बहवः कथयन्तीति भावः।

विनोक्ति के स्वतन्त्र अलंकारत्व का खण्डन किया जाता है—अलम् इत्यादि।

इस (विनोक्ति) अलंकार में अनुभूत होने वाला चमत्कार किसी अन्य अलंकार के मिश्रण से ही आविर्भूत होता है, स्वतः नहीं, अतः इस को भिन्न अलंकार मानना कमजोर ही पक्ष है ऐसा भी कुछ विद्वानों का मत है।

विनोक्तिध्वनिमुदाहर्तुमाह—

अथास्या ध्वनिः—

अतः परं विनोक्तिध्वनिरुदाह्रियत इति भावः।

अब विनोक्ति-ध्वनि आरब्ध है।

यथा—

स्पष्टम्।

जैसे—

उदाहरणमुल्लिखति—

'विशालाभ्यामाभ्यां किमिह नयनाभ्यां फलमसौ
न याभ्यामालीढा परमरमणीया तव तनुः।
अयं तु न्यक्कारः श्रवणयुगलस्य त्रिपथगे
यदन्तर्नायातस्तव लहरिलीलाकलकलः॥'

पण्डितराजो जगन्नाथो गङ्गालहरीनामके निजग्रन्थे गङ्गां स्तौति—हे त्रिपथगे गङ्गे, परमरमणीया अतिमनोहरा, तव भवत्याः, असौ सकलफलदत्वेन ख्याता तनुः प्रवाह इति यावत्, याभ्याम् नेत्राभ्याम्, नालीढा न दृष्टा, आभ्याम् ताभ्याम्, (इदमस्तदर्थकत्व-मित्यभिमानः) विशालाभ्याम् महद्भ्याम्, अपि इति शेषः, नयनाभ्याम्, इह संसारे, किं फलम् न किमपीति भावः। अपि च, यस्य श्रवणयुगलस्य, अन्तः अन्तर्देशे, तव भवत्याः, गङ्गाया इति यावत्, लहरिलीलाकलकलः तरङ्गक्रीडाध्वनिविशेषः, नायातः नागतः, न प्रविष्ट इति भावः, तस्य श्रवणयुगलस्य कर्णद्वयस्य, अयम् तद्ध्वन्यप्रवेशरूपः, न्यक्कारः धिक्कार इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—विशालाभ्यामित्यादि।

हे गङ्गे! उन बड़े-बड़े नेत्रों से इस संसार में क्या फल सिद्ध हुआ जिन ने परमसुन्दर तेरे स्वरूप के दर्शन नहीं किये और उन दोनों कानों को तो धिक्कार ही है जिनके भीतर तेरी तरङ्ग क्रीड़ा का कलकल-नाद प्रविष्ट नहीं हुआ।

उपपादयति—

अत्र त्वद्दर्शनं विना नयनयोः, त्वल्लहरिकोलाहलश्रवणं विना श्रवणयो-श्चारमणीयत्वं फलप्रश्न-धिक्काराभ्यां व्यज्यते।

'विशालाभ्याम्–' इति श्लोके 'नयनाभ्याम् किं फलम्?' इत्याकारो यः प्रश्नो विद्यते, तेन 'गङ्गादर्शनमन्तरा नयने अरमणीये' इत्यर्थो ध्वन्यते, एवम् तस्मिन्नेव श्लोके 'श्रवण-युगलस्यायं न्यक्कारः' इति यदुक्तं तेन 'गंगातरङ्गकलकलध्वनिश्रवणं विना कर्णौ न रमणीयौ' इत्यर्थो व्यज्यत इति भवतीदं पद्यम् अरमणीयत्वपर्यवसायि विनोक्त्यलङ्कार-ध्वन्युदाहरणमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—इत्यादि।

'विशालाभ्याम्—' इस पद्य में जो 'उन आँखों से क्या फल?' इस तरह का प्रश्न किया गया है उससे यह व्यक्त होता है कि तेरे (गङ्गा के) दर्शन के बिना आँखों की रमणीयता नहीं। इसी तरह इसी पद्य में जो कानों के धिक्कार की बात वर्णित हुई है, उससे यह ध्वनित होता है कि तेरे (गङ्गा के) उत्तालतरङ्गों के कोलाहलों के श्रवण के बिना कानों की सुन्दरता नहीं होती।

फलतः यह पद्य अरमणीयत्वमूलक-विनोक्ति ध्वनिका-उदाहरण होता है।

ननु पद्यमिदं भावध्वनेरुदाहरणम्, प्रधानतया कविनिष्ठगङ्गाविषयकरतिभावस्यैवा-भिव्यक्तेः, न विनोक्तिध्वनेः व्यज्यमानाया अपि विनोक्तेर्गौणत्वादित्याशङ्कां मनसि निधायाह—

तस्य च भावध्वन्यनुग्राहकत्वेऽपि ध्वनिव्यपदेश्यत्वमव्याहतम्, अन्यथानु-ग्राहकत्वलक्षणसंकरोच्छेदापत्तेः।

तस्येति। व्यज्यमानारमणीयत्वस्येत्यर्थः। भावेति। कविनिष्ठगङ्गाविषयकरतिभावे-त्यर्थः। अन्यथेति। अनुग्राहकत्वात्तद्व्यपदेशानङ्गीकारे इत्यर्थः। अयं भावः— 'विशाला-भ्याम्—' इत्यत्र व्यज्यमानः कविनिष्ठगङ्गाविषयकरतिभावो मुख्यः ध्वन्यमानपूर्वोक्तारमणी-यत्वरूपविनोक्तिश्च तस्यानुग्राहिकेति यद्यपि सत्यम्, तथापि विनोक्तिध्वनिरत्रेति व्यवहारे

न क्वाचिद् बाधा। यदि व्यज्यमानानुग्राहकार्थमादाय ध्वनिव्यवहारो नानुमन्येत, तदा अनुग्राह्यानुग्राहकभावमूलकध्वनिसंकरः सकलालंकारिकस्वीकृत उच्छिद्येतेति।

एक शंका मन में रख कर लिखा जा रहा है—तस्य च इत्यादि।

यहाँ शङ्का यह है कि 'विशालाभ्याम्—' इस पद्य में यद्यपि उक्तरीति से विनोक्ति व्यङ्ग्य होती है, तथापि उसके आधार पर यहाँ ध्वनि का व्यवहार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह गौण व्यङ्ग्य है प्रधान व्यङ्ग्य तो है यहाँ गङ्गा के प्रति कवि का रतिभाव। तात्पर्य यह कि प्रधान व्यङ्ग्य के आधार पर ध्वनि का व्यवहार होता है, अतः इस पद्य को भाव ध्वनि का उदाहरण माना जा सकता है, विनोक्ति ध्वनि का नहीं, क्योंकि विनोक्ति उक्त भाव के पोषक होने के नाते गौण व्यङ्ग्य है।

इसका समाधान यह दिया जाता है कि प्रधान व्यङ्ग्य के अनुग्राहक (पोषक) होने के कारण गौण बने व्यङ्ग्य के आधार पर भी ध्वनि का व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि ऐसा न हो तब जो अनुग्राह्य-अनुग्राहक भाव-मूलक ध्वनि-संकर की व्यवस्था सभी आलंकारिकों ने की है उसका उच्छेद ही हो जायगा।

प्रागुक्तसिद्धान्तानुसारमन्यत्रापि विनोक्तिध्वनिं समर्थयति—

एवं च—

'निरर्थकं जन्मगतं नलिन्या यया न दृष्टं तुहिनांशुबिम्बम्।
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलैव कृता विनिद्रा नलिनी येन न॥'

इति कस्यचित्कवेः पद्यं विनोक्तिध्वनिरेव। परं तु परस्परविनोक्तिवशाद्वैलक्षण्यशालि।

एवं चेति। भावध्वन्यनुग्राहकत्वेऽपि व्यज्यमानविनोक्तेर्ध्वनित्वव्यपदेशस्वीकारे चेत्यर्थः। 'निरर्थकम्—' इति। यया नलिन्या, तुहिनांशुबिम्बम् चन्द्रमण्डलम्, न दृष्टम् नावलोकितम्, तस्याः, नलिन्याः कुमुदिन्याः, जन्म, निरर्थकम्, गतम्, येन इन्दुना, नलिनी कुमुदिनी, विनिद्रा विकसिता, न कृता, तस्य, इन्दोरपि, उत्पत्तिः जन्म, निष्फलैव व्यर्थैवेत्यर्थः। विनोक्तिध्वनिरेवेति। 'निरर्थकम्—' इति श्लोके 'वाञ्छनीयसहयोगयोः कयोश्चिदसहयोगे तौ प्रति अमर्षभावध्वनिः प्रधानम्, तस्य च पोषकम् 'चन्द्रदर्शनं विना नलिन्याः, नलिनीविकासं विना चन्द्रस्य च अरमणीयता' इत्याकारकम् व्यज्यमानम् विनोक्तिद्वयम्; पोषकमपि विनोक्तिद्वयात्मकं व्यङ्ग्यमादाय ध्वनिव्यवहारोऽव्याहतः पूर्वोक्तयुक्तेरिति भावः। वैलक्षण्येति। पूर्वोदाहरणापेक्षयेति भावः।

उक्ति-युक्ति के आधार पर अन्यत्र भी विनोक्ति ध्वनि की बात स्थिर की जाती है—एवं च इत्यादि।

जब अनुग्राह्यानुग्राहकभावमूलक ध्वनिसंकरव्यवस्थारूप युक्ति से पोषकव्यङ्ग्य अर्थ के आधार पर भी ध्वनि-व्यवहार का सिद्धान्त स्थिर कर दिया गया, तब 'निरर्थकम्—अर्थात् उस कुमुदिनी का जन्म व्यर्थ ही गया जिसने चन्द्रमण्डल को नहीं देखा और उस चन्द्रमा की उत्पत्ति भी निष्फल ही है जिसने कुमुदिनी को विकसित नहीं किया।' यह किसी कवि का पद्य विनोक्ति ध्वनि का ही उदाहरण माना जायगा, किन्तु परस्पर की विनोक्ति ध्वनित होने के कारण पूर्व पद्य ('विशालाभ्याम्') से यह पद्य विलक्षणतायुक्त है।

तात्पर्य यह कि 'निरर्थकम्—' इस पद्य से भी प्रधानतः अमर्षभाव (जिन दो व्यक्तियों का परस्पर सहयोग वाञ्छित था, पर सहयोग है नहीं, ऐसे किन्हीं दो व्यक्तियों के प्रति अमर्ष) ध्वनित होता है और 'चन्द्रदर्शन के विना नलिनी एवम् नलिनी-विकासन के विना चन्द्र अरमणीय है' इस तरह का विनोक्ति अलंकार ध्वनित होकर भी यद्यपि उक्त भाव ध्वनि का पोषक है तथापि विनोक्ति ध्वनि काव्य इस पद्य को कहा जा सकता है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे विनोक्तिप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे विनोक्तिप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां विनोक्तिप्रकरणम्॥

रसगङ्गाधरगत विनोक्तिप्रकरण की हिन्दी व्याख्या समाप्त॥

समासोक्तिनिरूपणमारभते—

अथ समासोक्तिः—

समासोक्तिर्निरूप्यतयाऽऽरब्धा वेदितव्येति भावः।

समासोक्ति अलंकार का निरूपण अब आरब्ध होता है।

आदौ लक्षणमाह—

यत्र प्रस्तुतधर्मिको व्यवहारः साधारणविशेषणमात्रोपस्थापिताप्रस्तुतधर्मिकव्यवहाराभेदेन भासते सा समासोक्तिः॥

साधारणविशेषण इत्यादि। साधारणैः उभयपक्षान्वययोग्यैः, विशेषणमात्रैः केवलैर्विशेषणैः न तु विशेष्येनेति यावत्, उपस्थापितोऽप्रस्तुतो धर्मी यस्य तादृशो यो व्यवहारस्तदभेदेनेत्यर्थः। अन्यत् स्फुटम्।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—यत्र इत्यादि।

जहाँ वर्णनीय-वस्तु-संबद्ध व्यवहार ऐसा हो जो केवल साधारण (उभयान्वयी) विशेषणों के द्वारा, न कि विशेष्य के द्वारा भी, उपस्थित कराये गये अप्रासङ्गिक वस्तु से संबद्ध व्यवहार से अभिन्नरूप में प्रतीत होता हो तो वहाँ उस (वर्णनीय वस्तुसंबद्ध) व्यवहार को समासोक्ति अलंकार कहते हैं।

लक्षणार्थं परिष्कृत्य ब्रूते—

साधारणविशेषणमात्रश्रुत्युपस्थापिताप्रकृतधर्मिकव्यवहाराभिन्नत्वेन भासमानप्रकृतधर्मिकव्यवहारत्वमिति चैकोक्तिः।

केवलोभयान्वयिविशेषणश्रवणबलेन स्मारितो यः अप्रासङ्गिको धर्मी तत्संबद्धो यो व्यवहारस्तदभिन्नतया प्रतीयमानो यः अप्रासङ्गिकधर्मिसंबद्धो व्यवहारस्तत्त्वमित्येतत्पूर्वोक्तादविलक्षणं कथनमिति भावः।

उक्त लक्षणगत अर्थ ही परिष्कृत भाषा में अर्थात् नैयायिकों की शैली में, कहा जा रहा है—साधारण इत्यादि।

केवल साधारण विशेषणों के श्रवण से स्मृतिपथ में लाए गए जो अप्रस्तुत धर्मी

उनसे संबद्ध व्यवहारों से अभिन्नरूप में प्रतीत होने वाले प्रस्तुत-धर्मि-संबद्ध व्यवहार समासोक्ति है यह उक्ति पूर्व उक्ति से कोई खास अन्तर नहीं रखती।

इस प्रकार सारांश यह निकला कि किसी विशेष्य-विशेषणयुक्त वाक्य के विशेष्य यथा विशेषण-दोनों भागों के द्वारा जो किसी वर्णनीय व्यक्ति का आचरण विदित होता है वह यदि उसी वाक्य के केवल विशेषण भाग से अवगत होने वाले अप्रस्तुत किसी व्यक्ति के आचरण से अभिन्नरूप में प्रतीत हो तब वहाँ समासोक्ति होती है। तात्पर्य यह कि यहाँ केवल विशेषणबोधक पद श्लिष्ट (द्व्यर्थक) रहते हैं, विशेष्यबोधक पद नहीं—अर्थात् वह अश्लिष्ट—एकार्थक ही रहता है।

पदकृत्यविश्लेषणप्रसङ्गे प्रथमं 'मात्र' पददानफलमाह—

शब्दशक्तिमूलध्वनिवारणाय मात्रेति। तत्र विशेष्यस्यापि श्लिष्टतया प्रकृतेतरधर्म्युपस्थापनद्वारा तादृशधर्मिकव्यवहारोपस्थापकत्वात्।

शब्दशक्तिध्वनीति। 'राज्ञो मत्प्रतिकूलान्मे—' इत्यादीत्यर्थः। वारणायेति। तत्र प्रकृतसमासोक्तिलक्षणातिप्रसङ्गवारणायेत्यर्थः। तद्वारणे युक्तिमाह—तत्रेत्यादि। तत्र शब्दशक्तिमूलध्वनौ। विशेष्यस्यापीति। अपिना विशेषणसमुच्चयः। प्रकृतेतरेति। अप्रकृतेत्यर्थः। तादृशेति। अप्रकृतेत्यर्थः।

अयं भावः—यदि पूर्वोक्तसमासोक्तिलक्षणे मात्रपदं न दीयेत तदा 'राज्ञो मत्प्रतिकूलात्—' इत्यादि शब्दशक्तिमूलवस्तुध्वनावेतल्लक्षणातिप्रसक्तिः, तत्रापि विशेषणविशेष्योभयोपस्थापितेनाप्रस्तुतेन नृपरूपेण धर्मिणा संबद्धात् 'प्रतिकूलनृपावधिकमहाभयोपस्थितिहेतुकपान्थकर्तृकवासदानविधानद्वारकभयवारणयाचनरूपाद् व्यवहारात्' अभिन्नतया प्रस्तुतेन चन्द्ररूपेण धर्मिणा संबद्धस्य प्रतिकूलचन्द्रावधिकमहाभयोपस्थितिहेतुकपान्थकर्तृकैकान्तनिवास-संभोगदानविधानद्वारकभयवारणयाचन-रूपस्य व्यवहारस्यावगतेः। दत्ते तु मात्रपदे नैष दोषोऽवतरति, तत्राप्रस्तुतस्य नृपरूपस्य धर्मिणः। श्लिष्टेन 'राज्ञः' इति विशेष्येणापि समुपस्थापनात्। विशेषणमात्रेण तदुपस्थापनाभावादिति।

लक्षणगत 'मात्र' पद का फल दिखलाया जाता है—शब्दशक्ति इत्यादि।

शब्दशक्तिमूलक ध्वनि में प्रकृत लक्षण की अतिप्रसक्ति के वारणार्थ लक्षण में 'मात्र' (केवल) पद कहा गया है। अभिप्राय यह कि यदि उक्त लक्षण में 'मात्र' पद नहीं दिया जाता—अर्थात् अप्रस्तुत धर्मी का केवल विशेषणों के द्वारा उपस्थित होना अपेक्षित नहीं माना जाता, तब 'राज्ञो मत्प्रतिकूलात्—अर्थात् प्रतिकूल राजा से मेरे ऊपर बड़ा भय उपस्थित है, अतः हे बाले! मुझ पथिक को वासदान करके उस भय से बचाओ, (देखिये पीछे का शब्दशक्तिमूलकध्वनिनिरूपण प्रकरण) इत्यादि शब्दशक्तिमूलध्वनि में भी यह समासोक्ति-लक्षण प्राप्त हो जायगा, क्योंकि वहाँ भी प्रस्तुत चन्द्र का व्यवहार अप्रस्तुत राजा के व्यवहार से अभिन्नरूप में प्रतीत होता है।

मात्र पद कहने पर तो यह आपत्ति नहीं होती क्योंकि वहाँ अप्रस्तुत नृप की उपस्थिति केवल विशेषण के द्वारा ही नहीं अपितु विशेष्य (राज्ञः) के द्वारा भी होती है। तात्पर्य यह है कि 'राज्ञः' यह विशेष्यवाचक पद भी श्लिष्ट है, अतः उसके द्वारा नृप तथा उसके व्यवहार की प्रतीति होती है।

प्रस्तुताप्रस्तुतत्वयोर्धर्मिविशेषणतयोपादानस्य फलमाह—

एवमपि—

'आबध्नास्यलकान्निरस्यतितमां चोलं रसाकाङ्क्षया
लङ्काया वशतां तनोषि कुरुषे जङ्घाललाटक्षतम्।
प्रत्यङ्गं परिमर्दनिर्दयमहो चेतः समालम्बसे
वामानां विषये नृपेन्द्र भवतः प्रागल्भ्यमत्यद्भुतम् ॥"

इत्यत्र प्रकृतधर्मिकप्रकृताप्रकृतव्यवहारविषयके श्लेषेऽतिव्याप्तेर्वारणाय- प्रस्तुताप्रस्तुतत्वे धर्मिविशेषणतयोपात्ते। व्यवहारविशेषणत्वेन तयोरुपादाने तु साधारणविशेषणमात्रश्रुत्युपस्थापिताप्रकृतशृङ्गारवृत्तान्ताभिन्नत्वेन स्थित एवात्र प्रकृतो वीरवृत्तान्त इति स्यादेवातिप्रसङ्गः। न चात्र राज्ञो वर्णनस्य प्रस्तुतत्वात्तद्गतयोर्द्वयोरपि वृत्तान्तयोः प्रस्तुतत्वमिति कथमतिप्रसङ्ग इति वाच्यम्। न स्यादतिप्रसङ्गः यदि वर्णनमात्रं प्रस्तुतं स्यात्। तत्संग्रामादौ वीरतामात्रवर्णनप्रस्तावे तु स्यादेवातिप्रसङ्गः।

एवमपीति। मात्रपददानेन शब्दशक्तिमूलध्वनिवारणेऽपीत्यर्थः। 'आबध्नासि—' इति। हे नृपेन्द्र राजेन्द्र, वामानाम् प्रतिकूलानाम् शत्रूणामिति यावत् अथ च स्त्रीणाम्, विषये देशे अथच संबन्धे, भवतः तव प्रागल्भ्यम् प्रौढत्वम् चातुर्यमिति यावत्, अत्यद्भुतम् महाश्चर्यकरम् अस्तीति शेषः। यतः त्वम् रसाकाङ्क्षया पृथिवीच्छया वीररसेच्छया वा अथ च शृङ्गाररसेच्छया, अलकाम् कुबेरपुरीम् अथ च अलकान् केशान्, आबध्नासि नियमयसि, चोलम् दक्षिणप्रान्तस्थं देशविशेषम् अथ च कञ्चुकम् निरस्यतितमाम् अतिशयेनापसारयसि, लङ्काया वशताम् लङ्कानामकनगर्याः वशीभूतताम् अथ च अलम् कायस्य अवशताम् अत्यधिकशरीरपरवशतामिति यावत्, तनोषि विस्तारयसि, जङ्घाललाटक्षतम् जङ्घाला अतिवेगवन्तो ये लाटास्तद्देशवासिनः। तेषां क्षतम् नाशम् अथ च जङ्घाललाटयोः जघनभालस्थलयोः क्षतम् नखदन्ताद्याघातम् करोषि विदधासि, प्रत्यङ्गम् अङ्गदेशं प्रति अथ च प्रत्यवयवम्, परिमर्दनिर्दयम् दमननिष्करुणम् अथ च गाढालिङ्गनकठोरं चेतः मनः, समालम्बसे धत्से इत्यर्थः।

उपपादयति—इत्यत्रेति। प्रकृतेति। राजेत्यर्थः। प्रकृताप्रकृतेति। वीरशृङ्गारेत्यर्थः। उपात्ते कथिते। तयोरिति। प्रस्तुतत्वाप्रस्तुतत्वयोरित्यर्थः। अतिप्रसङ्ग इति समासोक्तिलक्षणस्येति भावः।

अयं भावः समासोक्तावस्यां धर्मिणोः प्रतुताप्रस्तुतत्वे समपेक्षिते, न व्यवहारयोः तेन 'आबध्नासि—'इत्यत्र श्लेषस्थले नास्याः प्रसक्तिः, प्रकृते राजरूपे एकस्मिन्नेव धर्मिणि व्यवहारद्वयप्रतीतेः। व्यवहारयोस्तादृशत्वे समपेक्षिते स्वीकृते तु प्रकृतस्य वीरव्यवहारस्य 'आबध्नास्यलकान्' इत्यादिसाधारणविशेषणमात्रोपस्थापिताप्रस्तुतशृंगाराभिन्नतया प्रतीत्याऽतिप्रसङ्गो दुर्वार इति। आशङ्क्य समाधत्ते—न चेति। अयमाशयः—राजवर्णनप्रस्तावे द्वाविमौ (वीरशृङ्गारात्मकौ) राजवृत्तान्तौ प्रस्तुतावेव, ततश्च प्रस्तुते व्यवहारे अप्रस्तुतस्य व्यवहारस्याभिन्नतया भासनं नास्तीति तयोर्व्यवहार-

विशेषणत्वेऽपि नातिप्रसङ्गावकाश इति शङ्कायाम् नात्र राजवर्णनमात्रस्य प्रस्तुतत्वम्, अपि तु युद्धगतवीरतावर्णनमात्रस्येति शृङ्गारवृत्तान्तस्याप्रस्तुतत्वमेवेति तथात्वे दुर्वारोऽतिप्रसङ्ग इति समाधानमिति।

धर्मी के विशेषण रूप में प्रस्तुत और अप्रस्तुत का निवेश करने से होने वाले फल का उद्घाटन किया जाता है—एवमपि इत्यादि।

'मात्र' पद के लक्षण में कथन से शब्दशक्तिमूलकध्वनि स्थलीय अतिव्याप्ति वारित हो जाने पर भी 'आवध्नासि—अर्थात् हे नृपवर, 'वामानाम्' (शत्रुओं के+सुन्दरियों के) 'विषय' में (देश में + संबन्ध में) आपकी प्रगल्भता (चातुरी) अत्यन्त अद्भुत है, क्योंकि आप 'रसाकाङ्क्षया' (पृथ्वी की इच्छा से अथवा वीर रस की इच्छा से+शृङ्गाररस की इच्छा से) 'अलकान् (न्)' (अलका पुरी को+अलकों को) बाँधते हैं और 'चोलम्' (दक्षिणप्रान्त का एक देश+कञ्चुक-चोली) को हटाते हैं '(अ) लङ्कायावशताम्' (लङ्का की अधीनता को+शरीर की पूर्णतया परवशता को) विस्तृत करते हैं, 'जङ्घाललाटक्षतम्' (अत्यन्त वेग वाले लाट देशीय जनसमूह की हानि + जङ्घा और ललाट पर नखों और दाँतों के चिह्न) करते हैं और 'प्रत्यङ्गम्' (अङ्ग देश के प्रति+हर एक अङ्ग को) 'परिमर्द' (तहसनहस करने + मर्दन करने) में निर्दय चित्त धारण करते हैं।' इस पद्य में जो केवल राजा रूप प्रस्तुत धर्मी से संबन्ध रखनेवाले वीर वृत्तान्त रूप प्रस्तुत और शृङ्गारवृत्तान्तरूप अप्रस्तुत व्यवहारों का श्लेष है उसमें अतिप्रसङ्ग-निराकरणार्थ धर्मी के विशेषण रूप से प्रस्तुतत्व और अप्रस्तुतत्व लक्षण में निविष्ट किए गए हैं। यदि प्रस्तुतत्व और अप्रस्तुतत्व का ग्रहण व्यवहार-विशेषण रूप में किया जाय तब उक्त श्लेष में समासोक्ति लक्षण की अतिव्याप्ति हो ही जायगी, क्योंकि यहाँ भी प्रस्तुत 'वीर' वृत्तान्त, साधारण विशेषण मात्र के श्रवण से उपस्थित कराये गए अप्रस्तुत 'शृङ्गार'-वृत्तान्त से अभिन्न रूप में स्थित है ही।

आप कहेंगे कि यहाँ राजा का वर्णन प्रस्तुत है, अतः तत्संबद्ध वे दोनों ही (वीर तथा शृङ्गाररूप) वृत्तान्त प्रस्तुत हुए, फलतः प्रस्तुत वृत्तान्त में अप्रस्तुत वृत्तान्त की अभिन्नता यहाँ प्रतीत हुई नहीं, फिर लक्षण की इस श्लेष में अतिव्याप्ति कैसे होगी ? तो मैं भी कहता हूँ कि हाँ, अतिव्याप्ति नहीं होगी, पर तब, जब 'केवल राजवर्णन ही' प्रस्तुत हो, किन्तु यदि राजा के युद्ध आदि अवसर पर केवल वीरता का वर्णन प्रस्तुत हो (शृङ्गार का वर्णन अप्रस्तुत हो) तब तो अतिव्याप्ति हो ही जायगी।

मात्रपदकृत्यमेव पुनराह—

"मलिनेऽपि रागपूर्णां विकसितवदनामनल्पजल्पेऽपि।
त्वयि चपलेऽपि च सरसां भ्रमर कथं वा सरोजिनीं त्यजसि॥"

इत्याद्यप्रस्तुतप्रशंसायामप्रकृतव्यवहारः साक्षादुपात्तत्वाद्विशेष्येणाप्युपस्थापित एवेति न तत्रातिव्याप्तिः।

यदि तु जलक्रीडादौ भ्रमरवृत्तान्त एव प्रस्तुतस्तदा भवत्येवेयं समासोक्तिः।

मलिनेऽपीति। हे भ्रमर मधुप, त्वम्, मलिनेऽपि श्यामवर्णेऽपि, त्वयि विषये, रागपूर्णाम् अनुरक्ताम्, अनल्पजल्पेऽपि वावदूकेऽपि, त्वयि, विकसितवदनाम् प्रसन्नमुखीम्, चपलेऽपि चञ्चलेऽपि, त्वयि, सरसाम् बद्धभावाम्, सरोजिनीम् पद्मिनीम्, कथम् केन कारणेन, त्यजसि जहासीत्यर्थः। अप्रस्तुतप्रशंसायामिति। पूर्वोक्तभ्रमर-

सरोजिनीवृत्तान्ताभ्याम् अप्रस्तुताभ्याम् सादृश्यात् तादृशनायकवृत्तान्तयोः प्रस्तुतयोरवग-मादप्रस्तुतप्रशंसेति भावः। अप्रकृतव्यवहार इति। भ्रमरवृत्तान्त इत्यर्थः। साक्षादुपात्त-त्वादिति। एतच्च विशेष्येऽन्वेति। तथा च साक्षादुपात्तेन (कथितेन) विशेष्येणेति भावः। अपिना विशेषणपरिग्रहः। न तत्रातिव्याप्तिरिति। अप्रस्तुतवृत्तान्तस्य विशेषण-मात्रोपस्थापितत्वाभावादिति भावः। एवञ्च मात्रपदस्यैव फलितमेतदतिव्याप्तिवारणमपीति बोध्यम्।

ननु तर्हि किमिति द्वितीयमिदं दत्तमत आह—यदि त्विति। भवत्येवेयं समासोक्ति-रिति। यदि तु जलक्रीडादौ संमुखागतं भ्रमरमुद्दिश्य चपलनायकपरतया पद्यमिदमुक्त-मनुमन्येत तदा तु भ्रमरात्मकप्रस्तुतधर्मिक ईदृशोऽयं व्यवहारः मलिनरागादिसाधा-रणविशेषणोपस्थापिताऽप्रस्तुतनायकधर्मिकव्यवहाराभिन्नतया प्रतीयेत इति समासोक्तिरे-वेत्याशयः।

पुनः लक्षणगत 'मात्र' (केवल) पद का ही एक दूसरे स्थान पर फल दिखलाया जाता है—'मलिनेऽपि' इत्यादि।
अभिप्राय यह है कि—'मलिनेऽपि–अर्थात् हे भ्रमर! तुम उस कमलिनी को कैसे त्यागते हो, जो मलिन (काला+मन का मैला) समझ कर भी तेरे विषय में रागपूर्ण (रङ्गमय+प्रेमपूर्ण) रहती है, जो अत्यधिक वाचाल समझ कर भी प्रसन्नमुख बनी रहती है और जो चञ्चल जान कर भी सरसता नहीं छोड़ती है।' यह पद्य अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार का उदाहरण है; क्योंकि अप्रस्तुत भ्रमरवृत्तान्त से उस प्रस्तुत नायक-वृत्तान्त की प्रतीति यहाँ हो रही है जो चञ्चलचित्त होने पर भी प्रेयसी के द्वारा सर्वतो-भावेन स्वीकृत रहता है। यहाँ भी उक्त समासोक्तिलक्षण का अतिप्रसङ्ग इसी लिये नहीं होता कि अप्रस्तुत भ्रमर का व्यवहार केवल विशेषण से ही नहीं, अपितु विशेष्य से भी उपस्थित कराया जाता है क्योंकि विशेष्यरूप में भ्रमर साक्षात् उपात्त है।

आप कहेंगे कि जब कोई खास विलक्षणता नहीं थी तब 'मात्र' पद का फल दिखलाने के लिये इस द्वितीय पद्य के उल्लेख की आवश्यकता ही क्या थी तो इसका समाधान यह समझना चाहिये कि इस पद्य में पूर्वोक्त पद्य से विलक्षणता है और वह विलक्षणता यह है कि यदि जलक्रीडा-काल में भ्रमर को उद्देश्य बना कर यह पद्य कहा गया है ऐसा माना जाय तब यह पद्य समासोक्ति का ही उदाहरण होगा, अप्रस्तुत-प्रशंसा का नहीं।

तात्पर्य यह कि उस स्थिति में प्रस्तुत भ्रमरपरक इस पद्य के विशेषण भाग से (विशेष्य भाग से नहीं) अप्रस्तुत नायक-वृत्तान्त की प्रतीति होने से समासोक्ति मानने में कोई आपत्ति नहीं रहेगी। इसी विलक्षणता के स्पष्टीकरणार्थ यह दूसरा पद्य लिखा गया है यह सारांश समझना चाहिये।

समासोक्तिस्थले प्रस्तुताप्रस्तुतयोरर्थयोः संमिश्रणं तिष्ठतीति सर्वसम्मतम्, तथा च तत्र तयोरर्थयोर्बोधः कया रीत्या भवति अन्वयश्च कथं जायते इत्याद्यालोचयितुं प्रक्रम-माणः प्रथमं प्राचीनमतमुपस्थापयति—

तत्र तावत्—

'विबोधयन् करस्पर्शैः पद्मिनीं मुद्रिताननाम्।
परिपूर्णानुरागेण प्रातर्जयति भास्करः॥'

इत्यत्र किरणस्पर्शकरणक-मुकुलितपद्मिनीकर्मक-विकासानुकूलव्यापारवद्-भिन्नो भास्करो जयतीति वाक्यार्थः शक्त्यैव तावत् प्रतीयते। हस्तस्पर्श-करणक-नायिकाविशेषकर्मकानुनयानुकूलव्यापारवदभिन्न इत्यादिश्चापरोऽर्थ उभयत्रानुषक्तया तयैव शक्त्या, शक्त्यन्तरेण, व्यक्त्या वा सर्वथैव प्रतीयत इत्यत्र सहृदया एव प्रमाणम्। एवं च द्वाविमौ वाक्यार्थौ सव्येतरगोविषाण-वदत्यन्तासंसृष्टौ यदि स्यातां तदा भगवतो भास्करस्य कामुकत्वं कमलि-न्या नायिकात्वं च सकलप्रतीतिसिद्धं विरुद्धं स्यात्। द्विप्रधानत्वेन, वाक्यभेद-श्चापद्येत। यदि चापरोऽर्थः प्रकृतकर्तर्यारोप्यते तदा कमलिनीविकासकर्ता नायिकानुनयकर्ता च सूर्य इत्येकत्र द्वयमिति विषयताशाली बोधः स्यात्, न तु पूर्वोक्तानुपपत्तिपरिहारः। यदि च श्लेषमूलाभेदाध्यवसानेन कमलि-न्यादीनां नायिकात्वादिप्रत्यय उपपाद्यते तथाप्यश्लिष्टपदोपस्थापितो भगवा-न्नायकत्वानाघ्रात एव। पद्मिनीशब्दस्थाने नलिनीशब्दोपादाने सापि नायि-कात्वेन, कथं नाम प्रतीतिपथमियात्?। तस्माद्विशेषणसाम्यमहिम्ना प्रती-तोऽप्रकृतवाक्यार्थः स्वानुगुणं नायकादिमर्थमाक्षिप्य तेन परिपूर्णविशिष्ट-शरीरः सन् प्रकृतवाक्यार्थे स्वावयवतादात्म्यापन्नतदवयवोऽभेदेनावतिष्ठते। स च परिणाम इव प्रकृतात्मनैव कार्योपयोगी, स्वात्मना च रसाद्युपयोगी। अत्र चाप्रकृतार्थस्य पृथक्शब्दानुपादानाद्रूपकाद्वाक्यार्थसंबन्धिनो वैलक्षण्यम्, पदार्थरूपकात्तु स्फुटमेव। आक्षिप्तार्थघटितत्वाच्च वाक्यार्थश्लेषात्। एवं चात्र—शक्त्याक्षेपाभ्यां सर्वार्थनिर्वाह इति भामहोद्भटप्रभृतीनां चिरन्तना-नामाशयः।

तत्रेति। उदाहरणीयसमासोक्तावित्यर्थः। तावत् आदौ। अस्य—'इत्यत्र' इत्य-नेनान्वयः। 'विबोधयन्—' इति। प्रातः प्रभातसमये, मुद्रिताननाम् मुकुलिताम् अथ चाधरोष्ठौ संपुटीकृत्य सुप्ताम्, पद्मिनीम् कमलिनीम् अथ च विशिष्टनायिकाम्, परि-पूर्णानुरागेण प्रचुररक्तवर्णवत्तया अथ च प्रबलप्रेम्णा, करस्पर्शैः किरणयोगैः अथ च हस्तस्पर्शैः, विबोधयन् विकासयन् अथ च जागरयन्, भास्करः सूर्यः, जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तत इत्यर्थः।

किरणस्पर्शकरणकेत्यादि। किरणस्पर्शः करणम् (कारकविशेषः) यस्य तादृशः तथा मुकुलिता पद्मिनी कर्मकारकम् यस्य तादृशो यो विकासानुकूलो व्यापारस्तदाश्रयाभिन्न इत्यर्थः। तावत् प्रतीयते इति। आदौ प्रतीयत इत्यर्थः। हस्तस्पर्शकरणक इत्यादि। प्राग्वदेवार्थो बोध्यः। नायिकाविशेषेति। खण्डितेत्यर्थः। उभयानुषक्तयेति। अर्थद्वय-संबद्धयेत्यर्थः। तयैवेति। पूर्वार्थबोधिकयैवेत्यर्थः। प्रस्तुताप्रस्तुतार्थनिरूपितैकशक्तिवादि-मतेनेदम्। उभयार्थनिरूपितशक्तेरपि प्रकरणेन प्रस्तुतार्थे नियन्त्रणान्नैवं संभवतीत्यत आह—शक्त्यन्तरेणेति। अप्रस्तुतार्थनिरूपितशक्त्यन्तरमपि प्रस्तुतार्थनिरूपितशक्ति-विशिष्टे शब्दे तिष्ठतीति मतेनेदम्। तादृशशक्त्यन्तरस्यापि दुर्वचत्वादाह—व्यक्त्येति। व्यञ्जनयेत्यर्थः। एतन्मतत्रयमभिधामूलव्यञ्जनानिरूपणप्रस्तावे द्वितीयाननारम्भे विस्त-

रेण निरूपितम् । एवञ्चेति । उभयप्रतीतौ चेत्यर्थः । सव्येतरगोविषाणेति । वाम-दक्षिण-गोश्रृङ्गेत्यर्थः । अत्यन्तासंसृष्टाविति । नितान्तमसंवद्धावित्यर्थः । द्विप्रधानत्वेनेति । परस्परासंबद्धतया द्वयोर्वाक्यार्थयोः प्रधानतयेत्यर्थः । वाक्यभेदमुद्धरति—यदि चेति । बोधः स्यादिति । तथा च वाक्यभेदो नेति भावः । एवमपि प्रथमदोषानुद्धार एवेत्याह—न त्विति । प्रथमदोषमप्युद्धरति—यदि च श्लेषेति । अश्लिष्टेति । भास्करेतीत्यर्थः । भगवान् सूर्यः । नायकत्वानाघ्रात एवेति । तस्मिन्नायकत्वं नैव प्रतीयेतेति भावः । दोषान्तरमाह—पद्मिनीति । पद्मिनीशब्दवन्नलिनीशब्दस्य श्लिष्टत्वाभावादिति भावः । उपसंहरन् स्वमतमाह—तस्मादिति । नायकादिकमर्थमिति । अत्र यद्यपि मूले 'नायिकादिकमर्थम्' इत्येव पाठो लब्धः, नागेशेनापि तथाविधप्रतीकमेव धृतम् , तथापि मया संगत्यनुरोधेन मूलोक्त एव पाठः कल्पितः । अग्रे विद्वांसः प्रमाणम् । तेनेति । आक्षिप्तनायकार्थेनेति भावः । परिपूर्णविशिष्टशरीर इति । यतः परिपूर्णमत एव विशिष्टं शरीरं यस्येत्यर्थः । स्वेति । अप्रकृतवाक्यार्थेत्यर्थः । तदिति । प्रकृतवाक्यार्थेत्यर्थः । स चेति । अप्रकृतवाक्यार्थश्चेत्यर्थः । स्वात्मनेति । अप्रकृतवाक्यार्थरूपेणेति भावः । रूपकाद् भेदमाह—अत्र चेति । समासोक्तौ चेत्यर्थः । वाक्यार्थसंवन्धिन इति । वाक्यार्थसंवन्धिनो रूपकादित्यन्वयः । स्फुटमेवेति । अस्या वाक्यार्थनिष्ठत्वादिति भावः । वैलक्षण्यमित्यस्यानुषङ्गः । एवमग्रेऽपि । उपसंहरति—एवं चेति । उक्तदोषे चेत्यर्थः । अयमिह प्रघट्टकाभिप्रायः—'विवोधयन्—' इतिपद्ये विशेष्यवोधकस्य 'भास्कर' पदस्याश्लिष्टत्वेऽपि 'कर-पद्मिन्यादि' विशेषणबोधकानि पदानि श्लिष्टानि, अतो मूलोक्तौ द्वौ वाक्यार्थौ प्रतीयेते इति निस्संशयं वचः । प्रतीयमानयोश्च तयोरर्थयोर्मिथोऽसंवद्धता नाङ्गीकर्तुं योग्या, तथात्वे सूर्य-कमलिन्योर्नायकत्वप्रतीतिश्चमत्कारहेतुभूता न स्यादित्येकस्य, वाक्यभेद इति द्वितीयस्य च दोषस्य प्रसक्तेः । 'एकत्र द्वयम्' इति रीत्या 'कमलिनीविकासकर्ता नायिकानुनयकर्ता च सूर्यः' इत्याकारकस्य वोधस्योपपादने वाक्यभेदापत्तिपरिहारेऽपि सूर्यादेर्नायकत्वाद्यप्रतीतिरूपदोषस्तदवस्थ एव तिष्ठेत् , नायिकात्वेन कमलिन्याः प्रतीतेरुपपादकस्य पद्मिनीपदगतश्लेषमूलकाभेदाध्यवसानस्य सत्त्वेऽपि भास्करपदस्याश्लिष्टतया सूर्यस्य नायकत्वेन प्रतीतेरुपपादकस्याभावात् ।

पद्मिनीपदस्थाने नलिनीपदोपादाने कमलिन्या नायिकात्वमपि नैव प्रतीयेत । एवंस्थितौ 'विवोधयन्' इत्यादिसमासोक्तिस्थले यया रीत्या निर्वाहः संभवति, सेयं विद्यते यत् श्लिष्टविशेषणवलेन 'हस्तस्पर्शकरणक-नायिकाविशेषकर्मकानुनयानुकूलव्यापारवदभिन्नः' इत्याकारको योऽप्रकृतोऽर्थः प्रतीयते स स्वानुकूलं विशेष्यभूतम् नायकरूपमर्थमाक्षिपति, तथा चासौ परिपूर्णो वाक्यार्थो निष्पद्यते, ततश्चाप्रकृतवाक्यार्थगतानाम् हस्त-नायिकानुनय-नायकादीनाम् , प्रकृतवाक्यार्थगतानाम् किरण-कमलिनी-विवोधन-सूर्यादीनाञ्च मिथस्तादात्म्यं सम्पद्यत इति 'हस्ताभिन्नकिरणस्पर्शकरणक-नायिकाविशेषाभिन्नमुकुलितकमलिनीकर्मकविकासाभिन्नानुनयानुकूलव्यापाराश्रयो नायकाभिन्नो भास्करः' इति नैयायिकमतानुसारी वोधः पर्यवस्यति । "हस्तस्पर्शकरणक······व्यापारवन्नायकाभिन्नः किरणस्पर्शकरणक······व्यापाराश्रयो भास्करः' इतिसरलाकारोक्तो बोधाकारस्तु 'स्वाव-

यवतादात्म्यापन्नतदवयवः' इति मूलाक्षरस्वारस्यप्रतिकूल इति सुधीभिर्विभावनीयम्। अत्राप्रकृतवाक्यार्थः परिणाम इव प्रकृतवाक्यार्थरूपतया कार्ये समुपयुज्यते। रसादि-प्रत्यायकस्तु स, स्वस्वरूपेण (अप्रकृतत्वेन) भवति, नायकवृत्तान्तस्यैव शृङ्गारप्रतीतिमूलत्वात्। अस्यां समासोक्तौ, अप्रकृतार्थः पृथक् शब्दानुपात्त इति तदुपादानविषयकात् वाक्यार्थरूपकात्, वाक्यार्थगतत्वमिति पदार्थरूपकात्, आक्षिप्तार्थयुक्तत्वमिति वाच्यार्थविषयकात् वाक्यार्थश्लेषात् भेदः सिध्यति। फलतोऽत्र शक्त्याक्षेपाभ्यामेव सर्वसामञ्जस्यम्, न व्यञ्जनोपयोग इति भामहादिप्राचीनाचार्यविचार इति।

समासोक्ति स्थल में प्रतीत होने वाले प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत अर्थों का अन्वयबोध किस प्रकार होता है इस विचारणीय प्रसङ्ग पर पहले प्राचीन आचार्यों का मत दिखलाया जाता है—तत्र तावत् इत्यादि।

सर्वप्रथम यह समझ लेना चाहिये कि 'विबोधयन् करस्पर्शैः—अर्थात् प्रातःकाल में मुद्रितानन (मुकुलित+मुख ढँककर सोई हुई) पद्मिनी (कमलिनी+उत्तमनायिका) को पूर्ण अनुराग (स्नेह+रक्तवर्णता) से (के साथ) करस्पर्शों (किरणस्पर्शों+हस्तस्पर्शों) द्वारा जगाते (मनाते हुए) भास्कर (नायक) की जय है।' इस समासोक्ति-पद्य में 'किरणों का स्पर्श जिसका करण है और मुकुलित कमलिनी जिसका कर्म है उस विकास के अनुकूल जो व्यापार तद्युक्त से अभिन्न भास्कर विजयी है' यह वाक्यार्थ प्रथमतः अभिधा से ही ज्ञात होता है और 'हस्त-स्पर्श जिसका करण है, नायिका विशेष जिसका कर्म है ऐसे अनुनय के अनुकूल जो व्यापार तद्युक्त से अभिन्न' इत्यादि दूसरा अर्थ जो यहाँ प्रतीत होता है इसके विषय में तीन मत हैं—(१) कुछ लोग उक्त दोनों ही अर्थों से संबन्ध रखने वाली उसी शक्ति (अभिधा) से उस अर्थ की भी प्रतीति मानते हैं (२) जो प्रथमार्थबोधक शक्ति का प्रकरणादि द्वारा नियन्त्रण मानते हैं वे दूसरी अभिधा शक्ति से उक्त द्वितीय अर्थ का बोध स्वीकार करते हैं और जो दूसरी शक्ति को असंभव मानते हैं वे व्यञ्जना से उस अर्थ की प्रतीति बतलाते हैं। इन तीनों मतों में कौन सा मत उत्तम है इसके साक्षी सहृदय विद्वज्जन ही हैं। (इन तीनों मतों का विशद वर्णन प्रथम आननगत अभिधामूलव्यञ्जनानिरूपण प्रकरण में किया गया है।)

अब यहाँ यह विचारणीय है कि यदि उक्त दोनों वाक्यार्थ गाय के बाएँ और दाहिने सींगों की तरह परस्पर असंबद्ध हों तब भगवान् भास्कर की 'कामुकता' और 'कमलिनी' का 'नायिकात्व'—जो सकल-सहृदय-प्रतीति-सिद्ध वस्तु है—विरुद्ध होंगे अर्थात् उक्त दोनों अर्थों में कोई मेल नहीं बैठेगा और दोनों ही अर्थों की प्रधानता हो जाने से वाक्यभेद भी हो जायगा।

यदि द्वितीय अर्थ (नायिकापक्षीय अप्रस्तुत अर्थ) का प्रस्तुतकर्ता (भास्कर) पर आरोप करके 'एक में दो' इस न्याय से 'कमलिनी का विकासकर्ता और नायिका का अनुनयकर्ता सूर्य' इस तरह से बोध माना जाय तो वह हो सकता है और वाक्यभेद-रूप द्वितीय दोष का कारण भी हो जायगा, परन्तु प्रथम दोष-अर्थात् कमलिनी तथा सूर्य की नायिका एवम् नायकरूप में प्रतीति का न हो सकना, का परिहार, तब भी नहीं हो सकेगा।

यदि श्लेषमूलक अभेदाध्यवसान से कमलिनी आदि के नायिकात्व आदि की प्रतीति सिद्ध की जाय तो वह बन सकता है परन्तु भगवान् भास्कर तो तब भी नायकत्व से

अछूते ही रहेंगे क्योंकि तद्बोधक 'भास्कर' पद श्लिष्ट नहीं है। और यदि 'पद्मिनी' शब्द के स्थान पर 'नलिनी' शब्द रख दिया जाय तब कमलिनी का नायिकात्व भी प्रतीति-पथ में नहीं आ सकेगा (पर 'समासोक्ति' तो तब भी होगी ही)।

अतः यह मानना चाहिए कि विशेषणों की समता के कारण जो अप्रस्तुत अर्थात् 'हस्तस्पर्शकरणक नायिकाविशेषकर्मक अनुनयानुकूल व्यापारयुक्त' इत्याकारक अर्थ ज्ञात होता है वह अपने उपयोगी विशेष्यभूत नायकरूप अर्थ का आक्षेप करता है और तभी वह पूर्ण विशिष्टवपु वाक्यार्थ तैयार होता है। इसके बाद इस अप्रस्तुत वाक्यार्थ के अंशभूत हस्त, नायिका, नायक आदि पदार्थ, पूर्वोक्त प्रस्तुत वाक्यार्थ के अंशभूत किरण, कमलिनी, सूर्य आदि पदार्थ के साथ तादात्म्यापन्न हो जाते हैं—अर्थात् इन प्रस्तुताप्रस्तुत पदार्थों में अभेद हो जाता है, फलतः इतनी प्रक्रिया के अनन्तर अप्रस्तुत वाक्यार्थ प्रस्तुत वाक्यार्थ में अभेद संबन्ध से अन्वित होता है।

सारांश यह सिद्ध हुआ कि उक्त रीति से यहाँ 'हस्त से अभिन्न जो किरण तत्करणक और नायिकाविशेष से अभिन्न जो कमलिनी तत्कर्मक जो अनुनय से अभिन्न विकास तदनुकूल व्यापार से युक्त नायक से अभिन्न सूर्य विजयी है' इस तरह का बोध होता है।

इस बोध में आगत अप्रस्तुत अर्थ तथा प्रस्तुत अर्थ में यद्यपि अभेद हो जाता है तथापि वह (अप्रस्तुत अर्थ) कार्योपयोगी—अर्थात् वाच्यार्थ निर्वाहक, होता है प्रस्तुतार्थ रूप में, जैसे परिणाम में होता है और रस आदि का उपयोगी होता है अपने रूप में—अर्थात् अप्रस्तुतरूप में, क्योंकि शृङ्गार की प्रतीति नायक-नायिका-वृत्तान्तरूप आधार की अपेक्षा रखती है।

कहने का तात्पर्य यह है कि उक्त बोध के विषयीभूत मिश्रित अर्थ का प्रस्तुतार्थ-रूप से व्यावहारिक कार्य में उपयोग होता है और अप्रस्तुतार्थरूप से रसानुभूति में उपयोग होता है।

वाक्यार्थसंबन्धी रूपक और समासोक्ति में अन्तर यह है कि उसमें (वाक्यार्थ रूपक में) अप्रस्तुत अर्थ का भी पृथक् शब्दतः उपादान रहता है और इसमें (समासोक्ति में) उसका पृथक् शब्द से उपादान नहीं रहता। पदार्थरूपक और समासोक्ति में तो अन्तर स्पष्ट ही है—अर्थात् वह पदार्थ से संबन्ध रखता है और यह वाक्यार्थ से। वाक्यार्थश्लेष और समासोक्ति में यह भेद है कि उसमें दोनों अर्थ-शक्तिलभ्य रहते हैं और इसमें एक ही (प्रस्तुत) अर्थ शक्तिलभ्य होता है दूसरा (अप्रस्तुत) अर्थ रहता है आक्षेपलभ्य।

इस तरह शक्ति तथा आक्षेप से समासोक्ति स्थल में सब बातों का निर्वाह होता है, अर्थात् व्यञ्जना का इसमें कोई उपयोग नहीं होता, यह है भामह, उद्भट आदि प्राचीन आचार्यों का अभिप्राय।

यत्र श्लेषाभावेन विशेषणसाम्यादर्थान्तरप्रतीतिविरहेऽपि प्रकारान्तरेणाप्रस्तुतार्थ-प्रतीत्या समासोक्तिर्भवति तत्राक्षेपासंभवाद् भामहादिप्रतिपादितो निर्वाहप्रकारो न संभवतीत्यरुचिं सूचयन् ग्रन्थकारः स्वमतमुपस्थापयति—

'निशामुखं चुम्बति चन्द्र एषः' इत्यादौ निशाचन्द्रशब्दयोरश्लिष्टत्वान्मुख-चुम्बनमात्रस्य च पुत्रादिसाधारण्येन कथं तावन्नियतनायकाक्षेपकत्वम्, कथं वाऽऽक्षिप्तस्यापि नायकादेर्निशाचन्द्रयोरेवाभेदेनान्वयः, न भेदेन चुम्बनादौ।

तथात्वे च तयोर्नायकताताटस्थ्ये रसानुद्बोधापत्तेः। तस्मात् 'निशामुखं चुम्बति चन्द्रिकैषा' 'अहर्मुखं चुम्बति चण्डभानुः' इत्यादावप्रतीयमानं नायकत्वं प्रकृते टाप्प्रथमाभ्यां प्रतिपादितेन प्रकृत्यर्थगतेन स्त्रीत्वेन पुंस्त्वेन च स्वाधिकरण एवाभिव्यज्यते। एवं च निशाशशिनोर्नायिकत्वसिद्धिः। श्लिष्टविशेषणैः व्यञ्जनव्यापारेणैवाप्रकृतार्थबोधनम्, शक्तेः प्रकरणादिना नियन्त्रणात्। तदित्थं व्यञ्जनमाहात्म्यादेवाप्रकृतवाक्यार्थतादात्म्येन प्रकृतवाक्यार्थोऽवतिष्ठते। गुणीभूतव्यङ्ग्यभेदश्चायमिति तु रमणीयः पन्थाः।

कादाचित्कसंभवादाह—नियतेति। ननु कादाचित्क एवास्तामत आह—कथं चेति। आक्षिप्तस्याक्षेपकेणैवान्वयनियमादिति भावः। इष्टापत्तिं निराकरोति—तथात्वे चेति। भेदेन मुखचुम्बनादावन्वये चेत्यर्थः। तयोरिति। निशाचन्द्रयोरित्यर्थः। नायकेति। 'स्त्रीपुंवच्च' इत्येकशेषः। एवमग्रेऽपि सर्वत्र। अरुचिमुद्भाव्य स्वमतमाह—तस्मादिति। नायकत्वप्रतीतिवन्ध्यं स्थलमुपदर्शयति—निशामुखेति। स्वाधिकरण इति। स्त्रीत्वपुंस्त्वाधिकरण इत्यर्थः। नन्वेवं क्वचिदाक्षेपेण क्वचिद् व्यञ्जनया निर्वाह इति वैरूप्यं स्यादत आह—श्लिष्टेति। तैरपीत्यर्थः। व्यञ्जनाव्यापारेणैवेति। एवपदेनाक्षेपव्यावृत्तिः। ननु शक्त्यैव कुतो नेत्यत आह—शक्तेरिति। शक्त्यन्तरं तु दुर्वचमिति भावः। मतमेतदुपसंहरति—तदिति। माहात्म्यादेवेति। एवः प्राग्वत्। व्यङ्ग्याप्रकृतार्थस्य प्रकृतार्थपोषकत्वादाह—गुणीभूतेति। तुर्भामहादिमतवैलक्षण्यसूचकः।

अयं भावः—श्लिष्टविशेषणमाहात्म्येनाप्रकृतार्थप्रतीतिरिति यदुक्तं प्राचीनैस्तन्न युक्तम्, 'निशामुखं चुम्बति चन्द्र एषः' इत्यादौ निशाचन्द्रपदयोरश्लिष्टतया तदप्रतीतिप्रसङ्गात्। आक्षेपेण नायकप्रतीतिरित्यपि यदुक्तं तैरेव तदपि तथैव, उक्तस्थल एवाक्षेपकाभावेन तदाक्षेपासंभवात्। मुखचुम्बनं तदाक्षेपकमिति चेन्न, केवलस्य (नायिकाद्यविशेषितस्य) मुखचुम्बनस्य पुत्रादिसाधारणतया नियमतो नायकाक्षेपकत्वाभावात्। अस्तु वा कथंचित्तस्य तदाक्षेपकत्वम्, भवतु च तेन तदाक्षेपः, तथापि नेष्टसिद्धिः संभवति, आक्षिप्तस्याक्षेपकेणैवान्वयनियमात् मुखचुम्बनाक्षिप्तस्य नायकस्य मुखचुम्बन एव कर्तृत्वादिनान्वये चन्द्रादौ नायकत्वाभानात्। अथ तत्र तदभाने का क्षतिरिति चेत्? रसानुद्बोध एवेति बोध्यम्। अथ का गतिरिति चेत्? इत्थमवगन्तव्यम्—'निशामुखं चुम्बति चन्द्रिकैषा' इत्यादौ नायिकात्वम् नायकत्वं वा न प्रतीयते 'निशामुखं चुम्बति चन्द्र एषः' इत्यादौ च तत्प्रतीयते तत्रान्वयव्यतिरेकाभ्याम् टाप्प्रथमाभ्यां प्रतिपाद्यमाने प्रकृत्यर्थगते स्त्रीत्व-पुंस्त्व एव हेतू इत्यवगम्यते। तथा च यथा समानविशेषणविरहिते पूर्वोक्तस्थले निशाचन्द्रपदार्थगतस्त्रीत्वपुंस्त्वाभ्याम् नायकत्वयोः स्वाधिकरणयोरभिव्यक्ती भवतस्तथैव 'विबोधयन्—' इत्यादौ समानविशेषणयुक्तस्थलेऽपि ताभ्यामेव तदभिव्यक्ती, न शक्त्याऽप्रकृतार्थबोधः, तस्या नियन्त्रितत्वात्, शक्त्यन्तरस्य दुर्वचत्वाच्च। अस्मिन् ग्रन्थकारमतेनाक्षेपकल्पना शक्तिव्यञ्जनाभ्यां सर्वार्थनिर्वाह इति।

पूर्वोक्त भामहादिवर्णित सिद्धान्त में अरुचि का कारण बतलाते हुए ग्रन्थकार अपना मत दिखलाते हैं—निशामुखम् इत्यादि।

'निशामुखं चुम्बति चन्द्र एषः–अर्थात् रात्रि के मुख (प्रारम्भभाग) को यह चन्द्र चूम रहा है' यह भी समासोक्ति का सर्वसम्मत उदाहरण है, पर यहाँ 'निशा' अथवा 'चन्द्र' शब्द श्लिष्ट नहीं है, अतः यहाँ नायकत्व तथा नायिकात्व की प्रतीति कैसे होती है यह एक विचारणीय प्रश्न है। तात्पर्य यह कि भामहादि ने जो शक्ति से अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति मानी थी, वह यहाँ सम्भव नहीं, क्योंकि यहाँ द्वयर्थक शब्द ही नहीं है। आक्षेप से नायकादिक की प्रतीति की बात जो उन्होंने कही थी, वह भी यहाँ नहीं बैठ सकती है, क्योंकि यहाँ नायकादिक का आक्षेपक कोई पदार्थ नहीं है।

आप कहेंगे—आक्षेपक पदार्थ यहाँ 'मुखचुम्बन' है, उसीसे नायक का आक्षेप होगा तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ नायिका का सम्बन्ध तो 'मुखचुम्बन' में ज्ञात होता नहीं–अर्थात् नायिका का मुखचुम्बन यहाँ प्रतीत नहीं होता और केवल मुखचुम्बन तो पुत्रादि का भी हो सकता है, अतः उससे (केवल मुखचुम्बन से) नियमतः नायक का आक्षेप नहीं हो सकता है।

आप कहेंगे–नियमतः न सही, कादाचित्करूप में तो उससे नायक का आक्षेप हो ही सकता है, बस, उसी से अपना काम बन जायगा तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि मुखचुम्बन से आक्षिप्त नायक तथा नायिका का चन्द्र तथा निशा के साथ अभेद सम्बन्ध से अन्वय हो–अर्थात् नायिका से अभिन्न निशा और नायक से अभिन्न चन्द्र ऐसा अर्थ समझा जाय, और भेद सम्बन्ध से साक्षात् चुम्बन आदि में न हो—अर्थात् चन्द्र द्वारा रात्रि का मुखचुम्बन इस अर्थ से सर्वथा पृथक्रूप में नायक द्वारा नायिका का मुखचुम्बन ऐसा अर्थ न समझा जाय इसमें क्या युक्ति ?

अपितु 'आक्षिप्त पदार्थ का आक्षेप के साथ ही अन्वय होता है' इस नियम के अनुसार मुखचुम्बन से आक्षिप्त नायक-नायिका का उसी में अन्वय होना उचित है।

आप कहेंगे—उसी तरह अन्वय हो, उससे अपनी क्या हानि ? तो मैं कहूँगा कि उस तरह से अन्वय मानने पर निशा और चन्द्र, नायिका तथा नायक से तटस्थ रह गए—अर्थात् निशा तथा चन्द्र का नायिका तथा नायक के साथ सम्बन्ध नहीं होने से निशा में नायिकात्व और चन्द्र में नायकत्व ज्ञात हुए नहीं, फिर रस का उद्बोध नहीं हो सकेगा यही सबसे बड़ी साहित्यिक जगत् में हानि समझी जायगी।

फलतः समासोक्तिस्थल में सर्वत्र शक्ति और आक्षेप से निर्वाह वाली प्राचीनों की बात असंगत सिद्ध हो गई, क्योंकि 'निशामुखं चुम्बति चन्द्र एषः' में उस रीति से निर्वाह नहीं हो सका।

अतः यह समझना चाहिए कि 'निशामुखं चुम्बति चन्द्रिकैषा–अर्थात् रात्रि के मुख को चाँदनी चूम रही है' और 'अहर्मुखं चुम्बति चण्डभानुः–अर्थात् दिवस के मुख को चण्डभानु—सूर्य चूम रहा है' इत्यादि स्थलों में–जहाँ स्त्रीलिङ्ग तथा पुँल्लिङ्ग शब्द मिल-मिल कर नहीं आए हैं—नहीं प्रतीत होने वाले नायिकात्व तथा नायकत्व, प्रकृत–अर्थात् 'निशामुखं चुम्बति चन्द्र एषः'– में निशापदोत्तर टाप् (स्त्रीत्वबोधक प्रत्यय) तथा चन्द्रपदोत्तर प्रथमा विभक्ति के द्वारा प्रतिपादित होने वाले क्रमशः निशापदार्थगत स्त्रीत्व और चन्द्रपदार्थगत पुंस्त्व से अपने-अपने अधिकरण—अर्थात् निशा तथा चन्द्र में ही अभिव्यक्त होते हैं। इस तरह निशा का नायिकात्व और चन्द्र का नायकत्व सिद्ध हो जाता है।

अब इसी तरह श्लिष्ट विशेषण वाले 'विबोधयन्—' इत्यादि स्थलों पर श्लिष्ट विशेषणों से जो अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति होती है वह भी व्यञ्जना वृत्ति के बल से ही

न कि शक्ति से, क्योंकि प्रथम शक्ति का प्रकरण आदि से नियन्त्रण हो गया रहता है और द्वितीय शक्ति अप्रामाणिक ही है।

इस तरह अब वहाँ नायक के आक्षेपवाली बात भी समाप्त हो गई क्योंकि 'भास्करः' पदगत प्रथमा विभक्ति बोध्य पुंस्त्व से सूर्य में नायकत्व की अभिव्यक्ति होगी।

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि समासोक्तिस्थल में सर्वत्र व्यञ्जना के माहात्म्य से ही अप्रस्तुत वाक्यार्थ से अभिन्नरूप में प्रस्तुत वाक्यार्थ स्थित होता है।

व्यङ्ग अप्रस्तुत, वाच्य प्रस्तुत का पोषकरूप में यहाँ आता है, अतः यह समासोक्ति-प्रधान काव्य गुणीभूतव्यङ्ग्य नामक काव्य का भेद होता है। यही मार्ग रमणीय है।

सर्वस्वकारमतमनूद्य निरस्यति—

अलंकारसर्वस्वकारस्तु—'विशेषणसाम्याद्धि। प्रतीयमानमप्रस्तुतं प्रस्तुतावच्छेदकत्वेन प्रतीयते। अवच्छेदकत्वाच्च व्यवहारसमारोपः, न तु रूपसमारोपः। रूपसमारोपे त्ववच्छादितत्वेन प्रकृतरूपरूपित्वाद्रूपकमेव स्यात्' इत्याह। तदेतदुक्तिमात्ररमणीयम्। अप्रकृतव्यवहारः। प्रकृतकर्तरि नायकादिकस्वकर्तृविशेषित आरोप्यते तदविशेषितो वा? नाद्यः। एवं च सति चन्द्रादेर्नायकव्यवहाराश्रयत्वेन नायकसाम्यं सिध्येत्। तच्च श्लेषादिभित्तिकाभेदाध्यवसायेन व्यवहाराभेदं प्रतिपिपादयिषतः कवेरनभिप्रेतमेव। अभिप्रेतं तु नायकत्वम्। तच्च नायकस्य व्यवहारविशेषणत्वे न सिध्यति। किं च 'निशामुखं चुम्बति चन्द्रः' इत्यत्र चन्द्रे नायकव्यवहारसमारोप एव, न नायकत्वारोपः। एवमेव निशायामपि न नायिकात्वारोपः, तुल्यन्यायत्वात्। एवं च मुखचुम्बनमात्रस्य नायिकानिर्मुक्तस्यासुन्दरत्वान्नायकासाधारणव्यवहारत्वायोगाच्च किमारोपेण? यदि च निशायां स्त्रीलिङ्गव्यङ्ग्यं नायिकात्वमिति निरीक्ष्यते तदा चन्द्रगतपुंल्लिङ्गव्यङ्ग्यं नायकत्वमपि निरीक्ष्यताम्। न द्वितीयः। नायकसंबन्धित्वेनाज्ञातस्य मुखचुम्बनमात्रस्याहृद्यत्वात्। 'तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्' इति निदर्शनातो वैलक्षण्यायास्मदुक्तवैधर्म्यस्यैवास्थेयत्वाच्च। शिष्टमनुपदमेव वक्ष्यामः।

प्रस्तुतावच्छेदकत्वेनेति। प्रस्तुतविशेषणकोटिप्रविष्टतयेत्यर्थः। प्रस्तुताभिन्नतया नेति भावः। अवच्छेदकत्वाच्च व्यवहारसमारोप इति। तावताऽपि अवच्छेदकत्वनिर्वाह इति भावः। ननु रूपसमारोपेऽपि अप्रस्तुतस्यावच्छेदकत्वसंभवे स एव कुतो नेत्यत आह—रूपसमारोपे तु इति। अवच्छादितत्वेनेति। प्रस्तुतस्याप्रस्तुताच्छन्नतयेत्यर्थः। अप्रकृतरूपरूपित्वात् इति। अप्रस्तुतस्य यद्रूपं तेनैव प्रस्तुतस्य रूपवत्त्वादिति भावः। रूपकमेवेति। न समासोक्तिरिति भावः।

समासोक्तिस्थले प्रस्तुताप्रस्तुतयोर्द्विविधयोरर्थयोः प्रतीतिर्भवतीति निर्विवादो विषयः। तत्राप्रस्तुतं प्रस्तुतविशेषणकोटिप्रविष्टतयैव भासत इत्यपि सर्वसम्मतम्। अथाप्रस्तुतं साक्षादभेदेन प्रस्तुतविशेषणमुत प्रस्तुतविशेषणीभूतव्यवहारविशेषणमिति सन्देहे द्वितीयकल्प एव युक्तः, प्रथमकल्पे रूपकविषयतापत्त्या समासोक्तेरुच्छेदापत्तेः। तथा च समासोक्तावप्रस्तुत-

व्यवहारसमारोपः प्रस्तुते, नाप्रस्तुतरूपसमारोप इति स्वीकरणीयमकामेनापीति सर्वस्वकाराशयः।

सर्वस्वकारमतं खण्डयति—तदेतदिति। उक्तिमात्ररमणीयमिति। नार्थतो रमणीयमिति भावः। तथात्वे हेतुं समुपस्थापयितुमाह—अप्रकृतव्यवहार इति।

स्त्रेति। अप्रकृतव्यवहारेत्यर्थः। कर्तृविशेषित इति। तदात्मकविशेषणयुक्त इति भावः। एवं च सतीति। नायकादिरूपकर्तृविशेषितव्यवहारारोपस्वीकारे सतीत्यर्थः। नायकव्यवहाराश्रयत्वेनेति। नायकव्यवहारसजातीयव्यवहाराश्रयत्वेनेत्यर्थः। नायकव्यवहाराश्रयत्वस्यान्यत्र ब्रह्मणापि दुर्वचत्वादिति भावः। अत एवाह—नायकसाम्यमिति। तच्चेति। नायकसाम्यं चेत्यर्थः। व्यवहाराभेदमिति। न तु व्यवहारसाम्यमिति भावः। नायकसाम्ये तु नायकव्यवहारसाम्यमेव सिध्येत्, न नायकव्यवहाराभेद इति तात्पर्यम्। स तु नायकत्वे सिद्धे सिध्येत् तदाह—अभिप्रेतं तु इति। तच्चेति। नायकत्वं चेत्यर्थः। सत्येवं क्वचिद्व्यवहारसमारोपो व्यर्थः स्यादित्याह—किं चेति। व्यवहारसमारोप एवेति। त्वया वाच्य इति शेषः। एवव्यावर्त्यमाह—न नायकेति। रूपसमारोपस्य त्वयानङ्गीकारादिति भावः। तथा सति दोषमाह—एवं चेति। व्यवहारमात्रारोपे चेत्यर्थः। नायिकानिर्मुक्तस्येति। नायिकाऽसंबद्धस्येत्यर्थः। नायकासाधारणेति। मुखचुम्बनस्य पुत्रादिसाधारण्यादिति भावः। दोषमिममुद्धरति—यदि चेति। निरीक्ष्यत इति। तथा च रूपसमारोपो नेति त्वदुक्तिरसंगतेति भावः। न द्वितीय इति। नायकादिस्वकर्तृविशेषितो व्यवहारः समारोप्यत इति द्वितीयकल्पोऽपि न युक्त इत्यर्थः। तत्र हेतुमाह—नायकसंबन्धित्वेनेति। वैलक्षण्यायेति। समासोक्तेरिति भावः। वैधर्म्यस्येति। निदर्शनायां प्रस्तुताप्रस्तुतौ द्वावपि शब्दोपात्तौ, समासोक्तौ तु प्रस्तुत एव शब्दोपात्तो नाप्रस्तुत इत्याकारकस्येति भावः।

'अप्रस्तुतव्यवहारः प्रस्तुते कर्तरि समारोप्यते' इति सर्वस्वकारोक्तौ द्वयी गतिः सम्भवति। केवलो व्यवहारः समारोप्यत इत्येका, नायककर्तृकव्यवहार आरोप्यत इति द्वितीया। उभयथापि तदुक्तिरयुक्तैव, प्रथमगतिकल्पने मुखचुम्बने नायकसंबन्धाप्रतीत्या तस्य केवलस्याचमत्कारित्वापत्तेः, द्वितीयगतिकल्पने च श्लेषमूलकाभेदारोपद्वारकव्यवहाराभेदप्रतिपादनेच्छोः कवेरनभिमतस्य चन्द्राद्यनुयोगिकनायकसाम्यस्य सिद्ध्यापत्तेः, अन्यकर्तृकव्यवहाराश्रयताया अन्यत्रासंभवेन साम्य एव पर्यवसानात्, व्यवहारविशेषणतया नायक-प्रतीतौ कव्यभिप्रेतस्य नायकत्वस्य चन्द्रादावसिद्धेः। 'निशामुखं चुम्बति चन्द्रः' इत्यत्र तुल्यन्यायेन चन्द्र इव निशायामपि व्यवहारारोपस्यैव त्वया स्वीकारे मुखचुम्बनमात्रप्रतीतौ तस्य नायकसंबन्धासिद्धौ आरोपस्यैव वैयर्थ्यात्। निशायां स्त्रीत्वेन नायिकात्वाभिव्यक्तौ स्वीक्रियमाणायाम्। चन्द्रे पुंस्त्वेन नायकत्वाभिव्यक्तेरपि स्वीकारौचित्यात्। किञ्च समासोक्तौ व्यवहारारोप एव न रूपारोप इति कथनम् रूपकादस्याभेदमुपपादयितुमेव, परमेवं रूपकाद् भेदस्य सिद्धावपि 'तितीर्षुर्दुस्तरम्—' इति निदर्शनातो नैवास्याभेदः सिध्येत्, व्यवहारारोपस्य तत्रापि सत्त्वात्। एवञ्च ततोऽस्याभेदाय 'निदर्शनायां प्रकृताप्रकृतौ द्वावपि शब्दोपात्तौ, समासोक्तौ पुनः प्रकृत एव शब्दोपात्तः' इति विश्लेषण-

मावश्यकमेव। अथैतद्विशेषणसिद्धवैधर्म्येणैव रूपकादपि समासोक्तौ भेदस्य सिद्धौ तदर्थं तत्र व्यवहारसमारोपदुराग्रहो निरर्थक एवेति ग्रन्थकाराशयः।

अब सर्वस्वकार-मत का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है—अलंकारसर्वस्व-कारस्तु इत्यादि।

अलंकारसर्वस्वकार रुय्यक का कथन है कि—समासोक्ति-स्थल में विशेषणों की समानता से जिस अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति होती है वह प्रस्तुत अर्थ के अवच्छेदक रूप में भासित होता है—अर्थात् प्रस्तुत अर्थ के विशेषण भाग में ही प्रविष्ट ज्ञात होता है। तात्पर्य यह कि प्रस्तुत वस्तु से अभिन्न रूप में अप्रस्तुत वस्तु प्रतीत नहीं होती, अपितु किसी तरह प्रस्तुत वस्तु के विशेषणांश में उसकी स्थिति अवगत होती है। और अप्रस्तुत के अवच्छेदक होने के कारण व्यवहार का आरोप होता है, रूप का आरोप नहीं होता। तात्पर्य यह कि अप्रस्तुत की अवच्छेदकता को सिद्ध करने के लिये ही जब आरोप की आवश्यकता है तब प्रस्तुत में अप्रस्तुत व्यवहार का आरोप ही करना चाहिए, क्योंकि उससे भी अप्रस्तुत की अवच्छेदकता सिद्ध हो जाती है। आप कहेंगे प्रस्तुत में अप्रस्तुत स्वरूप का आरोप करने पर भी तो अप्रस्तुत की अवच्छेदकता सिद्ध हो सकती है, फिर वही (स्वरूपारोप) क्यों नहीं किया जाय तो इसका समाधान यह है कि यदि प्रस्तुत में अप्रस्तुत स्वरूप का आरोप किया जायगा तब अप्रस्तुत से प्रस्तुत आच्छादित हो जायगा—ढँक जायगा और तब अप्रस्तुत के रूप से ही प्रस्तुत की रूपवत्ता सिद्ध होगी अर्थात् प्रस्तुत अप्रस्तुतरूप सिद्ध होगा फलतः, यह आरोप रूपक अलंकार हो जायगा, समासोक्ति का उच्छेद ही हो जायगा।

पर सर्वस्वकार का यह कथन आपात मनोहर है—अर्थात् वस्तुतः दुष्ट है। क्योंकि इस विषय में पूछा जा सकता है कि अप्रस्तुत-व्यवहार प्रस्तुत कर्ता में अपने कर्ता नायकादि से विशिष्ट होकर आरोपित किया जाता है अथवा अविशिष्ट? यदि प्रथम पक्ष माना जाय—अर्थात् व्यवहार अपने कर्ता नायकादि से विशिष्ट होकर आरोपित होता है ऐसा माना जाय तो यह उचित नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर चन्द्र आदि में नायक व्यव-हाराश्रयता सिद्ध होगी जो असंभव है—अर्थात् दूसरे के व्यवहार का आश्रय दूसरा नहीं हो सकता अतः उसका अभिप्राय यह मानना पड़ेगा कि चन्द्र आदि नायकव्यवहार के समान व्यवहार का आश्रय है फलतः चन्द्र आदि में नायक की समानता सिद्ध होगी और यह समानता उस वक्ता का अभिमत मानी नहीं जा सकती जो श्लेषमूलक अभेदा-रोप द्वारा दोनों (प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत) के व्यवहारों की अभिन्नता का प्रतिपादन करना चाहता है।

उक्त व्यवहाराभेद-प्रतिपादन की इच्छा रखने वाले वक्ता का अभिमत तो माना जायगा नायकत्व—अर्थात् चन्द्र आदि प्रस्तुत में अप्रस्तुत नायक का अभेद, न कि नायक की समानता और वह—अर्थात् चन्द्र आदि का नायकत्व तब सिद्ध होता नहीं, जब नायक को आरोप्यमाण व्यवहार का विशेषण मान लिया जाता है।

दूसरे, 'निशामुखं चुम्बति चन्द्रः—अर्थात चन्द्रमा निशा-मुख को चूम रहा है' इस जगह आप के हिसाब से चन्द्र में नायक-व्यवहार का आरोप ही है, न कि नायकत्व का आरोप, अन्यथा आप के विचार से रूपक हो जायगा। इसी तरह निशा में भी नायि-कात्व का आरोप नहीं मानना होगा, क्यों कि वही न्याय यहां भी लागू है। इस दशा में नायिका से असंबद्ध केवल मुखचुम्बन की ही प्रतीति होगी जो असुन्दर (अचम-त्कारी) तो है ही साथ साथ नायक का असाधारण व्यवहार भी नहीं है अर्थात् केवल

मुख चुम्बन पिता का भी पुत्र के लिये हो सकता है, फिर इस आरोप से लाभ ही क्या हुआ ?

तात्पर्य यह कि जहां श्लिष्ट विशेषण नहीं रहते वहां उक्त रीति से व्यवहारारोप सर्वथा व्यर्थ हो जायगा।

यदि आप वैसी जगहों पर अर्थात् 'निशामुखं चुम्बति चन्द्रः' यहाँ पर निशापदगत जो स्त्रीलिङ्ग है उस से निशा के नायिकात्व की अभिव्यक्ति मानेंगे तब आप को वहाँ चन्द्रपदगत जो पुंल्लिङ्ग है उससे चन्द्र के नायकत्व की अभिव्यक्ति भी माननी ही चाहिए और यदि आप उसको भी मान लेते हैं तब 'रूप का आरोप समासोक्ति में नहीं होता' यह आप की उक्ति असंगत हो ही जाती है।

अब दूसरे पक्ष को लीजिये—अर्थात् कर्ता (नायकादि) से अविशिष्ट केवल अप्रस्तुत व्यवहार का आरोप माना जाय तो वह भी संगत नहीं। क्योंकि नायक के संबन्धीरूप में अज्ञात (अर्थात् जिसका नायक से संबन्ध विदित नहीं है ऐसे) केवल 'मुखचुम्बन' अहृदय है—असुन्दर है।

और सब से असल बात है कि आप समासोक्ति में रूप समारोप न होने का हठ रूपक से समासोक्ति को पृथक सिद्ध करने के लिये ही कर रहे हैं, पर इस हठ से आप रूपक से समासोक्ति का पृथक्करण भले ही सिद्ध कर लें, किन्तु 'तितीर्षुर्दुस्तरम् मोहात् —'इस निदर्शना से समासोक्ति का भेद नहीं सिद्ध कर सकते, क्योंकि वहां भी प्रस्तुत में अप्रस्तुत का व्यवहार आरोपित होता है। फलतः उसके लिये (उक्त निदर्शना से समासोक्ति में विलक्षणता सिद्ध करने के लिए) मेरे द्वारा कथित वैधर्म्य को ही स्वीकार करना पड़ेगा।

तात्पर्य यह कि निदर्शना और समासोक्ति में अन्तर सिद्ध करने के लिये यही कहना होगा कि निदर्शना में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों शब्दतः गृहीत रहते हैं और समासोक्ति में केवल प्रस्तुत शब्दतः गृहीत रहता है, अप्रस्तुत नहीं, वह व्यञ्जना से ज्ञात होता है।

अब आप देख सकते हैं कि इसी वैधर्म्य से रूपक और समासोक्ति में भी अन्तर सिद्ध हो गया अर्थात् रूपक में भी निदर्शना की तरह प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों का शब्दतः ग्रहण रहता है। और जब इसी तरह रूपक से अन्तर सिद्ध हो ही गया तब उसके लिये अनुभवसिद्धरूप समारोप का समासोक्ति में खण्डन करना दुराग्रहमात्र है।

शेष बातें शीघ्र ही आगे कही जायँगी।

निरसितुं तावद्दीक्षितमतमनुवदति—

यत्तु सर्वस्वकाराज्ञानुवर्तिना कुवलयानन्दकृता सपूर्वपक्षसिद्धान्तमुक्तम्—"अत्र च विशेषणसाम्यात्सारूप्याद्वा यदप्रस्तुतवृत्तान्तस्य प्रत्यायनं तत्प्रकृते विशेष्ये तत्समारोपार्थम्। सर्वथैव प्रस्तुतानन्वयिनः कविसंरम्भगोचरत्वायोगात्। ततश्च समासोक्तावप्रस्तुतव्यवहारसमारोपश्चारुताहेतुः। न तु रूपक इव प्रस्तुते अप्रस्तुतसमारोपोऽस्ति। 'मुखं चन्द्रः' इत्यत्र मुखे चन्द्रत्वारोपहेतुचन्द्रशब्दसमभिव्याहारवत् 'रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः' इत्यादौ समासोक्त्युदाहरणे चन्द्रादौ जारत्वाद्यारोपहेतोस्तद्वाचकपदसमभिव्याहारस्याभावात्। न चेह 'निरीक्ष्य विद्युन्नयनैः पयोदो मुखं निशायामभिसारिकायाः' इत्यत्र निरीक्षणानुगुणनयनोपादानं यथा पयोदस्य द्रष्टृपुरुषत्वस्य गमकं तथा किञ्चिज्जारत्वस्यास्ति। न वा 'त्वय्यागते किमिति वेपत एष सिन्धुस्त्वं सेतुमन्थ-

कृदतः किमसौ बिभेति' इत्यत्र सेतुमन्थकृत्त्वं विष्णोः कार्यं यथा राज्ञो विष्णुत्वस्य तथा किंचिदस्ति। तस्माद्विशेषणसमर्पिताप्रस्तुतव्यवहारसमारोपमात्रमिह चारुताहेतुः। यद्यपि विशेषणसमर्पितयोर्द्वयोरप्यर्थयोरविशिष्टं प्राधान्यम्, तत्राप्यन्यतराश्रये धर्मिण्यन्यतरारोपस्यावश्यकत्वे, श्रुते प्रकृतव्यवहारस्यारोप उचितः। तस्य च स्वरूपतो ज्ञातस्यारोपे चारुत्वाभावात्कामुकाद्यप्रस्तुतधर्मिसंबन्धित्वेनावगम्यमानस्य रसानुगुणत्वादारोपः। कामुकादेश्च पदादनुपस्थितस्यापि चुम्बनादिना व्यञ्जितस्य व्यवहारविशेषणत्वम्। तस्मात् 'अयमैन्द्रीमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः' इत्यत्र जारसंबन्धिताहशचुम्बनरूपव्यवहाराश्रयश्चन्द्र इत्येव बोधः" इति।

कुवलयानन्दकृतेति। अप्पयदीक्षितेनेत्यर्थः। अत्र चेति। समासोक्तौ चेत्यर्थः, विशेष्ये इति। चन्द्रादावित्यर्थः। सर्वथैवेति। आरोपानारोपान्यतरविधयेत्यर्थः। कविसंरम्भेति। स्वप्रतीत्युद्देश्यकशब्दसंदर्भरूपकविव्यापारेत्यर्थः। फलितमाह—ततश्चेति। अप्रस्तुतव्यवहारेति। अप्रस्तुतसंबन्धिव्यवहारेत्यर्थः। अप्रस्तुतसमारोप इति। अप्रस्तुतरूपसमारोप इत्यर्थः। तद्वाचकेति। जारवाचकेत्यर्थः। एतेन शाब्द आरोपो न संभवतीत्युक्तम्। नन्वाक्षिप्तनायकादिना आक्षिप्तरूपकं भवत्वत आह—न चेहेति। अस्तीत्यत्रान्वयः। इहेति। 'रक्त—' इत्युदाहरण इत्यर्थः। जारत्वस्येति। गमकमित्यस्यानुषङ्गः। एवमग्रेऽपि। विनिगमकमाह—श्रुते इति। तथा च श्रुतप्रस्तुतार्थोपस्कारकतया विच्छित्तिविशेषशालित्वमिति भावः। तस्य चेति। अप्रकृतव्यवहारस्येत्यर्थः। स्वरूपत इति। अप्रकृतव्यवहारत्वेनेत्यर्थः। उपसंहरति—तस्मादिति। रक्त इति। रक्तवर्णोऽनुरक्तश्चेत्यर्थः। ताहशेति। परनायिकामुखकर्मकेत्यर्थः। इत्येवेति। "जाराभिन्नश्चन्द्रः" इति बोध एव व्यावर्त्यः। संदर्भोऽयं स्फुट एवेति सारांशोल्लेखो नावश्यकः।

खण्डन करने के लिए प्रथमतः दीक्षित मत का अनुवाद किया जाता है—यत्तु इत्यादि।

सर्वस्वकार की आज्ञा में चलनेवाले कुवलयानन्दकार अप्पयदीक्षित ने पूर्वपक्ष और सिद्धान्त सहित जो कहा है कि "समासोक्ति में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों में संघटित हो सकने वाले विशेषणों के बल से अथवा केवल साम्य के बल से जो अप्रस्तुत-व्यवहार की प्रतीति करवाई जाती है वह प्रस्तुत विशेष्य चन्द्रादिक में उस व्यवहार का आरोप करने के लिए। कारण, आरोप के द्वारा अथवा विना आरोप के ही—किसी भी तरह जिसका संबन्ध प्रस्तुत अर्थ के साथ न हो ऐसा अर्थ कवि के वर्णन व्यापार का विषय नहीं हो सकता है। अतः यह स्वीकार करना पड़ता है कि समासोक्तिस्थल पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप सौन्दर्य (चमत्कार) का कारण होता है। रूपक के समान यहाँ प्रस्तुत धर्मी में अप्रस्तुत धर्मी का आरोप नहीं होता। कारण, जिस तरह 'मुखं चन्द्रः' इस रूपक स्थल पर मुख में चन्द्रत्वारोप का कारण चन्द्रपद का समभिव्याहार (चन्द्रपद का समीप में उच्चारण) रहता है, उस तरह 'रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः—अर्थात् रक्त (लाल—अनुरक्त) चन्द्रमा चुम्बन करता है' इत्यादि समासोक्ति के उदाहरण में चन्द्र आदि पर जारत्व आदि के आरोप का हेतु जार आदि का वाचक पद समभिव्याहृत—(समीपवर्ती) नहीं है। सारांश यह कि शाब्द आरोप

की संभावना यहाँ नहीं है। नायक आदि का आक्षेप मान कर आक्षिप्त रूपक भी यहाँ नहीं माना जा सकता, क्योंकि 'निरीक्ष्य विद्युन्नयनैः—अर्थात् मेघ ने बिजलीरूप आँखों से रात में अभिसारिका के मुख को देखकर' इस एकदेशविवर्ति रूपकस्थल पर दर्शन के अनुकूल नयन पद का ग्रहण जिस तरह मेघ के 'द्रष्टा पुरुष होने' का गमक (ज्ञापक) है उस तरह यहाँ चन्द्रमा के 'जार पुरुष होने' का गमक किसी पद का ग्रहण नहीं है। अथवा 'त्वय्यागते—अर्थात् तुम्हारे आने पर यह समुद्र क्यों काँप उठता है क्या यह इस लिये डरता है कि तुम (रामावतार में) सेतु और (क्षीर समुद्र मन्थन के समय) मंथन के कर्ता हो।' इस स्थल पर 'समुद्र पर सेतु और मंथन का करना' रूप विष्णु का कार्य (जो यहाँ राजा के लिये कहा गया है) जिस तरह राजा के विष्णु-रूपत्व का प्रत्यायक होता है उस तरह भी यहाँ जारत्व का प्रत्यायक कुछ नहीं है।

अतः समासोक्ति में विशेषणों के द्वारा समर्पित केवल अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप ही सुन्दरता का हेतु है।

यद्यपि 'विशेषणों से समर्पित दोनों अर्थों (प्रस्तुत-अप्रस्तुत वृत्तान्तों)' की प्रधानता समान होती है, तथापि दो में से एक (व्यवहार) के आश्रयीभूतधर्मी पर दूसरे (व्यवहाररूपधर्म) का आरोप मानना आवश्यक है, अन्यथा परस्परासंबद्ध होने के कारण प्रतीयमान दो अर्थों की असंगति हो जायगी। ऐसी स्थिति में शब्द से प्रतिपादित 'प्रस्तुत व्यवहार के धर्मी' पर ही 'अप्रस्तुत व्यवहार' का आरोप उचित है।

अब यहाँ एक बात यह भी समझ लेनी चाहिए कि केवल स्वरूपतः (अप्रस्तुत-व्यवहारत्वेन) ज्ञात-अर्थात् नायकसंबद्धत्वेन अज्ञात अप्रस्तुत व्यवहार का प्रस्तुत धर्मी पर आरोप नहीं होता, क्योंकि उस तरह के आरोप में सुन्दरता नहीं होती, अपि तु कामुक आदि अप्रस्तुत धर्मी के संबन्धीरूप से अवगत होते हुए अप्रस्तुत व्यवहार का प्रस्तुत धर्मी पर आरोप होता है, क्योंकि ऐसा आरोप रसोद्बोध के लिये अनुकूल पड़ता है—चमत्कारजनक होता है।

कामुक आदि यद्यपि किसी पद से उपस्थित नहीं होते—अर्थात् उसके वाचक पद वहाँ कथित नहीं रहते तथापि चुम्बन आदि से अभिव्यक्त होकर वे (कामुक आदि) व्यवहार के विशेषण बन जाते हैं।

अतः 'अयमैन्द्रीमुखम्—अर्थात् देखिये, यह चन्द्रमा रक्त (लाल+अनुरक्त) होकर प्राचीन दिशा के मुख को चूम रहा है।' इस जगह 'जार से संबन्ध रखने वाले वैसे (परकीयामुख के) चुम्बनात्मक व्यवहार का आश्रय चन्द्रमा' ऐसा ही बोध होता है।

दीक्षितमतं निरसितुमाह—

तदेतत्सर्वमसंगतम्। यत्तावदुच्यते 'मुखं चन्द्रः' इत्यत्र मुखे चन्द्रत्वारोप इति, तत्र। नामार्थयोरभेदेनैवान्वयान्मुखे चन्द्रत्वस्यारोपः, न चन्द्रत्वस्य चन्द्र-विशेषणस्य। यदप्युच्यते जारादिपदसमभिव्याहारस्य हेतोर्विरहान्न चन्द्रादौ जारत्वारोप इति। तत्र श्रौतारोपे तादृशसमभिव्याहारस्य हेतुत्वम्, न त्वार्थारोपे। अन्यथा रूपकध्वनेरुच्छेदापत्तेः। न च रूपकध्वनावारोप्यमाणासाधारण-धर्मोक्तिरारोप्यमाणतादात्म्यव्यञ्जिका, न चेह तथा किंचिदस्तीति वाच्यम्। इहापि परनायिकामुखचुम्बनस्य श्लेषमर्यादया व्यञ्जनमर्यादया वा प्रतीतस्य प्रकृतधर्मिणि चन्द्रे आरोप्यमाणस्य जारासाधारणधर्मत्वेन जारत्वव्यञ्जकतायाः

स्फुटत्वात् । एतेन 'विद्युन्नयनैः' इत्यत्र 'त्वं सेतुबन्धनकृत्' इत्यत्र च यथा द्रष्टृत्व-विष्णुत्वगमकं तथेह नास्तीति निरस्तम् । न च जारत्वस्य चन्द्रादावारोपमन्तरेणापि जारव्यवहारारोपः सिध्यन्ननुपपत्तेरभावान्न जारत्वं गमयेदिति वाच्यम् । गमकं हि द्विविधम्—आक्षेपकं व्यञ्जकं च । तत्राक्षेपकमनुपपद्यमानमेव गमयति । व्यञ्जकं तु नानुपपत्तिमपेक्षते । 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादौ तथैव दर्शनात् । अन्यथा अर्थापत्त्या गतार्थत्वेन व्यञ्जनावैयर्थ्यप्रसङ्गात् । किं च त्वयापि हि जारादेरप्रकृतधर्मिणः प्रतीतिरवश्यं वाच्या आरोप्यमाणव्यवहारविशेषणार्थम् । अन्यथा स्वरूपतो ह्यप्रकृतव्यवहारारोपे चारुतानापत्तेः ।

एवं चावश्योपस्थाप्यस्य जारादेस्तादृशचुम्बनकर्तरि चन्द्रादावेव तादात्म्येन विशेषणत्वमुचितम्, न तु व्यवहारे भेदेन । चन्द्रस्य जारभिन्नतावगमे परनायिकावदनचुम्बनस्याहृद्यत्वात् ।

अपि च 'निशामुखं चुम्बति चन्द्र एषः' इत्यत्र स्त्रीलिङ्गपुंल्लिङ्गाभ्यां मुखचुम्बनरूपार्थसचिवाभ्यां नायिकात्वं नायकत्वं च व्यज्यत इति हि निर्विवादम् । अन्यथा 'निशामुखं चुम्बति चन्द्रिकैषा' 'अहर्मुखं चुम्बति भानुबिम्बम्' इत्यत्रापि नायकप्रतीत्यापत्तेः । एवं च सामानाधिकरण्येनैव संसर्गेण व्यज्यमानं नायकत्वं निशाशशिनोर्नायकत्वारोप एव पर्यवस्यति । "अपरित्यक्तस्वरूपयोर्निशाशशिनोर्नायकताख्यधर्मविशिष्टयोः प्रतीतेः" इति त्वदुपजीव्यग्रन्थविरोधश्च । 'अविनाभावादप्रकृतव्यवहारेणाक्षिप्तेन धर्मिणैव प्रस्तुतो धर्म्यवच्छिद्यते' इति तट्टीकाविरोधश्च ।

किं च "चुम्बनादिव्यवहारेणाभिव्यक्तस्य नायकस्य व्यवहारविशेषणत्वमेव, न त्वभेदेन चन्द्रादिविशेषणत्वम् । चन्द्रादिपदसमानाधिकरणपदानुपस्थापितत्वात्" इत्युक्तं तत्र तुल्यन्यायत्वान्निशायामपि न नायिकात्वारोपः, अपि तु नायकवदभिव्यक्ताया नायिकाया अपि व्यवहारसंबन्धित्वेनैवावस्थानमिति वक्तव्यम् । तच्च बाधितम् । नायिकात्वानालीढकेवलरात्रिमुखचुम्बनरूपस्य व्यवहारस्य नायिकासंबन्धित्वात् । नहि रात्रितादात्म्यं विना नायिकायाः पृथङ्मुखं विशेषयितुमस्ति सामर्थ्यम् ।

अपि च—

'निर्लक्ष्मीकाऽभवत्प्राची प्रतीचीं याति भास्करे ।
प्रिये विपक्षरमणीरक्ते का मुदमञ्चति ॥'

इत्यत्र पूर्वार्धगतायां समासोक्तौ भास्करादीनां नायकत्वाप्रतीतावुत्तरार्धे प्रियत्वादिना समर्थनायाः सर्वथैवानुपपत्तेः । अन्यच्च—अप्रकृतव्यवहारः प्रकृतविशेष्ये प्रकृतव्यवहारताटस्थ्येनारोप्यते, तदभिन्नतया वा ? नाद्यः । एवं च प्रकृतविशेष्ये प्रकृताप्रकृतव्यवहारयोरेकत्र द्वयमिति विषयताशाली बोधः स्यात् । स चासिद्ध इत्युक्तमेव । न द्वितीयः । इतोऽपि प्रकृतव्यवहार एवाप्रकृतव्यवहारस्याभेदेनारोपो वरीयान्, न तु भेदसंसर्गेण प्रकृतविशेष्ये, अभेदांशे

व्यवहारांशे चारोपस्वीकारप्रसङ्गात् । मम त्वभेदांशमात्र इति स्फुट एव विशेषः । तस्मादप्रकृताभिन्नतया व्यवसितः प्रकृतव्यवहारः स्वविशेष्ये तद्विशेष्याभिन्नतयावस्थिते भासते । तत्राप्रकृतार्थ उपस्कारकतया गुण इति प्रकार एव रमणीयः ।

स च न वाक्यार्थरूपके 'त्वत्पादनखरत्नानाम्' इत्यत्रेव विशिष्टस्य विशिष्टे । समासोक्तौ तयोः पृथक्छब्दवेद्यत्वाभावात् । किं तु प्रकृतवाक्यार्थघटकाः पदार्थास्तादात्म्येनाप्रकृतघटकपदार्थालीढा एव वैशिष्ट्यमनुभवन्तो महावाक्यार्थरूपेण परिणमन्तीति सूक्ष्ममीक्षणीयम् । अतिशयोक्ताविवाप्रकृतेन प्रकृतस्य निगरणं तु न वाच्यम् । तस्य शब्दवाच्यत्वात् ।

तदेतदिति । दीक्षितोक्तमित्यर्थः । असंगतत्वे हेतुमाह—यत्तावदित्यादि । अभेदेनैवान्वयादिति । 'नामार्थयोरभेदातिरिक्तः संबन्धोऽव्युत्पन्नः' इति न्यायादिति भावः । चन्द्रविशेषणस्येति । अत्र "तादात्म्येन चन्द्रारोपे तादात्म्यस्यापि संबन्धविधया आरोपविषयत्वात् तस्य चन्द्रत्वानतिरेकात् चन्द्रत्वारोपेत्युक्तम् । न तु प्रकारतया चन्द्रतारोपः । अन्यत्र विशेषणत्वेनोपस्थितस्यान्यत्र प्रकारतया आरोपायोगादिति तदाशयाच्चिन्त्यमिदम् ।" इति नागेशः ।

अन्यथेति । आर्थारोपेऽपि तादृशसमभिव्याहारस्य हेतुत्व इत्यर्थः । रूपकध्वनेरुच्छेदापत्तेरिति । तत्रारोपे सत्यपि तादृशविषयिवाचकपदाभावादिति भावः । रूपकध्वन्युच्छेदापत्तिपरिहारमाशङ्कते—न चेति । आरोप्यमाणेति । उपमानेत्यर्थः । इह समासोक्तौ । तथा किंचिदिति । आरोप्यमाणासाधारणधर्मोक्त्यादिकमिति भावः । समाधत्ते—इहापीति । समासोक्तावपीत्यर्थः । भामहादिमतेनाह—श्लेषेति । स्वमतेनाह—व्यञ्जनेति । निरस्तमिति । आरोप्यमाणं परनायिकामुखचुम्बनं जारासाधारणधर्मरूपमिहापि जारत्वगमकमस्तीति भावः । पुनः पूर्वपक्षी शङ्कते—न च जारत्वस्येति । जारत्वस्यारोपं विना यदि जारव्यवहारारोपोऽनुपपन्नो भवेत् तर्हि तादृशोऽसौ व्यवहारो जारत्वं गमयेत् । अत्र तु चन्द्रे जारत्वारोपं विनापि जारव्यवहारारोप उपपन्न एवेति न चन्द्रस्य जारत्वं गमयेदिति शङ्कादलाशयः । समाधत्ते—गमकं हीति । तथैव दर्शनादिति । अनुपपत्तिं विनापि नानार्थव्यञ्जनदर्शनादित्यर्थः । अन्यथेति । अनुपपत्तेस्तद्धेतुत्वे इत्यर्थः । स्वमतसाधकं युक्त्यन्तरमाह—किं चेति । अन्यथेति । तदप्रतीत्या तद्विशेषणत्वानङ्गीकारे इत्यर्थः । स्वरूपतो ह्यप्रकृतव्यवहारारोपे इति । जाराद्यविशेषिताप्रस्तुतव्यवहारारोपे इति भावः । एवं चेति । तदर्थं तत्प्रतीतौ चेत्यर्थः । भेदेनेति । अभेदातिरिक्तकर्तृताख्यसंबन्धेनेति भावः । भेदेन व्यवहारे विशेषणत्वस्यानौचित्ये युक्तिमाह—'चन्द्रस्य जारभिन्नतेति । सचिवाभ्यामिति । सहिताभ्यामिति भावः । अन्यथेति । मुखचुम्बनरूपार्थसहितस्त्रीलिङ्गपुंल्लिङ्गाभ्यां तदभिव्यक्तिमस्वीकृत्य केवलमुखचुम्बनेन तदभिव्यक्त्यङ्गीकारे इत्यर्थः । नायकप्रतीतीति । एकशेषबलेन नायकस्य नायिकायाश्च प्रतीतेरापत्तेरिति भावः । पर्यवसितमाह—एवं चेति । पर्यवस्यतीति । स्त्रीत्वपुंस्त्वयोरधिकरणभूतौ यौ निशाशशिनौ तत्रैव यथाक्रमं नायिकात्वं नायकत्वं चाभिव्यज्यते । एवं विधायाश्चाभिव्यक्तेः निशाशशिनोर्नायक-

त्वारोप एव पर्यवसानम्। ततश्च 'व्यवहारसमारोप एव चारुताहेतुः, नतु रूपसमारोपः' इति तदुक्तिः स्पष्टमसंगतेति भावः। उक्तपर्यवसितार्थानङ्गीकारे आह—'अपरीति। तदुपजीव्येति। कुवलयानन्दोपजीव्यालंकारसर्वस्वेत्यर्थः। अत एव तदाज्ञानुवर्तिनेति प्रागुक्तम्। अविनाभावात् नियतसंबन्धात्। धर्मिणेति। नायकादिनेत्यर्थः। धर्मीति। चन्द्रादिरित्यर्थः। अवच्छिद्यते विशिष्यते। तट्टीकेति। अलंकारसर्वस्वटीकाविमर्शिनीत्यर्थः। विरोध इति। अलंकारसर्वस्वतट्टीकयोर्नायकत्वारोपे तात्पर्यं स्फुटमवगम्यते। तथा च नायकत्वारोपमनङ्गीकुर्वतो दीक्षितस्य ताभ्यां सह विरोधः स्पष्ट एवेति सारांशः।

तदुक्त्यन्तरं खण्डयति—किं चेति। यदपीत्यर्थः। तच्च बाधितमिति। नायिकाया व्यवहारविशेषणत्वेनावस्थानमसम्भवमिति भावः। बाधितत्वमेव स्फुटयितुमाह—नायिकात्वानालीढेति। नायिकात्वाविशिष्टेत्यर्थः। केवलेति। तदनालीढत्वादेव केवलत्वं बोध्यम्। सामर्थ्यमिति। 'निशामुखम्' इति समस्तपदबोध्ये मुखे नायिकाया विशेषणत्वं तदैव संभवति यदि निशायां नायिकायास्तादात्म्यं स्यादिति भावः। दोषान्तरमाह—अपि चेति। 'निर्लक्ष्मीका—' इति भास्करे सूर्ये, प्रतीचीम् पश्चिमाशां, याति गच्छति सति, प्राची पूर्वदिशा निर्लक्ष्मीका श्रीविहीना, अभवत् अभूत्। प्रिये प्रेयसि नायके, विपक्षरमणीरक्ते अन्याङ्गनासक्ते, का नायिका, मुदम् हर्षम्, अञ्चति प्राप्नोति ? न कापीति तद्व्याख्या। पूर्वार्धे समासोक्तिरुत्तरार्धे चार्थान्तरन्यासोऽलंकारः। भास्करादीनामिति। आदिना प्राच्यादिपरिग्रहः। नायकत्वाप्रतीताविति। नायकत्वस्य नायिकात्वस्य चाप्रतीतावित्यर्थः। अनुपपत्तेरिति। तस्मात्समासोक्तौ रूपसमारोपोऽवश्यमेषितव्य इति भावः। दोषान्तरमाह—अन्यच्चेति। ताटस्थ्येनेति। औदासीन्येनेत्यर्थः। प्रकृतव्यवहारात्पृथक्त्वेति यावत्। नाद्य इति। प्रकृतव्यवहारताटस्थ्येनाप्रकृतव्यवहारः प्रकृतकर्तरि समारोप्यत इति पक्षो न युक्त इत्यर्थः। अयुक्तत्वे हेतुमुल्लिखति—एवं चेति। यत एवं सतीत्यादिः। स चासिद्ध इति। अप्रकृतव्यवहारस्य प्रकृतासंबन्धित्वादिति भावः। न द्वितीय इति। प्रकृतव्यवहाराभिन्नतया अप्रकृतव्यवहारः प्रकृतकर्तर्यारोप्यते इति पक्षोऽपि नोचित इति भावः। अनौचित्यहेतुमुद्घाटयति—इतोऽपीति। विशेष इति। प्रकृतव्यवहाराभिन्नाप्रकृतव्यवहारस्य भेदसंसर्गेण प्रकृतविशेष्ये समारोपे प्रकारतया अभेदांशे, विशेष्यतया व्यवहारांशे चारोप इति गौरवम् दीक्षितमते, ग्रन्थकारमते तु प्रकृताप्रकृतव्यवहारयोः प्रकृताप्रकृतधर्मिणोश्चाभेदेनैवान्वयादभेदांशमात्र एवारोप इति लाघवमिति भावः। उपसंहरति—

तस्मादिति। रमणीय इत्यत्रान्वयः। स्वविशेष्ये इति। प्रकृतव्यवहारविशेष्ये इत्यर्थः। प्रकृतधर्मिणीति यावद्। तद्विशेष्येति। अप्रकृतव्यवहारविशेष्येत्यर्थः। अप्रकृतधर्मीति यावत्। तत्रेति। प्रकृते इत्यर्थः। स चेति। आरोपश्चेत्यर्थः। विशिष्टस्येति। अप्रकृतव्यवहारविशिष्टस्य नायकादेरित्यर्थः। विशिष्टे इति। प्रकृतव्यवहारविशिष्टे चन्द्रादावित्यर्थः। तयोरिति। प्रकृताप्रकृतवाक्यार्थयोरित्यर्थः। वैशिष्ट्यस्यैव वाक्यार्थतेति सूचयन्नाह—वैशिष्ट्यमनुभवन्त इति। अवान्तरवाक्यार्थयोर्भिन्नत्वादाह—महेति। तस्येति। प्रकृतस्येत्यर्थः।

एवं च समासोक्तौ रूपसमारोपो भवतीति पण्डितराजाभिप्रायः। नागेशस्तु अत्र "समा-

सोक्तावप्रस्तुतवृत्तान्तसमारोप एव चारुताहेतुरिति प्राञ्चः। तेषामयमाशयः—अयमैन्द्रीत्यादौ श्लिष्टविशेषणप्रतीतप्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्तयोः श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसायेनाभिन्नयोः प्रस्तुतचन्द्रादिवृत्तिता। तत्र तयोर्वृत्तान्तयोः परस्परं विशेष्यविशेषणभावे कामचारेऽपि प्रस्तुतवृत्तान्तो विशेष्यः। तद्बोधकबोध्याप्रस्तुतस्तु अभेदेन तद्विशेषणम्। एवं चाप्रस्तुताभिन्नप्रस्तुतस्य चन्द्रेणान्वयः। तत्र यद्यपि प्रस्तुतस्य स्वासाधारणधर्मेण चन्द्रेऽन्वययोग्यतास्ति तथाप्यप्रस्तुताभेदमापन्नस्य न सास्तीति तद्रूपावच्छिन्नस्य तस्य प्रकृते धर्मिण्यारोपः। एवं चाप्रस्तुतव्यवहारसमारोपपदेन प्रस्तुतव्यवहारसमारोपपदेन च प्रस्तुतव्यवहारतादात्म्यापन्नसमारोप उच्यते। न च तत्तादात्म्यापन्नत्वेऽपि विशेष्यतायाः प्रस्तुत एव सत्त्वेनारोपं विनाप्यन्वययोग्यतेति वाच्यम्। दृगब्जेन वीक्षते इत्यादौ विशेष्यस्य स्वरूपेणेतरान्वयायोग्यस्येतरतादात्म्यापत्त्या तद्योग्यत्ववत्स्वतोऽन्वययोग्यस्यापीतरतादात्म्यापत्त्या तदयोग्यत्वस्यापि सत्त्वात्। न च रूपकवत्समासोक्तावपि प्रस्तुतेऽप्रस्तुतरूपसमारोप एव चारुताहेतुरस्तु। तद्वाचकपदसमभिव्याहाराभावेन तस्यासंभवात्। न चाक्षिप्तनायकादिना आक्षिप्तरूपकं भवतु। 'निरीक्ष्य विद्युन्नयनैः पयोदः' इत्यत्र पयोदे द्रष्टृपुरुषरूपकाक्षेपकनिरीक्षणवदाक्षेपकाभावात्। न च विशेषणसाम्यप्रतीताप्रकृतवृत्तान्त एवाक्षेपकोऽस्तु। अप्रस्तुतस्य प्रस्तुते विशेषणतया तस्य प्राधान्याभावेनाक्षेपकत्वात्। एतेनाक्षेपासंभवेऽपि परनायिकामुखचुम्बनस्य श्लेषमर्यादया प्रतीतस्य प्रकृतधर्मिणि चन्द्रे आरोप्यमाणस्य जारासाधारणधर्मत्वेन प्रकृतधर्मिणि जारत्वव्यञ्जकता सुवचा। न च चन्द्रे जारत्वारोपमन्तरेणापि जारव्यवहारारोपसिद्धिरनुपपत्त्यभावाच्च जारत्वं गमयेदिति वाच्यम्, व्यञ्जनाया अनुपपत्तिं विनापि प्रसरात्। 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादौ तथैव दर्शनात्। अन्यथा अर्थापत्त्या गतार्थत्वेन व्यञ्जनावैयर्थ्यप्रसङ्गादित्यपास्तम्। किं चैवं सति वाच्यार्थबोधोत्तरं तद्व्यङ्ग्यप्रतीतिः। सापि न केवलव्यवहारमात्रात्। अपि तु तादृशनायकनायिकासंबन्धविशिष्टव्यवहारज्ञानात्। एवं च वाच्यार्थबोधकालिकचमत्कारबीजमात्रमत्र निरूप्यते इत्यदोषः। अपि च तादृशव्यङ्ग्यस्याधिकचमत्कारित्वेन ध्वनिव्यवहारयोग्यतया नालंकारशरीरघटकता। एवं च समासोक्तेस्तादृशध्वन्युपस्कारकतयाधिकचमत्कारित्वमलंकारत्वं च। न चैवं समासोक्तौ रूपकध्वनिनैव निर्वाहे पृथगलंकारत्वं न स्यादिति वाच्यम्।

वाच्यार्थबोधकालिकचमत्कारस्यापह्नोतुमशक्यत्वेनालंकारत्वस्य दुरपह्नवत्वात्। विपरीतं नायकव्यवहारोपव्यञ्जनस्य समासोक्त्यन्तर्भावं वदतो ध्वनित्वस्य दुर्वारत्वाच्च। तद्व्यङ्ग्यस्याधिकचमत्कारित्वेन प्रधानत्वात्। न श्लिष्टशब्दोपस्थापितयोर्वृत्तान्तयोः परस्परमभेदान्वये मानाभावः। सहृदयहृदयस्यैव प्रमाणत्वात्। अत एव 'आगत्य संप्रति वियोगविसंष्ठुलाङ्गीम्' इत्यत्रार्थशक्तिमूलो नायकनायिकावृत्तान्तो वाच्यरविकमलिनीवृत्तान्ताध्यारोपेणैव स्थित इति प्रदीपकृतः, प्राचीनमनुभवमपलप्यापि यद्येकत्र द्वयमिति रीत्या प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्तयोर्विशेष्येणैवान्वयः स्वीक्रियते एवमपि वाक्यार्थबोधकाले प्रस्तुते धर्मिणि नाप्रस्तुतजारत्वारोपप्रत्याशा। तथाहि यद्यप्यनयोर्भिन्नशब्दोपात्तविशेषणयोरिव विशेष्येणैव साक्षादन्वयात्समप्राधान्यमस्तीति स्वीक्रियते तथाप्यप्रस्तुतवृत्तान्तान्वयानुरोधान्न प्रस्तुतेऽप्रस्तुतरूपसमारोपः। प्रस्तुतेऽप्रस्तुतवृत्तान्तारोपेणैव सिद्धेः। अप्रस्तुतरूपसमारोपेऽपि प्रस्तुतान्व-

यायोग्यतायास्तदवस्थत्वाच्च । नन्वेवं सति विशेषणसाम्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिरिति प्राचीनलक्षणासंगतिः, प्रस्तुतधर्मिव्यञ्जनस्य त्वयानपेक्षणादिति चेत् न । स्वरूपतोऽप्रस्तुतारोपस्याचमत्कारित्वम् किं त्वप्रस्तुतकामुकादिसंबन्धित्वेनावगम्यमानस्यैव तस्यारोपः । अतः श्लेषादिमहिम्ना विशेषणपदैः स्वरूपतः समर्पितेन चुम्बनादिना ऐन्द्री चन्द्र इत्येतद्गतस्त्रीलिङ्गपुंल्लिङ्गसहकृतेन तत्संबन्धिनि कामुकादावभिव्यक्ते पुनस्तदीयत्वानुसंधानात् । विशेषणसाम्येन वाच्योपस्कारस्याप्रस्तुतव्यञ्जनस्यापेक्षणात् । अप्रस्तुतस्यैतस्याप्रस्तुतव्यवहारस्येत्यर्थो वा । एतेन वदनचुम्बनस्य पुत्रादिसाधारण्यात्कथं कामुकाभिव्यञ्जकत्वम् । किं च 'अहर्मुखं चुम्बति भानुबिम्बम्' इत्यत्रापि नायकाद्यभिव्यक्त्यापत्तिरित्यपास्तम् । यत्तु चन्द्रऐन्द्रीपदगतलिङ्गाभ्यामभिव्यक्तनायकयोः स्वव्यञ्जकपदोपस्थापिताभ्यामभेदेनैवान्वय उचितः समानपदोपात्तत्वप्रत्यासत्तेरिति, तन्न । एवं हि वदता व्यवहारावच्छेदकत्वं तयोः स्वीक्रियते न वा । आद्ये एकस्यार्थस्योभयत्रान्वयोऽव्युत्पत्तिग्रस्तः । अन्त्ये रसाननुगुणत्वम् । यदप्यैन्द्र्यादौ नायिकात्वाभाने केवलं व्यवहारावच्छेदकत्वमात्रस्वीकारे बाधः । नायिकात्वानालीढकेवलैन्द्रीमुखचुम्बनरूपस्य व्यवहारस्य नायकासंबन्धित्वात् । नहि दिक्तादात्म्यं विना नायिकायाः पृथङ्मुखं विशेषयितुं सामर्थ्यमस्तीति तदपि न । मुखशब्दश्लेषसामर्थ्येन ऐन्द्रीमुखमित्यस्य समस्तत्वेऽपि ऐन्द्र्यंशे मोषेण केवलमुखचुम्बनस्योपस्थितेः । तदेतदुक्तं कुवलयानन्दे—श्लेषादिमहिम्ना स्वरूपतः समर्पितेन वदनचुम्बनादिनेति ।

नह्यैन्द्रीपदशब्दार्थेन दिग्रूपेण वदनरूपमुखपदार्थस्यान्वयो वक्तुं शक्यः सहृदयैः । नन्वेतादृशकुसृष्टिकल्पनापेक्षया विशेषणसाम्यमहिम्ना प्रतीतोऽप्रकृतवाक्यार्थः स्त्रीलिङ्गपुंल्लिङ्गाभ्यामभिव्यक्तनायिकाद्यभिन्नचन्द्रादिघटितप्रकृतवाक्यार्थे स्वावयवतादात्म्यापन्नतदवयवोऽवतिष्ठते इत्येव कल्पयितुं युक्तम् । एवं च नायिकाद्यभिन्न–इन्द्रदिशासंबन्धिवदनाभिन्नप्रारम्भकर्मकचुम्बनरूपसंबन्धाश्रयो नायकाभिन्नश्चन्द्र इति बोध इति चेत्, न । एवं हि ऐन्द्र्यां नायिकाभेदप्रतीतौ मुखचुम्बनादौ वदनचुम्बनाद्यभेदप्रतीतावपि वदनचुम्बने साक्षान्नायिकार्थसंबन्धाप्रतीत्या रसोद्बोधानापत्तेः । न च व्यञ्जनया तत्प्रतीतिरस्त्येव, यस्मिन्यदभेदः तत्संबन्धिनि तत्संबन्ध्यभेद इति न्यायेन वा मानसिकी तत्प्रतीतिः, तत एव चमत्कार इति वाच्यम् । तदपेक्षया साक्षाच्चमत्कारोपपादकवाच्यार्थबोधव्युत्पादनस्यैवौचित्यात् । ननु व्यञ्जनया अप्रकृतार्थबोधः । शक्तेः प्रकरणादिना नियन्त्रणात् । ततो व्यञ्जनमाहात्म्यादेव प्रकृतवाक्यार्थतादात्म्येनावतिष्ठते इति चेत्, तर्हि वैयञ्जनिकोऽप्रकृतार्थबोधो नायिकाद्यविशेषितो विशेषितो वा ? नाद्यः, रसाननुगुणत्वात् । अन्त्ये स्वपदोपस्थापिताभ्यां लिङ्गाभ्याम् नायिकाद्यभेदबोधो व्यर्थोऽसंभवी च । नायिकाविशेषणकव्यवहारबोधनेन कृतार्थत्वात् । अपि च तथा सति जारकर्तृकसानुरागपरनायिकामुखचुम्बनाभिन्नप्राचीप्रारम्भसंयोगाश्रयो जाराभिन्नश्चन्द्र इति बोधकदर्थनमेव स्यात् । तस्माद् व्यञ्जनया शक्त्या वा उपस्थिताप्रस्तुतवृत्तान्तेन व्यञ्जनयोपस्थितनायकादिसंबन्धित्वेन गृहीतेनाभेदमापन्न–प्रस्तुतवृत्तान्तारोपः प्रकृतविशेष्ये । नव्यमते-श्लेषस्थलेऽप्रकृतोपस्थितेः शक्त्यैव व्यवस्थापयिष्यमाणत्वेन तन्मते शक्त्यैवाप्रकृतार्थोपस्थितिः । प्राचां तु व्यञ्जनयेत्येतावान्विशेषः । एवं च वाच्यार्थबोधोत्तरं यदि चन्द्रादौ नायकत्वादिप्रतीति-

रपि सहृदयानुभवसाक्षिकी तदास्तु इत्युपपादितमेव प्राक्। एतेन 'निर्लक्ष्मीकाभवत्प्राची प्रतीचीं याति भास्करे। प्रिये विपक्षरमणीरक्ते का मुदमञ्चति॥' इत्यत्र पूर्वार्धगतायां समासोक्तौ नायकत्वाप्रतीतावुत्तरार्धे प्रियत्वादिना समर्थनायाः सर्वथैवानुपपत्तिरिति परास्तम्। प्रस्तुतप्राचीवृत्तान्ते आरोप्यमाणाप्रस्तुतखण्डितनायिकाविशेषवृत्तान्तसमर्थनाय तस्यावश्यकत्वाच्च। एवं च सानुरागपरनायिकासुखचुम्बनाभिन्नप्राचीप्रारम्भसंयोगाश्रयश्चन्द्र इत्येव बोधः। समासोक्तिर्गुणीभूतव्यङ्ग्येतिव्यवहारस्तु प्रकृतव्यवहारेऽप्रकृतव्यवहाराभेदस्य व्यञ्जनया प्रतीतेर्निर्बाध एवेति दिक्।" इति विलक्षणं विवेचयति।

दीक्षितजी के मत का खण्डन किया जाता है—तदेतत् इत्यादि।

दीक्षितजी ने जो कुछ (जिसका उल्लेख पहले किया गया है) कहा है वह सब असंगत हैं। देखिए—सर्व प्रथम—

(१) जो उन्होंने यह कहा है कि "–'मुखं चन्द्रः' इस जगह मुख में चन्द्रत्व का आरोप होता है" वह उचित नहीं, क्योंकि दो प्रातिपदिकार्थों का अभेद संबन्ध से ही अन्वय होने के कारण मुख में चन्द्र का आरोप होता है, न कि चन्द्र के विशेषण चन्द्रत्व का।

(यहाँ नागेश का कथन है कि तादात्म्य (अभेद) संबन्ध से चन्द्र का आरोप करने पर संबन्धरूप में तादात्म्य भी आरोप का विषय हो जाता है, और चन्द्र का तादात्म्य चन्द्रत्व रूप ही पर्यवसित होता है, अतः 'चन्द्रत्व का आरोप होता है' ऐसा दीक्षित ने कहा, प्रकार (विशेषण) रूप से चन्द्रत्वारोप उन्हें भी मान्य नहीं है। वैसी मान्यता किसी विद्वान् की हो भी नहीं सकती, क्योंकि दूसरे के विशेषणरूप से उपस्थित पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ में विशेषणरूप से आरोप अयुक्त है। ऐसी स्थिति में पण्डितराज के द्वारा किया गया उक्त खण्डन चिन्तनीय है।)

(२) दूसरी बात जो उन्होंने यह कही है कि "जार-आदि पद की समीपवर्तितारूप हेतु के अभाव से चन्द्र आदि में जारत्व का आरोप नहीं हो सकता" वह भी ठीक नहीं। कारण, श्रौत आरोप में ही आरोप्यमाण पदार्थबोधक पद की समीपवर्तिता को हेतु माना जाता है, न कि आर्थ आरोप में–अर्थात् आर्थ आरोप उसके अभाव में भी हो सकता है। यदि आर्थ आरोप में भी समभिव्याहार को हेतु माना जाय तब रूपकध्वनि का उच्छेद हो जायगा। तात्पर्य यह कि 'तेरे मुख की कान्ति तम को दूर करती है, ताप को हटाती है, और कमलों को मुद्रित बनाती है' ऐसा कहने पर 'तेरा मुख चन्द्र है' इस तरह का रूपक ध्वनित होता है, फलतः मुख में चन्द्र का आरोप माना जाता है, क्योंकि उपमेय में उपमान का अभेद संबन्ध से आरोप ही रूपक कहलाता है, पर यहाँ चन्द्रपद का समभिव्याहार (समीप में कथन) नहीं है। इस तरह यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थ आरोप में पद-समभिव्याहार की अपेक्षा नहीं होती। यदि कहा जाय कि रूपकध्वनि के स्थल में आरोप्यमाण अर्थात् चन्द्रादि का बोधकपद उक्त नहीं रहता यह सत्य है, पर आरोप्यमाण (चन्द्रादि) के असाधारण धर्म (जैसे उक्त स्थल में तम को दूर करना आदि) की उक्ति अवश्य रहती है और वह असाधारणधर्म की उक्ति ही आरोप्यमाण (चन्द्र) के तादात्म्य की व्यञ्जिका हो जाती है, पर समासोक्ति में जार आदि का कोई असाधारण धर्म उक्त नहीं रहता, फिर वहाँ चन्द्र आदि में जार आदि के तादात्म्य की अभिव्यक्ति कैसे होगी, तो इसके उत्तर में यह कहा जायगा कि–समासोक्ति में भी प्राचीनमतानुसार श्लेषमर्यादा से और नवीन

मतानुसार व्यञ्जनामर्यादा से प्रतीत होने वाले परनायिकामुखचुम्बनरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त का जब प्रस्तुतधर्मी (चन्द्र आदि) में आरोप कर दिया जाता है तब वह (परनायिकामुखचुम्बन)–जो जार का असाधारणधर्म है–अवश्य ही चन्द्र में जारत्व का अभिव्यञ्जक होगा।

इसी से 'विद्युन्नयनैः' और 'त्वं सेतुबन्धनकृत्' इन स्थलों पर जैसे 'द्रष्टृत्व' तथा 'विष्णुत्व' का व्यञ्जकधर्म वर्तमान रहता है वैसे यहाँ नहीं है यह कथन भी निरस्त हो जाता है। तात्पर्य यह कि यहाँ भी 'मुख चुम्बनरूप जारव्यवहार' व्यञ्जकरूप में विद्यमान है यह बात पहले कही जा चुकी है। यदि आप कहें कि यहाँ जब चन्द्र आदि में जारत्वारोप के बिना भी जारव्यवहार का आरोप सिद्ध हो सकता है तब यह आरोप्यमाण जार-व्यवहार चन्द्र आदि में जारत्व का गमक नहीं होगा, क्योंकि जिसके बिना जो अनुपपन्न रहता है वही उसका गमक होता है, तो इसके उत्तर में कहा जायगा कि गमक दो प्रकार का होता है एक आक्षेपक और दूसरा व्यञ्जक, उनमें से आक्षेपक अनुपपन्न रहने पर ही गमक होता है यह सर्वथा सत्य बात है, पर व्यञ्जक अनुपपत्ति की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि 'गतोऽस्तमर्कः अर्थात् सूर्य अस्त हुआ' इत्यादि स्थल में वैसा ही देखा जाता है—अर्थात् यह वाक्यार्थ किसी अन्य अर्थ की प्रतीति कराए बिना भी यद्यपि उपपन्न है तथापि 'अब ताप नहीं है, अब विक्रेय वस्तुओं को समेटना चाहिए' इत्यादि असंख्य अर्थों की अभिव्यक्ति प्रकरणानुसार इस वाक्यार्थ से होती है।

यदि व्यञ्जक होने के लिये भी अनुपपत्ति की अपेक्षा समझी जाय तब तो व्यञ्जना-वृत्ति व्यर्थ ही हो जाय, क्योंकि उस स्थिति में अर्थापत्ति प्रमाण से ही व्यञ्जना का कर्तव्य सम्पन्न हो जायगा। अभिप्राय यह कि अनुपपन्न अर्थ से जो किसी अन्य अर्थ का बोध होता है वह 'अर्थापत्ति' का विषय समझा जाता है अब यदि व्यञ्जना का विषय भी वही माना जाय तब व्यञ्जना की आवश्यकता ही नहीं रह जायगी।

एक बात और ध्यान देने योग्य यह है कि आपने स्वयं कहा है कि समासोक्ति में, आरोपित किए जाने वाले व्यवहार का विशेषण बनाने के लिये जार आदि अप्रस्तुत-धर्मी की प्रतीति आवश्यक है, अन्यथा जार आदि से अविशेषित मुख-चुम्बनात्मक अप्रस्तुत व्यवहार के आरोप में सुन्दरता नहीं आ सकेगी। ऐसी स्थिति में—जब आप के हिसाब से भी जार आदि अप्रस्तुत धर्मी की उपस्थिति आवश्यक ही ठहरती है तब अवश्य उपस्थित होने वाले उस जार आदि को परनायिका-मुख-चुम्बन-कर्ता चन्द्र आदि का अभेद संबन्ध से विशेषण बनाया जाय यही उचित है, न कि आरोप्यमाण व्यवहार का विशेषण उसको भेद संबन्ध से बनाया जाय यह उचित होगा। अर्थात् चन्द्र को जार मानना ही उचित है, न कि चन्द्र में जार-व्यवहार मानना, क्योंकि चन्द्रमा के जार से भिन्न रूप में प्रतीत होने पर 'परनायिका के मुख-चुम्बन' का वर्णन असुन्दर होगा।

एक बात और—'निशामुखं चुम्बति चन्द्र एषः' इस स्थल पर नायिकात्व और नायकत्व की अभिव्यक्ति स्त्रीलिङ्ग और पुंलिङ्ग की सहायता से ही 'मुखचुम्बन' रूप अर्थ कर पाता है, केवल 'मुखचुम्बन' नहीं, यह निर्विवाद बात है। अन्यथा—अर्थात् यदि स्त्रीलिङ्ग-पुंलिङ्ग की सहायता के बिना भी मुखचुम्बन से नायिकात्व और नायकत्व की अभिव्यक्ति हो सकती तब–'निशामुखं चुम्बतिचन्द्रिकैषा' 'अहर्मुखं चुम्बति भानु-बिम्बम्' इत्यादिक में भी–जहाँ क्रमशः 'केवल स्त्रीलिङ्ग और केवल नपुंसक लिङ्ग है,

स्त्रीलिङ्ग-पुंलिङ्ग की सहस्थिति नहीं है—नायिकात्व तथा नायकत्व की अभिव्यक्ति माननी पड़ेगी क्योंकि मुखचुम्बन यहाँ भी वर्णित है।

इस तरह जब यह सिद्ध हुआ कि स्त्रीलिङ्ग और पुंलिङ्ग के द्वारा नायिकात्व तथा नायकत्व की अभिव्यक्ति सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से होती है—अर्थात् जिस अधिकरण में ये दोनों रहते हैं उसी अधिकरण में नायिकात्व एवम् नायकत्व की अभिव्यक्ति करेंगे, तब इस अभिव्यक्ति का पर्यवसान निशा के नायिकात्वारोप में और चन्द्र के नायकत्वारोप में ही मानना पड़ेगा।

सारांश यह कि समासोक्ति में व्यवहारारोप नहीं, स्वरूपारोप ही होता है। यदि यहाँ स्वरूपारोप आप नहीं मानेगें, तब आपके उपजीव्य ग्रन्थ (अलंकारसर्वस्व) का विरोध भी होगा, क्योंकि उसमें कहा गया है कि—"अपने स्वरूप को न छोड़ते हुए भी निशा और चन्द्र की प्रतीति नायिकात्व तथा नायकत्व नामक धर्म से युक्त-रूप में होती है।" अर्थात् निशा और चन्द्र में निशात्व तथा चन्द्रत्व के साथ-साथ नायिकात्व एवम् नायकत्व की भी प्रतीति होती है।

इतना ही नहीं, किन्तु उसकी टीका (विमर्शिनी) में जो यह कहा गया है कि "अविनाभाव के कारण–अर्थात् अप्रस्तुत धर्मी के विना अप्रस्तुत व्यवहार की स्थिति असंभव होने के कारण, अप्रस्तुत व्यवहार के द्वारा आक्षिप्त धर्मी (नायकादि) से ही प्रस्तुत धर्मी (चन्द्र आदि) अवच्छिन्न होता है।" इसका भी विरोध होगा।

(३) और जो आपने कहा है कि—"चुम्बन आदि व्यवहार से अभिव्यक्त होने वाला नायक, व्यवहार का ही विशेषण होता है, अभेद संबन्ध द्वारा चन्द्र आदि का विशेषण नहीं, क्योंकि चन्द्र आदि पद के समानाधिकरण (समानविभक्तिक) पद के द्वारा यह (नायक आदि) अर्थ उपस्थित नहीं करवाया गया है।" इसके विषय में हमें यह कहना है कि जो बात आपने चन्द्र के विषय में कही है यही बात (नायिका-वाचक पद का अभाव) निशा में भी है, इसलिये वहाँ भी 'नायिकात्व' का आरोप नहीं होगा, अपितु नायक की तरह, अभिव्यक्त हुई नायिका भी व्यवहार-विशेषण बन कर ही रहेगी—यह कहना पड़ेगा। पर यह प्रकार बाधित है। कारण, जिसमें नायिकात्व का आरोप हुआ नहीं है ऐसी रात्रि के मुख का चुम्बनरूप व्यवहार नायक से कोई सम्बन्ध नहीं रखता। रात्रि तथा नायिका में जब तक अभेद नहीं माना जायगा तब तक नायिका मुख का विशेषण बने यह संभव नहीं है—अर्थात 'निशामुखम्' इस समस्त पद से स्वतन्त्ररूप में नायिका का मुख नहीं समझा जा सकता, हाँ रात्रि को नायिका समझ लेने पर अवश्य नायिका का अन्वय मुख के साथ समझा जा सकता है।

इतना ही नहीं, अपितु, 'निर्लक्ष्मीका—अर्थात् सूर्य के प्रतीची (पश्चिमदिशा)—गमन करने पर (पूर्व दिशा) शोभाविहीन हो गई। प्रिय के शत्रुभूत रमणी में आसक्त हो जाने पर में कौन नायिका मोदमयी रह सकती है।' इस जगह पूर्वार्ध में जो समासोक्ति है वहाँ यदि सूर्य के नायक के रूप में और प्राची तथा प्रतीची के क्रमशः नायिका एवम् प्रतिनायिका के रूप में प्रतीति न हो तो उत्तरार्ध में प्रियत्व आदि से उसका समर्थन करना सर्वथा ही अयुक्त हो जाता है।

अब एक बात और लीजिए। हम आप से पूछते हैं कि—प्रस्तुत विशेष्य में अप्रस्तुत का व्यवहार प्रस्तुत व्यवहार से तटस्थ रख कर आरोपित किया जाता है अथवा उससे अभिन्न मान कर? यदि प्रथम पक्ष माना जाय तो वह उचित नहीं, क्योंकि ऐसा

मानने से प्रस्तुत विशेष्य में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दो व्यवहारों के होने से 'एक में दो' ऐसा बोध होगा और ऐसा बोध असिद्ध है-यह कहा जा चुका है कि 'तब अप्रस्तुत-व्यवहार प्रस्तुत से असंबद्ध हो जायगा।'

अब यदि द्वितीय पक्ष माना जाय-अर्थात् यह कहा जाय कि प्रस्तुत विशेष्य में उक्त दोनों व्यवहारों को अभिन्न मान कर आरोपित किया जाता है तो वह भी समुचित नहीं। कारण इसकी अपेक्षा तो 'प्रस्तुत व्यवहार में ही अप्रस्तुत व्यवहार का अभेद संबन्ध से आरोप मानना श्रेष्ठता है', न कि (भिन्न-भिन्न दो व्यवहारों को अभिन्न मान कर उनका) भेद-संसर्ग से प्रस्तुत विशेष्य में आरोप। कारण, इस तरह से अभेदांश में और व्यवहारांश में दो जगह आरोप मानना पड़ता है-अर्थात् पहले अप्रस्तुत व्यवहार में अभेद संबन्ध से विशेषण बनना पड़ेगा और तब उन दोनों अभिन्न व्यवहारों को भेद संबन्ध से प्रस्तुत विशेष्य का विशेषण बनाना पड़ेगा। और मेरे मत में केवल अभेदांश में ही आरोप मानना पड़ता है-अर्थात् प्रस्तुताप्रस्तुत व्यवहारों में तथा प्रस्तुताप्रस्तुत विशेष्यों में-दोनों ही जगहों में अभेद ही संबन्ध स्वीकृत किया जाता है, इस तरह मेरे मत की विशिष्टता स्पष्ट ही है।

अतः अप्रस्तुत व्यवहार से अभिन्नरूप में माना गया प्रस्तुत व्यवहार अप्रस्तुत व्यवहार के विशेष्य से अभिन्न रूप में स्थित प्रस्तुत विशेष्य में भासित होता है और उन दोनों में से अप्रस्तुत अर्थ प्रस्तुत अर्थ के पोषकरूप में स्थित होने से गौण रहता है यह प्रकार ही सुन्दर है।

यहाँ यह सूक्ष्म विचार भी कर लेना चाहिए कि-यह आरोप 'स्तत्पादनखरत्नानाम्—' इत्यादि वाक्यार्थ रूपक की तरह विशिष्ट अर्थ का विशिष्ट अर्थ में नहीं है, क्योंकि समासोक्ति में प्रस्तुत वाक्यार्थ तथा अप्रस्तुत वाक्यार्थ पृथक्-पृथक् शब्दसमूह से ज्ञात नहीं होते, किन्तु प्रस्तुतवाक्यार्थ के अन्तर्गत पदार्थ अभेद संबन्ध के द्वारा अप्रस्तुत वाक्यार्थ के अन्तर्गत पदार्थों से उपश्लिष्ट होकर ही विशिष्टता का अनुभव करते हुए महावाक्यार्थ रूप में परिणत हो जाते हैं।

स्पष्ट आशय यह हुआ कि वाक्यार्थरूपक स्थल में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत अर्थ के बोधक दो वाक्य पृथक् पृथक् कहे रहते हैं, अतः वहाँ एक निष्पन्न वाक्यार्थ का दूसरे निष्पन्न वाक्यार्थ पर आरोप होता है और इस तरह दो वाक्यार्थ मिल कर एक महावाक्यार्थ बन जाता है और समासोक्तिस्थल में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों ही अर्थों का बोधक वाक्य एक ही रहता है, अतः यहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थ ही परस्पर अभिन्न होकर वाक्यार्थ रूप बनता है पीछे चल कर यहाँ भी महावाक्यार्थ जैसा रूप तैयार हो जाता है।

एक बात और समझ लेनी चाहिए कि यहाँ अतिशयोक्ति की तरह अप्रस्तुत अर्थ से प्रस्तुत अर्थ का निगरण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ प्रस्तुत शब्द वाच्य रहता है और अतिशयोक्ति में प्रस्तुत का उल्लेख रहता ही नहीं है इसी लिये वहाँ निगरण कहा जाता है।

पूर्वोक्त विश्लेषण से निष्कर्ष यह निकलता है कि पण्डितराज समासोक्तिस्थल पर प्रस्तुत विशेष्य (धर्मी) में अप्रस्तुत विशेष्य का अभेद संबन्ध से आरोप मानते हैं। पर प्राचीन ऐसा नहीं मानते हैं। यद्यपि पण्डितराजने प्राचीनों का खण्डन सयुक्तिक मूल में किया है तथापि प्राचीनों के पक्षपाती नागेश ने अपनी टीका में प्राचीनों का समर्थन किया है। अब यहाँ पाठकों के ज्ञानार्थ नागेश का अनुवाद किया जा रहा है।

"समासोक्ति में अप्रस्तुत व्यवहार का आरोप ही सुन्दरताजनक होता है, रूप-समारोप नहीं ऐसा प्राचीनों का कथन है। उनका अभिप्राय यह है कि-'अयमैन्द्रीमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः—' इत्यादि स्थलों पर श्लिष्ट विशेषणों से जिन प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत व्यवहारों की प्रतीति होती है वे पहले श्लेषमूलक अभेदाध्यवसान के द्वारा अभिन्न बन जाते हैं तदनन्तर अभिन्न बने हुए वे प्रस्तुताप्रस्तुत व्यवहार प्रस्तुत चन्द्र आदि में रहने वाले अनायास समझ लिये जाते हैं।

वहाँ उन दोनों (प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत) व्यवहारों में से किसे विशेषण माना जाय और किसे विशेष्य, इस में यद्यपि पाठकों की कामचारिता है, तथापि प्रस्तुत व्यवहार को ही विशेष्य बनाया जाता है और प्रस्तुत व्यवहार बोधक पदावली के द्वारा ही अवगत होने वाले अप्रस्तुत व्यवहार को बनाया जाता है विशेषण। इस तरह अप्रस्तुत व्यवहार से अभिन्न प्रस्तुत व्यवहार का अन्वय चन्द्र आदि के साथ होता है।

उन दोनों व्यवहारों में प्रस्तुत व्यवहार स्वतः चन्द्र आदि में अन्वित होने योग्य यद्यपि है, तथापि अप्रस्तुत व्यवहार की अभिन्नता को प्राप्त किया हुआ प्रस्तुत व्यवहार स्वतः चन्द्रादि में अन्वित होने की योग्यता नहीं रखता, अतः अप्रस्तुत रूपाक्रान्त प्रस्तुत व्यवहार का प्रस्तुत धर्मी (चन्द्र आदि) में आरोप माना जाता है।

इस तरह 'अप्रस्तुत व्यवहार समारोप' तथा 'प्रस्तुत व्यवहार समारोप' इन पदों से प्रस्तुत व्यवहार के तादात्म्य से युक्त का आरोप कहा जाता है। यहाँ यदि यह आशङ्का की जाय कि अप्रस्तुत व्यवहार के साथ तादात्म्यापन्न होने पर भी विशेष्य तो प्रस्तुत व्यवहार ही रहता है, अतः उसका (प्रस्तुत व्यवहार का) अन्वय आरोप के विना भी प्रस्तुत धर्मी के साथ हो ही सकता है, फिर प्रस्तुत धर्मी में उसके (अप्रस्तुत विशेषण-युक्त प्रस्तुत व्यवहार के) आरोप की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर यह है कि 'दगब्जेन वीक्षते अर्थात् नयन-कमल से देखता है' इत्यादि स्थानों पर—जिस तरह 'दगब्ज' पदार्थ में विशेष्यभूत 'अब्ज (कमल)' स्वतः 'वीक्षण' के साथ करणता संबन्ध से अन्वय योग्य न होकर भी 'दृक् (आँख)' के साथ तादात्म्यापन्न होने से अन्वय योग्य माना जाता है, उसी तरह यहाँ प्रस्तुत स्वतः अन्वय योग्य होकर भी अप्रस्तुत के साथ तादात्म्यापन्न होने से अन्वय के अयोग्य भी माना जायगा। रूपक के समान समासोक्ति में भी प्रस्तुत धर्मी में अप्रस्तुत धर्मी का स्वरूपारोप ही चमत्कारी होवे यह तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि अप्रस्तुत धर्मिवाचक पद का अभाव रहने के कारण यहाँ स्वरूपारोप संभव ही नहीं हो सकता। आक्षिप्त अप्रस्तुत धर्मीनायक आदि को लेकर आक्षिप्त रूपक ही समासोक्ति स्थल में माना जाय यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 'निरीक्ष्य विद्युन्नयनैः पयोदः' यहाँ जिस तरह पयोद में द्रष्टा पुरुष के रूपक का आक्षेपक निरीक्षण कहा गया रहता है उस तरह यहाँ अप्रस्तुत धर्मी-नायक आदि का आक्षेपक कुछ कहा गया नहीं रहता। विशेषण की समानता से प्रतीत होने वाला अप्रस्तुत व्यवहार को तो आक्षेपक माना नहीं जा सकता, क्योंकि अप्रस्तुत व्यवहार प्रस्तुत में विशेषण होने से अप्रधान हो जाता है और अप्रधान अर्थ आक्षेपक होता नहीं।

इससे अब "आक्षेप के असंभव होने पर भी प्रस्तुत धर्मी में आरोपित होने वाला श्लेष-द्वारा प्रतीयमान पर-नायिका-मुख-चुम्बन, जार का असाधारण धर्म होने के कारण, प्रस्तुत धर्मी में जारत्व का व्यञ्जक, हो सकता है। चन्द्र में जारत्वारोप के विना भी सिद्ध होने वाला जार व्यवहार अनुपपत्ति के अभाव से जारत्व का गमक नहीं होगा

यह बात तो न कही जा सकती है, क्योंकि व्यञ्जना का अवसर अनुपपत्ति के अभाव में भी होता है, क्योंकि 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादि स्थानों पर वैसा ही देखा गया है। अन्यथा अर्थापत्ति प्रमाण से ही काम चल जाने से व्यञ्जना ही व्यर्थ हो जायगी" यह कथन भी रसगङ्गाधरकार का खण्डित हो जाता है।

एक बात और है कि पण्डितराज ने जिस व्यङ्ग्य की बात कही है उसकी प्रतीति वाच्य अर्थ के बोध हो जाने पर होगी और वह प्रतीति भी केवल व्यवहार के ज्ञान से नहीं, अपितु उस तरह के नायक तथा नायिका से संबद्ध व्यवहार के ज्ञान से।

हम तो यहाँ वाच्यार्थ बोध काल में अनुभूत होने वाले चमत्कार के बीज का ही विचार कर रहे हैं, अतः उनके द्वारा कथित दोष का अवसर ही नहीं आता।

और एक बात यह भी है कि पण्डितराज ने जिस तरह अप्रस्तुत अर्थ को व्यङ्ग्य माना है उस तरह से वह व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ से अधिक चमत्कारजनक होने के कारण ध्वनि-व्यवहार के योग्य होगा, अतः वह अलंकार के अन्दर आने योग्य ही नहीं रहेगा।

और हम जिस तरह कहते हैं उस तरह से मानने पर—अर्थात् केवल वाच्यार्थ बोध-कालिक चमत्कार के आधार पर समासोक्ति की सत्ता स्वीकार करने पर अन्त में होने वाले व्यङ्ग्य अर्थ (प्रस्तुत धर्मी में अभिव्यक्त होने वाले अप्रस्तुत तादात्म्य) का पोषक होने के कारण समासोक्ति की चमत्कारजनकता और अलंकारता दोनों ही सुसङ्गत हो जाती हैं।

आप कहेंगे कि इस प्रकार को मानने पर तो रूपकालंकार की ध्वनि मान लेने से ही निर्वाह हो जायगा फिर समासोक्ति को पृथक् अलंकार माना ही क्यों जाय तो इसके उत्तर में मेरा कथन यह है कि वाच्यार्थ बोध काल में होने वाले चमत्कार भी जब छिपाने योग्य नहीं हैं तब उसके आधार पर होने वाला अलंकार भी छिपाया नहीं जा सकता। उलटे, प्रस्तुत धर्मी चन्द्र आदि में होने वाली नायकत्व आदि की अभिव्यक्ति को भी समासोक्ति के अन्दर मानने वाले आपके पक्ष में ही ध्वनि व्यवहार की योग्यता आ जाने से अलंकारत्व का अवसर समाप्त हो जाता है। कारण, वह व्यङ्ग्य अधिक चमत्कारी होने से प्रधान हो जाता है और प्रधान व्यङ्ग्य ध्वनि व्यवहार का ही हेतु होता है, अलंकार व्यवहार का नहीं।

श्लिष्ट शब्दों के द्वारा उपस्थित कराए गए प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत व्यवहारों का परस्पर अभेद संबन्ध से अन्वित होने में प्रमाण का अभाव है यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सहृदयों के हृदय ही प्रमाणरूप में विद्यमान हैं। इसीलिए—"–'आगत्य संप्रति वियोगविसंष्टुलाङ्गीम्' इस स्थल पर आर्थी व्यञ्जना से अवगत होने वाला नायक-नायिका-वृत्तान्त, वाच्य सूर्य-कमलिनी-वृत्तान्त में अध्यारोपित हो कर ही स्थित है" ऐसा प्रदीपकार (गोविन्द ठाकुर) कहते हैं।

प्राचीनों के अनुभव का अपलाप करके भी यदि 'एक में दो' इस रीति से प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों व्यवहारों का प्रस्तुत विशेष्य के साथ ही अन्वय स्वीकृत करें, तथापि वाक्यार्थ-बोध काल में प्रस्तुतधर्मी पर अप्रस्तुत जारभाव के आरोप की आशा नहीं की जा सकती। देखिए—यद्यपि भिन्न दो पदों के द्वारा बोधित दो विशेषणों की तरह इन एक-पद-बोधित विशेषणों (प्रस्तुत-अप्रस्तुत वृत्तान्तों) का भी विशेष्य के साथ ही साक्षात् अन्वित होने से उक्त दोनों वृत्तान्तों की प्रधानता समान है यह बात मैं भी स्वीकार करता हूँ, तथापि अप्रस्तुत वृत्तान्त का साक्षात् विशेष्य के साथ अन्वय हो इस

अनुरोध से प्रस्तुत धर्मी में अप्रस्तुत धर्मी का स्वरूपारोप उचित नहीं। कारण, प्रस्तुत धर्मी में अप्रस्तुत वृत्तान्त का आरोप करने से ही इष्टसिद्धि हो जाती है। प्रस्तुत धर्मी में अप्रस्तुत धर्मी का स्वरूप आरोपित करने पर भी प्रस्तुत धर्मी में प्रस्तुत वृत्तान्त के अन्वय की अयोग्यता उसी तरह वर्तमान रहती है।

अब यदि यह आशङ्का आप करें कि—इस तरह से मानने पर 'विशेषण की समता से अप्रस्तुत के गम्य होने पर समासोक्ति होती है' इस प्राचीनोक्त लक्षण की असंगति हो जायगी, क्योंकि आपके हिसाब से समासोक्ति में अप्रस्तुत धर्मी की अभिव्यक्ति अपेक्षित नहीं होती, तो इसके उत्तर में प्राचीनों का कथन यह होगा कि जरा यहां की स्थिति पर ध्यान दीजिए। यहां स्थिति यह है कि—स्वरूपतः प्रतीत—अर्थात् नायकादि से असंबद्धरूप में ज्ञात अप्रस्तुत वृत्तान्त का आरोप अचमत्कारी होता है, अतः अप्रस्तुत कामुक आदि से संबद्धरूप में ज्ञात होने वाले अप्रस्तुत वृत्तान्त का ही आरोप मान्य होगा। इसलिये मानना पड़ेगा कि श्लेष आदि की महिमा से विशेषणबोधक पदों के द्वारा पहले चुम्बन आदि स्वरूपतः अवगत होते हैं, तदनन्तर, वह चुम्बन, 'ऐन्द्री' 'चन्द्र' इन शब्दों के स्त्रीलिङ्ग और पुंलिङ्ग की सहायता से अपने संबन्धी कामुक आदि की अभिव्यक्ति करता है, इस तरह से जब कामुक आदि की अभिव्यक्ति हो जाती है तब पुनः उस चुम्बन में कामुक संबन्धित्व का अनुसंधान कर लिया जाता है। फलतः प्राचीनों के मत में भी विशेषण की समता से वाच्यार्थ पोषक अप्रस्तुत धर्मी की अभिव्यक्ति अपेक्षित होती है। अब उक्त लक्षण की संगति होती है अथवा नहीं यह आप स्वयं सोचें। अथवा उक्त लक्षण में 'अप्रस्तुतस्य गम्यत्वे' का अर्थ 'अप्रस्तुत व्यवहार की गम्यता' समझना चाहिए।

इससे अब "मुख चुम्बन पुत्रादि साधारण होने के कारण कामुक आदि का अभिव्यञ्जक कैसे हो सकता है और 'अहर्मुखं चुम्बति सानुबिम्बम्' यहां भी नायक आदि की अभिव्यक्ति होने लगेगी" यह आपत्ति निरस्त हो गई।

'चन्द्र' तथा 'ऐन्द्री' पदगत लिङ्गों से अभिव्यक्त होने वाले नायक और नायिका के अन्वय अपने व्यञ्जक पदों से उपस्थित कराए गए चन्द्र तथा प्राची दिशा के साथ ही अभेद संबन्ध से हों यही उचित है, क्योंकि एक पद द्वारा अवगत होना रूप निकटता इस तरह के अन्वय में सहायक है यह जो पण्डितराज के द्वारा कहा गया है वह भी ठीक नहीं। कारण इस पर प्रश्न उठेगा कि इस तरह से कहते हुए आप नायक तथा नायिका को अप्रस्तुत वृत्तान्त का अवच्छेदक (विशेषण + परिचायक) मानते हैं अथवा नहीं? यदि पहला पक्ष लें तब एक ही अर्थ (नायक-नायिका) का दो पदार्थों (वृत्तान्त और प्रस्तुत धर्मी + चन्द्र प्राची) के साथ अन्वय अव्युत्पत्तिग्रस्त है—अनुभव विरुद्ध है। यदि दूसरा पक्ष लें—अर्थात् नायक-नायिका को व्यवहारावच्छेदक नहीं मानें तब रसानुकूलता समाप्त हो जाती है।

इस प्रसङ्ग पर पण्डितराज ने जो यह कहा है कि 'ऐन्द्री (प्राची दिशा) आदि में नायिकात्व का भान नहीं मानने पर नायिका को केवल व्यवहार का अवच्छेदक मानना बाधित है। कारण, नायिकात्व से असंस्पृष्ट केवल प्राची दिशा मुख-चुम्बनरूप व्यवहार नायक से संबन्ध नहीं रखता। दिशा के साथ तादात्म्य माने बिना नायिका अलग से मुख का विशेषण बनने की सामर्थ्य नहीं रखती" यह भी ठीक नहीं, क्यों कि मुख शब्दगत श्लेष की महिमा से 'ऐन्द्री-मुखम्' इस पद के समासयुक्त रहने पर भी 'ऐन्द्री' इस अंश का मोष करके (इस अंश को छिपा कर) (यह तरीका जब तब व्याकरणशास्त्र

में अपनाया जाता है) केवल मुख चुम्बन की उपस्थिति मानी जा सकती है। यह बात 'कुवलयानन्द' में कही गई है—"श्लेष की महिमा से स्वरूपतः बोधित मुखचुम्बन आदि के साथ।" ऐन्द्री पद के दिशारूप शब्दार्थ के साथ वदनरूप मुख पदार्थ का अन्वय सहृदयों के द्वारा कहने योग्य नहीं है।

इस पर यदि आप कहें कि—इस तरह की कुसृष्टि-कल्पना की अपेक्षा यह कल्पना ही उचित है कि—विशेषण-साम्य की महिमा से अवगत होने वाला अप्रस्तुत वाक्यार्थ, स्त्रीलिङ्ग और पुंल्लिङ्ग के द्वारा अभिव्यक्त होने वाले नायिका आदि से अभिन्न चन्द्र आदि से बने प्रस्तुत वाक्यार्थ में, अवयवभूत पदार्थों से उसके अवयवभूत पदार्थों का तादात्म्य बनाकर, रहता है। और इस प्रकार यहाँ 'नायिका से अभिन्न पूर्व दिशा के संबन्धी, मुख से अभिन्न प्रारम्भ है कर्म जिसका ऐसे चुम्बनरूप व्यापार का आश्रय नायक से अभिन्न चन्द्र' यह बोध होना है, तो यह संगत नहीं। कारण, इस तरह से प्राची दिशा में नायिका का अभेद ज्ञात होने पर मुख चुम्बन (प्रारम्भ स्पर्श) आदि में वदन चुम्बन आदि का अभेद भी प्रतीत हो जाय, पर वदन चुम्बन में नायिका का साक्षात् संबन्ध प्रतीत नहीं होगा और उस स्थिति में रस का उद्बोध नहीं हो सकेगा।

यदि आप कहें कि व्यञ्जना से वदन चुम्बन में नायिका के संबन्ध की प्रतीति होती ही है अथवा 'जिसमें जिसका अभेद होता है उसके संबन्धी में उसके संबन्धी का अभेद स्वतः सिद्ध हो जाता है' इस न्याय के अनुसार वदन चुम्बन में नायिका-संबन्ध की मानस प्रतीति होगी और उसी प्रतीति के आधार पर चमत्कार भी होगा, तो मैं कहूँगा कि, हां, ऐसा हो सकता है, परन्तु तदपेक्षया साक्षात् चमत्कार को सिद्ध करने वाले वाच्यार्थ बोध का प्रतिपादन करना ही उचित है।

यदि आप कहेंगे कि—प्रकरण आदि के द्वारा शक्ति का नियन्त्रण हो जाने से अप्रस्तुत अर्थ का बोध व्यञ्जना द्वारा ही हो सकता है और यदि ऐसा ही हो सकता है तब यह भी मानना ही पड़ेगा कि व्यञ्जना के माहात्म्य से ही, अप्रस्तुत अर्थ, प्रस्तुत वाक्यार्थ से अभिन्नरूप में स्थित होता है, तो मैं आप से पूछूंगा कि व्यञ्जना से होने वाला यह अप्रस्तुतार्थ बोध नायिका आदि से अविशेषित होगा अथवा विशेषित ? प्रथम पक्ष मानने पर रसानुकूलता उसमें नहीं होगी और द्वितीय पक्ष मानने पर, 'ऐन्द्री चन्द्र' इन पदों से उपस्थापित स्त्रीलिङ्ग-पुंल्लिङ्ग से जो नायिका आदि के अभेद का बोध किया जाता है वह व्यर्थ तथा असंभव भी हो जायगा। व्यर्थ इसलिये कि नायिकादि से विशेषित व्यवहार के बोधन से ही उद्देश्य सिद्ध है और असंभव इसलिये कि वैसा होने पर 'जार जिसका कर्ता हो ऐसे सानुराग पर नायिका-मुख चुम्बन से अभिन्न जो प्राची-प्रारम्भ संयोग उसका आश्रय जार से अभिन्न चन्द्र' इस तरह का बोध मानना पड़ेगा जो वस्तुतः बोध की कदर्थना ही होगी।

अतः यही मानना चाहिए कि—व्यञ्जना अथवा शक्ति से अप्रस्तुत व्यवहार उपस्थित होता है जो व्यञ्जना के द्वारा उपस्थित नायक आदि के संबन्धीरूप में विदित होता है और इस तरह के अप्रस्तुत व्यवहार से अभिन्न बने प्रस्तुत व्यवहार का प्रस्तुत धर्मी पर आरोप होता है।

'शक्ति अथवा व्यञ्जना से' ऐसा इसलिये कहा गया है कि नवीन-मत में श्लेषस्थल पर अप्रस्तुत अर्थ की उपस्थिति शक्ति से ही होती है ऐसी व्यवस्था की जाने वाली है, अतः उस मत में यहाँ भी शक्ति से ही अप्रस्तुत अर्थ की उपस्थिति हो जायगी, पर

प्राचीन-मत में वैसी व्यवस्था नहीं दी गई है अतः उस मत में व्यञ्जना से वह काम होगा। बस, इतना ही अन्तर है।

इस प्रकार से वाच्य अर्थ का बोध हो जाने पर यदि पीछे चन्द्र आदि में नायकत्व आदि की प्रतीति भी सहृदयों के अनुभव से प्रमाणित हो तो वह भी होवे ऐसा तो पहले भी कहा ही गया है।

इस तरह अब "निर्लक्ष्मीकाभवत्प्राची—' यहाँ पर पूर्वार्धगत समासोक्ति में नायकत्व की प्रतीति नहीं मानने पर उत्तरार्ध में प्रियत्व आदि के द्वारा किया गया समर्थन असंगत हो जायगा।" यह कथन भी पण्डितराज का खण्डित हो जाता है, क्योंकि समासोक्ति में नायकत्व की प्रतीति न मानने पर भी प्रस्तुत प्राची व्यवहार में आरोपित होने वाले अप्रस्तुत खण्डिता नायिका के व्यवहार का समर्थन के लिये उत्तरार्धगत वर्णन आवश्यक ही है।

इस प्रकार अब यह सिद्ध हो गया कि समासोक्ति स्थल पर 'सानुराग परनायिका-मुख-चुम्बन से अभिन्न प्राची-प्रारम्भ के संबन्ध का आश्रय चन्द्र' ऐसा ही बोध होता है। 'समासोक्ति, गुणीभूत व्यङ्ग्य होती है' यह व्यवहार तो प्रस्तुत व्यवहार में अप्रस्तुत व्यवहाराभेद का बोध व्यञ्जना से होने के कारण प्राचीन मत में भी निर्बाध ही है।"

शाब्दबोधनिरूपणानन्तरमिदानीं समासोक्तिभेदनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथास्याः केचन भेदा निरूप्यन्ते—

अथेति। शाब्दबोधविचारानन्तरमित्यर्थः। अस्याः समासोक्तेः। केचनेति। न सर्वे इति भावः।

शाब्द-बोध विचार के बाद अब समासोक्ति के कतिपय भेदों का निरूपण किया जाता है।

भेदानेवोपदर्शयति—

विशेषणसाम्यं श्लेषेण भवति शुद्धसाधारण्येन वा, तदपि धर्मान्तरपुरस्कारेण कार्यपुरस्कारेण वेति प्रत्येकं द्विविधम्।

तदपीति। उभयविधं विशेषणसाम्यमपीत्यर्थः। धर्मान्तरेति। कार्यातिरिक्तधर्मेत्यर्थः। द्विविधमिति। कार्यातिरिक्तधर्मप्रतिपादकविशेषणसाम्येनाप्रकृतार्थोपस्थापनम्, कार्यरूप-धर्मप्रतिपादकतत्साम्येन वेति द्वैविध्यमिति भावः। इत्थञ्च मिलित्वा चत्वारो भेदाः संपद्यन्त इति बोध्यम्।

भेदों का ही उल्लेख किया जाता है—विशेषण इत्यादि।

विशेषण की समता दो प्रकार से होती है श्लेष से अथवा शुद्ध साधारणता से। वह प्रत्येक दो-दो प्रकार की है—(१) कहीं कार्य से अन्य किसी धर्म को आगे रखकर और (२) कहीं कार्यरूप धर्म को आगे रखकर। तात्पर्य यह कि—अप्रस्तुत अर्थ का उपस्थापन, कहीं कार्यातिरिक्त धर्मप्रतिपादक श्लिष्ट विशेषण से, कहीं कार्यातिरिक्त धर्मप्रतिपादक साधारण विशेषण से, कहीं कार्यरूप धर्मप्रतिपादक श्लिष्ट विशेषण से और कहीं कार्यरूप धर्मप्रतिपादक साधारण विशेषण से हो सकता है, अतः समासोक्ति के चार भेद सिद्ध होते हैं।

धर्मान्तरपुरस्कारेण श्लेषे विशेषणसाम्यस्य पूर्वोक्तमुदाहरणं स्मारयन् पुनस्तस्यैवोदाहरणान्तरं दातुमाह—

तत्र 'विबोधयन् करस्पर्शैः' इत्यत्र धर्मान्तरपुरस्कारेण श्लेषे समुदाहृतमपि विशेषणसाम्यं पुनरुदाह्रियते—

तत्रेति। तेषां चतुर्णां भेदानां मध्य इत्यर्थः। विबोधयन्'......' इत्यत्रेति। तत्र कर-पद्मिनीरागादिकानि विशेषणकोटिप्रविष्टानि पदानि श्लिष्टानि। तानि च न कार्यात्मकधर्मबोधकानीति भावः।

उक्त भेदों के उदाहरण दिखलाने के क्रम में कहा जाता है—तत्र इत्यादि।

उक्त भेदों में से श्लेष में धर्मान्तर को आगे रख कर विशेषण की समानता का उदाहरण यद्यपि 'विबोधयन् करस्पर्शैः' इस पद्य द्वारा पहले दिया जा चुका है—(अर्थात् उक्त पद्य में अप्रस्तुतार्थोपस्थापकविशेषण 'कर, पद्मिनी, राग' आदि श्लिष्ट हैं पर कार्य बोधक नहीं हैं), तथापि पुनः दिया जा रहा है—

धर्मान्तरपुरस्कारेण श्लेषे विशेषणसाम्यस्य प्राक् प्रतिज्ञातमुदाहरणान्तरमुपस्थापयति—

'उत्सङ्गे तव गङ्गे पायं पायं पयोऽतिमधुरतरम्।
शमिताखिलश्रमभरः कथय कदाहं चिराय शयिताहे ॥'

कस्यचिन्मन्दाकिनीभक्तस्योक्तिः—हे गङ्गे!, तव, उत्सङ्गे मध्ये क्रोडे च, स्थित इति शेषः, अतिमधुरतरम्, पयः जलम् दुग्धञ्च, पायं पायम् पीत्वा पीत्वा, शमिताखिलश्रमभरः दूरीकृतसकलश्रान्तिभारः, अहम् कदा कस्मिन् समयविशेषे, चिराय चिरकालपर्यन्तस्य कृते, शयिताहे, लोडुत्तमपुरुषैकवचने रूपम्, आशंसायां लोट्, सुप्तो भवेयमित्यर्थः। मुक्तः स्यामिति भावः।

पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार धर्मान्तरबोधक श्लिष्ट विशेषण साम्य का ही उदाहरणान्तर दिखलाया जाता है—उत्सङ्गे इत्यादि।

किसी गङ्गा-भक्त की उक्ति है—हे गङ्गे! तेरे उत्सङ्ग (मध्य+गोदी) में अत्यन्त मधुर पय (जल+दूध) को पी पीकर, सभी श्रान्तियों के भार से मुक्त बना हुआ मैं कब चिरकाल के लिए सोऊँगा!

उपपादयति—

अत्र शिशुजननीवृत्तान्ताभेदेन स्थितः प्रकृतवृत्तान्तः।

'उत्सङ्ग-' इति पद्ये, वाच्यः गङ्गा तद्भक्तात्मकप्रस्तुतधर्मिको व्यवहारः, उत्सङ्गादिश्लिष्टविशेषणसाम्यबलोपस्थापित मातृ-पुत्रात्मकाप्रस्तुतधर्मिकव्यवहाराभेदेन भासत इति-समासोक्तिरिति भावः। तत्रोत्सङ्गादिश्लिष्टविशेषणम्, न कार्यात्मकधर्मप्रतिपादकमिति बोध्यम्।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'उत्सङ्गे—' इस पद्य में समासोक्ति है, क्योंकि यहाँ गङ्गा और उसके भक्त का प्रस्तुत व्यवहार जो वाच्य है वह माता और बच्चे के अप्रस्तुत व्यवहार से अभिन्न होकर भासित होता है। इस अप्रस्तुत व्यवहार की उपस्थिति यहाँ 'उत्सङ्ग' आदि जिस श्लिष्ट विशेषण से होती है वह कार्यबोधक नहीं है। अतः यह 'कार्यातिरिक्त धर्मपुरस्कार' का उदाहरण कहा गया है।

उक्तभेदेषु द्वितीयभेदोदाहरणं प्रागुक्तं स्मारयति—

श्लिष्टकार्यपुरस्कारेणाप्युदाहृतम् 'आबध्नास्यलकान्निरस्यसि—' इत्यत्र।

'आबध्नासि—' इत्यत्राप्रस्तुतार्थोपस्थापकानि 'आबध्नासि—इत्यादि श्लिष्टविशेष-

णानि कार्यात्मकधर्मप्रतिपादकानि सन्तीति भवति तत्पद्यं यथोक्तभेदोदाहरणमिति भावः।

उक्त चार भेदों में से द्वितीय भेद के पूर्वोल्लिखित उदाहरण का स्मरण कराया जाता है—श्लिष्ट इत्यादि।

कार्य को आगे रख कर श्लिष्ट विशेषण की समता का उदाहरण भी 'आबध्नास्य-लकान्निरस्यसि—' इस पूर्वोक्त पद्य के रूप में दिया जा चुका है। अर्थात् उस पद्य में अप्रस्तुत अर्थ के उपस्थापक 'आबध्नासि' आदि श्लिष्ट विशेषण कार्यबोधक हैं।

तृतीयभेदमुदाहर्तुमाह—

शुद्धसाधारण्येन धर्मान्तरपुरस्कारेण यथा—

कार्यातिरिक्तधर्मप्रतिपादकाश्लिष्टसाधारणविशेषणोपस्थापिताप्रस्तुतवृत्तान्तमूलकसमासोक्तेरुदाहरणं यथेत्यर्थः।

तृतीय भेद का उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जाता है—शुद्ध इत्यादि।

अब समासोक्ति के उस भेद का उदाहरण दिया जाता है जहाँ अप्रस्तुत अर्थ का उपस्थापक विशेषण श्लिष्ट न होकर भी साधारण है और कार्यातिरिक्त धर्म का बोधक है।

उदाहरणं निर्दिशति—

'अलंकर्तुं कर्णौ भृशमनुभवन्त्या नवरुजां
ससीत्कारं तिर्यग्वलितवदनाया मृगदृशः।
कराब्जव्यापारानतिसुकृतसारान् रसयतो
जनुः सर्वश्लाघ्यं जयति ललितोत्तंस भवतः॥'

मार्मिकः कश्चन श्रवणाभरणं संबोधयन्नाह—हे ललितोत्तंस रमणीयकर्णाभरण, कर्णौ, अलंकर्तुम् विभूषयितुम्, नवरुजाम् (रुजाशब्दष्टाबन्तः) अभिनवपीडाम्, अननुभूत-पूर्वं क्लेशविशेषमिति यावत्, भृशम् अत्यन्तम्, अनुभवन्त्या भजमानायाः, अत एव, ससीत्कारम् सीत्कारध्वनिपूर्वकम्, तिर्यग्वलितवदनायाः अतिवक्रीकृताननायाः, मृगदृशः मृगनयनायाः, अतिसुकृतसारान् विशिष्टपुण्यसाररूपान्, कराब्जव्यापारान् करकमल-चेष्टाः, रसयतः अनुभवतः, भवतः तव, सर्वश्लाघ्यम् सकलसहृदयस्पृहणीयम्, जनुः जन्म, जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तत इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अलंकर्तुम् इत्यादि।

कोई मर्मज्ञ जन कर्णभूषण को संबोधित कर रहा है कि—हे सुन्दर, कर्णभूषण, सर्वश्लाघ्य तेरे जन्म की जय है—अर्थात् तेरा जन्म सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि मृगाक्षी नायिका कानों को अलंकृत करने के लिये नवीन (अननुभूत) पीडा का अत्यन्त अनुभव करती हुई सीत्कारध्वनि के साथ मुख को तिरछा झुकाकर जो प्रबल-पुण्य-प्रतिनिधिभूत, विलक्षण, हस्त-चेष्टाएँ, करती है उसका रस तुम ले रहे हो।

अत्र समासोक्तिमुपपादयति—

अत्र नवकान्तया क्लेशेन कर्णे क्रियमाणस्योत्तंसस्य वृत्तान्तः प्रत्यग्र-खण्डिताधरकामुकवृत्तान्ताभेदेन स्थितः।

नवकान्तयेति। नवोढयेत्यर्थः। प्रत्यग्रखण्डिताधरेति। इदानीमेव खण्डितोऽधरो येन स इत्यर्थः। 'अलंकर्तुम्—' इति श्लोके नवोढया कष्टेन कर्णयोः ध्रियमाणः उत्तंसः प्रस्तुतो

धर्मी तद्व्यवहारश्चात्र वर्ण्यमानः तत्कालखण्डितनवोढनायिकाधरस्य कामुकरूपस्याप्रस्तुतस्य धर्मिणः व्यवहारेण सहाभेदमापन्नः सन् भासत इति समासोक्तिः स्फुटा। अस्याञ्च समासोक्तौ अप्रस्तुतार्थोपस्थापकानि विशेषणानि न श्लिष्टानि न वा कार्यरूपधर्मबोधकानीति यथोक्तभेदोदाहरणतासंगतिरिति भावः।

उक्त पद्य में समासोक्ति का उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'अलंकर्तुं—' इस पद्य में नवोढा नायिका से कष्टपूर्वक कानों में पहने जाते हुए कर्णभूषण का व्यवहार जिसने अभी-अभी अधर खण्डित किए हैं उस कामुक के व्यवहार से अभिन्न होकर स्थित है। तात्पर्य यह कि इस पद्य में कर्णभूषण वह प्रस्तुत धर्मी है जिस का वृत्तान्त यहाँ वर्णित है और उसका वह वृत्तान्त, तत्क्षण में नवोढा के अधर को खण्डित करने वाले कामुकरूप अप्रस्तुत धर्मी के वृत्तान्त से अभिन्न हो कर भासित होता है। अतः समासोक्ति साफ है और इस समासोक्ति में अप्रस्तुत कामुक के वृत्तान्त को उपस्थित करने वाले विशेषण ऐसे हैं जो श्लिष्ट न हो कर भी साधारण (दोनों पक्षों में संघटित होने वाले) हैं तथा किसी कार्य के बोधक नहीं हैं, फलतः यह तृतीय भेद का उदाहरण होता है।

तृतीयभेदस्यैवोदाहरणान्तरं प्रदातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्,

अथवा जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'अन्धेन पातभीत्या संचरता विषमविषयेषु।
दृढमिह मया गृहीता हिमगिरिशृङ्गादुपागता गङ्गा॥'

विषमविषयेषु क्लेशहेतुषु स्रक्चन्दनवनितादिषु उन्नतावनतप्रदेशेषु च, संचरता भ्रमता, अन्धेन अज्ञानिना चक्षुर्हीनेन च, मया, पातभीत्या भूपतनभयेन नरकपातभयेन च, इह संसारे, हिमगिरिशृङ्गात् हिमालयपर्वतशिखरात्, उपागता समागता, गङ्गा, दृढम् यथा स्यात्तथा, गृहीता धृतेत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अन्धेन इत्यादि।

विषम विषयों (दुःखदायी कामिनी आदि सांसारिक वस्तुओं–ऊबड़-खाबड़ प्रदेशों) में भटकते मुझ अन्धे ने, पतन के भय से, हिमालय पर्वत के शिखर से आई हुई गङ्गा को दृढता से पकड़ लिया है।

उपपादयति—

अत्र गिरिशृङ्गप्रभववेणुयष्टिव्यवहाराभेदेन।

अभेदेनेति। गङ्गाव्यवहारः स्थित इति शेषः। 'अन्धेन—' इति श्लोके प्रस्तुतगङ्गाधर्मिको व्यवहारः कार्यान्यधर्मप्रतिपादकसाधारणविशेषणश्रवणमात्रोपस्थापितपर्वतीयवेणुयष्टिरूपाप्रस्तुतधर्मिकव्यवहाराभेदेन भासत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'अन्धेन—' इस पद्य में गङ्गारूप प्रस्तुत धर्मी का व्यवहार, पर्वत शिखरोत्पन्न वंशदण्डरूप अप्रस्तुत धर्मी के व्यवहार से अभिन्न हो कर भासित होता है और अप्रस्तुत

वंशदण्ड का उपस्थापक विशेषण श्लेष के विना ही साधारण है तथा कार्यरूप धर्म का प्रतिपादक भी नहीं हैं, अतः समासोक्ति के पूर्वोक्त तृतीय भेद का उदाहरण होता है।

चतुर्थं भेदमुदाहर्तुमाह—

कार्यसाधारण्येन यथा—

कार्यरूपधर्मप्रतिपादकः साधारणविशेषणसाम्येनाप्रकृतार्थोपस्थितिमूला समासोक्तिर्यथेति भावः।

चतुर्थभेद का उदाहरण देने के लिये कहा जाता है—कार्य इत्यादि।

अब समासोक्ति के उस भेद का उदाहरण दिया जा रहा है जिसमें अप्रस्तुत अर्थ की उपस्थिति कार्यरूप धर्मप्रतिपादक साधारण (श्लिष्ट नहीं) विशेषण से हुआ करती है।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

> 'देव त्वां परितः स्तुवन्तु कवयो लोभेन, किं तावता
> स्तव्यस्त्वं भवितासि, यस्य तरुणश्चाप-प्रतापोऽधुना।
> क्रोडान्तः कुरुतेतरां वसुमतीमाशाः समालिङ्गति
> द्यां चुम्बत्यमरावतीं च सहसा गच्छत्यगम्यामपि॥'

राजानं प्रति कवेरुक्तिः—हे देव राजन्, कवयः काव्यकाराः, लोभेन धनादिप्राप्त्याशया, त्वाम् भवन्तम्, परितः सर्वतोभावेन, स्तुवन्तु स्तुतिं कुर्वन्तु, किम् (प्रश्नबोधकोऽयं शब्दः) त्वम्, तावता लोभमूलककविजनविहितस्तुत्या, स्तव्यः स्तुतियोग्यः, भवितासि भविष्यसि? अपि तु न, दुराचारसंबन्धित्वादिति भावः। तदेव स्फुटयति—यस्येति। यस्य तव, तरुणः नवीनः, चाप-प्रतापः धनुर्महिमा, अधुना इदानीम्, वसुमतीम् वसुन्धराम्, क्रोडान्तः कुरुतेतराम् भुजान्तरालवर्तिनीं निरतिशयेन विधत्ते, आशाः दिशाः, समालिङ्गति आश्लिष्यति, द्याम् स्वर्गम्, चुम्बति स्पृशति, च पुनः, सहसा अनायासेन बलाच्च, अगम्याम् अप्राप्याम् संगमायोग्याञ्च, अमरावतीम् इन्द्रपुरीम्, गच्छति प्राप्नोति उपभुङ्क्ते चेत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—देव इत्यादि।

किसी राजा के प्रति कवि का कथन है—हे देव, कवि लोग सब तरह से लोभवश तेरी स्तुति भले ही करें—पर इससे क्या तुम स्तुतियोग्य हो जाओगे? जिसके धनुष का तरुण प्रताप वसुमती (पृथ्वी) को छाती से लगाता है, दिशाओं का आलिङ्गन करता है, द्यौ (स्वर्ग) का चुम्बन लेता है और अगम्य (अप्राप्य + गमन के अयोग्य) भी अमरावती (इन्द्रपुरी) का गमन करता है।

यहाँ प्रस्तुत राज-प्रताप-वृत्तान्त, वसुमती आलिङ्गन आदि कार्यबोधक साधारण विशेषण के द्वारा उपस्थापित परस्त्रीकामुकरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त से अभिन्न होकर प्रतीत होता है, अतः, यह पद्य, समासोक्ति के पूर्वोक्त चतुर्थ भेद का उदाहरण होता है।

उक्तप्रभेदेषु द्वयोः साङ्कर्यमुदाहर्तुमाह—

कार्यधर्मान्तरयोः संकरेण साधारण्यं यथा—

कार्यरूपधर्मप्रतिपादकसाधारणविशेषणसाम्येन कार्यातिरिक्तधर्मप्रतिपादकसाधारणविशेषणसाम्येन च मिलित्वा यत्राप्रस्तुतार्थोपस्थापनं तादृशमुदाहरणं ययेति भावः।

उक्त भेदों में से दो भेदों के सांकर्य का उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जाता है—कार्य इत्यादि।

अब समासोक्ति का एक ऐसा उदाहरण दिया जा रहा है जहाँ अप्रस्तुतार्थोपस्थापक विशेषण दो प्रकार के रहते हैं, कुछ कार्यरूप धर्म प्रतिपादक और कुछ कार्यातिरिक्त धर्म-प्रतिपादक।

तादृशमुदाहरणमुपस्थापयति—

'उत्क्षिप्ताः कबरीभरं विवलिताः पार्श्वद्वयं न्यक्कृताः
पादाम्भोजयुगं रुषा परिहृता दूरेण चेलाञ्चलम्।
गृह्णन्ति त्वरया भवत्प्रतिभटक्ष्मापालवामभ्रुवाम्
यान्तीनां गहनेषु कण्टकचिताः के के न भूमीरुहाः॥'

चाटुकारः राजानं स्तौति—हे राजन्, के के, कण्टकचिताः कण्टकिनः, भूमीरुहाः वृक्षाः, उत्क्षिप्ताः ऊर्ध्वम् क्षिप्ताः सन्तः, गहनेषु काननेषु, त्वरया वेगेन, यान्तीनाम् गच्छन्तीनाम्, भवत्प्रतिभटक्ष्मापालवामभ्रुवाम् भवदीयप्रतिपक्षिनृपकामिनीनाम्, कबरीभरम् केशपाशम्, विवलिताः वक्रीकृताः सन्तः, पार्श्वद्वयम् उभौ पार्श्वभागौ, न्यक्कृताः अधःकृताः सन्तः, पादाम्भोजयुगम् चरणकमलद्वयम्, रुषा क्रोधेन, दूरेण परिहृताः दूरीकृताः सन्तः, चेलाञ्चलम् वस्त्रप्रान्तम्, न गृह्णन्ति, अपि तु सर्वे गृह्णन्तीत्यर्थः। त्वदाक्रमणानन्तरम् भयेन नगरमपहाय कानने धावन्त्यस्त्वद्वैरिनार्यः। कण्टकिभिस्तरुभिः पीड्यन्त इति भावः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—उत्क्षिप्ता इत्यादि।

हे राजन्, कौन ऐसे वृक्ष हैं जो कण्टकचित (कँटीले+पुलकित) होकर सघन कानन में वेग से भागती हुई आपके शत्रुभूत राजाओं की रमणियों के, ऊँचे उठाने पर केश-पाश को, टेढ़े करने पर दोनों पार्श्वदेशों को, नीचे झुकाने पर दोनों चरणकमलों को और रोष से दूर हटाने पर वस्त्र के छोर को न पकड़ लेते हों।

उपपादयति—

अत्र कण्टकचितत्वेन कबरीग्रहणादि संकीर्णम्।

'उत्क्षिप्ताः—' इति श्लोके भूमीरुहरूपप्रस्तुतधर्मिकोव्यवहारः साधारणविशेषणमात्रोपस्थापित पराङ्गना लम्पटरुपाप्रस्तुतधर्मिकव्यवहाराभेदेन भासत इति निष्पद्यमानायां समासोक्तौ अप्रस्तुतार्थोपस्थापकं विशेषणं द्विविधम्, कार्यान्यधर्मप्रतिपादकम् कार्यात्मकधर्मप्रतिपादकञ्च। तत्र कण्टकचितत्वम् (रोमाञ्चव्याप्तत्वम् कण्टकयुतत्वञ्च) कार्यान्यधर्मरूपम्, कबर्यादिग्रहणञ्च कार्यरूपम्। एवञ्चात्र द्वयोर्धर्मयोः संकर इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

तात्पर्य यह है कि 'उत्क्षिप्ताः—' इस पद्य में वृक्षरूप अप्रस्तुत आश्रय से संबद्ध व्यवहार, विशेषण की समता से परस्त्री लम्पट पुरुषरूप अप्रस्तुत आश्रय से संबद्ध व्यवहार से अभिन्न होकर भासित होता है, अतः समासोक्ति है और इस समासोक्ति में 'कण्टकचित (रोमाञ्चयुक्त+काटों से युक्त)' यह विशेषण किसी कार्य का प्रतिपादक नहीं है और कबरी ग्रहण आदि' विशेषणकार्य के प्रतिपादक हैं। फलतः यहाँ दो प्रकार के विशेषणों का संकर हो जाता है।

समासोक्तिविषयकं स्वसिद्धान्तं स्फुटीकर्तुमाह—

समासोक्तौ व्यजमानस्याप्रकृतव्यवहारस्योपस्कारकत्वमेव न प्राधान्यम्। समासोक्तौ व्यजमानस्याप्रकृतव्यवहारस्योपस्कारकत्वमेव न प्राधान्यम्, तदुपस्कृतवाच्यस्यैव प्राधान्यमित्युक्तम्। तत्र यदि व्यङ्ग्यस्यैव प्राधान्यं स्यात्, न वाच्यस्य, तदा 'देव त्वां परितः स्तुवन्तु–' इति प्रागुदाहृतपद्ये निन्दाव्याजेन स्तुतौ पर्यवसानं न स्यात्। स्तुतिनिन्दयोः प्रकृताप्रकृतव्यवहाराश्रयत्वादिति ध्येयम्।

स्तुतिनिन्दयोः प्रकृताप्रकृत इति। स्तुतिः प्रकृतव्यवहाराश्रिता निन्दा चाप्रकृतव्यवहाराश्रिता इत्यर्थः। अयं भावः—'देव त्वाम्—' इत्यत्र व्यङ्ग्यस्याप्रस्तुतव्यवहारस्य निन्दायां, वाच्यस्य प्रस्तुतव्यवहारस्य च स्तुतौ तात्पर्यम्। व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यस्वीकारे निन्दायां पर्यवसानं व्यपदिश्येत, न स्तुतौ। वाच्यस्य प्राधान्ये स्वीकृते तु स्तुतौ पर्यवसानव्यपदेशः सम्यगेवेति।

समासोक्तिस्थलीयस्वसिद्धान्त का स्पष्टीकरणार्थ ग्रन्थकार का कथन है—समासोक्तौ इत्यादि।

समासोक्ति अलंकार में वाच्य तथा व्यङ्ग्य का मिश्रण रहने पर भी व्यङ्ग्य अप्रस्तुत व्यवहार उपस्कारक ही होता है, प्रधान नहीं, क्योंकि व्यङ्ग्य अप्रस्तुत व्यवहार से उपस्कृत वाच्य प्रस्तुत व्यवहार ही यहाँ प्रधान होता है यह बात पहले ही कही जा चुकी है।

अब जरा इस सिद्धान्त में एक और नवीन युक्ति भी देखिए—समासोक्ति में यदि व्यङ्ग्य की ही प्रधानता मानी जाय, वाच्य की नहीं, तब 'देवत्वाम्—' इस पूर्वोक्त पद्य में जो निन्दा के छल से स्तुति में पर्यवसान माना जाता है वह असंगत हो जायगा, क्योंकि यहाँ स्तुति और निन्दा क्रमशः प्रस्तुत व्यवहार तथा अप्रस्तुत व्यवहार के आश्रित हैं।

अभिप्राय है कि 'देव त्वाम्—' इस पद्य में वाच्य प्रस्तुत (राजा के) व्यवहार स्तुति सूचक है और व्यङ्ग्य अप्रस्तुत (परस्त्रीकामुक) व्यवहार है निन्दासूचक। ऐसी स्थिति में जब हम वाच्य की प्रधानता मानते हैं तब 'निन्दा व्याज से स्तुति में पर्यवसान' ठीक होता है। यदि व्यङ्ग्य की प्रधानता मानने लगेगें तब तो 'स्तुति व्याज से निन्दा में ही पर्यवसान' समझा जायगा।

सर्वस्वकारोक्तमनूद्य निरस्यति—

"—'तन्वी मनोहरा बाला पुष्पाक्षी पुष्पहासिनी।
विकासमेति सुभग भवद्दर्शनमात्रतः॥'

अत्र तनुत्वादि विशेषणसाम्याल्लोलाद्यां लताव्यवहारप्रतीतिः। तत्र लतैकगामिविकासाख्यधर्मसमारोपः कारणम्। अन्यथा विशेषणसाम्यमात्रेण नियतलताव्यवहारस्याप्रतीतेः। विकासश्च प्रकृते उपचरितो ज्ञेयः" इत्यलंकारसर्वस्वकार आह, तत्र विचार्यते—नात्र विशेषणसाम्यमात्रेण लताव्यवहारप्रतीतिः, अपि तु लतारूपाऽप्रकृतासाधारणविकासाऽऽरोपमहिम्नेति भवतैवोक्तम्। तथा च विशेषणसाम्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वमिति त्वदुक्तसमासोक्तिलक्षणस्य कथमत्र प्रवृत्तिः? न च लक्षणे विशेषणसाम्यमात्रगम्यत्वं न विवक्षितम्, अपि तु विशेषणसाम्यगम्यत्वम्। प्रकृते च विकासस्याप्यधिकस्य गम-

कत्वम् न त्वेतावता विशेषणसाम्यस्य गमकताहानिरिति वाच्यम् । श्लेषेऽतिव्याप्त्यापत्तेः । न च विशेषणमात्रसाम्यगम्यत्वे विवक्षितम् । एवं च न श्लेषेऽतिव्याप्तिः । नापि 'तन्वी मनोहरा' इत्यत्र लक्षणस्यावर्तनमिति वाच्यम् । 'तन्वी मनोहरा' इत्यत्र समासोक्तेरेवाभावात् । यत्र साधारणविशेषणमहिम्नाऽप्रकृतस्य स्फूर्तिस्तत्रसमासोक्तिः। यत्र त्वसाधारणमहिम्ना तत्र व्यङ्ग्यरूपकमिति विषयव्यवस्थापनात् । एवं च प्रकृते साधारण विशेषणसत्त्वेऽपि न तन्महिम्नालतायाः स्फूर्तिः, अपि तु विकासमहिम्नेतिव्यङ्ग्यरूपकमुचितम् । यथा–

'चकोरनयनानन्दिकह्लाराह्लादकारणम् ।
तमसां कदनं भाति वदनं सुन्दरं तव ॥'

इत्यादौ सुन्दरमितिसाधारण विशेषणसत्त्वेऽपि रूपकमेव, तथेहापि । क्वचिद्गुणीभूतं क्वचित्प्रधानमित्यन्यदेतत् । साधारण्येन विशेषणसाम्यमूलायाः समासोक्तेस्तु 'अन्धेन पातभीत्या संचरता—' इत्यादिः प्रागस्माभिरुदाहृतो विषय इति न निरवकाशत्वम् । तत्र ह्यसाधारणधर्मारोपमन्तरेण साधारणविशेषणमहिम्नैवाप्रकृतप्रतीतेः। एतेन 'तदेवं साधारण्येन समासोक्तेर्विशेषणसाम्येऽप्यप्रकृतसंबन्धिधर्मकार्यसमारोपमन्तरेण तद्व्यवहार प्रतीतिर्न भवति' इति विमर्शिनीकृता यदुक्तं तन्निरस्तम् । तस्मादेवं संभवति विषय विभागे 'तन्वी मनोहरा–' इत्यत्र समसोक्तिवचनमहृदयम् ।

'तन्वी—' इति । हे सुभग सुन्दर, तन्वी कृशाङ्गी, मनोहरा हृदयग्राहिणी, पुष्पाक्षी पुष्पे इव अक्षिणी यस्याःतादृशी, पुष्पहासिनी पुष्पतुल्यहासयुक्ता, बाला पञ्चदशवर्षीया नारी, भवद्दर्शनामात्रतः केवलंभवदवलोकनतः, विकासमेति प्रसीदतीत्यर्थः । लोलाक्ष्याम् चपलनयनायाम् । तत्रेति । तद्व्यवहारप्रतीतौ चेत्यर्थः । लतैकगामीति लतामात्रवृत्तीत्यर्थः । अन्यथेति । समारोपाभावे इत्यर्थः । विशेषणसाम्यमात्रेणेति । तेषामन्यसाधारणत्वादिति भावः । कादाचित्कस्य संभवादाह—नियतेति । प्रकृते इति । बालापक्षे इत्यर्थः । उपचरित इति । प्रसादात्मना लक्ष्यार्थभूत इति भावः । सर्वस्वकार इति । 'तन्वी—' इत्यत्र 'तन्वी' मनोहरा' 'पुष्पाक्षी' 'पुष्पहासिनी' इति चत्वार्यपि विशेषणानि बाला-लतोभयसाधारणानि । तत्र बालापक्षे तेषामर्था उक्ता एव, लतापक्षेऽपि तनुत्वम् मनोहरत्वञ्च तुल्यमेव, 'पुष्पाक्षी' 'पुष्पहासिनी' इत्यनयोः क्रमशः पुष्पे अक्षिणीव, पुष्पाणि हासा इव इतिरीत्या संगतार्थकत्वम् । यद्यपि ईदृशविशेषणसाम्येनापि बालायां लतात्वप्रतीतिः नियमतो न भवितुमर्हति, तथापि लतामात्रधर्मस्य विकाशस्य बालायां वर्णनेन तत्प्रतीतिः संभवतीति समासोक्तिरत्र सुवचेति तदाशयः ?

निरस्यति—तत्र विचार्यते इत्यादिना । अत्रेति । तन्वीति श्लोक इत्यर्थः । कथमत्र प्रवृत्तिरिति । प्रवृत्तिरत्र न संभवतीति भावः । तत्प्रवृत्ति-संभवं पररीत्या शङ्कते—न च लक्षणे इति । मात्रपदानिवेशे विशेषणसाम्यातिरिक्तगम्यत्वस्या व्यावृत्त्या विशेषणसाम्यातिरिक्तविकासगम्यत्वेऽपि विशेषणसाम्यगम्यत्वमक्षतमिति भावः । समाधत्ते—श्लेषेऽतिव्याप्त्येति । तत्र विशेष्यस्य श्लिष्टत्वेऽपि विशेषणसाम्यस्याक्षतेरिति भावः ।

पुनः परस्रीत्या शङ्कते—न च विशेषणेति । मात्रेति । अनेन विशेष्यसाम्यव्यावृत्तिर्न धर्मान्तरविकासादेरिति भावः । न श्लेष इति । तत्र विशेष्यस्यापि श्लिष्टत्वादिति भावः । चरमं समाधानमाह—समासोरेवाभावादिति । तदभावे युक्तिमुपन्यस्यति—यत्रेति । व्यवस्थापनादिति । अत्र "स्वग्रन्थसिद्धान्तात्प्रकृतेऽप्रकृतलताप्रतीतावपि क्रियारूपतद्व्यवहारस्य कस्यचिदप्रतीतेर्नात्र समासोक्तिरित्यपि बोध्यम् । एतेन यदपोत्याद्यपि सर्वस्वग्रन्थः परास्त इति दिक् ।" इति सुन्दरमाह नागेशः । एवं चेति । उक्त व्यवस्थाङ्गीकारे चेत्यर्थः । उक्तमेव सदृष्टान्तमाह—यथेति । 'चकोर—'इति । कश्चिन्नायकः कामपि सुन्दरीं प्रत्याह—हे सुन्दरि ! चकोरनयने आनन्दयतीति तादृशम् , कह्लाराणाम् रक्तकमलानाम् अह्लादस्य आनन्दस्य, कारणम् हेतुभूतम्, तमसाम् अन्धकाराणाम् , कदनम् विनाशकम् , तथा, सुन्दरम् , तव, वदनम् मुखम् , भाति शोभत इत्यर्थः । इहापीति । 'तन्वी—' इत्यत्रापीत्यर्थः । व्यङ्ग्यरूपकमेवेत्यनुषङ्गः । एवमुभयत्ररूपकस्य समर्थेनेऽपि अन्तरं स्फुटयति—क्वचिदित्यादिना । गुणीभूतमिति । व्यङ्ग्यरूपकमिति भावः । एवमग्रेऽपि । 'चकोर–' इत्यत्र व्यङ्ग्यं रूपकं वाच्यापेक्षयाऽधिकचमत्कारित्वेन प्रधानम्, 'तन्वी—'इत्यत्र तु वाच्यापेक्षया न्यूनचमत्कारितया तद्गौणमिति भावः । चमत्कारतारतम्यं सहृदयसंवेद्यम् । नन्वेवं विशेषणसाम्यमूलसमासोक्तेर्निरवकाशत्वमितिचेन्नेत्याह—साधारण्येनेति । तत्र हीति । 'अन्धेन–' इत्यत्र हीत्यर्थः, विमर्शिनीकारोक्तखण्डनं सूचयति–एतेनेति । धर्मकार्येति । धर्मकार्ययोः समारोपमित्यर्थः । 'अयं तदीय उपसंहारग्रन्थः' इति नागेशः । उपसंहरति—तस्मादिति ।

सर्वस्वकारके मत का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है—"तन्वी—' इत्यादि । "–'तन्वी मनोहरा—अर्थात् हे सुभग, पुष्पाची, पुष्पहासिनी वह दुर्बल तथा मनोहर बाला, केवल आप के दर्शन से ही विकास को प्राप्त करती है' यहां दुर्बलता आदि विशेषणों की समानता से चञ्चल नयना नायिका में लता के व्यवहार की प्रतीति होती है और उस प्रतीति का खास कारण है केवल लता में रहने वाले 'विकास' नामक धर्म का उस नायिका में आरोप। यदि यह आरोप नहीं किया जाय तब केवल विशेषण की समानता से नियमतः लतागत व्यवहार की प्रतीति नहीं होगी । 'नियमतः' का तात्पर्य है कि कादाचित्क रूप में वह हो भी सकती है, पर अपेक्षित है नियमतः उसका होना। प्रकृत (नायिका पक्ष) में विकास शब्द प्रसन्नता अर्थ में लाक्षणिक समझना चाहिए।"

यह जो अलंकार सर्वस्वकार का कथन है उसके सम्बन्ध में विचार किया जाता है कि—"यहाँ केवल विशेषणों की समानता से लता–व्यवहार की प्रतीति नहीं होती, अपि तु लतारूप अप्रस्तुत अर्थ के असाधारण धर्म 'विकास' के आरोप की महिमा से उसकी प्रतीति होती है।" ऐसा जब आप ने स्वयं कहा है तब 'विशेषण की समता से अप्रस्तुत अर्थ की अभिव्यक्ति' इस भवदुक्त समासोक्ति-लक्षण की यहाँ कैसे प्रवृत्ति हो सकती है ? तात्पर्य यह कि इस लक्षण की प्रवृत्ति यहाँ नहीं हो सकती है ।

यदि आप कहें कि—लक्षण में 'विशेषणों की समता मात्र से अप्रस्तुत का अभिव्यक्त होना' विवक्षित नहीं है, किंतु 'विशेषणों की समता से अभिव्यक्त होना' अभीष्ट है, अतः यदि 'तन्वी–' इस उदाहरण में विशेषणों की समता के साथ-साथ 'विकास'

रूप एक अधिक धर्म भी अप्रस्तुत अर्थ का अभिव्यञ्जक हो गया, तथापि विशेषणों की अभिव्यञ्जकता में कोई हानि तो नहीं हुई। तात्पर्य यह कि विशेषण-साम्य और विकास इन दोनों से जब यहाँ अप्रस्तुत अर्थ-गम्य होता है तब उस अप्रस्तुत अर्थ को विशेषणसाम्य-गम्य कहा ही जा सकता है, अतः उक्त लक्षण की संगति यहाँ हो जाती है, तो यह कथन भी ठीक नहीं, कारण, ऐसा मानने से श्लेष में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वहाँ विशेष्य के श्लिष्ट रहने पर भी 'विशेषणों की समता' रहती ही है।

अब यदि आप कहें कि लक्षण में 'केवल विशेषणों की समता से गम्य' ऐसा ही तात्पर्य अभीष्ट है, अतः न श्लेष में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, न 'तन्वी—' इस पद्य में लक्षण की अप्रसक्ति क्योंकि श्लेष में केवल विशेषणों की समता नहीं, किन्तु विशेष्य की भी समता हो जाती है और 'तन्वी—' इस पद्य में विशेषणों के अतिरिक्त और किसी की (विशेष्य की) समता नहीं है, 'विकास' असाधारण धर्म है, तो यह भी उचित नहीं। कारण, 'तन्वी मनोहरा—' इस पद्य में वस्तुतः समासोक्ति है ही नहीं, फिर उसको सिद्ध करने के लिये ये सब प्रयास व्यर्थ ही हैं। समासोक्ति यहाँ क्यों नहीं है? इसके लिये यह कहा जाता है कि 'जहाँ साधारण विशेषणों की महिमा से अप्रस्तुत अर्थ की स्फूर्ति हो, वहाँ समासोक्ति और जहाँ असाधरणधर्म की महिमा से उसकी (अप्रस्तुत अर्थ की) स्फूर्ति हो, वहाँ व्यङ्ग्यरूपक' ऐसी व्यवस्था मानी जा चुकी है।

ऐसी स्थिति में यहाँ ('तन्वी–' इस में) साधारण विशेषणों की सत्ता रहने पर भी जब उनकी महिमा से लता की स्फूर्ति नहीं होती, किन्तु असाधरण विकास की महिमा से तब यहाँ व्यङ्ग्य रूपक का स्वीकार करना ही समुचित है। जैसे—'चकोर नयनानन्दि—'अर्थात् चकोरों के नेत्रों को आनन्द देने वाला, कल्हार पुष्प के आह्लाद का कारण और अन्धकार का विनाशक तेरा सुन्दर मुख शोभित हो रहा है।' इत्यादिक में 'सुन्दर' इस साधारण विशेषण के रहने पर भी व्यङ्ग्य रूपक ही है (इस पद्य से मुख का चन्द्र रूप होना व्यक्त होता है) वैसे ही यहाँ भी व्यङ्ग्य रूपक ही समझना चाहिये।

यह बात दूसरी है कि कहीं वह व्यङ्ग्य रूपक, गौण होता है, जैसे 'तन्वी—' इस पद्य में, क्योंकि यहाँ व्यङ्ग्य रूपक की अपेक्षा वाच्य अर्थ ही अधिक चमत्कारकारक है और कहीं प्रधान जैसे 'चकोर—' इस पद्य में, क्योंकि यहाँ वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यङ्ग्य रूपक ही अधिक सुन्दर है।

यह तो कहा नहीं जा सकता कि यदि 'तन्वी—' इस पद्य में समासोक्ति नहीं मानी जायगी तब साधारण विशेषणसाम्यमूलकसमासोक्ति का लक्ष्य ही नहीं मिलेगा, क्योंकि 'अन्धेन पात भीत्या—' इत्यादि जो पद्य हमने (ग्रन्थकार ने) उदाहरणरूप में उपस्थित किया है वहाँ समासोक्ति के उक्त भेद का लक्ष्य प्राप्त है। कारण,—

वहाँ अप्रस्तुत अर्थगत किसी असाधारण धर्म का प्रस्तुत अर्थ में आरोप न करने पर भी साधारण विशेषणों की महिमा से ही अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति हो जाती है।

इस विश्लेषण से अब "साधारण्यमूलक समासोक्ति में विशेषणों की समता रहने पर भी अप्रस्तुत अर्थ से सम्बद्ध धर्म और कार्य का प्रस्तुत अर्थ में आरोप किये बिना प्रस्तुत अर्थ में अप्रस्तुत अर्थ के व्यवहार की प्रतीति नहीं होती" यह विमर्शिनीकार का कथन भी खण्डित हो जाता है।

इस प्रकार से जब विषय का विभाग हो सकता है तब 'तन्वी—' इस पद्य में समासोक्ति का कथन हृदयंगम होने योग्य नहीं है।

पुनः सर्वस्वकारोक्तमेव निरस्यति—

यदपि "औपम्यगर्भत्वेनापि विशेषणसाम्यं संभवति। यथा—

'दन्तप्रभापुष्पचिता प्राणिपल्लवशोभिनी।
केशपाशालिवृन्देन सुवेषा हरिणेक्षणा॥'

अत्र हरिणेक्षणावृत्तेः सुवेषत्वस्य विशेषणस्य महिम्ना दन्तप्रभासदृशानि पुष्पाणीत्यादियोजनां विहाय दन्तप्रभाः पुष्पाणीत्वेत्याद्युपमितसमासाश्रयेण कृते योजने प्रकृतार्थ-सिद्धौ सत्यां वृत्यन्तरेण व्यक्ताया एव योजनायाः पुनरुज्जीवने पुष्पपल्लवानिवृन्दै रुपमेयैराक्षिप्ताया लतायाः प्रत्ययात्तद् व्यवहारारोपः। एवं सुवेषेत्यपहाय परीतेतिकृते उपमारूपकसाधकबाधकप्रमाणाभावात्तदुभय-संशयरूपसंकराश्रयेण कृते योजने पश्चात्पूर्वोक्तरीत्या लताप्रतीतेः समासोक्तिरेव। समासभेदेनार्थभेदेऽपि शब्दैक्यमादाय श्लिष्टमूलायामिव विशेषणसाम्यं बोध्यम्। आदावन्ते वा रूपकाश्रयेण दन्तप्रभा एव पुष्पाणीति योजने कृते तु हरिणेक्षणांशे आक्षिप्तलतातादात्म्यकेनैकदेशविवर्तिरूपकेणैवाप्रकृतार्थप्रत्ययोपपत्तेर्नार्थः समासोक्तेरत्र। इति तेनैवोक्तम्, तदपि न विचारसहम्। दन्तप्रभाः पुष्पाणीवेत्युवमागर्भत्वेनाप्यादौ योजने कृते हरिणेक्षणांशे आक्षिप्तलतोपमानिकया एकदेशविवर्तिन्या उपमयैवगतार्थत्वात्समासोक्तेरानर्थक्यादत्राप्रसक्तेः। न चोद्भटमते एकदेशविवर्तितोरूपमासंकरयोरस्वीकारात्तथोक्तमिति वाच्यम्। अनुपदमेव स्वयं तेन तत्स्वीकारात्।

हालाहलसमो मन्युरनुकम्पा सुधोपमा।
कीर्तिस्ते चन्द्रसदृशी भटास्तुमकरोद्भटाः॥'

इत्यादौ गत्यन्तराभावात्तेनाप्येकदेशविवर्त्युपमाया एव स्वीकरणीयत्वाच्च अवश्यक्लृप्तेनोपपत्तौ भेदान्तरकल्पनानौचित्यात्। तस्मादौपम्यगर्भविशेषणोत्थापितः समासोक्तिप्रकारो न संगच्छते।

यत्र श्लिष्टविशेषणेन शुद्धसाधारण विशेषणेन वा सहचरितमौपम्यगर्भविशेषणं तत्र यद्यप्यस्ति समासोक्तिस्तथापि नासावौपम्यगर्भविशेषणोत्थापितस्तृतीयः प्रभेदो भवितुमीष्टे, स्वतन्त्रविषयत्वाभावात्।

निर्मलाम्बररम्यश्रीः किंचिद्दर्शिततारका।
हंसावलीहारयुता शरद् विजयते तराम्॥'

अत्र पूर्वार्धगतश्लिष्टविशेषणोत्थापितैव समासोक्तिरुत्तरार्धगतेनौपम्यगर्भविशेषणेन विद्वतुत्थापिता युक्तिस्तदनुगामिना मूर्खेणेवानुमोद्यते। एवं 'दत्तानन्दा समस्तानां प्रफुल्लोत्पलमालिनी' इति पूर्वार्धे कृते शुद्धसाधारणविशेषणोत्थापितैव।

एवं च—

'परिफुल्लाब्जनयना चन्द्रिकाचारुहासिनी।
हंसावलीहारयुता शरद् विजयतेतराम् ॥'

इत्यत्रोपमारूपकयोः साधकस्य बाधकस्य चाभावात्संकरालंकारस्वीकर्तृतये तदुभयसंशयात्मक एकदेशविवर्ती संकरालंकार एव। तदस्वीकर्तृतये च यदोपमितसमासस्फूर्तिस्तदैकदेशविवर्तिन्युपमा, विशेषणसमासस्फूर्तौ तथाविधमेव रूपकमिति प्रथमयोजनयैवाप्रकृतार्थावगतेर्द्वितीययोजनायाः परिफुल्लाब्जानीव नयनानि इत्युपमागर्भाया वैयर्थ्यादनुत्थानमेव। यदा तु 'शरद्वर्षासखी बभौ' इति चतुर्थचरणं निर्मीयते तदा तु शरन्मात्रवृत्तेर्वर्षासखीत्वस्योपादानादब्जचन्द्रिकाहंसप्रधानस्योपमितसमासस्यावश्यकत्वात्प्रथमप्रादुर्भूतया नयनहासहाराक्षिप्तकामिनीरूपोपमानिकया अत एवैकदेशविवर्तिन्योपमयैव निर्वाह इति निवेदितमसहृदयप्रीतये पुनर्निवेदितम्।

'अथोपगूढे शरदा शशाङ्के प्रावृड्ययौ शान्ततडित्कटाक्षा।
कासां न सौभाग्यगुणोऽङ्गनानां नष्टः परिभ्रष्टपयोधराणाम् ॥'

इति कस्याचित्पद्ये प्रावृष एकदेशविवर्तिरूपकेणाङ्गनात्वसिद्धिरिति नोत्तरार्धगतार्थान्तरन्यासानुपपत्तिः। प्रथमचरणे तूपगूहनसाम्यादस्तु नाम समासोक्तिः।

यदपीति। अस्य 'तेनैवोक्तम्' इति दूरस्थेनान्वयः। औपम्यगर्भत्वेनेति। औपम्यं गर्भे मध्ये, यस्य तादृशं यद् विशेषणमिति यावत्, तत्त्वेनेति भावः। 'दन्तप्रभा—' इति। दन्तप्रभाः पुष्पाणीव, ताभिः, चितायुक्ता, पाणी हस्तौ, पल्लवाविव, ताभ्यां शोभते या सा, हरिणेक्षणा मृगाक्षी नायिकेति यावत्, केशपाशः अलिवृन्दमिव तेन, सुवेषा सुन्दरवेषवती, अस्तीत्यर्थः। अत्रेति। 'दन्तप्रभा—' इति श्लोक इत्यर्थः। हरिणेक्षणामात्रवृत्तेरिति। केवलनायिकागतस्येत्यर्थः। मात्रपदेन लताव्यावृत्तिः। दन्तप्रभासदृशानीति। 'उपमानानि समान्यवचनैः' इति पाणिनिसूत्रेण समास इति भावः। दन्तप्रभाः पुष्पाणीवेति। 'उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' इति पाणिनिसूत्रेण समास इति भावः। प्रकृतार्थेति। सुवेषत्वविशिष्टनायिकेत्यर्थः। वृत्त्यन्तरेणेति। व्यञ्जनयेत्यर्थः। योजनाया इति 'उपमानानि—' इति समासरूपाया इति भावः। आक्षिप्ताया इति। ऊहिताया इति भावः। तद्व्यवहारेति। लताव्यवहारेत्यर्थः। आरोप इति। हरिणेक्षणायामिति भावः। तथा चौपम्यगर्भविशेषणसाम्यमूलासमासोक्तिरिहेति सारांशः। इदमत्रावधेयम्—यद्यपि उपलब्धसंस्करणे 'लतायाः प्रत्ययाच्च तद्व्यवहारोपः' इत्येव पाठो दृष्टः, श्रीमता मथुरानाथभट्टेन तथा पाठमाधृत्यैव ग्रन्थो व्याख्यातश्च, तथापि अग्रिमग्रन्थस्वारस्यविरुद्धतया, "औपम्यगर्भत्वेन यथा–दन्तप्रभापुष्पचिता पाणिपल्लवशोभिनी। केशपाशालिवृन्देन सुवेषा हरिणेक्षणा" अत्र दन्तप्रभाः पुष्पाणीवेति सुवेषत्ववशादुपमागर्भत्वेन च कृते समासे पश्चाद्दन्तप्रभासदृशैः पुष्पैश्चितेति समासान्तराश्रयणेन समानविशेषणमाहात्म्याल्लताव्यवहारप्रतीतिः। अत्रैव 'परीता

हरिणेक्षणा' इति पाठे उपमारूपकसाधकबाधकाभावात्संकरसमाश्रयेण कृते योजने पश्चात् पूर्ववत् समासान्तरमहिम्ना लताप्रतीतिर्ज्ञेया । रूपकगर्भत्वेन तु समासान्तराश्रयणात् समानविशेषणत्वं भवदपि न समासोक्तेः प्रयोजकम् ।" इति अलंकारसर्वस्वपङ्क्त्यर्थप्रतिकूलतया चोक्तपाठस्थाने 'लतायाः प्रत्ययात्तद्व्यवहारारोपः' इति पाठो मया कल्पितः। तदस्य युक्तायुक्तत्वयोः सहृदयाः सुधय एव प्रमाणम् ।

परीतेति । व्याप्ता परिवेष्टिता वेत्यर्थः । उपमारूपकसाधकबाधकेति । उपमायाः साधकम् रूपकस्य बाधकम् इति रीत्या यथासंख्येनान्वयः । पूर्वोक्तरीत्येति । वृत्त्यन्तरेणेत्याद्युक्तरीत्येत्यर्थः । नन्वेवं कथं विशेषणसाम्यमर्थभेदादत आह—समासभेदेनार्थभेदे इति । आदौ इति । प्रथमयोजनायामिति भावः । ननु सुवेपत्वानुपपत्त्या प्रथमयोजनायां न तथा संभवतीत्यत आह—अन्ते वेति । वृत्त्यन्तरमूलकद्वितीययोजनायामिति भावः । हरिणेक्षणांशे आक्षिप्तत्वेनाशाब्दत्वादाह—एकदेशविवर्तिरूपकेति । अप्रकृतार्थेति । लतापक्षीयार्थेत्यर्थः । नार्थः समासोक्तेरिति । अप्रकृतार्थप्रत्यायनायैव समासोक्तिराश्रीयते, तत्प्रतीतिश्चान्यथैव सिद्धेतिभावः । तन्नेवेति । अलंकारसर्वस्वकृतेवेत्यर्थः । सर्वस्वग्रन्थाभिप्रायोऽत्र व्याख्यापुरस्सरमुद्धृत इति बोध्यम् । निरस्यति—तदपि नेति । विचारासहत्वे हेतुमुपन्यस्यति—दन्तप्रभा इत्यादिना । अत्राप्रसक्तेरिति । यथा एकदेशविवर्तिरूपकेणाप्रकृतार्थप्रतीत्या भवता समासोक्तेर्निरासः स्वीकृतः, तथैव एकदेशविवर्त्युपमासंकराभ्यामपि तत्प्रतीतिसंभवे समासोक्तिनिरास आस्थेय इति भावः । पूर्वपक्षसाधिकां युक्तिमाशङ्कते—न चेति । तथोक्तमिति । 'तदा समासोक्तिः' इत्युक्तमित्यर्थः । समाधत्ते-अनुपदमेवेति । स्वयमिति । अलंकारसर्वस्वकृतेत्यर्थः । तत्स्वीकारादिति ।

एकदेशविवर्त्युपमासंकरयोः स्वीकारादित्यर्थः । तदस्वीकारेऽनुपपन्नम् 'उपमारूपकसाधकबाधकप्रमाणाभावा'दित्यादिकं वदतेति भावः । उद्भटेनापि स्वीकरणीयैवैकदेशविवर्तिन्युपमेत्यत्र युक्तिमाह—हालाहल इत्यादिना । 'हालाहल—' इति । राजानं प्रति कवेरुक्तिः—हे राजन्, ते तव, मन्युः क्रोधः, हालाहलसमः विषतुल्यः, अनुकम्पा दया, सुधोपमा अमृतसदृशी, कीर्तिः यशः, चन्द्रसदृशी इन्दुतुल्या, तु पुनः, भटाः योद्धारः, मकरोद्भटाः ग्राहवत् क्रूराः सन्तीत्यर्थः । गत्यन्तराभावादिति । अन्योपायविरहादित्यर्थः । तेनापीति । उद्भटेनापीत्यर्थः । स्वीकरणीयत्वादिति । 'हालाहल–' इत्यत्र यावद्राज्ञि समुद्रसाम्यं न सिद्धयेत्तावन्मन्युप्रभृतीनां हालाहलादिसाम्यमसमञ्जसमेव स्यादिति तत्र तत्साम्यमावश्यकम्, तत्प्रतीतिश्चैकदेशविवर्त्युपमास्वीकारमन्तरा न संभवति, तदंशे ससुद्रसाम्यस्याशाब्दत्वादिति भावः ; ननु हालाहलेत्यत्र तदावश्यकत्वेऽपि 'दन्तप्रभा–' इत्यत्र समासोक्तिभेद एवास्तामत आह—अवश्यक्लृप्तेनेति । उपमाभेदेनेति यावत् । भेदान्तरेति । समासोक्तिरित्यादिः । उपसंहरति—तस्मादिति । क्वचिदौपम्यगर्भविशेषणस्थले समासोक्तिसम्भवोऽस्तीत्यत आह—यत्रेति । तृतीयः प्रभेद इति । समासोक्तेरिति भावः । स्वतन्त्रेति । तथा चोक्तप्रभेद एवान्तर्भाव इति भावः । तादृशमुदाहरणं निर्देष्टुमाह—यथेति । 'निर्मला—' इति । कविः शरदृतुं वर्णयन्नाह—निर्मलेन स्वच्छेन, अम्बरेण आकाशेन वस्त्रेण च, रम्या, श्रीः शोभा, यस्याः सा, किंचित् ईषत्, दर्शिताः,

तारकाः नक्षत्राणि अक्षिकनीनिकाश्च यस्या सा, हंसावली हार इव हंसावली इव हारश्च, तया, तेन, च युता युक्ता, शरद् तन्नामकः ऋतुविशेषः, व्यञ्जनया नायिका च, विजयतेतराम् सर्वोत्कृष्टाऽस्तीत्यर्थः। अत्र निर्मलेतिपद्ये, उत्थापितैवेति। एवेनौपम्यगर्भविशेषणव्यवच्छेदः। औपम्यगर्भविशेषणेनेति। 'हंसावलीहारयुता' इत्यनेनेत्यर्थः। अनुमोदने दृष्टान्तमाह—विद्वदिति। 'निर्मला–' इति श्लोके पूर्वार्धगताभ्याम् 'निर्मलाम्बररम्यश्रीः' 'किंचिद्दर्शिततारका' इत्येताभ्यां श्लिष्टाभ्यां विशेषणाभ्यामेव समासोक्तिरुत्थाप्यते, तदुत्थापितायाश्च तस्या अनुमोदनम् उत्तरार्धगतेन 'हंसावलीहारयुता' इत्यौपम्यगर्भविशेषणेन तथैव विधीयते यथा विदुषा केनाप्युत्थापिताया युक्तेस्तदनुगामिना मूर्खेणेति भावः। श्लिष्टविशेषणोत्थापितामुक्त्वा साधारणविशेषणोत्थापितां तामाह—एवं दत्तानन्द इति।

सर्वेषां वितीर्णप्रमोदा, विकसितकमलमालायुक्ता चेति परिवर्तितपाठेऽर्थः। शुद्धसाधरणेति। परिवर्तितपाठगते द्वे अपि विशेषणे अश्लिष्टेऽपि शरन्नायिकोभयसंगते इति भावः। अत्र "अत्रापि व्यवहारस्य कस्यचिन्निबन्धनाभावात्कथं समासोक्तिरिति चिन्त्यमिदम्। एतादृशस्थले व्यङ्ग्यरूपकमुपमावेति तु युक्तमेव प्रागवत्।" इति नागेशः। एवं चेति। उभयान्तर्भावेण तृतीयभेदानङ्गीकारे चेत्यर्थः। 'परिफुल्ला–' इति। परिफुल्ले विकसिते, अब्जे कमले, नयने इव यस्याः सा अथ च परिफुल्लाब्ज रूपे नयने यस्याः सा, चन्द्रिका ज्योत्स्ना, चारुहास इव यस्याः सा, अथ च चन्द्रिकारूपः चारुहासो यस्याः सा, हारतुल्यया हंसावल्या युता अथ च हंसावलीरूपेण हारेण युता, शरद् नायिका वा, विजयतेतराम् इत्यर्थः। उपमेति। यथासंख्यमन्वयः। अभावादिति। पूर्वत्र तु निर्मलेत्यादिपूर्वार्धगते विशेषण उपमायाः साधके रूपकस्य बाधके चास्तामिति बोध्यम्। तदिति। संकरालंकारेत्यर्थः। चस्त्वर्थे। उपमितसमासेति। 'उपमितं व्याघ्रादिभिः–' इति सूत्रविहितसमासेत्यर्थः। स्फूर्तिरिति। प्रथमतो दृष्टिपथातिथित्वमिति भावः। एवमग्रेऽपि। विशेषणसमासेति। 'मयूरव्यंसक–' इति सूत्रकृतसमासेत्यर्थः। तथाविधमेवेति। एकदेशविवर्त्येनेत्यर्थः। प्रथमयोजनयेति। वाच्यकक्षागतया योजनयेत्यर्थः। अप्रकृतार्थेति। नायिकारूपेत्यर्थः। द्वितीययोजनाया इति। व्यङ्ग्यकोटिगताया इति भावः। तथा चात्र-व्यञ्जनाया अनुत्थानमेवेति समासोक्तेरप्रसङ्ग इति सारांशः। अत्रत्या 'सरला' संगता न वेति सुधियो विभावयन्तु। 'शरद्वर्षा–' इति। वर्षर्तोः सखी शरद् इत्यन्वयः। शरन्मात्रवृत्तेरिति। मात्रपदेन नायिकाव्यवच्छेदः, अब्जचन्द्रिकाहंसप्रधानस्येत्यादि। अयं भावः—'शरद्वर्षासखी बभौ' इति चतुर्थचरणविशिष्टे 'परिफुल्ल–' इति पद्ये, प्रथमं 'परिफुल्लाब्जे इव नयने यस्याः' इत्यादिरूपा योजना प्रादुर्भवति, परन्तु 'वर्षासखी' इत्यस्य विशेषणस्य शरद्येव संगतिं दृष्ट्वा पश्चात् 'परिफुल्लाब्जानि नयनानीव यस्याः' इत्युपमितसमासरूपा योजना कर्तव्या भवति, एवञ्चोभयविधयोजनानुसारेण शब्दसाम्यमादाय 'कामिनीव शरद्' इत्युपमा कल्पनीया सा चार्थीति एकदेशविवर्तित्वमुपमाया इति। 'अथोपगूढे–' इति। अथ अनन्तरम्, शशाङ्के चन्द्रे, शरदा, उपगूढे आलिङ्गिते, सति, शान्तः दूरीभूतः, तडिद्रूपः कटाक्षः यस्याः तादृशी, प्रावृड् वर्षर्तुः, ययौ जगाम, परिभ्रष्टपयोधराणाम् विगतमेघानाम् अथ च पतितस्तनानाम्, कासाम्, अङ्गनानाम्

नायिकानाम् सौभाग्यगुणः पुरुषप्रेमास्पदतात्मकभाग्यविशेषः, न, नष्टः? अपि तु नष्टो भवत्येवेत्यर्थः।

एकदेशविवर्तिरूपकेणेति। शान्ततडित्कटाक्षा' इत्यत्रत्येनेत्यर्थः। अनुपपत्तिरिति। प्रावृषो नायिकात्वं यदि न सिद्धं स्यात्, तदा विगलितयौवननायिकासंबन्धिसौभाग्यनाशात्मकेन सामान्यार्थेन क्रियमाणं समर्थनम् अनुपपन्नं भवेत्, इह तु शब्दोपात्तेन तडित्कटाक्षयोः रूपकेण स्वान्यथानुपपत्त्या प्रावृड्नायिकयो रूपकं शब्दानुपात्तमपि आक्षिप्तं भवत्येवेति प्रावृषो नायिकात्वे सिद्धे नानुपपन्नं तदिति भावः। उपगूहनेति। आलिङ्गनेत्यर्थः।

पुनः सर्वस्वकार के मत का ही खण्डन किया जाता है—यद्पि इत्यादि।

"विशेषण की समता औपम्यगर्भ भी हो सकती है, जैसे—'दन्तप्रभा—अर्थात् पुष्पों के समान दन्तप्रभा से युक्त, पल्लवों के समान पाणि से सुशोभित, मृगाक्षी (नायिका) भ्रमरसमूह के समान केश पाश से सुवेषा (खूब सजी हुई) है। यहाँ केवल मृगाक्षी नायिका में रहने वाले सुवेषत्व विशेषण की महिमा से (उपमानानि सामान्यवचनैः' इस पाणिनि-सूत्र के अनुसार होने वाली) 'दन्तप्रभा के समान पुष्प' इत्यादिक योजना को छोड़कर ('उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' इस पाणिनि सूत्र के अनुसार होने वाली) 'पुष्पों के समान दन्तप्रभा' इत्यादि योजना करने पर यद्यपि प्रस्तुत अर्थ (नायिका पक्षीय अर्थ) की सिद्धि हो जाती है, तथापि व्यञ्जनावृत्ति के बल से उसी परित्यक्त योजना का पुनरुज्जीवन होने पर पुष्प, पल्लव तथा भ्रमरसमूह, जो पहली योजना में उपमान थे, उपमेय हो जाते हैं और तब उनसे लता आक्षिप्त—अर्थात् अभिव्यक्त होती है, इस तरह से प्रतीति पथ में आई हुई लता का व्यवहार मृगाक्षी पर आरोपित होता है।" (यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि ऊपर जो मैंने व्याख्या की है वह 'लतायाः प्रत्ययात्तद्व्यवहारारोपः' इस तरह के पाठ की कल्पना करके। पर उपलब्ध पुस्तक में पाठ प्राप्त होता है 'लतायाः प्रत्ययान्न तद्व्यवहारारोपः' ऐसा, जिसकी व्याख्या मथुरानाथभट्टजी ने '......नात्र नायिकायां लताव्यवहारारोपः (अर्थात् न समासोक्तिः) अर्थात् यहाँ नायिका में लता के व्यवहार का आरोप नहीं होता—समासोक्ति नहीं हो सकती' इस तरह से की है। चतुर्वेदी जी ने अपने अनुवाद में भी 'मृगनयनी में लता के व्यवहार का आरोप नहीं है (सो समासोक्ति नहीं हो सकती)।' ऐसा ही लिखा है। किन्तु मुझे यह बात असंगत प्रतीत होती है, क्योंकि एक तो इसके आगे जो 'एवं सुवेषेत्यपहाय परीतेतिकृते—' से आरम्भ करके 'लताप्रतीतेः समासोक्तिरेव।' यह मूल ग्रन्थ है उसके स्वारस्य से 'समासोक्तिरेव' का संबन्ध सुवेषा पाठ वाले पद्य से भी जान पड़ता है, दूसरे पण्डितराज ने जो एकदेशविवर्तिनी उपमा मानकर उक्त पद्य में समासोक्ति का खण्डन किया है उससे भी यही सिद्ध होता है कि सुवेषा पाठ में भी सर्वस्वकार समासोक्ति मानते हैं, तीसरे औपम्यगर्भविशेषण-साम्यमूलक समासोक्ति-प्रभेद का उदाहरण दिखलाना ही जब सर्वस्वकार को अभीष्ट है तब भला वे विशेषण की औपम्यगर्भता दिखलाकर 'यहाँ समासोक्ति नहीं है' ऐसा कैसे लिख अथवा मान सकते हैं? चौथे अलंकारसर्वस्व ग्रन्थ की पंक्तियों का स्वारस्य भी—'यहाँ समासोक्ति है' इसी अर्थ में है (अलंकार सर्वस्व की पंक्तियाँ संस्कृत टीका में उद्धृत की गई हैं, पण्डितराज ने उन पंक्तियों को अविकल उद्धृत नहीं किया है, पर भाव तो उन पङ्क्तियों का ही उद्धृत है, फिर वह सर्वस्वग्रन्थ से विरुद्ध कैसे हो सकता है? आश्चर्य तो यह है कि चतुर्वेदी जी ने सर्वस्व की पंक्तियों को उद्धृत

करके भी अनुवाद वैसा किया। अस्तु, यह सब गड़बड़ी प्रायः अशुद्ध पाठ के चलते हुई है—एक 'न' की अधिकता इन अनर्थों का कारण बन गई। अतः मैंने 'न' को मूलग्रन्थ से हटा दिया है और तदनुसार व्याख्या भी की है। विज्ञ पाठक इस प्रसङ्ग पर विचार करेंगे।

"इसी तरह इस पद्य में 'सुवेषा' को हटा कर उसके स्थान पर 'परीता' (व्याप्त अथवा वेष्टित) पाठ कर देने पर उपमा के साधक और रूपक के बाधक प्रमाणों का अभाव हो जाता है—अर्थात् सुवेषत्व नायिका में ही संभव है, अतः 'सुवेषा' पाठ में 'पुष्पसदृश दन्तप्रभा' इत्यादिक उपमा का साधक वह विशेषण होता था पर अब उस विशेषण को बदल देने पर उक्त उपमा और 'दन्तप्रभारूप पुष्प' इत्यादिक रूपक दोनों ही माने जा सकते हैं, अतः उपमा और रूपक के सन्देहसंकर का आश्रयण करके योजना कर लेने पर पीछे पूर्वोक्त रीति से (व्यञ्जना द्वारा) लता की प्रतीति होने से समासोक्ति ही होगी। तात्पर्य यह कि उक्त रीति से 'सुवेषा अथवा परीता' दोनों पाठों में समासोक्ति होगी, जो औपम्यगर्भविशेषण की समता से होने वाला समासोक्ति का एक नवीन प्रभेद है। आप कहेंगे कि दोनों योजनाओं में भिन्न-भिन्न समास हो जाने से अर्थ का भेद हो जाने पर विशेषण की समता हुई कैसे? तो इसका उत्तर है कि जिस तरह श्लेषमूलक समासोक्ति में अर्थ-भेद हो जाने पर भी शब्द की समानता से विशेषण की समानता मानी जाती है उसी तरह यहाँ भी समासभेद-प्रयुक्त अर्थ-भेद होने पर भी शब्द की एकता से विशेषण की एकता समझी जायगी।

आदि (प्रथम योजना) में अथवा अन्त (द्वितीय योजना) में (वस्तुतः द्वितीय योजना में ही, क्योंकि प्रथम योजना में प्रकृत अर्थ के अनुकूल उपमा ही व्याख्येय होगी) रूपक का आश्रय लेकर 'दन्तप्रभा ही पुष्प' इस तरह से योजना करने पर तो मृगाक्षी (नायिका) अंश में भी आक्षिप्त लता का तादात्म्य मान कर होने वाले एकदेशविवर्ति रूपक के द्वारा ही अप्रस्तुत अर्थ (लता) की प्रतीति उपपन्न हो जायगी, अतः तब यहाँ समासोक्ति का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तात्पर्य यह कि अप्रस्तुत अर्थ की सिद्धि के लिये ही तो व्यञ्जना वृत्ति का सहारा लेकर समासोक्ति मानी जाती है, एक देश विवर्तिरूपक के द्वारा जब व्यञ्जना का सहारा लिये बिना ही उसकी सिद्धि हो जायगी तब समासोक्ति की न 'आवश्यकता रह जायगी, न संभवः।" ऐसा जो उन्होंने (अलंकार सर्वस्वकार ने) ही कहा है, वह भी विचार को नहीं सह सकता। कारण, एकदेश विवर्तिरूपक न भी माना जाय, तथापि 'पुष्पों के समान दन्तप्रभाएँ' इस तरह प्रथमतः उपमागर्भित योजना करने पर भी, मृगाक्षी अंश में, आक्षेप के द्वारा लब्ध लता जिसमें उपमान हो ऐसी, एकदेश विवर्तिनी उपमा मान लेने से ही गतार्थता हो जाने से (अप्रस्तुतअर्थ की प्रतीति हो जाने से) निरर्थक होने के कारण समासोक्ति का यहाँ (सुवेषा अथवा परीता दोनों ही पाठों में) प्रसङ्ग ही नहीं है।

यदि आप कहें कि उद्भट के मत में एकदेश विवर्तिनी उपमा तथा एकदेश विवर्ती संकर नहीं स्वीकृत हैं, तदनुसार सर्वस्वकार ने भी वैसा कहा–अर्थात् औपम्य गर्भ विशेषण साम्यमूलक समासोक्ति का प्रभेद अपनी पुस्तक में लिखा तो यह भी समुचित नहीं, क्योंकि उद्भट भले ही न मानें पर सर्वस्वकार ने तो तुरत-तुरत एकदेश विवर्तिनी उपमा और सङ्कर स्वीकृत किए हैं, अर्थात् 'परीता' पाठ मानकर जो उन्होंने साधक बाधक प्रमाण के अभाव में उपमा रूपक का सन्देह संकर लिखा

है वहाँ सन्दिग्ध उपमा का स्वरूप क्या होगा? एकदेश विवर्ति ही तो, फिर वे एकदेश विवर्तिनी उपमा नहीं मानते हैं यह नहीं कहा जा सकता।

दूसरे उद्भट को भी 'हालाहल—अर्थात् हे राजन, तेरा क्रोध विष के समान तेरी कृपा सुधा के तुल्य है, तेरी कीर्ति चन्द्र के समान है और तेरे योद्धा मगर के समान उद्भट हैं' इत्यादि स्थलों में दूसरी गति न होने से एकदेश विवर्तिनी उपमा माननी ही पड़ेगी, तात्पर्य यह कि यहाँ जब सभी अङ्गों में उपमाएँ हैं तब अङ्गी राजा के अंश में भी ससुद्र साम्यरूप उपमा माननी पड़ेगी और वह शाब्द नहीं, आर्थ होगी, फिर एकदेश विवर्तिनी उपमा विना माने गति नहीं है।

आप कहेंगे-'हालाहल-' इस पद्य में एकदेश विवर्तिनी उपमा माने विना यदि गति नहीं है तो वहाँ रहे वह, किन्तु 'दन्तप्रभा—' इस पद्य में औपम्यगर्भ विशेषण की समता से समासोक्ति ही मानी जाय, तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि जब कहीं एकदेश विवर्तिनी उपमा का स्वीकार आवश्यक है तब उसी को मान लेने से यहाँ ('दन्तप्रभा-'इस पद्य में) भी सब काम बन जाते हैं कि फिर समासोक्ति के एक नवीन भेद की कल्पना करना उचित नहीं है।

अन्ततः यह सिद्ध हुआ कि औपम्यगर्भ विशेषणोत्थापित समासोक्ति का प्रकार संगत नहीं है।

हाँ, जहाँ श्लिष्ट विशेषण अथवा शुद्ध साधारण विशेषण के साथ उपमागर्भित विशेषण भी हो, वहाँ यद्यपि समासोक्ति है तथापि वह समासोक्ति का सादृश्यगर्भ विशेषण से उत्थापित' तृतीय भेद नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वतन्त्र लक्ष्य नहीं है, जैसे कि—'निर्मलाम्बररम्यश्री—अर्थात् निर्मल अंबर (आकाश+वस्त्र) से सुन्दर शोभावाली और किञ्चित् तारा (तारे+आँख की कनीनिका) दिखाने वाली हार के समान हंसावली से युक्त शरद् सर्वोत्कृष्ट है।' यहां पूर्वार्धभाग में वर्तमान श्लिष्ट विशेषणों ('निर्मलाम्बररम्यश्री' और 'किञ्चित दर्शिततारका') से ही समासोक्ति का उत्थान होता है जिसका अनुमोदन उत्तरार्धभागगत उपमागर्भित विशेषण (हंसावली हारयुता) से उसी तरह किया जाता है जिस तरह विद्वानों से उठाई गई युक्ति का अनुमोदन उनके अनुयायी मूर्ख के द्वारा किया जाता है।

इसी तरह उक्त पद्य का पूर्वार्ध यदि 'दत्तानन्दा—अर्थात् सबको आनन्द देने वाली और विकसित कमलों की माला वाली' इस प्रकार कर दिया जाय तब समासोक्ति 'शुद्ध साधारण विशेषणों से उत्थापित' होगी, न कि औपम्यगर्भ विशेषणोत्थापित। कारण वही पूर्वोक्त है।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि—'परिफुल्लाब्जनयना—अर्थात् नयन के समान विकसित कमल वाली अथवा (नायिका पक्ष में) विकसित कमल रूप नयन वाली, सुन्दर हास के समान चन्द्रिकावाली अथवा चन्द्रिकारूप सुन्दर हास वाली, और हार के समान हंसपङ्क्ति से युक्त अथवा हंसपङ्क्तिरूप हार से युक्त नायिका सदृश शरद् अथवा शरद् रूप नायिका सर्वोत्कृष्ट है।' यहाँ उपमा का साधक तथा रूपक का बाधक प्रमाण नहीं है, अतः जो उपमा रूपक का संकर स्वीकार करते हैं उनकी नीति के अनुसार उपमा और रूपक का संदेह ही जिसका स्वरूप है ऐसा 'एक देश विवर्ती संकरालंकार' ही होगा और जो लोग 'संकरालंकार' नहीं मानते उनके हिसाब से जब उपमित समास की स्फूर्ति (भान) होगी तब एक देश विवर्तिनी उपमा ही होगी और जब विशेषण समास की स्फूर्ति होगी तब एक देश विवर्ती रूपक ही होगा। इस तरह अभिधावृत्ति मूलक प्रथम योजना से ही अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति हो जाने के कारण 'विकसित कमल के

समान नयनों वाली' इस उपमा गर्भित व्यञ्जनावृत्तिमूलक द्वितीय योजना का निरर्थकता के कारण उत्थान ही नहीं होगा।

और जब इस पद्य का चतुर्थ चरण 'शरद् वर्षा-सखी बभौ-अर्थात् वर्षा की सखी शरद् शोभित हुई' यह बना दिया जायगा तब तो केवल शरद् में रहने वाले 'वर्षा सखीत्व' विशेषण का ग्रहण होने के कारण जिसमें कमल, चन्द्रिका और हंस प्रधान (विशेष्य) होते हैं ऐसे उपमित समास ('परिफुल्लाब्जानि नयनानीव' इत्यादि विग्रह वाला 'उपमितं व्याघ्रादिभिः' इस सूत्र से होने वाला समास) के ही आवश्यक हो जाने से, प्रथमतः दृष्टिपथ में आनेवाली, नयन, हास और हार के द्वारा जिसमें कामिनी रूप उपमान आक्षिप्त होता है उस एकदेश विवर्तिनी उपमा से ही निर्वाह हो जाता है अर्थात् उस स्थिति में संकर का झमेला भी नहीं उठता, फलतः औपम्यगर्भ समासोक्ति की बात सर्वथा अनुचित है।

यह बात यद्यपि पहले भी निवेदित हो चुकी थी तथापि सहृदयों की प्रसन्नता के लिये पुनः निवेदित कर दी गई है।

इसी तरह—'अथोपगूढे—अर्थात् अब शरद् के द्वारा चन्द्रमा के आलिङ्गित हो जाने पर जिसके तडित् (विद्युत्) रूप कटाक्ष शान्त हो गए हैं ऐसी वर्षा चल दी। जिनके पयोधर (स्तन+मेघ) गिर चुके हैं ऐसी कौन अङ्गनाएँ हैं जिनका सौभाग्य गुण (पतिप्रियता गुण अथवा सौन्दर्य गुण) नष्ट नहीं हुआ' इस किसी कवि के पद्य में एकदेशविवर्ति–रूपक से वर्षा के नायिकात्व की सिद्धि हो जाती है, इसलिये उत्तरार्धगत अर्थान्तरन्यास की अनुपपत्ति नहीं होती। तात्पर्य यह है कि उत्तरार्ध में जो 'पतित-पयोधरा नायिका के सौभाग्यनाश' रूप समर्थक सामान्य अर्थ वर्णित हुआ है, उसके लिये पूर्वार्ध में नायिका विशेषरूप समर्थ्य अर्थ की अपेक्षा थी जिसकी पूर्ति एकदेश विवर्तिरूपक से हो जाती है, अतः उसके लिये भी समासोक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती।

हाँ, इस पद्य के प्रथम चरण में तो आलिङ्गन की समता से अप्रस्तुत (नायक-नायिका) व्यवहार की प्रतीति होने के कारण भले ही समासोक्ति रहे।

अप्पयदीक्षितमतमुत्थाप्य खण्डयति—

यत्तु कुवलयानन्दे "सारूप्यादपि समासोक्तिर्दृश्यते। यथा—

'पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरिताम्
विपर्यासं यातो घनविरलभावः क्षितिरुहाम्।
बहोर्दृष्टं कालादपरमिव मन्ये वनमिदं
निवेशः शैलानां तदिदमिति बुद्धिं द्रढयति ॥'

अत्र वन-वर्णने प्रस्तुते तत्सारूप्यात्कुटुम्बिषु धन-संतानादिसमृद्ध्यसमृद्धि-विपर्यासं प्राप्तस्य तत्समाश्रयस्य ग्रामनगरादेर्वृत्तान्तः प्रतीयते" इत्युक्तम्, तदसत्। समासोक्तिजीवातोर्विशेषणसाम्यमात्रस्याभावेन समासोक्तिताया एवानुपपत्तेः। न च विशेषणसाम्यात्साहश्याद्वा यत्राप्रस्तुतव्यवहारः प्रस्तुतेन व्यज्यते सा समासोक्तिरिति लक्षणं निर्मास्यत इति वाच्यम्। समासोक्तौ हि प्रकृतवृत्तान्तोऽप्रकृतवृत्तान्ताभेदेन स्थित इति सर्वसम्मतम्। त्वयापि च 'प्रकृतधर्मिण्यप्रकृतव्यवहार आरोप्यते इत्युक्तम्। एवं स्थिते नह्यत्र स्रोतो-

वृक्षादिविपर्यासो धनसंतानविपर्यासाद्यभेदेन प्रतीयते। नापि वनादौ धनसंतानविपर्यास इति समासोक्त्यन्तरात्सत्यपि वैलक्षण्ये पद्यसौ समासोक्तिरिति शपथं क्रियते तदा अलंकारान्तरमपि समासोक्तिकुक्षावेव निक्षिप्यताम्।

एवं तर्हि 'पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरिताम्' इत्यत्र कोऽलंकारः? अप्रकृतेन वाच्येन प्रकृतव्यवहाराभिव्यक्तिरूपाया अप्रस्तुतप्रशंसाया अत्रासंभवात्प्रकृतस्यैव वाच्यत्वादिति चेत्, साधु पृष्टमायुष्मता। समाधानमस्य सप्रपञ्चमप्रस्तुतप्रशंसाप्रकरण एव निवेदयिष्याम इति। किं चालंकारसर्वस्वकृता 'सादृश्यगर्भविशेषणोत्थापिता सादृश्यमूला समासोक्तिः' इत्युक्तम्। तत्र हि विशेषणसाम्यसत्त्वादुक्तिसंभवोऽप्यस्ति, न तु त्वदुक्तायामिति मूलग्रन्थानवबोधस्तद्विरोधो वा स्फुट एवेति दिक्।

कुवलयानन्दे इति। अप्पयदीक्षितनिर्मिते तन्नामके निबन्धे इत्यर्थः। सारूप्यादिति। सादृश्यादित्यर्थः। 'पुरायत्र स्रोतः-' इति। उत्तररामचरिते सीतापरित्यागानन्तरं कदाचिद् वनं गतस्य श्रीरामस्योक्तिः—पुरा वनवाससमये, सरितां नदीनाम्, स्रोतः प्रवाहः, यत्र प्रदेशे, आसीत्, तत्राधुना, पुलिनं तटमस्तीति शेषः। तथा क्षितिरुहाम् तरूणाम्, घनविरलभावः, विपर्यासं वैपरीत्यं, यातः प्राप्तः। सान्द्राणां विरलता विरलानां शाखापल्लवादिवृद्ध्या सान्द्रता जातेत्यर्थः। तथा च, बहोर्भूयसः, कालादनन्तरम्, दृष्टमिदं वनम्, अपरम् अन्यदिव, मन्ये, परन्तु शैलानां पर्वतानाम्, निवेशः विन्यासविशेषः, तदेवेदं वनमिति बुद्धिं प्रत्यभिज्ञारूपां, द्रढयति दृढीकरोतीत्यर्थः। तत्कृतमुपपादनमनुवदति—अत्रेति। वनवर्णने वनवृत्तान्ते। तत्सारूप्यात् वनसादृश्यात्। ग्रामादौ किं वनसादृश्यमित्याकांक्षायां तद्गर्भं विशेषणमाह—कुटुम्बिष्वित्यादि। कुटुम्बिगतो यो घनसमृद्धयोर्विपर्यासस्तं प्राप्तस्येत्यर्थः। तत्समाश्रयस्य तादृशकुटुम्बिसमाश्रयस्य। तथा च समृद्ध्यसमृद्धिविपर्यासवदाश्रयत्वं सादृश्यमिति भावः। खण्डयति—तदसदिति। तत्त्वे हेतुमाह—समासोक्तिजीवातोरित्यादिना। जीवातुर्जीवनौषधम्। समासोक्तितानियामकं विशेषणसाम्यमिह नास्तीति न तत्प्रसङ्ग इति भावः। अत्र "चिन्त्यमिदम्। विशेषणसाम्यगम्यसादृश्यगम्यत्वेऽपि तत्त्वानपायात्।" इति नागेशः। पररीत्या शङ्कते—न चेति। निर्मास्यत इति। तथा च प्रकृते विशेषणसाम्यविरहेऽपि सादृश्यतः प्रस्तुतेनाप्रस्तुतस्याभिव्यक्तेः सत्त्वेन समासोक्तिः संभवतीति शङ्काशयः। समाधत्ते—समासोक्तौ हीति। धनसंतानविपर्यासाद्यभेदेनेति। प्रकृतव्यवहारेऽप्रकृतव्यवहाराभेद इति सर्वसम्मत्यनुसारमिदम्। अत्र "-'स्रोतोवृक्षादिविपर्यासो धनसंतानविपर्यासाद्यभेदेन न प्रतीये' इत्यत्र शपथातिरिक्तं प्रमाणमन्विष्यतामिति चिन्त्यमिदम्।" इति नागेशः। नापि वनादौ धनसंतानविपर्यास इति। प्रतीयत इत्यनुषङ्गः। प्रकृतधर्मिणि अप्रकृतव्यवहारस्यारोप इति दीक्षितोक्त्यनुसारमिदम्।

समासोक्त्यन्तरादिति। तैस्तैराचार्यैरुदाह्रियमाणा या याऽन्या समासोक्तिरद्यावधि दृष्टा तस्या अपेक्षयेति भावः। निक्षिप्यतामिति। तथा च बहुव्याकुलीस्यादिति भावः। एवं तर्हीति। 'पुरा-' इत्यत्राप्रस्तुतप्रशंसा न भवितुमर्हति, यतः अप्रस्तुतवाच्यार्थाभिव्यक्त-

प्रस्तुतव्यवहारस्तस्याः स्वरूपम्, इह तु प्रस्तुतार्थ एव वाच्य इति भावः। समाधानमस्येति। "अप्रस्तुतप्रशंसैवात्रालंकारः। अप्रस्तुतस्य प्रशंसेति न तदर्थः,किं त्वप्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य प्रशंसेति। एवं च वाच्येन व्यक्तेन वाऽप्रस्तुतेन वाच्यं व्यक्तं वा प्रस्तुतं यत्र प्रशस्यते सादृश्याद्यन्यतमप्रकारेण साऽप्रस्तुतप्रशंसेति। न तु वाच्येनैव व्यङ्ग्यमेव" इति तत्र समाधानमुक्तमिति बोध्यम्। अत्र "चिन्त्यमिदम्। युक्त्यसहत्वात्। तथाहि प्रशंसनमत्र किमुत्कर्षाधानम् प्रतीतिमात्रं वा। नाद्यः। प्रतीयमानार्थानध्यारोपविषयेष्वप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणेष्वव्याप्तेः। न हि ताटस्थ्येनावस्थितोऽप्यर्थ उत्कर्षकर इति युक्तम्। नान्त्यः। प्रकृतेऽभावात्। न ह्यत्राप्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य प्रतीतिः। वाच्यत्वात्। नचान्यतरत्वेनानयोः संग्रहः। समासोक्तेरेवान्यतरत्वघटितलक्षणकरणे बाधकाभावात्। अतिशयोक्त्यादौ क्लृप्तत्वाच्च। किं चेत्यादिना सर्वस्वकारादिविरोधोद्भावनमप्यसंगतमेव तच्छिक्षकत्वात्। ईदृशाप्रस्तुतप्रशंसाया अपि तैरनङ्गीकारेण तवापि तद्विरोधस्य सत्त्वाच्च, प्राचामाशयस्य प्रागुक्तत्वाच्चेति दिक्।" इति नागेशः।

अब कुवलयानन्दकार अप्यय दीक्षित के मत का खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि।

'कुवलयानन्द' में जो यह कहा गया है कि "सारूप्य (सादृश्य) से भी समासोक्ति देखी जाती है जैसे—'पुरा यत्र स्रोतः—अर्थात् पहले जहां नदी का प्रवाह था वहां आज नदी का तट है, तरुओं की सघनता और विरलता विपरीत हो गई है 'पहले जहां वृक्ष सघन थे वहां आज विरल हैं एवं जहां पहले विरल थे वहां आज सघन हैं)। बहुत काल के बाद देखा गया यह वन दूसरा सा दीख पड़ता है। केवल पर्वतों का सन्निवेश 'यह वही वन है' इस बुद्धि को दृढ करता है।" (लङ्का-समर के बाद सीता के साथ अयोध्या लौट आने पर जब पुनः रामचन्द्र शम्बूकवध-प्रसङ्ग से चिरकाल के बाद दण्डकारण्य गए हैं तब उनके मुख से यह पद्य 'उत्तरराम चरित नाटक' में भवभूति ने कहलाया है।)

यहां वन का वृत्तान्त प्रस्तुत है, पर उसके सादृश्य से उस तरह के ग्राम अथवा नगर का वृत्तान्त प्रतीत होता है जिसमें बसने वाले कुटुम्बि जनों की धन सन्तान आदि की समृद्धि एवम् असमृद्धि में विपरीतता आगई है अर्थात् जो परिवार पहले कभी धन-जन से परिपूर्ण था वह अब धन-जन विहीन बन गया है और जो परिवार पहले धन-जन विहीन था वह आज धन-जन परिपूर्ण है।"

वह भी ठीक नहीं है। कारण, समासोक्ति का जो जीवन तत्त्व है विशेषणसाम्य उसका यहाँ अभाव होने से समासोक्ति का होना ही अनुपपन्न है। यदि आप कहें कि 'विशेषण की समता से अथवा केवल सादृश्य से जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का व्यवहार अभिव्यक्त हो वहाँ समासोक्ति होती है' ऐसा लक्षण मैं बनाऊँगा—अर्थात् इस लक्षण के अनुसार विशेषण-साम्य के अभाव में सादृश्य मात्र के कारण प्रस्तुत द्वारा अप्रस्तुत की अभिव्यक्ति होने पर भी समासोक्ति सिद्ध होगी, तो यह भी असंगत होगी, क्योंकि समासोक्ति में प्रस्तुत वृत्तान्त अप्रस्तुत-वृत्तान्त से अभिन्न होकर स्थित रहता है यह सर्व-सम्मत है, आपने भी 'प्रस्तुत धर्मी में अप्रस्तुत-व्यवहार आरोपित किया जाता है' ऐसा कहा है, ऐसी स्थिति में जब यहाँ नदी-प्रवाह और तरु आदि का विपरीत हो जाना, धन-जन-वैपरीत्य से अभिन्न होकर, प्रतीत नहीं होता, तब समासोक्ति कैसे

हो सकती है ? यदि भिन्न-भिन्न आचार्यों के द्वारा लिखी गई सभी समासोक्तियों से विलक्षणता रहने पर भी यह समासोक्ति है ऐसा शपथ आप करते हैं तब आप सभी अलंकारों को समासोक्ति के ही पेट में डाल दीजिए।

अब यदि आप पूछें कि तब 'पुरा यत्र स्रोतः—' इस पद्य में कौन अलंकार है ? अप्रस्तुत प्रशंसा तो यहाँ हो नहीं सकती, क्योंकि वह वहाँ होती है जहाँ वाच्य अप्रस्तुत से प्रस्तुत की अभिव्यक्ति होती रहती है और यहाँ प्रस्तुत ही वाच्य है, तो इसका उत्तर विस्तारपूर्वक अप्रस्तुत प्रशंसा के प्रकरण में हम निवेदित करेंगे।

(अप्रस्तुतप्रशंसा-प्रकरण में यह कहा गया है कि—"अप्रस्तुत प्रशंसा ही यहाँ अलंकार है। 'अप्रस्तुत-प्रशंसा' शब्द का अर्थ अप्रस्तुत की प्रशंसा नहीं है, किन्तु अप्रस्तुत से (प्रस्तुत) की प्रशंसा ऐसी दशा में वाच्य अथवा व्यङ्ग्य अप्रस्तुत से वाच्य अथवा व्यङ्ग्य प्रस्तुत की प्रशंसा जहाँ सादृश्य आदि के द्वारा होती हो वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा मानी जायगी। यह बात नहीं है कि वाच्य अप्रस्तुत से ही व्यङ्ग्य प्रस्तुत की ही प्रशंसा होने पर वह हो।) तात्पर्य यह कि पण्डितराजोक्त लक्षण के अनुसार यहाँ व्यङ्ग्य अप्रस्तुत से वाच्य प्रस्तुत की प्रशंसा रहने के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा हो सकती है।

अन्ततः सिद्ध हुआ कि 'सादृश्य से समासोक्ति होती है' यह कथन दीक्षित का असंगत है। इसकी असंगति अन्य तरह से भी सिद्ध है, देखिए-अलंकार सर्वस्वकार ने कहा है कि 'सादृश्यगर्भ विशेषण से उत्थापित समासोक्ति सादृश्यमूलक कही जाती है।' इस लिये विशेषणों की समानता होने से उनका कथन संभव भी है, किन्तु आपने जो विशेषण-साम्य के बिना ही सादृश्यमूलक समासोक्ति की बात कही है वह तो कथमपि संभव नहीं है, फलतः सर्वस्वकार के अनुयायी होकर भी आप या तो सर्वस्वग्रन्थ को समझ नहीं सके या उससे विरुद्ध कहे। यहाँ नागेशने पण्डितराज का खण्डन और दीक्षित का मण्डन किये हैं। जिज्ञासु जन संस्कृत टीका से उनका ज्ञान कर सकते हैं।

प्रकारान्तरेण समासोक्तिं विभजते—

सेयं लौकिके व्यवहारे लौकिकस्य व्यवहारस्य, शास्त्रीये शास्त्रीयस्यारोपेण एतद्विपर्ययेण च चतुर्धा।

सेयं प्रागुक्तचतुःप्रकारा समासोक्तिः पुनः प्रकारान्तरेण चतुर्विधा भवति, कुत्रचित् लौकिके व्यवहारे लौकिकस्य व्यवहारस्य, कुत्रचित् शास्त्रीये व्यवहारे शास्त्रीयस्य व्यवहारस्य, कुत्रचित् लौकिके व्यवहारे शास्त्रीयस्य व्यवहारस्व, कुत्रचित् शास्त्रीये व्यवहारे लौकिकस्य व्यवहारस्य समारोपादिति भावः।

प्रकारान्तर से पुनः समासोक्ति का विभाग किया जाता है—सेयमित्यादि। पूर्वोक्त चार प्रकार की समासोक्ति के पुनः प्रकारान्तर से चार भेद होते हैं। जैसे-(१) कहीं लौकिक व्यवहार में लौकिक व्यवहार का आरोप, (२) कहीं शास्त्रीय व्यवहार में शास्त्रीय व्यवहार का आरोप, (३) कहीं लौकिक व्यवहार में शास्त्रीय व्यवहार का आरोप और (४) कहीं शास्त्रीय व्यवहार में लौकिक व्यवहार का आरोप।

एवं विभक्तायाः समासोक्तेर्विभागक्रमेणोदाहरणानि दर्शयितुमाह—

तत्राद्या प्रागभिहितैव।

तत्रेति। तेषां भेदानां मध्य इत्यर्थः। आद्येति। लौकिके व्यवहारे लौकिकव्यवहारारोपरूपेत्यर्थः। प्रागिति। पूर्वमुल्लिखितेषूदाहरणेष्वित्यर्थः। अभिहितैव कथितैव। पूर्वं यानि पद्यान्युदाहृतानि तेषु सर्वत्र लौकिके व्यवहारे लौकिकव्यवहारस्यारोप इति भावः।

इन अभिनव भेदों के उदाहरण दिखलाने के प्रसङ्ग में कहा जाता है—तत्र इत्यादि।

उन में से प्रथम प्रकार की-अर्थात् लौकिक व्यवहार में लौकिक व्यवहारारोपरूप, समासोक्ति पहले कही ही जा चुकी है। सारांश यह कि पहले जितने उदाहरण लिखे गये हैं उन सबों में लौकिक व्यवहार का आरोप लौकिक व्यवहार में हुआ है।

द्वितीयं प्रकारमुदाहर्तुमाह—

द्वितीया यथा—

शास्त्रीये व्यवहारे शास्त्रीयव्यवहारारोपरूपा समासोक्तिर्यथेत्यर्थः।

दूसरी—अर्थात् शास्त्रीय व्यवहार में शास्त्रीय व्यवहार का आरोप जैसे—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'गुण-वृद्धी परे यस्मिन्नैव स्तः प्रत्ययात्मके।
बुधेषु सदिति ख्यातं तद् ब्रह्म समुपास्महे॥'

प्रत्ययात्मके ज्ञानस्वरूपे, परे उत्कृष्टे यस्मिन् ब्रह्मणि, गुणवृद्धी सत्त्वादिगुणः उपचयश्च न स्तः न भवतः, निर्गुणं निर्विकारञ्चेति भावः। बुधेषु देवेषु, 'सत्'इति ख्यातम् "ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः" इत्याद्युक्त्या सद्रूपेण प्रसिद्धम् तत्, ब्रह्म परमात्मानम् समुपास्महे पूजयामः चिन्तयामो वेति वेदान्तानुसारी, प्रत्ययात्मके प्रत्ययसंज्ञके, यस्मिन् शतृ-शानजितिद्वये, परे परतो वर्तमाने गुणवृद्धी अदेङादैज्रूपे, न स्तः, बुधेषु वैयाकरणेषु, सदिति ख्यातम् 'तौ सत्' इतिपाणिनिसूत्रेण सत्संज्ञकत्वेन प्रथितम्, तद् ब्रह्म शब्दात्मकं ज्योतिः, समुपास्महे इति च व्याकरणानुसार्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—गुण इत्यादि।

इस पद्य का, वेदान्तशास्त्र के अनुसार, 'प्रत्ययात्मक' (ज्ञान स्वरूप) और 'पर' (सर्वोत्कृष्ट) जिस (ब्रह्म) में 'गुण' और 'वृद्धि' (सत्त्व, रज आदि तथा उपचय = विकार विशेष) नहीं होते अर्थात् जो निर्गुण तथा वृद्धिक्षय आदि विकार से रहित है और देवों में जो 'सत्' शब्द से विख्यात है अर्थात् (ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः) इत्यादि स्थलों पर जिस देव को सद्रूप कहा गया है उस ब्रह्म की उपासना हम करते हैं, यह, और व्याकरणशास्त्र के अनुसार, जिस 'प्रत्ययात्मक' (प्रत्ययसंज्ञक = शतृ-शानच्रूप) के 'परे' (आगे आने पर) 'गुण' (इ, उ, ऋ अक्षरों के स्थान में आए हुए ए, ओ, अर्,) एवम् 'वृद्धि' (इ, उ, ऋ वर्णों के स्थान में आगत ऐ, औ, आर्) नहीं होते और विद्वानों (वैयाकरणों) में जो 'सत्'इस नाम से प्रसिद्ध है ('तौ सत्' इस पाणिनि सूत्र से शतृ तथा शानच् प्रत्यय को 'सत्' संज्ञा होती है) उस ब्रह्म (शब्द ज्योति) की उपासना करते हैं यह, अर्थ होता है।

उपपादयति—

अत्र वेदान्तशास्त्रसिद्धव्यवहारे व्याकरणसिद्धस्य शतृशानज्-व्यवहारस्य।

व्यवहारे इति। पवनात्मोपासनरूपे इत्यर्थः। व्यवहारस्येति। तादृशशब्दप्रयोगरूपस्येत्यर्थः। आरोप इति शेषः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'गुणवृद्धी—' इस उदाहरण में वेदान्त शास्त्र से सिद्ध व्यवहार में व्याकरण से सिद्ध शतृ शानच् के व्यवहार का आरोप किया गया है ।

द्वितीयं भेदमुदाहर्तुमाह—

लौकिके शास्त्रीयस्य यथा—

लौकिके व्यवहारे शास्त्रीयस्य व्यवहारस्यारोपो यथेत्यर्थः ।

लौकिक व्यवहार में शास्त्रीय व्यवहार का आरोप जैसे— ।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'परार्थव्यासङ्गादुपजहदथ स्वार्थपरता-
मभेदैकत्वं यो वहति गुणभूतेषु सततम् ।
स्वभावाद्यस्यान्तः स्फुरति ललितोदात्तमहिमा
समर्थो यो नित्यं स जयतितरां कोऽपि पुरुषः ॥'

अथ अनन्तरम्, यः, परार्थव्यासङ्गात् परोपकारव्यसनित्वात् अथ च अन्यार्थ प्रसङ्गात्, स्वार्थपरताम् स्वप्रयोजनप्रवणताम् अथ च स्वार्थबोधकताम्, उपजहत् त्यजन्, सन्, गुणभूतेषु आश्रितेषु अथ च अप्रधानेषु अर्थेषु, सततम् सर्वदा, अभेदैकत्वम् अभेदमूलकैकताम्, वहति धारयति, यस्य, अन्तः मध्ये, स्वभावात्, ललितोदात्तमहिमा रमणीयोत्कृष्टमहत्त्वम् अथ च सुन्दरोदात्तस्वरमहत्त्वम्, स्फुरति दीप्यते, किञ्च, यः, नित्यम् सर्वदा अथ च नियमतः, समर्थः शक्तिसम्पन्नः अथ च एकार्थीभावयुक्तः, अस्तीति शेषः, सः तादृशः कोऽपि विलक्षणः, पुरुषः, जयतितराम् सर्वोत्कर्षेण वर्ततेतरामित्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—परार्थ इत्यादि ।

वह कोई पुरुष सबसे उत्कृष्ट है, जो परार्थव्यासङ्ग (परोपकारव्यसन-अन्य अर्थ के प्रसङ्ग) से स्वार्थपरता (स्वार्थतत्परता-अपने अर्थ के बोधन) को छोड़ता हुआ अपने गुणभूतों (आश्रितों-अप्रधान अर्थों) में सदा अभेदमूलक एकता का धारण करता है, जिसके भीतर स्वभाव से ही ललित उदात्त महिमा (रमणीय उच्चकोटि का महत्त्व-सुन्दर उदात्तस्वर का महत्त्व) चमकता रहता है और जो नित्य ही समर्थ (शक्ति-सम्पन्न-एकार्थी भाव से युक्त) है ।

उपपादयति—

अत्र समर्थसूत्रगतमहाभाष्यार्थस्य । तत्र हि 'अथ ये वृत्तिं वर्तयन्ति किं त आहुः' इत्यादिना जहत्स्वार्था वृत्तिरजहत्स्वार्था वृत्तिरिति पक्षद्वयम् निरूपितम् । तत्रैवोपसर्जनार्थे अभेदैकत्वसंख्यापि ध्वनिता । प्रकटिता च हरिणा—

'यथौषधिरसाः सर्वे मधुन्याहितशक्तयः ।
अविभागेन वर्तन्ते तां संख्यां तादृशीं विदुः ॥' इति ।

सामर्थ्यमप्येकार्थीभावबोधकतारूपं तत्रैवोक्तम् ।

'परार्थव्यासङ्गा—' इत्यत्र 'समर्थः पदविधिः' इति सूत्रीयमहाभाष्योक्तार्थस्य लौकिके अर्थे आरोपः कृतः । यतः तत्सूत्रीयमहाभाष्ये 'अथ ये समासं निष्पादयन्ति ते किं कथ-

यन्ति' इत्यर्थकेन 'अथ ये वृत्तिम्—' इत्यादिना ग्रन्थेन आरभ्य वृत्तिविषये जहत्स्वार्थाऽजहत्स्वार्थाभेदेन द्वौ पक्षौ निरूपितौ। तत्र जहत्स्वार्थां वृत्तिमुपजीव्य प्रकृते वर्णनं कृतम्। समर्थसूत्रीयमहाभाष्य एव विशेषणीभूतार्थे अभेदैकत्वसंख्या भासत इत्यर्थोऽपि ध्वनितः। भाष्यध्वनितस्य च तस्यार्थस्य भर्तृहरिणा स्वग्रन्थे प्रकटतया प्रतिपादनम् कृतम्। 'यथौषधि—' इति च तदर्थप्रतिपादिका हरिकारिका। मधुमिश्रणोत्तरं यथा सर्वे ओषधिरसाः मधुनि स्वशक्तिम् स्थापयन्ति अविभक्ततया च भासन्ते, तथैव अभेदैकत्वसंख्यापीति तदर्थः। प्रकृते 'अभेदैकत्वं यः—' इत्यादिना सैव संख्या ध्वन्यते। समर्थसूत्रभाष्य एव एकार्थीभावरूपं सामर्थ्यमपि कथितम्, यदाधारेण 'समर्थो यो नित्यम्—' इति प्रकृतवर्णनावतारः। एवञ्च यथोक्तभेदोदाहरणतास्य सिद्धेति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'परार्थ—' इस उदाहरण में 'समर्थः पदविधिः' इस पाणिनि-सूत्र से संबद्ध महाभाष्य के अर्थ का आरोप लौकिक अर्थ में हुआ है। कारण, उक्त सूत्र के महाभाष्य में 'अथ ये—अर्थात् जो समास को संपन्न करते हैं वे क्या कहते हैं' इस प्रकार से आरम्भ करके वृत्ति के विषय में जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्था नाम से दो पक्षों का निरूपण किया गया है। वहीं उपसर्जन (गौण=विशेषणीभूत) अर्थ में 'अभेदैकत्व' (अभेदबोधक एकत्व) संख्या होती है यह भी ध्वनित किया गया है। और महाभाष्य में ध्वनित इस अर्थ का स्पष्टीकरण भर्तृहरि ने भी अपने ग्रन्थ में किया है। उनका कथन है कि जिस तरह मधु (शहद) में मिला देने के बाद औषधियों के रस अपनी-अपनी शक्ति को मधु में रख छोड़ते हैं और सब मिल कर एकाकार हो जाते हैं विभक्त रूप में दृष्टिगोचर नहीं होते बस, उसी तरह की वह संख्या (अभेदैकत्वसंख्या) भी है।

उसी भाष्य में यह भी कहा गया है कि 'सामर्थ्य का तात्पर्य है 'एकार्थीभाव' (मिश्रितार्थ बोधनशक्ति)। अब आप देखें कि प्रकृत पद्य में ये सब शास्त्रीय अर्थ किस खूबी के साथ झलकते हैं।

तृतीयं भेदमुदाहर्तुमाह—

शास्त्रीये लौकिकस्य यथा—

शास्त्रसिद्धे व्यवहारे लौकिकस्य व्यवहारस्यारोपो यथेत्यर्थः।

शास्त्रीय व्यवहार में लौकिक व्यवहार का आरोप जैसे—।

उदाहरणं निर्दिशति—

'कृत्वा सूत्रैः सुगूढार्थैः प्रकृतेः प्रत्ययं परम्।
आगमान् भावयन् भाति वैयाकरणपुंगवः॥'

सुगूढार्थैः अतितिरोहितवाच्यार्थैः अथ च अतिगुप्तप्रयोजनैः, सूत्रैः पाणिन्यादिसूत्रैः अथ च सूचकविशेषैः, प्रकृतेः प्रातिपदिकादेः अथ च प्रजाजनस्य, परम् अग्रिमम् अथ च उत्कृष्टम्, प्रत्ययम् प्रत्ययसंज्ञकमानुपूर्वीविशेषम् अथ च विश्वासम् कृत्वा विधाय अथ च उत्पाद्य, आगमान् आगमसंज्ञकान् व्याकरणोक्तानुपूर्वीभेदान् शास्त्राणि वा अथ च धनागमान्, भावयन् विचारयन् अथ च साधयन्, वैयाकरणपुंगवः वैयाकरणश्रेष्ठः, व्यञ्जनया कश्चित् राजा च, भाति शोभत इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कृत्वा इति।

श्रेष्ठ वैयाकरण (व्यञ्जनया कोई राजा) 'सुगूढार्थ' (अत्यन्त गुप्त अर्थवाले—अत्यन्त गुप्त प्रयोजन वाले) 'सूत्रों' (पाणिनि आदि के सूत्रों—सूचनाओं) से 'प्रकृति' (प्रातिपदिक आदि—प्रजाओं) से—(के) 'पर' (आगे—अत्यन्त) 'प्रत्यय' (सुप्-तिङ् आदि प्रत्ययसंज्ञक+विश्वास) कर के 'आगम' (व्याकरणशास्त्रोक्त आगम संज्ञक अथवा शास्त्र—आय) की 'भावना करता हुआ' (विचार करता हुआ—सिद्ध करता हुआ) शोभित होता है।

उपपादयति—

अत्र राजव्यवहारस्य।

'कृत्वा—' इति श्लोके राज्ञो व्यवहारस्य शास्त्रीये व्यवहारे आरोप इति भावः।

उपपादान किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'कृत्वा सूत्रैः—' इस पद्य में राजा के व्यवहार का आरोप शास्त्रीय व्यवहार में हुआ है।

न्यूनतां परिहर्तुमाह—

एवं शास्त्रान्तरव्यवहारेऽपि बोध्यम्।

उक्तेषु उदाहरणेषु आरोपविषयतया आरोपविषयितया वा ये शास्त्रीया व्यवहारा उक्तास्ते वेदान्तशास्त्रसिद्धा व्याकरणशास्त्रसिद्धा वा सन्ति। एवं रीत्याऽन्यशास्त्रसिद्धा व्यवहारा अपि आरोपस्य विषया विषयिणो वा भवितुमर्हन्ति तदुदाहरणानि विस्तार-भियाऽनुक्तान्यपि विद्वद्भिः स्वयमुन्नेयानीति भावः।

स्पष्टीकरण किया जाता है—एवम् इत्यादि।

इसी तरह अन्यशास्त्रीय व्यवहार के विषय में भी समझना चाहिए। तात्पर्य यह कि अबतक जिस तरह वेदान्त शास्त्र-सिद्ध तथा व्याकरण शास्त्र-सिद्ध व्यवहार का अथवा व्यवहार में आरोप दिखलाया गया है, उसी तरह अन्यशास्त्रसिद्ध व्यवहार का अथवा व्यवहार में भी आरोप हो सकता है। यद्यपि उस तरह के उदाहरण नहीं दिखलाये गये हैं, पर विद्वानों को स्वयम् उस तरह के उदाहरणों का ऊह करना चाहिए।

अथ समासोक्तेर्व्यापकत्वं स्फुटयितुमाह—

इयं चालंकारान्तरेषु बहुध्वानुगुण्येन स्थिता।

अन्येष्वपि बहुष्वलंकारेषु समासोक्तिरनुकूलतया तिष्ठतीति भावः।

अब समासोक्ति की व्यापकता दिखलाने के लिये कहा जाता है—इयं च इत्यादि।

यह समासोक्ति बहुतेरे अन्य अलंकारों में भी अनुकूल रूप से स्थित रहती है।

तादृशान्युदाहरणानि दर्शयितुमाह—

स्पष्टम्।

जैसे—।

उदाहरणन्निर्दिशति—

'स्थितेऽपि सूर्ये पद्मिन्यो वर्तन्ते मधुपैः सह।
अस्तं गते तु सुतरां स्त्रीणां कः प्रत्ययो भुवि॥'

पद्मिन्यः कमलिन्यः अथ च लक्षणविशेषाचिता उत्तमनायिकाः, सूर्ये, स्थितेऽपि, मधुपैः-भ्रमरैः मद्यपायिपुरुषैश्च, सह, वर्तन्ते तिष्ठन्ति, तु पुनः, सूर्ये, अस्तं गते, सुतराम्,

तैः सह ताः तिष्ठन्ति स्थास्यन्ति वा । भुवि संसारे, स्त्रीणाम् नारीणाम्, कः, प्रत्ययः विश्वासः ? न ता विश्वासयोग्या, इति भावः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—स्थितेऽपि इत्यादि ।

सूर्य के स्थित रहने पर भी (दिन में भी) पद्मिनियाँ (कमललताएँ–उत्तम-नारियाँ) मधुपों (भ्रमरों+मद्यपायी पुरुषों) के साथ रहती हैं और अस्त हो जाने पर तो सुतराम् रहती हैं अथवा रहेंगी । स्त्रियों का संसार में विश्वास ही क्या ?

उपपादयति—

अत्र समर्थ्यत्वेन स्थितार्थान्तरन्यासानुगुण्यमाधत्ते ।

'स्थितेऽपि—' इति श्लोके यदि प्राक् समासोक्त्या व्यभिचारिण्या नायिकायाः प्रतीतिर्न स्यात्, तदा 'स्त्रीणां कः प्रत्ययो भुवि' इति समर्थनमसंगतमेव भवेदिति समर्थ्यतया स्थिता समासोक्तिः अर्थान्तरन्यासालंकारानुकूलतां भजत इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'स्थितेऽपि—'इस पद्य में 'पद्मिनी' 'मधुप' आदि पदों से नायिका और नायक का व्यवहार प्रतीत होता है, अतः प्रथम तीन चरणों में समासोक्ति है और वही समासोक्ति 'स्त्रीणाम् कः प्रत्ययो भुवि' इस चतुर्थचरण के द्वारा समर्थित होती है, अतः उस अंश में अर्थान्तरन्यास है, ऐसी स्थिति में वह समासोक्ति ही अर्थान्तरन्यास का अवसर उपस्थित करती है इसलिये कहा जाता है कि समासोक्ति यहाँ अर्थान्तरन्यास की अनुकूलता करती है ।

अपरमुदाहरणं वैचित्र्य-विशेषप्रतिपत्त्यर्थमुपन्यस्यति—

'उत्तमानामपि स्त्रीणां विश्वासो नैव विद्यते ।
राजप्रियाः कैरविण्यो रमन्ते मधुपैः सह ॥'

उत्तमानामपि सत्कुलप्रसूतानामपि स्त्रीणाम्, विश्वासः, नैव विद्यते निश्चितं नास्ति । राजप्रियाः राज्ञः चन्द्रस्य प्रियाः अथ च नृपप्रियाः, कैरविण्यः कुमुदिन्यः व्यञ्जनया नायिकाश्च, मधुपैः भ्रमरैः अथ च मद्यपायिभिः, सह, रमन्ते-क्रीडन्तीत्यर्थः ।

दूसरा उदाहरण दिखलाया जाता है—उत्तमानामपि ।

उत्तम (अच्छे कुल में उत्पन्न) स्त्रियों का भी विश्वास नहीं है । 'राजप्रिय' (चन्द्रमा की प्रिय–राजा की प्यारी) कुमुदिनियां (व्यञ्जनया स्त्रियाँ) मधुपों (भ्रमरों–मद्यपायियों) के साथ रमण करती हैं ।

उपपादयति—

इह समर्थकत्वेन ।

समर्थकत्वेनेति । स्थिता समासोक्तिः अर्थान्तरन्यासानुगण्यमाधत्ते इति शेषोऽत्र बोध्यः । अयं भावः—'उत्तमानामपि—' इति श्लोके सामान्यमर्थं प्रागुपादाय विशेषेण तत्समर्थनादर्थान्तरन्यासः । तत्र विशेषस्य समर्थकतासमासोक्तिमूलैव स्त्रीविशेषबोधस्य तदायत्तत्वात् । इति ।

उपपादन किया जाता है—इह इत्यादि ।

'उत्तमानामपि—' इस पद्य में समर्थक रूप में स्थित समासोक्ति अर्थान्तरन्यास के लिये अनुकूल है । तात्पर्य यह कि—यहां पूर्वार्ध में वर्णित सामान्य अर्थ का समर्थन उत्त-

रार्ध से तभी होता है जब 'राजप्रिया' आदि विशेषण की समता से स्त्रीविशेष का व्यवहार अवगत किया जाता है।

समासोक्तेः अर्थान्तरन्यासातिरिक्तालंकारानुगुण्यमुपदर्शयितुमुदाहरति—

'व्यागुञ्जन्मधुकरपुञ्जमञ्जुगीतामाकर्ण्य स्तुतिमुदयत्त्रपातिरेकात्।
आभूमीतलनतकन्धराणि मन्येऽरण्येऽस्मिन्नवनिरुहां कुटुम्बकानि ॥'

वनवर्णनमिदम्—अस्मिन्, अरण्ये वने, अवनिरुहाम् वृक्षाणां, कुटुम्बकानि समूहाः, व्यागुञ्जताम् गुञ्जनं कुर्वताम्, मधुकराणां भ्रमराणाम्, पुञ्जेन समूहेन, मञ्जु रमणीयं यथा स्यात्तथा, गीताम् उच्चारितामिति यावत्, स्तुतिम् प्रशंसावाक्यानि, आकर्ण्य श्रुत्वा, उदयत्त्रपातिरेकात् उत्पाद्यमानलज्जाधिक्यात्, आभूमीतलनतकन्धराणि धरातलपर्यन्तम् नम्रीभूतमस्तकानि सन्तीति मन्ये इत्यर्थः।

अब समासोक्ति की अर्थान्तरन्यास से अन्य अलंकार में अनुकूलता दिखलाने के लिये एक उदाहरण उपस्थित किया जाता है—व्यागुञ्जत् इत्यादि। वन का वर्णन करते हुए कवि का कथन है—इस वन में तरुओं का समूह, मानों गूँजते हुए भ्रमर-समूह द्वारा सुन्दरता पूर्ण ढङ्ग से गाई गई स्तुति को सुन कर उत्पन्न होती हुई लज्जा की अधिकता से अपनी गर्दनों को पृथिवीतल तक झुकाए हुए हैं।

उपपादयति—

अत्र हि परकृतनिजस्तुत्याकर्णनकंधरानमनादिविशेषणसाम्योत्थापितया समासोक्त्या सज्जनव्यवहाराभिन्नतया स्थित एव तरुव्यवहारे भूशाखासंबन्धाभेदाध्यवसितमस्तकमूलनमननिमित्तोत्थापिता त्रपारूपहेतूत्प्रेक्षा संभवति। अन्यथा कितवकृतग्रीवानमनस्यापि त्रपोत्थापकतापत्तेः। इत्युत्प्रेक्षानुगुणा समासोक्तिः।

स्थित इति। सप्तम्यन्तमिदम्। अन्यथेति। तरुव्यवहारस्य सज्जनव्यवहाराभिन्नतयास्थितत्वाभाव इत्यर्थः। कितवो धूर्तः। अयं भावः—'व्यागुञ्जन्—' इति श्लोके तरुव्यवहारे त्रपाया हेतुत्वमुत्प्रेक्षितम्, इयं चोक्तनिमित्ता हेतूत्प्रेक्षा, निमित्तञ्च भूशाखासंवन्धाभेदाध्यवसितं मस्तकमूलनमनम्। अस्याश्चोत्प्रेक्षाया यद्यपि स्वतः संभवो नास्ति, तरुषु त्रपाया भद्रजनधर्मभूताया असंभवात्, तथापि परकृतस्तुत्याकर्णनादिविशेषणसाम्यमूलकसमासोक्त्या तरुव्यवहारः सज्जनव्यवहाराभिन्नतया स्थाप्यत इति तथा संभवः। यदि अत्र समासोक्तिर्न स्यात्, तन्मूलकः तरुव्यवहारे सज्जनव्यवहाराभेदो न सिद्ध्येत्, तदा त्रपारूपहेतूत्प्रेक्षा न संभवेत्, सज्जने एव त्रपाया दृष्टत्वात्, अत एव धूर्तजनाभिनीतग्रीवानमनादिव्यापारान्न त्रपाप्रतीतिः। एवञ्च सिद्धमिह समासोक्तेरुत्प्रेक्षानुकूलत्वमिति।

तात्पर्य यह है कि—'व्यागुञ्जन्—' इस पद्य में वृक्ष व्यवहार के हेतु रूप में लज्जा की उत्प्रेक्षा की गई है, इस उत्प्रेक्षा का निमित्त भी यहाँ 'कन्धरानमन' रूप में उक्त है, यद्यपि तरु में कन्धरानमन भी संभव नहीं है, क्योंकि वह चेतन धर्म होने के कारण तरु में बाधित है, तथापि पृथिवी तथा वृक्ष-शाखाओं के संयोग में मस्तकमूल (कन्धरा) के नमन का अभेदाध्यवसाय होने से वैसा संभव होता है। अब प्रश्न उठता है कि

यह उत्प्रेक्षा होगी कैसे ? क्योंकि लज्जा, चेतन उस पर भी सज्जन का धर्म है, इस का उत्तर है कि यहाँ दूसरे के द्वारा की गई स्तुति का श्रवण और कन्धरा-(गरदन) नमन आदि विशेषणों की समता से समासोक्ति का उत्थान होता है और उस समासोक्ति के बल से वृक्ष का व्यवहार सज्जन के व्यवहार से अभिन्न कर दिया जाता है। आप कहेंगे कि तरुव्यवहार में सज्जन-व्यवहार का अभेद लज्जा की उत्प्रेक्षा के लिये क्यों आवश्यक समझा जाय ? तो इस का समाधान यह है कि—सज्जन के ग्रीवानमन आदि व्यापार ही लज्जा के उत्थापक हो सकते हैं। यदि ऐसी बात न हो तब तो धूर्त पुरुषकृत ग्रीवा-नमन आदि का अभिनय भी लज्जा का उत्थापक हो जाय, जो होता नहीं, जिसका प्रमाण सहृदयों का अनुभव है। इस तरह सिद्ध हुआ कि यहाँ समासोक्ति उत्प्रेक्षा की अनुकूलता करती है।

पुनः समासोक्तिमूलामुत्प्रेक्षामेव दृढप्रतिपत्त्यर्थमुदाहरति—

एवम्—

'राज्याभिषेकमाज्ञाय शम्बरासुरवैरिणः।
सुधाभिर्जगतीमध्यं लिम्पतीव सुधाकरः॥'

इत्यत्रापि स्वामिसेवकव्यवहारमूला सुधालेपनोत्प्रेक्षा।

एवमिति। पूर्वोक्तरीत्येत्यर्थः। 'राज्याभिषेक—' इति। सुधाकरः चन्द्रः (पर्यायान्तरमनुपादाय सुधाकरपदोपादानेन तस्मिन् सुधाकरणकलेपनयोग्यता सूच्यते) शम्बरासुरवैरिणः कामदेवस्य, राज्याभिषेकम् राजपदलाभोत्सवविशेषम्, आज्ञाय विदित्वा, जगतीमध्यम् पृथिवी-व्योम-मध्यभागम्, सुधाभिः लेपनचूर्णैः अथ चामृतैः, लिम्पतीवेत्यर्थः। उपपादयति—इत्यत्रापीत्यादिना। अत्रापि शुद्धसाधारणविशेषणसाम्यसमुत्थापितया समासोक्त्या कामदेवचन्द्रव्यवहारे स्वामिसेवकव्यवहाराभेदः प्रतीयते यतः, अत एव सुधालेपनोत्प्रेक्षायाः संभवः, अन्यथा तदसंभव एव काम-सुधाकरयोः सर्वथाऽसंबद्धत्वादिति भावः।

पुनः समासोक्तिमूलक उत्प्रेक्षा का ही एक और उदाहरण दिखलाया जाता है—एवम् इत्यादि।

इसी तरह (पूर्वोक्तरीति से) 'राज्याभिषेक—अर्थात् कामदेव के राज्याभिषेक को जानकर, मानो, चन्द्रमा सुधाओं से पृथ्वी के मध्य को पोत रहा है।' यहाँ भी स्वामी तथा सेवक व्यवहार जिस का मूल है ऐसी सुधा-लेपन की उत्प्रेक्षा होती है। तात्पर्य यह कि 'राज्याभिषेक–' इस पद्य में भी पूर्व की तरह शुद्ध साधारण विशेषण के बल से उठाई गई समासोक्ति के द्वारा काम और चन्द्र के व्यवहार में स्वामी तथा सेवक के व्यवहार का अभेद सिद्ध होता है और इसी लिये सुधा-लेपन की उत्प्रेक्षा संभव होती है, यदि समासोक्ति नहीं होती तब यह उत्प्रेक्षा भी नहीं हो सकती, क्योंकि चन्द्रमा और कामदेव परस्पर असंबद्ध ही रहते। समासोक्ति द्वारा तो वे सेवक और स्वामी के रूप में संबद्ध हो जाते हैं।

समासोक्तिविचारमुपसंहरन्नाह—

अमुयैव दिशा अचेतनव्यवहारे प्रकृते चेतनव्यवहारसंबन्धिस्वरूप-हेतु-फलोत्प्रेक्षायाम्, चेतनव्यवहारे प्रकृते चाचेतनव्यवहारसंबन्धिस्वरूप-हेतु-फलोत्प्रेक्षायां च समासोक्तिरेव मूलम्।

दिशा रीत्या । स्वरूपहेत्विति । स्वरूपहेतुफलानां त्रयाणामुत्प्रेक्षायामित्यर्थः । एवमग्रेऽपि । अन्यत्स्पष्टम् ।

समासोक्ति विचार का उपसंहार किया जाता है—अमुयैव इत्यादि।

इसी (पूर्वोक्त) रीति से अचेतन का व्यवहार प्रकृत होने पर चेतन व्यवहार में संबन्ध रखने वाली स्वरूपोत्प्रेक्षा हेतूत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा में और चेतन का व्यवहार प्रकृत रहने पर अचेतन-व्यवहार से संबन्ध रखने वाली उक्त तीनों ही उत्प्रेक्षाओं में समासोक्ति ही मूल होती है ।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे समासोक्तिप्रकरणम् ।

रसगङ्गाधरगतसमासोक्त्यलंकारनिरूपणं समाप्तं बोध्यमिति भावः ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां समासोक्तिप्रकरणम् ।

समासोक्तिनिरूपणानन्तरं परिकरालङ्कारनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथ परिकरः—

परिकरालंकारो निरूप्यतयाऽऽरब्धो वेद्य इति भावः ।

समासोक्ति-निरूपण के बाद अब 'परिकर' अलंकार का निरूपण आरब्ध समझना चाहिए।

तल्लक्षणं तावद् विधत्ते—

विशेषणानां साभिप्रायत्वं परिकरः ।

वर्णनीयपदार्थानां विशेषणानि यत्र साकूतानि तत्र परिकरालंकारो भवतीति भावः ।

सर्वप्रथम परिकर अलंकार का लक्षण (परिभाषा) किया जाता है—विशेषणानामित्यादि ।

विशेषणों की साभिप्रायता को परिकरालङ्कार कहते हैं ।

साभिप्रायत्वपदार्थं स्फुटयति—

तच्च प्रकृतार्थोपपादकचमत्कारिव्यङ्ग्यकत्वम् ।

तच्चेति । साभिप्रायत्वञ्चेत्यर्थः । प्रकृतार्थस्य वर्णनीयवस्तुनः, उपपादकम् उपस्कारकम् निष्पादकं वा चमत्कारि सहृदयहृदयाह्लादि व्यङ्ग्यम् येषाम् तादृशत्वमिति भावः ।

'साभिप्रायत्व' शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जाता है—तच्च इत्यादि ।

'साभिप्रायता' का तात्पर्य है—वर्णनीय अर्थ को उपपन्न करने वाले चमत्कारी व्यङ्ग्य से युक्त होना-अर्थात् उन विशेषणों को साभिप्राय कहा जायगा जिनसे वर्णनीय वस्तु को संगत बनाने वाले अथवा पुष्ट करने वाले कुछ सुन्दर व्यङ्ग्य अर्थ निकलते हों,

व्यङ्ग्यार्थगर्भितसाभिप्रायत्वनिर्वचनफलमाह—

अत एवास्य हेत्वलंकाराद्वैलक्षण्यम्, तत्र व्यङ्ग्यस्यानावश्यकत्वात् ।

अत एवेत्यस्यार्थमाह—तत्रेति । हेत्वलङ्कार इत्यर्थः । हेत्वलङ्कारे व्यङ्ग्यस्थितिर्नावश्यकी, परिकरे तु साऽऽवश्यकीति तयोर्भेद इति भावः । प्रकृतार्थोपपादकेतिध्वनावतिव्याप्तिनिरासाय, विशेषणेतिपरिकराङ्कुरेऽतिव्याप्तिवारणायेत्यपि बोध्यम् ।

'साभिप्रायत्व' के अन्दर 'व्यङ्ग्य' के निवेश का फल सूचित किया जाता है—अत एव इत्यादि ।

जिस लिये 'साभिप्राय' कह कर परिकर में विशिष्ट प्रकार के व्यङ्ग्य अर्थ की स्थिति आवश्यक कर दी गई इसीलिये 'हेतु' अलङ्कार से इस की (परिकरालङ्कार की) विलक्षणता सिद्ध होती है। अर्थात् 'हेतु' अलङ्कार में व्यङ्ग्य का रहना आवश्यक नहीं है और 'परिकर' अलङ्कार में उस का रहना आवश्यक है, अतः दोनों में अन्तर स्पष्ट है।

स्फुटीकरोति—

उपपादकता चोपस्कारक-निष्पादक-साधारणी।

व्यङ्ग्यस्य प्रकृतार्थोपपादकत्वं द्विधा संभवति प्रकृतार्थपोषकत्वेन प्रकृतार्थसंपादकत्वेन। तत्र द्विविधमपि उपपादकत्वं प्रकृते ग्राह्यमिति भावः।

एक स्पष्टीकरण किया जाता है—उपपादकता इत्यादि।

'प्रकृतार्थोपपादक' इस अंश में जो 'उपपादक' पद आया है उसके दो अर्थ हो सकते हैं—एक उपस्कारक अर्थात् पोषक और दूसरा निष्पादक-अर्थात् संपादक। ये दोनों ही अर्थ यहाँ ग्राह्य हैं। तात्पर्य यह कि परिकर में विशेषणों से अवगत होने वाले व्यङ्ग्य कहीं ऐसे होगें जो वर्णनीय अर्थ का पोषणमात्र करेगें-अर्थात् उनके विना भी वर्णनीय अर्थ सिद्ध हो सकेंगे—संगत दीख पड़ेगें और कहीं वे ऐसे होगें जो वर्णनीय अर्थ का संपादन ही करेंगे-अर्थात् उन के विना वर्णनीय अर्थ की सिद्धि-संगति ही नहीं हो सकेगी।

व्यङ्ग्यसत्त्वेऽपि नात्र ध्वनिव्यपदेशविषयतेत्याह—

व्यङ्ग्यस्य गुणत्वाच्च न ध्वनित्वं व्यपदिश्यते।

परिकरालङ्कारे व्यङ्ग्यस्य वर्तमानस्यापि प्रकृतार्थोपपादकतया गुणीभूतत्वेन न ध्वनिव्यवहारप्रयोजकतेति भावः।

व्यङ्ग्य अर्थ की स्थिति निश्चित होने पर ध्वनि क्यों नहीं मानी जाय? अर्थात् ध्वनि में ही गतार्थ वस्तु को लेकर यह एक अभिनव अलङ्कार 'परिकर' क्यों माना जाय? इसका उत्तर दिया जाता है—व्यङ्ग्यस्य इत्यादि। अभिप्राय यह है कि 'परिकर' में व्यङ्ग्य अर्थ रहता जरूर है, पर रहकर भी वह पकृतार्थोपपादक होने से गौण होता है, प्रधान नहीं, अतः ध्वनि का व्यवहार यहाँ नहीं किया जा सकता।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्।

जैसे—।

उदाहरणन्निर्दिशति—

'मन्त्रैर्मीलितमौषधैर्मुकुलितं त्रस्तं सुराणां गणैः
स्रस्तं सान्द्र-सुधारसैर्विदलितं गारुत्मतग्रावभिः।
वीचि-क्षालित-कालियाहितपदे स्वर्लोककल्लोलिनि
त्वं तापं तिरयाधुना भव-भय-व्यालावलीढात्मनः॥'

भक्तो गङ्गां प्रार्थयते—मन्त्रैः तान्त्रिकैर्वैदिकैर्वा वाक्यविशेषैः, मीलितम् निमीलितम्, औषधैः, मुकुलितम् म्लानैर्जातम्, सुराणां गणैः देववृन्दैः, त्रस्तम् त्रासग्रस्तैर्भूतम्, सान्द्रसुधारसैः, सघनामृतद्रवैः, स्रस्तम् निश्च्युतम्, गारुत्मतग्रावभिः गारुडमणिभिः,

विदलितम् भङ्गोऽनुभूतः। विष-ज्वाला-प्रशमनकारितया प्रथिता एते पदार्था मदीय-विलक्षण-विषज्वालादूरीकरणेऽसमर्था अभुवन्निति भावः। अतः वीचिभिः तरङ्गैः क्षालिते धौते, कालियाहितस्य कालियनागशत्रोः भगवतः श्रीकृष्णस्य, पदे चरणौ, यया तादृशि!, हे स्वर्लोककल्लोलिनि स्वर्गङ्गे!, अधुना तेषामसमर्थत्वे, त्वम् त्वमेव, भवभयव्यालावलीढात्मनः संसारभयरूपसर्पदष्टमर्मणः, ममेति शेषः, तापम् विषज्वालाम्, तिरय शमयेत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—मन्त्रैः इत्यादि।

भक्त गङ्गा से प्रार्थना करता है—मन्त्रों ने आँखे मूँद लीं, औषधियाँ कुम्हला गईं, देव समूह डर गये, सघन सुधा के रस बह गये और गारुड मणियाँ टूट-फूट गईं—अर्थात् ये सब पदार्थ, विष-ज्वाला की शान्ति करने में यद्यपि प्रसिद्ध हैं, पर मेरे विलक्षण विष-ताप को शान्त करने में सर्वथा असमर्थ सिद्ध हुए। अतः, अब, हे तरङ्गों से कालिय नाग के शत्रु भगवान् कृष्ण-के चरणों को धोने वाली! स्वर्गङ्गे!! भव-भय रूप सर्प से जिसका हृदय ग्रस्त हो गया है ऐसे मेरे ताप को आप ही दूर करो।

उपपादयति—

अत्रात्मनो भागीरथीकर्तृकस्य भवव्यालदंशजनिततापदूरीकरणस्याशंसनं हि वाक्यार्थः। तत्र भगवत्या भवतापनाशिकात्वस्य सुप्रसिद्धत्वात्परिणामेन भवरूपविषयतादात्म्यापत्त्या व्यालजनितसंतापनाशिकात्वं तावत्सूपपादमेव। 'स्थास्नुजङ्गमसंभूतविषहन्त्र्यै नमो नमः' इत्याद्यागमबलाच्च विषयतादात्म्यं विनापि शुद्ध-व्याल-जनित-संताप-नाशिकात्वमपि स्वभावसिद्धमेव। एवं वाच्यार्थस्य सत्यामपि निष्पत्तौ सौन्दर्यविशेषाधानाय साकूतं विशेषणं वीचिक्षालितेत्यादि। अत्र नामान्तरस्य सत्त्वेऽपि कालियाहितशब्दोपादानसामर्थ्याद्भगवतश्चरणे फणागणनृत्यनिःसारीकृतकालिये लोकोत्तरविषहरणशक्तिरुत्पत्तिसिद्धैवासीत्। सा च तयोर्वीचिभिः क्षालनाद् गङ्गायां स्वाश्रयरेणुद्वारा संक्रान्तेति गम्यते। न च शक्तेः पूर्वमेव क्षालनात्कथं चरणेनार्वाक्कालियस्य विषहरणं शक्तिरहितेन संभवतीति वाच्यम्। क्षालितावशिष्टा लेशरूपा शक्तिश्चरणे काचित्स्थितासीत् यया संप्रति कालियस्य विषमहारीत्यप्याकूतान्तर्गतमेवेति नानुपपत्तिः। एवं हि वाच्योपस्कारकतयात्र गुणीभावः, न वाच्यसिद्ध्यङ्गतया।

अत्रेति। 'मन्त्रैः–' इति श्लोक इत्यर्थः। आत्मन इति। स्वस्येत्यर्थः। अस्य 'भवव्यालजनितताते'ऽन्वयः। सापेक्षत्वेऽपि नित्यसाकांक्षत्वेन समासः। 'प्रार्थने लोट्' इत्याशयेनाह—आशंसनमिति।

तत्रेति। तस्मिन् वाक्यार्थ इत्यर्थः। परिणामेनेति। परिणामालंकारेणेत्यर्थः। तथा च 'भव-भय-व्याल' इत्यत्र परिणामालंकारो न तु रूपकालंकार इति भावः। एवञ्चात्र मयूरव्यंसकादित्वात्समासो बोध्यः। तादात्म्यापत्त्येति। व्यालरूपविषयिणीति शेषः। स्थास्न्विति। अचरेत्यर्थः। जङ्गमेति। चरेत्यर्थः। संभूतेति। संजातेत्यर्थः। आगमेति। पुराणेत्यर्थः। सौन्दर्यविशेषाधानायेति। सौन्दर्यविशेष-

सम्पादनायेत्यर्थः। साकूतम् साभिप्रायम्। नामान्तरेति। वीचिक्षालितवासुदेवचरणे इत्यादेरित्यर्थः। फणागणनृत्येति। फणागणे नृत्येन निस्सारीकृतः (निर्विषीकृतः) कालियः (तन्नामकः सर्पविशेषः) येन तस्मिन्निति भावः। सा चेति। शक्तिश्चेत्यर्थः। तयोरिति। चरणयोरित्यर्थः। स्वाश्रयेति। स्वशब्देन विषनाशनशक्तिः परामृश्यते। तथा च विषनाशनशक्त्याश्रयो यो रेणुसमूहस्तद्द्वारेत्यर्थः। शङ्कते—न चेति। पूर्वमेवेति। कृष्णावतारात्प्रागेवेत्यर्थः। अर्वागिति। कृष्णावतारानन्तरमित्यर्थः। समाधत्ते—क्षालितावशिष्टेति। उपसंहरति—एवं हीति। प्रकारान्तरेण सिद्धस्य व्यालगरलनाशिकात्वस्य विशेषणेन पोषणे हीत्यर्थः। सारांशः सरल एवेति नोल्लेखमपेक्षते।

उपपादन किया जाता है—अन्त्रात्मेत्यादि।

'मन्त्रैः—' इस पद्य में 'भागीरथी द्वारा संसार सर्प के डसने से उत्पन्न अपने ताप के दूर करने की आशंसा (चाहना)' वाक्यार्थ है। उसमें भगवती गंगा की भव-ताप-नाशकता परम प्रसिद्ध है, अतः 'परिणामालंकार' द्वारा सर्परूप 'विषयी' में भवरूप विषय का तादात्म्य हो जाने के कारण सर्प से उत्पन्न संताप का नाशक होना सहज ही सिद्ध किया जा सकता है।

और यदि 'परिणामालंकार' द्वारा सर्प में संसार का तादात्म्य न भी माना जाय, तथापि शुद्ध-सर्पोत्पन्न संताप-नाशकता भी गङ्गा में स्वभावतः सिद्ध है, क्योंकि पुराणों में गङ्गा की स्तुति करते हुए पुराणकारों ने कहा है कि 'स्थावर तथा जङ्गमों से उत्पन्न विष का हरण करने वाली आपको नमस्कार है'।

इस तरह हे गङ्गे! आप मेरे भव-सर्प-दंश-जन्य-ताप को शान्त करें। इस वाच्यार्थ की सिद्धि हो जाने पर भी जो 'वीचिक्षालितकालियाहितपदे' यह साभिप्राय विशेषण कहा गया है वह सौन्दर्य-विशेष की संपत्ति के लिए। उक्त विशेषण की साभिप्रायता क्या है? इसको अब समझिये—भगवान् कृष्ण चन्द्र के बहुत से नाम हैं अन्य नाम से भी विशेषण तैयार किया जा सकता था, जैसे—'वीचिक्षालितवासुदेवचरणे' ऐसा भी कहा जा सकता था, फिर जो 'कालियाहित (कालियनाग के शत्रु)' इस भगवन्नाम से ही विशेषण तैयार किया गया है उससे यह विदित होता है कि फणसमूह पर नृत्य करने से कालियनाग को निस्सार (निर्विष) बना देने वाले भगवच्चरण में विषहरण की जो लोकोत्तर शक्ति वर्तमान थी वह गङ्गा में उन भगवच्चरणों को तरङ्ग से धोने के कारण विष-हरण-शक्ति के आश्रयीभूत धूलि के संक्रमण द्वारा संक्रान्त हुई।

यदि यहाँ यह शंका की जाय कि भगवच्चरणगत विष-हरण-शक्ति को तो बहुत पहले ही—अर्थात् कृष्णावतार से पूर्वकालिक अवतार में ही, गङ्गा ने धो डाला फिर कृष्णावतार में शक्ति रहित भगवच्चरण द्वारा कालिय नाग के विष का हरण कैसे संभव होगा तो इसके उत्तर में यह कहा जायगा कि 'धुल जाने से अवशिष्ट कुछ विषहरण-शक्ति लेश रूप से भगवच्चरण में बची हुई थी जिससे कृष्णावतार में कालिय नाग के विष का हरण हुआ' यह भी यहाँ उक्त विशेषण के अभिप्राय में ही समाविष्ट है, अतः किसी तरह की अनुपपत्ति नहीं हो सकती। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि यहाँ वाच्य अर्थ (गङ्गा से संसार-सर्प-जन्य संताप को दूर करने की प्रार्थना) जब उक्त विशेषण के बिना भी सिद्ध है तब उक्त विशेषण से अवगत होने वाला अभिप्राय (व्यङ्ग्य अर्थ) यहाँ केवल वाच्यार्थ का पोषक होने के नाते गौण है, न कि वाच्यार्थ की सिद्धि में अङ्ग

होने के नाते। तात्पर्य यह कि यह पद्य प्रकृतार्थोपस्कारक चमत्कारी व्यङ्ग्य का उदाहरण है, प्रकृतार्थनिष्पादक व्यङ्ग्य का नहीं।

उदाहरणान्तरन्निर्देष्टुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्—।

अथवा जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'मद-काम-विमोह-मत्सरा रिपवस्त्वत्पुर एव तावकम्।
धृतशार्ङ्गगदारिनन्दक प्रतिकर्षन्ति कथं न वीक्षसे॥'

विष्णुं प्रति भक्तस्योक्तिः—हे धृतशार्ङ्गगदारिनन्दक! (शार्ङ्गम् धनुः, गदा कौमोदकी, अरि चक्रम्, नन्दकः खड्गम्, एषां द्वन्द्वे ते धृता येनेति बहुव्रीहौ सम्बोधनपदमेतत), त्वत्पुर एव तवाग्र एव, मदकामविमोहमत्सराः तत्तन्नामका मनोविकाराः, रिपवः, शत्रवः, तावकम् त्वदीयं जनम्, प्रतिकर्षन्ति, त्वम्, कथं न, वीक्षसे पश्यसि? इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—मद इत्यादि।

हे शार्ङ्गधनुष, कौमोदकी गदा, सुदर्शन चक्र और नन्दक खड्ग के धारण करने वाले! आप के सामने ही, मद काम, मोह और मत्सर नामक शत्रु आप के जन को खींच रहे हैं, आप देख क्यों नहीं रहे हैं।

उपपादयति—

अत्राप्युपेक्षा नौचित्यस्य तावकशब्दप्रतिपादितेन स्वामिभृत्यभावेनैव निष्पन्नशरीरस्य प्रकर्षकम् धृतशार्ङ्गेत्यादिविशेषणममोघशस्त्रास्त्रसम्पन्नस्य समक्षमेव रिपुभिः कृष्यमाणं दासमुपेक्षमाणस्याकीर्तिर्भवित्री तवेत्याकूतगर्भम्।

अयं भावः—'मद-काम—' इत्यत्र स्वामिकृतायाः सेवकदुःखोपेक्षाया अनौचित्यं वाक्यार्थः। स च तावकपदप्रतिपादितेन स्वामि-सेवकभावेन केवलेन सिद्ध इति तस्य पोषकमात्रम् 'धृतशार्ङ्गे'त्यादिर्विशेषणतो ज्ञायमानम् 'अमोघशस्त्रास्त्रसम्पन्नतया समर्थस्य तवाकीर्तिकरम् समक्षमेव शत्रुकर्तृकदासकर्मककर्षणस्योपेक्षणम्' इति व्यङ्ग्यम्। एवञ्चेद-मपि पूर्वोक्तपरिकरभेदस्यैवोदाहरणमिति।

उपपादन किया जाता है—अत्रापि इत्यादि।

'मदकाम—'इस पद्य में भी स्वामी के द्वारा की जाने वाली सेवक के कष्ट की उपेक्षा का अनौचित्य वाक्यार्थ है जिसका शरीर (स्वरूप) केवल 'तावक' इस मूलगत शब्द द्वारा प्रतिपादित 'स्वामिसेवक' भाव से बन जाता है अर्थात् उसकी सिद्धि में किसी व्यङ्ग्यार्थ की अपेक्षा नहीं है, अतः 'धृतशार्ङ्ग–' इत्यादि विशेषण उक्त वाक्यार्थ का पोषक मात्र है, साधक नहीं और उस विशेषण के गर्भ में यह आकूत (अभिप्राय) भरा है कि आप अमोघ अस्त्र-शस्त्रों से युक्त हैं, अतः अपने सेवकों की रक्षा करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर यदि आप अपनी आँखों के सामने ही शत्रुओं द्वारा खिचाते हुए सेवक की उपेक्षा करेंगे तो आपकी बड़ी अकीर्ति होगी। फलतः यह पद्य भी प्रकृतार्थपोषक व्यङ्ग्यार्थ युक्त विशेषणात्मक परिकर का उदाहरण है।

दोषाभावरूपतया गतार्थत्वात्परिकरो नालंकार इत्याक्षेपमुत्थापयति—

ननु निष्प्रयोजनविशेषणोपादानेऽपुष्टार्थदोषस्योक्तत्वात्सप्रयोजनविशेषणं दोषाभावमात्रं कष्टत्वाद्यभाववद्भवितुमर्हति, न त्वलंकार इति ।

अपुष्टार्थेति । अपुष्टार्थत्वेत्यर्थः । तथा चात्रत्यापुष्टार्थशब्दे 'अपुष्टोऽर्थः' इति कर्मधारयो, न तु 'अपुष्टोऽर्थो यत्रे'ति बहुव्रीहिरिति बोध्यम् । कष्टत्वाद्यभाववदिति; कष्टत्वाद्यभावो यथा दोषाभावमात्रम्, न त्वलंकारस्तथेत्यर्थः । अन्यत् सुगमम् ।

'परिकर' अलंकार नहीं, अपितु केवल दोष का अभाव है इस शङ्का का उत्थान अब किया जाता है—ननु इत्यादि ।

अब यहाँ शङ्का यह उठती है कि जब प्रयोजन-विहीन विशेषण के ग्रहण में 'अपुष्टार्थता' नामक दोष बताया गया है. तब तो प्रयोजनयुक्त विशेषण का होना केवल दोष का अभाव है, अतः वह 'कष्टत्व' आदि अन्य दोषों के अभाव की तरह दोष का अभाव मात्र हो सकता है, अलंकार नहीं ।

विमर्शिनीकाराभिमतमुक्ताक्षेपसमाधानमुद्धृत्य खण्डयति—

अत्र विमर्शिनीकारादय आहुः—'विशेषणानां बहुत्वमत्र विवक्षितम् । साभिप्रायविशेषणबहुत्वकृत एव चात्र वैचित्र्यातिशयः । एकविशेषणं तु दोषाभावमात्रस्यावकाशः' इति । तदसत् । विशेषणानेकत्वं हि व्यङ्ग्याधिक्याधायकत्वाद्वैचित्र्यविशेषाधायकमस्तु नाम, न तु प्रकृतालंकारशरीरमेव तदिति शक्यं वक्तुम् । 'वीचिक्षालितकालियाहितपदे' इति प्रागुक्ते एकस्यैव विशेषणस्य चमत्कारिताया अनपह्नवनीयत्वात् ।

> 'अयि लावण्यजलाशय तस्या हा हन्त मीननयनायाः ।
> दूरस्थे त्वयि किं वा कथयामो विस्तरेणालम् ॥'

अत्रैकैकविशेषणमात्रेणैव सकलवाक्यार्थसंजीवनाच्च ।

अत्रेति । परिकरलक्षण इत्यर्थः । चो हेतौ । अत्र परिकरे । यत्र साभिप्रायाणि बहूनि विशेषणानि स्युस्तत्र परिकरालंकारः । यत्र तु साभिप्रायमेकं विशेषणं तत्रापुष्टार्थत्वदोषाभावमात्रमितिविमर्शिनीकारादेरभिप्रायः । खण्डयति—तदसदिति । तत्त्वे हेतुमाह—विशेषणानेकत्वं हीति । हि यतः । तत् विशेषणानेकत्वम्, अनपह्नवनीयत्वादिति । अनपलपनीयत्वादित्यर्थः । 'अयि लावण्य—' इति । नायिकावृत्तान्तं नायकं प्रति कश्चिदाह—अयि हे लावण्यजलाशय सौन्दर्यसमुद्र, त्वयि, दूरस्थे असन्निहिते सति, हा हन्त महाखेदस्य विषयः, मीननयनाया मीनाक्ष्याः, तस्याः त्वत्प्रेयस्याः, (प्राणा जिगमिषन्तीति हृदयस्थमेतत्) वा अथवा, किं कथयामः किं वच्मः, विस्तरेण विस्तारपूर्वककथनेन, अलम् व्यर्थम् इत्यर्थः । अत्राक्षेपालंकारः सर्वसम्मतः, ग्रन्थकृन्मतेन परिकरालंकारोऽपि । वक्तव्यमाह—अत्रैकैकेति । 'लावण्यजलाशय' इत्येकेन नायकविशेषणेन 'मीननयनायाः' इत्येकेन नायिकाविशेषणेन चेत्यर्थः । संजीवनाच्चेति । त्वं लावणजलाशयः, सा च मीननयना । एवञ्च जलाशयमीनयोर्यादृशः संबन्धस्तादृश एव तव तस्याश्च मिथः संबन्धः । फलतो यथा जलाशयो मीनं विनापि स्थातुमलम्, मीनस्तु जलाशयं विना क्षणमपि जीवितुं न क्षमते

तथैव त्वं तां विना स्वस्थस्तिष्ठतु नाम परन्तु सा त्वां विना म्रियेतैवेत्यभिप्रायविशेषबोधक-मेकमेकं विशेषणमेव समग्रवाक्यार्थानुप्राणकम्, तथा चैकस्यापि विशेषणस्य साभिप्रायत्वे स्वीकर्तव्य एव परिकर इति न युक्तं विमर्शिनीकारादीनां समाधानमिति भावः।

विमर्शिनीकार आदि के द्वारा कथित उक्त शङ्का के समाधान को उद्धृत कर खण्डित किया जाता है—अत्र इत्यादि।

यहां (साभिप्राय विशेषण अपुष्टार्थता दोष का अभावमात्र है, अलंकार नहीं इस शङ्का के उत्तर में) विमर्शिनीकार आदि कहते हैं कि परिकरालंकार के लक्षण में विशेषणों की अनेकता अभीष्ट है, इस परिकरालंकार में अभिप्राययुक्त विशेषणों की अनेकता से ही विचित्रता (चमत्कार) का अतिशय होता है। अपुष्टार्थता दोषाभावमात्र का अवकाश तो साभिप्राय एक विशेषणवाले स्थल पर हो जाता है। तात्पर्य यह कि वैचित्र्य का अतिशय ही अलंकारत्व का मूल है और वह होता है साभिप्राय अनेक विशेषणों की स्थिति में, अतः वैसी स्थिति में परिकरालंकार माना जायगा और जहां साभिप्राय विशेषण एक ही होगा, वहाँ वैचित्र्यातिशय के अभाव होने से परिकर नहीं होगा किन्तु अपुष्टार्थता दोष का अभावमात्र समझा जायगा। पर यह कथन ठीक नहीं है। कारण, साभिप्राय विशेषणों की अनेकता, अधिक व्यङ्ग्यार्थ को प्रकट करने के कारण, वैचित्र्याधिक्य का सम्पादन भले हो करे, पर परिकरालंकार का स्वरूप वही (साभिप्राय विशेषणों की अनेकता) है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 'वीचिचालित—' इस पूर्वोक्त पद्य में एक ही साभिप्राय विशेषण के रहने पर भी उस से होनेवाले चमत्कार का अपलाप नहीं किया जा सकता, इसी तरह 'अयि लावण्य—अर्थात् हे सौन्दर्य-समुद्र!, तुम्हारे दूर रहने पर, हाय उस मीनाक्षी के······ ('प्राण निकलने-निकलने पर हैं' यह अग्रिम वक्तव्य नहीं बोला गया)। अथवा क्या कहें, वचन का विस्तार व्यर्थ है'। (यहाँ आक्षेपालंकार सबके मत से होगा और ग्रन्थकार के मत से परिकरालंकार भी) इस (नायिकादशासूचक नायक के प्रति किसी की उक्तिपरक) पद्य में केवल एक-एक विशेषण से सम्पूर्ण वाक्यार्थ का संजीवन होता है। तात्पर्य यह कि यहाँ वाक्यार्थ में वैसे कोई चमत्कार नहीं है पर 'नायक के एकमात्र विशेषण 'लावण्यजलाशय' से और नायिका के भी एकमात्र विशेषण 'मीननयना' से पूरा वाक्यार्थ चमत्कृत हो उठा है, क्योंकि इस एक एक विशेषण से यह अभिप्राय व्यक्त होता है कि जैसे जल भले ही मीन के अभाव में भी रह सके पर मीन जल के अभाव में नहीं रह सकता उसी तरह तुम उसके विना भी स्वस्थ-सुखी रह सकते हो-रहते ही हो, पर वह वेचारी तेरे विना मरी जा रही है। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि जब चमत्कार-विशेष ही अलंकार-विशेष मानने में मूलभूत युक्ति है तव जैसे अनेक विशेषणजन्य चमत्कार के रहने पर परिकर मान्य है वैसे एक विशेषणजन्य चमत्कार के रहने पर भी वह मान्य होना चाहिए। फिर विमर्शिनीकार आदि का कथन निस्सार ही है।

अत्र कुवलयानन्दकारमतमुल्लिख्य खण्डयति—

यत्तु कुवलयानन्दकार आह—"श्लेषयमकादिष्वपुष्टार्थदोषाभावेन तत्रैकस्यापि विशेषणस्य साभिप्रायस्य विन्यासे विच्छित्ति-विशेषसद्भावात्परिकरत्वोपपत्तिः। यथा—'क्षितिभृतैव सदैवतका वयं वनवताऽनवता किमहिद्रुहा' इति गोवर्धनपर्वतविषयके नन्दादीन्प्रति भगवद्वाक्ये" इति। तदप्यसत्। यो हीममलंकारं दोषाभावान्तःपातितयालंकारमध्याद् बहिर्भावयति 'स किं त्वदु-

क्तश्लेषयमकादिशब्दचित्रातिरिक्तस्थले साभिप्रायविशेषणेषु विच्छित्तिविशेषं मन्यते, न वा ? आद्ये दोषाभावमात्रेण विच्छित्तिविशेषस्यालंकारप्रयोज्यस्यालंकारमन्तरेणानिष्पत्तेः सिद्धं सर्वत्र परिकरस्यालंकारत्वम्। द्वितीये अन्यत्रेव यमकादिष्वपि विच्छित्तिविशेषो नास्तीति तेन सुवचत्वात्।

तथा हि—

'अनापदि विना मार्गमनिशायामनातुरः।
मृत्तिकाशौचहीनस्तु नरो भवति किल्बिषी ॥'

इत्यत्र 'पर्युदस्तेऽप्यापत्कालादौ यथा केनचिन्मृत्तिकाशौचादि क्रियमाणं न केनापि प्रतिषिध्यते, कर्तुः सामर्थ्यगमकं च भवति, तथा प्रकृतेऽपि दोषनिषेधविधौ पर्युदस्तेऽपि यमकादौ पुष्टतारूपदोषाभावः कविना संपाद्यमानो न दोषाय भविष्यति, अपि तु रसपोषायैवेति। यदि च यमकेऽनुभवं विच्छित्ति-विशेषे प्रमाणं ब्रूषे, ब्रूहि तदान्यत्रापि तमेव प्रमाणमिति यमकपर्यन्तानुधावनं निरर्थकमेव।

परिकरत्वोपपत्तिरिति। परिकरस्यालंकारत्वोपपत्तिरित्यर्थः। 'क्षितिभृतैवे'ति। शिशुपालवधे यमकोदाहरणमिदम्। वनवता सघनवनाच्छन्नेन, क्षितिभृता पर्वतेन गोवर्धनेनेति यावत्, एव, वयम् गोकुलवासिनः सदैवतकाः सदेवाः, स्मः इति शेषः, अनवता रक्षामकुर्वता, 'अव् रक्षणे' इत्यस्य शत्रन्तं रूपम्, अहिद्रुहा इन्द्रेण, 'अहिर्वृत्रासुरे सर्पे' इति विश्वः। किम् ? न किमपि प्रयोजनमिति तदर्थः। अत्र 'वनवता' 'अनवता' इति चैकमेकं विशेषणं साभिप्रायमिति परिकरालंकारः। 'साभिप्रायविशेषणमपुष्टार्थतादोषाभावमात्रम् नालंकारः' इति शंकायाः समाधानप्रसङ्गे 'एकस्य विशेषणस्य साभिप्रायत्वे दोषाभावमात्रस्यावकाशः, बहूनां विशेषणानां साभिप्रायत्वे परिकरालंकारः' इति विमर्शिनीकारादिभिरुक्तमुद्दिश्य प्रवृत्तोऽयं कुवलयानन्दग्रन्थः, तस्य चायं भावः—यमके अपुष्टार्थता न दोष इति सर्वसम्मतम्, तथा च तत्रैकस्यापि साभिप्रायविशेषणस्य सद्भावे परिकरालंकारो भवेदेव यथा 'क्षितिभृता—' इति पद्ये। एवञ्च विमर्शिनीकाराद्युक्तं न युक्तमिति।

अत्र नागेशः—"अत्रेदं चिन्त्यम्—दोषाभावमध्ये एनमन्तर्भावयता एकविशेषणे चमत्कारविशेषस्यानङ्गीकारात्त्वदुदाहरणासंगतिः। यदि त्वनुभवबलात्तत्तद्दोषाभावकृतचमत्कारादप्यधिकचमत्कारोऽस्ति, वायनङ्गीकारस्त्वप्रयोजक इत्युच्यते, तर्हि समं प्रकृतेऽपि। किं च 'अपि तु पोषाय' इति वदता भवतापि श्लेषयमकादिषु विशेषणस्य चमत्कारिताऽभ्युपेतैव। चमत्कारातिशयजनकतारूपाया एव पुष्टेः काव्ये स्वीकारात्। यदि तु विवक्षितार्थबाधप्रयोजकानुपादानत्वं च पुष्टत्वम् तथाप्यापत्कालेऽक्रियमाणं मृत्तिका शौचादि यथा न दोषाय नापि लोकनिन्दायै, क्रियमाणं चाधिकस्तुतयेऽधिकफलाय च भवति तथा यमकादिषु पुष्टत्वमक्रियमाणं त्वधिकचमत्कारायेति वक्तुं शक्यम्। न च कवेः स्तुतये भवतु, न चमत्कारायेति वाच्यम्। नित्ये फलस्यापि स्वीकारेण तदतिशयस्य तेन जननवदुपपत्तेः इह तु फलं चमत्कार एव। अयि लावण्येत्यत्र तु पुष्टत्वमक्रियमाणं दोषाय, क्रियमाणं तु विवक्षि-

तार्थाबाधरूपपोषायैव, नाधिकचमत्काराय। यथाऽनापद्यक्रियमाणं मृच्छौचादि दोषाय, क्रियमाणं तु नाधिकफलायेत्यतो यमकपर्यन्तानुधावनम्। वस्तुतः संध्याद्यकरणस्य दोषत्वेऽपि तदभावो न दोषाभावमात्रम् अपि तु फलायापि एवं यमकाद्यतिरिक्तेऽपि साभिप्रायैक-विशेषणोपादाने दोषत्वाभावश्चमत्कारश्चेत्यलंकारत्वम्। किं च यथा तत्र दोषाभावस्याङ्ग-वैकल्येऽपि सिद्धे साङ्गतत्करणं फलातिशयायैव, एवं दोषाभावस्य विशेषणानुपादानेऽपि संभवेन साभिप्रायैकविशेषणनिबन्धनोऽपि चमत्कारो दुरपह्नव इति बोध्यम्। तदेतदपि चैक-पदार्थहेतुकमित्यादिना ग्रन्थेन कुवलयानन्दे स्फुटमिति दिक्। इति।

खण्डयति—तदप्यसदिति। तत्र युक्तिमाह—यो हीत्यादिना। इममिति, परिकरमित्यर्थः। दोषाभावेति। अपुष्टार्थतादोषाभावेति भावः। आद्ये इति 'चमत्कारविशेषं मन्यते' इति पक्ष इत्यर्थः। द्वितीय इति। 'चमत्कारविशेषं न मन्यते' इतिपक्ष इत्यर्थः। तेनेति। परिकरं दोषाभावेऽन्तर्भावयता विदुषेति भावः। एकस्यापि साभिप्रायस्य विशेषणस्य सत्त्वे यो मन्येत चमत्कारातिशयम्, तेन न केवलं यमकादिष्वेव, अपि तु अन्यत्रापि तादृशैक-विशेषणसत्त्वे परिकरालंकारः स्वीकरणीय एव, अलंकारप्रयोज्यचमत्कारस्य दोषाभाव-मात्रेणासिद्धेः यस्तु साभिप्रायैकविशेषणे चमत्कारातिशयं न मन्येत, स यमकादि-ष्वपि तादृशैकविशेषणसत्त्वे चमत्कारविशेषविरहात् अलंकारविशेषं नैवाङ्गीकुर्यात् इति खण्डनपरग्रन्थाशयः, अस्मिन्नेवार्थे दृष्टान्तविशेषमुपस्थापयति—तथाहीति। 'अनापदि—' इति। धर्मशास्त्रवचनमेतत्। मृत्तिकाशौचहीनो मनुष्यः पापभाग् भवति, परन्तु आपत्काले, मार्गे रात्रौ रुग्णतादशायाञ्च मृत्तिकाशौचाकरणेऽपि न पापभागित्व मिति तदाशयः। पुष्टतारूपदोषाभाव इति। पुष्टतारूपः दोषाभाव इति भावः। अयं भावः—यद्यपि आपत्कालादौ मृत्तिकाशौचकरणस्यावश्यकता धर्मशास्त्रकारैर्न बोधिता तथापि यदि कश्चित् आपत्कालादावपि मृत्तिकाशौचं कुर्यात् तर्हि तद्वारणं न भवति, तस्य च सामर्थ्य विशेषः सूचितो भवति यथा, तथैव यत्र यमकादौ अपुष्टार्थताया दोषत्वमलंकारशास्त्रकृद्भिर्न स्वीकृतं तत्रापि यदि कश्चित् अपुष्टार्थतां परिहरन् पुष्टार्थतां संपादयेत् तदा तस्य तथा-करणं सर्वथाऽऽभिनन्दनीयमेव भवेत्, परन्तु तावता साभिप्रायविशेषणात्मिकायाः पुष्टार्थ-ताया अलंकारत्वं न सिद्ध्यतीति।

यदि तु अनुभवसाक्षिकं चमत्कारविशेषम् यमके साभिप्रायविशेषणस्य स्वीकृत्या-लंकारत्वं साध्येत तदा यमकपर्यन्तानुधावनं व्यर्थमेव, अन्यत्रापि तत्साक्षिकं तं स्वीकृत्य तस्यालंकारत्वसिद्धावप्रतिरोधात्।

अब इस प्रसङ्ग पर कुवलयानन्दकार की उक्ति उद्धृत कर खण्डित की जाती है यत्तु इत्यादि। 'साभिप्राय विशेषण का होना कोई अलंकार नहीं, अपितु अपुष्टार्थता नामक दोष का अभाव मात्र है' इस आक्षेप के उत्तर में जब विमर्शिनीकार आदि ने यह कहा कि साभिप्राय एक विशेषण के रहने पर दोषाभावमात्र और साभिप्राय अनेक विशेषणों के रहने पर परिकर नामक एक नवीन अलंकार मानना चाहिए, तब उसमें संशोधन करते हुए कुवलयानन्दकार दीक्षित जी कहते हैं कि श्लेष, यमक आदि में अपुष्टार्थता अर्थात् अभिप्राय विशेषण-विहीन विशेषण, दोषाधायक नहीं मानी जाती है, अतः वहाँ

यदि एक भी विशेषण साभिप्राय हो तो चमत्कार-विशेष का अनुभव होने के कारण उसे (साभिप्राय विशेषण को) परिकर अलंकार मानने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे 'क्षितिभृतैव—अर्थात् सघन-वन-युक्त यह पर्वत (गोवर्धन) ही हम लोगों का देव है, रक्षा न करने वाले इन्द्र से क्या प्रयोजन ?' इस गोवर्धन के विषय में नन्द आदि के प्रति कहे हुए भगवान् के वाक्य में। (यहाँ यमक में आये हुए 'वनवता' इस पर्वत के एकमात्र विशेषण ने और 'अनवता' इस इन्द्र के एकमात्र विशेषण ने चमत्कार उत्पन्न कर दिया है)

पर यह दीक्षित जी का कथन भी ठीक नहीं है। कारण, इस विषय में प्रश्न उठता है कि 'जो इस अलंकार को दोषाभाव के अन्दर आ जाने से अलंकारों के बीच से बहिष्कृत करता है वह आपके द्वारा बताए हुए 'श्लेष, यमक आदि शब्द चित्रों' से अन्य स्थान में वर्तमान साभिप्राय विशेषणों में चमत्कारविशेष मानता है अथवा नहीं ? यदि इसका उत्तर 'हाँ' में दिया जाता है तब सब जगह 'परिकर' की अलंकारता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि अलंकार माने विना केवल दोषाभाव से किसी प्रकार का चमत्कार-विशेष बन नहीं सकता है और यदि उक्त प्रश्न का उत्तर 'न' में दिया जाता है तब 'यमक आदि में भी चमत्कारविशेष नहीं है' ऐसा सहज में ही उस के द्वारा कहा जा सकता है।

दृष्टान्त के तौर पर देखिए—धर्मशास्त्र में कहा गया है कि—'अनापदि-अर्थात् जो मनुष्य विना आपत्ति के, विना मार्ग के, विना रात्रि के और विना रोगी हुए मृत्तिका से शौच नहीं करता वह पापी होता है।'

यहाँ 'आपत्काल आदि में पाप से बचाव' बताया गया है तथापि यदि कोई आपत्तिकाल आदि में भी शौच आदि करे तो जैसे कोई निषेध नहीं करता प्रत्युत वह शौचकर्ता के सामर्थ्य-विशेष का बोधक होता है वैसे ही प्रकृत में भी दोष के निषेध की विधि होने पर भी यमक आदि में यदि कोई सत्कवि दोष के अभाव-पुष्टता का सम्पादन करे तो उसका वैसा करना दोषाधायक नहीं होगा, अपि तु रसपोषक ही होगा। यदि आप यमक के स्थल पर साभिप्राय विशेषण प्रयुक्त चमत्कारविशेष की सत्ता में अनुभव को प्रमाणरूप से उपस्थित करते हैं तब यमक के स्थल पर ही क्यों, अन्यत्र भी उस अनुभव को ही प्रमाण मानिए, अतः आप का यमक तक दौड़ना व्यर्थ ही है।

पूर्वोक्तं प्रसङ्गमुपसंहरन् ग्रन्थकारः स्वमतमाह—

तस्मात्पुष्टार्थतारूपेण दोषाभावेन परिकरालंकारस्य विषयविभागो दुःशक इति प्राप्ते ब्रूमः। सुन्दरत्वे सत्युपस्कारकत्वमलंकारत्वम्। चमत्कारापकर्षकाभावत्वं च दोषाभावत्वम्। तदेतद्धर्मद्वयं विविक्तविषयं यदि दैवादेकस्मिन्विषयविशेषे समाविशेत्तदा का हानिः स्यात् ?। उपधेयसंकरेऽप्युपाध्यसंकरात्। यथा ब्राह्मणस्य मूर्खत्वं दोषः, विद्या तु दोषाभावश्च भवति गुणश्च, तथेहाप्युपपत्तिः। न च दोषाभावतया प्राप्तस्यापि परिकरस्य किमित्यलंकारेषु गणनागौरवमिति वाच्यम्। उभयात्मकत्वेनेतरवैलक्षण्यज्ञापनार्थतया गणनोपपत्तेः। यथा गुणीभूतव्यंग्यभेदतया संगृहीतापि समासोक्तिरलंकारगणनायां पुनर्गण्यते। यथा वा प्रासादवासिषु गणितोऽप्युभयवासी भूवासिगणनायां पुनर्गण्यते तथेहापीति न कश्चिद्दोषः। अन्यथा प्राचां काव्यलिङ्गमप्यलंकारो न स्यात्। तस्यापि निर्हेतुरूपदोषाभावात्मकत्वात्।

'द्विजराज कलाधार विश्वतापनिवारण।
कथं मामबलां क्रूरैः करैर्दहसि निर्दय ॥'

इत्यादौ विशेषणाधिक्याद् व्यङ्ग्याधिक्ये चमत्काराधिक्यम्।

तस्मादिति। विमर्शिनीकार कुवलयानन्दकारयोः कथनस्यायुक्तत्वादित्यर्थः। पुष्टार्थतारूपेणेत्यादि। अपुष्टार्थतादोषाभावरूपा या पुष्टार्थता तस्या यल्लक्ष्यम् तदतिरिक्तम् लक्ष्यम् परिकरालंकारस्य दुर्लभमिति सारांशः। एवं स्थितौ ग्रन्थकारः स्वमतमुपस्थापयितुंप्रक्रमते—इति प्रातैब्रूमः इति। विविक्तविषयमिति। पृथगुपलब्धलक्ष्यकमिति भावः, परिकरातिरिक्ते तयोर्धर्मयोः सामानाधिकरण्याभावादिति भावः। एकस्मिन्निति। परिकर इत्यर्थः। हानिः स्यात्? इति। न कापि हानिरिति भावः। हानिविरहे युक्तिमाह—उपधेयेति। परिकरपुष्टार्थतेत्यर्थः। उपाधीति। अलंकारत्वदोषाभावत्वेत्यर्थः। दृष्टान्तमाह—यथेति। विद्यायां गुणत्व दोषाभावत्वयोः समावेशेऽपि तयो रसाङ्कर्यं यथेत्यर्थः। अयमाशयः—उपाधिसाङ्कर्यन्नाम दोषः नोपधेयसाङ्कर्यम्। एवञ्च प्रकृते उपाधिसाङ्कर्यविरहेणोपधेयसाङ्कर्यस्य सत्त्वेऽपि न काचित्क्षतिरिति। शङ्कते—न चेति। एकत्र गणितस्य पदार्थस्य पुनरन्यत्र गणनं गौरवाधायकतयोचितन्नेति भावः। समाधत्ते—उभयात्मकत्वेनेति। अलंकारदोषाभावरूपत्वेनेत्यर्थः। इतरेति। पुष्टार्थतारूपदोषाभावातिरिक्त दोषाभावेत्यर्थः। अन्यदोषाभावः दोषाभाव एव, अयमपुष्टार्थतादोषाभावस्तु दोषाभावश्चालंकारश्चेति अन्य दोषाभावापेक्षयाऽस्मिन् दोषाभावे विलक्षणताबोधनाय परिकरनाम्नालंकारेषु गणन मुचितमेवेति सारांशः। प्रकृतोपयुक्तं दृष्टान्तमाह—यथेति। महाभाष्यकारोक्तं दृष्टान्तमाह—प्रासादेति। ऊर्ध्वदेशेत्यर्थः, विपक्षेबाधकमप्याह—अन्यथेति। एवं सत्यपि तस्य तत्त्वानङ्गीकार इत्यर्थः। अतएवापि प्रयुक्तः। अनेकविशेषणानां साभिप्रायत्वे विशिष्टः परिकरः इति स्फुटयितुमुदाहरति—द्विज इति। चन्द्रं प्रति विरहिण्या उक्तिः—हे द्विजराज चन्द्र, द्विजातिश्रेष्ठ इति च गम्यते, कलाधार चन्द्रिकासमाश्रय, लोकरञ्जकत्वादिकलामय इति च गम्यते, विश्वतापनिवारण संसारदाहदूरीकरकरण, परन्तु मत्कृते निर्दय! अबलाम् विरह दुःखितामसहायाम्, माम्, क्रूरैः निष्ठुरैः, करैः किरणैः, हस्तैश्चेति गम्यते, कथम् केन कारणेन, दहसि तापयसीत्यर्थः। द्विजराजस्य कलाधारस्य विश्वतापनिवारणस्य तव मादृशासहायनारीजनपीडकत्वं नोचितमिति भावः। उपपादयति—इत्यादाविति। एवं विधे स्थले (यत्र साभिप्रायविशेषणानामाद्यकता भवेत्) विशेषणाधिक्यप्रयुक्तं व्यंग्याधिक्यं तेन चमत्कारस्याप्याधिक्यमिति युक्तमेव, न त्वेतावता विशेषणाधिक्य एव परिकर इति भ्रमितव्यमिति भावः।

उक्त प्रसङ्ग का उपसंहार करते हुए ग्रन्थकार अपना मत बतलाते हैं—तस्मात् इत्यादि।

विमर्शिनीकार तथा कुवलयानन्दकार के द्वारा प्रतिपादित समाधान के असंगत हो जाने से अब यह निष्कर्ष सामने आया कि पुष्टार्थतारूप दोषाभाव से परिकर अलंकार के विषय (लक्ष्य) को विभक्त कर सकना कठिन है—अर्थात् अपुष्टार्थता दोषाभावात्मक पुष्टार्थता और परिकर अलंकार दोनों का विषय एक (साभिप्राय विशेषण) ही है इसमें कोई संदेह नहीं। इस स्थिति में हम (ग्रन्थकार = पण्डितराज) कहते हैं कि—'सुन्दर

होकर उपस्कारक होना' अलंकार का लक्षण है और 'चमत्कार के अपकर्षक का अभाव' दोषाभाव का लक्षण है। इन दोनों धर्मों (लक्षणों) के विषय पृथक्-पृथक् प्राप्त हैं, फिर यदि संयोगवश ये दोनों धर्म किसी एक विषय में समाविष्ट हो जाँय तो क्या हानि होगी ? अर्थात् कोई हानि नहीं होगी, कारण, ऐसी स्थिति में उपाधि सांकर्यरूप दोष की सम्भावना की जा सकती थी, पर यहाँ उपधेय का सांकर्य भले ही हो जाय, उपाधि का सांकर्य नहीं होता। तात्पर्य यह कि पुष्टार्थतारूप दोषाभाव और परिकर अलंकार की एकता सिद्ध होने पर भी दोषाभावत्व और अलंकारत्व की एकता नहीं सिद्ध होती। यहाँ दोषाभावविशेष और अलंकारविशेष उपधेय हैं और दोषाभावत्व तथा अलंकारत्व हैं उपाधियाँ। जैसे ब्राह्मण के लिये मूर्खता दोष है, किन्तु विद्या तो उसके लिये दोषाभावरूप भी है और गुण भी है वसे यहाँ भी वन सकता है। तात्पर्य यह कि विद्या में दोषाभावत्व तथा गुणत्व दोनों धर्मों का समावेश हो जाने पर भी जैसे उन दोनों धर्मों का सांकर्य नहीं होता उसी तरह यहाँ भी नहीं होगा।

यदि आप कहें कि दोषाभावरूप में प्राप्त परिकर को अलंकारों में गिनने का गौरव क्यों किया जाता है, तो इसका समाधान यह है कि—यह अलंकाररूप भी है और दोषभावरूप भी, किन्तु सभी दोषाभाव अलंकार नहीं होते, अतः उनसे (अन्य दोशाभावों से) विलक्षणता का बोध कराने के लिए इसका अलंकारों में गिनना उचित ही है। जैसे—समासोक्ति 'गुणीभूतव्यङ्ग्य' भेदरूप से संग्रहीत हो जाने पर भी पुनः अलंकारों की गणना में गिनी जाती है। अथवा जैसे—जो मनुष्य महलों में भी रहता है और नीचे भी रहता है, वह महलों में रहने वाले की गणना में गिन लिये जाने पर भी नीचे रहने वाले की गणना में पुनः गिना जाता है उसी तरह यहाँ भी इसे अलंकार श्रेणी में पुनः गिनना दोषाधायक नहीं होता। अन्यथा प्राचीनों का 'काव्यलिङ्ग' भी अलंकार नहीं होगा, क्योंकि वह भी निर्हेतुतारूप दोष का अभाव ही है। अतः सारांश यह निकला कि परिकर को अलंकार मानने में खासकर एक साभिप्राय विशेषणस्थल में भी उसे अलंकार मानने में कोई गड़बड़ नहीं है।

हाँ, यह बात दूसरी है कि—'द्विजराज—अर्थात् हे द्विजराज राज, हे कलाओं के आधार, हे संसार के ताप का निवारण करने वाले, हे निर्दय, मुझ अबका को क्रूर किरणों से कैसे जलाते हो ?' इत्यादिक में साभिप्राय विशेषणों की अधिकता से व्यङ्ग की अधिकता होने पर चमत्कार की भी अधिकता हो जाती है।

अथ परिकरं विभनक्ति—

अयं च वाच्यसिद्ध्यङ्गव्यङ्ग्यगर्भत्वेनोपस्कारकव्यङ्ग्यगर्भत्वेन द्विधाभवन् व्यङ्ग्यस्य वाच्यायमानत्व-तद्विपर्ययाभ्यां चतुर्धा।

अयमिति। परिकर इत्यर्थः। अस्य 'चतुर्धा' इत्याग्रिमेण संवन्धः। वाच्य सिद्ध्यङ्गव्यङ्ग्यगर्भत्वेनेति। वाच्यसिद्ध्यङ्गं भ्यङ्ग्यं गर्भे (मध्ये) यस्य तत्त्वेनेत्यर्थः, एवमग्रेऽपि समासोवोध्यः। तद्विपर्ययेति। वाच्यायमानत्व विपर्ययेत्यर्थः। गूढत्वेति यावत्।

अब परिकर के भेद किये जाते हैं—अयं चेत्यादि।

इस परिकर अलंकार में व्यङ्ग्य दो प्रकार का स्थल भेद से हो सकता है, कहीं वाच्य सिद्धि का अङ्ग अर्थात् ऐसा व्यङ्ग्य जिसके विना वाच्यार्थ की संगति नहीं होती हो और कहीं उपस्कारक अर्थात् उसके विना भी संगत हो सकने वाले वाच्यार्थ का पोषक। अतः प्रथमतः इसके दो भेद होते हैं—१—वाच्यसिद्ध्यङ्गव्यङ्ग्यगर्भ और २—

उपस्कारकव्यङ्ग्यगर्भ । उनमें से प्रत्येक में व्यङ्ग्य के वाच्यायमान होने और न होने अर्थात् गूढ होने, से दो-दो भेद हो जाते हैं । इस प्रकार से परिकरालंकार के चार भेद होते हैं ।

तत्र प्रथम भेदं तावदुदाहर्तुमाह—

आद्यो यथा—

वाच्य-सिद्धयङ्ग-वाच्यायमान-व्यङ्ग्यगर्भः परिकरो यथेत्यर्थः ।

उनमें से १-वाच्य सिद्धयङ्ग वाच्यायमान व्यङ्ग्य गर्भ परिकर, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'विहाय संसार महामरुस्थलीमलीकदेहादिमिलन्मरीचिकाम् ।
कृपा-तरङ्गाकुल, मन्मनोमृगो विगाढुमीशत्वयि गाढमीहते ॥'

भक्तस्य भगवन्तं प्रत्युक्तिः—हे कृपातरङ्गाकुल दयारूपतरङ्गमय, एते न भगवतः समुद्ररूपता व्यज्यते, ईश स्वामिन् , मन्मनोमृगः मदीयचित्तरूप हरिणः, अलीक देहादिः मिथ्याशरीरादिः, एव, मिलन्ती वर्तमाना, मरीचिका भ्रम साधनविशेषो, यस्याम् , तादृशीम् , संसारमहामरुस्थलीम् जगदात्मक विशालोषरभूमिम् , विहाय परित्यज्य, त्वपि भवति, गाढम् अत्यन्तम् , विगाढुम् निमङ्क्तुम् , ईहते वाञ्छतीत्यर्थः ।

उदाहरण का उल्लेख किया जाता है—विहाय इत्यादि ।

भक्त भगवान् से कहता है—हे दयारूप तरङ्गों से परिपूर्ण ईश, मेरा मनरूप मृग, मिथ्या देहादिरूप मृगतृष्णा से भरी इस संसाररूप विशाल मरुभूमि को छोड़कर तुझमें खूब अवगाहन करना चाहता है ।

उपपादयति—

अत्र गाहनसिद्ध्यङ्गं कृपेत्यादेः समुद्ररूपं व्यङ्ग्यं वाच्यायमानम् ।

'विहाय—' इति श्लोके 'कृपातरङ्गाकुल' इति विशेषणेन भगवतः समुद्रता व्यज्यत इत्युक्तम् प्रागपि, तच्च व्यङ्ग्यम् न केवलं काव्यभावनापरिपक्वमतिभिरेव, अपि तु साधारणैरपि परिज्ञातुं शक्यम् , अतो वाच्यायमानम् , तदवगतिमन्तरा गाहनरूपवाच्यस्य सिद्धिर्न भवितुमर्हतीति वाच्य सिद्धयङ्गञ्चेति प्रकृत पद्यं यथोक्तभेदोदाहरणतां प्रतिपद्यत इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'विहाय—' इस पद्य में 'कृपातरङ्गाकुल' इस विशेषण से भगवान् का समुद्ररूप होना अभिव्यक्त होता है, यह व्यङ्ग्य अवगाहनरूप वाच्यार्थ की सिद्धि का अङ्ग है और सर्वजनवेद्य होने से वाच्यायमान भी, अतः यह पद्य उक्त भेद का उदाहरण होता है ।

द्वितीयं भेदमुदाहर्तुमाह—

द्वितीयो यथा—

वाच्य सिद्धयङ्ग गूढव्यङ्ग्यगर्भपरिकरो यथेत्यर्थः ।

२-वाच्य सिद्धयङ्ग वाच्यता स्पर्शशून्य (गूढ) व्यङ्ग्यगर्भ परिकरालंकार, जैसे—

उदाहरणमुपस्थापयति—

'खर्वीकृतेन्द्रगर्व त्वरया चक्रेण भिन्ननक्रमुख ।
लीलात्तकोलमूर्त्ते मामुद्धर्तुं कथं न शक्तोऽसि ॥'

भक्तो भगवन्तमुपालभते—खर्वीकृतः स्वल्पीकृतः, इन्द्रस्य, गर्वो येन तादृश, चक्रेण सुदर्शनाख्येन, त्वरया झटिति, भिन्नम् छिन्नं, नक्रस्य, ग्राहस्य, मुखं येन तादृश, लीलया क्रीडया, आत्तागृहीता, कोलस्य वराहस्य, मूर्तिः स्वरूपं येन तादृश च, हे भगवन् , माम् भक्तम् , उद्धर्तुम् , कथम् , न शक्तोऽसि न समर्थोभवसीत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—खर्वीकृत इत्यादि ।

भक्त भगवान् के प्रति मधुर उलहना दे रहा है—हे इन्द्र के गर्व को कम करने वाले, हे चक्र के द्वारा त्वरा से मगर का मुख काटने वाले और हे लीला से वराह मूर्ति धारण करने वाले, आप मेरा उद्धार करने के लिये कैसे समर्थ नहीं हैं ।

उपपादयति—

अत्र गोवर्धन-गजेन्द्र-वसुंधराणामुद्धारो वाच्यतास्पर्शशून्य एवोपालम्भ-सिद्ध्यङ्गम् ।

वाच्यतास्पर्शेति । वाच्यायमानतेत्यर्थः । अतएव स्पर्शपद सार्थक्यम् । तद्गमका-भावात्तस्य गूढत्वमिति भावः । 'खर्वीकृतेन्द्र—' इत्यत्र त्रिभ्यः संबोधनेभ्यः क्रमशः गोवर्धनपर्वतस्य, गजेन्द्रस्य, पृथिव्याश्चोद्धारो व्यङ्ग्यः, स च गूढः, गमकाभावात् , वाच्योपालम्भ सिद्ध्यङ्गश्च, तेन विना तदसंगतेरिति भवतीदं पद्यं पूर्वोक्त द्वितीयप्रकारक-परिकरोदाहरणमितिसारम् ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'खर्वीकृतेन्द्रगर्व—' इस पद्य में उक्त तीनों संबोधनों से क्रमशः गोवर्धन पर्वत का, गजराज का और पृथिवी का उद्धार व्यङ्ग्य होता है, यह व्यङ्ग्य वाच्यायमान नहीं है अर्थात् गूढ है, क्योंकि यहाँ इनके व्यञ्जक उक्त नहीं है, प्रकरण से ही प्रतीयमान हैं और ये व्यङ्ग्य वाच्य उपालम्भ-अर्थात् 'मेरा उद्धार करने के लिये कैसे समर्थ नहीं हो' इस अर्थ की सिद्धि के अङ्ग हैं, अर्थात् इन व्यङ्ग्यों के विना उक्त उलहना देना संगत नहीं हो सकता। इस तरह यह पद्य उक्त द्वितीय भेद का उदाहरण सिद्ध होता है ।

तृतीयभेदोदाहरणम् प्रागुक्तं स्मारयति—

तृतीयस्तु 'धृतशार्ङ्गगदारिनन्दक' इत्यत्र ।

उपस्कारक-वाच्यायमानव्यङ्ग्यगर्भ परिकरोदाहरणम् 'धृतशार्ङ्ग—' इति पूर्वोक्तं पद्यमवगन्तव्यम् , अत्रत्यो विशेषस्तत्रत्यमूलतोऽवसेयः ।

परिकर के तृतीय भेद—अर्थात् उपस्कारक वाच्यायमान व्यङ्ग्यगर्भ का उदाहरण 'धृत शार्ङ्ग—' यह पूर्वोक्त है। इसका उपपादन उक्त पद्य की पर्वकृत व्याख्या से समझ लेना चाहिये ।

चतुर्थ भेदोदाहरणं प्रागुक्तं स्मारयति—

चतुर्थः 'वीचिक्षालितकालियाहितपदे' इत्यत्र च बोध्यः ।

उपस्कारक गूढव्यङ्ग्यगर्भ परिकरोदाहरणं पूर्वोक्तं वीचिक्षालित—' इति पद्यं बोध्यमित्यर्थः । उपपादनञ्चास्य तत्र मूल एव कृतम् ।

परिकर के चतुर्थ भेद—अर्थात् उपस्कारक गूढव्यङ्ग्यगर्भ का उदाहरण—'वीचि-क्षालित—' यह पूर्वोक्त पद्य होता है। इसकी व्याख्या आदि उसी जगह देखना चाहिये ।

प्रकरण समाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे परिकरालङ्कारप्रकरणम्।

रसगङ्गाधरगत परिकरालङ्कार विचारः समाप्तो वेद्य इति भावः।

इति रसगङ्गाधर चन्द्रिकायां परिकरालङ्कार प्रकरणम्॥

श्लेषनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथ श्लेष :—

श्लेषालंकारो निरूप्यतयाऽऽरब्धो वेदितव्य इति भावः।

श्लेष-निरूपण की प्रतिज्ञा की जाती है—अथ इत्यादि।

अब श्लेषालङ्कार का निरूपण आरब्ध समझना चाहिये।

आदौ तल्लक्षणमाह—

श्रुत्यैकयानेकार्थप्रतिपादनं श्लेषः।

वर्णानुपूर्वी-विशेषस्यैकेन श्रवणेनानेकस्यार्थस्य बोधनं श्लेषालंकार इति भावः।

सर्वप्रथम श्लेष का लक्षण किया जाता है—श्रुत्या इत्यादि।

एक श्रुति से अर्थात् किसी पद अथवा पदैकदेश के एकबार श्रवण से अनेक अर्थों के प्रतिपादन को श्लेष कहते हैं।

भेदप्रदर्शन पुरस्सरं लक्षणं परिस्करोति—

तच्च द्वेधा अनेक धर्मपुरस्कारेणैक धर्मपुरस्कारेण च। आद्यं द्वेधा, अनेकशब्द-प्रतिभानद्वारा एकशब्द प्रतिभानद्वारा चेति त्रिविधः श्लेषः। तत्राद्यः सभङ्गो द्वितीयोऽभङ्ग इति वदन्ति। तृतीयस्तु शुद्धः। एवं त्रिविधोऽप्ययं प्रकृतमात्रा-प्रकृतमात्रप्रकृताप्रकृतोभयाश्रितत्वेन पुनस्त्रिविधः। अत्राद्ये भेदे द्वितीये च विशे-ष्यस्य श्लिष्टतायां कामचारः। तृतीयभेदे तु। विशेषणवाचकस्यैव श्लिष्टत्वं न विशेष्यवाचकस्य। तथात्वे तु शब्दशक्तिमूलध्वनेरुच्छेद एव स्यात्। विशेषण-मात्रश्लिष्टतायामपि प्रकृताप्रकृतधर्मिणोरुपादान एव श्लेषः। प्रकृतधर्मिमात्र-स्योपादाने तु समासोक्तेरेव विषयः। तदित्थं प्रकृतमात्रविशेष्यकानेकार्थविशेषणं यत्र स एकः। एवमप्रकृतेत्यादिर्द्वितीयः। पृथगुपात्त प्रकृताप्रकृतोभयविशेष्यक-नानार्थं विशेषणं तृतीयः। एतदन्यतमत्वं च लक्षणं पर्यवसितम्।

तच्चेति। एकयाश्रुत्याऽऽनेकार्थप्रतिपादनञ्चेत्यर्थः। द्वेधेति। द्विविधमित्यर्थः। द्विवि-धत्वमेव स्फुटयति-अनेकेति। पुरस्कारेणेति बोधनेनेतिभावः। एवमग्रेऽपि आद्यमिति। अनेकधर्मपुरस्कारेणैकश्रुतिप्रयोज्यानेकार्थप्रतिपादनमित्यर्थः। त्रिविध इति। अनेकधर्म-पुरस्कारपक्षेऽनेकशब्दप्रतिभानद्वारा एकशब्दप्रतिभानद्वारा चेति द्विविधः। एकधर्मपुर-स्कारेण चैकविध इति मिलित्वा त्रिविध इति भावः।

तत्रेति 'आद्यभेदयोर्मध्ये इति नागेशः। तस्य च 'आद्यस्य=अनेकधर्मपुरस्कार-मूलकस्य यौ भेदौ अनेकशब्दप्रतिभानद्वारकैकशब्दप्रतिभानद्वारकौ तयोर्मध्ये' इत्यर्थः। एनमर्थमनवगत्य 'आद्यौ यौ भेदौ' इत्यर्थमवगच्छता सरलाकारेणकृतो नागेशस्य तिरस्का-रोऽतीवाशोभन इति सुधियो विभावयन्तु। आद्य इति। अनेकशब्दप्रतिभानद्वारको दभे

इति भावः। द्वितीय इति। एकशब्दप्रतिभानद्वारको भेद इति भावः। इमावेव भेदौ शब्दश्लेषशब्देन व्यवह्रियेते इत्यपि बोध्यम्। तृतीयस्त्विति एकधर्मपुरस्कारमूलक भेद इत्यर्थः। शुद्ध इति। अर्थश्लेष इति भावः, पुनस्त्रिविध इति। एवञ्च नवभेदाः श्लेषस्येति भावः। आद्ये इति। प्रकृतमात्राश्रिते इत्यर्थः। द्वितीये इति। अप्रकृतमात्राश्रिते इत्यर्थः। कामचार इति। तथा चानयोर्भेदयोर्विशेष्यः श्लिष्टोऽश्लिष्टश्च भवितुं शक्नोतीति भावः। तृतीय भेदे त्विति। प्रकृताप्रकृतोभयाश्रितभेदेत्वित्यर्थः। तथात्वे त्विति विशेष्यस्यापि श्लिष्ट हीत्यर्थः। स्यादिति। अत्र विशेष्यस्याश्लिष्टत्वेऽपिश्लेषाङ्गीकारे शब्दशक्तिमूल-ध्वन्युच्छेदापत्तिरित्यखण्डार्थः। तृतीये भेदे विशेषमाह—विशेषणेति विशेषणस्यैवश्लिष्टतायामपीत्यर्थः। भेदानुपसंहरति—तदित्थमिति। अनुगतं लक्षणमाह-एतदन्यतमत्वमिति।

लक्षण-विवेचन के साथ-साथ भेद भी बतलाये जाते हैं—तच्च इत्यादि।

लक्षण में कथित 'अनेक अर्थों का प्रतिपादन' दो प्रकार से होता है—अनेक धर्मों के पुरस्कार से और एक धर्म के पुरस्कार से। तात्पर्य यह कि एक श्रुति से होने वाले अनेक अर्थों के प्रतिपादन में उन अनेक अर्थों के साथ रहने वाला धर्म भी अनेक होगा और कहीं वह अर्थों के अनेक रहने पर भी एक ही रहेगा। उनमें से पहला अर्थात् अनेक धर्मों के पुरस्कार से प्रतिपादन वाला, दो प्रकार है—अनेक शब्दों के प्रतिभान द्वारा और एक शब्द के प्रतिभान द्वारा इस तरह श्लेष प्रथमतः तीन प्रकार का होता है। उनमें से अर्थात् प्रथम (अनेक धर्म पुरस्कार वाले) भेद के दो उपभेदों में से प्रथम (अनेक शब्द प्रतिभान वाले) को सभङ्ग और द्वितीय (एक शब्द प्रतिभान वाले) को अभङ्ग कहते हैं। तीसरा—अर्थात् एक धर्म पुरस्कार वाला, शुद्ध श्लेष (अर्थश्लेष) कहलाता है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि प्रथम दो भेद (सभङ्ग अभङ्ग) शब्द श्लेष कहे जा सकते हैं।

इस तरह त्रिविध बनाया गया यह श्लेष पुनः त्रिविध होता है—केवल प्रकृत (प्रस्तुत अर्थ) के आश्रित, केवल अप्रकृत के आश्रित और प्रकृत-अप्रकृत उभय के आश्रित। इस तरह श्लेष के कुल नौ भेद बन जाते हैं। इनमें से प्रथम (प्रकृत-मात्राश्रित) और द्वितीय (अप्रकृतमात्राश्रित) भेदों में विशेष्य की श्लिष्टता वक्ता की इच्छा पर निर्भर रहती है—अर्थात् वक्ता उन दोनों भेदों में विशेष्य को श्लिष्ट भी रख सकता है और अश्लिष्ट भी। तृतीय—अर्थात् उभयाश्रित भेद में तो विशेषणवाचक पद ही श्लिष्ट होता है, विशेष्यवाचक पद नहीं, क्योंकि वैसा मानने से तो शब्दशक्ति-मूलकध्वनि का उच्छेद ही हो जायगा। केवल विशेषणों के श्लिष्ट रहने पर भी प्रकृत और अप्रकृत दोनों धर्मियों के ग्रहण करने पर ही श्लेष होता है, केवल प्रकृत धर्मी का ही ग्रहण रहने पर तो समासोक्ति का ही अवसर आता है।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि-(१) जहाँ प्रकृतमात्र विशेष्य हो वहाँ का अनेक अर्थों वाला विशेषण एक भेद, (२) इसी प्रकार जहाँ अप्रकृतमात्र विशेष्य हो वहाँ का अनेक अर्थों वाला विशेषण दूसरा भेद और (३) जहाँ प्रकृत तथा अप्रकृत दोनों तरह के विशेष्य पृथक्-पृथक् उक्त हों वहाँ का अनेक अर्थों वाला तीसरा भेद। 'इन तीनों में से कोई एक होना' यह श्लेष का अनुगत लक्षण पर्यवसित होता है।

उदाहरणप्रदर्शनं प्रतिजानीते—

क्रमेणोदाहरणानि—

श्लेषस्य प्रागुक्तानां भेदानामुदाहरणानि क्रमशः उपस्थाप्यन्त इति भावः।

श्लेष के उक्त भेदों के उदाहरण क्रमशः उपस्थित किये जाते हैं—।

अनेकधर्मपुरस्कारेण प्रकृतमात्राश्रितं सभङ्गश्लेषमुदाहरति—

'संभूत्यर्थं सकलजगतो विष्णुनाभिप्रपन्नम्
यन्नालं स त्रिभुवनगुरुर्वेदनाथो विरिञ्चिः।
ध्येयं धन्यालिभिरतितरां स्वप्रकाशस्वरूपम्
पद्माख्यं तत्किमपि ललितं वस्तु वस्तुष्टयेऽस्तु॥'

अस्य पद्यस्य द्वावर्थौस्तः—एकः पद्म (कमल) पक्षीयः, अपरः पद्मा (लक्ष्मी) पक्षीयः। तत्र सः प्रसिद्धः, त्रिभुवनगुरुः त्रिलोक्याचार्यः ज्ञानद इति यावत्, अथो अथ च, विरिञ्चिः जगदुत्पत्तिकर्त्ता, (विरिङ्क्तेसूते जगत् इति व्युत्पत्या तथैवार्थः। करणीयः, अन्यथा 'अथो' इत्यस्य संगतिर्न भवेत् अत्र व्युत्पत्तौ "विरिङ्क्तेसूते विरिञ्चः—विरिञ्चिरिति प्राच्याः।" इति प्रतिपादयन् अमरकोशटीकाकारः क्षीरस्वामी प्रमाणभूतो बोध्यः।) ब्रह्मेति यावत्, सकलजगतः समस्तसंसारस्य, संभूत्यर्थम्, उत्पत्यर्थम्, विष्णुनाभिप्रपन्नम् विष्णोर्नाभिदेशं प्राप्तम्, यन्नालम् यस्य पद्मस्य नालदण्डम् न वेद न जानाति, अपि च यत् धन्यालिभिः भाग्यवद्भिः भ्रमरैः, अतितराम् अत्यन्तम् ध्येयम् चिन्तनीयम् तथा यत् स्वप्रकाशस्वरूपम् स्वतः प्रकाशमानम् न तु सूर्येणप्रकाश्यमानम् तदा सूर्यस्यानुत्पादात् तत् पद्माख्यम् पद्मनामकम् किमपि विलक्षणम् ललितं सुन्दरम्, वस्तु पदार्थः वः युष्माकम्, तुष्टये तोषाय, अस्तु भवतु इति पद्मपक्षीयः, यत् यस्मात्, सः प्रसिद्धः, त्रिभुवनगुरुः, वेदनाथः वेदानांस्वामी, विरिञ्चिः ब्रह्मा, सकलजगतः, संभूत्यर्थम् सम्यगैश्वर्यसम्पादनार्थम् न अलम् न समर्थः, (अयमाशय :—ब्रह्मा जगदुत्पादयितुम् शक्नोति, वेदद्वारा ज्ञानमपि तस्मै दातुं प्रभवति, परन्तु संपत्तिं न दातुमर्हति इति), अतः यत् विष्णुना, अभिप्रपन्नम् स्वीकृतम्, तथा धन्यालिभिः धनिनाम् आलिभिः (समुदायैरितियावत्) अतितराम् ध्येयम्, एवम् स्वप्रकाशम् अस्तीतिशेषः, तत् पद्माख्यम् पद्मानामकम् किमपि, वस्तु वः, तुष्टये अस्तु इति च पद्मापक्षीयोऽर्थः।

सर्वप्रथम अनेक धर्म पुरस्कार से प्रकृतमात्राश्रित सभङ्ग श्लेष का उदाहरण उपस्थित किया जाता है—संभूत्यर्थम् इत्यादि।

इस पद्य के दो अर्थ हैं—एक पद्म (कमल) के पक्ष में, दूसरा पद्मा (लक्ष्मी) के पक्ष में। पद्म के पक्ष में यह अर्थ है—वह पद्माख्यम् (पद्म नामक) कोई सुन्दर वस्तु आपके संतोष के लिये हो, सम्पूर्ण संसार के संभूत्यर्थ (उत्पत्यर्थ) विष्णुनाभिप्रपन्न (विष्णु की नाभि को प्राप्त किये हुये) यन्नाल (जिसके नाल = डण्ठल) को जगत्प्रसिद्ध त्रिलोकी के गुरु और जगदुत्पादक ("विरिङ्क्ते सूते विरञ्चः—विरञ्चिरिति प्राच्याः क्षीरस्वामी (अमरकोशटीका)। इस वित्पत्ति के अनुसार 'विरिञ्चि' पद का 'जगदुत्पादक' अर्थ करना चाहिए, अन्यथा 'अथो' (और) की संगति नहीं बैठ सकती है।) (इस अर्थ के अनुसार 'वेदनाथो' में 'वेद, न, अथो' ऐसा छेद समझना चाहिये) ब्रह्मा भी नहीं जानते, तात्पर्य यह कि उन्होंने भी जिसका अन्त नहीं पाया, एवम् जो धन्यालियों (भाग्यवान् भ्रमरों) से चिन्तनीय है, ध्यान करने योग्य है, और जो स्वप्रकाशस्वरूप है—अर्थात् जिसका रूप अपने आप खिलता है, सूर्य के प्रकाश से नहीं, क्योंकि उस समय तक सूर्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी। लक्ष्मी के पक्ष में यह अर्थ है—

पद्माख्य (पद्मा = लक्ष्मी नामक) वह कोई सुन्दर वस्तु आपके तोष के लिये हो, यत् (यस्मात्) = क्योंकि वह त्रिभुवनगुरु, वेदनाथ (वेदों का स्वामी) विरिञ्चि (ब्रह्मा) समग्र संसार के संभूत्यर्थ (सम्यक् ऐश्वर्य के लिये) न अलम् (समर्थ नहीं है), तात्पर्य यह कि ब्रह्मा संसार को उत्पन्न कर सकते हैं, वेदों के द्वारा ज्ञान भी उसे दे सकते हैं, पर ऐश्वर्य नहीं दे सकते, अतः जो विष्णुनाभिप्रपन्न (विष्णु से स्वीकृत हुई, और जो धन्यालियों (धनियों की पङ्क्तियों = समूहों से अत्यन्त ध्यान करने योग्य है, तथा स्वप्रकाश है ।

उपपादयति—

अत्राशीःप्रकरणे तुष्टिजननसमर्थत्वेन लक्ष्मीभगवन्नाभि-कमलयोरुभयोरपि प्रकृतत्वात्प्रकृतमात्राश्रितोऽयमेकया श्रुत्या पदद्वयप्रतिभानद्वारा भिन्नधर्मपुरस्कारेणानेकार्थप्रतिपादनात्सभङ्गः ।

अत्रेति । 'संभूत्यर्थम्—' इति श्लोक इत्यर्थः । अस्य 'अयं सभङ्गः' इत्यत्रान्वयः । अयमिति श्लेष इत्यर्थः । भिन्नधर्मेति । पद्मत्व-पद्मात्व रूपेत्यर्थः । आशीर्वादात्मकोऽयं श्लोकः एवञ्च लक्ष्मी-भगवन्नाभिकमलेत्युभावपि पदार्थौ संतोषकरतया प्रकृतौ, अतोऽत्रत्यः श्लेषः प्रकृतमात्राश्रितः, पद्म-पद्मेति पदद्वयप्रतिभानद्वारकश्च, अयमेवास्य स भङ्गत्वे हेतुरिति भावः । अन्यत्पदटीकयैव स्फुटम् ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

आशीर्वाद के प्रसङ्ग पर कथित 'संभूत्यर्थम्—' इस पद्य में लक्ष्मी और भगवान् की नाभि का कमल दोनों ही प्रस्तुत पदार्थ हैं, क्योंकि वे दोनों ही सन्तोष को उत्पन्न करने में समर्थ हैं, अतः 'पद्माख्यम्' इस एक श्रुति से कमल और लक्ष्मी इन अनेक अर्थों का प्रतिपादन होने से होनेवाला यहाँ का श्लेष प्रकृतमात्राश्रित कहा जायगा और यह श्लेष सभङ्ग भी माना जायगा, क्योंकि यहाँ पद्म और पद्मा इन दो शब्दों का प्रतिभान होता है एवम् पद्मत्व तथा पद्मात्वरूप भिन्न धर्म का पुरस्कार भी है ।

विशेषमाह—

विशेष्ययोरश्लिष्टत्वेऽप्ययं संभवति । यथाऽत्रैव 'पायादाद्यं कमलमथवा योगमायास्वरूपम्' इति तुरीयचरणनिर्माणे ।

अयमिति । प्रकृतमात्राश्रितः श्लेष इत्यर्थः । उदाहरणं दर्शयितुमाह—यथेति । अत्रैवेति । 'संभूत्यर्थम्-' इति श्लोक एवेत्यर्थः । 'पायात्—' इति । आद्यम् भगवन्नाभिसंबन्धि, कमलम् , योगमायास्वरूपम् लक्ष्मीस्वरूपम्, पायात् रक्षेदित्यर्थः । तुरीयेति चतुर्थेत्यर्थः । अयं भावः—अस्मिन् परिवर्तितपाठे कमलयोगमायास्वरूपयोः विशेष्यभूतयोः पृथगुपादनम् न श्लिष्टत्वम् । विशेषणांशे पुनः पदद्वयप्रतिभानादिकम् पूर्ववदिति ।

एकविशेष को स्फुट किया जाता है—विशेष्य योः इत्यादि ।

विशेष्यों के श्लिष्ट न रहने पर भी यह प्रकृतमात्राश्रित श्लेष हो सकता है । जैसे उक्त पद्य के चतुर्थ चरण की जगह पर 'पायादाद्यम्—अर्थात् आद्य (भगवन्नाभिगत) कमल अथवा योगमाया (लक्ष्मी) का स्वरूप आपकी रक्षा करे' ऐसा बना देने पर ।

प्रकारान्तरमुदाहर्तुमाह—

अयमेवाभङ्गात्मको यथा—

अनेकधर्मपुरस्कारेण प्रकृतमात्राश्रितोऽभङ्गश्लेषो यथेत्यर्थः।

अनेक धर्म पुरस्कारपूर्वक प्रकृतमात्राश्रित अभङ्ग श्लेष जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'करकलितचक्रघटनो नित्यं पीताम्बरस्तमोऽरातिः।
निजसेविजाड्यनाशनचतुरो हरिरस्तु भूतये भवताम् ॥'

नित्यं सदा, करकलितचक्रघटनः करे हस्ते, कलिताकृता, चक्रस्य सुदर्शनस्य, घटना योजना येन तादृशः। करैः किरणैः, कलिता, चक्रस्य कालचक्रस्य, घटना येन तादृशश्च, पीताम्बरः पीतम् अम्बरम् वस्त्रम् यस्य सः, पीतम् पानकर्मीकृतम् उल्लंघितम् इति यावत्, अम्बरमाकाशो येन स च, तमोऽरातिः तमसः राहोः, शत्रुः, तमसः अन्धकारस्य शत्रुश्च, निजसेविजाड्यनाशनचतुरः निजसेविनाम् जाड्यस्य मूर्खतायाः शैतस्य च नाशने निपुणः हरिः विष्णुः सूर्यश्च भवताम् भूतये ऐश्वर्याय, अस्तु भवत्वित्यर्थः। अत्र हर्यादि पदं भङ्गं विनैव द्व्यर्थ प्रतिपादकमिति श्लेषस्याभङ्गता बोध्या।

उदाहरण का उपन्यास किया जाता है—करकलित इत्यादि।

वह हरि (विष्णु + सूर्य) आपके ऐश्वर्य के लिये हों। जो नित्य 'करकलित चक्रघटन' (की है हाथ में सुदर्शनचक्र की योजना जिसने ऐसा + किरणों से की है कालचक्र की घटना जिसने ऐसा) है, जो 'पीताम्बर' (पीत वस्त्र वाला + पीगया अर्थात् पार कर लिया है अम्बर = आकाश को जिसने ऐसा) है, जो 'तम' (राहु + अन्धकार) का शत्रु है और जो अपनी सेवा करने वालों की 'जाड्य' (मूर्खता + शत्य) के नाश करने में चतुर हैं।

यहाँ हरि आदि पद टुकडे किये विना ही दो-दो अर्थों का प्रतिपादन करता है, अतः यह अभङ्ग श्लेष यहाँ होता है, और सब बातें पूर्वोदाहरण की तरह यहाँ भी समझनी चाहियें।

विशेषमाह—

विशेष्ययोरश्लिष्टत्वे यथा—'जाड्यहरणो विष्णुः सूर्यश्च वः पातु' इति तस्यैव शेषे कृते।

जाड्येति। निज सेवीत्यादि रस्यबोध्यः। अर्थः स्पष्ट एव। पूर्वं विष्णुसूर्योभयबोधकं हरिपदं श्लिष्टमधुना तद्बोधकं पदं पृथग् पृथगुपात्तमिति। विशेषः।

एकविशेष का उल्लेख किया जाता है—विशेष्ययोरित्यादि।

यह भेद भी विशेष्यों के श्लिष्ट न होने पर हो सकता है, जैसे पूर्वोक्त श्लोक का उत्तरार्ध 'निजसेविजाड्यहरणः—' यह कह देने पर। पहले विष्णु तथा सूर्य के लिये एक श्लिष्ट 'हरि' पद का प्रयोग हुआ था और अब उन दोनों के बोध के लिये 'विष्णु' 'सूर्य' ये दो पृथक् पद कहे गए हैं और सब बातें पूर्ववत् हैं।

तृतीयं भेदमुदाहर्तुमाह—

अर्थश्लेषो यथा—

शुद्धश्लेषपदेन प्रागुक्तोऽर्थश्लेषो यथेत्यर्थः।

अर्थश्लेष अर्थात् एकधर्म पुरस्कार वाला शुद्ध श्लेष जैसे—

उदाहरणमाह—

'अर्जुनस्य गुरुर्मायामनुजः परमः पुमान्।
गुञ्जापुञ्जधरः पायादपायादिह कोऽपि वः॥'

अर्जुनस्य पार्थस्य, गुरुः उपदेष्टा, मायामनुजः मायया मानवशरीरधारी गुञ्जापुञ्जधरः गुञ्जामालाधरः, कोऽपि विलक्षणः, परमः उत्कृष्टः, पुमान् पुरुषः श्रीकृष्ण इति यावत्, वः युष्मान्, अपायात् नाशात्, इह संसारे, पायात् रक्षेदित्यर्थः।

अत्र "अर्जुनस्य गुरु रित्यत्र च गुरुपदं श्लिष्टं पर्यायपरिवृत्तिसहं च शिक्षकादिपदोपादनस्यापि संभवादिति बोध्यम्। एवं च गुरुरुपदेष्टा बृहस्पतिश्च।" इति नागेश उपपादयति। परमिदं न सुमङ्गतं प्रतिभाति, गुरुपदस्य बृहस्पतिरुपार्थेकृते 'अर्जुनस्य बृहस्पतिः' इत्यर्थस्यासंगतेः किञ्च तथात्वे गुरुपदंपर्यायपरिवृत्तिसहमपि नैव भवति, शिक्षकादिपदस्य बृहस्पत्यबोधकत्वात् बृहस्पतिपदस्य च सामान्यशिक्षकानाभिधायित्वात्।

परन्तु अर्थश्लेषोदाहरणतया श्लोकमेनमुल्लिखतोजगन्नाथस्य कोऽभिप्राय इति न तत्त्वतोऽवगच्छामि। अहं तु तावदिदमेव मन्ये यदत्र 'परमः पुमान्' इत्यंशेऽभङ्गश्लेषः, तस्य कृष्ण द्रोणरूपोभयार्थप्रतिपादकत्वात्, 'उत्तमः पुरुषः' इत्यादि पर्यायान्तरपरिवृत्तिसहत्वाच्च। आशीः प्रकरणे महापुरुषस्य द्रोणस्यापि रक्षकत्वेनाशंसा योग्यतया प्रकृतत्वम्। 'मायामनुजः' 'गुञ्जापुञ्जधरः' इत्यनयोरपि द्रोणे कथंचिदुपपादनं संभवत्येव।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—अर्जुनस्य इत्यादि।

अर्जुन के गुरु माया से मनुष्यावतार ग्रहण करने वाले तथा गुञ्जापुञ्ज का धारण करने वाले कोई परम पुरुष आपकी विनाश से रक्षा करें।

यहाँ हिन्दी रसगङ्गाधरकार ने "यहाँ गुरु शब्द के स्थान पर 'उपदेशक' 'शिक्षक' आदि शब्द भी आ सकते हैं, अतः 'गुरु' में अर्थश्लेष है।" ऐसा मूल में लिख कर टिप्पण में लिखा है कि–"यह नागेश के अनुरोध से लिखा गया है. पर यहाँ 'गुरु' शब्द के स्थान पर शिक्षकादि पद आ सकते हैं, एतावता अर्थश्लेष कैसे हो गया। यों तो सभी शब्दों में अर्थश्लेष हो जायगा, क्योंकि पर्यायवाचक शब्द तो प्रायः सभी शब्दों के मिल सकते हैं और नागेश ने जो इसके आगे लिखा है—"एवं च गुरुरूपदेष्टा बृहस्पतिश्च" इसका क्या अभिप्राय है सो तो कुछ भी समझ में नहीं आता। यदि यहाँ 'गुरु' शब्द का बृहस्पति भी अर्थ है तो 'अर्जुन का बृहस्पति' कहने में क्या विशेषता हो गई, जिससे श्लेष मानना पड़ा। दूसरे उस स्थिति में यह अर्थश्लेष रहा भी नहीं, क्योंकि तब 'गुरु' पद अपरिवर्तनीय हो गया, क्योंकि 'उपदेष्टा' या 'शिक्षक' का तो बृहस्पति अर्थ होता नहीं।

काव्यप्रकाशकार ने तो अर्थश्लेष का उदाहरण दिया है—

'अहो सुसदृशी वृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च।
स्तोकेनोन्नति मायाति स्तोके नायात्यधोगतिम्॥'

आश्चर्य यह है कि लकड़ी के डंडी और दुष्ट का व्यवहार सर्वथा समान है, थोड़े से में उन्नत हो जाता है और थोड़े से में अवनत।

यहाँ 'उन्नत होना' और 'अवनत होना' ऐसे धर्म हैं जिनका शब्द बदलने पर भी दोनों में अन्वय हो जाता है। इस पहेली को मार्मिक विद्वान् ही सुलझावें।"

वस्तुतः यहाँ की स्थिति पहेली सी ही हो गई है जिसका सुलझाना कठिन प्रतीत होता है। 'अहो सुसदृशी—' यह काव्यप्रकाशोक्त पद्य अर्थश्लेष का सुन्दर उदाहरण है इसमें तो सन्देह नहीं, परन्तु यहाँ के लिये वह उदाहरण भी संगत नहीं हो सकता, क्योंकि उक्त पद्य में प्रायः 'खल' प्रकृत है और 'तुलाकोटि' अप्रकृत, जब कि यहाँ प्रकृतमात्राश्रित अर्थश्लेष का प्रसङ्ग है। पण्डितराज की लेखनी से सर्वथा असंगत उदाहरण लिख गया यह विश्वासयोग्य नहीं होता, अतः जब तक किसी विशिष्ट सुधीजन का कोई विशिष्ट सुझाव नहीं आता तब तक मैं मानता हूँ कि 'अर्जुनस्य गुरुः—' इस 'परमः पुमान्' इस अंश में अर्थश्लेष है, क्योंकि उस पद से कृष्ण और द्रोणाचार्य दो अर्थ अवगत होते हैं और वह पद परिवृत्तिसह भी है, कारण, श्रेष्ठः पुरुषः' आदि पदों के द्वारा भी वे दोनों अर्थ ज्ञात हो सकते हैं। आशीर्वाद के प्रसङ्ग में द्रोण की—जो एक महापुरुष थे—भी अपायनाशकरूप से आशंसा की जा सकती है, अतः वे भी प्रकृत माने जा सकते हैं, 'मायामनुज और 'गुञ्जापुञ्जधर' ये दो विशेषण भी किसी तरह द्रोण में लगाये जा सकते हैं।

उपसंहरन्नाह—

एवमेते त्रयोऽपि प्रकृतविषया एव भेदाः।

पूर्वमुदाहृताः सभङ्गः अभङ्गः अर्थश्लेषश्चेति त्रयोऽपि भेदा प्रकृतमात्रविषया इति भावः।

उपसंहार किया जाता है—एवमित्यादि।

इस तरह ये तीनों प्रकृतमात्राश्रित भेद ही उदाहृत हुए हैं।

अप्रकृतमात्राश्रितं भेदमुदाहरति—

'हरिकरसङ्गादधिकं रमणीयाप्यतुलरागसंवलिता।
सुन्दरि तवाननाग्रे कमलाभा विगलितप्रतिभा॥'

हे सुन्दरि!, हरिकरसङ्गात् सूर्यकिरणसंसर्गात् अथ च विष्णु-हस्त संयोगात्, अधिकम् सातिशयम् अथ च जले (द्वितीयपक्षे के जले इति अव्ययीभावः), रमणीया शोभामयी, अपि च, अतुलराग संवलिता अनुपमरक्तिमयुक्ता अथ च अनुपमस्नेहयुक्ता, अपि, कमलाभा कमलस्यआभा (कान्तिः) अथ च कमलायाः (लक्ष्म्याः) भा, तव भवत्याः, आननस्य मुखस्य, अग्रे, विगलित प्रतिभाविच्छायेत्यर्थः।

केवल अप्रकृताश्रित भेद का उदाहरण दिया जाता है—हरिकर इत्यादि।

हे सुन्दरि!, 'हरिकर' (सूर्य की किरणों + विष्णु के हाथ) के संसर्ग से, 'अधिकम्' (जल में + अधिक) रमणीय और अनुपम 'राग' (रक्तिमा + स्नेह) से युक्त होने पर भी 'कमलाभा' (कमल की कान्ति + कमला = लक्ष्मी की कान्ति) तेरे मुख के सामने 'प्रतिभाहीन' हो जाती है।

उपपादयति—

अयमप्रकृतमात्रविषयः। प्रकृतस्याननस्य श्लेषाविषयत्वात्। कमलाभेति विशेष्यांशे, अधिकमिति विशेषणांशे सभङ्गः, अन्यत्राभङ्गः।

अयमिति। 'हरिकर–' इत्यत्रत्यः श्लेष इत्यर्थः। तस्याप्रकृतमात्रविषयत्वे हेतुमाह—प्रकृतस्येति। अन्यत्रेति। हरिकरादावित्यर्थः।

उपपादन किया जाता है—अयमिति।

'हरिकर—' इस श्लोक में वर्तमान श्लेष केवल अप्रकृताश्रित है, क्योंकि यहां प्रकृत 'आनन' श्लेष का विषय नहीं है। यह श्लेष 'कमलाभा' इस विशेष्यांश में और 'अधिकम्' इस विशेषणांश में सभङ्ग है अर्थात् उन दोनों पदों से दो-दो अर्थ टुकड़े करने पर निकलते हैं और अन्यत्र—अर्थात् 'हरि' 'कर' आदि पदों में अभङ्ग है—अर्थात् बिना टुकड़ा किए दो-दो अर्थ निकल जाते हैं।

भेदान्तरोदाहरणमुपदर्शयितुमाह—

अप्रकृतयोर्विशेष्ययोरश्लिष्टत्वे यथात्रैव 'कमलायाः कमलस्य च शोभा गलिता तवाननस्याग्रे' इत्युत्तरार्धनिर्माणे।

अप्रकृतयोरिति। कमलाकमलयोरित्यर्थः। अन्यत् सुगमम्।

अन्य भेद का उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जाता है—अप्रकृतयोरित्यादि।

अप्रस्तुत दो विशेष्यों के श्लिष्ट नहीं रहनेपर, जैसे इसी पद्य में उत्तरार्ध 'कमलायाः—अर्थात् लक्ष्मी और कमल की शोभा तेरे मुख के आगे गलित हो गई' इस तरह बना देने पर।

प्रकारान्तरमुदाहर्तुमाह—

प्रकृताप्रकृतोभयविषयो यथा—

प्रकृताप्रकृतोभयाश्रितः श्लेषो यथेत्यर्थः।

प्रकृत-अप्रकृत दोनों के विषय में (उभयाश्रित) श्लेष, जैसे—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'अलं हिमानीपरिदीर्णगात्रः समापितः फाल्गुनसंगमेन।
अत्यन्तमाकाङ्क्षितकृष्णवर्त्मा भीष्मो महात्माजनि माघतुल्यः॥'

अलम् अत्यर्थम्, हीति निश्चयेन, मानी अभिमानी, परिदीर्णगात्रः बाणच्छिन्नशरीरः अथ च अलम् हिमान्या हिमसंहत्या, परिदीर्णानि स्फोटितानि, गात्राणि अङ्गानि येन सः, फाल्गुनस्य अर्जुनस्य, अथ च मासविशेषस्य, संगमेन संबन्धेन, समापितः नाशितः, अत्यन्तम्, आकाङ्क्षितम् अभीष्टम्, कृष्णस्य हरेः, वर्त्म मार्गो येन सः, अथ च आकाङ्क्षितः, कृष्णवर्त्मा अग्निर्यस्मिन् सः, महात्मा, भीष्मः गाङ्गेयः, माघतुल्यः माघमाससदृशः, अजनि अभूत् इत्यर्थः।

उदाहरण का उपन्यास किया जाता है—अलम् इत्यादि।

महात्मा भीष्म माघ मास के समान थे, क्योंकि भीष्म भी (अलंहिमानी परिदीर्णगात्रः' (अत्यन्त मानी और बाणों से छिन्न गात्र वाले) थे और माघ मास भी 'अलं हिमानी परिदीर्णगात्रः' (अत्यधिक हिमसमूह से जिसमें अङ्ग फट-फट जाते हैं ऐसा) होता है। भीष्म भी फाल्गुन (अर्जुन) के संग से समाप्त हो गए थे और माघ भी फाल्गुन (फागुन मास) के प्राप्त होने से समाप्त हो जाता है। भीष्म भी 'अत्यन्तमाकाङ्क्षितकृष्णवर्त्मा' (कृष्ण भगवान् के वर्त्ममार्ग (भक्ति) को अत्यधिक चाहने वाले) थे और माघ भी 'अत्यन्तमाकाङ्क्षितकृष्णवर्त्मा' जिसमें कृष्णवर्त्मा = अग्नि अत्यधिक आकाङ्क्षित = अभीष्ट होता है ऐसा) होता है।

उपपादयति—

अत्र प्रकृताप्रकृतयोर्भीष्ममाघयोरश्लिष्टत्वाद्विशेषणानाञ्च श्लिष्टत्वाद्भवति

तृतीयो भेदः। परं तूपमया संकीर्णः। यदि च 'माघो महात्माजनि हन्त भीष्मः, इत्यप्रकृतांशमपि श्लेषग्रस्तं कृत्वा रूपकं क्रियते, तथापि प्रकृतविशेष्यस्य माघस्याश्लिष्टत्वादखण्डित एव श्लेषः। न चात्र समासोक्तिरिति भ्रमितव्यम्, अप्रकृतधर्मिणोऽपि शब्दवाच्यत्वात्। यत्र त्वप्रकृतव्यवहार एव शब्दशक्तिसहेतापि, न त्वप्रकृतधर्मी, तत्र समासोक्तेरिष्टेः।

'अलं हीति पद्ये भीष्मः प्रस्तुतः, माघश्चाप्रस्तुतः। तौ च विभिन्न-पद-बोध्यौ, न तु श्लिष्टैकपदबोध्यौ, विशेषणानि च 'अलं हिमानी परिदीर्णगात्रः' इत्यादीनि श्लिष्टानीति प्रकृताप्रकृतोभयाश्रितः श्लेषस्यापरो भेदः सम्पद्यते, परमयं भेदः 'माघतुल्यः' इत्यत्र तुल्यपदोक्ते रुपमया संकीर्ण इति भावः श्लेषोपमा संकरोऽत्रेति सारम्। पूर्वं भीष्मस्योद्देश्यत्वं तत्तुल्यत्वस्य विधेयत्वम्, अधुनातद्वैपरीत्येनाह—यदीति। 'माघो महात्मा—' इति। महात्मामहाकाय इति यावत्, माघः मासविशेषः, हन्तखेदेन, भीष्मः भयङ्करः अथ च गाङ्गेयः, अजनिजात इत्यर्थः। अप्रकृतांशमिति। भीष्ममित्यर्थः। पूर्वं भीष्मः प्रकृतः माघश्चाप्रकृत आसीत् इदानीं तु माघ एव प्रकृतः भीष्मश्चाप्रकृत इति बोध्यम्। श्लेषग्रस्तमिति। भयङ्करगाङ्गेयेत्युभयार्थप्रतिपादकतयेति भावः, अखण्डित एव श्लेष इति। शब्दशक्तिमूलध्वनिना न खण्डित इत्यर्थः। शङ्कते न चेति। अप्रकृतधर्मिण इति। उपमाकल्पे माघस्यरूपमकल्पे माघस्य रूपककल्पे गाङ्गेयस्य चेत्यर्थः। क्वतर्हिसमासोक्तिरत आह—यत्रेति। शब्दशक्तिम् अभिधाम्। अपिः संभावनायाम्। अप्रकृत व्यवहारस्य शब्दवाच्यत्वेऽपि अप्रकृतधर्मिणो यत्र न शब्दवाच्यम्, तत्रैव समासोक्तिरिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'अलं हि—' इस पद्य में प्रकृत (प्रस्तुत) भीष्म और अप्रकृत माघ दोनों ही अश्लिष्ट हैं—' भिन्न-भिन्न शब्दों के द्वारा अवगत होते हैं—और उनके विशेषण—'अलं हिमानीपरिदीर्णगात्रः' आदि श्लिष्ट हैं, अतः यह श्लेष का एक तृतीय प्रकार (प्रकृताप्रकृतोभयाश्रित) होता है, किन्तु यह भेद उपमा से (माघतुल्य) मिश्रित है। फलतः यहाँ श्लेष तथा उपमा का संकर कहा जा सकता है। और यदि 'खेद है कि महात्मा (महाकाय) माघ भीष्म (भयङ्कर+गङ्गातनय महाभारतप्रसिद्ध पितामह) हो गया' एतदर्थक 'माघो महात्मा—'इस तरह का वाक्य रचकर–अर्थात् जो भीष्म पहले उद्देश्य तथा प्रकृत था उसको विधेय तथा अप्रकृत एवम् जो माघ पहले तुल्यता के द्वारा विधेय तथा अप्रकृत था उसको उद्देश्य तथा प्रकृत बनाकर 'भीष्म' इस अप्रकृत अंश को भी श्लिष्ट कर दिया जाय तथा 'उपमा' की जगह 'रूपक' बना दिया जाय, तब भी प्रकृत विशेष्य माघ के श्लिष्ट नहीं होने से श्लेष अखण्डित ही रहता है—अर्थात् तब भी शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का प्रसङ्ग नहीं होता क्योंकि उसके लिये प्रकृत का भी श्लिष्ट रहना आवश्यक होता है, जो यहाँ नहीं है, अतः उस स्थिति में भी श्लेष निर्बाध ही रहेगा।

ऐसे स्थल पर समासोक्ति का भ्रम नहीं करना चाहिये, क्योंकि यहाँ अप्रकृतधर्मी (उपमा वाले वाक्य में माघ और रूपक वाले वाक्य में भीष्म) भी शब्द-वाच्य है, और समासोक्ति वहीं मानी जाती है जहाँ अप्रकृत व्यवहार शब्दशक्ति (अभिधा) का सहन कर भी ले, परन्तु अप्रकृतधर्मी में अभिधा का स्पर्श भी न हो—अर्थात् वह केवल व्यङ्ग्य हो।

श्लेष-संबन्धि शास्त्रार्थमवतारयति—

अत्र विचार्यते—अयं चालंकारः प्रायेणालंकारान्तरस्य विषयमभिनिविशते, तत्र किमस्य बाधकत्वं स्यादाहोस्वित्संकीर्णत्वमुताहो बाध्यत्वमिति ।

अत्रेति । श्लेषविषय इत्यर्थः । अत एवाह—अयं चेति । श्लेष इत्यर्थः । विविक्तविषयत्वस्यापि वक्ष्यमाणत्वादाह—प्रायेणेति । अभिनिविशत इति । व्याप्नोतीत्यर्थः । तत्रेति । अलंकारान्तरविषयाभिनिवेश इति भावः । अस्येति । श्लेषस्येत्यर्थः । उताहो अथवा—

श्लेष के विषय में विचार किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

यह श्लेषालंकार प्रायः अन्य अलंकार के विषय को व्याप्त करता है—

अर्थात् इस का लक्ष्य प्रायः वैसा ही प्राप्त होता है जो अन्य किसी न किसी अलंकार का लक्ष्य रहता है, अतः इसके विषय में यह विचार करना आवश्यक है कि वैसी स्थिति में यह श्लेष अन्य अलंकार का बाधक होगा, अथवा अन्य अलंकार के साथ इसका संकर माना जायगा, किं वा श्लेष बाध्य समझा जायगा ?

अस्मिन्प्रसङ्गे उद्भटाचार्यमतमनुवदति—

अत्राहुरुद्भटाचार्याः—"येन नाप्राप्ते य आरभ्यते स तस्य बाधकः' इति न्यायेनालंकारान्तरविषय एवायमारभ्यमाणोऽलंकारान्तरं बाधते । न चास्य विविक्तः कश्चिदस्ति विषयो यत्र सावकाशो नान्यं बाधेत, तथाहि अप्रकृतमात्रयोः प्रकृतमात्रयोर्वा तावत्तुल्ययोगितैव जागर्ति । प्रकृताप्रकृतयोस्तु दीपकम् । तदनुमोदिता उपमादयश्च । न च—

'देव त्वमेव पातालमाशानां त्वं निबन्धनम् ।
त्वं चामरमरुद्भूमिरेको लोकत्रयात्मकः ॥'

इत्यादि काव्यप्रकाशोक्तौ विविक्तो विषय इति वाच्यम् । रूपकस्यैवात्र स्फुटत्वात् । श्लेषोपस्थापितपातालाद्यर्थस्याभेदारोपमन्तरेण लोकत्रयात्मकत्वस्य दुरुपपादत्वात् । कथं तर्हि 'नदीनां संपदं बिभ्रद्राजायं सागरो यथा' इत्यादावुपमायाः प्रत्ययः ? । कथं वा तत्रैव यथाशब्दस्थाने किमुशब्ददाने उत्प्रेक्षायाः ? । अपर इति कृते च रूपकस्येति चेत् , न । अत्र हि उपमादीनां प्रतिभानमात्रं न तु वास्तवी स्थितिः । न हि श्वैत्येन शुक्तौ रजतत्वं प्रतीयमानमपि वस्तुतोऽस्ति । तस्मादुपमादिप्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेष एव स्वविषये सर्वत्रालंकारः ॥ इति ।

येनेति । प्राप्त इति भावे क्तः । येनेति कर्तरि तृतीया । नञ्द्वयस्य प्रकृतदार्ढ्यबोधकत्वम् । तथा च यत्कर्तृकावश्यप्राप्तौ य आरभ्यमाणः स तस्य बाधक इत्यर्थः । तदप्राप्तियोग्येऽचरितार्थ्यं हि बाधकताबीजम् । एव व्यवच्छेद्यं स्पष्टार्थमाह—न चेति । नहीत्यर्थः । तावदादौ । तदनुमोदिता इति । तेन तुल्ययोगितादीपकादिना अनुमोदिताः समार्थिता इत्यर्थः । तुल्ययोगिताद्याश्रिता उपमादयो व्यंग्या भवन्तीति भावः । 'देव—' इति । राजानं प्रतिकस्य च न चाटुकारस्योक्तिः—हे देव राजन् , त्वमेव, नान्य इति भावः । अलम् अत्यन्तम् , पाता रक्षकः, अथ च त्वमेव, पातालम् पाताललोकः, त्वम् ,

आशानां मनोरथानाम्, निबन्धनम् आश्रयः, अथ च आशानाम् दिशाम्, निबन्धनम् आश्रयः पृथवीरूप इति यावत्, त्वम्, चामर मरुद्भूमिः चामरप्रसृतानिलपात्रभूतः, अथ च पुनः अमराणाम् देवानाम्, मरुतां मरुद्गणानाञ्च भूमिः स्थानम् स्वर्गलोक इति यावत्, अतः एकस्त्वम्, लोकत्रयात्मकः पाताल भू स्वर्गलोकात्मकः, असीत्यर्थः विविक्तो विषय इति। अलंकारान्तरास्पृष्टश्लेष लक्ष्यम्, गुणक्रियाद्यैकधर्मसंबन्ध विरहात्तुल्य-ययोगिताद्यप्रसक्तेरिति भावः निरस्यति—रूपकस्यैवेति कथमिह रूपकं स्फुटमिति चेत्तत्राह—श्लेपोपस्थापितेति अभेदारोपमन्तरेणेति। 'अलं पाता' इत्यादि प्रथमोपस्थापितार्थ इति भावः। अयमाशयः—राज्ञिलोकत्रयात्मकत्वं यद्वर्ण्यते तत् अलंपा=यादि पातालादिरूप-योरर्थयोरभेदारोपरूपरूपकम् विनाऽसंगतमेवभवेत्। ततश्चात्रापि रूपकाकान्त्या श्लेषस्य विविक्तविषयविहीनस्य सर्वालंकारबाधकत्वं सिद्धमिति। पुनः शङ्कते—कथमिति। नदीना-मिति। दीनां स्वल्पां, संपदं, न बिभ्रत्, नदीनां गङ्गादीनां संपदं बिभ्रच्येत्यर्थः। प्रत्यय इति। प्रतीतिरित्यर्थः। अस्याग्रे उभयत्रानुषङ्गः। तत्रैवेति। 'नदीनाम्' इत्यत्रैवेत्यर्थः, समाधत्ते—नेति। प्रतिभानमात्रमिति। तथाचोपमादीनां तत्र प्रातिभासिकत्वं, न तु वास्तवत्वमिति भावः। तदेवोपपादयति—नहीति। उपसंहरति—तस्मादिति। एवञ्च पूर्वोक्तेषु त्रिषु कल्पेषु बाधकत्वकल्पः उद्भटाचार्यसम्मत इति सारांशः।

उक्त त्रिविध विकल्पों के विषय में आचार्य उद्भट के मत को उद्धृत किया जाता है—अत्राहुरित्यादि।

इस विषय में आचार्य उद्भट का कथनहै कि—'येननाप्राप्ते—अर्थात् जिस की अवश्य प्राप्ति रहने पर जो आरब्ध होता है वह (दूसरा) उस (प्रथम) का बाधक होता है' इस न्याय से यह श्लेष, जिसका आरम्भ अन्य किसी न किसी अलंकार के विषय में ही किया जाता है, अन्य अलंकारों को बाधित करता है। तात्पर्य यह कि श्लेष का कोई ऐसा स्वतंत्र विषय नहीं है जहाँ यह अवकाश प्राप्त कर अन्य को बाधित न करे। देखिए—जहाँ केवल दो अप्रस्तुतों का अथवा केवल दो प्रस्तुतों का वर्णन रहेगा वहाँ 'तुल्ययोगिता' जागरूक रहेगी और जहाँ एक प्रस्तुत एवं दूसरे अप्रस्तुत का वर्णन होगा वहाँ 'दीपक' राह रोक कर खड़ा होगा साथ ही इनसे ध्वनित उपमा भी रहेंगे ही।

अब यदि आप कहें कि 'देव त्वमेव—अर्थात् हे देव तूँ ही 'पातालम्' (पाताल-रूप+अत्यन्त रक्षक) हो, तूँ ही 'आशानाम्' (दिशाओं+मनोरथों) के आश्रय (पृथ्वीरूप) हो और तूँ ही 'चामरमरुद्भूमि' (और देवताओं और मरुद्गणों के स्थान (स्वर्ग)+चामरों के पवन केपात्र—अधिकारी) हो, इस तरह अकेले ही त्रिलोकी-रूप हो।' इत्यादि काव्यप्रकाशोक्त पद्य में श्लेष का स्वतंत्र लक्ष्य मिल जाता है, तो यह उचित नहीं। कारण, यहाँ रूपकालंकार स्पष्ट है, क्योंकि श्लेष के द्वारा उपस्थित कराये गये पाताल आदि अर्थों का अभेद जब तक 'अत्यन्तरक्षक' आदि अर्थों में आरोपित किया जायगा तब तक राजा को त्रिलोकीरूप कहना सिद्ध नहीं हो सकेगा और किसी एक पदार्थ के अभेद का दूसरे पदार्थ में आरोप ही रूपक है।

यदि आप कहें कि—'नदीनाम्—अर्थात् 'नदीनाम्' (नदियों की+दीन नहीं—अत्यधिक) सम्पत्ति का धारण करता हुआ यह राजा जैसे समुद्र है।' इत्यादिक में उपमा की प्रतीति कैसे होती है और वहीं 'यथा' शब्द के स्थान में 'किमु' शब्द रखने पर (सागरः किमु' कर देने पर) उत्प्रेक्षा की प्रतीति क्यों होती है? इस तरह 'अपर' शब्द

कर देने पर ('सागरोऽपरः' कर देने पर) रूपक की प्रतीति क्यों होती है ? तो इसका उत्तर यह है कि उपमा आदि का प्रतिभासमात्र वहाँ होता है, वास्तविक स्थिति यहाँ उनकी नहीं है, जैसे स्वच्छता के कारण सीप में चाँदी प्रतीत होने पर भी वस्तुतः चाँदी वहाँ होता नहीं।

अतः यह मानना चाहिये कि जहाँ-जहाँ श्लेष का विषय हो वहाँ सब जगह श्लेष ही अलंकार रहता है और उपमा आदि के प्रतिभास का कारण भी वही होता है।

अथेदानीमुद्भटाचार्योक्तं खण्डयति—

एतच्चापरे न क्षमन्ते। तथा हि यत्तावदुच्यते येन नाप्राप्त इत्यादि, तत्र प्रागुदाहृते 'पद्माख्यं तत्किमपि ललितं' इत्यस्मत्पद्ये, 'सर्वदोमाधवः पातु यो गङ्गां समदीधरत्' इत्यादि परकीयपद्ये च श्लेषातिरिक्तः कोऽलंकारः ?। तुल्ययोगिता तु सादृश्यप्रत्ययनियता कथमत्र शक्यते वक्तुम् ? नहि लक्ष्मी-कमलयोर्हरिहरयोर्वा प्रकृते सादृश्यं प्रतिपिपादयिषितम्, नापि चात्रैक-श्रुत्यार्थद्वयोपादानं विनान्यत्किंचिच्चमत्कारजनकं येनालंकारान्तरमभ्युप-गच्छेम। एकश्रुत्यार्थद्वयोपादानं तु श्लेष एव, एवञ्च सावकाशत्वाच्छ्लेषस्या-लंकारान्तरापवादकत्वं न युक्तम्। अत एवोपमादीनां प्रतिभानमात्रमिति यदुक्तं तदपि न सङ्गतम्। गुणक्रियादेरिव शब्दमात्रस्यापि समानधर्मत्वेनो-पमायां तावद् बाधकाभावात्। एवमलंकारान्तरस्यापि श्लेषविषये पारमार्थि-क्येव सत्ता न प्रातिभासिकी। प्रत्युत श्लेषस्यैव प्रतिभानमात्रमिति वक्तुं युक्तम्। पूर्णोपमाया विषयस्य सर्वस्यापि त्रिविधश्लेषेणाक्रान्तत्वान्निरवका-शतयास्य सावकाशस्य स्वविषये बाधौचित्यात्। तथा 'समरार्चितोऽप्य-मरार्चितः' इत्यादौ श्लेषस्य तैमिरिकचन्द्रद्वयवत्प्रतिभानमात्रमेव, न त्वलंका-रत्वम्। तज्जीवातोर्द्वितीयार्थस्याप्रतिष्ठानात्। विरोधस्य त्वाभासरूपस्या-प्यलंकारत्वम्, न तु श्लेषस्येति स्फुटमेव, तस्मादेवमादौ श्लेषप्रतिभयोत्पाद्यो विरोध एवालंकारः, न तु विरोधप्रतिभयोत्पाद्यः श्लेषः। किञ्च प्रत्येकं तत्तद्रूपपुरस्कारेण कस्याप्यलंकारस्य नास्ति श्लेषविषये नाप्राप्तत्वम्, अलंका-रान्तरत्वपुरस्कारेणेति चेत्, एवं तर्हि बाध्यसामान्यचिन्तया स्वविषये प्राप्तस्य सर्वस्यापि बाधापत्तौ श्लिष्टपरम्परितरूपकस्य श्लिष्टसमासोक्तेश्चोच्छेद एव स्यात्। तस्माच्छ्लेषस्य नापवादकत्वम्, संकीर्णत्वं तु स्यात् इति।

तत्रेति। उच्यत इति शेषः। एवमग्रे सर्वत्र बोध्यम्। पद्माख्यमिति, व्याख्यात-मेतत्पुरस्तात्। 'सर्वदोमाधव-'इति। यः, कृष्णावतारे अगम् पर्वतम् गोवर्धनमिति यावत्, वराहावतारे गाम् पृथ्वीम्, समदीधरत् धृतवान्, सः, सर्वदः सकल-पदार्थप्रदः, माधवः हरिः, पातु रक्षतु इति विष्णुपक्षेऽर्थः। शिवपक्षे च यः, गंगाम् सुरसरितम्, समदीधरत् सः, उमाधवः हरः, सर्वदा, पात्वित्यर्थो बोध्यः, कोऽल-ङ्कार इति। न कोऽपीति भावः। ननु तुल्ययोगितेत्यत्राह—तुल्ययोगिता त्विति। वस्तुतः सादृश्यसत्त्वेऽप्याह—प्रत्ययेति। ननु तत्प्रतीतिः कुतो नात आह—नहीति।

नन्वलंकारान्तरमस्त्वत आह—नापीति । नन्वेकश्रुत्यार्थद्वयोपादानेऽप्यन्यालंकारः कुतो नात आह—एकेति । उपसंहरति—एवं चेति । अलंकारान्तराभावे चेत्यर्थः । अत एवेति । अपवादकत्वस्यायुक्तत्वादेवेत्यर्थः । बाधकाभावादिति । बाधकताबीजस्य निरवकाशत्वस्याभावादित्यर्थः । श्लेषस्येति शेषः । उत्प्रेक्षादावाह—एवमिति । प्रत्युत वैपरीत्येन । लुप्तोपमायां सर्वत्र तदसंभवादाह—पूर्णोपमाया इति । तथा च तद्विषये इदमुच्यते, नतु सर्वत्रेति भावः । त्रिविधेति । अभङ्ग-सभङ्गार्थश्लेषरूपेत्यर्थः । अन्यत्राप्येवमित्याह—तथेति । समरार्चितोऽप्यमरार्चित इति । समरैः मरणसहितैः मानवैरिति यावत्, अर्चितः पूजितोऽपि, अमरैः मरणरहितैः देवैरिति यावत्, अर्चित इति विरोधः, समरे युद्धे, अर्चितः इत्यविरोधः । तैमिरिकेति । तिमिराख्यनेत्ररोगक्तेत्यर्थः । अप्रतिष्ठानादिति । सरलतयाऽप्रतीतेरित्यर्थ इति नागेशः । वस्तुतः स्थित्यभावादित्यर्थ इति तु मम प्रतिभाति । नन्वाभासत्वे श्लेषवद् विरोधस्याप्यलंकारत्वं न स्यादत आह—विरोधस्य त्विति । अपि त्वस्तिवतत्समुच्चायकः । नन्वेवं तर्हि समरार्चितोऽपीत्यादौ कोऽलंकारोऽत आह—तस्मादिति । उक्तहेतोरित्यर्थः । एवमादौ समरार्चीत्यादौ । एवं सावकाशत्वेन न्यायाविषयत्वमुक्त्वा विशेषचिन्तापक्षेऽसंभवात्सामान्यचिन्तापक्षेऽतिव्याप्तेश्च न न्यायविषय इत्याह—किं चेति ? तत्तद्रूपेति, उपमात्वरूपकत्वादीत्यर्थः । श्लेषविषये इति । श्लेषविषयत्वावच्छिन्ने इत्यर्थः । एवं च बाध्यविशेषचिन्तापक्षे तदसंभवः । सामान्यचिन्तापक्षे आह—अलंकारान्तरेति । ननु मास्त्वस्य तदपवादत्वम् परंतु तदग्रिमयोः पक्षयोः कोऽभिमतोऽत आह—संकीर्णत्वमिति ।

'येन नाप्राप्ति' न्यायेन श्लेषस्यालंकारान्तरबाधकत्वमुद्भटोक्तमयुक्तम्, तन्न्यायस्यात्राप्रसङ्गात् । तथाहि—तदप्रवृत्तियोग्येऽचरितार्थत्वं बाधकत्वे बीजम् । तच्चेह नास्ति, अलंकारान्तराप्राप्तियोग्ये 'पद्माख्यम्-' इत्यादौ श्लेषस्य चरितार्थत्वात् । किंच श्लेषस्य यावन्ति लक्ष्याणि संभवन्ति तेषु सर्वेषु न कस्यापि एकस्योपमादेरवश्यप्राप्तिः इति बाध्यविशेषचिन्तापक्षेऽसंभवं श्लेषस्य बाधकत्वम्, श्लेषस्य सर्वेषु लक्ष्येषु अलंकारत्वेन रूपेण कश्चिदलंकारः प्राप्त एवेति बाध्यसामान्यचिन्तापक्षाश्रयणे श्लेषविषये रूपकस्य समासोक्तेश्च बाधे श्लिष्टपरंपरितरूपकश्लिष्टसमासोक्त्योः सर्वसम्मतयोर्विलोपः । एवञ्चास्य बाधकत्वन्निरस्तम् । एवं स्थितावलंकारान्तरस्य श्लेषविषये प्रतिभानमात्रमिति कथनमपि निरस्तमेव । एवञ्च क्वचित् शुद्धः श्लेष एवालंकारः, क्वचित्तु उपमाद्यलंकारान्तरसंकीर्णः स इति भावः ।

उद्भटाचार्य के उक्त मत का खण्डन किया जाता है—एतच्च इत्यादि । उद्भटाचार्य के कथन को अन्य विद्वान् सहन नहीं करते । उनका कथन है कि आप ने जो 'येन नाप्राप्ते—' इस न्याय की बात कही–अर्थात् श्लेष को निरवकाश बतलाया, वह ठीक नहीं, क्योंकि पूर्व में उदाहरणरूप से उपस्थित किए गए 'पद्माख्यम्—' इस मेरे पद्य में और "सर्वदोमाधवः—अर्थात् 'यो गङ्गाम्' (जो अग=गोवर्धन पर्वत तथा गो = पृथ्वी + गङ्गा, का) धारण किया, वह 'सर्वदोमाधवः' (सब कुछ देने वाले माधव = हरि + सर्वदा सब काल में उमाधव = पार्वतीवल्लभ = शिव) रक्षा करें" इस परकीय पद्य में भी श्लेष के अतिरिक्त कौन-सा अलङ्कार है ?

तात्पर्य यह कि इन पद्यों में श्लेष का अवकाश है, अन्य कोई अलंकार नहीं है।

यदि आप कहें कि यहाँ तुल्ययोगिता है तो तुल्ययोगिता में सादृश्य की प्रतीति नियत रूप से होती है, अतः वह यहाँ कैसे कही जा सकती है, क्योंकि प्रकृत (उक्त पद्यों) में लक्ष्मी और कमल का अथवा हरि तथा हर का सादृश्य कहना वक्ता का अभीष्ट नहीं है, एवम् यहाँ 'एक श्रुति से दो अर्थ का ग्रहण' के अतिरिक्त अन्य कुछ चमत्कार-जनक है भी नहीं जिससे दूसरा अलंकार स्वीकार किया जाय, और एक श्रुति से दो अर्थों का ग्रहण तो श्लेष ही है।

इस तरह से पर्यवसित यह हुआ कि श्लेष के सावकाश होने से उसे अन्य अलंकारों का बाधक मानना उचित नहीं।

इसी लिए जो यह कहा गया है कि 'उपमा आदि की केवल प्रतीति होती है—उनकी वास्तविक स्थिति नहीं रहती' वह भी सङ्गत नहीं। कारण, जिस तरह गुण, क्रिया आदि समान धर्मरूप होते हैं, उसी तरह केवल 'शब्द' भी समान धर्म हो ही सकता है अतः यहाँ उपमा के होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। इसी प्रकार श्लेष-स्थल में अन्य अलंकारों का अस्तित्व भी वास्तविक ही रहता है प्रातिभासिक नहीं। प्रत्युत यह कहना उचित है कि ऐसे स्थलों पर श्लेष का अस्तित्व ही प्रातिभासिक रहता है। कारण, पूर्णोपमा के सभी लक्ष्य सभङ्ग, अभङ्ग तथा आर्थ इन त्रिविध श्लेषों में से किसी एक से अवश्य ही आक्रान्त रहते हैं, अतः निरवकाश पूर्णोपमा द्वारा अपने विषय में सावकाश श्लेष का बाध होना युक्त है।

इतना ही नहीं, अपितु 'समरार्चितोऽपि—अर्थात् समर = युद्ध में पूजित हो कर भी अमरों = देवों से पूजित (यह वास्तविक अर्थ) + समरों = मरणधर्मा मनुष्यों से अर्चित होकर भी इत्यादि पूर्ववत् (यह विरुद्ध आपाततः प्रतीत अर्थ)' इत्यादिक में श्लेष की तिमिर रोगी (मोतियाबिंद वाले) के दो चन्द्र की प्रतीति की तरह प्रतीतिमात्र ही है न कि अलंकाररूपता, क्योंकि श्लेष का जो जीवन (मूल) हो सकता था वह दूसरा अर्थ (समरार्चित का समरों = मरणधर्मा से अर्चित यह अर्थ) यहाँ प्रतिष्ठित ही नहीं होता।

यदि आप कहें कि जब दूसरा अर्थ प्रतिष्ठित नहीं, तब विरोध अलंकार भी कैसे होगा तो इसका उत्तर यह है कि आभासरूप विरोध भी चमत्कारी होने से अलंकार रूप माना जाता है, अत एव 'विरोधाभास' यह नाम भी सार्थक होता है। पर श्लेषाभास श्लेषालंकार नहीं माना जाता है यह सर्वविदित है।

इसलिए 'समरार्चितोऽपि—' इत्यादि स्थलों में श्लेष की प्रतिभा (प्रतीतिमात्र) से उत्पन्न होने योग्य विरोध ही अलंकार होता है न कि विरोध की प्रतिभा से उत्पाद्य श्लेष।

दूसरी विचारणीय बात यह भी है कि आप ने जो 'अवश्यप्राप्ति' की बात कह कर श्लेष को बाधक माना है वह कहाँ तक ठीक है। तत्तत् रूप पुरस्कार से—अर्थात् उपमात्व रूपकत्व आदि विशेष रूप से कोई अलंकार श्लेष के विषय में अवश्य प्राप्त है नहीं। तात्पर्य यह कि श्लेष के सभी लक्ष्यों में उपमा अथवा रूपक किंवा कोई अन्य एक खास अलंकार प्राप्त रहता नहीं। ऐसी स्थिति में बाध्य—विशेषचिन्ता पक्ष के अनुसार श्लेष किसी का बाधक नहीं ठहरता है।

अब यदि आप बाध्य सामान्यचिन्ता पक्ष के अनुसार यह कहना चाहें कि श्लेष-विषयत्वावच्छिन्न अर्थात् श्लेष के लक्ष्यमात्र में कोई न कोई अन्य अलंकार अवश्य प्राप्त रहता है, अतः श्लेष अपने विषय में संभावित किसी भी अलंकार का बाध करेगा तो यह भी उचित नहीं, कारण, इस तरह से श्लिष्टपरम्परित रूपक तथा श्लिष्ट समासोक्ति का अलंकार जगत् से उच्छेद ही हो जायगा, क्यों कि ये दोनों अलंकार

नियमतः श्लेष के रहने पर ही होते हैं और आपके हिसाब से श्लेप अपने विषय में सामान्यतया सभी अलंकारों का बाधक होता है।

सारांश यह हुआ कि श्लेष सावकाश होने के कारण न निरवकाशता के आधार पर बाधक हो सकता है और न अवश्य प्राप्ति के आधार पर। फलतः श्लेषबाधक नहीं हो सकता। हाँ, संकीर्णता वाला दूसरा कल्प अवश्य ही संभव है—अर्थात् श्लेष के विषय में अन्य अलंकार का प्रसंग हो जाने पर श्लेष और उस अन्य अलंकार का संकर माना जा सकता है।

श्लेषस्यालंकारान्तरबाध्यत्वमिति तृतीयं पक्षमुपपादयितुं प्रक्रमते—

अन्ये तु—"अलंकारा हि प्राधान्येन चमत्काराधायकाः स्वां स्वामाख्यां लभन्ते। त एव परोपकारकतया वर्तमानास्तां त्यजन्ति। यथा—'रराज भूमौ वदनं मृगाक्ष्या नभोविभागे हरिणाङ्कबिम्बम्' इत्यत्र प्रकृताऽप्रकृतात्मनामेकधर्मसंबन्धो दीपकाख्यां भजते, त्यजति च 'राजते वदनं तन्व्या नभसीव निशाकरः' इत्यत्र। अत एवोच्यते—'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' इति। एवं चालंकारान्तरोपस्कारकतया स्थितः श्लेषः कथंकारं स्वगृहस्थ इव श्लेषालंकारव्यपदेशं वोढुमीष्टामिति बाध्यप्राय एव" इत्यप्याहुः।

हि यतः। स्वां स्वामाख्यामिति। दीपकोपमेत्यादिनामेत्यर्थः। त एवेति, अलंकारा इत्यर्थः। वर्तमाना इति। अप्रधाना इति भावः। तामिति। स्वामाख्यामित्यर्थः। 'रराज—' इति। भूमौ भूतले, मृगाक्ष्या मृगनयनायाः, वदनम् मुखम्, नभोविभागे आकाशे, हरिणाङ्कबिम्बम् चन्द्रमण्डलञ्च, रराज शुशुभे इत्यर्थः। प्रकृताप्रकृतेति। मृगाक्षी-वदन-चन्द्रमण्डलेत्यर्थः। एकधर्मेति। राजनक्रियारूपेत्यर्थः। 'राजते—' इति। तन्व्याः कृशाङ्ग्या नायिकायाः, वदनम् मुखम्, नभसि गगने, निशाकरः चन्द्रः, इव, राजते शोभते इत्यर्थः। अत्र वर्तमानोऽप्येकधर्मसंबन्धः अल्प चमत्कारितयाऽप्रधान इति न दीपकसंज्ञां लब्धुं क्षमः, उपमा तु वर्णनीयपोषकतया समधिकचमत्कारवत्तया व्यपदेशयोग्येति भावः। उक्तार्थे प्राचीनसंम्मतिमाह—अतएवेति। ईदृशव्यवस्थाङ्गीकारादेवेत्यर्थः। नन्वेतावता प्रकृते किं सिद्धमत आह—एवं चेति। उक्त व्यवस्थाङ्गीकारे चेत्यर्थः, कथंकारमिति। कथं कृत्वेत्यर्थः। स्वगृहस्थ इवेति। अत्र 'व्यतिरेके दृष्टान्तः' इति नागेशः। तथा च स्वगृहे स्थितो जनो यथा प्रधानो भवति न तथा परगृहस्थ इति अलंकारान्तरोपस्कारकः श्लेषः परगृहस्थजनतुल्योऽप्रधानतां गतो न स्वामाख्यां लभत इति भावः। सरलाकारादयस्तु भिन्नां व्याख्यां कुर्वाणा न मह्यं रोचन्ते इति बोध्यम्। बाध्यप्राय एवेति। सर्वदोमाधव इत्यादावलंकारान्तरसंभावनारहिते सावकाशस्य श्लेषस्यालंकारान्तरेण स्वविषये बाध्यत्वमेवेत्यर्थः। प्रतिभासमात्रसत्त्वात्प्राय इति।

श्लेष अन्य अलंकारों से अपने विषय में बाधित होता है इस तृतीय पक्ष का विचार अब किया जाता है—अन्ये तु इत्यादि।

अन्य आचार्यों का कथन है कि—अलंकार जब प्रधान रूप से चमत्कारोत्पादक होते हैं तब अपनी-अपनी संज्ञा का लाभ करते हैं और वे ही जब दूसरे अलंकारों के उपकारक रूप में वर्तमान रहते हैं तब अपने नाम से नहीं पुकारे जाते। जसे-'रराज—अर्थात्

भूतल पर मृगनयना नायिका का मुख शोभित हुआ और आकाश में चन्द्रमण्डल।' यहाँ प्रस्तुत मुख तथा अप्रस्तुत चन्द्रमण्डल का 'शोभित होना' रूप एकक्रियात्मक धर्म के साथ संबन्ध 'दीपक' संज्ञा को प्राप्त करता है पर 'राजते—अर्थात् कृशाङ्गी नायिका का मुख आकाशगत चन्द्रमा के समान शोभित हो रहा है।' यहाँ उसी तरह का एक-धर्माभिसंबन्ध रह कर भी प्रधानतया चमत्कारोत्पादक 'इव' शब्द-वाच्य उपमा का पोषक होने के कारण दीपक संज्ञा का त्याग कर देता है—अर्थात् यहाँ उपमा का ही नाम लिया जाता है, दीपक का नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि–'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति—अर्थात् प्रधानता के आधार पर व्यवहार होते हैं।'

इस तरह की स्थिति में अन्य अलंकार के उपस्कारक रूप में रहने वाला श्लेष, अपने घर में रहने वाले के समान, श्लेषालंकार व्यवहार का धारण करने में कैसे समर्थ होवे–अर्थात् जैसे अपने घर में कोई प्रधान होने के कारण नाम पाता है वैसे परगृह में रह कर नहीं, ठीक उसी प्रकार श्लेष वहाँ नाम पा सकता है जहाँ उसका अपना विषय है दूसरे अलंकार के विषय में तो रहकर भी वह नाम नहीं पा सकता।

इसीलिये उसे (श्लेष को) बाध्य सा ही समझना चाहिए।"

उपसंहरति—

तदित्थं संक्षेपेण श्लेषस्य दिक्प्रदर्शिता।

स्पष्टम्।

इस तरह संक्षेप से श्लेष का विवरण दिया गया।

श्लेष-शब्द-शक्तिमूलकध्वन्योर्भेदं दर्शयितुं प्रक्रमते—

यत्र तु प्रकृताप्रकृतोभयविशेष्ययोरपि श्लिष्टपदोपात्तत्वम् स तु ध्वनेर्विषय इत्युक्तम्।

विशेष्यीभूतप्रस्तुताप्रस्तुतोभयविधार्थबोधकं पदं यत्र श्लिष्टं तत्र श्लेषव्यवहारो न अपि तु शब्दशक्तिमूलकध्वनिव्यवहार एवेति भावः।

श्लेष और शब्दशक्तिमूलकध्वनि में अन्तर बतलाया जाता है—यत्र तु इत्यादि।

यह कहा जा चुका है कि जहाँ प्रस्तुत एवम् अप्रस्तुत दोनों विशेष्यों का भी श्लिष्ट पद से ग्रहण हो वह शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का विषय है, न कि श्लेष का।

तादृशं लक्ष्यमुपस्थापयितुमाह—

स च यथा—

स्पष्टम्।

वह जैसे—।

तादृशं लक्ष्यमुपस्थापयति—

'अविरलविगलद्दानोदकधारासिक्तधरणितलः।
धनदाग्रमहितमूर्तिर्जयतितरां सार्वभौमोऽयम्॥'

अविरलम् सततम्, विगलतः पततः, दानोदकस्य उत्सर्गजलस्य, धारायाः, आसारेण वृष्ट्या, सिक्तम्, धरणितलं, येन, सः, तथा धनदानाम् धनदायिनाम् अग्रे, महिता पूजिता, मूर्तिः स्वरूपं यस्य, तादृशः धनदायकश्रेष्ठ इति यावत्, अयम् वर्णनीयः, सार्वभौमः सम्राट् जयतितराम् अतिशयेनोत्कृष्ट इति प्रकृतोऽर्थः। अविरलं, विगलतः, दानो-

दकस्य मदजलस्य, धारायाः, आसारेण, सिक्तं, धरणितलं येन तादृशः, स्रवन्मदार्द्रीकृतधरातल इति यावत्, तथा धनदस्य कुबेरस्य, अग्रे, महिता मूर्तिर्यस्य तादृशः, कुबेरप्रशंसितशरीर इति यावत्, अयम्, सार्वभौमः उदग्-दिग्गजः, जयतितराम् इति चाप्रकृतोऽर्थः ।

उस प्रकार का लक्ष्य उपस्थित किया जाता है—अविरल इत्यादि ।

जिसने निरंतर गिरते दानजल (संकल्प के पानी) की धाराओं की वृष्टि से पृथ्वी को सिक्त कर दिया है और जिसका स्वरूप धनदायकों के आगे पूजित है—अर्थात् जिसका स्वरूप धनदाताओं में सर्वाधिक प्रशस्त है ऐसा यह सार्वभौम (समग्र पृथ्वी का स्वामी) सबसे उत्कृष्ट है यह है प्रस्तुत अर्थ और जिसने सतत चूते हुए मदजल की धाराओं की वृष्टि से भूमि को आर्द्र कर दिया है तथा जिसका स्वरूप कुबेर के आगे भी पूजित है—अर्थात् कुबेर भी जिसकी शरीर-संपत्ति की प्रशंसा करते हैं ऐसा यह सार्वभौमनामक दिग्गज (उत्तरदिशा का हाथी) सबसे उत्कृष्ट है यह अप्रस्तुत अर्थ भी यहाँ प्रतीत होता है ।

उपपादयति—

अत्र राजनि प्रस्तुते उदग्दिग्गजोऽप्रस्तुतोऽपि व्यञ्जनमर्यादया प्रतीयते । तत्राप्रस्तुताभिधानं मा प्रसाङ्क्षीदिति प्रस्तुताप्रस्तुतयोरुपमानोपमेयभावे तात्पर्यं कल्प्यते । इमं च शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपं ध्वनिमाहुः ।

तत्रेति । 'अविरल—' इति पद्य इत्यर्थः । तत्रेति । तत्प्रतीतौ सत्यामित्यर्थः । तात्पर्यमिति । वक्तुरिति भावः । अयं भावः—'अविरल—' इत्यत्र राजरूपोऽर्थः प्रस्तुत इति प्रकरणेन सार्वभौमादिपदानामभिधायास्तस्मिन्नेवार्थे नियन्त्रितत्वेन अप्रस्तुतो दिग्गजरूपोऽर्थो व्यञ्जनया प्रतीतिपथमवतरति । ततश्चाप्रस्तुतार्थप्रत्यायनमन्यथाऽसंगतमिति 'सार्वभौमः (राजा) सार्वभौमः (उदग्दिग्गजः) इवेत्याकारकः' उपमानोपमेयभावबोधने वक्तुस्तात्पर्यमवधार्यते । एवञ्च शब्दशक्तिमूलकसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यनामकध्वनिरयमिति प्राचीना इति ।

उपपादन किया जाता है—अत्र राजनि इत्यादि ।

यहाँ (अविरल—' इस पद्य में) राजा के प्रस्तुत रहने पर भी व्यञ्जना की मर्यादा से उत्तरदिशा का दिग्गज यह अप्रस्तुत अर्थ भी ज्ञात होता है । तात्पर्य यह कि यहाँ राजा तथा दिग्गज इन दोनों अर्थों की प्रतीति अवश्य होती है पर एक—अर्थात् राजा की अभिधा से और दूसरे अर्थात् दिग्गज की व्यञ्जना से, क्योंकि राजा के वर्णन-प्रसङ्ग में रचित इस पद्य के 'सार्वभौम' आदि पदों की अभिधा राजारूप अर्थ में प्रकरण से नियन्त्रित हो जायगी, अतः अभिधा से दूसरे अर्थ का बोध नहीं हो सकेगा ।

इस तरह जब उक्त दिग्गजरूप अप्रस्तुत अर्थ की भी प्रतीति होगी तब 'इस अप्रासङ्गिक अर्थ के वर्णन से क्या प्रयोजन' इस आशङ्का की निवृत्ति के लिए यह कल्पना की जाती है कि वक्ता का तात्पर्य यहाँ उन दोनों प्रस्तुताप्रस्तुत अर्थों में उपमानोपमेय भाव दिखलाना है—अर्थात् 'राजा दिग्गज जैसा' ऐसी उपमा यहाँ अन्त में प्रतीत होती है ।

यहाँ विशेष्यबोधक 'सार्वभौम' पद भी श्लिष्ट है—अर्थात् राजा तथा दिग्गज दोनों का बोधक है, अतः इस पद्य को शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यनामक ध्वनि का लक्ष्य मानते हैं, श्लेष का नहीं ।

अन्यैरुक्तमीदृशमुदाहरणमुद्धरन्नाह—

उदाहृतश्च ध्वनिकारैः—

'उन्नतः प्रोलसद्धारः कालागुरुमलीमसः ।
पयोधरभरस्तस्याः कं न चक्रेऽभिलाषिणम् ॥'

मम्मटभट्टैश्च—

'भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोर्विशाल-
वंशोन्नतेः कृतशिलीमुखसंग्रहस्य ।
यस्यानुपप्लुतगतेः परवारणस्य
दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत् ॥'

'उन्नतः—' इति ।

उन्नतः महान् उच्चैश्च, प्रोल्लसद्धारः प्रोल्लसन्ती धारा यस्य, प्रोल्लसन् हारो यत्र स च, कालागुरुमलीमसः कालागुरुवत् श्यामः कालागुरुणा श्यामश्च, तस्या नायिकायाः, पयोधरभरः मेघसमूहः स्तनमण्डलञ्च, कम् जनम् , अभिलाषिणम् साभिलाषम् , न चक्रे ? अवश्यमेव चक्रे इत्यर्थः । अत्रापि शब्दशक्तिमूलध्वनिः ।

'भद्रात्मनो—' इति ।

भद्रात्मनः कल्याणरूपस्य, दुरधिरोहतनोः अनभिभवनीयशरीरस्य, विशालवंशोन्नतेः महाकुलसमुदयस्य, कृतशिलीमुखसंग्रहस्य विहितबाणसंचयस्य, अनुपप्लुतगतेः अबाधितज्ञानस्य अवारितगतेर्वा, परवारणस्य शत्रुनिवारकस्य, यस्य राज्ञः, करः हस्तः, सततं सर्वदा, दानाम्बुसेकसुभगः संकल्पजलसेकसुन्दरः, अभूत् इति प्रकृतपक्षे, भद्रात्मनः भद्रजातीयस्य, दुरधिरोहतनोः अत्युच्चत्वाद् दुःखाधिरोह्यशरीरस्य, विशालवंशोन्नतेः विशाला वंशस्य पृष्ठदण्डस्य उन्नतिर्यस्य तादृशस्य, कृतशिलीमुखसंग्रहस्य कृतभ्रमरसंग्रहस्य, अनुपप्लुतगतेः अनुद्धतधीरगमनस्य, यस्य, परवारणस्य उत्कृष्टगजस्य, करः शुण्डादण्डः, सततम्, दानाम्बुसेकसुभगः मदजलसेकरमणीयः, अभूदिति चाप्रकृतपक्षे व्याख्या बोध्या । इदं मम्मटभट्टोक्तं शब्दशक्तिमूलध्वनेरुदाहरणम् ।

शब्दशक्तिमूलक ध्वनिके अन्य आचार्योक्त उदाहरण दिखलाये जाते हैं—उदाहृतश्च इत्यादि ।

ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रमध्वनि का उदाहरण यह दिया है—'उन्नतः—अर्थात् उसका 'उन्नत' (उभरा हुआ + महान्) 'प्रोल्लसद्धार' (जिसमें हार सुशोभित हो रहा था + जिसकी धाराएँ सुशोभित हो रही थीं) और 'कालागुरुमलीमस' (काले अगर से श्याम + काले अगर के समान श्याम) 'पयोधरभर' (स्तनों का भार + मेघसमूह) किस को साभिलाष नहीं बनाया ? सभी उसके अभिलाषी थे । मम्मटभट्ट ने उसका उदाहरण यह दिया है—'भद्रात्मनो—अर्थात् जिसके शरीर पर कष्ट से आक्रमण किया जा सकता था, जिसकी विशाल वंश में उन्नति हुई थी, जिसने बाणों का संग्रह किया था, जिसका ज्ञान अबाधित था अथवा जिसकी गति अवारित थी, जो शत्रुओं का निवारण करने वाला था, ऐसे उस कल्याणरूप राजा का हाथ सतत दान के जल के सेक से सुन्दर रहता था (यह है प्रस्तुतपक्षीय अर्थ) और जिसके अत्युन्नत

शरीर पर कष्ट से चढ़ा जा सकता था, जिसके मेरुदण्ड (पीठ) ने बड़ी उन्नति की थी, जिसने भ्रमरों को इकट्ठा कर रक्खा था, ऐसे उस 'भद्र' जातीय उत्कृष्ट हाथी की सूँड सदा मद जल के सेक से सुन्दर रहती थी।

खण्डयितुं कुवलयानन्दकारमतमुत्थापयति—

कुवलयानन्दकारस्तु—"यदत्र प्रकृताप्रकृतश्लेषोदाहरणे शब्दशक्तिध्वनिमिच्छन्ति प्राञ्चस्तत्तु प्रकृताप्रकृताभिधानमूलस्योपमादेरलंकारस्य व्यङ्ग्यत्वाभिप्रायं न त्वप्रकृतार्थस्यैव व्यङ्ग्यत्वाभिप्रायम्। अप्रकृतार्थस्यापि शक्त्या प्रतिपाद्यस्याभिधेयत्वेन व्यक्त्यनपेक्षत्वात्। यद्यपि प्रकृतार्थे प्रकरणवशाज्झटिति बुद्धिस्थिते सत्येव पश्चान्नृपतितद्ग्राह्यधनादिवाचिनां राजकरादिपदानामन्योन्यसंनिधानबलात्तद्विषयशक्त्यन्तरोन्मेषपूर्वकमप्रकृतार्थः स्फुरेत्, नैतावता तस्य व्यङ्ग्यत्वम्। शक्त्या प्रतिपाद्यमाने सर्वथैव व्यक्त्यनपेक्षणात्। पर्यवसिते प्रकृतार्थाभिधाने स्फुरति चेत्कामं गूढश्लेषोऽस्तु। अस्ति चान्यत्रापि गूढः श्लेषः। यथा—

'अयमतिजरठाः प्रकामगुर्वीरलघुविलम्बिपयोधरोपरुद्धाः।
सततमसुमतामगम्यरूपाः परिणतदिक्करिकास्तटीर्बिभर्ति ॥'

अत्र हि समासोक्त्युदाहरणे वृद्धवेश्यावृत्तान्तः प्रतीयते। तत्राभङ्गश्लेष इति सर्वेषामभिमतम्। एवञ्चाप्रकृतार्थो न व्यङ्ग्यः।' इत्याह।

कुवलयानन्दकारस्त्विति। अप्पयदीक्षित इत्यर्थः। अस्य 'आह' इत्यग्रिमेणान्वयः। मूलध्वनिमिति। मूलकध्वनिमिति भावः। मूलस्येति। मूलकस्येति भावः। अलंकारस्येति। अत्र "इदमुपलक्षणं वस्तुध्वनेरपि। शनिरशनिरित्यादौ शनिविरुद्धरूपेऽप्रस्तुतेऽशनिशब्देनाभिधया प्रतीयमानेऽपि तन्मूलकस्य 'विरुद्धावपि त्वदनुवर्तनार्थमेकं कार्यं कुरुतः' इति वस्तुध्वनेरशनिशब्दशक्तिमूलस्य संभवात्। एतेन शब्दशक्तिमूलवस्तुध्वनेरुच्छेद इत्यपास्तम्।" इति नागेशः। अतएव विवक्षितार्थमाह—न त्विति। तत्र हेतुमाह—अप्रकृतार्थस्येति। अभिधेयत्वेनेति। वाच्यत्वावश्यकत्वेनेत्यर्थः। झटितीति। "एवं च प्रकरणादीनां प्राथमिकबोधत्वमेव प्रतिबध्यतावच्छेदकमिति भावः"। इति नागेशः। नृपतितद्ग्राह्येति। नृपति-नृपतिग्राह्येत्यर्थः। यथासंख्येनास्य राजकरयोरन्वयः। 'असावुदयमारूढः कान्तिमान् रक्तमण्डलः। राजा हरति सर्वस्वं मृदुभिर्नूतनैः करैः ॥' इत्यादाविति भावः। अन्योन्यसंनिधानेति। परस्परार्थसंबन्ध्यर्थवाचकशब्दसमभिव्याहाररूपशब्दान्तरसंनिधीत्यर्थः। तद्विषयेति। अप्रकृतार्थविषयेत्यर्थः। नैतावतेति। अस्य तथापीत्यादिर्बोध्यः। एतावता पूर्वापरभावमात्रेण। तस्येति। अप्रकृतार्थस्येति भावः। स्फुरति चेदिति। अप्रकृतार्थ इत्यनुषज्यते। गूढश्लेषोऽस्त्विति, अप्रकृतस्य द्वितीयस्य शीघ्रमप्रत्ययाद् गूढत्वं बोध्यम्। तदसंभवशङ्कां निरस्यति—अस्ति चेति। चो ह्यर्थे। अन्यत्रापीति। उदाहरणान्तरेऽपीति भावः। अयमति। माघे रैवतकवर्णनमिदम्। अयं रैवताख्यो गिरिः, व्यञ्जनया राजा च अतिजरठाः कठिनाः अतिप्रवयसश्च, प्रकामगुर्वीः अतिमहतीः जीर्णाश्च, अलघुविलम्बिपयोधरोपरुद्धाः महाविलम्बमानमेघव्याप्ताः महालम्बमान-

स्तनयुक्ताश्च, सततम् सर्वदा, असुमताम् प्राणिनाम्, अगम्यरूपाः गमनायोग्यस्वरूपाः संगमायोग्यस्वरूपाश्च, परिणतदिक्करिकाः परिणतास्तिर्यग्दन्तप्रहारिणो दिक्करिणो दिग्गजा यासु ताः ('तिर्यग्दन्तप्रहारी यो गजः परिणतस्तु सः' इति हलायुधः ।) परिणते दिक् वर्तुलाकारं दशनक्षतम्, करिका नखक्षतं च यासां ताश्च, ('दिग्दष्टं वर्तुलाकारं करिका नखरेखिका' इति यादवः) तटीः तटभागान् तटीत्वेनाध्यवसिता वृद्धवेश्याश्च, बिभर्ति धारयतीत्यर्थः । ननु तत्र श्लेष एव नात आह—तत्रेति, 'अयमति—' इति पद्य इत्यर्थः । उपसंहरति—एवं चेति ।

प्रकुताप्रकृतोभयार्थकेषु पद्येषु न श्लेषोऽपि तु शब्दशक्तिमूलकाप्रकृतार्थध्वनिरिति प्राचामाशयमाक्षिपतो दीक्षितस्यायमभिप्रायो यत् 'तादृशेषु पद्येषु श्लेषोऽवश्यमङ्गीकरणीयः । ननु प्रकरणनाभिधाया नियमनादप्रकृतार्थस्य व्यङ्ग्यत्वमेवेति कथं श्लेषः इति चेन्न, प्रकरणेनाप्रकृतार्थविषयकप्राथमिकबोधे प्रतिबद्धेऽपि प्राकृतार्थबोधानन्तरम् परस्परसंबद्धार्थकोभयार्थवाचिपदसमभिव्याहारबलात् अप्रकृतार्थविषयकशक्त्यन्तरोन्मेषेऽप्रकृतार्थस्यापि अभिधाशक्त्यैव बोध्यत्वेन व्यङ्ग्यत्वासंभवात् । पश्चात् अप्रकृतार्थस्य स्फुरणेन श्लेषस्य गूढत्वमात्रम्, नाभाव इति ।

प्रकृत प्रसङ्ग से संबद्ध कुवलयानन्दकार के मत का उल्लेख खण्डन करने के लिए किया जाता है—कुवलयानन्दकारस्तु इत्यादि ।

कुवलयानन्दकार अप्पय दीक्षित जी का तो कथन है कि—इस प्रस्तुताप्रस्तुत श्लेष के उदाहरण में प्राचीन आचार्य जो शब्दशक्तिमूलक ध्वनि की इच्छा करते हैं वह प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों अर्थों के प्रतिपादन होने के कारण उद्भूत होनेवाले उपमा आदि अलंकार की व्यङ्ग्यता के अभिप्राय से, न कि अप्रस्तुत अर्थ की व्यङ्ग्यता के अभिप्राय से। कारण, अभिधा वृत्ति से प्रतिपादित होने योग्य अर्थ के बोध में व्यञ्जना की अपेक्षा नहीं होती है ।

तात्पर्य यह कि जहां प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों अर्थों की प्रतीति शब्दतः होती है- अर्थात् विशेष्यबोधक पद भी द्व्यर्थक रहते हैं वह श्लेष का ही उदाहरण है, प्राचीन जो वैसे स्थलों पर शब्दशक्तिमूलक ध्वनि मानते हैं उसका अभिप्राय अप्रस्तुत अर्थ की व्यङ्ग्यता में नहीं हो सकता क्योंकि अप्रस्तुत अर्थ भी वैसे स्थलों पर वाच्य ही रहता है, व्यङ्ग्य नहीं, हाँ प्रस्तुताप्रस्तुत अर्थों के अभिधान के बाद अप्रस्तुतार्थ की संगति के अनुरोध से उत्थापित उपमादिक अलंकार की व्यङ्ग्यता में उस मान्यता का अभिप्राय हो सकता है ।

यद्यपि 'असावुदयमारूढः—' (सम्पूर्ण श्लोक संस्कृतटीकामें देखिए) सायंकाल का वर्णन है । यह 'उदय' (उदयाचल+अभ्युदय) पर आरूढ, कांतिमान् और जिसका 'मण्डल' (बिम्ब+प्रजाजन) 'रक्त' (लाल+अनुरक्त) है ऐसा 'राजा' (चन्द्र+नृप) कोमल तथा नूतन 'करों' (किरणों+टैक्सों) के द्वारा सर्वस्व का हरण कर रहा है। इत्यादिक में प्रकरण के बल से ('राजा' और 'कर' के) प्रस्तुत अर्थ (चन्द्रमा और किरण) के शीघ्र बुद्धिस्थ हो जाने पर ही पश्चात् 'राजा' और 'उसके द्वारा लिए जाने वाले धन (टैक्स)' आदि के वाचक 'राजा' और 'कर' आदि पदों के परस्पर सन्निधान की महिमा से द्वितीय अभिधा वृत्ति के प्रादुर्भाव होने पर राजा आदि अप्रस्तुत अर्थ बुद्धिस्थ

होगा, अभिप्राय यह कि एक प्राकरणिक और दूसरे अप्राकरणिक अर्थों के वाचक (द्वय- र्थक) पदों से बने वाक्य की जगह में प्रकरण इतना भर करता है कि अप्राकरणिक अर्थ का बोध पहले नहीं होने देता है पर बाद में उस अप्राकरणिक अर्थ का भी बोध होता है और अभिधा से ही होता है अर्थात् ऐसे स्थलों पर दो अभिधा शक्ति रहती हैं एक से प्राकरणिक अर्थ की प्रतीति हो जाने पर दूसरी से अप्राकरणिक की भी प्रतीति होती है। अब सोचिए कि क्या इस अग्रपश्चाद्भाव मात्र से द्वितीय (अप्राकरणिक) अर्थ व्यङ्ग्य हो गया ? कभी नहीं, अभिधा से अवगत होनेवाले अर्थ में व्यञ्जना का स्पर्श कहाँ ? और व्यञ्जना से अस्पृष्ट अर्थ की व्यङ्ग्यता कैसी ?

प्रस्तुत अर्थ का अभिधा द्वारा प्रतिपादन हो जाने पर अप्रस्तुत अर्थ स्फुरित होता है इस लिए यदि यहाँ प्रस्तुत अप्रस्तुत का गूढ श्लेष कहा जाय तो अनुचित नहीं। अन्यत्र भी गूढ श्लेष होता है। जैसे—'अयमतिजरठाः' इस रैवतक-वर्णनपरक माघ महाकाव्य के पद्य में। 'यह पर्वत ऐसी तटियों का धारण करता है जो अत्यन्त कठोर, परम विशाल, बड़े-बड़े लम्बमान मेघों से व्याप्त प्राणियों से सदा अगम्य और दांतों के तिरछे प्रहार करने वाले दिग्गजों से परिपूर्ण हैं। यह है इस पद्य का प्रस्तुत अर्थ, और 'यह राजा अत्य- न्त बूढ़ी, बड़े लम्बे चौड़े लटकते स्तनों से युक्त, प्राणियों के संगम करने के सर्वथा अयो- ग्य और जिनके 'दिक्' (दांतों के गोल निशान) एवम् 'करिका' (नख-चिह्न) परिणत हो चुके हैं—शुष्क हो गए हैं ऐसी वेश्याओं का पोषण करता है यह अप्रस्तुत अर्थ। वृद्ध वेश्या के वृतान्तों की प्रतीति होने से यह समासोक्ति का उदाहरण है। यहां अभङ्ग श्लेष है यह सर्वसम्मत है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि अप्रस्तुत अर्थ व्यङ्ग्य नहीं होता है।

दीक्षितोक्तं खण्डयितुमुपक्रमते—

तत्र विचारयामः—यत्तावदुच्यते उपमादेरलङ्कारस्यैव व्यङ्ग्यत्वं प्राचीना- भिप्रेतं न त्वप्रकृतार्थस्येति। एवं सति—

'अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते।
संयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृद् व्यापृतिरञ्जनम् ॥'

इत्यादिस्तेषां ग्रन्थः कथमायुष्मता समर्थितः ?। उपमादेर्व्यङ्ग्यत्वस्य वाचकतानियन्त्रणानपेक्षत्वात्। नह्यनेकार्थस्यापि शब्दस्योपमादिवाचकत्वं प्रसक्तं येन तन्नियन्त्रणाय संयोगाद्यनुसरणमर्थवत्स्यात्, द्वितीयार्थवाचक- तायामनियन्त्रितायामप्युपमादेर्व्यङ्ग्यत्वस्य निष्प्रत्यूहत्वात्। तस्मात्तद्ग्रन्था- नाकलननिबन्धनं तदभिप्रायवर्णनमिति स्फुटमेव।

यदप्युच्यते अप्रकृतार्थस्य शक्त्या प्रतिपाद्यस्येत्यादि। तत्र कथमप्रकृतार्थस्य शक्त्या प्रतिपादनम् ?। तद्विषये शक्तेर्नियन्त्रणस्य तैरेवोक्तत्वात्। अथ नियन्त्रणं नाम प्रथमं बोधजननमात्रं न तु चरममपि। एवञ्च प्रकृतशक्त्या प्रकृतार्थबोधे जाते सत्यकृतार्थया द्वितीयशक्त्या प्रकृतेतरार्थबोधे न किञ्चि- द्बाधकमिति चेत्। न। प्रथमं ह्यप्रकृतार्थबोधस्याजननमेव कस्य हेतोः ?। प्रकरणादिज्ञानेन प्रतिबन्धादिति चेत्, प्रकृतार्थबोधोत्तरं सा प्रतिबन्धकता केनापहृता प्रकरणादिज्ञानस्य ?। न च ज्ञानस्याशुविनाशित्वात्तदानीं प्रकरण- ज्ञानमेव नष्टमिति वाच्यम्। ज्ञानान्तरस्योत्पत्तौ बाधकाभावात्। सैव ज्ञान-

व्यक्तिः प्रतिबन्धिकेति तु तत्तद्व्यक्तिसहस्रगतप्रतिबन्धकत्वसहस्रकल्पनागौरवग्रस्तमेव। तदपेक्षयान्यत्र क्लृप्तव्यञ्जनाख्यव्यापारस्यैव कल्पयितुं युक्तत्वात्। 'जैमिनीयमलं धत्ते रसनायां महामतिः' इत्यादौ बाधितार्थबोधस्य शक्त्या दुरुपपादत्वाच्च। यदि तु यथाकथंचिदुपपत्तिः स्यादेवमपि तस्य देवदत्तादौ तत्पुत्रवाक्यादप्रादुर्भावस्तच्छ्यालकाद्युपहासवाक्यात् प्रादुर्भावश्च न स्यात्। वक्तृबोद्धव्यादिवैशिष्ट्यस्य व्यङ्ग्यप्रतिभामात्रहेतुत्वादिति प्राचामाशयः। तत्र किमुच्यते अप्रकृतार्थस्य शक्त्या प्रतिपादनमिति।

यच्चाप्युच्यते "—'अयमतिजरठाः—' इत्यादिसमासोक्ताविव गूढश्लेषोऽस्तु' इति तदपि गर्भस्रावेण गलितम्। श्लिष्टविशेषणायां समासोक्तावपि व्यक्त्यैवाप्रकृतार्थप्रतीतिस्वीकारात्। अतएव ध्वनिकृता 'गुणीभूतव्यङ्ग्यभेदः समासोक्तिः' इत्युक्तम्। 'समासोक्त्या श्लेषो बाध्यते' इत्युद्भटप्रभृतिभिश्च। बाधो हि श्लेषस्य तत्राप्रवृत्तिमात्रम्। श्लिष्टशब्दप्रयोगस्तु तत्रोभयार्थतामात्रेणोपपादनीय इति न किंचिदेतत्।

स्फुटमेवेति। द्व्यर्थकविशेष्यबोधकपदघटितपद्येषु शब्दशक्तिमूलकध्वनित्वं प्राचीनैर्व्यवस्थापितम्, तत्किमप्रकृतार्थरूपं व्यङ्ग्यमपेक्ष्य, उताप्रकृतप्रकृतयोरर्थयोर्व्यङ्ग्यामुपमामपेक्ष्येतिविकल्पे व्यङ्ग्योपमामपेक्ष्य अप्रकृतार्थस्य वाच्यत्वेन व्यङ्ग्यत्वाभावादिति कुवलयानन्दकार आह, परमेतन्न युक्तम्, 'अनेकार्थस्य शब्दस्य—' इति शब्दशक्तिमूलकध्वनेर्लक्षणं कुर्वतां प्राचां तथाऽभिप्रायासंभवात्। तथाहि—नानेकार्थका अपि शब्दा उपमावाचका भवन्ति इवादीनामेवोपमावाचकत्वस्य तद्द्योतकत्वस्य वा सर्वैरङ्गीकारात्। तथा च नियन्त्रणोक्तिरसंगतैव। किञ्च वाचकताया अनियन्त्रणेऽपि उपमाया व्यङ्ग्यत्वं सुस्थमेवेति तादृशप्राचीनाभिप्रायवर्णनमनुचितमेवेति भावः।

तदुक्तेरंशान्तरं दूषयितुमुपक्रमते—यदप्युच्यते इति। तैरेवेति। प्राचीनैरेवेत्यर्थः। अकृतार्थयेति। अपरिचितार्थयेत्यर्थः। आशुविनाशित्वादिति। त्रिक्षणावस्थायित्वादित्यर्थः। ज्ञानमेव नष्टमिति। एवं चाश्रयस्यैवाभावात्प्रतिबन्धकत्वं दुर्वचमिति भावः। ज्ञानान्तरस्येति। प्रतिबन्धकीभूतज्ञानसजातीयस्य द्वितीयस्य ज्ञानस्येति भावः। सैव ज्ञानव्यक्तिरिति। प्रकरणज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वन्न तद्विषयकज्ञानत्वेन, अपितु तद्विषयकतज्ज्ञानत्वेन, तथा च सैव ज्ञानव्यक्तिः प्रतिबन्धिका स्यात्, न तज्जातीयाऽपि ज्ञानान्तरव्यक्तिरिति चेन्न, तद्व्यक्तित्वेन प्रतिबन्धकत्वकल्पने तत्तद्व्यक्तिसहस्रस्य प्रतिबन्धकत्वसहस्रं कल्पनीयम्, तच्च गौरवग्रस्तम्। तदपेक्षया 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादौ क्लृप्तस्य व्यञ्जनाव्यापारस्यैवात्रापि कल्पने लाघवमित्यभिप्रायात्।

गौरवं सह्यमिति चेत्तत्राह—जैमिनीयमलं धत्ते इति। महामतिः जिह्वायाम् जैमिनीयशास्त्रम् अलम् = अत्यर्थम्, धत्ते इति वास्तविकोऽर्थः। बाधितार्थेति। 'जैमिनीयसंबन्धिविष्ठाम् रसनायां धत्ते' इत्यर्थेति भावः। दुरुपपादत्वाच्चेति। बाधज्ञानस्य प्रतिबन्धकत्वादिति भावः। कथंचिदुपपत्तिः स्यादिति। बाधज्ञानप्रतिबध्यतावच्छेदककुक्षौ शाब्दान्यत्वनिवेश इति भावः। तस्येति। उक्तबाधितार्थस्येत्यर्थः। तत्पुत्रेति। तत्र तु 'सः

तस्यां जैमिनीयं शास्त्रं धत्ते' इत्यर्थप्रतीतिरिति भावः। ननु वक्तृबोद्धव्यादिवैशिष्ट्यात्त-थेत्यत आह—वक्त्रिति। मात्रेति। अनेन शक्यप्रतिभानिरासः। तथा चावश्यक-व्यञ्जनयैव तत्प्रतीतिरिति भावः। अत एवाह—तत्र किमुच्यते इति।

अत्र नागेशः—"अत्रेदं चिन्त्यम्—तत्र झटितीत्युक्त्या प्राथमिकबोधत्वमेव प्रति-बध्यतावच्छेदकमिति बोधितमित्युक्तमेव। एवं चान्योन्यसन्निधानबलादित्यनेनोक्तार्थकेनेदं बोधितं यत्प्रकृतार्थे नियामकद्वयसत्त्वात्प्रथममुपस्थितिः। द्वितीयेऽपि शब्दान्तरसन्निधिरूप-नियामकमात्रसत्त्वेन तस्याप्युपस्थितिः किं तु पश्चादिति। 'सुरभिमांसं भुङ्क्ते' इत्यादेः-पुत्रादिप्रयुक्तान्नाश्लीलबोधः। श्यालकादिप्रयुक्तादेव च तद्बोध इति व्यवस्थापि वक्तृतात्पर्यग्रहतदग्रहाभ्यां सूपपादा। यद्वा वक्तृबोद्धव्यादिवैशिष्ट्यस्य फलबलेन नियन्त्रितशक्त्युल्लासेऽपि हेतुत्वकल्पनान्न दोषः। एतावान्विशेषः—यत्र वक्तृ-वैशिष्ट्यादिज्ञानं विलम्बेन, प्रकरणज्ञानञ्च शीघ्रं, तत्र वक्तृवैशिष्ट्यादीनां नियन्त्रितशक्त्यु-ल्लासकत्वम्। यत्र तु युगपदेवोभयं तत्र नियन्त्रणप्रतिबन्धकतोत्तेजकतैव तेषाम्। व्यञ्जना-वादिनामपि तेषां व्यङ्ग्यप्रतिभाहेतुत्वमवश्यमङ्गीकार्यमेव, तद्वरं व्यञ्जनामनङ्गीकृत्य तेषां शक्त्युल्लासादिहेतुत्वकल्पनमेव। एवं योगरूढपदानां यत्र योगार्थमात्रघटितार्थान्तर-बोधकतेष्टा, तत्र तेषां रूढिप्रतिबन्धकतापि, स्वीकार्या, उत्तेजकता वा। एतेन वयं तु ब्रूम इत्याद्युक्तिरपास्ता। किं च शब्दशक्तिमूलध्वनिस्थले संबन्धविशेषरूपव्यञ्जनाया बोध-जनकत्वकल्पनापेक्षया क्लृप्तशक्तेस्तत्त्वकल्पनमेवोचितम्, लाघवात्। एवञ्चाश्लिष्टसाधा-रणविशेषणायां समासोक्तावेव गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वम्, श्लिष्टविशेषणायामप्यारोपांश-मादाय वा तत्त्वमिति दीक्षिताशयः। वस्तुतस्तु द्वितीयार्थस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि न तमादाय ध्वनित्वमुचितम्। उपमानादिविवक्षया तस्यापि प्रकृतोपस्कारकत्वेन गुणत्वात्। अन्यथा समासोक्तावपि गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वोक्तिरसंगता स्यादित्यलंकारव्यङ्ग्यत्वमादायैव ध्वनित्वमुक्त-मिति बोध्यम्। एतेन यदुच्यते—अयमतीत्यादि, तदपास्तमिति बोध्यम्।" इति।

इदमिहावगन्तव्यम्—नानार्थकस्थलेऽप्रकृतार्थस्याभिधया बोधो न संभवतीत्यत्र न पण्डितराजस्य तात्पर्यम्, यतः स स्वयमपि द्वितीयाननारम्भेऽप्रकृतार्थस्याभिधाबोध्यत्व-मेव युक्तिभिरसाधयत्, अपि तु प्राचीनास्तत्राप्रकृतार्थस्य व्यङ्ग्यत्वमेव समर्थयन्ति, तद् व्यङ्ग्यत्वमूलकं ध्वनित्वञ्च तत्र स्वीकुर्वन्ति, अतः 'प्राञ्चः तत्राप्रकृतार्थमभिधाबोध्यमेव मन्यन्ते, ध्वनित्वञ्च तत्रोपमाव्यङ्ग्यत्वमादाय ते कथयन्ति' इति दीक्षितकथनमनुचित-मित्यर्थे तस्य तात्पर्यम्। तच्च प्रायोयुक्तमेव, अतो नागेशकथनं नातिहृद्यमिति। दीक्षितोक्तमन्यदपि निरस्यति—यच्चाप्युच्यते इति। गर्भस्रावेण गलितमिति। मूलत एवासंगतमिति भावः। तत्र हेतुमाह—श्लिष्टेति। तथा च तत्रापि न श्लेष इति भावः। अपिना साधारणविशेषणसमुच्चयः। एवेन शक्तिनिरासः। अत एवेति। व्यक्त्यैव तदङ्गीकारादेवेत्यर्थः। प्रभृतिमिश्रेति। उक्तमित्यस्यानुषङ्गः। ननु प्रागुक्तरीत्या तत्र श्लेषस्यैवाभावेन कथं 'बाध्यत' इत्युक्तिरत आह—बाधो हीति। तत्रेति। समासोक्ता-वित्यर्थः। नन्वेवं श्लिष्टेति शब्दप्रयोगः कथमत आह—श्लिष्टेति। न किंचिदिति। उपपत्तिशून्यमिति भावः। एतदिति। कुवलयानन्दकारकथनमित्यर्थः।

(उक्त दीक्षित-मतका खण्डन करने का उपक्रम किया जाता है—तत्र विचारयामः इत्यादि।

कुवलयानन्दकार ने जो कुछ कहा है उसके संबन्ध में विचार करते हैं—सर्वप्रथम आपके द्वारा जो यह कहा गया है कि 'उपमादिक अलंकार का हो व्यङ्ग्य होना प्राचीनों का अभीष्ट है, अप्रकृतार्थ का व्यङ्ग्य होना नहीं।' वह कैसे ? क्योंकि तब फिर—अनेकार्थस्य—अर्थात् अनेक अर्थ वाले शब्द की वाचकता (अभिधा) शक्ति के संयोग आदि के द्वारा नियन्त्रित हो जाने पर (अप्रकृतार्थ बोधकता के रोक दिए जाने पर) अवाच्य बने उस अप्रकृत अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार का नाम व्यञ्जना है।' इत्यादिक उनके ग्रन्थ का समर्थन आपने कैसे किया, यह ज्ञात नहीं होता, क्योंकि उपमादिक अलंकार के व्यङ्ग्य होने में वाचकता के नियन्त्रण की अपेक्षा नहीं है। कारण, नियन्त्रण प्राप्त का होता है और अनेकार्थक शब्द में भी उपमावाचकता प्राप्त नहीं है, फिर उसके नियन्त्रण के लिये संयोग आदिका अनुसरण कैसे सार्थक कहा जा सकता,

उपमा आदि की व्यङ्ग्यता में तो द्वितीय अर्थ की वाचकता का नियन्त्रण न होने पर भी कोई बाधा नहीं आती। अतः यह स्पष्ट है कि कुवलयानन्दकारके द्वारा जो प्राचीनों के अभिप्राय का वर्णन किया गया है वह प्राचीनों के ग्रन्थों का मनन न करने के कारण—उनके ग्रन्थों के मनन करलेने पर ऐसा अभिप्राय-वर्णन कदापि नहीं किया जा सकता था।

इसी तरह आपने जो दूसरी बात यह कही है कि "अप्रकृत अर्थ भी शक्ति (अभिधा) से प्रतिपादित होता है वह भी प्राचीनों के हिसाब से उचित नहीं हो सकती, क्योंकि जब प्राचीनों ने ही उसके विषय में शक्ति के नियन्त्रण की बात कही है, तब उनके हिसाब से अप्रकृत अर्थ का प्रतिपादन शक्ति से कैसे हो सकता है ? यदि आप कहें कि शक्ति-नियन्त्रण की बात जो प्राचीनों ने कही है उसका अभिप्राय केवल इतना है कि प्रथमतः अप्रकृत अर्थ का बोध नहीं होता है, पश्चात् भी उसका बोध नहीं हो ऐसा अभिप्राय उनके कथन का नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकृतार्थनिरूपित शक्ति से प्रकृत अर्थ का बोध हो जाने के बाद अप्रकृतार्थनिरूपित द्वितीय शक्ति से, जो अभी उपयोग में नहीं लाई गई है, अप्रकृत अर्थ का भी बोध होने में कोई बाधक नहीं है, तो यह ठीक नहीं। कारण, प्रश्न उठता है कि अप्रकृत अर्थ का बोध पहले क्यों नहीं होता ?

इस का उत्तर आप देगें कि प्रकरण आदि के ज्ञान से प्रतिबन्ध हो जाने के कारण इस पर हम आपसे पूछेगें कि प्रकृत अर्थ का बोध हो जाने पर प्रकरणादि-ज्ञान की उस प्रतिबन्धकता का अपहरण किसने किया ?

यदि आप कहें कि अपरहण तो किसी ने नहीं किया, परन्तु आशुविनाशी (त्रिक्षणावस्थायी) होने के कारण प्रतिबन्धकीभूत-प्रकरणादिज्ञान तबतक (द्वितीय शक्ति से द्वितीयार्थबोध—क्षण में) अपने आप नष्ट हो चुका रहेगा, तो मैं कहूँगा। कि हाँ—यह बात ठीक है, पर प्रतिबन्धक-ज्ञान-सजातीय द्वितीय ज्ञान की उत्पत्ति में कोई बाधक नहीं है। तात्पर्य यह कि प्रथम प्रतिबन्धकीभूत-प्रकरणादिज्ञान के नष्ट हो जाने पर भी तज्जातीय दूसरा ज्ञान पुनः उत्पन्न होगा और वह द्वितीय शक्ति-जन्य द्वितीयार्थ-बोध को भी रोक ही देगा।

'प्रथमोत्पन्न प्रकरणादिज्ञान-व्यक्ति को ही प्रतिबन्धक मानेगें, तज्जातीय दूसरे ज्ञान-व्यक्ति को नहीं—अर्थात् तद्व्यक्तित्वेन (तज्ज्ञानत्वेन)' प्रतिबन्धकता की कल्पना करेगें, सामान्यतः प्रकटणादिज्ञानत्वेन नहीं, यह युक्ति यदि आप उपस्थित करें तो

वह भी शिथिल ही होगी, क्योंकि इस तरह विशेषरूप में प्रतिबध्य-प्रतिबन्धक भाव की कल्पना करने पर उन-उन हजारों ज्ञान-व्यक्तियों में हजारों प्रतिबन्धकतायें कल्पित होंगी जो गौरवग्रस्त मार्ग होगा।

तदपेक्षया लघुभूत इस मार्ग को मानना ही उचित होगा कि सामान्यतः प्रकरणज्ञान-त्वेन प्रतिबन्धकता है, इससे अप्रकृत अर्थ का बोध अभिधा शक्ति द्वारा न हो सकेगा, न हो, उसके लिये व्यञ्जना है। आप कहेंगे कि अप्रकृतार्थबोध के लिये व्यञ्जना माननी पड़ी, तब लाघव क्या हुआ ?

तो मैं कहूँगा कि व्यञ्जना की कल्पना नवीन थोड़े ही करनी पड़ती है, व्यञ्जना तो 'गतोऽस्तमर्कः' आदि स्थलों के लिये क्लृप्त ही है।

और यदि किसी तरह यहाँ दूसरी शक्ति से अप्रकृत अर्थ का बोध मान भी लें तब भी 'महाबुद्धिशाली यह जिह्वा में अत्यधिक जैमिनीयशास्त्र का धारण करता है' इस वास्तविक अर्थ वाले 'जैमिनीयमलं धत्ते रसनायां महामतिः' इत्यादिक वाक्य से 'यह जैमिनि के मल (विष्ठा) का जिह्वा पर धारण करता है' इत्यादिक बाधित अर्थ का बोध शक्ति से कथमपि नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बाध-निश्चय को सबों ने एक स्वर से प्रतिबन्धक माना है। यदि किसी तरह इस तरह के बाधित अर्थ के शक्ति द्वारा बोध को भी संपन्न कर लिया जाय—अर्थात् शाब्दबोध के प्रतिबाध-निश्चय को प्रतिबन्धक नहीं माना जाय, तब भी देवदत्त आदि के प्रति उसके पुत्र के द्वारा उक्त वाक्य का प्रयोग करने पर उस तरह के बाधित अर्थ का प्रादुर्भूत न होना और साले आदि के द्वारा उपहास रूप में कथित उस तरह के वाक्यों से उस तरह के बाधित अर्थों का प्रादुर्भूत होना नहीं बन सकता।

आप पूछ सकते हैं कि व्यञ्जना के द्वारा ये दोनों बातें कैसे बन जाती हैं तो इसका उत्तर यह है कि वैयञ्जनिक बोध के प्रति वक्ता, बोद्धव्य आदि की विशिष्टता कारण है, अतः उक्त दोनों बातें बन जाती हैं, पर आभिधिक बोध के प्रति तो वक्ता आदि की विशिष्टता को हेतु नहीं माना जाता, अतः उस पक्ष में उक्त बातें नहीं बन सकती हैं।

प्राचीनों का आशय यही है। ऐसी दशा में अप्रकृतार्थ का शक्ति से प्रतिपादन उनका अभिप्रेत क्यों बताया जाता है।

और जो आप ने 'अयमतिजरठाः' की तरह गूढ श्लेष की बात कही है, वह भी गर्भ-स्राव से गिर गया—मूल से ही उड़ गया। कारण, श्लिष्ट विशेषणवाली समासोक्ति में भी व्यञ्जना से ही अप्रकृतार्थ की प्रतीति मानी गई है। इसीलिए ध्वनिकार ने—'समासोक्ति गुणीभूतव्यङ्ग्य नामक मध्यम काव्य का एक प्रभेद है' ऐसा कहा है और उद्भट आदि भी 'समासोक्ति से श्लेष बाधित हो जाता है' ऐसा लिखा है। यहाँ बाधित होने का अर्थ है 'श्लेष की वहाँ प्रवृत्ति न होना'। रहा 'श्लिष्ट' इस शब्द का प्रयोग सो उसकी उपपत्ति केवल किसी तरह दो अर्थों के बोध होने के कारण करना चाहिए, अतः कुवलया-नन्दकार ने जो कुछ कहा है वह अकिञ्चित्कर है—अर्थात् यहाँ श्लेषालंकार नहीं है यही मानना युक्ति-संगत है।

नागेश ने यहां एक लंबी टिप्पणी दी है, (जो संस्कृत टीका में अविकल उद्धृत की गई है) जिसका आशय यों है—कुवलयानन्दकार ने "प्रकरणवशाज्झटिति बुद्धिस्थिते" इस उक्ति के द्वारा प्रकरणादिज्ञान का प्रतिबध्यतावच्छेदक प्राथमिक बोधत्व को ही माना है—अच्छा उनके मतानुसार प्रकरणादिज्ञान से अप्रकृतार्थ का प्राथमिक बोध ही

प्रतिबद्ध होता है—यह कहा ही जा चुका है। ऐसी स्थिति में जो आगे उन्हों ने "अन्यो-न्यसंनिधिबलात्" लिखा है और जिसका अर्थ 'शब्दान्तरसंनिधि' पहले बताया जा चुका है उससे यह सिद्ध होता है कि अप्रकृतार्थ का प्राथमिक बोध जब रुकता है तब 'प्रकरण' तथा 'शब्दान्तरसंनिधि' इन दो नियामकों द्वारा प्रकृतार्थ की प्रथमतः उपस्थिति होती है और 'शब्दान्तरसंनिधि' रूप केवल एक नियामक के रहने से अप्रकृतार्थ की उपस्थिति पीछे होती है—यह है उनका तात्पर्य। (इससे नागेश का अभिप्राय यह प्रकट होता है कि व्यञ्जना स्वीकार करने वाली पण्डितराज की बात निरर्थक है)

इसी तरह "पुत्र आदि के द्वारा प्रयुक्त 'सुरभिमांसं भुङ्क्ते' इत्यादि वाक्य से 'गोमांस खाता है' इस तरह के अश्लील अर्थ का बोध नहीं होता है और साले आदि उपहास करने वाले जनों से कथित उक्त वाक्य से पुनः उस तरह के अश्लील अर्थ का बोध होता है" इस व्यवस्था के न बन सकने की बात जो आपने (पण्डितराज ने) कही है, वह भी उचित नहीं, क्योंकि 'वक्ता के तात्पर्य को 'न समझने' और 'समझने' के कारण उक्त व्यवस्था सुन्दर ढङ्ग से बन सकती है। अथवा 'वक्ता, श्रोता आदि की विशिष्टता' को फल के आधार पर नियन्त्रित शक्ति (अभिधा) के उल्लास में भी (न कि केवल व्यञ्जना के उल्लास में) कारण मान लेने से उक्त व्यवस्था में गड़बड़ी वाला दोष मिट जा सकता है। हां, इतना भर विशेष अवश्य है कि जहां 'वक्ता की विशिष्टता' आदि का ज्ञान विलम्ब से होता है और 'प्रकरण' का ज्ञान शीघ्र होता है वहां 'वक्ता की विशिष्टता' आदि नियन्त्रित शक्ति के उल्लासक होते हैं और जहां प्रकरणज्ञान तथा वक्तृवैशिष्ट्यादि ज्ञान साथ ही होते हैं वहाँ वे नियन्त्रण की प्रतिबन्धकता के उत्तेजकमात्र ही रहते हैं—द्वितीय शक्ति के उल्लास तक उन्हें नहीं जाना पड़ता। व्यञ्जनावादी को भी वक्तृवैशिष्ट्यादि को व्यङ्ग्य के प्रतिभान में हेतु मानना ही पड़ता है। अतः अच्छा यही है कि व्यञ्जना न मान कर वक्तृवैशिष्ट्यादि को नियन्त्रित शक्ति के उल्लास का हेतु मान लिया जाय।

इसी तरह योगरूढ पदों का जहाँ केवल यौगिक दूसरे अर्थ का बोधक होना इष्ट हो वहाँ वक्तृवैशिष्ट्यादि की रूढिप्रतिबन्धकता अथवा उत्तेजकता ही मान ली जाय। इससे 'योगरूढिस्थले सापि दूरापास्ता' यह अग्रिम लेख भी आप का परास्त हो जाता है।

दूसरे, शब्दशक्तिमूलध्वनि स्थल पर सम्बन्ध विशेषरूप व्यञ्जना की बोधजनकता की कल्पना की अपेक्षा पहले से बनी-बनाई शक्ति (अभिधा) को बोधजनक मानना ही उचित है, क्योंकि इसमें लाघव है।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि अश्लिष्ट साधारण विशेषण वाली समासोक्ति में ही गुणीभूतव्यङ्ग्यता है (क्योंकि श्लेष के रहने पर तो दूसरा अर्थ भी शक्ति से ही अवगत होता है)। अथवा श्लिष्टविशेषणा समासोक्ति में भी आरोपांश को लेकर (व्यङ्ग्य मानकर) गुणीभूतव्यङ्ग्यता है (द्वितीय अर्थ को व्यङ्ग्य मान कर नहीं) यह अप्पय दीक्षित का आशय है।

वस्तुतः तो द्वितीय अर्थ को व्यङ्ग्य मान लेने पर भी उसके आधार पर ध्वनि-काव्यता की व्यवस्था देना उचित नहीं, क्योंकि उस द्वितीय अर्थ को उपमान कहने की इच्छा रखने वालों के हिसाब से वह द्वितीय अर्थ भी प्रकृत अर्थ का उपस्कारक हो जाने से गौण हो जाता है, अन्यथा समासोक्ति में भी गुणीभूतव्यङ्ग्यता का कथन असंगत हो जायगा। इसलिये अलंकाररूप व्यङ्ग्य को लेकर ही ध्वनिकाव्यता की

उक्ति प्राचीनों ने की है ऐसा समझना चाहिए। इसी से 'अयमतिजरठाः-' इस पद्य में जो आप ने गूढ श्लेष का खण्डन किया है उसको भी परास्त समझना चाहिए।''

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पण्डितराज का दीक्षितोक्ति पर आक्षेप यह था कि 'शब्दशक्तिमूलध्वनि-स्थल पर प्राचीनों ने भी अलंकारात्मक व्यङ्ग्य के आधार पर ही ध्वनित्व लिखा है, द्वितीयार्थरूप व्यङ्ग्य के आधार पर नहीं' यह आप का कथन अनुचित है क्योंकि प्राचीनों ने व्यञ्जना का लक्षण करते हुए साफ-साफ द्वितीयार्थ की व्यङ्ग्यता के आधार पर ध्वनित्व की बात स्वीकृत की है।

'द्वितीय अर्थ अभिधा से वहाँ अवगत हो सकता है' दीक्षित के इस कथन पर पण्डितराज का कोई आक्षेप नहीं है। ऐसी स्थिति में नागेश की उक्ति पूर्ण संगत नहीं जान पड़ती, क्योंकि नागेश ने भी अपनी टिप्पणी में यही दिखलाने का प्रयास किया है कि शब्दशक्ति मूलध्वनि-स्थल में द्वितीय अर्थ अभिधा से ज्ञात हो सकता है, पर इसका खण्डन करना तो पण्डितराज का उद्देश्य है नहीं, उनका उद्देश्य तो 'प्राचीनों की भी यही मान्यता है' इस उक्ति का खण्डन करना है, जिसका समाधान नागेशने किया नहीं है।

उक्तप्रसङ्ग एव स्वाभिमतं वक्तुं प्रक्रमते—

वयं तु ब्रूमः—अनेकार्थस्थले ह्यप्रकृताभिधाने शक्तेरुक्तिसंभवोऽप्यस्ति। योगरूढिस्थले तु सापि दूरापास्ता। यथा—

'चाञ्चल्ययोगि नयनं तव जलजानां श्रियं हरतु।
विपिनेऽतिचञ्चलानामपि च मृगाणां कथं न तां हरति॥'

अत्र नैवाश्चर्यकारी चाञ्चल्यगुणरहितानां कमलानां चाञ्चल्यगुणाधिकेन तव लोचनेन शोभायास्तिरस्कारः, आश्चर्यकारी तु हरिणानां तद्गुणयुक्तानां तिरस्कार इति वाच्यार्थे पर्यवसन्नेऽपि रूढिनिर्मुक्तकेवलयोगमर्यादया—मूर्खपुत्राणां धनहरणं नेतृभिश्चौरैः सुशकं न तु गवेषकाणामिति जलन-नयन-मृगशब्देभ्यः प्रतीयमानोऽर्थः कथं विना व्यञ्जनाव्यापारमुपपादयितुं शक्यते?। यतो योगशक्ते रूढ्या दृढनिगडनियन्त्रिताया नास्ति स्वातन्त्र्यम्। अत एव पङ्कजादिपदेभ्यः पङ्कजनिकर्तृत्वेन कुमुदशैवलादिबोधो लक्षणयैव। तादृशशक्तिज्ञानानां पद्मत्वप्रकारकबोधस्यैव कार्यतावच्छेदकत्वादित्युक्त नैयायिकैः। अत एव च 'ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः' इति वेदान्तवाक्ये किमैश्वर्यविशिष्टः कश्चिज्जीवः प्रतिपाद्य ईश्वरो वेति संशये प्राप्ते—'शब्दादेव प्रमितः' इति सूत्रितमुत्तरमीमांसाकारैर्व्यासचरणैः। तस्मात्प्रागुक्तपद्येऽप्रकृतचोरव्यवहारो न शक्तिवेद्यः, अपि तु व्यक्तिवेद्य एव। मुख्यार्थबाधाद्यभावाल्लक्ष्योऽपि न शक्यते वक्तुम्। तात्पर्यार्थबाधस्तु तात्पर्यार्थबोधोत्तरबोध्यः। स एव तु कथं स्यादिति व्यञ्जनैव शरणीकरणीया। न हि चोरव्यवहारोऽत्र वक्तुर्विवक्षित इति ज्ञाने श्रोतुः कश्चिदुपायोऽस्ति ऋते सहृदयतोन्मिषितादस्माद् व्यापारात्।

अनेकार्थस्थले इति। 'उन्नतः प्रोल्लसद्धारः—' 'भद्रात्मनो—' इत्याद्यनेकार्थकपदकदम्बविनिर्मितवाक्यस्थलेऽप्रकृतोऽप्यर्थोऽभिधयैव बोध्य इति कथं चिद् वक्तुं शक्येतापि, परन्तु योगरूढपदघटितवाक्यस्थले न तथा वक्तुं शक्यमिति भावः।

योगरूढपदघटितपद्यमुपस्थापयितुमाह—यथेति । चाञ्चल्येति । अस्मिन् पद्ये जलज-नयन-मृगशब्दाः क्रमशः कमल-लोचन-हरिणरूपेष्वर्थेषु योगरूढाः । तथा च कमलेषु चञ्चलतागुणो नास्तीति तदपेक्षया समधिकतद्गुणशालिना तव नेत्रेण तेषां कमलानां शोभायास्तिरस्कारः समुचित इति नाश्चर्यकारी, परन्तु सामान्यतश्चञ्चलं तव नेत्रं वन-वासिनामतिचञ्चलानां मृगाणां शोभायास्तिरस्कारं यत्करोति तदाश्चर्यकारि' इति वाच्यार्थः पर्यवस्यति ।

एतदर्थबोधानन्तरञ्च 'नेतृभिश्चोराद्यैर्मूर्खतनयानामत एव प्रमादकारिणां धनापहरणं भवितुमर्हति, परन्तु ये गवेषका अतएव सावधाना गुप्तस्थानवासिनश्च तेषां धनापहरणं चोरैर्न शक्यते विधातुम्' इत्यर्थान्तरमपि प्रतीयते । एतदर्थप्रतीतौ च जलज-नयन-मृग-पदानाम् क्रमशः जलात् = डलयोः साम्येन जडात् जायन्ते, नयति = अपहरति, मृग-यन्ति = गवेषयन्तीति च योगो हेतुः ।

अयञ्च द्वितीयोऽर्थो व्यञ्जनाव्यापारमन्तरोपपादयितुमशक्यः । कुत इति चेत्तत्राह—यतो योगशक्तेरिति । 'रूढिर्योगापहारिणी' इति न्यायेन नियन्त्रिता योगशक्तिर्न स्वातन्त्र्ये-णार्थबोधनाय प्रभवतीति भावः । योगरूढिस्थले व्यञ्जनां विना केवलयोगशक्त्या नार्थान्तर-प्रतीतिरिति स्वसिद्धान्तमन्याचार्यमतैः संवादयितुमाह—अतएवेति । योगार्थमात्रस्य योग-रूढपदादलाभादेवेत्यर्थः । अयं भावः—यतो योगरूढशक्तिविशिष्टं पङ्कजपदं पङ्कजनिकर्तृत्व-विशिष्टं कमलमेवाभिधया बोधयितुं क्षमते, न केवलयोगमर्यादया पङ्कजनिकर्तृकुमुदशैवालादि-कम् अतस्तस्मात्पदात् तद्बोधोऽभिमतश्चेत् तत्रार्थे पङ्कजपदस्य लक्षणा समाश्रयणीयेति नैया-यिकानाम् मतम् । ननु कुतो न पङ्कजपदात्कुमुदादिबोधोऽभिधयेति चेत्तत्राह—तादृशशक्तिज्ञाना-नामिति । 'पद्मत्वप्रकारकबोधं प्रति पङ्कजपदनिष्ठशक्तिज्ञानं कारणम्'इत्याकारककार्यकारणभाव इति भावः । तथा च न तस्मात् पदात् पङ्कजनिकर्तृत्वप्रकारकबोध इति सारांशः । न केवलं नैयायिकैरेव समर्थितोऽयं सिद्धान्तोऽपितु वेदान्तिभिरपीति दर्शयितुमाह—अत एव चेति । उक्त एवार्थः । 'ईशान-' इत्यस्य 'अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः' इत्यादिग्रन्थः । कठवल्ली-स्थमिदम् (चतुर्थवल्ली १३) अद्य=वर्तमानकाले स एव अङ्गुष्ठमात्र इत्यादिविशेषणविशिष्टः भूतभव्यस्य ईशानः अस्ति । श्वो=भविष्यत्काले स एव भवितेत्यर्थः । अस्मिन् वेदान्तवाक्ये ऐश्वर्यविशिष्टस्य कस्य चन जीवस्य प्रतिपादनम् उत ईश्वरस्येति संशयः । जीव एव, अङ्गुष्ठपरिमाणस्य लिङ्गस्य ब्रह्मण्यसंभवात् इति पूर्वः पक्षः । ततः सिद्धान्तार्थम् भगवान् बादरायणः 'शब्दादेव—' इति सूत्रमरचयत्, तस्यायमाशयः—परमात्मैवात्र प्रति-पाद्य इति प्रमितम्, कुतः, 'शब्दादेव, ईशानशब्दादिति तदर्थः । ईशानशब्दः परमात्मनि योगरूढः, अतः केवलयोगशक्त्या ऐश्वर्यविशिष्टस्य जीवस्य ततो बोधो न स्यात्, रूढेर्योगा-पहारित्वात्, ननु अङ्गुष्ठमात्र इति लिङ्गस्य परमात्मनि विरोध इति चेत्? सत्यम् 'जीवे 'ईशान' इति श्रुतिरेव विरुद्धा । लिङ्गश्रुत्योर्विरोधे च श्रुतेरेव प्राबल्यम्, 'श्रुतिलिङ्गवाक्य-प्रकरणस्थानसमाख्यानां पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्' इति जैमिनिसूत्रात् । अङ्गुष्ठमात्रजीवा-नुवादेन ब्रह्माभेदप्रतिपादनपरतया अङ्गुष्ठमात्रत्वलिङ्गानुपपत्तिरपि परिहर्तुं सुशकेति । उपसंहरति—तस्मादिति, रूढेर्योगापहारित्वादेवेत्यर्थः । प्रागुक्तपद्य इति । 'चाञ्चल्य—'

इत्यत्रेत्यर्थः । न शक्तिवेद्य इति । योगशक्त्या ज्ञेयो नेत्यर्थः । व्यक्तिवेद्य इति । शब्दशक्तिमूलव्यञ्जनया बोध्य इति भावः । अथ शक्तिवेद्यत्वाभावेऽपि लक्षणावेद्यत्वं संभवतीति चेत्तत्राह—मुख्यार्थेति । शब्दशक्तिमूलध्वनिस्थले मुख्यार्थबाधरूपकारणविरहादप्रकृतार्थे लक्षणापि न संभवतीति भावः । ननु 'काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्' इत्याद्यनुरोधेन तात्पर्यार्थबाध एव लक्षणाबीजं न मुख्यार्थबाधः स चेहाप्यक्षत इति चेत्तत्राह—तात्पर्यार्थबाधस्त्विति । तात्पर्यार्थोऽत्र बाधित इति ज्ञानं तात्पर्यार्थज्ञानानन्तरं भवेत् इति प्रथमं तात्पर्यार्थज्ञानमावश्यकं, तच्च व्यञ्जनां विना न स्यादिति स्वीकर्तव्यैवात्राप्रकृतार्थबोधाय व्यञ्जनेति भावः ।

उक्त प्रसङ्ग पर ग्रन्थकार अपना दृष्टिकोण उपस्थित करते हैं—वयं तु इत्यादि ।

हम तो कहते हैं कि अनेकार्थ स्थल में अप्रकृत अर्थ का बोध शक्ति से होता है ऐसी उक्ति कथंचित् संभव भी है, पर योगरूढि के स्थल में तो उस प्रकार की उक्ति भी समाप्त है । जैसे—

'चाञ्चल्ययोगि—' इस पद्य में । यहाँ 'चञ्चलतागुण से विहीन कमलों की शोभा का तिरस्कार जो अधिक चञ्चल तेरे नयनों के द्वारा होता है, वह आश्चर्यजनक नहीं, पर परम चञ्चल वनवासी मृगों की शोभा का तेरे नयनों द्वारा होने वाला तिरस्कार परमाश्चर्यजनक है' इस तरह का वाच्यार्थ जब योगरूढिशक्ति द्वारा अवगत हो जाता है तब जलज, नयन और मृग शब्दगत केवल योगमर्यादा से ('ड' तथा 'ल' को एक मानकर 'जलज' का यौगिक अर्थ होता है जडज+मूर्ख पुत्र, 'नयन' का यौगिक अर्थ होता है ले जाने वाला+चोर, 'मृग' का यौगिक अर्थ होता है गवेषक+खोज रखने वाला अर्थात् सावधान) यह अर्थ भी प्रतीत होता है कि 'मूर्ख के पुत्रों का धनहरण ले जानेवाले चोरों द्वारा सुकर है, पर गवेषकों+सदा सावधान रहने वालों का धनहरण चोरों द्वारा सुकर नहीं है' ।

अब आप सोचिए कि यहाँ इस दूसरे अर्थ का उपपादन व्यञ्जना व्यापार के बिना कैसे संभव है ? अर्थात् कथमपि संभव नहीं है, क्योंकि रूढि के द्वारा दृढ बेड़ियों से जकड़ी 'योगशक्ति' की स्वतन्त्रता नहीं रह गई है । तात्पर्य यह कि 'रूढिर्योगापहारिणी' इस नियम के अनुसार योगरूढ शब्द केवल यौगिक अर्थ का बोध अभिधा द्वारा नहीं करवा सकता है ।

इसी कारण, पङ्कज आदि पदों से 'कीचड़ से पैदा होने वाले'के रूप में 'कुमुद' 'शैवाल' आदि का बोध लक्षण के द्वारा ही होता है, क्योंकि पङ्कज आदि पदगत योगरूढि शक्ति के ज्ञान का कार्यतावच्छेदक पद्मत्वप्रकारक बोधत्व ही माना जाता है—अर्थात् पङ्कज पद पद्मत्वरूप से ही बोध कराने की शक्ति रखता है, पङ्कावधिक जन्मग्रहणकर्तृत्वरूप से बोध कराने की नहीं । ऐसा नैयायिकों ने कहा है । नैयायिकों ने ही नहीं, अपितु वेदान्तियों ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन किया है । देखिए—'उपनिषद्' में 'अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः' इस वाक्य के बाद में 'ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः' यह वाक्य आया है, जिसका अर्थ है कि 'आज वही भूत तथा भावी=सबका ईश है और भविष्य में भी वही ईश होगा ।' अब यहाँ संशय उठता है कि इस वाक्य का प्रतिपाद्य कोई जीव है अथवा परमेश्वर ?

इस संशय के निराकरणार्थ जब पूर्वपक्षियों के द्वारा यह कहा गया कि जीव ही यहाँ प्रतिपाद्य हो सकता है, ब्रह्म नहीं, क्योंकि प्रकरण से प्राप्त 'अङ्गुष्ठप्रमाण' यह चिह्न जीव में

ही संभव है, ब्रह्म में नहीं, तब उत्तरमीमांसाकार भगवान् व्यास ने 'शब्दादेव प्रमितः'यह सिद्धान्त सूत्र लिखा। जिसका आशय है कि उक्त वाक्य का प्रतिपाद्य ब्रह्म है यह बात 'ईशान' इस शब्द से ही निश्चित हो जाती है। तात्पर्य यह कि 'ईशान' शब्द ब्रह्म अर्थ में योगरूढ है, अतः उसका जीव अर्थ नहीं हो सकता।

दार्शनिकों के इस कथन से स्पष्ट है कि योगरूढ पदों से केवल यौगिक अर्थ व्यञ्जना के बिना अवगत नहीं होता।

इस तरह से अब यह निश्चित हो गया कि 'चाञ्चल्ययोगि—' इस पद्य में अप्रस्तुत चोर-व्यवहार शक्ति के द्वारा अवगत होने वाला नहीं है, अपि तु व्यञ्जना के द्वारा ही अवगत होने वाला है।

इस चोर व्यवहार को लक्ष्य अर्थ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मुख्यार्थबाध आदि लक्षणाकारणों के अभाव रहने से यहाँ लक्षणा का प्रसङ्ग ही नहीं उठ सकता है।

आप कहेंगे कि मुख्यार्थबाध नहीं, तात्पर्यार्थबाध लक्षणा का हेतु है तो मैं कहूँगा कि आपकी ही बात रहे, रहे 'तात्पर्यार्थबाध ही लक्षणा का हेतु, पर तब भी तो आप की इष्टसिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि 'तात्पर्यार्थ यहाँ बाधित होता है' यह ज्ञान तात्पर्यार्थ-ज्ञान होने के बाद में ही तो होगा,

सो वह तात्पर्यार्थ ज्ञान ही पहले कैसे होगा, उसके लिये व्यञ्जना के सिवा दूसरा तो कोई उपाय है नहीं, अतः व्यञ्जना की शरण लेनी ही पड़ेगी।

यहाँ चोर का व्यवहार वक्ता का विवक्षित है इस तथ्य को समझने के लिये श्रोता के पास सहृदयता के बल पर उन्मिषित होने वाली व्यञ्जना से अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है।'

अत्रत्यं विशेषं वक्तुमुपक्रमते—

इदं पुनरिहावधेयम्—'रागावृतो वल्गुकराभिमृष्टं श्यामामुखं चुम्बति चारु चन्द्रः' इत्यादौ तावत्समासोक्तिरिति निर्विवादम्। चन्द्रपदस्थाने राजेति कृते तु शब्दशक्तिमूलो ध्वनिरिति च। तदत्रोभयत्रापि श्लिष्टविशेषणमाहात्म्यादप्रकृतव्यवहारस्य प्रतीयमानस्य तुल्यत्वात्कथमेकत्र गुणीभावोऽन्यत्र प्राधान्यं च स्यात्। प्रकृतस्य प्राधान्यादप्रकृतस्य तु तदुपस्कारकत्वेनोभयत्रापि गुणीभावौचित्यात्। नहि विशेष्यस्य श्लिष्टतामात्रेण व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यम्, अश्लिष्टत्वे चाप्राधान्यं शक्यं संपादयितुम्। नायकत्वप्रतीतिरपि क्वचिदर्थशक्तिमूलेन व्यञ्जनेन, क्वचिच्छब्दशक्तिमूलेन तुल्यैव। यैरपि समासोक्तौ प्रकृतधर्मिणि नायकत्वादेः प्रत्ययो नाभ्युपेयते, अपि तु नायिकादिव्यवहारस्यैव, ध्वनौ चाभ्युपेयते, तेषामपि व्यङ्ग्यस्यैकत्र गुणत्वमन्यत्र प्राधान्यं च कस्य हेतोः स्यात् ? प्रकृताप्रकृतयोरौपम्यं गम्यमुच्यतामभेदो वा, सर्वथैव तस्य प्रकृतोपस्कारकत्वाद् गुणीभाव एवोचितो न प्राधान्यम्। अन्यथा समासोक्तावपि व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यापत्तेः। तस्माच्छ्लिष्टाश्लिष्टविशेष्या समासोक्तिरेवेयम्। पराङ्गरूपगुणीभूतव्यङ्ग्यभेद इत्यपि शक्यते वक्तुं यदि प्राञ्चो न कुप्यन्ति।

'रागावृतः—' इति। रागेण रक्तया अनुरागेण च, आवृतः युक्त इति यावत्,

चन्द्रः, 'वल्गुभिः सुन्दरैः, करैः किरणैः हस्तैश्च, अभिमृष्टम् स्पृष्टम्, श्यामामुखम् रात्रिप्रारम्भभागम् षोडशवर्षनायिकाननञ्च, चुम्बति इत्यर्थः। समासोक्तिरिति। विशेषणसाम्यादप्रकृतस्य नायिकादेः प्रतीयमानत्वादिति भावः। ध्वनिरिति चेति। निर्विवादमिति। पूर्वतनस्यानुषङ्गः। राजेतिकृते विशेष्यस्यापि श्लिष्टत्वेन शब्दशक्तिमूले ध्वनिर्न समासोक्तिरित्यपि निर्विवादमिति भावः। एकत्रेति। 'चन्द्र' इति पाठविशिष्टे इत्यर्थः। अन्यत्रेति। 'राजा' इति पाठविशिष्टे इत्यर्थः। क्वचिदर्थेति। समासोक्तावित्यर्थः। क्वचिच्छब्देति। ध्वनाविति भावः। समासोक्तावपि नायकत्वम् प्रतीयत इतिवादिनां मतेनेदम्। तथानङ्गीकर्तॄणां मतेनाह—यैरपीति। ध्वनौ चाभ्युपेयत इति। नायकत्वादेः प्रत्यय इति भावः। औपम्यमिति। व्यवहारमात्रप्रतीतिवादिनां मतेनेदम्। अभेदो वेति। नायकत्वादिप्रतीतिवादिनां मतेनैतत्। अन्यथेति। प्रकृतोपस्कारकत्वेऽपि गुणीभावाभावे इत्यर्थः। इयमिति। यत्र प्राञ्चः शब्दशक्तिमूलध्वनिमिच्छन्ति तत्रेति भावः। न ध्वनिः, न वा श्लेष इति सारांशः। पराङ्गेति। अप्रकृतस्य व्यङ्ग्यस्य प्रकृतात्मकवाच्याङ्गत्वादिति भावः।

इस प्रसङ्ग पर अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण ग्रन्थकार के द्वारा उपस्थित किया जाता है—इदं पुनरित्यादि।

यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि—

'रागावृतः—अर्थात् 'राग' से (रक्तता से+प्रेम से) पूर्ण चन्द्रमा सुन्दर 'करों' (किरणों+हाथों) से स्पृष्ट 'श्यामा' (रात्रि+षोडशवर्षा स्त्री) के 'मुख' (आनन+आरम्भ) को चूम रहा है' इत्यादिक में समासोक्ति है यह निर्विवाद है और यह भी निर्विवाद है—कि यहाँ यदि चन्द्रमा के स्थान में 'राजा' पद रख दिया जाय तो 'राजा' इस विशेष्यबोधक पद के भी श्लिष्ट हो जाने से (राजा तथा चन्द्रमा ये दो अर्थ हो जाने से) शब्दशक्तिमूलक ध्वनि हो जायगी। अब यहाँ यह विचारने की बात है कि इन दोनों स्थितियों में जब श्लिष्ट विशेषण की महिमा से प्रतीत होने वाले अप्रकृत व्यवहार समान है तब उस अप्रकृत व्यवहार को एक स्थिति में (विशेष्यबोधक पद के अश्लिष्ट रहने पर) गौण और दूसरी स्थिति में (विशेष्यबोधक पद के भी श्लिष्ट रहने पर) प्रधान कैसे माना जाता है। उचित तो यह है कि दोनों ही स्थितियों में अप्रकृत व्यवहार को गौण माना जाय, क्योंकि 'प्रकृत की प्रधानता और अप्रकृत की उपस्कारक होने से गौणता' सर्वसम्मत है। विशेष्य के श्लिष्ट होने मात्र के कारण व्यङ्ग्य की प्रधानता और उसके श्लिष्ट न होने मात्र से उसकी गौणता का उपपादन किया नहीं जा सकता, रही चन्द्रमा में नायकत्व की प्रतीति, सो वह भी तुल्य ही है, क्योंकि एक स्थिति में (समासोक्ति में) अर्थशक्तिमूलक व्यञ्जना द्वारा और दूसरी स्थिति में (ध्वनि में) शब्दशक्तिमूलक व्यञ्जना द्वारा उसका बोध होता ही है।

यदि आप कहें कि जो लोग समासोक्ति में प्रस्तुतधर्मी (चन्द्र आदि) में नायकत्व आदि की प्रतीति नहीं मानते, अपि तु नायक आदि के व्यवहारमात्र की प्रतीति मानते हैं और ध्वनि में नायकत्व की प्रतीति मानते हैं उनके हिसाब से तो उक्त दोनों स्थितियों में अन्तर हुआ, तो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि—हाँ, उनके हिसाब से उक्त अन्तर होता है, पर इस अन्तर के होने पर भी विशेषण-माहात्म्य से अवगत होने वाले

समान व्यङ्ग्य की एक जगह गौणता और दूसरी जगह प्रधानता उनके मत में भी किस हेतु से हो सकती है?

व्यवहारमात्र की प्रतीति मान कर प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में औपम्य की अभिव्यक्ति मानी जाय, अथवा नायकत्व की प्रतीति मान कर उन दोनों के अभेद की अभिव्यक्ति मानी जाय, दोनों ही स्थितियों में उस अभिव्यज्यमान अर्थ की प्रकृतोपस्कारक होने के कारण गौणता ही उचित है, प्रधानता नहीं।

यदि उपस्कारक होने पर भी गौणता न मानी जाय, प्रधानता ही मानी जाय तब समासोक्ति में भी व्यङ्ग्य की प्रधानता हो जायगी, जो किसी को भी अभीष्ट नहीं।

अतः यदि प्राचीन आचार्य क्रुद्ध नहीं हों तो यह भी कहा जा सकता है कि उन पूर्वोक्त उदाहरणों में जहां प्राचीन आचार्य शब्दशक्तिमूलक ध्वनि मानते हैं, श्लिष्ट विशेष्यवाली समासोक्ति ही है, जो पराङ्गरूप गुणीभूत व्यङ्ग्य का एक भेद है।

तात्पर्य यह कि समासोक्ति के ही दो प्रकार मान लिये जांय एक में विशेषण-विशेष्य दोनों ही श्लिष्ट होंगे और दूसरे में केवल विशेषण श्लिष्ट होगा। ध्वनि की कल्पना यहां उचित नहीं।

श्लेषः शब्दालंकारोऽर्थालंकारो वेति प्रसङ्गेऽनेकाचार्यमतमुपस्थापयति—

सोऽयं श्लेषः सभङ्गोऽभङ्गश्चार्थालङ्कार एवेत्यौद्भटाः। उभावप्येतौ शब्दालंकारौ, शब्दस्य परिवृत्त्यसहत्वादन्वयव्यतिरेकाभ्यां तदाश्रितत्वावधारणात्। तृतीयस्त्वर्थालङ्कारः, अर्थमात्राश्रितत्वात्। इति मम्मटभट्टाः। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां हि हेतुत्वावगमो घटं प्रति दण्डादेरिवास्तु, न त्वाश्रयत्वावगमः। स तु पुनस्तद्वृत्तित्वज्ञानाधीनः। इह हि सभङ्गश्लेषस्य शब्दद्वयवृत्तित्वं जतुकाष्ठन्यायेन, अभङ्गस्य चार्थद्वयवृत्तित्वमेकवृन्तगतफलद्वयवच्च स्फुटमेवेत्येकस्य शब्दालंकारत्वमपरस्यार्थालंकारत्वम्। यद्यपि द्वितीयस्यापि 'प्रतिप्रवृत्तिनिमित्तं शब्दभेदः' इति नये शब्दद्वयवृत्तित्वाच्छब्दालंकारत्वमुचितम्, तथापि शक्ततावच्छेदकानुपूर्व्यभेदादभेदाध्यवसानाच्छब्दद्वयवृत्तित्वज्ञानं दुःशकम्। अन्यथा 'प्रत्यर्थं शब्दनिवेशः' इति नये पराभिमतोऽर्थश्लेषोऽपि शब्दालंकार एव स्यात्। इत्यलंकारसर्वस्वकारादयः।

अर्थालंकार इति। अर्थद्वयप्रतीतिमूलकत्वादिति भावः। औद्भटा इति। उद्भटानुयायिन इत्यर्थः। एतौ सभङ्गाभङ्गौ। तदाश्रितेति। शब्दाश्रितेत्यर्थः। तृतीय इति। 'अर्जुनस्य गुरुः—' इत्यादिनोदाहृतः एकधर्मपुरस्कारमूलकः पूर्वोक्तः शुद्धाख्यो भेद इति भावः। सर्वस्वकारमतमाह—अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिति। तत्सत्त्वे तत्सत्ताऽन्वयः, तदभावे तदभावो व्यतिरेकः। आभ्यां हि कारणतया निश्चयः। यथा दण्डसत्त्वाधीनसत्त्वासत्त्वकं घटं प्रति दण्डस्य कारणत्वनिश्चयः। आश्रयताया निश्चयो न ताभ्यामिति भावः। अथ पुनः कथमाश्रयताया निश्चय इति चेत्तत्राह—स तु इत्यादि। यो यद्वृत्तिः स तदाश्रित इति भावः। एवञ्च प्रकृते किमायातमिति चेत्तत्राह—इह हीति। जतुकाष्ठन्यायेनेति। जतुकाष्ठञ्च पृथग्वस्तुरूपं सदपि यथा संश्लेषवशादेकमिव भासते, तथैव सभङ्गे संश्लिष्टं शब्दद्वयमेकत्वेन प्रतीयत इति भावः। एकवृन्तगतफलद्वयवदिति। यथैकस्माद् वृन्तात् फलद्वयं निस्सरति, तथैवाभङ्गस्थले एकस्माच्छब्दादर्थद्वयम् प्रादुर्भवतीति भावः। एकस्य सभङ्गस्य। अपरस्य

अभङ्गस्य । शंकते—यद्यपीति । द्वितीयस्यापीति । अभङ्गस्यापीत्यर्थः । प्रतिप्रवृत्तिनिमित्तं शब्दभेद इति । यावन्ति प्रवृत्तिनिमित्तानि तावन्तः शब्दा इत्यर्थः । प्रवृत्तिनिमित्तत्वञ्च 'वाच्यत्वे सति, वाच्यवृत्तित्वे च सति वाच्योपस्थितीयप्रकारताश्रयत्वम् । अस्मिन्नयेऽभङ्गोऽपि शब्दद्वयवृत्तिः, तत्रापि प्रवृत्तिनिमित्तभेदाच्छब्दद्वयसत्त्वादिति शंकादलाशयः । समाधत्ते—तथापीति । अयं भावः—'त्वामनिशं स हरिः पातु' इत्यादौ विष्णुत्वसूर्यत्वरूपप्रवृत्तिनिमित्तभेदात् द्वयोः हरिशब्दयोः सत्ता सिध्यतु, तथापि तत्रत्यः श्लेषः शब्दद्वयवृत्तिरितिज्ञानं दुःशकमेव, यतः भिन्नयोरपि हरिशब्दयोः हरित्वरूपं शक्ततावच्छेदकमेकमेव, तदैक्येन च शब्देऽप्येकत्वाध्यवसानम् जायते, अन्यथेति । शक्ततावच्छेदकानुपूर्व्यभेदप्रयुक्तशब्दाभेदानङ्गीकारे इत्यर्थः । प्रत्यर्थं शब्दनिवेश इति । यावन्तोऽर्थास्तावन्तः शब्दा इति भावः । अन्यत् स्पष्टम् ।

श्लेष शब्दालंकार है अथवा अर्थालंकार इसके विषय में विभिन्न आचार्यों के मत दिखलाये जाते हैं—सोऽयमित्यादि ।

सभङ्ग तथा अभङ्ग दोनों ही प्रकार का श्लेष अर्थालंकार ही है ऐसा उद्भटाचार्य के अनुयायियों का कथन है । मम्मटभट्ट का कथन है कि ये दोनों (सभङ्ग तथा अभङ्ग) ही श्लेष शब्दालङ्कार हैं, क्योंकि दोनों जगहों में शब्दपरिवृत्त्यसह—अर्थात् पर्यायान्तर से नहीं बदलनेयोग्य रहते हैं, अतः अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा उन दोनों प्रकारों का शब्दाश्रित होना निश्चित होता है । हाँ, श्लेष का तृतीय प्रकार (जिसका उल्लेख इस ग्रन्थ में 'एकधर्मपुरस्कारपूर्वक शुद्ध नामक भेद के रूप में किया गया है) अवश्य ही अर्थालङ्कार है, क्योंकि वह केवल अर्थाश्रित है ।

किंतु 'अलङ्कारसर्वस्वकार' आदि का सिद्धान्त है कि—अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा कारणता का ज्ञान होता है, जैसे घट के प्रति दण्डादिक कारण है यह बात, 'दण्ड के रहने पर घट बनता है और उसके नहीं रहने पर नहीं बनता' इस तरह के अन्वय-व्यतिरेक से विदित होती है । आश्रयता का ज्ञान अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा नहीं होता, उसका ज्ञान तो 'कौन किसमें रहता है ।' इस ज्ञान के अधीन है ।

इस सिद्धान्त के आधार पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि सभङ्ग श्लेष शब्दालङ्कार है और अभङ्ग श्लेष अर्थालंकार, क्योंकि सभङ्ग स्थल में जतु-काष्ठ की तरह (जिस तरह से लाही और काष्ठ दो पदार्थ होकर भी सटे होने से एक से प्रतीत होते हैं) दो शब्द सटे रहते हैं, अतः वहाँ 'श्लेष दो शब्द में हैं' इस तरह के ज्ञान से श्लेष का शब्दाश्रित होना ज्ञात होता है और अभङ्गस्थल में एक वृन्तगत दो फलों की तरह (जिस तरह से एक ही डण्ठल से दो फल निकलते हैं) एक ही शब्द से दो अर्थ निकले होते हैं । अतः वहाँ 'श्लेष दो अर्थों में है' इस तरह के ज्ञान से श्लेष का अर्थाश्रित होना विदित होता है ।

यद्यपि 'प्रवृत्तिनिमित्त के भेद से शब्दभेद होता है' इस नीति के अनुसार अभङ्गस्थल में भी दो शब्द सिद्ध होते हैं—अर्थात् 'हरि आपकी रक्षा करें' इत्यादि स्थल में विष्णुत्व तथा सूर्यत्व इन दो प्रवृत्तिनिमित्तों के आधार पर 'हरि' शब्द भी दो माने जायँगे, और तब दो शब्दों में वर्तमान होने के कारण अभङ्ग श्लेष का भी शब्दाश्रित हो जाने से शब्दालङ्कार माना जाना उचित है, तथापि—अर्थात् उक्त नीति के अनुसार वस्तुतः दो शब्दों की सिद्धि होने पर भी, 'यहाँ श्लेष दो शब्दों में स्थित है' ऐसा ज्ञान होना कठिन है क्योंकि सूर्यत्व तथा विष्णुत्वरूप दो प्रवृत्तिनिमित्त के आधार पर दो हरि शब्द की सिद्धि

कर लेने पर भी शक्ततावच्छेदक आनुपूर्वी-हरित्व के एक होने से-अर्थात् 'हरि' इस अक्षरक्रम के एक होने से उक्त प्रकार से दो सिद्ध हुए हरि शब्दों में एकत्व का अध्यवसान हो जाता है-अर्थात् वे दोनों हरि-शब्द एक शब्द के रूप में ही प्रतीत होते हैं।

यदि अक्षरक्रम की एकता से दो शब्दों की एकता की बात न मानी जाय तब तो 'अर्थभेद से शब्दभेद होता है' इस नीति के अनुसार मम्मट का अर्थश्लेष (तृतीय प्रकार) भी शब्दालङ्कार ही हो जायगा, क्योंकि दो अर्थ तो वहाँ भी मानते ही हैं, फिर उक्त नीति में दो शब्द भी मानने पड़ेंगे।

मेरे दृष्टिकोण में तो अक्षरक्रम की एकता से शब्द की एकता बन जाती है।

श्लेषविषयकं विचारमुपसंहरन्नाह—

अयं चोपमेव स्वतन्त्रोऽपि तत्र तत्र सकलालंकारानुग्राहकतया स्थितः सरस्वत्या नवं सौभाग्यमावहन्नानाविधेषु लक्ष्येषु सहृदयैर्विभावनीय इति।

अयं चेति। श्लेषश्चेत्यर्थः। विभावनीय इति। यथोपमालङ्कारः स्वीयां स्वतन्त्रस्थितिं रक्षन्नपि वहूनां सादृश्यमूलकानामलंकाराणामनुग्राहको भवति, वाचो नवनवां विविधां भङ्गीम् संपादयति च, तथैवायं श्लेषालङ्कारः क्वचन स्वतंत्रतया वर्तमानोऽपि सर्वत्र सर्वेषामलङ्काराणामनुग्राहको जायते। अत एव 'श्लेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्' इति प्रवादः। नवीनां-नवीनां वाग्भङ्गीं जनयन्नयं श्लेषः बहुविधेषु लक्ष्येषु सहृदयैर्विभावयितुं शक्य इति भावः।

श्लेषविषयक विचार का उपसंहार करते हुए कहा जाता है—अयं च इत्यादि।

यह श्लेष उपमा की तरह स्वतंत्र होकर भी स्थान-स्थान पर सब अलंकारों का अनुग्राहक होता है। वाणी के नव-नव चमत्कार की सृष्टि करता हुआ यह श्लेष विविध लक्ष्यों में सहृदयों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे श्लेषप्रकरणम्।

रसगङ्गाधरगतं श्लेषप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां श्लेषप्रकरणम्॥

रसगङ्गाधरगत श्लेषप्रकरण की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई।

अथ वक्तव्याप्रस्तुतप्रशंसायाः संगतिमाह—

अप्रस्तुतेन गम्येन वाच्यस्य प्रस्तुतस्योपस्करणे समासोक्तिरुक्ता। तद्वैपरीत्येनाप्रस्तुतप्रशंसोच्यते—

तद्वैपरीत्येनेति। अप्रस्तुतेन वाच्येन प्रस्तुतस्य व्यङ्ग्यस्योपस्करण इति भावः।

अप्रस्तुतप्रशंसा के निरूपण में संगति दिखलाई जाती है—अप्रस्तुतेन इत्यादि।

अप्रस्तुत व्यङ्ग्य के द्वारा प्रस्तुत वाच्य अर्थ का उपस्कार (पोषण) होने पर 'समासोक्ति' होती है-यह कहा जा चुका है अब उसके विपरीत (अर्थात् अप्रस्तुत वाच्य द्वारा व्यङ्ग्य प्रस्तुत का उपस्कार होने पर) 'अप्रस्तुतप्रशंसा' कही जाती है—।

आदौ लक्षणमाह—

अप्रस्तुतेन व्यवहारेण सादृश्यादिवक्ष्यमाणप्रकारान्यतमप्रकारेण प्रस्तुतव्यवहारो यत्र प्रशस्यते साप्रस्तुतप्रशंसा॥

सादृश्यादीति । कार्यकारणभाव-सामान्यविशेषभावावादिपदग्राह्यौ । अन्यत् स्पष्टम् ।
सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—अप्रस्तुत इत्यादि ।

जहाँ आगे कहे जाने वाले सादृश्य आदि प्रकारों में से किसी एक प्रकार से अप्रस्तुत व्यवहार के द्वारा प्रस्तुत व्यवहार प्रशंसित हो वहाँ उस तरह की वह प्रशंसा ही 'अप्रस्तुत-प्रशंसा' कहलाती है ।

लक्षणगतप्रशंसापदार्थं स्फुटयति—

प्रशंसनं च वर्णनमात्रम्, न तु स्तुतिः । 'धिक्तालस्योन्नततां यस्य च्छायापि नोपकाराय ।' इत्यादावव्याप्त्यापत्तेः ।

लक्षणे निविष्टस्य 'प्रशस्यते' इत्यस्य 'वर्ण्यते' इत्येवार्थो बोध्यः, न तु 'स्तूयते' इति । अन्यथा 'यस्यच्छायापि कमपि नोपकुरुते तस्य तालतरोरौन्नत्यं धिक्' इत्यर्थके 'धिक् तालस्य—' इति मूलोक्तवाक्येऽप्रस्तुतप्रशंसालक्ष्यत्वेन सर्वाभिमतेऽस्य लक्षणस्याव्याप्तिः, अत्राप्रस्तुततालव्यवहारेण तत्सदृशस्य पुरुषव्यवहारस्य निन्दाया एव प्रतीतेः स्तुतेरप्रतिपत्तेः । वर्णनमात्रार्थकरणे तु न दोष इति भावः ।

लक्षणगत 'प्रशस्यते' पद के अर्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है—प्रशंसनं चेत्यादि ।

यहाँ प्रशंसा का अर्थ वर्णनमात्र है, न कि स्तुति । अन्यथा 'धिक् तालस्य—अर्थात् जिस की छाया भी उपकारक नहीं हो पाती उस तालवृक्ष की ऊँचाई को धिक्कार है' इत्यादि वाक्य में जो अप्रस्तुतप्रशंसा का सर्वसम्मत लक्ष्य है–अव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि यहाँ अप्रस्तुत ताल-व्यवहार से प्रस्तुत तादृश पुरुष-व्यवहार की स्तुति नहीं, अपि तु निन्दा ही प्रतीत होती है ।

अप्रस्तुतप्रशंसाया भेदानाह—

इयं च पञ्चधा—अप्रस्तुतेन स्वसदृशं प्रस्तुतं गम्यते यस्यामित्येका । कार्येण कारणमित्यपरा । कारणेन कार्यमिति तृतीया । सामान्येन विशेष इति चतुर्थी । विशेषेण सामान्यमिति पञ्चमी ।

गम्यते यस्यामिति । अस्य सर्वत्रान्वयः । अन्यत् स्फुटम् ।

अब अप्रस्तुतप्रशंसा के भेद किये जाते हैं—इयं चेत्यादि ।

यह अप्रस्तुतप्रशंसा पाँच प्रकार की है—

'जिसमें अप्रस्तुत के द्वारा स्वसदृश प्रस्तुत की अभिव्यक्ति हो' वह प्रथम प्रकार, 'जिसमें कार्य से कारण की अभिव्यक्ति हो' वह द्वितीय प्रकार, 'जिसमें कारण से कार्य की अभिव्यक्ति हो' वह तृतीय प्रकार, 'जिसमें सामान्य से विशेष की अभिव्यक्ति हो' वह चतुर्थ प्रकार और 'जिसमें विशेष से सामान्य की अभिव्यक्ति हो' वह पञ्चम प्रकार होता है ।

उदाहर्तुमाह—

आद्या यथा—

अप्रस्तुतेन स्वसदृशं प्रस्तुतं गम्यते यत्र तादृशी अप्रस्तुतप्रशंसा यथेत्यर्थः ।

प्रथम—अर्थात् अप्रस्तुतसदृश से प्रस्तुतसदृश की अभिव्यक्ति वाली, अप्रस्तुतप्रशंसा जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'दिगन्ते श्रूयन्ते मदमलिनगण्डाः करटिनः
करिण्यः कारुण्यास्पदमसमशीलाः खलु मृगाः ।
इदानीं लोकेऽस्मिन्ननुपमशिखानां पुनरयं
नखानां पाण्डित्यं प्रकटयतु कस्मिन्मृगपतिः ॥'

मदमलिनगण्डाः स्रवद्दानवारिकलङ्कितकपोलदेशाः, करटिनः गजाः, दिगन्ते दिगवसानभूमौ, श्रूयन्ते श्रावणज्ञानविषयीक्रियन्ते, करिण्यः गजवशाः कारुण्यास्पदम् दयापात्राणि, मृगाः हरिणाः, खलु निश्चयेन, असमशीलाः अतुल्यस्वभावाः, दुर्बला इति यावत्, इदानीम् एवं स्थितौ, अयम्, मृगपतिः सिंहः, अस्मिन् लोके अत्र जगति, अनुपमशिखानाम् अद्वितीयाग्रभागविशिष्टानाम्, नखानाम् पाण्डित्यम् कौशलम्, कस्मिन् कस्योपरि, प्रकटयतु प्रकाशयतु इत्यर्थः ।

उदाहरण उपस्थित किया जाता है—दिगन्ते इत्यादि ।

मद से मलिन गण्डस्थल वाले गजगण दिगन्तवासी सुने जाते हैं, हथिनियां बेचारी दया का पात्र हैं और हरिण समानशीलवाले नहीं हैं—उन पर आक्रमण कैसा? अब इस संसार में यह सिंह अनुपम नोकोंवाले अपने नखों के पाण्डित्य को किस पर प्रकट करे! (यहां अप्रस्तुत सिंह के वृत्तान्त से तत्सदृश किसी पुरुषविशेष का वृत्तान्त प्रतीत होता है।)

अस्यैव भेदस्योदाहरणान्तरमुपदर्शयितुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्

अथवा जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'यस्मिन्खेलति सर्वतः परिचलत्कल्लोलकोलाहलै-
र्मन्थाद्रिभ्रमणभ्रमं हृदि हरिद्यूथाधिपाः पेदिरे ।
सोऽयं तुङ्गतिमिङ्गिलाङ्गगिलनव्यापारकौतूहलः,
क्रोडे क्रीडतु कस्य केलिरभसत्यक्तार्णवो राघवः ॥'

यस्मिन् राघवे (तन्नामख्याते मत्स्यविशेषे) खेलति क्रीडति, सति सर्वतः परितः, परिचलताम् उत्तिष्ठताम् कल्लोलानाम् तरङ्गाणाम् कोलाहलैः ध्वनिविशेषैः, हरिद्यूथाधिपाः दिक्पालाः हृदि जातावेकवचनम्, हृदयेषु इति यावत्, मन्थाद्रिभ्रमणभ्रमम् मन्दराचलभ्रमणभ्रान्तिम् पेदिरे प्रापुः, सोऽयम्, तुङ्गानाम् महताम् तिमिङ्गिलानाम् मत्स्यविशेषाणाम् अङ्गानाम् गिलनव्यापारे निगरणकर्मणि, कौतूहलम् उत्कण्ठा यस्य तादृशः राघवः मत्स्यविशेषः, केलिरभसत्यक्तार्णवः क्रीडावेगपरित्यक्तसमुद्रः, सन् कस्य आधारविशेषस्य क्रोडे मध्यदेशे, क्रीडतु? समुद्रं परित्यक्तवतो राघवस्य क्रीडायोग्यं स्थानान्तरन्नास्तीति भावः ।

अत्रावेगत्यक्तार्णवस्य स्वक्रीडोपयुक्तक्षेत्रान्तरमलभमानस्य पश्चात्तप्यतोऽप्रस्तुतस्य राघवस्य वर्ण्यमानेन वृतान्तेन तत्सदृशस्य कस्यचनावेगवशात्प्राक् स्वोचितस्थानं परित्यज्य पश्चादनुकूलस्थानानुपलब्ध्या विषीदतः पुरुषस्य वृत्तान्तः प्रतीयत इति लक्षणसमन्वयः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—यस्मिन्निति।

एक समय था, जब बड़े-बड़े तिमिङ्गिलों (मत्स्यविशेषों) के अङ्कों को—अर्थात् पूरे के पूरे तिमिङ्गिलों को—निगल जाने के व्यापार का कौतूहली राघव (महामत्स्य) समुद्र में खेलता था और उसकी खेला के कारण चौतरफ उड़ती हुई कल्लोलों के कोलाहलों से दिक्पाल सब अपने हृदय में मन्दराचल के भ्रमण का भ्रम करने लगते थे, पर आज वही राघव क्रीडा के आवेग में उछाल मार कर समुद्र को छोड़ बैठा—समुद्र से दूर जा पड़ा अब वह किसकी गोद में खेले।

(यहां गलती से उपयुक्त स्थान का परित्याग कर देने के कारण अनुकूलस्थान के अभाव में अनुतप्त होने वाले किसी पुरुष की प्रतीति अप्रस्तुत राघव से सादृश्य के कारण होती है।)

पुनरस्यैव भेदस्योदाहरणान्तरमुपदर्शयितुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्,

अथवा जैसे—'

उदाहरणमुपस्थापयति—

'पुरा सरसि मानसे विकचसारसालिस्खल-
तपरागसुरभीकृते पयसि यस्य यातं वयः।
स पल्वलजलेऽधुना मिलदनेकभेकाकुले
मरालकुलनायकः कथय रे कथं वर्तताम्॥'

यस्य मरालस्य, वयः अवस्था, पुरा पूर्वस्मिन्समये, मानसे सरसि मानससरोवरे, विकचानां विकसितानां सारसानाम् कमलानाम् आलिभ्यः पङ्क्तिभ्यः, स्खलद्भिः पतद्भिः, परागैः रजोभिः सुरभीकृते सुगन्धमयीकृते, पयसि जले, यातम् व्यतीतम्, स, मरालकुलनायकः हंसवंशाधिपः, अधुना इदानीम् मिलद्भिः संयुज्यमानैः, अनेकैः बहुभिः भेकैः दर्दुरैः, आकुले आपूर्णे, पल्वलजले लघुजलाशयसलिले, कथं केन प्रकारेण वर्तताम् जीवनं यापयतु इति रे पामर! त्वमेव, कथय ब्रूहीत्यर्थः।

अत्राप्रस्तुतमरालवृत्तान्तेन तत्सदृशस्य स्थानभ्रष्टस्य कस्यचित्पुरुषस्य वृत्तान्तः प्रतीयत इति भवतीदं पद्यमाद्याप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणमिति भावः।

उदाहरण दिखलाया जा रहा है—पुरा इत्यादि।

जिसकी अवस्था (जीवन) पहले मानस सरोवर के खिले हुए कमलों की पङ्क्ति से गिरते हुए परागों से सुगन्धित जल में व्यतीत हुई, वह हंसों के कुल का अधिपति अब अनेक (झुण्ड के झुण्ड) मेंढकों से गंदे तलैया के जल में, कहो, कैसे जीवन बितावे।

(यहाँ अप्रस्तुत मराल-वृत्तान्त से तत्समान (स्थानभ्रष्ट) किसी पुरुषविशेष की प्रतीति होती है।)

अस्मिन्नेव भेदे वैचित्र्य-विशेषमुपदर्शयितुमाह—

श्लिष्टविशेषणाप्येषा दृश्यते—

एषेति। सादृश्यमूलाप्रस्तुतप्रशंसेत्यर्थः। अन्यत् स्फुटम्।

यह सादृश्यमूला अप्रस्तुतप्रशंसा श्लिष्ट विशेषणों वाली भी देखी जाती है।

तादृशमुदाहरणमुपन्यस्यति—

नितरां नीचोऽस्मीति त्वं खेदं कूप मा कदापि कृथाः ।
अत्यन्तसरसहृदयो यतः परेषां गुणग्रहीतासि ॥

हे कूप !, त्वम्, 'अहं नितरां नीचः (गभीरः हीनश्च) 'अस्मि' इति खेदम्, कदापि, मा कृथाः न कुरु, यतः, अत्यन्तसरसहृदयः (अतिसजलमध्यभागः, अतिरसिकमनाश्च, त्वम्, परेषाम् अन्येषाम्, गुणग्रहीता (रज्जुधारकः वैदुष्यौदार्यादिगुणादाता च) असि विद्यसे इत्यर्थः ।

श्लिष्टविशेषणा सादृश्यमूला अप्रस्तुतप्रशंसा का उदाहरण दिखलाया जाता है— नितराम् इत्यादि ।

हे कूप ! तुम यह खेद कभी मत करना कि मैं अत्यन्त नीचा (गहरा + नीच दर्जे का) हूँ, क्योंकि तेरा हृदय (मध्यभाग + मन) अत्यन्त सरस (सजल + रसिक) है और तुम दूसरों के गुणों (गुणों + रस्सियों) के ग्रहण करने वाले हो ।

(यहाँ 'नीच' 'सरस' आदि विशेषण श्लिष्ट हैं और अप्रस्तुत कूप से तत्सदृश पुरुषविशेष की प्रतीति होती है)

समासोक्तेः परोक्तमप्रस्तुतप्रशंसानुग्राहिकात्वन्निरसितुमुपक्रमते—

समासोक्तिरत्रानुग्राहिकेति तु न वक्तव्यम् । तस्याः प्रकृतालंकारविरुद्धात्मिकात्वेनानुग्राहिकात्वायोगात् । यत्तु—"—'येनास्यभ्युदितेन चन्द्र गमितः क्लान्तिं रवौ तत्र ते, युज्येत प्रतिकर्तुमेव न पुनस्तस्यैव पादग्रहः' इत्यत्र समासोक्तेरनुग्राहिका" इति मम्मटभट्टैरुक्तम् तत्र विचार्यते—अत्र विशेषणसाम्यमहिम्ना प्रतीयमानः कापुरुषवृत्तान्तः किं प्रस्तुत आहोस्विदप्रस्तुतः ? । आद्ये समासोक्तेर्विषय एव नास्ति । 'परोक्तिर्भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्तिः' इति समासोक्तेर्लक्षणस्य तैरेवाभिधानात् । परस्याप्रकृतस्येति तदर्थात् । द्वितीयेऽप्रस्तुतप्रशंसाया नास्ति विषयः, 'अप्रस्तुतप्रशंसा सा या सैव प्रस्तुताश्रया' इति तल्लक्षणात् । प्रस्तुत आश्रयः प्रधानं यस्या इति तदर्थात् । तस्माच्छिलष्टविशेषणोपक्षिप्तद्वितीयार्थमात्रं समासोक्तिरित्यभिप्रायेण यथाकथंचित् संगमनीयम् ।

अत्रेति । अप्रस्तुतप्रशंसायामित्यर्थः । तथा अवक्तव्यत्वे हेतुमाह—तस्या इति । समासोक्तेरित्यर्थः । प्रकृतेति । अप्रस्तुतप्रशंसेत्यर्थः । विरुद्धात्मिकात्वेनेति । समासोक्तौ वाच्यस्य प्रस्तुतत्वम् व्यङ्ग्यस्य चाप्रस्तुतत्वम्, अप्रस्तुतप्रशंसायां तु वाच्यस्यैवाप्रस्तुतत्वम्, व्यङ्ग्यस्य पुनः प्रस्तुतत्वमिति विरुद्धात्मिकात्वं बोध्यम् । अनुग्राहिकात्वायोगादिति । अनुग्राहकत्वन्नाम आनुकूल्यसंपादनं तच्च विरुद्धात्मकस्य पदार्थस्य न संभवतीति भावः । 'येनास्यभ्युदितेन—' इति ।··· "क्षीणेनैतदनुष्ठितं यदि ततः किं लज्जसे नो मनाग्—स्त्येवं जडधामता तु भवतो यद् व्योम्नि विस्फूर्जसे ।' इत्युत्तरार्धम् । हे चन्द्र ! अभ्युदितेन उदयमासादितवता, येन रविणा, त्वम्, क्लान्तिम् मालिन्यमिति यावत्, गमितः प्रापितः, तत्र तस्मिन्, रवौ सूर्ये ते तव, प्रतिकर्तुमेव प्रतिकारं कर्तुमेव, युज्येत औचित्य-

भवेत्, तस्यैव सूर्यस्यैव, पादग्रहः किरणग्रहोऽथ च चरणचुंबनम्, पुनः, न, युज्येतेति शेषः। अपकारिणो विरोध एवोचितो न चरणसेवेति भावः। क्षीणेन कलाविहीनेनाथ च धनहीनेन, मया, एतत् पीडकचरणचुम्बनम्, अनुष्ठितम् कृतम् इति यदि त्वया (चन्द्रेण) कथ्येत, तदा तद् युक्तम्, परन्तु मनाक् ईषदपि, लज्जसे किन्न ? क्षीणस्याप्येवं कर्तुर्लज्जा-समुचितेति भावः। अथ 'एवम् क्षीणस्य निर्लज्जत्वम्, अस्ति प्रसिद्धमेवेति नोपालम्भार्हम् इति चेत् ? अस्तु तथा, तथापि भवतो, जडधामता मूर्खता अथ च शीतरश्मिता, प्रकाशत एव, यत् यस्मात्, व्योम्नि आकाशे, विस्फूर्जसे सगर्वमुदेषीति श्लोकार्थः।

अस्मिन् श्लोकेऽप्रस्तुतप्रशंसाया अनुग्राहिका समासोक्तिरिति काव्यप्रकाशे सम्मटोऽ-कथयत्। तत्खण्डनायाह—तत्र विचार्यत इति। अत्रेति। 'येनास्य-' इति पद्य इत्यर्थः। विशेषणेति। 'अभ्युदितेन' 'पादग्रहः' इत्यादि विशेषणेत्यर्थः। प्रतीयमान इति। व्यज्यमान इत्यर्थः। आद्य इति। कापुरुषवृत्तान्तस्य प्रस्तुतत्व इत्यर्थः। तदविषयत्वे हेतुमाह—'परोक्तिः-' इति। तदर्थादिति। कापुरुषवृत्तान्तस्य प्रस्तुतत्वाङ्गीकारे तस्य परत्वविरहेण भवदुक्तलक्षणानुसारमपि नात्र समासोक्तिरिति भावः।

द्वितीय इति। कापुरुषवृत्तान्तस्याप्रस्तुतत्वाङ्गीकार इत्यर्थः। तद्विषयत्वाभावे कारण-माह—'अप्रस्तुतप्रशंसा सा या—' इति। तदर्थादिति। अप्रस्तुतात्प्रस्तुतस्य गम्यत्वेऽ-प्रस्तुतप्रशंसा भवतीति भवल्लक्षणानुसारमपि सिध्यति, तथा च प्रकृते गम्यस्य कापुरुषवृत्ता-न्तस्याप्रस्तुतत्वमङ्गीकुर्वतो भवतो मतेऽप्रस्तुतप्रशंसैव न प्रसजतीति भावः। उपसंहर-न्नाह—तस्मादिति। द्वितीयार्थमात्रमिति। द्वितीयार्थस्याप्रस्तुतत्वन्नापेक्षितमिति भावः। यथा कथंचित् संगमनीयमिति। अयं भावः—'येनास्यभ्युदितेन—' इत्यत्र गम्यः कापुरुषवृत्तान्तः प्रस्तुतः वाच्यश्चन्द्रवृत्तान्त एवाप्रस्तुतस्तथा चात्राप्रस्तुतप्रशंसा स्फुटैव, समासोक्तेश्च तदनु-ग्राहिकात्वमसंभवम्, तत्प्राप्तेरेवाभावात् इति वस्तुस्थितिः, परमथापि मम्मटभट्टादरश्चेत् प्रबलस्तदोक्तरीत्या तत्संगतिर्विधेयेति।

अब 'समासोक्ति अप्रस्तुतप्रशंसा की अनुग्राहिका है' इस मत का खण्डन करने के लिये कहा जाता है—समासोक्तिरत्र इत्यादि।

इस अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार में समासोक्ति अलंकार अनुग्राहक होता है—अर्थात् अप्रस्तुतप्रशंसा के मूल में समासोक्ति रहती है ऐसा नहीं कहना चाहिए। कारण, समा-सोक्ति का स्वरूप अप्रस्तुतप्रशंसा के स्वरूप से सर्वथा विरुद्ध है—विपरीत है, अतः इन दोनों में अनुग्राह्यानुग्राहकभाव संभव नहीं है।

ऐसी स्थिति में काव्यप्रकाशकार मम्मट भट्ट ने जो यह कहा है कि—"—'येनास्यभ्यु-दितेन—(सम्पूर्ण पद्य संस्कृत-व्याख्या में द्रष्टव्य)—अर्थात् हे चन्द्र, अभ्युदित होकर जिसने तुम्हें कान्तियुक्त बना दिया—मलिन कर दिया, उस सूर्य के विषय में तुम्हारा प्रतिकार करना (प्रतिद्वन्द्विता में खड़े होना) ही युक्त होता न कि उसी के पादों (किरणों + चरणों) का ग्रहण। यदि कहा जाय कि 'क्षीण' (धनहीन + कलाहीन) हो जाने से ऐसा किया है, तो ठीक है, थोड़ी लज्जा भी तो होनी चाहिए, सो क्यों नहीं होती ?—अर्थात तुम थोड़ा भी लज्जित क्यों नहीं होते ? अब यदि मान लिया जाय कि क्षीण निर्लज्ज हो ही जाते हैं तो ऐसा भले ही हो, पर तेरी 'जडधामता' (मूर्खता + शीत-

रश्मिता) तो यह है कि आकाश में सगर्व उदित होते हो।' इस पद्य में समासोक्ति अप्रस्तुतप्रशंसा की अनुग्राहिका है।"

इस पर विचार किया जाता है कि—यहाँ विशेषणों (अभ्युदित, पादग्रह आदि) की समता के बल से प्रतीत होने वाला कापुरुष (कायर पुरुष) का वृत्तान्त प्रस्तुत है अथवा अप्रस्तुत ? यदि प्रस्तुत माना जाय तब समासोक्ति का यह लक्ष्य ही न होता, क्योंकि मम्मट ने स्वयं समासोक्ति का 'परोक्तिः—ऐसा लक्षण कहा है और 'पर' का अर्थ अप्रकृत-अप्रस्तुत माना है।

तात्पर्य यह कि मम्मट के हिसाब से भी व्यङ्ग अर्थ के अप्रस्तुत रहने पर समासोक्ति होती है फिर उक्त पद्य में व्यङ्ग्य कापुरुष-वृत्तान्त को प्रस्तुत मान लेने पर समासोक्ति का प्रसङ्ग नहीं होता है।

यदि कापुरुषवृत्तान्त को यहाँ अप्रस्तुत माना जाय तब समासोक्ति हो सकती है; पर अप्रस्तुतप्रशंसा ही नहीं हो सकती, क्योंकि 'अप्रस्तुत—अर्थात् प्रस्तुत है आश्रय जिसमें ऐसी जो अप्रस्तुत की प्रशंसा वही अप्रस्तुतप्रशंसा कहलाती है' ऐसा अप्रस्तुत-प्रशंसा लक्षण उन्होंने ही किया है और 'आश्रय' का अर्थ प्रधान बतलाया है।

अभिप्राय यह कि अप्रस्तुत से प्रस्तुत की अभिव्यक्ति उनके कथनानुसार भी अप्रस्तुत-प्रशंसा का स्वरूप सिद्ध होता है, फिर उक्त स्थल में अभिव्यक्त होनेवाले कापुरुषवृत्तान्त को अप्रस्तुत मान लेने पर अप्रस्तुतप्रशंसा कथमपि नहीं हो सकती है।

फलतः उक्त पद्य में जब समासोक्ति का प्रसङ्ग बनाया जायगा तब अप्रस्तुतप्रशंसा का अवसर नष्ट हो जायगा और जब प्रस्तुतप्रशंसा का प्रसङ्ग तैयार किया जायगा तब समासोक्ति नहीं हो सकेगी, ऐसी स्थिति में वहाँ समासोक्ति को अप्रस्तुतप्रशंसा का अनुग्राहक बतलाना उचित नहीं है।

फिर भी यदि मम्मट के प्रति अत्यादर रखने के कारण किसी तरह उनकी उक्ति को संगत बनाना ही उचित समझा जाय तब यह मानना चाहिए कि श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा किसी तरह के (प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत) द्वितीय अर्थ की प्रतीति होने पर समासोक्ति होती है ऐसा समझ कर वैसा लिखा गया है।

सारांश यह कि उक्त पद्य में वाच्य चन्द्र-वृत्तान्त वस्तुतः अप्रस्तुत ही है, अतः उससे प्रतीत कापुरुषवृत्तान्त का ही प्रस्तुत होने से वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा सर्वसम्मत है, समासोक्ति की बात वहाँ उक्त प्रकार से यथाकथंचित् संगत करनी चाहिए।

स्फुटत्वायाह—

इयं च सादृश्यमूलाप्रस्तुतप्रशंसोच्यते।

इयमिति। श्लिष्टविशेषणेत्यर्थः।

यह श्लिष्ट विशेषणोंवाली (ऊपर के उदाहरणों में निर्दिष्ट) अप्रस्तुत प्रशंसा सादृश्य-मूला कहलाती है।

अस्मिन्सादृश्यमूलेऽप्रस्तुतप्रशंसाभेदे संभवद्वैलक्षण्यं स्फुटयति—

अस्यां च वाक्यार्थः क्वचित्प्रतीमानार्थताटस्थ्येनैवावतिष्ठते—यथोक्तोदाहरणेषु। क्वचिच्च स्वगतविशेषणान्वययोग्यतामासादयितुं प्रतीयमानाभेदमपेक्षते।

अस्यामिति । सादृश्यमूलाप्रस्तुतप्रशंसायामित्यर्थः । ताटस्थ्येनेति । औदासीन्येनेत्यर्थः । उक्तोदाहरणेष्विति । 'दिगन्ते श्रूयन्ते—' इत्यादिष्वित्यर्थः । स्वगतेति । स्वपदेन वाक्यार्थो विवक्षितः, तद्गतानि यानि विशेषणानि तेषां स्वस्मिन् अन्वयो यथा स्यात् तादृशीं योग्यतामित्यर्थः । अपेक्षत इति वाक्यार्थ इति भावः ।

इस सादृश्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा में हो सकने वाले कतिपय वैचित्र्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है—अस्यामित्यादि ।

इस सादृश्यमूला अप्रस्तुतप्रशंसा में वाक्यार्थ अर्थात् वाच्य अर्थ कहीं पर प्रतीयमान अर्थात् व्यङ्ग्य अर्थ से तटस्थ रूप में (उदासीनरूप में) स्थित रहता है । जैसे—उक्त उदाहरणों में । अभिप्राय यह कि पूर्वोक्त उदाहरणों में वाच्य अर्थ पद्योक्त विशेषणार्थों के साथ स्वतः अन्वित होने योग्य हैं, अतः वहाँ वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ में अभेद समझने की आवश्यकता नहीं होती ।

पर कहीं-कहीं वाक्यार्थ ऐसा रहता है जो अपने मध्य में आए हुए विशेषणों के साथ अन्वित होने की योग्यता स्वतः नहीं रखता, अतः वैसे स्थलों का वाक्यार्थ व्यङ्ग्य अर्थ के साथ अभेद बोध की अपेक्षा रखता है—अर्थात् व्यङ्ग्यार्थ से अभिन्न होकर ही वाक्यार्थ स्वगत विशेषणों के अन्वय की योग्यता प्राप्त करता है ।

तादृशमुदाहरणमुपदर्शयितुमाह—

यथा—

प्रतीयमानाभेदमपेक्षमाणो वाक्यार्थो यथेत्यर्थः ।

जैसे—'

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'समुपागतवति दैवादवहेलां कुटज मधुकरे मा गाः ।
मकरन्दतुन्दिलानामरविन्दानामयं महामान्यः ॥'

हे कुटज गिरिमल्लिके, ('कुटजो गिरिमल्लिका' इति कोषः) दैवात् भाग्यात् , समुपागतवति समागते, मधुकरे भ्रमरे, अवहेलाम् तिरस्कारम्, मा गाः न कुरु, यतः, अयं भ्रमरः, मकरन्दतुन्दिलानाम् परागपरिपुष्टानाम् , अरविन्दानाम् कमलानाम् , महामान्यः—अत्यादरणीयः इत्यर्थः । अत्राप्रस्तुतान्मधुकरवृत्तान्तात्तत्सदृशपुरुषविशेषवृत्तान्तप्रतीत्याऽप्रस्तुतप्रशंसा ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—समुपागत इत्यादि ।

हे कुटज (एक प्रकार जंगली फूल जिसे गिरिमल्लिका भी कहते हैं), दैववश निकट आए हुए मधुकर की अवज्ञा न करो, यह (भ्रमर) पराग से भरे कमलों का अतिशय आदरपात्र है । यहां भ्रमर के वृत्तान्त से उस पुरुष-विशेष की प्रतीति होती है जो भद्रजनादरणीय होकर भी किसी पामर के द्वार पर दैवयोग से पहुँच गया है'।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्—

अथवा जैसे—।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'तावत्कोकिल दिवसान्यापय विरसान्वनान्तरे निवसन्।
यावन्मिलदलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति ॥'

हे कोकिल, मिलन्ती अलिमाला यस्मिन् तादृशः भ्रमरभरभूषित इति यावत्, कोऽपि, रसालः आम्रः, यावत् यावत्कालपर्यन्तम्, समुल्लसति शोभामाधाय प्रादुर्भवति, तावत् वनान्तरे रसालेतरतरुपुञ्जे, निवसन्, विरसान् रसप्रदानाक्षमान्, दिवसान् दिनानि, यापय नयेत्यर्थः।

उदाहरणान्तर दिखलाया जाता है—तावत् इत्यादि।

हे कोकिल, तब तक अन्य वन में रहते हुए नीरस दिनों को बिताओ, जब तक मिलते भ्रमरझुण्डोंवाला कोई रसाल (आम) का तरु उल्लसित नहीं होता।

उपपादयति—

अत्र मृगपक्षिणोः संबोधनानुपपत्त्या प्रतीयमानांशतादात्म्यमपेक्ष्यते।

अत्रेति 'समुपागतवति—' 'तावत् कोकिल—' इत्यनयोः श्लोकयोरित्यर्थः। अपेक्ष्यत इति। प्रथमश्लोकेऽचेतनस्तरुः (कुटजः) द्वितीये च तादृशः पक्षी (कोकिलः) संबोधनायोग्यः चेतनस्यैव तद्योग्यत्वात् अतस्तयोर्व्यङ्ग्य-पुरुषविशेषाभेदापेक्षा वर्तत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'समुपागतवति—'इस श्लोक में कुटज वृक्ष को और 'तावत् कोकिल—'इस श्लोक में कोयल पक्षी को संबोधित किया गया है, पर यह संगत नहीं होता, क्योंकि संबोधन किसी चेतन प्राणी का ही हो सकता है—किसी चेतन को ही बुलाया जा सकता है, अचेतन को नहीं अतः इन संबोधनों की संगति के लिये इन अचेतनों का व्यङ्ग्य पुरुषविशेष (चेतन) के साथ अभेद कर लेना आवश्यक है।

प्रतीयमानाभेदोऽपि क्वचिदांशिकः क्वचिच्च व्यापक इति स्फुटयितुमुदाहरणान्तरमाह—

'मलिनेऽपि रागपूर्णां विकसितवदनामनल्पजल्पेऽपि।
त्वयि चपलेऽपि च सरसां भ्रमर कथं वा सरोजिनीं त्यजसि ॥

हे भ्रमर, मलिने श्यामवर्णेऽथ च कुटिलहृदये, अपि त्वयि, रागपूर्णाम्। रक्तिमगुणयुक्तामथ च प्रेमपूर्णाम्, अनल्पजल्पे अतिगुञ्जनकारिणि अथ चासंगताधिकभाषिणि, अपि, त्वयि, विकसितवदनाम् प्रसन्नमुखीम् तथा चपले चञ्चले, अपि, त्वयि, सरसाम् रसमयीम्, सरोजिनीम् कमलिनीम् कथं केन प्रकारेण, त्यजसि जहासीत्यर्थः।

प्रतीयमान के साथ अपेक्षित वाच्य का अभेद भी कहीं अंशतः और कहीं सर्वात्मना होता है इसका स्पष्टीकरण के लिये पुनः एक उदाहरण उपस्थित किया जाता है—मलिनेऽपि इत्यादि।

हे भ्रमर, तुम उस कमलिनी का परित्याग कैसे कर रहे हो, जो तेरे 'मलिन' (श्याम+मलिनहृदय=कुटिल) रहने पर भी 'राग' (लाली+प्रीति) से पूर्ण रहती है तथा तेरे 'अनल्पजल्पी' (अतिगुञ्जनकारी+अति असंगतभाषी) होने पर भी प्रसन्नमुख बनी रहती है एवम् तेरे चञ्चल होने पर भी सरसता नहीं छोडती है।

उपपादयति—

अत्र त्यागानौचित्यहेतुत्वेन कमलिन्याः स्तुतिरूपं विशेषणमुपात्तम्। तच्च न संभवति। नहि भ्रमरे श्यामत्वादिर्दोषः, कमलिन्याः शोणत्वादिर्वा गुणः। येन स्तुतिः स्यात्। अतो वाच्यार्थस्य प्रतीयमानतादात्म्यं विशेष्यांशे विशेषणांशे चापेक्ष्यते।

अयमिह सारांशः-यत्-'मलिनेऽपि-' इत्यस्मिन्पद्ये भ्रमरकर्तृककमलिनीकर्मकत्यागस्यानौचित्यं बोधयितुम् कमलिनीस्तुतिपरं विशेषणम् कथितम् परमेतावताऽपि तावन्नोद्देश्यसिद्धिर्यावत्प्रतीयमानेन सह वाच्यस्याभेदो न स्वीक्रियेत, यतो भ्रमो वर्तमानः श्यामत्वादिर्न दोषो नापि च कमलिन्यां विद्यमानो रक्तिमा वा गुणः, तयोर्दोषगुणत्वविरहे कथं तयोर्निन्दास्तुती स्याताम्, एवम् पूर्ववद् भ्रमरसंबोधनमप्यनुपपन्नमेव, अतः संबोधनानुपपत्त्या भ्रमररूप-विशेष्यांशे, श्यामत्वादेर्विशेषणत्वाद्युपपत्त्ये विशेषणांशे च प्रतीयमानेन नायकेन प्रतीयमानया नायिकया च सह तादात्म्यम् अपेक्षितम् विधेयम् इति।

उपपादन किया जाता है—अत्र त्यागा इत्यादि।

'मलिनेऽपि—' इस पद्य में 'भ्रमर के द्वारा कमलिनी का त्याग अनुचित है' इसके कारण रूप में कमलिनी की स्तुति के बोधक और भ्रमर की निन्दा के बोधक (मलिनेऽपि रागपूर्णाम् इत्यादि) विशेषण उपात्त हुआ है, पर वस्तुतः इन विशेषणों से उद्देश्य की सिद्धि होती नहीं। कारण, भ्रमर में कालिमा कोई दोष नहीं है और न कमलिनी में लाली है कोई गुण, फिर इसके कथन से भ्रमर की निन्दा किंवा कमलिनी की स्तुति कैसे सिद्ध होगी? अतः यहाँ विशेषण अंश में प्रतीयमान के साथ वाच्य का अभेद अपेक्षित है-अर्थात् श्यामता आदि को कुटिलता आदि से अभिन्न मानना पड़ता है, इसी तरह 'भ्रमर' यह संबोधन भी अनुपन्न ही है, क्योंकि तिर्यक् मानव का संबोध्य नहीं हो सकता, अतः उस विशेष्य अंश में भी प्रतीयमान चपलचित्त अस्थिर-प्रीति पुरुष का अभेद माना जायगा, अन्यथा गति नहीं।

पूर्वोदाहरणाभ्यामस्मिन्नुदाहरणे वैलक्षण्यमुपदर्शयति—

पूर्वत्रांशेन, इह तु साकल्येनेति विशेषः।

'समुपागतवति—' 'तावत्कोकिल—' इत्यनयोरुदाहरणयोः संबोधनानुपपत्तिपरिहाराय वृक्षपक्षिरूपविशेष्यांशे केवलं प्रतीयमानाभेदापेक्षा, 'मलिनेऽपि—' इत्यस्मिन्नुदाहरणे तु पूर्वोक्तयुक्त्या विशेषणांशे विशेष्यांशे च तदपेक्षेति भावः। अत्रत्या 'सरला' तु तत्त्वानवबोधपराहतेति बोध्यम्।

प्रतीयमानाभेद की अपेक्षा रखने वाले प्रथमोक्त दो उदाहरणों से इस तृतीय उदाहरण में विलक्षणता दिखलाई जाती है—पूर्वत्रांशेन इत्यादि।

'समुपागतवति—' और 'तावत्कोकिल—' इन दोनों उदाहरणों में अंशतः प्रतीयमानाभेद की अपेक्षा होती है—अर्थात् संबोधन की अनुपपत्ति के निराकरणार्थ केवल वृक्ष तथा पक्षीरूप विशेष्य अंश में उसकी अपेक्षा है, पर 'मलिनेऽपि—' इस तृतीय उदाहरण में साकल्येन (सभी अंशों में) उसकी अपेक्षा होती है—अर्थात् श्यामत्व आदि को दोषरूप सिद्ध करने के लिये विशेषणांश में तथा संबोधनानुपपत्तिवारणार्थ भ्रमररूप विशेष्यांश में भी प्रतीयमान तादात्म्य अपेक्षित होता है।

एतज्जातीयकमेवापरं वैलक्षण्यमुदाहरणप्रदर्शनपुरस्सरं प्रकटयितुं चेष्टते—

क्वचिच्च प्रतीयमानमपि किंचिदंशे वाच्यतादात्म्यम्। वाच्यं च किंचिदंशे प्रतीयमानतादात्म्यमपेक्षते। यथा—

'सरजस्कां पाण्डुवर्णां कण्टकप्रकराङ्किताम्।
केतकीं सेवसे हन्त कथं रोलम्ब निस्त्रपः॥'

अत्र यथा 'सरजस्कत्वं वाच्यप्रतीयमानयोरपि सेवनानौचित्ये निमित्तम्, न तथा पाण्डुवर्णत्वकण्टकितत्वे। यतः पाण्डुवर्णत्वं केतक्यां न दोषः, प्रत्युत गुण एवेति पाण्डुरत्वांशे केतक्यां नायिकातादात्म्यमपेक्ष्यते। नायिकायां च कण्टकितत्वांशे केतकीतादात्म्यम्। पुलकितत्वस्य कामिनीत्यागानुगुणत्वात्प्रत्युत तत्सेवनानुगुणत्वात्।

सरजस्कामिति। हे रोलम्ब भ्रमर, हन्त खेदस्य विषयो यत्त्वम्, निस्त्रपः निर्लज्जः सन्, सरजस्काम् सपरागाम् अथ च रजस्वलाम्, धर्मशास्त्रप्रतिषिद्धोपभोगामिति भावः, पाण्डुवर्णाम् श्वेताम् अथ च चिन्ताक्लान्तपीतकान्तिम्, तथा कण्टकप्रकराङ्किताम् कण्टकसमूहयुक्ताम् अथ च रोमाञ्चयुक्ताम्, केतकीम् पुष्पविशेषम्, कथम् केन प्रकारेण, सेवसे आश्रयसीत्यर्थः। अत्राप्रस्तुतभ्रमरव्यवहारेण वाच्येन प्रस्तुततादृशनायकव्यवहारप्रतीत्याऽप्रस्तुतप्रशंसा। उपपादयति—अत्रेति।

अयं भावः—'सरजस्काम्—' इत्यत्र, वाच्यवृत्त्या रोलम्बकर्तृककेतकीकर्मकसेवनानौचित्यम्, व्यङ्ग्यवृत्त्या च नायकविशेषकर्तृकनायिकाविशेषकर्मकसेवनानौचित्यं वाक्यार्थः, तत्र 'सरजस्काम्' इत्यादिविशेषणानि हेतुतयोपात्तानि। परन्तु तेषु विशेषणेषु 'सरजस्काम्' इत्येकमेव विशेषणम् स्वतो हेतुत्वमासादयितुम् क्षमम् यतः केतक्यां परागपुञ्जस्य भ्रमरासेवनबाधकत्वम्, नायिकायां रजस्वलात्वस्य नायकासेवनबाधकत्वञ्च। अपरं विशेषणद्वयं तु न स्वतो हेतुतामाप्तुमर्हम्, यतः शुक्लवर्णता केतक्या गुण एव, न दोष इति कथं भ्रमरसेवनानौचित्ये हेतुः स्यात्? एवम् कण्टकितत्वम् (पुलकितत्वम्) न कामिनीपरित्यागानुकूलम् अपि तु तत्सेवनानुकूलमेवेति कथं नायकसेवनानौचित्ये हेतुर्भवेत्?, अतः केतक्याः भ्रमरेण सेवाया अनौचित्ये पाण्डुरत्वस्य हेतुत्वसिद्ध्यर्थम् वाच्यवृत्तिबोधितायां केतक्यां व्यङ्ग्यवृत्तिबोधितनायिकातादात्म्यापेक्षा, एवम् नायकेन नायिकायाः सेवनस्यानौचित्ये कण्टकितत्वस्य हेतुत्वनिष्पत्त्यर्थम् व्यङ्ग्यवृत्तिबोधितायां नायिकायां वाच्यवृत्तिबोधितकेतकीतादात्म्यापेक्षा भवतीति।

इसी तरह की विभिन्न विलक्षणता भी किसी-किसी अप्रस्तुतप्रशंसोदाहरण में होती है इस रहस्य का स्पष्टीकरण उदाहरण के साथ किया जाता है—क्वचिच्च इत्यादि।

कहीं व्यङ्ग्य अर्थ भी किसी अंश में वाच्य के तादात्म्य की और वाच्य अर्थ भी किसी अंश में व्यङ्ग्य अर्थ के तादात्म्य की अपेक्षा रखता है, जैसे—'सरजस्काम्—अर्थात् हे भ्रमर खेद है कि तुम निर्लज्ज होकर सरजस्का (पराग से भरी+रजस्वला) पाण्डुवर्णा (श्वेत+चिन्ता से पीली) और कण्टकसमूह (कांटों+रोमाञ्च) से युक्त केतकी की सेवा करते हो'।

यहाँ 'भ्रमर के द्वारा केतकी का सेवन अनुचित है' इस वाच्य वाक्यार्थ में और 'नायक के द्वारा नायिका का सेवन अनुचित है' इस व्यङ्ग्य वाक्यार्थ में भी 'सरजस्कात्व' जसे निमित्त होता है, वैसे 'पाण्डुवर्णता' और 'कण्टकयुक्तता' नहीं—अर्थात् केतकीगत पराग की अधिकता रसपान में बाधक होने से भ्रमर के द्वारा उसके सेवन को अनुचित सिद्ध करती है और नायिका का रजस्वलात्व भी धर्मशास्त्रनिषिद्ध होने से नायक के द्वारा उपभोग को अनुचित सिद्ध करता है, पर पाण्डुता (चिन्ता-प्रयुक्त पीतता) नायिका के असेवन में हेतु भले ही हो किन्तु पाण्डुता (शुक्लता) केतकी के असेवन में हेतु नहीं हो सकती, क्योंकि नायिका की चिन्ता-प्रयुक्त पीतता भले ही दोष हो, केतकी की शुक्लता दोष नहीं, अपि तु गुण ही है, इसी तरह कण्टकित होना (कण्टकयुक्त होना) दोषरूप होने से केतकी के असेवन में भले ही हेतु हो किन्तु कण्टकित (पुलकित) होना गुणरूप होने से कामिनी के असेवन का हेतु नहीं हो सकता, अतः इन दोनों अंशों में वाच्य और व्यङ्ग्य के परस्पर ताद्रूप्य की अपेक्षा होती है, उसमें भी पाण्डुरता अंश में वाच्य केतकी में व्यङ्ग्य नायिका के ताद्रूप्य की और कण्टकितत्वांश में व्यङ्ग्य नायिका में वाच्य केतकी के ताद्रूप्य की अपेक्षा है।

अप्रस्तुतप्रशंसाया द्वितीयं प्रकारमुदाहर्तुमाह--

कार्येण कारणं गम्यं यथा--

अप्रस्तुतादभिधाबोध्यात् कार्यात् प्रस्तुतस्य कारणस्य प्रतीतिर्यत्र भवति। तादृशमुदाहरणं यथेत्यर्थः।

अब अप्रस्तुतप्रशंसा के द्वितीय प्रकार का उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जाता है—कार्येण इत्यादि।

अप्रस्तुत, वाच्यवृत्त्या वर्णित, कार्य से प्रस्तुत कारण का गम्य होना जैसे—

उदाहरणमुल्लिखति--

> 'किं ब्रूमस्तव वीरतां वयममी यस्मिन्धराखण्डल
> क्रीडाकुण्डलितभ्रु शोणनयने दोर्मण्डलं पश्यति।
> नानाभूषणरत्नजालजटिलास्तत्कालमेवाभवन्
> विन्ध्यक्ष्माधर-गन्धमादनगुहासंबन्धिनो भूरुहाः॥'

हे धराखण्डल पृथिवीन्द्र !, शोणनयने अरुणलोचने, अनेनामर्षोदयो व्यज्यते, यस्मिन् त्वयि, क्रीडया कुण्डलिते भ्रुवौ यस्मिन् तद्यथा स्यात्तथा, दोर्मण्डलम् निजबाहुयुगलं, पश्यति अवलोकयति सति, तत्कालमेव तस्मिन् क्षण एव, विन्ध्यक्ष्माधरस्य विन्ध्यपर्वतस्य गन्धमादनस्य तन्नाम्नो गिरेश्च या गुहाः कन्दराः तत्संबन्धिनस्तत्र वर्तमानाः भूरुहा वृक्षाः, नानाविधानां, भूषणानां, रत्नानाञ्च, जालेन समूहेन, जटिला व्याप्ताः, अभवन् संपन्नाः, तस्य, तव, वीरताम्, अमी अल्पशक्तयः, वयम्, किं ब्रूमः ? अस्माभिस्तव वीरता वर्णयितुमशक्येति यावत्।

उदाहरण दिखलाया जाता है—किं ब्रूम इत्यादि।

हे महीन्द्र !, हम उस आपकी वीरता का वर्णन क्या करें जो लाल आँखों वाले आप, लीला से भ्रूयुगल को कुण्डलित करके जब अपने भुजमण्डल को देखने लगते हैं—तब, तुरत ही, विन्ध्य तथा गन्धमादन पर्वत की गुफाओं के वृक्ष, अनेक प्रकार के भूषणों तथा रत्नों के समूह से व्याप्त हो उठते हैं।

उपपादयति—

अत्र विन्ध्यारण्यतरुभूषणेनारिपलायनं गम्यते।

'किं ब्रूमः—' इति श्लोके विन्ध्यारण्यतरूणाम् भूषितत्वरूपेण कार्येण शत्रुपलायनात्मकं कारणं प्रत्याय्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'किं ब्रूमः—' इस पद्य में विन्ध्याटवी के वृक्षों के भूषित होने (कार्य) से 'शत्रुओं का पलायन' (कारण) प्रतीत होता है।

उक्तश्लोकस्य प्रकृतालंकाराविषयतां सूचयन्नाह—

यदि तु वक्ष्यमाणरीत्या पर्यायोक्तालङ्कारस्यायं विषय इत्युच्यते, तदेदं विविक्तमुदाहरणम्—

वक्ष्यमाणरीत्येति। 'कार्यकारणयोरपि प्रस्तुतत्वे पर्यायोक्तम्, कार्यस्याप्रस्तुतत्वे कारणस्य च प्रस्तुतत्वे कार्यरूपाप्रस्तुतप्रशंसा' इतिरीत्येत्यर्थः। तथा चात्र वर्णनीयराजप्रभावाङ्गत्वेन कार्यकारणोभयमपि प्रस्तुतमेवेत्याशयः। यदि गर्भतयास्यामुक्तौ सूचितारुचिस्तु 'कार्यमत्र विन्ध्याटवीतरुभूषणन्न प्रस्तुतम्' इत्याकारकं विचारमाधारं विधत्त इत्यपि बोध्यम्। इदमिति। निम्नलिखितमिति भावः। विविक्तम् असंकीर्णम्।

उक्त पद्य इस अलंकार का लक्ष्य नहीं है इस तरह की आशंका में कहा जाता है—यदि तु इत्यादि।

वक्ष्यमाणरीति से—अर्थात 'कार्य और कारण दोनों ही यदि प्रस्तुत रहें तब पर्यायोक्त ही होता है' इत्यादि आगे लिखित रीति से 'किं ब्रूमः—' यह पद्य पर्यायोक्त अलंकार का ही लक्ष्य है ऐसा यदि कहा जाय, तात्पर्य यह कि यहां कार्य कारण दोनों को यदि प्रस्तुत मान लिया जाय, तब अप्रस्तुतप्रशंसा के इस भेद का उदाहरण निम्नलिखित समझना चाहिए।

कार्येण कारणस्य गम्यत्वे विविक्तोदाहरणात्मकं पद्यमुपन्यस्यति—

'नितरां परुषा सरोजमाला न मृणालानि विचारपेशलानि।
यदि कोमलता तवाङ्गकानामथ का नाम कथापि पल्लवानाम्॥

नायको नायिकां प्रत्याह—तव अङ्गकानाम् मृदुतयैवानुकम्पनीयानामवयवानां हस्तपादादीनाम्, कोमलता मृदुता यदि अस्ति अनुभूयते वा, तदा, सरोजमाल, कमलपङ्क्तिः नितराम्। अत्यन्तम् परुषा कठोरा, प्रतीयत इति भावः, मृणालानि कमलनालानि, विचारपेशलानि विवेके क्रियमाणे कोमलानि, न, प्रतीयन्त इति भावः। अथ अनयोरेवं स्थितौ, पल्लवानाम्, कथापि चर्चाऽपि का नाम? कमलमृणालयोः परुषताप्रतीतौ पल्लवानां परुषत्वप्रतीतिस्तु सुतरां सिद्धेत्यर्थः।

कार्य से कारण की गम्यता में होनेवाली अप्रस्तुत प्रशंसा का विविक्त उदाहरणभूत पद्य उपस्थित किया जाता है—नितरामिति।

किसी नायिका के प्रति किसी नायक का कथन है—यदि तेरे अङ्गों की कोमलता अनुभूत होती है, तब कमलों की माला अत्यन्त कठोर प्रतीत होती है, मृणाल भी विचार करने पर कोमल नहीं जान पड़ते और जब इन दोनों वस्तुओं की यह दशा तब पल्लवों की कथा ही क्या? अर्थात् उनका कठोर प्रतीत होना तो निश्चित ही है।

उपपादयति—

अत्र पल्लवादितिरस्कारेण कार्येण तदङ्गानां सौकुमार्यातिशयः कारणम्। कार्यकारणभावश्चेह ज्ञानयोः। तेन पारुष्यस्य मृणालगतत्वेन ज्ञायमानस्य स्वरूपतस्तदङ्गसौकुमार्याजन्यत्वेऽपि न क्षतिः।

अत्रेति। 'नितराम्—'इति श्लोक इत्यर्थः। कारणमिति। गम्यमिति शेषः। ननु मृणालादिगतपारुष्यनायिकाङ्गसौकुमार्यातिशययोः कार्यकारणभावो नास्तीति कथमेतदित्यत आह—कार्यकारणभावश्चेति। मृणालादिपारुष्यज्ञान-नायिकाङ्गसौकुमार्यातिशयज्ञानयोः कार्यकारणभावोऽत्र विवक्षितः स चाक्षत इति भावः। फलितमाह—तेनेति। स्वरूपतो मृणालादिपारुष्यं प्रति नायिकाङ्गसौकुमार्यं यदि जनकं नास्त्यपि तथापि तज्ज्ञानं प्रति तद्ज्ञानं जनकमस्त्येवेति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'नितरां परुषा—' इस पद्य में पल्लव आदि का तिरस्कार—जो वाच्य है, कार्यरूप है और उससे नायिका के अङ्गों की सुकुमारता का अतिशय कारण रूप में व्यक्त होता है। यद्यपि 'मृणाल आदि की कठोरता' का कारण 'नायिका के अङ्गों का सौकुमार्यातिशय' नहीं है तथापि मृणालादि की कठोरता के ज्ञान के प्रति नायिका के अङ्गों की सुकुमारता का ज्ञान अवश्य ही कारण है और इन दोनों ज्ञानों का कार्यकारणभाव ही यहाँ अभीष्ट है, अतः मृणालादिगत रूप में ज्ञात होने वाली कठोरता यदि स्वरूपतः नायिकाङ्ग सौकुमार्य से जन्य नहीं भी है तथापि कोई क्षति नहीं होती।

प्रकारान्तरमुदाहर्तुमाह—

कारणेन कार्यं गम्यं यथा—

स्पष्टम्।

कारण से कार्य जहाँ व्यक्त होता है वह प्रकार जैसे—।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'सृष्टः सृष्टिकृता पुरा किल परित्रातुं जगन्मण्डलं
त्वं चण्डातप निर्दयं दहसि यज्ज्वालाजटालैः करैः।
संरम्भारुणलोचनो रणभुवि प्रस्थातुकामोऽधुना
जानीमो भवता न हन्त विदितो दिल्लीधरावल्लभः॥'

हे चण्डातप! पुरा पूर्वस्मिन् काले, किल निश्चयेन, जगन्मण्डलम् संसारचक्रं, परित्रातुम् रक्षितुम्, सृष्टिकृता ब्रह्मणा सृष्टः जनितः, त्वम्, ज्वालाजटालैः ज्वालाकुलैः करैः किरणैः, यत् 'निर्दयम् दयारहितं यथा स्यात्तथा। दहसि तापयसि, जगन्मण्डलमिति भावः, तस्मात् वयम् जानीमः विद्मः, यत्, भवता त्वया (सूर्येण), संरम्भारुणलोचनः कोपावेगरक्तनयनः, तथा, अधुना इदानीम्, रणभुवि युद्धभूमौ, प्रस्थातुकामः गन्तुमिच्छुः, दिल्लीधरावल्लभः दिल्लीपतिः न विदितः ज्ञातः, हन्त खेदकरमेतदित्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—सृष्टः इत्यादि।

हे चण्डकर सूर्य ! सृष्टिकर्ता के द्वारा पहले निश्चितरूप से जगन्मण्डल की रक्षा करने के लिये उत्पन्न किए गए आप जो अभी निर्दयतापूर्वक उसे ज्वालामय किरणों से जला रहे हैं इससे हम जानते हैं कि आपको अब तक उस दिल्लीपति का पता नहीं है जो क्रोधावेग से अरुणनयन होकर रणभूमि की ओर जाना चाह रहा है हन्त—यह स्थिति खेदकर है।

उपपादयति—

अत्र राजवर्णनाङ्गत्वेन रवेर्भयोत्पादने वर्ण्यत्वेन प्रस्तुते साक्षात्तदननुगुणत्वादप्रस्तुतेन प्रस्थानेन साक्षात्तदनुगुणं रिपुकर्तृकसूर्यमण्डलभेदनं गम्यते।

'सृष्टः—' इति श्लोके राजवर्णनम् प्रस्तुतम्, सूर्यस्य भयोत्पादनमपि राज-वर्णनाङ्गतया वर्णनीयमेवेति तदपि प्रस्तुतम् दिल्लीपतिप्रस्थानं तु परम्परया सूर्यभयोत्पादनस्यानुकूलं सदपि साक्षान्नानुकूलमिति तदप्रस्तुतम्, एवञ्चाप्रस्तुतेन वाच्येन प्रस्थानेन कारणेन साक्षात्सूर्यभयोत्पादनानुकूलतया प्रस्तुतम् दिल्लीपतिनिहतशत्रुकर्तृकसूर्यमण्डलभेदनात्मकं कार्यं व्यज्यत इति प्रागुक्ताप्रस्तुतप्रशंसाप्रकारोदाहरणतासंगतिरिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'सृष्टः—' इस पद्य में राजा का वर्णन प्रस्तुत है, अतः उसके अङ्ग होने से 'सूर्य को भय-भीत करना' भी वर्णनीय तथा प्रस्तुत ही है पर दिल्लीपति का प्रस्थान प्रस्तुत नहीं कहा जा सकता अपि तु अप्रस्तुत माना जायगा क्योंकि वह (प्रस्थान) सूर्य को भय-भीत करने में साक्षात् उपकारक नहीं होता, उसमें साक्षात् उपकारक है प्रस्थान के द्वारा अभिव्यक्त होनेवाला शत्रुकर्तृक सूर्यमण्डल का भेदन। तात्पर्य यह कि 'दिल्लीपति क्रुद्ध होकर युद्धभूमि में अवतीर्ण होना चाहते हैं' इस उक्ति से यह व्यङ्ग्य अवगत होता है कि 'दिल्लीपति शत्रुओं को युद्ध में मारेंगे और वे मरे हुए वीरजन सम्मुख युद्ध में मरने के कारण सूर्यमण्डल को भेद कर परमधाम जायगें फिर सूर्य का गर्व समाप्त हो जायगा। फलतः यहां अप्रस्तुत प्रस्थानरूप कारण से प्रस्तुत सूर्यमण्डल-भेदनरूप कार्य की अभिव्यक्ति होती है जिससे यह पद्य उक्त भेद का उदाहरण सिद्ध होता है।

उक्त पद्यस्योदाहरणत्वासंभवभाशङ्क्योदाहरणान्तरमवतारयति—

यदि चात्र कारणं यथाकथंचित्प्रस्तुतमेवेत्युच्यते तदेदमुदाहरणम्—

यथाकथंचिदिति। परम्परया तदनुगुणतयेत्यर्थः। अन्यत् सुगमम्।

यदि यहां ('सृष्टः—' इस पद्य में) किसी तरह (परम्परया अनुकूल होने के कारण) प्रस्थान प्रस्तुत ही है यह कहा जाय तो कारण से कार्य की गम्यता का यह (निम्नलिखित) उदाहरण समझना चाहिए।

उदाहरणमुल्लिखति—

'आनम्य वल्गुवचनैर्विनिवारितेऽपि
रोषात्प्रयातुमुदिते मयि दूरदेशम्।
बाला कराङ्गुलिनिदेशवशंवदेन
क्रीडाबिडालशिशुनाशु रुरोध मार्गम्॥'

'प्रस्थानोद्यतस्त्वं किमिति प्रस्थानान्निवृत्तः' इति केनचन सुहृदा पृष्टः कश्चिदाह—आनम्य नम्रीभूय वल्गुवचनैः सुन्दरवाग्भिः, विनिवारितेऽपि प्रतिषिद्धेऽपि मयि रोषात्

क्रोधात् दूरदेशम् दूरं स्थानविशेषम् प्रयातुम् गन्तुम् उदिते उद्यते, सति, बाला अल्पवयस्का प्रेयसी, कराङ्गुलिनिर्देशवशंवदेन हस्तसंकेतवशवर्तिना, क्रीडाबिडालशिशुना मनोविनोदाय पालितेन बिडालार्भकेन, आशु शीघ्रम् मार्गम् पन्थानम्, रुरोध रुद्धवतीत्यर्थः। बिडालेन मार्गभेदने यात्रा निषिद्धेति भावः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—आनम्य इत्यादि।

'आप तो जाने वाले थे रुक कैसे गए' यह किसी मित्र के द्वारा पूछे जाने पर जाने वाला कहता है कि—नम्र होकर मधुर-मनोहर वचनों से निवारित होने पर भी जब मैं क्रोधवश दूर देश जाने के लिए उद्यत हो गया तब बाला ने हाथ की अंगुली के इशारे पर चलने वाले पालित बिल्ली के बच्चे से मेरा मार्ग रुकवा दिया। तात्पर्य यह कि 'बिल्ली के द्वारा मार्ग काट देने पर यात्रा नहीं करनी चाहिए' इस धर्मशास्त्र के आधार पर मेरी यात्रा रुक गई।

उपपादयति—

अत्र प्रवासान्निवृत्तोऽस्मीति प्रस्तुतमप्रस्तुतेन कारणेन गम्यते।

'आनम्य—' इति श्लोकेऽप्रस्तुतेन वाच्येन बिडालशिशुद्वारकमार्गरोधात्मककारणेन प्रवासावधिकनिवृत्त्यात्मकं कार्यं गम्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्रेत्यादि।

'आनम्य—' इस पद्य में 'मैं प्रवास से लौट पड़ा' यह प्रस्तुत कार्य 'बिल्ली के बच्चे द्वारा मार्गरोध'रूप कारण से व्यक्त होता है

प्रकारान्तरमुदाहर्तुमाह—

सामान्येन विशेषो यथा—

सामान्यात्मकेनार्थेन विशेषात्मकोऽर्थो यत्राभिव्यज्यते तस्याप्रस्तुतप्रशंसाप्रकारस्योदाहरणं यथेति भावः।

दूसरे प्रकार का उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जा रहा है—सामान्येनेत्यादि। सामान्य से विशेष की अभिव्यक्ति वाला प्रकार जैसे—।

उदाहरणन्निर्दिशति—

'कृतमपि महोपकारं पय इव पीत्वा निरातङ्कः।
प्रत्युत हन्तुं यतते काकोदरसोदरः खलो जगति॥'

जगति संसारे, काकोदरसोदरः सर्पसदृशः, खलः अधमः, कृतमपि बुद्धिपूर्वकं संपादितमपि महोपकारम् महतीमुपकृतिम्, पय इव दुग्धमिव, निरातङ्कः निश्शङ्कः सन्, पीत्वा, प्रत्युत, वैपरीत्येन, हन्तुम् नाशयितुं यतते चेष्टत इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—कृतमपि इत्यादि।

संसार में सर्प का सोदर अर्थात् सर्पतुल्य, खलजन, किये हुए महान् उपकार को भी दूध की तरह निश्शङ्कतापूर्वक पीकर, उलटा, मारने को तैयार होता है।

उपपादयति—

अत्र सामान्यार्थेन प्रस्तुतो विशेषो गम्यते। उपमाप्यस्या आनुगुण्येन स्थिता।

'कृतमपि--' इति श्लोके 'उपकारविस्मरणपूर्वकसकलखलजनविधीयमानापकारात्मकः अप्रस्तुतः सामान्यार्थो वाच्यः येन खलविशेषक्रियमाणापकारविशेषात्मकः प्रस्तुतोऽर्थो व्यज्यते सर्पोपमा चात्राप्रस्तुतप्रशंसायामानुकूल्यमाधत्त इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्रेत्यादि ।

'कृतमपि—' इस पद्य में अप्रस्तुत सामान्य अर्थ (खलमात्र का व्यवहार) वाच्य है जिससे प्रस्तुत विशेष अर्थ (किसी खलविशेष का कार्य) व्यक्त होता है और सर्प से दी गई उपमा भी इस अप्रस्तुतप्रशंसा में अनुकूलता करती है ।

प्रकारान्तरमुदाहर्तुमाह—

विशेषेण सामान्यं यथा—

विशेषात्मकादर्थाद् यत्र सामान्यात्मकोऽर्थः प्रतीयते तादृशोऽप्रस्तुतप्रशंसायाः प्रकारो यथेति भावः ।

प्रकारान्तर का उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जाता है—विशेषेण इत्यादि ।

विशेष अर्थ से सामान्य अर्थ की अभिव्यक्ति वाला अप्रस्तुतप्रशंसा का प्रभेद जैसे—।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'पाण्डित्यं परिहृत्य यस्य हि कृते बन्दित्वमालम्बितं
दुष्प्रापं मनसापि यो गुरुतरैः क्लेशैः पदं प्रापितः ।
रूढस्तत्र स चेन्निगीर्य सकलां पूर्वोपकारावलीं
दुष्टः प्रत्यवतिष्ठते तदधुना कस्मै किमाचक्ष्महे ॥'

यस्य जनस्य, कृते हेतवे, पाण्डित्यम् पण्डितोचिताचारमिति यावत्, परिहृत्य त्यक्त्वा, बन्दित्वम् स्तुतिपाठकोपयुक्ताचरणमिति यावत् , आलम्बितम् , स्वीकृतम् , मयेति शेषः, यः जनः, मनसापि दुष्प्रापम् चेतसापि दुर्लभम् , पदं स्थानम् , गुरुतरैः महद्भिः क्लेशैः कष्टैः, प्रापितः लम्भितः, तत्र तस्मिन् पदे, रूढः आरूढः, सः, दुष्टः, सकलाम् सर्वाम्, पूर्वोपकारावलीम् प्राक्कृतोपकारपरम्पराम् , निगीर्य गिलित्वा, अधुना इदानीम् प्रत्यवतिष्ठते मम साम्मुख्यं कर्तुं प्रयतते, यदि, तत् तदा, कस्मै, किम् , आचक्ष्महे वदामः, वयमिति शेषः ।

उदाहरण उपस्थित किया जाता है—पाण्डित्यमित्यादि ।

जिसके लिये पाण्डित्य का परित्याग कर हमने बन्दित्व का स्वीकार किया और जिसे बड़े कष्टों से मानसपथातीत पद पर पहुँचाया वह उस पद पर आरूढ़ होकर समग्र पूर्वकृत उपकार-परम्परा को निगल गया और दुष्ट उलटा सामना करता है, तो कहो, अब किससे क्या कहें ।

तात्पर्य यह कि पण्डित के बदले भाट बनकर मैंने जिसकी झूठ-सही प्रशंसा की जो मेरे उपायों से ऊँचे पद पर आसीन हुआ वह यदि अब सब उपकारों को भूलकर मेरे सामने अकड़ता फिरता है तो इसके लिये किससे क्या कहा जाय ।

उपपादयति—

अत्र दुष्टेषु कृत उपकारः परिणामे न सुखं जनयतीति प्रस्तुतं विशेषेण सामान्यं गम्यते ।

'पाण्डित्यम्—' इत्यस्मिन् श्लोके यत्पदनिर्दिष्टस्य कस्यचिदेकस्य पुरुषस्य दुष्टतापूर्णमाचरणं वर्ण्यमानं विशेषरूपमप्रस्तुतम्, ततः अवगम्यमानः 'दुष्टेषु कृत उपकारः परिणामे सुखं न जनयति' इत्याकारकोऽर्थः प्रस्तुतः सामान्यरूप इति विशेषव्यक्तसामान्याश्रिताप्रस्तुतप्रशंसा-प्रकारस्योदाहरणं पद्यमेतत्सम्पद्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'पाण्डित्यम्—' इस पद्य में 'यः' (जो) के द्वारा किसी एक दुष्टस्वभाववाले पुरुष की कृतघ्नता वर्णित है, अतः वह विशेष अर्थरूप है साथ ही अप्रस्तुत भी और इस विशेष से यहाँ 'दुष्टों पर किया हुआ उपकार परिणाम में सुख नहीं देता' यह प्रस्तुत सामान्य अर्थ प्रतीत होता है। फलतः विशेष से सामान्य की अभिव्यक्ति वाला अप्रस्तुतप्रशंसा का पाँचवां प्रकार यहाँ होता है।

उक्तोदाहरणेऽप्रस्तुतस्य वाच्यस्य विशेषात्मकतायाः शंकाप्रस्ततयोदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

अथवा जैसे—।

उदाहरणन्निर्दिशति—

'हारं वक्षसि केनापि दत्तमज्ञेन मर्कटः।
लेढि जिघ्रति संक्षिप्य करोत्युन्नतमाननम्॥'

मर्कटः वानरः, केनापि अज्ञेन ज्ञानहीनेन जनेन, वक्षसि उरसि, दत्तम् परिधापितमिति यावत्, हारम् मुक्तामाल्यम्, लेढि जिह्वया स्पृशति, जिघ्रति घ्राणजज्ञानगोचरं करोति, तथा संक्षिप्य संवृत्य हारमिति भावः, आननं मुखम्, उन्नतं, करोतीत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—हारमित्यादि।

किसी ज्ञानहीन जन के द्वारा वक्षःस्थल पर पहनाए हुए हार को बन्दर चाटता है, सूंघता है और समेट कर मुख ऊँचा करता है।

उपपादयति—

अत्र मर्कटवृत्तान्तेनाप्रस्तुतेन प्रस्तुतमनभिज्ञेषु रमणीयवस्तुसमर्पणं नाशाय भवतीति सामान्यं गम्यते।

'हारम्—' इत्यस्मिन् श्लोके वाच्यवृत्त्या वर्ण्यमानम् मर्कटवृत्तान्तम् अप्रस्तुतं विशेषः, ततश्च 'अनभिज्ञेषु—' इति मूलोक्तं प्रस्तुतं सामान्यं व्यक्तं भवतीति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'हारम्—' इस पद्य में वर्णित बंदर का वृत्तान्त अप्रस्तुतविशेष है जिससे 'अनभिज्ञों को रमणीय वस्तु का दान वस्तु का विनाश के लिये होता है' यह प्रस्तुत सामान्य अर्थ व्यक्त होता है।

उपसंहरन्नाह—

एवं पञ्चप्रकारेयमप्रस्तुतप्रशंसा प्राचामनुसारेण निरूपिता।

पूर्वोक्तप्रकारेणाप्रस्तुतप्रशंसाया ये पञ्च प्रकारा निरूपितास्ते प्राचीनालंकारिकमतमनुसृत्येति भावः।

उपसंहार किया जाता है—एवम् इत्यादि।

इस तरह (पूर्वोक्त रीति से) यह पाँचप्रकार की अप्रस्तुतप्रशंसा प्राचीन आचार्यों के अनुसार निरूपित हुई है।

अप्रस्तुतप्रशंसाप्रकारविषयकं विचारमुपस्थापयति—

वस्तुतस्तु प्रथमस्याप्रस्तुतप्रशंसाप्रकारस्य नानाविधत्वं संभवति। यत्रात्यन्तमप्रस्तुतेन वाच्येन प्रस्तुतं गम्यते स प्रकारो निगदित एव। यत्र च स्थलविशेषे वृत्तान्तद्वयमपि प्रस्तुतं सोऽप्येकः। यथा जलक्रीडाप्रकरणे भ्रमरकमलिन्यादिषु पुरःस्थितेषु, नायके च स्वनायिकायामननुरक्ते पार्श्ववर्तिनि नायिकासख्याः कस्याश्चिदुक्तौ 'मलिनेऽपि रागपूर्णाम्—' इत्यादिप्रागुदाहृते पद्ये।

अथात्र कथमप्रस्तुतप्रशंसा ? वाच्यार्थस्य प्रस्तुतत्वेनैतल्लक्षणानालीढत्वादिति चेत्, न। अप्रस्तुतशब्देन हि मुख्यतात्पर्यविषयीभूतार्थातिरिक्तोऽर्थो विवक्षितः। स च क्वचिदत्यन्ताप्रस्तुतः क्वचित्प्रस्तुतश्चेति न कोऽपि दोषः। न च ध्वनिमात्रस्याप्रस्तुतप्रशंसात्वापत्तिरिति वाच्यम्। अत एव तत्र सादृश्यान्यतमप्रकारेणेति विशेषणमुपात्तमिति विभावनीयम्।

एतेन 'द्वयोः प्रस्तुतत्वे प्रस्तुताङ्कुरनामान्योऽलङ्कारः' इति कुवलयानन्दायुक्तमुपेक्षणीयम्। किंचिद् वैलक्षण्यमात्रेणैवालङ्कारान्तरताकल्पने वाग्भङ्गीनामानन्त्यादलङ्कारानन्त्यप्रसङ्ग इत्यसकृदावेदितत्वात्। इदं तु बोध्यम्—

अत्यन्ताप्रस्तुतस्य वाच्यतायां तस्मिन्नपर्यवसितया अभिधया प्रतीयमानार्थस्य बलादाकृष्टत्वेन ध्वनित्वं न निर्बाधम्। द्वयोः प्रस्तुतत्वे तु ध्वनित्वं निर्विवादमेव। एवं सादृश्यमूलप्रकारे द्वैतम्। कार्यकारणभाव-सामान्यविशेषभावमूलास्तु चत्वारः प्रकारा गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यैव भेदाः। अभिधादिस्पर्शलेशशून्यस्य केवलागूरणमात्रस्य ध्वनित्वप्रयोजकत्वात्।

प्रथमस्येति। सादृश्यमूलस्येत्यर्थः। निगदित एवेति। 'दिगन्ते श्रूयन्ते—' इत्याद्युदाहरणेष्विति भावः। नवीनप्रकारमाह—यत्र चेति। नवीनभेदोदाहरणं सूचयितुमाह—यथेति। नवीनमिमं भेदमाक्षिप्य समाधत्ते—अथात्रेति। एतल्लक्षणेति। अप्रस्तुतप्रशंसालक्षणेत्यर्थः। अनालीढत्वादिति। तत्र वाच्यार्थस्याप्रस्तुतत्वमपेक्षितमित्याशयादिति भावः। अत्यन्ताप्रस्तुत इति। सर्वथाऽसन्निहित इति भावः। प्रस्तुतश्चेति सन्निहितश्चेत्यर्थः। न कोऽपि दोष इति। अयं भावः—'मलिने—' इत्यत्र मुख्यतात्पर्यविषयीभूतोऽर्थोऽनुरक्तायामप्यनुरागरहितो नायकः यतो नायक एवोपालम्भविषयः, न मानवभाषानभिज्ञस्तिर्यङ् भ्रमरः। तथा च तदतिरिक्तो भ्रमरोऽप्रस्तुतशब्देन धर्तुं शक्यः। अथैवं तस्याप्रस्तुतत्वे पुनः प्रस्तुतत्वं कथं व्यपदिश्यत इति चेत्? सन्निधानमात्रेण प्रस्तुतत्वव्यवहार इति बोध्यम्। एवञ्च न लक्षणानालीढत्वमिति। शङ्कते—न च ध्वनिमात्रस्येति। मुख्यतात्पर्याविषयेण वाच्येन मुख्यतात्पर्यविषयस्यार्थस्य गम्यत्वेऽप्रस्तुतप्रशंसास्वीकारे वाच्यद्वारा व्यङ्ग्यबोधकेषु सर्वेषु ध्वनिकाव्येषु तत्प्रसङ्गापत्तिरिति शंकार्थः। समाधत्ते—अत एवेति। परिभाषितपञ्चप्रकारैः वाच्येनाप्रस्तुतेन प्रस्तुतं व्यङ्ग्यं न सर्वत्र ध्वनिकाव्येषु प्रशस्यते, यत्र तथा भवेत् तत्रैवाप्रस्तुतप्रशंसेति समाधानाभिप्रायः।

स्वोक्तसिद्धान्तेन कुवलयानन्दकारमतनिरासं सूचयति—ऐतेनेति । उपेक्षणीयमिति । अत्र नागेश आह—“अत्रेदं चिन्त्यम्—अप्रस्तुतशब्देन मुख्यतात्पर्यविषयीभूतार्थातिरिक्तो-गृह्यते इत्यत्र मुख्यत्वं नाम यदि प्रस्तुतत्वम् तदा तदुभयोरपि तुल्यम् । अथोद्देश्यत्वम्, एवमपि प्राचामप्रस्तुतेनेति पदवैयर्थ्यापत्तिः । एतावता विशेषेणालंकारान्तरत्वानङ्गीकारे साधारणविशेषणमहिम्ना प्रस्तुतस्य स्फूर्त्या समासोक्तिः । असाधारणविशेषणमहिम्ना तत्स्फूर्तौ व्यङ्ग्यरूपकमिति त्वदुक्तविषयविभागस्याप्युच्छेदापत्तिः । दीपकगुम्फयोर्दृष्टान्तप्रतिवस्तूप-मयोश्च भेदानापत्तिश्चेति ।”

अनयोर्भेदयोर्वैचित्र्यविशेषं स्फुटयितुमुपक्रमते—इदं तु बोध्यमिति । अयमत्राभिप्रायः—'नितरां नीचोऽस्मि—' इत्यादावत्यन्ताप्रस्तुतस्य वाच्यतास्थलेऽभिधावाच्ये कूपसान्त्वने न पर्यवस्यति, अचेतनस्य कूपस्य सान्त्वनायोग्यत्वादित्यपर्यवसितया तयाऽवमानखिन्नस्य सर-सहृदयस्य परकीयगुणगणग्रहणप्रवणस्य व्यङ्ग्यस्य बलादाक्षेपे व्यङ्ग्यस्य वाच्यवृत्त्यालिङ्गित-तया ध्वनित्वं न वक्तुं शक्यम् 'मलिनेऽपि—' इत्यादौ प्रस्तुतस्य वाच्यत्वस्थले तु वाच्ये भ्रमरवृत्तान्तेऽभिधापर्यवसानं लभत इति तत्र प्रस्तुतं व्यङ्ग्यमादाय ध्वनित्वं निश्चितमेवेति ।

अत्रापि “इदमपि चिन्त्यम्—'मलिनेऽपि रागपूर्णाम्—' इत्यादौ प्रतीयमानार्थारोप-मन्तरेण भ्रमरसंबोधनस्य तस्य तद्वृत्तिश्यामत्वादौ दोषादेर्वाच्यस्यानुपपद्यमानतया व्यङ्ग्येनैव तदुपपत्तेश्च गुणीभूतव्यङ्ग्यताया एवौचित्यात् ।” इत्याह नागेशः ।

द्वैतमिति । द्विविधत्वमित्यर्थः । तत्र द्वितीयो भेदो नवीन इति बोध्यम् । गुणीभूतव्यङ्ग्य-स्यैव भेदा इति ।

अयमाशयः—अत्यन्ताप्रस्तुतस्य कार्यस्य कारणस्य वा सामान्यस्य विशेषस्य वा, वाच्यतायां प्रतीयमानस्यार्थस्य कारणादेराकर्षं विना कार्यकारणाद्युभयज्ञानानन्तरपर्यव-सानयोग्याऽभिधा न पर्यवस्यतीति व्यङ्ग्यस्याभिधालिङ्गितत्वान्न ध्वनित्वम्, अपि तु निय-मतो गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वमेवेति । आगूरणेति । आक्षेपेत्यर्थः ।

अब अप्रस्तुत प्रशंसा के भेदों के संबन्ध में विचार किया जाता है—वस्तुतस्तु इत्यादि ।

वस्तुतः तो अप्रस्तुतप्रशंसा के प्रथम—सादृश्यमूलक प्रभेद के बहुतेरे अवान्तर प्रभेद हो सकते हैं । जहाँ अत्यन्त अप्रस्तुत वाच्यार्थ से प्रस्तुत अर्थ व्यङ्ग्य होता है वह प्रभेद ऊपर के 'दिगन्ते श्रूयन्ते—' इत्यादि उदाहरणों में कहा ही जा चुका है । (यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि 'अप्रस्तुत' से असन्निहित—सामने में अनुपस्थित और 'प्रस्तुत' से सन्निहित-सामने में उपस्थित वस्तु ग्रन्थकार का अभीष्ट है) । किन्तु किसी स्थलविशेष पर जहाँ दोनों ही (वाच्य तथा व्यङ्ग्य) प्रस्तुत हों वह भी एक भेद हो सकता है जैसे—जलक्रीडा के प्रकरण में भ्रमर तथा कमलिनी आदि सामने में स्थित हों और अपनी नायिका में अनुराग न रखने वाला नायक भी समीपवर्ती हों तो नायिका की किसी सखी द्वारा कथित 'मलिनेऽपि रागपूर्णाम्—'इत्यादि पूर्वोदाहृत पद्य में यह नवीन भेद हो सकता है । तात्पर्य यह कि उक्त स्थिति में कथित उक्त पद्य में वाच्य भ्रमरवृत्तान्त और व्यङ्ग्य नायकवृत्तान्त दोनों ही प्रस्तुत माने जायगें, क्योंकि भ्रमर

तथा नायक दोनों ही सामने में उपस्थित हैं और अप्रस्तुतप्रशंसा इस स्थिति में भी इष्ट है, अतः यह नवीन (प्राचीनों से अनुक्त) भेद है।

आप कहेंगे—यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा होगी कैसे? कारण, यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा का लक्षण ही संघटित नहीं होता, क्योंकि लक्षण में वाच्यार्थ का अप्रस्तुत रहना अपेक्षित बतलाया गया है और यहाँ वाच्य को आप मानते हैं प्रस्तुत, तो इसके समाधान में ग्रन्थकार का कथन है कि लक्षण में 'अप्रस्तुत' पद से 'मुख्यतात्पर्यविषयीभूत अर्थ से अतिरिक्त अर्थ' अर्थात् उद्देश्यभूत अर्थ से भिन्न अर्थ कहना अभीष्ट है और वह अतिरिक्त अर्थ कहीं अत्यन्त अप्रस्तुत (सर्वथा आँखों से ओझल) होता है और कहीं प्रस्तुत (आँख के सामने वर्तमान), अतः कोई क्षति नहीं है। अभिप्राय यह कि उक्त स्थिति में कथित उक्त पद्य के भ्रमरवृत्तान्त को आँखों के सामने रहने से सामान्यतः प्रस्तुत कहा जायगा और लक्षणप्रविष्ट अप्रस्तुत शब्द के पूर्वोक्त पारिभाषिक अर्थ के अनुसार अप्रस्तुत भी। फलतः इस विचित्रता के कारण ही इस पद्य को एक नवीन अप्रस्तुतप्रशंसा प्रकार का उदाहरण मानसे में आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

इस पर यदि यह आशङ्का की जाय कि इस तरह तो सभी ध्वनिकाव्यों में अप्रस्तुतप्रशंसा ही हो जायगी और अप्रस्तुतप्रशंसा का लक्ष्य हो जाने पर ध्वनिकाव्य का उच्छेद ही हो जायगा तो इसका उत्तर यह है कि इसी आपत्ति से बचने के लिये तो अप्रस्तुतप्रशंसा के लक्षण में 'सादृश्य आदि पाँचों प्रकारों में से किसी एक प्रकार से' यह विशेषण जोड़ा गया है। अभिप्राय यह कि सभी ध्वनिकाव्यों में सादृश्य के द्वारा ही अप्रस्तुत से प्रस्तुत अभिव्यक्त होता हो ऐसी बात नहीं है, अतः जहाँ सादृश्य आदि पाँच प्रकारों से किसी अन्य आधार पर वाच्य से अतिरिक्त अर्थ अभिव्यक्त होगा वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा का प्रसङ्ग नहीं होने से ध्वनित्व होगा और जहाँ सादृश्य आदि के आधार पर वाच्य से अन्य अर्थ व्यक्त होगा वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा होगी। फलतः ध्वनि के उच्छेद की आशंका नहीं रह जाती ऐसा समझना चाहिए।

इससे कुवलयानन्द आदि ग्रन्थों में जो यह कहा गया है कि-'वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों के प्रस्तुत रहने पर 'प्रस्तुताङ्कुर' नाम का दूसरा अलङ्कार होता है' वह उपेक्षा के योग्य है—अर्थात् 'प्रस्तुताङ्कुर' नाम का कोई भिन्न अलंकार नहीं है, किन्तु वह अप्रस्तुतप्रशंसा का ही एक उपभेद है। कारण, यह बार-बार कहा जा चुका है कि किञ्चित् विलक्षणता से ही भिन्न-भिन्न अलङ्कारों की कल्पना करने पर वाग्भङ्गी (कहने के ढंगों) के अनन्त होने के कारण अलंकारों की भी अनन्तता हो जायगी।

हाँ, यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि—जहाँ ('नितरां नीचोऽस्मि—' इत्यादि स्थलों पर) अत्यन्त अप्रस्तुत अर्थ वाच्य रहता है वहाँ अभिधा वाच्यार्थ में निराकांक्ष नहीं होती-अर्थात् वाच्यार्थ मात्र से श्रोता की जिज्ञासा शान्त नहीं हो पाती, अतः वैसी जगह की अभिधा बरजोरी प्रतीयमान अर्थ को खींच कर लाती है, फलतः वहाँ का व्यङ्ग्यार्थ अभिधावृत्ति से स्पृष्ट हो जाने से ध्वनित्व का प्रयोजक नहीं होता—अर्थात् उस तरह का काव्य ध्वनि नहीं, गुणीभूत व्यङ्ग्य ही कहलायगा और जहाँ वाच्य अर्थ भी प्रस्तुत रहेगा वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा होने पर भी ध्वनित्व निर्विवाद रूप से रहेगा, क्योंकि वहाँ की अभिधा वाच्यार्थ में भी निराकाँक्ष हो जाती है, अतः व्यङ्ग्य की प्रतीति में अभिधा का कोई सम्पर्क नहीं होता है।

इस तरह सादृश्यमूलक प्रकार में दो भेद हो जाते हैं—एक गुणीभूत व्यङ्ग्यरूप और दूसरा ध्वनिरूप, किन्तु कार्यकारण तथा सामान्य विशेषभाव के कारण होने वाले

चारों प्रकार तो गुणीभूतव्यङ्ग्य काव्य के ही प्रभेद होते हैं, ध्वनि के नहीं, क्योंकि ध्वनिकाव्य वहीं होता है जहाँ अभिधा आदि के स्पर्श-लेश से भी शून्य केवल आगूरण (द्वितीय अर्थ की झलक) रहता है और उक्त चारों प्रकारों में होने वाला व्यङ्ग्य अभिधा से आलिङ्गित रहता है।

"दोनों अर्थों के प्रस्तुत रहने पर भी 'अप्रस्तुतप्रशंसा' ही होती है, 'प्रस्तुताङ्कुर' नाम का कोई अन्य अलङ्कार मानने की आवश्यकता नहीं"। इसके उपपादन में पण्डितराज ने जो युक्ति दी है उसका खण्डन नागेश ने अपनी टीका में किया है। नागेश का कथन है क्योंकि "—'अप्रस्तुत शब्द से मुख्य तात्पर्य विषय अर्थ से अन्य अर्थ गृहीत होता है' उक्ति में 'मुख्य' से क्या अभीष्ट है? यदि 'प्रस्तुतत्व' अभीष्ट हो तो यहाँ दोनों प्रस्तुत ही हैं, फिर कोई 'अन्य' नहीं होता। अब यदि 'मुख्य' का अर्थ 'उद्देश्यभूत' किया जाय, तो प्राचीनों के 'अप्रस्तुत से प्रस्तुत की अभिव्यक्ति' इस लक्षण में 'अप्रस्तुत से' यह अंश व्यर्थ हो जायगा। दूसरे इस प्रकार के वैलक्षण्य के आधार पर यदि दूसरा अलंकार नहीं माना जाय तो साधारण विशेषणों के प्रभाव से प्रस्तुत की स्फूर्ति होने पर समासोक्ति और असाधारण विशेषणों के प्रभाव से प्रस्तुत की स्फूर्ति होने पर व्यङ्ग्य रूपक होता है यह आपके द्वारा किया गया दो अलंकारों का विभाग भी उच्छिन्न हो जायगा एवम् दो प्रकार के दीपकों में तथा दृष्टान्त प्रतिवस्तूपमा में परस्पर भेद सिद्ध नहीं किया जा सकेगा।"

"दोनों के प्रस्तुत रहने पर—अर्थात् 'मलिनेऽपि रागपूर्णाम्—' इत्यादि में अप्रस्तुत-प्रशंसा के साथ ध्वनित्व भी निर्विवाद है" यह जो मूलकार का कथन है, उस पर भी नागेश ने विपरीत मत व्यक्त किया है। यहाँ उनका अभिप्राय है कि "—'मलिनेऽपि राग-पूर्णाम्—' इत्यादि में व्यङ्ग्य अर्थ के आरोप के विना भ्रमर को संबोधित करना तथा उसकी श्यामता आदि में दोषरूपता मानना (इसका विचार पहले मूल में किया जा चुका है) सिद्ध नहीं होता है, अतः गुणीभूतव्यङ्ग्यता ही उचित है।"

शङ्कामेकामुत्थापयति—

अथ—

'आपेदिरेऽम्बरपथं परितः पतङ्गा
भृङ्गा रसाल-मुकुलानि समाश्रयन्त।
संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दीन-दीनो
मीनो नु हन्त कतमां गतिमभ्युपैतु॥'

अत्र क्षीणराजादितदेकावलम्बपुरुषादिवृत्तान्ते प्रस्तुतेऽप्रस्तुतप्रशंसैवेति निर्विवादम्। यदा तु सरोवृत्तान्तो राजवृत्तान्तश्चेत्युभयं प्रस्तुतं तदापि प्रागुक्त-दिशा सैव। यदा तु सरोवृत्तान्त एव प्रस्तुतस्तदा गुणीभूतराजवृत्तान्तरूपव्य-ङ्ग्येऽस्मिन्पद्ये कोऽलंकारः?। न तावदियम्। प्रस्तुतस्यैव प्रशंसनात्। नापि समासोक्तिः। तज्जीवातोर्विशेषणसाम्यस्य सकलालंकारिकसम्मतस्यात्राभावात्। न च विशेषणसाम्यप्रकार इव शुद्धसादृश्यमूलोऽपि तस्या एव प्रकारो वाच्यः। एकधर्मालीढत्वमन्तरेणैकालंकारत्वे सर्वेषामेकालंकारत्वापत्तेः। व्यवस्थापकैस्तद्-भेदताया अनुक्तेश्च। अत एवालंकारसर्वस्वकारादिभिर्विशेषणवाचिशब्दसाम्यं

संरब्धैव समासान्तराश्रयेण सादृश्यमूलत्वं प्रदर्शितम्, न तु तदुपेक्ष्येति चेत् ?।

'आपेदिरे—' इति। हे सरः सरोवर, त्वयि भवति, संकोचम् अल्पसलिलताम्, अञ्चति प्राप्नुवति, सति, पतङ्गाः पक्षिणः, परितः सर्वतः, अम्बरपथम् आकाशम्, आपेदिरे प्रापुः। भृङ्गाः भ्रमराः रसालमुकुलानि आम्रमञ्जरीः, समाश्रयन्त आश्रितवन्तः। तु पुनः, हन्त खेदेन वक्तव्यमेतद्यत्, दीन-दीनः अतिदीनः, मीनः मत्स्यः, कतमाम् बहुषु कामेकाम्, गतिम् स्थितिम् अभ्युपैतु प्राप्नोतु इत्यर्थः।

क्षीण···वृत्तान्ते इति। धनहीनस्य राजादेः, तन्मात्रपालितस्य पुरुषादेश्च वृत्तान्ते इत्यर्थः। प्रागुक्तदिशेति। 'अप्रस्तुतशब्देन हि मुख्यतात्पर्यविषयीभूतार्थातिरिक्तोऽर्थो विवक्षितः स च क्वचिदत्यन्ताप्रस्तुतश्च' इत्यादिना प्रतिपादितरीत्येत्यर्थः। सैवेति। अप्रस्तुतप्रशंसैवेत्यर्थः। गुणीभूतराज···इति। गुणीभूतो राजवृत्तान्तरूपो व्यङ्ग्यो यस्मिन् तस्मिन्नित्यर्थः। इयमिति। अप्रस्तुतप्रशंसेत्यर्थः।

प्रस्तुतस्यैव प्रशंसनादिति। अप्रस्तुतस्य प्रशंसा यत्र वाच्या तत्रेयं भवति, अत्र प्रस्तुतस्यैव प्रशंसा वाच्येति नेयं संभवतीति भावः। तज्जीवातोरिति। समासोक्तिजीवनभूतस्येत्यर्थः। समासोक्तिनियामकस्येति यावत्, समासोक्तिरत्र संभवतीति शङ्कते—न चेति। तस्या इति। समासोक्तेरित्यर्थः। वाच्य इति। विशेषणसाम्येन प्रस्तुतादप्रस्तुतव्यवहारप्रतीतौ यथा समासोक्तिः स्वीक्रियते तथैव विशेषणसाम्यविरहेऽपि केवलसादृश्यबलेनापि प्रस्तुतादप्रस्तुतव्यवहारप्रतीतौ सा स्वीकर्तव्या तथा चात्र सादृश्यादप्रस्तुतप्रतीतिसत्त्वात्समासोक्तिर्भवितुमर्हतीतिशङ्कादलस्याशयः। समाधत्ते—एकधर्मेति। एकधर्मालीढत्वम् एकधर्मव्याप्तत्वम्। एकलक्षणाक्रान्तत्वमिति यावत्। एकलक्षणाक्रान्तत्व एवैकालंकारत्वम् अन्यथा सर्वेषामलंकाराणामकालंकारत्वप्रसङ्गः। एवञ्च विशेषणसाम्य-शुद्धसाम्यात्मकयोर्द्वयोर्धर्मयोरेकेन लक्षणेनापरामृश्यमानतया न तयोर्धर्मयोः स्थितावेकालंकारः। फलतो विशेषणसाम्यस्थल एव समासोक्तिर्न पुनरत्र शुद्धसाम्यस्थल इति समाधानाभिप्रायः।

अत्र नागेशः—"अत्रेदं चिन्त्यम्—अतिशयोक्त्यादिवत् प्रकृते सादृश्याद्यन्यतमप्रकारनिवेशवच्चान्यतरहेतुकाप्रस्तुतवृत्तान्तारोपत्वरूपैकधर्मालीढत्वसंभवेन समासोक्तेरेवात्राङ्गीकारे बाधकाभावः।" इति।

समासोक्तिनूतनप्रकारासत्त्वे युक्त्यन्तरमाह—व्यवस्थापकैरिति। अलंकारशास्त्रप्रवर्तकैः सर्वमान्यैराचार्यैः शुद्धसादृश्यमूलस्य प्रकारस्य समासोक्तिभेदतयाऽकथनादिति भावः। अत एवेति। विशेषणसाम्यस्थल एव समासोक्तेरिष्टत्वादेवेत्यर्थः। अलंकारसर्वस्वकारादयोऽपि विशेषणसाम्य एव समासोक्तिमभिप्रयन्तीति भावः। इत्थञ्च द्वयोः प्रस्तुतत्वे कोऽलंकारः ? इति प्रश्नस्तदवस्थ इति सारांशः।

अब एक शङ्का का उत्थान किया जाता है—अथ इत्यादि। अब विचारणीय है कि—'आपेदिरे—अर्थात् हे सरोवर ! तुम्हारे संकुचित हो जाने पर—जल की अल्पता हो जाने पर—पक्षीगण चारों ओर—जिधर जिसका मन चाहा—आकाश में उड़ चले और भ्रमर

आम्रमञ्जरियों के आश्रय में चले गए, परन्तु खेद है कि यह अति दीन मीन किस गति को प्राप्त करे, बताइए।'

इस पद्य में, यदि क्षीण राजा आदि का और उसी एक के सहारे पलने वाले पुरुष आदि का वृत्तान्त प्रस्तुत हो तब, अप्रस्तुतप्रशंसा ही होगी इस में कोई विवाद नहीं, और जब सरोवर का वृत्तान्त और राजा का वृत्तान्त दोनों ही प्रस्तुत हों तब भी पूर्वोक्त रीति से अप्रस्तुतप्रशंसा ही है, परन्तु जब केवल सरोवर का वृत्तान्त ही प्रस्तुत हो और उसमें राज-वृत्तान्तरूप व्यङ्ग्य गुणीभूत होकर वर्तमान रहे, तब इस पद्य में कौन अलङ्कार होगा? कारण, तब अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं हो सकेगी, क्योंकि उस स्थिति में यहां प्रस्तुत का ही वर्णन है और अप्रस्तुतप्रशंसा होती है अप्रस्तुत का वर्णन रहने पर। समासोक्ति भी नहीं हो सकती, कारण, समासोक्ति का जीवनाधायक तत्त्व है विशेषणों की समता, जो सर्वालंकारिक सम्मत है, वह यहां है नहीं।

यदि कहा जाय कि 'विशेषणों की समता' वाले प्रकार की तरह एक शुद्ध सादृश्य-मूलक प्रकार भी समासोक्ति का मान लेना चाहिए। तो यह उचित नहीं, क्योंकि किसी एक धर्म से व्याप्त नहीं होने पर भी एक अलंकार मानने पर सभी अलंकार एक हो जायगा अर्थात् उस स्थिति में एक से अधिक अलंकार मानने की आवश्यकता नहीं रह जायगी। दूसरे, अलंकारों की व्यवस्था करने वाले आचार्यों ने समासोक्ति का ऐसा भेद कहा भी नहीं है, इसीलिए तो अलंकारसर्वस्वकार आदि ने भी विशेषणवाचक शब्दों की समता की रक्षा कर के ही भिन्न समास का आश्रय लेकर सादृश्यमूलता दिखलाई है, विशेषणवाचक शब्दों की समानता की उपेक्षा करके नहीं। इस तरह उक्त स्थिति में यहां कौन अलंकार होगा यह आशंका बनी रही।

नागेश यहां अपनी टीका में लिखते हैं कि "जिस तरह अतिशयोक्ति आदि में अथवा अप्रस्तुतप्रशंसा में सादृश्य आदि में से किसी एक (अन्यतम) का निर्देश करके एक-धर्मव्याप्तता बना ली जाती है, उसी तरह 'अन्यतरहेतुक (विशेषणसाम्यमूलक अथवा शुद्धशादृश्यमूलक)' अप्रस्तुत वृत्तान्त के आरोपरूप एक धर्म से व्याप्त बना कर द्विविध समासोक्ति का भी एक लक्षण से संग्रह किया जा सकता है, अतः यहां समासोक्ति मानने में कोई बाधा नहीं है।"

उक्ताशंकायाः समाधानमाह—

उच्यते—अप्रस्तुतप्रशंसैवात्रालंकारः। अप्रस्तुतस्य प्रशंसेति न तदर्थः। किंत्वप्रस्तुतेनेति। सा चार्थात्प्रस्तुतस्यैव। एवं च वाच्येन व्यक्तेन वा अप्रस्तुतेन वाच्यं व्यक्तं वा प्रस्तुतं यत्र सादृश्याद्यन्यतमप्रकारेण प्रशस्यते साऽप्रस्तुतप्रशंसेति। न तु वाच्येनैव व्यङ्ग्यमेवेति।

स्यादेतत्। 'कमलमनम्भसि कमले च कुवलये तानि कनकलतिकायाम्' इत्यादाविवात्रापि निगीर्याध्यवसानेनैवोपपत्तिः शक्या कर्तुम्। तच्च पदार्थेन पदार्थस्य, वाक्यार्थेन वाक्यार्थस्य वा इत्यन्यदेतत्, अन्वयानुपपत्तिरिव प्रस्तावानुपपत्तिरपि लक्षणाबीजम्। एवं चातिशयोक्त्यैवोपपत्तौ किं सादृश्यमूलाप्रस्तुतप्रशंसयेति। ननु निगीर्याध्यवसानं हि न तावदत्र संभवति। तत्र हि वाच्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यस्य प्रतीतिः, इह तु वाच्यताटस्थ्येनार्थान्तरस्येति विशेषात्। यत्र तु श्लेषादिना विशेषणसाम्यं तत्र तन्माहात्म्यादस्तु नामाभे-

दाध्यवसाय इति चेत्, इहापि वाच्यव्यवहाराभिन्नतयैव च प्रस्तुतव्यवहार-प्रत्यय इत्यवैलक्षण्यमेवेति सत्यम्। 'यस्मिन् खेलति', 'दिगन्ते श्रूयन्ते' इत्यादौ वाच्यार्थताटस्थ्येनैव व्यङ्ग्यस्य प्रतीतेः सर्वसहृदयसम्मतत्वात्। क्वचित्तु संबोधनस्य तत्तद्विशेषणस्य चानुपपत्त्या अभेदांशोऽप्यपेक्ष्यते, न तावता सर्वत्राभेदेन प्रतीतिः। किं चाप्रस्तुतप्रशंसायां प्रस्तुतं व्यङ्ग्यमिति निर्विवादम्। निगीर्याध्यवसाने तु व्यङ्ग्यं स्यात्। अपि च यत्र वाच्यस्यात्यन्ताप्रस्तुतत्वं तत्राभिधाया अपर्यवसानात्स्यादपि कदाचिल्लक्षणाया अवकाशः। यदा तु द्वयोरप्यर्थयोः प्रागुक्तदिशा प्रस्तुतत्वं तदा तु बाधलेशास्फुरणाल्लक्षणागन्धोऽपि नास्ति। कुतः पुनर्निगरणं लक्षणैकदेशः। किंत्वागूरणमेवेति। तत्राप्रस्तुतप्रशंसायाः सादृश्यमूलाया आवश्यकत्वादन्यत्रापि तज्जातीयस्थले सैवोचिता।

अत्रेति। सरोवृत्तान्तमात्रप्रस्तावपरे 'आपेदिरे—' इति श्लोक इत्यर्थः, अप्रस्तुतप्रशंसाशब्दार्थं स्फोरयितुमाह—अप्रस्तुतस्येति। सा चेति, अप्रस्तुतकरणकप्रशंसा चेत्यर्थः। व्यक्तेनेति। व्यङ्ग्येनेति भावः। एवमग्रे 'व्यक्तम्' इत्यस्यापि 'व्यङ्ग्यम्' इत्यर्थो बोध्यः। अप्रस्तुतप्रशंसेतीति। तथा च 'आपेदिरे—' इत्यत्राप्रस्तुतव्यङ्ग्यराजवृत्तान्तेन प्रस्तुतवाच्यसरोवृत्तान्तस्य प्रशंसायाः सत्त्वादप्रस्तुतप्रशंसालंकारो निर्बाध इति भावः। शङ्कते—स्यादेतदिति। 'कमलमनम्भसि—' इत्यत्र यथा कमल-कुवलय-कनकलतारूपोपमानैः क्रमशः मुख-नयन-देहयष्टिरूपोपमेयानां निगरणपूर्वकाभेदाध्यवसानेनातिशयोक्तिः स्वीक्रियते, तथैव 'आपेदिरे—' इत्यत्रापि सरोवृत्तान्तमात्रस्य प्रस्तुतत्वकल्पे सरोवराद्युपमानै राजाद्युपमेयानां निगीर्याध्यवसानमङ्गीकृत्यातिशयोक्तौ निर्बाधायां किं नवीनाप्रस्तुतप्रशंसाप्रभेदकल्पनयेति शङ्काशयः। ननु 'कमलमनम्भसि—' इत्यत्रान्वयानुपपत्त्या कमलादिपदानां लक्षणा मुखादौ संभवतीति तन्मूलातिशयोक्तिर्भवति, इह तु नान्वयानुपपत्तिः, न वा पदार्थेन पदार्थस्य निगरणमिति कथं लक्षणा, कथञ्च तन्मूलातिशयोक्तिः संभवदुक्तिकेति चेत् तत्राह—तच्चेति। तत्र पदार्थेन पदार्थस्य निगरणम्, इह वाक्यार्थेन वाक्यार्थस्य न तावता काचित्क्षतिः—अर्थात् पदलक्षणेव वाक्यलक्षणापि स्वीकृता, किञ्चान्वयानुपपत्तिवत् प्रस्तावानुपपत्तिरपि लक्षणाबीजमास्थीयत इति भावः।

अत्र नागेशः—"वाक्ये शक्त्यभावेन लक्षणा वक्तुमशक्या। किं च लक्षणायां गङ्गायां घोष इत्यादाविव वाच्याभेदप्रतीत्यापत्तिः। सा चानिष्टा, ताटस्थ्येनैव प्रस्तुतार्थप्रतीतेः सहृदयानुभवसिद्धत्वात्। तृतीयस्य लक्षणाहेतोरभावात्।" इति समाधिमाह। शङ्कां द्रढयितुं शङ्कते—नन्विति। तत्र हीति। रूपकातिशयोक्त्युदाहरणे 'कमलमनम्भसि—' इत्यादौ हीत्यर्थः। इह त्विति, अप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणविशेषे प्रागुक्त इत्यर्थः।

ननु क्वचिदप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणेऽपि दृश्यतेऽभेदाध्यवसाय इति चेत् तत्राह—यत्र तु इति।

अवान्तरशङ्कां समाधत्ते—इहापि इति। प्रस्तुतव्यवहारे सति, अत्र 'प्रस्तुत' पदेन वक्तृतात्पर्यविषयीभूतार्थो विवक्षितः, अन्यथा 'यदा तु सरोवृत्तान्त एव प्रस्तुतः' इति पूर्वपक्षमुखभागोक्तिविरोध इति बोध्यम्। 'इति सत्यम्' इत्युक्त्या शङ्कां स्वीकृत्य समाधान-

माह—'यस्मिन् खेलति'—इत्यादिना । अपेदयत इति । यथा 'मलिनेऽपि-' इत्यादौ, लक्ष्यं स्यादिति । अतिशयोक्तौ विषयिबोधकस्य विषयरूपेऽर्थे लक्षणेति स्वीकारादिति भावः । लक्षणैकदेश इति । साध्यवसानरूप इति भावः । अन्यत् स्फुटम् ।

उक्त आशङ्का का समाधान किया जाता है—उच्यते इत्यादि ।

पूर्वोक्त शङ्का ('आपेदिरे-' इस पद्य में केवल सरोवर वृत्तान्त के प्रस्तुत रहने पर कौन अलङ्कार है ? इस शङ्का) का समाधान है कि—अप्रस्तुत प्रशंसा ही यहाँ भी अलङ्कार है । 'अप्रस्तुतप्रशंसा' शब्द का अर्थ 'अप्रस्तुत की प्रशंसा' नहीं है, अपितु 'अप्रस्तुत के द्वारा प्रशंसा' यह अर्थ है । और वह प्रशंसा किस की ? तो 'प्रस्तुत की' यह बात अर्थतः ही प्राप्त है ।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि अप्रस्तुत वाच्य हो अथवा व्यङ्ग्य, जहाँ उन दोनों में से किसी एक के द्वारा वाच्य अथवा व्यङ्ग्य की पूर्वोक्त सादृश्यादिक पाँचों प्रकारों में किसी एक प्रकार से प्रशंसा की जाती है वह अप्रस्तुत प्रशंसा है, न कि वाच्य से ही व्यङ्ग्य की ही प्रशंसा की जाय तभी ।

हाँ, यहाँ यह शंका हो सकती है कि—'कमलमनम्भसि—अर्थात् विना जल के कमल है, कमल में दो कुवलय हैं, ये सब सुवर्ण की लता में हैं ।' इत्यादिक की तरह यहाँ भी 'निगीर्याध्यवसान—अर्थात् उपमान के द्वारा निगल कर उपमेय के साथ अभेदारोप' से ही निर्वाह किया जा सकता है । यह बात दूसरी है कि निगरण पदार्थ से पदार्थ का हो अथवा वाक्यार्थ से वाक्यार्थ का ।

कहा जायगा कि यहाँ अन्वय की अनुपपत्ति तो है नहीं कि लक्षणा मानी जाय तो इस का समाधान यह है कि जिस तरह अन्वय की अनुपपत्ति लक्षणा का बीज है उसी तरह प्रस्ताव (प्रसङ्ग) की अनुपपत्ति भी लक्षणा का बीज है । इस तरह अतिशयोक्ति से ही काम चल सकता है. फिर यहाँ सादृश्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा की कल्पना क्यों की जाय ?

अभिप्राय है कि निगीर्याध्यवसान—अर्थात् साध्यवसाना लक्षणा होने पर (जहाँ उपमेयरूप अर्थ में लाक्षणिक होकर उपमानबोधक पद ही कहा जाता है वहाँ) अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जैसे 'कमलमनम्भसि—' इस पद्य में कमल, कुवलय और कनकलतारूप उपमानबोधक पद क्रमशः मुख, नयन और देहयष्टिरूप उपमेय के अर्थ में लाक्षणिक होकर आए हैं, अतः अतिशयोक्ति होती है ।

अब शंका करने वाले का तात्पर्य है कि जिस तरह 'कमलमनम्भसि—' में अतिशयोक्ति होती है उसी तरह 'आपेदिरे-' इस पद्य में भी सरोवृत्तान्त के प्रस्तुत और राजवृत्तान्त के उस में गुणीभूत व्यङ्ग्य रहने पर अतिशयोक्ति मानी जा सकती है । यद्यपि दोनों स्थलों में कुछ अन्तर है, जैसे 'कमलमनम्भसि—' में कमल आदि एक-एक पदार्थ से दूसरे-दूसरे पदार्थ का निगरण हुआ है, पर 'आपेदिरे-' में किसी एक पदार्थ से पदार्थ का नहीं, अपि तु पूरे वाक्यार्थ से पूरे वाक्यार्थ का निगरण है, इसी तरह 'कमलम्—' में कमल आदि पदों के मुख्य अर्थ का अन्वय अनुपपन्न (बाधित) है और 'आपेदिरे-' में वैसा नहीं है । पर ये अन्तर अकिञ्चित्कर हैं, क्योंकि प्रथमस्थल में पदलक्षणा और दूसरे स्थल में वाक्यलक्षणा होगी इसी तरह प्रथमस्थल में अन्वयानुपपत्तिरूप बीज के आधार पर और द्वितीय स्थल में प्रस्तावानुपपत्तिरूप बीज के आधार पर लक्षणा होगी ।

नागेश का यहाँ कथन है कि इस अतिशयोक्ति से काम चलाने वाली शंका का उत्तर यह है कि—"वाक्य की लक्षणा नहीं हो सकती, क्यों 'शक्य का संबन्ध' ही लक्षणा है और वाक्य का कोई शक्य नहीं होता—अर्थात् वाक्य की किसी अर्थ में शक्ति नहीं होती, और 'अन्वयानुपपत्ति' 'तात्पर्यानुपपत्ति' इन दोनों से तीसरा (प्रस्तावानुपपत्ति) लक्षणा का कारण (बीज) है ही नहीं।"

अब यदि आप यह कहें कि यहाँ निगरणपूर्वक अध्यवसान ही संभव नहीं है। कारण, निगरणपूर्वक अध्यवसान जहाँ रहता है वहाँ—अर्थात् अतिशयोक्ति के उदाहरण में वाच्यतावच्छेदक रूप से लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है, जैसे 'कमलमनम्भसि—' इत्यादि में कमल आदि के रूप में मुख आदि की प्रतीति होती है, किन्तु यहाँ ('आपेदिरे-' में) अर्थान्तर (राजवृत्तान्त) की प्रतीति वाच्य (सरोवृत्तान्त) से तटस्थ होकर होती है—यह भेद है। हाँ, जहाँ श्लेषादिक के द्वारा विशेषणों की समानता हो वहाँ उसकी महिमा से अभेद का अध्यवसान भले ही हो, पर यहाँ कैसे हो सकता है ? तो। यह ठीक नहीं। कारण, यहाँ भी वाच्य सरोवरव्यवहार से अभिन्न रूप में ही अर्थान्तर (राज) व्यवहार की प्रतीति होती है इसलिए दोनों में कोई विलक्षणता नहीं है।

(यहाँ तक अतिशयोक्ति से काम चल सकता है यह शंका स्थिर की गई)।

अब उसके उत्तर में कहा जाता है कि आपका कथन सत्य है, पर 'यस्मिन् खेलति-' और 'दिगन्ते श्रूयन्ते—' इत्यादि पूर्वोक्त उदाहरणों में वाक्यार्थ से तटस्थ रूप में ही व्यंग्य अर्थ की प्रतीति सब सहृदयों का सम्मत है। यद्यपि कहीं संबोधन तथा उन-उन विशेषणों के अनुपपन्न होने से अभेदांश की भी अपेक्षा हो जाती है, जैसे 'मलिने–' इत्यादि में, पर एतावता यह तो नहीं कहा जा सकता है कि सब जगहों पर 'अभेद' होता ही है। तात्पर्य यह कि 'आपेदिरे—' में वाच्य और अर्थान्तर में अभेद की कल्पना अयुक्तिक अथच अनुचित है। दूसरे, अप्रस्तुतप्रशंसा में प्रस्तुत अर्थ व्यङ्ग्य होता है यह बात निर्विवाद सत्य है, अब यदि आपके कथनानुसार वहाँ 'निगीर्याध्यवसान' माना जाय तब तो वह (प्रस्तुत) लक्ष्य होगा, जो सिद्धान्तविरुद्ध है।

तीसरे, यदि आप की ही बात मान ली जाय तब भी जहाँ वाच्य अर्थ अत्यन्त अप्रस्तुत होगा वहाँ अभिधा का अप्रस्तुतार्थ में पर्यवसान नहीं होने से कदाचित् लक्षणा का अवसर आ सकता है, पर जहाँ पूर्वोक्त रीति से दोनों ही अर्थ प्रस्तुत होंगे वहाँ तो बाध का लेश भी स्फुरित नहीं होता, अतः वहाँ लक्षणा-सामान्य की भी गन्ध नहीं आ सकती, फिर निगरणात्मक लक्षणा-विशेष की कथा ही क्या ?

वैसी स्थिति में तो शुद्ध आगूरण—अर्थान्तर की झलक, ही मानना पड़ेगा और वहाँ तब सादृश्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा की स्वीकृति आवश्यक होगी ही फिर तादृश अन्य स्थल पर भी अप्रस्तुतप्रशंसा ही उचित है।

अरुचिग्रस्तम् मतान्तरमाह—

यदि तु प्रकारस्यास्य ध्वनिप्रभेदत्वात् ध्वनेश्चालंकार्यस्यालंकारत्वानुपपत्तिरिति सूक्ष्ममीक्ष्यते, तदाप्रस्तुतप्रशंसाया भेदान्तरमेव विषय इत्यपि वदन्ति।

अस्येति। सादृश्यमूलस्येत्यर्थः। ध्वनिप्रभेदत्वादिति। वाच्यापेक्षया व्यङ्ग्यार्थोऽत्र नियमतश्चमत्कारी तिष्ठतीति प्रकारस्यास्य ध्वनिप्रभेदत्वमिति बोध्यम्। ध्वनेश्चेति। चमत्कारिव्यङ्ग्यार्थस्येत्यर्थः, ध्वन्यते यः इति व्युत्पत्तेः। अलंकारत्वानुपपत्तिरिति।

अलङ्कार्यत्वालङ्कारत्वयोर्विरोधादिति भावः। भेदान्तरमेवेति, सादृश्यमूलातोऽन्ये कार्यकारणभावमूलादय इति भावः। वदन्तीति। केचिदिति भावः। एतेनात्रारुचिः सूचिता भवति, चमत्कार्यपि व्यङ्ग्यम् वाच्यार्थोपस्कारकमेवेति ध्वनित्वसंभवेऽयं प्रकारोऽपि संभवत्येवाप्रस्तुतप्रशंसाविषय इत्यरुचिबीजं बोध्यम्।

एक अन्य मत का उल्लेख किया जाता है—यदि तु इत्यादि।

अप्रस्तुतप्रशंसा का वह प्रकार, जिसे सादृश्यमूला कहा जाता है, वस्तुतः अप्रस्तुतप्रशंसा का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रकार नियमतः चमत्कारी व्यङ्ग्यार्थ से युक्त होने के कारण ध्वनिकाव्य के प्रभेद में आने योग्य है और ध्वनि—अर्थात् चमत्कारी व्यङ्ग्यार्थ अलंकार्य हो सकता है अलंकार नहीं। कारण, अलंकारत्व और अलंकार्यत्व दो विरुद्धधर्म हैं एक साथ नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति में अप्रस्तुतप्रशंसा के विषय अन्य भेद ही हो सकते हैं, सादृश्यमूला नहीं—यह भी कुछ लोग कहते हैं, 'वदन्ति' से इस मत में अरुचि सूचित होती है, जिससे ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार इस प्रकार को भी अप्रस्तुतप्रशंसा का विषय मानने के पक्ष में हैं। प्रायः ग्रन्थकार का दृष्टिकोण यह है कि इस सादृश्यमूलक प्रकार को ध्वनिकाव्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ का व्यङ्ग्य अन्ततः वाच्य का ही उपस्कारक रहता है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरेऽप्रस्तुतप्रशंसाप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धेऽप्रस्तुतप्रशंसाप्रकरणं समाप्तं वेदितव्यम् इति भावः।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामप्रस्तुतप्रशंसाप्रकरणम्।

अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारनिरूपणानन्तरमिदानीं पर्यायोक्तालङ्कारनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथ पर्यायोक्तम्—

अथेति। अप्रस्तुतप्रशंसानिरूपणानन्तरमित्यर्थः। पर्यायोक्तम् पर्यायोक्तालङ्कारः। निरूप्यत इति शेषः।

अप्रस्तुतप्रशंसा-अलङ्कार-निरूपण के बाद अब पर्यायोक्त अलङ्कार का निरूपण किया जाता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

विवक्षितस्यार्थस्य भङ्ग्यन्तरेण प्रतिपादनं पर्यायोक्तम्।

केनचिद्रूपेण व्यञ्जनया लभ्यस्यार्थस्य ततोऽपि चारुतरेण रूपेण यदभिधया प्रतिपादनं तत्पर्यायोक्तमित्यर्थ इति नागेशः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—विवक्षितस्य इत्यादि।

विवक्षित अर्थ का किसी दूसरी शैली के द्वारा कथन पर्यायोक्त अलङ्कार कहलाता है।

'भङ्ग्यन्तर'पदार्थं स्फोरयति—

येन रूपेण विवक्षितोऽर्थस्तदतिरिक्तः प्रकारो भङ्ग्यन्तरम्। आक्षेपो वा।

कोऽप्यर्थविशेषो वक्त्रा येन प्रकारेण बोधयितुमिष्टस्तत्प्रकारातिरिक्तः प्रकारो भङ्ग्यन्तरशब्दार्थ इति भावः। पक्षान्तरमाह—आक्षेपो वेति। विवक्षितस्यार्थस्याक्षेपो वा भङ्ग्यन्तरमिति भावः।

लक्षणगत 'भङ्ग्यन्तर' दूसरी 'शैली' का विश्लेषण किया जाता है—येन इत्यादि।

'भङ्ग्यन्तर' का अर्थ यहां 'जिस रूप से कहना अभीष्ट हो उससे भिन्न प्रकार' अथवा 'आक्षेप' है।

उदाहरणं प्रदातुमाह—

यथा—

स्पष्टम्,

जैसे—।

उदाहरणमुल्लिखति—

'त्वां सुन्दरीनिवहनिष्ठुरधैर्यगर्व-
निर्वासनैकचतुरं समरे निरीक्ष्य।
केषामरिक्षितिभृतां नवराज्यलक्ष्मीः
स्वामिव्रतात्वमपरिस्खलितं बभार॥'

राजवर्णनमिदम्—हे राजन्, सुन्दरीनिवहस्य, यः निष्ठुरः निर्दयतापूर्णः, धैर्यगर्वः अपरिस्खलनगर्वः, तस्य निष्कासने निर्वासने, एकम् अद्वितीयं, चतुरं कुशलम्, त्वाम्, समरे युद्धे निरीक्ष्य दृष्ट्वा, केषाम्, अरिक्षितिभृताम् शत्रुभूतानां राज्ञाम्, नवराज्यलक्ष्मीः नवीना साम्राज्यश्रीः, अपरिस्खलितम् अच्युतम्, स्वामिव्रतात्वम् पतिव्रतात्वम्, बभार दध्रे? नैव दध्रे इत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—त्वां सुन्दरी इत्यादि।

किसी राजा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि—हे राजन्, सुन्दरीसमूह के निर्दयतापूर्ण धैर्यगर्व को (हम किसी भी परपुरुष को देखकर विचलित नहीं हो सकतीं इस गर्व को) दूर करने में अद्वितीय चतुर आपको युद्ध में देखकर किन शत्रुभूत राजाओं की नवीन राज्यलक्ष्मी ने अखण्डित पतिव्रतापन का धारण किया? वह उनको त्याग कर आपको अपना ही लेती है।

उपपादयति—

अत्र सर्वापि शत्रूणां राज्यसम्पत्त्वां प्राप्तेति विवक्षितोऽर्थो न ताद्रूप्येणाभिहितः, अपि तु स्खलत्पातिव्रत्या बभूवेत्याकारेण।

अत्रेति। 'त्वां सुन्दरी—' इति श्लोक इत्यर्थः। ताद्रूप्येणेति। तत् रूपं यस्य सः तद्रूपस्तस्य भावस्ताद्रूप्यम् तद्रूपमिति यावत् तेनेत्यर्थः। तेन रूपेणेति स्पष्टोऽर्थः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'त्वां सुन्दरी—' इस पद्य में 'शत्रुओंकी समग्र राज्यसम्पत्ति तुमको प्राप्त कर गई' यह वक्ता का अभिमत अर्थ इस रूप में न कहा जाकर 'राज्यलक्ष्मी का पातिव्रत्य खण्डित हो गया' इस रूप में कहा गया है।

उदाहरणान्तरमुपदर्शयितुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्,

अथवा जैसे—'

उदाहरणमुपस्थापयति—

'सूर्याचन्द्रमसौ यस्य वासो रञ्जयतः करैः।
अङ्गरागं सृजत्यग्निस्तं वन्दे परमेश्वरम् ॥'

सूर्याचन्द्रमसौ सूर्यश्चन्द्रश्च, यस्य परमेश्वरस्य वासः वस्त्रम्, करैः किरणैः रञ्जयतः रञ्जयुक्तं कुरुतः, तथा, अग्निः, यस्य, अङ्गरागम् अङ्गविलेपनद्रव्यम्, सृजति उत्पादयति, तं, परमेश्वरं शिवम्, वन्दे प्रणमामीत्यर्थः। शिवस्तुतिरियम्।

उदाहरण उपस्थित किया जाता है—सूर्या इत्यादि।

जिससे वसन को सूर्य तथा चन्द्र अपनी किरणों से रङ्गते हैं और जिसके अङ्गराग को अग्नि उत्पन्न करता है उस परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। यह शिव की स्तुति है।

उपपादयति—

अत्रापि गगनाम्बर इति सूर्यचन्द्रकररज्यमानवस्त्र इत्याकारेण, भस्माङ्गराग इत्यग्निसृज्यमानाङ्गराग इत्याकारेण च निरूपितः।

'सूर्याचन्द्रमसौ—' इत्यत्रापि 'गगनाम्बर' इत्याकारेण विवक्षितोऽर्थः 'सूर्यचन्द्रकररज्यमानवसनः'इत्याकारेणोक्तः, एवम् 'भस्माङ्गरागः'इत्याकारेण वक्तुमिष्टोऽर्थः 'अग्निसृज्यमानाङ्गरागः' इत्याकारेणाभिहितः इति लक्षणसंगतिरिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्रापि इत्यादि।

'सूर्याचन्द्रमसौ—' इस पद्य में भी 'दिगम्बर (नग्न)' इस रूप से वक्तव्य अर्थ 'सूर्य तथा चन्द्र की किरणों से जिसका वस्त्र रँगा जाता है। इस रूप में कहा गया है और 'जिसका भस्म अङ्गराग है' इस रूप से विवक्षित अर्थ 'जिसके अङ्गराग को अग्नि उत्पन्न करता है' इस रूप में प्रतिपादित हुआ है, अतः उक्त लक्षण की संगति होने से यहां पर्यायोक्त है।

मम्मटमतमुद्धरति—

'अस्यां च गम्यस्य येनाकारेण गम्यता तदतिरिक्ताकारेण वाच्यता। तेन पर्यायेण भङ्ग्यन्तरेणोक्तमभिहितं व्यङ्ग्यं यत्रेति प्राचीनैर्निर्मितं लक्षणं व्यङ्ग्यत्ववाच्यत्वयोर्विरोधादसंगतमिति नाशङ्कनीयम्। एकस्यैव प्रकारभेदेन वाच्यत्वव्यङ्ग्यत्वयोरविरोधात्। यथा यावकमहारजनदाडिमीजपाकुसुमादिरूपाणां रक्तत्वादिना वाच्यत्वेऽपि तत्तद्वैजात्यरूपेण प्रत्यक्षत्वमेव न तु वाच्यत्वम्, एवमिहापि' इति मम्मटभट्टाः।

अस्यां चेति। पर्यायोक्तौ चेत्यर्थः। गम्यस्य व्यङ्ग्यस्य। येनाकारेणेति। येन रूपेणेत्यर्थः। तदतिरिक्ताकारेणेति। गम्यतावच्छेदकरूपातिरिक्तरूपेणेत्यर्थः। तथा च वाच्यव्यङ्ग्ययोरैक्येऽपि वाच्यतावच्छेदकव्यङ्ग्यतावच्छेदकयो रूपयोर्भेद इति भावः। तेनेति। तयो रूपयोर्भेदेनेत्यर्थः। अस्य 'नाशङ्कनीयम्' इत्यत्रान्वयः। पर्यायोक्तपदनिरुक्तिमूलकं लक्षणं विधत्ते—पर्यायेणेति। विवरणमाह—भङ्ग्यन्तरेणेति। उक्तमित्यस्य विवरणमाह—अभिहितमिति। किमुक्तमिति जिज्ञासायां स्फुटत्वायाह—व्यङ्ग्यमिति। वाच्यत्वव्यङ्ग्यत्वयोर्विरोधादिति। अभिधानालिङ्गितस्यैवार्थस्य व्यञ्जनाबोध्यत्वमिति नियमात् वाच्यं व्यङ्ग्यन्न भवितुमर्हतीति वाच्यत्वव्यङ्ग्यत्वयोः सामानाधिकरण्यं विरुद्धमिति भावः। तथा न शंकनी-

यत्वे हेतुमाह—एकस्यैवेति । अविरोधादिति । एकरूपावच्छिन्नयोर्वाच्यत्वव्यङ्ग्यत्वयोः सामानाधिकरण्येन विरोधेऽपि विभिन्नरूपावच्छिन्नयोस्तयोर्न सामानाधिकरण्येन विरोध इति भावः । यथेति । नायं रूपभेदेन वाच्यत्वव्यङ्ग्यत्वयोरविरोधे दृष्टान्तः, वाच्यत्वप्रत्यक्षत्वयोः स्वतोऽप्यविरुद्धतया रूपभेदेनाविरोधे दृष्टान्तत्वासंभवात्, अपि तु व्यङ्ग्यतावच्छेदकत्वेनाभिमतस्य रूपस्य वाच्यतावच्छेदकत्वमेव कुतो नेति शङ्कायां मनोगतायां व्यङ्ग्यतावच्छेदकस्य वाच्यतावच्छेदकत्वं न संभवतीति मनोगते समाधाने दृष्टान्तोऽयम् । तथा च रक्तत्वेन रूपेण वाच्यान्यपि यावकादिरूपाणि यथा तत्तद्विजातीयाकारेण प्रत्यक्षाण्येव न वाच्यानि, तथैव केनचिद् रूपेण वाच्योऽप्यर्थो रूपान्तरेण व्यङ्ग्य एव भवति, न वाच्य इति मम्मटाशयः ।

आचार्य मम्मट का मत अब उद्धृत किया जाता है—अस्यां चेत्यादि ।

'पर्यायोक्त अलङ्कार में व्यङ्ग्य अर्थ ही वाच्य भी होता है, पर जिस रूप से व्यङ्ग्य होता है, वाच्य उस रूप से नहीं, अपि तु भिन्न रूप से होता है, अतः, 'पर्यायोक्त' शब्द की निरुक्ति के आधार पर प्राचीन आचार्यों के द्वारा किया गया 'पर्याय से—अर्थात् भिन्न भङ्गी (शैली) से उक्त अर्थात् कथित है व्यङ्ग्य अर्थ जहां पर वहां पर्यायोक्त अलंकार होता है' यह लक्षण, असंगत है, क्योंकि वाच्यता और व्यङ्ग्यता में—विरोध है—अर्थात् जब अभिधावृत्ति से सर्वथा अछूता अर्थ ही व्यङ्ग्य होता है यह नियम है तब वाच्य अर्थ व्यङ्ग्य हो नहीं सकता और ऐसी स्थिति में किसी एक अर्थ में एक जगह वाच्यता तथा व्यङ्ग्यता दोनों धर्म नहीं रह सकते' यह आशङ्का नहीं करनी चाहिए। कारण, एक ही अर्थ की भिन्न-भिन्न प्रकार से वाच्यता और व्यङ्ग्यता विरुद्ध नहीं है। तात्पर्य यह कि इस अलङ्कार में वाच्य तथा व्यङ्ग्य के एक रहने पर भी वाच्यता का अवच्छेदक और व्यङ्ग्यता का अवच्छेदक धर्म भिन्न-भिन्न रहता है इसलिए एक अर्थ में भी वाच्यता और व्यङ्ग्यता रह सकती है। सारांश यह कि एक तरह की वाच्यता और व्यङ्ग्यता एक में नहीं रह सकती, ठीक है, पर भिन्न-भिन्न धर्म से युक्त वाच्यता-व्यङ्ग्यता एक में भी रह ही सकती है। आप कहेंगे कि एक ही अर्थ को वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों बनाने से लाभ क्या? तो मैं कहूँगा कि लाभ है और वह यह है कि वाच्यता अवस्था में विदित होने वाले वस्तु के रूप से भिन्न व्यङ्ग्यता अवस्था का वस्तु रूप विदित होता है। आप कहेंगे कि व्यङ्ग्यतावस्था का वस्तु-रूप को भी वाच्यतावस्था में ही क्यों नहीं समझ लिया जाता? तो इसका उत्तर यह है कि ऐसा हो नहीं सकता अर्थात् जैसे आलता, कुसूंभा, अनार के फूल और अड़ुहल के फूल के रूप सामान्यतः रक्तत्व रूप से (लाल है इस रूप से) वाच्य होने पर भी तत्तद् वैजात्य रूप से (उन-उन खूबियों के साथ) प्रत्यक्ष (दृष्टिगोचर) ही होता है, वाच्य नहीं, उसी तरह किसी अर्थ का कोई एक रूप वाच्य भले ही हो जाय पर उसी अर्थ का दूसरा रूप व्यङ्ग्य ही होता है, वाच्य नहीं। ऐसा मम्मट भट्ट का मत है।

साभिप्रायमलङ्कारसर्वस्वकारमतमनुवदति—

अलङ्कारसर्वस्वकारस्तु—'गम्यस्यापि भङ्ग्यन्तरेणाभिधानं पर्यायोक्तम्। गम्यस्यैव सतः कथमभिधानमिति चेत्, कार्यादिद्वारेण' इत्याह। तस्यायमाशयः—

'चक्राभिघातप्रसभाज्ञयैव चकार यो राहुवधूजनस्य ।
आलिङ्गनोद्दामविलासवन्ध्यं रतोत्सवं चुम्बनमात्रशेषम् ॥'

इति प्राचीनपद्ये राहुशिरश्छेदकारीति व्यङ्ग्यं राहुवधूजनसंबन्धिचुम्बनमात्रावशिष्टरतोत्सवनिर्मातृत्वेन रूपेण प्रकारान्तरेणाभिधीयत इत्यस्यापि विवेचने क्रियमाणे राहुशिरच्छेदकर्तृत्वरूपो धर्मः स्वसमानाधिकरणेन तादृशरूपान्तरेण साक्षादुपात्तेन गम्यत इत्येव पर्यवस्यति। भगवतस्तु पूर्वप्रक्रान्तत्वाद्यच्छब्देनाभिहितत्वाच्च न व्यङ्ग्यत्वम्।

एवम्—

'यं प्रेक्ष्य चिररूढापि निवासप्रीतिरुज्झिता।
मदेनैरावणमुखे मानेन हृदये हरेः॥'

इति प्राचीनपद्येऽपि शक्रैरावणौ मान-मद-मुक्तौ जाताविति व्यङ्ग्यमपि मान-मद-मोक-मात्रस्य व्यङ्ग्यत्वे पर्यवस्यति, धर्म्यंशस्याभिधागोचरत्वात्। एवं च यो व्यङ्ग्यांशः स न कदापि रूपान्तरपुरस्कारेणाभिधीयते, यश्चाभिधीयते धर्मी स तु तदानीमभिधाश्रयत्वाद्व्यञ्जनव्यापारानाश्रय एवेति व्यङ्ग्यस्य प्रकारान्तरेणाभिधानमसंगतमेव। तस्मात्कार्यादिमुखेनोक्तमिव पर्यायोक्तम्। तेनाक्षिप्तमित्येवार्थः। प्राचीनैर्धर्मिणोऽपि यद्व्यङ्ग्यत्वमुक्तं तद्व्यञ्जनिकबोधविषयस्य समस्तवाक्यार्थस्यैव व्यङ्ग्यत्वमित्यभिप्रायेण। तत्र च विवेके क्रियमाणे केचिदभिधामात्रस्य गोचराः पदार्थाः, केचिच्च व्यक्तिमात्रगोचरा इति।

अभिधानमिति। अभिधया प्रतिपादनमित्यर्थः। 'चक्राभिघात—' इति। विष्णुवर्णनमिदम्—यः विष्णुः, चक्रस्य सुदर्शनाख्यास्त्रविशेषस्य, योऽभिघातः प्रहारः, तस्य प्रसभाज्ञया बलादादेशेन, एव, राहुवधूजनस्य राहुप्रेयसीवर्गस्य, रतोत्सवम् सुरतोत्सवम्, आलिङ्गनोद्दामविलासवन्ध्यम् आलिङ्गनात्मकेन उत्कटेन विलासेन रहितम् कबन्धाभावात्, चुम्बनमात्रशेषम् केवलचुम्बनयुक्तम्, चकार कृतवानित्यर्थः। स्वसमानाधिकरणेनेति। राहुशिरश्छेदकारित्वाधिकरणवर्तिनेत्यर्थः। तादृशरूपान्तरेणेति। राहुवधूजनसंबन्धिचुम्बनमात्रावशिष्टरतोत्सवनिर्मातृत्वेनेत्यर्थः। 'यं प्रेक्ष्य—' इति। यं हयग्रीवम्, प्रेक्ष्य दृष्ट्वा, मदेन दानवारिणा, ऐरावणमुखे, मानेन च, हरेरिन्द्रस्य, हृदये, चिररूढाऽपि बहुकालदृढापि निवासप्रीतिः स्थित्यनुरागः, उज्झिता त्यक्तेत्यर्थः। धर्म्यंशस्येति। इन्द्रैरावणयोरित्यर्थः। अभिधागोचरत्वादिति। ऐरावणहरिपदनिष्ठाभिधाबोध्यत्वादिति भावः। पर्यवसितमाह—एवं चेति। व्यङ्ग्यांश इति। 'चक्राभिघात—' इत्यत्र 'राहुशिरश्छेदकारित्वम्, 'यं प्रेक्ष्य—' इत्यत्र च 'मदमानत्यागः' इति भावः। रूपान्तरेति। राहुवधूजनसंबन्धिचुम्बनमात्रावशिष्टरतोत्सवनिर्मातृत्व-मदमानकर्तृकैरावणमुखहरिहृदयाधिकरणकनिवासप्रीतिपरित्यागेत्यर्थः। कार्यादिमुखेनोक्तमिवेति। कारणरूपं राहुशिरश्छेदकारित्वं यद्यपि व्यङ्ग्यम्, किन्तु तत्कार्यम् तादृशरतोत्सवनिर्मातृत्वम् वाच्यम्। एवञ्च कार्यस्य वाच्यत्वेन कारणमपि वाच्यमिव जायते इति भावः। एवमन्यत्रापि बोध्यम्। फलतः व्यङ्ग्यस्य कारणस्य वाच्येन कार्येणाक्षेप इत्येव फलितमित्याह—तेनाक्षिप्तमित्येवार्थ इति। प्राचीनैरुक्तं सम्पूर्णवाक्यार्थस्य व्यङ्ग्यत्वं कथञ्चित्समर्थयति—प्राचीनैरिति। नागेशस्तु "औपाधिकभेदेन घटाकाशादिषु भेदप्रतीतिवत्तत्तद्धर्मरूपोपाधिभेदेन धर्मिणोऽपि भेदाद्व्यङ्ग्यस्याभिधाविषयत्वमस्त्येव," इत्याह।

अब अलङ्कारसर्वस्वकार के मत का साभिप्राय वर्णन किया जाता है—अलङ्कारसर्वस्वकारस्तु इत्यादि।

अलङ्कारसर्वस्वकार का कथन तो यह है कि–"व्यङ्ग्य का भी भिन्न शैली से अभिधान (अभिधा द्वारा प्रतिपादन) पर्यायोक्त कहलाता है, यदि कहा जाय कि व्यङ्ग्य होते हुए अर्थ का अभिधा से प्रतिपादन कैसे हो सकता है तो इसका उत्तर यह है कि कार्य आदि के द्वारा वैसा हो सकता है।"

इस कथन का अभिप्राय यह है कि—

'चक्राभिघात—अर्थात् जिनने (विष्णु ने) सुदर्शन चक्र-संचालत की बलात्कारपूर्ण आज्ञा से ही राहु की स्त्रियों के सुरतोत्सव को आलिङ्गन के उच्छृङ्खल विलासों से रहित अतएव चुम्बनमात्र से युक्त बना दिया।' (तात्पर्य है कि चक्र सुदर्शन से कटे हुए शिरोभाग का ही नाम राहु पड़ा। ऐसी स्थिति में धड़भाग के नहीं रहने से राहु अपनी स्त्रियों का आलिङ्गन नहीं कर सकता है, मुखभाग के रहने से चुम्बन भले ही कर लेता हो)

इन प्राचीनों के पद्य में 'राहु के शिर का छेदन करने वाला' यह व्यङ्ग्य अर्थ 'राहु की स्त्रियों के सुरतोत्सव को चुम्बनमात्र से युक्त बनाने वाला' इस रूप में एक भिन्न शैली से अभिहित होता है। अब इसका भी विवेचन करने पर पर्यवसितार्थ यही मिलता है कि 'राहुशिरश्छेदकर्तृत्व–राहु का शिरश्छेद करना' रूप धर्म यहाँ साक्षात् वर्णित स्वसमानाधिकरण (जिस विष्णु में उक्त व्यङ्ग्य धर्म रहता है उसी में रहनेवाले) 'वैसे' रूपान्तर (राहु स्त्री के सुरतोत्सव को चुम्बनमात्रयुक्त बनाने) से व्यक्त होता है। अभिप्राय यह कि धर्मांश की ही व्यङ्ग्यता सिद्ध होती है, धर्मी (विष्णु) अंश की नहीं, क्योंकि भगवान् विष्णु (धर्मी अंश) पहले से प्रकरणागत तथा 'यत्' शब्द से अभिहित होने के कारण व्यङ्ग्य नहीं हो सकता है।

इसी तरह—

'यं प्रेक्ष्य—अर्थात् जिसे (हयग्रीव को) देखकर मद ने ऐरावत के मुख में और मान ने इन्द्र के हृदय में चिरकाल से सुदृढ बनी हुई निवास की प्रीति को छोड़ दिया।' इस प्राचीनों के पद्य में भी 'इन्द्र और ऐरावत मान तथा मद से मुक्त हो गए' यह व्यङ्ग्य 'मान तथा मद के मोक मात्र (केवल छुटकारे)' की व्यङ्ग्यता में पर्यवसित होता है, क्योंकि धर्मी (ऐरावत और इन्द्र) अंश अभिधा का ही विषय है—धर्मी अंश 'ऐरावण और हरि' शब्द से ही ज्ञात होता है, फिर वह अंश व्यङ्ग्य नहीं हो सकता।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि जो व्यङ्ग्यांश है वह कभी दूसरे रूप से अभिधागोचर नहीं होता और जो अभिधा से प्रतिपादित होता है वह धर्मी अंश अभिधा का आश्रय होने से व्यञ्जना व्यापार का आश्रय नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में 'व्यङ्ग्य अर्थ का दूसरे प्रकार से वाच्य होना' असङ्गत ही है। अतः 'कार्य आदि के द्वारा जो व्यङ्ग्य उक्त सा हो उसको पर्यायोक्त कहते हैं।' फलतः 'कार्य आदि के द्वारा आक्षिप्त व्यङ्ग्य पर्यायोक्त है' यही अर्थ सिद्ध हुआ।

प्राचीनों ने जो धर्मी को भी व्यङ्ग्य कहा है उसका अभिप्राय यह है कि व्यञ्जनाव्यापारजन्य बोध का विषय पूरा वाक्यार्थ ही होता है, अतः पूरा वाक्यार्थ व्यङ्ग्य समझा जाता है। हाँ, यदि उसका विश्लेषण किया जाय तो उस वाक्यार्थ में कुछ पदार्थ केवल अभिधा के विषय होंगे और कुछ केवल व्यञ्जना के।

नागेश का यहाँ कथन है कि—"औपाधिक भेद के कारण जिस तरह घटाकाश, मठाकाश आदि में परस्पर भेद प्रतीत होता है उसी तरह तत्तत् धर्म रूप उपाधि के भेद से धर्मी का भी भेद हो जाता है अतः धर्मी अंश (जो भिन्न धर्म रूप उपाधि से युक्त रूप में वाच्य रहता है) भी व्यङ्ग्य (भिन्न धर्मरूप उपाधियुक्त रूप में) हो ही सकता है।"

साभिप्रायमभिनवगुप्तमतमनुवदति—

अभिनवगुप्तपादाचार्यास्तु—'पर्यायेण वाच्यादतिरिक्तप्रकारेण व्यङ्ग्येनोपलक्षितमुक्तमभिहितं पर्यायोक्तम्' इति योगार्थं लक्षणं चाहुः। तेषामयमाशयः—यदि पर्यायशब्देन प्रकारान्तरं धर्मान्तरमुच्यते तदा विवक्षितार्थावच्छेदकातिरिक्तधर्मपुरस्कारेणाभिहितमिति योगार्थः स्यात्। तथा च 'दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः' इत्यादौ रामत्वातिरिक्तधर्मपुरस्कारेण रामस्यैवाभिधानात्पर्यायोक्तप्रसङ्गः। न च व्यङ्ग्यं यत्र तेन प्रकारेणोक्तं तत्पर्यायोक्तमिति वाच्यम्। व्यङ्ग्यस्य योगार्थानन्तर्गतत्वात्। न च योगार्थानन्तर्गतत्वेऽपि लक्षणान्तर्गतत्वं तस्येति वाच्यम्। एवं तर्हि व्यङ्ग्यस्य लक्षणप्रवेशावश्यकत्वे पर्यायशब्देन व्यङ्ग्यस्यैव ग्रहीतुमुचितत्वात्। व्यङ्ग्येन ह्युपलक्षितमुक्तं प्रकारान्तरेणैव भवतीति प्रकारान्तरग्रहणं नात्यावश्यकमिति। अतएवास्माभिराक्षेपो वेति पक्षान्तरमप्युक्तम्।

'पर्यायेण' इत्यस्य विवरणमाह—वाच्यादतिरिक्तप्रकारेणेति। तस्यापि स्फुटार्थमाह—व्यङ्ग्येनेति। 'दशवदन—' इत्यत्र दोषपरिहारायाशङ्कते—न चेति। व्यङ्ग्यतावच्छेदकातिरिक्तधर्मपुरस्कारेण यत्र व्यङ्ग्यं वाच्यं भवेत्तत्र पर्यायोक्तमित्यर्थः। 'दशवदन—' इत्यत्र तु पुण्डरीकाक्षपदस्य भगवति योगरूढत्वेन तस्य न व्यङ्ग्यत्वमिति भावः। समाधत्ते—व्यङ्ग्यस्येति। 'पर्यायोक्त' पद-घटक-पर्यायपदस्य व्यङ्ग्यतावच्छेदकधर्मातिरिक्तधर्मपुरस्काररूपार्थे स्वीकृते व्यङ्ग्यार्थस्य योगार्थघटकत्वाभावादिति समाधानाशयः। पुनः शङ्कते—न च योगार्थानन्तर्गतत्वेऽपीति। ननु व्यङ्ग्यस्य लक्षणप्रवेशावश्यकत्वेऽपि पर्यायशब्देन व्यङ्ग्यस्यैव ग्रहणे किमौचित्यमिति चेत्तत्राह—व्यङ्ग्येनेति। अयंभावः—भवद्रीत्या 'पर्यायेण=प्रकारान्तरेण—व्यङ्ग्यतावच्छेदकातिरिक्तरूपेणेति यावत् व्यङ्ग्यं यत्रोक्तं तत्र पर्यायोक्तम्' इति यल्लक्षणं पर्यवस्यति, तत्र प्रकारान्तरग्रहणं व्यर्थमेव, 'पर्यायेण=व्यङ्ग्येनोपलक्षितमुक्तं यत्र' इति मदुक्तरीत्यैव सामञ्जस्यात् व्यङ्ग्योपलक्षितोक्तेः प्रकारान्तरत्वध्रौव्यादिति। अत एवेति। व्यङ्ग्यस्य पृथक् लक्षणवाक्ये प्रवेशापेक्षया पर्यायपदेनैव व्यङ्ग्यग्रहणस्यौचित्ये प्रकारान्तरग्रहणस्य वैयर्थ्यादेवेत्यर्थः।

अब अभिप्रायसहित अभिनवगुप्त-मत का उल्लेख किया जाता है—अभिनवगुप्त इत्यादि।

अभिनवगुप्ताचार्य का तो कथन है कि—'पर्याय से—वाच्यातिरिक्त प्रकार से—अर्थात् व्यङ्ग्य अर्थ से उपलक्षित हो कर जो उक्त—अर्थात् अभिधा द्वारा प्रतिपादित हो उसे पर्यायोक्त कहते हैं।' यह उनका योगार्थ के आधार पर किया गया पर्यायोक्त का लक्षण है। उनका अभिप्राय यहाँ यह है कि—यदि 'पर्याय' शब्द से 'प्रकारा-

न्तर'—अर्थात् 'धर्मान्तर' लिया जाय तब 'पर्यायोक्त' शब्द का यौगिक अर्थ यह होगा कि–'विवक्षितार्थतावच्छेदकातिरिक्तधर्मपुरस्कारेण अर्थात् वक्तव्य वस्तु को जिस रूप से कहना चाहते हैं उस रूप से अन्य रूप को पुरस्कृत करके, अभिधा से प्रतिपादित'। ऐसी स्थिति में 'दशवदन—अर्थात् रावण को मारने वाले कमलनयन दशरथ-पुत्र' इत्यादिक में भी रामत्व से अन्य (पुण्डरीकाक्षत्व) धर्म (रूप) के पुरस्कार द्वारा राम का ही अभिधा से प्रतिपादित होने के कारण पर्यायोक्त अलङ्कार होने लगेगा—अर्थात् लक्षण में अतिव्याप्ति दोष लग जायगा। अब यदि आप लक्षण का स्वरूप यह करें कि 'जहां व्यङ्ग्य उस प्रकार से अभिहित हो—अर्थात् व्यङ्ग्यतावच्छेदक धर्म से अन्य धर्म को पुरस्कृत करके व्यङ्ग्य का निरूपण हो वहां पर्यायोक्त होता है' तो यह ठीक नहीं, क्योंकि धर्मान्तर वाले यौगिक अर्थ के अन्दर 'व्यङ्ग्य' आता नहीं।

यदि आप कहें कि यौगिक अर्थ के अन्दर न आने पर भी लक्षण के अन्दर आ सकता है—अर्थात् योग द्वारा अलब्ध अर्थ का भी लक्षण में प्रवेश कर लिया जायगा, तो इसके उत्तर में यह कहना है कि जब आपने भी लक्षण में व्यङ्ग्य के प्रवेश को आवश्यक मान लिया तब तो 'पर्याय' शब्द से व्यङ्ग्य का ही ग्रहण करना उचित है, प्रकारान्तर का नहीं। क्योंकि व्यङ्ग्य से उपलक्षित का अभिधा द्वारा प्रतिपादन प्रकारान्तर से ही हो सकता है, अतः पर्यायोक्त के लक्षण में 'प्रकारान्तर' का ग्रहण अत्यावश्यक नहीं रह जाता। इसी कारण हमने लक्षण में 'भङ्ग्यन्तर' का अर्थ बताते हुए 'अथवा आक्षेप' यह दूसरा पक्ष भी कहा है।

अभिप्राय यह कि 'विवक्षित अर्थ का भङ्ग्यन्तर से प्रतिपादन' इस लक्षण में 'विवक्षित अर्थ' से व्यङ्ग्य ही अभीष्ट है ऐसी स्थिति में यदि 'भङ्ग्यन्तर' शब्द का अर्थ वही 'प्रकारान्तर' हो जैसा कि 'येन रूपेण विवक्षितोऽर्थस्तद्तिरिक्तः प्रकारः भङ्ग्यन्तरम्' इस पक्ष में किया गया है, तब पण्डितराज के मत में भी वह आपत्ति (प्रकारान्तरग्रहण की व्यर्थता) आ ही जायगी, इसी दोष से बचने के लिये 'आक्षेपो वा' यह दूसरा पक्ष कहा गया है।

पूर्वोक्तस्य मतत्रयस्य तुलनात्मकं विश्लेषणं कर्तुं प्रयतते—

इदं पुनरवशिष्यते—'वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्' इति सकलप्रसिद्धध्वन्युदाहरणेऽधमनिकटगमननिषेधरूपेण तन्निकटगमनविशिष्टायाः, अधमत्वेन रूपेण वा दूतीसंभोगकर्तुरभिधानात्पर्यायोक्तप्रसङ्गः प्राचीनपक्ष इवास्मिन्नपि पक्षे भवति। स च व्यङ्ग्यविशेषग्रहणेन तैरिवैतैरपि निरसनीयः। मध्यस्थपक्षे तु नेदमपि दूषणम्।

प्राचीनपक्ष इवेति। मम्मटोक्तपक्ष इवेत्यर्थः। अस्मिन्नपि पक्ष इति। अभिनवगुप्तोक्तपक्षे इत्यर्थः। 'निश्शेषच्युत—' इत्यत्राधमनिकटगमननिषेधरूपेण भङ्ग्यन्तरेणाधमनायकनिकटगमनविशिष्टाया दूत्या अभिधानमस्ति, एवम् अधमत्वात्मकेन भङ्ग्यन्तरेण दूतीसंभोगकर्तुर्नायकस्याभिधानमस्तीत्युभयथाऽत्र मम्मटमते पर्यायोक्तप्रसङ्गः, इत्थमेव 'रमणोद्देश्यकनायकनिकटगमन'रूपव्यङ्ग्येनोपलक्षितम् अधमनायकनिकटगमनाभावविशिष्टदूतीरूपार्थस्याभिधानमस्तीति अभिनवगुप्तमतेऽप्यत्र तत्प्रसङ्गः। तथा च ध्वनिलक्ष्यत्वेन सर्वाभिमतस्य तस्य काव्यस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वेन मध्यमकाव्यत्वमापद्येतेति शङ्काशयः। समाधानप्रकारमाह—स चेति। व्यङ्ग्यविशेषेति। विशेषश्च वक्तृवैशिष्ट्यादिसहकारिकारणानपेक्षत्वम्। अत्र

'तत्र व्यङ्ग्यापेक्षया वाच्ये चारुतरत्वाभावस्य सहृदयसंमतत्वेनाक्षतेः। व्यङ्ग्यमेव हि तत्र वाच्याच्चारु।' इत्यपि नागेशः। तैरिवेति। मम्मटभट्टैरिवेत्यर्थः। एतैरपीति। अभिनवगुप्तैरपीत्यर्थः। अयं भावः—'निःशेषच्युत—' इत्यत्र पर्यायोक्तप्रसक्तेर्वारणं मम्मटभट्टा यथा 'पर्यायोक्ते व्यङ्ग्यविशेषग्रहणम्, 'निःशेष—' इत्यत्र तादृशव्यङ्ग्यविरहश्च व्याख्याय' कुर्युस्तथा अभिनवगुप्तपादा अपि कर्तुं शक्नुवन्तीति। मध्यस्थपक्ष इति। अलंकारसर्वस्वकारोक्तपक्ष इत्यर्थः। नेदमपीति। 'निःशेष—' इत्यत्रत्यपर्यायोक्तप्रसक्तिरूपदूषणमपि नः कार्यादिद्वारा गम्यस्य तत्राभिधानाभावात्। तथा च सर्वस्वकारमतमत्र सर्वतः श्रेष्ठमिति भावः।

उक्त तीनों मतों का तुलनात्मक विश्लेषण अब किया जाता है—इदं पुनः इत्यादि।

अब यहाँ अवशिष्ट विचारणीय बात यह रह जाती है कि—'वापीं स्नातुम्—अर्थात् तुम यहाँ से बावली नहाने गई थी, न कि उस अधम के पास' इस सर्वप्रसिद्ध ध्वनि के उदाहरण में 'अधम के पास जाने के निषेध' रूप से 'अधम के पास जाने से युक्त दूती' का अथवा 'अधमत्व' रूप से 'दूतीसंभोग करने वाले नायक' का अभिधान (अभिधा द्वारा प्रतिपादन) हो जाने से अभिनवगुप्त के पक्ष में भी मम्मट भट्ट के पक्ष की तरह पर्यायोक्त प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह कि 'व्यङ्ग्य अर्थ ही जहाँ भङ्ग्यन्तर से वाच्य हो' इस मम्मटकृत लक्षण के अनुसार जिस तरह से 'वापीं स्नातुम्—' इस ध्वनि के उदाहरण में पर्यायोक्त का प्रसङ्ग हो जाता है, क्योंकि वहाँ भी 'उस अधम के पास जाने वाली' यह व्यङ्ग्य 'उस अधम के पास न जाने वाली' इस निषेधात्मक शैली में वाच्य है और 'दूतीसंभोगकर्ता' यह व्यङ्ग्य 'अधम' इस शैली में वाच्य है, उसी तरह से 'व्यङ्ग्य से उपलक्षित कथन' इस अभिनवगुप्तोक्त लक्षण के अनुसार भी उक्त ध्वन्युदाहरण में पर्यायोक्त का प्रसङ्ग हो ही जायगा, क्योंकि वहाँ भी उक्त द्विविध व्यङ्ग्यों से उपलक्षित कथन है ही। इस प्रकार से उक्त दोनों मतों में उक्त पद्य ध्वनि का उदाहरण न रहकर गुणीभूतव्यङ्ग्य नामक मध्यम काव्य का उदाहरण होने लगेगा।

इस आपत्ति का वारण भी दोनों आचार्य अपने-अपने पक्ष में एक ही बात कह कर कर सकेंगे—अर्थात् 'पर्यायोक्त में विलक्षण ढङ्ग का (वक्ता की विशिष्टता आदि सहायक कारण की अपेक्षा नहीं रखने वाला) व्यङ्ग्य विवक्षित है और 'वापीं स्नातुम्—' इस पद्य का व्यङ्ग्य वैसा (उक्त सहायक कारण की अपेक्षा नहीं रखने वाला) नहीं है (उक्त सहायक कारण की अपेक्षा रखने वाला ही है)' ऐसी व्याख्या कर लेने पर उक्त दोनों मतों में उक्त आपत्ति वारित हो जायगी।

बीच के पक्ष में (सर्वस्वकार के मत में) इस दोष का भी अवसर नहीं आता है। तात्पर्य यह कि सर्वस्वकार ने 'कार्य आदि के द्वारा जहाँ व्यङ्ग्य वाच्य सा हो जाता है वहाँ पर्यायोक्त होता है' ऐसा लक्षण किया है, तदनुसार 'वापीं स्नातुम्—' इस पद्य में पर्यायोक्त की प्रसक्ति नहीं होती, क्योंकि वहाँ कार्यादिक के द्वारा व्यङ्ग्य की वाच्यायमानता—अर्थात् व्यङ्ग्य का आक्षेप, नहीं है।

इस तरह से पण्डितराज की दृष्टि में उक्त तीनों मतों में सर्वस्वकारमत की श्रेष्ठता सिद्ध होती है।

कुवलयानन्दोक्तमनूद्यावद्यति—

तदेवं पक्षाणां निष्कर्षे स्थिते यदस्मिन्प्रकरणे कुवलयानन्दकारेणोक्तं तत्सर्वमविचारितरमणीयमेव। तथा हि यत्तावदुच्यते—"—'नमस्तस्मै कृतौ येन मुधा राहुवधूस्तनौ'। अत्र भगवान्वासुदेवः स्वासाधारणरूपेण गम्यो राहुवधूकुचवैयर्थ्यकारकत्वेन रूपान्तरेणाभिहितः" इति, तन्न। अत्र हि राहुवधूकुचौ येन मुधा कृतावित्यभिहितेन राहुवधूकुचवैयर्थ्यकारित्वेन राहुशिरश्छेदकारित्वं व्यज्यत इति तावन्निर्विवादम्। भगवद्वासुदेवत्वं तु विशेषणमर्यादालभ्यं न काव्यमार्गीयव्यङ्ग्यकक्षामारोढुं प्रभवति।

अन्यथा 'नमो राहुशिरश्छेदकारिणे दुःखहारिणे' इत्यत्रापि भगवद्वासुदेवत्वव्यङ्ग्यताप्रयुक्तं पर्यायोक्तमलंकारः स्यात्। विशेषणमर्यादालभ्यस्य च धर्मस्य किञ्चिद्व्यङ्ग्यतास्पर्शः सन्नपि न स काव्यमार्गे गण्यते। असुन्दरत्वात्। अन्विताभिधाने अतिविशेषवपुष इव सामान्यरूपाणां पदार्थानामन्वये। किं च 'राहुस्त्रीकुचनैष्फल्यकारिणे हरये नमः' इत्यत्र भगवतः स्वशब्देनाभिधेयस्य स्वासाधारणरूपेणाप्यगम्यत्वाद्राहुशिरश्छेदकारित्वेनैव व्यङ्ग्यत्वमेष्टव्यम्, न स्वासाधारणरूपेण। न चात्र पर्यायोक्तं नास्तीति कस्यापि संमतम्।

यदप्युक्तम् 'सर्वस्वकारस्य लोचनकर्तुश्च सर्वोऽप्ययं क्लेशः किमिति न विद्मः' इति, तत्र यदर्थं तेषां क्लेशस्तत्तु तन्मतनिष्कर्षावसर एव निरूपितम्।

यदप्युक्तम् "-'चक्राभिघातप्रसभाज्ञया' इति प्राचीनोदाहरणे यद्राहुशिरश्छेदावगमनं तत्र प्रागुक्तरीत्या प्रस्तुताङ्कुर एव। यत्तु प्रस्तुतेन राहोः शिरोमात्रावशेषेणालिङ्गनवन्ध्यात्वाद्यापादनरूपे वाच्ये भगवतो रूपान्तरे उपपादिते भगवद्रूपेणावगमनं तत्पर्यायोक्तस्य विषयः" इति, तदपि न।

यदि राहुशिरश्छेदावगमनं त्वत्कल्पितस्य प्रस्तुताङ्कुरस्य विषयः स्यात्तदा किं पर्यायोक्तेन? भगवद्रूपेणावगमनं तु विशेषणमर्यादालभ्यत्वेनासुन्दरम् 'नमो राहुशिरश्छेदकारिणे' इत्यादाविव न कस्याप्यलंकारस्य विषय इत्युक्तमेव। प्रस्तुताङ्कुरस्य प्राचीनैरस्वीकाराच्च। स्वीकारे वा प्रस्तुतेन स्वसदृशो वाक्यार्थः प्रस्तुत एव यत्र व्यज्यते, स तस्य विषयोऽस्तु। न तु कार्येण प्रस्तुतेन कारणावगमनम्। अन्यथा 'ह्यप्रस्तुतेन कार्येण प्रस्तुतकारणावगमने अप्रस्तुतप्रशंसैव। प्रस्तुतेन कार्येण प्रस्तुतस्यैव कारणस्यावगमनं तु पर्यायोक्तस्य विषयः' इत्यलंकारसर्वस्वकारादिभिः प्राचीनैः कृतो विषयविभाग उच्छिन्न एव स्यात्। 'राहुवधूगतेन विशिष्टेन रतोत्सवेन राहुशिरश्छेदः कारणरूपो गम्यते। एवमन्यत्रापि पर्यायोक्तं ज्ञेयम्' इति त्वदुपजीव्यग्रन्थविरोधाच्च। तस्मादत्र राहुशिरश्छेदकारित्वेनावगमः पर्यायोक्तस्य विषयः, न तु भगवद्रूपेणेति सहृदयैराकलनीयम्।

'नमस्तस्मै—' इति। येन भगवता, राहुवधूस्तनौ राहुस्त्रीकुचौ, मुधा व्यर्थौ, कृतौ विहितौ, भगवता छिन्नस्य शिरोमात्रभागस्य राहुपदवाच्यतया कररहितेन तेन स्तन-

मर्दनाद्यसंभवे तद्वधूस्तनसार्थक्याभाव इति भावः। तस्मै राहुवधूस्तनवैयर्थ्यकारिणे भगवते नमः इति व्याख्या। स्वासाधारणरूपेणेति। वासुदेवत्वेनेत्यर्थः। अभिहित इति। अत एवात्र पर्यायोक्तमिति भावः। निरस्यति—तन्नेति। तत्र युक्तिमाह—अत्र हीति। विशेषणमर्यादालभ्यमिति। 'विशिष्टज्ञाने विशेषणज्ञानं कारणम्' इति युक्त्या लभ्यमित्यर्थः। 'वासुदेवः' इति ज्ञाने 'वासुदेवत्व' ज्ञानस्य नान्तरीयकत्वमिति भावः। अन्यथेति। विशेषणमर्यादालभ्यस्यार्थस्य काव्यमार्गीयव्यङ्ग्यकक्षारोहे इत्यर्थः। अत्र नागेशः—"चिन्त्यमिदम्। व्यङ्ग्यापेक्षया चमत्कारित्वे इष्टापत्तेः। अतत्त्वे तु चारुतरेण विशेषणेन व्यावृत्तेः। नासौ काव्यमार्गे गण्यते इति राजाज्ञामात्रमेतत्। मदेनैरावणमुखे इति प्रकाशोदाहरणे तादृशव्यङ्ग्यस्यैव सत्त्वाच्च"। इति। असुन्दरत्वेन विशेषणमर्यादालभ्यस्यार्थस्य काव्यमार्गीयव्यङ्ग्यकोटावगणने दृष्टान्तमाह—अन्विताभिधान इति। अयं भावः—अन्विताभिधानवादे अन्वित एव पदार्थे वाक्यस्थितानां पदानां शक्तिः स्वीक्रियते, तथा च विशिष्टः पदार्थ एव वाक्यार्थः, न तु पदार्थानां वैशिष्ट्यम् तात्पर्यवृत्तिलभ्यमिति तद्वादसिद्धान्तः। परमस्मिन्नपि वादे सामान्यरूपाणामेव पदार्थानामन्वयः शक्तिविषयो भवति। तथा च 'गामानय' इत्यादौ पदार्थान्तरान्वितानयनादौ 'आनय' पदस्य शक्त्या गवानयनस्यातिविशेषभूतस्यावाच्यत्वेऽपि यथा व्यङ्ग्यत्वम् काव्यमार्गप्रवर्तका नाङ्गीकुर्वन्ति तथैव प्रकृतेऽपि इति। दीक्षितोक्तेरयुक्तत्वे युक्त्यन्तरमाह—किं चेति। अयं भावः—'राहुस्त्रीकुचनैष्फल्यकारिणे हरये नमः' इत्यत्र पर्यायोक्तं सर्वस्य सम्मतम्। परमिह भगवान् स्वासाधारणरूपेण व्यङ्ग्यो न विद्यते, हरिशब्देन वाच्यत्वात्, ततश्च पर्यायोक्तसिद्धये राहुशिरश्छेदकारित्वेन रूपेणैव व्यङ्ग्यत्वं वक्तव्यं भवेत्। एवञ्च 'स्वासाधारणरूपेण गम्यः' इति दीक्षितोक्तिरयुक्तेति।

तदीयामन्यामुक्तिं खण्डनायानुवदति—यदप्युक्तमिति। खण्डयति—तत्र यदर्थमिति। निरूपितमिति। 'यो व्यङ्ग्यांशः स न कदापि रूपान्तरपुरस्कारेणाभिधीयते, यश्चाभिधीयते धर्मी स तु तदानीमभिधाश्रयत्वाद् व्यञ्जनव्यापारानाश्रय एवेति व्यङ्ग्यस्य प्रकारान्तरेणाभिधानमसंगतमेव' इत्यादि सर्वस्वकारमतनिष्कर्षावसरे 'यदि पर्यायशब्देन प्रकारान्तरं धर्मान्तरमुच्यते, तदा विवक्षितार्थतावच्छेदकातिरिक्तधर्मपुरस्कारेणाभिहितमिति योगार्थः स्यात्। तथा च 'दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः' इत्यादौ रामत्वातिरिक्तधर्मपुरस्कारेण रामस्यैवाभिधानात्पर्यायोक्तप्रसङ्गः।' इत्यादि लोचनकारमतनिष्कर्षे च निरूपितमिति।

तदीयामेवापरामुक्तिं निरसितुमुद्धरति यदप्युक्तम्-'चक्राभिघातेति। प्रागुक्तरीत्येति। 'प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य द्योतने प्रस्तुताङ्कुरः' इतिरीत्येत्यर्थः। प्रस्तुताङ्कुर एवेति। प्रस्तुतेन तादृग्रतोत्सवरूपेण कार्येण प्रस्तुतस्य राहुशिरश्छेदरूपकारणस्य द्योतनादिति भावः। यत्त्विति। अस्य 'अवगमनम्' इत्यग्रिमेणान्वयः। अयमाशयः 'चक्राभिघात—' इत्यत्र 'राहुवधूजनस्य रतोत्सवं चुम्बनमात्रशेषमालिङ्गनोद्दामविलासवन्ध्यं चकार' इति यो वाच्यार्थो विद्यते स 'राहोः शिरोमात्रमवशिष्टम्' इति प्रस्तुतेन व्यङ्ग्येनोपपन्नः कृतः। अथ तेन वाच्येन भगवान् स्वासाधारणेन भगवत्त्वेन रूपेणाभिव्यज्यते इति तद् व्यङ्ग्यमादायात्र

पर्यायोक्तमपि स्यादिति । निरस्यति—तदपि नेति । तत्र युक्तिमाह—यदीति । त्वत्कल्पितस्येति । अनेन न सर्वसम्मतः प्रस्तुताङ्कुरः' इति सूच्यते । किं पर्यायोक्तेनेति । तत्रत्यचारुत्वस्य प्रस्तुताङ्कुरेणैव क्रोडीकरणादिति भावः । ननु भगवद्रूपेण भगवतोऽवगमनम् प्रस्तुताङ्कुरेणाक्रोडीकृतमिति ,तदादाय पर्यायोक्तम् किन्न स्यादित्यत आह—भगवद्रूपेणावगमनं त्विति । अस्वीकाराच्चेति । प्राञ्चः प्रस्तुताङ्कुरं नालङ्कारान्तरमङ्गीकुर्वन्तीति 'छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम्' इत्युक्तदिशा दीक्षितोक्तेरवसर एव निरस्त इति भावः । अभ्युपेत्याह—स्वीकारे वेति । तस्येति । प्रस्तुताङ्कुरस्येत्यर्थः । कारणावगमनमिति । प्रस्तुताङ्कुरस्य विषयो नेति भावः । कुतो न विषय इत्यत्राह—अन्यथेति । 'प्रस्तुतेन कार्येण कारणावगमनस्यापि प्रस्तुताङ्कुरविषयत्वे' इत्यन्यथा पदार्थो बोध्यः ।

उच्छिन्न एव स्यादिति । प्रस्तुतेन कार्येण प्रस्तुतस्य कारणस्यावगमनं यदि प्रस्तुताङ्कुरस्य विषयस्तदा 'प्रस्तुतेन कार्येण प्रस्तुतस्यैव कारणस्यावगमनं तु पर्यायोक्तस्य विषयः" इत्यलङ्कारसर्वस्वकारादिविभागपरोक्तिरसङ्गता स्यादिति भावः । उपजीव्यविरोधोऽपि दीक्षितोक्त्ययुक्ततासूचकोऽस्तीत्याह—'राहुवधूगतेनेत्यादि । उपसंहारमाह—तस्मादिति । अत्रेति । 'चक्राभिघात—' इत्यत्रेत्यर्थः ।

नागेशस्तु 'भगवद्रूपेणावगमनं तु विशेषणमर्यादालभ्यत्वेनासुन्दरम्' इति प्रतीकमुपादाय चन्द्रिकाख्यकुवलयानन्दव्याख्यानुसारम् पण्डितराजविरुद्धमाह—"चिन्त्यमिदम् । इष्टापत्तेः । व्यङ्ग्यसौन्दर्यस्याविवक्षितत्वात् व्यङ्ग्यापेक्षया वाच्यस्यैवात्र चारुतरत्वमिति स्पष्टं तदुक्तेः । अत्रैवालङ्कारे व्यंग्यं वाच्यपरमिति ध्वनिकृतः । तादृशविशेषणं हि व्यङ्ग्यमादायैवोपपद्यत इति तदाशयः । 'राहुस्त्रीकुचनैष्फल्यकारिणे हरये नमः' इत्यत्र राहुशिरश्छेदकारणमात्रावगमने प्रस्तुताङ्कुरः । राहुशिरश्छेदकारित्वेन भगवतोऽवगमने पर्यायोक्तमपि । एतेन नम इत्याद्यग्रिममपि प्रस्तुताङ्कुराभावप्रतिपादकमपास्तम् । राजाज्ञामात्रत्वात् । किं च मुख्यतात्पर्यविषयीभूतार्थेन वाच्येन व्यङ्ग्येन वा वाच्यं व्यक्तं वा प्रस्तुतं यत्र सादृश्याद्यन्यतमप्रकारेण प्रशस्यते साप्रस्तुतप्रशंसेत्यप्रस्तुतप्रशंसालक्षणस्य भवतानुपदोक्तस्य राहुशिरश्छेदकारित्वरूपव्यङ्ग्यांशे सत्त्वेनाप्रस्तुतप्रशंसयैव निर्वाहे किं पर्यायोक्तेनेति नियोगे उत्तरं विभाव्यताम् । न चात्र द्वयोरपि मुख्यतात्पर्यविषयतेति वाच्यम् । एवं तर्हि 'आपेदिरेऽम्बरपथम्—' इत्यत्रापि यदा द्वयोर्मुख्यतात्पर्यविषयता तदा कोऽलङ्कार इत्यत्रोत्तरं विभाव्यताम् । अस्मन्मते तु प्रस्तुताङ्कुर एव । भवतापि तत्स्वीकारे तेनैव गतार्थता स्पष्टैव । नचास्मिन्नलङ्कारे व्यङ्ग्यं वाच्यपरमप्रस्तुतप्रशंसायां तु वाच्यं व्यङ्ग्यपरमतः सा नेति वाच्यम् । 'कस्त्वं भोः—' इत्यादावप्रस्तुतप्रशंसायां व्यङ्ग्यस्य वाच्याङ्गत्वेन तस्या भेदकत्वात् । प्राचीनग्रन्थविरोधस्तु तत्र तद्दूषणप्रवृत्तस्य भूषणमेव । एवञ्च सर्वस्वलोचनकृतः— क्लेशो व्यर्थो दुष्टश्चेत्यपि सम्यगेव । इति ।

अब पूर्वोक्त तीनों मतों के प्रकाश में कुवलयानन्दकार अप्पय दीक्षित की विभिन्न पर्यायोक्तसंबद्ध उक्तियों का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है—तदेवं पञ्चानाम् इत्यादि ।

उक्त तीनों मतों का निष्कर्ष जो ऊपर लिखा जा चुका है उसके आधार पर विचार करने से कुवलयानन्दकार के द्वारा इस प्रकरण में लिखी गई सभी बातें अविचारितसुन्दर

(विचार न करने तक सुन्दर—अर्थात् विचार करने पर असुन्दर) प्रतीत होती है। देखिए, सर्वप्रथम उन्होंने जो यह लिखा है कि—"नमस्तस्मै—अर्थात् जिसने राहु-वधू-स्तनों को व्यर्थ कर दिया उसे नमस्कार' इस पद्य में 'भगवान् वासुदेव अपने असाधारण रूप से (वासुदेवत्व रूप से) व्यङ्ग्य होकर भी राहु वधू-स्तन-वैयर्थ्यकारित्व रूप से अभिहित (वाच्य) हुआ है।' तात्पर्य यह कि इसी तरह की व्यङ्ग्यता और वाच्यता के आधार पर यहां पर्यायोक्त अलङ्कार होता है।" वह ठीक नहीं है। कारण, यहाँ 'जिसने राहु-वधू के स्तनों को व्यर्थ कर दिया' इस रूप में अभिहित (वाच्य बनाए गए) 'राहुवधू-स्तन-वैयर्थ्यकारित्व' से 'राहुशिरश्छेदकारित्व' अभिव्यक्त होता है इसमें तो कोई विवाद है नहीं। भगवान् वासुदेव की वासुदेवता तो विशेषण मर्यादा से लब्ध होती है अर्थात् 'वासुदेवः' इस विशिष्ट ज्ञान के होने से पहले ही कारण होने के नाते 'वासुदेवत्व' का ज्ञान यद्यपि अवश्य हो जाता है, और इस तरह से उस वासुदेवत्व को भी एक प्रकार का व्यङ्ग्य अर्थ ही समझा जा सकता है।

तथापि वह उस व्यङ्ग्य की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता, जो काव्यमार्ग में अभिमत होता है। यदि उस तरह के व्यङ्ग्य को भी काव्यमार्गीयव्यङ्ग्य की श्रेणी में माना जाय तब 'नमो राहुशिरश्छेद'''अर्थात् राहुशिरश्छेदकारी दुःखहारी को नमस्कार' इस तरह के पद्य में भी भगवद्वासुदेवत्व की व्यङ्ग्यता के आधार पर पर्यायोक्त अलङ्कार हो जायगा।

अतः यह मानना पड़ेगा कि विशेषण-मर्यादा से लब्ध होने वाले धर्म से थोड़ी सी व्यङ्ग्यता का स्पर्श रहने पर भी उसकी गणना काव्यमार्ग में नहीं की जाती, क्योंकि उस तरह के व्यङ्ग्य में सुन्दरता नहीं होती और काव्यमार्ग में सुन्दरता नहीं होती और काव्यमार्ग में सुन्दरतायुक्त व्यङ्ग्य को ही व्यङ्ग्य माना जाता है। अतएव अन्विताभिधान-वादियों के मत में जब सामान्य रूप से पदार्थों का अन्वय ही अभिधा का विषय सिद्ध कर दिया जाता है तब अतिविशेष भूत पदार्थों का अन्वय अवाच्य होने से साधारण-तया व्यङ्ग्य होकर भी काव्यमार्गीय-व्यंगय कोटि में नहीं गिना जाता है।

दूसरी बात यह कि यदि आप किसी तरह 'नमस्तस्मै कृतौ येन मुधा राहुवधूकुचौ' इस पद्य में वासुदेवत्व को व्यङ्ग्य मान भी लें तथापि 'राहुस्त्रीकुचनैष्फल्यकारिणे हरये नमः' इस स्थल पर भगवान् जो स्वशब्द से (अपने वाचक हरि शब्द से) अभिहित हुआ है, अपने असाधारण रूप से व्यङ्ग्य नहीं हो सकता, अतः अगत्या आपको भी यहाँ पर्यायोक्त-सिद्धि के लिये 'राहुशिरश्छेदकारित्व' रूप से ही व्यंग्यता इष्ट करनी होगी, न कि अपने असाधारण रूप से। यहां पर्यायोक्त है ही नहीं ऐसा तो किसी का भी मत नहीं हो सकता।

फलतः 'नमस्तस्मै—' इस पद्य में भी 'राहुशिरश्छेदकारित्व' की व्यंगयता के आधार पर ही पर्यायोक्त का उपपादन करना उचित है।

दूसरी बात जो दीक्षितजी ने यह कही है कि "सर्वस्वकार तथा लोचनकार के ये सब क्लेश किस लिए हैं, यह हम नहीं समझते" वह भी संगत नहीं, क्योंकि उन दोनों आचार्यों ने जिस लिए ये सब क्लेश किए हैं उसका निरूपण उनके मतों के निष्कर्ष लिखते समय किया जा चुका है।

तीसरी बात जो दीक्षित जी ने यह कही है कि "—'चक्राभिघातप्रसभाज्ञया—' इस प्राचीनों के उदाहरण में जो राहुशिरश्छेद का अवगम (वैयञ्जनिक बोध) होता है, वहां पूर्वोक्त रीति से—अर्थात् 'प्रस्तुत से प्रस्तुत का द्योतन होने पर प्रस्तुताङ्कुर होता

है' इस लक्षण के अनुसार 'प्रस्तुताङ्कुरालङ्कार' ही है। तात्पर्य यह कि आलिंगनशून्य-चुम्बनमात्रयुक्त-रतोत्सव-विधानरूप प्रस्तुतकार्य से राहुशिरश्छेदरूप प्रस्तुत कारण की जो यहां अभिव्यक्ति होती है वह उक्त लक्षण के अनुसार प्रस्तुताङ्कुर का ही विषय है। किन्तु 'राहु के शिरमात्र का बच रहना रूप प्रस्तुत व्यङ्ग्य से आलिङ्गनशून्य रतोत्सव विधानरूप वाच्य अर्थ की, जो भगवान् का ही दूसरा स्वरूप है, उपपत्ति कर दिए जाने पर जो भगवान् रूप से अवगम होता है—अर्थात् भगवत्ता रूप अपने असाधारण धर्म से भगवान् की अभिव्यक्ति होती है वह पर्यायोक्त का विषय है।" वह भी अनुचित ही है। कारण, यदि 'राहुशिरश्छेद' की अभिव्यक्ति आपके द्वारा कल्पित न कि सबके द्वारा समर्थित, प्रस्तुताङ्कुरालङ्कार का विषय हो तो फिर पर्यायोक्त की आवश्यकता ही यहां क्या है ? तात्पर्य यह कि यहां के सौन्दर्य को जब किसी एक अलङ्कार का रूप दे दिया गया, तब वहाँ अलङ्कारान्तर की कल्पना निष्प्रयोजन हो जाती है।

आप कहेंगे—राहुशिरश्छेदात्मक व्यङ्ग्यप्रयुक्त सौन्दर्य को प्रस्तुताङ्कुर मान लेने पर भी भगवद्रूपेण भगवान् की अभिव्यक्ति बच रहती है उसके सौन्दर्य को पर्यायोक्त मानने में क्या आपत्ति ? तो इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है—अर्थात् यह कहा जा चुका है कि विशेषण मर्यादा से लब्ध होने वाला भगवत्तात्मक व्यङ्ग्य असुन्दर होने से 'नमो राहुशिरश्छेदकारिणे— ' की तरह किसी अलङ्कार का विषय नहीं हो सकता,

दूसरी बात यह भी है कि प्राचीनों ने प्रस्तुताङ्कुर नामक एक पृथक् अलङ्कार माना भी नहीं है।

और यदि प्रस्तुताङ्कुर नामक एक पृथक् अलङ्कार की बात मान भी ली जाय तब भी उसका विषय वह हो सकता है जहाँ प्रस्तुत के द्वारा अपने सदृश अन्य प्रस्तुत वाक्यार्थ ही व्यक्त होता हो, न कि वह जहां प्रस्तुत कार्य के द्वारा कारण की अभिव्यक्ति होती हो। अन्यथा 'अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण की प्रतीति होने पर अप्रस्तुतप्रशंसा ही होती है और प्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण की अभिव्यक्ति पर्यायोक्त का विषय है' यह अलंकारसर्वस्वकार आदि प्राचीन आचार्यों के द्वारा किया हुआ विषय-विभाग उच्छिन्न ही हो जायगा।

इसके अतिरिक्त आपके (कुवलयानन्दकार के) उपजीव्य ग्रन्थ 'अलङ्कारसर्वस्व' में जो यह कहा गया है कि 'राहु की स्त्री में स्थित विलक्षण (आलिङ्गनशून्य चुम्बन-मात्रयुक्त) रतोत्सवरूप कार्य से कारणरूप राहु-शिरश्छेद व्यक्त होता है। इस प्रकार से अन्यत्र भी पर्यायोक्त जानना चाहिए।' उससे भी आप के मत में विरोध पड़ता है।

इसलिए यहां 'राहु के शिरश्छेदन करने वाले' के रूप में जो भगवान् की प्रतीति होती है वही पर्यायोक्त का विषय है, न कि भगवद्रूप में उनकी अभिव्यक्ति। यह बात सहृदयों को समझनी चाहिए।

यहां नागेश ने एक लम्बी टिप्पणी (जिसका अविकल रूप संस्कृत व्याख्या में उद्धृत किया गया है) लिख कर पण्डितराज का खण्डन और दीक्षित का मण्डन करने का प्रयास किया है। इस टिप्पणी में मुख्यतया 'भगवान् का भगवद्रूप से होने वाला अवगम विशेषण मर्यादा से लब्ध होने के कारण असुन्दर होता है, अतः काव्यमार्गीय व्यङ्ग्य की श्रेणी में नहीं आ सकता' इस पण्डितराजोक्त युक्ति का खण्डन यह कह कर किया गया है कि 'पर्यायोक्त में व्यङ्ग्य का असुन्दर होना तो इष्ट ही है 'क्योंकि वहां वाच्य की सुन्दरता ही अभिमत रहती है। यह बात सही है, पर मुझे इसमें कुछ दुराग्रह की गन्ध लगती है, क्योंकि दीक्षित ने मम्मट ने और अन्य आचार्यों ने भी पर्यायोक्त का विवेचन

करते हुए व्यङ्ग्य से चारुतर वाच्य की अपेक्षा की है। इससे सिद्ध होता है कि व्यङ्ग्य को भी चारु होना ही चाहिए, पर वाच्य को चारुतर होना चाहिए। अब आप सोचें कि उक्त स्थलों में विशेषणमर्यादालभ्य वासुदेवत्व (भगवत्त्व) कथंचित् व्यङ्ग्य होकर भी चारु है ?

मुझे तो उसमें चारुता प्रतीत नहीं होती। आशा है अन्य सहृदयों की भी सहमति मेरी प्रतीति को प्राप्त होगी।

पर्यायोक्तस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यतायाः प्रमापकं ध्वनिकारानुयायिमतमुपदर्शयति—

अस्मिंश्चालङ्कारे व्यङ्ग्यं वाच्यपरम्। अप्रस्तुतप्रशंसायां तु वाच्यं व्यङ्ग्यपरम्। तेनायमलङ्कारो वाच्यसिद्ध्यङ्गगुणीभूतव्यङ्ग्यभेद इति ध्वनिकारानुयायिनः।

अस्मिन्निति। पर्यायोक्त इत्यर्थः। वाच्यपरमिति। वाच्यार्थस्योपपादकतयाऽऽङ्गमित्यर्थः। व्यङ्ग्यपरमिति। चारुतरस्य व्यङ्ग्यस्य पोषकतया कवितात्पर्यविषयीभूतमित्यर्थः। तेनेति। व्यङ्ग्यस्य वाच्यपरतयेत्यर्थः। अयमिति। पर्यायोक्तमित्यर्थः। वाच्यसिद्ध्यङ्गेति। वाच्यसिद्ध्यङ्गनामकगुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यप्रभेद इत्यर्थः। एतेनाप्रस्तुतप्रशंसाध्वनिकाव्यप्रभेद एवेत्यपि सूचितम्।

पर्यायोक्त अलङ्कार की गुणीभूतव्यङ्ग्यता प्रमाणित की जाती है—अस्मिन् इत्यादि।

इस पर्यायोक्त अलङ्कार में व्यङ्ग्य अर्थ, वाच्य-पर-अर्थात् वाच्यार्थ के उपपादक रूप में विवक्षित रहता है। अप्रस्तुतप्रशंसा में तो वाच्य अर्थ ही व्यङ्ग्य-पर-अर्थात् व्यङ्ग्यार्थ के पोषकरूप में विवक्षित रहता है। इससे (व्यङ्ग्य का वाच्यपर होने से) यह सिद्ध होता है कि यह (पर्यायोक्त) अलङ्कार वाच्यसिद्ध्यङ्गनामक गुणीभूतव्यङ्ग्य (मध्यम) काव्य का एक प्रभेद होता है। यह ध्वनिकार (आनन्दवर्धन) के अनुयायियों का कथन है।

इस कथन से यह भी भासित होता है कि अप्रस्तुतप्रशंसा ध्वनिकाव्य का प्रभेद है। इस तरह की मान्यता की सूचना अप्रस्तुत प्रशंसा के निरूपण में भी ग्रन्थकार ने दी है।

विमर्शिनीकारमतमुपक्षेप्तुं समुपस्थापयति—

यत्तु—

"—'स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम्।
उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा॥'

इत्युक्तयुक्त्या लक्षणाद्वयाश्रितत्वादनयोरवान्तरोऽपि विषयभेदोऽस्ति" इति स्वमूलग्रन्थाशयं वर्णयता विमर्शिनीकारेणोक्तम्, तन्न। नहि 'चक्राभिघातप्रसभाज्ञयैव—' इति पद्ये चुम्बनमात्रशेषरतोत्सवांशे बाधोऽस्ति, येन लक्षणा स्यात्। एवमप्रस्तुतप्रशंसायामप्यप्रस्तुतस्य प्रस्तुते न लक्षणा, किं तु व्यञ्जनैवेति सर्वसम्मतम्। अन्यथा पर्यायोक्ते वाच्यस्य प्राधान्यम्, अप्रस्तुतप्रशंसायां तु गम्यस्येति सिद्धान्तस्य भङ्गः स्यात्। लक्षणायां हि लक्ष्यस्यैव प्राधान्यं स्यात्, न वाच्यस्य। 'यत्र वाच्योऽर्थोऽर्थान्तरं स्वोपस्कारकत्वेनागूरयति तत्र पर्यायोक्तम्, यत्र स्वात्मानमेवाप्रस्तुतत्वात्प्रस्तुतमर्थान्तरं प्रति समर्पयति तत्रा-

प्रस्तुतप्रशंसा' इति तन्मूलग्रन्थविरोधाच्च। नहि लक्षणा आगूरणं भवति। तस्मात्पर्यायोक्ते वाच्यस्य प्राधान्यम्, अप्रस्तुतप्रशंसायां तु नेति तन्मूलग्रन्थस्य तात्पर्यम्।

यत्त्विति। 'उक्तम्' इत्यत्रान्वयः। 'स्वसिद्धय'इति। उपादान-लक्षण-लक्षणयोर्लक्षणपरेयं कारिका। अनयोरिति। पर्यायोक्ताप्रस्तुतप्रशंसयोरित्यर्थः। अवान्तरोऽपीति। आभ्यन्तरिक इत्यर्थः। न पूर्वोक्तो बाह्य एवेत्यपेरर्थः। तथा च पर्यायोक्ते उपादानलक्षणा अप्रस्तुतप्रशंसायां तु लक्षणलक्षणेति तदाशयः। स्वमूलग्रन्थेति। अलंकारसर्वस्वेत्यर्थः। विमर्शिनीति। अलङ्कारसर्वस्वटीकेत्यर्थः। निरस्यति—तत्रेति। तत्र हेतुमाह—नहीति। न वाच्यस्येति। तथा च पर्यायोक्ते अप्रस्तुतप्रशंसायाञ्च नास्ति लक्षणायाः प्रसङ्ग इति सारांशः। तन्मूल-ग्रन्थविरुद्धमप्येतद् विमर्शिनीकारकथनमिति दर्शयति-यत्र वाच्योऽर्थ इति। तन्मूलग्रन्थेति। विमर्शिनीमूलग्रन्थेत्यर्थः। अलंकारसर्वस्व इति यावत्। किंतर्हि तन्मूलग्रन्थतात्पर्यमित्यत्राह—तस्मादिति।

अलंकारसर्वस्व की टीका विमर्शिनी के कथन का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि।

विमर्शिनीकार ने जो अपने मूल ग्रन्थ का अभिप्राय वर्णन करते हुए कहा है कि "स्वसिद्धये—अर्थात् अपनी अन्वय-सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप उपादानलक्षणा और अन्यार्थ की अन्वय-सिद्धि के लिए अपना समर्पण लक्षण-लक्षणा कहलाती है। इस तरह से 'शुद्धा लक्षणा दो प्रकार की होती है।' इस कथित युक्ति के अनुसार दो तरह की लक्षणाओं के आश्रित होने के कारण इन दोनों में (पर्यायोक्त तथा अप्रस्तुत प्रशंसा में) अवान्तर (भीतरी) भेद भी है, न कि पूर्वोक्त बाह्य भेद ही अर्थात् पर्यायोक्त में उपादान लक्षणा होती है और अप्रस्तुतप्रशंसा में लक्षण-लक्षणा।"

वह असंगत है। कारण, 'चक्राभिघात—' इस पद्य में वाच्यार्थ का वह अंश, जिस में राहुवधू के सुरतोत्सव को चुम्बनमात्रयुक्त कहा गया है, बाधित नहीं है जिससे लक्षणा करनी पड़े।

इसी तरह अप्रस्तुतप्रशंसा में भी अप्रस्तुत अर्थ की प्रस्तुतार्थ में लक्षणा—नहीं होती, अपि तु व्यञ्जना ही होती है यह सर्वसम्मत है। अन्यथा—"पर्यायोक्त में वाच्यार्थ की प्रधानता होती है और अप्रस्तुतप्रशंसा में व्यङ्ग्यार्थ की" इस सिद्धान्त का भङ्ग हो जायगा, क्योंकि लक्षणा मानने पर लक्ष्यार्थ की प्रधानता होगी, न कि वाच्यार्थ की।

दूसरे, "जहाँ वाच्य अर्थ दूसरे किसी अर्थ को अपने उपस्कारक (पोषक) के रूप में आगूरित (आक्षिप्त) करता है वहां पर्यायोक्त होता है और जहाँ वाच्य अर्थ स्वतः अप्रस्तुत होने के कारण किसी दूसरे प्रस्तुत अर्थ के प्रति अपने को समर्पित कर देता है वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा होती है।" उन के इस मूल ग्रन्थ (अलंकारसर्वस्व) का ही विरोध हो जायगा, क्योंकि लक्षणा 'आगूरणरूप' नहीं होती।

अतः उनके मूल ग्रन्थ का अभिप्राय यह है कि 'पर्यायोक्त में वाच्यार्थ की प्रधानता होती है और अप्रस्तुतप्रशंसा में वाच्यार्थ की प्रधानता नहीं होती।' सारांश यह कि लक्षणा का वहां कोई प्रसङ्ग ही नहीं है।

ननु अलङ्कारयुगाचार्यमतप्रदर्शनावसरे ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यादिचर्चा न युक्ता तस्मिन्युगे तेषां व्यङ्ग्यार्थतः परिचयाभावान्नेत्याह—

इदं तु बोध्यम्—ध्वनिकारात्प्राचीनैर्भामहोद्भटप्रभृतिभिः स्वग्रन्थेषु कुत्रापि ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यादिशब्दा न प्रयुक्ता इत्येतावतैव तैर्ध्वन्यादयो न स्वीक्रियन्त इत्याधुनिकानां वाचोयुक्तिरयुक्तैव। यतः समासोक्तिव्याजस्तुत्यप्रस्तुतप्रशंसाद्यलंकारनिरूपणेन कियन्तोऽपि गुणीभूतव्यङ्ग्यभेदास्तैरपि निरूपिताः। अपरश्च सर्वोऽपि व्यङ्ग्यप्रपञ्चः पर्यायकुक्षौ निक्षिप्तः। नह्यनुभवसिद्धोऽर्थो बालेनाप्यपह्नोतुं शक्यते। ध्वन्यादिशब्दैः परं व्यवहारो न कृतः। नह्येतावतानङ्गीकारो भवति। प्राधान्यादलंकार्यो हि ध्वनिरलङ्कारस्य पर्यायस्य कुक्षौ कथं कारं निविशतामिति तु विचारान्तरम्।

निगदव्याख्यातोऽयं संदर्भो न विवरणमपेक्षते।

प्राचीना अपि व्यङ्ग्यार्थम् पर्यचिन्वन्निति सारांशः।

'प्राचीन अलंकार युग के आचार्य व्यङ्ग्य अर्थ से परिचित ही नहीं थे, फिर उनके मतों की व्याख्या करते समय ध्वनि अथवा गुणीभूतव्यङ्ग्य आदि की चर्चा उचित नहीं' इस आशङ्का के समाधानार्थ युक्ति से अब यह सिद्ध किया जा रहा है कि प्राचीनों को व्यङ्ग्यार्थ का परिचय था—इदं बोध्यम् इत्यादि।

यहाँ यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि ध्वनिकार (आनन्दवर्धन) से प्राचीन भामह उद्भट आदि आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में कहीं भी 'ध्वनि' 'गुणीभूतव्यङ्ग्य' आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, इतने मात्र से जो आधुनिक विद्वान् यह कहते हैं कि—'वे 'ध्वनि' आदि को स्वीकार नहीं करते', वह उचित नहीं। कारण, उन आचार्यों ने भी समासोक्ति, व्याजस्तुति, अप्रस्तुतप्रशंसा आदिक अलंकारों के निरूपण द्वारा कितने ही गुणीभूतव्यङ्ग्य भेदों का निरूपण किया है। और अन्य सभी व्यङ्ग्यों के विस्तार को (ध्वनिकाव्यतानियामक व्यङ्ग्यों को) पर्यायोक्त अलंकार की कुक्षि में डाल दिया है। क्योंकि अनुभवसिद्ध अर्थ का अपलाप बालक भी नहीं कर सकता। इतनी बात अवश्य है कि उन अर्थों का व्यवहार ध्वनि आदि शब्दों के द्वारा उनने नहीं किया है। पर एतावन्मात्र से उन अर्थों का अस्वीकार तो नहीं सिद्ध होता।

यह एक दूसरा विचार है कि प्रधान होने से अलंकृत होने योग्य व्यङ्ग्यात्मक तत्त्व अलंकारात्मक पर्यायोक्त की कुक्षि में कैसे निविष्ट हो सकता है ?

पर्यायोक्तस्य भेदानधुना विधत्ते—

अयं चालंकारः क्वचित्कारणेन वाच्येन कार्यस्य गम्यत्वे, क्वचित्कार्येण कारणस्य, क्वचिदुभयोदासीनेन संबन्धिमात्रेण संबन्धिमात्रस्य चेति विपुलविषयः।

तत्र 'त्वां सुन्दरीनिवह—' इति पद्ये पातिव्रत्यस्खलनेन कारणेन तं प्रति प्राप्तिः कार्यं गम्यते। समासोक्तिरत्रोत्थापिका। एतेन 'कार्यात्कारणप्रतीतिवत्कारणात्कार्यप्रतीतेर्वैचित्र्याभावात्' इति टीकाकारोक्तमपास्तम्।

अयमिति। पर्यायोक्तमित्यर्थः। विपुलविषय इति। बहुलक्ष्य इत्यर्थः। अयं भावः—पर्यायोक्तस्य बहवः प्रकाराः संभवन्ति। तेषु, क्वचित् कारणरूपाद् वाच्यार्थात्कार्यरूपस्य व्यङ्ग्यार्थस्य क्वचित्कार्यरूपाद् वाच्यार्थात्कारणरूपस्य व्यङ्ग्यार्थस्य, क्वचिच्च कार्यकारणभावानालिङ्गितात् संबन्धिरूपाद् वाच्यार्थात् संबन्धिरूपस्य व्यङ्ग्यार्थस्य प्रतीतिरितीमे

त्रयः प्रकारा मुख्या इति। तं प्रति प्राप्तिरिति। राजानं प्रति लक्ष्मीकर्तृकप्राप्तिरिति भावः। समासोक्तिरत्रोत्थापिकेति। 'त्वां सुन्दरी–' इति पद्ये अप्रस्तुतात् कारणात् प्रस्तुतस्य कार्यस्य गम्यत्वेन जायमाना समासोक्तिः पर्यायोक्तस्योत्थापिका भवतीति भावः। नन्वत्र समासोक्तेः स्वीकारे पर्यायोक्तस्वीकृतिः किमाधारेति चेत्? व्यङ्ग्यापेक्षया वाच्यस्य चारुत्वमेव पर्यायोक्तस्याधार इति बोध्यम्।

एतेनेति। 'त्वां सुन्दरी-' इति पद्ये कारणात्कार्यप्रतीतौ वैचित्र्यस्य लाभेनेत्यर्थः। टीकाकारेति। विमर्शिनीकारेत्यर्थः।

अब पर्यायोक्त के प्रभेद के संबन्ध में विचार किया जाता है—अयं च इत्यादि।

यह (पर्यायोक्त) अलङ्कार, कहीं वाच्य कारण से कार्य की अभिव्यक्ति होने पर, कहीं वाच्य कार्य से कारण की अभिव्यक्ति होने पर और कहीं कार्यकारण भाव से उदासीन अन्य संबन्ध से संबन्धी वाच्य से उसी संबन्ध से संबन्धी किसी दूसरे अर्थ की अभिव्यक्ति होने पर होता है। ये तीन भेद तो मुख्य होने के कारण दिखला दिए गए हैं, अन्य भेद भी हो सकते हैं। फलतः इस अलंकार के लक्ष्य बहुत हो सकते हैं।

उन तीनों भेदों में से 'त्वां सुन्दरीनिवह—' इस पूर्वोक्त उदाहरण में पातिव्रत्यच्युति रूप वाच्य कारण से राजा के प्रति राजलक्ष्मी की प्राप्ति रूप कार्य की अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ समासोक्ति पर्यायोक्त की उत्थापिका होती है।

अतः 'कार्य से कारण की प्रतीति की तरह कारण से कार्य की प्रतीति में विचित्रता का अभाव है' यह टीका (विमर्शिनी) कार का कथन निरस्त हो गया।

कारणेन कार्यस्य गम्यत्वे पर्यायोक्तमुदाहरति—

'अपकुर्वद्भिरनिशं धृतराष्ट्र तवात्मजैः।
उप्यन्ते मृत्युबीजानि पाण्डुपुत्रेषु निश्चितम्॥'

हे धृतराष्ट्र! अनिशम् सततम्, पाण्डुपुत्रेषु युधिष्ठिरादिषु, अपकुर्वद्भिः अपकारमाचरद्भिः, तव भवतः, आत्मजैः पुत्रैः, निश्चितम् निश्चितरूपेण, मृत्युबीजानि, उप्यन्ते निधीयन्त इत्यर्थः।

कारण से कार्य की गम्यता में पर्यायोक्त का उदाहरण दिया जाता है—अपकुर्वद्भिः इत्यादि।

हे धृतराष्ट्र, सदा पाण्डवों का अपकार करते हुए तुम्हारे पुत्र निश्चित रूप से मृत्यु के बीज बो रहे हैं।

उपपादयति—

अत्र बीजवापेन कारणेन कुलक्षयः कार्यरूपो गम्यते।

'अपकुर्वद्भिः–' इत्यस्मिन् श्लोके बीजवापात्मकात् कारणात् वंशविनाशात्मकस्य कार्यस्य प्रतीतेः पर्यायोक्तमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'अपकुर्वद्भिः–' इस पद्य में बीज-वपन रूप कारण से कुलविनाश रूप कार्य की अभिव्यक्ति होती है, अतः पर्यायोक्त का उदाहरण यह पद्य होता है।

प्रकारान्तरमुदाहर्तुमाह—

कार्येण कारणस्य गम्यत्वे यथा—

स्पष्टम्।

कार्य से कारण की गम्यता में पर्यायोक्त, जैसे— ।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'त्वद्विपक्षमहीपालाः स्वर्बालाधरपल्लवम् ।
पीडयन्तितरां तीव्रदारुणैर्दशनक्षतैः ॥'

हे राजन् ! त्वद्विपक्षमहीपालाः भवदरिभूता राजानः, स्वर्बालाधरपल्लवम् स्वर्गीयतरुणीगणाधरकिसलयम्, तीव्रदारुणैः तीक्ष्णभयंकरैः, दशनक्षतैः दन्ताघातैः, पीडयन्तितराम् अतिशयेन व्यथयन्तीत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—'त्वद्विपक्ष—' इत्यादि ।

हे राजन्, तेरे शत्रुभूत नृपगण स्वर्गीय नवतरुणियों के अधरपल्लवों को तीव्र तथा दारुण दन्ताघातों से पीड़ित कर रहे हैं ।

उपपादयति—

अत्र वैरिणां सुरवधूसंभोगेन कार्येण मरणं कारणं गम्यते ।

'त्वद्विपक्ष—' इत्यस्मिन् श्लोके वैरिनृपकर्तृक-देवबाला-भोगात्मकेन कार्येण मरणात्मकं कारणं व्यज्यते, मरणं विना तदसंभवादिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'त्वद्विपक्ष—' इस पद्य में शत्रुभूत राजाओं के 'सुरवधूसंभोग' रूप कार्य से 'मरण' रूप कारण व्यक्त होता है, अतः यह पद्य पर्यायोक्त के एक प्रकार का उदाहरण होता है ।

कार्यकारणभावोदासीनेन संबन्धिना संबन्धिनो व्यङ्ग्यत्वे पर्यायोक्तस्योदाहरणभूतं पूर्वोल्लिखितं पद्यं सोपपादनं स्मारयति—

तदुभयोदासीनेन यथा—'सूर्याचन्द्रमसौ यस्य—' इति पूर्वोदाहृते पद्ये सूर्यचन्द्रकररज्यमानवस्त्रत्वेन न कार्येण, नापि कारणेन, केवलं सहचरितेन गगनाम्बरत्वं गम्यते ।

सूर्यचन्द्रकररज्यमानवस्त्रत्व-गगनाम्बरत्वयोः कार्यकारणभावो नास्ति किन्तु साहचर्यं विद्यत इति सूर्यचन्द्रकरकर्तृकवस्त्रकर्मकरञ्जनात्मकेनैकेन सहचरेण दिगम्बरत्वात्मकापरसहचरपदार्थोऽभिव्यज्यत इति भावः ।

कार्य-कारणभाव से रहित केवल संबन्धी के द्वारा संबन्धी के गम्य होने पर जैसे—'सूर्याचन्द्रमसौ—' इस पूर्व उदाहृत पद्य में 'सूर्य और चन्द्र की किरणों से वस्त्र के रंगे जाने' के द्वारा, जो न कार्य है और न कारण केवल सहचारी है, 'दिगम्बरता' व्यक्त होतीं है ।

विसंवादग्रस्तमेकं पद्यं पर्यायोक्तोदाहरणतया निर्णेतुं प्रक्रमते—

एवम्—

'यश्चरणत्राणीकृतकमलासनपन्नगेन्द्रलोकयुगः ।
सर्वाङ्गावरणपटीकृतकनकाण्डः स वामनो जयति ॥'

इत्यत्र चित्रप्रत्ययेन तद्भेदावगमाद्रूपकासंभवेन पर्यायोक्तं भवितुमर्हति । गम्यं चान्तर्व्याप्तचरणकत्वमन्तर्व्याप्ताङ्गकत्वं च ।

एवमिति । पूर्वोक्तरीत्यैवेत्यर्थः । 'यश्चरण—' इति । यदा विष्णुर्वामनावतारमासाद्य बलिं याचितां भूमिं मापयितुं प्रवृत्तस्तदा य एकस्य चरणस्योर्ध्वमपरस्य च चर-

णस्याधः प्रसृततया कमलासनपन्नगेन्द्रलोकयुगम् (ब्रह्मपातालात्मकलोकद्वयम्) चरणत्राणीचकार (उपानद्रूपं विदधे) तथा कनकाण्डम् (ब्रह्माण्डम्) सर्वाङ्गावरणपटीचक्रे (सकलनिजाङ्गावरकवसनात्मकं रचयामास) स वामनः सर्वोत्कर्षेण वर्तत इत्यर्थः ।

च्विप्रत्ययेनेति । 'चरणत्राणीकृत'—'सर्वाङ्गावरणपटीकृत–' इत्युभयत्राभूततद्भावार्थकेन च्विप्रत्ययेनेति भावः । तद्भेदेति । चरणत्राण-सर्वाङ्गावरणपटयोर्भेदस्य क्रमशः कमलासनपन्नगेन्द्रलोकयोः कनकाण्डे च ज्ञानादित्यर्थः । रूपकासंभवेनेति । रूपकस्याभेदप्रत्ययाधीनत्वादिति भावः । नन्वत्र व्यङ्ग्यं किम् यन्मूलकं पर्यायोक्तं स्यादिति चेत्तत्राह—गम्यं चेति, भगवतश्चरणयोर्ब्रह्म-पाताल लोकान्तर्व्यापनम् , भगवदङ्गानां ब्रह्माण्डान्तर्व्यापनञ्च क्रमशो व्यङ्ग्यम् सहचरितात्सहचरितात्मकमिति भावः ।

अब ऐसे एक पद्य में पर्यायोक्त का निर्णय किया जाता है जहाँ अन्य आचार्य पर्यायोक्त मानने में संदिग्ध हैं—एवम् इत्यादि ।

इसी तरह (पूर्वोक्तरीति से ही)।

'यश्चरण—अर्थात् जिसने ब्रह्मा के और सर्पराज के लोक (सत्यलोक और पाताल लोक) को चरणत्राण बनाया (नापते समय एक चरण ऊपर और दूसरा चरण नीचे गया) और ब्रह्माण्ड को सब अङ्गों का आवरक वस्त्र बनाया उस वामन की जय है।'

इस पद्य में रूपक नहीं हो सकता क्योंकि 'चरणत्राणीकृत' और 'पटीकृत' में जो 'च्वि' प्रत्यय हुआ है उसका अर्थ 'अभूततद्भाव' होता है—अर्थात् इस 'च्वि' प्रत्यय से ऐसा अर्थ यहां प्रतीत होता है कि जो 'वस्तुतः चरणत्राण नहीं है उसको चरणत्राण बनाया इसी तरह जो पट नहीं है उसको पट बनाया।' ऐसी स्थिति में इस 'च्वि' प्रत्यय से आरोप्य और आरोप विषय में भेद की प्रतीति होने से अभेदप्रतीतिमूलक रूपक का प्रसङ्ग नहीं होता। फलतः यहाँ भी पर्यायोक्त अलङ्कार ही हो सकता है।

और जिसके आधार पर पर्यायोक्त होगा वह व्यङ्ग्य यहाँ क्रमशः 'चरण का उन लोकों के भीतर व्याप्त होना' और 'अङ्गों का ब्रह्माण्ड के भीतर व्याप्त होना' है।

उपसंहरन्नाह—

तदेवं संक्षेपतस्त्रिविधः। वाग्भङ्गीनां तु पर्यालोचने एकस्मिन्नेव विषयेऽनन्तप्रकारः संपद्यते, किमुत विषयभेदे। यथा 'इह भवद्भिरागन्तव्यम्' इति विषये 'अयं देशोऽलंकर्तव्यः' इति, 'पवित्रीकर्तव्य' इति, 'सफलजन्मा कर्तव्यः' इति, 'प्रकाशनीय' इति, 'देशस्यास्य भाग्यान्युज्जीवनीयानि' इति, 'तमांसि तिरस्करणीयानि' इति, 'अस्मन्नयनयोः संतापो हरणीयः' इति, 'मनोरथः पूरणीयः' इत्यादिः। कार्यादीनां त्वारोपेण निष्पत्तिरन्वेष्टव्या।

अयं भावः—'अयं देशोऽलंकर्तव्यः' इत्यादिषु पर्यायोक्तमलङ्कारो भवति, एभिर्वाच्यैः 'इह भवद्भिरागन्तव्यम्' इत्यर्थस्याभिव्यक्तेः। नन्वेतदर्थाभिव्यक्तेर्मूलं कार्यकारणभावोऽन्यो वा संबन्धः इति चेत् ? कार्यकारणभाव एवेति बोध्यम्। आगमनम् कारणम् , देशालंकरणादिकानि पुनः कार्याणि। ततश्च कार्येण कारणस्य गम्यत्वे एतानि वाक्यानि पर्यायोक्तोदाहरणानि भवितुमर्हन्तीति।

अब इस विचार का उपसंहार करते हुए कहते हैं—तदेवम् इत्यादि।

सो इस तरह संक्षेप में पर्यायोक्त तीन प्रकार का है। किन्तु कथन-शैली की

पर्यालोचना करने पर एक ही विषय में पर्यायोक्त के अनन्त भेद हो सकते हैं, भिन्न विषयों का तो कहना ही क्या ? जैसे—'आप यहाँ आइए' इस विषय में 'इस देश को अलंकृत कीजिए' 'पवित्र कीजिए', 'इसका जन्म सफल कीजिए', 'इस देश को प्रकाशित कीजिए' 'इस देश के भाग्यों को उज्जीवित कीजिए' 'यहां अन्धकार को दूर कीजिए' 'हमारी आंखों का संताप शान्त कीजिए' 'हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिए' इत्यादिक।

तात्पर्य यह कि उक्त सभी वाक्य पर्यायोक्त के उदाहरण हो सकते हैं। इस बात की सिद्धि कार्य आदि के आरोप से अन्वेषणीय है, अभिप्राय यह है कि 'आप यहाँ आइए' इस वाक्यार्थ के कारण रूप और 'इस देश को अलंकृत कीजिए' इत्यादि वाक्यार्थ को उस का कार्यरूप माना जा सकता है, अतः कार्य से कारण की गम्यता यहाँ हो जाती है।

पर्यायोक्ताप्रस्तुतप्रशंसयोर्विषय-विभागं विचारयति—

एवं च पर्यायोक्तस्य कार्यरूपाप्रस्तुतप्रशंसया विषयापहारमाशङ्क्य कार्य-कारणयोरपि प्रस्तुतत्वे पर्यायोक्तम्, कार्यस्याप्रस्तुतत्वे कारणस्य च प्रस्तुतत्वे कार्यरूपाप्रस्तुतप्रशंसेति विषयविवेकः सर्वस्वकृता कृतः। तत्र न्यूनविषयया कार्यरूपाप्रस्तुतप्रशंसया बहुविषयस्यास्य विषयापहारो न संगच्छत एव। परं त्वनेन तस्या विषयापहारमाशङ्क्य विषयविभागः कर्तुमुचितः।

कारणेन कार्यस्य कार्येण कारणस्य वा गम्यत्वेऽप्रस्तुतप्रशंसा स्वीकृता, इदानीं तस्यां स्थितौ पर्यायोक्तमपि स्वीक्रियते। तथा च तयाऽप्रस्तुतप्रशंसया पर्यायोक्तस्य विषयोऽपहृत इत्याशंकायाम् सर्वस्वकारेण 'कार्यकारणयोरुभयोः प्रस्तुतत्वे पर्यायोक्तम्, कार्यस्याप्रस्तुतत्वे कारणस्य च प्रस्तुतत्वे कार्यरूपाप्रस्तुतप्रशंसा' इति विभागकृतः। तत्र विभागस्यौचित्यं मन्वानोऽपि पण्डितराजः विभागविधानस्योद्देश्यं सर्वस्वकारोक्तं समीचीनं न मनुते। यतः कार्यरूपाप्रस्तुतप्रशंसा न्यूतविषया पर्यायोक्तञ्च बहुविषयम्। इत्थञ्च न्यूनविषयया तया बहुविषयस्यास्य विषयापहारो न कथमपि संभवति। अतो बहुविष-येणानेन न्यूनविषयायास्तस्या विषयापहारं संभावितं परिहर्तुम् तथा विभाग इति वक्तुमुचितमिति भावः।

अब पर्यायोक्त तथा अप्रस्तुतप्रशंसा के विषय विभाग पर विचार किया जाता है—एवं च इत्यादि।

ऐसी स्थिति में 'कार्यरूप अप्रस्तुतप्रशंसा द्वारा पर्यायोक्त के विषय के अपहरण की आशङ्का करके 'कार्यकारण दोनों के प्रस्तुत होने पर पर्यायोक्त होता है और कार्य के अप्रस्तुत तथा कारण के प्रस्तुत रहने पर कार्यरूप अप्रस्तुतप्रशंसा होती है'

इस तरह अलंकारसर्वस्वकारने इन दोनों के विषयों का पृथक्करण किया है। इसके सम्बन्ध में ग्रन्थकार का कहना है कि कार्यरूप अप्रस्तुतप्रशंशा का विषय न्यून है, और पर्यायोक्त का विषय है अधिक, अतः उस अप्रस्तुतप्रशंसा से पर्यायोक्त के विषय का अपहरण संगत नहीं है, किन्तु पर्यायोक्त द्वारा उस अप्रस्तुतप्रशंसा के विषय के अपहरण की शंका करके उक्त विषयविभाग करना उचित है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे पर्यायोक्तप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे पर्यायोक्तप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां पर्यायोक्तप्रकरणम्॥

पर्यायोक्तनिरूपणानन्तरमिदानीं व्याजस्तुतिनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथ व्याजस्तुतिः—

व्याजस्तुत्यलङ्कारो निरूप्यत्वेनारब्धो बोध्य इति भावः ।

पर्यायोक्त-निरूपण के बाद अब व्याजस्तुति-निरूपण की प्रतिज्ञा की जाती है—अथ इत्यादि ।

अब 'व्याजस्तुति' का निरूपण आरब्ध होता है ।

तल्लक्षणं तावदाह—

आमुखप्रतीताभ्यां निन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः क्रमेण पर्यवसानं व्याजस्तुतिः ॥

आमुखप्रतीताभ्यामिति । शब्दतोऽभिधावृत्त्या प्रथमप्रतीताभ्यामित्यर्थः । तदाहाग्रे-ग्रन्थकारः—आमुखेत्यादीति । प्रथमप्रतीताया निन्दायाः स्तुतौ, प्रथमप्रतीतायाः स्तुते-र्निन्दायां वा यत्र पश्चात्पर्यवसानं भवति तत्रोभयत्र व्याजस्तुतिरलङ्कारो भवतीति भावः ।

सर्वप्रथम व्याजस्तुति का लक्षण किया जाता है—आमुख इत्यादि ।

प्रथमतः प्रतीत होने वाली निन्दा का स्तुति में पर्यवसान होना अथवा प्रथमतः प्रतीत होने वाली स्तुति का निन्दा में पर्यवसान होना—दोनों ही व्याजस्तुति है ।

लक्षणं विवेचयति—

तृतीयातत्पुरुष-कर्मधारयाभ्यां योगार्थद्वयेन द्वयोरपि शब्दार्थत्वम् । आमुखे-त्यादिविशेषणेन तयोः पर्यवसानाभावं वदन्बाधितत्वमभिप्रैति । अत एव नास्या ध्वनित्वम् । ध्वनौ हि निर्बाधेन वाच्येनाऽऽगूरणमहिम्नार्थान्तरमव-गम्यते, न चैवं प्रकृते ।

तृतीयातत्पुरुषेति । 'व्याजेन स्तुतिः' इत्येवं विग्रहणीयेत्यर्थः । कर्मधारयेति । 'व्याजः (व्याजरूपा) स्तुतिः' इत्येवं विग्रहणीयेति भावः । द्वयोरपीति । स्तुतिनिन्दयोरित्यर्थः । शब्दार्थत्वमिति । 'व्याजस्तुति' पदवाच्यत्वमित्यर्थः । व्याजेन स्तुतिरिति विगृह्य समासे कृते स्तुतिः व्याजस्तुतिशब्दार्थः, व्याजः स्तुतिरिति विगृह्य समासे कृते पुनः निन्दा व्याजस्तुतिशब्दार्थ इति भावः । तयोरिति । आमुखप्रतीतयोर्निन्दास्तुत्योरित्यर्थः । अत एवेति । आमुखप्रतीतनिन्दास्तुत्योर्बाधितत्वादेवेत्यर्थः । अस्या इति । व्याजस्तुतेरित्यर्थः । ननु बाधितत्वे कुतो न ध्वनित्वमित्यत्राह—ध्वनौ हीति । न चैवं प्रकृते इति । व्याजोक्तौ निर्बाधेन वाच्येनागूरणमहिम्नाऽर्थान्तरप्रतीतिर्नेति भावः ।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—तृतीया इत्यादि ।

'व्याजस्तुति' यह समस्त संज्ञा है । तृतीया तत्पुरुष और कर्मधारय दोनों समासों द्वारा यह पद बन सकता है । तृतीयातत्पुरुष करने पर 'व्याजेन स्तुतिः—अर्थात् व्याज से स्तुति' और कर्मधारय करने पर 'व्याजः स्तुतिः—अर्थात् व्याजरूपा स्तुति' ये दो यौगिक अर्थ 'व्याजस्तुति' शब्द के सिद्ध होते हैं । फलतः 'व्याजस्तुति' शब्द के स्तुति तथा निन्दा दोनों ही अर्थ हो सकते हैं । तात्पर्य यह कि 'व्याज से स्तुति' इस कथन का अभिप्राय होगा 'आपाततः निन्दा किन्तु परिणामतः स्तुति' और 'व्याज रूपा स्तुति' इस उक्ति का आशय होगा-आपाततः स्तुति किन्तु परिणामतः निन्दा' ।

आमुखप्रतीत (प्रथमतः प्रतीत होने वाली) इस विशेषण से उनके (निन्दा-

स्तुति के) पर्यवसान का अभाव बताया गया है, जिससे उनका (प्रथमतः प्रतीत निन्दा और स्तुति का) बाधित होना अभिप्रेत है। इसीलिए व्याजस्तुति अलंकार से युक्त काव्य 'ध्वनि' काव्य की श्रेणी में नहीं आता। कारण, ध्वनि में अबाधित वाच्यार्थ के द्वारा ही आगूरण की महिमा से अन्य अर्थ प्रतीत होता है और प्रकृत में ऐसा नहीं होता है।

उदाहरणन्निर्देष्टुमाह—

आद्या यथा—

आमुखप्रतीतया निन्दया स्तुतेः पर्यवसानं यत्र भवति तादृशी व्याजस्तुति-र्यथेति भावः।

पहली—निन्दा द्वारा स्तुति में पर्यवसानवाली—व्याजस्तुति, जैसे—'

उदाहरणन्निर्दिशति—

'उर्वीं शासति मय्युपद्रवलवः कस्यापि न स्यादिति
प्रौढं व्याहरतो वचस्तव कथं देव प्रतीमो वयम्।
प्रत्यक्षं भवतो विपक्षनिवहैर्द्यामुत्पतद्भिः क्रुधा
यद्युष्मत्कुलकोटिमूलपुरुषो निर्भिद्यते भास्करः॥'

कविः कमपि राजानं व्याजेन स्तौति—हे देव राजन्, वयम्, 'मयि, उर्वीम् पृथ्वीं, शासति नियमयति, सति, कस्यापि प्राणिनः, उपद्रवलवः स्वल्पोऽप्युपद्रवः, न स्यात् न भवेत्', इति, प्रौढम् दृढतापूर्वकम्, व्याहरतः घोषयतः, तव भवतः, वचः तद्वचनम्, कथम् केन प्रकारेण, प्रतीमः विश्वसिमः, नेदं भवतो वचनं विश्वासयोग्यमिति भावः। कुत इति चेत्तत्राह—यत् यस्मात्, भवतः प्रत्यक्षम् भवदग्र एव, द्याम् स्वर्गम्, उत्पतद्भिः गच्छद्भिः, सम्मुखयुद्धे त्वया मारणानन्तरम् ऊर्ध्वलोकमाश्रयद्भिरिति यावत्, विपक्ष-निग्रहैः शत्रुसमूहैः, क्रुधा क्रोधेन, युष्माकं भवतां, कुलानाम् वंश्यानाम् (लक्षणया कुलशब्दस्य कुलभवरूपार्थः करणीयः) कोटेः कोटिसंख्यायाः, कोटिसंख्यकभवदीयकुल-पुरुषाणामिति भावः, मूलपुरुषः आदिपुरुषः, भास्करः सूर्यः, निर्भिद्यते सर्वतोभावेन च्छिद्यते इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—उर्वीम् इत्यादि।

कवि किसी राजा की व्याजस्तुति करता हुआ कहता है कि—हे देव! 'मेरे पृथिवी का शासन करते समय किसी को भी उपद्रव का लेश नहीं होगा' ऐसा दृढतापूर्वक कहते हुए आप के वचन का विश्वास हम कैसे करें। कारण, आप के सामने में ही स्वर्ग की ओर उछल कर जाते हुए आप के शत्रुओं द्वारा क्रोध से आप की कुल परम्परा का मूलपुरुष सूर्य निर्भिन्न किया जाता है।

उपपादयति—

अत्र राजवर्णनप्रस्तावे निन्दा बाधिता स्तुतौ पर्यवस्यति।

राजवर्णनेति। सूर्यवंशीयेत्यादिः। वर्णनीयस्य राज्ञो निन्दा न कवेश्चिकीर्षिता संभव-तीति वाच्यवृत्त्या क्रियमाणा 'यस्य मूलपुरुषः शत्रुभिर्भिद्यते तस्य तव 'मम शासकत्वे कोऽप्युपद्रुतो न भवेत्' इति गर्वोक्तिर्मिथ्या' इत्याकारा निन्दा बाधग्रस्ता सती स्तुतौ पर्यवस्यतीति भवतीदं पद्यं यथोक्त-व्याजस्तुति-प्रथमप्रकारोदाहरणमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

किसी सूर्यवंशीय राजा का निन्दात्मक वर्णन करना कवि का अभीष्ट नहीं होता, अतः 'उर्वीं शासति—' इस पद्य में जो 'जिसका मूलपुरुष शत्रुओं के द्वारा निर्भिन्न किया जाता है उस आप का अपने शासन-काल में सब के निरुपद्रव रहने का कथन मिथ्या है' इस तरह की निन्दा आपाततः प्रतीत होती है वह बाधित होकर 'आपके शत्रु आप के द्वारा हत होकर स्वर्ग सिधारते हैं' इस तरह की स्तुति में पर्यवसित होती है। फलतः यह पद्य निन्दामुख स्तुतिरूपा व्याजोक्ति का उदाहरण होता है।

उदाहर्तुमाह—

द्वितीया यथा—

आमुखप्रतीतया स्तुत्या निन्दा यत्र पर्यवस्यति तादृशं व्याजस्तुतेरुदाहरणं यथेति भावः।

दूसरी—अर्थात् स्तुति से निन्दा में पर्यवसानवाली व्याजस्तुति का उदाहरण जैसे—

उदाहरणमुपस्थापयति—

'किमहं वदामि खल दिव्यमते गुणपक्षपातमभितो भवतः।
गुणशालिनो निखिलसाधुजनान्यदहर्निशं न खलु विस्मरसि॥

हे दिव्यमते प्रकृष्टबुद्धे, खल नीच!, अहम्, भवतः तव, अभितो गुणपक्षपातम् सर्वतोभावेन गुणकल्पोन्मुखताम्, किं वदामि कथं वर्णयामि, यत् यस्मात्, त्वम्, गुणशालिनः गुणयुक्तान्, निखिलसाधुजनान् सर्वान् साधुपुरुषान्, अहर्निशं न विस्मरसि सर्वदा स्मृतिपथे रक्षसीत्यर्थः।

उदाहरण उपस्थित किया जाता है—किमहम् इत्यादि।

हे दिव्य बुद्धि वाले खल! तुम्हारे सब ओर से गुणों के प्रति पक्षपात को मैं क्या कहूँ—उसका वर्णन क्या किया जाय, क्योंकि तुम गुणशाली सभी सत्पुरुषों को दिन-रात कभी भी नहीं भूलते।

उपपादयति—

अत्र दुश्चरितोत्कीर्तनप्रस्तावे स्तुतिस्तथाभूता निन्दायाम्।

तथाभूतेति। बाधितेत्यर्थः निन्दायामिति। पर्यवस्यतीति शेषः। अन्यत् सुगमम्।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'किमहम्—' इस पद्य में दुश्चरित्र (खल) के वर्णन के प्रसङ्ग में शब्दतः प्रतीत स्तुति बाधित होकर निन्दा में पर्यवसित होती है, अतः व्याजस्तुति के द्वितीय प्रकार का उदाहरण यह पद्य होता है।

व्याजस्तुतिविषयकमेकं विशेषं विशदयति—

अत्र चैक एवार्थः केनचिदाकारेणादौ स्तुतेर्निन्दाया वा विषयो भूत्वा प्रकरणादिमहिम्ना प्रकारान्तरेण निन्दायाः स्तुतेर्वा विषयो भवति। तत्र यावानंशो बाधितस्तावानेवान्यथात्वेन पर्यवस्यति। अंशान्तरं तु स्वभावेनैवावतिष्ठते।

अत्र चेति। व्याजस्तुतौ चेत्यर्थः। प्रकारान्तरेणेति। वस्तुमाहात्म्यादेतद्घटकपदानां लक्षणया आक्षेपाद्वेत्यर्थः। तावानेवान्यथात्वेनेति। तावदंशो लक्षणयैवेत्यर्थः। एवञ्च 'उर्वीं शासति—' इत्यादौ स्तुतेर्लक्ष्यत्वात्तामादाय न ध्वनित्वम्। लक्षणायाः प्रयोजनीभूतः

स्तुत्यतिशयादिस्तु व्यङ्ग्य एवेति तमादाय ध्वनित्वे इष्टापत्तिरेव। एवं च 'उपकृतं बहु-नाम—' इत्यादावप्ययमेवालंकार इति भावः।

अत्र व्याजस्तुति के संबन्ध में एक स्पष्टीकरण किया जाता है—अत्र च इत्यादि।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्याजस्तुति में एक ही अर्थ किसी रूप से पहले स्तुति अथवा निन्दा का विषय होकर पश्चात् प्रकरण आदि के प्रभाव से दूसरे प्रकार (लक्षणा अथवा आक्षेप) से निन्दा किंवा स्तुति का विषय होता है। उस अर्थ में जितना अंश बाधित रहता है उतना ही दूसरे रूप में पर्यवसित होता है, अन्य अंश तो अपने रूप में यथावत् बने रहते हैं।

इससे यह सिद्ध हुआ कि 'उर्वीं शासति—' इत्यादि पद्यों में स्तुति आदि लक्ष्यार्थ होता है, अतः उसके आधार पर वे पद्य भले ही ध्वनि न हों—अलंकार के उदाहरण कहलाएँ, पर लक्षणा के प्रयोजनरूप 'स्तुत्यतिशय' को—जो व्यङ्ग्य ही होता है—लेकर ध्वनि मानने में भी कोई क्षति नहीं है।

अलङ्कारान्तरसंकीर्णां व्याजस्तुतिमुदाहर्तुमाह—

इयं चालङ्कारान्तरसंकीर्णा यथा—

अन्यालंकारमिश्रिता व्याजस्तुतिर्यथेति भावः।

अन्य अलङ्कार से मिश्रित व्याजस्तुति जैसे—।

तादृशमुदाहरणमुपन्यस्यति—

'देव त्वां परितः स्तुवन्तु कवयो लोभेन, किं तावता
स्तव्यस्त्वं भवितासि यस्य तरुणश्चापप्रतापोऽधुना।
क्रोडान्तः कुरुतेतरां वसुमतीमाशाः समालिङ्गति
द्यां चुम्बत्यमरावतीं च सहसा गच्छत्यगम्यामपि॥'

हे देव राजन्!, यस्य तव, तरुणः युवा (नवीनः) चापप्रतापः धनुःपराक्रमः, अधुना इदानीम्, वसुमतीम् मेदिनीम् धनिकां नायिकाञ्च, क्रोडान्तः कुरुतेतराम् अत्यन्तं वशीभूताम् उत्सङ्गशायिनीञ्च विधत्ते, आशाः दिशाः नायिकाश्च, समालिङ्गति, द्यां स्वर्गम्, चुम्बति, च पुनः, सहसा हठात्, अगम्यामपि गन्तुमयोग्याम् अपि, अमरावतीम् इन्द्र-पुरीम्, गच्छति याति, तं त्वाम्, कवयः, लोभेन धनलाभाशया, परितः सर्वतः, स्तुवन्तु स्तुतिं कुर्वन्तु, किन्तु, तावता त्वम्, किं स्तव्यः स्तुत्यर्हः. भवितासि भविष्यसि? नेत्यर्थः।

संकीर्ण उदाहरण दिखलाया जाता है—देव इत्यादि।

हे देव! कविगण लोभ से आपकी चारों ओर से स्तुति करें, पर क्या इससे आप स्तुतियोग्य हो जायँगे? जिस के धनुष का तरुण प्रताप अभी वसुमती को अङ्क में भर रहा है, दिशाओं का आलिङ्गन कर रहा है, द्यौ (स्वर्ग) को चूमता है और अगम्या (प्राप्त होने के अयोग्य—संग करने के अयोग्य) भी अमरावती में (के साथ) सहसा गमन करता है।

उपपादयति—

अत्र चापप्रतापस्य समासोक्त्या विटधौरेयव्यवहाराश्रयत्वप्रतीतिः। तन्मूला च निन्दा स्तुतौ पर्यवस्यति।

'देव त्वाम्—' इत्यत्र विशेषणसाम्येन प्रस्तुते चापप्रतापे विटशिरोमणेरप्रस्तुतस्य व्यवहारः। प्रतीयत इति समासोक्तिरलङ्कारः स्फुटः। एतत्समासोक्तिमूला चापप्रतापस्यापाततः प्रतीयमाना निन्दा पश्चात् स्तुतौ पर्यवस्यतीति समासोक्तिसंकीर्णव्याजस्तुतेरुदाहरणतां प्रतिपद्यतेऽयं श्लोक इति भावः।

उपपादान किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'देव त्वाम्–' इस पद्य में विशेषणों की समता से प्रस्तुत धनुष-प्रताप में अप्रस्तुत विटशिरोमणि का व्यवहार प्रतीत होता है—अतः यहाँ समासोक्ति स्पष्ट है और इस समासोक्ति के द्वारा धनुःप्रताप की निन्दा प्रथमतः प्रतीत होती है, पर अन्त में वह निन्दा स्तुतिरूप में परिवर्तित हो जाती है, जो व्याजस्तुति है, फलतः यह पद्य समासोक्ति-मिश्रित व्याजस्तुति का उदाहरण होता है।

अलङ्कारान्तरसंकीर्णव्याजस्तुतेरुदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्—

अथवा जैसे—

उदाहरणमाह—

'अये राजन्नाकर्णय कुतुकमाकर्णनयन
स्फुरन्ती हस्ताम्भोरुहि तव कृपाणी रणमुखे।
विपक्षाणां वक्षस्यहह तरुणानां निपतति
प्रगल्भाः श्यामानामनुपरतकामाः प्रकृतयः॥'

अये हे, आकर्णनयन कर्णपर्यन्तप्रसारिनेत्र, राजन् नृप, कुतुकम् उत्कण्ठाकरं समाचारम् आकर्णय शृणु। कोऽसौ समाचार इत्याह—स्फुरन्तीति। तव भवतः हस्ताम्भोरुहि करकमले, स्फुरन्ती दीप्यमाना, कृपाणी असिलता, रणमुखे युद्धप्रारम्भे, अहह खेदेन, तरुणानां यूनाम्, विपक्षाणाम् शत्रूणाम्, वक्षसि उरोदेशे, निपतति। युक्तश्चैतत्। प्रगल्भाः उद्धताः, श्यामानाम् कृष्णवर्णानाम् तव यौवनानाञ्च, प्रकृतयः स्वभावाः, अनुपरतकामाः अशान्तकामभावाः, भवन्तीत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—अये इत्यादि।

हे कर्णपर्यन्त विस्तृत नेत्रवाले राजन्! एक कौतूहल की बात सुनिए, आप के करकमल में चकने वाली कटारी, ओह! रणमुख में तरुण शत्रुजनों के वक्षस्थल पर गिरती है। ठीक ही तो है। श्यामाओं (नवयौवना स्त्रियों+काले रङ्गवालियों) की प्रगल्भ प्रकृतियाँ (स्वेच्छाचार की आदतें) कभी काम से निवृत्त नहीं होतीं—सर्वत्र वे अपनी काम-लीला का प्रदर्शन करती ही हैं।

उपपादयति—

अत्रार्थान्तरन्यासपोषिता।

अर्थान्तरन्यासेति। समासोक्तिरप्यत्रेति वोध्यम्। तथा चात्र समासोक्त्यर्थान्तरन्यासाभ्यामुपस्कृता व्याजस्तुतिरिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्रेति।

'अये राजन्–' इस पद्य में अर्थान्तरन्यास (सामान्य से विशेष समर्थनरूप) तो है ही, साथ-साथ समासोक्ति (प्रस्तुत कटारी में अप्रस्तुत कामिनी-व्यवहारप्रतीति) भी है, अतः अर्थान्तरन्यास तथा समासोक्ति दोनों से मिश्रित व्याजस्तुति का यह उदाहरण है।

शङ्कामेकामुत्थाप्य समाधत्ते—

ननु कथमत्र व्याजस्तुतिः। वाच्याभ्यामेव निन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयोर्गम्यत्वे तस्या अभ्युपगमात्। नह्यत्र चापप्रतापस्य केवलस्य केवलवसुमत्याद्यालिङ्गनं वाच्यभूतं निन्दास्पदं भवति। समासोक्त्या त्वाविर्भूतो विटव्यवहारो निन्दास्पदमपि न वाच्यः, अपि तु गम्य इति चेत्, आमुखप्रतीतपदेन हि प्रतीतावपर्यवसितत्वमात्रमत्र विवक्षितम्। न तु वाच्यत्वपर्यन्तम्, गौरवात्। प्रकृते च किं तावता स्तव्यस्त्वमित्यादिना निन्दाया एवोपोद्बलनात्समासोक्तिसाचिव्येन सैव प्रथमं प्ररूढा पश्चाच्च स्तुतिरिति न कोऽपि दोषः।

अभिधावृत्तिबोधितया निन्दया स्तुतेः तथाभूतया स्तुत्या निन्दाया वा गम्यत्वे व्याजस्तुतिरिति सर्वसम्मतम्। तथा च 'देव त्वाम्–' इत्यादौ प्रस्तुतराजव्यवहारबोधोत्तरं व्यङ्ग्यस्य विटादेर्व्यवहारस्य बोधे सति प्रतीयमानाया निन्दाया वाच्यत्वविरहेण वाच्यया निन्दया स्तुतेर्गम्यत्वाभावात् कथं व्याजस्तुतिरिति शंकादलस्य, यया निन्दया स्तुत्या वा स्तुतिर्निन्दा वा गम्या तस्या निन्दायाः स्तुतेर्वा वाच्यत्वम् नापेक्षितम् अपि तु प्रथमप्रतीतत्वमात्रम् अपर्यवसानञ्च, अत एव 'आमुखप्रतीत–' इत्येवोक्तम्, न 'आमुखाभिहित–' इति। एवञ्च प्रकृते 'किं तावता स्तव्यस्त्वम्' इत्यादिना निन्दाया एवोद्भावनेन समासोक्तिमूलिकाया निन्दाया वाच्यत्वविरहेऽपि स्तुत्यपेक्षया निश्चितं प्राक् प्ररूढत्वमिति न कोऽपि व्याजस्तुतिस्वीकारे बाधेति च समाधानदलस्याभिप्रायो वेदितव्यः।

अब इस मिश्रित-व्याजस्तुति के संबन्ध में एक आशङ्का और उसका समाधान किए जाते हैं—ननु इत्यादि।

यदि यह आशङ्का की जाय कि 'देव त्वाम्–' इत्यादि पद्यों में व्याजस्तुति कैसे होगी? कारण, वाच्य निन्दा से स्तुति अथवा वाच्य स्तुति से निन्दा के व्यङ्ग्य होने पर व्याजस्तुति मानी जाती है, किन्तु यहाँ केवल धनुष के प्रताप का केवल पृथ्वी आदि का आलिङ्गन करना, जो वाच्य है, निन्दास्पद नहीं है—धनुष के प्रताप ने यदि पृथिवी का आलिङ्गन किया तो इसमें निन्दा क्या हुई? और समासोक्ति के द्वारा प्रकट होनेवाला विट का व्यवहार निन्दास्पद होने पर भी वाच्य नहीं है, अपि तु गम्य है, तो इसके समाधान में यह कहा जाता है कि 'निन्दा से स्तुति के गम्य होने पर' इस कथन में निन्दा की वाच्यता अपेक्षित नहीं है, अपि तु केवल उसका प्रथमतः प्रतीत होना (वह प्रतीति अभिधा किंवा व्यञ्जना से ही हो ऐसा आग्रह नहीं), साथ साथ उस प्रथम प्रतीत निन्दा आदि का अपर्यवसित होना आवश्यक है, अतएव लक्षण में 'आमुखप्रतीत' ऐसा ही कहा गया है, 'आमुखाभिहित' (अभिधा के द्वारा प्रथमतः बोधित) ऐसा नहीं। 'आमुखप्रतीत' का ही अर्थ 'आमुखाभिहित' नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा अर्थ करने में गौरव है—अर्थात् 'प्रतीत' पद से सामान्यतः 'किसी भी तरह से बोधित' इतना भर अर्थ होता है, फिर उस पद का 'अभिधा के द्वारा बोधित' ऐसा अर्थ करने के लिए लक्षणा का आश्रयण करना पड़ेगा जो गौरवग्रस्त है।

ऐसी स्थिति में 'देव त्वाम्–' इत्यादि पद्य में व्याजस्तुति मानने में कोई बाधा नहीं है, कारण, यहाँ 'क्या उतने से आप स्तुति करने योग्य हो जायँगे' इत्यादि के द्वारा निन्दा के ही उपपादन होने से समासोक्ति की सहायता से निन्दा ही पहले प्ररूढ होती है (वह अभिधा से नहीं, किन्तु व्यञ्जना से ज्ञात होती है, इस से कुछ बनता बिगड़ता नहीं) और तदनन्तर स्तुति प्ररूढ होती ही है।

प्रागुक्तरीत्या व्याजस्तुतावामुखप्रतीतपदेन वाच्यत्वस्याविवक्षितत्वे सिद्धान्तितेऽलङ्कारान्तरसंकीर्णाऽपि सा संभवतीति दर्शयितुमपरमुदाहरणमाह—

एवं च—

'भाग्यं ते शाल्मलितरो वद किं परिकथ्यते।
द्विजैः फलाशया युक्तैः सेव्यसे यदहर्दिवम्॥'

इत्यत्राप्रस्तुतप्रशंसासंकीर्णाप्येषा भवति।

'हे शाल्मलितरो शाल्मलिवृक्ष!, वद कथय, ते भाग्यम्, किं परिकथ्यते किं वर्ण्यते, अवर्णितमपि तत्सर्वविदितमेवेति भावः। कुत एवमित्यत्राह—यत् यस्मात्, फलाशया फलप्राप्तिकामनया, युक्तैः, द्विजैः पक्षिभिः, ब्राह्मणैश्चेति ध्वनिः, अहर्दिवम् प्रतिदिनम्, सेव्यसे, त्वमिति शेषः। दानयोग्यवस्तुविरहितमपि त्वां याचकाः सेवन्त इति महत्ते भाग्यमिति भावः। इत्येवं व्याख्येये 'भाग्यं ते—' इत्यस्मिन् श्लोकेऽप्रस्तुतप्रशंसालंकारसंकीर्णाऽपि व्याजस्तुतिर्भवति। अप्रस्तुत-वृक्ष-पक्षि-वृत्तान्तैः प्रस्तुत-तादृश-पुरुष-वृत्तान्तप्रतीत्याऽप्रस्तुतप्रशंसायां सत्यां प्ररूढा स्तुतिः पश्चान्निन्दायां पर्यवस्यति। निन्दाया वाच्यत्वं प्रागुक्तरीत्याऽनपेक्षितमेव। तथा चाप्रस्तुतप्रशंसासंकीर्णा व्याजस्तुतिरत्र स्फुटेति भावः।

जब 'आमुखप्रतीत' पद का 'अभिधा अथवा व्यञ्जना किसी भी वृत्ति से प्रथमतः बोधित' ऐसा अर्थ सिद्धान्तित कर दिया गया तब समासोक्ति और अर्थान्तरन्यास से ही नहीं, अपितु अन्य अलंकार से भी मिश्रित व्याजस्तुति हो सकती है यही अब दिखलाया जा रहा है—एवम् इत्यादि।

इस तरह 'भाग्यम् ते—अर्थात् हे सेमर के वृक्ष!, कहो तेरा भाग्य क्या कहा जाय, क्योंकि तुम प्रतिदिन फल की आशा से युक्त द्विजों (पक्षियों—ब्राह्मणों) से सेवित होते हो—यद्यपि देने योग्य वस्तु से तुम हीन हो तथापि याचक तेरे पास आते रहते हैं, अतः तुम भाग्यवान् हो' इस पद्य में अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार से मिश्रित भी व्याजस्तुति होती है।

तात्पर्य यह कि यद्यपि यहाँ अप्रस्तुत पक्षिगण सेवित शाल्मलितरु वृत्तान्त से प्रस्तुत याचकजनसेवित धनहीन जन की प्रतीतिरूप अप्रस्तुतप्रशंसा के ज्ञान होने पर ही स्तुति प्रतीत होती है, अतः यह स्तुति वाच्य नहीं, अपितु व्यङ्ग्य कही जायगी, तथापि उक्त रीति से व्याजस्तुति मानी ही जायगी।

अलङ्कारसर्वस्वविमर्शिन्योरुक्तमनूद्यावद्यति—

एतेन—

'किं वृत्तान्तैः परगृहगतैः किं तु नाहं समर्थ-
स्तूष्णीं स्थातुं प्रकृतिमुखरो दाक्षिणात्यस्वभावः।

देशे देशे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ठ्या-
मुन्मत्तेव भ्रमति भवतो वल्लभा हन्त ! कीर्तिः ॥'

इत्यत्र प्राचीनपद्ये "प्रक्रान्तापि स्तुतिपर्यवसायिनी निन्दा 'हन्त कीर्ति' रितिभणित्योन्मूलिता न तु प्ररोहं गमिता" इति यत्सर्वस्वकृतोक्तम् । यच्चापि-तद्व्याख्यायां विमर्शिन्याम् 'अनुदाहरणमेवैतत्पद्यं व्याजस्तुतेः' इति ध्वन्यालोचनकारोक्तिं कटाक्षेण लक्ष्यीकृत्योक्तम् तन्निरस्तम् । 'किं वृत्तान्तैः' इत्यादिना निन्दाया एव प्रथममुन्नयनात्समासोक्तेरुद्गतेर्वाच्यत्वस्यातन्त्रत्वात् । अन्वयक्रमेणादौ वल्लभयैवान्वये तस्याश्च कीर्त्यभिन्नत्वेनावस्थाने सति पश्चात्प्रकरणादिपर्यालोचनवशाद्व्युत्क्रमेणान्वयबोधाच्च । तस्माद्ध्वन्यालोचनकारैरुक्तमुदाहरणं संगतमेव ।

एतेनेति । उक्तरीत्याऽऽमुखप्रतीतयोर्निन्दा-स्तुत्योर्वाच्यत्व-विरहेऽपि व्याजस्तुतेः सिद्धान्तितत्वेनेत्यर्थः । किं वृत्तान्तैः—' इति । परगृहगतैः परकीयगृहसंबद्धैः, वृत्तान्तैः समाचारैः, किम् न किमपि प्रयोजनम् , अत उद्घाटनानर्हमिति यावत् , किं तु दाक्षिणात्यस्वभावः दक्षिणदेशवासिजनगतस्वभावविशिष्टः, प्रकृतिमुखरः स्वभावतोऽधिकवादकः, अहम् , तूष्णीम् मूकः, स्थातुम् , न समर्थः न क्षमः, अतो निष्प्रयोजनमपि वदेयमेवेति भावः, किं तत् वक्तव्यम् इति चेत्तदेव स्फुटयति—देशे देशे इति, हन्त ! (खेदविषयोऽयम् , यत् भवतः तव, वल्लभा प्रिया, कीर्तिः, उन्मत्तेव क्षीवेव, देशे-देशे प्रतिदेशम् , विपणिषु हट्टेषु—'बाजार' पदबोध्येषु स्थानेषु, चत्वरे शृङ्गाटके, तथा, पानगोष्ठ्याम् मदिरालय इति यावत् , भ्रमति अटतीति व्याख्या । अस्मिन् श्लोके 'हन्त कीर्तिः' इत्यस्य स्थाने 'देव कीर्त्तिः' इति पाठः क्वचिदुपलभ्यते । तत्र 'देव' इति वर्णनीयस्य संबोधनम् बोध्यम् । परमेतदपेक्षया मूलगतः पाठः श्रेयानित्यपि बोध्यम् । सर्वस्वकृतोक्तमिति । वल्लभापदस्य राजपत्नीरूपार्थानुसन्धानवशाद् या निन्दा प्रक्रान्तासीत्सा अन्ते 'हन्त कीर्तिः' इति कथनेन परिहृता तथा कथनेनावगम्यमानस्य कीर्तिकर्तृकभ्रमणस्य निन्दास्पदत्वाभावात् । तथा चाप्ररूढा निन्दा न व्याजस्तुतिं प्रयोजयितुं समर्थेति सर्वस्वकृतोऽभिप्रायः । एतदेवाह विमर्शिनीकारः—'अनुदाहरणमेवेति । ध्वन्यालोचनकारेति । ध्वन्यालोकलोचनकारोऽभिनवगुप्तोऽत्राभिप्रेतः, 'ध्वन्यालोचन'—नामकाप्रसिद्धनिबन्धान्तरनिर्माता कश्चनाज्ञातनामाऽऽचार्यो वेति सुधीभिरेवानुसन्धेयम् । निरस्तमिति । खण्डितमिति भावः । तत्र युक्तिमाह ग्रन्थकारः—'किं वृत्तान्तैः' इत्यादिनेति । अयं भावः—'किं वृत्तान्तैः—' इत्यत्र निन्दा प्रथमं प्रतीयते, 'परगृहगतैः वृत्तान्तैः किम्' इत्यादिना तस्या एव प्रागुद्बोधात् । समासोक्तिप्रादुर्भावोऽपि अत्र प्रथमप्रतीतनिन्दामूलक एव । निन्दाया वाच्यत्वं त्वनपेक्षितमिति प्रागुक्तमेव । सा च निन्दा पश्चादिह स्तुतौ पर्यवस्यति । किञ्च श्रवणक्रमेण प्रथमं 'भवतो वल्लभा उन्मत्तेव भ्रमति' इत्येवान्वयः । ननु 'कीर्तिः' इत्यस्य का गतिरिति चेत् ? वल्लभायाम् (राजमहिष्याम्) उपमेयतया ज्ञायमानायामुपमानतया विज्ञायमानायास्तस्याः (कीर्तेः) अभेदः । पश्चात् प्रकरणपर्यालोच-

नेन 'वल्लभा (अभीष्टा) भवतः कीर्तिः भ्रमति' इत्येतादृशान्वयः संजायते। एवञ्चात्र व्याजस्तुतिः संभवत्येवेति।

अलङ्कारसर्वस्व तथा उस की टीका विमर्शिनी का खण्डन अब किया जाता है—एतेन इत्यादि।

इससे—अर्थात् प्रथमतः प्रतीत निन्दादिक की वाच्यता नहीं रहने पर भी व्याजस्तुति होती है ऐसा सिद्धान्त स्थिर कर देने से 'किं वृत्तान्तैः अर्थात् दूसरों के घरों की बातों से किसी को क्या प्रयोजन'? परन्तु प्रकृतिमुखरता (स्वभावतः अधिक बोलना) दाक्षिणात्यों का स्वभाव है, अतः मैं चुप नहीं रह सकता। खेद है कि आप की प्यारी कीर्ति देश-देश में बाजारों में चौराहों पर और पानगोष्ठियों में उन्मत्त की तरह घूमती फिरती है। इस प्राचीनों के पद्य में जो सर्वस्वकार ने यह कहा है कि "यहां दूसरों के घरों की बातों से क्या' इस तरह से प्रारब्ध भी स्तुतिपर्यवसायिनी निन्दा 'हन्त कीर्तिः' इस कथन के द्वारा ऊखाड़ फेंकी गई—उसे (निन्दा को) बढ़ने नहीं दिया गया" और इसकी व्याख्या विमर्शिनी ने भी ध्वन्यालोचनकार को अपने कटाक्षका लक्ष्य बनाते हुए जो यह कहा है कि "यह पद्य व्याजस्तुति का उदाहरण नहीं ही है" यह सब निरस्त हैं। कारण 'दूसरे के घरों की बातों से क्या' इत्यादि के द्वारा पहले निन्दा का ही उत्थान होता है इस में तो किसी को संदेह नहीं हो सकता, समासोक्ति का आविर्भाव भी इस प्रथम प्रतीत निन्दा के आधार पर ही होता है इस में भी दो मत नहीं हो सकते। तब रही बात उस निन्दा का वाच्य न होने की सो उसकी वाच्यता व्याजस्तुति का नियामक नहीं है यह पहले ही कहा जा चुका है। यह तो हुई एक व्याजस्तुति-साधक युक्ति। दूसरी युक्ति भी यह है कि यहाँ 'उन्मत्तेव भ्रमति भवतो वल्लभा हन्त कीर्तिः' इस में प्रथमतः 'वल्लभा' पद के श्रवण होने से पहले 'आप की 'वल्लभा' (मुख्य पत्नी) जो आप की कीर्ति के समान होने से कीर्तिरूप ही है, उन्मत्त की तरह घूमती है' ऐसा ही अन्वय भासित होगा पश्चात् प्रकरण आदि की पर्यालोचना करने पर व्युत्क्रम से (विपरीत क्रम से) यह अन्वय ज्ञात होगा कि 'प्यारी आप की कीर्ति घूमती है'। इस तरह युक्तियों से यह निश्चित होता है कि यहाँ पहले निन्दा अवगत होती है जिसका पर्यवसान पीछे स्तुति में हो जाता है, अतः ध्वन्यालोचनकार ने जो इस पद्य को व्याजस्तुति का उदाहरण कहा है वह सुसङ्गत ही है।

स्फुटत्वाय व्याजस्तुतिविषयकमपि विचारं कुरुते—

इयं च व्याजस्तुतिर्यस्यैव वस्तुनः स्तुतिनिन्दे प्रथममुपक्रम्येते तस्यैव चेन्निन्दास्तुत्योः पर्यवसानं भवेत्तदा भवति। वैयधिकरण्ये तु न, इति प्राचामलङ्कारशास्त्रप्रवर्तकानां समयः। अत एव यत्र शब्देनाभिधीयमाना स्तुतिर्निन्दा वा बाधितस्वरूपा निन्दायां स्तुतौ च स्वसमर्पणेन पर्यवस्यतीति तैस्तत्र तत्र स्वग्रन्थेषूपनिबद्धम्।

एवं च—

'परोपसर्पणानन्तचिन्तानलशिखाशतैः।
अचुम्बितान्तःकरणाः साधु जीवन्ति पादपाः॥'

इत्यादिषु सांसारिकजननिन्दापर्यवसायिन्यामपि पादपस्तुतौ न व्याजस्तुतित्वम्, प्रथमप्रतीयमानस्तुतेरबाधितत्वात्। एवं निन्दया स्तुतेर्गम्यत्वेऽपि।

तथा अन्यस्य स्तुत्यान्यस्तुतौ, अन्यनिन्दायां वान्यनिन्दायां गम्यमानायां नास्या अलंकृतेर्विषयः। पूर्वोक्तादेव हेतोः। यथा—

'ये त्वां ध्यायन्ति सततं त एव कृतिनां वराः।
मुधा गतं पुराराते भवदन्यधियां जनुः॥'

अत्र पूर्वार्धोत्तरार्धगताभ्यां ध्यातृस्तुतिनिन्दाभ्यां ध्येयस्तुतिनिन्दयोरवगमः।

वैयधिकरण्ये तु नेति। अन्य स्तुति-निन्दाभ्यामन्य-निन्दास्तुत्योः पर्यवसानेऽपि व्याजस्तुतिर्नेति भावः। नन्वयं प्राचां समय इति कथं ज्ञायते इति चेत्तत्राह—अत एवेति। तैः प्राचीनैः। उपनिबद्धमिति। तथोपनिबन्धेन तेषां तादृशः समयो विज्ञातो भवतीति भावः। बाधितस्वरूपतायाः स्तुतिनिन्दयोः सामानाधिकरण्य एव संभवात्। एवं चेति। प्रथमप्रतीतस्तुतिनिन्दयोः पश्चात्पर्यवसायिनिन्दास्तुत्योश्च सामानाधिकरण्य एव व्याजस्तुतित्वस्य प्राचीनसमयसिद्धत्वेनेत्यर्थः। 'परोपसर्पणानन्त—' इति। परोपसर्पणेन परसमीपगमनेन याचनेनेति यावत्, या अनन्ताश्चिन्ताः तद्रूपा या अनलशिखाः अग्नि-ज्वालाः, तासां शतैः शतसंख्याभिः, शतसंख्यकतादृशशिखाभिरिति विवक्षितोऽर्थः, अचुम्बितान्तःकरणाः अस्पृष्टहृदयाः, पादपाः तरवः, साधु सुखेन, जीवन्ति जीवनं यापयन्तीति व्याख्या। सांसारिकजननिन्देति। परोपसर्पणानन्तचिन्ताग्निदग्धहृदयानां सांसारिक-जनानां जीवनं तु दुःखमयमित्याकारकनिन्देत्यर्थः। प्रथमप्रतीयमानस्तुतेरिति। प्रथम-प्रतीयमानपादपस्तुतिर्न बाधितेति भावः। एवं·····गम्यमानत्वेऽपीति। अन्यनिन्दया प्रथमप्रतीतया यत्रान्यस्तुतिर्गम्येत तत्रापि न व्याजस्तुतित्वमिति भावः। व्याजस्तुत्यलक्ष्य-ताकरं स्थित्यन्तरमपि दर्शयति—तथेति। अस्या अलङ्कृतेरिति। व्याजस्तुतेरित्यर्थः। पूर्वोक्तादेव हेतोरिति। प्रथमप्रतीयमानस्तुतिनिन्दयोस्तत्राप्यबाधितत्वादिति भावः। तादृशो-दाहरणप्रदर्शनायाह—यथेति। 'ये त्वाम्—' इति। हे पुराराते शिव, ये जनाः, सततं सर्वदा, त्वाम् भवन्तम्, ध्यायन्ति चिन्तयन्ति, त एव, कृतिनाम् कृतार्थानाम् निपुणाना-मिति यावत्, वराः श्रेष्ठाः, भवन्तीति शेषः, त्वदन्यधियाम् त्वदन्यस्मिन् त्वद्भिन्ने, धीः बुद्धिर्येषां तेषाम्, भवदतिरिक्तवस्तुचिन्तकानामिति यावत्, जनुः जन्म, मुधा व्यर्थम्, गतम् व्यतीतमिति व्याख्या। उपपादयति—अत्रेति। 'ये त्वाम्' इति श्लोके प्रथमद्वितीय-चरणयोर्वाच्यया शिवध्यानकर्तृजनस्तुत्या ध्यानविषयशिवस्तुतिर्व्यज्यते, एवम् तृतीयचतुर्थ-चरणयोर्वाच्यया शिवभिन्नवस्तुचिन्तकजननिन्दया ध्यानीयशिवभिन्नवस्तुनिन्दा ध्वन्यते। परमिह प्रथमप्रतीते स्तुतिनिन्दे न बाधिते, किन्च स्तुत्या स्तुतिरेच निन्दया च निन्दैव व्यज्यते, न स्तुत्या निन्दा निन्दया च स्तुतिरिति नात्र व्याजस्तुतिरिति भावः।

अब स्पष्ट-ज्ञान के लिए व्याजस्तुति के विषय में कुछ विचार किये जाते हैं—इयञ्च इत्यादि।

यह व्याजस्तुति, जिस वस्तु की स्तुति अथवा निन्दा पहले से प्रारब्ध हो यदि उसी वस्तु की निन्दा अथवा स्तुति पीछे पर्यवसित होती हो, तब होती है और यदि अभिव्यञ्जक स्तुति तथा अभिव्यक्त होने वाली निन्दा इसी तरह अभिव्यञ्जक निन्दा तथा अभिव्यक्त होने वाली स्तुति पृथक्-पृथक् आधार में रहें—अर्थात् स्तुति किसी अन्य वस्तु की की जाय और निन्दा किसी अन्य वस्तु की अभिव्यक्त हो इसी तरह निन्दा

किसी की की जाय और स्तुति किसी अन्य की व्यक्त हो, तब यह व्याजस्तुति नहीं होती। यह प्राचीन अलंकारशास्त्रप्रवर्तक आचार्यों की मर्यादा है। अत एव उनने अपने ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर लिखा है कि "जहाँ शब्द से अभिहित होने वाली स्तुति किं वा निन्दा अपने स्वरूप को बाधित पाकर आत्मसमर्पण के द्वारा निन्दा तथा स्तुति में बदल जाती हो वहीं व्याजस्तुति होती है।"

ऐसी स्थिति में 'परोपसर्पणा—अर्थात् दूसरों के पास याचनार्थ दौड़ लगाने की चिन्ता रूप अनन्त अग्निशिखाओं से जिनके हृदय चुम्बित (स्पृष्ट) नहीं होते ऐसे वृक्ष सुख से जीते हैं।' इत्यादिक में 'वृक्षों की स्तुति' यद्यपि 'सांसारिक जनों की निन्दा' में पर्यवसित होती है तथापि व्याजस्तुति नहीं है, क्योंकि प्रथमतः प्रतीत होने वाली वृक्षों की स्तुति यहां बाधित नहीं है। यही बात निन्दा से स्तुति की अभिव्यक्ति में भी समझनी चाहिए।

इस तरह किसी एक की स्तुति से किसी दूसरे की स्तुति अथवा किसी एक की निन्दा से किसी दूसरे की निन्दा जहां व्यक्त होती है वहां भी व्याजस्तुति नहीं होती है। कारण वही पूर्वोक्त है अर्थात् ऐसी स्थिति में एक तो स्तुति से निन्दा और निन्दा से स्तुति की व्यक्ति नहीं रहती, अपि तु स्तुति से स्तुति की ही और निन्दा से निन्दा की ही अभिव्यक्ति रहती है दूसरे प्रथम प्रतीत स्तुति निन्दाबाधित होकर आत्मसमर्पण द्वारा दूसरे की स्तुति निन्दा में परिवर्तित नहीं होती किन्तु शुद्ध व्यञ्जना मर्यादा से स्तुति निन्दा द्वारा दूसरे की स्तुति-निन्दा व्यक्त होती है अतः उक्त प्राचीन आचार्यों के सिद्धान्तानुसार वैसी स्थिति में भी व्याजस्तुति नहीं हो सकती। जैसे—'ये त्वाम्–अर्थात् हे त्रिपुरविनाशक शिव, जो आपका दिन-रात ध्यान करते हैं वे ही कृतियों में कृतार्थ जनों में श्रेष्ठ हैं और जो आपसे भिन्न वस्तुओं में अपनी बुद्धि लगाते हैं उनका जन्म व्यर्थ गया।'

यहाँ पूर्वार्ध में शिवजी के ध्यान करने वाले की स्तुति से ध्येय शिवजी की स्तुति व्यक्त होती है इसी तरह उत्तरार्ध में शिव से भिन्न विषयों का ध्यान करने वाले की निन्दा से ध्येय सांसारिक विषयों की निन्दा व्यक्त होती है, फिर भी व्याजस्तुति नहीं है।

कुवलयानन्दोक्तं निरस्यति—

एवं स्थिते कुवलयानन्दकर्त्रा स्तुतिनिन्दाभ्यां वैयधिकरण्येन निन्दास्तुत्योः स्तुतिनिन्दयोर्वावगमे प्रकारचतुष्टयं व्याजस्तुतेर्यदधिकमुक्तं तदपास्तम्। यदि तु प्राचीनसंकेतसेतुं निर्भिद्य स्वरुचिरमणीया सरणिराद्रियते तदा निवेश्यन्तां सर्वेऽपि व्यङ्ग्यप्रकारा गुणीभूतव्यङ्ग्यप्रकारा वा अलङ्कारोदरेषु। निवेश्यतां वा व्याजस्तुतिरपि योगार्थालीढत्वादप्रस्तुतप्रशंसायाम्। निरस्यतां च कार्यकारणादिविषयकत्वदुराग्रहस्तस्या इति बहुव्याकुलीस्यात्।

एवं तर्हि पूर्वोक्तं प्रकारचतुष्टयं कुत्रान्तर्भवतु ? इति चेत्, व्यङ्ग्यभेदेष्विति गृहाण। नहि व्यङ्ग्यभेदाः सर्वेऽप्यपरिमिता अलङ्कारप्रकारगोष्पदे अन्तर्भावयितुं शक्यन्ते।

एवं स्थिते इति। पूर्वोक्तप्राचीनाचार्यमर्यादाज्ञानदशायामित्यर्थः। प्रकारचतुष्टयमिति। अन्यगतस्तुत्याऽन्यगतनिन्दाया अभिव्यक्तिरित्येकः, अन्यगतनिन्दयाऽन्यगतस्तुतेरभिव्यक्तिरिति द्वितीयः, अन्यगतस्तुत्याऽन्यगतस्तुतेरभिव्यक्तिरिति तृतीयः, अन्यगतनिन्दयाऽ-

न्यगतनिन्दाया अभिव्यक्तिरिति च चतुर्थस्तदभिमतः प्रकारो बोध्यः। अपास्तमिति। प्रागुक्तरीत्या तस्य प्रकारचतुष्टयस्य व्याजस्तुत्यविषयत्वादिति भावः। ननु प्राचामनुरोधे क्रियमाणे एतत्खण्डनं संभवति न तदनुरोधे परित्यक्ते इति चेत्? तत्राह—यदि त्विति। स्वरुचिरमणीयेति। स्वमनोऽनुकूलेति भावः। सरणिः मार्गः। प्रधानेषु व्यङ्ग्येषु ध्वनिव्यवहार एव नालङ्कारव्यवहारः, एवञ्च 'सर्वेऽपि व्यङ्ग्यप्रकाराः' इत्याक्षेपोऽसंगत इत्यत आह—गुणीभूतव्यङ्ग्यप्रकारा वेति। अलङ्कारोदरेषु इति। अलंकारमध्य इति भावः। योगार्थालीढत्वादिति। 'अप्रस्तुतस्य प्रशंसा (कथनम्)' इत्यप्रस्तुतप्रशंसाशब्दस्य यौगिकेनार्थेन संगृहीतत्वादिति भावः। ननु अप्रस्तुतप्रस्तुतयोः कार्यकारणभावादावेव सा भवतीति तदभावे कथमिह तत्प्रसक्तिरिति चेत्तत्राह—निरतां चेति। तस्या इति। अप्रस्तुतप्रशंसायां इत्यर्थः। प्राचीनमर्यादाभङ्गे कार्यकारणभावादिस्थल एवाप्रस्तुतप्रशंसेति प्राचीनमर्यादास्वीकारोऽपि भवतो नावश्यक इति भावः। बहुव्याकुलीस्यादिति। अलंकाराणां विषये सर्वथाऽराजकतैव समापतेदिति भावः। व्यङ्ग्यभेदेष्विति। वाच्यापेक्षया चमत्कारित्वे ध्वनित्वप्रयोजकव्यङ्ग्यप्रभेदे, तदभावे गुणीभूतव्यङ्ग्यनामकमध्यमकाव्यप्रयोजकव्यङ्ग्यप्रभेद इति भावः। गोष्पदे इति। गोखुरपरिच्छिन्नस्थान इति भावः।

नागेशोऽत्र "अत्रेदं चिन्त्यम्—व्यङ्ग्यभेदेष्वप्रस्तुप्रशंसापर्यायोक्ताद्यलङ्कारवदत्राप्यलङ्कारत्वे बाधकाभावात्। न चाप्रस्तुतप्रशंसैवास्ताम्। विनिगमकाभावात्। न हि लक्ष्य एव व्याजस्तुतिर्न व्यङ्ग्य इत्यत्र शपथातिरिक्तं प्रमाणमस्ति। गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वाच्च न ध्वनित्वम्। प्राचीनग्रन्थविरोधस्त्वकिञ्चित्कर इत्यसदावेदितम्।" इत्येभिरक्षरैः कुवलयानन्दं समर्थयन्नपि न तटस्थेषु सहृदयेषु सन्तोषमङ्कुरयतीति बोध्यम्।

अब उक्त प्राचीनों के सिद्धान्त-सेतु के आधार पर कुवलयानन्द का खण्डन किया जाता है—एवं स्थिते इत्यादि।

ऐसी दशा में कुवलयानन्दकार ने जो भिन्न वस्तु की स्तुति से भिन्न वस्तु की निन्दा, भिन्न वस्तु की निन्दा से भिन्न वस्तु की स्तुति, भिन्न वस्तु की स्तुति से भिन्न वस्तु की स्तुति और भिन्न वस्तु की निन्दा से भिन्न वस्तु की निन्दा की अभिव्यक्ति में भी व्याजस्तुति मान कर चार और अधिक भेद व्याजस्तुति के कहे हैं वह खण्डित हो जाता है।

यदि प्राचीनों के संकेत की मर्यादा को तोड़ कर स्वरुचि-सुन्दर मार्ग का अवलम्बन किया जाय तब व्यङ्ग्य के सभी प्रकारों को अथवा कम से कम गुणीभूत व्यङ्ग्य के प्रकारों को अलङ्कारों के मध्य में समाविष्ट कर दीजिए। अथवा अप्रस्तुत की प्रशंसा-कथन इस यौगिक अप्रस्तुतप्रशंसा शब्दार्थ से व्याप्त होने के कारण व्याजस्तुति को भी, जहाँ अप्रस्तुत स्तुति-निन्दा का ही कथन रहता है, अप्रस्तुतप्रशंसा में ही निविष्ट कर दीजिए। कहा जायगा कि अप्रस्तुतप्रशंसा तो कार्यकारणभाव आदि परिगणित पाँच स्थितियों में ही मानी जाती है, फिर यहाँ उन पाँच में से किसी भी स्थिति के नहीं रहने पर अप्रस्तुतप्रशंसा कैसे स्वीकृत हो सकती है तो इसके उत्तर में यह कहा जायगा कि जब आप प्राचीनों के सेतु को तोड़ने पर ही तुले हुए हैं तब अप्रस्तुतप्रशंसागत इस सेतु को भी तोड़ डालिए—अर्थात् किसी तरह के अप्रस्तुत से प्रस्तुत की अभिव्यक्ति होने पर अप्रस्तुतप्रशंसा मान लीजिए। फलतः प्राचीन सेतु को तोड़ने पर अलंकार-जगत् में बहुत तरह की गड़बड़ी होने लगेगी, अतः प्राचीन-सेतु को मानकर चलना ही श्रेयस्कर है।

प्रश्न उठ सकता है कि तब कुवलयानन्दकार के बताये चारों प्रकार का अन्तर्भाव कहाँ होगा ? तो हम कहते हैं व्यङ्ग्य के भेदों में। व्यङ्ग्य के सभी भेद जो अपरिमित हैं, अलङ्कारों के प्रकारों में जो गोखुर के खड्डे के बराबर हैं, अन्तर्भूत नहीं किये जा सकते ।

नागेश कहते हैं कि—"यहाँ यह विचारणीय है। जैसे व्यङ्ग्य के प्रभेदों में भी अप्रस्तुतप्रशंसा, पर्यायोक्त आदि अलङ्कार स्वीकृत होते हैं उसी तरह यहाँ भी व्यङ्ग्य स्तुति आदि को अलंकार माना जा सकता है—इसमें किसी तरह की बाधा नहीं हो सकती। यदि कहें कि उक्त स्थलों पर अप्रस्तुतप्रशंसा ही हो, व्याजस्तुति नहीं; तो यह ठीक नहीं। कारण, वही हो, यह नहीं, इसमें कोई खास युक्ति नहीं है। यदि कहा जाय कि व्याजस्तुति लक्ष्य में (बाधित होने पर) ही होती है, व्यङ्ग्य में नहीं तो इसमें शपथ से अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है। ध्वनि तो व्यङ्ग्य की गौणता के कारण नहीं हो सकती। प्राचीनों के ग्रन्थों का विरोध तो अकिञ्चित्कर ही है।

पुनः कुवलयानन्दोक्तमुदाहरणमनूद्य खण्डयति—

यच्चापि कुवलयानन्दकृता निन्दाया गम्यत्वे उदाहृतम्—

'अर्धं दानववैरिणा गिरिजयाप्यर्धं शिवस्याहृतं
देवेत्थं जगतीतले स्मरहराभावे समुन्मीलति।
गङ्गा सागरमम्बरं शशिकला नागाधिपः क्ष्मातलं
सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्वमगमत्त्वाम्, मां च भिक्षाटनम् ॥'

अत्र सर्वज्ञः सर्वेश्वरोऽसीति राज्ञः स्तुत्या व्याजरूपया मदीयवैदुष्यादि दारिद्र्यादि जानन्नपि बहुप्रदानेन रक्षितुं शक्तो मह्यं किमपि न ददासीति निन्दा व्यज्यते" इत्युक्तं च। तन्न।

'साधु दूति पुनः साधु कर्तव्यं किमतः परम्।
यन्मदर्थे विलूनासि दन्तैरपि नखैरपि ॥'

इत्यनुपदमेव त्वदुदाहृतपद्येनास्यातितमां वैलक्षण्यात्। तत्र हि साधु किमतः परं कर्तव्यमिति वर्णैरुदीरिता साधुकारिणीत्वरूपा स्तुतिः श्रुतमात्रैव बाधिता सती विपरीतेऽर्थे स्वात्मसमर्पणेन पर्यवस्यति। इह तु सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्वं च न तथा। राजवर्णनप्रस्तावे राजगताज्ञत्वपामरत्वयोरविवक्षितत्वात्। अत एव सर्वज्ञोऽपि मां न रक्षितवानसि इत्युपालम्भरूपापि निन्दा नात्र विवक्षिता। सर्वज्ञस्य समर्थस्य तव दरिद्रोऽहं रक्षितुं योग्य इति स्वविज्ञापनाया एव प्रत्युत विवक्षितत्वात्। अस्तु वा त्वदुक्तोपालम्भरूपा निन्दात्र गम्या। तुष्यतु भवानेवमपि। 'साधु दूति पुनः साधु' इति पद्ये साधुकारिणीत्वमिव नास्मिन्पद्ये सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्वं च विद्युद्भङ्गुरप्रतिभमिति शक्यं वक्तुम्। उपालम्भरूपाया निन्दाया अनुत्थानापत्तेः प्रतीतिविरोधाच्चेति सहृदयैराकलनीयं किमुक्तं द्रविणपुङ्गवेनेति।

कुवलयानन्दोक्तमुदाहरणमनुवदति—'अर्धं दानव—' इति। हे देव राजन्', दानववैरिणा विष्णुना, गिरिजयापि पार्वत्यापि शिवस्य, अर्धम् अर्धम्, आहृतम् गृहीतम्,

शिवस्य दक्षिणार्धभागो विष्णुना वामार्धभागश्च पार्वत्या हृत इति भावः, इत्थम् अनेन प्रकारेण, जगतीतले संसारे, स्मरहराभावे शिवाभावे, समुन्मीलति प्रादुर्भवति, सति, गङ्गा भागीरथी, सागरम् समुद्रम् , शशिकला चन्द्रकला, अम्बरम् आकाशम् , नागाधिपः सर्पराजः, क्ष्मातलम् पातालम् , सर्वज्ञत्वम् , अधीश्वरत्वञ्च, त्वाम् , भिक्षाटनञ्च, माम् , अगमत् आश्रयत् । शिवविरहे शिवाश्रितानि तत्तद्वस्तूनि तत्र तत्राश्रयमुपलेभिरे इति तद्व्याख्या ।

तदुक्तमुपपादनमनुवदति—अत्रेति । खण्डयति—तन्नेति । तदुक्तमेतन्न युक्तमित्यर्थः । कुत इति चेत्तत्राह—'साधु इति—' इत्यादि । अस्य पद्यस्य 'हे दूति', साधु पुनः साधु त्वया यत्कृतम् तदर्थं पुनः पुनस्तुभ्यं धन्यवादा इति भावः, अतः परं किं कर्तव्यम् त्वया यत्कृतम् तदेव दूत्याश्चरमम् सर्वोत्कृष्टञ्च कर्तव्यमिति भावः, किं कृतं तयेति चेत् तत्राह—यत् , 'मदर्थे मदीयहितसाधनप्रसङ्गे, त्वम् , दन्तैः नखैश्च, विलूना छिन्ना, असि' इति व्याख्या बोध्या । अस्येति 'अर्धम् दानव—' इति पद्यस्येत्यर्थः । अतितमाम् अत्यन्तम् । वैलक्षण्यादिति । भिन्नस्वरूपत्वादित्यर्थः, वैलक्षण्यमेवोपदर्शयति—तत्र हीति । साधुकारिणीत्वरूपेति । 'मदर्थं महान्तं क्लेशमनुभूतवत्यसि' इत्याकारेति स्पष्टोऽर्थः । विपरीतेऽर्थे इति । असाधुकारिणीत्वरूपेऽर्थे इति भावः । मदर्थं न गतासि, किं तु रन्तुमेव गतासि, धिक् त्वां दूतिकाधर्मविरुद्धकारिणीम्' इत्याकारेऽर्थे इति स्फुटोऽर्थः ।

न तथेति । बाधितं न तथा च स्वात्मसमर्पणेन विपरीतेऽर्थे पर्यवसानयोग्यमपि नेत्यर्थः, कुतो न तद् बाधितं स्वीक्रियत इति चेत्तत्राह—राजवर्णनप्रस्तावे इति । वाच्यं सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्वञ्च तदा बाधितमभविष्यत् यदि वर्णनीयस्याज्ञत्वं पामरत्वञ्च वक्तुरभिप्रेतमस्थास्यत् , परमिह राजवर्णनप्रसङ्गे न तद् वक्तुरभिप्रेतं स्वीकर्तुं योग्यमिति भावः । अत एवेति । राजवर्णनप्रस्तावे राज्ञो दुर्गुणगणस्यानाख्येयत्वादेवेत्यर्थः । उपालम्भरूपापीति । अज्ञत्वपामरत्वोद्घाटनरूपा निन्दा तु नैव विवक्षिता, उक्तोपालम्भरूपापि सा न विवक्षितेति भावः । एवं तर्हि कोऽत्र विवक्षितोऽर्थ इति चेत् तत्राह—सर्वज्ञस्येत्यादि । तुष्यद्दुर्जनन्यायेनाह—अस्तु वेति । निन्दाया उपालम्भरूपायाः कथञ्चिद् व्यङ्ग्यत्वेऽपि तदवगमकस्य वाच्यस्य बाधितत्वन्नास्त्येवेत्याह—'साधु इति—' इत्यादिना । अयं भावः—'साधु दूति—' इत्यस्मिन् पद्ये यथा साधुकारिणीत्वम्' वाच्यम् विद्युदङ्कुरप्रतिभम् (विद्युदिव क्षणं चमत्कृत्य विलीयमानम्) अस्ति, तथा 'अर्धं दानव—' इत्यत्र सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्वञ्च वाच्यम् नास्ति, अपि तु स्थिरप्रतिभासम् । ननु तयोः स्थिरप्रतिभासत्वे युक्तिः केति चेदित्थं बोध्यम्—तयोः स्थिरप्रतिभासत्व एव भवदुक्ताया उपालम्भरूपाया निन्दाया अपि उत्थानं संगच्छते, अन्यथाऽज्ञत्वपामरत्वयोः प्रतिभासे 'मां न रक्षितवानसि' इत्युपालम्भस्य कः प्रसरः किञ्च प्रतीयमानस्य तयोः स्थिरप्रतिभासत्वस्यापलापेऽनुभवविरोधश्चेति ।

सहृदयैराकलनीयमिति । इत्थं युक्तिभिः 'अर्धं दानव—' इत्यस्य पद्यस्य व्याजस्तुत्यनुदाहरणत्वे निश्चिते दीक्षितेन यत्तदुदाहरणतया तत्पद्यमुल्लिखितं तस्य रहस्यं सहृदयैर्विचारणीयमिति भावः ।

अत्र "अतिचिरकालं कृतया सेवया दुःखितस्य ततोऽप्राप्तधनस्य भिक्षो राजसेवां त्यक्तुमिच्छत ईदृशवाक्ये वक्तृवैशिष्ट्यादिसहकारेणापातप्रतीयमानस्तुतेर्निन्दापर्यवसायितया विद्युद्भङ्गुरप्रतिभत्वमस्त्येवेति सम्यगेवोक्तं द्रविडशिरोमणिना।" इत्याह नागेशः। किन्तु 'तदाज्ञस्य दरिद्रस्य च कृते अरक्षणोपालम्भस्योत्थानं न स्यात्' इत्याक्षेपो न समाहितो नागेशभट्टैरिति व्यर्थ एवायं समाधानप्रयास इत्यपि बोध्यम्।

पुनः दीक्षित का ही खण्डन किया जाता है—यच्चापि इत्यादि।

कुवलयानन्दकार का पूर्वोक्त व्याजस्तुति-प्रभेद-वर्णन तो असंगत है ही, साथ ही उन ने जो निन्दा के व्यङ्ग्य होने का उदाहरण 'अर्धम् दानववैरिणा—अर्थात् हे देव, शिव जी का आधा (दहिना भाग) विष्णु ने ले लिया और आधा (बायाँ भाग) गिरिजा ने ले लिया। इस तरह पृथ्वीतल पर जब शिव जी का अभाव प्रकट होने लगा तब गङ्गा समुद्र में चली गई, चन्द्रकला आकाश में चली गई, सर्पराज पाताल में चला गया और सर्वज्ञता तथा अधीश्वरता आपको मिली और मुझे मिला भिक्षाटन।' यह पद्य दिया है और इसके उपपादन में लिखा है कि "यहां 'आप सर्वज्ञ तथा सर्वाधिपति हैं' इस व्याज-रूपा राजस्तुति से 'मेरी विद्वत्ता दरिद्रता आदि को जानते हुए भी बहुत कुछ देकर रक्षा करने में समर्थ होकर भी मुझे कुछ नहीं देते' इस तरह को निन्दा व्यक्त होती है।" वह संगत नहीं है। कारण, अभी-अभी आप के द्वारा व्याजस्तुति के उदाहरणरूप में उल्लिखित 'साधु दूति—अर्थात् हे दूति, तुम ने अच्छा किया और बहुत अच्छा किया। इससे अधिक और क्या किया जा सकता था! जो मेरे कारण दांतों से भी और नखों से छिद गयी।' इस पद्य की अपेक्षा 'अर्धम् दानव—' इस पद्य में अत्यधिक विलक्षणता है।

और वह विलक्षणता यह है कि 'साधु दूति—' इस पद्य में 'बहुत अच्छा किया इससे अधिक और क्या किया जा सकता था' इन अक्षरों से 'भला करने वाली' के रूप में जो स्तुति अवगत होती है वह सुनते ही बाधित होकर अपने से विपरीत अर्थ में ('तुम मेरे लिए नहीं गई, अपि तु स्वयं रमण करने गई, अतः दूती-धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाली तुम को धिक्कार है' इस अर्थ में) आत्मसमर्पण-द्वारा परिणत हो जाती है।

पर 'अर्धं दानव—' इस पद्य में तो 'सर्वज्ञता' और 'अधीश्वरता' उस तरह की-अर्थात् बाधित नहीं है! कारण, राजा के वर्णन के प्रसङ्ग में राजा में 'अज्ञता' और 'पामरता' के रहने पर भी (नहीं रहने पर तो बात ही क्या) उनका वर्णन करना किसी का अभीष्ट नहीं हो सकता, अत एव 'सर्वज्ञ होकर भी मेरी रक्षा आपने नहीं की' इस उलाहना के रूप में भी राजा की निन्दा वक्ता का अभीष्ट यहां नहीं हो सकता, प्रत्युत 'सर्वज्ञ और सब तरह से समर्थ आपके लिये दरिद्र मैं रक्षा करने योग्य हूँ' इस तरह का अपना निवेदन करना ही यहां वक्ता का अभीष्ट माना जा सकता है।

अथवा आपके द्वारा बताई गई उक्त उलहनारूप निन्दा यह व्यङ्ग्य रूप में ज्ञात हो, इस तरह से भी आप सन्तुष्ट हो लें। किन्तु 'साधु दूति—' इस पद्य में साधुकारिणीत्व (दूती का भला करने वाली होना) जिस तरह विजली के समान क्षणभङ्गुर प्रकाश वाला है, उस तरह 'अर्धं दानव—' इस पद्य में सर्वज्ञता और अधीश्वरता भी बिजली के समान क्षणिक चमक वाली है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य यह कि उस पद्य में साधुकारिणीत्व की प्रतीति एक क्षण के लिये होकर विलीन हो जाती है—विपरीत अर्थ की प्रतीति होने लगती है, पर यहाँ सर्वज्ञता और अधीश्वरता की प्रतीति चिरकाल तक बनी रहती है। यदि ऐसी बात नहीं हो तब उक्त उलाहनारूप निन्दा का

उत्थान ही नहीं हो सकता—सर्वज्ञ तथा अधीश्वर के लिये ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते' इस तरह का उलाहना देना संगत है, अज्ञ तथा पामर के लिये ये नहीं। एक बात और है कि जब यहाँ सर्वज्ञता आदि का आभास स्थायी है ऐसा सहृदयों का अनुभव है तब आप उसको अस्थायी कह कर प्रतीति का विरोध ही तो करते हैं जो युक्त नहीं है।

ऐसी स्थिति में द्रविडपुंगव (अप्पय दीक्षित) ने क्या कहा इसका विवेचन सहृदयों को करना चाहिए।

यहाँ नागेश का कथन है कि "—'अर्धं दानव—' यह वाक्य उस भिक्षुक के द्वारा कहा गया है जो बहुत दिनों तक राज-सेवा-प्रयुक्त दुःख उठाकर भी धन नहीं पा सकने के कारण राज-सेवा का परित्याग करना चाहता है, अतः इस वाक्य में वक्तृ-वैशिष्ट्य आदि की सहायता से निन्दा में पर्यवसित होने वाली आपाततः प्रतीयमान-स्तुति (सर्वज्ञता और अधीश्वरता) की चमक बिजली के समान ही है—वास्तव में तो वह राजा को अज्ञ और पामर ही कहना चाहता है, अतः द्रविडशिरोमणि ने ठीक ही कहा है।"

पर तटस्थ दृष्टि से विचार करने पर नागेश जी का यह समर्थन दुराग्रह ही प्रतीत होता है, क्योंकि नागेश के उक्त विवरण के बाद भी पण्डितराज की उस युक्ति का समाधान नहीं हो सका जिसमें अज्ञ और पामर के लिये 'आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते' इस उपालम्भ के उत्थान नहीं होने की बात कही गई है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे व्याजस्तुतिप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे व्याजस्तुतिविचारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां व्याजस्तुतिप्रकरणम्॥

रसगङ्गाधरगत व्याजस्तुतिप्रकरण की हिन्दी व्याख्या समाप्त।

शिष्यावधानाय प्रतिजानीते—

अथाक्षेपः—

आक्षेपालङ्कारो निरूप्यतयारब्धो वेदितव्य इति भावः।

अब आक्षेप अलङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है।

परकीयलक्षणोद्धरणप्रसङ्गे तावदेकं लक्षणमुद्धरति—

'उपमेयस्योपमानसंबन्धिसकलप्रयोजननिष्पादनक्षमत्वादुपमानकैमर्थ्यमुपमानाधिक्षेपरूपमाक्षेपः' इति केचिदाहुः।

उपमान-सम्पाद्यानि सर्वाणि प्रयोजनानि उपमेयमेव सम्पादयितुं क्षममिति किमर्थ उपमानभूतः पदार्थ इत्याकारकं कैमर्थ्यम्, यदुपमानाधिक्षेपात्मकं पर्यवस्यति, आक्षेपालङ्कार इति भावः। एतच्च केषाञ्चिदाचार्याणां मतम्।

अन्य आचार्यों के द्वारा किए गए विविध लक्षणों को उद्धृत करने के क्रम में प्रथम लक्षण उद्धृत किया जाता है—उपमेयस्य इत्यादि।

"उपमानभूत वस्तु के द्वारा सम्पादनीय सभी प्रयोजनों का संपादन करने में उपमेयभूत वस्तु के समर्थ होने के कारण उपमानभूत वस्तु की किमर्थता—अर्थात् 'उपमानभूत

वस्तु किस लिए" इस तरह की जिज्ञासा के उत्थान, जिसे अन्ततः उपमानभूत वस्तु का तिरस्कार कहा जा सकता है, को आक्षेप अलङ्कार कहते हैं।"

यह कुछ आचार्यों का मत है।

उदाहरणप्रदर्शनायाह—

तन्मते चेत्थमुदाहरणं निर्माणीयम्—

उक्तलक्षणकारमते निम्नलिखितरूपेणोदाहरणं विरचनीयम्, न तु तदुक्तमुदाहरणं भवितुमर्हतीति भावः।

उदाहरण दिखलाने के लिए कहा जाता है—तन्मते इत्यादि।

उनके मत में अर्थात् उक्त लक्षण बनाने वाले आचार्यों के मत में निम्ननिर्दिष्ट उदाहरण बनाना चाहिए।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'अभूदप्रत्यूहः कुसुमशरकोदण्डमहिमा
विलीनो लोकानां सह नयनतापोऽपि तिमिरैः।
तवास्मिन्पीयूषं किरति परितस्तन्वि वदने
कुतो हेतोः श्वेतो विधुरयमुदेति प्रतिदिनम्।'

चाटुकारः कश्चिन्नायिकां कथयति—हे तन्वि कृशाङ्गि, तव, अस्मिन्, वदने मुखे, परितः चतुर्दिक्षु पीयूषम् अमृतं, किरति विक्षिपति सति, कुसुमशरस्य कामदेवस्य, कोदण्डस्य धनुषः, महिमा माहात्म्यम्, अप्रत्यूहः निर्विघ्नः, अभूत, तिमिरैः अन्धकारैः, सह, लोकानाम् प्राणिनाम्, नयन-तापोऽपि, विलीनः नष्टः, अभूदिति प्राक्तनेनान्वयः। अस्यां स्थितौ, श्वेतः शुक्लवर्णः अयम्, विधुश्चन्द्रः, प्रतिदिनम्, कुतो हेतोः कस्मात्कारणात्, उदेति ? व्यर्थस्तदुदय इति भावः। अत्रोपमेयमुखेनैव मदनविजृम्भणादिसकलचन्द्रकार्याणाम् कृतत्वाच्चन्द्रः किमर्थ इत्युपमानचन्द्राधिक्षेपस्य बोधाल्लक्षणसमन्वयः।

उदाहरण का उल्लेख किया जाता है—अभूत् इत्यादि।

किसी सुन्दरी के प्रति चाटुकार की उक्ति है—हे तन्वि, तेरे मुख द्वारा चारों तरफ अमृतवृष्टि होती रहने पर कामदेव के धनुष का माहात्म्य निर्विघ्न हो ही गया, अन्धकारों के साथ-साथ लोगों का नेत्र-ताप भी विलीन हो ही गया, फिर यह उजला चन्द्र किस लिए प्रतिदिन उदित होता है ?

यहाँ उपमेय-मुख के द्वारा काम-साम्राज्य आदि सभी चन्द्र-कृत्यों का सम्पादन कर दिए जाने पर उपमान-चन्द्र किस लिए ? इस अर्थ की प्रतीति होने से उक्त लक्षण के अनुसार 'आक्षेप अलङ्कार' होता है।

उदाहरणान्तरं प्रदातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्,

अथवा जैसे—।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'वसुधावलयपुरन्दर विलसति भवतः कराम्भोजे।
चिन्तामणिकल्पद्रुमकामगवीभिः कृतं जगति॥'

हे वसुधावलयपुरन्दर पृथ्वीमण्डलेन्द्र, भवतः तव, कराम्भोजे हस्तकमले विलसति भासमाने, सति, जगति संसारे, चिन्तामणिकल्पद्रुमकामगवीभिः चिन्तामणिकल्पवृक्षकामधेनुभिः मनोऽनुकूलफलदानसमर्थाभिरिति भावः, कृतम् अलम्, तव करकमलेनैव सर्वेषां मनोरथपूर्तिसंभवे सांसारिकाणां चिन्तामणिप्रभृतितो न किमपि प्रयोजनमिति भावः, अत्रापि करकमलात्मकोपमेयसंपाद्यमानजनमनोरथपूर्त्तिरूपप्रयोजनस्य चिन्तामण्याद्यात्मकोपमानस्य कैमर्थ्यम् प्रतीयत इति लक्षणसमन्वयः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—वसुधावलय इत्यादि।

हे पृथ्वी-मण्डल के इन्द्र, आप का कर-कमल जब शोभित हो रहा है तब चिन्तामणि, कल्पवृक्ष और कामधेनु की संसार में आवश्यकता नहीं।

यहाँ भी वर्णनीय राजा के करकमल (उपमेय) से ही जनमनोरथ-पूर्ति आदि प्रयोजनों की निष्पत्ति हो जाने से चिन्तामणि आदि (उपमान) का अधिक्षेप वर्णित है, अतः आक्षेप अलङ्कार का उदाहरण यह पद्य होता है।

उक्तोदाहरणयोर्वैलक्षण्यं प्रकटयति—

आद्ये उपमानप्रयोजननिष्पादनं शाब्दम्, द्वितीये त्वार्थमिति भेदः।

आद्य इति। 'अभूदप्रत्यूहः—' इतिश्लोक इत्यर्थः। उपमानेति। चन्द्रेत्यर्थः। प्रयोजनेति। कामधनुःप्रभावाप्रत्यूहत्वादिकेत्यर्थः। शाब्दमिति। अप्रत्यूहः कुसुमशरकोदण्डमहिमेत्यादिशब्दप्रतिपाद्यमित्यर्थः। द्वितीये त्विति। 'वसुधावलय—' इत्युदाहरणइत्यर्थः। आर्थमिति। चिन्तामणिप्रभृत्युपमानसंपाद्यजनमनोरथपूर्त्यादिप्रयोजनसंपादनम्, न शाब्दम्, अपि तु आर्थमिति भावः।

उक्त दोनों उदाहरणों में अन्तर दिखलाया जाता है—आद्ये इत्यादि।

'अभूदप्रत्यूहः—' इस प्रथम उदाहरण में चन्द्ररूप उपमान के प्रयोजनों (काम-धनुःप्रभाव की निर्विघ्नता' आदि) का उपमेय रमणी-मुख के द्वारा संपादन शब्दतः कथित है और 'वसुधावलय—' इस द्वितीय उदाहरण में वह-अर्थात् चिन्तामणि आदि उपमानों के जनमनोरथपूर्ति आदि प्रयोजनों का राजकरकमलरूप उपमेय के द्वारा निष्पादन शाब्द नहीं, अपि तु आर्थ—अर्थतः ज्ञात होता है, यही दोनों उदाहरणों में अन्तर है।

अन्योक्तमन्यविधं लक्षणमनुवदति—

अपरे तु—

'पूर्वोपन्यस्तस्यार्थस्य पक्षान्तरालम्बनप्रयुक्तो निषेध आक्षेपः।' इत्याहुः।

पक्षमेकमाश्रित्य स्थापितस्य पदार्थस्य पक्षान्तरमाश्रित्य क्रियमाणो निषेध आक्षेपालङ्कार इति केचिदाचार्याः कथयन्तीति भावः।

अन्य आचार्यों के द्वारा रचित एक दूसरे लक्षण का उद्धरण किया जाता है—अपरे तु इत्यादि।

'प्रथमतः वर्णित वस्तु का किसी अन्य पक्ष के अवलम्बन के कारण किया गया निषेध आक्षेप है'। ऐसा कतिपय अन्य आचार्य कहते हैं।

उदाहरणमुपस्थापयितुमुपक्रमते—

तेषां मते इदमुदाहरणीयम्—

अनुपदोक्तलक्षणकाराणां मतेऽधोविन्यस्तं पद्यमुदाहर्तुं योग्यमिति भावः।

पूर्वोक्त लक्षण बनाने वालों के मतानुसार अधोलिखित पद्य उदाहरण हो सकता है।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'सुराणामारामादिह झगिति झञ्झानिलहताः
पतेयुः शाखीन्द्रा यदि तदखिलो नन्दति जनः।
किमेभिर्वा कार्यं शिव शिव विवेकेन विकलै-
श्चिरं जीवन्नास्तामधिधरणि दिल्लीनरपतिः॥'

झञ्झानिलहताः महावातप्रेरिताः, शाखीन्द्राः कल्पवृक्षाः, यदि, झगिति शीघ्रम्, सुराणाम् देवानाम्, आरामात् उद्यानात्, इह संसारे पतेयुः, तत् तदा, अखिलः समग्रः, जनः लोकः, नन्दति प्रसादमासादयति वा अथवा, शिव शिव खेदजनिकेयमुक्तिः यतः विवेकेन सदसद्विभागप्रवणबुद्ध्या विकलैः हीनैः जडैरिति यावत्, एभिः कल्पवृक्षैः, किम् कार्यम् किं प्रयोजनम् न किमपीति भावः, अथ जनः कथं नन्देदिति चेत्तत्राह—दिल्लीनरपतिः दिल्लीशः, अधिधरणि पृथिव्याम्, चिरं जीवन्नास्ताम् जीवनं धारयतु स एव जनान्नन्दयेदित्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—सुराणामिति।

यदि देवताओं के उद्यान से आन्धी से आहत होकर कल्पवृक्ष तुरत पृथ्वी पर गिरें तो सभी मनुष्य प्रसन्न हो जाँय-उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाँय। अथवा शिव ! शिव ! विवेकरहित (जड़) इन कल्पवृक्षों से संसार को क्या प्रयोजन ? सांसारिकों के लिये तो यही सब कुछ है कि दिल्लीनरेश चिरकाल तक धराधाम पर जीवित रहें।

उपपादयति—

अत्र किमेभिरित्युत्तरार्धेन पूर्वार्धोक्तपक्षप्रतिक्षेपमात्रं पक्षान्तरालम्बनेन क्रियते।

स्फुटम्।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि—

'सुराणाम्—' इस पद्य में 'किमेभिः—' इत्यादि उत्तरार्ध के द्वारा पद्य के पूर्वार्ध में कथित पक्ष का, दूसरे पक्ष का अवलम्बन कर, प्रतिक्षेपमात्र किया जा रहा है।

उदाहरणान्तरन्निर्देष्टुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्,

अथवा जैसे—।

उदाहरणं ब्रूते—

'किं निःशङ्कं शेषे शेषे वयसि त्वमागतो मृत्युः।
अथवा सुखं शयीथा जननी जागर्ति जाह्नवी निकटे॥'

शेषे अल्पमात्रावशिष्टे, वयसि अवस्थायाम् त्वम्, निःशंकम् शंकामपहायेति यावत्, किम् कथम्, शेषे शयनं करोषि ? मृत्युः, आगतः अथवा, जननी मातृरूपा, जाह्नवी गङ्गा, निकटे समीपे, जागर्ति योग-क्षेम-वहनाय सावधानास्ति, अतः, त्वम्, सुखम् सुखपूर्वकम् निःशंकमिति यावत्, शयीथाः शयनं कुर्वित्यर्थः।

उदाहरण दिखाया जाता है—किम् इत्यादि।

इस शेष अवस्था में—बुढ़ापे में तुम निःशङ्क होकर क्या सो रहे हो, मृत्यु के दिन निकट हैं। अथवा, सुखपूर्वक सोते रहिए, क्योंकि माता जाह्नवी समीप में जाग रही है—सब कलुषों को धो पोछ कर कल्याण-सम्पादनार्थ सावधान है।

मम्मटाभिमतमाक्षेपलक्षणमुद्धरति—

अन्ये तु—

"'निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया।
वक्ष्यमाणोक्तविषयः स आक्षेपो द्विधा मतः॥'

विशेषं व्यङ्ग्यरूपमर्थविशेषं वक्तुं विवक्षितस्य प्रकृतार्थस्य निषेधो निषेधसदृशः कथनादिप्रत्याख्यानरूपः। स वक्ष्यमाणविषय उक्तविषयश्चेति द्विविधः" इत्याहुः।

अन्ये त्विति मम्मटभट्टा इत्यर्थः। 'निषेधो—' इत्यस्याः कारिकायास्तदभिमतां व्याख्यामाह—विशेषमित्यादिना 'विशेषाभिधित्सया' इत्येतदंशघटक 'विशेष' पदस्यार्थमाह—व्यङ्ग्यरूपमिति। 'वक्तुमिष्टस्य' इत्यंशस्यार्थमाह—निषेधसदृश इति' निषेधसादृश्यं स्फुटयति—कथनादिप्रत्याख्यानरूप इति।

अब मम्मटकृत लक्षण उद्धृत किया जाता है—अन्ये तु इति।

अन्य लोगों का (मम्मटभट्ट आदि का) कथन है कि—'निषेधो वक्तुमिष्टस्य—अर्थात् किसी वैशिष्ट्यके कथन की इच्छा से जो विवक्षित वस्तु का निषेध किया जाता है उसे आक्षेप कहते हैं। वह दो प्रकार का होता है—१-वक्ष्यमाणविषयक और २-उक्तविषयक।'

इस लक्षण में 'वैशिष्ट्य' का अर्थ है कोई व्यङ्ग्य अर्थ, 'विवक्षित' का अर्थ है प्रकृतार्थ और 'निषेध' का अर्थ है निषेध-सा-अर्थात् कथनादिक का प्रत्याख्यान—कहकर बदल जाना।

तन्मतानुसार्युदाहरणं दर्शयितुमाह—

तेषां मते इत्थमुदाहार्यम्—

'निषेधो वक्तुमिष्टस्य—' इतीदृशलक्षणकारमते निम्नलिखितं पद्यमुदाहरणं भवितुमर्हतीति भावः।

उनके मत में अधोलिखित पद्य उदाहरण हो सकता है—।

उदाहरणभूतं पद्यमुल्लिखति—

'रीतिं गिराममृतवृष्टिकिरां त्वदीयां
तां चाकृतिं कृतिवरैरभिनन्दनीयाम्।
लोकोत्तरामथ कृतिं करुणारसार्द्रां
ज्ञातुं न कस्यचिदुदेति मनःप्रसारः॥'

अमृतवृष्टिकिराम् सुधावर्षणविक्षेपिणीनाम्, गिराम् वाचाम्, रीतिम् शैलीम्, कृतिवरैः श्रेष्ठपुरुषैः, अभिनन्दनीयाम् प्रशंसनीयाम्, ताम् प्रसिद्धाम्, त्वदीयाम् त्वत्संबन्धिनीम् आकृतिम् आकारम्, अथ अनन्तरम्, करुणारसार्द्राम् दयारसाप्लुताम्,

लोकोत्तराम् अलौकिकीम्, कृतिम् व्यापारम् यत्नं वा, ज्ञातुम्, कस्य चिदपि, मनःप्रसारः हृदयोत्सुकतां न उदेति नोत्पद्यते इत्यर्थः।

उदाहरण का उल्लेख किया जाता है—रीतिम् इत्यादि।

सुधावृष्टिकारिणी वाणी की विलक्षण शैली को तथा श्रेष्ठ निपुण जनों द्वारा प्रशंसा करने योग्य उस अनुपम आपकी आकृति को एवम् करुणारस से भीगी हुई अलौकिक कृति को जानने के लिए किसी के मन का प्रसार नहीं होता।

उपपादयति—

अत्र करिष्यमाणस्य मनःप्रसारस्य निषेधो वर्णनीयस्यानिर्वाच्यतां बोधयितुम्।

'रीतिम्—' इत्यत्र वर्णनीयस्य वचनरीत्यादिपरिज्ञानायावश्यंभाविनः सकलजनमनःप्रसारस्य निषेधो वर्णनीयगतगुणानामनिर्वाच्यतां प्रत्याययितुमिति वक्ष्यमाणविषयस्याक्षेपालंकारस्योदाहरणमिदं पद्यमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'रीतिम्—' इस पद्य में वर्णनीय महापुरुष की विलक्षण वचन-शैली आदि को जानने के लिए यद्यपि सबके मनःप्रसार का होना निश्चित है तथापि जो उसका निषेध किया गया है वह वर्णनीय महापुरुष के गुणों की अनिर्वचनीयता को अभिव्यक्त करने के लिए, अतः यह पद्य उक्त लक्षणानुसार वक्ष्यमाणविषयक आक्षेप अलंकार का उदाहरण होता है।

द्वितीयप्रकारोदाहरणमुपन्यस्यति—

'श्वासोऽनुमानवेद्यः शीतान्यङ्गानि निश्चला दृष्टिः।
तस्याः सुभग कथेयं तिष्ठतु तावत्कथान्तरं कथय॥'

नायकं प्रति सख्या उक्तिः—हे सुभग सौभाग्यशालिन् सुन्दर, तस्याः मत्सख्याः त्वत्प्रियायाश्च, श्वासः अनुमानवेद्यः अनुमानेनैव ज्ञातुं योग्यो भवति, नान्यथा, अतिक्षीणत्वादिति भावः, अङ्गानि शीतानि आवश्यकतापेनापि रहितानि, सन्ति, दृष्टिः, निश्चला गतिशून्या विद्यते, इयमेव, तस्याः, कथा वार्ता, वर्तते परन्तु इयं कथा तिष्ठतु, नैव वक्तव्येयं कथेति भावः, अतः, कथान्तरम् अन्यां कथाम् कथयेत्यर्थः। अत्र विवक्षितस्य नायिकाकष्टस्य 'इयं कथा तिष्ठतु' इतिरूपेण सख्या क्रियमाणो निषेधो विवक्षितस्य नायिकाकष्टस्य मरणपरिणामतादिविशेषं व्यनक्तीति पद्यमिदमुक्तविषयाक्षेपोदाहरणं सम्पद्यते।

द्वितीय आक्षेप-प्रकार का उदाहरण दिया जाता है—श्वास इत्यादि।

सखी नायक से कहती है—हे सुभग, उसका श्वास अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य है, तात्पर्य यह कि उसकी श्वासगति इतनी क्षीण हो गई है कि उसका प्रत्यक्षीकरण असंभव है, हां अनुमान से किसी तरह वह जाना जा सकता है, उस के अङ्ग शीतल हैं—तापमान शून्य के बराबर हो गया है, उसकी दृष्टि निश्चल है—गतिशून्य हो गई है बस, यही उसकी कथा-समाचार, है। पर इस कथा को छोड़िए। कुछ दूसरी बात आप करिए।

यहां नायिका की दुःस्थिति का वर्णन करना सखी का अभीष्ट है फिर भी जो 'इस कथा को छोड़िए' इस रूप से उसका निषेध किया गया है उससे नायिका की दुःस्थिति की

अत्यधिकता व्यक्त होती है, अतः यह पद्य उक्तविषयक 'आक्षेप' का उदाहरण होता है।

अलंकारसर्वस्वकारादिमतसिद्धमाक्षेपलक्षणमुपस्थाप्य विवेचयति—

अलङ्कारसर्वस्वकारादयस्तु—

"प्राकरणिकस्यार्थस्य निषेधोऽप्रतिष्ठितत्वादाभासमात्ररूपः कस्यचिदर्थविशेषस्य विधानं व्यनक्ति स एकः। यश्चाप्राकरणिकस्य विधिस्तादृश एव सन्निषेधे पर्यवस्यति सोऽपर इत्युभयविधोऽप्ययमाक्षेपः।

तत्र निषेधाभासरूप आक्षेपस्तावद् द्विविधः—उक्तविषयो वक्ष्यमाणविषयश्चेति उक्तविषयोऽपि द्विविधः—क्वचिद्वस्तुमात्रनिषेधात्क्वचिद्वस्तुकथननिषेधात्। वक्ष्यमाणविषयस्तु वस्तुकथननिषेधात्मक एव सामान्यधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकः शब्दात्समर्प्यमाणोऽपि विशेषरूपेष्टनिषेधात्मना स्थितो निषिध्यमानगतं विशेषान्तरमाधत्ते। सोऽपि द्विविधः–सामान्याश्रययत्किंचिद्विशेषनिरूपणानिरूपणाभ्याम्। तत्र निरूपितेषु यत्किंचिद्विशेषेषु प्रयोजनाभावादप्रवर्तमानो निषेधो वक्ष्यमाणेष्टविषय एव संपद्यते। अनिरूपितेषु तु सुतराम्। चतुर्विधेऽप्यस्मिन्नाक्षेपे इष्टोऽर्थः, तस्य च निषेधः तस्याप्यसत्यत्वम्, अर्थगतविशेषप्रतिपादनं चेति चतुष्टयमुपयुज्यते। तेन नात्र निषेधविधिः। न वा विहितनिषेधः। अपि तु निषेधेनासत्येन विधेराक्षिप्यमाणत्वाद्योगार्थादाक्षेपः। स च प्रागुक्तदिशा चतुर्विधः।

विधिना त्वसत्येन निषेधस्याक्षेपे अपरोऽयमाक्षेपः। अत्रापि अनिष्टोऽर्थः, तस्य विधिः, तस्याप्याभासत्वम्, अर्थगतविशेषप्रतिपादनञ्चेति चतुष्टयमुपयुज्यते।" इत्याहुः।

अप्रतिष्ठितत्वादिति। असङ्गतिश्च तस्याप्रतिष्ठितत्वे हेतुरवगन्तव्यः। तादृश एवेति। अप्रतिष्ठितत्वादाभासरूप एवेत्यर्थः। तत्रेति, द्विविधाक्षेपमध्य इत्यर्थः। तावदादौ। वक्ष्यमाणविषयस्त्विति। अयं भावः—वस्तुकथननिषेधो नाम वस्तुकथनस्याभावः तस्य च वस्तुकथनं प्रतियोगि तन्निष्ठा या प्रतियोगिता तदवच्छेदकं वस्तुकथनत्वं सामान्यधर्मः, न तु यत्किञ्चिद् विशिष्टवस्तुकथनत्वात्मको धर्मविशेषः शब्दतः प्रतिपादितस्तिष्ठति, तथापि 'विशेषः सामान्यान्नातिरिच्यते' इतिरीत्या धर्मविशेषावच्छिन्नप्रतियोगिताक एवासौ निषेधः पर्यवस्यन् निषिध्यमानवस्तुगतम् अपरं कमपि विशेषं व्यनक्ति इति। तत्रापि द्वैविध्यं संभवतीत्याह—सोऽपीति। द्वैविध्यमेव स्फुटयति—सामान्याश्रय इति।

क्वचित्सामान्याश्रया यत्किञ्चिद्विशेषा निरूपितास्तिष्ठन्ति क्वचिन्नेति भावः। उभयथा निषेधो वक्ष्यमाणेष्टविषय एवेत्याह—तत्रेति। यत्र यत्किञ्चिद्विशेषा निरूपितास्तत्र विशेषावगतिर्जातैवेति तदवगत्यर्थस्तत्र निषेधो न वक्तुं योग्य इति तत्रत्यनिषेधस्य वक्ष्यमाणेष्टविषयतां विना न संगतिः, यत्र पुनस्तादृशा विशेषा न निरूपितास्तत्र तु निषेधस्य वक्ष्यमाणेष्टविषयता स्वतः सिद्धैवेति भावः। उदाहरणोपपादनावसरेऽयं प्रघट्टकोऽधिकं स्फुटो भविष्यति।

एवञ्च निषेधाभासरूपस्याक्षेपस्य चतुर्विधत्वमुक्तम् । चतुर्विधे च तत्र समानानि तत्त्वानि एकालंकारताप्रयोजकानि प्रदर्शयति—चतुर्विधेऽप्यस्मिन्निति । फलितमाह—तेनेति । विध्याभासरूपमपरमाक्षेपं स्फुटयति—विधिना त्विति ।

अलङ्कारसर्वस्वकार के द्वारा वर्णित आक्षेप-संबद्ध विचारों को उद्धृत किया जाता है—अलंकारसर्वस्वकारादयस्तु इत्यादि ।

अलंकारसर्वस्वकार आदि का तो कथन है कि—

"आक्षेप दो प्रकार का होता है—एक वह जिसमें प्रस्तुत अर्थ का निषेध किया गया रहता है पर वह निषेध बाधित रहने के कारण प्रतिष्ठित नहीं होने पाता—वस्तुतः सही नहीं समझा जाता, फलतः वह आभासमात्ररूप होकर किसी अर्थ-विशेष के विधान को व्यक्त करता है, और दूसरा वह जिसमें अप्रस्तुत अर्थ का विधान किया गया रहता है, पर वह विधान भी उसी तरह अप्रतिष्ठित होने से आभासरूप होकर अन्त में निषेध का रूप ले लेता है ।

इनमें से निषेधाभास रूप आक्षेप प्रथमतः दो प्रकार का होता है—उक्तविषय और वक्ष्यमाणविषय । इन दोनों में से उक्तविषय भी दो प्रकार का हो जाता है, क्योंकि कहीं केवल वस्तु का निषेध रहता है और कहीं वस्तुकथन का निषेध होता है ।

वक्ष्यमाणविषय आक्षेप तो वस्तुकथन-निषेधात्मक ही होता है, वस्तुनिषेधात्मक नहीं । और यहां वस्तुकथन का निषेध यद्यपि शब्दतः सामान्यरूप से वर्णित रहता है—अर्थात् वस्तुगत सामान्य रूप के कथन का निषेध किया गया होता है, पर 'सामान्य विशेष से अन्य नहीं होता' इस सिद्धान्त के अनुसार वह वस्तुगत विशेषरूप—जो वक्ता का अभीष्ट होता है—के कथन का निषेध बन कर निषिध्यमान वस्तुगत एक दूसरे विशेष की अभिव्यक्ति करता है ।

भिन्न रीति से इसके भी दो भेद हो जाते हैं—कहीं सामान्याश्रित कतिपय विशेषों का निरूपण किया गया होता है और कहीं किसी भी विशेष का निरूपण नहीं किया गया रहता है ।

इनमें जहाँ कतिपय विशेषों का निरूपण रहता है वहाँ निषेध की संगति स्वतः नहीं बैठती, क्योंकि वैसी स्थिति में निषेध का प्रयोजन नहीं रह जाता—अर्थात् ऐसे स्थलों पर विशेष का बोध कराना ही निषेध का प्रयोजन होता है और वह वहां निरूपित ही है, अतः वहां भी वह निषेध वक्ष्यमाण अभिमतवस्तु का ही संपन्न हो जाता है और जहां किसी विशेष का निरूपण नहीं रहता वहां तो सुतराम् निषेध वक्ष्यमाण अभीष्ट वस्तु को अपना विषय बनाता है । (इन बातों का स्पष्ट चित्र उदाहरणों के उपपादन से सामने आयगा)

इन चारों प्रकार के आक्षेपों में इन चार तत्त्वों का समावेश समानरूप से रहता है—अभीष्ट वस्तु, उसका निषेध, निषेध की भी असत्यता और अर्थगत विशेष का प्रतिपादन ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि यहां निषेध की विधि अथवा विहित का निषेध नहीं होता अपि तु असत्य-निषेध के द्वारा विधि का आक्षेप होता है और इस यौगिक अर्थ के आधार पर ही इस अलङ्कार का नाम 'आक्षेप' रखा गया है ।

दूसरा आक्षेप असत्य विधि के द्वारा निषेध का आक्षेप होने पर होता है। इसमें भी अनभिमत अर्थ, उसकी विधि, उस विधि की भी आभासरूपता और अर्थगत विशेष का प्रतिपादन इन चारों बातों का उपयोग होता है ।"

उदाहरणप्रदर्शनायाह—

एतेषां मते चेत्थमुदाहरणं निर्माणीयम्—

अलङ्कारसर्वस्वकारादीनां मतेऽधो विन्यस्तानि पद्यान्युदाहरणानि भवितुमर्हन्तीति भावः।

अलङ्कारसर्वस्वकार आदि के मत में निम्नलिखित रूप से उदाहरण का निर्माण करना चाहिए।

उदाहरणान्युल्लिखति—

> 'न वयं कवयस्तव स्तवं नृप कुर्वीमहि यन्मृषाक्षरम्।
> रणसीम्नि तवावलोकने तरुणार्को दिनकौशिकायते॥'
> 'मां पाहीति विधिर्विधेयविषयो वाच्यः स्वतन्त्रे कथं
> नोपेक्ष्यो भवतास्मि दीन इति गीः श्लाघ्या न संख्यावताम्।
> एवं दोषविचारणाकुलतया देव त्वयि प्रोन्मुखे
> वक्तव्यप्रतिभादरिद्रमतयः किंचिन्नहि ब्रूमहे॥'
> 'रे खल तव खलु चरितं विदुषामग्रे विविच्य वक्ष्यामि।
> अलमथवा पापात्मन्कृतया कथयापि ते हतया॥'
> 'श्वासोऽनुमानवेद्यः शीतान्यङ्गानि निश्चला दृष्टिः।
> तस्याः किं वा पृच्छसि निर्दय तिष्ठत्वसौ हता वार्ता॥'

वस्तुमात्रनिषेधात्मकमुक्तविषयमाक्षेपमुदाहरति—न वयमिति। हे नृप राजन्, वयम्, कवयो, न, स्मः, यत् येन, मृषाक्षरम् मिथ्याभूतार्थबोधकवर्णविशिष्टम्, तव भवतः, स्तवम् स्तुतिम् प्रशंसामिति यावत्, कुर्वीमहि करिष्यामः, रणसीम्नि युद्धस्थले, तव, अवलोकने दर्शने, सति, तरुणार्कः मध्याह्नगतसूर्यः, दिनकौशिकायते दिवसोलूकवत् प्रतीयत इति तद्व्याख्या।

वस्तुकथननिषेधात्मकमुक्तविषयमाक्षेपमुदाहरति—मां पाहीति। हे देव राजन्, 'मां रक्ष', इति इत्याकारकः, विधेयविषयः आज्ञाकारिणि भृत्यजने कर्तुम् योग्यः, 'विधिः विधानम् प्रेरणे'ति यावत्, स्वतन्त्रे त्वादृशे स्वाधीने जने, कथम् केन प्रकारेण, वाच्यः प्रयोक्तव्यः, न वाच्य इति भावः। 'दीनोऽहं भवता उपेक्ष्यो नास्मि' इति गीः, संख्यावताम् विदुषां, कृते, न श्लाघ्या न प्रशंसनीया, विद्वांसः स्वयं स्वकर्तव्यं विदन्ति, अतस्तेभ्य इदं बोधनमनुचितमिति भावः। त्वयि, प्रोन्मुखे सम्मुखमागते, सति, एवम् उक्तप्रकारेण दोषविचारणाकुलतया दोषविवेचनव्यग्रतया, वक्तव्ये वक्तव्यविषयिणी, या प्रतिभा तया दरिद्रा शून्या,मतिर्येषाम्, तादृशा वयम्, किंचित्, न ब्रूमहे वक्तुं पारयाम इति यावत्। वक्ष्यमाण-विषयं सामान्याश्रययत्किंचिद्विशेषानिरूपणात्मकमाक्षेपं समुदाहरति—रे खल इति।

रे खल नीच, तव, चरितम् चरित्रम्, खलु निश्चयेन, विविच्य पृथक्कृत्य, विदुषाम्, अग्रे, वक्ष्यामि कथयिष्यामि। अथवा, पापात्मन्, हतया हीनयेति भावः, कृतया चर्चितया, ते तव, कथयापि, अलम् व्यर्थमित्यर्थः।

वक्ष्यमाणविषयं सामान्याश्रययत्किञ्चिद्विशेषनिरूपणात्मकमाक्षेपमुदाहरति-'श्वासो' इति।

श्वासः, अनुमानवेद्यः अनुमानेन ज्ञेयः, न प्रत्यक्षविषयः सूक्ष्मत्वादिति भावः, अङ्गानि शीतानि स्वास्थ्यसूचकावश्यकतापेनापि रहितानीति यावत् , दृष्टिः, निश्चला गतिशून्या, हे निर्दय, तस्या विषये, किं पृच्छसि, हता अशुभा, असौ, वार्ता, तिष्ठतु, इत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाये जाते हैं—न वयम् इत्यादि ।

१–वस्तुनिषेधात्मक उक्त-विषय आक्षेप जैसे–'न वयम् अर्थात् हे राजन् , हम कवि नहीं हैं कि झूठे अक्षरों में तेरी स्तुति करें, सचमुच युद्धभूमि में तेरे दर्शन होने पर तरुण सूर्य दिन के उल्लू की तरह प्रतीत होता है ।'

२–वस्तुकथन-निषेधात्मक उक्तविषय आक्षेप जैसे—'मां पाहि—अर्थात् हे देव, 'मेरी रक्षा कीजिए' इस तरह की 'विधि' का प्रयोग विधेय (आज्ञाकारी भृत्य) के विषय में किया जाता है इसका प्रयोग आप जैसे स्वाधीन पुरुष के लिए कैसे किया जाय । रहा यह कहना कि 'आपको मुझ दीन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए' पर यह कथन भी विद्वानों के लिए प्रशंसनीय नहीं—विद्वान् अपना कर्तव्य स्वयं समझते हैं उन्हें सीख देना भी उचित नहीं । इस तरह आपके संमुख आने पर दोष के विवेचन में व्याकुल होने के कारण हमारी बुद्धि वक्तव्य की सूझ से रहित हो जाती है और हम कुछ कह नहीं पाते हैं ।'

३–वक्ष्यमाण-विषय सामान्याश्रययत्किञ्चिद्विशेषनिरूपण, रहित आक्षेप जैसे—'रे खलु अर्थात् हे दुष्ट, देख तो सही, तेरे चरित्र का वर्णन, निश्चित रूप से विवेचन करके, विद्वानों के आगे करूँगा, अथवा हे पापात्मन् ! जाने दे, तेरी-मरी कथा न की जाय यही अच्छा है ।'

४–वक्ष्यमाण-विषय, सामान्याश्रययत्किञ्चिद्विशेषनिरूपणयुक्त आक्षेप, जैसे—'श्वास–अर्थात् श्वास अनुमान से समझने योग्य है, अङ्ग शीतल हो गए हैं, दृष्टि निश्चल हो गई है । हे निर्दय, उसके विषय में क्या पूछते हो, इस प्रसङ्ग को जाने ही दो ।'

एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि हिन्दी रसगङ्गाधरकार ने 'रे-खल–' इस पद्य को 'सामान्याश्रययत्किञ्चिद्विशेषनिरूपणात्मक आक्षेप' का और 'श्वासोऽनुमानवेद्यः—' इस पद्य को 'सामान्याश्रययत्किञ्चिद्विशेष-अनिरूपणात्मक आक्षेप' का उदाहरण लिखा है । पर मेरे विचार से यह ठीक नहीं है । कारण, 'रे खल—' इस पद्य में विशेष का निरूपण नहीं हुआ है और 'श्वासोऽनुमान–' इसमें श्वास आदि विशेषों का निरूपण है । ग्रन्थकार ने स्वयं जो आगे उपपादन किया है उससे भी ऐसा ही आभास मिलता है । अतः मैंने 'रे खल—' को विशेष निरूपणरहित का और 'श्वासो—' को विशेष निरूपण सहित का उदाहरण लिखा है । यद्यपि इन भेदों के विवरण देते समय 'विशेषनिरूपण' की ही प्रथमतः चर्चा की गई है तदनुसार उदाहरण भी पहले उसी भेद का दिखलाया जाना उचित था, पर उस क्रम को अकिञ्चित्कर मानकर प्रायः ग्रन्थकार ने वैसा किया है ।

उक्तपद्येषु प्रकृतोदाहरणतामुपपादयन्नाह—

तत्राद्यपद्ये कवेरुक्तौ कवित्वनिषेधो बाधितो मिथ्यावादित्वनिषेधात्मना पर्यवस्यन्नुत्तरार्धगतस्यार्थस्य सत्यत्वरूपं विशेषं व्यनक्ति । एवं द्वितीयपद्ये रक्षण-दानयोः कथनस्येष्टत्वान्निषेधो बाधितस्तयोर्विवक्षितत्वे पर्यवस्यन्नवश्यानुष्ठेय-ताम् । तृतीये खलसंबन्धिवृत्तान्तकथनत्वेन सामान्यरूपेण प्रकृतपैशुन्यादि-वृत्तान्तकथनस्य वक्ष्यमाणस्य निषेधः कथ्यमानस्तस्य चिन्तितदुःखप्रदताम् ।

चतुर्थे कंचन तत्संबन्धिन्या वार्ताया अंशं श्वासतानवादिकं कथयित्वा क्रियमाणो निषेधो वक्ष्यमाणमरणवार्ताविषयः संस्तस्या मुखादनिःसरणीयताम्। एषु निषेधस्याप्रतिष्ठानान्न विहितनिषेधः, नापि निषेधविधिः।

तत्रेति। तेषामनुपदोक्तानां पद्यानां मध्य इत्यर्थः। आद्यपद्य इति। 'न वयम्–' इत्यस्मिन् श्लोक इत्यर्थः। कवित्वनिषेध इति। 'न वयं कवयः' इत्याकारक इत्यर्थः। उत्तरार्धगतस्येति। 'रणभूमौ तव दर्शनोत्तरं सूर्यदिवोलूक इव प्रतीयते' इत्यस्यार्थस्येति भावः। व्यनक्तीति। अस्याग्रे त्रिष्वनुषङ्गः।

द्वितीयपद्य इति। 'मां पाहि—' इत्यत्रेत्यर्थः। तयोरिति। रक्षणदानयोरित्यर्थः। अवश्यानुष्ठेयतामिति। अवश्यकर्तव्यतामित्यर्थः। तृतीय इति। रे खल–' इति पद्य इत्यर्थः। तस्येति। प्रकृतपैशुन्यवृत्तान्तकथनस्येत्यर्थः। चिन्तितदुःखप्रदतामिति। चिन्तितं सद्योदुःखप्रदम् तत्तामिति भावः। चतुर्थ इति। 'श्वासोऽनुमान—' इति पद्य इत्यर्थः। तत्संवन्धिन्या इति। वर्णनीयनायिकासंवन्धिन्या इत्यर्थः। संस्तस्या इति। भवन्, तस्या मरणवार्ताया इत्यर्थः। एष्विति। प्रागुक्तेषु चतुर्षूदाहरणेष्वित्यर्थः। निषेधविधिरिति। अपि तु असत्येन निषेधेन विधेराक्षेप इति भावः।

उक्त पद्यों में आक्षेपोदाहरणता का उपपादन किया जाता है—तत्र इत्यादि।

उनमें से प्रथम पद्य–अर्थात् 'नवयं कवयः—' इस पद्य में, जो कवि की उक्ति है, 'हम कवि नहीं हैं' इस तरह से जो कवि होने का निषेध किया गया है, वह बाधित होकर 'मिथ्यावादिता' के निषेध में परिणत होता है और उस रूप में परिणत होकर 'रणभूमि से आपको देख लेने के बाद सूर्य उल्लू-सा दीखता है' इस उत्तरार्धगत अर्थ की सत्यता रूप विशेष को व्यक्त करता है।

इसी तरह 'मां पाहि—' इस दूसरे पद्य में 'मेरी रक्षा करो और मुझे धन दो' इस अर्थ का कथन इष्ट है, अतः उस कथन का जो निषेध किया गया है, वह बाधित होने के कारण, उस अर्थ के विवक्षित होने में पर्यवसित होता हुआ उस अर्थ की अवश्यकरणीयता को व्यक्त करता है।

'रे खल—' इस तीसरे पद्य में खलसंबन्धी-वृत्तान्त-कथनात्मक सामान्य रूप से प्रस्तुत 'चुगलखोरी' आदि वृत्तान्त का कथन आगे करना है पर वर्णित हुआ है उस भावी कथन का निषेध, जो उस वृत्तान्त के 'सोचने मात्र से दुःखदायीपन' को अभिव्यक्त करता है।

'श्वासोऽनुमान—' इस चतुर्थ पद्य में वर्णनीय नायिका से संबन्ध रखने वाली वार्ता के कुछ अंश–श्वास की क्षीणता आदि को कह कर भी जो उसके कथन का निषेध किया गया है वह अग्रिम वक्तव्य [मरणवार्ता के निषेध रूप में परिणत होकर उस मरणवार्ता के मुख से न निकालने योग्य होने' को अभिव्यक्त करता है।

इन उदाहरणों में निषेध के प्रतिष्ठित न हो सकने के कारण न विहित का निषेध माना जा सकता है और न निषेध का विधान कहा जा सकता है, अपि तु असत्य-निषेध के द्वारा विधि का आक्षेप होता है। फलतः ये चारों पद्य 'निषेधाभास' रूप आक्षेप के चार प्रभेदों के उदरहरण सिद्ध होते हैं।

विध्याभासरूपमाक्षेपमुदाहरति—

'तपोनिधे कौशिक रामचन्द्रं निनीषसे चेन्नय किं विकल्पैः ।
निरन्तरालोकनपुण्यधन्या भवन्तु वन्या अपि जीवभाजः ॥'

रामचन्द्रं वनं निनीषन्तं विश्वामित्रं प्रति दशरथस्योक्तिः—हे तपोनिधे, कौशिक विश्वामित्र, रामचन्द्रम्, निनीषसे चेत् वनं नेतुमिच्छसि यदि, तदा, नय, विकल्पैः 'नयामि न नयामि वा' इत्यादिविचारैः, किम्? न किमपि प्रयोजनमिति भावः। वन्या अपि वनवासिनोऽपि, जीवभाजः प्राणिनः। निरन्तरालोकनपुण्यधन्याः सततरामदर्शनजन्यसुकृत-कृतार्थाः, भवन्तु इत्यर्थः। रामे वनं गते तद्दर्शनवञ्चितोऽमहधन्यो वनवासिनः पुनः तद्दर्शन-सौभाग्यलाभेन धन्याः स्युरिति भावः।

विध्याभास रूप आक्षेप का उदाहरण दिखलाया जाता है—तपोनिधे इत्यादि।

रामचन्द्र को वन ले जाने के लिए आए हुए विश्वामित्र के प्रति दशरथ का कथन है कि—हे तपोनिधि विश्वामित्र, यदि राम को ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए। आगा-पीछा सोचने से क्या फल होगा। हम न सही, वनवासी प्राणी भी तो निरन्तर राम के दर्शन से उत्पन्न पुण्यों के कारण कृतार्थ होवें।

उपपादयति—

अत्र। पुत्रस्नेहाकुलस्य दशरथस्य वाक्ये नयेतिविधिर्बाधितो मा नयेति-निषेधे पर्यवसितोऽन्यथा तु मम प्राणवियोगो भविष्यतीत्यर्थं व्यनक्तीति विध्याभासरूपोऽयमाक्षेपः।

पुत्रस्नेहाकुलः पिता संभावितप्राणसंकटे स्थाने पुत्रं प्रेषयितुं कथमपि नोद्यतो भवितु-मर्हतीति रामचन्द्रस्नेहाकुलस्य दशरथस्य 'तपोनिधे—' इत्यस्मिन् वाक्ये 'नय' इति पद-द्वारा कृतो रामनयनविधिर्बाधितः सन् 'न नय' इत्याकारके रामनयननिषेधे पर्यवस्यति, ततश्च 'भवता रामे नीते मम प्राणा निस्सरेयुः' इति व्यङ्ग्यम् प्रतीयत इति भवत्ययं श्लोको विध्याभासरूपस्याक्षेपस्योदाहरणमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'तपोनिधे—' यह उस दशरथ का वाक्य है जो रामचन्द्र के स्नेह से आकुल हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ दशरथ का यह कथन कि 'आप राम को ले जाँय' बाधित है, क्योंकि कोई पुत्र स्नेहकातर पिता पुत्र को ले जाने की अनुमति नहीं दे सकता है, अतः दशरथ के द्वारा किया गया यह राम को ले जाने का विधान बाधित होने से 'राम को मत ले जाइए' इस तरह के निषेध में पर्यवसित होकर अन्त में 'यदि आप राम को ले जायगें तब मेरे प्राण निकल जायगें' इस अर्थ को व्यक्त करता है, अतः यह पद्य 'विध्याभासरूप आक्षेप' का उदाहरण होता है।

पर्यवसितमाह—

एवमुदाहरणेषु स्थितेषु प्राचीनमतानुसारीण्याक्षेपोदाहरणान्येतेषां मते-ऽनुदाहरणान्येव। इत्थं च प्राथमिकमतसिद्ध आक्षेपः प्रतीपप्रभेदः। द्वितीयमत-सिद्धस्तु विहितनिषेध एव, न पुनराक्षेपः। तत्र निषेधस्यानाभासरूपत्वात्। इति तदाशयः।

एवमिति। उक्तरूपेणेत्यर्थः। प्राचीनेति। 'केचित्' 'अपरे तु' 'अन्ये तु' इति प्रतीकत्रितयधृतलक्षणकारेत्यर्थः। एतेषामिति। अलङ्कारसर्वस्वकारादीनामित्यर्थः। प्राथमिकमतसिद्ध इति। उपमानाधिक्षेपरूपमुपमानकैमर्थ्यमित्यर्थः। द्वितीयमतसिद्ध इति। पूर्वोपन्यस्तस्यार्थस्य पक्षान्तरावलम्बनप्रयुक्तनिषेध इत्यर्थः। तदाशय इति। अलंकारसर्वस्वकाराद्यभिप्राय इति भावः।

इस मत का सारांश सूचित किया जाता है—एवम् इत्यादि।

अलङ्कारसर्वस्वकार आदि के अनुसार जब आक्षेप के पूर्वोक्त पाँच भेद तथा उक्त पाँच उदाहरण ही ठीक हैं तब उनके (अलङ्कारसर्वस्वकार आदि के) हिसाब से प्राचीन मतानुसारी उदाहरण—अर्थात् इस ग्रन्थ में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय मत के उपपादन में कहे गए उदाहरण वस्तुतः आक्षेप के उदाहरण नहीं हो सकते हैं। इस तरह अलङ्कारसर्वस्वकार आदि का अभिप्राय यह हुआ कि प्रथम-मत-सिद्ध-अर्थात् 'उपमानाधिक्षेप रूप उपमानकैमर्थ्य' आक्षेप नहीं, अपि तु 'प्रतीप' का ही भेद है और 'द्वितीयमतसिद्ध-अर्थात् 'पूर्ववर्णित वस्तु का पक्षान्तरावलम्बन के कारण किया गया निषेध वस्तुतः विहित का निषेध है, आक्षेप नहीं, क्यों कि वहाँ निषेध आभासरूप नहीं होता, अपि तु पारमार्थिक होता है।

आक्षेपविषये मतान्तरमाह—

इतरे तु—

"—'निषेधमात्रमाक्षेपः।'

चमत्कारित्वं चालङ्कारसामान्यलक्षणप्राप्तमेव। तच्च व्यङ्ग्यार्थे सति संभवतीति। सव्यङ्ग्यो निषेधः सर्वोऽप्याक्षेपालङ्कारः। एवं चोपमेयकृतोपमानकैमर्थक्य-पक्षान्तरालम्बनकृतप्राचीनपक्षकैमर्थक्य-विशेषप्रतिपादनप्रयोजकोक्तवक्ष्यमाणकथनकैमर्थक्यानामनुपदोक्तनिषेधविध्याभासयोश्च संग्रहः" इत्यप्याहुः।

निषेधमात्रमिति। सर्वविधो निषेध इति भावः। नन्वेवं 'घटो न' इत्यादिलौकिकनिषेधेऽतिप्रसङ्ग इत्यत आह—चमत्कारित्वं चेति। ननु निषेधे चमत्कारित्वं कदा संभवतीति चेत्तत्राह—तच्चेति। चमत्कारित्वं चेत्यर्थः, संभवतीति। व्यङ्ग्यप्रतीतिप्रयोजको निषेधश्चमत्कारीति भावः। फलितमाह—सव्यङ्ग्यो निषेध इति। अस्मिन् लक्षणे पूर्वोक्तसकललक्षणानां गतार्थतेत्याह—एवं चेति।

आक्षेप का सर्व-मत-संग्राहक लक्षण दिखलाया जा रहा है—इतरे तु इत्यादि। अन्य आचार्यों का तो कथन है कि 'निषेध मात्र आक्षेप है'।

इस पर यदि यह आपत्ति दी जाय कि तब तो 'यह घट नहीं है' इत्यादि लौकिक निषेध भी आक्षेपलङ्कार का लक्ष्य हो जायगा तो इसका उत्तर यह दिया जायगा कि नहीं—ऐसा नहीं हो सकता, क्यों कि 'चमत्कारी होना' अलङ्कार के सामान्य लक्षण से प्राप्त है और उक्त लौकिक निषेध चमत्कारी नहीं है। इस पर यदि प्रश्न हो कि किस निषेध को चमत्कारी समझा जाय तो उत्तर होगा—सव्यङ्ग्य को—अर्थात् जिस निषेध से कोई व्यङ्ग्य अर्थ ज्ञात होता हो उस को चमत्कारी समझना चाहिये। इस तरह सिद्ध हुआ कि सभी व्यङ्ग्यार्थ युक्त निषेध आक्षेप अलङ्कार होता है।

इस लक्षण के अनुसार अब उपमेय द्वारा की गई उपमान की किमर्थता का, पक्षान्तर का स्वीकार करने के द्वारा की गई प्रथम पक्ष की किमर्थता का, विशेष-प्रतिपादन-रूप-प्रयोजन को सिद्ध करने वाली उक्त विषयक तथा वक्ष्यमाण विषयक कथन की किमर्थताओं का और अभी-अभी बताए गए (सर्वस्वकारादिमतसिद्ध) निषेधाभास एवं विध्याभासों का भी—अर्थात् पूर्वोक्त सभी मतों से सिद्ध आक्षेपों का संग्रह हो जाता है।

आक्षेपध्वनिमुदाहर्तुमाह—

अथाक्षेपध्वनिस्तन्मतानुसारेणोदाह्रियते—

अथेति। आक्षेपसंबन्धिविचारान्तरकरणोत्तरमित्यर्थः। तन्मतानुसारेणेति। यन्मतानुसारीणि लक्षणानि प्रागुक्तानि तन्मतानुसारेणेत्यर्थः।

आक्षेप के संबन्ध में अन्य बातों का विचार कर लेने के बाद अब उनके मत के, जिन के मत के अनुसार पहले लक्षण लिखे गए हैं, अनुसार आक्षेप ध्वनि का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है—

उदाहरणभूतं पद्यमुपस्थापयति—

'त्वामवश्यं सिसृक्षन्यः सृजति स्म कलाधरम्।
किं वाच्यं तस्य वैदुष्यं पुराणस्य महामुनेः॥'

त्वाम् वर्णनीयं कमपि पुरुषविशेषम्, अवश्यम् निश्चितरूपेण, सिसृक्षन् स्रष्टुमिच्छन्, यः पुराणो मुनिः, ब्रह्मेति यावत्, कलाधरम् चन्द्रमसम्, सृजतिस्म उत्पादयामास, तस्य, पुराणस्य वृद्धस्य, महामुनेः ब्रह्मणः, वैदुष्यम् पाण्डित्यम्, किम्, वाच्यम् ? इत्यर्थः।

उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है—त्वामवश्यमित्यादि।

किसी सुन्दरतम पुरुष का वर्णन करते हुए कवि का कथन है कि—तुम्हें अवश्य उत्पन्न करने की इच्छा रखते हुए भी जिसने चन्द्रमा को उत्पन्न किया है उस पुराने महामुनि की विद्वत्ता का क्या कहना है।

उपपादयति—

अत्र येषामुपमानकैमर्थ्यमाक्षेपस्तेषां त्वयि सति किं कलाधरेणेत्यंशमादाय, येषां च निषेधमात्रमाक्षेपस्तेषां वृद्धस्य ब्रह्मणो वैदुष्यं नास्तीत्यंशमादाय च ध्वनिः।

येषामिति। मते इति शेषः। तेषामिति। मते इति शेषः। एवमग्रेऽपि बोध्यम्। त्वयि सतीति। चन्द्रकार्यकारिणि वर्तमाने चन्द्रो व्यर्थ इति भावः। अत्रोपमेयस्य वर्णनीयपुरुषविशेषस्य प्रकाशलक्षणकार्यकारितयोपमानस्य चन्द्रस्य कैमर्थ्यम् स्पष्टम्। अन्यत् स्फुटम्।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'त्वामवश्यम्—' इस उदाहरण में, जिनके हिसाब से (तीनों प्रकार की) उपमान-किमर्थकता आक्षेप है, उनके मत से 'तुम्हारे रहने पर चन्द्रमा की क्या आवश्यकता है' इस अंश को लेकर आक्षेप की ध्वनि है, और जिनके मत में केवल निषेध ही आक्षेप होता है उनके हिसाब से 'वृद्ध ब्रह्मा में विद्वत्ता नहीं है' इस अंश को लेकर आक्षेप की ध्वनि है।

उक्तोदाहरणे ध्वनित्वमाक्षिप्य समाधत्ते—

ननु किं वाच्यं तस्य वैदुष्यमिति वैदुष्योक्तेः सबाधाया झटिति वैदुष्याभावे पर्यवसानात्, उपमानकैमर्थ्यस्यापि झगित्येव प्रतीतेर्वाच्यकल्पत्वात्कथं नाम ध्वनित्वं स्यादिति ?। नैष दोषः। ब्रह्मणो हि त्वां सिसृक्षतः करणपाटवसंपत्त्यर्थमादौ पाण्डुलेखवदिन्दुं निर्मितवतः किं वैदुष्यं वाच्यमिति वैदुष्योक्तेर्निर्बाधत्वादादौ सत्यां विश्रान्तौ पश्चादवश्यं पुराणस्येत्येतदर्थपर्यालोचनेन वैदुष्याभाव—चन्द्रकैमर्थ्ययोः पर्यवसानमिति न ध्वनित्वस्खलनम्।

'किं वाच्यं तस्य वैदुष्यम्' इत्याकारिका वैदुष्योक्तिर्बाधिता सती, 'तस्य वैदुष्यं नास्ति' इत्यर्थे झटित्येव पर्यवस्यति, तथात्वे च 'त्वयि सति किं कलाधरेण' इत्याकारकमुपमानकैमर्थ्यमपि झटिति प्रतीयमानम् वाच्यकल्पमेवेति तयोरंशयोरेकोऽपि न ध्वनित्वप्रयोजकः, बाधबुद्ध्यूहितस्य वाच्यकल्पस्य वाऽर्थस्य ध्वनित्वाप्रयोजकत्वात्तथा च नेदमाक्षेपध्वनेरुदाहरणं भवितुमर्हतीति शङ्कादलस्य, यो ब्रह्मा त्वां सिसृक्षन् प्रथमं तथैव चन्द्रं निर्मितवान् यथा कश्चित् लेखको लेखकौशललाभार्थम् प्रथमम् पाण्डुलेखं करोति, अत एवं त्वन्निर्माणे सावधानस्य ब्रह्मणो वैदुष्यं किं वाच्यम्' इत्यर्थप्रतीत्या निर्बाधत्वादादौ वैदुष्योक्तिः स्वतो विश्रान्ता। पश्चात् पुराणपदस्वारस्यपर्यालोचने वैदुष्योक्तेर्वैदुष्याभाव—चन्द्रकैमर्थ्ययोः पर्यवसानमिति व्यङ्ग्यस्याक्षेपस्य न वाच्यकल्पता न वा बाधबुद्ध्यूहितता, एवञ्चाक्षेपध्वनित्वमत्र सुस्थमिति समाधानदलस्याभिप्रायो बोध्यः।

उक्त आक्षेप-ध्वनि के विषय में एक आशङ्का करके उसका समाधान अब किया जाता है—ननु इत्यादि।

यदि कोई यह आशङ्का करे कि 'त्वामवश्यम्' इस पद्य में जो 'उसकी विद्वत्ता का क्या कहना' इस रूप से विद्वत्ता की उक्ति है वह बाधित होने के कारण शीघ्र विद्वत्ता के निषेध में पर्यवसित हो जाती है, फलतः—विद्वत्ता का यह 'निषेध बाध–बुद्धि–द्वारा ऊहित होता है और इस तरह शीघ्र वैदुष्योक्ति का वैदुष्य–निषेध में पर्यवसित हो जाने से उपमान—चन्द्र की किमर्थकता भी शीघ्र प्रतीत होने के कारण व्यङ्ग्य होकर भी वाच्य जैसा ही है, अतः 'तुम्हारे रहने पर चन्द्रमा की क्या आवश्यकता' 'वृद्ध ब्रह्मा में विद्वत्ता नहीं है' इन दोनों में से कोई भी अंश–इस पद्य की आक्षेप ध्वनि सिद्ध नहीं कर सकता–अर्थात् यहां व्यङ्ग्य होकर भी ध्वनित्व का नियामक नहीं हो सकता, क्योंकि वही व्यङ्ग्य ध्वनित्व का प्रयोजक होता है जो बाधबुद्धि से ऊहित नहीं हो, वाच्यकल्प नहीं हो, तो इसके उत्तर में कहा जाता है कि—यह दोष नहीं होगा, क्योंकि 'जो ब्रह्मा तुम्हारी सृष्टि करने की इच्छा से हस्तकौशल प्राप्त करने के लिए उसी तरह पहले चन्द्रमा का निर्माण करता है जिस तरह कोई लेखक अथवा चित्रकार पहले पाण्डुलिपि तयार करता है उस ब्रह्मा की विद्वत्ता के संबन्ध में क्या कहना' इस तरह से आदि में वैदुष्य की उक्ति बाधित नहीं होती, अतः अपने आप में विश्राम पा लेती है। हां पीछे 'पुराणस्य' (वृद्ध) इस पद के अर्थ की पर्यालोचना करने पर अवश्य ही उस उक्ति से विद्वत्ता का निषेध और चन्द्ररूप उपमान की किमर्थकता ज्ञात होती है। फलतः यहां व्यङ्ग्य आक्षेप न बाध बुद्धि से आक्रान्त है और न वाच्यकल्प अतः यह पद्य आक्षेपध्वनि का उदाहरण हो सकता है—इस में किसी प्रकार की बाधा नहीं है।

मतान्तरेणाक्षेपध्वनिमवतारयति—

येषां त्वाभासरूप एव निषेध आक्षेपस्तेषां न प्रागुक्त आक्षेपध्वनिः, अपि त्वयम्—

येषां सर्वस्वकारादीनां मते आभासरूप एव निषेध आक्षेपालङ्कारस्तेषां मतेन 'त्वामवश्यम्—' इति प्रागुक्तं पद्यं नाक्षेपध्वनेरुदाहरणं भवितुमर्हति, तत्र व्यक्तस्य निषेधस्याभासरूपत्वविरहात्तथा च तन्मते निम्ननिर्दिष्टं पद्यं ध्वनेरुदाहरणं भविष्यतीति भावः।

जिन (अलङ्कारसर्वस्वकार आदि) के मत में आभास रूप निषेध ही आक्षेप अलङ्कार होता है उनके हिसाब से पूर्वोक्त 'त्वामवश्यम्—' यह पद्य आक्षेप-ध्वनि का उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ व्यक्त होने वाला निषेध आभास रूप नहीं, अपि तु पारमार्थिक है, अतः उनके मतानुसार अधोलिखित पद्य आक्षेपध्वनि का उदाहरण होगा।

उदाहरणन्निर्दिशति—

'त्वां गीर्वाणगुरुं सर्वे वदन्तु कवयस्तु ते'
समानकक्षस्तेनासीत्येषोऽर्थस्तु मतो मम ॥'

सर्वे, त्वाम्, गीर्वाणगुरुम् बृहस्पतिम्, वदन्तु कथयन्तु, ते तथा वक्तारः, कवयः, सन्तीति शेषः। मम, तु, 'तेन गीर्वाणगुरुणा, समानकक्षः तुल्यः, त्वमिति शेषः, असि वर्तसे' इत्येषः, अर्थः, मतः अभिमत इत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—त्वामित्यादि।

सब लोग आप को देव गुरु (बृहस्पति) कहें, क्योंकि वे कवि हैं, मुझे तो यह बात अभिमत है कि 'आप उनके (बृहस्पति के) समकक्ष हैं।

उपपादयति—

अत्र कवेर्वाक्ये बाधितत्वादाभासरूपो नाहं कविरिति निषेधो गम्यमानो मिथ्यावादित्वाभावरूपेण पर्यवस्यन्नुत्तरार्धार्थस्य सत्यतारूपं विशेषं गमयति।

'त्वाम्—' इति पद्यात्मकं वाक्यं कस्यचित्। कवेरेवेति तत्र 'ते कवयः' इत्यनेन व्यज्यमानः 'नाहं कविः' इति निषेधो बाधितत्वादाभासरूपो 'नाहं मिथ्यावादी। इत्याकारकस्य मिथ्यावादित्वनिषेधस्य रूपं गृहीत्वा 'त्वं बृहस्पतिसदृशो न तु बृहस्पतिः इत्युत्तरार्धगतस्यार्थस्य सत्यतात्मकं विशेषं प्रत्याययतीति भवतीदं पद्यं तेषां मते आक्षेपध्वनेरुदाहरणमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'त्वां गीर्वाण—' इस पद्य में 'वे कवि हैं' इस उक्ति से 'मैं कवि नहीं हूँ' इस तरह का निषेध व्यक्त होता है, पर यह निषेध वास्तविक नहीं, किन्तु आभासरूप होता है, क्योंकि यह वाक्य भी कवि का ही है-अर्थात् जिसके सम्बन्ध में 'मैं कवि नहीं हूँ' ऐसा व्यङ्ग्य होता है, अतः 'मैं कवि नहीं हूँ' यह प्रतीयमान निषेध 'मैं मिथ्यावादी नहीं हूँ' इस तरह के निषेध के रूप में परिणत होता हुआ अन्त में उत्तरार्धगत अर्थ (आप बृहस्पति के समकक्ष हैं) की सत्यता रूप विशेष को व्यक्त करता है।

सर्वस्वकारकृतमाक्षेपं निरस्य ध्वनिकारकथितमाक्षेपध्वन्युदाहरणं समर्थयति—

इत्थं स्वस्वाभिमानभेदादाक्षेपाणां भेदात्तद्ध्वनीनां स्थिते विवेके—

'स वक्तुमखिलाञ्शक्तो हयग्रीवाश्रितान् गुणान्।
योऽम्बुकुम्भैः परिच्छेदं ज्ञातुं शक्तो महोदधेः॥'

इति पद्यं ध्वनिकारैराक्षेपध्वनित्वेनोदाहृतम् 'स्वाभिमताक्षेपानभिव्यक्तेरनुदाहरणमेवैतत्' इति निर्युक्तिकं वदन्नलङ्कारसर्वस्वकृत्परास्तः। न ह्याभासरूप एव निषेध आक्षेप इत्यस्ति वेदस्याज्ञा। नापि प्राचामाचार्याणाम्। न चापि युक्तिः। येन ध्वनिकारोक्तमुपेक्ष्य त्वदुक्तं श्रद्दधीमहि। प्रत्युत वैपरीत्यमेवोचितम्। ध्वनिकृतामालङ्कारिकसरणिव्यवस्थापकत्वात्। न ह्यस्मिञ्शास्त्रे आक्षेपादिशब्दसंकेतग्राहकं प्रमाणान्तरमस्ति, ऋते प्राचीनवचनेभ्यः। अन्यथा सकलविपर्यासापत्तेः।

इत्थमिति। पूर्वोक्तप्रकारेणेत्यर्थः। स्वस्वाभिमानभेदादिति। स्वस्य स्वस्य योऽभिमानः अभिमतिः सम्मति'रिति यावत्, तद्भेदादिति भावः। तद्ध्वनीनामिति। आक्षेपध्वनीनामित्यर्थः। विवेके भेदे। 'स वक्तुम्—' इति। यः, अम्बुकुम्भैः जलघटैः, महोदधेः समुद्रस्य, परिच्छेदम् इयत्ताम्, ज्ञातुम्, शक्तः समर्थः, स एव, हयग्रीवाश्रितान् हयग्रीवगतान्, अखिलान् सर्वान्, गुणान्, वक्तुम्, शक्त इत्यर्थः। ध्वनिकारैरानन्दवर्धनैः। स्वाभिमताक्षेपानभिव्यक्तेरिति। निषेधाभास एव तन्मते आक्षेपस्तदनभिव्यक्तेरित्यर्थः। परास्त इति। गुणापरिमितत्वात्मकविशेषप्रत्यायकस्य 'त्वद्गुणवक्ता नास्ति' इति निषेधस्याक्षेपरूपस्य। व्यङ्ग्यतया ध्वनित्वस्य निर्बाधत्वादिति भावः। वैपरीत्यमिति। ध्वनिकारोक्तौ श्रद्धा, त्वदुक्तौ न श्रद्धेत्याकारकमिति भावः। अन्यत् सुगमम्।

सर्वस्वकार के द्वारा किए गए आरोप का खण्डन करके ध्वनिकार के द्वारा कथित आक्षेपध्वनि के उदाहरण का समर्थन किया जाता है—इत्थम् इत्यादि।

पूर्व प्रदर्शित रीति से यह सिद्ध है कि विद्वानों की मान्यता के भेद से आक्षेप अलङ्कार का स्वरूप भिन्न-भिन्न तरह का होता है और आक्षेप स्वरूप में भेद होने से आक्षेपध्वनि का उदाहरण भी भिन्न होगा ही यह जब निश्चित है, तब जो ध्वनिकार के द्वारा आक्षेप-ध्वनि के उदाहरण रूप में उल्लिलित 'स वक्तुम्—अर्थात् हयग्रीव में रहने वाले गुणों का समग्रतया वर्णन वही कर सकता है जो जल के घड़ों से महासमुद्र के अन्त को जानने में समर्थ हो।' इस पद्य को, स्वाभिमत आक्षेप की अभिव्यक्ति न होने के कारण, सर्वस्वकार ने आक्षेपध्वनि का उदाहरण नहीं स्वीकृत किया, वह परास्त हो गया। कारण, आभासरूप ही निषेध आक्षेप है' यह कोई वेद की आज्ञा नहीं है। न प्राचीन आचार्यों की ही आज्ञा है। और न इसमें कोई युक्ति ही है। फिर क्यों ध्वनिकार के कथन की उपेक्षा करके आप के कथन पर श्रद्धा की जाय? प्रत्युत इसके विपरीत मानने में ही अर्थात् आप के कथन की उपेक्षा करके ध्वनिकार के कथन पर श्रद्धा करने में ही, औचित्य है, क्योंकि ध्वनिकार आलङ्कारिकों की पद्धति के व्यवस्थापक हैं। इस साहित्यशास्त्र में प्राचीन आचार्यों के वचनों को छोड़कर अन्य कोई प्रमाण 'आक्षेप' आदि शब्दों के सङ्केत-ग्रहण कराने वाला नहीं है। यदि प्राचीन वचनों का प्रामाण्य न स्वीकृत किया जाय, तब तो साहित्य की सभी बातें उलट-पलट जायगीं।

कुवलयानन्दोक्तमनूद्याक्षिपति—

यत्तु—

'नरेन्द्रमौले न वयं राजसंदेशहारिणः ।
जगत्कुटुम्बिनस्तेऽद्य न शत्रुः कश्चिदीक्ष्यते ॥'

इति पद्यमलङ्कारसर्वस्वकारमतेनोदाहृत्येत्थमुक्तं कुवलयानन्दकृता—'अत्र संदेशहारिणामुक्तौ न वयं संदेशहारिण इति निषेधोऽनुपपन्नः संधिकालोचितकैतववचनपरिहारेण यथार्थवादित्वे पर्यवस्यन्सर्वजगतीपालकस्य तव न कश्चिदपि शत्रुभावेनावलोकनीयः किं तु सर्वेऽपि राजानो भृत्यभावेन संरक्षणीया इति विशेषमाक्षिपति' इति । तन्न । त्वदुक्तस्य विशेषस्य निषेधाव्यङ्ग्यत्वात् । नहि 'न वयं राजसंदेशहारिण' इत्युक्ते 'तव न कश्चिदपि शत्रुभावेनावलोकनीयः किं तु सर्वेऽपि राजानो भृत्यभावेन संरक्षणीया' इति विशेषोऽवगम्यते । अवगम्यते च जगत्कुटुम्बिन इत्याद्युत्तरार्धे प्रयुक्ते । यो हि निषेधमात्रसामर्थ्याक्षिप्तो विशेषस्तं निषेध आक्षिपतीति युक्तं वक्तुम्, न तु परकीयं विशेषम् । तथा हि राजसंदेशहारिणा प्रयुक्ते 'न वयं राजसंदेशहारिण' इति वाक्ये स्वस्मिन्स्वनिषेधस्य बाधाद्राजसंदेशहारिपदेन लक्षणया राजसंदेशहारिनिष्ठकैतववचनप्रयोक्तृत्वादिधर्मवन्त उपस्थाप्यन्ते । प्रयोजनं च तन्निषेधे सति स्वगतस्य सत्यवक्तृत्वादेः, स्ववचनगतस्य सत्यत्वादेर्वा प्रत्ययः । अयमेव च विशेषस्याक्षेपः । एवं स्थिते किमुच्यते तव न कश्चिदपि शत्रुभावेनेत्यादि ।

यदि तु पूर्वोक्तादेव बाधाद्राजपदस्य शत्रुलक्षणया न वयं शत्रुसंदेशहारिण इति प्राप्तेनार्थेनास्मत्स्वामिनः शत्रव एव न भवन्ति किं तु भृत्यभावेन पालनीया इति विशेषोऽवगम्यत इत्युच्यते, तदा तृतीयकक्ष्यारूढो नास्मत्स्वामिन इति निषेध आक्षेपः स्यात्, न तदुत्थापकस्त्वदुक्तो यथाश्रुतनिषेधः, यदि तु परम्परया यथाकथंचिद्विशेषोत्थापकोऽप्याक्षेप इत्युच्यते, तथापि 'संधिकालोचितकैतववचनपरिहारेण यथार्थवादित्वे पर्यवस्यन्' इत्यादेस्त्वद्वचनस्यासंगतिरेव । नहि यथार्थवादित्वेन केवलेन त्वदुक्तो विशेष आक्षेप्तुं शक्यते, किं तूत्तरार्धेनाक्षिप्तः परिपोष्टुम् । तस्माद्यत्र त्वया निषेधस्य पर्यवसानमुक्तं स एव विशेषस्तस्याक्षेप्यः, न तु विशेषान्तरम् । अत एव "—'बालक नाहं दूती—' इत्यत्र दूतीत्वस्य वस्तुनो निषेधेन वस्तुवादित्वादिर्विशेषो व्यज्यते" इत्यलङ्कारसर्वस्वकृतोक्तं संगच्छते ।

'नरेन्द्रमौले—' इति । हे नरेन्द्रमौले राजशिरोमणे, वयम्, राजसंदेशहारिणः राज्ञां संदेशवाहकाः, न, स्मः इति शेषः । अद्य इदानीम्, जगत्कुटुम्बिनः जगत्परिवारस्य, ते तव, कश्चित् कोऽपि, शत्रुः, न ईक्ष्यते नावलोक्यते इत्यर्थः ।

अलङ्कारसर्वस्वकारमतसिद्धाक्षेपालङ्कारोदाहरणत्वेन पद्यमिदमुक्त्वाऽऽप्पयदीक्षितेन कुवलयानन्दे "संदेशहारिणा स्वोक्तौ कृतः 'न वयं संदेशहारिणः' इत्याकारकः स्वकीयसंदेशहारित्वनिषेधो बाधिततया संधिकालोचितकपटवचनप्रयोक्तृत्वनिषेधे परिणमन् वक्तुर्यथार्थ-

वादित्वे पर्यवस्यति । तथा पर्यवस्यँश्चासौ निषेधः 'सर्वजगतीपालकस्य तव न कश्चिदपि शत्रुभावेनावलोकनीयः........' इति मूलोक्तमर्थमभिव्यनक्ति" इत्युपपादितम् । परमेतन्न युक्तम्, विचारासहत्वात् । तथाहि—'तव न कश्चिदपि शत्रुभावेनावलोकनीयः........', इति मूलोक्तोऽर्थः 'जगत्कुटुम्बिनस्तेऽद्य न शत्रुः कश्चिदीक्ष्यते' इत्युत्तरार्धेन व्यज्यते, न तु 'न वयं राजसंदेशहारिणः' इत्युक्त्या । तथा च स विशेषो न निषेधव्यङ्ग्य इति कथं तमादायाक्षेपोपपादनं संगतं स्यादिति । अथ किमिहाक्षेपो नास्त्येव ? अस्ति, परन्तु तदुपपादने निषेधमात्रसामर्थ्याक्षिप्तस्य विशेषस्य निषेधव्यङ्ग्यत्वं वक्तव्यम्, नान्यांशाक्षिप्तस्य विशेषस्य । अथ कः पुनरिह निषेधमात्रसामर्थ्याक्षिप्तो विशेष इत्यत्राह—तथा हीति । 'नरेन्द्रमौले—' इत्यत्र राजसंदेशहारिपदम् राजसंदेशहारिनिष्ठकैतववचनप्रयोक्तृत्वधर्मवति लाक्षणिकम्, राजसंदेशहारिणि राजसंदेशहारित्वनिषेधस्य बाधितत्वात् । लक्षणा चात्र रूढेरभावात्प्रयोजनमूला । प्रयोजनञ्च कैतववचनप्रयोक्तृत्वनिषेधे सति स्वसत्यवक्तृत्वस्य स्ववचनसत्यत्वस्य च प्रतीतिः । एवञ्च लक्षणाफलीभूतं व्यङ्ग्यमिह निषेधाक्षेप्यो विशेषस्तमादायात्राक्षेप उपपादनीय इति भावः । एवञ्च 'न कश्चिदपि—' इति व्यङ्ग्यस्यात्र प्रतीतावपि तद्व्यङ्ग्यमादायाक्षेपोपपादनमसङ्गतमिति सारांशः, कुवलयानन्दकारमतसमर्थनायाशङ्क्यते—यदि त्विति । पूर्वोक्तादेवेति, स्वस्मिन् स्वनिषेधात्मकादित्यर्थः । तथाप्यसङ्गतिरित्याह—तदेति, तृतीयकक्ष्यारूढ इति । 'न वयं राजसंदेशहारिणः' इत्यस्य यथाश्रुतार्थमादाय प्रथमा, 'न वयं शत्रुसंदेशहारिणः' इति लक्ष्यार्थमादाय द्वितीया, 'अस्मत्स्वामिनः शत्रव एव न भवन्ति' इति लक्ष्यार्थफलितांशमादाय तृतीया कक्ष्या बोध्या । तत्र तृतीयकक्ष्यारूढोऽयं निषेधः 'सर्वे राजानः भृत्यभावेन पालनीयाः' इत्याकारकविशेषव्यञ्जको वक्तव्यः स्यात्त्वयाऽऽक्षेप इति यथाश्रुतनिषेधस्याक्षेपत्वं वदन् भवानयुक्तवक्तेवेति भावः । पुनर्दीक्षितमतसमर्थनायाह—यदि तु परम्परयेति । 'राजसंदेशहारिणो न वयम्' इति यथाश्रुतनिषेधोऽपि परम्परया 'सर्वे राजानो भृत्यभावेन पालनीयाः' इति विशेषस्योक्तरीत्योत्थापकः । तथा च न तस्य यथाश्रुतनिषेधस्याक्षेपत्वकथनमसङ्गतम्, परम्परया विशेषोत्थापकनिषेधस्याप्याक्षेपत्वेन स्वीकरणादिति शङ्काशयः । तथापि त्वदुक्तमसङ्गतमेवेत्याह—तथापीति । यदि तया रीत्या पारम्परिकविशेषोत्थापकत्वेन यथाश्रुतनिषेधस्याक्षेपत्वं त्वदभिमतं तदा 'संधिकालोचितकैतववचनपरिहारेण यथार्थवादित्वे पर्यवस्यन्' इति त्वदुक्तिरप्रासङ्गिकी स्यादिति समाधानाशयः ।

अत एवेति । निषेधमात्रसामर्थ्याक्षेप्यं साक्षाद्विशेषमादायैवाक्षेपालंकारस्योपपाद्यत्वादेवेत्यर्थः । 'बालक नाहं दूती—' इति । एतच्चालंकारसर्वस्वोक्तस्य "बालअ णाहं दूई तीए पिओ सि त्तिणह्मवावारो । सा मरइ तुज्झ अयसो एअं धम्मक्खरं भणिमो ।।" इत्याकारकस्य प्राकृतभाषानिबद्धपद्यस्य च्छायात्मकं संस्कृतं रूपम् ।

'........तस्याः प्रियोऽसीति नास्मद्व्यापारः ।
सा म्रियते तवायश एतद्धर्माक्षरं भणामः ।।'

इति संस्कृतरूपान्तरस्य शेषांशो बोध्यः ।

हे बालक शिशो, एतेन संबोध्यस्य प्रीति रीति-प्रतीतिशून्यत्वं हिताहितविवेकवैधुर्यञ्चाचक्षते, अहम्, दूती, न, अस्मीति शेषः, कामिनी-मनोरथसिद्ध्यर्थम्, चाटूक्तिभिः नायकानुनयकारिणी नाहमस्मीति भावः, तस्या वर्णनीयायाः कस्याश्चिन्नायिकायाः, त्वम्, प्रियः प्रेमास्पदम्, असि, इति एतदर्थप्रतिपादनमिति यावत्, नास्मद्व्यापारः नास्मत्कर्म, किन्तु सा नायिका, म्रियते, तव, अयशः। त्वदर्थमेव सा मृतेत्याकारिका अकीर्तिस्तव स्यादिति धर्माक्षरम् धर्मसूचकवर्णावलीः, भणामः कथयाम इति तद्व्याख्या।

अत्राक्षेपमुपपादयन् सर्वस्वकारः दूतीत्वस्य वस्तुनो निषेधेन वस्तुवादित्वादेर्विशेषस्याभिव्यक्तिमूचे। तच्च मदुक्तरीत्यनुसरण एव संगतं भवति। त्वदुक्तरीत्यनुसरणे तु '-'इदानीमेवागत्य नायिकोज्जीवनीया' इति विशेषो व्यज्यते' इत्येव त्वमिव सोऽपि वदेदिति भावः।

अलङ्कारचन्द्रिकाकारस्तु "-नरेन्द्रमौले-' इत्यत्र 'न वयं राजसंदेशहारिणः' इति निषेधाभावे केवलादुत्तरार्धान्नोक्तविशेषावगतिः स्यात्। संधिकालोचितकैतववचनत्वेनैव संभाव्यमानत्वात्। अपि तु तत्कालीनसंध्यभिपद्यमात्रावगमः। निषेधेन तु तत्परिहारे युक्त उक्तविशेषावगम इत्यनुभवसाक्षिकमेतत्। सत्यवादित्वादिकं तूक्तविशेषे व्यञ्जनीये द्वारभूतम्, न तु तदेव विशेषरूपम्, अचमत्कारित्वात्, अत एव 'नाहं दूती' त्यत्र वस्तुवादित्वादिर्विशेषो व्यज्यत इत्यलंकारसर्वस्वकारः। वस्तुवादित्वमादिर्द्वारभूतं यस्य तादृशो विशेष इति तदर्थः।" इति रीत्या पण्डितराजोक्तं निरस्यति।

कुवलयानन्द की उक्ति का अनुवाद करके खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि।

कुवलयानन्दकार ने अलंकारसर्वस्वकार के मत से आक्षेप में उदाहरण रूप में 'नरेन्द्रमौले—अर्थात् हे राजाओं के सिरताज हम राजा के संदेश-वाहक (खुशामदिया) नहीं हैं। संपूर्ण संसार ही जिसका कुटुम्बी है ऐसे आप का आज कोई-शत्रु नहीं दिखाई देता है।' इस पद्य को उपस्थित करके जो यह कहा है कि "यहाँ संदेश वाहकों की उक्ति में 'हम संदेश-वाहक नहीं हैं' यह निषेध अनुपपन्न है-बाधित है, अतः यह मानना होगा कि उस निषेध से संधिकालोपयोगी कपट पूर्णवचन का परिहार किया गया है-अर्थात् वह संदेशवाहकता का निषेध नहीं है अपितु संधिकालोपयुक्त कपट पूर्ण वचन वक्तृता का निषेध है जिसका पर्यवसान यथार्थवादिता में जाकर होता है, इस तरह उस निषेध से 'समग्र संसार के पालनकर्ता आप के द्वारा कोई भी शत्रु भाव में से देखने योग्य नहीं है, अपितु सभी राजे भृत्य-भाव से रक्षा करने योग्य हैं' इस विशेष का आक्षेप होता है।"

वह उचित नहीं। कारण आपने जिस विशेष का उल्लेख किया है वह निषेध से अभिव्यक्त नहीं होता क्योंकि 'हम राजाके संदेशवाहक नहीं हैं' इस कथन से 'तुम्हारे द्वारा कोई भी शत्रु भाव से देखने योग्य नहीं है, अपि तु सभी राजे भृत्य-भाव से रक्षा-करने योग्य हैं' यह विशेष प्रतीत नहीं होता, अपि तु 'जिस का समग्र संसार कुटुम्बी है उस आप का शत्रु आज कोई नहीं दिखाई पडता' इस उत्तरार्ध का प्रयोग होने पर वह विशेष प्रतीत होता है। फलतः परकीय विशेष अर्थात् उत्तरार्धगत वाक्य से अभिव्यक्त होने वाले विशेष को 'हम राजा के संदेशवाहक नहीं हैं' इस निषेध के द्वारा आक्षिप्त कहना उचित नहीं है क्योंकि निषेध के द्वारा आक्षिप्त उस विशेष को कहना संगत है जो केवल निषेध से आक्षिप्त होता हो।

वस्तुतः यहां राजा के संदेशवाहक द्वारा प्रयुक्त 'हम राजा के संदेशवाहक नहीं हैं' इस वाक्य में अपने आप (राज संदेशवाहक) में अपना (राजा संदेशवाहकता का) निषेध बाधित होने के कारण 'राज संदेशवाहक' इस पद से लक्षणा द्वारा राज-संदेशवाहक-गत-कपट-वचन-प्रयोक्ता का बोध होता है और इस लक्षणा का प्रयोजन है कपट वचन प्रयोक्तृता का निषेध होने पर अपने में सत्यवादिता की और अपने वचन में सत्यता की प्रतीति।

यही है विशेष का आक्षेप—अर्थात् वक्ता की सत्यवादिता और वचन की सत्यता ही विशेष (अर्थ) है और लक्षण के फल रूपमें उन दोनों की प्रतीति कराना ही है आक्षेप। बस इसी विशेषाक्षेप के आधार पर यहाँ आक्षेपालङ्कार होता है। ऐसी स्थिति में आप के द्वारा कोई भी शत्रु भाव से देखने योग्य नहीं है' इत्यादि बातें क्यों कही जाती हैं? अर्थात् यहाँ आक्षेपालङ्कार की सिद्धि के लिए उन बातोंकी आवश्यकता नहीं है।

अब यदि कहा जाय कि पूर्वोक्त बाध (राजा संदेशवाहक में राजसंदेशवाहकता के निषेध) के कारण ही 'राजा' पद की शत्रु अर्थ में लक्षणा होगी और तब लक्ष्य रूप में प्राप्त 'हम शत्रु के संदेशवाहक नहीं हैं' इस अर्थ के द्वारा 'हमारे स्वामी शत्रु नहीं हैं इतना ही नहीं किन्तु भृत्य-भाव से पालन करने योग्य हैं' इस विशेष की प्रतीति होती है तो हम कहेंगे कि हां, इस तरह से उक्त विशेष का प्रतीति हो सकती है परन्तु तब तो तृतीय-श्रेणीगत 'हमारे स्वामी शत्रु नहीं है' यह निषेध अलङ्कार होगा ('हम राजसंदेश-वाहक नहीं हैं यह वाच्यार्थ प्रथम कोटि में, 'हम शत्रु के संदेशवाहक नहीं है' यह लक्ष्यार्थ द्वितीय कोटि में और 'हमारे स्वामी शत्रु नहीं हैं' यह व्यङ्ग्यार्थ तृतीय कोटि में आता है जिनमें अन्तिम कोटिका निषेधात्मक अर्थ 'शत्रु-नहीं होने के कारण हमारे स्वामी भृत्य-भाव से पालनीय हैं' इस विशेष का आक्षेप होने से आक्षेपालंकार कहलायगा), न कि आप के द्वारा कथित हम राजसंदेशवाहक नहीं हैं' यह यथाश्रुत निषेध।

इस पर यदि यह कहा जाय कि जिस किसी तरह परम्परया भी किसी विशेष का उत्थान करने वाले निषेध को हम आक्षेप अलंकार मानते हैं अतः परम्परया 'हमारे स्वामी भृत्यभाव से पालन करने योग्य हैं' इस विशेष का उत्थान करनेवाला उक्त यथाश्रुत निषेध भी आक्षेप अलंकार कहला सकता है तो मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा, कहिए परम्परया विशेषोत्थापक निषेध को भी आक्षेपालङ्कार, पर इस से भी 'संधिकालोपयुक्त कपट वचन परिहार के द्वारा सत्यवादिता में पर्यवसित होता हुआ' इत्यादि भवदीय कथन की संगति तो नहीं हो सकी, क्योंकि केवल यथार्थवादित्व के द्वारा आप का बताया हुआ विशेष आक्षिप्त नहीं हो सकता, किन्तु उस से उत्तरार्ध द्वारा आक्षिप्त अर्थका परिपोषण मात्र होता है।

इस लिए जिस विशेष में आपने निषेध का पर्यवसान कहा है वही (सत्यवादिता) विशेष उसका ('हम राजसंदेशवाहक नहीं है' इस निषेध का) आक्षेप्य है, न कि दूसरा ('सभी राजे भृत्य-भाव से संरक्षणीय हैं' इत्यादि) विशेष।

अतएव अलंकारसर्वस्वकार ने जो यह लिखा है कि "बालक नाहम्......" यहाँ "दूतीत्व रूप वस्तु के निषेध से 'यथार्थवादित्व' आदि विशेष की अभिव्यक्ति होती है" वह संगत होता है। तात्पर्य यह कि सर्वस्वकार ने भी बाधित वाच्य निषेध की अन्य निषेध में होने वाली लक्षणा के प्रयोजन रूप में प्रतीत होने वाली वस्तु को ही विशेष मान कर उसके आक्षेपक निषेध को आक्षेपालंकार का उपपादन किया है। जो मेरे हिसाब से सुसङ्गत है, पर आप के हिसाब से असङ्गत होगा, क्योंकि आप दूरकी वस्तु को विशेष

मान कर आक्षेपालङ्कार का उपपादन करते हैं और वह भी सर्वस्वकार के मत की व्याख्या के प्रसङ्ग में।

'बालक नाहम्—' इस पद्य का अलंकार सर्वस्वोक्त मूल प्राकृतरूप और उसकी संस्कृत व्याख्या संस्कृत व्याख्या में दी गई है, उस का अर्थ है कि हे बालक, मैं दूती नहीं हूँ और 'तुम उस नायिका के प्रिय हो' यह कहते फिरना भी मेरा धंधा नहीं है, किन्तु 'वह मरती है और तुम्हारा अयश है' इन धर्माक्षरोंको केवल मैं कह रही हूँ।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे आक्षेप-प्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे आक्षेपालङ्कारप्रकरणम् समाप्तं बोध्यमिति भावः।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामाक्षेपप्रकरणम्॥

रसगङ्गाधरगत आक्षेप प्रकरण की हिन्दी व्याख्या समाप्त॥

सादृश्यमूलकालंकारनिरूपणानन्तरं विरोधमूलकालंकारनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथ विरोधमूलालङ्काराः—

विरोधो मूलं येषां तादृशा अलंकारा निरूप्यत्वेनारब्धा वेदितव्या इति भावः।

सादृश्यमूलक अलङ्कारों के निरूपण किए जा चुके, अब विरोधमूलक अलङ्कारों का निरूपण आरब्ध होता है।

तत्र प्रथमं विरोधाभासलक्षणमाह—

एकाधिकरणसंबद्धत्वेन प्रतिपादितयोरर्थयोर्भासमानैकाधिकरणासंबद्धत्वम्, एकाधिकरणासंबद्धत्वभानं वा विरोधः।

यद्वा—

एकाधिकरणासंबद्धत्वेन प्रसिद्धयोरेकाधिकरणसंबद्धत्वेन प्रतिपादनं सः॥

एकाधिकरणेति। एकाश्रयेत्यर्थः। अर्थयोरिति। वस्तुनोरित्यर्थः। भासमानेति। अस्यासंबद्धत्वेऽन्वयः। एकस्मिन्नधिकरणे भासमानमसंबद्धत्वमिति भावः। विनिगमनाविरहादाह—एकाधिकरणासंबद्धत्वभानं वेति। तयोस्तत्त्वेन भाने भ्रममूलकत्वादाह—यद्वेति। यौ द्वौ पदार्थौ एकाश्रयवर्तितया प्रतिपादितौ तयोस्तस्मिन्नाश्रयेऽवृत्तित्वम् सहृदयैः प्रतीयमानम् विरोधाभासो नामालंकारः, अथवा एकस्मिन्नाश्रये संबद्धौ यौ द्वौ पदार्थौ प्रतिपादितौ तयोर्यत्तस्मिन्नेकत्राधिकरणेऽसंबन्धस्य भानम् स एव सः, यद्वा यौ द्वौ पदार्थौ कुत्रचिदेकस्मिन्नाश्रये कदापि न सह तिष्ठतः इति प्रसिद्धौ सत्यामपि तयोः पदार्थयोस्तस्मिन्नेकत्राश्रये वर्तमानतायाः प्रतिपादनम् स इति सारांशः।

विरोधमूलक अलङ्कारों में सर्वप्रथम 'विरोधाभास' अलंकार का लक्षण किया जाता है—एकाधिकरण इत्यादि।

किसी एक आश्रय से संबद्ध रूप में वर्णित दो वस्तुओं की प्रतीत होने वाली उस एक आश्रय से असंबद्धता, अथवा उस तरह की दो वस्तुओं के विषय में होने वाला उस एक आश्रय से असंबद्धता का ज्ञान, 'विरोध' कहलाता है।

ज्ञान घटित लक्षण भ्रममूलक भी हो सकता है, अतः दूसरा लक्षण किया जाता है—यद्वा इत्यादि।

अर्थात् जो दो पदार्थ एक आश्रय में नहीं रहने वाले के रूप में प्रसिद्ध हों, उन दो पदार्थों का एकाश्रयवर्ती के रूप में किया जाने वाला वर्णन 'विरोध' कहलाता है।

लक्षणं विवेचयन्नाह—

स च प्ररूढोऽप्ररूढश्च । प्ररोहश्च बाधबुद्ध्यनभिभूतत्वम् । तद्वैपरीत्यमप्ररोहः । तत्राद्यो दोषस्य विषयः, द्वितीयश्चालङ्कारस्य । अत एवेमं विरोधाभासमाचक्षते । आ ईषद् भासते इत्याभासः । विरोधश्चासावाभासश्चेति । आमुख एव प्रतीयमानो झगिति जायमानाविरोधबुद्धितिरस्कृत इति यावत् । तत्रापि कार्यकारणादिबुद्ध्यनालीढो विरोधाभासो विरोधालङ्कारः । तदालीढस्तु विभावनादिर्वक्ष्यमाणः ।

स चेति । विरोधश्चेत्यर्थः । प्ररोहपदार्थं विवृणोति—प्ररोहश्चेति । बाधबुद्ध्या= बाधनिश्चयेन अनभिभूतत्वम् = अतिरस्कृतत्वमित्यर्थः । तद्वैपरीत्यमिति । बाधबुद्ध्यभिभूतत्वमित्यर्थः । तत्रेति । प्ररुढाप्ररूढविरोधयोर्मध्य इत्यर्थः । आद्य इति । प्ररूढविरोध इत्यर्थः । दोषस्येति । अनौचित्याख्यस्येति भावः । विषय इति । अस्याग्रेऽप्यनुषङ्गः । द्वितीयश्चेति । अप्ररूढविरोध इत्यर्थः, अत एवेति । अलंकारविषयीभूतस्य विरोधस्याप्ररूढत्वादेवेत्यर्थः । इममिति । अलंकारमित्यर्थः । आचक्षत इति । कथयन्तीत्यर्थः । आचार्या इति शेषः । आभासशब्दार्थं स्फुटयति—आ इति । आमुखशब्दार्थः प्रारम्भः । प्रतीयमान इति । विरोध इति शेषः । झगितीति झटितीत्यर्थः ।

आरम्भे ज्ञायमानोऽपि यो विरोधोऽग्रे शीघ्रमेव जायमानया अविरोधबुद्ध्या तिरस्क्रियते स इति भावः । तत्रापीति । विरोधाभासेष्वपीत्यर्थः । बुद्ध्यनालीढ इति । बुद्ध्यविषयीकृत - इति भावः ।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—स च इत्यदि ।

वह जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है—विरोध दो प्रकार का होता है एक प्ररूढ दूसरा अप्ररूढ । प्ररूढ विरोध वह कहलाता है जो बाध-ज्ञान से अभिभूत (तिरस्कृत) न हो और इससे भिन्न-अर्थात् बाध-बुद्धि-तिरस्कृत विरोध अप्ररूढ कहलाता है । उन दो प्रकार के विरोधोंमें से प्रथम-अर्थात् प्ररूढ विरोध दोष का विषय है और द्वितीय-अर्थात् अप्ररूढ विरोध अलङ्कार का लक्ष्य है । तात्पर्य यह कि काव्य में बाधित विरोध का वर्णन अनुचित समझा जाता है-और अबाधित विरोध का वर्णन समझा जाता है उचित, अत एव काव्य-शोभा-वर्धक-अलङ्कार ।

बाध-बुद्धि से अतिरस्कृत विरोध का ही अलङ्काररूप होने के कारण यह अलङ्कार-क्षेत्र में 'विरोधाभास' शब्द से कहा जाता है । 'आभास' शब्द का अर्थ है—ईषत् (थोडा) भासित होने वाला । फलतः 'विरोधश्चासौ आभासः' इस कर्मधारय समास के द्वारा 'विरोधाभास' पद का अर्थ हो जाता है—थोडा भासित होने वाला विरोध । सारांश यह हुआ कि उस विरोध को अलङ्कार कहा जाता है जो आरम्भ में प्रतीत होकर भी शीघ्र (अग्रिमक्षण में) होने वाले अविरोध-ज्ञान से तिरस्कृत हो जाय । स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वास्तविक विरोध का वर्णन दोषावह और आभास रूप विरोध का वर्णन अलङ्कार होता है ।

आभास रूप विरोध भी स्थल भेद से अनेक कोटि का हो सकता है। जैसे-कहीं वह कार्यकारणभावादिज्ञान से चुम्बित रहेगा और कहीं उससे अचुम्बित।

उनमें से प्रथम-कोटिक विरोधाभास के रहने पर, जिसका विचार आगे किया जायगा, वह 'विभावना' आदि अलङ्कार होगा। फलतः द्वितीय-कोटिक अर्थात् कार्यकारणभावादि-ज्ञान से अचुम्बित विरोधाभास के रहने पर ही प्रस्तुत 'विरोध' नामक अलङ्कार होगा।

विरोधालङ्कारं विभजते—

अस्य च जाति-गुण-क्रिया-द्रव्याणां पदार्थानां मध्ये जातेर्जाति-गुण-क्रिया-द्रव्यैः, क्रियायाः क्रिया-द्रव्याभ्याम्, द्रव्यस्य द्रव्येणेत्यपुनरुक्ता दश भेदाः।

अस्य चेति। विरोधालंकारस्य चेत्यर्थः। 'दश भेदाः' इत्यत्रास्यान्वयः। जाति-गुणेति। 'चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः। जातिशब्दः, गुणशब्दः, क्रियाशब्दः, यदृच्छाशब्द-श्चतुर्थः।' इति पतञ्जलिः। तथा च जाति-गुण-क्रिया-द्रव्याणि यथायथं शब्दार्थाः इति भावः।

अपुनरुक्ता इति। अयं भावः—जातेर्जाति-गुण-क्रिया-द्रव्यैः सह विरोधे गण्य-माने जाति-गुणयोर्विरोधो गणित इति गुणस्य गुण-क्रिया-द्रव्यैः सहैव विरोधो गणनीयः, न पुनर्जात्यापि सह। तथाकरणे पुनरुक्तत्वं स्यात् यतो गुणस्य जात्या विरोधः जातेर्गुणेन विरोधान्न भिन्नः। एवमग्रेऽपि पुनरुक्तत्वं बोध्यम्।

ननु 'जातेर्गुणेन विरोधः' इत्यस्य जाति-प्रतियोगिको गुणानुयोगिको विरोध इत्यर्थः, तथा चैतस्मिन्विरोधे उक्ते गुणप्रतियोगिक-जात्यनुयोगिक-विरोधस्य 'गुणस्य जात्या विरोधः' इत्येतत्पर्यवसितस्य पुनरुक्तिरुचितैव दोषावहा, प्रतियोग्यनुयोगिभेदेन तयोर्विरोधयोर्भिन्नत्वात् इति चेन्न। तादृशभेदस्याचमत्कारित्वेनागणनात् जातिप्रतियोगिकगुणानुयोगिकविरोध-गुण प्रतियोगिकजात्यनुयोगिकविरोधयोः सामान्यतः जातेर्गुणेन विरोधः' इत्युक्त्या गतार्थत्वात्।

विरोधालंकार के भेद बतलाए जाते हैं—अस्य च इत्यादि। इस विरोधालङ्कार के दश भेद होते हैं, क्योंकि शब्द चार प्रकार के होते हैं जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और द्रव्यवाचक अतः सामान्यतया शब्दार्थ चार होते हैं जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य अर्थात् कहीं किसी शब्द की जाति, कहीं किसी शब्द का गुण, कहीं किसी शब्द की क्रिया और कहीं किसी शब्द का द्रव्य अर्थ होता है। यहाँ ['सब पदों के अर्थ चार प्रकार के होते हैं-१ जाति २ गुण ३ क्रिया और ४ द्रव्य।" यह विवरण कैसा है ? बुधजन सोचें] इन चारों पदार्थों के परस्पर विरोधों का विभाजन इस तरह किया जाता है कि जाति का जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य चारों से,गुण का गुण, क्रिया और द्रव्य तीन से, क्रिया का क्रिया और द्रव्य इन दो से एवं द्रव्य का द्रव्य से।

इस विभाजन में पुनरुक्ति दोष नहीं आता। यदि गुण का अन्याय के साथ होनेवाले विरोध को गिनते समय गुण का जाति के साथ होने वाले विरोध को भी गिना जाता तब पुनरुक्ति दोष आ जाता, क्योंकि जाति का अन्यों के साथ होनेवाले विरोध को गिनते समय जाति और गुण के परस्पर विरोध को गिना जा चुका है। इसीतरह गुण का अन्यों के साथ होने वाले विरोध में क्रिया के साथ होनेवाले गुण के विरोध की गणना कर लेने पर

क्रिया का अन्यों के साथ होने वाले विरोध की गणना करते समय क्रिया का गुण के साथ होने वाले विरोध की पृथक् गणना करने से पुनरुक्ति होती।

स्फुटत्वायाह—

क्रिया चात्र न वैयाकरणानामिव शुद्धा भावना। नापि नैयायिकानामिव स्पन्दरूपा। किं तु तत्तद्धातुवाच्या विशिष्टव्यापाररूपा।

अत्रेति। विरोधालंकारोपयोगिषु चतुर्षु पदार्थेष्वित्यर्थः। भावनेति। क्रियासामान्यमिति भावः। 'भावो, भावना, उत्पादना, क्रिया' इतीत्थं पर्यायान् प्रदर्शयन्तो वैयाकरणाः क्रियासामान्यबोधकत्वं क्रियाशब्दस्याभिप्रयन्ति।

स्पन्दरूपेति। गत्यात्मिकेति भावः। "उत्क्षेपणं ततोऽपक्षेपणमाकुञ्चनं तथा। प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च।" इत्येवं वदतां नैयायिकानां क्रियायाः स्पन्दरूपत्वमिष्टम्। ननु तर्हि कात्र क्रिया विवक्षितेति चेत्तत्राह—तत्तद्धातुवाच्येति। तथा च स्थित्यादिरपि क्रियात्वेनात्र परिगृह्यत इति भावः।

एक स्पष्टीकरण किया जाता है—क्रिया चात्रेति।

अभिप्राय यह है कि वैयाकरण लोग क्रिया शब्द का अर्थ शुद्ध भावना मानते हैं—अर्थात् सामान्य कृति को क्रिया समझते हैं, किसी खास व्यापार को नहीं, अत एव वे "भाव, भावना, उत्पादना, क्रिया, इन सबों को' पर्याय मानते हैं। नैयायिकगण स्पन्दात्मक (गत्यात्मक) व्यापार को ही क्रिया कहते हैं, स्थित्यात्मक व्यापार को नहीं, अत एव वे उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण और गमन के रूप में क्रिया के पांच भेद करते हैं। पर यहाँ क्रिया शब्द से न वैयाकरणों की तरह शुद्ध भावना विवक्षित है और न नैयायिकों की तरह स्पन्दरूप व्यापार, अपि तु उन-उन धातुओं के वाच्यार्थ रूप विलक्षण-विलक्षण सभी व्यापार यहाँ क्रिया शब्द से बुबोधयिषित हैं।

उदाहरणनिर्देष्टुमाह—

उदाहरणम्—

स्पष्टम्—

उदाहरण देखिए—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'कुसुमानि शरा मृणालजालान्यपि कालायसकर्कशान्यभूवन्।
सुदृशो दहनायते स्म राका भवनाकाशमथाभवत्पयोधिः॥

नायकं प्रति दूत्या उक्तिः—सुदृशः सुनयनाया नायिकायाः, कृते, कुसुमानि पुष्पाणि, शरा बाणाः, अभूवन्, मृणालजालान्यपि कोमलकमलनालदण्डसमूहा अपि, कालायसकर्कशानि लौहवत्कठोराणि, अभूवन्, तथा राका पूर्णचन्द्रा पूर्णिमारात्रिः, दहनायते स्म अग्निवदाचरति स्म, अथ अनन्तरम्, भवनाकाशम् गृहावच्छिन्नं गगनम्, पयोधिः समुद्रः अभवत् इत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—कुसुमानि इत्यादि।

नायक के प्रति दूती का वचन है कि-उस सुनयना नायिका के लिए पुष्प बाण हो गए, कोमल कमल नालों के समूह लोहे के समान कठोर हो गए, पूर्ण चन्द्र से युक्त

पूर्णिमा की रात अग्नि के समान आचरण करने लगी, और गृह का आकाश समुद्र बन गया।

उपपादयति—

अत्र पुरः स्फुरन्नपि जात्यादीनां विरोधो विरहिणीदुःखजनकत्वविमर्शनान्निवर्तते।

अयं भावः—'कुसुमानि—' इत्यस्मिन् पद्ये पुष्पत्व बाणत्वजात्योः, मृणालत्वजाति-कर्कशत्वगुणयोः, पूर्णिमात्वजाति-वह्निवदाचरणक्रिययोः, पयोधित्वजाति-गगनद्रव्ययोश्च विरोधो यद्यपि प्रथमम् प्रतीतिपथमवतरति परन्तु पश्चात् शीघ्रमेव विरहविकलकामिनीवेदना-जनकताया विचारे क्रियामाणे निवर्तत इति भवतीदं पद्यं विरोधालंकारोदाहरणमिति।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'कुसमानि–' इस पद्य में पुष्पत्व और बाणत्व इन दो जातियों का, मृणालत्व जाति और कठोरतारूप गुण का पूर्णिमात्व जाति और कठोरतारूप क्रिया का तथा पयोधित्व जाति और आकाशरूप द्रव्य का विरोध प्रथमतः होता है, पर शीघ्र ही विरहिणी के दुःखजनक होने का विचार करने पर वह विरोध निवृत्त हो जाता है, अतः यह पद्य विरोधालङ्कार का उदाहरण होता है।

गुणादिभिः सह गुणादीनां विरोधस्योदाहरणान्याह—

'त्वयि दृष्टे त्वया दृष्टे भवन्ति जगतीतले।
महान्तोऽप्यणवो राजन्नणवश्च महत्तराः॥'
'खलानामुक्तयो हन्त कोमलाः शीतला अपि।
हृदयानीह साधूनां छिन्दन्त्यथ दहन्ति च॥'
'विचारिते महिमनि त्वदीये नित्यनिर्मले।
परमात्मन् गगनमप्याधत्ते परमाणुताम्॥'
'हर्षयन्ति क्षणादेव क्षणादेव दहन्ति च।
यूनः स्मरपराधीनान्निर्दया हन्त योषितः॥'
'कान्तारे विलपन्तीनां त्वदरातिमृगीदृशाम्।
देवनानि समाकर्ण्य हरिद्भिरपि चुक्षुभे॥'

इत्यादि स्वयमूह्यम्।

गुणगुणयोर्विरोधमुदाहरति—त्वयि दृष्ट इति! राजन्!, त्वयि, दृष्टेऽवलोकिते सति, जगतीतले संसारे महान्तोऽपि, अणवः लघवः, भवन्ति, पुनः, त्वया दृष्टे त्वत्कर्तृके दर्शने सति, (दृष्टे इत्यत्र भावे क्तः) अणवोऽपि लघवोऽपि महत्तराः महीयांसः भवन्तीत्यर्थः। अत्र 'महत्त्वाणुत्वगुणयोर्विरोधः प्रथमं प्रतीयते, पश्चाच्च राजमाहात्म्यप्रकाशकत्वविमर्शात्परिहृतो भवतीति बोध्यम्।

गुणक्रिययोर्विरोधमुदाहरति—खलानामिति।

कोमलाः मृदवः तथा, शीतलाः शिशिराः, अपि, खलानाम् दुर्जनानाम्, उक्तयः वचनानि, इह संसारे, हन्त खेदेन, साधूनाम् सज्जनानाम्, हृदयानि मनांसि, छिन्दन्ति अथ च, दहन्ति तापयन्तीत्यर्थः।

अत्र 'कोमलत्व'-गुण-'च्छेदन'-क्रिययोस्तथा 'शीतलत्व'गुण-'दहन'क्रिययोर्विरोध आदौ प्रतीयमानोऽपि पश्चात् स्वरूप-कार्यभेदेन परिहृतो भवति।

द्रव्यगुणयोर्विरोधमुदाहरति—विचारित इति।

हे परमात्मन्!, नित्यनिर्मले सदा स्वच्छे, त्वदीये, महिमनि माहात्म्ये, विचारिते ध्याते सति, गगनमपि आकाशोऽपि, परमाणुताम् लघुतरताम्, धत्ते बिभर्त्तीति भावः।

अत्राकाशद्रव्य-परमाणुत्वगुणयोर्विरोधः प्राक् प्रतीयमानोऽपि पश्चात्परमात्ममाहात्म्यावगमकत्वचिन्तनादपाकृतो जायते।

द्वयोः क्रिययोर्विरोधमुदाहरति—हर्षयन्तीति।

निर्दयाः दयाविहीनाः, योषितः कामिन्यः, हन्त खेदेन, स्मरपराधीनान् कामवशीभूतान्, यूनः युवकान्, क्षणादेव, हर्षयन्ति, क्षणादेव, दहन्ति चेत्यर्थः।

अत्र 'हर्षण-दहन' क्रिययोर्विरोधः प्रतीतिपथमवतरन्नपि कालभेदेन परिहृतो भवति।

द्रव्य-क्रिययोर्विरोधमुदाहरति—कान्तारे इति।

हे राजन्, कान्तारे वने, विलपन्तीनाम्, त्वदरातिमृगीदृशाम् त्वदीयशत्रुस्त्रीणाम्, देवनानि विलापान्, समाकर्ण्य श्रुत्वा, हरिद्भिरपि दिशाभिरपि, चुक्षुभे क्षोभः प्राप्त इति भावः।

अत्र दिशाद्रव्य-क्षोभक्रिययोर्विरोधः प्राक् प्रतीतः पश्चात् शत्रुस्त्री-विलापासहनीयताप्रकाशकत्वविचारादपोहितो भवति। इत्यादिस्वयमूह्यमिति। अन्यान्युदाहरणानि स्वयमनुसंधेयानीति भावः।

गुणादिकों का गुणादिकों के साथ होने वाले विरोधों के उदाहरण दिखलाए जाते हैं—त्वयि इत्यादि।

त्वयि दृष्टे—हे राजन्! तुम्हें देखने पर महान् भी अणु (लघु) हो जाते हैं और तुम से देखे जाने पर इस संसार में अणु भी महान् हो जाते हैं। यहाँ 'महत्त्व' और 'अणुत्व' गुणों का विरोध आरम्भ में प्रतीत होता है जिसका परिहार राजा के माहात्म्य-प्रकाशन के अनुसन्धान से हो जाता है।

खलानाम्—हाय! दुर्जनों के वचन कोमल और शीतल होने पर भी सज्जनों के हृदयों को छेदते और तपाते हैं।

यहाँ 'कोमलत्व' गुण का 'छेदन' क्रिया के साथ और 'शीतलत्व' गुण का 'दहन' क्रिया के साथ विरोध आपाततः ज्ञात होता है पर 'स्वरूपतः कोमल तथा शीतल और कार्यतः छेदक एवम् दाहक खल के वचन होते हैं' ऐसा अर्थ समझ में आजाने पर वह परिहृत हो जाता है।

विचारिते—हे परमात्मन्!, नित्य निर्मल आप की महिमा का विचार करने पर आकाश भी, जो साधारणतया परम विशाल समझा जाता है, परमाणुता का धारण करने लगता है।

यहाँ 'आकाश' द्रव्य का 'परमाणुता' गुण के साथ विरोध अवगत होता है जिसका परिहार इस पद्य की परमात्म-महत्ता-प्रकाशन-परता के विचार से होता है।

हर्षयन्ति—खेद है कि निर्दय रमणियाँ काम के वशीभूत युवकों को क्षण भर में ही हर्षयुक्त और क्षणभर में ही तापयुक्त बना देती हैं। यहाँ 'हर्षण' और 'तापन' क्रियाओं में

परस्पर विरोध प्रतीत होता है पर कालभेद से कामाकुलतामूलक उस विरोध का परिहार भी होता है।

कान्तारे—हे राजन्, गहन कानन में विलाप करती हुई आपके शत्रु की स्त्रियों के विलापों को सुन कर दिशाएँ भी क्षुब्ध हो गईं। यहाँ 'दिशा' रूप द्रव्य का 'क्षोभ' रूप क्रिया के साथ विरोध प्रतीत होता है जिसका परिहार पराजित-शत्रु-स्त्रियों के दुःख की असह्यता के बोधन में वाक्य का तात्पर्य समझने पर हो जाता है।

इन उदाहरणों को देखकर अन्य उदाहरणों का ऊह स्वयं कर लेना चाहिए।

जात्यादिपदस्योपलक्षणत्वमाश्रित्योदाहरणान्तराणि संग्रहीतुमाह—

अत्र जात्यादिरिति धर्ममात्रं विवक्षितम्, उपलक्षणपरत्वात्। तेन 'यः किल बालकोऽपि पुराणपुरुषः', 'विशुद्धमूर्तिरपि नीलाम्बुदनिभः', 'जगद्धितकृदपि जगदहितकृत्', 'अगोद्धारकोऽपि नागोद्धारकः', इत्यादौ सखण्डोपाधेरभावस्य च परिग्रहः।

उपलक्षणपरत्वादिति। अयं भावः—विरोधप्रतियोग्यनुयोगित्वाभ्यां जातिगुणक्रियाद्रव्याणामुक्तिरुपलक्षणम्। तेन धर्मसामान्यस्य विरोधप्रतियोगित्वानुयोगित्वेऽत्र संभवतः। तेनेति। धर्ममात्रस्य विवक्षितत्वेनेत्यर्थः। 'यः किलेति। अत्र बालकत्व-पुराण-पुरुषत्वयोर्विरोधः। अवतारवादेन तत्परिहारः। 'विशुद्ध-मूर्ति'रिति। विशुद्धा = धवला, मूर्तिर्यस्य तादृशोऽपि नीलमेघसदृशः इत्यर्थविभावने विशुद्धमूर्तित्व-नीलाम्बुदनिभत्वयोर्विरोधः। विशुद्धा=निर्मला मूर्तिर्यस्येत्यर्थकरणेन तत्परिहारः। 'जगद्धितकृदपीति। जगतो हितं करोतीतितादृशोऽपि जगतोऽहितं करोतीत्यर्थमूलको विरोधः। जगतः अहितान् = शत्रून् कृन्ततीत्यर्थकरणेन तत्परिहारः। 'अगोद्धारको—' इति। अगस्य पर्वतस्य गोवर्धनस्येति यावत् उद्धारकः, अथ च न अगोद्धारक इति विरोधः। नागस्य=कालियस्य सर्पस्य कुवलयापीडस्य गजस्य वा उद्धारक इत्यर्थकरणेन तत्परिहारः।

सखण्डोपाधेरिति'। पुराणपुरुषत्वविशुद्धमूर्तित्वयोरित्यर्थः। अयमाशयः—पुराणपुरुषत्वं विशुद्धमूर्तित्वञ्च न जातिः, न गुणः, न क्रिया न वा द्रव्यम्, अपि तु पुराणत्वसमानाधिकरणपुरुषत्वात्मकं सखण्डोपाधिरूपं धर्मविशेषः। एवं विशुद्धमूर्तित्वेऽपि बोध्यम्, अभावस्येति। जगद्धितकारित्वाभावस्य अगोद्धारकत्वाभावस्य चेत्यर्थः। अनयोरभावयोर्जात्यादिना न संग्रहः संभवेत्। धर्ममात्रस्य ग्रहणे तु तत्संग्रहोऽपि संभवतीति भावः।

एक स्पष्टीकरण किया जाता है—अत्र इत्यादि।

यहाँ विरोध से संबन्ध रखने वाले पदार्थों के प्रसङ्ग में जाति आदि की चर्चा की गई है, पर वह धर्ममात्र का उपलक्षण है—अर्थात् जिन दो में विरोध आभासित होगा उन दोनों का जाति, गुण, क्रिया अथवा द्रव्य रूप होना निश्चित नहीं है, अपितु धर्म रूप होना ही निश्चित है। तात्पर्य यह कि जाति आदि भी धर्मरूप होने से अभीष्ट अवश्य हैं, पर जाति आदि से अन्य धर्म भी ग्राह्य हैं, अत एव 'यः किल—अर्थात्—जो बालक हो कर भी सब से पुराना पुरुष है' (यहाँ बालकत्व और पुराणपुरुषत्व धर्म में विरोध है, जिसका परिहार अवतारवाद के आधार पर हो जाता है) 'विशुद्धमूर्ति—अर्थात् विशुद्ध (धवल) मूर्तिवाले होने पर भी नील मेघ कीसी कान्तिवाले हैं, (यहाँ धवलमूर्तित्व और नीलमेघसमानकान्तिमत्त्व धर्म में विरोध है, जिसका परिहार 'विशुद्ध'

पद का 'निर्मल' अर्थ करने से होता है) 'जगद्धित—अर्थात् जगत् का हितकारी होकर भी जगत् का अहित करनेवाला' (यहां जगद्धितकारित्व और जगद्धितकारित्वाभाव में विरोध है, जिसका परिहार 'अहितकृत्' का अर्थ 'अहितों का कृन्तन करनेवाला' कर लेने से होता है) 'अगोद्धार—अर्थात् जो अग=पर्वत के उठाने वाला होकर भी पर्वत का उठानेवाला नहीं है' (यहां अगोद्धारकत्व और अगोद्धारकत्वाभाव में विरोध है, जिसका परिहार 'नागोद्धारक' पद का 'नाग=सर्प (कालियनाग) अथवा नाग=गज (कुवलयापीड) का उद्धार करने वाला' ऐसा अर्थ कर देने से होता है) इत्यादिक में सखण्ड उपाधि और अभाव का संग्रह हो जाता है।

अभिप्राय यह कि 'पुराणपुरुषत्व' तथा 'विशुद्धमूर्तित्व' कोई जाति नहीं है, अपि तु केवल धर्म है, ऐसे धर्मों को 'सखण्डोपाधि' कहा जाता है, क्योंकि इनमें 'पुराणत्व' और 'पुरुषत्व' इसी तरह 'विशुद्धत्व' और 'मूर्तित्व' ये दो-दो खण्ड हैं। इसी प्रकार जगद्धितकारित्वाभाव' और 'अगोद्धारकत्वाभाव' भी जाति आदि के अन्तर्गत नहीं होते, और धर्म के अन्तर्गत हो जाते हैं, क्योंकि धर्म उन सभी वस्तुओं को कहा जाता है जो कहीं रहनेवाली हों, अभाव भी किसी में रहता है, अतः धर्म है।

विरोधाभासप्रभेदविषये स्वमतमाह—

वस्तुतो जात्यादिभेदानामहृद्यत्वाच्छुद्धत्वश्लेषमूलत्वाभ्यां द्विविधो ज्ञेयः।

विरोधाभासस्य प्राचीनोक्ता दश भेदा न युक्ता जात्यादिभेदानामचमत्कारित्वात्। तथा च शुद्धः श्लेषमूलकश्चेति द्वावेव भेदाविति भावः।

विरोधाभास अलङ्कार के भेदों के विषय में ग्रन्थकार स्वमत का उल्लेख करते हैं—वस्तुत इत्यादि।

जाति, गुण आदि के आधार पर विरोधाभास अलङ्कार के भेद उचित नहीं हैं, क्योंकि इन भेदों में कोई सौन्दर्य उपलब्ध नहीं होता, अतः उसके वास्तविक भेद दो ही होते हैं एक शुद्ध और दूसरा श्लेषमूलक।

आशङ्क्य समाधत्ते—

ननु 'हितकृदप्याहितकृत्', 'अगोद्धारकोऽपि नागोद्धारकः' इत्यादौ विरोधस्य प्रतिभामात्रम्, श्लेष एव त्वलङ्कारः। तस्य स्वविषये प्रायशः सर्वालङ्कारापवादकत्वादिति चेत्, कविः शृणोति।

कविः शृणोतीति। श्लेषः स्वविषये सकलालङ्कारापवादभूतः, तथा च 'हितकृदप्यहितकृत्' इत्यादौ श्लेष एव, न विरोध इति केवलं शृणोति कविः, न तु स्वीकुरुते, श्लेषोऽलङ्कारान्तरमनुगृह्णाति, न बाधत इति तत्सिद्धान्तादिति भावः।

एक आशंका और उसके समाधान किए जाते हैं—ननु इत्यादि।

यदि कोई कहे कि 'हितकृदप्यहितकृत्' और 'अगोद्धारकोऽपि नागोद्धारकः' इत्यादिक में विरोध की केवल झांकी है, अलंकार तो श्लेष ही माना जायगा, क्योंकि श्लेष अपने विषय में प्रायः सभी अलंकारों का अपवाद हो जाता है, तो कहनेवाला जो चाहे कहे, कवि भी उसे सुन लेता है, पर उसका आदर नहीं करता। क्योंकि कवि को ज्ञात है कि श्लेष अन्य अलंकारों का अनुग्राहक ही होता है, अपवाद नहीं।

विरोधाभासालङ्कारविषयकं विशिष्टं विचारं विधत्ते—

इदं तु बोध्यम्—यत्रापि शब्दादिर्विरोधस्य द्योतकस्तत्र विरोधः शाब्दः,

अन्यत्र त्वार्थ इति तावत्प्राचां सिद्धान्तः। तत्र शाब्दत्वं शब्दकरणकप्रतीतिगोचरत्वं विरोधस्य न घटते। 'त्र्योऽप्यत्रयः' इत्यादौ नियतेषु विशेषणविशेष्यसंसर्गेषु विरोधस्य कुत्राप्यसमावेशात्। न च तदधिकरणावृत्तित्वमिव तत्प्रतियोगिकत्वमपि विरोधः। तथा च प्रकृते नञर्थोत्तरपदार्थयोः प्रतियोगित्वस्य संसर्गत्वात्संसर्ग एव विरोधस्य समावेश इति वाच्यम्। 'सुप्तोऽपि प्रबुद्धः' इत्यादौ तथाप्यसमावेशात्। नहि सुप्तः 'सुप्तत्वविरुद्धप्रबुद्धत्ववदभिन्न इति शाब्दधीरनुभवसिद्धा, येन लक्षणादिकुसृष्टौ यतेमहि। अत्राहुः—'सुप्तोऽपि प्रबुद्धः', 'त्र्योऽप्यत्रयः' इत्यादिषु विरोधोदाहरणेषु शब्दद्वयेन शयितत्वजागरितत्वादिधर्मद्वयस्यादावुपस्थितौ संबन्धिज्ञानादपिशब्दसाचिव्यात्तद्गतो विरोधोऽपि स्मर्यते। अनन्तरं च प्रतिबन्धकज्ञानसामग्र्या बलवत्त्वाद्विरुद्धाविमौ धर्माविति मानसे वैयञ्जनिके वा विरोधबोधे जाते तेन प्रतिरोधाच्छयितजागरितयोरभेदबुद्धेरनुत्पादाद् द्वितीयशक्त्या प्रादुर्भावितं द्वितीयार्थमादायान्वयबोधः, न तु विरुद्धार्थम्। विरोधधीश्च शिथिलमूला निवर्तमानापि कविसंरम्भगोचरतया चमत्कारकारणमिति प्राचां निष्कर्षः।

नव्यास्तु—'अर्थद्वयप्रादुर्भावं विना विरोधाभास एव न संभवति। तत्रैको विरोधस्योल्लासकः द्वितीयश्चान्वयबोधविषय इति तत्सत्यम्। परं तु अन्वयबोधविषये द्वितीयार्थे विरोधोल्लासकोऽप्यर्थो भेदेऽपि श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसाय इत्युक्तदिशा अभिन्नतया भासते। एवं चाविरुद्धं द्वितीयार्थमादायान्वयबोधे सत्यपि स्वास्पदीभूतस्य विरुद्धार्थस्य निःशेषतया निवृत्तेरभावादर्धमृतः श्वसन्निव विरोधोऽपि मानसं बोधान्तरमारोहति। अत एव चमत्कारीत्युच्यते। नहि निःशेषतया निवृत्तश्चमत्कारं जनयितुमीष्टे। न चान्तरेण चमत्कारजनकतामलङ्कारो भवति। तस्माद्विरोधधियो नातीव शिथिलमूलत्वम्, नापि चात्यन्तिकी निवृत्तिः' इत्याहुः।

अपिशब्दादिरिति। चकारादिरादिपदग्राह्यः। 'गौर्यो विभवरताश्च' इत्यादिबाणभट्टप्रयोगे चकारस्यापि विरोधद्योतकत्वात्। अन्यत्रेति। अपिशब्दादिविरह इत्यर्थः। तत्रेति। प्राचां तादृशे सिद्धान्त इत्यर्थः। शब्दकरणकेति। शब्दः करणं (साधनम्) यस्याः तादृशी या प्रतीतिः (ज्ञानम्) तद्गोचरत्वम् तद्विषयत्वमिति यावत्। विरोधस्य न घटत इति। अपिशब्दसत्त्वेऽपि विरोधो न सर्वत्र शब्दकरणकप्रतीतिविषयो भवतीति भावः। ननु कुत्र स तथा न भवतीति चेत्तत्राह—'त्र्योऽप्यत्रयः' इत्यादाविति। अयं भावः—'बालकोऽपि पुराणपुरुषः' इत्यादौ शुद्धविरोधस्थले 'पुराणपुरुषादिशब्दस्यैक एवार्थः, स च विरुद्ध इति तं विरुद्धमेवार्थमादायान्वयबोधो जायतेऽतस्तत्र विरोधस्य शाब्दत्वं संभवति। 'त्र्योऽप्यत्रयः' इत्यादौ श्लेषमूलकविरोधस्थले तु अत्र्यादिशब्दस्यात्रिकुलोत्पन्नत्रिभिन्नेत्यादी द्वावर्थौ, तत्राविरुद्धात्रिकुलोत्पन्नाद्यात्मकमर्थमादायैवान्वयबोधः 'अत्रिकुलोत्पन्नाभिन्नास्त्रयः' इत्याद्याकारको जायते, तत्रान्वयबोधविषयतया विशेषणम्, विशेष्यम् संसर्गश्चेत्येतत् त्रयं नियतम्, तत्त्रये च विरोधस्य कुत्रापि न समावेश इतीदृशस्थले विरोधस्य

शाब्दत्वं न संभवतीति। ननु 'हितकृदप्यहितकृत्' इत्यादिप्रागुक्तश्लेषमूलकविरोधस्थल-मपहाय 'त्रयोऽप्यत्रयः' इति नूतनस्थलप्रदर्शने किं रहस्यमिति चेत्? तत्र 'मित्राणां हित-कृत् शत्रूणाञ्चाहितकृत्' इत्यादिरीत्या परिह्रियमाणस्य शुद्धविरोधस्यापि संभवस्तथा च तत्र विरोधस्य शाब्दत्वं संभवेदिति विभावनीयम्। तत्रापि विरोधस्य शाब्दत्वमाशङ्कते—न चेति। तदधिकरणावृत्तित्वमिति, तदधिकरणवृत्तित्वाभाव इत्यर्थः। यथा बालकत्वाधिकरणे (बालके) पुराणपुरुषत्ववृत्तित्वस्याभावः। तत्प्रतियोगिकत्वमिति। स प्रतियोगी यस्य (अभावस्य) स तत्प्रतियोगिकः (अभावः) तद्भाव इत्यर्थः। तथा चेति। तस्यापि विरोधत्व इत्यर्थः। प्रकृते इति। 'त्रयोऽप्यत्रयः' इत्यत्रेत्यर्थः। नञर्थेति। नञर्थश्चोत्तर-पदार्थश्चेति द्वन्द्वः, तयोः, त्रित्वविशिष्टतद्भेदयोरिति भावः। प्रतियोगित्वस्य संसर्गत्वादिति। अयं भावः—'त्रयोऽप्यत्रयः' इत्यत्र 'त्रित्वसंख्याविशिष्टाः त्रित्वसंख्याविशिष्टप्रतियोगिकभेद-वन्तः' इत्याकारकोऽपि बोधोऽनभिमतोऽप्यपरिहार्यः, तत्र च बोधे संसर्गत्वेन भासमाने प्रतियोगित्वे विरोधस्य समावेशो जात इति तत्रापि विरोधस्य शाब्दत्वं सम्पन्नमिति शङ्कार्थः। तत्र तथा सामञ्जस्येऽपि अन्यत्रासामञ्जस्यं तदवस्थमिति सूचयन्नाह—'सुप्तोऽपि' इति। अत्र 'प्रवुद्ध' पदस्य द्वावर्थौ—जागरितः, प्रकृष्टज्ञानाश्रय इति च, तत्र प्रथमार्थमा-दाय विरोधः, द्वितीयार्थमादाय समाधानमिति बोध्यम्। असमावेशादिति। अयं भावः—'त्रयोऽप्यत्रयः' इत्यत्र नञ्श्रुत्या भेदस्य 'भाने नान्तरीयकतया प्रतियोगित्वस्य भानं जायते। 'सुप्तोऽपि प्रबुद्धः' इत्यत्र तु न प्रतियोगित्वभानस्यावसर इति कुत्र विरोधः समाविशतु इति।

ननु तत्र तदधिकरणावृत्तित्वरूपो विरोध एव शब्दकरणकप्रतीतिगोचरः, लक्षणया 'सुप्तः सुप्तत्वविरुद्ध (सुप्तत्वाधिकरणावृत्ति) प्रवुद्धत्ववदभिन्नः' इति बोधादिति चेत्तत्राह-नहि सुप्त इति। अयं भावः—यदि तत्र तादृशो बोधोऽनुभवसिद्धो भवेत्तदा तत्सिद्ध्यर्थं लक्षणा विधेया स्यात् परन्तु न तत्र तादृशो बोधोऽनुभवसिद्धः अपि तु 'सुप्तः प्रकृष्टज्ञाना-श्रयाभिन्नः' इति बोध एव। तथा च 'अपिशब्दसत्त्वे विरोधः शाब्दः' इति प्राचां सिद्धान्तोऽसंगत इति प्रघट्टकार्थः प्रर्यवस्यति। उक्ताशङ्कायाः प्राचीनमतसिद्धं समाधान-माह—अत्राहुरिति। शब्दद्वयेनेति। सुप्त-प्रवुद्धशब्दाभ्याम् त्रि-अत्रिशब्दाभ्याञ्चेति भावः। जागरितत्वादीति। त्रित्व-त्रिभेदादय आदिपदग्राह्याः। उपस्थिताविति। स्मृता-वित्यर्थः। संबन्धिज्ञानादिति। एकाधिकरणावृत्तित्वरूपस्य विरोधस्याश्रयतासंवन्धेन संबन्धि-नौ यौ शयितत्व-जागरितत्वादिरूपौ धर्मौ तयोः ज्ञानादिति भावः। ननु तयोः संबन्धिनोः ज्ञानात् अपरस्य संबन्धिनो विरोधस्यैव कुतः स्मरणमित्यत आह—अपिशब्दसांनिध्या-दिति। अपिशब्दस्य विरोधद्योतकस्य साहाय्येन विरोधरूपस्यैव संबन्धिनः स्मरणम्, नान्यस्येति भावः। तद्गत इति। शयितत्व-जागरितत्वादिगत इत्यर्थः। स्मर्यत इति। 'एकसंबन्धिज्ञानमपरसंबन्धिनं स्मारयति' इति न्यायादिति भावः। अनन्तरञ्चेति। विरोधस्मरणानन्तरमित्यर्थः। प्रतिबन्धकेति। अयं भावः—द्विविधयोः प्रतिवध्य-प्रतिबन्ध-कभावापन्नयोः ज्ञानयोर्जनिके सामग्र्यौ यत्र समुपस्थिते तिष्ठतस्तत्र प्रतिबन्धकीभूतस्य ज्ञानस्य जनिका सामग्री बलवती भवति। एवञ्च प्रकृते 'शयितो जागरिताभिन्नः' इत्या-कारकप्रतिबध्य-ज्ञानजनिकायाः, शयितत्व-जागरितत्वेतीमौ विरुद्धौ धर्मौ' इत्याकारकप्रति-

बन्धकज्ञानजनिकायाश्च तादृशतादृशपदार्थोपस्थित्यादिरूपायाः सामग्र्या वर्तमानत्वे बलवत्या सामग्र्या 'विरुद्धौ इमौ धर्मौ' इत्याकारकस्य मानसस्य वैयञ्जनिकस्य वा विरोधबोधस्य प्रागुत्पत्तौ तेन प्रतिबन्धात् 'शयितो जागरिताभिन्नः' इत्यभेदज्ञानस्यानुत्पत्तिः। अथ प्रबुद्धादिपदनिष्ठया द्वितीयया शक्त्योपस्थापितम् प्रकृष्टज्ञानवद्रूपं द्वितीयमर्थमादाय 'शयितः प्रकृष्टज्ञानवदभिन्नः' इत्यन्वयबोधो जायते। विरुद्धमर्थमादायान्वयबोधो न भवति। इत्थञ्चापिशब्दसत्त्वे विरोधस्य शाब्दत्वं सिद्धम्। उक्तरीत्या जायमानो विरोधबोधो यद्यपि निवृत्त्युन्मुखोऽत एव शिथिलमूलस्तथापि कविवर्णनेच्छाविषयतया चमत्कारहेतुरलङ्कारकोटौ निविष्ट इति।

अत्र विषये ग्रन्थकारः स्वमतमाह—नव्यास्त्विति। स्वास्पदीभूतस्येति। विरोधास्पदीभूतस्येत्यर्थः। बोधान्तरमिति। अविरुद्धार्थमादाय जायमानान्वयबोधापेक्षयाऽन्यं बोधमित्यर्थः। अत एवेति। अविरुद्धार्थबोधकालिकमानसबोधान्तरविषयत्वादेव विरोधस्येति भावः। चमत्कारीति। विरोध इति शेषः। एवञ्च विरोधबोधस्य प्राचीनोक्ता निवृत्तिरयुक्तेति भावः। यद् वक्ष्यति स्वयं ग्रन्थकारोऽपि तस्मात् विरोधधियो नातीव शिथिलमूलत्वम् नापि चात्यन्तिकी निवृत्तिः इति।

ननु विरोधधियो निवृत्तावभ्युपगम्यमानायां का क्षतिरित्यत्राह—नहीति। निःशेषतया विरोधधियो निवृत्तौ तस्या अविद्यमानायाश्चमत्कारित्वमयुक्तमिति भावः। ननु तस्याश्चमत्काराजनकत्वे का हानिरिति चेत्तत्राह—न चान्तरेणेति। अस्मिन्मते 'सुप्तः जागरिताभिन्नप्रकृष्टज्ञानवदभिन्नः' इत्यादिरीत्या बोधः 'भेदेऽपि श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसायः' इति नीतिसमर्थितः प्रथमम् जायते, ततः "सुप्तत्वजागरितत्वे मिथो विरुद्धे" इति बोधान्तरं मानसमपि समुत्पद्यते। एवञ्च 'विरोधः शाब्दः' इति व्यवहारोऽक्षतः, मानसविरोधबोधेऽपि शब्दस्य सहायतयाऽपेक्षणादिति बोध्यम्।

नागेशस्तु "'सुप्तोऽपि प्रबुद्ध' इत्यादौ समानाधिकरणविभक्त्यर्थयोरभेदः। अपिशब्देन च समभिव्याहृतैकपदार्थतावच्छेदकविरुद्धत्वमपरपदार्थतावच्छेदके द्योत्यते। तत्र गमकद्वयसत्त्वात् प्रकरणादेर्नियामकस्याभावाच्चार्थद्वयमपि युगपदवभासते। तत्राभेदस्य मुख्यवाक्यार्थत्वात्तद्योग्यार्थस्य विरुद्धार्थश्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसायेन विशेषणत्वं विरुद्धार्थस्य तत्रेति युक्तम्। एवञ्च स्वापविरुद्धजागरणाभिन्नविशिष्टज्ञानाश्रय इति बोधः। यत्र त्वपिशब्दाभावस्तत्र प्रथमतः शाब्दान्वयबोधे जाते सहृदयतावशाद् द्वितीयार्थोपस्थितौ विरुद्धाद्युद्बोधकसहकृतैकसंबन्धिज्ञानविधया विरोधोपस्थितौ व्यञ्जनयैव तादृशबोधः। अत एवापिशब्दाभावे विरोधो व्यङ्ग्य इत्याहुः। विरोधस्याभासत्वं चाहार्यबोधविषयत्वात्कार्यनिष्पादकत्वाभावेन।" इति रमणीयमभिधत्ते।

अब विरोधाभास के विषय में एक विशिष्ट विचार किया जाता है—इदं तु इत्यादि।

विरोधाभास के सम्बन्ध में यह समझना चाहिए कि—'जहाँ विरोध का द्योतक 'अपि' आदि शब्द रहता है वहाँ विरोध शाब्द कहलाता है और अन्यत्र—अर्थात् 'अपि' आदि विरोधद्योतक शब्द के नहीं रहने पर वह (विरोध) आर्थ कहलाता है'—यह प्राचीनों का सिद्धान्त है।

यहाँ 'शाब्द' पद से यदि यह अर्थ लिया जाय कि 'जो शब्दकरणक-अर्थात् शब्द द्वारा होने वाली-प्रतीति का विषय हो (जिसकी प्रतीति शब्द के द्वारा हो)', तो यह बात विरोध के विषय में घटित नहीं होती-अर्थात् 'अपि' शब्द के रहने पर भी सर्वत्र विरोध की प्रतीति शब्द के द्वारा नहीं होती। आप पूछ सकते हैं कि कहाँ 'अपि' शब्द के रहने पर भी विरोध की प्रतीति शब्द द्वारा नहीं होती? तो लीजिए—'त्रयोऽप्यत्रयः (तीन तीन से भिन्न हैं+तीनों ही अत्रिवंशीय हैं)' इत्यादि स्थलों पर विरोध की प्रतीति शब्द द्वारा नहीं होती-अर्थात् यहाँ नियमतः शब्द द्वारा प्रतीति होने वाले विशेषण, विशेष्य और उन दोनों के संबन्ध इन तीनों में से किसी के अन्दर विरोध समाविष्ट नहीं होता।

स्पष्ट तात्पर्य यह है कि 'बालकोऽपि पुराणपुरुषः' इत्यादि शुद्ध विरोधोदाहरणों में 'पुराणपुरुष' आदि शब्द के एकमात्र विरुद्ध अर्थ को लेकर ही अन्वयबोध होता है, अतः वहाँ विरोध शाब्द कहला सकता है-अर्थात् वहाँ होने वाले बालक बालकत्व से विरुद्ध पुराणपुरुषत्व वाले से अभिन्न है' इस बोध के अन्तर्गत विशेषणांश में विरोध समाविष्ट होता है, पर 'त्रयोऽप्यत्रयः' इत्यादि श्लेषमूलक विरोधोदाहरणों में तो द्व्यर्थक 'अत्रि' पद के 'अत्रिकुलोत्पन्न' रूप अविरुद्ध अर्थ के साथ ही अन्वय-बोध होता है, 'त्रित्वसंख्याविशिष्ट से भिन्न' इस विरुद्ध अर्थ के साथ नहीं, अतः यहाँ के 'तीनों अत्रिकुलोत्पन्न से अभिन्न' इस बोध के अन्तर्गत विशेषण विशेष्य और संबन्ध में समाविष्ट नहीं होने के कारण विरोध को शाब्द नहीं कहा जा सकता है।

यहाँ एक शङ्का यह उठ सकती है कि 'हितकृदप्यहितकृत्' इत्यादि भी तो श्लेष-मूलक विरोध के ही उदाहरण हैं, जो पहले दिखलाए जा चुके हैं, फिर उन उदाहरणों को छोड़कर 'त्रयोऽप्यत्रयः' यह नवीन श्लेषमूलक उदाहरण को दिखलाया गया?

तो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि 'मित्रों के हितों को करने वाला और अमित्रों (शत्रुओं) के अहितों (अनिष्टों) को करनेवाला' इस तरह से जिसका समाधान किया जा सकता है वह शुद्ध विरोध भी 'हितकृदप्यहितकृत्' इत्यादि स्थल में माना जा सकता है और तब वहाँ विरोध का शाब्दत्व बन जाता है, अतः 'त्रयोऽप्यत्रयः' यह ऐसा उदाहरण खोज कर लाया गया है, जहाँ श्लेषमूलक ही विरोध हो सकता है, शुद्ध नहीं।

अब यदि यहाँ यह कहा जाय कि शुद्ध विरोध स्थल में 'तदधिकरणावृत्तित्व-अर्थात् उसके अधिकरण में अवर्तमानता' रूप विरोध शब्द द्वारा प्रतीत होने के कारण शाब्द होता है, श्लेषमूलक विरोधस्थल ('त्रयोऽप्यत्रयः' इत्यादि) में अविरुद्ध द्वितीय अर्थ के साथ अन्वय-बोध होने से वह (तदधिकरणावृत्तित्व) विरोध शाब्द नहीं हो सकता यह बात ठीक है, पर 'तदधिकरणावृत्तित्व' के समान 'तत्प्रतियोगिकत्व' भी विरोध है और वह 'त्रयोऽप्यत्रयः' इस उदाहरण में भी शाब्द हो सकता है क्योंकि यहाँ 'तीन-तीन से भिन्न' यह अर्थ अनभिमत होने पर भी शब्द-स्वारस्य से भासित अवश्य होता है, और इस अर्थ के शास्त्र शैली-सिद्ध 'त्रित्वसंख्याविशिष्ट त्रित्वसंख्यात्रिशिष्ट-प्रतियोगिक भेद से युक्त' इस तरह के बोध में 'अत्रि' पदगत नञर्थ और उत्तरपदार्थ (त्रि) के संसर्ग रूप से भासित होनेवाली प्रतियोगिता के अन्दर विरोध का समावेश हो जाता है, तो यह भी ठीक नहीं। कारण, 'त्रयोऽप्यत्रयः' इस नञ्घटित उदाहरण में भले ही प्रतियोगित्व को विरोध मान कर संबन्ध में समाविष्ट कर लिया जाय और उसे शाब्द सिद्ध कर दिया जाय, पर 'सुप्तोऽपि प्रबुद्धः-(सोया हुआ भी जगा हुआ—सोया हुआ भी

प्रकृष्ट ज्ञान वाला) इस श्लेषमूलक विरोधोदाहरण में विरोध का शब्द-भास्य विशेषणादिकों में समावेश नहीं होने से शाब्दत्व सिद्ध नहीं होता। तात्पर्य यह कि इस उदाहरण में 'नञ्' का श्लेष नहीं है, अतः प्रतियोगित्व के भान की कोई संभावना ही नहीं है। फलतः 'प्रतियोगित्व' को विरोध मानने से कोई लाभ नहीं हुआ। 'तदधिकरणावृत्तित्व' रूप विरोध यहाँ शाब्द हो नहीं सकता है, क्योंकि वह तब हो सकता था यदि 'सुप्तोऽपि प्रबुद्धः' इस वाक्यखण्ड से 'सोया हुआ, सुप्तत्व से विरुद्ध (सुप्तत्वाधिकरण में अवृत्ति) जो प्रबुद्धत्व, तद्वत् (तद्युक्त) से अभिन्न है' ऐसा शाब्दबोध होता। यद्यपि ऐसा बोध उक्त वाक्य-खण्डघटक शब्दों में रहने वाली अभिधा से नहीं प्राप्त है, क्योंकि विरोधरूप अर्थ-निरूपित अभिधा किसी पद में नहीं है, तथापि लक्षणा मान कर उक्त बोध हो सकता था, पर लक्षणा तब मानी जाती यदि वैसा बोध अनुभवसिद्ध होता और जब वैसा बोध अनुभवसिद्ध नहीं है, तब उसके लिए लक्षणा आदि की कल्पना नहीं की जा सकती है।

अन्ततः "—'अपि' आदि शब्द के रहने पर विरोध शाब्द होता है" यह उक्ति कैसे संगत होती है यह शङ्का बनी रही।

अब इसके उत्तर में प्राचीन आचार्य जो कुछ कहते हैं उसका सारांश यह है कि 'सुप्तोऽपि प्रबुद्धः' 'त्रयोऽप्यत्रयः' इत्यादि उदाहरणों में 'सुप्त' तथा 'प्रबुद्ध' इन दो पदों से प्रथमतः—'शयितत्व (सोया हुआ होना)' और 'जागरितत्व' (जगा हुआ होना)' इन दो धर्मों की उपस्थिति (स्मृति) होने पर उन दोनों धर्मों में रहनेवाले परस्पर के विरोध (एकाधिकरणावृत्तित्व) की भी स्मृति हो जाती है, क्योंकि 'एक संबन्धी का ज्ञान दूसरे संबन्धी का स्मारक होता है' इस नियम के अनुसार 'आश्रयता' संबन्ध से संबन्धी 'शयितत्व' आदि के स्मरण से दूसरे संबन्धी विरोध का स्मरण न्यायप्राप्त है। यद्यपि यहाँ यह कहा जा सकता है कि विभिन्न संबन्धों से 'शयितत्व' आदि के अन्य संबन्धी भी हैं, उन्हीं का स्मरण क्यों नहीं होगा? तो इसके उत्तर में यह कहा जायगा कि 'अपि' शब्द 'विरोध' रूप अपर संबन्धी के ही स्मरण होने में सहायक है।

इस तरह से जब 'शयितत्व और जागरितत्व' दो धर्मों की तथा उन दोनों में रहनेवाले विरोध की स्मृति हो जाती है तब प्रश्न उठता है कि अब बोध पहले किस स्मृति के आधार पर होगा? धर्म की उपस्थिति के आधार पर? अथवा विरोध की उपस्थिति के आधार पर?

इसका उत्तर स्पष्ट है कि प्रतिबन्धकीभूत ज्ञान की सामग्री प्रबल होती है, अतः पहले विरोधोपस्थिति के आधार पर 'ये दोनों धर्म (शयितत्व और जागरितत्व) परस्पर-विरुद्ध हैं' इस तरह का विरोध-विषयक बोध ही पहले होगा। यह बोध यद्यपि आभिधिक नहीं, अपितु मानस अथवा वैयञ्जनिक होगा, तथापि उससे कुछ लेना-देना नहीं, किसी तरह का बोध होगा इतना ही पर्याप्त है।

इसके बाद इसी विरोध-बोध से प्रतिबद्ध हो जाने के कारण 'सोया हुआ जगे हुए से अभिन्न है' इस प्रकार का अभेद-बोधक नहीं उत्पन्न हो सकेगा।

फिर 'प्रबुद्ध' पदगत द्वितीय अभिधा शक्ति से स्मारित द्वितीय अर्थ (प्रकृष्ट-ज्ञानयुक्त) को लेकर अन्वयबोध—(सोया हुआ प्रकृष्टज्ञानयुक्त से अभिन्न है इस तरह का) होता है। फलतः यह सिद्ध हुआ कि ऐसे स्थलों पर उपस्थित होने पर भी विरुद्ध अर्थ को लेकर अन्वयबोध नहीं होता है।

इस तरह से यद्यपि विरोध-ज्ञान का मूल शिथिल पड़ जाता है और अतएव विरोध-ज्ञान निवर्तमान रहता है तथापि कवि का प्रयास इस विरोध की स्फूर्ति में जिस लिए हुआ रहता है, इस लिए वह (विरोध-ज्ञान) चमत्कार का कारण होता है।

नवीन विद्वानों का कथन है कि—'जब तक दो अर्थों का प्रादुर्भाव नहीं होगा तब तक विरोधाभास ही नहीं हो सकता और उन दोनों अर्थों में से एक अर्थ विरोध को उल्लसित करता है तथा दूसरा अर्थ अन्वय-बोध का विषय होता है यह सब बातें सत्य हैं, पर जो दूसरा अर्थ अन्वय-बोध का विषय होता है उसमें विरोध को उल्लसित करनेवाला पहला अर्थ भी अभिन्न रूप से भासित होता है, क्योंकि भेद होने पर भी श्लेष के आधार पर अभेद का अध्यवसाय (एक प्रकार का आरोप) होता है' यह रीति पहले ही मानी जा चुकी है। फलतः 'सुप्तोऽपि प्रबुद्धः' इत्यादि उदाहरणों में 'सोया हुआ जन, जगे हुए से अभिन्न प्रकृष्टज्ञानाश्रय से अभिन्न है' ऐसा ही बोध होता है।

इस तरह अविरुद्ध दूसरे अर्थ को लेकर अन्वयबोध होने पर भी विरोध का आधारभूत विरोधी अर्थ निःशेष रूप से निवृत्त नहीं होता, अतः विरोध भी साँस लेते हुए अधमरे के समान एक भिन्न ढङ्ग के (मानस) का विषय हो जाता है। अत एव उसे चमत्कारजनक कहा जाता है।

प्राचीनों के कथनानुसार यदि वह सर्वथा निवृत्त हो जाता तो चमत्कारी नहीं कहला सकता, क्योंकि जो सर्वथा निवृत्त हो जायगा—रहेगा ही नहीं वह चमत्कार को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता है और जो चमत्कार-जनक नहीं होगा उसकी गणना अलङ्कार तत्त्व में हो नहीं सकती है।

अतः यह समझना चाहिए कि विरोधाभास स्थल में विरोध-ज्ञान का मूल सर्वथा शिथिल नहीं होता और विरोध की आत्यन्तिक निवृत्ति भी नहीं होनी है।'

यहाँ नागेश का कथन है कि "–'सुप्तोऽपि प्रबुद्धः' इत्यादि स्थलों पर समानाधिकरण विभक्तियों (दोनों प्रथमाओं) के अर्थों (प्रातिपदिकार्थों) का अभेद संबन्ध है और 'अपि' शब्द के द्वारा द्वितीय पदार्थतावच्छेदक (प्रबुद्धत्व) में प्रथम पदार्थतावच्छेदक (सुप्तत्व) का विरोध द्योतित किया जाता है। ऐसी स्थिति में दो गमक (अभेद और विरोध) होने से और प्रकरण आदि नियामक के अभाव से 'प्रबुद्ध' पद के दोनों अर्थ (जागरितत्व और प्रकृष्टज्ञानाश्रयत्व) एक साथ प्रतीत होते हैं। उनमें से अभेदवाला अर्थ मुख्य है, अतः श्लेष के आधार पर होने वाले विरुद्धार्थ के साथ अभेदाध्यवसाय द्वारा वह (अभेदवाला अविरोधी अर्थ) प्रतीत वाक्यार्थ में विशेष्य होता है और विरुद्ध अर्थ होता है उस में विशेषण–यही उचित है।

इस तरह (सुप्तोऽपि प्रबुद्धः) इस वाक्य की 'स्वाप से विरुद्ध जो जागरण उससे अभिन्न जो विशिष्ट ज्ञान उस का आश्रय' ऐसा बोध होता है।

किन्तु जहाँ 'अपि' शब्द का अभाव हो वहाँ प्रथमतः शाब्द अन्वय-बोध हो जाने के बाद सहृदयतावश द्वितीय अर्थ की उपस्थिति होने पर विरह आदि उद्बोधक की सहायता से 'एक संबन्धी का ज्ञान अपर संबन्धी का स्मारक होता है' इस नियम के द्वारा विरोध की उपस्थिति होनेपर व्यञ्जना के द्वारा ही वैसा बोध होता है, अतएव कहा जाता है कि 'अपि' शब्द के अभाव में विरोध व्यङ्ग्य होता है।"

पुनरपरथा विरोधस्य शाब्दत्वमाक्षिप्य समाधत्ते—

ननु अपिशब्दादीनां प्रयोगे शाब्दो विरोधो भासत इति तथाप्यसंगतम्।

निपातानां शाब्दिकनये शक्तेरस्वीकारादिति चेत्, न। निरूढलक्षणाया इव निरूढद्योतनाया अपि शक्तिसमकक्षत्वात्।

तथापीति। उक्तरीत्या विरोधबोधसमर्थनेऽपीति भावः। अस्वीकारादिति। 'निपातानां द्योतकत्वम्, न वाचकत्वम्' इति शाब्दिकसिद्धान्तादिति भावः। समाधत्ते—निरूढलक्षणाया इति। अयं भावः—वैयाकरणाः 'कलिङ्गः साहसिकः' इत्यादौ निरूढां लक्षणां शक्तिसमकक्षतया यथा अप्रसिद्धशक्तिभेदरूपामेव मन्यन्ते तथैव तैः 'बालकोऽपि पुराणपुरुषः' 'त्रयोऽप्यत्रयः' इत्यादावपि शब्दगता निरूढद्योतनाऽपि शक्तिसमकक्षतया शक्तिप्रभेदेष्वेव परिगणनीयाऽऽकामेनापि इति।

पुनः अन्य युक्ति से विरोध की शाब्दता पर आक्षेप करके उसका समाधान किया जाता है—ननु इत्यादि।

यदि कहा जाय कि उक्त रीति से "अपि' शब्द के प्रयोग में विरोध का बोध होता है" इस बात का समर्थन कर देने पर भी "-'अपि' शब्द के प्रयोग में शाब्द विरोध भासित होता है" यह कथन संगत नहीं होता, क्योंकि वैयाकरणों के सिद्धान्त में 'निपातों में शक्ति (वाचकता) स्वीकृत नहीं की गई है और 'अपि' भी एक निपात है, अतः उस में विरोध की वाचकता नहीं हो सकती है, तो इसके समाधान में यह कहा जाता है कि 'जैसे वैयाकरण लोग निरूढा लक्षणा को अतिरिक्त वृत्ति नहीं मानते, अपि तु शक्ति-समकक्ष होने के कारण शक्ति का ही एक प्रभेद मान लेते हैं, उसी तरह उन्हें निरूढ-द्योतना को भी शक्ति-समकक्ष होने के कारण शक्तिप्रभेदान्तर्गत ही मानना पड़ेगा। अतः 'अपि' शब्द के प्रयोग में शाब्द विरोध भासित होता है' इस कथन में किसी तरह की असंगति नहीं होती है।

जात्यादिना प्राकृतेषु विरोधालङ्कारभेदेषु शङ्कामेकां विधाय तत्समाधानमाह—

अथ जात्योर्द्रव्ययोश्च विरोधालङ्कारो न भवितुमीष्टे। 'कुसमानि शराश्चन्द्रो वाडवो दुःखिते हृदि' इत्यादावारोपमूलस्य रूपकस्यैवोल्लासात्। यदि 'च' सत्यप्यारोपे विरोधाभास उच्यते, उच्यतां तर्हि 'मुखं चन्द्रः' इत्यत्रापि स एव। न च रूपकविषयस्य सर्वस्यापि विरोधेनाक्रान्तत्वान्निर्विषयत्वापत्त्या स्वविषये रूपकं विरोधस्य गुणादौ सावकाशस्यापवाद इति वाच्यम्। 'कुसुमानि शराः' 'मृणालवलयादि दवदहनराशिः', 'चन्द्रो वाडवः', 'शंकरचूडापगा कालिन्दी' इत्यादौ त्वदभीष्टविरोधस्यासिद्धिप्रसङ्गादिति चेत्, सत्यम्। इह हि अलङ्कारवर्गे यो यत्र सहृदयचमत्कृतिपथमवतरति स एव तत्रालङ्कार इति निर्विवादम्। एवं च रूपके 'मुखं चन्द्रः' इत्यादौ यद्यप्यस्ति विरोधस्तथापि न स तत्र प्रतिपिपादयिषितः। अपि तु चन्द्रनिष्ठाह्लादकत्वादिसकलगुणानां मुखे प्रतिपत्त्यर्थं चन्द्राभेद एवेति स चमत्कारी, न विरोधः। प्रत्युत सन्नपि विरोधो विवक्षितार्थाननुगुणत्वात्दूषित इति नालङ्कारः, विद्यमानताया अकिञ्चित्करत्वात्। 'कुसुमानि शराः' इत्यादौ तु विरहिण्यादीनामवस्थाया अत्यद्भुतत्वस्य विवक्षितत्वात्तदानुगुण्यायान्तर्गर्भितोऽप्यार्थो विरोधः समुल्लसतीति स एवालङ्कारः। न चैवमपि रूपकस्थले विरोधोऽविवक्षितत्वान्मा नामाभूदलङ्कारः, विरोधस्थले

तु 'कुसुमानि शराः' इत्यादौ विरोधोत्थापनार्थमभेदस्यावश्यं विवक्षणीयत्वाद्रूपकापत्तिरिति वाच्यम्। विरोधविवक्षानालिङ्गितत्वस्य रूपकलक्षणे निवेश्यत्वात्।

यद्वा अभेदस्यात्र विरोधोत्थापनार्थमुपात्तस्याचमत्कारित्वाद्रूपकालङ्कारत्वमयुक्तम्। तत्तदलङ्कारलक्षणेषु अलङ्कारसामान्यलक्षणे वा चमत्कारित्वस्योक्तत्वात्। यदि तु विरहिण्याद्यवस्थाया अत्यद्भुतत्वादि न विवक्षितमप्यर्थश्च न गर्भीकृतः, किं तु पीडाजनकत्व-श्यामत्वाद्यतिशयमात्रं विवक्ष्यते, तदात्र रूपकमेव। यदि वा नगरविशेषस्थितेरद्भुतत्वविवक्षया यत्र हि नारीणां मुखं चन्द्र इत्युच्यते, तदा विरोधाभास एवेति ध्येयम्।

द्रव्ययोश्चेति। एतेन गुणयोः क्रिययोश्च विरोधालङ्कारो भवितुमर्हतीति सूचितम्। जात्योर्द्रव्ययोश्च स कुतो न भवितुमर्हतीत्यत्रोदाहरणप्रदर्शनपुरस्सरं हेतुमुपदर्शयति—कुसुमानि शरा इति। दुःखमये मनसि पुष्पाणि बाणाः, चन्द्रश्च वडवानलः प्रतीयत इत्युदाहरणार्थः। अत्र कुसुमत्व-शरत्वजात्योश्चन्द्रवडवानलयोश्च द्रव्ययोर्विरोधः। समाधानञ्च तद्वत्पीडाजनकत्वेन तथानुभवादिति बोध्यम्। आरोपमूलस्येति। कुसुमचन्द्ररूपयोरुपमेययोः क्रमशः शरवडवानलरूपोपमानाभेदारोपो मूलं यस्य तस्येत्यर्थः। एवेति। एतेन विरोधाभासो व्यावर्त्यते। आरोपे सत्यपि विरोधस्वीकारे का हानिरित्यत आह—यदि चेति। इत्यत्रापीति। सर्वसम्मते रूपकोदाहरणे इति भावः। स एवेति। विरोधाभासालङ्कार एवेत्यर्थः। न तु रूपकमिति। परिशेषार्थः। 'मुखं चन्द्रः' इत्यादौ रूपकं समर्थयन्नाशंकते—न च रूपकविषयस्येति। सावकाशस्येति। 'कोमलाः शीतला अपि खलानामुक्तयः साधूनां हृदयं छिन्दन्ति दहन्ति च' इत्यादावारोपाभावेन रूपकाप्रसक्तौ विरोधस्य सावकाशत्वं बोध्यम्। रूपकस्य सर्वेषु लक्ष्येषु विरोधाभासस्य प्रसक्तिरस्तीति तत्र यदि विरोधाभासः स्वीकृतः स्यात्तदा रूपकस्याचारितार्थ्यापत्तिः, अतो रूपकं निरवकाशम्, विरोधाभासस्तु गुणक्रियास्थले रूपकप्राप्त्ययोग्ये चरितार्थः, तथा च स्वविषये रूपकमपवादभूतं विरोधाभासस्य बाधकं भवेदिति न 'मुखं चन्द्रः' इत्यादौ विरोधाभासापत्तिप्रसङ्ग इति शंकार्थः। समाधत्ते-'कुसुमानि शराः' इत्यादि। एतानि विरोधाभासोदाहरणानि, तत्र प्रथममुदाहरणद्वयम् जातिद्वयविरोधस्य चरममुदाहरणद्वयञ्च द्रव्यद्वयविरोधस्येति विवेकः।

उक्तरीत्या बाध्यबाधकभावमुपवर्ण्य 'मुखं चन्द्रः' इत्यादौ रूपकसिद्धिसमर्थने तुल्ययुक्त्या तत्र सर्वत्र रूपकमेव स्याद् यत्रालंकारिकैर्जात्योर्द्रव्ययोर्वा विरोधाभास आस्थीयते, रूपकप्राप्तियोग्यत्वात्तथा च 'कुसुमानि शराः' 'मृणालवलयादि दवदहनराशिः' इत्यादिषु रूपकस्य प्रसक्त्या सकलाभिमतविरोधाभासालंकारस्य सिद्धिर्न स्यादिति भावः। एवञ्च मूलशंकां स्वीकुर्वन्नाह—सत्यमिति। जात्योर्द्रव्ययोश्च विरोधालंकारो न भवितुमीष्टे इति शंका युक्तेत्यर्थः। सिद्धान्तभूतं समाधानमाह—इह हीति, चन्द्राभेद एवेति। प्रतिपिपादयिषित इति पूर्वेणानुषङ्गः। स इति। चन्द्राभेद इत्यर्थः। विरोधश्चमत्कारी नास्तीत्येव न, अपि तु चमत्कारप्रतिबन्धक इत्याह—प्रत्युतेति। 'मुखं चन्द्रः' इत्यादौ चन्द्रगतगुणानां मुखे प्रतीत्यर्थम् चन्द्रमुखयोरभेदो विवक्षितार्थस्तत्प्रतिकूलश्च विरोधः, विरोधे विज्ञाते चन्द्रगतगुणानां मुखेऽप्रतीतेरिति भावः। ननु तत्र विरोधस्य सत्ताऽपलपितु-

मशक्येति चेत्? सत्यम्, परन्तु न कस्यापि पदार्थस्य सत्तामात्रमलंकारत्वप्रयोजकम्, अपि तु कविविवक्षाविषयत्वम् अतस्तत्र विरोधस्य सत्ताऽकिञ्चित्करैवेत्येतदाह—विद्यमानताया इति। ननु विरोधोदाहरणेषु विरोधस्य विवक्षितत्वे का युक्तिरित्यत आह—'कुसुमानि शराः' इत्यादौ त्विति। तदानुगुण्यायेति। विवक्षितविरहिण्याद्यवस्थाद्भुतत्वानुकूलत्वार्थमित्यर्थः, अन्तर्गर्भितोप्यार्थ इति। अप्यादिशब्दाभावादिति भावः। स एवालंकार इति। न रूपकमिति भावः। तथाप्यनुपपत्तिमाशंकते—न चैवमपीति। समाधत्ते—विरोधविवक्षानालिङ्गितेति। उपमेये उपमानाभेदारोपो विरोधविवक्षानालिङ्गितो रूपकमिति लक्षणं रूपकस्य विधेयमिति भावः।

तदनिवेशजलाघवादाह—यद्वेति। विरोधोदाहरणेषु विवक्षितोऽप्यभेद उपायभूत उपेयस्तु विरोध एवेति स एव चमत्कारी, नोपायभूतोऽभेद इति रूपकस्याप्रसक्तिरिति भावः। अलंकारजगति कविविवक्षायाः प्राधान्यमुपदर्शयन्नाह—यदि त्विति, पीडाजनकत्वेति। 'कुसुमानि शराः' इत्यादौ कुसुमादीनां पीडाजनकत्वस्य, 'शंकरचूडापगाकालिन्दो' इत्यादौ गङ्गायाः श्यामत्वस्यातिशयमात्रम् विवक्षितम् न विरहिण्याद्यवस्थाद्भुतत्वादिकम् तदा तत्रापि रूपकमेव न विरोधाभास इति भावः। तुल्ययुक्त्या आह—यदि वेति। अद्भुतस्य नगरविशेषस्य स्थितिरित्येतावन्मात्रार्थप्रतिपादनाय यदि नारीणां 'मुखं चन्द्रः' इति प्रयुज्येत तदा तत्र विरोधाभासालंकार एव, न रूपकम् एवञ्च कविविवक्षैवालंकारविशेषव्यवहारहेतुरिति परमार्थः।

जाति आदि के आधार पर जो विरोधाभास अलङ्कार के भेद पहले किए गए हैं उनके विषय में आशङ्का करके उसका समाधान किया जाता है—अथ इत्यादि।

यहाँ यह शङ्का की जा सकती है कि जाति का जाति के साथ और द्रव्य का द्रव्य के साथ विरोधालङ्कार नहीं हो सकता, क्योंकि इसके उदाहरण 'कुसुमानि अर्थात् हृदय दुःखमय रहने पर पुष्प बाण हो जाते हैं और चन्द्रमा बडवानल' इत्यादि में (यहाँ 'पुष्प बाण' यह दो जातियों के विरोध का और 'चन्द्रमा वडवानल' यह दो द्रव्यों के विरोध का उदाहरण है, ऐसा समझना चाहिए) आरोपमूलक रूपक अलङ्कार का ही उल्लास होता है, विरोध का नहीं। तात्पर्य यह कि यहाँ पुष्प में बाण का अभेद तथा चन्द्रमा में बडवानल का अभेद आरोपित हुआ है यह बात जब स्पष्ट है, तब इन्हें रूपक कहना ही उचित है, क्योंकि उपमेय में उपमान का अभेदारोप ही रूपक कहलाता है।

और यदि उपमेय में उपमान का आरोप होने पर भी विरोधाभास कहा जाय, तब 'मुखं चन्द्रः–मुख चन्द्र है' इत्यादिक, जो रूपक के प्रसिद्ध उदाहरण है, में भी विरोधाभास ही कहिए।

इसका उत्तर यदि यह कह कर देना चाहें कि रूपक के सभी लक्ष्य विरोध से आक्रान्त हैं–अर्थात् रूपक का कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं जिसमें विरोधाभास का लक्षण संघटित नहीं होता हो, ऐसी स्थिति में यदि सर्वत्र विरोधाभास ही माना जाय तब रूपक निर्विषय हो जायगा–अर्थात् उसकी चरितार्थता कहीं नहीं हो सकेगी और विरोधाभास गुण–आदि में चरितार्थ है–अर्थात् 'कोमल तथा शीतल भी खल जनों की उक्तियाँ साधुओं के हृदय को छेदती और जलाती हैं' इत्यादि में आरोप की बात नहीं होने से रूपक प्राप्त नहीं होता और विरोधाभास होता है, अतः अपवादभूत रूपक अपने विषय में

विरोधाभास को बाधित कर लेगा, फलतः 'मुख चन्द्र है' इत्यादिक में रूपक की मान्यता युक्तिसंगत हो जाती है, तो यह भी ठीक नहीं। कारण, उक्त युक्ति से 'मुखं चन्द्रः' इत्यादि रूपकोदाहरणों में विरोधालङ्कार की आपत्ति भले ही वारित हो जाय पर 'कुसुमानि शराः–पुष्प बाण हैं', 'मृणालवलयादि दवदहनराशिः–मृणालवलय आदि दावानल की राशि है', 'चन्द्रो वाडवः–चन्द्रमा वडवानल है' और 'शङ्करचूडापगा कालिन्दी–शिवजी के शिर पर की नदी (गङ्गा) कालिन्दी है' इत्यादि स्थलों पर आपका अभिमत 'विरोध' सिद्ध न हो सकेगा–अर्थात् इन सब को भी रूपक का ही उदाहरण मानना पड़ेगा।

तो यह सच है–अर्थात् 'जाति का जाति के साथ और द्रव्य का द्रव्य के साथ विरोधालङ्कार नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ रूपक की प्राप्ति है' यह शङ्का अपनी जगह पर ठीक है, किन्तु यह समझना चाहिए कि यहाँ अलङ्कारवर्ग में, जहाँ जो अलङ्कार सहृदयों के चमत्कार के मार्ग में अवतीर्ण होता है वहाँ वही अलङ्कार समझा जाता है, यह निर्विवाद बात है। ऐसी स्थिति में यद्यपि 'मुखं चन्द्रः' इत्यादि रूपक में विरोध है तथापि वहाँ उसका प्रतिपादन करना कवि का अभीष्ट नहीं, अपि तु चन्द्रगत आह्लादकता आदि समस्त गुणों की मुख में प्रतीति कराने के लिए चन्द्रमा का अभेद ही अभीष्ट है, अतः वही चमत्कारी है, विरोध नहीं, प्रत्युत वर्तमान होकर भी विरोध विवक्षित अर्थ की प्रतिकूलता से दूषित है, अतः अलङ्कार नहीं है। विरोध का केवल विद्यमान होना अकिञ्चित्कर है—उससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं।

रही 'कुसुमानि शराः' इत्यादिक की बात। सो ऐसे स्थलों पर तो विरहिणी आदि की अवस्था के अत्यद्भुतत्व का कथन अभीष्ट रहता है, अतः उसकी अनुकूलता के लिए अन्तर्गर्भित होने पर भी अर्थ-प्राप्त विरोध उल्लसित होता है, अतः वही चमत्कारी होने के कारण अलङ्कार है।

अब यदि आप कहें कि इतना होने पर भी रूपक के स्थल में विरोध का कथन अभीष्ट नहीं रहता, अतः वह अलङ्कार नहीं हो सकता तो न हो, किन्तु 'कुसुमानि शराः' इत्यादि में तो विरोधोत्थापन के लिए अभेद को भी विवक्षित मानना ही पड़ेगा और तब वहाँ रूपक ही होने लगेगा तो इसका समाधान यह है कि रूपक के लक्षण में 'विरोध की विवक्षा से युक्त न हो' इतना और बढ़ा देना चाहिए।

अथवा (यदि लक्षण में वृद्धि करने से आप गौरव दोष का अनुभव करें तो), यह समझना चाहिए कि विरोधालङ्कार के उदाहरणों में जो अभेद का ग्रहण होता है वह केवल विरोधोत्थापन के लिए, अतः वह स्वतः चमत्कारी नहीं होता और जब वह अभेद चमत्कारी ही नहीं है तब उसको रूपकालङ्कार मानना अयुक्त है, क्योंकि सभी अलङ्कारों के लक्षणों में अथवा अलङ्कारों के सामान्य लक्षण में 'चमत्कारित्व' का निवेश किया जा चुका है।

एक बात यह भी समझ लेनी चाहिए कि यदि विरहिणी–आदि की अवस्था का 'अत्यद्भुतत्व' आदि बोधनीय न हो और 'अपि' का अर्थ अन्तर्गर्भित न माना जाय, किन्तु 'कुसुमानि शराः' इत्यादिक में पुष्पों की 'पीडाजनकता' और 'शङ्करचूडापगा कालिन्दी' इत्यादिक में गङ्गा की श्यामता आदि का अतिशय मात्र कहना अभीष्ट हो तो वहाँ भी रूपक ही होगा।

इसी तरह किसी नगर की स्थिति की केवल अद्भुतता बोधनीय हो और कहा जाय कि 'जहाँ नारियों का मुख ही चन्द्रमा है' तो वहाँ तब विरोधाभास ही अलंकार

होगा, रूपक नहीं। सारांश यह निकला कि कोई पदार्थ जब चमत्कारजनक होता है तब वह अलंकार होता है और कोई पदार्थ चमत्कारजनक तब होता है जब कवि के द्वारा वह मुख्यरूप से वर्णना का विषय बनाया जाता है।

पुनः शङ्कान्तरमुत्थाप्य समाधत्ते—

ननु 'सुप्तोऽपि 'प्रबुद्धः' इत्यादौ यथैकेनार्थेन विरोधस्योत्थापनमपरेण च निवृत्तिः, एवम् 'गङ्गायां घोषः', 'मञ्चाः क्रोशन्ति', 'कुन्ताः प्रविशन्ति' इत्यादावपि शक्येन तस्योत्थापनं लक्ष्येण च निवृत्तिरिति विरोधाभासप्रसङ्गः। न च दृष्टान्ते विरोधोत्थापक-निवर्तकयोरर्थयोः शक्त्यैवोपस्थितिः, दार्ष्टान्तिके तु पृथग्वृत्त्येति वैलक्षण्यमिति वाच्यम्। सत्यपि वैलक्षण्ये त्वदुक्तविरोधाभास-लक्षणातिप्रसङ्गस्यानिवारणात्। न हि लक्षणे विरोधोत्थापक निवर्तकयोरेकवृत्तिवेद्यत्वमेकजातीयवृत्तिवेद्यत्वं वा विवक्षितम्। तथा सति 'कुसुमानि शराः' इत्यादौ प्राचीनरीत्याऽव्याप्तिप्रसङ्गादिति चेत्, विरोधस्यात्र प्रतिभानेऽपि कविसंरम्भागोचरत्वेनाचमत्कारित्वात्।

एकेनार्थेनेति। जागरितरूपेणैकेन प्रबुद्धपदार्थेनेत्यर्थः। अपरेणेति। प्रकृष्टज्ञानाश्रयरूपेण द्वितीयतदर्थेनेत्यर्थः। शक्येनेति। गङ्गा-मञ्च-कुन्तरूपेणेत्यर्थः। तस्येति। विरोधस्येत्यर्थः। लक्ष्येणेति। गङ्गातट-मञ्चस्थपुरुष-कुन्तधरजनरूपेणेत्यर्थः। 'गङ्गायां घोषः' इत्यादौ विरोधाभासप्रसङ्गाभावमाशङ्क्य पुनस्तं 'समर्थयति—न चेति। दृष्टान्त इति 'सुप्तोऽपि प्रबुद्धः' इत्यादावित्यर्थः। शक्त्यैवेति। प्रबुद्धपदस्यानेकार्थकतया द्वयोरप्यर्थयोः शक्त्यैवोपस्थितिरिति भावः। दार्ष्टान्तिके इति। 'गङ्गायां घोषः' इत्यादावित्यर्थः। पृथग्वृत्त्येति। विरोधोत्थापकस्यार्थस्य शक्त्या तन्निवर्तकस्य चार्थस्य लक्षणयेत्यर्थः।

शब्दभेदे वृत्तिभेदस्य ध्रुवतया शब्दद्वयबोध्ययोरर्थयोरेकवृत्तिवेद्यत्वमसंभवमित्यत आह—एकजातीयवृत्तीति। तथा सतीति, विरोधोत्थापकनिवर्तकयोरर्थयोरेकजातीयवृत्तिवेद्यत्वे विवक्षित इत्यर्थः। प्राचीनरीत्येति। प्राचीनैस्तत्र शरपदस्य शरसदृशे लक्षणायाः स्वीकारेण विरोधनिवर्तकस्यार्थस्य लक्षणात्मकवृत्त्यन्तरवेद्यत्वाद् विरोधाभासलक्षणाव्याप्तिरिति भावः। सिद्धान्तभूतसमाधानमाह—विरोधस्यात्रेति। कविसंरम्भागोचरत्वेनेति। कविबुबोधयिषाविषयत्वविरहेणेत्यर्थः।

एक अन्य शङ्का और उसका समाधान अब किया जाता है—ननु इत्यादि।

'सुप्तोऽपि प्रबुद्धः' इत्यादिक विरोधाभासोदाहरण में जिस तरह एक अर्थ से (प्रबुद्ध पद के जागरितरूप अर्थ से) विरोध का उत्थापन और दूसरे अर्थ से (प्रकृष्ट ज्ञानाश्रयरूप अर्थ से) उसकी निवृत्ति होती है, उसी तरह 'गङ्गायां घोषः', 'मञ्चाः क्रोशन्ति' और 'कुन्ताः प्रविशन्ति' इत्यादि स्थलों पर भी गङ्गा, मञ्च और कुन्त पद के क्रमशः प्रवाहविशेष, मचान और भालारूप शक्यार्थों के द्वारा विरोध का उत्थान और उन्हीं पदों के क्रमशः गङ्गातट, मञ्चस्थ प्राणी और कुन्तधारी पुरुषरूप लक्ष्यार्थों के द्वारा विरोध की निवृत्ति होती है, अतः लक्षणा के इन उदाहरणों में भी विरोधाभास का प्रसङ्ग होगा। यदि इसका उत्तर यह दिया जाय कि दृष्टान्त-अर्थात् 'कुसुमानि शराः' आदि में विरोध के उठाने वाले और निवृत्त करने वाले दोनों अर्थों की उपस्थिति शक्ति (अभिधा)

द्वारा ही होती है, किन्तु दार्ष्टान्तिक ('गङ्गायां घोषः' आदि) में उन दोनों अर्थों की उपस्थिति भिन्न-भिन्न वृत्तियों द्वारा-अर्थात् एक की अभिधा द्वारा और दूसरे की लक्षणा द्वारा होती है-यह विलक्षणता है, अतः यहां विरोधाभास नहीं माना जा सकता। तो यह कोई बात नहीं, क्योंकि विलक्षणता रहने पर भी आप के द्वारा बनाए विरोधाभास-लक्षण की अतिव्याप्ति वारित नहीं होती। कारण, विरोधाभास के लक्षण में यह कहना अभीष्ट नहीं है कि विरोध के उत्थापक और निवर्तक अर्थों की उपस्थिति एक वृत्ति से अथवा एकजातीय वृत्ति से होती हो। यदि ऐसा कहना अभीष्ट माना जाय तब 'कुसुमानि शराः' इत्यादिक में प्राचीनों की रीति से विरोधाभास लक्षण की अव्याप्ति होने लगेगी। अभिप्राय यह कि प्राचीन आचार्य ऐसे स्थलों पर उपमानबोधक पद (शर आदि) की तत्सदृश में लक्षणा ही मानते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ विरोधोत्थापक अर्थ (बाण) की उपस्थिति अभिधा से और विरोधनिवर्तक अर्थ (बाणसदृश) की उपस्थिति लक्षणा से होने के कारण उस लक्षण का संघटन वहाँ नहीं हो सकेगा जिसमें एकजातीय वृत्ति से दोनों अर्थों की उपस्थिति अपेक्षित समझी जायगी। फलतः लक्षणा के उक्त उदाहरणों में विरोधाभास प्रसक्ति के निवारणार्थ कोई दूसरा ही उपाय करना होगा जो यह है कि 'गङ्गायां घोषः' इत्यादिक में विरोध का भाव होने पर भी वह (विरोध) कविसंरम्भ-गोचर-अर्थात् कवि का मुख्यबोधनीय अर्थ नहीं है, अतः उसमें चमत्कारित्व का अभाव है इसीलिए वह अलङ्काररूप नहीं हो सकता है।

कुवलयानन्दमनूद्यावद्यति—

अयं च विरोधालङ्कारः कुवलयानन्दकृता उत्प्रेक्षाशिरस्कोऽप्युदाहृतः। यथा—

'प्रतीपभूपैरिव किं ततो भिया विरुद्धधर्मैरपि भेतृतोज्झिता।
अमित्रजिन्मित्रजिदोजसा स यद्विचारदृक्चारदृगप्यवर्तत ॥' इति।

विरोधप्रतीत्यनन्तरं यत्रार्थान्तरप्रतिपत्त्या विरोधस्य समाधानं तत्र विरोधाभास इष्यते। यथा—'रिपुराजिरसभावभञ्जनोऽप्यरिपुराजिरसभावभञ्जनः'इत्यादौ। इह तूत्प्रेक्षया विरोधसमाधानात्मिकया मुखस्थितया विरोधस्योत्थानमेव-भग्नमिति कथमनुतिष्ठन्नेव विरोधश्चमत्कारमूलमलङ्कारभावं वहेत्।

उत्प्रेक्षाशिरस्क इति। उत्प्रेक्षा शिरसि=अग्रभागे यस्य तादृशः उत्प्रेक्षाप्रधान इति यावत्। 'प्रतीपभूपैरिव—' इति। नैषधीयचरिते राज्ञो नलस्य वर्णनमिदम्। कविः श्रीहर्षः कथयति—ततः नलात्, भिया भयेन, प्रतीपभूपैरिव, विरुद्धधर्मैरपि मिथोऽसमानाधिकरणैः मित्रजयित्वामित्रजयित्वादिभिस्तत्त्वैः, भेतृता भेदकता (छेदनकारिता पृथक्कारिता च), उज्झिता त्यक्ता, किम्? यत् यस्मात्, स नलः, ओजसा प्रतापेन तेजसा च, अमित्रजिदपि शत्रुविजेतापि, मित्रजित् सुहृद्विजेता (अयं विरुद्धोऽर्थः) सूर्यविजेतेति परमार्थः, चारदृगपि चाराः = गुप्तचराः एव दृशः = चक्षूंषि यस्य तादृशोऽपि, विचारदृक् चारचक्षुष्कतारहितः (अयं विरुद्धोऽर्थः) विचारपुरस्सरं द्रष्टेति परमार्थः, अवर्तत अभूदित्यर्थः।

अत्र 'अमित्रजिन्मित्रजित्' 'चारदृक् विचारदृक्' इत्यनयोरंशयोर्वर्तमानस्य विरोधाभासालङ्कारस्य पोषकतया स्थिता 'प्रतीपभूपैरिव—' इत्यंशगतोत्प्रेक्षा प्रधानमिति कुवलयानन्दकाराभिप्रायः। निरसितुमालोचयति—विरोधप्रतीत्येति। 'रिपुराजि—' इति। रिपूणां = शत्रूणां राजिः = समूहः तस्य यौ रसभावौ तयोः भञ्जनः नाशको यो भवेत् स कथम् 'अ-(न)-रिपुराजिरसभावभञ्जनः स्यादिति विरोधः। अरीणाम् पुराणाम् यानि अजिराणि=प्राङ्गणानि तेषु याः सभाः तासाम् अवभञ्जनः इत्यर्थेन अरेः पुराणाम्, अजिराणाम्, सभानाञ्च, अवभञ्जनः, इत्यर्थेन वा समाधानम्। इह त्विति। 'प्रतीपभूपैः—' इति पद्ये त्वित्यर्थः। उत्प्रेक्षयेति। प्रतीपभूपवद्विरुद्धधर्मकर्तृकभेदकतापरित्यागसंभावनात्मिकयेत्यर्थः। विरोधसमाधानेति। अमित्रजयित्व-मित्रजयित्वादिकयोर्विरोधः विरुद्धधर्मकर्तृकविरोधत्यागसंभावनया समाहितो भवतीति भावः। मुखस्थितयेति। प्रारम्भभागगयेत्यर्थः। विरोधसमाधानात्मकोत्प्रेक्षातः प्राक् विरोधः उत्थातुमर्हत्यपि, किन्तु तादृशोत्प्रेक्षातः पश्चान्नैव स उत्थातुमर्हतीति भावः। चमत्कारमूलम्, इति। अलङ्कारभावे चमत्कारो मूलम्, चमत्कारश्च जाग्रतो विरोधस्य संभवति, नाजाग्रत इत्यजाग्रदवस्थो विरोधो नालंकारभावसौभाग्यभाग् भवेदिति भावः। नागेशस्तु "अत्रेदं चिन्त्यम्-प्रतीपभूपैरित्यत्र हि विरुद्धधर्मगततया स्वाश्रयभेदकत्वत्यागोत्प्रेक्षायां विरुद्धतयावभासमानपदार्थानां श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसायेनाविरुद्धतादात्म्यापन्नानां सहवासो निमित्तम्। निमित्तप्रतिपादकं चोत्तरार्धम्। विरोधभानमन्तरेण विरुद्धधर्मैरपीत्याद्युत्प्रेक्षाया अनुत्थानाच्च। एवं च निमित्तांशे विरोधालंकारमुपजीव्यैव विरोधत्यागोत्प्रेक्षा अर्थान्तरानुगृहीता पश्चात्तत्साधनत्वेन स्थितेत्युत्प्रेक्षाङ्गमत्र विरोध इति।" इत्येभिरक्षरैर्मूलं खण्डयति।

कुवलयानन्द का खण्डन किया जाता है—अयं च इत्यादि।

कुवलयानन्दकार ने इस विरोधालङ्कार का ऐसा भी उदाहरण दिखलाया है जिसमें उत्प्रेक्षा की प्रधानता है, जैसे—

'प्रतीपभूपैरिव—'। यह पद्य नैषधीयचरित का है। इसमें राजा नल का वर्णन किया गया है। कवि का कथन है कि क्या उस (नल) के भय से शत्रुभूत राजाओं की तरह विरुद्ध धर्मों ने भी भेदकता (काटना—अपने-अपने आश्रय को दूसरे से पृथक् करना) छोड़ दी है, क्योंकि वह (राजा नल) ओज से अमित्रजेता होकर भी मित्रजेता हुआ। यहाँ अमित्रजयित्व तथा मित्रजयित्व परस्पर विरोधी धर्म हैं वे दोनों धर्म एक में नहीं रह सकते, अर्थात् जो शत्रुओं को जीतने वाला है वह मित्रों को जीतने वाला नहीं हो सकता। इस तरह से विरोध भासित होता है जिसका समाधान इस अर्थ से होता है कि राजा नल ओज=प्रताप से अमित्र-(शत्रु) जेता है और ओज=तेज से मित्र-(सूर्य) जेता है।) और 'चारदृक्' (जासूसों के द्वारा देखने वाला) होकर भी 'विचारदृक्' (चारों के द्वारा न देखने वाला + विचार से देखने वाला) था।

यहाँ "-'अमित्रजित्, मित्रजित्' में और 'चारदृक् विचारदृक्' में विरोधालङ्कार है, पर इस विरोधालङ्कार के मूल में 'मानो विरुद्ध धर्मों ने भी भेदकता का परित्याग कर दिया' इस उत्प्रेक्षा की प्रधानता है।" यह है कुवलयानन्दकार का अभिप्राय। जिसका खण्डन करते हुए ग्रन्थकार का कहना है कि 'जहां विरोध की प्रतीति के अनन्तर अन्य

अर्थ के ज्ञान से विरोध का समाधान होता हो वहाँ विरोधाभास माना जाता है।' जैसे- 'रिपुराजि—' इत्यादि मूलोल्लिखित वाक्य में। इस वाक्य में दो पद हैं, उनमें से 'रिपुराजि-' इस प्रथम पद के 'शत्रुओं की पङ्क्ति के रसों तथा भावों का भङ्ग करनेवाला' इस अर्थ के साथ 'अरिपुराजिर—' इस द्वितीय पद का अर्थ जब पद के आदि अक्षर 'अ' को निषेधार्थक मानकर 'शत्रुओं की पङ्क्ति के रस-भावों का भङ्ग न करने वाला' समझा जाता है तब विरोध होता है और जब उक्त द्वितीय पद का अर्थ 'अरियों के पुर के अजिर (प्राङ्गण) में होने वाली सभा का अवभञ्जन करने वाला' ऐसा समझ लिया जाता है तब विरोध का समाधान होता है।

'प्रतीपभूपैः—'इस पद्य में तो उत्प्रेक्षा, जो पद्य के आरम्भ भाग में ही स्थित है, विरोध-समाधानात्मिका है—अर्थात् उस उत्प्रेक्षा से विरोध का समाधान हो जाता है, तात्पर्य यह कि यहाँ विरुद्ध धर्मों के द्वारा विरोध-त्याग की सम्भावना ही 'मानो विरुद्ध धर्मों ने भेदकता त्याग दी' इस रूप में होने वाली उत्प्रेक्षा है इससे विरोध का समाधान ही हो जाता है—विरोध-त्याग की बात ज्ञात हो जाने पर 'धर्मों में विरोध रहा ही नहीं।' ऐसी उत्प्रेक्षा यदि बाद में की जाय तो उस से पहले विरोध का भान हो भी सकता था, पर यहाँ तो आरम्भ में ही उत्प्रेक्षा आ गई है जिससे विरोध का उत्थान ही भग्न कर दिया गया। फिर जिस विरोध का उत्थान नहीं होता वह चमत्कार कैसे उत्पन्न करेगा और चमत्कार उत्पन्न किए विना अलङ्कार कैसे कहलायगा?

यहाँ कुवलयानन्द के समर्थन में नागेश का कथन है "—'प्रतीपभूपैः—इस पद्य में विरुद्ध धर्मों के द्वारा स्वाश्रयभेदकत्वत्याग (अपने-अपने आश्रय का दूसरे के आश्रय से पृथक्करण के त्याग) की जो संभावना (उत्प्रेक्षा) की गई है उसमें निमित्त है परस्पर विरुद्ध रूप में भासित होने वाले उन पदार्थों (अमित्रजित्व मित्रजित्व आदि) का सहवास—साथ-साथ (एक आधार में) रहना, जो श्लेषमूलक अभेदाध्यवसाय के कारण अविरुद्ध धर्मों के साथ तादात्म्यापन्न हो गए हैं—अर्थात् मित्रजयित्व आदि मित्रपदगत श्लेष के कारण सूर्यजयित्व आदि से अभिन्न बन गए हैं। उसी निमित्त का प्रतिपादन यहां 'अमित्रजिन्मित्रजिदोजसा—' इत्यादि पद्य का उत्तरार्ध करता है।

दूसरी बात यह भी है कि जब तक विरोध का भान नहीं होगा, तब तक उक्त उत्प्रेक्षा उठ ही नहीं सकती है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि यहाँ निमित्त अंश में विरोधालंकार के आधार पर ही अन्य अंशों में अन्य अर्थों से भी समर्थित होने वाली विरोध त्याग की उत्प्रेक्षा हुई है, जो पीछे चल कर विरोध का समाधान करने वाली बन गई है, अतः यहां विरोधालंकार उत्प्रेक्षा का अङ्ग है।"

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे विरोधप्रकरणम्।

रसगङ्गाधरे निबन्धे विरोधाभासालङ्कारप्रकरणं समाप्तं बोध्यम्।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां विरोधप्रकरणम्॥



विभावनालङ्कारनिरूपणं प्रतिजानन्नाह—

अथ विभावना—

विभावनालङ्कारो निरूप्यत्वेनारब्धो वेदितव्य इति भावः ।

विभावना अलङ्कार का निरूपण अब आरब्ध समझना चाहिए ।

तावत्तल्लक्षणमाह—

कारणव्यतिरेकसामानाधिकरण्येन प्रतिपाद्यमाना कार्योत्पत्तिर्विभावना ॥

व्यतिरेकेति । अभावेत्यर्थः । सामानाधिकरण्येनेति । एकाधिकरणवृत्तित्वेनेत्यर्थः । तथा च यस्मिन्नधिकरणे यत्कारणाभावस्तस्मिन्नेवाधिकरणे वर्ण्यमाना तत्कार्योत्पत्तिर्विभावनानामालङ्कार इति भावः ।

सर्वप्रथम विभावना का लक्षण किया जाता है—कारण इत्यादि ।

"जिस अधिकरण (आधारविशेष) में जो कारण रहता है उस अधिकरण में उस कारण का कार्य उत्पन्न होता है" यह नियम है । पर जिस अधिकरण में जो कारण नहीं है उस अधिकरण में यदि उस कारण के कार्य की उत्पत्ति वर्णित हो तब उस कार्योत्पत्ति को विभावना अलङ्कार कहा जाता है । स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति विभावना कहलाती है ।

स्वकृतं विभावनालक्षणं मम्मटोक्तलक्षणेन संवादयति—

तदुक्तम्—'क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिर्विभावना' इति । क्रियाशब्देनात्र कारणं विवक्षितम् ।

प्रतिषेधेऽपीति । अभावेऽपीत्यर्थः । मम्मटकृतलक्षणे क्रियापदं कारणपरमित्याह—क्रियाशब्देनेति । अन्यत् स्फुटम् ।

मम्मटोक्त विभावना लक्षण के साथ स्वकृत लक्षण की समता दिखलाई जाती है—तदुक्तमित्यादि ।

मम्मट ने भी विभावना का लक्षण "क्रिया (कारण) के निषेध (अभाव) रहने पर भी फल के प्रकाशन को विभावना कहा जाता है ।" ऐसा किया है ।

यहाँ 'क्रिया' शब्द से कारण कहना अभीष्ट है ।

लक्षणं विवेचयति—

अत्र कारणव्यतिरेकसामानाधिकरण्येन कार्योत्पत्तौ निबध्यमानायामापाततो विरोधः प्रतिभासमानोऽपि तदितरकारणकल्पनया निवर्तते ।

अत्रेति । विभावनायामित्यर्थः । तदितरेति । प्रतिपाद्यमानव्यतिरेकप्रतियोगिभूतकारणातिरिक्तेत्यर्थः ।

कारणाभावे कार्योत्पत्तिवर्णने यद्यपि विरोधो भासते, तथापि यस्य कारणस्याभावस्तदतिरिक्तकारणस्य कल्पनेन स विरोधो निवृत्तो भवतीति भावः ।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

इस विभावना में कारण का अभाव रहने पर भी जो कार्य की उत्पत्ति वर्णित होती है उसमें यद्यपि आपाततः विरोध भासित होता है-अर्थात् कारण के बिना कार्य का होना ऊपरी तौर पर यद्यपि विरुद्ध प्रतीत होता है, तथापि जिसका अभाव कहा गया रहता है उससे भिन्न कारण की कल्पना द्वारा वह विरोध निवृत्त हो जाता है ।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम् ।

जैसे—

उदाहरणमुल्लिखति—

'विनैव शस्त्रं हृदयानि यूनां विवेकभाजामपि दारयन्त्यः ।
अनन्तमायामयवल्गुलीला जयन्ति नीलाब्जदलायताक्ष्यः ॥'

शस्त्रं विनैव, विवेकभाजामपि सदसद्विचारचतुराणामपि, किमुताविवेकिनाम् , यूनाम् तरुणानाम् , हृदयानि, दारयन्त्यः भिन्दानाः, अनन्ता अपरिमिता या मायास्तन्मय्यः वल्गवः मनोहराः लीला यासां ताः, नीलाब्जदलायताक्ष्यः नीलकमलतुल्यविशालनयनाः रमण्यः, जयन्ति संसारे सर्वोत्कृष्टाः इत्यर्थः ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—विनैव इत्यादि ।

अपरिमित मायामय मनोहर लीलाओं से युक्त नीलकमल-दल के समान विशाल नयनों वाली वे रमणियाँ संसार में सब से उत्कृष्ट हैं, जो शस्त्र के विना ही विवेकयुक्त युवकों के हृदयों को विदीर्ण कर देती हैं ।

उपपादयति—

अत्र हि दारणे शस्त्रं कारणम् । तदभावेऽपि दारणमुपनिबध्यमानमापाततो विरुद्धमपि कामिनीविलासरूपहेतुकतया पर्यवस्यति ।

'विनैव—' इत्यस्मिन् श्लोके दारणकारणशस्त्राभावे वर्ण्यमानं दारणं यद्यपि विरुद्धम् , परन्तु कामिनीविलासानां तत्कारणत्वेन कल्पनयाऽविरुद्धं भवतीति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र हि इत्यादि ।

दारण (काटने) का कारण जो शस्त्र है उसके अभाव में भी किया गया दारण का वर्णन सामान्यतः विरुद्ध प्रतीत होने पर भी कामिनी-विलास हेतुक रूप में पर्यवसित होकर-अर्थात् दारण के कारण रूप में कामिनी-विलासों की कल्पना कर लेने पर विरुद्ध नहीं होता है।

आशंक्य समाधत्ते—

नन्वत्र यस्य कार्यस्योत्पत्तिर्निबध्यते नहि तदीयकारणत्वेनावगतस्य व्यतिरेकः प्रतीयते । यदीयकारणव्यतिरेकश्च प्रतीयते नहि तस्य कार्यस्योत्पत्तिर्निबध्यते । दारणं चेह पीडाविशेषो विवक्षितः, न तु द्विधाभावः, शस्त्रं च न कामपीडायाः कारणम् , अपि तु द्वैधीकरणस्येति चेत् , न ।

मुख्यं हि दारणं द्विधाभावनम् । गौणं च कामादिजनितपीडाविशेषः । तयोर्गौणमुख्ययोर्दारणयोः सादृश्यमूलेनाभेदाध्यवसानरूपेणातिशयेन सति भेदस्थगने, द्विधाभावनकारणमपि शस्त्रं कामपीडाकारणं संपद्यते । तदभावे चात्र कार्याभिन्नतयाध्यवसितस्य पीडाविशेषस्योपनिबन्धनान्न दोषः ।

अत्रेति । 'विनैव-' इत्यत्रेत्यर्थः । यस्य कार्यस्येति । दारणपदप्रतिपाद्यपीडाविशेषस्येत्यर्थः । तदीयेति । पीडाविशेषसंबन्धीत्यर्थः । अवगतस्येति । लोकोत्तरसुन्दरीदर्श-

नादेरिति भावः। यदीयेति। द्वैधीकरणसंबन्धीत्यर्थः। तस्य कार्यस्येति। द्वैधीकरणात्मककार्यस्येत्यर्थः। पूर्वोक्तयत्तत्पदार्थस्फोरणायाह—दारणं चेति। इहेति। 'विनैव—' इति पद्ये इत्यर्थः। पीडाविशेष इति। कामजपीडेत्यर्थः। सादृश्यमूलेनेति। श्लेषमूलेनेत्यपि बोध्यमिति नागेशः। कार्याभिन्नतयेति। शस्त्रकार्यद्विधाभावनाभिन्नतयेत्यर्थः।

'विनैव—' इत्यस्मिन् पद्ये 'दारयन्त्यः' इत्येतत्पदबोध्यमानं दारणं कामपीडारूपमभिमतम्, न द्वैधीकरणरूपम्, असंगतत्वात्। शास्त्रं च न कामपीडाकारणम्, अपि तु द्वैधीकरणकारणम्। तथा च 'कारणाभावे कार्योत्पत्तिरूपा' विभावनाऽत्र न संभवति, यतोऽत्र निबध्यमानपीडाविशेषात्मककार्यकारणस्याभावो न निबद्धः, निबद्धश्च शस्त्रात्मकस्य कारणस्याभावः, परन्तु तत्कार्यद्वैधीकरणं न निबद्धमिति शङ्कादलस्याभिप्रायः।

द्वैधीकरणरूपार्थवाचकस्य दारिधातोरत्र स्ववाच्यसदृशे पीडाविशेषे साध्यवसानालक्षणा। तथा च द्विधाभावनं मुख्यः, कामादिजनितपीडाविशेषश्च गौणो दारणशब्दार्थः। गौणमुख्ययोश्च दारणयोः सादृश्यमूलकोऽभेदाध्यवसायः। अभेदाध्यवसाये च तयोर्भेदो निरस्तो भवति। एवञ्च द्विधाभावनेन सहाभेदमापन्नस्य पीडाविशेषस्य द्विधा भावनहेतुभूतं शस्त्रमपि कारणं संपद्यते। तथा संपद्यमानस्य शस्त्रस्याभावे द्विधाभावनाभिन्नतयाध्यवसितस्य पीडाविशेषात्मककार्यस्यात्र वर्णने प्रोक्तविभावनालक्षणसंगतिरित्युत्तरदलस्याभिप्रायः।

अब उक्त उदाहरण में विभावना हो ही नहीं सकती ऐसी आशङ्का करके उसका समाधान किया जाता है—नन्वत्र इत्यादि।

"यहाँ ('विनैव शस्त्रम्—' इस पद्य में) जिस कार्य की उत्पत्ति वर्णित हुई है उसके कारण रूप में सर्वजन विदित वस्तु का अभाव प्रतीत नहीं होता और जिस कार्य के कारण का अभाव प्रतीत होता है उस कार्य की उत्पत्ति वर्णित नहीं है।

तात्पर्य यह कि यहाँ 'दारयन्त्यः' पद से कामभावजन्य पीडाविशेष रूप दारण का कथन अभीष्ट है, 'दो टुकड़े कर देना' नहीं, फलतः यहाँ कामजनित पीड़ाविशेषरूप कार्य की उत्पत्ति वर्णित है, अब यदि यहाँ उस पीड़ाविशेषरूप कार्य के कारण का अभाव प्रतीत होता रहता तो विभावना होती, परन्तु सो तो है नहीं, क्योंकि यहाँ शस्त्ररूप कारण का अभाव प्रतीत होता है और शस्त्र पीडाविशेषात्मक वर्णित कार्य का कारण नहीं है।" ऐसी शङ्का यदि यहाँ की जाय तो उसका उत्तर यह होगा कि 'दारि' धातु का लाक्षणिक प्रयोग यहाँ हुआ है—अर्थात् 'दो टुकड़े कर देना' रूप अर्थ के वाचक 'दारि' धातु की कामजनित पीड़ाविशेषरूप अर्थ में साध्यवसाना लक्षणा यहाँ हुई है। फलतः यहाँ 'दारण' के 'दो टुकड़े कर देना' और 'कामजनित पीडाविशेष' दोनों अर्थ हैं। हाँ, इतना अन्तर अवश्य है कि 'दो टुकड़े कर देना' मुख्य अर्थ है और 'कामजपीडाविशेष' है गौण। वाच्यार्थ मुख्य और लक्ष्यार्थ गौण होता ही है। इस तरह से यहाँ उक्त गौण तथा मुख्य दारणों में सादृश्यमूलक अभेदाध्यवसान रूप अतिशय के कारण परस्पर का भेद स्थगित हो जाता है—अर्थात् 'दो टुकड़े कर देना' और 'कामभावजन्य पीड़ाविशेष अभिन्न-एक समझ लिए जाते हैं और जब ये दोनों कार्य अभिन्न समझ लिए जाते हैं तब स्वभावतः एक के कारण को दूसरे का भी कारण समझना पड़ता है—अर्थात् शस्त्र को, जो वस्तुतः 'दो टुकड़े कर देने' का कारण था, कामपीडा का भी कारण समझा जाता है। ऐसी स्थिति में शस्त्ररूप कारण के अभाव में जो शास्त्ररूप कारण के

कार्य 'द्विधा भावन' से अभिन्न रूप में समझे गए कामपीडाविशेषरूप का वर्णन किया गया है वह विभावना का लक्षण अवश्य है, अतः कोई दोष यहाँ नहीं आता है।

उक्तशङ्कासमाधानाभ्यां फलितं निष्कर्षमाह—

एवं चास्मिन्नलङ्कारे सर्वत्रापि कार्यांशे अभेदाध्यवसानरूपातिशयोक्तिरनुप्राणकतया स्थिता। तया च पायसादिपिण्डवदेकीकृतस्य वस्तुतः सदृशवस्तुद्वयस्यैकावयवसंम्बन्धिकारणव्यतिरेकसामानाधिकरण्येनापरावयवमादाय पर्यवसानं भवति।

तया चेति। अभेदाध्यवसानरूपयातिशयोक्त्या चेति भावः। पायसादिपिण्डवदिति। पयोनिर्मितं 'खोआ' पदवाच्यं वस्तु सिता चेति सदृशे द्वे वस्तुनी संयोज्य यथैकं पिण्डं विधीयते तथेत्यर्थः। वस्तुतः सदृशवस्तुद्वयस्येति। इदं षष्ठयन्तं पर्यवसानमित्यत्रान्वेति। तत्र सामानाधिकरण्येनेत्यन्तं हेतुः। अयं भावः-कारणाभावः कार्यञ्चेति द्वावंशौ विभावनायां तिष्ठतः, तत्र कार्यांशे नियमतोऽभेदाध्यवसानरूपातिशयोक्तिस्तिष्ठतीति सर्वत्रातिशयोक्तिर्विभावनायाः पोषिकेति पूर्वोक्तसमाधानाभ्यां सिद्धम्। तथा चातिशयोक्त्या यद्यपि कार्यद्वयं पायसादिपिण्डवदेकीक्रियते तथापि पर्यवसानम् सदृशवस्तुद्वयस्यैव वस्तुतो भवति, यतः एकीकृतकार्यद्वयमध्ये एकस्य कार्यस्य यत्कारणम् तदभावाधिकरणेऽपरं कार्यमादीयते–अर्थात् एकीकरणेऽपि द्वयोः पृथग् विज्ञानमपेक्ष्यत एवेति भावः।

उक्त शङ्का-समाधान से निकलनेवाले निष्कर्ष का उल्लेख अब किया जाता है—एवं च इत्यादि।

उक्त शङ्का और उसके समाधान से यह सिद्ध हुआ कि इस विभावना अलङ्कार में सभी जगह कार्य के अंश में अभेदाध्यवसान रूप अतिशयोक्ति अनुप्राणक (पोषक) के रूप में वर्तमान रहती है-अर्थात् कहीं भी ऐसी विभावना नहीं देखी जाती जहाँ कार्यांश में अतिशयोक्ति नहीं हो। तात्पर्य यह समझना चाहिए कि विभावना अलङ्कार के कार्य अंश में दो वस्तुएँ रहती हैं जो दोनों वस्तुएँ अतिशयोक्ति के द्वारा उसी तरह एक बना दी जाती हैं जिस तरह पायस पिण्ड (चीनी तथा खोआ इन दो वस्तुओं से बना एक पेड़ा)। पर इस तरह अतिशयोक्ति के द्वारा एक बना दिए जाने पर भी पाठकों की दृष्टि में पर्यवसान दो समान वस्तुओं का होता है—अर्थात् पाठक विभावना के कार्य अंश में भिन्न पर समान दो वस्तुओं का ही बोध करते हैं, क्योंकि अतिशयोक्ति द्वारा एक बनाए गए दो वस्तुओं के पिण्ड में से एक अवयव-अर्थात् एक वस्तु से संबन्ध रखने वाले कारण के अभाव में उस पिण्ड के अन्तर्गत दूसरे अवयव अर्थात् दूसरी वस्तु का ग्रहण किया जाता है।

उक्तं निष्कर्षं स्फुटयति—

तत्र च कार्यांशः कारणाभावरूपविरोधिनो बाध्यतयैव स्थितः, न बाधकतया। कार्यांशस्य कल्पितत्वात्कारणाभावस्य च स्वभावसिद्धत्वात्।

तत्र चेति। विभावनायाञ्चेत्यर्थः। कार्यांश इति। अतिशयोक्त्या एकीकृतः कार्यांश इति भावः। अयं भावः—कारणाभाव-कार्ययोर्विरुद्धयोर्वर्णने बाध्य-बाधकभावः स्वाभाविक इति तत्र 'कारणाभावो बाधकः कार्यं बाध्यम्, उत कार्यमेव बाधकम् कारणाभाव एव

बाध्यः' इति जिज्ञासायां ग्रन्थकारो वक्ति यत्कारणाभाव एव बाधकः कार्यं च बाध्यम्, यतः कार्यांशः पूर्वोक्तरीत्या कल्पितस्तिष्ठति कारणाभावश्च वास्तविक इति।

उक्त निष्कर्ष का ही स्पष्टीकरण किया जाता है—तत्र इत्यादि।

अभिप्राय है कि 'कारण के अभाव में कार्य का होना' एक विरुद्ध बात है, अतः यह निश्चित है कि ऐसी स्थिति में उन दोनों में बाध्य-बाधकभाव होगा—अर्थात् कारणभाव और कार्य में एक दूसरे का बाधक रूप से प्रतीत होगा। अब प्रश्न उठता है कि कौन बाधक होगा और कौन बाध्य? कारणाभाव बाधक और कार्य बाध्य अथवा इससे विपरीत?

इसी प्रश्न का उत्तर ग्रन्थकार दे रहे हैं कि कार्य अंश, कारणाभावरूप विरोधी का बाध्यरूप से स्थित रहता है, बाधकरूप से नहीं—अर्थात् कारणाभाव के द्वारा बाधितरूप में कार्यांश की प्रतीति होती है, क्योंकि कार्य अंश यहाँ उक्त रीति से कल्पित रहता है और कारण का अभाव रहता है स्वभाव सिद्ध—वास्तविक।

अनुपदोक्ततथ्यं प्रमाणयितुमाह—

अत एव कार्यांशो रूपान्तरेण पर्यवस्यति। अत एव च समबलविरोधिद्वयघटिताद् विरोधालङ्कारादस्य वैलक्षण्यम्। तथा चोक्तम्—

'कारणस्य निषेधेन बाध्यमानः फलोदयः।
विभावनायामाभाति, विरोधोऽन्योन्यबाधनम्॥'

इत्याहुः।

अत एवेति। विभावनायां कार्यांशस्य बाध्यत्वादेवेत्यर्थः। रूपान्तरेणेति। गौणकार्यरूपेणेत्यर्थः। 'विनैव—' इति पद्ये कामजपीडाविशेषरूपेणेति यावत्। अत एव चेति। उक्त एवार्थः। अस्येति। विभावनालङ्कारस्येत्यर्थः। वैलक्षण्यं भेदः। विरोधालङ्कारे विरोधिवस्तुद्वयं समबलम् विभावनालङ्कारे बाध्यतया कार्यांशो दुर्बल इत्येव तयोरलङ्कारयोर्मिथो भेद इति भावः।

एतद्वैलक्षण्यसूचिकां प्राचीनोक्तकारिकामुद्धर्तुमाह—तथा चोक्तमिति। 'कारणस्य—' इति। विभावनायां कारणनिषेधवर्णनपुरस्सरं वर्ण्यमाना कार्योत्पत्तिर्बाध्यतया प्रतीयते, विरोधालङ्कारे तु नैकतरस्य बाध्यत्वम्, अपि तु उभयोर्बाध्यत्वं बाधकत्वञ्च, समबलत्वादिति भावः।

पूर्वोक्त तथ्य—अर्थात् विभावना में कार्यांश की ही बाधित रूप में प्रतीति, को प्रमाणित करने के लिये कहा जाता है—अतएव इत्यादि।

विभावना में कार्य अंश ही जिस लिये बाध्य रहता है इसीलिए कार्य अंश ही दूसरे रूप में पर्यवसित होता है। अभिप्राय यह कि 'विनैव शस्त्रं—' इस पूर्वोक्त पद्य में दारणरूप कार्यांश ही अन्ततः कामज पीडाविशेषरूप में प्रतीत होता है, द्वैधीकरण रूप में नहीं, इस तरह कार्यांश अन्य रूप में पर्यवसित हुआ, न कारणाभाव (शस्त्राभाव)। ऐसा क्यों? इसलिए कि मुख्य कार्य (द्वैधीकरण) बाधित था और कारणाभाव बाधित नहीं था। हिन्दी रसगङ्गाधर में 'रूपान्तरेण' की व्याख्या 'मुख्यकार्य में रूप में' की गई है जो ठीक नहीं जचता है, क्योंकि कामजपीडारूप में पर्यवसान होता है जो गौण कार्य है। विभावना में कार्यांश मात्र के बाधित रहने के कारण ही उस विरोधालङ्कार से विलक्षणता सिद्ध होती है जिसमें दोनों विरोधी पदार्थ समान बलशाली रहते हैं। तात्पर्य

यह कि विरोधालङ्कार में जिन दो वस्तुओं में विरोध दिखलाया जाता है वे दोनों ही समान बल वाले होते हैं, अतः उन दोनों में से एक बाधक और दूसरा बाध्य नहीं होता, अपि तु दोनों ही बाधक और दोनों ही बाध्य होते हैं—अर्थात् जब एक बाधक होता है तब दूसरा बाध्य और जब दूसरा बाधक तब पहला बाध्य। जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है—'कारणस्य निषेधेन—अर्थात् विभावना में कारण के निषेध से फलोदय (कार्योत्पत्ति) बाध्यमान होकर भासित होता है और विरोध परस्पर बाधन को कहा जाता है।'

'अतिशयोक्तिर्विभावनाया अनुप्राणिका' इत्यस्यालङ्कारसर्वस्वकारोक्तस्य सिद्धान्तस्य विषये विचारं वितनुते—

अथातिशयोक्तिर्न सर्वस्यां विभावनायामनुप्राणिका। किं तु क्वचित्।

'निरुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते।
जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने॥'

इत्यत्र विभावनायामतिशयोक्तेरध्यवसानमूलाया अननुप्राणकत्वादिति। ननु कारणाभावे कार्योत्पत्तिरसंभवन्ती कविना अभिप्रायविशेषेण निबध्यमाना हि विभावना। न चात्रोपादानान्तराभावे जगत उत्पत्तिः परमेश्वरादसंभवन्ती येन विभावना स्यात्। 'नासदासीत्', 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्', 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्', 'असद्वा इदमग्र आसीत्ततो वै सदजायत' इत्यादिश्रुतिभ्यः, 'अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम्' इत्यादिस्मृतिभ्यश्च सृष्टिकाले भगवदतिरिक्तवस्तुजातप्रतिषेधावगमात्। तस्मादत्र विभावनाया एव संभावना नास्ति क्व पुनरतिशयोक्त्यनुप्राणितत्वव्यभिचार इति चेत्, न। अत्र हि भगवतः सकाशात्केवलस्य जगत उत्पत्तिर्न कवेरभिप्रेता। येन तस्या उपादानान्तरव्यतिरेकेऽपि भगवतः सकाशात्संभवादसंभवमूला विभावना न स्यात्। किं तु जगद्रूपस्य चित्रस्य। चित्रस्य च केवलस्योपादानानां मषी–हरितालादीनामाधारस्य भित्त्यादेश्चाभावे केवलाकाशे जागर्त्येवोत्पत्तेरसंभवः। स च तस्य जगद्रूपतानुसंधानात्तत्कारणतदाश्रयव्यतिरेकमादाय निवर्तत इति 'निरुपादानसंभारम्' इत्यत्र निष्प्रत्यूहैव विभावनेति भवत्यतिशयोक्त्यनुप्राणितत्वव्यभिचारः। एतेन 'विभावनायां सर्वत्रातिशयोक्तिरनुप्राणिका' इति सर्वस्वकारोक्तिरपास्ता। तथा "–'निरुपादानसंभारम्' इत्यत्र विभावनाया एवाभावात्कुत्र व्यभिचारः" इति वदन् विमर्शिनीकारोऽपि प्रत्युक्त इति। उच्यते—मा स्म भूत्सर्वत्र विभावनायामतिशयोक्तिरनुप्राणिका। आहार्याभेदबुद्धिमात्रमेवानुप्राणकम्। तच्च क्वचिदतिशयोक्त्या, क्वचिच्च रूपकेणेति न दोषः।

यत्र विभावनायामतिशयोक्तिरनुप्राणिका नास्ति तादृशं मम्मटोक्तमुदाहरणमुद्धरति—'निरुपादान—' इति। अभित्तावेव भित्त्यभाव एव भित्तिं विनेति यावत्, निरुपादानसंभारम् निर्गतः उपादानसंभारः (सामग्रीसमूहः) यस्मात् तद्यथा स्यात्तथा, जगच्चित्रम् संसाररूपमालेख्यम्, तन्वते विस्तारयते रचयते इति यावत्, कलाभिः चित्रादिकलाभिः

श्लाघ्याय स्पृहणीयाय श्लाघ्यकलावते इति यावत्, तस्मै जगत्प्रसिद्धाय, शूलिने शिवाय, नमः इति तदर्थः ।

अननुप्राणकत्वादिति । सामग्रीसमूह-भित्त्यादिकारणाभाववर्णनपुरस्सरं जगच्चित्र-रूपकार्यवर्णनादत्र विभावना स्फुटा, तत्र कार्यांशेऽभेदाध्यवसानरूपातिशयोक्तिर्नास्ति, आरोप्यस्य चित्रस्यारोपविषयस्य जगतश्चोपादानेन रूपकस्यैव साम्राज्यात् । तथा च 'क्वचन विभावनायामतिशयोक्तिरनुप्राणिका, न सर्वत्र' इत्येव तथ्यम् इत्याशयः ।

यत्र विभावना तत्रावश्यमतिशयोक्तिरनुप्राणकतया तिष्ठति, 'निरुपादान—' इत्यत्र तु विभावनैव नास्तीत्याशयेनाशङ्कते—नन्विति । अभिप्रायविशेषेणेति । प्रसिद्धकारणेतर-कारणस्य सद्भावसूचनद्वारा महत्त्वख्यापनेच्छयेति भावः । न चेति । न हीत्यर्थः । अत्रेति । 'निरुपादान-' इत्यत्रेत्यर्थः । उपादानान्तराभाव इति । जगदुत्पत्तौ ब्रह्मैवोपा-दानम् । ब्रह्मण एव जगद्रूपतया विवर्तनात् । एतदतिरिक्तमन्यदुपादानं नास्तीति भावः । परमेश्वरात् परब्रह्मणः । ननु जगदुत्पत्तौ ब्रह्मातिरिक्तमुपादानं नास्तीत्यत्र किं प्रमाणमिति चेत् तत्र प्रमाणमाह—'नासदासीत्' इत्यादि । नासदिति । इदं जगत् कदापि असत् = अवर्तमानन्नासीत्, कारणरूपेण सदा सत्त्वादिति भावः । 'सदेव—' इति । हे सौम्य ! इदं जगत् अग्रे (पुरा) सदेव (सत्तान्वितम् एव) आसीदिति भावः । 'आत्मा वा—' इति । अग्रे, इदं जगत्, एकः (आत्मरूपम्), आसीत् इति भावः । 'असद् वा—' इति । अग्रे सर्वतः प्राक् इदम् जगत्, असत् अव्यक्तम् कारणरूपमिति यावत्, आसीत्, ततः कारणरूपादव्यक्तात्, सत् कार्यरूपं परिदृश्यमानं जगत्, अजायत उदपद्यत इति भावः । श्रुतिभ्यो वेदवाक्येभ्यः । 'अहमेवासमेवाग्र—' इति । भगवत इयमुक्तिः । अग्रे सृष्टिप्रा-क्काले, अहमेव नान्यत्किञ्चित्, आसमेव न आसम् इति नेति भावः । पूर्वोक्तमेव पदव्यव-च्छेद्यं स्फुटयति—न्यान्यदिति । सत् असद्वा मदतिरिक्तं किमपि नासीदिति तदर्थः । स्मृतिभ्य इति । श्रीमद्भागवतेभ्य इत्यर्थः । प्रकृतवक्तव्यमाह—तस्मादिति । 'निरुपादान—' इत्यत्र विभावनाया एवाभावस्तथा च 'विभावना सर्वत्रातिशयोक्त्यनुप्राणिता' इति नियम-स्यात्र व्यभिचारप्रदर्शनमनुचितम् । फलतः स नियमः अव्यभिचरित एवेति शङ्कादला-शयः । 'निरुपादान—' इत्यत्र विभावना संभवति तथा च तत्र तन्नियमव्यभिचार इत्या-शयेनोक्तशङ्कां निरस्यति—नेति । जागर्त्येव इति । उत्पत्तेरसंभवो जागर्त्येवेत्येवमन्वयो बोध्यः । स चेति । उत्पत्तेरसंभवश्चेत्यर्थः । तस्येति । चित्रस्येत्यर्थः । तत्कारणतदाश्रयेति । चित्रकारणचित्राधारेत्यर्थः । अत्र तत्पदेन जगत्परामर्शः सरलाकारकृतोऽशोभन एव । परमेश्वरात्मककारणातिरिक्तकारणविरहेऽपि जगदुत्पत्तिः संभवत्येव, अतः कारणाभावे जगदुत्पत्तिवर्णनं न विभावनाया विषयः, तस्या असंभवमूलकत्वादिति सत्यम् । परन्तु 'निरुपादान-' इत्यत्र न केवल-जगदुत्पत्तिवर्णनं कविचिकीर्षितम्, अपि तु जगद्रूपचित्रोत्पत्ति-वर्णनम् । तथा च तत्र चित्रांशस्योत्पत्तेरसंभवः मषीप्रभृत्युपादान-भित्त्याद्याधारयोरभावे प्रकाशत एव । स च चित्रोत्पत्त्यसंभवः तदा निवर्तते यदा चित्रस्य जगद्रूपत्वमनुसंधीयते यतोऽत्र चित्रोपादानस्य चित्राधारस्याभावेऽपि जगदुत्पत्तिर्न विरुद्धा । एवञ्चात्र विभावनायाः सिद्धौ अतिशयोक्तेश्चाभावेनोक्तनियमव्यभिचारोऽवतरतीति समाधानाशयः ।

उक्तशङ्का-समाधानाभ्यां सर्वस्वकार-विमर्शिनीकारयोरुक्तिर्निरस्ता भवतीति सूचयितुमाह—एतेनेति। स्वसिद्धान्तमाह—उच्यत इति। न दोष इति। 'निरुपादान—' इत्यत्र 'जगच्चित्रम्' इतिकार्यांशे रूपकस्य वर्तमानतया 'आहार्याभेदबुद्धिः सर्वत्र विभावनाया अनुप्राणिका' इति नियमोऽव्यभिचरित इति भावः।

'विभावना का अनुप्राणक अतिशयोक्ति अलङ्कार होता है' इस परकीय सिद्धान्त के विषय में विचार किया जाता है—अथाशयोक्तिरित्यादि।

अब यदि कहा जाय कि अतिशयोक्ति सभी विभावनाओं में अनुप्राणकरूप से स्थित नहीं रहती अपि तु किसी-किसी विभावना में, क्योंकि 'निरुपादान—अर्थात् भित्ति आदि आधार और स्याही आदि उपकरणों के विना ही जगत्रूप चित्र के चितेरे उस स्पृहणीय कला-कौशल वाले भगवान् शङ्कर को नमस्कार' इस पद्य में वर्तमान विभावना में अध्यवसानमूलिका अतिशयोक्ति अनुप्राणक नहीं है। तात्पर्य यह है कि इस पद्य के 'जगच्चित्रम्' इस कार्यांश में अध्यवसान (चित्ररूप उपमान से जगत्रूप उपमेय का निगरण) नहीं होने से अतिशयोक्ति नहीं हो सकती, और विभावना यहां भी है, अतः यह नियम नहीं बनाया जा सकता कि 'सभी विभावनाओं में अतिशयोक्ति पोषकरूप से रहती ही है। हां इतना भर कहा जा सकता है कि कहीं-कहीं विभावना का पोषण अतिशयोक्ति से होता है।

शङ्का की जा सकती है कि 'कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति असंभव होने पर भी कवि के द्वारा अभिप्रायविशेष से वर्णित होने पर' विभावना कहलाती है, और यह बात निरुपादान—' इस पद्य में है नहीं, क्योंकि ईश्वर के द्वारा जगत् की उत्पत्ति अन्य उपादान (कारण) के अभाव में असंभव नहीं है, जिससे कि विभावना हो सके। कारण, 'यह जगत् असत् (अवर्तमान) नहीं था—अर्थात् दृष्टिगोचर नहीं होने पर भी कारणरूप से वर्तमान था', 'हे सौम्य, यह जगत् पहले भी सद्रूप ही था', 'यह जगत् सर्वप्रथम एक आत्मरूप ही था', 'यह जगत् पहले असत् (अव्यक्त) अर्थात् कारणरूप था, फिर उस अव्यक्त से सत् (कार्य) अर्थात् नामरूपात्मक संसार उत्पन्न हुआ' इत्यादिक वेद-वाक्यों से तथा 'पहले मैं ही या सत्-असत् अथवा इससे भिन्न कुछ नहीं था' इत्यादि भगवदुक्ति रूप स्मृतियों (श्रीमद्भागवत) से सृष्टिकाल में भगवान् से अतिरिक्त सभी वस्तुओं का निषेध विदित होता है। इस तरह जब यह स्पष्ट हो गया कि 'निरुपादान—' इस पद्य में विभावना की ही संभावना नहीं है तब 'सभी विभावनाएँ अतिशयोक्ति से अनुप्राणित होती हैं' इस नियम का व्यभिचार कहां हुआ ? अर्थात् यहां विभावना ही नहीं है, जहां विभावना है वहां अतिशयोक्ति भी है ही। अतः उक्त नियम अव्यभिचरित ही है, व्यभिचरित नहीं।

इस शंका का उत्तर यह है कि 'निरुपादान—' इस पद्य के निर्माता कवि का अभिप्रेत भगवान् से केवल जगत् की उत्पत्ति नहीं है। यदि उतना भर अभिप्रेत रहता तब यह कहा जा सकता था कि 'वह उत्पत्ति (केवल जगत् की उत्पत्ति) अन्य उपकरणों के अभाव में भी भगवान् से संभव है, अतः असंभवमूलक अर्थात् कार्योत्पत्ति के असंभव की स्थिति में होने वाली, विभावना यहां नहीं हो सकती।

पर यहां तो जगत्रूप चित्र की भगवान् से उत्पत्ति अभिप्रेत है और केवल चित्र की उत्पत्ति स्याही–हरताल आदि उपादान और भित्ति आदि आधार के अभाव में–अर्थात् केवल आकाश में असंभव है ही और उस असंभव की निवृत्ति भी चित्र को जगत्रूप

समझ लेने पर हो जाती है, क्योंकि चित्र के कारणों तथा आधार का अभाव है तो होता रहे, जगत् का कारण तो एकमात्र परमेश्वर ही हैं, फिर उनसे उसकी उत्पत्ति में 'असंभव' की कोई बात नहीं। इस तरह से 'निरुपादन-' इस पद्य में विभावना मानने में कोई विघ्न-बाधा नहीं रह जाती है, अतः 'विभावना अतिशयोक्ति से अनुप्राणित होती है' यह नियम यहाँ व्यभिचरित अवश्य होता है।

फलतः 'विभावना में सर्वत्र अतिशयोक्ति अनुप्राणक होती है' यह सर्वस्वकार का कथन और "—'निरुपादान संभारम्—' इस पद्य में विभावना का ही अभाव है, फिर उक्त नियम का व्यभिचार कहाँ" यह विमर्शिनीकार का कथन भी खण्डित हो जाता है।

इस विषय में ग्रन्थकार का कथन है कि विभावना में सर्वत्र अतिशयोक्ति भले ही अनुप्राणक नहीं हो परन्तु आहार्य-अभेद-बुद्धिमात्र तो सर्वत्र अनुप्राणक है ही। यह बात दूसरी है कि वह आहार्या भेद बुद्धि कहीं अतिशयोक्ति के द्वारा और कहीं रूपक के द्वारा होती है। जैसे 'विनैवशस्त्रम्-' इसमें अतिशयोक्ति के द्वारा और 'निरुपादान—' इसमें रूपक के द्वारा वह हुई है। इस दृष्टि से सर्वस्वकार का भी कथन दोषावह नहीं है।

कुवलयानन्दकारमतमुत्थाप्य खण्डयति—

यत्तु—"कारणं विना कार्योत्पत्तिरेका विभावना। कारणानामसमग्रत्वे द्वितीया। सत्यपि प्रतिबन्धके कार्योत्पत्तिस्तृतीया। अकारणात्कार्योत्पत्तिश्चतुर्थी। विरुद्धात्कार्यजन्म पञ्चमी। कार्यात्कारणजन्म षष्ठी। क्रमेणोदाहरणानि—

'अप्यलाक्षारसासिक्तं रक्तं तन्व्याः पदाम्बुजम्।'
'अस्त्रैरतीक्ष्णकठिनैर्जगज्जयति मन्मथः।'
'सातपत्रं दहत्याशु प्रतापतपनस्तव।'
'शङ्खाद्वीणानिनादोऽयमुदेति महदद्भुतम्।'
'शीतांशोः किरणा हन्त दहन्ति सुदृशो दृशौ।'
'यशःपयोधिरभवत् करकल्पतरोस्तव।'

इति षट्प्रकारां विभावनामुदाजहार कुवलयानन्दकृत्।

तत्रेदं वक्तव्यम्—

'कार्योत्पत्तिस्तृतीया स्यात्सत्यपि प्रतिबन्धके।'
'अकारणात्कार्यजन्म चतुर्थी स्याद्विभावना॥'

इत्यादिभिर्विभावनाप्रकारानालक्षयता विनापि कारणं कार्योत्पत्तिरित्यप्येको विभावनाप्रकार इत्युक्तं भवति। अन्यथा चतुर्थीत्वाद्यसंगतेः। एवं च यथा—'सादृश्यमुपमा भेदे', 'तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः' इत्यादिभिर्लक्षितस्योपमा-रूपकादिसामान्यस्य पूर्णादयः सावयवादयश्च भेदा उक्तास्तथेह किं तद्विभावनासामान्यलक्षणम्? यल्लक्षितस्य विभावनासामान्यस्यामी भवतोक्ताः प्रकारा उपपद्येरन्। कारणं विना कार्योत्पत्तेस्तु प्रकारान्तःपातित्वात्। अथातिशयोक्त्यादिष्विव तादृशसकलप्रकारान्यतमत्वं सामान्यलक्षणमुन्नेयमिति चेत्, एवमपि प्रथमप्रकाराद् द्वितीयप्रकारस्य वैलक्षण्यं दुरुपपादमेव। कारणाभावेऽपि कार्योत्पत्तिरित्यत्र कारणतावच्छेदकसंबन्धेन कारणतावच्छेदकाव-

च्छिन्नप्रतियोगिताकाभावस्य विवक्षितत्वात्। प्रकारान्तरस्वीकारापेक्षया तादृश-विवक्षाया एव लघुत्वात्। एवं प्रतिबन्धकमपि कारणाभाव एव, प्रतिबन्धका-भावस्य कारणत्वात्। इति तृतीयोऽपि भेदो न विलक्षणः। चतुर्थेऽपि भेदे कारणाभाव आर्थः। 'शङ्खाद्वीणानिनादोऽयम्' इत्युक्ते वीणां विनैवेति प्रत्यया-द्वैलक्षण्यम्। तस्मादाद्येन प्रकारेण प्रकारान्तराणामालीढत्वात्षट्प्रकारा इत्यनु-पपन्नमेव।

'अप्यलाक्षा—' इति कृशाङ्ग्या नायिकायाश्चरणकमलम् लाक्षारसेन असिक्तमपि सत् रक्तवर्णमस्तीत्यर्थः। अत्र लाक्षारससेकात्मककारणं विनापि चरणयो रक्तत्वं वर्णितमिति प्रथमभेदोदाहरणमिति भावः। 'अस्त्रैः—' इति। कामदेवः अतीक्ष्णैः अकठिनैश्च अस्त्रैः संसारं जयतीत्यर्थः। अत्र जयकारणानामस्त्राणामतीक्ष्णत्वात् कोमलत्वाच्चापूर्णत्वेऽपि जग-ज्जयकार्योत्पत्तिवर्णनाद् द्वितीयप्रकारोदाहरणत्वमिति भावः।

'सातपत्रमिति। हे राजन्! भवदीयप्रतापसूर्यः छत्रयुक्तमपि जनं शीघ्रं तापयतीत्यर्थः। अत्र तापनप्रतिबन्धके छत्रे वर्तमानेऽपि तापनस्य वर्णनात्तृतीयः प्रकार इति भावः। 'शङ्खाद्वीणा-' इति। शङ्खात् अयं वीणाध्वनिरुद्भवतीत्येतन्महाश्चर्यकरमित्यर्थः। अत्र यः शङ्खः यस्य वीणाध्वनेर्हेतुर्नास्ति तस्मात्स उत्पद्यत इति चतुर्थः प्रकार इति भावः। 'शीतांशोः-' इति। चन्द्रज्योत्स्नाः सुनयनाया नयने तापयन्तीत्यर्थः। अत्र शीतलतया दाहविरुद्धचन्द्रकिरणतो दाहवर्णनात्पञ्चमः प्रकारः। 'यशःपयोधिः-' इति। हे राजन्! त्वदीय-हस्तरूपात्कल्पवृक्षात् यशःसमुद्रः उत्पन्न इत्यर्थः। यः कल्पतरुः समुद्रस्य कार्यत्वेन प्रसिद्धः तस्मादेव कल्पतरोः समुद्रोत्पत्तिवर्णनात् 'कार्यात्कारणजन्म' रूपः षष्ठः प्रकार इति भावः। खण्डयितुमुपक्रमते—तत्रेदं वक्तव्यमित्यादिना। असंगतेरिति। 'विनापि कारणं कार्योत्पत्तिः' इत्यस्य यदि प्रथमप्रकारतया गणना न क्रियेत तदा 'अकारणात् कार्यजन्म' इत्यस्य प्रकारस्य चतुर्थीत्वं नोपद्येपत इति भावः।

नन्वस्तु नाम 'कारणं विनापि कार्योत्पत्तिः' इत्यस्य विभावनाप्रथमप्रकारता, तावता का हानिरित्यत आह—एवञ्चेति। सावयवादयश्चेति। पूर्णा लुप्ता इत्युपमायाः, सावयव-निरवयवादयो रूपकस्य भेदा इत्यन्वयः। किंतद्विभावनासामान्यलक्षणमिति। प्राक् विभाव-नासामान्यलक्षणं वक्तव्यम् यस्य हि 'कारणाभावे कार्योत्पत्त्यादयः' प्रकाराः संभवेयुरिति भावः।

अथातिशयोक्त्यादीति। यथा अतिशयोक्तेः प्रकारा एवोक्ताः सामान्यलक्षणं नोक्तम् तथापि तावत्प्रकारान्यतमत्वमतिशयोक्तेः सामान्यलक्षणमुन्नीयते तथैव विभावनाप्रकारेषूक्तेषु तावत्प्रकारान्यतमत्वं सामान्यलक्षणमुन्नेयमिति न कश्चिद्दोष इति भावः।

तथापि न तदुक्तिः संगतेत्याह—एवमपीति। कुतः प्रथमप्रकाराद् द्वितीयप्रकारस्य वैलक्षण्यं दुरुपपादमिति चेत्तत्राह—कारणाभावेऽपीति। कारणाभावशब्देन यत्किञ्चित्संब-न्धावच्छिन्न-यत्किञ्चिद्धर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताककारणाभावो न विवक्षितः, यदि तादृशाभावो विवक्षितः स्यात् तदा 'अस्त्रैरतीक्ष्णकठिनैः—' इति द्वितीयप्रकारोदाहरणे कारणाभावो न भवेत्, जयकारणस्यास्त्रस्य सत्त्वेन कारणतावच्छेदकस्य यत्किञ्चिद्धर्मस्यास्त्रत्वस्य स्थितौ

तद्धर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य कारणाभावस्यासंभवात्, अभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकेन सह विरोधात्। कारणतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावविवक्षणे तु तत्रापि कारणाभावः सम्पन्नो भवति, यतो न जगज्जयस्य कारणं केवलमस्त्रम्, अपि तु तीक्ष्णत्वकठोरत्वधर्मविशिष्टम्। तथा च तीक्ष्णत्वकठोरत्वविशिष्टमस्त्रत्वं कारणतावच्छेदकम्, तत्रास्त्रत्वमात्रस्य स्थितावपि तीक्ष्णत्वकठोरत्वविशिष्टास्त्रत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताककारणाभावस्य साम्राज्यात्। ननु कारणाभावपदेन कुतस्तादृशार्थ एव विवक्ष्येत ? इत्यत्राह—प्रकारान्तरस्वीकारेति। द्वितीयप्रकाराकल्पनजलाघवमेव तथा विवक्षायां प्रयोजकमिति भावः। एवं प्रथमप्रकाराद् द्वितीयप्रकारस्यावैलक्षण्यमुपपाद्य तृतीयप्रकारस्यापि तदुपपादयति—एवमिति। प्रतिबन्धकाभावस्य कार्यमात्रं प्रति कारणत्वेन प्रतिबन्धकसत्त्वे कारणाभावस्य साम्राज्येन तृतीयोऽपि प्रकारो नातिरिच्यते प्रथमप्रकारादिति भावः। चतुर्थप्रकारस्याप्यवैलक्षण्यं प्रकटयति—चतुर्थेऽपीति। चतुर्थप्रकारोदाहरणत्वेनोक्ते 'शङ्खाद्वीणा—' इत्यत्र वीणानिनादकारणीभूताया वीणाया अभावस्य शब्दतोऽप्रतीतावपि अर्थतः प्रतीत्या प्रथमप्रकारोदाहरणता संभवतीति भावः। पञ्चमे षष्ठे च प्रकारे तु स्पष्ट एव कारणाभाव इति तयोरपि न प्रथमप्रकाराद् वैलक्षण्यमित्युपसंहरति—तस्मादिति।

कुवलयानन्दकार के मत का खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि।

कुवलयानन्दकार अप्पय दीक्षित ने "१–कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति, २–कारणों की असमग्रता (अपूर्णता) में कार्य की उत्पत्ति, ३–प्रतिबन्धक के वर्तमान रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति, ४–जिसका जो कारण नहीं हो उससे उस कार्य की उत्पत्ति, ५–विरुद्ध वस्तु से कार्य की उत्पत्ति और ६–कार्य से कारण की उत्पत्ति ये छः प्रकार की विभावनाएँ मानी हैं तथा इनके क्रमशः 'अप्यलाक्षारसासिक्तम्—' इत्यादि उदाहरण भी लिखे हैं। इन उदाहरणों के अर्थ क्रमशः निम्नलिखित हैं।

१–'कृशाङ्गी का चरणकमल लाक्षारस (महावर) न लगाने पर भी लाल है।'

२–'कामदेव भोथे और कोमल अस्त्रों से जगत् का विजय करता है।'

३–'आपका प्रतापरूप सूर्य छत्रधारी को शीघ्र जलाता है।'

४–'बड़ा अद्भुत है कि यह वीणा की ध्वनि शङ्ख से उत्पन्न हो रही है।'

५–'खेद है कि चन्द्रकिरणें सुनयना के नयनों को जला रहे हैं।'

६–'आपके हाथरूप कल्पवृक्ष से यशरूप समुद्र उत्पन्न हुआ।' कुवलयानन्दकार के इस कथन के विषय में यह वक्तव्य है कि आप जो 'प्रतिबन्धक के रहने पर कार्य की उत्पत्ति को तृतीय और बिना कारण के कार्योत्पत्ति को चतुर्थ' इत्यादि कह कर विभावना के भेदों की गणना कर रहे हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि 'बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति' यह भी विभावना का भेद ही है, अन्यथा उक्त भेदों को तृतीय-चतुर्थादि भेद कहना नहीं बनता और यदि ऐसा मानते हैं तो प्रश्न उठता है कि जैसे 'भेद होने पर सादृश्य को उपमा कहते हैं' 'उपमान और उपमेय के अभेद को रूपक कहते हैं' इत्यादि लक्षणों से लक्षित सामान्य उपमा सामान्य रूपक आदि के 'पूर्णा' आदि और 'सावयव' आदि भेद कहे गए हैं उस तरह यहां सामान्य विभावना का क्या लक्षण है ? जिस लक्षण से लक्षित सामान्य विभावना के उक्त प्रकार सिद्ध हो सकें। 'कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति' यह तो आप के हिसाब से सामान्य लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इसकी भी गणना एक प्रकार के रूप में की है।

अब यदि आप यह कहें कि अतिशयोक्ति आदि के समान 'उक्त सकल प्रकारों में से कोई एक होना' यह सामान्य लक्षण तर्कित कर लेना चाहिए। तो इससे भी निस्तार नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर भी प्रथम प्रकार से द्वितीय प्रकार की विलक्षणता कठिनता से ही सिद्ध हो सकेगी। कारण यह है कि 'कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति' यहां पर कारण का वैसा अभाव कहना अभीष्ट है जिसकी प्रतियोगिता कारणतावच्छेदकीभूत संबन्ध और धर्म से अवच्छिन्न हो। जैसे—दीक्षित जी के प्रथम उदाहरण में चरणकमलगत रक्तता का कारण संयोग संबन्ध से लाक्षारस है, फलतः वहां कारणता का अवच्छेदक (परिचायक) संबन्ध हुआ संयोग और धर्म हुआ लाक्षारसत्व। ऐसी स्थित में जब 'लाक्षारस के विना लाल चरणकमल' ऐसा कहा जाता है, तब वहाँ संयोग संबन्ध से लाक्षारसत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव (कारणाभाव) वर्णित होने के कारण विभावना होती है, उसी तरह द्वितीय उदाहरण में भी ऐसा कारणाभाव हो ही जाता है, क्योंकि जगज्जय का कारण केवल अस्त्र नहीं, अपि तु तीक्ष्ण और कठोर अस्त्र हैं, ऐसी स्थिति में भोथे तथा कोमल अस्त्रों के रहने पर भी तीक्ष्णत्व और कठोरत्वयुक्त अस्त्रत्वरूप कारणतावच्छेदक धर्म से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाला कारणाभाव अक्षुण्ण रह जाता है।

यदि आप कहें कि 'कारणाभाव' शब्द से ऐसा अर्थ क्यों निकाला जाय? क्यों नहीं यत्किञ्चित् धर्म से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाला कारणाभाव मात्र लिया जाय? जिससे उक्त द्वितीय उदाहरण में अस्त्रों के रहने से अस्त्रत्वावच्छिन्न-प्रतियोगिताक अस्त्ररूप कारणाभाव नहीं होगा और तब उस उदाहरण के संग्रहार्थ उक्त द्वितीय प्रकार की कल्पना समुचित हो जायगी, तो इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि एक नवीन प्रकार की कल्पना करने की अपेक्षा 'कारणाभाव' शब्द की मदुक्त व्याख्या स्वीकार कर लेने में ही लाघव है। इस तरह द्वितीय प्रकार की प्रथम प्रकार से अविलक्षणता सिद्ध हो गई। इसी तरह 'प्रतिबन्धक के रहने पर भी कार्योत्पत्ति' इस तृतीय प्रकार की भी प्रथम प्रकार से अविलक्षणता ही है, क्योंकि जहाँ प्रतिबन्धक रहेगा वहाँ कारणाभाव हो ही जायगा। कारण, प्रतिबन्धकाभाव कार्यमात्र के प्रति कारण है, फिर प्रतिबन्धकाभाव रूप कारण का अभाव प्रतिबन्धकस्वरूप ही होता है।

इसी तरह 'अकारण से कार्य की उत्पत्ति' यह चतुर्थ भेद भी प्रथम भेद से विलक्षण नहीं, क्योंकि 'यह वीणा की ध्वनि शङ्ख से हो रही है' ऐसा कहने पर 'वीणा के बिना वीणा ध्वनि हो रही है' यही अर्थ प्रतीत होता है। फलतः यहाँ भी 'आर्थकारणाभाव' है ही।

अन्त में यही कहा जायगा कि प्रथम प्रकार से ही अन्य सब प्रकारों का संग्रह हो जाता है, अतः 'छः प्रकार की विभावना है' यह कथन अयुक्त ही है।

स्वरीत्या कुवलयानन्दकारमतं समर्थयति—

यदि तु यथाकथंचित्कुवलयानन्दोक्तिः समर्थनीयेत्याग्रहस्तदेत्थं समर्थ्यताम्—तथा हि विनापि कारणं कार्यजन्मेति विभावनायाः सामान्यलक्षणम्। इयं च तावद् द्वेधा—शाब्दी, आर्थी च। शाब्दी त्रिविधा—प्रतिबन्धकातिरिक्तकारणव्यक्तिप्रतियोगिकाभावोक्तिपूर्विका, सत्यामपि कारणव्यक्तौ यदवच्छिन्नत्ववैकल्यप्रयुक्तः कार्याभावस्तद्वैकल्योक्तिपूर्विका, स च कारणतावच्छेदकधर्मः क्वचित्कारणतावच्छेदकसंबन्धश्च, प्रतिबन्धकोक्तिपूर्विका चेति।

आर्थ्यपि त्रिविधा—प्रकृतकार्यसमानजातीयकार्यान्तरस्य कारणात्। प्रकृतकार्य-विरुद्धकार्यस्य कारणात्। स्वकार्याद् वा प्रकृतकार्यस्योत्पत्तिरिति। एतदर्थक-मेव ह्यकारणादित्यादि।

प्रतिबन्धकातिरिक्तेति। प्रतिबन्धकोऽपि यद्यपि कारणाभाव एव तथापि तदतिरिक्तो यः कारणीभूतपदार्थप्रतियोगिकाभावस्तदुक्तिपूर्विकेत्यर्थः। तृतीयप्रकारव्यावर्तनाय प्रति-बन्धकातिरिक्तेति बोध्यम्। 'अप्यलाक्षारसासिक्तम्–' इत्यस्य प्रकारस्योदाहरणम्।

सत्यामपीति। कारणे वर्तमानेऽपि कारणगतयद्विशेषविरहप्रयुक्तकार्याभावस्तद्-विशेषविरहवर्णनपूर्विकेत्यर्थः। स चेति। स विशेषश्चेत्यर्थः। 'अस्त्रैरतीक्ष्णकठिनैः–' इत्युदाहरणम्, अत्रास्त्ररूपे कारणे सत्यपि अस्त्रगततीक्ष्णत्वकठोरत्वरूपकारणतावच्छेदकी-भूतधर्मात्मकविशेषविरहवर्णनपूर्वकजयरूपकार्योत्पत्तिवर्णनरूपा विभावनेति भावः। कारण-तावच्छेदकसंबन्धविरहोक्तिपूर्विकाया विभावनाया उदाहरणं तु मृग्यम्।

प्रतिबन्धकोक्तीति। प्रतिबन्धकात्मककारणाभाववर्णनपूर्विका विभावनेत्यर्थः। 'सात-पत्रम्–' इत्युदाहरणम्। अत्र दाहप्रतिबन्धकातपत्रस्योक्तिः। प्रकृतकार्येति। यथा–'शङ्खादि'त्यत्र वीणानिनादात्मकप्रकृतकार्यसमानजातीयशङ्खनिनादात्मककार्यान्तरस्य कारणी-भूतात् शङ्खात् प्रकृतस्य वीणानिनादस्य कार्यस्योत्पत्तिर्वर्णिता। प्रकृतकार्यविरुद्धेति। यथा 'शीतांशोः–' इत्यत्र दाहात्मकप्रकृतकार्यविरुद्धं यच्छैत्यात्मकं कार्यम् तस्य कारणीभूते-भ्यश्चन्द्रकिरणेभ्यो दाहात्मकप्रकृतकार्योत्पत्तिवर्णनम्। स्वकार्याद् वेति। स्वशब्देन प्रकृतकार्यं ग्राह्यम्। यथा 'यशःपयोधिः–' इत्यत्र पयोधिरेव प्रकृतं कार्यम् तस्य यत्कार्यम् कल्प-तरुरूपम् तस्मात् पयोधिरूपस्य प्रकृतकार्यस्योत्पत्तेर्वर्णनम्। एतदर्थकमेवेति। कुवलयानन्द-कारः 'अकारणात्कार्योत्पत्तिः' इत्यादिकान् चतुर्थ-पञ्चम-षष्ठप्रकारान् मदुक्ताभिप्रायेणैवोक्त-वानित्यर्थः।

अपने ढङ्ग से कुवलयानन्दकार का समर्थन ग्रन्थकार द्वारा किया जाता है—यदि तु इत्यादि।

किसी तरह से कुवलयानन्द के कथन का समर्थन करना ही चाहिए—यह आग्रह यदि हो तो इस तरह से समर्थन कीजिए। कहिए कि 'कारण के विना कार्य की उत्पत्ति' यह विभावना का सामान्य लक्षण है और यह विभावना प्रथमतः दो प्रकार की है—१-शाब्दी (जहाँ शब्दतः कारण के अभाव का प्रतिपादन हो) और २-आर्थी (जहाँ कारण का अभाव अर्थतः ज्ञात होता हो)।

उनमें से शाब्दी विभावना के तीन प्रकार होते हैं। १—प्रतिबन्धकातिरिक्त-कारणा-भाव-वर्णनपूर्वक अर्थात् जिसमें कारण के अभाव का वर्णन प्रतिबन्धक के रूप में न होकर कारणरूप वस्तु के अभाव का वर्णन हो। जैसा प्रथम भेद में है। २—कारणवस्तु के वर्तमान रहने पर भी कारणगत जिस विशेष की कमी के कारण कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती उस विशेष की कमी (अभाव) की उक्तिपूर्वक अर्थात् कारणवस्तु के वर्णित होने पर भी उसमें कुछ त्रुटि का रहना। जैसा द्वितीय भेद में है। यहां यह समझ लेना चाहिए कि कारणगत वैसा विशेष कहीं कारणता का अवच्छेदक धर्म होगा और कहीं कारणतावच्छेदक सम्बन्ध। द्वितीय भेद के उदाहरण में कारणतावच्छेदक धर्म की कमी है। संबन्ध की कमी का उदाहरण नहीं दिया गया है। ३—प्रतिबन्धक की

उक्तिपूर्वक-अर्थात् कार्य में रुकावट डालने वाले के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति। जैसा तृतीय भेद में है। इसी तरह आर्थी विभावना के भी तीन भेद होते हैं। १—प्रस्तुत कार्य (जैसे वीणा निनाद) के सजातीय अन्य कार्य (शङ्खनाद) के कारण (शङ्ख) से प्रस्तुत कार्य (वीणा निनाद) की उत्पत्ति। २-प्रस्तुत कार्य (दाह) से विरुद्ध कार्य (शीतलता) के कारण (चन्द्रकिरण) से प्रस्तुत कार्य (दाह) की उत्पत्ति और ३—अपने (जैसे पयोधि के) कार्य (कल्पवृक्ष) से ही प्रस्तुत कार्य (पयोधि) की उत्पत्ति। इसी अभिप्राय से कुवलयानन्द में 'अकारण से कार्य का जन्म' इत्यादिक (चतुर्थ, पञ्चम और षष्ठ विभावना के प्रकारों का वर्णन किया गया है।

विभावनां विभजते—

इयं च विभावना द्विविधा—उक्तनिमित्तानुक्तनिमित्ता च।

कारणं विना कार्योत्पत्तौ केनापि निमित्तेनावश्यं भाव्यम्। तच्च निमित्तं क्वचिदुक्तं क्वचिच्चानुक्तं भवतीति विभावनाया द्वैविध्यमिति भावः।

विभावना के भेद किए जाते है—इयं च इत्यादि।

यह विधावना दो प्रकार की होती है १-उक्तनिमित्ता और २-अनुक्तनिमित्ता। अभिप्राय यह है कि जब साधारण नियम है कि कारण के रहने पर ही कार्य होता है तब जो विभावना में कारण के विना कार्य की उत्पत्ति वर्णित होती है उसमें कुछ निमित्त अवश्य रहता है, पर वह निमित्त कहीं वर्णित और कहीं अवर्णित दोनों तरह का हो सकता है।

तत्रैकस्य प्रकारस्य प्रागुक्तमुदाहरणं सोपपादनं स्मारयति—

तत्रानुक्तनिमित्ता 'विनैव शस्त्रं' इत्यत्र दर्शिता। विलासानां मन्मथपीडा-जनकानामनुपात्तत्वात्।

'विनैव शस्त्रम्—' इत्यत्र दारणेन कामपीडाजननं विवक्षितम् तत्र च ये कामिनी-विलासा हेतवस्ते नोक्ता इति भावः'।

उक्त दो प्रकारों में से एक प्रकार का उदाहरण पहले लिखा जा चुका है इस बात का स्मरण उपपादन के साथ कराया जा रहा है—तत्र इत्यादि।

उन दोनों में से अनुक्तनिमित्ता विभावना 'विनैव शस्त्रम्-' इस पूर्वोक्त पद्य में दिखलाई जा चुकी है। वहाँ की विभावना अनुक्तनिमित्ता इसलिए हुई कि 'दारण' से अभिमत कामजपीडा के कारण कामिनियों के विलास (हाव-भाव) पद्य में उक्त नहीं हैं।

द्वितीयं प्रकारमुदाहर्तुमाह—

उक्तनिमित्ता यथा—

स्पष्टम्,

उक्त निमित्ता विभावना जैसे—'

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'यदवधि विलासभवनं यौवनमुदियाय चन्द्रवदनायाः।
दहनं विनैव तदवधि यूनां हृदयानि दह्यन्ते॥'

विलासानां कटाक्षादीनाम्, भवनम् आश्रयः चन्द्रवदनायाः इन्दुमुख्याः, यौवनम् युवावस्था, यदवधि यत्कालादारभ्य, उदियाय उत्पद्यतेस्म, तदवधि तत्कालादारभ्य,

यूनाम् युवकानां, हृदयानि मनांसि, दहनं विनैव अग्निमन्तरैव, दह्यन्ते दग्धानि भवन्तीत्यर्थः।

उदाहरण का उल्लेख किया जाता है—यदवधि इत्यादि।

जब से विलासों का भवन चन्द्रमुखी नायिका का यौवन उदित हुआ तब से अग्नि के बिना ही युवकों के हृदय दग्ध हो रहे हैं।

उपपादयति—

अत्र हि उपात्ते यौवने दाहहेतुत्वं पर्यवस्यति।

'यदवधि—' इति पद्येऽग्निं विना युवकजनहृदयदाहस्य निमित्तं यौवनमुक्तमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'यदवधि—' इस पद्य में नायिका-यौवनरूप निमित्त उक्त है जिसके चलते आग के अभाव में भी युवकों के हृदय जलते हैं।

अलङ्कारसर्वस्वकारोक्तमनूद्य खण्डयति—

यत्तु—

"-'असंभृतं मण्डनमङ्गयष्टेरनासवाख्यं करणं मदस्य।
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्रं बाल्यात्परं साऽथ वयः प्रपेदे॥'

अत्र द्वितीयचरणे आसवाभावेऽपि मदस्य प्रतिपादनाद्यौवनस्य चोक्तत्वादुक्तनिमित्ता विभावना। न तु प्रथमतृतीयचरणयोः, संभरणपुष्पयोर्मण्डनमस्त्रं च प्रत्यहेतुत्वात्।" इत्यलङ्कारसर्वस्वकारादिभिरुक्तं तत्र विचार्यते—विरोधमूला हि विभावनाद्यलङ्काराः। विरोधस्यैव विद्युत्प्रभावदापाततः प्रतिभासमानस्य चमत्कारबीजत्वात्। अत्र ह्यासवभिन्नत्वविशिष्टं मदकारणत्वं यौवनस्योक्तम्। एवं च यौवनस्य मदकारणतायाः शब्देनैवोपात्तत्वात् यागे व्रीहियवयोरिव मदे यौवनासवयोः परस्परनिरपेक्षकारणत्वावगतेर्विरोधस्य लेशतोऽप्यप्रतिभानाद्विभावनैव नास्ति। कुतः पुनरुक्तनिमित्ता विभावना ?। न चासवस्य प्रसिद्धमदकारणत्वात्तेन विना मदोत्पत्तिवर्णने विरोधप्रतिभा भवत्येवेति वाच्यम्। भवेत्सा, यदि यौवनस्य मदकारणत्वं कविना साक्षान्न प्रतिपाद्येत। प्रतिपादिते तु तस्मिन्प्रसिद्धकारणातिरिक्ततया कविना प्रतिपादितमिदमपि प्रसिद्धकारणमिव कारणान्तरं भविष्यतीति वैकल्पिककारणताप्रतिभानान्न विरोधप्रतिभानं भवितुमर्हति। तस्मादत्र प्रथमतृतीयचरणयोर्न्यूनाभेदरूपकम्। द्वितीयचरणे तु प्रतीयमानोत्प्रेक्षेति विवेकः। अस्मन्निर्मिते तूदाहरणे दहनस्यैव प्रसिद्धदाहकारणत्वाद्यौवनस्य दाहकारणताया अश्रुतत्वाद्दहनमन्तरेण दाहोत्पत्तिवर्णने विरोध आपाततः प्रतीयत एवेति सहृदयैराकलनीयम्।

कुमारसंभवे कालिदासः पार्वतीं वर्णयन्नाह—असंभृतमिति। अथ अनन्तरम् सा पार्वती, अङ्गयष्टेः अङ्गलतिकायाः, असंभृतम् अकृत्रिमम् मण्डनम् भूषणम्, मदस्य मत्तातायाः, अनासवाख्यम् आसवभिन्नम्, करणम् साधनम्, पुष्पव्यतिरिक्तम् कुसुमभिन्नम्, कामस्य, अस्त्रम् बाल्यात्परं वयः यौवनम् प्रपेदे प्राप्तवतीति तदर्थः।

सर्वस्वकारोक्तमत्रत्यं विवरणमनुवदति— अत्र द्वितीयचरण इति, खण्डयितुमुपक्रमते— अत्र विचार्यते इति । अयं भावः—विभावनादयोऽलंकारा विरोधमूलाः । विद्युत्प्रकाशवदापाततः प्रतीतो विरोध एवैष्वलंकारेषु चमत्कारं जनयति । विभावनायाञ्च विरोधः कारणं विना कार्योत्पत्तौ समुल्लसति । प्रकृते च नोल्लासमर्हति विरोधः यौवनस्य मदकारणतायाः शब्दत उक्तत्वात् । यद्यप्यासव एव प्रसिद्धं मदकारणम् तस्य चाभावोऽत्र वर्णितस्तथापि यथा यागे व्रीहियवयोर्द्वयोः कारणत्वे कथिते तयोः परस्परनिरपेक्षं वैकल्पिकं कारणत्वमवगतं भवति तथैवासवस्य मदकारणतायाः प्रसिद्धत्वात् यौवनस्य च तत्कारणतायाः कविना शब्दतो वर्णितत्वात् आसववत् यौवनस्यापि स्वतन्त्रं वैकल्पिकं मदकारणत्वं विज्ञातं भवेत् । यदि कविना मदकारणत्वेन यौवनस्योल्लेखो न कृतः स्यात् प्रसिद्धस्य मदकारणस्यासवस्याभावश्चोक्तो भवेत् तदावश्यं विभावना प्रसजेत् । फलतोऽत्र विभावना विद्यत एव नेति का वार्ता तस्या उक्तनिमित्ततााया इति ।

उपसंहरन् स्वसिद्धान्तमाह—तस्मादिति ।

अत्रेति । 'असंभृतम्—' इति श्लोके इत्यर्थः । प्रथमतृतीयचरणयोरिति । 'असंभृतमङ्गयष्टेर्मण्डनम् , पुष्पव्यतिरिक्तम् कामस्यास्त्रम् च वयः' इत्यनयोरंशयोरित्यर्थः । न्यूनाभेदरूपकमिति । उपमेये बाल्योत्तरवयसि उपमानस्य मण्डनस्यास्त्रस्य चाभेदारोपाद्रूपकम् तत्र असंभृतपुष्पव्यतिरिक्तपदाभ्यां क्रमशस्तत्तदुपमानापेक्षयोपमेये न्यूनत्वबोधनान्न्यूनाभेदरूपकमिति भावः । प्रतीयमानोत्प्रेक्षेति । अनासवाख्यं मदस्य करणमिवेति तात्पर्यादिति भावः ।

ननु भवदुक्ते 'यदवधि—' इति पद्ये कथं विभावनेति शंकायामाह— अस्मन्निर्मितेत्विति ।

अलङ्कार सर्वस्वकार-मत की खण्डनात्मक आलोचना की जाती है—यत्तु इत्यादि ।

"–'असंभृतम्—'अर्थात् इसके बाद पार्वती ने शैशव से आगे की उस अवस्था (यौवन) को प्राप्त किया, जो शरीर का असंभृत (अकृत्रिम) भूषण, मद का आसव नामधारी से भिन्न कारण और काम का पुष्पातिरिक्त अस्त्र है" ।

यहां द्वितीय चरण में 'आसव के न रहने पर भी मद का प्रतिपादन होने से' विभावना है और वह उक्तनिमित्ता है, क्योंकि 'यौवन' रूप निमित्त उक्त है। प्रथम और तृतीय चरणों में तो विभावना नहीं है। कारण, 'संभरण' और 'पुष्प' ये दोनों क्रमशः मण्डन तथा अस्त्र के प्रति कारण नहीं हैं" ऐसा जो अलङ्कारसर्वस्वकारादिकों ने कहा, उस पर विचार किया जाता है—विभावना आदि अलंकार विरोधमूलक हैं, क्योंकि इन अलंकारों में विरोध ही, जो बिजली के समान आपाततः चमकता रहता है, चमत्कार का बीज है।

और यहां यह भी समझ रखना चाहिए कि विभावना में कारण के विना कार्योत्पत्ति का वर्णन रहने के कारण विरोध भासित होता है। अब प्रकृत में आइए—'असंभृतम्—' इस पद्य में आसव से भिन्न होने पर भी यौवन को मद का कारण कहा गया है। ऐसी स्थिति में यौवन का मद-कारण होना जब शब्दतः ही ज्ञात होता है तब यौवन और आसव (मद्य) ये दोनों ही परस्पर निरपेक्ष रूप से—अर्थात् स्वतन्त्र रूप से मद के हेतु हैं, जैसे याग के प्रति तण्डुल और यव, ऐसा निश्चय होने के कारण यहां विरोध का लेश भी स्फुरित नहीं होता—अर्थात् यहां कारण के विना कार्य वर्णित नहीं हुआ, आखिर

आसव के अभाव में भी यौवनरूप मद का कारण है ही, अतः यहां विभावना ही नहीं है, फिर उक्त निमित्ता विभावना की बात ही क्या ?

यदि कहा जाय कि आसव हो मद का प्रसिद्ध कारण है, अतः उसके अभाव में मदोत्पत्ति वर्णन करने पर विरोध झलकता ही है, तो इसका उत्तर यह है कि हां, विरोध झलक सकता था तब, यदि कवि के द्वारा मदकारण रूप से यौवन का साक्षात् प्रतिपादन न किया गया होता यौवन की मदकारणता साक्षात् प्रतिपादित होने पर तो प्रसिद्ध मदकारण आसव से भिन्न कवि-प्रतिपादित यह (यौवन) भी प्रसिद्ध कारण (आसव) के समान एक दूसरा कारण होगा इस तरह से वैकल्पिक कारणता के प्रतिभासित होने से विरोध का भान नहीं हो सकता।

अतः विचार से यही सिद्ध होता है कि यहां प्रथम और तृतीय चरण में न्यूनाभेद रूपक है और द्वितीय चरण में है प्रतीयमान उत्प्रेक्षा।

मेरे 'ग्रन्थकार' द्वारा निर्मित 'यदवधि—' इस उदाहरण में तो ऐसी गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि दाह का प्रसिद्ध कारण अग्नि ही है, जिसका अभाव यहां वर्णित है फिर भी दाह की उत्पत्ति कही गई हैं, अतः विभावना स्पष्ट है और वह उक्तनिमित्ता भी है, क्योंकि पद्यवर्णित यौवन में दाह की कारणता पर्यवसित होती है।

ध्यान दीजिए—यहां यौवन में दाहकारणता पर्यवसित होती है, शब्दतः ज्ञात नहीं। यह सब बातें सहृदयों को समझनी चाहिए।

शङ्कते—

अथ 'लुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति' इत्यत्र विभावनापत्तिः ? नन्वस्तु, किं नश्छिन्नमिति चेत्। आलङ्कारिकैरत्र तस्या अनङ्गीकारात्। ननु कारणतावच्छेदकरूपावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वेन कारणाभावो विशेषणीयः। प्रकृते च कारणत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकः प्रसिद्धकारणत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताको वाऽभावो न तादृशरूपावच्छिन्नप्रतियोगिताक इति चेत्, 'खला विनैवापराधं भवन्ति खलु वैरिणः' इत्यत्र तथाप्यतिव्यापनात्। अपराधाभावस्य तथात्वात्। न च कार्यांशोऽतिशयोक्त्यालीढत्वेनाभेदनिश्चयालीढत्वेन वा विशेषणीय इति वाच्यम्। 'खला विनैवापराधं दहन्ति खलु सज्जनान्' इत्यादौ तथापि दोषानुद्धारादिति चेत्।

'लुब्धक—' इति। 'मृगमीनसज्जनानां तृणजलसन्तोषविहितवृत्तीनाम्।' इत्यस्य पद्यस्य पूर्वार्धम्। तृणविहितवृत्तेर्मृगस्य व्याधः, जलविहितवृत्तेर्मीनस्य धीवरः, सन्तोषविहितवृत्तेः सज्जनस्य च पिशुनः अकारणं वैरम् जनयतीति तदर्थः। विभावनापत्तिरिति। कारणं विना वैररूपकार्यप्रतिपादनादिति भावः। नन्वस्त्विति। विभावनात्रास्त्येवेतीष्टापत्तिस्तु न शक्यते कर्तुम् आलंकारिकैरत्र विभावनाया अस्वीकृतेरित्याशयः। प्रकृते दोषपरिहारोपायं वदति—ननु कारणतेति। अयं भावः—विभावनालक्षणे कारणाभावो न कारणप्रतियोगिकाभावः, अपि तु कारणतावच्छेदकरूपावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽभावो निवेशनीयस्तथा च 'लुब्धकधीवर—' इत्यत्र न विभावनाप्रसङ्गः, यतस्तत्र 'निष्कारणपदेन यः कारणत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽभावः प्रतीयते तस्मिन् प्रतियोगिताया अवच्छेदकं यत् कारणत्वम् तन्न कारणताया अवच्छेदकं रूपं भवितुमर्हति स्वस्य स्वावच्छेदकत्वासंभवात् इति।

तथा निवेशे तत्र दोषोद्धारेऽपि अन्यत्र दोषस्तदवस्थ एवेत्याह—'खला—' इति। अपराधमन्तरेणैव दुर्जना वैरं जनयन्तीत्यर्थके 'खला विनैवापराधम्—' इति वाक्ये विभावनालक्षणस्यातिव्याप्तिर्दुर्वारैव, यतस्तत्र योऽपराधाभावो 'विनैवापराधम्' इत्यंशेन प्रतिपादितः सः कारणतावच्छेदकरूपावच्छिन्नप्रतियोगिताको वर्ततेऽपराधत्वस्य कारणतावच्छेदकत्वादिति भावः, अत्रापि दोषवारणं कुरुते—न चेति। आलीढत्वेनेति। व्याप्तत्वेनेत्यर्थः। कारणाभावेऽपि जायमानं कार्यम् यत्रातिशयोक्त्या रूपकेण वा व्याप्तं तत्र विभावनेतिस्वीकारे 'खला विनैव—' इति प्रागुक्ते वाक्ये न दोषस्तत्र 'वैरिणो भवन्ति' इति कार्यांशेऽतिशयोक्ते रूपकस्य वा विरहादिति भावः।

यद्यपि तथा स्वीकारे तत्रापि दोषो वारितस्तथापि न निस्तारः, 'खला विनैवापराधं दहन्ति—' इत्यत्र दोषस्य तदवस्थत्वात् तत्र 'दहन्ति' इत्यस्य कार्यांशस्यातिशयोक्त्यालीढत्वादित्याशयः।

एक शङ्का की जाती है—अथ इत्यादि।

अब शङ्का यह उठती है कि उक्त लक्षण के अनुसार 'लुब्धक धीवर (इसका पूर्वार्ध संस्कृत व्याख्या में द्रष्टव्य) अर्थात् क्रमशः तृण, जल और सन्तोष से जीवन निर्वाह करने वाले मृग, मत्स्य और सज्जनों के व्याध, मछुए एवम् चुगलखोर इस संसार में अकारण वैरी हैं' इस पद्य में विभावना होने लगेगी, क्योंकि यहां कारण के विना वैररूप कार्य प्रतिपादित है। यहां विभावना हो जाय, इससे हमारी क्या हानि? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आलंकारिक आचार्यों ने यहां विभावना नहीं मानी है।

अब यदि विभावना-लक्षणगत 'कारणाभाव' का परिष्कार यह किया जाय कि कारण में रहने वाले किसी खास धर्म (कारणत्व नहीं) से अवच्छिन्न है प्रतियोगिता जिसकी ऐसा अभाव-अर्थात्-किसी खास कारण का नाम लेकर उसका अभाव, तब तो उक्त पद्य में विभावना की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां का अभाव कारणत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक अथवा अधिक से अधिक प्रसिद्ध कारणत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक है अर्थात् वहाँ किसी खास कारण का अभाव नहीं कहा गया है, किन्तु केवल कारण का अभाव, तो ठीक है, इस तरह से वहां दोष वारित हो जायगा, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु 'खला विनैवापराधम्-अर्थात् नीच जन विना ही अपराध के वैरी हो जाते हैं' इस वाक्य में तब भी विभावना-लक्षण की अतिव्याप्ति हो ही जायगी, क्योंकि यहाँ कारणतावच्छेदकरूप (अपराधत्व) से अवच्छिन्न प्रतियोगितावाला अभाव-अर्थात् अपराध का नाम लेकर अपराधाभाव कथित है।

यदि अब यह कहा जाय कि विभावना तब होगी यदि कारण के उक्त स्तरीय अभाव में होने वाला कार्य अतिशयोक्ति से अथवा अभेद निश्चय (रूपक) से व्याप्त हो, तो ऐसा कहा जा सकता है और तब उक्त द्वितीय आपत्तिस्थल में भी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां 'वैरी हो जाते हैं' इस कार्यांश में अतिशयोक्ति अथवा रूपक नहीं है।

पर 'खला विनैवापराधं दहन्ति-अर्थात् दुर्जन विना अपराध ही के सज्जनों को जलाते हैं' इस वाक्य में विभावना की आपत्ति तब भी बनी ही रहेगी, क्योंकि यहाँ 'जलाते हैं' इसका तात्पर्य 'पीडा देते हैं' है अतः अतिशयोक्ति है।

समाधत्ते—

मैवम्। कार्यांशे यद्विषयितावच्छेदकं तदवच्छिन्नकार्यतानिरूपितायाः कारणताया अवच्छेदकमिह ग्राह्यम्। दाहत्वं चेह विषयितावच्छेदकम्।

तदवच्छिन्नाभिन्नत्वेन पीडाया अध्यवसानात्। नहि दाहत्वावच्छिन्नकार्यता-निरूपितकारणताया अवच्छेदकमपराधत्वम्। अपि तु दाहत्वावच्छिन्नाभिन्नत्वे-नाध्यवसिता या पीडा तन्निष्ठकार्यतानिरूपितकारणताया इति तदवच्छिन्नप्रति-योगिताकाभावसामानाधिकरण्येन कार्योत्पत्तिवर्णनेऽपि नात्र विभावनाप्रसङ्गः।

मैवमिति। उक्तशङ्का न युक्तेत्यर्थः। कुत इति चेत्तत्राह–कार्यांश इति। अयं भावः—कारणतावच्छेदकरूपावच्छिन्न—' इति यः कारणाभावपदार्थ-परिष्कारः क्रियते तत्र कारणता कार्यतानिरूपिता ग्राह्या, कार्यांशश्चात्रातिशयोक्त्याद्यालीढ इति प्रागुक्तम्। एवञ्चात्र कार्यांशे विषयी विषयश्च (आरोप्यमाणमुपमानमारोपाश्रय उपमेयश्च) इति द्वयं घटकमिति निश्चितम्। तत्र विषयितावच्छेदकीभूतो यो धर्मस्तदवच्छिन्नकार्यतानिरूपिता या कारणता तदवच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽभावो विवक्षित इति। ननु तावता किमा-यातमिति चेत्? प्रकृते प्रतिपादितोऽभावो लक्षणघटककारणाभावकोटेर्बहिष्कृत इति बोध्यम्। कुत इति चेत् तत्राह—दाहत्वं चेहेति। 'खला विनैवापराधं दहन्ति खलु सज्जनान्' इत्यत्र दाहो विषयी आरोप्यमाणत्वात्। पीडा च विषयः आरोपाश्रयत्वात्। तथा च विषयितावच्छेदकं यद्दाहत्वम् तदवच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणतावच्छेदकरूपाव-च्छिन्नप्रतियोगिताकाभावे यदि दाहरूपं कार्यम् वर्णितमस्थास्यत्तदा विभावनाऽभविष्यत्, परमिह तन्नास्ति, यतोऽत्रापराधत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽभाव उक्तः, अपराधत्वञ्च न दाहत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणताया अवच्छेदकम्, दाहं प्रति अपराधस्याकारण-त्वात् इति सारांशः।

उक्त शङ्का का समाधान किया जाता है—मैव मित्यादि।

"—'कारणाभाव' का उक्त रीति से परिष्कार करने पर तथा कार्यांश का अतिशयोक्ति व्याप्त होना आवश्यक मानने पर भी 'खला विनैवापराधं दहन्ति खलु सज्जनान्' इस वाक्य में अतिव्याप्ति होगी ही" यह आक्षेप समुचित नहीं है। कारण, यहाँ विभावना की प्राप्ति नहीं होती। आप पूछेंगे क्यों? तो इसके उत्तर के लिए निम्नलिखित संदर्भ पर ध्यान दीजिए—विभावना में कार्य अंश अतिशयोक्ति युक्त रहता है यह कहा जा चुका है। फलतः यहाँ नियमतः कार्यभाग दो पदार्थों से बना होता है। उन दो पदार्थों में एक होता है उपमान और दूसरा होता है उपमेय, पर उपमेय उपमान से निगीर्ण रहता है–अर्थात् विषयी (उपमान) के अभिन्नतया विषय (उपमेय) का अध्यवसान हुआ रहता है, तात्पर्य यह कि उपमेय के लिए केवल उपमान का उपादान होता है, जैसे यहाँ पीडा के लिए दाह का उपादान हुआ है, फिर भी यहाँ विभावना नहीं होगी क्योंकि वह तब होती है जब कार्य अंश में उपात्त विषयी के कारण का अभाव प्रतिपादित हो, जो यहाँ नहीं है—अर्थात् यहाँ जिस अपराध का अभाव प्रतिपादित हुआ है वह विषयी (उपात्त दाह) का कारण नहीं है, अपितु विषय (अनुपात्त पीडा) का कारण है।

यही भाव नव्यन्याय की भाषा में यहाँ व्यक्त किया गया है। कार्य अंश में जो विष-यिता का अवच्छेदक हो–अर्थात् विषयीगत असाधारण धर्म हो, उससे अवच्छिन्न कार्यता से निरूपित कारणता का अवच्छेदक यहाँ ग्राह्य है–अर्थात् कारणाभाव के परिष्कार में आए हुए कारणतावच्छेदकरूप से वह रूप अभीष्ट है जो कार्यांशगत विषय और विषयी इन दो वस्तुओं में से विषयीरूप कार्य के कारण में रहने वाला हो। यहाँ

विषयिता का अवच्छेद है दाहत्व, क्योंकि उस दाहत्व से अवच्छिन्न–अर्थात् दाह के अभिन्न रूप से पीडा का अध्यवसान हुआ है। अब यह समझिए कि दाहत्व से अवच्छिन्न कार्यता से निरूपित कारणता का अवच्छेदक अपराधत्व नहीं हो सकता, क्योंकि दाह का कारण अग्नि हो सकता है, न कि अपराध। हाँ, दाहत्व से अवच्छिन्न (दाह) से अभिन्न रूप में अध्यवसित जो पीडा है उस में रहने वाली कार्यता से निरूपित कारणता का अवच्छेदक अपराधत्व हो सकता है–अर्थात् पीडा का कारण अपराध हो सकता है, न कि दाह का। अतः अपराधत्व से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाले अभाव–अर्थात् अपराधाभाव के साथ दाहरूप कार्य की उत्पत्ति वर्णित होने पर भी यहाँ विभावना का प्रसङ्ग नहीं होता।

यस्यां स्थितौ विभावना संभवति तां दर्शयति—

यदि तु 'खला विनैव दहनं दहन्ति जगतीतलम्' इति क्रियते तदा भवत्येव विभावना।

'खला विनैव-' इति दुर्जना अग्निमन्तरेणैव संसारं दहन्तीत्यर्थः। अस्मिन् वाक्ये विभावना संभवति दाहत्वरूपविषयितावच्छेदकधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणातावच्छेदकीभूतदहनत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावं प्रतिपाद्य दाहरूपकार्योत्पत्तिवर्णनादिति भावः।

कुछ परिवर्तन कर देने पर उक्त वाक्य में विभावना हो सकती है यही बात अब दिखलाई जाती है—यदि तु इत्यादि।

उक्त वाक्य में थोड़ा परिवर्तन कर यदि 'खला विनैव—अर्थात् दुर्जन विना अग्नि के ही भूतल को जलाते हैं' ऐसा वाक्य बनाया जाय तब विभावना हो ही सकती है, क्योंकि अब उस अग्निरूप कारण का अभाव प्रतिपादित हो गया जिस का कार्य दाह विषयीरूप से उपात्त है।

अन्यत्रापि विभावनामसर्वसम्मतां स्वीकुर्वन्नाह—

एवम्—

'कमलमनम्भसि कमले च कुवलये तानि कनकलतिकायाम्।
सा च सुकुमारसुभगेत्युत्पातपरंपरा केयम्॥'

इति परकीयपद्येऽतिशयोक्त्युदाहरणेऽस्त्येव विभावना। परंतु 'कमलमनम्भसि' इत्यंशे शाब्दी। 'कमले च' इत्यादौ त्वार्थीति संक्षेपः।

'कमलमनम्भसि—' इति। अनम्भसि जलातिरिक्ते आधारे, कमलम् पुष्पविशेषः, कमले च, कुवलये नीलकमलयुगलम्, तानि कमलकुवलयानि, कनकलतिकायाम् सुवर्णलतायाम्, सा च कनकलतिका च, सुकुमारसुभगा कोमला रमणीया च, इतीयम् असंभवद्वस्तुस्थितिरूपा, का कीदृशी, उत्पातपरम्परा अनिष्टसूचकव्यापारश्रेणिः इत्यर्थः। अत्र कमलत्व–कुवलयत्व-कनकलतिकात्वैः क्रमशो मुख–नयन–शरीरयष्टीनामध्यवसानम्। अत इदं पद्यमतिशयोक्तेः प्रसिद्धमुदाहरणम्। परमिह ग्रन्थकारमतेन विभावनाप्यस्ति सा च द्विविधा शाब्दी आर्थी च। तत्र 'कमलमनम्भसि' इत्यंशे शाब्दी, शब्दतो जलरूपकारणस्याभावे प्रतिपादिते कमलरूपकार्योत्पत्तिवर्णनात्, 'कमले च कुवलये' 'तानि च कनकलतिकायाम्' इत्यनयोरंशयोरार्थी, कमले कनकलतिकायाञ्च कुवलयादीनामुत्पत्तेर्वर्णनेनार्थतो जलरूपकारणाभावस्य वर्णनादिति भावः।

एक अन्य पद्य में सर्वसम्मत न होने पर भी स्वसिद्धांतानुसार विभावना की स्वीकृति ग्रन्थकार के द्वारा दी जाती है—एवम् इत्यादि।

इसी तरह—'कमलमनम्भसि अर्थात् विना जल के कमल है, कमल में दो कुवलय हैं और ये तीनों कनकलता में हैं और वह कनकलता अत्यन्त कोमल तथा सुन्दर है। यह कैसी उत्पात की परम्परा है।' दूसरे किसी कवि का यह पद्य अतिशयोक्ति का उदाहरण है, क्योंकि यहां कमलरूप में मुख, कुवलयरूप में नेत्र और कनकलतारूप में काययष्टि कहे गए हैं। पर यहां विभावना भी है ही, क्योंकि जलरूप कारण के अभाव में जल के कार्य कमल आदि की उत्पत्ति वर्णित हुई है, पर वह विभावना 'कमल मनम्भसि' इस अंश में शाब्दी है, क्योंकि कारण का अभाव इस अंश में शब्दतः (अनम्भसि-शब्द से) प्रतिपादित है और 'कमले कुवलये' तथा 'तानि कनकलतिकायाम्' इन दोनों अंशों में वह है आर्थी, क्योंकि कुवलययुगल कमल में हैं, एक कमल तथा दो कुवलय कनकलता में हैं' इन कथनों से 'जल के विना हैं' यह प्रतीत होता है, फलतः जलरूप कारण का अभाव इन अंशों में अर्थतः ज्ञात होता है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे विभावनाप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे विभावनाप्रकरणं समाप्तं वेदितव्यमिति भावः।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां विभावनाप्रकरणम्॥

रसगङ्गाधरगत विभावना प्रकरण की हिन्दी व्याख्या समाप्त।

विशेषोक्तिनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथ विशेषोक्तिः—

विशेषोक्तिर्निरूपणीयतयाऽऽरब्धा बोध्येति भावः।

विशेषोक्ति निरूपण की प्रतिज्ञा की जाती है—अथ इत्यादि।

अब विशेषोक्ति आरब्ध होती है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

प्रसिद्धकारणकलापसामानाधिकरण्येन वर्ण्यमाना कार्यानुत्पत्तिर्विशेषोक्तिः॥

प्रसिद्धो यः कारणकलापः लोकविख्यातकारणसमूह इति यावत् तत्सामानाधिकरण्येन तदधिकरणवृत्तितयेति यावत्, वर्ण्यमाना कार्यस्य अनुत्पत्तिर्विशेषोक्तिरित्यर्थः। यत्र यदीयप्रसिद्धकारणकूटं वर्तमानम् तत्र तत्कार्यानुत्पादो यदि वर्ण्यते तदा विशेषोक्तिनामालङ्कारो भवतीति भावः।

सर्वप्रथम विशेषोक्ति का लक्षण किया जाता है—प्रसिद्ध इत्यादि,

जहां जिस कार्य का लोकप्रसिद्ध कारण समूह वर्तमान हो वहां यदि उस कार्य की अनुत्पत्ति (उत्पन्न न होना) वर्णित हो तब वहां विशेषोक्ति अलङ्कार होता है।

लक्षणं विवेचयति—

तत्र सत्यपि कारणसमवधाने कार्यस्यानुत्पत्तौ विरोधः प्रतिभासमानः प्रसिद्धेतरकारणवैकल्यधिया निवर्तते।

तत्रेति। विशेषोक्तावित्यर्थः। समवधाने सञ्चये। प्रसिद्धेतरेति, अप्रसिद्धेत्यर्थः। वैकल्येति। अभावेत्यर्थः।

कारणसत्त्वे कार्यमुत्पद्यत एवेति निश्चये जाग्रति यदि क्वचित् प्रसिद्धेषु सर्वेषु कारणेषु वर्तमानेष्वपि कार्यमनुत्पद्यमानं तर्हि तत्र विरोधः प्रथमं भासते, पश्चाच्चाप्रसिद्धकारणाभावज्ञाने जाते स निवर्तत इति भावः।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—तत्र इत्यादि।

इस अलङ्कार में कारण के रहने पर भी कार्य की अनुत्पत्ति की बात जो कही गई है उस में यद्यपि प्रथमतः विरोध झलकता है–अर्थात् 'कारण है पर कार्य नहीं होता' यह बात आपाततः यद्यपि विरुद्ध प्रतीत होती है, तथापि 'प्रसिद्ध कारण के रहने पर भी अप्रसिद्ध कारण के अभाव से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती' इस रहस्य के ज्ञान होने पर वह विरोध निवृत्त हो जाता है।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्,

जैसे—

उदाहरणमुल्लिखति—

'उपनिषदः परिपीता गीतापि च हन्त मतिपथं नीता।
तदपि न हा विधुवदना मानससदनाद् बहिर्याति॥'

उपनिषदः आत्मज्ञानसाधकग्रन्थविशेषाः, परिपीताः सम्यगधीता इति लक्षणयाऽर्थः, गीता अपि, मतिपथं नीता बुद्धिविषयतां प्रापिता, तदपि तथापि, हन्त खेदकरमिदं यत्, विधुवदना चन्द्रमुखी नायिका, मानससदनात् मनोमन्दिरात्, बहिर्न याति इत्यर्थः।

उदाहरण का उल्लेख किया जाता है—उपनिषदः इत्यादि।

उपनिषदों का पान पूर्णतया कर लिया–अर्थात् पूर्णरूप से उपनिषदों का अध्ययन-मनन किया और गीता को भी बुद्धि-पथ में लाया, तथापि खेद है कि मन-मन्दिर से चन्द्रमुखी नहीं निकलती।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्,

अथवा जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'प्रतिपलमखिलांल्लोकान्मृत्युमुखं प्रविशतो निरीक्ष्यापि।
हा हतकं चित्तमिदं विरमति नाद्यापि विषयेभ्यः॥'

अखिलान् सर्वान्, लोकान्, जनान्, प्रतिपलम् प्रतिक्षणम्, मृत्युमुखम्, प्रविशतः प्रवेशं कुर्वतः, निरीक्ष्यापि दृष्ट्वापि, इदम्, हतकम् भाग्यहीनम्, चित्तम् मम मनः, अद्यापि, विषयेभ्यः सांसारिकवस्तुजातेभ्यः, न विरमति न निवर्तते, हा शोच्यमेतदित्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—प्रतिपलमित्यादि।

प्रतिक्षण सब लोगों को मृत्यु-मुख में प्रविष्ट होते देख कर भी यह अभागा चित्त विषयों से (सांसारिक उपभोग्य पदार्थों से) विरत नहीं होता यह शोचनीय बात है।

उक्तोदाहरणद्वयसाधारणमुपपादनमाह—

अत्रोपनिषदर्थविमर्शे सकललोकानित्यत्वज्ञाने प्रसिद्धविरतिहेतौ सत्यपि विरत्यनुत्पत्तिवर्णनाद्रागाधिक्यरूपं प्रतिबन्धकं प्रतीयते। इयमनुक्तनिमित्ता। विरत्यनुत्पत्तिनिमित्तस्य प्रतिबन्धकस्यानुपात्तत्वात्।

अत्रेति। उक्तोदाहरणद्वय इत्यर्थः। उपनिषदर्थविमर्श इति, एतच्च प्रथमोदाहरणपरम्। सकललोकानित्य-इति। एतद्द्वितीयोदाहरणपरम्। प्रसिद्धविरतिहेतावित्यस्यैतद्विशेषणद्वयम्। प्रथमोदाहरणे उपनिषद्गीतार्थविचारात्मके द्वितीयोदाहरणे च सकललोकानित्यत्वज्ञानात्मके प्रसिद्धविरागकारणे वर्तमानेऽपि विरागरूपकार्यानुत्पत्तिवर्णनेन विशेषोक्तिलक्षणं संघटते। कारणसत्त्वेऽपि कार्यानुत्पत्तौ भासमानस्य विरोधस्य निवृत्तिस्तु रागाधिक्यरूपप्रतिबन्धकाभावात्मककारणाभावज्ञानेनेति भावः।

इदमुदाहरणद्वयमनुक्तनिमित्ताया विशेषोक्तेर्वर्तते, यतोऽत्र विरतिकारणसत्त्वेऽपि विरत्यनुत्पत्तेर्यद्रागाधिक्यं प्रतिबन्धकाभावाभावमुद्रया निमित्तं तन्नोक्तमित्याशयः।

उक्त दोनों उदाहरणों में विशेषोक्ति का उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'उपनिषदः—' इस प्रथम उदाहरण में उपनिषत् तथा गीताशास्त्र के अर्थों के विचार-रूप प्रसिद्ध विराग कारण के रहने पर भी विरागरूप कार्य की अनुत्पत्ति वर्णित हुई है इसी तरह 'प्रतिपलम्—' इस द्वितीय उदाहरण में समग्र जगत् की अनित्यता के ज्ञान रूप विराग कारण की सत्ता में भी विराग की अनुत्पत्ति वर्णित है और दोनों-उदाहरणों में विराग कारण के रहने पर भी विराग की अनुत्पत्ति में निमित्त है प्रतिबन्धकाभाव रूप कारण का अभाव-अर्थात् उक्त विराग कारणों से अतिरिक्त रागाधिक्यरूप प्रतिबन्धक का अभाव भी विराग की उत्पत्ति में एक हेतु है जो यहां नहीं है-अर्थात् रागाधिक्य रूप प्रतिबन्धक ही है, अतः विराग की उत्पत्ति नहीं हुई। यद्यपि यह प्रतिबन्धक यहां उपात्त नहीं है तथापि अन्य कारणों के रहने पर भी कार्य की अनुत्पत्ति से उक्त प्रतिबन्धक की सत्ता प्रतीत होती है। फलतः ये दोनों ही पद्य अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति के उदाहरण हैं, क्योंकि उक्त प्रतिबन्धक यहां शब्दतः उपात्त नहीं है।

उक्तनिमित्ताया विशेषोक्तेरुदाहरणं ज्ञापयति—

अत्रैव 'रागान्धं चित्तमिदम्' इति निर्माणे उक्तनिमित्ता।

'प्रतिपलम्—' इत्यस्य पद्यस्य तृतीयचरणे 'हा हतकम्' इत्यस्य स्थाने 'रागान्धम्' यदि कथितं भवेत् तदा तत्पद्यमुक्तनिमित्ताया विशेषोक्तेरुदाहरणं सम्पद्येत, रागाधिक्यरूपस्य प्रतिबन्धकस्योक्तत्वादिति भावः।

उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण दिखलाने के लिये कहा जाता है—अत्रैव इत्यादि।

'प्रतिपलम्—' इस पद्य के 'हा हतकं चित्तमिदम्' इस तृतीय चरण को बदल कर यदि 'रागान्धं चित्तमिदम्' ऐसा कर दिया जाय तब वह पद्य उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण होगा, क्योंकि विरति की अनुत्पत्ति में निमित्तभूत प्रतिबन्धक-रागाधिक्य उपात्त हो जायगा।

भेदान्तरविषये मतभेदं दर्शयति—

केचिदचिन्त्यनिमित्तां तृतीयामामनन्ति। उदाहरन्ति च—

'स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः ।
हरतापि तनुं यस्य शम्भुना न बलं हृतम् ॥'

अनुक्तनिमित्तायां निमित्तं निमित्ततावच्छेदकरूपेण चिन्त्यमानं प्रतीयते। इह तु न तथा। किं तु भविष्यति किंचिन्निमित्तमित्याकारेणेत्यनुक्तनिमित्तातोऽचिन्त्यनिमित्ताया भेद इति ह्येषामाशयः। अन्ये तु—'नानुक्तनिमित्तायां चिन्त्यत्वं निमित्तविशेषणम्, भेदान्तरकल्पनागौरवप्रसङ्गात्। किं तु चिन्त्यमचिन्त्यं चेति द्विप्रकारकमपि निमित्तं यत्र नोक्तं सानुक्तनिमित्ता। तेनाचिन्त्यनिमित्ता अनुक्तनिमित्तातो न पृथग्भावमर्हति' इत्याहुः।

तृतीयामिति। विशेषोक्तिमिति शेषः। 'स एकस्त्रीणि—' इति। तनुं शरीरं, हरतापि नाशयतापि, शम्भुना हरेण, यस्य कुसुमायुधस्य, बलम् शक्तिः, न हृतम् न विनाशितम्, सः तादृशः, एकः एकाकी, कुसुमायुधः कामः, त्रीणि जगन्ति जगत्त्रयम्, जयति वशीकरोति इति तदर्थः।

अत्र शरीरनाशेऽपि बलाविनाशे निमित्तमचिन्त्यमिति भावः।

नन्वत्रापि निमित्तस्यानुक्ततयाऽनुक्तनिमित्तातो न किञ्चिद्वैलक्षण्यमिति चेत्तत्राह—अनुक्तनिमित्तायामिति। निमित्ततावच्छेदकरूपेणेति। निमित्तगतासाधारणधर्मरूपेत्यर्थः।

अयं भावः—अनुक्तनिमित्तायामचिन्त्यनिमित्तायाञ्च निमित्तमनुक्तं तिष्ठतीति यद्यपि तुल्यम् तथापि अनुक्तनिमित्तायां निमित्तं चिन्तनोत्तरम् ज्ञातं भवतीति तत्र निमित्तं चिन्त्यम्, यथा 'उपनिषदः—' इत्याद्युदाहरणे रागाधिक्यम्। अचिन्त्यनिमित्तायां तु निमित्तं चिन्तनोत्तरमपि न विज्ञातं भवतीति तत्र निमत्तमचिन्त्यमिति वैलक्षण्यम्। न च 'स एकः-' इति भवदभिमताचिन्त्यनिमित्तोदाहरणेऽपि कामस्य शरीरनाशेपि बलानाशे 'किञ्चिन्निमित्तं भविष्यति' इत्येवंरूपेण निमित्तं विज्ञायत एवेति न वैलक्षण्यमिति वाच्यम्, तत्र निमित्ततावच्छेदकरूपेण (रागाधिक्यत्वेन) निमित्तं (रागाधिक्यम्) प्रतीयते, अत्र तु सामान्यरूपेण (निमित्तत्वेन) इति वैलक्षण्यस्य वर्तमानत्वात्। तथा च निमित्ततावच्छेदकरूपेणाप्रतीयमानत्वमेव निमित्तस्याचिन्त्यत्वमिति। एषामाशय इति। अचिन्त्यनिमित्तात्मकपृथग्भेदमङ्गीकुर्वतामभिप्राय इति भावः। तद्भेदास्वीकर्तृणाम् मतं सोपपादनमाह—अन्ये त्विति, भेदान्तरेति। अचिन्त्यनिमित्तात्मकेत्यर्थः। अयमाशयः—अचिन्त्यनिमित्तायामपि निमित्तस्यानुक्तत्वे भेद एवं विधातुं शक्यो यत् विशेषोक्तिर्द्विविधा उक्तनिमित्ता, अनुक्तनिमित्ता च, तत्रानुक्तनिमित्ता पुनर्द्विविधा चिन्त्यनिमित्ता अचिन्त्यनिमित्ता चेति। परन्तु निमित्ते चिन्त्यत्वमचिन्त्यत्वञ्च विशेषणं संयोज्य भेदवर्धनम् व्यर्थम्। चिन्त्यमचिन्त्यं वा निमित्तमनुक्तं यत्र सः अनुक्तनिमित्तात्मक एक एव भेदः स्वीकार्यो लाघवादिति।

विशेषोक्ति के भेद के विषय में मतभेद का उल्लेख किया जाता है—केचित् इत्यादि।

कुछ विद्वान् 'उक्तनिमित्ता' और 'अनुक्तनिमित्ता' से अतिरिक्त 'अचिन्त्यनिमित्ता' नामक विशेषोक्ति का एक भेद और मानते हैं तथा उस भेद के उदाहरण में 'स एकः

अर्थात् वह कामदेव अकेला ही तीनों लोकों को जीत लेता है, जिसके शरीर का हरण करते हुए भी शिवजी ने बल का हरण नहीं किया' इस पद्य को उपस्थित करते हैं। उन विद्वानों का अभिप्राय यह है कि अनुक्तनिमित्ता और अचिन्त्यनिमित्ता-दोनों में निमित्त अनुक्त रहता है यह बात यद्यपि समान है, तथापि अनुक्तनिमित्ता में निमित्त अनुक्त होकर भी चिन्त्य-अर्थात् निमित्ततावच्छेदक (निमित्तगत असाधारण धर्म) रूप से ज्ञात होने वाला रहता है, जैसे—'उपनिषदः—' इत्यादि उदाहरणों में विरति के कारण के रहने पर भी विरति की उत्पत्ति न होने में निमित्त उक्त न होकर भी 'रागाधिक्य' इस खास रूप में ज्ञात होता है पर अचिन्त्यनिमित्ता में निमित्त अनुक्त तो रहता ही है साथ ही अचिन्त्य भी रहता है—अर्थात् सोचने पर भी किसी खास निमित्त का पता नहीं चलता, बहुत से बहुत इतना भर ज्ञात होता है कि 'कुछ निमित्त होगा'। जैसे—'स एकः—' इस पद्य में काम के शरीर का नाश हो जाने पर भी बल का नाश न होने में कोई खास निमित्त विदित नहीं होता है।

दूसरे विद्वानों का तो कथन है कि यह (अचिन्त्यनिमित्ता) भेद तब हो सकता है यदि अनुक्तनिमित्ता भेद में 'निमित्त' का विशेषण 'चिन्त्य' लगाया जाय (तात्पर्य यह कि जब दोनों में निमित्त की अनुक्ति रहती ही है, तब तो निमित्त के चिन्त्य और अचिन्त्य होने के कारण ही भेद होगें, अतः अनुक्तनिमित्ता भेद की परिभाषा में 'जहाँ निमित्त चिन्त्य होकर अनुक्त हो' ऐसा कहना आवश्यक होगा) पर वैसा विशेषण नहीं लगाया गया है क्योंकि वैसा करने से कोई खास लाभ है नहीं, उलटे एक अन्य भेद (अचिन्त्यनिमित्ता) की कल्पना आवश्यक हो जाने के कारण गौरव का प्रसङ्ग आ जायगा।

अतः चिन्त्य और अचिन्त्य दोनों में से किसी भी प्रकार का निमित्त जहाँ उक्त नहीं हो वहां अनुक्तनिमित्ता नामक विशेषोक्ति का एक ही प्रकार होता है। फलतः अनुक्तनिमित्ता से पृथक् अचिन्त्यनिमित्ता की सत्ता नहीं हो सकती है।

कारणसत्त्व-कार्यानुत्पादयोरेकत्र स्थितौ एकतरस्य बाध्यत्वन्निश्चितम्, तत्र कतरद् बाध्यमिति जिज्ञासायां मतभेदेन समाधानमाह—

अत्र च कारणसमवधानं कार्यानुत्पत्तेर्बाध्यमिति बहवः। वस्तुतस्तु कार्यानुत्पत्तिरेवास्मिन्नलङ्कारे बाध्या।

> 'कर्पूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्यो जने जने।
> नमोऽस्त्ववार्यवीर्याय तस्मै मकरकेतवे॥'
> 'स एक स्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः।
> हरतापि तनुं यस्य शम्भुना न बलं हृतम्॥'

इति प्राचीनप्रसिद्धोदाहरणेषु कारणसमवधानस्य कामशरीरनाशरूपस्य प्रमाणसिद्धत्वेन बाध्यत्वायोगात्। यतः कामस्य शरीरनाशेऽपि शक्तिबलयोर्नाशः कुतो न जात इत्येव सर्वजनीनः प्रत्ययः न तु शक्तिबलयोः सतोः कथं शरीरनाश इति।

मिथोविरुद्धयोः कारणसमवधान-कार्यानुत्पादयोर्मध्ये बलवता कार्यानुत्पादेन दुर्बलस्य कारणसमवधानस्य बाध इति बहूनाम् मतम्। विशेषोक्त्यलङ्कारे कारणसमवधानस्यैव प्राबल्यमतः कार्यानुत्पादस्यैव बाध इति ग्रन्थकारस्य मतम्। स्वमते ग्रन्थकारो युक्तोदाहु-

मुपक्रमते—'कर्पूर इव—' इत्यादि। यथा कर्पूरोऽग्निनिक्षिप्ततया दग्धोऽपि प्रतिजनं स्वशक्तिं प्रकटयति सर्वत्र सौरभं प्रसारयतीति यावत् तथैव कामो हरकोपाग्निना दग्धोऽपि जन-विजय-सामर्थ्यं धत्ते अतस्तस्मै अविनाश्यपराक्रमाय कामाय नमः इति प्रथमश्लोकार्थः। द्वितीयश्लोकार्थस्तु प्रागुक्त एव।

प्रमाणेति। शास्त्ररूपेत्यर्थः। बाध्यत्वायोगादिति। यत्प्रमाणसिद्धं वस्तु तत्कथं बाध्यं भवेत्? कारणसमवधानं च प्रमाणसिद्धमतो न बाध्यम्, अपितु बाधकमेव प्रमाणासिद्धकार्यानुत्पत्तिस्तु बाध्येति भावः। ननु कार्यानुत्पत्तिरपि प्रमाणसिद्धैव, दग्धस्यापि कामस्य शक्तिमत्तायाः शास्त्रप्रतिपादितत्वात् लोकानुभवविषयत्वाच्चेत्यतो युक्त्यन्तरमाह—यत इति। 'कामस्य शरीरनाशेऽपि शक्तिबलयोर्नाशः कुतो न जातः' इति सर्वजनीनेऽनुभवे शक्तिबलनाशात्मककार्यानुत्पत्तेरेव बाध्यत्वेन भानमिति भावः।

विशेषोक्ति अलङ्कार में कारण की विद्यमानता और कार्य की अनुत्पत्ति जो वर्णित रहती है वह परस्पर विरुद्ध है, अतः उन दोनों में से किसी एक का बाधित होना निश्चित है, पर कौन बाधित होता है? कारण की विद्यमानता अथवा कार्य की अनुत्पत्ति? इस सन्देह का निराकरण मतभेद से किया जाता है—अत्र च इत्यादि।

बहुतों का मत है कि कार्य की अनुत्पत्ति से कारण की विद्यमानता बाधित होती है। फलतः वे कार्यानुत्पत्ति को प्रबल और कारण समवधान को दुर्बल मानते हैं।

ग्रन्थकार का कथन है कि वस्तुतः कार्य की अनुत्पत्ति ही इस अलङ्कार में बाध्य रहती है, कारण समवधान नहीं, क्योंकि 'कर्पूर इव-अर्थात् जो कपूर के समान दग्ध होने पर भी प्राणीमात्र के ऊपर अपनी शक्ति को प्रकट करता है उस अनिवार्य पराक्रम वाले कामदेव को नमस्कार है।' और 'स एकः—इसका अर्थ अभी-अभी लिखा जा चुका है' इन प्राचीनों के द्वारा कथित विशेषोक्ति के प्रसिद्ध उदाहरणों में काम के शरीरनाश' रूप कारण की सत्ता प्रमाण (पुराणादि शास्त्रों) द्वारा सिद्ध होने के कारण बाधित होने योग्य नहीं होती। कारण, यहाँ 'शक्ति और बल के रहने पर भी शरीर का नाश क्यों हुआ' ऐसी प्रतीति किसी को नहीं होती, अपितु 'कामदेव के शरीर का नाश हो जाने पर भी शक्ति तथा बल का नाश क्यों नहीं हुआ' ऐसी ही प्रतीति सब को होती है और इस प्रतीति में कार्य की अनुत्पत्ति (शक्ति और बल का नाश न होना) ही बाध्यरूप में झलकती है यह सभी समझ सकते हैं।

ज्ञानवैशद्याय प्रत्युदाहरणभूतं पद्यं सोपपादनमुपस्थापयति—

'दृश्यतेऽनुदिते यस्मिन्नुदिते नैव दृश्यते।
जगदेतन्नमस्तस्मै कस्मैचिद्बोधभानवे॥'

इत्यत्रोदयाभावे जगद्दर्शनस्य, उदयसत्त्वे दर्शनाभावस्य वर्णनेऽपि न विभावनाविशेषोक्ती। नह्यत्र साहजिकसूर्योदयो वर्ण्यते। येन तयोः प्रसङ्गः स्यात्। तथात्वे तूक्तिसंभव एव न स्यात्। किंतु ब्रह्मात्मैक्यबोधसूर्योदयः। तस्य च जगददर्शनमेव कार्यम्। न तु जगद्दर्शनम्। तथात्वे तु सूर्योदयस्येवास्याप्युक्तिसंभवो न स्यात्। अत एव व्यतिरेकोल्लासस्ताद्रूप्यरूपकालीढे संगच्छते।

'दृश्यते—' इति। यस्मिन्, अनुदिते एतत्, जगत्, दृश्यते, पुनः यस्मिन्,

उदिते, एतत् , जगत् नैव, दृश्यते, तस्मै, कस्मैचित् अप्रसिद्धाय, बोधभानवे ज्ञान-सूर्याय, नमः इति तदर्थः ।

उपपादयति—इत्यत्रोदयाभावे इति । साहजिके इति । स्वाभाविकेत्यर्थः । तयोरिति । विभावनाविशेषोक्त्योरित्यर्थः । तथात्वे त्विति । वास्तविकसूर्योदयस्य वर्ण्यत्वे त्वित्यर्थः । उक्तिसंभव एव न स्यादिति । 'अनुदिते सूर्ये जगद् दृश्यते उदिते तु न दृश्यते इत्युक्तिरेव न संभवेदित्यर्थः । कः सूर्योदयस्तर्हि वर्ण्यते ? इति चेत्तत्राह—किं तु इति । ब्रह्मणः आत्मनश्च ऐक्यबोधे एव सूर्यस्तस्योदय इत्यर्थः । तस्य चेति । ब्रह्मात्मैक्यबोधसूर्योदयस्येत्यर्थः । जगद्दर्शनमिति । कार्यमित्यनुषङ्गः । ब्रह्मात्मैक्यबोधाभावविलासस्य जगद्भानस्य ब्रह्मात्मैक्यबोधं जातेऽसत्त्वमेव समुचितं, न सत्त्वमिति भावः । अत्र युक्तिमाह—तथात्वे त्विति । जगद्दर्शनस्य ब्रह्मात्मैक्यबोधसूर्योदयकार्यत्वे इति तदर्थः । न स्यादिति । यथा 'सूर्योदये जगत् न दृश्यते' इत्युक्तिः न संभवति, जगद्दर्शनस्यैव सूर्योदयकार्यत्वात्, तथैव 'ब्रह्मात्मैक्यबोधे जगत् न दृश्यते' इत्युक्तिरपि न संभवेदिति भावः । अथ कोऽत्रालङ्कार इति चेत् तत्राह—अत एवेति । विभावनाविशेषोक्त्योरसंभवादेवेत्यर्थः । ताद्रूप्यरूपकालीढ इति । वैधर्म्यस्य शब्दोपात्तत्वादभेदस्य प्रतीत्यसंभवादचमत्कारित्वाच्च तद्वृत्तिधर्मवत्त्वस्यैव प्रतीतेरस्य ताद्रूप्यरूपकत्वव्यवहार इत्यर्थः ।

पाठकों के ज्ञानवर्धन की दृष्टि से प्रत्युदाहरणरूप में एक पद्य कह कर वहाँ प्रत्युदाहरणता का उपपादन किया जाता है—दृश्यत इत्यादि ।

'दृश्यते—अर्थात् जिसके उदित न होने पर यह संसार दृष्टिगोचर होता है और जिसके उदित होने पर यह संसार दृष्टिगोचर नही होता—उस किसी ज्ञानरूप सूर्य को नमस्कार है ।' इस पद्य में उदय के अभाव में संसार के दर्शन का और उदय होने पर दर्शन के अभाव का वर्णन यद्यपि है, तथापि विभावना तथा विशेषोक्ति अलङ्कार नहीं हो सकते । तात्पर्य यह कि आपाततः यहाँ कारण के अभाव में कार्य और कारण के रहने पर भी कार्य का अभाव-दोनों ही प्रतीत होते हैं, पर उन में से एक भी वस्तुतः नहीं है, अतः विभावना किंवा विशेषोक्ति का प्रसंग नहीं हो सकता है । क्योंकि यहाँ उस वास्तविक सूर्योदय का वर्णन नहीं है जिससे उक्त दोनों अलंकार हो सकते थे । यदि यहाँ वास्तविक सूर्योदय का वर्णन माना जाय तब तो 'सूर्योदय होने पर संसार दृष्टिगोचर नहीं होता' इस तरह का कथन संभव ही न हो सकेगा । कारण वास्तविक सूर्योदय होनेपर संसार का दृष्टिगोचर होना निश्चित है । यहाँ तो 'ब्रह्मात्मा और जीवात्मा की एकता के बोधरूप सूर्य का उदय' वर्णनीय है और इस सूर्य के उदय का कर्तव्य संसार का अदर्शन ही है, संसार का दर्शन नहीं । अभिप्राय यह कि 'ब्रह्म और जीव एक हैं' इस ज्ञान के न रहने पर ही यह संसार भासित होता है और इस ज्ञान के होने पर अपने आप संसार विलीन हो जाता है-संसार का भान नहीं होता है । यदि उक्त ज्ञान-सूर्य के उदय का भी फल संसारदर्शन ही होता तब तो फिर उसी तरह यह उक्ति असंभव होती जिस तरह वास्तविक सूर्योदय के वर्णन में इस उक्ति की असंभावना कही गई है । अतः "यहाँ विभावना किंवा विशेषोक्ति नहीं है, अपि तु वैधर्म्य की उक्ति रहने के कारण बोध और सूर्य में अभेद न मानकर ताद्रूप्य रूपक मानते हुए बोध में सूर्य से आधिक्तता दिखलाने के कारण व्यतिरेकालंकार उल्लसित होता है" यह कथन ही संगत है ।

विभावनाविशेषोक्त्योः शाब्दत्वमार्थत्वञ्च विविनक्ति—

कारणाभावकार्याभावयोर्यत्र प्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टवैशिष्ट्येन श्रुत्या प्रतिपादनं तत्र विभावनाविशेषोक्त्योः शाब्दत्वम्। यथा—

'भगवद्वदनाम्भोजं पश्यन्त्या अप्यहर्निशम्।
तृष्णाधिकमुदेति स्म गोपसीमन्तिनीदृशः॥'

लोके ह्यसंनिकर्षस्तृष्णाकारणम्। तदभावे संनिकर्षेऽपि तृष्णोपनिबद्धा। तथा संनिकर्षस्तृप्तिकारणम्। तस्मिन्सत्यपि तृप्त्यभावो बोधितः। परंतु कारणाभाव-कार्याभावयोर्न प्रागुक्तप्रकारेण प्रतिपादनमित्यार्थत्वमेव तदुभयसंशयसंकरस्य। अमुमेव चार्थं मनसिकृत्य मम्मटभट्टैः 'यः कौमारहरः' इति पद्यमुदाहृत्योक्तम्—'अत्र स्फुटो न कश्चिदलङ्कारः' इति।

प्रतियोगितावच्छेदक··· इति। प्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टस्य प्रतियोगिनः विशेषणत्वं विधायेति भावः। श्रुत्येति। शब्दत इतिभावः। कारणतावच्छेदकधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽभावो यत्र शब्दतः प्रतिपादितस्तत्र विभावना शाब्दी यत्र कार्यतावच्छेदकधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽभावः शब्दतः उक्तस्तत्र च विशेषोक्तिः शाब्दीति सारांशः।

व्यतिरेक्युदाहरणं दर्शयितुमाह—यथेति। व्यतिरेक्युदाहरणमाह—'भगवद्—'इति। अहर्निशम् रात्रिन्दिवम् भगवद्वदनाम्भोजम् श्रीकृष्णमुखकमलम्, पश्यन्त्या अपि-अवलोकयन्त्या अपि, गोपसीमन्तिनीदृशः गोपाङ्गनानयनस्य, तृष्णा दर्शनेच्छा, अधिकम् यथा स्यात्तथा उदेतिस्म उत्पद्यतेस्मेति तदर्थः। उपपादनमाह—लोके इति। असंनिकर्ष इति। असान्निध्यमित्यर्थः। अप्राप्तिरिति यावत्। तृष्णा सांसारिकीच्छा। तदभाव इति। असंनिकर्षाभाव इत्यर्थः। संनिकर्षेऽपीति अभावाभावस्य प्रथमाभावप्रतियोगिरूपत्वेनासंनिकर्षाभावः संनिकर्षरूप इति भावः। तस्मिन्निति। संनिकर्ष इत्यर्थः। तृप्त्यभावो बोधित इति। तृष्णोदयकथनेन तृप्त्यभावो गमितः, तृप्तेस्तृष्णोदयप्रतिबन्धकत्वेन तस्यां सत्यां तृष्णोदयासंभवादिति भावः।

कारणाभाव-कार्याभावयोरिति। असंनिकर्षाभाव-तृप्त्यभावयोरित्यर्थः। प्रागुक्तप्रकारेणेति। प्रतियोगितावच्छेदकविशिष्टवैशिष्ट्येनेत्यर्थः। तेन रूपेण प्रतिपादनं तदाऽभविष्यत् यदि 'न अपश्यन्त्या' इति 'तृप्तिर्न' इति चोक्तिरस्यास्यदिति बोध्यम्। अतो नात्र तयोः शाब्दत्वमपि तु आर्थत्वमेवेत्याह—इत्यार्थत्वमेवेति। तदुभयेति। विभावनाविशेषोक्तिद्वयेत्यर्थः। संशयसंकरस्येति। विभावनाविशेषोक्त्योः साधकबाधकयुक्त्यभावात्संशयसंकर इति भावः। अमुमेव चार्थमिति। पूर्वोक्तमेवार्थमित्यर्थः। 'यः कौमारहरः' इति। '···स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपाः, ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः। सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ, रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते॥' इति तत्पद्यशेषांशः। उदाहृत्येति। 'क्वचित्तु अस्फुटालङ्कारावपि शब्दार्थौ काव्यम्' इति काव्यलक्षणांशोदाहरणरूपेणोद्धृत्येत्यर्थः। 'स्फुटो न कश्चिदलंकार' इति। 'स एव हि वरः-' इत्याद्युक्त्या उपभोगत्वेन रूपेणोपभोगाभावाभावस्य (कारणाभावस्य) वर्णनेऽपि उपभोगाभावाभावत्वेन रूपेणावर्णनात् विभावायाः उत्कण्ठात्वेन रूपेणोत्कण्ठाभावा-

भावस्य (कार्याभावस्य) वर्णनेऽपि उत्कण्ठाभावाभावत्वेन रूपेणावर्णनाद् विशेषोक्तेरस्फुट-त्वमिति भावः ।

विभावना तथा विशेषोक्ति के शाब्द तथा आर्थ भेदों के विषय में विचार किया जाता है—कारणाभाव इत्यादि ।

कारणाभाव जहां प्रतियोगितावच्छेदक विशिष्ट वैशिष्ट्यपूर्वक अर्थात् स्वगत असाधारण धर्म से युक्त कारणविशेष का स्पष्ट उल्लेखपूर्वक शब्दतः प्रतिपादित हो वहां विभावना शाब्दी होती है इसी तरह कार्याभाव जहां प्रतियोगितावच्छेदक विशिष्ट वैशिष्ट्यपूर्वक—अर्थात् स्वगत असाधारण धर्म से युक्त कार्यविशेष का स्पष्ट उल्लेखों पूर्वक शब्दतः प्रतिपादित हो वहां विशेषोक्ति शाब्दी होती है और इससे विपरीत स्थिति रहने पर क्रमशः आर्थी विभावना तथा आर्थी विशेषोक्ति होती है। जैसे—'भगवद्—अर्थात् भगवान् के मुख-कमल को रात-दिन देखती हुई भी गोपाङ्गनाओं की दृष्टि में अधिकाधिक तृष्णा का उदय होता था' इस पद्य में विभावना विशेषोक्ति होने का आर्थ सन्देह संकर होता है ।

लोक में तृष्णा का कारण है असंनिकर्ष-असान्निध्य-अर्थात् संसार में तृष्णा उस वस्तु की होती है जिसका सान्निध्य नहीं रहता—जिसका उपभोग नहीं होता रहता। इस तरह से तृष्णा का कारण अभावात्मक है, क्योंकि असंनिकर्ष का होता है सन्निकर्ष का अभाव। अब इस कारण का अभाव दो तरह से कहा जा सकता है, एक तो साफ संन्निकर्ष के अभाव का अभाव कह कर अर्थात् 'भगवन्मुखकमल को न देखती हुई नहीं' ऐसा कह कर (इस कथन में भगवद्मुखदर्शन सान्निध्य के अभाव का अभाव स्पष्ट है) और दूसरे सन्निकर्ष कह कर-अर्थात् 'भगवन्मुखकमल को देखती हुई' ऐसा कह कर (यह भी कारणाभाव का कथन हुआ, क्योंकि असंन्निकर्ष-सन्निकर्षाभाव-का अभाव सन्निकर्ष ही अन्ततः सिद्ध होता है)। प्रकृत पद्य में दूसरे प्रकार से तृष्णा के कारण का अभाव निर्दिष्ट है और तृष्णा की उत्पत्ति भी, अतः यहाँ विभावना हो सकती है इस में सन्देह नहीं, पर आर्थी विभावना ही हो सकती है, शाब्दी नहीं, क्योंकि यहाँ तृष्णा के कारण-असंनिकर्ष (संनिकर्षाभाव) का अभाव, शब्दतः, प्रतियोगितावच्छेदक (सन्निकर्षाभावत्व) से विशिष्ट (युक्त) अर्थात् सन्निकर्षाभाव के वैशिष्ट्य (विशेषणता) को पूर्व में रखकर-अर्थात् असंनिकर्षाभाव के रूप में ('भगवन्मुख को न देखती हुई नहीं' इस रूप में) नहीं निर्दिष्ट है ।

इसी तरह लोक में सन्निकर्ष तृप्ति का कारण है और वह यहाँ निर्दिष्ट है-अर्थात् 'रात-दिन भगवन्मुखकमल को देखती हुई ऐसा कहा हुआ है, तथापि तृप्तिरूप कार्य का अभाव यहाँ बोधित हुआ है-अर्थात् तृष्णोदय की बात कह कर तृप्तभाव सूचित किया गया है, क्योंकि तृप्ति की स्थिति में तृष्णा का उदय संभव नहीं था, अतः यहाँ विशेषोक्ति भी हो सकती है, पर आर्थी विशेषोक्ति ही, शाब्दी नहीं, क्योंकि यहाँ तृप्तिरूप कार्य का अभाव शब्दतः ('तृप्ति नहीं हुई' ऐसा कह कर) नहीं प्रतीत होता, अपितु 'तृष्णोदय' के द्वारा सूचित होता है। फलतः यहाँ विभावना तथा विशेषोक्ति में से किसी एक की साधक किंवा बाधक युक्ति के नहीं रहने से दोनों का (आर्थी विभावना और आर्थी विशेषोक्ति का) संदेह होता है जिससे संदेह सङ्करालङ्कार स्पष्ट हो जाता है ।

इसी बात को मन में रख कर मम्मट भट्ट ने 'यः कौमारहरः (संपूर्ण पद्य संस्कृत व्याख्या में देखा जा सकता है)-अर्थात् जो मेरे कौमार्य का हरण करने वाला था-अर्थात् जो कुमारावस्था में ही मेरे साथ संभोग कर चुका था वही बाद में मेरा वर भी हुआ

है–अर्थात् उसी के साथ मेरी सादी भी पीछे हो गई, चित्रा नक्षत्र से से युक्त रातें भी वे ही हैं (यहाँ 'चैत्र क्षपाः' का अर्थ 'चैत्र मास की रात्रियाँ' करना ठीक नहीं, क्योंकि आगे मालती और कदम्ब के फूलों की चर्चा की गई है और वे फूल 'चैत' में नहीं खिलते, अपितु बरसात में खिलते हैं), विकसित मालती के सौरभ को लेकर बहने वाले प्रौढ कदम्बानिल भी वे ही हैं, मैं भी वही हूँ–अर्थात् सब कुछ पुराने हैं–उपभुक्त ही हैं–कोई नवीनता नहीं है–कोई वस्तु अनुपभुक्त नहीं है, तथापि उस संभोग क्रिया-कलाप के विधान के विषय में रेवातटगत–वेतस-तरुतल के लिए चित्त उत्कण्ठित हो रहा है, अर्थात् पहले तो समाज के भय से बरसात की रातों में छिप-छिप कर रेवा के तट पर वेतस कुञ्जों में जिसके साथ विहार किया करती थी वही जब आज मेरे लिए घर पर भी सुलभ है, छिपकर की जाने वाली क्रीडा में प्राप्त होने वाला आनन्द भी अनुभूत हो ही चुका है, तब पुनः पहले की तरह छिपकर क्रीडा करने की उत्कण्ठा नहीं होनी चाहिए, पर इस मन की गति को क्या कहा जाय ? यह मेरा मन अब भी उसी के लिए लालायित रहता है (यह सखी के प्रति किसी नायिका की उक्ति है)' इस पद्य को 'कहीं-कहीं अस्फुट अलङ्कार वाला वाक्य भी काव्य होता है' इस काव्यलक्षणांश के उदाहरण रूप में उद्धृत कर कहा है कि "यहाँ कोई स्पष्ट अलङ्कार नहीं है।" यहाँ भी वही स्थिति है जो 'भगवद्वदनाम्भोजम्—' इस पद्य में थी–अर्थात् यहाँ भी, उत्कण्ठा का कारण जो अनुपभोग (उपभोगाभाव) है उसका अभाव (उपभोगाभावाभाव) उपभोग रूप में कहा गया है, अतः आर्थी विभावना की और उपभोग का कार्य जो अनुत्कण्ठा (उत्कण्ठाभाव) है उसका अभाव (उत्कण्ठाभावाभाव) यहाँ उत्कण्ठा रूप में वर्णित हुआ है, अतः विशेषोक्ति की भी संभावना है, पर साधक-बाधक युक्ति के अभाव में किसी एक का निश्चय नहीं हो पाता, अतः दोनों का संदेह सङ्कर हो जाता है। साहित्यदर्पणकार ने इसीलिए मम्मट का खण्डन करते हुए कहा है कि "संदेह संकरालङ्कार तो स्पष्ट हो ही गया, फिर 'कोई अलङ्कार यहाँ स्फुट नहीं है' यह अयुक्त कथन है।

वामनमतमुद्धृत्य निरस्यति—

वामनस्तु—'एकगुणहानिकल्पनायां साम्यदार्ढ्यं विशेषोक्तिः' इत्याह। उदाजहार च—'द्यूतं हि नाम पुरुषस्यासिंहासनं राज्यम्' इति। अत्र हि—द्यूते राज्यं तादात्म्येनारोप्यते। तत्र सिंहासनरहितं हि द्यूतं सिंहासनसहित-राज्यतादात्म्यं कथं वहेदित्यारोपोन्मूलकयुक्तिनिरासायारोप्यमाणे राज्येऽपि सिंहासनराहित्यं कल्प्यते। तेन दृढारोपं रूपकमेवेदम्, न विशेषोक्तिः।

एकगुणहानि—' इति। एकस्य गुणस्य धर्मविशेषस्येति यावत्, अभावं कल्पयित्वापि यत्साम्यस्य दृढीकरणं सा विशेषोक्तिरित्यर्थः। 'द्यूतं हि नाम—' इति। पुरुषस्य कृते द्यूतम् सिंनासनहीनं राज्यमस्तीत्यर्थः। अत्र सिंहासनरूपस्यैकस्य गुणस्याभावं कल्पयित्वापि द्यूतराज्ययोः साम्यं दृढीक्रियत इति लक्षणसमन्वयः। निरस्यति—अत्र हीति। आरोपोन्मूलकयुक्तिनिरासायेति। सिंहासनराहित्यरूपा या द्यूते राज्यारोपस्योन्मूलिका-युक्तिस्तन्निरासायेत्यर्थः। आरोप्यमाणे आरोपविषयिणि। दृढारोपं रूपकमेवेदमिति। रूपकमिदं प्राक् मालारूपोत्प्रेक्षाप्रकरणेऽप्युक्तम् ग्रन्थकारेणेति बोध्यम्।

वामन के मत को उद्धृत कर खण्डित किया जाता है—वामनस्तु इत्यादि।

आचार्य वामन तो कहते हैं कि "एक गुण (धर्मविशेष) के अभाव की कल्पना करने पर भी समानता की दृढता विशेषोक्ति है"। ऐसा कहकर उन्होंने—उदाहरण दिया है कि "जुआ पुरुष के लिए सिंहासनरहित राज्य है।" उनके हिसाब से यहाँ सिंहासन-राहित्यरूप एक गुण के अभाव की कल्पना करने पर भी द्यूत की राज्य के साथ समता दृढ़ की गई है, अतः विशेषोक्ति है। पर विचार करने पर सिद्ध होता है कि यहाँ तादात्म्य संबन्ध से द्यूत में राज्य का आरोप है, किन्तु इस आरोप में कठिनता यह होती है कि सिंहासनविहीन द्यूत सिंहासनयुक्त राज्य के तादात्म्य को प्राप्त कैसे कर सकता है, आरोप को उखाड़ने वाली इस युक्ति को हटाने के लिए आरोप्यमाण राज्य में भी 'सिंहासनराहित्य' की कल्पना कर ली गई है—अर्थात् 'राज्यम्' का विशेषण 'असिंहासनम्' कह दिया गया है। अतः यह दृढारोप रूपक ही है, विशेषोक्ति नहीं।

समानन्यायादन्यत्राप्येनां रीतिं समर्थयति—

एवं च—

'अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः।
अभाललोचनः शंभुर्भगवान्बादरायणः॥'

इति पौराणपद्येऽपि रूपकमेव। तथा गुणाधिक्यकल्पनायामपि तदेव। यथा—

'धर्मो वपुष्मान्भुवि कार्तवीर्यः' इत्यादौ।

'अचुतर्वदनो—' इति। भगवान् ज्ञानैश्वर्यशाली, बादरायणः वेदव्यासः, अचतुर्वदनः वदनचतुष्टयरहितः, ब्रह्मा प्रजापतिः, द्विबाहुः बाहुद्वयविशिष्टः, अपरः द्वितीयः, हरिः विष्णुः, अभाललोचनः तृतीयनेत्ररहितः, शम्भुः शिवः, वर्तत इति सर्वत्राध्याहारलभ्यम्। रूपकमेवेति। दृढारोपरूपकमित्यर्थः। न केवलं गुणहानिकल्पनायामेव अपि तु गुणाधिक्य-कल्पनायामपि दृढारोपरूपकमेव भवतीत्याह—तथेति। तदेवेति। दृढारोपरूपकमेवेत्यर्थः। गुणाधिक्योदाहरणमाह—यथेति, 'धर्मो—' इति। कार्तवीर्यः सहस्रबाहुरर्जुनः, भुवि संसारे, वपुष्मान् मूर्तिमान् धर्मः अस्तीत्यर्थः। अत्रारोप्यमाणधर्मापेक्षया आरोपविषये कार्तवीर्ये वपुष्मत्त्वमधिकमिति भावः।

'उक्त स्थिति में अन्यत्र भी दृढारोपरूपक ही होता है' इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है—एवं च इत्यादि।

उक्त विवरण से यह सिद्ध हुआ कि—'अचतुर्वदनः-अर्थात् भगवान् वेदव्यास बिना चार मुख के ब्रह्मा, दो भुजा वाले दूसरे विष्णु और तृतीयनेत्र से रहित शिव हैं' इस पुराण के पद्य में भी दृढारोप रूपक ही है। इसी प्रकार गुण की अधिकता की कल्पना में भी दृढारोपरूपक ही होता है। जैसे—'धर्मो—अर्थात् कार्तवीर्य (सहस्रबाहु अर्जुन) पृथ्वी पर मूर्तिधारी धर्म है।' इस वाक्य में। यहाँ आरोप्यमाण धर्म की अपेक्षा आरोप विषय कार्तवीर्य में मूर्तिमत्ता गुण की अधिकता कल्पित हुई है।

उक्तविवेचनेन विशेषोक्तेर्लक्षणान्तरमपि निरस्तमिति सूचयति—

एतेन 'एकगुणहान्युपचयादिकल्पनायां साम्यदार्ढ्यं विशेषणम्' इति विशेषालंकारं लक्षयन्तोऽपि प्रत्युक्ताः।

एतेनेति। उक्तरीत्या गुणहान्युपचयकल्पनायां दृढारोपरूपकसमर्थनेनेत्यर्थः। उपच-

येति। आधिक्येत्यर्थः। 'विशेषणम्' 'विशेषः' इत्युभावपि विशेषोक्तिपर्यायौ। प्रत्युक्ता इति। परास्ता इत्यर्थः।

उक्त विवेचन से 'एक गुण की हानि अथवा वृद्धि आदि की कल्पना कर के सादृश्य की दृढता को विशेषण कहते हैं।' इस तरह से विशेषालङ्कार का लक्षण करने वाले भी खण्डित हो जाते हैं।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे विशेषोक्तिप्रकरणम्।

रसगङ्गाधरे निबन्धे विशेषोक्तिप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां विशेषोक्तिप्रकरणम्॥

विरोधमूलकमसंगत्यलङ्कारं निरूप्यत्वेन प्रतिजानीते—

अथासंगतिः—

असंगत्यलङ्कारनिरूपणमारब्धं बोध्यमिति भावः।

'विरोधाभास' अलङ्कार के बाद अब विरोधमूलक 'असंगति' अलङ्कार के निरूपण की प्रतिज्ञा की जाती है—अथेत्यादि।

'असङ्गति' अलङ्कार का विचार अब आरब्ध समझना चाहिए।

तावत्तल्लक्षणमाह—

विरुद्धत्वेनापाततो भासमानं हेतुकार्ययोर्वैयधिकरण्यमसंगतिः॥

आपातत इति। न वस्तुत इति भावः। वैयधिकरण्यं भिन्नदेशत्वम्। यस्मिन्देशे यत्कारणं तद्भिन्नदेशे तत्कार्यं चेद् वर्ण्यते, तादृशं वर्णनञ्चापाततो विरुद्धं चेत्प्रतीयते तदा तत्रासंगतिनामालंकारो भवतीति भावः।

सर्वप्रथम उसका लक्षण किया जाता है—विरुद्धत्वेन इत्यादि।

कारण और कार्य की उस भिन्नदेशता को 'असंगति' कहते हैं जो आपाततः (ऊपर-ऊपर से) विरुद्ध प्रतीत होती हो।

पदकृत्यं सूचयितुमाह—

'स्पृशति त्वयि यदि चापं स्वापं प्रापन्न केऽपि नरपालाः।
शोणो तु नयनकोणो को नेपालेन्द्र तव सुखं स्वपितु॥'

अत्र चापस्पर्श—नयनशोणिम्नोर्हेत्वोः स्वापनाशरूपकार्यवैयधिकरण्येऽतिप्रसङ्गवारणाय विरुद्धेत्यादि। इह च भिन्नदेशस्थयोरेव तयोः कार्यप्रयोजकतया विरोधानवकाशात्।

ननु शोणिमाभिव्यक्तस्य रोषस्य कालिकसंबन्धेन हेतुत्वादस्तु नाम कार्यभिन्नदेशत्वम्। चापस्पर्शस्य तु लीलया कृतस्य स्वरूपतो हेतुत्वाभावात्तज्ज्ञानं स्वापनाशे हेतुत्वेनाभ्युपगन्तव्यम्। एवं च तस्य कथं वैयधिकरण्यमिति चेत्, न। प्रयोजकस्यापि हेतुपदेनात्र ग्रहणाददोषः। प्रयोजकत्वं च चापस्पर्शस्य भ्रमात्मकरोषानुमितिलिङ्गत्वात्।

'स्पृशति—' इति । हे नेपालेन्द्र नेपालनरेश, त्वयि चापं धनुः स्पृशति सति, केऽपि, नरपालाः राजानः स्वापम् निद्राम् यदि न प्रापन् प्राप्तवन्तः तु पुनः, तव, नयनकोणे, शोणे रक्ते, सति, कः, सुखं सुखपूर्वकम्, स्वपितु निद्रातु, न कोऽपीति भावः ।

उपपादयति—अत्रेति । 'स्पृशति—' इति पद्ये, हेतुभूतः' चापस्पर्शः नेत्ररक्तिमा च नेपालनरेशगततया वर्णितः, तत्कार्यञ्च निद्रानाशः विपक्षक्षितिपालवर्तितया वर्णित इति कारणकार्ययोर्वैयधिकरण्यं वर्तते, परमस्मिन् वैयधिकरण्येऽसंगतिलक्षणं न गच्छत्वित्यर्थं लक्षणे 'विरुद्धत्वेनापाततो भासमानम्' इत्यंशो निवेशित इति भावः ।

ननु कथं तन्निवेशे तद्वारणमित्यत्राह—इह चेति । तयोरिति । चापस्पर्शनयनशोणिम्नोरित्यर्थः । कार्येति । निद्रानाशरूपकार्येत्यर्थः । विरोधानवकाशादिति । चापस्पर्श-नयनशोणिमानौ भिन्नदेशस्थावेव निद्रानाशं प्रति हेतू भवत इति नैतद्धेतुकार्यवैयधिकरण्यं विरुद्धं प्रतीयत इति भावः ।

शङ्कते—नन्विति । लीलया कृतस्येति । लीलया कृतश्चापस्पर्शो न रोषव्यञ्जकस्तथा च नात्र कालिकसंबन्धस्य हेतुतावच्छेदकत्वं संभवतीति भावः । स्वरूपत इति । ज्ञानमद्वारीकृत्येत्यर्थः । हेतुत्वाभावादिति । कालिकातिरिक्तसंबन्धेन चापस्पर्शस्य स्वापनाशं प्रति स्वरूपतो हेतुत्वन्न संभवतीति भावः । अभ्युपगन्तव्यमिति । ननु ज्ञानविषयीभूतश्चापस्पर्शः स्वापनाशं प्रति स्वरूपत एव कालिकसंबन्धेन हेतुरस्त्विति चेन्न, वस्तुतश्चापस्पर्शविरहेऽपि भ्रमात्मकचापस्पर्शज्ञानेनापि निद्रानाशदर्शनेन चापस्पर्शज्ञानस्यैव तत्र हेतुत्वकल्पनौचित्यात् । 'स्पृशति—' इति पद्ये वाच्यवृत्त्या वर्णितो नयनकोणशोणिमा स्वाधिकरणनयनसंबन्धिनि नेपालनरेशे रोषं व्यनक्ति । स च रोषः कालिकसंबन्धेन स्वापनाशं प्रति हेतुरिति एतयोर्हेतु-कार्ययोर्वैयधिकरण्यं समुचितमेवेति तस्मिन् वैयधिकरण्येऽसंगतिलक्षणातिप्रसङ्गवारणं भवतु नाम विरुद्धत्वेन भासमानत्वात्मक-वैयधिकरण्यविशेषणफलम् चापस्पर्शज्ञानं तु समवायेनैव निद्रानाशं प्रति हेतुरिति चापस्पर्शज्ञान-निद्रानाशयोर्वैयधिकरण्यमेव नास्तीति असति वैयधिकरण्येऽतिव्याप्तिवारणस्य विरुद्धत्वविशेषणफलत्वकथनमसङ्गतमिति शङ्कादलाशयः ।

समाधत्ते—नेति । प्रयोजकस्यापीति । अपिना जनकस्य समुच्चयो बोध्यः । अत्रेति । असंगतिलक्षण इत्यर्थः । ननु चापस्पर्शस्य निद्रानाशं प्रति प्रयोजकत्वं कथमिति चेत्तत्राह—प्रयोजकत्वं चेति । भ्रमात्मकरोषानुमितीति । भ्रमात्मिका या रोषस्यानुमितिस्तदित्यर्थः । असंगतिलक्षणे हेतुपदम् जनकप्रयोजकोभयसाधारणं विवक्षितम् । एवञ्च 'लीलया कृतोऽपि यश्चापस्पर्शः 'नेपालनरेन्द्रो रोषवान् , चापस्पर्शात्' इत्याकारकभ्रमात्मकविपक्षनृपगतानुमितौ लिङ्गभूतः स तादृशानुमित्यनन्तरजायमानविपक्षनृपगतनिद्रानाशप्रयोजक इति भिन्नदेशस्थस्यैव चापस्पर्शस्य स्वरूपत एव निद्रानाशं प्रति हेतुत्वम् (प्रयोजकत्वम्) जातमिति तत्रापि हेतुकार्ययोर्वैयधिकरण्यं वर्तत इति समाधानाशयः ।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—स्पृशति इत्यादि ।

'स्पृशति—अर्थात् हे नेपालराज ! आप के द्वारा धनुष का स्पर्शमात्र होने पर यदि राजा लोग निद्रा को नहीं प्राप्त कर सके तब आपके नयनकोण के लाल हो जाने पर

भला कौन सुखपूर्वक सो सकता है।' इस पद्य में 'चापस्पर्श-तथा नेत्र की लाली' इन दोनों कारणों और 'निद्रानाश' रूप कार्य की जो भिन्नदेशता (उक्त दोनों कारण नेपाल नरेश में हैं और उक्त कार्य है विपक्ष राजाओं में, अतः कार्यकारण की भिन्नदेशता है) वर्णित हुई है उसमें असंगति अलंकार का लक्षण न जा सके—अर्थात् इस तरह की कार्य-कारण की भिन्नदेशता असंगति न समझी जाय, इसलिए लक्षण में वैयधिकरण्य (कार्य-कारण की भिन्नदेशता) का विशेषण 'आपाततः विरुद्ध प्रतीत होने वाला' कहा गया है।

इस विशेषण से उक्त अतिप्रसङ्ग का वारण इसलिए होता है कि 'धनुष का स्पर्श अथवा नेत्र की लालीरूप कारण और निद्रानाशरूप कार्य की भिन्नदेशता विरुद्ध नहीं है, क्योंकि ये दोनों कारण भिन्न देश में रहकर ही भिन्न देश में निद्रानाशरूप कार्य को उत्पन्न करते हैं। इन कारणों का ऐसा ही स्वभाव है, फिर इसमें विरोध का अवकाश कहाँ? विरोध तो तब झलकता है जब कार्यदेशस्थ होकर कार्योत्पत्ति करने वाले कारणों से भिन्न देश में कार्य की उत्पत्ति वर्णित होती है।

यहां एक शङ्का यह उठ सकती है—'स्पृशति—' इस पद्य में जो नयनकोण की लाली अभिधावृत्ति से वर्णित है उससे नेपाल नरेश का रोष अभिव्यक्त होता है और वह रोष होता है कालिक सम्बन्ध से विपक्षनृपतिगत निद्रानाश का कारण, अतः निद्रानाश का यह कारण भिन्नदेशस्थित (व्यधिकरण) ठीक है—अर्थात् प्रबल का रोष जिस काल में होता है उस काल में दुर्बल की निद्रा नष्ट हो जाती है इस तरह निद्रानाश रूप कार्य के प्रति एक काल में रह कर रोष कारण है एक अधिकरण में रहकर नहीं, फलतः इन दोनों (कार्य-कारणों) का वैयधिकरण्य साफ और समुचित है, पर नेपालनरेश द्वारा क्रीडा में किया गया धनुष का स्पर्श स्वरूपतः—अर्थात् अपने-आप, विपक्ष-नृपगत निद्रा नाश के प्रति कारण नहीं हो सकता—अर्थात् दुर्बल के निद्रानाश के लिए प्रबलकृत धनुष-स्पर्श का ज्ञान होना अपेक्षित है, फलतः चापस्पर्श-ज्ञान को निद्रानाश का कारण मानना पड़ेगा और चापस्पर्शज्ञान तथा निद्रानाश दोनों विपक्ष राजारूप एक ही अधिकरण में रहने वाले हुए, फिर इस अंश में कार्य-कारण का वैयधिकरण्य कहां हुआ, तो इसका उत्तर यह है कि 'असंगति' के उक्त लक्षण में जो 'हेतु' पद है उसका अर्थ जनक और प्रयोजक—अर्थात् साक्षात् कारण और पारंपरिक कारण दोनों हैं, अतः कोई दोष नहीं होता। तात्पर्य यह कि निद्रानाश के प्रति प्रयोजक होने से चापस्पर्श स्वरूपतः ही हेतु समझा गया है और जब चापस्पर्श ही हेतु हुआ, चाप-स्पर्श-ज्ञान नहीं, तब वह कार्य से भिन्नदेशस्थ हुआ ही, क्योंकि चापस्पर्श नेपाल-नरेश में है और निद्रानाश है विपक्षनृपों में। अब रहा यह कि चापस्पर्श निद्रानाश का प्रयोजक भी कैसे होता है? तो यह समझना चाहिए कि खेल-खेल में नेपाल-नरेश द्वारा किए गये चाप-स्पर्श से विपक्ष राज-गण यह अनुमान करते हैं कि 'नेपालनरेश हम पर रुष्ट हैं' यद्यपि यह अनुमान भ्रमात्मक है, क्योंकि नेपालनरेश ने रोष से नहीं, अपि तु क्रीडा-प्रसङ्ग से चाप-स्पर्श किया है, फिर भी इसी भ्रमात्मक अनुमान के कारण विपक्ष राजाओं की निद्रा नष्ट हो जाती है। इस तरह चापस्पर्श निद्रा-नाश का प्रयोजक हो जाता है—अर्थात् निद्रानाश का कारण होता है उक्त अनुमान और उक्त अनुमान में हेतु है चापस्पर्श।

उदाहरणं निर्देष्टुमाह—

उदाहरणम्—

यथेति शेषः।

उदाहरण जैसे—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'अङ्गैः सुकुमारतरैः सा सुकुमानां श्रियं हरति।
प्रहरति हि कुसुमबाणो जगतीतलवर्तिनो यूनः॥'

सा वर्णनीयनायिका, सुकुमारतरैः अतिकोमलैः, अंगैः, कुसुमानाम् पुष्पानाम्, श्रियम् शोभाम् (सम्पत्तिम्), हरति आदत्ते, कुसुमबाणः कामदेवः, जगतीतलवर्तिनः सांसारिकान् यूनः युवकान् प्रहरति प्रहारं विधत्ते इत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—अङ्गैः इत्यादि।

वह (वर्णनीयनायिका) अपने अत्यन्त कोमल अङ्गों से पुष्पों की श्री (शोभा+संपत्ति) का हरण करती है और कुसुमायुध (कामदेव) पृथिवीतल पर रहनेवाले-अर्थात् सभी युवकों पर प्रहार करता है।

उदाहरणान्तरन्निर्देष्टुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्,

अथवा जैसे—।

उदाहरणमुल्लिखति—

'दृष्टिर्मृगीदृशोऽत्यन्तं श्रुत्यन्तपरिशीलिनी।
मुच्यन्ते बन्धनात्केशा विचित्रा वैधसी गतिः॥'

मृगीदृशः मृगनयनायाः दृष्टिः नेत्रद्वयी, अत्यन्तम् अत्यधिकम्, श्रुत्यन्तस्य वेदान्तस्य कर्णपार्श्वभागस्य च, परिशीलिनी-अभ्यसयित्री स्प्रष्ट्री च, वर्तत इति शेषः। केशाश्च बन्धनात् मुच्यन्ते बन्धनमुक्ताः केशा भवन्ति, वैधसी विधातृसंबन्धिनी, गतिः रीतिः, विचित्रा आश्चर्यकरीत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—दृष्टिः इत्यादि।

मृगाक्षी नायिका की दृष्टि श्रुत्यन्त (वेदान्त+कानों के छोर) का अत्यन्त परिशीलन (अभ्यास+स्पर्श) करने वाली है और बन्धन से मुक्त होते हैं केश। विधाता की गति विचित्र है।

उपपादयितुं प्रक्रमते—

अत्राद्योदाहरणे शुद्धा, द्वितीये तु श्लेषोपबृंहितेति विशेषः। प्रहरतीत्यत्राभेदाध्यवसायलक्षणेनातिशयेनापराधनिमित्तकताडनरूपतयावस्थिते कामपीडने विषय्यंशमालम्ब्य तं प्रति समानाधिकरणतया प्रसिद्धस्य हेतोरपराधरूपस्य वैयधिकरण्यज्ञानात्पुरः स्फुरन्विरोधो विषयांशविमर्शोत्तरम् तं प्रति कुसुमश्रीहरणाभिव्यक्तशोभाविशेषस्य भावनोपनीतस्य तद्भावनाया वा हेतुत्वस्य प्रतिसंधानान्निवर्तत इत्यभेदाध्यवसानमनुप्राणकम्, विरोधाभासश्चोत्कर्षकः। एवमन्यत्रापि बोध्यम्।

आद्योदाहरणे इति 'अङ्गैः सुकुमारतरैः-' इत्यत्रेत्यर्थः। शुद्धेति। श्लेषरहितेति भावः। असंगतिरिति शेषः। एवमग्रेऽपि। द्वितीय इति 'दृष्टिर्मृगीदृशः-' इत्यत्रेत्यर्थः।

श्लेषोपबृंहितेति । श्रुति–बन्धनशब्दयोः श्लेषो बोध्यः । विशेषो भेदः । विषय्यंशमिति । अपराधनिमित्तकताडनमित्यर्थः । तमिति । विषय्यंशमिति भावः । विषयांशेति । कामपीडनेत्यर्थः । तमिति । विषयांशमित्यर्थः । ननु नायिकागतशोभाविशेषरूपकारण-युवजनगत-कामपीडनरूपकार्ययोरपि न सामानाधिकरण्यमिति कथं विरोधनिवृत्तिरिति चेत्तत्राह—भावनोपनीतस्येति । शोभाविशेषस्येदं विशेषणम् भावनात्मकसंबन्धेन युवकात्मनिष्ठत्वं-प्रापितस्येति तद्भावः । तथा च कार्यकारणयोः सामानाधिकरण्यं संपन्नमिति बोध्यम् । भावनायाः संबन्धत्वस्याप्रामाणिकत्वादाह—तद्भावनाया वेति । नायिकागतशोभाविशेष-ज्ञानस्येति तदर्थः ।

'अङ्गैः—'इति पद्ये 'प्रहरति' इत्यनेन यूनां वास्तवं ताडनं नाभिप्रेतम्, अपि तु कामपीडारूपोऽर्थोऽभिमतः । ततश्च कामपीडारूपे विषये अपराधनिमित्तकताडनरूपविषयिणोऽभेदाध्यवसायोऽत्र भवति । एवञ्चाभेदाध्यवसानमेवात्राप्यलङ्कारेऽनुप्राणकम् । यस्यापराधस्तस्य दण्ड इति कार्यकारणयोः समानाधिकरणत्वं प्रसिद्धम्—किन्त्वत्र कुसुमश्रीहरणमपराधोऽङ्गनानाम्, ताडनं च यूनामिति वैयधिकरण्यरूपोऽग्रे स्फुरन्, विरोधोऽस्मिन्नलङ्कारे चमत्कारोत्कर्षकः । आपाततो विरोधप्रतीतावपि पर्यन्ते तु श्रीहरणरूपोऽपराध एवात्र न विद्यते' अपि तु कुसुमशोभातिरस्कारको नायिकानिष्ठशोभाविशेष एवाभिमतः । एवं च "नायिकाङ्गानां शोभाविशेषं भावयन्तो युवकाः कामपीडिता भवन्ति" इत्यर्थानुसन्धाने सति सविरोधो निवर्तत इति सारांशः ।

द्वितीयोदाहरणोपपादनविरहप्रयुक्तन्यूनत्वपरिहारायाह—एवमन्यत्रापि बोध्यमिति ।

एवमिति । उक्तरीत्येत्यर्थः । अन्यत्रेति । 'दृष्टिर्मृगीदृशः—' इत्यादावित्यर्थः । अयं भावः—'मुच्यन्ते—' इत्यत्राभेदाध्यवसायलक्षणेनातिशयेन वेदान्तपरिशीलनहेतुक-भवसंबन्धविच्छेदरूपतयावस्थिते केशकौशेयसूत्रश्लथीभावे विषय्यंशमवलम्ब्य तं प्रति समानाधिकरणतया प्रसिद्धस्य वेदान्तपरिशीलनरूपस्य हेतोर्वैयधिकरण्यज्ञानात्पुरः स्फुरन्विरोधो विषयांशविचारोत्तरं तं प्रति दृष्टेः श्रवणचुम्बित्वेनाभिव्यक्तस्य नायिकागत-नयनसौन्दर्यस्य मनःसमाकर्षण-कामभावोत्तेजनोतररतिप्रवृत्तप्रियकर्तृकसंभोगाङ्गव्यापारद्वारा वैयधिकरण्येनैव हेतुत्वस्य प्रतिसंधानान्निवर्तत इति ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

यहाँ प्रथम-अर्थात् 'अङ्गैः—' इस उदाहरण में शुद्ध (श्लेषरहित) असंगति है और दूसरे अर्थात् 'दृष्टिः—इस उदाहरण में श्लेष से युक्त है । तात्पर्य यह कि द्वितीय उदाहरण में 'श्रुति' 'बन्धन' ये दो पद श्लिष्ट हैं और प्रथम उदाहरण में कोई पद श्लिष्ट नहीं है ।

प्रथम उदाहरण में 'प्रहरति' इस अंश में अभेदाध्यवसानरूप' 'अतिशय' (निगरण) के द्वारा 'अपराधहेतुकताडन' के रूप में 'कामपीडा' अवस्थित है । यहाँ 'कामपीडा' विषय है और 'अपराधहेतुकताडन' है विषयी ।

इस विषयी अंश के आधार पर पहले यहाँ विरोध स्फुरित होता है, क्योंकि विषयी-ताडन के प्रति समानाधिकरणरूप में अपराध की हेतुता प्रसिद्ध है-अर्थात् जो अपराध करता है उसीका ताडन होता है पर यहां इन दोनों में वैयधिकरण्य ज्ञात हो

रहा है' अर्थात् पुष्पश्रीहरणरूप अपराध करती है नायिका और ताडित होता है युवकवृन्द। किन्तु यह विरोध विषय अंश अर्थात् कामपीडा के आधार पर विचार करने पर निवृत्त हो जाता है, क्योंकि कामपीडा का ज्ञान होने पर उसके प्रति (कामपीडा के प्रति) पुष्पश्रीहरण वर्णन से अभिव्यक्त होनेवाली—नायिका की विशिष्ट शोभा जो भावना द्वारा युवकों में पहुँच जाती है कारण प्रतीत होती है अथवा उस विशिष्ट शोभा की भावना (ज्ञान) ही कारण प्रतीत होती है। तात्पर्य यह कि 'नायिका के शोभाविशेष के ज्ञान से युवकों को कामपीडा होती है' इस अर्थ का अनुसंधान होने पर उक्त विरोध निवृत्त होता है, क्योंकि अब शोभाविशेषज्ञान रूप कारण और कामपीडा रूप कार्य दोनों की समानाधिकरणता हो जाती है।

इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि असंगति का अभेदाध्यवसान अनुप्राणक है और विरोधाभास उत्कर्षक।

इसी तरह अन्यत्र भी समझना चाहिए-अर्थात् 'दृष्टिर्मृगीदृशः—' इस द्वितीय उदाहरण में भी इसी तरह विरोध और उसका परिहार कर लेना चाहिए।

मतान्तरमुल्लिख्य खण्डयति—

अस्यां च विभावनायामिव कार्यांशेऽतिशयोक्त्यनुप्राणनमावश्यकम्। अन्यथा विरोधो दुष्परिहर एव स्यात्, इत्यलङ्कारसर्वस्वकारादीनां मतम्। तच्च 'दृष्टिर्मृगीदृशः' इत्यस्मन्निर्मितोदाहरणे व्यभिचारादसंगतम्। नहि 'मुच्यन्ते बन्धनात्केशाः' इत्यत्र केशबन्धनमुक्त्यंशेऽतिशयोक्तिरस्ति। किंतु श्लेषभित्तिकाभेदाध्यवसानमात्रम्। तस्माद् येन केनापि प्रकारेण कार्यांशेऽभेदाध्यवसानमावश्यकमिति तु संगतम्।

अस्यां चेति। असंगतौ चेत्यर्थः। विभावनायामिवेति। स्वमतानुसारिणीयमुक्तिः सर्वस्वकारादेः। पण्डितराजमते तु तत्रापि कार्यांशेऽतिशयोक्त्यनुप्राणनं काचित्कमेव, न सार्वत्रिकमिति विभावनाप्रकरणे स्फुटम्। अन्यथेति। कार्यांशेऽतिशयोक्त्यनुप्राणनावश्यकत्वानङ्गीकारे इत्यर्थः। विरोधो दुष्परिहर इति। उपात्तं विषय्यंशमादाय प्रतिभासमानस्य विरोधस्य परिहारो विषयांशमन्तरा न संभवतीति भावः। परन्तु अतिशयोक्तावेव विषय-विषयिभाव इति तेषां भ्रमः, रूपकादावपि तत्संभवादिति बोध्यम्। अलङ्कारसर्वस्वकारादीनामिति। वस्तुतो विमर्शिनीकारस्य सर्वस्वव्याख्याकर्तुरिदं मतम्, न मूलकारस्येति वेदितव्यम्। खण्डयति—तच्चेति। व्यभिचारादिति। कार्यांशेऽतिशयोक्तिविरहादिति भावः। अतिशयोक्तिविरहमेव स्फुटयति—नहीति। उपमानेनोपमेयनिगरण एवातिशयोक्तिरिह तु नोपमानोपमेयभाव इति भावः।

उपसंहरन्नाह—तस्मादिति। येन केनापि प्रकारेणेति। अतिशयोक्त्या, रूपकेण, श्लेषमात्रेण चेति भावः।

अलङ्कारसर्वस्वकार आदि के मत पर विचार किया जाता है—अस्यामित्यादि।

अलङ्कार सर्वस्वकार आदि का (वस्तुतः अलङ्कार-सर्वस्व पर विमर्शिनी लिखने वाले का, क्योंकि मूलकार ने ऐसी बात नहीं कही है) मत है कि "असंगति अलङ्कार में विभावना की तरह (यह भी उन्होंने अपने हिसाब से ही कहा है, पण्डितराज तो विभावना में भी अतिशयोक्ति की सत्ता को कार्यांश में आवश्यक नहीं मानते हैं, देखिए

विभावना प्रकरण) कार्यांश में अतिशयोक्ति का अनुप्राणन आवश्यक है, अन्यथा विरोध का परिहार हो ही नहीं सकेगा।"

पर उनका यह मत असंगत है, क्योंकि 'दृष्टिर्मृगीदृशः—' इस मेरे द्वारा बनाए उदाहरण में उक्त नियम व्यभिचरित हो जाता है—अर्थात् 'बन्धन से मुक्त होते हैं केश' इस अंश में अतिशयोक्ति नहीं है। तात्पर्य यह कि उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण होने पर अतिशयोक्ति होती है और यहां उपमानोपमेय भाव नहीं है। हां, यहां भी श्लेषमूलक अभेदाध्यवसान भर अवश्य है। अतः यह कहना संगत होगा कि असंगति अलङ्कार के कार्यांश में जिस किसी तरह से—अर्थात् अतिशयोक्ति द्वारा, रूपक द्वारा अथवा श्लेषमात्र के द्वारा अभेदाध्यवसान आवश्यक है।

असंगतौ कार्यांशेऽभेदाध्यवसानस्य निश्चितत्वेऽपि कारणांशे निश्चितत्वमिति सत्यमुद्घाटयितुं प्रयतते—

यद्यपि 'दृष्टिर्मृगीदृशः' इत्यादौ कारणांशेऽपि श्लेषादिनाभेदाध्यवसायः संभवति, तथापि नासौ तदंशे नियतः।

'खिद्यति सा पथि यान्ती कोमलचरणा नितम्बभारेण।
स्विद्यन्ति हन्त परितस्तद्रूपविलोकिनस्तरुणाः॥'

इत्यादौ भारजनितखेदांशे तदभावात्। न च तत्रापि जलपूर्णघटादिभारजनितखेदेन सह नितम्बभारजनितखेदस्याभेदाध्यवसायोऽस्त्येवेति वाच्यम्। नितम्बभारजनितखेदस्य स्वस्वरूपेणापि खेदजनकत्वेन भारान्तरजनितखेदाध्यवसायानपेक्षणात्। 'सा बाला वयमप्रगल्भमनसः सा स्त्री वयं कातराः' इति प्राचीनानां पद्ये बालात्वस्त्रीत्वाद्यंशे तल्लेशस्याप्यसंभवाच्च।

कारणांशेऽपीति 'श्रुत्यन्तपरिशीलिनी'इत्यंश इत्यर्थः। अभेदाध्यवसाय इति। श्लिष्ट-'श्रुति' शब्दार्थयोर्वेद-कर्णयोरभेदाध्यवसाय इति भावः। असाविति। अभेदाध्यवसाय इत्यर्थः। तदंश इति। कारणांश इत्यर्थः। नियतः निश्चितः।

'दृष्टिर्मृगीदृशः—'इत्युदाहरणे कारणांशेऽप्याकस्मिकमभेदाध्यवसायमालोक्य 'सर्वत्रासंगतौ कारणांशेऽप्यभेदाध्यवसायो भवत्येवेति भ्रमो न विधेय' इति भावः। कुत इति चेत्तत्राह—'खिद्यति—' इति। कोमलचरणा मृदुलपादपद्मा, पथि मार्गे, यान्ती गच्छन्ती, सा वर्णनीया काचन तरुणी, नितम्बभारेण, खिद्यति खेदमनुभवति। हन्त आश्चर्यम्, तद्रूपविलोकिनः तस्यास्तरुण्या रूपं पश्यन्तः, तरुणाः युवानः, परितः सर्वतोभावेन सर्वाङ्गेष्विति यावत्, स्विद्यन्ति स्वेदयुक्ता भवन्तीति तदर्थः। भारजनितखेदांशे इति। कारणरूपे इति भावः। तदभावादिति। अभेदाध्यवसायाभावादित्यर्थः। तत्रापि तदंशे तत्संभावनामाशङ्कते—न चेति। तत्रापीति। भारजनितखेदांशेऽपीत्यर्थः। समाधत्ते—नितम्बभारजनितखेदस्येति। अत्र 'खेद' शब्दस्य श्रान्तिरर्थः। अग्रिमे 'खेदजनकत्वेन' इत्यत्र खेदः पीडा। अन्यथा—'खेदस्य खेदजनकत्वेन' इत्युक्तिरसंगता स्यात्। स्वस्वरूपेणापीति। भारान्तरजन्यखेदाभेदाध्यवसायमन्तरापीति भावः। तत्र कथंचित्तत्समर्थनेऽपि अन्यत्र तदसंभव इति सूचयितुमाह—'सा बाला—' इति। बाला अल्पवयस्का, सा वर्णनीयनायिका, अप्रगल्भमनसः अप्रौढहृदयाः वयम् स्मः इति शेषः, स्त्री नारी, सा, कातराः त्रस्ताः, वयम्,

इति तदर्थः । स्त्रीत्वाद्यंशे इति । कारणीभूते इति भावः । तल्लेशस्येति । अभेदाध्यवसाय-लेशस्येत्यर्थः ।

एक स्पष्टीकरण किया जाता है—यद्यपि इत्यादि। 'दृष्टिर्मृगीदृशः—' इत्यादि उदाहरणों में यद्यपि 'श्रुत्यंशपरिशीलिनी' (वेदान्त का अभ्यास और श्रवण के छोर का स्पर्श) इस कारण-भाग में भी श्लेष आदि के कारण अभेदाध्यवसान संभव है, तथापि कारणभाग में वह नियमतः नहीं रहता अर्थात् उस एक स्थल पर कारणभाग में भी अभेदाध्यवसान को देख कर यह नहीं समझ लेना चाहिए कि असंगति अलङ्कार का कारण अंश भी कार्यांश के समान अभेदाध्यवसान से युक्त ही होता है, क्योंकि 'खिद्यति—अर्थात् रास्ते में चलती हुई वह कोमल चरणोंवाली तरुणी गुरु नितम्ब के भार से खिन्न (श्रान्त) होती है और पसीने से भीगते जा रहे हैं उस तरुणी की रूप-माधुरी को पीने वाले तरुण, आश्चर्य है।' इत्यादि उदाहरणों में 'भार से उत्पन्न खेद' इस कारणांश में अभेदाध्यवसाय का अभाव है।

यदि यह कहा जाय कि इस पद्य के उक्त कारणांश में भी जल पूर्ण घट आदि के भार से उत्पन्न खेद के साथ नितम्बभारजन्य खेद का अभेदाध्यवसाय हुआ ही है, यह ठीक नहीं, क्योंकि नितम्बभारप्रयुक्त खेद (श्रान्ति) स्वयं भी खेद (पीडा) का जनक है, अतः नितम्बभारप्रयुक्त खेद में किसी अन्य भार (जलपूर्ण घटादिभार) से उत्पन्न खेद का अभेदाध्यवसाय अपेक्षित नहीं है। 'सा बाला—अर्थात् बाला (अप्रौढा) है यह और अप्रौढ मनवाले हो रहे हैं हम, स्त्री है यह और कायर हो रहे हैं हम' इस प्राचीनोक्त पद्य में 'बालात्व' 'स्त्रीत्व' आदि—कारण अंश में अभेदाध्यवसान के लेश का भी संभव नहीं है। अतः कारणांश में अभेदाध्यवसान अनियत ही है।

विरोधासंगत्योर्मिथोभेदं विवेचयति—

यत्तु 'विरोधालङ्कारे ह्येकस्मिन्नधिकरणे द्वयोः संबन्धाद्विरोधप्रतिभानम्, असंगतौ त्वधिकरणद्वय इति तस्मादस्य वैलक्षण्यम्' इति विमर्शिनीकार आह, तदसत्। इहापि तत्तत्कार्यतावच्छेदकधर्मतत्तत्कारणवैयधिकरण्यरूपयोर्धर्मयोरेकस्मिन्कार्यरूपेऽधिकरणे संबन्धादेव विरोधप्रतिभानोत्पत्तेः। तस्माद्विरोधालङ्कारे उत्पत्तिविमर्शं विनैव विरोधप्रतिभानम्। इह तूत्पत्तिविमर्शपूर्विकैव विरोधप्रतिभोत्पत्तिः इति वैलक्षण्यमिति।

द्वयोरिति। धर्मयोरिति भावः। अधिकरणद्वय इति। अत्र 'द्वयोः संबन्धाद्विरोधप्रतिभानम्' इति पूर्वतनस्यानुषङ्गो बोध्यः।

'कुसुमानि शराः—' इत्यस्मिन् विरोधोदाहरणे कुसुमत्व-शरत्वयोर्द्वयोर्धर्मयोरेकस्मिन् संबन्धवर्णनाद् विरोधप्रतिभासः। 'अङ्गैः सुकुमारतरैः—' इत्यसंगत्युदाहरणेऽपराधताडनयोर्द्वयोर्धर्मयोर्नायिका-युवकरूपाधिकरणद्वये संबन्धवर्णनाद् विरोधप्रतिभास इति विमर्शिनीकाराभिप्रायः। विमर्शिनीकारोक्तं निरस्यति-तदसदिति। तत्र युक्तिमाह—इहापीति। असंगताविति तदर्थः। 'अङ्गैः सुकुमारतरैः—' इत्यसंगत्युदाहरणेऽपि ताडनात्मककार्यरूपैकाधिकरणे ताडनत्वात्मककार्यतावच्छेदकधर्म—कुसुमश्रीहरणात्मकापराधरूपकारणाधिकरणवृत्तित्वाभावरूपधर्मयोः संबन्धादेव विरोधप्रतिभास इति विमर्शिनीकारोक्तं वैलक्षण्यं न

युक्तमिति भावः। समुचितं वैलक्षण्यं वक्ति—तस्मादिति। 'कथमयं विरोधः समुत्पद्यते' इति विचारं विनैव 'कुसुमानि शराः—' इत्यादिषु विरोधोदाहरणेषु विरोधभानं भवति, 'अङ्गैः सुकुमारतरैः—' इत्याद्यसंगत्युदाहरणेषु तु 'कथमयं विरोधः समुत्पद्यते' इति विचारानन्तरमेव विरोधभानं भवतीति द्वयोर्वैलक्षण्यमिति भावः।

विरोध और असंगति का परस्पर भेद अब दिखलाया जाता है—यत्तु इत्यादि।

'एक आधार में दो धर्मों का संबन्ध वर्णित रहने के कारण विरोधालङ्कार में विरोध का भान होता है और असंगति में विरोध का भान दो भिन्न आधारों में दो धर्मों का संबन्ध वर्णित रहने के कारण' इस तरह से विमर्शिनीकार ने यद्यपि विरोध तथा असंगति में परस्पर भेद बतलाया है, पर वह ठीक नहीं है, क्योंकि असंगति में भी विरोध का भान एक आधार में दो धर्मों का संबन्ध वर्णित रहने के कारण ही होता है—अर्थात् कार्य रूप एक आधार में कार्यतावच्छेदकधर्म तथा कारणव्यधिकरणत्व धर्म के संबन्ध से ही असंगति में भी विरोध झलकता है।

अतः विरोधालङ्कार तथा असङ्गति अलङ्कार में परस्पर यह भेद समझना चाहिए कि विरोधालङ्कार में 'यह विरोध कैसे उत्पन्न होता है ? क्यों उत्पन्न होता है ? इस तरह के विरोधोत्पत्तिसंबन्धी विचार के बिना ही विरोध-प्रतीति हो जाती है, पर असंगति अलङ्कार में उक्तप्रकारक विरोधोत्पत्तिसंबन्धी विचार कर लेने के बाद ही विरोध की प्रतीति होती है।

विरोधासंगत्यलङ्कारयोः स्वसम्मतं वैलक्षण्यं वक्तुम् प्रक्रमते—

वस्तुतस्तु—व्यधिकरणत्वेन प्रसिद्धयोः समानाधिकरणत्वेनोपनिबन्धने विरोधालङ्कारः। समानाधिकरणत्वेन प्रसिद्धयोर्द्वयोर्वैयधिकरण्येनोपनिबन्धनेऽसंगतिः।

प्रागुक्तासंगतिलक्षणे हेतुकार्ययोरिति च 'समानाधिकरणमात्रोपलक्षणम्। तेन 'नेत्रं निरञ्जनं तस्याः शून्यास्तु वयमद्भुतम्' इत्यत्र निरञ्जनत्व-शून्यत्वयोरुत्पादकभावलक्षणसंबन्धानन्तर्भावेण शुद्धसमानाधिकरणत्वेन प्रसिद्धयोरप्यसंगतिः संगच्छते। यथाश्रुते तु सा न स्यात्। इत्थं च स्फुट एव विरोधालङ्कारादसंगतेर्भेदः।

समानाधिकरणत्वेन प्रसिद्धयोर्द्वयोरिति। अनपेक्षितहेतु-कार्य-भावयोरिति भावः। नन्वेवमसंगतिलक्षणे हेतु-कार्यपदेऽसंगते इति चेत्तत्राह—प्रागुक्तेति। तेनेति। हेतुकार्यपदयोर्लक्षणे समानाधिकरणमात्रोपलक्षणत्वेनेत्यर्थः। 'नेत्रं निरञ्जनम्—' इति। तस्याः वर्णनीयनायिकायाः, नेत्रं नयनम् (जातावेकवचनम्) निरञ्जनम् अञ्जनशून्यम्, अस्तीति शेषः, तु पुनः, शून्याः, वयम्, स्मः, इत्यद्भुतम् यस्याञ्जनराहित्यं तस्य शून्यत्वमुचितम् अत्र तु तद्विपरीतमित्याश्चर्यमित्यर्थः। यथाश्रुत इति। हेतुकार्ययोर्वैयधिकरण्येऽसंगतिरिति विवक्षणे इति भावः। सेति। नेत्रं निरञ्जनम्—' इत्यत्रासंगतिरित्यर्थः।

अब ग्रन्थकार अपने मत के अनुसार विरोधालङ्कार तथा असंगति अलंकार में वास्तविक वैलक्षण्य का प्रतिपादन करते हैं—वस्तुतः इत्यादि।

वास्तविक बात यह है कि—जो दो पदार्थ दो भिन्न आधारों में रहने वाले के रूप में प्रसिद्ध हों उन दो पदार्थों की स्थिति यदि किसी एक आधार में वर्णित हो तब

विरोधालङ्कार होता है और जो दो पदार्थ एक आधार में रहने वाले के रूप में प्रसिद्ध हों उन दोनों पदार्थों की स्थिति यदि दो भिन्न आधारों में वर्णित हो तब असंगति अलङ्कार होता है। फलतः असंगति के उक्त लक्षण में 'हेतु' और 'कार्य' पद उन सभी पदार्थद्वय का बोधक है जो एक आधारवर्ती के रूप में प्रख्यात हों। इसीलिए 'नेत्रं निरञ्जनम्—अर्थात् अञ्जन रहित हैं उस नायिका की आँखें और शून्य हैं हम' इस स्थल पर 'अञ्जनराहित्य' और 'शून्यता' इन दोनों धर्मों में उत्पाद्योत्पादकभाव (हेतु-कार्यभाव) न रहने पर भी समानाधिकरण (एक आधार में रहने वाले) के रूप में प्रसिद्ध होने के कारण असंगति होती है।

यदि असंगति का यथाश्रुत लक्षण माना जाय—अर्थात् कार्य-कारण के ही वैयधिकरण्य में असंगति मानी जाय तब वहाँ वह नहीं हो सकेगा।

इस तरह विरोधालङ्कार से असंगत्यलङ्कार का भेद स्पष्ट ही है।

विरोधमूलेष्वलङ्कारेषु वर्तमानोऽपि शुद्धविरोधांशो नालंकार इत्यर्थं स्फुटयति—

यस्तु पुनर्विरोधालङ्कारादतिरिक्तः शुद्धविरोधांशो विरोधमूलेषु सर्वेष्वलङ्कारेष्वनुस्यूतः, औपम्यांश इवोपमामूलेषु, सोऽलङ्काराणां कतिपयानां निर्वर्तकः, न तु स्वयं पृथगलङ्कारास्पदम्, अलङ्काराणां भणितिविशेषमात्ररूपत्वात्। एवं च विमर्शिनीकारोक्तमपि पद्यमनयैव दिशा नीयते तदा न दोषः।

शुद्धविरोधांश इति। मिथो विसंवादरूप इति भावः। कतिपयानामिति। विरोधविभावनाऽसंगति-विषमादीनामित्यर्थः।

उपमामूलेषु अनन्वयादिषु वर्तमानोऽपि औपम्यांशो यथा न स्वयं स्वतन्त्रालंकारस्तथैव विभावनादिषु वर्तमानोऽपि विरोधांशो न स्वतन्त्रालंकार इति भावः।

'विरोधमूलक अलङ्कारों में यद्यपि विरोध अंश रहता है तथापि वह अलङ्कार रूप नहीं होता' इस अर्थ को स्फुट किया जाता है—यस्तु इत्यादि।

विरोधालङ्कार से भिन्न शुद्ध विरोध का अंश जो सभी विरोधमूलक अलङ्कारों (विभावना, असंगति, विषम आदि) में अनुस्यूत रहता है, जैसा कि उपमामूलक अनन्वय, असम, उदाहरण, स्मरण, निदर्शना आदि अलङ्कारों में सादृश्य का अंश, वह तो कतिपय (पूर्वोक्त विभावना आदि) अलङ्कारों का संपादक होता है न कि स्वयं पृथक् अलङ्काररूप, क्योंकि अलङ्कार केवल उक्तिविशेष रूप होते हैं, वस्तुविशेष रूप नहीं, अतः मूलरूप में अनुस्यूत सादृश्य अथवा विरोधरूप वस्तु अलङ्कार नहीं हो सकती है।

इस तरह विमर्शिनीकार का उदाहृत पद्य भी यदि इसी रीति से ले जाया जाय तब दोष नहीं होगा।

खण्डनार्थमप्पयदीक्षितमतमुद्धरति—

यत्तु—

"—'अन्यत्र करणीयस्य ततोऽन्यत्र कृतिश्च सा।
अन्यत्कर्तुं प्रवृत्तस्य तद्विरुद्धकृतिस्तथा॥
अपारिजातां वसुधां चिकीर्षन्द्यां तथाऽकृथाः।
गोत्रोद्धारप्रवृत्तोऽपि गोत्रोद्भेदं पुराऽकरोः॥'

अत्र श्रीकृष्णं प्रति शक्रस्योपालम्भवाक्ये भुवि चिकीर्षिततया तत्र करणीयमपारिजातत्वं दिवि कृतमित्येकाऽसंगतिः। पुरा गोत्राया उद्धारे प्रवृत्तेन वराहरूपिणा तद्विरुद्धं गोत्राणां दलनं खुरकुट्टनैः कृतमिति द्वितीया।

यथा वा—

'त्वत्खड्गखण्डितसपत्नविलासिनीनाम्
भूषा भवन्त्यभिनवा भुवनैकवीर।
नेत्रेषु कंकणमथोरुषु पत्रवल्ली
चोलेन्द्रसिंह तिलकं करपल्लवेषु॥'

'मोहं जगत्त्रयभुवामपनेतुमेत-
दादाय रूपमखिलेश्वरदेहभाजाम्।
निःसीमकान्तिरसनीरधिनामुनैव
मोहं प्रवर्धयसि मुग्धविलासिनीनाम्॥'

अत्राद्योदाहरणे कंकणादीनामन्यत्र करणीयत्वं प्रसिद्धमिति नोपन्यस्तम्। भवतिना भावनारूपान्यत्र कृतिराक्षिप्यते इति लक्षणानुगतिः' इति कुवलयानन्दकृताऽसंगतेरन्यद् भेदद्वयं लक्षयित्वोदाहृतम्।

लक्षणमाह—'अन्यत्र–' इति। अन्यस्मिन् स्थाने कर्तव्यस्य कार्यस्यान्यस्मिन्स्थाने करणमेकासंगतिः। तथा अन्यत्कार्यं कर्तुं प्रवृत्तस्य तद्विरुद्धकार्यकरणं द्वितीयासंगतिरिति भावः।

प्रथमोदाहरणमाह—'अपारिजाताम्—' इति। वसुधाम् पृथ्वीम् अपारिजाताम् पारिजातो देववृक्षविशेषः तद्रहिताम् वस्तुतोऽपगतशत्रुसमूहाम्, चिकीर्षन् कर्तुमिच्छन्, द्याम् स्वर्गम्, तथा अपारिजाताम्, अकृथाः त्वं कृतवानित्यर्थः। द्वितीयोदाहरणमाह—'गोत्रोद्धार—' इति। गोत्रायाः पृथिव्याः, उद्धारे जलादुपर्य्यानयने, प्रवृत्तोऽपि, त्वम्, पुरा प्राक्कल्पे, गोत्रोद्भेदम् गोत्राया दलनम् वस्तुतो गोत्राणाम् (पर्वतानाम्) दलनम् अकरोः कृतवानित्यर्थः।

उपपादयति—अत्रेति। तत्रेति। भुवीत्यर्थः।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—यथा वेति। 'त्वत्खड्ग—' इति। हे भुवनैकवीर जगदद्वितीयवीर, चोलेन्द्रसिंह सिंहसदृश चोलनरेश, तव, खड्गेन असिना, खण्डिताः छिन्नाः, ये सपत्नाः शत्रवः, तेषाम् विलासिनीनाम् स्त्रीणाम्, अभिनवाः नूतनविधाः, भूषाः भूषणानि, भवन्ति, कास्ता भूषा इति चेत्तत्राह—नेत्रेषु इति। नेत्रेषु, कंकणम् (वलयम् + श्यामिका) अथ अनन्तरम्, ऊरुषु जङ्घासु, पत्रवल्ली (पत्ररचनारूपं मण्डनम् + पल्लवसहिता लता) तथा करपल्लवेषु, तिलकम् (विशेषकः + तिलयुक्तं कम् = जलम्) भवन्तीति पूर्वतनेन क्रियापदेन सह सर्वेषामन्वयः।

'मोहम्—' इति। हे अखिलेश्वर सर्वेश्वर, जगत्त्रयभुवाम् त्रिलोकीजातानाम् देहभाजाम् प्राणिनाम्, मोहम् अज्ञानम् अपनेतुं दूरीकर्तुम् एतत् वर्तमानम्, रूपम्, आदाय

गृहीत्वा निःसीमौ अनन्तौ, यौ कान्तिरसौ लावण्यशृङ्गारौ, तयोः नीरधिना समुद्रेण, अमुनैव रूपेणैव मुग्धविलासिनीनाम् मुग्धाङ्गनानाम्, मोहम्, प्रवर्धयसि इत्यर्थः ।

ननु 'त्वत्खड्ग—' इत्यत्र कंकणादीनामन्यत्र करणीयत्वं नोक्तमिति कथम् 'अन्यत्र करणीयस्य ततोऽन्यत्र कृतिश्च सा' इति लक्षणसंगतिरित्यत आह—अत्राद्योदाहरणे इति । कंकणादीनां करादिषु करणीयत्वस्य प्रसिद्धतयाऽनुपादानेऽपि बोधो जायत एवेति भावः । ननु तेषामन्यत्र कृतिरपि नोक्तेति चेत्तत्राह—भवतिनेति । कंकणादीनां स्वतोभवनमनुपपन्नमिति तेन अन्यद्वारकं करणमाक्षिप्यत इति भावः ।

खण्डन करने के लिए प्रथमतः कुवलयानन्दकार के मत का उल्लेख-किया जाता है—यत्तु इत्यादि ।

कुवलयानन्दकार ने जो "(१) अन्य स्थान पर करने योग्य वस्तु का अन्य स्थान पर विधान और (२) अन्य कार्य करने के लिए प्रवृत्त व्यक्ति के द्वारा उस से विरुद्ध कार्य का संपादन ये दोनों भी असंगति अलङ्कार के भिन्न प्रकार हैं। जैसे-(१) हे कृष्ण, तुमने पृथ्वी को अपारिजात (पारिजात रहित + अपगत अरिजात) करना चाहते हुए स्वर्ग को अपारिजात कर दिया तथा (२) गोत्रोद्धार (गोत्रा = पृथ्वी के उद्धार) में प्रवृत्त होने पर भी पहले (वराहावतार में) तुमने गोत्रोद्भेद (गोत्रा का दलन + खुरों के द्वारा पर्वतों का दलन) कर दिया।

यहाँ श्री कृष्ण के प्रति इन्द्र के द्वारा कथित उपालम्भ (उलहन) वचन में पृथ्वी पर करने के लिए अभिलषित 'अपारिजातत्व' स्वर्ग में कर दिया गया यह एक असंगति है, और गोत्रोद्धार में प्रवृत्त होने पर भी वराहावतार के समय गोत्रोद्धार से विरुद्ध खुरों से खोद कर गोत्रोद्भेद कर दिया, यह दूसरी असंगति है।

अथवा जैसे—

'त्वत्खड्ग-अर्थात् हे जगत् के एक वीर! सिंह सदृश-चोल नरेश! तेरे खड्ग से कटे हुए शत्रुओं की स्त्रियों के सभी आभूषण नवीन ढङ्ग के हो जाते हैं—नेत्रों में कंकण (वलय + श्यामिका) जांघों में पत्रवल्ली (पत्ररचना रूप मण्डन + पत्तों सहित लता) और करपल्लवों में तिलक (बिन्दी + तिल सहित क = जल)।'

और 'मोहम्-अर्थात् हे सर्वेश्वर ! त्रिलोकी में उत्पन्न-प्राणियों का मोह मिटाने के लिए इस रूप का ग्रहण करके असीम कांति और रस (शृङ्गार) के समुद्र इसी रूप के द्वारा आप भोली तरुणियों के मोह को बढ़ाते हैं।

यहाँ प्रथम उदाहरण ('त्वत्खड्ग–' में कंकण आदि की अन्यस्थान (कर आदि) में करणीयता प्रसिद्ध है इस लिए शब्दतः उस का वर्णन नहीं किया गया। 'भवन्ति' (हो जाते हैं) के द्वारा भावनारूप (उत्पत्तिप्रेरणारूप) 'अन्यत्र कृति' का आक्षेप हो जाता है, अतः लक्षण की संगति हो जाती है।"

ये उदाहरण असंगति के दो नवीन प्रकार के लक्षण करने के बाद दिये हैं।

उक्तं दीक्षितमतं खण्डयति—

तन्न । तत्र तावत् 'अपारिजातां वसुधां चिकीर्षन्द्यां तथा कृथाः' इत्यत्र पारिजातराहित्यचिकीर्षया कारणभूतया सह पारिजातराहित्यस्य कार्यस्य विरुद्धवैयधिकरण्योपनिबन्धनात्, विरुद्धं भिन्नदेशत्वं कार्यहेत्वोरसंगतिः' इति

प्राथमिकासंगतितो वैलक्षण्यानुपपत्तेः। आलम्बनाख्यविषयतासंबन्धेन चिकीर्षायाः सामानाधिकरण्येन कार्यमात्रं प्रति हेतुत्वस्य प्रसिद्धेः।

न च पारिजातराहित्यस्याभावरूपस्य नित्यत्वात्कारणाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्। आलंकारिकनये तस्यापि जन्यत्वस्येष्टेः। लक्षणे कार्यकारणपदयोरुपलक्षणत्वस्योक्तत्वाच्च।'गोत्रोद्धारप्रवृत्तोऽपि' इत्युदाहरणे तु 'विरुद्धात्कार्यसंपत्तिर्दृष्टा काचिद् विभावना' इति पञ्चमविभावनालक्षणाऽऽक्रान्तत्वाद्विभावनयैव गतार्थत्वादसंगतिभेदान्तरकल्पनानुचिता, गोत्रोद्धारविषयकप्रवृत्तेर्गोत्रोद्भेदरूपकार्ये विरुद्धत्वात्। सिद्धान्तेऽपि विभावनाविशेषोक्त्योः संकर एवात्रोचितः। 'नेत्रेषु कंकणम्' इत्यादौ कंकणत्व-नेत्रालंकारत्वयोर्व्यधिकरणत्वेन प्रसिद्धयोः सामानाधिकरण्यवर्णनाद्विरोधाभासत्वमुचितम्। एवं मोहनिवर्तकत्व-मोहजनकत्वयोरपीति। ननु तवापि विरोधाभासेनैवोपपत्तेर्विभावनादिकल्पनानर्थक्यमिति चेत्, न। दत्तोत्तरत्वात्।

तन्नेति। कुवलयानन्दकारोक्तं न युक्तमित्यर्थः। तस्यायुक्तत्वे हेतुमाह—तत्र तावदित्यादिना। अयं भावः—सामानाधिकरण्येन कार्यमात्रं प्रति आलम्बनाख्यविषयतासंबन्धेन चिकीर्षा कारणम् तदालम्बनकार्यं प्रति तदालम्बनिकाचिकीर्षाऽऽपेक्षितेति यावत्, तथा च पृथिव्यालम्बनकपारिजातराहित्यचिकीर्षया पृथिवीरूपे आलम्बन एव पारिजातराहित्यरूपकार्यस्योत्पत्तिरविरुद्धा इह तु पृथिव्यालम्बनक-पारिजातराहित्यचिकीर्षया स्वर्गालम्बनकपारिजातराहित्यात्मककार्योत्पत्तिर्वर्णितेति विरुद्धं भिन्नदेशत्वम् कार्यहेत्वोरसंगतिः' इति प्रथमासंगतिलक्षणाक्रान्तत्वमेवैतल्लक्ष्यस्येतिप्रकारान्तरकल्पनमनावश्यकम्। भुवि पारिजातराहित्यस्यात्यन्ताभावरूपस्य नित्यत्वेन करणं न संभवत्येवेति तु न शंक्यम्, नैयायिकानां नयेऽत्यन्ताभावस्य नित्यत्वेऽपि आलंकारिकाणां नये जन्यत्वस्यैवेष्टत्वेन तथा संभवात्, असंगतिलक्षणे कार्यकारणपदयोः समानाधिकरणमात्रोपलक्षणतायाः प्रागुक्ततयाऽत्यन्ताभावरूपस्य पारिजातराहित्यस्याजन्यत्वेऽपि क्षतिविरहाच्च। इति।

अत्र "जन्यत्वेऽपि (पारिजातराहित्यस्यालंकारिकनये जन्यत्वेऽपि) चिकीर्षायाः कृत्याऽन्यथासिद्धतया कार्यजनकत्वे मानाभावः। अधिकरणान्तर्भावेण चिकीर्षाया अहेतुत्वात्। अन्यत्र चिकीर्षितस्यापि प्रमादिनान्यत्रकरणे व्यभिचारात्। एवं च वैयधिकरण्यं विरुद्धमेव न। किं चात्र न तत्कार्यकारणवैयधिकरण्यकृतचमत्कारः, अपि त्वन्यत्र कर्तव्यस्यान्यत्र करणप्रयुक्त एवेत्यर्थस्य सर्वसम्मतत्वेन ततो (प्रथमासंगतिप्रकारतः) भेदौचित्यात्। किं च पूर्वोदाहरण इवानयोः कार्यकारणयोर्विरोधस्य दुःसमाधानत्वेन नात्र सः। आपाततो विरुद्धत्वेन भासमानमेवेति तत्पूर्वासंगतिरिति चिन्त्यम्।" इति नागेशः।

'गोत्रोद्धार—' इत्युदाहरणे त्विति। अयमाशयः—गोत्रोद्धारविषयकप्रवृत्तिरूपं कारणं गोत्रोद्धाररूपं कार्यं प्रत्यनुकूलम्, गोत्रोद्भेदरूपं कार्यं प्रति तु गोत्रोद्धारविषयकप्रवृत्तिः विरुद्धा। तथा च गोत्रोद्धारविषयकप्रवृत्तेः गोत्रोद्भेदरूपकार्योत्पत्तिवर्णने 'विरुद्धात्कार्यसंपत्तिर्दृष्टा काचिद्विभावना' इति दीक्षितोक्तपञ्चमविभावनालक्षणप्रसङ्गस्य स्पष्टतया तत्र विभावनैव स्वीकर्तव्या विभावना-विशेषोक्त्योः संकरो वा स्वीकार्यः, न नवीनासंगतिप्रकारः कल्प-

नीयः । इति । अत्र "विरुद्धत्वेन प्रसिद्धयोरेव सेति केचित् । किंचोपालम्भरूपेऽस्मिन् वचसि विरुद्धकृतिभानकृत एव चमत्कारः, तत्र तु विरोधनिवृत्तिकृतोऽपीति महान्विशेषः ।" इति नागेशः ।

'नेत्रेषु कंकणम्' इत्यादाविति । अयमभिप्रायः-"समानाधिकरणत्वेन प्रसिद्धयोर्द्वयो- र्वैयधिकरण्येनोपनिबन्धन एवासंगतिः, व्यधिकरणत्वेन प्रसिद्धयोः समानाधिकरणत्वेनोप- निबन्धने तु विरोधाभासः' इति प्रागुक्तम् । तथा च कंकणत्व-नेत्रालंकारत्वयोः, मोहनिवर्त- कत्व—मोहजनकत्वयोश्च व्यधिकरणत्वेन प्रसिद्धतया तयोः सामानाधिकरण्येनोपनिबन्धने विरोधाभासालंकार एवोचितः । इत्थञ्च नवीनासंगतिप्रकारकल्पना वृथैवेति ।

अत्र "समानविभक्तिकत्वाभावात्सामानाधिकरण्यस्य शब्दादप्रतीतेरभेदस्याभावाच्च चिन्त्यमिदम् । ययोर्विरोधप्रतीतिस्तयोरर्थान्तरमादायापि सामानाधिकरण्यप्रतीतेश्च ।" इति नागेशः ।

ग्रन्थकारः स्वमते आशंक्य समाधत्ते—नन्विति । तवापीति । विरोधाभासत्वमङ्गी- कृत्य नवीनासंगतिप्रकारकल्पनां निरस्यतो ग्रन्थकारस्येति भावः । मते इति शेषः । दत्तो- त्तरत्वादिति । 'शुद्धविरोधांशो विरोधमूलेषु सर्वेष्वलङ्कारेषु वर्तमानोऽपि न पृथगलंकारा- स्पदम्' इत्याकारकस्योत्तरस्य प्रागेव प्रदत्तत्वादिति भावः ।

उक्त दीक्षित मत का खण्डन किया जाता है—तन्न इत्यादि ।

तात्पर्य यह कि अप्पय दीक्षितजी का उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि प्रथम नवीन असंगति प्रकार का जो 'अपारिजाताम्—' यह उदाहरण दिया गया है वह 'विरुद्धं भिन्न- देशत्वम्—अर्थात् कार्य-और कारण का भिन्नदेशस्थ होना यदि विरुद्ध प्रतीत होता हो तब वह असंगति है' इस आपके प्रथम असंगति-लक्षण से ही आक्रान्त है । कारण 'आलम्बन' नामक विषयता संबन्ध से चिकीर्षा (करने की इच्छा) कार्यमात्र के प्रति सामानाधिकरण्येन कारण है—अर्थात् यह नियम है कि जिस आलम्बन (आधार) में कार्य करने की इच्छा होगी वहीं कार्य होगा । इस तरह यह सिद्ध हुआ कि चिकीर्षा रूप कारण और उसका कार्य ये दोनों समानाधिकरण (समानदेशस्थ) होते हैं । पर यहाँ चिकीर्षा और उसके कार्य का वर्णन भिन्न-भिन्न देश में किया गया है—अर्थात् 'पृथिवी पारिजातरहित हो जाय' इस इच्छा से स्वर्ग का पारिजातरहित होना वर्णित हुआ है । फलतः यहाँ कार्य और कारण का भिन्नदेशस्थ होना विरुद्ध होता है ।

यदि यहाँ यह शङ्का की जाय कि पारिजातराहित्य का अर्थ हुआ पारिजात का अभाव और अभाव (अत्यन्ताभाव) है नित्यपदार्थ फिर उसका कोई कारण नहीं हो सकता है, तो इसका उत्तर एक तो यह है कि नैयायिकों के घर में भले ही अभाव नित्य पदार्थ हो, आलङ्कारिकों के घर में नहीं—अर्थात् आलङ्कारिक अभाव को भी जन्य (जनमनेवाला) मानते हैं ।

दूसरा उत्तर यह भी है कि रहे अभाव नित्य पदार्थ न हो चिकीर्षा उसका कारण, पर इतना तो आप को भी मानना ही होगा कि पारिजातराहित्य और उसकी चिकीर्षा समानाधिकरण रूप में प्रसिद्ध हैं अर्थात् यह बात प्रसिद्ध है कि पारिजात- राहित्यविषयक इच्छा का आधार जो देश होगा वहीं पारिजातराहित्य होगा, बस, इतने मात्र से असंगति का उक्त लक्षण संघटित हो जायगा क्योंकि यह पहले ही कहा

जा चुका है कि असंगति-लक्षण में कार्य-कारण पद समानाधिकरणमात्र के बोधक हैं। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि अभी जो दो नवीन असंगतिप्रकारों की कल्पना आपने की है उन में से प्रथम प्रकार प्राचीन प्रकार से विलक्षण नहीं है, फिर उसकी कल्पना निरर्थक ही है।

यहाँ नागेश का कथन है कि-आलङ्कारिकों के मत में अभाव के जन्म होने पर भी उसका कारण चिकीर्षा नहीं है, क्योंकि चिकीर्षा किसी कार्य के प्रति कारण नहीं हो सकता अर्थात् ज्ञान से इच्छा, इच्छा से कृति (यत्न) और कृति से कार्य होता है, अतः इच्छारूप चिकीर्षा कृति से पूर्ववर्ती होने के कारण कार्य से साक्षात् संबन्ध नहीं रखती। अतः कुलाल-पिता के समान अन्यथा सिद्ध है।

यदि दुराग्रहवश चिकीर्षा को कारण माना भी जाय तब भी अधिकरण का अन्तर्भाव करके चिकीर्षा की कारणता नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ उस कार्य-कारणभाव का व्यभिचार हो जाता है जहाँ अन्य स्थल पर चिकीर्षित कार्य प्रमाद-वश अन्य स्थल पर कर दिया जाता है।

तात्पर्य यह हुआ कि जब हम देखते हैं कि पाँच कोश पर विश्राम करने की इच्छा रखने वाला राही प्रमादवश चार ही कोश पर विश्राम कर लेता है तब यह नियम कैसे बनाया जा सकता है कि 'जहाँ कार्य करने की इच्छा रहती है वहीं कार्य होता है। हाँ इतना सा नियम बन सकता है कि जिस कार्य की इच्छा रहती है वही कार्य होता है। सारांश यह निकला कि विषय का अन्तर्भाव कर के चिकीर्षा की कारणता किसी तरह सिद्ध भी हो सकती है, अधिकरण का अन्तर्भाव करके नहीं और ऐसी स्थिति में चिकीर्षा और कार्य का व्यधिकरण होना विरुद्ध ही नहीं हुआ, फिर यहाँ 'विरुद्धं भिन्न-देशत्वम्-' यह लक्षण कैसे संघटित होगा? साथ ही एक बात और है कि 'अपारि-जाताम्—' इस उदाहरण में कार्य तथा कारण की व्यधिकरणता के कारण चमत्कार नहीं उत्पन्न होता, अपि तु अन्य स्थल पर करने के लिए अभिलषित कार्य का अन्य स्थल पर कर देने के कारण ही चमत्कार उत्पन्न होता है यह सर्वसम्मत वस्तु है; अतः पूर्व प्रकार से इसको असंगति का भिन्न प्रकार मानना उचित ही है।

नवीन दो असंगतियों में से द्वितीय असंगति का जो 'गोत्रोद्धार—' यह उदाहरण दिया गया है वह भी विभावना से ही गतार्थ है—अर्थात् वहाँ 'विरुद्धात्—' (विरुद्ध कारण से कार्य की उत्पत्ति भी एक प्रकार की विभावना है) इस लक्षण के अनुसार आप के ही मत से सिद्ध पञ्चम विभावना ही है, क्योंकि गोत्रभेदन रूप कार्य के प्रति गोत्रोद्धारविषयक प्रवृत्तिविरुद्ध कारण है, अतः इस द्वितीय असंगति प्रकार की कल्पना भी अनुचित ही है। सिद्धान्त में भी यहाँ विभावना और विशेषोक्ति का संदेह-संकर ही उचित है।

यहाँ भी नागेश का कथन है कि यह वचन उपालम्भरूप है, अतः यहाँ विरुद्ध कृति के भान द्वारा ही चमत्कार होता हैं और विभावना में तो विरोध की निवृत्ति के कारण भी चमत्कार हो जाता है, अतः दोनों में महान् अन्तर है।

अब रहे दीक्षित जी के 'त्वत्खड्ग—' और 'मोही—' ये दोनों उदाहरण। उन में भी विरोधाभास ही मानना उचित है, क्योंकि 'कंकणत्व' तथा 'नेत्रालङ्कारत्व' इसी तरह 'मोहनिवर्तकत्व' तथा 'मोहजनकत्व' ये दो-दो धर्म व्यधिकरणरूप से प्रसिद्ध हैं—अर्थात् कंकण नेत्रालङ्कार नहीं हो सकता, मोहनिवर्तक मोहजनक नहीं हो सकता यह प्रसिद्ध है, पर यहाँ उनका सामानाधिकरण्य वर्णित हुआ है—अर्थात् कंकण को

नेत्रालङ्कार और मोहनिवर्तक को मोहजनक कहा गया है और यही है विरोधाभास का स्वरूप—अर्थात् व्यधिकरण रूप से प्रसिद्ध दो वस्तुओं का सामानाधिकरण्य वर्णन ही विरोधाभास है।

यहाँ भी नागेश दीक्षित के समर्थन में कहते हैं कि 'नेत्रेषु कंकणम्' आदि में एक विभक्ति के अभाव रहने से शब्दतः सामानाधिकरण्य की प्रतीति नहीं होती साथ ही अभेद (कंकण तथा नेत्रालंकार में) का भी भान नहीं होता, अतः पण्डितराज का कथन चिन्त्य है।

यदि कोई शंका करे कि आप के मत में (ग्रन्थकार के मत में) भी तो विरोधाभास मान कर ही निर्वाह हो जा सकता था फिर विभावना आदि की कल्पना क्यों की गई, तो इसका उत्तर यह है कि विरोधमूलक सब अलङ्कारों में शुद्ध विरोधांश अनुस्यूत रहता है, किं तु वह पृथक् अलङ्कार का स्थान नहीं है। यह उत्तर पहले ही कहा जा चुका है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरेऽसंगतिप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धेऽसंगतिप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामसंगतिप्रकरणम्॥

रसगङ्गाधरगत असंगति प्रकरण की हिन्दी व्याख्या समाप्त॥

विषमालंकारप्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथ विषमालङ्कारः।

विषमालंकारो निरूप्यतयारब्धो वेदितव्य इति भावः।

अब 'विषम' अलङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है।

आदौ तल्लक्षणमाह—

अननुरूपसंसर्गो विषमम्॥

स संसर्गविशेषो 'विषमालंकारो'ऽभिधीयते योऽयोग्यो भवतीति भावः।

प्रथमतः 'विषम' का लक्षण किया जाता है—अननुरूप इत्यादि।

उस संसर्ग (संबन्ध) विशेष को 'विषम' कहते हैं जो अननुरूप (अयुक्त) हो।

लक्षणं विवेचयति—

अनुरूपमिति योग्यतायामव्ययीभावः। अनुरूपं यत्र न विद्यत इति विगृहीतेन बहुव्रीहिणा योग्यतारहितमुच्यते। योग्यता च युक्तमिदमिति लौकिकव्यवहारगोचरता। संसर्गश्च तावद् द्विविधः-उत्पत्तिलक्षणः संयोगादिलक्षणश्च। तत्रोत्पत्तिलक्षणस्य संसर्गस्यायोग्यत्वं कारणात्स्वगुणविलक्षणगुणकार्योत्पत्त्या, इष्टसाधनतया निश्चितात्कारणादनिष्टकार्योत्पत्तिभिः संयोगादिलक्षणस्यापि। संसर्गिणोरन्यतरगुणस्वरूपतिरस्कार्यान्यतरगुणस्वरूपतया अयोग्यत्वम्। एवं चाननुरूपसंसर्गत्वेन सामान्येनोक्ता वक्ष्यमाणाश्च सर्वे प्रभेदाः संगृह्यन्ते।

अननुरूपपदार्थस्फोरणायाह—अनुरूपमिति। योग्यतायामिति। रूपस्य योग्यतेति विग्रह इत्यर्थः। अव्ययीभाव इति। 'अव्ययं विभक्ति—' इति पाणिनिसूत्रेणेत्यर्थः। तत्र

'योग्यता–वीप्सा–पदार्थानतिवृत्ति–सादृश्यानि यथार्थाः' इत्युक्त्या योग्यताया यथार्थेऽन्तर्भाव इति बोध्यम्। उच्यत इति। अननुरूपपदेनेति भावः। शास्त्रान्तरप्रसिद्धार्थनिराकरणायाह—योग्यता चेति। संसर्गश्च तावदित्यादि। अयं भावः—उत्पत्ति–संयोगादिरूपतया संबन्धौ द्विविधौ भवतः। तत्रोत्पत्तिरूपस्य संबन्धस्यायोग्यत्वम् द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां संभवति। तत्र कस्मिंश्चित्कारणे यो गुणस्तिष्ठति तेनैव कारणेन जाते कार्ये यदि तद्विलक्षणो गुणो जायते तदा प्रथमः प्रकारः, यदा तु इष्टसाधनतया निश्चितमपि किञ्चित्कारणमनिष्टं कार्यं जनयति तदा द्वितीयः प्रकारो भवति। संयोगादिरूपस्य संबन्धस्यायोग्यत्वं पुनस्तदा भवति यदा द्वयोः संबन्धिनोर्मध्ये एकस्य संबन्धिनो गुणेन स्वरूपेण चापरस्य संबन्धिनो गुणः स्वरूपञ्च तिरस्कार्ये विरुद्धे इति यावत् भवत इति।

फलितमाह—एवञ्चेति। अननुरूपसंसर्गत्वन्नामोक्तया पद्धत्या तादृशं सामान्यरूपं सिद्ध्यति, येन रूपेण विषमालङ्कारस्य ते सर्वे प्रभेदाः आक्रान्ताः सन्तः संगृहीता भवितुमर्हन्ति ये प्राचीनैरुक्ता अग्रे कैश्चिदुच्येरन् वेति भावः।

अस्मिन्प्रघट्टके कियदंशे यादृशः पाठो मया रक्षितस्तद्भिन्न एव पाठ उपलब्धपुस्तके प्राप्तो व्याख्यातश्च सरलाकारेणानूदितश्च हिन्दीरसगङ्गाधरकारेण मयोहितस्य पाठस्य युक्तत्वं हिन्दीटीकातोऽवगन्तव्यम्।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—अनुरूपम् इत्यादि।

'अनुरूपम्' यह पद योग्यता अर्थ में अव्ययीभाव समास करने पर बनता है। तात्पर्य यह कि 'अनुरूप' शब्द का अर्थ 'योग्यता' (अनुकूलता) होता है। फलतः 'अननुरूप' शब्द का अर्थ 'अनुरूप नहीं है जिसमें' इस विग्रह से युक्त बहुव्रीहि समास के द्वारा योग्यता-रहित होता है, और योग्यता यहाँ ली जाती है 'यह युक्त (उचित) है' इस तरह के लौकिक व्यवहार की विषयतारूपा। तात्पर्य यह कि यहाँ वह वस्तु योग्य समझी गई है जिसे जन साधारण उचित समझता है।

यह तो हुआ 'अनरूप' पद का विश्लेषण, अब 'संसर्ग' का विश्लेषण देखिए।

सामान्यतः संसर्ग (सम्बन्ध) दो प्रकार का होता है—एक उत्पत्तिरूप और दूसरा संयोगादिरूप इनमें से उत्पत्तिरूप संसर्ग की अयोग्यता दो स्थितियों में होती है, एक कारण के गुणों से विलक्षण गुण वाले कार्य की उत्पत्ति होने पर और दूसरी इष्टसाधन रूप में निश्चित कारण से अनिष्ट कार्य की उत्पत्ति होने पर।

संयोगादिरूप संसर्ग की अयोग्यता तब समझी जाती है जब दो संसर्गियों में से एक के गुण तथा स्वरूप से दूसरे संसर्गों के गुण तथा स्वरूप से तिरस्करणीय हों।

इस तरह 'अननुरूप संसर्गता' रूप एक सामान्य धर्म से आक्रान्त होने के कारण प्रकृत लक्षण के द्वारा विषमालङ्कार के वे सभी प्रभेद संगृहीत हो जाते हैं जो प्राचीनों के द्वारा कहे जा चुके हैं तथा जो भविष्य में विभिन्न आचार्यों के द्वारा कहे जायगें।

अभिप्राय यह है कि 'अननुरूप संसर्ग' पद का जो व्यापक अर्थ ऊपर किया गया है उसमें विषमालङ्कार के सभी प्रभेद समाविष्ट हो जा सकते हैं।

यहां "तत्रोत्पत्तिलक्षणस्य संसर्गस्यायोग्यत्वं कारणात्स्वगुणविलक्षणगुणकार्योत्पत्त्या। इष्टसाधनतया निश्चितात्कारणादनिष्टकार्योत्पत्तिभिः संयोगादिलक्षणस्यापि। संसर्गिणोरन्यतरगुणस्वरूपतिरस्कार्यान्यतरगुणस्वरूपतया अयोग्यत्वम्।" इस तरह के मूल पाठ को यथावत् ठीक मान कर हिन्दी रसगङ्गाधरकार ने "इन में से उत्पत्तिरूप संसर्ग की

अयोग्यता, कारण के गुणों से विलक्षण गुण वाले कार्य की उत्पत्ति द्वारा होती है और संयोगादि संसर्ग की अयोग्यता, इष्टसाधन रूप में निश्चित कारण से अनिष्टकार्योत्पत्तियों द्वारा होती है। सो यहाँ दो संसर्गियों में से एक के गुणों अथवा स्वरूप के द्वारा दूसरे के गुणों अथवा स्वरूप के तिरस्करणीय होने के कारण अयोग्यता है।" ऐसा अनुवाद किया है। पर पूर्ण विराम की अशुद्धि गया से उक्त मूलपाठ अशुद्ध है और उसके आधार पर किया गया उक्त अनुवाद भी अशुद्ध है। कारण, ग्रन्थ के अग्रिम संदर्भ से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 'इष्ट साधनरूप में निश्चित कारण से अनिष्टकार्योत्पत्ति' यह उत्पत्ति रूप संसर्ग की अयोग्यता का ही एक प्रकार है, न कि संयोगादि रूप संसर्ग की अयोग्यता का।

ग्रन्थ के अग्रिम संदर्भ में "इष्टसाधनतया ज्ञातात्कारणादनिष्टकार्योत्पत्तिभिरित्यत्रैकशेषघटित एकशेषो बोध्यः।" इत्यादि पङ्क्तियों के द्वारा 'इष्टसाधन रूप में निश्चित कारण से अनिष्टकार्योत्पत्ति' की अनेक तरह की व्याख्या करके उनके उदाहरण दिए गए हैं और अन्त में लिखा गया है कि "एवमुत्पत्तिलक्षणसंसर्गस्याननुरूपत्वं निरूपितम्—अर्थात् यहाँ तक उत्पत्तिरूप संसर्ग की अयोग्यता का निरूपण किया गया।" इसके बाद संयोगादिरूप संसर्ग की अयोग्यता के उदाहरण "संयोगादिलक्षणसंसर्गस्याननुरूपत्वं यथा–" इन शब्दों से आरब्ध होता है।

फलतः "संसर्गिणोरन्यतरगुणस्वरूपतिरस्कार्यान्यतरगुणस्वरूपतया अयोग्यत्वम्।" यह जो संयोगादि रूप संसर्ग की अयोग्यता का विवरण है उसको अनुवादकार ने इस प्रसङ्ग का सारांश कथन समझकर जो पङ्क्तियाँ लिखी हैं वह ठीक से बैठती भी नहीं हैं।

विषमालङ्कार से अग्रिम समालङ्कार, जिसका लक्षण है 'अनुरूपसंसर्गः', में संयोगादिरूपसंसर्ग की अनुरूपता बतलाते हुए ग्रन्थकार ने जो "संयोगादिलक्षणस्यापि संसर्गिणोरन्यतरगुणस्वरूपानुग्राह्यान्यतरगुणस्वरूपतयाऽनुरूपत्वम्।" यह पंक्ति लिखी है उस पर भी अनुवादकार ने ध्यान नहीं दिया। यदि इस पङ्क्ति पर ध्यान गया होता तो प्रकृत प्रसङ्ग के पूर्ण विराम की अशुद्धि अवगत हो जाती और तब अनुवाद में इस तरह से अर्थ का अनर्थ नहीं हो पाता। अस्तु। इन सब बातों पर ध्यान देते हुए पाठक मेरे द्वारा रक्खे गए मूलपाठ के औचित्य को स्वयं समझ सकते हैं।

उदाहरणोपस्थापनं प्रतिजानीते—

क्रमेणोदाहरणानि—

स्पष्टम्।

क्रमशः उदाहरण दिखलाए जाते हैं।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'अमृत–लहरी–चन्द्र–ज्योत्स्ना–रमा–वदनाम्बुजा–
न्यधरितवतो निर्मर्याद‍प्रसाद–महाम्बुधेः।
उदभवदयं देव त्वत्तः कथं परमोल्वण–
प्रलय–दहन–ज्वाला–जाला–कुलो महसां गणः॥'

हे देव राजन्! अमृतलहरीम् पीयूषपरम्पराम्, चन्द्रज्योत्स्नाम् चन्द्रमसश्चन्द्रिकाम् रमावदनाम्बुजम् लक्ष्मीमुखकमलञ्च, अधरितवतः तिरस्कृतवतः, निर्मर्यादः असमो, यः प्रसादः प्रसन्नता, तस्य, महाम्बुधिः समुद्रः, तादृशात्, त्वत्तः भवतः, अयम् जनै-

रीद्यमाणः, परमोल्वणम् परमप्रचण्डम्, यत्, प्रलयदहनस्य प्रलयाग्नेः, ज्वालाजालम् शिखाकलापः तेन, आकुलः युक्तः, महसां गणः प्रताप-समूहः, कथम् केन प्रकारेण, उद्भवत् उदपद्यत ? योऽमृतलहर्यादितिरस्कर्ता परमप्रसन्नश्च तस्मात्प्रलयाग्निकल्पस्य प्रतापस्योद्भवः प्रतिकूलतयाऽऽश्चर्यकर इति भावः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—अमृत इत्यादि।

हे राजन्! आपने अमृत की लहरी चन्द्रमा की चाँदनी और लक्ष्मी के मुख-कमल को अपने सामने तुच्छ कर दिया है और आप असीम प्रसन्नता के महासमुद्र हैं, ऐसे आप से यह परम प्रचण्ड प्रलयाग्नि के ज्वाला-जाल से परिपूर्ण प्रताप-पुञ्ज कैसे उत्पन्न हुआ ?

तात्पर्य यह कि अमृतलहरी आदि को नीचा दिखाने वाले—अर्थात् सदा मधुर तथा शीतल रहने वाले और परम प्रसन्न रहने वाले आप से प्रलयाग्नि के तुल्य प्रताप-राशि की उत्पत्ति प्रतिकूल होने के कारण आश्चर्यजनक प्रतीत होती है।

उपपादयति—

"अत्र माधुर्य-शैत्याह्लादकत्वप्रसादाद्यनेकगुणयुक्तात्कारणात्तद्विरुद्धगुणयुक्तस्य प्रतापस्योत्पत्तिरित्यननुरूपः कार्यकारणभावः। अभेदाध्यवसानलक्षणेनातिशयेन समवायिकारणरूपतया स्थिते निमित्तकारणे समवेतकार्यरूपतया स्थिते निमित्तिकार्ये वा विषय्यंशमवलम्ब्य स्फुरितो विरोधो विषयांशविमर्शोत्तरं निवर्तते इतीहाप्यभेदाध्यवसानस्यानुप्राणकत्वम्, तदुत्थापितविरोधाभासस्य च परिपोषकत्वम्। अयमेव चांशोऽत्र कविप्रतिभानिर्मितत्वादलंकारताबीजम्।

अत्रेति 'अमृतलहरी—' इति पद्य इत्यर्थः। तद्विरुद्धगुणेति। कटुत्वोष्णत्वतापकत्वादिगुणेत्यर्थः। प्रतापस्येति। कोशदण्डजस्य तेजस इत्यर्थः। ('कोशदण्डजं तेजः प्रतापः' इति कोषः) अननुरूप इति। प्रतिकूल इत्यर्थः। 'कारणगुणाः कार्यगुणान् आरभन्ते' इति न्यायेन कारणकार्यगुणयोरनुकूलत्वमेव न्याय्यमिति भावः। समवायिकारणरूपतयेति। वर्णनीयनृपरूपतयेति भावः। निमित्तकारणे इति। कोशदण्डात्मके इति भावः। समवेतकार्यरूपतयेति। कोशदण्डजतेजोरूपतयेति भावः। निमित्तिकार्ये इति। कोशदण्डात्मके इति भावः। विषय्यंशमालम्ब्येति। नृपमाश्रित्येत्यर्थः। अत्र यद्यपि 'विषयांशमालम्ब्य' इति पाठो मूलग्रन्थ उपलभ्यते 'सरला' कारेण तदनुसारमेव यत्किञ्चिद् व्याख्यायते च परं तत्सर्वथाऽसंगतमिति विज्ञैः स्वयमनुभूयेत। विषयांशविमर्शेति। कोशदण्डरूपारोपविषयविचारेत्यर्थः।

अत्रापि 'विषय्यंशविमर्श' इति मूललब्धः पाठस्तदनुसारिणी व्याख्या चाशुद्ध एवेति बोध्यम्।

इदमिह विशदीकरणम्—कोश-दण्डजतेजोरूपस्य प्रतापस्य समवायिकारणं राजा निमित्तकारणं पुनः कोशदण्डौ, कोशदण्डयोर्निमित्तकारणञ्च राजैव। एवञ्च प्रकृते प्रतापसमवायिकारणेन राज्ञा विषयिणा सह तेन निगीर्णयोः प्रतापनिमित्तकारणयोः कोशदण्डयोः

विषययोरभेदे स्वीकृते राजरूपविषय्यंशमादायैव विरोधः स्फुरति यतः 'कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते' इति न्याये कारणापदेन समवायिकारणमेव गृह्यते, न निमित्तकारणम्, तथा च राजात्मके समवायिकारणे शैत्यादिगुणविशिष्टे ततस्तापकत्वादिगुणविशिष्टस्य प्रतापरूपस्य कार्यस्योत्पत्तौ विरोधः स्फुटः। कोशदण्डात्मकविषयांशमादाय तु न कश्चिद् विरोधः, यतो निमित्तकारणगुणसमानगुणत्वं कार्ये न स्वीक्रियते केनापि।

अथवा कारणांशेन निगरणम्, अभेदो वा, शुद्धो राजैवास्तु वर्ण्यमानः, कार्यांश एव प्रतापेन राजसमवेतकार्येण विषयिणा सह तेन निगीर्णस्य राजनिमित्तिकार्यस्य कोशदण्डात्मकस्याभेदस्तथापि च विरोधस्फुरणे स एव पन्थाः अर्थात् प्रतापरूपविषय्यंशमादाय विरोधः, कोशदण्डात्मकविषयांशमादायाविरोधः, यतः उक्तन्यायेन प्रतापे राजसमवेतकार्ये राजरूपसमवायिकारणगुणा अपेक्षिताः कोशदण्डयोस्तु राजनिमित्तिकार्ययोर्न राजरूपनिमित्तकारणगुणा अपेक्ष्यन्ते इति।

अस्य संदर्भस्य 'सरला' तु अज्ञानविजृम्भितैवेति बोध्यम्।

तदुत्थापितेति। अभेदाध्यवसानोत्थापितेत्यर्थः। अयमेव चांश इति। विरोधांश इत्यर्थः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'अमृतलहरी—' इस पद्य में अमृतलहरी-तिरस्कार द्वारा सूचित माधुर्य, चन्द्रिकाधःकरण द्वारा सूचित शैत्य और लक्ष्मी-मुखकमलकदर्थना द्वारा अवगत आह्लादकत्व एवं प्रसन्नता आदि अनेक गुणों से युक्त कारण से उन गुणों से विरुद्ध गुण युक्त प्रतापरूप कार्य की उत्पत्ति वर्णित हुई है, अतः यहाँ कार्य-कारणभाव अनुरूप नहीं है—प्रतिकूल है।

यहाँ अभेदाध्यवसानरूप अतिशय द्वारा प्रताप के समवायिकारण राजा के रूप में प्रताप का निमित्त कारण कोश-दण्ड स्थित हैं अथवा राजसमवेतकार्य प्रताप के रूप में राजा के निमित्ती कार्य कोश-दण्ड स्थित हैं, दोनों ही स्थितियों में विषयी अंश (कोश-दण्डात्मक विषय के निगरण करनेवाले राजा अथवा कोश-दण्डात्मक विषय के निगरण करने वाले प्रताप) को लेकर स्फुरित होने वाला विरोध विषय अंश (निगीर्ण कोश-दण्ड) के विमर्श के अनन्तर निवृत्त हो जाता है।

इस प्रसङ्ग को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्न लिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए।

'कारणगुणाः कार्यगुणान् आरभन्ते—अर्थात् कारण के गुण कार्यगत गुणों के आरंभक होते हैं (कारण के गुणों के समान ही कार्य के गुण होते हैं)' यह जो दार्शनिकों का सिद्धान्त है उसमें कारण पद से समवायिकारण ही लिया जाता है, निमित्तकारण नहीं, यह रहस्य सर्वप्रथम ध्यातव्य है।

अब आइए प्रकृत पर। 'अमृतलहरी—' इस पद्य में सीधा-सीधी राजा के प्रताप का वर्णन है और प्रताप कहते हैं कोश-दण्डजन्य तेज को। अब आप यह भी समझिए कि कोशदण्डजतेजोरूप प्रताप का समवायिकारण है राजा और निमित्त कारण हैं कोश-दण्ड एवं कोश-दण्ड का निमित्त कारण भी राजा ही है। ऐसी स्थिति में उक्त न्याय के अनुसार राजा और प्रताप के गुण समान होने चाहिए, क्योंकि प्रताप का समवायिकारण राजा है। कोश-दण्ड और राजा के गुणों की समानता अपेक्षित नहीं होती, क्योंकि कोश-

दण्ड का निमित्तकारण राजा है, इसी तरह कोशदण्ड और प्रताप (कोशदण्डजतेज) के गुणों की समानता भी अपेक्षित नहीं क्योंकि प्रताप के भी निमित्त कारण ही हैं कोश-दण्ड। अतः प्रकृत पद्य में आपाततः शैत्य आदि गुण-युक्त राजा से, उन गुणों से विरुद्ध गुण-अर्थात् तापकत्व आदि से युक्त प्रताप की उत्पत्ति में विरोध भासित होता है, क्योंकि इन दोनों में समवायि-समवेतभाव रहने के कारण गुणों की सजातीयता अपेक्षित है यह बात पहले कही जा चुकी है।

पर इस विरोध की निवृत्ति दो प्रकार से हो जाती है—एक प्रकार यह है कि यहाँ प्रताप के निमित्तकारण कोशदण्ड ही प्रताप के समवायिकारण राजा के रूप में स्थित है—अर्थात् राजा रूप विषयी और कोश-दण्ड रूप विषय में अभेद मानकर प्रथम (राजा) से द्वितीय (कोशदण्ड) का निगरण हो गया है तात्पर्य यह कि यहाँ निगीर्याध्यवसान-रूप अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से राजा के रूप में कोशदण्ड का वर्णन किया गया है ऐसा मान लिया जाय।

ऐसा मान लेने पर अभेदापन्न उक्त विषयी तथा विषय में से विषयी (राजा) अंश को लेकर विरोध भासित होने पर भी विषय (कोशदण्ड) अंश के विचार से वह (विरोध) निवृत्त हो जाता है, क्योंकि कोशदण्ड प्रताप के निमित्तकारण हैं, अतः उनके गुणों से भिन्न तरह के गुण भी प्रताप में हो सकते हैं।

दूसरा प्रकार विरोध-निवृत्ति का यह है कि कारणांश में अभेदाध्यवसान न माना जाय—अर्थात् राजा के रूप में कोश-दण्ड का वर्णन न माना जाय (शुद्ध राजा का ही वर्णन मान लिया जाय) पर कार्यांश में वह (अभेदाध्यवसान) माना जाय—अर्थात् यह माना जाय कि यहाँ प्रताप, जो राजा का समवेत कार्य है, के रूप में राजा का निमित्तिकार्य (कोशदण्ड) स्थित है, तात्पर्य यह कि प्रताप के रूप में कोश-दण्ड का उल्लेख है (प्रतापरूप विषयी के द्वारा उससे अभिन्न विषय कोश-दण्ड का निगरण हुआ है)

ऐसा मानने पर भी विषयी प्रताप अंश को लेकर विरोध भले ही भासित हो, क्योंकि राजा उसका समवायि कारण है, अतः उसमें राजा के गुण के अनुकूल गुण ही होने चाहिए थे, पर विषय कोश-दण्ड के विमर्श करने पर विरोध नहीं दिखेगा क्योंकि राजा कोश-दण्ड का निमित्तकारण है, अतः उसके गुण राजा के गुण के अनुरूप ही हों इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

आशा है इस लम्बे विवरण से पाठकों के मानस-पटल पर ग्रन्थ का अभिप्राय स्पष्ट रूप से अङ्कित हो सकेगा।

इस संदर्भ पर 'सरला-कार' तथा 'हिन्दी रसगङ्गाधर-कार' दोनों ने दार्शनिक अविद्या के कारण इस तरह अन्धकार में ढेले फेके हैं कि वे लक्ष्य से कोशों दूर जा पड़े हैं 'सरला-कारने अशुद्ध मूल पाठ को मान कर ही माथापच्ची की है और 'हिन्दी रसगङ्गाधर-कार' पाठ की शुद्धता तक पहुँच कर भी यहाँ के दार्शनिक तथ्य को प्रकट करने में सर्वथा असमर्थ ही हुए हैं।

इन आक्षेपों की सत्यता की जाँच विज्ञ पाठक उनके ग्रन्थों को सामने रखकर स्वयं करेंगे।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि इस विषमालंकार में भी अभेदाध्यवसान (अतिशयोक्ति) अनुप्राणक है और उस अभेदाध्यवसान के द्वारा उत्थापित विरोधाभास है पोषक। यह विरोधांश ही कविप्रतिभासंभूत होने के कारण अलंकारतत्त्व का बीज है।

उत्पत्तिलक्षण-संसर्गायोग्यत्वस्य प्रथमं प्रकारमुदाहृत्य तस्यैव द्वितीयं प्रकारमुदाहर्तुं प्राक् सामान्यतो विवृतमपि तत् पुनर्विशेषतो विवृणोति—

इष्टसाधनतया ज्ञातात्कारणादनिष्टकार्योत्पत्तिभिरित्यत्रैकशेषघटित एकशेषो बोध्यः। न इष्टमनिष्टम् अनर्थः। तादृशकार्योत्पत्तिश्च। न इष्टकार्योत्पत्तिरनिष्टकार्योत्पत्तिः सा चेत्यनिष्टकार्योत्पत्ती। ते च अनिष्टकार्योत्पत्तिश्च। अनिष्टकार्योत्पत्तयः ताभिरिति। अनेनेष्टकार्यानुत्पत्त्यनिष्टकार्योत्पत्ती मिलिते एको भेदः। प्रत्येकं च भेदद्वयम्। इति त्रयो भेदाः संगृहीता भवन्ति। इष्टं च—स्वस्य किंचित्सुखसाधनवस्तुप्राप्तिर्दुःखसाधनवस्तुनिवृत्तिश्च परस्य दुःखसाधनवस्तु-प्रापणम् सुख-साधन-निवृत्तिश्चेति चतुर्विधम्। तेनेष्टाप्राप्तिघटिते भेदद्वयेऽपि चातुर्विध्यम्। अनिष्टं च—स्वस्य दुःखसाधन-वस्तुप्राप्तिः, परस्य सुध-साधन-वस्तु-प्राप्तिः, दुःख-साधन-वस्तुनाशश्चेति त्रिविधम्। स्वस्येष्टाप्राप्तिस्तु गणितेति नानिष्टे गण्यते। तेनानिष्टप्राप्तिघटिते भेदद्वयेऽपि त्रैविध्यम्।

एकशेषघटित एकशेष इति। 'अनिष्टकार्योत्पत्ति'-पदे द्वावेकशेषाविति भावः। तदेव स्फुटयति—न इष्टमिति। तादृशेति, अनर्थभूतेत्यर्थः। सा चेति। अनिष्टकार्योत्पत्तिश्चेत्यर्थः। इष्टकार्योत्पत्त्यभाव इति यावत्। ते चेति। अनर्थभूतकार्योत्पत्तीष्टकार्योत्पत्त्यभावौ चेति भावः। अनिष्टकार्योत्पत्तिश्चेति। अनभीष्टस्य कार्यस्योत्पत्तिरिति भावः। एवञ्चाद्ये नञः इष्टकार्योत्पत्तिशब्देन द्वितीये चेष्टशब्देन समास इति बोध्यम्। फलितमाह—अनेनेति। 'ते च' इति द्विवचनसूचितार्थेनेति भावः। एको भेद इति। यत्रेष्टकार्यस्यानुत्पत्तिरनिष्टकार्यस्योत्पत्तिश्च सह भवेताम् तादृशो भेद इति भावः। प्रत्येकं च भेदद्वयमिति। केवलेष्टकार्यानुत्पत्तिर्यत्र स्यात्तादृशो भेद एकः, केवलानिष्टकार्योत्पत्तिर्यत्र स्यात्तादृशश्च भेदोऽपर इति भावः। इतीति। इत्थंप्रकारेणेत्यर्थः। त्रयो भेदा इति। उक्तप्रकाराः इत्यर्थः। संगृहीता इति। अनिष्टकार्योत्पत्तिपदेनेति भावः। इष्टपदार्थं स्फोरयितुमाह—इष्टं चेति। इष्टाप्राप्तिघटिते भेदद्वये इति। इष्टकार्यानुत्पत्त्यनिष्टकार्योत्पत्तिमिलिते भेदे केवलेष्टकार्यानुत्पत्त्यात्मके च भेदे इत्यर्थः, अनिष्टपदार्थं स्फुटयितुं प्रक्रमते—अनिष्टं चेति। ननु स्वेष्टप्राप्त्यभावोऽप्यनिष्ट इत्यनिष्टविधासु सोऽपि गणयितुमुचितस्तथा चानिष्टस्यापि चतुर्विधत्वं संभवतीति कुतस्तस्य त्रिविधत्वमिति चेत्तत्राह—स्वस्येष्टाप्राप्तिस्त्विति। गणितेति। स्वतन्त्रभेदगणनायामिति भावः। तेनेति, अनिष्टस्य त्रिविधत्वेनेत्यर्थः। अनिष्टप्राप्तिघटिते इति। पूर्वोक्तमिलिते भेदे केवलानिष्टकार्योत्पत्त्यात्मके च भेदे इत्यर्थः।

उत्पत्तिरूप संसर्ग की अयोग्यता के जो दो प्रकार कहे गए हैं उनमें से प्रथम प्रकार का उदाहरण दिया जा चुका, अब द्वितीय प्रकार के उदाहरण दिखाने के लिए पहले उस प्रकार का विश्लेषण किया जाता है—इष्टसाधनतया इत्यादि।

"इष्टसाधनरूप में ज्ञात कारण से अनिष्टकार्योत्पत्तियों द्वारा" इन शब्दों से जो उत्पत्ति रूप संसर्ग की अयोग्यता का द्वितीय प्रकार कहा गया है, उसमें जो 'अनिष्टकार्योत्पत्ति' शब्द है, उसमें एकशेष से घटित एकशेष-अर्थात् दो एकशेष समझना चाहिए। जैसे—'इष्ट नहीं' इस अर्थ में 'न' का 'इष्ट' शब्द के साथ समास करके 'अनिष्ट'

शब्द बनाइए, जिसका अर्थ होगा–अनर्थ और तब इस 'अनिष्ट' शब्द का 'कार्य' शब्द के साथ कर्मधारय समास करने पर बने हुए 'अनिष्ट कार्य' शब्द का 'उत्पत्ति' शब्द के साथ षष्ठीतत्पुरुष करने से एक 'अनिष्टकार्योत्पत्ति' शब्द तैयार होता है। 'इष्टकार्य' शब्द का 'उत्पत्ति' शब्द के साथ षष्ठीतत्पुरुष करने पर बने हुए 'इष्टकार्योत्पत्ति' शब्द के साथ 'न' का समास करने पर 'इष्टकार्योत्पत्ति का अभाव' इस अर्थ में दूसरा 'अनिष्टकार्योत्पत्ति' शब्द तैयार होता है। अब इन दोनों 'अनिष्टकार्योत्पत्ति'—शब्दों का प्रथम एकशेष करने पर 'अनिष्टकार्योत्पत्ती' यह द्विवचनान्त एक शब्द तैयार हो जाता हैं। अब फिर दूसरे "अनिष्टकार्योत्पत्ति" शब्द के साथ एकशेष करने पर 'अनिष्टकार्योत्पत्तयः' यह बहुवचनान्त शब्द बन जाता है।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि—इष्ट कार्य की अनुत्पत्ति और अनिष्ट कार्य की उत्पत्ति ये दोनों बातें जहाँ एक साथ हों वह एक भेद है। केवल इष्ट कार्य की अनुत्पत्ति यह दूसरा भेद है। और केवल अनिष्ट कार्य की उत्पत्ति यह तीसरा भेद है।

फलतः ये तीनों भेद "अनिष्टकार्योत्पत्ति" शब्द से संगृहीत हो जाते हैं।

इष्ट शब्द से चार वस्तुएँ समझी जाती हैं (१) अपने किसी सुखसाधन वस्तु की प्राप्ति (२) अपने किसी दुःख साधन वस्तु की निवृत्ति (३) और विरोधी जन के किसी दुःख साधन वस्तु की प्राप्ति (४) तथा विरोधीजन के सुखसाधन वस्तु की निवृत्ति। इस तरह से 'इष्ट' के चार प्रभेद होने के कारण इष्ट की अप्राप्ति वाले दो भेदों अर्थात् पूर्वोक्त तीन भेदों में से प्रथम तथा द्वितीय, के चार-चार उपभेद हो जाते हैं।

अनिष्ट के भी तीन प्रकार हैं—(१) अपने दुःखसाधन रूप वस्तु विशेष की प्राप्ति (२) दूसरे के सुखसाधन रूप वस्तु की प्राप्ति और (३) दूसरे के दुःखसाधन रूप वस्तु का नाश। यद्यपि अपने इष्ट की अप्राप्ति भी अनिष्ट की श्रेणी में आती है, अतः अनिष्ट के भी चार प्रकार होने चाहिए थे तथापि इष्ट वस्तु की अप्राप्ति स्वतन्त्र रूप से पृथक् गिनी जा चुकी है, अतः अनिष्ट में इस की गणना नहीं की जाती है।

इस तरह अनिष्ट-प्राप्ति वाले दोनों भेदों अर्थात् पूर्वोक्त तीन भेदों में से प्रथम तथा तृतीय, के तीन-तीन उपभेद हो जाते हैं।

पूर्वोक्त-सकलभेदोदाहरण-प्रदर्शनस्यासंभवित्वं सूचयन्नाह—

दिङ्मात्रं तूपदर्श्यते।

उदाहरणांशे दिशानिर्देशमात्रं विधीयते इत्यर्थः।

उदाहरणांश में दिग्दर्शनमात्र कराया जाता है अर्थात् सभी भेदों के उदाहरण नहीं दिखलाए जायँगे।

उदाहर्तुमाह—

उदाहरणम्—

स्पष्टम्।

उदाहरण दिखलाया जाता है।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'दूरीकर्तुं प्रियं बाला पद्मेनाताडयद्रुषा।
स बाणेनाहतस्तेन तामाशु परिषस्वजे॥'

बाला मुग्धनायिका, प्रियम् प्रेयांसम् , दूरीकर्तुम् स्वसमीपादपसारयितुम् , रुषा क्रोधेन, तम् , पद्मेन कमलपुष्पेण अताडयत् आहतवती। तेन बाला-प्रयुक्तेन, बाणेन कामशरेण, कामबाणानां पुष्पमयत्वादिति भावः, आहतः विद्धः, स प्रियः, आशु शीघ्रम् , ताम् बालाम् , परिषस्वजे आलिङ्गितवानित्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—दूरीकर्तुम् इत्यादि।

मुग्धा नायिका ने क्रोध के कारण प्रिय को दूर हटाने के लिए कमलपुष्प से ताडित किया, उस पुष्परूप कामबाण सेआहत प्रिय ने तत्काल उसका आलिङ्गन कर लिया।

उपपादयति—

अत्र प्रियदूरीकरणरूपेष्टार्थं प्रयुक्तेन पद्मताडनरूपेण कारणेन प्रियदूरीकरणं तु दूरापास्तम् , प्रत्युत तत्कर्तृकपरिष्वङ्गरूपानिष्टस्योत्पत्तिः।

बालायाः प्रियदूरीकरणमिष्टम्, तदर्थञ्च तया पद्मेन प्रियस्य ताडनं कृतम् , किन्तु तेन पद्मकरणकप्रियताडनेन तस्या इष्टमेव न सिद्धमित्येत्र न अपि तु प्रियकर्तृकालिङ्गन-रूपमनिष्टञ्चोत्पन्नम्, तथा च इष्टसाधनतया ज्ञातात् कारणात् इष्टानुत्पत्तेरनिष्टोत्पत्तेश्चोदाहरणमिदं पद्यमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'दूरीकर्तुम्—' इस पद्य में 'प्रियदूरीकरण' रूप 'इष्ट' के लिए नायिका द्वारा प्रयुक्त 'पद्म-ताडन' रूप कारण से इष्ट की सिद्धि तो नहीं ही हुई—प्रिय दूर हटा नहीं, प्रत्युत अनिष्ट की उत्पत्ति हो गई—प्रिय ने हटने के बदले और कस कर उसका आलिङ्गन कर लिया। इस तरह यह पद्य 'इष्ट के लिए प्रयुक्त कारण से इष्ट की अनुत्पत्ति और अनिष्ट की उत्पत्ति' वाले भेद का उदाहरण है।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम् ,

अथवा जैसे—'

उदाहरणमुपस्थापयति—

'खञ्जनदृशा निकुञ्जं गतवत्या गां गवेषयितुम्।
अपहारिताः समस्ता गावो हरि-वदन-पङ्कजालोकात्॥'

गाम् धेनुम् गवेषयितुम् अन्वेष्टुम् निकुञ्जम् वनम् गतवत्या गतया, खञ्जनदृशा खञ्जरीटाक्ष्या हरि-वदन-पङ्कजालोकात् कृष्ण-मुख-कमल-दर्शनात् समस्ताः सर्वाः गावः धेनवः (इन्द्रियाणि) अपहारिताः नाशिता इत्यर्थः।

उदाहरण उपस्थित किया जाता है—खञ्जन इत्यादि।

खञ्जन के समान नयन वाली सुन्दरी भटकी हुई गाय को खोजने के लिए कुञ्ज में गई, लेकिन फल उलटा ही हुआ, वहां कृष्ण चन्द्र के मुख-कमल-दर्शन से इसने समस्त गायों (इन्द्रियों) का अपहरण करवा लिया। तात्पर्य यह कि जिस धेनु को खोजने सुन्दरी वन में गई थी, वह धेनु तो मिली नहीं उलटे कृष्ण चन्द्र के दर्शन से अपनी सुध-बुध को भी वह खो बैठी।

उपपादयति—

पूर्वोदाहरणे वास्तवमेवानिष्टम्, इह तु सकलेन्द्रियहरणं यद्यपि लोकेऽनिष्टप्रायमेव तथापि तत्पुरस्कारेणेह चमत्कृतिराहित्याद्गोहरणपुरस्कारेणैव चमत्कारात् श्लेषमूलकाभेदाध्यवसाने सकलसुरभिहरणरूपानिष्टात्मना स्थितं तदिति विशेषः।

अयं भावः—'दूरीकर्तुम्—' इति प्रथमोदाहरणे प्रियदूरीकरणस्थाने प्राप्तः प्रियपरिष्वङ्गो नारोपितानिष्टभावोऽपि तु वास्तव एवानिष्टः अभेदाध्यवसानाभावात्, 'खञ्जनदृशा—' इति द्वितीयोदाहरणे तु गोपदगतेन श्लेषेण धेन्विन्द्रियरूपार्थयोरभेदाध्यवसाने प्रतीयमानम् एकधेनुप्राप्तिस्थाने सकल-धेनु-हरणम् न वास्तवमनिष्टम् अपि तु आरोपितानिष्टभावमिति द्वयोरुदाहरणयोर्भेदः। ननु अत्र प्रतीयमानम् सकलेन्द्रियहरणमेवानिष्टं विवक्षितमस्तु तच्च वास्तवमेवेति किमुक्तावास्तवानिष्टोपवर्णनप्रयासेनेति चेन्न, अत्रेन्द्रियहरणपुरस्कारेण चमत्काराभावात् गोहरणपुरस्कारेण चमत्काराच्च।

तथा च सत्यपीदन्तरे पूर्वोक्तं पद्ययुगलमेकस्यैव भेदस्योदाहरणमिति।

उपपादन किया जाता है—पूर्वोदाहरणे इत्यादि।

अभिप्राय है कि 'दूरीकर्तुम्–' और 'खञ्जनदृशा–' ये दोनों ही पद्य यद्यपि एक ही भेद के उदाहरण हैं, तथापि दोनों में कुछ अन्तर है और वह अन्तर यह है कि प्रथम उदाहरण में 'प्रियदूरीकरण' की जगह मिला हुआ 'प्रियालिङ्गन' मुग्धा के लिए वस्तुतः अनिष्ट है—उसकी अनिष्टता श्लेष के बल पर आरोपित नहीं है और दूसरे उदाहरण में एक-गो-गवेषण के लिए गई हुई गोपी का सकल-गो-हरण (वस्तुतः सकलेन्द्रियहरण) स्वतः अनिष्ट नहीं है, अपि तु श्लेषमूलक अभेदारोप के कारण अनिष्ट हो जाता है, तात्पर्य यह कि यहां वस्तुतः सकल इन्द्रियों का हरण हुआ है, गायों का नहीं, किन्तु श्लेष के बल से गाय तथा इन्द्रिय दोनों के बोधक 'गो' शब्द के द्वारा अवगत 'इन्द्रिय-हरण' पर 'धेनुहरण' आरोपित हो जाता है।

यदि आप कहें कि इस आरोपित 'धेनुहरण' रूप अनिष्ट की बात क्यों की जाती है? 'इन्द्रियहरण' भी तो सामान्यतः लोक में अनिष्ट ही माना जाता है, जो यहां वास्तविक है, उसी को लेकर अनिष्टोत्पत्ति का यह उदाहरण क्यों नहीं माना जाय? तो इसका उत्तर यह है कि–काव्य-जगत् में चमत्कार ही सब कुछ है, उसी के आधार पर सभी मान्यतायें प्रश्रय पाती हैं इस दृष्टिकोण से विचार करने पर आरोपित 'धेनुहरण' रूप अनिष्ट की बात सर्वथा उचित है, क्योंकि यहां 'सकल धेनु हरण–' प्रतीतिमूलक ही चमत्कार है, सकल इन्द्रिय-हरण-प्रतीतिमूलक नहीं।

आशङ्क्य समाधत्ते—

गवेष्यमाणगवीरूपेष्टाप्राप्तेरनुक्तत्वात् केवलानिष्टप्राप्तेरिदमुदाहरणम्, पूर्वं तूभयस्येति विशेषो न वाच्यः। समस्तगवीहरणेन सामान्येन गवेष्यमाणाया अपि गोरपहारस्य प्रत्ययात्।

'दूरीकर्तुम्—' इति पद्ये प्रियदूरीकरणस्येष्टस्याप्राप्तिः, अनिष्टस्य परिष्वङ्गस्य प्राप्तिश्चेत्युभयमुक्तम्। 'खञ्जन—' इत्यत्र तु सकलगवीहरणरूपानिष्टस्यैवावाप्तिरुक्ता गवेष्यमाणगवीरूपस्येष्टस्यानवाप्तिर्नोक्तेति द्वयोरुदाहरणयोर्मिथो भेद इति पूर्वपक्षस्य, 'खञ्जन—'

इत्यत्रापि समस्तगवीहरणोक्तेर्गवेष्यमाणगवीहरणस्यापि प्रतीतेरेकप्रभेदोदाहरणतैवोभयोरिति च समाधानदलस्याभिप्रायो बोध्यः।

एक आशङ्का और उसका समाधान अब किए जाते हैं—गवेष्यमाण इत्यादि।

'दूरीकर्तुम्—' यह पद्य इष्ट की अप्राप्ति और अनिष्ट की प्राप्ति दोनों के मिश्रण वाले भेद का उदाहरण है, क्योंकि वहां प्रियदूरीकरणरूप इष्ट की अप्राप्ति तथा प्रियकृत आलिङ्गन रूप अनिष्ट की प्राप्ति दोनों ही उक्त हैं। 'खञ्जनदृशा—' यह पद्य तो केवल अनिष्ट प्राप्ति का उदाहरण है क्योंकि यहां ढूंढ़ी जाने वाली गाय रूप इष्ट की अप्राप्ति उक्त नहीं है अतः इन दोनों उदाहरणों में यही अन्तर मान्य होना चाहिए ऐसा किसी का कथन ठीक नहीं है। कारण, 'खञ्जनदृशा—' इस पद्य में उक्त इष्ट की अप्राप्ति का शब्दतः कथन न होने पर भी 'समस्तगोहरण' इस सामान्यबोधक शब्द के द्वारा ढूढ़ी जाने वाली गाय का हरण भी प्रतीत होता ही है, अतः इस पद्य को केवल अनिष्ट प्राप्ति का उदाहरण नहीं माना जा सकता है।

उपसंहरति—

एवमिष्टाप्राप्त्यनिष्टप्राप्त्युभयकृता संसर्गस्याननुरूपता सामान्येनोक्ता।

स्फुटम्।

इस तरह इष्टाप्राप्ति और अनिष्टप्राप्ति दोनों के द्वारा होने वाली संसर्ग की अननुरूपता का वर्णन सामान्यतः किया गया।

संसृष्टिमूलकभेदोपचयं प्रतिजानीते—

पूर्वोक्तचतुर्भेदाया इष्टाप्राप्तेः पूर्वोक्तत्रिभेदेनानिष्टेन संसृष्टावियमेव द्वादशविधा।

इयमेवेति। इष्टाप्राप्त्यनिष्टप्राप्त्युभयकृता संसर्गस्याननुरूपतेत्यर्थः। द्वादशविधेति। चतुर्णां त्रिभिर्गुणनेनेति भावः।

एक भेद की अन्य भेदों के साथ संसृष्टि (एक प्रकार का मिश्रण) होने पर होने वाली भेद-वृद्धि की प्रतिज्ञा की जाती है—पूर्वोक्त इत्यादि।

पूर्वोक्त चार भेदवाली इष्टाप्राप्ति की पूर्वोक्त तीन भेद वाले अनिष्ट के साथ संसृष्टि (एक तरह का मिश्रण) होने पर इसी (इष्टाप्राप्ति और अनिष्टप्राप्ति दोनों के द्वारा होने वाली संसर्ग की अननुरूपता) के बारह प्रकार हो जाते हैं।

तत्र स्वस्य सुखसाधन-वस्त्वप्राप्ति-दुःख-साधन-वस्तु-प्राप्तिरूप उभयभेदस्तावदुदाहृतः।

उभयभेद इति। मिलितभेदप्रकार इति भावः। उदाहृत इति 'दूरीकर्तुम्-' 'खञ्जनदृशा-'इत्यनयोः पद्ययोरिति भावः।

उन बारह भेदों में से अपने सुखसाधन वस्तु की अप्राप्ति और दुःखसाधनरूप वस्तु की प्राप्ति वाले 'उभयभेद' (विषय) का उदाहरण 'दूरीकर्तुम्'-'खञ्जनदृशा-' इन पद्यों में दिया जा चुका है।

प्रोक्तद्वादशभेदान्तर्गतप्रभेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

स्वस्य दुःख-साधन-वस्त्वनिवृत्ति-दुःखान्तर-साधनावाप्तिरूपद्वयं यथा—

रूपद्वयमिति रूपोभयभेदात्मकविषय इत्यर्थः।

अन्य भेद दिखलाने के लिए कहा जाता है—स्वस्य इत्यादि।

अब अपने दुःखसाधन रूप वस्तु की अतिवृत्ति (निवृत्ति न होने) और अन्य दुःख के साधनरूप वस्तु की प्राप्ति वाले 'उभयभेद विषम' का उदाहरण जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'रूपारुचिं निरसितुं रसयन्त्या हरिमुखेन्दुलावण्यम्।
सुदृशः शिव शिव सकले जाता सकलेवरे जगत्यरुचिः॥'

रूपारुचिम् रूपविषयिणीमप्रीतिम्, निरसितुम्, दूरीकर्तुम्, हरिमुखेन्दुलावण्यम् भगवन्मुखचन्द्रसौन्दर्यम् रसयन्त्याः आस्वादयन्त्याः, सुदृशः सुनयनाया नायिकायाः, सकलेवरे स्वशरीरसहिते सकले सम्पूर्णे जगति संसारे अरुचिः अप्रीतिः, जाता, उत्पन्नेत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—रूपारुचि इत्यादि।

सुन्दर नयनवाली किसी नायिका ने रूपविषयक अपनी अरुचि को हटाने के लिए कृष्णचन्द्र के मुख-सौन्दर्य का आस्वाद लेना आरंभ किया, पर खेद है कि उसे अपने शरीर साथ साथ सम्पूर्ण संसार में अरुचि हो गई।

उपपादयति—

अत्र यद्यपि ब्रह्मदर्शनोत्तरं जातायामपि जगति वैराग्यलक्षणायामरुचौ भगवद्वदनलावण्यदर्शनाद्रूपारुचिर्विलक्षणा या काचित्सा निवृत्तैवेति वक्तुं शक्यते, तथापि जगदरुचित्वेन सकलारुचीनामभेदाध्यवसायाद्रूपारुचिनिवृत्तेरप्रत्यय एव। अन्यथा सुखहेतोर्वैराग्यलक्षणाया अरुचेर्दुःखान्तरसाधनत्वं दुरुपपादं स्यादिति भवत्युभयोदाहरणम्।

अयं भावः—वैराग्यरूपा अरुचिः रूपारुचिश्चेति मिथो भिन्नं वस्तु, तथा च ब्रह्मदर्शनोत्तरं जगति वैराग्यरूपा अरुचिर्जायतान्नाम, किन्तु भगवन्मुखसौन्दर्यदर्शनात् रूपानुरागपर्यवसायिनी रूपारुचिनिवृत्तिः संपद्यत एवेति दुःखदवस्त्वनिवृत्ति—दुःखान्तरसाधनप्राप्तीत्युभयोदाहरणं कथमिदं पद्यं भवितुमर्हतीति शङ्कायाम् अभेदाध्यवसायबलेन जगदरुचौ सकला अरुचिरन्तर्भूता, तथा च 'जगति अरुचिर्जाता' इत्युक्तौ रूपारुचिनिवृत्तेः प्रतीतिर्न भवितुमीष्टे। यदि अरुचीनां मिथोभिन्नानामपि अभेदाध्यवसायो नाङ्गीक्रियेत तदा स्वतः सुखकारणरूपाया वैराग्यात्मिकाया अरुचेर्दुःखसाधनत्वोपवर्णनमेव विरुध्येत, एवञ्च संघटन एवोभयोदाहरणता प्रकृत पद्यस्येति समाधानमिति।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'रूपारुचिम्—' इस पद्य में यद्यपि ऐसा कहा जा सकता है कि ब्रह्म-साक्षात्कार के अनन्तर संसार में वैराग्य रूप अरुचि की उत्पत्ति हो जाने पर भी भगवान् के मुख-सौन्दर्य के दर्शन से रूपविषयक अरुचि की निवृत्ति तो हो ही गई, क्योंकि रूपविषयक अरुचि वैराग्यात्मक अरुचि से कुछ विलक्षण वस्तु है, और ऐसी स्थिति में पूर्वप्रतिज्ञानुसार यह पद्य दुःखसाधनवस्तु की अनिवृत्ति तथा दुःखान्तरसाधन की प्राप्ति दोनों का उदाहरण कैसे हुआ? तात्पर्य यह कि यह पद्य केवल दुःखान्तरसाधन की प्राप्ति का उदाहरण हो सकता है, क्योंकि एकदुःखसाधन वस्तु 'रूपारुचि' की निवृत्ति हो ही जाती है, तथापि यह पद्य उभय (दुःखसाधन की अनिवृत्ति तथा दुःखान्तरसाधन की प्राप्ति का) उदाहरण होता है, क्योंकि संपूर्ण संसार में होने वाली अरुचि के

साथ सभी अरुचियों का अभेद मान लिया गया है, यदि ऐसा न माना जाय तब वैराग्यात्मक अरुचि, जो स्वतः सुख का कारण है, को दुःखान्तर का साधन कहना नहीं बन सकता, और जब संसाराहचि से सभी अरुचियाँ अभिन्न हो जाती हैं तब रूपारुचि भी उसके अन्तर्गत हो ही जाती है और संसाराहचि यहाँ उत्पन्न ही हुई है, फिर रूपारुचि की निवृत्ति की प्रतीति हो कैसे सकती है।

भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

परस्य दुःखसाधनानवाप्तिः स्वस्य दुःखान्तरसाधनप्राप्तिरित्युभयं यथा—

स्पष्टम्।

विरोधी के दुःखसाधन की अप्राप्ति अपने दुःखान्तरसाधन की प्राप्ति, ये दोनों, जैसे—'

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'पुरो गीर्वाणानां पुलकितकपोलं प्रथयतो
भुजप्रौढिं साक्षाद् भगवति शरं संमुखयितुम्।
स्मरस्य स्वर्बाला-नयन-सुम-मालार्चितमहो
वपुः सद्यो भालानलभसितजालास्पदमभूत्॥'

साक्षाद् भगवति साक्षात् शिवे, शरम् बाणम्, संमुखयितुम् आरोपयितुम्, गीर्वाणानाम्, देवानाम्, पुरः अग्रे, पुलकितकपोलम् रोमाञ्चितकपोलम् यथा स्यात्तथा, भुजप्रौढिम् बाहुसामर्थ्यम्, प्रथयतः प्रकटयतः, स्मरस्य कामदेवस्य, स्वर्बालानाम् देवाङ्गनानाम्, नयनरूपाणाम्, सुमानाम् पुष्पाणाम्, मालाभिः समूहैः, अर्चितम् पूजितम्, वपुः शरीरम्, सद्यः तस्मिन्नेव क्षणे, भालानलभासितजालस्य ललाटवह्निभस्मसमूहस्य आस्पदम् स्थानम्, अभूदित्यहो आश्चर्यम् इत्यर्थः।

उदाहरण उपस्थित किया जाता है—पुरः इत्यादि।

साक्षात् भगवान् शिव पर बाण आरोपित करने के लिए देवताओं के आगे कपोलों को रोमाञ्च युक्त बनाकर अपने भुज-बल की डींग हाँकने वाले कामदेव का देव-बालाओं के नयन-कुसुम-समूह से अर्चित शरीर, आश्चर्य है कि, तत्काल ही भालानल के भस्म-समूह का पात्र बन गया।

(यहाँ शिव जी को दुःख देने के बदले स्वयं भस्मीभूत हो जाने से इष्ट की अप्राप्ति और अनिष्ट की प्राप्ति स्पष्ट ही है।)

प्रकारान्तरमुदाहर्तुमाह—

परस्य सुखसाधनानिवृत्तिः स्वस्य दुःखसाधनप्राप्तिरित्युभयं यथा—

स्पष्टम्।

विरोधी के सुखसाधन की अनिवृत्ति और अपने दुःखसाधन की प्राप्ति, ये दोनों, जैसे—'

उदाहरणमुल्लिखति—

'न मिश्रयति लोचने सहसितं न संभाषते
कथासु तव किं च सा विरचयत्यरातां भ्रुवम्।

विपक्षसुदृशः कथामिति निवेदयन्त्या पुरः
प्रियस्य, शिथिलीकृतः स्वविषयोऽनुरागग्रहः ॥'

"लोचने नयने, न, मिश्रयति मेलयति, सहसितम् हासपुरस्सरम्, न संभाषते वार्तालापं न कुरुते, किं च अपि च, तव भवतः, कथासु चर्चासु अरालाम् कुटिलाम्, भ्रुवम्, विरचयति करोति, "इति इत्याकारिकाम्, विपक्षसुदृशः कथाम् नववयस्कसपत्नी-वार्ताम्, प्रियस्य पुरः पत्युरग्रे, निवेदयन्त्या कथयन्त्या कयाचित् प्रौढया, स्वविषयः, स्वगोचरः, अनुरागग्रहः अनुरागज्ञानम्, शिथिलीकृतः स्वल्पतां नीत इत्यर्थः।

उदाहरण का उल्लेख किया जाता है—न मिश्रयति इत्यादि।

"वह आप से आँखें नहीं मिलाती, हँस कर बात नहीं करती और आपकी चर्चा चलने पर भौंह टेढ़ी कर लेती है". इस तरह से नवोढा सपत्नी के आचरणों का निवेदन प्रिय के आगे करती हुई किसी प्रौढा ने अपने विषय में प्रिय के अनुराग-बोध को मन्द कर दिया।

उपपादयति—

अत्र कयाचित्प्रौढनायिकया सपत्न्यां प्रियेणाज्ञातयौवनात्वेनैव विदितायां तदनुरागप्रतिबन्धार्थं प्रियस्य पुरस्तदीयदुर्गुणानावेदयन्त्या चिकीर्षितोऽर्थो न संपादितः स्वस्मिन्ननुरागक्षतिश्च संपादितेति यद्यपि सुखसाधननिवृत्ते-र्दुःखसाधनरूपत्वान्न पृथग्गणनोचिता, तथापि दुःखसाधननिवृत्तौ सुखस्येव सुखसाधननिवृत्तौ प्रतिनियतकारणजन्यत्वेन दुःखस्यानैयत्यात्पृथगुपादानम्।

कश्चित् द्विपत्नीकः पुरुषो यां नवोढामज्ञातयौवनामेव मन्यमान आसीत्, तस्यां प्रियस्यानुरागं शिथिलयितुं प्रौढया तत्पत्न्या प्रियस्याग्रे नवोढाया दुर्गुणा निवेदिताः परन्तु प्रियस्तान् दुर्गुणान् श्रुत्वा पूर्वमूहितं नवोढाया अज्ञातयौवनात्वमेव निश्चिन्वानस्तस्यां पूर्वतोऽधिकामेव प्रीतिं बभार, प्रौढायां तु कपटाचारित्वविनिर्णयात् पूर्वतोऽपि न्यूनां प्रीतिं कर्तुमारेभे इति स्थितिः। एवञ्च प्रौढायाश्चिकीर्षितमिष्टं न सिद्धमपि तु अनिष्टमेवापतितमिति प्रतिज्ञातभेदोदाहरणता प्रकृतपद्यस्य संघटत इति भावः।

अत्र 'सुखसाधननिवृत्तिर्दुःखसाधनरूपैवेति दुःखसाधनप्राप्तेः पृथक् सुखसाधननिवृत्तेः गणना न कर्तुमुचिता' इति शङ्का न युक्ता; दुःखसाधननिवृत्तौ सुखं यथा न नियतम् सुखस्य नियतकारणान्तरजन्यत्वात्, तथैव सुखसाधननिवृत्तौ प्रीतिनियतकारणजन्यं दुःखमपि न निश्चितमित्याशयात्। सुख-दुःखयोरुभयोरपि स्वतन्त्रौ पृथक् पृथक् हेतू भवतः अतः सुखसाधननिवृत्तौ दुःखम् दुःखसाधननिवृत्तौ सुखं वा न नियमतो जायते। क्वचित्तथा दृश्यते चेदाकस्मिकत्वमेव तस्य मन्तव्यमिति भावः।

उपपादन किया जाता है। अत्र इत्यादि।

अभिप्राय है कि किसी पुरुष की दो पत्नियां थीं एक प्रौढा और दूसरी नवीना। ऐसी स्थिति में स्वभावतः पति का आकर्षण नवीना के प्रति अधिक था जो प्रौढा के हृदय में खटकता रहता था, अतः उसने (प्रौढा ने) पति के आगे नवीना के अवगुणों (वह आप से आंखें नहीं मिलाती इत्यादि) का निवेदन किया। ऐसा करने में उसका आशय यह था कि इन अवगुणों का ज्ञान होने पर नवीना के प्रति पति का अनुराग समाप्त हो जायगा। पर हुआ ठीक इससे उलटा अर्थात् प्रौढा के प्रति पति का अनु-

राग और अधिक शिथिल पड़ गया एवं नवीना के प्रति वह (अनुराग) और अधिक बढ़ गया, क्योंकि पति जो अब तक नवीना को अज्ञातयौवना समझता आ रहा था उसकी पुष्टि ही हुई प्रौढा द्वारा नवीनता के उक्त दुर्गुणों के वर्णन से, साथ ही प्रौढा की कपटाचरणशीलता का निर्णय भी हो गया। फलतः प्रौढा पत्नी नवीनता के दोषों का वर्णन करके जो कुछ करना चाहती थी वह सिद्ध न हो सका, प्रत्युत अपने विषय में जो पति का थोड़ा अनुराग अवशिष्ट था उसकी भी समाप्ति उसने स्वयं करवा ली।

इस तरह यह पद्य 'पर के सुखसाधन की अनिवृत्ति और अपने दुःखसाधन की प्राप्ति' इन दोनों के मिश्रण वाले भेद का उदाहरण हुआ।

यहाँ एक विचारणीय बात यह है कि सुखसाधन की निवृत्ति जब दुःखसाधन रूप ही है तब दुःखसाधनप्राप्ति से पृथक् सुखसाधननिवृत्ति की गणना क्यों की जाती है? इसका समाधान यह है कि जिस तरह दुःखसाधन की निवृत्ति में सुख का होना नियत नहीं है उसी तरह सुखसाधन की निवृत्ति में दुःख का होना भी नियत नहीं है। तात्पर्य यह कि सुख तथा दुःख इन दोनों के अपने अपने स्वतन्त्र कारण निश्चित हैं जिनसे वे होते हैं, अतः यह आवश्यक नहीं कि दुःखसाधन के हटने पर सुख अथवा सुखसाधन के हटने पर दुःख हो ही जाय। हाँ, यह बात भिन्न है कि कहीं एक के साधन की निवृत्ति होने पर दूसरा अकस्मात् अपने कारणों के जुट जाने से हो जाय। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों को पृथक् पृथक् गणना समुचित ही है।

पूर्वोक्तसंसृष्टिमूलकभेदान्तराणामुदाहरणानि स्वयमूहनीयानीत्याह—

एवमष्टावन्येऽप्युभयभेदा ऊह्याः।

'संसृष्टावियमेव द्वादशविधा' इतीत्थं प्रतिज्ञातेषु द्वादशसु भेदेषु चतुर्णां भेदानामुदाहरणानि प्रदत्तानि, अवशिष्टानामष्टानां भेदानामुदाहरणानि स्वयं तर्कणीयानीति भावः।

'संसृष्टावियमेव द्वादशविधा' इस तरह से जिन 'उभयभेदों' के बारह उपभेदों की प्रतिज्ञा की गई थी उनमें चार उपभेदों के उदाहरण तो लिखे गए, अवशिष्ट आठ उपभेदों के उदाहरणों का तर्क स्वयं कर लेना चाहिए।

भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

केवलेष्टाप्राप्तिर्यथा—

स्पष्टम्।

केवल इष्टाप्राप्ति का उदाहरण, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'प्रभातसमयप्रभां प्रणयिनि ह्नुवाना रसा-
दमुष्य नयनाम्बुजं सपदि पाणिनामीलयत्।
अनेन खलु पद्मिनी-परिमलालिपाटच्चरैः
समीरशिशुकैश्चिरादनुमितो दिनेशोदयः॥'

रसात् स्नेहात् कामक्रीडानुरागादिति विवक्षितोऽर्थः, प्रणयिनि प्रिये, प्रभातसमयप्रभाम् प्रातःकालिकोज्ज्वलताम् ह्नुवाना गोपयन्ती, काचिन्नायिका, सपदि शीघ्रम्, पाणिना करतलेन, अमुष्य प्रियस्य नयनाम्बुजम् नेत्रकमलम्, अमीलयत् मुद्रितवती। प्रातःकालो जात इति प्रियो न जानात्वित्यर्थम् प्रियनयने पाणिना पिहितवतीति सारांशः। किन्तु,

अनेन प्रियेण, पद्मिन्याः कमलिन्याः परिमलालीनाम् सौरभसमूहस्य पाटच्चरैः चोरैः अपहारकैरिति यावत्, समीरशिशुकैः मन्दपवनैः, चिराद्दिनेशोदयः चिरकालजातः सूर्योदयः, खलु निश्चयेन, अनुमितः तर्कित इत्यर्थः। नयनपिधानेन सूर्योदयस्य चाक्षुषज्ञानाभावेऽपि कमल-परिमलमय मन्द-प्रभातकालिक-वायु-स्पर्शेन सूर्योदयस्यानुमितिः कृतैव प्रियेणेति भावः।

उदाहरण उपस्थित किया जाता है—प्रभात इत्यादि।

किसी नायिका ने कामक्रीडारस के कारण प्रियतम से प्रभात समय की प्रभा (उजाले) को छिपाने के अभिप्राय से प्रियतम के नेत्रकमल को शीघ्र करतल से मूँद दिया, किन्तु प्रियतम ने कमलिनी के सौरभसमूह को चुराने वाले मन्द पवन से चिरजात सूर्योदय का अनुमान निश्चित रूप से कर लिया।

तात्पर्य यह कि नायिका के द्वारा नेत्र मूँद दिए जाने के कारण नायक को प्रातःकाल की सूचना देने वाले उजाले का चाक्षुष प्रत्यक्ष भले ही न हुआ, पर कमल-परिमल को लेकर आने वाली मन्द वायु के स्पर्श से प्रातःकाल की सूचना उसे मिल ही गई।

उपपादयति—

अत्र प्रियतमकर्तृकप्रभातविषयकज्ञानाभावः कामिन्याः सुखसाधनतयेष्टः। स च तया साध्यमानोऽपि न सिद्ध इतीष्टाप्राप्तिरेव। यद्वा तादृशज्ञानं तस्या दुःखसाधनम्, तन्निवृत्तिरूपं चेष्टं साध्यमानमपि न तथेति सैव। एवं च द्विप्रकारापीष्टाप्राप्तिरेवात्र संभवति। प्रकारान्तरं चास्या अप्यूह्यम्।

अत्रेति। 'प्रभात...' इति पद्य इत्यर्थः। प्रियतमकर्तृक इति। प्रियतमः कर्ता यस्य तादृशं यत् प्रभातविषयकं ज्ञानम् तस्याभाव इति भावः। सुखेति। कतिपयक्षणवृत्तिसहवासजन्यसुखेत्यर्थः। स चेति। तादृशज्ञानाभावश्चेत्यर्थः। तयेति कामिन्येत्यर्थः। तादृशेति। प्रियतमकर्तृकप्रभातविषयकेत्यर्थः। न तथेति। न सिद्धमित्यर्थः। सैवेति। इष्टाप्राप्तिरेवेत्यर्थः। इष्टाप्राप्तिरेवेति। नानिष्टप्राप्तिरिति भावः। अस्या इति। केवलेष्टाप्राप्तेरित्यर्थः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'प्रभातसमयप्रभाम्—' इस पद्य में प्रियतम को प्रभात का ज्ञान न होना, सुख (कुछ काल तक और साथ रहने का सुख) का साधन होने के कारण, कामाकुला नायिका का इष्ट है, पर प्रियतम के वैसे ज्ञान का न होना सिद्ध नहीं हुआ, हालाँकि नायिका ने उसके लिए यत्न किया—अर्थात् नायिका के प्रयास के विपरीत नायक को प्रभात का ज्ञान हो ही गया, अतः यहां केवल इष्टाप्राप्ति ही है।

अथवा प्रियतम का प्रभातज्ञान नायिका के दुःख का साधन है, अतः उस ज्ञान की निवृत्ति नायिका का इष्ट है जो यत्न करने पर भी सिद्ध नहीं हुआ। फलतः इस तरह से भी इष्टाप्राप्ति ही हुई।

इस तरह यहां दोनों प्रकार की इष्टाप्राप्ति ही संभव है, अनिष्ट-प्राप्ति नहीं। इसी तरह इस भेद (केवलेष्टाप्राप्ति) के अन्य प्रकार भी सोचे जा सकते हैं।

प्रभेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

केवलानिष्टप्राप्तिर्यथा—

स्पष्टम्।

केवल अनिष्टप्राप्ति जैसे—

उदाहरणं वक्ति—

'मुकुलित-नयनं करिणो गण्डं कण्डूयतो विषद्रुतटे।
उद्भूदकाण्डदहनज्वालाजालाकुलो देहः ॥'

विषद्रुतटे विषवृक्षपरिसरे, मुकुलितनयनम् मुद्रितनेत्रं यथा स्यात्तथा, गण्डम् कपोलम्, कण्डूयतः संघृषतः, करिणः हस्तिनः देहः शरीरम्, अकाण्डेम् अनवसरे अकस्मादिति यावत्, या दहनज्वाला तस्या जालेन समूहेन, आकुलः व्याकुलः, उदभूत् संजात इत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—मुकुलित इत्यादि।

गज ने आंख मूंद कर जहरीले वृक्ष के तट में कपोल खुजलाना आरम्भ किया किन्तु अकस्मात् उत्पन्न अग्निज्वाला के समूह से उसका देह व्याकुल हो उठा।

उपपादयति—

अत्र नेष्टाप्राप्तिः मुकुलितनयनमित्यनेन कण्डूयनजन्यसुखस्य प्राप्तेः। किं त्वनिष्टप्राप्तिरेव।

'मुकुलितनयनम्' इत्युक्त्या कण्डूयनजन्यसुखप्राप्तेः सूचनात् 'मुकुलितनयनम्—' इति पद्यं नेष्टाप्राप्तेरुदाहरणमपि तु अग्निज्वालाकुलदेहत्वप्राप्त्या केवलानिष्टप्राप्तेरेवेति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'मुकुलितनयनम्—' इस पद्य में इष्ट की अप्राप्ति नहीं है, क्योंकि 'आंख मूंद कर' इस उक्ति से 'खुजलाने से उत्पन्न होने वाले सुख की प्राप्ति' सूचित होती है। किन्तु 'अग्निज्वाला से देह का व्याकुल हो उठना' रूप केवल अनिष्ट की प्राप्ति है।

भेदान्तरोदाहरणानुक्तिमूलकन्यूनत्वं परिहरन्नाह—

अस्या अपि भेदद्वयं यथायथमूह्यम्। ग्रन्थविस्तरभयान्नेहोदाह्रियते।

अस्या इति। केवलानिष्टप्राप्तेरित्यर्थः। भेदद्वयमिति। परस्य सुखसाधनवस्तुप्राप्तिः परस्य दुःखसाधनवस्तुनाश इत्येतद्भेदद्वयमिति भावः।

केवल अनिष्टप्राप्ति के अवशिष्ट दो भेदों (दूसरे की सुखसाधन-वस्तुप्राप्ति और दूसरे का दुःखसाधनवस्तुनाश) के उदाहरण भी यथोचित रूप से स्वयं सोच लेने चाहिए। ग्रन्थ-विस्तार के भय से यहां उनके उदाहरण नहीं दिए जा रहे हैं।

तथ्यमेकं स्फुटीकरोति—

एते चेष्टसाधनत्वेन निश्चितात्कारणादनिष्टकार्योत्पत्तीनां सर्वेऽपि प्रभेदा वक्ष्यमाणविषादनालङ्कारसंकीर्णा एवेति तत्प्रकरणे निरूपयिष्यामः।

निरूपयिष्याम इति। "अस्य (विषादनस्य) चाभीष्टलाभार्थं कारणप्रयोगो यत्र न कृतः केवलमिच्छैव कृता जातश्च विरुद्धार्थलाभः सः, यत्र चेष्टार्थम् प्रयुक्तेऽपि कारणे तस्मान्न विरुद्धार्थलाभः अपि तु स्वकारणवशात्स च विविक्तो विषयः। यत्र त्विष्टार्थं प्रयुक्तात्कारणादेव विरुद्धार्थलाभस्तत्र तादृशकारण-विरुद्धार्थयोरुत्पाद्य भावलक्षणसंसर्गस्याननुरूपत्वाद्विषमम् इष्यमाण-विरुद्धार्थलाभसत्त्वाच्च विषादनमिति संकीर्णतैव।" इत्येवं तत्र निरूपणं कृतमिति बोध्यम्।

एक तथ्य को स्पष्ट किया जाता है—एते चेति।

'इष्टसाधनरूप में निश्चित कारण से अनिष्ट कार्य की उत्पत्ति वाले ये सब भेद आगे कहे जाने वाले विषादन अलङ्कार मिश्रित ही होते हैं' ऐसा निरूपण विषादन अलङ्कार के प्रकरण में किया जायगा। [विषादन अलंकार प्रकरण में निरूपित विषयों का उल्लेख ग्रन्थकार के शब्दों में ही ऊपर की संस्कृत व्याख्या में कर दिया गया है।]

कुवलयानन्दोक्तमनूद्यावद्यति—

यत्तु—'अनिष्टस्याप्यवाप्तिश्च तदिष्टार्थसमुद्यमात्' इति विषमभेदलक्षणं निर्माय अपिशब्दसंगृहीततया इष्टानवाप्तिश्चेति प्रत्येकमपि विषमपदेनान्वयः' इत्युक्तं कुवलयानन्दकृता, तन्न। अव्युत्पत्तेः। अस्मिन्ग्रामे देवदत्तस्य द्रव्यस्यापि लाभोऽस्तीत्यादौ द्रव्यशब्दोत्तरापिशब्दसमुच्चितस्य विद्यादेर्द्रव्यान्वयिन्येवान्वयाद् द्रव्यस्य लाभो विद्यायाश्च लाभ इति धीरिति निर्विवादम्। प्रकृते त्वनिष्टस्याप्नोतिनान्वयः, इष्टानवाप्तेश्च तच्छब्दपरामृष्टेन विषमेणेति वैषम्यात्। प्रत्युत लक्षणवाक्येऽपि शब्दोऽनिष्टां धियमुत्पादयति। अनिष्टस्यावाप्तिरिष्टस्य चेति प्रतीतेः। चकारसमुच्चितया इष्टानवाप्त्या अनिष्टावाप्तेरेकवारं मिलितायास्तत्पदपरामृष्टेन विषमेणान्वयाद्वाक्यावृत्त्या वारान्तरे च प्रत्येकमन्वयाद्भेदत्रयसंग्रह इति तु स्यादपि। न त्वपि शब्दविकत्थनम्।

यदपि तेनैवोदाहृतम्—'भक्ष्याशयाऽहिमञ्जूषां दृष्ट्वाऽऽखुस्तेनभक्षितः' इति। अत्र क्त्वाप्रकृतिक्रियाकर्तृकर्तृकोत्तरकालवर्तिक्रियान्तरस्याप्रयुक्तत्वादगम्यमानत्वाच्च प्रविष्ट इति पदाकाङ्क्षितया न्यूनपदत्वम्।

यदपि केवलेष्टानवाप्तौ तेनैवोदाजह्रे—

'खिन्नोऽसि मुञ्च शैलं बिभृमो वयमिति वदत्सु शिथिलभुजः।
भरभुग्नविततबाहुषु गोपेषु हसन्हरिर्जयति॥'

इति। तदपि न रमणीयम्। अत्र भरभुग्नविततेत्यादिना बाहुगतास्थिसंधिभङ्गरूपानिष्टप्राप्तेः साक्षादुपात्तत्वात्सर्वाङ्गचूर्णीभाव—गर्वापहाररूपायाश्च स्फुटं गम्यमानत्वात् कथमिष्टाप्राप्तिमात्रमित्युच्यते। एतेन 'शैलपतनरूपानिष्टावाप्तिस्तु भगवत्कराम्बुजस्पर्शमहिम्ना न जाता' इति यदुक्तम् तदप्यसारमेव। अनिष्टानामुक्तत्वात्।

'उक्तं कुवलया—' इति। इष्टार्थमुद्दिश्य किंचित्कर्मारब्धवतो न केवलमिष्टस्यानवाप्तिः किन्तु ततोऽनिष्टस्यापि प्रतिलम्भश्चेत्तदपि विषमम्। इदञ्चोभयात्मकं विषमम्। अनिष्टाप्तेः अपिशब्दसंगृहीतेष्टानवाप्तेश्च प्रत्येकमपि विषमपदान्वये केवलात्मकमपरमपि भेदद्वयं संगृहीतं भवतीति तदाशयः। खण्डयति—तन्नेति। खण्डने हेतुमाह—अव्युत्पत्तेरिति। व्युत्पत्तिविरोधादिति भावः। व्युत्पत्तिपदेन नियमविशेष उच्यते। व्युत्पत्तिविरोधं दर्शयितुं तावद्दृष्टान्तमाह—अस्मिन्ग्रामे इत्यादिना। निर्विवादमिति। तथा च अपिपदसमुच्चितस्यार्थस्य स्वाव्यवहितपूर्ववर्त्तिपदार्थान्वयिन्येवान्वय इति नियमः सिद्ध इति भावः। कुवलयानन्दकारोक्तौ तन्नियमविरोधः स्फुट इत्याह—प्रकृते त्विति। अनिष्टस्येति। अपिशब्दाव्यवहितपूर्ववर्तिनः पदार्थेनेति भावः। इष्टानवाप्तेरिति। अपिशब्दसंगृहीताया इति भावः।

तदुक्तोदाहरणेऽपि दोषमाह—यदपीति। भक्ष्याशया–' इति। भक्ष्यप्रेप्सया सर्पपेटिकां दष्ट्वा प्रविष्टस्य मूषकस्य न केवलं भक्ष्यालाभः किन्तु स्वरूपहानिरपीति तदाशयः। दोषमुद्घाटयति—अत्रेत्यादिना। अयं भावः—'समानकर्तृकयोः पूर्वकाले (३।४।२१)' इति पाणिनिसूत्रेण 'क्त्वा'—प्रत्ययः समानकर्तृकत्वे भवति। तथा च प्रकृते 'दष्ट्वा' इत्यत्र 'क्त्वा' प्रत्ययस्तदैव भवितुमर्हति यदि क्त्वाप्रत्ययप्रकृतिभूतदंश्धात्वर्थक्रियाया यः कर्ता मूषकः तत्कर्तृका काचिद्दंशनोत्तरकालवर्तिनी क्रिया भवेत्। सा चात्र नोक्ता न वा गम्यमानेति क्त्वाप्रत्ययसाधुत्वार्थम् 'प्रविष्टः' इत्यस्याकांक्षितस्यानुक्त्या 'न्यूनपदता' दोष इति।

कुवलयानन्दटीकायां चन्द्रिकायां तु 'अपिर्भिन्नक्रमः। अनिष्टस्यावाप्तिरपीत्यर्थः।' इति रीत्या प्रथमः, "-'प्रविष्टः' इति गम्यमाना क्रिया" इत्युक्त्या द्वितीयश्च दोषः—वारितः। नागेशेनापि तौ दोषोद्धारप्रकारौ स्वटीकायां समर्थितौ। पुनस्तदुक्तमुदाहरणान्तरञ्चिरस्यन्नाह—यदपि केवले इति। तेनैवेति। कुवलयानन्दकृतैवेत्यर्थः। 'खिन्नोऽसि—' इति। गोवर्धनोद्धरणकालिकं वर्णनमिदम्—'हे भगवन्! त्वं खिन्नः असि, अतः शैलम्, मुञ्च, वयम् धारयामः' इति वदत्सु, गोपेषु, शिथिलौ भुजौ यस्य तादृशः, अथ च गोपेषु भरेण शैलभारेण भुग्ना वक्रा वितता विस्तीर्णा बाहवो येषां तथाभूतेषु सत्सु, हसन्, हरिः जयतीत्यर्थः। 'अत्र यद्यपि शैलस्योपरि पतनरूपानिष्टावाप्तिः प्रसक्ता तथापि भगवत्कराम्बुजसंसर्गमहिम्ना सा न जातेति शैलधारणरूपेष्टानवाप्तिमात्रम्।' इति कुवलयानन्दोक्तसंगमनप्रकारः। निरस्यति—तदपि नेति। अरमणीयत्वे हेतुमुपदर्शयति—अत्रेत्यादिना। अयमाशयः—'खिन्नोऽसि—' इति पद्ये 'भरभुग्नविततबाहुषु' इति गोपानां विशेषणेन तैः भुजास्थिसमूहसन्धिभङ्गरूपमनिष्टं प्राप्तमिति वाच्यवृत्त्यैव बोध्यते, तैः गर्वापहाररूपमनिष्टमासादितम् इत्यपि व्यञ्जनयावगम्यते। तथा च नेदम् पद्यम् इष्टाप्राप्तिमात्रस्योदाहरणं भवितुमर्हति, अपि तु इष्टाप्राप्त्यनिष्टप्राप्त्युभयस्य। एवञ्च भगवत्करस्पर्शमाहात्म्येन प्रसक्तमपि शैलपतनरूपमनिष्टं न जातमिति कथनमपि अकिञ्चित्करमेव, तस्यानिष्टस्याजातत्वेऽपि अनिष्टान्तराणाम् पूर्वोक्तानां जातत्वादिति। अत्रापि चन्द्रिकाख्यकुवलयानन्दव्याख्यानुसारं नागेशः स्वमर्मप्रकाशे कथयति यत् "बाहुगतास्थिसन्धिभङ्गो नात्र वाच्यः, तस्याधात्वर्थत्वात्, भगवत्करस्पर्शमहिम्ना तस्याप्यजातत्वाच्च। यत्तु कुटिलीभवनम्, तत्रातर्कितोत्कटपर्वतधारणे तस्य संभावितत्वेन तदङ्गीकृतत्वात्, गर्वेण गोपानामप्रवृत्तेश्च। 'खिन्नोऽसि' इत्युक्त्या तथैव लाभाच्च।" इति।

कुवलयानन्द को उद्धृत कर खण्डित किया जाता है—यत्तु इत्यादि।

कुवलयानन्दकार (अप्पय दीक्षित) ने जो "—'अनिष्टस्य—अर्थात् इष्ट अर्थ के लिए किए गए उद्योग से अनिष्ट की प्राप्ति।' ऐसा विषमालङ्कार के एक प्रभेद का लक्षण बनाकर 'अपि' शब्द से संगृहीत होने के कारण 'इष्टाप्राप्ति' भी इस में आ जाती है, अतः अनिष्टप्राप्ति और इष्टाप्राप्ति इन दोनों में से प्रत्येक का विषम पद के साथ अन्वय है—अर्थात् अनिष्टप्राप्ति तथा इष्टाप्राप्ति इन दोनों का साथ-साथ होने पर बनने वाले भेद, केवल अनिष्टप्राप्तिमूलक भेद और केवल इष्टाप्राप्तिमूलक भेद—इन तीनों भेदों का संग्रह होता है" ऐसा कहा है, उसमें 'अपि शब्द के माहात्म्य से ऐसा

होता है' यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यह बात व्युत्पत्ति से विरुद्ध है। 'इस गाँव में देवदत्त को द्रव्य का भी लाभ है' इत्यादिक में द्रव्य शब्द के आगे आए हुए 'भी (अपि)' शब्द द्वारा संगृहीत विद्यादि का द्रव्य के अन्वयी (लाभ) में ही अन्वय होने के कारण 'द्रव्य का लाभ और विद्यादि का लाभ' ऐसा ही बोध होता है यह निर्विवाद बात है।

किंतु प्रस्तुत वाक्य में 'अनिष्ट' का अन्वय तो 'अवाप्ति' के साथ है और अपि शब्द से लब्ध इष्टाप्राप्ति का 'तत्' शब्द से परामृष्ट विषम के साथ—यह विषमता है। तात्पर्य यह कि अपि शब्द द्वारा संगृहीत होने वाले पदार्थ का अन्वय वहीं होना उचित है जहां अपिशब्दप्रागवर्त्ती पद के अर्थ का होता हो, अतः इससे विरुद्ध होने के कारण आप का तरीका ठीक नहीं है।

इतना ही नहीं, लक्षण-वाक्यगत अपि शब्द 'अनिष्ट तथा इष्ट-दोनों की प्राप्ति विषम है' इस तरह के अनभिमत बोध को उत्पन्न करता है।

हां, यह हो सकता है कि 'च' शब्द की महिमा से उक्त अभिलषित अर्थ सिद्ध किया जाय अर्थात् यह कहा जाय कि 'अनिष्टस्यावाप्तिश्च' इस वाक्य में वर्तमान 'चकार' से इष्टाप्राप्ति का समुच्चय होता है और इस तरह एक वार चकार समुच्चित इष्टाप्राप्ति के साथ मिलकर तत्पदपरामृष्ट विषम के साथ अन्वित होता है और दूसरे वार वाक्यावृत्ति के द्वारा उक्त दोनों (इष्टाप्राप्ति तथा अनिष्टप्राप्ति) पृथक् पृथक् तत्पदपरामृष्ट विषम के साथ अन्वित होते हैं।

अभिप्राय यह कि 'अपि' शब्द के माहात्म्य की डींग हांकना ठीक नहीं है।

कुवलयानन्द के टीकाकार तथा तदनुसार रसगङ्गाधर के टीकाकार (नागेश) भी यहां अवाप्ति पद के आगे अपि पद का उत्कर्षण कर अर्थात् 'अनिष्टस्यावाप्तिरपि' ऐसा अभिप्राय मान कर कुवलयानन्द की त्रुटि का परिमार्जन करते हैं।

इसी तरह उन्होंने जो 'भक्ष्याशया—अर्थात् चूहा भक्ष्य की आशा से सांप की पेटी को काट कर साँप के द्वारा खा लिया गया।' यह उदाहरण दिया है, उसमें 'न्यूनपदता' दोष है, क्योंकि 'दष्ट्वा' में आए हुए क्त्वा प्रत्यय की प्रकृति दंश् धातु से बोधित क्रिया (दंशन) का कर्ता (चूहा) जिसका कर्ता हो ऐसी उत्तरकालवर्त्तिनी किसी अन्य क्रिया का यहाँ प्रयोग न होने तथा उस तरह की किसी क्रिया का आक्षेप भी न होने से 'प्रविष्टः' इस पद की आकाङ्क्षा बनी रहती है।

कहने का अभिप्राय यह है कि क्त्वा प्रत्यय 'समानकर्तृकयोः पूर्वकाले' इस पाणिनि सूत्र के अनुसार, जब दो क्रियाओं का एक कर्ता रहता है, तभी होता है। उक्त उदाहरण में दंशन क्रिया का कर्ता चूहा है और भक्षण क्रिया का कर्ता सर्प है, अतः क्त्वा प्रत्यय अनुपपन्न है। इस कारण 'दष्ट्वा' के बाद 'प्रविष्टः' इस क्रियाबोधक पद का जोड़ना आवश्यक हो जाता है—अर्थात् 'पेटी को काट कर घुसा हुआ चूहा साँप के द्वारा खा लिया गया' इसके स्थान पर 'साँप की पेटी को काट कर साँप के द्वारा खा लिया गया' ऐसा कथन अशुद्ध है।

इसी तरह उन्होंने (कुवलयानन्दकार ने ही) केवल इष्टाप्राप्ति का जो 'खिन्नोऽसि—अर्थात् गोवर्धन पर्वत को उठाने के समय में जब गोपों ने कहा कि 'तुम थक गए हो, छोड़ दो, हम पहाड़ को उठाते हैं' तब भगवान् ने अपने भुज को ढीला कर दिया, फल यह हुआ कि गोपों के बाहु भार से टेढ़े होकर फैलने लगे, तब हँसते हुए हरि की जय है।' यह उदाहरण दिया है, वह भी सुन्दर नहीं है। कारण, यहाँ 'भार से टेढ़े और

फैलने लगे' इस अंश के द्वारा बाहु की अस्थि-संधियों के भङ्ग रूप अनिष्ट की प्राप्ति साक्षात् कथित है और सब अङ्गों के चूर्ण होने तथा गर्व के अपहार रूप अनिष्ट-प्राप्ति की स्पष्ट प्रतीति हो रही है। इतने पर भी यहाँ 'केवल इष्टाप्राप्ति' है यह कैसे कहा जा रहा है ? अर्थात् उक्त रीति से जब यहाँ अनिष्ट-प्राप्ति भी है तब इस पद्य को केवल इष्टाप्राप्ति का उदाहरण कहना अनुचित है।

इसी कारण जो उनने कहा है कि देह पर पर्वत-पतन रूप अनिष्ट तो भगवान् के करकमल-स्पर्श की महिमा से नहीं प्राप्त हुआ वह भी निःसार है, क्योंकि इस अनिष्ट की प्राप्ति भले ही भगवत्करकमल-स्पर्श-महिमा से न हुई हो, पर ऊपर प्रदर्शित रीति से अन्य अनिष्टों की प्राप्ति तो हुई है।

यहाँ भी नागेश 'चन्द्रिका' के आधार पर पण्डितराज के विरुद्ध कुवलयानन्द का समर्थन करते हैं। उनका कथन है कि 'बाहु की अस्थिसंधियों का भङ्ग' यहाँ उपात्त नहीं है, क्योंकि 'भुग्न' 'वितत' इनसे 'भङ्ग' बोधित नहीं होता और जिस तरह, शैलपतन, भगवत्करस्पर्शमहिमा से नहीं हुआ उसी तरह भगवत्करस्पर्शमहिमा से अस्थिसंधिभङ्ग भी नहीं हुआ। बाहु का टेढा होना तो गोपों को अङ्गीकृत ही था, क्योंकि उत्कट पर्वत धारण में उसकी संभावना पहले से ही थी। गर्वापहार की बात भी यहाँ नहीं कही जा सकती, क्योंकि पर्वत को उठाने में गोपों की प्रवृत्ति गर्व से नहीं हुई थी, जैसा कि 'थके हो, छोड़ दो' इस उक्ति से सूचित होता है।

प्रसङ्गसमाप्तिं सूचयति—

एवमुत्पत्तिलक्षणसंसर्गस्याननुरूपत्वं निरूपितम्।

एवमिति उक्तप्रकारेणेत्यर्थः।

प्रसङ्ग-समाप्ति की सूचना दी जाती है—एवमित्यादि।

उक्तरीति से उत्पत्तिरूप संबन्ध की अननुरूपता का निरूपण किया जा चुका।

प्रभेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

संयोगादिलक्षणसंसर्गस्याननुरूपत्वं यथा—

स्पष्टम्।

संयोगादिरूप संबन्ध की अननुरूपता, जैसे—।

उदाहरणमुल्लिखति—

'वनान्तःखेलन्ती शशकशिशुमालोक्य चकिता
भुज-प्रान्तं भर्तुः श्रयति भयहर्तुः सपदि या।
अहो सेयं सीता शिवशिव परीता श्रुतिचलत्-
करोटीकोटीभिर्वसति खलु रक्षोयुवतिभिः॥'

वनान्तः वनमध्ये, खेलन्ती क्रीडन्ती, या सीता, शशकशिशुम् एकं बालं शशकम्, आलोक्य दृष्ट्वा, चकिता कांदिशीका, सती, सपदि शीघ्रम्, भयहर्तुः भयभञ्जकस्य, भर्तुः पत्युः रामस्य, भुजप्रान्तम् बाहुपरिसरम्, श्रयति प्राप्नोति। सेयं, सीता, शिव शिव खेदेन, श्रुत्योः कर्णयोः मध्ये, चलन्त्यः कम्पमानाः, करोटीकोटयः नरमुण्डास्थिकोणाः यासां ताभिः, रक्षोयुवतिभिः राक्षसतरुणीभिः, परीता परिवेष्टिता, भूत्वा, वसति लङ्कायां वासं कुरुते इति अहो आश्चर्यमित्यर्थः।

उदाहरण का उल्लेख किया जाता है—वनान्तः इत्यादि।

वन के मध्य में खेलती जो सीता खरगोश के एक बच्चे को देखकर चकित हो जाती थी और भयभञ्जक पति रामचन्द्र के भुजप्रान्त का आश्रय ले लेती थी, खेद है कि वही सीता, मनुष्य के शिर की हड्डियाँ जिन के कानों पर झूल रही हैं उन तरुणी राक्षसियों से घिरी हुई होकर (लङ्का में) निवास करती है, आश्चर्य है।

उपपादयति—

अत्र सतीशिखामणेर्भगवत्या राघवधर्मपत्न्याः परमप्रभावयुक्तत्वाद्राक्षसीभिरनाश्यत्वेऽपि रक्षःकर्तृकनाशस्वरूपयोग्यतावच्छेदकमनुष्यत्वजातियोगेन स्वरूपस्य रक्षोदर्शनेन सौन्दर्यसौकुमार्यादीनां गुणानां च नाश्यत्वेन विरुद्धत्वात्समानाधिकरणसंयोगरूपः संसर्गोऽननुरूपः।

रक्षःकर्तृकेत्यादि। रक्षःकर्तृको यो नाशः तस्य स्वरूपयोग्यताया अवच्छेदिका या मनुष्यत्वजातिः तस्याः योगेनेत्यर्थः। समानाधिकरणसंयोगरूप इति। समानम् एकम् यत् अधिकरणम् आधारः स एव संयोगः तद्रूप इत्यर्थः। एकाधिकरणवृत्तित्वात्मकसंयोगरूप इति यावत्।

सीतायाः राक्षसीनाञ्चैकत्र स्थितिरूपः संयोगो विरुद्धत्वादननुरूपः। ननु सीतायाः राक्षसीनाञ्चैकत्रस्थितिस्तदा विरुद्धा स्याद् यदि राक्षसीभिः सीताया नाशः संभावितो भवेत्, स च नास्त्येव, सतीशिरोमणे राघवधर्मपत्न्याः परमप्रभावशालितया राक्षसीभिरनाश्यत्वादिति चेन्न, रक्षःकर्तृकनाशस्वरूपयोग्यतावच्छेदकमनुष्यत्वजातिमत्याः सीतायाः राक्षसीभिः तदीयसौन्दर्यसौकुमार्यादिगुणानां राक्षसीदर्शनेन च नाश्यत्वस्य संभावनाविषयतया सीताराक्षस्योः सहवासस्य विरुद्धत्वस्वीकारादिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

अभिप्राय है कि—'वनान्तः—' इस पद्य में सीता तथा राक्षसियों का समान अधिकरण (एक स्थान में स्थिति) रूप संयोग (संबन्ध) विरुद्ध होने के कारण अननुरूप है।

आप कह सकते हैं कि सीता का राक्षसियों के साथ एक जगह रहना तब विरुद्ध कहा जा सकता था यदि राक्षसियों के द्वारा सीता का तथा राक्षसियों के दर्शन से सीता के सौकुमार्यादि गुणों का नाश संभावित होता, पर वैसी संभावना तो है नहीं, क्योंकि सीता सतीशिरोमणि हैं और सतीत्व की महिमा सर्वत्रिदित है, साथ ही सीता उस राघव की धर्मपत्नी है जो राक्षसों के विनाशक के रूप में जगत्प्रसिद्ध हैं, फिर उस सीता के राक्षसी द्वारा विनाश की संभावना कैसे की जा सकती है? और जब राक्षसियों के द्वारा सीता अथवा उनके गुणों के विनाश की संभावना ही नहीं है तब सीता तथा राक्षसियों का संयोग विरुद्ध भी नहीं है, तो इसके समाधान में ग्रन्थकार का कथन है कि सीता के उस लोकोत्तररूप को ध्यान में रख कर विचार करने से वस्तुतः सीता का राक्षसियों के साथ रहना विरुद्ध नहीं जँचता, पर राक्षसों द्वारा होने वाले नाश की स्वरूप योग्यता के परिचायक मनुष्यत्व जाति का योग सीता में भी है इस तथ्य को ध्यान में रखकर विचार करने से राक्षसियों द्वारा सीता के विनाश की संभावना और राक्षसी-दर्शन से सीता के सौन्दर्य-सौकुमार्य आदि गुणों के विनाश की संभावना है ही—अर्थात् मनुष्यों में राक्षसद्वारक विनाश की स्वरूप-

योग्यता है—मनुष्यों का विनाश राक्षसों द्वारा हो सकता है और सीता भी मनुष्य जाति की है, अतः सीता का भी विनाश राक्षसों द्वारा हो सकता है। ऐसी स्थिति में सीता तथा राक्षसियों की सहस्थिति विरुद्ध है ही।

प्रागुक्तसंयोगलक्षणसंसर्गाननुरूपत्वोदाहरणस्यायुक्ततां दर्शयितुमाह—

ननु—

'क्व शुक्तयः क्व वा मुक्ताः क्व पङ्कः क्व च पङ्कजम्।
क्व मृगाः क्व च कस्तूरी धिग् विधातुर्विदग्धताम्॥'

इत्यादौ वस्तुकथनमात्रे विषमालङ्कारप्रसङ्गः। न चेष्टापत्तिः। वस्तुवृत्तस्य लोकसिद्धत्वेनालङ्कारत्वायोगात्। यतो बहिरसन्तः कविप्रतिभामात्रकल्पिता अर्थाः काव्येऽलङ्कारपदास्पदम्। न च 'यथा पद्मं तथा मुखम्' इत्यादौ सादृश्यस्य लोकसिद्धत्वात्कविप्रतिभानुत्थापितत्वेऽपि कथमलङ्कारत्वमिति वाच्यम्। सादृश्यरूपे सादृश्योत्थापके वा अभिन्नधर्मेऽभेदांशस्य कविप्रतिभामात्राधीनत्वात्। नहि पद्ममुखयोः शोभारूपो धर्मो जात्यादिवद्वस्तुत एकोऽस्ति। यो हि जात्यादिरूपो वस्तुत एकस्तदुत्थापितं सादृश्यमलङ्कारबहिर्भूतमेव। यथा—'पद्ममिवास्या मुखं द्रव्यम्' इत्यादौ। एवं च 'वनान्तःखेलन्ती' इति पद्य-प्रतिपाद्यायाः सीता–राक्षसवधूसंसर्गाननुरूपताया लौकिकीत्वेन कविप्रतिभानपेक्षत्वान्नालङ्कारत्वम्। एतेन—

'अरण्यानी क्वेयं धृतकनकसूत्रः क्व स मृगः
क्व मुक्ताहारोऽयं क्व च स पतगः क्वेयमबला।
क्व तत्कन्यारत्नं ललितमहिभर्तुः क्व च वयं
स्वमाकूतं धाता कमपि निभृतं पल्लवयति॥'

इत्यलङ्कारसर्वस्वकृतोदाहृतमपि प्रत्युक्तम्। इयमेव च पद्यान्तरेऽपि कविप्रतिभानुत्थापितार्थके सरणिरिति। सत्यम्।

'क्व शुक्तयः—' इति। अननुरूपयोः, शुक्ति-मुक्तयोः, पङ्क-पङ्कजयोः, मृग–कस्तूर्योः संयोगस्य कारयित्री विधातुर्निपुणता धिक्कारयोग्येत्यर्थः। अभिन्नधर्मे इति। शोभादिरूपे इत्यर्थः। एतेनेति। कविप्रतिभानुत्थापितानामर्थानामलङ्कारत्वायोगेनेत्यर्थः। 'अरण्यानी' इति। इयम्, अरण्यानी महदरण्यम्, क्व, धृतं कनकसूत्रं येन तादृशः, सुवर्णमय इति यावत्, स, मृगः, क्व, अयं मुक्ताहारः, क्व, स, पतगः पक्षी, क्व, इयम्, अबला नारी, च क्व, ललितम् रमणीयम्, अहिभर्तुः नागराजस्य, तत्, कन्यारत्नं, क्व, वयम् च, क्व, अनयोरनयोर्द्विकयोर्महदन्तरम्, येन तयोः संयोगोऽसंभव इति भावः। परमेवंभूतयोरपि तयोस्तयोः संयोगो जायते चेदिदमेव वक्तुं शक्यते यत् धाता विधाता, निभृतं गुप्तम्, कमपि, स्वम् स्वकीयम्, आकूतम् अभिप्रायम्, पल्लवयति विस्तारयतीत्यर्थः। सत्यमिति। 'वनान्तः' इति पद्यं संयोगादिलक्षणसंसर्गाननुरूपतामूलकविषमालंकारस्योदाहरणन्नैव भवितुमर्हतीति भावः।

एक शङ्का-समाधान के द्वारा 'वनान्तः खेलन्ती' इस पद्य में वस्तुतः विषमालङ्कार नहीं है इस तथ्य का उद्घाटन अब किया जाता है—ननु इत्यादि।

आप कहेंगे कि इस तरह तो 'क्व शुक्तयः-अर्थात् कहाँ सीपें और कहाँ मोती, कहाँ कीचड़ और कहाँ कमल, कहाँ मृग और कहाँ कस्तूरी, विधाता की विदग्धता (निपुणता) को धिक्कार है (जिसने ऐसे जोड़े मिलाये)।' इत्यादि स्थल पर केवल वस्तुस्थिति-कथन में भी विषमालङ्कार होने लगेगा। इष्टापत्ति तो की नहीं जा सकती-अर्थात् 'यहां भी विषमालङ्कार है ही' ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि—वस्तुस्थिति-कथन लोकसिद्ध होने के कारण अलंकार कहलाने योग्य नहीं होता। कारण, बाह्य जगत् में वस्तुतः न हो सकने वाले केवल कवि की प्रतिभा से कल्पित पदार्थ ही अलङ्कार पद से अभिहित होते हैं। आप कह सकते हैं कि यदि ऐसी बात है तब 'जैसा कमल वैसा मुख' इत्यादि में सादृश्य के लोकसिद्ध होने के कारण कविप्रतिभा-कल्पित न होने पर भी अलङ्कारत्व कैसे होता है? तो यह उचित नहीं, क्योंकि 'सादृश्यरूप' अथवा 'सादृश्योत्थापकरूप' जो मुख तथा पद्म में अभिन्न धर्म कहा जाता है उसका अभेदांश केवल कवि-प्रतिभा के अधीन है। इसका कारण यह है कि पद्म और मुख का शोभारूप धर्म जाति आदि के समान वस्तुतः एक नहीं है—अर्थात् पद्म की शोभा और मुख की शोभा वस्तुतः भिन्न-भिन्न है। (कवि-कल्पना के द्वारा उन दोनों की शोभाओं में अभेद मान लिया जाता है।)

अत एव जात्यादि रूप जो धर्म वस्तुतः एक है उसके द्वारा उत्थापित सादृश्य अलङ्कार-कोटि में नहीं ही आता है, जैसे—'पद्म के समान इसका मुख भी द्रव्य है' इत्यादि में उपमा अलङ्कार नहीं कहा जाता है।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि 'वनान्तः खेलन्ती—' इस पूर्वोक्त पद्य से प्रतिपादित होने वाली 'सीता तथा राक्षसियों के संसर्ग की अननुरूपता' लौकिकी होने के कारण कविप्रतिभा की अपेक्षा नहीं रखती, अतः अलङ्कार नहीं है।

इसी कारण से—

'अरण्यानी—अर्थात् कहाँ यह महावन और कहाँ वह सुवर्ण सूत्रधारी (सुवर्णमय) मृग, कहां यह मोती का हार और कहाँ वह पक्षी तथा वह नारी, कहाँ वह नागराज का सुन्दर कन्यारत्न और कहाँ हम, विधाता अपने किसी गुप्त अभिप्राय को पल्लवित कर रहा है।'

इस अलङ्कार-सर्वस्वकार के उदाहरण का भी खण्डन हो जाता है—अर्थात् यहाँ का प्रतिपाद्य अर्थ भी कविप्रतिभोत्थापित नहीं होने से अलङ्कार-श्रेणी से बहिर्भूत ही है।

यहीं नहीं, अपि तु इस तरह के उन सभी पद्यों में यही मार्ग अपनाना चाहिए, जिन के प्रतिपाद्य अर्थ कविप्रतिभोत्थापित नहीं होते हैं।

इस तरह सिद्ध हो गया कि 'वनान्तः—' इस पद्य का विषमालङ्कारोदाहरण न हो सकने की बात सर्वथा सत्य है।

उक्तरीत्या प्रागुक्तपद्यस्योदाहरणत्वनिरासे सति संयोगलक्षणसंसर्गाननुरूपतामूलकविषमालङ्कारस्यापरमुदाहरणमुपस्थापयति—

एवं तर्हि—

> 'क्व सा कुसुमसाराङ्गी सीता चन्द्रकलोपमा।
> क्व रक्षःखदिराङ्गारमध्य-संवास-वैशसम् ॥'

इति पद्यमुदाहरणं गृहाण।

'क्व सा—' इति। कुसुमसाराङ्गी पुष्पश्रेष्ठतुल्याङ्गयुक्ता, चन्द्रकलोपमा, इन्दुकलासदृशी, सा जगत्प्रसिद्धा, सीता, क्व, रक्षांसि राक्षसाः खदिराङ्गारा इव तेषां मध्ये संवासरूपं

वैशसम् क्रूरत्वं, क्व ? अननुरूपमेतद्द्वयमित्यर्थः । उदाहरणमिति । संयोगादिलक्षणसंसर्गा-ननुरूपताया इति भावः ।

उक्त रीति से यदि 'वनान्तः—' इस पद्य का उदाहरण होना खण्डित समझा जाय तब 'क्व सा—अर्थात् कहाँ वह कुसुमसार (श्रेष्ठ कुसुम) के समान अङ्गों वाली चन्द्रकला तुल्या सीता और कहाँ खैर के अङ्गारों के समान राक्षसों के मध्य निवास रूपा क्रूरता ?' इस पद्य को संयोगादि रूप संसर्ग की अननुरूपता का उदाहरण समझिये ।

उपपादयति—

अत्र हि केवलसीतायाः केवलराक्षसीनां च संसर्गस्याननुरूपतायां सत्यामपि न सा कवेर्विवक्षिता । किं तु या कुसुमसार-खदिराङ्गारसंससर्गस्याननुरूपता सेति स्फुटमेवास्यामलौकिकत्वात्कविप्रतिभापेक्षत्वम् ।

सेतीति । अत्रेतिशब्दात्प्राग् विवक्षितेत्यस्यानुषङ्गो बोध्यः । 'क्व सा—' इति पद्ये यद्यपि सीता-राक्षसीसमूहयोः संयोगरूपस्य संसर्गस्याननुरूपतापि विद्यते परन्तु सा लौकिकी न कविविवक्षाविषयीभूता अत एवालंकाररूपा न भवेत्, तथापि कुसुमसार-खदिराङ्गारयोः क्रमशः सीता-राक्षसविशेषणभूतयोः संसर्गस्याननुरूपता अलौकिकीत्वात्कविविवक्षाविषयी-भूता कल्पनाप्रसूता चेति अलंकाररूपतां प्रतिपद्यत इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र हि इत्यादि ।

'क्व सा—' इस पद्य में यद्यपि केवल सीता और केवल राक्षसियों के संसर्ग की अननु-रूपता है तथापि वह कवि का विवक्षित नहीं है, किन्तु कुसुमसार तथा खैर के अङ्गारों के संसर्ग की जो अननुरूपता है वह विवक्षित है और इस द्वितीय अननुरूपता में अलौकिक होने के कारण स्पष्ट ही कवि-प्रतिभा की अपेक्षा है ।

स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि केवल सीता और केवल राक्षसियों के सहवास की अन-नुरूपता भले ही लौकिक होने के कारण कविप्रतिभोत्थित नहीं हो, पर पुष्पतुल्याङ्ग-विशिष्ट सीता और खदिराङ्गारतुल्य राक्षसी-समूह के सहवास की अननुरूपता लौकिक नहीं है, अतः अवश्य ही कविप्रतिभोत्थित है—अर्थात् विशेष्यांश के संसर्ग की अननु-रूपता का लौकिक होने पर भी विशेषणांश के संसर्ग को अननुरूपता का लौकिक न होने के कारण विशिष्ट (विशेष्य-विशेषणोभय) के संसर्ग की अननुरूपता अलौकिक ही हो जाती है ।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे विषमालङ्कारप्रकरणम् ।

विषमालंकारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां विषमालंकारप्रकरणम् ॥

समालंकारनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथ समालङ्कारः—

समालंकारो निरूप्यत्नेनारब्धो बोध्य इति भावः ।

अब 'सम' अलङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है ।

तावत्तल्लक्षणमाह—

अनुरूपसंसर्गः समम् ।

लोकदृष्ट्या योग्यः संबन्धः समालंकार इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—अनुरूप इत्यादि।

उस प्रकार के संबन्ध को समालंकार कहते हैं जो लोकदृष्टि से अनुरूप—योग्य (उचित) हो।

लक्षणं विविनक्ति—

संसर्गः पूर्ववद् द्विविधः। तत्रोत्पत्तिलक्षणस्य संसर्गस्यानुरूपत्वं कारणात्स्वसमानगुणकार्योत्पत्त्या, यादृशगुणकवस्तुसंसर्गस्तादृशगुणोत्पत्त्या, यत्किंचिदिष्टप्राप्त्यर्थं प्रयुक्तात् कारणात्तत्प्राप्त्या च। उत्कटेष्टान्तरप्राप्तौ तु प्रहर्षणं वक्ष्यते। संयोगादिलक्षणस्यापि संसर्गिणोरन्यतरगुणस्वरूपानुग्राह्यान्यतरगुणस्वरूपतयाऽनुरूपत्वम्। एवं चानुरूपसंसर्गत्वेन सामान्यलक्षणेन सर्वे भेदाः संगृहीता भवन्ति।

पूर्ववदिति। विषमालङ्कार इवेत्यर्थः। द्विविध इति। उत्पत्तिलक्षणः संयोगादिलक्षणश्चेति भावः। तत्रेति। द्विविधयोः संसर्गयोर्मध्य इत्यर्थः। तादृशगुणोत्पत्त्येति। तादृशगुणोत्पत्तिरेवात्र विवक्षिता, न तादृशगुणककार्योत्पत्तिरिति बोध्यम्। तत्प्राप्त्येति। यत्किंचिदिष्टप्राप्त्येत्यर्थः। उत्कटेति। उत्कृष्टेत्यर्थः। संसर्गिणोरन्यतर इत्यादि। एकस्य संसर्गिणो यादृशो गुणः यादृशं च स्वरूपं ताभ्याम् अपरस्य संसर्गिणो गुण-स्वरूपे यदि अनुग्राह्ये (पोष्ये) भवेताम् तदेति भावः।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—संसर्ग इत्यादि।

संसर्ग पहले (विषम) के समान दो प्रकार का-अर्थात् उत्पत्ति रूप और संयोगादि-रूप, यहां भी होता है। उनमें से उत्पत्तिरूप संसर्ग की अनुरूपता तीन तरह से होती है—(१) कारण से अपने समान गुणवाले कार्य की उत्पत्ति द्वारा (२) जैसे गुण वाली वस्तु से संसर्ग हो वैसे गुणों की उत्पत्ति द्वारा और (३) जिस किसी इष्ट की प्राप्ति के लिए कारण का प्रयोग किया गया हो उससे उस इष्ट की प्राप्ति द्वारा।

यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि-जिस इष्ट की प्राप्ति के लिए कारण का प्रयोग किया गया हो उस इष्ट से उत्कृष्ट किसी अन्य इष्ट की प्राप्ति होने पर तो 'प्रहर्षण' अलङ्कार होता है, जिसका वर्णन आगे किया जायगा।

संयोगादि रूप संसर्ग की भी अनुरूपता दो संसर्गियों में से एक के गुण तथा स्वरूप द्वारा दूसरे के गुण तथा स्वरूप के अनुगृहीत (पोषित) होने पर होती है। इस तरह 'अनुरूप संसर्गता' रूप सामान्य लक्षण से समालङ्कार के सभी प्रभेद संगृहीत हो जाते हैं।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्,

जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'कुवलयलक्ष्मीं हरते तव कीर्तिस्तत्र किं चित्रम्।
यस्मान्निदानमस्यालोकनमस्याङ्घ्रिपङ्कजस्तु भवान्॥'

राजस्तुतिरियम् । कविः कथयति—तव भवतः, कीर्तिः यशः, कुवलयलक्ष्मीम् रात्रिविकासिकमलकान्तिम् अथ च भूमण्डलशोभाम्, हरते पराजयते, अत्र, चित्रम् आश्चर्यं, किम् ? न किमपीत्यर्थः, यस्मात्, लोकैः जनैः नमस्ये नमस्करणीये अङ्घ्रिपङ्कजे चरणकमले यस्य तादृशः, भवान् अस्याः कीर्तेः, निदानम् आदिकारणम् जनक इति यावत् । कारणस्य भवतो लोकनमस्यचरणकमलत्वे भवदुत्पन्नकीर्तेर्लोकजयित्वं कमलजयित्वञ्चोचितमिति भावः । इदं पद्यं 'कारणात्स्वसमानगुणकार्योत्पत्त्या जायमानस्योत्पत्तिलक्षणसंसर्गानुरूपत्वस्योदाहरणम् ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—कुवलय इत्यादि ।

राजा की स्तुति है । कवि का कथन है कि—आप की कीर्ति कुवलय (रात्रि·विकासी कमल+भूमण्डल) की शोभा का हरण करती है इस में क्या आश्चर्य क्योंकि इसका उत्पादक वह आप हैं जिनके चरण कमल लोकों से नमस्करणीय हैं ।

अभिप्राय यह कि कीर्ति के कारण आप में जब लोकजयित्व तथा कमलजयित्व गुण हैं तब आप से जनमी हुई कीर्ति में भी इन गुणों का होना उचित ही है । यह प्रथम भेद (कारण से अपने समान गुण वाले कार्य की उत्पत्तिवाले) का उदाहरण है ।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम् ।

अथवा, जैसे—'

उदाहरणान्तरमुपस्थापयति—

'मन्त्रार्पितहविर्दीप्तहुताशनतनूभुवः ।
शिखास्पर्शेन पाञ्चाल्याः स्थाने दग्धः सुयोधनः ॥'

मन्त्रैः अर्पितं यत् हविः तेन दीप्तो यः हुताशनः (अग्निः) तस्य तनोः (शरीरात्) भूः (उत्पत्तिः) यस्याः तस्याः, पाञ्चाल्याः द्रौपद्याः, शिखास्पर्शेन केशाग्रभागस्पर्शेन, सुयोधनः दुर्योधनः, दग्धः, इति स्थाने युक्तमित्यर्थः । कारणस्याग्नेः शिखायाः स्पर्शेन दाहश्चेत् अग्निकार्यभूताया द्रौपद्याः शिखायाः स्पर्शेनापि दाह उचित एवेति भावः । इदमपि प्रथमभेदस्यैवोदाहरणम् ।

दूसरा उदाहरण दिखलाया जाता है—मन्त्रार्पित इत्यादि ।

मन्त्र पढ़कर प्रदत्त हवि से प्रज्वलित अग्नि के शरीर से उत्पन्न होनेवाली द्रौपदी की शिखा (चोटी) के स्पर्श से दुर्योधन उचित ही दग्ध हुआ ।

तात्पर्य यह कि अग्नि की शिखा (ज्वाला) के स्पर्श से जब दाह होता है तब अग्नि से उत्पन्न द्रौपदी की शिखा (चोटी) के स्पर्श से भी दाह का होना समुचित ही है, क्योंकि कारण का गुण कार्य में भी होना ही चाहिए । यह भी प्रथम भेद का ही उदाहरण है ।

द्वयोरुदाहरणयोर्विशेषं स्फुटयति—

पूर्वे कारणकार्यधर्मयोः श्लेषेणैक्यसंपादनम्, इह तु मरणदाहयोरभेदाध्यवसानरूपेणातिशयेनेति विशेषः ।

अतिशयेनेति । इतोऽग्रे 'ऐक्यसंपादनम्' इत्यस्यानुषङ्गो बोध्यः ।

अयं भावः—'कुवलय—' इत्यत्र कीर्ति—वर्णनीयनृपयोः कार्यकारणभावः। तत्र कारणे नृपे लोकनमस्यचरणता-विशेषणेन प्रतीयमानो लोकजयित्वं गुणः (धर्मः), कार्ये कीर्तौ तु कुवलयलक्ष्मीहारित्वेन प्रतीयमानः कमलविशेषजयित्वं गुणः तथा च यद्यपि वस्तुतो न कार्ये कारणगुणसमानगुणकता, तथापि 'कुवलय' पदस्य 'कोः पृथिव्याः वलयम्' इति श्लिष्टार्थमादाय कारणकार्यगुणयोरैक्येन सामञ्जस्यम् 'मन्त्रार्पित-' इत्यत्र द्रौपदी—हुताशनयोः कार्यकारणभावः। तत्र कारणे हुताशने दाहो धर्मः (गुणः) कार्ये द्रौपद्याम् मरणम् मारणमिति यावत्, इति दाह—मरणयोः सादृश्यमूलकाभेदारोपरूपेणातिशयेनैक्यम्, न श्लेषेणेति द्वयोरुदाहरणयोर्मिथो भेद इति।

पूर्वोक्त दोनों उदाहरणों में, जो एक प्रभेद के हैं, परस्पर अन्तर बतलाया जाता है—पूर्वमित्यादि।

पहले अर्थात् 'कुवलयलक्ष्मीम्–' इस उदाहरण में कारण तथा कार्य के धर्मों (गुणों) का ऐक्य-सम्पादन श्लेष द्वारा हुआ है, तात्पर्य यह कि समालङ्कार के प्रथम भेद का उदाहरण होने के लिए कारण और कार्य के गुणों का एक होना अपेक्षित है, जो उक्त उदाहरण में यद्यपि स्वतः नहीं है, क्योंकि कारण–राजा का धर्म है लोकनमस्यता-लोकजयित्व और कार्य–कीर्ति का धर्म है कुवलय (कमल) जयित्व, तथापि 'कुवलय' में जो श्लेष (कु = पृथिवी का वलय) है उससे कार्य का भी धर्म लोकजयित्व हो जाता है।

'मन्त्रार्पित–' इस द्वितीय उदाहरण में तो कारण और कार्य के धर्मों का अर्थात् मरण और दाह का ऐक्यसंपादन अभेदाध्यवसानरूप अतिशय द्वारा हुआ है। अभिप्राय यह कि यहाँ भी कारण-अग्नि का धर्म है, दाह और कार्य द्रौपदी का धर्म है मरण अतः एक नहीं है। और यहाँ उन दोनों को एक करनेवाला श्लेष भी नहीं है, पर सादृश्यमूलक अभेदारोप करके उन दोनों को (मरण और दाह को) एक मान लिया गया है। इस तरह इन दोनों उदाहरणों में श्लेष तथा अभेदाध्यवसान रूप अतिशय का अन्तर है।

प्रभेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

द्वितीयो भेदो यथा—

याद्दशगुणकवस्तुसंसर्गस्ताद्दशगुणोत्पत्त्या संसर्गस्यानुरूपत्वं यथेत्यर्थः।

द्वितीय भेद-अर्थात् जैसी वस्तुओं का संसर्ग वैसे गुणों की उत्पत्ति, जैसे—'

उदाहरणमुल्लिखति—

'वडवानल-कालकूट-लक्ष्मी-मकर-व्यालगणैः सहैधितः।
रजनीरमणो भवेन्नृणां न कथं प्राणवियोगकारणम् ॥'

काचिद् विरहिणी वक्ति—वडवानलः कालकूटम् लक्ष्मीर्मकराः व्यालाश्चेति द्वन्द्वः तेषां, गणैः, सह, एधितः प्रवृद्धः, सर्वेषां समुद्रवासित्वादिति भावः, रजनीरमणः चन्द्रः, नृणाम् मनुष्याणाम्, प्राणवियोगस्य मरणस्य कारणं हेतुः, कथन्न भवेत्? मरणहेतुभिर्वडवानलादिभिः सह प्रवृद्धस्य चन्द्रस्य मरणहेतुत्वं युक्तमेवेत्यर्थः। मारकत्वगुणयुक्तवडवानलादिसंसर्गवतश्चन्द्रान्मरणगुणोत्पत्तिवर्णनेन द्वितीयभेदोदाहरणता प्रकृतपद्यस्य संघटत इति बोध्यम्।

उदाहरण का उल्लेख किया जाता है—वडवानल इत्यादि।

किसी विरहिणी की उक्ति है कि—वडवाग्नि, विष, लक्ष्मी, मगर और सर्प के समूह के साथ बढ़ा हुआ चन्द्रमा (इन सबों के समुद्रवासी होने के कारण ऐसा कहा गया है) मनुष्यों के प्राणवियोग (मरण) का कारण क्यों न हो ? जन्म से मारकों के साथ बढ़ने वाले को मारक होना ही चाहिए।

मारकत्व गुणवाले वडवाग्नि के संसर्गी चन्द्रमा से मरणरूप गुण की उत्पत्ति वर्णित होने के कारण यह पद्य द्वितीय भेद का उदाहरण होता है।

ननु लक्ष्मीर्न मारकत्वगुणविशिष्टेति तया सह समृद्धस्य कथं मारकत्वमित्यत आह—

लक्ष्मीरप्यत्र मारकत्वेनैव कवेर्विवक्षिता।

कविर्लक्ष्मीमपि मारिकां मत्वैव तथोक्तवानिति भावः।

'वडवानल—' इस पद्य में लक्ष्मी का भी कथन मारकरूप में ही कवि का अभीष्ट है।

भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

तृतीयो यथा—

अत्र 'तृतीय' इत्यस्याग्रे 'भेद' इत्यस्यानुषङ्गः। तथा च यत्किंचिदिष्टप्राप्त्यर्थं प्रयुक्तात् कारणात्तत्प्राप्त्या जायमानं संसर्गस्यानुरूपत्वं यथेत्यर्थः।

तृतीय भेद—अर्थात् जिस इष्ट की प्राप्ति के लिए कारण का प्रयोग किया गया उससे उस इष्ट की प्राप्ति, जैसे—'

उदाहरणमुपन्यस्यति—

नितरां धनमाप्तुमर्थिभिः क्षितिप त्वां समुपास्य यत्नतः।
निधनं समलम्भि तावकी खलु सेवा जनवाञ्छितप्रदा॥'

हे क्षितिप राजन्! नितराम् अत्यन्तम्, धनम्, आप्तुम् प्राप्तुम्, अर्थिभिः इच्छुकैः, यत्नतः, त्वाम्, समुपास्य निषेव्य, निधनम् नितरां धनम् अथ च मरणम्, समलम्भि प्राप्तम्, खलु निश्चयेन, तावकी भवदीया, सेवा, जनवाञ्छितप्रदा लोकाभीष्टदायिनी, अस्तीत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—नितराम् इत्यादि।

हे राजन्! अत्यधिक धन प्राप्त करने के लिए याचकों ने यत्नपूर्वक आप की सेवा करके 'निधन' (नितरां धन) मरण को प्राप्त किया, आप की सेवा निश्चित रूप से मनुष्यों की अभिलषित वस्तु को देने वाली है।

उपपादयति—

[अत्र मरण-बहुधनयोः श्लेषेणैक्ये बहुधनरूपेष्टात्मना वाञ्छितार्थाप्तिरूपसमालङ्कारचमत्कारः।] अत्र व्याजस्तुतौ मुखे धनप्राप्तिरूपस्तुतिस्फूर्तिदशायां समालङ्कारस्तावदप्रत्यूह एव। मरणप्राप्तिप्रतीतिदशायां तु व्याजस्तुतेरेव पूर्णाङ्गतया तया विषमालङ्कारो बाध्यते।

अत्र कोष्ठान्तर्गतः पाठो बहुषु पुस्तकेषु नोपलभ्यते। श्लेषेणेति, 'निधन' पदगतेनेति भावः। मुखे प्रारम्भे। तयेति। व्याजस्तुत्येत्यर्थः। 'नितराम्—' इति पद्ये निन्दापर्यव-

सायिस्तुतिरूपा व्याजस्तुतिरलङ्कारो वर्तते। तत्र धनप्राप्तिरूपस्तुतिप्रतीतिकाले कोष्ठान्तर्गत-मूलोक्तरीत्या समालङ्कारो भवति व्याजस्तुत्या समस्य बाधस्तु न संभवति, तदानीं व्याज-स्तुतेः स्वयमपूर्णत्वात्। मरणप्राप्तिप्रतीति काले समस्य प्रसङ्ग एव नास्ति, इष्टस्याप्राप्तेः। अनिष्टप्राप्त्या प्रसक्तो विषमालङ्कारस्तु तदानीं पूर्णाङ्गया व्याजस्तुत्या बाध्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'नितराम्—' इस पद्य में 'निधन' पद गत श्लेष के द्वारा मरण और बहुत धन का ऐक्य हो जाने से 'बहुधन रूप इष्ट' के रूप में अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति रूप समालङ्कार का चमत्कार है। (यहाँ तक की कोष्ठान्णर्गत पङ्क्तियाँ सभी पुस्तकों में नहीं उपलब्ध होती हैं। अभिप्राय है कि 'नितराम्—' इस पद्य में व्याजस्तुति अलङ्कार है, वह तब होता है जब प्रारम्भ में स्तुति और पर्यवसान में निन्दा की प्रतीति होती है। अतः यहाँ प्रारम्भ भाग में जब तक केवल धन प्राप्ति रूप स्तुति की प्रतीति होती रहेगी, तब उक्त रीति से 'सम' अलङ्कार मानने में किसी प्रकार की विघ्न-बाधा नहीं है—अर्थात् तब तक निन्दा प्रतीति नहीं होने के कारण व्याजस्तुति अलंकार स्वयम् अपूर्ण, अतः उस से समालंकार के बाध की संभावना नहीं है।

जब निन्दात्मक मरण प्रतीति हो जाती है, तब समालंकार का प्रसङ्ग ही नहीं रहता, क्योंकि इष्ट-प्राप्ति अब नहीं रहती। हाँ, विषम का प्रसङ्ग अवश्य आ जाता है, क्योंकि इष्ट के लिए प्रयुक्त कारण से अनिष्ट की प्राप्ति तब हो जाती है, पर तब पूर्णाङ्ग बनी हुई व्याजस्तुति प्रबल हो जाती है, अतः उससे विषम बाधित हो जाता है।

कुवलयानन्दकारोक्तमुद्धृत्य निरस्यति—

यत्तु कुवलयानन्दकृता—

> 'उच्चैर्गजैरटनमर्थयमान एव
> त्वामाश्रयन्निह चिरादुषितोऽस्मि राजन्।
> उच्चाटनं त्वमपि लम्भयसे तदेव
> मामद्य नैव विफला महतां हि सेवा॥'

इत्युदाहृत्य, 'अत्र व्याजस्तुतौ यद्यपि स्तुत्या निन्दाभिव्यक्तिविवक्षायां विषमालङ्कारः, तथापि प्राथमिकस्तुतिरूपवाच्यकक्षायां समालङ्कारो न निवार्यते' इत्युक्तम्। तत्रोदाहरणे मामुच्चाटनं लम्भयसे इति द्विकर्मकत्वं कथम्? 'गति' आदिसूत्रस्य प्राचीनरीत्या नियमविधित्वपक्षे लभेरण्यन्तकर्तुः कर्मत्वस्य व्यावर्तनात्। यदा तु—

> 'परत्वादन्तरङ्गत्वादुपजीव्यतयापि च।
> प्रयोज्यस्यास्तु कर्तृत्वं गत्यादेर्विधितोचिता॥'

इति नवीनरीत्या अपूर्वविधित्वमुच्यते, श्रौतं णिजन्तार्थक्रियायाः प्राधान्य-मुत्सृज्याऽऽर्थं पूर्वक्रियाया एव प्राधान्यमनुरुध्यते तदा त्वप्रसक्तिरेवेति। उच्चाटनं मया लम्भयसे इति तु भाव्यम्। एवमपि लभेर्यथाकथंचिद् गत्यर्थतां संपाद्य प्रयोग उपपाद्यते, तथापि 'प्राथमिककक्षायां समालङ्कारो न निवार्यते' इत्यनेन 'द्वितीयकक्षायां विषमालङ्कारोऽस्तु नाम' इत्यागूरितमसदेव। तादृशः

वैषम्यस्य निन्दारूपस्य व्याजस्तुतिविषयत्वेन तदपवादस्यैव न्याय्यत्वात्। न च वैपरीत्यम्, परिपूर्णचमत्कारभूमेर्व्याजस्तुतेस्तद्वाध्यनपह्नवात्।

'उच्चैर्गजैः—' इति। हे राजन्!, गजैः हस्तिभिः, उच्चैः अटनम् उन्नतस्थानस्थिति-पूर्वकम् भ्रमणम्, उच्चैः उन्नतैः, गजैः अटनम्, इति वार्थः। अर्थयमानः याचमानः, एव, अहमिति शेषः, त्वाम् उक्तयाचनासिद्धिहेतुत्वेन संभाव्यमानम् भवन्तम्, आश्रयन् सेवमानः, चिरात् चिरकालपर्यन्तम्; इह त्वन्नगरे, उषितः कृतनिवासः, अस्मि वर्ते। त्वमपि, अद्य, तदेव मत्प्रार्थितमेव, उच्चाटनम् उच्चैर्गजैरटनम् वस्तुतो दूरनिरसनम्, माम्, लम्भयसे प्रापयसि, हि यतः महतां, सेवा, विफला, नैव, भवतीत्यर्थः। उदाहृत्येति। समालङ्कारोदाहरणं दत्त्वेत्यर्थः। कुवलयानन्दकारकृतं तदुपपादनमुद्धरति—अत्र व्याज इति। 'उच्चैर्गजैः-' इत्यत्र व्याजस्तुतिरलंकारः मुखे स्तुतेः पर्यवसाने निन्दायाः प्रत्ययात्, तत्र 'प्रार्थितम् उच्चाटनम् उच्चैर्गजैरटनम् प्रापयसि, महतां सेवा न विफला' इति वाच्यया स्तुत्या 'उच्चाटनम् दूरनिरसनं लम्भयसे' इति निन्दाया अभिव्यक्तिरिति विवक्षायाम् यद्यपि विषमालंकारः, इष्टसाधनतया निश्चितात्कारणात् अनिष्टोत्पत्तेः, तथापि स्तुतिरूपवाच्यदशायाम् 'इष्टार्थं प्रयुक्तात्कारणादिष्टप्राप्तिरूपः समालंकारो निर्बाध इति तदाशयः।

तत्रोदाहरणे तावद्व्याकरणाशुद्धिमुद्घाटयति—तत्रोदाहरण इत्यादिना। ननु णिजर्थ-व्यापारप्रयोज्यप्रथमव्यापाररूपफलाश्रयत्वेन प्रयोज्यकर्तुः 'कर्तुरीप्सिततमं कर्म' इत्यनेनैव कर्मत्वं प्राप्तमिति चेत्तत्राह—'गति' आदिसूत्रस्येति। 'हरिः शत्रून् स्वर्गमगमयत्' इत्यादौ शाब्दप्राधान्यविशिष्ट-णिजर्थ-भूतोत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापारानुकूलव्यापाराश्रयस्य हरेः कर्तृत्वे णिजर्थव्यापारप्रयोज्यप्रथमव्यापारात्मकफलाश्रयस्य शत्रुपदार्थस्य 'कर्तुरीप्सिततमं कर्म' इत्यनेनैव कर्मसंज्ञासिद्धौ 'गतिबुद्धिसूत्रम्' व्यर्थीभूय 'णिजर्थेनाप्यमानस्य यदि भवति तर्हि गत्याद्यर्थानामेव कर्तुः' इति नियमयति इति प्राचां वैयाकरणानां मतम्, तथा च प्रकृते लभ्धातोरण्यन्तावस्थायाः कर्तुः अस्मदर्थस्य कर्मसंज्ञा निरस्ता, लभ्धातोर्गतिबुद्धि-सूत्रोक्तधात्वर्थकत्वाभावात् इति भावः, नवीनमतरीत्यापि अत्रास्मदर्थस्य कर्मत्वं न प्रसक्तमित्याह—यदा त्विति। 'कर्तुरीप्सिततमं कर्म' इत्येतत्सूत्रविधीयमानकर्मसंज्ञापेक्षया 'स्वतन्त्रः कर्ता' इत्येतत्सूत्रविधीयमाना कर्तृसंज्ञा परा, अन्तरङ्गा उपजीव्या चेति 'हरिः शत्रून् स्वर्गमगमयत्' इत्यादौ शत्रूणां 'कर्तुरीप्सित-' इति कर्मसंज्ञा न स्यात् परया अन्तरङ्गया उपजीव्यया च कर्तृसंज्ञया बाधात्। ननु श्रौतं णिजन्तार्थक्रियायाः प्राधान्यमिति तन्मूलककर्मसंज्ञैव प्रयोज्यकर्तुः प्रबलत्वाद् भवेदिति चेन्न, उद्देश्यत्वलक्षणार्थप्राधान्यस्यैव प्रयोज्य-व्यापारनिष्ठस्यानुरोधात् तथा च गतिबुद्धीति सूत्रं विधायकमेव, न नियामकमिति नवीन-वैयाकरणमते तु 'मामुच्चाटनं लम्भयसे' इत्यत्र मामित्यस्य कर्मसंज्ञा प्राप्तैव नास्ति इति भावः। ननु तर्हि प्रकृते कीदृशप्रयोग उचित इति चेत्तत्राह—उच्चाटनं मयेति। पुनर्दीक्षितोक्तप्रयोगं कथञ्चित् समर्थयति—एवमपि इति। यथाकथंचिदिति। एतेन वस्तुतो न तस्य गत्यर्थता संभवतीति सूचितम्। उपपाद्यत इति। लभेर्गत्यर्थकत्वे स्वीकृते प्राचीन-

नवीनोभयमतयोः प्रकृतेऽस्मदर्थस्य कर्मत्वं सूपपादमिति भावः। अत्र "—'न वेति विभाषा' इति सूत्रे हरति भारमित्यत्राप्राप्तौ 'हृक्रो—' इति 'विभाषा' इति भाष्योक्तेर्यथाकथंचिद्-गत्यर्थानां तत्राग्रहणाच्चिन्त्यमिदम्। उच्चाटनं मां लम्भयसे इति तु संयोगानुकूलव्यापारा-नुकूलव्यापारार्थकवहसमानार्थकत्वात् ण्यन्तलभेः 'अकथितं च' इति सूत्रेण बोध्यम्। संयो-गानुकूलव्यापारो हि लभेरर्थः। गत्यादिनियमश्च पाचयत्योदनं देवदत्तेनेत्यादि व्यावृत्त्या चरितार्थः।" इति नागेशः। कुवलयानन्दकारोक्तौ दोषान्तरं दर्शयति—तथापीति। आगूरितम् सूचितम्। असदेवेति। विषमालंकारस्वीकारोनुचित इति भावः। तस्यानुचित-त्वे हेतुमाह—तादृशेति। उच्चैः (गजैः) अटनस्य स्थाने उच्चाटनरूपं (दूरनिरसनरूपं) वैषम्यं निन्दापर्यवसायित्वाद् व्याजस्तुतेरङ्गम्, यतः आमुखे प्रतीता स्तुतिर्यत्र निन्दापर्यव-सायिनी तत्र व्याजस्तुतिरिति तल्लक्षणम्, ततश्चापवादरूपतया विषमं बाधित्वा प्रवर्तमा-नाया व्याजस्तुतेरेव व्यपदेशो नान्य इति भावः। वैपरीत्यमिति। विषम एवास्तु, मा भूद् व्याजस्तुतिरित्याकारकं वैपरीत्यमिति भावः। परिपूर्ण इति। परिपूर्णचमत्कारशालि-न्या व्याजस्तुतेरपह्नवस्त्वयापि न साध्य इति भावः।

अप्पय दीक्षित (कुवलयानन्दकार) के मत को उद्धृत कर खण्डित किया जाता है—यत्तु इत्यादि।

कुवलयानन्दकार ने जो 'उच्चैर्गजैः—अर्थात् हे राजन्! उच्चगजों से अटन की—हाथीनशीन होने की अभिलाषा करते हुए ही मैंने यहां (इस नगर में) तुम्हारी सेवा करता हुआ बहुत दिनों तक निवास किया, आज आप भी मुझे वही उच्चाटन (उच्चों से अटन+निष्कासन) प्राप्त करवा रहे हैं। महापुरुषों की सेवा निष्फल नहीं होती।' यह समालङ्कार का उदाहरण देकर कहा है कि—"यहां व्याजस्तुति में यद्यपि स्तुति से निन्दा की अभिव्यक्ति की विवक्षा में विषमालङ्कार है, तथापि प्राथमिकस्तुति रूप वाच्य-दशा में समालंकार का निवारण नहीं किया जा सकता।"

उनके इस कथन में प्रथमतः विचारणीय यह है कि—उदाहरण के 'मामुच्चाटनं लम्भयसे' इस अंश में ण्यन्तलभधातु द्विकर्मक (दो कर्मों एक उच्चाटनम् और दूसरे माम्-वाला) कैसे हुआ? क्योंकि गत्यादि (१।४।५२) सूत्र को यदि प्राचीन वैयाकरणों की रीति से 'नियम विधि' माना जाय तो लभ धातु के अण्यन्तकर्ता (माम्) को कर्मत्व रुद्ध हो जाता है, तात्पर्य यह कि प्राचीनों के विचारानुसार हरिः शत्रून् स्वर्गम् अगमयत्-'हरि ने शत्रुओं को स्वर्ग भेजा' इत्यादि जो 'गतिबुद्धि—' सूत्र के उदाहरण हैं उनमें स्वर्ग के साथ साथ शत्रुओं को भी 'कर्तुरीप्सिततमं कर्म' इस सामान्य सूत्र से ही कर्म संज्ञा सिद्ध है, क्योंकि ण्यन्त कर्ता हरि का ईप्सिततम शत्रु है और अण्यन्त कर्ता शत्रु का ईप्सिततम स्वर्ग है अर्थात् ण्यन्त गम धात्वर्थ-संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार में से अन्तिम व्यापार प्रयोज्यफलरूप प्रथम व्यापार का आश्रय शत्रु और प्रथम व्यापार प्रयोज्य फल संयोग का आश्रय स्वर्ग हो जाता है और फलाश्रय को ही कर्म संज्ञा होती है, ऐसी स्थिति में 'गतिबुद्धि–' सूत्र व्यर्थ होकर नियम करता है कि 'णिजन्त-स्थल में यदि पूर्वावस्था के कर्ता को कर्म संज्ञा हो को सूत्र में परिगणित धातुओं के अर्थ धातु के स्थल में ही', इस तरह से यह सिद्ध हो जाता है कि ण्यन्तलभ धातु की पूर्वावस्था के कर्ता को किसी भी सूत्र से कर्म संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि लभधातु सूत्र में परिगणित धातुओं के अर्थों में से किसी अर्थ का वाचक नहीं है।

और यदि नवीन वैयाकरणों के मतानुसार 'गतिबुद्धि–' सूत्र को नियमविधि न मानकर अपूर्व विधि माना जाय तब भी उक्त वाक्य में 'माम्' की कर्म संज्ञा नहीं ही हो सकती है। अभिप्राय यह कि नवीन वैयाकरण 'गतिबुद्धि–' सूत्र को शुद्ध विधायक ही मानते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से 'शत्रूनगमयत् स्वर्गम्' इत्यादि में शत्रु आदि प्रयोज्य कर्ताओं को 'कर्तुरीप्सित–' सूत्र से कर्म संज्ञा नहीं हो सकती है, कारण यह कि–पर, अन्तरङ्ग तथा उपजीव्य कर्तृसंज्ञा से कर्म संज्ञा का बोध हो जायगा और णिजन्त धातु के अर्थभूत क्रिया में जो शब्द (शाब्दबोधानुसारिणी) प्रधानता है उसको छोड़कर उद्देश्यत्वरूप अर्थ प्राधान्य, जो णिच् रहित धातुप्रतिपाद्य क्रिया में रहता है, का अनुरोध किया जायगा। इस तरह से 'गतिबुद्धि–' सूत्र गत्यर्थक, बुद्धयर्थक सूत्रोक्त धातुओं के अण्यन्तावस्था के कर्ताओं को ण्यन्तावस्था में कर्मसंज्ञा का विधान करेगा, अन्य धातुओं के अण्यन्त कर्ता से ण्यन्तावस्था में कर्तृसंज्ञा प्रयुक्त तृतीया होगी, फलतः लभ धातु के अण्यन्तकर्ता को ण्यन्तावस्था में इस मत के अनुसार कर्मसंज्ञा प्राप्त ही नहीं होती, अतः 'उच्चाटनं मया लम्भयसे' ऐसा ही वाक्य होना चाहिए' 'माम्' यह सर्वथा अशुद्ध ही है।

यदि किसी तरह लभ धातु को गत्यर्थक मान कर यहाँ अस्मत् शब्दार्थ को कर्मसंज्ञा करके 'माम्' इस प्रयोग को शुद्ध कर भी लिया जाय, तब भी "प्रथम कक्षा में समालङ्कार का निवारण नहीं किया जा सकता" इस उक्ति से जो कुवलयानन्दकार ने यह सूचित किया कि "द्वितीय कक्षा में विषमालङ्कार भले ही हो" वह अयुक्त ही है, क्योंकि उच्चगजों के द्वारा अटन की जगह उच्चाटन (निष्कासन) रूप वैषम्य निन्दा रूप बन कर व्याजस्तुति का अङ्ग बन जाता है, अतः वैसी स्थिति में अपवाद होने के कारण व्याजस्तुति के द्वारा विषम का बाध होना ही उचित है। यदि कहें कि विपरीत ही क्यों नहीं माना जाय? अर्थात् विषम को ही व्याजस्तुति का बाधक क्यों नहीं माना जाय, तो यह उचित नहीं, क्योंकि परिपूर्ण चमत्कार को उत्पन्न करने वाली व्याजस्तुति का अपलाप आप भी नहीं कर सकते हैं।

इस तरह सारांश यह निकला कि कुवलयानन्दकार ने जो 'उच्चैर्गजैः–' इस पद्य को समालङ्कार का उदाहरण कहा वह ठीक है, पर उस पद्य में जो उनने विषमालङ्कार को भी स्वीकृत किया वह ठीक नहीं है।

अथ संयोगादिलक्षणसंसर्गस्यानुरूपतां विभजते—

संयोगादिलक्षणस्यानुरूपता द्वेधा—स्तुतिपर्यवसायिनी निन्दापर्यवसायिनी च।

संयोगादिलक्षणस्येति। संसर्गस्येति शेषः। अन्यत् स्फुटम्।

संयोगादि रूप संसर्ग की अनुरूपता दो प्रकार की होती है—एक स्तुति में पर्यवसित होने वाली और दूसरी निन्दा में पर्यवसित होने वाली।

तत्र प्रथमामुदाहर्तुमाह—

आद्या यथा—

स्तुतिपर्यवसायिनी संयोगादिलक्षणसंसर्गानुरूपता यथेत्यर्थः।

उनमें से प्रथम—अर्थात् स्तुति में पर्यवसित होने वाली संयोगादिरूप संसर्ग की अनुरूपता, जैसे—'

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'अनाथः स्नेहार्द्रां विगलितगतिः पुण्यगतिदाम्
पतन्विश्वोद्धर्त्रीं गदविदलितः सिद्धभिषजम्।
तृषार्तः पीयूषप्रकरनिधिमत्यन्तशिशुकः
सवित्रीं प्राप्तस्त्वामहमिह विदध्याः समुचितम् ॥'

कविर्गङ्गां स्तौति—अनाथः आश्रयहीनः, विगलितगतिः अगतिकः, पतन् अधोमुखं गच्छन्, गदविदलितः रोगसहितः, तृषार्तः पिपासाकुलः, अत्यन्तशिशुकः अतिबालश्च, अहम्, स्नेहार्द्राम् वात्सल्यकोमलाम्, पुण्यगतिदाम् पवित्रगतिदायिनीम्, विश्वोद्धर्त्रीम् संसारोद्धारकारिणीम्, सिद्धभिषजम् सिद्धौषधरूपम्, पीयूषप्रकरनिधिम् अमृतसमूहसमुद्राम् सवित्रीम् जननीम्, च, त्वाम् गङ्गाम्, प्राप्तः आश्रितः। इह, यदुचितम्, तत्, त्वम्, विदध्याः कुरु इत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—अनाथः इत्यादि।

कवि गङ्गा से कह रहा है कि-हे गङ्गे! अत्यन्त छोटा बालक मैं आप माता की शरण में आया हूँ, मैं अनाथ हूँ और आप स्नेहार्द्र हैं, मैं गतिहीन हूँ और आप पवित्र गति देने वाली हैं, मेरा पतन हो रहा है और आप संसार का उद्धार करने वाली हैं, मैं रोग से ग्रस्त हूँ और आप सिद्ध औषध हैं, मैं तृषार्त हूँ और आप अमृतसमूह का खजाना हैं। अब आप जो उचित समझें, करें।

उपपादयति—

अनाथत्वादिविशिष्टस्य स्नेहार्द्रत्वादिविशिष्टेन संसर्गस्यानुरूपता भागीरथीस्तुतिपर्यवसायिनी।

'अनाथ-'इत्यस्मिन् श्लोके अनाथत्वादियुक्तस्य वक्तुः स्नेहार्द्रत्वादियुक्तया गङ्गया सह यः संयोगरूपः संसर्गो वर्णितः, सः अनुरूपोऽस्ति, इयं च संसर्गस्यानुरूपता गङ्गायाः स्तुतौ पर्यवस्यतीति भावः।

उपपादन किया जाता है—अनाथ इत्यादि।

'अनाथः—' इस पद्य में स्नेहार्द्रता आदि गुणों से युक्त गङ्गा के साथ अनाथता आदि धर्मों से युक्त व्यक्तिविशेष का जो संयोगरूपसंसर्ग वर्णित हुआ है उसकी अनुरूपता गङ्गा की स्तुति में पर्यवसित होने वाली है।

भेदान्तरमुदाहर्तुमाह—

द्वितीया यथा—

निन्दापर्यवसायिनी संयोगादिलक्षणसंसर्गानुरूपता यथेत्यर्थः।

द्वितीय—अर्थात् निन्दापर्यवसायिनी संयोगादिरूप संसर्ग की अनुरूपता, जैसे—।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'युक्तं सभायां खलु मर्कटानां शाखास्तरूणां मृदुलासनानि।
सुभाषितं चीत्कृतिरातिथेयी दन्तैर्नखाग्रैश्च विपाटितानि ॥'

मर्कटानां वानराणाम्, सभायाम्, तरूणाम् वृक्षाणां, शाखाः मृदुलासनानि, भवेयुः, चीत्कृतिः चीत्कारध्वनिः सुभाषितम्, भवेत्, दन्तैः, नखाग्रैश्च, विपाटितानि कर्तनानि, आतिथेयी अतिथिसत्कारः, भवेत्, इति, खलु निश्चयेन, युक्तम् उचितमित्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—युक्तम् इत्यादि।

बन्दरों की सभा में वृक्षों की शाखाएँ कोमल आसन हों, चीत्कार शब्द सुभाषित हो और दाँतों तथा नखाग्रों से फाड़ना अतिथि-सत्कार हो यह सर्वथा उचित है।

उपपादयति—

अत्राप्रस्तुतगतत्वेन स्थिता निन्दा तदाक्षिप्ते प्रस्तुते पर्यवस्यति।

'युक्तम्-' इति श्लोके वर्णितेन 'यादृशाः कपयस्तादृश एव तेषां सत्कारसंभारः' इत्यनुरूपसंसर्गेणापाततः अप्रस्तुतानां वानराणां निन्दा प्रतीयते, वानराणां तात्पर्यविषयत्वाभावात्प्रस्तुतेषु 'पञ्चायत्त' सभायां कलहपरेषु महानुभावेषु सा (निन्दा) पर्यवस्यतीति भावः।

उपपादन किया जाता है—'अत्रा' इत्यादि।

'युक्तम्—' इस पद्य में वानरों तथा तरुशाखादिकों का संयोग वर्णित हुआ है, जो अनुरूप है, अतः 'समालङ्कार' माना जायगा, साथ ही संयोग की उक्त अनुरूपता अप्रस्तुत वानरों से आक्षिप्त कलहकारी दुर्जन सभासदों की निन्दा में पर्यवसित होती है।

उपसंहरन्नाह—

एवं यथा विषमालङ्कारस्त्रिभेदस्तथा तद्विपरीतभेदत्रययुक्तः समालङ्कारोऽपि प्रपञ्चितः।

त्रिभेद इति। कारणगुणविलक्षणगुणककार्योत्पत्तिः, इष्टसाधनतया निश्चितात्कारणाददनिष्टकार्योत्पत्तिः, संसर्गिणोरन्यतरगुणस्वरूपाभ्याम् अन्यतरगुणस्वरूपयोस्तिरस्कार इति भेदत्रययुक्त इति भावः। तद्विपरीतभेदत्रयेति। कारणात् स्वगुणसमानगुणकार्योत्पत्तिः, यत्किंचिदिष्टप्राप्त्यर्थम् प्रयुक्तात्कारणात्तत्प्राप्तिः, संसर्गिणोरन्यतरगुणस्वरूपाभ्याम् अन्यतरगुणस्वरूपयोरनुग्रह इति भेदत्रयेति भावः। उभयत्र भेदत्रयोक्तिः परोक्तस्थूलभेदाभिप्रायेण स्वमते सूक्ष्मभेदान्तराणामप्युक्तत्वादिति बोध्यम्।

उपसंहार किया जाता है—एवं यथा इत्यादि।

इस तरह जैसे विषमालङ्कार के तीन भेद (१–कारण के गुण से विलक्षण गुणवाले कार्य की उत्पत्ति, २–इष्टसाधनरूप में निश्चित कारण से अनिष्ट कार्य की उत्पत्ति, और ३–दो संसर्गियों में से एक के गुण तथा स्वरूप से दूसरे के गुण तथा स्वरूप का तिरस्कार) हैं, उसी प्रकार उसके विपरीत तीन भेदों (१–कारण गुण के समान गुणवाले कार्य की उत्पत्ति, २–किसी इष्ट की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त कारण से उस इष्ट की प्राप्ति और ३–दो संसर्गियों में से एक के गुण तथा स्वरूप से दूसरे के गुण तथा स्वरूप का अनुगृहीत होना) से युक्त समालङ्कार का भी विस्तार से निरूपण किया गया। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऊपर जो विषम अथवा सम के तीन तीन भेद कहे गए हैं वह अन्य आचार्यों के द्वारा वर्णित स्थूल भेद के अभिप्राय से, क्योंकि अपने विचार से ग्रन्थकार अन्य सूक्ष्म भेद भी उन दोनों अलङ्कारों के दिखला चुके हैं।

अलंकारसर्वस्वकारमतमुद्धृत्य निरस्यति—

यत्तु—'विरूपकार्यानर्थयोरुत्पत्तिर्विरूपसंघटना च विषमम्' इति विषमालङ्कारं लक्षितवता, 'तद्विपर्ययः समम्' इति समालङ्कारं लक्षयित्वा—"तत्पदेनात्र विषमालङ्कारसंबन्धी विरूपसंघटनारूपश्चरम एव भेदो गृह्यते। तद्विपर्ययस्यैव चारुत्वात् 'न त्वाद्यभेदद्वयम्' तद्विपर्ययस्य कारणादनुरूपकार्योत्पत्तिरूपस्य, वाञ्छितार्थप्राप्तिरूपस्य च वस्तुसिद्धतया चारुताविरहात्। एवं चानुरूपसंघटनात्मक एव समालङ्कारः। न तु विषमालङ्कार इव भेदत्रयात्मकः" इत्यलङ्कारसर्वस्वकृतोक्तम्। विवेचितं च विमर्शिनीकृता—'कारणादनुरूपकार्योत्पत्तिर्हि लोकप्रसिद्धा। नहि तस्या उपनिबन्धश्चारुतामावहति' इति। तदुभयमसत्। वस्तुतोऽननुरूपयोरपि कार्य-कारणयोः श्लेषादिना धर्मैक्यसंपादनद्वाराऽनुरूपतावर्णने वस्तुतोऽनिष्टस्यापि तेनैवोपायेनेष्टैक्यसंपत्ताविष्टप्राप्तिवर्णने, च चारुताया अनुपदमेव दाशतत्वात्। तस्मात्सममपि त्रिविधमेव।

विरूपकार्यानर्थयोरिति। विरूपकार्यस्योत्पत्तिः, अनर्थस्योत्पत्तिः, विरूपयोः संघटना चेति भावः। इदं भेदत्रयं ग्रन्थकृता क्रमशः 'कारणात् स्वगुणविलक्षणकार्योत्पत्तिः, इष्टसाधनतया निश्चितात् कारणादनिष्टकार्योत्पत्तिः, संसर्गिणोरन्यतरगुणस्वरूपतिरस्कार्यान्यतरगुणस्वरूपता' इत्येवंविधैः शब्दैरुक्तमिति बोध्यम्, तद्विपर्ययस्यैवेति। विरूपसंघटनाविपर्ययस्येत्यर्थः। अनुरूपसंघटनारूपस्येति यावत्। न तु आद्येति। विरूपकार्योत्पत्तिरनर्थोत्पत्तिश्चेत्यर्थः। तद्विपर्ययस्येति। विरूपकार्योत्पत्तिविपर्ययस्यानर्थोत्पत्तिविपर्ययस्य चेत्यर्थः। सर्वस्वकृतोक्तमिति। सर्वस्वकारोक्ततात्पर्यकथनमेतत्, न तु यथावत्तदुक्तोद्धरणम्, 'यद्यपि विषमस्य भेदत्रयमुक्तम् तथापि तच्छब्देन संभवादन्त्यो भेदः परामृश्यते। पूर्वभेदद्वयसंसर्गस्यानलङ्कारत्वादन्त्यभेदविपर्ययस्तु चारुत्वात्समाऽख्योलंकारः।' इत्याकारकस्यैवालंकारसर्वस्वग्रन्थस्योपलब्धेः। तदुभयमिति। सर्वस्वकारोक्तं विमर्शिनीकारोक्तं चेत्यर्थः। असदिति। असमीचीनमित्यर्थः। असमीचीनत्वे हेतुमाह—वस्तुत इत्यादिना। तेनैवोपायेनेति। श्लेषादिनेत्यर्थः। इष्टैक्येति। इष्टाभेदेत्यर्थः।

अलङ्कारसर्वस्वकार के मत को उद्धृत कर उसका खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि।

अलङ्कारसर्वस्वकार ने 'विरूप कार्य की उत्पत्ति, अनर्थ की उत्पत्ति तथा विरूपों का संयोग विषम है' इस प्रकार विषमालङ्कार का लक्षण बना कर 'तद्विपर्ययः समम्-अर्थात् उसका विपर्यय (उलटी बात) सम कहलाता है' यह समालङ्कार का लक्षण बनाया और कहा कि–'यहाँ (समालङ्कार के लक्षण में) तत् (उस) पद से विषमालङ्कारलक्षणगत विरूपसंघटनारूप अन्तिम भेद का ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि उसके वैपरीत्य (अनुरूपसंयोग) में ही चारुता–सुन्दरता रहती है, न कि प्रथम दोनों भेदों (विरूपकार्योत्पत्ति और अनर्थोत्पत्ति) का। कारण, प्रथम दोनों भेदों का विपर्यय क्रमशः कारण से अनुरूप कार्य की उत्पत्ति और कारण से अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति रूप होगा, जो वस्तुसिद्धस्वाभाविक, है, कविप्रतिभा-प्रसूत नहीं, अतः उसमें चारुत्व का अभाव रहेगा। इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि अनुरूपों का संयोग ही समालङ्कार है, विषमालङ्कार के समान इस (सम) के तीन भेद नहीं हो सकते हैं।'

अलङ्कारसर्वस्व पर विमर्शिनी नामक व्याख्या लिखने वाले ने उक्त मूल ग्रन्थ का विवेचन करते हुए कहा कि 'कारण से उसके अनुरूप कार्य की उत्पत्ति लोकसिद्ध वस्तु है, अतः उसका वर्णन चमत्कारजनक नहीं होता।'

पर वे दोनों ही कथन असंगत हैं, क्योंकि यद्यपि स्वभावतः अनुरूप कार्य-कारण के वर्णन में तथा स्वभावतः इष्टप्राप्त्यर्थ प्रयुक्त कारण द्वारा इष्ट-प्राप्ति के वर्णन में चमत्कार नहीं हो सकता यह बात ठीक है, तथापि जो कार्य-कारण वस्तुतः अनुरूप नहीं है, उनकी अनुरूपता का वर्णन जब श्लेष आदि के द्वारा एकधर्मता का संपादन करके किया जाता है, इसी तरह वस्तुतः अनिष्ट अर्थ की भी श्लेष आदि के द्वारा ही इष्ट के साथ एकता सिद्ध करके जब इष्टप्राप्ति का वर्णन किया जाता है, तब चारुता होती है यह बात अभी अभी दिखाई जा चुकी है—अर्थात् 'कुवलयलक्ष्मीम्' 'नितरां धनमाप्तुमर्थिभिः—' इन पद्यों में इसी तरह के वर्णनों से चमत्कार होते देखा जा चुका है, अतः, समालङ्कार भी तीन प्रकार का होता ही है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे समालङ्कारप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे समालङ्कारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां समालङ्कारप्रकरणम्॥

समालङ्कारनिरूपणानन्तरं विचित्रालंकारनिरूपणं प्रतिजानीते—

अथ विचित्रालङ्कारः—

विचित्रालंकारो निरूप्यत्वेनारब्धो वेदितव्य इति भावः।

अब विचित्रालङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है—

तावत्तल्लक्षणमाह—

इष्टसिद्ध्यर्थमिष्टैषिणा क्रियमाणमिष्टविपरीताचरणं विचित्रम्॥

इष्टमिच्छता जनेन इष्टसिद्ध्यर्थम् यदा केनापि हेतुना इष्टप्रतिकूलमाचरणं क्रियते तदा तत्र काव्यवर्णिते विचित्रालङ्कारो भवतीति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—इष्ट इत्यादि।

इष्ट-सिद्धि के लिए इष्टाभिलाषी के द्वारा किया जाने वाला इष्ट-प्रतिकूल आचरण विचित्र कहलाता है।

लक्षणगतं विपरीतपदार्थं स्फुटयति—

विपरीतत्वं च प्रतिकूलत्वम्।

स्पष्टम्।

विपरीतता यहां प्रतिकूलतारूप समझनी चाहिए।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्,

जैसे—।

उदाहरणमुल्लिखति—

'बन्धोन्मुक्त्यै खलु मखमुखान्कुर्वते कर्मपाशा-
नन्तःशान्त्यै मुनिशतमतानल्पचिन्तां वहन्ति ।
तीर्थे मज्जन्त्यशुभजलधेः पारमारोढुकामाः
सर्वं प्रामादिकमिह भवभ्रान्तिभाजां नराणाम् ॥"

भवभ्रान्तिभाजाम् संसारभ्रमयुक्तानाम् , नराणाम् मानवानाम् , इह संसारे, सर्वम् सकलम्, कर्मेति शेषः, प्रामादिकम् अनवधानतामूलकम् विपरीतबुद्धिविजृम्भितमिति यावत्, भवतीति शेषः, यतः, इमे भवभ्रान्तिभाजो मनुजाः, बन्धोन्मुक्त्यै बन्धात् मुक्तिलाभाय संसारभावोच्छेदायेति गूढोऽर्थः, मखमुखान् यज्ञप्रभृतीन् , कर्मपाशान् कर्मरूपबन्धनसाधनानि, कुर्वते कुर्वन्ति, यज्ञफलभोगाय जन्मग्रहणस्यावश्यकतया यज्ञादिकं न मोक्षोपाय इति भावः, अन्तः शान्त्यै अन्तःकरणे शान्तिलाभाय, मुनिशतमतानल्पचिन्ताम्-असंख्यमुनिरचितशास्त्रमहाचिन्ताम् , वहन्ति धारयन्ति, किञ्च, अशुभजलधेः अकल्याणपारावारस्य, पारम् अन्तम् , आरोढुकामाः गन्तुकामाः इमे जना इति शेषः, तीर्थे गङ्गादौ, मज्जन्ति ब्रुडन्तीत्यर्थः ।

उदाहरण उपस्थित किया जाता है—बन्धोन्मुक्त्यै इत्यादि ।

संसार-भ्रमयुक्त मनुष्यों के सभी कार्य प्रामादिक (गलत) होते हैं, क्योंकि ये लोग बन्धन से छूटने के लिए यज्ञादिक कर्मपाशों की रचना करते हैं, अन्तःकरण की शान्ति के लिए सैकड़ों मुनियों के मतों की (शास्त्रों की) अत्यधिक चिन्ता करते हैं और अशुभ समुद्र के पार जाने की इच्छा से तीर्थ में डुबकी लगाते हैं ।

उपपादयति—

अत्र प्रथमचरणगतं विचित्रं रूपकानुप्राणितम् , यज्ञादिकर्मकरणस्य यज्ञादीनां पाशत्वासिद्धौ बन्धमुक्तिविपरीतत्वासंगतेः । द्वितीयचरणगतं तु शुद्धम् , शान्तौ चिन्तायाः स्वरूपेणैव विपरीतत्वात् ।

यज्ञप्रभृतिकर्मसु पाशत्वारोप एव मुमुक्षुकर्तृकं यज्ञानुष्ठानं बन्धोन्मुक्तिरूपस्येष्टस्यापेक्षया विपरीताचरणरूपं भवतीति प्रथमचरणगतस्य विचित्रालंकारस्य । रूपकानुप्राणितत्वं सिद्ध्यति । द्वितीयचरणगतो विचित्रालंकारस्तु न केनापि अलंकारेणानुप्राणितः, अतः शुद्ध एव चिन्तायाः स्वरूपत एव शान्तिप्रतिकूलत्वान्न चिन्तायां वस्त्वन्तरारोपापेक्षेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'बन्धोन्मुक्त्यै—' इस पद्य में लगातार तीन चरणों में तीन विचित्रालङ्कार हैं, उनमें से प्रथम चरणगत 'विचित्र' (बंध छुड़ाने के लिए कर्मपाशों की रचना) रूपक से अनुप्राणित है, यदि यज्ञादिक कर्मों को पाशरूप न माना जाय तो 'यज्ञादि कर्म करने' को 'बन्ध-मुक्ति' के विपरीत कहना संगत नहीं होता ।

द्वितीय चरणगत 'विचित्र' तो शुद्ध है, क्योंकि चिन्ता स्वरूपतः ही शान्ति के विपरीत है—अर्थात् शान्ति-विपरीत होने के लिए चिन्ता में किसी अन्य वस्तु के आरोप की अपेक्षा नहीं है ।

तृतीय चरणगत 'विचित्र' (अशुभ-समुद्र के पार जाने की इच्छा से तीर्थ में डुबकी

लगाना) भी रूपकानुप्राणित ही है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि अशुभ को समुद्ररूप माने बिना 'तीर्थ में डुबकी लगाना' विपरीत नहीं होता।

विनिगमनाविरहसिद्धं लक्षणान्तरमुल्लिख्य तदनुसार्युदाहरणमुपस्थापयति—

यदि तु इष्टैषिणो भ्रान्तत्वाभिव्यक्तेस्तुल्यत्वात्स्वतः सिद्धे इष्टे तदनुकूलाभासप्रयोगोऽपीष्टैपिकर्तृको विचित्रमित्युच्यते, लक्षणे च विपरीतपदस्थानेऽननुकूलपदं न्यस्यते तदा इदमप्युदाहरणम्। यथा—

'विष्वद्रीचा भुवनमखिलं भासते यस्य धाम्ना
सर्वेषामप्यहमयमिति प्रत्ययालम्बनं यः।
तं पृच्छन्ति स्वहृदयगतावेदिनो विष्णुमन्या-
नन्यायोऽयं शिव शिव नृणां केन वा वर्णनीयः॥'

तदनुकूलाभासप्रयोग इति। इष्टसाधनाभासप्रयोग इति भावः।

अयमत्राभिप्रायः—इष्टसिद्ध्यर्थमिष्टैषिणा क्रियमाणेनेष्टविपरीताचरणेनेष्टैपिणो भ्रान्तत्वमभिव्यज्यते। एवञ्चेष्टैषिणो भ्रान्तत्वाभिव्यक्तिरेव विचित्रालङ्कारे बीजं सिद्ध्यति। तथा चेष्टाभिलाषिकर्तृकम् इष्टसाधनत्वप्रकारकभ्रमविशेष्यीभूतेष्टविपरीतकर्मकाचरणं यथा 'विचित्रम्' स्वीक्रियते तथा स्वतः सिद्धे इष्टे इष्टाभिलाषिकर्तृकः इष्टसाधनत्वप्रकारकभ्रमविशेष्यीभूतेष्टसाधनाभासप्रयोगोऽपि विचित्रालङ्कारतया स्वीकर्तव्य एव, इष्टाभिलाषिणो भ्रान्तत्वाभिव्यक्तेर्विचित्रालङ्कारबीजस्य सत्त्वात्। एतत्संग्रहार्थञ्च लक्षणे 'विपरीत' पदस्थानेऽननुकूलपदं देयम्—अर्थात् 'इष्टसिद्ध्यर्थम् इष्टैपिणा क्रियमाणमिष्टाननुकूलाचरणम् विचित्रम्' इति लक्षणं कार्यम्। कृते चैतादृशे लक्षणे तत्संग्रहः स्पष्ट एव, इष्टसाधनाभासप्रयोगस्येष्टविपरीतत्वाभावेऽपि इष्टाननुकूलत्वध्रौव्यात्। एवञ्च प्रागुक्तपद्यस्य विचित्रालंकारोदाहरणता यथा भवति तथा 'विष्वद्रीचा—' इति पद्यस्यापि तदुदाहरणता संपद्यत इति। 'विष्वद्रीचा—' इति। विष्वद्रीचा विष्वक् = सर्वतः अञ्चति = प्रसरति तत् विष्वद्र्यङ् तादृशेन सर्वतोव्यापिनेति यावत्, यस्य विष्णोः, धाम्ना तेजसा, अखिलम् समग्रम्, भुवनम् जगत्, भासते प्रकाशते, यः विष्णुः, सर्वेषाम् प्राणिनाम्, 'अयमहम्' इति प्रत्ययालम्बनम् 'अयमहम्' इत्याकारकप्रतीतिविषयः, अस्तीति शेषः, तम् विज्ञातम्, विष्णुम् व्यापकं ब्रह्म, स्वहृदयगतावेदिनः स्वकीयहृदयस्थितब्रह्माज्ञातारः हृदयस्थं ब्रह्म हृदयस्थत्वेनाजानन्त इति यावत्, भ्रान्ताः पुरुषा इति भावः, अन्यान् ब्रह्मज्ञत्वेनाभिमतान् विदुषः, पृच्छन्ति जिज्ञासन्ते। शिवशिवखेदकरमेतदिति भावः, नृणाम् मनुष्याणाम्, अयम् हृदयस्थब्रह्मविषयकपृच्छात्मकः, अन्यायः असद्व्यापारः, केन वर्णनीयः ? वर्णयितुमशक्य इत्यर्थः।

समान युक्ति के आधार पर लक्षण में कुछ परिवर्तन कर तदनुसार एक अन्य उदाहरण उपस्थित किया जाता है—यदि तु इत्यादि।

विचित्रालङ्कार मानने में मूल तत्त्व है इष्टाभिलाषी की भ्रान्तता की अभिव्यक्ति। वह इष्टाभिलाषी द्वारा इष्ट-सिद्धि के लिए इष्टविपरीत आचरण करने पर जिस तरह होती है, उसी तरह इष्ट के स्वतः सिद्ध रहने पर भी इष्टाभिलाषी द्वारा इष्टसाधनाभास (इष्टसाधन जैसा प्रतीत होने पर भी वस्तुतः जो इष्ट का साधन नहीं है) का प्रयोग करने पर भी

होती है, अतः इन दोनों (इष्टविपरीत आचरण तथा इष्टसाधनाभासप्रयोग) को विचित्रालङ्कार मानना उचित है और इन दोनों के संग्रह के लिए लक्षण में यदि 'विपरीत' पद के स्थान पर 'अननुकूल' पद रक्खा जाय अर्थात् उक्त लक्षण के स्थान पर यदि 'इष्ट-सिद्धि के लिए इष्टाभिलाषी के द्वारा किया जाने वाला इष्ट के अननुकूल आचरण विचित्र है' ऐसा लक्षण माना जाय, तब उक्त उदाहरण तो होगा ही, क्योंकि इष्टविपरीत आच-रण इष्ट का अननुकूल भी होता ही है, साथ-साथ 'विष्वद्रीचा—अर्थात् जिनके सर्वव्यापी तेज से संपूर्ण संसार प्रकाशित हो रहा है और जो सभी की 'यह मैं' (अहम्) इस प्रतीति का आधार है ऐसे विष्णु को, स्वहृदयस्थित वस्तु को न जानने वाले मूढ जन दूसरों से पूछते फिरते हैं, शिव ! शिव !! मनुष्यों के इस अन्यान्य का वर्णन कौन कर सकता है ?' यह पद्य भी उदाहरण हो सकता है।

अस्यानुपदोक्तपद्यस्योदाहरणतानुपपादयति—

अत्र जीवरूपेण सकललोकप्रत्यक्षसिद्धस्य परमेश्वरस्य प्रतिपत्त्यर्थं परान्प्रति प्रश्नोऽनुकूलाभासः। मुख्यमनुकूलं तु स्वहृदयमेव। 'यत्साक्षादपरोक्षात्' इति वचनात्।

जीवरूपेण स्थितः प्रत्यक्षसिद्धः परमेश्वरः स्वतःसिद्ध इष्टः, तदर्थमनुकूलप्रयोगः स्वहृदयान्वेषणम्। तद्विहायान्यान्प्रति तद्ज्ञानार्थं प्रश्न इष्टसाधनाभासप्रयोगरूपः 'विष्व-द्रीचे'ति पद्ये वर्णित इति विचित्राऽलंकारोऽत्र भवतीति भावः।

उक्त द्वितीय पद्य को विचित्रालंकार का उदाहरण सिद्ध करने के लिए उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'विष्वद्रीचा—' इस पद्य में जीवरूप से सभी लोगों के लिए प्रत्यक्षसिद्ध अतएव स्वतः सिद्ध इष्टस्वरूप परमेश्वर के ज्ञान के लिए जो दूसरों से प्रश्न किया गया है वह अनुकूलाभास (इष्टसाधन का आभास) है, क्योंकि उस इष्ट का साधन मुख्य रूप से अपना हृदय ही है, जैसा कि—'यत्साक्षादपरोक्षात्' इस श्रुतिवाक्य से सिद्ध है।

विषमालंकारात् विचित्रालंकारे वैलक्षण्यसिद्ध्यर्थम् शंकासमाधाने विधत्ते—

न च कारणाननुरूपं कार्यमिति। विषमभेदोऽयं वाच्यः, विषमे पुरुषकृते-रनपेक्षणात्। कार्यकारणगुणवैलक्षण्येनैव तद्भेदनिरूपणाच्च।

ननु इष्टाभिलाषिणा क्रियमाणस्येष्टाननुकूलाचरणस्य कारणाननुरूपकार्यरूपतया विषमा-लंकार इति चेन्मैवम्, 'विषमे कारणाननुरूपकार्योत्पत्तौ पुरुषप्रयत्नापेक्षाया अनावश्यक-त्वात्, गुणवैलक्षण्यप्रयुक्तस्यैव कार्य-कारणयोरननुरूपत्वस्य तत्र स्वीकाराच्च, इह तु पुरुषप्रयत्नापेक्षाऽऽवश्यकी, गुणवैलक्षण्यस्याक्रोडीकारश्चेति भावः।

विषम से विचित्र में अन्तर सिद्ध करने के लिए एक शङ्का-समाधान अब किया जाता है—न च इत्यादि।

अभिप्राय यह है कि इष्टाभिलाषी के द्वारा किया जाता हुआ इष्टप्रतिकूल आचरण कारणप्रतिकूल कार्यरूप ही सिद्ध होता है, अतः विचित्रालङ्कार विषमालंकार में ही समाविष्ट हो जाता है यह आशंका उचित नहीं, क्योंकि विषम में जो कारण से विपरीत कार्य की उत्पत्ति होती है उसमें पुरुष के प्रयास की अपेक्षा नहीं की गई है और विचित्र में पुरुष-प्रयास से सिद्ध विपरीत आचरण अपेक्षित होता है, इसी तरह विषम के भेदों का निरूपण कारण तथा कार्य के गुणों की विलक्षणता के आधार पर ही किया गया है

और विचित्र के निरूपण में खास कर कार्य-कारण के गुणों की विलक्षणता को आधार नहीं बनाया गया है। फलतः विषम से पृथक् ही यह विचित्रालंकार है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे विचित्रालङ्कारप्रकरणम्।

रसगङ्गाधरे निबन्धे विचित्रालंकारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां विचित्रालङ्कारप्रकरणम्॥

रसगङ्गाधर में विचित्रालङ्कारप्रकरण समाप्त हुआ।

रसगङ्गाधरगत विचित्रालङ्कार की हिन्दी व्याख्या समाप्त॥

अधिकालङ्कारप्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथाधिकालङ्कारः—

अधिकालंकारो निरूपणीयतया प्रारब्धो बोध्य इति भावः।

अब अधिकालङ्कार का निरूपण प्रारब्ध होता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

आधाराधेययोरन्यतरस्यातिविस्तृतत्वसिद्धिफलकमितरस्यातिन्यूनत्वकल्पनमधिकम्॥

आधारस्यातिन्यूनत्वकल्पनेनाधेयस्यातिन्यूनत्वकल्पनेनाधारस्य वाऽतिविस्तृतत्वं यदि सिद्ध्यति तदा तत्राधिकालङ्कार इति भावः। एवञ्चाधिकालङ्कारस्य द्वौ प्रकारौ निरूपिताविति बोध्यम्।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—आधारा इत्यादि। आधार और आधेय में से किसी एक को अतिविस्तृत सिद्ध करने के लिए दूसरे की अतिन्यूनता की कल्पना अधिकालङ्कार है।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्,

जैसे—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'लोकानां विपदं धुनोषि, तनुषे संपत्तिमत्युत्कटा-
मित्यल्पेतरजल्पितैर्जडधियां भूपाल मा गा मदम्।
यत्कीर्त्तिस्तव वल्लभा लघुतरब्रह्माण्डसद्मोदरे
पिण्डीकृत्य महोन्नतामपि तनुं कष्टेन हा वर्तते॥'

हे भूपाल राजन्, 'त्वम्, लोकानाम् जनानाम्, विपदम् विपत्तिम्, धुनोषि नाशयसि, तथा, अत्युत्कटाम् महतीम्, संपत्तिम्, तनुषे विस्तारयसि' इति इत्याकारकैः, जडधियाम् मूर्खाणाम्, अल्पेतरजल्पितैः बहुभाषितैः, मदम् गर्वम्, मा गाः न कुरु, यत् यस्मात्, वल्लभा प्रिया तव भवतः, कीर्त्तिः, महोन्नतामपि अतिविस्तृतामपि तनुम्

स्वशरीरम्, पिण्डीकृत्य संकोच्य, लघुतरब्रह्माण्डसद्मोदरे लघीयसि ब्रह्माण्डरूपगृहमध्ये, कष्टेन, वर्तते तिष्ठति इत्यर्थः।

यो निजवल्लभाया अपि कष्टं शमयितुं न प्रभवति तस्य तव सकल-लोककष्ट-निवारकत्वख्यातिस्तज्जन्यो गर्वश्च वृथेति भावः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—लोकानाम् इत्यादि।

हे राजन् 'आप लोगों की विपत्ति को दूर करते हैं और अत्यन्त उत्कट संपत्ति का विस्तार करते हैं' इस तरह की मूढमतियों की बड़ी बड़ी बातों से गर्व न करें क्योंकि आप की वल्लभा कीर्ति इस छोटे से ब्रह्माण्डरूप गृह के मध्य में अपने अतिविशाल शरीर को सिकोड़ कर बड़े कष्ट से रहती है–जो आप अपनी वल्लभा के कष्ट का भी शमन नहीं कर पाते उनके लिए 'आप लोगों की विपत्ति का निवारण करते हैं' इस तरह की अज्ञजनोक्ति से गर्व करना केवल आत्म-प्रवञ्चना ही है।

उपपादयति—

अत्र ब्रह्माण्डस्यातिसूक्ष्मत्वकल्पनेन कीर्त्तेराधेयायाः परममहत्त्वं फलितम्। तेन च व्याजस्तुतिः परिपोष्यते।

'लोकानाम्—'इत्यस्मिन्पद्ये ब्रह्माण्डरूपस्याधारस्यातिसूक्ष्मत्वकल्पनया कीर्त्तिरूपस्याधेयस्यातिविस्तृतत्वं सिद्ध्यतीत्ययमधिकालंकारस्तेन च निन्दामुखायाः स्तुतिपर्यवसायिन्याः 'व्याजस्तुतेः' (अलंकारस्य) परिपुष्टिर्भवतीति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'लोकानाम्–' इस पद्य में ब्रह्माण्डरूप आधार की अतिलघुता की जो कवि के द्वारा कल्पना की गई है उस से कीर्त्तिरूप आधेय की अतिमहत्ता फलित होती है, अतः यहाँ 'अधिकालङ्कार' हुआ और इस अधिकालङ्कार से 'व्याजस्तुति' अलङ्कार (आरम्भिक निन्दा से परिणाम में होने वाली वर्णनीय राजा की स्तुति) का पोषण होता है।

अधिकस्य द्वितीयं प्रकारमुदाहरति—

'गिरामविषयो राजन्विस्तारस्तव चेतसः।
सावकाशतया यत्र शेते विश्वाश्रयो हरिः॥'

हे राजन्; तव भवतः, चेतसः चित्तस्य, विस्तारः गिरामविषयः वाचामगोचरः वर्णयितुमशक्य इति यावत्, यत्र चेतसि विश्वाश्रयः जगदाधारः विष्णुः, सावकाशतया असंकीर्णतया शेते इत्यर्थः।

अधिकालङ्कार के द्वितीय प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है—गिराम् इत्यादि।

हे राजन्! जिस में जगदाधार भगवान् सावकाशता से (पूरे फैलाव के साथ) सोते हैं आपके उस चित्त का विस्तार वचनागोचर है–अवर्णनीय है।

उपपादयति—

अत्र सावकाशतयेत्यनेन कल्पितया आधेयन्यूनतया आधारस्य महत्त्वं पर्यवस्यति।

'गिराम्–' इत्यस्मिन्पद्ये 'सावकाशतया इत्युक्त्या आधेयस्य हरेर्लघुत्वं कल्प्यते, तेन च आधारस्य चेतसो महत्त्वम् सिद्ध्यति। तथा चाधाराधिक्यरूपोऽधिकालंकारोऽत्र जायत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'गिराम्–' इस पद्य में 'सावकाशता से' इस कथन के द्वारा–आधेय हरि की न्यूनता कल्पित हुई है जिस से आधार राज–चित्त की महत्ता सिद्ध होती है। फलतः यह पद्य आधाराधिक्यरूप अधिकालङ्कार का उदाहरण होता है।

विशेषमाह—

यदि तु सावकाशतयेति विशेषणं विश्वाश्रय इत्यत्रापि योज्यते, तदा शृङ्खला-रूपस्याधाराधिकालङ्कारस्येदमेवोदाहरणम्।

'सावकाशतया विश्वस्याश्रयो हरिर्यत्र चेतसि सावकाशतया शेते' इति रीत्या सावकाशत्वमुभयविशेषणं यदि व्याख्यायेत तदा पद्यमेतत् आधाराधिकाख्यशृङ्खलालंकारस्योदाहरणं भवितुमर्हति, संपूर्णविश्वस्याश्रयदानेऽपि अवकाशोऽवशिष्ट इति हरिरूपस्याधारस्याधिक्यम्। स हरिर्हृदये सावकाशं शेते इति हृदयस्याधिक्यमिति परस्परं संबन्धादिति भावः।

एक विशेष का उल्लेख किया जाता है—यदि तु इत्यादि।

'गिराम्—' इस पद्य में 'सावकाशता से' इस विशेषण की योजना यदि 'विश्वाश्रय (जगदाधार)' में भी की जाय—अर्थात् 'जो सम्पूर्ण जगत् का सावकाशता से आश्रय है वह हरि जिस चित्त में सावकाशता से सोता है' इस तरह से यदि व्याख्या की जाय तब यह पद्य शृङ्खलारूप आधाराधिकालङ्कार का उदाहरण होगा, क्योंकि उक्त रीति से व्याख्या करने पर 'विश्व का सावकाश आधार हरि और हरि का सावकाश आधार चित्त' इस अर्थ की प्रतीति से उत्तरोत्तर का पूर्व पूर्व से युक्त आधाराधेय भाव-संसर्ग के हो जाने से वक्ष्यमाण शृङ्खलालङ्कार का लक्षण संघटित हो जायगा।

उभयविधाधिकालङ्कारयोरेकत्र स्थितिं प्रदर्शयति—

'ब्रह्माण्डमण्डले मान्ति न ये पिण्डीकृता अपि।
परस्परापरिचिता वसन्ति त्वयि ते गुणाः॥'

ये गुणाः, पिण्डीकृता अपि संकोचिता अपि, ब्रह्माण्डमण्डले ब्रह्माण्डसमुदाये, न मान्ति न समाविष्टा भवन्ति, ते गुणा औदार्यपराक्रमादयः, त्वयि भवति, परस्परापरिचिताः दूरस्थतया मिथः परिचयमप्राप्ताः सन्तः, वसन्ति वासं कुर्वन्तीत्यर्थः।

अधिकालङ्कार के दोनों ही प्रकारों की एकत्र स्थिति दिखलाई जाती है—ब्रह्माण्ड इत्यादि।

जो गुण पिण्डीकृत होकर (सिकुड़ाए जाने पर) भी ब्रह्माण्ड-मण्डल में नहीं समाते वे गुण (उदारता, पराक्रम आदि) आप में परस्पर अपरिचित होकर (दूर-दूर पर= सावकाशता से) निवास करते हैं।

वक्तव्यं स्फुटयति—

अत्रोभयविधस्याप्यलंकारस्य सामानाधिकरण्यम्।

'ब्रह्माण्डमण्डले—' इत्येतस्मिन् श्लोके आधेयाधिक्याधाराधिक्यरूपयोर्द्विविधयोरधि-

कालंकारयोः सहस्थितिरस्ति, पूर्वार्धे ब्रह्माण्डमण्डलरूपाधारापेक्षया गुणरूपाधेयस्य 'पिण्डीकृता अपि न मान्ति' इत्यनेनाधिक्यवर्णनात्, उत्तरार्धे गुणरूपाधेयापेक्षया वर्णनीयनृपरूपाधारस्य 'परस्परापरिचिता वसन्ति' इत्युक्त्याधिक्यवर्णनाच्चेति भावः।

वक्तव्य का स्पष्टीकरण किया जाता है—अत्रोभय इत्यादि।

'ब्रह्माण्डमण्डले—' इस पद्य में दोनों प्रकार (आधाराधिक्य और आधेयाधिक्य) के अधिकालंकार को समानाधिकरणता अर्थात् सहस्थिति है, क्योंकि पूर्वार्ध में ब्रह्माण्डमण्डलरूप आधार की अपेक्षा गुणरूप आधेय की अधिकता की कल्पना 'सिकुड़ कर भी नहीं समाते' इस उक्ति के द्वारा की गई है और उत्तरार्ध में गुणरूप आधेय की अपेक्षा वर्णनीय नृपरूप आधार की अधिकता की कल्पना परस्पर अपरिचित होकर बसते हैं' इस कथन के द्वारा की गई है।

लक्षणस्यानतिव्याप्तत्वं स्फुटयति—

लक्षणे कल्पनमित्यनेन यत्राधाराधेययोरन्यतरस्य न्यूनत्वमधिकत्वं च वास्तवं तत्र नातिप्रसङ्गः।

स्पष्टमेव।

अतिव्याप्ति-निरास की सूचना दी जाती है—लक्षणे इत्यादि।

लक्षणगत 'कल्पना' शब्द से यह सूचित किया गया है कि जहां आधार और आधेय में से किसी एक की न्यूनता तथा अधिकता वास्तविक हो (कल्पित नहीं) वहां लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है।

फलितमाह—

एवं च—

'क्वाहं तमो-महदहंखचराग्निवार्भू-
संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः।
क्वेदृग्विधाविगणिताण्डपराणुचर्या-
वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्॥'

इति श्रीभागवतदशमस्कन्ध (१४।११) गतं ब्रह्मस्तुतिपद्यमस्यालंकारस्यानुदाहरणमेव। दिक्कालानवच्छिन्नस्य पारमेश्वरस्य भूम्नः सर्ववेदसिद्धत्वेन कविप्रतिभानुल्लिखितत्वात्।

एवं चेति लक्षणे 'कल्पन' पदप्रवेशे चेति भावः। 'क्वाहम्—' इति ननु ब्रह्माण्डशरीरस्य तव (ब्रह्मणः) अपि ईश्वरत्वम् इत्याशंकायामस्य पद्यस्यावतारः। तमः प्रकृतिः, अहम् अहंकारः, खम् आकाशः, चरो वायुः, अग्निः, वार्जलम्, भूः पृथिवी, एषां द्वन्द्वः, एभिः, संवेष्टितः अण्डाकारः सोऽयं घट एव सप्तवितस्तिपरिमितः, कायो यस्य ईदृशः, अहं ब्रह्मा, क्व? ईदृग्विधानि, अविगणितानि यान्यण्डानि तान्येव परमाणवः तेषां चर्या परिभ्रमणम्, तदर्थम् वाताध्वानः गवाक्षाः (गवाक्षे यथा वायुरवारितो भ्रमति तथा रोमविवरेषु अगणितानि ब्रह्माण्डानि भ्रमन्ति) रोमविवराणि यस्य तस्य ते तव, महित्वम् महत्त्वं, च, क्व? इति तद्व्याख्या।

अहमेकब्रह्माण्डरूपः कदाचित्स्याम् किन्तु तव सर्वव्यापिनः शरीरस्य अनन्तानां रोम्णाम्, अनन्तेषु विवरेषु न जाने कियन्ति ईदृग्विधानि ब्रह्माण्डानि भ्रमन्ति। ततस्तवैश्वर्यस्याग्रे कोऽहमिति तदाशयः। अस्यालंकारस्येति। अधिकालंकारस्येत्यर्थः।

अनुदाहरणत्वे हेतुमाह—दिक्कालानवच्छिन्नस्येति। दिशा कालेन च अनवच्छिन्नः अपरिमितः यः पारमेश्वरः परमेश्वरसंबन्धी भूमा महत्त्वम् स सर्ववेदसिद्धोऽत एव वास्तवो न कविकल्पित इति भावः।

फलितांश का प्रतिपादन किया जाता है—एवं चेत्यादि।

लक्षण में जब आधार तथा आधेय की न्यूनता तथा अधिकता का कल्पित होना (वास्तविक न होना) स्वीकृत किया गया तब 'क्वाहम्,—अर्थात् प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन आठ आवरणों से वेष्टित इस ब्रह्माण्ड में जिसका केवल सात वितस्ति (विते) का शरीर है ऐसा, मैं (ब्रह्मा) कहां ? और ऐसे अगणित ब्रह्माण्डरूप जो परमाणु उनके परिभ्रमण के लिए गवाक्ष (झरोखा) के समान रोमविवरवाले आप की महिमा कहां ?' यह श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध में ब्रह्मस्तुति का पद्य इस अधिकालंकार का उदाहरण नहीं होता, क्योंकि दिशा-काल आदि से अपरिच्छिन्न परमेश्वर की महत्ता सब वेदों से सिद्ध है—वास्तविक है, अतः उसे कविकल्पित नहीं कहा जा सकता।

अलंकारसर्वस्वकारोक्तोदाहरणस्य निरासं सूचयति—

एतेन—

'द्यौरत्र क्वचिदाश्रिता प्रविततं पातालमत्र क्वचित्—
क्वाप्यत्रैव धरा धराधरजलाधारावधिर्वर्तते ।
स्फीतस्फीतमहो नभः कियदिदं यस्येत्थमेभिः स्थितै-
र्दूरे पूरणमस्तु शून्यमिति यन्नामापि नास्तं गतम् ॥'

इत्यलङ्कारसर्वस्वकारेण यदुदाहृतं तदपि प्रत्युक्तम्।

एतेनेति। न्यूनत्वाधिकत्वयोः काल्पनिकत्वस्वीकारेणेत्यर्थः। 'द्यौरत्र—' इति। जगदधिष्ठानस्य परब्रह्मणो वर्णनम्—अत्र परब्रह्मणि, क्वचित् कस्मिंश्चिद्देशे, द्यौः स्वर्गः, आश्रिता स्थिता, अत्र परब्रह्मणि, क्वचित् , पातालम् , प्रविततम् विस्तृतमस्ति, धराधरस्य मेघस्य यज्जलम् तस्य आधारः समुद्र इति यावत् , अवधिर्यस्यास्तादृशी, धरा पृथ्वी, अपि, अत्रैव परब्रह्मणि, क्वापि, वर्तते, यस्य परब्रह्मणः, कृते, स्फीत-स्फीतम् अतिविस्तृतम् , नभ आकाशोऽपि, कियत् क्षुद्रमित्यर्थः, इत्थम् अनेन प्रकारेण, स्थितैः, एभिः स्वर्गादिभिः प्रागुक्तैः, यस्य परब्रह्मणः, पूरणम् , दूरे, अस्तु, 'शून्यम्' इति यन्नाम, अपि, अस्तं, न गतम्। जगदधिष्ठानत्वेऽपि शून्यमेव कथ्यत इत्यहो परब्रह्मणो महत्त्वमित्यर्थः। उदाहृतम् इति। अधिकालंकारोदाहरणतयोपन्यस्तमिति भावः। प्रत्युक्तमिति। अत्र वर्णितस्य स्वर्गाद्याधेयावधिकपरब्रह्मरूपाधाराधिकत्वस्य वास्तविकतया कविकल्पितत्वविरहेणालंकारत्वाप्रयोजकत्वादिति भावः।

अलङ्कारसर्वस्वकार का उदाहरण भी उपयुक्त नहीं इस बात की सूचना दी जा रही है—एतेन इत्यादि।

इस से (अधिकालङ्कार में आधारादि की न्यूनता अथवा अधिकता कल्पित होनी चाहिए इस कथन से) अलङ्कारसर्वस्वकार ने जो 'द्यौरत्र—अर्थात् इसमें (परब्रह्म में) कहीं स्वर्ग आश्रित है, कहीं विस्तृत पाताल है, इसी में कहीं समुद्रपर्यन्त पृथ्वी वर्तमान है और यह अतिविस्तृत आकाश भी जिसके लिए कितना सा है, इस तरह इन सब के रहने पर भी उसकी पूर्ति तो दूर रही, परन्तु जिसका 'शून्य' यह नाम निवृत्त नहीं हुआ (तात्पर्य यह कि जगदधिष्ठान होने पर भी जो आज तक शून्य ही कहा जाता रहा उस परब्रह्म की महत्ता के विषय में क्या कहा जाय ?') यह अधिकालङ्कार का उदाहरण दिया, वह भी खण्डित हो जाता है—अर्थात् यहाँ भी स्वर्गादि आधेय से परब्रह्मरूप आधार की अधिकता वास्तविक होने से अलङ्कार होने की योग्यता नहीं रखती है :

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरेऽधिकालङ्कारप्रकरणम् ।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धेऽधिकालंकारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः ।

रसगङ्गाधरगत अधिकालङ्कार प्रकरण समाप्त हुआ ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामधिकालंकारप्रकरणम् ॥

अन्योन्यालंकारप्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथान्योन्यालङ्कारः—

अन्योन्यालंकारो निरूप्यत्वेन प्रारब्धो बोध्य इति भावः ।

अन्योन्यालंकार का निरूपण अब आरब्ध होता है—

तल्लक्षणं तावदाह—

द्वयोरन्योन्येनान्योन्यस्य विशेषाधानमन्योन्यम् ।

द्वयोः पदार्थयोर्मध्ये एकेनापरस्य परस्परं वैशिष्ट्यसंपादनमन्योन्यनामालंकार इति भावः ।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—द्वयोरित्यादि ।

दो वस्तुओं में से एक दूसरे द्वारा परस्पर विशेष-संपादन अन्योन्यालंकार कहलाता है ।

लक्षणगतं विशेषपदार्थं विवृणोति—

विशेषश्च क्रियादिरूपः ।

क्रियादिरूप इति । अत्रादिना गुणादिपरिग्रहो बोध्यः ।

लक्षणगत विशेष का अर्थ क्रिया आदि समझना चाहिए ।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम् ।

जैसे— ।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'सुदृशो जितरत्नजालया सुरतान्तश्रमबिन्दुमालया ।
अलिकेन च हेमकान्तिना विदधे कापि रुचिः परस्परम् ॥'

सुदृशः सुनयनायाः, जितं रत्नजालम् यया तया, सुरतान्तश्रमबिन्दुमालया संभोगान्तकालोत्पन्नस्वेदसमूहेन, हेमकान्तिना सुवर्णसमानकान्तिना, अलिकेन ललाटेन, च, परस्परम् अन्योन्यम् , कापि अनिर्वचनीया, रुचिः कान्तिः, विदधे कृतेत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—सुदृशः इत्यादि ।

सुरत के अन्त में सुन्दरनयनवाली नायिका के स्वेदबिन्दुओं की, रत्नसमूह को जीतने वाली, माला ने और सुवर्ण की सी कान्तिवाले ललाट ने परस्पर अनिर्वचनीय शोभा का संपादन किया ।

उपपादयति—

अत्र गुणरूपविशेषाधानम्, रुचेर्गुणत्वात् । न च विधानरूपक्रियात्मकविशेषाधानमिह शङ्क्यम् । भावनासामान्यरूपस्य विधानस्याचमत्कारित्वेनाविशेषत्वात् ।

'सुदृशः—' इति पद्ये रुचिरूपगुणात्मकविशेषाधानप्रयुक्तोऽन्योन्यालङ्कारः । विधानक्रियात्मकविशेषाधानमत्रेति तु न वक्तुं योग्यम् , विधानस्य क्रियासामान्यरूपतया चमत्कारितावि‌रहेण विशेषत्वाभावादिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'सुदृशः—' इस पद्य में गुणरूप विशेष का परस्पर आधान हुआ है, क्योंकि 'शोभा' गुण है । 'विधान' रूप क्रियात्मक विशेष का यहाँ आधान हुआ है ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 'विधान' का अर्थ क्रिया सामान्य होता है जिसको अचमत्कारी होने के कारण 'विशेष' नहीं माना जा सकता है ।

उदाहरणान्तरं समुपन्यस्यति—

'परपूरुषदृष्टिपातवज्राहतिभीता हृदयं प्रियस्य सीता ।
अविशत्परकामिनीभुजङ्गीभयतः सत्वरमेव सोऽपि तस्याः ॥'

परस्य स्वपतिभिन्नस्य, पूरुषस्य पुरुषस्य, दृष्टिपात एव वज्रम्, तस्य आहतिः आघातः, तया, भीता, सीता, प्रियस्य रामस्य, हृदयम् , अविशत् प्रविष्टवती, सोऽपि रामोऽपि, परकामिनी परस्त्री तद्रूपा या भुजङ्गी सर्पिणी तस्याः, भयतः, सत्वरमेव शीघ्रमेव, तस्याः सीतायाः, हृदयम् , अविशदित्यर्थः ।

दूसरा उदाहरण उपस्थित किया जाता है—पर इत्यादि ।

पर पुरुष के दृष्टिपातरूप वज्र के आघात से डरी हुई सीता अपने प्रिय (भगवान् रामचन्द्र) के हृदय में प्रविष्ट हुई और परस्त्रीरूप सर्पिणी के भय से वह (प्रिय रामचन्द्र) भी तत्काल उसके (सीता के) हृदय में प्रविष्ट हो गए ।

उपपादयति—

अत्र क्रियारूपविशेषाधानम् ।

'परपूरुष—' इत्यस्मिन्पद्ये सीतया रामस्य हृदये रामेण च सीताया हृदये प्रवेशक्रियाया आधानं कृतमित्यत्र क्रियारूपविशेषाधानप्रयुक्तोऽन्योन्यालंकार इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'परपुरुष—' इस पद्य में क्रियारूप विशेष का आधान हुआ है—अर्थात् 'सीता ने राम के हृदय में और राम ने सीता के हृदय में प्रवेश किया' इस वर्णन में 'प्रवेश' क्रिया

के परस्पर आधान की बात आती है, अतः यह पद्य अन्योन्य के द्वितीय प्रकार का उदाहरण होता है।

कुवलयानन्दकारोक्तमुद्धृत्य खण्डयति—

यत्तु—

"—'यथोर्ध्वाक्षः पिबत्यम्बु पथिको विरलाङ्गुलिः।
तथा प्रपापालिकापि धारां वितनुते तनुम्॥'

अत्र प्रपापालिकायाः पथिकेन स्वासक्त्या पानीयदानव्याजेन बहुकालं स्वमुखावलोकनमभिलषन्त्या विरलाङ्गुलिकरणतश्चिरं पानीयपानानुवृत्तिसंपादनेनोपकारः कृतः। तथा प्रपापालिकयापि स्वमुखावलोकनमभिलषतः पथिकस्य धारातनूकरणतश्चिरं पानीयदानानुवृत्तिसंपादनेनोपकारः कृतः।" इति कुवलयानन्दकार आह। तन्न, तावदियं पदरचनैवायुष्मतो ग्रन्थकर्तुर्व्युत्पत्तिशैथिल्यमुद्गिरति। तथाहि—स्वमुखावलोकनमभिलषन्त्या इत्यत्र स्वशब्दस्य प्रपापालिकाविशेषणघटकत्वेन प्रपापालिकाबोधकत्वमेव न्याय्यम्, न पान्थबोधकत्वम्। एवं स्वमुखावलोकनमभिलषत इत्यत्रापि पान्थबोधकत्वमेव, न त्वदिष्टप्रपापालिकाबोधकत्वम्। एवं स्थितेऽर्थासंगतिः स्पष्टैव। न च सर्वनाम्नां बुद्धिस्थप्रकारावच्छिन्ने शक्तत्वादिष्टबोधोपपत्तिरिति वाच्यम्। तदिदमस्मद्युष्मदादिष्विव तत्तद्विशेषव्युत्पत्तेरपि कल्पनीयत्वात्। सा च प्रकृते यद्विशेषणघटकत्वेन स्वनिजादयः शब्दा उपात्तास्तद्बोधका इत्येवंरूपा। तेन—'स्वदाररतानां विप्राणामहं भक्तः, देवदत्तस्य पुत्रः स्वमातृभक्तः' इत्यादौ मदीयदाररतानामिति देवदत्तमातृभक्त इति च न कस्याप्यभ्रान्तस्य स्वरसवाहिनी प्रतीतिः। अत एव—'निजतनुस्वच्छलावण्यवापी·संभूताम्भोजशोभां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः' इत्यत्र 'दण्डपादगता तनुः प्रतीयते। भवानीगता तु सा अपेक्षिता' इति व्युत्पन्नशिरोमणिभिर्मम्मटभट्टैः काव्यप्रकाशेऽभिहितम्। न चेदं श्रुतिकाटवादिवत्काव्यमात्रविषयं दूषणमिति वाच्यम्। शाब्दव्युत्पत्तौ काव्यस्यानन्तर्भावात्। मदीयदाररतानामिति, देवदत्तमातृभक्त इति च तात्पर्येण प्रागुक्तवाक्यप्रयोक्तुरनुपहसनीयतापत्तेश्च। किंच परस्परोपकारो हि स्वव्यधिकरणव्यापारसाध्य एव चमत्कारित्वाल्लक्षणघटकः, न तु स्वसमानाधिकरणतत्साध्योऽपि। तत्र हि तुषारशिशिरीकरणन्यायेनान्यव्यापारस्यानावश्यकतया चमत्कारिताविरहात्। इह हि धारातनूकरणाङ्गुलिविरलीकरणयोः कर्तृभ्यां स्वस्वकर्तृकचिरकालदर्शनार्थं प्रयुक्तयोस्तत्रैवोपयोगश्चमत्कारी, नान्यकर्तृकचिरकालदर्शन इत्यनुदाहरणमेवैतदस्यालङ्कारस्येति सहृदया विचारयन्तु।

'यथोर्ध्वाक्ष—' इति। ऊर्ध्वाक्षः ऊर्ध्वनयनः, पथिकः चिरकान्तावियुक्त इति यावत्, एतेन तस्य नायिकाननविलोकनोत्सुकत्वं व्यज्यते, विरलाङ्गुलिः मिथोविश्लिष्टाङ्गुलिकः, सन्, यथा येन प्रकारेण, अम्बु जलम्, पिबति, प्रपापालिकापि पानीयदानाधिकृता

काचिद् वनितापि, तथैव तेनैव प्रकारेण, धाराम् जलधाराम्, तनुम् सूक्ष्माम्, वितनुते विस्तारयति करोतीति यावदित्यर्थः। इदं पद्यमन्योन्यालंकारोदाहरणत्वेन कुवलयानन्दे समुपन्यस्तमिति बोध्यम्। कुवलयानन्दकारकृतमुपपादनमुद्धरति—अत्रेत्यादिना। प्रपापालिकायाः पथिकेनोपकारः कृत इत्यन्वयः, एवमग्रेऽपि प्रपापालिकया पथिकस्योपकारः कृत इत्यन्वयो बोध्यः। स्वासक्त्येति। स्वस्मिन् = पथिके, आसक्त्येत्यर्थः। स्वमुखावलोकनमभिलषन्त्या इति। पथिकमुखावलोकनं कांक्षन्त्या इत्यर्थः। संपादनेन करणभूतेन। स्वमुखावलोकनमभिलषत इति। प्रपापालिकामुखदर्शनमिच्छत इत्यर्थः।

पथिकासक्ताया अत एव जलदानच्छलेन बहुकालं यावत् पथिकमुखदर्शनमभिलषन्त्याः प्रपापालिकाया उपकारो यथा पथिकेन विरलाङ्गुलिकरणतश्चिरं जलपानव्यापारप्रसङ्गसंपादनद्वारा कृतस्तथैव प्रपापालिकामुखदर्शनमिच्छतः पथिकस्योपकारः प्रपापालिकयापि जलधारातनूकरणतश्चिरं जलदानप्रसङ्गसंपादनद्वारा विहित इति यथोक्तलक्षणलक्षितः अन्योन्यालंकारोऽत्र भवतीति तदाशयः। खण्डयति—तन्नेति। तत्र युक्तिमाह—तावदित्यादिना। तावदादौ। पदरचनेति। उपपादनवाक्यगतपदरचनेत्यर्थः। आयुष्मत इति। वयोवृद्धस्यापि दीक्षितस्य ज्ञानलाघवसूचनायेदम्। ग्रन्थकर्तुरिति। कुवलयानन्दकर्तुरप्पयदीक्षितस्येत्यर्थः। एवंस्थिते इति। अन्यबोधेच्छया प्रयुक्तस्य स्वशब्दद्वयस्यान्यबोधकत्वे सिद्धान्तिते इत्यर्थः। स्वशब्दस्याभिमतबोधकत्वसमर्थनाय संभावितां युक्तिमाशंकते— न च सर्वनाम्नाम् इति। प्रथमस्थले बुद्धिस्थः प्रकारः पथिकत्वम् द्वितीयस्थले च प्रपापालिकात्वम्, तदवच्छिन्नयोश्च क्रमशः पथिकप्रपापालिकयोः स्वशब्दयोः शक्त्या तयोरभिमतयोस्तेन बोध उपपन्न इति शंकाशयः। समाधत्ते—तदिदमस्मादित्यादि। 'सर्वनाम्नां बुद्धिस्थप्रकारावच्छिन्ने शक्तिः' इति सामान्यव्युत्पत्त्या निर्वाहमपश्यद्भिराचार्यैः तत् इदम् युष्मद्–अस्मद्–शब्देषु यथा 'तच्छब्दः परोक्षबोधकः, इदम् शब्दः प्रत्यक्षबोधकः, अस्मच्छब्दो वक्तृबोधकः' इत्यादयो व्युत्पत्तिविशेषाः कल्प्यन्ते, तथैव स्वशब्देऽपि व्युत्पत्तिविशेषः कल्पनीय एव भवेत् न तया सामान्यव्युत्पत्त्या सामञ्जस्यमिति भावः। ननु कोऽसौ व्युत्पत्तिविशेष इति चेत्तत्राह—सा च प्रकृत इति, नन्वेतादृशव्युत्पत्तिकल्पने किं फलमिति चेत् तद् दर्शयति–तेनेति। अभ्रान्तस्येति। एतेन भ्रान्तस्य (व्युत्पत्तौ भ्रमयुक्तस्य) तथा प्रतीतिः स्यादित्यन्यदेतदिति सूचितम्। न प्रतीतिरिति। तथा प्रतीत्यभावे उक्तव्युत्पत्तिरेव हेतुरिति भावः। अत एवेति। 'यद्विशेषणघटकत्वेन—' इति व्युत्पत्तिसत्त्वादेवेत्यर्थः। 'निजतनुस्वच्छ—' इति। जङ्घाकाण्डोरुनालो नखकिरणलसत्केसरालोकरालः, प्रत्यग्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मञ्जुमञ्जीरभृङ्गः। भर्तुर्नृत्तानुकारे जयति ···· । इत्यवशिष्टसार्धचरणद्वयमिति बोध्यम्। अभिहितमिति। दण्डपादविशेषणघटकत्वेनोपात्तस्य निजशब्दस्य दण्डपादबोधकत्वेनाभीष्टभवानीबोधाभावात् अभवन्मतयोगदोषः' इति तेनोक्तमिति भावः।

शंकते—न चेदमिति। श्रुतिकटुत्वादिकं यथा काव्य एव दोषो, न साधारणवाक्ये, तथैवायमभवन्मतदोषोऽपि काव्यविषय एव, तथा च लक्षणसमन्वयपरकदीक्षितवाक्ये स्वशब्दायथाप्रयोगप्रयुक्तोऽभवन्मतयोगो विद्यमानोऽपि न दोषायेति शंकाशयः, समाधत्ते—

शाब्दव्युत्पत्ताविति। अभवन्मतयोगो नाम दोषः शाब्दव्युत्पत्तिशैथिल्यमूलकः, शाब्दव्युत्पत्तिश्च न काव्यमन्तर्भाव्य कल्प्यते—अर्थात् 'यद्विशेषणघटकत्वेन—' इत्यादिनियमो न काव्य एव स्वीक्रियते, किञ्च यद्ययं नियमः काव्य एव स्वीक्रियेत तदा मदीयदाररतानामित्यादितात्पर्येण 'स्वदाररतानां विप्राणामहं भक्तः' इत्यादिवाक्यप्रयोक्तुरुपहासो यद् विधीयते विज्ञैस्तन्नोपपद्येत, अतः सर्वत्र तन्नियमानुरोधो विधेय एवेति समाधानाशयः।

अत्र "यत्तु स्वमुखावलोकनमभिलषन्त्या इत्यत्र स्वशब्दस्य प्रपापालिकाबोधकत्वमेव न्याय्यं न पान्थबोधकत्वं यद्विशेषणघटकत्वेन स्वनिजादिशब्दा उपात्तास्तद्बोधका इति व्युत्पत्तिरिति कैश्चिदुक्तम्, तदयुक्तम्, मुख्यविशेष्यविशेषणघटकस्यैव स्वनिजादिशब्दस्य मुख्यविशेष्यमात्रगामित्वव्युत्पत्तेः, यथा देवदत्तस्य पुत्रः स्वमातृभक्त इत्यादौ स्वशब्दस्य तादृशपुत्रगामित्वम्, न गुणभूतदेवदत्तगामित्वम्, अत एवेदृशस्थल एव 'निजतनुस्वच्छलावण्यवापीसंभूताम्भोजशोभां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्या' इत्यत्राभवन्मतयोगत्वं दूषणमुदाहृतं मम्मटभट्टैः काव्यप्रकाशिकायाम्। अन्यत्र तु न स्वविशेष्यगामित्वनियमः। स्वाश्रितां विप्राणामयं पालकः, स्वाज्ञाकारिणां भृत्यानामयं कल्पवृक्ष इत्यादौ व्यभिचारात्। न चैवं स्वदाररतानां विप्राणामहं भक्त इत्यत्र मदीयदाररतानामिति प्रतीतिः स्यादिति वाच्यम्। तात्पर्यस्य नियामकत्वेनापत्त्यभावात्।" इति रमणीयमाह कुवलयानन्दव्याख्यायामलंकारचन्द्रिकायाम्।

अथेदानीम् 'यथोर्ध्वाक्षः—' इति पद्यस्यान्योन्यालंकारोदाहरणता न संभवतीति साधयितुं प्रक्रमते—किञ्चेति। स्वव्यधिकरणेति। परस्परोपकारव्यधिकरणेत्यर्थः। तदिति। व्यापारेत्यर्थः। तत्रेति। स्वसमानाधिकरणव्यापारसाध्यपरस्परोपकार इत्यर्थः।

अयं भावः—अन्योन्यालंकारलक्षणे तादृश एव परस्परोपकारो विवक्षितो य उपकाराधिकरणवृत्तिना व्यापारेण साध्यो न भवेत् स्वोपकारासाधकेन व्यापारेण साध्यमान एव परोपकारो लक्षणप्रविष्ट इति यावत्। ननु कुत ईदृश एवोपकारो विवक्ष्यत इति चेत्? तादृशोपकारस्यैव चमत्कारित्वादिति बोध्यम्। न च विभिन्नविधे उपकारे कथं न चमत्कार इति वाच्यम् यथा स्वतः शिशिरस्य तुषारस्य शिशिरीकरणं व्यर्थम् तथैव स्वव्यापारसाध्ये उपकारे परव्यापारोऽनावश्यक इति तद्वर्णने सहृदयश्लाघ्यताविरह इत्याशयात्।

एवञ्च 'यथोर्ध्वाक्षः—' इति पद्ये नान्योन्यालंकारप्रसक्तिः यतस्तत्र पानीयपानव्याजेन सुचिरं सुन्दरीमुखावलोकनमिच्छता पथिकेन विरलाङ्गुलित्वविधानेनात्मकर्तृकचिरदर्शन एवोपकारः कृतः न प्रपापालिकाकर्तृके आत्मकर्मकचिरदर्शने एवमेव प्रपापालिकयापि धारातनूकरणेनात्माभिलाष एव साधितः न परोपकारः। यद्यपि पथिककृतेनाङ्गुलिविलीकरणव्यापारेण प्रपापालिकायाः, प्रपापालिकाकृतेन धारातनूकरणव्यापारेण च पथिकस्य उद्देश्यसिद्धौ साहाय्यमभूदिति सत्यम् परन्तु तन्नान्तरीयकम्, अत एवाचमत्कारीति।

अत्र "स्वोपकारसत्त्वेऽपि परस्परोपकारोऽप्यस्त्येव। स न चमत्कारीति तु रिक्तं वचः।" इति नागेशः।

कुवलयानन्दकार के कथन को उद्धृत कर खण्डित किया जाता है—यत्तु इत्यादि।

कुवलयानन्दकार ने अन्योन्यालङ्कार के उदाहरणरूप में 'यथोर्ध्वाक्षः—अर्थात् जिस प्रकार पथिक आंखों को ऊपर उठाते हुए अङ्गुलियों को विरल करके जल पी रहा है उसी प्रकार प्रपापालिका (पनिशाला में पानी पिलानेवाली नायिका) भी जलधारा को पतली करती जा रही है।' इस पद्य को उद्धृत कर लिखा है कि—"यहां पथिक ने अपने में (पथिक में) आसक्ति के कारण जल पिलाने के व्याज से बहुत काल तक अपने (पथिक के) मुख का दर्शन चाहती हुई प्रपापालिका का, अङ्गुलियों के विरलीकरण द्वारा चिर काल तक जल पीने की सिल-सिला को जारी रख कर, उपकार किया उसी प्रकार प्रपापालिका ने भी अपने (प्रपापालिका के) मुख को देखने की अभिलाषा करते हुए पथिक का जलधारा को पतली करने के द्वारा चिर काल तक जल देने की सिल-सिला को कायम रखकर, उपकार किया।" वह संगत नहीं है। कारण, प्रथम तो यह पदरचना ही आयुष्मान् ग्रन्थकर्ता की व्युत्पत्ति-शिथिलता को प्रकट करती है। देखिए—'स्वमुखावलोकनमभिलपन्त्याः—अपने मुख का दर्शन चाहती हुई' इस वाक्यांश में उपात्त 'स्व' शब्द से प्रपापालिका का बोध उचित है, न कि पथिक का, जैसा आपका अभीष्ट है, क्योंकि 'स्व' शब्द यहाँ प्रपालिका के विशेषण में अन्तर्भुक्त है। इसी तरह 'स्वमुखावलोकनमभिलषतः—अपने मुख का दर्शन चाहते हुए' इस वाक्यांश में प्रयुक्त—'स्व' शब्द का अर्थ पथिक होना उचित है न कि आपका अभिमत प्रपापालिका, क्यों कि यहाँ 'स्व' शब्द पथिक के विशेषण में उपात्त हुआ है। और यदि इस सिद्धान्त के अनुसार उन दोनों का ही बोध होगा तब अर्थ की असंगति स्पष्ट ही है।

आप कहेंगे कि—सर्वनामों की शक्ति 'बुद्धिस्थ प्रकार से अवच्छिन्न' में होती है—अर्थात् जिस वस्तु को वक्ता बुद्धिस्थ कर रक्खा हो वही सर्वनाम का अर्थ होता है, अतः अभीष्ट बोध सिद्ध हो जायगा, क्योंकि यहाँ क्रमशः 'पथिकत्व' और 'प्रपापालिकात्व' ही वक्ता अप्पयदीक्षित के बुद्धिस्थ प्रकार हैं, तदवच्छिन्न पथिक तथा प्रपापालिका में क्रमशः 'स्व' शब्द की शक्ति होगी, पर यह कथन भी उचित नहीं, क्योंकि वह (सर्वनामों की बुद्धिस्थ प्रकारावच्छिन्न में शक्ति) एक सामान्य नियम है, उस से सर्वत्र काम नहीं लिया जा सकता, क्या आप उस नियम के अनुसार तत् शब्द का प्रत्यक्षवर्त्ती, इदम् शब्द का परोक्षवर्त्ती, अस्मद् शब्द का वक्ता से अन्य और युष्मद् शब्द का संबोध्य से भिन्न अर्थ बुद्धिस्थ मान कर करसकते हैं? कभी नहीं, अतः जैसे " 'तत्' परोक्षवर्त्ती का, 'इदम्' प्रत्यक्षवर्त्ती का, 'अस्मद्' वक्ता का और 'युष्मद्' संबोध्य का बोधक हैं" ये सब विशेष नियम मानने पड़ते हैं उसी तरह "-'स्व' 'निज' आदि शब्द जिसके विशेषण के अन्तर्गत होकर गृहीत हों उसके—अर्थात् उस विशेषण के विशेष्यभूत वस्तु के बोधक होते हैं" इस विशेष व्युत्पत्ति की भी कल्पना करनी ही पड़ेगी। इसी का फल यह है कि—'स्वदाररतानां विप्राणामहं भक्तः—अर्थात् अपनी पत्नी में आसक्त ब्राह्मणों का मैं भक्त हूँ' और 'देवदत्तस्य पुत्रः स्वमातृभक्तः—अर्थात् देवदत्त का पुत्र अपनी माता का भक्त है' इत्यादिक में किसी अभ्रान्त व्यक्ति को 'मेरी स्त्री में आसक्त' अथवा 'देवदत्त की माता का भक्त' यह प्रतीति स्वरसतः नहीं होती।

अत एव व्युत्पन्नशिरोमणि मम्मट भट्ट ने काव्यप्रकाश में कहा है कि—"-'निजतनु……' इस में 'निज' पद से दण्डपाद की 'तनु' प्रतीत होती है और अपेक्षित है भवानी की 'तनु' की प्रतीति।" अभिप्राय है कि व्युत्पत्ति (यद्विशेषणघटकत्वेन इत्यादि) को मान कर ही उक्त स्थल पर मम्मट भट्ट ने भी 'अभवन्मतयोग' दोष दिखलाया है, यदि उक्त व्युत्पत्ति नहीं मानी जाय तब वहाँ उक्त दोष नहीं लगता है।

'निजतनु-' इस पद्य का जितना अंश मूल में उद्धृत है उससे अवशिष्ट अंश संस्कृत टीका में उद्धृत कर दिया गया है। इस पद्य का अर्थ यों है—भवानी (पार्वती) का वह चरणदण्ड सर्वोत्कृष्ट है, जो स्वामी (शिवजी) के नृत्त के अनुकरण करते समय अपने शरीर के स्वच्छ लावण्यरूपा वापी से उत्पन्न कमल की शोभा का धारण करता है, जिस कमल का बड़ा डठल जंघा काण्ड है, जो कमल नख-किरणों से सुशोभित केसरों की पङ्क्ति से कराल (भरा हुआ) है, ताजे आलते की कान्ति का विस्तार जिसके पल्लव हैं और सुन्दर नूपुर जिसके भ्रमर हैं।]

यह तो कहा नहीं जा सकता कि यह दोष (अभवन्मतयोग) श्रुतिकटुत्व आदि के समान केवल काव्य के ही विषय में है, साधारण वाक्य में नहीं, क्योंकि शाब्दबोध-संबन्धी नियम में काव्य का अन्तर्भाव नहीं है—अर्थात् शाब्दबोध-संबन्धी नियम केवल काव्य में माना जाय, अन्यत्र नहीं, ऐसी बात नहीं है और यदि दुराग्रहवश ऐसी बात मान ली जाय तब 'मेरी पत्नी में आसक्त' और 'देवदत्त की माता का भक्त' इस तात्पर्य से 'स्वदाररतानां विप्राणामहं भक्तः' तथा 'देवदत्तस्य पुत्रः स्वमातृभक्तः' इन वाक्यों का प्रयोग करने वाले का जो उपहास होता है वह अनुपपन्न हो जायगा।

यहाँ कुवलयानन्द की टीका अलंकार-चन्द्रिका में अच्छा विचार प्रस्तुत किया गया है। उसमें कहा गया है कि—"मुख्य विशेष्य के विशेषण में प्रयुक्त 'स्व' 'निज' आदि शब्द ही केवल मुख्य विशेष्य के बोधक होते हैं, जैसे 'देवदत्तस्य पुत्रः स्वमातृभक्तः' यहाँ पुत्ररूप वाक्यगत मुख्य विशेष्य के विशेषण (स्वमातृभक्तः) में प्रयुक्त 'स्व' शब्द पुत्र रूप मुख्य विशेष्य का ही बोधक होता है, गौण देवदत्त का नहीं। अत एव मम्मट भट्ट ने भी ऐसे स्थल पर ही अभवन्मत योग दोष दिखलाया है—अर्थात् 'निजतनुस्वच्छ—' इस वाक्य में भी 'निज' शब्द का प्रयोग वाक्यगत मुख्य विशेष्य चरणदण्ड के विशेषण में हुआ है, अतः उससे चरणदण्ड का ही बोध होगा, अभिमत भवानी का नहीं।

अन्यत्र—अर्थात् जहाँ वाक्यगत मुख्य विशेष्य के विशेषण में स्व-निज आदि शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ हो वहाँ, 'स्व' 'निज' आदि शब्द अपने विशेष्य का ही बोधक हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि 'स्वाश्रितानां विप्राणामयं पालकः (अपने आश्रित ब्राह्मणों का यह पालक है)' 'स्वाज्ञाकारिणां भृत्यानामयं कल्पवृक्षः (अपने आज्ञाकारी सेवकों के लिए यह कल्पतरु है)' इत्यादि स्थानों पर वैसा नहीं देखा जाता है—अर्थात् इन स्थानों पर क्रमशः विप्र और भृत्य के विशेषणों में प्रयुक्त स्वशब्द से विप्र तथा भृत्य के बोध नहीं होते, अपि तु पालक तथा कल्पवृक्ष के रूप में अभिमत मुख्य विशेष्य के ही बोध होते हैं। यद्यपि इस के बाद भी यह शङ्का बनी रह जाती है कि—'स्वदाररतानां विप्राणामहं भक्तः' यहाँ—'मदीयदाररतानाम्' ऐसी प्रतीति क्यों नहीं होती? पर इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि तात्पर्य भी अन्वय-बोध में नियामक होता है, अतः वैसी आपत्ति नहीं होगी।"

अस्तु, अब अप्पय दीक्षित के कथन में दूसरी आपत्ति देखिए—अन्योन्यालङ्कार के लक्षण में जो 'परस्पर का उपकार' कहा गया है वह अपने से (उपकार से) भिन्न अधिकरण में रहने वाले व्यापार के द्वारा साध्य होने वाला ही विवक्षित हो सकता है, क्यों कि उस तरह के परस्परोपकार में ही चमत्कार होता है, न कि उपकार के अधिकरण में रहने वाले व्यापार के द्वारा साध्य होने वाला परस्परोपकार, क्योंकि जैसे बरफ को ठंढा करने के लिए दूसरे का व्यापार अनावश्यक है उसी तरह अपने व्यापार से होने

वाले अपने उपकार में अन्य व्यापार की अपेक्षा नहीं रहने से चमत्कार का अभाव होता है।

तात्पर्य यह कि अन्योन्यालङ्कार में 'परस्पर का उपकार' ऐसा ही होना चाहिए जो एक का दूसरे के द्वारा निस्स्वार्थ भाव से किया गया हो, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए किए गए प्रयत्न से यदि दूसरे का कुछ उपकार हो भी जाता है तो उससे श्लाघ्यता नहीं रहने के कारण विच्छित्ति नहीं होती है।

इस सिद्धान्त के आधार पर विचार करने से 'यथोर्ध्वाक्षः—' यह पद्य अन्योन्यालङ्कार का उदाहरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ प्रपापालिका ने जो जलधारा को पतली किया है उसमें उसका यह स्वार्थ ही मूल है कि 'मैं चिरकाल तक पथिक के मुख का दर्शन करती रहूँ', अतः उसके इस स्वार्थ में ही उसके द्वारा किए गए व्यापार (जलधारातनूकरण) का उपयोग चमत्कारी समझा जा सकता है, न कि पथिक द्वारा चिरकाल तक नायिका-मुख-दर्शन में, इसी तरह पथिक ने जो अङ्गुलियों को विरल बनाया है वह 'चिरकाल तक मैं नायिका के मुख को देखता रहूँ' इस स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही, अतः उसके उस अङ्गुलिविरलीकरण व्यापार का स्वार्थसिद्धि में ही उपयोग चमत्कारी रूप में समझा जा सकता है, न कि नायिका द्वारा पथिकमुखदर्शन में। तात्पर्य यह कि यहाँ प्रपापालिका और पथिक ने अपने अपने स्वार्थ को ही सिद्ध करने के लिए प्रयास किए हैं इसमें सन्देह नहीं, पर वे प्रयास ऐसे हैं जो दूसरे के स्वार्थ में बाधक नहीं, अपि तु साधक ही हो गए हैं, किन्तु इनको परोपकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती है।

यहाँ ये विचार कैसे हैं इसका विचार सहृदय जन करें।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरेऽन्योन्यालङ्कारप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धेऽन्योन्यालङ्कारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधर में अन्योन्यालङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामन्योन्यालंकारप्रकरणम्॥

विशेषालङ्कारनिरूपणप्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथ विशेषालङ्कारः—

विशेषालङ्कारो निरूप्यतया प्रारब्धो बोध्य इति भावः।

अब विशेषालङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

प्रसिद्धमाश्रयं विना आधेयं वर्ण्यमानमेको विशेषप्रकारः। यच्चैकमाधेयं परिमितयत्किंचिदाधारगतमपि युगपदनेकाधारगततया वर्ण्यते सोऽपरो विशेषप्रकारः॥

यस्याधेयस्य यः प्रसिद्ध आधारस्तमाधारं विना यदि तदाधेयस्य वर्णनं विधीयते तदा तत्रैको विशेषालङ्कारोऽङ्गीक्रियते। किञ्च यदाधेयं वस्तुतो यत्किञ्चिदेवाधारस्थितमेव प्रसिद्धम् तस्याधेयस्य वर्णनं यदि एकस्मिन् काले बहुषु आधारेषु क्रियते तदा तत्र द्वितीयो विशेषालङ्कारोऽङ्गीक्रियते। तथा च प्रथमतो द्विविधोऽयं विशेषालङ्कार इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—प्रसिद्धम् इत्यादि।

विशेषालङ्कार प्रथमतः दो प्रकार का है (१) प्रसिद्ध आश्रय (आधार) के विना वर्णित होनेवाला आधेय यह एक प्रकार है-अर्थात् जिस आधेय का जो प्रसिद्ध आधार है उसके विना यदि उस आधेय का वर्णन किया जाता है तब वहाँ एक प्रकार का विशेषालङ्कार माना जाता है और (२) एक आधेय का जिस किसी परिमित आधार में रहने पर भी एक साथ अनेक आधारों में रहने के रूप में वर्णन किया जाय-यह दूसरा प्रकार है-अर्थात् जिस आधेयभूत वस्तु की स्थिति किसी एक आधारभूत वस्तु में प्रसिद्ध है एक साथ उस की स्थिति का वर्णन यदि अनेक आधारों में किया जाय तब वहाँ दूसरे प्रकार का विशेषालङ्कार स्वीकृत होता है ।

द्वितीयलक्षणगतं युगपत्पदार्थम् विवृणोति—

युगपदिति विशेषणाद्वक्ष्यमाणे पर्याये नातिव्याप्तिः । एवं च ग्रन्थान्तरगतानि लक्षणान्यतिप्रसक्तान्येव ।

'क्रमेणानेकाधिकरणमेकमाधेयमेकः पर्यायः' इत्येतल्लक्षणलक्षिते 'आयाता कमलासनस्य भवनाद् द्रष्टुं त्रिलोकीतलम् , गीर्वाणेषु दिनानि कानिचिदहो नीत्वा पुनः कौतुकात् । भ्रान्त्वा भूवलये महाकविकुलोपास्या तवास्याम्बुजे, राजन्संप्रति सत्यधामनि गिरां देवी सुखं वर्तते ॥" इत्यादावपि अनेकाधारेषु एकस्याधेयस्य वर्णनात्प्राप्तां विशेषालङ्कारलक्षणातिव्याप्तिं वारयितुं लक्षणे युगपत्पदप्रवेश इति भावः । एवञ्च युगपत्पदार्थं न सन्निविश्य-विशेषालङ्कारलक्षणं येन केनापि ग्रन्थान्तरे कृतं तदतिव्याप्तमेवेति बोध्यम् ।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—युगपदित्यादि ।

'युगपत् (एक साथ)' इस विशेषण के कारण आगे कहे जाने वाले पर्याय अलङ्कार में अतिव्याप्ति नहीं होती ।

तात्पर्य यह कि पर्याय अलङ्कार में भी एक आधेय का अनेक आधारों में वर्णन रहता है, परन्तु एक साथ नहीं, अपि तु क्रमशः, ऐसी स्थिति में यदि विशेषालङ्कार के द्वितीय लक्षण में 'युगपत्' नहीं कहा जाता तो पर्याय के उदाहरण में भी यह लक्षण संघटित होने लगता, अतः 'युगपत्' का यहाँ निवेश किया गया है। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि अन्य ग्रन्थों में जो द्वितीयप्रकारक विशेष के लक्षण किए गए हैं, वे अतिव्याप्ति दोष-युक्त ही हैं, क्योंकि उनमें 'एक साथ' इस अर्थ का बोधक 'युगपत्' आदि कोई पद नहीं रक्खा गया है ।

पराभिमतं विशेषस्य तृतीयं प्रकारं लक्षयति—

"यच्च किंचित्कार्यमारभमाणस्यासम्भाविताशक्यवस्त्वन्तरनिर्वर्तनं स तृतीयो विशेषप्रकारः । एवं चैतदन्यतमत्वं विशेषालङ्कारसामान्यलक्षणम्" इति प्राञ्चः ।

किञ्चित्कार्यं कर्तुम् प्रयस्यन् जनो यदा किमपि असंभावितमशक्यञ्च वस्त्वन्तरं संपादयति तदा तत्र विशेषस्य तृतीयप्रकारः संपद्यते । एवञ्च विशेषस्य न द्वावेव भेदावपि तु त्रयो भेदा भवन्ति । एतत्त्रितयान्यतमत्वञ्च विशेषालङ्कारसामान्यलक्षणमिति प्राचीनाचार्याणां मतमिति भावः ।

अत्र 'प्राञ्चः' इति कथनेन ग्रन्थकृदस्य प्रकारस्य स्वानभिमतत्वं सूचयति तद्रहस्यञ्चाग्रे स्फुटीभविष्यति ।

अन्यमतसिद्ध विशेष-प्रकार का लक्षण किया जाता है—यच्च इत्यादि।

किसी कार्य का आरम्भ करने वाले के द्वारा असंभावित और अशक्य किसी अन्य वस्तु का बन जाना विशेष का तृतीय प्रकार है। इस तरह विशेष के तीन प्रकार होते हैं, दो नहीं और विशेषालङ्कार का सामान्य लक्षण होगा—'एतदन्यतमत्व—इन तीनों में से कोई एक होना।' ऐसा प्राचीनों का कथन है। (फलतः यह ग्रन्थकार का मत नहीं है।)

प्रथमप्रकारस्यावान्तरप्रकारमाह—

तत्र प्रथमः प्रकारो द्विविधः—आधारान्तरगतत्वेनाधेयं वर्ण्यमानम्, निराधारत्वेन च।

प्रथमः प्रकार इति। प्रसिद्धमाश्रयं विना वर्ण्यमानाधेयरूप इत्यर्थः। आधारान्तरेति। प्रसिद्धाधारातिरिक्ताधारे वर्ण्यमानमाधेयमित्यर्थः। निराधारत्वेन चेति। आधाराभाव एव वर्ण्यमानमाधेयमित्यर्थः।

प्रथम प्रकार के अवान्तर भेद किए जाते हैं—तत्र इत्यादि।

उक्त तीन प्रकारों में से प्रथम प्रकार (प्रसिद्ध आधार के विना वर्ण्यमान आधेय) दो तरह का होता है—एक प्रसिद्ध आधार से भिन्न आधार में आधेय का वर्णित होना और दूसरा सर्वथा आधार के अभाव में ही आधेय का वर्णित होना।

उदाहर्तुमाह—

क्रमेणोदाहरणानि—

स्पष्टम्।

क्रमशः उदाहरण, जैसे—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'अये राजन्नाकर्णय कुतुकमाकर्णनयन-
त्वदाधारा कीर्तिर्वसति किल मौलौ दशदिशाम्।
त्वदेकालम्बोऽयं गुणगणकदम्बो गुणनिधे
मुखेषु प्रौढानां विलसति कवीनामविरतम्॥'

राजस्तुतिरियम्—हे आकर्णनयन राजन् विशालनेत्र नृप, कुतुकम् आश्चर्यकरम्, आकर्णय शृणु, किमिति चेत्तत्राह—त्वदाधारा त्वयि वर्तमाना, कीर्तिः ख्यातिः यश इति यावत्, दशदिशाम्, मौलौ मस्तके, किल निश्चयेन, वसति। एवम्, हे गुणनिधे गुणाकर, अयम्, त्वदेकालम्बः त्वन्मात्रगतः, गुणगणकदम्बः गुणावलीसमूहः, प्रौढानाम् महताम्, कवीनाम्, मुखेषु, अविरतम् सततम्, विलसति क्रीडतीत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—अये इत्यादि।

हे आकर्णनयन (विशालनेत्र)! एक कुतुक (आश्चर्यजनक बात) को सुनें—आप जिसके आधार हैं वह कीर्ति दशों दिशाओं के मस्तक पर निश्चित रूप से निवास करती है, और हे गुणनिधे! जिसके एक मात्र आप आलम्बन हैं ऐसा यह गुणावली का समूह प्रौढ कवियों के मुखों में निरन्तर क्रीडा कर रहा है।

उपपादयति—

अत्र दिङ्मौलिगतत्वेन।

'अये—' इत्यस्मिन्पद्ये नृपाधारायाः कीर्त्तेः, दिङ्मौलिरूपाधारान्तरे वर्णनात्प्रथम-प्रकारस्य विशेषस्य प्रथमोपभेदस्योदाहरणता सम्पद्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'अये—' इस पद्य में जिसका प्रसिद्ध आधार राजा है उस कीर्ति का दिशाओं के मस्तक रूप अन्य आधार में वर्णन हुआ है इसी तरह जिस गुणसमूह का प्रसिद्ध आधार राजा है उसका वर्णन कविमुखरूप अन्य आधार में किया गया है, अतः यह पद्य विशेषालङ्कार के प्रथम प्रकार के प्रथम उपभेद का उदाहरण होता है।

प्रथमप्रकारस्य द्वितीयमुपभेदमुदाहरति—

'युक्तं तु याते दिवमासफेन्दौ तदाश्रितानां यदभूद्विनाशः।
इदं तु चित्रं भुवनावकाशे निराश्रया खेलति तस्य कीर्तिः॥'

आसफेन्दौ 'आसफखां' नामकयवननृपतिरूपे चन्द्रे, दिवम् स्वर्गम्, याते गते, सति तदाश्रितानाम् तस्य आसफखां-नामकस्य नृपतेः, आश्रये तिष्ठताम् प्राणिनाम्, यत्, विनाशः, अभूत्' तत्तु, युक्तम् उचितमेव, आश्रयनाशे आश्रितनाशस्य युक्तिसिद्धत्वादिति-भावः, परंतु, इदम् चित्रम् आश्चर्यम्, यत्, निराश्रया निराधारा, तस्य आसफनृपतेः, कीर्तिः, भुवनावकाशे, खेलति क्रीडतीत्यर्थः। अत्र कीर्त्तेराश्रयविरहे वर्णितत्वात् प्रथमप्रकार-कस्य विशेषस्य द्वितीय उपभेदः पदं लभत इति बोध्यम्।

प्रथम प्रकार के द्वितीय उपभेद का उदाहरण दिया जाता है—युक्तं तु इत्यादि।

आसफ खां (एक यवन राजा) रूप चन्द्रमा के स्वर्ग चले जाने पर उनके आश्रितों का जो विनाश हुआ यह तो उचित ही था, पर आश्चर्य यह है कि—संसार के शून्य भागों में उनकी कीर्ति निराश्रय हो कर भी क्रीडा कर रही है।

यहां आधार के सर्वथा अभाव में आधेय कीर्ति की स्थिति का वर्णन होनेसे विशेषा-लङ्कार के प्रथम प्रकार के द्वितीय उपभेद का उदाहरण होता है।

प्रकारान्तरमुदाहर्तुमाह—

द्वितीयः प्रकारो यथा—

एकस्य आधेयस्य युगपदनेकेषु आधारेषु वर्णने जायमानो विशेषस्य द्वितीयः प्रकारो यथेत्यर्थः।

द्वितीय प्रकार—अर्थात् एक आधेय का एक साथ अनेक आधारों में रहने का वर्णन जैसे—।

उदाहरणमुल्लिखति—

'नयने सुदृशां पुरो रिपूणां वचने वश्यगिरां महाकवीनाम्।
मिथिलापतिनन्दिनीभुजान्तःस्थित एव स्थितिमाप रामचन्द्रः॥'

रामचन्द्रः, मिथिलापतेः जनकस्य नन्दिन्याः तनयायाः सीताया इति यावत्, भुजयोः अन्तः अन्तराले स्थित एव, सुदृशाम् सुनयनानाम् सुन्दरीणाम्, नयने नेत्रेषु, जातावेक-वचनम्, रिपूणां शत्रूणाम्, पुरः अग्रदेशे, वश्यगिराम् वशीभूतवाचाम्, महाकवीनाम्, वचने, च, स्थितिम्, आप प्राप्तवानित्यर्थः।

अत्रैकस्य रामचन्द्रात्मकाधेयस्य युगपत् सुन्दरीनयनादिरूपाधारेषु स्थितेर्वर्णनाद्यथोक्त-प्रकारोदाहरणतासंपत्तिरिति बोध्यम्।

उदाहरण का उल्लेख किया जाता है—नयने इत्यादि।

भगवान् राम ने मिथिलेशनन्दिनी (सीता) की भुजाओं के मध्य में स्थित रहते हुए ही सुन्दर नयनवाली नायिकाओं के नयनों में, शत्रुओं के पुरःप्रदेश में और वश्यवाक् महाकवियों के वचन में एक साथ स्थिति प्राप्त की।

यहाँ सीताभुज-मध्यरूप परिमित आधारस्थायी राम रूप आधेय की स्थिति का वर्णन एक साथ सुनयना-नयन आदि अनेक आधारों में की गई है, अतः यह पद्य पूर्वोक्त द्वितीय विशेष प्रकार का उदाहरण होता है।

पुनः प्रकारान्तरमुदाहर्तुमाह—

तृतीयः प्रकारो यथा—

किंचित्कार्यमारभमाणस्यासंभाविताशक्यवस्त्वन्तरनिर्वर्तनरूपः तृतीयो विशेषप्रकारो यथेत्यर्थः।

तृतीय प्रकार–अर्थात् किसी कार्य का आरम्भ करने वाले के द्वारा अशक्य अन्य वस्तु के संपादन, जैसे—।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'कोदण्डच्युतकाण्डमण्डलसमाकीर्ण-त्रिलोकीतलं
रामं दृष्टवतां रणे दशमुखप्राणापहारोद्यतम्।
दुर्दर्शोऽपि नृणामभूदुरुमरुद्वेगप्रचण्डीकृत-
ज्वालाभिर्जगतीतलं कवलयन्कालानलो गोचरः॥'

रणे युद्धे, दशमुखस्य रावणस्य प्राणानाम् अपहारे विनाशे उद्यतम्, अतएव, कोदण्डात् धनुषः च्युतानाम् निस्सृतानाम् काण्डानाम् बाणानाम् मण्डलेन समूहेन समाकीर्णम् व्याप्तम् त्रिलोकीतलम् जगत्त्रयं येन तादृशम्, रामम्, दृष्टवताम्, नृणाम् मनुष्याणाम्, उरुणा महता मरुतः वायोः वेगेन प्रचण्डीकृताभिः ज्वालाभिः, जगतीतलम्, कवलयन् ग्रसन्, दुर्दर्शोऽपि दुःखेन दर्शनीयोऽपि, कालानलः प्रलयाग्निः, गोचरः नयनविषयः, अभूदित्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—कोदण्ड इत्यादि।

युद्ध में रावण के प्राणों का अपहरण करने के लिए उद्यत अतएव धनुष से निकले हुए बाण-समूह से त्रिलोकीतल को व्याप्त करने वाले राम को जिन मनुष्यों ने देखा उन मनुष्यों ने, महावायु के वेग से प्रचण्ड की गई ज्वालाओं से पृथ्वीतल को कवलित करते हुए दुर्दर्श प्रलयानल को भी नयनगोचर कर लिया।

उपपादयति—

अत्र रामदर्शनं कुर्वतां कालानलदर्शनरूपाशक्यवस्त्वन्तरनिर्वर्तनम्।

'कोदण्ड—' इत्यस्मिन्पद्ये रावणवधप्रसङ्गप्राप्तभयंकररामदर्शनकारिजनकृतकालानलदर्शनरूपाशक्यवस्त्वन्तरसम्पादनवर्णनात्तृतीयप्रकारोदाहरणता संघटत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'कोदण्ड—' इस पद्य में रावणवध प्रसङ्ग पर विकरालरूपधारी राम के दर्शन करने वालों के द्वारा प्रलयाग्निदर्शन रूप अशक्य अन्य वस्तु का संपादन वर्णित हुआ है, अतः यह पद्य उक्त तृतीय प्रकार का उदाहरण होता है।

प्राचीनाभिप्रायं प्रकटयन् शंकासमाधाने विधत्ते—

ननु—

'लोभाद्वराटिकानां विक्रेतुं तक्रमानिशमटन्त्या ।
लब्धो गोपकिशोर्या मध्येरथ्यं महेन्द्रनीलमणिः ॥'

इति वक्ष्यमाणप्रहर्षणविषमालङ्कारयोगे तृतीयप्रकारस्यातिव्याप्तिः, दधिविक्रयमारभमाणाया नीलमणिप्राप्तिवर्णनादिति चेत, न। अत्र चाशक्यवस्त्वन्तरनिर्वर्तने तदभेदाध्यवसायनिबन्धनत्वं विशेषणम्। 'कालानलो वीक्षितः' इत्यनुपदमुदाहृते विशेषालङ्कारे यथा अशक्यवस्त्वन्तररूपकालानलवीक्षणं राम–कालानलयोस्तद्दर्शनयोर्वा अभेदाध्यवसानेन निर्वर्तितम्, न तथा 'दधि विक्रेतुमटन्त्या' इत्यत्र महेन्द्रनीलमणिदर्शनमित्यदोषः।

न च भगवति नीलमण्यभेदाध्यवसानेन निर्वर्तितमेव तदिति वाच्यम्। किञ्चित्कार्यमारभमाणस्येत्यत्र यत्कार्यं विशेषणतया प्रविष्टं तेन सहाशक्यवस्त्वन्तरस्याभेदस्य विवक्षितत्वात्। प्रकृते च तक्रविक्रयेण सह नीलमणेरभेदस्यानध्यवसानात्।

'लोभादिति। वराटिकानाम् कपर्दिकानाम् अल्पमूल्यानामिति भावः, लोभात्, तक्रम्, विक्रेतुम्, आनिशम् रात्रिं यावत्, अटन्त्या भ्रमन्त्या गोपकिशोर्या गोपबालिकया मध्येरथ्यम् रथ्याया मध्ये, महेन्द्रनीलमणिः महान् इन्द्रनीलमणिः श्यामवर्णः कृष्ण इति तत्त्वम्, लब्धः प्राप्त इत्यर्थः।

वक्ष्यमाणप्रहर्षणेति। 'साक्षात्तदुद्देश्यकयत्नमन्तरेणाप्यभीष्टार्थलाभः प्रहर्षणम्' इति सामान्यलक्षणान्तर्गताकस्मादभीप्सितार्थलाभरूपद्वितीयप्रकारेत्यर्थः। विषमेति। अननुरूपसंसर्गरूपेत्यर्थः। योग इति। संकर इत्यर्थः। अतिव्याप्तिमुपपादयति—दधिविक्रयमिति। समाधत्ते—नेति। समाधाने युक्तिमाह—अत्रेति। महेन्द्रनीलमणिदर्शनमिति। अभेदाध्यवसानेन निर्वर्तितमित्यस्यानुषङ्गः। प्रथमशङ्कासमर्थनायावान्तरशङ्कामाह—न च भगवतीति। तस्याः समाधानमाह—किञ्चिदिति। प्रकृत इति। 'लोभात्—' इत्यत्रेत्यर्थः।

'किञ्चित्कार्यमारभमाणस्य—' इति तृतीयविशेषप्रकारलक्षणे कार्यपदेन ग्राह्यं यद्वस्तु तेन सहाशक्यवस्त्वन्तरस्य यदि अभेदोऽध्यवसितः तदा तत्र विशेषतृतीयप्रकार इति विवक्षणे 'लोभाद् वराटिकानाम्—' इत्यत्र सामान्यतो दधिविक्रयरूपकार्यमारभमाणायाः गोपबालायाः असंभाविताशक्यनीलमणिप्राप्तिरूपवस्त्वन्तरनिर्वर्तनस्य वर्णनेऽपि तस्य तृतीयविशेषप्रकारलक्षणस्य नातिव्याप्तिः, भगवति नीलमण्यभेदाध्यवसानस्य सत्त्वेऽपि लक्षणघटककार्यत्वेन गृहीतस्य तक्रविक्रयस्य नीलमणिप्राप्तेश्च मिथोऽभेदाध्यवसानाभावात्। 'कोदण्ड—' इत्यत्र तु लक्षणघटककार्यरूपरामदर्शन-कालानलदर्शनयोर्मिथोऽभेदाध्यवसानेन लक्षणसंगतिरिति भावः।

प्राचीन आचार्यों के अभिप्राय को प्रकट करने के संदर्भ में एक शङ्का और उसका समाधान किया जाता है—ननु इत्यादि।

यहां यह शङ्का की जा सकती है कि 'लोभाद् वराटिकानाम्—अर्थात् कौड़ियों के लोभ से छांछ बेचने के लिये रात तक भटकती हुई गोपबाला ने गली के बीच महान् इन्द्र नीलमणि पा लिया।'

इस पद्य में, जहां 'अकस्मात् अभीष्ट अर्थ का लाभ' इस लक्षण के अनुसार प्रहर्षण अलंकार और 'अननुरूप संसर्ग' इस लक्षण के अनुसार विषमालंकार—दोनों का संकर है, उक्त तृतीय विशेष प्रकार की अतिव्याप्ति होती है; क्योंकि यहां 'दधि (तक्र)-विक्रय का आरम्भ करती हुई गोपबाला के द्वारा अशक्य नीलमणि-प्राप्ति का वर्णन हुआ है।

इस का समाधान यह है कि—लक्षण में जो 'अशक्य अन्य वस्तु का संपादन' कहा गया है उसमें 'उसका अभेदाध्यवसान जिसका मूल हो वैसा' यह विशेषण लगाना भी अभीष्ट है, और इस विशेषण को जोड़ देने पर उक्त दोष नहीं हो सकता है, क्योंकि 'कालानलो वीक्षितः' इस अभी-अभी दिए गए विशेषालङ्कार के उदाहरण में जिस तरह से अशक्य अन्य वस्तु रूप कालानल का दर्शन, 'राम और कालानल के अभेदाध्यवसान द्वारा अथवा 'राम-दर्शन और कालानल-दर्शन के अभेदाध्यवसान' द्वारा बताया गया है, उस तरह से 'दही (छांछ) बेचने को भटकने वाली' यहां पर 'महेन्द्र नीलमणि का दर्शन' जिसको आप अशक्य अन्य वस्तु संपादन रूप कहना चाहते हैं, अभेदाध्यवसान द्वारा नहीं बना है।

यदि कहें कि—भगवान् कृष्ण में नील मणि के अभेदाध्यवसान से वह बना ही है, अतः उक्त विशेषण जोड़ने के बाद भी दोष से पिण्ड नहीं छूटने वाला है, तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि लक्षण में 'किसी कार्य को आरम्भ करने वाले के द्वारा' इस जगह जो 'कार्य' विशेषण रूप से प्रविष्ट हो उसके साथ अशक्य अन्य वस्तु का अभेद कहना अभीष्ट है, न कि किसी के साथ अशक्य अन्य वस्तु का अभेद।

और प्रस्तुत उदाहरण-अर्थात् 'लोभाद्वराटिकानाम्—' में लक्षणगत 'कार्य' से गृहीत होने वाले 'तक्र-विक्रय' के साथ नीलमणि प्राप्ति का अभेदाध्यवसान है नहीं।

प्राचीनाभिप्रायवर्णनप्रसङ्ग एवान्यालंकारेषु विशेषालंकारतृतीयप्रकारस्यागतार्थत्वं वर्णयति—

न चातिशयोक्त्या विशेषालङ्कारतृतीयप्रकारस्य गतार्थत्वं वाच्यम्। एतदुदाहरणे रामस्य विषयस्य कालानलेन विषयिणा निगरणाभावात्। नापि रूपकेण। विषय-विषयिणोः सामानाधिकरण्यविरहेणारोपासिद्धेः। न च स्मृत्या। कालानलस्य वीक्षणकर्मत्वश्रवणेन स्मृतिकर्मत्वासिद्धेः। तस्मादशक्यवस्त्वन्तरकरणं विशेषालङ्कारस्यैव प्रभेद इति प्राचामाशयः।

'विशेषालङ्कारतृतीयप्रकारस्य गतार्थत्वं वाच्यम्' इत्यस्य 'नापि रूपकेण' इत्यादावग्रेऽपि संबन्धो बोध्यः।

'किञ्चित्कार्यमारभमाणस्याशक्यासंभावितवस्त्वन्तरकरणम्' इतिलक्षणलक्षितो विशेषस्य तृतीयः प्रकारः अतिशयोक्तौ, रूपके, स्मरणालंकारे च न गतार्थः, अतिशयोक्तौ विषयिणा विषयनिगाणस्यावश्यकत्वात् एतदुदाहरणे 'कोदण्ड—' इत्यत्र च कालानलरूपेण विषयिणा रामरूपस्य विषयस्य निगरणाभावात्, रूपके विषय-विषयिणोरभेदारोपस्यावश्यकत्वात् उक्तोदाहरणे च सामानाधिकरण्याभावेन तयोरभेदारोपस्यासंभवात्, स्मरणालंकारे

उपमेयज्ञानेनोपमानस्मरणस्य प्रतीतेरावश्यकत्वात् प्रागुक्तोदाहरणे च कालानलस्योपमानस्य गोचरपदार्थवीक्षणकर्मतायाः वाच्यवृत्त्यैव प्रतीत्या स्मरणकर्मताया अप्रतीतेश्च । एवञ्चाशक्यवस्त्वन्तरकरणं विशेषालंकारस्यैव प्रभेद एक इति प्राचामाचार्याणामभिप्राय इति भावः ।

प्राचीनों के अभिप्राय-वर्णन प्रसङ्ग में ही अन्य अलङ्कारों में विशेष के इस तृतीय प्रभेद की गतार्थता न हो सकने की बात कही जाती है—न च इत्यादि ।

विशेषालङ्कार का यह तृतीय प्रकार अतिशयोक्ति अलङ्कार से गतार्थ है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस प्रकार के उदाहरण ('कोदण्ड—') में राम रूप विषय का कालानल रूप विषयी के द्वारा निगरण नहीं हुआ है और विषयी द्वारा विषय का निगरण ही अतिशयोक्ति का सामान्य स्वरूप है । इसी प्रकार रूपक से भी इस प्रकार की गतार्थता संभव नहीं, क्योंकि उक्त उदाहरण में विषय (राम) और विषयी (कालानल) का निर्देश समानविभक्तिक रूप में नहीं रहने से एक में दूसरे का अभेदारोप सिद्ध नहीं हो सकता है और रूपक के लिए वैसा होना आवश्यक है । इसी तरह स्मरणालङ्कार से भी इसकी गतार्थता नहीं कही जा सकती, क्योंकि कालानल रूप उपमान उक्त उदाहरण में 'गोचर' पदार्थ-दर्शन क्रिया के कर्म रूप से श्रुत है, अतः उस को स्मरण क्रिया का कर्म नहीं माना जा सकता है, और स्मरणालंकार में उपमेय के ज्ञान से उपमान का स्मरण अपेक्षित होता है । ऐसी स्थिति में 'अशक्य अन्य वस्तु का करण' विशेषालंकार का ही प्रभेद सिद्ध होता है । यह है प्राचीन आचार्यों का आशय ।

पूर्वोक्तप्राचीनाचार्यप्रकाशिताभिप्रायविषये ग्रन्थकृत्स्वविचारं वितनुते—

अत्र विचार्यते—विशेषालङ्कारस्यायं प्रभेद इति कथं विज्ञायते । नहि रूपकादिवदलङ्कारस्य किंचित्सामान्यलक्षणमस्ति, येन तदाक्रान्तत्वेनाशक्यवस्त्वन्तरकरणत्वस्य तत्प्रकारतामभ्युपगच्छेम । न चान्यतमत्वमेव तथाविधमस्तीति वाच्यम् । अनेनैव प्रकारेणेतरालङ्कारभेदत्वस्यापि सुवचत्वात् । अनुगतलक्षणं विना प्राचीनोक्तिराज्ञामात्रमेव राज्ञामितितदपेक्षया पृथगलङ्कारतोक्तिरेव रमणीया ।

अपि च 'येन दृष्टोऽसि देव त्वं तेन दृष्टो हुताशनः' 'तेन दृष्टा वसुंधरा' इत्यादौ वस्त्वन्तरस्य हुताशन-वसुधादर्शनादेरशक्यासंभावितत्वयोरभावात्प्रकृतालङ्कारासंभवेन निदर्शना स्वीक्रियते यदि, तदा, 'येन दृष्टोऽपि देव त्वं तेन दृष्टः सुरेश्वरः' इत्यादौ विशेषालङ्कारेऽपि सैव शरणीक्रियताम् । नहि हुताशन इत्यत्र सुरेश्वर इत्यत्र च विच्छित्तिभेदोऽस्ति ।

एवं च प्राचीनानुसारेण 'कोदण्ड—' इत्यादि यदस्माभिरुदाहृतं तदपि न विशेषसरणिमारोढुमीष्टे । एतेन 'त्वां पश्यता मया लब्धं कल्पवृक्षनिरीक्षणम्' इत्यादिकुवलयानन्दोक्तमुदाहरणं गतार्थम् । तस्मादिदमुदाहरणम्—

'किं नाम तेन न कृतं सुकृतं पुरारे
दासीकृता न खलु का भुवनेषु लक्ष्मीः ।
भोगा न के बुभुजिरे विबुधैरलभ्या
येनार्चितोऽसि करुणाकर हेलयापि ॥'

अत्र यावत्त्रिवर्गप्राप्तिरशक्यकरणम्। नह्यत्र भगवदर्चनेन सुकृतकरणादीनां सादृश्यं विवक्षितम्, येन निदर्शनादि संभाव्येत। किं तु कार्यकारणभावः। एवं चेदानीमशक्यवस्त्वन्तरनिर्वर्तने अभेदाध्यवसाननिबन्धनत्वं न विशेषणम्। न च 'दधि विक्रेतुमटन्त्या' इत्यत्रातिव्याप्तिः। द्वयोः संकरस्य तत्रेष्टेरिति वदन्ति।

अयमिति। तृतीय इति भावः। अस्येति। विशेषस्येत्यर्थः। येनेति। हेतुनेति भावः। तदिति। सामान्यलक्षणेत्यर्थः। तत्प्रकारतामिति। विशेषप्रकारतामित्यर्थः। तथाविधमिति। सामान्यलक्षणमिति भावः। अनेनैवेति। अन्यतमत्वरूपेणेत्यर्थः। सुवचत्वादिति। यथा त्रीन् प्रकारानुक्त्वा एतदन्यतमत्वं विशेषसामान्यलक्षणमितिरीत्या तृतीयस्य प्रकारस्य विशेषालंकारप्रभेदत्वं संसाध्यते तथा कस्याप्यलंकारस्य प्रकारमेकं सर्वाभिमतमुक्त्वा द्वितीयप्रकारस्थाने अशक्यवस्त्वन्तरकरणं संस्थाप्य तदन्यतरत्वमिति सामान्यलक्षणकरणेऽशक्यवस्त्वन्तरकरणत्वस्य अलंकारान्तरप्रभेदताया अपि साधयितुं शक्यत्वादिति भावः।

तदपेक्षयेति। विशेषप्रभेदकथनापेक्षयेत्यर्थः। रमणीयेति। अशक्यवस्त्वन्तरकरणं न विशेषप्रभेदोऽपि तु स्वतन्त्र एवानिर्दिष्टनामालंकार इति कथनमेव सम्यगिति भावः। 'येन दृष्टोऽसि—' इति। हे देव राजन्, येन जनेन, त्वं, दृष्टः—क्रोधावस्थायामालोकितः, तेन, हुताशनः अग्निः, दृष्ट इत्यर्थः। 'तेन दृष्टा वसुन्धरा' इति। अत्रापि 'येन दृष्टोऽसि देव त्वम्' इत्यंशोऽनुवर्तनीयः। अस्मिन् पाठे त्वमित्यस्य क्षमावस्थस्त्वमिति व्याख्या बोध्या। वसुन्धरा पृथ्वी। अन्यत् प्राग्वत्। अशक्यासंभावितत्वयोरभावादिति। अग्निदर्शनम् पृथ्वीदर्शनम् वा नाशक्यमसंभावितं वेति भावः। प्रकृतालङ्कारेति। विशेषालंकारेऽपीति। प्राचीनाभिमते इति शेषः। स्वमतेऽस्यालंकारान्तरोदाहरणताया एव सूचितत्वादिति बोध्यम्। सैवेति। निदर्शनैवेत्यर्थः। विच्छित्तिभेद इति। चमत्कारभेद इत्यर्थः। हुताशनदर्शन-सुरेश्वरदर्शनयोः शक्यसंभावितत्वाशक्यासंभावितत्वाभ्यां वैलक्षण्यसत्त्वेऽपि तयोरकिञ्चित्करतया चमत्कारे न विशेष इति भावः। न विशेषसरणिमिति। तत्रापि उक्तयुक्त्या निदर्शनाया एव शरणीकरणादिति भावः। एतेनेति। उक्तव्याख्यानेनेत्यर्थः। गतार्थमिति। तत्रापि निदर्शनायाः प्रसङ्गादिति भावः। अत्र "अशक्यवस्त्वन्तरकरणकृताधिकचमत्कारसत्त्वादिदं चिन्त्यम्।" इति नागेशः।

किन्नामेति। हे करुणाकर पुरारे दयामय शिव, येन जनेन, हेलया क्रीडया, अपि, त्वम्, अर्चितः पूजितः, असि वर्तसे, तेन, किन्नाम, सुकृतम् पुण्यम्, न कृतम् अपि तु सर्वं पुण्यं कृतमिति भावः, भुवनेषु संसारेषु, का लक्ष्मीः, न दासीकृता, अपि तु सर्वाऽपि दासीकृतेत्यर्थः, सकलं धनमर्जितमिति भावः, विबुधैर्देवैः, अलभ्याः दुष्प्रापाः, के भोगाः, न बुभुजिरे भुक्ताः, अपि तु 'सर्वेऽपि देवदुर्लभा भोगा भुक्ता' इत्यर्थः।

अत्रेति। 'किं नाम—' इति पद्य इत्यर्थः। यावत्त्रिवर्गेति। क्रमशः त्रिषु चरणेषु वर्णिता धर्मार्थकामप्राप्तिरित्यर्थः। अशक्यकरणमिति। धर्मादित्रिवर्गे एकस्य प्राप्तेः शक्यत्वेऽपि सकलस्य प्राप्तेरशक्यत्वं सुस्थमिति भावः। ननु पूर्ववदत्रापि निदर्शना कथं न

स्यादित्यत्राह—नह्यत्रेति। निदर्शना हि सादृश्यमूलकोऽलंकारः, अत्र च भगवत्पूजन—सुकृतकरणादिषु न मिथः सादृश्यं वक्तुरभिप्रेतम्, अतो न निदर्शनाया अत्र प्रसङ्ग इति भावः। अथ सादृश्यस्याविवक्षितत्वे भगवदर्चनेन सह सुकृतकरणादीनां कः सम्बन्धो विवक्षित इति चेत्तत्राह—कार्यकारणभाव इति। भगवदर्चनं कारणम्, सुकृतकरणादिकञ्च कार्यम् तयोरत्राभेदो भङ्गया वर्णित इति भावः।

विशेषमाह—एवं चेदानीमिति। तद्विशेषणविरहे पूर्वमापादितामतिव्याप्तिं स्मारयति—न चेति। इष्टापत्त्या समाधत्ते—द्वयोरिति। तत्र विषम-प्रहर्षण-विशेषाणां त्रयाणाम् संकर इष्ट एवेति भावः।

पूर्ववर्णित प्राचीनों के अभिप्राय पर विचार किया जाता है—अत्र विचार्यते इत्यादि। अब प्राचीनों के अभिप्राय पर विचार किया जाता है कि यह (तीसरा प्रकार) विशेषालङ्कार का प्रभेद है यह कैसे समझा जाता है क्योंकि रूपक आदि के समान इस विशेषालङ्कार का कोई सामान्य लक्षण तो है नहीं, जिससे तदन्तर्गत होने के कारण 'अशक्य अन्य वस्तु के संपादन' को हम विशेष का एक भेद स्वीकृत करें। आप कहेंगे कि—'इन तीनों में से कोई एक' यह सामान्य लक्षण है, तो यह उचित नहीं, क्योंकि इसी प्रकार से ('कोई एक' कह कर) इसको (अशक्य अन्य वस्तु-संपादन को) अन्य किसी अलंकार का भेद भी अनायास कहा जा सकता है। अनुगत लक्षण के अभाव में प्राचीनों का वैसा कथन केवल राजादेश है, इसकी अपेक्षा इसको (अशक्य अन्य वस्तु करण को) एक स्वतन्त्र अलङ्कार कहना ही सुन्दर है।

दूसरी बात यह भी है कि—'येन दृष्टोऽसि—अर्थात् हे देव जिसने आपको (क्रोधावस्था में) देखा उसने अग्नि को देखा अथवा हे देव जिसने आपको (क्षमा करते समय) देखा उसने पृथ्वी को देखा' इत्यादि वाक्यों में यह विशेषालङ्कार (तृतीय प्रकार) नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ की अन्य वस्तु अग्निदर्शन अथवा पृथ्वीदर्शन अशक्य तथा असंभावित नहीं है, अतः अनिच्छा से भी यदि आप यहाँ निदर्शना अलंकार मानेंगे, तब 'येन दृष्टोऽसि देव त्वं तेन दृष्टः सुरेश्वरः—अर्थात् आपको जिसने देखा उसने सुरेश्वर (इन्द्र) को देखा' इत्यादिक में भी, जो आपके विचार से विशेषालङ्कार के तृतीय प्रकार का उदाहरण है, उसी को (निदर्शना ही को) मानिए। कारण, 'अग्नि' और 'इन्द्र' इन दोनों में कोई चमत्कार का अन्तर नहीं है। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि इन दोनों में यद्यपि शक्यता-अशक्यता का तथा संभविता-असंभविता का अन्तर अवश्य है—अर्थात् अग्नि का दर्शन शक्य और संभावित है पर इन्द्र का दर्शन अशक्य और असंभावित है, तथापि यह अन्तर अकिञ्चित्कर है—इससे चमत्कार में कोई अन्तर अनुभूत नहीं होता है।

ऐसी स्थिति में प्राचीनों के अनुसार हमने जो 'कोदण्ड—' इत्यादि उदाहरण दिया है वह भी विशेषालंकार के मार्ग पर आरूढ होने में असमर्थ ही है। तात्पर्य यह कि यहाँ भी राम और कालानल में सादृश्य विवक्षित रहने के कारण निदर्शना मानी जा सकती है।

इस विश्लेषण से 'त्वां पश्यता—अर्थात् आपको देखते हुए मैंने कल्पतरु—निरीक्षण का लाभ किया' इत्यादि कुवलयानन्दोक्त उदाहरण भी गतार्थ हो जाता है—अर्थात् यहाँ निदर्शना ही है, विशेष नहीं।

अतः 'किसी कार्य का आरम्भ करनेवाले के द्वारा अशक्य तथा असंभावित अन्य वस्तु का संपादन' इस लक्षण का लक्ष्य—'किं नाम तेन—अर्थात् हे करुणाकर शिव ! जिसने खेल में भी आप की पूजा कर ली उसने कौन पुण्य न कर लिया, त्रिभुवन में किस लक्ष्मी को दासी न बना ली (कौन सा धन उपार्जित न कर लिया) और देवताओं में अलभ्य कौन से भोग न भोग लिए।' यह पद्य होना चाहिए।

यहां सम्पूर्ण त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ और काम) की प्राप्ति 'अशक्यकरण' है। यहां भगवान् शिव की अर्चना के साथ 'पुण्यकरण' आदि का सादृश्य बतलाना वक्ता का अभीष्ट नहीं है, अपि तु कार्य-कारणभाव बतलाना अभीष्ट है, अतः यहां निदर्शना की संभावना नहीं की जा सकती' क्यों कि निदर्शना सादृश्यमूलक अलङ्कार है।

इस तरह से विचार करने पर 'अशक्य अन्य वस्तु के संपादन' में जो पहले 'अभेदाध्यवसानमूलकत्व' विशेषण लगाने की बात कही गई थी उसकी आवश्यकता नहीं—अर्थात् उक्त विशेषण अब नहीं लगाना चाहिए।

आप कहेंगे कि 'दधि विक्रेतुमटन्त्या' इस पूर्वोक्त उदाहरण में अतिव्याप्ति हो जायगी तो यह कोई दोष नहीं, क्यों कि वहां प्रहर्षण और विषम के संकर के साथ विशेष का संकर हमें अभीष्ट है—ऐसा अन्य विद्वान् कहते हैं।

इस तरह सारांश यह सिद्ध हुआ कि जिस को प्राचीन आचार्य विशेष का तृतीय प्रकार कहते हैं, वह ग्रन्थकार के विचार से एक स्वतंत्र अलङ्कार है, विशेष नहीं, नाम उसका कुछ भी रक्खा जा सकता है, और उसका उदाहरण भी सादृश्य प्रतीतिवाला स्थल नहीं हो सकता, अपि तु कार्यकारण भाव प्रतीतिवाला स्थल हो सकता है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे विशेषालङ्कारप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे विशेषालंकारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत विशेषालङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां विशेषालंकारप्रकरणम्॥

व्याघातालंकारप्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथ व्याघातः—

व्याघातालंकारो निरूप्यतया प्रारब्धो बोध्य इति भावः।

अब व्याघात अलङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है।

तल्लक्षणं तावदाह—

यत्र ह्येकेन कर्त्रा येन कारणेन कार्यं किंचिन्निष्पादितं निष्पिपादयिषितं वा तदन्येन कर्त्रा तेनैव कारणेन तद्विरुद्धकार्यस्य निष्पादनेन निष्पिपादयिषया वा व्याहन्यते स व्याघातः॥

यत्र येन कारणेन केनापि कर्त्रा यत्किंचित्कार्यं संपादितम् तदन्येन कर्त्रा तेनैव कारणेन तद्विरुद्धकार्यनिष्पादनद्वारा तत्कार्यं यदि व्याहन्यते तदा तत्र तन्निष्पादितकार्यव्याहननं व्याघातालंकारस्यैकः प्रकारः, यत्र येन कारणेन केनापि कर्त्रा यत्किंचित्कार्यं निष्पादयितुमिष्टम् तदन्येन कर्त्रा तेनैव कारणेन तद्विरुद्धकार्यनिष्पादनेच्छया यदि व्याहन्यते तदा तत्र तन्निष्पिपादयिषितकार्यव्याहननं व्याघातालंकारस्यापरः प्रकारः। एवञ्च द्विप्रकारकोऽयं व्याघात इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—यत्र इत्यादि।

जहां एक कर्ता ने जिस कारण से कोई कार्य बनाया हो अथवा बनाना चाहा हो वह कार्य दूसरे कर्ता द्वारा उसी कारण से उसके विरुद्ध कार्य के बना देने से अथवा बना देने की इच्छा से बिगाड़ दिया जाय उसे व्याघात कहते हैं। इस तरह से व्याघात के दो प्रकार सिद्ध होते हैं—एक बने कार्य का बिगाड़ना और दूसरा बनाने के लिए अभिलषित कार्य का बिगाड़ना।

लक्षणं विवेचयति—

अत्र व्याघाते पूर्वकर्त्रपेक्षया कर्त्रन्तरस्य वैलक्षण्यप्रत्ययाद्व्यतिरेकसिद्धिफलम्। कर्तृत्वं चेह कार्योद्देशेन प्रवर्तमानत्वम्। प्रयोजनं चास्याविवक्षाया अनुपदमेव वक्ष्यामः।

पूर्वकर्त्रपेक्षयेति। कार्यनिष्पादककर्त्रपेक्षया कार्यनिष्पादनेच्छुकर्त्रपेक्षया वेत्यर्थः। कर्त्रन्तरस्येति। कार्यव्याहन्तुरपरस्य कर्तुरित्यर्थः। प्रवर्तमानत्वमिति। कार्योद्देशेन प्रवृत्त्यभावेऽपि यथाकथंचित्कार्यसंपादकत्वमिह कर्तृत्वं न विवक्षितमिति भावः। किमेवंविधविवक्षायाः प्रयोजनमिति चेत्तत्राह—प्रयोजनं चेति। वक्ष्याम इति। इदं तु नोदाहरणम्—'पाण्डित्येन—' इत्यादिनेति भावः।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

इस व्याघात में पूर्वकर्ता (कार्य की सिद्धि करने वाले अथवा कार्यसिद्धि की इच्छा करनेवाले) की अपेक्षा अन्य कर्ता (कार्य को बिगाड़ने वाले) में विलक्षणता प्रतीत होने के कारण व्यतिरेक (भेद) की सिद्धि फल है। यहाँ 'कर्ता' का अर्थ है 'कार्य के उद्‌देश्य से प्रवृत्त होने वाला, न कि किसी तरह कार्य की सिद्धि में हेतु बन जानेवाला, यह ध्यान में रखना चाहिए। 'कर्ता' की ऐसी व्याख्या क्यों की जा रही है—इसका स्पष्टीकरण शीघ्र ही किया जायगा।

लक्ष्यप्रदर्शनं प्रतिजानीते—

उदाहरणम्—

उदाहरण, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'दीनद्रुमान्वचोभिः खलनिकरैरनुदिनं दलितान्।
पल्लवयन्त्युल्लसिता नित्यं तैरेव सज्जनधुरीणाः॥'

खलनिकरैः दुष्टसमूहैः, वचोभिः वचनैः करणकारकैः, अनुदिनम् प्रतिदिनम्, दलितान् मर्दितान् पीडितानिति यावत, दीनद्रुमान् दीजनरूपवृक्षान्, सज्जनधुरीणाः सज्जनमूर्धन्याः, उल्लसिताः प्रसन्नाः, सन्तः, तैरेव वचनैरेव, नित्यम् सदा, पल्लवयन्ति वर्धयन्तीत्यर्थः। अत्र व्याघातस्य प्रथमः प्रकारः, खलनिकरकर्तृकवचनकरणकदीनद्रुमदलनकार्यस्य सज्जनकर्तृकवचनकरणकपल्लवनात्मककार्यद्वारा व्याहननवर्णनादिति बोध्यम्।

उदाहरण दिखलाया जाता है—दीनद्रुमानित्यादि।

दुष्टसमूहों द्वारा वचनों से प्रतिदिन दलित दीनजनरूप वृक्षों को सज्जन-मूर्धन्यजन उल्लसित (प्रसन्न) होकर नित्य उन्हीं (वचनों) के द्वारा पल्लवित करते हैं।

यहां व्याघात का प्रथम प्रकार है, क्योंकि दुष्ट समूह रूप कर्ता से वचनों द्वारा किए गए दीन-जन-दलन-रूप-कार्य का सज्जनों से वचनों के ही द्वारा व्याहत होना वर्णित है।

अत्रोदाहरणे व्याघातस्य विरोधमूलत्वं प्रतिपादयति—

इह श्रुतिप्रतिपादितवचनत्वरूपैकधर्मपुरस्कारेणाभिन्नीकृतयोः परुषमधुर-वचनयोरेकत्वाध्यवसानात्पुरः स्फुरन्विरोधः प्रातिस्विकरूपेण तत्तत्कार्यहेतुता-विमर्शान्निवर्तत इति विरोधमूलत्वम्।

इहेति। 'दीनद्रुमान्—' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः। श्रुतीति। श्रवणेत्यर्थः। प्रतिपादितेति। उपनीतेत्यर्थः। श्रुत्युपनीतेति वा पाठः। पुर इति। प्रथममिति भावः। प्रातिस्विकरूपेणेति। व्यक्तिगतरूपेणेत्यर्थः। तत्तत्कार्यहेतुतेति। दलनं प्रति परुषं पल्लवनं प्रति च मधुरं वचनं कारणमितिरीत्या पृथक् पृथक् कार्यकारणभावविचारादिति भावः।

वचनत्वरूपधर्मेण परुषमधुरवचनयोरेकत्वे 'एकेन वचनात्मककारणेन कथं दलन-पल्लवनात्मकद्विविधकार्यासिद्धिः' इत्याकारको विरोधः प्राक्प्रतीयते पश्चाच्च नैकेन वचनेन, अपि तु परुषत्वमधुरत्वभेदेन द्विविधाभ्याम् वचनाभ्यां प्रागुक्तयोर्द्विविधयोः कार्ययोः सिद्धि-रिति विज्ञाने स विरोधो निवर्तत इति सिद्धमत्र व्याघातस्य विरोधमूलत्वमित्याशयः।

'दीनद्रुमान्-इस पद्य में 'वचोभिः' 'तैरेव' इन दोनों पदों के श्रवण से 'वचनत्व' रूप जिस एक धर्म का बोध होता है उसको आगे रखकर विचार करने से कठोर और मधुर दोनों तरह के वचन अभिन्न हो जाते हैं—उन दोनों में एकत्व का आरोप हो जाता है, इसलिए प्रथमतः यहां 'वचनों से ही दीनद्रुमों का दलन और वचनों से ही उनका पल्लवन कैसे हो सकता है' इस तरह का विरोध झलकता है, परन्तु अन्त में जब यह विचार किया जाता है कि सामान्यतः एक होने पर भी कठोरता और मधुरता के भेद से वस्तुतः वचन दो हैं और उनमें से प्रथम प्रकार का (कठोर) वचन दलन का कारण है और द्वितीय प्रकार का (मधुर) वचन पल्लवन का कारण है, अतः उन दो तरह के वचनों से दो तरह के कार्य (दलन तथा पल्लवन) हो सकते हैं, तब उक्त विरोध की निवृत्ति हो जाती है, फलतः यहाँ भी व्याघातालंकार विरोधमूलक ही है।

'कर्तृत्वं चेह कार्योद्देशेन प्रवर्तमानत्वम्' इति विवक्षायाः पूर्वप्रतिज्ञातं प्रयोजनं वक्तु-मुपक्रमते—

इदं तु नोदाहरणम्—

'पाण्डित्येन प्रचण्डेन येन माद्यन्ति दुर्जनाः।
तेनैव सज्जना रूढा यान्ति शान्तिमनुत्तमाम्॥'

अत्र दुर्जन-सज्जनयोर्मद-शमकर्तृत्वेऽपि न तदुद्देशेन प्रवृत्तिरिति लक्षण-गतकर्तृविशेषणेनासंग्रहः। न चास्य व्याघातोदाहरणत्वे को दोष इति वाच्यम्। आश्रयविशेषस्वभावसांचिव्येनैकस्यैव कारणस्य विरुद्धकार्यद्वयजनने बाधक-विरहाद्व्याहतेरेवाभावादुदाहरणत्वासंगतेः। न हि लोकसिद्धोऽर्थः काव्या-लङ्कारास्पदं भवितुमर्हति।

'पाण्डित्येन—' इति। येन, प्रचण्डेन दुर्धर्षेण, पाण्डित्येन वैदुष्येण, दुर्जनाः दुष्टाः, जनाः, मादयन्ति मदं लभन्ते, तेनैव प्रचण्डपाण्डित्येन, रूढाः प्रसिद्धाः, सज्जनाः, अनु-

त्तमाम् न उत्तमं यस्याः तादृशीम् सर्वोत्तमामिति यावत् , शान्तिम्, यान्ति प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ।

कर्तृविशेषणेनेति । कार्योद्देशेन प्रवर्तमानत्वरूपकर्तृविशेषणेनेति भावः । शंकते—न चास्येति । समाधत्ते—आश्रयेति । अयं भावः—'पाण्डित्येन–' इति पद्ये यद्यपि दुर्जनो मदस्य सज्जनश्च शमस्य कर्ता निर्दिष्टस्तथा च दुर्जनकर्तृकपाण्डित्यकरणकमदात्मककार्यस्य सज्जनकर्तृकपाण्डित्यकरणकशमात्मककार्यद्वारा व्याहतेर्वर्णनाद् व्याघातालकार आपाततः संभवन् प्रतीयते तथापि कार्योद्देशेन प्रवर्तमानत्वरूपकर्तृत्वस्य लक्षणे विवक्षणान्नासौ पदं धत्ते दुर्जनस्य मदोद्देशेन सज्जनस्य शमोद्देशेन वा प्रवृत्तेरभावात् , मदशमयोस्तत्रायत्नसिद्धत्वात् । अथास्मिन् पद्ये व्याघातालंकारव्यावृत्त्यर्थं कथं तादृशकर्तृत्वनिर्वचनप्रयासो विधीयते ? भवतु नामात्रापि व्याघातः, इति चेन्न, विचारासहत्वात् । तथाहि—विरोधोऽस्यालङ्कारस्य मूलमिति प्रागुक्तम् , विरोधश्च बाधितकार्यद्वयजनने प्रतीयते, अत्र तु न कश्चिद् बाधः, आश्रयविशेषस्वभावमहिम्ना एकेनैव कारणेन द्विविधयोः कार्ययोर्द्विविधे आश्रये उत्पत्तेर्लोकसिद्धत्वात् । लोकसिद्धश्चार्थः स्वाभाविको न कविप्रतिभाजन्मेति न तस्यालंकारभावयोग्यत्वम् । व्याघातशब्दार्थोऽपि नास्यां स्थितौ संघटमानो भवतीति ।

कर्ता का अर्थ यहां 'कार्य के उद्देश्य से प्रवृत्त होने वाला है' यह जो पहले कहा गया है उसका फल दिखलाने के लिए कहा जाता है—इदं तु इत्यादि ।

'पाण्डित्येन—अर्थात् जिस प्रखर पाण्डित्य से दुर्जन मदमत्त हो जाते हैं, उसी पाण्डित्य से प्रख्यात सज्जन गण सर्वोत्तम शान्ति को प्राप्त करते हैं ।' यह पद्य व्याघातलंकार का उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि इस श्लोक-वाक्य में व्याकरण की रीति से दुर्जन मद का और सज्जन शम का कर्ता अवश्य बन गया है, पर उक्त परिभाषितकर्तृत्व उन में नहीं है अर्थात् दुर्जन की प्रवृत्ति मद के उद्देश्य से तथा सज्जन की प्रवृत्ति शम के उद्देश्य से यहां नहीं हुई है, तात्पर्य यह कि मद तथा शम यहां आनुषङ्गिक रूप से हो गए हैं उसके लिए यहां कोई खास प्रयास नहीं किया गया है ।

आप कहेंगे कि इस पद्य को व्याघातालङ्कार का लक्ष्य नहीं बनने देने के लिए यह प्रयास क्यों किया जा रहा है? यह पद्य भी व्याघात का उदाहरण हो जाय तो क्या दोष है ?

इसका समाधान यह है कि आश्रय विशेष के स्वभाव की सहायता से एक ही कारण से दो विरुद्ध कार्यों की उत्पत्ति दो आश्रयों में हो इसमें बाधक नहीं है, अतः व्याघात शब्द का अर्थ ही यहां संघटित नहीं होता, ऐसी स्थिति में व्याघात का उदाहरण इस पद्य को मानना संगत नहीं है, तात्पर्य यह कि जब दुर्जन और सज्जन रूप आश्रय के भेद से एक ही पाण्डित्य मद और शम का कारण हो सकता है, इसमें किसी तरह की बाधा नहीं है, तब तो यह बात लोकसिद्ध ही हुई और लोकसिद्ध वस्तु काव्यालङ्कार का स्थान नहीं हो सकती, क्योंकि काव्यालङ्कार होने के लिये वस्तु का कविप्रतिभोत्थित होना सर्ववादिसम्मत है ।

एक बात और यहां ध्यान देने योग्य है कि विरोध ही इस अलंकार का भी मूल है यह पहले कहा भी जा चुका है और यहां उक्त स्थिति में विरोध भासित होता नहीं है, क्योंकि दो बाधित कार्यों की उत्पत्ति में ही विरोध का भान हो सकता है और यहाँ के दोनों कार्य (मद तथा शम) बाधित ही नहीं है यह बात पहले निर्णीत हो चुकी है ।

व्याघातस्य प्रकारान्तरमुदाहर्तुमाह—

अपरो व्याघातो यथा—

एकेन कर्त्रा निष्पिपादयिषितस्य कार्यस्यापरेण कर्त्रा अन्यकार्यनिष्पादनेच्छया व्याहननं यथेत्यर्थः ।

दूसरा व्याघात—अर्थात् बनाने के लिए अभिलषित कार्य का बिगाड़ना जैसे— ।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'विमुञ्चसि यदि प्रिय प्रियतमेति मां मन्दिरे
तदा सह नयस्व मां प्रणययन्त्रणायन्त्रितः ।
अथ प्रकृतिभीरुरित्यखिलभीतिभङ्गक्षमा-
न्न जातु भुजमण्डलादवहितो बहिर्भावय ॥

हे प्रिय !, अहं तव प्रियतमा, इति हेतोर्यदि, त्वं, मां, मन्दिरे गृहे, विमुञ्चसि त्यक्तुमिच्छसि, तदा, प्रणययन्त्रणायन्त्रितः प्रीति-व्यथा व्याकुलः, त्वम् , माम् , सह नयस्व, प्रियेण प्रियतमायाः सहनयनमेवोचितम् , न तु स्वतो दूरे स्थापनमिति भावः, अथ अनन्तरम् , प्रकृतिभीरुः स्त्री प्रकृत्या = स्वभावेन भीरुर्भवति, इति हेतोर्यदि मां गृहे त्यक्तुमिच्छसि- तदा अवहितः सावधानः, सन् , जातु कदापि, माम् अखिलभीतिभङ्गक्षमात् सकलभयविनाशसमर्थात् , भुजमण्डलात् निजबाहुमण्डलात् , न बहिर्भावय न पृथक्कुरु इत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—विमुञ्चसि इत्यादि ।

हे प्रिय ! मैं आपकी प्रियतमा हूँ इस कारण यदि आप मुझे घर पर छोड़ना चाहते हैं तो प्रेम की व्यथा से व्यथित आप मुझे साथ ही ले चलिए और यदि स्त्री स्वभावतः भीरु होती है ऐसा समझ कर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो सावधान होकर, सभी भयों के भङ्ग करने में समर्थ अपने भुजमण्डल से कभी मुझे बाहर मत रखिए ।

'विमुञ्चसि—' इति पद्यस्य प्रसङ्गं सूचयति—

इदं दण्डकां प्रविविक्षुं भगवन्तं दाशरथिं प्रति भगवत्या जानक्या वाक्यम् ।

पितुरादेशेन यदा भगवान् रामचन्द्रो दण्डकारण्यम् गन्तुमिच्छति तदा भगवती सीतापि तेन सह गन्तुं कामयमाना तस्याः सहगमनस्य विरोधं कुर्वाणं भगवन्तं प्रति 'विमुञ्चसि—' इति पद्यं ब्रूते इति भावः ।

अत्र रामचन्द्रो यत् भीरुत्वं प्रियतमात्वं वा सीतायाः गृहस्थितौ कारणमवगच्छति, तेनैव भीरुत्वेन प्रियतमात्वेन वा सीता सहगमनं समर्थयतीति प्रागुक्तद्वितीयप्रकारोदाहरणता प्रकृतपद्यस्य संपद्यत इति बोध्यम् ।

उक्त पद्य के प्रसङ्ग की सूचना दी जाती है—इदम् इत्यादि ।

'विमुञ्चसि—' यह पद्य भगवती सीता के द्वारा भगवान् राम को तब कहा गया है जब वे पिता के आदेश से दण्डकारण्य जाने के लिए तैयार थे और सीता को साथ नहीं ले जाना चाहते थे ।

यहाँ 'प्रियतमात्व' अथवा 'भीरुत्व' जिन्हें राम 'घर पर छोडना चाहने' का कारण मानते हैं उन्हीं कारणों से सीता 'घर पर नहीं छोडना' सिद्ध कर रही है, अतः उक्त द्वितीय व्याघात प्रकार का यह उदाहरण होता है।

व्याघातालङ्कारविषये प्राचां सिद्धान्तमुल्लिख्यालोचयति—

उभयविधेऽप्यस्मिन्व्याघाते पूर्वकर्तुरभीष्टव्याहननं तुल्यमिति प्राचां सिद्धान्तः। तथा च तेषामुदाहरणम्—

'दृशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दृशैव याः।
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः॥' इति।

अत्र विचार्यते—व्यतिरेक एवात्रालङ्कारः। जयिनीर्विरूपाक्षस्य वामलोचना इति तस्यैव प्रकाशनात्। न चात्र व्यतिरेकोत्थापकतया व्याघातः स्थित इति वाच्यम्। एवमपि तस्यालङ्कारताया असिद्धेः। न ह्यलंकारोत्थापकेनालङ्कारेणैव भवितव्यमिति नियमः। 'आननेनाकलंकेन जयतीन्दुं कलङ्किनम्' इत्यादाविव वस्तुमात्रेणापि व्यतिरेकोत्थापनोपपत्तेः। नह्यस्योक्तप्रकारव्यतिरेकनिर्मुक्तोविषयोऽस्ति येन स्वातन्त्र्यमभ्युपगच्छेम। तस्मादलङ्कारान्तराविनाभूतालङ्कारान्तरवदिहाप्यवान्तरोऽस्ति विच्छत्तिविशेषोऽलङ्कारभेदक इति प्राचामुक्तिरेवात्र शरणम्।

उभयविधे इति। निष्पादितकार्यस्य तद्विरुद्धकार्यनिष्पादनेन व्याहननम्, निष्पिपादयिषितकार्यस्य तद्विरुद्धकार्यनिष्पिपादयिषया व्याहननम् इत्येवंरूपे इत्यर्थः, तुल्यमिति। तथा च न निष्पादनं-निष्पिपादयिषाकृतो भेद इति भावः। 'दृशा दग्धम्-' इति। याः वामलोचनाः, दृशा तृतीयनेत्रेण, दग्धम् भस्मसात्कृतम्, मनसिजम् कामदेवम्, दृशैव दृष्टिपातेनैव, जीवयन्ति, ताः तादृशीः, अतएव, विरूपाक्षस्य त्रिनेत्रस्य, जयिनीः जयनशीलाः, वामलोचनाः, रम्यनेत्राः नायिकाः, स्तुवे स्तौमीत्यर्थः। अत्र विरूपाक्षकर्तृकदृक्करणकमनसिजदहनकार्यस्य वामलोचनाकर्तृकदृक्करणकमनसिजजीवनात्मकविरुद्धकार्यनिष्पादनेन व्याहतेर्वर्णनाद् व्याघात इति प्राचामभिप्रायः। आलोचनां विधत्ते—अत्र विचार्यते इत्यादिना। इतीति। व्याघातासहायकैर्व्यतिरेकसूचकैश्च 'जयिनीः' विरूपाक्षस्य' 'वामलोचनाः' इति त्रिभिः पदैरिति भावः। तस्यैवेति। व्यतिरेकस्यैवेत्यर्थः। एवपदेन व्याघातस्य व्यावृत्तिः। एवमपीति। व्यतिरेकोत्थापकतया व्याघातस्य स्थितत्वेऽपीत्यर्थः। तस्य व्याघातस्य। व्यतिरेकोत्थापनोपपत्तेरिति। तथा च व्यतिरेकोत्थापकतया स्थितोऽपि व्याघातो वस्तुमात्रं, नालङ्कार इति भावः। ननु तादृशस्यापि व्याघातव्यतिरेकयोः संकरस्वीकरणे का विप्रतिपत्तिरिति चेत्तत्राह—नहीति। अस्येति। व्याघातस्येत्यर्थः। उक्तप्रकारः प्रागुक्तरूपो यो व्यतिरेकस्तेन निर्मुक्तः रहित इत्यर्थः। स्वातन्त्र्यमिति। सर्वत्र यदि व्यतिरेकयुक्त एव व्याघात उपलभ्यते, तदा तस्मिन्नेव गतार्थः सः, न स्वतन्त्रोऽलङ्कार इति भावः। अथापि व्याघातस्य स्वतन्त्रालङ्कारत्वमङ्गीकुर्वतां प्राचामभिप्रायं स्फुटीकरोति—तस्मादिति। यथा अनन्वयादयोऽन्येऽलङ्काराः उपमाद्यलङ्कारान्तरसंबद्धा अपि पृथग्विच्छित्तिवशात्पृथग्व्यपदेशभाजो भवन्ति, तथैव नित्यव्यतिरेकसंबद्धस्यापि व्याघातस्यावान्तरविच्छित्तिवशात् स्वतन्त्रालङ्कारतेति प्राचामभिप्रायः।

प्राचीनों के सिद्धान्त की उल्लेखपूर्वक आलोचना की जाती है—उभयविधे इत्यादि, पूर्वोक्त दोनों प्रकार के व्याघातों में पूर्वकर्ता के अभीष्ट की व्याहति समान है, यह प्राचीनों का सिद्धान्त है। फलतः उनके हिसाब से व्याघात का एक ही प्रकार होता है, तदनुसार उन्होंने व्याघात का 'दृशा दग्धम्—अर्थात् दृष्टि के द्वारा दग्ध किए गये कामदेव को जो दृष्टि से ही जिलाती हैं, उन विरूपाक्ष (कुरूप आँखवाले शिव) को जीतनेवाली सुलोचनाओं की मैं स्तुति करता हूँ।' यह एक ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ शिवरूपकर्ता के द्वारा दृष्टि से निष्पन्न किए गए काम-दाह रूप कार्य का व्याहनन नायिका रूप कर्ता द्वारा दृष्टि से ही कामोज्जीवनरूप विरुद्ध कार्य की निष्पत्ति दिखलाकर वर्णित हुआ है, अतः यह पद्य व्याघात का उदाहरण है।

इस पर विचार यह किया जाता है कि—इस पद्य में व्यतिरेक ही अलङ्कार है, व्याघात नहीं, क्योंकि 'जीतनेवाली' 'विरूपाक्ष को' और 'सुलोचना' इन पदों से, जो व्याघात के लिए अनावश्यक हैं, व्यतिरेक का ही प्रकाशन होता है।

कहा जा सकता है कि यहाँ व्यतिरेक के उत्थापक रूप में व्याघात स्थित है, किन्तु इससे भी व्याघात की अलङ्कारता सिद्ध नहीं होती। कारण, अलङ्कार का उत्थापक अलंकार ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। 'आननेन-अर्थात् अकलंक मुख से कलङ्की चन्द्र को जीत रही है' इत्यादिक के समान केवल वस्तु से भी व्यतिरेक का उत्थापन उपपन्न हो सकता है। इस तरह तात्पर्य यह निकला कि—जिन पद्यों को व्याघात का उदाहरण कहा जाता है, उनमें व्यतिरेक के उत्थापक रूप में व्याघात पदार्थ रहता अवश्य है, पर वह अलंकार नहीं, अपि तु वस्तुमात्र रहता है।

यदि कहा जाय कि उन उदाहरणों में व्याघात को भी अलंकार मानकर व्यतिरेक के साथ उसका संकर मानने में क्या आपत्ति है, तो आपत्ति यही है कि यदि व्यतिरेक से निर्मुक्त कोई व्याघात का लक्ष्य उपलब्ध होता तो उसको स्वतन्त्र अलंकार माना जाता, पर जब व्याघात का एक भी उदाहरण व्यतिरेक-निर्मुक्त नहीं उपलब्ध है तब कैसे उसे स्वतन्त्र अलंकार माना जाय? अभिप्राय यह कि व्याघात कोई स्वतन्त्र अलंकार नहीं है।

फिर भी जो व्याघात को एक स्वतन्त्र अलंकार आलङ्कारिक जगत् में माना जाता है, उस में 'अङ्कारान्तर (उपमा आदि) से अविनाभूत (अनिवार्यरूप से संबद्ध) अन्य अलंकारों (अनन्वय आदि) के समान यहाँ भी एक प्रकार का अवान्तर चमत्कार व्यतिरेक से व्याघात को भिन्न अलंकार सिद्ध करता है' यह प्राचीनों की उक्ति ही शरण है।

कुवलयानन्दोक्तमुदाहरणं निरस्यति—

यत्तु—

'लुब्धो न विसृजत्यर्थं नरो दारिद्र्यशङ्कया।
दातापि विसृजत्यर्थं तयैव ननु शङ्कया॥'

इति कुवलयानन्द उदाहृतम्, तन्न।

'लुब्धो न—' इति। लुब्धः लोभविशिष्टः, नरः मनुष्यः, दारिद्र्यशंकया 'अर्थत्यागे दरिद्रो भवेयम्' इति शंकया, अर्थम् धनम्, न विसृजति न त्यजति। दाता दानशीलः, नरः, अपि, तयैव शंकया दारिद्र्यशंकया 'अदाने जन्मान्तरे दरिद्रः स्याम्' इति शंकयेति यावत्, अर्थम्, ननु निश्चयेन, विसृजतीत्यर्थः।

तन्नेति । इदं व्याघातोदाहरणं न युक्तमिति भावः ।

अत्रास्यायुक्तत्वे कापि युक्तिर्नोक्ता ग्रन्थकारेण । सरलाकारेण 'लुब्धस्य तात्कालिकस्य दारिद्र्यस्य शंका, दातुः पुनः जन्मान्तरीयस्य दारिद्र्यस्य शंका, एवञ्च कारणभेदान्न व्याघातप्रसक्तिः' इति कथ्यते । अस्याश्च युक्तेर्निरासः चन्द्रिकाकारेण नागेशेन च 'द्वयोरपि शंकयोरभेदाध्यवसानात् व्याघातलक्षणस्य समन्वय एव' इत्येवं क्रियते । एवञ्च नागेशेनापि ग्रन्थकारस्य सरलाकारोक्त एवाभिप्रायोऽनुमीयत इति स्पष्टमेव ।

हिन्दी रसगङ्गाधरकारस्तु अस्योदाहरणस्यायुक्तत्वेऽपरं हेतुमनुसंधत्ते । स कथयति—अत्र व्याहतिरेव नास्ति, यतो दातुः क्रियया लुब्धस्य कार्ये कापि बाधा नापतति, न वा दाता स्वक्रियया लुब्धस्य कार्ये बाधां दातुमेवेच्छति । इति ।

परमहं तु मन्ये—कुवलयानन्दकारोऽमुमेव व्याहत्यभावमाशंक्यमानं निराकर्तुम् कुवलयानन्दे लिखितवान्—"अत्र पूर्वोत्तरार्धे पक्षप्रतिपक्षरूपे कयोश्चिद्वचने इति लक्षणानुगतिः ।" इति, पूर्वार्धरूपपूर्वपक्षिवचनस्य व्याहतिरुत्तरार्धरूपप्रतिपक्षिवचनेन भवत्येवेति तदाशयः ।

कुवलयानन्दकार के द्वारा कथित एक व्याघातोदाहरण का खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि ।

कुवलयानन्द में जो 'लुब्धो न-अर्थात् लोभी दारिद्र्य की शंका से धन का त्याग नहीं करता और दानी भी उसी शङ्का (दारिद्र्य की शङ्का) से धन का त्याग करता है ।' यह व्याघात का उदाहरण दिया गया है, वह ठीक नहीं है ।

'क्यों वह ठीक नहीं है' इसमें कोई युक्ति ग्रन्थकार ने स्वयं मूल में नहीं लिखी है। सरलाकार ने उसके ठीक न होने में यह युक्ति बतलाई है कि एक ही कारण से जब पूर्व कर्ता के कार्य का दूसरे कर्ता द्वारा व्याहनन हो तब न व्याघातालङ्कार होता है, यहां तो एक कारण नहीं है, क्यों कि लोभी की 'दारिद्र्यशङ्का' का अर्थ है 'मैं धन त्याग करने से इसी जन्म में दरिद्र हो जाऊँगा' इस तरह की शङ्का और दानी की 'दरिद्र्यशङ्का' का अर्थ है 'यदि मैं इस जन्म में दान नहीं करूँगा तो अग्रिम जन्म में दरिद्र होऊँगा' इस तरह की शङ्का, फलतः ये दो शङ्काएँ हैं, न कि एक शङ्का । नागेश तथा चन्द्रिकाकार ने भी ग्रन्थकार की इसी युक्ति का ऊह किया है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इसी युक्ति का 'तात्कालिकजन्मान्तरीयदारिद्र्यशङ्कयोरभेदाध्यवसानान्न लक्षणासमन्वयः—अर्थात् तात्कालिक और जन्मान्तरीय दारिद्र्यशङ्काओं में परस्पर अभेदाध्यवसान के कारण लक्षण का असमन्वय नहीं होता ।' इन शब्दों द्वारा खण्डन कर कुवलयानन्द का समर्थन उन दोनों ने किया है । और यह समर्थन सब मानने योग्य भी है ।

हिन्दी रसगङ्गाधर में एक दूसरा ही तर्क उपस्थित किया गया है उनका कथन है कि—'यहां व्याघात ही नहीं है, क्यों कि न तो दाता की इस क्रिया से लुब्ध के इस कार्य में बाधा पड़ती और न दाता की बाधा डालने की इच्छा है ।' यह तर्क अच्छा है । इसी तर्क के आधार पर हिन्दी रसगङ्गाधरकार ने आगे नागेश को भी ललकारा है । उनके विचार से, दोनों शङ्काओं का अभेदाध्यवसान मानकर जो कुवलयानन्द का समर्थन किया गया है, वह मूलकार के अभिप्राय को न समझने के कारण—अर्थात् मूलकार ने कारण-भेद हो जाने के आधार पर कुवलयानन्द का खण्डन नहीं किया है, अपितु व्याघात पदार्थ की संगति न बैठने के आधार पर ।

एक बात यहां और ध्यान देने योग्य है। कुवलयानन्दकार ने इस उदाहरण के उपपादन में लिखा है कि 'अत्र पूर्वोत्तरार्धे पक्षप्रतिपक्षरूपे कयोश्चिद् वचने इति लक्षणानुगतिः।" इसका क्या अभिप्राय है? मेरे विचार से तो हिन्दी रसगङ्गाधरकार के द्वारा तर्कित शङ्का का समाधान ही इस पङ्क्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उस पङ्क्ति का आशय प्रायः यही है कि—उक्त पद्य का पूर्वार्ध एक पक्ष के रूप में कहा है किसीने, जिसका उत्तर किसीने उत्तरार्ध के रूप में दिया है—अर्थात् जब एक ने कहा कि 'लोभी दरिद्रता की शङ्का से धन का त्याग नहीं करता' तब दूसरे ने उत्तर दिया कि दानी भी दरिद्रता की शङ्का से ही धन का त्याग करता है' अतः पूर्ववक्ता के कथन का व्याघात उत्तर वक्ता के कथन से होता है—लक्षण की संगति हो जाती है।

परन्तु इस विश्लेषण में पूर्ण बल नहीं है। फलतः इस प्रसङ्ग में हिन्दी रसगङ्गाधरकार का कथन सबल है और प्रायः वही बात पण्डितराज के भी मन में है।

विरोधमूलालङ्कारविचारमुपसंहरन्नाह—

एवं श्लेषातियोक्त्याद्युपयोन्मीलितेन किंचिदंशाभेदाध्यवसानेनामुख एव प्रादुर्भावितो या विरोधो विच्छित्तिमात्रात्मा क्षणप्रभावदननुवर्तमानस्तन्मूलका विरोधाभासादयो व्याघातान्ता अलङ्कारा निरूपिताः।

विरोधाभासमारभ्य व्याघातपर्यन्तं ये अलङ्कारा निरूपितास्ते सर्वे विरोधमूलाः। विरोधश्चैषु चमत्कारमात्ररूपः आरम्भे प्रतीयमानोऽपि विद्युद्विलासवत् चिरं नानुवर्तते। एतादृशोऽयं विरोधः एषु अलङ्कारेषु किंचिदंशगतेनाभेदाध्यवसानेन प्रादुर्भाव्यते। अभेदाध्यवसानञ्चांशविशेषवर्तिना क्वचित् श्लेषेण, क्वचिदतिशयोक्त्या, क्वचिदन्येन केनचिदुपायेन समुन्मील्यत इति भावः।

विरोधमूलक अलङ्कारों का उपसंहार किया जाता है—एवम् इत्यादि।

विरोधाभास से लेकर व्याघात पर्यन्त सभी विरोधमूलक अलङ्कारों का निरूपण किया जा चुका। इन अलङ्कारों के प्रारम्भ में जिस विरोध की प्रतीति होती है वह केवल विच्छित्ति (चमत्कार) रूप—अर्थात् ज्ञानरूप, (वास्तविक नहीं) रहता है, अत एव उसकी प्रतीति बिजली की चमक के समान क्षणिक होती है, चिरकालिक (समाप्तिपर्यन्त स्थायिनी) नहीं। इस तरह के विरोध का प्रादुर्भाव इन अलङ्कारों में आंशिक अभेदाध्यवसान के कारण होता है और अभेदाध्यवसान का उन्मीलन किया जाता है श्लेष अतिशयोक्ति आदि उपाय से।

एषां विरोधमूलानामलंकाराणां मिथो भेदे मतभेदं सूचयति—

ते च नानारूपं वैचित्र्यं भजन्तो विरोधाभासस्यैव प्रभेदाः, न तु ततोऽतिरिक्ताः, काञ्चनस्येव कङ्कणादय इत्येके। रूपकदीपकादीनामौपम्यगर्भाणामुपमाभेदत्वापत्तेर्बहु व्याकुलीस्यादिति परस्परच्छायामात्रानुसारिणो भिन्नविच्छित्तयो भिन्ना एवेत्यपरे।

नानारूपं वैचित्र्यं भजमाना अपि कंकणादयो यथा सुवर्णान्नातिरिक्तास्तथैव विविधं विचित्रत्वं धारयन्तोऽपि विरोधमूलाः सर्वेऽलंकारा विरोधाभासालंकारस्यैवावान्तरप्रभेदाः, न स्वतन्त्रा अलंकारा इति केषांचिन्मतम्। एवंरीत्या औपम्यगर्भाः सर्वे रूपकदीपकादयोऽलंकारा उपमालंकारस्यैव प्रभेदाः स्युस्तथा चालंकारिकजगति महाकोलाहल उद्भवेत्,

अतो मिथश्छायामनुसरन्तोऽपि भिन्नविधचमत्कारशालिनो मिथोभिन्ना एवेमे विरोधमूला अलंकारा इति परेषां मतमिति भावः ।

विरोधमूलक अलंकारों की परस्पर भिन्नता के विषय में मतभेद का उल्लेख किया जाता है—ते च इत्यादि ।

ये सब विरोधमूलक अलंकार भिन्न-भिन्न तरह की विचित्रता का धारण करते हुए भी विरोधाभास अलंकार के ही अवान्तर प्रभेद हैं, उससे भिन्न अलंकार नहीं, जैसे—विविध वैचित्र्य का धारण करते हुए भी कङ्कण आदि आभूषण सुवर्ण से भिन्न नहीं होते हैं। ऐसा कुछ विद्वानों का मत है ।

अन्य विद्वानों का मत है कि-ऐसा मानने से सादृश्यमूलक रूपक दीपक, आदि सभी अलङ्कार उपमालङ्कार के प्रभेदमात्र सिद्ध हो जायगें, फिर तो इन सब को पृथक् पृथक् अलङ्कार के रूप में स्वीकृत करने वाले आलङ्कारिकों का सिद्धान्त बहुत अधिक अस्त-व्यस्त हो जायगा, अतः ऐसा मानना चाहिए कि ये विरोधमूलक अलङ्कार एक दूसरे की केवल छाया का अनुसरण करते हुए भी परस्पर भिन्न ही हैं, क्योंकि सब में कुछ न कुछ भिन्न ढङ्ग का चमत्कार उपलब्ध होता है ।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे व्याघातप्रकरणम् ।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे व्याघातालङ्कारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः ।

रसगङ्गाधरगत व्याघातालङ्कार का प्रकरण समाप्त ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां व्याघातप्रकरणम् ॥

विरोधमूलकालङ्कारनिरूपणानन्तरं संप्रति श्रृङ्खलामूलकालङ्कारनिरूपणप्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथ श्रृङ्खलामूला अलङ्काराः—

श्रृङ्खलामूला अलङ्कारा निरूपणीयत्वेन प्रारब्धा बोध्या इति भावः ।

विरोधमूलक अलङ्कारों का निरूपण समाप्त होने पर अब श्रृङ्खलामूलक अलङ्कारों का निरूपण प्रारब्ध होता है ।

तेषु प्रथमं श्रृङ्खलां लक्षयति—

तत्र—

पङ्क्तिरूपेण निबद्धानामर्थानां पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरस्मिन्, उत्तरोत्तरस्य वा पूर्वपूर्वस्मिन्संसृष्टत्वं श्रृङ्खला ॥

पङ्क्तिरूपेण वर्णितानामर्थानां मध्ये पूर्वस्य पूर्वस्यार्थस्योत्तररस्मिन्नुत्तरस्मिन्नर्थे यः संसर्गः सा एका श्रृङ्खला, पङ्क्तिरूपेण वर्णितानामर्थानां मध्ये उत्तरस्योत्तरस्यार्थस्य पूर्वस्मिन्पूर्वस्मिन्नर्थे यः संसर्गः साऽपरा श्रृङ्खलेति भावः ।

उन श्रृङ्खलामूलक अलङ्कारों में सर्वप्रथम श्रृङ्खला का लक्षण किया जाता है—तत्र पङ्क्तिरूपेण इत्यादि ।

पङ्क्तिरूप से वर्णित अर्थों में से, पूर्व पूर्व अर्थ का अग्रिम अग्रिम अर्थ में, अथवा अग्रिम अग्रिम अर्थ का पूर्व पूर्व अर्थ में, संबद्ध होना श्रृङ्खला कहलाता है ।

संसृष्टत्वं स्फुटयति—

तच्च कार्यकारणता-विशेषण-विशेष्यतादि नानारूपम् ।

तच्चेति । संसृष्टत्वञ्चेत्यर्थः । कार्यकारणतेति । कार्यकारणभाव इत्यर्थः । विशेषण-विशेष्यतेति । विशेषण-विशेष्यभाव इत्यर्थः ।

'संवद्ध होना' का स्पष्टीकरण किया जाता है—तच्च इत्यादि ।

वह संबन्ध कार्यकारणभाव, विशेषण-विशेष्यभाव आदि अनेक रूप का हो सकता है ।

शृङ्खलायाः स्वतन्त्रालङ्कारत्वविषये विचारं विधत्ते—

इयं च न स्वतन्त्रोऽलङ्कारः, वक्ष्यमाणप्रभेदैर्गतार्थत्वात् । नह्यस्यास्तैर्विना विविक्तो विषयोऽस्ति । यथा हि रूपकादिष्वनुप्राणकतया स्थितोऽप्यभेदांशः समानधर्मांशो वा न पृथगलङ्कारः एवं प्रकृतेऽपीत्याहुः । तदपरे न क्षमन्ते । सावयवादिभेदै रूपकस्य, पूर्णालुप्तादिभिरुपमायाश्च गतार्थत्वात्स्वतन्त्रालङ्कारता न स्यात् । न हि विशेषनिर्मुक्तं सामान्यमस्ति येन विविक्तो विषयः स्यात् । तस्माच्छृङ्खलाया एव कारणमालादयो भेदा इति । मतयोरनयोस्तत्त्वमुपरिष्टाद्विवेचयिष्यामः ।

इयमिति । शृङ्खलेत्यर्थः । वक्ष्यमाणप्रभेदैरिति । कारणमालादिभिरित्यर्थः । अस्याः शृङ्खलायाः । तैः कारणमालादिभिः । विविक्तो विषय इति । स्वतन्त्रं लक्ष्यमित्यर्थः । रूपकेऽङ्गतया वर्तमानोऽपि समानधर्मांशोऽभेदांशो वा यथा न स्वतन्त्रोऽलङ्कारस्तथैव कारणमालादिषु विद्यमाना शृङ्खला स्वतन्त्रोऽलङ्कारो नास्तीति केचित् । सावयव-निरवयव-परम्परितादिभेदेभ्यो यथा रूपकसामान्यं पृथक् परिगण्यते पूर्णालुप्तादिभेदेभ्यो वा यथोपमासामान्यं पृथक् स्वीक्रियते तथा कारणमालादिभेदेभ्यः पृथक् शृङ्खलालङ्कारस्य गणना । 'सामान्यं विशेषान्नातिरिच्यते' इति न्यायानुसारं स्वतन्त्रं लक्ष्यं न लभ्यत इति तु अन्यदिति परेषां मतमिति भावः ।

शृङ्खला स्वतन्त्र अलङ्कार है अथवा नहीं इसका विचार किया जाता है–इयं च इत्यादि'।

यह शृङ्खला कोई स्वतन्त्र अलङ्कार नहीं है, क्योंकि आगे कहे जाने वाले भेदों (कारणमालादिकों) से यह गतार्थ है । तात्पर्य यह कि—कारणमाला आदि के लक्ष्य से अतिरिक्त शृङ्खला का कोई लक्ष्य नहीं है । जैसे रूपक आदि में अनुप्राणक रूप से रह कर भी अभेदांश अथवा समानधर्मांश पृथक् अलङ्कार नहीं है, उसी तरह शृङ्खला भी पृथक् अलङ्कार नहीं है—यह कतिपय विद्वान् कहते हैं ।

दूसरे विद्वान् इस तर्क को नहीं मानते हैं, क्योंकि ऐसा मानने से सावयव, निरवयव, परम्परित आदि भेदों से रूपक अलङ्कार और पूर्णा, लुप्ता आदि भेदों से उपमा अलङ्कार भी गतार्थ हो जायँगे—वे भी स्वतन्त्र अलङ्कार नहीं माने जा सकेंगे ।

कारणमालादिकों के लक्ष्यों से पृथक् लक्ष्य जो शृङ्खला का उपलब्ध नहीं होता वह तो उचित ही है, क्योंकि सामान्य विशेषों से निर्मुक्त, नहीं होता । अतः उपमा, रूपक आदि के समान शृङ्खला एक स्वतन्त्र अलङ्कार है जिसके कारणमाला आदि उसी प्रकार प्रभेद हैं जिस तरह उपमा के पूर्णा, लुप्ता आदि तथा रूपक के सावयव, निरवयव आदि प्रभेद होते हैं ।

इन दोनों मतों के तत्त्व का विचार आगे किया जायगा।

कारणमालां लक्षयति—

सैव शृङ्खला आनुगुण्यस्य कार्यकारणभावरूपत्वे कारणमाला ।

पूर्वलक्षिता शृङ्खलैव संसर्गस्य कार्यकारणभावरूपत्वे कारणमाला कथ्यत इति भावः।

कारणमाला का लक्षण किया जाता है—सैव इत्यादि।

वही शृङ्खला, जिसका लक्षण पहले किया गया है, तब कारणमाला कहलाती है, जब पूर्व-पूर्व का अग्रिम-अग्रिम के साथ अथवा अग्रिम-अग्रिम का पूर्व पूर्व के साथ कार्यकारणभाव संबन्ध (आनुगुण्य) होता है।

कारणमालाया भेदावाह—

तत्र पूर्वं पूर्वं कारणं परं परं कार्यमित्येका। पूर्वं पूर्वं कार्यं परं परं कारणमित्यपरा।

कारणमालाया द्वौ प्रकारौ भवतः—पूर्व-पूर्वस्य कारणत्वे उत्तरोत्तरस्य कार्यत्वे एकः, पूर्वपूर्वस्य कार्यत्वे उत्तरोत्तरस्य कारणत्वे च द्वितीय इति भावः।

कारणमाला के भेद किए जाते हैं—तत्र इत्यादि।

यदि पूर्व पूर्व कारण और पर पर कार्य हो तब कारणमाला का एक प्रकार तथा यदि पूर्व पूर्व कार्य और पर पर कारण हो तब कारणमाला का दूसरा प्रकार होता है।

उदाहर्तुमाह—

यथाक्रमेण यथा—

उक्तक्रमानुसारमुदाहरणं यथेत्यर्थः।

क्रमशः उदाहरण, जैसे—।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'लभ्येत पुण्यैर्गृहिणी मनोज्ञा तया सुपुत्राः परितः पवित्राः।
स्फीतं यशस्तैः समुदेति नूनं तेनास्य नित्यः खलु नाकलोकः॥

पुण्यैः धर्मैः मनोज्ञा सुन्दरी, गृहिणी पत्नी, लभ्येत प्राप्ता स्यात्, तया मनोज्ञया गृहिण्या, परितः सर्वतः, पवित्राः, पुत्राः, लभ्येरन्, तैः पवित्रैः पुत्रैः, स्फीतं विस्तृतं, यशः, समुदेति, तेन यशसा, नित्यः चिरस्थायी, नाकलोकः स्वर्गलोकः, लभ्येत इत्यर्थः।

अत्र पूर्वं पूर्वं कारणं परं परं कार्यमिति बोध्यम्।

उदाहरण दिखलाया जाता है—लभ्येत इत्यादि।

पुण्यों से सुन्दर पत्नी मिल सकती है, सुन्दर पत्नी से सर्वथा पवित्र पुत्र प्राप्त हो सकते हैं, पवित्र पुत्रों से विस्तृत यश उत्पन्न होता है और यश से स्वर्गलोक नित्य सुलभ हो जाता है।

यहाँ पूर्व-पूर्व कारण है और पर-पर कार्य, जैसे—पुण्य कारण, गृहिणी कार्य, गृहिणी कारण, पुत्र कार्य, पुत्र कारण, यश कार्य और यश कारण स्वर्गप्राप्ति कार्य।

द्वितीयप्रकारोदाहरणमुपन्यस्यति—

स्वर्गापवर्गौ खलु दानलक्ष्मीर्दानं प्रसूते विपुला समृद्धिः।
समृद्धिमल्पेतरभागधेयं भाग्यं च शंभो तव पादभक्तिः॥

दानलक्ष्मीः दानशोभा, दानमिति भावः, स्वर्गापवर्गौ स्वर्गमोक्षौ, खलु निश्चयेन, प्रसूते उत्पादयति विपुला समृद्धिः संपत्तिवृद्धिः दानं प्रसूते, अल्पेतरभागधेयम् महद्भाग्यम्, समृद्धिम्, प्रसूते, हे शम्भो, तव भवतः, पादभक्तिः चरणसेवा, भाग्यं, प्रसूते, इत्यर्थः।

अत्र पूर्वं पूर्वं कार्यम्, परं परं कारणमिति बोध्यम्।

द्वितीय प्रकार का उदाहरण दिखलाया जाता है—स्वर्गापवर्गौ इत्यादि।

दानलक्ष्मी स्वर्ग तथा मोक्ष को उत्पन्न करती है, दान को विपुल समृद्धि उत्पन्न करती है, समृद्धि को महान् भाग्य उत्पन्न करता है और हे शम्भो! भाग्य को आपके चरणों की भक्ति उत्पन्न करती है।

यहाँ पूर्व-पूर्व कार्य और उत्तर-उत्तर कारण हैं, जैसे—स्वर्गापवर्ग कार्य हैं और दानलक्ष्मी कारण, दान कार्य है और समृद्धि कारण, समृद्धि कार्य है और भाग्य कारण तथा भाग्य कार्य है और शम्भु की चरणभक्ति कारण।

कारणमालाविषये विशेषं विशदयति—

इह च यद्यादौ कारणोक्तिःस्तूयते तदा पुनस्तस्य कारणं तस्यापि कारणमिति, तत्कस्य चित्कारणं तदपि कस्य चिदिति वा कारणमाला युक्ता। यदा तु कार्योक्तिस्तदा तस्य कार्यं तस्यापि कार्यमिति, तत्कस्य चित्कार्यं तदपि कस्य चिदिति वा युक्ता, सर्वथैव यः शब्दः कार्यकारणतोपस्थापक आदौ प्रयुक्तः स एव निर्वाह्यः। एवं क्रमेण निबन्धनमाकाङ्क्षानुरूपत्वाद्रमणीयम्। अन्यथा तु भग्नप्रक्रमः स्यात्।

यथा प्राचीनानां पद्यम्—

'जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते।
गुणाधिके पुंसि जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि संपदः॥'

अत्र जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं श्रुत्वा जितेन्द्रियत्वस्यापि किं कारणमिति, विनयः कस्य कारणमिति वा आकाङ्क्षोदेति। कारणस्यैव श्रुतिवशात्पूर्वमुपस्थितेः। कारणं तु ज्ञातम्, कार्यं पुनरस्य किमिति क्वचिदाकाङ्क्षा तु कार्यत्व–कारणत्वयोः। संबन्धिपदार्थत्वात्कारणश्रुत्युत्तरमेकसंबन्धिज्ञानाधीनकार्यत्वोपस्थित्या संगमनीया। न त्वसौ सार्वत्रिकी। एवं च विनयः कस्य कारणमित्याकाङ्क्षायां गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यत इति वाक्यं यद्यपि फलतः परिपूरकं भवति, तथापि न साक्षादित्यहृदयंगममेव। तथा गुणप्रकर्षात्किमाप्यत इत्याकाङ्क्षायां गुणाधिके पुंसीति च।

इहेति। कारणमालालङ्कार इत्यर्थः। स्तूयते प्रशस्यते। कार्योक्तिरिति। इतोऽग्रे 'स्तूयते' इत्यस्यानुषङ्गः। अन्यथेति। उक्तक्रमेण निबन्धनाभाव इत्यर्थः। भग्नप्रक्रमतोपेतं पद्यमुपस्थापयति—यथेति। पद्यमिति। इदं पद्यं काव्यप्रकाशे मम्मटभट्टैरुदाहृतमिति बोध्यम्। 'जितेन्द्रियत्वम्—' इति। विनयस्य, कारणं जितेन्द्रियत्वम् वशित्वम् विद्यत इति शेषः, विनयात्, गुणप्रकर्षः गुणाधिक्यम्, अवाप्यते, लभ्यते, गुणाधिके अधिकगुणयुक्ते, पुंसि पुरुषे, जनः लोकः, अनुरज्यते अनुरक्तो भवति, संपदः संपत्तयः, जनानुरागप्रभवाः जनानुरागजन्याः, भवन्तीति तद्व्याख्या। कथं तादृश्येवाकाङ्क्षोदेतीत्यत्राह—कारणस्यैवेति, श्रुतीति। श्रवणेत्यर्थः। संगमनीयेति। उपपादनीयेत्यर्थः। कार्यत्वकारणत्वे मिथः संबन्धविशिष्टौ पदार्थौ, तथा च कारणश्रवणेऽपि 'एकसंबन्धिज्ञानमपरसंबन्धिनं स्मारयति' इति नियमेन कार्यस्योपस्थितिर्जायते, अतः क्वचित्कारणश्रवणोत्तरमपि कार्यविषयिण्काङ्क्षा-

समुदेतीति भावः। असाविति। कारणश्रवणेऽपि कार्यजिज्ञासेत्यर्थः। निष्कर्षमाह—एवं चेति। उक्तसिद्धान्ते स्थिरीकृते सतीत्यर्थः। फलतः इति। गुणप्रकर्षस्य विनयः कारणम्' इत्याकारकं फलितार्थमादायेति भावः। साक्षादिति। श्रुतवाक्यद्वारेत्यर्थः। पुंसीति चेति। अत्रापि 'अहृदयंगमम्' इत्यस्यानुषङ्गो बोध्यः।

कारणमाला अलङ्कार के विषय में कतिपय ज्ञातव्य तथ्यों की चर्चा की जाती है—इह च इत्यादि।

इस कारणमाला अलङ्कार में, यदि प्रथमतः कारण का कथन ही स्तुत्य माना जाय, तब 'उसका कारण, फिर उसका भी कारण' इस तरह से कारणों की माला का गुम्फन उचित होगा और यदि प्रथमतः कार्य का कथन ही स्तुत्य समझा जाय, तब उस कारण का कार्य, फिर उस कार्यभूत कारण का भी कार्य' इस तरह से अथवा 'वह किसी का कार्य, फिर वह कारणभूत कार्य भी किसी का कार्य' इस तरह से कारण-माला का प्रस्ताव युक्त होगा।

उक्त सभी स्थितियों में यह बात सर्वथा ध्यान में रखनी चाहिए कि कार्य-कारण-भाव का उपस्थापक जिस शब्द का प्रयोग आदि में किया जाय उसी का प्रयोग अन्त तक होता चले। कारण यह कि—इसी क्रम से की गई रचना आकाङ्क्षा के अनुरूप होने से सुन्दर होती है। यदि इस क्रम से रचना नहीं की जाय, तब भग्नप्रक्रमता दोष आ जाता है।

जैसा कि काव्यप्रकाश में उदाहृत 'जितेन्द्रियत्वम्—अर्थात् जितेन्द्रियता विनय का कारण है, विनय से गुणों का प्रकर्ष प्राप्त होता है अधिक गुणयुक्त पुरुष में जनता अनुरक्त होती है और जनता का अनुराग संपत्ति का उद्भावक होता है' इस प्राचीनों के पद्य में हुआ है।

यहाँ 'जितेन्द्रियता विनय का कारण है' इस वाक्य के श्रवण से 'जितेन्द्रियता का भी कारण क्या है' इस तरह की अथवा 'विनय—किस का कारण है' इस तरह की आकांक्षा उदित होती है, क्योंकि प्रथम वाक्य-श्रवण के अनुसार पहले कारण को ही उपस्थिति होती है।

यद्यपि ऐसी आकांक्षा भी उदित होती है कि 'कारण तो ज्ञात हुआ पर इसका कार्य क्या है', तथापि ऐसी आकांक्षा सर्वत्र नहीं होती, अपितु कहीं-कहीं और कहीं भी जो ऐसी आकांक्षा होती है वह इसलिए कि कार्यता और कारणता परस्पर संबन्धी पदार्थ हैं, अतः कारण के श्रवण के बाद 'एकसंबन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिनं स्मारयति' इस न्याय के अनुसार कार्यता की भी उपस्थिति हो जाती है।

ऐसी स्थिति में 'विनय किस का कारण है' इस आकाङ्क्षा की पूर्ति यद्यपि 'गुण-प्रकर्ष विनय से प्राप्त होता है' यह वाक्य फलतः कर देता है, पर साक्षात् नहीं अर्थात् 'गुणप्रकर्ष विनय से प्राप्त होता है' इस वाक्य से 'विनय गुणप्रकर्ष का कारण है' यह फलित होता जिससे 'विनय किस का कारण है' इस आकाङ्क्षा की पूर्ति हो जाती है, किन्तु परम्परया होने वाली यह पूर्ति हृदय का स्पर्श नहीं करती—रुचती नहीं।

इसी तरह 'गुण-प्रकर्ष से क्या प्राप्त होता है' इस तरह की आकाङ्क्षा में 'अधिक गुण युक्त पुरुष में जनता अनुरक्त होती है' यह कथन भी हृदयस्पर्शी नहीं है, क्योंकि उक्त आकाङ्क्षा की पूर्ति यह वाक्य साक्षात् नहीं करता, अपि तु 'गुण-प्रकर्ष से जनता का अनुराग प्राप्त होता है' इस फलितांश के द्वारा।

'कारणमालालङ्कारे आदौ प्रयुक्तस्यैव कार्य-कारणतोपस्थापकस्य शब्दस्य पुनः-प्रयोगः कर्तव्यः' इति सिद्धान्तो न युक्तस्तथा सति कथितपदत्वदोषापातादिति शङ्कां समाधातुमुपक्रमते—

अत्र च कथितपदत्वं न दोषः। प्रत्युत पदान्तरेण तस्यार्थस्योक्तौ रूपान्तरेण स्थितस्य नटस्येव प्रत्यभिज्ञाप्रतिरोधकत्वाद्विवक्षितार्थसिद्धेरकुण्ठितत्वविरहाद्दोषः स्यात्। शब्दादुपस्थितेऽर्थे प्रवृत्तिनिमित्तमिवशब्दोऽपि विशेषणतया भासते। तथा चोक्तम्—'न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते' इति। तत्तच्छब्दस्य विशिष्टश्चार्थः स्वरूपेणाभिन्नोऽपि विशेषणभेदाद्विलक्षणः प्रतीयते कुण्डगोलकादिवत्। ननु कुण्डगोलकादिपदेषु मृतामृतभर्तृकत्वादिरूपविशेषणघटितं प्रवृत्तिनिमित्तमित्यस्तु भिन्नाकारः प्रत्ययः। ताम्रः शोणो रक्त इत्यादौ तु ताम्रादिशब्दानां शक्तत्वेन शक्यतानवच्छेदकत्वाच्छक्यतावच्छेदकस्य च गुणगतजातिविशेषस्याभिन्नत्वादभिन्नाकारः प्रत्यय एवोचित इति चेत् सत्यम्,

> 'उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च।
> संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता॥'

इत्यत्र वैलक्षण्यशून्यतारूपस्यैकरूप्यस्य यथा प्रत्ययः, न तथा 'उदेति सविता ताम्रो रक्त एवास्तमेति च' इत्यत्र, इति सकलानुभवसिद्धम्। एवं च प्रवृत्ति-निमित्तभिन्नस्यापि शब्दस्य यदि शक्यविशेषणत्वं वैलक्षण्यान्यथानुपपत्त्यानुभवबलेन च सिद्धं तदा तदनुगुणैव व्युत्पत्तिः शब्दानां कल्प्यते। सा च वृत्तिसंबन्धेनार्थविशिष्टशब्दज्ञानत्वेन शब्दविशिष्टार्थोपस्थितित्वेन च सामान्यकार्यकारणभावरूपा। घटत्वादितत्तत्प्रवृत्तिनिमित्तप्रकारकबोधत्वेन तु वृत्तिसंबन्धेन घटविशिष्टपदज्ञानत्वादिना च विशेषतोऽपरः कार्यकारणभावः, विशेषसामग्रीसहिताया एव सामान्यसामग्र्या जनकतेति न कश्चिद्दोषः। यद्वा वृत्तिसंबन्धेन घटादिविशिष्टपदज्ञानत्वेन घटादिपद-घटत्वोभयप्रकारकघटादिविशेष्यकोपस्थितित्वेन च कार्यकारणभावः। पदार्थोपस्थितिशाब्दबोधयोः समानाकारत्वाच्छाब्दबोधेऽपि पदभानम्। अनुभवबलाच्च प्रामाणिकं गौरवं न दोषाय। एतदभिसंधायैवोक्तम्—'न सोऽस्ति' इत्यादि।

अत्रेति। कारणमालायामित्यर्थः। पदान्तरेणेति। पूर्वप्रयुक्तपदभिन्नपदेनेत्यर्थः। तस्यार्थस्येति। पूर्वप्रतिपादितस्यार्थस्येत्यर्थः। नटस्येव प्रतिज्ञाप्रतिरोधकत्वादिति। एकस्मिन् रूपे दृष्टो नटो यदि रूपान्तरं धृत्वा समागच्छति तदा यथा तस्मिन् स एवायमिति प्रत्यभिज्ञा नोदेति तथैव एकोऽप्यर्थः पदान्तरेण बोधितः सन् स एवायमिति प्रत्यभिज्ञाविषयो न भवतीति भावः। अकुण्ठितत्वविरहादिति। कुण्ठितत्वादित्यर्थः। प्रवृत्तिनिमित्तमिवेति। घटादिपदादुपस्थिते घटादिरूपार्थे घटत्वादिकं यथा प्रकारतया भासते तथा घटादिशब्दोऽपि वृत्तिसंबन्धावच्छिन्नप्रकारतया भासत इत्यर्थः। घटादिपदात् वृत्तिसंबन्धेन घटादिशब्दविशिष्टस्य समवायसंबन्धेन घटत्वादिविशिष्टस्य च घटादेरुपस्थितिर्भवतीति सारांशः।

अत्र प्रमाणमुपन्यस्यति—तथा चोक्तमिति। 'न सोऽस्ति—' इति। शब्दानुगमात् शब्दभानात्, ऋते विना, यः प्रत्ययः, भवितुमर्हतीति शेषः, सः तादृशः, प्रत्ययः ज्ञानम्, लोके संसारे, नास्तीत्यर्थः। सर्वमपिज्ञानं शब्दानुगमसहितमेव भवतीति भावः।

विशिष्ट इति। सविशेषण इति भावः। स्वरूपेणेति। तद्व्यक्तित्वेनेति यावत्। विशेषणभेदादिति। शब्दात्मकविशेषणभेदादिति भावः। कुण्डगोलकादिवदिति। अयं भावः—कुण्डगोलकशब्दयोरर्थ एक एव जारजः पुत्र इति तथापि यथा जारजपुत्रात्मकेऽर्थे विशेषणतया भासमानयोः कुण्डगोलकात्मकयोः शब्दयोर्मिथोभेदेन एक एव जारजात्मकोऽर्थः भिन्नः प्रतीयते, तथैव सर्वत्र घट-कलसादिपर्यायवाच्यार्थस्य स्वरूपेणैकत्वेऽपि पर्यायभेदाद् भेदः प्रतीयत इति।

कुण्डगोलकदृष्टान्तमुपपत्तेमुमाशङ्कते—नन्विति। मृतामृतभर्तृकत्वादीति। 'अमृते जारजः कुण्डो मृते भर्तरि गोलकः' इत्यमरकोषानुसारेणामृतभर्तृकमातृकुक्ष्यधिकरणकजारकर्तृकोत्पत्तिमत्त्वं कुण्डशब्दस्य, मृतभर्तृकमातृकुक्ष्यधिकरणकजारकर्तृकोत्पत्तिमत्त्वं च गोलकशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तमिति प्रवृत्तिनिमित्तभेदादेव कुण्डगोलकपदार्थयोर्भेदो भासते, न पुनः शब्दभेदात् तथा च न तद्दृष्टान्तेन ताम्र-शोणादिपर्यायबोध्यार्थे शब्दभेदप्रयुक्तभेदभानसमर्थनमुचितम्, तत्र ताम्रशोणादिशब्दानां शक्त्यधिकरणत्वम्, न शक्यतावच्छेदकत्वम्, तत्त्वञ्च गुणगतजातिविशेषस्य रक्तत्वादेः, स च जतिविशेष एक एव रक्तत्वताम्रत्वयोः पृथक्जातित्वाभावात्, एवञ्च रक्त-शोण—ताम्रादिपर्यायशब्देभ्य एकाकारप्रतीतिरेव समुचितेति शङ्कादलाशयः। शङ्कां स्वीकुर्वन्नाह—सत्यमिति। समाधानं दातुं प्रयतते—'उदेति—' इत्यादिना। सूर्यो यादृश उदेति तादृश एवास्तमेति, उभयत्र रक्तरूपवत्त्वात्, तथा च सिद्धमिदं यन्महान्तः संपत्तिकाले विपत्तिकाले च समानरूपास्तिष्ठन्ति इति पद्यभावार्थः। वैलक्षण्यशून्यतारूपस्येति। एकरूपत्वन्नाम सर्वथा विलक्षणताराहित्यम् तस्येत्यर्थः। वैलक्षण्यान्यथानुपपत्त्येति। यदि शब्दस्य शक्यविशेषणत्वं न भवेतदा 'ताम्र उदेति ताम्र एवास्तमेति ताम्र उदेति रक्त एवास्तमेति' इत्यनयोर्वाक्ययोर्जायमाने बोधे यद्वैलक्षण्यमनुभूयते तदनुपपन्नं स्यात्, शब्दभेदातिरिक्तभेदस्याभावादिति भावः। तदनुगुणा तदनुकूला। सा चेति। व्युत्पत्तिश्चेत्यर्थः। शब्दज्ञानत्वेनेति। अत्र यद्यपि 'शाब्दज्ञानत्वेन' इत्याकारः—प्राप्तपुस्तके पाठः, तथापि मया संगत्यनुरोधेन 'शब्दज्ञानत्वेन' इति पाठ एव रक्षितस्तदौचित्यञ्च सुधियो विभावयेयुः। तत्तत्प्रवृत्तिनिमित्तप्रकारकबोधत्वेनेति। अत्र बोधपदेनोपस्थितिरेवाभिप्रेता। 'वृत्तिसंबन्धेन शब्दविशिष्टोपस्थितिं प्रति वृत्तिसंबन्धेनार्थविशिष्टशब्दज्ञानं कारणम्' इति सामान्यकार्यकारणभावरूपा, "वृत्तिसम्बन्धेन घटादिशब्दविशिष्टः घटत्वादितत्प्रवृत्तिनिमित्तप्रकारकघटरूपार्थोपस्थितिं प्रति वृत्तिसम्बन्धेन घटादिरूपार्थविशिष्टघटादिपदज्ञानं कारणम्' इति कार्यकारणभावविशेषरूपा च व्युत्पत्तिः कल्प्यत इति भावः।

अत्रेदमपि ध्यानीयं यत् शक्तिलक्षणान्यतररूपा वृत्तिरेव संबन्धस्तेन संबन्धेन यथा शब्दोऽर्थविशिष्टस्तथाऽर्थोऽपि शब्दविशिष्टो भवति, आश्रयतावच्छिन्नरूपकत्वस्यापि संबन्धनियामकसंबन्धत्वादिति। ननु प्रागुक्तसामान्यकार्यकारणभावस्वीकारे घटपदज्ञानात्पटरूपस्याप्यर्थस्योपस्थितिः संभवेत, वृत्तिसंबन्धेन यत्किञ्चिच्छब्दविशिष्टयत्किञ्चिदर्थोपस्थितिं प्रत्यपे·

क्षितस्य वृत्तिसंबन्धेन यत्किञ्चिदर्थविशिष्टयत्किञ्चिच्छब्दज्ञानस्य सत्त्वादिति चेत्तत्राह—विशेषसामग्रीति । विशेषसामग्रीसहितैव सामान्यसामग्री कार्यजनिका भवतीति नियमेन पटोपस्थितिं प्रत्यपेक्षितायाः वृत्तिसंबन्धेन यत्किञ्चिदर्थान्तर्गतघटरूपार्थविशिष्टयत्किञ्चिच्छब्दान्तर्गतघटशब्दज्ञानरूपसामान्यसामग्र्याः सत्त्वेपि वृत्तिसंबन्धेन पटरूपार्थविशिष्टपटपदज्ञानरूपाया विशेषसामग्र्या विरहेण न घटपदज्ञानात्पटरूपार्थोपस्थितिसंभावनेति भावः ।

कार्यकारणभावद्वयाकल्पनजलाघवायाह—यद्वेति । घटादिपदघटत्वोभयप्रकारकघटाद्यर्थविशेष्यकोपस्थितिं प्रति अभिधादिवृत्तिसंबन्धेन घटाद्यर्थविशिष्टघटादिपदज्ञानं कारणमित्येक एव कार्यकारणभाव इति भावः ।

ईदृशकार्यकारणभावफलमाह—पदार्थोपस्थितीति । पदार्थोपस्थिति-शाब्दबोधयोः समानाकारत्वनियमेन यत्प्रकारकयद्विशेष्यकपदार्थोपस्थितिस्तत्प्रकारकतद्विशेष्यक एव शाब्दबोधो भवति । एवञ्चोक्तरीत्या पदार्थोपस्थितौ शब्दस्य विशेषणतया भाने समर्थिते शाब्दबोधेऽपि शब्दस्य विशेषणतया भानं निश्चितमेवेति भावः । नन्वेवंरीत्या कार्यकारणभावकल्पने कार्यतावच्छेदक-कारणतावच्छेदकयोः गुरुशरीरतया गौरवमिति चेत्तत्राह—अनुभवबलाच्चेति । अनुभवसाक्षिककल्पनाप्रयुक्तं गौरवं सह्यमेवेति भावः । संगमयति - एतदभिसंधायेति । 'न सोऽस्त-' इति ब्रुवत आचार्यस्य पूर्वोक्त एवाभिप्राय इति भावः ।

'कारणमाला अलङ्कार में कार्यकारणभावोपस्थापक जिस पद का प्रयोग आदि में किया जाय उसी पद का प्रयोग अन्त तक पुनः पुनः किया जाना चाहिए' यह जो सिद्धान्त पहले स्थिर किया गया है उसको व्यवहार में लाने पर 'कथितपदता' दोष आ जायगा इस आशङ्का का समाधान किया जा रहा है—अत्र च इत्यादि ।

कारणमाला अलङ्कार में कथितपदता दोष नहीं है, प्रत्युत किसी अन्य पदद्वारा प्रतिपादित वही अर्थ 'यह वही है' इस प्रत्यभिज्ञा (पहिचान) का प्रतिरोधक उसी तरह हो जाता है जिस तरह रूप बदलकर आनेवाला नट और ऐसी स्थिति में विवक्षित अर्थ की सिद्धि अकुण्ठित नहीं रहती–अर्थात् कुण्ठित हो जाती है, अतः दोष आ जायगा। तात्पर्य यह कि प्रथमतः जो अर्थ जिस पद के द्वारा बोधित होता है वह अर्थ भी जब पुनः पदान्तर के द्वारा बोधित होता है तब अन्य जैसा लगने लगता है, ऐसी स्थिति में जहाँ कवि को पूर्ववर्णित अर्थ के पुनर्वर्णन द्वारा ही चमत्कार उत्पन्न करना अभीष्ट हो वहाँ पूर्वप्रयुक्त पद का पुनः प्रयोग ही उचित होगा न कि पर्यायान्तर का और ऐसी स्थिति में कथितपदता दोषाधायक भी नहीं होगी, क्योंकि सभी दोषों का व्यापक दूषकताबीज अनौचित्य ही है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि एक अर्थ दो पर्यायों के द्वारा बोधित होने पर भिन्न जैसा क्यों लगने लगता है तो इस का रहस्य यह है कि–किसी भी शब्द से उपस्थित होने वाले अर्थ में जिस तरह प्रवृत्तिनिमित्त विशेषण रूप से भासित होता है, उसी तरह शब्द भी विशेषण रूप से भासित होता है–अर्थात् घट पद से घटत्व विशिष्ट की गोपद से गोत्वविशिष्ट की ही उपस्थिति नहीं होती, अपितु घट पद से घट शब्द तथा घटत्व दोनों से विशिष्ट घटरूप अर्थ की गोपद से गो शब्द तथा गोत्व दोनों से विशिष्ट गोरूप अर्थ की उपस्थिति होती है। तात्पर्य यह कि शब्द से उपस्थित होने वाला अर्थ शब्द को छोड़कर उपस्थित नहीं होता अपि तु शब्द को भी साथ लेकर उपस्थित होता है।

जैसा कि कहा भी गया है—'न सोऽस्ति-अर्थात् ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिस में शब्द का अनुगम न हो।'

इस तरह जब शब्द का भी अर्थोपस्थिति में विशेषणरूप से भासित होना सिद्ध है तब यह भी सिद्ध हो जाता है कि दो पर्यायों (घट-कलस आदि) का विशिष्ट (शब्दमिश्रित) अर्थ स्वरूपतः (घैला आदि के रूप में) अभिन्न होकर भी शब्दरूप विशेषण के भेद से उसी तरह विलक्षण प्रतीत होता है जैसे कुण्ड तथा गोलक पद का जारज पुत्ररूप अर्थ स्वरूपतः एक होकर भी जैसे कुण्ड एवम् गोलक इन शब्दों के भेद से विलक्षण प्रतीत होता है वैसे सभी दो पर्याय शब्दों के अर्थ शब्दभेद के कारण विलक्षण प्रतीत होते हैं।

आप कहेंगे कि 'अमृते जारजः कुण्डो मृते भर्तरि गोलकः-अर्थात् पति के जीवित रहने पर अन्य पुरुष के संयोग से उत्पन्न किया गया पुत्र 'कुण्ड' और पति के मरण के बाद अन्य पुरुष के संयोग से उत्पन्न किया गया पुत्र 'गोलक' कहलाता है' इस कोष के अनुसार 'कुण्ड' शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त जीवितभर्तृकत्व विशेषण से घटित और गोलक शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त मृतभर्तृकत्व विशेषण से घटित होगा, अतः उन दोनों शब्दों से होने वाली प्रतीति भिन्न-भिन्न आकारवाली हो सकती है, किन्तु ताम्र, शोण, रक्त इत्यादिक में तो ताम्र आदि शब्द केवल शक्त (शक्ति के आश्रय) हैं, शक्यता के अवच्छेदक नहीं, क्योंकि शक्यता के अवच्छेदक होते हैं शक्यगत धर्म और गुणगत जातिविशेष (रक्तत्व) जो शक्यता का अवच्छेदक है, वह अभिन्न (एक) है, अर्थात् रक्तत्व, ताम्रत्व आदि भिन्न जातियाँ नहीं हैं, अपितु घटत्व-कलसत्व के समान एक ही जाति है, अतः एक तरह की प्रतीति ही उचित है। अभिप्राय यह है कि शक्यतावच्छेदक के भेद से अर्थ का भेद होता है न कि शब्द के भेद से, अतः कुण्ड-गोलक शब्दों के अर्थ में भेद होगा और अर्थ में भेद होने से प्रतीति की भिन्नाकारता होगी, पर रक्त-ताम्र आदि पर्याय शब्दों के शक्यतावच्छेदक (प्रवृत्ति-निमित्त) एक होने के कारण अर्थ में भेद नहीं होगा-प्रतीति में भिन्नाकारता नहीं होगी।

तो यह आप का कथन सत्य है, किन्तु आप यह भी सोचिए कि—'उदेति-अर्थात् सूर्य ताम्रवर्ण ही उदित होता है और ताम्रवर्ण ही अस्त होता है। महापुरुषों की संपत्ति तथा विपत्ति में एकरूपता रहती है।' इस जगह जिस प्रकार विलक्षणताराहित्य रूप एकरूपता की प्रतीति होती है, उस प्रकार 'उदेति सविता ताम्रः रक्त एव—' यहाँ नहीं होती, यह सभी के अनुभव से सिद्ध है। ऐसी स्थिति में उक्त विलक्षणता की अन्यथा अनुपपत्ति के कारण और अनुभव के बल से प्रवृत्ति-निमित्त न होने पर भी शब्द का शक्यार्थ विशेषण होना यदि सिद्ध है, तब उसके अनुकूल ही शब्दों की व्युत्पत्ति की कल्पना करनी पड़ती है और वह व्युत्पत्ति सामान्य रूप में 'अभिधा, लक्षणा आदि वृत्तिरूप संबन्ध से शब्दविशिष्ट अर्थ की उपस्थिति के प्रति अभिधा, लक्षणा आदि वृत्तिरूप संबन्ध से अर्थविशिष्ट शब्द का ज्ञान कारण है' इस तरह से होगी और 'विशेषरूप में उक्त वृत्तिरूप संबन्ध से घटादि शब्दविशिष्ट घटरूप अर्थ की घटत्व आदि प्रवृत्तिनिमित्तप्रकारक उपस्थिति के प्रति उक्त वृत्तिरूप संबन्ध से घटरूप अर्थविशिष्ट घटपद का ज्ञान कारण है' इस रूप से होगी।

यद्यपि यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि यह सामान्य कार्यकारण भाव के आधार पर किसी शब्द के ज्ञान से किसी अर्थ की उपस्थिति अर्थात् घट पद के ज्ञान से पट की उपस्थिति होने लगेगी, तो इस के उत्तर में यह कहा जायगा कि विशेष सामग्री के

सहयोग से ही सामान्य सामग्री कार्य की जननी होती है-अर्थात् स्वतन्त्र रूप से केवल सामान्य सामग्री कार्यजनक नहीं होती, अतः कोई दोष नहीं होगा। तात्पर्य यह कि उक्त सामान्य कार्यकारणभाव में किसी खास शब्द तथा किसी खास अर्थ का नाम सन्निविष्ट नहीं रहने के कारण जो किसी पद के ज्ञान से किसी अर्थ की उपस्थिति हो जाने की बात कही जाती है वह इस लिए नहीं चल सकती है कि उक्त सामान्य कार्यकारण भाव तो कारगर होने के लिए उक्त विशेष कार्यकारण भाव के सहयोग की अपेक्षा है और उक्त विशेष कार्यकारण भाव में खास खास शब्द तथा खास खास अर्थ सन्निविष्ट रहता है।

यदि उक्त दो दो (सामान्य और विशेष) कार्यकारणभाव मानने में गौरव की आशङ्का की जाय, तब 'घट आदि पद और घटत्व ये दोनों जिस में प्रकार हों और घट रूप अर्थ जिस में विशेष्य हो ऐसी उपस्थिति के प्रति अभिधा आदि वृत्तिरूप संबन्ध से घट आदि अर्थ से विशिष्ट घट आदि पद का ज्ञान कारण है' इस तरह का एक ही (विशेषात्मक) कार्यकारण भाव माना जा सकता है।

[यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह संयोग आदि संबन्ध होते हैं, उसी तरह अभिधा आदि वृत्ति भी पद-पदार्थ का संबन्ध है और इस वृत्यात्मक संबन्ध से जैसे अर्थ शब्दविशिष्ट कहलाता है वैसे शब्द भी अर्थविशिष्ट कहलाता है, प्रथम स्थल में वृत्ति संबन्ध का नियामक संबन्ध होगा निरूपकता और द्वितीय स्थल में उसका नियामक संबन्ध होगा आश्रयता।]

इस तरह जब उपस्थिति में शब्द का अर्थ-विशेषण रूप में भासित होना कार्य-कारणभाव के आधार पर निश्चित हो गया तब शाब्दबोध में भी शब्द अर्थ के विशेषण रूप में भासित होगा ही क्योंकि पदार्थोपस्थिति और शाब्दबोध की समानाकारता होती है यह नियम सर्वमान्य है।

आप कहेंगे कि इस तरह से कार्यकारण के कार्य अंश और कारण अंश (दोनों अंशों) में शब्द का भी निवेश करने से गौरव होता है, क्योंकि इस स्थिति में कार्यता-वच्छेदक तथा कारणतावच्छेदक दोनों ही गुरुशरीर (बड़े) हो जाते हैं, तो बात ठीक है—यह गौरव अवश्य होता है, पर यह गौरव अनुभव से अनुमोदित है—प्रामाणिक है, अतः दोषाधायक नहीं कहला सकता है—यह गौरव सह्य करना ही पड़ेगा।

इस रहस्य को हृदय में रखकर ही भर्तृहरि ने—

'न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते॥

अर्थात् कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो बिना शब्द के अनुगम के हो। सब ज्ञान शब्द से अनुविद्ध सा ही प्रतीत होता है।' यह कहा है,

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे कारणमालाप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे कारणमालाप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगतकारणमाला का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां कारणमालाप्रकरणम्॥

एकावल्यलंकारनिरूपणप्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथैकावली—

एकावल्यलंकारो निरूपणीयतया प्रारब्धो बोध्य इति भावः ।

एकावली अलङ्कार का निरूपण अब प्रारब्ध होता है—

तावत्तल्लक्षणमाह—

सैव शृङ्खला संसर्गस्य विशेष्य-विशेषणभावरूपत्वे एकावली ।

प्रागुक्ता शृङ्खला एव तदा एकावली कथ्यते यदा शृङ्खलालक्षणनिविष्टः संसर्गः विशेष्य-विशेषणभावरूपो भवतीति भावः ।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—सैव इत्यादि ।

पूर्वोक्त शृङ्खला ही तब एकावली कहलाती है जब शृङ्खला के लक्षण में सामान्यतः कथित संबन्ध विशेष्य-विशेषण भाव रूप हो ।

एकावलीं विभजते—

सा च पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरं प्रति विशेष्यत्वे विशेषणत्वे चेति द्विधा । तत्राद्यो उत्तरोत्तरविशेषणस्य स्थापकत्वापोहकत्वाभ्यां द्वैविध्यम् ।

सा चेति । एकावली चेत्यर्थः । द्विधेति । पूर्व-पूर्वपदार्थः उत्तरोत्तरपदार्थस्य विशेष्यो यदा भवेत्तदेकः पूर्वपूर्वपदार्थः उत्तरोत्तरपदार्थस्य विशेषणं यदा भवेत्तदा च द्वितीयो भेद इति भावः । तत्राद्य इति । तयोर्भेदयोर्मध्ये उत्तरोत्तरं प्रति पूर्वपूर्वस्य विशेष्यत्वात्मके प्रथमे भेदे इत्यर्थः । द्वैविध्यमिति । तथा च संकलनया त्रयो भेदा एकावल्या इति भावः ।

एकावली के भेद किए जाते हैं—सा च इत्यादि ।

उस एकावली के प्रथमतः दो प्रकार होते हैं—उत्तर उत्तर पदार्थ के प्रति जब पूर्व पूर्व पदार्थ विशेष्य होता है तब प्रथम प्रकार और उत्तर उत्तर पदार्थ के प्रति जब पूर्व पूर्व प्रदार्थ विशेषण होता है तब द्वितीय प्रकार समझा जाता है। उन दोनों प्रकारों में से प्रथम प्रकार के भी दो अवान्तर प्रकार हो जाते हैं, क्योंकि विशेषणभूत उत्तरोत्तर पदार्थ कहीं स्थापक और कहीं अपोहक होता है। फलतः एकावली के कुल तीन भेद होते हैं।

स्थापकत्वापोहकत्वशब्दार्थौ विवृणोति—

स्वसंबन्धेन विशेष्यतावच्छेदकनियामकत्वं स्थापकत्वम् । स्वव्यतिरेकेण विशेष्यतावच्छेदकव्यतिरेकबुद्धिजनकत्वमपोहकत्वम् ।

यद्विशेषणं स्वसंबन्धेन विशेष्यतावच्छेदकं नियमयति तत्स्थापकं कथ्यते, यच्च स्वस्याभावेन विशेष्यतावच्छेदकाभावज्ञानमुत्पादयति तदपोहकं कथ्यत इति भावः ।

स्थापक तथा अपोहक शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया जाता है—स्वसंबन्धेन इत्यादि ।

उस विशेषण को स्थापक कहा जाता है जो अपने संबन्ध के द्वारा (अपनी स्थिति के द्वारा) विशेष्यतावच्छेदक (विशेष्यगत असाधारण धर्म) का नियमन करता है और अपोहक उस विशेषण को कहा जाता है जो अपने अभाव के द्वारा विशेष्यतावच्छेदक के अभाव के ज्ञान को उत्पन्न करता है।

उदाहर्तुमाह—

उदाहरणम्—

पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरं प्रति विशेष्यत्वे उदाहरणं यथेत्यर्थः ।

पूर्व-पूर्व का उत्तर-उत्तर के प्रति विशेष्य होने का उदाहरण, जैसे—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'स पण्डितो यः स्वहितार्थदर्शी हितं च तद्यत्र परानपक्रियाः ।
परे च ते ये श्रितसाधुभावाः सा साधुता यत्र चकास्ति केशवः ॥'

यः जनः, स्वहितार्थदर्शी स्वकीयं हितं पश्यतीति तच्छीलः, स जनः, पण्डितः अस्तीति शेषः, हितं, च, तत्, कथ्यत इति शेषः, यत्र कर्मणि, परानपक्रियाः परापकारभावाः, भवन्तीति भावः, ते च, परे परपदेनोच्यन्ते, ये, श्रितसाधुभावाः साधुत्वयुक्ताः, सन्तीति भावः, साधुता च, सा, कथ्यते, यत्र केशवः हरिः, चकास्ति भासत इत्यर्थः,

उदाहरण दिखलाया जाता है—स पण्डित इत्यादि ।

वह पण्डित है जो अपने हित को देखता है—समझता है, हित वह है जिसमें दूसरे का अपकार न हो, दूसरे वे हैं जो साधु भाव का आश्रयण कर चुके हों—अर्थात् जो सज्जन पुरुष हों और साधुता वह है जिसमें भगवान् हरि का भान हो ।

उपपादयति—

अत्र स्थापकम् ।

स पण्डितः—' इत्यस्मिन्पद्ये उत्तरमुत्तरं विशेषणं स्थापकम्, हितार्थदर्शित्वादेः पाण्डित्यादिनियामकत्वादिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'स पण्डितः—' इस पद्य में पूर्व-पूर्व विशेष्य है और उत्तर-उत्तर विशेषण । जैसे—'पण्डित' विशेष्य है और 'हितार्थदर्शी' विशेषण इसी तरह आगे भी समझना चाहिए । और यहां के उत्तरोत्तर विशेषण स्थापक हैं, क्योंकि स्वहितार्थदर्शित्व के सबन्ध से पाण्डित्य की परापकाराभाव के योग से हितत्व की (इस तरह आगे भी) स्थिति नियत होती है ।

अपोहकं विशेषणमुदाहरति—

'नार्यः स यो न स्वहितं समीक्षते न तद्धितं यत्र परानुतोषणम् ।
न ते परे यैर्न हि साधुताऽऽश्रिता न साधुता सा न हि यत्र माधवः ॥

यः, स्वहितम् , न समीक्षते न विचारयति, सः आर्यः, आर्यजातीयः सत्पुरुष इति यावत्, न, अस्तीति शेषः, यद्वस्तु, परानुतोषणम् परेषां तोषकरम् न तत् , हितं हितकरम्, न, भवतीति शेषः, ते जनाः, परे परपदवाच्याः, न, यैः, साधुता, न, आश्रिता, सा, साधुता, न, यत्र, माधवः हरिः, न, भातीत्यर्थः ।

अपोहक विशेषण का उदाहरण दिया जाता है—नार्यः इत्यादि ।

वह आर्य (सत्पुरुष) नहीं है जो दूसरे को संतोष न दे, वे दूसरे नहीं हैं जिनने साधुता का आश्रयण नहीं किया और वह साधुता नहीं है जिनमें भगवान् माधव का भान न हो ।

उपपादयति—

अत्रापोहकं पूर्व-पूर्वस्योत्तरोत्तरम् ।

'नार्यः—' इत्यस्मिन्पद्ये पूर्व-पूर्वस्यार्यादेरुत्तरोत्तरं स्वहितसमीक्षणादिकं विशेषणम्, तच्चापोहकम् स्वाभावद्वाराऽऽर्यत्वादिविशेष्यतावच्छेदकाभावबुद्धिजनकत्वादिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'नार्यः—' इस पद्य में पूर्व-पूर्व (आर्य आदि) का उत्तर-उत्तर (स्वहित-समीक्षा आदि) अपोहक विशेषण है, क्योंकि स्वहित-समीक्षा आदि के अभाव से आर्यत्व आदि विशेष्यतावच्छेदक के अभाव का ज्ञान होता है ।

स्थापकत्वापोहकत्वयोः साङ्कर्यमाशंक्य समाधत्ते—

यद्यपि स्थापकेऽप्यपोहकत्वं गम्यते यो न स्वहितार्थदर्शी स न पण्डित इत्यादि तथा अपोहकेऽपि स्थापकत्वम् यो हितं समीक्षते स आर्य इत्यादि, तथापि शब्देन नोच्यत इत्यदोषः ।

स्थापकत्वमिति । गम्यत इत्यनुषङ्गः । अदोष इति । स्थापकेऽपोहकत्वस्यापोहके स्थापकत्वस्य च व्यङ्ग्यत्वमस्ति, तथा च विशेषणस्य स्थापकत्वापोहकत्वाभ्यां भेदो न युक्त इति शङ्कायाः, वाच्यं स्थापकत्वमेकत्रैव, न परत्र, एवं वाच्यमपोहकत्वमपि एकत्रैव, नान्यत्रेति वाच्याभ्यां ताभ्यां भेदो युक्त एवेति समाधानमिति भावः ।

स्थापकत्व तथा अपोहकत्व के साङ्कर्य की आशङ्का तथा उसका समाधान किए जाते हैं—यद्यपि इत्यादि ।

यद्यपि स्थापक में भी अपोहकता प्रतीत होती है, जैसे-प्रथम उदाहरण में 'जो अपने हित को नहीं समझता वह पण्डित नहीं है' इत्यादि, इसी तरह अपोहक में भी यद्यपि स्थापकता प्रतीत होती है, जैसे-दूसरे उदाहरण में 'जो हित की समीक्षा करता है वह आर्य है' इत्यादि, तथापि प्रतीत होने वाली अपोहकता और स्थापकता शब्द से उक्त नहीं होती, अतः कोई दोष नहीं ।

तात्पर्य यह कि स्थापक में अपोहकता तथा अपोहक में स्थापकता व्यङ्ग्य होती है, वाच्य नहीं और एकावली के भेद जो किए गए हैं-वह वाच्य स्थापकता तथा अपोहकता के आधार पर, अतः कोई क्षति नहीं होती है ।

पूर्वपूर्वस्य विशेषणत्वे जायमानामेकावलीमुदाहरति—

'धर्मेण बुद्धिस्तव देव शुद्धा बुद्ध्या निबद्धा सहसैव लक्ष्मीः ।
लक्ष्म्या च तुष्टा भुवि सर्वलोका लोकैश्च नीता भुवनेषु कीर्तिः ॥'

हे देव !, तव, बुद्धिः, धर्मेण धर्माचरणेनेति भावः, शुद्धा दोषरहिता, अस्तीति शेषः, बुद्धया, च, तव, लक्ष्मीः, सहसैव अकस्मादेव, निबद्धा निगडिता स्थिरीकृतेति यावत, तव, लक्ष्म्या, च, भुवि संसारे, सर्वलोकाः सर्वे जनाः, तुष्टाः संतोषमुपगताः, लोकैश्च, भुवनेषु, तव, कीर्तिः, नीता प्रापितेत्यर्थः ।

पूर्व-पूर्व के विशेषण होने पर होने वाली एकावली का उदाहरण दिया जाता है—धर्मेण इत्यादि ।

हे देव ! आपकी बुद्धि धर्म से शुद्ध है, बुद्धि के द्वारा लक्ष्मी सहसा बाँध ली गई है,

लक्ष्मी के द्वारा संसार में सब लोग संतुष्ट हैं और लोग आपकी कीर्ति को सर्वत्र फैला दिए हैं।

उपपादयति—

अत्र पूर्वेण पूर्वेण स्वाऽव्यवहितमुत्तरोत्तरं विशेष्यते।

'धर्मेण—' इत्यस्मिन्पद्ये धर्म-बुद्ध्यादिना पूर्व-पूर्वनिर्दिष्टेन बुद्धि-लक्ष्म्यादिरुत्तरोत्तर-निर्दिष्टः पदार्थः विशेष्यत इति भवत्यत्रैकावलीति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'धर्मेण—' इस पद्य में पूर्व-पूर्व से उत्तर-उत्तर विशिष्ट बनाया गया है—अर्थात् यहाँ पूर्व-पूर्व विशेषण और उत्तर-उत्तर विशेष्य हैं। जैसे—धर्म विशेषण बुद्धि विशेष्य, फिर बुद्धि विशेषण लक्ष्मी विशेष्य इत्यादि।

विशेषमाह—

अस्मिंश्चैकावल्या द्वितीये भेदे पूर्वपूर्वैः परस्य परस्योपकारः क्रियमाणो यद्येकरूपः स्यात्तदायमेव मालादीपकशब्देन व्यवह्रियते प्राचीनैः। तथा चोक्तम्—'मालादीपकमाद्यं चेद्यथोत्तरगुणावहम्' इति। तत्र मालाशब्देन श्रृङ्खलोच्यते दीपकशब्देन दीप इवेति व्युत्पत्त्या एकदेशस्थं सर्वोपकारकमुच्यते। तेनैकदेशस्थसर्वोपकारकक्रियादिशालिनी श्रृङ्खलेति पदद्वयार्थः। एवं च दीपकालङ्कारप्रकरणे प्राचीनैरस्य लक्षणाद्दीपकविशेषोऽयमिति न भ्रमितव्यम्, तस्य सादृश्यगर्भतायाः सकलालङ्कारिकसिद्धत्वात्। इह च श्रृङ्खलावयवानां पदार्थानां सादृश्यमेव नास्तीति कथंकारं दीपकतावाचं श्रद्धीमहि। तेषां प्रकृताप्रकृतात्मकत्वविरहाच्च। विवेचितं चेदं सोदाहरणं दीपकप्रकरणेऽस्माभिरिति नेहातीवायस्यते। एतेन 'दीपकैकावलीयोगान्मालादीपकमिष्यते' इति यदुक्तं कुवलयानन्दकृता तद्भ्रान्तिमात्रविलसितमिति सुधीभिरालोचनीयम्।

प्राचीनैरिति। पूर्वं पूर्वं विशेषणं यद्युत्तरोत्तरस्य विशेष्यस्यैकरूपेणोपकारकं भवति तदा-मालादीपकनामकोऽलङ्कार इति प्राचीनाशयः। उदाहृतं च तैः 'संग्रामाङ्गणमागतेन—' इति पद्यम्। अत्र हि कोदण्डेन शरा आसादिताः, शरैः अरिशिरः आसादितम्' इत्यादि रूपेण पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरं प्रत्युपकारत्वं वर्णितम्, तच्चोपकारत्वमासादनक्रियात्मकेनैकेन रूपेणेति यथोक्तलक्षणसङ्गतिः, तस्येति। दीपकस्येत्यर्थः। इह चेति। 'कोदण्डेन शराः—' इत्यादौ चेत्यर्थः। पदार्थानामिति। कोदण्ड-शरारिशिरोभूमण्डलादीनामित्यर्थः। तेषामिति, कोदण्डादीनां श्रृङ्खलावयवानां पदार्थानामित्यर्थः। प्रकृताप्रकृत इति। एकं प्रकृतमपरमप्रकृतमित्याकारः प्रकृताप्रकृतभावो न भवतीति भावः, मालादीपकशब्देन प्राचीनैर्व्यवहृतः पदार्थो वस्तुत एकावल्या द्वितीय भेद एव, न दीपिकालङ्कारप्रभेदः, दीपकस्य सादृश्यगर्भत्वात् प्रस्तुताप्रस्तुतपदार्थघटितत्वाच्च इह च तथात्वाभावादिति सारांशः। एतेनेति। व्याख्यानेनेत्यर्थः। भ्रान्तिमात्रविलसितमिति पूर्वोक्तरीत्या दीपकयोगस्य तत्रासंभवात् तथा कथनं भ्रान्तिविलास इति भावः। अत्र 'तत्रापि ('दीपकैकावलीयोगात्—' इति लक्षणेऽपि) दीपकशब्दस्योपकारकपरत्वम्। अत एव तैर्दीपकप्रकरणात्पृथगेकावल्युत्तरमुक्तोऽयमित्येतदुक्तिरेव भ्रान्ता।" इति नागेशः।

एक स्पष्टीकरण किया जाता है—अस्मिंश्च इत्यादि।

'पूर्व-पूर्व विशेषण के द्वारा उत्तर-उत्तर को विशिष्ट बनाना' यह जो एकावली का द्वितीय प्रकार अभी अभी लिखा गया है उसमें पूर्व-पूर्व के द्वारा किया जाता हुआ उत्तरोत्तर का उपकार यदि एक रूप हो तब इस एकावली के द्वितीय प्रकार को ही प्राचीनों ने मालादीपक शब्द से व्यवहृत किया है। जैसा कि काव्यप्रकाशकार ने कहा है—'मालादीपकम्—अर्थात् यदि पूर्व-पूर्व उत्तर-उत्तर का उपकार करे तो 'मालादीपक' होता है।

'मालादीपक' शब्द में 'माला' शब्द का अर्थ है 'श्रृङ्खला' और 'दीप इव (दीप जैसा)' इस व्युत्पत्ति के अनुसार दीपक शब्द का अर्थ है 'दीप के समान-अर्थात् जो एक स्थान पर स्थित रह कर सब का उपकार करे' जैसा कि दीपक करता है। इस तरह से मालादीपक शब्द का संमिलित अर्थ हुआ एकदेश में रह कर भी 'सर्वोपकारक क्रियादि से शोभित होने वाली श्रृङ्खला'।

इस तरह जब यह सिद्ध हो गया कि मालादीपक विशेष्य-विशेषणभावापन्न श्रृङ्खला ही है, तब प्राचीनों के द्वारा दीपक अलङ्कार के प्रकरण में लक्षण बना देने भर से यह (मालादीपक) दीपकालङ्कार का एक प्रकार विशेष है ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीपक को सभी आलङ्कारिक सादृश्यमूलक अलङ्कार मानते हैं और यहाँ श्रृङ्खला के अवयवभूत पदार्थों में परस्पर सादृश्य ही नहीं रहता है ऐसी स्थिति में दीपकालङ्कार वाली बात कैसे श्रद्धेय हो सकती है। दूसरी बात यह भी है कि श्रृङ्खला के अन्तर्गत आए हुए पदार्थों में प्रस्तुताप्रस्तुतभाव नहीं होता-अर्थात् उनमें सबके सब प्रस्तुत ही रहते हैं अथवा सबके सब अप्रस्तुत ही और दीपकालङ्कार में कुछ पदार्थ प्रस्तुत और कुछ अप्रस्तुत रहते हैं। ग्रन्थकार दीपकालङ्कार के प्रकरण में इन बातों का विवेचन उदाहरण सहित कर चुके हैं, अतः यहाँ पुनः अधिक आयास इस प्रसङ्ग पर नहीं किया जाता है।

इस से यह भी सिद्ध हो गया कि कुवलयानन्दकार अप्पय दीक्षित जी ने जो 'दीपकैकावलीयोगात्—अर्थात् दीपक और एकावली के योग से मालादीपक बनता है।' ऐसा कहा, वह केवल भ्रान्ति का विलास है। इस पर विद्वानों को विचार करना चाहिए।

तात्पर्य यह निकला कि-कुछ विद्वानों ने जो मालादीपक नाम का एक स्वतन्त्र अलङ्कार माना, उसका स्वतन्त्र लक्षण बनाया, 'संग्रामाङ्गणमागतेन—' इत्यादि पद्य को उसके उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया, वह सब भ्रान्तिमूलक है, क्योंकि वह एकावली के पूर्वोक्त द्वितीय प्रभेद में गतार्थ है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधर एकावलीप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे एकावल्यलङ्कारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत एकावली अलङ्कार का निरूपण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामेकावलीप्रकरणम्॥

सारालङ्कारनिरूपणप्रारम्भं प्रतीजानीते—

अथ सारः—

सारालङ्कारो निरूपणीयतयाऽऽरब्धो बोध्य इति भावः।

अब 'सार' अलङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

सैव संसर्गस्योत्कृष्टाप्रकृष्टभावरूपत्वे सारः ॥

सैवेति । शृङ्खलैवेत्यर्थः । उत्कृष्टापकृष्टभावरूप-संसर्गघटिता पूर्वोक्ता शृङ्खलैव सारालङ्कार इति भावः ।

पूर्वोक्त शृङ्खला ही संसर्ग के उत्कृष्टा-पकृष्टभाव रूप होने पर सार कहलाती है।

भेदं सूचयति—

तत्रापि पूर्वपूर्वापेक्षयोत्तरोत्तरस्योत्कर्षापकर्षाभ्यां द्वैविध्यम् ।

सारस्य द्वौ प्रकारौ भवतः । तत्र पूर्वपूर्वापेक्षयोत्तरोत्तरस्योत्कर्षे एकः, पूर्वपूर्वापेक्षयोत्तरोत्तरस्यापकर्षे च द्वितीयः प्रकार इति भावः ।

भेद किए जाते हैं—तत्रापि इत्यादि ।

सार अलङ्कार के दो प्रकार होते हैं—एक पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर के उत्कृष्ट होने पर और दूसरा पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर के अपकृष्ट होने पर।

उदाहरणन्निर्दिशति—

'संसारे चेतनास्तत्र विद्वांसस्तत्र साधवः ।
साधुष्वपि स्पृहाहीनास्तेषु धन्या निराशयाः ॥'

संसारे, चेतनाः चैतन्यवन्तः प्राणिनः, धन्याः धन्यवादार्हाः प्रशस्या इति यावत्, सन्तीति शेषः, एवमग्रेऽपि, तत्र चेतनेषु, विद्वांसः पण्डिताः, धन्याः, तत्र विद्वत्सु, साधवः, धन्याः, साधुष्वपि, स्पृहाहीनाः निरीहाः, धन्याः, तेषु स्पृहाहीनेषु, निराशयाः निर्वासनाः, धन्या इत्यर्थः । अत्र पूर्वपूर्वापेक्षयोत्तरोत्तरस्योत्कृष्टत्वम् ।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—संसारे इत्यादि ।

संसार में चेतन प्राणी, चेतन प्राणियों में विद्वान्, विद्वानों में साधुपुरुष, साधु पुरुषों में भी निस्पृहजन और निस्पृहजनों में वासनाविहीन जन धन्य हैं।

यहाँ पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तर-उत्तर की उत्कृष्टता स्पष्ट ही है।

सारस्यान्यमतसिद्धं भेदं विधत्ते—

इमं चालङ्कारमेकानेकविषयत्वेन पुनर्द्विविधमामनन्ति । एकविषयतायामवस्थादिभेदाश्रयणमावश्यकम् । उत्कर्षापकर्षयोर्भेदनियतत्वात् । नह्यवस्थादिभेदकं विना किंचिदपि वस्तु स्वापेक्षया स्वयमधिकं न्यूनं वा भवितुं प्रभवति ।

इममिति । सारमित्यर्थः । एकानेकविषयत्वेनेति । क्वचिदेकस्मिन्नेव पदार्थे उत्कृष्टत्वमपकृष्टत्वञ्च, क्वचिच्चोत्कृष्टत्वमेकस्मिन् अपकृष्टत्वञ्चापरस्मिन् पदार्थे इति भावः । एकविषयत्वस्य संभावनां स्फुटीकरोति—एकविषयतायामिति । अवस्थेति । बाल्य-यौवनादीत्यर्थः । कुतस्तदावश्यकमित्याह—उत्कर्षापकर्षयोरिति । भेदनियतत्वादिति । भेदव्याप्तत्वादित्यर्थः, भेदे सत्येवोत्कर्षापकर्षभावो भवितुमर्हति, नैकस्मिन् वस्तुनीति भावः, एतदेव स्फुटयति—न हीति ।

परमत के अनुसार सार का भेद दिखलाया जाता है—इमम् इत्यादि ।

सारालङ्कार के पुनः दो भेद कहे जाते हैं—एक एक-विषयक और दूसरा अनेक-

विषयक। एक-विषयक साराल‌ङ्कार में अवस्था आदि के भेद का आश्रयण करना आवश्यक है, क्योंकि उत्कर्ष और अपकर्ष भेद नियत हैं—अर्थात् भेद के बिना नहीं हो सकते हैं।

अभिप्राय यह कि अवस्था आदि भेदक धर्म के बिना कोई भी वस्तु अपनी अपेक्षा स्वयं न्यून किंवा अधिक नहीं हो सकती है।

उदाहर्तुमाह—

एकविषय उत्तरोत्तरोत्कर्षो यथा—

एकस्मिन्नेव वस्तुनि वर्तमान उत्तरोत्तरोत्कर्षो यथेत्यर्थः।

एक ही वस्तु में होने वाला क्रमिक उत्कर्ष, जैसे—

उदाहरणमुल्लिखति—

'जम्बीरश्रियमतिलङ्घ्य लीलयैव,
व्यानम्रीकृतकमनीयहेमकुम्भौ।
नीलाम्भोरुहनयनेऽधुना कुचौ ते
स्पर्धेते खलु कनकाचलेन सार्धम् ॥'

हे नीलाम्भोरुहनयने नीलकमलनेत्रे, ते तव, कुचौ स्तनद्वयम्, लीलयैव क्रीडयैव अनायासेनेति यावत्, जम्बीरश्रियम् जम्बीरशोभाम्, अतिलङ्घ्य अतिक्रम्य विजित्येति यावत्, व्यानम्रीकृतौ विजिताविति भावः, कमनीयौ सुन्दरौ, हेमकुम्भौ सुवर्णघटौ याभ्यां तादृशौ, सन्तौ, अधुना, खलु निश्चयेन, कनकाचलेन सुवर्णपर्वतेन, सार्धम् सह, स्पर्धेते स्पर्धां कुरुतः, तुलां विदधाते इत्यर्थः।

उदाहरण दिया जाता है—जम्बीर इत्यादि।

हे नीलकमललोचने! तेरे स्तनों ने लीला से ही (अनायास ही) जम्बीरी निम्बू की शोभा को जीत कर सुन्दर सुवर्ण-घटों को नीचा दिखाया और अब वे निश्चय ही कनकाचल के साथ स्पर्धा कर रहे हैं।

उपपादयति—

अत्र पूर्वपूर्वावस्थाविशिष्टाभ्यां कुचाभ्यामुत्तरोत्तरावस्थाविशिष्टयोस्तयोरेवोत्कर्ष इत्येकविषयत्वम्। यद्यपि परिमाणभेदेन द्रव्यभेदोऽपि मतविशेषे शक्यते, वक्तुम्, तथापि कुचत्वेनाभेदाश्रयणेन तत्राप्येकविषयत्वं सूपपादम्। यदि च वक्ष्यमाण एकाश्रये क्रमेणानेकाधेयस्थितिरूपः पर्यायोऽत्र प्रतीयते तदा सोऽप्यस्तु। नहि तेन पूर्वपूर्वापेक्षयोत्तरोत्तरोत्कर्षरूपः सारोऽन्यथासिद्धः शक्यः कर्तुम्।

अत्रेति। 'जम्बीरश्रियम्—' इति पद्य इत्यर्थः। तयोरेवेति। कुचयोरेवेत्यर्थः। जम्बीरश्रीविजेतृत्वावस्थाविशिष्टकुचापेक्षया सुवर्णकुम्भनिम्नताकारित्वावस्थाविशिष्टौ कुचावुत्कृष्टौ तदपेक्षयापि कनकाचलस्पर्धाकारित्वावस्थाविशिष्टौ तावुत्कृष्टावित्येकस्यैव कुचपदार्थस्यावस्थाभेदेनोत्तरोत्तरोत्कर्षवर्णनेन भवत्यत्रैकविषयः सारालंकार इति भावः। आशङ्कते—यद्यपीति। परिमाणेति। कुचगतलघुत्वमहत्त्वादिकेत्यर्थः। द्रव्येति। कुचरूपेत्यर्थः।

मतविशेष इति । न्यायमत इत्यर्थः । वक्तुमिति । तथा चैकविषयत्वव्याघात इति भावः । समाधत्ते—तथापीति । परिमाणभेदेन द्रव्यभेदेऽपीत्यर्थः । कुचत्वेनाभेद इति । स्वतो द्रव्यभेदेऽपि जात्यभेदेन द्रव्याभेद इति भावः । शङ्कान्तरमुत्थापयति—यदि चेति । समाधत्ते—सोऽप्यस्त्विति । एकस्मिन्नाश्रये क्रमशो यद्यनेकस्याधेयस्य स्थितिर्भवेत्तदा तत्र पर्यायालङ्कार इत्यग्रे वक्ष्यते, तथा च तदनुसारेण 'जम्बीर–' इत्यस्मिन् श्लोके पर्यायालङ्कारः प्रसक्तः, कुचरूपे एकस्मिन्नाश्रये क्रमशः जम्बीरसाम्य–घटसाम्य–कनकाचलसाम्यानाम् स्थितेर्वर्णनादिति चेत्सत्यम् परन्तु न तावता पूर्वपूर्वापेक्षयोत्तरोत्तरोत्कर्परूपस्य सारालङ्कारस्य स्थितौ काचिद् बाधेति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'जम्बीर—' इस पद्य में पूर्वपूर्व अवस्था युक्त कुचों की अपेक्षा उत्तरोत्तर अवस्थायुक्त कुचों का ही वर्णन किया गया है, अतः (वर्णन का विषय केवल कुच होने से) यह एकविषयक सारालङ्कार है ।

यद्यपि किसी दार्शनिक (नैयायिक) के मत में परिमाण (लघुता-महत्ता) के भेद से द्रव्य (कुच) का भी भेद कहा जा सकता है, तथापि (उस मत के अनुसार भी) 'कुचत्व' जातिमूलक अभेद का आश्रयण से एकविषयता का उपपादन सुन्दर रीति से किया जा सकता है । अभिप्राय यह कि जो लोग जम्बीराकार कुच से घटाकार कुच को और घटाकार कुच से पर्वताकार कुच को छोटापन, बड़प्पन के आधार पर भिन्न मानेंगे और इसीलिए यहाँ एक कुच का नहीं, अपि तु अनेक कुचों का वर्णन होने से एकविषयता का खण्डन करना चाहेगें, उनसे यह कहा जायगा कि बात ठीक है, इस तरह वस्तुतः कुच भिन्न हो जाते हैं, किन्तु सब कुचों में 'कुचत्व' जाति तो एक ही रहती है, बस, उसी के आधार पर सब कुचों को एक मानकर एकविषयता की रक्षा हो जायगी ।

यदि यह कहा जाय कि यहां पर्यायालङ्कार, जिसका 'एक आधार में क्रमशः अनेक आधेय की स्थिति' यह लक्षण आगे किया गया है, प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ कुचरूप एक आधार में निम्बू की शोभा का अतिक्रमण, सुवर्ण घटों का न्यक्करण और कनकाचल के साथ स्पर्धा इन तीन आधेयों की क्रमशः स्थिति वर्णित है, तो बात ठीक है, पर्यायालङ्कार भी यहाँ रहे, पर उस से पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तरोत्कर्ष रूप सारालङ्कार अन्यथासिद्ध नहीं किया जा सकता । तात्पर्य यह कि ऐसे स्थल पर दोनों का अङ्गाङ्गिभावरूप संकर होगा ।

प्रकारान्तरमुदाहर्तुमाह—

अनेकविषयः स एव यथा—

स एवेति । सारालंकार एवेत्यर्थः ।

अनेकविषयक सारालङ्कार, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'गिरयो गुरवस्तेभ्योऽप्युर्वी ततोऽपि जगदण्डम् ।
जगदण्डादपि गुरवः प्रलयेऽप्यचला महात्मानः ॥'

गिरयः पर्वताः, गुरवः महान्तः, सन्ति, तेभ्योऽपि, उर्वी पृथ्वी, गुर्वी, विद्यते, ततोऽपि उर्वीतोऽपि, जगदण्डम् ब्रह्माण्डम् , गुरु, वर्तते, जगदण्डादपि, प्रलयेऽपि अचलाः विपत्कालेऽपि अचञ्चलाः, महात्मानः महापुरुषाः, गुरवः महान्तः, सन्तीत्यर्थः ।

अत्र क्रमिकोत्कर्षाधारभूतानां पृथ्वीजगदण्डादीनाम् मिथो भिन्नतयाऽऽनेकविषयत्वं सारस्य स्फुटमेवेति बोध्यम् ।

उदाहरण उपस्थित किया है—गिरयो इत्यादि ।

पर्वत महान् हैं, पर्वतों से भी पृथिवी महती है, पृथिवी से भी ब्रह्माण्ड महान् है, और प्रलय (विपत्तिकाल) में भी अचल रहने वाले महात्मा ब्रह्माण्ड से भी महान् हैं ।

यहां क्रमिक उत्कर्ष के आधार पृथिवी आदि एक दूसरे से भिन्न वस्तु हैं, अतः यह अनेकविषयक सारालङ्कार का उदाहरण होता है ।

अस्यालङ्कारस्य प्राचीनतां सूचयन्नाह—

वेदेऽप्ययमलङ्कारो दृश्यते—

यह सारालङ्कार वेद में भी देखा जाता है—'

वेदोक्तं सारोदाहरणमुद्धरति—

'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः ।
पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥'

महतः महत्तत्त्वात्, अव्यक्ततत्त्वम् प्रकृतितत्त्वमिति यावत्, परम् उत्कृष्टम्, अस्तीति शेषः, अव्यक्तात्, पुरुषः पुष्करपलाशवन्निर्लेपः साक्षी पुरुषः, ब्रह्मेति यावत्, परः उत्कृष्टः, पुरुषात् न किञ्चित् परम् श्रेष्ठम्, अस्ति, सा परा काष्ठा, पुरुष एवान्तिममर्यादाभूतः सा परा गतिः पुरुष एव परमगतिः चरमं लक्ष्यमित्यर्थः ।

वेदोक्त उदाहरण उद्धृत किया जाता है—महतः इत्यादि ।

महत्तत्व (मन) से अव्यक्त (प्रकृति तत्व) श्रेष्ठ है, अव्यक्त से पुरुष (प्रकृति के कार्यों का द्रष्टा स्वयमुदासीन रहने वाला साक्षी ब्रह्म) श्रेष्ठ है, पुरुष से श्रेष्ठ कुछ नहीं है वह पुरुष ही अन्तिम मर्यादा है और वही (पुरुष ही) परम गति है (जीवों का चरम लक्ष्य है) ।

लौकिकोदाहरणापेक्षयाऽस्मिन्वैदिक उदाहरणे वैलक्षण्यं स्फुटयति—

पूर्वं गुणकृत उत्कर्षः इह तु स्वरूपमात्रकृत इति विशेषः ।

'गिरयो गुरवः—' इत्यादिषु लौकिकेपूदाहरणेषु गुरुत्वादिगुणकृत उत्तरोत्तरोत्कर्षः, 'महतः परम्—' इत्यस्मिन्वैदिक उदाहरणे तु अव्यक्तापेक्षया पुरुषे वर्तमान उत्कर्षः स्वरूपमात्रकृतो, न गुणकृत इति भावः ।

पूर्वोक्त लौकिक उदाहरण की अपेक्षा इस वैदिक उदाहरण में विलक्षणता सूचित की जाती है—पूर्वम् इत्यादि ।

'गिरयो गुरवः—' इत्यादि उदाहरणों में गुरुत्व आदि गुणमूलक उत्तरोत्तर उत्कर्ष है और 'महतः परम्—' इस उदाहरण में अव्यक्त से पुरुष का उत्कर्ष केवल स्वरूपकृत है, गुणकृत नहीं यही अन्य उदाहरणों से इस उदाहरण में अन्तर है ।

आशंक्य समाधत्ते—

न चात्र गुणकृत उत्कर्षो वाच्यः । पुरुषस्य निर्गुणत्वेनाभ्युपगमात् । न च तत्रापि विनाशरहितत्वादिर्गम्यमानो गुण उत्कर्षक इति वाच्यम् । तस्य तादृशाधिकरणभिन्नत्वे मानाभावात् ।

अत्रेति । 'महतः परम्—' इत्यस्मिन्नुदाहरण इत्यर्थः । अभ्युपगमादिति । पुरुषो· निर्गुणः स्वीक्रियते तथा च तस्मिन्गुणकृत उत्कर्षो न वक्तुं योग्य इति भावः, पुनराशङ्कते—न च तत्रापीति । पुरुषेऽपीत्यर्थः । वाच्यमिति । प्रतीयमान-विनाशराहित्यादिगुण-कृत एवोत्कर्षः पुरुषेऽपीति न वाच्यमिति भावः । तत्र हेतुमाह—तस्येति । विनाशरहितत्वादेरित्यर्थः । तादृशाधिकरणेति । निर्गुणपुरुषरूपाधिकरणेत्यर्थः ।

एक आशङ्का और उसका समाधान उपस्थित किए जाते हैं—न च इत्यादि ।

'महतः परमव्यक्तम्—' इस उदाहरण में गुणकृत उत्कर्ष नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पुरुष (ब्रह्म) को निर्गुण माना गया है ।

यदि आप कहें कि पुरुष में भी विनाश-राहित्य आदि गुण अभिव्यक्त होता ही है, अतः अभिव्यक्त होने वाले उस विनाश-राहित्य आदि गुण के कारण ही पुरुष का उत्कर्ष कहना चाहिए तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि विनाश-राहित्यादिक गुण को पुरुष से भिन्न मानने में कोई प्रमाण नहीं है । अभिप्राय यह कि जब पुरुष शास्त्रतः निर्गुण सिद्ध होते हैं तब उनमें आपाततः-प्रतीत होने वाले गुण (धर्म) को धर्मी-स्वरूप पुरुषरूप ही माना जायगा ।

प्रकारान्तरोदाहरणस्य स्वयमूहनीयत्वं व्यवस्थापयति—

अनयैव दिशापकर्षोऽप्युदाहार्यः ।

यया रीत्या पूर्वपूर्वापेक्षयोत्तरोत्तरस्योत्कर्ष उदाहृतः तयैव रीत्या पूर्वपूर्वापेक्षयोत्तरोत्तरस्यापकर्षोऽपि उदाहर्तुम् शक्य एवेति भावः ।

जिस तरह उत्कर्ष के उदाहरण दिए गए हैं उसी तरह अपकर्ष के भी उदाहरण समझने चाहिए ।

सारस्य शृङ्खलारूपत्वं विविच्य खण्डयति—

इदं तु बोध्यम्—एकविषये शृङ्खलाया अचारुत्वात्तदनुप्राणितः सारो न चारुतां धत्ते । तस्याः स्वाभाविकभेदापेक्षत्वेनावस्थादिकृतेऽनुल्लासात् । अत एवास्मिन्विषये वर्धमानकालङ्कारोऽन्यैरङ्गीकृतः । तल्लक्षणं च 'रूपधर्माभ्यामाधिक्ये वर्धमानकम्' इति कृतम् । तस्मात्कारणमालादिर्यथा शृङ्खलैकविषयः, न तथा सारः शक्यो वक्तुम् एकविषयेऽलङ्कारान्तराभ्युपगमप्रसङ्गात् । 'गुणस्वरूपाभ्यां पूर्व-पूर्व-वैशिष्ट्ये सारः' इति तु लक्षणं सारस्य युक्तम् । स च क्वचिच्छृङ्खलानुप्राणितः, क्वचित्स्वतन्त्र इत्यनेकविषयत्वमेकविषयत्वं च सुस्थम् ।

तदनुप्राणित इति । शृंखलानुप्राणित इत्यर्थः । तस्या इति । शृंखलाया इत्यर्थः । अत एवेति । अवस्थादिकृतभेदे स्वाभाविकभेदापेक्षिशृङ्खलाया अनुल्लासादेवेत्यर्थः । अस्मिन्विषय इति । अवस्थाभेदेन स्वापेक्षया स्वस्योत्कर्ष इत्यर्थः । अन्यैरिति । आलङ्कारिकैरिति शेषः । ननु किं वर्धमानकलक्षणमिति चेत्तत्राह—तल्लक्षणं चेति । 'रूपधर्माभ्याम्—' इति । एकस्यैव वस्तुनः रूपेण धर्मेण वा पूर्वापेक्षयाऽऽधिक्ये वर्धमानकनामालङ्कार इति भावः, प्रसङ्गादिति । तथा च यद्येकविषयेऽपि सारालङ्कार एवेष्टो न वर्धमानकनामा कश्चनाभिनवोऽलङ्कारस्तदा कारणमालादिवत्सारस्य शृङ्खलामात्रविषयकत्वं न स्वीकार्यमिति भावः । ननु सारस्य लक्षणं तर्हि किं विधेयमिति चेत्तत्राह—'गुणस्वरूपाभ्याम्-' इति । पूर्वपूर्ववैशिष्ट्य

इति। पूर्वस्मात् पूर्वस्मात् वैशिष्टय इत्यर्थः। तथा च पूर्वपूर्वापेक्षयोत्तरोत्तरस्योत्कर्षे सार इति फलितम्। स चेति। सारश्चेत्यर्थः। सुस्थमिति। अनेकविषयत्वे शृंखलानुप्राणितः, एकविषयत्वे च स्वतन्त्रः, वर्धमानकं न कश्चिदलङ्कार इति सारांशः।

सार की शृंखलारूपता पर विचार किया जाता है—इदं तु इत्यादि।

सारालङ्कार के संबन्ध में यह समझना चाहिए कि—एक विषय में शृंखला सुन्दर नहीं होती, अतः ऐसी शृङ्खला से अनुप्राणित सार भी सुन्दर नहीं हो सकता। वास्तविकता तो यह है कि-शृङ्खला स्वाभाविक भेद की अपेक्षा रखता है, अतः अवस्थादिकृत भेद में उसका (शृंखला का) उल्लास ही नहीं हो सकता है। इसी लिए इस विषय में (अवस्थादिकृत भेद मान कर एक ही वस्तु का पूर्वपूर्वापेक्षया उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णित होने पर) अन्य आलङ्कारिकों ने वर्धमानक नाम का एक नवीन अलङ्कार माना है और 'रूपधर्माभ्याम्—अर्थात् एक ही वस्तु में रूप अथवा धर्म के कारण यदि उत्तरोत्तर आधिक्य (उत्कर्ष) वर्णित हो तो वर्धमानक होता है' ऐसा उसका लक्षण बनाया है।

अतः कारणमाला आदि का जिस तरह एकमात्र शृङ्खला ही विषय है, उस तरह सार का भी विषय केवल शृंखला है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा मानने से एक विषय में, जहां शृंखला हो नहीं सकती, अन्य अलङ्कार (वर्धमानक) मानना पड़ जायगा।

फलतः सार का लक्षण 'गुणस्वरूपाभ्याम्-अर्थात् गुण अथवा स्वरूप के द्वारा पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर के विशिष्ट होने पर सार अलङ्कार होता है' ऐसा ही बनाना उचित है।

और वह सार कहीं शृङ्खला से अनुप्राणित होता है तथा कहीं स्वतन्त्र होता है, सो इस तरह अनेकविषयता और एकविषयता दोनों ठीक बैठ जाती हैं। अभिप्राय यह कि सार का यह नूतन लक्षण अनेकविषय एकविषय-दोनों ही स्थलों पर संघटित होगा, उन में से अनेकविषयक स्थल वाले उदाहरण में शृङ्खलानुप्राणित सार होगा और एकविषयक स्थल वाले उदाहरण में वह (सार) शृङ्खलानुप्राणित नहीं होगा, स्वतन्त्र होगा।

शृङ्खलायाः पृथगलङ्कारत्वमपनुदति—

एवं शृङ्खलाविषयाणामलङ्काराणां विच्छित्तिवैलक्षण्यस्यानुभवसिद्धत्वात् पृथगलङ्कारत्वे सिद्धे शृङ्खलाया विरोधाऽभेदसाधर्म्यादिवदनुप्राणकतैवोचिता, न पृथगलङ्कारता। तथात्वेऽभेदादीनामपि पृथगलङ्कारतापत्तेः। पूर्णालुप्तादौ तु न विच्छित्तिवैलक्षण्यम्, अपि तूपमाविच्छित्तिरेवेति संप्रदायः।

तथात्वे इति। अनुप्राणकस्य तत्त्वस्य यदि पृथगलङ्कारत्वं स्यात्तदेत्यर्थः। संप्रदाय इति। शृङ्खलापेक्षया शृङ्खलाविषयाणामेकावल्याद्यलङ्काराणां विच्छित्तिवैलक्षण्यात्पृथगलङ्कारता, शृङ्खलायास्त्वनुप्राणकत्वमात्रम्। पूर्णालुप्तादीनां तु न पृथगलङ्कारत्वम्, उपमाविच्छित्त्यपेक्षया पृथग्विच्छित्तिविरहादिति भावः।

शृङ्खला स्वयं पृथक् अलङ्कार नहीं है इसकी व्यवस्था की जाती है—एवम् इत्यादि।

उक्त विवरण से निष्कर्ष यह निकला कि विलक्षण-विलक्षण विच्छित्ति अनुभूत होने के कारण शृङ्खलामूलक कारणमाला, एकावली आदि का पृथक्-पृथक् अलङ्कार होना जब सिद्ध है तब स्वयं शृङ्खला कोई पृथक् अलङ्कार नहीं है, अपि तु विरोध-

मूलक अलङ्कारों में विरोध, अभेदमूलक अलङ्कारों में अभेद और साधर्म्यमूलक अलङ्कारों में साधर्म्य के समान केवल अनुप्राणक-पोषक तत्त्व है, ऐसा मानना ही उचित है। कारण, यदि पोषक तत्त्व को भी स्वतन्त्र अलङ्कार माना जाय तब अभेद आदि को रूपक आदि से भिन्न एक स्वतन्त्र अलङ्कार मानना पड़ेगा।

पूर्णा-लुप्ता आदि में तो कोई विलक्षण विच्छित्ति नहीं है अपि तु उपमा की ही विच्छित्ति उन सबों में वर्तमान रहती है, अतः वहाँ उपमा ही एक स्वतन्त्र अलङ्कार है और पूर्णा-लुप्ता आदि उसके प्रभेदमात्र।

विच्छित्तिं परिभाषते—

ननु केयं विच्छित्तिः? उच्यते—अलङ्काराणां परस्परविच्छेदस्य वैलक्षण्यस्य हेतुभूता जन्यतासंसर्गेण काव्यनिष्ठा कविप्रतिभा, तज्जन्यत्वप्रयुक्ता चमत्कारिता वा विच्छित्तिः।

वैलक्षण्यस्येति। परस्परविच्छेदस्य व्याख्यामात्रम्। परस्परं विच्छेदो यस्मात्तादृशं परस्परविच्छेदकमिति यावत्, यद् वैलक्षण्यं तस्येति वाऽर्थः।

तज्जन्यत्वप्रयुक्तेति। कविप्रतिभाजन्यत्वप्रयुक्तेत्यर्थः।

काव्यन्नाम कविप्रतिभाजन्यम्, तथा च कविप्रतिभा जन्यतासंबन्धेन काव्ये तिष्ठति, तादृशी (जन्यतासंबन्धेन काव्ये वर्तमाना) कविप्रतिभैव विच्छित्तिः, अथवा कविप्रतिभाजन्यत्वप्रयुक्ता काव्ये वर्तमाना चमत्कृतिर्विच्छित्तिः। इयञ्च विच्छित्तिरलङ्काराणां मिथो भेदे हेतुरिति भावः।

विच्छित्ति की परिभाषा दी जाती है—ननु इत्यादि।

पूछा जा सकता है कि यह विच्छित्ति कौन सी वस्तु है जिसकी चर्चा बार-बार की जाती है? तो इसका उत्तर यह है कि—जन्यता सम्बन्ध से काव्य में रहने वाली कविप्रतिभा ही विच्छित्ति है, अथवा कविप्रतिभाजन्य होने के कारण काव्य में उत्पन्न होने वाली चमत्कृति ही विच्छित्ति है और यह विच्छित्ति ही अलङ्कारों में एक से दूसरे को पृथक् करने वाली विलक्षणता का कारण होती है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे सारप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे सारालङ्कारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत सारालङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधर-चन्द्रिकायां सारप्रकरणम्॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणं प्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथ काव्यलिङ्गम्—

काव्यलिङ्गालङ्कारो निरूपणीयतया प्रारब्धो बोध्य इति भावः।

अब काव्यलिङ्ग अलङ्कार का निरूपण प्रारब्ध होता है—।

तावत्तल्लक्षणमाह—

अनुमितिकारणत्वेन सामान्यविशेषभावाभ्यां चानालिङ्गितः प्रकृतार्थोपपादकत्वेन विवक्षितोऽर्थः काव्यलिङ्गम्॥

प्रस्तुतस्यार्थस्योपपादकतया योऽर्थो वक्तुमिष्टः स यदि अनुमितिहेतुभूतो न भवेत्, सामान्य-विशेषभावापन्नश्च न स्यात्तदा काव्यलिङ्गालङ्कारत्वेन व्यपदिश्यत इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—अनुमिति इत्यादि।

प्रस्तुत अर्थ के उपपादक (सयुक्तिक सिद्ध करने वाले) के रूप में विवक्षित वह अर्थविशेष, जो अनुमिति का कारण न हो सके और जो सामान्य विशेष भाव से युक्त न हो, काव्यलिङ्ग अलङ्कार कहलाता है।

लक्षणं विवेचयति—

उपपादकत्वं च तन्निश्चयजनकज्ञानविषयत्वम्। अनुमानार्थान्तरन्यासयोर्वारणायानालिङ्गितान्तम्। उपमादिवारणायोपपादकत्वेनेत्यन्तम्। पञ्चम्यादिशब्दप्रतिपादितहेतुत्वकस्य हेतोरेव वारणायोपपादकत्वेन विवक्षित इति। न तु शब्दान्तेन रूपेण बोधित इत्येतदर्थफलकम्। तेन 'भयानकत्वात्परिवर्जनीयो दयाश्रयत्वादसि देव सेव्यः' इत्यादौ नायमलङ्कारः। गम्यमानहेतुत्वकस्यैव हेतोः सुन्दरत्वेनालङ्कारिकैः काव्यलिङ्गताभ्युपगमात्।

उपपादकत्वं स्फुटयति—उपपादकत्वं चेति। तन्निश्चयेति। प्रकृतार्थनिश्चयेत्यर्थः। यस्यार्थस्य ज्ञानेन प्रकृतार्थस्य निश्चयो जायते सोऽर्थः प्रकृतार्थोपपादक इति भावः। पदकृत्यमाह—अनुमानेत्यादिना। लक्षणे 'अनुमितिकारणत्वेन 'सामान्यविशेषभावाभ्यां चानालिङ्गितः' इति निवेशेनानुमानार्थान्तरन्यासयोः प्रकृतलक्षणस्य नातिव्याप्तिः, अनुमानालङ्कारे प्रकृतार्थोपपादकस्यार्थस्यानुमितिकारणत्वात्, अर्थान्तरन्यासालङ्कारे चोपपाद्योपपादकयोरर्थयोः सामान्यविशेषभावापन्नत्वादिति भावः। 'उपपादकत्वेन' इत्येतदवधिको निवेशः उपमादौ प्रकृतलक्षणस्यातिव्याप्तिनिरासाय। अयं भावः—ययोर्द्वयोरर्थयोरुपपाद्योपपादकभावः, फलतोऽनुमाप्यानुमापकभावः, सामान्यविशेषभावश्च, न भवेत्, तादृशौ द्वावर्थौ सादृश्यप्रतियोग्यनुयोगिरूपौ अभेदारोपविषय-विषयिरूपौ वा स्याताम् तथा च तत्र उपपादकत्वेनेत्यन्तं निवेशितमिति।

पञ्चम्यादीति। आदिना पञ्चम्यर्थबोधकः। तसिलादिः प्रत्ययो ग्राह्यः। हेतोरेवेति। हेत्वलङ्कारस्येत्यर्थः। स्फुटत्वायाह—न तु शब्दादिति। व्यावर्त्त्यं लक्ष्यमुपदर्शयति—तेनेति। भयानकत्वादिति। हे राजन्! भयानकत्वेन प्रतीयमानं त्वां त्यक्तुम् दयाश्रयत्वेन पुनर्विज्ञायमानं त्वाम् सेवितुमुत्कण्ठे इति भावः। नायमलङ्कार इति। भयानकत्वादित्यत्र काव्यलिङ्गालङ्कारो न भवति, पञ्चमीविभक्त्या हेतुत्वस्य वाच्यत्वात्, काव्यलिङ्गप्रसक्त्यर्थं तु हेतुत्वस्य गम्यता समपेक्षितेति भावः।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—उपपादकत्वं च इत्यादि।

'उपपादकता' का अर्थ यहाँ प्रकृत अर्थ के निश्चय को उत्पन्न करने वाले ज्ञान का विषय होना है—अर्थात् उस अर्थ को यहाँ उपपादक समझा जाता है जिसके ज्ञान से प्रस्तुतार्थ का निश्चय होता हो।

'काव्यलिङ्ग' के लक्षण में 'अनुमितिकारणता से अनालिङ्गित' यह अंश अनुमानालङ्कार में अतिव्याप्ति-वारण के लिए और 'सामान्य विशेषभाव से अनालिङ्गित' यह अंश अर्थान्तर न्यासालङ्कार में अतिव्याप्ति-वारण के लिए कहा गया है।

लक्षण में 'उपपादकत्वेन' यहाँ तक का भाग उपमा आदि में अतिव्याप्ति-वारण के लिए कहा गया है। तात्पर्य यह है कि जिन दो अर्थों में उपपाद्योपपादकभाव नहीं होगा फलतः अनुमाप्यानुमापकभाव और समर्थ्य-समर्थकभाव भी नहीं रहेगा वैसे दो अर्थों का एक जगह यदि चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाय तो नियमतः उन दोनों अर्थों में परस्पर सादृश्य रहेगा अथवा सादृश्यमूलक आरोपित अभेद, ऐसी स्थिति में यदि काव्यलिङ्ग लक्षण में केवल इतना ही कहा जाय कि 'प्रस्तुत अर्थ से संबद्ध दूसरा अर्थ काव्यलिङ्ग है' तो उपमा आदि में भी उस लक्षण की प्रसक्ति हो जायगी, अतः उक्त लक्षण का वर्तमान रूप रक्खा गया है।

हेतु अलङ्कार में यह नियम है कि वहाँ हेतु का प्रतिपादन व्याकरण द्वारा निश्चित पञ्चमी विभक्ति अथवा तसिल् प्रत्यय आदि के द्वारा ही होना चाहिए, ऐसे हेतु अलङ्कार को काव्यलिङ्ग की सीमा से बाहर रखने के लिए काव्यलिङ्ग-लक्षण में 'उपपादकरूप में विवक्षित' ऐसा कहा गया है, जिसका अभिप्राय है कि काव्यलिङ्ग में उपपादक अर्थ की उपपादकता का बोध शब्दतः नहीं होना चाहिए। अतः—'भयानकत्वात्–अर्थात् हे देव आप भयानकता के कारण त्याग करने योग्य हैं और दयालुता के कारण सेवन करने योग्य हैं।' इत्यादि में काव्यलिङ्गालङ्कार नहीं होता, क्योंकि आलङ्कारिकों ने जिस हेतु की हेतुता व्यङ्ग्य होती है, वाच्य नहीं, उसीको सुन्दरता के कारण, काव्यलिङ्ग माना है।

काव्यलिङ्गस्य भेदान् सूचयति—

तच्च सुबन्ततिङन्तार्थत्वाभ्यां तावद्द्विविधम्। आद्यमपि शब्दान्तरार्थविशेषितशरीरम्, शुद्धैकसुबन्तार्थरूपं चेति द्वेधा। अत्राप्याद्यं साक्षात्परम्परया वा वाक्यार्थविशेषितम्, सुबन्तार्थमात्रविशेषितं चेति द्विभेदम्। तिङन्तार्थभूतमपि साक्षात्परम्परया वा वाक्यान्तरार्थविशेषितम्, सुबन्तार्थमात्रविशेषितं चेति द्विप्रकारम्। शुद्धभेदस्तु तिङन्तार्थस्य न संभवति क्रियायाः कारकविशेषितत्वावश्यंभावात्। शिष्टमग्रे निरूपयिष्यते।

तच्चेति। काव्यलिङ्गञ्चेत्यर्थः। तावदिति। आदावित्यर्थः। आद्यमपीति। सुबन्तार्थरूपमित्यर्थः। अत्रापीति। शब्दान्तरार्थविशेषितशरीरशुद्धैकसुबन्तार्थरूपयोर्मध्य इत्यर्थः। आद्यमिति। शब्दान्तरार्थविशेषितशरीरमित्यर्थः। ननु सुबन्तार्थरूपस्येव तिङन्तार्थरूपस्यापि शुद्धभेदः कुतो नेत्यत्राह—शुद्धभेदस्तु इति। क्रियाया इति। तिङन्तार्थः क्रियैव, सा च कारकविशेषितैव संभवति, कारकं विना क्रियाया अनिष्पत्तेः, तथा च तिङन्तार्थरूपं काव्यलिङ्गं शुद्धं न भवितुमर्हतीति भावः। एवञ्च काव्यलिङ्गस्य पञ्च भेदाः सूचिता इति बोध्यम्।

काव्यलिङ्ग के भेद दिखलाए जाते हैं—तच्च इत्यादि।

काव्यलिङ्ग प्रथमतः दो प्रकार का होता है, एक सुबन्तार्थरूप और दूसरा तिङन्तार्थरूप। इन दोनों में से प्रथम–अर्थात् सुबन्तार्थरूप काव्यलिङ्ग के भी पुनः दो प्रकार होते हैं, एक वह जिसका शरीर अन्य शब्द के अर्थ से विशेषित हो और दूसरा शुद्ध एकसुबन्तार्थरूप। इनमें से भी प्रथम–अर्थात् 'जिसका शरीर अन्य शब्दार्थ से विशेषित हो' के दो भेद होते हैं–साक्षात् अथवा परम्परया वाक्यार्थ से विशेषित तथा केवल सुबन्तार्थ से विशेषित। इसी प्रकार तिङन्तार्थरूप काव्यलिङ्ग के भी दो भेद हैं—एक

'साक्षात् अथवा परम्परया अन्यवाक्यार्थ से विशेषित' और दूसरा 'केवल सुबन्त के अर्थ से विशेषित'।

तिङन्तार्थरूप काव्यलिङ्ग का शुद्ध भेद तो असंभव है, क्यों कि क्रिया का कारक से विशेषित होना निश्चित है। (इस तरह काव्यलिङ्ग के पांच भेद कहे गए-तीन सुबन्तार्थरूप और दो तिङन्तार्थरूप।)

इस संबन्ध की अवशिष्ट बात आगे कही जायगी।

लक्ष्यनिर्देशायाह—

उदाहरणम्—

स्पष्टम्—

उदाहरण, जैसे—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'विनिन्द्यान्युन्मत्तैरपि च परिहार्याणि पतितै-
रवाच्यानि व्रात्यैः सपुलकमपास्यानि पिशुनैः।
हरन्ती लोकानामनवरतमेनांसि कियतां
कदाप्यश्रान्ता त्वं जगति पुनरेका विजयसे ॥'

पण्डितराजो जगन्नाथो गङ्गां स्तौति—हे मातः! उन्मत्तैरपि, विनिन्द्यानि विशेषतो निन्दनीयानि, पतितैरपि, परिहार्याणि त्याज्यानि, व्रात्यैरपि संस्कारहीनैरपि, अवाच्यानि अकीर्तनीयानि, पिशुनैरपि, सपुलकम् सरोमाञ्चम् यथा स्यात्तथा, अपास्यानि दूरीकरणीयानि, कियताम् बहूनाम् लोकानाम्, एनांसि पापानि, अनवरतम् सततम्, हरन्ती नाशयन्ती, पुनः तथापि, कदापि कदाचिदपि, अश्रान्ता न श्रान्ता, त्वम् जगति संसारे एका अद्वितीया सती, विजयसे सर्वोत्कर्षेण वर्तसे इत्यर्थः।

पण्डितराज जगन्नाथ गङ्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि—हे मातः! पागलों से भी निन्दनीय, पतितों से भी त्याज्य, व्रात्यों (संस्कार हीनों) से भी अकीर्तनीय और पिशुनों (चुगुल खोरों) से भी दूरीकरणीय ऐसे न जाने कितने लोगों के पापों का निरन्तर हरण करती हुई भी कभी न थकनेवाली तूँ संसार में अकेली सर्वोत्कृष्ट हो।

उपपादयति—

अत्र ह्यनन्यसाधारणतया प्रतिपादितस्य भगवत्या भागीरथ्या उत्कर्षस्यापाततोऽघटमानस्योपपादनायानवरतसकललोकपापहरणसमानाधिकरणः श्रमाभावः सुबन्तमात्रार्थविशेषितः सुबन्तार्थो विशेषवपुर्हेतुत्वेनोपात्तः।

अत्रेति। 'विनिन्द्या-' इति पद्य इत्यर्थः। अनन्यसाधारणतयेति। अद्वितयतयेत्यर्थः। आपाततोऽघटमानस्येति। युक्तिं विना संगतिमलभमानस्येत्यर्थः। सुबन्तमात्रार्थविशेषित इति। केवलेन 'हरन्ती' इति सुबन्तपदस्यार्थेन, न तु केनापि तिङन्तपदस्यार्थेनेति यावत्, विशेषित इति भावः। सुबन्तार्थ इति। अश्रान्तेति सुबन्तार्थ इत्यर्थः। विशेषवपुरिति। विशेषरूप इत्यर्थः, सामान्यरूपो नेति यावत्। तथा चात्र विशेषस्य विशेषेण समर्थनान्नार्थान्तरन्यास प्रसङ्ग इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'विनिन्द्यानि–' इस पद्य में भगवती भागीरथी का उत्कर्ष अनन्यसाधारण (अद्वितीय) रूप में प्रतिपादित हुआ है—अर्थात् भागीरथी को सर्वोत्कृष्ट कहा गया है, पर ऐसा उत्कर्ष आपाततः (युक्ति के विना) संगत नहीं जँचता है, अतः उसके उपपादन के लिए 'निरन्तर सब लोगों के पापहरण' के साथ 'श्रम का अभाव' हेतु रूप में वर्णित किया गया है—अर्थात् गङ्गा की सर्वोत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि तुम निरन्तर सब के पापों का हरण करते रहने पर भी कभी थकती नहीं हो। तात्पर्य यह कि दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो लगातार दूसरों के लिए निःस्वार्थ भाव से श्रम करने पर भी श्रम का अनुभव न करे। यह 'श्रमाभाव' रूप उपपादक अर्थ यहाँ सुबन्तार्थ रूप है—अर्थात् 'अश्रान्ता' इस सुबन्त पद का अर्थ है, किसी तिङन्त पद का नहीं, और इसका विशेषण भी केवल सुबन्त (हरन्ती) का ही अर्थ है, किसी तिङन्त का नहीं, एवम् यह (श्रमाभाव) उपपादक अर्थ विशेषरूप है, सामान्यरूप नहीं। अभिप्राय यह कि यहाँ विशेष का समर्थन विशेष से ही हुआ है अतः अर्थान्तरन्यास की आशङ्का नहीं हो सकती है। फलतः यहाँ सुबन्तार्थ मात्र विशेषित सुबन्तार्थ रूप काव्यलिङ्ग है।

प्रकारान्तरमुदाहरति—

'त्रपन्ते तीर्थानि त्वरितमिह यस्योद्धृतिविधौ
करं कर्णे कुर्वन्त्यपि किल कपालिप्रभृतयः।
इमं तं मामम्ब त्वमथ करुणाक्रान्तहृदये
पुनाना सर्वेषामघमथनदर्पं दलयसि॥'

हे करुणाक्रान्तहृदये! अम्ब!! दयामयमानसे! मातः!!, इह संसारे, यस्य मम, उद्धृतिविधौ उद्धारकरणे, तीर्थानि पुण्यस्थानानि काशीप्रयागादीनि, त्वरितम् शीघ्रम्, त्रपन्ते लज्जामनुभवन्ति, कपालिप्रभृतयः महादेवादयो देवा, अपि, किल निश्चयेन, कर्णे, करम्, कराङ्गुलिमिति भावः, कुर्वन्ति, देवा अपि यदुद्धारकथां श्रोतुं नेच्छन्तीति भावः, तम् दुरुद्धरम्, इमम् अग्रे समुपस्थितम्, माम् जगन्नाथकविम्, पुनाना पवित्रं कुर्वाणा, त्वम् गङ्गा, सर्वेषाम् देवादीनाम्, अघमथनदर्पम् पापध्वंसगर्वम्, दलयसि दूरीकरोषीत्यर्थः।

दूसरे प्रकार का उदाहरण दिखलाया जाता है—त्रपन्ते इत्यादि।

पण्डितराज जगन्नाथ अपनी गङ्गालहरी में गङ्गा से कहते हैं कि—हे दयामयमानसे! मातः!! जिसके उद्धार करने में तीर्थ (काशी आदि) शीघ्र ही लज्जित होते हैं और शिव आदि देवता भी कान में अङ्गुली डाल लेते हैं—उद्धार की बात भी सुनना नहीं चाहते हैं, ऐसे मुझको पवित्र करती हुई तुम सभी के पाप-नाशन दर्प को दलित करती हो।

उपपादयति—

अत्र सकलदेवतीर्थदर्पदलनस्य सिद्धये स्वात्मपवित्रीकरणं वक्त्रा निबद्धम्। तच्च क्षुद्रत्वात्तादृशसिद्ध्यसमर्थं विशेषकान्तरमाकाङ्क्षतीति तीर्थकर्तृकत्रपाकरणम्, कपालिप्रभृतिकर्तृककर्णमुद्रणं चेति वाक्यार्थद्वयं स्वात्मरूपकर्मद्वारा

विशेषकमुपात्तम्। तद्विशिष्टं च तादृशपवित्रीकरणं भागीरथ्युपारूढं तादृश-कार्योपपादनसमर्थमिति भवति हेतुः।

अत्रेति। 'अपन्ते—' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः। सकलदेवतीर्थदर्पदलनस्येति। गङ्गा-कर्तृकस्येति भावः। वक्त्रेति। जगन्नाथेनेति भावः। तच्चेति। स्वात्मपवित्रीकरण-ञ्चेत्यर्थः। क्षुद्रत्वादिति। लघीयस्त्वादित्यर्थः। तादृशेति। सकलदेवतीर्थदर्पदलनेत्यर्थः। असमर्थमिति। एकस्य पवित्रीकरणं न सर्वेषां दर्पं दलयितुं समर्थमिति भावः। विशेष-कान्तरमिति। अन्यद् विशेषणमिति भावः। स्वात्मरूपकर्मेति। वक्तृजगन्नाथरूपकर्म-कारकेत्यर्थः। विशेषकम् इति। पवित्रीकरणस्येति भावः। तद्विशिष्टमिति। तीर्थकर्तृकत्र-पाकरणादिविशिष्टमित्यर्थः। तादृशेति। स्वात्मकर्मकेत्यर्थः। भागीरथ्युपारूढमिति। गङ्गागतमित्यर्थः, तादृशकार्येति। सकलदर्पदलनरूपकार्येत्यर्थः। हेतुरिति। दर्पदलने इति भावः। एवञ्च परम्परया वाक्यार्थविशेषितसुबन्तार्थरूपकाव्यलिङ्गप्रभेदस्येदमुदाहरण-मिति बोध्यम्।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'अपन्ते–' इस पद्य में 'गङ्गा सब देवता तथा तीर्थों के दर्प का दलन करती हैं' इस की सिद्धि के लिए वक्ता ने अपने को पवित्र करने का वर्णन किया है—अर्थात् ऐसा कहा गया है कि—मुझे पवित्र करने के कारण गङ्गा सकल दर्पदलनकारिणी है। परन्तु किसी एक को पवित्र करना छोटी बात है यह बात सभी देवता तथा तीर्थों के दर्प के दलन की सिद्धि करने में असमर्थ है—अर्थात् एक को पवित्र करने के कारण गङ्गा का सकलदर्प-दलनकारित्व सिद्ध नहीं हो सकता है, अतः गङ्गा–गत–सकल–दर्प–दलन–कारित्व की सिद्धि के लिये कहा गया 'स्वात्मपवित्रीकरण' अन्य विशेषण की आकांक्षा रखता है, इसलिए 'तीर्थों का लज्जित होना' और 'शिव आदि का अङ्गुली डालकर कान बन्द कर लेना' ये दो वाक्यार्थ विशेषण के रूप में कहे गए हैं, यद्यपि ये दोनों वाक्यार्थ 'स्वात्म-पवित्रीकरण' के साक्षात् विशेषण नहीं होते तथापि 'माम्' इस कर्म के द्वारा परम्परया विशेषण होते ही हैं।

इन दोनों वाक्यार्थों से विशिष्ट 'स्वात्मपवित्रीकरण' गङ्गागत होकर गङ्गागतसकल-दर्पदलनकारित्व का उपपादन करने में समर्थ है, अतः वह काव्यलिङ्ग रूप होता है, तात्पर्य यह कि यह पद्य 'परम्परया वाक्यार्थ-विशेषित सुबन्तार्थरूप काव्यलिङ्ग का उदाहरण है।

'पद्मासन-प्रमुख-निर्जर-चित्तवृत्ति-
दुष्प्राप दिव्यमहिमन्भवतो गुणौघान्।
तुष्टूषतो मम नितान्तविशृङ्खलस्य
मन्तुं शिशोः शिव न मन्तुमिहासि योग्यः॥'

पद्मासनप्रमुखानाम् ब्रह्मादीनाम्, निर्जराणाम् देवानां चित्तवृत्तिभिः, दुष्प्राप दुर्लभ! कुत इति चेत्तत्र संबोधनान्तरमाह—'दिव्ये'ति। दिव्यः अपूर्वः, महिमा यस्य तादृश!, हे शिव!!, त्वम्, भवतः, गुणौघान् गुणगणान्, तुष्टूषतः स्तोतुमिच्छतः, नितान्तविशृङ्ख-लस्य समुचितक्रमरक्षणाक्षमस्य शिशोः बालस्य, मम, मन्तुम् अपराधम्, मन्तुम् स्वीकर्तुम्, इह संसारे, योग्यो, नासि न वर्तसे इत्यर्थः।

अन्य प्रभेद का उदाहरण उपस्थित किया जाता है—पद्मासन इत्यादि। हे दिव्य महिमावाले! अतएव ब्रह्मादिक देवताओं की चित्तवृत्ति से दुर्बोध! शिव! आपके गुणसमूह की स्तुति करने की इच्छा रखनेवाले पर अत्यन्त उच्छृङ्खल मुझ बालक के अपराध को मानने योग्य आप नहीं हैं·आप को इस तरह की उच्छृङ्खलता पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

उपपादयति—

अत्र शिशुत्वं शुद्धैकसुबन्तार्थोऽपराधक्षमाकरणे हेतुः। तथा दिव्यमहिमत्वमचिन्त्यमाहात्म्यं सुबन्तार्थविशेषितसुबन्तार्थरूपं ब्रह्मादिचित्तदुष्प्रापत्वे। एवं तादृशपरमेश्वरगुणकर्मकस्तवो मन्तौ। तादृशस्तवे च विशृङ्खलत्वमिति शुद्धसुबन्तार्थोदाहरणे विशिष्टसुबन्तार्थस्याप्युदाहरणम्।

अत्रेति। 'पद्मासन-' इत्यस्मिन्-पद्य इत्यर्थः। शुद्धैक···' इति, शुद्धः एकः सुबन्तार्थः, न तु अर्थान्तरविशेषितो न वा अनेक इति भावः। हेतुरिति। उपपादक इति भावः। तथा च शुद्धैकसुबन्तार्थरूपस्य काव्यलिङ्गस्योदाहरणमिदं पद्यमिति भावः। काव्यलिङ्गस्य प्रभेदान्तरमप्यत्रास्तीति सूचयति—तथेति। अचिन्त्यमाहात्म्यमिति। अचिन्त्यञ्च तन्माहात्म्यमिति कर्मधारयो, न त्वचिन्त्यं माहात्म्यं यस्येति बहुव्रीहिः। एतच्च दिव्यमहिमत्वमित्यस्यैव विवरणमिति बोध्यम्। सुबन्तार्थविशेषित··· इति। दिव्यमहिमत्वमिति सुबन्तार्थो न शुद्धोऽपि तु सुबन्तार्थविशेषितः, द्वयोः सुबन्तार्थयोर्मिश्रणेन निष्पन्न इति यावत्। ब्रह्मादिचित्त—इति। शिवस्य ब्रह्मादिचित्तेन दुष्प्रापत्वे इत्यर्थः। अत्र हेतुरित्यस्यानुषङ्गो बोध्यः। एवमग्रेऽपि। तादृशपरमेश्वरेति। तादृशस्य = दिव्यमहिमतया ब्रह्मादिचित्तवृत्त्या दुर्बोधस्य, परमेश्वरस्य, गुणाः कर्मकारकभूता यत्रेदृशो यः स्तवः स मन्तौ हेतुरिति भावः। तादृशस्तव इति। दिव्यमहिमपरमेश्वरगुणकर्मकस्तुतिकरण इत्यर्थः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'पद्मासन—'इस पद्य में 'शिशोः' इस एक सुबन्त पद से बोधित अत एव शुद्ध (अन्य अर्थ से विशेषित नहीं) 'शिशुत्व' रूप सुबन्तार्थ अपराध·क्षमा करने में हेतु है, अतः यह पद्य शुद्ध एक सुबन्तार्थरूप काव्यलिङ्ग का उदाहरण होता है। पर यहाँ काव्यलिङ्ग के अन्य अनेक प्रभेद भी हैं। जैसे—दिव्यमहिमत्व·अर्थात् अचिन्तनीय माहात्म्य जो सुबन्तार्थ से विशेषित सुबन्तार्थ रूप है-अर्थात् जो एक सुबन्तार्थ रूप नहीं, अपितु दो सुबन्तार्थों का मिश्रित रूप है, ब्रह्मा आदि के चित्त से शिव की दुर्लभता (दुर्बोध्यता) में हेतु है। इसी प्रकार उक्त विशेषणों से विशिष्ट परमेश्वर के गुणों की स्तुति अपराध में हेतु है और वैसी स्तुति में उच्छृङ्खलता हेतु है, अतः यह पद्य शुद्ध सुबन्तार्थरूप काव्यलिङ्ग के उदाहरण होने के साथ अर्थान्तर·विशेषित शरीरवाले सुबन्तार्थ का भी उदाहरण होता है।

प्रकारान्तरमुदाहरति—

'तवालम्बादम्ब स्फुरदलघुगर्वेण सहसा
मया सर्वेऽवज्ञापुरपथमनीयन्त विबुधाः।

इदानीमौदास्यं यदि भजसि भागीरथि तदा
निराधारो हा रोदिमि कथय केषामिह पुरः ॥'

हे अम्ब मातः, भागीरथि गङ्गे !, तव भवत्याः, आलम्बात् अवलम्बमासाद्य, स्फुरदलघुगर्वेण=स्फुरन् उत्पद्यमानः, अलघुः महान् , गर्वो, यस्मिन् , तादृशेन, महाभिमानशालिनेति यावत् , मया, सहसा हठात् , अविचार्यैवेति यावत् , सर्वे विबुधाः देवाः, अवज्ञापुरपथम् तिरस्कारनगरमार्गम् , अनीयन्त नीताः, सर्वे देवास्तिरस्कृता इति भावः, त्वमपि, यदि, इदानीम् , औदास्यम् तटस्थताम् , भजसि धारयसि, तदा, हा खेदेन, निराधारः निराश्रयः, अहम् , केषाम् , पुरः अग्रे, रोदिमि, कथय, इत्यर्थः ।

काव्यलिङ्ग के अन्य प्रभेद का उदाहरण दिया जाता है—तवालम्बादम्ब इत्यादि ।

जगन्नाथ गङ्गा से कहते हैं कि-हे मातः ! तुम्हारा आश्रय पाकर अत्यन्त अभिमानशाली मैंने सहसा सभी देवताओं को अवज्ञानगर के मार्ग पर पहुँचा दिया—तिरस्कृत कर दिया, हे गङ्गे ! अब यदि तुम उदासीनता धारण करती हो, तब हाय ! निराश्रय बना हुआ मैं किस के आगे रोऊँ ? तुम्हीं बताओ ।

उपपादयति—

अत्र निराधार इत्यादिनाभिव्यक्ते वक्तृनिष्ठसकलकर्तृकद्वेषे आत्मकर्तृकावज्ञापुरपथनयनरूपः सुबन्तार्थविशेषितस्तिङन्तार्थ उपपादकः ।

'तवालम्बा—' इत्यस्मिन् श्लोके 'निराधारो हा रोदिमि केषामिह पुरः' इत्युक्त्या वक्तारं कविम्प्रति सर्वेषां देवानां द्वेषोऽभिव्यज्यते । कथं कविम्प्रति सर्वेषां द्वेष इति चेत् ? तत्रोपपादकतया 'सर्वे विबुधा अवज्ञापुरपथमनीयन्त' इत्युक्तम् । तथा च वक्तृगते सकलदेवकर्तृके द्वेषे वक्तृकर्तृकावज्ञापुरपथनयनम् उपपादकहेतुभूतम् । एष चोपपादकोऽर्थः, सुबन्तार्थविशेषिततिङन्तार्थरूप इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'तवालम्बादम्ब-' इस पद्य में 'निराश्रय मैं किस के आगे रोऊँ' इस अंश से जो वक्ता के प्रति 'सब का द्वेष' व्यक्त होता है उसका उपपादक है-वक्ता के द्वारा सब का अवज्ञानगर के मार्ग पर ले जाना' जो सुबन्तार्थ विशेषित तिङन्तार्थ रूप है । तात्पर्य यह कि उक्त उपपादक अर्थ का स्वरूप 'मया, विबुधाः, अवज्ञापुरपथम्' इन सुबन्त पदों के अर्थ और 'अनीयन्त' इस तिङन्त पद के अर्थ—दोनों ही अर्थों के मिश्रण से बना है और उन में सुबन्तार्थ विशेषण है और तिङन्तार्थ है विशेष्य ।

पुनः प्रकारान्तरमुदाहरति—

विश्वास्य मधुरवचनैः साधून्ये वञ्चयन्ति नम्रतया ।
तानपि दधासि मातः काश्यपि यातस्तवापि च विवेकः ॥'

ये जनाः, मधुरवचनैः, विश्वास्य विश्वासमुत्पाद्य, नम्रतया नम्रभावप्रदर्शनद्वारा, साधून् सज्जनान् , वञ्चयन्ति, हे मातः ! काश्यपि कश्यपपुत्रि पृथ्वि ! तानपि वञ्चकान् , त्वम् , दधासि धारयसि, तेन मन्ये, तवापि, विवेको, यातः गतः इत्यर्थः ।

पुनः काव्यलिङ्ग के एक अन्य प्रकार का उदाहरण दिखलाया जाता है—विश्वास्य इत्यादि।

हे कश्यप पुत्रि मातः पृथ्वि ! जो लोग मधुर वचनों से विश्वास देकर नम्रता द्वारा

सज्जनों को ठगते हैं, उनका भी धारण तुम करती हो, इस से ज्ञात होता है कि तुम्हारा भी विवेक चला गया है।

उपपादयति—

अत्रापि पृथिवीविवेकनाशोपपादने तिङन्तार्थस्य धारणस्य सुबन्तार्थविशेषितस्य तस्यैव जनधारणात्मनो वा असामर्थ्यात्साधुवञ्चनरूपपूर्ववाक्यार्थविशेषितं धारणं हेतुः। विशेषणत्वं च कर्मणि विशेषणत्वात्परम्परया बोध्यम्।

'विश्वास्य–' इत्यत्र वर्णितस्य पृथिवीविवेकनाशस्योपपादने न केवलं 'दधासि' इति तिङन्तपदस्यार्थभूतं धारणम्, न वा 'तान्' इति सुबन्तपदस्यार्थेन विशेषितं जनधारणं समर्थमिति साधुवञ्चनरूपपूर्ववाक्यार्थविशेषितं धारणं तदुपपादकं मन्तव्यम्, साधुवञ्चनरूपो वाक्यार्थश्च न साक्षात् धारणविशेषणम्, अपि तु परम्परया, परम्परा च 'तान्' इति कर्मद्वारिकेति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्रापि इत्यादि।

'विश्वास्य–' इस पद्य में भी पृथिवी के विवेक नाश के उपपादन में 'दधासि' इस तिङन्त पद का अर्थ 'धारण' अथवा 'सुबन्तार्थ विशेषित धारण' जो 'जनधारण' रूप है, स्वतः असमर्थ है, अतः–'साधुवञ्चन' रूप पूर्ववाक्यार्थ से विशेषित 'धारण' को पृथिवीविवेक नाश का उपपादक हेतु मानना पड़ेगा और पूर्ववाक्यार्थ की 'धारण' के प्रति यह विशेषणता 'धारण' के कर्म ('तान्') के विशेषण होने के कारण परम्परया है, साक्षात् नहीं। फलतः यह पद्य परम्परया वाक्यार्थविशेषित तिङन्तार्थरूप काव्यलिङ्ग का उदाहरण होता है।

उपसंहरति—

एते च भेदाः प्राचीनकल्पितपदार्थ-वाक्यार्थभेदद्वयत्रचातुर्यमात्रेण-कल्पिताः, न तु वैचित्र्यविशेषेण।

काव्यलिङ्गस्य ये पञ्च भेदाः (साक्षात्परम्परया वा वाक्यार्थविशेषितसुबन्तार्थत्वादयः) प्रागुक्तास्ते तथैव चातुर्यमात्रेण कल्पिता यथा प्राचीनैः पदार्थ-वाक्यार्थरूपौ द्वौ भेदौ केवलं चातुर्येण कल्पितौ, वस्तुत एषु भेदेषु वैचित्र्यविशेषो नास्तीति भेदकल्पनाऽसंगतैवेति भावः।

उपसंहार में कहा जाता है कि—काव्यलिङ्ग के इन पूर्वोक्त भेदों की कल्पना केवल चतुरता से उसी प्रकार कर दी गई है जिस प्रकार से प्राचीनों ने पदार्थहेतुक, वाक्यार्थहेतुक इन नामों से दो भेदों की कल्पना कर दी थी। वस्तुतः न प्राचीनों के और न अपने इन भेदों में भिन्न-भिन्न तरह के वैचित्र्य उपलब्ध होते हैं, अतः ये सब भेद वस्तुतः नहीं हो सकते हैं।

काव्यलिङ्गानुमानालङ्कारयोर्मिथोवैलक्षण्यं वक्तुमुपक्रमते—

अथानुमानादस्य को विशेषः? ननु व्याप्यत्व-पक्षधर्मत्वाभ्यां ज्ञायमानमेवार्थसाधकमनुमानम्, स्वरूपेण ज्ञायमानं प्रकृतार्थोपपादकं काव्यलिङ्गमिति विशेष इति चेत्, न उपपादकं हि सत्यां युक्तौ। सा तु सति व्यभिचार-पक्षावृत्तित्वयोरन्यतरस्यापि ज्ञानेन संभवति। यथा 'विनिन्द्यान्युन्मत्तैः' इत्युदाहृतपद्ये तादृशश्रमाभाव उत्कर्षव्यभिचरितो भागीरथ्यवृत्तिर्वेति ज्ञाने जात्वपि न

सर्वोत्कर्षः सेद्धुमीष्टे। सेद्धुमीष्टे च सर्वोत्कर्षोऽव्यभिचरितो भागीरथीवृत्तिश्चेति ज्ञाने। एवं हेतोः सर्वत्राप्युपपाद्याव्यभिचरितत्वज्ञान एवोपपत्तिः। अन्यथा तु इदमेवमनेवं वा स्यादिति संदेह एव। तस्मादुपपत्ति-समर्थनादिविलक्षणशब्द-प्रयोगा आलङ्कारिकाणामनुमितिसरणिमेवाभिनिविशन्ते। न च समर्थनाद् दृढ-प्रत्ययः, न त्वनुमितिरिति वाच्यम्। स हीन्द्रियसन्निकर्षाभावान्न प्रात्यक्षिकः। अनुमितिसामग्र्या बलवत्त्वान्न शाब्दः। अत एव न मानसोऽपीति। सत्यम्, काव्यलिङ्गं प्रकृतार्थोपपादकम्। उपपत्तिश्चानुमितिरेव। व्यभिचरितत्वेऽपि हेतो-स्तदानीं व्यभिचारास्फूर्तेः। तथापि नानुमानालङ्कारस्यात्र विषयः। श्रोतुर्यल्लि-ङ्गकानुमितिबुबोधयिषया कविः काव्यं निर्मिमीते तल्लिङ्गमनुमानालङ्कृतेर्विषयः, काव्यव्यापारगोचरीभूतानुमितिकरणमिति निष्कर्षः। काव्यलिङ्गज्ञानजानुमिति-स्तु न कविना श्रोतुर्बुबोधयिषिता। अत एवासौ न काव्यव्यापारगोचरः। श्रोतुः केवलं कारणवशाज्जायत इति नास्त्येवात्र जायमानायामप्यनुमितावनु-मानालङ्कृतेर्विषयः। 'तस्मिन्मणिव्रातमहान्धकारे' इतिवक्ष्यमाणपद्ये तु बुबो-धयिषितैवानुमितिरित्यस्त्यनुमानविषयः। अपि च कविनिबद्धप्रमात्रन्तर्निष्ठा-ह्यनुमितिरनुमानालङ्कृतिं प्रयोजयति। श्रोतृनिष्ठा महावाक्यार्थनिश्चयानुकूला तु काव्यलिङ्गमिति महान्विशेषः। एवं च काव्यलिङ्गातिप्रसङ्गवारणायानुमान-लक्षणप्रविष्टानुमितौ काव्यव्यापारगोचरत्वं विशेषणं देयम्।

अनुमानादिति। अनुमानालङ्कारादित्यर्थः। अस्येति। काव्यलिङ्गालङ्कारस्येत्यर्थः। विशेषमाशङ्कते—नन्विति। यद्वस्तु व्याप्तिविशिष्टतया पक्षवृत्तितया च ज्ञातं सदर्थविशेषं साधयति तदनुमानम् यथा वह्निनिरूपितव्याप्तिविशिष्टतया पर्वतवृत्तितया ज्ञायमानो धूमः पर्वते वह्नेः साधकः, यच्च वस्तु केवलं स्वरूपेण (व्याप्यत्वपक्षधर्मत्वाभ्यान्नेति यावत्) ज्ञायमानं सत् प्रस्तुतार्थस्योपपादकं भवति तत् काव्यलिङ्गम्, इति भावः। खण्डयति—नेति। सेति, युक्तिरित्यर्थः। व्यभिचारेति। साध्याभाववद्वृत्तित्वेत्यर्थः। व्यभिचारज्ञानं पक्षवृत्तित्वाभावज्ञानं वा यदि भवति तदा युक्तिर्न तिष्ठति, युक्तिविरहे चोपपादकत्वं न संभवतीति भावः। उदाहरणमुखेनामुमर्थं स्फुटयति—यथेति। तादृशेति। अनवरत-सकलपापहरणसमानाधिकरणेत्यर्थः। जात्वपीति। कदाचिदपीत्यर्थः। सेद्धुमिति। सिद्धो भवितुमित्यर्थः। 'विनिन्द्यानि—' इत्यत्र तादृशश्रमाभावस्तदैव गङ्गायां सर्वोत्कर्षस्योपपा-दको भवति यदा 'तादृशश्रमाभावो यत्र यत्र तत्र तत्र सर्वोत्कर्षः' इत्याकारकम् श्रमाभावो-त्कर्षयोरव्यभिचारज्ञानम् 'तादृशश्रमाभावो गङ्गावृत्तिः' इति पक्षवृत्तित्वज्ञानञ्च तिष्ठति, अनयोः ज्ञानयोरभावे कदापि तादृशवर्णनेन गङ्गोत्कर्षो न सिद्धो भवितुमर्हतीति भावः। निष्कर्षमाह—एवमिति। उपपाद्याव्यभिचरितत्वज्ञान इति। उपपाद्यो योऽर्थस्तन्निरूपिता-व्यभिचारज्ञान इत्यर्थः। उपपत्तिः युक्तिः। हेतोः (उपपादकस्य) उपपाद्यार्थनिरूपित-व्याप्तिज्ञानविषयत्व एवोपपत्तिर्भवतीति भावः।

कुतस्तथात्व एवोपपत्तिरिति चेत्तत्राह—अन्यथेति। हेतोरुपपाद्यव्यभिचरितत्वस्य ज्ञाने इत्यर्थः। संदेह एवेति। नोपपत्तिरितिशेषो बोध्यः। व्यभिचारस्य साधारण्यज्ञान-

रूपस्य संशयजनकतयोपपाद्यव्यभिचरितत्वेन ज्ञायमानाद्धेतोरुपपाद्यविषयकः 'इदमेवमनेवं वा' इत्याकारकः सन्देह एवोत्पत्तुमर्हति, न निश्चय इति भावः। उपसंहरति—तस्मादिति। आलंकारिकाणामुपपत्तिसमर्थनादिकमनुमितेर्नातिरिच्यत इति भावः। पुनराशंक्य समाधत्ते—न चेति। स हीति। दृढप्रत्ययो हीत्यर्थः। न प्रात्यक्षिक इति। काव्यगतं समर्थनं प्रत्यक्षरूपं न भवितुं शक्नोति, समर्थनीये इन्द्रियसंनिकर्षविरहादिति भावः। अनुमितिसामग्र्या इति। प्रतिबन्धकीभूताया इति भावः। न शाब्द इति। समानविषयकशाब्दानुमितिसामग्र्योर्वर्तमानयोरनुमितिरेवानुभवसिद्धा, अतः समानविषयकशाब्दं प्रत्यनुमितिसामग्र्याः प्रतिबन्धकत्वं कल्प्यते, तथा च काव्यगतं समर्थनम् अनुमितिसामग्र्या वर्तमानत्वे शाब्दबोधरूपमपि न स्वीकर्तुं शक्यमिति भावः। अत एवेति। प्रबन्धकीभूताया अनुमितिसामग्र्या बलवत्त्वादेवेत्यर्थः। न मानसोऽपि इति। समानविषयकमानसबोधं प्रत्यप्यनुमितिसामग्र्याः प्रतिबन्धकत्वमनुभवबलात्कल्प्यत इति भावः। पूर्वपक्षगतं वस्तु कियदंशे सिद्धान्तत्वेन स्वीक्रियते—सत्यमिति। किं सत्यमिति जिज्ञासानिवृत्त्यर्थमाह—काव्यलिङ्गमिति।

प्रकृतार्थोपपादकं वस्तु काव्यलिङ्गम्, तेन कृतोपपत्तिस्त्वनुमितिरेवेति सत्यमिति भावः। ननु कल्पनाप्रधाने काव्यसंसारे उपपाद्योपपादकयोरुभयोरपि काल्पनिकत्वसंभवे उपपादकस्य हेतोर्वस्तुतो व्यभिचरितत्वमेव, तथा च कथमत्रत्योपपत्तेरनुमितित्वम् इति चेत्तत्राह—व्यभिचरितत्वेऽपीति। तदानीमिति। काव्यार्थतन्मयीभावकाल इत्यर्थः। व्यभिचारास्फूर्तेरिति। व्यभिचाराग्रहादित्यर्थः।

व्यभिचारित्वेनाज्ञायमानात् वस्तुतो व्यभिचारिणोऽपि हेतोरनुमितिर्भवत्येवेति भावः। नन्वेवं काव्यलिङ्गस्थले नियमतोऽनुमानालंकारप्रसङ्ग इति चेत्तत्राह—तथापीति, उपपत्तेरनुमितिरूपत्वेऽपीति 'तथापि' पदस्यार्थः। अत्रेति, काव्यलिङ्ग इत्यर्थः। कुतो नात्र तस्य विषय इत्याह—श्रोतुरित्यादिना। अयं भावः—'श्रोता एतल्लिङ्गकानुमितिं प्रत्येतु' इतीच्छया यत्काव्यं कविः करोति। तत्र काव्ये तच्छ्रोतृबुबोधयिषितानुमितिहेतुभूतः पदार्थः अनुमानालंकारस्य विषयः। काव्यात्मको यः कवेर्व्यापारः तद्विषयीभूता यानुमितिस्तत्करणमनुमानालङ्कारस्य विषय इत्यनर्थान्तरम्।

प्रकृतार्थोपपादकीभूतवस्तुरूपं यत्काव्यलिङ्गम् तस्य ज्ञानाज्जायमानानुमितिस्तु न कविना श्रोतृजनान् बोधयितुमिष्टा, अत एव काव्यात्मकव्यापारविषयीभूताऽपि न। श्रोत्रा कारणज्ञानसहकारेण तादृश्यनुमितिः क्रियत इत्यन्यदेतत्। एवञ्च काव्यलिङ्गस्थलेऽनुमितेर्जायमानत्वेऽपि अनुमानालंकारस्य विषयो नास्तीति। अनुमानालङ्कारलक्ष्यमुपदर्शयति—'तस्मिन्मणि—' इति। इदं पद्यमनुमानालंकारप्रकरणे द्रष्टव्यम्। अत्र 'इदानीं दिवसावसानं कोकवियोगात्' इत्याकारानुमितिर्बुबोधयिषितैव कविनेत्यनुमानालंकारविषयो विद्यत, इति भावः। काव्यलिङ्गानुमानयोर्विशेषान्तरमप्याह—अपि चेति। अयं भावः—यत्रानुमितिकर्ताऽपि काव्ये वर्णितस्तत्र सा अनुमितिरनुमानालंकारप्रयोजिका भवति, यत्र पुनरनुमितिकर्ता न वर्णितस्तिष्ठति, अत एव श्रोतार एव महावाक्यार्थनिश्चयायानुमितिं कुर्वन्ति तत्र तादृशी साऽनुमितिः काव्यलिङ्गप्रयोजिका जायत इति महदन्तरमेतयोरिति। नन्वनु-

मानालंकारलक्षणान्नैतल्लभ्यत इति चेत्तत्राह—एवं चेति। अनुमानालंकारलक्षणे यानुमितिः प्रविष्टा तस्यां काव्यव्यापारगोचरत्वं विशेषणं योज्यम्, तथा च काव्यलिङ्गे न तल्लक्षणातिप्रसङ्ग इति भावः।

काव्यलिङ्ग तथा अनुमानालङ्कार में परस्पर अन्तर दिखलाने के लिए कहा जाता है—अथानुमानादित्यादि।

अच्छा तो अब यह विचार किया जाय कि अनुमानालङ्कार से इस काव्यलिङ्गालंकार में क्या अन्तर है? यदि कहा जाय कि व्याप्तियुक्त तथा पक्षवृत्ति रूप से ज्ञात होकर जो वस्तु किसी अर्थ का साधक हो वह अनुमान है और स्वरूपतः, न कि व्याप्य और पक्षवृत्ती के रूप में, ज्ञात होकर जो वस्तु प्रस्तुत अर्थ का उपपादक हो वह काव्यलिङ्ग है—बस, दोनों में यही अन्तर है। तात्पर्य यह कि अनुमान में हेतु का व्याप्यत्व (साध्य और हेतु का साथ रहना) और पक्ष (जिसमें साध्य का संदेह है) में रहना अनिवार्य है, किन्तु काव्यलिङ्ग में हेतु का उस रूप में ज्ञात होना आवश्यक नहीं होता, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि कोई पदार्थ युक्ति रहने पर ही उपपादक हो सकता है और जब—'व्यभिचार' (हेतु साध्य का साथ न रहना) अथवा 'पक्ष में हेतु का न रहना' इन दोनों में से किसी एक का भी ज्ञान होगा तब युक्ति हो नहीं सकती, जैसे—'विनिन्द्यान्युन्मत्तैः—' इस पूर्वोक्त पद्य में जिस 'श्रमाभाव' रूप हेतु का वर्णन है उस में यदि 'व्यभिचार' का ज्ञान हो जाय—अर्थात् यह ज्ञान हो जाय कि उत्कर्षहीन में भी वैसा 'श्रमाभाव' रहता है अथवा 'पक्षावृत्तित्व' का ज्ञान हो जाय—अर्थात् यह ज्ञान हो जाय कि वैसा 'श्रमाभाव' गङ्गा में है ही नहीं, तब उससे (सकलपापहरण समानाधिकरण श्रमाभाव से) गङ्गा का उत्कर्ष कभी नहीं सिद्ध हो सकता है और वह तब सिद्ध हो सकता है जब यह ज्ञान हो कि वैसा श्रमाभाव सर्वोत्कर्ष से अव्यभिचरित है और गङ्गा में रहने वाला है।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि सब जगह हेतु का उपपाद्य (साध्य) के साथ अव्यभिचार ज्ञान रहने पर ही उपपत्ति (उपपादन) होती है, हेतु के व्यभिचारित्व का ज्ञान रहने पर तो 'यह ऐसा होगा अथवा ऐसा नहीं होगा' इस प्रकार का सन्देह ही होगा। तात्पर्य यह है कि पक्ष में व्यभिचरित हेतुमत्ता का ज्ञान साधारण धर्मवत्ताज्ञान रूप ही पर्यवसित होगा और साधारणधर्मवत्ता का ज्ञान संशय का जनक होता है ऐसा दार्शनिकों का सिद्धान्त है।

इस लिए यह समझना चाहिए कि आलङ्कारिकों के 'उपपत्ति' 'समर्थन' आदि विलक्षण शब्दों के प्रयोग अनुमिति के मार्ग में ही आते हैं।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि 'समर्थन' एक प्रकार की दृढ प्रतीति है, अनुमिति नहीं, क्योंकि दृढ प्रतीति का अर्थ ज्ञानविशेष ही है और वह ज्ञानविशेष, जैसे गङ्गा में सर्वोत्कर्ष ज्ञान, प्रात्यक्षिक तो कहला नहीं सकता, क्योंकि चक्षु आदि इन्द्रियों के सम्बन्ध से होने वाला ज्ञान प्रात्यक्षिक कहलाता है और यहाँ इन्द्रियों का सम्बन्ध है नहीं, इसी तरह आप अपनी दृढ प्रतीति को शाब्दबोध रूप भी नहीं मान सकते, क्योंकि शाब्दबोध की सामग्री से अनुमिति की सामग्री यहाँ प्रबल है। तात्पर्य यह कि समानविषयक शाब्दबोध के प्रति अनुमिति सामग्री को प्रतिबन्धक माना जाता है और ऐसा इस लिए माना जाता है कि किसी एक ही विषय की शाब्दबोध-सामग्री तथा अनुमिति-सामग्री-दोनों के रहने पर अनुमिति ही होती है, शाब्दबोध नहीं ऐसा अनुभव से सिद्ध है। इसी युक्ति के आधार पर आप की दृढ प्रतीति मानसबोध

रूप भी नहीं हो सकती—अर्थात् समानविषयक मानसबोध के प्रति भी अनुमिति-सामग्री प्रतिबन्धक होती है और प्रतिबन्धक सामग्री की प्रबलता निश्चित है। अभिप्राय यह कि उक्त पद्य में गङ्गागत सर्वोत्कर्ष की प्रतीति को अनुमित्यात्मक ही मानना पड़ेगा, क्योंकि गङ्गागत सर्वोत्कर्षानुमिति की सामग्री (कारणकलाप) वहाँ उपस्थित है और किसी वस्तु की अनुमिति सामग्री के रहने पर उस वस्तु का शाब्द अथवा मानस-बोध नहीं होता है यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है।

इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि आप का कथन सत्य है। वस्तुतः जिस उप-पादक हेतु का नाम काव्यलिङ्ग है उससे होने वाली उपपत्ति (प्रतीति) अनुमिति ही है, क्योंकि काव्यगत पदार्थों का काल्पनिक होने के कारण परमार्थतः हेतु का व्यभिचार-ग्रस्त होने पर भी उन क्षणों में (काव्यतन्मयीभाव क्षणों में) व्यभिचार-ज्ञान नहीं होता है। किन्तु इतना होने पर भी यहाँ 'अनुमानालङ्कार' का विषय नहीं है, क्योंकि 'अनुमानालङ्कार' का विषय वह लिङ्ग (हेतु) होता है जिसके आधार पर श्रोता को अनुमिति का बोध कराने की इच्छा से कविकाव्य का निर्माण करता है। इसका निष्कर्ष यह है कि यद्यपि सामान्यतः 'अनुमितिकरणम् अनुमानम्' के अनुसार अनुमिति मात्र के 'करण' (असाधारण कारण) को अनुमान कहा जाता है, तथापि अनुमाना-लङ्कार के लिए वैसी अनुमिति का 'करण' अपेक्षित है जो काव्यव्यापारगोचर हो—अर्थात् जिस अनुमिति का वर्णन करना, पर-प्रतीति-प्रयोजन वाले कवि को अभीष्ट हो। उपपादक हेतुरूप काव्यलिङ्ग से होने वाली अनुमिति का बोध श्रोता को कराना तो कवि का अभीष्ट नहीं रहता है, अत एव यहाँ की अनुमिति काव्यव्यापार का विषय भी नहीं होता है। यह बात दूसरी है कि यहाँ भी हेतु के वर्तमान रहने के कारण श्रोता को अनुमिति हो जाती है, अतः अनुमिति के उत्पन्न हो जाने पर भी यहाँ अनुमाना-लङ्कार का विषय नहीं है।

'तस्मिन्मणिव्रात—' इस अग्रिम (अनुमानालङ्कार के उदाहरण रूप में लिखित) पद्य में तो श्रोता को अनुमिति का बोध करवाना कवि का अभिप्रेत है ही, अतः वह अनुमानालङ्कार का विषय है।

अनुमान तथा काव्यलिङ्ग में एक बड़ा अन्तर यह भी है कि कविनिबद्ध किसी अन्य प्रमाता (ज्ञाता) में रहने वाली अनुमिति अनुमानालङ्कार का प्रयोजक होती है—अर्थात् कवि ने जहाँ अनुमान करने वाले का भी वर्णन किया हो वहाँ अनुमानालङ्कार होता है और श्रोता में रहनेवाली महावाक्यार्थ के निर्णय में सहायक अनुमिति काव्यलिङ्ग का प्रयोजक होती है—अर्थात् काव्यलिङ्ग स्थल में कवि अनुमाता का वर्णन नहीं करता है, करे भी क्यों ? जब कि 'यहाँ अनुमिति है' श्रोता को ऐसा ज्ञान कराना उसे अभीष्ट नहीं रहता। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि यहाँ भी श्रोता एक प्रकार की अनुमिति करता है और वह इस लिए करता है कि उससे पूरे पद्य, जो अनेक वाक्यों से घटित महावाक्य रूप रहता है, के अर्थ-निर्णय में सहायता मिलती है। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि काव्यलिङ्ग में अतिव्याप्ति-वारण के लिए अनुमानालङ्कार के लक्षण में प्रविष्ट अनुमिति में 'काव्यव्यापार का विषय' यह विशेषण जोड़ देना चाहिए।

दीक्षितोक्तमुक्त्वा खण्डयति—

यत्तु 'समर्थनीयस्यार्थस्य काव्यलिङ्गं समर्थकम्' इति कुवलयानन्दकारो लक्षणमकार्षीत्तदपि सामान्यविशेषभावानालिङ्गितत्वविशेषणरहितं चेदर्था-न्तरन्यासे स्यादेवातिप्रसक्तम्।

कुवलयानन्दकारोऽप्पयदीक्षितः 'समर्थनापेक्षस्यार्थस्य समर्थकं वाच्यं काव्यलिङ्गम्' इत्यर्थकं 'समर्थनीयस्य—' इति काव्यलिङ्गालङ्कारलक्षणं कृतवान, परमस्मिन् लक्षणे 'सामान्यविशेषभावानालिङ्गितत्वम्' यदि विशेषणविधया न निवेश्येत तदाऽर्थान्तरन्यासेऽस्य लक्षणस्यातिव्याप्तिः स्यात्तथा च तादृशविशेषणाघटितमिदं लक्षणमयुक्तमिति भावः।

अत्र "प्राचीनमते समर्थनीयेत्यनेनैव वारणात् मतान्तरे तु सामान्यविशेषभावानालिङ्गितत्वं विशेषणं देयमित्यर्थान्तरन्यासप्रकरणे तद्ग्रन्थ एव स्फुटम्।" इति नागेशः। तत्र समर्थनसापेक्षस्यार्थस्य समर्थने काव्यलिङ्गम्, निरपेक्षस्यापि प्रतीतिदार्ढ्याय समर्थनेऽर्थान्तरन्यास इति प्राचीनमताभिप्रायो बोध्यः।

दीक्षितमत का उल्लेख करके खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि, कुवलयानन्दकार अप्पय दीक्षित ने जो 'समर्थनीयस्य—अर्थात् समर्थनयोग्य अर्थ के समर्थक को काव्यलिङ्ग कहते हैं' यह लक्षण बनाया है, उसमें यदि 'सामान्य-विशेषभाव से अनालिङ्गित' यह विशेषण न दिया जाय तो अर्थान्तरन्यास में अतिव्याप्ति हो ही जायगी।

यहाँ नागेश का कथन है कि "दीक्षित जी पर यह आक्षेप उचित नहीं है, क्योंकि दीक्षित जी ने अर्थान्तरन्यास के प्रकरण में अपने ग्रन्थ-कुवलयानन्द में साफ लिखा है कि 'प्राचीन मत में 'समर्थनीय' इस विशेषण से ही काव्यलिङ्ग लक्षण की अर्थान्तरन्यास में अतिव्याप्ति वारित हो जायगी. अर्थात् 'समर्थनीय' का अर्थ है समर्थन की अपेक्षा रखनेवाला, अतः काव्यलिङ्ग वहाँ होगा जहाँ समर्थन सापेक्ष (समर्थन के बिना संगत नहीं प्रतीत होने वाले) अर्थ का समर्थन किया जायगा और अर्थान्तरन्यास वहाँ होगा जहाँ समर्थनानपेक्ष (समर्थन के बिना भी उपपन्न हो सकने वाले) अर्थ का समर्थन प्रतीति—दार्ढ्य के लिए किया जायगा और नवीनों जो कहीं समर्थनापेक्षा के अभाव में भी काव्यलिङ्ग तथा कहीं समर्थनापेक्षा के रहने पर भी अर्थान्तरन्यास मानते हैं, के मत में 'सामान्य-विशेष भाव से अनालिङ्गित' यह विशेषण काव्यलिङ्ग लक्षण में लगाना चाहिए।"

अलङ्कारसर्वस्वकारमतमुपन्यस्य निरस्यति—

यद्यपि—

"–'यत्त्वन्नेत्रसमानकान्तिसलिले मग्नं तदिन्दीवरम्
मेघैरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी शशी।
येऽपि त्वद्गमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता-
स्त्वत्सादृश्यविनोदमात्रमपि मे दैवेन न क्षम्यते॥'

'मृग्यश्च दर्भाङ्कुरनिर्व्यपेक्षास्तवागतिज्ञं समबोधयन्माम्।
व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्यामुत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि॥'

पूर्वत्र पादत्रयार्थोऽनेकवाक्यार्थरूपश्चतुर्थपादार्थे हेतुः। उत्तरत्र तु संबोधने व्यापारयन्त्य इति मृगीविशेषणत्वेनानेकपदार्थो हेतुरुक्तः" इत्यलङ्कारसर्वस्वकृतोक्तम् अनुमोदितं च कुवलयानन्दकृता। तदुभयमसत्। अनुमानार्थान्तरन्यासविषये हेत्वलङ्कारो नेति तावत्सर्वसम्मतम्। अन्यथा तयोरुच्छेदापत्तेः।

अयं चानुमानस्यैव विषयः। चतुर्थचरणे दैवरूपे पद्ये नायिकाङ्गसादृश्यदर्शन-जन्यसुखासहिष्णुत्वरूपसाध्यस्य चरणत्रयवेद्येन यत्तदङ्गसादृश्याधारविघट-कत्वेन हेतुना सिद्धेः स्फुटत्वात्। दैवं नायिकाङ्गसादृश्यदर्शनजन्य-मदिष्टसुखा-सहिष्णु, तत्तन्नायिकाङ्गसादृश्याधारविघटकत्वात् मदीयशत्रुभूतयज्ञदत्तादिव-दिति च प्रयोगः। मृग्यश्चेति द्वितीयपद्ये यद्यपि संबोधने वक्तृनिष्ठे मृगीनेत्र-व्यापारो ज्ञायमान उत्पादकः, तथापि नासावुत्पादकता अनुमितिकारणताया अतिशेत इत्यनुमानालङ्कार एव युक्तः। इयांस्तु विशेषः—यत्पूर्वपद्येऽनुमिति-गम्य, इह पुनर्वुध्यतेर्वाच्या। [मृग्यो दक्षिणानिलसम्पर्कवत्यः, दक्षिणाभिमुख-विलक्षणनेत्रव्यापारवत्त्वात्] इति च प्रयोगः। वैलक्षण्यं चोत्पद्मेत्यादिनोक्तं बोध्यम्।

'यत्त्वन्नेत्र—' इति। सीता विरह-कातरस्य रामस्योक्तिरियम्—हे प्रिये! सीते!, यत्, इन्दीवरम् नीलकमलम्, त्वन्नेत्रसमानकान्ति त्वदीयनयनतुल्यशोभम्, आसीदिति-शेषः, तत् इन्दीवरम्, सलिले जले, मग्नम् (अन्तर्भावितण्यन्तोऽयं प्रयोगः) मज्जित-मित्यर्थः, तव सीतायाः, मुखच्छायानुकारी आननकान्त्यनुहरणशीलः, शशी चन्द्रः, आसी-दिति शेषः, सः मेघैः करणभुतैः, अन्तरितः अस्यापि अन्तर्भावितण्यन्ततया व्यवधापित इत्यर्थः, ये, राजहंसाः हंसश्रेष्ठाः, त्वद्गमनानुसारिगतयः त्वदीयगतितुलागतियुक्ता, आसन्निति शेषः, ते गताः गमिता इत्यर्थः, इत्थम्, दैवेन भाग्येन, मे मम कृते, त्वत्सा-दृश्यविनोदमात्रमपि त्वदङ्गः सादृश्यदर्शनजन्यसुखमात्रमपि, किमुत त्वदङ्गदर्शनजसुखमिति भावः, न क्षम्यते न मृष्यत इत्यर्थः।

'मृग्यश्च—' इति। सीतया सह लङ्कातः परावृत्तस्य रामस्य सीतां प्रत्युक्तिरियम्—अयि प्रिये! दर्भाङ्कुरनिर्व्यपेक्षाः दर्भाङ्कुरेभ्य उदासीना दर्भाङ्कुरभक्षणविरता इति यावत्, तथा, दक्षिणस्यां दिशि दक्षिणदिशायाम्, उत्पक्ष्मराजीनि उत्थितपक्ष्मपङ्क्तीनि, विलोच-नानि विशालानि नेत्राणि, व्यापारयन्त्यः प्रक्षिपन्त्यः, मृग्यः हरिण्यः तवागतिज्ञम् त्वद्-गमनदिशाज्ञानरहितमिति भावः, माम् रामम् समबोधयन् अन्वमापयन्। त्वद्गमनदिशा-ज्ञानमकारयन्निति यावत्।

पूर्वत्रेति। 'यत्त्वन्नेत्र-' इत्यत्रेत्यर्थः। अनेकवाक्यार्थरूप इति। त्रयाणां चरणानां स्वतन्त्रवाक्यत्रयरूपत्वादिति भावः। उत्तरत्रेति। 'मृग्यश्च-' इत्यत्रेत्यर्थः। सम्बोधने इति। अस्य 'हेतु' रित्यत्रान्वयः। मृगीविशेषणत्वेनानेक इति। व्यापारयन्त्य इति। मृगी-विशेषणम्, न तु स्वतन्त्रं क्रियापदम्, अतः, सम्बोधनेऽनेकपदार्थ एव विशेषण-विशिष्टमृगीपदार्थरूपो हेतुर्न वाक्यार्थ इति भावः। अनुमोदितं च कुवलयानन्दकृता इति। "नहि यत्त्वन्नेत्रसमानकान्ति' इत्यादिकाव्यलिङ्गोदाहरणेष्विव-" इत्यर्थान्तर-न्यासप्रकरणे वदता कुवलयानन्दकृता। सर्वस्वकारोक्तं समर्थितमिति भावः। खण्डयति—तदुभयमप्यसदिति। सर्वस्वकारकथनं कुवलयानन्दकारसमर्थनञ्चायुक्तमिति भावः। अयुक्तत्वे हेतुमाह—अनुमानेत्यादिना। हेत्वलङ्कार इति। काव्यलिङ्गालङ्कार इत्यर्थः। अन्यथेति अनुमानार्थान्तरन्यासविषये हेत्वलङ्कारस्वीकार इत्यर्थः। तयोरिति। अनुमानार्थान्तरन्यासयोरित्यर्थः। अयं चेति। 'यत्त्वन्नेत्र—' 'मृगयश्च-' इति च पद्यरूप

इत्यर्थः । तत्र प्रथमपद्यस्यानुमानविषयतामुपपादयति—चतुर्थचरण इत्यादिना । चतुर्थचरणगतदैवरूपपदे इत्यन्वयः । तत्रानुमानाकारमाह—दैवमित्यादि । अत्र साध्यतावच्छेदको हेतुतावच्छेदकश्च सम्बन्धः समवाय इति बोध्यम् । द्वितीयपद्यस्यानुमानविषयतामुपपादयन्नाह—मृग्यश्चेति । 'सम्बोधन' इति । ज्ञान इत्यर्थः । अनुमिताविति यावत् । वक्तृनिष्ठ इति । रामगत इत्यर्थः । अयं भावः—'सम्बोधयन्' इत्यस्य बोधमज्जयन्' इत्यर्थः, बोधश्च रामनिष्ठस्तस्य च बोधस्योत्पादकत्वं यद्यपि शब्दतः मृगीषु प्रतीयते, तथापि अर्थपर्यालोचनेन मृगीगतनेत्रव्यापारे तत् पर्यवस्यति, तथा च मृगीनेत्रव्यापार उत्पादको हेतुरिति कथमिहानुमितिः, तत्र हेतोर्ज्ञापकत्वादिति चेन्न, ज्ञायमानमृगीनेत्रव्यापारगता मृगीनेत्रव्यापारज्ञानगता वा बोधोत्पादकता अनुमितिकारणतैव उत्पाद्यो बोधश्चानुमितिरेव, सर्वत्र साध्यज्ञानोत्पादकता ज्ञायमानस्य हेतोर्हेतुज्ञानस्य वा तिष्ठत्येवेत्याशयादिति । पूर्वपद्य इति । 'यत्त्वन्नेत्र' इत्यत्रेत्यर्थः । इहेति । मृग्यश्च-' इत्यत्रेत्यर्थः । बुध्यतेर्वाच्येति । णिजर्थव्यापारप्रयोज्यफलरूपेण 'समबोधयन्' इत्यस्य क्रियापदस्यानुमितिर्वाच्येति भावः । अनुमानाकारमाह—मृग्य इत्यादिना । अयमनुमानाकारोऽप्रासङ्गिक इव प्रतिभाति, यतो दक्षिणानिलस्य पद्य उल्लेखो नास्ति, तत्सम्पर्कसिद्धेः प्रयोजनमपि नैव विभाव्यते, अत एव मया पाठोऽयं कोष्ठान्तर्गतः कृतः । अहं तु मन्ये बोधस्यानुमितिरूपत्वे स्वीकृते 'मृग्यः समबोधयन्' इत्युक्त्या मृगीणां हेतुत्वं हेतुघटकत्वं वा स्फुटं प्रतीयते, न पक्षत्वम् , अतः 'दक्षिणादिक्, त्वद्गतिमती, दर्भाङ्कुरनिर्व्यपेक्षमृगीकर्तृकविलक्षणनेत्रव्यापारवत्त्वात्' इत्यनुमानाकारोऽत्रोचित इति । अस्मिंश्चानुमाने साध्यतावच्छेदको हेतुतावच्छेदकश्च संबन्धो दैशिकाधारतापरपर्याया आश्रयता इति बोध्यम् । मृगीनेत्रव्यापारगतवैलक्षण्यं स्फुटयितुमाह—वैलक्षण्यं चेति । उत्पक्ष्मराजित्वमेव मृगीनेत्रव्यापारे वैलक्षण्यमिति भावः ।

अलङ्कारसर्वस्वकार के मत का उल्लेख करके खण्डन किया जाता है—यदपि इत्यादि ।

और जो—"–'यत्त्वन्नेत्र अर्थात् हे प्रिये ! जो नीलकमल तेरे नेत्र के समान कान्ति वाला था वह जल में डुबा दिया गया, तेरे मुख की कान्ति का अनुकरण करनेवाला चन्द्र मेघों के द्वारा ढक दिया गया और जिनकी गति तेरी गति का अनुकरण करती थी वे राजहंस भी भगा दिए गए । (यहाँ 'मग्नम्' 'अन्तरितः' और 'गताः' ये क्रिया पद अन्तर्भावितण्यर्थ हैं अतः 'डुबा दिया गया' इस तरह से अर्थ किए गए हैं और इस तरह से अर्थ करने की आवश्यकता इसलिये होती है कि ये क्रियायें दैवगत सिद्ध हों, अन्यथा दैव की सादृश्यविनोदासहिष्णुता संगत नहीं होगी ।) दैव को मेरे लिये तेरे सादृश्य का विनोदमात्र भी सह्य नहीं है ।' (यह प्रिया-विरहकातर राम की उक्ति है ।)

एवम् 'मृग्यश्च—अर्थात् हे सीते ! तेरी गति के ज्ञान से ही न मुझको, दक्षिण दिशा की ओर ऊपर उठी हुई पक्ष्म पङ्क्तिवाले अपने विशाल नयनों को व्यापृत करती हुई दर्भाङ्कुरों से उदासीन बनी हुई (दर्भाङ्कुरों को नहीं खाती हुई) मृगियों ने समझाया (दक्षिण दिशा में तेरी गति का ज्ञान–अनुमान कराया) ।'

यहाँ प्रथम पद्य में अनेक वाक्यार्थरूप तीन चरणों का अर्थ (नीलकमल का डुबा दिया जाना, चन्द्रमा का मेघों से छिपा देना और राजहंसों का भगा दिया जाना) चतुर्थ चरण के अर्थ (दैव को सादृश्य विनोद के सह्य न होने) में हेतु है (फलतः यहाँ

वाक्यार्थहेतुक काव्यलिङ्ग है) और द्वितीय पद्य में 'व्यापारयन्त्यः (व्यापृत करती हुई)' इस मृगीविशेषण के कारण अनेक पदार्थ (वाक्यार्थ नहीं), सम्बोधन (समझाने) में हेतु है (फलतः यहाँ पदार्थहेतुककाव्यलिङ्ग है)।" यह अलङ्कारसर्वस्वकार ने कहा और कुवलयानन्दकार ने भी उसका अनुमोदन किया, वे दोनों ही अनुचित हैं। कारण, अनुमान तथा अर्थान्तरन्यास के विषय में हेत्वलङ्कार (काव्यलिङ्गालङ्कार) नहीं होता यह सर्वसम्मत है, अन्यथा उन दोनों का उच्छेद ही हो जायगा और यह है अनुमान का ही विषय, क्योंकि प्रथम पद्य के चतुर्थ चरण में वर्णित 'दैव' रूप पत्त में 'नायिका के अङ्गों के सादृश्य के 'दर्शन से उत्पन्न होने वाले सुख की असहिष्णुता' रूप 'साध्य' की सिद्धि प्रथम तीन चरणों के द्वारा अवगत होने वाले -'तत्तत् अङ्गों के सादृश्य के आधार (नीलकमल आदि) की विघटकता' रूप हेतु से स्पष्ट प्रतीत हो रही है। इस अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होगा—'दैव, नायिका के अङ्ग के सादृश्य के दर्शन से उत्पन्न होने वाले मेरे अभीष्ट सुख का असहिष्णु है, क्योंकि वह नायिका के उन-उन अङ्गों के सादृश्य के आधार का विघटक है, जैसे मेरे शत्रुरूप यज्ञदत्त आदि।'

'मृगयश्च—' इस दूसरे पद्य में यद्यपि वक्ता में (राम में) रहनेवाले संबोधन (ज्ञान) के प्रति ज्ञायमान 'मृगियों के नेत्र-व्यापार' उत्पादक कारण है—अर्थात् मृगी-नेत्र-व्यापार के ज्ञान होने पर राम में ज्ञान उत्पन्न होता है, अतः यहाँ अनुमिति का प्रसङ्ग ही नहीं है, क्योंकि ज्ञापक कारण के स्थल में अनुमिति होती है ऐसी शंका हो सकती है तथापि ज्ञायमान मृगीनेत्रव्यापारगत वह उत्पादकता अनुमितिकारणता से अधिक कुछ नहीं है—अर्थात् सभी अनुमिति स्थलों पर साध्यज्ञान का उत्पादक ज्ञायमान हेतु अथवा हेतु-ज्ञान होता ही है, बस यही बात यहाँ भी है, अतः यहां अनुमानालंकार ही उचित है।

हां, इतना अन्तर अवश्य है कि पूर्व पद्य में अनुमिति व्यङ्ग्य है और यहाँ 'समबोधयन्' का वाच्य है अर्थात् 'समबोधयन्' का अर्थ है 'अनुमान कराया'।

इस अनुमान का प्रयोग 'मृगियाँ दक्षिणानिल के संपर्क से युक्त हैं, क्योंकि वे दक्षिण दिशा की ओर किए गए विलक्षण दिशा की ओर किए गए विलक्षण नेत्र व्यापार से युक्त हैं' यह है और विलक्षणता उठी हुई पलकों की पङ्क्तियों के द्वारा बताई हुई समझनी चाहिए। यहाँ यह अनुमान का आकार सर्वथा अप्रासङ्गिक सा प्रतीत होता है, क्योंकि 'दक्षिणानिल के संपर्क की न तो पद्य में चर्चा है और न उक्त संपर्क की सिद्धि से यहाँ कोई प्रयोजन ही है। अत एव मैंने इस पाठ को मूल में कोष्ठबद्ध कर दिया है।

मेरे विचार से यहाँ अनुमान का आकार यह होना चाहिए कि—'दक्षिणदिशा, तेरे गमन से युक्त है, क्योंकि वह दिशा दर्भाङ्कुर से विमुख मृगियों के द्वारा किए गए विलक्षण नेत्र-व्यापारयुक्त है, जो तेरे गमन से युक्त नहीं है वह मृगियों के वैसे नेत्र-व्यापार से भी युक्त नहीं है, जैसे अन्य दिशा'।

काव्यलिङ्गस्यालङ्कारतां निरस्यति—

अत्र वदन्ति—काव्यलिङ्गं नालङ्कारः। वैचित्र्यात्मनो विच्छित्तिविशेषस्याभावात्। स हि जन्यतासंसर्गेण कविप्रतिभाविशेषः, तन्निर्मितत्वप्रयुक्तश्चमत्कृतिविशेषो वेत्युक्तम्। नचानयोरन्यतरस्याप्यत्र संभवः। हेतुहेतुमद्भावस्य वस्तुसिद्धत्वेन कविप्रतिभानिर्वर्त्यत्वायोगात्। अत एव चमत्कृतिरपि दुर्लभा। श्लेषादिसंमिश्रणेन विच्छित्तिविशेषोऽत्राप्यस्तीति तु न वाच्यम्। तस्य श्लेषाद्यंशप्रयोज्यत्वेन काव्यलिङ्गस्यालङ्कारतायास्तथाप्यसिद्धेः। यत्र तूप-

स्कारकवैचित्र्याद्विलक्षणं तदुपस्कार्यवैचित्र्यं तत्रास्तु नामोपस्कारकादुपस्कार्यस्य पृथगलङ्कारत्वम् । यथातिशयोक्तेर्हेतुफलोत्प्रेक्षयोः । यत्र तूपस्कारकवैचित्र्य एव विश्रान्तिस्तत्रोपस्कार्यमनलङ्कार एव । यथा प्रकृते ।

एवं तर्हि बहूनामलङ्कारत्वेन प्राचीनैरूरीकृतानामनलङ्कारतापत्तिरिति चेत्, अस्तु । किं नश्छिन्नम् । तस्मात् 'निर्हेतुरूपदोषाभावः काव्यलिङ्गम्' इत्यपि वदन्ति ।

काव्यलिङ्गस्यानलङ्कारत्वे युक्तिमाह—वैचित्र्येति । वैचित्र्यात्मन इति । वैचित्र्यरूपस्येत्यर्थः । कोऽसौ विच्छित्तिविशेष इति चेत्तत्राह – स हीति । विच्छित्तिविशेषस्तच्छब्दार्थः । काव्यनिष्ठतासंपत्तये आह—जन्यतासंसर्गेणेति । जन्यतासंसर्गस्य वृत्त्यनियामकतया विच्छित्तिविशेषवत्काव्यमितिप्रतीतेरसिद्धिरिति पक्षान्तरमाह—तन्निर्मितत्वेति । कविप्रतिभानिर्मितत्वप्रयुक्तश्चमत्कृतिविशेषो विच्छित्तिविशेषपदार्थ इति भावः । अनयोरिति । कविप्रतिभाविशेष-तन्निर्मितत्वप्रयुक्तचमत्कृतिविशेषयोरित्यर्थः । कुतो न संभव इत्यत्राह—हेतुहेतुमद्भावस्येति । वस्तुसिद्धत्वेनेति । वास्तविकत्वेनेत्यर्थः । स्वभावसिद्धत्वेनेति यावत् । अत एवेति । हेतुहेतुमद्भावस्य कविप्रतिभानिर्वर्त्यत्वायोगादेवेत्यर्थः । कविप्रतिभासंपाद्य एव चमत्कार इति भावः । शङ्कते-श्लेषादीति । अत्रापीति । काव्यलिङ्गेऽपीत्यर्थः ।

तस्येति । विच्छित्तिविशेषस्येत्यर्थः । असिद्धेरिति । श्लेषाद्यंशप्रयोज्यविच्छित्तिविशेषेण श्लेषादेरेव तत्रालङ्कारत्वं सिद्ध्यति, न काव्यलिङ्गस्य, श्लेषादिवैचित्र्यविलक्षणवैचित्र्यस्याननुभवादिति भावः । एतदेव स्फुटयति—यत्र त्विति । उपस्कारकेति । पोषकेत्यर्थः । प्रकृते श्लेषादीति यावत् । उपस्कारकादुपस्कार्यस्य यत्र पृथगलंकारत्वं तादृशं स्थलमुपदर्शयति—यथेति । हेतूत्प्रेक्षाया फलोत्प्रेक्षायाश्च नियमतोऽतिशयोक्तिरेवोपस्कारिका, अहेतोर्हेतुत्वेनाफलस्य फलत्वेन चाध्यवसानात्, तथापि तयोस्ततः पृथगलङ्कारत्वं भवति, पृथग्वैचित्र्यानुभवादिति भावः । यथा प्रकृत इति । काव्यलिङ्गस्थले उपस्कारकस्य श्लेषादेरेव वैचित्र्ये विश्रान्तिर्न तु काव्यलिङ्गे किञ्चिदभिनवं वैचित्र्यमुत्पद्यते, अतो न काव्यलिङ्गस्यालंकारतेति भावः । आशंकते एवं तर्हीति । अनलंकारतापत्तिं स्वीकरोति—अस्त्विति । उपसंहरति—तस्मादिति ।

काव्यलिङ्ग की अलङ्कारता का खण्डन किया जाता है—अत्र वदन्ति इत्यादि ।

यहाँ कुछ लोगों का कथन है कि—काव्यलिङ्ग अलङ्कार नहीं है, क्योंकि इसमें विचित्रता रूप विच्छित्तिविशेष का अभाव है । 'विच्छित्तिविशेष' का अर्थ है 'जन्यता संबन्ध से काव्य में रहनेवाला कवि का प्रतिभा विशेष' अथवा 'कविप्रतिभा से निर्मित होने के कारण उत्पन्न होनेवाला चमत्कारविशेष' जैसा कि पहले कहा जा चुका है । इन दोनों में से एक का भी यहाँ (काव्यलिङ्ग में) संभव नहीं है, क्यों कि हेतुहेतुमद्भाव, जिसको काव्यलिङ्ग कहते हैं, वस्तुसिद्ध है अर्थात् वस्तुओं का स्वाभाविक धर्म है, अतः उसमें 'कवि-प्रतिभा-निर्मितता' का संबन्ध ही नहीं है और जब 'कविप्रतिभानिर्मितता' का संबन्ध नहीं है तब चमत्कार भी दुर्लभ है ।

यदि कहा जाय कि 'श्लेष आदि का संमिश्रण रहने के कारण काव्यलिङ्ग में भी विच्छित्तिविशेष है' तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वह विच्छित्तिविशेष श्लेष आदि

अंश के कारण होता है, न कि हेतुहेतुमद्भाव के कारण, अतः उस से भी काव्यलिङ्ग की अलङ्कारता सिद्ध नहीं हो सकती है।

जहाँ उपस्कारक की विचित्रता से उस उपस्कारक द्वारा उपस्कृत होने वाले (उपस्कार्य) की विचित्रता विलक्षण हो वहाँ भले ही उपस्कारक की अपेक्षा उपस्कार्य की पृथक् अलङ्कारता हो, जैसे उपस्कारक अतिशयोक्ति की अपेक्षा उपस्कार्य हेतूत्प्रेक्षा तथा फलोत्प्रेक्षा की पृथक् अलङ्कारता।

किन्तु जहाँ उपस्कारक की विचित्रता में ही विश्रान्ति हो जाय वहाँ उपस्कार्य अलङ्कार नहीं ही है, जैसे प्रस्तुत काव्यलिङ्ग में। अभिप्राय है कि काव्यलिङ्गस्थल में श्लेष आदि उपस्कारक तत्त्व की विचित्रता में ही विश्रान्ति हो जाती है उससे पृथक् किसी तरह का वैचित्र्य हेतुहेतुमद्भावरूप काव्यलिङ्ग में उत्पन्न नहीं होता, अतः वहाँ श्लेष आदि को भले ही अलङ्कार माना जाय, काव्यलिङ्ग को अलङ्कार नहीं माना जा सकता है।

इस पर यदि कहा जाय कि इस तरह तो प्राचीनों के द्वारा स्वीकृत बहुत से अलङ्कार अलङ्कार नहीं रह जायगें तो इस के उत्तर में कहा जाता है कि ऐसा ही हो अर्थात् इस तरह के तत्त्व अलङ्कार न हों, हमारा क्या छिन गया ?

अतः इन नवीनों का यह भी कथन है कि काव्यलिङ्ग 'निर्हेतुता' रूप दोष का अभाव मात्र है, अलङ्कार नहीं।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे काव्यलिङ्गप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे काव्यलिङ्गालंकारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमितिभावः।

रसगङ्गाधर-गत काव्यलिङ्गालङ्कार प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां काव्यलिङ्गप्रकरणम् ॥

अलङ्कारान्तरारम्भं प्रतिजानीते—

अथार्थान्तरन्यासः—

अर्थान्तरन्यासालङ्कारो निरूपणीयतया प्रारब्धो बोध्य इति भावः।

अर्थान्तरन्यासालङ्कार का निरूपण अब आरब्ध समझना चाहिए।

तल्लक्षणं तावदाह—

सामान्येन विशेषस्य विशेषेण सामान्यस्य वा यत्समर्थनं तदर्थान्तरन्यासः॥

सामान्येनार्थेन विशेषभूतस्यार्थस्य समर्थनम् अथवा विशेषभूतेनार्थेन सामान्यस्यार्थस्य समर्थनम् अर्थान्तरन्यासालङ्कारनाम्ना व्यपदिश्यत इति भावः।

प्रथमतः लक्षण किया जाता है—सामान्येन इत्यादि।

सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ का अथवा विशेष अर्थ से सामान्य अर्थ का जो समर्थन किया जाता है (उस तरह के समर्थन को) अर्थान्तरन्यास (अलङ्कार) कहते हैं।

लक्षणं स्फुटयति—

समर्थनं चेदमेवमनेवं वा स्यादिति संशयस्य प्रतिबन्धक इदमित्थमेवेति दृढप्रत्ययः। निश्चय इति यावत्। तत्र प्रकृतयोः सामान्यविशेषयोः समर्थ्यत्वम्, अप्रकृतयोर्विशेषसामान्ययोः समर्थकत्वं प्रायशो दृश्यते।

'इदमेवमनेवं वा स्यात्' इत्याकारकस्य यत्किञ्चिद्वस्तुविषयकस्य संदेहस्य प्रतिबन्धकीभूतो यः 'इदमित्थमेव' इत्याकारकस्तद्वस्तुविषयको निश्चयापरपर्यायो दृढप्रत्ययः स एवात्र समर्थन-शब्दार्थ इति भावः। तत्रेति। अर्थान्तरन्यास इत्यर्थः। प्रकृतयोः प्रस्तुतयोः। अप्रकृतयोरप्रस्तुतयोः। प्रायश इति। एतेन क्वचिदेतद्विपरीतमपि संभवतीति सूचितम्।

लक्षण का स्पष्टीकरण किया जाता है—समर्थनं च इत्यादि।

समर्थन का अर्थ यहाँ वह दृढ प्रतीति—अर्थात् निश्चय है जो किसी वस्तु के विषय में होनेवाले 'यह ऐसा होगा अथवा ऐसा न होगा' इस सन्देह को प्रतिबद्ध करने के लिए—रोकने के लिए 'यह ऐसा ही है' इस रूप में होती है।

इस अलङ्कार में प्रस्तुत सामान्य अथवा विशेष की समर्थनीयता और अप्रस्तुत विशेष अथवा सामान्य की समर्थकता प्रायः देखी जाती है। अभिप्राय यह कि समर्थनीय अर्थ (वह सामान्य हो अथवा विशेष) प्रस्तुत और समर्थक (वह विशेष हो अथवा सामान्य) अप्रस्तुत रहता है।

अर्थान्तरन्यासस्य भेदं कुरुते—

तच्च तावत्साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां द्विविधम्।

तच्चेति। लक्षणोक्तं समर्थनञ्चेत्यर्थः। तावत् आदौ। साधर्म्यवैधर्म्याभ्यामिति। साधर्म्यमिह समर्थनीयार्थगतं रूपं सत्त्वासत्त्वात्मकं बोध्यम्, वैधर्म्यञ्च तद्विपरीतम्।

अर्थान्तरन्यास के भेद किए जाते हैं—तच्च इत्यादि।

लक्षण में कथित 'समर्थन' दो प्रकार का होता है। एक साधर्म्य द्वारा और दूसरा वैधर्म्य द्वारा। साधर्म्य और वैधर्म्य का रूप उदाहरण द्वारा स्पष्ट होगा।

उदाहर्तुमाह—

उदाहरणम्—

अत्र 'यथा' इति शेषो बोध्यः।

उदाहरण, जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'करिकुम्भतुलामुरोजयोः क्रियमाणां कविभिर्विशृङ्खलैः,
कथमालि शृणोषि सादरं विपरीतग्रहणा हि योषितः॥

हे आलि सखि!, विशृङ्खलैः उन्मर्यादैः, कविभिः, क्रियमाणाम् विधीयमानाम्, उरोजयोः स्तनयोः तव स्तनयोर्विषये इति यावत्, करिकुम्भतुलाम् गजमस्तकतुलनाम्, कथम् केन प्रकारेण, सादरम्, शृणोषि आकर्णयसि? हि यतः, योषितः स्त्रियः, विपरीतग्रहणाः विपरीतज्ञानाः भ्रान्ता इति यावत्, भवन्तीति शेषः। सर्वाः स्त्रियो भ्रान्ता भवन्ति, फलतस्त्वमपि भ्रान्तासि यतः, अत एव त्वम् असमीचीनतया वस्तुतोऽश्रोतव्यामपि स्तनयोः करिकुम्भतुलाम् सादरं शृणोषीति भावः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—करिकुम्भ इत्यादि।

हे सखि! उच्छृङ्खल कवियों द्वारा करिकुम्भ (हाथी के शिर) के साथ की जानेवाली अपने स्तनों की तुलना को तुम आदरपूर्वक कैसे सुन लेती हो। निश्चय ही स्त्रियाँ विपरीतज्ञान वाली (भ्रान्त) होती हैं।

उपपादयति—

अत्र संबोध्यकर्तृकस्य तदीयकुचवृत्तिकरिकुम्भतुलासादरश्रवणस्यानौचित्यं प्रतिपाद्यते। तच्च तस्यानिष्टसाधनत्वे संगच्छते, अनिष्टसाधनत्वमपि तादृशश्रवणमिष्टसाधनमिति बुद्ध्या श्रवणं कुर्वाणायाः कान्ताया भ्रान्तात्वं विना दुरुपपादमिति स्त्रीत्वेन भ्रान्तात्वं प्रतिपाद्यते। तच्च संबोध्यस्त्रीविशेषभ्रान्तात्वरूपस्य विशेषस्य सामान्यं समर्थकं च।

अत्रेति। 'करिकुम्भ–' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः। संबोध्यकर्तृकस्येति। संबोध्यः स्त्रीविशेषः कर्ता यस्य तादृशस्येत्यर्थः। तदीयेति। तदीयौ=स्त्रीविशेषसंबन्धिनौ यौ कुचौ तद्वृत्तित्वेन प्रतिपाद्यमानेति यावत् या करिकुम्भतुला तस्या यत् सादरं श्रवणं तस्येति भावः।

तच्चेति। तस्यानौचित्यञ्चेत्यर्थः। तस्येति। तादृशश्रवणस्येत्यर्थः। तच्चेति। सामान्येन स्त्रीत्वेन हेतुना साध्यमानं भ्रान्तात्वमित्यर्थः। अन्यत् सुगमम्। एवञ्चैतत्पद्यं साधर्म्यतः सामान्येन विशेषसमर्थनरूपास्यार्थान्तरन्यासस्योदाहरणतां प्रतिपद्यत इति बोध्यम्।

उपपादन किया जाता है–अत्र इत्यादि।

'करिकुम्भ–' इस पद्य में, जिस के प्रति 'हे सखि' यह संबोधन किया जा रहा है, उस स्त्री के द्वारा किए जाने वाले 'स्वकीय स्तनों में करिकुम्भ की तुलना के सादर श्रवण का' 'अनौचित्य' प्रतिपादित हुआ है। यह अनौचित्य तब संगत हो सकता है यदि उक्त तुलना का श्रवण सुननेवाली स्त्री के लिये अनिष्ट का साधन हो और उक्त तुलना का श्रवण सुननेवाली के लिए अनिष्ट का साधन है इस बात का उपपादन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उस सुनने वाली सुन्दरी का भ्रान्त होना न सिद्ध हो जाय, क्योंकि वह सुन्दरी उस तुलना का श्रवण 'यह मेरा इष्ट-साधन है' इस बुद्धि से कर रही है, अतः स्त्रीत्वरूप हेतु से भ्रान्ति का प्रतिपादन किया जाता है–अर्थात् 'स्त्रियाँ भ्रान्त होती हैं' ऐसा कहा जाता है और यह स्त्रीत्वहेतुक भ्रान्ति सामान्य है जो संबोध्य स्त्रीविशेष की भ्रान्तिरूप विशेष का समर्थक है। फलतः यह साधर्म्य द्वारा सामान्य से विशेष-समर्थन का उदाहरण है।

उदाहरणान्तरमुल्लिखति—

'उपकारमेव कुरुते विपद्गतः सद्गुणो नितराम्।
मूर्च्छां गतो मृतो वा रोगानपहरति पारदः सकलान्॥'

सद्गुणः सद्गुणयुक्तो जनः, विपद्गतोऽपि विपत्तिपतितोऽपि, नितराम् अत्यन्तम्, उपकारमेव, कुरुते। मूर्च्छां गतः मूर्च्छितः मृतो, वा, पारदः 'पारा' इति प्रसिद्धो धातुविशेषः, सकलान् सर्वान्, रोगान्, अपहरति।

दूसरा उदाहरण दिखलाया जाता है—उपकारमेव इत्यादि।

सद्गुणयुक्त पुरुष विपत्ति में पड़कर भी दूसरों का उपकार ही करता है। मूर्च्छित अथवा मृत भी पारद (पारा) सब रोगों का अपहरण करता है।

उपपादयति—

अत्र विपद्गतसद्गुणकर्तृकोपकारस्य सामान्यस्य प्रकृतस्य मूर्च्छित-मृत-पारदकर्तृकं रोगापहरणं विशेषः, उदाहरणतया समर्थकं च। पारदवृत्तान्ते

प्रकृते तु पूर्वार्धोत्तरार्धयोर्व्यत्यासे कृते सामान्यस्य विशेषसमर्थकताप्यत्रैव संभवति ।

अत्रेति । 'उपकारमेव–' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः । उदाहरणतयेति । दृष्टान्तरूपतयेत्यर्थः । विपद्गतसद्गुणपुरुषकर्तृकोपकारः सामान्यभूतोऽर्थः प्रस्तुतश्च तस्य मूर्च्छितमृतपारदकर्तृकरोगापहरणरूपेण विशेषेण समर्थनम् भवतीति प्रकृतपद्यम् साधर्म्यतः विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपस्यार्थान्तरन्यासस्योदाहरणं जायत इति भावः । यद्यत्र पारदवृत्तस्यैव प्रस्तुतत्वं स्वीक्रियेत तदा 'मूर्च्छां गतो मृतो वा रोगानपहरति पारदः सकलान् । उपकारमेव कुरुते विपद्गतः सद्गुणो नितराम् ॥' इत्येवं पाठे स्वीकृते सामान्येन विशेषसमर्थनात्मकार्थान्तरन्यासो भवेदिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'उपकारमेव–' इस पद्य में विपद्गत सद्गुणयुक्त पुरुष द्वारा किए जाने वाले उपकार रूप प्रस्तुत सामान्य अर्थ का उदाहरण रूप होने से समर्थक है मूर्च्छित अथवा मृत पारा के द्वारा किया जानेवाला रोगापहरण रूप विशेष अर्थ। फलतः यह पद्य साधर्म्य द्वारा विशेष से सामान्य समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास का उदाहरण होता है।

यदि यहाँ पारद वृत्तान्त को ही प्रस्तुत माना जाय और इस पद्य के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध को उलट दिया जाय—अर्थात् संस्कृत व्याख्या में लिखित रूप पद्य का कर दिया जाय तब सामान्य से विशेष के समर्थन का भी उदाहरण यहाँ ही हो जा सकता है।

उदाहरणान्तरमुपस्थापयति—

> 'अहन्नेको रणे रामो यातुधानाननेकशः ।
> असहाया महात्मानो यान्ति कांचन वीरताम् ॥'

एको रामः एकलो रामचन्द्रः, रणे युद्धे, अनेकशः अनेकान्, यातुधानान राक्षसान्, अहन हतवान् । महात्मानः महापुरुषाः, असहायाः सहायरहिताः, अपि, कांचन विशिष्य वक्तुमशक्याम्, वीरताम्, यान्ति प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ।

दूसरा उदाहरण उपस्थित किया जाता है—अहन् इत्यादि ।

अकेले रामचन्द्रजी ने युद्ध में अनेक राक्षसों को मारा। महात्मा महापुरुष-लोग असहाय होकर भी अनिर्वचनीय वीरता को प्राप्त कर लेते हैं।

उपपादयति—

अत्र विशेषस्य सामान्यं समर्थकम् ।

'अहन्–' इत्यस्मिन् पद्ये पूर्वार्धोपात्तस्यासहायरामकर्तृकानेकराक्षसहननरूपस्य विशेषस्योत्तरार्धोपात्तमसहायमहात्मजनकर्तृकानिर्वचनीयवीरताप्राप्तिरूपम् सामान्यं समर्थकम् । तथा च साधर्म्यतः सामान्येन विशेषसमर्थनात्मकस्यार्थान्तरन्यासस्योदाहरणमिदं पद्यं भवतीति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'अहन्–' इस पद्य में अकेले राम के द्वारा अनेक राक्षसों के हननरूप विशेष का समर्थन असहाय महापुरुष द्वारा वीरताप्राप्तिरूप सामान्य से हुआ है। फलतः यह पद्य साधर्म्य द्वारा सामान्य से विशेष समर्थनरूप अर्थान्तरन्यास का उदाहरण होता है।

विशेषमाह—

वैपरीत्ये तु सामान्यस्य विशेषः।

वैपरीत्ये इति। 'असहाया महात्मानो यान्ति कांचन वीरताम्। अहन्नेको रणे रामो यातुधानाननेकशः॥' इत्याकारे पद्ये स्वीकृते इत्यर्थः। विशेष इति। समर्थक इति शेषः। तथा च तादृशे पाठे साधर्म्यतो विशेषेण सामान्यसमर्थनात्मकोऽर्थान्तरन्यासोऽत्र भवेदिति भावः।

एक विशेष की सूचना दी जाती है—वैपरीत्ये इत्यादि।

यदि पद्य को उलट दिया जाय अर्थात् पद्य का रूप जैसा माना जाय जैसा संस्कृत व्याख्या में लिखा गया है तो सामान्य का समर्थक विशेष हो जायगा। अभिप्राय यह पद्य साधर्म्य द्वारा विशेष से सामान्य के समर्थन का उदाहरण हो जायगा।

वैधर्म्योदाहरणं दर्शयितुं प्रक्रमते—

'असहाया-' इत्युत्तरार्धमपास्य 'नूनं सहायसंपत्तिमपेक्षन्ते बलोज्झिताः' इति कृते विशेषस्य वैधर्म्येण सामान्यम्।

'नूनं सहाय—' इति। बलोज्झिताः निर्बलाः सहायसंपत्तिम् सहायकसंपदम्, नूनम् निश्चितम्, अपेक्षन्ते इत्यर्थः। महाबलास्तु सहायसंपत्तिं नापेक्षन्त इति भावः। 'अहन्नेको रणे रामो यातुधानाननेकशः, नूनं सहायसंपत्तिमपेक्षन्ते बलोज्झिताः॥' इत्याकारे पद्ये स्वीकृते पूर्वार्धोपात्तस्य विशेषस्योत्तरार्धोपात्तं सामान्यम् वैधर्म्येण (वैपरीत्येन) 'महाबलास्तु सहायसंपत्तिं नापेक्षन्ते' इति फलितांशमादायेति भावः, समर्थकमिति सारांशः।

वैधर्म्य द्वारा समर्थन का उदाहरण दिखलाने के लिए कहा जाता है—'असहाया-' इत्युत्तरार्धमपास्य इत्यादि।

यदि 'अहन्नेकः—' इस पूर्वोक्त पद्य के 'असहायाः—' इस उत्तरार्ध को हटा कर उसके स्थान में 'नूनं सहाय-संपत्तिम—अर्थात निश्चय ही सहाय-संपत्ति की अपेक्षा निर्बल करते हैं—बलवान् को उसकी अपेक्षा नहीं होती' ऐसा उत्तरार्ध कर दिया जाय तब पूर्वार्धगत विशेष (एकाकी राम द्वारा सकल राक्षस-हनन) का उत्तरार्धगत सामान्य (निर्बल को सहायक की अपेक्षा होती है) वैधर्म्य द्वारा समर्थक हो जाता है।

विशेषमाह—

अर्धवैपरीत्ये दुर्बलवृत्तान्ते प्रकृते तु वैपरीत्यम्।

'नूनं सहायसंपत्तिमपेक्षन्ते बलोज्झिताः। अहन्नेको रणे रामो यातुधानाननेकशः॥' इत्येवंरूपे पद्ये पूर्वार्धगतप्रस्तुतसामान्यात्मकदुर्बलवृत्तान्तस्योत्तरार्धगतोऽप्रस्तुतो विशेषो वैधर्म्येण समर्थक इति भावः।

विशेष का उन्मीलन किया जाता है—अर्ध इत्यादि।

दोनों अर्धों को उलट देने पर अर्थात् पद्य का संस्कृत व्याख्योद्धृतरूप स्वीकृत करने पर पूर्वार्धोपात्त दुर्बल का वृत्तान्त प्रस्तुत समझा जायगा और तब उस सामान्य का उत्तरार्धगत विशेष वैधर्म्य द्वारा समर्थक होगा।

अर्थान्तरन्यासस्य शाब्दत्वार्थत्वमूलकं भेदं समर्थयन्नाह—

अस्मिन्नलङ्कारे समर्थ्य-समर्थकभाव आर्थः शाब्दश्चालङ्कारताप्रयोजकः। न तु काव्यलिङ्गे हेतुहेतुमदभाव इवार्थ एव। हि यत् यतः इत्यादेः प्रतिपादकस्याभावे आर्थः। स तु कथितः 'मूर्च्छां गतो मृतो वा' इत्यत्र। तत्सत्त्वे शाब्दः। सोऽपि 'विपरीतग्रहणाद्धि' इत्यत्र।

यथा वा—

'भवत्या हि व्रात्याधमपतितपाखण्डपरिषत्-
परित्राणस्नेहः श्लथयितुमशक्यः खलु यथा।
ममाप्येवं प्रेमा दुरितनिवहेष्वम्ब जगति
स्वभावोऽयं सर्वैरपि खलु यतो दुष्परिहरः॥'

अत्र भगवत्या भागीरथ्याः स्तोतुश्च वृत्तान्तयोर्विशेषयोः समर्थकस्य चतुर्थचरणप्रतिपाद्यस्य सामान्यस्य समर्थकता यत इत्यनेनोच्यते।

अस्मिन्निति। अर्थान्तरन्यास इत्यर्थः। स त्विति। आर्थोऽर्थान्तरन्यास इत्यर्थः। 'मूर्च्छां गतो—' इति। अत्र 'हि, यत्, यतः' इत्यादेः प्रतिपादकस्याभावादिति भावः। तत्सत्त्वे इति। 'हि, यत्, यतः' इत्यादिप्रतिपादकसत्त्व इत्यर्थः। सोऽपीति। शाब्दोऽर्थान्तरन्यास इत्यर्थः। इत्यत्रेति। कथित इत्यस्यात्रानुषङ्गो बोध्यः। अत्र 'हि' शब्दस्य प्रतिपादकस्य सत्त्वाच्छाब्दोऽर्थान्तरन्यास इति भावः। शाब्दार्थान्तरन्यासस्योदाहरणान्तरं दातुमाह—यथा वेति। 'भवत्या-'इति।

हे अम्ब मातः भवत्या गङ्गया, यथा येन प्रकारेण, व्रात्यानाम् संस्कारहीनानाम्, अधमानाम् गर्हितकर्मकारिणाम्, पतितानाम् पातित्यप्रयोजकपापाचरणशालिनाम्, पाखण्डानाम् मिथ्याशुभकर्मप्रदर्शनकारिणाम्, च, परिषदः समूहस्य यत् परित्राणम् उद्धारः, तस्य तत्र वा, यः स्नेहः, सः, श्लथयितुम् दूरीकर्तुम् खलु निश्चयेन, अशक्यः, तथैव, ममापि, दुरितनिवहेषु पापसमूहेषु, प्रेमा स्नेहः, अस्तीति शेषः, यतः यस्मात् कारणात्, जगति संसारे, सर्वैरपि, अयं स्वभावः, खलु निश्चयेन, दुष्परिहरः दुस्त्यजो भवति इत्यर्थः। उपपादयति— अत्रेति। 'भवत्या—' इत्यस्मिन्श्लोके प्रथमतस्त्रिषु चरणेषु गङ्गायाः स्तुतिकर्तुश्च वृत्तान्तौ विशेषरूपौ प्रस्तुतौ वर्णितौ स्तः, तयोश्च चतुर्थचरणप्रतिपाद्यः सामान्यभूतोऽर्थः समर्थकः समर्थकता च तस्य 'यतः' इत्यनेनोक्त इति शाब्दोऽत्रार्थान्तरन्यास इति भावः।

अर्थान्तरन्यास के शाब्द तथा आर्थ भेदों की विवेचना की जाती है—अस्मिन् इत्यादि। इस अर्थान्तरन्यास अलंकार में आर्थ तथा शाब्द दोनों तरह का समर्थ्य–समर्थक भाव अलंकारता का नियामक होता है, काव्यलिङ्ग में हेतु-हेतुमद्भाव के समान केवल आर्थ ही नहीं। अभिप्राय यह कि काव्यलिङ्ग केवल आर्थ ही होता है, पर अर्थान्तरन्यास शाब्द तथा आर्थ दोनों प्रकार का होता है। इन में से जहां 'हि' 'यत्' 'यतः' इत्यादि समर्थ्य-समर्थक भाव-प्रतिपादक पदों का अभाव रहता है वहां आर्थ अर्थान्तरन्यास होता है, जिसका उदाहरण 'मूर्च्छां गतो मृतो वा—' इस पूर्वोक्त पद्य में कहा जा चुका है और जहां 'हि' 'यत्' 'यतः' आदि की स्थिति हो वहां शाब्द अर्थान्तरन्यास

कहलाता है इसका भी उदाहरण 'विपरीतग्रहणा हि योषितः' इस पद्य में दिया जा चुका है।

अथवा, शाब्द अर्थान्तरन्यास का 'भवत्या—अर्थात् हे मातः, जैसे आप से व्रात्यों (संस्कारहीनों) अधमों, पतितों और पाखण्डियों, के समूह की रक्षा का प्रेम निश्चित रूप से शिथिल नहीं किया जा सकता, वैसे ही मेरा भी पाप-समूहों में प्रेम है, क्योंकि संसार में यह स्वभाव सभी के लिए दुस्त्यज है।' यह पद्य भी उदाहरण हो सकता है, क्यों कि यहां प्रथम तीन चरणों द्वारा वर्णित गङ्गा तथा स्तुतिकर्ता के वृत्तान्त जो विशेष रूप हैं, के समर्थक चतुर्थक चरण-प्रतिपाद्य सामान्य अर्थ (स्वभाव की दुस्त्यजता) की समर्थकता 'यतः' पद से उक्त है। फलतः यह पद्य भी शाब्द अर्थान्तरन्यास का उदाहरण है।

आशङ्कते—

ननु सामान्यार्थो विशेषार्थसमर्थक इत्यस्य सामान्यव्याप्तिज्ञानं विशेषानुमितिप्रयोजकमित्येवार्थः पर्यवस्यति, स्वभावादेर्दुष्परिहरत्वादिव्यभिचारज्ञानदशायां तादृशार्थस्य समर्थकत्वाप्रतिपत्तेः, प्रतीतिविशदीकरणं समर्थकेन क्रियते नानुमानमिति प्राचीनप्रवादस्त्वविचारितरमणीय इति नायं भेदोऽनुमानादतिशेते। अतिशेते च विशेषार्थेन सामान्यार्थसमर्थनरूपोऽधिकरणविशेषारूढसहचारज्ञानाहितव्याप्तिज्ञानदार्ढ्यात्मेति चेत्, कविः शृणोति।

सामान्यव्याप्तिज्ञानमिति। सामान्यात्मकं व्याप्तिज्ञानमित्यर्थः। विशेषानुमितीति। विशेषात्मकज्ञानविशेषेत्यर्थः। कुतस्तथापर्यवसानमिति चेत्तत्र युक्तिमाह—स्वभावादेरिति। तादृशार्थस्येति। व्यभिचारित्वेन विज्ञातस्य सामान्यार्थस्य 'स्वभावो दुष्परिहरः' इत्यादेरित्यर्थः। समर्थकत्वाप्रतिपत्तेरिति। समर्थकत्वाप्रतीतेरित्यर्थः। अयं भावः—स्वभावो दुष्परिहरत्वव्यभिचारी-अर्थात् स्वभावः परिहर्तुं शक्य इत्याकारकज्ञानकाले स्वभावस्य दुष्परिहरत्वमभिधीयमानमपि गङ्गागतव्रात्यादिपरित्राणस्नेहश्लथीकरणाशक्यतायाः स्तोतृगतदुरितप्रीतिदुर्वारतायाश्च समर्थकं न विज्ञातुं शक्यमतो यथा 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः' इति सामान्यम्—अर्थात् हेतु-साध्ययोरधिकरणविशेषम् विषयत्वेनाक्रोडीकुर्वत्, व्याप्तिज्ञानम् 'पर्वतो वह्निमान् धूमात्' इति विशेषाकाराम्—अर्थात् हेतुसाध्ययोः पर्वतरूपमधिकरणविशेषं विषयत्वेनाप्नुवतीम्, अनुमितिं प्रयोजयति तथैव 'यो यः स्वभावः सः सः दुष्परिहरः' इति सामान्यव्याप्तिज्ञानम् 'गङ्गाया व्रात्यादिपरित्राणस्नेहः स्तोतुः पापनिवहस्नेहश्च दुष्परिहरौ स्वभावत्वादितरस्वभाववत्' इत्यनुमितिं प्रयोजयतीत्येवाभिप्रायः 'सामान्यार्थो विशेषार्थस्य समर्थकः' इत्युक्तस्तथा च 'समर्थक' इत्यस्यानुमापक इत्येवाभिप्राय इति।

यद्यपीह 'स्वभावादेः' इत्यतः प्राक् 'पर्यवस्यति' इत्यस्याग्रे 'अन्यथा' इत्यधिकः पाठः प्राप्तपुस्तके उपलभ्यते, तथापि संगत्यभावात् तावानंशोऽपाकृतः। यदि यथाकथंचित् स पाठो रक्षणीय इत्याग्रहस्तदाऽग्रे 'व्यभिचारज्ञानदशायां तादृशार्थस्य समर्थकत्वापत्तेः' इत्येतादृशः पाठः कल्पनीयः।

अनुमानादतिशेत इति। तथा च नायं भेदोऽर्थान्तरन्यासस्यापि तु अनुमानालङ्कार-

स्येति भावः। भेदान्तरस्यानुमानान्तर्भावं दर्शयन्नर्थान्तरन्यासत्वं समर्थयति—अतिशेते चेति, इतः प्राक् 'अनुमानात्' इति पूर्वोक्तस्यानुषङ्गो बोध्यः। 'अधिकरणविशेषा—' इति। अधिकरणविशेषे आरूढम् = उत्पन्नम् यत् साहचर्यज्ञानम् तेन आहितम् संपादितम् यत् व्याप्तिज्ञानदार्ढ्यम् तदात्मा = तद्रूप इत्यर्थः।

अयमाशयः—'विशेषः सामान्यस्य समर्थकः' इत्यत्र 'समर्थक' इत्यस्यानुमापक इत्यर्थो न कर्तुं योग्यस्तत्र सामान्यव्याप्तिज्ञानस्य तद्दृढीकारकोदाहरणस्य च प्रतीतावपि अनुमितेरप्रतीतेः। तादृशपद्यार्थप्रतीत्युत्तरं काचिदनुमितिरुत्पत्तुमीष्टे इत्यन्यदेतत्। यथा—'उपकारमेव कुरुते—' इत्यत्र 'यत्र यत्र सद्गुणत्वम् तत्र तत्र विपद्गतत्वेऽप्युपकारित्वम्' इत्याकारकम् सामान्यं व्याप्तिज्ञानमेव पूर्वार्धात्प्रतीयते तद्दृढीकरणञ्च भवति—'यथा मूर्च्छां गतो मृतो वा सकलरोगापहारकः पारदः' इत्युत्तरार्धार्थज्ञानात्। एवञ्च 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निर्यथा महानसम्' इत्यनेन यावानर्थो बोध्यते तावानेव विशेषेण सामान्यस्य समर्थनमित्यस्योदाहरणभूतेन पद्येन। एवञ्चात्रानुमितेराकारो न पद्यार्थात्संपद्यत इति।

कविः शृणोतीति। अयंभावः—भवदुक्तं तर्कम् कविः शृणोत्येव, न स्वीकरोति यतोऽर्थान्तरन्यासस्य सामान्येन विशेषसमर्थनात्मको भेदोऽनुमानेऽन्तर्भूत इत्यस्या आशङ्कायाः 'कविनिबद्धप्रमात्रन्तरनिष्ठा अनुमितिरनुमानालङ्कारस्य विषयः' इत्यादिना काव्यलिङ्गे प्रदत्तमुत्तरमसौ जानाति। फलतः सामान्येन विशेषसमर्थनस्थलेऽपि कविनिबद्धप्रमातुरभावात् नानुमानालङ्कारस्तथा च सोऽपि भेदोऽर्थान्तरन्यासस्याक्षुण्ण एवेति।

एक आशङ्का की जाती है—ननु इत्यादि।

'सामान्य अर्थ, विशेष अर्थ का समर्थक होता है' इस उक्ति का पर्यवसान अन्त में इसी अर्थ में होता है कि सामान्य रूप का व्याप्तिज्ञान विशेषरूपक अनुमिति का प्रयोजक होता है, क्योंकि 'भवत्या हि व्रात्या—' इस पद्य में चतुर्थ-चरणोक्त 'सबसे स्वभाव की दुस्त्यजता' रूप अर्थ उस स्थिति में समर्थक नहीं हो सकता, जब स्वभाव में दुस्त्यजता का व्यभिचार ज्ञात हो—अर्थात् जिसको ऐसा ज्ञान हो कि स्वभाव का त्याग हो सकता है उसको 'स्वभाव सबसे दुस्त्यज होता है' इस अर्थ से गङ्गा आदि के स्वभावविशेष की दुस्त्यजता का समर्थन कभी जँच ही नहीं सकता है।

फलतः मानना पड़ेगा कि स्वभावादि में दुस्त्यजता आदि का सहचार (अव्यभिचार) ज्ञात रहने पर ही किसी को उक्त समर्थन की बात संगत प्रतीत होती है और ऐसी स्थिति में जैसे 'यत्र-यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः—जहाँ जहाँ धुआँ तहाँ तहाँ आग' यह सामान्य व्याप्तिज्ञान ('यत्र यत्र' से किसी खास वस्तु का बोध नहीं होता, अतः इसे सामान्य कहा जाता है) 'पर्वतो वह्निमान् धूमात्—पर्वत आग वाला है, क्योंकि वहां धुआं है' इस विशेष अनुमिति (इसमें साध्य-साधन = अग्नि धूम का एक निश्चित आधार = पर्वत की चर्चा है, अतः इसे विशेष कहा जाता है) को उत्पन्न करता है उसी तरह 'भवत्या हि व्रात्या—' इस पद्य में 'यो यः स्वभावः सः सः दुष्परिहरः = संसार में जितने प्रकार के स्वभाव हैं सभी दुस्त्यज हैं' इस तरह का सामान्य व्याप्तिज्ञान 'गङ्गा का व्रात्यादिरक्षण-स्नेह तथा स्तुतिकर्ता का पापस्नेह दुस्त्यज है, क्योंकि वे उनके स्वभाव हैं' इस तरह की अनुमिति को अवश्य उत्पन्न करेगा, 'समर्थक द्वारा प्रतीति का विशदीकरण—दृढीकरण मात्र होता है, किसी अर्थ का अनुमान नहीं' यह प्राचीनों का, प्रवाद तो तभी तक सुन्दर जँचता है जब तक इसके संबन्ध में पूरा विचार नहीं किया जाता। अतः अर्थान्तरन्यास का

यह भेद (सामान्य से विशेष समर्थन) अनुमान से अतिरिक्त सिद्ध नहीं होता—अर्थात इस भेद का अन्तर्भाव अनुमानालङ्कार में हो जाता है, हाँ, अर्थान्तरन्यास का दूसरा भेद (विशेष से सामान्यसमर्थन) अवश्य ही अनुमान से भिन्न सिद्ध होता है, क्योंकि वह भेदअधिकरण-विशेष (किसी खास आधार) में उत्पन्न सहचार-ज्ञान (साथ साथ रहने का ज्ञान) से की गई व्याप्तिज्ञान की दृढ़ता रूप है। अभिप्राय यह है कि 'उपकारमेव कुरुते—' यह जो 'विशेष से सामान्य समर्थन' का लक्ष्य है वहां पूर्वार्ध के द्वारा—'जहां जहां सद्गुण है वहां वहां विपद्गत होने पर भी उपकारिता है' यह सामान्य व्याप्तिज्ञान ही बनता है और उसका दृढीकरण होता है उत्तरार्धगत उदाहरणभूत जैसे मूच्छित किंवा मृत भी पारा सभी रोगों का अपहारक होता है' इस अर्थ से। फलतः यहाँ पूरे पद्य के अर्थ से व्याप्तिज्ञान का दृढीकरणमात्र होता है, किसी अनुमति का रूप खड़ा नहीं होता, इसके बाद किसी तरह की अनुमिति का अवसर आ सकता है, पर वह आता रहे, हमें तो पद्यार्थ में अनुमिति का रूप आता है कि नहीं यही देखना है, और सो देख लिया कि नहीं आता है, अतः यह भेद अर्थान्तरन्यास का अवश्य है, इसका अन्तर्भाव अनुमानालङ्कार में नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहा जाय तो इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कथन है कि 'हाँ, आप के इस तर्क को कवि सुनता है—अर्थात् स्वीकार नहीं करता है—अर्थात् कवि-समाज उक्त दोनों भेदों को अर्थान्तरन्यास ही मानता है, क्योंकि काव्यलिङ्ग के प्रकरण में कहा जा चुका है कि 'अनुमानालङ्कार का विषय वहाँ होता है जहाँ कवि के द्वारा अनुमितिकर्ता का भी वर्णन किया गया हो'।

इस हिसाब से 'सामान्य से विशेषसमर्थन' वाला भेद भी अनुमानालङ्कार का विषय नहीं हो सकता। कारण, उस भेद के उदाहरण—'भवत्या हि व्रात्या—' इत्यादि में अनुमितिकर्ता का उल्लेख नहीं है, यहाँ अनुमितिकर्ता श्रोता ही हो सकता है।

उदाहरणालङ्कारेऽर्थान्तरन्यासभेदस्यागतार्थत्वं व्यवस्थापयति—

नचैवमपि विशेषस्य सामान्यसमर्थनं नार्थान्तरन्यासभेदो भवितुमीष्टे। प्रागुक्तोदाहरणालङ्कारेणैव गतार्थत्वादिति वाच्यम्। इवादिप्रयोगाभावस्यैवात्र ततो वैलक्षण्यात्। एवमपि वाचकाभावादार्थोऽयमुदाहरणालङ्कारोऽस्तु, नत्वर्थान्तरन्यासभेद इति चेत्, इदमस्ति वैलक्षण्यम्—सामान्यार्थसमर्थकस्य विशेषवाक्यार्थस्य द्वयो गतिः। सामान्यगत एवेत्येका। अनुवाद्य विधेयांशस्तु सामान्यगत एवेत्येका। अनुवाद्यविधेयोभयांशेऽपि विशेषत्वमित्यपरा। तत्राद्या उदाहरणालङ्कारस्य विषयः, द्वितीया त्वर्थान्तरन्यासभेदस्य। एवं च 'मूर्च्छां गतो मृतो वा निदर्शनं पारदोऽत्र रसः' इत्युदाहरणालङ्कारगते विशेषे उपकारमेव कुरुत इति प्राचीनसामान्यार्थगतैव यथोक्तरूपेण क्रिया विधेया। 'रोगानपहरति पारदः सकलान्' इत्यर्थान्तरन्यासगते तु पृथगुपात्तविशेषरूपेणेति।

लक्षणे त्वस्य विशेषेणेत्यत्रोभयांशविशेषो ग्राह्यः। तेनोदाहरणालङ्कृतौ नातिप्रसङ्गः। यदि चायमल्पो विशेषो नास्योदाहरणालङ्कारात्पृथगलङ्कारतां साधयितुं प्रभवति, अपितु तद्विशेषतामित्युच्यते, तदा उदाहरणालङ्कारोऽर्थान्तरन्यासस्य, दृष्टान्तस्य प्रतिवस्तूपमा, रूपकस्यातिशयोक्तिश्च विशेषः। उपमैवचार्थी स्मरणभ्रान्तिमत्संदेहा इत्यपि सुवचं स्यात्, तत्रापि विशेषस्याल्पत्वात्।

किंचोदाहरणालङ्कारो न प्राचां मनःसन्तोषमावहति, उपमयैव तैस्तस्य निरासात्। अतस्तेषां विशेषेण सामान्यस्य समर्थनमर्थान्तरन्यासं विना नान्यत्र प्रवेष्टुमीष्ट इति।

एवमपीति । अनुमानालङ्कारेऽर्थान्तरन्यासभेदयोरगतार्थत्वेऽपीत्यर्थः । विशेषस्य सामान्यसमर्थनमिति । विशेषकर्तृकं सामान्यकर्मकं समर्थनमित्यर्थः । विशेषेण सामान्यस्य समर्थनमिति यावत् । वैलक्षण्यादिति । उदाहरणालङ्कारे 'इव'-'निदर्शन' प्रभृतिपदप्रयोगो भवति विशेषेण सामान्यसमर्थनात्मकेऽर्थान्तरन्यासभेदे इवादिपदप्रयोगो न भवतीति तयोर्भेदादिति भावः । द्वयी गतिरिति । द्वौ प्रकारावित्यर्थः । पृथगुपात्तरूपेणेति । अयंभावः—'उपकारमेव कुरुते विपद्गतः सद्गुणो नितराम् । मूर्च्छां गतो मृतो वा निदर्शनं पारदोऽत्र रसः ॥' इत्युदाहरणालङ्कारे मूर्च्छादिगतपारदमुद्दिश्योपकारकारकत्वं विधीयते । तथा चानुवाद्यांशः पारदो विशेषः । उपकारकारकत्वरूपविधेयांशस्तु सद्गुणशालिपुरुषात्मकसामान्ये य आसीत् स एवेति न विशेषरूपः । अर्थान्तरन्यासे तु 'उपकारमेव कुरुते विपद्गतः सद्गुणो नितराम् । मूर्च्छाङ्गतो मृतो वा रोगानपहरति पारदः सकलान् ॥' इत्यत्र मूर्च्छादिगतपारदमुद्दिश्य रोगापहारकत्वं विधीयते । ततश्चात्र पारदरोगापहारकत्वरूपयोरुद्देश्यविधेययोरुभयोर्विशेषत्वमिति । नन्वर्थान्तरन्यासलक्षणान्नैतदर्थलाभ इति चेत्तत्राह—लक्षणे त्विति । अस्येति । अर्थान्तरन्यासस्येत्यर्थः । उभयांशविशेष इति । अनुवाद्ये विधेये च यो विशेषस्तेन सामान्यस्य समर्थनेऽर्थान्तरन्यास इति लक्षणार्थ इति भावः । तद्विशेषतामिति । 'एकत्रानुवाद्यांशमात्रे विशेषत्वमपरत्रानुवाद्यविधेयोभयांशे' इत्यल्पे विशेषे सत्यपि उदाहरणालङ्कारात्पृथक् अर्थान्तरन्यासभेदात्मक एकोऽलङ्कारो न स्वीकर्तुमुचितः, अपि तु उदाहरणालङ्कारस्यैव प्रभेदद्वयमङ्गीकर्तुमुचितमिति भावः । प्रतिवन्द्यात्मकं समाधानमाह—तदेति । विशेषस्याल्पत्वादिति । ततश्च दृष्टान्त प्रतिवस्तूपमादिषु परस्परं विशेषस्य स्वल्पत्वेऽपि यथा दृष्टान्तादेः प्रतिवस्तूपमादयो न प्रभेदा, अपि तु पृथगलङ्कारास्तथैव प्रकृते स्वल्पभेदेऽपि उदाहरणालङ्कारात्पृथगेव विशेषेण सामान्यसमर्थनात्मक एकोऽर्थान्तरन्यासभेदः स्वीकार्य इति भावः । युक्त्यन्तरमाह—किञ्चेति । तैः प्राचीनैः । तस्येति । उदाहरणालङ्कारस्येत्यर्थः । उपमायामेव गतार्थतां स्वीकृत्य प्राचीनैरुदाहरणालङ्कारो न पृथक् स्वीक्रियत इति भावः । अत इति । उदाहरणस्य निरासादेवेत्यर्थः, तेषां प्राचाम् । प्राचां मते विशेषेण सामान्यसमर्थनमर्थान्तरन्यासभेद एव भवितुमर्हति, नोदाहरणभेदः तैरुदाहरणस्यास्वीकारादिति भावः ।

उदाहरणालङ्कार में भी अर्थान्तरन्यास का द्वितीय भेद गतार्थ नहीं हो सकता है इसी तथ्य का स्पष्टीकरण अब किया जाता है—नचैवमपि इत्यादि ।

उक्त रीति से अर्थान्तरन्यास को अनुमान से पृथक् सिद्ध करने पर भी यह कहा जायगा कि 'विशेष से सामान्य का समर्थन' अर्थान्तरन्यास का भेद नहीं हो सकता है, क्यों कि पूर्वोक्त उदाहरणालङ्कार से ही वह गतार्थ हो जाता है। पर यह कथन भी उचित नहीं। कारण, इव आदि के प्रयोग का अभाव ही इस में उससे विलक्षणता है—अर्थात् उदाहरण में इव आदि का प्रयोग किया जाता है और अर्थान्तरन्यास में नहीं, अतः अर्थान्तरन्यास उदाहरण में गतार्थ नहीं हो सकता है।

'इव आदि वाचक पद के रहने पर शाब्द उदाहरणालंकार होता है और उसके नहीं रहने पर वह आर्थ होगा, फलतः वह (विशेष से सामान्य समर्थन) अर्थान्तरन्यास का भेद नहीं है' ऐसा कहना भी उचित नहीं, क्योंकि उदाहरण से अर्थान्तरन्यास में विलक्षणता यह है कि सामान्य अर्थ के समर्थक विशेषवाक्यार्थ की दो तरह की गति होती है (१) केवल अनुवाद्य अंश में विशेषता हो और विधेयांश तो सामान्यगत ही रहे, यह एक (२) और अनुवाद्य विधेय दोनों अंशों में विशेषता हो, यह दूसरी। इनमें से पहली दशा उदाहरणालंकार का विषय है और दूसरी अर्थान्तरन्यास के भेद (विशेष से सामान्यसमर्थनात्मक भेद) का विषय है।

इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि 'मूर्च्छां गतो मृतो वा निदर्शनं पारदोऽत्र रसः' इस उदाहरणालङ्कारगत विशेष में पारदरूप उद्देश्यांशमात्र की विशेषता है, 'उपकार करना' रूप विधेयांश तो वही है जो 'उपकारमेव कुरुते विपद्गतः सद्गुणो नितराम्' इस पूर्वोक्त सामान्य अर्थ में था और 'रोगानपहरति पारदः सकलान्' इस अर्थान्तरन्यासगत विशेष में पारदरूप उद्देश्यांश के साथ साथ रोगापहरणरूप विधेयांश की भी विशेषता होती है।

फलतः अर्थान्तरन्यास के लक्षण में जो 'विशेषण' (विशेष से) पद आया है उसमें अनुवाद्य और विधेय दोनों विशेषों का ग्रहण करना चाहिए। इस तरहकी व्याख्या करने से उदाहरणालंकार में अर्थान्तरन्यास लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी।

यदि यह कहा जाय कि यह लघु विलक्षणता इसको (उद्देश्य-विधेयोभयांश विशेष से सामान्यसमर्थन को) उदाहरणालंकार से पृथक् अलंकार नहीं सिद्ध कर सकती, अपि तु उदाहरणालंकार का एक भेदमात्र सिद्ध कर सकती है तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि उदाहरणालंकार अर्थान्तरन्यास का प्रतिवस्तूपमादृष्टान्त का और अतिशयोक्ति रूपक का ही भेद है, स्वतंत्र अलंकार नहीं। इतना ही नहीं, इस तरह से यह भी सुखेन कहा जा सकता है कि स्मरण, भ्रान्तिमान् और संदेह भी आर्थी उपमा ही है, क्योंकि उनमें भी थोड़ा सा ही भेद है।

सारांश यह कि जिस तरह थोड़ी सी विलक्षणता के आधार पर ही दृष्टान्त आदि से प्रतिवस्तूपमा आदि को पृथक् अलंकार मान लेते हैं उसी तरह विलक्षणता की मात्रा अल्प रहने पर भी उदाहरण से पृथक् विशेष से सामान्यसमर्थनात्मक एक अर्थान्तर न्यास का भेद मान लेना चाहिए।

दूसरी बात यह भी है कि उदाहरणालङ्कार प्राचीनों के मन को सन्तोष नहीं देता, अतः उनसे उपमा में ही उसकी गतार्थता स्वीकृत की है। ऐसी स्थिति में कम से कम प्राचीनों के मत में 'विशेष से सामान्यसमर्थन' का अर्थान्तरन्यास से भिन्न किसी अलङ्कार में प्रवेश असंभव ही है।

समर्थ्य-समर्थकवाक्ययोः पौर्वापर्यमनियतमिति सूचयितुमुपक्रमते—

अत्र हि प्रतिज्ञा-हेत्ववयवयोरिवाकाङ्क्षाक्रमप्राप्तं समर्थ्यसमर्थकवाक्ययोः पौर्वापर्यमिति न मन्तव्यम्। नह्यत्र समर्थकं समर्थ्यानुपपत्त्युत्थापितायामाकाङ्क्षायां सत्यामेवाभिधीयत इत्यस्ति नियमः। अनुपपत्तेरभावेऽपि प्रतीतिवैशद्यार्थं कविभिस्तथाभिधानात्। एवं च वैपरीत्येऽपि न दोषः।

यथा—

'दीनानामथ परिहाय शुष्कसस्यान्यौदार्यं वहति पयोधरो हिमाद्रौ।
औन्नत्यं विपुलमवाप्य दुर्मदानां ज्ञातोऽयं क्षितिप भवादृशां विवेकः॥'

अत्र दानेनासंभावितस्य विदुषो राजानं प्रति कोपवचने पूर्वार्धगतो विशेषः उत्तरार्धगते सामान्ये प्रस्तुते समर्थकः।

अयंभावः—अनुमितौ प्रतिज्ञा-हेतूदाहरणोपनयनिगमेति पञ्चावयववाक्यप्रयोगः कर्तव्य इति न्यायसिद्धान्तः। तत्र 'पर्वतो वह्निमान्' इति प्रतिज्ञानन्तरम् कस्मात् इत्याकाङ्क्षया 'धूमात्' इति हेतोः प्रयोग एवमेव तत्तदाकाङ्क्षायाः क्रमश उत्थाने तत्तदवयवप्रयोगो भवतीति तत्र तेषां पौर्वापर्यम् नियतम्, परन्तु तद्वदत्र समर्थ्य-समर्थकयोः पौर्वापर्यन्न नियतम्, समर्थ्यानुपपत्त्युत्थापितायामाकाङ्क्षायां सत्यामेव समर्थकस्याभिधानमिति नियमाभावात्, समर्थ्यानुपपत्तेरभावेऽपि प्रतीतिवैशद्यार्थम् कविभिः समर्थकस्याभिधानात्। एवञ्च क्वचित् पूर्वं समर्थकस्य पश्चात्समर्थ्यस्योपादानेऽपि न क्षतिरिति।

पूर्वम् समर्थकस्य पश्चाच्च समर्थ्यस्य यत्रोपादानं तादृशमुदाहरणं दर्शयितुमाह—यथेति। उदाहरणमाह—'दीनानामथ-' इति। पयोधरो मेघः, दीनानाम् दरिद्राणाम्, शुष्कसस्यानि, परिहाय त्यक्त्वा तत्र वृष्टिं न कृत्वेति यावत्, हिमाद्रौ हिमालयपर्वते, वृष्ट्यनपेक्षिणीति भावः, औदार्यम् उदारताम् जलवर्षणमिति यावत्, वहति धारयति। हे क्षितिप राजन्, विपुलम् अत्यधिकम्, औन्नत्यम्, अवाप्य लब्ध्वा, दुर्मदानाम् दुष्टगर्वशालिनाम्, भवादृशाम्, अयं विवेकः ईदृशविभागकारिता, ज्ञातः विदित इत्यर्थः।

उपपादयति—अत्रेति। दानेन न सत्कृतोऽत एव क्रुद्धः कश्चन विद्वान् राजानम् प्रति 'दीनानाम्-' इति पद्यमाह। अत्रोत्तरार्धगतो राजवृत्तान्तः सामान्यात्मा प्रस्तुतोऽर्थः, अत एव समर्थ्यः, पूर्वार्धगतश्च मेघवृत्तान्तोऽप्रस्तुतो विशेषात्मा अर्थः अत एवोत्तरार्धगतस्यार्थस्य समर्थक इति भावः।

समर्थ्य-समर्थक के क्रम पर विचार किया जाता है—अत्र इत्यादि।

अभिप्राय है कि नव्यन्याय दर्शन में कहा गया है कि अनुमिति में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन इन पाँच अवयवों का प्रयोग होता है और इन अवयवों का प्रयोग क्रमशः ही होता है, क्योंकि इन में से एक के प्रयोग होने पर ही क्रमशः दूसरे की आकाङ्क्षा उठती है, 'जैसे (पर्वतो वह्निमान्) इस प्रतिज्ञा के बाद आकांक्षा उठती है, कि क्यों? तब 'धूमात' इस हेतु का प्रयोग होता है, इसी तरह आगे भी आकाङ्क्षा के क्रम से उस उस अवयव का प्रयोग होता है। अच्छा, यह तो हुई न्याय दर्शन की बात, अब प्रकृत में विचार यह करना है कि क्या उक्त पञ्चावयव वाक्य की तरह अर्थान्तरन्यास अलङ्कार में भी समर्थ्य-समर्थक वाक्य का पौर्वापर्य निश्चित है अर्थात् पहले समर्थनीय का और पश्चात् समर्थक का प्रयोग हो यह नियम है क्या? उत्तर नकारात्मक है क्योंकि ऐसा तब होता यदि नियमतः समर्थनीय अर्थ की अनुपपत्ति (असिद्धि) के कारण उठी हुई आकाङ्क्षा के रहने पर ही समर्थक अर्थ का वर्णन कविगण करते होते। पर बात ऐसी नहीं है। अनुपपत्ति के अभाव में भी प्रतीति की स्फुटता के लिये कवि लोग समर्थक वाक्य का प्रयोग करते हैं अतः यहां वैपरीत्य में भी-अर्थात् पहले समर्थक का और पीछे समर्थनीय का प्रयोग होने पर भी कोई क्षति नहीं है। जैसे-

'दीनानाम्-अर्थात् मेघ दरिद्रों की सूखती हुई फसलों को छोड़कर हिमालय पर्वत पर उदारता का धारण करता है-जल बरसाता है। हे राजन्, अत्यधिक उन्नति को प्राप्त कर दुर्मद बने आप सरीखों का यह विवेक विदित है।'

यह दान द्वारा असंमानित-अर्थात् जिस का दान देकर सम्मान नहीं किया गया उस, विद्वान का राजा के प्रति कोप-वचन है। इस में उत्तरार्धगत सामान्य (राजा के समान दुर्मदों का वृत्तान्त) प्रस्तुत अत एव समर्थनीय है और उस का समर्थक है पूर्वार्धगत (मेघ-वृत्तान्त) विशेष।

उपसंहरन्नाह—

एवमप्रकृतैः प्रकृतस्य समर्थनमुदाहृतम्।

एवमिति। पूर्वोक्तप्रकारेणेत्यर्थः। अप्रकृतैः अप्रस्तुतैः। प्रकृतस्य प्रस्तुतस्य।

उक्त प्रकार से अप्रस्तुत अर्थों के द्वारा प्रस्तुत अर्थ के समर्थन का उदाहरण दिया जा चुका।

प्रकारान्तरमपि संभवतीति सूचयन् तदुदाहरणं प्रतिजानीते—

प्रकृतेन प्रकृतसमर्थनं यथा—

प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य समर्थनमपि संभवति, तदुदाहरणं यथेत्यर्थः।

प्रस्तुत से प्रस्तुत का समर्थन भी हो सकता है, जैसे—'

उदाहरणमुल्लिखति—

'कस्तृप्येन्मार्मिकस्तन्वि ! रमणीयेषु वस्तुषु।
हित्वान्तिकं सरोजिन्याः पश्य याति न षट्पदः ॥'

हे तन्वि कृशाङ्गि !, को मार्मिकः मर्मज्ञः, रमणीयेषु सुन्दरेषु, वस्तुषु पदार्थेषु, तृप्येत् तृप्तिं प्राप्नुयात् ? न कश्चिदिति भावः, षट्पदः भ्रमरः, सरोजिन्याः कमलिन्याः, अन्तिकम् समीपम्, हित्वा त्यक्त्वा, न याति अन्यत्र न गच्छति, इति पश्य अवलोकयेत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—कः इत्यादि।

हे कृशाङ्गि ! सुन्दर वस्तुओं में कौन मर्मज्ञ जन तृप्त होता है ? देखो, भ्रमर कमलिनी के समीप से नहीं हटता।

प्रसङ्गमाह—

जलक्रीडायां दूरं गच्छेतिवादिनीं कामिनीं प्रति-नायकस्योक्तिरियम्।

जलक्रीडायामनुक्षणं स्वसमीप एव तिष्ठन्तम् नायकं यदा नायिका दूरं गच्छेति कथयति तदा नायकस्तां नायिकां प्रति 'कस्तृप्येत्–' इति पद्यं वक्तीति भावः।

प्रसङ्ग बतलाया जाता है—जल इत्यादि।

'कस्तृप्येत्–' यह पद्य जलक्रीडा के समय 'दूर हटिए' इस तरह कहनेवाली कामिनी के प्रति नायक की उक्ति है।

उपपादयति—

अत्र वृत्तान्तद्वयमपि प्रकृतम्—

'कस्तृप्येत्–' इत्यस्मिन्पद्ये नायक-नायिकावृत्तान्तः भ्रमरकमलिनीवृत्तान्तश्च प्रस्तुत एव, जलक्रीडासमये नायकयोरिव भ्रमरकमलिन्योरपि प्रासङ्गिकत्वात्। परमथापि भ्रमरकमलिनीवृत्तान्तेन नायकवृत्तान्तस्य समर्थनं भवतीति भावः।

उपपादन किया जाता है–अत्र इत्यादि।

'कस्तृप्येत्' इस पद्य में जिस तरह नायक-नायिका का वृत्तान्त प्रस्तुत है उसी तरह भ्रमर-कमलिनी का वृत्तान्त भी प्रस्तुत ही है, क्योंकि जलक्रीडा-काल में नायक-नायिका के समान भ्रमर-कमलिनी भी उपस्थित हैं। तथापि नायक-नायिका के वृत्तान्त का भ्रमर-कमलिनी वृत्तान्त से समर्थन होता है। फलतः यह सिद्ध हुआ कि प्रकृत से प्रकृत का समर्थन भी हो सकता है और वहां भी अर्थान्तरन्यास अलङ्कार माना जा सकता है।

पुनः प्रकारान्तरमेव सूचयति—

क्वचित्प्रकृतेनाप्रकृतस्य समर्थनं संभवति। परन्तु तदप्रकृतं प्रान्ते प्रकृत-पर्यवसन्नं भवति। आपाततस्तु तस्याप्रकृतत्वम्, सर्वथैवाप्रकृतस्य समर्थ-नाप्रसक्तेः।

अर्थान्तरन्यासे न केवलमप्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य वा समर्थनं भवति, अपि तु प्रस्तुतेनाप्रस्तुतस्यापि समर्थनं संभवति। परन्तु समर्थनीयस्याप्रस्तुतत्वमापातत एव, अन्ते तस्याप्रस्तुतस्य प्रस्तुतत्व एव पर्यवसानात्। समुचितश्चैतत्, यतः सर्वथाऽ-प्रस्तुतस्य समर्थनं न भवितुमर्हतीति भावः।

एक अन्य प्रकार और हो सकता है इस बात की सूचना दी जाती है—क्वचित् इत्यादि।

अर्थान्तरन्यास में अधिकतर अप्रस्तुत से प्रस्तुत का और कहीं कहीं प्रस्तुत से प्रस्तुत का भी समर्थन होता है यह बात पहले कही जा चुकी है, पर इतना ही नहीं कहीं कहीं प्रस्तुत से अप्रस्तुत का समर्थन भी हो सकता है परन्तु वह (समर्थनीय) अप्रस्तुत अन्ततः प्रस्तुतके रूप में ही पर्यवसित होने वाला रहता है। फलतः वह आपाततः (ऊपरी तौर पर) अप्रस्तुत समझा जाता है। उचित भी यही है क्योंकि जो सर्वथा ही अप्रस्तुत रहेगा उसका समर्थन प्राप्त ही नहीं होगा।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

प्रस्तुतेनाप्रस्तुतस्य समर्थनं यथेत्यर्थः।

प्रस्तुत से अप्रस्तुत का समर्थन, जैसे—।

उदाहरणमुपदर्शयति—

'प्रभुरपि याचितुकामो भजेत वामोरु लाघवं सहसा।
यदहं त्वयाधरार्थी सपदि विमुख्या निराशतां नीतः॥'

हे वामोरु रमणीयजंघे !, याचितुकामः याचनेच्छः, प्रभुरपि स्वाम्यपि, सहसा अकस्मात्, लाघवं लघुताम्, भजेत प्राप्नुयात्, यत् यस्मात्, अधरार्थी अधरचुम्ब-नार्थी, रहम्, विमुख्या मत्तः उदासीनया, त्वया, सपदि शीघ्रम्, निराशतां नीतः प्रापितः इत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—प्रभुरपि इत्यादि।

हे सुन्दर ऊरुवाली !, याचना की इच्छा रखने वाला—अर्थात् याचक बना हुआ, प्रभु (स्वामी = मालिक) भी सहसा लघुता को प्राप्त कर लेता है—छोटा हो जाता है, क्योंकि अधर (अधर-चुंबन) का इच्छुक मैं तुझ उदासीना के द्वारा शीघ्र ही निराश कर दिया गया।

उपपादयति—

अत्र कामुकयोः प्रक्रान्तेन वृत्तान्तेन विशेषेण दातृयाचकवृत्तान्तोऽप्रस्तुतः सामान्यात्मा समर्थ्यते ।

'प्रभुरपि—' इत्यस्मिन्पद्येऽप्रस्तुतस्य सामान्यात्मनो दातृयाचकवृत्तान्तस्य समर्थनम् प्रस्तुतेन विशेषात्मना कामुकवृत्तान्तेन भवतीति प्रस्तुतेनाप्रस्तुतसमर्थनस्योदाहरणमिदं पद्यं सम्पद्यत इति भावः । परमिहापाततोऽप्रस्तुतोऽपि दातृयाचकवृत्तान्तः-पर्यन्ते 'बलादधरं प्रभुरपि त्वद्वशीकृतत्वात्तवाग्रेऽहं याचकः' इत्येवंरूपेण प्रस्तुतपर्यवसन्नो भवतीत्यपि बोध्यम् ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'प्रभुरपि—' इस पद्य में कामिनी और कामीका वृत्तान्त विशेष रूप और प्रस्तुत है जिससे दाता और याचक के अप्रस्तुत तथा सामान्यरूप वृत्तान्तका समर्थन होता है । साथ ही यह भी समझना चाहिए कि दाता और याचक का वृत्तान्त यहाँ आरम्भ में अप्रस्तुत जैसा अवश्य प्रतीत होता है पर अन्त में वह प्रस्तुत ही हो जाता है, क्योंकि अन्ततः उसका तात्पर्य 'बलजोरी तेरे अधर का ग्रहण करने में समर्थ होकर भी मैं त्वद्वशीभूत होने के कारण तेरे आगे याचक बना हुआ हूँ' ऐसा ही सिद्ध होता है ।

अलङ्कारसर्वस्वकारमतमुद्धृत्य निरस्यति—

यत्तु 'कारणेन कार्यस्य कार्येण वा कारणस्य समर्थनम्' इत्यपि भेदद्वयमर्थान्तरन्यासस्यालङ्कारसर्वस्वकारो न्यरूपयत्, तन्न । तस्य काव्यलिङ्गविषयत्वात् । अन्यथा 'वपुःप्रादुर्भावात्-' इति सकलालङ्कारिकसिद्धं काव्यलिङ्गोदाहरणमसंगतं स्यात् । अपरार्धे वाक्यार्थद्वयस्य कारणत्वेनार्थान्तरन्यासोदाहरणतापत्तेः ।

तस्येति । कार्यकारणभावस्येत्यर्थः । अन्यथेति । कार्यकारणभावस्थलेऽपि अर्थान्तरन्यासाङ्गीकार इत्यर्थः । वपुःप्रादुर्भावादिति । 'वपुःप्रादुर्भावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा, पुरारे न प्रायः क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान् । नमन्मुक्तः सम्प्रत्यतनुरहमग्रेऽप्यनतिमान्, महेश क्षन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि ॥' इति पूर्णः श्लोकः ।

हे पुरारे महादेव, पुरा पूर्वस्मिन्, क्वापि कस्मिन्नपि, जन्मनि, प्रायः, भवन्तम्, न प्रणतवान्, अहमिति शेषः, इतीदं, वपुषः शरीरस्य, प्रादुर्भावात् उत्पत्तेः, अनुमितम्, मयेति शेषः, संप्रति, नमन् नतिं कुर्वन्, मुक्तः, अतनुः अशरीरः, संपन्न इति शेषः, अतः, अहम्, अग्रेऽपि, अनतिमान् नतिरहितः, स्यामिति शेषः, हे महेश पार्वतीपते, तत् तस्मात्, इदम् भूतभविष्यत्कालिकनमनराहित्यरूपमिति भावः, अपराधद्वयमपि, क्षन्तव्यम् इति तद्व्याख्या । इदं पद्यं सर्वे काव्यलिङ्गालङ्कारोदाहरणं स्वीकुर्वन्ति । सर्वस्वकारमते तु पद्यस्यास्यार्थान्तरन्यासोदाहरणतापत्त्या काव्यलिङ्गोदाहरणत्वस्वीकारोऽसंगतः स्यात् । ननु कथमत्रार्थान्तरन्यासप्रसङ्ग इति चेत्तत्राह—अपरार्धे इति । अपरार्धे उत्तरार्धे । वाक्यार्थद्वयस्येति । नमनसमकालिकमुक्तिविशिष्टस्वरूपस्य अतनुत्वरूपस्य चेत्यर्थः । कारणत्वेनेति । भविष्यत्कालिकनमनाभावरूपकार्ये प्रतीति भावः ।

अलङ्कारसर्वस्वकार के मत को उद्धृत कर खण्डित किया जाता है—यत्तु इत्यादि।

अलङ्कारसर्वस्वकार ने जो 'कारण से कार्य का समर्थन तथा कार्य से कारण का समर्थन' ये अन्य दो भेद भी अर्थान्तरन्यास के किए हैं, वह उचित नहीं है, क्योंकि यह (कार्य-कारणभाव) काव्यलिङ्ग अलङ्कार का विषय है। यदि कार्य-कारण भावस्थल में भी अर्थान्तरन्यास माना जाय तब 'वपुःप्रादुर्भावात् (सम्पूर्ण पद्य संस्कृत-व्याख्या में द्रष्टव्य)—अर्थात् हे त्रिपुरारि शिव! शरीर के आविर्भाव से मैंने यह अनुमान कर लिया कि मैंने पूर्वजन्म में कभी भी प्रायः आप को प्रणाम नहीं किया। इस समय भी प्रणाम करते ही मुक्त हो गया और मुक्त होने से शरीर-रहित भी बन गया, अतः आगे भी प्रणाम नहीं कर सकूगाँ, हे महेश मेरे ये दोनों अपराध क्षमा करने योग्य हैं।' यह सर्वसम्मत काव्यलिङ्गालङ्कार का उदाहरण असंगत हो जायगा क्योंकि इस पद्य के उत्तरार्ध में 'प्रणाम करने से मुक्त हो जाना' और 'मुक्त होने से शरीर-रहित हो जाना' ये दो वाक्यार्थ 'भविष्य में प्रणाम न कर सकने' में कारण हैं, फलतः यहाँ कारण से कार्य का समर्थन हो रहा है, अतः आप के हिसाब से अर्थान्तरन्यास माना जायगा।

विमर्शिनीकारमतमुद्धृत्य निराकरोति—

यदपि विमर्शिनीकार आह—"विशेषेणापि सामान्यसमर्थने यत्र सामान्यवाक्यार्थस्योपपादनापेक्षत्वं तत्रार्थान्तरन्यासः। यत्र पुनः स्वतः सिद्धस्यैव विशदीकरणार्थं तदेकदेशभूतो विशेष उपादीयते तत्रोदाहरणालङ्कारः। यथा 'निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः' इत्यत्र" इति।

तदपि न।

'निजदोषावृतमनसामपि सुन्दरमेव भाति विपरीतम्।
पश्यति पित्तोपहतः शशिशुभ्रं शङ्खमपि पीतम्॥'

इति प्राचीनसंमतोदाहरणे सामान्यवाक्यार्थस्यार्थस्यासंदिग्धत्वेनोपपादनानपेक्षत्वात्। न हि दोषेण भ्रमो भवतीत्यर्थे पामरस्याप्यस्ति संशयः, येनोपपादनापेक्षा स्यात्। अस्त्येव तर्कस्थल इवाहार्योऽत्रापि संशय इति चेत्, त्वदुक्तोदाहरणालङ्कारेऽपि तस्य साम्राज्यात्।

विमर्शिनीकार इति विमर्शिनीनामालंकारसर्वस्वस्य व्याख्याग्रन्थस्तन्निर्मातेत्यर्थः। स्वतः सिद्धस्यैवेति। उपपादनं विनापि निश्चयविषयीभूतस्येत्यर्थः। सामान्यस्येति विशेष्यमत्राध्याहार्यम्। विशदीकरणार्थमिति। दृढीकरणार्थमिति भावः। 'निमज्जतीन्दोः—' इति। 'अनन्तरत्नप्रभवस्य यस्य, हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्। एको हि दोषो गुणसंनिपाते'...॥ इत्यवशिष्टांशः। अत्र 'एको दोषो गुणसंनिपाते निमज्जति' इत्यर्थः सामान्यात्मा स्वतः सिद्धो नोपपादनार्हस्तथापि तद्विशदीकरणार्थम् तदेकदेशभूतः 'इन्दोः किरणेषु अंक इव' इति विशेष उपात्त इत्यत्रोदाहरणालंकारोऽस्ति न विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यास इति तदाशयः। खण्डयति—तदपि नेति। खण्डने हेतुमाह—'निजदोष-' इत्यादिना। निजैः स्वकीयैः दोषैः, आवृतानि आच्छादितानि, मनांसि, येषाम् तेषाम्, अतिसुन्दरमेव वस्तु, विपरीतम् असुन्दरमिति यावत्, भाति प्रतीयते, विपरीतम् प्रतिकूलम्,

अतिसुन्दरम् अनुकूलम् भातीति वाऽर्थः, एतत्समर्थनायाह—पित्तोपहतः पित्तप्रयुक्ताङ्गपीत-तात्मकरोगविशेषग्रस्तः, शशिशुभ्रम् चन्द्रवद्धवलम् , अपि; शङ्खम् पीतम् , पश्यति अवलोकयतीत्यर्थः ।

प्राचीनसम्मतोदाहरण इति । प्राचीनाभिमतार्थान्तरन्यासोदाहरण इत्यर्थः, सामान्य-वाक्यार्थस्येति । दोषावृतमनसामतिसुन्दरं विपरीतं भातीत्यर्थस्येत्यर्थः । कुतस्तस्यासंदिग्ध-त्वमित्यत्राह—नहि दोषेणेति । दोषेण भ्रमो भवतीति सर्वेषाम् निश्चिता मतिरिति भावः । तर्कस्थल इति । 'पर्वतो वह्निमान्' इत्यादावित्यर्थः, आहार्य इति । बाधकालीनेच्छाजन्य इत्यर्थः । 'पर्वतो वह्निमान्' इति निश्चयसत्त्वेऽपि सिसाधयिषाविरहविशिष्टसिद्ध्यभावरूपप-क्षतोपपत्तये यथा 'पर्वतो वह्निमान्न वा' इत्याहार्यः संशयः स्वीक्रियते तथैवासंदिग्धसामान्य-वाक्यार्थस्थलेऽपि आहार्यसंदेहः संभवत्येवेति पूर्वपक्ष्याशयः । समाधत्त-त्वदुक्तेति । 'निम-ज्जतीन्दोः—' इत्यादावित्यर्थः । तस्येति । आहार्यसंशयस्येत्यर्थः । साम्राज्यादिति । तथा च सामान्यवाक्यार्थस्योपपादनापेक्षत्वेऽर्थान्तरन्यासस्तदनपेक्षत्वे तूदाहरणालंकार इति व्यवस्था न भवितुमर्हतीति भावः ।

विमर्शिनीकार के मत का खण्डन किया जाता है—यद्यपि इत्यादि ।

अलङ्कारसर्वस्व पर विमर्शिनी-नामक व्याख्या लिखने वाले विद्वान् ने जो यह कहा कि "विशेष से सामान्य-समर्थन स्थल में भी जहाँ सामान्य वाक्यार्थ उपपादन की अपेक्षा रखता हो वहाँ अर्थान्तरन्यास और जहां स्वतः सिद्ध (उपपादन के विना भी उपपन्न हो सकने वाले) सामान्य वाक्यार्थ का केवल विशदीकरण के लिए (दृढीकरण के लिए) उस सामान्य अर्थ के एक अंशरूप विशेष का ग्रहण किया गया हो वहां उदाहरणालङ्कार होता है, जैसे-'अनन्तरत्नप्रभवस्य-(पूरा पद्य संस्कृत व्याख्या में द्रष्टव्य) अर्थात् हिमालय अनन्त रत्नों का उत्पत्तिस्थान है, अतः बर्फ उस की सुन्दरता का नाशक नहीं हुआ। गुणों के समूह में एक दोष डूब जाया करता है, जैसे, चन्द्र की किरणों में कलङ्क।' इस कुमारसंभवगत कालिदास के पद्य में। अभिप्राय यह कि यहां 'गुणसमूह में एक दोष डूब जाता है' यह सामान्य अर्थ स्वतः स्फुट होने के कारण उपपादन की अपेक्षा नहीं रखता है तथापि दृढीकरण के लिए चन्द्र-किरणगत कलङ्क का ग्रहण किया गया है, अतः यहां उदाहरणालङ्कार है।"

यह भी उचित नहीं कारण, आपके हिसाब से विशेष से सामान्य-समर्थनात्मक अर्थान्तरन्यास के लिये सामान्यवाक्यार्थ का उपपादनापेक्षी होना आवश्यक है, पर मैं देखता हूँ कि 'निजदोषावृत-अर्थात् जिन का मन अपने ही दोषों से ढका हुआ है उनको अति सुन्दर भी विपरीत अर्थात् असुन्दर प्रतीत होता है। (दोषावृत मन वाले को विपरीत अर्थात् प्रतिकूल भी अतिसुन्दर अर्थात् अनुकूल प्रतीत होता है' ऐसा भी अर्थ हो सकता है)। पित्त से उपहत (कामला रोग वाला) मनुष्य चन्द्रमा के समान धवल शङ्ख को भी पीत देखता है।' इस प्राचीनाभिमत अर्थान्तरन्यासोदाहरण में सामान्य वाक्यार्थ (दोषावृत मन वाले को सुन्दर असुन्दर और प्रतिकूल अनुकूल प्रतीत होता है' यह अर्थ) असंदिग्ध होने के कारण उपपादन की अपेक्षा नहीं रखता है, क्योंकि 'दोष से भ्रम होता है' इस बात में पामर जन को भी संशय नहीं होता जिससे उपपादन की अपेक्षा हो।

कहा जायगा कि तर्कस्थल के समान यहां भी आहार्य संदेह हो ही सकता है, तो

ठीक है, वह हो सकता है, पर अर्थान्तरन्यास में ही नहीं अपितु आप के द्वारा कथित उदाहरणालङ्कार में भी वह (आहार्य संशय) हो सकता है।

इस शंका-समाधान का अभिप्राय यह है कि असंदिग्ध वस्तु के विषय में भी आहार्य अर्थात् 'यहां संशय नहीं है' इस तरह का बाध रहने पर भी 'संशय होवे' इस इच्छा से होने वाला संशय हो सकता है, जैसे तर्कस्थल में होता है-अर्थात् 'पर्वत में आग है' इस तरह के निश्चय की दशा में 'पर्वत में आग है अथवा नहीं' इस तरह का संदेह यद्यपि स्वाभाविक रूप से नहीं होता तथापि तर्करसिक वहां इच्छाजन्य संशय करते हैं और इस तरह 'सन्दिग्धसाध्यवान् पक्षः' के अनुसार पक्षता को तैयार कर अनुमान से पर्वत में आग की सिद्धि करते हैं यह है शंका और उत्तर है कि ऐसा बलात्कृत संदेह अर्थान्तरन्यास में ही क्यों उदाहरणालङ्कार में भी हो सकता है।

फलतः ग्रन्थकार का अभिप्राय है कि कहां अर्थान्तरन्यास हो और कहां उदाहरणा-लङ्कार इस बात की व्यवस्था उक्त रीति से नहीं हो सकती है।

उपसंहरति—

तस्मादस्मदुक्तैव व्यवस्थानुसर्तव्या।

अस्मदुक्तैवेति। अनुवाद्यांशमात्रस्य विशेषत्वे उदाहरणम् अनुवाद्यविधेयोभयांशस्य विशेषत्वे चार्थान्तरन्यासभेदः इत्याकारेत्यर्थः।

उपसंहार में ग्रन्थकार कहते हैं कि इसलिए (उक्त गड़बड़ी के कारण) मेरे द्वारा पूर्व में कथित व्यवस्था की ही अर्थात् जहां केवल अनुवाद्य अंश में विशेषता वहां उदाहरणालङ्कार और जहां अनुवाद्य तथा विधेय दोनों अंशों में विशेषता हो वहां—विशेष से सामान्यसमर्थन रूप अर्थान्तरन्यास होता है इस विभाग का ही, अनुसरण करना चाहिए।

कुवलयानन्दकारोक्तमनूद्यावद्यति—

कुवलयानन्दकारस्तु—"यस्मिन्विशेषसामान्यविशेषाः स विकस्वरः' 'अनन्तरत्नप्रभवस्य-' इत्यादि।

'कर्णारुन्तुदमन्तरेण रणितं गाहस्व काक स्वयं
माकन्दं मकरन्दशालिनमिह त्वां मन्महे कोकिलम्।
धन्यानि स्थलसौष्ठवेन कतिचिद्वस्तूनि कस्तूरिकां
नेपालक्षितिपाल-भालतिलके पङ्के न शङ्केत कः॥'

पूर्वमुपमारीत्या इह त्वर्थान्तरन्यासरीत्या विकस्वरालङ्कारः' इत्याह तत्तुच्छम्। 'उपकारमेव कुरुते' इत्युदाहरणालङ्कारोक्तास्मदुदाहरणे प्राथमिकविशेषस्याभावात्त्वदुक्तो विकस्वरालङ्कारो न संभवतीति कश्चिदलङ्कारस्त्वयापि वाच्यः। एवं चार्थान्तरन्यासस्य तस्य चार्थान्तरन्यासप्रभेदयोश्च संसृष्ट्यैवोदाहरणानां त्वदुक्तानां गतार्थत्वे नवीनालङ्कारस्वीकारानौचित्यात्। अन्यथोपमादिप्रभेदानामनुग्राह्यानुग्राहकतया संनिवेशेऽलङ्कारान्तरकल्पनापत्तेः। 'वीक्ष्य रामं घनश्यामं ननृतुः शिखिनो वने' इत्यत्राप्युपमापोषितायां भ्रान्तावलङ्कारान्तरत्वप्रसङ्गाच्च।

'अनन्तरत्न—' इति । अनुपदमेव व्याख्यायां पद्यमिदमुक्तम् । अर्थस्तु सरल एव । 'कर्णारुन्तुद—' इति । हे काक, त्वम्, कर्णारुन्तुदम् श्रवणपीडाकरम्, रणितम् शब्दम् अन्तरेण विना, तादृशशब्दरहितः सन्निति भावः, मकरन्दशालिनम् पुष्परसमयम्, माकन्दम् आम्रतरुम्, स्वयम् अप्रेरित एवेति यावत्, गाहस्व अवलम्बस्व, एवंकृते किं स्यात्तदाह—इह संसारे, त्वाम्, काकम्, कोकिलम्, पिकम्, मन्महे वर्तमानसामीप्ये लट्, मंस्याम इति भावः, स्थलसौष्ठवेन स्थानसौन्दर्येण, 'क्वचित्स्थलवैभवेन' इति पाठो दृश्यते स्थानमाहात्म्येनेति तदर्थः, कतिचित् कियन्ति, वस्तूनि, धन्यानि प्रशस्यानि, भवन्तीति शेषः, नेपालस्य, क्षितिपालस्य राज्ञः, भाले मस्तके, यत्तिलकम् तस्मिन् वर्तमानो यः पङ्कस्तत्र, कस्तूरिकां, को न शंकेत ? अपि तु सर्वोऽपि शंकेत इत्यर्थः। क्वचित् 'भालतिलके' इत्यस्य स्थाने 'भालपतिते' इति पाठो लभ्यते । तस्य 'भालगते पंके' इत्यर्थो बोध्यः। पूर्वम् इति । 'अनन्तरत्न—' इत्यत्रेत्यर्थः । उपमारीत्येति । इवशब्दप्रयोगपुरस्सरमिति भावः । इहेति । 'कर्णारुन्तुद-' इत्यत्रेत्यर्थः । अर्थान्तरन्यासरीत्येति । समर्थनात्मकशैल्येति भावः ।

विकस्वरालङ्कार इति । 'अनन्तरत्न-' इत्यत्र प्रथमम् हिमालयवृत्तान्तरूपो विशेषः, ततः एकस्य दोषस्य गुणसमूहे निमज्जनं सामान्यम्, पुनश्च चन्द्रकिरणगतोऽङ्को विशेषः, एवम् 'कर्णारुन्तुदम्-' इत्यत्रापि काकवृत्तान्तरूपः प्राक् विशेषस्ततः स्थलसौष्ठवप्रयोज्यवस्तुधन्यतात्मकं सामान्यम्, तदनन्तरञ्च पुनः नेपालनरेशभालगतपङ्काधिकरणककस्तूरिकाशङ्कात्मको विशेष इत्युभयत्र विकस्वरालङ्कार इति तदाशयः। खण्डयति—तदपि तुच्छमिति । तुच्छत्वे युक्तिमाह—'उपकारमेव—' इत्यादिना । '········विपद्गतः सद्गुणो नितराम्। मूर्च्छां गतो मृतो वा निदर्शनं पारदोऽत्र रसः॥' इत्यवशिष्टांशः । प्राथमिकविशेषस्याभावादिति । विकस्वरलक्षणगतेषुक्रमिकविशेषसामान्यविशेषेषु प्रथमविशेषविरहादिति भावः। सामान्यविशेषयोरेवात्र वर्णनं, न विशेषसामान्यविशेषाणामिति सारांशः। कश्चिदलङ्कारो वाच्य इति । मया तत्रत्यालङ्कारस्य नामोदाहरणं कृतम्, तुभ्यं यदि तन्नाम न रोचेत तदा नामान्तरं कर्तुं शक्नुयाः, परन्तु कोऽप्यलङ्कारस्तत्र त्वयापि स्वीकरणीयः स्यादेवेति भावः। एवं चेति । तत्रालङ्कारस्य कस्यचित्स्वीकारे इत्यर्थः। तस्येति । मन्मते उदाहरणस्य त्वन्मतेऽन्यस्य कस्यचि 'दुपकारमेव—' इत्येतत्स्थलीयालङ्कारस्येत्यर्थः, अर्थान्तरन्यासभेदयोरिति । सामान्येन विशेषसमर्थनात्मकस्य विशेषणसामान्यसमर्थनात्मकस्य चार्थान्तरन्यासस्येत्यर्थः, संसृष्ट्यैवेति । अत्र "शृङ्खलाकृतचमत्कारस्याधिकस्य सत्त्वाच्चिन्त्यमिदम्।" इति नागेशः। उदाहरणानामिति । 'अनन्तरत्न—' 'कर्णारुन्तुद—' इत्यादीनामित्यर्थः। गतार्थत्वे इति । 'अनन्तरत्न-' इत्यत्रार्थान्तरन्यासोदाहरणयोः 'कर्णारुन्तुदम्—' इत्यत्र चार्थान्तरन्यासप्रभेदयोः संसृष्टिरिति भावः। नवीनालङ्कारेति । विकस्वरनामकेत्यर्थः। अन्यथेति । अलङ्कारद्वयसंनिपातस्थले संसृष्ट्यादेरस्वीकारपूर्वकमलङ्कारान्तरस्वीकारे इत्यर्थः। 'वीक्ष्य—' इति । शिखिनः मयूराः, वने, घनश्यामम् मेघवन्मेचककान्तिम्, रामम्, वीक्ष्य दृष्ट्वा, ननृतुः नर्तनं कृतवन्त इत्यर्थः। उपमेति । घनश्यामपदगतेत्यर्थः । भ्रान्ताविति । भ्रान्तिमदलङ्कारस्थल इति भावः। रामे मेघस्य भ्रान्तिरिह बोध्या । विकस्वरो न कश्चिदलंकार इति प्रघट्टकनिष्कर्षः ।

कुवलयानन्द के मत को उद्धृत कर खण्डित किया जाता है—कुवलयानन्दकारस्तु इत्यादि।

कुवलयानन्दकार अप्पय दीक्षित ने तो लिखा है कि "–'जहाँ पर क्रमशः विशेष सामान्य और पुनः विशेष का वर्णन हो वहाँ विकस्वर नाम का अलङ्कार होता है।' जैसे—'अनन्तरत्नप्रभवस्य—' (पूरा पद्य तथा उसकी व्याख्या इसी प्रकरण में पहले देखिये) इत्यादि और 'कर्णारुन्तुदम् अर्थात् हे काक! तुम कर्णपीडाकर शब्द को छोड़ कर मकरन्द से शोभित किसी आम्रतरु का अवलम्बन स्वयं कर लो, तुम्हें हम कोयल समझने लगेंगे।' कुछ वस्तुयें स्थान की सुन्दरता से प्रशस्त हो जाती हैं। नेपालनरेश के भालतिलकस्थित पङ्क में किसे कस्तूरी की शङ्का न होगी। इन पद्यों में। इन दोनों पद्यों में से प्रथम में उपमा की रीति से और दूसरे में अर्थान्तरन्यास की रीति से विकस्वरालङ्कार होता है।"

उनके कथन का अभिप्राय है कि 'अनन्त—' इस पद्य में पहले हिमालयवृत्तान्तरूप विशेष का तब गुणसमूह में एक दोष के निमज्जन रूप सामान्य का और अन्त में फिर चन्द्रकिरणगत अङ्क रूप विशेष का वर्णन है इसी तरह 'कर्णारुन्तुदम्—' इस पद्य में भी पहले काकवृत्तान्तरूप विशेष का तदनन्तर स्थान-सौन्दर्य से कतिपय वस्तु की धन्यता रूप सामान्य का और अन्त में पुनः नेपाल नरेश के भालतिलकस्थ पङ्क में कस्तूरीका शङ्का रूप विशेष का वर्णन है, अतः इन दोनों पद्यों में उक्त लक्षण के अनुसार यद्यपि विकस्वरालङ्कार समानरूप से होता है, तथापि दोनों में अन्तर यह है कि 'अनन्त–' इस प्रथम पद्य में अन्तिम विशेष का वर्णन 'इन्दोः किरणेषु अङ्क इव' इस इव शब्द प्रयोग के कारण उपमा की रीति से हुआ है और 'कर्णारुन्तुद—' इस दूसरे पद्य में अन्तिम विशेष का वर्णन उपमा को रीति से नहीं, अपि तु अर्थान्तरन्यास की रीति से (समर्थनात्मक शैली में) हुआ है।

पर दीक्षित की यह विकस्वरालङ्कार वाली बात तुच्छ है—अशोभन है, क्योंकि 'उपकारमेव कुरुते' इस हमारे उदाहरणालङ्कार के उदाहरण में आप के बताए विशेष सामान्य और विशेष में प्राथमिक विशेष के न होने से–अर्थात् केवल सामान्य और विशेष का वर्णन होने से आप के विकस्वरालंकार की संभावना नहीं है, अतः वहां आप को भी कोई नया अलंकार कहना ही पड़ेगा, ('निदर्शनम्' रहने के कारण वहां अर्थान्तरन्यास नहीं हो सकता यह बात इसी प्रकरण में पहले निश्चित की जा चुकी है।) ऐसी स्थिति में 'अनन्तरत्न—' इस पद्य में अर्थान्तरन्यास और उदाहरण की तथा 'कर्णारुन्तुदम्—' इसमें अर्थान्तरन्यास के दोनों भेदों की संसृष्टि मान कर ही आप के उदाहरणों की गतार्थता हो जाती है अतः नवीन अलंकार (विकस्वर) का स्वीकार अनुचित है। यदि अनेक अलंकारों की एक जगह स्थिति होने पर संसृष्टि नहीं मानी जाय एक पृथक् अलंकार माना जाय तब उपमा आदि अलंकारों का अनुग्राह्य-अनुग्राहक रूप से एक जगह समावेश होने पर अन्य नवीन अलंकार की कल्पना करनी पड़ेगी और 'वीक्ष्य रामम्-अर्थात् मयूर वन में मेघ के समान श्यामकान्ति वाले राम को देख कर नाचने लगे' इस उपमापोषित भ्रान्तिमत् अलङ्कार में भी एक अन्य अलङ्कार की कल्पना होने लगेगी। फलतः विकस्वर नामका कोई अलंकार नहीं है। नागेश यहां अपनी टीका में लिखते हैं कि अलंकारों की निरपेक्षरूपसे स्थिति में संसृष्टि और सापेक्षरूप से स्थिति में संकर भले ही हो, पर यहां तो विशेष सामान्य और पुनः विशेष इस तरह की श्रृङ्खला के

कारण एक विलक्षण चमत्कार पैदा होता है, अतः एक विलक्षण विकस्वर नामक अलंकार मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।"

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरेऽर्थान्तरन्यासप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धेऽर्थान्तरन्यासप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत अर्थान्तरन्यास का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामर्थान्तरन्यासप्रकरणम्॥

अनुमानालङ्कारनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथानुमानालङ्कारः—

अनुमानालंकारो निरूप्यतयारब्धो बोध्य इति भावः।

अब अनुमानालंकार का विचार प्रारम्भ होता है।

तावदनुमानलक्षणमाह—

अनुमितिकारणमनुमानम्॥

अनुमितिर्ज्ञानविशेषस्तस्य करणम् व्यापारवदसाधारणकारणम् व्याप्तिज्ञानमिति यावत्, अनुमानपदेनोच्यत इति भावः।

सर्वप्रथम अनुमान का लक्षण किया जाता है-अनुमिति इत्यादि।

अनुमितिरूप ज्ञान विशेष के कारण-असाधारण कारण-अर्थात् व्याप्तिज्ञान को अनुमान कहते हैं।

लक्षणं स्फुटयति—

अनुमितिश्चानुमितित्ववती। अनुमितित्वं चानुमिनोमीति मानससाक्षात्कारसाक्षिको जातिविशेषः। व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मतानिश्चयजन्यज्ञानं वानुमितिः। तस्याश्च करणं व्याप्तिप्रकारकलिङ्गनिश्चय इत्येके। व्याप्यत्वेन निश्चीयमानं लिङ्गमित्यपरे। इदं च साधारणमनुमानम्। अस्य च कविप्रतिभोल्लिखितत्वेन चमत्कारित्वे काव्यालंकारता।

मानससाक्षात्कारेति। अनुव्यवसायेत्यर्थः। पक्षान्तरमाह—व्याप्तीति। व्याप्तिः प्रकारो यस्मिन्नेतादृशो यः पक्षधर्मतायाः = पक्षवृत्तिताया निश्चयः 'वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वत' इत्यादिः, तेन यद् ज्ञानं जन्यते स ज्ञानविशेष एवानुमितिरित्यर्थः। तस्याश्चेति। अनुमितेश्चेत्यर्थः। करणमिति। व्यापारवदसाधारणं कारणमित्यर्थः। लिङ्गनिश्चय इति। 'धूमो वह्निव्याप्यः' इत्याद्याकारको निश्चय इत्यर्थः, एके इति। मुख्या इत्यर्थः। लिङ्गमिति। उक्तनिश्चयविषयीभूतो धूमादिरित्यर्थः। अपरे इति। केचिदित्यर्थः। अनेनात्रारुचिः सूचिता। अरुचिहेतुश्च 'अनागतादिलिङ्गेन न स्यादनुमितिस्तदा' इत्यादिना कारिकावलीकारोक्तो बोध्यः। साधारणमिति। अलङ्कारभूतम् तदतिरिक्तञ्चेत्यर्थः। अस्य चेति। अनुमानस्येत्यर्थः। काव्यालंकारतेति। कविप्रतिभाप्रसूतमत एव चमत्कारशालि अनुमानमनुमानालंकार इति भावः।

लक्षणगत पदार्थों को स्फुट किया जाता है—अनुमितिश्च इत्यादि।

अनुमितित्व से युक्त ज्ञान को अनुमिति कहते हैं और अनुमितित्व है एक प्रकार की जाति जिसका साक्षी (प्रमाण) है 'मैं अनुमिति करता हूँ' यह मानस साक्षात्कार—अर्थात् अनुव्यवसाय। अथवा साध्य-सहचारी हेतु की पक्षवृत्तिता के निश्चय से अर्थात् 'वह्निव्याप्यधूमवाला पर्वत' इत्यादि प्रकार से होने वाले निश्चय से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान अनुमिति है। इस अनुमिति का करण—अर्थात् व्यापारयुक्त असाधारण कारण है लिङ्ग (हेतु) का वैसा निश्चय जिसमें व्याप्ति प्रकार हुई हो, यह प्रधान तर्कशास्त्रियों का मत है। कुछ लोगों का यह मत भी है कि व्याप्य रूप से निश्चित किया जानेवाला हेतु ही अनुमिति का करण है।

यहाँ यह दूसरा मत ठीक नहीं हैं, क्योंकि यदि हेतु के ज्ञान को अनुमिति-करण न मान कर ज्ञायमान हेतु को अनुमिति-करण माना जायगा तब अतीत तथा अनागत हेतुओं से अनुमिति नहीं हो सकेगी। करण, वहाँ हेतु नहीं है, और यदि हेतु-ज्ञान का अनुमिति करण मानते हैं तब वहाँ भी अनुमिति होती है, क्योंकि हेतु के न रहने पर भी उस का ज्ञान रहता है।

यह साधारण अनुमान का लक्षण है। यही अनुमान जब कवि की प्रतिभा से उल्लिखित होने के कारण चमत्कारी हो जाता है तब अनुमान नामक काव्यालङ्कार कहलाता है।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

अनुमानालङ्कारो 'यथे'त्यर्थः।

अनुमानालङ्कार का उदाहरण, जैसे—'

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'तस्मिन्मणिव्रातहतान्धकारे पुरे निशालोपविधानदक्षे।
सद्यो वियुक्ता दिवसावसानं कोकाः सशोकाः कथयन्ति नित्यम्॥'

मणिव्रातहतान्धकारे मणिसमूहनाशिततिमिरे, अत एव, निशालोपविधानदक्षे रात्र्यभावसंपादननिपुणे, तस्मिन् वर्णनीये कस्मिंश्चित्, पुरे नगरे नित्यम् सर्वदा, सद्यो वियुक्ताः तत्कालविरहिताः, अत एव, सशोकाः शोकाकुलाः, कोकाः चक्रवाकाः, दिवसावसानम् दिनसमाप्तिम् सायंकालमिति यावत्, कथयन्ति स्फुटं बोधयन्तीत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाया है—तस्मिन् इत्यादि।

मणिसमूह से अन्धकार का विनाश हो जाने के कारण रात्रि का लोप कर देने में निपुण उस नगर में नित्य ही शोकसहित तत्काल वियुक्त चकई—चकवे दिवस का अवसान कहते हैं। अर्थात् वहाँ अन्धकार कभी होता ही नहीं, रात-दिन समान रूप से प्रकाशमय रहते हैं, अतः जन साधारण को दिन-समाप्ति का ज्ञान चकई—चकवे के वियोग से ही होता है।

उपपादयति—

अत्र कथनं स्फुटः बोधः। स चानुमित्यात्मकः कोकवियोगरूपस्य लिङ्गस्य व्याप्यत्वेन निश्चयात्कारणादुत्पद्यते। तत्र चान्धकारविशेषाभावस्य तत्सामान्याभावत्वेनाध्यवसाने सति निशालोपविधानदक्षतासिद्धौ दिवसावसानसिद्ध्यभावप्रयुक्ता दिवसावसानानुमितिरित्यस्ति कविप्रतिभोल्लिखितत्वम्। वक्ष्यमाण-

मुन्मीलितमिति न मन्तव्यम् । तस्याप्यनुमानताया एव एव स्थापयिष्य-माणत्वात् ।

अत्रेति । 'तस्मिन्—' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः । स्फुटबोध इति । कथयन्तीतिक्रियापदं स्फुटं बोधयन्तीत्यर्थे लाक्षणिकमिति भावः । स चेति । स्फुटबोधश्चेत्यर्थः । लिङ्गस्य हेतोः । व्याप्यत्वेनेति । दिवसावसानात्मकसाध्यव्याप्यत्वेनेत्यर्थः । तत्र चेति । अनुमित्यात्मके स्फुटबोधे चेत्यर्थः । अस्य 'अस्ति कविप्रतिभोल्लिखितत्वम्' इत्यत्रान्वयः । अन्धकारविशेषेति । यत्किञ्चित्काल-प्रदेशव्याप्यान्धकारेत्यर्थः । तत्सामान्येति । दिवसावसान-रूपसाध्यसिद्धयभावात्मकपक्षताप्रयुक्तेत्यर्थः । वक्ष्यमाणमिति । सामान्यालंकारविचारे कुवलयानन्दग्रन्थोद्धरणे वक्ष्यमाणमित्यर्थः । तस्यापीति, उन्मीलितस्यापीत्यर्थः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'तस्मिन्मर्णिव्रात—' इस पद्य में 'कथन' का (कथयन्ति-इस क्रिया पद का) अर्थ है 'स्पष्ट-बोध' और वह है अनुमितिरूप, क्योंकि इस (स्फुट बोध) की उत्पत्ति 'चकई–चकवों के वियोग' रूप हेतु की व्याप्ति के निश्चय से होती है। अभिप्राय है कि 'जब जब चकई–चकवे का वियोग होता है तब तब दिवस का अवसान रहता है' इस तरह से व्याप्ति निश्चय होने पर चकई–चकवे के वियोग रूप हेतु से दिवसावसान की अनुमिति होती है उसी अनुमिति का निर्देश यहाँ 'वियुक्त कोक दिवसावसान को कहते हैं' इस उक्ति के द्वारा किया गया है। यह अनुमिति साधारण नहीं है, अपितु कविप्रतिभाप्रसूत है, क्योंकि कोई भी अनुमिति 'पक्षता' अर्थात् साध्य–सिद्धि का अभाव रहने पर ही होती है, तदनुसार उक्त अनुमिति दिवसावसान रूप साध्य की स्वतः सिद्धि तभी नहीं होगी जब रात्रि का अभाव सिद्ध हो जाय, इसी रात्र्यभाव को सिद्ध करने के लिए यहाँ 'पुर' का विशेषण 'निशालोपविधानदक्ष' लगाया गया है, पर पुर की यह निशालोपविधानदक्षता तब तक सिद्ध नहीं होगी जब तक उस पुर में वर्तमान मणिसमूह द्वारा विध्वस्त होनेवाले आंशिक अन्धकार को सामान्य (व्यापक) अन्धकार न मान लिया जाय। फलतः यहाँ पहले अन्धकार विशेष (किसी समय और किसी प्रदेश के अन्धकार) के अभाव में अन्धकारसामान्य के अभाव का अध्यव-सान (अभेदारोप) किया जायगा (यहीं कविप्रतिभा का उपयोग हुआ है) तब पुर की निशालोपविधानदक्षता सिद्ध होगी उसकी सिद्धि हो जाने पर दिवसावसान (साध्य) की स्वतःसिद्धि का अभाव होगा अर्थात् पक्षता (अनुमिति का आवश्यक एक अङ्ग) तैयार हो जायगी और तब तत्प्रयुक्त (उक्त पक्षता प्रयुक्त) दिवसावसाना-नुमिति होगी, अतः यह अनुमिति कविप्रतिभाप्रसूत होकर अलङ्कार रूप सिद्ध होती है ।

यहाँ आगे कहा जानेवाला 'उन्मीलित अलङ्कार' है यह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि 'उन्मीलित' को भी अनुमानालङ्कार ही सिद्ध किया जायगा।

यद्यपि रसगङ्गाधरकार ने स्वयं पृथक् करके 'उन्मीलित' अलङ्कार का प्रकरण नहीं लिखा है तथापि सामान्यालङ्कारप्रकरण में कुवलयानन्दकार के मत के रूप में 'उन्मीलित' की चर्चा की है। और पूरे शास्त्रार्थ के साथ उसको अनुमान में ही अन्तर्भुक्त सिद्ध किया है। इसका विशद विवेचन सामान्यालङ्कार प्रकरण में देखा जा सकता है ।]

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम् ।

अथवा, जैसे—'

उदाहरणमुपन्यस्यति—

अम्लायन्यदरातिकैरवकुलान्यग्लासिषुः सत्वरं
दैन्यध्वान्तकदम्बकानि परितो नेशुस्तमां तामसाः ।
सन्मार्गाः प्रसरन्ति साधु नलिनान्युल्लासमातन्वते
तन्मन्ये भवतः प्रतापतपनो देव प्रभातोन्मुखः ॥'

हे देव राजन् , यत् , अरातिकैरवकुलानि शत्रुरूपकुमुदसमूहाः, अम्लायन् म्लाना-न्यभूवन् , दैन्यध्वान्तकदम्बकानि दारिद्र्यान्धकारसमूहाः, सत्वरम् शीघ्रम् , अग्लासिषुः ग्लानिमभजन्त, परितः चतुर्दिक्षु वर्तमानाः, तामसाः तमोगुणप्रधाना निशाचराः प्राणिनः, नेशुः नाशमुपगताः, सन्मार्गाः सत्पथाः, प्रसरन्ति प्रसारं प्राप्नुवन्ति, साधुनलिनानि सज्जन-रूपकमलानि, उल्लासमातन्वते विकासं लभन्ते, तत् तस्मात् , भवतः तव, प्रतापतपनः प्रतापसूर्यः, प्रभातोन्मुखः उदयोन्मुखः, अस्ति, इति, अहम् , मन्ये तर्कयामि इत्यर्थः ।

उदाहरण उपस्थित किया जाता है—अम्लायन् इत्यादि ।

किसी राजा की स्तुति करता हुआ कवि कहता है कि—हे देव ! शत्रुरूप कुमुदकुल म्लान हो गए, दीनतारूप अन्धकारसमूह शीघ्र क्षीण हो गए, चारों तरफ फैले हुए तामस (तमःस्वभाववाले निशाचरप्राणी) लुप्त हो गए, सन्मार्ग फैल रहे हैं और सज्जन रूप कमल उल्लास को प्राप्त कर रहे हैं। इन सब कारणों से मैं मानता हूँ कि आप का प्रतापसूर्य प्रभात की ओर अग्रसर हो रहा है—उदित हो रहा है ।

पूर्वोदाहरणादत्रोदाहरणे वैलक्षण्यं सूचयन्नुपपादनं विधत्ते—

पूर्वत्र लिङ्गलिङ्गिनोः शुद्धत्वम्, इह तु रूपकानुप्राणितत्वमिति विशेषः। कविप्रतिभोल्लिखितत्वं पुनः स्फुटमेव ।

पूर्वत्रेति । 'तस्मिन्मणिव्रात–' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः । लिङ्गलिङ्गिनोरिति । हेतुसाध्य-योरित्यर्थः । शुद्धत्वमिति । अलङ्कारविशेषानालिङ्गितत्वादिति भावः । इह त्विति । 'अम्लायन्–' इत्यत्रेत्यर्थः । रूपकानुप्राणितत्वमिति । रूपकालङ्कारघटितत्वमिति भावः । अयमभिप्रायः—'अम्लायन्–' इत्यत्रारातिकैरवकुलम्लानतादेर्लिङ्गस्य भवदीयप्रतापतपन-प्रभातोन्मुखत्वरूपसाध्यव्याप्यत्वनिश्चयानन्तरम् 'अयं कालः, भवदीयप्रतापतपनकर्तृक-प्रभातोन्मुखतावान्, अरातिकैरवकुलस्य म्लानत्वात् दैन्यध्वान्तकदम्बस्य ग्लानत्वात् तामसानां नष्टत्वात् सन्मार्गाणां प्रसरणात् साधुनलिनानामुल्लासवर्धनाच्च' इत्यनुमिति-र्जायते तत्र हेतुदले साध्यदले च रूपकालङ्कारो विराजते । प्रथमोदाहरणे तु न हेतुदले न वा साध्यदले कश्चिदलङ्कार इत्यनयोरुदाहरणयोर्मिथो वैलक्षण्यम् । प्रथमोदाहरणे कविप्रतिभाप्रसूतत्वमनुमितेर्गूढमिह तु हेतुसाध्यशरीरयोः कविकृतारोपनिष्पन्नतया तस्या-स्तत् स्फुटमेवेति ।

प्रथम उदाहरण से द्वितीय उदाहरण में विलक्षणता दिखलाते हुए उपपादन किया जाता है—पूर्वत्र इत्यादि।

प्रथम अर्थात् 'तस्मिन् मणिव्रात–' इस, उदाहरण में लिङ्ग (हेतु) और लिङ्गी (साध्य) दोनों शुद्ध अर्थात् अलङ्काररहित हैं और 'अम्लायन्–' इस द्वितीय उदाहरण में वे (लिङ्ग तथा लिङ्गी) रूपक अलङ्कार से अनुप्राणित हैं यही दोनों उदाहरणों में अन्तर है। द्वितीय उदाहरण में अनुमिति की कविप्रतिभाप्रसूतता स्पष्ट है।

अभिप्राय है कि 'अम्लायन्–' इस पद्य में भी अनुमानालङ्कार है, क्योंकि यहाँ भी 'जब जब सूर्य प्रभातोन्मुख होता है तब तब कुमद म्लान होते हैं, अन्धकार क्षीण होते हैं, निशाचर नष्ट होते हैं, सन्मार्ग का प्रसार होता है और कमलों का विकास होता है' इस सामान्य व्याप्ति के आधार पर राजा के प्रतापसूर्य की प्रभातोन्मुखता के साथ शत्रुरूप कुमुद की म्लानता आदि की व्याप्ति निश्चित होने पर 'अभी आप का प्रतापसूर्य प्रभातोन्मुख है, क्योंकि अभी शत्रुकुलरूप कुमुद म्लान हो गए हैं, दारिद्र्यान्धकार क्षीण हो गए हैं इत्यादि' इस तरह की अनुमिति होती है और यह अनुमिति कविप्रतिभोल्लिखित है यह भी स्पष्ट है—अर्थात् इस अनुमिति का स्वरूप रूपक के द्वारा तैयार हुआ और रूपक कविप्रतिभा का फल है।

विशेषमाह—

इह यत्र लिङ्गलिङ्गिनोः सत्त्वं तत्र मन्ये, शङ्के, अवैमि, जाने इत्यादिपदानामनुमितिबोधकत्वम्, यत्र तु सादृश्यादिर्निमित्तसद्भावस्तत्रोत्प्रेक्षाबोधकतेति विवेकः। तेन—

'मन्मथामात्यमायान्तमहं मन्ये महामहम्।
चक्षुश्चमत्कृतिं धत्ते यदहो किल कोकिलः॥'

इत्यादावनुमैव, नोत्प्रेक्षा।

इहेति। अनुमानालङ्कारविषय इति भावः। अयं भावः—साध्य–साधनभावस्य प्रतीतौ 'मन्ये, शङ्के' इत्यादयः शब्दाः अनुमितिबोधका भवन्ति, तस्याप्रतीतौ सादृश्यादिनिमित्तस्थितौ च ते शब्दा उत्प्रेक्षाबोधका भवन्तीति।

'मन्मथामात्यम्–' इति। यत् यस्मात्, कोकिलः, किल निश्चयेन, चक्षुश्चमत्कृतिम् नेत्रचमत्कारम्, धत्ते धारयति, ततः, अहम्, महामहम् महोत्सवमयम्, मन्मथामात्यम् कामसचिवम्–वसन्तम्, आयान्तम् आगच्छन्तम्, मन्ये तर्कयामीत्यर्थः। कोकिलनयनगतवैलक्षण्यदर्शनेनागच्छद्वसन्तकालमनुमिनोमीति भावः। अनुमैवेति। अनुमानालङ्कार एव, साध्यसाधनभावप्रतीतेरित्यर्थः। नोत्प्रेक्षेति। सादृश्यादिनिमित्तविरहादिति भावः।

एक स्पष्टीकरण किया जाता है—इह इत्यादि।

अनुमानालङ्कार के विषय में यह विवेक करना चाहिए कि जहाँ हेतु और साध्य की विद्यमानता हो वहाँ मन्ये, शङ्के, अवैमि, जाने, इत्यादि पद अनुमान के बोधक होते हैं और जहाँ हेतु-साध्य की विद्यमानता न हो और सादृश्य आदि उत्प्रेक्षा के निमित्त हों वहाँ वे उत्प्रेक्षा के बोधक होते हैं। अतः 'मन्मथामात्यम्—अर्थात् मैं महोत्सवमय काममन्त्री (वसन्त) आ रहा है—ऐसा मानता हूँ, क्योंकि कोयल निश्चित रूप से एक विलक्षण नेत्र-चमत्कार को धारण कर रही है' इस पद्य में अनुमानालङ्कार

ही है, उत्प्रेक्षा नहीं। तात्पर्य यह कि इस पद्य में सादृश्य की प्रतीति नहीं होने से उत्प्रेक्षा हो नहीं सकती, क्योंकि वह सादृश्यमूलक अलङ्कार है, फलतः अनुमान का ही बोधक 'मन्ये' है।

अनुमानालङ्कारविषये विचारविशेषमवतारयति—

अत्रेदं बोध्यम्—मन्ये इत्यादिवाचकपदोपादाने वाच्यमनुमानम्। यथाऽनन्तरोक्ते। वक्ति, कथयतीत्यादिलक्षकपदोपादाने लक्ष्यम्। यथा 'कोकाः सशोकाः' इत्यादौ। तदन्यतरानुपादाने साध्याक्षिप्तायामनुमितौ प्रतीयमानम्। यथा 'अम्लायन्–' इति पद्ये 'तद्भावी तव देव संप्रति महोमार्तण्डविम्बोदयः' इति चतुर्थचरणनिर्माणे। साध्यस्याप्यनुपादाने लिङ्गमात्रापादानेन यत्रागूर्यमाणं साध्यं तत्र ध्वन्यमानम्। यथा—

'गुञ्जन्ति मञ्जु परितो गत्वा धावन्ति संमुखम्।
आवर्तन्ते विवर्तन्ते सरसीषु मधुव्रताः॥'

अत्र शरदागमस्य साध्यस्यानुमानं ध्वन्यते। एवमेषा व्यवस्था न प्रागुक्ते करणमनुमानमिति नये संगच्छते। करणस्य ज्ञायमानलिङ्गत्वपक्षे वाच्यतायाः केवलाया आपत्तेः। लिङ्गज्ञानत्वपक्षे वाच्यत्वलक्ष्यत्वयोरनापत्तेः। अतोऽनुमितिरेवानुमानम्, तस्याश्च वाच्यत्व-लक्ष्यत्व-प्रतीयमानत्व-ध्वन्यमानत्वानां साम्राज्यम्, ल्युटश्च करण इव भावेऽपीति।

अनन्तरोक्त इति। 'मन्मथामात्यम्–' इत्यत्रेत्यर्थः। तदन्यतरेति, 'मन्ये' इत्यादिवाचक-वक्तीत्यादिलक्षकान्यतरेत्यर्थः। 'तद्भावी…' इति। हे देव! तत् तस्मात्, संप्रति, तव, महः तेजः एव मार्तण्डः सूर्यः तस्य विम्बम् मण्डलम् तस्य उदय इत्यर्थः। आगूर्यमाणमिति। व्यज्यमानमित्यर्थः। 'गुञ्जन्ति…' इति। मधुव्रताः भ्रमराः, सरसीषु सरोवरेषु, परितः चतुर्दिक्षु, मञ्जु रमणीयं यथा स्यात्तथा, गुञ्जन्ति ध्वनिविशेषं कुर्वन्ति, गत्वा सरोवरात् दूरं गत्वा, संमुखम् सरोवराभिमुखम्, धावन्ति वेगादागच्छन्ति, आवर्तन्ते आवृत्तिं विदधते पुनः पुनः परिभ्रमन्तीति भावः, विवर्तन्ते व्युत्क्रमेण तिष्ठन्तीत्यर्थः। उपपादयति—अत्रेति। 'गुञ्जन्ति–' इत्यत्र सरोवराधिकरणकमधुव्रतकर्तृकगुञ्जनादिरूपं लिङ्गमात्रमुपात्तम् तेन शरदागमरूपस्य साध्यस्यानुमितिर्ध्वन्यते इति भावः। 'अयं कालः शरदागमवान् सरोवरेषु भ्रमरकर्तृकमञ्जुगुञ्जनादेः'-इत्यनुमानाकारोऽत्र बोध्यः। एवमिति। उक्तप्रकारेणेत्यर्थः। एषेति। तत्तत्स्थितिविशेषेऽनुमानालङ्कारो वाच्यो लक्ष्यः प्रतीयमानो ध्वन्यमानश्च भवतीत्येवंरूपेत्यर्थः। करणमिति। अनुमितिकरणमित्यर्थः। असङ्गतौ हेतुमाह—करणस्येति। ज्ञायमानं लिङ्गमनुमितेः करणमिति पक्षेऽनुमानालङ्कारो वाच्य एव भवेत्, न लक्ष्यादिः, लिङ्गस्य वाच्यताया एव सम्भवात्। 'लिङ्गज्ञानमनुमितेः करणम्' इति पक्षे पुनरनुमानालङ्कारः प्रतीयमानो ध्वन्यमानो वा संभवेत् न वाच्यो न वा लक्ष्यः, लिङ्गज्ञानस्य वाच्यत्वलक्ष्यत्वयोरसम्भवादिति भावः। यत्र सा व्यवस्था सम्भवति तादृशं पक्षान्तरमाह—अत इति। कविप्रतिभोल्लिखितमनुमितिकरणमनुमानालङ्कार इति नये पूर्वोक्तव्यवस्थाया

असङ्गतेरेवेति 'अतः' इत्यस्यार्थः। अनुमितिरेवानुमानमिति । कविप्रतिभोल्लिखिताऽनुमितिरनुमानालंकार इत्येव लक्षणमिति भावः। एतन्नये पूर्वोक्तव्यवस्था सङ्गतिरित्याह—तस्याश्चेति । अनुमितेश्चेत्यर्थः। साम्राज्यमिति । सुखेन सम्भव इति भावः। अनुमितिरनुमानालङ्कार इति स्वीकारे प्रागुक्तदिशाऽयमलंकारो वाच्यो लक्ष्यः प्रतीयमानो ध्वन्यमानश्च सम्भवतीति सारांशः। नन्वेवमनुमानमिति नामकरणमस्यालंकारस्य न सङ्गतमिति चेत्तत्राह—ल्युटश्चेति । भावेऽपीति । साम्राज्यमिति प्राक्तनेन सम्बन्धः। अनुमीयत अनेनेति विग्रहे करणे यथा ल्युट् प्रत्ययो भवति तथैव अनुमीयत इति विग्रहे भावेऽपि स व्याकरणेऽनुशिष्टस्तथा चानुमानपदस्यानुमितिकरणमनुमितिरित्युभावप्यर्थौ सम्भवत इति भावः।

अनुमानालङ्कार के सम्बन्ध में एक विशिष्ट विचार किया जाता है—अत्रेदं बोध्यमित्यादि ।

अनुमानालङ्कार के विषय में यह समझना चाहिए कि जहाँ 'मन्ये' आदि पूर्वोक्त वाचक पदों का ग्रहण किया गया हो, वहाँ अनुमानालङ्कार वाच्य कहलायगा, जैसे—अव्यवहित पूर्वोल्लिखित 'मन्मथामात्यम्–' इस पद्य में जहाँ वक्ति, कथयति इत्यादि लक्षक पदों का ग्रहण हो, वहाँ अनुमानालङ्कार लक्ष्य माना जायगा, जैसे 'कोकाः सशोकाः–' इस उदाहरण में और जहाँ उन दोनों में किसी एक का भी ग्रहण न हो तथा साध्य द्वारा अनुमिति का आक्षेप होता हो वहाँ अनुमानालङ्कार प्रतीयमान (आक्षेप्य = आक्षिप्त) कहा जायगा, जैसे 'अम्लायन्–' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य का चतुर्थ चरण 'तद्भावी-अर्थात् हे देव ! अतः इस समय आपके प्रताप सूर्य के मण्डल का उदय होने वाला है' इस तरह बना देने पर, और जहाँ साध्य का भी ग्रहण न हो केवल लिङ्ग (हेतु) का ग्रहण हो और उसी से साध्य का आगूरण होता हो अर्थात् हेतु से साध्य की अभिव्यक्ति होती हो वहाँ अनुमानालङ्कार ध्वन्यमान (व्यङ्ग्य) कहलायगा, जैसे 'गुञ्जन्ति मञ्जु'–अर्थात् एक-दो में नहीं, अपितु सभी सरोवरों में चारों तरफ भ्रमर सुन्दर ढङ्ग से गूँज रहे हैं, उलट-पलट कर घूम रहे हैं' इस पद्य में। यहाँ शरद् ऋतु के आगमन रूप साध्य की अनुमिति ध्वनित होती है। अभिप्राय यह है कि 'गुञ्जन्ति–' इस पद्य में सरोवरों में भ्रमरों का गूँजना आदि केवल हेतु का ग्रहण है जिससे शरदागमनरूप साध्य की प्रतीति होती है। फलतः यहाँ 'यह समय शरद् ऋतु के आगमन से युक्त है, क्योंकि सरोवरों में भ्रमर गूँज रहे हैं दौड़ रहे हैं, आदि' ऐसा अनुमान ध्वनित होता है।

इस तरह अनुमानालङ्कार के उक्त चार प्रकारों की व्यवस्था होती है, पर यह व्यवस्था 'अनुमिति का करण अनुमान है' इस पूर्वोक्त सिद्धान्त में संगत नहीं होती क्योंकि 'ज्ञायमान लिङ्ग अनुमिति का करण है' यह पक्ष यदि माना जाय तब अनुमान केवल वाच्य हो सकता है, लक्ष्य आदि नहीं, कारण, लिङ्ग वाच्य ही होता है, 'लिङ्ग का ज्ञान अनुमिति का करण है' यदि यह पक्ष माना जाय तब अनुमान वाच्य और लक्ष्य नहीं हो सकता, कारण लिङ्गज्ञान का वाचक अथवा लक्षक पद कहीं नहीं रहता है, फलतः इस पक्ष में अनुमान के प्रतीयमान और ध्वन्यमान ये दो ही प्रकार हो सकेंगे, उक्त चारों प्रकार इन दोनों में से किसी भी पक्ष में सम्भव नहीं है, अतः—अनुमिति ही अनुमान है, न कि अनुमिति का करण—अर्थात् जहाँ कवि-प्रतिभाप्रसूत अनुमिति हो वहाँ अनुमानालङ्कार होता है। अनुमिति को अनुमानालङ्कार मानने पर उक्त रीति से

उसकी वाच्यता, लक्ष्यता, प्रतीयमानता और ध्वन्यमानता ये सभी प्रकार हो सकते हैं।

कहा जायगा कि तब इस अलङ्कार का नाम अनुमिति होना उचित है, अनुमान नहीं, तो इसके उत्तर में यह कहना है कि अनुमान शब्द अनुपूर्वक मा धातु से ल्युट् प्रत्यय करने पर बनता है और ल्युट् प्रत्यय का करण के समान ही भाव अर्थ में भी विधान है, अतः अनुमान शब्द के 'अनुमिति का करण' और 'अनुमिति' दोनों ही अर्थ हो सकते हैं।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरेऽनुमानप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धेऽनुमानालंकारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत अनुमानालङ्कारप्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामनुमानप्रकरणम्॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणप्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथ यथासंख्यम्—

यथासंख्यालङ्कारो निरूप्यत्वेनारब्धो बोध्य इति भावः।

अब यथासंख्य अलङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है—।

तावत्तल्लक्षणमाह—

उपदेशक्रमेणार्थानां सम्बन्धो यथासंख्यम्।

शब्दोच्चारणक्रमेण शब्दार्थानाम् मिथोऽन्वयो यथासंख्यनामालङ्कार इति भावः।

जिस क्रम से शब्दों का उच्चारण किया जाय उसी क्रम से होने वाला उन शब्दों के अर्थों का परस्पर अन्वय यथासंख्य नाम का अलङ्कार कहलाता है।

लक्षणं विविनक्ति—

पदार्थानतिवृत्तिरूपे यथार्थेऽव्ययीभावः। संख्याया अनतिवृत्तिश्च प्रथमस्य प्रथमेनैव द्वितीयस्य द्वितीयेनैवेत्यादिक्रमेण सम्बन्धे भवतीति योगार्थ एव लक्षणम्।

अव्ययीभाव इति। यथासंख्यशब्द इति भावः। सम्बन्ध इति। सतीति शेषोऽत्र बोध्यः। अयं भावः—'अव्ययं विभक्ति—' इति पाणिनिसूत्रे 'यथा' शब्दः पठितः। तेन 'यथार्थे' अव्ययीभावसमासो भवति। यथार्थश्च योग्यतावीप्सापदार्थानतिवृत्तिसादृश्यात्मकश्चतुर्विधः स्वीकृतः शाब्दिकैः। प्रकृते च 'संख्यामनतिक्रम्य' इत्यस्वपदविग्रहे पदार्थानतिवृत्तिरूपयथार्थमादायाव्ययीभावसमासे 'यथासंख्यम्' इत्येतत्पदं निष्पद्यते। संख्याया अनतिक्रमश्च प्रथमोच्चरितपदार्थेन सह प्रथमोच्चरितपदार्थस्य द्वितीयोच्चरितपदार्थेन सह द्वितीयोच्चरितपदार्थस्यान्वये जाते सति जायते। एवञ्च यथासंख्यपदयोगार्थ एव यथासंख्यालङ्कारलक्षणमिति।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—पदार्थानतिवृत्ति इत्यादि,

'यथासंख्य' शब्द में 'अव्ययं विभक्ति–' इस पाणिनि सूत्र से 'यथार्थ' में अव्ययीभाव समास हुआ है। व्याकरणशास्त्र में कहे गये 'योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य' इन चार यथार्थों में से यहां 'पदार्थानतिवृत्ति' रूप अर्थ ग्राह्य है। अभिप्राय

यह है कि सामासिक प्रक्रिया द्वारा यहां 'यथासंख्य' शब्द का अर्थ होता है 'संख्यामनतिक्रम्य प्रवर्तते-अर्थात् संख्या का अतिक्रमण न करके प्रवृत्त होने वाला'। और—संख्या का अनतिक्रमण यहाँ 'प्रथम का प्रथम के साथ द्वितीय का द्वितीय के साथ' इस क्रम से सम्बन्ध (अन्वय) होने पर होता है। फलतः 'यथासंख्य' शब्द का यौगिक अर्थ ही 'यथासंख्य' अलङ्कार का लक्षण बन जाता है, उसके लक्षण में बाहर से कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

यथासंख्यालङ्कारो यथेत्यर्थः—।

यथासंख्यालङ्कार का उदाहरण, जैसे—।

उदाहरणमुल्लिखति—

'यौवनोद्गमनितान्तशङ्किताः शीलशौर्यबलकान्तिलोभिताः।
सङ्कुचन्ति विकसन्ति राघवे जानकीनयननीरजश्रियः॥'

यौवनस्य युवावस्थाया उद्गमेन प्रादुर्भावेण नितान्तम् अत्यन्तम् शङ्किताः शङ्काकुलाः, युवकजनदर्शने युवतीनां नयनेषु शङ्कायाः स्वभावतः समुदयादिति भावः, शीलेन सुन्दरेण स्वभावेन, शौर्येण पराक्रमेण, बलेन, कान्त्या च रामचन्द्रसम्बन्धिनेति भावः, लोभिताः लोभं प्रापिताः, रामदर्शनलोलुपत्वम् प्रापिता इति यावत्, जानक्याः सीतायाः, नयननीरजयोः नेत्रकमलयोः श्रियः शोभाः, राघवे रामचन्द्रे विषये, संकुचन्ति संकोचमासादयन्ति, विकसन्ति चेत्यर्थः। एतेन रामयौवने चन्द्रत्वं रामशौर्यादौ च सूर्यत्वं व्यज्यते।

उदाहरण दिया जाता है—यौवन इत्यादि।

युवावस्था के प्रादुर्भाव से अत्यन्त शङ्कित और शील, शूरता, बल तथा कान्ति से लुभाई गईं सीता जी के नेत्रकमलों की शोभाएँ रामचन्द्र के विषय में संकुचित और विकसित हो रही हैं। अभिप्राय यह कि युवती होने के कारण युवक राम की ओर देखने में सहज लज्जावशीभूत हो कर सीता जी रामचन्द्र की ओर ठीक से देख नहीं पातीं—देखने की चेष्टा करने पर आंखें संकुचित हो जाती हैं, पर साथ ही रामचन्द्र जी का शील, शौर्य, बल और कान्ति से उनको देखने की प्रबल लालसा के कारण बार-बार उनकी ओर आँखें विकसित भी होती हैं। इस पद्य में जानकी के नेत्रों को कमल कह कर जो उनके संकोच और विकास की बात कही गई है उससे आह्लादक राम-यौवन में चन्द्रता और राम के प्रखर शौर्य आदि में सूर्यता व्यक्त होती है।

उपपादयति—

अत्र 'यौवनोद्गमनितान्तशङ्किताः संकुचन्ति, शौर्यबलकान्तिलोभिता विकसन्ती'ति प्रथम-द्वितीय-क्रिययोः-क्रमेण प्रथम-द्वितीय-विशेषणावच्छिन्नेन कर्त्रान्वयः। स च शाब्दः, समासाभावेन शब्दानामप्यन्वयात्। भावसंधिश्चात्र प्रधानम्।

इतीति। इत्थं प्रकारेणेत्यर्थः। अस्य 'अन्वयः' इत्यत्र संबन्धः। प्रथमद्वितीयक्रिययोरिति। संकोचात्मकप्रथमक्रियाया विकासात्मकद्वितीयक्रियायाश्चेत्यर्थः। 'प्रथमद्वितीयविशेषण···' इति। 'यौवनोद्गम···' इति प्रथमविशेषणविशिष्टेन जानकीनयननीरजश्रीरूपेण

कर्त्रा संकोचात्मकप्रथमक्रियायाः, 'शीलशौर्य-' इति द्वितीयविशेषणविशिष्टेन तेनैव कर्त्रा विकासात्मकद्वितीयक्रियाया अन्वय इति भावः। स चेति। अन्वयश्चेत्यर्थः। शाब्द इति। शाब्दबोधरूप इत्यर्थः। तस्य शाब्दत्वे युक्तिमाह—समासाभावेनेति। शब्दानामप्यन्वयादिति। विशेषण-विशेष्ययोः समासाभावेन विशेषण-वाचकशब्दानां विभज्य द्वयोः क्रिययोरन्वयसंभवादिति भावः। शब्दानाञ्च क्रियया सहान्वयोऽर्थद्वारक एव बोध्यः। भावसन्धिरिति। शङ्कौत्सुक्यभावयोः सन्धिरित्यर्थः। प्रधानमिति, प्राधान्येन व्यङ्ग्यः अलङ्कार्य इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'यौवनोद्गम—' इस पद्य में कर्ता में अन्वित होने वाली दो क्रियाएँ हैं और कर्ता के ही दो विशेषण भी हैं, अतः क्रमशः प्रथम क्रिया (संकोच) का प्रथम विशेषण (यौवनोद्गम-नितान्त-शङ्कित) से युक्त कर्ता के साथ और द्वितीय क्रिया (विकास) का द्वितीय विशेषण (शील-शौर्य-बल-कान्ति-लोभित) से युक्त कर्ता के साथ अन्वय होता है—अर्थात् 'यौवनोद्गम-नितान्त-शङ्कित जानकीनयन-कमल-शोभाएँ संकुचित होती हैं और शील-शौर्य-बल-कान्ति-लोभित जानकीनयन-कमल-शोभाएँ विकसित होती हैं' इस तरह से अन्वय होता है। फलतः इस क्रमिक अन्वय के कारण यहाँ यथासंख्य अलङ्कार होता है।

यहाँ का उक्त क्रमिक अन्वय शाब्द है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य का समास न होने के कारण शब्दों का भी पृथक् पृथक् उक्त रीति से क्रिया के साथ अन्वय होता है। इस श्लोक में शङ्का और औत्सुक्य भाव की संधि प्रधान रूप में ध्वनित होती है और उसी को अलङ्कृत करता है यथासंख्य अलङ्कार।

उदाहरणान्तरं प्रदातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्;

अथवा जैसे।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'द्रुमपङ्कजविद्वांसः सर्वसंतोषपोषकाः।
मुधैव हन्त हन्यन्ते कुठार-हिम-दुर्जनैः॥'

सर्वेषां संतोषस्य पोषकाः द्रुमाः वृक्षाः पङ्कजानि कमलानि विद्वांसश्च, मुधैव व्यर्थमेव, कुठारैः हिमैः प्रालेयैः दुर्जनैश्च, हन्यन्ते विनाश्यन्ते इति हन्त खेदकरमित्यर्थः।

उदाहरण दिया जाता है—द्रुम इत्यादि।

सब के संतोष को पुष्ट करने वाले वृक्ष, कमल और विद्वान् खेद है कि, कुठार, हिम और दुर्जनों द्वारा व्यर्थ ही मारे जाते हैं।

विशेषमाह—

इह दीपकानुप्राणकम्।

'द्रुमपङ्कज–' इत्यस्मिन्पद्ये द्रुमपङ्कजविदुषां कुठारहिमदुर्जनैः सह क्रमेणान्वयाद्यथासंख्यम्। तच्च दीपकालङ्कारस्य पोषकमङ्गमिति यावत्, दीपकञ्च हननक्रियान्वयिषु द्रुमादिषु एकस्य प्रस्तुतत्वादन्ययोरप्रस्तुतत्वाच्चेति भावः।

पूर्व उदाहरण से विलक्षणता दिखलाई जाती है—इह इत्यादि।

'द्रुमपङ्कज—' इस पद्य में द्रुम आदि का कुठार आदि के साथ क्रमशः अन्वय होने के कारण जो यथासंख्य अलङ्कार होता है वह दीपक अलङ्कार का अनुप्राणक-पोषक अर्थात् अङ्ग है और दीपक यहाँ इस लिए होता है कि द्रुम आदि में से किसी एक प्रस्तुत और अन्य दो प्रस्तुतों का हनन क्रिया रूप एक धर्म में अन्वय होता है। प्रस्तुत कौन और अप्रस्तुत कौन इस का निर्णय प्रकरण से होगा-अर्थात् दुर्जन-पीडित विद्वान् के प्रसङ्ग में यदि यह पद्य कहा जायगा तब विद्वान् प्रस्तुत और द्रुम तथा पङ्कज अप्रस्तुत समझे जायगें।

उदाहरणान्तरमुपस्थापयितुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्,

अथवा, 'जैसे-'

उदाहरणमुपस्थापयति—

'वृन्दापितृगहनचरौ कुसुमायुधजननहननशक्तिधरौ।
अरिशूललाञ्छितकरौ भीतिं मे हरिहरौ हरताम् ॥'

वृन्दापितृगहनचरौ वृन्दावनश्मशानचारिणौ, कुसुमायुधस्य कामदेवस्य जननहननयोः उत्पत्तिविनाशयोः या शक्तिः तद्धारिणौ, अराः सन्ति अस्मिन्निति व्युत्पत्त्या अरिः चक्रम् सुदर्शनमिति यावत्, शूलम् अस्त्रविशेषः ताभ्यां लाञ्छितौ चिह्नितौ करौ हस्तौ ययोस्तौ हरिहरौ विष्णुशिवौ, मे मम, भीतिम् भयम्, हरताम् अपनुदतामित्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—वृन्दा इत्यादि।

वृन्दावन और पितृवन (श्मशान) में विचरण करने वाले, कामदेव के उत्पत्ति और विनाश की शक्ति को धारण करने वाले, एवम् चक्र सुदर्शन तथा शूल से चिह्नित कर वाले हरि तथा हर मेरे भय का हरण करें।

उदाहरणद्वयसाधारणमुपपादनं विधत्ते—

इहोभयत्रार्थः। पूर्वं समासेन समासान्वयेऽवयवानामन्वयस्य पाष्ठिकत्वात्।

इहोभयत्रेति। 'द्रुमपङ्कज–' 'वृन्दापितृ–' इत्युभयोरुदाहरणयोरित्यर्थः। आर्थ इति। अन्वयः 'यथासंख्यालङ्कार' इति वा विशेष्यपदमत्राध्याहार्यम्। आर्थत्वे हेतुमाह—पूर्वमिति। अयं भावः–प्रथमपद्ये द्रुमपङ्कजविदुषां समस्तानां कुठारहिमदुर्जनैः समस्तैः सह प्रथममन्वयः, अन्यथा द्वन्द्व एव दुर्लभः, तस्य साहित्ये विधानात् साहित्यस्य चैकधर्मावच्छिन्नस्यैकधर्मावच्छिन्ने एकविधसंबन्धेनान्वयबोधेच्छारूपत्वात्, पश्चाच्च प्रागुक्तक्रमिकान्वयः। एवमेव द्वितीयपद्येऽपि। एवञ्च पाष्ठिकस्य (पश्चात्कालिकस्य) क्रमिकान्वयस्यार्थसमाजग्रस्तत्वेनार्थत्वमिति।

उक्त दोनों उदाहरणों में आर्थ यथासंख्यालङ्कार का उपपादन किया जाता है—इहोभयत्र इत्यादि।

'द्रुम पङ्कज–'और 'वृन्दापितृ–' इन दोनों पद्यों में आर्थ यथासंख्यालङ्कार है, क्योंकि इन दोनों पद्यों में 'द्रुमपङ्कजविद्वांसः' 'कुठारहिमदुर्जनैः' 'वृन्दापितृगहनचरौ' 'कुसुमायुधजननहननशक्तिधरौ' 'अरिशूललाञ्छितकरौ' और 'हरिहरौ' इन पदों में जो

द्वन्द्व समास है उसकी सिद्धि के लिए पहले समुदाय का समुदाय के साथ अन्वय होगा, क्योंकि द्वन्द्व समास सहविवक्षा में होता है और सहविवक्षा का अर्थ है समूह का समूह के साथ एक तरह से अन्वय करने की इच्छा। इस तरह के अन्वय से द्वन्द्व की साधुता सिद्ध कर लेने के बाद उन समासों के अन्तर्गत अवयवों का उक्त रीति से अभीष्ट क्रमिक अन्वय होगा। तात्पर्य यह कि समस्त पदों की स्थिति में अभीष्ट क्रमिक अन्वय अर्थबल से पीछे सिद्ध होता है, अतः ऐसे स्थलों का यथासंख्यान्वय आर्थ कहलाता है।

अस्यालंकारस्य व्यापकत्वं सूचयति—

इत्यादिरपरिमितोऽस्य विषयः।

यथासंख्यालंकारस्य पूर्वोक्तपद्यादीनि बहूनि लक्ष्याणि भवितुमर्हन्तीति भावः।

इस यथासंख्य अलङ्कार के पूर्वोक्त उदाहरणों के साथ साथ अन्य भी बहुत से उदाहरण होते हैं।

क्रमिकान्वयबोधविषये मार्मिकं विचारं प्रस्तौति—

अथ क्रमेणान्वयबोधे किं नियामकम्। अत्र केचित्—"योग्यताज्ञानमेव नियामकम्। तथाहि 'वृन्दापितृगहनचरौ' इत्यत्र हरौ श्मशानचारित्वस्य, हरे वृन्दावनचारित्वस्य च बाधितत्वादन्वयबोधाभावे हरौ वृन्दावनचारित्वस्य, हरे श्मशानचारित्वस्य च योग्यत्वादन्वयबोधो जायमानः क्रमिकान्वयबोधे पर्यवस्यति। एवमन्यत्रापि" इत्याहुः।

अन्ये तु-"योग्यताज्ञानस्य नियामकत्वे क्रमभङ्गस्य दोषता न स्यात्। 'कीर्ति-प्रतापौ भातस्ते सूर्याचन्द्रमसाविव' इत्यादौ कीर्तौ चन्द्रसादृश्यस्य प्रतापे सूर्यसादृश्यस्य च व्युत्क्रमेणोक्तस्यापि योग्यतावशादेव प्रतीत्युपपत्तेः। न हि क्रमिकमेव योग्यम्, अपक्रममयोग्यम्। येन तव मुख्यार्थहतिः स्यात्। भवति चानुभवसिद्धा सा। तस्मादन्वयिसमसंख्यपदार्थज्ञानस्य यथासंख्यान्वयबोधत्वं कार्यतावच्छेदकं वाच्यम्। एवं च 'कीर्तिप्रतापौ' इत्यत्र च यथाश्रुतानां यथासंख्यान्वयबोधो बाधनिश्चयपराहत इति मुख्यार्थहतिसंभवात्क्रमभङ्गस्य दोषत्वसाम्राज्यम्। नन्वन्वयिसमसंख्यपदार्थानां यदि यथासंख्यान्वयबोधो व्युत्पत्तिसिद्धस्तदा 'यथासंख्यमनुदेशः समानाम्' इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। तदुदाहरणेषु 'लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः' इत्यादिषु लौकिकसामग्रीबलादेव यथासंख्यान्वयबोधोपपत्तेः। योग्यतामात्रबलात् तथा बोधोपपादकमते तु शास्त्रमात्रचक्षुष्कैः प्रकृतिविशेषप्रत्ययविशेषसंबंधरूपाया योग्यताया अज्ञानात्तेषां यथासंख्यान्वयबोधार्थं 'यथासंख्यम्' इति सूत्रमिति चेत्, न। ममापि प्रागुक्तव्युत्पत्तिरहितानां तादृशबोधार्थं सूत्रसार्थक्यात्" इत्याहुः।

बाधितत्वादिति। हरेर्वृन्दावनचारित्वं हरस्य च श्मशानचारित्वमेव शास्त्रेषु वर्णितम् लोके प्रसिद्धञ्च, अतो हरेः श्मशानचारित्वम् हरस्य च वृन्दावनचारित्वं बाधितमिति भावः। आहुरिति। अत्र मते 'केचित्' इत्यनेनारुचिः सूच्यते, तद्वीजञ्चानुपदमेव 'अन्ये तु' इत्यनेन प्रतिपाद्यमाने मते स्फुटीकरिष्यते। क्रमभङ्गस्य दोषता न

स्यादिति। अक्रमताख्यो दोषः सर्वालंकारिकसम्मत उच्छिद्येतेति भावः। अत्र "अस्मिन्नलंकारे 'क्रमभङ्गो' दोषो न भवेत्" इत्याशयको मातृभाषानुवादो हिन्दीरसगङ्गाधर-कारस्यानुचित एवेति बोध्यम्। अक्रमतादोषस्थलमुल्लिख्य तत्र तस्यादोषत्वमुपपादयति—'कीर्तिप्रतापौ—' इति। अत्र ते कीर्तिः चन्द्र इव प्रतापश्च सूर्य इव भातीति विवक्षितोऽर्थः, तदनुसारञ्च 'चन्द्रसूर्याविव प्रभो' इत्येवं रचनोचिता, क्रमप्राप्तत्वात्। यथास्थितरचनायां तु क्रमभङ्गरूपो दोषो भवतीति वस्तुस्थितिः। इदानीं यदि योग्यताज्ञानस्य क्रमिकान्वयनियामकत्वं स्वीक्रियते तदा क्रमिकमेव योग्यमपक्रममयोग्यमित्येतादृशस्य कस्यचिन्नियमस्याभावेन प्रकृते व्युत्क्रमेणोक्तावपि योग्यताज्ञानबलात् कीर्तौ चन्द्रसादृश्यस्य प्रतापे सूर्यसादृश्यस्य च प्रतीतेरुपपत्तौ उद्देश्यप्रतीतिविघातकत्वात्मकमुख्यार्थहतेर्दोषसामान्यलक्षणस्याप्रसङ्गे क्रमभङ्गस्य दोषता भज्येतेति भावः। ननु नास्त्येवात्र मुख्यार्थहतिरिति अदोष एव क्रमभङ्ग इति चेत्तत्राह—भवति चेति। सेति, मुख्यार्थहतिरित्यर्थः। क्रमभङ्गस्थले मुख्यार्थहतिर्भवतीति सर्वानुभवसाक्षिकमिति भावः। अथ क उपाय इति चेत्तत्राह—तस्मादिति। वाच्यमिति। यथासंख्यान्वयबोधत्वावच्छिन्नं प्रति अन्वयिसमसंख्यपदार्थज्ञानं कारणमितीदृशः कार्यकारणभावो वाच्य इति भावः।

अथैवं कार्यकारणभावेन प्रकृते किमायातमिति चेत्तत्राह—एवं चेति। एवंविधकार्यकारणभावे स्वीकृते क्रमभङ्गस्य दोषत्वं संगच्छते, यतः 'कीर्तिप्रतापौ—' इत्यत्रान्वयिसमसंख्यपदार्थज्ञानस्य सत्त्वेन यथासंख्यान्वयबोधो दुर्वारः, यथाश्रुतानाञ्च यथासंख्यान्वयबोधः 'सूर्यसदृशी कीर्तिः चन्द्रसदृशः प्रतापः' इत्याकारको बाधपराहतः, एवञ्च मुख्यार्थहतिर्भवतीति भावः।

आशङ्कते—नन्विति। व्युत्पत्तिसिद्ध इति। लौकिककार्यकारणभावबलप्राप्त इति भावः। बोधोपपत्तेरिति। अयमाशयः—'लोमादि—' इत्यनेन विधीयमानाः प्रत्ययाः क्रमशो भवन्तु अर्थात् लोमादिभ्यः शः, पामादिभ्यो नः, पिच्छादिभ्य इलच् जायन्तामित्येतदर्थम् 'यथासंख्यमनुदेशः—' इति सूत्रमारभ्यते। यद्यधुना भवता 'अन्वयिसमसंख्यपदार्थज्ञानं यथासंख्यान्वयबोधत्वावच्छिन्नं प्रति कारणमि'ति कार्यकारणभावः स्वीक्रियेत तदा तद्बलादेव लोमादिभ्यः क्रमशः तत्तत्प्रत्ययोत्पत्तिसिद्धौ यथासंख्यसूत्रं व्यर्थं स्यादिति। अथोक्तकार्यकारणभावास्वीकारे योग्यतामात्रबलाद्यथासंख्यान्वयबोधोपपादने कथं यथासंख्यसूत्रसार्थक्यमिति चेत्तत्राह—योग्यतामात्रेति। 'लोमादिभ्यः शः, पामादिभ्यो नः, पिच्छादिभ्यश्चेलच्' इत्याकारिकाया योग्यताया लक्षणैकचक्षुष्कैरज्ञानात् योग्यताज्ञानबलेन तत्र यथासंख्यान्वयबोधासंभवे क्रमशस्तत्तत्प्रकृतिभ्यो न स्युस्ते ते प्रत्यया इति तदर्थं यथासंख्यसूत्रम् सार्थकं भवतीति। समाधत्ते—नेति। तत्र युक्तिमाह—ममापीति। उक्तकार्यकारणभावबलेन यथासंख्यान्वयबोध इति मम मतेऽपि यैः तादृशः कार्यकारणभावो न गृहीतस्तेषां 'लोमादि—' इत्यत्र यथासंख्यान्वयबोधार्थम् सूत्रसार्थक्यं संभवतीति भावः। एवञ्चोक्तकार्यकारणभाव एव क्रमिकान्वयबोधनियामको, न योग्यज्ञानन्नियामकमिति निष्कर्षः।

क्रमिक अन्वयबोध के विषय में शास्त्रीय विचार प्रस्तुत किया जाता है—अथ इत्यादि।

अब विचार यह करना है कि क्रमशः अन्वय-बोध के होने में नियामक क्या है ?

(१) इस विषय में कुछ लोगों का कथन है कि 'योग्यताज्ञान ही क्रमिक अन्वय-बोध के होने में नियामक है'। देखिए—'वृन्दापितृगहनचरौ हरिहरौ' यहाँ हरि में श्मशानचारिता और हर में वृन्दावनचारिता बाधित हैं, क्योंकि शास्त्र तथा लोक में हरि का वृन्दावन में घूमना और हर का श्मशान में घूमना ही प्रसिद्ध है, अतः बाधाभावरूप योग्यता ज्ञान के अभाव में 'श्मशानचारी हरि और वृन्दावनचारी हर' ऐसा अन्वयबोध हो नहीं सकता, फलतः योग्यताज्ञान के बल से हरि में वृन्दावनचारिता का और हर में श्मशानचारिता का ही अन्वय ज्ञात होगा, जो अन्ततः क्रमिकबोध ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये।

(२) अन्य विद्वानों का कथन इससे भिन्न है। वे कहते हैं कि योग्यता-ज्ञानको क्रमिकान्वयबोध का नियामक मानने पर 'क्रमभङ्ग—अक्रमता' का दोष होना सिद्ध नहीं होगा। अभिप्राय है कि क्रमभङ्ग दोष तब सिद्ध हो सकता है, जब उससे मुख्य (अभीष्ट) अर्थ का हनन (प्रकृत में अप्रतीति) होता हो, क्योंकि 'मुख्यार्थहतिर्दोषः' यह सामान्य दोषलक्षण है और क्रमभङ्ग को मुख्यार्थघाती इसलिए माना जाता है कि उसके रहने पर अर्थों का अभीष्ट अन्वय नहीं हो पाता, जैसे—'कीर्तिप्रतापौ ते भातः सूर्याचन्द्रमसाविव-अर्थात् आपके कीर्ति और प्रताप सूर्य-चन्द्रमा के समान शोभित होते हैं' इत्यादिक में सादृश्यानुयोगी का वर्णन करते समय पहले कीर्ति का और बाद में प्रताप का उल्लेख और सादृश्यप्रतियोगी का वर्णन करते समय पहले सूर्य का और बाद में चन्द्रमा का उल्लेख रहने के कारण 'चन्द्रसदृश कीर्ति और सूर्यसदृश प्रताप' इस तरह का अभीष्ट अन्वयबोध नहीं हो पाता, अतः पूर्वनिर्दिष्ट विपरीत उल्लेख रूप क्रमभङ्ग मुख्यार्थघाती सिद्ध होकर दोषरूप सिद्ध होता है। अब, जब कि आप योग्यता-ज्ञान से ही क्रमिक अन्वय का समर्थन कर रहे हैं, तब आपका अभिप्राय यही हो सकता है कि सामान्य अन्वयबोध के प्रति योग्यताज्ञान कारण है और योग्यताज्ञान रूप कारण से होने वाला अन्वयबोध फलतः क्रमिक अन्वयबोध के रूप में पर्यवसित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके हिसाब से क्रमिकान्वयबोध का कोई खास नियामक नहीं है सामान्य अन्वयबोध नियामक के आधार पर ही वह फलित हो जाता है। ऐसी स्थिति में विपरीतोल्लिखित का भी अन्वय यदि योग्य हो तो उसको रोका नहीं जा सकता है, कदाचित् आप यह कहना चाहें कि विपरीतोल्लिखित का अन्वय योग्य हो ही नहीं सकता है तो मैं कहूँगा कि यह आपका स्पष्टतः बलात्कार है, क्योंकि क्रमयुक्त योग्य और क्रमहीन अयोग्य ऐसा कोई नियम नहीं है—योग्यता के भीतर क्रमिकता का प्रवेश नहीं है। अतः 'कीर्तिप्रतापौ ते–' इत्यादि स्थल में विपरीतोल्लेख (क्रमभङ्ग) रहने पर भी 'चन्द्रसदृश कीर्ति और सूर्यसदृश प्रताप' ऐसा अभीष्ट अन्वयबोध हो ही जायगा, क्योंकि कीर्ति में चन्द्रसादृश्य और प्रताप में सूर्यसादृश्य ही योग्य है—उचित है और इस तरह जब अभीष्ट अन्वय संपन्न हो ही जायगा तब क्रमभङ्ग मुख्यार्थघाती नहीं हुआ, फलतः उसकी दोषता सिद्ध नहीं होगी।

यह तो आप कह नहीं सकते कि क्रमभङ्ग मुख्यार्थघाती नहीं ही है अतः दोष भी नहीं है, क्योंकि क्रमभङ्ग की मुख्यार्थघातकता अनुभव से सिद्ध है, अतः उसकी दोषता भी अवश्य मानने योग्य है।

ऐसी दशा में ऐसा कोई उपाय ढूँढना है जिससे क्रमिक अन्वय का नियमन भी हो और अक्रमता (क्रमभङ्ग) की दोषता भी बनी रहे। ठीक है, मैं आपको वह उपाय

बताता हूँ—उपाय यह है कि 'यथासंख्यान्वयबोध (क्रमिक अन्वयबोध) के प्रति परस्पर अन्वित होने वाले समसंख्यक पदार्थों का ज्ञान कारण है' इस तरह का कार्य-कारणभाव (व्युत्पत्ति) मानना चाहिए। इससे क्रमिक अन्वय का नियमन तो हो ही जाता है साथ ही क्रमभङ्ग की दोषता भी बनी रह जाती है, क्योंकि इसका कार्यकारण-भाव के आधार पर 'कीर्तिप्रतापौ—' यहाँ पर जिस क्रम से पदश्रुत हैं उसी क्रम से उनके अर्थों का अन्वय होगा, क्योंकि क्रमिक अन्वय-बोध का कारण—समसंख्यक अन्वयी पदार्थों का ज्ञान (कीर्ति-प्रताप दो और सूर्य-चन्द्र भी दो ऐसा ज्ञान) यहाँ वर्तमान है—अर्थात् यहां 'कीर्ति सूर्यसदृश और प्रताप चन्द्रसदृश' ऐसा ही अन्वयबोध होगा जो बाधित है, क्योंकि सौम्यशीतल कीर्ति में चन्द्रमा का और प्रखर प्रताप में सूर्य का सादृश्य ही कविसमयसिद्ध है। फलतः 'कीर्ति चन्द्रसदृश और प्रताप सूर्यसदृश' इस अभीष्ट अन्वयका घात करने वाला यहां के 'क्रमभङ्ग' की दोषता सुसङ्गत है। इस दोष को हटाने के लिए 'कीर्तिप्रतापौ भातस्ते चन्द्रसूर्याविव प्रभो' इत्यादि प्रकार का क्रम रखना चाहिए।

आप यदि यहां शङ्का करें कि—परस्पर अन्वित होने वाले समसंख्यक पदार्थों का यथासंख्यान्वय (संख्यानुसारी-क्रमिक अन्वय) यदि व्युत्पत्तिसिद्ध है—अर्थात् उक्त लौकिक कार्यकारणभावमूलक है, तो 'यथासंख्यमनुदेशः समानाम्' यह पाणिनीय सूत्र व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि उक्त सूत्र के उदाहरण 'लोमादिपामादिभ्यः शनेलचः' इत्यादिकों में लौकिक सामग्री—अर्थात उक्त कार्यकारण भाव, के बल से ही लोमादि से श प्रत्यय (लोमशः) पामादि से न प्रत्यय (पामनः) और पिच्छादि से इलच् प्रत्यय (पिच्छिलः) इस तरह का यथासंख्यान्वयबोध सिद्ध है। केवल योग्यता के बल से क्रमिक अन्वयबोध का उपपादन करने वालों के मत में तो यथासंख्य सूत्र की सार्थकता होती है, क्योंकि शास्त्रैकचक्षुष्कों (शास्त्र के आधार पर ही समझने वाले) को प्रकृति विशेष और प्रत्यय-विशेष के संबन्ध रूप योग्यता का—अर्थात् लोमादि से ही श प्रत्यय और पामादि से ही न प्रत्यय इस तरह की योग्यता (औचित्य) का, ज्ञान नहीं होता, उन्हें योग्यता के बल पर वहाँ क्रमिक अन्वय का बोध नहीं हो सकता। फलतः उनके लिए यथासंख्य सूत्र की आवश्यकता होती है, तो इसके उत्तर में कहा जायगा कि मेरे मत में भी—अर्थात् उक्तकार्यकारण भाव के बल से क्रमिक अन्वय का उपपादन करने पर भी यथासंख्य सूत्र की सार्थकता होती है, क्योंकि उक्त कार्यकारणभाव सबको ज्ञात ही हो यह न आवश्यक है न संभव ही, फलतः जिनको उक्त कार्यकारणभाव ज्ञात नहीं होगा उनको यथासंख्य सूत्र के विना क्रमिक अन्वय-बोध नहीं हो सकता है।

सारांश यह सिद्ध हुआ कि क्रमिक अन्वय-बोध का नियामक उक्तकार्यकारणभाव है, योग्यता-ज्ञान नहीं।

यथासंख्यस्यालङ्कारतां निरस्यति—

इदं तु बोध्यम्—यथासंख्यान्वयबोधो यथा तथास्तु नाम। नात्रागृह्णीमः। यथासंख्यमलङ्कारपदवीमेव तावत्कथमारोढुं प्रभवतीति तु विचारणीयम्। नह्यस्मिन् लोकसिद्धे कविप्रतिभानिर्मितत्वस्यालङ्कारताजीवातोर्लेशतोऽप्युपलब्धिरस्ति, येनालङ्कारव्यपदेशो मनागपि स्थाने स्यात्। अतोऽपक्रमत्वरूपदोषाभाव एव यथासंख्यम्। एवं चोद्भटमतानुयायिनामुक्तयः कूटकार्षापणत्र-

दरमणीया एव। एतेन यथासंख्यमेव क्रमालङ्कारसंज्ञया व्यवहरतो वामनस्यापि गिरो व्याख्याता इति तु नव्याः।

यथातथेति। योग्यताज्ञानबलात् 'यथासंख्यान्वयबोधत्वावच्छिन्नं प्रति अन्वयिसमसंख्यपदार्थज्ञानं कारणम्' इति लौकिकव्युत्पत्तेर्वेत्यर्थः। नात्राग्रहीम इति। अत्र विषये नास्माकमाग्रह इति भावः। कुत्र तर्हि आग्रह इति चेत्तत्राह—यथासंख्यमिति। यथासंख्यं कथमलङ्कार इत्यत्राग्रह इति भावः। अस्मिन्निति। यथासंख्ये इत्यर्थः। अलङ्कारजीवातोरिति। अलङ्कारतानिदानस्येति भावः। मनागपीति। ईषदपीत्यर्थः। स्थाने इति। युक्तमित्यर्थकमव्ययमेतत्। लोकसिद्धस्य क्रमिकान्वयरूपस्य यथासंख्यस्य कविप्रतिभाप्रसूतत्वविरहेण चमत्कारित्वाभावान्नालङ्कारत्वमिति भावः।

एवं तर्हि यथासंख्यं काव्ये किन्नाम वास्त्विति चेत्तत्राह—अत इति। उक्तय इति। यथासंख्यमलंकार इत्यभिप्रायकाणि वचनानीत्यर्थः। कूटकार्षापणवदिति। कपटमुद्रावदिति भावः। यथेन्द्रजालादिना निर्मिताः कपटमुद्रा निर्मूलास्तथैव तदुक्तयो महत्त्वहीना इति सारांशः। एतेनेति। यथासंख्येऽलङ्कारत्वस्य निरसनार्थं पूर्वकथितवाक्यसमूहेनेत्यर्थः। व्याख्याता इति। तद्गिरोऽपि अयुक्ता एवेति भावः। नव्या इति। अत्र "वस्तुतस्तु यथासंख्यसूत्रबलात् पाणिनीयप्रयोगे पार्ष्ठिकतयान्वयबोधे द्वन्द्वादेः साधुत्वेऽपि नान्यत्र साधुत्वम्। किंतु समुदितान्वयबोधमात्र एवेति तदभिप्रायकास्ते प्रयोगा असाधव एव। अलंकारस्तु द्वितीयरीत्या व्यस्ते चरितार्थ इति बोध्यम्"। इति नागेशः।

यथासंख्य की अलङ्कारता का खण्डन करने के लिए कहा जाता है—इदं तु बोध्यम् इत्यादि।

यहाँ यह समझना चाहिए कि—क्रमिक अन्वयबोध जिस किसी तरह से–अर्थात् केवल योग्यता के बल से अथवा लौकिक व्युत्पत्ति (क्रमिक अन्वय-बोध के प्रति परस्पर अन्वित होने वाले समसंख्यक पदार्थों का ज्ञान कारण है इस तरह के कार्यकारणभाव) के बल से, हो, इस विषय में हमें आग्रह नहीं, किन्तु विचारणीय यह है कि 'यथासंख्य अलङ्कार कैसे हो सकता है? क्योंकि लोकसिद्ध इस यथासंख्य (क्रमिक अन्वय) में अलङ्कारता के जीवनभूत तत्त्व 'कविप्रतिभानिर्मितत्व' की लेशमात्र भी उपलब्धि नहीं होती है, जिससे इसे अलङ्कार कहना किंचित् भी उचित हो सके, अतः यथासंख्य 'क्रमभङ्ग' रूप दोष का अभावमात्र ही है, अलंकार नहीं। ऐसी स्थिति में उद्भट भट्ट के मत का अनुगमन करने वाले विद्वानों के कथन (यथासंख्य अलङ्कार है इस अभिप्राय वाले वचन) कूट-कार्षापण के समान अशोभन ही हैं। 'कूटकार्षापण' का अर्थ है कपट से बनी चवन्नी–अर्थात् इन्द्रजाल आदि के द्वारा बनाई गई मुद्रा वह जैसे कार्यकारी न हो सकने के कारण असुन्दर होता है वैसे ही उनके कथन हैं। इससे 'यथासंख्य' को ही 'क्रमालङ्कार' के नाम से व्यवहृत करनेवाले वामन के वचनों की भी व्याख्या हो गई। तात्पर्य यह कि उनका कथन भी अशोभन ही है। यह है नवीनों का मत। यहाँ नागेश का कथन है कि "वस्तुतः 'यथासंख्य सूत्र' के बल से पाणिनि जी के प्रयोग में पश्चात्कालिक क्रमिक अन्वय-बोध के होने पर भी द्वन्द्व आदि की साधुता भले ही मान ली जाय पर अन्य लोगों के प्रयोग में ऐसी बात नहीं हो सकती अर्थात् पाणिनि से

अन्य लोगोंके प्रयोग में समुदित का अन्वय-बोध होने पर ही द्वन्द्व आदि साधु समझे जायगें। अतः क्रमिक अन्वय-बोध के अभिप्राय से किए गए द्वन्द्व आदि से युक्त आधुनिक प्रयोग असाधु ही हैं। यथासंख्य अलङ्कार की चरितार्थता तो असमस्त स्थल में होती है ऐसा समझना चाहिए।"

इस तरह नागेश के विचार से 'वृन्दापितृगहनचरौ–' इत्यादि पद्य व्याकरण की दृष्टि से सर्वथा अशुद्ध हैं। बात भी सही है। पर ऐसे प्रयोग महाकवियों में भी प्राप्त होते हैं' स्वयं पण्डितराज जगन्नाथ भी व्याकरण की बारीकियों के कम मर्मज्ञ नहीं समझे जाते किन्तु उनने ऐसा प्रयोग निर्भ्रान्त रूप में किया है, अतः ऐसे प्रयोगों को व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध करना वैयाकरणों का कर्तव्य है।

मेरा तो विचार है कि प्रथमतः समुदित का अन्वय-बोध मान कर द्वन्द्व की साधुता करली जायगी। पीछे क्रमिक अन्वय-बोध मानने पर भी 'ज्ञातः संस्कारो न निवर्तते' की रीति से द्वन्द्व रहेगा ही। इस रीति का आश्रयण वैयाकरणों ने भी यत्र तत्र किया है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे यथासंख्यप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे यथासंख्यप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत यथासंख्यालङ्कार का प्रकरण समाप्त।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां यथासंख्यप्रकरणम्॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणप्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथ पर्यायः—

पर्यायालङ्कारो निरूप्यत्वेनारब्धो बोध्य इति भावः।

अब पर्याय अलङ्कार का निरूपण प्रारब्ध होता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

क्रमेणानेकाधिकरणमेकमाधेयमेकः पर्यायः। क्रमेणानेकाधेयकमेकमधिकरणमपरः॥

अनेकेषु अधिकरणेषु क्रमशो वर्ण्यमानमेकमाधेयमेकप्रकारः पर्यायस्य, एकस्मिन्नधिकरणे क्रमशो वर्ण्यमानानि अनेकान्याधेयान्यपरः प्रकारः पर्यायस्येति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—क्रमेण इत्यादि।

'क्रम से अनेक अधिकरणवाला एक आधेय' एक प्रकार का पर्याय है और 'क्रम से अनेक आधेयवाला एक अधिकरण' दूसरे प्रकार का पर्याय है।

लक्षणं विविनक्ति—

एतदन्यान्यत्वं च सामान्यलक्षणम्, न तु योगार्थमात्रम्। अतिप्रसक्तेः। 'परावनुपात्यय इणः' इति पाणिनिस्मृत्या। अनुपात्ययमात्रस्य घञुपाधित्वेनोक्तेः। नाप्यन्यत्। अन्यतराघटितस्य निर्वक्तुमशक्यत्वात्। अत्राद्यलक्षणे। प्रागुक्तविशेषालङ्कारद्वितीयभेदेऽतिप्रसङ्गवारणाय क्रमेणेति। तत्र चाधेयस्य युगपदेकाधारसंबन्धान्नातिप्रसङ्गः। द्वितीयलक्षणे वक्ष्यमाणसमुच्चयालङ्कारातिव्याप्तिवारणाय तदिति विवेकः।

एतदन्यान्यत्वमिति । एताभ्याम् = उक्तलक्षणार्थाभ्याम् अन्यद्यद् घट–पटादिकम् सर्वं वस्तु तदन्यत्वमित्यर्थः । तच्चोक्तलक्षणार्थयोरेवेति भावः । एतदन्यतरत्वमिति चानर्थान्तरमिति बोध्यम् । ननु योगार्थमात्रमिति । पर्यायपदस्य योगार्थमात्रं न पर्यायालंकारस्य सामान्यलक्षणमिति भावः । कुतो न योगार्थमात्रं सामान्यलक्षणमिति चेत्तत्राह—अतीति । अतिव्याप्त्यापत्तेरित्यर्थः । कुतोऽतिप्रसक्तिरित्यत्राह—'परा–'इत्यादि । अनुपात्ययमात्रस्येति । क्रमप्राप्तस्यानतिपातोऽनुपात्ययस्तन्मात्रस्येत्यर्थः । घञुपाधित्वेनेति । घञ्निमित्तत्वेनेत्यर्थः । अयं भावः—अनुपात्यये द्योत्ये पर्युपसर्गपूर्वादिण्धातो र्घञ्प्रत्यये पर्यायशब्दो निष्पद्यते । तथा च क्रमप्राप्तस्यानतिक्रमणमात्रम् पर्यायपदयोगार्थः । एवञ्च योगार्थमात्रस्य लक्षणत्वे तत्राधेयाधिकरणयोरप्रवेशेन यस्मिन् कस्मिंश्चित्क्रमप्राप्तानतिक्रमणे वर्ण्यमाने पर्यायालंकारप्रसक्तिरिति तावन्मात्रमतिव्याप्तत्वान्न लक्षणं कर्तुम् योग्यमिति ।

नाप्यन्यदिति । एतदन्यान्यत्वमिति यत्सामान्यलक्षणं कृतं ततोऽन्यत्किमपि सामान्यलक्षणं न भवितुमर्हतीति भावः । कुत इति चेत्तत्राह—अन्यतरत्वाघटितस्येति । अन्यतरत्वेन अघटितम् अयुक्तमिति यावत् न किमपि सामान्यलक्षणं निर्वक्तुं शक्यमिति भावः । अस्याः पङ्क्तेः व्याख्यासरलाकारकृता तत्त्वानवबोधमूलेति तद्दर्शनोत्तरं सुधीभिः स्वयमवगन्तुम् शक्यम् । लक्षणघटकपदकृत्यमाह—तत्राद्यलक्षण इति । क्रमेणानेकाधिकरणकमेकमाधेयमिति लक्षणे इत्यर्थः । द्वितीयभेद इति । तत्र युगपदनेकाधिकरणेष्वेकमाधेयं वर्णितं भवतीति बोध्यम् । द्वितीयलक्षण इति । क्रमेणानेकाधेयकमेकमधिकरणम् इत्यस्मिन्लक्षण इत्यर्थः । समुच्चये युगपदेकस्मिन्नधिकरणेऽनेकाधेयस्य वर्णनमिति पर्यायद्वितीयलक्षणगतेन 'क्रमेण' इत्यनेन तद्व्यावृत्तिरिति भावः ।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—एतत् इत्यादि ।

'उक्त दोनों लक्षणों से भिन्न से भिन्न' यह है पर्याय का सामान्यलक्षण—अर्थात् इन दोनों में से कोई एक होना पर्याय का सामान्य लक्षण है ।

पर्याय पद का योगार्थ मात्र पर्याय का लक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि पर्याय पद का योगार्थ पर्यायालङ्कार के लक्ष्यों से अन्यत्र भी संघटित हो जाता है । देखिए—'परावनुपात्यय इणः' इस पाणिनिसूत्र में 'घञ्' का निमित्त केवल अनुपात्यय (क्रमप्राप्त का अनतिक्रमण) मात्र कहा गया है ।

अभिप्राय यह हुआ कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार अनुपात्ययद्योत्य होने पर परिउपसर्गपूर्वक 'इण्' धातु से घञ् प्रत्यय करके 'पर्याय' शब्द बनता है, तदनुसार इस शब्द का योगार्थ होता है क्रमप्राप्त का अनतिक्रमण । अब इतना ही यदि पर्यायालङ्कार का लक्षण माना जाय तब आधाराधेयभाव से भिन्न स्थल पर भी क्रमप्राप्त का अनतिक्रमण रहने पर यह लक्षण प्राप्त हो जायगा । दूसरा भी कोई लक्षण नहीं बन सकता है, क्योंकि अन्यतरत्व से अघटित—अर्थात् इन दोनों में से एक इस तरह कहने के सिवा अन्य किसी सामान्य लक्षण का निर्वचन किया ही नहीं जा सकता है ।

उक्त दोनों लक्षणों में से प्रथम लक्षण में 'क्रम से' ऐसा इसलिए कहा गया है कि पूर्वोक्त विशेषालङ्कार के द्वितीय भेद में अतिव्याप्ति न हो, वहाँ अनेक आधारों में एक आधेय का एक साथ संबन्ध होता है, अतः यहां 'क्रम से' ऐसा कहने पर अतिव्याप्ति

नहीं होती है। द्वितीय लक्षण में 'क्रम से' ऐसा कहने का फल है—आगे कहे जाने वाले समुच्चयालङ्कार में अतिव्याप्तिवारण, वहां एक आधार में एक साथ अनेक आधेय वर्णित होते हैं, अतः यहां 'क्रम से' ऐसा कहने पर इसकी प्राप्ति वहां नहीं होती है।

उदाहर्तुमाह—

उदाहरणम्—

उदाहरणं यथेति भावः।

उदाहरण, जैसे—

उदाहरणन्निर्दिशति—

'आयाता कमलासनस्य भवनाद् द्रष्टुं त्रिलोकीतलं
गीर्वाणेषु दिनानि कानि चिदथो नीत्वा पुनः कौतुकात्।
भ्रान्त्वा भूवलये महाकविकुलोपास्या तवास्याम्बुजे
राजन्संप्रति सत्यधामनि गिरां देवी सुखं वर्तते॥'

हे राजन्! गिरां देवी सरस्वती, कमलासनस्य ब्रह्मणः, भवनात् मन्दिरात् ब्रह्मलोकादिति यावत्, द्रष्टुम् अवलोकयितुम्, त्रिलोकीतलम् देव-भू-पाताललोकानिति यावत्, आयाता समागता। अथो अनन्तरम्, गीर्वाणेषु देवेषु, कानिचित् कियन्ति, दिनानि, नीत्वा यापयित्वा, पुनः, कौतुकात् उत्कण्ठातः महाकविकुलोपास्या महाकविसमूहसेव्या सती, भूवलये भूमण्डले भ्रान्त्वा भ्रमणं कृत्वा, संप्रति इदानीम्, सत्यधामनि सत्यनिवासस्थानभूते, तव भवतः, आस्याम्बुजे मुखकमले, सुखम् यथा स्यात् तथा, वर्तते तिष्ठतीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—आयाता इत्यादि।

वाग्देवी-सरस्वती ब्रह्मलोक से त्रिलोकीतल (देवलोक भूलोक आदि) को देखने के लिए आई। इसके बाद उसने कुछ दिन देवताओं में (देवलोक में) विताए, तदनन्तर कौतुक से महाकविकुलसेवनीया वह भूमण्डल में भ्रमण करती रही। हे राजन्! अब वह सत्य के निवासस्थानभूत तेरे मुखकमल में सुखपूर्वक रह रही है।

उपपादयति—

अत्र प्रथमचरणगतमधिकरणमार्थम्। विश्लेषावधिपञ्चम्यां विश्लेषस्योपश्लेषमन्तरेणासिद्ध्या औपश्लेषिकाधिकरणस्याक्षेपगम्यत्वात्। कमलासनस्य भवने स्थित्वा आयातेति ल्यब्लोपपञ्चम्यामपि ल्यबन्तक्रियाधिकरणे पंचम्या लाक्षणिकत्वादवाच्यतैव। 'ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च' इति वार्तिकस्य निरूढलक्षणासमर्पकतेति राद्धान्तात्। इतरचरणत्रयगतं तु शाब्दम्।

'आयाता—' इत्यत्र ब्रह्मलोकभूलोकाद्यनेकाधिकरणेषु सरस्वतीरूपैकाधेयस्य क्रमशः स्थितेर्वर्णनात् यः पर्यायो भवति, तत्राधिकरणेष्वेकस्यार्थत्वमपरेषाञ्च शाब्दत्वमिति स्फुटयितुमाह—अत्रेति। आर्थमिति। अर्थज्ञानोत्तरज्ञेयमिति भावः। विश्लेषावधिपञ्चम्यामिति। विश्लेषावधिबोधिकायां पञ्चम्यामित्यर्थः। स्वीकृतायामिति शेषः, एवमग्रेऽपि विश्लेषस्येति। विभागस्येत्यर्थः। उपश्लेषमिति। संयोगमित्यर्थः। आक्षेपगम्यत्वादिति। अयं भावः—'कमलासनस्य भवनादायाता' इत्यत्र भवनपदप्रकृतिका पञ्चमीविभक्तिः 'अपादाने पञ्चमी' इति सूत्रविहिता यदि स्वीक्रियते तदा तस्या विश्लेषावधिरर्थः, विश्लेषश्चोपश्लेषपूर्वक एव

संभवति । एवञ्च विश्लेषबोधकपञ्चम्या 'पूर्वं कमलासनस्य भवने आसीत्' इत्याकारकमौपश्लेषिकाधिकरणमाक्षिप्यते इति सिद्धमधिकरणस्यार्थत्वमिति । ननु नात्र 'अपादाने पञ्चमी' इति सूत्रविहिता पञ्चमी, अपि तु 'ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च' इति वार्तिकविहिता ल्यब्लोपपञ्चमी, तथा च 'कमलासनस्य भवने स्थित्वा' इत्येतावानर्थः 'कमलासनस्य भवनात्' इत्यस्य वाच्य एवेति कथमधिकरणस्यात्रार्थत्वमिति चेत्तथापि सुस्थमार्थत्वमित्याह—कमलासनस्य······ल्यब्लोपपञ्चम्यामपीत्यादिना । अयमाशयः—'ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च' इति वार्तिकम् न पञ्चम्यास्तदर्थेऽभिधाग्राहकम् , अपि तु निरूढलक्षणाग्राहकमेव, लाघवात् , तथा च 'भवनात्' इत्यस्य 'भवने स्थित्वा' इत्यर्थो लक्ष्यो न वाच्य इत्यधिकरणस्यार्थत्वं सुस्थमेव, प्राथमिकबोधोत्तरबोधविषयत्वस्यैवार्थपदार्थत्वात् , एतावांस्तु विशेषो यत्प्रथमकल्पेऽधिकरणस्याक्षेपः वृत्त्या न बोध इति यावत् , द्वितीयकल्पे तु तस्य लक्षणया बोध इति ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

अभिप्राय है कि 'आयाता—' इस पद्य में ब्रह्मलोक-भूलोक आदि अनेक अधिकरणों में सरस्वतीरूप एक आधेय की क्रमिक स्थिति का वर्णन होने से पर्यायालङ्कार है, जिसमें प्रथमचरणगत अधिकरण—अर्थात् ब्रह्मलोक आर्थ है—अर्थात् शाब्दतः प्रतीति न होने पर भी अर्थात् उसकी प्रतीति होती है । कारण, 'भवनात्' में जो पञ्चमी है उसको 'अपादाने पञ्चमी' इस सूत्र से विहित मानकर यदि उसका अर्थ 'विश्लेष का अवधि' किया जाय, तब उससे 'पहले भवन में थी' इस औपश्लेषिक अधिकरण का आक्षेप होगा, क्योंकि विश्लेष (वियोग = विभाग) उपश्लेष (संयोग) के विना नहीं हो सकता है । तात्पर्य यह कि कमलासन के भवन से जो सरस्वती का विभाग कहा गया है, उससे पहले वहाँ सरस्वती का संयोग था यह बात अनायास अवगत हो जाती है और जहां सरस्वती का संयोग रहेगा वह सरस्वतीरूप आधेय का अधिकरण ही होगा ।

यदि कहा जाय कि 'भवनात्' में जो पञ्चमी है वह 'अपादाने पञ्चमी' नहीं है, अपितु 'ल्यब्लोपपञ्चमी' है और तदनुसार यहाँ अर्थ होगा कि–'सरस्वती कमलासन के भवन में रह कर आई', अतः यहां पञ्चमी से औपश्लेपिक अधिकरण के आक्षेप की बात उचित नहीं है, प्रत्युत इस तरह से जधिकरण शाब्द ही हो जाता है, क्योंकि अब 'भवन में रह कर' इतना अर्थ ही हो गया 'भवनात्' का, तो इसके उत्तर में कहना है कि यदि आप यहाँ 'ल्यब्लोप पञ्चमी' मानते हैं तब भी अधिकरण आर्थ ही रहा, शाब्द नहीं, क्योंकि 'आर्थ' का अभिप्राय है प्रथमतः ज्ञात किसी अर्थ के द्वारा बाद में ज्ञात होने वाला अर्थ और 'शाब्द' का अभिप्राय है शब्द से प्रथमतः होने वाले बोध में भासित होने वाला अर्थ, फलतः वाच्यार्थ ही शाब्द कहलायगा और यहां ल्यब्लोप पञ्चमी मानने पर भी ल्यबन्त पद 'स्थित्वा' का अर्थ जो स्थिति क्रिया (ठहरना) है उसका अधिकरण वाच्य नहीं होता, अपितु लक्ष्य, क्योंकि 'ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च' यह वार्तिक निरूढ (अनादितात्पर्यमूलक) लक्षणा का ही समर्पक (ग्राहक) है ऐसा राद्धान्त (सिद्धान्त) आचार्यों ने माना है तदनुसार ल्यब्लोप पञ्चमी उक्त अधिकरण अर्थ में लाक्षणिक ही है ।

अन्य तीन चरणों में अर्थात् द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में जिन अधिकरणों का वर्णन है वे शाब्द हैं ।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम् ।

अथवा, जैसे—

उदाहरणमुल्लिखति—

'मकरालयस्य कुक्षौ स्थित्वा सदनेऽमृताशिनां च चिरम् ।
सम्प्रति निर्दोषे ते राजन्वदनाम्बुजे सुधा वसति ॥'

हे राजन् ! सुधा पीयूषम् मकरालयस्य समुद्रस्य, कुक्षौ उदरे, अमृताशिनां देवानां, सदने भवने, च, चिरं बहुकालं यावत् , स्थित्वा, संप्रति इदानीं, निर्दोषे दूषणरहिते, ते तव, वदनाम्बुजमुखकमले, वसति वासं विधत्त इत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—मकरालयस्य इत्यादि ।

हे राजन्, पहले मकरालय (समुद्र) की कुक्षि में और फिर अमृतभोजियों (देवताओं) के घर में चिरकाल तक रह कर सुधा सम्प्रति आप के निर्दोष मुख-कमल में वास करती है ।

पूर्वोदाहरणतो वैलक्षण्यं दर्शयति—

पूर्वमत्ररोहः इह त्वारोहः, पूर्वपूर्वत्यागेऽरुचिबीजोपादानं चेति विशेषः ।

'मकरालयस्य—' इति पद्यमपि क्रमेणानेकाधिकरणकैकाधेयरूपस्यैव पर्यायस्योदाहरणमिति बोध्यम् । पूर्वस्मादुदाहरणादत्र वैलक्षण्यञ्च द्विविधं विद्यते । तत्र प्रथमोदाहरणेऽवरोहः (उपरितो नीचैरागमनम् = ब्रह्मलोकाद् भूमण्डलपर्यन्तमागमनमिति यावत्) अस्मिन्द्वितीयोदाहरणे चारोहः (नीचैस्त उपरिगमनम् = सदोषात्स्थानान्निर्दोषस्थानप्राप्तिरिति यावत्) इत्येकं वैलक्षण्यमस्ति, प्रथमोदाहरणे-पूर्वपूर्वपरित्यागबीजोपादानं न इह तु तद् विद्यत इति चापरं वैलक्षण्यम् । किमिह पूर्व-पूर्वपरित्यागबीजमुपात्तमिति चेदेवं बोध्यम्—मकरालये मकरैः सह वास इति तत्परित्यागः, अमृताशिनां सदने स्वभक्षणभयमिति तस्यापि त्याग इति ।

पूर्वोदाहरण से इस द्वितीय उदाहरण में विलक्षणता बतलाई जाती है—पूर्वम् इत्यादि ।

'मकरालयस्य—' यह पद्य भी यद्यपि उसी पर्याय प्रभेद (क्रमशः अनेक अधिकरण में एक आधेय) का उदाहरण है जिसका प्रथम पद्य ('आयाता-') उदाहरण था, तथापि दोनों उदाहरणों में कई विलक्षणताएँ हैं, जैसे एक विलक्षणता यह है कि पूर्व उदाहरण में अवरोह का क्रम था—अर्थात् उत्कृष्ट अधिकरण से क्रमशः अपकृष्ट अधिकरण की ओर आधेय की प्रवृत्ति हुई थी, जैसे ब्रह्मलोक से देवलोक में और फिर देवलोक से भी भूलोक में सरस्वती का आगमन वर्णित हुआ था और द्वितीय उदाहरण में आरोह का क्रम रक्खा गया है—अर्थात् अपकृष्ट अधिकरण से उत्कृष्ट अधिकरण की और आधेय की प्रवृत्ति है, जैसे पहले मकरात्मक निम्नकोटि के प्राणियों से परिपूर्ण समुद्र में, फिर देवताओं के घर में, जहाँ प्रथम स्थान से नीच संसर्गराहित्य के कारण उत्कृष्टता है, पर अमृतभोजियों द्वारा-अपने विनाश की संभावना भी है, अतः वहाँ से भी आपके मुखकमल में, जहाँ कोई दोष नहीं हैं, सुधा निवास करने लगी ऐसा वर्णन है । दूसरी विलक्षणता यह है कि

प्रथम उदाहरण में पूर्व-पूर्व अधिकरण का आधेय द्वारा त्याग करने में बीज नहीं बतलाया गया है और यहाँ वह बतलाया गया है, जैसे प्रथम अधिकरण को मकरों का आलय कह कर द्वितीय अधिकरण को स्वभोजियों का घर कहकर त्यागने योग्य सिद्ध किया गया है।

द्वितीयं प्रभेदमुदाहर्तुमाह—

अपरः पर्यायो यथा—

क्रमेणानेकाधेयकैकाधिकरणरूपपर्यायस्योदाहरणं यथेति भावः।

दूसरे-अर्थात् क्रमशः एक अधिकरण में अनेक आधेय रूप, पर्याय का उदाहरण, जैसे—।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'विदूरादाश्चर्यस्तिमितमथ किंचित्परिचया-
दुदञ्चच्चाञ्चल्यं तदनु परितः स्फारितरुचि।
गुरूणां संघाते सपदि मयि याते समजनि
त्रपाघूर्णत्तारं नयनयुगमिन्दीवरदृशः॥'

एकः सुहृदपरं सुहृदम् स्वप्रेयसीवृत्तान्तं कथयति—इन्दीवरदृशः-कमलनयनायाः, नयनयुगम् लोचनयुगलम्, विदूराद् विदूरस्थं मां वीक्ष्येति भावः, आश्चर्यस्तिमितम् 'कोऽयं रमणीयकान्तिर्युवेतिधिया आश्चर्यमन्दम्, अथ अनन्तरम्, किंचित्परिचयात् ममेषत्परिचयं प्राप्येति भावः, उदञ्चच्चाञ्चल्यम् प्रादुर्भवच्चापल्यम्, तदनु तत्पश्चात्, परितः सर्वतोभावेन, स्फारितरुचि पूर्णपरिचयादमन्दानन्देन विकसितकान्ति, (अतः परम्) सपदि शीघ्रम्, गुरूणां गुरुजनानाम्, संघाते समूहे, मयि, याते समुपस्थिते सति, त्रपाघूर्णत्तारम् त्रपया लज्जया घूर्णन्ती उपर्यधोभवन्ती, तारा कनीनिका यस्य तादृशम्, समजनि अभूदित्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—विदूरादिति।

कमल के समान आँखों वाली नायिका (मेरी प्रेयसी) गुरुजनों के बीच बैठी थी, मैं बाहर कहीं से आ रहा था, दूर से मुझे आते देख कर पहले तो उसकी आँखें आश्चर्य-चकित हो गईं, फिर कुछ-कुछ मुझे पहचान लेने पर उसकी आँखों में चञ्चलता प्रादुर्भूत होने लगी, उसके बाद सर्वथा मुझे पहचान लेने पर उसकी आँखों की कान्ति चारों तरफ फैल उठी और जब मैं एकाएक गुरुजनों के बीच, जहाँ वह बैठी थी, उपस्थित हो गया, तब उसकी आँखों की पुतलियाँ लज्जा के मारे घूमने लगीं—ऊपर नीचे होने लगीं। यह पद्य किसी मित्र के द्वारा दूसरे मित्र के प्रति कहा गया है।

उपपादयति—

अत्र क्वचिदनपावृते स्थलविशेषे गुरूञ्शुश्रूषमाणायाश्चिरप्रोषितमसंभावितागमनं प्रियमकस्मादालोकितवत्याः कस्याश्चिन्नयनयुगरूप एकस्मिन्नधिकरणे विशेषणीभूतानां स्तिमितत्वादीनामाधेयानां युगपदसंभवात्कारणक्रमवशाच्च क्रमिकत्वम्।

अत्रेति। 'विदूरात्—' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः। अनपावृते स्थलविशेप इति एतच्च पद्योक्तस्य दूराद्दर्शनस्य संभवित्वसूचनार्थम्। 'चिरप्रोषितम्' 'असंभावितागमनम्' इति

विशेषणद्वयम् नायकदर्शने नायिकाया उत्कण्ठामिश्रितमाश्चर्यं संभ्रमयितुमिति बोध्यम्। युगपदसंभवादिति। स्तिमितत्वचाञ्चल्यादीनां मिथोविरुद्धत्वादिति भावः। कारणक्रमवशाच्चेति। अपरिचय-किञ्चित्परिचय-पूर्णपरिचयादीनाम् स्तिमितत्व-चाञ्चल्य-स्फारितरुचित्वादिकारणानां क्रमश एव सन्निधानात्कार्याणामपि तेषां क्रमिकत्वमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'विदूरात्–' इस पद्य में किसी खुले स्थान पर गुरुजनों की सेवा करती हुई और बहुत दिनों से विदेश गए हुए–जिसके आगमन की संभावना नहीं थी ऐसे–प्रिय को अकस्मात् देखने वाली नायिका के नयनयुगलरूप एक अधिकरण में विशेषरूप से आए हुए निश्चलता आदि आधेयों की एक साथ असंभव होने से तथा अपरिचय, अल्पपरिचय, पूर्णपरिचय आदि कारणों के क्रमवश क्रमिकता है। अभिप्राय यह कि यहाँ नायिका नयनरूप अधिकरण में स्तिमितता चञ्चलता आदि आधेयों की स्थिति क्रमशः हुई है, क्योंकि एक तो ये सब (स्तिमितता चञ्चलता आदि) परस्पर विरुद्ध होने के कारण एक साथ हो नहीं सकते हैं और दूसरे इनके कारण–अपरिचय, थोड़ा परिचय, पूर्ण परिचय आदि भी एक साथ नहीं, अपितु क्रमशः जुटते हैं, फलतः जिस क्रम से कारण जुटेंगे उसी क्रम से उनके कार्य भी होंगे।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्।

अथवा, जैसे—

उदाहरणन्निर्दिशति—

'प्रथमं श्रितकञ्जकोरकाभावथ शोभामनुभूय कन्दुकानाम्।
अधुना श्रयितुं कुचौ यतेते दयिते ते करिशावकुम्भलीलाम्॥'

अयि दयिते प्रिये, प्रथमम् आदौ, श्रितकञ्जकोरकाभौ प्राप्तकमलकलिकाशोभौ, ते तव, कुचौ स्तनौ, अथ कमलकोरकाभाधारणात्परम्, कन्दुकानाम्, शोभाम्, अनुभूय, अधुना, करिशावकुम्भलीलाम् गजकलभकुम्भस्थलशोभाम्, श्रयितुम्, लब्धुम्, यतेते चेष्टेते इत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—प्रथमम् इत्यादि।

हे प्रिये! पहले कमलमुकुल की आभा का धारण करने वाले तेरे स्तन बाद में कन्दुकों की शोभा का अनुभव करके अब हाथी के बच्चे के कुम्भस्थल की लीला के आश्रयण करने का प्रयास कर रहे हैं।

उपपादयति—

अत्रापि कुचत्वेनैकीकृते कुचरूपेऽधिकरणे परिमाणविशेषाणाम्।

अत्रापीति। 'प्रथमम्–' इत्युदाहरणेऽपीत्यर्थः। कुचत्वेनैकीकृत इति। तथा च परिमाणभेदेन द्रव्यभेद इति मतेऽपि नाधिकरणैक्यहानिरिति भावः। विशेषाणामिति। आधेयानाम् क्रमिकत्वमिति शेषः। तथा च पर्यायोदाहरणमेतदिति सारांशः।

उपपादन किया जाता है—अत्रापि इत्यादि।

'प्रथमम्–' इस पद्य में भी कुचरूप एक अधिकरण में लघु, गुरु और गुरुतर परिमाणरूप आधेयों का क्रमिकत्व है, अतः पर्याय है। यदि कोई कहे कि परिमाण भेद

से द्रव्य भेद होता है इस मत के अनुसार अवस्था भेद से कुच की भिन्नता हो जाने के कारण एक अधिकरण यहां नहीं होता तो इस का उत्तर यह है कि कुचत्व जाति के आधार पर कुच का एकीकरण कर लिया जाता है।

विशेषमाह—

यदि च कुचयोः पूर्व-पूर्वस्वरूपापेक्षया उत्तरोत्तरस्वरूपस्योत्कर्षः प्रतीयते तदा एकविषयः सारोऽप्यस्तु, विषयभेदाच्च न बाध्य-बाधकभावः।

विषयभेदादिति। अधिकरणे एकस्मिन् आधेयानां क्रमिकत्वमिह पर्यायस्य विषयः, द्रव्यस्य स्वरूपगतोत्तरोत्तरोत्कर्षश्च सारस्य विषय इति विषयभेदादिति भावः। न बाध्य-बाधकभाव इति। सारेण पर्यायस्य बाधो न, विषयभेदात्, विषयैक्य एव बाध्यबाधकभाव-स्वीकारात्। तथा चात्र पर्यायसारयोः संसृष्टिरिति भावः।

एक स्पष्टीकरण किया जाता है—यदि च इत्यादि।

यदि कहा जाय कि यहाँ कुचों के पूर्व-पूर्व स्वरूप की अपेक्षा उत्तरोत्तरस्वरूप का उत्कर्ष प्रतीत होता है, तो ठीक है, होने दीजिए तत्प्रयुक्त सारालङ्कार को भी अर्थात् पर्याय तथा सार की संसृष्टि मान लीजिए, इस में मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उस स्थिति में भी इस पद्य को पर्याय का उदाहरण कहा ही जायगा। यदि आप सार से पर्याय के बाध की बात सोचते हों तो वह उचित नहीं, क्योंकि विषय के एक होने पर बाध्य-बाधकभाव होता है और यहाँ विषय का भेद है—जैसे पर्याय का विषय है कुच-रूप अधिकरण में परिमाणों की क्रमिकता और सार का विषय है कुचगत स्वरूप का उत्तरोत्तर उत्कर्ष अतः यहाँ बाध्यबाधकभाव नहीं है।

कुवलयानन्दकारमतमुद्धृत्य निरस्यति—

यत्तु—

'बिम्बोष्ठ एव रागस्ते तन्वि पूर्वमदृश्यत।
अधुना मृगशावाक्षि हृदयेऽप्येष दृश्यते॥'

इति कुवलयानन्दकृता विकासपर्यायो निजगदे तच्चिन्त्यम्। एकसंबन्ध-नाशोत्तरमपरसंबन्धे सत्येव पर्यायपदस्य लोके प्रयोगात् 'श्रोणीबन्धस्त्यजति तनुतां सेवते मध्यभागः' इति काव्यप्रकाशोदाहृते, 'प्रागर्णवस्य हृदये—' इत्यादिसर्वस्वकारोदाहृते च तथैव दृष्टत्वाच्च अस्मिन्नलङ्कारलक्षणेऽपि क्रमपदेन तादृशविवक्षाया औचित्यात्। तस्मादत्रैकविषयः सारालङ्कार उचितः, यं रत्नाकरादयो वर्धमानकालङ्कारमामनन्ति स चायुष्मता नोट्टङ्कित एव।

'बिम्बोष्ठ एव—' इति। हे तन्वि कृशोदरि!, पूर्वम् प्राक् बाल्यकाल इति यावत्, ते तव, बिम्बोष्ठ एव बिम्बफलसदृशे ओष्ठे एव, रागः रक्तिमा, अदृश्यत दृष्टः, किन्तु, अधुना इदानीम् यौवनावस्थायामिति यावत्, हे मृगशावाक्षि बालमृगनयने!, ते हृदयेऽपि, एषः रागः अनुराग इति यावत्, दृश्यते अवलोक्यत इत्यर्थः। तच्चिन्त्य-मिति। 'बिम्बोष्ठ—' इत्यत्र पर्यायालङ्कारइत्युक्तिरयुक्तेति भावः। चिन्त्यत्वे हेतुमाह—एक-संबन्ध इत्यादिना। 'श्रोणीबन्ध—' इति। 'पद्भ्यां मुक्तास्तरलगतयः संश्रिता लोचना-भ्याम्। धत्ते वक्षः कुचसचिवतामद्वितीयं तु वक्त्रम्, त्वद्गात्राणां गुणविनिमयः कल्पितो

यौवनेन ॥' इत्यवशिष्टपादत्रयम् । 'प्रागर्णवस्य—' इति 'नन्वाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट !, केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा । प्रागर्णवस्य हृदये वृषलक्ष्मणोऽथ, कण्ठेऽधुना वससि वाचि पुनः खलानाम् ॥' इति पूर्णः श्लोकः । तथैव दृष्टत्वादिति । एकसंबन्धनाशोत्तरमपरसंबन्ध एव पर्यायविषयतादर्शनादिति भावः । तादृशेति । पूर्वसम्बन्धनाशपूर्वकोत्तरसंबन्धेत्यर्थः । तस्मादिति ' रागस्य हृदयेन संबन्धे जातेऽपि बिम्बोष्ठेन सह तदीयसंबन्धस्य नाशाभावेन पर्यायलक्षणाप्रसक्तेरित्यर्थः । अत्रेति । 'बिम्बोष्ठ—' इत्यत्रेत्यर्थः । सारालङ्कार इति । वर्णनीयनायिकाया उत्तरोत्तरोत्कर्षप्रतीतेरिति भावः । यमिति । अन्यैः सारनाम्ना व्यपदिष्टमुत्तरोत्तरोत्कर्षमिति भावः । रत्नाकरादय इति । अलङ्काररत्नाकरादय इत्यर्थः । स चेति । वर्धमानकालङ्कार इत्यर्थः ।

कुवलयानन्दकार के मत का खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि ।

'बिम्बोष्ठ–अर्थात् हे कृशाङ्गि ! पहले तेरे बिम्बोष्ठ में ही राग (रंग) दिखाई देता था, किन्तु अब हे बालमृगनयने ! यह (राग-स्नेह) हृदय में भी दीख पड़ता है' इस पद्य को जो कुवलयानन्दकार ने विकास पर्याय का उदाहरण कहा है, वह चिन्तनीय है । क्योंकि एक के साथ संबन्ध-नाश होने के बाद दूसरे का संबन्ध होने पर ही लोक में पर्याय पद का प्रयोग होता है और 'श्रोणीबन्धः—(सम्पूर्ण पद्य संस्कृत व्याख्या में द्रष्टव्य) अर्थात् कटिभाग कृशता का परित्याग कर रहा है और मध्यभाग उस का सेवन कर रहा है, चरणों ने चपल गतियों का त्याग कर दिया है और नेत्रों ने उनका आश्रयण कर लिया है, वक्षःस्थल कुचों की सहायता ले रहा है और मुख अद्वितीय (अनुपम सहायकरहित) हो रहा है । युवावस्था ने उस नायिका के अङ्गों के गुणों का विनिमय (परस्परपरिवर्तन) कर दिया है ।' इस काव्यप्रकाशोदाहृत पर्याय में तथा 'नन्वाश्रयस्थितिरियम्—(संपूर्ण पद्य संस्कृत व्याख्या में द्रष्टव्य) अर्थात् हे कालकूट (विष) ! तुम्हें उत्तरोत्तर विशिष्ट पद वाली आश्रयों की इस स्थिति का उपदेश किसने दिया है ? पहले तुम समुद्र के हृदय में थे, फिर शिवजी के कण्ठ में आगए और अब दुष्टों की वाणी में रहना आरम्भ कर दिए हो' इस अलङ्कारसर्वस्वकारोदाहृत पर्याय में भी वैसा ही देखा भी गया है-अर्थात् इन उदाहरणों में एक के संबन्ध के नाश होने के अनन्तर ही दूसरे के संबन्ध वर्णित हुए हैं, अतः इस अलङ्कार के लक्षण में भी 'क्रम' पद से तादृश अर्थबोध को अभीष्ट मानना उचित है । इस कारण यहाँ ('बिम्बोष्ठ एव–' इस पद्य में) एक विषयक सारालङ्कार ही उचित है, जिसे कि अलङ्काररत्नाकर आदि 'वर्धमानक' अलङ्कार कहते हैं और आपने उसका (वर्धमानक का) उल्लेख नहीं किया है ।

अन्यमतसिद्धं शुद्धक्रमालङ्कारमतिरिक्तं सूचयति—

इदं तु बोध्यम्—

> 'प्रथमं चुम्बितचरणा जङ्घाजानूरुनाभिहृदयानि ।
> आश्लिष्य भावना मे खेलतु विष्णोर्मुखाब्जशोभायाम् ॥'

अत्र न तावत्पर्यायः, उत्तरोत्तरसंबन्धस्य पूर्वपूर्वत्यागपूर्वकत्वाविवक्षणात् । यतोऽत्र मुखविषयकभावनायाः सर्वाङ्गविषयकत्वं वक्तुरभिप्रेतम्, न तु मुखमात्रविषयकत्वम् । अत एव खेलत्वित्युक्तम्, न तु मज्जत्विति । तथा—

'पूर्वं नयनयोर्लग्ना ततो मग्ना मनस्यभूत् ।
अथ सैव प्रियस्यासीत्सर्ववेदनगोचरा ॥'

इत्यत्रापि । नापि सारः, उत्तरोत्तरस्योत्कर्षापकर्षयोरभावात् । तस्मादेवमादौ शुद्धक्रमालङ्कारोऽतिरिक्त इत्यप्याहुः ।

'प्रथमम्—' इति । प्रथमं प्राक्, चुम्बितौ स्पृष्टौ विषयीकृताविति यावत्, (विष्णोः) चरणौ यया तादृशी, मे मम, भावना ध्यानमिति यावत्, तस्य, जङ्घा च जानू च ऊरू च नाभिश्च हृदयञ्चेति द्वन्द्वस्तानि, आश्लिष्य आलिङ्ग्य विषयीकृत्येति यावत्, विष्णोः, मुखाब्जशोभायाम् मुखकमलसौन्दर्ये, खेलतु क्रीडतु मुखकमलशोभां विषयीकरोत्वित्यर्थः । अत्रेति । 'प्रथमम्–' इति पद्य इत्यर्थः । पर्याय इति । पर्यायालङ्कार इत्यर्थः । कथमसौ नेत्यत्राह—उत्तरोत्तरेति । प्रथमं चुम्बितचरणा भावना चरणावपहाय जङ्घादिकम्, जङ्घादिकञ्च विहाय मुखाब्जशोभां विषयीकरोतु इत्येवं रूपं वक्तुस्तात्पर्यम् नास्तीति भावः । तथा तात्पर्यन्नास्तीति कथमवगम्यते इति चेत्तत्राह—यतोऽत्रेति । 'भावना-मुखाब्जशोभायां खेलतु' इत्येवं कथनेन 'विष्णोः सर्वाण्यङ्गानि मे भावना विषयीकरोतु' इत्येवमर्थो विवक्षित इति भावः, अत एवेति । वक्तुस्तथाभिप्रेतत्वादेवेत्यर्थः । न त्विति । यदि भावनाया एकनिष्ठताऽभिप्रेताऽभविष्यत्तदौचित्यात् 'निमज्जतु' इत्युक्तिरभविष्यत्, तथा नोक्त्वा 'खेलतु' इत्युक्त्या भावनायाः क्रीडावत् अनियतविषयत्वं प्रतीयत इति भावः । 'पूर्वम्–' इति । या सुन्दरी, पूर्वम्, नयनयोः लग्ना गोचरीभूता, ततः नयनगोचरतानन्तरम्, मनसि मग्ना अभूत् मनोगोचरा समजायत, अथ अनन्तरम्, सैव सुन्दरी, प्रियस्य नायकस्य, सर्ववेदनगोचरा सकलज्ञानविषयीभूता, आसीत् अभूदित्यर्थः । इत्यत्रापीति । न पर्यायः उक्तयुक्तेरिति भावः । नापि सार इति । अनयोः श्लोकयोः सारालङ्कारोऽपि न भवितुमर्हतीति भावः । कुत इति चेत्तत्राह—उत्तरोत्तरस्येति । उत्तरोत्तरस्य नात्रोत्कर्षो नाप्यपकर्ष इति भावः । तस्मादिति । पर्यायसारयोरप्रसङ्गादित्यर्थः । अतिरिक्त इति । पर्यायसारापेक्षया भिन्न एकः क्रमालङ्कारः स्वीकर्तव्यः, तस्यैव चेदं पद्ययुगलम् अन्यच्चै तादृशं काव्यमुदाहरणमिति भावः ।

शुद्ध 'क्रम' नामक एक अलङ्कार भी पर्याय से भिन्न किसी-किसी के मत स होता है इसी बात का उल्लेख अब प्रसङ्गवश किया जाता है—इदं तु बोध्यम् इत्यादि ।

यहाँ यह समझना चाहिए कि—'प्रथमं चुम्बित—अर्थात् पहले जिसने विष्णु के चरणों का चुम्बन किया है ऐसी मेरी भावना, उनके जङ्घा, जानु, ऊरु, नाभि और हृदय का आलिङ्गन कर के मुखकमल की शोभा में खेले।' इस पद्य में पर्याय अलङ्कार नहीं है, कारण पर्याय में उत्तरोत्तर के साथ संबन्ध होने से पहले पूर्व पूर्व का त्याग रहना आवश्यक है और यहाँ वह है नहीं, क्योंकि यहाँ वक्ता को अपनी विष्णुमुख-विषयक भावना विष्णु के सभी अङ्गों को विषय बनाने वाली के रूप में अभिप्रेत है, न कि केवल मुख को विषय बनाने वाली के रूप में। अभिप्राय यह कि वक्ता मुख के ध्यान के समय भी पूर्वोक्त अङ्गों के ध्यान को छोड़ना नहीं चाहता, अतएव 'मग्न हो जाय' ऐसा न कह कर 'खेले' ऐसा वक्ता ने कहा है। तात्पर्य यह कि 'मेरी भावना अन्त में चरण आदि अन्य सभी अङ्गों को छोड़ कर केवल विष्णुमुखनिष्ठ हो जाय'

ऐसा यदि वक्ता का अभिप्राय होता तब 'मेरी भावना विष्णु की मुख-शोभा में मग्न हो जाय' ऐसा ही कथन उचित होता, न कि 'मुख शोभा में खेले' ऐसा कथन। खेलने की बात से ऐसा प्रतीत होता है कि भावना सभी अङ्गों पर दौड़े, कहीं एक जगह रुके नहीं। इसी तरह 'पूर्वम्—अर्थात् जो पहले नयनों में लगी—चाक्षुषज्ञान का विषय बनी, फिर मन में मग्न हुई—मानस ज्ञान का विषय बन गई, अब वही सुन्दरी प्रिय के सभी ज्ञानों का विषय बन गई।' इस पद्य में भी पर्यायालङ्कार नहीं है, क्योंकि यहाँ भी उत्तरोत्तर संबन्ध में पूर्व-पूर्व परित्याग-पूर्वकता विवक्षित नहीं है, और सारालङ्कार भी इन पद्यों में नहीं है, क्योंकि उत्तरोत्तर का उत्कर्ष अथवा अपकर्ष यहाँ नहीं है और सार के लिए उसका होना आवश्यक है, अतः ऐसे स्थलों में शुद्ध क्रमालङ्कार अतिरिक्त है, यह भी कहा जाता है।

पर्यायालङ्कारमुपसंहरन् तद्विषये ज्ञातव्यं किञ्चिदाह—

इहान्यदप्यवधेयम्—यत्राधाराधेयतत्संबन्धक्रमेषु क्वचिदपि कविकल्पनापेक्षा तत्रैवायमलङ्कारः। यत्र तु सर्वांशे लोकसिद्धत्वं न तत्र कश्चिदलङ्कारः। अत एव 'श्रोणीबन्धस्त्यजति तनुतां सेवते मध्यभागः, पद्भ्यां मुक्तास्तरलगतयः संश्रिता लोचनाभ्याम्' इति काव्यप्रकाशकृता, 'प्रागर्णवस्य हृदये वृषलक्ष्मणोऽथ कण्ठेऽधुना वससि वाचि पुनः खलानाम्' इति सर्वस्वकृता च निदर्शितम्। अत्रोभयत्राप्याधारभेदाद्भिन्न आधेयः कविना एकताध्यवसानेनैकीकृतः। अस्मद्दत्तोदाहरणेषु तु क्रमोऽपि कल्पितः। न हि ब्रह्मलोकस्थया देवतया, पयोधिस्थया सुधया च, वाचो वाङ्माधुर्यस्य चाभेदो लोकसिद्धस्तादृशः क्रमो वा। एवं स्थिते 'अधुना पुलिनं तत्र यत्र स्रोतः पुराभवत्' इति कुवलयानन्दगतमुदाहरणं 'यत्र पूर्वं घटस्तत्राधुना पटः' इति वाक्यवल्लौकिकोक्तिमात्रमित्यनुदाहार्यमेव।

'आधाराधेय—' इति। आधारश्च आधेयश्च तयोः संबन्धश्च क्रमश्चेति द्वन्द्वः तेष्वित्यर्थः। अत एवेति। आधाराधेयादावेकस्यानेकस्य वा कविकल्पितत्व एव पर्यायालङ्कारस्वीकारादेवेत्यर्थः। निदर्शितमिति। उदाहृतमित्यर्थः। अनयोः पद्ययोः कविकल्पितत्वम् स्फुटयति—अत्रोभयत्रापीति। श्रोणीबन्धगता मध्यभागगता च तनुता यद्यपि मिथो भिन्ना तथापि कविना तयोरेकत्वमध्यवसितमित्यत्राधेयांशे कविकल्पनापेक्षा विद्यते। एवमन्यांशेऽपि बोध्यम्। अस्मद्दत्तोदाहरणेष्विति। 'आयाता कमलासनस्य—' इत्यादावित्यर्थः। क्रमोऽपीति। अपिनाऽऽधेयपरिग्रहः। तदेव स्फुटयति—नहीत्यादिना। ब्रह्मलोकस्थया देवतया वर्णनीयनृपवाचोऽभेदो न लोकसिद्धो न वा वाग्देवताऽभिन्नाया वाचः ब्रह्मलोकदेवलोकभूलोकपरिभ्रमणक्रमो लोकसिद्धः, एवम् पयोधिस्थया सुधया वाङ्माधुर्यस्याभेदो न लोकसिद्धो न वा सुधाया मकरालयकुल्यादिवासक्रमो लोकसिद्ध इति तादृशाभेदस्य तादृशक्रमस्य च कविकल्पितत्वमिति भावः। एवं स्थिते इति। कविकल्पनां विनाऽलङ्कारत्वं न भवतीति सिद्धान्ते दृढीकृते इत्यर्थः।

अब उपसंहार में पर्यायालङ्कार के विषय में कुछ ज्ञातव्य बातों की सूचना दी जाती है—इहान्यदपि इत्यादि।

यहां एक बात यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि—जहां आधार, आधेय उनके

संबन्ध और क्रम इन में से कहीं भी कवि कल्पना की अपेक्षा हो वहीं यह अलङ्कार (पर्याय) होता है और जहां सर्वांश में लोकसिद्धता हो वहां कोई अलङ्कार नहीं होता। अतएव काव्यप्रकाशकार ने 'श्रोणीबन्धः–' और अलङ्कारसर्वस्वकार ने 'प्रागर्णवस्य–' ये पूर्वोक्त उदाहरण दिए हैं। इन दोनों ही उदाहरणों में आधार के भेद से भिन्न आधेयों की एकता के अध्यवसान से कवि द्वारा एक कर दिया गया है। पण्डितराज के द्वारा दिए गए उदाहरणों में तो क्रम भी कल्पित है, क्योंकि 'आयाता कमलासनस्य–' इस पद्य में ब्रह्मलोकवासिनी वाग्देवी के साथ वर्णनीय राजा की वाणी का अभेद और 'मकरालयस्य कुक्षौ–' इस पद्य में समुद्रस्थ सुधा के साथ वर्णनीय राजा की वाङ्माधुरी का अभेद जो वर्णित है वह लोकसिद्ध नहीं है अपितु कल्पित, इसी तरह इन दोनों पद्यों में वाग्देवी के भ्रमण और सुधा के निवास का जो क्रम कहा गया है वह भी लोकसिद्ध न होकर कविकल्पित ही है। ऐसी स्थिति में 'अधुना पुलिनम् यत्र-अर्थात् जहां पहले प्रवाह था वहां अब पुलिन है' यह कुवलयानन्दगत उदाहरण 'यत्र पूर्वं घटस्तत्राधुना पटः–अर्थात् जहां पहले घट था वहां अभी पट है' इस वाक्य के समान लौकिकोक्तिमात्र है, अतः उदाहरण देने योग्य नहीं है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे पर्यायप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे पर्यायालङ्कारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत पर्यायालंकार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां पर्यायप्रकरणम्।

अलङ्कारान्तरनिरूपणप्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथ परिवृत्तिः—

परिवृत्त्यलंकारो निरूपणीयतया प्रारब्धो बोध्य इति भावः।

अब परिवृत्ति अलंकार का निरूपण आरब्ध होता है :—

तावत्तल्लक्षणमाह—

परकीययत्किंचिद्वस्त्वादानविशिष्टं परस्मै स्वकीययत्किंचिद्वस्तुसमर्पणं परिवृत्तिः॥

परकीयम् अन्यदीयम्, यत्, किंचिद् वस्तु, तस्य आदानं ग्रहणम्, तद्विशिष्टम् तद्युक्तम्, परस्मै यत्किंचिद्वस्तुप्रदानं परिवृत्त्यलंकार इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—परकीय इत्यादि।

दूसरे की किसी वस्तु को लेकर उस के बदले में अपनी किसी वस्तु का उसके लिए समर्पण परिवृत्ति कहलाता है।

सारांशमाह—

क्रम इति यावत्।

स्पष्टम्।

परिवृत्ति का लक्षण एक शब्द में 'क्रय' (खरीदना) कहा जा सकता है।

परिवृत्त्यलङ्कारप्रभेदं विधत्ते—

सा च तावद् द्विविधा—समपरिवृत्तिर्विषमपरिवृत्तिश्चेति। समपरिवृत्तिरपि

द्विविधा—उत्तमैरुत्तमानां न्यूनैर्न्यूनानां चेति । विषमपरिवृत्तिरपि तथा—उत्तमैर्न्यूनानां न्यूनैरुत्तमानां चेति ।

निगदव्याख्यातमेव ।

परिवृत्ति के भेद किए जाते हैं—सा च इत्यादि ।

परिवृत्ति प्रथमतः दो प्रकार की है—सम परिवृत्ति और विषम परिवृत्ति । सम परिवृत्ति के भी दो प्रकार हैं-उत्तम वस्तुओं से उत्तम वस्तु की परिवृत्ति और न्यून वस्तुओं से न्यून वस्तु की परिवृत्ति । इसी तरह विषम परिवृत्ति के भी दो प्रकार हो सकते हैं-उत्तम वस्तुओं से न्यून की परिवृत्ति और न्यूनों से उत्तमों की । फलतः परिवृत्ति चार प्रकार की सिद्ध होती है ।

उदाहर्तुमाह—

क्रमेणोदाहरणानि—

उक्तानां परिवृत्तिप्रकाराणामुदाहरणानि क्रमशो दीयन्त इति भावः,

क्रमशः उदाहरण दिखलाए जाते हैं—

तत्र प्रथमं समपरिवृत्तेः प्रथमप्रकारस्योदाहरणमुपन्यस्यति—

'अङ्गानि दत्त्वा हेमाङ्गि प्राणान् क्रीणासि चेन्नृणाम् ।
युक्तमेतन्न तु पुनर्लोचनाम्बुरुहद्वयम् ॥'

हे हेमाङ्गि सुवर्णगात्रि, त्वम्, अङ्गानि स्वसुवर्णगात्राणि, दत्त्वा, नृणाम् लोकानाम्, प्राणान्, क्रीणासि, चेत्, एतद्युक्तम् समुचितम्, तुल्यमूल्यत्वादिति भावः, लोचनाम्बुरुहम् नयनकमलयुगलम्, दत्त्वा, नृणाम्, प्राणान्, यत्, क्रीणासि, एतत्, पुनर्न युक्तम् क्रेतव्य-क्रयसाधनयोर्द्रव्ययोः समसंख्यकत्वविरहादतुल्यमूल्यत्वाच्चेति भावः ।

प्रथमतः समपरिवृत्ति के दो भेदों में से प्रथम भेद का उदाहरण दिया जाता है—अङ्गानि इत्यादि ।

हे सुवर्णाङ्गि ! यदि तुम अपने अङ्गों (सुवर्णरूप अङ्गों) को देकर मनुष्यों के प्राण खरीद लेती हो तो यह उचित है, क्योंकि प्राण के मूल्य से तेरे सुवर्णमयअङ्गों का मूल्य समान है, पर अपने दो नेत्रकमलों को देकर जो तुम मनुष्यों के प्राण खरीद लेती हो यह उचित नहीं, क्योंकि कहाँ दो फूल और कहाँ प्राण—इन दोनों के मूल्यों में कोई समता नहीं है ।

उपपादयति—

अत्र पूर्वार्ध एव समपरिवृत्तिः, उत्तरार्धे तु विषमैव ।

'अङ्गानि—' इति पद्ये परिवृत्तिद्वयम्, तत्र पूर्वार्धे समपरिवृत्तिस्तत्रापि उत्तमैरुत्तमस्य क्रयरूपा, सुवर्णाङ्गप्राणरूपद्रव्ययोः समत्वादुत्तमत्वाच्च । अस्मिन्नंश एवोदाहरणत्वम् । उत्तरार्धे विषमपरिवृत्तिरपि वर्तते इत्यन्यदेतदिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

यहाँ 'अङ्गानि—' यह पद्य पूर्वार्ध को लेकर ही उदाहृत है, क्योंकि यहाँ पूर्वार्ध में ही समपरिवृत्ति है—अर्थात् अङ्गों तथा प्राण के मूल्य समान हैं । साथ ही यह भी समझना चाहिए कि समपरिवृत्ति में भी यह उत्तम से उत्तम की परिवृत्ति है, क्योंकि अङ्ग तथा प्राण दोनों ही उत्तम पदार्थ हैं । फलतः यह समपरिवृत्ति के प्रथम प्रकार का

उदाहरण है। इस पद्य के उत्तरार्ध में तो विषम परिवृत्ति ही है, क्योंकि दो कमलपुष्पों और प्राणों के मूल्य समान नहीं हैं।

द्वितीयप्रकारोदाहरणमुपन्यस्यति—

'अस्थिमालामयीं दत्त्वा मुण्डमालामयीं तनुम्।
गृह्णतां त्वत्पुरस्थानां को लाभः स्मरशासन ॥'

हे स्मरशासन स्मरारे शिव!, अस्थिमालामयीम् अस्थिसमूहसंकुलाम्, तनुम् स्वशरीरम्, दत्त्वा समर्प्य, मुण्डमालामयीम् मुण्डमालाम्, तनुम् त्वद्देहमिति यावत्, काश्यां मृतानां शिवरूपताप्राप्तेः शास्त्रेषु श्रवणादिति भावः, गृह्णताम् आददानानाम् त्वत्पुरस्थानाम् काशीपुरीवासिनाम्, को लाभः? न कोऽपीत्यर्थः, अल्पमूल्यकं वस्तु दत्त्वा बहुमूल्यक्रयवस्तुग्रहणे लाभो भवति, इह तु अस्थिमालामयशरीरमुण्डमालालयशरीरयोः सममूल्यतैवेति प्रथमेन द्वितीयस्य क्रयणे लाभो नास्तीति भावः।

अत्र न्यूनैर्न्यूनस्य क्रयरूपा समपरिवृत्तिरिति बोध्यम्।

द्वितीय प्रभेद का उदाहरण दिखलाया जाता है—अस्थिमाला इत्यादि।

हे कामारि! अस्थिमालामय शरीर देकर मुण्डमालामय शरीर का ग्रहण करने वाले तेरे नगर-काशी-निवासियों को क्या लाभ है? अभिप्राय है कि काशी में शरीरत्याग करने वाले शिवरूप हो जाते हैं ऐसा शास्त्रकारों का कथन है, अतः यह सिद्ध हुआ कि काशी में मरने वाले अपने अस्थिमय शरीर देकर शिव के मुण्डमालालंकृत शरीर को खरीद लेते हैं, पर इसमें उनको लाभ क्या होता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि लाभ तो तब समझा जा सकता था यदि अल्पमूल्य वस्तु के बदले बहुमूल्य वस्तु प्राप्त की जाती। यहाँ तो अस्थिमय शरीर और मुण्डमालामय शरीर समान ही हैं। इस तरह यहाँ न्यून से न्यून का क्रयरूप समपरिवृत्ति होती है।

तृतीयप्रकारोदाहरणमुल्लिखति—

'गरिमाणमर्पयित्वा लघिमानं कुचयुगात्कुरङ्गदृशाम्।
स्वीकुर्वते नमस्ते यूनां धैर्याय निर्विवेकाय ॥'

गरिमाणम् गुरुत्वम्, श्रेष्ठतामिति यावत्, अर्पयित्वा दत्त्वा, कुरङ्गदृशाम् मृगनयनानाम्, कुचयुगात् स्तनद्वयात्, लघिमानम् लघुत्वम्, नीचतामिति यावत्, स्वीकुर्वते गृह्णते निर्विवेकाय विवेकशून्याय, यूनाम् युवकानाम् ते तुभ्यम्, धैर्याय धीरत्वाय, नमः इत्यर्थः। येन धैर्येण युवानो युवतीस्तनयुगललघुलाभस्थाने स्वकीयं महत्त्वं समर्पयन्ति तत् विवेकविहीनं युवजनधैर्यम् नमस्करणीयम् = दूरादेव परिहरणीयमिति भावः। अत्र विषमपरिवृत्तेः उत्तमेन न्यूनक्रयरूपः प्रथमः प्रभेद इति बोध्यम्।

तृतीय प्रभेद का उदाहरण दिया जाता है—गरिमाणमित्यादि।

अपने गुरुत्व (महत्त्व) का अर्पण करके बदले में मृगाक्षियों के कुचयुगल से लघुता का ग्रहण करने वाले युवजनों के विवेकहीन धैर्य को नमस्कार है।

यहाँ उत्तम से न्यून क्रयरूप विषम परिवृत्ति है।

चतुर्थप्रकारोदाहरणमुपदर्शयति—

'किमहं कथयामि योषितामधरं बिम्बफलं समर्प्य याः।
सुरसानि हरन्ति हन्त हा विदुषां पुण्यफलानि सत्वरम् ॥'

याः योषितः, अधरम् दन्तच्छदरूपम् अथ च अपकृष्टम् अथवा न धरा = पृथिवी यत्र तादृशम् बिम्बफलम् बिम्बनामकम् तुच्छम्, समर्प्य दत्त्वा, हन्त हा, खेदकरम्, सत्वरम् शीघ्रम्, विदुषाम् पण्डितानाम्, सुरसानि सुभगरसयुक्तानि, अथ च स्वर्गसुखदानि किं वा सुष्ठु रसाः पृथिवी यत्र तादृशानि, पुण्यफलानि पवित्राणि फलानि अथ च पुण्यस्य फलानि, हरन्ति गृह्णन्ति, तासां योषिताम् कर्मणः शेषत्वविवक्षायां षष्ठी, योषित इत्यर्थः, अहं, किं, कथयामि ? कथनं व्यर्थमिति भावः।

अत्र न्यूनेनोत्तमक्रयरूपा विषमपरिवृत्तिरिति बोध्यम्।

चतुर्थ प्रभेद का उदाहरण दिया जाता है—किमहम् इत्यादि।

स्त्रियों से मैं क्या कहूँ जो अधर (निकृष्ट+दन्तच्छदरूप) बिम्बाफल का समर्पण कर, बदले में, खेद है कि, विद्वानों के सुरस (रसीले+स्वर्गसुखद) पुण्य-फलों को (पवित्र फलों को+पुण्य के फलों को) तत्काल हर लेती हैं। यहाँ न्यून से उत्तम क्रय-रूप विषम परिवृत्ति है।

विशेषमाह—

एषु दानादानव्यवहारः कविकल्पित एव, न तु वास्तवः, यत्र वास्तवस्तत्र नालङ्कारः। यथा—'क्रीणन्ति प्रविकचलोचनाः समन्तान्मुक्ताभिर्बदरफलानि यत्र बालाः।'

एष्विति। प्रागुक्तेषूदाहरणेष्वित्यर्थः। दानादानेति, समर्पणग्रहणेत्यर्थः। 'क्रीणन्ति…' इति। यत्र स्थानविशेषे प्रविकचलोचनाः विकसितनयनाः, बालाः मुग्धाः कन्याः, समन्तात् सर्वतोभावेन, मुक्ताभिः मौक्तिकैः बहुमूल्यैरिति भावः, बदरफलानि, क्रीणन्ति विनिमिन्वन्तीत्यर्थः। अत्र नगरीवर्णने मौक्तिकसमर्पणपूर्वकबदरफलग्रहणस्य वास्तविकतया कविकल्पितत्वविरहेण न परिवृत्त्यलङ्कार इति भावः।

एक स्पष्टीकरण दिया जाता है—एषु इत्यादि।

पूर्वोक्त उदाहरणों में देन-लेन का व्यवहार कवि-कल्पित ही है, वास्तव नहीं। जहाँ वास्तव लेन-देन हो वहाँ यह अलङ्कार नहीं होता है। जैसे—"क्रीणन्ति-अर्थात् जहाँ विकसित आंखों वाली बालाएँ मोतियों से बेर खरीदती हैं।" यहां वास्तविक पुरसमृद्धि का वर्णन है, अतः परिवृत्ति अलङ्कार नहीं है।

अलंकारसर्वस्वोक्तं निरसितुं लक्षणार्थम् स्फुटयन्नाह—

इदं चापरं बोध्यम्—अत्र परस्मै स्वकीययत्किञ्चिद्वस्तुसमर्पणमित्येतावत्पर्यन्तं लक्षणे विवक्षितम्, न तु स्वकीययत्किञ्चिद्वस्तुत्यागमात्रम् 'किशोरभावं परिहाय रामा बभार कामानुगुणां प्रणालीम्' इत्यत्रातिव्याप्तापत्तेः न चेदं लक्ष्यमेवेति वाच्यम्, पूर्वावस्थात्यागपूर्वकमुत्तरावस्थाग्रहणस्य वास्तवत्वेनानलङ्कारत्वात्। एवं स्थिते 'विनिमयोऽत्र किञ्चित्त्यक्त्वा कस्य चिदादानम्' इत्यलङ्कारसर्वस्वकृता यल्लक्षणं परिवृत्ते कृतम्, यच्च 'किमित्यपास्याभरणानि यौवने धृतं त्वया वार्धकशोभि वल्कलम्' इत्युदाहृतम्, तदुभयमप्यसदेव।

'किशोरभावम्—' इति। रामा रमणी, किशोरभावम् बाल्यम्, परिहाय त्यक्त्वा, बभार कामानुगुणाम् कामभावानुकूलाम्, प्रणालीम् मार्गम् यौवनोद्गममिति यावत्, बभार

धृतवतीत्यर्थः । अतिव्याप्त्यापत्तेरिति । स्वकीययत्किञ्चिद्वस्तुत्यागपूर्वकयत्किञ्चिद्वस्तु-ग्रहणमात्रस्य लक्षणार्थत्वे तस्योक्तवाक्येऽतिप्रसङ्ग इति भावः ।

शंकते—न चेति । इदमिति । 'किशोरभावम्—' इति वाक्यमित्यर्थः । अनलंकार-त्वादिति । पूर्वावस्थात्यागपूर्वकोत्तरावस्थाग्रहणं वस्तुतो नालंकार इति तस्य लक्ष्यत्वकथन-मनुचितमिति भावः । एवं स्थितेति परोद्देश्यकस्वकीययत्किञ्चिद्वस्तुसमर्पणपर्यन्तस्य लक्षणा-र्थत्वे विवक्षित इत्यर्थः । 'किमित्यपास्य—' इति । कुमारसंभवे ब्रह्मचारिरूपधारिणो महादेवस्य, पार्वतीं प्रत्युक्तिः—त्वया, यौवने युवावस्थायाम्, आभरणानि भूषणानि, अपास्य त्यक्त्वा, वार्धकशोभि वृद्धावस्थायां शोभाधायकम्, वल्कलम् वृक्षत्वक्, किमिति कथम्, धृतम्? इत्यर्थः ।

असदिति । दानादान-व्यवहारस्याक्रोडीकारेण लक्षणम्, तस्याप्रतीतेश्चोदाहरण-मयुक्तमिति भावः,

अलंकारसर्वस्वकार का खण्डन करने के लिए कहा जाता है—इदञ्च इत्यादि ।

दूसरी बात यह समझनी चाहिए कि लक्षण में 'दूसरे के लिए अपनी किसी वस्तु का समर्पण' इतना तक कहना अभीष्ट है, न कि 'अपनी किसी वस्तु का त्यागमात्र'। अभिप्राय यह कि केवल अपनी वस्तु छोड़ देने से और दूसरी कोई वस्तु ले लेने से परिवृत्ति अलंकार नहीं होता, अपितु किसी को अपनी कोई वस्तु देकर उससे उसके बदले में कोई वस्तु लेने पर वह होता है। अन्यथा—'किशोरभावम्-अर्थात् सुन्दरी ने बाल्यभाव को छोड कर कामभाव के अनुकूल मार्ग (यौवनोद्गम) को प्राप्त किया' इस वाक्य में अतिव्याप्ति हो जायगी, यह वाक्य भी परिवृत्ति का लक्ष्य ही है ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 'पूर्वावस्था को छोड़ कर उत्तरावस्था का ग्रहण करना' वस्तुतः अलङ्कार नहीं है।

ऐसी स्थिति में अलङ्कारसर्वस्वकार ने जो 'विनिमयोऽत्र-अर्थात् विनिमय का अर्थ है 'कुछ छोड़ कर किसी का कुछ ले लेना' यह परिवृत्ति अलङ्कार का लक्षण बनाया और 'किमित्यपास्य-अर्थात् तुमने यौवन में आभूषणों को छोड़ कर बुढ़ापे में शोभा देने वाले वल्कल का धारण क्यों किया है' यह कुमारसंभव में महादेव जी द्वारा पार्वती के प्रति कथित पद्य जो उदाहरणरूप में उद्धृत किया ये दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं, क्योंकि यहां देन-लेन की बात नहीं है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे परिवृत्तिप्रकरणम् ।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे परिवृत्त्यलंकारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः ।

रसगङ्गाधरगत परिवृत्तिका प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां परिवृत्तिप्रकरणम् ॥

परिसंख्यानिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथ परिसंख्या—

परिसंख्यालङ्कारो निरूप्यत्वेनारब्धो बोध्य इति भावः ।

अब परिसंख्या अलङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

सामान्यतः प्राप्तस्यार्थस्य कस्माच्चिद्विशेषाद्व्यावृत्तिः परिसंख्या ॥

विशेषादिति । हेतौ पञ्चमी । विशेषाद्धेतोर्या व्यावृत्तिरिति विवक्षितोऽर्थः । सामान्यतः प्राप्तो योऽर्थस्तस्य निषेधो यदि कमपि विशेषं सूचयितुं क्रियते तदा तादृशः स निषेधः परिसंख्या कथ्यत इति भावः ।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—सामान्यत इत्यादि ।

किसी विशेष (विलक्षणता) को सूचित करने के लिए सामान्यतः प्राप्त वस्तु का निषेध परिसंख्या कहलाता है ।

परिसंख्यावन्नियमस्यापि प्राप्तमलङ्कारत्वं कुतो नोच्यत इत्यत आह—

नियमोऽप्यस्मिन्दर्शने निरुक्तलक्षणाक्रान्तत्वात्परिसंख्यैव । पाक्षिकप्राप्ति-र्युगपत्प्राप्तिरूपस्यावान्तरविशेषस्याविवक्षणात् ।

अस्मिन्दर्शन इति । अलंकारशास्त्र इति भावः । निरुक्तलक्षणेति । 'सामान्यतः प्राप्तस्य—' इति पूर्वोक्तलक्षणेत्यर्थः । ननु मीमांसादर्शने पाक्षिकप्राप्तौ नियमस्य युगपत्प्राप्तौ परिसंख्याया व्यवहार इति कथमिह तयोरैक्यमिति चेत्तत्राह—पाक्षिकप्राप्तीति । नियमपरिसंख्ययोः क्रमशः पाक्षिकप्राप्ति-युगपत्प्राप्तिरूपौ भेदावन्यत्र यद्यपि स्वीकृतौ, तथापि आलङ्कारिकैस्तौ भेदौ न स्वीक्रियेते, अपि तु उभयत्र वर्तमानमन्यनिषेधांशमादाय तयोरैक्यमेवाङ्गीक्रियत इति भावः ।

'परिसंख्या' के समान 'नियम' भी एक स्वतन्त्र अलङ्कार क्यों नहीं माना गया इस आशंका का समाधान किया जाता है—नियमोऽपि इत्यादि ।

यद्यपि मीमांसा दर्शन के अनुसार 'नियम' और 'परिसंख्या' दो विभिन्न तत्त्व हैं—अर्थात् मीमांसकों ने पाक्षिक प्राप्तिस्थल में नियम और युगपत्प्राप्तिस्थल में परिसंख्या मानी है, किन्तु यह अन्तर अवान्तर है, सामान्यतः प्राप्त वस्तु का निषेध दोनों (नियम तथा परिसंख्या) में उन्हें भी अभीष्ट हैं, अब आलङ्कारिकों ने उक्त अवान्तर भेद की विवक्षा न कर जो परिसंख्या की परिभाषा दी है तदनुसार इस अलङ्कारशास्त्र में नियम भी परिसंख्या ही है, अतः पृथक् नियम नामक एक अलङ्कार मानने की आवश्यकता नहीं होती है ।

न केवलमलङ्कारतन्त्रेऽपि तु व्याकरणेऽपि नियमपरिसंख्ययोर्न भेद इति दर्शयितुं प्रक्रमते—

अत एव वैयाकरणानां मते परिसंख्यापि नियमशब्देनोच्यते । तथाहि—'कृत्तद्धितसमासाश्च' इत्यत्र समासग्रहणं नियमार्थमिति हि तेषां सिद्धान्तः । तत्र हि समासे पाक्षिक्याः प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्राप्तेरभावात्कथं नाम षराभिमतो नियम उपपद्यते । युगपद्धि समाससमासेतरपदसंघातयोः 'अर्थवत्—' सूत्रं प्राप्तमिति परिसंख्या भवितुमर्हति ।

अत एवेति । अवान्तरविशेषस्याविवक्षणादेवेत्यर्थः । व्याकरणे परिसंख्याया नियमशब्देनोक्तेः स्थलं दर्शयति—तथाहीति । समासग्रहणं नियमार्थमिति । 'राजपुरुषः' इत्यादि समस्तपदस्यार्थवत्त्वात् धातु प्रत्यय–प्रत्ययान्ततदादिभिन्नत्वाच्च 'अर्थवत्—' इति सूत्रेणैव प्रातिपदिकसंज्ञासिद्धौ 'कृत्तद्धित—' इति सूत्रे समासग्रहणं क्रियमाणं 'यत्र संघाते

पूर्वो भागः पदम् तस्य चेद् भवति तर्हि समासस्यैव' इति नियमं विधाय 'रामो गच्छति' इत्यादिव्यस्तपदसमूहात्मकवाक्ये प्रातिपदिकत्वव्यावृत्त्या चारितार्थ्यमेतीति भावः। अत्र 'नियमः' इतिव्यवहारो मीमांसासिद्धान्तसम्मतो न भवितुमर्हतीति स्फुटयति—तत्र हि इत्यादि।

उपपद्यत इति। 'नियमः पाक्षिके सति' इति पराभिमतस्वरूपोपलब्धेरिति भावः। पराभिमता परिसंख्याऽत्र भवितुं शक्नोतीति सूचयति—युगपद्धीति। भवितुमर्हतीति। 'तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते।' इति परेषामुक्तेरिति भावः।

अयमत्र सारांशः—पाक्षिकप्राप्ति-युगपत्प्राप्ति-रूपावान्तरविशेषाविवक्षया यथा वैयाकरणाः पराभिमतां परिसंख्याम् नियमशब्देन व्यवहरन्ति तथैवालङ्कारिकास्तदविवक्षया नियममपि पराभिमतं परिसंख्यापदेन व्यवहरन्तीति।

वैयाकरण भी नियम और परिसंख्या में भेद नहीं मानते हैं—इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है—अत एव इत्यादि।

पाक्षिक प्राप्ति और साथ-साथ प्राप्ति इस अवान्तर भेद को न मानने के कारण ही वैयाकरणों के मत में परिसंख्या भी नियम शब्द से कही जाती है। देखिये—वैयाकरणों का सिद्धान्त है कि 'कृत्तद्धितसमासाश्च' इस सूत्र में 'समास' का ग्रहण नियम करने के लिये है—अर्थात् राजपुरुष इत्यादि समासस्थलों में 'राजपुरुष' इत्यादि समुदाय को धातु, प्रत्यय तथा प्रत्ययान्त तदादि से भिन्न अर्थवान् होने के कारण 'अर्थवत्–' सूत्र से ही प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने पर 'कृत्तद्धित—' सूत्र में 'समास' का ग्रहण 'जिस समूह में पूर्वभाग पद हो उसको यदि प्रातिपदिक संज्ञा हो तो समास को ही' ऐसा नियम करता है जिससे 'रामो ग्रामं गच्छति' इत्यादि वाक्य में अर्थवत् सूत्र से प्राप्त प्रातिपदिक संज्ञा वारित होती है ऐसा वैयाकरणों का सिद्धान्त है। यहाँ यदि पाक्षिक प्राप्ति और साथ-साथ प्राप्ति इस अवान्तर विशेष को मान कर नियम तथा परिसंख्या दो तत्त्व वैयाकरणों को अभिमत होते तब प्रातिपदिक संज्ञा के प्रसङ्ग पर नियम शब्द से व्यवहार नहीं करते, क्योंकि समास में पाक्षिक प्रातिपदिक संज्ञा की प्राप्ति नहीं है—अर्थात् ऐसी बात नहीं है कि एक बार समास को और एक बार वाक्य को संज्ञा प्राप्त है, अपि तु एक साथ समास तथा समास से अन्य पदसमूह (वाक्य) को 'अर्थवत्—' सूत्र से संज्ञा प्राप्त है, फलतः यहाँ परिसंख्या शब्द से व्यवहार करना उचित था। सारांश यह कि वैयाकरण भी नियम तथा परिसंख्या में भेद नहीं मानते, अतः वे परिसंख्या को भी नियम ही कहते हैं आलङ्कारिक भी उक्त भेद नहीं मानते और वे नियम को भी परिसंख्या में ही समाहित कर लेते हैं।

व्याकरणालंकारतन्त्रयोर्नियम-परिसंख्येतिभेदास्वीकारेऽपि मीमांसातन्त्रे स भेदोऽङ्गीकृत इति सूचयति—

पूर्वतन्त्रे तु नियमपरिसंख्ययोर्भेदेन परिभाषणम्। यदाहुः—

> 'विधिरत्यन्तमप्राप्ते, नियमः पाक्षिके सति।
> तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येति गीयते॥'

विधिः—'स्वर्गकामो यजेत' इत्यादिः। यागादेः प्रकारान्तरेणाप्राप्तेः। नियमः—'व्रीहीनवहन्ति, समे देशे यजेत' इत्यादिः। पुरोडाशनिर्माणफलोपधायकतावच्छेदककोटिप्रविष्टाया वितुषतायाः संपादकत्वेनावहननस्य प्राप्ते-

नखविदलनसमवधानकालावृत्तित्वेन, यागाधिकरणतया समदेशप्राप्तेर्विषम-देशसमवधानकालावृत्तित्वेन, च पाक्षिकत्वात्, परिसंख्या—'इमामगृभ्णन्रशनामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्ते', 'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः' इत्यादिः। रशना-ग्रहणलिङ्गेनाश्वाभिधानीगर्दभाभिधान्योरादानस्य युगपत्प्राप्तत्वात्।

पूर्वतन्त्र इति। पूर्वमीमांसायामित्यर्थः। यदाहुरिति। वार्तिककारा इति शेषः। 'विधिरत्यन्तम्—' इति। अत्यन्तम् सर्वथा, अप्राप्ते अप्रसक्ते, कार्ये, विधिः अपूर्वविधिः, कथ्यत इति शेषः, एवमग्रेऽपि शेषो बोध्यः। पाक्षिके वैकल्पिके, कार्ये प्राप्ते, सति, नियमः नियमविधिः, तत्र तस्मिन् अभीष्टकार्ये इति यावत्, अन्यत्र अन्यस्मिन् अनभीष्टकार्ये इति यावत्, प्राप्ते सति, परिसंख्या परिसंख्याविधिरित्यर्थः। उदाहरणप्रदर्शनप्रसङ्गे प्रथमं विधेरुदाहरणमाह—'स्वर्गकामः—' इति। उपपादयति—यागादेरिति। प्रकारान्तरेणेति। वचनातिरिक्तेन रागादिनेत्यर्थः। प्रकारान्तराप्राप्तयागादिबोधकम् 'स्वर्गकामो यजेत' इत्यादिकम् विधिवाक्यमिति भावः। नियमोदाहरणमाह—'व्रीहीनवहन्ति—' इति। उपपादयति—पुरोडाशेति। पुरोडाशनिर्माणरूपं यत्फलम् तदुपधायकता वितुषव्रीहिषु, अतो वितुषता पुरोडाशनिर्माणफलोपधायकतावच्छेदिका तस्याः संपादकम् यथा अवहननम् तथा नखविदलनमपि, एवञ्च 'व्रीहीनवहन्ति' इति वचनेन याऽवहननस्य प्राप्तिः सा पाक्षिकी, नखविदलनसामग्रीसमुपस्थितिकाले तस्या अवर्तमानत्वात्, एवं यागाधिकरणता यथा समदेशे तथा विषमदेशेऽपि संभवति, एवञ्च 'समे देशे यजेत' इति वचनेन या यागाधिकरणतायाः समदेशप्राप्तिः सा पाक्षिकी, तस्या विषमदेशोपलब्धिकालेऽवर्तमानत्वात्, तथा च 'व्रीहीनवहन्ति—' इत्यादिकम् 'अवहननेनैव वितुषता संपादनीया' 'समदेश एव यागाधिकरणम्' इत्यादिनियमयन् नियमविधिरुच्यत इति भावः।

परिसंख्योदाहरणमाह—'इमामगृभ्णन्—' इत्यादि। उपपादयति—रशनाग्रहणेति।

व्याकरण तथा अलङ्कार शास्त्र में नियम और परिसंख्या दो पृथक् वस्तु भले ही न मानी जाती हो पर मीमांसाशास्त्र में वे दो वस्तुएँ मानी जाती हैं इसी बात को स्पष्ट करते हैं—पूर्वतन्त्रे तु इत्यादि।

पूर्वतन्त्र-अर्थात् मीमांसा दर्शन में तो नियम तथा परिसंख्या की परिभाषा भिन्न-भिन्न दी गई है। जैसा कि मीमांसा वार्तिककार कहते हैं—"विधिरत्यन्तम् अर्थात् सर्वथा अप्राप्त में अपूर्व विधि वैकल्पिक प्राप्त में एकत्र नियमन को नियमविधि और एक साथ उस में और अन्य में (दोनों जगह प्राप्त होने पर अन्यत्र वर्जन को) परिसंख्याविधि कहते हैं।"

अपूर्व विधि का उदाहरण है—'स्वर्गकामः-अर्थात् स्वर्ग चाहने वाला यज्ञ करे' इत्यादि, क्योंकि यज्ञ आदि किसी अन्य प्रकार (राग आदि) से प्राप्त नहीं है।

नियम विधि का उदाहरण है-'व्रीहीन्-अर्थात् एक प्रकार का धान कूटता है, सम-तलभूमि में यज्ञ करे' इत्यादि। अभिप्राय है कि-पुरोडाश (हवन के लिए विशिष्ट बिधि से पकाए गए अन्न) निर्माण रूप फल का साधक है वितुष (भूसी रहित) व्रीहि, अतः पुरोडाश निर्माण के लिए व्रीहि की वितुषता अपेक्षित है और उसी वितुषता के संपादक रूप से 'व्रीहिनवहन्ति' इस वचन द्वारा व्रीहि का अवहनन (ऊँखल-मूसल से कूटना) प्राप्त होता है, पर अवहनन की यह प्राप्ति पाक्षिक है, क्योंकि वह तब होती है जब नख

विदलन (नखों से वितुष बनाना) संभव न हो, इसी तरह 'समे देशे यजेत' इस वचन के द्वारा जो समदेश की यागाधिकरणता प्राप्त होती है वह भी पाक्षिक है, क्योंकि वह विषम देश की उपलब्धि अवस्था में संभव नहीं है, अतः ये वचन नियम करते हैं कि 'अवहनन द्वारा ही व्रीहि को वितुष बनाना चाहिए, समतल देश में ही यज्ञ करना चाहिए', फलतः ये नियम विधि हैं।

परिसंख्या विधि के उदाहरण हैं–'इमामगृभ्णन्–अर्थात्–'इमामगृभ्णन् रशनामृतस्य' इस मन्त्र से अश्वाभिधानी का ग्रहण करता है' और 'पञ्च-पञ्च-अर्थात् पाँच पञ्चनख जीव भक्ष्य हैं' इत्यादि। यहाँ प्रथम उदाहरण में 'रशनाग्रहण (रस्सी पकड़ना) इस लिङ्ग (ज्ञापक प्रमाण) के द्वारा घोड़े और गदहे दोनों की रस्सियों का पकड़ना एक साथ प्राप्त होता है, उन में से 'अश्व की रस्सी के अतिरिक्त अन्य रस्सी के पकड़ने का वर्जन' इस वाक्य से सिद्ध होता है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में 'पञ्चनख जीवों में से शास्त्रोक्त पाँच जीवों (खरहा, साही आदि) के अतिरिक्त प्राणियों के भक्षण का वर्जन' सिद्ध होता है।

यहां यह ध्यान में रखना चाहिए कि नियम में विधि की और परिसंख्या में निषेध की प्रधानता होती है।

प्रकृतमुपसंहरन्नाह—

इत्यलमप्रकृतचिन्तया।

पूर्वोक्ताप्रासङ्गिकविचारो व्यर्थ इति भावः।

उपसंहार किया जाता है—इत्यलमित्यादि।

पूर्वोक्त अप्रासङ्गिक विचार व्यर्थ है।

परिसंख्याया भेदानाह—

इयं तावद् द्विविधा—शुद्धा प्रश्नपूर्विका च। द्विविधाप्यार्थी शाब्दी चेति चतुर्विधा।

इयमिति। परिसंख्येत्यर्थः। तावत् आदौ। शुद्धेति, प्रश्नरहितेति भावः। द्विविधेति। शुद्धा प्रश्नपूर्विका चेत्यर्थः।

परिसंख्या के भेद किए जाते हैं—इयमित्यादि।

यह परिसंख्या प्रथमतः दो प्रकार की होती है–एक शुद्धा-अर्थात् प्रश्नरहिता और दूसरी प्रश्नपूर्विका। इन दोनों ही प्रकारों के शाब्दी तथा आर्थी भेद से दो दो प्रकार हो जाते हैं। फलतः परिसंख्या के कुल चार प्रकार होते हैं।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्।

जैसे–।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'सेवायां यदि साभिलाषमसि रे लक्ष्मीपतिः सेव्यतां
चिन्तायामसि सस्पृहं यदि चिरं चक्रायुधश्चिन्त्यताम्।
आलापं यदि काङ्क्षसे मधुरिपोर्गाथा तदालप्यतां
स्वापं वाञ्छसि चेन्निरर्गलसुखे चेतः सखे सुप्यताम्॥'

हे सखे मित्र, चेतः चित्त !, त्वं, यदि, सेवायां परपरिचरणे, साभिलाषम् अभिलाषयुक्तम्, असि वर्तसे, तदा, रे चित्त, लक्ष्मीपतिः श्रीपतिः विष्णुरिति यावत्, सेव्यताम् परिचर्यताम्। यदि चिन्तायाम् चिन्तने, सस्पृहम् साभिलाषम्, असि, तदा, चिरम् चिरकालं यावत्, चक्रायुधः सुदर्शनचक्रधारी विष्णुः, चिन्त्यताम् ध्यायताम्, यदि, आलापम् वार्तालापम्, काङ्क्षसे इच्छसि, तदा, मधुरिपोर्विष्णोः, गाथा कथा, आलप्यताम् उच्यताम्, पुनः, स्वापं शयनम्, वाञ्छसि इच्छसि, चेत्, तदा, निरर्गलसुखे निष्प्रतिबन्धे सुखे मोक्षसुखे इति यावत्, सुप्यताम् शय्यताम् इत्यर्थः।

उदाहरण दिया जाता है—सेवायाम् इत्यादि।

रे सखे चित्त ! यदि तूँ सेवा करने की अभिलाषा रखते हो तब लक्ष्मीपति (विष्णु) की सेवा कर, यदि चिन्तन करने की इच्छा है तब चिरकाल तक चक्रायुध (विष्णु) की चिन्ता किया कर, यदि बात करने की इच्छा है तब मधुसूदन (विष्णु) की कथा की बात कर और यदि सोना चाहता है तब प्रतिबन्ध-रहित सुख (मोक्ष-सुख) में सो जा।

उपपादयति—

अत्र यदिघटितवाक्यैर्निवेदितस्य रागप्राप्तस्य सेवादेः कर्मतायाः परमेश्वरे विषयान्तरे च प्राप्तत्वेन लोडर्थघटितवाक्यार्थवैयर्थ्यप्रसङ्गाद्विषयान्तरं न सेव्यमित्यादिरूपा विषयान्तरे तत्तत्क्रियाकर्मत्वव्यावृत्तिस्तात्पर्यविषयतया कल्प्यमानत्वादार्थी शुद्धा च।

'सेवायाम्—' इत्यस्मिन्पद्ये रागप्राप्तानि यानि सेवनचिन्तनादीनि यदिघटितैर्वाक्यैर्बोधितानि तेषां कर्मता विषयान्तरवत् परमेश्वरेऽपि प्राप्तैव, तथा च 'सेव्यताम्' इत्यादिकं लोट्लकारघटितवाक्यं व्यर्थम्, अप्राप्तस्यैव लोटा विधानौचित्यात्, इति तत्सार्थक्याय 'विषयान्तरं न सेव्यताम्' इत्यादिरूपा विषयान्तरनिष्ठसेवनादिक्रियाकर्मताव्यावृत्तिरनुक्तापि कल्पनीया, अतः इयं परिसंख्या आर्थी प्रश्नपूर्वकत्वाभावाच्च शुद्धेति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'सेवायां यदि—' इस पद्य में 'यदि' युक्त वाक्यों के द्वारा जिस सेवनादिक का बोध कराया जाता है वह राग-प्राप्त है—अर्थात् सांसारिक मनुष्य स्वभावतः किसी न किसी वस्तु का सेवन अथवा चिन्तन करता ही है, अतः उस सेवनादि क्रिया की कर्मता भगवान् विष्णु और अन्य सांसारिक विषय (धन-पुत्रादि) में स्वतः प्राप्त है—अर्थात् मनुष्य का मन अन्य विषयों की तरह भगवान् का भी सेवन-चिन्तन स्वतः कर सकता है। ऐसी स्थिति में लोट् लकार के अर्थ (विधि अथवा आज्ञा) से युक्त वाक्यार्थ की व्यर्थता होने लगती है, क्योंकि जो कार्य अपने-आप करता ही है उसके लिए विधान अथवा आज्ञा कैसी ? अतः 'अन्य विषय की सेवा न करें' इत्यादि रूप में 'अन्य विषयों में उक्त क्रियाओं की कर्मकारकता की निवृत्ति' तात्पर्य-विषय (वक्ता के अभीष्ट) के रूप में कल्पित की जाती है। अतः अर्थतः प्राप्त होने से यह परिसंख्या आर्थी और प्रश्नपूर्वक न होने से शुद्धा है।

उदाहरणान्तरमुपस्थापयति—

'किं तीर्थं हरिपादपद्मभजनं किं रत्नमच्छा मतिः
किं शास्त्रं श्रवणेन यस्य गलति द्वैतान्धकारोदयः।

किं मित्रं सततोपकाररसिकं तत्त्वावबोधः सखे
कः शत्रुर्वद खेददानकुशलो दुर्वासनासञ्चयः ॥

हे सखे !, तीर्थम् किम् इति प्रश्ने उत्तरम् हरिपादपद्मभजनम् हरिचरणकमलसेवनमिति, पुनः किम् रत्नम् इति प्रश्ने उत्तरम् अच्छा स्वच्छा, मतिः बुद्धिरिति, पुनः किं शास्त्रम् इति प्रश्ने उत्तरम्-यस्य, श्रवणेन, द्वैतान्धकारोदयः ब्रह्मातिरिक्तपदार्थसत्तात्मकद्वैतरूपतिमिरसृष्टिः, गलति नश्यतीति, पुनः सततोपकाररसिकम् सर्वदोपकारकरणे प्रवृत्तम् , मित्रम् किम् इति प्रश्ने उत्तरम्-तत्त्वावबोधः तत्त्वज्ञानम् संसारमिथ्यात्वग्रहपूर्वकब्रह्माद्वैतज्ञानमिति यावदिति, पुनः खेददानकुशलः कष्टदाननिपुणः शत्रुः कः इति प्रश्ने उत्तरम्-दुर्वासनासंचयः कुसंस्कारसंग्रह इति । अत्र 'वद' इति क्रियापदम् सर्वत्र प्रश्नानन्तरम् योज्यमित्यर्थः ।

दूसरा उदाहरण उपस्थित किया जाता है—किं तीर्थमित्यादि ।

हे सखे कहो तीर्थ क्या है ? भगवान् के चरणकमल का भजन। रत्न क्या है ? स्वच्छ बुद्धि । शास्त्र क्या है ? जिसके सुनने से द्वैत रूप अन्धकार का उदय विनष्ट हो जाय । निरन्तर उपकार में रसिक मित्र कौन है ? तत्त्वज्ञान। कष्ट देने में निपुण शत्रु कौन है ? दुर्वासनाओं का संचय ।

उपपादयति—

अत्र हरिपादभजनादिकमेव तीर्थादिकं नान्यदित्यर्थस्तात्पर्यमर्यादया प्रतीयत इत्यार्थी प्रश्नपूर्विका च ।

तात्पर्यमर्यादयेति । तात्पर्यविधयेत्यर्थः । प्रश्नपूर्विका चेति अत्र परिसंख्येतिविशेष्यपदमध्याहार्यम् अन्यत् स्फुटम् ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'किं तीर्थम्-' इस पद्य में भगवच्चरणभजनादिक ही तीर्थादिक है, अन्य नहीं, यह अर्थ तात्पर्यमर्यादा (वक्ता की इच्छा के अनुरोध) से प्रतीत होता है, शब्द से नहीं, अतः यह आर्थी परिसंख्या है और प्रश्नपूर्वक होने से प्रश्नपूर्विका ।

उदाहरणान्तरमाह—

'तीर्थं गङ्गा तदितरदपां निर्मलं संघमात्रं
देवौ तस्याः प्रसवनिलयौ नाकिनोऽन्ये वराकाः ।
सा यत्रास्ते स हि जनपदो मृत्तिकामात्रमन्यत्
तां यो नित्यं नमति स बुधो बोधशून्यस्ततोऽन्यः ॥'

गङ्गा एव तीर्थम् , तस्या गङ्गायाः, इतरत् अन्यत् तीर्थत्वेन व्यपदिश्यमानम् स्रोतःस्थानम् , तु निर्मलम् स्वच्छम् , अपाम् जलस्य, संघमात्रम् समूहमात्रम् , न तीर्थमिति, भावः, तस्याः गङ्गायाः, प्रसवनिलयौ उत्पादकावासभूतौ हरिहराविति यावत् , देवौ दैवते, अन्ये हरिहरभिन्ना देवत्वेन व्यवह्रियमाणाः वराकाः दीनाः, नाकिनः स्वर्गवासिनः, न देवा इति भावः, सा गङ्गा, यत्र, आस्ते तिष्ठति, स, एव, जनपदः देशः, अन्यत् , मृत्तिकामात्रम् , तां गङ्गाम् , यः, नित्यम् , नमति नमस्करोति, स, एव, बुधः पण्डितः, ततोऽन्यः, बोधशून्यः मूर्खः इत्यर्थः ।

दूसरा उदाहरण दिया जाता है—तीर्थम् इत्यादि।

तीर्थ गङ्गा है, उससे भिन्न, जिसे सामान्यतः तीर्थ कहते हैं, तो केवल जल का निर्मल संघ है। देव दो ही हैं—एक गङ्गा का उत्पत्तिस्थान हरि और दूसरे निवास स्थान हर, और बेचारे तो स्वर्गवासी मात्र हैं। जनपद वही है जहाँ गङ्गा हैं, अन्य स्थान मृत्तिकामात्र हैं। गङ्गा को जो नित्य प्रणाम करता है वही ज्ञानवान्-पण्डित है उससे भिन्न जन तो अज्ञानी हैं—मूर्ख हैं।

उपपादयति—

अत्र मात्रादिपदैस्तीर्थत्वादिव्यावृत्तिः प्रतीयत इति शाब्दी शुद्धा।

'तीर्थं गङ्गा—' इत्यस्मिन्पद्ये 'अपां सङ्घमात्रम्' इत्येवं रूपेण कथितेभ्यो मात्रादिपदेभ्यस्तीर्थत्वादेर्निषेधः ज्ञायत इति शाब्दी प्रश्नपूर्वकत्वविरहात् शुद्धा चेयं परिसंख्येति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'तीर्थम् गङ्गा—' इस पद्य में मात्र (केवल) आदि पदों से शब्दतः ही तीर्थता आदि का निषेध प्रतीत होता है, अतः शाब्दी और प्रश्न के नहीं रहने से शुद्धा परिसंख्या का यह उदाहरण होता है।

उदाहरणान्तरं समुपन्यस्यति—

'किं मित्रमन्ते सुकृतं न लोकाः किं ध्येयमीशस्य पदं न तोकाः।
किं काम्यमव्याजसुखं न भोगाः किं जल्पनीयं हरिनाम नान्यत्॥'

अन्ते किं मित्रम् ? सुकृतं पुण्यम्, लोका जनाः, न, किं ध्येयम् ? ईशस्य परमेश्वरस्य, पदम् चरणम्, तोकाः सन्ततयः, न, किं काम्यम् अभिलषणीयम् ? अव्याजसुखम् निश्छलसुखम् मोक्ष इति यावत्, भोगाः सांसारिकसुखानुभवाः, न, किं, जल्पनीयम् वक्तव्यम् ?, हरिनाम, अन्यत्, नेत्यर्थः।

दूसरा उदाहरण दिखलाया जाता है—किं मित्रम् इत्यादि।

अन्त में कौन मित्र होता है ? पुण्य, न कि लोग। अन्त में ध्यान किसका करना चाहिए ? ईश्वर के चरण का, न कि बाल-बच्चों का। एषणा (अभिलाषा) किस की करनी चाहिए ? निश्छल सुख (मोक्ष) की, न कि सांसारिक भोगों की। क्या बोलना चाहिए ? भगवन्नाम, और कुछ नहीं।

उपपादयति—

अत्र शाब्दी प्रश्नपूर्विका च।

'किं मित्रमन्ते—' इत्यत्र मित्रत्वादेर्निषेधस्य शब्देन (नञा) प्रतीतेः शाब्दी प्रश्नपूर्वकत्वात्प्रश्नपूर्विका च परिसंख्येति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'किं मित्रमन्ते—' इस पद्य में मित्रत्व आदि का निषेध 'न' शब्द से प्रतीत होने के कारण यहाँ की परिसंख्या शाब्दी है और प्रश्नपूर्वक होने से प्रश्नपूर्विका भी।

पूर्वोक्तभेदानां न सर्वसम्मतत्वमिति सूचयितुमाह—

इति प्राचां मतम्।

उक्ता भेदाः प्राचां मतमनुसृत्य लिखिता इति भावः।

उक्त भेदों का उल्लेख प्राचीनों के मत के अनुसार किया गया है।

मतान्तरप्रदर्शनप्रसङ्गे तावत्प्रथमं मतान्तरमाह—

अन्ये तु "व्यावृत्तेरार्थत्व एव परिसंख्यालङ्कारः, अन्यथा तु शुद्धा परिसंख्यैव। यथा हेतुत्वस्यार्थत्व एव हेत्वलङ्कारः, अन्यथा हेतुमात्रम्। अतो भेदद्वयमेवास्याः" इत्याहुः।

निषेधस्य शाब्दत्व आर्थत्वे च परिसंख्या भवतीति सत्यम्, परन्तु परिसंख्याया अलङ्कारत्वं तत्रैव यत्र तस्या आर्थत्वम्, यथा हेतुत्वस्यार्थत्वे एव हेत्वलङ्कारोऽङ्गीक्रियते। एवञ्च परिसंख्यालंकारस्य भेदद्वयमेव, न भेदचतुष्टयमित्यन्येषां मतमिति भावः।

मतान्तर दिखलाने के क्रम में तब तक प्रथम मतान्तर दिखलाया जाता है—अन्ये तु इत्यादि।

अन्य विद्वानों का तो मत है कि जहाँ अर्थतः निषेध की प्रतीति होती हो वहीं परिसंख्या अलङ्कार है, जहाँ उसकी प्रतीति शब्दतः होती हो वहाँ तो वह परिसंख्यामात्र है, न कि अलङ्कार। जैसे हेतुता की अर्थतः प्रतीति होने पर ही हेतु अलङ्कार माना जाता है और शब्दतः हेतुता की प्रतीति होने पर केवल हेतु माना जाता है, अलङ्कार नहीं। फलतः परिसंख्या अलङ्कार के दो ही भेद हो सकते हैं, चार नहीं।

द्वितीयं मतान्तमाह—

अपरे तु "व्यावृत्तेरार्थत्वेऽपि नालङ्कारत्वम्। 'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः, समे यजेत, राक्षसस्य' इत्यादावपि तदापत्तेः। किन्तु कविप्रतिभानिर्मिता या तादृशव्यावृत्तिस्तस्याः। यथा—'यस्मिन् शासति वसुमतीपाकशासने महानसेषु संतापः, शरधिहृदयेषु सशल्यता, मञ्जीरेषु मौखर्यम्, भेरीषु ताडनम्, कामिनीनां कुन्तलेषु कौटिल्यम्; गतिषु मान्द्यम्' इत्यादौ।

अत्र हि प्रथमान्तार्थः कविप्रतिभया एकीकृत इति तद्द्वारा तत्प्रतियोगिकव्यावृत्तिनिर्मिता। एवं च 'सेवायां यदि साभिलाषमसि' इत्यत्र नान्यः सेव्य इत्यर्थस्य प्रतीतेः परिसंख्यास्तु, न तु परिसंख्यालङ्कारः। व्यावृत्तेर्वास्तवत्वेन कविप्रतिभानपेक्षणात्। 'किं तीर्थं हरिपादपद्मभजनम्' इत्यत्र तु प्रश्नपूर्वकं दृढारोपरूपकम्, अन्यथा 'न विषं विषमित्याहुर्ब्रह्मस्वं विषमुच्यते' इत्यत्रापि परिसंख्यापत्तेः। 'किं शास्त्रम्' इत्यंशे तु परिसंख्यामात्रम्। 'तीर्थं गङ्गा तदितरदपां निर्मलं संघमात्रम्' इत्यत्रापि परिसंख्यैव शुद्धा। प्रागुक्ताद्धेतोरनार्थत्वात्। तस्मात् 'महानसेषु संतापः' इत्यादिकमेवास्या उदाहरणम्" इत्याहुः।

कविप्रतिभानिर्मितत्वमलङ्कारसामान्यलक्षणप्रविष्टमित्यसकृत् प्रागुक्तम्। एवञ्च परिसंख्यापि तत्रैवालंकारो यत्र निषेधस्य परिसंख्यात्मकस्य कविप्रतिभानिर्मितत्वम्, अतो निषेधस्यार्थत्वेऽपि कविप्रतिभानिर्मितत्वविरहेण 'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः, समे यजेत, राक्षसस्य' इत्यादौ न परिसंख्याया अलङ्कारत्वम्। एवञ्च 'सेवायां यदि—' इति प्रागुक्तं पद्यं न परिसंख्यालंकारोदाहरणं भवितुमर्हति, तत्र निषेधस्य वास्तविकतया कविप्रतिभानिर्मितत्वाभावात्, 'नान्यः सेव्यः' इत्यर्थप्रतीतेरलंकारत्वरहिता शुद्धा परिसंख्या भवेदिति तु अन्यत्। 'किं तीर्थम्—' इति पूर्वोक्तपद्यमपि अनुदाहरणमेव, तत्रापि 'किंशास्त्रम्—'

इत्यंशे कविप्रतिभानिर्मितत्वविरहात्, परिपादपद्मभजनम्' इत्यंशे कविप्रतिभानिर्मितत्वस्य सत्त्वेऽपि प्रश्नपूर्वकं दृढारोपरूपकमेवालंकारो, न परिसंख्या। यद्यत्र परिसंख्यालंकारः स्वीक्रियेत तदा 'न विषम्—' इत्यत्रापि सा स्वीकर्तव्या स्यात्, न च तत्र कैश्चित् सा स्वीक्रियते। 'तीर्थम् गङ्गा—' इत्यपि शुद्धपरिसंख्योदाहरणमेव, न तदलंकारस्य, व्यावृत्ते-र्मात्रपदबोध्यत्वेनार्थत्वाभावात्। नन्वेवं किमुदाहरणम् परिसंख्यालंकारस्येति चेत्? 'महानसेषु संतापः' इत्यादिकमिति बोध्यम्। तत्र महानसगत-मनोगतयोस्तापयोर्वस्तुतो भिन्नत्वेऽपि कविप्रतिभयाऽभेदे 'महानसे तापः। इत्युक्त्या मनसि न ताप इत्यर्थतः प्रतीतेरार्थी व्यावृत्तिरस्ति। इत्यपरेषां मतमिति भावः।

द्वितीय मतान्तर का उल्लेख किया जाता है—अपरे तु इत्यादि।

अन्य विद्वानों का कथन है कि निषेध की प्रार्थना होने पर भी सर्वत्र परिसंख्या की अलङ्कारता नहीं होती, अन्यथा 'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः, समे यजेत' इन पूर्वोक्त परिसंख्या के उदाहरणों में तथा 'रात्सस्य' (पा० सू० ८ । २ । २४) इत्यादिक में भी अलङ्कारता होने लगेगी, क्योंकि इन में भी आर्थ निषेध होता है।

अतः यह समझना चाहिए कि जहां अर्थतः प्रतीत होने वाला निषेध कवि की प्रतिभा से निर्मित हो वहीं परिसंख्या अलङ्कार होगा। जैसे—"यस्मिन् शासति वसुमती-पाकशासने—अर्थात् जिस राजा के शासन के समय में 'संताप' रसोईघरों में था, 'सशल्यता' (बाणों की नोकों के साथ रहना) तरकसों के हृदयों में थी, 'मुखरता' (अधिक बोलना) नुपूरों में थी, ताडन' (पीटना) भेरियों में था, 'कुटिलता' कामिनियों के कुन्तलों में थी, और 'मन्दता' (धीमापन + मूर्खता) गतियों में थी।" इत्यादिकों में। कारण, यहां प्रथमान्त (संताप आदि) शब्दों के अर्थ कविप्रतिभा से एक कर दिए गए हैं—अर्थात् यद्यपि रसोईघर का ताप और मन का ताप दो वस्तुएँ हैं, पर उन दोनों में कविकल्पना द्वारा अभेद मान लिया गया है, इसी तरह अन्य प्रथमान्त पदों में भी समझना चाहिए, इस तरह उन दोनों तापों को एक कर लेने पर किया जाने वाला उसका निषेध भी कविप्रतिभानिर्मित कहा जा सकता है।

इस तरह से 'सेवायाम् यदि—' इस पूर्वोक्त पद्य में 'दूसरा सेव्य नहीं है' इस अर्थ की प्रतीति होने से परिसंख्या होवे, पर परिसंख्या अलङ्कार नहीं हो सकता, क्यों कि यहां की व्यावृत्ति (निषेध) वास्तविक होने के कारण कविकल्पना की अपेक्षा नहीं रखता है। 'किं तीर्थम् हरिपादपद्मभजनम्' इस में तो प्रश्नपूर्वक दृढारोपरूपक है, अन्यथा 'न विषम्—अर्थात् विष विष नहीं है, अपि तु ब्राह्मणों का धन विष है' इस दृढारोप रूपक के उदाहरण में भी परिसंख्या माननी पड़ेगी। 'किं शास्त्रम्' इस अंश में तो शुद्ध परिसंख्या है, अलङ्कार नहीं क्यों कि यहां भी कविप्रतिभा का उपयोग नहीं हुआ है, "तीर्थम् गङ्गा—' इस में भी अलङ्कारत्वविहीन परिसंख्या ही है, क्यों कि यहां व्यावृत्ति शाब्द है, आर्थ नहीं।

अतः 'महासेषु संतापः' इत्यादिक ही परिसंख्या अलङ्कार का उदाहरण है।"

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे परिसंख्याप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे परिसंख्याप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत परिसंख्यालङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां परिसंख्याप्रकरणम्॥

अर्थापत्त्यलङ्कारनिरूपणारम्भं प्रतीजानीते—

अथार्थापत्तिः—

अर्थापत्त्यलङ्कारो निरूप्यत्वेनारब्धो बोध्य इति भावः।

अब अर्थापत्ति अलङ्कार का निरूपण आरब्ध है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

केनचिदर्थेन तुल्यन्यायत्वादर्थान्तरस्यापत्तिरर्थापत्तिः ॥

तुल्यन्यायत्वादिति। तुल्यः = समानः, न्यायः = कारणम्, यस्य तत्त्वादित्यर्थः। आपत्तिरिति। आपतनमित्यर्थः। उपस्थितिरिति यावत्। युक्तिसाम्येनैकस्मादर्थादन्यस्यार्थस्योपस्थितिरर्थापत्तिरिति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—केनचिदित्यादि।

तुल्य युक्ति के बल पर किसी एक अर्थ से किसी दूसरे अर्थ की आपत्ति (उपस्थिति) को अर्थापत्ति कहते हैं।

लक्षणगतन्यायपदस्यार्थं स्फुटयति—

न्यायश्च कारणम्।

न्यामशब्दस्य कारणमर्थः। ततश्च कस्मिंश्चिदेकस्मिन्नर्थे वर्णिते तत्कारणकत्वादर्थान्तरस्य सिद्धिरर्थापत्तिरिति तात्पर्यम्।

लक्षण में कथित 'न्याय' पद का अर्थ किया जाता है—न्यायश्च इत्यादि।

न्याय शब्द का अर्थ है कारण। इस तरह सारांश यह निकला कि जहाँ कारणों की समानता के कारण एक अर्थ से दूसरे अर्थ की कल्पना हो वहाँ अर्थापत्ति होती है।

अर्थापत्तेर्भेदानाचष्टे—

सा च प्रकृतेन प्रकृतस्य, अप्रकृतेनाप्रकृतस्य प्रकृतेनाप्रकृतस्य, अप्रकृतेन प्रकृतस्येति तावच्चतुर्भेदा प्रत्येकमर्थान्तरस्य साम्य-न्यूनाधिक्यैर्द्वादशविधा। ततो भावाभावत्वाभ्यां चतुर्विंशतिभेदा।

सा चेति अर्थापत्तिश्चेत्यर्थः। तावदादौ अर्थान्तरस्येति। आपततोऽर्थस्येत्यर्थः। द्वादशधेति आपतन्नर्थः क्वचित् प्रथमवर्णितार्थसमानः क्वचित् ततो न्यूनः कुत्रचिच्च ततोऽधिक इति चतुर्णाम् पूर्वोक्तभेदानां त्रिभिर्गुणने द्वादशविधत्वमिति भावः। भावाभावत्वाभ्यामिति। आपततः आपत्तिमूलस्य चार्थस्य क्वचिद्भावरूपता क्वचिच्चाभावरूपतेति भावः।

अर्थापत्ति के भेद किए जाते हैं—सा च इत्यादि।

अर्थापत्ति के प्रथमतः चार प्रकार होते हैं-प्रकृत अर्थ से प्रकृत अर्थ की आपत्ति अप्रकृत से अप्रकृत अर्थ की आपत्ति, प्रकृत से अप्रकृत की आपत्ति और अप्रकृत से प्रकृत की आपत्ति। इन में से प्रत्येक के पुनः तीन तीन प्रकार होते हैं, क्योंकि कहीं प्रथम अर्थ से दूसरे अर्थ की समता कहीं न्यूनता और कहीं अधिकता रहेगी। इस तरह अर्थापत्ति के बारह भेद होते हैं। इन बारह भेदों के भी पुनः दो दो भेद हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अर्थ कहीं भावरूप और कहीं अभावरूप रहेंगे। फलतः अर्थापत्ति के कुल भेद चौबीस हो जाते हैं।

सकलभेदोदाहरणाप्रदर्शनसूचनपुरस्सरमुदाहरणदानं प्रतिजानीते—

दिङ्मात्रेणोदाह्रियते—

स्पष्टम्—।

उक्त भेदों में से कतिपय भेदों के उदाहरण दिग्दर्शन के लिए उपस्थित किए जाते हैं—

उदाहरणं समुपन्यस्यति—

'लीलालुण्ठतशारदापुरधियामस्मादृशानां पुरो
विद्यासद्मविनिर्गलत्कणमुषो वल्गन्ति चेद्वालिशाः।
अद्य श्वः फणिनां शकुन्तशिशवो दन्तावलानां शशाः
सिंहानां च सुखेन मूर्धनि पदं धास्यन्ति शालावृकाः॥'

विद्यायाः सरस्वत्याः सद्मनः गृहाद् विनिर्गलतः पततः कणान् लघ्वंशान् मुष्णन्ति चोरयन्ति ये तादृशाः वालिशाः मूर्खाः लीलया अनायासेन लुण्ठिता शारदापुरस्य सरस्वतीनगरस्य धीः ज्ञानं यैः तेषाम् अस्मादृशानां महाविदुषाम्, पुरः अग्रे चेत् यदि वल्गन्ति जल्पन्ति तदा अद्य श्वः वा शकुन्तशिशवः पक्षिबालाः फणिनाम् सर्पाणाम्, शशाः दन्तावलानाम् गजानाम्, शालावृकाः कुक्कुराः सिंहानां च मूर्धनि मस्तके सुखेन अनायासेन पदम् चरणम् धास्यन्ति स्थापयिष्यन्तीत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—लीला इत्यादि।

अनायास सरस्वती-नगर के ज्ञान को लूट लेने वाले अर्थात् प्रगाढ विद्वत्ता वाले हम लोगों के सामने यदि विद्यामन्दिर से गिरते हुए कणों को चुराने वाले मूर्ख लोग डींग हाँकते हैं तो आज या कल पक्षियों के बच्चे साँपों के, खरगोश हाथियों के और कुत्ते सिंहों के शिर पर अनायास पैर रखेंगे।

उपपादयति—

अत्र प्रकृतेनाप्रकृतस्यापाद्यमानस्य साम्यं मालारूपता च।

'लीलालुण्ठित—' इत्यस्मिन् पद्ये प्रस्तुतेन पण्डित मूर्ख-वृत्तान्तेनाप्रस्तुतस्य फणि-पक्षिशिश्वादिवृत्तान्तस्य कल्पना भवतीत्यर्थापत्तिः। तत्र चासाधारणबुद्धीनामग्रे मूर्खाणां चापल्यं फणिनामग्रे पक्षिशिशूनां चापल्यमिवेत्याद्याकारकं प्रकृताप्रकृतयोः सादृश्यम्. बहूनामप्रकृतानां निर्देशान्मालारूपता चेति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'लीलालुण्ठित—' इस पद्य में विद्वान् और मूर्खों का वृत्तान्त प्रस्तुत है जिससे सर्प-पक्षिशिशु, खरगोश-गज आदि अप्रस्तुत वृत्तान्त की आपत्ति हुई है अतः अर्थापत्ति है और इस अर्थापत्ति में प्रस्तुत अप्रस्तुत की समता है तथा अनेक अप्रस्तुत का उल्लेख रहने के कारण यह अर्थापत्ति मालारूप समझी जाती है।

भेदान्तरोदाहरणमुपस्थापयति—

'यदि ते चरणाम्बुजं हृदा वहतो मे न हतो विपद्गणः।
अथ चण्डकरेण मण्डिते दिनमध्येऽपि जितं तमोगणैः॥'

भक्तो भगवन्तं प्रत्याह—हे भगवन्! हृदा हृदयेन, ते तव, चरणाम्बुजम् चरणकमलम्, वहतः धारयतः, मे मम, विपद्गणः विपत्तिसमूहः, यदि, न, हतः, अथ तदा, चण्डकरेण सूर्येण, मण्डितेऽपि भूषितेऽपि, दिनमध्ये, तमोगणैरन्धकारव्रातैः, जितम् उत्कृष्टतया स्थितमित्यर्थः।

अन्य भेद का उदाहरण दिया जाता है—यदि ते इत्यादि।

हे भगवन्! हृदय से आप के चरण कमलकमल का धारण करते हुए भी मेरा विपत्समूह यदि नष्ट नहीं हुआ तो सूर्य से भूषित दिन के मध्य में भी अन्धकारसमूह विजयी हो गया।

उपपादयति—

अत्र न हत इति विद्यमानतारूपात्प्रकृतार्थाज्जितमित्यापाद्यमानस्याप्रकृतार्थस्य सर्वोत्कर्षेण वर्तनरूपस्याधिक्यम्।

अयं भावः—'यदि ते—' इत्यत्र 'विपद्गणो न हतः' इत्यनेन प्रतिपाद्यमानस्तमोगणविद्यमानतारूपोऽर्थः प्रकृतः, तेन च 'तमोगणैः जितम्' इत्यंशप्रतिपाद्योऽप्रकृतोऽर्थ आपाद्यते, आपाद्यमानस्य च तस्याप्रकृतस्यार्थस्यापादकात्प्रकृतार्थादाधिक्यम्, सर्वोत्कर्षेण विद्यमानत्वरूपत्वादिति।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'यदि ते—' इस पद्य में प्रस्तुत अर्थ है विपत्तिसमूह का नष्ट न होना जिसका सारांश निकलता है विपत्तिसमूह का विद्यमान रहना, फलतः केवल 'विद्यमानता' रूप इस प्रस्तुत अर्थ से उस के द्वारा कल्पित होने वाले 'तमोगण विजयी हुआ' इस अप्रस्तुत अर्थ की अधिकता है, क्यों कि 'विजयी होने' का सारांश निकलता है 'सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान रहना'।

इस तरह यह पद्य प्रकृतार्थ द्वारा अप्रकृतार्थ की अधिकता से आपादन का उदाहरण होता है।

आशंक्य समाधत्ते—

न चात्र विपद्गणस्यावस्थानमात्रेण तमोगणानामवस्थानमापादयितुमुचितम्, न तु जयः अनानुरूप्यात्, इति शंक्यम्। भगवच्चरणसन्निधाने यद्येकस्य विपद्गणस्य स्वास्थ्यं तदा समुचित एव बहूनां तमोगणानां सूर्यसान्निधाने जय इति न दोषः।

लक्षणे 'तुल्यन्यायत्वात्' इत्युक्तौ प्रकृतार्थानुरूपस्यैवाप्रकृतार्थस्यापादनमर्थापत्त्यलङ्कारकोटौ प्रविशति, समुचितमपि तादृशार्थेन तादृशार्थापादनमेव। तथा च प्रकृते विपद्गणावस्थानेन स्वानुरूपस्य तमोगणावस्थानस्यापत्तौ संभवन्त्यामपि स्वाननुरूपस्य तमोगणजयस्यापत्तिर्न संभवतीति शङ्कादलस्य, भगवच्चरणनिकटे यद्येको विपद्गणः स्थातुमर्हति तदा सूर्यनिकटे बहुतमोगणस्य विजयितया स्थितेरौचित्येन दोषाभाव इति समाधानदलस्याभिप्रायः।

एक शङ्का करके उसका समाधान दिया जाता है—न चात्र इत्यादि।

"अनुरूप अर्थ से अनुरूप अर्थ की कल्पना ही उचित है और लक्षण में भी 'तुल्य न्याय से' इस उक्ति से ऐसा ही अभीष्ट है, ऐसी स्थिति में 'यदि ते–' इस पद्य में विपत्समूह की केवलस्थिति से तमस्समूह की केवल स्थिति का आपादन उचित है, न कि उस के उत्कर्ष का, क्यों कि उत्कर्ष की आपादक अर्थ से अनुरूपता नहीं है" ऐसी आशङ्का यहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवच्चरण की सन्निधि में यदि एक विपत्समूह की

स्थिति सुरक्षित हो तब सूर्य की सन्निधि में अनेक तमस्समूहों का विजयी रूप में रहना समुचित ही है, फलतः अननुरूपता का दोष नहीं दिया जा सकता।

भेदान्तरोदाहरणमुपस्थापयति—

'सदैव स्नेहार्द्रे सुरतटिनि निष्किंचनजने
यदि त्वं नाधत्से सुरभिरिव वत्से मयि कृपाम्।
तदा चिन्तारत्नत्रिदशपतिभूमीरूहमुखा
ददीरन्नर्थिभ्यः किमिति कणभिक्षामपि जडाः॥'

भक्तो भागीरथीं प्रति ब्रूते—सदैव सर्वदैव, न तु कालविशेष एवेति भावः, स्नेहार्द्रे ! प्रीतिकोमले ! दीनजनप्रेमपरायणे इति भावः, अथ च जलार्द्रे ! हे सुरतटिनि गङ्गे ! सुरभिर्वत्स इव गौर्यथा निजवत्से कृपां कुरुते तथा, मयि, निष्किंचनजने अकिंचनजीवे, कृपाम्, यदि, नाधत्से न करोषि, तदा जडाः अचेतनाः, चिन्तारत्नत्रिदशपतिभूमीरुह-मुखाः चिन्तामणि-कल्पवृक्षादयः, अर्थिभ्यः याचकेभ्यः, कणाभिक्षामपि, किमिति कथम्, ददीरन् दद्युः, नैव दद्युरित्यर्थः।

स्नेहपूर्णाया मातुर्यदि पुत्रे दया न स्यात्, जडानां कल्पवृक्षादीनां याचकेषु दयायाः का तर्हि संभावनेति भावः।

अन्य भेद का उदाहरण दिखलाया जाता है—सदैव इत्यादि।

कोई भक्त गङ्गा जी से कहता है कि—सदा स्नेह से आर्द्र रहने वाली हे गङ्गे! तू यदि मुझ अकिंचन जन पर, अपने बछड़े पर गाय के समान, कृपा नहीं करती हो, तो चिन्तामणि, कल्पवृक्ष आदि जड़ पदार्थ भला याचकों को एक कण भी क्यों देने लगें। तात्पर्य यह कि जो स्नेहमयी है मातृ जाति की है वह यदि दीन-दुःखी पुत्रकल्प प्राणी पर दया न दिखावे तब अचेतन कल्पवृक्ष आदि याचकों को बहुत कुछ देंगे ऐसी आशा कैसे की जा सकती है।

हिन्दी-रसगङ्गाधर-कार ने इस पद्य के 'स्नेहार्द्रे' पद को सप्तम्यन्त मान कर 'मयि' का विशेषण माना है और तदनुसार 'प्रेम से भींगे मुझ अकिञ्चन जन पर' ऐसी जो व्याख्या की है वह अनुचित तथा ग्रन्थ-स्वारस्य-विरुद्ध है 'अनुचित हम उसको इस लिए मानते हैं कि 'स्नेहार्द्र' पदगत 'जल से कोमल+जलमय' इस श्लिष्ट अर्थ की संगति 'मयि' के साथ अन्वय करने पर नहीं होती है, और ग्रन्थस्वारस्यविरुद्ध कहने से मेरा अभिप्राय यह है कि यहाँ ग्रन्थकार की 'स्नेहार्द्र गङ्गा भी यदि दया न दिखलावे तब जड़ पत्थल तथा वृक्ष क्या दिखलावेंगे' ऐसी प्रतीति अभिप्रेत है, जो "स्नेहार्द्रजाह्नवीरूपप्रकृतार्थापेक्षया" इस उपपादनपरक ग्रन्थ से स्पष्ट है।

अतः मैंने 'स्नेहार्द्रे' को संबोधन मान कर गङ्गा का विशेषण माना है। आशा है सहृदय विद्वान् इस आलोचना को उचित मूल्य देगें।

उपपादयति—

अत्राभावेनाभावापादनम्। स्नेहार्द्रजाह्नवीरूपप्रकृतार्थापेक्षया चिन्ता-रत्नादीनां जडत्वेन न्यूनत्वं च।

'सदैव—' इत्यस्मिन्पद्ये गङ्गाकर्तृकमदधिकरणककृपाधानाभावेन चिन्तारत्नादिकर्तृक-याचकोद्देश्यककणभिक्षादानाभावस्यापादनेनार्थापत्तिः। तत्र स्नेहार्द्रत्वप्रयुक्तोत्कर्षशालि-

गङ्गारूपप्रकृतार्थापेक्षया जडचिन्तारत्नाद्यप्रकृतार्थस्य न्यूनत्वमिति भवतीदं पद्यम् प्रकृताभावद्वाराऽप्रकृताभावस्य न्यूनत्वेनापादनस्योदाहरणमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'सदैव-' इस पद्य में कृपाधान के अभाव से कणभिक्षादान के अभाव का आपादन होने के कारण अर्थापत्ति है और इस अर्थापत्ति में स्नेहार्द्रगङ्गारूप प्रकृतपदार्थ से चिन्तामणि आदि अप्रकृत पदार्थों की जड़ता के कारण न्यूनता है।

उपसंहरन्नाह—

एतेष्वापाद्यमानमप्रकृतम्।

पूर्वोक्तेषु पद्येष्वापाद्यमानाः पदार्था अप्रकृतास्तथा च प्रकृतद्वाराऽप्रकृतापादनरूपार्थापत्त्यलङ्कारोदाहरणानि तानि पद्यानीति भावः।

उक्त पद्यों में आपाद्यमान पदार्थ अप्रकृत हैं। फलतः वे पद्य प्रकृत से अप्रकृतापत्तिरूप अर्थापत्ति के उदाहरण हुए।

भेदान्तरमुदाहरति—

'मामनुरक्तां हित्वा यदि राजन्पुरुषसिंह यातोऽसि।
मुक्त्वा वनमिदमेष्यति वनलक्ष्मीमत्र किं चित्रम्॥'

हे पुरुषसिंह पुरुषश्रेष्ठ!, राजन्!!, त्वं, यदि, अनुरक्ताम्, माम् पत्नीम्, हित्वा त्यक्त्वा, यातः गतः, असि वर्तसे। तदा इदम्, वनम्, वनलक्ष्मीम्, मुक्त्वा, एष्यति गमिष्यति, अत्र विषये, चित्रम् आश्चर्यम्, किम्, न किमपीत्यर्थः।

अन्य भेद का उदाहरण दिया जाता है—माम् इत्यादि,

हे पुरुष सिंह राजन्, मुझ अनुरक्त पत्नी को छोड़ कर यदि तुम चले गए हो तो यह वन भी वनलक्ष्मी को छोड़ कर चला जायगा इसमें क्या आश्चर्य है।

प्रसङ्गं सूचयन्नुपपादयति—

इयं राज्ञा नलेन मुक्ताया अरण्ये दमयन्त्या ध्यानोपनीतं तमेव प्रत्युक्तिः। अत्रापाद्यमानो वनवृत्तान्तोऽपि संनिहितत्वात्प्रकृत एवेति द्वयमपि प्रकृतम्। पुरुषसिंहापेक्षया वनस्य नपुंसकत्वान्न्यूनत्वम्। अत एव किं चित्रमित्युक्तम्,

कलिकोपप्रभावेण द्यूते हारितराज्यो राजा नलः पत्नीमादाय वनं गतस्तत्र च पत्नीसाहचर्यम् कष्टाधिक्यकरमिति विभावयन् सः पत्नीमपहाय क्वापि गतस्तद्गमनानन्तरम् तद्विरहव्याकुला तत्पत्नी ध्यानारूढं तं प्रति 'मामनुरक्ताम्-' इति पद्यमुक्तवतीति प्रकृतपद्यप्रसङ्गो बोध्यः, उपपादनमाह—अत्रेति। 'मामनु-' इत्यत्र वर्णनीयतया राजवृत्तान्तस्य, सन्निहिततया वनवृत्तान्तस्य च प्रकृतत्वेनापादकापाद्यमानौ द्वावप्यर्थौ प्रकृतौ स्तः। तत्रापादकपुरुषसिंहापेक्षयाऽऽपाद्यमानस्य वनस्य नपुंसकत्वेन न्यूनतरा। तामेतां न्यूनतां स्फुटीकर्तुमेव 'किं चित्रम्' इति परिशेषोक्तिरिति भावः।

प्रसङ्ग-सूचना के साथ-साथ उपपादन किया जाता है—इयम् इत्यादि।

'मामनुरक्ताम्' इस पद्य का कथन राजा नल के द्वारा वन में छोड़ दी गई दमयन्ती (नल की पत्नी) के द्वारा ध्यान में प्राप्त नल के प्रति हुआ है।

यहाँ आपादित होने वाला वन का वृत्तान्त भी निकट होने के कारण प्रकृत ही हैं, अतः आपादक और आपाद्यमान दोनों ही प्रकृत हैं। नपुंसक होने के कारण आपाद्यमान वन आपादक पुरुष सिंह की अपेक्षा न्यून है। इसी न्यूनता को स्पष्ट करने के लिए अन्त में 'क्या आश्चर्य है' ऐसा कहा गया है।

भेदान्तरोदाहरणमाह—

'उदुम्बरफलानीव ब्रह्माण्डान्यत्ति यः सदा।
सर्वगर्वापहः कालस्तस्य के मशका वयम् ॥'

सर्वगर्वापहः सकलप्राणिगर्वापहारकः, यः, कालः महाकालः, ब्रह्माण्डानि जगन्ति, उदुम्बरफलानीव उदुम्बरफलवत्, अत्ति भक्षयति तस्य कालस्य, अग्रे इति शेषः, मशकाः मशकरूपाः क्षुद्रा इति यावत्, वयम्, के ? न केऽपीत्यर्थः। समग्रब्रह्माण्डभक्षणसामर्थ्यवतः कालस्य क्षुद्रजीवभक्षणे न काऽपि कठिनतेति भावः।

अन्य भेद का उदाहरण दिया जाता है—उदुम्बर इत्यादि।

सबके अभिमान का अपहरण करने वाला जो काल उदुम्बर के फलों के समान ब्रह्माण्डों को सदा खाता रहता है, उस काल के लिए हम मच्छर कौन हैं।

उपपादयति—

अत्राप्रकृतेन ब्रह्माण्डादनेन समस्तभूतानामनित्यत्वं कैमुतिकन्यायेन प्रकृतं प्रतिपाद्यते।

ब्रह्माण्डादनेनेति । ब्रह्माण्डभक्षणेनेत्यर्थः। कैमुतिकन्यायेनेति । स्वाभाविकतयेति भावः। कविकल्पनया नेति सारांशः, 'उदुम्बर—' इत्यस्मिन्पद्ये कालकर्तृकब्रह्माण्डभक्षणमप्रकृतमवर्णनीयत्वात्, तेन च प्रकृतस्य सकलसांसारिकवस्त्वनित्यत्वस्य प्रतिपादनं कैमुतिकन्यायेन भवतीति पद्यमिदमर्थापत्तेरप्रकृतेन प्रकृतापादनरूपाया उदाहरणं संपद्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'उदुम्बर—' इस पद्य में अप्रस्तुत ब्रह्माण्डभक्षण से प्रस्तुत समस्त प्राणियों की अनित्यता का प्रतिपादन 'कैमुतिकन्याय' से—अर्थात् स्वाभाविक रूप से, न, कि कविकल्पित रूप से, किया जाता है।

भेदान्तरोदाहरणमुल्लिखति—

'न भवानिह मे लक्ष्यः क्षत्रवर्णविलोपिनः।
के वा विटपिनो राम कुलाचलभिदः पवेः ॥'

हे राम रामचन्द्र !, क्षत्रवर्णविलोपिनः क्षत्रियजातिविनाशकारिणः, मे मम (जामदग्न्यस्य) इह संसारे, भवान् रामः, लक्ष्यः विनाश्यः, न, अस्तीति शेषः, कुलाचलभिदः कुलपर्वतभेदकस्य, पवेः वज्रस्य, विटपिनः, वृक्षाः, के ? न केऽपीत्यर्थः।

अन्य भेद का उदाहरण दिया जाता है—न भवानिह इत्यादि।

हे राम ! इस संसार में क्षत्रिय जातीय मनुष्यमात्र का विनाश करनेवाले मेरे तुम लक्ष्य नहीं हो—तुम्हें मैं निशाना बनाऊँगा। कुल पर्वतों को तोड़ने वाले वज्र के लिए वृक्ष क्या हैं ?

सप्रसङ्गमुपपादयति—

रामं प्रति जामदग्न्यस्येयमुक्तिः। अत्र प्रतिवस्तूपमा महावाक्यार्थः। तस्याश्च दलद्वयमुपमेयवाक्यार्थ उपमानवाक्यार्थश्च। तत्रोपमेयवाक्यार्थगतायामर्थापत्तावापाद्यमानस्तन्निमित्तभूतश्चेत्युभावप्यर्थौ प्रकृतौ। उपमानवाक्यार्थगतायां त्वप्रकृताविति।

अत्रेति। 'न भवान्—' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः। प्रतिवस्तूपमा महेति। 'क्षत्रलोपिनो मम भवान् लक्ष्यो न' इति प्रकृतवाक्यार्थः, 'अचलभेदकस्य वज्रस्याग्रे वृक्षः कः' इत्यप्रकृतवाक्यार्थः। अकिञ्चिद्गणनीयत्वरूपस्य एकस्यैव धर्मस्य भिन्नशब्दाभ्यां प्रतिपादनाद्वस्तुप्रतिवस्तुभावः, द्वयोश्चार्थमौपम्यमिति प्रतिवस्तूपमामहावाक्यार्थरूपेति भावः। तस्याश्चेति। प्रतिवस्तूपमायाश्चेत्यर्थः। दलद्वयमुपमेय इति। उक्तः प्रकृतवाक्यार्थ उपमेयोऽप्रकृतवाक्यार्थश्चोपमानमित्यर्थः। अर्थापत्तिविषय आह—तत्रेति। अयं भावः—अत्र द्वे अर्थापत्ती स्तः-एकोपमेयवाक्यार्थगता अपरोपमानवाक्यार्थगता च। तत्र प्रथमा क्षत्रवर्णविलोपेन 'भवतोऽपि विलोपः स्यादित्यर्थाक्षेपरूपा। अत्रापाद्यमानो भवद्विलोपसंभावनारूपोऽर्थः, आपादकः क्षत्रियवर्णविलोपरूपश्चार्थः प्रकृतः, द्वितीया चाचलभेदनरूपार्थेन वृक्षभेदापादनरूपा। अत्र चापाद्यमानो वृक्षभेदनरूपोऽर्थः आपादकः पर्वतभेदनरूपश्चेति द्वावप्यर्थौ अप्रकृतावेवेति।

प्रसङ्ग-निर्देशपूर्वक उपपादन किया जाता है—रामं प्रति इत्यादि। 'न भवान्—' यह रामचन्द्र के प्रति परशुराम की उक्ति है।

यहां प्रतिवस्तूपमा महावाक्य का अर्थ है—अर्थात् यहां पूर्वार्ध तथा उत्तरार्धगत दो वाक्यों के अर्थों को मिलाकर प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार होता है, क्यों कि पूर्वार्धगत प्रकृत वाक्यार्थ उपमेय और उत्तरार्धगत अप्रकृत वाक्यार्थ उपमान है इन दोनों ही वाक्यों में 'अकिञ्चिद्गणनीयता' रूप एक धर्म का ही कथन भिन्न शब्दों के द्वारा हुआ है, अतः इन दोनों वाक्यार्थों में परस्पर वस्तु प्रतिवस्तुभाव है तथा अर्थतः इन दोनों वाक्यार्थों का साम्य गम्य होता है।

अब यहां इस प्रतिवस्तूपमा के मध्य में दो अर्थापत्तियां भी हैं—एक उपमेय वाक्यगत जिसका स्वरूप है क्षत्रियवर्ण के विलोप से राम के विलोप की कल्पना। इस अर्थापत्ति में आपाद्यमान राम विलोप और उसका निमित्त—अर्थात् आपादक क्षत्रियवर्ण विलोप दोनों ही प्रकृत हैं।

दूसरी अर्थापत्ति है उपमानवाक्यगत जिसका स्वरूप हैं पर्वत-भेदन की कल्पना। इसमें आपाद्यमान वृक्ष-भेदन और आपादक पर्वत भेदन दोनों ही अप्रकृत हैं।

उपसंहरन्नाह—

अनया दिशान्यदप्यूह्यम्।

उक्तरीत्या भेदान्तरोदाहरणान्यपि स्वयं तर्कणीयानीति भावः,

उपसंहार किया जाता है—अनया इत्यादि।

उक्त रीति से अन्य भेदों के उदाहरणों का ऊह स्वयं कर लेना चाहिए।

अर्थापत्तिविषयकं विचारमेकं रुचिरं प्रचारयति—

अत्र विचार्यते-नेयं वाक्यवित्संमतायामर्थापत्तौ निविशते। आपादकस्यार्थस्यापतितमर्थं विनानुपपत्तेरत्राभावात्, नाप्यनुमाने। आपततोऽर्थस्यापादकासमानाधिकरणत्वेन व्याप्यत्व-पक्षधर्मत्वयोर्दूरापास्तत्वात्। न च येन कारणेनैकार्थसिद्धिस्तेनैव लिङ्गेनापरार्थानुमानमिति वाच्यम्। अर्थान्तरसिद्धेरनुमित्यात्मकताविरहात्। यतोऽयमर्थोऽपि भवितुमर्हतीति बुद्धेराकारः न तु भवत्येवेति। नापि यद्यर्थातिशयोक्तौ। तस्या विपरीतार्थ एव द्वयोर्विश्रान्तेः। न चेह तथा, आपादकस्य सिद्धत्वादापततश्च संभाव्यमानत्वाद्यथाश्रुत एव विश्रान्तेः। तस्माद्येन न्यायेनैकोऽर्थः सिद्धस्तेनैव न्यायेनापरोऽप्यर्थः सेद्धुमर्हतीत्येवं रूपेयमर्थापत्तिः।

वाक्यविदिति। मीमांसकेत्यर्थः। मीमांसका यामेकामर्थापत्तिमङ्गीकुर्वन्ति तत्रापाद्यं विनाऽऽपादकस्यानुपपत्तिर्भवति, यथा 'पीनोऽयं देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' इत्यत्र भोजनं विनाऽनुपपन्नेन पीनत्वेन दिवाऽभुञ्जानस्य देवदत्तस्य रात्रिभोजनमापाद्यते आलङ्कारिकाभिमतायामर्थापत्तौ तु नापाद्यं विनाऽऽपादकस्यानुपपत्तिः। यथा 'लीलालुण्ठित-' इत्यत्र विदुषामग्रे मूर्खाणां चापल्येन उपपन्नेनापि शकुन्तशिश्वादीनां फण्यादिमस्तकपदाधानस्यापादनं भवति, अतः आलङ्कारिकाणामर्थापत्तिर्मीमांसकानामर्थापत्तौ न निवेशमर्हति।

आलङ्कारिकाणामर्थापत्तौ आपादकापाद्यमानयोरर्थयोः सामानाधिकरण्यं न भवतीति आपादके आपाद्यनिरूपिता व्याप्तिः पक्षवृत्तिता च न स्याताम्, अत आलङ्कारिकाभिमतार्थापत्तेरनुमानेऽपि नान्तर्भावो भवितुं शक्नोति। शङ्कते—न चेति आलङ्कारिकाभिमतार्थापत्तौ कारणसाम्यादेकेनार्थेनापरार्थस्य सिद्धिर्भवतीत्युक्तम्। तथा च येन कारणेनापादकार्थसिद्धिस्तत्कारणरूपेणैव हेतुनाऽऽपाद्यार्थस्यानुमानं स्यादिति शङ्काशयः। समाधत्ते-अर्थान्तरसिद्धेरिति। अनुमित्यात्मकं ज्ञानम्। 'अयमर्थो भवत्येव' इत्याकारकं निश्चयरूपं भवति, अर्थापत्तिज्ञानाकारस्तु। 'अयमर्थोऽपि भवितुमर्हति' इत्येवं संभावनात्मक इत्यर्थापत्तौ जायमानाया अर्थान्तरसिद्धेरनुमितिरूपता न भवितुमर्हतीति समाधानाशयः।

मम्मटादिसम्मतायां यद्यर्थातिशयोक्तौ प्रकृताप्रकृतयोर्द्वयोरप्यर्थयोः स्वविपरीतार्थयोरेव विश्रान्तिर्जायते, यथा-राकायामकलङ्कं चेदमृतांशोर्भवेद् वपुः। तस्या मुखं तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात्॥' इत्यत्र 'राकायां नामृतांशोर्वपुरकलङ्कमतो न तस्या मुखं साम्यपराभवं लभेत' इत्यत्र विश्रान्तिः।

अर्थापत्तौ तु आपादकस्यापाद्यमानस्य च यथाश्रुत एव विश्रान्तिः, आपादकस्य सिद्धत्वादापद्यमानस्य च संभाव्यमानत्वात्। एवञ्च यद्यर्थातिशयोक्तावपि नार्थापत्तेरन्तर्भाव इति भावः। उपसंहरन्नाह—तस्मादिति।

अर्थापत्ति के विषय में एक विचार किया जाता है—अत्र विचार्यते इत्यादि।

अर्थापत्ति के संबन्ध में विचार यह किया जाता है कि आलङ्कारिकों की यह अर्थापत्ति आखिर कहां समाविष्ट होती है ? मीमांसकों की अर्थापत्ति में ? अथवा अनुमान में किंवा यद्यर्थातिशयोक्ति में ? उत्तर एक है-कहीं नहीं। देखिए मीमांसकों की अर्थापत्ति वहाँ होती है जहाँ आपतित होने वाले अर्थ के विना आपादक अर्थ की अनुपपत्ति रहती है,

जैसे 'पीनो देवदत्तः दिवा न भुङ्क्ते-मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता' यहाँ दिन में न खाने पर भी मोटा होना उपपादक अर्थ है, जो रात्रि भोजन के विना अनुपपन्न है अतः प्रथम से दूसरे की कल्पना होती है। पर आलङ्कारिकों की अर्थापत्ति में इस तरह की अनुपपत्ति नहीं होती, अतः उस अर्थापत्ति में इस अर्थापत्ति का समावेश संभव नहीं है। इसी तरह अनुमान में भी इस का समावेश नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान के लिए हेतु की साध्यव्याप्यता तथा पक्षवृत्तिता आवश्यक होती है और अर्थापत्ति में आपादक अर्थ जिसे हेतु बनाना चाहेंगे, आपाद्य अर्थ, जिसे साध्य बनाना चाहेंगे, से व्याप्य नहीं होता तथा पक्षवृत्ति भी नहीं रहता। कारण दो समानाधिकरण (एक आधार में रहने वाले) पदार्थों में ही व्याप्य-व्यापकभाव होता है और पक्षवृत्तिता भी तभी होती है और यहां आपाद्यमान अर्थ आपादक अर्थ का समानाधिकरण होता नहीं।

यदि कहा जाय कि आलङ्कारिकों की अर्थापत्ति में भी कारण की समता से अन्य अर्थ की सिद्धि मानी गई है, फिर तो जिस कारण से एक अर्थ (आपादक) की सिद्धि होगी, उसी को हेतु मान कर दूसरे अर्थ (आपाद्य) की अनुमिति की जायगी तो यह भी उचित नहीं क्योंकि अर्थापत्ति में होने वाली अन्य अर्थ की सिद्धि अनुमितिरूप नहीं है। कारण, अर्थापत्ति में होनेवाले ज्ञान (सिद्धि) का आकार होता है 'यह अर्थ भी हो सकता है' ऐसा संभावनात्मक और अनुमिति का आकार होता है 'यह अर्थ होता ही है' ऐसा निश्चयात्मक।

इसी प्रकार यद्यर्थातिशयोक्ति में भी अर्थापत्ति का समावेश नहीं हो सकता है, क्योंकि मम्मट आदि आचार्यों के द्वारा मानी गई यद्यर्थातिशयोक्ति में प्रकृत तथा अप्रकृत दोनों ही अर्थों की विश्रान्ति अन्त में अपने से विपरीत अर्थों में होती है, जैसे-'राकायामक-लङ्कम्-अर्थात् पूनों की रात में यदि चन्द्र का स्वरूप निष्कलङ्क हो तब उस सुन्दरी का मुख समता के पराभव को प्राप्त करेगा' इस यद्यर्थातिशयोक्ति के उदाहरण में उक्त अर्थ का विश्राम अन्ततः 'न पूनों की रात में चन्द्र निष्कलङ्क होता है और न उस सुन्दरी का मुख साम्य-पराभव को प्राप्त करता है' इस विपरीत अर्थ में होता है, यहां ऐसी बात नहीं होती—अर्थात् यहां स्वतः सिद्ध होने के कारण आपादक अर्थ की तथा संभावित होने के कारण आपाद्यमान अर्थ की-दोनों की विश्रान्ति यथाश्रुत में ही होती है, विपरीत में नहीं।

अतः यह समझना चाहिए कि आलङ्कारिकों की यह अर्थापत्ति उन सबों से एक भिन्न ही वस्तु है जिसका रूप है 'जिस न्याय से एक अर्थ सिद्ध हुआ है उसी न्याय से दूसरे अर्थ का भी सिद्ध हो सकना'।

प्राचीनाचार्येभ्यो मतभेदं सूचयन्नाह—

अस्यां चार्थान्तरं लोकेऽविद्यमानमपि कविता स्वप्रतिभया कल्पयित्वा यद्यापाद्यते तदालङ्कारत्वम्। यथा 'फणिनां शकुन्तशिशवः' इत्यादौ। अन्यथा तु 'कैमुतिक' न्यायतामात्रम्।

यथा 'उदुम्बरफलानीव' इत्यादौ प्राचीनरीत्या तु प्रागुदाहृतमस्माभिः। अत एव तत्र 'कैमुतिक' न्यायेनेत्युक्तम् एवं च 'कमपरमवशं न विप्रकुर्युर्विभुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावाः, 'अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति सर्वामरगुरोर्विधौ वक्रे मूर्ध्नि स्थितवति वयं के पुनरमी' इत्यादि सर्वस्वकृता यदुदाहृतं, तन्नातीव हृदयङ्गमम्।

अस्यामिति। अर्थापत्तावित्यर्थः। अन्यथेति। कविकल्पितत्वाभाव इत्यर्थः। 'कमपरमवशम्-' इति। अमी सांसारिकाः, भावाः लोभक्रोधादयः, विभुमपि व्यापकमपि सर्वशक्तिसंपन्नमपीति यावत्, तम् परमेश्वरम् (शिवम्), यदि स्पृशन्ति आलिङ्गन्ति, तदा अवशम् अजितेन्द्रियम्, कम्, अपरम्, न विप्रकुर्युः न विकृतं विदधीरन् इत्यर्थः। 'अवस्थेयम्–इति। वक्रे कुटिले अथ च प्रतिकूले, विधौ चन्द्रे अथ च दैवे, मूर्ध्नि मस्तके स्थितवति वर्तमाने सर्वामरगुरोः सकलदेवप्रधानस्य, स्थाणोरपि शिवस्यापि, इयम् अवस्था भिक्षाटनादिवृत्तिस्वीकारदशा, भवति, तदा, अमी क्षुद्रतराः, वयम् सांसारिका जीवाः, पुनः, के? न केऽपीत्यर्थः। नातीव हृदयङ्गममिति। अपाद्यस्यार्थस्य कविप्रतिभाप्रसूततावितरहेण (स्वाभाविकत्वेन) सर्वस्वकारोक्तमर्थापत्त्युदाहरणं न सम्यगिति भावः।

प्राचीनों से मतभेद दिखलाया जाता है—अस्यामित्यादि।

इस अर्थापत्ति में अर्थान्तर (दूसरा अर्थ) संसार में अविद्यमान रहने पर भी कवि द्वारा अपनी प्रतिभा से कल्पना करके यदि आपादित हो तभी अलङ्कारता होती है। अभिप्राय यह हुआ कि अर्थापत्ति वहीं अलङ्काररूप होती है जहाँ कविकल्पित, वास्तविक नहीं, अर्थ की आपत्ति वर्णित हो। जैसे—'फणिनां—' इत्यादि पूर्वोदाहृत पद्यों में। अन्यथा—अर्थात् आपाद्यमान अर्थ के कविकल्पित न होने पर तो 'कैमुतिक' न्याय का भाव मात्र होता है, जैसे—'उदुम्बरफलानि इव—' इत्यादि पूर्वोक्त पद्यों में।

यदि कहा जाय कि तब आपने पहले इस पद्य को अर्थापत्ति अलङ्कार के रूप में कैसे लिखा? तो इसका उत्तर है कि प्राचीनों की रीति से। अत एव वहाँ 'कैमुतिक न्याय से' ऐसा लिखा गया है। तात्पर्य यह कि 'उदुम्बरफलानि-' यह पद्य पण्डितराज के विचार से अर्थापत्ति अलङ्कार का उदाहरण नहीं ही है।

इस तरह अब सिद्ध हो गया कि अलङ्कारसर्वस्व-कारने जो 'कमपरमवशम्–अर्थात् ये भाव (काम-क्रोधादिक वृत्तियाँ) यदि विभु (व्यापक–सर्व समर्थ) भगवान् शिव को भी स्पर्श करते हैं तो अन्य किस परतन्त्र प्राणी को तङ्ग नहीं कर सकते हैं' और 'अवस्थेयम्–अर्थात् वक्र विधि अथवा विधु जब शिर पर स्थित हो तब सब देवताओं में श्रेष्ठ शिव जी की यह दशा (भिक्षाटन आदि) होती है तो फिर ये हम कौन हैं।' इत्यादि उदाहरण अर्थापत्ति अलङ्कार के दिए हैं वे अत्यन्त हृदयङ्गम नहीं हैं–अर्थात् इन उदाहरणों में आपाद्य अर्थ कविकल्पित नहीं, अपितु वास्तविक हैं, अतः ये पद्य उदाहरण नहीं हो सकते हैं।

कुवलयानन्दकारकृतमर्थापत्तिलक्षणं खण्डयति—

यत्तु—'कैमुत्येनार्थसिद्धिः काव्यार्थापत्तिरिष्यते' इति कुवलयानन्द-कृता अस्या लक्षणं निर्मितं तदसत्। कैमुतिकन्यायस्य न्यूनार्थविषयत्वेनाधिकार्थापत्तावव्याप्तेः। यथा—

'तवाग्रे यदि दारिद्र्यं स्थितं भूप! द्विजन्मनाम्।
शनैः सवितुरप्यग्रे तमः स्थास्यत्यसंशयम्॥'

अत्र शनैः शब्दमहिम्ना राजाग्रे दारिद्र्यस्थित्यपेक्षया सूर्याग्रे तमोऽवस्थानं दुःशकमेवेत्यत्रगतमपि न्यायसाम्यादापाद्यते, न तु कैमुतिकन्यायेनेति।

यत्र कैमुत्येन (किमुत इति रीत्या) कस्यचिदर्थस्य सिद्धिर्भवति तत्र काव्यजगति प्रसिद्धोऽर्थापत्तिनामालङ्कार इत्यर्थकम् कुवलयानन्दकारकृतमर्थापत्तिलक्षणं न युक्तम्, अव्याप्तत्वात् । क्वाव्याप्तिरिति चेत् ? यत्र केनचिदर्थेन कस्यापि स्वतोऽधिकस्यार्थस्य कल्पनं भवति तत्रेति बोध्यम् । तत्रैतल्लक्षणं कुतो न संघटेतेति चेत् ? न्यूनार्थविषयस्य 'कैमुतिक'न्यायस्य तत्राप्रसङ्गादिति भावः । अव्याप्तिस्थलमुपदर्शयति—तवाग्रे इति । हे भूप राजन्, तव भवतः, अग्रे पुरः, द्विजन्मनाम् ब्राह्मणानाम्, दारिद्र्यम् अर्थकार्श्यम्, यदि, स्थितम्, तदा—सवितुः सूर्यस्य, अग्रेऽपि शनैः क्रमशः, तमः अन्धकारः, असंशयम् निश्चितम्, स्थास्यतीत्यर्थः । उपपादयति—अत्रेति । अस्मिन् पद्ये 'राज्ञोऽग्रे दारिद्र्यावस्थानापेक्षया सूर्यस्याग्रे तमसोऽवस्थानम् कठिनम्' इत्येषोऽर्थः 'शनैः'-शब्द-माहात्म्येन ज्ञातोऽपि न्यायसाम्यादापाद्यते इति समुचितोऽर्थापत्त्यलङ्कारः, 'कैमुतिक'न्याय-स्यात्राप्रसङ्गेन दीक्षितोक्तलक्षणस्याव्याप्तिरिति भावः ।

नागेशस्तु अत्र "अत्रेदं चिन्त्यते—तवाग्रे यदीत्यत्र वक्ष्यमाणसंभावना (अय-मलङ्कारो रसगङ्गाधरस्योपलब्धे भागे नोपलभ्यत इति बोध्यम्) यद्यर्थातिशयोक्तिर्वालङ्कारः । न च यद्यर्थातिशयोक्तावापाद्यापादकयोर्विपरीतार्थविश्रान्तत्वम् । इहत्वापादकस्य सिद्धत्वा-दापाद्यस्य संभाव्यमानत्वमिति विशेष इति वाच्यम् । न्यूनत्वाधिक्यादिभिरर्थापत्तिभेदस्य त्वया कल्पनवत्तस्या एव तथाविधभेदस्य कल्पने क्षत्यभावात् । न च कैमुत्येन सिद्धिरपि तद्भेद एवास्तु । प्राचामनुरोधेन भिन्नतयोक्तेः । न च कैमुत्यकृतश्चमत्कारोऽपि तद्-भेदकताया एव साधकोऽस्त्विति वाच्यम् । तत्कृतचमत्कारस्यालङ्कारभेदजनकताया दुरुपह्नवत्वाच्चेति दिक् ।" इत्याह ।

कुवलयानन्द-कार के मत का खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि ।

कुवलयानन्द-कार ने जो 'कैमुत्येन-अर्थात् कैमुत्य न्याय से किसी वस्तु की सिद्धि को काव्यार्थापत्ति कहते हैं' ऐसा लक्षण अर्थापत्ति का बनाया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि कैमुतिकन्याय का अवसर वहाँ आता है जहाँ किसी न्यून अर्थ की सिद्धि होती है, अतः जहाँ अधिक अर्थ की सिद्धि होने के कारण अर्थापत्ति अलङ्कार होता है वहाँ उक्त लक्षण की 'अव्याप्ति' हो जायगी । जैसे—'तवाग्रे-अर्थात् हे राजन्! यदि आप के आगे ब्राह्मणों की दरिद्रता बनी रह गई तब धीरे-धीरे सूर्य के सामने अन्धकार भी रहने लगेगा, इसमें संदेह नहीं।" इस पद्य में। यहाँ 'राजा के आगे दरिद्रता टिकी रहने की अपेक्षा सूर्य के आगे अन्धकार का रहना कठिन है' यह अर्थ पद्यगत 'शनैः-धीरे-धीरे' शब्द की महिमा से ज्ञात होता है, फलतः आपाद्य अर्थ 'सूर्य के आगे अन्धकार का रहना' आपादक अर्थ 'राजा के आगे दरिद्रता का रहना' से अधिक है यह सिद्ध है, फिर भी न्याय की समता से उक्त आपादक से उक्त आपाद्य की कल्पना की गई है, कैमुतिकन्याय से इस तरह की कल्पना नहीं की जा सकती है। सारांश यह कि यहाँ दीक्षित जी का लक्षण अव्याप्त हो जाता है, अतः ठीक नहीं है ।

नागेश का तो यहाँ यह कथन है कि 'तवाग्रे' इस पद्य में आगे कही जाने वाली संभावना (यह अलङ्कार रसगङ्गाधर के उपलब्ध भाग में आज प्राप्त नहीं होता) अथवा यद्यर्थातिशयोक्ति अलङ्कार है। कहा जायगा कि यद्यर्थातिशयोक्ति में आपाद्य और आपादक की विपरीत अर्थ में विश्रान्ति होती है, और यहाँ तो आपादक सिद्ध है और आपाद्य की संभावना की जा रही है-यह भेद है तो उत्तर यह है कि-जैसे आपने

अर्थापत्ति के न्यूनता तथा अधिकता के आधार पर भेद किए हैं उसी तरह 'यद्यर्थातिशयोक्ति' के भी वैसे भेदों की कल्पना करने में कोई बाधा नहीं है। कहा जायगा कि तब कैमुत्य से होने वाली सिद्धि (अर्थापत्ति) को भी यद्यर्थातिशयोक्ति का ही भेद होने दीजिए, तो इसका उत्तर यह है कि प्राचीनों के अनुरोध से अर्थापत्ति को पृथक् माना गया है। यदि कहा जाय कि कैमुत्यकृत चमत्कार को भी उक्त भेद का साधक ही मानिए, तो यह उचित नहीं, क्योंकि कैमुत्यकृत चमत्कार की अलङ्कारभेदजनकता छिपाई नहीं जा सकती।"

वस्तुतः ये दलीलें नागेश के दीक्षितमत-समर्थन के लिए दुराग्रह की सूचना ही देती हैं।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरेऽर्थापत्तिप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धेऽर्थापत्त्यलङ्कारनिरूपणप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत अर्थापत्ति अलङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामर्थापत्तिप्रकरणम्॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथ विकल्पः—

विकल्पालङ्कारो निरूप्यत्वेनारब्धो बोध्य इति भावः।

विकल्पालङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

विरुद्धयोः पाक्षिकी प्राप्तिर्विकल्पः॥

विरुद्धयोर्द्वयोः पदार्थयोः पाक्षिकी—अर्थात् एकतराभावेऽपरस्य या प्राप्तिः सा विकल्पालङ्कार उच्यत इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—विरुद्धयोरित्यादि।

दो विरोधी पदार्थों की पाक्षिक (जब एक प्राप्त हो तब दूसरा प्राप्त न हो ऐसी) प्राप्ति को विकल्पालङ्कार कहते हैं।

लक्षणं विविनक्ति—

एकस्मिन्धर्मिणि स्व-स्व-प्रापक-प्रमाण-प्राप्तयोरत एव तुल्यबलयोर्विरुद्धयोर्विरुद्धत्वादेव युगपत्प्राप्तेरसंभवात्पाक्षिक्येव प्राप्तिः पर्यवसन्ना।

अयं च समुच्चयस्य प्रतिपक्षभूतो व्यतिरेक इवोपमायाः, अत्र च विकल्प्यमानयोरौपम्यमलङ्कारताबीजम्, तदादायैव चमत्कारस्योल्लासात्। अन्यथा तु विकल्पतामात्रम्। यथा—'जीवनं मरणं वाऽस्तु नैव धर्मं त्यजाम्यहम्' इत्यादौ। अत्र जीवनमरणयोर्नौपम्यस्य प्रतीतिः।

लक्षणोक्ता पाक्षिकी प्राप्तिर्न शाब्दीत्याह—एकस्मिन्निति। एकस्मिन् वस्तुनि यदि तादृशौ द्वौ धर्मौ वर्ण्येते यौ मिथो विरुद्धावपि भिन्नेन-भिन्नेन प्रापकेण प्रमाणेन प्राप्तत्वात्तुल्यबलावत एव परस्परं बाधासमर्थौ भवेताम्, तदा तयोर्मिथोविरुद्धयोर्युगपत्प्राप्तिर्न समर्थयितुं शक्येति पाक्षिकी प्राप्तिस्तयोः पर्यवस्येत। फलत आर्थिकीयं पाक्षिकी प्राप्तिर्न शाब्दीति भावः।

अयं विकल्पालङ्कारः समुच्चयालङ्कारस्य प्रतिपक्षी तथैव, यथा व्यतिरेकालङ्कार उपमालंकारस्य प्रतिपक्षी। अस्मिन् विकल्पालंकारे, ययोर्द्वयोर्विकल्पस्तयोरौपम्यं प्रतीयमानमलङ्कारतामूलम्, औपम्यप्रतीतेरेव चमत्कारप्रयोजकत्वात्। यत्र तु 'औपम्यप्रतीतिर्न भवति तत्र विकल्पसत्त्वेऽप्यलङ्कारत्वान्न। यथा 'जीवनं मरणं वा—' इत्यादौ। एवंविधे स्थले जीवनमरणादीनां मिथ औपम्यं न प्रतीयत इति सारांशः।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—एकस्मिन् इत्यादि।

अभिप्राय यह है कि दो विरोधियों की पाक्षिक प्राप्ति यद्यपि शब्दतः कथित नहीं रहती, तथापि वह (पाक्षिक प्राप्ति) पर्यवसित होती है, क्योंकि जब किसी एक धर्मी में ऐसे दो विरुद्धधर्म वर्णित होंगे जो अपने-अपने प्रापक प्रमाण से प्राप्त होने के कारण समान बलवाले रहेंगे—अर्थात् एक दूसरे को बाधित नहीं कर सकेंगे, तब ऐसे दो धर्मों की एक धर्मी में एक साथ प्राप्ति तो मानने योग्य होगी नहीं, कारण, दो विरुद्ध पदार्थ एक साथ एक अधिकरण में नहीं रह सकते (एक साथ न रह सकना ही विरोध है), अतः यह मानना पड़ेगा कि ऐसे दो धर्मों का जो एक धर्मी में वर्णन होता है उसका तात्पर्य रहता है उन धर्मों की पाक्षिक प्राप्ति—वारी-वारी से स्थिति। सारांश यह हुआ कि—यह विकल्प आर्थ ही होगा, शाब्द नहीं।

यह विकल्पालङ्कार समुच्चयालङ्कार का प्रतिपक्षी—विपरीत है, जैसे व्यतिरेक उपमा का प्रतिपक्षी है। और इस अलङ्कार में विकल्पित होने वाले पदार्थों का सादृश्य, जो अभिव्यक्त होता है, अलङ्कारता का बीज है, क्योंकि उस सादृश्य को लेकर ही विकल्प में चमत्कार की सृष्टि होती है। जहाँ सादृश्य की प्रतीति नहीं होती, वहाँ केवल विकल्प होता है, विकल्पालङ्कार नहीं। जैसे 'जीवनं—अर्थात् जीवन रहे अथवा मरण हो, मैं धर्म का त्याग नहीं करता' इत्यादिक में, क्योंकि यहाँ जीवन तथा मरण का सादृश्य प्रतीत नहीं होता।

उदाहर्तुमाह—

उदाहरणम्—

स्पष्टम्।

उदाहरण, जैसे—

उदाहरणमुपस्थापयति—

'प्राणानर्पय सीतां वा गृध्रांस्तर्पय वा द्विजान्।
यमं भजस्व रामं वा यथेच्छसि तथाचर॥'

रावणं प्रति कस्यचिदुक्तिः—हे रावण! त्वम्, प्राणान्, सीतां, वा अर्पय, गृध्रान्, द्विजान् ब्राह्मणान्, वा, तर्पय तृप्तान् कुरु, यमं, रामं, वा, भजस्व सेवस्व, यथा, इच्छसि, तथा, आचर, इत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—प्राणान् इत्यादि।

रावण से कोई कहता है कि—हे रावण! तूँ प्राणों का अर्पण कर अथवा सीता का, गृध्रों को तृप्त कर अथवा ब्राह्मणों को, यम की सेवा कर अथवा राम की, जैसी इच्छा हो वैसा कर।

उपपादयति—

अत्रार्पणतर्पणभजनेषु मानरक्षणप्रमाणेन यथाक्रमं कर्मतया प्राणगृध्रयमा-

नाम्, जीवनरक्षणप्रमाणेन सीताद्विजरामाणां प्राप्तानां यौगपद्यासंभवात्पर्यायेण प्राप्तिः। कर्मणोः क्रियाफलेनैव समानधर्मेणौपम्यम्।

'प्राणान् अर्पय—' इत्यस्मिन्पद्ये अर्पण-तर्पण-भजनानि तिस्रः क्रियाः प्रेरणाविषयीभूताः, तासु प्रत्येकं द्वौ द्वौ कर्मकारकौ स्तः। यथाऽर्पणे प्राण-सीते, तर्पणे गृध्र-द्विजौ, भजने यम-रामौ चेति वस्तुस्थितिः। तत्र यदि त्वं मानरक्षणं प्रमाणीकरोषि तदा प्राणानर्पय, गृध्रान् तर्पय, यमं भजस्व इत्येवमन्वयः प्राप्तः, यदि च जीवनरक्षणं प्रमाणीकुरुषे तदा सीतामर्पय, द्विजान् तर्पय, रामं भजस्व इत्यन्वयः प्राप्तः। एवञ्चार्पणाद्येकैकक्रियायाम् मानरक्षणजीवनरक्षणात्मकाभ्यां प्रमाणाभ्याम् कर्मकारकतया प्राप्तौ प्राणसीताद्वय-गृध्रद्विजद्वयादिकौ द्वौ पदार्थौ समबलौ एकस्मिन्सत्यपरस्यासंभवाद् विरुद्धौ च, अतो युगपत् तयोस्तयोर्द्विकयोः एकस्यां क्रियायाम् कर्मतया प्राप्तिरसंभविनीति पर्यायेण प्राप्तिः पर्यवस्यति। विकल्प्यमानयोश्च कर्मकारकयोः (प्राणसीतयोः, गृध्रद्विजयोः, यमरामयोश्च) स्वस्वक्रियाफलात्मकेन (अन्याधीनत्व-तृप्ति-परसुखोत्पत्तिरूपेण) समानधर्मेणौपम्यमपि प्रतीयते इति भवतीदं पद्यं विकल्पालङ्कारोदाहरणमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'प्राणानर्पय–' इस पद्य में अर्पण, तर्पण, तथा सेवन (भजन) तीन क्रियायें हैं उनके कर्मकारक के रूप में मानरक्षणरूप प्रमाण से—अर्थात् यदि रावण को अपने प्राणों की रक्षा करना अभीष्ट हो तब, यथाक्रम प्राप्त हैं–प्राण, गृध्र और यम। और इसी तरह जीवन रक्षणरूप प्रमाण से—अर्थात् यदि रावण को अपने जीवन की सुरक्षा अभीष्ट हो तब, उन्हीं क्रियाओं में क्रमशः सीता, ब्राह्मण और राम कर्मकारक के रूप में प्राप्त हैं। इनका एक साथ होना विरुद्धता के कारण संभव नहीं है–अर्थात् प्राणों का अर्पण करना हो तो सीता का अर्पण प्राप्त नहीं है और सीता का अर्पण करना हो तो प्राणों का अर्पण प्राप्त नहीं है इत्यादि। एक से दूसरे का बाध हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही अपने-अपने प्रमाण से प्राप्त हैं—समबल हैं, अतः पर्याय क्रम से ही एक अथवा दूसरे की प्राप्ति मानी जायगी।

तीनों क्रियाओं के दोनों-दोनों कर्मों (प्राण-सीता, गृध्र-द्विज आदि) का परस्पर सादृश्य भी प्रतीत होता है और सादृश्यनियामक समान धर्म हैं अपनी-अपनी क्रिया के फल अर्थात् प्राण और सीता का समान धर्म है अर्पण क्रिया का फल दूसरे की अधीनता, गृध्र और ब्राह्मण का समान धर्म है तर्पण क्रिया का फल तृप्ति तथा यम और राम का समान धर्म है भजन क्रिया का फल सुखी बनाना। फलतः यह पद्य विकल्पालङ्कार का उदाहरण होता है।

आशङ्क्य समाधत्ते—

नन्वत्र यथार्पि-तर्प्यादिधात्वर्थफलरूपधर्मैक्यात्कर्मणोरौपम्यं गम्यते, तथा 'जीवनं मरणं वा' इत्यादौ सत्तारूपधर्मैक्याज्जीवन-मरणयोः कर्त्रोरपि तद् गन्तुं युज्यते इति चेत्, युज्यते, नतु गम्यते। अथ तत्कुतो हेतोः? कवितात्पर्यविरहादिति गृहाण। नह्यत्र मरणं जीवनं च समानमिति कवेरभिप्रेतम्। किंतु 'विषं भुङ्क्ष्व मा चास्य गृहे भुङ्क्थाः' इतिवत् धर्माद्धेतोर्मरणमपि ज्यायः न तु

धर्मत्याग इति निषिद्धगतद्वेषाधिक्यम्। तदर्थं च मरणस्योपात्तत्वादविवक्षिताधिकरणकतया औपम्यस्यानिष्पत्तिरेव।

अत्रेति। प्राणानर्पय-'इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः। धात्वर्थफलेति। 'फलव्यापारौ धात्वर्थः' इति सिद्धान्तात् धात्वर्थरूपफलेत्यर्थः। तदिति। औपम्यमित्यर्थः। गन्तुमिति। प्रतीतिविषयीभवितुमित्यर्थः, युज्यत इति। युक्तमिति भावः। तत्कुतो हेतोरिति। कस्मात्कारणात् न गम्यत इत्यर्थः। अभिप्रेतमाह—किं त्विति। इतिवदिति। 'विषं भुङ्क्ष्व-' इत्यस्य यथा विषभक्षणादप्येतद्गृहे भोजनमधिकदुष्टम्' इत्यार्थोऽभिप्रेतस्तथेति भावः। निषिद्धेति। धर्मत्यागेत्यर्थः। द्वेषाधिक्यमिति। अभिप्रेतमिति शेषः। तदर्थञ्चेति। निषिद्धगतद्वेषाधिक्यसूचनार्थमित्यर्थः। अविवक्षिताधिकरणकतयेति। औपम्यस्य यदेकमधिकरणं मरणं तदेवाविवक्षितमत औपम्यस्य निष्पत्तिर्न संभवतीति भावः।

एक शङ्का और उस का समाधान अब दिए जाते हैं—नन्वत्र इत्यादि।

यदि यह शङ्का की जाय कि 'प्राणानर्पय' इस पद्य में जिस तरह से अर्प्·तृप् आदि धातुओं के अर्थ फल (अधीनता आदि) [यहां यह ध्यान में रखना चाहिए कि फल तथा व्यापार दोनों ही धातु के अर्थ होते हैं, क्योंकि 'फलव्यापारौ धात्वर्थः' ऐसा सिद्धान्त है] को ही एक धर्म मानकर कर्मकारकों का औपम्य व्यक्त होता है उसी तरह से 'जीवनं मरणं वा' इत्यादिक पूर्वोक्त उदाहरणों में भी 'सत्ता' (होने) रूप एक धर्म के आधार पर जीवन और मरणरूप कर्तृकारकों के औपम्य की भी अभिव्यक्ति उचित है तो इस के समाधान में यह कहना है कि हां, उस तरह से कर्तृकारकों के औपम्य की भी अभिव्यक्ति उचित तो है, पर उस की अभिव्यक्ति होती नहीं है। आप पूछेंगे कि क्यों नहीं उस की अभिव्यक्ति होती है? तो इस का उत्तर यह दिया जायगा कि कवि-तात्पर्य के अभाव से उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यहां 'मरण तथा जीवन समान है' ऐसा कवि का अभिप्राय नहीं है, अपितु 'विषं भुङ्क्ष्व अर्थात् विष खालो पर इसके घर मत खाओ' इस वाक्य से जैसे वक्ता का यह तात्पर्य सूचित होता है कि विषभक्षण से भी अधिक हानिकर है इसके घर में भोजन करना उसी तरह यहां भी धर्म के लिए मरण भी उचित है, पर धर्म का परित्याग नहीं इस अर्थ की प्रतीति द्वारा 'निषिद्ध धर्मत्यागगत, द्वेष की अधिकता सूचित करना ही कवि का अभिप्रेत है। फलतः इसी द्वेषाधिक्य की सूचना के लिए मरण का उल्लेख हुआ है, न कि मरण का बोध कराने के लिए और जब मरणरूप अधिकरण ही अविवक्षित है तब उस मरण में रहने वाले आधेयभूत औपम्य की सिद्धि कैसे हो सकती है? अर्थात् उसकी सिद्धि नहीं होगी।

विकल्पालङ्कारविषये विशेषमेकं स्फुटीकुरुते—

क्वचिल्लुप्तं समानधर्ममादायाप्यौपम्यस्य गम्यत्वेऽयमलङ्कारः। यथा भगवद्गीतासु 'हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्' अत्र महीभोगस्वर्गप्राप्त्योरुत्तमत्वेनौपम्यं विवक्षितम्। तथा च धात्वर्थयोरयं विकल्प इत्येके। आख्यातार्थयोरित्यपरे। सर्वथैव न महीस्वर्गयोरिति स्थितम्। तयोः कारकत्वेनैव क्रियान्वयं विना विकल्पासंगतेः। न च धात्वर्थयोरेकस्य कर्तृरूपसाधारणधर्मस्योक्तत्वात्कथं लुप्ततेति वाच्यम्। कर्तृरूपसाधारणधर्ममादायौपम्यस्यात्र सुन्दरस्यानिष्पत्तेः। अन्यथा 'हतो वा नरकं गन्ता जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्' इत्यत्राप्यौपम्यप्रत्ययापत्तेः।

न केवलमुक्तसाधारणधर्ममूलकौपम्यप्रतीतावेव, अपि तु लुप्तसाधारणधर्ममूलकौपम्यप्रतीतावपि विकल्पालंकारो भवति। यथा 'हतो वा—' इति भगवद्गीतापद्यांशे। स्वर्गप्राप्ति-महीभोगयोर्लुप्तोत्तमत्वरूपसाधारणधर्ममूलकौपम्यं प्रतीयते। अत्र धात्वर्थयोः प्राप्तिभोगयोर्विकल्प इति केषाञ्चिन्मतम्। प्राप्त्याश्रयभोगाश्रययोराख्यातार्थयोर्विकल्प इत्यपरेषाम् मतम्, महीस्वर्गयोः प्रातिपदिकार्थयोर्विकल्पो नेति मतद्वयसारांशः। ननु कुतो न महीस्वर्गयोर्विकल्पोऽङ्गीक्रियत इति चेन्न, महीस्वर्गयोः कारकतया क्रियान्वयं विना विकल्पासंगतेः। नचास्तु नामधात्वर्थयोरेव विकल्पः, किन्तु लुप्तसाधारणधर्ममादायात्रौपम्यप्रत्यय इति कथमुच्यते, कर्तृकारकात्मकमुक्तम् साधारणधर्ममादायापि तत्प्रतीतेः संभवादिति वाच्यम्, असुन्दरत्वेन तद्धर्ममूलकौपम्यस्य विवक्षितुमशक्यत्वात्। तादृशधर्मस्यासुन्दरत्वादेव 'हतो वा नरकं गन्ता—' इत्यत्र नौपम्यप्रतीतिरिति भावः।

विकल्पालङ्कार के विषय में एक विशेष का स्फुटीकरण किया जाता है—क्वचित् इत्यादि।

यह विकल्पालङ्कार कहीं-कहीं लुप्त साधारण धर्म को लेकर औपम्य की प्रतीति होने पर भी होता है। जैसे भगवद्गीता के 'हतो वा—अर्थात् हे अर्जुन! रण में हत होकर स्वर्ग पाओगे अथवा विजयी होकर पृथिवी का भोग करोगे' इस भगवद्वाक्य में। यहां पृथिवी-भोग और स्वर्ग-प्राप्ति का औपम्य 'उत्तमता' रूप लुप्त (अनुक्त) साधारण धर्म के आधार पर विवक्षित है।

इस तरह से यहां दो धात्वर्थों (भोग तथा प्राप्ति) का विकल्प है ऐसा कतिपय प्रधान विद्वानों का मत है। अन्य विद्वानों का मत है कि धात्वर्थों का नहीं, अपि तु आख्यातार्थों (तिङन्तार्थों = भोगाश्रय तथा प्राप्त्याश्रय) का यह विकल्प है। सारांश यह कि पृथ्वी और स्वर्ग का यह विकल्प किसी तरह नहीं है। कारण, पृथ्वी और स्वर्ग कारक (कर्मकारक) हैं, अतः क्रिया के साथ अन्वित हुए विना विकल्प संगत नहीं है।

अब यदि कोई कहे कि रहे दो धात्वर्थों अथवा दो आख्यातार्थों का ही विकल्प, पर यहां लुप्त साधारण धर्म के आधार पर औपम्य की अभिव्यक्ति होती है ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों कि यहां कर्ता (कर्तृकारक) रूप साधारण धर्म, जो उक्त ही है, को लेकर भी औपम्य की अभिव्यक्ति मानी जा सकती है तो इसके उत्तर में कहा जाता है कि कर्तारूप साधारण धर्म को लेकर यहां औपम्य की सिद्धि नहीं हो सकती, क्यों कि इस तरह का औपम्य सुन्दर (चमत्कारी) नहीं होता। यदि इस तरह के साधारण धर्म के आधार पर कल्पित औपम्य भी सुन्दर हो तब तो 'हतो वा—अर्थात् मर कर नरक जाओगे अथवा जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे' यहां भी औपम्य प्रतीत होने लगेगा।

सर्वस्वकारमतमुपन्यस्य निरस्यति—

यत्तु—

"—'भक्तिप्रह्वविलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पर्धिनी
ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतैर्नीतेहितप्राप्तये।
लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीदृशोस्तन्वती
युष्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं नेत्रे तनुर्वा हरेः॥'

अत्र विकल्पः। उत्तमत्वाच्च तुल्यप्रमाणश्लिष्टत्वम्" इत्यलङ्कारसर्वस्वकृतोक्तम्। तच्चिन्त्यम्। भवार्तिशमने तनु-नेत्रद्वन्द्वयोर्द्वयोरपि युगपत्कर्तृत्वे

विरोधाभावाद्विकल्पानुत्थानात्। 'विरोधे विकल्पः' इति हितेनैवोक्तम्। न च तनुमध्ये नेत्रयोः प्रविष्टत्वात्पृथगभिधानानौचित्येऽपि यत्पृथगभिधानं तदुक्तस्तनु-नेत्रद्वन्द्वयोर्विरोधमभिप्रेतं गमयतीति वाच्यम्। वास्तवस्यैव विरोधस्य विकल्पोत्थापकत्वेन वैवक्षिकस्याप्रयोजकत्वात्, विकल्पस्यात्रासुन्दरत्वाच्च। वस्तुतस्तु 'सकलकलं पुरमेतज्जातं संप्रति सुधांशुबिम्बमिव' इत्यादाविवात्रापि श्लेषमूलोपमैवालङ्कारः। तनुर्वेति तनुरिवेत्यर्थः। 'वा स्याद्विकल्पोपमयोः' इति वाशब्दस्येवार्थकत्वाभिधानात्। न च लिङ्गवचनभेद उपमायां दोष इति वाच्यम्। साधारणधर्मस्योपमानसामानाधिकरण्ये उपमेयसामानाधिकरण्ये च यत्र वैरूप्यं तत्रैव लिङ्गवचनभेदस्य दोषताया अभ्युपगतेः। यथा 'हंसीव धवलश्चन्द्रः सरांसीवामलं नभः' अत्र हंसी धवला, चन्द्रो धवलः, सरांस्यमलानि, नभो ह्यमलमिति साधारणधर्मस्योपमाने उपमेये च द्वैविध्येनैव प्रतीतेरुपमायाः सम्यगनिष्पत्तेः। नन्वेवं सति 'सरांसीव नभः' इत्यादौ लुप्तोपमायां कथं वचनभेदो दोष इति चेत्, तत्रापि प्रतीयमानसाधारणधर्मस्य वैरूप्यादेवेत्यभ्युपगमात् न च प्रतीयमानस्य धर्मस्य स्वशब्दानालिङ्गिततया सुतरां लिङ्गानालिङ्गनेन नास्ति वैरूप्यमिति शङ्क्यम्। शब्दालिङ्गितस्यैवार्थस्य प्रतीतेरिष्टेः। यदाहुः-'न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते' इति। यद्वा श्रुतार्थापत्तावभ्युपगम्यमानायां शब्द एव कल्प्यते, अर्थस्तु तेनाभिधीयत इत्यस्ति वैरूप्यम्। एवं स्थिते राजते-भासते-इत्यादितिङन्तप्रतिपाद्ये साधारणधर्मे यथा लिङ्गवचनभेदो न दोषस्तथात्रापीति। अत एव 'यस्मिन्नतिसरसो जनो जनपदाश्च' इति तुल्ययोगितापि संगच्छते। अन्यथा उपमागर्भत्वात्तस्या उपमाया दुष्टत्वे दुष्टतापत्तेः। श्लिष्टे धर्मलिङ्गसंख्याभेदादिनैव दूषणमिति प्रतिप्रसवाच्चेति दिक्।

'भक्तिप्रह्व—' इति। भक्तिप्रह्वानाम् भक्तिनम्राणाम् जनानाम्, विलोकने दर्शने प्रणयिनी (नपुंसकलिङ्गस्य प्रथमाद्विवचने रूपम्, एवमग्रेऽपि) प्रेमयुक्ते, नीलोत्पलस्पर्धिनी नीलकमलसदृशे, हितप्राप्तये अभिमतलाभाय, समाधिनिरतैः समाधिसंलग्नैः योगिभिरिति यावत्, ध्यानालम्बनताम् चिन्तनविषयतां, नीते प्रापिते, लावण्यस्य सौन्दर्यस्य महानिधी समुद्भूते, लक्ष्मीदृशोः लक्ष्मीनयनयोः, रसिकताम् रसयुक्तताम्, तन्वती विस्तारयन्ती, हरेः विष्णोः, नेत्रे नयने, युष्माकम् भवताम्, भवार्तिशमनम् संसारपीडाशान्तिम्, कुरुताम् (परस्मैपदिनः कृधातोः लोट्लकारे प्रथमपुरुषद्विवचने रूपम्), वा अथवा, भक्तिप्रह्वविलोकनप्रणयिनी (स्त्रीलिङ्गस्य प्रथमैकवचने रूपम्, एवमग्रेऽपि) भक्तिनम्रजनदर्शनस्नेहयुक्ता, नीलोत्पलस्पर्धिनी नीलकमलतुल्यामलश्यामवर्णेति यावत्, ईहितप्राप्तये अभीष्टलाभाय, समाधिनिरतैः, ध्यानालम्बनतां नीता, लावण्यस्य, महानिधिः समुद्भूता, लक्ष्मीदृशोः, रसिकतां, तन्वती विस्तारयन्ती, हरेः, तनुः शरीरम्, युष्माकम्, भवार्तिशमनं, कुरुताम् (आत्मनेपदिनः कृधातोः लोट्लकारे प्रथमपुरुषैकवचने रूपम्)। इतीयं व्याख्या सर्वस्वकारादिप्राचीनाचार्याभिमता। ग्रन्थकाराभिमतायां

व्याख्यायां तु 'तनुरिव हरेर्नेत्रे' इति विशेषः, वाशब्दस्येवार्थकत्वस्वीकारात् अन्यत् सर्वं प्राग्वत्। अत्र विकल्प इति, 'भक्तिप्रह्व-' इत्यत्र विकल्पालङ्कारः, नेत्रद्वन्द्व-तन्वोर्विकल्पेन भवार्तिशमनकारित्वादिति सर्वस्वकाराशयः। 'उत्तमत्वाच्च तुल्यप्रमाणाश्लिष्टत्वम्' इति। अस्फुटोऽयं सर्वस्वग्रन्थः। प्राय उत्तमत्वेन नेत्रद्वन्द्व-तन्वोः साम्यम्, भवार्तिशमनयोग्यतारूपतुल्यप्रमाणेन नेत्रद्वन्द्व-तन्वोः प्राप्तत्वम्, श्लिष्टविशेषणकत्वञ्च तयोरितितदभिप्रायः। निरस्यति—तच्चिन्त्यमिति। चिन्त्यत्वे हेतुमाह—भवार्तिशमन-इत्यादिना। युगपत्कर्तृत्व इति। सहैव भवार्तिशमनकरणान्वय इति भावः।

विरोधाभावे कुतो विकल्पानुत्थानमिति चेत्तत्राह—'विरोधे-' इति। तेनैवेति। अलङ्कारसर्वस्वकारेणैवेत्यर्थः। आशङ्कते—न चेति। नेत्रयुगलमपि शरीरान्तर्गतमेवेति 'तनुः' इत्युक्त्यैव नेत्रयुगलस्यापि संग्रहे संभवति पुनः 'नेत्रे' इत्युक्तिर्यद्यप्यनुचिता, तथापि यत्पृथक् नेत्रोपादानं कृतम्, तेन नेत्रद्वन्द्व-तन्वोर्मिथो विरोधः कवेरभिमत इति प्रतीयते, तथा च विकल्पोत्थानं संभवतीति शङ्काशयः। समाधत्ते—वास्तवस्यैवेति। वैवक्षिकस्याप्रयोजकत्वादिति। विवक्षामात्रसिद्धस्य विरोधस्य विकल्पाप्रयोजकत्वादित्यर्थः। विकल्पस्यात्रासुन्दरत्वाच्चेति। 'भगवतो नेत्रयुगलम् अथवा शरीरं भवतां भवपीडाशमनं करोतु' इत्याकारको विकल्पस्तुष्यद्दुर्जनन्यायेन स्वीक्रियमाणोऽपि नालङ्कारताप्रयोजको भवितुमर्हति, अचमत्कारित्वात्। अचमत्कारित्वं च तस्य भगवदङ्गान्यतममहत्त्वाधःकारित्वप्रयुक्तानौचित्यचुम्बितत्वेन बोध्यमिति भावः। अथ तर्हि कोऽत्रालङ्कारः? कथं तथा वर्णने कवेरभिप्राय इति चेत्तत्राह—वस्तुतस्त्विति। गुणक्रियान्यतरात्मकधर्ममूलकसाम्यविरहेऽपि श्लिष्टविशेषणात्मकधर्ममात्रमूलकसाम्यमादाय यथा 'सकलकलम्—' इत्यत्रोपमालङ्कारः स्वीक्रियते तथैव प्रकृतेऽपि विशेषणात्मकसाधारणधर्ममादाय नेत्रद्वन्द्व-तन्वोरुपमैवालङ्कारः, स च वाच्यः, वाशब्दस्येवार्थकत्वादिति भावः। शङ्कते—न च 'लिङ्ग-' इति। उपमानभूतशरीरोपस्थापकं तनुपदम् स्त्रीलिङ्गमेकवचनान्तञ्च, उपमेयनेत्रयुगलबोधकं नेत्रपदं तु नपुंसकं द्विवचनान्तञ्चेति उपमानोपमेययोर्लिङ्गवचनभेद उपमां दूषयेदिति शङ्काशयः। समाधत्ते—साधारणधर्मस्येति। तत्रैव लिङ्गवचनभेद उपमादूषको यत्रोपमानांशे उपमेयांशे च साधारणधर्मस्यान्वयो लिङ्गवचनभेदादेकयोक्त्या न संभवति। यथा 'हंसीव धवलश्चन्द्रः—' इत्यादौ प्रकृते तु श्लेषवशादेकरूपतामापन्नस्य विशेषणीभूतशब्दात्मकस्य साधारणधर्मस्यैकोक्त्या संभवत्येवोपमानोपमेययोरुभयोरन्वय इति नात्र लिङ्गवचनभेद उपमादोषायेति समाधानाशयः।

पुनः शङ्कते—नन्वेवमिति। साधारणधर्मान्वये द्वैविध्यापादकत्वेनैव यदि लिङ्गवचनभेदस्योपमादूषकत्वम्, तदा यत्र साधारणो धर्मो लुप्तस्तत्र तस्योपमादूषकता नोचिता, साधारणधर्मस्याभावे तत्र द्वैविध्यापादनासंभवादिति शङ्काभिप्रायः। समाधत्ते—तत्रापीति। लुप्तोपमास्थलेऽपि व्यञ्जनया साधारणधर्मः प्रतीयत एव, तथा च व्यङ्ग्यसाधारणधर्मान्वये वैरूप्यसंपादकतया तत्रापि लिङ्गादिभेदस्योपमादूषकता समुचितैवेति समाधानाशयः। पुनराशङ्कते—न च प्रतीयमानस्येति। प्रतीयमानसाधारणधर्मकोपमास्थले साधारणधर्मबोधकः शब्दो न तिष्ठति तथा च तत्र लिङ्गवचनभेदापत्तेः कथमवसर इति भावः। समाधत्ते—

शब्दालिङ्गितस्यैवेति । 'न सोऽस्ति—' इति सिद्धान्तेन व्यञ्जनाजन्यार्थबोधेऽपि विशेषणतया शब्दो भासत एवेति व्यङ्ग्येऽपि साधारणधर्मे लिङ्गवचनभेदापत्तिः संभवत्येवेति सारांशः । अथ लुप्तोपमास्थले लुप्तस्य साधारणधर्मादेर्न व्यञ्जनया प्रतीतिरपि तु श्रुतार्थापत्त्या इति चेत्तत्राह—यद्वेति । श्रुतात् शब्दादर्थस्यापत्तिरित्यर्थकश्रुतार्थापत्तिपक्षस्वीकारे तु शब्दकल्पनाया आवश्यकत्वेन सर्वत्र साधारणधर्मवैरूप्यसंपादकतया लिङ्गवचनभेदस्योपमायां दोषतेति भावः । निष्कर्षमाह—एवं स्थिते इति । लिङ्गवचनभेद इति । अत्र वचनभेदकथनमानुषङ्गिकम् , न तु विवक्षाविषयीभूतम् , 'चन्द्र इव दूरे महादीपा भासन्ते' इत्यादौ तिङन्तप्रतिपाद्यसाधारणधर्मकोपमास्थलेऽपि वचनभेदस्य दोषत्वौचित्यादिति बोध्यम् । अत एवेति । लिङ्गादिभेदस्य सर्वत्र दोषत्वविरहादेवेत्यर्थः । यस्मिन्निति । रसेन सहितः = सरसः अतिशयितः स इत्यतिसरसः, इतिजनपक्षे, अतिशयितानि सरांसि येषु तेऽतिसरसः = अतिशयितसरोवरयुक्ता इति जनपदपक्षे व्याख्या बोध्या । अत्र जन-जनपदयोः क्रमश एकवचनान्त-बहुवचनान्ततया वचनभेदो वर्तमानोऽपि साधारणधर्मस्यैकरूप्येणान्वयसंभवान्नोपमादूषक इति भावः । मूलभूतशङ्कायाः समाधानान्तरमाह—श्लिष्ट इति ।

अलङ्कारशास्त्रे उपमादोषनिरूपणानन्तरम् 'श्लेषस्थले धर्मस्य लिङ्गभेदः संख्याभेदो वा न दोषः' इति प्रतिप्रसवः कृतः, तथा च 'भक्तिप्रह्व —' इत्यत्र सुतरां न लिङ्गवचनभेद उपमां दूषयेत् , श्लेषस्य वर्तमानत्वादिति भावः ।

अलङ्कारसर्वस्वकार के मत का खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि ।

"—'भक्तिप्रह्वविलोकनप्रणयिनी—अर्थात् भक्ति से हम नम्र बने जनों को देखने के प्रेमी, नीलकमल में स्पर्धा करने वाले, अपने हित को प्राप्त करने के लिए समाधिमग्न योगियों द्वारा ध्यान का आलम्बन बनाए गए, सौन्दर्य के समुद्र और लक्ष्मी की आंखों की रसिकता को बढ़ाने वाले भगवान् हरि के दोनों नेत्र आप की भव-पीडा का शमन करें अथवा भक्तिनम्र जनों को देखने में (उनकी देखभाल करने में) प्रेम रखने वाली, नीलकमल के समान (श्याम वर्ण) अपने अभिष्ट की प्राप्ति करने के लिए योगियों द्वारा ध्यान का आलम्बन बनाई गई, सौन्दर्य-समुद्ररूपा और लक्ष्मी–नयनों की रसिकता का विस्तार करने वाली भगवान् की तनु (शरीर) आप की भव-पीडा का शमन करे ।' (यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि नेत्र पक्ष में 'भक्तिप्रह्वविलोकनप्रणयिनी' इत्यादि विशेषणबोधक पद नपुंसक लिङ्ग के प्रथमा-द्विवचन में प्रयुक्त हैं और 'कुरुताम्' यह क्रिया पद परस्मैपदीय कृधातु से लोट् लकार के प्रथम पुरुष के द्विवचन में बना है और तनु पक्ष में उक्त सभी विशेषणबोधक पद स्त्रीलिङ्ग की प्रथमा के एकवचन में प्रयुक्त हैं और उक्त क्रियापद आत्मनेपदीय कृधातु से लोट् लकार के प्रथम पुरुष के एकवचन में बना है) [इस तरह यहां लिङ्ग तथा वचन के श्लेष हैं]। ऊपर भी व्याख्या प्राचीनों के अनुसार की गई है। पण्डितराज के अनुसार तो 'वा' शब्द को इवार्थक मान कर 'तनु के समान हरि के नेत्र' इस तरह से व्याख्या होगी। इस श्लोक में विकल्पालङ्कार है और विकल्प्यमान पदार्थों (नेत्र युगल तथा तनु) में परस्पर सादृश्य उत्तमत्व रूप लुप्त साधारण प्रतीत होता है तथा विकल्प्यमान दोनों पदार्थों की प्राप्ति भवपीडाशमनरूप तुल्य प्रमाण से हुई है, साथ ही यहां विशेषण श्लिष्ट हैं ।"

(यहां सर्वस्वकार की पंक्ति, जो उद्धृत की गई है, अस्पष्ट है, फिर भी मैंने उसका भाव अपने हिसाब से लिखा है) ऐसा जो अलङ्कारसर्वस्वकार ने कहा है, वह चिन्तनीय है, क्यों कि भव-पीडा-शमन में एक साथ तनु तथा नेत्रयुगल-दोनों का कर्तृत्वेन अन्वय होने में विरोध नहीं रहने के कारण विकल्प का उत्थान ही नहीं होता है। 'विरोध होने पर विकल्प होता है' ऐसा सर्वस्वकार ने स्वयं कहा है। यदि यह कहा जाय कि-नेत्र भी शरीर के अन्तर्गत होते हैं, अतः शरीर से पृथक् नेत्र कहने का कोई औचित्य नहीं था, फिर भी जो कवि ने तनु (शरीर) से पृथक नेत्रों का प्रतिपादन किया है उससे सिद्ध होता है कि कवि को नेत्रयुगल तथा तनु में विरोध अभिमत है तो यह भी ठीक नहीं, क्यों कि इस तरह के बलाद् विवक्षित विरोध रहने पर भी अभिष्ट नहीं सिद्ध हो सकता, कारण, वास्तविक विरोध ही विकल्पोत्थापक होता है, विवक्षाधीन (कल्पित) विरोध नहीं।

दूसरी बात यह भी है कि यहां यदि किसी तरह विकल्प माना भी जाय तथापि वह अलङ्कार नहीं हो सकता क्यों कि यहां वह असुन्दर है—चमत्कारशून्य है।

वस्तुतः यहां 'सकलकलम्—अर्थात् सकलकम् (कलकल शब्द सहित + सकलकला-युक्त) यह नगर संप्रति चन्द्रमण्डल जैसा हो गया' इत्यादि की तरह श्लेषमूलक उपमा ही अलङ्कार है, विकल्प नहीं। 'तनुर्वा' का अर्थ है तनु के समान। कारण, 'वा स्यात्—' इस कोश में 'वा' शब्द को इवार्थक कहा गया है।

इस पर यदि यह आशङ्का की जाय कि यहां उपमा मानने पर उसमें (उपमा में) लिङ्ग तथा वचन का भेद दोष आ जायगा (तात्पर्य यह कि 'तनुः' यह उपमानबोधक स्त्रीलिङ्ग तथा एकवचनान्त है और 'नेत्रे' यह उपमेयबोधक पद नपुंसकलिङ्ग तथा द्विवचनान्त है, ऐसा होना उपमा के लिए दोष माना गया है), तो यह भी उचित नहीं, क्यों कि लिङ्गभेद अथवा वचनभेद का वहीं उपमा का दोष माना जाता है, जहां उसके कारण उपमान तथा उपमेय में अन्वित करते समय साधारण धर्म की विरूपता होती हो, जैसे 'हंसीव—अर्थात् हंसी के समान चन्द्रमा सफेद है और सरोवरों के समान आकाश निर्मल है' इत्यादि स्थलों पर हुआ है। यहां 'हंसी धवला है, चन्द्र धवल है, सरोवर निर्मल हैं और आकाश निर्मल है' इस तरह साधारण धर्म की उपमान तथा उपमेय में द्विविधता से ही प्रतीति होने के कारण उपमा की सम्यक् निष्पत्ति नहीं होती।

प्रकृत में तो उपमान तथा उपमेयबोधक पदों में लिङ्ग तथा वचन का भेद रहने पर भी उसके कारण साधारण धर्म (श्लिष्ट विशेषण) का उनके साथ अन्वय करने में द्वैविध्य नहीं होता है, क्यों कि श्लेष के द्वारा एकवचन, द्विवचन और स्त्रीलिङ्ग-नपुंसक-लिङ्ग एक रूप कर दिए गए हैं।

कहा जायगा कि साधारण धर्म में वैरूप्य होने के कारण ही यदि लिङ्गभेद तथा वचनभेद को उपमा-दोष माना जाय, तब 'सरांसीव नभः—अर्थात् सरोवरों के समान आकाश' इत्यादिक लुप्त साधारण धर्म वाली उपमा में वचन का भेद (सरांसि-बहुवचन, नभः-एकवचन) कैसे दोष होगा? तो इसका उत्तर यह है कि वहां भी व्यङ्ग्य साधारण धर्म की विरूपता के कारण ही वचनभेद की दोषता स्वीकृत है। अभिप्राय है कि लुप्त साधारण धर्म वाली उपमा में भी साधारण धर्म व्यङ्ग्य होता ही है, उसको लुप्त कहने का तात्पर्य तद्बोधक पद के न रहने से है।

आप कहेंगे कि व्यङ्ग्य-साधारण धर्म का जब शब्द के साथ स्पर्श नहीं होता तब

लिङ्ग के साथ तो उसका स्पर्श सुतरां नहीं होता, क्यों कि लिङ्ग शब्द में ही सूचित होता है, अतः विरूपता का वहां कोई प्रश्न ही नहीं, तो यह भी उचित नहीं, क्यों कि प्रत्येक अर्थ शब्द सहित ही प्रतीत होता है, जैसा कि कहा जाता है—'न सोऽस्ति—अर्थात् ऐसा कोई बोध नहीं होता जिसके साथ शब्द न लगा रहता हो।'

अथवा साधारण धर्म की प्रतीति श्रुतार्थापत्ति के द्वारा मानने पर शब्द की ही कल्पना की जाती है, अर्थ का तो उसके द्वारा अभिधान ही होता है, अतः लुप्तोपमा-स्थल में भी साधारण धर्म की निरूपता संभव है और वैसी स्थिति में वचनभेद की दोषता भी होती ही है।

ऐसी स्थिति में 'राजते, भासते' इत्यादि तिङन्त से प्रतिपादित होनेवाले साधारणधर्म के रहने पर जिस तरह लिङ्ग-वचनभेद दोष नहीं होता (यहाँ यद्यपि लिङ्ग के साथ वचन भी कह दिया गया है जिससे प्रतीत होता है कि तिङन्त-प्रतिपाद्य साधारणधर्म स्थल में वचनभेद भी दोष नहीं होता, पर ऐसी बात है नहीं, तिङन्त प्रतिपाद्य साधारणधर्म में भी वचनभेद दोष होता ही है हाँ, लिङ्गभेद अवश्य दोष नहीं होता, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के अनुसार तिङन्त क्रिया में लिङ्ग नहीं होता), उसी तरह यहाँ भी ('भक्तिप्रह्व–' इस पद्य में) लिङ्ग–वचनभेद दोष नहीं हो सकता है।

लिङ्ग-वचनभेद के सर्वत्र दोष न होने के कारण ही 'यस्मिन्नतिसरसो जनो जन-पदाश्च—अर्थात् जहाँ लोक अतिसरस (अतिशयरसयुक्त) और जनपद भी अतिसरस (बहुत सरोवर वाले) हैं' यह तुल्ययोगिता वचनभेद होने पर भी संगत होती है, अन्यथा उपमामूलक होने के कारण वचनभेद दोष से उपमा के दुष्ट हो जाने पर तुल्य-योगिता भी दुष्ट हो जाती।

'भक्तिप्रह्व–' इस पद्य में लिङ्गवचनभेद प्रयुक्त उपमा के दुष्ट न होने का एक कारण यह भी है कि अलङ्कारशास्त्र में 'श्लेषमूलक उपमा में लिङ्गवचनभेद आदि दोष नहीं है' ऐसा प्रतिप्रसव-प्रतिविधान किया गया है।

प्रकरण समाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे विकल्पप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे विकल्पालङ्कारनिरूपणप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत विकल्पालङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां विकल्पप्रकरणम्।

अलंकारान्तरनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथ समुच्चयः—

समुच्चयालंकारो निरूप्यत्वेनारब्धो बोध्य इति भावः।

अब समुच्चयालङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

युगपत्पदार्थानामन्वयः समुच्चयः।

एककालावच्छेदेनानेकपदार्थानां कस्मिंश्चित्पदार्थेऽन्वयः समुच्चयालंकार इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—युगपत् इत्यादि।

अनेक पदार्थों के एक साथ होने वाले अन्वय को समुच्चयालङ्कार कहते हैं।

पदकृत्यमाह—

युगपदितिक्रमव्यावृत्त्यर्थम्, न त्वेकक्षणप्रतिपत्त्यर्थम्। तेन किञ्चित्काल-भेदेऽपि न समुच्चयभङ्गः।

लक्षणे 'युगपत्' इत्युक्तिरन्वयगतक्रमवारणाय, न त्वेकक्षणबोधाय। अत एव यत्र किञ्चित्कालभेदेनानेकपदार्थान्वयस्तत्रापि समुच्चयालंकारो भवत्येवेति भावः।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—युगपदिति इत्यादि।

लक्षण में 'युगपत् (एक साथ होने वाले) का ग्रहण क्रम-निवारण के लिए किया गया है, न कि एक क्षण का बोध कराने के लिए, अतः ईषत्काल के अन्तर से अन्वय होने पर भी समुच्चय का भङ्ग नहीं होता है।

समुच्चयस्य भेदानभिदधाति—

स तावद् द्विविधः—धर्मिभेदधर्म्यैक्याभ्याम्। धर्म्यैक्येऽपि द्वैविध्यम्—कारणत्वातिरिक्तसंबन्धेनैकधर्म्यन्वये, कारणतया एकधर्म्यन्वये चेति। एवं त्रिविधेऽस्मिन्नाद्यभेदयोर्गुणानां क्रियाणां च, तृतीये रमणीयानामरमणीयानां रमणीयारमणीयानां समन्वयः।

स इति। समुच्चय इत्यर्थः। धर्मिभेदेति। क्वचिदनेकेषु धर्मिषु एकपदार्थान्वयः, क्वचिच्चैकस्मिन् धर्मिणि अनेकपदार्थान्वय इति भावः। कारणत्वेति। कार्यकारणभावेत्यर्थः। कारणतयेति। कार्यकारणभावेनेत्यर्थः।

आद्ययोर्भेदयोरिति। भिन्नधर्मिके भेदे कारणतातिरिक्तसंबन्धेनान्वयवत्येकधर्मिके भेदे चेत्यर्थः। गुणानां क्रियाणामित्यादीनां 'समन्वयः' इत्यग्रिमेण संबन्धः। तृतीय इति। कारणतयैकधर्म्यन्वयवति भेद इत्यर्थः।

समुच्चय के भेद किए जाते हैं—स तावदित्यादि।

उक्त समुच्चय के प्रथमतः दो भेद होते हैं—भिन्न धर्मियों वाला और एकधर्मी वाला। एकधर्मी वाले भेद के भी दो अवान्तर भेद हो जाते हैं—कार्यकारणभाव से अतिरिक्त संबन्ध द्वारा एकधर्मी में अन्वय वाला और कार्यकारणभाव-संबन्ध द्वारा एकधर्मी में अन्वय वाला। इस तरह तीन प्रकार के समुच्चय में से प्रथम दो (भिन्न धर्मियों वाले और कार्यकारणभावातिरिक्त संबन्ध द्वारा एकधर्मी में अन्वय वाले) भेदों में गुणों, क्रियाओं और गुण क्रियाओं का तथा तीसरे (कार्यकारणभाव संबन्ध द्वारा एकधर्मी में अन्वय वाले) भेद में रमणीयों, अरमणीयों और रमणीयारमणीयों का अन्वय होता है।

समाध्यलंकारात् भेदं दर्शयितुमाशङ्क्य समाधत्ते—

न चास्मिन्वक्ष्यमाणसमाध्यलङ्कारत्वमाशङ्क्यम्। समाधौ हि एकेन कार्ये निष्पाद्यमानेऽप्यन्येनाकस्मिकमापतता कारणेन सौकर्यादिरूपोतिशयो यत्र संपाद्यते स विषयः। अस्मिंस्तु समुच्चयप्रभेदे यत्रैककार्यं सम्पादयितुं युगपदनेके खले कपोत इवाहमहमिकया संपतन्ति, कार्यस्य च न कोऽप्य-तिशयः सः।

अस्मिन्निति । कारणतयैकधर्म्यन्वयवति समुच्चयतृतीयभेद इत्यर्थः। समाध्यलंकारत्वमिति । उभयत्रानेककारणसमवधानादिति भावः। स इति। विषय इत्यस्यानुषङ्गः। समाध्यलंकारे कारणान्तरमकस्मादापतति कार्यसिद्धौ च सौकर्यम् जनयति, समुच्चयतृतीयभेदे तु कारणान्तरमहमहमिकया खले कपोतन्यायेन समुपतिष्ठते कार्यसिद्धौ च न किमपि सौकर्यादिकं जनयतीत्युभयोर्वैलक्षण्यमिति भावः।

शङ्का समाधान की शैली में समाधि अलङ्कार से समुच्चयालङ्कार के एक भेद की विलक्षणता बतलाई जाती है—न च इत्यादि।

समुच्चयालङ्कार के इस तृतीय (कार्यकारणभाव संबन्ध द्वारा एकधर्मी में अन्वय वाले) भेद में समाधि अलङ्कार, जिसका निरूपण आगे किया गया है, की आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ एक कारण के द्वारा कार्य सिद्ध होते समय अकस्मात् आ जुटने वाले दूसरे कारणों के द्वारा कार्य सिद्धि में सुकरता आदि किसी अतिशय का आधान किया जाता है वहाँ समाधि अलङ्कार होता है और समुच्चयालङ्कार का उक्त तृतीय प्रभेद तो वहाँ होता है जहाँ एक कार्य को सम्पन्न करने के लिए अनेक कारण 'खले कपोत' न्याय से अहमहमिकापूर्वक (मैं पहले तो मैं पहले इस रीति से) जुटते हैं, पर कार्य सिद्धि में कोई खूबी पैदा नहीं करते।

उदाहर्तुमाह—

क्रमेणोदाहरणानि—

स्पष्टम्।

क्रमशः उदाहरण दिए जाते हैं—।

मित्रेषु धर्मिषु युगपद्गुणान्वयरूपं समुच्चयमुदाहरति—

'प्रादुर्भवति पयोदे कज्जलमलिनं बभूव नभः।
रक्तं च पथिकहृदयं कपोलपाली मृगीदृशः पाण्डुः॥'

पयोदे मेघे, प्रादुर्भवति प्रकटतां गच्छति, सति, नभः आकाशः, कज्जलमलिनम् कज्जलवत् श्यामम्, पथिकहृदयम् वियोगिजनमानसम्, रक्तम् अनुरक्तम् अथ च रक्तवर्णम्, मृगीदृशः मृगनयनाया नायिकायाः, कपोलपाली कपोलदेशः, च, पाण्डुः धवलः, बभूव अभूदित्यर्थः।

भिन्न धर्मियों में गुणों के एक साथ अन्वय होने से होने वाले समुच्चय का उदाहरण दिया जाता है—प्रादुर्भवति इत्यादि।

मेघ के प्रकट होने पर आकाश काजल के समान मलिन हो गया, वियोगियों का हृदय रक्त (लाल·अनुरक्त) हो गया, और मृगनयनाओं की कपोलभित्ति धवल हो गई।

भिन्नेषु धर्मिषु युगपत्क्रियान्वयरूपं समुच्चयमुदाहरति—

'उदितं मण्डलमिन्दोरुदितं सद्यो वियोगिवर्गेण।
मुदितं च सकलयुवजनचूडामणिशासनेन मदनेन॥'

इन्दोः चन्द्रस्य, मण्डलम्, उदितम्, सद्यः तत्काल एव, वियोगिवर्गेण विरहिजनसमूहेन, रुदितम् रोदनमारब्धम्, सकलानाम् सर्वेषाम्, युवजनचूडामणीनाम् युवकशिरोमणीनाम्, शासनेन शासकेन, मदनेन कामदेवेन, च, मुदितम् हर्षातिशयो लब्ध इत्यर्थः।

भिन्नधर्मियों में एक साथ अनेक क्रियाओं के अन्वय से होने वाले समुच्चय का उदाहरण दिया जाता है—उदितमित्यादि।

चन्द्रमण्डल का उदय हुआ, तत्काल विरहियों का समूह रो उठा और समस्त युवक शिरोमणिओं का शासक कामदेव हृष्ट हो गया।

उक्तोदाहरणद्वये वक्तव्यमुपपादयन्नाह—

अत्राद्ये गुणानां द्वितीये क्रियाणां च यौगपद्येन भिन्नधर्म्यन्वयः।

'प्रादुर्भवति—' इति पद्ये मालिन्यगुणस्य मेघे, रक्तत्वगुणस्य पथिकहृदये, पाण्डुत्वगुणस्य च कामिनीकपोलपाल्यां युगपदन्वयेन समुच्चयः, 'उदितम्—' इति पद्ये चोदयक्रियाया इन्दुमण्डले, रोदनक्रियाया वियोगिवर्गे, मोदक्रियायाश्च कामदेवेऽन्वयेन समुच्चय इति भावः।

उक्त दोनों उदाहरणों में समुच्चय का उपपादन किया जाता है—अत्राद्ये इत्यादि।

'प्रादुर्भवति—' इस उदाहरण में अनेक गुणों का एकसाथ भिन्नधर्मियों में अन्वय हुआ है—अर्थात् मालिन्य का मेघ में, रक्तता का पथिक-हृदय में और धवलता का नायिका-कपोल में एकसाथ अन्वय हुआ है। और 'उदितम्–' इस द्वितीय उदाहरण में अनेक क्रियाओं का एकसाथ भिन्नधर्मियों में अन्वय हुआ है—अर्थात् उदय का चन्द्रमण्डल में, रोदन का वियोगिवर्ग में तथा मोद का कामदेव में अन्वय एकसाथ हुआ है।

एकस्मिन्धर्मिणि गुणानां सहान्वयेन सम्पद्यमानं समुच्चयमुदाहरति—

'आताम्रा सिन्धुकन्याधवचरणनखोल्लासिकान्तिच्छटाभि-
र्ज्योत्स्नाजालैर्जटानां त्रिपुरविजयिनो जातजाम्बूनदश्रीः।
स्वाभाव्यादच्छमुक्ताफलरचितलसद्गुच्छसच्छायकाया
पायादायासजालादमरसरिदघव्रातजातश्रमान्नः ॥'

भक्तो भागीरथीं स्तौति—सिन्धुकन्याधवस्य लक्ष्मीपतेः, चरणयोः, नखानाम्, या उल्लासिनी संशोभमाना, कान्तिः, तस्याः, छटाभिः, आताम्रा रक्तवर्णा, त्रिपुरविजयिनः शिवस्य, जटानाम् परिपक्वतया पिङ्गलवर्णानां लम्बमानकेशसमूहानाम्, ज्योत्सनाजालैः कान्तिपुञ्जैः, जाता उत्पन्ना, जाम्बूनदस्य सुवर्णस्य, श्रीरिवश्रीः यस्यास्तादृशी, स्वाभाव्यात् स्वभावतः, अच्छैः स्वच्छैः, मुक्ताफलैः मौक्तिकैः, रचिताः, ये, लसन्तः शोभमानाः, गुच्छाः, तैः सच्छायः समानः, कायः स्वरूपं, यस्याः सा, अमरसरित् गङ्गा, अघव्रातजातश्रमान् पापसमूहोत्पन्नश्रान्तियुक्तान्, नः अस्मान्, आयासजालात् कष्टसमूहात् पायात् रक्षेदित्यर्थः।

एकधर्मी में एकसाथ अनेक गुणों के अन्वय होने से सम्पन्न होने वाले समुच्चयालङ्कार का उदाहरण दिखलाया जाता है—आताम्रा इत्यादि।

गङ्गा की स्तुति करते हुए किसी भक्त का कथन है कि—लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु के चरणनखों की उल्लासमय कान्ति की छटाओं से रक्तवर्णा, शिव की पीली-पीली जटाओं के कान्ति समूह से सुवर्ण की सी शोभा वाली और स्वभावतः स्वच्छ मोतियों से बनाए गए सुन्दर गुच्छों के समान शरीर वाली गङ्गा, पाप समूह से थके हुए हम लोगों की, कष्ट समूह से, रक्षा करे।

एकस्मिन् धर्मिणि क्रियाणां सहान्वयेन सम्पद्यमानं समुच्चयमुदाहरति—

'देव त्वां परितः स्तुवन्तु कवयो लोभेन किं तावता
स्तव्यस्त्वं भवितासि यस्य तरुणश्चापप्रतापोऽधुना।
क्रोडान्तः कुरुतेतरां वसुमतीमाशाः समालिङ्गति
द्यां चुम्बत्यमरावतीं च सहसा गच्छत्यगम्यामपि॥'

हे देव राजन्!, कवयो, लोभेन, परितः सर्वतोभावेन, त्वां, स्तुवन्तु, तावता तेषां स्तुतिकरणेन, किम्, त्वम्, स्तव्यः स्तुतियोग्यः, भवितासि भविष्यसि? नेति भावः, कुत इति चेत्तत्राह—यस्य तव, तरुणः नवीनः चापप्रतापः धनुःप्रतापः, अधुना, वसुमतीम् पृथ्वीम्, क्रोडान्तः कुरुतेतराम् अतिशयेनोत्सङ्गमध्ये धत्ते, आशाः दिशाः, समालिङ्गति, द्याम् आकाशम्, चुम्बति स्पृशति, अगम्यामपि, अमरावतीम् इन्द्रपुरीम्, सहसा हठात्, गच्छति चेत्यर्थः। एतादृशपराङ्गनालम्पटस्वामी त्वं कथं स्तुतियोग्यः स्या इति भावः। तव चापप्रतापोऽधुना न केवलं मानवलोकमेवापि तु देवलोकमपि व्याप्य तिष्ठतीति वास्तविकोऽर्थस्तेन व्याजस्तुतिरियं पर्यवस्यति।

एकधर्मी में एक साथ क्रियाओं के अन्वय होने से सम्पन्न होने वाले समुच्चय का उदाहरण दिया जाता है—देव इत्यादि।

हे राजन्! कविगण लोभ के कारण चारों ओर से आप की स्तुति करें, पर इतने मात्र से क्या आप स्तुति योग्य हो जायगें? जिनके धनुष का तरुण प्रताप वसुमती (पृथ्वी) को अपने क्रोड में करता है, दिशाओं का आलिङ्गन करता है, द्यौः (आकाश) का चुम्बन करता है (स्पर्श करता है) और अगम्या (गमन के अयोग्य+प्राप्ति के अयोग्य) अमरावती (इन्द्रपुरी) (से) में सहसा गमन करता है। ऐसी परस्त्री-लम्पट कामुक के स्वामी आप स्तुति योग्य कैसे हो सकते हैं।

वास्तविक अर्थ यह है कि आप का प्रताप तीनों लोकों में फैला हुआ है। फलतः यहां स्तुतिपर्यवसायिनी निन्दा (व्याजस्तुति) है।

उपपादयति—

अत्राद्ये गुणानां द्वितीये क्रियाणामेकधर्म्यन्वयः।

'आताम्रा—' इत्यत्र ताम्रत्व-पीतत्व-धवलत्वगुणानाममरसरिद्रूपे एकस्मिन् धर्मिणि युगपदन्वयात्, 'देव त्वाम्—' इत्यत्र च क्रोडान्तःकरण-समालिङ्गन-चुम्बन-गमनक्रियाणां वर्णनीयनृपरूप एकस्मिन् धर्मिणि युगपदन्वयात् समुच्चयालङ्कार इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्राद्य इत्यादि।

यहां 'आताम्रा—' इस प्रथम उदाहरण में रक्तता, पीतता और धवलता रूप गुणों का गङ्गारूप एकधर्मी में एकसाथ अन्वय होने से, और 'देवत्वाम्—' इस द्वितीय उदाहरण में कोरे में करना, आलिङ्गन, चुम्बन तथा गमनरूप क्रियाओं का वर्णनीय राजारूप एक-धर्मी में एकसाथ अन्वय होने से, समुच्चयालङ्कार होता है।

आशङ्क्य समाधत्ते—

यद्यपि हरिचरणनखसंसर्गसमये नास्ति हरजटासंसर्ग इति रक्तपीतवर्णयो-र्यौगपद्यासंभवः, तथापि साहजिकश्वैत्येन सह तयोः प्रत्येकं तस्य संभवो-ऽस्त्येवेति न दोषः।

हरजटासंसर्ग इति । गङ्गाया इति शेषः । तयोरिति । रक्तपीतवर्णयोरित्यर्थः । तस्येति । यौगपद्यस्येत्यर्थः । अयं भावः—'आताम्रा' इति पद्ये रक्तत्वपीतत्वयोर्गुणयोर्यौगपद्येन गङ्गायां समन्वयो यदङ्गीक्रियते तन्न संभवति, यतो रक्तत्वं तत्र हरिचरणनखसंसर्गात् पीतत्वं च हरजटासंसर्गादास्थीयते, परन्तु हरिचरणनख-हरजटयोर्नैकदा संसर्ग इत्याशङ्कायां समाधानमिदं यत् मास्तु नाम रक्तत्वपीतत्वयोर्यौगपद्यम् गङ्गायाः स्वाभाविकेन श्वैत्येन सह रक्तत्वस्य पीतत्वस्य च कालभेदेन यौगपद्यम व्याहतमिति ।

एक आशङ्का का समाधान किया जाता है—यद्यपि इत्यादि ।

'आताम्रा—' इस उदाहरण के संबन्ध में यद्यपि यह कहा जा सकता है कि हरिचरण के नखों का संसर्ग जब गङ्गा में हुआ था तब हरजटा का संसर्ग नहीं था—अर्थात् ये दोनों संसर्ग एक समय में नहीं हुए हैं, ऐसी स्थिति में गङ्गा में रक्तवर्ण (हरिचरणनख संसर्ग से होने वाले) और पीतवर्ण (हरजटा संसर्ग से होने वाले) का एकसाथ होना संभव नहीं है, तथापि गङ्गा की स्वगत श्वेतता के साथ रक्तता और पीतता का यौगपद्य संभव है ही, अतः कोई दोष नहीं ।

कार्यकारणभावसंबन्धेनैकस्मिन् धर्मिणि रमणीयानेकपदार्थान्वयवशात् संपन्नस्य समुच्चयस्योदाहरणं समुपस्थापयति—

'समुत्पत्तिः पद्मारमणपदपद्मामलनखा-
न्निवासः कंदर्पप्रतिभटजटाजूटभवने ।
अथायं व्यासङ्गः पतितजननिस्तारणविधे
र्न कस्मादुत्कर्षस्तव जननि जागर्ति जगतः ॥'

भक्तो गङ्गां स्तुवन्नाह—हे जननि मातः ! पद्मारमणस्य लक्ष्मीपतेः, पदपद्मयोः चरणकमलयोः, अमलात् निर्मलात् नखात् , जातावेकवचनम् , नखेभ्य इति विवक्षितोऽर्थः, तव, समुत्पत्तिः, कन्दर्पप्रतिभटस्य कामशत्रोः शिवस्य, जटाजूटरूपे भवने, निवासः, अथ अनन्तरम् , पतितजननिस्तारणविधेः पतितजनोद्धारविधानस्य, अयम् प्रत्यक्षभूतः, व्यासङ्गः संलग्नता, विद्यत इति शेषः, अतः, जगतः संसारस्य, कस्मात् व्यक्तिविशेषात् , कस्माज्जगतः कस्मात् लोकादिति वा अर्थः, तव भवत्याः, उत्कर्षः, महत्ता, न जागर्ति न भवतीत्यर्थः ।

कार्यकारणभाव संबन्ध से एकधर्मी में अनेक रमणीय पदार्थों के एकसाथ अन्वय होने से सम्पन्न होनेवाले समुच्चय का उदाहरण दिखलाया जाता है—समुत्पत्तिः इत्यादि ।

भक्त गङ्गा की स्तुति में कहता है कि-हे मातः ! लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु के चरणकमल के निर्मल नख से आप की उत्पत्ति है, कामशत्रु शिव के जटाजूट रूप भवन में आप का निवास है और पतित जनों के उद्धार की विधि में यह आप की लगन है, फिर सांसारिक किस व्यक्ति से आप का उत्कर्ष नहीं जागरित होता है ?

उपपादयति—

अत्र त्रिष्वेकेनाप्युत्कर्षजनन संभवे त्रयोऽप्युत्कर्षजननार्थं स्पर्धयेवापतन्तो रमणीयाः ।

'समुत्पत्तिः—' इत्यस्मिन्पद्ये लक्ष्मीपतिचरणनखादुत्पत्तिः, शिवजटाजूटे निवासः, पतितोद्धारव्यासङ्गश्चेति त्रयो गङ्गाया उत्कर्षे हेतवः कथिताः, तत्र यद्यपि एकोऽपि हेतुर्गङ्गोत्कर्षोत्पादने क्षमस्तथापि त्रयोऽपि ते हेतवः स्पर्धयेव परापतन्ति। त्रयोऽपि च ते हेतवो रमणीयाः पदार्थाः। रमणीयानाञ्च तेषां हेतुभूतानां पदार्थानां कार्यात्मके उत्कर्षरूप एकस्मिन्धर्मिणि कारणतासंबन्धेनान्वयः। एवञ्च भवतीदं पद्यं यथोक्तभेदोदाहरणमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

अभिप्राय है कि-'समुत्पत्तिः—' इस पद्य में गङ्गा के उत्कर्ष में भगवान् के चरणनख से उत्पत्ति, शिव जी के जटाजूट में निवास और पतितों के उद्धार में लगन ये तीन कारण कहे गए हैं। यद्यपि इन तीन कारणों में से एक-एक भी गङ्गा के उत्कर्ष को सिद्ध कर सकता था, पर यहाँ 'मैं ही क्यों न सिद्ध करूँ' इस तरह की स्पर्धा से मानो सभी कारण जुट गए हैं। इस तरह जुटने वाले ये तीनों ही कारणीभूत पदार्थ रमणीय हैं, जिनका उत्कर्ष रूप एकधर्मी में कारणता संबन्ध से अन्वय होता है, अतः यह पद्य एकधर्मी में एकसाथ अनेक रमणीयों के अन्वय होने से समुच्चय का उदाहरण होता है।

एकस्मिन्धर्मिणि कारणतासंबन्धेनानेकारमणीयपदार्थानां युगपदन्वयेन सम्पद्यमानं समुच्चयमुदाहरति—

'पाटीरद्रुभुजङ्गपुंगवमुखोद्भूता वपुस्तापिनो
वाता वान्ति दहन्ति लोचनममी ताम्रा रसालद्रुमाः।
श्रोत्रे हन्त किरन्ति कूजितमिमे हालाहलं कोकिला
बाला बालमृणालकोमलतनुः प्राणान्कथं रक्षतु॥'

कविर्विरहिणीं वर्णयति—पाटीरद्रुषु चन्दनतरुषु ये भुजङ्गपुङ्गवाः सर्पराजास्तेषां मुखेभ्यः उद्भूता उत्पन्नाः, वपुस्तापिनः शरीरतापकारकाः, वाताः अनिलाः, वान्ति वहन्ति, ताम्राः रक्तपल्लवमयाः, अमी, रसालद्रुमाः आम्रवृक्षाः, लोचनं नयनम् दहन्ति तापयन्ति, इमे, कोकिलाः, हन्त खेदेन, श्रोत्रे कर्णे, जातावेकवचनम्, श्रोत्रयोरिति भावः, कूजितं हालाहलम् कूजनरूपं विषम्, किरन्ति निक्षिपन्ति, एतादृशस्थितौ, बालमृणालकोमलतनुः नवमृणालवन्मृदुलशरीरा, बाला अल्पवयस्का विरहिणी, प्राणान्, कथम् केन प्रकारेण, रक्षतु इत्यर्थः।

एकधर्मी में कारणता संबन्ध से अनेक अरमणीय पदार्थों का एकसाथ अन्वय होने से होने वाले समुच्चय का उदाहरण दिया जाता है—पाटीर इत्यादि।

कवि विरहिणी का वर्णन करता हुआ कहता है कि—चन्दनतरु पर रहने वाले बड़े-बड़े सर्पों के मुख से उत्पन्न, शरीर को संतप्त करने वाले अनिल चल रहे हैं, ये नव पल्लवों के कारण लाल बने आम्रवृक्ष नेत्रों को जला रहे हैं और हाय! ये कोकिल कानों में कूजन रूप विष उड़ेल रहे हैं, ऐसी स्थिति में, बाल मृणाल सदृश कोमल शरीर वाली बाला प्राणों की रक्षा किस प्रकार करे।

उपपादयति—

अत्रापि जीवनाशार्थमापतन्तोऽरमणीयाः।

'पाटीर-' इत्यस्मिन्पद्ये एकेनापि सिद्धवतो जीवनाशरूपकार्यस्य साधनाय स्पर्धयेवापततां वातादीनां त्रयाणाम् कारणीभूतानामरमणीयानां पदार्थानां जीवनाशात्मके एकस्मिन् धर्मिणि कारणता संबन्धेन युगपदन्वय इति समुच्चय इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्रापि इत्यादि।

'पाटीर-' इस पद्य में भी प्राणनाश के लिए स्पर्धा से जुटनेवाले विषदग्ध अनिल आदि तीनों कारणीभूत पदार्थ अरमणीय हैं। अभिप्राय यह कि अहमहमिका से जुटने वाले अनिल आदि अरमणीय पदार्थों का कारणता संबन्ध से प्राणनाश रूप एकधर्मी में अन्वय एकसाथ होता है, अतः यहाँ समुच्चय का उक्त प्रभेद है।

एकस्मिन्धर्मिणि कारणतासंबन्धेन रमणीयारमणीयपदार्थानां युगपदन्वयेन संपद्यमानं समुच्चयमुदाहरति—

'जीवितं मृत्युनालीढं संपदः श्वासविभ्रमाः।
रामाः क्षणप्रभारामाः शल्यान्येतानि देहिनाम् ॥'

जीवितम् जीवनम् मृत्युना, आलीढम् ग्रस्तमस्ति, संपदः संपत्तयः, श्वासवद् विभ्रमो विलासो यासां तादृशाः क्षणभुङ्गुरा इति यावत् , सन्ति, रामाः सुन्दर्यः, क्षणप्रभावत् विद्युद्वत् आरामो रमणीयता यासां तादृशाः, क्षणिकसौन्दर्यशालिन्य इति यावत्, विद्यन्ते इति, एतानि, देहिनां प्राणिनाम् , शल्यानि शल्यरूपाणि वर्तन्त इत्यर्थः।

एकधर्मी में एकसाथ कारणता संबन्ध से रमणीयारमणीय पदार्थों के अन्वय होने से होने वाले समुच्चय का उदाहरण दिया जाता है—जीवितम् इत्यादि।

जीवन मृत्यु से ग्रस्त है, संपत्तियाँ श्वास के समान विलास वाली (क्षणभङ्गुर) हैं और सुन्दरियाँ बिजली के समान सुन्दर (क्षणिक सौन्दर्य वाली) हैं, ये देहधारियों के लिए शल्य हैं।

उपपादयति—

अत्र जीवितादयः स्वाभाव्याद्रमणीया इति निःसारयितुमशक्याः, विशेषणमाहात्म्याच्चारमणीया इति दुःखजनकाश्च, अत एव शल्यतुल्याः।

"जीवितम्-' इत्यस्मिन्पद्ये जीवित-सम्पत्सुन्दर्यः स्वभावतो रमणीयाः पदार्थाः सन्ति, अत एव दूरीकर्तुं योग्या न भवन्ति, परन्तु मृत्व्यालीढत्वादिविशेषणप्रभावादरमणीया अत एव दुःखकराः संपद्यन्ते। तेषां दुःखकरत्वमरमणीयत्वञ्च सूचयितुमेव कविना शल्यतुल्यता तेषां कथ्यते। एवञ्च रमणीयारमणीयानां जीवितादीनाम् कारणतया शल्यतुल्यत्वोक्त्या सूच्यमाने दुःखजनकत्वरूपे एकस्मिन्धर्मिणि युगपदन्वय इति समुच्चय इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'जीवितम्—' इस पद्य में जीवन, संपत्ति और सुन्दरियाँ ये स्वतः रमणीय वस्तुएँ हैं, अतः हटाने योग्य नहीं हैं, पर मृत्युग्रस्तता आदि विशेषणों की महिमा से अरमणीय और दुःखजनक हो जाती हैं, अत एव उन्हें शल्य तुल्य कहा गया है। फलतः यहाँ मृत्युग्रस्त जीवन आदि रमणीयारमणीय पदार्थों का एकसाथ कारणता संबन्ध से दुःखजनकता (जो 'शल्य तुल्य' इस कथन से सूचित होता है) रूप एकधर्मी के अन्वय होने से समुच्चयालङ्कार होता है।

ननु रमणीयश्चारमणीयश्चेति द्वन्द्वेन रमणीयारमणीययोर्मिथोभेदोऽपेक्षित इति कथमुक्तमुदाहरणमिति चेत्तत्राह—

रमणीयाऽरमणीयशब्दे कर्मधारय आश्रीयते, न द्वन्द्वः, सहचरभिन्नत्वापत्तेः।

रमणीयो योऽरमणीय इति विग्रहवान् कर्मधारयसमास आश्रीयते रमणीयारमणीयपदे, न तूक्तविग्रहवान् द्वन्द्वसमासः। ननु द्वन्द्वसमासाश्रयणे का क्षतिरिति चेत्तत्राह—सहचरेति यद्येकस्य रमणीयस्यापरस्यारमणीयस्य पदार्थस्य समुच्चयः स्यात्तदा सहचरभिन्नताख्यो दोषः प्रसज्येतेति भावः।

सामान्यतः 'रमणीयारमणीय' कहने से ऐसा प्रतीत होता है कि एक रमणीय पदार्थ और दूसरा अरमणीय पदार्थ, पदनुसार उक्त उदाहरण असंगत सा प्रतीत होने लगता है, अतः रमणीयारमणीय पद के अर्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है—रमणीया इत्यादि।

यहाँ रमणीयारमणीय शब्द में कर्मधारय समास का आश्रयण किया जाता है, द्वन्द्व समास का नहीं–अर्थात् 'रमणीयारमणीय' का अर्थ रमणीय होते हुए अरमणीय है, रमणीय और अरमणीय नहीं। यदि वैसा अर्थ माना जाय तब रमणीय के साथ अरमणीय का वर्णन उदाहरण होगा, जिसमें 'सहचरभिन्नता' नामक काव्य दोष आ जायगा।

[यहाँ कारणता संबन्ध से अन्वयवाले सभी उदाहरणों में हिन्दीरसगङ्गाधरकार ने 'भिन्नधर्मियों में अन्वय' ऐसा लिखा है, जो भ्रममूलक है, क्योंकि उन उदाहरणों में भिन्नधर्मियों के साथ अन्वय नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भेद करते समय मूल में साफ लिखा है कि 'कारणतया एकधर्म्यन्वये च'।]

भेदान्तरमपि संभवतीत्याह—

एवमरमणीयरमणीयानामप्येककार्यजननार्थमापततां समुच्चयः संभवति।

खले कपोतन्यायेनैककार्योत्पादनार्थमापततां स्वतो रमणीयानां विशेषणमाहात्म्येन चारमणीयानां पदार्थानां यथा समुच्चयो दर्शितस्तथा स्वतोऽरमणीयानां विशेषणमाहात्म्येन रमणीयानामपि तथाविधानां पदार्थानां समुच्चयः संभवतीति भावः।

एक अन्य भेद भी हो सकता है यही बात अब कही जाती है—एवमित्यादि।

एक कार्य को उत्पन्न करने के लिए खलेकपोत न्याय से जुटने वाले स्वतः रमणीय पर विशेषण की महिमा से अरमणीय पदार्थों का समुच्चय जिस तरह होता है उसी तरह एक कार्य को उत्पन्न करने के लिए उक्त न्याय से आ जुटने वाले स्वतः अरमणीय पर विशेषण की महिमा से रमणीय पदार्थों का समुच्चय भी हो सकता है।

तादृशमुदाहरणमुल्लिखति—

'शरीरं ज्ञानजननं रोगो विष्णुस्मृतिप्रदः।
विपद्वैराग्यजननी त्रयं सुखकरं सताम्॥'

ज्ञानजननम् ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तभूतम् शरीरावच्छिन्न एवात्मनि ज्ञानोत्पत्तिसंभवात्, शरीरम्, विष्णुस्मृतिप्रदः भगवत्स्मरणहेतुभूतः, रोगः, वैराग्यजननी, विपत् इति त्रयम् सताम् सज्जनानाम्, सुखकरं, भवतीत्यर्थः।

अरमणीय-रमणीय का उदाहरण दिखलाया जाता है—शरीरम् इत्यादि। ज्ञानोत्पत्ति में सहायक शरीर, भगवान् विष्णु का स्मरण कराने वाला रोग और वैराग्य को उत्पन्न करने वाली विपत्ति—ये तीनों ही सज्जनों के लिए सुखकर होते हैं।

उपपादयति—

शरीरादयो हि स्वाभाव्यादरमणीया अपि भेदकमाहात्म्याद्रमणीयाः।

शरीरं, रोगो, विपच्चेति त्रयमपि स्वतोऽरमणीयम्, किन्तु भेदकस्य (विशेषणस्य) माहात्म्येन रमणीयम् संपद्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—शरीरादयो हि इत्यादि।

शरीर, रोग और विपत्ति ये तीनों यद्यपि स्वभावतः अरमणीय पदार्थ हैं, तथापि 'ज्ञानोत्पत्ति में सहायक' इत्यादि विशेषणों की महिमा से रमणीय हो गए हैं।

उक्तसमुच्चयभेदविषये शङ्कां पराभिमतामुत्थाप्य समाधत्ते—

न च रमणीयानां समुच्चये अरमणीयानां च समालङ्कारेण, रमणीयारमणीयानाञ्च विषमालङ्कारेण च संकीर्णत्वान्नैते प्रभेदा युक्ताः समुच्चयस्य। संकरस्य प्रभेदताप्रयोजकत्वविरहात्, अन्यथा सर्वेषामलङ्काराणामनन्तभेदत्वापत्तेरिति वाच्यम्। 'समुत्पत्तिः पद्मारमण—' इत्यत्र, 'पाटीरद्रुभुजङ्ग—' इत्यत्र च समालङ्कारस्याविवक्षितत्वात्। न हि हरिचरणनखसंभूतिहरजटाजूटनिवास-पतितनिस्तारणव्यासङ्गानां परस्परं योगो योग्य इति कवेरभिप्रेतम्। किंतु भगवत्या भागीरथ्या उत्कर्षं जनयितुं त्रयोऽपि जागरूका इति। नापि मलयानिलरसालद्रुमकोकिलकूजितानाम्। किंतु त्रयोऽपि बालायाः प्राणनाशार्थं बद्धपरिकरा इति। अत एव हन्तेति खेद उपपद्यते। समालङ्कारस्याभिप्रेतत्वे तु त्रयाणां योगस्य युक्तत्वात्खेदोऽनुपपन्न एव स्यात्। अथ बालाया मारकत्रितययोगोऽननुरूप इति विषमाभिप्रायेण खेदोपपत्तिरिति चेत्, एवमपि त्रयाणां योगांशे समालङ्कारस्यात्यन्तमप्रतीतेर्विषमस्य च बाह्यबालांशमादाय प्रतिष्ठानात्समुच्चयस्यासंकीर्णतैव। एवं 'जीवितं मृत्युनालीढम्' इत्यादौ जीवितादे रमणीयस्य मृत्युलीढत्वादिना अरमणीयत्वेऽपि न मृत्य्वालीढत्वादिकमयुक्तमिति कवेरिह विवक्षितम्। रमणीयानामचिरस्थायित्वस्योत्सर्गतः सिद्धेस्तस्य च स्वाभिलषिताननुगुणत्वाच्छल्यत्वप्रयोजकत्वम्। अतस्तृतीयप्रभेदस्यापि न विषमसंकीर्णत्वेनान्यथासिद्धिः। एतेन 'सद्योगासद्योगसदसद्योगैर्नं समुच्चयः प्रभेदवान्। समविषमसंकरेणैवान्यथा सिद्धेः' इति रत्नाकरोक्तमपास्तम्।

रमणीयानां समुच्चयोऽरमणीयानाञ्च समुच्चयः समालङ्कारसंकीर्णः, रमणीयारमणीयानां च समुच्चयो विषमालङ्कारसंकीर्णस्तथा च नैते त्रयो भेदाः समुच्चयस्य युक्ताः, संकरस्य भेदाप्रयोजकत्वात्। यदि संकरो भेदप्रयोजकः स्यात्तदा सर्वेऽलङ्कारा अनन्तप्रभेदाः स्युरिति पूर्वपक्षाशयो बोध्यः।

समाधानमाह—'समुत्पत्तिः-' इत्यादिना। जागरूका इतीति। कवेरभिप्रेतमिति पूर्वोक्तस्यानुषङ्गो बोध्यः। कूजितानामिति। योगो योग्य इति कवेरभिप्रेतमिति शेषः। बद्धपरिकरा इतीति। कवेरभिप्रेतमित्यस्य शेषोऽत्रापि वेदितव्यः, अत एवेति। तादृशार्थस्यैव कविनाभिप्रेतत्वादेवेत्यर्थः। कथंचित्खेदोपपत्तिमाह—अथेति। तथा खेदोपपत्तावपि न तवेष्टसिद्धिरित्याह—एवमपीति। बाह्यबालांशेति। समुच्चयघटकपदार्थबहिर्भूतबालांशेत्यर्थः। अयं भावः—रमणीयानां समुच्चयोऽरमणीयानां वा समुच्चयः समालङ्कारसंकीर्ण इति कथनं न युक्तम्, 'समुत्पत्तिः-' इति रमणीयसमुच्चयोदाहरणे 'पाटीर-' इत्यरमणीयसमुच्चयोदाहरणे वा समालङ्कारस्याविवक्षितत्वात्। कुतस्तत्र तस्याविवक्षितत्वमुच्यत इति चेत्? इत्थं बोध्यम्-'समुत्पत्तिः-' इत्यत्र रमणीयत्वेनोक्तानां हरिचरणनखसंभूत्यादीनां मिथो योगो योग्य इत्यर्थः, एवम् 'पाटीर-' इत्यत्रारमणीयत्वेनोक्तानां मलयानिलादीनां योगो योग्य इत्यर्थो यदि कवेरभिप्रेतः स्यात् तदा समालङ्कारो भवेत्, परन्तु तत्र तादृशोऽर्थो न कवेरभिप्रेतोऽपि तु गङ्गोत्कर्षजननाय हरिचरणनखसंभूत्यादयस्त्रयोऽपि जागरूका इति एवम् बालाप्राणविनाशाय मलयानिलादयस्त्रयोऽपि बद्धपरिकरा इति च क्रमशोऽर्थौ कवेरभिप्रेतौ। ननु तादृशार्थो न कवेरभिप्रेत ईदृशार्थश्च तस्याभिप्रेत इत्येव कुतो विज्ञायत इति चेत्? एवमवगन्तव्यम्-समालङ्कारसाधकतादृशार्थस्य कविनाभिप्रेतत्वे खेदसूचकहन्तपदप्रयोगोऽसंगतः स्यात्, युक्ते त्रयाणां योगे खेदस्यानुपपत्तेः। बालाया मारकत्रितययोगोऽननुरूप इत्याकारकस्य विषमस्यापि कव्यभिप्रायविषयतावर्णनेन खेदोपपत्तौ क्रियमाणायामपि समालङ्कारस्य प्रतीतिर्नैव समर्थिता भवति। अथ प्रतीतेन तथाविधेन विषमेणैव संकीर्णताऽस्त्विति चेन्न, समुच्चयघटकपदार्थबहिर्भूतबालांशमादाय प्रतितिष्ठताविषमेण समुच्चयसंकीर्णतोक्तेरुपहासास्पदत्वादिति। इत्थं रमणीयसमुच्चयस्यारमणीयसमुच्चयस्य च समसंकीर्णतां निरस्य रमणीयारमणीयसमुच्चयस्य विषमसंकीर्णतां निरस्यति—एवमित्यादिना। तस्य चेति। रमणीयानामचिरस्थायित्वस्य चेत्यर्थः। तृतीयप्रभेदस्येति। रमणीयारमणीयसमुच्चयस्येत्यर्थः। अयमाशयः—रमणीयारमणीयसमुच्चयोदाहरणे 'जीवितम्-' इत्यादौ जीवितादीनि स्वतोरमणीयानि वस्तूनि मृत्युग्रस्तत्वादिविशेषणमाहात्म्येन यद्यप्यरमणीयानि भवन्ति तथाप्यत्र जीवितादेर्मृत्युग्रस्तत्वादिकमयुक्तमित्यर्थो न कविविवक्षाविषयो येनात्र विषमालङ्कारः पदं निदध्यात्। अथ तस्यार्थस्याविवक्षितत्वे शल्यत्वोक्तिः कथं संगच्छतामिति चेदेवं बोध्यम्—स्वभावतः सिद्धं रमणीयानामचिरस्थायित्वं वक्तुः कवेरभिलषितस्य निर्बाधदीर्घकालिकभोगादेरननुकूलमिति शल्यरूपमुच्यते। फलतोऽयं समुच्चयस्य स्वतन्त्रो भेदो न विषमसंकीर्णत्वेनान्यथासिद्ध इति।

एतेन रत्नाकरोक्तमपि खण्डितमिति सूचयति = ऐतेनेति। सद्योगः (रमणीयानामन्वयः) असद्योगः (अरमणीयानामन्वयः) सदसद्योगः (रमणीयारमणीयानामन्वयः) इतीमे त्रयो न समुच्चयस्य प्रभेदाः, आद्ययोः समालंकारसंकरेणान्त्यस्य च विषमालंकारसंकरेण गतार्थत्वादिति यदुक्तम् रत्नाकरेण तदुक्तविचारेण खण्डितमिति भावः।

समुच्चय के कतिपय भेदों के संबन्ध में अन्य विद्वानों के द्वारा किए जाने वाले आक्षेप का खण्डन किया जाता है—नच इत्यादि।

"रमणीय पदार्थों का समुच्चय और अरमणीय पदार्थों का समुच्चय नियमतः सम अलङ्कार से संकीर्ण है इसी तरह रमणीयारमणीय पदार्थों का समुच्चय नियमतः विषमालङ्कार से संकीर्ण है। ऐसी स्थिति में इन तीनों को समुच्चय का प्रभेद मानना उचित नहीं, क्योंकि संकर प्रभेदता का प्रयोजक नहीं होता—अर्थात् संकर के आधार पर किसी अलङ्कार के भेद नहीं माने जा सकते हैं। यदि संकर को भेद प्रयोजक माना जाय तब तो सभी अलङ्कारों के अनन्तभेद होने लगेंगे" ऐसी आशङ्का उचित नहीं है। कारण, 'समुत्पत्तिः–' इस रमणीयपदार्थसमुच्चय के उदाहरण में तथा 'पाटीर–' इस अरमणीयपदार्थसमुच्चय के उदाहरण में सम अलङ्कार का कथन वक्ता (कवि) का अभीष्ट नहीं है, क्योंकि इन दोनों पद्यों में समालङ्कार का कथन तब वक्ता का अभीष्ट समझा जा सकता था यदि 'समुत्पत्तिः–' इस पद्य में 'भगवच्चरण के नखों से उत्पत्ति, शिवजी के जटाजूट में निवास और पतितों के उद्धार करने में लगन-इन तीनों का योग उचित है' ऐसा और 'पाटीर–' इस पद्य में 'मलयानिल, रसालवृक्ष और कोकिल-कूजन–इन तीनों का योग उचित है' ऐसा अर्थ कवि का अभिप्रेत होता, पर ऐसे अर्थ यहाँ कवि के अभिप्रेत नहीं हैं, अपितु 'भगवती भागीरथी के उत्कर्ष को उत्पन्न करने के लिए भगवच्चरण नखोत्पत्ति आदि तीनों ही वस्तुएँ जागरूक हैं' यह और 'बाला के प्राणों का विनाश करने के लिए मलयानिल आदि तीनों ही पदार्थ बद्ध परिकर हैं' यह अर्थ क्रमशः उक्त दोनों पद्यों में कवि के अभिप्रेत हैं।

द्वितीय पद्य ('पाटीर–') में 'हन्त' पद द्वारा अभिव्यक्त होने वाला खेद भी इसी लिए उपपन्न होता है। यदि समालङ्कार वहाँ कवि का अभिप्रेत रहता तब तो मलयानिल आदि तीनों अरमणीय पदार्थों के योग की युक्तता होने से खेद असंगत ही होता।

यदि कहा जाय कि बाला के लिए मारने वाले इन तीनों (मलयानिल आदि) का योग अनुरूप नहीं है इस विषय के अभिप्राय से खेद की संगति हो जाती है, तो ठीक है, पर मलयानिल आदि तीनों के योग अंश में समालङ्कार की प्रतीति बिलकुल नहीं होती और अभी आप ने जिस विषमालङ्कार की बात कही है उसकी स्थिति उस 'बाला' अंश को लेकर होती है जा समुच्चयगत पदार्थों—अर्थात् जिनको लेकर समुच्चय यहाँ होता है उन मलयानिलादि तीन पदार्थों, से बहिर्भूत है, अतः यहाँ का समुच्चय सम अथवा विषम किसी से संकीर्ण नहीं है।

इसी प्रकार 'जीवितम्–' इस रमणीयारमणीयसमुच्चय के उदाहरण में विषमालङ्कार विवक्षित नहीं है, क्योंकि वह तब विवक्षित समझा जाता, यदि 'जीवन आदि रमणीय पदार्थों का मृत्युग्रस्त होना आदि अयुक्त है' ऐसा अर्थ यहाँ कवि का अभिप्रेत होता, पर यहाँ जीवन आदि की मृत्युग्रस्तता आदि विशेषणों के कारण अरमणीयता सिद्ध होने पर भी 'जीवन का मृत्युग्रस्त होना अयुक्त है' इत्यादिक अर्थ अभिप्रेत नहीं है। शल्य तो उन सबों को इस लिए कहा गया है कि रमणीय पदार्थों की स्वतः सिद्ध अचिरस्थायिता वक्ता के मनोरथ (यथेच्छ भोग आदि) के लिए प्रतिकूल पड़ती है। फलतः समुच्चय का यह भेद (रमणीयारमणीयसमुच्चय) भी विषमालङ्कार संकर के नाम पर गतार्थ नहीं किया जा सकता है। इसी विश्लेषण से रत्नाकर का वह कथन भी खण्डित हो जाता है जिसमें समालङ्कार तथा विषमालङ्कार के संकरों के आधार पर समुच्चय के सद्योग (रमणीयों का अन्वय) असद्योग—

(अरमणीयों का अन्वय) और सदसद्योग (रमणीयारमणीयों का अन्वय) नामक भेदों का खण्डन किया गया है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे समुच्चयप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे समुच्चयालङ्कारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत समुच्चयालङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां समुच्चयप्रकरणम्॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथ समाधिः—

समाध्यलङ्कारो निरूप्यत्वेनारब्धो बोध्य इति भावः।

अब समाधि अलङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

एककारणजन्यस्य कार्यस्याकस्मिककारणान्तरसमवधानाहितसौकर्यं समाधिः॥

केनाप्येकेन कारणेनोत्पाद्यमाने कार्येऽकस्मादापततोऽन्यस्य कारणस्य समुपस्थित्या यत्सौकर्यमुत्पाद्यते तत् (सौकर्यम्) समाधिनामालङ्कार इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—एक कारण इत्यादि।

किसी एक कारण से उत्पन्न होने वाले कार्य में जो अन्य आकस्मिक कारण के आ जाने से सुकरता होती है उसको समाधि अलङ्कार कहते हैं।

लक्षणं विविनक्ति—

तच्च कार्यस्यानायासेन सिद्ध्या साङ्गसिद्ध्या च। पूर्वापेक्ष्याविशेषस्तूक्त एव।

तच्चेति। सौकर्यञ्चेत्यर्थः। पूर्वापेक्षयेति। समुच्चयापेक्षयेत्यर्थः। विशेषो भेदः। उक्त एवेति। समुच्चयालङ्कारनिरूपण इति भावः।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—तच्च इत्यादि।

वह सुकरता कहीं कार्य की अनायास सिद्धि के द्वारा होती है और कहीं कार्य की साङ्गसिद्धि के द्वारा। समुच्चय से समाधि का भेद पहले (समुच्चयालङ्कार में) कहा ही जा चुका है।

लक्ष्यनिर्देशं प्रतिजानीते—

उदाहरणम्—

स्पष्टम्—।

उदाहरण, जैसे—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'आयातैव निशा मनो मृगदृशामुन्निद्रमातन्वती
मानो मे कथमेष संप्रति निरातङ्कं हृदि स्थास्यति।
ऊहापोहमिमं सरोजनयना यावद्विधत्तेतराम्
तावत्कामनृपातपत्रसुषमं बिम्बं बभासे विधोः॥'

सरोजनयना कमलनेत्रा नायिका, "मृगदृशाम् हरिणनयनानाम्, मनः, उन्निद्रम् उच्छिन्ननिद्राकम्, आतन्वती विस्तारयन्ती, मन उत्सुकं विदधतीति यावत्, निशा रात्रिः, आयातैव आगतैव, संप्रति इदानीम्, एषः अयम्, मानः, मे मम, हृदि हृदये, कथम् केन प्रकारेण, निरातङ्कम् निर्भयं यथा स्यात्तथा, स्थास्यति," इतीमम्, ऊहापोहम् तर्क-वितर्कम्, यावद् विधत्तेतराम् अतिशयेन कुरुते, तावदेव, कामनृपस्य, आतपत्रस्य छत्रस्य, सुषमा परमा शोभा, यस्मिन् एतादृशम्, विधोः चन्द्रमसः, बिम्बम् गोलकम्, बभासे भासितमभूदित्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—आयातैव इत्यादि।

'मृगाक्षियों के मन को जगाती हुई (उत्सुक करती हुई) रात्रि आ ही गई, अब यह मान निशङ्क होकर मेरे मन में कैसे रहेगा' इस प्रकार का ऊहापोह जब तक कमल-नयना नायिका कर रही है, तब तक राजा कामदेव के छत्र की उत्कृष्ट शोभा के समान शोभा वाला चन्द्रमण्डल चमक उठा।

उपपादयति—

अत्र रात्रिसन्निधानादपि सिद्ध्यतो मानविनाशस्य चन्द्रोदयादनायासेन सिद्धिः।

'आयातैव—' इत्यस्मिन्पद्ये 'केवलनिशाकालसंप्राप्तिवशादपि सेद्धुमर्हो मानिनीमान-भङ्गश्चन्द्रोदयादनायासेन सिद्ध' इत्यर्थो वर्णित इति भवतीदं पद्यं समाधेरुदाहरण-मिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'आयातैव—' इस पद्य में 'केवल रात हो जाने से भी जिस मानभङ्ग की सिद्धि हो सकती थी, उसकी अनायास सिद्धि चन्द्रोदय के कारण हो गई' ऐसा वर्णित हुआ है, अतः समाधि अलङ्कार का उदाहरण यह पद्य होता है।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा।

स्पष्टम्—।

अथवा, जैसे—।

उदाहरणन्निर्दिशति—

'स्मरदीपदीप्तदृष्टेर्घनान्धकारेऽपि पतिगृहं यान्त्याः। झटिति प्रादुरभूवन्स-रव्यादिव चञ्चलाः परितः॥'

स्मरः कामदेव एव दीपः तेन दीप्ता तीक्ष्णीकृता दृष्टिर्यस्यास्तस्याः, अत एव, घनान्ध-कारेऽपि निविडतिमिरेऽपि, पतिगृहम् प्रियमन्दिरम्, यान्त्याः गच्छन्त्याः, नायिकायाः, सख्यादिव सौहार्दादिव, झटिति शीघ्रम्, परितः चतुर्दिक्षु, चञ्चलाः विद्युतः, प्रादुर-भूवन् प्रकटिता इत्यर्थः। अत्रापि स्मरदीपदीप्तदृष्टित्वमात्रादपि सिद्ध्यतो निष्प्रत्यूहपति-गृहगमनस्य विद्युत्प्रादुर्भावादनायासेन सिद्धिरिति समाधिरिति भावः।

उदाहरण का उल्लेख किया जाता है—स्मर इत्यादि।

कामदेव रूप दीपक से दीप्तदृष्टि होने के कारण निविड अन्धकार में भी पतिगृह जाती हुई नायिका के साथ मानो मित्रता होने से बिजलियाँ तत्काल चारों ओर प्रकट हो गईं।

यहाँ भी केवल कामदेव रूप दीपक के सहारे सिद्ध होने वाले पतिगृहगमन की आकस्मिक विद्युत्प्रादुर्भाव से अनायास सिद्धि वर्णित है, अतः समाधि अलङ्कार होता है।

विशेषमाह—

इहाकस्मिके निष्प्रत्यूहपतिगृहयानस्य कारणान्तरसमवधाने हेतोरुत्प्रेक्षणादुत्प्रेक्षालीढः। पूर्वस्तु शुद्धः।

इहेति। 'स्मरदीप—' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः। कारणान्तरेति। विद्युत्प्रादुर्भावरूपकारणान्तरेत्यर्थः। हेतोरिति। सख्यरूपस्यहेतोरित्यर्थः। उत्प्रेक्षालीढ इति। समाधिरिति शेषः। पूर्वस्त्विति। 'आयाता—' इत्यत्रत्यसमाधिरित्यर्थः। शुद्ध इति। अलङ्कारान्तरानालीढ इत्यर्थः।

पूर्व उदाहरण से इस उदाहरण में अन्तर बतलाया जाता है—इह इत्यादि।

'स्मर दीप–' इस पद्य में कामदेव रूप दीपक की सहायता से घने अन्धकार में भी सिद्ध होने वाले नायिका के पतिगृहगमन की अनायस सिद्धि में विद्युत्प्रादुर्भावरूप अन्य कारण की जिस आकस्मिक उपस्थिति का वर्णन हुआ है उसमें सख्यरूप हेतु की उत्प्रेक्षा की गई है, अतः यहाँ का समाधि अलङ्कार उत्प्रेक्षा से आलीढ (मिश्रित) है और प्रथम उदाहरण (आयातैव) का समाधि अलङ्कार शुद्ध अर्थात् अन्य अलङ्कार से अमिश्रित है–यही दोनों उदाहरणों में अन्तर है।

प्रकारान्तरमुदाहरति—

'नवप्रसङ्गं दयितस्य लोभादङ्गीकरोतिस्म यदा नताङ्गी।
श्लथं तदालिङ्गनमप्यकस्माद्घनो निनादैर्घनतां निनाय॥'

नताङ्गी नम्रकाया नायिका, लोभात्, दयितस्य प्रियस्य, नवप्रसङ्गम् नूतनसङ्गमम्, यदा यस्मिन् काले, अङ्गीकरोति स्म स्वीचकार, तदा तस्मिन्नेवकाले, घनः मेघः, अकस्मात्, श्लथम् शिथिलम्, तदालिङ्गनमपि तयोर्नायिकयोरालिङ्गनमपि, निनादैः गर्जनैः, घनताम् निविडताम्, निनाय प्रापितवानित्यर्थः।

समाधि के अन्य प्रकार का उदाहरण दिया जाता है—नव प्रसङ्गम् इत्यादि।

नताङ्गी नायिका ने प्रिय के नवीन संगम को लोभ के कारण जभी स्वीकार किया, तभी उनके शिथिल आलिङ्गन को मेघ ने अकस्मात् गर्जनों द्वारा दृढ बना दिया।

उपपादयति—

अत्र घनध्वनिभिरालिङ्गनस्य साङ्गतासिद्धिः। पूर्वपद्यद्वये त्वनायासेन कार्यसिद्धिः।

'नवप्रसङ्गम्–' इत्यस्मिन्पद्ये मेघगर्जनैरालिङ्गनं साङ्गं संपादितमिति यथाश्रुतार्थः। आलिङ्गनघनतासंपादनेन नवप्रसङ्गस्य साङ्गता मेघध्वनिभिः संपादितेति तु मम प्रतिभाति। प्रथमोल्लिखितोदाहरणद्वये कार्यस्य न साङ्गतासिद्धिरपि तु अनायासेन सिद्धिरिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'नव प्रसङ्गम्–' इस पद्य में मेघ के गर्जनों से आलिङ्गन की साङ्गता सिद्ध हुई है। पहले के दोनों पद्यों में तो कार्य की अनायास सिद्धि है, साङ्गतासिद्धि नहीं।

यहाँ मुझे 'आलिङ्गन की साङ्गता' यह विवरण उचित नहीं प्रतीत होता। 'लोभ के कारण सिद्ध होने वाले नव प्रसङ्गरूप कार्य की आलिङ्गनरूप अङ्ग से युक्त होने के कारण साङ्गता हुई' ऐसा विवरण मुझे संगत जँचता है।

प्रत्युदाहरणमुपस्थापयति—

'कथय कथमिवाशा जायतां जीविते मे
　　मलयभुजगवान्ता वान्ति वाताः कृतान्ताः।
अयमपि वत गुञ्जत्यालिमाकन्दमौलौ
　　मनसिजमहिमानं मन्यमानो मिलिन्दः॥"

हे आलि सखि !, मलयस्य मलयाचलस्य, भुजगैः सर्पैः, वान्ता उद्गीर्णाः, (विषमया इति भावः) अत एव कृतान्ताः कृतान्तरूपाः यमस्वरूपा इति यावत्, वाताः पवनाः, वान्ति वहन्ति, अपि च, मनसिजस्य कामदेवस्य, महिमानम् माहात्म्यम्, मन्यमानः स्वीकुर्वन्, मन्धातोरन्तर्भावितण्यर्थताम् स्वीकृत्य 'स्वीकारयन्' इति वा अर्थः कार्यः, अयम्, मिलिन्दः भ्रमरोऽपि, माकन्दमौलौ आम्रतरुशिखरे, गुञ्जति, एवं विधावस्थायां मे मम, जीविते प्राणधारणे, कथमिव, आशा, जायताम् भवतु इति कथयेत्यर्थः।

प्रत्युदाहरण दिखालाया जाता है—कथय इत्यादि।

मलयाचल के निवासी सर्पों द्वारा उगले गए (विषमय) अतएव कृतान्तरूप (मारक) अनिल वह रहे हैं और कामदेव की महिमा को माननेवाला अथवा मनवाने वाला यह भ्रमर भी आम्रतरु के शिखरों पर गूँज रहा है। हे सखि ! कहो, ऐसी परिस्थिति में मेरे जीने की आशा कैसे की जा सकती है ?

प्रत्युदाहरणत्वमुपपादयति—

अत्र जीवितनाशं प्रति वातवान-चञ्चरीकगुञ्जितयोरहमहमिकया हेतुत्वादेकस्याकस्मिकत्वाभावान्न प्रकृतालङ्कारस्य विषयः, किंतु कर्तृरूपभिन्नधर्मिकेण वानगुञ्जनक्रिययोः समुच्चयेन जीवितनाशरूपैककार्यात्मकैकधर्मिकस्तयोरेव कारणयोः समुच्चयः संकीर्णः।

अत्रेति 'कथय-' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः॥ वातवानेति। वायुसंचलनेत्यर्थः। अहमहमिकयेति। खले कपोतन्यायेनेति भावः। एकस्येति वातवान-चञ्चरीकगुञ्जितयोरेकस्येति भावः। प्रकृतालङ्कारस्येति। समाध्यलङ्कारस्येत्यर्थः। न विषय इति। समाधौ कारणान्तरस्याकस्मिकत्वस्वीकारादिति भावः। कस्तर्हि अत्रालङ्कार इति चेत्तत्स्फुटयति—किंत्विति। तयोरेवेति। वानगुञ्जनक्रियात्मकयोरित्यर्थः। अयमाशयः—अनिलसंचलनालिगुञ्जनयोः कारणतया वर्ण्यमानयोः खले कपोतन्यायेन स्वसमवधानवशाज्जीवननाशरूपे कार्ये सौकर्यसंपादकतयाऽऽकस्मिकत्वविरहान्नात्र समाधिरपितु समुच्चयः। समुच्चयोऽपि द्विविधः-एको वात-भ्रमररूपकर्त्रात्मकभिन्नधर्मिकः। वानगुञ्जनक्रिययोः समुच्चयो द्वितीयश्च जीवननाशात्मककार्यरूपैकधर्मिको वातवान-भ्रमरगुञ्जनक्रियात्मककारणद्वयसमुच्चयः। एतयोश्च समुच्चययोर्मिथः सापेक्षत्वात्संकर इति।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'कथय-' इस पद्य में समाधि अलङ्कार नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्राणनाश के प्रति हवा का बहना और भ्रमर का गूँजना ये दोनों क्रियाएँ अहमहमिका से-अर्थात् खलेकपोत न्याय से हेतु हैं, अतः उन दोनों क्रियात्मक कारणों में से कोई भी आकस्मिक नहीं है और समाधि के लिए एक से अतिरिक्त कारणों का आकस्मिक होना आवश्यक होता है। फलतः यहाँ दो तरह के समुच्चय ही अलङ्कार हैं, उनमें से एक समुच्चय वहन और गुञ्जन क्रियाओं का है, जिसके धर्मी दो कर्ता (हवा और भ्रमर) हैं, इस तरह यह भिन्नधर्मिक समुच्चय होता है। दूसरा समुच्चय है पूर्वोक्त क्रियात्मक कारणों का, जिसका धर्मीजीवननाश रूप कार्य एक है, इस तरह यह एकधार्मिक समुच्चय होता है। इन दोनों समुच्चयों का परस्पर सापेक्षता के कारण संकर यहाँ माना जायगा।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे समाधिप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे समाध्यलङ्कारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत समाधि अलङ्कार का विचार समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां समाधि प्रकरणम् ॥

अलङ्कारान्तरनिरूपण प्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथ प्रत्यनीकम्—

प्रत्यनीकालङ्कारो निरूप्यतया प्रारब्धो बोध्य इति भावः।

अब प्रत्यनीक अलङ्कार का निरूपण प्रारब्ध होता है।

तावत्तत्रलक्षणमाह—

प्रतिपक्षसंबन्धिनस्तिरस्कृतिः प्रत्यनीकम् ॥

शत्रुसंबन्धिनो यस्तिरस्कारः स प्रत्यनीकालङ्कार उच्यते इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—प्रतिपक्ष इत्यादि।

प्रतिपक्ष (शत्रु) से संबद्ध व्यक्ति अथवा वस्तु के तिरस्कार को प्रत्यनीक कहते हैं।

लक्षणार्थं स्फुटयितुमुपक्रमते—

अनीकेन सदृशं प्रत्यनीकम्। सादृश्यस्य यथार्थत्वेनैव संग्रहे पुनः सादृश्य-ग्रहणाद् गुणभूतेऽपि सादृश्येऽव्ययीभावः। लोके प्रतिपक्षस्यतिरस्कारायानीकं प्रयुज्यते। तदशक्तौ प्रतिपक्षसंबन्धिनः कस्यचित्तिरस्कारः क्रियते स चानीक-सदृशतया प्रयुज्यमानत्वात्प्रत्यनीकमुच्यते। अत्र च प्रतिपक्षगतं बलवत्त्वम्, आत्मगतं दुर्बलत्वं च गम्यते। संबन्धी च तदुपजीव्योपजीवकमित्यादिभेदा-दनेकविधः।

प्रत्यनीकपदस्य विग्रहवाक्यमाह—अनीकेन सदृशमिति। अनीकं व्यूहरचनाकारं सैन्यमिति बोध्यम्। समासविधिमुपपादयति—सादृश्यस्येति।

अयं भावः—'अव्ययं विभक्ति-' इति सूत्रेण सादृश्येऽव्ययीभावसमासो विधीयते न तु सदृशे तथा च 'अनीकेन सदृशम्' इति विग्रहे कथं समास इति शङ्का नोचिता, 'योग्यतावीप्सा पदार्थानतिवृत्तिसादृश्यानि यथार्थाः' इत्येवं परिगणिते यथार्थ एव

सादृश्यस्य संगृहीतत्वे पुनस्तत्सूत्रे पृथक् सादृश्यग्रहणकरणसामर्थ्याद् गुणभूतेऽपि सादृश्ये समासविधानादिति । अलङ्कारस्य प्रत्यनीकमितिसंज्ञाकरणे युक्तिमाह—लोक इति । तदशक्ताविति । प्रतिपक्षतिरस्काराशक्तावीत्यर्थः । सचेति । प्रतिपक्षसंबन्धिनस्तिरस्कारश्चेत्यर्थः । अनीकसदृशतयेति । अनीककर्तृकाचरणवदित्यर्थः । अत्र चेति । प्रत्यनीकालङ्कार इत्यर्थः । आत्मगतमिति । अनीकप्रयोगकर्तृगतमित्यर्थः । तदुपजीव्येति । प्रतिपक्षोपजीव्येत्यर्थः । उपजीवयतीत्युपजीव्यः पित्रादिः कारणीभूतः पदार्थः, उपजीवतीत्युपजीवकः पुत्रादिः कार्यभूतः पदार्थः, मित्रादिश्चेतिः द्वन्द्वस्तद्भेदात्प्रतिपक्षसंबन्धी बहुविध इति भावः ।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—अनीकेन इत्यादि ।

व्यूहरचनाकार सैन्य का नाम अनीक है और अनीक के सदृश को 'प्रत्यनीक' कहते हैं। 'प्रत्यनीक' पद में अव्ययं विभक्ति-' (२।१।६) इस पाणिनि सूत्र से अव्ययीभाव समास होता है । इस सूत्र में जो 'यथा' शब्द आया है उसके चार अर्थों (योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य) में से एक अर्थ सादृश्य भी है, उसी से 'सादृश्य अर्थ में अव्ययीभाव' सिद्ध होने पर भी उक्त सूत्र में पुनः पृथक् 'सादृश्य' के ग्रहण से यह आशय निकलता है कि गौण सादृश्य—(सादृश्यवान् = सदृश) में भी अव्ययीभाव समास हो, अतः यहाँ अनीक से सदृश' इस विग्रह में भी अव्ययीभाव समास करके 'प्रत्यनीक' पद की सिद्धि होती है और तदनुसार प्रत्यनीक शब्द का अर्थ अनीक का सादृश्य न होकर 'अनीक का सदृश' (सादृश्यवान्) होता है ।

लोक में देखा जाता है कि शत्रु के तिरस्कार के लिए अनीक (सेना) का प्रयोग किया जाता है, परन्तु शत्रु का तिरस्कार करने में असमर्थ होने पर शत्रु के किसी संबन्धी का तिरस्कार किया जाता है, इस साहित्यिक तिरस्कार का भी सेना की तरह प्रयोग किया जाता है, अतः ऐसे तिरस्कार को प्रत्यनीक कहा जाता है—अर्थात् शत्रु संबन्धि तिरस्कार-प्रधान अलङ्कार का नाम 'प्रत्यनीक' रक्खा गया है। इस अलङ्कार में (इस तरह के तिरस्कार में) शत्रु की बलवत्ता और अपनी दुर्बलता अभिव्यक्त होती है । शत्रु के संबन्धी उपजीव्य, उपजीवक, मित्र इत्यादि के भेद से अनेक प्रकार के होते हैं । यहाँ यह भी समझ रखना चाहिए कि उपजीव्य का अर्थ है जिलाने वाला और उपजीवक का जीने वाला ।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम् ।

जसे— ।

उदाहरणमाह—

'रे रे मनो मम मनोभवशासनस्य
पादाम्बुजद्वयमनारतमानमन्तम् (मामनन्तम्)
किं मां निपातयसि संसृतिगर्तमध्ये
नैतावता तव गमिष्यति पुत्र-शोकः ॥'

रे रे मम मनः ! अरे मद्धृदय !, अनारतम् सततम्, मनोभवशासनस्य मनोजदाहकस्य शिवस्य, पादाम्बुजद्वयम् चरणकमलयुगलम् आनमन्तम् प्रणमन्तम् (आम-

नन्तम् इति पाठे चिन्तयन्तम् = स्मरन्तमित्यर्थो बोध्यः) माम् , संसृतिगर्तमध्ये संसार-खातान्तराले, किम् किमर्थम् , निपातयसि, एतावता गर्ते मन्निपातनेन, तव पुत्रशोकः, कामदाहशोकः, न गमिष्यति न शान्तिमेष्यतीत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—रे रे इत्यादि।

अरे ! मेरे मन ! तूँ मनोभव (तेरे पुत्र) के दण्डदाता शिवजी के चरणकमलों का निरन्तर नमन (पाठभेद से मनन = चिन्तन) करने वाले मुझ को संसाररूप गड्ढे में क्यों गिरा रहा है ? इससे तेरा पुत्रशोक (मनसिज-दहन-दुःख) नहीं मिटेगा ।

उदाहरणान्तरमुपदर्शयति—

'जितमौक्तिकसंपदां रदानां सहवासेन परां मुदं ददानाम् ।
विरसादधरीकरोति नासामधुना साहसशालि मौक्तिकं ते ॥'

चाटुकारः प्रेयसीं प्रति वक्ति–ते तव, साहसशालि साहसिकम् , मौक्तिकम् नासामौक्तिकम् , अधुना इदानीम् , विरसात् वैरात् , जितमौक्तिकसंपदाम् मौक्तिकशोभा-विजयिनाम्, रदानाम् दन्तानाम्, सहवासेन सहस्थित्या, पराम् उत्कृष्टाम् , मुदम् हर्षम् , ददानाम् वितरन्तीम् , नासाम् नासिकाम्, अधरीकरोति न्यूनीकरोति पराजयत इत्यर्थः ।

दूसरा उदाहरण दिया जाता है—जित इत्यादि ।

चाटुकारिता करते हुए किसी नायक के द्वारा किसी नायिका के प्रति कहा जाता है कि—मोतियों की संपत्ति (शोभा) को जीतने वाले दाँतों के सहवास से (उनके साथ रहने के कारण) परम हर्ष देने वाली नासिका को विरसता (वैर) के कारण तेरा साहसी मोती इस समय नीचा दिखा रहा है ।

उभयोरुदाहरणयोर्मिथो वैलक्षण्यं दर्शयति—

पूर्वत्रोपजीव्यस्य, इह तूपजीवकस्य तिरस्काराद्वैरस्यार्थत्वशाब्दत्वाभ्यां च वैलक्षण्यम् ।

मनोभव (स्वपुत्र) वैरिणि शिवे प्रतिपक्षभूते प्रतिकर्तुमसमर्थम् मनः शिवसंबन्धिनम् भक्तम् तिरस्करोति, एवम् जित–स्वसंपत्तिकेषु रदेषु प्रतिकर्तुमक्षमं मौक्तिकम् रदसह-वासिनीं नासिकां तिरस्करोतीति द्वयोरुदाहरणयोः प्रत्यनीकालङ्कारस्तुल्यस्तथापि प्रथमो-दाहरणे प्रतिपक्षस्य शिवस्य संबन्धी भक्त उपजीव्यः, भक्तभावनाधीनसत्ताकत्वाद्देवानाम्, किञ्च तत्र 'मनोभवशासने' त्यर्थानुसंधानात् शिवेन सह मनसो वैरं गम्यत इत्यार्थं वैरम् । द्वितीयोदाहरणे तु प्रतिपक्षानां रदानां संबन्धी नासिकारूपोऽर्थ उपजीवकः, तत्सहवासेन हर्षदायित्वात् , किञ्च 'विरसात्' इत्यनेन शब्देन रदमौक्तिकयोर्वैरमुच्यत एवेति शाब्दम् वैरमित्युभयोरुदाहरणयोर्वैलक्षण्यमिति भावः ।

दोनों उदाहरणों में अन्तर बतलाया जाता है—पूर्वत्र इत्यादि ।

अभिप्राय है कि एक जगह अपने पुत्र-मनोज-वैरी शिवजी का तिरस्कार करने में अशक्त मन शिवजी के संबन्धी भक्त का तिरस्कार करता है और दूसरी जगह अपनी शोभा को जीतने वाले दाँतों का तिरस्कार करने में अक्षम मोती दाँतों के सम्बन्धी उसके साथ रहने के कारण आनन्द देने वाली, नासिका का तिरस्कार करता है इस तरह दोनों उदाहरणों में समान रूप से प्रत्यनीकालङ्कार है यह बात यद्यपि सत्य है, तथापि

दोनों उदाहरणों में अन्तर यह है कि प्रथम में प्रतिपक्ष शिवजी का भक्त उपजीव्यात्मक संबन्धी है (यहाँ भक्त को भगवान् का उपजीव्य इसलिए कहा गया है कि भक्त ही भगवान् को जिलाते हैं—भक्तों की भावना के अनुसार ही भगवान् की कल्पना की जाती है) और यहाँ शिवजी के साथ मन का वैर आर्थ है—'मनोभवशासन' पद के अर्थ का अनुसंधान करने पर ज्ञात होता है, और द्वितीय उदाहरण में प्रतिपक्ष दांतों की नासिका उपजीवकात्मक सम्बन्धी है (यहाँ नासिका को दांतों का उपजीवक इसलिए माना गया है कि दांतों के सहयोग से ही नासिका आनन्ददायक होती है) और यहां दांतों के साथ मोती का वैर शाब्द है—'विरसात्' शब्द से साक्षात् बोधित होता है।

उपसंहरन्नाह—

एवमन्यदप्यूह्यम् ।

उपजीव्योपजीवकातिरिक्तसंबन्ध्युदाहरणमुक्तरीत्यैव स्वयमूहनीयमिति भावः ।

उक्त रीति से अन्य उदाहरणों का ऊह कर लेना चाहिए।

प्रत्यनीकस्यालङ्कारत्वं खण्डयितुमुपक्रमते—

अत्र विचार्यते—हेतूत्प्रेक्षयैव गतार्थत्वान्नेदमलङ्कारान्तरं भवितुमर्हति। तत्र द्वितीयोदाहरणे तावद्धेत्वंशः शाब्दः उत्प्रेक्षांशमात्रमार्थम्। प्रथमोदाहरणे द्वयमप्यार्थम्। पुत्रमारक-सेवकत्वेन कारणेन वैरस्य तस्य स्वात्मकर्मक-गर्त-मध्य-निपातनेन कार्येण हेतुतायाश्च स्फुटं प्रतीतेः। अस्मिन्नलङ्कारे हेतुत्वं निश्चीयमानम्, हेतूत्प्रेक्षायां तु संभाव्यमानमित्यस्ति विशेष इति चेत्, प्रतीयमानहेतूत्प्रेक्षाया अनूत्प्रेक्षात्वापत्तेः। वाचकस्येवादेरभावाद्धेतुत्वस्य निश्चीयमानतायास्तत्रापि वक्तुं शक्यत्वात्।

'यस्य किञ्चिदपकर्तुमक्षमः कायनिग्रहगृहीतविग्रहः ।
कान्तवक्त्रसदृशाकृतिं कृती राहुरिन्दुमधुनापि बाधते ॥'

इत्यलङ्कारसर्वस्वकृतोदाहृते प्राचीनपद्येऽपि भगवद्वैरानुबन्धादिव भगवद्वक्त्रसदृशमिन्दुं राहुर्बाधत इति प्रतीतेरुत्प्रेक्षैव गम्यमाना।

'ममरूपकीर्तिमहरद् भुवि यस्तदनुप्रविष्टहृदयेयमिति ।'
त्वयि मत्सरादिव निरस्तदयः सुतरां क्षिणोति खलु तां मदनः ॥'

इति कुवलयानन्दकारेणोदाहृते तु पद्ये हेत्वंश उत्प्रेक्षांशश्चेत्युभयमपि शाब्दमिति कथंकारमस्यालङ्कारस्योदाहरणतां नीतमिदमायुष्मतेति न विद्मः। प्रतिपक्षगतबलवत्त्व-स्वात्मगतदुर्बलत्वयोः प्रतीतेर्हेतूत्प्रेक्षान्तरादस्य वैलक्षण्यम्। नैतावता हेतूत्प्रेक्षाया बहिर्भवितुमिदमीष्टे, तदविनाभावित्वात्। किंतु तदवान्तरविशेषीभवितुम्। नहि पृथिव्यवान्तरभेदाद्घटात्पटो विलक्षण इति पृथिव्या बहिर्भवतीत्यपि वदन्ति।

इदमिति। प्रत्यनीकमित्यर्थः। ननु कथमिह हेतूत्प्रेक्षेति चेत्तदेव स्फुटयति—तत्रेति। द्वितीयोदाहरण इति। 'जितमौक्तिक—' इत्यस्मिन्नुदाहरण इत्यर्थः। हेत्वंशः शाब्द इति। 'विरसात्' इति पञ्चम्यन्तपदप्रयोगादिति भावः। उत्प्रेक्षांशमात्रमार्थमिति। इवादेरप्रयोगादिति भावः। प्रथमोदाहरण इति। 'रे रे मनो—' इत्यस्मिन्नुदाहरण इत्यर्थः।

द्वयमपीति । हेत्वंश उत्प्रेक्षांशश्चेत्यर्थः । आर्थमिति । अर्थानुसंधानगम्यमित्यर्थः । अर्थानुसन्धानगम्यत्वं स्फुटयति—पुत्रमारकेति । तस्येति । वैरस्येत्यर्थः । अस्य 'हेतुतायाश्च' इत्यत्रान्वयः । स्वात्मकर्मकेति । मामित्येतत्पदबोध्यवक्तृकर्मकेत्यर्थः । मनसः पुत्रः कामदेवस्तस्य मारकः शिवस्तस्य सेवको वक्ता भक्त इत्येषोऽर्थोऽत्र वाच्यस्तेन भक्तं प्रति मनसो वैरं व्यज्यते, कारणात्कार्याभिव्यक्तेः प्रसिद्धत्वात्, मनोद्वारा भक्तपातनेन च मनोगतवैरस्य हेतुत्वमपि व्यज्यते, कार्यात् कारणत्वाभिव्यक्तेरपि सर्वसम्मतत्वादिति भावः ।

प्रत्यनीकोदाहरणतयोपस्थाप्यमानेषु पद्येषु नियमतो हेतूत्प्रेक्षा तिष्ठति सा च क्वचित् सर्वात्मना वाच्या, क्वचिदंशतो वाच्या, क्वचिच्च सर्वथा व्यङ्ग्यैवेत्यन्यदेतत् । तथा च हेतूत्प्रेक्षयैव गतार्थत्वान्न प्रत्यनीकमलङ्कारान्तरमिति सारांशः । शंकते—अस्मिन्नलङ्कार इति । समाधत्ते—प्रतीयमानोत्प्रेक्षाया इति । कुतस्तस्या अनुत्प्रेक्षात्वमिति चेत्तत्राह—वाचकस्येवादेरिति । निश्चीयमानं यत्र हेतुत्वं तत्र प्रत्यनीकम्, न हेतूत्प्रेक्षेति सिद्धान्ते क्रियमाणे प्रतीयमानहेतूत्प्रेक्षाया विलोपस्तत्र संभावनावाचकेवादिपदप्रयोगविरहेण हेतुत्वस्य निश्चीयमानतायाः स्वीकर्तव्यत्वादिति भावः । प्राचीनोदाहरणेऽपि हेतूत्प्रेक्षायाः स्थितिं स्फुटयितुमाह—'यस्य किंचित्–' इति । कायस्य शरीरस्य, निग्रहेण दाहेन, गृहीतः स्वीकृतः, विग्रहो विरोधो येन तादृशोऽपि, यस्य विष्णोः, किञ्चित्, अपकर्तुम् अपकारं विधातुम्, अक्षमः असमर्थः, कृती निपुणः, राहुः, यस्य विष्णोः, कान्तस्य रमणीयस्य, वक्त्रस्य मुखस्य· सदृशी, आकृतिः, यस्य तादृशम्, इन्दुम् चन्द्रम्, अधुनापि इदानीमपि, बहुषु दिवसेषु व्यतीतेष्वपीति यावत्, बाधते ग्रसतीति भावः । उत्प्रेक्षैव गम्यमानेति । न प्रत्यनीकस्वीकारावश्यकतेति भावः । 'मम रूप–' इति । नायिका सखी नायकं कथयति—यः सखीसंबोध्यो नायकः, मम कामदेवस्य रूपकीर्तिम् सौन्दर्यख्यातिम्, अहरत् हृतवान्, स्वीयाधिकसौन्दर्यख्यापनादिति भावः, तेन नायकविशेषेण, अनुप्रविष्टं, हृदयं, यस्यास्तादृशी, इयम् नायिका, इति हेतोः, त्वयि नायके, मत्सरादिव वैरादिव, निरस्तदयः विलीनकरुणः, मदनः कामः, खलु निश्चयेन, ताम् त्वदनुप्रविष्टहृदयां नायिकाम्, सुतरामत्यन्तम्, क्षिणोति पीडयतीत्यर्थः । उभयमपि शाब्दमिति । 'मत्सरादिव' इत्येवंविधपदप्रयोगादिति भावः । अस्यालङ्कारस्येति । प्रत्यनीकालङ्कारस्येत्यर्थः । न विघ्न इति । अत्र "मत्सरादिवेति हेतूत्प्रेक्षासत्त्वेऽपि तद्धेतुकप्रतिपक्षीयबाधेनैतद्विषयत्वाच्चिन्त्यमिदम्" इति नागेशः । नागेशोक्तिमूलभूतायां सर्वस्वटीकायामलङ्कारचन्द्रिकायां तु "अत्र मत्सरादिवेति हेत्वंशे उत्प्रेक्षासत्त्वेऽपि तद्धेतुकप्रतिपक्षिसंबन्धिबाधनं प्रत्यनीकालङ्कारस्य विविक्तो विषय इति बोध्यम् । अत एव मम्मटभट्टैरपि—'त्वं विनिर्जितमनोभवरूपः सा च सुन्दर भवत्यनुरक्ता । पञ्चभिर्युगपदेव शरैस्तां तापयत्यनुशयादिव कामः ॥' इत्युदाहृतम् । एवं च हेतूत्प्रेक्षयैव गतार्थत्वान्नेदमलङ्कारान्तरमिति कस्यचिद्वचनमनादेयम् ।" इति विशदमुक्तम् । पुनराशङ्क्य समाधत्ते—प्रतिपक्षगतेत्यादिना । अस्य प्रत्यनीकस्य । इदम् प्रत्यनीकम् । तदविनाभावित्वादिति । हेतूत्प्रेक्षानियतत्वादिति भावः । अयमाशयः—प्रत्यनीकस्थले प्रतिपक्षगतबलवत्त्व-स्वात्मगतदुर्बलत्वयोः प्रतीतिर्भवति, हेतूत्प्रेक्षास्थले

तु न तयोः प्रतीतिरिति नेयं हेतूत्प्रेक्षायां गतार्थयितुं शक्येति चेन्न, हेतूत्प्रेक्षां विनाऽसंभवदिदं प्रत्यनीकं यत्किञ्चिद् वैलक्षण्यसत्त्वेऽपि हेतूत्प्रेक्षाप्रभेदविशेष एव, न स्वतन्त्रोऽलङ्कारः इति ।

प्रत्यनीक की अलङ्कारता के विषय में विचार किया जाता है—अत्र विचार्यते इत्यादि ।

यहाँ विचार यह किया जाता है—कि हेतूत्प्रेक्षा से ही गतार्थ होने के कारण यह प्रत्यनीक कोई भिन्न अलङ्कार होने के योग्य नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि हेतूत्प्रेक्षा यहां कैसे सम्भव है ? तो, सुनिए—पूर्वोक्त उदाहरणों में से 'जितमौक्तिक–' इस द्वितीय उदाहरण में हेतु अंश शाब्द है—अर्थात् हेतुबोधक शब्द 'विरसात्' कहा हुआ है, केवल उत्प्रेक्षा अंश आर्थ है—अर्थात् उत्प्रेक्षाबोधक इव आदि पद कहा हुआ नहीं है, अतः उसकी प्रतीति अर्थानुसन्धान से होगी।

'रे रे मनो–' इस प्रथम उदाहरण में तो हेतु तथा उत्प्रेक्षा-दोनों ही अंश आर्थ हैं। तात्पर्य यह कि यहां वक्ता-भक्त का मन के पुत्र (काम) को मारने वाले शिव का सेवक होना भक्त के प्रति मन के वैर का कारण है, अतः कथित उस कारण से अकथित उस वैर रूप कार्य की स्पष्ट प्रतीति हो जाती है इसी तरह उस वैर की हेतुता भी स्पष्ट प्रतीत हो जाती है, क्योंकि उसका कार्य (फल) गर्त में भक्त को गिराना कहा हुआ है। फलतः यहां भी हेतुभूत पदार्थ तथा उसका हेतु होना दोनों ही अर्थतः प्रतीत होते हैं। रही उत्प्रेक्षांश की बात सो उसकी भी प्रतीति अर्थतः हो जाती है, क्यों कि अर्थतः प्रतीत वैर में हेतुता संभावित ही हो सकती है।

इस प्रकार से प्रत्यनीक के जो दो उदाहरण दिए गए हैं उन दोनों में हेतूत्प्रेक्षा सिद्ध होती है। यह बात दूसरी है कि कहीं वह सर्वात्मना आर्थ और कहीं अंशतः आर्थ तथा अंशतः शाब्द हो।

कहा जायगा कि इस प्रत्यनीकालङ्कार में हेतुत्व का निश्चय रहता है और हेतूत्प्रेक्षा में तो हेतुत्व की संभावना रहती है—यह दोनों में भेद है, तो यह उचित नहीं, क्योंकि यदि हेतुत्व की संभावना रहने पर ही हेतूत्प्रेक्षा मानी जाय तब प्रतीयमान हेतूत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा कोटि में नहीं रह सकेगी। कारण, वहां जब संभावना-बोधक इव आदि का अभाव रहता है तब वहां भी हेतुत्व का निश्चय माना जा सकता है।

'यस्य किञ्चिदपकर्तुमक्षमः—अर्थात् शारीरिक दण्ड देने के कारण वैरभाव रखने वाला राहु जब दण्डदाता भगवान् विष्णु का कुछ भी अपकार करने में अपने को असमर्थ पाया, तब भगवान् विष्णु के सुन्दर मुख के समान आकार वाले चन्द्रमा को बाधित करना आरम्भ किया जो आज तक कर ही रहा है।' इस अलङ्कारसर्वस्व-कार के द्वारा उदाहृत (प्रत्यनीक के उदाहरण में कहे गए) प्राचीन-पद्य में भी 'मानो भगवान् के साथ वैर होने के कारण भगवान् के मुखसदृश चन्द्रमा को राहु बाधित करता है' इस तरह की प्रतीति होने के कारण गम्योत्प्रेक्षा ही है। 'मम रूपकीर्तिम्—' अर्थात् जिसने पृथिवी पर मेरे रूप-कीर्ति (सौन्दर्यख्याति) का अपहरण किया वही इसके हृदय में प्रविष्ट है, इस लिए मानो तेरे विषय में ईर्ष्या-द्वेष रखने के कारण, निष्करुण काम उस बेचारी को सता रहा है—दुर्बल बनाता जा रहा है।' इस कुवलयानन्द-कार (अप्पय-दीक्षित) द्वारा उदाहृत पद्य में तो हेतु अंश और उत्प्रेक्षांश-दोनों ही शाब्द हैं, फिर भी दीक्षित जी ने इस पद्य को प्रत्यनीक का उदाहरण कैसे कह दिया यह हम नहीं

समझ पाते हैं। (अलङ्कारचन्द्रिका-कार और नागेश दोनों ने यहां पण्डितराज का खण्डन करते हुए कहा है कि "यहां 'मत्सरादिव' इस हेतु भाग में उत्प्रेक्षा के रहने पर भी उस कारण (मत्सर) से होने वाले प्रतिपक्ष के बाधन को लेकर प्रत्यनीक नामक एक स्वतन्त्र अलङ्कार मानने में कोई बाधा नहीं है।")

कहा जायगा कि–'प्रतिपक्षी की बलवत्ता और अपनी दुर्बलता' की प्रतीति होने से अन्य हेतूत्प्रेक्षा से इस में विलक्षणता है, अतः इसे भिन्न अलङ्कार माना जाना चाहिए, तो यह ठीक नहीं, क्यों कि इतने मात्र से यह हेतूत्प्रेक्षा की श्रेणी से बाहर नहीं जा सकता। कारण, विना हेतूत्प्रेक्षा के यह होता ही नहीं है, अतः यह (प्रत्यनीक) उसका (हेतूत्प्रेक्षा का) एक अवान्तर प्रभेदमात्र हो सकता है—अर्थात् हेतूत्प्रेक्षा के ही दो प्रभेद ऐसे माने जा सकते हैं, जिनमें से एक प्रतिपक्षगत बलवत्ता तथा आत्मगत दुर्बलता की प्रतीति होगी और दूसरे में नहीं होगी पर दोनों ही हेतूत्प्रेक्षा ही कहलायगी अवान्तर दो प्रभेदों में परस्पर विलक्षणता होने पर भी वे उनसे भिन्न नहीं होते जिनके ये प्रभेद हैं, जैसे पृथिवी के अवान्तर दो प्रभेद घट तथा पट परस्पर भिन्न होकर भी पृथिवी से भिन्न नहीं होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे प्रत्यनीकप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे प्रत्यनीकप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत प्रत्यनीक का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां प्रत्यनीकप्रकरणम्॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणप्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथ प्रतीपम्—

प्रतीपालङ्कारो निरूप्यत्वेनारब्धो बोध्य इति भावः।

अब प्रत्यनीक अलङ्कार का निरूपण प्रारब्ध होता है।

तत्र पञ्चप्रकाराणां प्रतीपानामनुगतैकलक्षणविरहेण प्रत्येकस्य प्रकारस्य पृथक्-पृथक् लक्षणे वक्तव्ये तावत्प्रतीपप्रथमप्रकारलक्षणं सोपपादनमाह—

प्रसिद्धौपम्यवैपरीत्येन वर्ण्यमानमौपम्यमेकं प्रतीपम्। तद्वैपरीत्यं च तदुपमानोपमेययोरुपमेयोपमानत्वकल्पनया, न तु प्रकारान्तरेण।

प्रसिद्धं यत् औपम्यं सादृश्यम् उपमेति यावत्, तद्विपरीतमौपम्यं यदि वर्ण्यते तदा तत्प्रथमं प्रतीपं कथ्यत इति भावः। प्रसिद्धौपम्यवैपरीत्यस्य चायं सारांशो यत्प्रसिद्धौपम्ये यदुपमानं तस्येहोपमेयत्वेन यच्च प्रसिद्धौपम्ये उपमेयं तस्यात्रोपमानत्वेन कल्पना कार्या। अन्यद् वैपरीत्यमत्र न विवक्षितमिति।

प्रतीपके पांच प्रकार होते हैं, पर उन पांचों प्रकारों का संग्रह करने वाला कोई एक लक्षण संभव नहीं है, अतः अगत्या पाँचों प्रकारों के पाँच लक्षण बनाने पड़ते हैं, उनमें से प्रथम प्रकार का लक्षण विवरणसहित दिया जाता है—प्रसिद्ध इत्यादि।

लोकप्रसिद्ध उपमा से विपरीत रूप में वर्णित होने वाली उपमा प्रथम प्रकार का प्रतीप है।

'प्रसिद्ध उपमा से विपरीत रूप में' इस कथन का अभिप्राय यह है कि प्रसिद्ध उपमा में

जो उपमान रहता है उसको उपमेय और जो उपमेय रहता है उसको उपमान कल्पित करना। इससे भिन्न तरह का वैपरीत्य यहां अभीष्ट नहीं है।

प्रतीप-द्वितीयतृतीयप्रकारयोः सह लक्षणमाह—

उपमानोपमेययोरन्यतरस्य किंचिद् गुणप्रयुक्तमद्वितीयतोत्कर्षम् प्रतिहर्तुं द्वितीयप्रदर्शनेनोल्लास्यमानं सादृश्यमपरं द्विविधम् ॥

यत्किञ्चिद् गुणप्रयुक्तोपमानगताद्वितीयतात्मकोत्कर्षपरिहाराय द्वितीयप्रदर्शनपूर्वकं वर्ण्यमानं सादृश्यं प्रतीपस्य द्वितीयः प्रकारः, यत्किञ्चिद् गुणप्रयुक्तोपमेयगताद्वितीयतारूपोत्कर्षनिरासाय द्वितीयप्रदर्शनपुरस्सरं वर्ण्यमानं सादृश्यं च प्रतीपस्य तृतीयः प्रकार इति भावः।

प्रतीप के द्वितीय तथा तृतीय प्रकारों का लक्षण साथ साथ किया जाता है—उपमानोपमेययोरित्यादि।

किसी गुणविशेष के कारण होनेवाले उपमान के अद्वितीयतारूप उत्कर्ष का परिहार करने के लिए द्वितीय तत्समकक्ष वस्तु को दिखलाकर उठाया जाता हुआ सादृश्य प्रतीप का द्वितीय प्रकार और इसी तरह किसी गुणविशेष के कारण होनेवाले उपमेय के अद्वितीयता रूप उत्कर्ष का परिहार करने के लिए द्वितीय तादृश वस्तु को दिखलाकर वर्णित होने वाली समता प्रतीप का तृतीय प्रकार कहलाती है।

प्रतीप-चतुर्थप्रकारलक्षणमाह—

उपमानस्य कैमर्थ्यं चतुर्थम् ॥

उपमानस्य विषये 'किमर्थमिदम्' इत्याकारकजिज्ञासा वर्ण्यमाना प्रतीपस्य चतुर्थः प्रकार इति भावः।

प्रतीप के चतुर्थ प्रकार का लक्षण किया जाता है—उपमानस्य इत्यादि।

उपमान के विषय में 'यह क्यों है—इसका क्या प्रयोजन ?' इस तरह की जिज्ञासा वर्णित होने पर प्रतीप का चतुर्थ प्रकार होता है।

प्रतीप-पञ्चमप्रकारलक्षणमाह—

सादृश्यविघटनं पञ्चमम् ॥

सादृश्यासंपत्तिः वर्ण्यमाना प्रतीपस्य पञ्चमः प्रकार उच्यते इति भावः।

प्रतीप के पञ्चम प्रकार का लक्षण किया जाता है—सादृश्य इत्यादि।

सादृश्य के विघटन (हो सकने) का वर्णन होने पर प्रतीप का पञ्चम प्रकार कहा जाता है।

प्रथमलक्षणं विशदं विविनक्ति—

तत्राद्ये प्रभेदे प्रसिद्धौपम्ये यदुपमेयं तस्यैवोपमानत्वादाधिक्यस्य, यच्चोपमानं तस्योपमेयत्वान्न्यूनत्वस्य च प्रत्ययः फलम्। इदमेव चौपम्यस्याविशेषेऽप्युपमालङ्कारादस्य वैलक्षण्ये बीजम्। औपम्यप्रतिष्ठानं च निषिध्यमानसादृश्याद्व्यतिरेकात्। नन्वौपम्यस्योपमानोपमेयसाधारण्येऽपि यदेकस्याधिक्यमपरस्य न्यूनत्वं च गम्यते तत्कस्य हेतोरिति चेत् शृणु। उपमाने हि साधारणधर्मसंबन्धोऽनूद्योपमेये विधीयत इति तावन्निर्विवादम्। विध्यनुवादौ च साध्यत्वसिद्धत्वाभ्याम्। ते च क्रमेण न्यूनत्वाधिक्ये उपमानोपमेययोः प्रयोजयतः।

लोकेऽपि निश्चितविद्यो यथा पूज्यते तथा नानिश्चितविद्य इति स्फुटमेव। ते च साध्यत्वसिद्धत्वे वक्तृविवक्षाधीने इति नात्र दोषः।

इदमेव चेति। उपमानभावापन्नप्रसिद्धोपमेयाधिक्योपमेयभावापन्नप्रसिद्धोपमानन्यूनत्व-प्रतीतिरूपफलवैलक्षण्यमेवेत्यर्थः। उपमालङ्कारादस्य वैलक्षण्यं प्रतिपाद्य व्यतिरेकालङ्कारा-दस्य वैलक्षण्यं प्रतिपादयति—औपम्यप्रतिष्ठानमिति। निषिध्यमानं सादृश्यं यत्र तादृशे व्यतिरेके औपम्यस्य प्रतिष्ठैव न भवति, इह तु सा भवतीति ततोऽस्य वैलक्षण्ये बीजमिति भावः। "अत्र सादृश्यं निषिध्य यो व्यतिरेकः (विशेषः) दर्श्यते तस्मादेव द्वयोरौपम्यं स्थिरी-भवति। यदा हि एकस्मादपरस्य कश्चन विशेषः प्रदर्श्यते तदा प्रतीयते यत् अयं विशेष एव विशेषः, अन्यत्सर्वम् साम्यमिति।" इतीयं सरला मूलग्रन्थार्थाज्ञानमूला महानर्थकरीति सुधीभिरवधातव्यम्। आशङ्कते—नन्विति। उपमालङ्कारस्थले प्रतीपप्रथमप्रकारस्थले वोपमानोपमेययोर्मिथः साधारण्येन सादृश्यं प्रतिपाद्यते, तथात्वे चोपमाने आधिक्यस्योप-मेये न्यूनत्वस्य प्रतीतौ किं विनिगमकमिति शङ्काशयः। समाधत्ते—उपमाने हीति। उप-माने साधारणधर्मसंबन्धस्यानुवादो भवति उपमेये च तस्य विधानं भवतीत्यत्र न कस्यापि विप्रतिपत्तिरिति भावः। अथैतावता किमित्यत्राह—विध्यनुवादौ चेति। साध्यस्य विधानं सिद्धस्य चानुवादो भवतीति भावः। प्रकृते निगमयन्नाह—ते चेति। साध्यत्वसिद्धत्वे चेत्यर्थः। प्रतीपप्रथमप्रकारे प्रसिद्धोपमानस्योपमेयत्वेन कल्पनं भवतीति प्रागुक्तम्, तथा च तत्रोक्तरीत्या साधारणधर्मस्य विधानमित्यपि विदितम्। विधीयमानश्च साधारणधर्म-संबन्धः साध्यः, साध्यश्च सः प्रतीप उपमेयभूतस्य प्रसिद्धोपमानस्य न्यूनत्वम् प्रयोजयति, एवमेव प्रतीपप्रथमप्रकारे प्रसिद्धोपमेयस्योपमानत्वेन कल्पनमित्यपि पूर्वमुदीरितम्, तथा च तत्रोक्तरीत्या साधारणधर्मस्यानुवाद इति निश्चितम्। अनूद्यमानश्च साधारणधर्मः सिद्धः, सिद्धश्च सः प्रतीप उपमानभूतस्य प्रसिद्धोपमेयस्याधिक्यं प्रयोजयतीति समाधाना-शयः। समाधानभूतेऽर्थे दृष्टान्तमाह—लोकेऽपीति। सिद्धसाधारणधर्मकस्य निश्चितविद्य-स्यैव श्रेष्ठत्वम् साध्यसाधारणधर्मकस्यानिश्चितविद्यस्यैव हीनत्वमिति भावः। ननु साध्यत्व सिद्धत्वेऽपि सादृश्यवदुपमानोपमेयसाधारण एवेति कुतस्ताभ्यामेकस्याधिक्यमपरस्य न्यून-त्वञ्च सिद्ध्येतामित्यत आह—ते च साध्यत्वेति। साध्यत्वसिद्धत्वे वक्तुरिच्छाया अधीने, तथा च यत्र यस्य साध्यत्वं वक्ता वक्तुमिच्छति तत्र तस्य साध्यत्वं साध्यत्वेन च न्यूनत्वं भवेदेवं यत्र यस्य सिद्धत्वं वक्ता वक्तुमिच्छति तत्र तस्य सिद्धत्वं सिद्धत्वेन चाधिक्यं भवे-दिति न कश्चिद्दोष इति भावः।

प्रथम लक्षण का विवेचन किया जाता है—तत्र इत्यादि।

प्रतीप के उक्त पांच भेदों में से प्रथम भेद में प्रसिद्ध उपमा में जो उपमेय होता था उसके उपमान हो जाने से 'आधिक्य की प्रतीति' और जो उपमान होता था उसी के उपमेय हो जाने से 'न्यूनता की प्रतीति' फल है। उपमालङ्कार से सादृश्य अंश में कोई अन्तर न होने पर भी इस अलङ्कार की विलक्षणता का यही (उक्त फलात्मक प्रतीति) बीज है। व्यतिरेक से इसमें (प्रतीप के प्रथम प्रभेद में) अन्तर यह है कि उसमें (व्यतिरेक में) सादृश्य का निषेध किया जाता है और इस में (प्रतीप के प्रथम प्रभेद में) सादृश्य की स्थापना।

यहाँ यदि यह आशङ्का की जाय कि जब सादृश्य उपमान तथा उपमेय दोनों में साधारण रूप से रहता है–अर्थात् उपमान के समान उपमेय और उपमेय के समान उपमान समान रूप से समझा जाता है, तब जो एक की अधिकता तथा दूसरे की न्यूनता की प्रतीति होती है वह किस कारण से ? तो इस का समाधान यह होगा कि उपमान में साधारण धर्म के संबन्ध का अनुवाद रहता है अर्थात् पूर्वसिद्ध का पुनः कथनमात्र रहता है और उपमेय में होता है उस का विधान यह तो निर्विवाद है, और विधान तथा अनुवाद निर्भर हैं साध्यता एवं सिद्धता पर अर्थात् साध्य का विधान किया जाता है और सिद्ध का अनुवाद।

अतः प्रतीप के इस प्रथम प्रकार में प्रसिद्ध उपमान में साधारण धर्म की साध्यता उसकी न्यूनता का और प्रसिद्ध उपमेय में साधारण धर्म की सिद्धता उस की अधिकता का कारण बन जाती है। स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि सिद्ध रहने के कारण अनूद्यमान साधारण धर्म संबन्ध वाले उपमान की अधिकता और साध्य रहने के कारण विधीयमान साधारण धर्म संबन्ध वाले उपमेय की न्यूनता ज्ञात होती है यह सामान्य सिद्धान्त जब बन गया तब जहाँ जिसको उपमान बनाया जायगा उस की अधिकता और जिसको उपमेय बनाया जायगा उस की न्यूनता की प्रतीति मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी और प्रतीपस्थल में सामान्यतः उपमान रूपमें रक्खे जाने वाले चन्द्र आदि ही उपमेय तथा सामान्यतः उपमेय रूप में रक्खे जाने वाले मुख आदि ही उपमान बना दिए जाते हैं अर्थात् 'चन्द्र इव मुखं' न कह कर 'मुखमिव चन्द्रः' कहा जाता है अतः यहाँ उपमान हो जाने के कारण मुख की ही अधिकता और उपमेय हो जाने के कारण चन्द्र की ही न्यूनता ज्ञात होने लगती है।

लोक में भी देखा जाता है कि निश्चित विद्या वाले की पूजा (आदर) जिस तरह होती है, उस तरह अनिश्चित विद्या वाले की नहीं। फलतः निश्चित विद्यावालों के समान निश्चित साधारण धर्म संबन्ध वाले उपमान की श्रेष्ठता तथा अनिश्चित विद्या वालों के समान अनिश्चित साधारण धर्म संबन्ध वाले उपमेय की हीनता अवश्य प्रतीत होगी।

आप कहेंगे कि आखिर साध्यता तथा सिद्धता के आधार पर ही उक्त सिद्धान्त-प्रासाद खड़ा किया जाता है पर वे (साध्यता, सिद्धता) भी तो सादृश्य के समान उपमानोपमेय साधारण ही हैं तब फिर उनके आधार पर उक्त सिद्धान्त-प्रासाद कैसे खड़ा किया जा सकता है ? तो इस का उत्तर यह है कि साध्यता तथा सिद्धता वक्ता की इच्छा के अधीन है वक्ता अपनी इच्छा मात्र से जिस किसी को साध्य अथवा सिद्ध बना दे सकता है, अतः वह चन्द्रादिगत साधारण धर्म संबन्ध को कहीं सिद्ध और कहीं साध्य दोनों बना सकता है इसी तरह मुखादिगत साधारण धर्म संबन्ध को भी वह दोनों बना सकता है–इस में कोई दोष नहीं आता।

अन्येषु प्रतीपभेदेषु प्रतीयमानानि फलानि सूचयन्नाह—

द्वितीयतृतीययोर्भेदयोस्तु फलं स्फुटमेव चतुर्थस्य तु निषिध्यमानवस्तुगतसकलगुणवत्त्वप्रतिपत्तिः। पञ्चमस्य प्रथमवदिति।

प्रतीप-द्वितीय-प्रभेदस्य प्रतीप-तृतीय-प्रभेदस्य च फलं तु 'अद्वितीयतोत्कर्ष-परिहारः' स्पष्टमेवास्ति। प्रतीप-चतुर्थप्रभेदस्य फलम् 'अभूदप्रत्यूहः–' इत्यादौ तत्प्रभेदोदाहरणे निषिध्यमानस्य विधूदयादेः सर्वेषां तिमिरनाशकत्व-जननयनतापशमनकारित्वादीनां गुणा-

नाम् नायिकामुखादौ प्रतीतिरिति बोध्यम् । पञ्चमप्रतीपप्रभेदफलम् प्रथमप्रभेदफलवत् प्रसिद्धोपमेयाधिक्य-प्रसिद्धोपमानन्यूनत्वयोः प्रतीतिः अवगन्तव्यम् ।

अन्य भेदों के फल बतलाए जाते हैं—द्वितीय इत्यादि।

प्रतीप के द्वितीय तथा तृतीय प्रभेदों का फल तो 'अद्वितीयता-प्रयुक्त उत्कर्ष का परिहार' स्पष्ट ही है।

चतुर्थ प्रभेद का फल है–'जिसका निषेध किया जा रहा है उस (उपमान) में रहने वाले सब गुणों से उपमेय के युक्त होने का बोध'। जैसे–'अभूदप्रत्यूहः–' इस उदाहरण में चन्द्र के सभी गुणों (अन्धकारनाशकता जननयनतापशान्तिकारिता आदि) का नायिकामुख में रहने की प्रतीति)।

पञ्चम प्रभेद का फल 'प्रथम प्रतीप' के समान है–अर्थात् 'प्रसिद्ध उपमान की न्यूनता और प्रसिद्ध उपमेय की अधिकता की प्रतीति'।

लक्ष्योल्लेखायाह—

उदाहरणम्—

क्रमशः उदाहरणं निर्दिश्यत इति भावः।

क्रमशः उदाहरण का निर्देश किया जाता है–।

प्रथमभेदोदाहरणन्निर्दिशति—

'किं जल्पसि मुग्धतया हन्त ममाङ्गं सुवर्णवर्णमिति।
तद् यदि पतति हुताशे तदा हताशे तवाङ्गवर्णं स्यात्॥'

सखी नायको वा नायिकां प्रत्याह—त्वम्, 'मम, अङ्गम्, सुवर्णवर्णम्' इति, मुग्धतया मोहवशात्, किं कुतः, जल्पसि वदसि, हन्त तवैवं जल्पनं खेदकरम्। हे हताशे विनष्टमनोरथे!, तत् सुवर्णम्, हुताशे अग्नौ, पतति, तदा, तवाङ्गवर्णम् त्वदङ्गवर्णसमानवर्णविशिष्टं, स्यात् भवेदित्यर्थः।

प्रथम भेद का उदाहरण दिखलाया जाता है—किं जल्पसि इत्यादि।

सखी अथवा नायक नायिका से कहता है कि—तुम मुग्धता से (मोहवश=भोलेपन के कारण) 'मेरा अङ्ग सुवर्णवर्ण है' ऐसा क्यों कहती फिरती हो, खेद की बात है। हे हताशे!, यदि वह (सुवर्ण) अग्नि में गिरे तब तेरे अङ्गों के समान वर्ण वाला हो सकेगा।

उपपादयति—

अत्र पूर्वार्धोपमागम्यं सुवर्णवर्णाधिक्यं तिरस्कृत्य द्वितीयार्धे प्रतीपं बालाङ्गवर्णस्याधिक्यं गमयति। हुताशपातं विना प्रतीपमपि दुर्लभम्। उपमा तु स्वप्नेऽपि न संभवतीति मुग्धत्व-हताशत्वाभ्यां गम्यते।

अत्रेति। 'किं जल्पसि–' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः। पूर्वार्धोपमेति। 'सुवर्णवर्णम्' इत्येतत्पदगत समासगलुप्तौपम्योपमेत्यर्थः। प्रतीपमिति। 'अङ्गवर्णम्' इत्येतत्पदगतमित्यर्थः। प्रतीपमपीति। नायिकाङ्गप्रतियोगिकसुवर्णानुयोगिकसादृश्यमपीति भावः। उपमा त्विति। सुवर्णप्रतियोगिक-नायिकाङ्गानुयोगिकसादृश्यं त्वित्यर्थः। अयं भाव;—'किं जल्पसि–' इत्यत्र पूर्वार्धे कविना 'सुवर्ण इव वर्णो यस्य तदङ्गम्, इत्युपमाप्रयोगः कृतः, अस्यामुपमायां

लोकप्रसिद्धायामुपमानत्वेन सुवर्णस्य (सुवर्णवर्णस्य, सुवर्णपदस्य लक्षणया सुवर्णवर्णपरत्वात्, अन्यथा निदर्शनापत्त्योपमैव न स्यात्) आधिक्यं प्रतीतम्, परन्तूत्तरार्धे कविना प्रयुज्यमानम् 'अङ्गमिव (अङ्गवर्ण इव) वर्णो यस्य तादृशं सुवर्णम्' इति प्रतीपम् पूर्वप्रयुक्तोपमावैपरीत्येन नायिकाङ्गमुपमानतां नीत्वा तस्यैवाधिक्यं गमयत् पूर्वोपमागम्यं सुवर्णवर्णस्याधिक्यं तिरस्करोतीति । मुग्धहताशत्वाभ्यां व्यज्यमानो मूलोक्तोऽर्थोऽप्येतदेव पुष्णातीत्यपि बोध्यम् ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'किं जल्पसि–' इस पद्य के पूर्वार्ध में कवि ने 'सुवर्ण के समान वर्ण वाला मेरा अङ्ग' ऐसा कहकर एक लोकप्रसिद्ध उपमा का प्रयोग किया है, जिस से सुवर्ण की अधिकता व्यक्त होती है, क्यों कि इस उपमा में सुवर्ण (उसका वर्ण) उपमान है और उपमान की अधिकता प्रतीत होती है यह पहले कहा जा चुका है, पर उत्तरार्ध में जाकर कवि ने 'तेरे अङ्गों के वर्ण के समान वर्णवाला सुवर्ण' ऐसा कह कर प्रतीप का प्रयोग कर दिया, जिस में उपमान हो जाने के कारण अङ्ग के वर्ण का ही आधिक्य व्यक्त हुआ और इससे पूर्व में प्रतीत सुवर्ण वर्ण की अधिकता का तिरस्कार हो गया, क्यों कि पूर्व प्रतीत अर्थ का तिरस्कार किए विना ठीक उस से विपरीत अर्थ की सिद्धि न हो सकती थी। यहाँ 'मुग्धतया' और 'हताशे' इन दोनों पदों से यह ध्वनित होता है कि "सुवर्ण जब तक अग्नि में नहीं गिरता तब तक प्रतीप (तेरे अङ्गों का उस में सादृश्य) भी दुर्लभ है—अर्थात् अग्निपात के विना 'सुवर्ण तेरे अङ्गों के समान वर्ण वाला है' ऐसा कहना भी कठिन है, उपमा ('सुवर्ण के समान तेरे अङ्गों का वर्ण है' ऐसा कथन) तो स्वप्न में भी संभव नहीं है"।

द्वितीय प्रतीपभेदमुदाहरति—

'माहात्म्यस्य परोऽवधिर्निजगृहं गम्भीरतायाः पिता
रत्नानामहमेक एव भुवने को वा परो मादृशः ।
इत्येवं परिचिन्त्य मा स्म सहसा गर्वान्धकारं गमो
दुग्धाब्धे भवता समो विजयते दिल्लीधरावल्लभः ॥'

हे दुग्धाब्धे क्षीरसागर, "अहम्, एक एकलः, एव, माहात्म्यस्य महिम्नः, परः उत्कृष्टः, अवधिः सीमा, गम्भीरतायाः गाम्भीर्यस्य, निजगृहम् स्वभवनम् (अत्र 'निजगृहम्' इति कथनेनैतत्सूच्यते यत्कदाचिदन्यत्रापि क्वचित्क्षणिकगाम्भीर्यं तिष्ठतु नाम सार्वकालिकी गम्भीरता तु मय्येवेति) तथा, रत्नानाम् श्रेष्ठवस्तूनाम् मण्यादीनाम्, पिता जनकः, अस्मीति शेषः, भुवने संसारे, मादृशः, अपरः अन्यः, को वा, अस्ति ? न कोऽपीत्यर्थः", इत्येवं, परिचिन्त्य विचार्य, सहसा हठात्, गर्वान्धकारम् दर्पान्ध्यम्, मास्मगमः, न गच्छ, त्वमिति कर्तृपदमध्याहार्यम्, यतः, भवता, समः सदृशः, दिल्लीधरावल्लभः दिल्लीनरेशः, विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तत इत्यर्थः । अत्रोपमानस्य दुग्धसागरस्य माहात्म्यपरावधित्वादिगुणप्रयुक्ताद्वितीयतोत्कर्षं परिहर्तुम् दिल्लीधरावल्लभं द्वितीयं दर्शयित्वा सादृश्यमुल्लास्यत इति द्वितीयप्रकारोदाहरणतां पद्यमिदं प्रतिपद्यत इति बोध्यम् ।

हे दुग्धसमुद्र ! मैं अकेला ही महिमा का चरमसीमा हूँ, गम्भीरता का निज भवन हूँ

और रत्नों का जनक हूँ, संसार में मुझ सा दूसरा कौन है? इस प्रकार सोच कर सहसा गर्वान्धकार में मत डूबो। तेरे समान दिल्ली-नरेश वर्तमान हैं।

यहाँ महिमा का चरम सीमा होने आदि गुणों के कारण उत्पन्न दुग्ध-समुद्र रूप उपमान के अद्वितीयतात्मक उत्कर्ष को दूर करने के लिए दिल्ली-नरेश को द्वितीय के रूप में दिखला कर सादृश्य का वर्णन किया गया है, अतः यह पद्य प्रतीप के द्वितीय प्रकार का उदाहरण होता है।

प्रतीप—तृतीयप्रभेदमुदाहरति—

'निभाल्य भूयो निजगौरिमाणं मा नाम मानं हृदये विधासीः।
गृहे गृहे पश्य तवाङ्गवर्णा मुग्धे सुवर्णावलयो लुठन्ति ॥'

हे मुग्धे !, निजगौरिमाणम् स्वदेहगौरत्वम्, भूयः पुनः पुनः, निभाल्य दृष्ट्वा, हृदये, मानम्, मा नाम विधासीः न कुरु, पश्य, तवाङ्गवर्णाः त्वदङ्गवर्णसमानवर्णाः सुवर्णावलयः सुवर्णपङ्क्तयः, गृहे गृहे प्रतिगृहम्, लुठन्ति भूमौ विकीर्णा भवन्तीत्यर्थः। अत्रोपमेयस्य नायिकाङ्गवर्णस्याद्वितीयतोत्कर्षं परिहर्तुम् सुवर्णावलीर्द्वितीयत्वेनोपस्थाप्य सादृश्यमुपवर्ण्यत इति तृतीयप्रभेदस्योदाहरणमिदं भवतीति बोध्यम्।

प्रतीप के तृतीय प्रभेद का उदाहरण दिखलाया जाता है—निभाल्य इत्यादि।

हे मुग्धे! बार बार अपने गोरेपन को देख कर हृदय में मान मत करो, देखो, तेरे अङ्गों के समान रङ्ग वाले सुवर्ण की पङ्क्तियाँ घर-घर में लोट रही हैं। यहाँ नायिका के अङ्गों का वर्ण उपमेय है जिसके अद्वितीयतोत्कर्ष को हटाने के लिए सुवर्ण को द्वितीय के रूप में रखकर सादृश्य का वर्णन किया गया है, अतः यह पद्य प्रतीप के तृतीय प्रभेद का उदाहरण होता है।

प्रतीप-चतुर्थप्रभेदस्योदाहरणभूतं पूर्वोक्तं पद्यं स्मारयति—

उपमानकैमर्थ्यस्य तूदाहरणमाक्षेपप्रकरण एव गदितम् 'अभूदप्रत्यूहः' इत्यादि।

उपमानकैमर्थ्यरूपस्य प्रतीपचतुर्थप्रकारस्योदाहरणम् आक्षेपालङ्कारनिरूपणप्रस्तावोक्तम् 'अभूदप्रत्यूहः कुसुमशरकोदण्डमहिमा, विलीनो लोकानां सहनयनतापोऽपि तिमिरैः। तवास्मिन्पीयूषं किरति परितस्तन्वि वदने, कुतो हेतोः श्वेतो विधुरयमुदेति प्रतिदिनम् ॥' इति पद्यं बोध्यमिति भावः। अस्मिन्पद्ये विधोरुपमानस्य कैमर्थ्यं स्फुटमेव।

प्रतीप के चतुर्थ प्रभेदोदाहरण के रूप में पूर्वोक्त पद्य का स्मरण कराया जाता है—उपमान इत्यादि।

प्रतीप के चतुर्थ प्रभेद, जिसका स्वरूप 'उपमानभूत पदार्थ के संबन्ध में यह किस लिए? इस तरह की जिज्ञासा, कहा जा चुका है, का उदाहरण तो आक्षेपालङ्कार के प्रसङ्ग में 'अभूदप्रत्यूहः–' इस पद्य के रूप में कहा जा चुका है। पूरा पद्य ऊपर की संस्कृत व्याख्या में देखिए। यहाँ चन्द्ररूप उपमान के विषय में 'यह किस लिए' इस तरह की जिज्ञासा उठाई गई है।

अन्तिमं प्रभेदमुदाहर्तुमाह—

पञ्चमो यथा—

सादृश्यविघटनात्मकं पञ्चमं प्रतीपं यथेत्यर्थः।

पञ्चम प्रतीप-प्रभेद, जैसे—।

उदाहरणमुल्लिखति—

'करिकुम्भतुलामुरोजयोः क्रियमाणां कविभिर्विशृङ्खलैः ।
कथमालि शृणोषि सादरं विपरीतार्थविदो हि योषितः ॥'

हे आलि सखि, विशृङ्खलैः निर्मर्यादैः कविभिः, क्रियमाणाम्, उरोजयोः स्तनयोः, करिकुम्भतुलाम् गजमस्तकसाम्यम्, कथं केन प्रकारेण, सादरम्, शृणोषि ? न श्रोतव्यम् तादृशं साम्यमिति भावः, तथापि त्वं शृणोषि, हि यतः, योषितः नार्यः, विपरीतार्थविदः विरुद्धार्थज्ञानवत्यो भवन्तीत्यर्थः ।

उदाहरण का उल्लेख किया जाता है—करिकुम्भ इत्यादि ।

हे सखि ! मर्यादा-विहीन कवियों के द्वारा की जाती हुई स्तनों की करिकुम्भ के साथ तुलना को आदरपूर्वक कैसे सुन लेती हो ? प्रतीत होता है कि स्त्रियाँ उलटा ही अर्थ समझती हैं ।

उपपादयति—

अत्र कथं शृणोषीत्यनेन तुलैव न संभवतीति गम्यते । अर्थान्तरन्यासोऽप्यमुमेवार्थं पुष्णाति ।

'करिकुम्भ–' इत्यस्मिन्पद्ये 'कथं शृणोषि' इत्युक्त्या स्तनयोः करिकुम्भेन सह तुलना नैव संभवतीत्यर्थो व्यज्यते । चतुर्थचरणोपन्यस्तोऽर्थान्तरन्यासोऽपि तमेव तुलासंपत्त्यभावं पुष्णाति । तथा च सादृश्यविघटनमिह जायत इति पद्यमिदं भवति प्रतीपपञ्चमप्रकारोदाहरणमिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'करिकुम्भ–' इस पद्य में 'कैसे सुन लेती हो' इस उक्ति से यह व्यक्त होता है कि 'तेरे स्तनों की तुलना करिकुम्भों के साथ हो ही नहीं सकती है ।' चतुर्थ चरण द्वारा खड़ा किया गया अर्थान्तरन्यास भी इसी अर्थ की पुष्टि करता है—अर्थात् 'स्त्रियाँ उलटा ही अर्थ समझती हैं' इस कथन से भी यही भाव निकलता है कि तुम भी स्त्री होने के कारण तुलना के अयोग्य को ही तुलना-योग्य मानती हो ।

उपसंहरति—

तदेवं पञ्चविधं प्रतीपं प्राचामनुरोधान्निरूपितम् ।

उक्तरीत्या प्रतीपस्य ये पञ्च प्रकारा निरूपितास्ते प्राचीनमतसिद्धा, नास्मन्मतसिद्धा इति भावः ।

प्राचीनों के अनुरोध से उक्त पञ्चविध प्रतीप का निरूपण किया गया है ।

प्रतीपविषये स्वमतमाह—

वस्तुतस्तु—आद्यास्त्रयोऽप्युपमायामेवान्तर्गता भेदाः । चतुर्थः केषांचिदाक्षेपः । पञ्चमस्त्वनुक्तवैधर्म्ये व्यतिरेके । तथाहि—निष्पाद्यमानं सुन्दरं वा सादृश्यमुपमा । नह्याद्ये प्रतीपे 'मुखमिव कमलम्' इत्यादौ सादृश्यस्यानिष्पत्तिरसौन्दर्यं वास्ति येनोपमातो बहिर्भावः स्यात्, सौन्दर्यविशेषस्य त्वयाप्यभ्युपगमात् । विशेषस्य सामान्यानिवारकत्वात् । न च प्रसिद्धकमलादिप्रतियोगिकमेव सादृश्यमुपमेति राज्ञामाज्ञास्ति । न चोपमाविरुद्ध-

वाचिनः प्रतीपशब्दस्य माहात्म्यादेव तादृशं सादृश्यमुपमेति शक्यं वक्तुम्, उपमाविशेषविरुद्धवाचकत्वेनापि तदुपपत्तेः। एवं चाद्यं प्रतीपं प्रसिद्धोपमाव- दुपमाविशेष एव। अत एव द्वितीयतृतीयावपि भेदावुपमाविशेषावेव। उपमा- नोपमेययोस्तिरस्कारस्तूपमान्तराद्वैलक्षण्यं प्रयोजयेत्, न तूपमासामान्यात्, तदनुस्यूतत्वेनैव तत्प्रतीतेः। न हि द्राक्षामाधुर्यातिशयेन पार्थिवान्तराद्विल- क्षणेत्यपार्थिवी भवति। अपि च यद्युपमानोपमेययोस्तिरस्कारोऽलङ्कारता- प्रयोजकः स्यात्, पुरस्कारोऽपि तथा स्यात्। यथा—

'एको विश्वसतां हराम्यपघृणः प्राणानहं प्राणिना-
मित्येवं परिचिन्त्य मा स्म मनसि व्याधानुतापं कृथाः।
भूपानां भवनेषु किंच विमलक्षेत्रेषु गूढाशयाः
साधूनामरयो वसन्ति कति न त्वत्तुल्यकक्षाः खलाः॥'

अत्रौपम्यप्रदर्शनस्य नोपमान-तिरस्कारः फलम्, तस्य गर्वितत्वेनाविव- क्षणात्। किं तु तदनुतापनाशः। एवं च फलवैलक्षण्यमात्रेणालङ्कारान्तरत्वं ब्रुवता अस्याप्यलङ्कारान्तरत्वमभ्युपेयं स्यात्, प्रतीपषष्ठभेदत्वं वा। किं च त्वदुक्तप्रतीपभेदानामपि परस्परवैलक्षण्येन पृथगलङ्कारत्वं स्यात्, न प्रतीप- भेदत्वम्। प्रतीपस्य सकलप्रभेदसाधारणसामान्यलक्षणाभावात्। अन्यत- मत्वं तु दूषणसहस्रग्रस्तत्वादलक्षणमेवेत्यसकृदुक्तम्। उपमालक्षणं तु सकल- साधारणम्। चतुर्थः प्रभेदस्तु येषां मते नाक्षेपस्तेषामस्तु नाम प्रतीपालङ्कारः। पञ्चमस्य तु गतिरुक्तैव प्रभेदस्य।

आद्यास्त्रयो भेदा इति। 'प्रसिद्धौपम्यवैपरीत्येन वर्ण्यमानमौपम्यमेकम्' 'उपमानोप- मेययोरन्यतरस्य किंचिद्गुणप्रयुक्तमद्वितीयतोत्कर्षं परिहर्तुं द्वितीयप्रदर्शनेनोल्लास्यमानं सादृश्यमपरं द्विविध'मिति भावः। चतुर्थ इति। 'उपमानस्य कैमर्थ्य'मित्यर्थः। केषांचिदा- क्षेप इति। केषांचिन्मतेन सिद्धो य आक्षेपः 'उपमेयस्योपमानसंबन्धि-सकलप्रयोजन-निष्पा- दनक्षमत्वादुपमानकैमर्थ्यमुपमानाधिक्षेपरूपम्' इत्येवं लक्षणलक्षितस्तस्मिन् चतुर्थप्रभेद- स्यान्तर्भाव इति भावः। पञ्चम इति। सादृश्यविघटनरूप इत्यर्थः। व्यतिरेक इति। अन्त- र्गत इति शेषः। उपमेयोत्कर्षस्योभयत्रापि प्रतीतेरिति भावः।

आद्यभेदत्रयाणामुपमायामन्तर्भावं व्याख्यातुमुपक्रममाणः प्रथमं प्रथमभेदस्य तत्रान्तर्भावं व्याचष्टे—तथाहीति। निष्पद्यमानमिति। पूर्णं स्वरूपं लभमानमित्यर्थः। सुन्दरमिति। चमत्कृत्याधायकमित्यर्थः। वा-शब्दः समुच्चयार्थको न तु विकल्पार्थक इति बोध्यम्। तथा च निष्पद्यमानं सुन्दरञ्च सादृश्यमुपमेति विवक्षितोऽर्थः। सौन्दर्य- विशेषस्य त्वयापीति। 'कमलमिव मुखम्' इत्यतः 'मुखमिव कमलम्' इत्यत्र सौन्दर्य- विशेष इति प्रतीपवादिनाप्यभ्युपगम्यत इति भावः। विशेषस्य सामान्येति। व्याप्यो विशेषो व्यापकं सामान्यन्न स्वाधिकरणान्निवर्तयति व्याप्याधिकरणे व्यापकस्थितेरावश्यकत्वादिति भावः। एवञ्च त्वदभिमत-प्रथमप्रतीपः उपमाया अवान्तरप्रभेद एवेति सारांशः। न चेति। नहीत्यर्थः। प्रसिद्ध...इति। प्रसिद्धकमलादिप्रतियोगिकमुखाद्यनुयोगिकसादृश्य-

मेवोपमा, न मुखादिप्रतियोगिककमलाद्यनुयोगिकसादृश्यमिति तु न वक्तुमुचितम्, युक्तिविरहे तादृशोक्ते राजाज्ञारूपत्वात्, राजाज्ञाया अपि तथाविधाया अभावाच्चेति भावः। आशङ्क्य समाधत्ते—न चोपमेति। तादृशं सादृश्यमिति। प्रसिद्धकमलादिप्रतियोगिकसादृश्यमित्यर्थः। प्रतीपशब्दो विरुद्धार्थकस्तया च प्रतीपेतिनामकरणमहिम्नोपमाविरुद्धस्वरूपत्वमस्यालङ्कारस्य सिद्ध्यति, अस्य च स्वरूपं मुखादिप्रतियोगिकसादृश्यमिति परिशेषात् कमलादिप्रतियोगिकसादृश्यस्यैवोपमात्वं सयुक्तिकमिति शङ्कायां कमलादिप्रतियोगिकसादृश्यरूपोपमाविशेषविरुद्धवाचकतयापि प्रतीपशब्दार्थोपपत्तौ सर्वविधसुन्दरसादृश्यस्योपमासामान्यताङ्गीकारे क्षत्यभाव इति समाधानमिति भावः। उपसंहरन्नाह—एवं चाद्यमिति। अत एवेति। निष्पद्यमानसुन्दरसादृश्यमात्रस्योपमात्वादेवेत्यर्थः। ननु द्वितीयभेदे उपमानस्य तृतीयभेदे चोपमेयस्य तिरस्कारः प्रतीयते, उपमायां तु न कस्यापि तिरस्कारः प्रतीतिपथमवतरतीति वैलक्षण्यमिति चेत्? सत्यम्, उपमाप्रभेदान्तरापेक्षिकवैलक्षण्यमिदम्, नोपमासामान्यापेक्षिकम्, उपमासामान्ययुक्ततयैव द्वितीयतृतीयभेदयोरपि प्रतीतेः। अत्रार्थे दृष्टान्तमुद्घाटयति—नहि द्राक्षेति। माधुर्यातिशययोगेन तण्डुलादिपार्थिवपदार्थान्तराद् विलक्षणापि द्राक्षा यथा पार्थिव्येव तथैव उपमाप्रभेदान्तराद् भिद्यमानोऽपि प्रतीपात्मको भेद उपमासामान्यमेवेति दृष्टान्ताशयः। प्रतिबन्ध्यात्मकं समाधानान्तरमाह—अपि चेत्यादिना। उपमानादिपुरस्कारोदाहरणमाह—'एको विश्वसताम्—'इति। हे व्याध, अहम्, एकः, अपघृणः निर्दयः, सन्, विश्वसताम् विश्वासं कुर्वतां प्राणिनाम्, प्राणान्, हरामि, इत्येवं, परिचिन्त्य अनुध्याय, मनसि, अनुतापम्, खेदम्, मा कृथाः न कुरु, भूपानाम्, राज्ञाम्, भवनेषु गृहेषु, किंच, विमलक्षेत्रेषु तीर्थादिषु, गूढाशयाः अप्रकटमनोभावाः, साधूनाम् सज्जनानाम्, अरयः शत्रुभूताः, त्वत्तुल्यकक्षाः त्वादृशाः, कति, खलाः नीचस्वभावा दुष्टजनाः, न सन्ति? अवश्यमेव सन्तीति भावः। उपपादयति—अत्रेति। 'एको विश्वसताम्' इत्यस्मिन्पद्ये 'त्वत्तुल्यकक्षाः' इत्युक्त्या यत् सादृश्यं प्रदर्श्यते तस्य फलम् व्याधात्मकस्योपमानस्य तिरस्कारो न भवितुमर्हति, व्याधस्य गर्विततया अत्र वक्त्रिच्छाविषयत्वाभावात्, अगर्वितस्य तिरस्कारासंभवात्, किं तर्हि फलमिति चेत्तत्राह—किं त्विति। व्याधानुतापनाशइहौपम्यप्रदर्शनफलमिति भावः। किमेतावतेति चेत्तदाह—एवं चेति। उपमानोपमेयतिरस्काररूपफलवैलक्षण्येन प्रतीप-द्वितीयतृतीयप्रभेदात्मकौ द्वौ विभिन्नावलङ्कारौ स्वीक्रियेताम् तदोपमानपुरस्काररूपफलानुरोधेनापि किमप्यलङ्कारान्तरं प्रतीपस्यैव वा षष्ठो भेदः स्वीकर्तव्यः स्यादिति भावः। आपत्त्यन्तरमपि दर्शयति—किंचेति। प्रतीपस्य पञ्च भेदा इति कथनमयुक्तं स्यात्, पञ्च विभिन्ना अलङ्कारा इत्येवोक्तिः संगता भवेत्, पञ्चप्रकारसंग्राहकैकप्रतीपलक्षणविरहादिति भावः। पञ्च प्रकारानुक्त्वा तदन्यतमत्वं प्रतीपसामान्यमिति न युक्तम्, अन्यतमत्वात्मके सामान्यलक्षणे सहस्रं दोषा आपतन्तीति प्रागसकृत् साधनात्। उपमाप्रभेदानां तु नैषा दुर्गतिः, उपमा सामान्यलक्षणस्य प्रसिद्धत्वात्। नागेशस्तु "तिरस्कारफलकोपमानापकर्षबोधानुकूलव्यापारस्य प्रतीपसामान्यलक्षणत्वं संभवति, स च वाच्यो व्यङ्ग्यो वेत्यन्यदेतत्।" इत्याचष्टे। चतुर्थः

प्रभेदस्त्विति । येषां मते आक्षेपस्य प्रागुद्धृतं लक्षणं नास्ति, अपि तु 'पूर्वोपन्यस्तस्यार्थस्य पक्षान्तरालम्बनप्रयुक्तो निषेध आक्षेपः' इत्यादिकं लक्षणं विद्यते तेषां मते उपमानकैमर्थ्यरूपः चतुर्थः प्रभेदः स्वतन्त्रः प्रतीपसंज्ञकोऽलङ्कारः संभवतीति भावः। गतिरुक्तैवेति । अनुक्तवैधर्म्ये व्यतिरेकेऽन्तर्भाव इति भावः ।

प्रतीप के विषय में प्राचीनों के मत दिखलाने के बाद अब अपना मत ग्रन्थकार के द्वारा कहा जाता है—वस्तुतस्तु इत्यादि ।

वस्तुतः तो प्रतीप के पूर्वोक्त पाँच भेदों में से प्रथम तीन भेद उपमा के ही अन्तर्गत हैं, चौथा भेद कुछ लोगों के मत में आक्षेप है और पाँचवा भेद अनुक्तवैधर्म्य (जिसमें वैधर्म्य की उक्ति नहीं रहती है, उस) व्यतिरेक में गतार्थ है ।

देखिए—'सिद्ध हो सकने वाले सुन्दर सादृश्य' का नाम उपमा है। अब सोचिए कि 'मुख के समान कमल' इत्यादिक प्रथम प्रतीपोदाहरण में सादृश्य की असिद्धि अथवा असुन्दरता है ? जिससे इसको उपमा से बहिर्भूत समझा जाय ? आप भी कहेंगे कि नहीं, क्यों कि आप भी यहां (प्रतीप में) उपमा के समान ही नहीं अपि तु उससे विशिष्ट सौन्दर्य मानते हैं, फलतः जहां विशिष्ट सौन्दर्य मान्य है वहां सामान्य सौन्दर्य मानना ही होगा—जो उपमा विशेष हो सकता है उसको सामान्य उपमा कहा ही जा सकता है, क्योंकि विशेष सामान्य का निवारक नहीं होता है-विशेष सामान्य के अन्तर्गत ही होता है और ऐसी राजाज्ञा भी नहीं है कि जिस सादृश्य में प्रसिद्ध कमल आदि उपमान हो वही उपमा है ।

कहा जायगा कि 'प्रतीप' शब्द 'उपमाविरुद्ध' का वाचक है—न कि उपमा का, अतः उसके प्रभाव से ही प्रतीप के विरुद्ध सादृश्य को उपमा कहा जाय पर यह उचित नहीं, क्यों कि उपमा सामान्य (यावन्मात्र उपमाओं) के विरुद्ध होने पर ही प्रतीप कहा जाय ऐसी बात नहीं हो सकती, उपमाविशेष (किसी) के विरुद्ध का वाचक होने से भी प्रतीप शब्द की संगति हो सकती है ।

इस तरह यह सिद्ध है कि प्रतीप का प्रथम प्रकार प्रसिद्ध उपमा के समान उपमा विशेष ही है—अर्थात् कमल के समान मुख यह जैसे उपमा का एक प्रकार है उसी तरह 'मुख के समान कमल' यह भी उपमा का ही एक प्रकार है ।

इसी युक्ति से प्रतीप के द्वितीय तथा तृतीय भेद भी विशेष प्रकार की उपमाएँ ही हैं। शङ्का की जा सकती है कि प्रतीप के द्वितीय प्रकार में उपमान का और तृतीय प्रकार में उपमेय का तिरस्कार सूचित होता है और उपमा में ऐसा नहीं होता, ऐसी स्थिति में वे उपमाविशेष कैसे हो सकते हैं ? तो इसका समाधान यह है कि तिरस्कार की प्रतीति किसी एक प्रकार की उपमा से विलक्षणता सिद्ध कर सकती है, सामान्य उपमा (यावन्मात्र उपमाओं) से नहीं, क्यों कि उसकी (तिरस्कार की) भी प्रतीति उपमा में ही पिरोई हुई रहती है। द्राक्षा (दाख) मधुरता की अधिकता के कारण अन्य पार्थिव पदार्थों से विलक्षण होकर भी अपार्थिव नहीं होती है ।

दूसरी बात यह है कि यदि उपमान तथा उपमेय के तिरस्कार की प्रतीति होने से उपमा से भिन्न अलङ्कार माना जाय तो उनके पुरस्कार की प्रतीति से भिन्न अलङ्कार मानना पड़ेगा। जैसे—'एको विश्वसताम्-अर्थात् हे व्याध ! 'मैं अकेला निर्दय होकर विश्वास करने वाले प्राणियों के प्राणों का हरण करता हूँ' इस तरह सोचकर मन में पश्चात्ताप मत करो, राजाओं के भवनों में और निर्मल क्षेत्रों में (तीर्थादिकों में) छिपे मनोभाव वाले तेरे ही जैसे कितने खल साधुओं की शत्रुता में संलग्न नहीं रहते ?' इस पद्य में ।

यहाँ उपमान (व्याध) का तिरस्कार सादृश्य प्रदर्शन के फलरूप में प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यहाँ उपमान (व्याध) को गर्वित रूप में चित्रित करना कवि का अभीष्ट नहीं है, और तिरस्कार गर्वित का ही संभव है, अतः यहाँ उपमान (व्याध) के पश्चात्ताप का विनाश ही सादृश्य प्रदर्शन का फल माना जायगा। ऐसी स्थिति में केवल फल की विलक्षणता से उपमातिरिक्त अलङ्कार का समर्थन करने वाले को उक्त पद्य में भी एक भिन्न अलङ्कार मानना पड़ेगा अथवा प्रतीप का ही एक छठा भेद भी स्वीकृत करना पड़ेगा।

फलतः फलभेद के आधार पर अलङ्कारभेद मानने का दुराग्रह छोड़ कर इन सब को उपमा के ही विभिन्न प्रकार मान लेना चाहिए।

एक बात और है—आप जो उक्त पांच भेदों को प्रतीप नामक एक अलङ्कार कहते हैं वह नहीं हो सकता अपितु परस्पर विलक्षणता के कारण इन पांचों को पांच विभिन्न अलङ्कार कहने पड़ेंगे, क्योंकि इन पांचों को संगृहीत करने वाला प्रतीप का कोई एक सामान्य लक्षण नहीं हैं। 'इन पांचो में से कोई एक' इस तरह का सामान्य लक्षण तो हजार दोषों से ग्रस्त होने के कारण वस्तुतः लक्षण नहीं हो सकता यह बात बार बार कही जा चुकी है।

उपमा का तो सभी प्रभेदों को (आप के इन प्रतीपों को भी) संगृहीत करने वाला एक सामान्य लक्षण है।

इस तरह प्रतीप के प्रथम तीन भेद खतम हो गए हां चतुर्थ भेद (उपमान की किमर्थता) उनके मत से स्वतन्त्र प्रतीप अलङ्कार हो सकता है, जो आक्षेप का उपमान द्वारा संपन्न होने वाले सभी प्रयोजनों को संपन्न करने की उपमेयगत क्षमता के कारण उपमान का कैमर्थ्य ऐसा लक्षण नहीं मानते हैं।

पञ्चम प्रभेद की गति तो कही जा चुकी है-अर्थात् उस का अन्तर्भाव अनुक्त वैधर्म्य व्यतिरेक में कहा जा चुका है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे प्रतीपप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे प्रतीपालङ्कारप्रकरणं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत प्रतीपालङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां प्रतीपप्रकरणम्।

अलङ्कारान्तरनिरूपणप्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथ प्रौढोक्तिः—

प्रौढोक्त्यलङ्कारो निरूपणीयतया प्रारब्धो बोध्य इति भावः।

अब प्रौढोक्ति अलङ्कार का निरूपण प्रारब्ध होता है—।

तावत्तल्लक्षणमाह—

कस्मिंश्चिदर्थे किंचिद्धर्मकृतातिशयप्रतिपिपादयिषया प्रसिद्धतद्धर्मवता संसर्गस्योद्भावनं प्रौढोक्तिः॥

कस्मिंश्चिदेकस्मिन् पदार्थे यत्किंचिद्धर्मप्रयुक्तोत्कर्षप्रतिपादनेच्छया यत्प्रसिद्धतद्धर्मयुक्तेनापरेण पदार्थेन सह प्रतिपिपादयिषितोत्कर्षकपदार्थसंबन्धस्य प्रकटनं तदेव प्रौढोक्त्यलङ्कारत्वेन व्यपदिश्यत इति भावः।

सर्व प्रथम लक्षण किया जाता है—कस्मिन् इत्यादि।

किसी पदार्थ में किसी धर्म के कारण, अतिशय (उत्कर्ष) के प्रतिपादन की इच्छा से, जिसमें वह धर्म प्रसिद्ध है उस पदार्थ के साथ, इस पदार्थ के संबन्ध का उद्भावन (कल्पना) प्रौढोक्ति है।

लक्षणगतं संसर्गं विवृणोति—

संसर्गश्च सन्नसन् वा साक्षात्परम्परया वा।

लक्षणे संनिविष्टः संबन्धः साक्षात् परम्परया चेत्युभयविधः, उभयविधोऽपि वास्तविकः काल्पनिकश्च ग्राह्य इति भावः।

लक्षणगत संसर्ग वास्तविक तथा काल्पनिक-दोनों तरह का हो सकता है, साथ ही वे दोनों तरह के संसर्ग कहीं साक्षात् और कहीं परम्परा से लिए जाते हैं।

उदाहरणं समुपन्यस्यति—

'वल्मीकोदरसंभूत-कपिकच्छूसहोदराः।
हा पीडयित्वा निघ्नन्ति सज्जनान्दुष्टदृष्टयः॥

हा खेदकरम्, यत् वल्मीकस्य वामलूरस्य, उदराद् मध्यात्, संभूताः उत्पन्नाः, याः कपिकच्छ्वः स्पर्शमात्रेण कण्डूत्यतिशयोत्पादका लताविशेषाः (कवाच इति लोके प्रसिद्धा) तासां सहोदराः सदृशाः दुष्टदृष्टयः दुष्टदृष्टिकोणाः, दुर्जना इति यावत्, सज्जनान् पीडयित्वा पीडामुत्पाद्य, निघ्नन्ति मारयन्तीत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—वल्मीक इत्यादि।

हाय! वल्मीकों (कीटों द्वारा निर्मित मिट्टी के भिण्डे) के उदर (मध्य) से उत्पन्न कपिकच्छू (कौंछ=कवांछ एक प्रकार की लता जिसके स्पर्शमात्र से भयंकर खुजलाहट पैदा होती है) के सहोदर (समान) दुष्ट दृष्टि वाले (दुर्जन) सज्जनों को पीडा देकर मारते हैं।

उपपादयति—

अत्र कपिकच्छूसहोदरत्वेन मारकत्वं न प्राप्नोति अपि तु पीडाजनकत्वमात्रम्। कवेस्तु पीडां जनयित्वा मारयन्तीत्येवंरूपोऽतिशयो विवक्षितः। अतो वल्मीकोदरसंभूतत्वं सर्पाधिकरणवृत्तितारूपं कपिकच्छूविशेषणं मारकतावच्छेदकत्वेन स्वप्रतिभया कविना कल्पितम्।

कपिकच्छ्वः पीडामात्रोत्पादिका न मारिका इत्यतो यदि वल्मीकोदर इत्यस्मिन्पद्ये केवलकपिकच्छूसहोदरत्वमभिहितं स्यात्तदा तेन दुष्टदृष्टिजनानां पीडाकरत्वमात्रं सूचितं भवेत् न मारकत्वम्। तथा च पीडाजननपूर्वकमारणरूपस्य कविविवक्षितस्य दुर्जनगतातिशयस्य न स्यात्प्रतीतिरिति कविः स्वप्रतिभाबलेन वल्मीकोदरसंभूतत्वात्मकं कपिकच्छूविशेषणमकल्पयत् वल्मीकोदरसंभूतत्वेन च कपिकच्छूनां सर्पाधिकरणवृत्तिता ध्वन्यते वल्मीकानां सर्पाधिकरणत्वेन प्रसिद्धत्वात् सर्पाधिकरणवृत्तितया च विषदिग्धत्वम् तेन च मारकत्वम् प्रतीयते कपिकच्छूसहोदरत्वेन च दुष्टदृष्टीनामपि तत्त्वं सूच्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'वल्मीकोदर-' इस पद्य में यदि दुष्टदृष्टियों के विशेषणरूप में केवल 'कपिकच्छूसहोदर' कहा जाता तो दृष्टियों में 'मारकता' की प्राप्ति नहीं होती, अपि तु केवल पीडाजनकता की प्राप्ति होती, क्योंकि कपिकच्छू में पीडाजनकता ही होती है, मारकता नहीं, और कवि का विवक्षित है दुष्ट दृष्टियों में पीडोत्पादनपूर्वक मारण रूप अतिशय की प्रतीति कराना, अतः कवि ने अपनी प्रतिभा से मारकता के परिचायकरूप में 'वल्मीकोदरसंभूत' इस कपिकच्छू विशेषण की कल्पना की है और 'वल्मीकोदरसंभूत' का अभिप्राय होता है सर्प के रहने की जगह में रहना। अभिप्राय यह है कि 'वल्मीकोदरसंभूत' इस विशेषण से कपिकच्छू की सर्पनिवास में स्थिति सूचित होती है, क्योंकि वल्मीक सर्प के निवासस्थान के रूप में प्रसिद्ध है और सर्पनिवासस्थिति से कपिकच्छू की विषदिग्धता ज्ञात होती है, विषदिग्धता से कपिकच्छू में मारकता प्रतीत होती है और इस तरह की कपिकच्छू के सहोदर होने से दुष्टदृष्टियों में मारकता अपने आप ज्ञात हो जाती है, जो कवि का अभिप्रेत है।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्—

अथवा, जैसे—

उदाहरणमुल्लिखति—

'मन्थाचलभ्रमणवेगवशंवदा ये
दुग्धाम्बुधेरुदपतन्नणवः सुधायाः।
तैरेकतामुपगतैर्विविधौषधीभि-
र्धाता ससर्ज तव देव दयादृगन्तान्॥'

हे देव राजन्, मन्थाचलस्य मन्दरपर्वतस्य, भ्रमणेन, यो वेगः, तस्य, वशंवदाः अधीनाः, सुधायाः अमृतस्य, ये, अणवः कणाः, दुग्धाम्बुधेः दुग्धसमुद्रात्, उदपतन् उत्पतिताः उपरि आगता इति यावत्, एकताम् पिण्डीभावम्, उपगतैः प्राप्तैः, विविधौषधीभिः नानाप्रकारकौषधविशेषत्वेन परिणतैः, तैः सुधाकणैः, धाता ब्रह्मा, तव, दयादृगन्तान् दयामयदृगपाङ्गान्, ससर्ज सृष्टवानित्यर्थः।

उदाहरण का उल्लेख किया जाता है—मन्थाचल इत्यादि।

कवि राजा का वर्णन करता हुआ कहता है कि—हे देव! विधाता ने आपके कृपाकटाक्षों की सृष्टि उन सुधाकणों से की है जो सुधाकण मन्दराचल के भ्रमण से उत्पन्न वेग के अधीन होकर क्षीरसागर से ऊपर उछल आए थे और नाना प्रकार की औषधियों के रूप में परिणत हो गए थे।

उपपादयति—

अत्र दृगन्तेषु न केवलं संजीवकत्वादयोऽमृतमात्रगुणा एव कवेर्बुबोधयिषिताः अपि तु निखिलजनवशीकारकत्वादयोऽन्येऽपीति सुधाकणेष्वौषधीसंसर्गो विशेषणतयाऽतिशयार्थमुपात्तः। उत्पाद्योत्पादकभावश्चात्र न लोकसिद्धः, अपि तु कविमात्रनिबद्धः।

'मन्थाचल-' इत्यस्मिन्पद्ये वर्णनीयनृपदृगन्तेषु निखिलजनवशीकारकत्वादिकमपि बोधयितुमिच्छता कविना सुधाकणेषु स्वप्रतिभयौषधीसंबन्धो रूपककल्पनद्वाराऽभेदसंब-

न्धावच्छिन्नविशेषणतया कल्पितस्तेन दृगन्तेषु संजीवकत्वाद्यमृतगुणैः सह निखिलजन-वशीकारकत्वादयोऽन्येऽपि गुणाः प्रतीयन्त इति दृगन्तानामतिशयः कविविवक्षितः। सिद्धो भवति। सुधाकणैः सह दृगन्तानां वर्ण्यमान उत्पाद्योत्पादकभावसंम्बन्धो न लोके प्रसिद्धः किन्तु कविकल्पित इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'मन्थाचल—' इस पद्य में वर्णनीय राजा के कृपाकटाक्षों में संजीवकता आदि केवल अमृतगतगुणों का बोध कराना कवि का अभीष्ट नहीं है, अपितु सकलजनवशीकारकता आदि अन्य गुणों का भी बोध कराना अभीष्ट है, जो 'सुधाकणों से आपके दृगन्तों की रचना विधाता ने की' इतना भर कहने से नहीं होता, अतः कवि ने सुधाकणों में औषधियों का अभेद रूपक द्वारा कल्पित कर लिया। इस तरह अब कृपा-कटाक्षों में अतिशय सिद्ध हो जाता है। सुधाकणों के साथ दृगन्तों का उत्पाद्योत्पादकभाव संबन्ध लोकप्रसिद्ध नहीं है, अपितु केवल कविकल्पित है।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्—

अथवा, जैसे—।

उदाहरणन्निर्दिशति—

'त्वदङ्गणसमुद्भूता सिक्ता कुङ्कुमवारिभिः।
त्वदङ्गतुलनां याति कदाचिल्लवलीलता॥'

त्वदङ्गणसमुद्भूता त्वदीयाजिरसमुत्पन्ना, तथा कुङ्कुमवारिभिः केसरजलैः, सिक्ता लवलीलता 'हरफा' इति भाषाप्रसिद्धफलविशेषवल्ली, कदाचित् प्रायः, त्वदङ्गतुलनाम् त्वदीयगात्रसाम्यम् याति प्राप्नोतीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—त्वदङ्गण इत्यादि।

लवलीलता (हरफारेवड़ी की वल्ली) यदि तेरे आङ्गन में उत्पन्न हो और केसर के जल से सींची जाय तब कदाचित् तेरे अङ्गों की तुलना कर सकती है।

उपपादयति—

अत्र केवलाया लवल्या उपमानताभरसहनसामर्थ्यस्याभावात्तस्य सिद्धये नायिकासामानाधिकरण्य-कुङ्कुमजलसंयोगयोरुपादानम्।

'त्वदङ्गण—' इत्यस्मिन् श्लोके लवलीलतानायिकाङ्गयोरुपमोपनिबद्धा तत्र लतोपमानम् नायिकाङ्गमुपमेयम् किन्तु साधारणी लवलीलतोपमानं भवितुमर्हतीति मन्यमानेन कविना लवलीलतायां नायिकाप्राङ्गणोत्पन्नत्वं कुङ्कुमजलसिक्तत्वञ्च क्रमशः नायिकासामानाधिकरण्य-केसरजलसंयोगरूपं विशेषणं योजितम्। तथा च तादृशलवलीलतासादृश्यकथनेन नायिकाङ्गेषु गौरत्व-कोमलत्वादिगुणातिशयसद्भावो व्यज्यत इति शेषः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'त्वदङ्गण—' इस पद्य में केवल (साधारण) लवलीलता उपमानता का भारसहन करने में समर्थ नहीं हो सकती, अतः उसमें उपमानता-भार-सहन-सामर्थ्य की सिद्धि के लिए कवि ने लवलीलता में 'तेरे आङ्गन में उत्पन्न' और 'केसर के जल से सिक्त' इन दो विशेषणों की उद्भावना अपनी प्रतिभा के बल पर की है। उन दोनों विशेषणों के क्रमशः

अर्थ होते हैं—'नायिका का सामानाधिकरण्य (सहनिवास)' और 'केशर के जल का संयोग'। इन दोनों विशेषणों से युक्त लवलीलता के सदृश कहने से नायिकाङ्ग में गौरता-मृदुलता आदि गुणों का अतिशय व्यक्त होता है।

प्रौढोक्तौ समालङ्काराद् भेदमुपदर्शयितुं प्रक्रमते—

अत्र च धर्मिविशेषसंसर्गादतिशयो धर्म्यन्तरगतो यद्यागूरणविषयस्तदैवायमलङ्कारः। वाच्यवृत्त्या तत्तत्प्रयुक्तत्वेनाभिहितश्चेत्समालङ्कारस्यैव विषयः। यथा—

'त्वत्तो जन्म हिमांशुशेखर ननु ज्योत्स्नानिमग्नात्मनो
दुग्धाम्भोनिधिमुग्धवीचिवलयैः साकं परिक्रीडनम्।
संवासः सुरलोकसिन्धुपुलिने वादः सुधांशोः करैः
कस्मान्नोज्ज्वलिमानमञ्चतितमां देव त्वदीयं यशः॥'

अत्र यशसो धवलतातिशयस्तत्तद्धर्मिसंबन्धप्रयुक्तत्वेन कथित इति तदंशे सम एवालङ्कारः। अंशुकृतश्चन्द्रे चन्द्रकृतश्च भगवति भगवत्कृतो राजनीत्येवमुत्तरोत्तरमुपचीयमानो राजगतस्त्वनुक्तत्वात्प्रौढोक्तेरेव विषयः।

आगूरणविषय इति। व्यञ्जनाविषय इत्यर्थः, आगूरणपदस्य व्यञ्जनपरत्वात्। अयमिति। प्रौढोक्तिरित्यर्थः। वाच्यवृत्त्येति। अभिधयेत्यर्थः। तत्तत्प्रयुक्तत्वेनेति। तत्तद्धर्मिविशेषसंसर्गजन्यत्वेनेत्यर्थः। अभिहितश्चेदिति। प्रतिपादितश्चेदित्यर्थः। धर्म्यन्तरगतातिशय इति शेषः। धर्मिविशेषसंसर्गाद्धर्म्यन्तरगतातिशयो यदि व्यङ्ग्यस्तदा प्रौढोक्तिः, धर्मिविशेषसंसर्गजन्यत्वेन यदि वाच्यो धर्म्यन्तरगतातिशयस्तदा तु समालङ्कार एवेति विवेक इति भावः। तम् विवेकं स्फुटयितुमुदाहरणमुपस्थापयति—'त्वत्तो जन्म–' इति। हे देव राजन्, हिमांशुशेखरस्य चन्द्रशेखरस्य (शिवस्य), तनोः शरीरस्य, ज्योत्स्नायाम् ज्योतिषि, निमग्नो लीनः, आत्मा, यस्य, तादृशात्, त्वत्तः भवतः सकाशात् (यस्य) जन्म, दुग्धाम्भोनिधेः समुद्रस्य, मुग्धैः सुन्दरैः, वीचिवलयैः तरङ्गपरम्पराभिः, साकम् सह, (यस्य) परिक्रीडनम् सर्वतोभावेन, क्रीडा, सुरलोकस्य देवलोकस्य स्वर्गस्येति यावत्, सिन्धोः नद्याः, स्वर्गङ्गाया इति समुदितोऽर्थः, पुलिने तटे, (यस्य) संवासः सम्यग् वसतिः, तथा, सुधांशोः चन्द्रस्य, करैः किरणैः सहेति शेषः, (यस्य) वादः स्पर्धात्मिका वार्ता, (तादृशम्) त्वदीयं, यशः, कस्मात् कारणात्, उज्ज्वलिमानम्, उज्ज्वलताम्, नाञ्चतितमाम् अतिशयेन न प्राप्नोतीत्यर्थः। उपपादयति—अत्रेत्यादिना। तत्तद्धर्मिसंबन्धप्रयुक्तत्वेनेति। शिवतेजोनिमग्ननृप-दुग्धसमुद्रतरङ्ग-स्वर्गङ्गातट–चन्द्रकिरणरूपधर्मिसंबन्धजन्यत्वेनेत्यर्थः। सम एवेति। न प्रौढोक्तिरिति भावः। समश्चात्रानुरूपसंसर्गवर्णनादिति बोध्यम्। प्रौढोक्तिरप्यत्रांशान्तरे विद्यत इत्याह—अंशुकृत इत्यादिना। राजगत इति धवलतातिशय इति पूर्वोक्तस्य विशेष्यस्यानुषङ्गो बोध्यः। अनुक्तत्वादिति। व्यङ्ग्यत्वादिति भावः। किरणसंबन्धेन चन्द्रे चन्द्रसंबन्धेन शिवे, शिवसंबन्धेन राजति क्रमशो वर्धमानः पर्यन्ते राजनि विश्रान्तो धवलतातिशयो न वाच्य इति तदंशे प्रौढोक्तिरेवालङ्कार इति भावः।

समालङ्कार से प्रौढोक्ति में भेद दिखलाया जाता है—अत्र च इत्यादि।

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी धर्मी के संसर्ग से दूसरे धर्मी में होने वाला अतिशय (उत्कर्ष) यदि आगूरण का विषय हो—अर्थात् व्यङ्ग्य हो, वाच्य नहीं, तभी यह प्रौढोक्ति अलङ्कार होता है।

अभिधावृत्ति द्वारा उस-उस धर्मी के संबन्ध से उत्पाद्यरूप में अन्य धर्मी का अतिशय यदि कहा जाय—अर्थात् अतिशय यदि वाच्य हो तब तो समालङ्कार का ही लक्ष्य होता है। जैसे—'त्वत्तो जन्म—अर्थात् हे राजन्! जिसका जन्म चन्द्रशेखर शिवजीकी शरीर-ज्योति में लीन आत्मा वाले आप से हुआ हो, दुग्ध समुद्र की सुन्दर तरङ्गमालाओं के साथ जिसने क्रीडा की हो, स्वर्गङ्गा के तट पर जिसका वास हो और चन्द्रकिरणों के साथ जिसने प्रतिस्पर्धात्मक कथा की हो, वह आपका यश क्यों नहीं अत्यन्त उज्ज्वलता को प्राप्त करे' इस पद्य में। यहाँ यश की धवलता का अतिशय, शिवज्योतिनिमग्ननृप, दुग्ध-समुद्रगत तरङ्गमाला, स्वर्गङ्गातट और चन्द्रकिरण रूप धर्मोंके संबन्धों से उत्पाद्यरूप में अभिधावृत्ति द्वारा ही प्रतिपादित हुआ है, अतः इस अंश में 'अनुरूप संसर्ग' रूप समा-लङ्कार ही होता है, प्रौढोक्ति अलङ्कार नहीं।

हाँ किरणकृत (धवलतातिशय) चन्द्र में, चन्द्रकृत भगवान् शिव में और शिवकृत राजा में इस तरह उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ राजगत धवलतातिशय अनुक्त (अवाच्य)—अर्थात् व्यङ्ग्य होने के कारण प्रौढोक्ति अलङ्कार का ही लक्ष्य है यह दूसरी बात है।

मिथ्याध्यवसितिनामानमन्यैरङ्गीकृतमलङ्कारमस्मिन्नेवालङ्कारे गतार्थं सूचयितुं प्रक्रमते—

एवं च—

'शशशृङ्गधनुर्लसत्करा गगनाम्भोरुहमालिकाधराः।
तनयैः सह भाविजन्मनां तव खेलन्ति नरेन्द्र वैरिणः॥'

इत्यादावेकस्य मिथ्यात्वसिद्ध्यर्थं मिथ्याभूतवस्त्वन्तरकल्पनं मिथ्याध्यव-सित्याख्यमलङ्कारान्तरमिति न वाच्यम्, प्रौढोक्त्यैव गतार्थत्वात्। 'केशाः कलिन्दजातीरतमालस्तोममेचकाः' इत्यादौ प्राचीनकृतप्रौढोक्त्युदाहरणे यथा तमालेषु श्यामत्वसिद्ध्यर्थं श्यामत्वाधिकरणीभूतकालिन्दीसंबन्ध उद्भाव्यते तथा वैरिष्वपि मिथ्यात्वसिद्धये मिथ्यात्वाधिकरणशशशृङ्गादिसंबन्ध इत्य-स्यापि सुवचत्वात्। तत्र श्यामत्वातिशयः इह तु मिथ्यात्वमात्रं न तु तस्याति-शयः सिद्ध्यतीति वैलक्षण्यं तु न वाच्यम्। तमालस्तोमे प्रमाणान्तरेण सिद्धेऽपि श्यामत्वे कालिन्दीसंसर्गोद्भावनं पुनः श्यामत्वसाधनेनातिशयागूरक-मेव स्यात्। वैरिषु तु मिथ्यात्वस्यासिद्धत्वाच्छशशृङ्गादिसंबन्धैर्मिथ्यात्वस्य सिद्धिरित्यार्थसमाजाधीनेयमतिशयसिद्धिर्वैलक्षण्यं न प्रयोजयति। यत्तु 'वेश्यां वशयेत्खस्रजं वहन्' इति कुवलयानन्दकृता मिथ्याध्यवसितेरुदाहरणं निर्मितं तत्तु निदर्शनयैव गतार्थम्। निदर्शनागर्भात्र मिथ्याध्यवसितिरिति तु न युक्तम्। मिथ्याध्यवसितेरेव मिथ्यात्वात्। यदि च मिथ्याध्यवसितिरेवालङ्कारान्तरं स्यात्, सत्याध्यवसितिरपि तथा स्यात्। यथा—

'हरिश्चन्द्रेण संज्ञप्ताः प्रगीता धर्मसूनुना।
खेलन्ति निगमोत्सङ्गे मातर्गङ्गे गुणास्तव॥'

अत्र हरिश्चन्द्रयुधिष्ठिरनिगमसंबन्धाद् गुणानां सत्यत्वं प्रतीयते। एवम्—

"मध्ये सुधासमुद्रस्य सितामयगृहोदरे।
पूर्णेन्दुविष्टरे देव स्थातुं योग्यास्तवोक्तयः॥"

अत्रापि सुधासमुद्रादिसंबन्धादुक्तिषु माधुर्यातिशयः प्रतीयमानः कस्यालङ्कारस्य गोचरः स्यात्? अतोऽलङ्कारान्तरं स्यात्। मम तु प्रौढोक्त्यैव गतार्थतेत्यास्तां तावत्।

एवं चेति। प्रागुक्तलक्षणकप्रौढोक्तिनामकालङ्कारस्वीकारे चेत्यर्थः। 'शशशृङ्ग—' इति। हे नरेन्द्र राजन, शशशृङ्गस्य धनुषा लसन्तौ करौ येषां ते, गगनाम्भोरुहस्याकाशकमलस्य, मालिकाम् माल्यम्, धरन्तीति तादृशाः, तव, वैरिणः शत्रवः, भाविजन्मनाम् ये इदानीं न जाता अपि तु येषां जन्माग्रे भविष्यति तेषाम्, तनयैः पुत्रैः, सह, खेलन्ति क्रीडन्तीत्यर्थः। पराभिप्रायं स्फुटयन्नाशङ्कते—इत्यादाविति। एकस्येति। वैरिण इत्यर्थः, मिथ्यात्वसिद्ध्यर्थमिति। अप्रतिमप्रभावभाजो भूभुजो वैरिणो न सन्त्येवेत्येतत्सिद्ध्यर्थमिति भावः। मिथ्याभूतवस्त्वन्तरेति। शशशृङ्गलसत्करत्वादिकेत्यर्थः। गतार्थत्वादिति। प्रौढोक्त्यलङ्कारस्यैव लक्ष्यं 'शशशृङ्ग–' इति पद्यम्, मिथ्याध्यवसितिर्न कश्चिदलङ्कार इति सारांशः। 'शशशृङ्ग–' इत्यत्र प्रौढोक्तिं सङ्गमयन्नाह—'केशा·' इति। यमुनातटोत्पन्नतमालसमूहवच्छ्यामाः केशा इति प्राचीनकृतोदाहरणार्थः। श्यामत्वातिशयार्थमिति। श्यामत्वातिशयप्रतीत्यर्थमिति भावः। श्यामत्वाधिकरणीभूतेति। अश्यामत्वाधिकरणं श्यामत्वाधिकरणं सञ्जातेत्यभूततद्भावे च्विः। तथा च श्यामत्वाधिकरणतया कल्पिता कालिन्दीत्यर्थः प्रतीयते। अत एवाग्रेऽपि तस्याः संबन्धस्योद्भावनं (कल्पनम्) कथ्यते, कल्पितः पदार्थसम्बन्धस्यापि कल्पनाया एव संभवादिति बोध्यम्। शशशृङ्गादिसम्बन्ध इति। उद्भाव्यत इत्यनुषङ्गः। आशङ्कते—तत्रेति। 'केशाः कलिन्दजातीर-' इत्यत्रेत्यर्थः। इहेति। 'शशशृङ्ग–' इत्यत्रेत्यर्थः। शङ्कान्निरस्यति—न वाच्यमिति। कुतो न वाच्यमित्यत्र हेतुमाह—तमालेत्यादिना। प्रमाणान्तरेणेति। प्रत्यक्षादिनेत्यर्थः। आर्यसमाजाधीनेति। अर्थबोधसमूहाधीनेत्यर्थः। अयं भावः—अतिशयो नाम सापेक्ष उत्कर्षः। यत्र सामान्यतः सिद्धादन्यत् यत्किञ्चित् साध्यते तत्र स एवातिशयः। यथा संप्राप्तसाधारणविभवे साध्यमानो विभवविशेषोऽतिशयः, अप्राप्तसाधारणविभवे तु जने साध्यमानः साधारणविभव एवातिशयः। एवञ्च प्रमाणान्तरसिद्धश्यामत्वके तमालसमूहे कालिन्दीसंबन्धोद्भावनप्राप्तं पुनः श्यामत्वं यथाऽतिशयस्तथाऽसिद्धमिथ्यात्वकेषु वैरिषु शशशृङ्गादिसंबन्धोद्भावनप्राप्तमिथ्यात्वमेवातिशयः। फलतः ईदृशोऽयमर्थबोधसापेक्षोऽतिशयो वैलक्षण्यप्रयोजको न भवितुमर्हतीति। कुवलयानन्दकारोक्तं निरस्यति—यत्तु इत्यादिना। 'वेश्याम्–' इति। खसजम् आकाशपुष्पमाल्यम्, वहन् धारयन्, वेश्याम् वारविलासिनीम्, वशयेत् वशीकुर्यादित्यर्थः। निदर्शनयैवेति। खस्रग्वहनवेश्यावशीकरणयोर्वाक्यार्थयोरौपम्यपर्यवसायि न आर्थाभेदस्य सत्त्वादिति भावः। अस्तु नामात्र निदर्शना, तन्मूलाया मिथ्याध्यवसितेः साम्राज्यं तु तथाप्यस्त्येवेत्यत आह—

मिथ्याध्यवसितेरेवेति । मिथ्यात्वादिति । यदि मिथ्याध्यवसितिनामकोऽलङ्कारः सत्यः स्यात्तदा तथा वक्तुं शक्यं स्यात् मिथ्याध्यवसितिनामकोऽलङ्कारः एव नास्तीति कथं तथोक्तिरिति भावः ।

मिथ्याध्यवसितिर्नालङ्कार इत्यर्थे प्रतिवन्द्यात्मिकां युक्तिमाह—यदि चेति । तथा स्यादिति । अलङ्कारान्तरं स्यादित्यर्थः । सत्याध्यवसितेर्लक्ष्यमुपदर्शयति—'हरिश्चन्द्रेण'-इति । हे मातः ! गङ्गे ! हरिश्चन्द्रेण सत्यवादिना तन्नामकेन नृपेण, संज्ञप्ताः बोधिताः, धर्मसूनुना सत्यवादिना युधिष्ठिरेण, प्रगीताः गानकर्मीकृताः, तव, गुणाः, निगमोत्संगे वेदक्रोडे, खेलन्तीत्यर्थः । प्रतीयत इति । तथा चात्र सत्याध्यवसिति-नामकमलंकारान्तरमपि स्वीकर्तव्यं भवेदिति भावः । उदाहरणान्तरमपि दर्शयति—'मध्य-' इति । हे देव राजन्, तव, उक्तयः, सुधासमुद्रस्य, मध्ये, सितामय-गृहोदरे सिता-(मिसरी) पूर्णस्य गृहस्य मध्ये, पूर्णेन्दुविष्टरे पूर्णचन्द्रात्मकासने, स्थातुम्, योग्या इत्यर्थः । अलंकारान्तरं स्यादिति । मिथ्याध्यवसितिसत्याध्यवसित्योरन्योऽलंकारः कश्चिद् भवेदित्यर्थः । ननु भवन्मते कुतो नैष दोष इत्यत्राह—मम त्विति । अनयोरप्युदाहणयोर्मदुक्तप्रौढोक्तिलक्षणसमन्वयात्प्रौढोक्तिरेवेति भावः । अत्र "चिन्त्यमिदम् । मिथ्यात्वकल्पनकृतचमत्कारस्यानपलपनीयत्वेन पृथगलंकारतासिद्धेः । किञ्च कविप्रतिभा-कल्पिता अर्थाः काव्येऽलंकारपदभाज इति तव सिद्धान्तात्सत्यत्वप्रतीत्यर्थं कल्पितस्याप्यर्थस्य तत्कल्पितत्वाभावेन शब्दमात्रादलंकारत्वासंभवात् ।" इति नागेशस्य प्रौढिवादः ।

मिथ्याध्यवसिति' अलङ्कार का खण्डन किया जाता है—एवं च इत्यादि ।

उक्त रीति से 'प्रौढोक्ति' अलङ्कार-सत्ता सिद्ध हो जाने पर 'शशश्रृङ्ग अर्थात् हे राजन्! जिन के कर खरगोश के सींग से बने धनुष से शोभित हो रहे हैं और जो आकाश-पुष्प की माला का धारण किए हुए हैं ऐसे आप के शत्रु जिन का जन्म अब होगा उनके पुत्रों के साथ खेल रहें हैं।' इत्यादिक में एक का (शत्रु आदि का) मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए अन्य मिथ्याभूत वस्तु (खरगोश के सींग के बने धनुष आदि) की कल्पना मिथ्याध्यवसिति नामका भिन्न अलङ्कार है, यह कहना उचित नहीं क्योंकि प्रौढोक्ति अलङ्कार से यह मिथ्याध्यवसिति गतार्थ है। कारण जिस प्रकार प्राचीनों के "केशाः कलिन्दजा–अर्थात् केश यमुना तट के तमाल-समूह के समान श्याम है।" इत्यादि प्रौढोक्ति के उदाहरण में 'तमालों में श्यामता के अतिशय के लिए श्यामता के कल्पित आधार यमुना के संबन्ध का उद्भावन किया जाता है, वैसे वैरियों में भी मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए मिथ्यात्व के आधारभूत शशश्रृङ्गादिकों के संबन्ध का उद्भावन किया गया है ऐसा भी सुखपूर्वक कहा जा सकता है ।

'केशाः कलिन्दजा-' इस उदाहरण में श्यामता का अतिशय सिद्ध होता है, और 'शशश्रृङ्ग-' इस उदाहरण में तो मिथ्यात्व मात्र की सिद्धि होती है, मिथ्यात्व के अतिशय की नहीं, अतः दोनों उदाहरणों में विलक्षणता है यह कथन भी उचित नहीं, क्योंकि अतिशय की सिद्धि आर्थबोधाधीन वस्तु है—अर्थात् अतिशय अर्थबोधसापेक्ष होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वभावसिद्ध अर्थ से अन्य अर्थ ही अतिशयरूप कहा जाता है, जैसे किसी निर्धन को यदि दश रुपए प्राप्त हो जाँय तो उसके लिए वही अतिशय की सिद्धि कहलायगी और किसी धनवान् के लिए दशरुपए से अतिशय सिद्धि नहीं कहलायगी उसके लिए अतिशय तब होगा जब हजार-दो हजार रुपए

प्राप्त हों। इस कसौटी पर कसने से दोनों उदाहरणों में अतिशय की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि तमालसमूह में साधारण श्यामता प्रमाणान्तर (चक्षु आदि) से ही सिद्ध है, अतः वहाँ यमुनासंसर्गोद्भावन द्वारा जो पुनः श्यामता को सिद्ध किया गया है वह श्यामता की अधिकता को व्यक्त करता है, तदनुसार वहाँ श्यामत्व की अधिकता अतिशयरूप है, पर वैरियों में तो मिथ्यात्व किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, अतः वहाँ शशशृङ्गादिक के संबन्धों से जो मिथ्यात्व की सिद्धि होती है वही अतिशयरूप कही जायगी। फलतः अतिशय की इस प्रकार से होनेवाली सिद्धि विलक्षणता का प्रयोजक-नियामक नहीं हो सकती है।

और कुवलयानन्दकार ने जो 'वेश्याम्—अर्थात् आकाशपुष्प की माला पहन कर वेश्या को वश में करना चाहिए' यह मिथ्याध्यवसिति का उदाहरण बनाया है वह तो निदर्शना से ही गतार्थ है, क्योंकि 'आकाशपुष्प की माला का धारण' तथा 'वेश्या-वशीकरण' इन दोनों वाक्यार्थों में औपम्यपर्यवसायी आर्थ अभेद (जो निदर्शना का स्वरूप है)। कहा जायगा कि यहाँ निदर्शनागर्भ मिथ्याध्यवसिति है, तो यह भी संगत नहीं, क्योंकि मिथ्याध्यवसिति अलङ्कार ही मिथ्या है—अर्थात् नहीं है।

यदि मिथ्याध्यवसिति हो भिन्न अलङ्कार हो तो सत्याध्यवसिति भी भिन्न अलङ्कार हो सकता है। जैसे—'हरिश्चन्द्रेण—अर्थात् हरिश्चन्द्र द्वारा बोधित और युधिष्ठिर द्वारा प्रगीत तेरे गुण हे मातर्गङ्गे! वेद की गोदी में खेल रहे हैं।' यहाँ हरिश्चन्द्र, युधिष्ठिर और वेद के संबन्ध से गङ्गा के गुणों की सत्यता प्रतीत होती है। इसी प्रकार—

'मध्ये सुधासमुद्रस्य—अर्थात् हे राजन्! आप की उक्तियाँ सुधा-समुद्र के मध्य में मिश्री से भरे घर के बीच में और पूर्ण चन्द्ररूप आसन पर स्थान पाने योग्य हैं।' यहाँ भी सुधा-समुद्र आदि के सम्बन्ध से प्रतीत होने वाला उक्तियों का माधुर्यातिशय किस अलङ्कार का लक्ष्य होगा? अर्थात् यहाँ न मिथ्याध्यवसिति का न सत्याध्यवसिति का ही प्रसङ्ग है। फलतः यहां एक भिन्न ही कोई अलङ्कार आप को मानना पड़ेगा। मेरे मत में तो प्रौढोक्ति अलङ्कार से ही ये सब गतार्थ हो जाते हैं—इस कारण इस विवाद को यहीं तक रहने दीजिए—आगे बढ़ाना व्यर्थ है।

नागेश का कथन है कि "यह पण्डितराज का कथन चिन्तनीय है, क्यों कि मिथ्यात्व की कल्पना से उत्पन्न होने वाले चमत्कार का अपलाप न हो सकने के कारण मिथ्याध्यवसितिनामक एक पृथक् अलङ्कार की सिद्धि हो जाती है। रहीसत्याध्यवसिति की भी तुल्य युक्ति से सिद्धि हो जाने की बात सो उसका उत्तर यह है कि कविप्रतिभामात्र से कल्पित अर्थ ही अलङ्कार कोटि में आते हैं यह आपका (पण्डितराज का) सिद्धान्त है और सत्यता की प्रतीति के लिए कल्पित भी अर्थ कविकल्पित नहीं हो सकते हैं, अतः केवल शब्द से अलङ्कारता संभव नहीं है।"

इति रसगङ्गाधरे प्रौढोक्तिप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे प्रौढोक्तिप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत प्रौढोक्ति अलङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां प्रौढोक्तिप्रकरणम्॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणप्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथ ललितम्—

ललितालङ्करो निरूपणीयतया प्रारब्धो बोध्य इति भावः।

अब ललितालङ्कार का निरूपण प्रारब्ध होता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

प्रकृतधर्मिणि प्रकृतव्यवहारानुल्लेखेन निरूप्यमाणोऽप्रकृतव्यवहारसंबन्धो ललितालङ्कारः ॥

प्रस्तुतव्यवहारावर्णनपुरस्सरवर्ण्यमानप्रस्तुतधर्म्यधिकरणकाप्रस्तुतव्यवहारसंबन्धो ललितालङ्कारत्वेन व्यपदिश्यत इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—प्रकृत इत्यादि।

प्रस्तुत धर्मी में प्रस्तुत-व्यवहार का उल्लेख न करके निरूपित किया जाता हुआ अप्रस्तुत-व्यवहार का संबन्ध ललितालङ्कार कहलाता है।

पदकृत्यमाह—

'आददानः परद्रव्यं विषं भक्षयसि ध्रुवम्' इत्यादिनिदर्शनावारणाय तृतीयान्तम्। अप्रस्तुतप्रशंसावारणाय प्रकृतधर्मिणीति।

'आददानः-' इति। परकीयं द्रव्यं यो गृह्णाति स निश्चितं विषं भुङ्क्ते इति भावः। निदर्शनेति। परद्रव्यादान-विषभक्षणरूपयोर्वाक्यार्थयोरौपम्यपर्यवसायिनोऽभेदस्य प्रतीतेर्या निदर्शना प्रसक्ता तत्रातिव्याप्तिवारणायेत्यर्थः। तृतीयान्तमिति। 'प्रकृतव्यवहारानुल्लेखेन' इति तृतीयान्तपदस्य लक्षणे प्रवेश इति भावः। प्रवेशिते चैतस्मिन् तृतीयान्ते पदे न तत्रातिव्याप्तिः, परद्रव्यादानरूपप्रकृतव्यवहारोल्लेखपूर्वकमेव वर्ण्यमानपुरुषरूपप्रकृतधर्मिणि विषभक्षणरूपाप्रकृतव्यवहारसंबन्धवर्णनादिति बोध्यम्।

अप्रस्तुतप्रशंसायामपि यद्यपि प्रकृतव्यवहारानुल्लेखेनाप्रकृतव्यवहारसंबन्धो निरूप्यते तथापि तत्राप्रस्तुत एव धर्मिणि स निरूप्यत इति तत्रातिव्याप्तिनिरासाय ललितालङ्कारलक्षणे 'प्रकृतधर्मिणि' इत्येतत्पदं निविश्यत इति भावः।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—'आददानः-' इत्यादि।

'आददानः—अर्थात् दूसरे का धन लेते हुए तुम निश्चय ही विषभक्षण कर रहे हो' इत्यादि निदर्शनालङ्कार में अतिव्याप्ति वारण के लिए ललितालङ्कार के लक्षण में 'प्रकृतव्यवहारानुल्लेखेन-प्रकृतव्यवहार का उल्लेख न करके' यह तृतीयान्त पद दिया जाता है। इस तृतीयान्त पद के देने पर वहाँ अतिव्याप्ति इसलिए नहीं होती है कि—वहाँ 'परद्रव्यग्रहण' रूप प्रस्तुत व्यवहार का उल्लेख करके प्रस्तुतधर्मी (वर्णनीय पुरुष) में 'विषभक्षण'रूप अप्रस्तुत व्यवहार का संबन्ध निरूपित हुआ है। वहाँ निदर्शना इसलिए होती है कि परद्रव्यग्रहण तथा विषभक्षण इन दो वाक्यार्थों में अर्थतः औपम्यपर्यवसायी अभेद प्रतीत होता है।

अप्रस्तुतप्रशंसा में, जहाँ धर्मी अप्रस्तुत रहता है, अतिव्याप्ति न हो इसलिए ललितालङ्कारलक्षण में 'प्रकृतधर्मिणि-प्रस्तुतधर्मी' ऐसा कहा गया है।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्।

जैसे—'

उदाहरणमुपन्यस्यति—

> 'क्व वा रामः कामप्रतिभटललाटन्तपबल-
> स्तव क्कामी वीरा रणशिरसि धीरा मखभुजाम् ।
> दिधिक्षोस्त्रैलोक्यं प्रलयशिखिनः पद्ममथन-
> प्रगल्भैः प्रालेयैः प्रशममसि कर्तुं व्यवसितः ॥'

रावणं प्रति कस्यचिदुक्तिः-कामप्रतिभटस्य कामशत्रोः शिवस्य, ललाटम् भालदेशम्, तपति तापयतीति भावः, यत्, तादृशं, बलं सामर्थ्यम्, यस्य तादृशः कामविजयि-महादेवपराभवकारीति यावत्, रामः, क्व, मखभुजाम् देवानाम्, रणशिरसि युद्धाग्रभागे, धीराः धैर्यधारिणः, तव रावणस्य, अमी इमे प्रत्यक्षदृश्याः, वीराः, वा क्व, रामस्य त्वद्वीराणाञ्च महदन्तरमिति भावः। त्वम्, पद्ममथनप्रगल्भैः कमलविनाशनसमर्थैः, प्रालेयैः हिमैः, त्रैलोक्यम् जगत्त्रयम्, दिधिक्षोः दग्धुमिच्छतः, प्रलयशिखिनः प्रलयकालीनाग्नेः, प्रशमम् शमनम्, कर्तुम्, व्यवसितः व्यवसायवान्, असीत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—क्व वा इत्यादि।

रावण के प्रति किसी का कथन है कि—कामविनाशक शिवजी के भी ललाट को तपा देने वाला बल है जिसका ऐसा भगवान् राम कहाँ और यज्ञभोक्ता देवताओं के युद्ध के अग्रभाग में धीर बने रहनेवाले तेरे ये वीर योद्धा कहाँ? तुम तो कमलों को नष्ट करने में निपुण हिमकणों से त्रिलोकी को जलाने की इच्छा करने वाले प्रलयाग्नि की शान्ति करने के लिए उद्यत जान पड़ते हो।

उपपादयति—

अत्र प्रकृते धर्मिणि रावणे परदत्तपुरोडाशादिकमश्नतां देवानामग्रे धीरैः कुम्भकर्णादिभिर्वीरैर्भगवतो रामस्य पराभवमिच्छन्नित्येवं कण्ठरवेण तादृशे-च्छारूपं प्रकृतव्यवहारं विषयमनुक्त्वैव तादृशप्रालेयकरणकतादृशाग्निप्रशमन-व्यवसायरूपोऽप्रकृतव्यवहारो विषय्युपात्तः। विषयोपादाने तु निदर्शनैव।

अत्रेति। 'क्व वा रामः—' इत्यस्मिन्श्लोक इत्यर्थः। अश्नताम् भुञ्जानानाम्। इत्येवमिति। रूपेणेति शेषः। तादृशेच्छेति। अनुपदोक्तेच्छन्नित्येतत्पदबोध्येच्छेत्यर्थः। विषयमिति, उपमेयमिति भावः। तादृशप्रालेयेति। पद्ममथनप्रगल्भप्रालेयेत्यर्थः।

तादृशाग्नीति। त्रैलोक्यदाहेच्छुप्रलयाग्नीत्यर्थः। विषयीति। उपमानमिति भावः। विषयोपादान इति। परदत्तान्नोपजीविदुर्बलदेवदमनप्रवीणवीरकरणककामारिप्रतिभटराम-पराभवेच्छारूपोपमानोपादान इत्यर्थः। अयं भावः-'क्व वा रामः—' इत्यस्मिन्पद्ये रावणः प्रस्तुतो धर्मी तत्र परदत्तपुरोडाशभोजिदेवदमनसमर्थकुम्भकर्णादिकरणकभगवद्रामपराभवे-च्छारूपोपमेयस्पष्टाभिधानाभावपूर्वकपद्ममथनप्रगल्भहिमकणकरणकजगत्त्रयदाहकप्रलयाग्नि-शमनेच्छारूपोपमानवर्णनाल्ललितालङ्कारो भवति, यद्युक्तोपमेयाभिधानपूर्वकोक्तोपमानवर्णनं कृतं स्यात्तदा निदर्शनालङ्कार एव भवेन्न ललितालङ्कार इति।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'क्व वा रामः—' इस पद्य में प्रस्तुत धर्मी है रावण, उसमें 'दूसरों से दिए गए पुरोडाश आदि को खाते हुए देवताओं के आगे धीरता दिखाने वाले कुम्भकर्ण आदि वीरों से

भगवान् रामचन्द्र के पराभव की इच्छा करता हुआ' इस रूप में तादृश इच्छा रूप प्रस्तुत व्यवहार का, जो विषय-उपमेय रूप है, उल्लेख शब्दतः न करके 'कमल-विनाश-निपुण हिमकणों से जगत्त्रयदाहक प्रलयाग्नि के शमन की इच्छा' रूप अप्रस्तुत व्यवहार का, जो विषयी-उपमान रूप है, वर्णन किया गया है, अतः ललितालङ्कार होता है। यदि उक्त विषयभूत इच्छा का उपादान करके उक्त विषयीभूत इच्छा का उपादान किया जाय तब तो निदर्शनालङ्कार ही होगा, ललितालङ्कार नहीं।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्।

अथवा, जैसे—'

उदाहरणमुपस्थापयति—

'नान्यास्ति किं भूमितले सुरूपा सीतैव वा किं भवतोऽनुरूपा।
आकर्षता चन्दनशाखिशाखां प्रबोधितोऽयं भवता फणीन्द्रः॥'

इदमपि कस्यचिद्रावणं प्रति वचनम्—भूमितले पृथ्वीतले, अन्या, सुरूपा सुन्दरी, नास्ति किम्? वा अथवा सीतैव, भवतः, अनुरूपा योग्या, किम्? चन्दनशाखिशाखाम् चन्दनतरुशाखाम्, आकर्षता, भवता, अयम्, फणीन्द्रः नागराजः, प्रबोधितः उत्थापित इत्यर्थः।

उदाहरण दिया जाता है—नान्या इत्यादि।

भूतल पर क्या और कोई सुन्दरी नहीं है? अथवा क्या सीता ही आपके अनुरूप है? आप ने चन्दन तरु की शाखा को खींचते हुए इस सर्पराज को जगा दिया।

उपपादयति—

अत्रापि राघवसंबन्धिनायिकाहरणप्रयुक्तं तदीयक्रोधोद्बोधमनुक्त्वैव चन्दनसंबन्धिशाखाकर्षणप्रयुक्तं फणीन्द्रप्रबोधनमुपन्यस्तम्।

'नान्या—' इत्यस्मिन्पद्येऽपि रावणरूपे प्रस्तुते धर्मिणि 'पत्नीहरणेन राघवः क्रोधितः' इत्येवं रूपेण पत्नीहरणप्रयुक्तराघवक्रोधोद्बोधरूपं प्रकृतव्यवहारं विषयभूतमनुक्त्वा चन्दनशाखाकर्षणप्रयुक्तसर्पराजप्रबोधनरूपोऽप्रकृतव्यवहारो विषयिभूत उपात्त इति ललितालंकार इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्रापि इत्यादि।

'नान्या—' इस पद्य में भी रावण रूप प्रस्तुत धर्मी में 'राम-पत्नी सीता का हरण कर आपने राम को क्रुद्ध कर दिया' इस रूप में राम-सम्बद्ध नायिका-हरण प्रयुक्त उसके क्रोध की उत्पत्तिरूप प्रस्तुत व्यवहार को, जो विषय-उपमेय है, न कहकर 'चन्दन की शाखा को खींचने के कारण सर्पराज का जगाना' रूप अप्रस्तुत व्यवहार, जो विषयी-उपमान है, कहा गया है, अतः ललितालङ्कार होता है।

शङ्का-समाधानमुखेनालङ्कारान्तरेभ्यो ललितस्य भेदमुद्भावयति—

न चात्र भेदेऽप्यभेद इत्यतिशयोक्त्या गतार्थतेति वाच्यम्। तत्र हि पदार्थेन पदार्थस्यैवाभेदाध्यवसानं 'कनकलतायां विराजते चन्द्रः' इत्यादौ दृष्टम् न तु व्यवहारेण व्यवहारस्येत्यविषय एवायमतिशयोक्तेः, नापि सादृश्यमूलया

प्रस्तुतप्रशंसया। धर्मांशेऽप्रस्तुतत्वविरहात्। नापि निदर्शनया। एकधर्मिगत-व्यवहारद्वयोपादान एव तस्या इष्टेः। अत एव 'उपात्तयोः' इति तल्लक्षणे विशेषणमुक्तम्, प्रकृते च प्रकृतव्यवहारस्यानुपात्तत्वादलङ्कारान्तरमेव।

अत्रेति। ललितालङ्कारलक्ष्येष्वित्यर्थः। अप्रस्तुतप्रशंसयेति। गतार्थतेति पूर्वतनस्यानुषङ्गो बोध्यः। एवमग्रेऽपि। तस्या निदर्शनायाः, अत एवेति। एकधर्मिगतव्यवहारोपादान एव निदर्शनाया इष्टत्वादेवेत्यर्थः। तल्लक्षण इति। निदर्शनालक्षण इत्यर्थः। विशेषणमिति, अर्थयोरिति विशेष्यस्येति भावः। प्रकृते चेति। ललितालङ्कार इत्यर्थः, अन्यन्निगदव्याख्यातमेव।

शङ्का-समाधान की शैली में अन्य अलङ्कारों से ललितालङ्कार का भेद बतलाया जाता है—न चात्र इत्यादि।

कहा जायगा कि उक्त उदाहरणों में 'भेद में अभेदरूपा अतिशयोक्ति' रहने से ललितालङ्कार की इस अतिशयोक्ति में गतार्थता है, पर यह उचित नहीं, क्योंकि 'कनकलतायाम्—अर्थात् कनकलता (गौराङ्गी) में चन्द्र (मुख) शोभित हो रहा है' इत्यादिक 'भेद में अभेद' रूप अतिशयोक्ति के उदाहरणों में पदार्थ से पदार्थ का ही अभेदाध्यवसान देखा गया है, न कि व्यवहार से व्यवहार का अभेदाध्यवसान, और ललितालङ्कार में व्यवहार से व्यवहार का अभेदाध्यवसान रहता है, अतः 'ललित' अतिशयोक्ति का विषय ही नहीं है। सादृश्यमूला अप्रस्तुतप्रशंसा से भी 'ललित' गतार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अप्रस्तुतप्रशंसा में धर्मी भी अप्रस्तुत ही रहता है और ललित में वह रहता है प्रस्तुत। इसी तरह निदर्शना से भी इसकी गतार्थता संभव नहीं है, क्योंकि एक धर्मी में रहने वाले दो व्यवहारों का ग्रहण रहने पर ही निदर्शना इष्ट है, अत एव निदर्शना के लक्षण में 'उपात्तयोः—अर्थात् शब्दतः कथित दो अर्थों का' ऐसा विशेषण कहा गया है और ललित में प्रस्तुत व्यवहार उपात्त नहीं रहता है। फलतः ललित एक भिन्न ही अलङ्कार है।

प्राचीनमतसिद्धां काव्यप्रकाशग्रन्थासंगतिं सूचयति—

एवं च—

'क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः।
तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्॥'

इत्यत्र काव्यप्रकाशकारो यन्निदर्शनामुदाहार्षीत्तदसंगतमेव। ललितस्यावश्याभ्युपगम्यत्वान्निदर्शनाया अत्राप्राप्तेश्च।

एवञ्चेति। उक्तरीत्या ललितस्यालङ्कारान्तरत्वे सिद्धे चेत्यर्थः। 'क्व सूर्य—' इति। रघुवंशमहाकाव्ये कालिदासः स्वनम्रतां प्रकाशयन्नाह—सूर्यप्रभवः सूर्योत्पन्नः, वंशः कुलम्, क्व, अल्पविषया स्वल्पग्राहिणी, मतिः बुद्धिः, च, क्व, अनयोर्महदन्तरमिति भावः, मोहादज्ञानात्, उडुपेन लघुनौकया, दुस्तरम्, सागरम्, तितीर्षुः तर्तुमिच्छुः, अस्मीत्यर्थः। अस्मिन्पद्ये 'अल्पग्राहिण्या बुद्ध्या सूर्यवंशवर्णनम् लघुनौकया सागरतरणवत्' इत्यर्थप्रतीत्या निदर्शनालङ्कार इति काव्यप्रकाशकार आह, तत्र युक्तम्, अल्पमतिकरणकसूर्यवंशवर्णनरूपप्रकृतव्यवहारस्यानुपादानेन एकधर्मिगतव्यवहारद्वयोपपादन एव संभवन्त्या निदर्शनाया अप्रसक्तेः, उक्तरीत्यावश्यस्वीकर्तव्यस्य ललितालंकारस्य प्रसक्तेश्चेति भावः।

प्राचीनों के अनुसार काव्यप्रकाश की असंगति दिखलाई जाती है—एवं च इत्यादि।

उक्त रीति से जब ललित एक स्वतन्त्र अलङ्कार सिद्ध हो गया तब जो काव्यप्रकाशकार मम्मट 'क्व सूर्य—अर्थात् कहाँ सूर्य से उत्पन्न वंश और कहाँ अल्प विषयवाली (अल्पग्राहिणी) मति, मैं मोह के कारण छोटी नौका से दुस्तर समुद्र को पार करना चाहता हूँ।' इस पद्य को निदर्शना का उदाहरण कहा वह असंगत ही है, क्योंकि एक तो यहाँ उक्त रीति से अवश्य स्वीकार करने योग्य ललितालङ्कार का विषय है, दूसरे निदर्शना की प्राप्ति भी यहाँ नहीं है। अभिप्राय यह कि निदर्शना के लिए प्रस्तुत और अप्रस्तुत—दोनों व्यवहारों का उल्लेख रहना आवश्यक है यह बात पहले कही जा चुकी है, तदनुसार यहाँ उसकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि यहाँ केवल 'छोटी नौका से समुद्र तरण' रूप अप्रस्तुत व्यवहार का ही उल्लेख है, 'मेरी बुद्धि से सूर्यवंशवर्णन' रूप प्रस्तुत व्यवहार का नहीं। ललितालङ्कार के लिए यही स्थिति अनुकूल है—अर्थात् उसके लिए केवल अप्रस्तुत व्यवहार का उल्लेख रहना ही अपेक्षित है, अतः वह यहाँ होगा।

उपसंहरन्नाह—

तदित्थं ललितस्यालङ्कारान्तरत्वमुरीकुर्वतामाशयः।

ये ललितमलङ्कारान्तरं स्वीकुर्वन्ति तेषां मतमनुसृत्योक्तविचारः कृत इति भावः। एतेनान्यमतमितो भिन्नमिति सूचितं यदनुपदं स्फुटीभविष्यति।

'ललित' को भिन्न अलङ्कार माननेवालों का अभिप्राय उक्तरीति से वर्णित हुआ है।

ललितस्य निदर्शनायां गतार्थत्वं व्यवस्थापयति—

अन्ये तु "ललितं नालङ्कारान्तरम्, निदर्शनयैव गतार्थत्वात्। नन्वेकधर्मिगताप्रस्तुतव्यवहारद्वयोपादानजीविता निदर्शना कथमप्रस्तुतव्यवहारमात्रोपादाने पदमाधत्तामिति चेत् श्रूयतामायुष्मता। इह तावदलङ्काराः प्रायशः श्रौता आर्थाश्च संभवन्ति। तत्र श्रौतेभ्य आर्था न पृथगलङ्कारत्वेन गण्यन्ते। किं तु पृथग्भेदत्वेन, तदलङ्कारसामान्यलक्षणेन क्रोडीकरणात्। इदं पुनर्वाक्यार्थनिदर्शनास्वरूपम्—व्यवहारद्वयवद्धर्म्यभेदप्रतिपादनाक्षिप्तो व्यवहारद्वयाभेदः। तत्र व्यवहारद्वयवद्धर्म्यभेदस्य प्रतिपादनं श्रौतमेवापेक्षितमिति न नियमः। किंतु प्रतिपादनमात्रम् तेन 'परद्रव्यं हरन्मर्त्यो गिलति क्ष्वेडसंचयम्' इत्यत्र व्यवहारद्वयवद्धर्मिणोरभेदस्य श्रुत्या प्रतिपादन इव धिक् परस्वं तथाप्येष गिलति क्ष्वेडसंचयम्' इत्यत्राऽऽर्थप्रकृतव्यवहारवद्धर्मि-श्रौताप्रकृतव्यवहारवद्धर्मिणोरार्थाभेदस्य प्रतिपादनेऽपि वाक्यार्थनिदर्शनात्वमक्षतम्। एकत्र श्रौतीत्वमपरत्रार्थीत्वमिति विशेषो न वार्यते। पदार्थनिदर्शनास्वरूपं तूपमानोपमेयधर्मयोरभेदाध्यवसायमूल उपमेय उपमानधर्मसंबन्ध इति पृथगेव। एतदुभयान्यतरत्वं च प्राचीनरीत्या सामान्यलक्षणम्। यदि तु ललितं पृथगलङ्कारः स्यात् लुप्तोपमादिरप्युपमादेः पृथक् स्यात्, त्वदुक्तयुक्तेस्तुल्यत्वात्। नन्वतिशयोक्तिरेवं सति रूपक एव विलीयेत। विषय-विषयिणोर्द्वयोरप्युपादाने श्रौतं रूपकम्, विषयिमात्रोपादाने त्वार्थमित्यस्यापि सुवचत्वात्। सत्यम्। यत्र ह्यलङ्कारशरीरमुभयत्राप्यविलक्षणम्,

तत्रैकालङ्कारत्वव्यपदेशो युक्तः। यथा सादृश्यं निष्पाद्यमानमुपमाशरीरं लुप्तोपमादिष्वविलक्षणमेवेति तत्राप्युपमयैव व्यपदेशो न्याय्यः, नालङ्कारान्तरेण, लुप्तत्वपूर्णत्वादिस्तु न तच्छरीरनिविष्ट इति स्वयं व्यावर्तमानोऽपि नोपमात्वव्यावर्तकः, तथान्यत्रापीति स्थितिः। एवं च विषयतावच्छेदकरूपेण भाते विषये विषयितावच्छेदकावच्छिन्नाभेदस्य रूपकशरीरस्य विषयितावच्छेदकरूपेणाऽऽभासमानविषयात्मकादतिशयोक्तिरूपाद्विलक्षणत्वेन द्वयोरेकालङ्कारत्वं न युक्तम्। निदर्शनाललितयोस्तु स्वरूपावैलक्षण्यं प्रदर्शितमित्येकालङ्कारत्वमेव" इत्याहुः।

अन्य इति। अस्य दूरस्थेन 'आहुः' इति क्रियापदेनान्वयः। वक्तव्यं प्रतिजानीते—ललितं नालंकारान्तरमिति। तत्र हेतुमाह—निदर्शनयैवेति। गतार्थत्वाभावमाशंकते—नन्वेकेति। एकस्मिन्धर्मिणि प्रस्तुतव्यवहारस्याप्रस्तुतव्यवहारस्य च (द्वयोरिति यावत्) ग्रहणे निदर्शना भवति, ललितं तु केवलाप्रस्तुतव्यवहारग्रहणे, इति न तयैतस्य गतार्थत्वमिति शंकाशयः। समाधानमाह—श्रूयतामित्यादिना, इहेति। काव्य इत्यर्थः। श्रौता इति। श्रुतशब्दबोधितविषया इति भावः। आर्थी इति। अर्थाक्षिप्तविषया इति भावः। तत्रेति। तयोर्मध्य इत्यर्थः। कुतः पृथग्भेदत्वेनैव गण्यन्त इत्यत्राह—तदलंकारसामान्येति। ललितस्यापि संग्रहो येन भवति तादृशं निदर्शनालक्षणं दर्शयति—इदं पुनर्निदर्शनेति। व्यवहारद्वयवदिति। प्रस्तुताप्रस्तुतव्यवहारवन्तौ यौ द्वौ धर्मिणौ तयोरभेदस्य प्रतिपादनेन आक्षिप्तो यो द्वयोर्व्यवहारयोरभेदः सा वाक्यार्थनिदर्शनेत्यर्थः। ललितत्वेनाभिमते विषये एतल्लक्षणसङ्गमनाय स्फुटयति—तत्रेति। प्रतिपादनन्नामबोधनम्, तच्च शब्दतोऽर्थतश्च संभवतीति भावः। ततः किमिति चेत्तत्राह—तेनेति। मर्त्यो मनुष्यः। क्ष्वेडसञ्चयो विषसमूहः। व्यवहारद्वयवद्धर्मिणोरिति। परद्रव्यहरण—क्ष्वेडसञ्चयगिरणरूपव्यवहारद्वयवतोर्द्विविधयोर्मर्त्ययोरित्यर्थः। श्रुत्येति। 'हरन्' 'गिलति' इत्येतत्सामानाधिकरण्यबोधकशब्दश्रवणेनेत्यर्थः। 'धिक्परस्वम्—' इति। परस्वम् परधनम्, धिक् धिक्कारयोग्यम्, तथापि, एषः व्यक्तिविशेषः, क्ष्वेडसंचयम्, गिलतीत्यर्थः। 'आर्थप्रकृतव्यवहार–' इति। अर्थावसेयो यः परस्वहरणरूपः प्रकृतव्यहारस्तद्वान् धर्मी च शब्दश्रवणलभ्यो यः—क्ष्वेडसंचयनिगिरणरूपोऽप्रकृतव्यवहारस्तद्वान् धर्मी चेति द्वन्द्वः, तयोः, आर्थाभेदस्येत्यर्थः। प्रतिपादनेऽपीति। 'धिक्परस्वं तथाप्येष–' इत्येवमुक्तौ क्ष्वेडनिगरणकारक-परस्वग्रहणकारकयोरुक्तानुक्तयोरभेदोऽर्थाद् बोधितो भवतीति भावः। निदर्शना त्वस्योभयत्र साधारणत्वेऽपि पृथग्भेदत्वं स्वीक्रियत इत्याह—एकत्र श्रौतीत्वमिति। नन्वेतादृशलक्षणेन पदार्थनिदर्शनायाः संग्रहो न भवेदिति चेत्तत्राह—पदार्थनिदर्शनास्वरूपं त्विति। उपमानगतधर्मस्योपमेयगतधर्मस्य च योऽभेदाध्यवसायस्तत्प्रयुक्त उपमेये उपमानधर्मसम्बन्धः पदार्थनिदर्शनेति पृथगेव लक्षणं विधेयमिति भावः। ननूभयसंग्राहकसामान्यलक्षणाभाव इति चेत्तत्राह—एतदुभयान्यतरत्वमिति। प्राचीनरीत्येति। ग्रन्थकृता तु अन्यतरत्वान्यतमत्वघटितसामान्यलक्षणं नैव स्वीक्रियत इति तथोक्तिः। प्रतिबन्दीमप्याह—यदि त्विति। त्वदुक्तयुक्तेरिति। सामान्यलक्षणघटकः कियदंशः श्रौतो नास्तीति न निदर्शना, किन्तु

ललितनामकोऽन्यालङ्कार इति भवतां युक्तिः, सा च प्रकृतेऽपि तुल्या, उपमासामान्यलक्षण-घटकसाधारणधर्मादेः श्रौतत्वाभावादिति भावः। आशंकते—नन्विति। एवं सतीति। यया युक्त्या ललितं निदर्शनायामन्तर्भाव्यते तद्युक्तिस्वीकारे सतीत्यर्थः। कथं रूपकेऽतिशयोक्तिविलयसंभव इति चेत्तत्राह—विषयविषयिणोरिति। विषय उपमेयं विषयी उपमानमिति बोध्यम्। शङ्कायाः साधारणत्वं सूचयन्नाह—सत्यमिति। तथापि समाधानमाह—यत्रेत्यादिना। अलङ्कारशरीरमिति। अलंकारसामान्यलक्षणमिति भावः। न तच्छरीरनिविष्ट इति। नोपमासामान्यलक्षणघटक इत्यर्थः। व्यावर्तमानोऽपि भिद्यमानोऽपि। रूपकातिशयोक्त्योः शरीरभेदमाह—एवं चेत्यादिना। अयं भावः—'विषयतावच्छेदकरूपेण भासमाने विषये विषयितावच्छेदकावच्छिन्नाभेदः' इति रूपकस्य सामान्यलक्षणम्, यथा 'मुखं चन्द्रः' इत्यत्र मुखत्वात्मकविषयतावच्छेदकरूपेण भासमाने मुखे चन्द्रत्वात्मकेन विषयितावच्छेदकेनावच्छिन्नस्य चन्द्रस्याभेदः। विषयितावच्छेदकरूपेणैव भासमाने विषये विषयितावच्छेदकावच्छिन्नाभेद इति चातिशयोक्तेः सामान्यलक्षणम्, यथा 'पुरेऽस्मिन् सौधशिखरे चन्द्रराजी विराजते' इत्यत्र चन्द्रराजित्वेनैव रूपेण भासमाने मुखसमूहे चन्द्रराजित्वावच्छिन्नाभेदः। एवञ्च द्वयोः सामान्यलक्षण एव भिन्ने इति नैकत्वमाशङ्कितुं योग्यमिति भावः। प्रदर्शितमेवेति। 'व्यवहारद्वयवद्धर्म्यभेदप्रतिपादनाक्षिप्तो व्यवहारद्वयाभेदः' इत्येव निदर्शना-ललितयोरुभयोः स्वरूपमिति भावः।

अन्यमतानुसार ललितालङ्कार की निदर्शना में गतार्थता दिखलाई जाती है—अन्ये तु इत्यादि।

अन्य विद्वानों का तो कथन है कि "निदर्शना से ही गतार्थ होने के कारण ललित नाम का कोई भिन्न अलङ्कार नहीं है। कहा जायगा कि—एक धर्मी में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों तरह के व्यवहारों का ग्रहण रहने पर होने वाली निदर्शना केवल अप्रस्तुत-व्यवहार के ग्रहण में (ललित में) कैसे स्थान प्राप्त कर सकती है? तो आयुष्मान् सुनें—अलङ्कार शास्त्र में प्रायः सभी अलङ्कार श्रौत तथा आर्थ दोनों तरह के होते हैं। उनमें श्रौतों की अपेक्षा पृथक् अलङ्कार के रूप में आर्थों की गणना नहीं होती, अपि तु उस अलङ्कार के, जिसका एक भेद श्रौत होता है, दूसरे भेद के रूप में आर्थ की गणना होती है, क्यों कि एक ही अलङ्कार के सामान्य लक्षण से वे दोनों ही प्रभेद आक्रान्त रहते हैं।

वाक्यार्थ निदर्शना का स्वरूप है—'दो व्यवहारों वाले दो धर्मियों के अभेद के प्रतिपादन से आक्षिप्त होने वाला दो व्यवहारों का अभेद'। इस लक्षण में कथित, दो व्यवहारों वाले धर्मियों के अभेद का प्रतिपादन, श्रौत ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है, किसी तरह का (श्रौत अथवा आर्थ) प्रतिपादन होना चाहिए। अतः 'परद्रव्यम्–अर्थात् जो मनुष्य दूसरे के धन का हरण करता है वह विषसमूह को निगलता है' इस वाक्य में दो व्यवहारों वाले धर्मियों के अभेद का श्रौत प्रतिपादन रहने पर जैसे निदर्शना होती है, वैसे 'धिक् परस्वम्=अर्थात् परकीय धन को धिक्कार है, तथापि यह विषसमूह को निगल रहा है' इस वाक्य में आर्थ प्रस्तुत व्यवहार वाले और श्रौत अप्रस्तुत व्यवहार वाले धर्मियों के अभेद का आर्थ प्रतिपादन रहने पर भी वाक्यार्थ निदर्शना मानने में किसी तरह की क्षति नहीं होती। हाँ, प्रथम वाक्य में श्रौती वाक्यार्थ निदर्शना है और दूसरे में आर्थी इस वैलक्षण्य का वारण नहीं किया जा सकता–उसका वारण करना अभीष्ट भी नहीं है।

पदार्थनिदर्शना का स्वरूप तो उक्त वाक्यर्थनिदर्शना के स्वरूप से भिन्न ही 'उपमानगत धर्म तथा उपमेयगत धर्म—इन दोनों के अभेदाध्यवसाय के कारण होने वाला, उपमेयगत धर्म का संबन्ध' इस तरह का है। प्राचीनों की रीति से 'इन दोनों निदर्शनाओं में से कोई एक' यह सामान्य लक्षण होगा।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि जिसको आप 'ललित' कहते हैं वह वाक्यार्थ निदर्शना का आर्थ प्रभेद है, अतिरिक्त नहीं।

ऐसी स्थिति में भी यदि ललित को निदर्शना से पृथक् अलङ्कार माना जाय, तो लुप्तोपमा आदि को भी उपमा आदि से पृथक् अलङ्कार मानना पड़ेगा, क्योंकि श्रौत और आर्थ भेदों को पृथक् मानने वाली आप की युक्ति दोनों स्थलों में समान है।

कहा जायगा कि—ऐसा मानने पर अतिशयोक्ति रूपक में ही विलीन हो जायगी, क्योंकि आप के मतानुसार 'विषय (उपमेय) और विषयी (उपमान) दोनों के ग्रहण रहने पर श्रौत तथा केवल विषयी के ग्रहण रहने पर आर्थ रूपक है' ऐसा भी सुखपूर्वक कहा जा सकता है।

बात ठीक है। जहाँ किसी अलङ्कार का शरीर (सामान्य लक्षण) दोनों (श्रौत तथा आर्थ) स्थानों पर अविलक्षण—अर्थात् एक ही तरह का रहे वहाँ एक अलङ्कार का व्यवहार उचित है, जैसे 'कविप्रतिभा से संपन्न किया जाने वाला सादृश्य' यह उपमा का शरीर पूर्णोपमा की तरह लुप्तोपमा में भी संघटित होता ही है, अतः वहाँ भी (लुप्तधर्मादि स्थल में भी) उपमा शब्द से ही व्यवहार किया जाना न्यायप्राप्त है, अन्य किसी अलङ्कार के नाम से नहीं। लुप्तता और पूर्णता आदि तो उपमा के शरीर में प्रविष्ट हैं नहीं, अतः वे (पूर्णता लुप्तता आदि) स्वयं भिन्न होकर भी एक दूसरे को उपमा की श्रेणी से पृथक् करने में समर्थ नहीं होते हैं। बश, यही स्थिति सभी अलङ्कारों के विषय में समझनी चाहिए।

इस विश्लेषण के आधार पर विचार करने से अतिशयोक्ति को रूपक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 'विषयतावच्छेदक (मुखत्वादिक) रूप से भासित होने वाले विषय (मुख आदि) में विषयितावच्छेदकावच्छिन्न (चन्द्रत्वावच्छिन्न चन्द्र आदि) का अभेद' यह रूपक स्वरूप उस अतिशयोक्ति स्वरूप से जिसमें विषय (मुख आदि) का भान विषयितावच्छेदक (चन्द्रत्व आदि) रूप से होता है, विलक्षण-भिन्न है, अतः उन दोनों का एक अलङ्कार होना उचित नहीं है।

अभिप्राय यह कि रूपक तथा अतिशयोक्ति के सामान्य लक्षण भिन्न-भिन्न तरह के होते हैं, अतः ये दोनों एक नहीं हो सकते।

निदर्शना तथा ललित के स्वरूपों में विलक्षणता नहीं है यह पहले दिखलाया जा चुका है। तात्पर्य यह कि पहले जो वाक्यार्थ निदर्शना का सामान्य लक्षण कहा गया है वह आपके द्वारा कथित ललित-सामान्य लक्षण को अपने में अन्तर्भुक्त कर लेता है, अतः उन दोनों को (वाक्यार्थ निदर्शना तथा ललित को) एक (वाक्यार्थ निदर्शना) अलङ्कार कहने में कोई बाधा नहीं है।"

नव्यमतमाह—

'आहार्यनिश्चयविषयीभूतो विषये विषय्यभेदो रूपकस्वरूपमुच्यते। न निवेश्यते च विषयतावच्छेदकादि, गौरवात्। एवं चातिशयोक्तेर्निगीर्याध्यवसानरूपाया रूपकभेदत्वमस्तु नाम। का नो हानिः। एवमपह्नुतेरपि, विषयतावच्छेदकनिह्नवानिह्नवनिगरणानि रूपकस्यैवावान्तरविशेषाः' इति तु नव्याः।

आहार्येति। बाधकालीनेच्छाजन्येत्यर्थः। न निवेश्यते इति। रूपकस्वरूप इति भावः। गौरवादिति। रूपकपदशक्यतावच्छेदकस्य गुरुत्वेन गौरवं बोध्यम्। एवं चेति। तादृशरूपकस्वरूपस्वीकारे चेत्यर्थः। अपह्नुतेरपीति।

रूपकभेदत्वमस्त्विति पूर्वोक्तस्यानुषङ्गः। विषयतावच्छेदकादिनिवेशे गौरवेण विषयतावच्छेदकाद्यघटितम् लघुभूतम् 'उपमेये उपमानस्याहार्यनिश्चयगोचरोऽभेदः' इत्येव रूपकसामान्यलक्षणं स्वीक्रियते। तथा च निगीर्याध्यवसानरूपातिशयोक्तिरपह्नुतिश्च न स्वतन्त्रावलङ्कारावपि तु रूपकप्रभेदावेव, विषयतावच्छेदकनिगरणनिह्नवयोर्भवन्मतेऽतिशयोक्त्यपह्नुत्यलंकारत्वप्रयोजकयो रूपकालंकारावान्तरभेदत्वप्रयोजकताया एव स्वीकारादिति नवीनानाम् पण्डितराजादीनाम् मतमिति भावः।

नवीनों का मत दिखलाया जाता है—आहार्य इत्यादि।

नवीन आचार्यों (ग्रन्थकार भी इनमें आते हैं) का मत है कि "'उपमेय में उपमान का वह अभेद रूपक है जो आहार्यनिश्चय (बाधकालिक इच्छामूलक निश्चय) का विषय हो' इतना ही रूपक का स्वरूप कहा जाता है, उसमें विषयतावच्छेदक आदि का निवेश नहीं किया जाता, क्योंकि उन बातों का निवेश करने पर रूपकशरीर की दीर्घता के कारण गौरव होगा। अभिप्राय यह कि 'विषयतावच्छेदकरूप से भासित विषय में विषयी का अभेद' ऐसा नहीं, किन्तु 'विषय में विषयी का अभेद' इतना ही रूपक का लक्षण मानना चाहिए। इस तरह का लघुभूत लक्षण मानने पर 'निगरणपूर्वक अध्यवसान'रूपा अतिशयोक्ति और अपह्नुति अलङ्कार रूपक के ही भेद हो जायगें तो हो जाँय, इसमें हम लोगों की हानि क्या है? अर्थात् अभी जो आप विषयतावच्छेदक (मुखत्व आदि) निगरण को अतिशयोक्ति का उसके निह्नव को अपह्नुति का कारण मानते हैं, हम वैसा नहीं मानते हैं, अपितु उनको (निगरण निह्नव को) रूपक की अवान्तर विलक्षणतायें मात्र मानते हैं।"

पूर्वोक्ते नवीनमते तु ललितस्य पृथगलंकारत्वं दूरापास्तमित्याह—

एतन्मतरीत्या तु ललितस्य निदर्शनातः पृथगलङ्कारत्वं मनोरथललितमेवेति।

मनोरथललितमिति। मनोरथविलास इति भावः। ये नवीनाः प्रसिद्धां निगीर्याध्यवसानरूपामतिशयोक्तिमपह्नुतिञ्चार्थरूपकत्वेन समर्थयन्ति तेषां मतेऽप्रसिद्धं ललितं कुतो नाम वाक्यार्थनिदर्शनातः पृथग् भवेदिति भावः।

पूर्वोक्त नवीनों के मत की रीति से तो ललित को वाक्यार्थनिदर्शना से पृथक् अलङ्कार कहना केवल मनोरथ-विलास है—अर्थात् जिस मत में अतिशयोक्ति अपह्नुति आदि प्रसिद्ध अलङ्कारों को रूपक में गतार्थ माना जाता है उस मत में इस ललित को, जो अप्रसिद्ध है, क्यों कर निदर्शना से भिन्न माना जा सकता है?

उक्तरीत्या ललितस्यालंकारान्तरत्वे खण्डिते 'तितीर्षुः–' इति कालिदासीयपद्यस्य मम्मटोक्तं निदर्शनोदाहरणत्वं सम्यगेवेति सूचयति—

एवं च 'तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्' इत्यत्र निदर्शना साधु संगच्छते। क्व सूर्येत्यादिना स्वमति-सूर्यप्रभववंशयोरत्यन्ताननुरूपत्वकथनो-

त्तरमुडुपकरणकसागरतरणेच्छाया अप्रकृतायाः कथनेन तादृशमतिकरणकवर्णनेच्छायाः प्रकृतायाः प्रतिपत्तेः।

एवं चेति। निदर्शनायाः श्रौतत्वार्थत्वोभयविधत्वस्थापनपूर्वकं ललितस्यालङ्कारान्तरत्वनिरासे चेत्यर्थः। ननु 'निदर्शनाया अत्राप्राप्तेश्च' इत्यनेनोक्तां निदर्शनाया अप्रसक्तिं कथं वारयेदिति चेत्तत्राह—क्व सूर्येत्यादिनेति। अयं भावः—ललितालङ्कारवादिनः प्रकृताप्रकृतोभयव्यवहारोपादानजीवितत्वं स्वीकृत्य 'तितीर्षुः-' इत्यत्राल्पविषयकमतिकरणकसूर्यवंशवर्णनेच्छारूपप्रकृतव्यवहारस्यानुपादानेन सामान्यतो निदर्शनाया अप्राप्तिमूचुः। ललितालङ्कारखण्डनकर्तारस्तूक्तप्रकृतव्यापारस्यानुपादानेऽप्यार्थप्रतिपादनमात्रमपेक्षितं तत्र स्वीकृत्य निदर्शनाप्राप्तिं समर्थयन्ति। आर्थप्रतिपादनञ्च तस्य प्रकृतेऽक्षतम्, स्वबुद्धिसूर्योत्पन्नकुलयोर्नितान्तमननुरूपत्वमित्युक्त्वा या लघुनौकाकरणकसमुद्रतरणेच्छाऽप्रकृतोपवर्ण्यते सा तावन्न संगच्छते यावत् लघुस्वमतिकरणमहासूर्यकुलवर्णनेच्छा प्रकृता न विज्ञाता स्यादिति तादृशेच्छारूपस्य प्रकृतव्यवहारस्यार्थप्रतिपादनस्य स्वीकृतेरावश्यकत्वादिति।

'उक्त रीति से जब ललितालङ्कार खण्डित हो जाता है तब मम्मट ने जो 'तितीर्षुः–' इस पद्य को निदर्शना का उदाहरण कहा वह ठीक ही है' यह बात अब बतलाई जाती है—एवञ्च इत्यादि।

उक्त रीति से ललित को निदर्शना में गतार्थ कर देने पर "तितीर्षुः–' इस काव्यप्रकाशोक्त उदाहरण में निदर्शना अच्छी तरह संगत हो जाती है, क्योंकि 'क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया मतिः' इस पूर्वार्ध द्वारा 'अपनी बुद्धि और सूर्योत्पन्न कुल की अत्यन्त अननुरूपता' के वर्णन के बाद 'अप्रस्तुत लघु नौका द्वारा समुद्रतरणेच्छा' के वर्णन से 'छोटी बुद्धि द्वारा सूर्योत्पन्न कुल के वर्णन की इच्छा' जो प्रस्तुत है, विदित हो जाती है।

अभिप्राय यह कि ललितालङ्कारवादियों के द्वारा जो उक्त पद्य में प्रस्तुत व्यवहार का उपादान नहीं रहने के कारण निदर्शना की अप्राप्ति कही जाती थी, उस का जब ललितालङ्कार नहीं मानने वालों ने 'निदर्शना के लिए प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों व्यवहारों का एक धर्मी में शाब्द अथवा आर्थ किसी तरह का प्रतिपादनमात्र अपेक्षित है, दोनों व्यवहारों का ग्रहण नहीं' ऐसा कहकर खण्डन कर दिया तब वहां निदर्शना संगत हो जाती है क्योंकि उक्त रीति से वहां प्रस्तुत व्यवहार का आर्थ प्रतिपादन हो जाता है।

कुवलयानन्दोक्तमुद्धृत्य निरस्यति—

यत्तु "–'अनायि देशः कतमस्त्वयाद्य वसन्तमुक्तस्य दशां वनस्य' इति पद्ये कतमो देशस्त्वया परित्यक्त इति प्रस्तुतार्थमनुपन्यस्य वसन्तमुक्तस्य वनस्य दशामनायीति तत्प्रतिबिम्बभूतार्थमात्रोपन्यासाल्ललितालङ्कारः" इति कुवलयानन्दकार आह। तदत्यन्तमसङ्गतम्। अत्र कथमन्यस्य दशामन्यो नेतुं शक्य इति वसन्तमुक्तवनदशां निःश्रीकत्वलक्षणामनायीति हि पर्यवसन्नोऽर्थः। तत्र निःश्रीकत्वरूपकार्यद्वारा कारणस्य राजकर्तृकत्यागकर्मत्वस्याभिधानं पर्यायोक्तेर्विषयः, दशयोरेकत्वाध्यवसानं तु पदार्थनिदर्शनाया अतिशयोक्तेर्वेत्यन्यदेतत्। एवं च पदार्थनिदर्शनोपबृंहितस्य पर्यायोक्तस्यैवात्र विषयः, न ललितस्य।

किं च त्वदुक्तं ललितालङ्कारलक्षणमपि नात्र संभवति। तच्च "–'प्रस्तुते वर्ण्य-वाक्यार्थप्रतिबिम्बस्य वर्णनम्' प्रस्तुते धर्मिणि वर्णनीयं वाक्यार्थमवर्णयित्वा कस्यचिदप्रस्तुतस्य वाक्यार्थस्य वर्णनं ललितम्" इत्यादिना ग्रन्थेन भवता विवेचितम्। इह च प्रस्तुते धर्मिणि देशविशेषे राजकर्तृकत्यागकर्मत्वरूपस्य वर्ण्यस्यार्थस्यावर्णनेऽप्यप्रस्तुतस्य वसन्तकर्तृकत्यागकर्मत्वस्याप्यवर्णनात्कथं संगच्छताम्। यदि पुनः 'अकारि देशः कतमस्त्वयाद्य निरस्तचन्द्रः कठिनाशयेन' इति पद्यं स्यात्तदा स्यादपि तव मनोरथः। न च तादृशवनदशाया अप्रस्तुताया देशविशेषे वर्णनमस्त्येवेति वाच्यम्। दशाशब्देन तद्दशासदृशस्य दशान्तरस्य लक्ष्यत्वेन तस्याप्रस्तुतत्वायोगात्। अन्यथा पदार्थनिदर्शनोच्छेदापत्तेः। एवम्—

'रामो विजयते यस्य क्षणात्सामर्षवीक्षणात्।
दावाग्निदग्धकान्तारलीलां लङ्कापुरी दधौ॥'

इत्यादौ ललितस्यालङ्कारान्तरतामभ्युपगच्छतामपि मते न तस्य विषयः, किंतु निदर्शनायाः। अत एव—

'उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम्। वहति गिरिरयं विलम्बिघण्टाद्वयपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम्॥' इति प्राचां निदर्शनोदाहरणमपि संगच्छते। तत्र तु रश्मिरज्जुनियन्त्रितपार्श्वद्वयसंलग्नसूर्यचन्द्रोऽयं गिरिरित्येवं प्रकृतधर्म्यारूढतया प्रकृतार्थानुपादानाल्ललितमेव स्यात्। प्रकृतव्यवहारस्य लेशतोऽप्यकीर्तने केवलं प्रकरणादिना गम्यत्वे ललितम् अन्यथा निदर्शनेति चेत् 'क्व सूर्यप्रभवः–' इत्यस्मात्कथं निदर्शना तर्हि निर्वासितेति सर्वमसमञ्जसमेव।

'अनायि देशः—' इति। 'त्वदाप्तसंकेततया कृतार्था श्राव्यापि नानेन जनेन संज्ञा'। इत्युत्तरार्धम्। नैषधीयचरिते नलं प्रति दमयन्त्या उक्तिः—हे नल!, अद्य, त्वया, कतमो बहूनामेकः कः, देशः, वसन्तमुक्तस्य वसन्तेन परित्यक्तस्य, वनस्य, दशाम् अवस्थाम्, द्विकर्मकनीधातुविहितकर्मतिङा 'प्रधाने नीहृकृष्वहाम्' इति नियमात्प्रधानस्य देशरूपस्यैव कर्मण उक्तत्वेनानुक्तकर्मबोधकदशाशब्दाद् द्वितीयेति बोध्यम्, अनायि प्रापितः? त्वदाप्तसंकेततया त्वयि प्राप्तसङ्केततया, कृतार्था, संज्ञा नामापि, अनेन मल्लक्षणेन, जनेन, न श्राव्या न श्रवणार्हा, अपि तु श्राव्यैवेति तदर्थः। तदुक्तमुपपादनमुद्धरति—इति पद्य इति। तत्प्रतिबिम्बेति। प्रस्तुतार्थप्रतिबिम्बेत्यर्थः। खण्डयति—तदत्यन्तमिति। असङ्गतत्वे हेतुमुपदर्शयति—अत्रेत्यादिना। इतीति। हेतोरिति शेषः। निःश्रीकत्वलक्षणामिति। निरस्तशोभत्वरूपामित्यर्थः। पर्यवसन्नोऽर्थ इति। पर्यवसितार्थ इति भावः। तावता किमिति चेत्तत्राह—तत्र हीति। कार्यद्वारा कारणस्येति। देशगतनिःश्रीकत्वरूपकार्यस्य राजकर्तृकत्यागकर्मत्वं कारणमिति भावः। अभिधानमिति। कार्यमुखेन कारणाभिधानमिति भावः। दशयोरिति। वनगतनिःश्रीकत्व—देशगतनिःश्रीकत्वयोरित्यर्थः। एकत्वाध्यवसानमिति। अभेदाध्यवसानमित्यर्थः। वस्तुतस्तयोर्भिन्नत्वादेवमुक्तिः। पदार्थनिदर्शनाया

अतिशयोक्तेर्वेति । विषय इत्यनुषङ्गः । अत्र निदर्शनाया एव ग्रन्थकृत्सम्मतत्वं बोध्यम्, अग्रे 'पदार्थनिदर्शनोपवृंहितस्य' इति तदुक्तेः । फलितमाह—एवं चेति, पर्यायोक्तस्यैवेति । 'विवक्षितार्थस्य भङ्ग्यन्तरेण प्रतिपादनं पर्यायोक्तम्' इति तल्लक्षणं बोध्यम्। त्वदुक्तं ललितलक्षणमपि नात्र संघटत इत्याह—किं चेति । तदुक्तं तल्लक्षणमुद्धरति—तच्चेति । तदुक्तां लक्षणव्याख्यामाह—प्रस्तुते धर्मिणीति । प्रकृते लक्षणासङ्घटनमुपपादयन्नाह—इह चेति । अयं भावः—अत्र प्रस्तुतो धर्मी देशविशेषः, तत्र 'राज्ञा स्वदेशः परित्यक्तः' इत्येवंरूपेण राजकर्तृकत्यागकर्मत्वरूपः प्रकृतोऽर्थो न वर्णित इति यद्यपि सत्यम्, किन्तु लक्षणसंघटनार्थमपेक्षितम् 'वसन्तेन कतमो देशः परित्यक्तः' इत्येवंरूपमप्रकृतार्थवर्णनमपि नास्तीति त्वदुक्तललितलक्षणासंघटनमेवेति । लक्षणसंघटनोपयुक्तपद्यस्वरूपं स्फुटयितुमाह—यदि पुनः इति । 'अकारि देशः—' इति । कठिनाशयेन कठोरान्तःकरणेन, त्वया, कतमो, देशः, अद्य, निरस्तचन्द्रः चन्द्ररहितः, अकारि कृत इत्यर्थः । स्यादपि तव मनोरथ इति । एवं पद्यस्वरूपे त्वदुक्तललितलक्षणसंगमनेन ललितालङ्कारोदाहरणत्वं भवितुमर्हेदिति भावः । लक्षणसङ्घटनमाशङ्कते—न चेति । तादृशेति । वसन्तमुक्तेत्यर्थः । वसन्तकर्तृकत्यागकर्मत्वरूपमप्रस्तुतं देशविशेषात्मकप्रस्तुतधर्मिणि न वर्णितमित्येतावता भवदुक्तं लक्षणासङ्घटनम् न युक्तम्, वसन्तमुक्तवनदशारूपस्याप्रस्तुतार्थस्य देशविशेषे धर्मिणि वर्णनादिति शङ्काशयः ।

समाधत्ते—दशाशब्देनेत्यादिना । तद्दृशेति । वनदशेत्यर्थः । तस्येति । लक्ष्यस्य दशान्तरस्येत्यर्थः । अन्यस्य दशान्यत्र नेतुं न शक्येति 'देशो वनस्य दशामनायि' इत्युक्तौ दशापदं वनदशासदृशान्यदशारूपेऽर्थे लाक्षणिकमङ्गीकरणीयं स्यात्तथा च वर्ण्यमानो वनदशासदृशदशारूपोऽर्थो देशविशेषसंबद्धत्वात्प्रस्तुत एव, नाप्रस्तुत इति लक्षणासंगमनापत्तिः सुस्थैति भावः। अन्यथेति । एवंविधस्थले लक्षणाया अस्वीकार इत्यर्थः । पदार्थनिदर्शनोच्छेदापत्तेरिति । 'त्वन्नेत्रयुगलं धत्ते लीलां नीलाम्बुजन्मनोः' इत्यादिसकलपदार्थनिदर्शनास्थले त्वद्रीत्या ललितप्रसक्त्या पदार्थनिदर्शनोच्छेदः । मद्रीत्या तु एवंविधस्थले उक्तप्रकारेण ललिताप्राप्तौ पदार्थनिदर्शना कृतार्थेति भावः। 'रामो विजयते–' इति । यस्य रामस्य, सामर्षवीक्षणात् क्रोधपूर्वकावलोकनात्, लङ्कापुरी, क्षणात् क्षणात्मके काले, दावाग्निना वनवह्निना, दग्धस्य, कान्तारस्य वनस्य, लीलाम् दशामिति यावत्, दधौ धृतवती, स, रामः, विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्तत इत्यर्थः । उपपादयति-इत्यादाविति । अयं भावः- ललितालङ्कारवादिनोऽपि नात्र ललितं स्वीकुर्वन्ति, अपि तु पदार्थनिदर्शनामेवाङ्गीकुर्वन्ति । एवञ्च यत्र निदर्शना, तर्हि 'अनायि देशः' इत्यत्रापि सोचिता दशालीलापदग्रहणेन द्वयोः साम्यात्। यत्र न पदार्थनिदर्शना तर्हि तस्या उच्छेद एवेति । अत एवेति । अन्यथापदव्याख्योक्तहेतोरेवेत्यर्थः । 'उदयति–' इति । शिशुपालवधे रैवतकपर्वतवर्णनम्—विततोर्ध्वरश्मिरज्जौ विस्तृतोर्ध्वमुखकिरणरूपरज्जौ, अहिमरुचौ सूर्ये, उदयति उदयं प्राप्नुवति, तादृशे, हिमधाम्नि चन्द्रे, अस्तं याति अस्तं गच्छति, च, सति, अयं रैवतकनामकः, गिरिः पर्वतः, विलम्बिना लम्बमानेन, घण्टाद्वयेन, परिवारितस्य परिवेष्टितस्य, वारणेन्द्रस्य गजेन्द्रस्य, लीलाम्, वहति धत्ते

इत्यर्थः। प्राचां सर्वस्वकारादीनाम्। तव त्विति। ललितस्यालङ्कारान्तरत्वमभ्युपगच्छतो दीक्षितादेरित्यर्थः। मते इति शेषः। इत्येवमिति। इत्येवंरूपेणेत्यर्थः। तदेव प्रकृतधर्म्यारूढतेति भावः। प्रकृतार्थानुपादानादिति। यद्यपि 'उदयति–' इति पूर्वार्धे सूर्यचन्द्रादेर्वर्णनं विद्यते, तथापि पर्वतरूपप्रस्तुतधर्मिगततया तद्वर्णनं नास्तीति भावः। ललितमेवेति। न पदार्थनिदर्शनेत्येवपदस्वरसः। शङ्कते–प्रकृतव्यवहारस्येति। अन्यथा निदर्शनेति। तथा च 'उदयति-' इत्यादौ निदर्शनोक्तिर्न मदभिमतप्रतिकूला/प्रकृतव्यवहारस्य लेशतः कीर्तनसत्त्वेन मयापि तत्र ललितस्यास्वीकारात् निदर्शनायाः स्वीकाराच्चेति शङ्काभिप्रायः। समाधत्ते—'क्व सूर्य–' इति। 'क्व सूर्यप्रभवः-' इत्यत्र प्रकृतव्यवहारस्य लेशतः कीर्तनसत्त्वे त्वद्रीत्यापि निदर्शना प्राप्तेति तत्र तदस्वीकारस्तवायुक्त एव। एवञ्च ललितालङ्कारवादिनां सर्वमसमञ्जसमेवेति भावः।

कुवलयानन्दकार के मत का खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि।

"–'अनायि—अर्थात् आपने आज किस देश को वसन्त से परित्यक्त वन की दशा प्राप्त करा दी' इस पद्य में 'किस देश को आपने त्याग दिया' इस प्रस्तुत अर्थ का उल्लेख न कर केवल उस अर्थ के प्रतिबिम्बभूत 'वसन्त से परित्यक्त वन की दशा प्राप्त करा दी' इस अर्थ के उल्लेख करने से ललितालङ्कार है" ऐसा जो कुवलयानन्दकार (अप्पय दीक्षित) कहते हैं, वह अत्यन्त असंगत है, क्यों कि यहां दूसरे की दशा दूसरे में कैसे प्राप्त कराई जा सकती है? अर्थात् नहीं प्राप्त कराई जा सकती अतः 'देश को वसन्त से परित्यक्त वन की दशा प्राप्त कराई' इसका पर्यवसित अर्थ होगा कि शोभाराहित्य रूप वसन्त-मुक्त-वन-दशा प्राप्त कराई। अभिप्राय यह कि 'वसन्त से मुक्त वन की दशा' का अर्थ 'शोभाराहित्य' है। फलतः इस अर्थ में 'शोभाराहित्य'रूप कार्य के द्वारा देशगत 'राजकर्तृकत्यागकर्मत्व' रूप कारण का कथन पर्यायोक्त अलङ्कार का विषय है, ललित किंवा निदर्शना का नहीं। तात्पर्य यह है कि 'वक्तव्य अर्थ का भिन्न शैली से कथन' यह जो पर्यायोक्त का लक्षण है, उसके अन्दर 'कार्य द्वारा कारण का कथन—अर्थात् कारण की जगह पर कार्य का उल्लेख भी आ जाता है, अतः 'अनायि–' इस पद्य में पर्यायोक्त मानना पड़ेगा, क्यों कि यहाँ भी राजकर्तृकत्यागकर्मता—अर्थात् राजा ने देश को त्याग दिया, इस विवक्षित अर्थ' जो शोभाराहित्य का कारण है, की जगह पर उक्त रीति से पर्यवसित होने वाला 'शोभाराहित्य', जो कार्य है, का कथन है।

यद्यपि दो दशाओं (वन की शोभा-विहीनता और देश की शोभा-विहीनता जो वस्तुतः दो दशाएँ हैं) में जो एकता का अध्यवसान (आरोप) हुआ है, वह पदार्थ निदर्शना अथवा अतिशयोक्ति का विषय है, तथापि यह एक भिन्न बात है, इससे उक्त पर्यायोक्त में कोई बाधा नहीं होती। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि 'अनायि—' यह पद्य पदार्थ निदर्शना से पोषित पर्यायोक्त का ही लक्ष्य है, ललित का नहीं। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ आप के द्वारा कथित ललित का लक्षण भी संघटित नहीं होता है। आपने ललित का लक्षण 'प्रस्तुत में वर्णनीय वाक्यार्थ के प्रतिबिम्ब का वर्णन' ऐसा बनाया है और उसकी व्याख्या में आपने कहा है कि 'प्रस्तुत धर्मी में वर्णनीय वाक्यार्थ का वर्णन न करके किसी अप्रस्तुत वाक्यार्थ का वर्णन ललित है'। अब सोचिए कि यह लक्षण यहां ('अनायि—' इस पद्य में) कैसे संघटित होगा? क्यों कि यहां देशविशेषरूप प्रस्तुत धर्मी में राजकर्तृक त्यागकर्मतारूप वर्णनीय अर्थ का वर्णन यदि नहीं किया गया है तो वसन्तकर्तृकत्यागकर्मतारूप अप्रस्तुत अर्थ का भी वर्णन नहीं किया गया है—अर्थात्

'आपने देश को त्याग दिया' ऐसा यदि नहीं कहा गया है तो 'वसन्त ने देश को त्याग दिया' ऐसा भी नहीं कहा गया है। तात्पर्य यह कि आपके लक्षणानुसार ललित के लिए प्रस्तुत की जगह पर अप्रस्तुत का कथन अपेक्षित है और यहाँ प्रस्तुत तथा तत्प्रतिबिम्ब-भूत अप्रस्तुत-दोनों में से किसी का भी कथन नहीं है, अतः आपका लक्षण यहां संघटित नहीं होता। हाँ, यदि 'अकारि देशः—अर्थात् कठोर अन्तःकरण वाले आपने आज अनन्त देशों में से किस देश को चन्द्रविहीन बनाया' ऐसा पद्य होता तब आपका मनोरथ पूर्ण होता—अर्थात् पद्य का ऐसा रूप होने पर ललितालङ्कार (जिसको आप ही मानते हैं, हम नहीं) हो सकता था।

यदि कहा जाय कि वसन्तमुक्तवनदशारूप अप्रस्तुत अर्थ का देशविशेषरूप धर्मी में वर्णन यहाँ है ही, फिर मदुक्त-ललित लक्षण का संघटन क्यों नहीं होगा तो इसका उत्तर यह है कि यहाँ 'दशा' शब्द से वनदशा के समान कोई दूसरी दशा लक्षित होती है—अर्थात् यहाँ 'वनस्य दशाम्' का लक्ष्य अर्थ है वन की दशा के समान दशा। ऐसी स्थिति में वह लक्ष्यार्थभूत दशा देश की अपनी दशा होगी, अतः वह प्रस्तुत ही हो जाती है, अप्रस्तुत नहीं, फिर उसको अप्रस्तुत मानकर अपने लक्षण के संघटन का प्रयास आप का व्यर्थ है।

यदि लक्षणा मान कर उस दशा पदार्थ को प्रस्तुत नहीं माना जाय और आपके अनुसार ललितालङ्कार माना जाय तब तो पदार्थ-निदर्शना का उच्छेद ही हो जायगा क्यों कि इस तरह पदार्थ-निदर्शना के सभी उदाहरणों में आपका यह ललित ही प्राप्त हो जायगा। देखिये—

'रामो विजयते—अर्थात् वह राम सर्वोत्कृष्ट हैं, जिनके सक्रोध अवलोकन से क्षण भर में लङ्कापुरी ने दावानल से दग्ध जंगल की लीला का धारण कर लिया' इत्यादि में ललितालङ्कारवादियों के मत से भी ललितालङ्कार नहीं है, किन्तु निदर्शना है। पर अभी आप जिस युक्ति से 'अनायि देशः-' इस पद्य में ललित का समर्थन करना चाहते हैं, उस युक्ति से यहाँ भी उसका (ललित का) समर्थन हो जायगा और पदार्थ निदर्शना का उच्छेद हो जायगा। यदि मेरी युक्ति से यहां पदार्थ निदर्शना की स्वीकृति आप भी देंगे, तब 'अनायि-' इस पद्य में भी पदार्थ निदर्शना की स्वीकृति देनी पड़ेगी, क्यों कि इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है—एक जगह लाक्षणिक 'दशा' पद है और दूसरी जगह उसी तरह का 'लीला' पद है।

ऐसी स्थिति में जिस लिए निदर्शना ही होती है इसीलिए प्राचीनों के द्वारा दिया गया 'उदयति अर्थात् ऊपर की ओर किरणरूप रस्सी को फैलाए हुए सूर्य जब उदित होता रहता है और चन्द्रमा अस्त होता रहता है तब यह रैवतक पर्वत दोनों पार्श्व भागों में लटकते हुए दो घण्टाओं से युक्त गजराज की लीला का धारण करता है'' यह निदर्शना का उदाहरण भी संगत होता है। आप के हिसाब से तो यहाँ भी ललितही होगा, क्योंकि 'किरणरूप रस्सी से बंधे हुए सूर्य-चन्द्र जिस के दोनों पार्श्वभागों में लगे हुए हैं ऐसा यह पर्वत' इस रूप में प्रस्तुत धर्मी (पर्वत) पर आरूढ करके प्रस्तुत अर्थ का उपादान नहीं है।

अब यदि कहा जाय कि प्रस्तुत अर्थ की लेशमात्र भी चर्चा नहीं हो, केवल प्रकरण आदि से उस की अभिव्यक्ति होती हो तब ललित होता है अन्यथा निदर्शना होती है, तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि इस तरह से आप 'उदयति-' इस पद्य में निदर्शना को युक्तियुक्त कह ले सकते हैं, पर 'क्व सूर्यप्रभवः-' इस पद्य से आपके द्वारा निदर्शना का

निर्वासन असंगत हो जायगा अर्थात् अभी-अभी जो आपने युक्ति बतलाई है उस के अनुसार 'क्व सूर्यप्रभवः–' इस पद्य में भी निदर्शना माननी चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ भी प्रस्तुत व्यवहार का लेशतः कीर्तन है, वह सर्वथा गम्य नहीं है पर आप वहाँ निदर्शना नहीं मानते हैं। फलतः आपकी सभी बातें गड़बड़ ही हैं।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे ललितालङ्कारप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे ललितालङ्कारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत ललितालङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां ललितालङ्कारप्रकरणम्॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणप्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथ प्रहर्षणम्—

प्रहर्षणालङ्कारो निरूप्यतया प्रारब्धो बोध्य इति भावः।

प्रहर्षण अलङ्कार का निरूपण अब आरब्ध होता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

साक्षात्तदुद्देश्यकयत्नमन्तरेणाप्यभीष्टार्थलाभः प्रहर्षणम्॥

यमभीष्टार्थलाभमुद्दिश्य साक्षाद् यत्नो न विधीयते सः अभीष्टार्थलाभः प्रहर्षणालङ्कारत्वेन व्यपदिश्यत इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—साक्षात् इत्यादि।

जिस वाञ्छित अर्थ की प्राप्ति के उद्देश्य से साक्षात् यत्न न किया गया हो उस वाञ्छितार्थप्राप्ति को प्रहर्षण कहते हैं।

लक्षणं विविनक्ति—

इदं च सामान्यलक्षणं त्रिविधप्रहर्षणसाधारणम्। तत्राकस्मादभीप्सितार्थलाभ इत्येका विधा। वाञ्छितार्थसिद्ध्यर्थं यत्ने क्रियमाणे ततोऽप्यधिकतरार्थलाभ इत्यपरा। उपायसिद्ध्यर्थाद्यत्नात्साक्षात्फलस्य लाभ इति तृतीया। अस्यामेवाव्याप्तिनिरासार्थं लक्षणे साक्षादित्युक्तम्।

अस्यामेवेति। तृतीयविधायामित्यर्थः। अव्याप्तिनिरासार्थमिति। यत्किञ्चित्फललाभप्रयोजकोपायसिद्ध्युद्देश्येन क्रियमाणो यत्नः परम्परया तत्फललाभोद्देश्यकोऽपि व्यपदेष्टुं शक्यस्तथा च 'तदुद्देश्यकयत्नमन्तरेणाप्यभीष्टार्थलाभः' इत्येतावन्मात्रे लक्षणे कृते उपायसिद्ध्यर्थाद्यत्नात्साक्षात्फलस्य लाभे तस्याव्याप्तिः स्यादिति तस्या निवारणाय लक्षणे 'साक्षात्' पदन्निविश्यत इति भावः।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—इदं च इत्यादि।

प्रहर्षण लङ्कार के तीन प्रकार होते हैं। (१) अकस्मात् अर्थात् विना यत्न के वाञ्छित अर्थ की प्राप्ति (२) वाञ्छितार्थ की सिद्धि के लिए यत्न किये जाने पर उस वाञ्छित से भी अधिकतर अर्थ की प्राप्ति (३) उपाय की सिद्धि के लिये किए जाने वाले यत्न से साक्षात् फल का लाभ। ऊपर जो प्रहर्षण का सामान्य लक्षण बनाया गया है वह प्रहर्षण के इन तीनों प्रकारों का संग्राहक है।

तृतीय प्रकार में अव्याप्ति-वारण के लिए लक्षण में 'साक्षात्' पद कहा गया है। अभिप्राय यह कि यदि 'साक्षात्' को छोड़कर केवल 'तदुद्देश्यक यत्न के विना भी होने वाला अभीष्टार्थ 'लाभ' इतना ही लक्षण किया जाता तब उक्त तृतीय प्रकार प्रहर्षण नहीं कहला सकता था, क्यों कि 'उपायसिद्धि के लिए किया जाने वाला यत्न भी परम्परया फलसिद्धि-प्रयोजक माना जाता है, अतः वहां 'तदुद्देश्यक यत्न के विना' इस अंश का समन्वय नहीं हो सकता।

लक्ष्यनिर्देशाय ब्रूते—

क्रमेणोदाहरणानि—

क्रमशः प्रहर्षणप्रकाराणां त्रयाणामुदाहरणानि समुपस्थाप्यन्त इति भावः।

क्रमशः प्रहर्षण के तीनों प्रकारों के उदाहरण दिये जाते हैं।

प्रथमप्रकारोदाहरणमुपन्यस्यति—

'तिरस्कृतो रोषवशात्परिष्वजन्प्रियो मृगाक्ष्या शयितः पराङ्मुखः।
किं मूर्च्छितोऽसाविति कांदिशीकया कयाचिदाचुम्ब्य चिराय सस्वजे॥

परिष्वजन् आलिङ्गन्, प्रियः प्रीत्याश्रयो नायकः, कयाचित्, मृगाक्ष्या मृगनयनया नायिकया, रोषवशात् कोपवशीभूतया सत्या, तिरस्कृतः अपमानितः आलिङ्गनान्निवारितः इति यावत्, सन्, पराङ्मुखः विपरीतमुखः, भूत्वेति शेषः, शयितः निद्रां गतः, अकर्मकत्वात्कर्तरि क्तः, अथ, 'किमसौ मूर्च्छितः' इति भ्रमेण, कांदिशीकया कां दिशं यामीत्येवंविधभावापन्नया भयाकुलयेति यावत्, तया, आचुम्ब्य चुम्बनमादाय, चिराय चिरकालं यावत्, स नायकः, सस्वजे आलिङ्गित इत्यर्थः।

प्रथम प्रकार का उदाहरण दिया जाता है—तिरस्कृतं इत्यादि।

किसी मृगाक्षी नायिका ने आलिङ्गन करते हुए प्रिय का रोषवश तिरस्कार, किया, प्रिय मुख घुमा कर सो गया, किन्तु 'क्या यह मूर्च्छित हो गया' ऐसा समझकर घबड़ाई हुई उस नायिका ने चुम्बन लेकर देर तक उसका आलिङ्गन किया।

उपपादयति—

अत्र यत्नसामान्यशून्यस्यापीष्टलाभः।

'तिरस्कृतः–' इत्यस्मिन्पद्ये 'आलिङ्गनोद्देश्यकयत्नसामान्यरहितोऽपि शयितो नायक आलिङ्गनात्मकमिष्टं लेभे' इत्यर्थो वर्णित इति प्रथमप्रहर्षणप्रकारोदाहरणमिदं पद्यं संपद्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'तिरस्कृतः—' इस पद्य में आलिङ्गन के लिए सर्वथा यत्न छोड़ कर सोए हुए नायक के आलिङ्गनात्मक अभीष्ट लाभ का वर्णन हुआ है, अतः यह पद्य उक्त प्रथम प्रकार का उदाहरण होता है।

द्वितीयप्रकारोदाहरणमुपस्थापयति—

'केलीमन्दिरमागतस्य शनकैरालीरपास्येङ्गितैः
सुप्तायाः सरुषः सरोरुहदृशः संवीजनं कुर्वतः।
जानन्त्याप्यनभिज्ञयेव कपटव्यामीलिताक्ष्या सखि
श्रान्तासीत्यभिधाय वक्षसि तया पाणिर्ममाधीयत॥'

नायकः स्वमित्रं प्रति प्रेयसीवृत्तान्तमाह—इङ्गितैः चक्षुरङ्गुल्यादिचेष्टाविशेषैः, शब्दैर्नेति यावत्, आलीः सखीः, अपास्य दूरमुत्सार्य, शनकैः मन्दं मन्दम्, केलीमन्दिरम् क्रीडागृहम्, आगतस्य, सरुषः सकोपायाः, सुप्तायाः शयितायाः, क्रोधपूर्वकं सुप्ताया इति भावः, सरोरुहदृशः कमलनयनायाः, नायिकायाः, संवीजनं कुर्वतः, तादृशीं नायिकां व्यजनेन वीजयत इति भावः, मम, पाणिः करः, जानन्त्या मत्कर्तृकं संवीजनमवगच्छन्त्या, अपि, अनभिज्ञया इव अजानन्त्या इव, कपट-व्यामीलिताक्ष्या व्याजमुद्रितनेत्रया, तया प्रेयस्या, 'सखि श्रान्ता असि' इति, अभिधाय उक्त्वा, वक्षसि स्वकीयवक्षःस्थले, आधीयत स्थापित इत्यर्थः।

द्वितीय प्रकार का उदाहरण दिखलाया जाता है—केलीमन्दिर इत्यादि।

एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है-इशारों से सखियों को हटाकर मैं धीरे-धीरे क्रीडामन्दिर में आया और वहां क्रुद्ध होकर सोई हुई कमलनयना नायिका को पंखा झलने लगा उसने जानते हुए भी न जानती हुई के समान कपट से आँखे मूंदे हुए ही 'सखि तुम थक गई हो' ऐसा कह कर मेरे हाथ अपने वक्षःस्थल पर रख लिया।

उपपादयति—

अत्र भामिन्या रोषनिवारणाय यत्ने क्रियमाणे रोषनिवारणादप्यधिकतरसुखप्रदः कामुकस्य भामिनीकर्तृकः स्वकरकर्मकस्तत्कुचाधिकरणक आसङ्गः। न चात्र तृतीयभेदः शङ्क्यः। व्यजनवीजनसमये कामुकस्य माननिवारणस्यैव मुख्योद्देश्यत्वेन तदुपेयकुचस्पर्शादिफलान्तरस्यानुपस्थितेः।

भामिनीकर्तृक इति। भामिनी कर्त्री यस्य तादृश इत्यर्थः। स्वकरकर्मक इति। स्वकरः (नायकहस्तः) कर्म कारकं यस्मिन् तादृश इत्यर्थः। कुचाधि इति। कुचौ अधिकरणं यस्य तादृश इत्यर्थः। एतान्यासङ्गविशेषणानि। आसङ्गः आश्लेषः संयोग इति यावत्। नायिका-रोषनिवारणाय प्रयतमानेन कामुकेन नायकेन तदीयरोषनिवारणरूपवाञ्छितार्थस्तु लब्ध एव सुखविशेषदायकतया ततोऽधिकतरो नायिकाकुचमण्डले स्वकरयोगोऽपि लब्ध इति 'केलीमन्दिर-' इत्येतत्पद्यमुक्तप्रहर्षणद्वितीयप्रकारोदाहरणं भवतीति भावः। आशङ्क्य समाधत्ते—न चेति। तृतीयभेद इति। 'उपायसिद्ध्यर्थाद्यत्नात्साक्षात्फलस्य लाभः' इतिलक्षणक इति भावः। शङ्क्य इति। नायिकाकुचस्पर्शो नायकोद्देश्यत्वेन मुख्यं फलम्, नायिकारोषनिवारणं तु तन्मुख्यफलोपायभूतम्, तथा च प्रकृते तदुपायविषयकान्नायकेन क्रियमाणाद् यत्नात्साक्षात्तन्मुख्यफललाभो जायत इति तृतीयप्रकारोदाहरणत्वमेवास्य पद्यस्येति शङ्काशयः। तदुपेयेति। नायिकामाननिवारणरूपोपाय साध्येति भावः। व्यजनेन नायिकां वीजयतो नायकस्य मनसि तस्मिन् क्षणे नायिकारोषवारणमेव मुख्यमुद्देश्यम् अतो नोपायबुद्ध्या तत्र तस्य यत्नः, उपायत्वेन यत्नाविषये माननिवारणे तदुपेयत्वेन कुचस्पर्शादेः फलान्तरस्योपस्थितिर्नैव संभवति, तथा च नात्र तृतीयप्रभेदलक्षणप्रसक्तिरिति समाधानाशयः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'केलीमन्दिर-' इस पद्य में 'नायिका के रोष निवारण के लिए यत्न करनेवाले नायक को रोष-निवारण के साथ उससे भी अधिकतर सुखदायक नायिका के कुचों पर नायिका

द्वारा ही अपने हाथ का स्पर्श प्राप्त हुआ' ऐसा भाव वर्णित है, अतः यह पद्य उक्त द्वितीय प्रहर्षण प्रकार का उदाहरण होता है।

'यहाँ नायक का उद्देश्यभूत मुख्य फल नायिका-कुचस्पर्श है और नायिका के मान का निवारण है उस मुख्य फल का उपाय। ऐसी स्थिति में यह कहा जायगा कि नायक अभी उक्त मुख्य फल के उद्देश्य से उसके उक्त उपाय को सिद्ध करने का यत्न ही कर रहा था, पर भाग्य से उसे उद्देश्यभूत मुख्य फल ही प्राप्त हो गया, अतः यह पद्य तृतीय प्रभेद का उदाहरण हो सकता है, द्वितीय प्रकार का नहीं' ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पंखा झलते समय कामुक नायक के मन में नायिका के मान का वारण करना ही मुख्य उद्देश्य था, अतः उस काल में नायक कुच स्पर्शादि का उपाय मान कर मान-निवारण का प्रयास नहीं कर रहा था और जब उपाय मान कर मान-निवारण का प्रयास नहीं कर रहा था और जब उपाय मानकर मान निवारण का प्रयास न हो तब उसके उपेय (साध्य) रूप में कुचस्पर्श आदि अन्य फल मुख्य रूप से कैसे उपस्थित हो सकता है ?

द्वितीयप्रभेदस्यैवोदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम् ,

अथवा जैसे-'

उदाहरणान्तरमुल्लिखति—

'लोभाद् वराटिकानां विक्रेतुं तक्रमानिशमटन्त्या।
लब्धो गोपकिशोर्या मध्येरथ्यं महेन्द्रनीलमणिः॥'

वराटिकानाम् कपर्दिकानाम् अल्पद्रव्याणामिति यावत् , लोभात् , तक्रम् , विक्रेतुम्। आनिशम् रात्रिपर्यन्तम् , अटन्त्या भ्रमन्त्या, गोपकिशोर्या गोप्या, मध्येरथ्यम् रथ्याया मध्ये, महेन्द्रनीलमणिः महान् श्यामवर्णो मणिविशेषः महेन्द्रनीलमणित्वेनाध्यवसितः कृष्णश्च, लब्ध इत्यर्थः।

दूसरा उदाहरण उपस्थित किया जाता है—लोभात् इत्यादि।

कौड़ियों के लोभ से तक्र बेचने के लिए रात तक घूमती हुई गोपकिशोरी ने बीच गली में महान् इन्द्रनीलमणि पा ली।

उपपादयति—

अत्र प्रहर्षणद्वितीयभेदः स्फुट एव। अननुरूपसंबन्धमादाय विषमालङ्कारश्च। तत्र महेन्द्रनीलमणिरित्यतिशयोक्त्यालीढयोर्विषयविषयिणोरुभयोरपि प्रहर्षणेऽनुगुणत्वम्। वाञ्छिताधिकार्थत्वस्य मणि-भगवदुभयसाधारणत्वात्। विषमे तु नीलमणिरूपस्य विषयिमात्रस्य यतो वराटिकार्थिनो यथा महेन्द्रनीलमणेः कोटिमूल्यस्य संसर्गोऽननुरूपो न तथा भगवत्संसर्गो भवितुं प्रभवति। न चाज्ञानिनां भगवत्संसर्गोऽननुरूप एवेति वाच्यम्। एवं तर्हि तक्रविक्रयकर्तृत्वेनैवाज्ञानित्वलाभे वराटिकालोभरूपहेतूपन्यासस्यानतिप्रयोजकत्वापत्तेः। यादृशवाञ्छितसिद्ध्यर्थं यत्नः क्रियते तादृशवाञ्छितसिद्धौ तु समालङ्कार एव।

अत्रेति। 'लोभाद्-' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः। स्फुट एवेति। वराटिकात्मकवाञ्छितसिद्ध्यर्थं रात्रिव्यापिभ्रमणरूपे यत्ने क्रियमाणे महेन्द्रनीलमणिरूपवराटिकाधिकतरार्थलाभस्य स्फुटत्वादिति भावः। अलङ्कारान्तरमप्यत्र विद्यत इति सूचयति—अननुरूपसंबन्धमिति। वराटिकार्थिन्या गोपकिशोर्या महेन्द्रनीलमणेश्च संबन्धस्याननुरूपत्वमिति भावः। विषमालङ्कारश्चेति। तथा च प्रहर्षणविषमयोः संकरोऽत्र द्रष्टव्यः। तत्रेति। तयोरलङ्कारयोर्मध्य इत्यर्थः। अस्य 'प्रहर्षणे' इत्यत्र संबन्धः। अयं भावः—अत्र 'महेन्द्रनील' पदेऽतिशयोक्तिरस्ति, मणिरूपेण विषयिणा श्रीकृष्णरूपस्य विषयस्य निगीर्णत्वात्। तत्रातिशयोक्तिघटकौ विषय-विषयिणौ द्वावपि प्रहर्षणेऽनुकूलौ, वराटिकात्मकवाञ्छितार्थापेक्षयाऽधिकताया मणाविव भगवति श्रीकृष्णेऽपि सत्त्वात्। विषमे तु नीलमणिरूपो विषयी एव केवलोऽनुकूलो, न विषयो भगवद्रूपः, वराटिकार्थिन्याः गोपबालायाः कोटिमूल्यकेन महेन्द्रनीलमणिना सह संसर्गस्याननुरूपत्वेऽपि भगवता सह संसर्गस्याननुरूपत्वाभावात्, प्रत्युत दीनायास्तस्या दीनदयालुना भगवता सह संबन्धस्य परमनुकूलत्वाच्चेति। आशङ्कते— न चेति। अज्ञानिनः ज्ञानसाध्यो भगवत्संबन्धोऽननुरूप इति शङ्काशयः। समाधत्ते—एवं तर्हीति। अयमाशयः—अज्ञानिनः कृते ज्ञानसाध्यभगवत्संबन्धोऽननुरूप इति सत्यम्, परन्तु प्रकृतेऽज्ञानित्वेन गोपबालाया भगवत्संबन्धाननुरूपत्वं न कवेर्विवक्षितम्। यदि कवेस्तद् विवक्षितमभविष्यत्तदा वराटिकालोभरूपहेतूपवर्णनं नासावकरिष्यत्, तक्रविक्रयकर्तृत्वेनैव गोपबालाया अज्ञानित्वस्य लाभादिति। तद्धेतूपन्यासविरहे प्रागुक्तो विषमालङ्कारो न स्यादपि तु समालंकारः प्रसज्येतेति सूचयति—यादृश इति। अयं भावः-'वराटिकानां लोभात्' इत्यनुक्तौ तक्रविक्रयव्याजेन महेन्दनीलमणिप्राप्त्यर्थमेव गोपकिशोरी रात्रिं यावदटतीति प्रतीतौ समालङ्कारः स्यात्, न विषमालङ्कार इति विषमसिद्ध्यर्थम् तदुपन्यास आवश्यक इति।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'लोभाद् वराटिकानाम्–' इस पद्य में प्रहर्षण का द्वितीय भेद स्पष्ट ही है—अर्थात् यहाँ कौड़ियों की प्राप्ति के लिए राततक भ्रमण करते रहना रूप यत्न करने पर वराटिका से अधिकतर मूल्यवाले महेन्द्र नीलमणि (मणि–भगवान्) की प्राप्ति निस्संदिग्ध है। साथ ही यहाँ कौड़ियों के लोभवाली गोपबाला तथा नीलमणि के संसर्ग की अननुरूपता को लेकर विषमालङ्कार भी है। फलतः यहाँ प्रहर्षणालङ्कार और विषमालङ्कार का एकाश्रयानुप्रवेश रूप संकर होता है।

एक बात ध्यान में लानी चाहिए कि यहाँ इन्द्रनीलमणि रूप विषयी (उपमान) से भगवान् कृष्ण रूप विषय (उपमेय) की निगीर्णता के कारण 'महेन्द्रनीलमणिः' पद में जो अतिशयोक्ति है उसके अन्तर्गत उक्त विषय तथा विषयी-दोनों ही प्रहर्षण में अनुकूल हैं, क्योंकि वराटिका रूप वाञ्छित अर्थ से अधिकता मणि तथा भगवान् कृष्ण दोनों में समान है। विषम में तो नीलमणि रूप विषयीमात्र अनुकूल होता है, श्रीकृष्ण रूप विषय नहीं, क्योंकि कौड़ियों को चाहनेवालों के लिए कोटिमूल्यक नीलमणि का संसर्ग जिसतरह अननुरूप होता है उस तरह भगवान् कृष्ण का संसर्ग अननुरूप नहीं हो सकता, प्रत्युत दोनों के लिए दयानिधान भगवान् का संसर्ग अधिक अनुरूप ही हो सकता है।

यदि कहा जाय कि अज्ञानियों के लिए भगवान् का संसर्ग अननुरूप है ही, क्योंकि भगवत्संसर्ग ज्ञानसाध्य वस्तु है, तो यह ठीक नहीं। कारण, यदि यहाँ गोपकिशोरियों की अज्ञानता के कारण भगवत्संसर्ग की अननुरूपता दिखलाना कवि को अभीष्ट हो तब तक्रविक्रयकारिणी कहने से ही गोपकिशोरी की अज्ञानता का लाभ हो जाने से वराटिका-लोभ का तक्र-विक्रय के हेतुरूप में कथन निष्प्रयोजन हो जायगा।

यहाँ पर ध्यान रखिए कि जिस प्रकार के वाञ्छित की सिद्धि के लिए यत्न किया जाता है उसी प्रकार के वाञ्छित की सिद्धि होने पर समालङ्कार ही होता है, अतः यदि उक्त हेतु का उल्लेख न किया जाता तब 'विषम' होता ही नहीं, अपितु 'सम' होता, क्योंकि उस स्थिति में 'तक्रविक्रय-व्याज से रात तक घूमती हुई गोपकिशोरी ने गली के बीच महान् इन्द्रनीलमणि (भगवान् कृष्ण) को पा लिया' ऐसा अर्थ प्रतीत होता और इस अर्थ में साफ झलकता है कि गोपकिशोरी भगवान् को पाने के लिए यत्न कर रही थी और उसको पा भी लिया। इस तरह अनुरूप संसर्ग सिद्ध हो जाता है।

तृतीयप्रकारोदाहरणमुपदर्शयति—

'तद्दर्शनोपायविमर्शनार्थं मया तदालीसदनं गतेन।
तत्रैव सालक्ष्यत पक्ष्मलाक्षी दाक्षायणीमर्चयितुं प्रयाता॥'

कश्चिन्मित्रं प्रत्याह—तस्याः प्रेयस्याः, दर्शनस्य य उपायस्तस्य विमर्शनार्थम् विचारार्थम्, तदालीसदनं गतेन प्रेयसीसखीगृहोपस्थितेन, मया, तत्रैव सखीगृह एव, दाक्षायणीम् पार्वतीम् अर्चयितुम् पूजयितुम्, प्रयाता गता, सा, पक्ष्मलाक्षी सघनपक्ष्मल-नयना, अलक्ष्यत दृष्टेत्यर्थः।

तृतीय प्रकार का उदाहरण दिखलाया जाता है—तद्दर्शन इत्यादि।

किसी मित्र से कोई कहता है—उसको देखने के उपाय का परामर्श करने के लिए मैं उसकी सखी के घर गया था, वहीं पार्वती की पूजा करने के लिए गई हुई वह पक्ष्मल-नयनवाली नायिका दीख पड़ी।

उपपादयति—

अत्र तद्दर्शनोपायसिद्ध्यर्थं प्रयुक्तात्तत्सखीसदनगमनयत्नात्साक्षादेव तद्दर्शनलाभः।

'तद्दर्शनोपाय—' इत्यत्र 'नायिकादर्शनरूपमुख्योद्देश्यसाधकोपायसिद्ध्यर्थम् नायको नायिकासखीगृहगमनरूपं यत्नं कुरुते, किन्तु तेनैव यत्नेन नायको नायिकादर्शनरूपमुख्य-फलमेव लभते' इत्यर्थवर्णनात्प्रहर्षणतृतीयप्रकारोदाहरणतामासादयति पद्यमेतदिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

तद्दर्शनोपाय—' इस पद्य में 'नायिका-दर्शन के उपाय की सिद्धि के लिए नायक द्वारा किए गए नायिका-सखी-गृहगमनरूप यत्न से साक्षात् ही नायिकादर्शन का लाभ' वर्णित हुआ है, अतः इस पद्य में प्रहर्षण का तृतीय प्रकार होता है।

कुवलयानन्दोक्तमनूद्यावद्यति—

यत्तु—

'चातकस्त्रिचतुरान्पयःकणान् याचते जलधरं पिपासया।
सोऽपि पूरयति विश्वमम्भसा हन्त हन्त महतामुदारता॥'

इति पद्यम् 'वाञ्छितादधिकार्थस्य संसिद्धिश्च प्रहर्षणम्' इति प्रहर्षणद्वितीयप्रभेदं लक्षयित्वोदाहृतं कुवलयानन्दकृता। तदसत्। वाञ्छितादधिकार्थस्य संसिद्धिरितिलक्षणे संसिद्धिपदेन निष्पत्तिमात्रं न वक्तुं युक्तम्। सत्यामपि निष्पत्तौ वाञ्छितुस्तल्लाभकृतसंतोषानतिशये प्रहर्षणशब्दयोगार्थासंगत्या तदलङ्कारत्वायोगात्। किंतु लाभेन कृतः सन्तोषातिशयः। एवं च प्रकृते चातकस्य त्रिचतुरकणमात्रार्थितया जलदकर्तृक-जलकरणक-विश्व-पूरणेन हर्षाधिक्याभावात्प्रहर्षणं कथंकारं पदमाधत्ताम्। वाञ्छितादधिकप्रदत्वेन दातुरुत्कर्षो भवंस्तु न वार्यते। अत एव हन्तहन्तेत्यादिनार्थान्तरन्यासेन स एव पोष्यते। लोभाद्वराटिकानामित्यस्मदीये तूदाहरणे वाञ्छितुर्वाञ्छितार्थादधिकवस्तुलाभेन संतोषाधिक्यात्तद्युक्तम्।

'चातक' इति। चातकस्तन्नामा पक्षिविशेषः, जलधरम् मेघम्, त्रिचतुरान् त्रयो वा चत्वारो वा त्रिचतुरा बहुव्रीहिस्तान्, पयःकणान् जलबिन्दून्, पिपासया पातुमिच्छया, याचते द्विकर्मकोऽयं धातुरत एव चातकपदाद् द्वितीया, सोऽपि जलधरोऽपि, अम्भसा जलेन, विश्वम् संसारम्, पूरयति, हन्तहन्त प्रशंसायामिहैतदव्ययप्रयोगः, महताम्, उदारता, औदार्येण प्रार्थितादधिकं वितरन्तो महान्तोऽतीव प्रशस्या इति भावः। इति पद्यमिति। अस्य 'उदाहृतम्' इत्यत्रान्वयः। तदुक्तं लक्षणस्वरूपं समुद्धरति—'वाञ्छितात—' इति। खण्डयति—तदसदिति। असत्त्वे युक्तिमाह—वाञ्छिता इति। निष्पत्तिमात्रमिति। संपन्नतामात्रमित्यर्थः। कुतो न युक्तमित्यत आह—सत्यामपीति। वाञ्छितुरिति यत्किञ्चिदिच्छोरित्यर्थः। तल्लाभेति। वाञ्छिताधिकार्थलाभेत्यर्थः, तदलङ्कारत्वेति। प्रहर्षणालङ्कारत्वेत्यर्थः। संसिद्धिपदेन किं तर्हि वक्तुं युक्तमिति चेत्तत्राह—किं त्विति। लाभेनेति। वाञ्छिताधिकार्थलाभेनेति भावः। शय इति। 'वक्तुं युक्त'मिति पूर्वोक्तस्यानुषङ्गः। निष्कर्षमाह—एवं चेति। संसिद्धिपदेन वाञ्छिताधिकार्थलाभकृतसंतोषातिशयस्य वक्तुं युक्तत्वे इत्यर्थः। कथंकारं पदमाधत्तामिति। अधिकलाभेन यदि वाञ्छितुः संतोषोऽप्यधिको भवेत्तदेव द्वितीयं प्रहर्षणम् स्यात्। अत्र तु त्रिचतुरजलकणमात्रार्थिनश्चातकस्य जलदवितीर्णविश्वपूरकजलसमूहलाभेन न कश्चित्संतोषातिशय इति प्रहर्षणं न भवितुमर्हतीति भावः। भवंस्त्विति। भवन् उत्कर्षस्त्वित्यर्थः। अत एवेति। दातुरुत्कर्षस्य प्रतीतत्वादेवेत्यर्थः। स एवेति। दातुरुत्कर्ष एवेत्यर्थः। प्रहर्षणमेव पदव्यवच्छेद्यम्। तद्युक्तमिति। प्रहर्षणमुचितमित्यर्थः। अत्र "चिन्त्यमिदम्। चातकवृत्तान्तस्याप्रस्तुतत्वात्तद्व्यङ्ग्यदातृयाचकवृत्तान्ते पर्यवसानेन सन्तोषातिशयस्य दुर्वारत्वात्।" इत्येभिरक्षरैर्नागेशः कुवलयानन्दं समर्थयतीति बोध्यम्।

कुवलयानन्द का खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि।

कुवलयानन्दकार अप्पय दीक्षित ने 'वाञ्छितात्—अर्थात् वाञ्छित से अधिक अर्थ की संसिद्धि को भी प्रहर्षण कहते हैं' यह प्रहर्षण द्वितीय भेद का लक्षण बना कर जो 'चातकस्त्रिचतुरान्—अर्थात्—प्यासा चातक मेघ से जल के तीन-चार कण माँगता है और वह (मेघ) जल से संसार को भर देता है, महानों की उदारता प्रशंसनीय है।' यह उदाहरण उपस्थित किया है, वह असङ्गत है, क्योंकि 'वाञ्छित से अधिक

अर्थ की संसिद्धि' इस लक्षण में 'संसिद्धि' पद से उक्त अधिक अर्थ का 'हो जाना' मात्र कहना उचित नहीं है। कारण, अधिक अर्थ के हो जाने पर भी यदि चाहनेवाले को उस अधिक अर्थ के लाभ से अधिक संतोष न हो तो प्रहर्षण शब्द के योगार्थ (प्रकृष्ट हर्ष) की संगति नहीं होती और उस स्थिति में वहाँ प्रहर्षणालङ्कार का होना भी उचित नहीं होता, अतः लक्षणगत 'संसिद्धि' पद से 'अधिकार्थ लाभ-प्रयुक्त संतोष की अधिकता' का कथन उचित है। ऐसी दशा में 'चातकः—' यह पद्य उक्त द्वितीय प्रहर्षण प्रभेद का उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ चातक का केवल तीन–चार जलकणों का अर्थी होने के कारण मेघद्वारा जल से संसार को भर देने से उसको अधिक हर्ष नहीं है। [यहाँ नागेश का कथन है कि "यहाँ चातक का वृत्तान्त अप्रस्तुत है, अतः उसका पर्यवसान व्यङ्ग्य दातृ-याचक-वृत्तान्त में होता है और दाता के द्वारा अधिक देने पर याचक के मन में अधिक संतोष का होना अनिवार्य है।"] फलतः नागेश के विचार से दीक्षित जी का कथन ठीक है।

हाँ, वाञ्छित से अधिक दान के कारण होने वाला दाता का उत्कर्ष वारित नहीं किया जा सकता—अर्थात् उसकी प्रतीति यहाँ अवश्य होगी।

इसीलिए 'हन्त हन्त महतामुदारता' इस अर्थान्तरन्यास से उसी की पुष्टि की जाती है।

'लोभाद् वराटिकानाम्' इस पण्डितराजोक्त उदाहरण में तो चाहनेवाले (गोपकिशोरी) को वाञ्छितार्थ (वराटिका) से अधिक वस्तु (नीलमणि अथवा श्रीकृष्ण) का लाभ होने से संतोष की अधिकता प्रतीत होती है, अतः वह प्रहर्षण का उदाहरण उचित ही है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे प्रहर्षणप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे प्रहर्षणालङ्कारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत प्रहर्षणालङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां प्रहर्षणप्रकरणम् ॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथ विषादनम्—

विषादनालङ्कारो निरूपणीयतयाऽऽरब्धो बोध्य इति भावः।

अब विषादनालङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

अभीष्टार्थविरुद्धलाभो विषादनम् ॥

अभिलषितादर्थाद्विरुद्धस्यार्थस्य प्राप्तिर्विषादनालङ्कार इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—अभीष्टार्थ इत्यादि।

इष्ट वस्तु से विरुद्ध वस्तु की प्राप्ति का नाम विषादन है।

लक्षणं विविनक्ति—

अस्य चाभीष्टार्थलाभार्थं कारणप्रयोगो यत्र न कृतः केवलमिच्छैव कृता जातश्च विरुद्धार्थलाभः सः, यत्र चेष्टार्थं प्रयुक्तेऽपि कारणे तस्मान्न विरुद्धार्थ-लाभः, अपि तु स्वकारणवशात्स च विविक्तो विषयः। यत्र त्विष्टार्थं प्रयुक्ता-

त्कारणादेव विरुद्धार्थलाभस्तत्र तादृशकारण–विरुद्धार्थयोरुत्पादकोत्पाद्यभाव-लक्षणसंसर्गस्याननुरूपत्वाद्विषमम्, इष्यमाणविरुद्धार्थलाभसत्त्वाच्च विषादन-मिति संकीर्णतैव। एवं चास्य विषमभेदैर्गतार्थतेति नाशङ्कनीयम्, विषम-रहितस्याप्येतद्विषयस्य दर्शयिष्यमाणत्वात्।

अस्य चेति। विषादनस्य चेत्यर्थः। अस्य 'विविक्तो विषयः' इत्यत्रान्वयः, स्वकारण-वशादिति। विरुद्धार्थस्वतन्त्रकारणवशादित्यर्थः। विविक्त इति। असंकीर्ण इत्यर्थः। एतद्विषयस्येति। विषादनलक्ष्यस्येत्यर्थः। अन्यत् स्फुटमेव।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—अस्य च इत्यादि।

विषमालङ्कार से पृथक् विषादन का विषय दो स्थानों पर होता है—एक, वहाँ जहाँ अभीष्ट वस्तु के लाभ के लिए कारण का प्रयोग नहीं किया गया, केवल उसके लिए इच्छा ही की गई और विरुद्ध वस्तु का लाभ हो गया और दूसरा, वहाँ जहाँ इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए कारण का प्रयोग किए जाने पर भी उससे नहीं, अपितु अपने स्वतन्त्र कारण से ही विरुद्ध वस्तु प्राप्त हो गई।

इष्ट वस्तु-प्राप्ति के लिए प्रयुक्त कारण से ही जहाँ विरुद्ध वस्तु की प्राप्ति होती है वहाँ तो इष्ट-वस्तु-प्राप्ति के लिए प्रयुक्त कारण और उससे प्राप्त होने वाले विरुद्ध वस्तु के उत्पादक-उत्पाद्यभावरूप पारस्परिक संसर्ग की अननुरूपता होने से विषमालङ्कार और इष्ट वस्तु से विरुद्ध वस्तु की प्राप्ति के भी रहने से विषादनालङ्कार—दोनों ही होंगे, अतः वैसे स्थानों पर इन दोनों अलङ्कारों का संकर होता है।

ऐसी स्थिति में 'विषादन विषमालङ्कार के भेदों से गतार्थ हो जाता है' ऐसी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विषमालङ्कार से रहित भी विषादन का विषय आगे दिखाया जा रहा है।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्,

जैसे—।

उदाहरणमुपस्थापयति—

'स्व-स्व-व्यापृति-मग्न-मानसतया मत्तो निवृत्ते जने
चञ्चूकोटिनिराकृतार्गल इतो यास्याम्यहं पञ्जरात्।
एवं कीरवरे मनोरथमयं पीयूषमास्वादय-
त्यन्तः संप्रविवेश वारणकराकारः फणिग्रामणीः॥'

स्वस्वव्यापृतिषु स्वस्वव्यापारेषु मग्नं मानसं यस्य तद्भावस्तत्ता तया जने जनसमूहे, मत्तः मत्सकाशात्, निवृत्ते पराङ्मुखे, सति, चञ्चूकोटिभ्याम् चञ्च्वग्रभागाभ्याम् निराकृता अपसारिता अर्गला पञ्जरद्वारकीलकम् येन तादृशः, अहम्, इतः अस्मात् पञ्जरात्, यास्यामि उड्डयिष्ये, एवम् रीत्येति शेषः, मनोरथमयम् मनोरथरूपम्, पीयूषम् अमृतम्, कीरवरे शुकश्रेष्ठे, आस्वादयति सति वारणकराकारः, गजशुण्डादण्ड-समानाकृतिः अतिस्थूल इति यावत्, फणिग्रामणीः सर्पराजः, अन्तः पञ्जरमध्ये, संप्रविवेश प्रविष्टवानित्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—स्व स्व इत्यादि।

लोग अपने-अपने कर्तव्यकर्मों में मग्नचित्त होकर जब मुझ से निवृत्त हो जायँगे—मेरी ओर से उनका ध्यान हट जायगा, तब मैं चोंच की नोंक से अर्गला (पिंजड़े की छिटकिली) को हटा कर इस पिंजड़े से निकल भागूँगा, इस तरह जब शुक मनोरथ मय अमृत का आस्वादन कर रहा था, तभी गजशुण्डाकार (विशाल) सर्पराज पिंजड़े के भीतर प्रविष्ट हो गया।

उपपादयति—

अत्र हि विषमप्रभेदस्य नास्ति विषयः, इष्टार्थं कारणप्रयोगाभावात्, इष्टार्थप्रयुक्तकारणेन सह विरुद्धार्थस्योत्पाद्योत्पादकसंसर्गस्याननुरूपत्वं हि तच्छरीरम्। तस्माद्विषादनमेवाप्रस्तुतप्रशंसाघटकतयावस्थितम्।

अत्रेति। 'स्वस्व-' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः। कुतो न तद्विषय इति चेत्तत्राह—इष्टार्थं कारणेति। पञ्जरावधिकबहिर्गमनरूपेष्टसिद्ध्यर्थम् चञ्चूकोटिकरणकार्गलानिराकरणरूप-कारणस्य न प्रयोगोऽपि तु प्रयोगेच्छामात्रमिति भावः। ननु कारणप्रयोगेच्छामात्रसत्त्वेऽपि कुतो न विषमम् इति चेत्तत्राह—इष्टार्थप्रयुक्तकारणेन सहेति। तच्छरीरमिति। विषम-शरीरमित्यर्थः। अस्मिन् विषमशरीरे प्रयुक्तकारणं निविष्टमित्यप्रयुक्तकारणके उक्तपद्ये न तत्प्राप्तिरिति भावः। उपसंहरन्नाह—तस्मादिति। विषादनमिति। विषादनप्रथमप्रभेद इत्यर्थः। पूर्वोपपादितरीत्याभीष्टसाधककारणप्रयोगेच्छामात्रसत्त्वे फणिग्रामणीकर्तृकान्तः-प्रवेशरूपविरुद्धार्थलाभादिति भावः। अप्रस्तुतप्रशंसेति। अप्रस्तुतेन वाच्येन शुकवृत्तान्तेन प्रस्तुतभग्नाशपुरुषवृत्तान्तस्याभिव्यक्तेरप्रस्तुतप्रशंसात्र वाक्यार्थः इति भावः। तदङ्गतया विषादनस्यात्र स्थितिरिति बोध्यम्।

उपपादन किया जाता है—अत्र हि इत्यादि।

'चञ्चूकोटि-' इस पद्य में विषमालङ्कार के प्रभेद का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ इष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए कारण का प्रयोग नहीं हुआ है और विषम का स्वरूप है 'इष्ट अर्थ के लिए प्रयुक्त कारण के साथ विरुद्ध अर्थ के उत्पाद्योत्पादकभाव संबन्ध की अननुरूपता'। अभिप्राय यह हुआ कि विषम के लिए कारण का प्रयुक्त होना अपेक्षित है और यहाँ कारण का प्रयोग नहीं, अपितु उसके प्रयोग की केवल इच्छा वर्णित है—अर्थात् शुक ने पिंजड़े से भाग निकलने के लिए अर्गला निराकरणरूप कारण का प्रयोग नहीं, अपितु इच्छामात्र किया है। अतः यहाँ अप्रस्तुत शुकवृत्तान्त से प्रस्तुत भग्नाशपुरुषवृत्तान्त की अभिव्यक्ति होने के कारण जो अप्रस्तुतप्रशंसा अङ्गीरूप में वर्तमान है उसके अङ्गरूप में विषादन (प्रथम भेद) की स्थिति है, विषम की नहीं। 'विषादन' का प्रथम भेद यहाँ इस लिए होता है कि शुक को 'पिंजड़े से निर्गमन' रूप इष्ट के लिए 'पिंजड़े की कील को हटाने रूप' कारण के प्रयोग की इच्छामात्र करने पर 'सर्पराज का पिंजड़े में प्रवेश' रूप विरुद्ध अर्थ प्राप्त हो गया ऐसा वर्णन है।

विषादनद्वितीयभेदमुदाहरति—

'चेलाञ्चलेनाननशीतरश्मिं संवृण्वतीनां हरिदृश्वरीणाम्।
गोपाङ्गनानां स्मरजातकम्पादकाण्डसंपातमियाय नीवी॥'

चेलाञ्चलेन वस्त्राग्रभागेन, आननशीतरश्मिम् मुखचन्द्रम्, संवृण्वतीनाम् आच्छादयन्तीनाम, हरिदृश्वरीणाम् हरिदर्शनकारिणीनाम्, गोपाङ्गनानाम् गोपीनाम्, नीवी

(अधोवस्त्रमिति भावः) स्मरजातकम्पात् कामभावनाप्रयुक्तोत्पन्नकम्पात् , अकाण्ड-संपातम् असामयिकपतनम् , इयाय प्राप्तवतीत्यर्थः ।

विषादन के द्वितीय प्रभेद का उदाहरण दिखलाया जाता है—चेलाञ्चलेन इत्यादि ।
वस्त्र के छोर से मुखचन्द्र को ढककर कृष्णचन्द्र को देखने वाली गोपियों की नीवी (अधोवस्त्र) कामभाव के कारण उत्पन्न कम्प से असमय में ही गिर गई ।

उपपादयति—

अत्रेष्टस्याननगोपनस्य विरुद्धोऽर्थो नीविस्खलनम् । कारणीभूतत्रपासंघात-परिपन्थित्वात् । तच्च सात्त्विककम्परूपात्स्वकारणादेवोत्पन्नम् , न तु गोप-नानुकूलयत्नात् । नापीष्टसाधनत्वेन प्रयुक्तात्कारणादिष्टानुत्पत्तिरत्रास्ति । चेला-ञ्चलावरणेनाननगोपनरूपस्येष्टस्योत्पत्तेः । अतो विषादनमेवात्र, न विषमम् ।

अत्रेति । 'चेलाञ्चलेन—' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः । कुतो नीविस्खलनमाननगोपनविरुद्ध-मित्यत्राह—कारणीभूतेति । आननगोपनस्य कारणीभूतो यस्त्रपासंघातस्तत्परिपन्थिनी-विस्खलनमत आननगोपनविरुद्धमिति भावः । तच्चेति । नीविस्खलनमित्यर्थः । यत्नादिति । चेलाञ्चलकरणकावरणरूपादिति भावः । नन्वेवमिष्टार्थं प्रयुक्तात्कारणात्तद्विरुद्धकार्योत्पत्ति-रूपविषमस्याभावेऽपि इष्टसाधनतया प्रयुक्तात्कारणादिष्टानुत्पत्तिरूपं विषमं स्यादिति चेत्त-त्राह - नापीष्टेति । चेलाञ्चलावरणेनेति । इष्टसाधनत्वेन प्रयुक्तकारणेनेति भावः । उपसंहर-न्नाह—अत इति । विषादनमिति । विषादनद्वितीयभेद इत्यर्थः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'चेलाञ्चलेन—' इस पद्य में 'मुख छिपाना' इष्ट है और उसका विरोधी अर्थ है 'नीवी का गिर जाना', क्योंकि वह मुख छिपाने के कारण लज्जासमूह का विरोधी है । और वह इष्टविरोधी नीवी पतन यहाँ सात्त्विक कम्परूप अपने स्वतन्त्र कारण से ही उत्पन्न हुआ है, न कि मुखगोपन रूप इष्ट की सिद्धि के लिए किए गए चेलाञ्चलावरणरूप यत्न से । फलतः यहाँ 'इष्टार्थप्रयुक्त कारण से तद्विरुद्धकार्योत्पत्ति' रूप विषम का प्रसङ्ग नहीं है । 'इष्ट साधन-रूप में प्रयुक्त कारण से इष्ट की उत्पत्ति न होना' रूप विषय भी यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि आननगोपनरूप इष्ट के साधन रूप में प्रयुक्त वस्त्रकरणक आवरण से आननगोपनरूप इष्ट की उत्पत्ति यहाँ होती ही है, अतः यहाँ द्वितीय प्रकार का विषादनालङ्कार ही है, विषम का कोई प्रकार नहीं ।

शङ्का-समाधाने समुपस्थापयति—

अत्रेदं बोध्यम्—इष्टसाधनत्वेन निश्चितादनिष्टोत्पत्तिरिति यो विषमस्य भेदः प्राक्प्रत्यपादि सोऽनेन विषादनेन ग्रस्तत्वादस्यैव प्रभेदो भवितुमीष्टे, न तु विषमस्येति कश्चिद् यदि ब्रूयात्स प्रष्टव्यः-न विषमस्येति यदुक्तं तत्कस्य हेतोः ? विषादनेनेव विषमेणापि कार्यकारणसंसर्गाननुरूपतालक्षणेन ग्रस्त-त्वात् । न चात्रैकस्यान्यापवादकत्वं युक्तम् । द्वयोरपि सावकाशत्वात् , भिन्न-विषयत्वाच्च । विरुद्धलाभांशो विषादनस्य, विरुद्धलाभेष्टार्थप्रयुक्तकारणयोः संसर्गाननुरूपतांशश्च विषमस्य विषय इत्यवाचाम । तस्मात्तत्र किंचिदंशे विष-मम् , किंचिदंशे विषादनमित्युभयोरपि समावेशो बोध्यः ।

प्रत्यपादीति । प्रतिपादित इत्यर्थः । अनेनेति । 'अभीष्टार्थविरुद्धलाभः' इत्येतल्लक्षण-केनेत्यर्थः । अस्यैव विषादनस्यैव । एकस्यान्यापवादकत्वमिति । विषादनस्य विषमोक्त-प्रभेदापवादकत्वमित्यर्थः । द्वयोरपि सावकाशत्वात्, भिन्नविषयत्वाच्चेति । चो हेतौ, यतो भिन्नविषयत्वमतो द्वयोः सावकाशत्वमिति भावः । भिन्नविषयत्वमेव दर्शयति—विरुद्धला-भांश इति । अन्यत् सुगमम् ।

एक शङ्का और उसका समाधान अब दिए जाते हैं—अत्रेदं बोध्यमित्यादि ।

'इष्ट साधन के रूप में निश्चित वस्तु से अनिष्ट वस्तु की उत्पत्ति' यह जो विषमा-लङ्कार का भेद पहले प्रतिपादित हुआ है वह 'अभीष्टार्थ विरुद्धलाभ' रूप विषादन से ग्रस्त होने के कारण इसी का (विषादन का) प्रभेद हो सकता है, विषम का नहीं, ऐसा यदि कोई कहे तो उससे पूछना चाहिए कि 'विषम का भेद नहीं' ऐसा जो तुम कह रहे हो, वह किस लिए ? जिस तरह वह भेद विषादन से ग्रस्त है उसी तरह 'कार्य कारण के संसर्ग की अननुरूपता' रूप विषम से भी ग्रस्त है, अतः उसको विषादन तथा उक्त विषम-दोनों का भेद मानना ही युक्तिसिद्ध है ।

यह तो कहा नहीं जा सकता कि एक दूसरे का अपवाद करेगा—अर्थात् विषादन से विषम बाधित हो जायगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्यों कि दोनों के विषय भिन्न-भिन्न हैं, अतः दोनों ही अपने-अपने विषय में सावकाश–चरितार्थ हैं, और एक से दूसरे का बाध तब होता है जब एक दूसरे के विना चरितार्थ नहीं रहता। दोनों के विषय भिन्न कैसे हैं ? तो सुनिए–विषादन का विषय है विरुद्ध वस्तु का लाभरूप अंश और विषम का विषय है विरुद्ध वस्तु लाभ तथा इष्ट वस्तु के लिए प्रयुक्त कारण इन दोनों के संसर्ग की अननुरूपता रूप अंश यह बात पहले कही जा चुकी है । अतः उक्त स्थल में किसी अंश में विषम और किसी अंश में विषादन–इस तरह दोनों का समावेश समझना चाहिए।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे विषादनप्रकरणम् ।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे विषादनालङ्कारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः ।

रसगङ्गाधरगत विषादनालङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां विषादनप्रकरणम् ॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथोल्लासः—

उल्लासालङ्कारो निरूपणीयतयारब्धो बोध्य इति भावः ।

उल्लासालङ्कार का निरूपण अब आरब्ध होता है ।

तावत्तल्लक्षणमाह—

अन्यदीय-गुण-दोष-प्रयुक्तमन्यस्य गुण-दोषयोराधानमुल्लासः ॥

परकीयगुणदोषप्रयुक्ता या परस्मिन् गुणदोषवत्ताबुद्धिः स उल्लासाख्योऽलङ्कार इति भावः ।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—अन्यदीय इत्यादि ।

दूसरे के गुण-दोष के कारण दूसरे में गुण-दोष का आधान उल्लासालङ्कार कह-लाता है ।

उल्लासस्य भेदानाचष्टे—

तच्च गुणेन गुणस्य दोषस्य वा। दोषेण गुणस्य दोषस्य वेति चतुर्धा।

तच्चेति। आधानञ्चेत्यर्थः। अन्यत्सुस्पष्टम्।

उल्लास के भेद किए जाते हैं—तच्च इत्यादि।

वह आधान (१) गुण से गुण का (२) गुण से दोष का (३) दोष से गुण का और (४) दोष से दोष का, इस तरह चार प्रकार का होता है।

लक्षणस्थमाधानपदं विवृणोति—

आधानं च तद्वत्तावुद्धिः।

आधानपदेनात्र गुणदोषयुक्तता ज्ञानं विवक्षितम्, न तु गुणदोषयोर्जननमिति भावः।

यहाँ आधान का अर्थ है गुणदोषयुक्तता का ज्ञान, न कि गुण दोष का उत्पत्ति।

उदाहर्तुमाह—

क्रमेणोदाहरणानि—

दीयन्त इति शेषः।

क्रमशः उदाहरण दिए जाते हैं—।

गुणेन गुणाधानमुदाहरति—

'अलभ्यं सौरभ्यं हरति सततं यः सुमनसां
क्षणादेव प्राणानपि विरह-शस्त्र-क्षत-हृदाम्।
त्वदीयानां लीला-चलित-लहरीणां व्यतिकरात्
पुनीते सोऽपि द्रागहह पवमानस्त्रिभुवनम्॥'

हे गङ्गे!, यः पवमानः, सुमनसाम् पुष्पाणाम्, अलभ्यम् लब्धुमशक्यम्, सौरभ्यम् सौरभम्, सततम् सर्वदा, हरति, अत एव, क्षणादेव, विरह-शस्त्र-क्षत-हृदाम् विरहिणाम्, प्राणानपि, हरति, सोऽपि तादृशोऽपि, पवमानः पवनः, त्वदीयानाम् त्वत्संबन्धिनीनाम्, लीलाचलितलहरीणाम् क्रीडापूर्वकं समुत्थितानां तरङ्गाणाम्, व्यतिकरात् संबन्धात्, अहह आश्चर्यम्, द्राक् शीघ्रम्, त्रिभुवनम् त्रिलोकीम्, पुनीते पवित्रयतीत्यर्थः।

गुण से गुण के आधान का उदाहरण दिखलाया जाता है—अलभ्यम् इत्यादि।

हे गङ्गे! जो अनिल पुष्पों के अलभ्य सौरभ का सदा हरण करता है—अर्थात् चोर है और विरह रूप शस्त्र से आहत हृदयवालों (विरहियों) के प्राणों का भी क्षण भर में हरण कर लेता है—अर्थात् हत्यारा है, आश्चर्य है कि वह भी तुम्हारी लीला से चलती हुई लहरियों के संसर्गमात्र से तत्काल त्रिलोकी को पवित्र करने वाला बन जाता है।

उपपादयति—

अत्र लहरीणां पावनत्वातिशयेन पवमानस्य पावनत्वगुणान्तरं वर्णितम्।

स्पष्टम्।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'अलभ्यम्—' इस पद्य में गङ्गातरङ्गगत उत्कृष्ट पवित्रतारूप गुण से होने वाले पवनगत पवित्रता गुण के ज्ञान का वर्णन हुआ है, अतः यह पद्य उक्त भेद का उदाहरण होता है।

गुणेन दोषाधानमुदाहरति—

'विशालाभ्यामाभ्यां किमिह नयनाभ्यां खलु फलं
न याभ्यामालीढा परमरमणीया तव तनुः।
अयं तु न्यक्कारो जननि मनुजस्य श्रवणयो-
र्ययोर्नान्तर्यातस्तव लहरिलीलाकलकलः ॥'

भक्तो गङ्गां स्तुवन्नाह—हे जननि मातः!, याभ्याम् नयनाभ्याम्, परमरमणीया अतिमनोहरा, तव, तनुः स्वरूपम् उत्तालतरङ्गाधारेति यावत्, न, आलीढा आस्वादिता दृष्टेति यावत्, विशालाभ्यामपि दीर्घाभ्यामपि आभ्याम् ताभ्याम्, नयनाभ्यां इह संसारे, खलु निश्चयेन किं फलम्? न किमपीत्यर्थः, गङ्गाप्रवाहावलोकनसौभाग्यविहीने नयने निष्फल इति भावः, एवम्, ययोः कर्णयोः, अन्तः मध्ये, तव, लहरिलीलाकलकलः तरङ्गक्रीडा-निनादः, न, यातः गतः, मनुजस्य, मनुष्यस्य, तयोः, श्रवणयोः; अयं न्यक्कारः धिक्कार एवेत्यर्थः।

गुण से दोष के आधान का उदाहरण दिखलाया जाता है—विशालाभ्यवामित्यादि।

भक्त गङ्गा की स्तुति करता हुआ कहता है—कि हे मातः! इस संसार में उन बड़े-बड़े नेत्रों का क्या फल है, जिनने परम मनोहर आपके स्वरूप का आस्वादन नहीं किया—सुन्दरतम आपकी बहती धारा को नहीं देखा, और मनुष्य के उन कानों के लिये यह धिक्कार ही है कि जिनके अन्दर आपकी लहरियों की लीला का कलकल निनाद नहीं पहुंचा।

उपपादयति—

अत्र श्रीभागीरथीरमणीयत्वगुणेन तद्रूपशब्दविमुखयोर्नयनयोः श्रवणयोश्च नैष्फल्यधिक्काररूपौ दोषौ।

तद्रूपशब्दविमुखयोरिति। तस्या भागीरथ्या रूपात् शब्दाच्च विमुखयोरुदासीनयो-रित्यर्थः। तत्र रूपविमुखयोर्नयनयोः शब्दविमुखयोः श्रवणयोश्चेति विवक्षितोऽर्थः। नैष्फल्यधिक्काररूपाविति, नयनयोर्नैष्फल्यम् श्रवणयोश्च धिक्कार इत्यन्वयः। दोषाविति, वर्णिताविति शेषः। तथा च गुणेन दोषाधानस्योदाहरणमिदं भवतीति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'विशालाभ्याम्–' इस पद्य में गङ्गा के 'रमणीयता' रूप गुण से गङ्गा के रूप से विमुख नेत्रों में 'निष्फलतारूप दोष और गङ्गा के शब्द के विमुख कानों में धिक्कार' 'रूप दोष वर्णित हुए हैं, अतः यह पद्य 'गुण से दोष के आधान' का उदाहरण होता है।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्—।

अथवा जैसे—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'हिंसाप्रधानैः खलु यातुधानैर्योऽनीयताऽपावनतां सदैव।
रामांघ्रियोगादथ सापि वन्या विन्ध्यस्य धन्यास्त मुनेः सतीव ॥'

हिंसाप्रधानैः हिंसायामेव मुख्यतः प्रवृत्तैः, यातुधानैः राक्षसैः, या विन्ध्यस्य वन्या, सदैव, खलु निश्चयेन, अपावनताम् अपवित्रताम्, अनीयत प्रापिता, अथ कालान्तरे साऽपि अपवित्रापि, विन्ध्यस्य विन्ध्यपर्वतस्य, वन्या वनसमूहः, रामांघ्रियोगात् रामचरण-संयोगात् , मुनेः गौतमस्य सती अहल्या, इव, धन्या, आस्त अभूदित्यर्थः ।

उदाहरण दिया जाता है—हिंसा इत्यादि ।

हिंसा में ही प्रमुख प्रवृत्ति वाले राक्षसों के द्वारा जो निश्चित रूप से सदा ही अपवित्र किया गया, वह विन्ध्य पर्वत का वन-समूह रामचन्द्र के चरणों के संयोग से मुनि की सती (अहल्या) के समान धन्य हो गया ।

उपपादयति—

अत्र दोषेण दोषः पूर्वार्धे, द्वितीयार्धे तु गुणेन गुण इति विशेषः ।

'हिंसाप्रधानैः-' इत्यस्मिन्पद्ये यातुधानगतहिंसाप्राधान्यरूपदोषेण विन्ध्यवनसमूह-स्यापवित्रतारूपो दोषो वर्णितः पूर्वार्धे, उत्तरार्धे तु रामचरणगतपवित्रतातिशयगुणेन तस्यैव धन्यत्वरूपो गुणो वर्णित इति गुणदोषयोराधानस्य सम्मिलितमिदं पद्यमुदाहरण-मिति पूर्वस्मादुदाहरणद्वयाद्विशेष इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'हिंसा–' इस पद्य में पूर्वार्ध में 'दोष से दोष का आधान' और उत्तरार्ध में 'गुण से गुण का आधान' वर्णित है—यह विलक्षणता है ।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्–'

अथवा, जैसे–'

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'भूषितानि हरेर्भक्तैर्दूषितानि पराङ्मुखैः ।
स्वकुलं नगरं देशो द्वीपं सर्वा च मेदिनी ॥'

स्वकुलम् निजवंशः, नगरम् स्ववासस्थानभूतः स्थानविशेषः, देशः, द्वीपम् , सर्वा, मेदिनी पृथिवी, च, हरेः भगवतः भक्तैः, भूषितानि, हरेः (अत्र पञ्चम्यन्तं पदमिदं बोध्यम्) पराङ्मुखैः विमुखैः, जनैरिति शेषः, दूषितानि, सन्तीति शेषः । अत्र 'भूषितानि' 'दूषितानि' इत्युभयोः 'नपुंसकमनपुंसकेः–' इत्येकशेषो द्रष्टव्यः ।

उदाहरण उपस्थित किया जाता है—भूषितानि इत्यादि ।

अपना कुल, नगर, देश, द्वीप और सम्पूर्ण पृथिवी हरिभक्तों से भूषित हैं और हरिविमुखों से दूषित हैं ।

उपपादयति—

अत्रोत्तरोत्तरव्यापकतया तथेति विशेषः ।

तथेति । गुणदोषाभ्यां गुणदोषाधानमित्यर्थः । 'भूषितानि–' इत्यस्मिन्पद्ये हरिभक्त-गतगुणविशेषेण स्वकुलादिगतभूषितत्वगुणस्य, हरिविमुखगतदोषविशेषेण स्वकुलादिगतदूषि-तत्वदोषस्य च वर्णनमस्तीत्युल्लासः । तत्र कुलान्नगरं नगराद्देश इत्येवमुत्तरोत्तरव्यापकतया गुणदोषाभ्यां गुणदोषयोराधानमिति । पूर्वोक्तोदाहरणेभ्यो विशेष इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'भूषितानि–' इस पद्य में भी हरिभक्तगत गुण से स्वकुल आदिका भूषित होना गुण, और हरिविमुखगत दोष से स्वकुल आदि का दूषित होना दोष वर्णित है, किन्तु आधीयमानगुण दोषों के अधिकरण कुल, नगर, देश आदि उत्तरोत्तर व्यापक हैं यह पूर्वोक्त उदाहरणों से विशेष है।

दोषेण गुणाधानमुदाहरति—

श्वपाकानां व्रातैरमित-विचिकित्सा-विचलितै—
र्विमुक्तानामेकं किल सदनमेनः-परिषदाम्।
मुदा मामुद्धर्तुं जननि घटयन्त्याः परिकरं
तव श्लाघां कर्तुं कथमिव समर्थो नरपशुः॥'

भक्तो भागीरथीं स्तुवन्नाह—हे जननि मातः, अमिताभिः बह्वीभिः, विचिकित्साभिः संशयैः, विचलितैः विमुखैः, श्वपाकानां व्रातैः चाण्डालसमूहैः, विमुक्तानाम् परित्यक्तानाम्, एनःपरिषदाम् पापपुञ्जानाम्, किल निश्चयेन, एकम् अद्वितीयम्, सदनम् गृहम् आश्रयमिति यावत्, माम्, मुदा हर्षेण, उद्धर्तुम् पापपुञ्जान्मोचयितुम् परिकरम् कटिबन्धम्, घटयन्त्याः, रचयन्त्याः तव, श्लाघाम् प्रशंसाम् स्तुतिमिति यावत्, कर्तुम्, नरपशुः अज्ञानी मनुजः, कथमिव केन प्रकारेण, समर्थः, भवितुमर्हतीति शेषः, न कथमपीति भावः।

दोष से गुण के आधान का उदाहरण दिया जाता है—श्वपाकानाम् इत्यादि।

भक्त गङ्गा की स्तुति करता हुआ कहता है कि–हे मातः! जिन्हें अपरिमितसंशयों से विचलित होकर चाण्डालों के समूहों ने भी छोड़ रक्खा है ऐसे पापपुञ्जों के एकमात्र स्थान मेरा उद्धार करने के लिए आनन्द से कमर कसने वाली आप की स्तुति करने के लिए, नरपशु (अज्ञानी मनुष्य) कैसे समर्थ हो सकता है?

उपपादयति—

अत्र वक्तृगतपापरूपदोषप्रयुक्तस्तदुद्धर्त्र्याः श्रीगङ्गायाः श्लाघ्यत्वं गुणः।

गुण इति वर्णित इति शेषः। 'श्वपाकानाम्—' इत्यस्मिन्पद्ये वक्तुः पापरूपेण दोषेण पापिजनोद्धारकारिण्या गङ्गायाः श्लाघ्यत्वरूपो गुणो वर्णित इति भवतीदं पद्यं यथोक्तभेदोदाहरणमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'श्वपाकानाम्—' इस पद्य में वक्ता में रहने वाले पाप रूप दोष के कारण उसका उद्धार करने वाली गङ्गा की श्लाघ्यतारूप गुण का वर्णन है, अतः यह पद्य 'दोष से गुणाधान' का उदाहरण होता है।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्,

अथवा, जैसे—'

उदाहरणन्निर्दिशति—

'श्ववृत्तिव्यासङ्गो नियतमथ मिथ्याप्रलपनं
कुतर्केष्वभ्यासः सतत-पर-पैशुन्य-मननम्।
अपि श्रावं श्रावं मम तु पुनरेवंविधगुणा-
नृते त्वत्को नाम क्षणमपि निरीक्षेत वदनम् ॥'

इदमपि भक्तस्य भगवतीं भागीरथीं प्रति वचनम्-नियतम् नियतरूपेण, श्ववृत्तिव्यासङ्गः श्ववृत्तौ परसेवायां व्यासङ्गः संलग्नता, अथ अनन्तरम्, मिथ्याप्रलपनम् मिथ्याभाषणम्, कुतर्केषु कुत्सिततर्ककरणे, अभ्यासः पौनःपुन्येन प्रवृत्तिः, सततम् परपैशुन्यस्य मननम् चिन्तनम्, मम, एवंविधगुणान् पूर्वोक्तदोषान् विपरीतलक्षणयैवमर्थः, पुनः बारम् बारम्, श्रावं श्रावमपि श्रुत्वापि· त्वदृते त्वामपहाय, त्वदन्य इति भावः, कः, क्षणमपि, वदनम् मन्मुखम्, निरीक्षेत पश्येत्, नाम, न कोऽपीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—श्ववृत्ति इति।

नियमित रूप से श्ववृत्ति (परसेवा = नौकरी) में लगे रहना, झूठी बकवाद, कुतर्कों का अभ्यास और निरन्तर दूसरों की चुगलखोरी के विचार करते रहना, ऐसे मेरे गुणों (दोषों) को सुन कर भी तुम्हारे सिवाय कौन ऐसा है, जो क्षण भर भी मुँह देखे।

उपपादयति—

इहापि प्राग्वदेव। किंतु व्यङ्ग्यः स इति विशेषः।

'श्ववृत्ति-' इत्यस्मिन्पद्येऽपि पूर्वोदाहरण इव वक्तृगतदोषप्रयुक्तस्तदुद्धर्त्र्यां गङ्गायाः श्लाघ्यत्वगुण आधीयते। एतावांस्तु विशेषो यत्पूर्वत्र 'श्लाघां कर्तुं कथं समर्थः' इत्युक्त्या श्लाघ्यत्वं वाच्यम्, अत्र तु 'त्वदृते मुखं को निरीक्षेत' इत्युक्त्या तद्व्यङ्ग्यमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—इहापि इत्यादि।

'श्ववृत्तिव्यासङ्गः-' इस पद्य में यद्यपि पूर्वोदाहरण के समान वक्ता में रहने वाले दोष (श्ववृत्तिव्यासङ्ग आदि) के कारण उसके उद्धार करने वाली की श्लाघ्यता (गुण) का आधान हुआ है तथापि अन्तर यह है कि पूर्व उदाहरण में वह (श्लाघ्यताधान) 'श्लाघां कर्तुं कः समर्थः' इस वाक्यांश से वाच्य होता था और इस उदाहरण में वह वाच्य नहीं, अपितु 'त्वदृते वदनं को निरीक्षेत' इस वाक्यांश से व्यङ्ग्य होता है।

मतान्तरमाह—

'काव्यलिङ्गेन गतार्थोऽयम्, नालङ्कारान्तरत्वभूमिमारोहति' इत्येके। 'लौकिकार्थमयत्वादनलङ्कार एव' इत्यपरे।

उक्तेषु उदाहरणेषु वाक्यार्थयोर्हेतुहेतुमद्भावस्य सत्त्वात्काव्यलिङ्गालङ्कारः प्रसक्त इति तत्रैव गतार्थत्वान्नोल्लासः कश्चिदलङ्कार इति बहवः कथयन्ति। गुणदोषाभ्यां गुणदोषयोराधानं लौकिकार्थमात्रम्, न तत्र कविकल्पनायाः स्थितिरिति नोल्लासाऽलङ्कारो भवितुमर्हतीति परेषां मतमिति भावः।

मतान्तरों का उल्लेख किया जाता है—'काव्यलिङ्गेन·इत्यादि।

'काव्यलिङ्ग से ही गतार्थ होने के कारण यह उल्लास कोई अन्य अलङ्कार नहीं हो सकता' यह कतिपय आचार्यों का मत है। दूसरे लोगों का यह भी मत है कि 'दूसरों के

गुण-दोषों के कारण दूसरों में गुण-दोष की प्रतीति' यह लौकिक अर्थ है, इसमें कवि कल्पना का कोई अवसर नहीं आता, अतः यह अलङ्कार हो ही नहीं सकता है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधर उल्लासप्रकरणम् ॥

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे उल्लासालङ्कारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत उल्लासालङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामुल्लासप्रकरणम् ॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथावज्ञा—

अवज्ञालङ्कारो निरूप्यतयाऽऽरब्धो बोध्य इति भावः।

अवज्ञा अलङ्कार का निरूपण अब आरब्ध होता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

तद्विपर्ययोऽवज्ञा ॥

अग्रे स्फुटीभविष्यति।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—तद्विपर्यय इत्यादि।

उसके विपर्यय को अवज्ञा कहते हैं।

लक्षणं व्याचष्टे—

तस्योल्लासस्य विपर्ययोऽभावः। अन्यस्यान्यदीयगुणदोषप्रयुक्तगुणदोषाऽऽधानाभाव इति पर्यवसितोऽर्थः।

स्फुटमेव।

लक्षण की व्याख्या की जाती है—तस्य इत्यादि।

लक्षणगत 'तत्' पद का अर्थ है 'उल्लास' और 'विपर्यय' का अर्थ है 'अभाव'। इस तरह से 'तद्विपर्ययोऽवज्ञा' का अर्थ होता है 'उल्लास का अभाव अवज्ञा है'। इसका भी पर्यवसित अर्थ यह होता है कि—दूसरे के गुण-दोष प्रयुक्त दूसरे में गुण-दोष के आधान का अभाव। तात्पर्य यह हुआ कि एक में रहने वाले गुण-दोषों से उसके संपर्की का प्रभावित न होना अवज्ञालङ्कार कहलाता है।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्।

जैसे—।

उदाहरणमुल्लिखति—

'निष्णातोऽपि च वेदान्ते वैराग्यं नैति दुर्जनः।
चिरं जलनिधौ मग्नो मैनाक इव मार्दवम् ॥'

चिरं चिरकालपर्यन्तम्, जलनिधौ समुद्रे, मग्नो ब्रुडितो, मैनाकः तन्नामकपर्वतविशेषः, मार्दवम् कोमलताम्, यथा, न प्राप्नोति, तथैव वेदान्ते वेदान्तदर्शने, निष्णातोऽपि निपुणोऽपि, दुर्जनः, वैराग्यम्, न एति न प्राप्नोतीत्यर्थः।

उदाहरण का उल्लेख किया जाता है—निष्णातोऽपि इत्यादि।

वेदान्त दर्शन में निपुण होकर भी दुर्जन उसी तरह वैराग्य को नहीं पाता जिस तरह मैनाक पर्वत चिरकाल तक समुद्र में मग्न रह कर भी कोमलता को नहीं प्राप्त कर सका।

उपपादयति—

अत्र पूर्वार्धे प्रपञ्चानित्यत्वबोधकतारूपवेदान्तशास्त्रगुणप्रयुक्तस्य खले वैराग्यरूपगुणाधानस्य, उत्तरार्धे द्रवत्वरूपजलनिधिगुणप्रयुक्तस्य मैनाके मार्दवरूपगुणाधानस्य च विपर्ययो वर्णितः।

अयं भावः-'निष्णातोऽपि-' इत्यस्मिन् पद्ये द्वाववज्ञालङ्कारौ वर्तेते। तत्रैकः पूर्वार्धे द्वितीयश्चोत्तरार्धे। संसारानित्यत्वबोधकतारूपो यो वेदान्तशास्त्रगतो गुणः तत्प्रयुक्तखलाधिकरणकवैराग्यगुणाधानाभावः पूर्वार्धगतावज्ञास्वरूपम्, द्रवत्वरूपो यः समुद्रगुणस्तत्प्रयुक्तमैनाकाधिकरणककोमलत्वगुणाधानाभावश्चोत्तरार्धगतावज्ञाशरीरमिति।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'निष्णातोऽपि-' इस पद्य के पूर्वार्ध में 'सांसारिक प्रपञ्चों की अनित्यता का बोध कराना' जो वेदान्त शास्त्र का गुण है उसके कारण दुर्जन में वैराग्यरूप गुण के आधान का अभाव वर्णित है और उत्तरार्ध में 'द्रवत्व' रूप समुद्रगत गुण के कारण मैनाक में मृदुता रूप गुण के आधान का अभाव वर्णित है। फलतः इस पद्य में दो अवज्ञालङ्कार हैं।

उदाहरणान्तरमुपस्थापयति—

'मध्येगलं विहरतां गरलं निकामं-
नागाधिपः शिरसि, भालतले हुताशः।
ध्याता भवज्ज्वलनमध्यगतैस्तथापि
तापं तदैव हरते हर ते तनुश्रीः॥'

हे हर शिव, मध्येगलम् भवद्गलमध्ये, गरलम् विषम्, शिरसि भवन्मस्तके, नागाधिपः सर्पराजः, भालतले भवद्भालदेशे, हुताशः अग्निः, निकामम् यथेच्छम्, विहरताम् विहारं करोतु, तथापि, भवज्ज्वलनमध्यगतैः संसाराग्निमध्यपतितैः, ध्याता चिन्तिता, ते तव, तनुश्रीः शरीरलक्ष्मीः, तदैव ध्यानक्षण एव, तापम् भवज्वालाम्, हरते विनाशयतीत्यर्थः।

दूसरा उदाहरण दिखलाया जाता है—मध्येगलमित्यादि।

हे हर! आप के गले के बीच गरल, शिर पर सर्पराज और भालतल पर अनल भले ही विहार करे तथापि भवाग्निमध्य पतित जनों द्वारा ध्यान में लाई गई आप की तनुकान्ति तत्काल ताप का हरण करती है।

उपपादयति—

अत्र तापकतारूपगरलादिदोषप्रयुक्तस्य भगवन्मूर्तौ क्रूरत्वादिदोषाधानस्याभावः।

अत्रेति। 'मध्येगलम्-' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः। गरलादीति। नागाधिपहुताशा वत्रादिपदग्राह्यौ। क्रूरत्वादीति। तीक्ष्णत्वादिकमादिपदग्राह्यम्। अभाव इति। वर्णित इति शेषः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'मध्येगलम्—' इस पद्य में गरल, सर्पराज और अग्नि के दोष-'तापकता' के कारण भगवान् शिव की मूर्ति में क्रूरता, तीक्ष्णता आदि दोषों के आधान का अभाव वर्णित हुआ है, अतः यह पद्य अवज्ञालङ्कार का उदाहरण होता है।

अतद्गुणालङ्कारादवज्ञालङ्कारे भेदं दर्शयितुं शङ्कासमाधान आह—

नचात्रातद्गुणो वक्ष्यमाणोऽलङ्कार इति वाच्यम्। यतो यमुनाजलस्थ-राजहंसादेर्यथा यमुनाजलगतश्यामत्वाग्रहणं न तथा भगवन्मूर्तेर्गरलादिगतक्रूर-त्वाग्रहणं विवक्षितम्। अपि तु तादृशक्रूरत्वप्रयुक्तस्य क्रूरत्वान्तरस्यानाविष्करण-मित्यस्ति विशेषः। 'निष्णातोऽपि-' इत्यादौ तु अतद्गुणस्याप्रसक्तिरेव।

अत्रेति। 'मध्येगलम्-' इत्यत्रेत्यर्थः। श्यामत्वाग्रहणमिति। विवक्षितमिति भावः। किंतर्हि विवक्षितमिति चेत्तत्राह—अपि त्विति। तादृशेति। तापकत्वात्मकेत्यर्थः। क्रूर-त्वान्तरस्येति। दयामूलकद्रवीभावाभावस्वरूपक्रूरत्वस्येति भावः। 'मध्येगलम्-' इत्यत्रा-तद्गुणालङ्कारो न स्वीकर्तुं योग्यः, यतः-एकेनापरगतगुणस्याग्रहणं तत्स्वरूपम्, यथा 'गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुनं, कज्जलाभमुभयत्र मज्जतः। राजहंस तव सैव शुभ्रता चीयते न च नचापचीयते॥' इत्यादौ तदुदाहरणे यमुनाजलमध्यवासिना राजहंसेन यमुनाजल-गतश्यामत्वस्याग्रहणम् वर्ण्यते। 'अत्र तु 'भगवन्मूर्तिर्गरलादिगतक्रूरत्वं न गृह्णाति' इत्यर्थो न विवक्षितः, किन्तु 'गरलादिगतेन तापकत्वात्मकेन क्रूरत्वेन गरलादिसंपृक्तायामपि भगवन्मूर्तौ क्रूरत्वान्तरं न नाविष्क्रियते' इत्येषोऽर्थो विव-क्षितः। तथा चात्रातद्गुणस्वरूपाभाव इति भावः। तुष्यद्दुर्जनन्यायेन यद्यत्रातद्गुणः स्वीक्रियेतापि, तथापि नावज्ञाया अतद्गुणोऽन्तर्भाव उदाहरणान्तरे तदप्रसक्तेरित्याह— 'निष्णातोऽपि-' इति। अप्रसक्तिरेवेति। 'स्वगुणत्यागाभावपूर्वकपरगुणाग्रहणम्' अतद्-गुणस्वरूपम्। तत्र प्रतियोगिप्रसिद्ध्यर्थम् 'स्वगुणत्याग—परगुणग्रहणयोः संभावना सम-पेक्षिता। अत्र तु प्रपञ्चानित्यत्वबोधकतायाः शास्त्रगतगुणरूपाया न मनुष्येण ग्रहणस्य संभावना, न चात्र दुर्जनगतस्य कस्यचिद्गुणस्य तत्त्यागस्य तदभावस्य वा प्रतीतिरिति तदप्रसक्तिर्बोध्या।

अतद्गुणालङ्कार से अवज्ञालङ्कार में भेद बतलाने के लिए शङ्का समाधान किए जाते हैं—न चात्र इत्यादि।

'मध्येगलम्-' इस पद्य में वक्ष्यमाण अतद्गुण अलङ्कार है—ऐसी आशङ्का उचित नहीं, क्योंकि अतद्गुण के उदाहरण 'गाङ्गमम्बु—(संपूर्ण पद्य संस्कृत व्याख्या में द्रष्टव्य) —अर्थात् गङ्गा का जल धवल है, और यमुना का जल जामुन सा काला। हे राजहंस! तुम दोनों में अवगाहन करते हो, पर तेरी शुभ्रता ज्यों की त्यों बनी रहती है, न वह बढ़ती है न घटती है' इत्यादिक में जिस तरह राजहंस द्वारा यमुनाजलगत श्यामता का अग्रहण विवक्षित है उस तरह यहाँ भगवान् शिव के द्वारा गरलादिगत क्रूरता का अग्रहण विवक्षित नहीं है—अर्थात् यहाँ यह कहना अभीष्ट नहीं है कि भगवन्मूर्ति गरल आदि की क्रूरता का ग्रहण नहीं करती, अपि तु यह कहना यहाँ अभीष्ट है कि गरलादिगत ताप-कता रूप क्रूरता के कारण गरलादि से निकट संपर्क रखनेवाली भगवन्मूर्ति में एक दूसरे प्रकार की क्रूरता (दया से द्रुत न होने) का आविष्कार नहीं होता, फलतः अतद्गुण के उदाहरण से इस उदाहरण में अन्तर है अतः यहाँ उसका प्रसङ्ग नहीं होता।

यदि किसी तरह यहाँ अतद्गुण का प्रसङ्ग मान भी लिया जाय तथापि अतद्गुण में इसकी (अवज्ञा की) गतार्थता कथमपि संभव नहीं, क्योंकि 'निष्णातोऽपि–' इस प्रथम अवज्ञोदाहरण में अतद्गुण की प्रसक्ति नहीं हो सकती है । कारण, 'स्वगुण त्यागाभाव के साथ परकीय गुण का अग्रहण' यह जो अतद्गुण का स्वरूप है उसके संघटन के लिए परकीय गुण के ग्रहण की संभावना तो होनी ही चाहिए, पर यहाँ 'प्रपञ्चानित्यत्व-बोधकता' रूप शास्त्रगतगुण के ग्रहण की संभावना किसी मनुष्य में नहीं की जा सकती है और यहाँ दुर्जनगत किसी गुण के त्याग का अभाव भी प्रतीत नहीं होता है ।

उदाहरणान्तरं समुपस्थापयति—

'मद्वाणि मा कुरु विषादमनादरेण
मात्सर्य-मन्द-मनसां सहसा खलानाम् ।
काव्यारविन्द-मकरन्द-मधुव्रताना-
मास्येषु यास्यसि सतां विपुलं विलासम् ॥'

हे मद्वाणि !, मात्सर्यमन्दमनसाम् परगुणदोषाविष्करणसंकुचितचेतसाम्, खलानाम्, दुर्जनानाम्, सहसा हठात् अविचारयित्वेति यावत्, अनादरेण अपमानेन, विषादम् खेदम् मा कुरु न विधेहि; त्वम्, काव्यारविन्दमकरन्दमधुव्रतानाम् काव्य-कमल मधु-कराणाम्, सताम् सज्जनानाम्, आस्येषु मुखेषु, विपुलम् समधिकम्, विलासम् शोभा-विशेषम्, यास्यसि प्राप्स्यसीत्यर्थः ।

दूसरा उदाहरण दिखलाया जाता है—मद्वाणि इत्यादि ।

हे मेरी वाणी ! मत्सरता से संकुचित मन वाले खलों के अविचारित अनादर से खेद मत कर, तूँ काव्य-कमल के मधु के मधुधर सत्पुरुषों के मुखों में विलास का लाभ करोगी ।

उपपादयति—

अत्र पूर्वार्धेऽनादररूपखलदोषप्रयुक्तस्य कविवाण्यां विषादरूपदोषस्य निषिध्यमानत्वादप्रतिष्ठानेनाभावः शाब्दः वाणीगतरमणीयतारूपगुणप्रयुक्तस्य खले संतोषरूपगुणाधानस्याभावः पुनरार्थ इत्युभयविधाऽप्यवज्ञा । उत्तरार्धे तु सहृदयगुणेन सरसतारूपेण वाण्या उल्लासरूपगुणाधानमित्युल्लास एव ।

'मद्वाणि–' इत्येतस्मिन्पद्ये पूर्वार्ध एव शाब्दी आर्थी चेत्युभयविधाऽऽवज्ञा विद्यते तत्रानादररूपखलदोषप्रयुक्त-कविवाण्यधिकरणक-विषादरूपदोषाधानाभावात्मिकाऽऽवज्ञा शाब्दी, विषादस्य निषिध्यमानतया प्रतिष्ठानविरहात्, वाणीगतरमणीयतारूपगुणप्रयुक्त-खलाधिकरणक-सन्तोषरूपगुणाधानाभावात्मिका चावज्ञाऽऽर्थी, एतस्या अवज्ञायाः शब्दादप्रतीतत्वात् । अस्य पद्यस्योत्तरार्धे तूल्लासालङ्कार एवास्ति, सरसतारूपसहृदयगुणेन वाण्यामुल्लासरूपगुणस्याधानादिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'मद्वाणि–' इस पद्य के पूर्वार्ध में शाब्दी तथा आर्थी-दोनों तरह की अवज्ञा है। अनादर रूप खलगत दोष के कारण कविवाणी में विषाद रूप दोष के आधान का अभाव, जो 'विषाद मत कर' इस शब्द के द्वारा वर्णित है, शाब्दी अवज्ञा है और वाणीगत रमणीयता रूप गुण के कारण खल में सन्तोष रूप गुण के आधान का अभाव है

आर्थी अवज्ञा, क्योंकि उस तरह का अभाव यहाँ शब्दतः वर्णित नहीं है, अपितु अर्थतः प्रतीत होता है।

इस पद्य के उत्तरार्ध में तो उल्लास अलङ्कार ही है, क्योंकि सहृदयगत सरसता रूप गुण के कारण वाणी में उल्लास रूप गुण का आधान वहाँ वर्णित है।

मतान्तरमाह—

विशेषोक्त्यैव गतार्थत्वादवज्ञा नालङ्कारान्तरमित्यपि वदन्ति।

अवज्ञाया यान्युदाहरणान्युक्तानि वक्ष्यन्ते वा तेषु सर्वेषु 'कारणसत्त्वेऽपि कार्याभाव' रूपा विशेषोक्तिः प्राप्तैवेति विशेषोक्त्यैव गतार्थाऽवज्ञा अलङ्कारान्तरतामासादयितुं नार्हतीति भावः।

मतान्तर दिखलाया जाता है—विशेषोक्त्यैव इत्यादि।

विशेषोक्ति अलङ्कार से ही गतार्थ होने के कारण अवज्ञा कोई पृथक् अलङ्कार नहीं है ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं।

अभिप्राय यह कि अवज्ञा के सभी उदाहरणों में 'कारण के रहने पर भी कार्य का न होना' यह विशेषोक्ति का लक्षण संघटित होता है, अतः उन उदाहरणों में विशेषोक्ति अलङ्कार ही मान लिया जाय, अतिरिक्त अवज्ञानामक अलङ्कार मानने की आवश्यकता नहीं ऐसा कुछ विद्वानों का मत है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरेऽवज्ञाप्रकरणम्॥

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धेऽवज्ञाप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत अवज्ञा अलङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामवज्ञाप्रकरणम्॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणप्रारम्भं प्रतिजानीते—

अथानुज्ञा—

अनुज्ञालङ्कारो निरूप्यत्वेनारब्धो बोध्य इति भावः।

अनुज्ञालङ्कार का निरूपण अब आरब्ध होता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

उत्कटगुणविशेषलालसया दोषत्वेन प्रसिद्धस्यापि वस्तुनः प्रार्थनमनुज्ञा।

कस्यचिद् गुणविशेषस्य उत्कटेच्छया दोषरूपेण प्रसिद्धस्य वस्तुन इच्छा अनुज्ञालङ्कार इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—उत्कट इत्यादि।

किसी गुण विशेष की उत्कट इच्छा से की जाने वाली दोष रूप में प्रसिद्ध वस्तु की इच्छा अनुज्ञा (अलङ्कार) कहलाती है।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्—।

जैसे—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'प्रणिपत्य विधे भवन्तमद्धा विनिबद्धाञ्जलिरेकमेव याचे।
जनुरस्य कुले कृषीबलानामपि गोविन्दपदारविन्दभाजाम् ॥'

भक्तो भगवन्तं प्रार्थयते—हे विधे! विधातः!, विनिबद्धाञ्जलिः संपुटितकरयुगलः, अहम्, भवन्तम्, प्रणिपत्य प्रणम्य, अद्धा निश्चयेन, सत्यमिति यावत्, एकमेव, वस्त्विति शेषः, याचे, किमिति चेत्तत्राह—गोविन्दपदारविन्दभाजाम् भगवच्चरणकमलसेविनाम्, कृषीबलानामपि कृषकाणामपि, कुले, जनुः जन्म, अस्तु भवत्वित्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—प्रणिपत्य इत्यादि।

हे विधातः! आप से हाथ जोड़ कर प्रणाम करने के बाद एक ही यथार्थ प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जन्म कृषकों के कुल में भले ही हो पर ऐसे कृषकों के जो भगवच्च-रणकमलों के सेवक हों।

उपपादयति—

अत्र हरिभक्तिलालसया कृषीबलकुलजन्मनः प्रार्थनम्।

'प्रणिपत्य—' इत्यस्मिन्पद्ये 'यत्कृषीवलकुलजन्म दोषत्वेन प्रसिद्धम् तस्यापि प्रार्थना हरिभक्तिलाभेच्छया भक्तेन कृतेति वर्णितमस्तीति भवतीदं पद्यमनुज्ञालङ्कारोदाहरणमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'प्रणिपत्य—' इस पद्य में भगवान् की भक्ति की लालसा से उस कृषककुलजन्म की भी प्रार्थना की गई है जो दोष रूप में प्रसिद्ध है, अतः यह पद्य अनुज्ञा अलङ्कार का उदाहरण होता है,

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरेऽनुज्ञाप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धेऽनुज्ञाप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत अनुज्ञालङ्कारका प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामनुज्ञाप्रकरणम् ॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथ तिरस्कारः—

तिरस्काराख्योऽलङ्कारो निरूप्यतयाऽऽरब्धो बोध्य इति भावः।

अब तिरस्कार अलङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है—।

तावत्तल्लक्षणमाह—

एवम्—

दोषविशेषानुबन्धाद् गुणत्वेन प्रसिद्धस्यापि द्वेषस्तिरस्कारः॥

एवमिति। अनुज्ञोक्तपद्धत्येत्यर्थः। दोष...इति। गुणरूपेण प्रसिद्धस्यापि वस्तुनो दोषविशेषसंबन्धात्कारणात् क्रियमाणो द्वेषस्तिरस्काराख्यालङ्कार इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—एवम् इत्यादि।

इसी प्रकार—अर्थात् अनुज्ञा में अपनाई गई रीति से किसी दोष के संबन्ध से गुण रूप में प्रसिद्ध वस्तु का भी द्वेष 'तिरस्कार' अलङ्कार कहलाता है।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्,

जैसे—

उदाहरणमुल्लिखति—

'श्रियो मे मा सन्तु क्षणमपि च माद्यद्गजघटा-
मदभ्राम्यद्भृङ्गावलिमधुरसंगीतसुभगाः ।
निमग्नानां यासु द्रविणरसपर्याकुलहृदां-
सपर्या-सौकर्यं हरिचरणयोरस्तमयते ॥'

माद्यन्त्याः गजघटाया मदाय भ्रामन्त्या भृङ्गावल्या मधुरेण संगीतेन सुभगाः, मत्तगज-समूहमदलोलुपमधुपमधुरगुञ्जनरमणीया इति यावत्, श्रियः सम्पत्तयः, मे मम, मा सन्तु न भवन्तु। कुत इति चेत्तत्राह—यासु सम्पत्तिषु, निमग्नानाम् अनन्यभावेनासक्तानामिति भावः, द्रविणरसपर्याकुलहृदाम् धनमदव्याकुलमनसाम् जनानामिति शेषः, कृते इति भावः, हरिचरणयोः भगवत्पादयोः, सपर्यासौकर्यम् सेवासौविध्यम्, अस्तमयते समाप्तं भवतीत्यर्थः।

उदाहरण दिया जाता है—श्रियो से इत्यादि।

मदमत्त गजसमूह के मद के लिए घूमती हुई भ्रमरपङ्क्ति के मधुर संगीत से सुन्दर वे सम्पत्तियाँ मुझे न हों, जिनमें डूबे हुए तथा धन रस से व्याकुल मनवाले लोगों के लिए भगवान के चरणों की सेवा का सौविध्य समाप्त हो जाता है।

उपपादयति—

अत्र हरिचरणभजनच्युतिभयाद्राज्यसुखस्य तिरस्कारः।

'श्रियो मे-' इत्यस्मिन्पद्ये भगवच्चरणसेवनच्युतिभयहेतुको गुणत्वेन प्रसिद्धस्यापि राज्यसुखस्य द्वेषो वर्णित इति तिरस्कारालङ्कारो भवतीति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'श्रियो मे—' इस पद्य में भगवच्चरण की सेवा छूटने के भय से राज्य सुख का द्वेष वर्णित है, अतः तिरस्कार अलङ्कार का उदाहरण यह पद्य होता है।

प्रसङ्गात्कुवलयानन्दग्रन्थमालोचयति—

अमुं च तिरस्कारमलक्षयित्वाऽनुज्ञां लक्षयतः कुवलयानन्दकृतो विस्मरणमेव शरणम्। अन्यथा 'भवद्भवनदेहली-' इति तदुदाहृतपद्ये 'किमित्यमरसंपदाम्' इत्यंशे तिरस्कारस्य स्फुरणानापत्तेः।

'भवद्भवनदेहली—' इति। अस्य पद्यस्य '......विकटतुण्डदण्डाहति—' स्फुटन्मुकुटकोटिभिर्मघवदादिभिर्भूयते। व्रजेम भवदन्तिकम् प्रकृतिमेत्य पैशाचिकीम्, किमित्यमरसंपदां प्रमथनाथ! नाथामहे॥' इत्यवशिष्टोंऽशो बोध्यः। स्फुरणानापत्तेरिति। स्फुरणासङ्गतेरित्यर्थः। अयं भावः-अप्पयदीक्षितः स्वकीये कुवलयानन्दग्रन्थे तिरस्कारा-

लङ्कारलक्षणं कृत्वाऽनुज्ञालङ्कारलक्षणं कर्तुम् प्रायः ऐच्छन्, यस्तु विस्मृतिवशात् तिरस्कारालङ्कारलक्षणमनुल्लिख्यैवानुज्ञालङ्कारलक्षणमलिखत् । ननु कुत एवं कथ्यते ? तिरस्कारालङ्कारो दीक्षितस्यानभिप्रेत इत्येव किं न स्वीक्रियते इति चेदेवं बोध्यम्—यदि दीक्षितस्य तिरस्कारालङ्कारो नाभिप्रेतोऽभविष्यत्, तदाऽनुज्ञोदाहरणतया एतादृशं पद्यं नोदधरिष्यत् यत्र तिरस्कारस्य प्रतीतिः स्फुटा । दृश्यते च तदुद्धृते 'भवद्भवनदेहलीली–' इति पद्ये 'किमित्यमरसंदाम्-' इत्यंशे तिरस्कारप्रतीतिरिति ।

प्रसङ्गवश कुवलयानन्द की आलोचना की जाती है—असुं यं इत्यादि ।

इस तिरस्कारालङ्कार का लक्षण न बनाकर केवल अनुज्ञालङ्कार का लक्षण बनाने वाले कुवलयानन्दकार (अप्पयपदीक्षित) का विस्मरण ही सहारा है । अन्यथा 'भवद्भवन-देहली'......(सम्पूर्ण पद्य संस्कृत व्याख्या में द्रष्टव्य)–अर्थात् हे प्रमथनाथ ! आपके भवन की देहली पर विकटतुण्ड (वक्रतुण्ड नामक आपके गण) के डंडों की चोटों से इन्द्रादिकों के मुकुट के किनारे टूटते रहते हैं, अतः पिशाचों की योनि प्राप्त कर के आपके समीप पहुंच जाँय यही प्रार्थना है । देवताओं की सम्पत्ति को हम क्यों माँगें ।' इस उनके द्वारा उदाहृत पद्य के 'किमित्यमरसंपदाम्—देवताओं की सम्पत्ति को हम क्यों माँगें ।' इस अंश में तिरस्कार का स्फुरण असंगत हो जायगा ।

अभिप्राय यह है कि दीक्षित जी तिरस्कार तथा अनुज्ञा–दोनों अलङ्कारों के लक्षण लिखकर दोनों के उदाहरण रूप में एक ही पद्य को उद्धृत करना चाहते थे, परन्तु प्रायः वे तिरस्कार का लक्षण लिखना भूल गये । यदि ऐसी बात न होती तो वे उदाहरण के लिये ऐसे पद्य को नहीं चुनते, जहाँ अनुज्ञा के साथ-साथ तिरस्कार की भी प्रतीति स्पष्टतया होती है ।

आशंकते—

ननु कथमनयोरलङ्कारयोः सम्भवः ? यावता प्रार्थनमिच्छा तिरस्कारश्च द्वेषः । तत्र दोपे इष्टसाधनताज्ञानरूपकारणाभावादिच्छा न युक्ता । गुणे च द्विष्टसाधनताज्ञानाभावाद् द्वेषोऽपि तथा । वैपरीत्यं तु कारणसत्त्वादुचित-मिति चेत् ।

अनयोरिति । अनुज्ञा-तिरस्कारयोरित्यर्थः । तत्रेति । तयोर्मध्य इत्यर्थः । तथेति । न युक्त इति भावः । वैपरीत्यमिति, दोषे द्वेषो गुण इच्छा चेत्यर्थः । कारणेति । द्विष्ट-साधनताज्ञानेष्टसाधनताज्ञानेत्यर्थः । अयं भावः—दोषविषयिणीच्छाऽऽनुज्ञा, गुणविषयको द्वेषस्तिरस्कारः कथ्येते, परमेतत् कथनमयुक्तम्, उपायेच्छां प्रतिकारणस्येष्टसाधनता-ज्ञानस्याभावेन दोषेच्छाया उपायद्वेषं प्रति कारणस्य द्विष्टसाधनताज्ञानस्याभावेन गुणद्वेषस्य चानुत्पादात्, इष्टसाधनताज्ञानरूपकारणसत्त्वेन गुणेच्छाया द्विष्टसाधनताज्ञानरूपका-सत्त्वेन दोषद्वेषस्य चोत्पत्ते रौचित्याच्च । 'दोष इष्टसाधनम्' 'गुणो द्विष्टसाधनम्' इतीदृशंज्ञाने न कस्याप्यप्रमत्तस्य संभवत इति ।

एक आशंका कीजाती है—ननु इत्यादि ।

कहा जायगा कि 'अनुज्ञा' तथा 'तिरस्कार' ये दोनों अलङ्कार कैसे हो सकते हैं ? क्योंकि 'प्रार्थना' का अर्थ है इच्छा और 'तिरस्कार' का अर्थ है द्वेष, फलतः अनुज्ञा का स्वरूप हुआ 'दोष की इच्छा' और तिरस्कार का स्वरूप हुआ 'गुण का द्वेष' और ये

दोनों बातें असंभव हैं अर्थात् दोष की इच्छा नहीं हो सकती और गुण का द्वेष नहीं हो सकता, कारण उपायविषयक इच्छा के प्रति इष्टसाधनता का ज्ञान और उपायविषयक द्वेष के प्रति द्विष्टसाधनता का ज्ञान हेतु हैं। अभिप्राय यह कि दोष के विषय में किसी को 'यह मेरे इष्ट का साधन है' ऐसा ज्ञान नहीं होता इसी तरह गुण के विषय में किसी को 'यह मेरे द्विष्ट (अनिष्ट) का साधन है' ऐसा ज्ञान भी नहीं होता, अतः दोष की इच्छा और गुण का द्वेष हो ही नहीं सकते। इसके विपरीत गुण की इच्छा और दोष का द्वेष हो सकते हैं, क्योंकि गुण के विषय में 'यह मेरे इष्ट का साधन है' यह दोष के विषय में 'यह मेरे अनिष्ट का साधन है' यह ज्ञान होता है।

उक्ताशङ्कान्निरस्यति—

मैवम्।

उक्ताशङ्का न युक्तेतिभावः।

उक्त आशङ्का उचित नहीं है।

उक्ताशङ्कायां अयुक्तत्वे वक्तव्यासु तिसृषु युक्तिषु प्रथमां युक्तिमाह—

दोषगुणयोर्गुणदोषांशमादायेष्ट-द्विष्टसाधनताज्ञानयोः सत्त्वात्त्वदुक्तं कारणं तावदन्या हतम्। उत्कटद्विष्टाननुबन्धीष्टसाधनताज्ञानस्योपायेच्छां प्रति, उत्कटेष्टानुबन्धिद्विष्टसाधनताज्ञानस्य चोपायद्वेषं प्रति कारणत्वस्यपवाच्यत्वाद्वैपरीत्यमपि नोचितम्। अन्यथा सुखःदुखोभयसाधनेषु चान्द्रायण-कलञ्जभक्षणादिषु हरीतकी-दधित्रपुषभक्षणादिषु चेच्छाद्वेषयोरनियम एव स्यात्। अत्र च पुरुषकालप्रवेश आवश्यकः। उत्कटतत्पुरषीयतात्कालिकद्विष्टाननुबन्धितत्पुरषीयतात्कालिकेच्छाविषयफलसाधनताज्ञान तत्पुरुषीयोपायेच्छां प्रति कारणम्। एवमुत्कटतत्पुरुषीय तात्कालिकेष्टाननुबन्धितत्पुरुषीयतात्कालिकद्वेष विषयफलसाधनताज्ञानं तत्पुरुषीयोपायद्वेषं प्रति तेन पुरुषान्तरीयं कालान्तरीयं च द्विष्टमिष्टमादाय न दोषः।

दोषगुणयोरिति। अस्य यत इत्यादिः। यथासंख्यमत्र बोध्यम्, अन्यथेति। उपायेच्छाद्वेषनिरूपितकारणतावच्छेदककोट्योः उत्कटद्विष्टाननुबन्धित्वादेरनिवेश इत्यर्थः। चान्द्रायणेति, चान्द्रायणं व्रतविशेषः। नियमविशेषविशिष्टमासोपवासरूपः, कलञ्जेति। विषास्त्रहतमृगादिमांसः कलञ्जपदार्थः। दधित्रपुषेति। त्रपुषं 'फूट' इति प्रसिद्धम् फलम्, दधिमिश्रितं तद्दधित्रपुषम्। तस्यानिष्टसाधनत्वमुक्तं महाभाष्ये 'दधित्रपुषं प्रत्यक्षो ज्वरः' इति।

अयंभावः—संसारे सर्वं वस्तु दोषगुणोभयांशविशिष्टमेव। तथा च दोषेऽपि गुणांशमादायेष्टसाधनताज्ञानम् गुणेऽपि दोषांशमादाय द्विष्टसाधनताज्ञानं संभवति। न च दोषे दोषांशमादाय द्विष्टसाधनताज्ञानम् गुणे गुणांशमादायेष्टसाधनताज्ञानमेव किन्न स्यादिति वाच्यम्, गुणमिश्रिते दोषे दोषांशमादाय द्विष्टसाधनताज्ञानस्य सत्त्वेऽपि तद्घटकद्विष्टस्योत्कटेष्टानुबन्धितया द्वेषाजनकत्वात्, उत्कटेष्टाननुबन्धिद्विष्टसाधनताज्ञानस्यैवोपायद्वेषं प्रति कारणतायाः स्वीकरणात्, एवम् दोषमिश्रिते गुणे गुणांशमादायेष्टसाधनाताज्ञानस्य

सत्त्वेऽपि तद्घटकेष्टस्योत्कटद्विष्टानुबन्धितया इच्छानुत्पादकत्वात्, उत्कटद्विष्टाननुबन्धीष्टसाधनताज्ञानस्यैवोपायेच्छां प्रति कारणताया अङ्गीकरणात्।

अत एव सुख-दुःखोभयसाधने चान्द्रायणव्रते हरीतकीभक्षणे च इच्छैव, न द्वेषः, तत्फलीभूततात्कालिकदुःखरूपद्विष्टस्य भाविसुखरूपोत्कटेष्टानुबन्धितया तादृशद्विष्टसाधनताज्ञानस्य जायमानस्यापि चान्द्रायणव्रत-हरीतकीभक्षणरूपोपायद्वेषं प्रत्यकारणत्वात्, एवम् सुखदुःखोभयसाधने कलञ्जभक्षणेदधित्रपुषभक्षणे च द्वेष एव, नेच्छा, तत्फलीभूततात्कालिकसुखरूपेष्टस्य भाविदुःखरूपोत्कटद्विष्टानुबन्धितया तादृशेष्टसाधनताज्ञानस्य जायमानस्यापि कलञ्जदधित्रपुषभक्षणरूपोपायेच्छां प्रत्यकरणत्वात्। इति। ननु पुरुषान्तरीयं कालान्तरीयञ्च द्विष्टमिष्टमादायोक्तकार्यकारणभावे व्यभिचार इति चेत्तत्राह—अत्र चेति। उक्तकार्यकारणभावे पुरुषकालयोः प्रवेश आवश्यक इति भावः। पुरुषकालघटितकार्यकारणभावाकारमुपदर्शनायाह—उत्कटतत्पुरुषीयेति। उत्कटम् तत्पुरुषीयं तात्कालिकञ्च यद्द्विष्टम् तदननुबन्धि यत् तत्पुरुषीयायास्तात्कालिक्या इच्छाया विषयीभूतं फलम् (इष्टमिति यावत्) तत्साधनताज्ञानम् (इदं ज्ञानमपि तत्पुरुषीयमेव तात्कालिकमेव च ग्राह्यम्) कारणम् वक्तव्यम् तत्पुरुषीयेच्छां प्रति (अत्रापि तत्पुरुषीयेच्छा तात्कालिकी समपेक्षिता बोध्या)। एवमेव द्वेष-द्विष्टसाधनताज्ञानयोः कार्यकारणभावेऽपि विवरणीयम्। ईदृशकार्यकारणभावस्वीकारफलमाह—तेन चेति। दोष इति व्यभिचार इत्यर्थः।

उक्त आशङ्का के अनौचित्य को सिद्ध करने वाली युक्तियों में से प्रथम युक्ति कही जाती है—दोषगुणयोरित्यादि।

अभिप्राय है कि संसार की सभी वस्तुएँ दोष तथा गुण से मिश्रित ही होती हैं, अतः दोष में भी गुण अंश को लेकर इष्टसाधनताज्ञान और गुण में भी दोष अंश को लेकर द्विष्टसाधनता ज्ञान होता है, फलतः दोष की इच्छा होने में और गुण का द्वेष होने में कारण का अभाव नहीं है। रही गुण में इच्छा और दोष में द्वेष वाली विपरीतता की बात वह भी उचित नहीं है, क्यों कि उपायविषयक इच्छा के प्रति उत्कट द्विष्ट से संबन्ध न रखने वाले इष्ट की साधनता का ज्ञान और उपायविषयक द्वेष के प्रति उत्कट इष्ट से संबन्ध न रखने वाले द्विष्ट की साधनता का ज्ञान कारण है ऐसा कहना पड़ता है—अर्थात् उपायेच्छा के प्रति केवल इष्टसाधनताज्ञान को कारण नहीं माना जा सकता, उसमें इतना और जोड़ना पड़ता है कि कारण कोटि में प्रविष्ट 'इष्ट' ऐसा होना चाहिए जो उत्कट द्विष्ट (अनिष्ट) से किसी तरह का संबन्ध न रखता हो इसी तरह उपायद्वेष के प्रति केवल द्विष्टसाधनता ज्ञान को कारण नहीं माना जा सकता उसमें इतना और जोड़ना पड़ता है कि कारणकोटिप्रविष्ट 'द्विष्ट' इष्टानुबन्धी न हो।

यदि उपायेच्छा तथा उपाय द्वेष के कारणों में उक्त बात न जोड़ी जाय तब समान रूप से सुख और दुःख–दोनों के कारण होते हुए भी जो, चान्द्रायणव्रत तथा हरीतकी भक्षण में इच्छा ही होती है और कलञ्ज (विषदिग्ध मांस) भक्षण तथा दधित्रपुषज (दधिमिश्रित 'फूट') भक्षण में द्वेष ही होता है वह असंगत हो जायगा। तात्पर्य है कि चान्द्रायणव्रत तथा हरीतकी भक्षण यद्यपि कष्ट साध्य तथा विरस होने के कारण दुःख रूप द्विष्ट के साधन हैं ऐसा ज्ञान होता है तथापि वह दुःखरूप द्विष्ट उत्कट इष्ट (स्वर्ग प्राप्ति तथा नैरुज्यजन्य सुख) का अनुबन्धी है, अतः 'उत्कट इष्टाननुबन्धि द्विष्टसाधनता ज्ञान' रूप कारण के नहीं होने से इनके प्रति द्वेष नहीं होता, अपि तु 'उत्कटद्विष्टान-

नुबन्धि स्वर्गप्राप्तिजन्य तथा नैरुज्यजन्य सुखरूप इष्टसाधनताज्ञानात्मक कारण के रहने से इनके प्रति इच्छा ही होती है। ठीक इसके विपरीत कलञ्जभक्षण तथा दधित्र-पुषभक्षण सुस्वादुताजन्य सुखरूप इष्ट के साधन हैं ऐसा ज्ञान यद्यपि होता है तथापि वह सुख रूप इष्ट 'विषदिग्धं वस्तु मारकम्' 'दधित्रपुषं प्रत्यक्षो ज्वरः) इन सिद्धान्तों के अनुसार मरण तथा रोग रूप द्विष्ट का अनुबन्धी है, अतः 'उत्कट द्विष्टाननुबन्धि इष्ट-साधनता ज्ञान' रूप कारण के अभाव में इनके प्रति इच्छा नहीं होती, अपि तु 'उत्कट इष्टानुबन्धि द्विष्ट साधनता ज्ञान' रूप कारण के रहने से इनमें द्वेष ही होता है।

इस कार्य कारण भाव के अनुसार यह स्पष्ट हो गया कि गुणमिश्रित दोष के प्रति उस स्थिति में द्वेष नहीं होता है जब दोषांश से होने वाला द्विष्ट फल गुणांश से होने वाले उत्कट इष्ट फल का अनुबन्धी रहता है, इसी तरह दोषमिश्रित गुण के प्रति उस स्थिति में इच्छा नहीं होती है जब गुणांश से होने वाला इष्ट फल दोषांश से होने वाले उत्कट द्विष्ट फल का अनुबन्धी रहता है।

एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस कार्य-कारण भाव में पुरुष तथा काल का निवेश भी आवश्यक है—अर्थात् 'उस पुरुष की उस काल में होने वाली उपायेच्छा के प्रति उस पुरुष के उस काल में होने वाले द्विष्ट से संबन्ध न रखने वाले उस पुरुष के तात्कालिक इष्ट की साधनता का उस पुरुष में स्थित उस काल में होने वाला ज्ञान कारण' है इसी तरह 'उस पुरुष के उस काल में होने वाले उपाय द्वेष के प्रति उस पुरुष के उस काल में होने वाले उत्कट इष्ट से संबन्ध नहीं रखने वाले उस पुरुष के तात्कालिक द्विष्ट की साधनता का उस पुरुष में स्थित उस काल में होने वाला ज्ञान कारण' है, इस तरह से कार्य-कारणभाव कहना चाहिए।

अतः दूसरे पुरुष के तथा दूसरे काल के इष्ट तथा द्विष्ट को लेकर दोष नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि उक्त कार्य-कारण भाव में यदि पुरुष तथा काल का निवेश नहीं किया जायगा तो उस कार्यकारण भाव में व्यभिचार दोष आ जायगा, क्योंकि दूसरे के अथवा दूसरे काल के उत्कट द्विष्ट का अननुबन्धी इष्ट की अथवा दूसरे काल के इष्ट की साधनता ज्ञान रहने पर भी दूसरे की अथवा दूसरे काल में उपायविषयक इच्छा नहीं होती है। इसी तरह दूसरे कार्यकारण भाव में भी व्यभिचार समझना चाहिए।

द्वितीयां युक्तिमाह—

इदं तु बोध्यम्—फले उत्कटेच्छया उपायेऽप्युत्कटेच्छैव जायते, एवं फले उत्कटद्वेषेणोपायेऽपि द्वेष एव। एवं च सुखदुःखोभयसाधनेषु चान्द्रायणादिषु यदि स्वसामग्रीवशात्प्रथमं सुखे उत्कटेच्छा तथा तत्साधनेषु चान्द्रायणादिष्वपि सैव, अथ स्वसामग्रीवशात्प्रथमं दुःखे उत्कटद्वेषस्तदा चान्द्रायणादिषु स एव उत्कटसामग्र्या बलवत्त्वकल्पनात्।

उत्कटत्वं च प्रकृते इच्छाद्वेषगतो विषयिताविशेषः। एकसाधनजन्ये इष्टानिष्टरूपे फलद्वये एककालावच्छेदेनैकत्रोत्कटेच्छा अपरत्रोत्कटद्वेषश्च न संभवति। तथा सति चान्द्रायणादिष्वेकस्मिन्नेव समये इच्छाद्वेषयोर्द्वयोरप्यापत्तेः। एवं च बलवदनिष्टाननुबन्धित्वं बलवदिष्टाननुबन्धित्वं चोपायद्वेषयोः कारणतावच्छेदके न देयमेवेत्याहुः।

द्वेष एवेति। उत्कटद्वेष एवेति विवक्षितोऽर्थः। सैवेति। उत्कटेच्छैवेत्यर्थः। स

एवेति । उत्कटद्वेष एवेत्यर्थः । कुत एवमिति चेत्तत्राह—उत्कटसामग्र्या इति । उपायेच्छां प्रति उत्कटफलेच्छारूपायाः उपायद्वेषं प्रति उत्कटफलद्वेषरूपायाश्च सामग्र्या इत्यर्थः । बलवत्त्वकल्पनादिति । फलबलेनेति भावः । ननु किमिहोत्कटत्वन्नामेति चेत्तत्राह—उत्कटत्वं चेति । तथा सतीति । एकसाधनजन्ये इष्टानिष्टरूपे फलद्वये युगपदेकत्रोत्कटेच्छाया अपरत्रोत्कट-विषस्य च संभवे इत्यर्थः । एवञ्चेति । उक्तरीत्या उत्कटसामग्र्या बलवत्त्वकल्पने चेत्यर्थः । न देयमेवेति । तद्दानफलस्य चान्द्रायणादिविषयकेच्छामात्रस्य कलञ्जभक्षणादिविषयकद्वेषमात्रस्योक्तरीत्याऽन्यथैवोपपादनादिति भावः । आहुरिति । केचिदिति शेषः ।

द्वितीय युक्ति कही जाती है—इदं तु इत्यादि ।

यहाँ यह समझना चाहिए कि किसी फल के विषय में जब उत्कट इच्छा होती है तब उस फल के उपाय के विषय में भी उत्कट इच्छा ही होती है, इसी तरह जब किसी फल के विषय में उत्कट द्वेष होता है तब उस फल के उपाय के विषय में भी उत्कट द्वेष ही होता है । ऐसी स्थिति में सुख-दुःख दोनों के साधन चान्द्रायण व्रत आदि के स्थल पर यदि अपने कारण-कलापों से प्रथमतः चान्द्रायणादि-साध्य पारमार्थिक सुख की उत्कट इच्छा होगी तब उस पारमार्थिक सुख के उपायभूत चान्द्रायणादि व्रत की भी उत्कट इच्छा ही होगी और यदि अपने कारण-कलापों से चान्द्रायण व्रत आदि जन्य ऐहिक दुःख के विषय में उत्कट द्वेष प्रथमतः होगा तब उस ऐहिक दुःख के साधक चान्द्रायणादि के विषय में उत्कट द्वेष ही होगा, क्योंकि फल के आधार पर उत्कट सामग्री की बलवत्ता कल्पित होती है । अभिप्राय यह है कि जब हम देखते हैं कि फल की उत्कट इच्छा रहने पर उपाय में उत्कट इच्छा और फल में उत्कट द्वेष रहने पर उपाय में उत्कट द्वेष ही होते हैं तब यह कल्पना करनी ही पड़ेगी कि उपायेच्छा के प्रति कारणीभूत 'इष्टसाधनता ज्ञान' और उपायद्वेष के प्रति कारणीभूत 'द्विष्टसाधनता ज्ञान' दोनों के जुटे रहने पर वह प्रबल है जिसमें उत्कटता है-अर्थात् 'इष्ट' पद के अर्थ-इच्छाविषय में इच्छा की अथवा 'द्विष्ट' पद के अर्थ—द्वेषविषय में द्वेष की उत्कटता है । इस प्रसङ्ग में उत्कटता का अर्थ है इच्छा द्वेष में रहने वाली विलक्षण विषयिता । तात्पर्य यह कि 'फल की इच्छा फल का द्वेष' कहने पर फल होता है विषय और इच्छा तथा द्वेष होते हैं विषयी, अब यहाँ इच्छा अथवा द्वेष की उत्कटता का अर्थ है इच्छा अथवा द्वेष का फल रूप विषय के प्रति विलक्षण रूप से-अर्थात् अन्य इच्छा द्वेषों की अपेक्षा भिन्न ढङ्ग से विषयी बनना ।

इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उपायेच्छा के कारण 'इष्टसाधनता ज्ञान' में 'बलवदनिष्टाननुबन्धित्व' विशेषण और उपायद्वेष के कारण 'द्विष्ट-साधनता-ज्ञान' में 'बलवदिष्टाननुबन्धित्व' विशेषण नहीं ही देना चाहिए' आप कहेंगे कि जिस उद्देश्य से वे विशेषण लगाए जाते थे उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी-अर्थात् 'चान्द्रायण आदि की इच्छा ही' और 'कलञ्जभक्षण आदि का द्वेष ही' यह नियम कैसे उपपन्न होगा, तो इसका उत्तर यह है कि जहाँ एक ही उपाय से एक इष्ट और दूसरा अनिष्ट (द्विष्ट)-दोनों तरह के फल संभावित हों वहाँ एक ही काल में एक फल (इष्ट) की उत्कट इच्छा और दूसरे फल (अनिष्ट) का उत्कट द्वेष-दोनों संभव नहीं हैं ।

यदि ऐसा संभव होता तो चान्द्रायण आदि की इच्छा और द्वेष-दोनों साथ साथ होने लगेंगे, जैसा कि होता नहीं । अतः यह मानना चाहिए कि चान्द्रायण जन्य स्वर्ग-

सुख की उत्कट इच्छा पहले अपने कारणों से हो जाती है जिससे स्वर्ग-सुख के साधन चान्द्रायण व्रत करने की उत्कट इच्छा ही होती है, द्वेष नहीं, इसी तरह कलञ्जभक्षण-जन्य मृत्यु दुःख के विषय में अपने कारणों से पहले उत्कट द्वेष हो जाता है जिससे उस मृत्यु-दुःख के साधन कलञ्जभक्षण में द्वेष ही होता है, इच्छा नहीं। ऐसा कुछ विद्वानों का कथन है।

तृतीयां युक्तिमाह—

अन्ये तु फलेच्छा-फलसाधनताज्ञानयोर्द्वयोरुपायेच्छां प्रति, फलद्वेषफल-साधनताज्ञानयोरुपायद्वेषं प्रति च कारणत्वम्। उत्कटसामग्र्या बलवत्वाच्चेष्टानिष्टोभयसाधने न दोष इत्यपि वदन्ति।

उपायेच्छां प्रति फलेच्छा फलसाधनताज्ञानञ्चेति द्वयं मिलितं कारणम्, एवम् उपायद्वेषं प्रति फलद्वेषः फलसाधनताज्ञानञ्चेत्युभयं मिलितं कारणम्। नन्वेवमपि इष्टानिष्टोभयसाधने क्वचिदिच्छैव क्वचिच्च द्वेष एवेत्यत्र किं विनिगमकमिति चेन्न, उत्कटसामग्र्या बलवत्त्वस्यैव विनिगमकत्वात्। यदि फलेच्छोत्कटा तदा तद्घटितसामग्र्या बलवत्तयोभयसाधने इच्छेव, न द्वेषो, यथा चान्द्रायणादौ। यदि तु फलद्वेष एवोत्कटस्तदा तद्घटितसामग्र्या एव बलवत्तयोभयसाधने द्वेष एव, नेच्छा, यथा कलञ्जभक्षणादावित्यन्येषां मनोभावः।

तीसरी युक्ति दिखलाई जाती है—अन्ये तु इत्यादि।

अन्य विद्वानों का कथन है कि उपायेच्छा के प्रति फलेच्छा और फलसाधनताज्ञान-दोनों सम्मिलित रूप से कारण हैं इसी प्रकार उपाय द्वेष के प्रति फलद्वेष और साधनताज्ञान-दोनों सम्मिलित रूप से कारण हैं। और उत्कट सामग्री की बलवत्ता मानी जाती है, अतः इष्ट तथा अनिष्ट-दोनों के जो साधन हैं वहां दोष नहीं होता—अर्थात् यदि फलेच्छा उत्कट रहती है तब तद्घटित सामग्री के प्रबल होने के कारण इष्टानिष्टोभय साधन में इच्छा ही होती है, जैसे चान्द्रायण आदि में और यदि फल-द्वेष उत्कट रहता है तब तद्घटित सामग्री के ही प्रबल होने से उभय साधन में द्वेष ही होता है, जैसे कलञ्जभक्षण में।

उपसंहरति—

एवं चेष्टानिष्टोभयसाधने दोषे गुणे च गुणेन दोषेण च मिश्रिते सहृदयानामिच्छाद्वेषयोरुचितैवोत्पत्तिः, हरीतकीकदलक्षणयोरिवेति।

गुणेन दोषेण च मिश्रिते इति। गुणेन मिश्रिते दोषे दोषेण मिश्रिते गुणे इत्यन्वयो बोध्यः। इच्छाद्वेषयोरिति। गुणमिश्रिते दोषे इच्छायाः, दोषमिश्रिते गुणे द्वेषस्येत्यर्थः। उत्पत्तिरुचितेति। एकत्र गुणांशजन्येष्टफले उत्कटेच्छाया अपरत्र दोषांशजन्यानिष्टफले उत्कटद्वेषस्य जायमानत्वादिति भावः। दृष्टान्तमाह—हरीतकीति। दुस्स्वादुतारूपानिष्टफलजनकेऽपि हरीतकीभक्षणे उदरशुद्धिरूपेष्टफलविषयकोत्कटेच्छया इच्छैव, एवम् सुस्वादुतारूपेष्टफलजनकेऽपि कदलभक्षणे विष्टम्भरूपानिष्टफलविषयकोत्कट द्वेषेण द्वेष एव च यथा भवति तथेत्यर्थः।

उपसंहार किया जाता है—एवञ्च इत्यादि।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि जो दोष इष्ट अनिष्ट दोनों का साधन है उसमें गुण के मिश्रित रहने से इच्छा की उत्पत्ति और जो गुण इष्ट-अनिष्ट दोनों का साधन है उसमें

दोष के मिश्रित रहने से द्वेष की उत्पत्ति सहृदयों के लिए उचित ही है। जैसा कि हरीतकी और केला खाने में होता है। बुद्धिमान् जन दुःस्वादुतारूप अनिष्ट फलदायक होने पर भी हरीतकी-भक्षण की इच्छा तज्जन्य उदरशुद्धिरूप इष्ट फल में उत्कट इच्छा के कारण करते हैं और सुस्वादुतारूप इष्ट फलदायक होने पर भी कदलीभक्षण का द्वेष तज्जन्य विष्टम्भरूप अनिष्ट फल में उत्कट द्वेष के कारण करते हैं—यह अनुभव सिद्ध है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे तिरस्कारप्रकरणम्।

रसङ्गाधराख्ये निबन्धे तिरस्कारप्रकरणम् समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत तिरस्कारालङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां तिरस्कारप्रकरणम् ॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथ लेशः—

लेशालङ्कारो निरूप्यत्वेनारब्धो बोध्य इति भावः।

अब लेशालङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

गुणस्यानिष्टसाधनतया दोषत्वेन, दोषस्येष्टसाधनतया गुणत्वेन च वर्णनं लेशः ॥

अनिष्टसिद्धिहेतुतया दोषरूपेण यद् गुणस्य वर्णनम्, इष्टसिद्धिहेतुतया गुणरूपेण यद्दोषस्य वर्णनम् तदुभयमपि लेशालङ्कारतया व्यपदिश्यत इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—गुणस्य इत्यादि।

अनिष्ट का साधन हो जाने से गुण का दोष रूप में और इष्ट का साधन हो जाने से दोष का गुण रूप में वर्णन लेशालङ्कार कहलाता है।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्,

जैसे—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'अपि बत गुरुगर्वं मा स्म कस्तूरि यासी-
रखिलपरिमलानां मौलिना सौरभेण।
गिरिगहनगुहायां लीनमत्यन्तदीनं-
स्वजनकममुनैव प्राणहीनं करोषि ॥'

हे कस्तूरि!, अखिलपरिमलानाम् सर्वेषां सौरभाणाम्, मौलिना श्रेष्ठेन, सौरभेण सुगन्धेन, गुरुगर्वम् महागर्वम्, मास्म यासीः न कुरु, अपि बत खेदकरमिदं तव गुरुगर्वकरणम्, यतः, त्वम् अमुना सौरभेण, एव; गिरिगहनगुहायाम् गम्भीरपर्वत-

कन्दरायाम्, लीनम् निलीय स्थितम्, अत्यन्तदीनम् अतिदयनीयम्, स्वजनकम् मृगम्, प्राणहीनम् गतप्राणं, करोपि विधत्से इत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—अपि बत इत्यादि।

हे कस्तूरी! सब सौरभों में श्रेष्ठ सौरभ के कारण तुम अत्यधिक गर्व मत करो। तेरा यह गर्व अतिखेदजनक है, क्योंकि इसी सौरभ के कारण तुम पर्वत की गम्भीर गुफा में छिपे अत्यन्त दीन अपने जनक (मृग) को प्राणहीन करती हो।

द्वितीयमुदाहरणमुपस्थापयति—

'नैर्गुण्यमेव साधीयो धिगस्तु गुणगौरवम्।
शाखिनोऽन्ये विराजन्ते खण्डयन्ते चन्दनद्रुमाः॥'

नैर्गुण्यमेव निर्गुणतैव, साधीयः अतिसाधु, गुणगौरवम् गुणानां गुरुत्वम्, धिक् अस्तु धिक्कारयोग्यम्, यतः, अन्ये, शाखिनः वृक्षाः विराजन्ते सुशोभमानास्तिष्ठन्ति, चन्दनद्रुमाः चन्दनतरवः, खण्ड्यन्ते छिद्यन्ते इत्यर्थः।

दूसरा उदाहरण दिखलाया जाता है—नैर्गुण्यमेव इत्यादि।

निर्गुणता ही अच्छी है, गुणों के गौरव को धिक्कार है। दूसरे वृक्ष सुशोभित रहते हैं और चन्दन तरु काटे जाते हैं।

पूर्वोक्तोदाहरणद्वये वक्तव्यमुपपादयति—

पूर्वत्र गुणस्य दोषत्वेन वर्णनमात्रम्, उत्तरत्र तु दोषस्य गुणत्वेन वर्णनमर्थान्तरन्यासानुविद्धम्।

पूर्वत्रेति। 'अपि बत–' इत्यस्मिन् पद्य इत्यर्थः। गुणस्येति। सौरभाधिक्यस्येत्यर्थः। दोषत्वेनेति। जनकप्राणहीनताकारित्वेनेत्यर्थः। उत्तरत्रेति। 'नैर्गुण्यमेव–' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः। दोषस्येति। नैर्गुण्यस्येत्यर्थः। गुणत्वेनेति। साधीयस्तयेत्यर्थः। अर्थान्तरन्यासेति। उत्तरार्धगतविशेषद्वारकपूर्वार्धगतसामान्यसमर्थनरूपार्थान्तरन्यासेति भावः।

एक साथ उक्त दोनों उदाहरणों का उपपादन किया जाता है—पूर्वत्र इत्यादि।

'अपि बत–' इस प्रथम पद्य में गुण का दोषरूप में और 'नैर्गुण्यमेव–' इस द्वितीय पद्य में दोष का गुण रूप में वर्णन हुआ है, अतः द्विविध लेशालङ्कार के वे दोनों पद्य उदाहरण होते हैं। दोनों उदाहरणों में एक अन्तर यह भी है कि प्रथम उदाहरण में शुद्ध लेशालङ्कार है और द्वितीय उदाहरण में वह अर्थान्तरन्यास अलङ्कार से अनुविद्ध है।

उदाहरणान्तरमुल्लिखति—

'स्खलन्ती स्वर्लोकादवनितलशोकापहृतये
जटाजूटग्रन्थौ यदसि विनिबद्धा पुरभिदा।
अये निर्लोभानामपि मनसि लोभं जनयतां
गुणानामेवायं तव जननि दोषः परिणतः॥'

भक्तो गङ्गां स्तौति—हे जननि! मातः! अवनितलशोकापहृतये भूतलशोकसंहरणाय, स्वर्लोकात् स्वर्गभूमेः, स्खलन्ती पतन्ती, त्वम्, पुरभिदा महादेवेन, जटाजूटग्रन्थौ, यत्, विनिबद्धा, असि, निर्लोभानामपि लोभरहितानामपि प्राणिनाम्, मनसि, लोभम्, जनयताम् उत्पादयताम्, तव, गुणानामेव, अयं, परिणतः परिपक्वः, दोषः अपराधः, वर्तत इत्यर्थः।

एक अन्य उदाहरण दिखलाया जाता है—स्खलन्ती इत्यादि।

भक्त गङ्गा की स्तुति करता हुआ कहता है—हे मातः! आप भूतल के शोक का अपहरण करने के लिए स्वर्ग लोक से भूलोक की ओर चली, पर मार्ग में ही शिव जी के द्वारा अपने जटाजूट की गेंठ में जो बाँध ली गई, इस में दूसरे किसी का दोष नहीं है, अपितु निर्लोभों के मन में भी लोभ को उत्पन्न करने वाले आप के गुणों का ही यह परिणत अपराध है।

उपपादयति—

अत्र दोषोऽपराधः। तथा चापराधत्वेन गुणानां दोषत्वमुक्तं भवति।

'स्खलन्ती-' इत्यस्मिन्पद्ये दोषपदेनापराध उच्यते। तथा च गुणानाम् बन्धनरूपानिष्टसाधनतया दोषत्वं वर्णितं भवतीति पद्यमिदम् लेशालङ्कारप्रभेदोदाहरणतां प्रतिपद्यत इति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'स्खलन्ती-'इस पद्य में 'दोष' पद का अर्थ अपराध है। फलतः यहाँ अपराध के रूप में गुणों की दोषता वर्णित हुई है, अतः यह पद्य भी लेशालङ्कार का एक उदाहरण होता है।

आशङ्क्य समाधत्ते—

न चायमलङ्कारो व्याजस्तुत्या उभयरूपया गतार्थ इति शङ्क्यम्। मुखप्रतिपादितार्थवैपरीत्येनात्र सर्वत्र पर्यवसानाभावात्। न हि 'अपि बत गुरु गर्वम्-' इत्यत्र कस्तूर्याः स्तुतौ कवेस्तात्पर्यम्, अपि तु जनकप्राणापहारित्वेन निन्दायामेव। अत एवाप्रस्तुतकस्तूरीवृत्तान्ताभिव्यक्ते प्रस्तुतवृत्तान्तेऽपि तस्यामेव विश्रान्तिः। एवं 'नैर्गुण्यमेव साधीयः' इत्यत्र शाख्यन्तराणां निन्दा न विवक्षिता, किं तु सुखावस्थानम्। गुणिनः स्वगुणैर्दुःखितस्य वाक्येऽस्मिन्निर्गुणानां निन्दाया अवक्तव्यत्वात् प्रत्युत स्तुतेरेव वाच्यत्वात्। 'स्खलन्ती-स्वर्लोकात्-' इति पद्ये भागीरथीस्तुतिप्रकरणपठिते यद्यस्ति भागीरथीस्तुतौ तात्पर्यं तदा व्याजस्तुतिरप्यस्तु। तस्याः सावकाशत्वेनैतद्बाधकत्वायोगात्।

'रवितुरगदिग्गजेषु स्वर्णाचलजलधिधनदकोषेषु।
सत्त्वेन राजपुंगव किं दातास्मीति गर्वमावहसि॥'

अत्र पर्यन्ते प्रतीयमानस्य रवितुरगादिपदार्थातिरिक्तसकलवस्तुदानरूपस्य गुणस्य दोषत्वेनावर्णनात्, तत्त्वेन वर्ण्यमानस्य च रवितुरगाद्यदानस्यागुणत्वाद् गुणदोषयोर्भिन्नविषयत्वेनावस्थानेन लेशस्पर्शरहिता व्याजस्तुतिरिति स्फुटमेव सावकाशत्वम्। अत एव लेशोऽपि न व्याजस्तुतेर्बाधक इति प्रागुक्तजाह्नवीस्तुतौ द्वयोरपि समावेशः।

अयमिति। लेश इत्यर्थः। उभयरूपयेति। स्तुतिनिन्दारूपयेत्यर्थः। मुखं प्रारम्भः। अत्र सर्वत्रेति। सर्वस्मिन् लेशे इति भावः। तथा पर्यवसानाभावमेव स्फुटयति—नहीति। अत एवेति। अप्रस्तुतात्मकवाच्यकक्षायां कस्तूरीस्तुतौ कवितात्पर्यविरहादेवेत्यर्थः। प्रस्तुत-

वृत्तान्त इति । स्वगुणेन स्वहानिरूप इत्यर्थः । तस्यामेवेति । निन्दायामेवेत्यर्थः । सुखा-वस्थानमिति । विवक्षितमिति शेषः, कुतो नात्र निन्दा विवक्षितेति चेत्तत्राह—गुणिनः इति । 'नैर्गुण्यमेव–' इत्येतत् स्वगुणैर्दुःखितस्य गुणिनो वाक्यम् विद्यते, अतोऽत्र न निन्दा विव-क्षिता भवितुमर्हति, यतो गुणदुःखितो न निर्गुणान् निन्दति, अपि तु स्तौतीति भावः । तस्या इति । व्याजस्तुतेरित्यर्थः । एतदिति । लेशेत्यर्थः । व्याजस्तुतेः सावकाशतामेव दर्शयति—रवीति । स्वर्णाचलः सुमेरुः, जलधिः समुद्रः, धनदः कुबेरः, इतीमे कोषाः उत्पादका येषां तादृशेषु, रवितुरगदिग्गजेषु सूर्योच्चैःश्रवोनामकाश्वदिग्गजेषु, सत्सु वर्त-मानेष्वेव, हे राजपुंगव राजश्रेष्ठ, 'अहं दाता अस्मि' इति गर्वम् , किं कथम् , आवहसि धत्से इत्यर्थः । स्वर्णाचलादिभी रवितुरगादयः पदार्था लोकाय वितीर्णा इति पश्यतोऽपि तव गर्वो वृथेति भावः । उपपादयति—अत्रेति । अयं भावः—'रवितुरग–' इत्यत्र सुमेरु-प्रभृतिभिः लोकाय सूर्याश्वादयः पदार्थाः प्रदत्ता इति पश्यतोऽपि तव दानगर्वो वृथेति वाच्याया निन्दायाः 'सूर्य-तुरगाद्यतिरिक्ताः सर्वे पदार्थास्त्वया लोकाय दत्ताः सुमेरुप्रभृति-भिस्तु रव्यादय एव पदार्था' इति प्रशंसायां पर्यवसानाद् व्याजस्तुतिः । लेशस्तु अत्र न संभवति, यतो दोषस्य गुणत्वम् गुणस्य दोषत्वं वोच्यमानं तत्स्वरूपम् , अत्र तु पर्यन्ते रवितुरगादिपरिगणितकतिपयपदार्थातिरिक्तसकलवस्तुदानरूपो यो गुणः प्रतीयते तस्य दोषत्वमिह न वर्णितम् , दोषत्वेन रवितुरगाद्यदानमिह यद् वर्ण्यते तन्न गुणरूपम् , फलतोऽत्र एको विशुद्धो गुण एकश्च विशुद्धो दोषः भिन्नविषयतया स्थितः गुणस्य दोषत्वं दोषस्य गुणत्वं वा नोक्तमिति यावत् । तथा च लेशालङ्काररहितेऽस्मिन् लक्ष्ये सावकाशा व्याजस्तुतिः, लेशोऽपि लक्ष्यान्तरे सावकाश इति नानयोर्बाध्यबाधकभावः । एवञ्च 'स्खलन्ती–' इति गङ्गास्तुतिपरे पद्ये व्याजस्तुति-लेशयोः संकर एवाश्रयणीय इति ।

शङ्का-समाधान के माध्यम से लेश तथा व्याजस्तुति में अन्तर बतलाया जाता है—न चायमित्यादि ।

यह लेशालङ्कार दोनों प्रकार की (निन्दा से स्तुति और स्तुति से निन्दा) व्याज-स्तुति से गतार्थ है यह शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्यों कि लेश में सर्वत्र आरम्भ में वर्णित अर्थ का पर्यवसान विपरीत में नहीं होता। पूर्वोक्त 'अपि बत गुरुगर्वम्–' इस उदाहरण में ही देखिए, कवि का तात्पर्य कस्तूरी की स्तुति में नहीं है, अपि तु 'जन्म-दाता के प्राणों का अपहारक होने' से निन्दा में ही है, अत एव अप्रस्तुत कस्तूरी-वृत्तान्त से ध्वनित होने वाले प्रस्तुत वृत्तान्त (उपजीवक के द्वारा उपजीव्य की हानि) में भी निन्दा में ही विश्रान्ति माननी पड़ेगी।

इसी तरह 'नैर्गुण्यमेव–' इस द्वितीय उदाहरण में भी अन्य वृक्षों की निन्दा विवक्षित नहीं है, अपि तु सुखपूर्वक उनका रहना ही विवक्षित है। कारण, अपने गुणों से दुःख उठाने वाले गुणी पुरुष के द्वारा कथित 'नैर्गुण्यमेव–' इस वाक्य में निर्गुणों की निन्दा नहीं, अपितु स्तुति ही कथनीय हो सकती है—अर्थात् गुण से दुःख पाने वाला निर्गुण की प्रशंसा ही करता है, निन्दा नहीं। [यहां "इसी तरह 'गुणी अपने गुणों से दुःखी है' इस वाक्य की निन्दा अनपेक्षित है, किन्तु उन की स्तुति ही वक्तव्य है।" यह अनुवाद ग्रन्थकार के अभिप्राय से कितना दूर है यह विज्ञ पाठक स्वयं सोचें।]

हां, 'स्खलन्ती स्वर्लोकात्–' इस तृतीय उदाहरण में, जो गङ्गा की स्तुति के प्रकरण में

पठित पद्य है, गङ्गा की स्तुति में कवि का तात्पर्य माना जा सकता है, अतः यहां व्याजस्तुति भी रहे, किन्तु उससे लेश बाधित नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने स्वतन्त्र लक्ष्य में सावकाश है। आप पूछेंगे कि कौन है व्याजस्तुति का वह स्वतन्त्र लक्ष्य? तो 'रवितुरग-' इस पद्य को समझिए। इस पद्य में निन्दा के व्याज से राजा की स्तुति की गई है। कवि कहता है कि हे राजपुंगव !(नृपश्रेष्ठ) सुमेरु पर्वत, समुद्र और कुबेर जिनके क्रमशः जनक हैं (प्रकटक हैं) ऐसे सूर्य, उच्चैःश्रवा घोड़ा और दिग्गज जब संसार में वर्तमान हैं, तब आप 'मैं दाता हूँ' यह गर्व कैसे करते हैं ?—अर्थात् सुमेरु आदि ने सूर्य आदि वस्तुएँ लोगों को दी हैं यह देखते हुए आपका गर्व व्यर्थ है। इस तरह आरम्भ में प्रतीत होने वाली निन्दा से 'आप सूर्य-आदि परिगणित (तीन) वस्तुओं से अन्य सभी वस्तुएँ लोगों को दिए हैं, उन्होंने तो उक्त तीन पदार्थ ही दिए' इस प्रशंसा की प्रतीति होती है, अतः यहां व्याजस्तुति है।

यहां लेशालङ्कार तो प्राप्त नहीं होता, क्यों कि लेश का स्वरूप है 'गुण का दोष रूप में अथवा दोष का गुण रूप में वर्णन' और यहां 'सूर्य, उच्चैःश्रवा आदि परिगणित पदार्थों से अन्य पदार्थों का दान' रूप जो राजा का गुण अन्त में प्रतीत होता है उसका दोष रूप में वर्णन नहीं किया गया है और जिस 'सूर्य आदि के अदान' का दोष रूप में यहां वर्णन हुआ है वह वस्तुतः दोष ही है, गुण नहीं-इस तरह यहां एक गुण और एक दोष भिन्न भिन्न विषय में स्वतन्त्र रूप से स्थित है—अर्थात् एक की दूसरे के रूप में परिणति नहीं होती। फलतः यहां लेश के स्पर्श से भी रहित व्याजस्तुति है, अतः व्याजस्तुति की सावकाशता स्पष्ट ही है। इस स्थिति में जैसे व्याजस्तुति से लेश नहीं बाधित हो सकता है उसी तरह लेश से व्याजस्तुति भी नहीं बाधित हो सकती, अतः उक्त गङ्गा-स्तुतिपरक पद्य में दोनों (व्याजस्तुति तथा लेश) का समावेश (संकर) ही मान्य होगा।

[यहां 'रवितुरग-' इस पद्य का अर्थ 'हिन्दी-रसगङ्गाधर' में निम्नलिखित रूप से किया गया है "हे राजश्रेष्ठ ! सूर्य के अश्व, दिशाओं के गज, सुमेरु, समुद्र (रत्नाकर) और कुबेर का भण्डार विद्यमान रहते आप 'मैं दाता हूँ' यह घमंड क्यों करते हैं ?"

पर यह अर्थ उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि एक तो इस अर्थ में रवितुरग आदि सब दाता ही प्रतीत होते हैं, दातव्य वस्तु का निर्देश नहीं होता, दूसरे सूर्य के घोड़ों का दान देना प्रसिद्ध भी नहीं है, तीसरे यदि केवल दाताओं का ही (दातव्य का नहीं) निर्देश करना अभीष्ट रहता तो पण्डितराज जैसे व्युत्पन्नशिरोमणि 'रवितुरग-दिग्गजेषु स्वर्णाचलजलधिधनदकोषेषु' इस तरह पृथक्-पृथक् उनका निर्देश कथमपि नहीं करते, अपि तु आदि से अन्त तक एक समस्त पद ही रखते। अतः मैंने 'सरला' के आधार पर इस पद्य की व्याख्या की है जिस की समीचीनता अथवा असमीचीनता का निर्णय सुधीजन करेंगे।]

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे लेशप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे लेशालङ्कारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत लेश अलङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां लेशप्रकरणम्॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथ तद्गुणः—

तद्गुणालङ्कारो निरूप्यत्वेनारब्धो बोध्य इति भावः।

अब तद्गुण अलङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है—।

तावत्तल्लक्षणमाह—

स्वगुणत्यागपूर्वकं स्वसन्निहितवस्त्वन्तरसंबन्धिगुणग्रहणं तद्गुणः॥

कश्चित्पदार्थः स्वगुणं परित्यज्य स्वसन्निहितस्यान्यस्य वस्तुनो गुणं यद् गृह्णाति तत् तद्गुणालङ्कारत्वेन व्यपदिश्यत इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—स्वगुण इत्यादि।

अपने गुण का त्याग करके निकटस्थ अन्य वस्तु के गुण का ग्रहण तद्गुण कहलाता है।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्,

जैसे—

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'नीतो नासान्तिकं तन्व्या मालत्याः कुसुमोत्करः।
बन्धूकभावमानिन्ये रागेणाधरवर्तिना॥'

तन्व्या कृशाङ्ग्या, नासान्तिकम् नासिकानिकटम्, नीतः प्रापितः, मालत्याः तदाख्याया लतायाः, कुसुमोत्करः पुष्पसमूहः, अधरवर्तिना अधरगतेन, रागेण रक्तिम्ना, बन्धूकभावम् बन्धूकाख्यरक्तपुष्पताम्, आनिन्ये प्रापित इत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—नीतः इत्यादि।

कृशाङ्गी नायिका ने मालती के जिस उजले पुष्पसमूह को अपनी नाक के निकट लाया वह अधर की लाली से बन्धूक (एक लाल फूल) बन गया।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्,

अथवा जैसे—।

उदाहरणान्तरमुपस्थापयति—

'अधरेण समागमाद्रदानामरुणिम्ना पिहितोऽपि शुद्धभावः।
हसितेन सितेन पक्ष्मलाक्ष्याः पुनरुल्लासमवाप जातपक्षः॥'

अधरेण, समागमात् सम्मेलनात्, अरुणिम्ना रागेण, पिहितोऽपि आच्छन्नोऽपि, पक्ष्मलाक्ष्याः सघनरोमनयनाया नायिकायाः, रदानाम् दन्तानाम्, शुद्धभावः धवलता, सितेन धवलेन, हसितेन हासेन, जातपक्षः उत्पन्नपक्षतिः, सन्, पुनः, उल्लासम् अभिव्यक्तिम्, अवाप लेभे इत्यर्थः।

दूसरा उदाहरण दिखलाया जाता है—अधरेण इत्यादि।

पद्मलाक्षी नायिका के दाँतों की शुभ्रता यद्यपि अधर के साथ समागम के कारण पहले लाली से ढँक गई पर पुनः धवल हास के कारण पंखवाली होकर उल्लसित हो उठी।

उपपादयति—

अत्राद्ये मालतीकुसुमोत्करस्याधररागरक्ततया बन्धूकभावोपपत्तेस्तद्गुणः। द्वितीयेऽपि पूर्वार्धे स्पष्ट एव तद्गुणः। परं तूत्तरार्धगतेन प्रतिप्रसवतुल्येन हासेनापोह्यमानत्वाद् भङ्गुरः। यदि तु हासेनाधरसितीकरणद्वारा तदरुणिम्नो बाधस्तदा तत्राप्यपरस्तद्गुणः।

आद्य इति। 'नीतो नासान्तिकम्-' इति पद्य इत्यर्थः। बन्धूकभावोपपत्तेरिति। बन्धूकतासिद्धेरित्यर्थः। शुक्लो मालतीकुसुमसमूहः स्वकीयं श्वेतत्वगुणमपहायाधरस्यारुणतागुणम् जग्राह येन बन्धूकत्वमाससादेति तद्गुण इति भावः। द्वितीयेऽपीति। 'अधरेण-' इत्यत्रेत्यर्थः, स्पष्ट एव तद्गुण इति। रदानां शुद्धताया अधरगतारुणिम्ना पिहितत्ववर्णनादिति भावः। परमस्मिन् तद्गुणेऽस्ति कश्चिद् विशेषः, यम् सूचयति—पर तु इति। प्रतिप्रसवतुल्येनेति। पुनर्जन्मसदृशेनेत्यर्थः, अपोह्यमानत्वादिति। अपसार्यमाणत्वादित्यर्थः। भङ्गुरः अस्थिरः। अयं भावः—पूर्वार्धगतोऽयं तद्गुणः स्थिरो नास्ति, गृह्यमाणस्य परगुणस्यारुणिम्नः उत्तरार्धवर्णितेन हासेनापसारणात् पुनः स्वकीयशुभ्रतागुणस्योपलब्धेः इति। पक्षान्तरं सूचयति—यदि त्विति। अधरसितीकरणद्वारा तदरुणिम्नो हासेन बाध इत्यन्वयः, अयमाशयः—यावदरुणिमजनकस्याधरस्य श्वेतता न स्यात्तावद्रदानां गृहीतोऽरुणिमा नापसरेत् शुभ्रता च नागच्छेदिति हासेनाधरस्य श्वेततामुत्पाद्यैव रदानां श्वैत्यं संपादितं भवेत्। ततश्चात्रापि द्वितीयस्तद्गुणः संपद्यते, अधरेण स्वारुणत्वगुणपरित्यागपूर्वकम् हासगतश्वैत्यगुणग्रहणादिति।

उपपादन किया जाता है—अत्राद्ये इत्यादि।

यहाँ 'नीतः-' इस प्रथम उदाहरण में मालती-पुष्पसमूह के अधर के रंग से रंग जाने के कारण बन्धूकता सिद्ध हो जाने से तद्गुण है।

'अधरेण-' इस द्वितीय उदाहरण में भी पूर्वार्ध में दाँतों पर अधर की लाली आ जाने से तद्गुण स्पष्ट ही है, परन्तु यह तद्गुण उत्तरार्धगत पुनर्जन्म के सदृश हास के द्वारा हटाए जाने के कारण भङ्गुर है—स्थिर नहीं। यदि यह समझा जाय कि हास ने अधर को धवल बनाकर उसकी लाली को बाधित किया तब तो वहाँ भी एक दूसरा तद्गुणालङ्कार होगा—अर्थात् अधर ने भी अपनी लाली को छोड़ कर हास की धवलता का ग्रहण किया अतः यह भी एक तद्गुणालङ्कार ही हो गया।

मतान्तरमाह—

इमं केचित्पूर्वरूपमामनन्ति।

पूर्वोक्तं भङ्गुरं तद्गुणं केचित्पूर्वरूपाख्यमलङ्कारान्तरं स्वीकुर्वन्तीति भावः।

कुछ विद्वान् इस भङ्गुर तद्गुण को 'पूर्वरूप' नामक भिन्न अलङ्कार मानते हैं।

उल्लासालङ्कारात्तद्गुणालङ्कारस्य भेदं प्रतिपादयति—

यद्यप्युल्लासेऽप्यन्यदीयगुणेनान्यस्य गुणाधानमस्ति, तथापि तत्रान्यदीयगुणप्रयुक्तं गुणान्तरं चूर्णादिक्षारताप्रयुक्तं हरिद्रादेः शोणत्वमिवाधीयते।

प्रकृते तु जपाकुसुमलौहित्यं स्फटिक इवान्यदीयगुण एवान्यत्रेति ततोऽस्य भेदः।

उल्लासेऽन्यदीयगुणसंबन्धेन गुणान्तरस्याधानम् तथा भवति यथा क्षारसंबन्धेन हरिद्रायामारुण्यम्। तद्गुणे तु पूर्ववस्तुनो गुण एव वस्त्वन्तरे संक्रामति यथा जपाकुसुमलौहित्यं स्फटिक इति मिथो भेद इति भावः। अप्पयदीक्षितादिभिस्तु उल्लासावज्ञालङ्कारयोर्गुणशब्दो दोषप्रतिपक्षवाची। तद्गुणातद्गुणयोस्तु गुणशब्दो रूपरसगन्धादिवाचीति भेदान्तरमपि दर्शितमिति बोध्यम्।

उल्लासालङ्कार से तद्गुणालङ्कार में भेद दिखलाया जाता है—यद्यपि इत्यादि।

यद्यपि उल्लास में भी एक के गुण के कारण दूसरे में गुणान्तर का आधान होता है तथापि वहाँ जैसे चूने आदि की क्षारता के कारण हल्दी आदि में लाली उत्पन्न होती है उसी प्रकार एक के गुण के कारण दूसरे में अन्य नवीन गुण उत्पन्न किया जाता है, किन्तु तद्गुण में पहले का गुण ही यथावत् दूसरे में संक्रान्त हो जाता है, जैसे जपाकुसुम की लाली स्फटिक में संक्रान्त होती है। यह है उल्लास से तद्गुण में भेद।

अप्पय दीक्षित आदि विद्वानों ने तो एक और अन्तर दिखलाया है। उनका कथन है कि उल्लास तथा अवज्ञा अलङ्कार में गुण शब्द दोषविपरीतार्थक है और तद्गुण तथा अतद्गुण में गुण शब्द रूप, रस आदि परिभाषित गुणों का बोधक है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे तद्गुणप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे तद्गुणालङ्कारनिरूपणप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत तद्गुणालङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां तद्गुणप्रकरणम्॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथातद्गुणः—

अतद्गुणालङ्कारो निरूप्यत्वेनारब्धो बोध्य इति भावः।

अब अतद्गुण अलङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

तद्विपर्ययोऽतद्गुणः॥

तद्विपर्यय इति। तद्गुण–विपर्यय इत्यर्थः। स्वगुणस्यात्यागेन सन्निहितवस्त्वन्तरगुणस्याग्रहणमतद्गुण इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—तद् इत्यादि।

तद्गुण का विपर्यय—अर्थात् अपने गुण का त्याग न करने के कारण निकटस्थ अन्य के गुण का अग्रहण अतद्गुण अलङ्कार कहलाता है।

उदाहर्तुमाह—

यथा—

स्पष्टम्—।

जैसे—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'कुचाभ्यामालीढं सहजकठिनाभ्यामपि रमे
न काठिन्यं धत्ते तव हृदयमत्यन्तमृदुलम् ।
मृगाङ्गानामन्तर्जननि निवसन्ती खलु चिरं
न कस्तूरी दूरीभवति निजसौरभ्यविभवात् ॥'

हे जननि रमे मातर्लक्ष्मि ! अत्यन्तमृदुलम् अतिकोमलम्, तव भवत्याः, हृदयम्, सहजकठिनाभ्याम् स्वभावतः, कठोराभ्याम्, कुचाभ्याम् स्तनाभ्याम्, आलीढमपि, संसक्तमपि, काठिन्यम् कठोरताम्, न धत्ते न धारयति । उचितमेवैतत् । यतः, मृगाङ्गानाम्—हरिणस्याङ्गानाम्, अन्तः मध्ये, चिरम् चिरकालपर्यन्तम्, निवसन्ती तिष्ठन्ती, कस्तूरी, निजसौरभ्यविभवात् स्वसौरभसंपदः, खलु निश्चयेन, न दूरीभवति नावचलति—निजसौरभं न मुञ्चतीत्यर्थः ।

उदाहरण दिखलाया जाता है—कुचाभ्यामित्यादि ।

हे मातर्लक्ष्मि ! तुम्हारा अत्यन्त कोमल हृदय स्वभावतः कठिन कुचों से व्याप्त होकर भी कठोरता का धारण नहीं करता । ठीक ही है । चिरकाल तक मृग के अङ्गों में निवास करती हुई कस्तूरी अपनी सौरभ-संपत्ति से दूर नहीं होती (अपनी सुगन्ध को नहीं छोड़ती)—यह निश्चित है ।

उपपादयति—

अत्र पूर्वार्धे परगुणाग्रहणं शाब्दम् स्वगुणत्यागाभावस्त्वार्थः । उत्तरार्धगते दृष्टान्ते स्वगुणत्यागाभावः शाब्दः परगुणाग्रहणं त्वार्थम् ।

अत्रेति । कुचाभ्यामित्यत्रेत्यर्थः । परगुणाग्रहणमित्यर्थः । शाब्दमिति । 'काठिन्यं न धत्ते' इत्येतदुपादानादिति भावः । स्वगुणेति । मृदलतेत्यर्थः । आर्थ इति । बोधकपदविरहेणार्थानुसन्धानलब्ध इत्यर्थः । दृष्टान्ततयोपात्ते मृगकस्तूरीवृत्तान्त इत्यर्थः । स्वगुणेति । सौरभ्यविभवेत्यर्थः । शाब्द इति । 'निजसौरभ्यविभवात् न दूरीभवति' इत्येतदुक्तेरिति भावः । परगुणेति, मृगाङ्गगतनिर्गन्धतेत्यर्थः । आर्थमिति । बोधकशब्दानुपादानादिति भावः । एवञ्चात्र द्वावतद्गुणालङ्कारौ स्त इति बोध्यम् ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'कुचाभ्याम्—' इस पद्य में दो अतद्गुणालङ्कार हैं । एक पूर्वार्ध में और दूसरा दृष्टान्त रूप से कथित उत्तरार्ध में । उनमें से पूर्वार्धगत अतद्गुण में परकीय गुण का अग्रहण शब्दतः ज्ञात होता है—अर्थात् 'हृदय कुचों की कठिनता का ग्रहण नहीं करता' इस अर्थ का बोधक शब्दसमूह यहाँ विद्यमान है और स्वकीय गुण का अत्याग अर्थतः ज्ञात होता है—अर्थात् 'हृदय अपनी सहज कोमलता को नहीं छोड़ता' इस अर्थ का बोधक पद नहीं है, तथापि अर्थानुसन्धान से वह ज्ञात होता है । उत्तरार्धगत अतद्गुण में ठीक इससे विपरीत स्थिति है—अर्थात् उसमें स्वकीय गुण का अत्याग ही शब्दतः ज्ञात होता है और परकीय गुण का अग्रहण होता है अर्थतः विदित । अभिप्राय यह कि 'कस्तूरी अपनी सुगन्ध को नहीं छोड़ती' इस अर्थ के बोधक पद तो उक्त हैं, पर 'कस्तूरी मृग के अङ्गों के गुण (निर्गन्धता) का ग्रहण नहीं करती' इस अर्थ के बोधक शब्द उक्त नहीं हैं ।

अवज्ञातोऽतद्गुणे भेदं सूचयति—

न चायमवज्ञाया नातिरिच्यते । उल्लासविपर्ययोह्यवज्ञा । तद्गुणविपर्ययश्चातद्गुण इति प्रतियोगिभेदादेव भेदस्य सिद्धेः ।

अवज्ञालङ्कारापेक्षयाऽतद्गुणालङ्कारे भेदो नास्तीति न भ्रमितव्यम्, यतोऽवज्ञा नामोल्लासवैपरीत्यम्, अतद्गुणश्च तद्गुणवैपरीत्यम्, एवञ्चोल्लास-तद्गुणात्मकयोर्भेदात्मकावज्ञाऽतद्गुणप्रतियोगिनोर्भेद एव तयोर्भेदकः । उल्लास तद्गुणयोश्च मिथो भेदस्तद्गुणनिरूपणप्रसङ्गेऽनुपदमुक्त एवेति भावः ।

अवज्ञा तथा अतद्गुण में भेद बतलाया जाता है—न चायमिति ।

अवज्ञा अलङ्कार से इस अतद्गुण अलङ्कार में कोई भेद नहीं है ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उल्लास के विपर्यय का नाम अवज्ञा है और तद्गुण के विपर्यय का नाम है अतद्गुण । इस तरह से अभावात्मक अवज्ञा का प्रतियोगी है उल्लास और अभावात्मक अतद्गुण का प्रतियोगी है तद्गुण और उल्लास तथा तद्गुण में भेद तद्गुणप्रकरण में बताया जा चुका है, अतः प्रतियोगियों के भेद से उनके विपर्ययों में भेद स्वतः सिद्ध है ।

अतद्गुणालङ्कारप्रभेदविषये मतभेदमुदीरयति—

'अत्र गुणाग्राहकापेक्षया सन्निहितस्य गुणवत उत्कृष्टत्व-समत्वाभ्यां द्वैविध्यम्' इति सर्वस्वकारः । तस्यायमाशयः—अपकृष्टसंबन्धिगुणाग्रहणस्य साहजिकत्वेन वैचित्र्यानाधायकत्वादनलङ्कारतैवेत्यपकृष्टत्वेन तृतीयविधा तु न संभवतीति । अन्ये तु 'अवान्तरचमत्कारविशेषस्याभावाद् द्वैविध्यमपि न' इति वदन्ति ।

अयं भावः-येन वस्तुना परकीयगुणो न गृह्यते तदपेक्षया यस्य गुणो न गृह्यते तस्योत्कृष्टत्व-समत्वभेदेनातद्गुणस्यापि द्वैविध्यमिति व्याचक्षाणस्यालङ्कारसर्वस्वकारस्यायमभिप्रायो यत् यस्य गुणो न गृह्यते तस्यापकृष्टत्वेन तृतीयः प्रकारोऽतद्गुणस्य न संभवति, अपकृष्टसंबन्धिगुणाग्रहणस्य स्वाभाविकत्वेन वैचित्र्यानाधायकतयाऽलङ्कारत्वायोगादिति । तथा च सर्वस्वकारमतेऽतद्गुणालङ्कारस्य द्वौ प्रभेदौ भवतः । अगृह्यमाणगुणस्य गुणिन उत्कृष्टत्व-समत्वाभ्यां न कश्चिदवान्तरश्चमत्कारविशेषो जन्यतेऽननुभवादिति द्वैविध्यमपि न, अपि तु एक एव प्रकारोऽतद्गुणस्येति मतान्तरमिति ।

अतद्गुणालङ्कार के प्रभेदों के संबन्ध में मतभेद दिखलाया जाता है—अत्र इत्यादि ।

अलङ्कारसर्वस्वकार का कथन है कि अतद्गुण के दो प्रभेद होते हैं । (१) जहाँ गुण का ग्रहण न करनेवाले पदार्थ की अपेक्षा जिसका गुण नहीं गृहीत होता है वह सन्निहित गुणवान् पदार्थ उत्कृष्ट हो और (२) जहाँ गुण का ग्रहण न करनेवाले पदार्थ की अपेक्षा जिसका गुण नहीं गृहीत होता है वह सन्निहित गुणवान् पदार्थ समान हो ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि—अपने से अपकृष्ट वस्तु के गुण का ग्रहण न करना स्वाभाविक है—लोकसिद्ध है (कोई भी अपने से अपकृष्ट का गुण नहीं लेता है), ऐसी स्थिति में यदि अपने से अपकृष्ट के गुण का अग्रहण वर्णित हो तो उसमें कविकल्पना का सहारा न लिए जाने के कारण कोई विचित्रता नहीं होगी, फलतः वहाँ अलङ्कारता नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि 'वैचित्र्यमलङ्कारः' यह सिद्धान्त है,

अतः जिसके गुण का अग्रहण वर्णित हो उसकी अपकृष्टता को लेकर अतद्गुण का तृतीय प्रकार संभव नहीं है।

अन्य विद्वान् कहते हैं कि उक्त दोनों भेदों में भी अवान्तर चमत्कार-विशेष का अनुभव नहीं होता, अतः उक्त दो प्रभेद भी नहीं हो सकते हैं, अतः अतद्गुण का एक ही प्रकार संभव है।

अतद्गुणालङ्कारमस्वीकुर्वतामन्येषां मतमुपन्यस्यति—

अन्ये तु—'सति गुणग्रहणहेतावुत्कृष्टगुणवस्तुसन्निधाने तद्गुणग्रहणरूपकार्याभावात्मकोऽयमतद्गुणो विशेषोक्तेरवान्तरभेदः, नत्वलङ्कारान्तरम्। कार्यकारणभावो नात्र विवक्षितः। किंतु सन्निधानेऽपि तद्गुणग्रहणाभाव इत्येतावन्मात्रम्। अतो विशेषोक्तेरतद्गुणो भिन्न इति तु न युक्तम्। सन्निधानेऽपीत्यपिना विरोधोऽपि विवक्षित इति गम्यते। अन्यथा जीवातोरभावादलङ्कारतैव न स्यात्। स च कार्यकारणभावाविवक्षणे न भवतीति कथमुच्यते न विवक्षित' इत्यप्याहुः।

अत्रेति। अतद्गुण इत्यर्थः। अत इति। कार्यकारणभावस्याविवक्षितत्वादित्यर्थः। अन्यथेति। विरोधस्याविवक्षितत्वे इत्यर्थः। जीवातोरिति। अलङ्कारताबीजस्येति भावः। स चेति। विरोधश्चेत्यर्थः। उत्कृष्टगुणकवस्तुसन्निधानं गुणग्रहणस्य हेतुः। एवञ्चोत्कृष्टगुणकवस्तुसन्निधानेऽपि तद्गुणाग्रहणरूपोऽतद्गुणः उत्कृष्टगुणकवस्तुसन्निधानरूपगुणग्रहणकारणसत्त्वे तद्गुणग्रहणरूपकार्याभावात्मकः पर्यवस्यति। तथात्वे च 'प्रसिद्धकारण कलापसामानाधिकरण्येन वर्ण्यमाना कार्यानुत्पत्तिः' इति लक्षणलक्षिताया विशेषोक्तेरवान्तरप्रभेद एवायम्, नापरोऽलङ्कारः। कार्यकारणभावस्याविवक्षिततया विशेषोक्तेरतद्गुणो भिन्न इति कथनं तु नोचितम्, यतः 'सन्निधानेऽपि' इत्यतद्गुणलक्षणगतेऽशेऽपि शब्देन विरोधस्यात्र विवक्षितत्वं प्रतीयते, विरोध एव च प्रतीयमानोऽस्यालङ्कारतायां हेतुः। तदभावेऽलङ्कारत्वस्यैवाप्राप्तिः। विरोधश्च कार्यकारणभावविवक्षणोत्तरं कारणसत्त्वे कार्याभाववर्णन एव भवतीति 'न विवक्षितोऽत्र कार्यकारणभावः' इत्युक्तिरसंगतैवेति भावः।

अतद्गुण को स्वतन्त्र अलङ्कार नहीं मानने वाले विद्वानों का मत दिखलाया जाता है—अन्ये तु इत्यादि।

उत्कृष्टगुणवाले पदार्थ का सन्निधान गुणग्रहण का हेतु है, उसके रहने पर भी तद्गुणाग्रहण—अर्थात् तद्गुणग्रहणरूप कार्य का अभाव रूप यह अतद्गुण विशेषोक्ति का ही अवान्तर भेद है, अतिरिक्त अलङ्कार नहीं, क्योंकि कारण के रहने पर भी कार्य का न होना ही विशेषोक्ति कहलाता है।

'यहाँ कार्यकारणभाव विवक्षित नहीं है, किन्तु उत्कृष्टगुणवाले के सन्निधान में भी उसके गुण के ग्रहण का अभाव इतना ही विवक्षित है, अतः अतद्गुण विशेषोक्ति से भिन्न है' ऐसा कथन तो उचित नहीं होगा, क्योंकि आपने जो 'सन्निधान में भी' ऐसा अतद्गुण के लक्षण में कहा है, उसमें 'भी' से स्पष्ट है कि 'सन्निहित के गुण के ग्रहण का अभाव' ही केवल विवक्षित नहीं है, अपि तु उन दोनों में विरोध भी विवक्षित है। विरोध को विवक्षित मानना इस लिए भी आवश्यक

है कि विरोध ही यहां जीवन है-अलङ्कारता का बीज है, उसके अभाव में चमत्कारशून्य होने से अलङ्कारता ही नहीं हो सकती है और विरोध कार्यकारणभाव की विवक्षा न होने पर हो नहीं सकता—अर्थात् कारण की स्थिति में कार्य के न होने पर ही विरोध झलकता है, यदि कार्यकारणभाव ही न माना जाय तब विरोध कैसा ? अतः आप कैसे कह रहे हैं कि 'कार्यकारणभाव विवक्षित नहीं है'। फलतः विशेषोक्ति से अतद्गुण को भिन्न अलङ्कार मानना युक्तिविहीन ही है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरेऽतद्गुणप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धेऽतद्गुणालङ्कारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत अतद्गुण अलङ्कार का निरूपण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायामतद्गुणप्रकरणम् ॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथ मीलितम्—

मीलितालङ्कारो निरूप्यत्वेनारब्धो बोध्य इति भावः।

अब मीलित अलङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है—।

तावतलक्षणमाह—

स्फुटमुपलभ्यमानस्य कस्यचिद्वस्तुनो लिङ्गैरतिसाम्याद् भिन्नत्वेनागृह्यमाणानां वस्त्वन्तरलिङ्गानां स्वकारणाननुमापकत्वं मीलितम् ॥

स्फुटप्रतीयमानस्य वस्तुनो लिङ्गेषु (अनुमापकचिह्नेषु) साम्यवशान्निलीनानीव यत्किञ्चिदस्फुटवस्तुलिङ्गानि यत्स्वकारणं (अस्फुटं वस्तु) नानुपायन्ति तन्मीलितमिति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—स्फुट इत्यादि।

अत्यन्त समानता के कारण, स्पष्ट उपलब्ध हो रही किसी वस्तु के लिङ्गों (ज्ञापकों) से भिन्न रूप में प्रतीत न होने वाली किसी अन्य वस्तु के लिङ्गों के द्वारा अपने कारण (अन्य वस्तु) का अनुमान न करना मीलितालङ्कार कहलाता है।

अभिप्राय है कि-स्पष्ट उपलब्ध न होने वाली वस्तु की भी अनुमिति उसके स्पष्ट उपलब्ध लिङ्गों (अनुमापक चिह्नों) से हो जाती है, पर वे लिङ्ग यदि किसी स्पष्ट उपलब्ध वस्तु के लिङ्गों में अत्यन्त समता के कारण घुल मिल कर एकीकृत से हो जाते हैं-पृथक् प्रतीत नहीं होते तो वैसी स्थिति में वे लिङ्ग अपने कारण (स्पष्ट उपलब्ध न रहने वाली वस्तु) की अनुमिति नहीं करा पाते हैं, बश, इसी अननुमापकत्व का नाम 'मीलित' रक्खा जाता है :

उक्तलक्षणार्थसंग्राहिकां कारिकां प्रस्तौति—

संग्रहश्च—

'भेदाग्रहेण लिङ्गानां लिङ्गैः प्रत्यक्षवस्तुनः।
अप्रकाशो ह्यनध्यक्षवस्तुनस्तन्निमीलितम् ॥'

प्रत्यक्षवस्तुनः स्फुटमुपलभ्यमानस्य पदार्थस्य, लिङ्गैः चिह्नविशेषैः, लिङ्गानाम् अप्रत्यक्षवस्त्वनुमापकचिह्नानाम्, भेदाग्रहेण अतिसाम्याद् भेदज्ञानाभावेन, अनध्यक्षवस्तुनः

अप्रत्यक्षपदार्थस्य, अप्रकाशः अननुमितिः, या भवति, तत्, निमीलितम् मीलितालङ्कार इत्यर्थः।

उक्त लक्षण के अर्थ का संग्रह करने वाली कारिका दिखलाई जाती है—संग्रहश्च इत्यादि।

उक्त लक्षणार्थ का संग्रह इस प्रकार किया गया है कि-प्रत्यक्ष वस्तु के लिङ्गों से अप्रत्यक्ष वस्तु के लिङ्गों के भेद का ज्ञान न होने के कारण अप्रत्यक्ष वस्तु का प्रकाशित न होना मीलित अथवा निमीलित कहलाता है।

लक्षणस्यानतिव्याप्ततां स्फुटयति—

सामान्यवारणाय अनध्यक्षेति। तत्राध्यक्षस्यैव वस्त्वन्तरस्याग्रहणम्। तद्गुणे वस्त्वन्तरगुणानां भिन्नत्वेनाग्रहणेऽपि वस्त्वन्तरस्य ग्रहणमस्त्येवेति न तत्र प्रसङ्गः।

संग्रहश्लोकेऽनध्यक्षेति वस्तुविशेषणम् सामान्यालङ्कारेऽतिप्रसङ्गव्यावृत्त्यर्थमुपात्तम्। उपात्ते च तस्मिन् सामान्येनातिप्रसङ्गः, तत्राध्यक्षस्यैव वस्तुनोऽग्रहणादिति भावः। तद्गुणेऽपि अत एव नातिव्याप्तिः, यतस्तत्रापि वस्त्वन्तरगुणानामेव भिन्नत्वेनाग्रहणं भवति, वस्त्वन्तरस्य तु भिन्नत्वेन ग्रहणमस्त्येवेति बोध्यम्।

लक्षण में निविष्ट 'अनध्यक्ष' पद का फल बतलाया जाता है—सामान्येत्यादि।

संग्रहश्लोक में जो 'अनध्यक्ष' पद कहा गया है, वह इस लिए कि सामान्य अलङ्कार में इस लक्षण की अतिव्याप्ति न हो। सामान्य में अध्यक्ष (प्रत्यक्ष) अन्य वस्तु का ही ज्ञान नहीं होता, तद्गुण में भी अतिव्याप्ति इसी 'अनध्यक्ष' पद के निवेश के कारण नहीं होती, क्योंकि वहां भी अन्य वस्तु के गुणों का पृथक् ग्रहण न होने पर भी अन्य वस्तु का पृथक् ग्रहण होता ही है।

लक्ष्यमुपस्थापयितुमाह—

उदाहरणम्—

स्पष्टम्,

उदाहरण, जैसे—।

उदाहरणन्निर्दिशति—

'जलकुम्भमुम्भितरसं सपदि सरस्याः समानयन्त्यास्ते।
तटकुञ्जगूढसुरतं भगवानेको मनोभवो वेद॥'

सरस्याः लघुसरसः, उम्भितरसम् संभृतजलम्, जलकुम्भम् जलघटम्, सपदि शीघ्रतया, समानयन्त्याः सम्यक् आनयन्त्याः, ते, तव, तटकुञ्जगूढसुरतम् तीरवर्तिकुञ्जे कृतम् गुप्तं संभोगम्, एकः एकलः, भगवान् ऐश्वर्यशाली, मनोभवः-कामदेवः, वेद जानातीत्यर्थः।

उदाहरण का निर्देश किया जाता है—जलकुम्भम् इत्यादि।

लघु जलाशय से शीघ्रतापूर्वक जलपूर्ण घड़े को लाती हुई तेरे तट के कुञ्ज में किए गए गुप्त संभोग को अकेले भगवान् कामदेव ही जानते हैं।

उपपादयति—

अत्र सुरतगमकानां स्वेदकम्पनिःश्वासानां जलकुम्भानयनत्वराजनितैस्तैर्भेदस्याग्रहात् सुरतस्याप्रकाशः।

अत्रेति। जलकुम्भेति पद्य इत्यर्थः। सुरतगमकानामिति। संभोगानुमापकानामित्यर्थः। तैः स्वेदकम्पनिश्वासैः। भेदस्याग्रहादिति, अतिसाम्यात् भेदज्ञानाभावादित्यर्थः। अप्रकाश इति। अनुमितिर्नेति भावः।

अयं भावः—जलानयनच्छलेन गत्वा सरस्तटकुञ्जे केनापि कामुकेन सह संभोगं कृतवत्याः कामिन्या अङ्गेषु संभोगचिह्नानि स्वेदादीनि यद्यपि संजातानि परन्तु तानि प्रत्यक्षया जलानयनत्वरया समुत्पादितेषु स्वेदादिषु अतिसाम्यान्निलीनानीव, अतस्तानि तैर्भिन्नत्वेन न गृह्यन्त इति स्वकारणं सम्भोगं नानुमापयन्तीति।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

अभिप्राय है कि—जल लाने के लिए कोई कामिनी जलाशय की ओर गई और जल से भरे भारी घड़े को उठाकर वेग से लौट भी आई। फलतः उसके अङ्गों में भारी घड़े को उठाकर वेग से आने के कारण पसीना, कम्प तथा निःश्वास उत्पन्न हुए। पर ये सब चिह्न उसके अङ्गों में केवल भारी घड़े को लेकर शीघ्र आने के कारण से ही नहीं हुए थे, अपितु उसने जो जलाशय के निकट छिप कर किसी कामुक के साथ संभोग किया था, उसके कारण भी वे सब हुए थे—अर्थात् एक ही तरह के चिह्न दो कारणों से प्रकट हुए थे, उन दोनों कारणों में से एक (जलपूर्ण घटानयनत्वरा) प्रत्यक्ष था, और दूसरा (संभोग) था अप्रत्यक्ष। ऐसी स्थिति में यह संभावना थी कि स्वेदादि चिह्नों से अप्रत्यक्ष सम्भोग का ज्ञान (अनुमिति) होजाय पर ऐसा नहीं हुआ, क्यों कि संभोग के चिह्न प्रत्यक्ष जलपूर्णघटानयनत्वरा के चिह्नों में समानता के कारण ऐसे घुल-मिल गए कि पृथक् रूप में ज्ञात ही नहीं हो सके, अतः वे अपने कारण (संभोग) की अनुमिति कराने में असमर्थ हो गए।

उदाहरणान्तरं दातुमाह—

यथा वा—

स्पष्टम्,

अथवा जैसे—'

उदाहरणान्तरमुल्लिखति—

'सरसिरुहोदरसुरभावधरितबिम्बाधरे मृगाक्षि तव।
वद वदने मणिरदने ताम्बूलं केन लक्षयेम वयम्॥'

हे मृगाक्षि मृगनयने! वयम्, सरसिरुहोदरसुरभौ कमलगर्भसुगन्धिनि, अधरितबिम्बाधरे अधरितबिम्बः अत्यरुण इति यावत्, अधरो यस्मिन् तादृशे, मणिरदने मणितुल्यदन्तयुक्ते, तव भवत्याः वदने मुखे, ताम्बूलम्, केन प्रकारेण, लक्षयेम परिचेष्याम इत्यर्थः।

दूसरा उदाहरण दिया जाता है—सरसि इत्यादि।

हे मृगनयने! कमल के मध्यभाग के समान सुगन्धवाले, बिम्बफल को नीचे दिखाने वाले-अर्थात् अतिशय लाल अधर से युक्त और मणितुल्य दाँतों वाले तेरे मुख में ताम्बूल को हम किस प्रकार समझें पहचानें?

प्रसङ्गं सूचयति—

'अत्र प्रियेण ताम्बूलं कुतो न गृह्णासीत्युक्ते एतावन्तं समयं ताम्बूलानि भुक्त्वैव समागतास्मीत्युक्तवतीं प्रति तस्येयमुक्तिः।

निगदव्याख्यातमेव।

प्रसङ्ग दिखलाया जाता है—अत्र इत्यादि।

यह 'ताम्बूल क्यों नहीं ले रही हो' प्रिय के यह पूछने पर 'अभी-अभी-ताम्बूल खाकर ही आई हूँ' यह कहने वाली प्रिया के प्रति प्रिय की उक्ति है।

प्रथमोदाहरणतोऽस्मिन्द्वितीयोदाहरणेऽन्तरं सूचयति—

पूर्वोदाहरणे प्रत्यक्षवस्तुलिङ्गान्यागन्तुकानि, अत्र तु साहजिकानीति विशेषः।

'जलकुम्भम्-' इत्यत्र जलकुम्भानयनत्वरारूपप्रत्यक्षवस्तुनो लिङ्गानि स्वेदादीनि आकस्मिकानि सन्ति, 'सरसिरुहोदर-' इत्यत्र तु अधररूपप्रत्यक्षवस्तुनो लिङ्गम् अरुणत्वम् स्वाभाविकमित्युभयोदाहरणयोरन्तरमिति भावः।

प्रथम उदाहरण से द्वितीय उदाहरण में अन्तर बतलाया जाता है—पूर्वोदाहरणे इत्यादि।

'जलकुम्भम्-' इस प्रथम उदाहरण में जलकुम्भानयनत्वरारूप प्रत्यक्ष वस्तु के लिङ्ग स्वेद आदि आगन्तुक हैं—आकस्मिक हैं और और 'सरसि-' इस द्वितीय उदाहरण में अधर रूप प्रत्यक्ष वस्तु का लिङ्ग-लाली स्वाभाविक है, आगन्तुक नहीं, यह दोनों उदाहरणों में अन्तर है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे मीलितालङ्कारप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे मीलितालङ्कारनिरूपणप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः,

रसगङ्गाधरगत मीलितालङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां मीलितालंकारप्रकरणम्॥

अलंकारान्तरनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथ सामान्यम्—

सामान्यालङ्कारो निरूप्यत्वेनारब्धो बोध्य इति भावः।

अब सामान्यालङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है।

तावत्तल्लक्षणमाह—

प्रत्यक्षविषयस्यापि वस्तुनो बलवत्सजातीयग्रहणकृतं तद्भिन्नत्वेनाग्रहणं सामान्यम्॥

बलवतः सजातीयपदार्थस्य ज्ञानेन जनितः प्रत्यक्षविषयवस्तुविषयकस्य बलवत्सजातीयपदार्थप्रतियोगिकभेदाश्रयत्वप्रकारकस्य ज्ञानस्याभावः सामान्यालंकार इति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—प्रत्यक्ष इत्यादि।

बलवान् सजातीय पदार्थ के ज्ञान के कारण प्रत्यक्ष वस्तु का भी सजातीय पदार्थ से भिन्न रूप में ज्ञान न होना सामान्यालङ्कार कहलाता है।

लक्षणे 'प्रत्यक्षविषयस्य' इत्येतद्विशेषणफलमुपदर्शयति—

मीलिते तु निगूह्यमानवस्तु न प्रत्यक्षविषय इति न तत्रातिव्याप्तिः।

मीलितालंकारे यद्वस्तु निगूह्यते तत्प्रत्यक्षविषयो न भवति, 'अनध्यक्षवस्तुनोऽप्रकाशः' इति तल्लक्षणे कथनात्, तथा च सामान्यलक्षणस्य प्रत्यक्षविषयवस्तुघटितस्य तत्रातिव्याप्तिर्न भवतीति भावः।

सामान्यालङ्कार के लक्षण में जो 'प्रत्यक्षवस्तु का' यह अंश कहा गया है उसका फल दिखलाया जाता है—मीलिते तु इत्यादि।

मीलितालङ्कार में जो वस्तु छिपाई जाती है वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं होती, क्योंकि उसके लक्षण में 'अनध्यक्षवस्तुनः अप्रकाशः' ऐसा कहा गया है, अतः वहाँ सामान्यलङ्कार का लक्षण अतिव्याप्त नहीं होता, क्योंकि इसमें 'प्रत्यक्ष विषय का अग्रहण' कहा गया है।

लक्ष्यनिर्देशायाह—

उदाहरणम्—

स्पष्टम्-'

उदाहरण, जैसे—।

उदाहरणन्निर्दिशति—

'यस्मिन् हि मानीनिकरावदाते चन्द्रांशुकैवल्यमिव प्रयाते।
पुच्छाश्रयाभ्यां विकला इवाद्रौ चरन्ति राकासु चिरं चमर्यः॥'

हिमानीनिकरावदाते महाहिमसमूहधवले, अत एव चन्द्रांशुकैवल्यम् चन्द्रकिरणाद्वैतभावम्, प्रयाते इव प्राप्त इव, यस्मिन् अद्रौ हिमालयपर्वते, राकासु पूर्णिमानिशासु, चमर्यः मृगविशेषाः, पुच्छाश्रयाभ्याम् पुच्छाधाराभ्याम्, विकला इव रहिता इव, चिरम् चिरकालं यावत्, चरन्ति भ्रमन्तीत्यर्थः।

उदाहरण दिखलाया जाता है—यस्मिन् इत्यादि।

बर्फ के समूह से धवल पर्वत (हिमालय) जिस समय चन्द्रकिरणों के साथ मानों एकता को प्राप्त हो जाता है—अर्थात् चाँदनी में डूब जाता है, उस समय उस पर्वत पर पूनों की रातों में चमरियाँ (मृगविशेष) चिरकाल तक पूँछ और आधार से रहित-सी घूमती हैं।

उपपादयति—

अत्र चन्द्रिकान्तः पृथक्त्वेन हिमाचलचमरीपुच्छयोरदर्शनादुत्प्रेक्षोत्पत्तिरिति तस्यां सामान्यं गुणः।

अयं भावः—हिमालयरूपाश्रय-चमरीपुच्छे यद्यपि प्रत्यक्षभूते तथापि बलवता सजातीयेन चन्द्रिकारूपेण ते स्वान्तर्गृहीते इति चन्द्रिकाभिन्नत्वेन तयोरग्रहणम् 'यस्मिन्—' इत्यत्र वर्णितमतः सामान्यालङ्कारो भवति, स च 'पुच्छाश्रयाभ्यां विकला इव' इत्यंशेन प्रतिपाद्यमानायां पुच्छाश्रयवैकल्यसंभावनारूपायामुत्प्रेक्षायामङ्गभूत उत्थापकत्वात्। तथा च सामान्योत्प्रेक्षयोरङ्गाङ्गिभावरूपः संकरोऽत्र द्रष्टव्य इति।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'यस्मिन्—' इस पद्य में प्रबल सजातीय चाँदनी से अपने में लीन कर लिए जाने के कारण प्रत्यक्षभूत हिमालयरूप आधार और पुच्छ का चाँदनी से भिन्न रूप में ग्रहण न होना वर्णित है, अतः सामान्यालङ्कार होता है पर यह सामान्यालङ्कार उस उत्प्रेक्षा का गुण (अङ्ग) है जो उसी के कारण 'पूँछ और आधार से रहित सी' इस रूप में यहाँ हो जाती है। अभिप्राय यह कि यहाँ उत्प्रेक्षा तथा सामान्य का अङ्गाङ्गिभाव रूप संकर हो जाता है।

मतान्तरमाह—

केचित्तु—प्रागुक्तलक्षणे 'भिन्नत्वेनाग्रहणम्' इत्यपहाय 'भिन्नजातीयत्वेनाग्रहणम्'। इति वक्तव्यम् तेन व्यक्तिभेदाग्रहेऽपि सामान्यमेवालङ्कारः। यथा—

'स्तबकभरैर्ललिताभिश्चलिताभिर्मारुतैर्नृप लताभिः।
वृतमुपवनमेवासीदरिमहिलानां महावनं भवतः॥'

अत्र महावनमिति महावनकार्यस्य निलयनस्य संपादनात् तच्च तासां प्रत्यक्षेण त्वदीयैर्भटैर्लताभिः सह तत्तद्व्यक्तितया भिन्नत्वेन ग्रहेऽपि भिन्नजातीयत्वेनाग्रहणान्निष्पद्यते। पूर्वमते त्वत्रालङ्कारान्तरमभ्युपेयं स्यात्" इत्याहुः।

प्रागुक्तलक्षण इति। 'प्रत्यक्षविषयस्यापि-' इत्यादिनाऽनुपदोक्ते सामान्यलक्षण इत्यर्थः। तेनेति। 'भिन्नत्वेनाग्रहणम्' इत्यस्य स्थाने 'भिन्नजातीयत्वेनाग्रहणम्' इति कथनेनेत्यर्थः। व्यक्तिभेदग्रहेऽपीति। वस्तुनोऽन्यवस्तुभिन्नत्वेन ग्रहणेऽपीत्यर्थः। सामान्यमेवेति। भिन्नजातीयत्वेनाग्रहणस्य सत्त्वादिति भावः। तादृशमुदाहरणन्निर्देष्टुमाह—यथेति। तादृशमुदाहरणमाह—'स्तबकभरैः-' इति। हे नृप! स्तबकभरैः पुष्पगुच्छसमूहैः, ललिताभिः रमणीयाभिः, मारुतैः अनिलैः, चलिताभिः चञ्चलाभिः, लताभिः, वल्लरीभिः, वृतम् परिपूर्णम्, उपवनमेव उद्यानमेव, भवतः तव, अरिमहिलानाम् शत्रुस्त्रीणाम्, महावनम् महत् काननम्, आसीत् अभूदित्यर्थः। उपपादयति—अत्रेति। निलयनस्येति। गोपनस्येत्यर्थः। उपवनस्य महावनत्वम् महावनकार्यगोपनसंपादकत्वादिति भावः। ननु महावनकार्यम् निलयनं कथमुपवनतो निष्पद्यत इति चेत्तत्राह—तच्चेति। निलयनञ्चेत्यर्थः। तासामिति। अरिमहिलानामित्यर्थः। अस्य 'तद्व्यक्तितया भिन्नत्वेन ग्रहेऽपि भिन्नजातीयत्वेनाग्रहणादि'त्यत्रान्वयः। त्वदीया भटा यद्यपि शत्रुमहिलाः तत्तल्लताव्यक्तिभिन्नत्वेनावगच्छन्ति तथापि लताजातीयत्वेनैव जानन्ति, न महिलात्वेन। तथा च लतात्वेनावगम्यमानानामरिमहिलानां निलयनन्निष्पद्यत इति भावः। इत्थञ्चात्रैतद्द्वितीयमतानुसारेण सामान्यालङ्कारो भवति। पूर्वमते त्विति। 'भिन्नत्वेनाग्रहणम्' इत्येतद्घटितलक्षणस्वीकारे इत्यर्थः। अलङ्कारान्तरमभ्युपेयं स्यादिति। तन्मतरीत्या सामान्याप्रसक्तेरिति भावः।

सामान्यालङ्कार के सम्बन्ध में दूसरे विद्वानों का मत दिखलाया जाता है—केचित्तु इत्यादि।

कुछ विद्वानों का कथन है कि-पूर्वोक्त लक्षण में 'भिन्नत्वेनाग्रहणम्—अर्थात् भिन्न रूप में ज्ञान न होना' के स्थान पर 'भिन्नजातीयत्वेनाग्रहणम्-अर्थात् भिन्नजातीय के

रूप में ज्ञान न होना' ऐसा कहना चाहिए। ऐसा कहने से व्यक्ति से व्यक्ति का भिन्न रूपमें ज्ञान होने पर भी भिन्नजातीय के रूप में ज्ञान न होने पर सामान्यालङ्कार ही होता है। जैसे—'स्तवकभरैः—अर्थात् हे राजन्! पुष्पगुच्छों के समूह से सुन्दर तथा अनिलोंसे (कभी इधर की कभी उधर की हवाओं से) हिलने वाली लताओं से परिवृत उपवन (उद्यान) ही आप की शत्रु-महिलाओं के लिए महावन बन गया।' इस पद्य में।

यहाँ उपवन को महावन इस लिए कहा गया है कि उपवन महावन के कार्य 'छिपने' का संपादन करता है। और 'छिपना' इस लिए बन पाता है कि आप के सैनिक उन शत्रु-महिलाओं को लताओं के साथ तत्तद्व्यक्तिरूप में पृथक् समझ कर भी लताओं से भिन्नजातीय के रूप में नहीं समझ पाते हैं। अभिप्राय यह कि जैसे उस-उस लता की सत्ता पृथक् प्रतीत होती है उसी तरह शत्रु-महिलाओं की भी सत्ता लता से पृथक् रूप में दृष्टिगोचर होती है, पर् अत्यन्त समता के कारण शत्रुमहिलाएँ भी लताजाति की ही वस्तुएँ प्रतीत होती हैं।

यहाँ इस दूसरे मत के अनुसार सामान्यालङ्कार ही होता है, पर पूर्वमत के अनुसार यहाँ सामान्यालङ्कार नहीं हो सकेगा, अतः कोई दूसरा नया अलङ्कार मानना पड़ेगा।

आशङ्क्य समाधत्ते—

ननु भेदाग्रह एव मीलित-सामान्य-तद्गुण-साधारण एकोऽलङ्कारोऽस्तु। किमलङ्कारत्रयेण? मीलिते तावत्प्रकृताप्रकृतधर्मिगुणानां भेदाग्रह उपपादित एव। सामान्ये केषांचिद् गुणगुणिभेदाग्रहः, केषांचित्क्वचिदयं क्वचिज्जातिमात्रभेदाग्रहश्च। तद्गुणेऽपि रक्तगुणे रञ्जकगुणभेदाग्रहः। न चावान्तरभेदसत्त्वान्नैकालङ्कारत्वमुपपद्यत इति वाच्यम्। लुप्तोपमादितः पूर्णोपमादेः पृथगलङ्कारतापत्तेः। तस्माद् भेदाग्रहस्य त्रयो मीलितादयोऽवान्तरभेदा इति युक्तम्, न तु पृथगलङ्कारा इति चेत्, उच्यते एवं तर्ह्यभेदोऽप्येकोऽलङ्कारः। तदवान्तरभेदा रूपकपरिणामाद्यतिशयोक्तिप्रमुखा इत्यपि शक्यते वक्तुम्। विच्छित्तिभेदस्तु प्रकृतेऽपि तुल्यः।

भेदाग्रह एवेति। भेदाग्रहनामक एवेत्यर्थः। साधारण इति। त्रिषु वर्तमान इति भावः। साधारण्यमेवोपपादयति—मीलित इत्यादिना। प्रकृताप्रकृत··· इति। प्रस्तुतस्याप्रस्तुतस्य च धर्मिणो ये द्विविधा गुणास्तेषां भेदस्याग्रहणमिति भावः। केषांचिद् गुण इति। 'भिन्नत्वेनाग्रहणम्' इत्येतत्पदघटितलक्षणकारिणां मते गुण-गुणिनोर्भेदस्याग्रहणम्, यथा चन्द्रिकात्मकगुणपुच्छाद्यात्मकगुणिनोर्भेदस्याग्रहणम् इति भावः। केषांचित्क्वचिदिति। 'भिन्नजातीयत्वेनाग्रहणम्' इत्येतत्पदघटितलक्षणाङ्गीकारिणाम् मते कुत्रचित् गुण-गुणिनोर्भेदाग्रहः, यथा प्रागुक्तस्थले, क्वचिच्च जातिमात्रभेदाग्रहो, यथा लता-महिलयोरिति भावः। रक्तगुण इति। रक्तस्य=परकीयरूपरूषितस्य गुण इत्यर्थः। रञ्जकगुणेति। रूपकपरगुणेत्यर्थः। एवञ्च त्रिष्वपि भेदाग्रहो वर्तमान इति सिद्धम्। अवान्तराशङ्कामुत्थापयति—न चेति। अवान्तरभेदेति। कुत्रचित् प्रकृताप्रकृतधर्मिगुणानां भेदाग्रहः, अन्यत्र गुण-गुणि-भेदाग्रहः, परत्र रक्त-रञ्जकगुणभेदाग्रह इत्येवंरूपावान्तरभेदेत्यर्थः। समाधानमाह—लुप्तोपमेति। पत्तेरिति। अवान्तरभेदस्य तत्रापि सत्त्वादिति भावः।

पूर्णा-लुप्तयोरेकालङ्कारत्वस्वीकारेणावान्तरभेदस्य पृथगलङ्कारत्वप्रयोजकत्वन्नास्तीति सारांशः। पूर्वपक्षोपसंहारमाह—तस्मादिति। भेदाग्रहस्य मीलितादित्रयसाधारणत्वात् भेदाग्रहनामक एक एवालङ्कारो यस्य मीलितादयस्त्रयोऽवान्तरभेदाः, न तु पृथक् त्रयोऽलङ्कारा इति शङ्कादलाशयो बोध्यः। प्रतिबन्द्या समाधत्ते—उच्यत इत्यादिना। भवद्रीत्या रूपकादिष्वनुगतोऽभेद एवैकोऽलङ्कारो रूपकादयस्तदवान्तरभेदा इत्यपि सुशकोक्तिः। विच्छित्तिश्चमत्कारः। विच्छित्तिभेदसत्त्वान्न रूपकादीनाम् अभेदनामकैकालङ्कारत्वमिति चेन्मीलितादीनामपि विच्छित्तिभेदाद् भिन्नालङ्कारत्वमिति समाधानाशयः।

एक शङ्का और उसका समाधान अब दिए जाते हैं—ननु इत्यादि।

कहा जायगा कि मीलित, सामान्य तथा तद्गुण इन तीनों में साधारण रूप से रहने वाला 'भेदाग्रह' नाम का एक ही अलङ्कार हो, एक दूसरे से भिन्न तीन अलङ्कारों को मानने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मीलित में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत वस्तुओं के विभिन्न गुणों में एक से दूसरे का भेद गृहीत न होने की बात पहले ही कही जा चुकी है, सामान्य में कुछ विद्वानों के अनुसार गुण और गुणी के भेद का अग्रहण है और कुछ विद्वानों के अनुसार कहीं गुण-गुणी का भेदाग्रह तथा कहीं जातिमात्र का भेदाग्रह है, और इसी प्रकार तद्गुण में भी रक्त (दूसरे के गुण से रूषित होने वाले पदार्थ) के गुण में रञ्जक (जिसके गुण से दूसरा रूषित होता है, उस) के गुण का भेद नहीं ज्ञात होता है।

यदि कहा जाय कि इन में परस्पर अवान्तर भेद हैं, जैसे-मीलित में दो धर्मियों के गुणों का भेदाग्रह, सामान्य में गुण-गुणी का भेदाग्रह और तद्गुण में रक्त-रञ्जक के गुणों का भेदाग्रह, अतः इन तीनों का एक अलङ्कार होना नहीं बन सकता, तो यह उचित नहीं, कारण, तब लुप्तोपमा आदि से पूर्णोपमा आदि भी पृथक् अलङ्कार होने लगेंगे, क्योंकि उनमें भी कुछ न कुछ अवान्तर भेद रहता ही है। अतः यह उचित है कि 'भेदाग्रह' नाम का एक अलङ्कार ही और मीलित आदि उसके अवान्तर प्रभेद माने जाँय, जैसे-उपमा के पूर्णा, लुप्ता आदि माने जाते हैं, मीलित आदि को पृथक् पृथक् अलङ्कार मानना कथमपि उचित नहीं है।

इसके समाधान में कहना है कि-इस तरह तो 'अभेद' नाम का एक ही अलङ्कार है और रूपक, परिणाम, अतिशयोक्ति आदि उसी के अवान्तर प्रभेद हैं ऐसा भी कहा जा सकता है। यदि चमत्कार-भेद के आधार पर रूपक आदि को पृथक् अलङ्कार मानने की बात कही जाय तो उसी आधार पर मीलित आदि को भी पृथक् अलङ्कार मानना उचित है। अभिप्राय है कि भिन्न-भिन्न तरह के चमत्कार की अनुभूति होने के कारण जैसे रूपक, परिणाम आदि को पृथक् अलङ्कार माना जाता है वैसे ही भिन्न प्रकार के चमत्कारों में अनुभव होने से मीलित आदि को भी पृथक् अलङ्कार माना जायगा।

कुवलयानन्दोक्तावुन्मीलित-विशेषकालंकारौ खण्डयति—

यत्तु—"मीलितरीत्या भेदाग्रहे प्राप्ते केनचिद्धेतुना भेदज्ञाने सति मीलितप्रतिद्वन्द्वि उन्मीलितम्। सामान्यरीत्या जातिभेदाग्रहे प्राप्ते केनचिद्धेतुना सति वैजात्यग्रहे सामान्य-प्रतिद्वन्द्वि विशेषकं चेत्यलङ्कारद्वयम्। यथा—

'हिमाद्रिं त्वद्यशोमृष्टं सुराः शीतेन जानते'
लक्षिताभ्युदिते चन्द्रे पद्मानि च खानि च॥'—"

इति कुवलयानंदकृदाह। तन्न। अनुमानालङ्कारेणैव गतार्थत्वादनयोरलङ्कारत्वायोगात्। न चात्र प्रत्यक्षसामग्र्या बलवत्त्वेनानुमितेरनुदयान्नानुमानालङ्कृतिः शक्यनिरूपणेति वाच्यम् व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानजन्यज्ञानस्यैवानुमानालङ्कारलक्षणवाक्यगतेनानुमितिपदेन ग्रहणात्। अत एव तत्रास्माभिः पक्षान्तरमुक्तम्। प्रकृते च विशेषदर्शनहेतुकस्य प्रत्यक्षस्यैव तथात्वात्, नहि प्रमाणविभाजकानां नैयायिकानामिवालङ्कारिकाणामपि सरणिः, येन प्रत्यक्षत्वानालिङ्गितामनुमितिं परिभाषेमहि। न चैवंविधे विषये नानुमितिपदप्रयोगोऽभ्यर्हितानामिति वाच्यम्, तथाप्युन्मीलितादिवत्परिभाषाया अनिवारणात्। अस्तु वानुमितित्वजातियुक्तैवानुमितिः। तथापि प्रकृते प्रतिबन्धकवशात्तस्या अनुदयेऽपि तत्करणस्याप्रत्यूहत्वेनानुमानत्वमव्याहतम्। न हि सत्यप्यग्नौ मणिमन्त्रादिभिः प्रतिबद्धो दाहो न भवतीति दाहकरणमग्निर्नेति वक्तुं शक्यम्। फलायोगव्यवच्छेदस्तु न करणतायाः प्रयोजकः अपि तु व्यापार एवेति। एतेन 'विशेषदर्शनस्य कोटयन्तरभानप्रतिबन्धकत्वेन चक्षुःसंयोगादिरूपस्वसामग्रीवशादेवोत्पन्ने तादृशप्रत्यक्षे हेतुतायां मानाभावात्पारिभाषिक्यप्यत्र नानुमितिः। अतस्तत्करणमनुमानं कथं नाम स्यात्' इति परास्तम्।

मीलितरीत्येति। स्फुटोपलभ्यमानवस्तुलिङ्गैर्भिन्नत्वेनागृह्यमाणानां वस्त्वन्तरलिङ्गानां स्वकारणाननुमापकत्वमिति रीत्येत्यर्थः। केनचिद्धेतुनेति, विशेषदर्शनेनेत्यर्थः। एवमग्रेऽपि। प्रतिद्वन्द्वि विपरीतम्। सामान्यरीत्येति। बलवत्सजातीयज्ञानकृतं तद्भिन्नजातीयत्वेन प्रत्यक्षविषयवस्त्वग्रहणमिति रीत्येत्यर्थः। उन्मीलितविशेषकावुदाहर्तुमाह—यथेति। हिमाद्रिमिति। सुराः देवाः, त्वद्यशोमृष्टम् त्वदीयेन यशसा लिप्तम्, हिमाद्रिम् हिमालयम्, शीतेन शैत्येन, जानते परिचिन्वन्तीत्यर्थः। इदं कुवलयानन्दकारमते उन्मीलितालङ्कारोदाहरणम्, यशो-हिमाद्र्योर्भेदाग्रहे प्राप्ते शीतेन भेदज्ञानस्य जननादिति बोध्यम्। लक्षितानीति। चन्द्रे, उदिते, सति, पद्मानि, मुखानि, च, लक्षितानि मिथोभिन्नत्वेन गृहीतानि, पद्मानां संकुचितत्वादित्यर्थः। इदं तन्मते विशेषकालङ्कारोदाहरणम्, सामान्यन्यायेन पद्मत्व-मुखत्वयोर्जात्योर्भेदाग्रहे प्रसक्ते चन्द्रोदयेन तयोर्भेदस्य ग्रहणादिति बोध्यम्, खण्डयति—तन्नेति। तत्र युक्तिमाह—अनुमानालङ्कारेणैवेत्यादिना। अनुमानालङ्काराभावमाशङ्कते पूर्वपक्षी—न चेति। प्रत्यक्षसामग्र्या बलवत्त्वेनेति : समानविषयकानुमितिम्प्रति प्रत्यक्षसामग्र्या बलवत्त्वेनेत्यर्थः। अत एव तादृशानुमितिम्प्रति प्रत्यक्षसामग्र्याः प्रतिबन्धकत्वमास्थीयते। नानुमानालङ्कृतिरिति। अनुमितेरनुदयेऽनुमितिकरणात्मकस्यानुमानस्य निरूपणमशक्यमिति भावः। सिद्धान्ती अनुमानालंकारं समर्थयन्समाधत्ते—व्याप्तिविशिष्टेति। साध्यसामानाधिकरण्यरूपया व्याप्त्या विशिष्टो यो हेतुभूतो धूमादिपदार्थस्तस्य पक्षधर्मतायाः (पर्वतादिरूपसन्दिग्धसाध्यकपदार्थवृत्तितायाः) ज्ञानेन जन्यं यद् ज्ञानम् तदेवानुमानालंकारलक्षणगतानुमितिपदार्थतया विवक्षितम्, न तु अनुमितित्वजातिविशिष्टं ज्ञानमिति भावः। अत एवेति। तादृशज्ञानस्यैवानुमितिपदेन ग्रहणादेवेत्यर्थः। तत्रेति। अनुमानालंकारनिरूपणप्रसङ्ग इत्यर्थः। पक्षान्तरमिति। 'अनुमितिश्चा-

नुमितित्ववती । अनुमितित्वञ्चानुमिनोमीतिमानससाक्षात्कारसाक्षिको जातिविशेषः ।' इत्येकं पक्षमुक्त्वा 'व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मतानिश्चयजन्यं ज्ञानं वानुमितिः।' इति पक्षान्तरमित्यर्थः । प्रकृत इति । त्वदभिमतोन्मीलित-विशेषकलद्वययोरित्यर्थः । विशेषेति । शीत-चन्द्रोदयकालावच्छिन्ननिमीलनाभावेत्यर्थः । प्रत्यक्षस्येति । हिमाचले यशोभिन्नत्व-प्रत्यक्षस्य मुखे पद्मभिन्नत्व-प्रत्यक्षस्य चेत्यर्थः । तथात्वादिति । व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानजन्यज्ञानात्मकानुमितित्वादित्यर्थः ।

अयं भावः—समानविषयकानुमितिम्प्रति प्रत्यक्षसामग्र्याः प्रतिबन्धकत्वेनात्रानुमितिश्चेन्न भवति, न भवतु नाम, प्रत्यक्षं तु भवति, तत्र च प्रत्यक्षे विशेषदर्शनं हेतुः, विशेषदर्शनञ्च व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानरूपम् , यशोभिन्नत्वत्वव्याप्यशीतवानयम्' 'पद्मत्वाभावव्याप्यचन्द्रोदयकालावच्छिन्नसंकोचाभाववन्ति इमानि' इत्यादिश्च तदाकारः । तथा च तज्जन्ये 'यशोभिन्नोऽयम्' 'पद्मभिन्नजातीयानीमानि'इत्यादिज्ञाने प्रत्यक्षात्मकेऽपि निरुक्तानुमितित्वमव्याहतमिति । सरलाकारस्त्वत्र 'नैयायिकस्वीकृते एवानुमाने प्रत्यक्षसामग्रीप्रतिबन्धिका । अतिरिक्तताप्रत्यक्षरूपे अस्मत्परिभाषिते अनुमाने तु प्रत्यक्षं न प्रतिबन्धकम्" इत्येवमसङ्गतं विवृण्वन् विदुषामन्तःकरणेषु महान्तं खेदमुत्पादयति । ननु नैयायिकैरनुमितित्वजातिविशिष्टमेवानुमित्यात्मकं ज्ञानमुक्तं, तत्कथमिह भवता तद्विरुद्धमुच्यते इति चेत्तत्राह—नहीति । नैयायिकानामालङ्कारिकाणाञ्च द्विविधा सरणिः, उद्देश्यमपि द्विविधम् । एवञ्च प्रमाणविभागोद्देश्येन प्रवृत्ता नैयायिकाः प्रत्यक्षत्वानालिङ्गितामनुमितित्वजातिमतीमनुमितिं परिभाषन्ते, आलङ्कारिकास्तु अलङ्कारविभागोद्देश्यवन्तः प्रत्यक्षत्वालिङ्गितामपि तां परिभाषितुं क्षमन्त एवेति भावः । पुनः पूर्वपक्षी शङ्कते—न चैवमिति । समाधत्ते—तथापीति । प्रत्यक्षात्मके ज्ञानेऽनुमितिपदं मान्या आचार्या न प्रयुञ्जत इति सत्यम् , तथापि यथोन्मीलितादेः परिभाषां भवन्तः स्वेच्छया कुर्वन्ति, न च प्राचीनाचार्यानुमतिमपेक्षन्ते, तथैव वयमपि नूतनामनुमितिपरिभाषां कुर्वन्तो न भवद्भिर्निरोद्धुं शक्या इति भावः । सिद्धान्ती पक्षान्तरमाह—अस्तु वेति । नैयायिकाभिमतामनुमितित्वजातिमतीमेवानुमितिं वयमपि स्वीकुर्म इति भावः । ननु तथात्वे कथमनुमानालङ्कारप्रसङ्गं प्रकृते ब्रुवते भवन्त इति चेत्तत्राह—तथापीति । प्रतिबन्धकेति । प्रत्यक्षसामग्रीरूपेत्यर्थः । तस्या इति । अनुमितेरित्यर्थः । तत्करणस्येति । अनुमितिकरणस्येत्यर्थः । व्याप्तिज्ञानस्येति यावत् । अत्र "अनुमितेः करणस्य (असाधारणकारणस्य शीतादेः)"इति सरलाव्याख्याव्याख्यातुर्न्यायशास्त्रानभिज्ञतामेव सूचयति ।

अप्रत्यूहत्वेनेति । निराबाधस्थितिकतयेति भावः । अव्याहतमिति, अनुमितिकरणस्यैवानुमानत्वादिति भावः । अनुमितेरनुदयेऽपि तत्करणत्वरूपस्यानुमानत्वस्य संभवं दृष्टान्तेन समर्थयति—नहीति । मणिमन्त्रादिभिर्दाहे रुद्धेऽपि यथाऽग्निर्दाहकरणमाख्यायते तथानुमितेरभावेऽपि तत्करणत्वं व्याप्तिज्ञानस्य वक्तुं युक्तमेवेति भावः । ननु दृष्टान्त-दार्ष्टान्तिकावुभावप्यसङ्गतौ, फलाभावे तत्करणताया असंभवादिति चेत्तत्राह—फलायोगेति । फलासंबन्धाभावः फलेन नित्यसंबद्धतेति यावत् करणताया नियामको न, अपि तु फलजनकव्यापार एवेत्यर्थः । फलमुत्पादयन्नेव पदार्थः करणं भवतीति न, अपितु प्रतिबन्धक-

वशात्फलमनुत्पादयन्नपि पदार्थः फलोत्पादकव्यापारयोगे करणं भवत्येवेति भावः। एवञ्च प्रकृते यशोभिन्नत्वादिसामानाधिकरण्येन जायमानं शीतादिविशेषदर्शनं व्याप्तिज्ञानरूपं पर्यवस्यत् प्रत्यक्षसामग्र्याः प्रतिबन्धकत्वेनानुमित्यनुदयेऽपि अनुमानं सम्पद्यत इति भवत्यत्रानुमानालङ्कार इति सारांशः, इत्थञ्चैकस्या अन्यशंकाया अपि अवसरो नापतती-त्याह—एतेनेति। हेतुतायामिति। तादृशप्रत्यक्षे विशेषदर्शनस्य हेतुतायामितिविवक्षि-तोऽर्थः। पारिभाषिकीति। व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानजन्यज्ञानरूपाऽनुमितत्वजातिरहिता प्रागुक्तेत्यर्थः।

अयं भावः—विशेषदर्शनम् कोट्यन्तरभानप्रतिबन्धकमेव, नान्यकोटिप्रत्यक्षे हेतुः, अन्यकोटिप्रत्यक्षं तु चक्षुःसंयोगादिरूपस्वकारणकलापवशादेव जायते। तथा च प्रकृते यशोभिन्नत्वादिप्रत्यक्षस्य विशेषदर्शनहेतुकत्वं न स्वीकर्तुम् शक्यम्, न वा तस्य तत्त्वं स्वी-कृत्य व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानजन्यज्ञानत्वरूपपारिभाषिकानुमितित्वं वक्तुं योग्यम्, तथात्वे च विशेषदर्शने तत्कारणताया एवाभावे व्याप्तिज्ञाने करणताया अभावः स्वतः सिद्ध इति शंकापि द्वितीयेऽस्मिन् कल्पे नावतरति, यतोऽस्मिन् कल्पे प्रत्यक्षस्यानुमितित्वं संसाध्य तदसाधारणकारणत्वेन विशेषनिष्ठव्याप्तिज्ञानस्यानुमितिकरणत्वं न साध्यते, अपि तु प्रत्यक्षसामग्रीरूपप्रतिबन्धकविरहः कालिकसंभावितानुमितिजनकपरामर्शात्मकव्यापारवत्तयेति विशेषदर्शनस्य प्रत्यक्षाहेतुत्वेऽपि न क्षतिरिति।

कुवलयानन्द में स्वीकृत 'उन्मीलित' तथा 'विशेषक' अलङ्कार का खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि।

कुवलयानन्दकार का कथन है कि—"मीलित की रीति से भेद का अग्रहण प्राप्त रहने पर किसी कारण से यदि भेद का ज्ञान हो जाय तो मीलित का प्रतिद्वन्द्वी उन्मीलित और सामान्य की रीति से जाति के भेद का अग्रहण प्राप्त रहने पर किसी कारण से यदि जातिभेद (वैजात्य) का ज्ञान हो जाय तो सामान्य का प्रतिद्वन्द्वी विशेषक, ये दो नवीन अलङ्कार होते हैं। जैसे—'हिमाद्रिम्–अर्थात् तुम्हारे यश से लिप्त हिमाचल को देखना लोग शीत के कारण पहचानते हैं।' इस तथा 'लक्षितानि—अर्थात् चन्द्रमा के उदय होने पर पद्म और मुख पृथक्-पृथक् लक्षित होते हैं।' इस वाक्य में।"

उनके कथन का अभिप्राय है कि प्रत्यक्ष उपलब्ध होने वाले यश के चिह्न (शुक्लता) से अतिशय साम्य के कारण भिन्न रूप में नहीं ज्ञात होने वाला हिमाचल का चिह्न (शुक्लता) अपने कारण (हिमाचल) की अनुमिति नहीं कराता-इस तरह से यश और हिमाचल के भेद का अग्रहण प्राप्त था, पर शीत के कारण उन दोनों का भेद ज्ञात हो गया—अर्थात् यश से पृथक् रूप में हिमाचल विदित हो गया, अतः यहाँ उन्मीलित नाम का एक नवीन अलङ्कार है। इसी प्रकार प्रबल सजातीय पदार्थ (कमल) के ज्ञान से प्रत्यक्ष दीख पड़ने वाले मुख की जाति का कमल की जाति से भिन्न रूप में ग्रहण प्राप्त नहीं था, पर अकस्मात् चन्द्रोदय हो जाने से दोनों की जातियाँ पृथक्-पृथक् ज्ञात हो गईं—अर्थात् चन्द्रोदय होने पर कमल संकुचित हो गए और मुख ज्यों के त्यों बने रहे जिससे दोनों की भिन्नजातीयता प्रतीत हो गई, अतः यहाँ विशेषक नाम का एक भिन्न अलङ्कार है।

पर उनका यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि—अनुमानालङ्कार से ही गतार्थ हो जाने के कारण उन्मीलित और विशेषक को पृथक् अलङ्कार मानना अयुक्त है। कहा

जायगा कि समानविषयक अनुमिति के प्रति प्रत्यक्ष की सामग्री प्रतिबन्धक होती है—अर्थात् यदि किसी एक वस्तु के प्रत्यक्ष की सामग्री और अनुमिति की सामग्री एक साथ जुट जाँय तो उस स्थिति में प्रत्यक्ष सामग्री की प्रबलता के कारण प्रत्यक्ष ही होता है, अनुमिति नहीं, और यहाँ यही स्थिति है—अर्थात् प्रत्यक्ष तथा अनुमिति-दोनों की सामग्रियाँ जुटी हुई हैं, फलतः उक्त नियम के अनुसार हिमाचल में यशो-भिन्नता का और मुखों में कमलापेक्षया भिन्नजातीयता का प्रत्यक्ष ही होगा, अनुमिति नहीं और जब अनुमिति होगी ही नहीं तब अनुमानालङ्कार यहाँ होगा कैसे? तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि अनुमानालङ्कार के लक्षण में जो 'अनुमिति' पद है—उससे 'व्याप्ति-विशिष्ट पक्षधर्मताज्ञानजन्य ज्ञान' का ही ग्रहण किया जाता है, अनुमितित्व जाति युक्त एक स्वतन्त्र अनुमित्यात्मक ज्ञान का नहीं।

यहाँ "लिङ्गपरामर्शजन्य ज्ञान का नहीं।" यह अनुवादकार का स्पष्टीकरण सर्वथा अशुद्ध है।

अभिप्राय है कि—अनुमानालङ्कार में 'अनुमिति' का अर्थ वह ज्ञान है जो व्याप्ति-विशिष्ट पदार्थ के पक्ष में रहने के ज्ञान से उत्पन्न होता हो, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष भी हो सकता है, और तथा कथित अनुमिति भी। इसीलिए हमने (ग्रन्थकारने) अनुमाना-लङ्कार-निरूपण प्रसङ्ग में 'अनुमिति' की व्याख्या करते हुए दूसरा पक्ष (ऊपर में वर्णित) भी लिखा है।

और यहाँ विशेष दर्शन से होने वाला प्रत्यक्ष ही उक्तानुमितिरूप हो जाता है। आशय यह है कि यहाँ हिमाचल में यशोभिन्नता का और मुखों में कमलभिन्न जातीयता का ज्ञान भले ही प्रत्यक्षात्मक ही होता हो, पर वह होता है शीत के ज्ञान तथा चन्द्रोदय होने पर भी संकुचित न होने के ज्ञान से ही, इसमें सन्देह नहीं और शीत-ज्ञान से हिमाद्रि में यशोभिन्नता का ज्ञान होने में प्रक्रिया यह होती है कि 'जहाँ-जहाँ शीत (ठण्ढी) रहता है वहाँ-वहाँ यशोभिन्नता रहती है—अर्थात् यश शीतल अथवा उष्ण नहीं होता, अतः जो वस्तु शीतल होगी वह अवश्य ही यश से भिन्न होगी' इस तरह की व्याप्ति हमें पहले ज्ञात होती है तदनन्तर हम यह समझते हैं कि वैसा शीत हिमाचल में है, अतः यह यश से भिन्न है ऐसा हम अन्त में समझ लेते हैं। सारांश यह कि यशोभिन्नता का प्रत्यक्ष भी उक्त प्रक्रिया का सहारा लेकर ही पुष्ट होता है। इसी तरह की प्रक्रिया मुखों में कमलभिन्नजातीयता के प्रत्यक्ष में भी बरतनी पड़ती है। इस तरह से यहाँ विशेषदर्शन (शीत-ज्ञान) ही व्याप्तिविशिष्ट-पक्षधर्मताज्ञान रूप सिद्ध होता है और उससे होने वाला यशोभिन्नता का ज्ञान प्रत्यक्षात्मक होने पर भी अनुमितिरूप सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अनुमिति की परिभाषा यही मानी गई है कि-'व्याप्तिविशिष्ट-पक्षधर्मताज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान हो वह अनुमिति है'। यद्यपि नैयायिकों ने प्रत्यक्षत्व से सर्वथा अस्पृष्ट अनुमिति की परिभाषा की है तथापि हम वैसी परिभाषा बनाने के लिए बाध्य नहीं हैं। नैयायिकों तथा आलंकारिकों के भिन्न-भिन्न मार्ग हैं। नैयायिकों को 'प्रत्यक्ष' अनुमान, उपमान और शब्द-इन चार प्रमाणों का विभाग करना लक्ष्य था, अतः उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान से सर्वथा भिन्न अनुमिति की परिभाषा बनाई, अन्यथा प्रमाणों का उक्त विभाग नहीं हो पाता। आलङ्कारिकों के सम्मुख ऐसी कोई बात नहीं है, अतः वे स्वतन्त्र रूप से अनुमिति की ऐसी परिभाषा बना सकते हैं, जो शुद्ध अनुमिति में और किसी-किसी प्रत्यक्ष में भी संघटित हो।

यद्यपि इतने पर भी यह कहा जा सकता है कि—ऐसे विषय में 'अनुमिति' पद का

प्रयोग मान्यजनों द्वारा नहीं किया जाता तो यह ठीक है, तथापि जैसे उन्मीलित आदि की नवीन परिभाषा बनाई जा सकती है, वसे अनुमिति की भी नवीन परिभाषा बनाने में प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता।

अथवा छोड़िए अनुमिति की नवीन परिभाषा को, मानिए अनुमितित्व-जातियुक्त ज्ञान विशेष को ही अनुमिति, तथापि यहाँ अनुमानालङ्कार हो सकता है, क्यों कि यहाँ प्रत्यक्षसामग्री की प्रतिबन्धकता के कारण अनुमिति की उत्पत्ति न होने पर भी अनुमिति के करण की निर्विघ्न स्थिति के अनुमानता में कोई व्याघात नहीं आता।

अभिप्राय यह कि अनुमिति के होने पर भी अनुमिति का करण (व्याप्तिज्ञान) यहाँ है, अतः अनुमानालङ्कार मानने में कोई बाधा नहीं होती क्यों कि 'अनुमितिकरणम् अनुमानम्'—अर्थात् अनुमिति के कारण का ही नाम 'अनुमान' है और व्याप्तिज्ञान यहाँ होता है यह बात मैंने पहले ही बता दी है।

आप कहेंगे कि अनुमिति जब नहीं होती तब अनुमिति का करण कैसे कोई कहला सकता है, तो मैं कहूँगा कि कहला सकता है, क्यों कि फलायोगव्यवच्छेद—अर्थात् फल के असंबन्ध का अभाव करणता का नियामक नहीं है, अपि तु व्यापार। तात्पर्य यह कि फल यदि किसी प्रतिबन्धक के कारण न भी हो तथापि फलजनक व्यापार से युक्त पदार्थ करण कहला सकता है, जैसे मणिमन्त्र आदि से प्रतिबद्ध हो जाने के कारण दाह की उत्पत्ति नहीं होने पर भी दाह के लिए सब तरह से अग्नि-दाह का करण कहलाता ही है, दाह के न हो सकने के कारण 'अग्निदाह का करण नहीं है' ऐसा कोई न ही कहता है।

इससे अब वे भी परास्त हो गए जो कहते थे कि "विशेषदर्शन दूसरी कोटि के भान का प्रतिबन्ध करता है अभीष्ट कोटिका प्रत्यक्ष चक्षुःसंयोग आदि अपनी सामग्री से होता है, फलतः विशेषदर्शन को प्रत्यक्ष के प्रति हेतु मानने में कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा गढ़ी गयी नवीन परिभाषा वाली अनुमिति भी यहाँ नहीं रहती, अतः उसका करण-अनुमान यहाँ कैसे हो सकता है?"

अभिप्राय है कि प्रकृत में अनुमानालङ्कार को सिद्ध करने के लिए जो पहला प्रकार बतलाया गया था, जिसमें अनुमिति की नवीन परिभाषा की गई थी, उसमें यह कहा जा सकता था कि शीतज्ञान आदि विशेषदर्शन को हिमालय आदि में यशोभिन्नता आदि के प्रत्यक्ष का कारण मानकर उससे होने वाले उक्त प्रत्यक्ष को ही अपनी नवीन परिभाषा के अनुसार आप अनुमिति सिद्ध करते हैं, पर यह बात बन नहीं सकती, क्यों कि उक्त प्रत्यक्ष के प्रति उक्त विशेषदर्शन को हेतु मानने में कोई प्रमाण नहीं है, विशेष दर्शन को हेतु न मानने पर भी उक्त प्रत्यक्ष अपने कारणों—चक्षुःसंयोगादि, से सिद्ध हो सकता है, रही बात उक्त विशेष दर्शन के उपयोग की, सो यह कहा जा सकता है कि उसका उपयोग यशोभिन्नता आदि से भिन्न कोटि-यशोरूपता आदि के ज्ञान का प्रतिबन्ध करने में होता है। इस तरह उस पक्ष में यह आक्षेप भरपूर बैठता था कि जिस प्रत्यक्ष को अपनी नवीन परिभाषा के बल पर अनुमिति बतलाकर उसके कारण उक्त विशेष दर्शन रूप परामर्शात्मक व्यापारवत्ता के कारण व्याप्तिज्ञान को अनुमिति-करण कहते हैं उस प्रत्यक्ष का कारण ही जब उक्त विशेषदर्शन नहीं है तब तदात्मकव्यापारयुक्त व्याप्तिज्ञान करण कहां से होगा, क्योंकि असाधारण ही करण कहलाता है।

इस द्वितीय पक्ष में, जिसमें नवीन परिभाषा को छोड़कर नैयायिकों के अनुसार ही अनुमिति, अनुमितित्वजातियुक्ता प्रत्यक्षत्वानालिङ्गिता मानी गई, इस आक्षेप का कोई

अवसर नहीं रह जाता, क्यों कि इस पक्ष में उक्त प्रत्यक्ष को अनुमिति मानकर उसका कारण होने के नाते उक्त विशेषदर्शन जनक व्याप्तिज्ञान अनुमितिकरण सिद्ध करने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, अपि तु प्रत्यक्ष सामग्री रूप प्रतिबन्धक के नहीं रहने पर संभावित अनुमिति का स्वरूपयोग्य कारण होने के नाते उक्त विशेषदर्शन रूप परामर्शात्मक व्यापारयोग के कारण उससे पहले होने वाले व्याप्ति ज्ञान का अनुमितिकरणात्मक अनुमान कहा जाता है।

[यहां खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि 'एतेन·········परास्तम्' इस मूल का अनुवाद हिन्दी रसगङ्गाधर में सर्वथा ग्रन्थाशय को न समझ कर किया गया है।]

पुनः कुवलयानन्दकारोक्तमेवोपवर्ण्य खण्डयति—

यदप्युक्तम्—"तद्गुणरीत्यापि भेदानध्यवसायप्राप्तावुन्मीलितं दृश्यते। यथा—

'नृत्यद्भर्गाट्टहासप्रसरसहचरैस्तावकीनैर्यशोभि-
धावल्यं नीयमाने त्रिजगति परितः श्रीनृसिंहक्षितीन्द्र।
नेदृग्यद्येष नाभीकमलपरिमलप्रौढिमासादयिष्य-
द्देवानां नाभविष्यत्कथमपि कमलाकामुकस्य प्रबोधः॥'."

इति। तदपि न। तद्गुणे हि गुणयोर्भेदानध्यवसायः, न तु वस्तुनोरिति निर्विवादम्। अत्र नाभीकमलपरिमलेन भगवत्त्वेन भगवज्ज्ञाने जातेऽपि तदीयगुणे नीलमनि यशोगुणधावल्यभेदानध्यवसायरूपस्य तद्गुणस्य निर्बाधत्वात्कथंकारं तत्प्रतिद्वन्द्विता उन्मीलितस्योच्यते? यदि चैकस्मिन्वस्तुनि संनिहितवस्त्वन्तरगुणवद् भेदानध्यवसायस्तद्गुणजीवितमुच्यते तथाप्यत्र तद्गुणो निर्बाधः। भगवतः श्वेतभिन्नत्वेन ज्ञानस्योपायशून्यत्वेनायोगात्। न च नीलत्वव्याप्यभगवत्त्वज्ञानमेवोपायः। प्राङ्नीलोऽपि कारणविशेषमहिम्ना संप्रति श्वेतो जात इति बुद्धेः प्रत्यक्षानुगृहीतायास्तथाप्यनपायात्, अत एव त्वदुपजीव्येनालङ्कारसर्वस्वकृता उन्मीलितविशेषकयोश्चर्चैव न कृता। अतः प्राचीनैः कृतविभागेष्वलङ्कारेष्विदं प्रथमोत्प्रेक्षितस्य यावदलङ्कारस्य शक्योऽन्तर्भावः कर्तुम्। न तावत्पृथगलङ्कारत्ववाचोयुक्त्या विगलितश्रृङ्खलत्वमात्मनो नाटयितुं सांप्रतं मर्यादावशंवदैरार्यैरिति।

यदप्युक्तमिति। कुवलयानन्दकृतेति भावः। प्राप्ताविति। इतोऽग्रे 'केनापि हेतुना सति भेदाध्यवसाये' इति शेषो बोध्यः। 'नृत्यद्······' इति, श्रीनृसिंहक्षितीन्द्र नृसिंहाभिध राजन्, नृत्यतः, भर्गस्य शिवस्य, अट्टहासस्य, प्रसरस्य विस्तारस्य, सहचरैः सदृशैः अतिधवलैरिति यावत्, तावकीनैः त्वदीयैः, यशोभिः कीर्तिभिः, परितः सर्वतोभावेन, त्रिजगति त्रिलोक्याम्, धावल्यम् शुक्लताम्, नीयमाने प्राप्यमाणे, सति, ईदृक् यशसा धावल्यं नीतः, एषः कमलाकामुकः श्रीकृष्णः नाभीकमलपरिमलप्रौढिम् नाभिकमलसौरभसमृद्धिम्, यदि, नासादयिष्यत्, नालप्स्यत, तर्हि, देवानाम्, मध्ये, कमलाकामुकस्य कृष्णस्य, प्रबोधः अन्यदेवभिन्नत्वेन ज्ञानम्, कथमपि केनापि प्रकारेण, नाभविष्यत् न समपत्स्यत, दर्शकानामिति शेषः। अत्र स्वस्य नीलगुणं त्यक्त्वा सन्निहितस्य यशसो धावल्यगुणः श्रीकृष्णेन

गृहीत इति यशःश्रीकृष्णयोः भेदाग्रहे प्राप्ते परिमलेन यशोऽपेक्षया श्रीकृष्णस्य वैशिष्ट्यज्ञानादुन्मीलितमिति कुवलयानन्दकाराशयः ।

खण्डयति—तदपि नेति । तत्र हेतुमाह–तद्गुणे हीत्यादिना । अत्रेति । 'नृत्यत्'-इत्यत्रेत्यर्थः । भगवत्त्वेनेति । परिमलेन भगवत्त्वेनैव रूपेण भगवतो ज्ञानं स्यान्न नीलगुणवत्त्वेनेति भावः । तत्प्रतिद्वन्द्वितेति । तद्गुणप्रतिद्वन्द्वितेत्यर्थः । तत्प्रतिद्वन्द्वित्वन्नाम तदभिभवकारित्वम् , तच्चेह नास्ति, तस्मिन् जातेऽपि तस्य साम्राज्यादिति भावः । न गुणभेदस्तद्गुणोऽपि तु एकस्य वस्तुनो गुणवता वस्त्वन्तरेण सहाभेदः, गुणिनोरभेद इति यावत् , तथा च प्रकृते तद्गुणाभिभवकारित्वमुन्मीलितस्य संपद्यते, भगवत्त्वेन भगवतो ज्ञाने जाते यशोऽभेदस्य निरासादिति शङ्कते–यदि चेति ।

समाधत्ते—तथाप्यत्रेति । अयं भावः–भगवतः श्वेतत्वेन ज्ञानं तद्गुणस्वरूपमत्र, तदभिभवश्च तदा भवेत् यदि श्वेतभिन्नत्वेन भगवतो ज्ञानं स्यात् , परमिह तेन रूपेण भगवतो ज्ञानस्य संपादको न कश्चिदुपायः । यत्र यत्र भगवत्त्वम् तत्र तत्र नीलत्वम् इति व्याप्तिः प्राग् गृहीता तथा च नीलत्वव्याप्यभगवत्त्वज्ञाने नीलत्वज्ञानं स्यादेव, व्याप्यधर्मज्ञाने व्यापकधर्मज्ञानस्य निश्चितत्वादिति चेन्न, प्राङ्नीलोऽपि भगवान् संप्रति कारणविशेषमहिम्ना श्वेतो जातः इति ज्ञानस्य प्रत्यक्षसमर्थितस्य सत्त्वादिति । अत एवेति । उन्मीलितविशेषकयोरभावादेवेत्यर्थः । इदं प्रथमोत्प्रेक्षितस्येति । प्रथमबारमुत्प्रेक्षितस्येति भावः ।

पुनः कुवलयानन्दकार के कथन का ही खण्डन किया जाता है—यदपीत्यादि ।

और कुवलयानन्दकार ने ही जो यह कहा है कि—"तद्गुण की रीति से भी भेद का अग्रहण प्राप्त होने पर यदि किसी कारण से भेद का ग्रहण हो जाय तो 'उन्मीलित' देखा जाता है, जैसे–'नृत्यद्—अर्थात् हे नृसिंह नृपते ! नृत्य करते हुए शिवजी के अट्टहास के साथी (अत्यन्त धवल) आप के यशों से त्रिलोकी के सर्वतोभावेन श्वेत कर दिए जाने पर ऐसा (धवल बना हुआ) यह (भगवान्) यदि नाभिकमल के सौरभ की समृद्धि को प्राप्त न करता तो किसी तरह से देवताओं के बीच लक्ष्मीपति का ज्ञान दर्शकों को नहीं होता–श्वेत बने सब देवों में श्वेत भगवान् भी खप जाते, अन्य देवों से पृथक् रूप में भगवान् का परिचय नहीं हो पाता ।' इस पद्य में ।"

कुवलयानन्दकार का अभिप्राय यह है कि—भगवान् ने अपनी नीलिमा को छोड़ कर यश की धवलता का ग्रहण किया, अतः यहाँ तद्गुण था, जिससे यश तथा श्रीकृष्ण का पारस्परिक भेद ज्ञात नहीं हो सकता था, पर नाभिकमल-सौरभ ने यश से श्रीकृष्ण का भेद ज्ञात करा दिया, अतः यहाँ भी 'उन्मीलित' हो जाता है ।

सो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि तद्गुण में दो गुणों का भेदाग्रहण होता है, दो वस्तुओं–धर्मियों का नहीं·यह निर्विवाद है । ऐसी स्थिति में नाभिकमल के सौरभ से भगवान् का ज्ञान हो जाने पर भी 'भगवान् के गुण नीलिमा में यश के गुण धवलता के भेद का अग्रहण' रूप तद्गुण में किसी प्रकार की बाधा न होने से इस उन्मीलित को तद्गुण का प्रतिद्वन्द्वी कैसे कहा जा रहा है ? अभिप्राय यह कि नाभिकमल सौरभ से तद्गुण का बाध तो हुआ नहीं, क्योंकि भगवान् के ज्ञात हो जाने पर भी यश के श्वेतत्व से जो भगवान् की नीलता तिरोहित हुई थी वह तो लौटी नहीं, तब तद्गुण में किसी प्रकार की बाधा न आने पर भी प्रतिद्वन्द्विता कैसे हुई ।

अब यदि यह कहा जाय कि—एक तरह के गुण से युक्त वस्तु में सन्निहित अन्य प्रकार के गुण से युक्त वस्तु का भेदाग्रहण तद्‌गुण का जीवन है—अर्थात् गुण का गुण में अभेद ग्रहण नहीं, अपितु गुणी का गुणी में अभेद-ग्रहण तद्‌गुणालङ्कार का स्वरूप है, तात्पर्य यह कि यहाँ नीलत्व तथा श्वेतत्व गुणों में भेद ग्रहण न होने के कारण तद्‌गुण नहीं होता, अपितु नीलत्वयुक्त भगवान् में श्वेतत्व युक्त यश के भेद का ग्रहण न होने से वह होता है, फलतः यहाँ इस तरह के तद्‌गुण का बाध सौरभ से भगवान् का पृथक् रूप में ग्रहण हो जाने से होता है, अतः तद्‌गुण प्रतिद्वन्द्वी उन्मीलित का स्वीकार उचित है, तो मैं कहूँगा कि—उचित नहीं है, क्योंकि गुणवान् का गुणवान् में भेदाग्रहण तद्‌गुण का जीवन माने जाने पर भी यहाँ उक्त तद्‌गुण का बाध नहीं होता। कारण, तदनुसार यहाँ नील (भगवान्) में श्वेत का भेदाग्रहण—अर्थात् नीलत्व गुणवाले को श्वेतत्व गुण वाला समझना तद्‌गुण होता है और ऐसा समझ लेने के बाद पुनः भगवान् को श्वेत भिन्न समझने का कोई उपाय यहाँ वर्णित नहीं है। यदि कहा जाय कि नीलत्व व्याप्य भगवत्ता का ज्ञान ही भगवान् को श्वेतभिन्न समझने का उपाय है जो यहाँ वर्णित है—अर्थात् जब हम सौरभ के कारण भगवान् को भगवान् समझ लेते हैं तब उन को श्वेत भिन्न समझेगें ही, क्योंकि हमें यह व्याप्ति पहले से ज्ञात है कि जहाँ भगवत्ता रहती है वहाँ नीलता रहती है—अर्थात् हमें विदित है कि भगवान् नील हैं, श्वेत नहीं, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि उक्त व्याप्ति पहले से ज्ञात रहने पर भी प्रत्यक्ष से अनुगृहीत 'जो भगवान् पहले नील थे, अब वे कारण विशेष (यशःप्रसार) की महिमा से श्वेत हो गए हैं' इस ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता है।

तात्पर्य यह है कि भगवान् जब अभी तक श्वेत ही दीख पड़ते हैं, फिर तद्‌गुण का उन्मीलन कहाँ हुआ ?

इसीलिए आपके उपजीव्य—जिनके आधार पर आपने कुवलयानन्द की रचना की है—अलङ्कार-सर्वस्वकार ने 'उन्मीलित' और 'विशेषक' अलङ्कारों की चर्चा ही नहीं की।

अतः मर्यादा के रक्षक आर्यजनों को, जहाँ तक प्राचीनों द्वारा विभक्त किए अलङ्कारों में नव कल्पित अलंकारों का अन्तर्भाव संभव हो, वहाँ तक भिन्न अलंकारता का दुराग्रह करके अपनी उच्छृङ्खलता का अभिनय करना उचित नहीं।

नागेश यहाँ कहते हैं कि—"अप्पय दीक्षित यहाँ 'तद्‌गुण नहीं है'—यह नहीं कहते, किन्तु 'तद्‌गुण की रीति से भेद का अग्रहण प्राप्त रहने पर यदि किसी प्रकार भेद का ग्रहण हो जाय तो उन्मीलित हो जाता है' एतावन्मात्र कहना चाहते हैं, अतः कोई दोष नहीं।"

पर यह कथन मन को सर्वथा तोष नहीं देता क्योंकि तब तद्‌गुण की प्रतिद्वन्द्विता कैसे कही ? उन्मीलित' यह नाम कैसे सार्थक होगा ? इत्यादि प्रश्न उठ खड़े होते हैं।

काव्यप्रकाशमालोचयति—

यत्तु—

'वेत्रत्वचा तुल्यरुचां वधूनां कर्णाग्रतो गण्डतलागतानि।
भृङ्गाः सहेलं यदि नापतिष्यन्कोऽवेदयिष्यन्नवचम्पकानि॥'

इत्यत्र सामान्यमुदाहृत्य काव्यप्रकाशे 'निमित्तान्तरजनितापि नानात्व-प्रतीतिः प्रथमप्रतिपन्नमभेदं न व्युदसितुमुत्सहते, प्रतीतस्य त्यागायोगात्'

इत्युक्तम् । अत्रोत्तरप्रतिपत्त्या तिरस्कृतत्वात्पूर्वप्रतीतेर्न चमत्कारित्वम् किं तूत्तरप्रतीतेरेवेति तयैव व्यपदेशो न्याय्यः । अन्यथा व्यतिरेकेऽप्युपमापत्तेः । विरोधाभासस्तु पूर्वोत्तरप्रतीतिद्वयात्मक इति भवति चमत्कारी ।

वेत्रत्वचेति । यदि, भृङ्गाः भ्रमराः, सहेलम् सक्रीडम्, न अपतिष्यन्, तर्हि, वेत्रत्वचा तुल्यरुचाम् वेत्रत्वक्कान्तितुल्यकान्तीनाम्, अतिगौरवर्णानामिति यावत्, वधूनाम् नायिकानाम्, कर्णाग्रतः कर्णाग्रदेशात्, गण्डतलागतानि कपोलतललम्बितानि, नवचम्पकानि नूतनचम्पकपुष्पाणि, कः, अवेदयिष्यत् अज्ञास्यत्, न कोऽपीत्यर्थः । निमित्तान्तरेति । भृङ्गपातेत्यर्थः । नानात्वप्रतीतिरिति । भेदप्रतीतिरित्यर्थः । गण्डतल-चम्पकयोर्मिथो भेदप्रतीतिरिति यावत् । व्युदसितुमिति । दूरीकर्तुमित्यर्थः । प्रतीतस्य त्यागायोगादिति । अत्र 'प्रतीतत्वात्तस्य । प्रतीतेश्च बाधायोगात् ।' इति काव्यप्रकाशे पाठः । भावस्तु तुल्य एव । पश्चाद्भेदप्रतीतावपि पूर्वजाताभेदप्रतीतिरक्षुण्णैव तिष्ठति यतो ज्ञानस्य बाधो न भवतीति भावः । तथा च सामान्यालङ्कारोऽभेदप्रतीतिमूलकोऽत्र निर्बाध इति काव्यप्रकाशकाराशय इति बोध्यम् ।

पण्डितराजस्तत्राक्षिपति—अत्रोत्तरेति । अयं भावः—ज्ञानस्य बाधो न भवतीति सत्यम्, तथा च प्राक् जाताऽभेदप्रतीतिः पश्चात् भेदप्रतीतावपि न विनश्येदित्यपि सत्यम्, तथापि उत्तरकालिकप्रतीत्या तिरस्कृतायां प्राक्कालिकप्रतीतौ चमत्काराभावात् न तन्मूलकोऽत्र सामान्यालंकारव्यवहारः समुचितः, अन्यथा व्यतिरेकस्थलेऽप्युपमाव्यवहारः स्यात्, तत्रापि भेदप्रतीतिप्राक्कालिकसाम्यप्रतीतेः सत्त्वात् । यद्यपि विरोधाभासेऽपि प्राक् विरोधस्य पश्चादविरोधस्येतिप्रतीतिद्वयम् भवति, तथापि तत्र प्रतीतिद्वयात्मकस्य विरोधाभासालंकारस्य चमत्कारित्वाद् व्यवहारो युक्त इति ।

काव्यप्रकाश का खण्डन किया जाता है—यत्तु इत्यादि ।

काव्यप्रकाश में मम्मट ने सामान्यालङ्कार के उदाहरण में 'वेत्रत्वचा अर्थात् बेंत की छाल के समान कान्तिवाली (अति गौरवर्णा) वधुओं के कानों के ऊपर से कपोल तल पर आए हुए चम्पा के नवीन पुष्पों को, यदि खेलते हुए भ्रमर उन पर नहीं गिरते तो, कौन पहचानता?' इस पद्य को लिखकर कहा कि 'अन्य निमित्त से उत्पन्न होकर भी पश्चात्कालिक भेदज्ञान प्रथमतः ज्ञात अभेद को हटाने का उत्साह नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञात वस्तु का त्याग अयुक्तिक है'।

मम्मट के कथन का अभिप्राय है कि 'वेत्रत्वचा—' इस पद्य में यद्यपि पीछे भ्रमरपात से चम्पकपुष्प तथा गौरवर्णनायिका-कपोलतल की भिन्नता का ज्ञान हो जाना वर्णित हुआ है, तथापि पहले जो उन दोनों में अभेद ज्ञात हुआ था उसके आधार पर 'सामान्यालंकार' माना जायगा, क्योंकि ज्ञान का बाधक नहीं होता—पश्चात् किसी विरोधी ज्ञान के होने से भी पहले का ज्ञान नष्ट नहीं होता ।

पण्डितराज का यहां कथन है कि—ज्ञान का बाध नहीं होता, अतः उत्तर ज्ञान के होने पर भी पूर्वज्ञान अपनी जगह बना रहता है यह बात यद्यपि सत्य है, तथापि उत्तरज्ञान से तिरस्कृत हो जाने के कारण पूर्व ज्ञान चमत्कारी नहीं रह जाता है, अपि तु उत्तरज्ञान ही चमत्कारी होता है, अतः उत्तरज्ञान के आधार पर ही अलङ्कार व्यवहार उचित होता है, क्यों कि अलङ्कारव्यवहार का मूल चमत्कार ही माना गया है, अन्यथा

व्यतिरेक में भी उपमा का व्यवहार होने लगेगा, क्योंकि वहां भी व्यतिरेक-ज्ञान से पूर्व साम्यज्ञान होता है। हां, एक विरोधाभास ऐसा है जो ऐसी दशा में भी चमत्कारी होता है और उसका कारण यह है कि उसका स्वरूप ही दो तरह के ज्ञानों से (विरोध तथा अविरोधके ज्ञानों से) बना हुआ है। फलतः 'वेत्रत्वचा-' इस पद्य में मम्मटाभिमत सामान्यालङ्कार हो नहीं सकता है, अतः उसके उदाहरण रूप में इस पद्य का उल्लेख असंगत ही है।

प्रकरणसमाप्तिं सूचयति—

इति रसगङ्गाधरे सामान्यालङ्कारप्रकरणम्।

रसगङ्गाधराख्ये निबन्धे सामान्यालङ्कारप्रकरणं समाप्तं बोध्यमिति भावः।

रसगङ्गाधरगत सामान्यालङ्कार का प्रकरण समाप्त हुआ।

इति रसगङ्गाधरचन्द्रिकायां सामान्यप्रकरणम्॥

अलङ्कारान्तरनिरूपणारम्भं प्रतिजानीते—

अथोत्तरालङ्कारः—

उत्तराख्योऽलङ्कारो निरूप्यत्वेनारब्धो बोध्य इति भावः।

अब 'उत्तर' नामक अलङ्कार का निरूपण आरब्ध होता है—

तावत्तल्लक्षणमाह—

प्रश्नप्रतिबन्धकज्ञानविषयीभूतोऽर्थ उत्तरम्।

प्रश्नस्य प्रतिबन्धकं यद् ज्ञानम् तस्य विषयीभूतो योऽर्थस्तदुत्तरमिति शब्दार्थः। यस्यार्थस्य ज्ञानेन प्रश्नः प्रतिबध्यते सोऽर्थ उत्तरमिति भावः।

सर्वप्रथम लक्षण किया जाता है—प्रश्न इत्यादि।

प्रश्न को प्रतिबद्ध कर देने वाले ज्ञान के विषयीभूत अर्थ का नाम उत्तर है—अर्थात् जिस अर्थ के ज्ञान होने से प्रश्न रुक जाय वह अर्थ उत्तर है।

लक्षणं विविनक्ति—

प्रश्नश्च ज्ञीप्सा। भावे नङो विधानात्। सा च ज्ञानविषयेच्छा। सा-चोत्तरवाक्याद्विषयीभूते ज्ञाने जाते निवर्तते।

ज्ञीप्सार्थकात् प्रच्छधातोर्भावे नङ्प्रत्यये कृते प्रश्नशब्दो निष्पद्यते, तथा च प्रश्नशब्दार्थः ज्ञीप्सा पर्यवस्यति। ज्ञीप्सापदस्य च ज्ञानविषयिणीच्छाऽर्थः। सा चेच्छा तदा निवर्तते यदोत्तरवाक्यात् स्वविषयीभूतं ज्ञानं जायत इति भावः।

लक्षण का विवेचन किया जाता है—प्रश्नश्च इत्यादि।

'प्रच्छ्' धातु से भावार्थक 'नङ्' प्रत्यय करने से 'प्रश्न' बनता है और 'प्रच्छ' धातु का अर्थ है—'ज्ञीप्सा', अतः 'प्रश्न' शब्द का भी अर्थ 'ज्ञीप्सा' ही होता है, क्योंकि 'भाव' का अर्थ है क्रिया और क्रिया ही धात्वर्थ है। 'ज्ञीप्सा' का अर्थ है ज्ञानविषयक इच्छा। फलतः 'प्रश्न' शब्द का अर्थ हुआ 'जिज्ञासा—जानने की इच्छा'। यह इच्छा उत्तर वाक्य द्वारा विषयीभूत ज्ञान के उत्पन्न होने पर निवृत्त होती है।

सारांश यह हुआ कि प्रश्न के द्वारा जिस वस्तु के ज्ञान की इच्छा प्रकट की जाती है उस वस्तु का ज्ञान होने पर वह इच्छा शान्त होती है और उस वस्तु का ज्ञान जिससे होता है वही 'उत्तर' वाक्य है।

आशंक्य समाधत्ते—

ननु जिज्ञासा ज्ञानेष्टसाधनताज्ञानसाध्या। जाते हि ज्ञानेष्टसाधनताज्ञाने तद्रूपस्यैव विषयीभूतज्ञानस्य सिद्धत्वात्कथमुत्पत्तुमर्हतीति। मैवम्। 'किमेकं दैवतं लोके' इत्यादिप्रश्नवाक्यादेकदैवतत्वव्याप्यधर्मप्रकारकं ज्ञानमिष्टसाधनमिति ज्ञानजन्या प्रयोक्तृगता तादृशं ज्ञानं मे जायतामितीच्छानुमीयते। सा च प्रष्टुः कुतश्चिद् दैवतत्वप्रकारकोपस्थितावेकसंबन्धिज्ञानाधीनायां दैवतत्वव्याप्यधर्मत्वेन रूपेण तादृशधर्मोपस्थितौ च सत्यां तस्यां गृहीतेन दैवतत्वव्याप्यधर्मप्रकारकज्ञानत्वेन सामान्येन भाविन्युत्तरवाक्यजन्यज्ञाने इष्टसाधनताज्ञानादुत्पद्यते। तस्याश्च तादृशप्रकारकज्ञानत्वेन सामान्यरूपेण विष्णुर्दैवतमित्यादीनि ज्ञानान्येव दैवतत्वव्याप्यधर्मांशे निरवच्छिन्नप्रकारताभाञ्जि विषय इति तैरेवोत्तरवाक्यादुत्पन्नैः सा प्रतिबध्यते। जनकीभूतज्ञानं विषय एव तस्या न भवतीति न तत्सिद्धिः प्रतिबन्धिकेति न दोषः।

ज्ञानेष्टसाधनताज्ञानेति। ज्ञानविशेष्यकेष्टसाधनत्वप्रकारज्ञानेत्यर्थः। ज्ञानमिष्टसाधनमित्याकारकज्ञानेति यावत्।

तद्रूपस्यैवेति। इष्टसाधनताज्ञाने विशेष्यरूपस्यैवेत्यर्थः। विषयीभूतेति। इच्छाविषयीभूतेत्यर्थः। कथमुत्पत्तुमर्हतीति। इच्छाविषयसिद्धेरिच्छाप्रतिबन्धकत्वादिति भावः। अयमाशयः—उपायेच्छां प्रति इष्टसाधनताज्ञानं कारणम्, तथा चोपायेच्छारूपा जिज्ञासा तदा भवेत् यदा 'ज्ञानं मदिष्टसाधनम्' इत्याकारकं ज्ञानं स्यादिति वस्तुस्थितिः। तत्रायमाक्षेपो यत् इच्छाविषयीभूतमेव ज्ञानमिष्टसाधनताज्ञाने विशेष्यतया सन्निविष्टमितीष्टसाधनताज्ञानेनैवेच्छाविषयीभूतं ज्ञानं सिद्धं स्यात्, तथा च ज्ञानविषयिणीच्छा नोत्पत्तुमर्हति, विषयसिद्धिरूपस्य प्रतिबन्धकस्य जागरूकत्वादिति। खण्डयति—मैवमिति। ज्ञानेष्टसाधनताज्ञानान्नेच्छाविषयीभूतज्ञानस्य सिद्धिरिति भावः। तत्र युक्तिमाह—'किमेकम्—' इत्यादिना। एकम् मुख्यम्। दैवतम् देवता। तादृशमिति। दैवततत्वव्याप्यधर्मप्रकारकमित्यर्थः। 'किमेकं दैवतं लोके' इति प्रश्नवाक्यम्, तस्माद् वाक्यात् प्रष्टुः 'दैवततत्वव्याप्यधर्मप्रकारकम् ज्ञानमिष्टसाधनम्, इत्याकारकेष्टसाधनताज्ञानेन जननीया 'दैवततत्वव्याप्यधर्मप्रकारकं ज्ञानम् मे जायताम्' इत्याकारिकेच्छाऽवगता भवतीति भावः। सा चेति। तादृशेच्छा चेत्यर्थः। अस्योत्पद्यत इत्यत्रान्वयः। कुतश्चिदिति। 'दैवतमस्ति' इत्याप्तवाक्यादित्यर्थः। एकसंबन्धिज्ञानाधीनायामिति। दैवततत्वरूपैकसंबन्धिज्ञानप्रयुक्तायामित्यर्थः। धर्मत्वेन रूपेणेति। न तु विष्णुत्वत्वादिरूपेणेति भावः। तादृशेति। दैवततत्वव्याप्यविष्णुत्वादीत्यर्थः, दैवतत्व-विष्णुत्वायोः व्याप्यव्यापकभावः संबन्धोऽस्ति, तथा च दैवततत्वज्ञाने सति 'एकसंबन्धिज्ञानमपरसंबन्धिनं स्मारयति' इति न्यायेन दैवततत्वव्याप्यानां विष्णुत्वादीनां स्मरणं भवति, परन्तु तत्र स्मरणे विष्णुत्वादिकम् न विष्णुत्वत्वादिना रूपेण भासेत, तेन रूपेण संबन्धाग्रहात्, अपि तु दैवततत्वव्याप्यत्वेन रूपणेति भावः। एतच्चेष्टसाधनताज्ञानीयविशेष्यतावच्छेदकतायां दैवततत्वव्याप्यत्वावच्छिन्नत्वसूचनायेति बोध्यम्। तस्यामिति। इच्छायामित्यर्थः। गृहीतेन ज्ञातेन। सामान्येनेति। तादृशसामा-

न्यधर्मेणेत्यर्थः। विष्णुत्वाद्यवच्छिन्नप्रकारताकज्ञानत्वात्मकविशेषधर्मेण नेति यावत्। अत्र तृतीयार्थोऽवच्छिन्नत्वम्। अस्य च सप्तम्यर्थविशेष्यतायामन्वयः। 'उत्तरवाक्यजन्यज्ञान इति। 'विष्णुर्दैवतम्' इत्यादिज्ञान इत्यर्थः। सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम्। तथा च—दैवतत्वव्याप्यधर्मप्रकारकज्ञानत्वावच्छिन्न-'विष्णुर्दैवतम्' इत्यादिज्ञाननिष्ठविशेष्यतानिरूपितेष्टसाधनत्वनिष्ठप्रकारकज्ञानादिति समुदितार्थः। तस्याश्चेति। तादृशेच्छाया इत्यर्थः। अस्य 'विषयः' इत्यत्रान्वयः। तादृशेति। दैवतत्वव्याप्यधर्मेत्यर्थः। निरवच्छिन्नप्रकारताभाञ्जीति। 'विष्णुर्दैवतम्' इत्यादिज्ञानीया या विष्णुत्वादिनिष्ठा प्रकारता सा निरवच्छिन्नैव, न विष्णुत्वत्वाद्यवच्छिन्ना, विष्णुत्वादेः प्रकारीभूतधर्मस्य तत्र स्वरूपतो भानादिति भावः। तैरेवेति। 'विष्णुर्दैवतम्' इत्यादि ज्ञानैरेवेत्यर्थः। 'दैवतत्वव्याप्यानि सन्ति' इत्यादिज्ञानमेव पदव्यवच्छेद्यम्। सेति, इच्छेत्यर्थः। जनकीभूतज्ञानमिति। जनकतावच्छेदककोटिप्रविष्टं ज्ञानमित्यर्थः। इच्छाया जनकम् यत् 'दैवतत्वव्याप्यधर्मप्रकारकं ज्ञानमिष्टसाधनम्' इत्याकारकं ज्ञानम् तत्र विशेष्यीभूतं ज्ञानमिति यावत्। तस्या इच्छायाः। तत्सिद्धिरिति। इष्टसाधनताज्ञानीयविशेष्यताश्रयीभूतज्ञानसिद्धिरित्यर्थः। प्रतिबन्धिकेति। इच्छाया इति भावः। न दोष इति। 'इच्छा कथमुत्पत्तुमर्हति' इति शङ्काग्रासरूपदोषो नेत्यर्थः। इष्टसाधनताज्ञाने विशेष्यतया 'दैवतत्वव्याप्यत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपकं ज्ञानं भासते, इच्छायां तु विष्णुत्वादिनिष्ठनिरवच्छिन्नप्रकारताकं ज्ञानं विषय इति सावच्छिन्नप्रकारताकत्वनिरवच्छिन्नप्रकारकत्वाभ्याम् द्वयोर्ज्ञानयोर्भिन्नत्वम्, तथा च सावच्छिन्नप्रकारताकज्ञानस्य सिद्धावपि निरवच्छिन्नप्रकारताकज्ञानविषयिण्या इच्छाया उत्पत्तौ प्रतिबन्धो न भवतीति सारांशः।

एक आशङ्का और उसका समाधान अब किए जाते हैं—ननु इत्यादि।

"जिज्ञासा·ज्ञान की इच्छा भी उपायेच्छा है, अतः वह (ज्ञानेच्छा") 'ज्ञानम् इष्टसाधनम्-ज्ञान मेरे इष्ट का साधन है' इस तरह के इष्टसाधनताज्ञान से सिद्ध हो सकती है और जब 'ज्ञानम् इष्टसाधनम्' इस तरह का इष्टसाधनता·ज्ञान हो जायगा, तब इच्छा का विषयीभूत ज्ञान, जो इष्टसाधनताज्ञान में विशेष्यरूप से भासित ज्ञान स्वरूप ही है, सिद्ध ही हो जायगा, अतः ज्ञान की इच्छा उत्पन्न ही कैसे हो सकती है? अभिप्राय है कि विषय की सिद्धि इच्छा की प्रतिबन्धिका होती है—अर्थात् जो चीज सिद्ध हो उसकी इच्छा नहीं होती। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के ज्ञान की इच्छा तब नहीं हो सकती है यदि उस प्रकार का ज्ञान किसी तरह पहले से सिद्ध रहे, और यहाँ कुछ ऐसी ही बात है, क्योंकि जिस तरह के ज्ञान की इच्छा करती है उसी तरह के ज्ञान के विषय में पहले इष्टसाधनताज्ञान करना होगा और जब इष्टसाधनताज्ञान के विषय रूप में उस तरह का ज्ञान हो ही जायगा तब फिर उस तरह के ज्ञान की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी" ऐसी आशङ्का यहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विचार करने पर इस आशङ्का का अवसर नहीं आता। देखिए—'किमेकं दैवतं लोके—अर्थात् संसार में मुख्य देवता कौन है?' इस प्रश्न·वाक्य से 'दैवतत्व से व्याप्य धर्म जिस में प्रकार हो ऐसा ज्ञान इष्टसाधन है' इस तरह के इष्टसाधनताज्ञान से उत्पन्न होने वाली 'दैवतत्वव्याप्य·धर्मप्रकारक ज्ञान मुझे हो' इस तरह की प्रश्नकर्ता की इच्छा अनुमित होती है और इस इच्छा की उत्पत्ति की प्रक्रिया यह है कि प्रश्नकर्ता को

पहले किसी तरह से (आप्तवाक्यादि से) दैवतत्वप्रकारक—अर्थात् 'दैवतम्' इत्याकारक स्मरण होता है तदनन्तर 'एक संबन्धी का ज्ञान दूसरे संबन्धी का स्मारक होता है' इस न्याय के अनुसार 'दैवतत्व' रूप एक संबन्धी के ज्ञान से उस (दैवतत्व) के दूसरे संबन्धी दैवतत्वव्याप्य धर्म (विष्णुत्व शिवत्व आदि) का भी स्मरण हो जाता है, पर इस स्मरण में विष्णुत्व आदि का भान विष्णुत्वता आदि रूप से नहीं होता, अपितु दैवतत्वव्याप्य धर्मता रूप से, क्योंकि दैवतत्व का संबन्ध (व्याप्ति) किसी विशेष धर्म के साथ ज्ञात नहीं है। अभिप्राय यह कि दैवतत्वस्मरण से 'दैवतत्व व्याप्य भी कोई धर्म अवश्य है' इस तरह का दूसरा भी सामान्य स्मरण होता है।

इस स्मरण के बाद उक्त इच्छा में ज्ञात होने वाले सामान्य धर्म—अर्थात् दैवतत्वव्याप्य धर्मप्रकारक ज्ञानत्व' रूप से 'विष्णुर्दैवतम्, शिवोदैवतम्' इत्यादि उत्तरवाक्य से आगे होने वाले 'विष्णुमुख्य देवता है, शिवमुख्य देवता है' इस ज्ञान में इष्टसाधनता ज्ञान होता है, तब उक्त इच्छा उत्पन्न होती है। आशय यह है कि 'दैवतत्वव्याप्यधर्मप्रकारकं ज्ञानम् इष्टसाधनम्' इस इच्छाजनकज्ञान में 'इष्टसाधनत्व' प्रकार है और 'दैवतत्वव्याप्य धर्मप्रकारक ज्ञान' है विशेष्य यहां यह विशेष्यीभूत ज्ञान यद्यपि वही है जो पीछे उक्त उत्तर वाक्य से होता है तथापि वह यहां अपने विशेष (विष्णुत्वादिप्रकारक दैवतविशेष्यक ज्ञानत्व) रूप में नहीं आया है, अपि तु 'दैवतत्वव्याप्य धर्मप्रकारक ज्ञानत्व' इस सामान्य रूप में। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि 'दैवतत्वव्याप्यधर्म' जो यहां प्रकार रूप में भासित होता है वह दैवतत्वव्याप्य धर्मत्व रूप से—अर्थात् यहां की प्रकारता दैवतत्वव्याप्यत्वावच्छिन्ना है।

यह तो हुआ इच्छाजनक-इष्टसाधनताज्ञान का विषय-विश्लेषण। अब इच्छा के विषय का विश्लेषण कीजिए 'दैवतत्वव्याप्यधर्मप्रकारक ज्ञानत्व' इस सामान्य रूप से 'विष्णुर्दैवतम्' इत्यादि ज्ञान ही, जो दैवतत्वव्याप्य धर्म अंश में निरवच्छिन्न प्रकारताशाली हैं, इच्छा के विषय होते हैं, तात्पर्य यह है कि 'विष्णुर्दैवतम्' यह जो ज्ञान है उसमें 'विष्णुत्व' प्रकार है और 'दैवत' विशेष्य, फलतः 'विष्णुत्व' में ज्ञानीय प्रकारता है और 'दैवत' में ज्ञानीय विशेष्यता, उन में से 'विष्णुत्व' में रहने वाली प्रकारता का कोई अवच्छेदक नहीं है, क्यों कि 'विष्णुत्व' यहां किसी रूप से नहीं, अपि तु स्वरूपतः भासित होता है, इस तरह यह सिद्ध होता है कि यहां की प्रकारता निरवच्छिन्न है और यही निरवच्छिन्न प्रकारता वाला ज्ञान इच्छा का विषय है, यद्यपि इच्छा का आकार 'दैवतत्वव्याप्यधर्मप्रकारकं ज्ञानं मे जायताम्' ऐसा ही होता है तथापि इस आकार में 'दैवतत्वव्याप्य धर्मप्रकारक ज्ञान' से 'विष्णुर्दैवतम्' इत्यादि ज्ञान ही अभीष्ट है, अब यह स्पष्ट हो गया कि जब प्रश्नकर्ता के इष्ट 'विष्णुर्दैवतम्' इत्यादि ज्ञान ही हैं तब उत्तर वाक्य द्वारा उस तरह के ज्ञान होने पर ही इच्छा प्रतिबद्ध होगी—प्रश्न रुकेगा।

इच्छाजनक जो उक्त इष्टसाधनताज्ञान है उसमें विशेष्य रूप से जो ज्ञान भासित हुआ है वह इच्छा का विषय ही नहीं होता, अतः उस ज्ञान की सिद्धि इच्छा का प्रतिबन्ध नहीं कर सकती है। अभिप्राय यह हुआ कि इष्टसाधनताज्ञान तथा इच्छा दोनों में 'विष्णुर्दैवतम्' इत्यादि ज्ञान ही विषय होते हैं इसमें सन्देह नहीं, पर इष्टसाधनता ज्ञान में वे सामान्यरूप से विषय होते हैं—अर्थात् वहां दैवतत्व-व्याप्यत्वा-

वच्छिन्नप्रकारताशाली ज्ञान, जो अन्ततः उक्त ज्ञान रूप ही होता है, विशेष्य रूप में विषय होता है और इच्छा में वे विशेष रूप से विषय होते हैं—अर्थात् वहां दैवतत्वव्याप्यत्वावच्छिन्नप्रकारताशाली नहीं, अपि तु निरवच्छिन्नविष्णुत्वादिनिष्ठ-प्रकारताशाली, ज्ञान विषय रूप में भासित होते हैं। इस तरह से जनकीभूत-ज्ञान-विषयीभूत ज्ञान और इच्छाविषयीभूतज्ञान में भेद सिद्ध है—अर्थात् जिस ज्ञान की इच्छा है वह ज्ञानजनकीभूतज्ञान से सिद्ध नहीं होता, अतः इच्छा की उत्पत्ति में बाधा नहीं आती है।

इस प्रसङ्ग पर सरलाकार तथा हिन्दी रसगङ्गाधरकार-दोनों ही महानुभाव जाग्र-दार्शनिक चेतना के अभाव से अन्धकार में अभीष्टान्वेपण करते से दीख पड़ते हैं, फलतः कहीं अभीष्टपदार्थ का स्पर्श हो सका है, कहीं नहीं, जिससे साधारण पाठक दिग्भ्रान्त होते हैं। इस कथन की तथ्यता विज्ञजन स्वयं तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा समझ सकते हैं।]

भेदावाचष्टे—

तच्चोत्तरं द्विविधम्—उन्नीतप्रश्नम् , निबद्धप्रश्नं च।

उन्नीतप्रश्नमिति। यत्रोत्तरेणावर्णितोऽपि प्रश्न ऊह्यते तादृशमित्यर्थः। निबद्धप्रश्नमिति। यत्रोत्तरेण सह प्रश्नोऽपि वर्णितो भवेत्तादृशमित्यर्थः।

उत्तरालङ्कार के भेद किए जाते हैं—तच्च इत्यादि।

उक्तलक्षण वाला उत्तरालङ्कार प्रथमतः दो प्रकार का होता है-एक उन्नीत प्रश्न—अर्थात् जिसमें अवर्णित प्रश्न का वर्णित उत्तर के आधार पर ऊह किया जाय और दूसरा-निबद्धप्रश्न—अर्थात् जहां उत्तर के साथ साथ प्रश्न भी शब्दतः कथित हो।

उदाहर्तुमाह—

क्रमेणोदाहरणानि—

स्पष्टम्—।

क्रमशः उदाहरण दिखलाए जाते हैं—।

उन्नीतप्रश्नमुत्तरालङ्कारमुदाहरति—

त्वमिव पथिकः प्रियो मे विटपिस्तोमेषु गमयति क्लेशान्।
किमितोऽन्यत्कुशलं मे संप्रति यत्पान्थ जीवामि॥'

हे पान्थ पथिक! त्वमिव पथिकः त्वं यथा पथिकस्तथैव पथिकः, मे मम, प्रियः, विटपिस्तोमेषु तरुसमूहेषु तरुसमूहच्छायायामिति यावत् , क्लेशान् श्रान्तिपीडाः, गमयति शमयति, संप्रति इदानीम् , यत् , जीवामि ध्रिये, इतः जीवनात् , अन्यत् मे कुशलम् किम्? प्रियविरहे जीवनधारणमेव महत्कुशलमित्यर्थः।

उन्नीत प्रश्न उत्तरालङ्कार का उदाहरण दिखलाया जाता है—त्वमिव इत्यादि।

हे पथिक ! मेरा प्रिय तेरे ही जैसा पथिक है और वृक्ष-समूहों में (पेड़ों की छाया में) श्रम-पीडाओं को मिटा रहा है, इसके अतिरिक्त मेरी कुशल क्या है कि अभी जी रही हूँ ।

उपपादयति—

अत्र कस्यचित्पान्थस्य पुरन्ध्र्याः कंचित्पथिकान्तरं प्रत्युत्तरेण तत्कर्तृकः कुशलप्रश्नोऽनुमीयते कुशलमपृष्टायाः कुशलोक्तेरयोगात् ।

'त्वमिव—' इत्यस्मिन्पद्ये कस्यचित् पथिकस्य पत्न्या प्रदत्तं पथिकान्तरं प्रत्युत्तरं वर्णितमस्ति, तेन चोत्तरेण पथिकान्तरकृतस्य कुशलप्रश्नस्यानुमितिर्भवति, यतः कुशलमपृष्टा कुशलं न ब्रूयात् इति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'त्वमिव–' इस पद्य में किसी पथिक की पत्नी के द्वारा किसी दूसरे पथिक के प्रति दिया गया उत्तर वर्णित है। इस उत्तर से पथिक द्वारा किए गए कुशल प्रश्न की अनुमिति की जाती है, क्योंकि कुशल-प्रश्न के विना कुशल का कथन असंगत है ।

निबद्धप्रश्नमुत्तरालङ्कारमुदाहरति—

'किमिति कृशासि कृशोदरि ! किं तव परकीयवृत्तान्तैः ।
कथय तथापि मुदे मम कथयिष्यति याहि पान्थ तव जाया ॥'

कश्चित् पथिकः कामपि सुन्दरीं पृच्छति—हे कृशोदरि क्षीणमध्ये, किमिति केन हेतुना कृशा दुर्बला, असि वर्तसे ? नायिकोत्तरं प्रयच्छति-परकीयवृत्तान्तैः अन्यदीय-वार्ताभिः, तव, किम् , प्रयोजनमिति शेषः । पुनः पथिको ब्रूते—तथापि परवृत्तान्तज्ञान-प्रयोजनाभावेऽपि, मम, मुदे हर्षाय, कथय कृशताहेतुं ब्रूहि । पुनर्नायिका वक्ति—हे पान्थ पथिक, याहि स्वगेहं गच्छ, तव, जाया पत्नी, कथयिष्यति पथिक-पत्नी कृशता-कारणं सूचयिष्यतीत्यर्थः ।

निबद्ध प्रश्न, उत्तरालङ्कार का उदाहरण दिया जाता है—किमिति इत्यादि ।

किसी पथिक ने किसी सुन्दरी से पूछा—'हे कृशोदरि ! तुम दुर्बल क्यों हो ?' नायिका ने उत्तर दिया—'तुम्हें दूसरों के वृत्तान्तों से क्या प्रयोजन ?' पथिक ने फिर कहा—'तब भी कहो, मुझे हर्ष होगा।' फिर नायिका ने कहा—'हे पथिक ! जाओ, तेरी पत्नी कह देगी।'

'किमिति–' इत्यत्र प्रश्नोत्तरयोरुपनिबन्धेन निबद्धप्रश्नोत्तरालङ्कारसंगतिः स्फुटैवेति तामुपेक्ष्य तत्तत्प्रश्नोत्तरव्यङ्ग्यानि सूचयति—

अत्राद्यप्रश्नस्य-हेतुं चेद्वदसि तदा प्रतिकरिष्यामीति व्यङ्ग्यम् । उत्तरस्य तु—न मया पतिव्रतया हेतुर्वक्तुं परपुरुषं प्रति योग्यः, न च त्वया प्रतिकर्तुं शक्य इति । द्वितीयप्रश्नस्य त्वलं पातिव्रत्येनाविदग्धजनहठमात्रविलसितेन ।

स्वपरसंतोष एव संसारसार इति। द्वितीयोत्तरस्य तु—या मम दशा सैव तव जायाया अपि दशास्ति। सैव प्रतिक्रियताम्। नहि स्वकीयं सदनं दह्यमानमुपेक्ष्य कश्चित्परसदनाग्निं प्रतिकरोति। अथ यदि परोपकारः स्वकीयां क्षतिमपि सोढ्वा करणीय इत्यस्ति मनीषा, तदा तवैवं विधोपकारे प्रवृत्तस्य जायायाः केनचिदन्येन भवादृशेनोपकारः करणीय इति त्वयैव तस्या ममेव परपुरुषपराङ्मुख्या विरहो दूरीकर्तव्य इति।

अत्रेति। 'किमिति–' इत्यस्मिन्पद्य इत्यर्थः। आद्यप्रश्नस्येति। 'किमिति कृशासि' इति प्रश्नस्येत्यर्थः। अस्य 'व्यङ्ग्यम्' इत्यत्रान्वयः। हेतुमिति। कृशताकारणमित्यर्थः। उत्तरस्य त्विति। 'किं तव परकीयवृत्तान्तैः' इत्युत्तरस्येत्यर्थः। इतीति। व्यङ्ग्यमिति शेषः। एवमग्रेपि। द्वितीयप्रश्नस्येति। 'कथय तथापि मुदे मम' इति प्रश्नस्येत्यर्थः। अविदग्धेति। असहृदयेत्यर्थः। पातिव्रत्यमसहृदयजनदुराग्रहविलासमात्रमिति भावः। स्वपरसंतोष इति। येन कार्येण स्वस्य परस्य च संतोषो भवेत् तदेव कार्यम् कर्तव्यमित्येव संसारे सारभूतमिति भावः। द्वितीयोत्तरस्येति। 'कथयिष्यति, याहि, पान्थ तव जाया' इत्युत्तरस्येत्यर्थः। सैवेति। स्वजायादशैवेत्यर्थः। अत्राभाणकं ब्रूते—नहि स्वकीयमिति। मनीषा इच्छा। भवादृशेनेति। परोपकारव्याजेन स्वकामवासनाशान्तिमिच्छता धूर्तेनेत्यर्थः। परपुरुषपराङ्मुख्याः पतिव्रतायाः।

'किमिति–' इस पद्य में निबद्ध प्रश्न उत्तरालङ्कार स्वतः स्पष्ट है, अतः उसका उपपादन न करके केवल उन प्रश्नोत्तरों से होने वाले व्यङ्ग्यों का विवेचन किया जाता है—अत्राद्य इत्यादि।

'किमिति–' इस पद्य में प्रथम प्रश्न–अर्थात् 'क्यों दुर्बल हो' इस प्रश्न का व्यङ्ग्य है—'यदि कृशता का कारण बता दो तो उसका प्रतिकार मैं करूँगा' और 'तुम्हें दूसरों के वृत्तान्त से क्या प्रयोजन' इस उत्तर का व्यङ्ग्य है—'मैं पतिव्रता हूँ, परपुरुष के सामने अपनी कृशता का हेतु कहना उचित नहीं है और न तुम उसका प्रतिकार ही कर सकते हो'। तब भी कहो, मुझे हर्ष होगा' इस द्वितीय प्रश्न का व्यङ्ग्य है—'पातिव्रत्य में क्या रक्खा है, पातिव्रत्य तो केवल असहृदयों की हठकल्पना है, संसार का सार तो है अपने आपको और दूसरों को सन्तुष्ट करना' और 'पथिक, जाओ, तेरी पत्नी कह देगी' इस द्वितीय उत्तर का व्यङ्ग्य है—'जो दशा मेरी है वही तेरी पत्नी की भी है। उसकी दुर्दशा का ही प्रतिकार करो। कोई भी अपने घर को जलता छोड़कर दूसरे के घर की आग नहीं बुझाता। यदि 'अपनी हानि सहकर भी परोपकार करना चाहिए' यह इच्छा है तो ऐसे उपकार में प्रवृत्त तेरी पत्नी का उपकार तेरे ही जैसे किसी दूसरे परोपकारी को करना पड़ेगा, अतः मेरे समान परपुरुष से दूर रहने वाली अपनी पत्नी की ही विरह वेदना तुम दूर करो यही उचित है।'

उत्तरालङ्कारविषये प्राचीनाचार्यविचारं सूचयति—

उन्नीतप्रश्ने सकृदुत्तरस्य चारुत्वम्, निबद्धप्रश्ने तु प्रश्नोत्तरयोरसकृदुपन्यासे तदितिप्राञ्चः।

तदिति। चारुत्वमिति भावः। अन्यत् स्फुटमेव।

प्राचीनों की मान्यता है कि—उन्नीत प्रश्न उत्तरालङ्कार में एक बार उत्तर सुन्दर होता है, किन्तु निबद्ध प्रश्न उत्तरालङ्कार में प्रश्न तथा उत्तर के अनेक बार आने पर सुन्दरता होती है।

उत्तरालङ्कारस्य भेदान्तराण्यपि संभवन्तीति प्रतिपादयति—

अयं चोत्तरालङ्कारो द्विविधोऽपि प्रश्नोत्तरयोरन्यतरस्योभयोश्च साभिप्रायत्वेन च चतुर्विध इत्यष्टधा।

उत्तरालङ्कारस्योन्नीतप्रश्न-निबद्धप्रश्ननामकौ यौ द्वौ भेदावुक्तौ तयोः प्रत्येकस्य चतुर्विधत्वम्, केवलप्रश्नस्य साभिप्रायत्वात्, केवलोत्तरस्य साभिप्रायत्वात्, उभयोः साभिप्रायत्वात् उभयोर्निरभिप्रायत्वाच्च, तथा च मिलित्वाऽष्टौ भेदा भवन्तीति भावः।

उत्तरालङ्कार के अन्य भेद दिखलाये जाते हैं—अयमित्यादि। उत्तरालङ्कार के पूर्वोक्त दो भेदों में से प्रत्येक के चार-चार भेद हो जाने से कुल आठ भेद हो जाते हैं, जैसे—उन्नति प्रश्न में—१: प्रश्न साभिप्राय, उत्तर निरभिप्राय, २. उत्तर साभिप्राय, प्रश्न निरभिप्राय, ३. प्रश्नोत्तर-दोनों साभिप्राय, ४. दोनों निरभिप्राय। इसी तरह निबद्ध प्रश्न में भी समझना चाहिए।

साभिप्रायोन्नीतप्रश्नमुत्तरमुदाहरति—

'प्रियो हृदयवर्ती मे न मां मुञ्चति जातुचित्।
उत्तरे नावकाशोऽस्ति दूरतस्ते मनोरथः॥'

हृदयवर्ती हृदये वर्तमानः, मे मम, प्रियः प्रेयान्, माम्, जातुचित् कदाचित्, न मुञ्चति न परित्यजति। उत्तरे त्वत्प्रश्नोत्तरदानेऽपि, अवकाशः, अवसरो, नास्ति, ते तव मनोरथः संभोगादीच्छा, तु, दूरतः दूरापास्त इत्यर्थः।

साभिप्राय उन्नीत प्रश्नवाले उत्तरालङ्कार का उदाहरण दिया जाता है—प्रियः इत्यादि।

मेरे हृदय में रहने वाला मेरा प्रिय मुझे कभी नहीं छोड़ता। तेरा मनोरथ (संभोगेच्छा) तो दूर रहा, उत्तर देने का भी अवसर नहीं है।

उपपादयति—

अत्र केनचित्पान्थेन कांचित्साध्वीं प्रति कुत्र तव प्रियोऽस्तीति कृतः प्रश्न उन्नीतः प्रियनैकट्ये तद्वञ्चनेन तदनैकट्ये च स्वाच्छन्द्येनावयोर्विलासो मान्मथो भविष्यतीत्यभिप्रायगर्भितः। अन्यथा 'दूरतस्ते मनोरथः' इत्यस्यासंगत्यापत्तेः। उत्तरं तु स्फुटत्वात्तद्गर्भितम्।

'प्रियो—' इत्यस्मिन्पद्ये नायिकया प्रदत्तमुत्तरमात्रमुपनिबद्धम्। तेन चोत्तरेण तां साध्वीं नायिकां प्रति केनचित्पान्थेन कृतः 'कुत्र तव प्रियोऽस्ति' इत्याकारकः प्रश्न उन्नीतो भवति। स च प्रश्नः 'यदि तव प्रियो निकटस्थितस्तदा तं वञ्चयित्वा यदि स न निकट-

स्थितस्तदा स्वच्छन्दतयाऽऽवाभ्यां कामविलासः करिष्यते' इत्यभिप्रायेण युक्तः। यदि प्रश्नस्य तादृशाभिप्राययुक्तत्वन्न स्यात्तदा दूरतस्ते मनोरथः। इत्युत्तरघटकांशोऽसङ्गत एव भवेदिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'प्रियः-' इस पद्य में नायिका द्वारा दिया गया उत्तर वर्णित है, जिससे उस साध्वी नायिका के प्रति किसी पथिक द्वारा पूछा गया जो 'तेरा प्रिय कहाँ है' इस तरह का आक्षिप्त होता है वह 'यदि तेरा प्रिय कहीं निकट में हो तो उसको छल कर यदि वह निकट में नहीं हो तो स्वच्छन्दतापूर्वक हम दोनों की काम-क्रीडा होगी' इस अभिप्राय से युक्त है।

यदि प्रश्न का ऐसा अभिप्राय नहीं माना जाय तो नायिका द्वारा प्रदत्त उत्तर का 'तेरा मनोरथ तो दूर रहा' यह अंश असंगत हो जायगा।

इस पद्य में वर्णित उत्तरतो स्पष्ट होने के कारण किसी अभिप्राय से युक्त नहीं है।

उन्नीतप्रश्नं साभिप्रायमुत्तरमुदाहरति—

'सुवर्णस्य कृते तन्वि देशं देशमटाम्यहम्।
तस्य दुष्प्रापताहेतोश्चिन्ताक्रान्तं मनो मम॥'

हे तन्वि कृशाङ्गि!, अहम्, सुवर्णस्य हेम्नः अथ च सुन्दररूपस्य, कृते, देशं देशम्, अटामि भ्रमामि, परन्तु, तस्य सुवर्णस्य, दुष्प्रापता हेतोः, दुर्लभत्वाद्धेतोः, मम, मनः, चिन्ताक्रान्तम्, अस्तीति शेषः।

उन्नीत प्रश्नवाले साभिप्राय उत्तर का उदाहरण दिया जाता है—सुवर्णस्य इत्यादि।

हे तन्वि! मैं सुवर्ण (सोना+सुन्दर रूप) के लिए देश देश घूम रहा हूँ, किन्तु उसकी (सुवर्ण की) दुर्लभता के कारण मेरा मन चिन्ताक्रान्त है।

उपपादयति—

अत्र कस्य हेतोश्चिन्ताक्रान्तं ते मन इति कस्याश्चित्स्फुटार्थे ग्रामीणायाः प्रश्ने कस्यचिन्नागरिकस्योत्तरं 'रूपं यदि ददासि तदा मम चिन्ता गमिष्यती' त्यभिप्रायगर्भम्।

'सुवर्णस्य-' इत्यस्मिन्पद्ये 'कस्य हेतोस्ते मनश्चिन्ताक्रान्तम्' इति स्फुटार्थत्वादभिप्रायविशेषशून्यः प्रश्नो ग्राम्यसरलसुन्दरीकृत उन्नीयते। वर्णितं नागरनायककृतमुत्तरं तु 'रूपं यदि त्वं ददासि तदा मन्मनश्चिन्ता शान्तिमेष्यति' इत्यभिप्रायगर्भमिति भावः।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि।

'सुवर्णस्य-' इस पद्य में 'किस कारण से तेरे मन चिन्ताक्रान्त है' इस ग्राम्य नायिका द्वारा पूछे गए उन्नीत प्रश्न का पद्य वर्णित नागरिक नायक द्वारा प्रदत्त उत्तर 'यदि तुम अपना सुन्दर रूप मुझे दे दो तो मेरी चिन्ता शान्त हो जायगी' इस अभिप्राय से युक्त है।

उन्नीतप्रश्ने उत्तरालङ्कारे प्रश्नोत्तरयोर्द्वयोरपि साभिप्रायतामुदाहरति—

'रोगस्य ते चिकित्सां निदानमालोच्य सुन्दरि करिष्ये ।
मा हन्त कातरा भू रसक्रियायां नितान्तनिपुणोऽस्मि ॥'

हे सुन्दरि, निदानम् रोगमूलकारणम्, आलोच्य विचार्य, ते तव, रोगस्य, चिकित्साम्, करिष्ये । हन्त खेदकरम्, त्वम्, कातरा व्याकुला, मा भूः न भव, अहम्, रसक्रियायाम् रसायननिर्माणेऽथ च शृङ्गाररसविधाने, नितान्तनिपुणः अतिकुशलः, अस्मीत्यर्थः ।

उन्नीत प्रश्न वाले उत्तरालङ्कार में प्रश्न तथा उत्तर दोनों की साभिप्रायता का उदाहरण दिया जाता है—रोगस्य ते इत्यादि ।

हे सुन्दरि ! निदान (मूल कारण) का विचार करके तेरे रोग की चिकित्सा करूँगा । तुम घबराओ नहीं, मैं रसक्रिया (पारदादि रसायनों को बनाने + शृङ्गाररसोचित व्यापारों) में अत्यन्त निपुण हूँ ।

अत्र 'नापृष्टः कस्यचिद् ब्रूयात्' इत्यादिनीत्या वैद्यकर्तृकप्रतिज्ञोन्नीतः प्रश्नो 'वैद्य, रोगस्य मे चिकित्सां करिष्यसि ?' इत्याकारो विदग्धनायिकारूपाया वक्त्र्या वैशिष्ट्यात्संभोगरूपेणाभिप्रायेण गर्भितः । उत्तरमपि तेनैवाभिप्रायेण गर्भितम् ।

'रोगस्य–' इत्यस्मिन्पद्ये उत्तरगतया 'ते रोगस्य चिकित्सां करिष्ये' इत्याकारिकया वैद्यकर्तृकया प्रतिज्ञया 'वैद्य ! मदीयरोगस्य चिकित्सां करिष्यसि ?' इत्याकारकः प्रश्न आक्षिप्यते, 'ना पृष्टः–' इत्यादिनीत्या प्रश्नं विनोत्तरासंगतेः । स च प्रश्नः एकस्या नायिकायाः, उत्तरे 'सुन्दरि' इति संबोधनात् । सा च नायिका विदग्धा । तथा च—विदग्धायास्तस्या नायिकारूपाया वक्त्र्या वैशिष्ट्यात्तत्कृतः पूर्वोक्तः प्रश्नः संभोगरूपाभिप्रायगर्भितः । वैद्यप्रदत्तम् रसक्रिया निपुणत्वोक्तिमयमुत्तरमपि तेनैव संभोगरूपेणाभिप्रायेण-गर्भितमिति प्रश्नोत्तरयोः साभिप्रायत्वमिति भावः ।

उपपादन किया जाता है—अत्र इत्यादि ।

'रोगस्य–' इस पद्य में वर्णित उत्तर में आई हुई वैद्य की 'चिकित्सा करूँगा' इस प्रतिज्ञा से 'हे वैद्य मेरे रोग की चिकित्सा करोगे' इस पूर्वकृत प्रश्न का ऊह किया जाता है, क्योंकि 'विना पूछे किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए' इत्यादि नीति के अनुसार प्रश्न के बिना नहीं बन सकता । यह प्रश्न संभोगेच्छारूप अभिप्राय से भरा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इस ऊहित प्रश्न को कहने वाली चतुर सरस नायिका की विलक्षणता उक्त अभिप्राय को सूचित करने में सहायक है । चतुर वैद्य रूप नायक द्वारा प्रदत्त पद्यवर्णित उत्तर भी अभिप्राय (संभोग) से भरा है, जिसकी अभिव्यक्ति 'रसक्रिया–' पदगत श्लेष से होती है ।

भेदान्तरोदाहरणं पूर्वदत्तं स्मारयति—

प्रश्नोत्तरयोर्द्वयोरपि निरभिप्रायत्वे 'त्वमिव पथिकः' इति कथितमेवोदाहरणम् ।

'त्वमिव पथिकः–' इति प्रागुदाहृते पद्ये प्रश्नोत्तरयोर्द्वयोरपि निरभिप्रायत्वमिति भावः।

प्रश्न तथा उत्तर–दोनों की निरभिप्रायता का उदाहरण 'त्वमिव पथिकः' यह पद्य पहले ही कहा जा चुका है।

उपसंहरन्नाह—

एते ह्युन्नीतप्रश्नभेदाः।

उक्तानि पद्यानि उन्नीतप्रश्नोत्तरालंकारे प्रश्नोत्तरयोः साभिप्रायत्व-निरभिप्रायत्वयोरुदाहरणानीति भावः।

ऊपर कहे गए भेद उन्नीत प्रश्न उत्तरालङ्कार के हैं–अर्थात् उन्नीत प्रश्न वाले उत्तरालङ्कार में प्रश्न तथा उत्तर की साभिप्रायता और निरभिप्रायता के उदाहरण ऊपर दिए गए हैं।

निबद्धप्रश्ने उत्तरालङ्कारे प्रश्नोत्तरयोः साभिप्रायत्व-निरभिप्रायत्वयोरुदाहरणान्युक्तरीत्या स्वयमूह्यानीत्याह—

एवं निबद्धप्रश्नभेदा अप्युदाहार्याः।

स्पष्टम्।

इसी तरह निबद्ध प्रश्न वाले उत्तरालङ्कार में भी प्रश्नोत्तरों की साभिप्रायता निरभिप्रायता के उदाहरण भी स्वयं समझ लेने चाहिए।

विशेषमाह—

'किमिति कृशासि' इति पद्यमपि चतुर्णां निबद्धप्रश्नभेदानामुदाहरणभावमर्हति वक्तृवैदग्ध्यावैदग्ध्यव्यवस्थयेति।

'किमिति कृशासि—' इति पूर्वोक्तं पद्यमपि निबद्धप्रश्नोत्तरालङ्कारे प्रश्नोत्तरयोः साभिप्रायत्वनिरभिप्रायत्वाभ्यां जायमानानां चतुर्णां भेदानामुदाहरणं भवितुमर्हति। अयं भावः—प्रश्नकर्तुर्नायकस्याविदग्धत्वे प्रश्नो निरभिप्रायः, उत्तरकर्त्र्या नायिकाया अविदग्धत्वे उत्तरम् निरभिप्रायम्, द्वयोरविदग्धत्वे प्रश्नोत्तरे द्वे अपि निरभिप्राये, इति।

'किमिति कृशासि—' यह पूर्वोक्त पद्य भी वक्ता की विदग्धता तथा अविदग्धता की व्यवस्था से निबद्ध प्रश्न वाले उत्तरालङ्कार में प्रश्नोत्तरों की साभिप्रायता-निरभिप्रायता के आधार पर होने वाले चारो भेदों का उदाहरण हो सकता है।

अभिप्राय है कि प्रश्नकर्त्ता नायक को अचतुर मानने पर प्रश्न निरभिप्राय, उत्तरकर्त्री नायिका को अचतुर मानने पर उत्तर निरभिप्राय, दोनों को अचतुर मान लेने पर प्रश्नोत्तर-दोनों निरभिप्राय और दोनों को चतुर मानने पर दोनों साभिप्राय हो सकते हैं।

उत्तरालङ्कारप्रभेदविषये मतान्तरमाह—

अत्राहुः—अलङ्कारे ह्यस्मिन्प्रश्नोत्तरगतमसकृदुपनिबद्धत्वं जीवातुः। तथैव

चमत्कारोदयात् । तेन सकृत्प्रश्नस्य सकृदुत्तरं नालङ्कारस्य भूमिः । नचोन्नीतप्रश्नोत्तरेऽव्याप्तिः, उन्नीतस्य प्रश्नस्यैकत्वादनुपनिबन्धाच्चोत्तरस्याप्येकत्वादिति वाच्यम् । प्रश्नगतमुन्नीतत्वमत्रोत्तरेणाऽऽक्षिप्तत्वं न विवक्षितम् । किं तु प्रश्नोत्तरपरम्परायां प्राचीनोत्तरश्रवणजन्यत्वमात्रम् । यथा—'श्यामं यज्ञोपवीतं तव किमिति मषीसंगमात्कुत्र जातः, सोऽयं शीतांशुकन्यापयसि कथमभूत्तज्जलं कज्जलाक्तम् । व्याकुप्यन्नूरदीनक्षितिरमणरिपुक्षोणिभृत्पक्ष्मलाक्षी—लक्षाक्षीणाश्रुधारासमुदितसरितां सर्वतः संगमेन ॥' अत्र 'कुत्र जातः' इत्यादिप्रश्नो 'मषीसंगमात्' इत्याद्युत्तरश्रवणादुद्गत इत्युन्नीत उच्यते । आद्यप्रश्नस्त्वनुन्नीतोऽप्युत्तरोत्थापनार्थं निबद्ध इति । एवं चास्मिन्मते प्राग्दर्शितान्युन्नीतप्रश्नोदाहरणान्यनुदाहरणान्येव । अलङ्कारस्यास्य द्वैविध्यमपि न प्रश्नोन्नीतत्व-निबद्धत्वाभ्याम् , किं तून्नीतत्वानुन्नीतत्वाभ्यां ज्ञेयम् ।

अस्मिन्निति । उत्तराख्य इत्यर्थः । जीवातुरिति । अलङ्कारताबीजमिति भावः । तथैवेति । प्रश्नोत्तरयोरसकृदुपनिबन्ध एवेत्यर्थः । फलितमाह—तेनेति । शङ्कते—न चेति । अव्याप्तौ हेतुमाह—उन्नीतस्येति । समाधत्ते—प्रश्नगतमिति । उत्तरेण प्रश्नस्योह इह नोन्नीतपदार्थोऽपि तु पूर्वप्रश्नोत्तरयोरनन्तरम् उत्तरश्रवणेन यो द्वितीयः प्रश्न उत्पाद्यते स उन्नीत उच्यत इति भावः । तादृशोन्नीतमुदाहर्तुमाह—यथेति । 'श्यामम्–' इति । कमपि ब्राह्मणं कश्चित्पृच्छति–तव, यज्ञोपवीतम् , किमिति केन कारेणन , श्यामम् कृष्णवर्णम् ? ब्राह्मण उत्तरमाह–मषीसंगमात् मषीसंसर्गात् , पुनः प्रश्नो भवति–कुत्र कस्मिन् स्थाने, जातः मषीसंसर्गोऽभूत् ? उत्तरम्-सोऽयम् मषीसंसर्गः, शीतांशुकन्यापयसि नर्मदाजले, पुनः प्रश्नः–तज्जलम् नर्मदापयः, कज्जलाक्तम् कज्जलकलुषम् , कथम् केन प्रकारेण, अभूत् ?, उत्तरम्—व्याकुप्यतः क्रोधं कुर्वतः नूरदीनस्य जहाँगीरस्य, क्षितिरमणस्य राज्ञः ये रिपवः शत्रुभूताः, क्षोणीभृतः राजानः, तेषां, याः पक्ष्मलाक्ष्यः पक्ष्मलनयना नायिकाः, तासां यल्लक्षम् लक्षसंख्या, लक्षसंख्याका याः पक्ष्मलाक्ष्य इति भावः, तासाम् , अक्षीणाभिः पूर्णाभिः, अश्रुधाराभिः, समुदिताः उत्पन्नाः, याः सरितः नद्यः तासाम् , सर्वतः परितः संगमेन संमेलनेन । कज्जलाक्तनूरदीननृपतिशत्रुस्त्रीनयननीरसंपर्कान्नर्मदापयः कज्जलाभमभूदिति भावः । उपपादयति—अत्रेति । आद्यः प्रश्न इति । 'श्यामं यज्ञोपवीतम् किमिति' इति प्रश्न इत्यर्थः । इतीति । तथा च तस्मिन्नंशे नालङ्कारतेति भावः । एतन्मतनिष्कर्षमाह—एवं चेति । अनुदाहरणान्येवेति । प्रश्नस्यानुपनिबन्धादिति बोध्यम् । द्वैविध्यमपि नेति । अस्मिन्मते प्रश्नस्योपनिबन्ध आवश्यक इति भावः । किं त्विति । तत्रोन्नीतोदाहरणं 'श्यामम्-' इति पद्यं प्रदत्तमेव । अनुन्नीतप्रश्नोदाहरणं तदा भवेद् यदा मिथोऽसंबद्धा अनेके प्रश्ना अनेकान्युत्तराणि चोपनिबद्धानि स्युरिति बोध्यम् ।

उत्तरालङ्कार के विषय में मतान्तर का उल्लेख किया जाता है—अत्राहुरित्यादि ।

यहाँ कुछ विद्वानों का कथन है कि—इस उत्तरालङ्कार का जीवन है 'प्रश्न और उत्तर-दोनों का कई बार निबद्ध होना', क्योंकि वैसा होने पर ही चमत्कार की उत्पत्ति

होती है, अतः एक बार प्रश्न और एक ही बार उसका उत्तर वर्णित रहने पर अलङ्कार नहीं होगा।

कहा जा सकता है कि तब तो 'उन्नीत प्रश्न उत्तरालङ्कार' में अव्याप्ति हो जायगी, क्यों कि वहाँ प्रश्न एक ही होता है और वह पद्य में निबद्ध भी नहीं होता तथा उत्तर भी एक ही होता है। इस का उत्तर वे इस प्रकार करते हैं कि प्रश्न की उन्नीतता का अर्थ 'उत्तर द्वारा उसका आक्षिप्त होना' नहीं है, अपि तु प्रश्नोत्तर की परंपरा (अनेक प्रश्नों) में प्राचीन उत्तर के श्रवण से उत्पन्न होना मात्र है-अर्थात् प्राचीन उत्तर के सुनने से नवीन प्रश्न का उठना ही प्रश्न की उन्नीतता है। जैसे-'श्यामम्-अर्थात् हे ब्राह्मण! तेरा यज्ञोपवीत काला क्यों है? स्याही के संपर्क से यज्ञोपवीत में स्याही का संपर्क कहाँ हो गया? नर्मदा नदी के जल में। नर्मदा का जल कज्जल से मलिन कसे हो गया? क्रोधयुक्त बादशाह जहाँगीर (नूरदीन जहाँगीर का नामान्तर है) के शत्रुभूत राजाओं की लाखों सघन पलकों वाली सुन्दरियों की अजस्र अश्रुधाराओं से बनीं नदियों के चारों ओर से मिल जाने के कारण, इस पद्य में। यहाँ 'यज्ञोपवीत में स्याही का संपर्क कहाँ हो गया' इत्यादि प्रश्न 'स्याही के संपर्क से यज्ञोपवीत काला हो गया' इत्यादि उत्तर के श्रवण से उठा है, अतः उन्नीत कहलाता है। प्रथम प्रश्न (यज्ञोपवीत काला कैसे हो गया?) यद्यपि उन्नीत नहीं हुआ, पर उत्तर को उठाने के लिए उस का उल्लेख हुआ है। फलतः उस अंश में उन्नीत प्रश्न उत्तरालङ्कार नहीं होगा।

इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि पहले जो उन्नीत प्रश्न उत्तरालङ्कार के उदाहरण दिखलाए गए हैं वे इस मत के अनुसार उदाहरण नहीं हो सकते हैं, कारण, उन उदाहरणों में एक बार भी प्रश्न का उल्लेख नहीं है और इस मत के अनुसार अनेक बार प्रश्न का उल्लेख आवश्यक है।

उत्तरालङ्कार की द्विविधता भी प्रश्न का उल्लिखित और उन्नीत होने से नहीं होती, अपितु प्रश्न का उन्नीत और अनुन्नीत होने से। तात्पर्य यह है कि पूर्वमत में उत्तरालङ्कार दो प्रकार का इसलिए होता है कि कहीं प्रश्न निबद्ध रहता है और कहीं प्रश्न उत्तर द्वारा ऊहित रहता है, इस द्वितीय मत में तो प्रश्न की निबद्धता उत्तरालङ्कार के लिए अनिवार्य शर्त मान ली गई, अतः उक्त आधार पर भेद नहीं किए जा सकते, परन्तु दूसरे तरीके से दो भेद इस अलङ्कार के इस मत में भी हो जाते हैं—अर्थात् इस मत में भी प्रश्न कहीं उन्नीतता की नवीन परिभाषा के अनुसार उन्नीत रहेगा, जैसे—उक्त ('श्यामम्-') पद्य में, और कहीं वह अनुन्नीत रहेगा, जैसे—जहाँ परस्पर असंबद्ध अनेक प्रश्न तथा उत्तर उपनिबद्ध होंगे।

अत्र स्वसिद्धान्तमाह—

वस्तुतस्तु—प्रश्नोत्तरयोराकूतगर्भत्वे तावतैव चमत्कारान्नासकृदुपादानापेक्षा। आकूतविरहे त्वसकृदुपादानकृतश्चमत्कारोऽपेक्ष्यते निबद्धप्रश्ने। आक्षिप्तप्रश्ने तु प्रश्नाक्षेपकृतं चमत्कारं यदि मन्यन्ते सहृदयास्तदा सकृदुपादानेऽप्यलङ्कारत्वमस्तु।

आकूतेति। अभिप्रायविशेषेत्यर्थः। तावतैवेति। प्रश्नोत्तरयोराकूतगर्भत्वेनैवेत्यर्थः। यदि मन्यन्त इति। एतेनात्र स्वदृढसम्मत्यभावः। सूच्यते ग्रन्थकृतेति बोध्यम्। अयं

भावः—निबद्धप्रश्नोत्तरालङ्कारे यदि प्रश्नोत्तरवाक्येऽर्थविशेषव्यञ्जके तदा प्रश्नोत्तरयोः सकृदुपनिबन्धेऽप्यलंकारत्वम् , अन्यथा तयोरसकृदुपादान एव तत्त्वम् । आक्षिप्तप्रश्नोत्तरालंकारे—उत्तरेण प्रश्नस्याक्षेपः स्वतश्चमत्कारीति सहृदयसम्मतौ सकृत्प्रश्नोत्तरयोः सत्त्वेऽप्यलंकारत्वमिष्टम् अन्यथाऽसकृत्तत्सत्त्वापेक्षाकरणीयैवेति ।

ग्रन्थकार अपना सिद्धान्त उपस्थित करते हैं—'वस्तुतस्तु' इत्यादि ।

वास्तव में तो निबद्ध प्रश्न उत्तरालङ्कार में यदि प्रश्न तथा उत्तर-दोनों अभिप्रायविशेष पूर्ण हों तब उनकी अभिप्रायविशेषपूर्णता के कारण ही चमत्कार उत्पन्न होने से प्रश्नोत्तर के पुनः पुनः उपादान की अपेक्षा नहीं होती और यदि प्रश्नोत्तर अभिप्राय पूर्ण न हों तब पुनः पुनः उनके उपादान अवश्य ही अपेक्षणीय होते हैं, क्योंकि साभिप्रायता के अभाव में पुनः पुनः प्रश्नोत्तर के उपादान से ही चमत्कार संभव है ।

आक्षिप्त प्रश्न उत्तरालङ्कार में तो यदि सहृदय जन उत्तर द्वारा प्रश्न के आक्षेपमात्र में चमत्कार मानें तब वहाँ भी एक वार प्रश्नोत्तर के उपादान में अलङ्कारता हो सकती है ।

उत्तरालङ्कारस्य भेदान्तराणि सूचयति—

प्रकारान्तरेणाप्यस्य भेदाः संभवन्ति । पद्यान्तर्वर्तित्वेन पद्यबहिर्वर्तित्वेन तावद् द्वैविध्यम् । तत्राद्यस्याभिन्नवाक्योद्गीर्णत्व-भिन्नवाक्योद्गीर्णत्वाभ्यां पुनर्द्वैविध्यम् । पद्यान्तर्वर्ति-पद्यबहिर्वर्तिनोर्द्वयोरप्युत्तरयोः सकृच्छब्दश्रुतिपर्याप्तत्वेन शब्दावृत्तिपर्यायत्वेन, अनेकेषां प्रश्नानामेकपदनिवेदितोत्तरत्वेन प्रकारान्तरैश्च बहुप्रभेदत्वम् ।

तावद्द्वैविध्यमिति । प्रश्नोत्तरे द्वे अपि क्वचित् पद्यान्तर्गते भवतः क्वचिच्च प्रश्न एव पद्यान्तर्गतः उत्तरं तु पद्यबहिर्भूतं स्यादित्येवं रीत्या प्रथमतो द्वैविध्यमिति भावः । आद्यस्येति । पद्यान्तर्वर्तिप्रश्नोत्तरकभेदस्येत्यर्थः । अभिन्नवाक्योद्गीर्णत्वेति । एकवाक्यबोध्यत्वेत्यर्थ. । प्रश्नोत्तरे एकवाक्यबोध्य इति भावः ।

सकृच्छब्दश्रुतिपर्याप्तेति । सकृत् शब्दश्रवणमेव उत्तरज्ञाने समर्थम् इत्यर्थः ।

उत्तरालङ्कार के अन्य भेद बतलाए जाते हैं—प्रकारान्तरेण इत्यादि ।

उत्तरालङ्कार के भेद दूसरे प्रकार से भी हो सकते हैं। जैसे—प्रश्नोत्तर-दोनों के पद्यान्तर्गत और पद्यबहिर्भूत होने से प्रथमतः दो भेद हो सकते हैं—अर्थात् कहीं प्रश्न उत्तर-दोनों पद्य में कहे रहेंगे और कहीं केवल प्रश्न पद्य में कथित रहेगा, उत्तर बाहर से आयगा ।

पद्यान्तर्गत प्रश्नोत्तर वाले भेद के भी पुनः दो भेद हो सकते हैं—(१) प्रश्न और उत्तर दोनों के एक ही वाक्य में आ जाने से और (२) प्रश्न तथा उत्तर के भिन्न-भिन्न वाक्य में आने से। पद्यान्तर्वर्ती और पद्यबहिर्वर्ती दोनों उत्तरों में पुनः बहुत से भेद हो सकते हैं—(१) कहीं उत्तरज्ञान के लिय एक बार शब्द का श्रवण पर्याप्त होगा, (२) कहीं उत्तरज्ञान के लिए शब्द की आवृत्ति अपेक्षित होगी और कहीं अनेक प्रश्नों का एक ही पद से उत्तर हो जायगा—इत्यादि ।

उदाहर्तुमाह—

दिङ्मात्रेणोदाह्रियते—

दिग्दर्शनार्थं कतिपयभेदोदाहरणं प्रदीयत इति भावः।

दिशा ज्ञान के लिये कुछ के उदाहरण दिए जा रहे हैं—।

उदाहरणमुपन्यस्यति—

'किं कुर्वते दरिद्राः का सारवती धरा मनोज्ञतरा।
कोऽपावनस्त्रिलोक्याम्............................॥'

पद्यान्तर्गतैकवाक्योद्गीर्णप्रश्नोत्तरभेदोदाहरणमिदम्। 'दरिद्राः किम् कुर्वते' इति प्रश्नस्योत्तरमपि अस्मिन्नेव-वाक्ये सन्निहितम्-दरिद्राः किं कुर्वते किंकरतां कुर्वन्तीति। एवम्-'कासारवती धरा मनोज्ञतरा' (सारवती = सारमयी का धरा मनोज्ञतरा। अतिरमणीया) इति प्रश्नस्योत्तरमपि तदेव-कासारवती कासारोऽस्त्यस्यास्तादृशी (जलाशययुक्ता) धरा मनोज्ञतरेति। इत्थमेव त्रिलोक्याम् कोऽपावनः = कः अपावनः (अपवित्रः)' इति प्रश्नस्य 'कोपावनः' = कोपस्य अवनः रक्षकः क्रोधीति यावत् इत्युत्तरं तस्मिन्नेव वाक्ये समाविष्टम्।.........) दुर्भाग्यमिदं विदुषां यदद्यावधि ग्रन्थस्यास्यैतावानेवांश उपलब्धः।

प्रबन्धोऽयमपूर्णोऽपि पूर्णां ख्यातिमुपागमत्।
अलब्धोऽपि भवेल्लब्धो भागोऽहमिति भावये॥ १॥

गूढार्थं पण्डितेन्द्रस्य वचनं मे विवृण्वतः।
दूषणं नानुपश्येयुः सुधियो गुणदर्शिनः॥ २॥

दोषदर्शनशीलाश्च यदि द्रक्ष्यन्ति दूषणम्।
केवलं युक्तमेवैतन्मक्षिका व्रणमीक्षते॥ ३॥

वियन्नेत्र-वियन्नेत्रमिते वैक्रमवत्सरे (२०२०)।
कार्तिके धवले पक्षे देवोत्थानतिथौ गुरौ॥ ४॥

पूरिता 'चन्द्रिका'न्यस्ता मया श्रीशांघ्रिपद्मयोः।
प्रकाशं वितरेन्नूनं विद्वन्मानस-मन्दिरे॥ ५॥

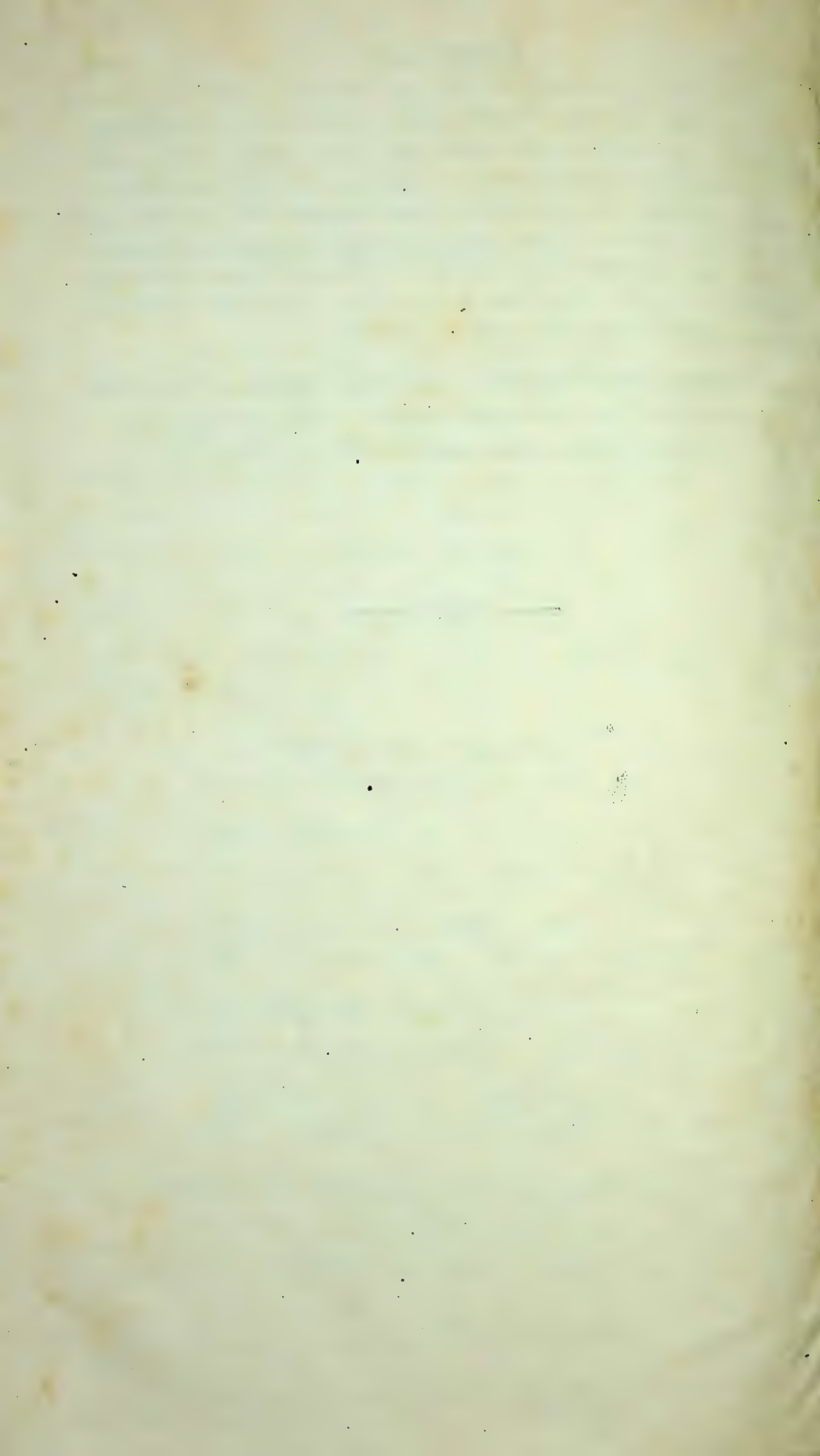
मिथिलादेशान्तर्गतनवानीनामसंवसथनिवासि-भागलपुरस्थराजकीयसंस्कृत-महाविद्यालय-प्राध्यापक-व्याकरण-न्याय-साहित्याचार्यश्रीमदन-मोहनझाविनिर्मिता चन्द्रिकाख्या समाप्ता।



उदाहरण दिया जाता है—किं कुर्वते इत्यादि। 'किं कुर्वते दरिद्राः'—दरिद्र लोग क्या करते हैं? इस प्रश्न का संस्कृत भाषा में यही वाक्य उत्तर है—दरिद्राः किं कुर्वते (दरिद्रजन किंकरता (चाकरी) करते हैं)। इसी तरह 'का सारवती धरा मनोज्ञतरा' (सारवती मनोज्ञतरा धरा का) कौन सी पृथ्वी सारयुक्त तथा अत्यन्त सुन्दर होती है? इस प्रश्न का संस्कृत भाषा में उत्तर है—'कासारवतीधरा मनोज्ञतरा' (तालाबों वाली पृथ्वी अत्यन्त सुन्दर होती है)। इसी प्रकार 'कोऽपावनस्त्रिलोक्याम्'-(त्रिलोकी में अपावन (अपवित्र) कौन है? इस प्रश्न का संस्कृत भाषा में उत्तर है—'कोपावनः' (कोप=क्रोध का अवन=रक्षक—अर्थात् क्रोधी)।

मिथिला-मण्डलान्तर्गतनवानी-ग्रामवासी, भूतपूर्व साहित्य प्राध्यापक, वर्तमान भागल-पुरस्थ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय प्राध्यापक व्याकरण-न्याय-साहित्याचार्य श्री मदनमोहन झा रचित रसगङ्गाधर हिन्दी व्याख्या समाप्त ॥







हमारे कतिपय नवीन प्रकाशन

शब्दस्तोममहानिधिः—तारानाथ भट्टाचार्य विरचित ४५—००
समयमातृका—डॉ० रमाशंकर त्रिपाठीकृत हिन्दी व्याख्या सहित ५—००
सूक्तिमञ्जरी—आचार्य बलदेव उपाध्याय १०—००
त्रिपुरारहस्यम्-ज्ञानखण्डम्। 'ज्ञानप्रभा' हिन्दी व्याख्या सहित १३—००
हिन्दी ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य (चतुःसूत्री) आचार्य विश्वेश्वर ६—००
कामकुञ्जलता—पण्डितराज ढुण्ढिराज शास्त्री सम्पादित २५—००
चन्द्रकला नाटिका—विश्वनाथकविराजप्रणीत। 'प्रभावती' हिन्दीव्याख्या ८—००
हिन्दी वक्रोक्तिजीवित। व्या०-श्री राधेश्याम मिश्र १५—००
राजमार्तण्डः—हिन्दी व्याख्या सहित २—५०
हिन्दी वैशेषिकदर्शन—(प्रशस्तपादभाष्य सहित) १८—००
व्याकरणमहाभाष्यम्—सप्रदीप हिन्दीव्याख्या १-५ आह्निक १०—००
व्याकरणशास्त्र का संक्षिप्त इतिहास—श्री रमाकान्त मिश्र ५—००
शृङ्गाररस का शास्त्रीय विवेचन—डॉ० इन्द्रपाल सिंह १०—००
साहित्य शास्त्रसार—श्री हंसराज अग्रवाल ४—५०
भारतीय काव्यशास्त्र के प्रतिनिधिसिद्धान्त—श्री राजवंशसहाय १६—००
महाकवि शूद्रक (शूद्रक और मृच्छकटिक)-डॉ० रमाशङ्कर तिवारी १२-५०
औचित्य सम्प्रदाय का हिन्दी-काव्य शास्त्र पर प्रभाव—
डॉ० चन्द्रहंस पाठक २५—००
भारतीय इतिहास के स्रोत-सिक्के। ई० जे० रैपसन।
अनुवादक-डॉ० रामकुमार राय १४—००
मूल संस्कृत उद्धरण-प्रो० जे० मूइर। (हिन्दी रूपान्तर) १-५ भाग १२५-००
लौकिक संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास—डॉ० गौरीनाथ
शास्त्री। अनुवादक-डॉ० रामकुमार राय १०—००
विष्णुपुराण का भारत—डॉ० सर्वानन्द पाठक २०—००
विद्यापरिणयनम्—आनन्दराय मखि विरचित। 'प्रकाश' हिन्दी टीका ५—००
वैदिक योगसूत्र—श्री हरिशंकर जोशी २२—००
शुक्रनीतिः—विद्योतिनी हिन्दी व्याख्योपेता १२—५०
स्वतन्त्र कलाशास्त्र—(प्र० भाग भारतीय) डॉ० कान्तिचन्द्र पाण्डेय ३५-००
हिन्दी सहृदयानन्द—कृष्णानन्द प्रणीत। 'प्रकाश' हिन्दी टीका सहित ६—००
धर्मसिन्धुः—'धर्मदीपिका' हिन्दी टीका 'सुधा' टिप्पणी सहित २५—००
याज्ञवल्क्यस्मृतिः—'मिताक्षरा' तथा 'प्रकाश' संस्कृत हिन्दी टीका २०—००

प्राप्तिस्थानम्—चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१